ANNEXURE

CENTRAL BUDGET 1995-96

TABLE OF CONTENTS

1. Speech of the Minister of Finance introducing the Budget for 1995-96 (Part A and Part B)
2. Budget of the Central Government for 1995-96 (as laid before Parliament)
3. Budget at a Glance 1995-96.
4. Economic Survey for 1994-95.
5. The Finance Bill, 1995.
6. Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 1995.
7. The Finance Act, 1995.
8. Resolution on Final Budget Statements 1995-96.
9. Expenditure Budget 1995-96 Volume I (Incorporating Explanatory Memorandum and Plan Budget).
10. Expenditure Budget 1995-96 Volume II (Incorporating Notes on Demands for Grants).
11. Receipts Budget 1995-96 (Incorporating Receipts. Recoveries of Loans, other Capital Receipts and Debts position of Central Government) as finally adopted.
12. Summary of Demands for Grants, 1995-96.
13. The appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (No. 12 of 1995).
14. The Appropriation (No. 2) Act, 1995 (No. 23 of 1995).
15. Economical and Functional Classification of the Central Government Budget for 1995.96.
16. Key to Budget Documents for 1995-96.

B–RAILWAY BUDGET 1995-96

17. Speech of the Railway Minister introducing the Railway Budget for 1995-96.
18. Budget of the Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1995-96.
19. Vote on Account for expenditure of the Central Government on Railways in 1995-96.
20. Explanatory Memorandum on the Railway Budget 1995-96.
21. Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways for 1995-96.
22. Memorandum Explaining the Proposals for Adjustments in Goods Freight Rates and Parcels and Luggage Rates in the Railway Budget 1995-96.
23. The Appropriation (Railways) Act, (Nos. 11 & 20) the Appropriation (Railways) (Vote on Account) Act, 1995 (No. 10 of 1995).
24. Key to the Railway Budget Documents for 1995-96.

Speech of the Minister of Finance introducing the Budget for 1995-96 (Part A and Part B)

Budget 1995-96

Speech of

Shri Manmohan Singh
Minister of Finance

15th March, 1995

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for 1995-96.

2. Four years have passed since our Government, under the leadership of Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao, took office in the midst of an unprecedented economic crisis. Our immediate task was to save the nation from a relentless slide into the abyss of falling production, soaring inflation and deepening poverty. We dealt swiftly with the immediate crisis and we also worked towards a broader objective of shifting the economy on to a path of rapid, employment-generating growth. Our aim was to raise India to her rightful place in the comity of nations.

3. Sometimes, in the heat of political debate, we lose sight of what has already been achieved. Let me take a few minutes to outline how far we have come since those grim days of 1991:

* The growth of our economy had fallen to less than one per cent in 1991-92. We brought the economy back to a growth of 4.3 per cent per year in the two years thereafter, and growth has accelerated further to 5.3 per cent in 1994-95. Few countries can claim as quick and smooth a recovery from as deep an economic crisis.

* Industrial growth had collapsed to about half of one per cent in 1991-92. Today, Indian industry is experiencing a vibrant, broad-based recovery with industrial growth of 8.7 per cent in

April-November, 1994. The manufacturing sector is growing even faster at 9.2 per cent and the capital goods sector is growing at 24.7 per cent. I hope that those critics who predicted that our industrial and trade reforms would hurt Indian industry will look at the reality and think again.

* There are signs of a strong revival in domestic industrial investment in 1994-95 as Indian industry modernises and upgrades technology, and improves competitiveness. Foreign direct investment is also responding well to the new policies, with large investments flowing into key infrastructure sectors such as Power and Telecommunications.

* Foodgrain production had fallen to 168 million tonnes in 1991-92. This year, it will be an all-time record of 185 million tonnes. Our farmers have clearly benefited from the policy of offering remunerative prices and have returned a strong production performance.

* Public stocks of foodgrain, which provide an invaluable insurance against bad weather and other contingencies, had declined to 14.7 million tonnes three years ago. They have been rebuilt to a record level of 31 million tonnes, as on January 1, 1995.

* Growth has created new jobs for our people. In 1991-92, total employment grew by only about 3 million. In each of the two years thereafter, employment increased twice as fast, with about 6 million new jobs added each year. The increase is expected to be even higher in 1994-95. The drawing room Cassandras, who predicted massive unemployment as a consequence of the reforms, have been conclusively proved wrong.

* The inability to manage our external payments was the immediate cause of our collapse in 1991. I am sure, Honourable Members are aware of the remarkable change that has taken place in this area. The dollar value of exports fell by 1.5 per cent in 1991-92. In 1994-95 our exports have grown by over 17 per cent in the first 10 months. This follows a 20 per cent increase in 1993-94. Imports have also grown in line with the revival of the economy but the balance of payments situation is comfortable.

* The fears that were voiced in some quarters that our trade policy would generate a disruptive flood of imports and weaken the economy have been shown to be completely unfounded. Liberalisation and openness have actually increased our self-reliance. Exports now finance over 90 per cent of imports, compared to only about 60 per cent in the latter half of the eighties. The external deficit on current account was over 3 per cent of GDP in 1990-91. It is expected to be less than 1/2 per cent in 1994-95.

* At the time of the crisis, our external debt was rising at the rate of 8 billion dollars a year. In 1993-94, the increase in external debt was reduced to less than one billion dollars. In the first half of 1994-95, our external debt stock actually declined by almost 300 million dollars.

* Our foreign currency reserves had fallen to barely one billion dollars in June 1991. On March 10, 1995 they stood at over 20 billion dollars.

* A key element of our strategy was to give top priority to strengthening anti-poverty programmes, once the initial crisis was overcome. We have fulfilled this promise. Plan expenditure on employment and anti-poverty programmes in the Central Sector has been increased very sharply in the last two budgets. The allocation for Rural Development has been more than doubled from Rs.3100 crore in 1992-93 (BE) to over Rs.7000 crore in 1994-95 (BE). Over the same period the allocation for Elementary Education was increased by 84 per cent, for Adult Education by 78 per cent and for Health by 91 per cent.

4. These indicators testify to a remarkable turnaround, in a relatively short time. We inherited an economy near collapse four years ago. We have transformed it into an economy showing strong growth in agricultural and industrial output, a strong revival of domestic investment, a steady increase in foreign direct investment, renewed growth of employment and a comfortable foreign exchange position. This is the result of the hard work of our farmers and industrial workers, our managers and exporters, combined with the far sighted economic policies implemented by the government under the leadership of Prime

Minister Shri P.V.Narasimha Rao. What is most encouraging is the emergence of a broad national consensus in support of reforms, a consensus which vindicates our strategy of moving forward steadily and surely on the path of reform.

5. We have come a long way, but the journey is far from over. We need to redouble our efforts in several areas to consolidate our gains, and push the economy to even better performance. This is both feasible and also necessary to achieve our goals. Reforms in the areas of taxation, trade and industrial policies and the financial sector have yielded good results. They need to be completed as planned, so as to enhance the efficiency and competitiveness of our economy. Barriers to further expansion of agriculture have to be identified and lifted. The public sector has to be revamped. Industrial relations have to provide for greater flexibility in deployment of labour. Delivery systems for social services have to be modernised, plugging loopholes and promoting cost effectiveness. Capital market reforms have to be widened and deepened to strengthen investor protection. Insurance sector reforms have to be pursued with the aim of greatly widening access to insurance services and promoting competitive and efficient customer-oriented services. We must and will push ahead in all these areas.

6. There are also some weak spots, which have surfaced and need to be addressed urgently. After the initial successes in fiscal consolidation, further progress has proved much more difficult. The fiscal deficit increased sharply in 1993-94 and the pressure on the deficit has continued in 1994-95. These developments must be countered through determined action. If we try to fund every project and programme irrespective of the revenues available, we only generate high inflation, high interest rates which choke off investment, and a proliferation of under-funded, incomplete projects. This approach will only jeopardise our basic objective of development with social justice since it is the poor who will suffer most from the resultant inflation and slow growth of employment opportunities. We must, therefore, ensure that fiscal discipline is further improved in the years ahead.

7. Inflation has surfaced again as a serious problem. We had succeeded in lowering the rate of inflation from the peak of 17 per cent in 1991 to around 7 per cent in the middle of 1993, but since then inflation has accelerated again and currently exceeds 11 per cent. This acceleration has occurred because of several factors. One reason is the

sharp increase in procurement prices in the previous three years. Another factor is the shortfall in production in critical sectors such as sugar, cotton and oilseeds. The persistence of fiscal deficits at levels higher than they should be, has also contributed to inflationary pressure. Recognizing these problems, we will tackle inflation on a priority basis in the year ahead.

8. Monetary policy has already been tightened to reduce the growth of money supply. Interest rates on bank deposits have been raised to give greater encouragement to savings. Taking advantage of the improved foreign exchange position, imports of key essential commodities, such as sugar, cotton, pulses and edible oils have been freely allowed with zero or low duties to moderate inflationary pressure. We are also taking advantage of the comfortable foodgrain stocks to undertake continuous open market sales of wheat and rice with a view to moderating price pressure in these items. The Public Distribution System (PDS) has been strengthened and supplies through the PDS are being supplemented by necessary imports of sugar and edible oils. Over the coming year, we will use all instruments available to ensure stability in prices of wheat, rice and edible oils. Tariff and trade policies will be deployed to ensure that domestic prices of industrial products do not rise unduly. The consumer movement will be strengthened and Government will be vigilant in curbing restrictive practices and hoarding. My revenue proposals, to which I will come a little later, are also designed to check inflation in commodities of mass consumption.

9. Infrastructure is another area of potential weakness. If we are to aim at economic growth of 7 to 8 per cent, which has been achieved in other countries and which alone can provide the jobs we need for our growing labour force, then we need much larger investment and much greater efficiency in key infrastructure sectors such as power, roads, ports, irrigation, railways and telecommunications. Sound financial management holds the key to progress in this area. Adequate supply of quality infrastructure depends crucially on the financial viability of these sectors, which in turn depends upon the adoption of reasonable cost recovery policies. To take the example of power, many State Governments are unable to finance new investment in power generation because of the financial weakness of the State Electricity Boards. Taking advantage of the Central Government's initiative to encourage private investment in power generation, many State Governments are actively

trying to attract private sector investments into this area. But private sector investors are unwilling to invest in Power unless the State Governments and the Central Government provide guarantees and counter-guarantees to reassure the private sector producers that they will be paid for the power they generate. Such counter-guarantees are justifiable only if they are viewed as providing temporary breathing space, during which State Electricity Boards undertake necessary reforms of their institutional structure, operating practices and pricing policies. In the long run, we cannot escape the reality that the users of electricity must pay for its cost. The same criterion holds for other infrastructure sectors also. Once financial viability is assured, we can expect a renewed surge of both public sector and private sector investments in these areas.

10. I shall now deal with some issues of social equity and poverty alleviation. In my first Budget speech itself, I had emphasised that economic growth and restructuring are not ends in themselves. They are only the means to improving the lives of ordinary citizens. I wish to assure the House that this concern has been central to our strategy from the very beginning. Experience in our own country, as also from all over the world, shows that the surest antidote to poverty is rapid and broad based growth. This is precisely what our economic reforms seek to achieve. We also recognise that the fruits of growth will take time to reach some of the poorest and weakest sections of our society. To ensure that they too derive benefit in the short run, we have given the highest priority to strengthening programmes of rural development, employment generation, primary education, primary health and other key social sector programmes. These programmes, coupled with accelerating economic growth over the last three years, are beginning to have desirable effects on employment and poverty. I have already mentioned that total employment is expanding much faster than three years ago. Real wages of agricultural labourers had declined in 1991-92 during the crisis. They had increased above pre-crisis levels by 1993-94. Available information on vital statistics, like the crude death rate and the infant mortality rate, also indicates a clear recovery in general living standards after 1991-92.

11. The message is clear: the task of lifting the age-old burden of poverty in our society is daunting, but we are on the right track. We must persevere with our two-track strategy of accelerating growth, investment

and modernisation on the one track, and strengthening anti-poverty programmes on the other. The Central Plan allocations and the tax proposals in this Budget are designed to advance both elements of this strategy. Before coming to these proposals, I would like to outline some new initiatives aimed at strengthening the income-earning opportunities for the weaker segments of our society.

12. Inadequacy of public investment in agriculture is today a matter of general concern. This is an area which is the responsibility of the States, but many States have neglected investment in infrastructure for agriculture. There are many rural infrastructure projects, which have been started but are lying incomplete for want of resources. They represent a major loss of potential income and employment to the rural population. To encourage quicker completion of projects in rural infrastructure, I propose to establish a new Rural Infrastructural Development Fund within the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) from April 1995. The Fund will provide loans to State Governments and State owned Corporations for completing ongoing projects relating to medium and minor irrigation, soil conservation, watershed management and other forms of rural infrastructure. The loans will be on a project-specific basis with repayment and interest guaranteed by the concerned State Government. Priority will be assigned to projects which can be completed within the least time period. Resources for the Fund will come from commercial banks which will be required by Reserve Bank of India (RBI) to contribute an amount equivalent to a bank's shortfall in achieving the priority sector target for agricultural lending, subject to a maximum of 1.5 per cent of the bank's net credit. This is expected to create a corpus of about Rs.2,000 crore for completion of rural infrastructure projects.

13. Our Scheduled Castes and Scheduled Tribes citizens are amongst the poorest members of our rural society. In the one hundred predominantly tribal districts, NABARD will open an exclusive line of credit to Cooperatives and Regional Rural Banks for meeting the credit needs of Scheduled Tribes. Rs.400 crore will be earmarked for this purpose during 1995-96. NABARD will also earmark a further Rs.100 crore for financing Scheduled Castes and Scheduled Tribes beneficiaries identified by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporations. This amount would be available to the commercial and

cooperative banks for meeting the investment needs of Scheduled Caste and Scheduled Tribe beneficiaries in both farm and non-farm activities.

14. Khadi and village industries provide crucial non-farm earning opportunities to our rural population. I propose to establish a new scheme under which the banking system will provide Rs.1,000 crore on a consortium basis to the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), which will lend to viable khadi and village industry units, either directly or through State level Khadi and Village Industries Boards (KVIBs). The Central and State Governments will guarantee these loans by commercial banks to KVIC and KVIBs, respectively.

15. The handloom sector employs millions of poor weavers. At present, NABARD refinancing to this sector is restricted to the flow of credit through the District and State Cooperative Banks. Henceforth, NABARD will extend refinancing to commercial banks also for extending credit to cooperative handloom institutions. Steps are also being taken to accelerate the flow of credit to the Handloom Centres and Quality Dyeing Units coming under the scheme initiated last year.

16. Our Small Scale Industries employ 14 million workers and account for 40 per cent of our total manufacturing output and 35 per cent of our exports. This dynamic sector must be strengthened and assisted to better serve the goals of growth, employment generation and self-reliance through exports. A Technology Development and Modernization Fund will be established in the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to provide financial assistance to quality projects aimed at strengthening the export capability of small scale industries. The initial amount earmarked for this Fund will be Rs.200 crore. The financial assistance, which would be directly provided by SIDBI to eligible small scale units, can take the form of either loans or equity.

17. A National Equity Fund Scheme was established in 1987, to provide equity assistance to tiny small scale units with projects of less than Rs.10 lakhs and located in places with a population not exceeding 5 lakhs (15 lakhs in the case of Hill Areas and the North Eastern Region). I propose to extend the National Equity Fund Scheme to all tiny small scale units irrespective of their location, except for units in metropolitan

areas. Furthermore, the scope of this scheme will be enlarged to cover expansion, modernization, technology upgradation and diversification. The scheme, which is managed by SIDBI, will continue to be funded by the Central Government and SIDBI on 50:50 basis.

18. Adequate availability of credit from the banking system is critical for the small scale sector. The Government, in consultation with banks, has formulated a Seven Point Action Plan for improving the flow of credit to this sector. A key feature of the Plan is the setting up of specialized bank branches to serve the needs of small scale units in 85 identified districts, each with more than 2,000 registered small scale units. The public sector banks will ensure that 100 such dedicated branches are operational before the end of 1995-96.

19. The North Eastern region of our country merits special attention. With a view to accelerating industrial development, a new North Eastern Development Bank (NEDB) is being established to finance creation, expansion and modernization of industrial enterprises and infrastructure projects in the region. The Bank will be located within the region. It will have an authorized capital of Rs.500 crore. Initial contributions to capital will be provided by All India Financial Institutions such as IDBI, ICICI and UTI, providing scope for contribution from other investors subsequently.

20. In addition to these measures for enhancing income earning opportunities for the weaker sections of our society, I am pleased to announce four far-reaching programmes for the general welfare of the poor, especially in rural areas. The first programme addresses the serious deficiency in housing facilities for the rural poor. As Honourable Members are aware, there is a major ongoing rural housing programme, the Indira Awas Yojana. About 4 lakh dwelling units are expected to be provided on a subsidized basis in 1994-95 to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and freed bonded labourers. For 1995-96, the housing target is being more than doubled to 10 lakh units. With this initiative, we will be able to build 50 lakh rural dwelling units in the next five years. This will go a long way towards solving the critical shortage for basic shelter among rural poor.

21. The greatest hardships among the poor are often suffered by the old and the weak, most of whom are unemployable. To soften the hardship in their twilight years, a National Social Assistance Scheme

has been proposed to cover the poor and needy. One component of the scheme is the provision of a national minimum old age pension of Rs.75 per month to people above 65 years of age who are below the poverty line. A second component provides lump-sum survivor benefits to poor households, on the death of the primary bread earner, of Rs.5000. The third component aims at provision of sustenance for pre-natal and post-natal maternity care to women belonging to poor households for the first two births. The scheme will eventually cover about 14 million neediest beneficiaries from households below the poverty line. Three quarters of the beneficiaries are likely to be women needing assistance on account of old age, widowhood and maternity. The Scheme, to be funded jointly by the Centre and the States, will be implemented by the States through Panchayati Raj institutions. For this purpose, I am appointing a Committee to work out the details of this Scheme.

22. The social assistance package will be complemented by a new Group Life Insurance Scheme of the LIC which will be implemented by Panchayats in rural areas. Under this scheme, life cover of Rs.5000 will be provided for a modest annual premium of around Rs.70. For poor households, the Central Government will subsidise 25 per cent of the premium with the State Government meeting an equal amount and the beneficiary contributing 50 per cent. The subsidy will be limited to one policy per poor household. For the others, there will be no subsidy on the premium. The object of the scheme is a massive promotion of social insurance and thrift in rural areas with the active involvement of Panchayats. For poor households, it will provide a second tier of partly subsidised security supplementing the survivor benefit and will also inculcate the habit of saving. The LIC will be working out the details of the scheme.

23. Schemes to provide mid-day meals for school children have a beneficial impact not only on child nutrition but also on school attendance. Some of the State Governments have been operating school mid-day meals schemes. As part of the emphasis being laid by this Government on the primary education, and taking into account the comfortable food stocks with the public sector agencies, it is appropriate that the Central Government should be willing to participate in phased expansion of these schemes. The modality of implementing this, with necessary local variations, will be worked out by a Committee to make it operational in 1995-96.

24. Taken as a whole, these new initiatives for funding agricultural infrastructure, promoting handlooms and khadi and village industries, expanding rural housing and introducing social insurance will greatly strengthen the anti-poverty component of our strategy. In parallel, we will also continue with the economic reforms, which have already yielded excellent results.

25. The industrial, trade and tax reforms, which have created demonstrable buoyancy in industrial production, investment and exports, will be continued, with a special effort to improve implementation at the ground level. An important positive development is the upsurge of investment proposals in infrastructure sectors, such as power and telecommunications. We will ensure that the flow of investment into these critical sectors is expedited. Reforms in the capital markets are being pursued vigorously. Major amendments have been made recently in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act to give SEBI powers for effective regulation of the capital markets. We propose to introduce legislation to set up Central Depositories later this year. We will continue our efforts at financial sector reforms.

26. In my speech last year, I had drawn attention to the report of the Committee on Reforms in the Insurance Sector and indicated that we would evolve a broad consensus on the future direction of reform. As a first step, I propose to establish an independent Regulatory Authority for the Insurance industry. Necessary legislation will be introduced shortly.

27. I shall now briefly go over the Revised Estimates for 1994-95.

28. The Budget Estimates for 1994-95 had placed the total expenditure at Rs.1,51,699 crore. This is now expected to go up to Rs.1,62,272 crore, an increase of Rs.10,573 crore.

29. Budget Estimates for the current year provided Rs.46,582 crore as budget support for Plan expenditure. This is being enhanced to Rs.48,761 crore to accommodate additional assistance to the State Plans and additional allocations for the MPs Local Area Scheme.

30. Non-Plan expenditure in the current year is placed at Rs.1,13,511 crore which represents an increase of Rs.8,394 crore over the Budget Estimates. Additional provision has had to be made in the

Revised Estimates towards food and fertilizer subsidies. The provision for food subsidy has to be substantially increased by Rs.1,100 crore because of the time lag in the revision of issue prices of foodgrains. Fertilizer subsidy is being increased by Rs.1,166 crore from the budgeted level to cover the requirement of imports and to clear past arrears. There has been an unprecedented rise in collections from small savings schemes this year. Consequently, an additional amount of Rs.4,497 crore is being provided in the Revised Estimates as loans to States and Union Territories.

31. Gross tax revenues were estimated at Rs.87,136 crore in the Budget Estimates. I am happy to report that our tax reforms are beginning to have the expected impact and gross tax revenues are Rs.2,695 crore higher than the Budget Estimates, reaching a figure of Rs.89,831 crore in the Revised Estimates for 1994-95. This is a vindication of our strategy of tax reform, and also a tribute to the hard work and dedication of the revenue department, without whose unstinting efforts this result could not have been achieved.

32. External loans, net of repayment, are placed at Rs.3,947 crore compared to the Budget Estimates of Rs.4,279 crore.

33. Though tax collections and other non-debt receipts have been higher than budgeted, the gains have been outweighed by much larger increases in plan and non-plan expenditure. The fiscal deficit was originally budgeted at Rs.54,915 crore or 6 per cent of GDP. The fiscal deficit in the Revised Estimates comes to Rs.61,035 crore which is about 6.7 per cent of GDP. However, nearly three quarters of this deterioration is due to the extraordinary rise in small saving collections, 75 per cent of which are passed on to the States. Thus the bulk of the deterioration in the fiscal deficit is not on account of increased expenditure of the Central Government, but only a reflection of larger small savings as compared to the Budget Estimates, which are on lent to the States. If this element is excluded, the Centre's fiscal deficit would be only 6. 2 per cent of GDP compared to the Budget target of 6 per cent.

34. The Tenth Finance Commission (TFC) submitted its Report covering the five year period of 1995-2000, on November 26, 1994. The Report recommends a substantial increase in transfers to the States. Despite the severe constraint on the Centre's resources, the

Government has accepted the recommendations of the Commission and these are being implemented with effect from 1995-96. The flow of funds based on Finance Commission devolution and transfers will increase by about 22 per cent, from Rs.28,832 crore in 1994-95 to Rs.35,055 crore in 1995-96. We expect the States to use the additional resources for the purposes for which they are released and ensure that the fruits of the schemes reach the intended beneficiaries.

35. I now turn to the Budget Estimates for 1995-96. The total expenditure is estimated at Rs.1,72,151 crore. The total budgetary support from the Central Government's budget to the Central and the State Plans is being placed at Rs.48,500 crore in 1995-96, which represents an increase of Rs.1,918 crore over the level in Budget Estimates 1994-95.

36. The total outlay of the Central Plan 1995-96 has been increased to Rs.78,849 crore from Rs.70,141 crore in the Budget Estimates 1994-95. The budgetary support for the Central Plan 1995-96 has been increased to Rs.28,994 crore from Rs.27,278 crore in the Budget Estimates 1994-95. The balance will be met by the internal and extra budgetary resources of the Central Public Sector Enterprises to the extent of 63 per cent, as against 61 per cent in Budget Estimates 1994-95.

37. I am providing Rs.19,506 crore as Central Plan assistance to States and Union Territories in the Budget Estimates 1995-96 compared to Rs.19,304 crore in Budget Estimates 1994-95. It is relevant to note that the plan transfer to States and UTs for 1994-95 include Rs.2,680 crore as part of the Ninth Finance Commission decisions. Tenth Finance Commission has not suggested any transfer on Plan Account. Thus the discretionary plan transfer by the Centre to States and UT goes up from Rs.16,624 crore in 1994-95 to Rs.19,506 crore in 1995-96, yielding an increase of over 17%. This amount has to be viewed in the background of substantial increase in transfers to the States as a result of the recommendations of the Tenth Finance Commission.

38. In line with our strategy of giving priority to programmes which directly benefit the poor, budgetary support to the Central Plan is being concentrated on Rural Development, Employment and Poverty-

alleviation programmes and human resource development sectors. As Honourable Members are aware, the directly targeted Rural Development programmes for eradicating rural poverty have received special emphasis and enhanced outlays during the reform process. In the last budget, the outlay for the Department of Rural Development was raised to Rs.7,010 crore, more than double the amount of Rs.3,100 crore budgeted two years earlier in 1992-93. For 1995-96, this allocation is being further increased to Rs. 7,700 crore. With this, we will be well on the way to meeting the Eighth Five Year Plan target of Rs.30,000 crore of Central Plan outlay for Rural Development. It is estimated that the Rural Employment programmes under the Department of Rural Development generated about 800 million mandays of employment in 1991-92. In 1995-96, these programmes are estimated to generate 1290 million mandays of employment.

39. The Annual Plan of 1995-96 will continue to lay stress on improving productivity in the agricultural sector and diversifying the pattern of agriculture into higher value generating farm schemes like horticulture. Revitalising the cooperatives for providing credit inputs and extension support, marketing and processing would be another thrust area. The flow of agricultural credit through cooperatives is projected at Rs.14,000 crore in 1995-96, as compared to an estimate of about Rs.12,000 crore in 1994-95. Assistance will be given to 220 cooperative societies for women and 330 cooperative societies for weaker sections. It is expected that over 38,000 hectares would be brought under drip irrigation. Integrated pest management, which is eco-friendly, will be extended and 1500 training-cum-demonstrations will be organised to train over 50,000 farmers. 40,000 hectares are expected to be covered under intensive fish farming.

40. The spread of educational opportunities is essential for social and economic development. Despite severe budgetary constraints, the Plan Outlay for Education in 1995-96 is being increased from Rs.1,541 crore in 1994-95 to Rs.1,825 crore in 1995-96. Elementary Education is particularly important, especially for improving the position of girls and women in our society. The outlay for Elementary Education is being increased substantially by 24.5 per cent to Rs.651 crore. Under Operation Black Board, primary schools with enrolment of more than

100 children are being provided a third teacher. The allocation for Operation Black Board is being increased by 30 per cent for 1995-96. The allocation for post-matric scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been increased from Rs.105 crore in 1994-95 to Rs.145 crore in 1995-96. This will help additional coverage of deserving students. To assist the State Governments, Government of India is passing on all the external assistance received for Primary Education as grants to State Governments, irrespective of the terms on which the assistance is received by the Central Government.

41. The combined Plan Outlay for the Departments of Health and Family Welfare is being increased to Rs.2,251 crore in 1995-96. The allocation for the National Malaria Eradication Programme for 1995-96 is being increased by 32 per cent to Rs.139 crore, so that coverage can be extended to 163 million people with top priority being accorded to tribal areas and North Eastern States where the problem of malaria has been endemic. Rs.80 crore is being allocated in 1995-96 for the Leprosy Control Programme which aims to eliminate transmission of this disease by the year 2000. An allocation of Rs.726 crore is proposed for Family Welfare Services directly meant for rural areas, including Rs.160 crore for maintenance of 5435 Rural Family Welfare Centres and Rs.190 crore for the maintenance of 9577 Rural Sub-Centres.

42. Total non-Plan expenditure in 1995-96 is estimated to be Rs.1,23,651 crore. The outlay for Defence has been increased to Rs.25,500 crore, keeping in mind national security imperatives. An amount of Rs.5,400 crore is being earmarked for fertiliser subsidy in 1995-96. In addition, Rs.500 crore has been earmarked for cheaper supply of phosphatic and potassium fertilisers to farmers, thus raising the total effective fertiliser subsidy to Rs.5,900 crore. Food subsidy receives an allocation of Rs.5,250 crore.

43. Turning to revenue receipts, gross tax revenues at the existing rates of taxation, are estimated at Rs.1,03,762 crore. The payment of share of taxes to States is placed at Rs.29,388 crore. The net revenue receipts to the Centre, including non-tax revenues are estimated to increase from Rs.86,084 crore in 1994-95, to Rs.1,00,787 crore in 1995-96.

44. In the area of capital receipts, traditional market borrowings are put at Rs.3,700 crore. Other medium and long term loans are estimated at Rs.19,000 crore and short term loans at Rs.4,387 crore. Net external assistance is estimated at Rs.4,456 crore. As in previous years, the Government intends to continue the process of disinvestment of the equity of public sector enterprises. The Budget Estimates provide for receipts from disinvestment of Rs.7,000 crore, a significant increase from the figure of Rs.5,237 crore in the Revised Estimates for 1994-95.

45. Taking into account other changes in receipts and expenditure, total receipts at existing rates of taxation are estimated at Rs.1,67,151 crore, while total expenditure is estimated at Rs.1,72,151 crore. This results in a budget deficit of Rs.5,000 crore. The fiscal deficit emerging from these estimates for 1995-96 will be Rs.57,634 crore, which will be about 5.5 per cent of GDP. I would have liked to do better, but on balance I feel that a fiscal deficit of this order can be absorbed, if the existing growth momentum is maintained.

Budget 1995-96

Speech of

Shri Manmohan Singh
Minister of Finance

15th March, 1995

PART B

46. I now turn to my tax proposals for 1995-96.

47. Over the past three years, we have made a number of structural changes in our tax laws covering both direct and indirect taxes. Unlike earlier isolated attempts to modify the tax system, these changes were part of a medium term programme of tax reform guided by certain general principles that have gained wide acceptability. We wanted to build a structure which is simple, relies on moderate tax rates but with a wider base and better enforcement, serves the objectives of equity and provides the incentives and signals consistent with developing an internationally competitive, dynamic economy.

48. Direct taxation is the most equitable form of raising revenues, but our experience in the earlier years of high tax rates showed that high rates did not lead to high collections. I am happy to report that our decision to reduce rates and thereby encourage compliance has yielded good results. Personal income and corporation taxes, taken together, are expected to increase by more than 25 per cent in 1994-95. The share of direct taxes in GDP has increased from 2.1 per cent in 1990-91 to 2.8 per cent in 1994-95.

49. In the area of customs duty our objective was to reduce the high rates of import duty gradually, so as to lower costs of production and improve competitiveness of user industries while allowing domestic producers facing competition from imported goods reasonable time to adjust. The strong growth of Indian industry in 1994-95, to which I have

referred earlier, demonstrates conclusively that customs duty reforms have succeeded in imparting the necessary dynamism to industrial production.

50. In the area of excise duties, our objectives were to simplify the structure, broaden the base, reduce high rates of duty which encourage evasion, shift to *ad valorem* rates as far as possible and extend the coverage of MODVAT. The results are evident in the impressive growth of excise revenues in 1994-95.

51. I am reassured by these results that our basic strategy of tax reforms stands fully vindicated. Together with administrative steps being taken to improve revenue collection, I am now confident that we can create a tax structure which will ensure buoyant revenues while also stimulating growth of production and employment.

52. Mr. Speaker Sir, after this brief overview, I would like to present the details of my proposals relating to direct taxes.

53. I have received many representations from Members of Parliament, trade unions and others requesting for increase in the exemption limit for personal income-tax. Our Government has consistently responded to the genuine needs of the common man. I, therefore, propose to further raise the exemption limit for income tax from Rs 35,000 at present, to Rs. 40,000.

54. We need to strengthen incentives for savings. At present, under section 80L of the Income-tax Act, income by way of interest and dividend from certain specified financial assets is exempt from income tax to the extent of Rs.10,000 per annum. In order to provide greater fillip to domestic savings by individuals and HUFs, I propose to raise this limit to Rs.13,000. This will provide both relief and an added incentive for savers.

55. With these changes, a salaried individual will not pay any tax upto a salary level of Rs. 55,000. In the case of working women, this limit is even higher at Rs. 58,000. In addition, such an individual would benefit from an additional exemption of Rs.13,000 if he or she takes full advantage of the exemption for income from savings instruments under section 80 L. The tax exempt income could therefore reach a maximum of Rs 68,000 generally and Rs 71,000 for working women. It is only beyond this level that such individuals will start paying tax and that too only at modest rates.

56. Inadequate infrastructure is a key constraint to our economic progress. In order to promote expansion of quality infrastructure,

I propose to allow a five-year tax holiday for any enterprise which builds, maintains and operates infrastructure facilities in the area of highways, expressways and new bridges, airports, ports and rapid mass transport systems. This tax holiday will be available to enterprises which commence operation after 1st April,1995 . As an incentive to financial institutions to provide long-term finance for development of such infrastructure, I propose to allow a deduction of upto 40 per cent of their taxable income derived from financing of these investments, provided this amount is credited to a special reserve.

57. Under section 80-IA of the Income-tax Act, new industrial undertakings, hotels and shipping concerns commencing operation before 31st March,1995 are entitled to a deduction of 30 per cent of their income if they are companies or 25 per cent of their income if they are non-corporate entities. This incentive is available to co-operative societies for the first 12 years, and to others for the first 10 years of operation. As a special measure of support to small scale industries, I propose to extend this concession to them for five more years. Thus, new industrial undertakings in the small scale sector which commence operation before 31st March, 2000 will be eligible for this concession.

58. Exports of software have grown rapidly and represent a potentially dynamic segment of export earnings. Software exporters have, however, represented that the deduction under section 80HHE available to them is extended from year to year whereas section 80HHC for export of goods is open-ended. I propose to accede to their request to place section 80HHE on the same basis as section 80HHC.

59. Venture capital funds can be an important instrument for promoting growth of new firms and technologies which often involve high risk. The tax laws of many countries allow income of such funds to be exempt from taxation in the hands of the fund but tax it, after distribution, in the hands of the shareholders. In order to encourage the formation of venture capital funds on similar lines in India, I propose to exempt from tax, income by way of dividend and long term capital gains from equity investments made by approved venture capital funds or venture capital companies. Such venture capital funds will be required to invest only in unlisted companies engaged in manufacturing. Income will, however, be fully taxable in the hands of the shareholders.

60. On Independence Day, 1994, the Prime Minister had announced the launching of the Integrated Urban Poverty Eradication Programme. Under this programme, the Ministry of Urban Development is setting up a

National Urban Poverty Eradication Fund (NUPEF). I propose to allow 100% deduction from income in respect of contributions made to this fund.

61. Under section 80-U of the Income-tax Act, a separate deduction of Rs.20,000 is allowed from the total income of handicapped persons. I have received several representations from handicapped persons and welfare organisations stating that these individuals need additional relief on account of increased cost of medicines and living aids. Recognising their needs, I propose to raise the level of deduction for handicapped persons from Rs.20,000 at present to Rs.40,000.

62. Many voluntary relief organisations have represented that the parents or guardians of children with severe disability, such as spastic children, face great mental agony having to worry about the burden of providing for the maintenance of the disabled after the death of the parents or the guardian. I see merit in this representation. I, therefore, propose to allow a new deduction of upto Rs. 20,000, from the taxable income of parents or guardians of handicapped children provided this amount is deposited in any approved scheme of LIC, UTI etc. for providing recurring or lump sum payment for the maintenance and upkeep of a handicapped dependant after the death of parents or the guardian.

63. A number of funds have been established by trade unions for the welfare of the employees and their dependants. These funds are used to provide cash benefits in the event of superannuation, illness or death or to meet the cost of education of the employees' children. I propose to exempt the income of such funds from income tax.

64. The National Minorities Development and Finance Corporation has been set up in pursuance of the announcement made by the Prime Minister on Independence Day, 1993. The main object of the Corporation is to promote economic and developmental activities for the benefit of the members of the minority communities. I propose to exempt from income tax the income of this corporation as well as of similar corporations established by any State Government. I also propose to allow deduction in respect of donations made to these corporations, under section 80G of the Income-tax Act .

65. Upgradation of human resources is a high priority. The fundamental need is for improvement of primary and adult education in rural and semi-urban areas where facilities for such education are deficient. In addition to public funding, we have to encourage private contributions for this purpose. In 1993, I had extended the benefit of 100% deduction from taxable income for donations to universities and

educational institutions of national eminence. This year, I propose to extend 100% deduction for donations to Zila Saksharta Samitis constituted in the districts for the promotion of elementary education. This measure will help to mobilise additional resources for elementary and adult education in rural and semi-urban areas and enable us to intensify our total literacy campaign.

66. All over the world, revenue administrations widen the tax base by enlarging the scope of deduction of tax at source. This brings in more persons into the tax net and assists the transition to lower rates of taxation. It also helps in the reporting of correct incomes. In many countries, income from professional and technical services is subject to deduction of tax at source. In order to prevent under-reporting of income in this sector, I propose to introduce a new provision in the Income-tax Act subjecting the sums payable by way of fees for professional or technical services to the requirement of deduction of income-tax at source at the rate of 10 per cent. There will be no deduction of tax at source where the aggregate of payments or credits during the financial year is below Rs.20,000 or where payments are made by individuals and HUFs.

67. Tax is deducted at source on payments made in excess of Rs. 10,000, to contractors under section 194C of the Income-tax Act. Legal disputes have arisen whether the TDS provisions will apply to transport contracts, advertisement contracts, broadcasting contracts, telecasting contracts and catering contracts. To avoid further litigation and check tax avoidance, I propose to provide for deduction of tax at source in these cases at the existing rate of 2 per cent for the main contract and 1 per cent for sub-contracts. Taking into account the inflation over the years, I also propose to raise the limit below which deduction at source is not necessary from Rs.10,000 at present to Rs.20,000.

68. The income from units of mutual funds or of the Unit Trust of India, though liable to income-tax, is not subject to deduction of tax at source in most cases. This has led to non-reporting or under-reporting of such income. In order to prevent misuse and ensure a uniformity of treatment with other financial instruments I propose to provide for deduction of tax at source from such incomes at the rate of 20 per cent in the case of companies and at the rate of 15 per cent for all others including individuals and HUFs. There will be no change in the present tax treatment of non-residents or offshore funds. In the case of resident unit-holders, deduction of tax at source will be made only if the aggregate amount of income payable under each scheme during a financial year exceeds Rs.10,000. No deduction of tax at source will be required where units have been issued under an existing scheme which provides for payment of a fixed amount after a certain period of time or where post-dated cheques have already been issued towards payment of income.

69. I also propose to provide for deduction of income-tax at source from interest on time deposits with banks at the rate of 20 per cent plus surcharge in the case of domestic companies and 10 per cent in the case of individuals and other non-corporate entities. The new provision will be applicable only to the deposits made on or after 1st July, 1995. No tax shall be deducted if the amount of interest credited or paid during a financial year is Rs.10,000 or less branch-wise. Thus, persons having small deposits will not be affected by the requirement of deduction of tax. The existing facility of non-deduction of tax, where the recipient of interest has no taxable income will also be available. Interest on time deposits with primary co-operative credit societies, co-operative land mortgage banks and co-operative land development banks will be outside the scope of this provision.

70. Chapter XX C of the Income-tax Act empowers the Central Government to make pre-emptive purchase of immovable properties, beyond a prescribed limit, which, at present, is Rs.10 lakhs. A single monetary limit for all the notified cities needs to be revised in the context of local variations in real estate prices. I, therefore, propose to make a provision for prescribing different monetary limits for different cities.

71. Hon'ble Members are aware that the searches conducted by the Income Tax Department are an important means of unearthing black money. However, undisclosed incomes have to be related to the different years in which the income was earned and as such assessments are unduly delayed. In order to make the procedure more effective, I am proposing a new scheme under which undisclosed income detected as a result of search shall be assessed separately at a flat rate of 60 per cent. An appeal against the order can be filed directly before the Income-Tax Appellate Tribunal.

72. In allowing deduction for depreciation, 100 per cent deduction is allowed in the year of purchase for individual items of machinery or plant the value of which does not exceed Rs.5,000, The written down value of such assets is thereafter taken as nil. This provision was introduced as difficulties were experienced in keeping record of items of small value for purposes of allowance of depreciation. After switching over to the concept of block of assets with effect from 1st April, 1988, all the items of plant and machinery falling in a block are pooled together for allowing depreciation at the prescribed rates. There is, therefore, no justification for the continuance of this provision. I, accordingly, propose to provide that even items of machinery or plant costing less than Rs. 5,000 will form part of a 'block of assets' and depreciation will be allowed on the same at the rate specified in the Income-tax Rules.

73. I propose to amend the provisions of the Income-tax Act to provide that the taxable income may be computed only on cash or mercantile basis. It is also being provided that the taxpayers shall follow accounting standards as may be notified by the Central Government from time to time for various businesses. This provision is being made applicable from accounting year starting from 1st April, 1996.

74. The calculation of capital gains on sale of bonus shares has led to several disputes. In order to simplify the position and avoid disputes, I propose that the cost of bonus shares for calculating the capital gains tax shall be taken at nil.

75. I now turn to my proposals regarding indirect taxes.

76. The thrust of my proposals is to continue the strategy of tax reform we have followed and reduce the cost of inputs to Indian producers, simplify the tax structure, minimize anomalies, promote competition and efficiency, lower prices paid by Indian consumers and thereby check the potential for inflation.

77. I shall deal first with import duties. The present peak rate of import duty of 65% is still very high compared to other developing countries, let alone industrialised nations. I propose to continue the process of phased reduction in the peak rate by lowering it to 50%.

78. The machinery and capital goods sector is a critical sector of our industry and it has responded extremely well to the new policies with a growth of 25% in April–November, 1994. I propose a package of measures which will further rationalise and simplify the import duty structure as applicable to machinery and capital goods, remove a number of anomalies and assist the industry in achieving a high rate of growth.

* At present the general import duty rate on machinery items is 25% but certain capital goods like generating sets and weighing machinery attract higher rate of duty. I am proposing to bring down the duty on these items also to 25%.
* The rate of import duty on machine tools, currently varies between 35% and 45%. I propose to unify the duty rates at 25% which is the general rate for machinery. Parts of such machine tools will also generally attract duty of 25%.
* Components of capital goods generally attract an import duty of 25% but components which contain electronic parts and components which are interchangeable with motor vehicle parts, attract higher rates. I propose to reduce the duty rate on these components to 25%.

* Quality control is a must for manufacturing industries if they have to improve the quality of their products. I am proposing to reduce the import duty on testing, quality control and other instruments from present rates varying from 40% to 60% to a uniform level of 25%. Parts of such instruments in general will also attract the same rate.

79. These proposals will unify the customs duty rates for nearly 80% of general machinery (both mechanical and electrical), machine tools, instruments and projects at 25%. They will avoid anomalies relating to parts and components, reduce classification disputes and promote investment by reducing its cost.

80. Metals, ferrous and non-ferrous, are key inputs into capital goods and many other lines of production, many of which are undertaken by small scale producers. These items at present attract rates of duty varying from 50% to 60%. Ideally, such materials should not attract rates of duty higher than those on the capital goods. But keeping in view the need to allow domestic producers of metals a reasonable transition period, I am proposing to reduce the import duty rates on ferrous and non-ferrous metals to 40%. For unwrought non-ferrous metals like copper, zinc and lead, the import duty is proposed to be reduced to 35%. Import duty on hot rolled coils of iron and steel for rerolling is proposed to be reduced from 40% to 30%, and that on stainless steel scrap from 30% to 20%. Import duty on sponge iron is proposed to be reduced from 30% to 20%. I also propose to reduce the import duty on a number of non-metallic minerals from 65% to 30%.

81. I am also simplifying the import duty structure on ball or roller bearings which currently attract different rates of duty depending on size, weight and description. Henceforth all ball or roller bearings will attract a uniform duty of 25% + Rs. 120/kg.The revised duty structure is likely to reduce the incentive for underinvoicing and smuggling.

82. Clothing and textiles are items of mass consumption. Yet our import duties on raw materials and inputs used to manufacture synthetic yarns, fibres and fabrics are on the high side. In view of this, and keeping in mind the continuing inflationary pressure in this sensitive area, I propose to reduce import duty on xylenes from 30% to 10% to lower the cost of manufacturing DMT/PTA. I am also proposing to reduce the import duty on DMT, PTA and MEG, being essential raw materials for the manufacture

of polyester fibre and polyester filament yarn, from 60% to 35%. On caprolactum, a basic raw material for nylon, the import duty is proposed to be reduced from 60% to 45%. These changes should substantially reduce input costs to the user industries. To help ensure that the benefits are reflected in the prices of the final products, I also propose to reduce the import duty on synthetic fibres and filament yarns to 45% *ad valorem.*

83. I am also proposing to reduce the import duty on certain chemicals widely used in industry. On basic feedstocks like ethylene and benzene, the import duty is being reduced from 15% to 10%. On soda ash, caustic soda and linear alkyl benzene, the import duty is being reduced from 65% to 40%. On certain chemical intermediates like acrylonitrile, the import duty is being reduced from 30% to 20%. I am proposing to reduce the import duty on molasses from 65% to 10% to help the alcohol based chemical industries. The duty on LPG is also being reduced from 15% to 10%.

84. Electronics is a fast growing industry offering great promise for exports, employment and development in the small scale sector. In my last budget, I had conducted a major restructuring of duties to promote growth of this industry. As a further step in this direction, I propose to reduce the import duty on specified raw materials and piece parts from the present levels of 20% and 30% to a uniform level of 15%, on electronic components including printed circuit boards and colour monitor tubes from 40% to 25%, on populated printed circuit boards from 50% and 65% to 35% and on computers, from 65% to 40%. I am also proposing to reduce the import duty on integrated circuits and hard disc drives to 25% which is likely to reduce the grey market in these products. Import duty on picture tubes for colour TVs is being reduced from 65% to 40%. To give a boost to the telecom optical fibre cable industry, I propose to reduce the import duty on optical fibres from 40% to 35%. I am also proposing to reduce the import duty on both systems and application software to a uniform level of 10% only. With these changes in duty structure, I expect this industry to show even more dynamism in future.

85. For promoting healthcare, last year I had simplified the import duty structure on medical equipment, exempted many types of life saving equipment from payment of duty, and abolished the certification procedure for availing of the exemption for charitable hospitals. In order to help manufacture and maintenance of medical equipment, I am extending the benefit of full exemption from import duty to all parts of exempted life saving and sight saving equipment . Some crucial spare parts of other dutiable medical equipment such as populated PCB will attract an import

duty of 15%. I am also proposing to fully exempt linear accelerators, which are vital for the treatment of cancer patients. There are also proposals for reduction of import duty on a large number of drug intermediates from 50% to 40%.

86. Our printing industry needs quality paper so as to establish a foothold in the international field. With this in view, I am proposing to reduce the import duty on paper from 65% to 40%.

87. To promote exports of finished leather and make it more competitive, I propose to abolish the export duty on finished leather.

88. Agriculture is the lynchpin of our economy and employs two thirds of our labour force. In order to help agriculture and allied sectors directly, I propose reducing import duties on certain items. I am proposing to reduce the import duty on grand parent poultry stock from 30% to 20%. On certain drugs used as feed mix for poultry, the duty is being reduced from 65% to 15%. For the fishing industry, I propose to reduce the import duty on certain vaccines, prawn feed mix and preparations for prawn processing from 65% to 15%. Agriculture and allied sectors will also be helped by the general reduction in import duties on general machinery and components. I have, however, proposed an increase in import duty on malt and starch from 10% to 30%, that on silk cocoon from 30% to 40% and on oleopine resins from 10% to 20% in order to give necessary protection to these sectors.

89. I propose to raise the free baggage allowance for passengers coming to India from Rs. 4000 to Rs.6000. Beyond this limit, the duty rate now is 100% which I propose to reduce to 80%. I hope this will provide welcome relief to our people working abroad and to travellers in general. At present import of goods through a courier attracts import duty at the rate of 100% upto Rs.10,000/– and 200% thereafter. There has been a long standing demand from industry that goods imported through a courier should be charged at the relevant rate for the item being imported. I am making a provision to this effect in the Finance Bill. Pending passage of the Legislation, I am proposing that goods imported by a courier will attract a duty of 80% without any value limit.

90. I now turn to my proposals for excise duties.

91. In my earlier budgets, I had exempted from excise duty a large number of items of common consumption like processed food, dairy products, jam, jelly, butter, cheese, tea and coffee. Many other items of mass consumption like cooking oil, bicycles and their tyres, kerosene

stoves, bread, spices and household utensils are also exempt from excise duty. My proposals in this budget will further reduce the burden of excise duties on articles which are widely consumed.

92. A number of articles of mass use are made of plastics. Plastics are also finding increasing use in agriculture and agro–processing. The present rate of duty on this basic material is 30%. I propose to bring down the rate of duty on plastics to 25%. On the dutiable articles made from plastics also, I propose to reduce the excise duty to 25%. However, articles of plastics which are exempt at present will continue to be so. These measures are being combined with a reduction in the import duty on bulk plastics from rates varying between 45% and 65% to a uniform rate of 40%.

93. At present, we have a uniform excise duty of 15% on all metals except aluminium. I now propose to reduce the excise duty on aluminium also from 20% to 15%.

94. In order to remove areas of dispute in classification and to rationalise the duty structure, I propose a uniform excise duty of 15% on parts of capital goods as against present rates which vary from 10% to 25%. This will avoid disputes as to whether a particular item should be considered as an article of metal or component of a machinery.

95. I am also proposing a concessional rate of excise duty of 10% on glassware produced by the labour intensive mouth blown process as against the present rate of 20%.

96. Many Honourable Members of Parliament have suggested that there are certain sectors of the industry which are both highly labour intensive and belong to the unorganised sector and that they deserve complete exemption from excise duty. Having regard to these requests, I propose to exempt the following from excise duty :–

- HDPE and polypropylene monofilaments which are mainly used for making fishing nets and mosquito nets;
- metal containers made without the aid of power;
- non–elastic narrow woven fabrics of cotton;
- unbranded surgical bandages; and
- tarpaulin cloth made without the aid of power.

97. As part of the process of reducing higher end duty rates, I am proposing to lower excise duty –

- on aerated water from 50% to 40%;
- on air conditioning machinery from 60% to 40%;
- on cosmetics from 50% to 40%;
- on glazed tiles from 40% to 30%.
- on perfumed antiseptic cream from 30% to 20%.

98. I am also proposing reduction in excise duty in certain areas of general consumption -

- on polymer based paints from 30% to 20%;
- on cocoa and cocoa preparations from 25% to 20%;
- on malt based food preparations from 25% to 20%;
- on asbestos fibres from 20% to 10%;
- on asbestos cement articles from 30% to 25%.
- on audio and video magnetic tapes from 30% to 20%;
- on dry cell batteries from 25% to 20%;
- on coated fabrics from 35% to 25%;
- on ceramic laboratory ware from 30% to 20%.
- on fireworks from 20% to 15%.
- on parts of motor vehicles and two–wheelers from 20% to 15%.
- on glass containers from 30% to 20%.

99. I propose to reduce the excise duty on polyester filament yarn from 69% to 57.5%. The rate is still high but revenue constraints rule out any further reduction for the present. The concurrent reduction in import duties, indicated earlier, will help ensure that the benefit of excise duty reduction is passed on to consumers.

100. The textured polyester yarn industry has complained about the burden of excise duty of 69% on the value addition in their industry. I am proposing suitable adjustment in the tariff value of textured yarn so as to reduce the total duty burden at the texturising stage from Rs. 10.35/kg to

Rs.4.60/kg. On sewing thread which currently attracts excise duty at rates varying from 23% to 69%, I am proposing a uniform duty of 23%.

101. I have some proposals which are in the nature of anti-evasion measures. I am proposing an excise duty of 10% on wool tops so as to check evasion of excise duty at the woollen yarn stage. As full Modvat credit will be available, the tax will fall only on those who are evading excise duty at the yarn stage. I am also proposing a minimum excise duty of Rs. 10 per kilo on waste and scrap of fibre and yarn so as to discourage the tendency to clear good quality fibre and yarn in the guise of waste. It is also being clarified that yarn made predominantly from synthetic waste will attract the same rate of duty as yarn made from staple fibre.

102. Insulated wires and cables attract a duty of 30%. As these have wide household and industrial application, I am proposing to reduce the duty to 25%.

103. There is a persistent demand from the plastic woven bags manufacturers for extending Modvat to the users of such bags. I am now proposing that users of such plastic bags as well as jute bags be allowed full credit of excise duty paid on such bags. Cement industry is one of the major consumers of such bags. I am simultaneously proposing a modest increase in excise duty on cement from Rs.330 to Rs.350/MT for integrated cement plants and Rs. 185 to Rs. 200/MT for mini cement plants. For the mini cement plants using vertical shaft kilns, the daily clearance limit is also being raised from 200 to 300 MT per day.

104. Certain items of china and porcelain ware attract a duty of 30% which is on the high side for a product which is increasingly of common use. With a view to giving relief to the consumers, I am proposing to reduce the duty to 15%.

105. Small scale units play a significant role in the economy of the country. Currently, only units whose turnover of dutiable goods did not exceed Rs. 2 crore in the preceding financial year are eligible for the concessional rates of excise duty under the general small scale industry exemption scheme. I have received representations that the present limit of Rs. 2 crore is too low and that it acts as a disincentive to future growth. I am thus proposing to raise the eligibility limit for availing of the SSI exemption scheme to Rs. 3 crore.

106. There has been a perpetual problem with manufacturers of exempted goods as they may have to pay excise duty on waste and scrap

generated during the process of manufacture. It does not seem very logical to bring these units under the excise control only for the purpose of charging duty on such waste and scrap. I am thus proposing to fully exempt waste and scrap which arise in the manufacture of exempted goods. This should help a large number of units in the small scale sector.

107. I am also proposing abolition of the system of filing of classification lists. From 1st May, 1995, the manufacturers need not file any classification list before clearing goods from the factory.

108. There have been requests from trade and industry for liberalisation and simplification of Modvat scheme. With this end in view, I am proposing the following relaxations in the Modvat Rules-

- Allowing Modvat credit for specified quality control, testing, pollution control and R&D equipment;
- Utilisation of Modvat credit for payment of duty on any goods notified under the Modvat scheme;
- Allowing Modvat credit for furnace oil and low sulphur heavy stock used for generation of power in a factory manufacturing excisable goods.

109. I am also proposing to extend Modvat for tyre yarn used in tyres by imposing a duty of 20% on the intermediate tyre cord fabrics. To make up for the revenue loss, the specific rates of duty on tyres are being raised by about 8%. Excise duty on tyres for two wheeled and three wheeled vehicles is, however, not being raised.

110. I am proposing extension of Modvat scheme to industrial fabrics. In the case of woollen fabrics also, I am proposing to extend Modvat fully, as such fabrics already attract basic excise duty and enjoy limited Modvat facilities.

111. I am also proposing to broadly align the Central Excise Tariff on textiles on the lines of the harmonised system of nomenclature. This will help reduce classification disputes.

112. Consonant with the increase in prices, I am proposing an increase in the existing specific rates of duty on cigarettes by about 7%.

113. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the Customs Act, the Central Excises and Salt Act and excise and customs tariffs. These include certain consequential amendments to the customs tariff based on the amendments to the Harmonised Commodity Description and Coding System which has been adopted by our country in terms of International Convention on the Harmonised System. The amendments are merely enabling provisions and do not have significant revenue implications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

114. The increases in excise duties are expected to lead to a revenue gain of Rs. 335 crore while the reliefs will amount to Rs. 646 crore in a full year. Of the total net loss of Rs. 311 crore, the loss to the Centre will be Rs.203 crore and that to the States Rs.108 crore. On the customs side, the proposals would result in a revenue loss of Rs. 1179 crore. Applying conventional methods of estimation, the proposed changes in direct taxes are expected to lead to a revenue loss of about Rs.900 crore on account of Income tax, of which the loss to the States would be about Rs.700 crore. Total net loss to the Centre would thus be Rs. 1582 crore.

115. These methods do not take adequate account of the gains from simplification, rationalisation and improved tax compliance. Last year, the net loss from the revenue proposals on the basis of conventional estimates was placed at more than Rs. 4000 crore. However, I had predicted that because of gains from compliance and better administration our revenues would not suffer any loss. This optimism has been fully justified by performance as indicated in the Revised Estimates for 1994-95. The tax changes I have proposed in the budget are essentially a continuation of the efforts made in the previous year and I am confident that the gains from the reform will ensure that there will be no revenue loss. I am not, therefore, assuming any revenue losses from my Budget proposals. Hence the fiscal deficit will remain at 5.5% of GDP.

116. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.

117. Honourable members may recall that in my first Budget Speech, I had affirmed that no power on earth could stop an idea whose time had come. I had also stated that the emergence of India as a major economic power was such an idea. It is this vision, of a resurgent India, taking her rightful place as an economic power house in Asia, which has inspired our

economic policies. Our Government has worked hard to convert this vision into a reality, and I think the House will agree with me that our efforts have met with considerable success. We have sought to mobilise the collective will of our people for development through an action programme which commits us to the twin pursuit of excellence and social justice. There is no parallel example in the world of a country of India's size and diversity seeking to bring about a massive social and economic transformation in the framework of a democratic polity and an open society committed to the rule of law and individual freedom. India's experience is, therefore, of great worldwide significance. The world is certainly watching us with interest and expectation.

118. As I see it, India is on the threshold of unprecedented opportunities provided we have the wisdom to seize them. We have made a good beginning but there is still a vast unfinished agenda. We have to persevere in our efforts. This will call for hard work and dedication and a measure of self-discipline on the part of all sections of society. We must never forget that a higher standard of living for our people can become a reality only through an all round increase in productivity. Clearly there are no short cuts to it. We cannot simply spend our way into prosperity. Those of us in politics have a special responsibility. The pursuit of competitive politics must not be allowed to distract our people's attention from the basic task of nation building. Politics in this country must recapture the spirit of idealism and self sacrifice, which inspired our freedom struggle, and become a purposeful instrument of social change. This then is no time for rest or to fritter away our energies in partisan strife. It is a time for rededication and reaffirmation of our collective solemn resolve to work tirelessly for building a new India worthy of the dreams of the founding fathers of our Republic, an India which will enable our children and grand children to lead a life of dignity and self respect, to take pride in being Indian and to grapple effectively with the challenges of the twenty-first century.

119. Mr. Speaker, Sir, with these words I commend this Budget to this august House.

2

Budget of the Central Government for 1995-96
(as laid before Parliament)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय सरकार

का

1995-96

का

वार्षिक वित्तीय विवरण

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
OF THE
CENTRAL GOVERNMENT
FOR
1995-96

(जैसा संसद में प्रस्तुत किया गया)

(As laid before Parliament)

मनमोहन सिंह
वित्त मंत्री
Manmohan Singh
Minister of Finance

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1995
New Delhi, the 15th March, 1995

विषय सूची
CONTENTS

विवरण I - भारत की समेकित निधि -
राजस्व खाता - प्राप्तियां
राजस्व खाता - भुगतान
पूंजी खाता - प्राप्तियां
पूंजी खाता - भुगतान
विवरण I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" भुगतान
विवरण II - भारत की आकस्मिकता निधि -
प्राप्तियां और संवितरण
विवरण III - भारत का लोक खाता -
प्राप्तियां
संवितरण
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और व्यय

Statement I - Consolidated Fund of India -	
Revenue Account - Receipts	1-3
Revenue Account - Disbursements	4-6
Capital Account - Receipts	7
Capital Account - Disbursements	8-11
Statement I A - Disbursements 'Charged' on the Consolidated Fund of India	12-13
Statement II - Contingency Fund of India -	
Receipts and Disbursements	13
Statement III - Public Account of India -	
Receipts	14
Disbursements	15
Receipts and Expenditure of Union Territories without Legislature	16

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. कर राजस्व	**A. TAX REVENUE**					
(क) आय और व्यय पर कर	*(a) Taxes on Income and Expenditure:*		*12362.86*	*16454.45*	*16860.12*	*20441.19*
निगम-कर	Corporation Tax	0020	10060.06	12480.00	13250.00	15500.00
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	Taxes on Income other than Corporation Tax	0021	1346.42	2720.45	2440.12	3766.19
होटल प्राप्तियों पर कर	Hotel Receipts Tax	0023	0.06	...	...	...
ब्याज कर	Interest Tax	0024	727.58	1044.00	1000.00	1000.00
आय और व्यय पर अन्य कर	Other Taxes on Income and Expenditure	0028	228.74	210.00	170.00	175.00
(ख) सम्पत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर	*(b) Taxes on Property and Capital Transactions:*		*159.17*	*131.00*	*95.00*	*101.00*
सम्पदा शुल्क	Estate Duty	0031	0.21	1.00	1.00	1.00
धन पर कर	Taxes on Wealth	0032	153.98	125.00	80.00	90.00
दान-कर	Gift Tax	0033	4.98	5.00	14.00	10.00
(ग) वस्तुओं और सेवाओं पर कर	*(c) Taxes on Commodities and Services:*		*54254.84*	*62160.00*	*64125.00*	*73285.00*
सीमा शुल्क	Customs	0037	22192.72	25200.00	26450.00	29500.00
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	0038	31696.63	36700.00	36900.00	42780.00
बिक्री कर	Sales Tax	0040	12.78	...	...	...
सेवा कर	Service Tax	0044	...	...	375.00	600.00
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	0045	352.71	260.00	400.00	405.00
(घ) संघ राज्य क्षेत्रों का कर	*(d) Taxes of Union Territories*		*1197.89*	*186.40*	*190.72*	*200.91*
दिल्ली	Delhi		1028.64	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		169.25	186.40	190.72	200.91
जोड़ - कर राजस्व	**TOTAL-TAX REVENUE**		**67974.76**	**78931.85**	**81270.84**	**94028.10**
ख. कर-भिन्न राजस्व	**B. NON-TAX REVENUE**					
(क) राजकोषीय सेवाएं	*(a) Fiscal Services*		*1253.22*	*1236.57*	*1169.12*	*1198.78*
करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	0046	477.68	479.53	458.28	537.28
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	0047	775.54	757.04	710.84	661.50
(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	*(b) Interest Receipts, Dividends and Profits:*		*17510.24*	*24491.89*	*24542.71*	*23519.35*
ब्याज प्राप्तियां	Interest Receipts	0049	15062.16	15977.89	16234.52	18419.48
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Govts		9553.13	11162.65	11379.50	13347.80
रेलवे से ब्याज	Interest from Railways		1270.45	1372.00	1380.00	1371.16
दूरसंचार से ब्याज	Interest from Telecommunications		230.33	263.40	269.20	265.00
अन्य ब्याज प्राप्तियां	Other Interest Receipts		4008.25	3179.84	3205.82	3435.52
लाभांश और लाभ	Dividends and Profits	0050	2448.08	8514.00	8308.19	5099.87
(ग) अन्य कर-भिन्न राजस्व	*(c) Other Non-Tax Revenue:*					
(i) सामान्य सेवाएं	*(i) General Services:*		*3387.03*	*3327.99*	*3634.16*	*4028.43*
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	0051	5.67	6.50	8.12	8.12
पुलिस	Police	0055	313.37	310.05	382.70	400.01
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	0057	35.81	24.51	32.98	26.72

टिप्पणी:- 'वास्तविक 1993-94 कालम के अंतर्गत दिखाए गए आकड़े अनन्तिम हैं ।

Note: The figures shown under the column 'Accounts 1993-94' are provisional.

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery and Printing	0058	27.15	38.52	35.00	38.50
लोक निर्माण कार्य	Public Works	0059	66.37	45.82	50.00	52.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	0070	220.83	184.84	230.92	231.78
पेंशन और अन्य सेवा - निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	Contributions and Recoveries towards Pension & Other Retirement benefits	0071	49.32	56.26	38.11	38.01
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	0075	1701.12	1827.41	1889.55	2164.28
रक्षा सेवाएं	***Defence Services***		*967.39*	*834.08*	*966.78*	*1069.01*
थल सेना	Army	0076	376.65	324.35	385.31	386.81
नौ सेना	Navy	0077	28.51	35.00	28.90	35.67
वायु सेना	Air Force	0078	135.01	78.00	130.00	130.00
आयुध कारखाने	Ordnance Factories	0079	427.22	396.73	422.57	516.53
(ii) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं :	***(ii) Social and Community Services:***		*540.73*	*576.68*	*579.00*	*693.03*
शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	Education, Sports, Arts and Culture	0202	10.40	11.65	4.45	12.00
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical & Public Health	0210	16.07	18.88	38.98	43.98
परिवार कल्याण	Family Welfare	0211	6.61	10.98	7.50	10.30
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	0215	0.03	...	...	...
आवास	Housing	0216	43.03	62.58	45.34	51.09
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	0220	21.42	23.77	23.77	23.77
प्रसारण	Broadcasting	0221	440.07	446.00	456.16	549.00
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	0230	1.42	1.24	1.48	1.57
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	0235	1.66	1.55	1.32	1.32
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	0250	0.02	0.03	...	...
(iii) आर्थिक सेवाएं	***(iii) Economic Services:***		*27675.11*	*32800.32*	*32011.48*	*35767.95*
कृषि कार्य	Crop Husbandry	0401	11.42	8.92	11.50	11.50
पशु पालन	Animal Husbandry	0403	3.79	3.50	3.65	3.65
डेरी विकास	Dairy Development	0404	105.01	46.10	102.10	125.10
मत्स्यपालन	Fisheries	0405	0.93	0.95	1.03	1.08
वानिकी और वन्य जीवन	Forestry & Wild Life	0406	21.42	103.00	58.00	55.00
पौध-रोपण	Plantations	0407	4.44	...	...	...
खाद्य भंडारण और भांडागारण	Food Storage and Warehousing	0408	7.05	6.26	8.17	8.18
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	0435	2.35	2.02	4.02	5.02
वृहद और मध्यम सिचाई	Major & Medium Irrigation	0701	3.38	3.20	4.45	3.53
लघु सिचाई	Minor Irrigation	0702	0.60	0.60	0.80	1.00
विद्युत	Power	0801	444.71	874.25	772.75	850.39
पेट्रोलियम	Petroleum	0802	801.88	983.22	1018.52	1316.22
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	0810	0.02	0.01	0.02	0.02
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	0851	8.08	9.03	10.52	11.23
उद्योग	Industries	0852	111.01	213.81	178.62	220.17
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Minning & Metallurgical Industries	0853	2.46	1.14	1.87	2.40
अन्य उद्योग	Other Industries	0875	104.07	62.00	80.00	100.00
पत्तन और दीपस्तम्भ	Ports and Lighthouses	1051	56.58	48.59	49.00	56.25

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
नौवहन	Shipping	1052	6.39	2.95	7.26	8.30
नागर विमानन	Civil Aviation	1053	1.02	0.65	1.02	1.02
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	1054	40.54	41.50	46.50	49.50
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	1275	7.10	5.40	7.10	7.10
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	1401	10.09	9.08	11.35	8.37
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	1425	15.58	15.59	16.08	16.58
पर्यटन	Tourism	1452	0.61	...	...	...
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	1453	69.31	52.29	56.44	59.95
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	1456	0.10	0.15	0.08	0.09
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	1475	271.84	179.31	329.44	285.25
रेलवे बजट के अनुसार रेलवे का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget		18363.29	20804.80	20348.19	22370.05
डाक प्राप्तियां	Postal Receipts	1201	1105.17	1170.00	1185.00	1315.00
दूरसंचार प्राप्तियां	Telecommunication Receipts	1225	6094.87	8152.00	7698.00	8876.00
ग. सहायता—अनुदान और अंशदान	**C. GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS**		**993.26**	**1365.00**	**1175.99**	**1153.66**
विदेशी अनुदान सहायता	External Grant Assistance	1605	885.62	1284.55	995.74	1085.20
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Material and Equipment	1606	107.64	80.45	180.25	68.46
संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	***Non-Tax Revenue of Union Territories***		***267.25***	***191.52***	***184.05***	***196.42***
दिल्ली	Delhi		43.56	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		223.69	191.52	184.05	196.42
जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**TOTAL- NON-TAX REVENUE**		**51626.84**	**63989.97**	**63296.51**	**66557.62**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	***TOTAL-REVENUE RECEIPTS***		***119601.60***	***142921.82***	***144567.35***	***160585.72***
अग्रेनीत (देखिए पृष्ठ 7)	Carried over (see page 13)					
प्राप्तियों से अधिक संवितरण (राजस्व घाटा)	Excess of Disbursements over Receipts (Revenue Deficit)		32715.58	32727.13	34131.40	35541.85
जोड़	**TOTAL:**		**152317.18**	**175648.95**	**178698.75**	**196127.57**

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. सामान्य सेवाएं	**A. GENERAL SERVICES**		63801.19	75232.32	74012.03	84647.59
(क) राज्य के अंग	***(a) Organs of State***		*528.22*	*544.57*	*802.14*	*820.93*
संसद	Parliament	2011	54.23	55.50	65.44	74.02
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति आदि	President, Vice President, etc.	2012	4.39	5.17	5.15	5.23
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers	2013	39.73	40.62	50.68	50.03
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	20.63	22.03	25.87	25.66
चुनाव	Elections	2015	69.21	61.25	287.00	284.99
लेखा परीक्षा	Audit	2016	340.03	360.00	368.00	381.00
(ख) राजकोषीय सेवाएं	***(b) Fiscal Services***		*2107.47*	*2425.12*	*2181.43*	*2308.50*
(i) कर संग्रह	*(i) Tax Collection*		*819.81*	*950.54*	*983.91*	*1023.06*
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure	2020	304.38	337.61	371.32	371.33
सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर का संग्रह	Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax	2031	31.05	34.13	34.20	34.20
सीमा-शुल्क	Customs	2037	238.94	295.30	287.89	322.91
संघ उत्पाद-शुल्क	Union Excise Duties	2038	237.63	275.00	280.70	282.47
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	2045	7.81	8.50	9.80	12.15
(ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	*(ii) Other Fiscal Services*		*1287.66*	*1474.58*	*1197.52*	*1285.44*
करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	2046	335.36	454.27	335.35	521.51
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	2047	952.30	1020.31	862.17	763.93
(ग) ब्याज संदाय और ऋण परिशोधन	***(c) Interest Payment and Servicing of Debt***		*36694.97*	*46000.00*	*44000.00*	*52000.00*
ब्याज संदाय	Interest Payments	.2049	36694.97	46000.00	44000.00	52000.00
(घ) प्रशासनिक सेवाएं	***(d) Administrative Services***		*3826.79*	*3979.89*	*4233.68*	*4432.84*
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	25.62	27.10	28.05	29.19
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	329.11	338.06	346.23	374.26
पुलिस	Police	2055	2484.50	2629.18	2691.45	2844.08
जेलें	Jails	2056	0.00	...	0.05	0.05
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	2057	18.65	19.45	20.21	21.19
लेखन-सामग्री और मुद्रण	Stationery and Printing	2058	71.20	68.28	71.15	74.84
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	146.23	129.13	180.00	174.20
वैदेशिक कार्य	External Affairs	2061	580.40	579.12	691.34	708.25
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	171.08	189.57	205.20	206.78
(ङ) पेंशनें और विविध सामान्य सेवाएं	***(e) Pensions and Miscellaneous General Services***		*4699.03*	*5279.79*	*5217.24*	*5870.80*
पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits	2071	3303.05	3604.28	3650.82	3850.51
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	2075	1395.98	1675.51	1566.42	2020.29
(च) रक्षा सेवाएं	***(f) Defence Services***		*15944.71*	*17002.95*	*17577.54*	*19214.52*
रक्षा सेवाएं - थल सेना	Defence Services-Army	2076	10768.94	11460.03	11725.48	12819.62
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	Defence Services-Navy	2077	1342.05	1390.43	1468.30	1570.39
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	Defence Services-Air Force	2078	3500.35	3696.33	3901.76	4264.91
रक्षा सेवाएं- आयुध कारखानें	Defence Services-Ordnance Factories	2079	333.37	456.16	482.00	559.60
ख. सामाजिक सेवाएं	**B. SOCIAL SERVICES**		4498.27	5039.04	5227.78	5906.18
सामान्य शिक्षा	General Education	2202	1168.85	1380.91	1423.62	1471.17
तकनीकी शिक्षा	Technical Education	2203	399.89	428.89	455.07	463.66
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services	2204	97.99	98.90	98.85	96.15
कला और संस्कृति	Art and Culture	2205	170.37	171.76	174.59	187.84
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	2210	565.10	642.81	698.67	721.09
परिवार कल्याण	Family Welfare	2211	81.85	96.20	91.78	175.08
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	2215	84.44	125.60	89.51	398.09
आवास	Housing	2216	128.33	132.38	155.15	160.21
शहरी विकास	Urban Development	2217	8.03	10.27	10.68	36.62
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	2220	86.64	96.60	102.92	110.06

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
प्रसारण	Broadcasting	2221	729.06	777.58	799.44	914.70
अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes	2225	50.90	36.80	69.23	66.61
श्रम तथा रोजगार	Labour & Employment	2230	510.52	480.86	482.30	507.37
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	370.53	510.26	523.55	543.10
पोषाहार	Nutrition	2236	4.77	4.47	5.04	5.52
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	2250	2.98	2.31	4.95	2.52
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services	2251	38.02	42.44	42.43	46.39
ग. आर्थिक सेवाएं	**C. ECONOMIC SERVICES**		**47008.01**	**58545.38**	**61858.55**	**63176.22**
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	***(a) Agriculture and Allied Activities***		***8145.98***	***6357.36***	***8720.65***	***8910.04***
कृषि कार्य	Crop Husbandry	2401	974.77	803.41	2021.17	2423.41
मृदा तथा जल संरक्षण	Soil and Water Conservation	2402	11.51	20.30	25.60	20.41
पशु पालन	Animal Husbandry	2403	21.18	56.15	30.08	51.87
डेरी विकास	Dairy Development	2404	154.92	70.16	162.32	154.73
मत्स्य पालन	Fisheries	2405	62.15	46.59	42.04	42.31
वानिकी तथा वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	2406	100.61	133.55	132.77	93.22
पौध-रोपण	Plantations	2407	76.37	93.69	93.69	107.87
खाद्य भंडारण तथा भाण्डागारण	Food, Storage and Warehousing	2408	5761.54	4213.85	5313.83	5409.62
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education	2415	429.11	476.25	495.00	548.07
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions	2416	23.29	58.54	13.53	12.67
सहकारिता	Co-operation	2425	19.03	29.06	37.23	29.71
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	2435	511.50	355.81	353.39	16.15
(ख) ग्रामीण विकास	***(b) Rural Development***		***1625.01***	***4226.38***	***4157.36***	***5700.37***
ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development	2501	564.03	583.28	579.78	911.38
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment	2505	1001.14	3573.59	3508.24	4680.34
भूमि सुधार	Land Reforms	2506	9.03	14.02	0.35	1.73
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes	2515	50.81	55.49	68.99	106.92
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	***(c) Special Areas Programmes***		***20.10***	***25.02***	***810.47***	***809.89***
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	2552	20.10	25.02	20.47	19.89
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	MPs Local Area Development Scheme	2553	...	...	790.00	790.00
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	***(d) Irrigation and Flood Control***		***168.20***	***169.52***	***144.00***	***176.88***
वृहद और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	2701	50.24	51.73	57.63	61.62
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	2702	92.06	81.38	55.42	72.60
कमान क्षेत्र विकास	Command Areas Development	2705	0.87	3.95	2.70	2.55
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control & Drainage	2711	25.03	32.46	28.25	40.11
(ङ) ऊर्जा	***(e) Energy***		***1131.07***	***1393.95***	***1218.83***	***1406.51***
विद्युत	Power	2801	718.74	1052.81	936.36	1082.73
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	2803	260.11	167.82	109.67	148.37
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	2810	152.22	173.32	172.80	175.41
(च) उद्योग और खनिज	***(f) Industry and Minerals***		***5783.78***	***5784.58***	***5817.39***	***5930.50***
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	2851	501.54	643.19	623.72	843.78
उद्योग	Industries	2852	5016.62	4818.22	4834.15	4690.39
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	2853	141.19	147.10	148.53	163.13
अन्य उद्योग	Other Industries	2875	49.12	45.20	47.12	68.05
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other outlays on Industries and Minerals	2885	75.31	130.87	163.87	165.15

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(छ) परिवहन	*(g) Transport*		*19387.51*	*21786.65*	*21545.38*	*23353.99*
रेलवे बजट के अनुसार व्यय	Expenditure as per Railway Budget		18363.29	20804.80	20348.19	22370.05
पत्तन तथा दीपस्तंभ	Ports & Light Houses	3051	120.08	105.64	159.50	111.06
नौवहन	Shipping	3052	112.76	94.14	92.57	49.86
नागर विमानन	Civil Aviation	3053	60.11	47.60	78.41	40.93
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	3054	292.07	297.39	408.65	343.75
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	7.27	14.75	14.75	6.50
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	3056	6.91	7.80	7.80	8.15
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	3075	425.02	414.53	435.51	423.69
(ज) संचार	*(h) Communications*		*7659.85*	*9661.81*	*9478.55*	*10837.80*
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	1312.26	1316.14	1516.12	1619.13
दूरसंचार	Telecommunications		6094.87	8152.00	7698.00	8876.00
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	3225	3738.02	4482.60	4123.80	4744.00
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividends to General revenues	3230	230.33	263.40	269.20	265.00
दूरसंचार अधिशेष से विनियोग	Appropriations from Telecommunication Surplus	3231	2126.52	3406.00	3305.00	3867.00
उपग्रह प्रणाली	Satellite Systems	3252	206.96	156.65	224.83	330.48
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	3275	45.76	37.02	39.60	12.19
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*(i) Science Technology and Environment*		*1586.33*	*1788.35*	*1777.37*	*1876.43*
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	3401	328.96	350.22	350.10	363.89
अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	387.60	474.21	434.29	499.08
समुद्रविज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	3403	40.67	47.53	52.93	55.87
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	656.62	731.80	756.01	809.85
पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	Ecology and Environment	3435	172.48	184.59	184.04	147.74
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं	*(j) General Economic Services*		*1500.18*	*7351.76*	*8188.55*	*4173.81*
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	3451	165.59	193.50	204.41	219.40
पर्यटन	Tourism	3452	76.81	93.20	93.20	92.19
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	3453	766.84	406.59	707.04	468.41
जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Census, Surveys and Statistics	3454	103.00	119.77	110.46	113.57
मौसम विज्ञान	Meteorology	3455	55.13	59.12	63.35	66.06
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies	3456	42.97	11.86	36.86	3.43
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	General Financial and Trading Institutions	3465	0.94	2.00	6.65	7.75
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	International Financial Institutions	3466	0.41	0.41	0.55	0.55
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	3475	288.49	6465.31	6966.03	3202.45
घ. सहायता—अनुदान और अंशदान	**D- GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS**		**35583.91**	**36219.80**	**36958.16**	**41701.11**
राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	Grants in aid to State Governments	3601	20829.90	19626.78	20263.43	21543.57
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Gra its in aid to Union Territory Governments	3602	125.95	216.32	258.37	297.84
संघ उत्पाद शुल्कों के राज्यों के हिस्से की अदायगी	Payment of States' share of Union Excise Duties	3603	14472.55	16189.47	16282.91	19654.58
अन्य देशों के साथ तकनीकी व आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Cooperation with other countries	3605	155.49	187.23	153.45	205.12
सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Aid Materials and Equipment	3606	0.02	...	...	...
संघ राज्य क्षेत्रों का संवितरण	**Disbursements of Union territories**		**1425.80**	**612.41**	**642.23**	**696.47**
दिल्ली	Delhi		820.90	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		604.90	612.41	642.23	696.47
जोड़ - राजस्व संवितरण	***TOTAL- REVENUE DISBURSEMENTS***		***152317.18***	***175648.95***	***178698.75***	***196127.57***
संवितरण से अधिक राजस्व (अधिशेष)	Excess of Revenue over Disbursements (Surplus)		...	...	...	...
जोड़	**TOTAL:**		152317.18	175648.95	178698.75	196127.57

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA-CAPITAL ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. लोक ऋण	***A. PUBLIC DEBT***					
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001				
91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	91 Days Treasury Bills		102890.38	151000.00	148650.00	164999.40
बाजार ऋण	Market Loans		30065.45	4653.67	4653.68	9255.58
अन्य	Others		26657.73	42427.51	38915.67	37557.80
जोड़-केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	***Total-Internal Debt of Central Government***		***159613.56***	***198081.18***	***192219.35***	***211812.78***
विदेशी ऋण	External Debt	6002	10023.50	9004.17	8762.88	10134.72
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL-PUBLIC DEBT**		**169637.06**	**207085.35**	**200982.23**	**221947.50**
ख. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	***B. RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES***					
राज्य सरकारें	State Governments		5174.25	5221.51	5333.18	5729.65
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	Union Territory Governments		17.55	21.09	21.09	24.57
विदेशी सरकारें	Foreign Governments		262.57	34.86	23.02	35.98
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances		2156.91	2553.54	2453.71	2071.80
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**TOTAL- RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES**		**7611.28**	**7831.00**	**7831.00**	**7862.00**
ग. अन्य प्राप्तियां	***C. OTHER RECEIPTS***	***4000***	***-47.74***	***4000.00***	***5767.03***	***7000.00***
जोड़-पूंजी खाते की प्राप्तियां	***TOTAL CAPITAL ACCOUNT RECEIPTS***		***177200.60***	***218916.35***	***214580.26***	***236809.50***
राजस्व प्राप्तियां (पृष्ठ 3 से आगे लाया गया)	REVENUE RECEIPTS (brought forward from page ..)		119601.60	142921.82	144567.35	160585.72
जोड़-भारत की समेकित निधि - प्राप्तियां	***TOTAL-CONSOLIDATED FUND OF INDIA RECEIPTS***		***296802.20***	***361838.17***	***359147.61***	***397395.22***

विवरण I - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता	**A. CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES**		**7391.66**	**7557.66**	**7589.44**	**8112.77**
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	4046	33.74	224.32	156.96	200.28
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	4047	145.38	193.26	160.74	186.85
लेखन-सामग्री और मुद्रण	Sationery and Printing	4058	2.02	6.00	6.00	5.50
लोक निर्माण कार्य	Public Works	4059	276.99	300.55	335.38	373.65
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	4070	6.65	...	1.82	...
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	4075	59.49	2.40	-4.70	-8.00
रक्षा सेवाएं	Defence Services	4076	6867.39	6831.13	6933.24	7354.49
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजी खाता	**B. CAPITAL ACCOUNT OF SOCIAL SERVICES**		**332.07**	**414.62**	**724.71**	**621.22**
शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	4202	6.09	14.56	229.78	11.60
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4210	2.54	3.74	7.10	13.73
परिवार कल्याण	Family Welfare	4211	0.15	0.10	0.10	0.10
जलापूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation	4215	9.00	11.00	11.00	12.00
आवास	Housing	4216	186.89	206.36	213.57	279.00
शहरी विकास	Urban Development	4217	30.00	48.00	48.00	45.00
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	4220	2.87	16.56	11.42	17.86
प्रसारण	Broadcasting	4221	21.32	18.96	18.70	40.58
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	4225	61.00	84.91	180.67	183.76
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Walfare	4235	5.13	0.03	0.03	1.03
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	4250	7.08	10.40	4.34	16.56
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	**C. CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES**		**16648.67**	**12399.16**	**11197.53**	**7136.01**
(क) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजी खाता	***(a) Capital Account of Agriculture and allied activities***		***47.74***	***157.36***	***308.87***	***447.59***
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	4401	3.52	8.26	8.88	12.53
भूमि तथा जल संरक्षण	Soil and Water Conservation	4402	1.69	1.45	1.45	1.46
पशुपालन	Animal Husbandry	4403	2.62	1.70	3.11	0.20
डेरी विकास	Dairy Development	4404	0.85	1.94	2.73	1.37
मत्स्य पालन	Fisheries	4405	2.66	8.51	8.51	7.17
वानिकी और वन्य जीव	Forestry and Wild Life	4406	1.43	1.05	0.95	1.35
खाद्य, भंडारण और भांडागारण	Food, Storage and Warehousing	4408	21.62	23.32	22.22	19.10
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investment in Agricultural Financial Institutions	4416	13.25	110.00	261.00	404.38
सहकारिता	Co-operation	4425	0.10	0.13	0.01	0.03
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	4435	0.00	1.00	0.01	...
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजी खाता	***(b) Capital Account of Rural Development***		***1.52***	...	...	...
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes	4515	1.52	...	...	...
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूंजी खाता	***(c) Capital Account of Special Areas Programmes***		***140.25***	***165.09***	***186.03***	***196.40***
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	4552	140.25	165.09	186.03	196.40
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजी खाता	***(d) Capital account of Irrigation and Flood Control***		***4.09***	***6.75***	***8.15***	***11.84***
वृहद और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	4701	3.81	3.65	3.65	3.20
लघु सिचाई	Minor Irrigation	4702	0.25	3.00	3.50	3.50
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	Flood Control Projects	4711	0.03	0.10	1.00	5.14
(ङ) ऊर्जा का पूंजी खाता	***(e) Capital Account of Energy***		***1769.17***	***1972.45***	***2292.46***	***1322.20***
विद्युत परियोजनाएं	Power Projects	4801	1683.32	1742.85	1514.40	1293.85
पेट्रोलियम	Petroleum	4802	26.39	3.90	552.35	4.29
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	4803	53.26	211.52	211.53	0.01

विवरण I- भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	4810	6.20	14.18	14.18	24.05
(च) उद्योग और खनिज का पूंजी खाता	***(f) Capital Account of Industry and Minerals***		***986.53***	***865.23***	***803.63***	***806.28***
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	4851	15.71	23.43	23.43	20.92
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron & Steel Industries	4852	327.03	1.97	1.97	3.97
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries	4853	9.06	30.73	30.73	9.73
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	Cement and Non-metallic Mineral Industries	4854	2.05	12.75	12.75	62.25
उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industries	4855	67.40	57.00	59.00	54.50
रसायन और भेषज उद्योग	Chemical and Pharmaceutical Industries	4857	3.13	4.06	4.06	4.32
इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	4858	47.08	45.48	53.26	50.90
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	Telecommunication and Electronic Industries	4859	53.70	28.02	28.02	26.66
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	4860	7.68	61.88	68.88	17.74
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	4861	419.03	493.42	419.03	487.15
अन्य उद्योग	Other Industries	4875	0.60	3.97	3.96	5.86
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	4885	34.06	102.52	98.54	62.28
(छ) परिवहन का पूंजी खाता	***(g) Capital Account of Transport***		***1803.49***	***2232.85***	***2178.04***	***2311.21***
रेलवे	Railways	5002	895.29	1150.00	1150.00	1150.00
भारतीय रेलवे—सामरिक महत्त्व की लाइनों पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Indian Railways-Strategic Lines	5003	79.18	...	...	...
पत्तन तथा दीपस्तंभ	Ports & Light Houses	5051	15.71	20.40	20.40	21.30
नौवहन	Shipping	5052	27.19	45.90	42.01	41.00
नागर विमानन	Civil Aviation	5053	3.62	12.21	11.01	31.15
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	5054	773.30	979.71	931.43	1048.48
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	5056	0.00	6.75	6.75	6.30
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	5075	9.20	17.88	16.44	12.98
(ज) संचार का पूंजी खाता	***(h) Capital Account of Communications***		***141.66***	***53.65***	***71.99***	***69.64***
डाक सेवाएं	Postal Services	5201	49.07	47.86	65.88	63.87
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	5225	89.32	...	...	...
उपग्रह प्रणाली	Satellite system	5252	3.27	5.79	6.11	5.77
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजी खाता	***(i) Capital Account of Science, Technology and Environment***		***175.37***	***224.45***	***236.13***	***210.41***
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5401	60.24	77.52	102.04	109.53
अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research	5402	92.49	116.42	107.71	73.84
समुद्रविज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	5403	7.06	10.70	5.30	9.25
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणात्मक अनुसंधान	Other Scientific and Environmental Research	5425	15.58	19.81	21.08	17.79
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	***(j) Capital Account of General Economic Services***		***11578.85***	***6721.33***	***5112.23***	***1760.44***
पर्यटन	Tourism	5452	19.99	15.41	15.41	16.35
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	5453	35.13	74.30	74.30	74.50
मौसम-विज्ञान	Meteorology	5455	28.45	31.62	32.42	32.19
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions	5465	5725.30	5604.00	4866.94	852.00
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in International Financial Institutions	5466	5749.83	970.03	88.19	754.16
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	5475	20.15	25.97	34.97	31.24

विवरण I - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
संघ राज्य क्षेत्रों के संवितरण	**Disbursements of Union Territories**		**277.67**	**246.12**	**242.71**	**252.30**
दिल्ली	Delhi		95.63	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		182.04	246.12	242.71	252.30
जोड़ - राजस्व खाते के बाहर का पूंजी व्यय	***TOTAL-CAPITAL EXPENDITURE OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT***		***24650.07***	***20617.56***	***19754.39***	***16122.30***
लोक ऋण	**PUBLIC DEBT**					
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Goverment	6001				
बाजार ऋण	Market Loans		1136.91	953.67	953.67	5555.58
91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	91 Days Treasury Bills		90908.49	145000.00	145000.00	160000.00
अन्य	Others		20956.16	17295.73	17380.04	13456.55
जोड़-केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	***Total-Internal Debt of Central Goverment***		***113001.56***	***163249.40***	***163333.71***	***179012.13***
विदेशी ऋण	External Debt	6002	4949.75	5388.40	5479.60	5916.15
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL-PUBLIC DEBT**		**117951.31**	**168637.80**	**168813.31**	**184928.28**
ऋण और अग्रिम	***LOANS AND ADVANCES***					
क.सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	**A. LOANS FOR SOCIAL SERVICES**		**26.28**	**11.07**	**86.58**	**11.57**
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	6202	0.50	0.50	0.50	0.50
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	6210	...	...	24.00	...
परिवार कल्याण	Family Welfare	6211	...	0.05	0.05	0.05
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	6215	9.14	1.00	50.00	2.50
आवास	Housing	6216	15.33	8.50	11.01	7.50
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	6220	1.00	1.00	1.00	1.00
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	6235	...	0.02	0.02	0.02
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	6250	0.31	0.00	0.00	0.00
ख.आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	**B. LOANS FOR ECONOMIC SERVICES**		**5939.95**	**4705.33**	**5003.97**	**4660.77**
(क) कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण	***(a) Loans For Agriculture and allied activities***		***343.59***	***438.66***	***558.78***	***578.37***
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	6401	...	0.01	0.01	0.01
डेरी विकास	Dairy Development	6404	164.52	175.00	175.00	194.00
पौध-रोपण	Plantations	6407	9.97	14.40	14.40	12.00
खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	Food Storage and Warehousing	6408	...	3.50	4.60	6.50
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions	6416	1.77	30.00	75.00	68.86
सहकारिता	Co-operation	6425	167.33	215.75	289.77	297.00
(ख) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए ऋण	***(b) Loans for Special Area Programme***		***21.61***	***0.50***	***6.89***	***1.50***
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	6552	11.61	...	...	...
बड़ी और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	6701	10.00	...	6.89	1.00
कमान क्षेत्र विकास	Command Area Development	6705		0.50	...	0.50
(ग) ऊर्जा के लिए ऋण	***(c) Loans for Energy***		***2453.52***	***2221.55***	***2102.70***	***2428.17***
विद्युत परियोजनाएं	Power Projects	6801	1771.52	1767.79	1651.04	2011.49
पेट्रोलियम	Petroleum	6802	160.00	132.00	132.00	...
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	6803	522.00	321.76	296.66	416.68
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	6810	...	...	23.00	...
(घ) उद्योग और खनिजों के लिए ऋण	***(d) Loans for Industry & Minerals***		***2881.07***	***1865.32***	***2141.30***	***1405.44***
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	6851	339.87	352.13	352.07	295.06
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron and Steel Industies	6852	864.08	348.03	345.03	285.55

विवरण I- भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries	6853	14.20	23.00	23.00	19.25
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	Cement and Non-metallic Mineral Industries	6854	1.25	12.50	12.50	1.00
उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industries	6855	128.00	218.25	328.00	190.50
रसायन और भेषज उद्योग	Chemicals and Pharmaceuticals Industries	6857	33.77	32.53	40.34	19.92
इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	6858	149.51	147.60	169.31	116.11
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	Telecommunication and Electronic Industries	6859	12.31	13.26	5.93	5.27
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	6860	165.90	59.07	193.57	44.04
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	6861	8.42	...	...	...
अन्य उद्योग	Other Industries	6875	0.41	0.41	0.41	0.41
अन्य उद्योग और खनिज	Other Industries and Minerals	6885	1163.35	658.54	671.14	428.33
(ङ) परिवहन के लिए ऋण	***(e) Loans for Transport***		***208.22***	***177.02***	***173.02***	***215.90***
पत्तन और दीप स्तम्भ	Ports and Light Houses	7051	80.64	103.50	95.50	123.65
नौवहन	Shipping	7052	73.56	28.00	28.00	27.99
नागर विमानन	Civil Aviation	7053		5.50	5.50	21.94
सड़क परिवहन	Road Transport	7055	46.02	27.25	27.25	30.00
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	7056	8.00	12.75	16.75	12.30
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	7075		0.02	0.02	0.02
(च) दूरसंचार के लिए ऋण	***(f) Loans for Communications***		***-5.00***	...	...	...
अन्य दूर संचार सेवाएं	Other Communication services	7275	-5.00	...	...	...
(छ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिए ऋण	***(g) Loans for Science, Technology and Environment***		***5.15***	***0.59***	***0.59***	***0.28***
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	7425	5.15	0.59	0.59	0.28
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	***(h) Loans for General Economic Services***		***31.79***	***1.69***	***20.69***	***31.11***
पर्यटन	Tourism	7452	2.56	0.10	0.10	0.10
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के लिए ऋण	Loans for Foreign Trade Export Promotion	7453	1.50	0.01	0.01	0.01
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	7475	27.73	1.58	20.58	31.00
ग. अन्य ऋण	**C. OTHER LOANS**		**15507.63**	**15175.08**	**20026.60**	**17677.95**
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	15074.88	14503.39	19080.70	16731.22
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to Union Territory Governments	7602	188.50	288.92	573.88	549.67
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments	7605	46.74	88.52	77.39	100.03
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	Loans to Government Servants etc.	7610	196.32	292.00	292.00	294.00
विविध ऋण	Miscellaneous Loans	7615	1.19	2.25	2.63	3.03
संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण	**Loans Of Union territories**		**400.19**	**3.98**	**5.17**	**5.58**
दिल्ली	Delhi		395.45	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		4.74	3.98	5.17	5.58
जोड़-ऋण और अग्रिम	**TOTAL-LOANS AND ADVANCES**		**21874.05**	**19895.46**	**25122.32**	**22355.87**
जोड़ - पूंजीगत व्यय	***TOTAL-CAPITAL EXPENDITURE***		***164475.43***	***209150.82***	***213690.02***	***223406.45***
जोड़ - भारत की समेकित निधि - संवितरण	**TOTAL-CONSOLIDATED FUND OF INDIA-DISBURSEMENTS**		**316792.61**	**384799.77**	**392388.77**	**419534.02**

विवरण - I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" संवितरण

STATEMENT IA - DISBURSEMENTS "CHARGED" ON THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
संसद	Parliament	2011	0.20	0.23	0.23
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि	President, Vice President, etc.	2012	4.85	4.81	4.84
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	18.91	23.20	20.71
लेखा-परीक्षा	Audit	2016	12.45	14.08	14.11
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure	2020	0.02	0.02	0.02
भू-राजस्व	Land Revenue	2029	...	0.04	0.02
सीमा शुल्क	Customs	2037	0.25	0.25	0.25
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	2038	0.50	0.50	0.50
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	2046	4.04	0.42	0.35
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Service	2047	0.88	0.56	0.58
ब्याज संदाय	Interest Payments	2049	46000.00	44000.00	52000.00
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	18.27	18.81	19.38
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Service	2052	0.15	0.18	0.18
पुलिस	Police	2055	0.45	0.80	0.58
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	2057	0.70	0.90	0.90
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	0.20	3.60	0.55
विदेश कार्य	External Affairs	2061	0.01	0.01	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	0.01	0.03	0.02
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pension and other Retirement Benefits	2071	3.11	2.66	2.79
रक्षा सेवाएं-थल सेना	Defence Services-Army	2076	6.79	4.30	5.07
रक्षा सेवाएं-नौ सेना	Defence Services-Navy	2077	2.51	2.51	2.68
रक्षा सेवाएं-वायु सेना	Defence Services-Air Force	2078	0.34	0.62	0.64
आयुध कारखाने	Ordnance Factories	2079	1.40	1.40	1.20
सामान्य शिक्षा	General Education	2202	...	0.40	0.37
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	2210	0.02	0.05	0.05
आवास	Housing	2216	7.25	10.82	8.91
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	2220	0.02	0.01	0.02
प्रसारण	Broadcasting	2221	0.06	0.07	0.06
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	2230	0.01	0.02	0.01
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	0.05	0.05	0.05
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	2401	0.01	0.04	0.03
पशु पालन	Animal Husbandary	2403	0.05	0.07	0.01
मत्स्य उद्योग	Fisheries	2405	...	0.06	0.06
खाद्य, भंडारण और भांडागारण	Food, Storage and Warehousing	2408	0.05	0.01	0.05
सहकारिता	Cooperation	2425	...	0.06	0.04
बड़ी और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	2701	0.01	...	...
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	2702	0.01	0.01	0.01
विद्युत	Power	2801	...	0.07	0.05
ग्रामीण और लघु उद्योग	Village and Small Industries	2851	...	0.02	0.02
उद्योग	Industries	2852	25.69	16.69	...
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	Non ferrous Mining and Metallaurgical Industries	2853	0.05	0.05	0.05
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	2885	...	0.43	...
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	0.46	0.46	0.46
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	0.01	1.01	0.01
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	3225	0.30	0.30	0.30
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	3401	0.04	0.07	0.17
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	0.09	0.09	0.09

विवरण - I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" संवितरण
STATEMENT IA - DISBURSEMENTS "CHARGED" ON THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	...	0.01	0.01
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Surveys and Statistics	3454	0.05	0.05	0.05
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	3475	...	145.14	...
राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	Grants in aid to State Governments	3601	4649.23	4617.23	5544.15
संघ उत्पाद शुल्क में राज्यो के हिस्से की अदायगी	Payments of States' Share of Union Excise Duties	3603	16189.47	16282.91	19654.58
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	4046	0.02	...	...
लोक निर्माण कार्य	Public Works	4059	1.75	1.30	1.36
रक्षा सेवाएं	Defence Services	4076	7.03	7.03	7.18
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4210	...	0.04	...
आवास	Housing	4216	3.68	3.86	4.66
शहरी विकास	Urban Development	4217	1.00	1.00	1.00
प्रसारण	Broadcasting	4221	0.60	0.82	0.60
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron & Steel Industries	4852	0.05	0.05	0.02
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	4861	0.02	0.02	0.01
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	4885	...	0.01	...
नौवहन	Shipping	5052	...	0.05	...
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	5054	0.20	0.20	0.20
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	5225	0.01	0.01	0.01
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5401	...	0.04	...
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	5402	0.12	0.03	0.03
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001	163249.40	163333.71	179012.13
विदेशी ऋण	External Debt	6002	5388.40	5479.60	5916.15
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	14503.39	19080.70	16731.22
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***		***250104.64***	***253064.60***	***278959.79***

विवरण II - भारत की आकस्मिकता निधि - निवल
STATEMENT II - CONTINGENCY FUND OF INDIA - NET

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
आकस्मिकता निधि	CONTINGENCY FUND	8000	...	...	...	...

विवरण III - भारत का लोक खाता - प्राप्तियां
STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA -RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	**A. SMALL SAVINGS, PROVIDENT FUNDS ETC.**	*48107.30*	*50428.78*	*55913.13*	*52537.82*
(क) अल्प बचतें	*(a) Small Savings*	*24731.02*	*23130.00*	*31850.00*	*26335.00*
(ख) भविष्य निधियां :	*(b) Provident Funds:*	*7133.36*	*7540.00*	*8370.00*	*9370.00*
(i) राज्य भविष्य निधियां	(i) State Provident Funds	4584.32	5100.00	5250.00	5750.00
(ii) लोक-भविष्य निधियां	(ii) Public Provident Funds	2549.04	2440.00	3120.00	3620.00
(ग) अन्य खाते	*(c) Other Accounts:*	*16242.92*	*19758.78*	*15693.13*	*16832.82*
(i) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(i) Postal Insurance and Life Annuity Fund.	309.50	367.00	353.00	423.00
(ii) अन्य मदें	(ii) Other Items	15933.42	19391.78	15340.13	16409.82
ख. प्रारक्षित निधियां	**B. RESERVE FUNDS**	*9114.07*	*10282.80*	*10027.17*	*10835.69*
(क) सब्याज प्रारक्षित निधियां	*(a) Reserve Funds bearing Interest*	*7567.56*	*9683.98*	*9355.25*	*10208.85*
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	5325.45	6168.02	5935.26	6212.37
(ii) दूरसंचार निधियां	(ii) Telecommunication Funds	2177.45	3465.34	3360.75	3927.78
(iii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(iii) Other Reserve Funds	64.66	50.62	59.24	68.70
(ख) निर्ब्याज प्रारक्षित निधियां	*(b) Reserve Funds not bearing interest*	*1546.51*	*598.82*	*671.92*	*626.84*
(i) केन्द्रीय सड़क निधि	(i) Central Road Fund	10.18	10.18	58.30	10.85
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highways Permanent Bridges Fee Fund	35.00	35.00	40.00	43.00
(iii) खान कल्याण निधियां	(iii) Mines Welfare Funds	15.06	...	...	...
(iv) चीनी विकास निधि	(iv) Sugar Development Fund	247.42	185.00	210.00	210.00
(v) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(v) Railway Safety Works Fund	2.53	2.53	2.48	2.48
(vi) अन्य प्रारक्षित निधियां	(vi) Other Reserve Funds	1236.32	366.11	361.14	360.51
ग. जमाराशियां और अग्रिम	**C. DEPOSITS AND ADVANCES**	*30455.22*	*17390.88*	*19052.52*	*18956.01*
(क) सब्याज जमाराशियां	*(a) Deposits bearing interest:*	*4909.68*	*3161.69*	*4593.71*	*4328.31*
(i) राष्ट्रीय रक्षा कोष	(i) National Defence Fund	5.47	5.69	6.06	6.10
(ii) परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि, आदि	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance Fund, etc.	1287.17	1092.05	1054.14	1060.05
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	3617.04	2063.95	3533.51	3262.16
(ख) निर्ब्याज जमाराशियां	*(b) Deposits not bearing Interest:*	*17004.87*	*14229.19*	*14458.81*	*14627.70*
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	9631.24	10381.71	10472.69	10667.96
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds	16.62	14.00	14.00	14.00
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	7357.01	3833.48	3972.12	3945.74
(ग) अग्रिम	*(c) Advances*	*8540.67*	...	...	...
घ. उचंत और विविध	**D. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS:**	*574.72*	...	...	...
उचंत खाते (निवल)	Suspense Accounts (Net)	...	...	...	...
चैक और बिल (निवल)	Cheques and Bills (Net)	570.79	...	...	...
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)	...	...	...	...
रोकड़ शेष निवेश	Cash Balance Investment		...	...	...
अन्य	Others	3.93	...	...	...
ङ. प्रेषित रकमें	**E. REMITTANCES:**	*495.11*	...	...	...
(i) मनीआर्डर	(i) Money Orders	5.66	...	...	...
(ii) अन्य प्रेषित रकमें	(ii) Other Remittances	489.45	...	...	...
जोड़-लोक खाता प्राप्तियां	**TOTAL - PUBLIC ACCOUNT RECEIPTS**	88746.42	78102.46	84992.82	82329.52
कुल जोड़ - (I + II + III)	**GRAND TOTAL - (I + II + III)**	*385548.62*	*439940.63*	*444140.43*	*479724.74*
रोकड़ शेष	**CASH BALANCE**	*1379.93*	*51.03*	*2402.24*	*52.54*
जोड़	**TOTAL**	386928.55	439991.66	446542.67	479777.28

विवरण III - भारत का लोक खाता - संवितरण
STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA -DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	***A. SMALL SAVINGS, PROVIDENT FUNDS ETC.***	***24553.34***	***28503.57***	***26120.93***	***32237.97***
(क) अल्प बचतें	*(a) Small Savings*	*17573.65*	*19040.00*	*20080.00*	*20815.00*
(ख) भविष्य निधियां :	*(b) Provident Funds:*	*3417.30*	*3860.00*	*4264.00*	*4927.00*
(i) राज्य भविष्य निधियां	(i) State Provident Funds	2794.12	3300.00	3350.00	3750.00
(ii) लोक भविष्य निधियां	(ii) Public Provident Funds	623.18	560.00	914.00	1177.00
(ग) अन्य खाते	*(c) Other Accounts:*	*3562.39*	*5603.57*	*1776.93*	*6495.97*
(i) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(i) Postal Insurance and Life Annuity Fund.	87.63	85.00	88.00	99.00
(ii) अन्य मदें	(ii) Other Items	3474.76	5518.57	1688.93	6396.97
ख. प्रारक्षित निधियां	***B. RESERVE FUNDS***	***8834.41***	***9967.95***	***9877.28***	***10321.04***
(क) सब्याज प्रारक्षित निधियां	*(a) Reserve Funds bearing Interest*	*7667.21*	*9394.95*	*9080.00*	*9907.00*
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	5489.35	5970.00	5760.00	6025.00
(ii) दूरसंचार निधियां	(ii) Telecommunication Funds	2176.52	3406.00	3305.00	3867.00
(iii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(iii) Other Reserve Funds	1.34	18.95	15.00	15.00
(ख) निर्ब्याज प्रारक्षित निधियां	*(b) Reserve Funds not bearing interest*	*1167.20*	*573.00*	*797.28*	*414.04*
(i) केन्द्रीय सड़क निधि	(i) Central Road Fund	9.96	10.00	58.24	10.79
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highways Permanent Bridges Fee Fund	20.88	1.00	69.00	72.00
(iii) खान कल्याण निधियां	(iii) Mines Welfare Funds	8.20	...	...	...
(iv) चीनी विकास निधि	(iv) Sugar Development Fund	118.70	180.00	150.00	150.00
(v) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(v) Railway Safety Works Fund	8.11	6.50	6.50	6.50
(vi) अन्य प्रारक्षित निधिया	(vi) Other Reserve Funds	1001.35	375.50	513.54	174.75
ग. जमाराशियां और अग्रिम	***C. DEPOSITS AND ADVANCES***	***30055.57***	***16944.64***	***17473.27***	***18088.88***
(क) सब्याज जमाराशियां	*(a) Deposits bearing interest:*	*4168.64*	*2095.08*	*3243.52*	*3406.93*
(i) राष्ट्रीय रक्षा कोष	(i) National Defence Fund	0.96	1.00	2.42	2.42
(ii) परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि, आदि	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance Fund, etc.	...	211.70	262.95	274.10
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	4167.68	1882.38	2978.15	3130.41
(ख) निर्ब्याज जमाराशियां	*(b) Deposits not bearing Interest:*	*17237.26*	*14849.56*	*14229.75*	*14681.95*
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	9455.37	11356.10	10689.03	10676.45
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds	28.02	14.00	14.00	14.00
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	7753.87	3479.46	3526.72	3991.50
(ग) अग्रिम	*(c) Advances*	*8649.67*	...	...	...
घ. उचंत और विविध	***D. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS:***	***2897.22***	***-275.15***	***629.88***	***-456.15***
उचंत खाते (निवल)	Suspense Accounts (Net)	2160.39	-275.15	629.88	-456.15
चैक और बिल (निवल)	Cheques and Bills (Net)	...	...	...	...
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)	704.57	...	...	...
रोकड़ शेष निवेश	Cash Balance Investment	...	...	...	...
अन्य	Others	32.26	...	...	..
ङ. प्रेषित रकमें	***E. REMITTANCES:***	***1393.16***	...	...	...
(i) मनीआर्डर	(i) Money Orders	...	...	...	...
(ii) अन्य प्रेषित रकमें	(ii) Other Remittances	1393.16	...	...	...
जोड़-लोक खाता संवितरण	**TOTAL - PUBLIC ACCOUNT DISBURSEMENTS**	**67733.70**	**55141.01**	**54101.36**	**60191.74**
कुल जोड़ - (I+II+III)	***GRAND TOTAL - (I + II + III)***	***384526.31***	***439940.78***	***446490.13***	***479725.76***
रोकड़ शेष	***CASH BALANCE***	***2402.24***	***50.88***	***52.54***	***51.52***
जोड़	**TOTAL**	**386928.55**	**439991.66**	**446542.67**	**479777,28**

बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और व्यय
RECEIPTS AND EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE

प्राप्तियां RECEIPTS (करोड़ रुपए) (Rs. in crores)	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96	व्यय EXPENDITURE (करोड़ रुपए) (Rs. in crores)	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
चंडीगढ़ CHANDIGARH							
कर राजस्व Tax Revenue	153.98	155.85	164.35	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	279.68	292.93	312.13
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	97.06	101.56	106.78	पूंजी व्यय Capital Expenditure	32.55	31.93	35.17
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.33	0.33	...
जोड़ Total	**251.04**	**257.41**	**271.13**	**जोड़ Total**	**312.56**	**325.19**	**347.30**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS							
कर राजस्व Tax Revenue	3.72	4.74	4.69	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	199.98	211.49	236.94
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	47.35	56.75	60.31	पूंजी व्यय Capital Expenditure	174.13	164.98	167.92
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.99	3.53	4.14
जोड़ Total	**51.07**	**61.49**	**65.00**	**जोड़ Total**	**375.10**	**380.00**	**409.00**
दादरा और नगर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI							
कर राजस्व Tax Revenue	2.83	3.91	4.49	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	23.83	24.43	24.75
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	41.34	17.45	17.72	पूंजी व्यय Capital Expenditure	13.90	17.00	18.91
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	2.00	0.90	0.92
जोड़ Total	**44.17**	**21.36**	**22.21**	**जोड़ Total**	**39.73**	**42.33**	**44.58**
लक्षद्वीप LAKSHADWEEP							
कर राजस्व Tax Revenue	0.10	0.10	0.11	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	85.79	89.46	97.63
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	4.28	4.34	4.84	पूंजी व्यय Capital Expenditure	13.79	13.80	15.73
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.26	0.26	0.21
जोड़ Total	**4.38**	**4.44**	**4.95**	**जोड़ Total**	**99.84**	**103.52**	**113.57**
दमन और दीव DAMAN AND DIU							
कर राजस्व Tax Revenue	25.77	26.12	27.27	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	22.99	23.78	24.88
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	1.49	3.95	6.77	पूंजी व्यय Capital Expenditure	11.75	15.00	14.57
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.40	0.15	0.31
जोड़ Total	**27.26**	**30.07**	**34.04**	**जोड़ Total**	**35.14**	**38.93**	**39.76**
सारांश SUMMARY							
कर राजस्व Tax Revenue	186.40	190.72	200.91	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	612.27	642.09	696.33
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	191.52	184.05	196.42	पूंजी व्यय Capital Expenditure	246.12	242.71	252.30
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	3.98	5.17	5.58
जोड़ Total	**377.92**	**374.77**	**397.33**	**जोड़ Total**	**862.37**	**889.97**	**954.21**

Budget at a Glance 1995-96

बजट का सार *Budget at a Glance*

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		1993-94 वास्तविक Actuals	1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	**1. Revenue Receipts**	**75453**	**86084**	**88770**	**100787**
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	*2. Tax Revenue (Net to Centre)*	*53449*	*62742*	*64988*	*74374*
3. कर–भिन्न राजस्व	*3. Non-Tax Revenue*	*22004*	*23342*	*23782*	*26413*
4. पूंजी प्राप्तियां	**4. Capital Receipts**	**55440**	**59615**	**67502**	**66364**
5. ऋणों की वसूली	*5. Recoveries of Loans*	*6191*	*6700*	*6700*	*6730*
6. अन्य प्राप्तियां	*6. Other Receipts*	*- 48*	*4000*	*5767*	*7000*
7. उधार और अन्य देयताएं	*7. Borrowings and other liabilities*	*49297*	*48915*	*55035*	*52634*
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	***8. Total Receipts (1+4)***	***130893***	***145699***	***156272***	***167151***
9. आयोजना-भिन्न व्यय	**9. Non-Plan Expenditure**	**98998**	**105117**	**113511**	**123651**
10 राजस्व खाते पर जिसमें	*10. On Revenue Account Of which*	*83545*	*90749*	*93965*	*106998*
11. ब्याज अदायगियां	*11. Interest Payments*	*36695*	*46000*	*44000*	*52000*
12. पूंजी खाते पर	*12. On Capital Account*	*15453*	*14368*	*19546*	*16653*
13. आयोजना व्यय	**13. Plan Expenditure**	**42855**	**46582**	**48761**	**48500**
14. राजस्व खाते पर	*14. On Revenue Account*	*24624*	*28062*	*28937*	*29330*
15. पूंजी खाते पर	*15. On Capital Account*	*18231*	*18520*	*19824*	*19170*
16. कुल व्यय (9+13)	**16. Total Expenditure (9+13)**	**141853**	**151699**	**162272**	**172151**
17. राजस्व व्यय (10+14)	17. Revenue Expenditure (10+14)	108169	118811	122902	136328
18. पूंजी व्यय (12+15)	18. Capital Expenditure (12+15)	33684	32888	39370	35823
19. राजस्व घाटा (1-17)	***19. Revenue Deficit (1-17)***	***32716***	***32727***	***34132***	***35541***
20. बजटीय घाटा (8-16)	***20. Budgetary Deficit (8-16)***	***10960***	***6000***	***6000***	***5000***
21. राजकोषीय घाटा [(1+5+6)-16=7+20]	***21. Fiscal Deficit [(1+5+6)-16=7+20]***	***60257***	***54915***	***61035***	***57634***
22. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत ऋणों के लिए समायोजित राजकोषीय घाटा	***22. Fiscal Deficit adjusted for Small Savings Loans to State & Union Territory Governments***	***55257***	***49763***	***51386***	***50634***
23. प्रारंभिक घाटा (21-11)	***23. Primary Deficit (21-11)***	***23562***	***8915***	***17035***	***5634***

रुपया आता है
Rupee Comes From

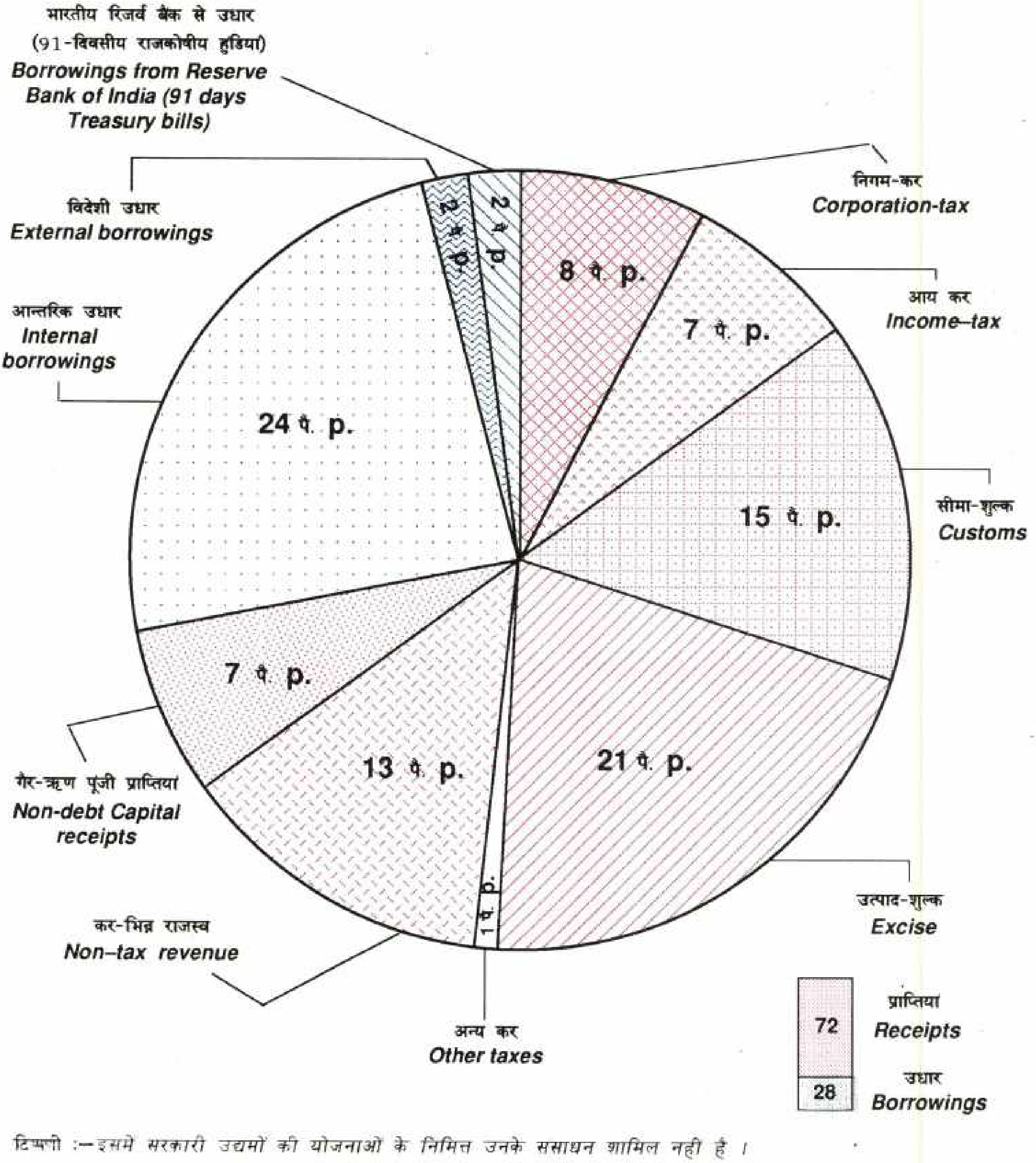

टिप्पणी :—इसमें सरकारी उद्यमों की योजनाओं के निमित्त उनके संसाधन शामिल नहीं है ।

इस चार्ट में कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों और स्थानीय निकायों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में घटा दिया गया है ।

Notes:— *Exclusive of resources of public enterprises for their Plans.*

In this chart total receipts are inclusive of the share of States and local bodies of taxes and duties which have been netted in the table on page 1.

रुपया जाता है
Rupee Goes To

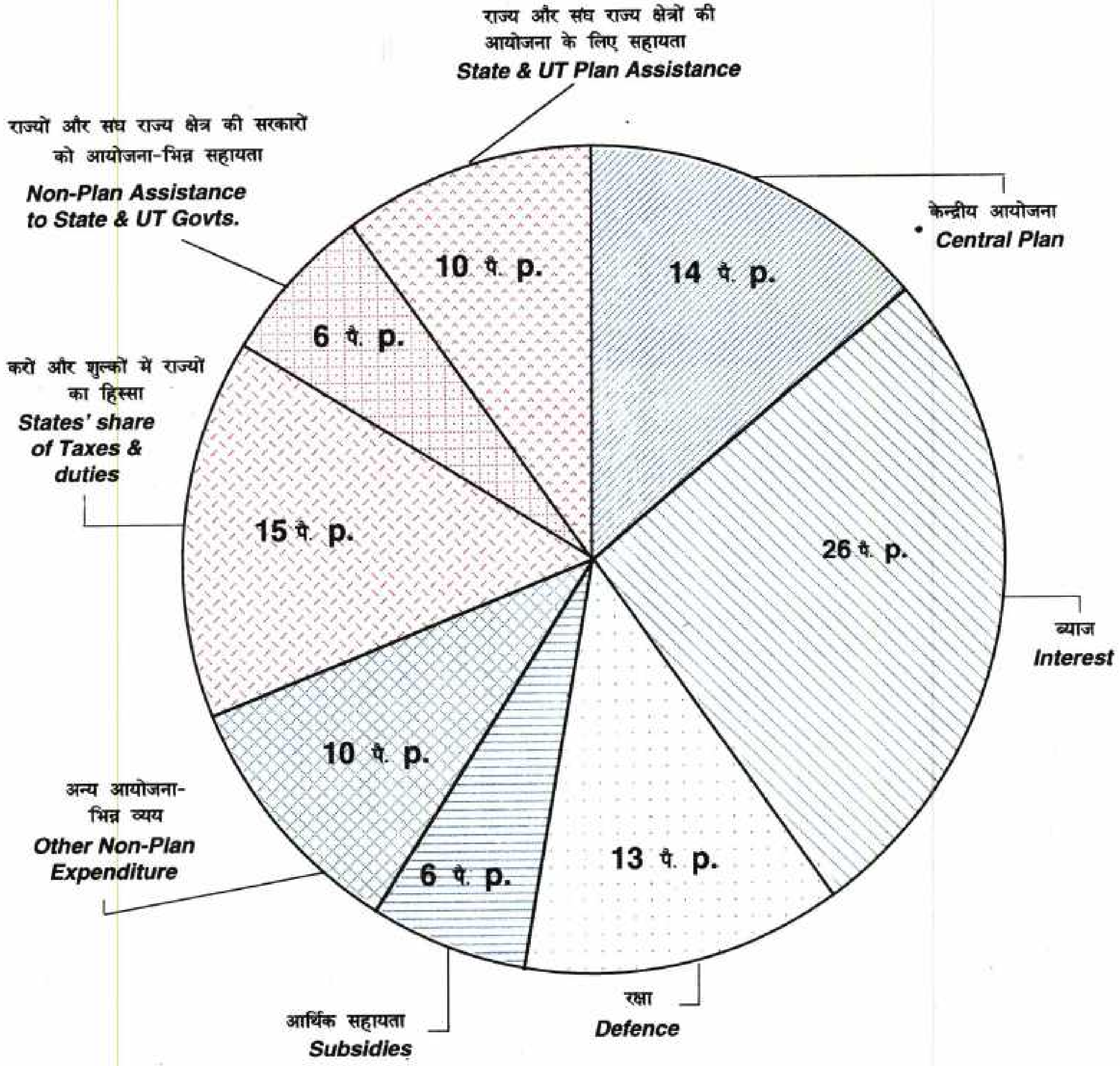

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण 31 पै. p.
Transfers to States & UTs

टिप्पणियां :— इसमें वह परिव्यय शामिल नहीं है जिसे सरकारी उद्यमों के संसाधनों से पूरा किया जाता है ।

इस चार्ट में कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों और स्थानीय निकायों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें पृष्ठ 1 पर सारणी में प्राप्तियों में से घटा दिया गया है ।

Notes:— Exclusive of Plan outlays met from resources of public enterprises.

In this chart, total expenditure is inclusive of the share of States and local bodies of taxes and duties which have been netted against receipts in the table on page 1.

प्राप्तियां Receipts

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
राजस्व प्राप्तियां	***REVENUE RECEIPTS***			
1. कर राजस्व	**1. TAX REVENUE**			
सकल कर-राजस्व	**Gross Tax Revenue**	**87136**	**89831**	**103762**
निगम कर	Corporation Tax	12480	13250	15500
आय-कर	Income Tax	10925	11000	13500
ब्याज-कर	Interest Tax	1044	1000	1000
व्यय कर अधिनियम,1987	Expenditure-tax Act,1987	210	170	175
धन-कर	Wealth Tax	125	80	90
दान-कर	Gift Tax	5	14	10
सीमा शुल्क	Customs	25200	26450	29500
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	36700	36900	42780
सेवा कर	Service Tax	...	375	600
अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties	261	401	406
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	Taxes of Union Territories	186	191	201
घटाइए -राज्यों का हिस्सा	**Less States' Share**	**24394**	**24843**	**29388**
आय कर	Income Tax	8205	8560	9734
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	16189	16283	19654
घटाइए-स्थानीय निकायों को समनुदेशित संघ राज्य क्षेत्रों के कर	*Less- Assignment of UT taxes to Local Bodies*	...	...	...
निवल कर राजस्व	**NET TAX REVENUE**	**62742**	**64988**	**74374**
2. कर-भिन्न राजस्व	**2. NON-TAX REVENUE**			
ब्याज प्राप्तियां	Interest Receipts	15978	16234	18419
लाभांश और लाभ	Dividends and Profits	2793	2721	2946
विदेशी अनुदान	External grants	1365	1176	1154
अन्य कर-भिन्न राजस्व	Other Non-Tax Revenue	3014	3467	3698
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तिया	Receipts of Union Territories	192	184	196
जोड़- कर-भिन्न राजस्व	**Total-Non-Tax Revenue**	**23342**	**23782**	**26413**
कुल राजस्व प्राप्तियां	***Total Revenue Receipts***	***86084***	***88770***	***100787***

प्राप्तियां Receipts

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
3. पूंजी प्राप्तियां @	3. CAPITAL RECEIPTS @			
ऋणों की वसूलियां [1]	Recoveries of Loans[1]	6700	6700	6730
बाजार उधार	Market Borrowings	3700	3700	3700
अन्य मध्यम और दीर्घावधिक ऋण #	Other Medium & Long term loans #	11000	17000	19000
अल्पावधिक ऋण ##	Short term loans ##	12000	3340	4387
स्वर्ण बाण्ड, 1998	Gold Bonds, 1998	1225	1100	65
विदेशी सहायता	External Assistance	4279	3947	4456
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिता का विनिवेश	Disinvestment of equity holding in public sector enterprises	4000	5237	7000
बोनस शेयरों का निर्गमन •	Issue of bonus shares •	...	530	...
अल्प बचतें, लोक भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए जमा योजना *	Small Savings, PPF and Deposit Scheme for Retiring Government Servants*	6000	14000	8000
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds	1800	1900	2000
विशेष जमा	Special Deposits	8100	8900	8964
अन्य	Others	811	1148	2062
जोड़- पूंजी प्राप्तियां	**Total-Capital Receipts**	**59615**	**67502**	**66364**
कुल प्राप्तियां [2]	***TOTAL RECEIPTS [2]***	***145699***	***156272***	***167151***
1. राज्यों से अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों तथा सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियों को छोड़कर	*1. excluding recoveries of short-term loans and advances from States and loans to Government servants, etc.*	*1131*	*1131*	*1132*
2. समतुल्य व्यय द्वारा प्रतिसन्तुलित प्राप्तियों को छोड़कर (ब्यौरा प्राप्ति बजट, 1994-95 के अनुबंध 12 में दिया गया है)	*2. excluding receipts offset by matching expenditure (Details in Annexure 12 to Receipts Budget, 1995-96)*			
** घटाइए-राज्यों का हिस्सा*	** Less - Share of States*	*-5152*	*-9649*	*-7000*
केन्द्र को निवल	*Net to Centre*	*848*	*4351*	*1000*

@ *प्राप्तियां (ऋणों की वसूलियों को छोड़कर) निवल प्राप्तियां है; वापसी-अदायगियों को घटाकर सकल प्राप्तियां*

@ *The receipts (other than recoveries of loans) are net receipts; gross receipts minus repayments*

\# *इनमें शून्य कूपन बाण्ड और परिपक्व होने वाली राजकोषीय हुंडियों के रूपान्तरण में ऋण शामिल है।*

\# *These include Zero Coupon Bonds and loans in conversion of maturing Treasury Bills.*

\## *इनमें 364 - दिवसीय राजकोषीय हुंडियां शामिल हैं।*

\## *These include 364 days Treasury Bills*

• *व्यय बजट में व्यय के रूप में प्रदर्शित बोनस शेयरों के अधिग्रहण को प्रतिसंतुलित करते हुए पार्श्व प्रति समायोजन ।*

• *Contra adjustments on the receipt side offsetting acquisition of Bonus Shares shown as expenditure in the Expenditure Budget.*

व्यय Expenditure

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
1. आयोजना-भिन्न व्यय	***1. NON-PLAN EXPENDITURE***			
क. राजस्व व्यय	**A. Revenue Expenditure**			
1. ब्याज संदाय	1. Interest Payments	46000	44000	52000
2. रक्षा राजस्व व्यय	2. Defence Revenue Expenditure	16169	16611	18146
3. मुख्य आर्थिक सहायता *(खाद्य, उर्वरक और निर्यात संवर्धन)*	3. Major Subsidies *(Food, Fertilisers and Export promotion)*	8300	10826	10965
4. ब्याज और अन्य आर्थिक सहायता	4. Interest and Other Subsidies	1084	1643	1436
5. किसानों को ऋण राहत	5. Debt Relief to Farmers	341	341	...
6. डाक का घाटा	6. Postal Deficit	125	313	287
7. पुलिस	7. Police	2623	2685	2837
8. पेंशनें	8. Pensions	3604	3651	3851
9. अन्य सामान्य सेवाएं *(राज्यों के अंग, कर संग्रह, विदेश कार्य आदि)*	9. Other General Services *(Organs of State, tax collection, external affairs etc.)*	3665	3939	4208
10. सामाजिक सेवाएं *(शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)*	10. Social Services *(Education, health, broadcasting etc.)*	2613	2722	2750
11. आर्थिक सेवाएं *(कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)*	11. Economic Services *(Agriculture, industry, power, transport, communications, science and technology etc.)*	3181	4204	3720
12. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	12. Grants to State and U.T. Governments	2334	2327	6016
13. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	13. Expenditure of Union Territories without Legislature	523	550	577
14. विदेशी सरकारों को अनुदान	14. Grants to Foreign Governments	187	153	205
जोड़- राजस्व व्यय	**TOTAL -Revenue Expenditure**	**90749**	**93965**	**106998**
ख- पूंजी व्यय	**B. Capital Expenditure**			
1. रक्षा पूंजी	1. Defence Capital	6831	6933	7354
2. अन्य आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय	2. Other Non-Plan Capital Outlay	1402	1664	1485
3. सरकारी उद्यमों को ऋण	3. Loans to Public Enterprises	637	911	439
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण	4. Loans to State and U.T. Governments	5228	9739	7073
5. विदेशी सरकारों को ऋण	5. Loans to Foreign Governments	89	77	100
6. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	6. Other Non-Plan Loans	210	251	231
7. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	7. Expenditure of Union Territories without Legislature	(-) 29	(-) 29	(-) 29
जोड़-पूंजी व्यय	***TOTAL - Capital Expenditure***	***14368***	***19546***	***16653***
जोड़-आयोजना-भिन्न व्यय	**TOTAL - Non-Plan Expenditure**	**105117**	**113511**	**123651**
रक्षा व्यय (राजस्व और पूंजी)	***Defence Expenditure (Revenue and Capital)***	***23000***	***23544***	***25500***

व्यय Expenditure

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
2. आयोजना व्यय	***2. PLAN EXPENDITURE***			
क. राजस्व व्यय	**A. Revenue Expenditure**			
1. केन्द्रीय आयोजना	1. Central Plan	18078	17796	19853
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता	2. Central assistance for State & Union Territory Plans	9984	11141	9477
राज्य आयोजना	*State Plan*	*9815*	*10931*	*9211*
संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना	*Union Territory Plan*	*169*	*210*	*266*
जोड़- राजस्व आयोजना व्यय	**Total - Revenue Plan Expenditure**	**28062**	**28937**	**29330**
ख- पूंजी व्यय	**B. Capital Expenditure**			
1. केन्द्रीय आयोजना	1. Central Plan	9200	10138	9141
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	2. Central assistance for State & Union Territory Plans	9320	9686	10029
राज्य आयोजना	*State Plan*	*8926*	*9204*	*9515*
संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना	*Union Territory Plan*	*394*	*482*	*514*
जोड़ - पूंजी आयोजना व्यय	**Total - Capital Plan Expenditure**	**18520**	**19824**	**19170**
जोड़ - आयोजना व्यय	***Total - Plan Expenditure***	***46582***	***48761***	***48500***
केन्द्रीय आयोजना के लिए कुल बजट सहायता	**Total Budget Support for Central Plan**	**27278**	**27934**	**28994**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय सहायता	**Total Central assistance for State & UT Plans**	**19304**	**20827**	**19506**
जोड़ - व्यय**	**Total - Expenditure ****	**151699**	**162272**	**172151**
** समान प्राप्तियों द्वारा प्रतिसन्तुलित व्यय को छोड़कर (ब्यौरा प्राप्ति बजट, खंड-1 1994-95 के अनुबंध 2 में दिया गया है)	*** Excluding expenditure matched by receipts (Details in Annexure-2 to Expenditure Budget, Volume-1, 1995-96)*			
ऋण परिशोधन	**DEBT SERVICING**			
1. ऋण की वापसी अदायगी*	**1. Repayment of debt***	**63632**	**62258**	70480
2. कुल ब्याज अदायगियां	**2. Total Interest Payments**	**46000**	**44000**	52000
3. कुल ऋण परिशोधन (1+2)	**3. Total debt Servicing (1+ 2)**	**109632**	**106258**	122480
4. राजस्व प्राप्तियां	**4. Revenue Receipts**	**86084**	**88770**	100787
5. 2 से 4 तक का प्रतिशत	**5. Percentage of 2 to 4**	**53.4**	**49.5**	51.5

* इसमें निपटाये गए 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां, प्रारक्षित निधियां तथा निर्ब्याज जमाराशियां और उचन्त लेन-देन शामिल नहीं है।

* *Excluding discharge of 91 days Treasury bills, Reserve Funds and Deposits not bearing interest and suspense transactions.*

केन्द्रीय आयोजना परिव्यय CENTRAL PLAN OUTLAY

(करोड़ रुपए) (*In crore of Rupees*)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
बजट सहायता	**Budget Support**	**27278**	**27934**	**28994**
सरकारी उद्यमों आदि के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	**Internal and Extra budgetary resources of Public Enterprises, etc.**	**42863**	**40382**	**49855**
जोड़-केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**Total - Central Plan Outlay**	**70141**	**68316**	**78849**

केन्द्रीय आयोजना का क्षेत्र-वार परिव्यय
Central Plan Outlay by Sectors

कृषि	Agriculture	2637	2853	3022
ग्रामीण विकास	Rural Development	6036	5637	6540
सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण	Irrigation and flood control	261	233	288
ऊर्जा	Energy	22857	20349	23795
उद्योग और खनिज	Industry and Minerals	10394	8872	11598
परिवहन	Transport	11344	11668	14088
संचार	Communications	7191	7495	8318
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	Science, Technology & Environment	1362	1408	1617
सामाजिक सेवाएं	Social Services	7381	8251	8839
अन्य	Others	678	1550	744
जोड़	**TOTAL**	**70141**	**68316**	**78849**

केन्द्रीय आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय
Central Plan Outlay by Ministries/Departments

(करोड़ रुपए) (*In crore of Rupees*)

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
कृषि और सहकारिता	Agriculture & Cooperation	1405	1459	1490
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education	275	275	310
पशु पालन तथा डेयरी	Animal Husbandry and Dairying	325	336	344
रसायन और पेट्रो-रसायन	Chemicals and Petrochemicals	936	795	1069
उर्वरक	Fertilizers	1041	773	1974
नागर विमानन	Civil Aviation	1686	2294	3811
पर्यटन	Tourism	104	100	103
नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण	Civil Supplies and Public Distribution	17	17	20
कोयला	Coal	2899	2628	3386
वाणिज्य	Commerce	188	193	247
पूर्ति	Supply	5	5	4
डाक सेवाएं	Postal Services	77	92	85
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	7251	7541	8377
पर्यावरण और वन	Environment and Forests	360	360	370
आर्थिक कार्य	Economic Affairs	1094	2148	1100
व्यय	Expenditure	2	3	2
खाद्य	Food	44	44	45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	Food Processing Industries	45	45	45
स्वास्थ्य	Health	578	599	670
परिवार कल्याण	Family Welfare	1430	1430	1581
गृह	Home Affairs	54	53	77
शिक्षा	Education	1541	1569	1825
युवा कार्य और खेल	Youth Affairs and Sports	94	94	95
संस्कृति	Culture	115	110	122
महिला और बाल विकास	Women and Child Development	662	662	730
औद्योगिक विकास	Industrial Development	777	277	430
भारी उद्योग	Heavy Industry	368	496	396
लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग	Small Scale Industries & Agro and Rural Industries	478	457	607
सूचना और प्रसारण	Information and Broadcasting	425	422	495

केन्द्रीय आयोजना का मंत्रालय/विभाग-वार परिव्यय
Central Plan Outlay by Ministries/Departments

(करोड़ रुपए) *(In crore of Rupees)*

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
श्रम	Labour	126	100	136
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य	Law, Justice and Company Affairs	50	50	50
खान	Mines	331	265	474
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	Non-Conventional Energy Sources	225	247	397
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	Personnel, Public Grievances & Pensions	8	8	8
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	Petroleum and Natural Gas	12253	10953	13174
योजना	Planning	120	100	120
सांख्यिकी	Statistics	17	11	17
विद्युत	Power	7163	6121	6924
ग्रामीण विकास	Rural Development	7010	7320	7700
बंजर भूमि विकास	Wastelands Development	60	60	60
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Science and Technology	225	230	240
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	Scientific and Industrial Research	161	161	186
जैव-प्रौद्योगिकी	Biotechnology	87	87	109
इस्पात	Steel	3821	3651	3870
भूतल परिवहन	Surface Transport	2509	2488	2603
वस्त्र	Textiles	410	410	447
शहरी विकास	Urban Development	785	843	1080
जल संसाधन	Water Resources	276	246	302
कल्याण	Welfare	705	804	940
परमाणु ऊर्जा	Atomic Energy	1567	1174	1530
इलेक्ट्रानिकी	Electronics	161	155	176
महासागर विकास	Ocean Development	46	46	52
अन्तरिक्ष	Space	600	620	750
रेलवे	Railways	7149	6889	7694
कुल जोड़	**GRAND TOTAL**	**70141**	**68316**	**78849**

केन्द्रीय आयोजना, 1995-96 की विशेषताएं
Highlights of Central Plan 1995-96

ग्रामीण विकास

जवाहर रोजगार योजना (3862 करोड़ रुपए)

- 917.23 मिलियन मानवदिवसों का रोजगार 1995-96 में सृजित किया जाता है।
- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख गृह बनाया जाता है।

रोजगार बीमा योजना (1570 करोड़ रुपए)

- नवीकृत सार्वजनिक वितरण योजना (आर.पी.डी.एस) के अन्तर्गत देश भर में 2443 खण्डों को शामिल किया जाता है।
- रोजगार के 372.88 मिलियन मानवदिवस सृजित किया जाता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (640 करोड़ रुपए) ।

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 19.5 लाख ग्रामीण परिवारों को सहायता दी जाएगी ।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (1110 करोड़ रुपए)

- मार्च, 1996 तक 73000 निवास स्थानों को शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

- 3500 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा।
- 3.25 लाख पम्पसेटों को विद्युतचालित किया जाएगा।

कृषि

- कृषि ऋण सहकारी समितियों के जरिए 14000 करोड़ रुपए प्रवाहित होने की संभावना है।
- ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत 38650 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा ।
- एकीकृत नाशीजीव प्रबंध के अन्तर्गत 50000 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।
- गहन मत्स्य-पालन के अधीन 40000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा ।

उर्वरक

- 86 लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य है ।
- 26 लाख टन फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य है ।

विद्युत

- संस्थापित क्षमता में 2121 मेगावाट की वृद्धि।
- 377.15 बिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- 37.45 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य है ।
- 22.68 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के उत्पादन का लक्ष्य है।

कोयला और लिगनाइट

- 274.5 मिलियन टन अपरिष्कृत कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है।
- 15.5 मिलियन टन लिगनाइट उत्पादन का लक्ष्य है ।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

स्थापना करना

- 1.50 लाख बायो-गैस संयंत्र और 22 लाख उन्नत चूल्हे।
- 11000 सौर फोटोवाल्टिक (एस.पी.वी) घरेलू बत्तियां और लालटेनें और 1000 सौर फोटोवाल्टिक पम्प ।
- 25000 सौर कुकर ।
- 135 मेगावाट कुल क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र।

इस्पात

- 14.22 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य है ।

रेलवे

- 12000 वैगान, 1400 कोच, 233 लोकोमोटिव तथा 350 ई.एम.यू. शामिल किए जाएंगे ।
- 2600 किलोमीटर रेलपथ का नवीकरण ।
- 600 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण ।
- 1550 किलोमीटर गेज का रूपान्तरण ।

दूरसंचार

स्थापना करना

- 16 लाख सीधी एक्सचेन्ज लाइनें संस्थापित करना ।

RURAL DEVELOPMENT

Jawahar Rozgar Yojana (Rs.3862 crore).

- 917.23 million mandays employment to be generated in 1995-96.
- 10 lakh houses to be built under Indira Awas Yojana.

Employment Assurance Scheme (Rs.1570 crore)

- 2443 blocks under Revamped Public Distribution Scheme (RPDS) to be covered across the country.
- 372.88 million mandays of employment to be generated.

Integrated Rural Development Programme (Rs.640 crore)

- 19.5 lakh rural families below poverty line to be assisted.

Accelerated Rural Water Supply Programme (Rs.1110 crore)

- 73000 habitations will be covered by March, 1996.

Rural Electrification

- 3500 villages are to be electrified.
- 3.25 lakh Pump sets are to be energised.

AGRICULTURE

- 14000 crore of rupees expected to flow through agricultural credit cooperatives.
- 38650 hectares to be brought under drip irrigation.
- 50000 farmers to be trained under Integrated Pest Management.
- 40000 hectares to be covered under intensive fish farming.

FERTILISERS

- 86 lakh tonnes of Nitrogenous fertiliser production targeted.
- 26 lakh tonnes of Phosphatic fertiliser production targeted.

POWER

- 2121 MW addition to installed capacity.
- 377.15 billion units generation targeted.

PETROLEUM & NATURAL GAS

- 37.45 million tonnes of crude oil production targeted.
- 22.68 billion cubic metres natural gas production targeted.

COAL AND LIGNITE

- 274.5 million tonnes of raw coal production targeted.
- 15.5 million tonnes of lignite production targeted.

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

To instal

- 1.50 lakh bio-gas plants, and 22 lakh improved chulhas.
- 11000 solar photovoltaic (SPV) domestic lights and lanterns, and 1000 solar photovoltaic pumps.
- 25000 solar cookers.
- 135 MW aggregated capacity of renewable energy power generation plants.

STEEL

- 14.22 million tonnes of saleable steel targeted.

RAILWAYS

- 12000 wagons, 1400 coaches, 233 locomotives and 350 EMUs to be added.
- 2600 track kilometres renewal.
- 600 route kilometres of electrification.
- 1550 kilometres of gauge conversion.

TELECOMMUNICATIONS

To instal

- 16 lakh direct exchange lines.

- 19 लाख लाइनों की स्विचिंग क्षमता ।
- 3.70 लाख लाइनों की ट्रंक स्वचालित एक्सचेन्ज क्षमता ।
- 1.3 लाख पंचायत फोन ।

डाक

- पंचायत डाक सेवा योजना के अन्तर्गत 1000 पंचायत डाक घर खोले जाने है ।

खादी ग्रामोद्योग

- उत्पादन इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।

लघु उद्योग

- बेहतर ऋण प्रवाह के लिए बैंको की 100 समर्पित शाखाएं।
- राष्ट्रीय इक्विटी निधि- महानगरीय क्षेत्रो से बाहर कार्यरत सभी छोटे और लघु इकाइयों के लिए सुगम।
- लघु उद्योगों की निर्यात क्षमता सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि।
- लगभग 1.4 मिलियन शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना हेतु 145 करोड़ रुपए।
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 130 करोड़ रुपए ।

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिए 651 करोड़ रुपए अर्थात् 24.5% की वृद्धि।
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 20,000 स्कूलों में तीसरे अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी।
- समग्र साक्षरता अभियानों और इसके उपरान्त साक्षरता-पश्च तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 312 जिले (देश के दो तिहाई जिले) शामिल किए जाएंगे।
- 64 लाख बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 386 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद तथा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।

स्वास्थ्य

- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए शत-प्रतिशत सहायता के विशेष प्रावधान के साथ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 139 करोड़ रुपए।
- कुष्ठ-रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 80 करोड़ रुपए जिसका उद्देश्य सन् 2000 तक कुष्ठरोग का उन्मूलन करना है।
- रक्त सुरक्षा उपायों तथा यौन संचारी रोगों के नियंत्रण पर विशेष जोर के साथ एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 80 करोड़ रुपए।
- अन्धापन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 72 करोड़ रुपए ताकि 2.4 मिलियन जनसंख्या के लिए अपेक्षित मोतियाबिंद के आपरेशन किए जा सकें।

परिवार कल्याण

- परिवार कल्याण कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 726 करोड़ रुपए।
- बाल उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए 220 करोड़ रुपए ताकि सभी पात्र माताओं और बच्चों को प्रतिरक्षण, ओ.आर.टी. और रोगनिरोधनों के लिए समूचे देश में सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

दूरदर्शन

- 86 प्रतिशत जनसंख्या शामिल की जाएगी।
- 95.5 प्रतिशत शहरी जनसंख्या शामिल की जाएगी।

कमजोर वर्गों का कल्याण

- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, 30% से अधिक की वृद्धि। इससे 19 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
- जनजातीय उप-योजनाओं के लिए 330 करोड़ रुपए, 20% की वृद्धि।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- पैटेन्टिंग के पूरे क्षेत्र में प्रवर्तकों तथा संस्थाओं की सुविधा के लिए पहल।
- डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्ट एवं नैदानिक केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

- 19 lakh lines of switching capacity.
- 3.70 lakh lines of trunk automatic exchange capacity.
- 1.3 lakh Panchayat phones.

POSTS

- 1000 panchayat post offices under Panchayat Dak Sewa Yojana to be opened.

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES

- 1000 crore of rupees credit availability to production units.

SMALL SCALE INDUSTRIES

- 100 dedicated branches of banks for better credit flow.
- National Equity Fund -access for all tiny and small scale units working outside metropolitan areas.
- Technology Development and Modernisation Fund to improve export capability of small industries.
- 145 crore of rupees for Prime Minister's Rozgar Yojana, to assist around 1.4 million educated unemployed youth.
- 130 crore of rupees for Rural Employment Generation Programme.

EDUCATION

- 651 crore of rupees for elementary education, an increase of 24.5%.
- 20,000 schools under Operation Black Board to be provided with third teacher.
- 312 districts (two thirds of the country) under the Total Literacy Campaigns, followed up by Post Literacy and Continuing Education Programme.
- 64 lakh children under non-formal education.
- 386 District Institutes of Education and Training for teachers training.
- National Assessment and Accreditation Council under University Grants Commission to improve the quality of higher education and National Board of Accreditation under All India Council of Technical Education to improve the quality of technical education.

HEALTH

- 139 crore of rupees for National Malaria Eradication Programme, with special provision of 100% assistance to North-Eastern States.
- 80 crore of rupees for Leprosy Eradication Programme, which aims to eradicate leprosy by 2000 A.D.
- 80 crore of rupees for AIDS Control Programme, with special thrust on blood safety measures and control of sexually transmitted diseases.
- 72 crore of rupees for Blindness Control Programme - to cover 2.4 million population requiring cataract operation.

FAMILY WELFARE

- 726 crore of rupees for rural areas to strengthen Family Welfare activities.
- 220 crore of rupees for Child Survival and Safe Motherhood Programme to be extended to cover the entire country with facilities for immunization, ORT, and prophylaxis to all eligible mothers and children.

DOORDARSHAN

- 86 per cent population to be covered.
- 95.5 per cent of urban population will be covered.

WELFARE OF WEAKER SECTIONS

- 145 crore of rupees provided for Post Matric Scholarships, an increase of over 30%. To benefit 19 lakh students.
- 330 crore of rupees for Tribal Sub-Plans, an increase of 20%

SCIENCE & TECHNOLOGY

- Initiative in facilitating innovators and institutions in the whole regime of Patenting.
- Centre for DNA Finger-printing and Diagnostics to be established.

घाटे की प्रवृत्तियां
DEFICIT TRENDS

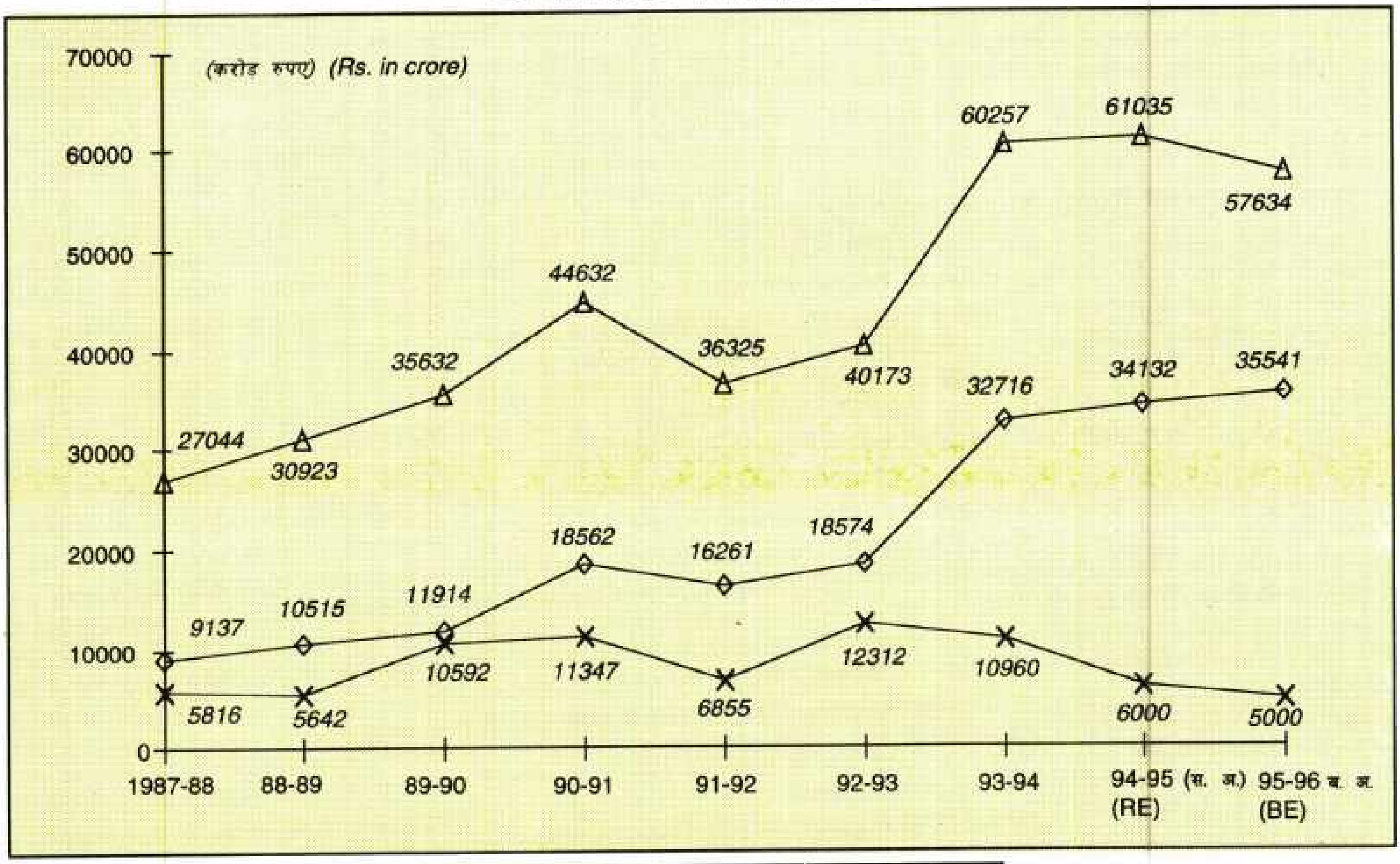

◇ राजस्व घाटा Revenue Deficit × बजटीय घाटा Budget Deficit △ राजकोषीय घाटा Fiscal Deficit

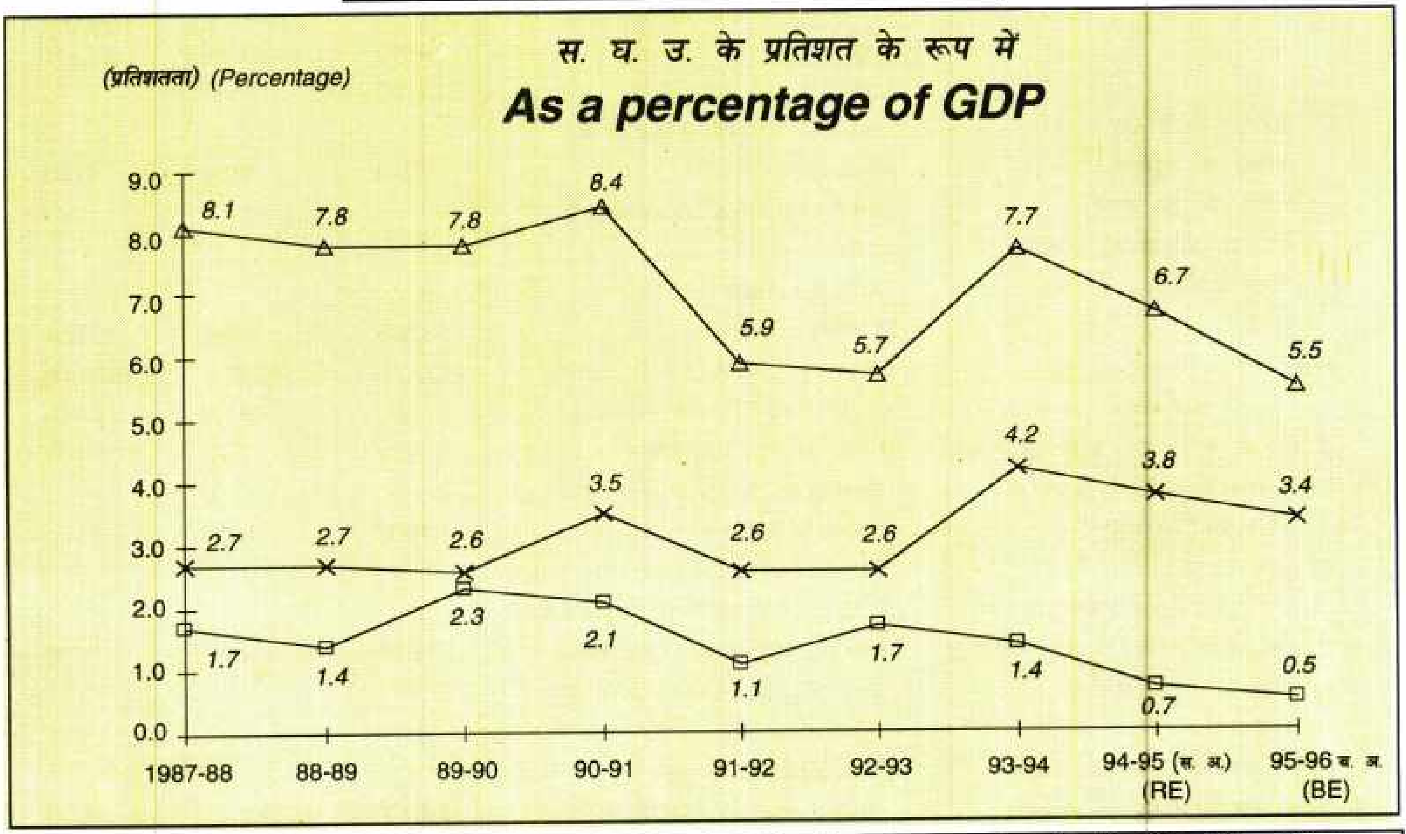

× स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा Revenue Deficit as a % of GDP □ स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में बजटीय घाटा Budget Deficit as a % of GDP △ स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा Fiscal Deficit as a % of GDP

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए यथाप्रदर्शित सकल घरेलू उत्पाद For 1994-95 and 1995-96 GDP as projected.

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित साधन
Resources Transferred to State and U.T. Governments

(करोड़ रुपए) *(In crore of Rupees)*

		1994-95 बजट अनुमान Budget Estimates	1994-95 संशोधित अनुमान Revised Estimates	1995-96 बजट अनुमान Budget Estimates
1. **करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा**	1. **States' share of taxes and duties**	**24394**	**24843**	**29388**
आय-कर	*Income Tax*	*8205*	*8560*	*9734*
संघ उत्पाद-शुल्क	*Union Excise Duties*	*16189*	*16283*	*19654*
2. **अल्प बचत संग्रहों आदि का भाग**	2. **Share of Small Savings etc. collections**	**5152**	**9649**	**7000**
3. **आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण**	3. **Non-Plan Grants and Loans**	**2614**	**2634**	**6269**
अनुदान #	*Grants#*	*2538*	*2544*	*6196*
*ऋण**	*Loans**	*76*	*90*	*73*
4. **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ** **	4. **Central Assistance for State and UT Plans** **	**18268**	**19770**	**17572**
अनुदान	*Grants*	*9868*	*11027*	*8549*
ऋण	*Loans*	*8400*	*8743*	*9023*
5. **केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता**	5. **Assistance for Central and Centrally Sponsored Schemes**	**7601**	**7123**	**7280**
अनुदान	*Grants*	*7437*	*6951*	*7096*
ऋण	*Loans*	*164*	*172*	*184*
6. **कुल अनुदान और ऋण (2 +3+4+5)**	6. **Total Grants and Loans (2+3+4+5)**	**33635**	**39176**	**38122**
अनुदान	*Grants*	*19843*	*20522*	*21841*
ऋण	*Loans*	*13792*	*18654*	*16281*
7. **घटाइए-उधारों और अग्रिमों की वसूलियां ***	7. *Less*-**Recovery of loans & advances**	**4243**	**4354**	**4754**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित निवल संसाधन (1+6-7)	**Net Resources transferred to State & UT Governments (1+6-7)**	**53786**	**59665**	**62756**
जिसमें से (राज्य सरकारें)	*Of which (State Governments)*	*(53303)*	*(58854)*	*(61934)*
(संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें)	*(UT Governments)*	*(483)*	*(811)*	*(822)*
# इसमें आर्थिक सहायता शामिल है ।	*# Inclusive of subsidies*	*204*	*217*	*180*
** अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों को घटाकर*	** Net of recovery of short term loans & advances*	*1000*	*1000*	*1000*
*** इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए की गई व्यवस्था*	*** In addition provisions for Rural Electrification Corporation and North Eastern Council*	*667*	*688*	*1528*
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*Union Territories without Legislature*	*369*	*369*	*406*
इस प्रकार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए कुल सहायता	***Total assistance for State and UT Plans***	***19304***	***20827***	***19506***

वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को अंतरित संसाधन

RESOURCES TRANSFERRED TO STATE GOVERNMENTS OVER THE YEARS

(वापसी अदायगियां घटाकर) (Net of Repayments)

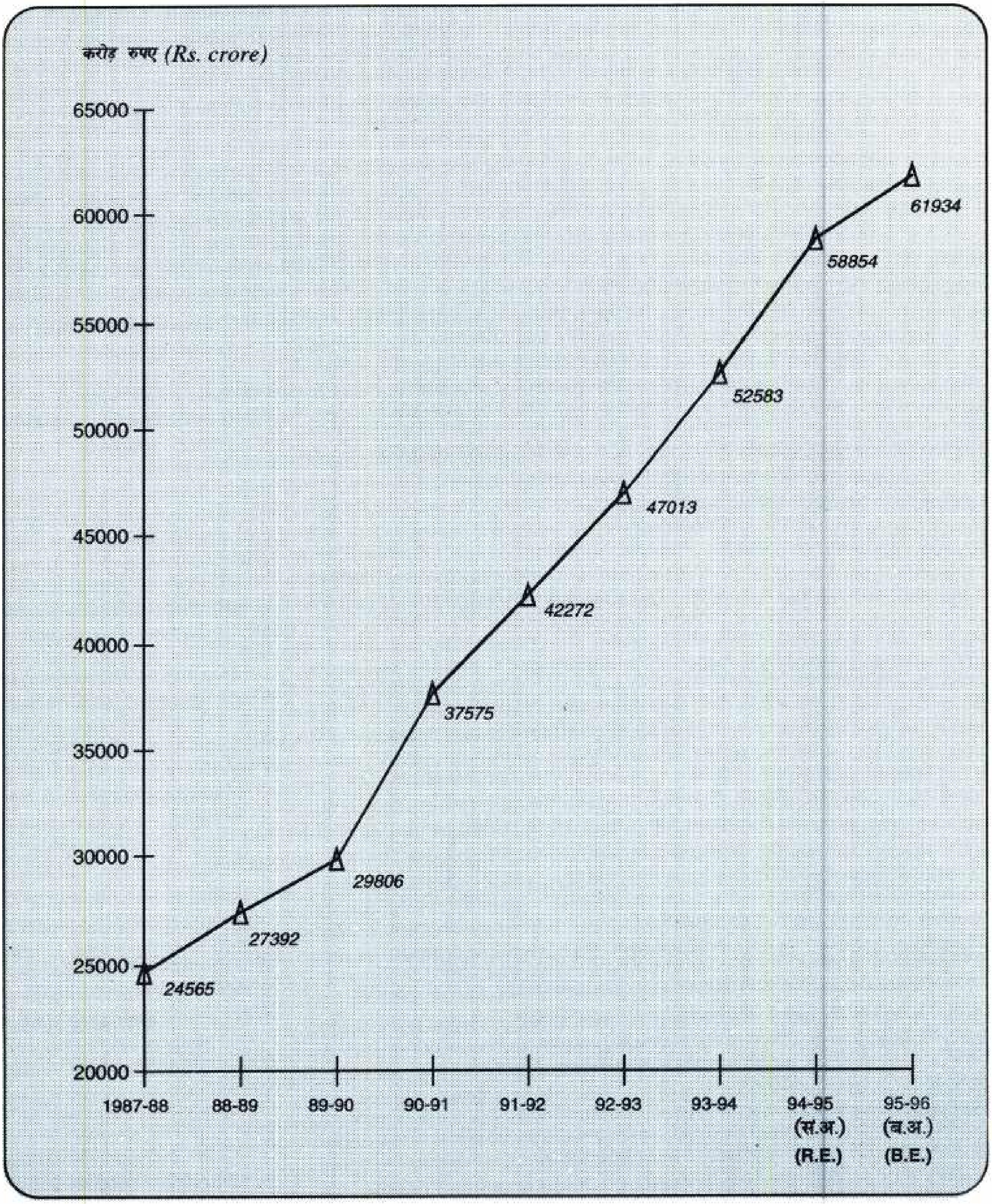

बजट का सार
BUDGET AT A GLANCE
व्याख्यात्मक टिप्पणी *Explanatory Note*

इस पुस्तिका में बजट के अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर दिखाया जाता है, ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके । इस प्रयोजन के लिए प्राप्ति और व्यय की कतिपय मदों का पुनः समूहीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक विभागों के व्यय को, उसमें से उनकी प्राप्तियां घटाकर दिखाया गया है, ताकि लेन-देनों की मात्रा में होने वाली वृद्धि से दोनों खातों के आंकड़ों के परिमाण में वृद्धि न हो पाए । इसी प्रकार, राज्यों को दिए गए ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया हो, निवल मात्रा में प्रदर्शित किया गया है । कतिपय ऐसे लेनदेनों को, जिनके कारण नकद रकम की निकासी नहीं होती लेकिन जिनके बारे में समतुल्य प्राप्तियां हो जाती हैं जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अंशदान को सम्मिलित नहीं किया गया है, ताकि व्यय की वास्तविक मदों को ही प्रमुखता मिले ।

The Budget estimates are presented in this document in broad aggregates to facilitate easy understanding. For this purpose certain items of receipts and expenditure have been regrouped. For example, the expenditure of commercial departments have been taken net of their receipts so that increase in the volume of transactions does not inflate the figures on both sides. Similarly, short term loans and advances given to the States and recovered during the same year have been netted. Certain transactions which do not involve cash outgo e.g. subscription to International Monetary Fund, investments in Nationalised banks, which are matched by receipts, have been excluded so that the focus is on real items of expenditure.

इस पुस्तिका में, राजस्व घाटे और बजटीय घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे और प्रारंभिक घाटे को भी दर्शाया गया है । ***राजस्व घाटे*** में, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता का उल्लेख किया गया है । ***बजटीय घाटे*** में कुल प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों ही) की तुलना में कुल व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों ही) की अधिकता को दर्शाया गया है । इस अंतर का वित्तपोषण 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (ये हुंडिया मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित की जाती है) को जारी और नकद बाकी शेष की निकासी करके किया जाता है । ***राजकोषीय घाटा*** राजस्व प्राप्तियों और कुछ पूंजीगत प्राप्तियों, जो कि उधार नहीं है और ***तथा*** कुल व्यय, जिसमें से वापसी-अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है, के बीच का अंतर है । यह सरकार के सभी स्रोत से कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है । ***प्रारंभिक घाटे*** को ब्याज संदाय घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

The document shows the revenue deficit, the budgetary deficit, the fiscal deficit and the primary deficit. ***Revenue deficit*** refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ***Budgetary deficit*** refers to the excess of total expenditure (both revenue and capital) over total receipts (both revenue and capital). This gap is financed by the issue of 91-days Treasury Bills (these Bills are mainly held by the Reserve Bank of India), and draw down of cash balance. ***Fiscal deficit*** is the difference between the revenue receipts *plus* certain non-debt capital receipts and the total expenditure including loans, net of repayments. This indicates the total borrowing requirements of Government from all sources. ***Primary deficit*** is measured by fiscal deficit *less* interest payments.

टिप्पणी :— *इस दस्तावेज में और अन्य बजट दस्तावेजों में दर्शाए गए आंकड़ों में घट-बढ़, अगर कोई है, पूर्णांकन के कारण हैं ।*

Note: *Variations, if any, in the figures shown in this document and those shown in other Budget documents are due to rounding.*

आर्थिक समीक्षा

1994-95

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक प्रभाग)

मूल पाठ, प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित
तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित
1995

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
अध्याय—1 सामान्य समीक्षा	1
समीक्षाधीन वर्ष	1
मुद्दे और प्राथमिकताएं	12
अध्याय—2 लोक वित्त	17
1993-94 में राजकोषीय और बजटीय घटनाक्रम	19
केन्द्र सरकार का बजट : 1994-95	28
कर संबंधी उपाय और सुधार : 1994-95	31
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 1994-95	42
केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 1994-95	42
विभागीय उद्यमों का कार्य-निष्पादन	43
दृष्टिकोण	46
अध्याय—3 मुद्रा और वित्त	50
मौद्रिक प्रवृत्तियां और गतिविधियां	50
बैंकिंग नीति और प्रवृत्तियां	61
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	72
बैंकिंग-भिन्न वित्तीय कंपनियां	75
मुद्रा बाजार संबंधी गतिविधियां और प्रवृत्तियां	75
सरकारी प्रतिभूति बाजार	80
पूंजी बाजार में घटनाक्रम	82
संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट	90
बीमा संबंधी सुधार	90
दृष्टिकोण	91
अध्याय—4 कीमतें और वितरण	93
थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति	93
वार्षिक मुद्रास्फीति	97
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	104
दृष्टिकोण	112
अध्याय—5 वैदेशिक क्षेत्र	113
भुगतान संतुलन	113
विदेशी ऋण	123
विनिमय दर और चालू खाता परिवर्तनीयता	124
पण्य व्यापार	126
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश	132
दृष्टिकोण	136

	पृष्ठ सं०
अध्याय--6. औद्योगिक नीति और विकास	138
औद्योगिक नीति में सुधार	138
औद्योगिक उत्पादन 1993-94	142
औद्योगिक उत्पादन 1994-95	142
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक	145
निवेश संबंधी वातावरण	145
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार	147
चुनिन्दा उद्योगों का कार्य निष्पादन	148
औद्योगिक रुग्णता	157
दृष्टिकोण	158
अध्याय--7. कृषि	159
वर्ष 1993 के दौरान मौनसून	159
उत्पादन संबंधी निष्पादन	162
बागानी और बागवानी फसलें	165
कृषि संबंधी निवेश	168
सम्बद्ध क्षेत्र	175
कृषि विपणन	177
दृष्टिकोण	178
अध्याय--8. आधारभूत ढांचा	180
कोयला	180
विद्युत	182
पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	188
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	191
दूरसंचार	192
डाक	193
रेलवे	194
नागर विमानन	196
सड़क और सड़क परिवहन	198
नौवहन	200
पत्तन	200
पर्यावरणीय समस्याएं	202
दृष्टिकोण	204

पृष्ठ स०

अध्याय--9. 155 सामाजिक क्षेत्र 211

साक्षरता और शिक्षा 211
जनसंख्या और परिवार कल्याण 214
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा 214
महिला तथा शिशु विकास 215
कमजोर वर्गों का कल्याण 216
आवास 217
जल आपूर्ति और सफाई 219
श्रम और रोजगार 219
विशेष रोजगार और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम 220
दृष्टिकोण 222

बाक्स

पृष्ठ सं०

2.4	प्रतिशत मूल्यानुसार आयात शुल्क (सी०बी०डी० को छोड़कर)	37
2.2	रेलवे बजट 1994-95 की विशिष्टताएं	44
3.1	वित्तीय क्षेत्र में सुधार 1991-92 से 1994-95	54
3.2	तदर्थ राजकोष पत्रों को सीमित करने का करार	56
3.3	उधार ब्याज दर को अविनियमन	57
3.4	खुला बाजार कार्रवाई	58
3.5	पूंजी की पर्याप्तता और टायर 1 तथा टायर 2 पूंजी	64
3.6	मौद्रिक नीति तथा ऋण नियंत्रण उपाय 1994-95	69
3.7	पूंजी बाजार सुधार: 1992-93 से 1994-95	83
5.1	अनिवासी बैंक खाते/जमा योजनाएं	119
5.2	चालू खाता परिवर्तनीयता के लिए कार्रवाई	124
6.1	औद्योगिक क्षेत्र में सुधार	139
6.2	औद्योगिक नीति सुधार---चुनिन्दा राज्य सरकारों की पहल	139
6.3	1991-92 से अपनिवेशित शेयरों के वर्षवार/सरकारी क्षेत्र के उद्यम वार ब्यौरे	149
8.1	भारत सरकार की प्रति गारंटी योजना की मुख्य-मुख्य बातें	187
8.2	दूरसंचार में सुधार	193
8.3	रेलवे की नई विपणन नीति के लक्षण	196
8.4	सड़क क्षेत्र में सुधार	199
9.1	सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य	213

सारणी

		पृष्ठ सं॰
1.1	मुख्य संकेतक	2
1.2	सकल घरेलू उत्पाद (1980-81) के मूल्यों की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक जी॰एफ॰सी॰एफ॰ प्रवृत्ति	3
1.3	बचत निवेश प्रवृत्तियां	4
2.1	केन्द्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय	18-19
2.2	केन्द्र सरकार का घाटा	20
2.3	केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का आर्थिक वर्गीकरण	21
2.4	केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निर्माण और उसकी वित्त व्यवस्था	22
2.5	केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताएं	23-24
2.6	केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताओं पर ब्याज	25
2.7	केन्द्रीय सरकार की परिसम्पत्तियां	26-27
2.8	केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के बजट संबंधी लेन-देन	29
2.9	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में राजस्व के स्रोत	32
2.10	चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण-दरें	37
2.11	वार्षिक योजना परिव्यय : केन्द्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	43
2.12	डाक विभाग की मुख्य सेवाओं लागत की तथा राजस्व	45
3.1	मुद्रा स्टाक में परिवर्तन के साधन	50--51
3.2	आरक्षित मुद्रा में परिवर्तन के साधन	52
3.3	सुनिश्चित वाणिज्यिक बैंक की ऋण दरों में परिवर्तन	56
3.4	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ 1992-93 और 1993-94	62
3.5	वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्य परिणाम	65
3.6	अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों की चयनित ब्याज दरें	66
3.7	बैंक अग्रिमों पर चयनित ऋण नियंत्रण	68
3.8	अनसूचित वाणिज्यिक बैंक चुने हुए संकेतक	71
3.9	सकल बैंक ऋणों का क्षेत्रीय विनियोजन	72
3.10	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता	73
3.11	निर्गत मूल्यों पर 91 दिन की सरकारी हुंडियों की निहित आय दर	77
3.12	निहित मूल्यों पर 363 दिन की सरकारी हुंडियों की निहित आय दर	79
3.13	रियायत व्यापार और भारतीय वित्त पोषण संस्था	80
3.14	केन्द्रीय सरकार के निवल बाजार उधार	80--81
3.15	जारी किए गए निर्गमों का विश्लेषण	87
3.16	चुने हुए स्टाक बाजार सूचक के रुख	89
3.17	यूरो इश्यू तथा अन्तःप्रवाह राशि	89
4.1	थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें	94
4.2	वित्तीय वर्ष में वृद्धि	95
4.3	प्रमुख वस्तु समूहों में थोक मूल्य में घट बढ़	96--97
4.4	वार्षिक (ब्यौरेवार) मुद्रास्फीति दर	98

S/13 Fin./95—(ii)

पृष्ट सं०

4.5	आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर	101
4.6	मुद्रास्फीति और मुद्रा पूर्ति की वृद्धि	102
4.7	प्रारक्षित मुद्रा का तिमाही वृद्धि तथा इसके स्रोत	103
4.8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन और कुल खरीद	105
4.9	केन्द्रीय पूल का भंडार और न्यूनतम संकट रोधी भंडार के मानदण्ड	106
4.10	केन्द्रीय पूल भंडार	106
4.11	गेहूं और चावल की वसूली (केन्द्रीय पूल)	107
4.12	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में आवधिक संशोधन	108
4.13	चावल और गेहूं के उपभोक्ता को राज्यवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा मूल्य	109—110
4.14	वसूली और न्यूनतम समर्थन मूल्य	110—111
4.15	विनिर्मित उत्पादों के सापेक्ष कृषि वस्तुओं के थोक मूल्यों में सूचक अंक	112
5.1	भुगतान संतुलन को चुनिन्दा मदों का अनुपात	114
5.2	भुगतान संतुलन: मुख्य संकेतक	116
5.3	श्रेणीवार विदेशी निवेश का प्रवाह	120
5.4	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: वास्तविक अन्त: प्रवाह बनाम अनुमोदन	121
5.5	चुने हुए देशों में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां, 1990—94	122
5.6	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	123
5.7	विदेशी ऋण और ऋण शोधन : मुख्य संकेतक	123
508	चयनित देशों के लिए ऋण संकेतक 1993	124
5.9	ऋणशोधन सम्बन्धी अदायगियां	124
5.10	जिन्स समूहों द्वारा भारत का निर्यात	128
5.11	निर्यातों का संघटन	129
5.12	जिन्स समूहों द्वारा भारत को आयात	130
5.13	भारत के आयात की संघटन	131
5.14	चुने हुए पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापार की दिशा	132
5.15	भारतीय व्यापार की दिशा	132
6.1	औद्योगिक उत्पादन की मासिक वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां !	138
6.2	उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक विकास दरें	142
6.3	मुख्य श्रणियों और उपभोग आधारित वर्गीकरण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दरें	143
6.4	विनिर्माण के बड़े समूहों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरें	144
6.5	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति और संवितरित ऋण तथा प्रमुख बाजार में जुटाई गयी पूंजी	146
6.5	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित ऋण और प्राथमिक बाजार में जुटाई गई राशि	146
6.6	दाखिल की गई आई. ई. एम. तथा अनुमोदित एफ. डी. आई. के अनुसार प्रस्तावित निवेश	146
6.7	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभ देयता	148
6.8	लोहे और इस्पात का उत्पादन	148
6.9	इलेक्ट्रानिक का उत्पादन (क्षेत्रवाल ब्यौरा) 1991-92 से 1993-94	151
6.10	रसायन और पेट्रो-रसायन की वृद्धि दर	152
6.11	कपड़े का उत्पादन	153
6.12	काते हुए धागे का उत्पादन	154
6.13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास	155

		पृष्ठ सं०
6.14	लघु उद्योग-संख्या, उत्पादन, रोजगार और निर्यात	156
6.15	औद्योगिक रुग्णता	157
6.16	बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मामलों की स्थिति	158
7.1	मौनसून का निष्पादन (1988 से 1994)	159
7.2	खरीफ के अनाज के उत्पादन द्वारा भारांकित राज्यवार वर्षा सूचकांक	161
7.3	मुख्य फसलों का उत्पादन	162
7.4	खाद्यान्न उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर	164
7.5	तैलहनों का उत्पादन	164
7.6	काफी का उत्पादन	165
7.7	सिंचाई क्षमता का विकास और उसका उपयोग	169
7.8	अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र	170
7.9	रासायनिक उर्वरकों की खपत	171
7.10	भारत में एन.पी.के. का खपत अनुपात	171
7.11	उर्वरक उत्पादन, आयात और आर्थिक सहायता	172
7.12	कृषि ऋण का संवितरण	173
7.13	कृषि में सकल पूंजी निर्माण तथा वर्तमान सरकारी (केन्द्र तथा राज्य) व्यय (वर्तमान मूल्यों पर)	175
7.14	मत्स्य उत्पादन तथा नौवहन उत्पादों का निर्यात	175
8.1	आधारभूत क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की प्रवृत्तियां	180
8.2	कोयला क्षेत्र की प्रवृत्तियां	181
8.3	विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्तियां (केवल उपयोगिताएं)	182
8.4	तापीय संयंत्र भार कारक	183
8.5	उत्पादन क्षमता में वृद्धि	184
8.6	उपभोक्ता बिजली का वर्गवार विक्रय तथा औसत टैरिफ	185
8.7	राज्य विद्युत क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन	185
8.8	पैट्रोलियम क्षेत्र की प्रवृत्तियां	188
8.9	पैट्रोलियम उत्पादों का उपभोग	190
8.10	रेलवे का कार्यनिष्पादन	195
8.11	प्रमुख पत्तनों पर यातायात की प्रवृत्तियां	201
9.1	सामाजिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	205-206
9.2	मानव विकास के बेसिक संकेतक	206-207
9.3	प्रमुख राज्यों के लिए मानव विकास के चयनित संकेतक	207-208
9.4	कुछ एशियाई देशों के लिए मानव विकास के संकेतक 1992	208
9.5	गरीबी की रेखा से नीचे की राज्यवार जनसंख्या की संख्या तथा प्रतिशत	209
9.6	चुनिंदा राज्यों द्वारा अकुशल कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वार्षिक प्रतिशतता परिवर्तन	210
9.7	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर	311
9.8	प्रमुख राज्यों के लिए श्रेणी I से V और VI से VIII में पंजीकरण का सकल अनुपात 1992-93	212
9.9	सभी शैक्षणिक संस्थाओं की आय का स्रोत	213
9.10	स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	215
9.11	कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए ग्रामीण आवास का निष्पादन	218
9.12	पेयजल तथा सफाई संविधाओं के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या	219
9.13	विशेष रोजगार कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की उपलब्धियां	221

चित्र

		पृष्ठ सं०
1.1	चुने हुए आर्थिक संकेतक	2
2.1	केन्द्र का बजटीय घाटा	28
2.2	केन्द्र का राजस्व व्यय	28
2.3	बजटीय घाटा	31
3.1	अन्तः मांग मुद्रा दरें	78
3.2	शेयर मूल्यों का बम्बई स्टाक एक्सचेंज सेनसेक्स	87
4.1	थोक मूल्य सूचकांक में वित्तीय वर्ष परिवर्तन (सभी वस्तुएं तथा प्रमुख समूह)	98
4.2	आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (थो.मू.सू.सू. और उ.मू.स.)	100
5.1	आयात के प्रतिशत के रूप में निर्यात	114
5.2	चालू खाता घाटा, 1980-81 से 1993-94	115
5.3	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू घाटा 1980-81 से 1993-94	115
5.4	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां	122
5.5	रुपए की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (5-देश सूचकांक)	126
5.6	रुपए की सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (10-देश सूचकांक)	126
5.7	भारत के निर्यातों का संरचना	128
5.8	भारत के आयातों की संरचना	132
5.9	भारतीय निर्यात के गन्तव्य स्थल	132
5.10	भारत के आयात के स्रोत	132
6.1	औद्योगिक उत्पादन के परिवर्तन की दरें	142
6.2	औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक	142
6.3	चयनित उद्योगों का उत्पादन	148
7.1	अखिल भारत मौनसून वर्षा (जून--सितम्बर) 1988 से 1994	160
7.2	सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम वर्षा वाले जिले 1988 से 1994	160
7.3	खरीफ के अनाज के उत्पादन द्वारा मापित अखिल भारत सप्ताहिक वर्षा सूचकांक	162
7.4	खाद्यान्न उत्पादन में प्रवृत्तियां	163
7.5	कृषि उत्पादन	162
7.6	कृषि उत्पादन का सूचकांक, आधार: 1981-82 को समाप्त तीन वर्ष	162
7.7	सरकार (केन्द्रीय-राज्य) के वर्तमान व्यय की तुलना में कृषि में कुल पूंजी निर्माण	175
8.1	आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन	180

प्रथमाक्षरी नाम

ए डी बी	एशिया विकास बैंक
ए आई बी एस	एड्स
ए एम सी	आस्ति प्रबंध कम्पनी
ए टी एफ	विमानन टर्बाइन फ्यूल
बी ई	बजट अनुमान
बी एन पी	बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम
बी ओ टी	निर्माण, परिचालन और अंतरण
सी ए सी पी	कृषि लागत और मूल्य आयोग
सी ए डी	कमान क्षेत्र विकास
सी ए बी आई	शिखर कृषि ब्यूरो अन्तर्राष्ट्रीय
सी ए आर एल	ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लि.
सी सी ए	सचिव कमान क्षेत्र
सीसीआई एल	विस्तृत फसल बीमा योजना
सी डी	जमाराशि प्रमाण पत्र
सी जी	पूंजीगत वस्तुएं
सी सी आई एस	बृहद फसल बीमा स्कीम
सी एच सी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सी आई एल	कोल इंडिया लिमिटेड
सी आई पी	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
सी आई एस	स्वतन्त्र राज्य राष्ट्रमंडल
सी एम	पूंजी बाजार
सी ओ एन सी ओ आर	भारतीय कंटेनर निगम
सी पी	वाणिज्यिक कागज
सी पी आई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी आई (ए एल)	खेतिहर मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी आई (आई डब्ल्यू)	औद्योगिक मजदूरों के लिये उपभोक्ता, मूल्य सूचकांक
सी पी आई (यू एन एम ई)	शहरी शारीरिक--भिन्न कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी पी एस ई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सी आरआईएसआईएल	क्रेडिट रेटिंग इन्फोरमेशन सर्विसिज आफ इंडिया लि.
सी आर आर	नकदी आरक्षित अनुपात
सी एस ओ	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
सी एस एस एम	बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व
सी वी डी	काउंटर वेलिंग ड्यूटी
डी ए पी	डाई एमोनियम फास्फेट
डी ए पी आर	प्रारूप कृषि नीति संकल्प
डी ई एल	सीधी एक्सचेंज लाईनें
डी एफ एच आई	डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस आफ इंडिया
डी एफ आई	विकास वित्त संस्थान
डीजीसीआईएंड एस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीओ टी	दूरसंचार विभाग
डी आर आई	ब्याज की विभेदक दरें
डीटी एल	मांग और समय देयताएं
डी वी सी	दामोदर घाटी निगम
ई ए पी	पर्यावरण कार्रवाई कार्यक्रम
ई ए एस	रोजगार आश्वासन योजना
ई सी बी	विदेशी वाणिज्यिक उधार
ई सी ई	प्रारंभिक बाल शिक्षा
ई ई सी	यूरोपीय आर्थिक समुदाय
ई एफ ए	सभी के लिये शिक्षा
ई जी एस	रोजगार गारंटी योजना
ई एच टी पी	इलक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क
ई आई यू एस	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणात्मक सुधार
ई ओ यू	निर्यातोन्मुखी एकक
ई पी जैड	निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र
एफ ए क्यू	अच्छी औसत किस्म
एफ सी सी	द्रवीकृत परत वहन
एफ सी (बीएंडओडी)	विदेशी मुद्रा (बैंक तथा अन्य) जमाराशियां
एफ सी (ओ एन)	विदेशी मुद्रा (सामान्य अप्रत्यावर्तनीय)
एफ सी आई	भारतीय खाद्य निगम
एफ सी एन आर ए	विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा
एफ सी एन आर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफ डी आई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफ आई आई	विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता
एफ आई पी बी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफ पी एस	उचित मूल्य दर दुकान
जी ए टी टी	तटकर और व्यापार संबंधी सामान्य करार
जी सी ए	सामान्य मुद्रा क्षेत्र
जी डी सी एफ	सकल घरेलू पूंजी निर्माण
जी डी पी	सकल स्वदेशी उत्पाद
जी डी आर	ग्लोबल डिपोजटरी रसीद
जी ई एफ	विश्व पर्यावरण सुविधा
जी ई आर	सकल नामांकन अनुपात

जी आई सी	साधारण बीमा निगम
जी आई आई सी	गुजरात उद्योग और निवेश निगम
जी आर टी	सकल पंजीकृत पटल
जी एस एफ सी	गुजरात राज्य वित्त निगम
एच डी आई	मानव विकास सूचकांक
एच एफ ए	सबके लिये स्वास्थ्य
एच आई वी	ह्यूमन इम्यूनो डेफीसिएंसी वायरस
एच एस डी	हाई स्पीड इंजनो डीजल
एच यू एफ	हिन्दू अविभाजित परिवार
एच वाई वी	अधिक उपज देने वाली किस्म
आई ए ए आई	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
आई ए वाई	इंदिरा आवास योजना
आई सी ए आर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई सी डी एस	एकीकृत बाल विकास सेवा
आई सी आई सी आई	भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम
आई सी आर ए	निवेश सूचना और ऋण मूल्यांकन अभिकरण
आई सी आर आर	संवर्धनशील नकदी आरक्षित निधि-अनुपात
आई डी ए	अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
आई डी बी आई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आई ई सी	सूचना, शिक्षा और संचार
आई एफ सी आई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आई एफ एल एस	आधारभूत वित्त पोषण और लीजिंग सेवा कंपनी
आई आई पी	औद्योगिक उत्पाद सूचकांक
आई आई जी एम	विनिर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
आई एम एफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आई ओ सी	इंडियन ऑयल कारपोरेशन
आई पी एम	एकीकृत कीट नाशक प्रबंध
आई आर बी आई	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
आई आर डी पी	एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरण
आई आर ई डी ए	भारतीय नवीकरण योग्य ऊर्जा विकास अभिकरण
आई एस ओ	अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन
जे पी सी	संयुक्त संसदीय समिति
जे आर वाई	जवाहर रोजगार योजना
के	पोटाश
के वी आई सी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एल ए एल जी आई	भूमि हीन कृषि मजदूर समूह बीमा
एल सी के एम एस	लाख कंडक्टर किलोमीटर
एल डी सी	कम विकसित देश
लिबार	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एल आई सी	जीवन बीमा निगम
एल पी जी	तरल पैट्रोलियम गैस
एल आर एम सी	दीर्घावधि सीमांतिक लागत
एल एस एच एस	कम सल्फर भारी स्टाक
एम 1	जनता के पास उपलब्ध मुद्रा
एम 3	समग्र मौद्रिक संसाधन
एम डी टी	बहु औषध उपचार
एम ए एल	मासिक औसत स्तर
एम ई बी	न्यूनतम निर्यात मूल्य
एम एफ ए	बहु तंतु व्यवस्था
एम एफ एन	सर्वाधिक प्रिय देश
एम एम टी	मिलियन मीट्रिक टन
मोडवाट	संशोधित मूल्यवर्धित कर
एम ओ पी	पोटाश म्यूरिएट
एम ओ यू	सहमति ज्ञापन
एम पी बी एफ	अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त
एम एस पी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एल एल एस	महिला स्वास्थ्य संघ
एम एस वाई	महिला समृद्धि योजना
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लि.
एम टी जी ए	मिलियन टन प्रतिवर्ष
एम डब्ल्यू	मगावाट
एन	नाइट्रोजन
एन ए ए	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एन ए बी ए आर डी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एन ए ई बी	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
एन ए एफ ई डी	राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ
एन ए बी	निवल परिसंपत्ति मूल्य
एन बी सी जी	सरकार को निवल बैंक ऋण
एन सी डी सी	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
एन डी सी	राष्ट्रीय विकास परिषद
एन ई ई आर	प्राधिकृत प्रभावी विनिमय दर
एन एच बी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एन आई ए ई	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान
एन आई जी एफ सी	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान
एन एल डी जी	राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम
एन ओ आई डी ए	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एम सी बी डी	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना
एन आर (एन आर) आर डी	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा

एन एच पी	राष्ट्रीय आवास नीति
एन एल सी	नेवेली लिग्नाईट निगम
एन एम ई पी	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
एन एन पी	निवल राष्ट्रीय उत्पाद
एन ओ आर ए डी	नार्वे का विकास अभिकरण
एन पी ई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एन आर सी सी जी	केन्द्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण
एन आर ई आर	अनिवासी विदेशी (रुपया) खाते
एन आर एफ	राष्ट्रीय नवीकरण निधि
एन आर आई	अनिवासी भारतीय
एन आर आर	निवल प्रजनन दर
एन आर एस ई	ऊर्जा के नए और नवीकरण योग्य स्रोत
एन आर वाई	नेहरू रोजगार योजना
एन आर (ई) आर ए	अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता
एन एस ई आई	भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज
एन एस एफ डी सी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
एन एस एस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एन एस एस ओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एन आर आर	निवल प्रजनन दर
एन आर वाई	नेहरू रोजगार योजना
एन एस ई आई	भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज
ए टी एफ	विमानन टूर्बाइन फ्यूल
एन एस एस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एन टी पी सी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
ओ बी सी	अन्य पिछड़े वर्ग
ओ सी	ओपन कास्ट
ओ ई सी डी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओ आई एल	आयल इंडिया लिमिटेड
ओ एम एस	प्रति व्यक्ति–शिफ्ट उत्पादन
ओ एण्ड एन जी सी	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
ओ एन आई सी आर ए	ओनिक्रा वैयक्तिक भारतीय ऋण निर्धारण अधिकरण
ओ पी ई सी	पैट्रोलियम निर्यातक देश संगठन
ओ टी सी ई आई	ओवर दि काउन्टर एक्सचेंज आफ इंडिया
पी	फास्फोरस
पी ए सी एस	मूल कृषि ऋण समिति
पी ए एस एस	वैयक्तिक दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा
पी सी एफ सी	विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण
पी सी आर ए	पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ
डी एस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी एच सी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पी एच एल	पवन हंस लिमिटेड
पी एल एफ	संयंत्र भार घटक
पी एम आर वाई	प्रधान मंत्री रोजगार योजना
पी एम एस	समानान्तर विपणन प्रणाली
पी ओ एल	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पी पी पी	क्रय शक्ति समता
पी टी एस सी एफ सी	विदेशी मुद्रा में लदान-पश्चात ऋण
पी एस यू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आर एंड एम	नवीकरण और आधुनिकीकरण
आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
आर सी टी एफ सी	जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम
आर ई	संशोधित अनुमान
आर ई ई आर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आर ई पी ओ एस	पुनः खरीद देयताएं
आर पी ए	रुपया अदायगी क्षेत्र
एस टी	अनुसूचित जाति
एस आई एल	विशेष आयात लाइसेंस
एस ए आई एल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण
एस ए पी	राज्य द्वारा सुझायी गई कीमत
आर पी डी एस	नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आर आर बी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आर एल ई	ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोत
एस बी आई	भारतीय स्टेट बैंक
एस सी	अनुसूचित जातियां
एस सी बी	अनुसूचित वाणिज्यक बैंक
एस सी आई	भारतीय नौवहन निगम
एस सी आई सी आई	भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी
एस ई बी	राज्य बिजली बोर्ड
एस ई बी आई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस ई ई यू वाई	शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना
सेनसेक्स	शेयर मूल्यों का संवेदी सूचकांक
एस ई एस आर यू	पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना
एस एफ सी	राज्य वित्तीय निगम
एस एच ए एस यू	आवास और आश्रय-स्थल उन्नयन की योजना
एस आई ए	औद्योगिक अनुमोदन
एस आई सी ए	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम बोर्ड, 1985
एस आई डी बी आई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
ए आई डी सी	राज्य औद्योगिक विकास निगम

एस ए एफ	संरचनात्मक समायोजन सुविधा
एस ए आई	भारतीय खेल प्राधिकरण
एस ए आई एल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
एस ए एल	संरचनात्मक समायोजन ऋण
एस ए पी	राज्य द्वारा सुझायी गई कीमत
एस बी आई	भारतीय स्टेट बैंक
एस सी	अनुसूचित जातियां
एस सी सी एल	सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि.
एस सी आई	भारतीय नौवहन निगम
एस सी आई सी आई	भारतीय नौवहन ऋण और कंपनी
एस सी पी	विशेष संघटक योजना
एस डी आर	विशेष आहरण अधिकार
एस ई बी	राज्य बिजली बोर्ड
एस ई बी सी	सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति
एस ई बी आई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस ई ई यू वाई	शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना
एस ई पी यू पी	शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार योजना
एस ई एस आर यू	पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना
एस एफ सी	राज्य वित्तीय निगम
एस एच ए एस यू	आवास और आश्रय-स्थल उन्नयन की योजना
एस आई ए	औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय
एस आई सी ए	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम बोर्ड 1985
एस आई डी ए	स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
एस आई डी बी आई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एस आई डी सी	राज्य औद्योगिक विकास निगम
एस आई डी सी ओ	लघु उद्योग विकास निगम
एस आई डी ओ	लघु उद्योग विकास संगठन
एस एल आर	सांविधिक नकदी अनुपात
एस एम पी	सांविधिक न्यूनतम मूल्य
एस एन पी	विशेष पोषाहार कार्यक्रम
एस पी डी ए	खेल परियोजना विकास क्षेत्र
एस आर एस	नमूना पंजीकरण प्रणाली
एस आर टी सी	राज्य सड़क परिवहन निगम
एस आर टी यू	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम
एस एस आई	लघु उद्योग
एस टी	अनुसूचित जनजातियां
एस टी ई पी	प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन
एस टी पी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एस यू एम ई	शहरी सूक्ष्म उद्यम योजना
एस यू डब्ल्यू ई	शहरी दिहाड़ी रोजगार योजना
टी बी	क्षय रोग
टी डी आई सी आई	भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी
टी डी एस	स्रोत पर कर कटौती
टी ई आई	तकनीकी शिक्षा संस्थान
टी ई यू	बीस-फुट के बराबर
टी एफ सी आई	भारतीय पर्यटन वित्त निगम
टी आई एस सी ओ	टाटा लोहा और इस्पात कंपनी
टी एल सी	कुल साक्षरता अभियान
टी आर आई एफ ई डी	जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ
टी आर वाई एस ई एम	स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण
टी एस पी	जनजाति उप-योजना
टी टी	टिटनस टोक्साइड
टी एंड डी	पारेषण और वितरण
यू बी एस पी	निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवायें
यू ई ई	प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना
यू जी	भूमिगत
यू जी सी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यू एन डी पी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यू एन आई सी ई एफ	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल और शैक्षणिक निधि
यू टी	संघ राज्य
यू टी आई	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
वी आर सी	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
वी एस ए टी	बहुत छोटे अपरचर टर्मिनल
वी एस पी	विशाखापतनम इस्पात परियोजना
डब्ल्यू एफ पी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यू पी आई	थोक मूल्य सूचकांक

टिप्पणियां

निम्नलिखित संख्यात्मक इकाइयां प्रयोग की गई हैं:

लाख	100000
करोड़	100 लाख
खरीफ	फसलें जून-जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारम्भ होने पर बोयी जाती हैं और सितम्बर अक्तूबर में काटी जाती हैं।
रबी	फसलें सर्दियों, में आमतौर पर अक्तूबर और दिसम्बर में बोयी जाती हैं और बसन्त, मार्च और मई में काटी जाती हैं।
बाराबंदी	नहरों से खेतों को सिंचाई का पानी ले जाने के लिए जलमार्गों का निर्माण है।

4

Economic Survey for 1994-95

अध्याय—1

सामान्य समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष

बृहत् आर्थिक सिंहावलोकन

1. गत चार वर्षों की तुलना में वर्ष 1994-95 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की रफ्तार तीव्रतम रही। संकट के परिणामस्वरूप 1991–92 में हुई 0.9 प्रतिशत की निम्न वृद्धि के बाद से अर्थव्यवस्था ने व्यापक कार्यक्षेत्र वाले सुधार संबंधी उपायों के प्रति पहले ही जोरदार अनुक्रिया दिखाई है जो 1992–93 और 1993–94 के प्रत्येक वर्ष में 4.3 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि में स्पष्ट होती है। चालू वर्ष में लगभग 8 प्रतिशत के मजबूत व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास के नेतृत्व तथा संतुलित कृषि कार्य-निष्पादन की सहायता से 5.3 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई। वर्ष के पहले नौ महीनों में निर्यातों में डालर राशि में 17 प्रतिशत की वृद्धि होने, वर्ष के पहले छह महीनों में अदृश्य मदों के संबंध में अधिशेष राशि के एक बीलियन डालर से अधिक हो जाने तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में 3.9 बिलियन डालर के विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो) के साथ विदेशी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन मजबूती से जारी रहा। तेल भिन्न आयातों में एक मजबूत औद्योगिक सुधार परिलक्षित करने वाली वृद्धि के बावजूद, भुगतान शेष में चालू लेखा घाटे के 1994–95 में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक होने की संभावना नहीं है और वित्तीय वर्ष के आरम्भ से 13 फरवरी, 1995 तक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में 4.5 बिलियन डालर से अधिक की वृद्धि हो चुकी थी।

2. 1991 के आर्थिक संकट के कठिन दिनों के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का कुछ साधारण तुलनाओं से अन्दाज लगाया जा सकता है। 1991–92 में 0.9 प्रतिशत की समग्र आर्थिक वृद्धि की तुलना में, 1994–95 में 5.3 प्रतिशत की दर होने की संभावना है (सारणी 1.1)। औद्योगिक उत्पादन जो 1991–92 में एक प्रकार से गतिहीन हो गया था, 1994–95 में 8 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की आशा है। 1991–92 में खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 168 मिलियन टन तक पहुंच गया था; 1994–95 में इसके 185 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के सार्वजनिक भण्डार तीन वर्ष पूर्व के 13.9 मिलियन टन की तुलना में 1 जनवरी, 1995 को 30 मिलियन टन थे। निर्यातों के डालर मूल्य में, 1991–92 में हुई वास्तविक गिरावट की तुलना में, 1993–94 में हुई 20 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा, 1994–95 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष में भारत के विदेशी ऋण के भंडार में 8 बिलियन डालर की राशि और बढ़ गई; 1994–95 के पूर्वार्द्ध में, विदेशी ऋण के स्तर में वस्तुतः लगभग 300 मिलियन डालर की गिरावट हुई। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि जो जून, 1991 में मुश्किल से एक बिलियन डालर थी, वह फरवरी, 1995 के मध्य तक 19.5 बिलियन डालर से अधिक हो चुकी थी। जहां 1991–92 में पूरी अर्थव्यवस्था में व्याप्त रोजगार में अनुमानतः केवल लगभग 3 मिलियन की वृद्धि हुई, वहीं 1992–93 और 1993–94 के प्रत्येक वर्ष में लगभग 6 मिलियन का विस्तार होने का अनुमान है और मौजूदा वर्ष में और अधिक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं।

3. संकट और समायोजन का सामना कर रहे अन्य देशों की तुलना में, बृहत् आर्थिक स्थिरता की पुनः स्थापना और उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि का पुनरुद्धार आपवादिक रूप से निर्विघ्न रहा है। लेकिन ये असंदिग्ध उपलब्धियां भय-मुक्त नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा उच्च बना हुआ है और यह जारी स्फीतिकारी दबावों में परिलक्षित होता है। उच्च राजकोषीय घाटे की उधार संबंधी जरूरतें ब्याज दरों पर दबाव का स्रोत बनी हुई हैं, और वे उत्पादक निवेशों के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब मजबूत औद्योगिक सुधार ने निवेश्य निधियों के लिए निजी क्षेत्र की मांग को पुनरुज्जीवित किया है। गुणात्मक आधार ढांचे विशेषकर विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति भी एक महत्वपूर्ण बाधा है जो अर्थव्यवस्था को अपनी पूर्ण विकास संभाव्यता प्राप्त करने से रोक सकती है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा संबंधी दबावों से कठिनता से प्राप्त की गई राहत भी प्रत्यावर्तन की आशंका से मुक्त नहीं है। जब तक राजकोषीय संयम नहीं बरता जाता और कर तथा व्यापारिक नीतियों में सुधारों को जारी नहीं रखा जाता, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता तथा निर्यात वृद्धि में हाल में हुए सुधार डगमगा सकते हैं और इस प्रकार भुगतान शेष की स्थिति पुनः दबाव में आ सकती है। इसके अलावा, आज के बढ़ते हुए खुले और प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बृहत् – आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधारों में कमजोरी का आभास विदेशी बचतों के प्रवाह को आसानी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

सारणी 1.1

मुख्य संकेतक

	1991-92	1992-93(अ)	1993-94(अ)	1994-95(अ)	1991-92	1992-93(अ)	1993-94(अ)	1994-95(अ)
	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	542.0	615.8	695.3@		15.2	13.6	12.9@	
1980-81 की कीमतों पर	209.8	218.7	228.7@	240.9अअ	0.6	4.2	4.6@	5.4अ.अ.
सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	552.0	627.6	707.1@		15.5	13.7	12.7@	
1980-81 की कीमतों पर	214.2	233.4	233.0@	245.3अअ	0.9	4.3	4.3@	5.3अ.अ
कृषि उत्पादन (1)	145.5	151.5	154.8	158.2*	−2.0	4.1	2.2	2.2*
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	168.4	179.5	182.1	185.0*	−4.5	6.6	1.4	1.6*
औद्योगिक उत्पादन (2)	213.9	218.9	227.8	232.8(3)	0.6	2.3	4.1	8.0(3)
उत्पन्न बिजली टी. डब्ल्यू. एच.	287.0	301.1	323.5	257.9(8)	8.6	4.9	7.5	8.4(8)
थोक मूल्य सूचकांक (4)	217.8	233.1	258.3	284.3(5)	13.6	7.0	10.8	11.5(5)
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (6)	229.0	243.0	267.0	289.0(7)	13.9	6.1	9.9	9.5(7)
मुद्रा आपूर्ति (एम-3) (12 हजार करोड़ रुपये)	317.0	366.8	433.6	498.4(10)	19.4	15.7	18.2	18.6(11)
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	47851	63375	72806	71248(8)	10.8	32.4	14.9	23.6(8)
(मिलियन अमरीकी डालर)	19411	21882	23213	22708(8)	−19.4	12.7	6.1	23.6(8)
वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रुपए)	44041	53688	69547	65483(8)	35.3	21.9	29.5	17.3(8)
(मिलियन अमरीकी डालर)	17865	18537	22174	20871(8)	−1.5	3.8	19.6	17.3(8)
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए)	14578	20140	47287	61651(9)	232.2	38.2	134.8	30.4(9)
(मिलियन अमरीकी डालर)	5631	6434	15068	19651(9)	151.8	14.3	134.2	30.4(9)
विनिमय दर (रुपये/अमरीकी डालर)‡	24.65	28.96	31.37	31.38(8)	27.2	14.9	7.7	0.1(8)

टिप्पणी—सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद उपादान लागत के अनुसार है।

*प्रत्याशित

(अ) अनन्तिम

@त्वरित अनुमान

अ. अ.—अग्रिम अनुमान

†प्रतिशत परिवर्तन रुपए की ह्रास दर को दर्शाता है।

‡मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 की सम्मिश्र दरें।

1. 1981-82 को समाप्त वर्ष त्रय के आधार पर कृषि उत्पादन (प्रमुख फसलें) सूचकांक—100।
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, 1980-81=100।
3. अप्रैल-अक्तूबर, 1994 के लिए औसत सूचकांक।
4. 1981-82=100 का सूचकांक। प्रतिशत वर्ष के दौरान सूचकांक में बिंदु-दर-बिंदु परिवर्तनों से संबंधित है।
5. 1994-95 के लिए 18 फरवरी, 1995 और पिछले वर्षों के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह की स्थिति के अनुसार।
6. 1982=100 का सूचकांक। प्रतिशत वर्ष के दौरान सूचकांक में बिंदु-दर-बिंदु परिवर्तनों से संबंधित है।
7. दिसंबर, 1994 की स्थिति के अनुसार और पिछले वर्षों के लिए मार्च की स्थिति के अनुसार।
8. अप्रैल-दिसंबर 1994-1995।
9. वर्ष 1994-95 के लिए 13 फरवरी, 1995 और पिछले वर्षों के लिए मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार।
10. 20 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार।
11. पहली अप्रैल, 1994—20 जनवरी, 1995।
12. प्रतिशत वर्ष के दौरान बिंदु-दर-बिंदु परिवर्तनों से संबंधित है।

चित्र 1·1

चुने हुए आर्थिक निर्देशक

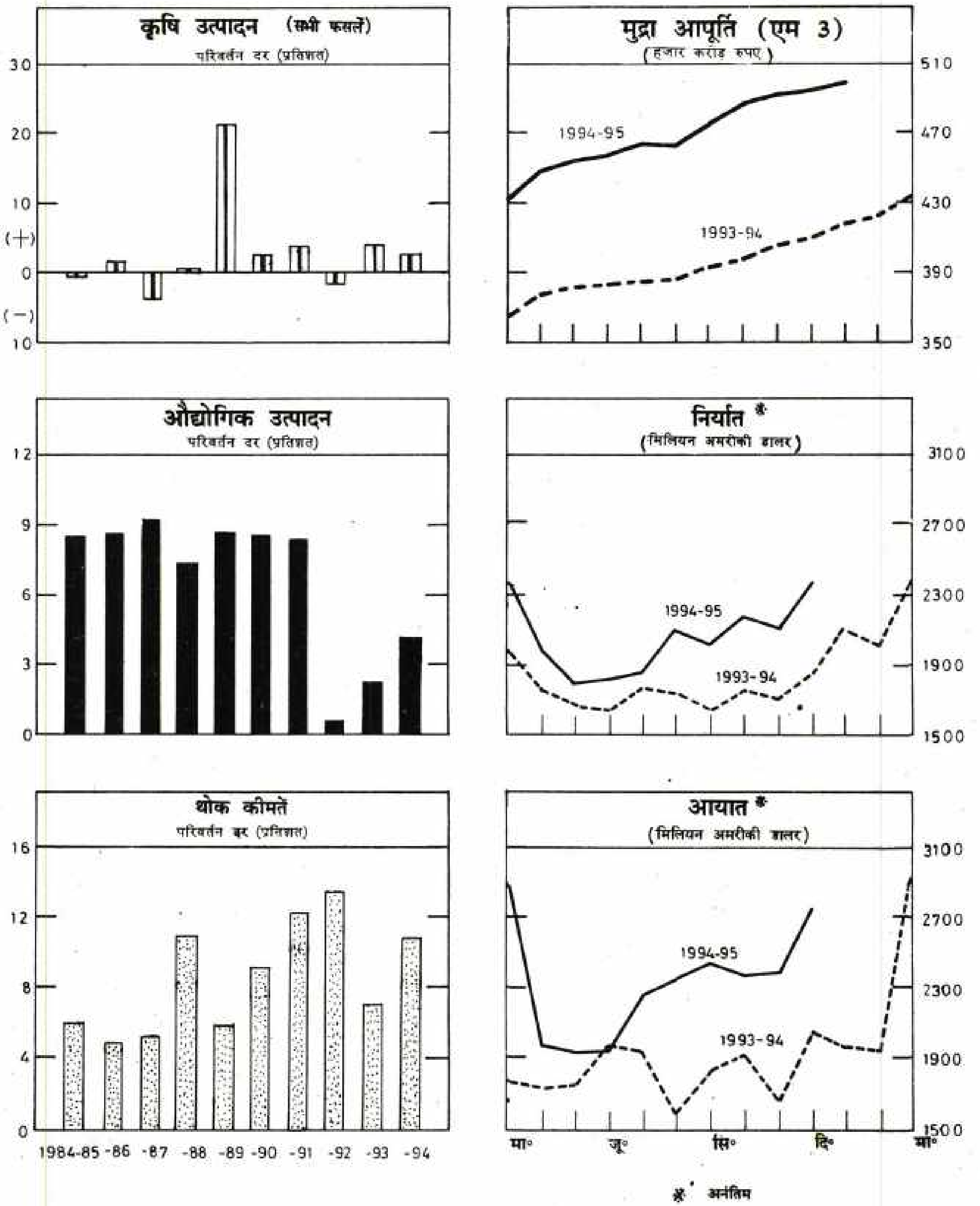

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी. एस. ओ.) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1993–94 में उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1992–93 में हुई वृद्धि दर के समान है। तथापि, वृद्धि का क्षेत्रीय संघटन अधिक व्यापक आधार वाला बन गया। कृषि विकास में, पूर्वानुमान के अनुसार, 1992–93 में 5.3 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरावट हुई, जबकि बैंकिंग और बीमा जैसी आधुनिक सेवाओं में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि देखी गई। विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार जारी रहा जिसकी वृद्धि दर 1992–93 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1993–94 में 3.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक उछाल इस वर्ष आया जो कि विनिर्माण मूल्य वर्धन में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाने वाले केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के 1994–95 के लिए अग्रिम अनुमानों से स्पष्ट है। कृषीय और सम्बद्ध मूल्य वर्धन में 2.4 प्रतिशत और सेवाओं में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 1994–95 में उपादान लागत पर समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

5. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि ढांचागत सुधार तथा समायोजन के आरंभिक चरण के दौरान निजी क्षेत्र में वास्तविक निवेशों में अकसर काफी गिरावट हो जाती है और वे निम्न स्तर पर बने रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में निजी निवेशों ने सुधार संबंधी नीतियों के प्रति कहीं अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है। वास्तविक निजी सकल निर्धारित पूंजी निर्माण, जो गिरकर 1991–92 में सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत (1980–81 के मूल्यों पर) पर पहुंच गया था, में अगले वर्ष सुधार हुआ और 1992–93 और 1993–94 में इसकी औसत सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक रही है (सारणी 1.2)। 1994–95 में निजी निवेश में वृद्धि के जारी रहने की संभावनाएं अनुकूल हैं। वित्त विकास संस्थानों द्वारा दी गई मंजूरियों की वृद्धि दर 1992–93 के 29.8 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 1993–94 में 44.4 प्रतिशत पर पहुंच गई और अप्रैल 1994 से जनवरी, 1995 में यह बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई। संवितरणों में अधिक क्रमिक वृद्धि देखी गई जो 1993–94 में 28.6 प्रतिशत और अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 में 39.5 प्रतिशत थी। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि में अप्रैल – अक्तूबर, 1993 में हुई 8.7 प्रतिशत की गिरावट से 1994 की उसी अवधि में 21.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का आपवादिक परिवर्तन इस वर्ष निवेश्य वस्तुओं की बढ़ती मांग का महत्वपूर्ण सूचक है।

सारणी 1.2

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
वास्तविक सकल निर्धारित पूंजी निर्माण में प्रवृत्तियां
(1980–81 के मूल्यों पर)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अ)	1993-94 (@)
1	2	3	4	5	6	7
सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	20.1	20.5	21.3	20.3	19.7	19.8
सार्वजनिक	9.2	8.6	8.6	8.7	7.7	7.8
निजी	10.9	11.8	12.7	11.6	12.1	12.0

टिप्पणी :—परिवर्णी शब्दों तथा स्रोतों के लिए सारणी 1.3 देखें।

6. निजी सकल घरेलू बचत दर में सुधार, निवेश संबंधी सुधार से अपेक्षाकृत धीमा रहा है। यह सुधार 1993–94 में आरम्भ हुआ जब बचत दर 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 19.9 प्रतिशत पर पहुंच गई (सारणी 1.3)। लेकिन उस वर्ष केन्द्रीय सरकार के राजस्व घाटे में हुई तीव्र वृद्धि के कारण, 1993–94 में कुल घरेलू बचत दर में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और यह 20.2 प्रतिशत पर ही पहुंच पाई। निजी बचतों में इस धीमे सुधार का एक महत्वपूर्ण कारण 1992–93 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित घरेलू बचतों की पूर्ण राशि में गिरावट है। चूंकि यह गिरावट एक ऐसे वर्ष में देखी गई है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.3 प्रतिशत पर पहुंची और कृषि से हुए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में स्पष्ट परिवर्तन हुआ जो −2.5 प्रतिशत से बढ़कर +5.3 प्रतिशत पर पहुंच गया, इसलिए अर्थव्यवस्था में बचत और पूंजी निर्माण का अनुमान करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए कारण दिखाई देते हैं।

सारणी 1.3

बजट – निवेश प्रवृत्तियां

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93(अ)	1993-94(@)
1	2	3	4	5	6	7
	वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
सकल घरेलू बचतें	21.5	22.3	23.7	23.1	20.0	20.2
सार्वजनिक	2.0	1.6	1.0	2.1	1.5	0.2
निजी	19.5	20.7	22.7	21.0	18.5	19.9
सकल घरेलू निवेश (1)	24.7	25.0	27.1	23.6	22.0	20.4
सार्वजनिक	9.9	10.0	9.7	9.2	8.9	8.9
निजी	14.6	14.3	15.9	13.7	14.4	12.4
सकल घरेलू निवेश (1)	24.7	25.0	27.1	23.6	22.0	20.4
सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	21.6	22.5	23.2	22.2	21.5	20.9
स्टॉक में परिवर्तन	2.9	1.8	2.5	0.7	1.8	0.4
बचत निवेश अंतर (1)	−3.2	−2.7	−3.4	−0.5	−2.0	−0.2
सार्वजनिक	−7.9	−8.4	−8.7	−7.1	−7.4	−8.6
निजी	4.9	6.4	6.8	7.3	4.1	7.5
	पूंजी निर्माण में वृद्धि दर (%) (1980-81 की कीमतों पर)					
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (1)	17.8	4.7	16.3	−14.2	−1.2	−2.4
सार्वजनिक	8.8	7.0	4.6	−7.2	2.1	6.8
निजी	27.7	—1.0	20.0	−15.4	11.9	−10.3
सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	7.1	8.7	9.9	−4.0	1.6	3.8
सार्वजनिक	4.7	0.6	4.8	2.0	−7.9	5.6
निजी	9.2	15.5	13.6	−8.0	8.6	2.6

टिप्पणी :—(1) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण को सूचित करता है (जी. डी. सी. एफ.)

(2) आंकड़े पूर्णांक के कारण अनुरूप नहीं है।

‡भूल—चूक के लिए समायोजित

जी. एफ. सी. एफ: सकल निर्धारित पूंजी निर्माण

(अ) अनन्तिम अनुमान

(@) त्वरित अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

7. 1993–94 में राजकोषीय घाटा बजटीय व्यवस्था के मुकाबले कहीं अधिक था, लेकिन इसके मौद्रिक प्रभाव पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बड़ी बिक्रियों के जरिए अंकुश रखा गया। फिर भी, मौद्रिक वृद्धि गत वर्ष के 15.7 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 1993–94 में 18.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके, और साथ साथ खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति तथा निर्गम मूल्यों पर चल रही अत्यधिक वृद्धि, प्रशासित मूल्यों में अन्य परिवर्तन तथा कपास और चीनी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप 1993–94 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये शक्तियां 1994–95 की पहली तिमाही में प्रभावी रहीं और इनकी वजह से, थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि की वार्षिक दर वर्ष की बीच की दो तिमाहियों में 8 से 10 प्रतिशत की सीमा तक गिरने से पहले 12 प्रतिशत पर पहुंच गई और इसके बाद अंतिम तिमाही में दोबारा बढ़कर दो अंकों में जा पहुंची।

8. जैसी कि गत वर्ष की आर्थिक समीक्षा में पूर्वसूचना दी गई थी, विदेशी पूंजी के अंतःप्रवाह में हुई अचानक वृद्धि के मौद्रिक तथा अन्य प्रभावों का प्रबन्ध 1994–95 में बृहत् आर्थिक नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण चुनौती सिद्ध

हुआ। 1993–94 के उत्तरार्ध में विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई तीव्र वृद्धि, जो 1994–95 में पूर्वार्ध के दौरान भी बनी रही, के मौद्रिक परिणामों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रत्युपाय किए गए। इनमें ये शामिल हैं, मई, 1994 में वाणिज्यिक बैंकों पर लागू सामान्य नकदी—रिजर्व अनुपात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफ. सी. एन. आर. ए.) योजना, (जिसके तहत सरकार विनिमय गारंटी लेती है) में नए प्रवाहों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, भारत स्थित बैंकों में अनिवासी जमाओं की अन्य विभिन्न श्रेणियों पर नकदी रिजर्व अनुपात लागू करना तथा उनमें वृद्धि करना, अनिवासी बाह्य रुपये खातों (एन. आर. ई. आर. ए.) के तहत जमाओं पर अनुमत अधिकतम ब्याज में कमी करना, यूरो निर्गमों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कठोर बनाना तथा अधिशेष नकदी को समेटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री जारी रखना। नवम्बर, 1994 तक, इन उपायों के प्रभाव मुद्रा आपूर्ति की धीमी वृद्धि में स्पष्ट हो चुके थे।

उत्पादन

9. चालू वर्ष कृषि के लिए बढ़िया रहा है। यह परिणाम 1994 के अच्छे मानसून के कारण हुआ है। जिसकी व्याप्ति 1989 के बाद से देशभर में सर्वोत्तम रही थी। जून से सितम्बर, 1994 की अवधि के दौरान हुई वर्षा अपनी दीर्घावधिक औसत के 110 प्रतिशत के करीब थी। 1994–95 के दौरान 185 मिलियन टन के स्तर पर खाद्यान्नों का संभावित उत्पादन अब तक का अधिकतम उत्पादन है। चावल उत्पादन जो लक्ष्य से अधिक हुआ है, 80 मिलियन टन है और प्रत्याशित गेहूं उत्पादन 58.5 मिलियन टन है। अत: 1994–95 के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर 1.6 प्रतिशत है और चावल के लिए यह 1.3 प्रतिशत है। 1993–94 में गतिरोध का सामना करने के बाद, मोटे अनाजों का उत्पादन 1994–95 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 32 मिलियन टन होने का अनुमान है। दालों के उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि होकर उनका उत्पादन 14.5 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। अच्छे मौसम के अलावा, कृषि उत्पादन उच्च समर्थन/अधि-प्राप्ति मूल्यों और औद्योगिक क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम संरक्षण से प्रत्युत्पन्न बेहतर प्रोत्साहनों के संचयी प्रभावों से भी लाभान्वित हुआ है।

10. खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य फसलों से संबंधित तस्वीर मिली-जुली है। सोयाबीन के उत्पादन में कुछ गतिरोध के बावजूद, सहायक के साथ-साथ प्रमुख स्रोतों से खाद्य तेल की कुल उपलब्धता गत वर्ष के 61.7 लाख टन के स्तर से अधिक होने की संभावना है। गन्ना उत्पादन में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि होकर उसके 1994–95 (अक्तूबर—सितम्बर) के दौरान 245.6 मिलियन टन के उत्पादन स्तर पर पहुंचने का अनुमान है जो काफी हद तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की अधिक उपलब्धता के कारण हुआ है। कपास का उत्पादन 11.6 मिलियन गांठें होने का अनुमान है जो गत वर्ष की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है। रोपण फसलों में चाय और प्राकृतिक रबर का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा।

11. औद्योगिक विकास में पुनरुद्धार, जो पिछली आर्थिक समीक्षा के समय स्पष्ट हो रहा था, 1994 में पूरे दम-खम से सामने आया। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक द्वारा यथा-मापित औद्योगिक उत्पादन में 1993–94 के उत्तरार्ध में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल—अक्तूबर, 1994 की 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर गत वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 1994–95 के दौरान काफी तेज रही। अप्रैल–अक्तूबर, 1994 के दौरान औद्योगिक विकास में आई तेजी मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत की संतुलित वृद्धि के कारण रही है, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा गया है। खनन और उत्खनन के क्षेत्र में भी 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का स्वस्थ सुधार देखा गया है, जब कि अप्रैल – अक्तूबर, 1994 के दौरान बिजली के उत्पादन की वृद्धि 7.7 प्रतिशत पर मजबूत बनी रही।

12. उपयोग-आधारित वर्गीकरण के जरिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि औद्योगिक विकास में हुई वृद्धि, निवेश में हुए तीव्र सुधारों की वजह से रही है जैसा कि अप्रैल-अक्तूबर 1993 में 8.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में, अप्रैल-अक्तूबर, 1994 में पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र द्वारा दर्ज 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से स्पष्ट होता है। आयातों द्वारा घरेलू पूंजीगत वस्तुओं की हानि की आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर बेहतर होकर अप्रैल-अक्तूबर, 1994 में 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई जब टिकाऊ वस्तुओं के लिए 8.6 प्रतिशत की वृद्धि और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि दर 1993 की तदनुरूप अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं के लिए 3.1 प्रतिशत और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के लिए 0.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत काफी कम वृद्धि दरों के सादृश हैं।

13. औद्योगिक सुधार का आधार व्यापक था, जिसमें 17 विनिर्माण उप-क्षेत्रों में से 12 में धनात्मक वृद्धि देखी गई। पांच क्षेत्रों अर्थात् अन्य वस्त्र उत्पाद, कागज तथा कागज उत्पाद, धातु उत्पाद और हिस्से-पुर्जे, वैद्युत मशीनरी और परिवहन उपस्कर की वृद्धि दर 12 प्रतिशत से अधिक रहीं। जिन चार क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई, वे हैं—सूती वस्त्र, जूट के वस्त्र, मूल धातुएं तथा विविध विनिर्माण। सूती कपड़े के उत्पादन में केवल मामूली गिरावट हुई। 172 चुनिंदा उद्योगों के संबंध में, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 88.1 प्रतिशत भाग हैं, अप्रैल-अक्तूबर, 1994 के लिए उत्पादन आंकड़े दर्शाते हैं कि 74.2 प्रतिशत का

हिस्सा रखने वाले 121 उद्योगों में धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई और 13.9 प्रतिशत का हिस्सा रखने वाले 51 उद्योगों के संबंध में गिरावट दर्ज की गई।

14. आधार-ढांचे के क्षेत्र का निष्पादन इस वर्ष कहीं बेहतर रहा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 28.8 प्रतिशत का संयुक्त हिस्सा रखने वाले बिजली, कोयला इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रैल-दिसंबर, 1993 के 5.0 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में, अप्रैल-दिसंबर 1994 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। बिजली के उत्पादन में 8.4 प्रतिशत, विक्रेय इस्पात में 8.9 प्रतिशत, सीमेंट में 8.6 प्रतिशत और कच्चे तेल में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोयला गिरावट दर्शाने वाला एकमात्र क्षेत्र था जिसमें 1993-94 की इसी अवधि में हुए 4.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं किए गए आधार-ढांचे संबंधी क्षेत्रों में भी अप्रैल-दिसंबर, 1994 में अच्छी वृद्धि देखी गई। नए टेलीफोन कनेक्शनों में 81.3 प्रतिशत, प्रमुख पत्तनों में नौभार की ढुलाई में 8.4 प्रतिशत और रेलवे के राजस्व अर्जित करने वाले यातायात में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

15. औद्योगिक नीति संबंधी सुधारों के क्षेत्र में, उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुरूप एक नई औषधि नीति की घोषणा की गई। कुछ मामलों को छोड़कर, सभी प्रपुंज औषधियों और उनके सूत्रों तथा मध्यवर्तियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। अधिकतर बुनियादी औषधियों तथा सूत्रों को भी 51 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी धारिता हेतु स्वतः अनुमोदन की नीति के अन्तर्गत लाया गया। ऐसी औषधियों, जिनके मूल्यों को नियंत्रित करने की जरूरत है, की पहचान करने के लिए स्पष्ट मापदंड परिभाषित करके, मूल्य नियंत्रण के तहत लाई गई औषधियों की संख्या 142 से घटाकर 73 कर दी गई।

16. अपर्याप्त सरकारी संसाधनों को सामाजिक क्षेत्रों के लिए मुहैया कराने की दृष्टि से आधार-ढांचे संबंधी सुविधाओं के क्षेत्रों, जो कि पहले सरकारी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र थे, में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई है। इनमें प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र और बिजली, आंतरिक परिवहन तथा दूरसंचार जैसी व्यापार न की जा सकने वाली आधार-ढांचे संबंधी सेवाएं शामिल हैं:—

*राष्ट्रीय खनिज नीति में परिवर्तन किया गया और खान तथा खनिज विकास अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि इस क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश हेतु खोला जा सके; निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए तेरह खनिजों को प्रारक्षण से मुक्त किया गया।

*50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के लिए आर.बी.आई. आधारित स्वतः अनुमोदन की नीति विदेशी इक्विटी पर 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए, खनन पर भी लागू कर दी गई (आणविक खनिजों तथा खनिज ईंधन को छोड़कर)

*विद्युत क्षेत्र संबंधी नीतिगत ढांचे के परिणामस्वरूप 2,19,927 रुपए के निवेश से 58,745 मेगावाट क्षमता सृजित करने संबंधी 138 निजी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 41 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों अथवा विदेशी साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों की ओर से हैं और इनमें से तेरह प्रस्तावों को सरकार द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

*राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में बुनियादी दूरसंचार सेवाओं की निजी व्यवस्था की अनुमति दी गई है। नियमों और प्रक्रियाओं की घोषणा के बाद कार्यान्वयन आरम्भ हो गया है।

*नए एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1994 ने निजी हवाई टैक्सी चलाने वाली कंपनियों को नियमित देशीय एयरलाइन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया है। एयरक्राफ्ट नियमों का पालन करने वाले नौ हवाई टैक्सी आपरेटरों को "अनुसूचित एयरलाइन" का दर्जा दे दिया गया है।

*हवाई अड्डे के आधार ढांचे के विकास और रखरखाव तथा प्रमुख हवाई अड्डों पर सामान की ढुलाई आदि जैसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु खोल दिया गया है।

*राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रयोक्ताओं पर मार्ग कर लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। अधिनियम में और संशोधन के पीछे सरकार का इरादा "बनाओ-चलाओ-अन्तरण करो" आधार पर सड़कों के निर्माण, रखरखाव और प्रचालन में निजी भागीदारी को अनुमति देने का है।

*पत्तन के उपस्करों को पट्टे पर देने, कन्टेनर टर्मिनलों और माल-उतराई टर्मिनलों का प्रचालन और रखरखाव, माल गोदाम तथा भण्डारण सुविधाएं सृजित करने, पत्तन के भीतर ही परिवर्तन, तटों पर बने उद्योगों द्वारा निजी बर्थों की स्थापना, जहाजों की मरम्मत तथा रखरखाव हेतु निजी भागीदारी को आमंत्रित किया गया है।

मुद्रा और मूल्य

17. 1993-94 के उत्तरार्द्ध में देखी गई मौद्रिक प्रवृत्तियां चालू वर्ष की अधिकांश अवधि में जारी रहीं। मुद्रा आपूर्ति एम 3 (सभी बैंक जमाओं सहित मुद्रा) की वृद्धि दर में नवम्बर, 1994 तक क्रमिक लेकिन सतत् उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गई। दुर्लभ मुद्रा एम 1 (मांग तथा बैंक के बचत जमाओं सहित मुद्रा) की वार्षिक वृद्धि दर में कहीं अधिक तीव्र बढ़ोत्तरी हुई। एम 3 की वार्षिक वृद्धि दर जो

नवम्बर, 1994 में 22 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई थी, बाद में गिरकर 20 जनवरी, 1995 को 18.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। 1994-95 के अधिकांश भाग में मौद्रिक वृद्धि की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति का कारण प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि में अत्यधिक तेजी आना था जिसने मुद्रा-आपूर्ति में वृद्धि के पैटर्न का अनसरण किया।

18. प्रारक्षित मुद्रा सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण, बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जैसी अनेक परिवर्तनीय मदों का योग होती है। इसके दो महत्वपूर्ण स्रोतों की वृद्धि दर विपरीत दिशाओं में बढ़ी है। सरकार को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण की वृद्धि में गिरावट देखी गई है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की वृद्धि में तेजी आई है। इसका कुल परिणाम 1993-94 के मध्य से प्रारक्षित मुद्रा की वार्षिक वृद्धि दर में तेजी आना रहा है। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि फरवरी, 1994 में शीर्ष स्तर पर पहुंच गई और काफी ऊंचे स्तर पर बढ़ने-घटने के बाद यह गिरकर 20 जनवरी, 1995 को 21.2 प्रतिशत की वार्षिक दर पर आ गई। इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि मार्च, 1994 में शीर्ष स्तर पर पहुंच गई और 20 जनवरी, 1995 तक यह कम होकर 93 प्रतिशत पर आ गई। निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई बृहत् वृद्धि, जिसने प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि को प्रेरित किया है, विदेशी मुद्रा भंडारों के विशाल निर्माण का प्रतिबिम्ब है जो भुगतान शेष के चालू और पूंजीगत लेखों में सुधार से उभरे है।

19. 1993-94 की तुलना में 1994-95 में प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि के बारे में अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के मुद्रीकृत घाटे के योगदान में नाटकीय गिरावट हुई। 20 जनवरी, 1995 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का संचय वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारक्षित मुद्रा में हुई कुल वृद्धि का 88.7 प्रतिशत था। 3983 करोड़ रुपए की गिरावट के कारण, सरकार को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निवल क्रेडिट ने 1994-95 में प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि में ऋणात्मक योगदान (−20.2 प्रतिशत) दिया। 1993-94 की तदनरूप अवधि में, सरकार को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के निवल क्रेडिट में हुई वृद्धि प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि का 36.4 प्रतिशत थी, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि कुल वृद्धि का 65.6 प्रतिशत थी। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि का यह बिल्कुल भिन्न पैटर्न केन्द्र के बजटीय घाटे, (कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों—राजस्व और पूंजीगत दोनों को घटाकर) जो 29 जुलाई, 1994 से 20 जनवरी, 1995 तक लगभग लगातार छह महीनों के लिए ऋणात्मक रहा है, के व्यवहार द्वारा संभव हो पाया है। सरकार को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निवल क्रेडिट में गिरावट के साथ-साथ "सरकार को 'अन्य बैंकों' के क्रेडिट" में वृद्धि में भी कमी हुई है जो 1993-94 (21 जनवरी, 1994 तक) के 27.1 प्रतिशत से गिरकर 1994-95 में 20 जनवरी, 1995 तक 15 प्रतिशत हो गई है। सरकार के उधारों में हुई वृद्धि में कमी का कारण पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान राजकोषीय घाटे में कमी होना है।

20. वाणिज्यिक क्षेत्र के संबंध में बैंक ऋण, चालू वित्तीय वर्ष में काफी उत्प्लावकता लिये हुए हैं। 20 जनवरी, 1995 की अवधि तक, इसमें 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वर्ष 1993-94 की इसी अवधि में हुई 6.3 प्रतिशत की वृद्धि से दुगुनी है। पिछले वर्ष की स्थिति के विपरीत जबकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अधिकांश बैंक ऋण खाद्य ऋण के रूप में खर्च हो गए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये खाद्य भिन्न ऋण में हुई तीव्र वृद्धि नाटकीय रही। इस वित्तीय वर्ष में, 20 जनवरी, 1995 तक इनमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह केवल 4.4 प्रतिशत थी। औद्योगिक उत्पादन में हुआ महत्वपूर्ण सुधार इस वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। वर्ष 1993-94 को तद्रूप अवधि में खाद्य ऋण में हुई 58.8 प्रतिश की वृद्धि की तुलना में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि धीमी होते हुए भी पर्याप्त है।

21. मौद्रिक व्यवस्था के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये दो मुख्य पहलें की गई। प्रथम तो ऐसी प्रक्रिया को प्रारंभ करना था जो केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे तथा प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि के बीच के संबंध को विच्छिन्न कर देगी। भारतीय रिजर्व बैंक से तदर्थ कोष बिलों के माध्यम से प्राप्त होने वाले केन्द्र सरकार के उधारों को वर्ष 1996-97 के अन्त तक क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बीच सितम्बर, 1994 में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते में बजट अनुमान की 6000 करोड़ रुपये की राशि को वर्ष 1994-95 के लिए उच्चतम राशि के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उधार को वर्ष के दौरान लगातार दस कार्य दिवसों से अधिक के लिये 9000 करोड़ रूपये से अधिक होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पारम्परिक रूप से राजकोषीय घाटे में उधार के परम्परागत स्त्रोतों से हुई उपलब्धता से अधिक की वृद्धि के कारण बजट घाटे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में स्वतः वृद्धि हुई है। इससे प्रारक्षित मुद्रा बढ़ी है और उच्चतर मौद्रिक वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के बीच निष्पादित समझौता राजकोषीय घाटे और मुद्रा वृद्धि के बीच के प्रत्यक्ष सम्पर्क को विच्छिन्न करेगा और उस सीमा तक मौद्रिक नीति को केन्द्रीय बजट से स्वतन्त्र कर देगा।

22. 2 लाख रुपये से अधिक के बैंक ऋणों पर न्यूनतम उधार दर को समाप्त करके लोचपूर्ण और बाजार अनुकूल

वित्तीय व्यवस्था संबंधी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवरोध को भी वर्ष 1994-95 में दूर कर दिया गया । अब प्रत्येक बैंक को अपनी स्वयं की मूल दर निर्धारित करनी पड़ेगी जिस पर ऋण दरों का ढांचा अवस्थित रहेगा । इससे तथा वित्तीय वर्ष के दौरान छह नए निजी बैंकों के प्रवेश से बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा लागत सजगता को भी बढ़ावा मिलने की सम्भावना है । 12 प्रतिशत की न्यूनतम उधार दर के शर्त के अधीन ब्याज दरों को पूर्णतया नियंत्रण मुक्त किये जाने और उधार दरों के विनियमन को समाप्त करने से सहकारी बैंक क्षेत्र में भी इसी प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिये हैं ।

23. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 4 फरवरी, 1995 की अवधि तक सामान्य मूल्य स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के 9.1 प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत तक बढ़ा है । तथापि, फरवरी, 1995 के संबंध में वार्षिक वृद्धि दर लगभग 11 प्रतिशत थी । इसलिये समग्र मुद्रास्फीति ने मोटे तौर पर ऐसे पैटर्न का अनुसरण किया जो वर्ष 1993-94 के मध्य से मौद्रिक परिवर्तियों के समान है । वर्ष 1993-94 के सम्पूर्ण उत्तरार्द्ध में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति उर्ध्वगामी रही जो वर्ष 1994-95 में जारी रहकर मई माह में 12 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई ।

24. प्राथमिक वस्तुएं विषम रूप से कुल मुद्रास्फीति में सहयोग प्रदान करती रही हैं । उनका अंशदान वर्ष 1993-94 (फरवरी तक) में 35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में (फरवरी तक) 46 प्रतिशत हो गया । तथापि, इस समूह के भीतर मूल्य वृद्धि का पैटर्न इस वर्ष महत्वपूर्ण रूप से भिन्न रहा है । खाद्य वस्तुओं का अंशदान 12 प्रतिशत से बढ़कर दुगुने से अधिक अर्थात् 29 प्रतिशत हो गया, यद्यपि दालों के अंशदान में गेहूं की कीमतों में स्थिरता के कारण कमी आई है । प्राथमिक खाद्य भिन्न वस्तुओं में मुद्रास्फीति इस वर्ष अपेक्षाकृत कम रही है ।

25. उच्च मुद्रास्फीति के लिए मांग और आपूर्ति के दोनों कारक सहायक रहे हैं । आपूर्ति पक्ष के कारकों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई अधिक वृद्धि का संचयी प्रभाव, मुख्य जिंसों के उत्पादन में कमी और प्रशासित मूल्यों में हुई वृद्धियों के गिरावट संबंधी प्रभाव थे। मांग पक्ष के संबंध में, वर्ष 1994-95 में जारी उच्च राजकोषीय घाटा 1993-94 के 7.3 प्रतिशत की अपेक्षा कम होते हुए भी मुद्रास्फीति में सहायक रहा । समग्र उच्च मौद्रिक वृद्धि 1994-95 में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का एक और महत्वपूर्ण कारक था ।

26. इसलिए मुद्रावृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये कई कदम उठाए गए। मौद्रिक वृद्धि को सन्तुलित करने के लिये नकद प्रारक्षित अनुपात को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया । तदर्थ कोष बिलों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के उधारों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के प्रवेश को सीमित करने संबंधी समझौता राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण को सीमित करता है । नकद प्रारक्षित अनुपातों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता योजना और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा योजना (क्रमश: 15 और 7.5 प्रतिशत) पर भी लागू किया गया । विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा योजना (जिसमें सरकार विनिमय गारण्टी वहन करती है) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया और अन्त: प्रवाह को सन्तुलित करने की दृष्टि से अनिवासी (ई) प्रत्यावर्तनीय लेखा जमाराशियों पर ब्याज दरों को कम कर दिया गया । भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिक्य नकदी को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचने का कार्य भी आरम्भ किया ।

27. आपूर्ति पक्ष की ओर से प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों को संतुलित करने के लिये मार्च, 1994 से कई उपाय किये गये :

* चीनी को शून्य शुल्क सहित सामान्य मुक्त लाइसेंसिंग व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया (वर्ष 1994-95 में लगभग 9 लाख टन आयात होने का अनुमान है) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आपूर्ति के लिये सरकारी खाते में 10 लाख टन चीनी का आयात किया गया ।

* वर्ष 1993-94 में बिक्री किये गये 2.8 मिलियन टन गेहूं के अतिरिक्त, उच्च रिकार्ड स्तरीय सरकारी स्टाक से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री जारी रही जो वर्ष 1994-95 में (जनवरी तक) 3.4 मिलियन टन थी ।

* जनवरी, 1995 तक स्टाक से 2.8 लाख टन चावल की बिक्री भी की गई । भारतीय खाद्य निगम को यह सलाह दी गई कि वह खुले बाजार में बिक्री की गति को बढ़ाने के लिये जनवरी, 1995 से कीमतों को काफी कम कर दे ।

* पामोलिन के आयातों को अप्रैल, 1994 में 65 प्रतिशत शुल्क सहित मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया था । मार्च, 1995 में नारियल तेल को छोड़कर अन्य कई खाद्य तेलों को भी मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया है और सीमा शुल्क को कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है ।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.5 लाख टन खाद्य तेलों और अगस्त, 1994 तक एन० डी० डी० बी० द्वारा किये जाने वाले 1.5 लाख टन के अतिरिक्त आयात को रियायती शुल्क पर अनुमेय किया गया ।

* कपास के आयात को अप्रैल, 1994 से शून्य शुल्क सहित मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग व्यवस्था के अधीन रखा गया और विस्कोस स्टेपल रेशे का रियायती शुल्क पर पर्याप्त आयात करने की अनुमति दी गई ।

राजकोषीय तथा वित्तीय विकास

28. राजकोषीय सन्तुलन के पुनरुद्धार संबंधी कार्यक्रम में वर्ष 1993-94 में जो चूक देखी गई, उस पर वर्ष 1994-95 में नियंत्रण पा लिया गया है। राजकोषीय घाटे के वर्ष 1993-94 (स०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 7.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1994-95 (ब० अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंच जाने की आशा है। अतः वर्ष 1991-92 में राजकोषीय सुधार संबंधी कार्यक्रम के प्रारंभ से केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत तक गिर गया है। योजना भिन्न व्ययों में हुई वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किये जाने के फलस्वरूप सकल प्राथमिक घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत की और भी अधिक गिरावट देखी गई है। सरकार के व्यय में भी गुणात्मक परिवर्तन आया है। योजना भिन्न व्यय के संबंध में योजना व्यय का अंश बढ़ता रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि ब्याज अदायगियां जो योजना भिन्न व्यय का एक प्रमुख संघटक हैं, निरन्तर बढ़ रही हैं।

29. वर्ष 1994-95 के बजट में अप्रत्यक्ष करों के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार किये गये। सीमा शुल्क की शीर्ष दर को और घटाकर 85 प्रतिशत से 55 प्रतिशत कर दिया गया। विसंगतियों को दूर करने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में, इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लगे अत्यधिक शुल्कों को काफी कम कर दिया गया। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये परियोजना आयातों पर सीमाशुल्कों को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और मशीन यंत्रों पर 40,60 और 80 प्रतिशत से घटाकर 35 अथवा 45 प्रतिशत कर दिया गया। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इसे पूंजीगत वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाकर और पूंजीगत वस्तुओं पर 'मोडवैट' के विस्तार द्वारा संयोजित कर दिया गया था। अलौह धातुओं और उनके खनिजों, कोयला, पैट्रोलियम उत्पादों और चिकित्सा उपस्करों के संबंध में आयात शुल्क संबंधी ढांचे को विवेकसम्मत बनाया गया। सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में अन्तः उपयोग अधिसूचनाओं और दर श्रेणियों को काफी कम कर दिया गया। उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत, अंतः निर्मित राजस्व लोच को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट से यथा मूल्य शुल्कों की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। उत्पाद शुल्क की दरों की संख्या को आधे तक घटा दिया गया। पैट्रोलियम और पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के लिए 'मौडवेट' का विस्तार किया गया।

30. सरलीकरण, सीमान्त दरों में कमी, विवेकीकरण तथा प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से आय करों में भी सुधार जारी रहा। जैसाकि वर्ष 1994-95 के बजट में निर्दिष्ट हुआ था कि इन सभी कर सुधारों से, यदि परम्परागत तरीकों से अनुमान लगाया गया तो केन्द्र को, 3604 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तथापि, यह महसूस किया गया कि व्यापक कर सुधार की प्रक्रिया को अपनाने से कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा जिससे राजस्व में और बढ़ौतरी होगी जो पारम्परिक रूप से अनुमानित "राजस्व हानियों" को पूर्णतया प्रतिसन्तुलित कर देगी। अक्तूबर, 1994 तक के प्रारम्भिक आंकड़ों में दर्शित वैयक्तिक और निगमित आय करों में 53.5 प्रतिशत और सीमा तथा उत्पाद शुल्कों में 18 प्रतिशत की वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 1994-95 में हुए राजस्व संग्रहण ने अनुसरित कर सुधार रणनीति को न्यायसंगत ठहराया है।

31. गत चार वर्षों में सीमान्त आय कर दरों में हुई गिरावट के संचयी प्रभाव से कर राजस्व में कमी नहीं आई जैसी कि कुछ लोगों को आशंका थी। इसके विपरीत, सुधारों के समग्र प्रभाव से वैयक्तिक आयकर तथा निगमित आय कर दोनों की उत्प्लावकता बढ़ी है (उपादान लागत पर नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के रूप में प्रतिशतता परिवर्तन द्वारा विभाजित राजस्व में प्रतिशतता परिवर्तन के रूप में मापित)। वैयक्तिक आय कर उत्प्लावकता पिछले चार वर्षों के दौरान के मुकाबले वर्ष 1991-92 से 1994-95 (ब०अ०) के दौरान औसतन लगभग 1.4 रही। इसी प्रकार निगमित कर उत्प्लावकता भी 1987-88 से 1990-91 के दौरान 0.8 से बढ़कर वर्ष 1991-92 से 1994-95 (ब०अ०) के दौरान लगभग 1.7 हो गई। परिणामस्वरूप, केन्द्र के सकल राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश भी वर्ष 1990-91 में 19.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 (ब०अ०) में 28.4 प्रतिशत हो गया।

32. वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग प्रणाली को मजबूती प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधार जारी रहे। निजी क्षेत्र में छह नए बैंकों की स्थापना की गई। बड़े ऋणों से सम्बद्ध ब्याज दर पर पूरी तरह से नियन्त्रण हटाने से प्रतिस्पर्धी शक्तियों के कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कम मूल्य की परिसम्पत्तियों की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य को पूरा कर लिया है और वर्ष 1993-94 में 4 प्रतिशत पूंजी जोखिम भारांश परिसम्पत्ति अनुपात प्राप्त किया। यद्यपि अधिकांश बैंकों ने वर्ष 1992-93 की अपेक्षा व्यवस्था किए जाने से पूर्व काफी लाभ प्राप्त कर लिया था, उच्चतर प्रावधान किए जाने से निवल हानि हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थिति इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सर्वथा अपवादात्मक रही। पूंजी बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम में सुधार किया गया और इनमें से एक बैंक ने इक्विटी इश्यू के माध्यम से लगभग 360 करोड़ रुपए जुटा लिए है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों, जिनकी स्थिति अभी पूंजी बाजार में प्रवेश करने की नहीं हैं, के पुनः पूंजीकरण के लिए सरकारी सहायता हेतु 5600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

33. भारतीय औद्योगिक बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा निर्यात-आयात बैंक नामक

पांच अखिल भारतीय विकास वित्त संस्था के लिए विवेकसम्मत तथा पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों की घोषणा की गई थी। मार्च, 1995 और मार्च, 1996 तक सभी संस्थानों को पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के क्रमश: 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत पर पहुंच जाना चाहिए। यद्यपि विदेशों में कार्यरत संस्थाओं को मार्च, 1995 तक 8 प्रतिशत का मानदण्ड प्राप्त करना होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए भी विवेकसम्मत मानदण्डों की घोषणा की गई। 50 लाख रुपये से अधिक निवल स्वामित्व वाली निधियां रखने वाली कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण कराना पड़ेगा और मार्च, 1995 तथा मार्च, 1996 तक क्रमश: 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड प्राप्त करना होगा।

34. वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत सुधार भी जारी रहे। बकाया बैंक ऋणों की वसूली को त्वरित करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ चार विशेष ऋण वसूली न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए। समग्र रूप से वित्तीय क्षेत्र का एकीकृत और कार्यक्षम पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। एक सलाहकार परिषद (बोर्ड से सम्बद्ध) जिसमें उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को शामिल किया गया है, की भी स्थापना की गई है। दिसम्बर, 1993 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का नया पर्यवेक्षण विभाग बोर्ड को सहायता प्रदान करेगा।

35. 'सेबी' द्वारा प्राथमिक और गौण बाजारों में बेहतर पारदर्शिता सहभागी दायित्व तथा कार्यक्षमता प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रयासों को जारी रखने से पूंजी बाजार सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई। निजी नियोजन और प्रमोटरों को शेयरों के आवंटन हेतु नियमों की घोषणा की गई। एक नवीन व्यापक अधीनीकीकरण संहिता की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने थोक ऋण बाजार खण्ड सहित जून, 1994 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बाण्ड, सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां और कोष बिल, जमा राशियों के प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पत्र और निगमित ऋण पत्र शामिल हैं। इसने नवम्बर, 1994 से इक्विटी बाजार व्यापार प्रारम्भ किया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन आधारित स्क्रिप रहित व्यापार व्यवस्था तथा 'वीसैट' सैटेलाइट लिंक एकीकृत राष्ट्रीय ऋण और इक्विटी बाजार की तरफ बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या 158 से बढ़कर 286 हो गई जबकि उनके निवेश स्टॉक 1.66 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 3.1 बिलियन अमरीकी डालर (जनवरी माह के अन्त तक) हो गये। भारतीय कम्पनियों ने वर्ष 1994-95 के दौरान (जनवरी तक अन्तर्प्रवाह) जी०डी०आर० के जरिए 1.74 अमरीकी डालर बिलियन की राशि जुटाई।

भुगतान सन्तुलन

36. वर्ष 1991-92 से भुगतान सन्तुलन की स्थिति में निरन्तर सुधार दिखाई दिया है जिसमें पिछले वर्षों की अपेक्षा निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ है। निर्यात-आयात अनपात वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान औसतन लगभग 90 प्रतिशत रहा है जो पूर्व के तीन वर्षों में औसतन लगभग 65 प्रतिशत था। चालू लेखा घाटे में भी गिरावट हुई है जो पिछले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.6 प्रतिशत की तुलना में इन तीन वर्षों के सम्बन्ध में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन लगभग 0.7 प्रतिशत है। यद्यपि वर्ष 1994-95 के सम्बन्ध में निर्यात आयात अनुपात में वर्ष 1993-94 में मौजूद 94.6 प्रतिशत के उच्चस्तर से गिरावट होने और चालू लेखा घाटे के वर्ष 1993-94 के निम्नस्तर से ऊपर उठने की आशा है फिर भी ऐसी कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती कि चार वर्षों का औसत पिछले तीन वर्षों के औसत से अधिक भिन्न हो।

37. वर्ष 1993-94 के दौरान, भारत के भुगतान सन्तुलन में जो सुधार दिखाई दिया, वह वर्ष 1994-95 में भी जारी रहा। इस सुधार के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ये परिसम्पत्तियां जो मार्च, 1994 के अन्त में 15.1 बिलियन अमरीकी डालर थी, अक्टूबर, 1994 तक बढ़कर 19.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गई और तब से इस स्तर के आस-पास स्थिर हैं। इस सुधार से भारत चालू लेखा परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में देश के चरणबद्ध संक्रमण को पूरा करने और भविष्य में चालू लेखा लेन-देन से सम्बद्ध एक पक्षीय प्रतिबन्धों के परिहार सहित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद VIII के अन्तर्गत सौंपे गए दायित्वों को ग्रहण करने में समर्थ हुआ है।

38. सभी बाह्य लेन-देनों के निवल परिणाम के रूप में निर्मित प्रारक्षित निधि, चालू और पूंजीगत लेखाओं से सम्बद्ध सुधारों के प्रभाव को परिलक्षित करती हैं। वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध के दौरान, चालू लेखा घाटा वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध के 938 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में केवल 436 मिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में अदृश्य खाते से सम्बन्धित अधिशेष वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध के अल्प घाटे की तुलना में बढ़कर 1096 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि, इस सुधार को आंशिक रूप से वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध के 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे में हुई बढ़ोतरी से प्रतिसंतुलित कर लिया गया था। यह व्यापार घाटा वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध में लगभग 850 मिलियन अमरीकी डालर था। ऐसा मुख्यत: औद्योगिक वृद्धि में हुई तीव्रता के कारण तेल भिन्न आयातों में 28 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुआ है। इन गतिविधियों से यह

आशा की जाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 में व्यापार घाटा बढ़ेगा । इसके बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में व्यापार घाटा वर्ष 1992-93 की अपेक्षा कम होगा ।

39. विदेशों से निवल पूंजी अन्तर्प्रवाह में तेजी से बढ़ौतरी हुई है । यह अप्रैल-सितम्बर, 1993 में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर, 1994 में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया । इन प्रवाहों का मिश्रण भी इक्विटी की ओर तथा ऋण से परे परिवर्तित हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता, विदेशी वाणिज्यिक उधार मुद्रा कोष ऋण और अनिवासी जमा राशियों में भी उत्तरोत्तर गिरावट हुई है । वर्ष 1990-91 में यह गिरावट निवल पूंजी अन्तर्प्रवाह के 85.8 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1993-94 में 40 प्रतिशत हो गई । अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों की परिपक्वता का औसत अब काफी अधिक है और वे चालू अन्तर्प्रवाह का केवल 10.2 प्रतिशत हैं । इसके विपरीत, प्रत्यक्ष निवेश में चौगुनी वृद्धि हुई है । यह वर्ष 1991-92 के 150 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 620 मिलियन अमरीकी डालर हो गया । वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में यह 1993-94 के पूर्वार्ध की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक रहा है । जी०डी०आर० के रूप में विदेशी इक्विटी अन्तर्प्रवाह और एफ०आई०आई० अन्तर्प्रवाह में जो वृद्धि वर्ष 1993-94 में देखी गई, उसके वर्ष 1994-95 में गत वर्ष से अपेक्षाकृत मामूली उच्च स्तरों पर स्थिर रहने की संभावना है ।

40. विदेशी कर्ज के सम्बन्ध में सरकार ने विवेकसम्मत मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा । परिणामस्वरूप, बकाया विदेशी ऋण स्टॉक में वार्षिक बढ़ौतरी वर्ष 1990-91 में 8.1 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चस्तर से घटकर वर्ष 1993-94 में 0.7 मिलियन अमरीकी डालर हो गई । वास्तव में, वर्ष 1994-95 के पूर्वार्द्ध में विदेशी ऋण स्टॉक में 270 मिलियन अमरीकी डालर तक की वास्तविक गिरावट देखी गई जो हाल के इतिहास में पहली बार हुआ है । सरकार ने भी कुल विदेशी कर्ज में अल्पावधि ऋण अनुपात को नीचे लाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है । यह वर्ष 1990-91 के अन्त में 10.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1993-94 के अन्त में 4.0 प्रतिशत हो गया तथा सितम्बर 1994 के अन्त तक और घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया । इसके अतिरिक्त, कुल ऋण में रियायती ऋण का 47 प्रतिशत का अनुपात बृहत् ऋण स्टॉक रखने वाले अन्य विकासशील देशों यथा—ब्राजील (2 प्रतिशत), चीन (16 प्रतिशत), इन्डोनेशिया (28 प्रतिशत), मैक्सिको (1 प्रतिशत) और रूसी संघ (5 प्रतिशत) की तुलना में असमान्य रूप से उच्च रहा है ।

सामाजिक क्षेत्र और निर्धन

41. साम्यता एवं सतत वृद्धि दोनों के लिए हमारे विशाल मानव संसाधनों का विकास होना परमावश्यक है । पर्याप्त उपलब्धियों के बावजूद, हमारी जनसंख्या का आकार शेष कार्य को पूरा करने में हतोत्साहित करता है । चूंकि अर्थव्यवस्था संकट से ऊबर रही है और इस संकट से छुटकारा पाने हेतु हमें स्थिर उपायों की आवश्यकता है, इसलिए समाज के सर्वाधिक कमजोर और गरीब वर्गों की रक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए । इन अनिवार्यताओं को स्वीकार करते हुए, सरकार ने पिछले दो बजटों में सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना आवंटनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है ।

42. पिछले दो वर्षों में, शिक्षा से सम्बद्ध केन्द्रीय योजना आवंटन में 62 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । जिसमें प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के परिव्यय में क्रमशः 84 और 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्वास्थ्य से सम्बद्ध परिव्यय में 91 प्रतिशत की वृद्धि की गई । गरीबी विरोधी कार्यक्रमों सहित, ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को पिछले दो वर्षों में 126 प्रतिशत बढ़ा दिया गया और यह वर्ष 1994-95 (ब०अ०) में 7000 करोड़ रुपए के स्तर से अधिक हो गया । रोजगार आश्वासन योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना नामक दो नई योजनाओं को वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ किया गया था और इन्हें सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जा रहा है । सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला, बाल तथा ग्रामीण विकास पर केन्द्रीय आयोजना व्यय वर्ष 1991-92 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 1.2 प्रतिशत हो गया । इसने सुधारों के प्रतिकूल प्रभावों से, लाभ वंचित समूहों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद की है ।

43. सरकार ने अपने आर्थिक सुधारों में निर्वाह योग्य रोजगार का सृजन करने वाली वृद्धि प्रोत्साहन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है । परिणामस्वरूप रोजगार में दुगुनी वृद्धि होने का अनुमान है । यह वृद्धि संकटग्रस्त वर्ष 1991-92 में 3 मिलियन से बढ़कर वर्ष 1992-93 और 1993-94 में प्रत्येक वर्ष 6 मिलियन हो गई । इस वर्ष वृद्धि में तेजी के कारण रोजगार सृजन में भी तदनुरूप वृद्धि होने की आशा है ।

44. ग्रामीण गरीबी की प्रवृत्तियों का एक संकेतक खेतिहर मजदूरों की दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी दरें हैं । यद्यपि राज्यों में इस सम्बन्ध में भिन्नताएं हैं, फिर भी औसत खेतिहर वास्तविक मजदूरी में वर्ष 1991-92 के संकट वर्ष में गिरावट देखी गई और वर्ष 1992-93 तथा

1993-94 में इसमें बढ़ौतरी हुई। इन वृद्धियों ने वर्ष 1991-92 में आई गिरावट को अपेक्षाकृत काफी सीमा तक निष्प्रभावी कर दिया।

45. महत्वपूर्ण सांख्यिकी से सम्बद्ध वार्षिक आंकड़े हाल के वर्षों में कुछ रोचक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वार्षिक घट-बढ़ के आधार पर बहुत अधिक नहीं कहा जाना चाहिए, फिर भी यह रोचक है कि अशोधित मृत्यु दर (प्रति हजार) की गिरती प्रवृत्ति में ठहराव आया है और यहां तक कि वर्ष 1993 में अधोगामी प्रवृत्ति के आने से पूर्व यह वर्ष 1991 और 1992 में थोड़ी सी प्रत्यावर्तित हो गई थी। इसी प्रकार, शिशु मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति वर्ष 1993 में निरन्तर गिरते जाने से पूर्व वर्ष 1991 और 1992 में रुक गई थी। ये प्रारम्भिक आंकड़े इस विचार के समनुरूप हैं कि वर्ष 1991-92 के आर्थिक संकट ने 1991 और 1992 दोनों वर्षों में सामान्य जीवन स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जबकि सुधार के फलस्वरूप प्राप्त उन्नति से वर्ष 1993 में सामान्य जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

मुद्दे और प्राथमिकताएं

46. पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में, मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य मुद्दों और प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई थी। व्यापक अर्थ में, यह निदान अपरिवर्तित रहेगा। तथापि, सर्वाधिक अनिवार्य मुद्दों पर ध्यान देने में कोई हानि नहीं है। सब से अधिक वृद्धि साम्यता आत्मनिर्भरता तथा आधुनिकीकरण के मूल उद्देश्यों का समर्थन करना हितकारी है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक सुधारों का मूल उद्देश्य और वस्तुतः सरकार की सभी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत के लोगों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर में निरन्तर सुधार लाना होना चाहिए। उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में त्वरित और निरन्तर वृद्धि हमारी गरीबी की भयप्रद समस्या का निश्चित रूप से निवारण कर सकती है।

47. निकट भविष्य में, भारत के लोगों के जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सरकार द्वारा सभी स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता है। इसमें पुलिस, कानूनी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व अधिकारियों के कार्य, सड़क, स्वच्छता, विद्युत, जल-आपूर्ति, सिंचाई जल, डाक, दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। सरकार तथा जनता के बीच की इस परस्पर अन्तःक्रिया के महत्व को अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अधिसंख्य जनता की सन्तुष्टि पर इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है जिसके पास न तो प्रभाव होता है न सार्वजनिक सेवा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए संसाधन होते हैं, और न ही महंगे निजी विकल्पों का सहारा लेने के लिए साधन होते हैं।

राजकोषीय नीति

48. राजकोषीय नीति से सम्बद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख हमारे अपने अतीत से ही प्राप्त होती है, यद्यपि इसकी पुष्टि विभिन्न प्रकार के देशों के अनुभवों के आधार पर होती है। वर्ष 1991 के संकट से यह स्पष्ट पता चला कि राजकोषीय आधिक्य, राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी निष्क्रियता का समन्वित रूप गम्भीर परिणाम पैदा कर सकता है। चूंकि राजकोषीय असन्तुलन तथा इसके प्रभावों के मध्य के अन्तराल के संबंध में निश्चित तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तथापि अल्पकालिक लाभ के लिए राजकोषीय शिथिलता का प्रलोभन सदा बना रहता है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि राजकोषीय लोक सुलभता की लागतें असाधारण रूप से ऊंची और चिरस्थाई हो सकती है। यदि निरन्तर, रोजगार-गहन वृद्धि के मूल लक्ष्य को प्राप्त करना है तो राजकोषीय सावधानी बरतने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

49. जैसे-जैसे वृद्धि की गति बढ़ेगी, वैसे ही निवेश संसाधनों के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यदि राजकोषीय घाटे निरन्तर ऊंचे बने रहे तो निजी निवेश में हुई वृद्धि को ब्याज दरों को बढ़ाकर नियंत्रित किया जा सकता है। सिद्धान्त रूप में, घरेलू बचतों को बढ़ाकर विदेशी अन्तर्प्रवाह सरकारी उधार द्वारा निजी निवेश के संकुल को समाप्त कर सकता है। व्यवहार में, ऐसे अन्तर्प्रवाह राजकोषीय प्रवृत्तियों, आर्थिक सुधार से सम्बद्ध प्रगति और राजनीतिक स्थायित्व से सम्बन्धित अवधारणाओं पर आश्रित हैं। इस प्रकार, व्यवहार में, वृद्धि की निरन्तरता राजकोषीय घाटे में संयत और निरन्तर कमी सुनिश्चित करने पर निर्भर है।

50. द्वितीय राजकोषीय सीख यह है कि उच्च दरों की अपेक्षा, जो अपवंचन और परिहार के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रोत्साहन प्रदान करती हैं और कर आधार को संकुचन की ओर ले जाती हैं, विवेकसम्मत, व्यापक आधार वाले करों से राजस्व में निरन्तर वृद्धि और इक्विटी में सुधार होने की सम्भावना है। सातवें दशक के दौरान, धन कर सहित सीमान्त कर दरों में शत-प्रतिशत से ऊपर पहुंचने के लिए आय कर की दरों को उत्तरोत्तर बढ़ाया गया। इससे बेहतर इक्विटी और अस्थायी रूप से अपेक्षाकृत उच्च राजस्व की भ्रांति पैदा हुई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कर-अपवंचन और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। इसके विपरीत अनुपालन में सुधार लाने के लिए अन्य कर-सुधारों तथा प्रशासनिक उपायों सहित सीमान्त दरों में हुई कमी से इन प्रत्यक्ष-करों की उत्प्लावकता में वृद्धि हुई है।

51. केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क की संरचना में, उसके पूरा होने तक सुधार जारी रखने चाहिए। सीमाशुल्क के लिए इसका अर्थ है कि शुल्क दरें, एशिया के अन्य भागों की दरों के साथ तुलनीय हो जानी चाहिए। यद्यपि

प्रयोक्ता, प्रयोग और स्त्रोत पर आधारित छूटों, जो अनेक विसंगतियों को जन्म देती हैं, को समाप्त करने में पर्याप्त प्रगति की गई है। तथापि, यह कार्य किसी भी तरह पूरा नहीं हुआ है।

52. 'मोडवैट' को चालू सांविधिक पैरामीटरों के भीतर वास्तविक केन्द्रीय 'वैट' में बदल दिया जाना चाहिए। यद्यपि इस दिशा में कई कदम उठाए गए है, लेकिन सिद्धान्त और व्यवहार में अभी भी अन्तर है। 'मोडवैट' नियम व्यापक रूप से और एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। आदर्शतः तैयार उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर, उत्पादन में निविष्टियों के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली सभी अन्य विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक एकसमान उत्पादशुल्क-दर होनी चाहिए। एक बार 'वैट-क्रैडिट' उपलब्ध हो जाने से प्रणाली व्यापक रूप से सरल हो जाती है और अधिकांश विसंगतियां और परेशानी संबंधी काफी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। व्यापक वर्गीकरण पर आधारित श्रेणियों यथा-आवश्यकताएं, सामान्य वस्तुएं तथा विलासिताएं में बांटे जाने पर तैयार उपभोक्ता वस्तुओं की तीन से पांच दरें हो सकती हैं। यदि सम्पूर्ण विनिर्माणकारी और आधुनिक सेवा क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए प्रणाली को प्रभावी रूप से व्यापक आधार वाली बनाना हो तो कम्प्यूटरीकृत जांच द्वारा समर्थित सरलीकृत स्वमूल्यांकन प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है।

53. सरकारी संगठनों और कार्यक्रमों में फिजूलखर्च का पता लगाना और उसे कम करना, आवश्यक भी है और कठिन भी है। स्वभावतः ही प्रत्येक संगठन के सदस्यों का, व्ययों और सहायक स्टाफ, जो अधिकार और प्रतिष्ठा का स्त्रोत हैं, को बनाए रखने में निहित स्वार्थ होता है। फिजूलखर्ची क्या है, इस बात पर सर्वसम्मत होना अत्यंत कठिन है। जब हम इसके साथ विशेष हितों के समूह जो इस प्रणाली पर आश्रित हो गये हैं, को जोड़ते हैं तो कार्य अत्यधिक विस्तारित बन जाता है। फिर भी हमें इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने चाहिये कि व्यय, आर्थिक सहायता एवं अंतरण आशयित लाभभोगियों को पहुंचे। ऐसा आर्थिक सहायता निर्धनों के लिए लक्ष्यांकित करके तथा सार्वजनिक सेवाओं की लागत का प्रभार शेष लोगों पर डालकर, रिसावों में कटौती करके तथा प्रशासनिक उपरिव्ययों को कम करके तथा ऐसे कार्यक्रमों, विभागों और संगठनों को, जो केवल उनमें कार्यरत लोगों को ही लाभन्वित करते हैं, चरणबद्ध रूप से समाप्त करके किया जा सकता है।

मौद्रिक नीति

54. तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से उधार लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार की एकपक्षीय पहुंच को सीमित करने वाले सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए इस वर्ष के ऐतिहासिक समझौते से राजकोषीय और मौद्रिक नीति के मध्य सम्पर्क कमजोर हो गया है जिससे मौद्रिक नीति स्वायत्तता की ओर पुनः स्थापित हुई है। अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता से अधिक जिम्मेदारी आती है। अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण सुविधाओं को पूरा करते हुए मुद्रास्फीति सर्वाधिक अनुकूल तरीके से कम करने के लिए धन और ऋण की समग्र वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अब और अधिक सक्षम भी है और उत्तरदायी भी है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक और सेकेंडरी बाजारों को द्रुतगति से गहन और व्यापक बना कर कारगर मौद्रिक प्रबंध और मुद्रास्फीति नियंत्रण क्षमता को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

उद्योग और व्यापार

55. व्यापार और औद्योगिक नीति सुधारों का एक महत्वपूर्ण तत्व देशीय और विदेशी दोनों प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना है और परिणामस्वरूप उच्चतर उत्पादकता, निम्नतर लागतें, बेहतर गुणवत्ता और अधिक नवीनता को प्रोत्साहन देना है। प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारवादी व्यवहारों का सर्वोत्तम प्रतिकारक है: उससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय एकाधिकार किरायों (मनोपली रेंट) जो छिपे हुए कराधान का अनुचित रूप हैं, की अपेक्षा उद्यमों और कौशलों के माध्यम से अपने लाभ तथा सम्पत्ति अर्जित करें। मशीन औजार उद्योग में उत्पादन गुणवत्ता और उत्पाद सीमा में पुनरुत्थापन से औद्योगिक विनियमन के समापन तथा आयातों पर नियंत्रण और शुल्कों की कमी का उदाहरण प्रस्तुत होता है। प्रतिस्पर्धा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को लगातार दूर करना आगे किए जाने वाले सुधारों का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

56. आयातों को नियंत्रित करने की विधि के रूप में लाइसेंसिंग को समाप्त करने की प्रक्रिया का और विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। आठवीं योजना में यथा निर्दिष्टानुसार मात्रात्मक आयात-प्रतिबंधों के लिए टैरिफों के प्रतिस्थापन (उपभोक्ता-वस्तुओं के क्षेत्र सहित) से दक्षता में सुधार होगा एवं तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी। ऐसा विशेषकर इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में आयात नीति को उदारीकृत कर दिया गया है तथा भारत में आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों ने लाइसेंसिंग से टैरिफ आधारित नियंत्रणों तक संक्रमण के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दर्शाई है और इस बात पर विश्वास करने का नगण्य कारण है कि अन्य उद्योग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह भय कि उपभोक्ता वस्तु आयातों में अवहनीय वृद्धि होगी, अनुचित है क्योंकि टैरिफ और विनिमय दर प्रबंध द्वारा ऐसे परिणाम का परिहार होना चाहिये।

57. औद्योगिक और व्यापार नीतियों का दूसरा महत्वपूर्ण विषय उन अनावश्यक कानूनी और अफसरशाही बाधाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है जो आर्थिक दक्षता में योगदान दिए बिना, उत्पादकों पर समय-विलम्ब और लागतें आरोपित करती हैं। अन्यों में शहरी भूमि उच्चतम सीमा अधिनियम, कंपनी अधिनियम और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है। तेजी से पुनर्संरचना करना, अर्जन करना और विलय करना उन साधनों में से हैं, जो प्रतिस्पर्धा की चुनौती को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इलैक्ट्रॉनिकी और कृषि उद्योगों की निवेश लाइसेंसिंग को हटाना और पैट्रोलियम उत्पादों, कोयले और उर्वरक पर वितरण और मूल्य-निर्धारण नियंत्रण भी अपूर्ण कार्यसूची के हिस्से हैं। उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग प्रतिस्पर्धा से काफी लाभान्वित हो सकता है। पिछले वर्ष आटोमोबाइल उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर देने के परिणामस्वरूप आटोमोबाइल संघटकों और नई कारों का उत्पादन करने की योजनाओं में निवेश करने में तेजी आई। चूंकि उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र अत्यधिक श्रम प्रधान हैं, अतः उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने से अधिक लाभप्रद परिणाम होंगे। इस उद्योग के उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए आवश्यक बिक्री मात्राओं तक पहुचने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।

58. नीति का तीसरा तत्व उपादान बाजारों की क्षमता और सुस्पष्टता में विकास और वृद्धि करके उद्योग की प्रतिस्पर्धा की क्षमता में सुधार करना है। प्रतिस्पर्धात्मक लागतों पर पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशलों तक पहुंच अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए आवश्यक है। एशिया के अन्य भागों में देखे गए स्तरों तक उत्पादन और नियोजन की वृद्धि को त्वरित करने के लिए इक्विटी-बाजारों, बैंकों, बीमा, ऋण-बाजारों और श्रम कानूनों में सुधार और संशोधित विनियमन करना आवश्यक है। दीर्घावधि में साम्य वृद्धि को बनाए रखने के लिए जनसंख्या की शिक्षा और औद्योगिक कुशलता में सुधार करना भी आवश्यक है।

59. नीतिगत सुधार राज्य-सरकारों और राज्यों की राजधानियों के स्तर तक पहुच रहे हैं। नए औद्योगिक निवेश के वास्तविक लाभ निवेश अनुमोदनों और आशयों को वास्तविक निवेश, नियोजन और उत्पादन में परिणत करने से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य-सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि-उपयोग, जल, विद्युत्-उत्पादन और वितरण तथा सड़कें राज्य-सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। नई संभावनाओं को मतदाता जनता द्वारा बोधगम्य यथार्थता में परिवर्तित करने के लए नीति, नियमों और प्रक्रियाओं में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

विदेशी क्षेत्र

60. निर्यातों की सतत वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भुगतान संतुलन की सतत व्यवहार्यता की कुंजी हैं। 1991-92 में विनिमय दर में हुए परिवर्तनों और उत्तरवर्ती सुधारों ने भारतीय विनिर्माण को प्रतियोगी बना दिया है। विदेशी-पूंजी के अन्तः प्रवाह और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि ने, जिसके कारण पिछले दो वर्षों में वास्तविक विनिमय-दर में वृद्धि हुई है, इस तथ्य को परिवर्तित नहीं किया है। तथापि हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में हमारे निर्यातों पर अभी भी नीति संबंधी बहुत से प्रतिबंध हैं। निर्यातकों के लिए बनाई गई श्रम-नीति हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिकूल है, जो लचीलेपन और विश्व बाजारों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता के लिए बाधा उत्पन्न करती है। बहुत सी निर्यात योग्य वस्तुएं अभी भी लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, जिससे गुणात्मक-निर्यातों की परिमाण वृद्धि और आधार निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। विदेशी निवेश नीति ने अभी श्रम-प्रधान उपभोक्ता माल उत्पादकों की उस लहर को आकर्षित नहीं किया है, जिससे दक्षिण-पूर्वी एशिया और चीन में निर्यातों और नियोजन में काफी-वृद्धि हुई थी। निर्यात सम्पर्कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन नीतियों को उदार-बनाने की आवश्यकता है।

61. निर्यातों की सतत उच्च-वृद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और व्यवहार निर्यातकों को वास्तविक तीव्र-मार्गी प्राथमिकता प्रदान करें। आयात-लाइसेंस देने, सीमाशुल्क और शुल्क-कमियों से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मूलतः सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, यदि निर्यात-आयात प्रलेखन पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होता तो सम्पूर्ण अभिलेखन, जांच और अनुमोदन सीमाशुल्क गृह में तत्क्षण किए जा सकते थे। एक प्रामाणिक पास-बुक प्रणाली शुरू की जा सकती थी, जिससे प्रत्येक निर्यात-आदेश के लिए अलग से "लाइसेंस देने" और शुल्क-कमियों से संबंधित प्रक्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

62. विश्व-अर्थव्यस्था के साथ भारत के विदेशी-व्यापार और भुगतानों के एकीकरण की उत्तरोत्तर सुदृढ़ता के साथ-साथ भुगतान-संतुलन, विदेशी मुद्रा-प्रारक्षित निधि, विदेशी ऋण और विनिमय-दर के समग्र प्रबन्धन के लिए लचीली प्रतिक्रिया हेतु सतर्कता और क्षमता की मांग जारी रहेगी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं ने निम्न चालू लेखा घाटे का अनुसरण करने वाली भारत को भुगतान-संतुलन नीति, जो पूर्ण पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता, सशक्त विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों, विदेशी ऋण पर प्रभावी नियंत्रण (अल्पावधि ऋणों और निक्षेपों को हतोत्साहित करने सहित) लचीली बाजार निर्धारित विनिमय-दर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन और सबसे अधिक प्रबल निर्यात वृद्धि के प्रति एक सतर्क दृष्टिकोण है, को न्यायोचित ठहराया है। स्वाभाविक रूप से अनिश्चित विश्व वातावरण में, भारत के भुगतान-संतुलन के प्रबन्ध को अनवरत सतर्कता, परिपक्व निर्णय, विवेकपूर्ण पूर्वगामी कार्यों और अनुमान न लगाये जा सकने वाले विकासों के प्रति सामयिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी।

कृषि

63. हमारे कृतिक बल का दो-तिहाई हिस्सा अपनी आजीविका कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से प्राप्त करता है। इस क्षेत्र का कार्य निष्पादन अभी भी भारत की अधिकांश जन-संख्या की वास्तविक आयों और जीवन स्तरों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुए आर्थिक सुधारों ने उद्योग की तुलना में कृषि की सापेक्ष लाभप्रदता को सुधारने में काफी योगदान दिया है। कृषीय वस्तुओं के देशीय और विदेशी व्यापार पर नियंत्रणों को कम करने से आय संबंधी लाभों के अवसर पर्याप्त रूप से विस्तारित हुए हैं। कृषीय विकास के पैटर्न को व्यापक बनाने, इस क्षेत्र के प्रति शेष पूर्वाग्रहों को समाप्त करने और वहनीय आधार पर मूल निविष्टियों, क्रेडिट और विस्तार सेवाओं की उपलब्धता को सुधारने के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

64. कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश (मुख्य रूप से राज्यों द्वारा किया गया) में ह्रास अत्यधिक चिन्ता का विषय है। यथार्थवादी रूप में अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधन केवल तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब कृषि संबंधी निविष्टियों पर चालू अत्यधिक आर्थिक सहायता को कम किया जाए। उदाहरण के रूप में प्रचालन और रखरखाव लागतों तथा पूंजीगत लागतों के पर्याप्त भाग को शामिल करने के लिए सिंचाई क्षेत्र में लागत वसूली को सुधारना आवश्यक है। सिंचाई संबंधी आर्थिक सहायता को चरणबद्ध रूप से कम करने का एक रास्ता सिंचाई जल के वितरण को विकेन्द्रित करना है। विभिन्न स्तरों पर सिंचाई संबंधी सहकारी समितियों का श्रेणीबद्ध संगठन बनाया जा सकता है, जो चैनलों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होगा। राज्य सिंचाई विभागों के कार्यकरण को अपेक्षाकृत अधिक वाणिज्यिक पूर्वाभिमुखीकरण प्रदान करने के लिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे पुनः पूर्वाभिमुखीकरण का दोहरा प्रभाव होगा– उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से और ग्रामीण निजी निवेश को संपोषित करके प्राथमिक पादप पोषकों—नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी) और पोटाश (के)—की खपत में असन्तुलन भी चिन्ता का कारण है। 4 : 2 : 1 के आदर्श औसत अनुपात की तुलना में 1993–94 में समग्र रूप से भारत का एन. पी. के. का वास्तविक खपत अनुपात 9.3 : 3.1 : 1 था। यह असंतुलन सापेक्ष कीमतों में विरूपणों का प्रतिबिम्ब है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो इससे पर्यावरण को क्षति और उत्पादकता को हानि होने की संभावना है।

65. खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से इन फसलों के लिए उत्पादन प्रोत्साहनों को निस्सन्देह रूप से बढ़ावा मिला है। लेकिन इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और खाद्य भण्डार के भंडारण, रखने-उठाने और वितरण की सहवर्ती उच्च इकाई लागतों सहित उसे निजी व्यापार क्षेत्र से भारतीय खाद्य निगम को अपवर्तित करने से सामान्य मुद्रास्फीति में भी योगदान प्राप्त हुआ है। खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के ग्रामीण जनसंख्या के निर्धनतम वर्गों जिनमें से अधिकांश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित पहुंच है, के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल परिणाम रहे हैं। समाज के अधिक असुरक्षित वर्गों की आवश्यकता को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

66. जैसा कि पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में बताया गया था, कृषीय विकास के बृहत सुधार कार्य में छोटे किसानों के लिए विशेष समर्थन कार्यक्रम, ग्रामीण क्रेडिट का सुदृढ़ीकरण, कृषीय सहकारी समितियों का पुनरुत्थान, पंचायतों, अन्य ग्रास रूट निकायों को पुनः अस्तित्व में लाने संबंधी अनेक कार्यक्रम अपूर्ण पड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम पहले की तरह आवश्यक और महत्वपूर्ण है। चीनी जैसे कृषीय उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने, कृषीय निर्यातों और घरेलू व्यापार पर प्रतिबन्ध समाप्त करने के कार्य भी अधूरे पड़े हैं। बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरुग्वे दौर ने कृषि क्षेत्र को विश्व-व्यापार में व्यापक नए अवसर प्रदान किए हैं। भारतीय कृषि इन अवसरों का लाभ उठाने में पीछे नहीं रह सकती।

आधार ढांचा

67. आगामी कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा बेहतर गुणात्मक आधार ढांचे, विशेष रूप से विद्युत, सड़क, जल और दूरसंचार की अनुपलब्धता हो सकती है। इन गैर-व्यापार योग्य सेवाओं की उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात-गतिशीलता के लिए भी अनिवार्य है। विगत में, आधार ढांचे संबंधी सेवाओं पर अधिकांशतः केन्द्रीय और राज्य सरकारों का एकाधिकार था। अब इन्हें निजी निवेश के लिए और कुछ मामलों में निजी प्रबन्ध और प्रचालन के लिए खोला जा रहा है। इस प्रक्रिया को व्यापक बनाने, गहन और त्वरित करने तथा संक्रमण की रूपात्मकता को यथासंभव सुस्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। तथापि, उत्पादन आरम्भ करने की अवधि में विलम्ब के कारण कुछेक वर्षों के लिए अधिकतर समग्र आपूर्ति सार्वजनिक सत्ता के कार्यनिष्पादन पर निर्भर रहेगी।

68. अधिकांश आधार ढांचे संबंधी क्षेत्र में द्विमुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है: प्रचालनात्मक दक्षता और उत्पादकता के चालू स्तरों को सुधारने के उपाय और भविष्य के लिए पर्याप्त निवेश को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। दृष्टान्त के रूप में विद्युत क्षेत्र को लिया जाए। ऊष्मीय (थर्मल) संयंत्रों के औसत संयंत्र भार घटक में एक प्रतिशत प्वाइंट के सुधार से प्रत्येक वर्ष विद्युत आपूर्ति में प्रभावी रूप से 390 मेगावाट की वृद्धि होगी जिसकी नई क्षमता के रूप में लागत 1250 करोड़ रुपये होगी। जबकि

उत्पादन संचारण और वितरण में उत्पादकता संबंधी सुधारों के लिए पर्याप्त अवसर है, भावी क्षमता में पर्याप्त निवेश को सुनिश्चित करने से नहीं बचा जा सका। निवेश के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें या तो चालू प्रचालनों से उत्पन्न किया जाना होगा अथवा स्वीकार्य नीति ढांचे के माध्यम से आकर्षित करना होगा। प्रत्येक मामले में, इसके लिए विद्युत टैरिफों में पर्याप्त संशोधन करने और आर्थिक सहायताओं में भारी कमी करने की आवश्यकता होगी। कड़वा सत्य यह है कि विद्युत क्षेत्र के निवेशों को व्यवहार्य बनाने के लिए विद्युत प्रयोक्ता को इसकी लागत वहन करनी होगी। राज्य विद्युत बोर्डों में संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रचालन व्यवहारों और टैरिफों में मूलभूत सुधार करने के लिए गारंटियां और प्रति गारंटियां अधिकाधिक अस्थायी राहत ही प्रदान कर सकती है। वे आवश्यक सुधारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं।

सामाजिक क्षेत्र और निर्धन

69. सरकार गरीबी–उन्मूलन के लिए निम्नलिखित त्रिमुखी नीति का अनुसरण करती रही है :

(i) आर्थिक सुधार का समग्र कार्यक्रम तीव्र व्यापक आधार वाली नियोजन – प्रधान आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

(ii) प्रत्यक्ष गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया गया है और नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर भी अधिक खर्च किया जा रहा है।

70. लेकिन सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी कार्यक्रमों के लिए केवल बजटीय आबंटन को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। अब बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों को आशयित लाभभोगियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण और अनुकूल बनाने के लिए, वितरण प्रणालियों और प्रशासनिक संरचनाओं में सुधार किया जाए। निःसरण एवं कदाचारों पर रोक लगानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु तथा ध्यान निश्चयात्मक रूप से इन क्षेत्रों की ओर अंतरित हो जाना चाहिए। इन लक्ष्यों का उल्लेख करना सरल है किन्तु कार्यान्वित करना अत्यधिक कठिन है। लेकिन यदि गरीबी के उत्पीड़न को कारगर रूप से समाप्त किया जाना है तो हमें अपने प्रयासों में दृढ़प्रतिज्ञ होना होगा।

अध्याय—2

लोक वित्त

1994-95 के बजट द्वारा केन्द्रीय वित्त व्यवस्था को राजकोषीय संतुलन के मार्ग पर पुनःस्थापित करने के साथ ही 1993-94 में राजकोषीय सुधार के उद्देश्य में आया गतिरोध अस्थायी साबित हुआ। 1994-95 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय सुधार के कार्यक्रम के आरम्भ से केन्द्रीय राजकोषीय घाटे म सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। यह गिरावट आर्थिक राजसहायता तथा रक्षा व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत की कमी और निवल पूंजी व्यय (ऋण पर ब्याज को छोड़कर पूंजी व्यय के रूप में परिभाषित) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत की कमी के कारण हुई है। 1991 से आयोजना व्यय की तुलना में आयोजना-भिन्न व्यय में औसत वृद्धि कम होने से आयोजना-व्यय के प्रति आयोजना-भिन्न व्यय के बढ़ते अनुपात की पहले की प्रवृति भी प्रतिवर्तित हो गई है।

2. सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकार की घटी हुई सकल बचतों में 1993-94 (सं.अ.) में तेजी से वृद्धि हुई। 1994-95(ब.अ.) में घटी हुई बचतों के कम होने की संभावना है। यह राजकोषीय घाटे में गिरावट को परिलक्षित करता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार की बचतों में इस गिरावट के बावजूद केन्द्रीय बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 प्रतिशत के बढ़कर 1993-94 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद का 6.0 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय सरकार के ऋण सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुपात जो, 1991-92 के 69.4 प्रतिशत से गिरकर 1992-93 में 68.4 प्रतिशत हो गया, की हाल की गिरावट की प्रवृत्ति भी 1993-94(सं.अं.) में अस्थाई तौर पर प्रतिवर्तित हो गयी थी लेकिन इसके 1994-95(ब.अ.) में पुनः आरम्भ हो जाने की संभावना है। केन्द्रीय सरकार के ऋण और देयताओं का ढांचा कुछ दिलचस्पी का विषय है। 1993-94 (सं.अं.) में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को केन्द्रीय सरकार के ऋण, केन्द्र की विक्रेय बकाया देयता का लगभग 33 प्रतिशत बैठते हैं (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों को छोड़कर)। आर्थिक परिसम्पत्तियों (अर्थात् 'आर्थिक सेवा में परिसम्पत्तियां') के अंकित मूल्य इन देयताओं का कुल 28 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, 'आर्थिक' परिसम्पत्तियों की बिक्री से, सिद्धांत रूप में, विशिष्ट देयताओं के कम से कम 28 प्रतिशत की प्रतिदेयता में मदद मिल सकती है। इस प्रकार, 'विक्रेय बकाया देयताओं' का केवल 39 प्रतिशत ही सामाजिक और प्रशासनिक परिसम्पत्तियों और व्ययों के कारण हैं।

3. 1994-95 के बजट में संतुलित दरों, कम छूटों और विस्तृत कर आधार से युक्त कराधान की अपेक्षाकृत सरल प्रणाली की ओर सुधार की गति जारी रखी गई। देशीय कम्पनियों पर त्रिविध कार्पोरेट कर की दरों को एक ही दर में समेकित कर दिया गया है और कार्पोरेट तथा व्यक्तिगत आय कर की सीमान्त दरों को कम कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क दोनों के संबंध में, अन्तः उपयोग अधिसूचनाओं की संख्या तथा दरों की संख्या तथा फैलाव में अत्यधिक कमी हुई है। सीमा-शुल्को की शीर्ष दर को 85 प्रतिशत से कम कर के 65 प्रतिशत पर लाने के साथ शुल्कों के ढांचे में सुधार का प्रयास भी किया गया। उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर, अन्तः निर्मित राजस्व संबंधी सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शुल्कों से यथा मूल्य शुल्कों की ओर उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया। निवेश साधनों पर अदा किए गए करों के लिए मोडवेट क्रेडिट संबंधी प्रणाली को पेट्रोलियम तथा पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने के लिए बढा दिया गया। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष कराधान को दूरभाष, गैर जीवन बीमा तथा स्टाक ब्रोकरों जैसी सेवाओं पर लागू करने की एक लघु शुरूआत की गई।

4. इन कर-सुधारों से कर-राजस्व के संघटन में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। विदेश व्यापार संबंधी करों पर पहले की अत्यधिक निर्भरता जो मुख्यतया अकुशलताओं तथा विकृतियों को जन्म देती थी, कम हो गई है। आयात शुल्कों के लिए समग्र संग्रहण दर 1990-91 के 47 प्रतिशत से गिरकर 1993-94 में 30 प्रतिशत पर आ गई है। ये प्रवृत्तियां भारतीय उद्योगों के लिए पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं की लागतों में गिरावट तथा संरक्षण स्तरों में कमी की सूचक हैं, जो भारतीय उद्योग को उसकी कार्यकुशलता तथा स्पर्धात्मकता में सुधार लाने में प्रेरित करने में मदद दे रही है। सहवर्ती रूप में, सकल

S/13 Fin./95—3

कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों का भाग 1990-91 के 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 में 28.4 प्रतिशत हो गया है। इक्विटी तथा आर्थिक कार्य-कुशलता दोनों की दृष्टि से ये परिवर्तन वांछनीय हैं।

राजकोषीय घाटा

5. राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया, जो 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत के महत्वपूर्ण संकुचन से आरम्भ हुई, 1992-93 में अधिक धीरे-धीरे जारी रही (सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत), लेकिन 1993-94 में इसमें अस्थायी तौर पर गतिरोध आया। राजकोषीय घाटा (संशोधित अनुमानों के अनुसार) सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि से 7.4 प्रतिशत तक हो गया (सारणी 2.1)। यह वृद्धि प्राप्तियों की अपेक्षाकृत कम वसूली तथा अधिक व्यय दोनों के कारण हुई थी। 1994-95 के बजट में घाटे को कम करके 6 प्रतिशत तक लाकर राजकोषीय संतुलन पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। अतः 1990-91 से राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत की कमी हो गई होगी। यह गिरावट व्ययों में कमी की वजह से है। आर्थिक राज-सहायता और रक्षा व्ययों में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत की कमी हुई। तथापि, यह राजस्व वसूलियों में 0.8 प्रतिशत (सकल घरेलू उत्पाद का) की कमी से आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया। विगत ऋण पर ब्याज अदायगियां घटाकर, पूंजीगत व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत की गिरावट हुई। निवल पूंजीगत व्यय में यह गिरावट आर्थिक राजसहायताओं तथा रक्षा व्ययों में हुई गिरावट से जरा सी कम है। इस प्रकार चालू व्ययों और निवल पूंजीगत व्यय दोनों ने 1994-95 के बजट अनुमान पर आधारित राजकोषीय घाटे में हुई गिरावट में काफी योगदान दिया है।

सारणी 2.1

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियां और व्यय

	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं. अ)	1994-95 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7	8
				(करोड़ रुपए)			
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3)	11937	52296	54954	66031	74128	76166	86084
2. कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर)	9358	38349	42978	50069	54044	54473	62742
3. कर-भिन्न राजस्व	2579	13947	11976	15962	20084	21693	23342
4. राजस्व व्यय जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय	14410	64210	73516	82292	92702	110224	118811
(क) ब्याज अदायगियां	2604	17757	21498	26596	31075	37500	46000
(ख) आर्थिक राज-सहायता	2028	10474	12158	12253	12043	12400	9463
(ग) रक्षा व्यय	3273	9665	10874	11442	12109	14944	16169
5. राजस्व घाटा	2037	11914	18562	16261	18574	34058	32727
6. पूंजीगत प्राप्तियां	7642	30020	38997	38528	36178	58646	59615
(क) ऋणों की वसूली	2096	4980	5712	6021	6356	6655	6700
(ख) अन्य प्राप्तियां				3038	1961	2500	4000
(ग) उधार और अन्य देयताएं	5546	25040	33285	29469	27861	49491	48915
7. पूंजीगत व्यय	7646	28698	31782	29121	29916	33648	32888
8. कुल व्यय जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय	22056	92908	105298	111413	122618	143872	151699
(क) आयोजना-व्यय	8994	27520	28365	30961	36660	46027	46582
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	13062	65388	76933	80452	85958	97845	105117
9. राजकोषीय घाटा	8445	35632	44632	36323	40173	58551	54915
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में				(प्रतिशत)			
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3)	8.8	11.4	10.3	10.7	10.5	9.7	9.5

1	2	3	4	5	6	7	8
2. कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर)	6.9	8.4	8.0	8.1	7.7	6.9	6.9
3. कर-भिन्न राजस्व	1.9	3.1	2.2	2.6	2.9	2.8	2.6
4. राजस्व व्यय जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय	10.6	14.1	13.7	13.4	13.2	14.0	13.1
(क) ब्याज अदायगियां	1.9	3.9	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1
(ख) आर्थिक राज सहायता	1.5	2.3	2.3	2.0	1.7	1.6	1.0
(ग) रक्षा व्यय	2.4	2.1	2.0	1.9	1.7	1.9	1.8
5. राजस्व घाटा	1.5	2.6	3.5	2.6	2.6	4.3	3.6
6. पूंजीगत प्राप्तियां	5.6	6.6	7.3	6.3	5.1	7.5	6.6
(क) ऋणों की वसूली	1.5	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
(ख) अन्य प्राप्तियां	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.4
(ग) उधार और अन्य देयताएं	4.1	5.5	6.2	4.8	4.0	6.3	5.4
7. पूंजीगत व्यय	5.6	6.3	5.9	4.7	4.3	4.3	3.6
8. कुल व्यय जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय	16.2	20.3	19.7	18.1	17.4	18.3	16.7
(क) आयोजना-व्यय	6.6	6.0	5.3	5.0	5.2	5.9	5.1
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	9.6	14.3	14.4	13.1	12.2	12.4	11.6
9. राजकोषीय घाटा	6.2	7.8	8.3	5.9	5.7	7.4	6.0

टिप्पणी:—पूर्णांक किए जाने के कारण संभवतः आंकड़े योग से मेल न खाएं।

1993-94 में राजकोषीय और बजटीय घटनाक्रम

केन्द्रीय सरकार

6. कर और कर-भिन्न राजस्व से युक्त राजस्व प्राप्तियों, जिनमें 1991-92 में 20.2 प्रतिशत तथा 1992-93 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, में 1993-94 (सं० अ०) में 2.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 2.1)। इनमें 1994-95 (ब० अ०) में लगभग 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की संभावना है। केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में 1991-92 तथा 1992-93 के क्रमश: 5.8 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1993-94 (सं०अ०) के दौरान 17.3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गई। 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.5 प्रतिशत से गिरकर 9.7 प्रतिशत पर आ गई।

7. अनेक वर्षों से, आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि आयोजना—व्यय की वृद्धि से अधिक तेज रही है। आयोजना-भिन्न व्यय, जो 1980-81 में 13062 करोड़ रुपए था, लगभग पांच गुना बढ़कर 1989-90 में 65388 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसी अवधि में आयोजना-व्यय में तीन गुना वृद्धि हुई। 1990-91 के दौरान, आयोजना-व्यय में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, आयोजना-भिन्न व्यय में 17.7 प्रतिशत की और वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, सुधारों के आरम्भ होने से यह प्रवृत्ति प्रतिवर्तित हो गई है। सुधार-प्रक्रिया के पहले दो वर्षों के दौरान आयोजना—व्यय में 29.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आयोजना-भिन्न व्यय में केवल 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, 25.6 प्रतिशत के स्तर पर आयोजना-व्यय में वृद्धि आयोजना-भिन्न व्यय में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग दोगुनी रही है। आयोजना-भिन्न व्यय में तीव्र वृद्धि पर यह नियंत्रण सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप संभव हो पाया है। इनमें विभिन्न स्तरों पर पदों में कमी, पैट्रोल/डीजल की खपत में समग्र कटौती, टेलीफोन संबंधी व्यय को कम करना तथा अतिरिक्त वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या, जो वर्षों से बढ़ रही थी, मार्च, 1992 के 39.98 लाख से लगभग पचास हजार घटकर मार्च 1994 में 39.49 लाख हो गई।

सारणी 2.2

केन्द्रीय सरकार का घाटा

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	बजटीय घाटा	राजस्व घाटा	सकल राज-कोषीय घाटा	प्रारंभिक सकल घाटा
1	2	3	4	5
1975-76	0.5	1.1	4.1	2.5
1980-81	1.8	1.5	6.2	4.3
1981-82	0.9	0.2	5.4	3.4
1982-83	0.9	0.7	6.0	3.8
1983-84	0.7	1.2	6.3	4.0
1984-85	1.6	1.8	7.5	5.0
औसत छठी योजना	1.2	1.1	6.3	4.1
1985-86	2.0	2.2	8.3	5.5
1986-87	2.8	2.7	9.0	5.8
1987-88	1.7	2.7	8.1	4.7
1988-89	1.4	2.7	7.8	4.2
1989-90	2.3	2.6	7.8	3.9
औसत सातवीं योजना	2.1	2.6	8.2	4.8
1990-91	2.1	3.5	8.3	4.3
1991-92	1.1	2.6	5.9	1.6
1992-93	1.8	2.6	5.7	1.3
1993-94 (सं० अ०)	1.2	4.3	7.4	2.7
1994-95 (ब०अ०)	0.7.	3.6	6.0	1.0

टिप्पणी:— बजटीय घाटा राजस्व और पूंजी दोनों की सम्पूर्ण प्राप्तियों और सम्पूर्ण व्यय के मध्य का अन्तर है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा कतिपय ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और वापसी अदायगियों को घटाकर ऋणों सहित कुल व्यय के मध्य का अन्तर है। प्रारम्भिक घाटा ब्याज अदायगियों को घटाकर राजकोषीय घाटा है।

8. राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों के तहत व्यय की और समीक्षा करने तथा ऐसे क्षेत्रों की खोज करने की जरूरत है जहां कमी करना सम्भव है अथवा व्ययों को प्रयोक्ता प्रभारों के जरिए अधिक कारगर रुप से वित्त पोषित किया जा सकता है।

बचत और पूंजी निर्माण

9. सरकार की सकल बचतें, जिनमें राजकोषीय सुधार के प्रथम दो वर्षों के दौरान स्पष्ट सुधार दिखाई दिया था, 1993-94 (सं.अ.) के दौरान एक बार फिर प्रभावित हो गई। केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार, 1992-93 में 8401 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का—1.2 प्रतिशत) की घटी हुई बचतों की तुलना में 1993-94 के संशोधित अनुमानों में 19574 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत) की घटी हुई बचतें दर्शित होती हैं (सारणी 2.4)। उपभोग व्यय भी 26865 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत) से बढ़कर 32467 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत) हो गया (सारणी 2.3)। सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के स्तर पर उपभोग व्यय सुधारों के प्रथम दो वर्षों के स्तर से उच्चतर होते हुए भी सुधार के आरम्भ से एकदम पहले के वर्षों अर्थात् 1989-90 के 4.5 प्रतिशत तथा 1990-91 के 4.2 प्रतिशत से अभी भी कम है।

सारणी 2.3
केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का आर्थिक वर्गीकरण

	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं० अ०)	1994-95 (ब० अ०)
1	2	3	4	5	6	7	8
				(करोड़ रुपए)			
1. उपभोग व्यय	5174	20734	22359	24466	26865	32467	33983
(क) रक्षा	3571	14298	15319	16251	17403	21244	22726
(ख) अन्य सरकारी प्रशासन	1603	6436	7040	8215	9462	11223	11257
2. अंतरण अदायगियाँ (चालू)	6912	37877	45134	51378	58518	67970	74580
(क) ब्याज अदायगियां	2253	16525	19949	24955	29055	35263	43501
(ख) आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी)	1912	10862	10728	10326	10479	11742	9738
(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (जिसमें स्थानीय निकाय शामिल है)	1810	5725	7664	8797	10030	11915	11404
(घ) अन्य	937	4765	6793	7300	8954	9050	9937
3. बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण	9012	33012	35053	35165	37649	47162	48353
(क) वास्तविक परिसंपत्तियां	1907	8136	8602	9259	11875	14193	15516
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	7105	24876	26453	25906	25774	32969	32837
4. अन्य	1397	3376	2422	1722	2895	1922	1829
5. कुल व्यय	22495	95049	104973	112731	125927	149521	158745
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप				(प्रतिशत)			
1. उपभोग व्यय	3.8	4.5	4.2	4.0	3.8	4.1	3.7
(क) रक्षा	2.6	3.1	2.9	2.6	2.5	2.7	2.5
(ख) अन्य सरकारी प्रशासन	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2
2. अंतरण अदायगियां (चालू)	5.1	8.3	8.4	8.3	8.3	8.6	8.2
(क) ब्याज अदायगियां	1.7	3.6	3.7	4.1	4.1	4.5	4.8
(ख) आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी)	1.4	2.4	2.0	1.7	1.5	1.5	1.1
(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (जिसमें स्थानीय निकाय शामिल है)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3
(घ) अन्य	0.7	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1
3 बजटीय संसाधनों में सकल पूंजी निर्माण	6.6	7.2	6.5	5.7	5.4	6.0	5.3
(क) वास्तविक परिसम्पत्तियां	1.4	1.8	1.6	1.5	1.7	1.8	1.7
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	5.2	5.4	4.9	4.2	3.7	4.2	3.6
4. अन्य	1.0	0.7	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2
5. कुल व्यय	16.5	20.8	19.6	18.3	17.9	19.0	17.5
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में				(प्रतिशत)			
1. उपभोग व्यय	23.0	21.9	21.3	21.7	21.3	21.7	21.4
(क) रक्षा	15.9	15.0	14.6	14.4	13.8	14.2	14.3
(ख) अन्य सरकारी प्रशासन	7.1	6.8	6.7	7.3	7.5	7.5	7.1
2. अन्तरण अदायगियां (चालू)	30.7	39.8	43.0	45.6	46.5	45.5	47.0
(क) ब्याज अदायगियां	10.0	17.4	19.0	22.1	23.1	23.6	27.4
(ख) आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी)	8.5	11.4	10.2	9.2	8.3	7.9	6.1
(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (जिसमें स्थानीय निकाय शामिल हैं)	8.0	6.0	7.3	7.8	8.0	8.0	7.2
(घ) अन्य	4.2	5.0	6.5	6.5	7.1	6.1	6.3
3. बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण	40.1	34.7	33.4	31.2	29.9	31.5	30.5
(क) वास्तविक परिसम्पत्तियां	8.5	8.8	8.2	8.2	9.4	9.5	9.8
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	31.6	26.2	25.2	23.0	20.5	22.0	20.7
4. अन्य	6.2	3.6	2.3	1.5	2.3	1.3	1.2

सारणी 2.4

केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निर्माण और उसकी वित्त व्यवस्था

	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं. अ.)	1994-95 (ब. अ)
1	2	3	4	5	6	7	8
						(करोड़ रुपए)	
I. केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	9012	33012	35058	35165	37649	47162	48353
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण .	1907	8136	8602	9259	11875	14193	15516
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता . .	7105	24876	26456	25906	25774	32969	32837
II केन्द्रीय सरकार की सकल बचतें . .	3	—5142	—10502	—7802	—8401	—19574	—16493
III. अन्तर (I-II) . . . जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई	9009	38154	45560	42967	46050	66736	64846
क. घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र पर ड्राफ्ट .	7339	34831	41794	36599	39812	61599	59203
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां . .	4762	24239	30447	29744	27500	52539	53203
(ii) बजटीय घाटा . . .	2577	10592	11347	6855	12312	9060	6000
ख. विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट . . .	1670	3323	3766	6368	6238	5137	5644
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में			प्रतिशत				
I. केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	6.6	7.2	6.5	5.7	5.4	6.0	5.3
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण .	1.4	1.8	1.6	1.5	1.7	1.8	1.7
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता .	5.2	5.4	4.9	4.2	3.7	4.2	3.5
II. केन्द्रीय सरकार की सकल बचतें . .	0.0	-1.1	-2.0	-1.3	-1.2	-2.5	-1.8
III. अन्तर (I-II) . . . जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई	6.6	8.4	8.5	7.0	6.6	8.5	7.1
क. घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र पर ड्राफ्ट .	5.4	7.6	7.8	5.9	5.7	7.8	6.5
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां . .	3.5	5.3	5.7	4.8	3.9	6.7	5.8
(ii) बजटीय घाटा . . .	1.9	2.3	2.1	1.1	1.8	1.2	0.7
ख. विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट . . .	1.2	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7	0.6
I. केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण: पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि	24.7	13.9	6.2	0.3	7.1	25.3	2.5

टिप्पणी (i) इस सारणी में सकल पूंजी निर्माण में सकल पूंजी निर्माण के लिए सकल आधार पर दिए गए ऋण शामिल हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकार को ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं।

(ii) सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला में संशोधन होने के कारण यहां दिए गए अनुपात आर्थिक समीक्षा के पूर्ववर्ती अंकों में दिए गए अनुपात से भिन्न हो सकते हैं।

10. बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण पर व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत की वृद्धि– 1992-93 के 5.4 प्रतिशत से 1993-94 (सं०प्र०) में 6.0 प्रतिशत उपभोग व्यय में हुई वृद्धि से अधिक है। 1993-94 (सं०प्र०) में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण भी 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत के सकल पूंजी निर्माण से अधिक रहा है। तथापि, अधिकांश वृद्धि 'अर्थ व्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता' के रूप में हुई है। इसके परिणामस्वरूप ,सकल पूंजी निर्माण में वास्तविक

परिसम्पत्तियों का अंश जो 1990-91 के 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 1991-92 में 26.3 प्रतिशत और 1992-93 में 31.5 प्रतिशत हो गया था, 1993-94 (सं०अ०) में मामूली रूप से गिरकर 30.1 प्रतिशत हो गया।

सरकारी ऋण

11. आंतरिक देयताएं 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 51.2 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद का 54.2 प्रतिशत हो गई (सारणी 2.5)। आन्तरिक देयताओं में यह वृद्धि मुख्यतया आन्तरिक ऋणों में वृद्धि के कारण थी जो 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 28.3 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में 30.9 प्रतिशत हो गया। लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि से युक्त 'अन्य आन्तरिक देयताओं' में 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 22.8 प्रतिशत से 1993-94 (सं०अ०) में 23.3 प्रतिशत तक की केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई। कुल आन्तरिक देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा जो 1980-81 में 32.4 प्रतिशत था और जिसमें गत वर्षों में गिरावट हो रही थी, 1992-93 में 22.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। तथापि, यह हिस्सा परिपक्व होती राजकोषीय हुंडियों और जीरो कूपन बाण्डों के परिवर्तन के संबंध में लिए गए ऋणों को शामिल करने के कारण 1993-94 (सं०अ०) के दौरान बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गया।

सारणी 2.5

केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताएं

निम्नलिखित वर्ष के अन्त में

	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं.अ.)	1994-95 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
				(करोड़ रुपये)			
1. आंतरिक देयताएं	48451	239849	283033	317714	359654	426027	483546
(क) आन्तरिक ऋण	30864	133193	154004	172750	199100	242729	277561
(क) बाजार उधार	15676	62565	70565	78075	81751	99443	114143
(ख) अन्य	15188	70628	83439	94675	117349	143286	163418
(ख) अन्य आन्तरिक देयताएं	17587	106656	129029	144964	160554	183298	205985
2. विदेशी ऋण (बकाया)[1]	11298	28343	31525	36948	42269	45892	49508
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	59749	268192	314558	354662	401923	471919	533054
4. विभाजन के पूर्व के ऋण के भाग के आधार पर पाकिस्तान से मिलने वाली देय राशि	300	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3-4)	59449	267892	314258	354362	401623	471619	532754
6. कुल परिसंपत्तियां	58999	209623	236740	261478	290963	326854	355536
7. परिसंपत्तियों के रूप में अधिक देयताएं (5-6)	450	58269	77518	92884	110660	144765	177218
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में				प्रतिशत			
1. आंतरिक देयताएं	35.6	52.5	52.9	51.6	51.2	54.2	53.2
(क) आंतरिक ऋण	22.7	29.2	28.8	28.0	28.3	30.9	30.5
(ख) अन्य आंतरिक देयताएं	12.9	23.3	24.1	23.5	22.8	23.3	22.6
2. विदेशी ऋण (बकाया)[1]	8.3	6.2	5.9	6.0	6.0	5.8	5.4
3. कुल बकाया देयताएं	43.7	58.7	58.7	57.6	57.2	60.0	58.6
6. कुल परिसंपत्तियां	43.4	45.9	44.2	42.4	41.4	41.6	39.1
7. परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक हुई देयताएं (5-6)	0.3	12.8	14.5	15.1	15.7	18.4	19.5

1	2	3	4	5	6	7	8
ज्ञापन मदें:							
विदेशी ऋण (करोड़ रुपए)[1]	13479	54100	66314	109677	120979	127798	132199
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	9.9	11.8	12.4	17.8	17.2	16.3	14.5
कुल बकाया देयताएं (समायोजित) (करोड़ रुपए)	61930	293949	349347	427391	480633	553825	615745
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	45.5	64.3	65.2	69.4	68.4	70.4	67.7
बकाया देयताएं (गैर आर बी आई)[3] (करोड़ रुपए)	48495	231884	275292	346504	387973	453434	509354
बकाया देयताएं (गैर-आर बी आई) (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	35.7	50.3	51.4	56.2	55.2	57.7	56.0

[1]विदेशी ऋण के आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी संसाधनों से उधार के द्योतक हैं और पारम्परिक विनिमय दरों पर आधारित हैं।

[2]चालू वर्ष के अन्त में विनिमय दरों पर परिकलित। 1980-81 के लिए मार्च, 1981 के अंत में प्रभावी दरें; 1986-87 के लिए मार्च, 1987 के अंत में प्रभावी दरें आदि। तथापि 1994-95 (बजट अनुमान) के संबंध में दरें सितम्बर 1994 के अंत की दरों से संबंधित हैं।

[3]इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विशेष दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

12. बजट में दर्शाई गई देयताएं पारम्परिक विनिमय दरों पर आधारित हैं। चूंकि गत वर्षों में रुपए के मूल्य में काफी ह्रास हुआ है, इसलिए चालू वर्ष के अन्त की विनिमय दरों पर दर्शाई गई बाह्य देयताएं कहीं अधिक हैं। पारम्परिक दरों पर बाह्य देयताएं जो वर्ष 1993-94 (सं०अ०) के अन्त में 45892 करोड़ रुपए थीं, वास्तव में चालू वर्ष के अन्त की विनिमय दरों पर 127798 करोड़ रुपए हैं (सकल घरेलू उत्पाद का 16.3 प्रतिशत)। केन्द्र की कुल बकाया देयताओं जिनमें आंतरिक और बाह्य (समायोजित) देयताएं शामिल हैं, में 1992-93 में गिरावट दिखाई दी थी, उनमें वर्ष 1993-94 (सं०अ०) के दौरान वृद्धि दर्ज की गई। देयताएं 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 68.4 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में 70.4 प्रतिशत हो गईं।

ब्याज दरें

13. उधारों पर लगे ब्याज की औसत दर में भी गत वर्षों से वृद्धि हो रही है। आन्तरिक देयताओं पर, ब्याज की औसत दर, जो 1991-92 के दौरान 8.4 प्रतिशत और 1992-93 के दौरान 8.6 प्रतिशत थी, में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह 1993-94 (सं०अ०) के दौरान 9.3 प्रतिशत हो गई। 1990-91 से 1992-93 के तीन वर्षों के दौरान ब्याज दर में हुई वृद्धि केवल 0.2 प्रतिशत प्रति-वर्ष रही है (सारणी 2.6)। 1993-94 में हुई वृद्धि मुख्यतया 'अन्य आन्तरिक देयताओं' पर ब्याज की दर में हुई वृद्धि के कारण है जो 1992-93 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में 11.1 प्रतिशत हो गई। बाजार-उधारों पर ब्याज की दर भी 1992-93 के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में 10.8 प्रतिशत हो गई। बाजार उधार तथा 'अन्य आन्तरिक देयताएं' कुल आन्तरिक देयताओं का 66 प्रतिशत हिस्सा थी। इसके विपरीत, बाह्य देयताओं पर ब्याज की दर 1991-92 के 4.2 प्रतिशत से गिरकर 1992-93 में 3.3 प्रतिशत तथा 1993-94 (सं०अ०) में और कम होकर 3.1 प्रतिशत तक आ गई।

सारणी 2.6

केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताओं पर ब्याज

	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं. अ.)	1994-95 (ब. अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
					(करोड़ रुपए)		
1. आंतरिक देयताओं पर ब्याज	2373	16241	19637	23892	27439	33625	41839
क. आंतरिक ऋण	1369	8273	9814	11317	13542	15823	21331
(i) बाजार उधार	808	5368	6366	7355	8147	8809	10380
(ii) अन्य	561	2905	3448	3962	5395	7014	10951
ख. अन्य आंतरिक देयताएं . . .	1004	7968	9823	12575	13897	17802	20508
2. विदेशी ऋण पर ब्याज	231	1494	1834	2704	3529	3875	4161
3. सकल ब्याज संदाय	2604	17735	21471	26596	30968	37500	46000
4. निवल ब्याज संदाय	809	9269	12687	15674	18480	22962	30022
ब्याज की औसत दर				(प्रतिशत)			
1. आंतरिक देयताएं	उ. न.	8.0	8.2	8.4	8.6	9.3	9.8
(क) आंतरिक ऋण	उ. न.	7.2	7.4	7.3	7.8	7.9	8.8
(i) बाजार उधार	उ. न.	9.7	10.2	10.4	10.4	10.8	10.4
(ii) अन्य	उ. न.	4.9	4.9	4.7	5.7	6.0	7.6
ख. अन्य आंतरिक देयताएं . . .	उ. न.	8.9	9.2	9.7	9.6	11.1	11.2
2. विदेशी ऋण	उ. न.	5.8	6.5	8.6	9.6	9.2	9.1
2. कुल देयताएं	उ. न.	7.7	8.0	8.5	8.7	9.3	9.7

टिप्पणी : ऊपर दर्शाई गई ब्याज देयताएं नकद आधार पर हैं न कि संभूति आधार पर।

परिसम्पत्तियां

14. 1993-94 (सं०अ०) के अन्त में 553825 करोड़ रुपए की कुल देयताओं (समायोजित) की तुलना में गत वर्षों में राजस्व लेखे के अधिशेषों और उधारों से 326854 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां सृजित की गई। इस प्रकार, देयताएं परिसम्पत्तियों से 226971 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 28.9 प्रतिशत) अधिक हैं। परिसम्पत्तियों के मुकाबले देयताओं का आधिक्य जो 1980-81 के अन्त में केवल 2931 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत) था, निरन्तर बढ़ रहा है। तथापि, परिसम्पत्तियों और देयताओं की यह तुलना कुछ हद तक भ्रामक है क्योंकि परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है। सृजित की गई परिसम्पत्तियों का मौजूदा मूल्य अंकित मूल्य से कई गुना अधिक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिसम्पत्तियों का काफी भाग वास्तविक परिसम्पत्तियों के रूप में है।

15. अंकित मूल्य के परिसीमन के बावजूद प्रमुख आर्थिक वर्गों के बीच परिसम्पत्तियों के वितरण का अवलोकन करना उपयोगी होगा। 1993-94 (सं०अ०) में, परिसम्पत्तियों का 72 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं में, 25 प्रतिशत सामान्य सेवाओं में और 3 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं में था (सारणी 2.7)। सामाजिक सेवाओं में कम अनुपात इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि सामाजिक क्षेत्र लगभग पूरी तरह राज्य सरकारों के अधीन हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए उधार कुछ हद तक आर्थिक सेवाओं की व्यवस्था हेतु पूंजी के अधिग्रहण में इस्तेमाल हुए। अतः यह परिकलन करना दिलचस्प होगा कि इन परिसम्पत्तियों की बिक्री से ऋण की कितनी मात्रा चुकाई जा सकेगी। 1993-94 (सं० अ०) में आर्थिक परिसम्पत्ति का अंकित मूल्य कुल 'बकाया देयताओं' (गैर आर बी०आई०) का लगभग 28 प्रतिशत था और परिसम्पत्तियों में भूमि शामिल करने की हद पर यह अनुपात कहीं

अधिक होगा। "बकाया देयताओं" (गैर-आर०बी०आई०) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित गैर-विक्रेय विशेष प्रतिभूतियों तथा तदर्थ देयताओं को अलग रखा जा सके क्योंकि ये उस मुद्रीकरण की द्योतक हैं जिनका खर्च जनता द्वारा उच्च मुद्रा-स्फीति के रूप में पहले ही वहन किया जा चुका है।

16. 1993-94 (सं०अ०) के अन्त में, पूंजीगत 'परि-व्यय' कुल परिसम्पत्तियों का 54.3 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी 2.7)। केन्द्रीय सरकार को परिसम्पत्तियों के शेष 45.7 प्रतिशत हिस्से में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और अन्यों को दिए गए ऋण शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का एक हिस्सा पूंजी निर्माण में भी परिणत होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के ढांचे का अवलोकन करना दिलचस्प होगा। 1993-94 (सं० अ०) में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें दिए गए कुल बकाया ऋणों के 68.2 प्रतिशत के तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम बाकी 30.9 प्रतिशत के देनदार थे। उपगत देयताओं की दृष्टि से बकाया देयताओं (गैर-आर० बी० आई०) का 22.5 प्रतिशत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तथा 10.2 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की ओर से था। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उधार लेने के बजाए प्रत्यक्ष रूप से उधार लिया होता तो केन्द्रीय सरकार की 'बकाया देयताएं' (गैर-आर० बी० आई०) 32.7 प्रतिशत कम होती। विदेशी सरकारें (0.3 प्रतिशत) और सरकारी कर्मचारी (0.6 प्रतिशत) कुल ऋणों के केवल गौण हिस्से

सारणी 2.7

केन्द्रीय सरकार की परिसम्पत्तियां

	निम्नलिखित वर्ष के अन्त में						
	1980-81	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (सं.अ.)	1994-95 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
				(करोड़ रुपये)			
1. पूंजीगत परिव्यय	29162	108647	122016	135076	155291	177419	194036
(क) सामान्य सेवाएं	5951	26050	31023	31686	37607	44809	52366
(ख) सामाजिक सेवाएं	1062	3409	3749	4088	4484	4896	5311
(ग) आर्थिक सेवाएं	22149	79188	87244	99302	113200	127714	136359
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न को दिए गए ऋण	29837	100976	114724	126403	135672	149435	161500
(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	17335	64242	74111	83529	91554	101923	111472
(ख) विदेशी सरकारें	261	1184	2103	1546	687	488	542
(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यम	12040	35003	37877	40615	42639	46103	48403
(घ) सरकारी कर्मचारी	201	547	633	713	792	921	1083
3. कुल परिसंपत्तियां	58999	209623	236740	261479	290963	326854	355536
4. बकाया देयताएं	59449	267892	314258	35462	401623	471619	532753
5. पूंजीगत परिव्यय तथा दिए गए ऋणों से अधिक हुई देयताएं	450	58269	77518	92884	110660	144765	177218
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
				(प्रतिशत)			
1. पूंजीगत परिव्यय	21.4	23.8	22.8	21.9	22.1	22.6	21.3
(क) सामान्य सेवाएं	4.4	5.7	5.8	5.1	5.4	5.7	5.8
(ख) सामाजिक सेवाएं	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
(ग) आर्थिक सेवाएं	16.3	17.3	16.3	16.1	16.1	16.2	15.0

1	0	3	4	5	6	7	8
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न को दिए गए ऋण	21.9	22.1	21.4	20.5	19.3	19.0	17.8
(क) राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	12.7	14.1	13.8	13.6	13.0	13.0	12.3
(ख) विदेशी सरकारें	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यम	8.9	7.7	7.1	6.6	6.1	5.9	5.3
(घ) सरकारी कर्मचारी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3. कुल परिसम्पत्तियां	43.4	45.9	44.2	42.4	41.4	41.6	39.1
4. बकाया देयताएं	43.7	58.6	58.7	57.5	57.1	60.0	58.6
5. पूंजीगत परिव्यय और दिए गए ऋणों से अधिक हुई देयताएं	0.3	12.8	14.5	15.1	15.7	18.4	19.5
कुल के प्रतिशत के रूप में	(प्रतिशत)						
1. पूंजीगत परिव्यय	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(क) सामान्य सेवाएं	20.41	23.98	25.43	23.46	24.22	25.26	26.99
(ख) सामाजिक सेवाएं	3.64	3.14	3.07	3.03	2.89	2.76	2.74
(ग) आर्थिक सेवाएं	75.95	72.89	71.50	73.52	72.90	71.98	70.28
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न को दिए गए ऋण	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	58.10	63.62	64.60	66.08	67.48	63.21	69.02
(ख) विदेशी सरकारें	0.87	1.17	1.83	1.22	0.51	0.33	0.34
(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यम	40.35	34.66	33.02	32.13	31.43	30.85	29.97
(घ) सरकारी कर्मचारी	0.67	0.54	0.55	0.56	0.58	0.62	67.0

ब्याज अदायगियां

17. ऋण के बढ़ते बोझ के साथ-साथ ऊंची ब्याज दरों का परिणाम यह हुआ है कि राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण भाग ब्याज अदायगियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है (सारणी 2.1)। 1993-94 (सं० अ०) के दौरान ब्याज अदायगियां कुल राजस्व व्यय के 32 प्रतिशत से अधिक भाग का निर्माण करती थीं। यह 1992-93 के दौरान हुए 33.4 प्रतिशत तथा 1991-92 के दौरान हुए 32.3 प्रतिशत के व्यय से कुछ-कुछ कम है, लेकिन 1989-90 के दौरान हुए 27.6 प्रतिशत के व्यय से अधिक है। तथापि, ब्याज अदायगियां करने के लिए प्रयोग में लाये गये कुल राजस्वों का अनुपात निरन्तर बढ़ते हुए 1991-92 के 40.3 प्रतिशत से 1992-93 में 41.9 प्रतिशत तथा 1993-94 (सं० अ०) में 49.2 प्रतिशत हो गया है। ऋण की ब्याज अदायगियों और वापसी अदायगी से युक्त कुल ऋण-आपूर्ति 1993-94 (सं० अ०) में कुल राजस्व प्राप्तियों का 112.8 प्रतिशत थी। तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी पी एस ई) की इक्विटी बिक्री तथा ऋणों की वसूली से हुई प्राप्तियों को, प्राप्ति पक्ष में शामिल करना तर्कसंगत होगा। उस स्थिति में कुल ऋण आपूर्ति कुल प्राप्तियों का 100.7 प्रतिशत बैठती है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र : 1993-94

18. वर्ष 1993-94 (सं०अ०) के लिए राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (एस० पी० एस० ई०) सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चालू राजस्व तथा कुल व्यय दोनों के संशोधित अनुमान 1992-93 के वास्तविक अनुमानों से मामूली रूप से अधिक हैं। कुल व्यय में 1992-93 के 15.7 प्रतिशत से 1993-94 (सं० अ०) में 16.0 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सकल घरेलू उत्पाद के 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया। परिणामस्वरूप, चालू राजस्व और कुल व्यय के बीच अन्तर 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 प्रतिशत से गिरकर 1993-94 (सं० अ०) में 3.5 प्रतिशत हो गया। विकास-भिन्न व्यय

में विकास संबंधी व्यय की तुलना में तेजी से वृद्धि जारी रही। 1993-94 (सं० अ०) में विकास–भिन्न व्यय में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विकास संबंधी व्यय में केवल 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणाम-स्वरूप कुल व्यय में विकास-भिन्न व्यय का अनुपात 1992-93 के 32.8 प्रतिशत और 1991-92 के 31.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गया।

19. चालू राजस्व में हुई वृद्धि कर-भिन्न राजस्व और केन्द्र से प्राप्त अनुदानों में वृद्धि के कारण है। बिक्री कर से होने वाली प्राप्तियों में 1992-93 के 3.1 प्रतिशत से 1993-94 (सं० अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय कार्य-निष्पादन अभी भी चिन्ता का विषय है। इन उद्यमों के अन्तरिक संसाधन 1992-93 के 1305 करोड़ रुपए तथा 1991-92 के 1699 करोड़ रुपए की ऋणात्मक राशियों की तुलना में, 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1114 करोड़ रुपए को ऋणात्मक राशि थे। यद्यपि हानियों में कुछ कमी हुई है, फिर भी ये हानियां राज्य के वित्त-साधनों के लिए अड़चन बनी हुई हैं। घाटा उठा रहे उद्यमों की बिक्री से न सिर्फ इन हानियों में कमी हो सकेगी और इस राशि को सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे के रख-रखाव के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा बल्कि परि-सम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय से बुनियादी ग्रामीण और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए संचित निधि भी उपलब्ध होगी।

केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र : 1993-94

20. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सहित केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के चालू राजस्व 1993–94 में सकल घरेलू उत्पाद 21.8 प्रतिशत से गिरकर 1993-94 (सं. अ.) में 21.5 प्रतिशत तक आ गए (सारणी 2.8)। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कर राजस्व का कम होना जारी रहा जो 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 16.2 प्रतिशत के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 15.5 प्रतिशत तक आ गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर-भिन्न राजस्व का बढ़ना जारी रहा जो 1992-93 के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 6.0 प्रतिशत पर पहुंच गया। यह 1991-92 के 5.0 प्रतिशत के वास्तविक आंकड़ों से काफी अधिक है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक संसाधनों में घट-बढ़ होती रही है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के स्तर पर वे 1991-92 और 1992-93 के क्रमश: 2.1 प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत के वास्तविक आंकड़ों से अधिक हैं।

21. सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल परिव्यय में भी घट बढ़ होती रही है। यह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 32.4 प्रतिशत से कम होकर 1992-93 में 32.2 प्रतिशत पर आने के बाद 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 33.2 प्रतिशत तक हो गया। कम प्राप्तियों और अधिक परिव्यय के परिणामस्वरूप दोनों के बीच अन्तर में सकल घरेलू उत्पाद के 11.7 प्रतिशत की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। विकास-भिन्न व्यय में वृद्धि अपेक्षाकृत तेज रही है। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में इसका हिस्सा 1991-92 और 1992-93 के क्रमश: 40.5 प्रतिशत और 40.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 1993-94 (सं.अ.) में 42.1 प्रतिशत हो गया है।

22. घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिक तथा बाह्य वित्त पोषण और बजटीय घाटों पर कम आश्रितता होने से इस अन्तर को पूंजीगत प्राप्तियों के जरिए वित्तपोषित करने का पैटर्न भी बदल गया है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों का भाग 1992-93 के 74.1 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 (सं. अ.) में 82.1 प्रतिशत हो गया है। बजटीय घाटे का योगदान 1992-93 के 17.5 प्रतिशत की तुलना में, गिरकर 12.4 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, बाह्य वित्त साधनों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति भी जारी रही तथा 1991-92 और 1992-93 के क्रमश: 9.4 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत के मुकाबले यह गिरावट कुल अन्तर का 5.6 प्रतिशत हो गई।

केन्द्रीय सरकार का बजट : 1994-95

23. वर्ष 1994–95 का बजट 1993–94 (सं. अ.) के दौरान राजकोषीय घाटे में हुए असंतुलन की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था। इस असंतुलन का सुधार और राजकोषीय सन्तुलन की पुन:स्थापना चालू वर्ष के बजट का एक प्रमुख मुद्दा था। औद्योगिक पुन:स्थापना में तेजी लाना, कर-प्रणाली में सुधार करना और गरीबी तथा बेरोजगारी का उपशमन अन्य मुद्दे थे जिनका चालू वर्ष के बजट के निर्माण में महत्व था। महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों जैसे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अधिक परिव्यय मुहैया कराए गए।

बजटीय घाटा

24. वर्ष 1994–95 के दौरान बजटीय घाटे (कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाकर, राजस्व और पूंजीगत दोनों) के कम होकर 6000 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान

केन्द्र का बजटीय घाटा

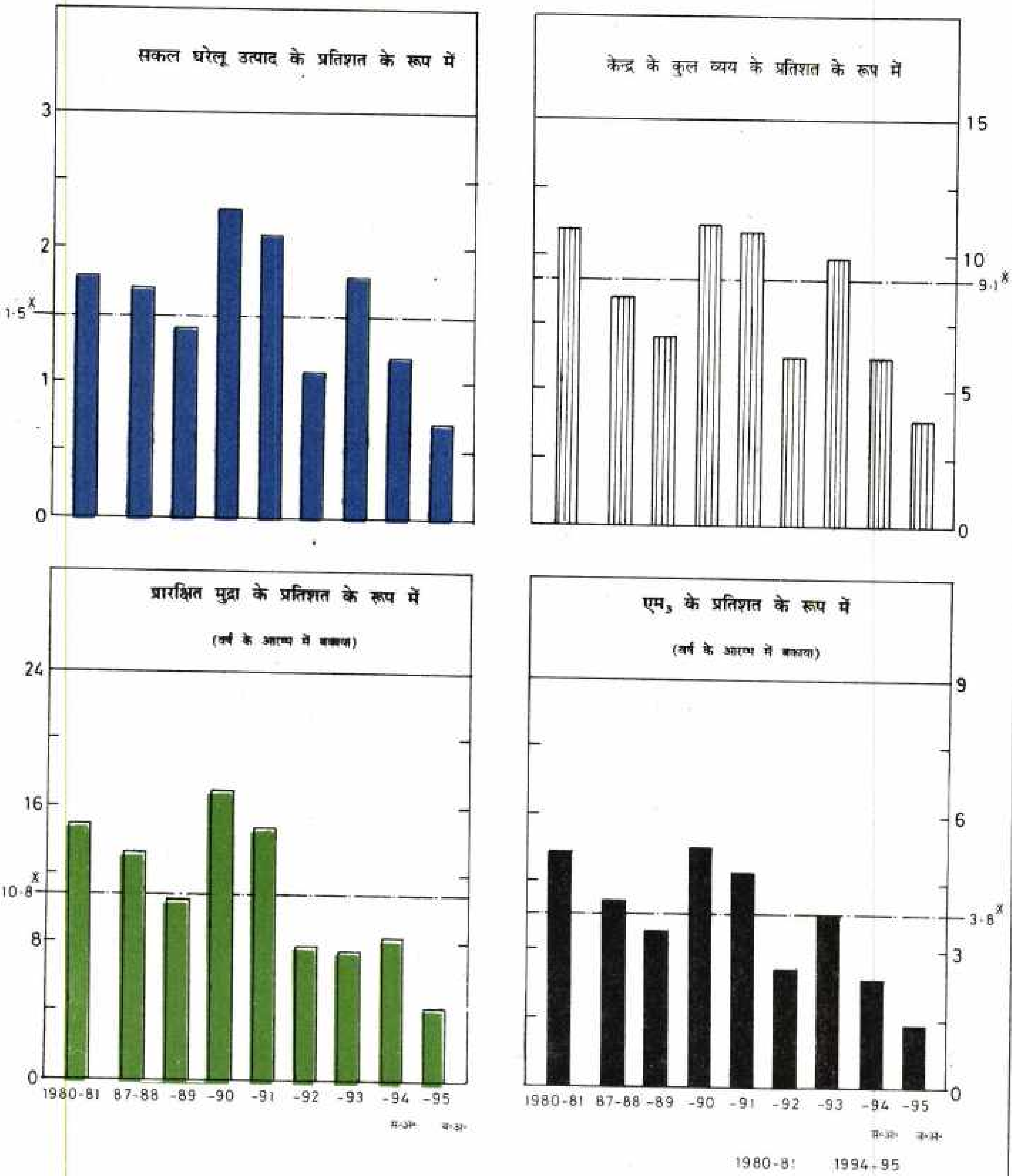

X 1980-81 से 1994-95 अवधि के लिए औसत

केन्द्र का राजस्व व्यय

प्रतिशत वितरण

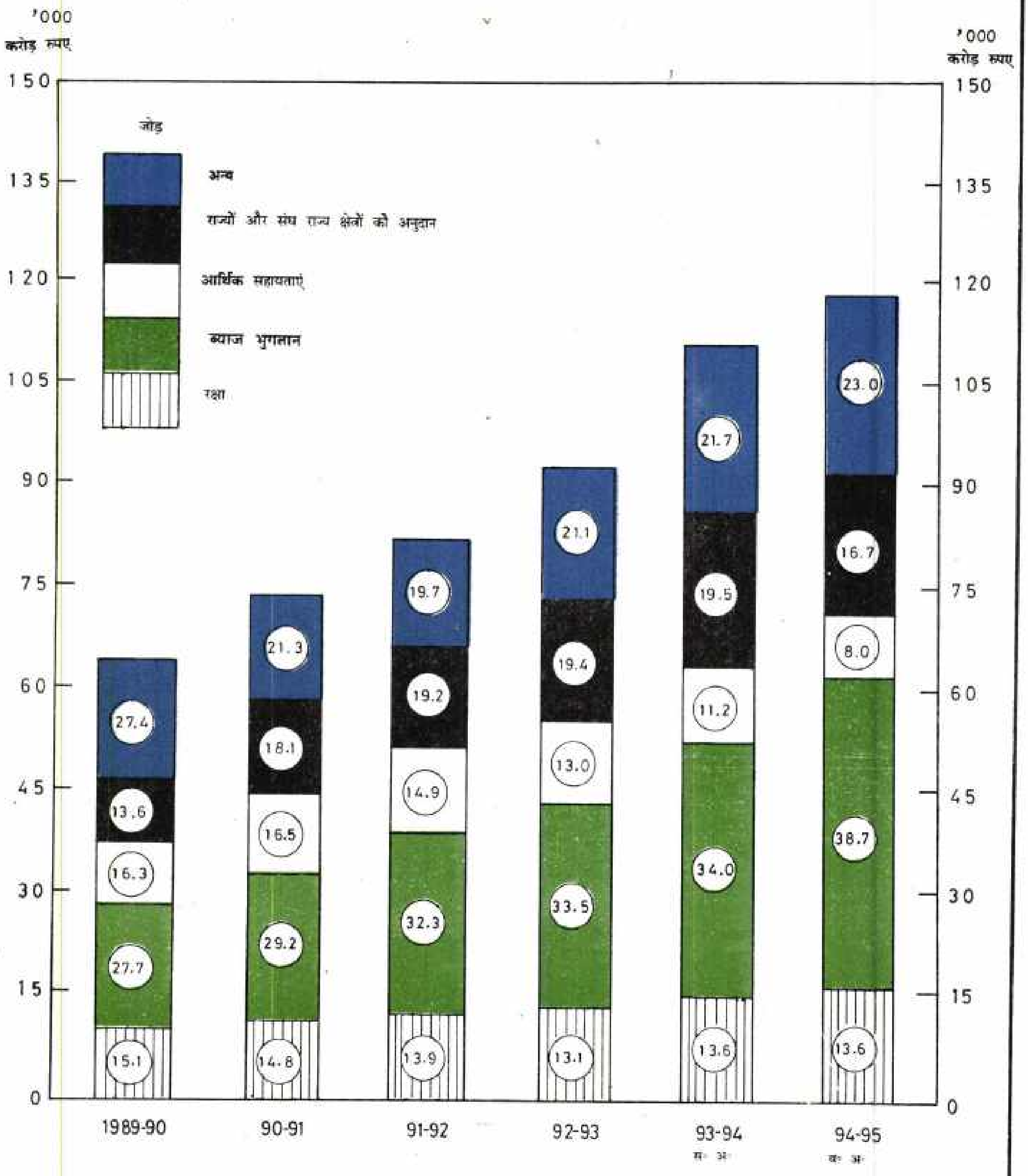

जबकि 1993–94 (सं. अ.) में ये घाटे 9060 करोड़ रुपए और 1992–93 में 12312 करोड़ रुपए थे। विगत में, वास्तविक बजटीय घाटा बजट अनुमानों से खास तौर से अधिक रहा था। वर्ष 1993–94 के दौरान 9060 करोड़ रुपए के बजटीय घाटे संबंधी संशोधित अनुमान 4314 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में दोगुने से अधिक थे। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ यह सहमति हुई कि यदि तदर्थ राजकोषी हुण्डियों का निवल निर्गम निरन्तर दस कार्य दिवसों से अधिक अवधि तक 9000 करोड़ रुपए से अधिक रहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक स्वत: ही बाजार में इन हुण्डियों की बिक्री कर देगा तथा इस स्तर को कम करेगा। वित्त पोषण के इस स्रोत को अगले दो वर्ष में कम करने तथा 1997–98 तक पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय भी किया गया है। 1994–95 के दौरान बजटीय घाटे की साप्ताहिक घट बढ़ चित्र 2.3 में दिखाई गई है। प्रथम चार सप्ताहों के दौरान बजटीय व्यवस्था अधिशेष रही। अगले 12 सप्ताहों के दौरान बजट में एक बार पुन: घाटा देखा गया। लेकिन घाटे का स्तर 1993–94 तथा 1992–93 के सदृश सप्ताहों के अन्त में विद्यमान घाटे की तुलना में काफी कम था। जुलाई 1994 के अन्तिम सप्ताह के आरम्भ से कई सप्ताह के लिए निरन्तर बजटीय अधिशेष रहा है। अधिशेष की यह निरन्तर अवधि किसी दशक की ऐसी अवधियों में से सर्वाधिक लम्बी रही है और यह 1994–95 के दौरान राजकोषीय प्रबंध की उल्लेखनीय सफलता को परिलक्षित करती है।

सारणी 2.8

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेन-देन (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उनके बजट बाह्य संसाधनों सहित)

	1980–81	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94 (सं. अ.)	1993–94 (ब. अ.)	1994–95 (ब. अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(करोड़ रुपए)		
I. कुल परिव्यय . . .	36845	158107	176548	199370	224688	261224	258477	294960
(क) विकास संबंधी . .	24426	98501	105922	118715	134020	151154	153911	168233
(ख) विकास भिन्न . .	12419	59606	70626	80655	90668	110070	104566	126727
II. चालू राजस्व . . .	24563	103115	110607	133834	153195	168885	178958	191932
(क) कर राजस्व . .	19844	77693	87723	103198	114165	121930	131805	140945
(i) प्रत्यक्ष कर . .	3268	11165	12259	16656	19386	22470	22888	26682
(ii) अप्रत्यक्ष कर . .	16576	66528	75464	86542	94779	99460	108917	114263
(ख) कर-भिन्न राजस्व . .	4719	25422	22884	30636	39030	46955	47153	50987
III. अन्तर (I–II)	12282	54992	65941	65536	71493	92339	79519	103028
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई								
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों से .	7161	40812	50192	52284	52969	75799	66428	88917
(ii) निवल विदेशी सहायता से .	1670	3567	4263	6171	5984	5136	6820	5644
(iii) बजटीय घाटे से] . .	3451	10613	11486	7081	12540	11404	6271	8467
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में				(प्रतिशत)				
I. कुल परिव्यय . . .	27.1	34.6	33.0	32.4	32.0	33.2	32.9	32.4
(क) विकास संबंधी . .	18.0	21.6	19.8	19.3	19.1	19.2	19.6	18.5
(ख) विकास भिन्न . .	9.1	13.0	13.2	13.1	12.9	14.0	13.3	13.9
II. चालू राजस्व . . .	18.1	22.6	20.7	21.7	21.8	21.5	22.8	21.1
(क) कर राजस्व . .	14.6	17.0	16.4	16.8	16.2	15.5	16.8	15.5
(i) प्रत्यक्ष कर . .	2.4	2.4	2.3	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9
(ii) अप्रत्यक्ष कर . .	12.2	14.6	14.1	14.0	13.5	12.6	13.9	12.6
(ख) कर भिन्न राजस्व .	3.5	5.6	4.3	5.0	5.6	6.0	6.0	5.6
III. अन्तर (I–II)	9.0	12.0	12.3	10.6	10.2	11.7	10.1	11.3
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई								
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों से .	5.3	8.9	9.4	8.5	7.5	9.6	8.4	9.8
(ii) निवल विदेशी सहायता से .	1.2	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.9	0.6
(iii) बजटीय घाटे से . .	2.5	2.3	2.1	1.1	1.1	1.5	0.8	0.9

टिप्पणी: इस सारणी में दी गई कुछ मदों के क्षेत्र संबंधी स्पष्टीकरण के लिए कृपया आंकड़ों के परिशिष्ट में सारणी 2.2 की पाद टिप्पणी देखिए।

Fig चित्र 2.3 बजटीय घाटा

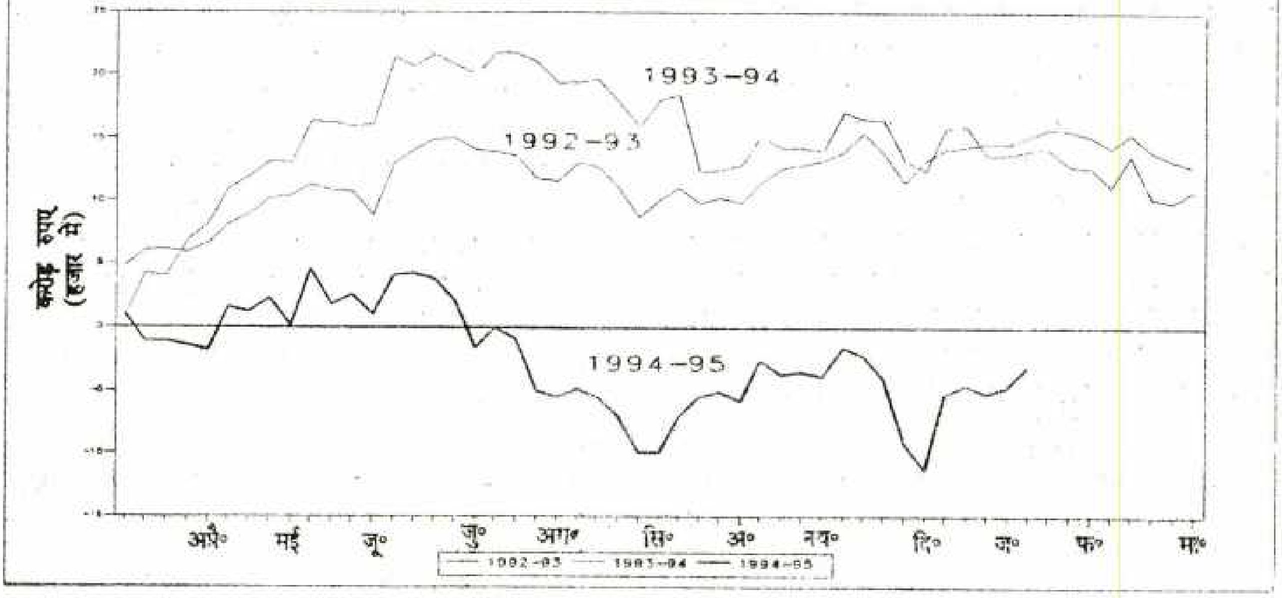

25. राजकोषीय घाटा जो कुछ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों सहित राजस्व प्राप्तियों और वापसी अदायगियां घटाकर ऋणों सहित कुल व्यय के बीच के अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है, भी 1994–95 के दौरान अपेक्षाकृत कम रहा है। यह जून 1994 के अन्त में 16792 करोड़ रुपए था जो गत वर्ष के सदृश स्तर से 14.7 प्रतिशत कम है। इसके बाद, इसमें कुछ वृद्धि हो गई और सितम्बर, 1994 के अन्त तक राजकोषीय घाटा बढ़कर 23003 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, इस स्तर पर भी, राजकोषीय घाटा सितम्बर, 1993 के अन्त के 29832 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे की तुलना में 22.9 प्रतिशत कम है।

बचत और पूंजी निर्माण

26. केन्द्रीय सरकार की सकल बचतें जो 1993–94 के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गई थीं, में आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार 1994–95 (ब.अ.) के दौरान सुधार होने का अनुमान है। घटी हुई सकल बचतों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत से 1994–95 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.8 प्रतिशत तक गिरावट होने का अनुमान है (सारणी 2.4)। दिल्ली के उपभोग व्यय को छोड़कर उपभोग व्यय के 1993–94 (स. अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत से कम होकर 1994–95 (ब. अ.) में 3.7 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है (सारणी 2.3)। अन्तरण अदायगियों के कुल मिलाकर 1993-94 (स.अ.) के 8.6 प्रतिशत से कम होकर 1994–95 (ब.अ.) में 8.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली आर्थिक राजसहायताओं और अनुदानों में कमी होने का अनुमान है। तथापि, व्याज अदायगियां अपनी अपरिवर्तनीय वृद्धि जारी रखेंगी। बजटीय संसाधनों से होने वाले सकल पूंजी निर्माण (केन्द्र का वास्तविक और वित्तीय निवेश) के लगभग सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 1993–94 (सं. अ.) में, दिल्ली को छोड़कर 5.3 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के हो जाने की संभावना है। निवेश में यह गिरावट मुख्यतया अर्थव्यवस्था के शेष हिस्से में पूंजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के 4.1 प्रतिशत से कम होकर 3.6 प्रतिशत तक हो जाने के कारण है। वास्तविक परिसम्पत्तियों के निर्माण में केवल मामूली गिरावट हुई है जो सकल घरेलू उत्पाद के 1.8 प्रतिशत से कम होकर 1.7 प्रतिशत पर आ गयी है। इस प्रकार, 1994–95 में राजकोषीय स्थिति में अनुमानित सुधार बेहतर बचतों लेकिन बजटीय संसाधनों में से 'अर्थव्यवस्था के शेष हिस्से में पूंजी निर्माण हेतु वित्तीय सहायता' में कम हुए निवेश में परिलक्षित होता है।

सरकारी ऋण

27. 1993–94 (सं. अ.) के दौरान दर्ज की गई केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताओं में हुई तीव्र वृद्धि को चालू वर्ष के दौरान नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। कुल बकाया देयताओं में जिनमें सितम्बर, 1994 के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित बाह्य देयताएं भी शामिल हैं, अनुमानतः सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत की कमी होने से वे सकल घरेलू उत्पाद के 67.7 प्रतिशत पर पहुंच जाएंगी (सारणी 2.5)। प्रमुख कटौती बाह्य देयताओं में 1993–94 (सं. अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 16.3

प्रतिशत से 1994–95 (ब. अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 14.5 प्रतिशत तक कम होने से होगी। आन्तरिक देयताओं के 1993–94 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 54.2 प्रतिशत से कम होकर 1994–95 (ब. अ.) में 53.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। मुख्यतया बाजार उधारों, विशेष प्रतिभूतियों और राजकोषीय हुंडियों से युक्त आन्तरिक देयताओं का आन्तरिक ऋण संघटक 1993–94 (सं. अ.) के 30.9 प्रतिशत से कम होकर 1994–95 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 30.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अन्य आन्तरिक देयताओं में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बकाया देयताओं में गिरावट होने का अनुमान है, तथापि, बढ़ती ब्याज दरों के साथ देयताओं में 61135 करोड़ रुपए की पूर्ण वृद्धि से ब्याज का कुल बोझ 1993–94 (वं. अ.) के 37500 करोड़ रुपए से बढ़कर 1994–95 (सं.अ.) में 46000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। (सारणी 2.6)।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें

28. 343.3 करोड़ रुपए की कुल राशि संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैंच अगस्त, 1994 में प्रस्तुत किया गया था। सकल व्यय 86.9 करोड़ रुपए की सीमा तक बचतों/वसूलियों अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों में से किया गया। अत: अनुपूरक मांगों में 256.4 करोड़ रुपए का निवल नकद बहिर्गमन अन्तर्ग्रस्त था। किसानों को दी जाने वाली रियायतों सहित विनियंत्रित फास्फेटी और पोटाश उर्वरकों की बिक्री की योजना के अन्तर्गत विनिर्माताओं/अभिकरणों को किए जाने वाले भुगतान 250 करोड़ रुपए के थे। व्यय की अन्य मुख्य मदें दिल्ली दुग्ध योजना के संबंध में अतिरिक्त व्यय और अनुसूचित जाति विकास निगम की अंश पूंजी में निवेश से संबंधित हैं।

29. दिसम्बर, 1994 में प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैंच के अनुसार कुल व्यय 5786.8 करोड़ रुपए था। तथापि, निवल नकद बहिर्गमन केवल 1961.8 करोड़ रुपए था क्योंकि 3825 करोड़ रुपए का व्यय बचतों/वसूलियों अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों में से किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत संबंधी ऋणों के लिए 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निर्मुक्त राशि कुल अनुपूरक मांगों के 43 प्रतिशत से अधिक थी। अन्य 17 प्रतिशत की राशि राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए थी। देशीय उर्वरकों पर 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजसहायता (8.6 प्रतिशत) आयातित उर्वरकों पर 332 करोड़ रुपए (5.7 प्रतिशत) और फोटो पहचान पत्र जारी करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के व्यय के हिस्से के रूप में 225 करोड़ रुपए (3.9 प्रतिशत) व्यय की कुछ अन्य मुख्य मदें थीं।

कर संबंधी उपाय और सुधार : 1994-95

30. कर प्रणाली में सुधार ढांचागत सुधार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग रहा है। इस नीति का लक्ष्य संतुलित दरों, कम छूटों और अपेक्षाकृत व्यापक कर आधार से युक्त कराधान की सरल प्रणाली को अपनाना है; पूर्ववर्ती बजटों में प्रत्यक्ष करों के संबंध में इन सिद्धान्तों को लागू किया गया था। 1994–95 के बजट में इन सिद्धान्तों पर प्रत्यक्ष करों के संबंध में निर्भरता जारी रखी गयी और अप्रत्यक्ष कराधान जो अभी भी केन्द्र के कुल कर राजस्व के 71 प्रतिशत से अधिक है, में प्रमुख ढांचागत सुधार आरम्भ किया गया। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों के संबंध में, अन्त तक प्रयोग संबंधी अधिसूचनाओं की संख्या में भारी कटौती हुई है जिससे विवादों की संभावना और विवेकाधिकार की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसके अलावा, अनेक दर श्रेणियों में भारी कमी की गई, शीर्ष दरों को कम किया गया और विशिष्ट शुल्कों में परिवर्तन करके मूल्यानुसार शुल्कों को अपनाने का महत्वपूर्ण बदलाव किया गया ताकि अन्तर्निमित राजस्व लोच को मजबूत किया जा सके। निवेश साधनों पर अदा किए गए करों संबंधी क्रेडिट की प्रणाली जिसे "मोडवैट" कहा जाता है, के अन्तर्गत पेट्रोलियम और पूंजीगत माल को शामिल करने के लिए उसे विस्तारित किया गया। वस्तु कराधान में हुए इन परिवर्तनों से "मोडवैट" "वैट" प्रकार की प्रणाली के निकट आ गया है और इससे अन्तत: एक पूर्ण विकसित मूल्य वर्धित कर आरम्भ करने में आसानी होगी। टेलीफोन, गैरजीवन बीमा और स्टाक ब्रोकरों जैसी सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कराधान लागू करने की एक छोटी शुरूआत भी की गई। तथापि, वैट सिद्धान्त सेवा संबंधी इन करों पर लागू नहीं होते।

31. कर सुधारों से कर राजस्व के संघटन में ढांचागत परिवर्तन हुआ है (सारणी 2.9)। केन्द्र के सकल राजस्व में प्रत्यक्ष करों के अंश में उछाल आया जो 1990–91 के 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 1994–95 (ब०अ०) में 28.4 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में अप्रत्यक्ष करों के अंश में तदनुरूप गिरावट हुई जो 78.9 प्रतिशत से कम होकर लगभग 71.3 प्रतिशत पर आ गया। इसके अलावा, सकल कर राजस्व में सीमा शुल्क संबंधी राजस्व का हिस्सा 1990-91 के लगभग 36 प्रतिशत से कम होकर 1994-95 (ब.अ.) में करीब 29 प्रतिशत हो गया। सीमा शुल्क टैरिफ के सामान्य स्तर में कमी जो संग्रहण दर में तेजी से हुई गिरावट में परिलक्षित होती है 1991–92 के 44 प्रतिशत से कम होकर 1993–94 में लगभग 30 प्रतिशत पर आ गयी। कुल मिलाकर, जुलाई 1991 से आरम्भ हुए कर सुधारों ने कर प्रणाली में ढांचागत असंतुलनों को, जो सब मिलाकर अकुशलता और विकृतियों को जन्म देते है, ठीक करने में मदद की है। सहवर्ती रूप में, प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि हुई है जो इक्विटी और आर्थिक कार्यकुशलता दोनों की दृष्टि से बेहतर है।

सारणी 2.9

सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में राजस्व के स्रोत

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (स०अ०)	1994-95 (ब०अ०)
1	2	3	4	5	6
प्रत्यक्ष कर (1)	19.1	22.6	24.3	27.6	28.4
निजी आयकर	9.3	10.0	10.6	12.4	12.5
निगम कर	9.3	11.7	11.9	13.7	14.3
अप्रत्यक्ष कर (2)	78.9	75.5	73.7	71.0	71.3
सीमा शुल्क	35.9	33.0	31.9	29.3	28.9
उत्पाद शुल्क	42.6	41.7	41.3	41.4	42.1
सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व					
प्रत्यक्ष कर (1)	2.1	2.5	2.6	2.7	2.7
निजी आयकर	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
निगम कर	1.0	1.3	1.3	1.3	1.4
अप्रत्यक्ष कर (2)	8.5	8.3	7.8	6.9	6.8
सीमा शुल्क	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8
उत्पाद शुल्क	4.6	4.6	4.4	4.0	4.0

(1) इसमें व्यय, ब्याज, धन कर और दान कर तथा सम्पदा शुल्क शामिल हैं

(2) इसमें अन्य कर और शुल्क शामिल हैं;

प्रत्यक्ष कर

निजी आयकर

32. निजी आयकर के नियंत्रण की प्रक्रिया 1994-95 के बजट में लगातार चलती रही। निजी कर-छूट सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी गई। इसके अतिरिक्त, गैर-कारपोरेट आय पर 12 प्रतिशत के अधिभार को हटा लिया गया। निजी कर दरों को परिवर्तित नहीं किया गया लेकिन कर-सीमा में फैलाव लाया गया जिसे नीचे दर्शाया गया है :—

आय-श्रेणी रुपयों में

कर-दर	पुरानी सीमा	नई सीमा
शून्य	0—30,000	0—35,000
20	30,001—50,000	35,001—60,000
30	50,001—100,000	60,001—120,000
40	100,000 से अधिक	120,000 से अधिक

33. निम्न अथवा निम्नमध्य वर्गीय श्रेणियों के यूनिटों में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य अनुमोदित म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को दीर्घकालीन पूंजी लाभ निरूपण दिया जाना अपेक्षित है यदि उन्हें, अंतरण की तारीख पर 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए धारण किया गया हो।

34. गोआ राज्य तथा दादर और नगर हवेली एवं दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में संपत्ति साझेदारी की प्रणाली द्वारा शासित पति और पत्नी के पास जाने वाली आय के अलग अलग मूल्यांकन के लिए एक नई व्यवस्था की शुरूआत की गई थी। साझेदारी (कम्युनिटी) आय (वेतन आय को छोड़कर) पति और पत्नी के बीच बराबर बराबर बांटी जानी अपेक्षित होती है।

कटौतियां

35. निम्न आय समूहों और विकलांगों को सहायता प्रदान करने के लिए आय कर अधिनियम के अधीन और राहतें प्रदान की गई थीं। वयोवृद्ध नागरिक (65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वाले) पहले की 20 प्रतिशत की सीमा की तुलना में अब 40 प्रतिशत कर छूट प्राप्त करने के हकदार हैं। सहवर्ती रूप से, इस कटौती का दावा करने के लिए पात्र आय सीमा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 100,000 रुपए कर दी गई। विकलांग बच्चे को कर पश्चात् आय की कटौती को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी आयों को, आयकर और सम्पत्ति कर-अधिनियम, दोनों के अन्तर्गत, समूहीकरण के प्रावधान से छूट प्रदान की गई थी।

36. स्व-अधिकृत संपत्ति से होने वाली आय का परिकलन करने में, उधार ली गई निधियों पर किए जाने वाले ब्याज-भुगतानों के संबंध में अनुमत कटौती आयकर के

प्रयोजन के लिए 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई थी। किसी संबंधी के विवाह के अवसर पर दिए गए उपहारों के लिए छूट सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 100,000 रुपए कर दी गई थी।

अनिवासी-निवेश

37. यौक्तिकीकरण और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए अनिवासी व्यक्तियों और अनिवासी कंपनियों के लिए निवेश आय (लाभांश और ब्याज आय) के कराधान की भिन्न दरों को 20 प्रतिशत की एक समान दर तक कम कर दिया गया था।

निगम-कर सरलीकरण

38. 1994-95 के बजट में निगम कर संरचना में एक मुख्य सुधार किया गया। यह निगम क्षेत्र को और अधिक बचत करने और अधिक निवेश करने तथा और अधिक स्पर्धात्मक बनने में सहायता करेगा। पहले बहुजन धारित और अल्पजन धारित घरेलू कंपनियों पर क्रमशः 45 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दरों पर कर लगाया जाता था। 1994-95 के बजट में बहुजन-धारित और अल्पजन धारित घरेलू कंपनियों के लिए कर-दरों के अन्तर को हटा दिया गया और घरेलू कंपनियों पर लगने वाले निगम-कर को 40 प्रतिशत की एक समान दर तक कम कर दिया गया। जबकि निर्ममित क्षेत्र को अनेक रियायतें दी जानी जारी रहेंगी, तथापि 75,000 रुपए से अधिक की कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत का अधिभार रहने दिया गया। इस प्रकार घरेलू कंपनियों पर प्रभावी दर 57.5 प्रतिशत (अल्पजन धारित कंपनियों के लिए) और 51.75 प्रतिशत (बहुजन धारित कंपनियों के लिए) से घटाकर 46 प्रतिशत की एकसमान दर कर दी गई। इसके अतिरिक्त विदेश में स्थित शामिल की गई कम्पनियों पर जो, भारत में अर्जन कर रही हैं, (अर्थात् विदेशी कम्पनियां), कर दर 65 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत कर दी गई।

आधार को व्यापक बनाना

39. कर आधार के सरलीकरण और उसे व्यापक बनाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 40 लाख रुपए तक की कुल बिक्री करने वाले ठेकेदारों और कम से कम दस ट्रक रखने वाले ट्रक मालिकों के लिए एक नई अनुमानित आय योजना शुरु की गई थी। ठेकेदारों के मामले में, निवल लाभ, सकल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत अनुमानित किया जाना है। ट्रक मालिकों के मामले में, भारी परिवहन मोटर वाहनों के लिए आय 2000 रुपए प्रतिमाह और हल्के वाणिज्यिक और मध्यम वाहनों के लिए 1800 रुपए प्रति माह अनुमानित की जाएगी। इन दोनों मामलों में, मूल्यह्रास अथवा ब्याज अथवा अन्य खर्चों के कारण होने वाली कटौतियां, पहले से ही अनुमेय की गई समझी जाती हैं और कोई अन्य कटौती की जाने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त दोनों योजनाएं वैकल्पिक हैं। विरोध करने की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कर निर्धारिती को न तो लेखाबहियां बनाने की आवश्यकता है और न ही अपने लेखों की लेखा-परीक्षा कराने की आवश्यकता है। विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाने की दृष्टि से और साथ ही कर-आधार को व्यापक बनाने के लिए छोटे व्यवसायियों आदि के लिए नई सरलीकृत कराधान प्रक्रिया को बनाए रखा गया है। इस योजना, जो प्रारंभिक रूप से दो कर-निर्धारण वर्षों अर्थात 1993-94 और 1994-95 के लिए लागू थी, के लिए अब कोई समय सीमा नहीं रही है अर्थात् यह परवर्ती वर्षों में भी लागू रहेगी।

40. कर-आधार को व्यापक बनाने का प्रभावी मार्ग, स्रोत पर आयकर की कटौती के क्षेत्र को बढ़ाना है। इस प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष में किसी भूमि और भवन के लिए 1,20,000 रुपए से अधिक के किराये संबंधी भुगतानों पर 20 प्रतिशत (जमा लागू अधिभार) की दर पर कर को रोके रखने की व्यवस्था करने के लिए 1 जून, 1994 से एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। तथापि, किसी व्यक्ति अथवा किसी अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा किए गए किराए संबंधी भुगतानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

प्रोत्साहन

41. पुनर्संरचना संबंधी प्रक्रिया में निर्यात के प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। वस्तु निर्यातों से होने वाली आय के लिए मौजूदा कर-छूट को जारी रखा गया है। चूंकि कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि की उच्च संभावना है, अतः कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से होने वाले लाभों को, एक और वर्ष अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 1995-96 तक पूर्ण कर छूट प्रदान की गई थी। विदेशी पर्यटकों से होने वाले अर्जन को बढ़ावा देने के लिए भी, होटलों में व्यय-कर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। व्यय कर उस होटल में लगाया जाता है, जहां आवासीय सुविधा के लिए कक्ष प्रभार प्रतिदिन 1200 रुपए अथवा अधिक होते हैं।

42. मानव संसाधनों के विकास में निवेश, वृद्धि और प्रगति के लिए एक अनिवार्य पूर्व-अपेक्षा है। इस प्रयोजन के लिए, एक नई व्यवस्था की शुरूआत की गई, जो किसी व्यक्ति को कुल मिलाकर दो लाख रुपए तक की राशि तक मूलधन की वापसी अदायगी करने पर आय से 25,000 रुपए प्रति वर्ष की कटौती का दावा करने का हकदार बनाती है। यह व्यवस्था निर्धारित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से उधार लिए गए ऋणों पर लागू होती है।

43. किसी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधानों के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए

किसी करनिर्धारिती द्वारा किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किए गए भुगतानों पर 125 प्रतिशत भारित कटौती करने की अनुमति है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला का आशय उन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्य कर रही हों। 1994-95 के बजट में, इलैक्ट्रोनिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को शामिल करने के लिए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह लाभ विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में लगी हुई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को भी दिया गया था।

44. आयकर-अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं, ताकि अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप न्यूनतम लागत पर और सरल तरीके से श्रमबल में समायोजन को सुविधाजनक बनाया जा सके। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के अधीन कर छूट प्रदान करने वाली धारा 10(10ग) के तहत आयकर अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाया गया था ताकि विश्वविद्यालयों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को पेंशन-निधि में अंशदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा संस्थापित पेंशन-निधि में किए गए अंशदानों को शामिल करने के लिए आयकर-अधिनियम के अधीन कर छूट का लाभ विस्तारित किया गया था।

45. किसी भी नीति में प्रदूषण नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो वहनीय विकास का पोषण करता है। 1994-95 के बजट में प्रदूषण नियंत्रण को आयकर अधिनियम की धारा क ग के अधीन रियायत की हकदार परियोजनाओं में शामिल किया गया है। अतः ऐसी परियोजना में अंशदान करने वाला कोई व्यक्ति कर-कटौती के रूप में ऐसे अंशदान के 100 प्रतिशत का दावा कर सकता है।

सुधारों का राजस्व-प्रभाव

46. उपलब्ध आंकड़े यह सुझाते हैं कि सरलीकरण, सीमान्त दरों में कटौती, यौक्तिकीकरण और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से आयकरों के सुधार की नीति निश्चित रूप से कार्य कर रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान आयकर दरों में कटौती करने से राजस्व संग्रहणों में ह्रास नहीं हुआ है। इसके विपरीत, वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन और कर-राजस्व में परिवर्तन के अनुपात द्वारा यथामापित औसत उत्प्लावकता में सुधार हुआ है। कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक निजी आय कर दरों को एक लाख रुपए से ऊपर की आय पर 56 प्रतिशत की सीमान्त कर दर से कम करके 1.2 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 40 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप राजस्व-संग्रहणों में कोई कमी नहीं आई है। निजी आयकर राजस्वों की उत्प्लावकता जो 1987-88 से 1990-91 के दौरान औसतन लगभग 1 थी। 1991-92 से 1994-95 के दौरान बढ़कर लगभग 1.4 हो गई। इसी प्रकार पिछले चार वर्षों के दौरान कुछ घरेलू कम्पनियों के लिए प्रभावी निगम कर दरों को 57.5 प्रतिशत की चरम सीमा से घटाकर, सभी घरेलू कंपनियों के लिए 46 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बावजूद, 1987-88 से 1990-91 तक 0.8 प्रतिशत की औसत उत्प्लावकता बढ़कर 1991-92 से 1994-95 में लगभग 1.7 प्रतिशत हो गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अनुपालन में वस्तुतः सुधार हुआ है।

आयात-शुल्क

47. आयात टैरिफ सुधारों का लक्ष्य आयातित मध्यवर्तियों और पूंजीगत वस्तुओं की लागतों को मितव्ययिता की सीमा तक कम करना और भारतीय उद्योग को प्रदान किए गए संरक्षण के अनुचित उच्च स्तरों को धीरे-धीरे कम करना रहा है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाली और कम लागत वाली वस्तुओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके, निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया जा सके और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जा सके। यद्यपि पिछले तीन बजटों में सीमाशुल्क कम हुआ फिर भी हमारे प्रतिस्पर्द्धी देशों के स्तरों से यह अभी भी काफी अधिक है। चूंकि उपभोक्ता माल का आयात अभी तक प्रतिबंधित हैं और इसलिए वे टैरिफ-परिवर्तनों द्वारा व्यापक रूप से अप्रभावित हैं, टैरिफ-कटौतियों का मुख्य कार्य घरेलू उद्योग को उचित कीमत पर आधारभूत आयातित कच्चा माल और मध्यवर्ती और पूंजीगत माल प्रदान करना रहा है। इसके साथ ही शुल्क कटौतियों का मापदण्ड यह सुनिश्चित करने के लिए इतना अंशांकित किया गया है कि समान प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर अनुचित दबाव न पड़े।

48. 1994-95 के बजट में किए गए आयात टैरिफ सुधारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। उच्चतम दरों में कटौती की प्रक्रिया जारी रखी गई। सूखे अंगूर, बादाम, मदिरा, बाल और रोलर बेयरिंगों और यात्री सामान को छोड़कर, सीमा-शुल्क की उच्चतम दर को 85 प्रतिशत से और घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत कच्चे माल और पूंजीगत माल पर शुल्क-दरों में भी कमी की गई।

49. टैरिफ के ढांचे में एक व्यापक सुधार शुरू किया गया। इसमें, तैयार उत्पादों की तुलना में कच्चे माल और संघटकों पर आयात-शुल्कों के उच्च स्तरों के परिणामस्वरूप होने वाली विसंगतियों में सुधार करना शामिल था। वर्गीकरण विवादों के क्षेत्र को कम करने के लिए समान प्रकार के उत्पादों पर दरों को एक समान कर देने का प्रयास किया गया। अंत प्रयोग छूटों सहित, अधिसूचनाओं की व्यापक

रूप से काट-छांट करने का कार्य किया गया जिससे एक ही वस्तु की अनेकानेक दरें और विरोधात्मक संरक्षण समाप्त हो गया और विवेकाधिकार तथा विवादों की संभावनाएं कम हो गई।

पूंजीगत वस्तुएं

50. निवेश को बढ़ावा देने और विशेष रूप से विनिर्माण-क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए मशीनरी और धातु क्षेत्र को शामिल करने वाली टैरिफ-दरों की वृहत् पुनर्संरचना की गई। परियोजना आयातों और सामान्य पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। परियोजना-आयातों की सुविधा पत्तन विकास परियोजनाओं तक भी बढ़ा दी गई। इससे भारतीय उद्योग में निवेश और आधुनिकीकरण की लागत को महत्वपूर्ण तरीके से कम करने की आशा की जाती है। मशीन औजारों की शुल्क-संरचना को भी, मौजूदा 40, 60 और 80 प्रतिशत की भिन्न दरों से परिवर्तित करके 35 अथवा 40 प्रतिशत की दो दरें बना कर सरलीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकांश पुर्जों पर भी चाहे उन्हें मूल उपस्कर के पुर्जों के रूप में आयात किया गया हो अथवा अतिरिक्त पुर्जों के रूप में, सीमाशुल्क घटाकर 25 प्रतिशत तक कर दिया गया।

51. कर सुधार समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रतिकारी शुल्क (सी. वी. डी.) से कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, चूंकि ऐसी छूट, ऐसी मदों के स्वदेशी विनिर्माताओं के प्रति भेद उत्पन्न करती है। जून-जुलाई, 1993 में 42 मदों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क से दी जाने वाली छूट को हटा लिया गया था और प्रतिकारी शुल्क को लागू कर दिया गया था ताकि गैर-संरक्षी शुल्कों (प्रतिकारी शुल्क और उत्पादशुल्क) को एक समान किया जा सके और मोडवैट प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जा सके। पूंजीगत वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क लागू करने के साथ-साथ 1994-95 के बजट में इस प्रक्रिया को जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत वस्तुओं को माडवैट का लाभ देने से, घरेलू पूंजीगत वस्तुओं पर प्रदत्त उत्पादशुल्क अथवा आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर प्रदत्त प्रतिकारी शुल्क का पूर्ण क्रैडिट एक ही समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

52. चिकित्सा-उपकरणों के आयात को शासित करने वाली अनेकानेक छूटों को समाप्त कर दिया गया। दरों को तीन सुस्पष्ट शुल्क दरों तक कम कर दिया गया था। सरकारी अस्पतालों द्वारा आयात किए जाने वाले चिकित्सा-उपकरणों, जीवन-रक्षक उपस्करों (83 मद) और दृष्टिरक्षक उपस्करों के आयात को शून्य दर पर ही रहने दिया गया। विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपकरण (131 मदों की सूची) पर आयात शुल्क को शुल्क किसी प्रतिकारी के बिना 40 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 'अन्य चिकित्सा' उपकरणों पर आयात शुल्क 85% से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके विनिर्माण के लिए संघटकों को भी 15 प्रतिशत सीमाशुल्क पर आयात किए जाने की अनुमति थी। इस परिवर्ती दर से चिकित्सा उपकरण के स्वदेशी विनिर्माताओं को सहायता मिलने की आशा है।

कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं

53. पूंजीगत वस्तुओं पर आयात-शुल्क में की गई कटौती के साथ इस्पात और अलौह धातुओं पर सीमाशुल्क में भी कटौतियां की गई थीं। इस्पात पर लगने वाले सीमा-शुल्क को 75 से 85 प्रतिशत की सीमा से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तांबे, जिंक तथा सीसे जैसी प्रमुख अलौह धातुओं के प्रारम्भिक रूपों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत पर समानीकृत कर दिया गया। वर्ष के दौरान, अपरिष्कृत ऐल्युमीनियम पर सीमाशुल्क को 25 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। धातुओं के लिए टैरिफ-दरों में ये समायोजन, जो पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निविष्टि है, घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के सामने आने वाली विसंगतियों को कम कर देंगे।

54. कच्चे माल और मध्यवर्तियों परशुल्क में कटौती को और आगे जारी रखा गया। सभी अयस्कों और सान्द्रणों, गलनीय धातु और लौह अयस्क से बने छर्रों पर लगने वाले आयात शुल्क को कम कर दिया गया तथा 10 प्रतिशत पर समानीकृत कर दिया गया ताकि घरेलू धातु उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता प्रदान की जा सके।

55. पैट्रोलियम और कोयले के लिए टैरिफ-संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पैट्रोलियम पर आयात शुल्क संरचना को सरलीकृत किया गया और यथामूल्य दरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कच्चे पैट्रोलियम पर पहले लगाए गए 1500 रुपए प्रति मीटरी टन के शुल्क के बदले 35 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, एल० पी० जी० और पैट्रोलियम गैसों पर आयात-शुल्क 15 प्रतिशत पर और अन्य पैट्रोलियम-उत्पादों पर 30 प्रतिशत पर स्थिर रहा। तथापि, नैफ्था और मिट्टी के तेल पर बेसिक सीमाशुल्क से छूट जारी रखी गई। कोयले पर सीमाशुल्क में और कटौती की गई। कोयले और कोक पर आयात-शुल्क 85 प्रतिशत की पिछली शीर्ष दर से घटाकर क्रमशः 35 प्रतिशत और 25 प्रतिशत कर दिया गया।

अन्य क्षेत्र

56. इलैक्ट्रोनिकी और दूरसंचार के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया। कम्प्यूटर पुर्जों और अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर पर सीमाशुल्क क्रमशः 80 और 85 प्रतिशत से घटाकर 50 और 20 प्रतिशत कर दिया गया। विनिर्दिष्ट संघटकों और हिस्से-पुर्जों पर शुल्क को घटाकर क्रमशः 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कर दिय गया। दूरसंचार क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसचार उपस्कर के विनिर्माण के लिए गैर-इलैक्ट्रोनिकी

पुर्जों पर आयात-शुल्क घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया और आप्टिकल फाइबर केबलों (दूरसंचार-ग्रेड) के विनिर्माण के लिए आप्टिकल फाइबर पर आयात-शुल्क को भी घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया ।

57. रसायनों पर सीमाशुल्क दरों का समग्र फैलाव, उच्चतम दर में कटौती करके 65 प्रतिशत कर देने से कम हो गया । इसके अतिरिक्त, डी० एम० टी०, पी० टी० ए० और एम० ई० जी० पर शुल्कों को और घटाकर 70 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कर दिया गया और कुछ मध्यवर्तियों पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया ।

58. औषधीय-क्षेत्र में काफी संख्या में कच्चे माल पर, आयात शुल्क मौजूदा 85 से 50 प्रतिशत की दरों से घटाकर 50 अथवा 25 प्रतिशत की दो दरों तक कम कर दिए गए । कुछ मामलों में, औषध मध्यवर्तियों के घरेलू विनिर्माताओं के हित के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयात-शुल्क में कुछ उर्ध्वगामी समायोजन किए गए हैं ।

59. घरेलू घड़ी उद्योग के विकास की पर्याप्त संभाव्यता है यदि इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाता है । इस प्रयोजन के लिए, उद्योग की मशीनरी की कुछ मदों पर आयात-शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया । इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट संघटकों और विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर शुल्क 70 और 50 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 25 और 20 प्रतिशत कर दिया गया । इससे इन छोटे-हल्के लेकिन अधिक मूल्य वाले संघटकों की तस्करी को कम करने में भी सहायता मिलेगी ।

यात्री सामान

60. यात्री-सामान की सामान्यतः 3000 रुपए की निःशुल्क अनुमति को बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया । सोने के लिए 220 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के लिए 500 रुपए प्रति किलोग्राम के आयात-शुल्क की रियायती दर को विशेष आयात लाइसेंसों के अधीन किए जाने वाले आयातों पर भी लागू कर दिया गया ।

विशेष छूट

61. चालू वर्ष के दौरान कुछ कृषि आधारित मदों को, ऐसे उत्पादों की घरेलू कीमतों पर दबाव को कम करने के लिए, कुछ और शुल्क-छूटें प्रदान की गई । परिष्कृत चीनी, क्रिस्टल चीनी और कच्ची चीनी को सम्पूर्ण सीमाशुल्क और प्रतिकारी शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई । कच्ची रूई को सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्रदान कर दी गई । इसके अतिरिक्त, पशु-भ्रूणों को भी सीमाशुल्क से मुक्त रखा गया । मानक/तरजीह-प्राप्त क्षेत्रों के लिए छिलके वाले बादामों पर सीमाशुल्क की 44/39 रु० प्रति कि०ग्रा० की एक समान दर निर्धारित की गई ।

संग्रहण दरें

62. संग्रहण-दरें सामान्य (प्रकाशित) टैरिफ दरों की अपेक्षा अंकित टैरिफ संरक्षण की बेहतर संसूचक हैं । संग्रहण-दर को, किसी वस्तु के आयात मूल्य के प्रति वसूल किए गए सीमाशुल्क राजस्व के (आनुषंगिक और प्रतिकारी शुल्क सहित) अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है । अनेकानेक छूटों की वजह से, (प्रकाशित) टैरिफ दरें संरक्षण के अंकित स्तर को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाती हैं । वास्तविक शुल्क टैरिफ अनुसूची में अधिसूचित शुल्क से कम है ।

63. सारणी 2.10, 1990-91 से 1993-94 की अवधि के लिए सीमाशुल्क की संग्रहण-दरों को दर्शाती है । टैरिफ-प्रणाली में सुधारों के फलस्वरूप औसत संग्रहण-दर लगभग 17 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरकर 1990-91 के 47 प्रतिशत से 1993-94 में 30 प्रतिशत हो गई । संग्रहण-दरों की गिरावट में पी०ओ०एल० को छोड़कर सभी मुख्य उत्पाद-ग्रुप शामिल थे । अधिकतम और न्यूनतम संग्रहण दरों, के बीच यथा मापित सीमा के अनुसार दरों का फैलाव कम हो जाने के बावजूद अभी भी अत्यन्त विस्तृत है । यह प्रोत्साहनों को विरूपित करता है और इससे संसाधनों का गलत आवंटन होता है । न्यूनतम और उच्चतम संग्रहण दरों में अन्तर, प्रारंभिक रूप से 1990-91 के लगभग 75 प्रतिशत बिन्दुओं से 1991-92 में लगभग 96 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ने के बाद, 1992-93 में 85 प्रतिशत बिन्दुओं तक और इसके बाद 1993-94 में 59 प्रतिशत बिन्दुओं तक गिरा ।

64. 1993-94 के दौरान कागज और अखबारी कागज, प्राकृतिक रेशों और "अन्य" श्रेणी की 10 से 14 प्रतिशत के बीच की निम्नतम संग्रहण दरें रहीं । विशेष रूप से "अन्य" श्रेणी के लिए निम्न संग्रहण दर, उर्वरकों, रत्नों आदि जैसी मदों को शामिल किए जाने के कारण थी, जिन पर निम्न अथवा शून्य शुल्क लगता है । तथापि, धातुओं और रसायनों पर 50 प्रतिशत से अधिक की संग्रहण दरें जारी रहीं । इसके अतिरिक्त, धातुओं के लिए 69 प्रतिशत की संग्रहण-दर पूंजीगत-वस्तुओं पर लगाई जाने वाली दर के दुगुने से भी अधिक है । इससे पूंजीगत वस्तुओं के लिए हतोत्साहन होता है और परिणाम-स्वरूप संभवतः नकारात्मक संरक्षण ही मिलता है । प्रत्यावर्तित टैरिफ ढांचे के कारण पैदा होने वाली विसंगतियों और हतोत्साहक प्रभावों को दूर करने के लिए, 1994-95 के बजट में अन्त तक प्रयोग की जानी वाली अधिकांश छूटों को समाप्त किया गया है और टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है । यह आशा की जाती है कि इससे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर और रसायन क्षेत्र के पतनशील (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

सारणी 2.10 2--20

चुनिन्दा आयात समूहों के लिए संग्रहण-दरें

(प्रतिशत में)

क्रम सं. वस्तु समूह	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1. खाद्य उत्पाद	47	27	12	19
2. पी.ओ.एल	34	31	31	36
3. रसायन	92	82	71	52
4. मानव-निर्मित रेशे	83	63	45	18
5. कागज और अखबारी कागज	24	23	18	13
6. प्राकृतिक रेशे	20	21	20	14
7. धातुएं	95	110	97	69
8. पूंजीगत वस्तुएं	60	64	53	31
9. अन्य	20	14	13	10
10. गैर पी.ओ.एल.	51	49	39	28
जोड़	47	44	37	30

क्रम सं. 1 में अनाज, दालें, दूध और क्रीम, फल, सब्जियां और पशुचर्बी शामिल हैं।

क्रम सं. 3 में रासायनिक तत्व तथा यौगिक, भेषज, रंजक और रंगाई सामग्रियां प्लास्टिक और रबड़ शामिल हैं।

क्रम सं. 5 में लुगदी और रद्दी कागज, अखबारी कागज, गत्ते और विनिर्मित और छपी हुई पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।

क्रम सं. 6 में कच्ची ऊन और रेशम शामिल है।

क्रम सं. 7 में लोहा और इस्पात और अलौह धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 8 में गैर-वैद्युत मशीनरी और परियोजना आयात, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर शामिल हैं।

बाक्स 2.1 2—21

मूल्यानुसार प्रतिशत में आयात शुल्क (प्रतिकारी-शुल्क छोड़कर)

उद्योग	कर-सुधार समिति की सिफारिश[1]	मौजूदा
1	2	3
1. गेहूं और चावल जैसी आवश्यक कृषि संबंधी वस्तुएं	0	0
2. तेलहन और दालों जैसी अन्य कृषि संबंधी वस्तुएं	10	65
3. काजू और बादाम जैसी गैर-आवश्यक कृषि संबंधी वस्तुएं	50	65[2]
4. पैट्रो-रासायनिक बिल्डिंग-ब्लाक	15	15 से 30
5. कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	20	15 से 65
6. पोलीमर्स	25	45 से 65
7. टैक्सटाइल-फाइबर और यार्न	25	25 से 65
8. लोहा और इस्पात —		
(क) कच्चा लोहा	15	20
(ख) स्टेनलैस इस्पात और अन्य मिश्रधातु इस्पात सहित अर्ध-परिष्कृत और परिष्कृत इस्पात	20	30 से 50
9. तांबा	20	50
10. ऐल्युमीनियम	15	10
11. निकल	15	30
12. सीसा और जस्ता	20	50
13. टिन	15	30
14. लौह और अलौह धातुओं के अपशिष्ट, रद्दी और सान्द्र	10	10
15. लोहे और इस्पात की वस्तुएं	30	50
16. अलौह धातुओं की वस्तुएं		
(क) तांबे, सीसे और जस्ते से निर्मित	30	50 से 60
(ख) ऐल्युमीनियम, निकल और टिन से निर्मित	25	50

1	2	3
17. मशीनी औजारों सहित मशीनरी	20	25 से 65
18. इलैक्ट्रोनिकी :		
(क) कच्चा माल	20	20
(ख) हिस्से-पुर्जे, संघटक, सब-असेम्बली और उपस्कर	30	30 से 65
19. उपकरण	30	40 एवं 60
20. चिकित्सा उपस्कर	20	0 से 65

टिप्पणी : पैट्रोरासायनिक बिल्डिंग ब्लाक के उदाहरण हैं—एथीलीन, प्रोपीलीन, बूटाडीन, बेंजीन, एथिल-बेंजीन और स्टोरीन। पौलीमर में एल.डी.पी.ई०/एल.एल.डी.पी. ई; एच.डी.पी.ई.; पी.पी., पी.वी.सी, पी.एस. पौलीएस्टर, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबड़ और प्लास्टिक और सिंथेटिक रेजिन की सम्पूर्ण श्रृंखला शामिल है।

1 1997-98 के लिए अनुशंसित आयात-शुल्क ढांचा।

2 बादामों के मामले में भी विशिष्ट शुल्क के अधीन।

उत्पाद-शुल्क

65. उत्पाद-शुल्क मौडवेट-प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाने के प्रयोजन से वित-अधिनियम, 1994 के माध्यम से घरेलू वस्तु कराधान में बृहत् सुधार किया गया। इससे मौजूदा उत्पाद-शुल्क मौडवेट प्रणाली को प्रशासित करने वाली कार्यनिष्पादन लागत में पर्याप्त रूप से कमी होने की संभावना है। सबसे पहले, मूल्यानुसार दरों की संख्या में लगभग आधे तक भारी कटौती की गई और उत्पादशुल्क दरों के फैलाव में कमी की गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मूल्यानुसार कर दरों की कुल संख्या में, मौजूदा संख्या के लगभग आधे तक कमी की गई। दरों को कम करने की प्रक्रिया जहां वे अनुचित रूप से अधिक थीं, जारी रही। इसके अतिरिक्त, छूट-अधिसूचनाओं को चरणों में समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण रूप से मौजूदा उत्पाद-शुल्क संबंधी आधी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया गया। इससे बहुत सी यूनिटों के उत्पाद-शुल्क-जाल (नैट) में आ जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इससे छूटों का दावा करने के लिए आवश्यक बोझिल प्रमाणन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इससे दुरुपयोग और कर-अपवंचन के समाप्त होने की आशा है। इसके साथ-साथ राजस्वों की अन्तःनिर्मित उत्प्लावकता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट से मूल्यानुसार दरों में भी भारी परिवर्तन किया गया। उत्पाद-शुल्क के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल किया गया। पहले प्रचलित जटिल मूल्य सूची प्रक्रिया की अपेक्षा बेची गई वस्तुओं के बीजक को आधार बनाया जाएगा।

मूल्यवर्धित कर संबंधी सिद्धान्त

66. मोडवैट का क्षेत्र पूंजीगत वस्तुओं, पैट्रोलियम उत्पादों और फाइबर से बने स्पन यार्न को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया। यह कपड़ा उद्योग पर पड़े गिरावट सम्बन्धी प्रभाव को कम करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, पूंजी की अधिग्रहण लागत में कमी से निवेश गतिविधि प्रोत्साहित होगी।

67. संशोधित मूल्य वर्धित कर प्रणाली (मोडवैट) को वर्ष 1986-87 के बजट के माध्यम से दिनांक 1-3-1986 से प्रारम्भ किया गया था। 'मौडवैट' योजना के अन्तर्गत उन निविष्टियों पर शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई है जो या तो उत्पाद शुल्क योग्य तैयार उत्पादों अथवा मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। पिछले समय से 'मौडवेट' के दायरे में और वस्तुओं/क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उसे विस्तारित किया जा रहा है। तथापि, मौजूदा 'मौडवेट' को सर्वथा पूर्ण विकसित केन्द्रीय 'वैट' में विनिर्माण अवस्था तक बदलने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान में, "मौडवेट" योजना में स्पष्ट तौर पर कपड़ा, तम्बाकू उत्पादों और दियासलाई शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, 'वैट' के कटौती जमा सिद्धान्त वर्तमान में सभी निविष्टियों पर लागू नहीं होते। इनमें परीक्षण, अनुसंधान और विकास गुणवत्ता नियंत्रण, प्रदूषण उपशमन, क्लिनिंग एजेण्ट्स और कतिपय उपभोग योग्य वस्तुओं में उपस्करों/निविष्टियों का प्रयोग शामिल है। निविष्टि और उत्पादन के मध्य सम्पर्क के अभाव के कारण इन्हें अलग कर दिया गया है।

विवेकीकरण और सरलीकरण

68. पैट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क ढांचे को विवेकसम्मत बनाया गया और मौजूदा विशिष्ट शुल्क दरों को सभी पैट्रोलियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत की यथा मूल्य दर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसमें मोटर स्प्रिट को छोड़ दिया गया जिस पर 20 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया। इसके अतिरिक्त, अन्तः प्रयोग रियायतों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।

69. विभिन्न रेशों और मिश्रित अथवा तंतु-तागों को 20 प्रतिशत के सम उत्पाद-शुल्क के अधीन लाया गया। वर्गीकरण की समस्या से बचने के लिए और विभिन्न रेशों तथा तागों के मध्य उत्पाद-शुल्क को तटस्थ बनाने के लिए, तागों की गिनती पर आधारित जटिल तथा भिन्न विशिष्ट दरों के बजाय सभी रेशों तथा तागों पर 20 प्रतिशत का

सम उत्पाद शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई। सूती तागे पर 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया। जहां तक तंतु तागे का सम्बन्ध है, पोलिस्टर तंतु तागे पर 60 प्रतिशत, नाइलोन और पोलीप्रोपिलीन तागे पर 30 प्रतिशत और विस्कोस तंतु-तागे पर 15 प्रतिशत यथा-मूल्य शुल्क दर निर्धारित की गई। औद्योगिक तागों के सम्बन्ध में, 30, 20 और 10 प्रतिशत की निम्नतर दरें निर्धारित की गईं। चूंकि कपड़ा उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए 'मोडवैट' श्रृंखला इस अवस्था पर विच्छिन्न हो जाती है और दरों का एक व्यापक बिखराव छोड़ जाती है।

70. सूती और मानव-निर्मित कपड़ों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (बिक्री कर के स्थान पर) की मौजूदा दरों को जो यथा-मूल्य और विशिष्ट दरों का मिश्रण थीं, 5, 10 और 20 प्रतिशत के यथा-मूल्य दरों में परिवर्तित कर दिया गया था। अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों से पैदा हुई गिरावट सम्बन्धी समस्या को या तो वस्त्र उद्योग के करारोपण को राज्यों को वापस अंतरित करके अथवा इसको राज्य 'वैट्स' के साथ समेकित करके अथवा व्यापक राष्ट्रीय 'वैट' द्वारा सुलझाया जा सकता है।

71. ऐल्युमिनियम को छोड़कर सभी धातुओं पर 15 प्रतिशत का सम उत्पाद शुल्क लगाया गया। एल्युमिनियम पर पिछले 25 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया। तथापि, कच्चे लोहे और कतिपय अन्य लौह उत्पादों पर 10 प्रतिशत की निम्न दर लागू की गई।

72. अनुसूची-II में वर्णित औषधियों और ट्रेडमार्क औषधियों के एकल सूत्रीकरण के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे को 15 प्रतिशत पर एकीकृत कर दिया गया था। तथापि, ट्रेड मार्क की आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाईयों और अन्य वैकल्पिक प्रणालियों की दवाईयों पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया। प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क को 70 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

73. विभिन्न रसायनों और रसायन आधारित उत्पादों के सम्बन्ध में शुल्क ढांचे को सरल बना दिया गया और 20 प्रतिशत का सम उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया। यह काफी सीमा तक भारी प्रतिदर्श और परीक्षण अपेक्षाओं को कम करेगा जिन्हें विभिन्न रसायनों के सम्बन्ध में असंख्य दरों द्वारा अपेक्षित बना दिया गया था। प्रमुख प्रपुंज प्लास्टिक, सिंथेटिक पेन्ट और डिटरजैंटों पर पिछले 35 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत का सम उत्पाद शुल्क लगाया गया।

74. कागज और गत्ते के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे को 20 प्रतिशत पर एकीकृत किया गया। रूढ़िमुक्त कच्ची सामग्री का उपयोग कर रही कागज की मिलों के लिए वर्तमान में उपलब्ध रियायत के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। तदन्तर, गत्ते अथवा लुगदी से निर्मित वस्तुओं जिनमें कम से कम 75 प्रतिशत रूढ़िमुक्त सामग्री होती है, पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था।

75. सिगरेटों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क दरों को लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, तम्बाकू उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए सिगरेट उद्योग द्वारा कुल खरीद में अधिक प्रोत्साहन देने हेतु फिल्टर रहित श्रेणी में, 60 मि०मी० तक की श्रेणी पर उत्पाद शुल्क को प्रति हजार 120 रुपए से घटाकर 60 रुपए प्रति हजार कर दिया गया था।

76. बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद, बड़ी मात्रा में उपभोग की जाने वाली तथा दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क कटौतियां की गई। विद्युत शक्ति की सहायता के बिना तैयार साबुन को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। साथ ही 50 रुपए प्रति जोड़ी के मूल्य तक के जूतों और हवाई चप्पल तथा उसके हिस्सों पर भी उत्पाद शुल्क की अनुमति दी गई। चूना, कत्था अथवा तम्बाकू रहित पान मसाले पर उत्पाद शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। ऊष्मा रोधी मिट्टी के बर्तनों पर उत्पाद शुल्क को 20 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था।

77. बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद, उत्पाद शुल्क दरों में किए गये कुछ परिवर्तनों ने ऊनी और पटसन उद्योग को महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान कीं। सादा रील हैंकों में ऊनी तागे और हथकरघा कपड़े से तैयार मदों को पूर्ण छूट उपलब्ध कराई गई। अन्य ऊनी तागे पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया। पटसन तागा, पटसन वस्त्र, पटसन डोरी, पटसन को फ्लोर कवरिंग और पटसन के थैलों पर उत्पाद शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। परतदार और अग्नि रोधी पटसन उत्पादों और विविध पटसन उत्पादों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। सभी बुने और कांटे से बुनाई किए गए वस्त्रों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत सम उत्पाद-शुल्क निर्धारित किया गया। नालीदार बाक्सों और दफ्ती के डिब्बों को उत्पादन शुल्क से रियायत प्रदान की गई थी।

78. उपभोक्ता स्थाई उद्योग और मध्यवर्तियों के कुछ वर्गों के लिए बजट पश्च परिवर्तन किए गए थे। पर्यटन पर पड़ने वाले किसी नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए बसों में प्रयुक्त किए जाने वाले स्प्लिट एअर कन्डीशनरों पर उत्पाद शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया था। परिमाणात्मक तथा अन्य परिवर्तनों

के कारण, 2700 किग्रा. से अनधिक सकल वाहन भार (जी० वी० डब्ल्यू०) के मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क काफी अधिक बढ़ गया था। इसे 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। चिकित्सीय, शल्यचिकित्सीय, दंत्य अथवा शालीहोत्रीय फर्नीचर और उसके हिस्सों पर उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। सीमेंट खंगरों (क्लिकर) पर उत्पाद शुल्क को 250 रुपए से घटाकर 185 रुपए प्रति टन कर दिया गया। मिश्रित रबर को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई। इसके अतिरिक्त, स्टेनलेस स्टील की कोल्ड रोलिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली कोल्ड रोलिंग मशीनों पर प्रति कोल्ड रोलिंग मशीन 10,000 रुपये प्रतिमाह का उद्ग्रहण शुल्क निर्धारित किया गया।

सेवाकर

79. कर सुधार समिति की सिफारिशों के अनुरूप सेवाओं पर कर प्रारम्भ किया गया था। इस उपाय से यह अपेक्षा है कि घरेलू अप्रत्यक्ष करों का आधार विस्तृत होगा क्योंकि सेवा क्षेत्र हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत है और इसमें संतुलित वृद्धि देखी गई है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं को कराधान से छूट देने का कोई मूलाधार नहीं है जबकि वस्तुओं पर कर लगाया जाता है और बहुत से देश वस्तुओं और सेवाओं को कराधान के प्रयोजनार्थ समान मानते हैं। वर्ष 1994-95 के बजट में कराधान के दायरे में चुनिंदा सेवाओं को लाकर सामान्य रूप से शुरूआत की गई थी। टेलीफोनों, गैर-जीवन बीमा और स्टॉक दलालों की सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा कर की शुरूआत की गई थी। यह कर टेलीफोन बिलों की राशि, बीमा कम्पनियों द्वारा प्रभारित निवल प्रीमियम और स्टॉक दलालों द्वारा अपनी सेवाओं के सम्बन्ध में प्रभारित दलाली अथवा कमीशन पर 5 प्रतिशत की दर से चार्ज किया जाता है। तथापि, प्रशासन की कठिनाइयों को देखते हुए, 'वैट' सिद्धांतों को इस कर पर लागू नहीं किया गया है।

लघु क्षेत्र

80. वर्ष 1994-95 के बजट में, अधिकांश मामलों में शुल्क रियायतों को पूर्णतया समाप्त कर लघु क्षेत्र के हितों को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है जबकि रियायती शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य लघु क्षेत्र उद्योगों में सम्मिलित मदों के कवरेज को साथ-साथ विस्तारित किया गया। विगत में किसी विशेष उत्पाद को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देने की प्रक्रिया में लघु तथा वृहद् एककों में से लघु क्षेत्र को कोई विशेष राजकोषीय लाभ प्रदान किए बिना समान माना जाना निहित था। लघु तथा छोटी इकाइयों को छोड़कर बड़ी यूनिटों पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने पर ही छोटी इकाइयों को वास्तविक राजकोषीय लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसलिए अनेक उत्पाद श्रेणियों के सम्बन्ध में शुल्क रियायतों को पूर्णतया हटाना छोटी तथा लघु क्षेत्र की इकाइयों को समान प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने वाली अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

81. रियायती शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य लघु क्षेत्र उद्योग योजना में शामिल मदों के क्षेत्र को वर्ष 1994-95 के बजट में अनेक अतिरिक्त मदों को शामिल करने के लिए विस्तरित किया गया था। इस योजना का विस्तार रबर टायर और ट्यूब, ट्रेड मार्क रहित पान मसाला, ट्रेड-मार्क रहित खैनी, कन्वेयर बेल्टिंग्स, एच०डी०पी०ई० के मोनोफिलामेंट और पोलिप्रोपिलेन, सूत के आवरण वस्त्रों, लौह और अलौह धातुओं के कतिपय विशिष्ट उत्पादों, ऊनी तागों, पोलिप्रोपिलेन स्पन यार्न, एक्रिलिक स्पन यार्न, घनी बुनाई वाले वस्त्रों, टैक्सचर्ड फिलामेंट यार्न, गॉज, रबराईज्ड वस्त्रों आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं पर किया गया है। लघु उद्योगों की इकाइयों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वे 'मोडवेट' ऋण के लाभ को प्राप्त करने में सक्षम होने हेतु सामान्य उत्पाद शुल्क का भुगतान करें। यह लघु क्षेत्र में विनिर्मित निविष्टियों की विपण्यता को बढ़ाएंगी। लघु मात्रा में रियायतें प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्यों में उद्योग निदेशालय अथवा लघु क्षेत्र उद्योगों के विकास आयुक्त के पास से हेतु पंजीकरण की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। इस उपाय से कई अपंजीकृत इकाइयों को सहायता मिलने की आशा है।

82. कतिपय खामियों को दूर करने के लिए जिनके द्वारा बड़ी कम्पनियां लघु क्षेत्र उद्योगों की इकाइयों के नाम में अपने ट्रेड मार्क को पंजीकृत कराकर और कई लघु क्षेत्र उद्योगों की इकाइयों से वस्तुओं का विनिर्माण कराकर उत्पाद शुल्क के भुगतान से बच रही थीं, सामान्य लघु क्षेत्र उद्योग योजना में ट्रेड मार्क सम्बन्धी प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है। यह रियायत अब किसी अन्य विनिर्माता के ट्रेड मार्क का उपयोग करने वाली वस्तुओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं होगी। इससे छोटे उत्पादकों को अपने ट्रेड मार्क के संवर्धन में मदद मिलेगी। यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि लघु क्षेत्र उद्योग की इकाइयां वस्तुओं के क्रेता द्वारा मशीनरी के लिए मूल अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले हिस्सों/अवयवों का विनिर्माण करती है, तो ऐसे ट्रेड मार्क अवयवों की सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष में 30 लाख रुपए की राशि तक शुल्क का भुगतान किए बिना समाशोधित किया जा सकता है, भले ही ऐसे हिस्सों और अवयवों पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम का ट्रेड मार्क हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कूट संख्या, डिजायन संख्या और ड्राइंग संख्या के अंकन को ट्रेड मार्क नहीं माना जाएगा।

83. वर्ष 1994-95 के बजट में तथा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद लघु क्षेत्र शुल्क रियायत योजना में कतिपय प्रक्रियात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थीं। लघु

क्षेत्र की इकाइयों से किसी अतिरिक्त रिकार्ड का अनुरक्षण अपेक्षित नहीं है। गौण अतिरिक्त अपेक्षाओं के साथ उनका स्वयं का रिकार्ड उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ पर्याप्त माना जाता है। 30 लाख रुपए तक के समाशोधनों वाली लघु और छोटी इकाइयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कोई औपचारिक घोषणापत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है। दूसरे ऐसी वस्तुओं के समाशोधन के लिए पृथक् गेट पासों अथवा अन्य दस्तावेजों की भी अपेक्षा नहीं है। इसके अलावा, 30 लाख रुपए की रियायत सीमा पार हो जाने पर शुल्क का भुगतान बिलों अथवा चालानों अथवा बीजकों के आधार पर किया जा सकता है। मासिक विवरणियों को सरल तिमाही विवरणों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उत्पाद-शुल्क विभाग में दाखिल किया जाएगा। लघु क्षेत्र उद्योगों की इकाइयां पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क सम्बन्धी 'मोडवेट' ऋण प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगी भले ही लघु क्षेत्र उद्योगों की इकाइयों के समाशोधन के एक भाग को छूट प्राप्त हो। लघु क्षेत्र की इकाइयों को जिन्हें पूर्णतया रियायत प्रदान की गई है, कोई जॉब वर्क करवाने के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना वस्तुओं को देश से बाहर भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। लघु क्षेत्र की इकाई के जॉब वर्कर से भी यह अपेक्षित नहीं है कि वह जॉब वर्क पर किसी उत्पाद शुल्क का भुगतान करे। आगे और सुविधा दिए जाने के रूप में, जॉब वर्क के लिए बाहर भेजी जाने वाली ऐसी वस्तुओं के समाशोधन को लघु क्षेत्र इकाई की पात्रता का निर्धारण करने हेतु लेखे में नहीं लिखा जाएगा। यह योजना उपलब्ध रियायतों को खोए बिना अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए लघु क्षेत्र इकाइयों को पर्याप्त राहत और लचीलापन प्रदान करेगी। इन उपायों से छोटे उद्यमकर्ता के लिए व्यवसाय करने में होने वाली लेन-देन लागतों को कम करने में काफी सहायता मिलेगी।

कर-प्रशासन में सुधार

84. विशेष रूप से निर्यातकों/आयातकों और आयकर दाताओं के लेन-देन में लगने वाले समय/उपगत लागत को कम करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया गया है। ये मुख्यतः सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर से सम्बद्ध कतिपय क्षेत्रों में कर प्रशासन के आधुनिकीकरण स्वरूप के हैं। आयकर के संबंध में व्यापक कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। दिल्ली, मद्रास और बम्बई में एक-एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गई है। एक नवीन 'पैन' संख्या की खोज की गई है और इसे सभी आयकर दाताओं को आबंटित किया जाएगा। निर्यातकों और आयातकों के माल की त्वरित निकासी के लिए बने नियमों और विनियमों में भी अनेक परिवर्तन किए गए हैं। निर्यातक और आयातक दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर उपलब्ध कम्प्यूटरीकरण सुविधाओं के जरिए सीमा शुल्क अधिकारियों से सम्बद्ध हुए बिना अपने माल की निकासी तथा उसके प्रभारों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से मामलों में, ग्रीन चैनल निकासी सुविधाएं विनिर्माता निर्यातकों को उपलब्ध कराई गई। इन सुविधाओं से निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क गृहों से बिना किसी बाधा अथवा समस्याओं के अपने माल की निकासी करना सुगम हो गया है।

राजस्व निष्पादन : 1994-95

85. वर्ष 1994-95 के बजट में यह निर्दिष्ट किया गया था कि करों में प्रस्तावित परिवर्तनों से केन्द्र को 3604 रुपए की परम्परागत निवल राजस्व हानि होगी। इस राजस्व नुकसान को परम्परागत लाइनों पर आंका गया था और कर ढांचे के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण के कारण जो राजस्व संग्रहण में सहायता करेगा, कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। कर सुधार को स्थगित करने अथवा परम्परागत रूप से परिकलित राजस्व हानि को प्रतिसन्तुलित करने के लिए अतिरिक्त करों के रोपण का परिणाम उस स्थिति में सर्वथा अनुत्पादक होगा जहां हमारी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता, उच्चमान खाद्यान्न भंडारों और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की विशेषता लिए हो। यह महसूस किया गया कि पर्याप्त मात्रा में कर अपवंचन को देखते हुए कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार के जरिए कर दरों में कटौती के बावजूद भी अतिरिक्त कर जुटाने की गुंजायश है। यह अटकलबाजी सही सिद्ध हुई है जैसा कि चालू वर्ष के सम्बन्ध में कर संग्रहणों से संबंधित प्रवृत्तियों से पता चलता है। चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों (अप्रैल—अक्टूबर, 1994) के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मुख्य स्त्रोतों के लिए उपलब्ध आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। प्रत्यक्ष करों के मामले में, वैयक्तिक आय कर और निगम कर से 10243 करोड़ रुपए का संग्रहण वर्ष 1993-94 की इसी अवधि से तुलना करने पर 53.5 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल–अक्तूबर, 1994 के दौरान, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संग्रहण 34024 करोड़ रुपए था और इसने लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। निगमित करों पर असाधारण निष्पादन अंशतः अग्रिम कर भुगतान अनुसूची में परिवर्तनों के कारण हो सकता है। तथापि, इन प्रवृत्तियों से उन अवधारणाओं को समर्थन मिलता है जिन पर वर्ष 1994-95 का बजट तैयार किया गया था।

कर सुधार का सिंहावलोकन

86. पिछले कुछ वर्षों में कर संरचना को सरल बनाने और कर आधार को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तथापि, बेहतर प्रवर्तन तथा संवीक्षा द्वारा मौजूदा कर आधार को और गहन बनाए जाने की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में, आयात टेरिफों तथा उत्पाद शुल्कों

में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। सीमा शुल्क को धीरे-धीरे कम किया गया है और इस प्रकार से अंशशोधित किया गया है ताकि यह अन्तरिम तौर पर घरेलू उत्पादकों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर सके और साथ ही अत्यधिक संरक्षण के प्रभाव को जिसने भारतीय उद्योग को लम्बे समय तक आक्रान्त किया है, हटाया जा सके। टैरिफ सुधारों को इस प्रकार से मोड़ा गया है कि वे दीर्घकाल में भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बना सकें। पूंजीगत वस्तुओं तक मोडवेट का विस्तार और निगमित करों में कटौती किए जाने से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की आशा है। वैयक्तिक आयकर और उत्पाद शुल्क में कटौती से घरेलू मांग को प्रोत्साहन मिलने की आशा है। ठोस औद्योगिक सुधार के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए हैं। काफी सीमा तक यह ऐसी कर संरचना की ओर झुकाव के कारण हुआ है जो पारदर्शी, सरल तथा दरों की विभिन्नता से दूर है और एजेंटों के लिए प्रोत्साहन में कमी नहीं करती भले ही वे उत्पादक हों अथवा उपभोक्ता।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र : 1994-95

87. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चालू राजस्व में 112015 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 12.3 प्रतिशत) की वृद्धि होने का अनुमान है जो वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 98401 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 12.5 प्रतिशत) थी। कुल व्यय वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 126098 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 16.0 प्रतिशत) से बढ़कर 144076 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 15.8 प्रतिशत) हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रति चालू राजस्व और कुल व्यय के अनुपात में हुई एक समान कमी के परिणामस्वरूप, दोनों के मध्य अन्तर भी वर्ष 1993-94 (सं०अ०) के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कुल व्यय में विकास-भिन्न व्यय का अंश वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में मौजूदा 34.6 प्रतिशत से और बढ़कर 36.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्राप्ति पक्ष में, बिक्री कर से वसूली में वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 3.2 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है। लेकिन केन्द्र से अनुदानों में वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 2.7 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक कमी होने का अनुमान है। राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा नहीं है।

केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र : 1994-95

88. चालू राजस्व और कुल परिव्यय के मध्य अन्तर वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 11.7 प्रतिशत के अन्तर से घटकर 11.3 प्रतिशत होने की आशा है (सारणी 2.8) चालू राजस्व में वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 21.5 प्रतिशत से मामूली गिरावट होकर सकल घरेलू उत्पाद के 21.1 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। कुल परिव्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत बिन्दुओं तक मामूली गिरावट होने का अनुमान है। तथापि, कुल परिव्यय में विकास भिन्न परिव्यय का अंश और अधिक बढ़कर लगभग 43.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। चालू राजस्व और कुल व्यय के मध्य वित्त पोषण के अन्तर सम्बन्धी ढांचे में परिवर्तन के पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के अनुसार जारी रहने की आशा है। घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों का अंश बढ़कर 86.3 प्रतिशत तक होने का अनुमान है जबकि विदेशी सहायता के अंश में 5.5 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट है। बजट घाटा अंशदान भी वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 12.4 प्रतिशत से घटकर 8.2 प्रतिशत हो जाएगा।

वार्षिक योजना

89. केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में 112197 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय पिछले वर्ष के लिए निर्धारित 92629 करोड़ रुपए के संशोधित परिव्यय की तुलना में 21.1 प्रतिशत अधिक है (सारणी 2.11) केन्द्रीय योजना परिव्यय 70141 करोड़ रुपए है जो कुल योजना परिव्यय का 62.5 प्रतिशत है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का अंश 37.5 प्रतिशत है जो वर्ष 1993-94 (सं०अ०) के दौरान उनके 33.7 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। क्षेत्रवार आबंटन दर्शाते हैं कि सामाजिक सेवाओं में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 14271 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1994-95 (ब०अ०) में 18048 करोड़ रुपए हो गई। ग्रामीण विकास के लिए किए जाने वाले आवंटन में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है।

90. वर्ष 1994-95 के संबंध में केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय 50064 करोड़ रुपए है जो कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का लगभग 71.4 प्रतिशत है। केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की योजना के अनुमानित वित्तपोषण पैटर्न से यह पता चलता है कि उनके आन्तरिक संसाधन 45.8 प्रतिशत का अंशदान करेंगे। अन्य 39.8 प्रतिशत की प्राप्ति अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से होगी जिनमें बाण्ड/ऋणपत्र, विदेशी वाणिज्यिक उधार और आपूर्तिकर्ताओं का ऋण आदि शामिल है। 14.4 प्रतिशत की शेष अपेक्षा बजट अनुसमर्थन द्वारा पूरी होगी। वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्तपोषण पैटर्न से तुलना करने पर, आन्तरिक संसाधनों में केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कुल योजना परिव्यय के लगभग 43.0 प्रतिशत से सुधार होकर 45.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी प्रकार, बजट अनुसमर्थन पर निर्भरता भी वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में लगभग 17.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1994-95 (ब० अ०) के योजना परिव्यय में 14.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

सारणी 2.11

वार्षिक योजना परिव्यय : केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

विकास का शीर्ष	1993-94 (स.अ.)	1994-95 (ब.अ.)	1993-94 (स.अ.)	1994-95 (ब.अ.)
1	2	3	4	5
	(करोड़ रुपये में)		(प्रतिशत)	
1. कृषि और संबंधित गतिविधियां	4913	5846	5.3	5.2
2. ग्रामीण विकास	7013	8627	7.6	7.7
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1328	1548	1.4	1.4
4. सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण	5006	6495	5.4	5.8
5. ऊर्जा	27044	32915	29.2	29.3
6. उद्योग और खनिज	10587	12566	11.4	11.2
7. परिवहन	13318	14909	14.4	13.3
8. संचार	6388	7194	6.9	6.4
9. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1318	1435	1.4	1.3
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं	956	1950	1.0	1.7
11. सामाजिक सेवाएं	14271	18048	15.4	16.1
12. सामान्य सेवाएं	487	664	0.5	0.6
योग :	92629	112197	100.0	100.0

91. केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय अनुसमर्थन कम करने की नीति रही है ताकि उन्हें और अधिक आत्म-निर्भर बनाया जा सके। अब वर्धित आन्तरिक संसाधनों के सृजन और बाजार से उधारों पर जोर दिया जा रहा है। बजट अनुसमर्थन जो वर्ष 1991-92 में केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के योजना परिव्यय का 23.5 प्रतिशत था, वर्ष 1992-93 में गिरकर 17.9 प्रतिशत हो गया और पुन: वर्ष 1993—95 (सं० अ०) में और गिरकर लगभग 17.0 प्रतिशत हो गया। केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना आकार 47235 करोड़ रुपए के मूल स्तर पर नहीं रखा जा सका और कम होकर 43892 करोड़ रुपए हो गया।

92. कुल संसाधनों में घरेलू संसाधनों का अंशदान वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 80.2 प्रतिशत की तुलना में 82.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। विदेश निवल अन्तर्प्रवाह 11.9 प्रतिशत है और शेष 5.6 प्रतिशत की प्राप्ति घाटा वित्त पोषण से होने का अनुमान है। विदेश से निवल अन्तर्प्रवाह वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में लगभग 10.0 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है। लेकिन बजटीय घाटे पर निर्भरता वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 9.8 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1994-95 (ब० अ०) में 5.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

विभागीय उद्यमों का निष्पादन

रेलवे

93. भारतीय रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां जो वर्ष 1992-93 में 15688 करोड़ रुपए थीं, वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में बढ़कर 18585 करोड़ रुपए हो गई और यह 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। प्रतिशतता के रूप में सकल यातायात प्राप्तियों में यह वृद्धि वर्ष 1991-92 और 1992-93 से तुलना करने पर काफी अधिक है जो उक्त दोनों वर्षों में क्रमश: 13.5 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत ही थी। वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में, कुल कार्यचालन व्यय (ह्रास प्रारक्षित निधि और पेंशन निधि के सम्बन्ध में विनियोजनों सहित) पिछले वर्ष में 13980 करोड़ रुपए की तुलना में 15355 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार कार्यचालन व्यय में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित होती है जो वर्ष 1991-92 में 11.1 प्रतिशत और 1992-93 में 12.8 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है। सकल यातायात प्राप्तियों में हुई उच्च वृद्धि और कार्यचालन व्ययों में अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि के संयुक्त परिणाम के रूप में रेलवे की निवल यातायात प्राप्तियों में वृद्धि दर्शित होती है जो वर्ष 1992-93 के 1708 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1993-94 (सं०अ०) में 3230 करोड़ रुपये हो गई। निवल यातायात प्राप्तियों और निवल विविध प्राप्तियों सहित

निवल रेलवे राजस्व वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 3494 करोड़ रुपए है । लगी हुई पूंजी और पूंजी निधि से प्राप्त निवेश के प्रति निवल राजस्व का अनुपात वर्ष 1991-92 में 8.7 प्रतिशत और 1992-93 में 9.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 15.3 प्रतिशत है। सामान्य कार्यचालन व्यय जो कुल कार्यचालन व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, में भी वर्ष 1992-93 के 13.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 12.2 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर्ज हुई है । सामान्य राजस्व के सम्बन्ध में लाभांश के रूप में 1299 करोड़ रुपए के भुगतान की व्यवस्था करने के बाद, 'अधिशेष' राशि 2195 करोड़ रुपए है जो रेलवे की निवेश आवश्यकताओं की आंशिक रूप में पूर्ति करती है । रेलवे योजना के वित्त पोषण के अन्य स्रोत बजटीय सहायता तथा भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार उधार के साथ-साथ ही ह्रास प्रारक्षित निधि से आहरण भी हैं । संसाधनों के अत्यधिक अभाव को देखते हुए विभिन्न सेवाओं के निजीकरण के लिए परिकल्पित और घोषित उपायों को शीघ्रता से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है ।

94. वर्ष 1994-95 के रेल बजट में सामान्य राजस्व के संबंध में लाभांश के पूर्ण भुगतान की व्यवस्था करने के बाद 1970 करोड़ रुपए के अधिशेष की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1994-95 के रेल बजट में किराए और माल भाड़ा दरों में हुई वृद्धि को बाक्स 2.2 में दर्शाया गया है । इन वृद्धियों से 997 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष अर्थात् वर्ष 1994-95 के लिए रेलवे योजना के लिए परिव्यय 6515 करोड़ रुपए और बजट अनुसमर्थन के 1150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है । बाजार उधारों के 1050 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । शेष 4315 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त, कोंकण रेलवे निगम कर मुक्त बाण्डों की बिक्री के जरिए 450 करोड़ रुपये जुटाएगा । योजना में, गेज परिवर्तन, चल स्टाक तथा रेल पटरी के नवीकरण को प्राथमिकता दी गई है ।

बाक्स 2.2

वर्ष 1994-95 के रेल बजट की विशिष्टताएं

* **वैगन और ट्रेन भारों दोनों के लिए कतिपय वस्तुओं का उर्ध्वमुखी संशोधित वर्गीकरण। लौह और इस्पात खण्डों के उप-वर्गीकरण को समाप्त किया गया और समान दरें प्रभारित की जाएंगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न अनाजों और दालों के वर्गीकरण को बढ़ाया गया।**
* **सीमेंट और रासायनिक खाद के संबंध में छूट को बढ़ाया गया।**
* **कतिपय आवश्यक वस्तुओं में रियायत जारी रहेगी।**
* **द्वितीय श्रेणी के सामान्य किरायों में 100 किमी. तक कोई बढ़ोतरी नहीं। 100 कि.मी. से अधिक की दूरी पर 1 रुपए से 5 रुपए तक की मामूली बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। 155 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किरायों में 1 रुपए से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। उच्च श्रेणी तथा ए.सी. चेयर कार किरायों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। एसी 3-टायर के किराये एसी चेयर कार के किरायों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक हैं।**
* **राजधानी, अगस्त क्रान्ति और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है।**
* **द्वितीय श्रेणी किरायों की तुलना में स्लीपर श्रेणी का किराया 25 प्रतिशत अधिक है।**
* **द्वितीय श्रेणी के 90 कि.मी. तक की दूरी के लिए मासिक सीजन टिकट किराए में 1 से 9 रुपए तक की वृद्धि की गई है और 90 कि.मी. से अधिक की दूरी पर यह वृद्धि 11 रुपए से 40 रुपए तक है। प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट का किराया द्वितीय श्रेणी के सीजन टिकट किराये से चार गुना अधिक है।**

डाक

95. डाक विभाग की सकल प्राप्तियां जो वर्ष 1992-93 में 1074 करोड़ रुपए थी, वर्ष 1993-94 में बढ़कर 1105 करोड़ रुपए हो गई । ऐसा मुख्यतः टैरिफ में कोई संशोधन न किए जाने के कारण ट्रैफिक की सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है । सकल कार्यचालन व्यय 1867 करोड़ रुपये था तथा निवल कार्यचालन व्यय 1312 करोड़ रुपये था। अतः 207 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। बजट अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1994-95 के दौरान सकल प्राप्तियां 1170 करोड़ रुपए और सकल कार्यचालन व्यय 1975 करोड़ रुपये होने की आशा है । 1316 करोड़ रुपये के निवल कार्य चालन व्यय से 1994-95 (बजट अनुमान) के लिए 146 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है ।

96. डाक विभाग पिछले वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहा है । भवनों और अन्य आधारभूत ढांचे में भारी निवेश किए जाने के बावजूद सामान्य राजस्वों में किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जा रहा है । चालू योजना के दौरान बड़े पैमाने पर प्रारंभ की गई आधुनिकीकरण संबंधी गतिविधियों से निष्पादन में सुधार की संभावना है । तथापि, विभिन्न सेवाओं के संबंध में विभाग की अल्प-मूल्यांकन पेशकश भी घाटे का एक महत्वपूर्ण कारण है । अल्प-मूल्यांकन की मात्रा सारणी 2.12 पर दिखायी गयी है । बीमा, बुक पोस्ट दरों, मनीआर्डर और पार्सलों पर आर्थिक सहायता लगभग 20 प्रतिशत और पोस्टकार्ड पर 90 प्रतिशत है। पंजीकृत पत्रों पर यह आर्थिक सहायता लगभग 40 प्रतिशत, मुद्रित पुस्तकों और पत्र कार्डों पर लगभग 50 प्रतिशत और मुद्रित कार्डों पर लगभग 60 प्रतिशत है । पार्सल पंजीकृत पत्रों जैसी कुछ मदों पर आर्थिक सहायता को समाप्त किए जाने से और सभी मदों पर थोड़ी सी वृद्धि करने से ही डाक संबंधी घाटा दूर हो जाएगा और यहां तक कि यह घाटा अधिशेष में भी बदल सकता है। तथापि, सावधानी बरता जाना उचित है । मूल्य और लागत के बीच मौजूद सभी अन्तर आर्थिक सहायता को नहीं दर्शाते हैं क्योंकि कुछ सेवाओं की क्षमता में सुधार की गुंजाइश है। विशेष रूप से यह शहरी और महानगरीय सेवाओं के संबंध में सही है जहां नवीन प्रौद्योगिकी का सूत्रपात और प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने का परिणाम बेहतर से और अपेक्षाकृत निम्न लागत होगा ।

सारणी 2.12

डाक विभाग की मुख्य सेवाओं की लागत तथा राजस्व

(रुपए)

सेवा	1991-92		1992-93		वर्ष 1992-93 के दौरान आर्थिक सहायता	लागत के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सहायता
	लागत	राजस्व	लागत	राजस्व		
1	2	3	4	5	6	7
1. पोस्टकार्ड	1.25	0.15	1.54	0.15	1.39	90
2. मुद्रित कार्ड	1.20	0.60	1.44	0.60	0.84	58
3. पत्रकार्ड	1.41	0.75	1.57	0.75	0.82	52
4. पत्र	1.43	1.81	1.78	1.85	−0.07	−4
5. पार्सल	18.51	14.31	22.11	17.02	5.09	23
6. मनीआर्डर	13.16	8.99	14.09	10.97	3.12	22
7. पंजीकरण	8.76	6.00	10.36	6.00	4.36	42
8. बीमा बुक पोस्ट	12.66	18.12	13.76	11.01	2.75	20
9. बुक पैटर्न और नमूना पैकेट	1.78	2.42	2.28	1.79	0.49	21
10. मुद्रित पुस्तकें	[illegible].25	2.26	2.94	1.52	1.42	48
11. अन्य	2.47	2.11	3.27	1.29	1.98	61

दूर संचार

97. दूर संचार विभाग के स्वामित्व तथा संचालन के अधीन नेटवर्क परिवर्धित अधिशेषों का सृजन करता रहा है। निवल प्राप्तियां वर्ष 1992-93 में 2195 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 2683 करोड़ रुपए थीं जो 22.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती हैं। वर्ष 1994-95 (ब० अ०) में इनके बढ़कर 3669 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। सामान्य राजस्व के संबंध में भुगतान किए जाने वाला लाभांश वर्ष 1992-93 में 257 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 263 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान था। प्रचालन अनुपात को जो अर्जित राजस्व के संबंध में निवल कार्यचालन व्यय (जिसमें बाण्डों के शोधन संबंधी प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है) का प्रतिशत है, वर्ष 1992-93 में 53.87 से कम करके वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में 50.50 पर लाए जाने का प्रस्ताव है। दूर-संचार सेवाओं के संबंध में वर्ष 1994-95 (ब०अ०) के लिए आयोजना परिव्यय, जिसमें विदेश संचार निगम लिमिटेड के लिए परिव्यय भी शामिल है, 1993-94 (सं०अ०) के 6470 करोड़ रुपए की तुलना में 7245 करोड़ रुपए है जो कि लगभग 12 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर्ज करता है। सम्पूर्ण परिव्यय दूर-संचार क्षेत्र के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से वित्तपोषित किया जाएगा। आन्तरिक संसाधन (5251 करोड़ रुपए) कुल संसाधनों का मुख्य हिस्सा (72.5 प्रतिशत) हैं। यह आन्तरिक संसाधनों के 1993-94 (सं०अ०) में 65.7 प्रतिशत के योगदान की तुलना में हुई वृद्धि का द्योतक है।

98. आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता से मूल्य वर्धित सेवाओं की आपूर्ति में विस्तार किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने मई, 1994 में राष्ट्रीय दूर संचार नीति को इस उद्देश्य से जारी किया था कि मांग किये जाने पर वर्ष 1997 तक सभी लोगों को टेलीफोन उपलब्ध कराए जा सकें। नई नीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी सेवाएं भी निजी क्षेत्र के लिये खुली छोड़ दी गई हैं। बुनियादी सेवाओं, मूल्य वर्धित सेवाओं तथा विनिर्मित दूर संचार उपस्करों को उपलब्ध कराने वाली भारतीय कम्पनियों में विदेशी इक्विटी सहभागिता को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्रसारण

99. वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रसारण पर कुल व्यय 788 करोड़ रुपए था। इसके मुकाबले प्राप्तियां 439 करोड़ रुपये थीं। इस प्रकार, कुल व्यय की केवल 55.7 प्रतिशत की पूर्ति प्राप्तियों से हुई। पूर्ववर्ती वर्षों में भी प्रसारण के वाणिज्यिक प्रचालनों से प्राप्त हुई प्राप्तियां व्यय से कम रही हैं। दूरदर्शन सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक लाभप्रद व्यवसाय है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को सार्वजनिक सेवा भी उपलब्ध करानी होती है। इसमें देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को तीव्र करने के समग्र व्यापक उद्देश्यों के अन्तर्गत शिक्षा और सूचना की व्यवस्था करना निहित है। विश्व के अधिकांश देशों में ऐसा सार्वजनिक सेवा टी वी चैनल और कुछ सार्वजनिक सेवा रेडियो चैनलों के पृथकीकरण के माध्यम से किया जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास वाणिज्यिक राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से मनोरंजन उन्मुख कार्यक्रमों के लिये चैनल टाइम स्लॉट हैं। इसी प्रकार, पूर्णतः व्यावसायिक उद्देश्य के आधार पर संचालित निजी दूरदर्शन कम्पनियों तथा निजी चैनलों को भी नैतिक संहिता के अधीन लाया जा सकता है और लाइसेंस के भाग के रूप में, टाइम स्लाट के लिए निर्धारित अनुपात में निर्दिष्ट सामाजिक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण, निजी स्वास्थ्य विज्ञान और सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, सामाजिक और नागरिक अधिकार और दायित्व तथा कार्यात्मक साक्षरता को शामिल किया जा सकता है जिनका अब तक सर्वथा अभाव रहा है। सरकार के वित्तीय साधनों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्राप्तियों को बढ़ाया जाना वांछनीय है जैसे कि उदाहरणस्वरूप दूरदर्शन विज्ञापन स्लाटों की बाजार कीमतों के निर्धारण के माध्यम से किया जा सकता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने इस संबंध में पहले ही कुछ उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले वर्षों में वाणिज्यिक प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्यिक प्राप्तियां जो वर्ष 1993-94 (सं० अ०) में कुल व्यय का 55.7 प्रतिशत थीं, वर्ष 1989-90 में 36.4 प्रतिशत और वर्ष 1990-91 में 44.5 प्रतिशत भाग की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार सूचित करती हैं। इस प्रवृत्ति को जारी रखने और आगामी वर्षों में और सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टिकोण

100. अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले नीति संबंधी सुधारों से संचारण तंत्र में भी परिवर्तन होगा जिसके द्वारा राजकोषीय नीति आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करती है। दो अभिज्ञेय परिवर्तन राजकोषीय घाटे तथा मुद्रास्फीति एवं उत्पादन जैसे बृहद् आर्थिक परिवर्तनों के मध्य सम्पर्क पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें से एक व्यापार और पूंजी अन्तः प्रवाह के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना है। दूसरा मुख्य विकास राजकोषीय घाटे तथा प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि ('घाटा वित्तपोषण'/'बजटीय घाटा') के बीच सम्पर्क समाप्त करने से संबंधित है। इन परिवर्तनों के गहन प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इनका दो स्तरों पर विश्लेषण करना पड़ेगा।

101. इन दोनों विकासों का प्रत्यक्ष, तात्कालिक तथा अल्पकालिक प्रभाव राजकोषीय घाटे में हुई वृद्धि और मुद्रास्फीति

के मध्य सम्पर्क को कमजोर करना है । अर्थव्यवस्था को खुला रखने की सीमा तक राजकोषीय घाटे द्वारा सृजित आधिक्य मांग को आयातों से पूरा किया जायेगा और इससे चालू खाते में अपेक्षाकृत गिरावट आएगी । इससे भुगतान सन्तुलन पर अपेक्षाकृत ठोस प्रभाव पड़ेगा और देशीय मुद्रास्फीति न्यूनतम रूप में प्रभावित होगी । इसके साथ ही राजकोषीय घाटे तथा मुद्रीकरण के मध्य सम्पर्क को समाप्त करने का तात्पर्य यह होगा कि मुद्रास्फीति पर राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो जायेगा।

102. इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि राजकोषीय घाटे में क्रमिक और निरन्तर कटौती की अब आवश्यकता नहीं है, अर्थशास्त्र का त्रुटिपूर्ण अध्ययन करना होगा और बहुत खतरनाक होगा । राजकोषीय घाटे में हुई किसी भी प्रकार की वृद्धि विनिमय दर और उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दरों पर दबाव डालेगी। खुली अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील होती है और विनिमय दर में हुआ परिवर्तन घरेलू मुद्रास्फीति पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालेगा । इसी प्रकार, बाजार निर्धारित घरेलू ब्याज दरों के साथ उत्पादन लागतें राजकोषीय घाटे में परिवर्तनों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जायेंगी। बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटे से ब्याज की दरें ऊंची हो जाएंगी और निवेश तथा वृद्धि की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए, मुद्रास्फीति को संतुलित बनाए रखने तथा निवेश और वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना एक महत्वपूर्ण उपाय है ।

अध्याय 3

मुद्रा और वित्त

वित्तीय क्षेत्र सुधारों के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में अनेक मुख्य सूत्रपात हुए । भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक करार किया ताकि वह तदर्थ सरकारी हुंडियों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से ली जाने वाली अपनी उधार राशि पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर सके । स्व-अनुशासन के इस ऐतिहासिक उपाय में राजकोषीय घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को नियंत्रित करने (और प्रारक्षित मुद्रा की परिणामी वृद्धि) और रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए गए हैं । एक अन्य मुख्य उपाय में 2 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम बैंक राशियों पर ब्याज दर का विनियमन करना था, जिससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच लाभप्रद प्रतिस्पर्धा और लागत-जागरूकता को प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है । बैंकिंग कंपनी अधिनियम में संशोधन किए गए हैं ताकि बैंकों को सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से पूंजी की वसूली करने की अनुमति दी जा सके । ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स बाजार से पहले ही लगभग 360 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है । बैंकिंग पद्धति में प्रतिस्पर्धा को प्रोन्नत करने के इन उपायों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना करके पूरा किया गया । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रतिस्पर्धा विवेकपूर्ण और सांविधिक वातावरण के अन्तर्गत कार्य करती हैं । गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों सहित बृहद् विनियामक संरचना भी घोषित की गई ।

2. विगतकालीन समस्याओं के प्रलम्बन पर ध्यान दिया जाना जारी रहा । गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों तथा ऋण वसूलो से संबंधित प्रयोजन के लिए आरम्भ किए गए विशेष ऋण वसूली न्यायाधिकरण कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बम्बई और बैंगलूर में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं । एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी स्थापित किया गया है । विगतकालीन नीतियों का कुप्रभाव अभी जारी है । और वर्ष 1993–94 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल लाभों में 21.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शायी गई हैं । यद्यपि सकल लाभ में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, फिर भी डूबे ऋणों के प्रावधान में 47.9 प्रतिशत से भी अधिक तीव्र वृद्धि हुई । इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सक्षमता और लाभप्रदता में वृद्धि किए जाने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष रहता है ।

3. मौद्रिक पक्ष में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास इक्विटी, प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार का व्यापक संचय करना रहा है जिसका मौद्रिक वृद्धि पर भी प्रभाव रहा । ऐतिहासिक रूप से, प्रारक्षित मुद्रा मृद्धि, राजकोषीय घाटे के मौद्रिकीकरण द्वारा व्यापक रूप से प्रेरित की जाती रही है । वर्ष 1993-94 की लगभग तीसरी तिमाही से शुरू करते हुए इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि के मुख्य साधन के रूप में निवल विदेशी प्रारक्षित संचित राशि द्वारा लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित की गयी है । संभवतः दशकों में पहली बार, पूंजीगत अन्तःप्रवाह महत्वपूर्ण मौद्रिक घटना बन गया है । सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की तरफ से इस विकास का दूसरा पहलू यह रहा है कि अनेक वर्षों में पहली बार वर्ष 1994–95 के लगातार पांच महीनों में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वृद्धि नकारात्मक थी और अनेक वर्षों में पहली बार वर्ष 1994–95 के लगातार छः महीनों में बजट में बचत हुई । निवल उधार वस्तुतः विदेशी मुद्रा भण्डारों के मुद्रीकरण को नियंत्रित करने में सहायक हुआ है ।

4. प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि वर्ष 1993-94 में 25.1 प्रतिशत होकर दोगुना से भी अधिक हुई और उच्च दरों पर जारी रही । फिर भी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम रही । मुद्रा आपूर्ति वर्ष 1992-93 में 14.2 प्रतिशत से तीव्रता से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 18.2 प्रतिशत हुई और वर्ष 1994-95 के दौरान इसमें और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई । इसलिए, मुद्रा गुणक में गिरावट आई ।

5. 1994–95 में एक महत्वपूर्ण घटना विगत वर्ष की कम वृद्धि से बैंक ऋण में की वसूली विगत वर्ष की कम वृद्धि से है । निजी क्षेत्रों को बैंक ऋण में वर्ष 1994–95 में 20 जनवरी, 1995 तक 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 6.3 प्रतिशत से दुगनी से भी अधिक है । खाद्य भिन्न वस्तुओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बकों द्वारा दिये गए ऋण में तीव्र वृद्धि हुई जो गत वर्ष में 0.9 प्रतिशत की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश के लिए दिए गए ऋण भी अच्छी वसूली दर्शाते हैं । वर्ष 1994–95 के प्रथम नौ महीनों के दौरान विकास वित्त संस्थाओं द्वारा की गई स्वीकृतियों में 1993–94 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यद्यपि वितरण में वृद्धि स्वीकृतियों से कम हुई है, फिर भी 36.2 प्रतिशत की वृद्धि दर काफी उत्साहवर्धक है ।

6. मुद्रा बाजार वर्ष 1993-94 की अन्तिम तिमाही में और 1994-95 के पहले 6 महीनों में सामान्यतः मन्दा रहा। यह वस्तुतः सभी प्रपत्रों पर लागू हुआ जैसे अंतर बैंक मांग मुद्रा, जमा पत्रों और सरकारी हुंडिया। नीलाम की गई 364 दिवसीय सरकारी हुंडियों पर कटौती दरों ने सितम्बर 1994 तक स्पष्ट अधोगामी प्रवृति दर्शायी। यद्यपि वित्तीय वर्ष के शुरू होने पर 91 दिवतीय सरकारी हुंडियों की ब्याज दरें कम स्तर पर थीं, फिर भी वे सितम्बर 1994 के मध्य तक एक वर्ष पहले के स्तर से कम रहीं। तथापि, सितम्बर और दिसम्बर 1994 के अन्त में मांग मुद्रा दरों में तीव्र अस्थायी वृद्धि हुई जिससे दरें बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई। इसके बाद 91 दिवसीय सरकारी हुंडियों की दरों में सुधार होने लगा।

7. पूंजी बाजार में सुधारों का एक अन्य चरण आया। भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) ने अपने अपरिमित ऋण खण्ड के साथ जून, 1994 में परिचालन शुरू किए और तत्पश्चात् इक्विटी में भी परिचालन करने शुरू कर दिए हैं। यूरो निर्गमों के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी किये गये। शेयर मूल्य जो जुलाई 1993 में निम्नतम थे फरवरी, 1994 तक बढ़ने लगे थे। कुछ उतार चढ़ाव के बाद बम्बई स्टाक एक्सचेंज सेन्सिटिव इन्डेक्स (सेनसेक्स) सितम्बर 1994 में अधिकतम हो गया। औद्योगिक वसूली के संकेतों तथा कम्पनी के अर्धवार्षिक परिणामों, बाजार सुधारों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई. आई.) से निधियों के अर्न्तप्रवाह ने शेयर मूल्यों को प्रभावित किया है। यूरो निर्गमों और परिवर्तनीय बन्धपत्रों (ई. सी. जी.) के माध्यम से जुटाई गई निधियों में वर्ष 1994–95 की प्रथम छमाही में तेजी से वृद्धि हुई। फिर भी, इसमें वर्ष 1993–94 की प्रथम छमाही की तुलना में घरेलू निर्गमों के माध्यम से एकत्रित राशि में गिरावट से आंशिक क्षतिपूर्ति हुई सेबी द्वारा निकासों में यह सुझाव है कि इस गिरावट से वर्ष 1994–95 को दूसरी छमाही में सुधार होगा।

मौद्रिक प्रवृत्तियां और गतिविधियां

8. वर्ष 1993-94 को प्रथम तिमाही में मन्द औद्योगिक वृद्धि और धीमी मुद्रास्फीति ने वर्ष 1993-94 की अन्तिम तिमाही तक मौद्रिक चिन्ताओं का मुद्रास्फीति से उत्पादन में पुनः समायोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करके उर्ध्वगामी बनाया गया। इन तथा अन्य उपायों के उपरान्त औद्योगिक उत्पादन का पुनः प्रवर्तन किया गया। विशेष आपूर्ति पक्ष कारकों के आंशिक कारणों से मुद्रास्फीति में कमी भी आई और आंशिक रूप से दूसरी और तीसरी तिमाहियों में वृद्धि होनी शुरू हुई। परन्तु, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि और वर्ष 1993-94 की दूसरी छमाही में मुद्रा की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण वृद्धि से 1993-94 के अन्त तक मद्रास्फीति के बारे में पुनः चिन्ता होने लगी।

1993-94 में मौद्रिक प्रवृत्तियां

मुद्रा वृद्धि

9. व्यापक मुद्रा (एम. 3) में वृद्धि तेजी से बढ़कर वर्ष 1993–94 में 18.2 प्रतिशत हो गई और भारतीय रिजर्व बैंक के 14 प्रतिशत के अनुमान को पार कर गई। वर्ष 1993–94 में सीमित मुद्रा (एम 1) में भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई जो बढ़कर 21.1 प्रतिशत हो गई। इस तेजी से हुई वृद्धि से मांग जमाराशियों की वृद्धि में तेजी से परिवर्तन का पता चला। मांग जमाराशियां तेजी से बढ़कर वर्ष 1993–94 में 20 प्रतिशत से अधिक हो गई। कुछ सीमा तक; मांग जमा राशियों और एम 1 की वृद्धि में पुनः सुधार होना औद्योगिक उत्पादन में प्रारम्भिक पुन : सुधार से संबंधित था। वर्ष 1993–94 में 20.4 प्रतिशत की मुद्रा की तेजी से वृद्धि में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा ने भी अपना योगदान दिया है। इसमें खाद्यान्न प्राप्ति का उच्च स्तर और खाद्य ऋण से सम्बद्ध विस्तार (61.8 प्रतिशत) तथा कृषि अर्थ व्यवस्था की सामान्य सकारात्मक स्थिति दर्शायी गई है (सारणी 3.1)

सारणी 3.1

मुद्रा स्टाक में परिवर्तन के साधन
डालर के रूप में घट-बढ़

	1993-94 मार्च 31 से मार्च 31	1993-94 मार्च 31 से जनवरी 21	1994-95 मार्च 31 से जनवरी 20	1993-94 मार्च 31 से मार्च 31	1993-94 मार्च 31 से जनवरी 21	1994-95 मार्च 31 से जनवरी 20
1	2	3	4	5	6	7
		(रुपये करोड़)			(प्रतिशत)	
I. एम 1 (जनता के साथ मुद्रा आपूर्ति)	26234	18334	24570	21.1	14.8	16.3
II. एफ 3 (सकल मौद्रिक संसाधन)						
(i) जनता के पास मुद्रा–	66741	53565	764816	18.2	14.6	14.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा राशियां	13925	11215	15401	20.4	16.4	18.7

1	2	3	4	5	6	7
(iii) बैंकों के पास साविधिक जमा राशियां	11094	6756	8511	20.4	12.4	13.0
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां	40587	35231	40246	16.7	14.5	14.2
III. एम 3 में परिवर्तन के साधन (1+2+3+4—5)	1215	363	658	92.5	27.6	26.0
1. सरकार को दी जाने वाली निवल बैंक ऋण राशि (क+ख)	27548	28311	11703	15.6	16.1	5.7
(क) सरकार को दी जाने वाली भारतीय रिजर्व बैंक को निवल ऋण राशि (i+ii)[2]	851	7245	—3983			
(i) केन्द्रीय सरकार +	260[3]	8587	—1886			
(ii) राज्य सरकार	591	1342	—2097			
	26697	1066	15686			
(ख) सरकार को दी जाने वाली अन्य बैंकों की ऋण राशि	17068	13804	32217	7.8	6.3	13.6
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण राशि (क+ख)	225	62	127			
(क) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण राशि[4]	16843	13742	32090			
(ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों की ऋण राशि	28775	12490	12926	115.3	50.1	31.5
3. बैंकिंग क्षेत्रों की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां[5]—	26904	10670	17055	107.8	42.8	31.7
3. (क) सोने के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर						
4. जनता के लिए सरकार को मुद्रा देनदारियां	114	132	151	6.3	7.2	7.8
5. बैंकिंग क्षेत्र के सावधिक जमा राशियों (क+ख) को छोड़ कर निवल गैर मौद्रिक देनदारियां	6764	1172	3819	12.0	2.1	—6.1
(क) भारतीय रिजर्व बैंक के निवल गैर मौद्रिक देनदारियां	2212	2317	2830			
(ख) (अवशिष्ट) अन्य बैंकों के निवल गैर मौद्रिक देनदारियां,	8976	3489	—989			

1 सुनिश्चित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में परिवर्तन मार्च के अन्तिम सूचित शुक्रवार के लिए आंकड़ों पर आधारित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य के लिए आंकड़े 31 मार्च तक है (सभी आंकड़े अनन्तिम है)।

2 इस में विशेष प्रतिभूतियां शामिल है।

3 कोटे में वृद्धि किए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित मुद्रा परिसम्पत्ति के खाते पर में अंशदान पर 751.64 करोड़ रुपए के व्यय सहित।

4 नाबार्ड (एन ए बी ए आर डी) की स्थापना से बैंकों को इस के पुनर्वित्त को छोड़ कर।

5 17 अक्तूबर, 1990 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के समीप इस के पुनर्मूल्यांकन के अनुगमन में सोने के मूल्य में मूल्यांकन का भारतीय रिजर्व बैंक के निवल गैर मौद्रिक देनदारियों पर तदनुरूप प्रभाव है।

मौद्रिक आपूर्ति

10. पूर्ववर्ती वर्षों की तरह, प्रारक्षित मुद्रा में विस्तार द्वारा मौद्रिक वृद्धि को व्यापक रूप से प्रेरित किया गया। प्रारक्षित मुद्रा में दुगने से भी अधिक की वृद्धि हुई जो वर्ष 1993-94 में 25.1 प्रतिशत हो गई। फिर भी, आरक्षित मुद्रा वृद्धि उत्प्रेरित करने वाले कारकों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। सरकार को दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण जो वर्ष 1993-94 की तीसरी तिमाही के अन्त तक लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया था, उसमें तेजी से गिरावट आई। इसका परिणाम यह हुआ कि वृद्धि दर वर्ष 1992-93 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1993-94 में केवल 0.9 प्रतिशत हुई। सरकार को दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की वृद्धि दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति रही जो वर्ष 1990-91 में 20.6 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 1991-92 में 5.8 प्रतिशत और वर्ष 1992-93 में 4.7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1993-94 में उल्लेखनीय बात यह थी कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के बावजूद सरकार को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में तेजी से गिरावट आई।

11. भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के संचयन से वर्ष 1993-94 में प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि में और वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति की वृद्धि दर में लगभग दस गुना वृद्धि हुई जो वर्ष 1993-94 में 117.5 प्रतिशत हो गई (सारणी 3.2)। इसके परिणामस्वरूप आरक्षित मुद्रा वृद्धि में भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों की वृद्धि का शेयर बढ़कर वर्ष 1993-94 में 97 प्रतिशत हो गया जबकि प्रारक्षित मुद्रा विधि में एन आर सी पी में वृद्धि का शेयर घटकर वर्ष 1943-94 में लगभग नगण्य हो गया (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2

प्रारक्षित मुद्रा में परिवर्तन के साधन

घट-बढ़

परिवर्तन[1]

	31मार्च1993 को बकाया राशियां	1993-94 मार्च 31 से मार्च 31	1993-94 मार्च 31 से दिस० 24	1994-95 मार्च 31 से जनवरी 20	1993-94 मार्च 31 से मार्च 31	1993-94 मार्च 31 से जनवरी 21	1994-95 मार्च 31 से जनवरी 20
		(रुपए करोड़ में)				(प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सरकार को दी जाने निवली भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण राशि[2]	98449	851	7245	--3983	0.9	7.4	—4.0
2. बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण राशि[3]	9885	—4334	— 2984	3106	43.8	29.3	56.0
3. वाणिज्यिक क्षेत्रों की भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण राशि[4]	6220	225	62	127	3.6	1.0	2.0
4. भारतीय रिजर्व बैंक को निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां[5]	22647	28775	13060	17496	127.1	57.7	34.0
4.क सोने के पुनर्मूल्यांकन को छोड़ कर		26904	11240	17625	118.5	49.6	34.3
5. सरकार की जनता को मुद्रा देनदारियां	1824	114	132	151	6.3	7.2	7.8
6. भारतीय रिजर्व बैंक को निवल गैर मौद्रिक देनदारियां	28246	—2212	—2317	-- 2830	--7.8	—8.2	—10.9
7. प्रारक्षित मुद्रा (1+2+3+4+5—6)	110779	27843	19922	19727	25.1	18.0	14.2

1 सरकारी खातों के बाद बन्द होने के बाद घट-बढ़ सम्बन्धी परिवर्तनों को 31 मार्च सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर किया गया। वर्ष 1990-91 को छोड़ कर सभी आंकड़े अनन्तिम हैं।

2 विशेष प्रतिभूतियों सहित

3 नबार्ड पर दावों सहित

4 नबार्ड की स्थापना से बैंकों को दिए जाने वाले इस के पुनर्वित्त छोड़ कर

5 घट बढ़ सम्बन्धी परिवर्तन 17 अक्तूबर 1990 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के निकटवर्ती इस के पुनर्मूल्यांकन का अनुगमन करते हुए सोने के मूल्य में मूल्यांकन सहित हैं। ऐसे मूल्यांकन का भारतीय रिजर्व बैंक की निवल गैर वित्तीय देन दारियों पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है।

12. यद्यपि विदेशी मुद्रा भण्डारों की वृद्धि इस परिवर्तन के लिए मूल रूप से उत्तरदायी थी, फिर भी बजट घाटे से सम्बद्ध प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में गिरावट का आना भविष्य का अग्रदूत था। वर्ष 1993-94 में बजटीय घाटा 24.3 प्रतिशत कम था।

मुद्रा प्रवर्धक

13. वर्ष 1993-94 में प्रारक्षित मुद्रा में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बावजूद मुद्रा आपूर्ति में एम 3 केवल 18.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिससे उस वर्ष मुद्रा प्रवर्धक में तेजी से गिरावट का पता चलता है। मुद्रा प्रवर्धक में गिरावट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों की तुलना में नकद शेष राशियों के अनुपात में वृद्धि के कारण हो सकती है। बैंक के पास नकद प्रारक्षित राशियां में वर्ष 1993-94 के दौरान 11.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। बैंकों के वर्ष 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास संवैधानिक अपेक्षाओं के अतिरिक्त मुक्त (अधिक) नकद भंडार थे और बजार में कम उधार देते थे। ऋण दिए जाने का सतर्क दृष्टिकोण, नवीन विवेकपूर्ण और निवेशात्मक मानदण्डों के लागू करने के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। इसने शून्य जोखिम वाली सरकारी प्रतिभूतियों को अधिमान्यता दी जिसमें बाजार सम्बद्ध लाभ प्रदान किए। नैगम क्षेत्रों से कम ऋण से संबंधित मांग, जिसने पूंजी बाजार से पर्याप्त मात्रा में निधियां एकत्रित की, भी एक अंशदायी कारक था।

मुद्रा की मांग और ऋण

14. मांग पक्ष दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अधीन रहा है। बजटीय घाटे के सरकारी वित्त-पोषण को जानबूझ कर तथा सोच-समझ कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः उधार देने से (मौद्रिक घाटे या घाटे के वित्तपोषण) और बैंकों द्वारा बाजार दर से कम संवैधानिक ऋण देने को बाजार आधारित उधार लेने में बदला गया है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को अन्य बैंकों के ऋण में वृद्धि में उछाला आया जो वर्ष 1992-93 में 11.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 15.6 प्रतिशत हो गया। इस तथ्य का सत्यांकन कि यह बाजार आधारित ऋण है, संवैधानिक चल निधि अनुपात से अधिक वाणिज्यिक बैंक नकदी अनुपात द्वारा तथा सरकारी घरेलू ऋण पर ब्याज भुगतानों में वृद्धि द्वारा किया जाता है। यद्यपि निजी क्षेत्र से सरकारी उधार में वृद्धि बजटीय घाटे और समग्र सरकारी उधार में वृद्धि द्वारा हुई, फिर भी अर्थव्यवस्था में बाह्य बचतों के अन्तःप्रवाह के कारण बाजार ब्याज दरों में वृद्धि नहीं हुई। दूसरे, अर्थव्यवस्था में बाह्य निजी बचतों के प्रवाह को लहर और घरेलू पूंजी बाजार से वृहत निधियों को जुटाना भी नैगम क्षेत्र से बैंक की कम मांग को आंशिक रूप से व्यक्त करता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि भी 4 प्रतिशत पर कम थी। मुद्रा के नियंत्रण में भी कुछ अच्छी वृद्धि और व्यापक स्तर पर बाह्य निधियों के अन्तः प्रवाह के बाद मुद्रा की मांग संबंधी कार्य में परिवर्तन हो सकता है।

मौद्रिक नीति और सुनियोजित सुधार

15. मुद्रास्फीति दर वर्ष 1993 के अन्त में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1994 के अन्त में 10.8 प्रतिशत हो गई। इसलिए, 1994-95 के लिए मौद्रिक नीति का मूल उद्देश्य मुद्रास्फीति दर में कमी लाना था। तथापि, यह निर्यात, कृषि, लघु उद्योगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण के पर्याप्त प्रवाह की व्यवस्था करने के अधीन था। बैंकिंग क्षेत्र के निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में असाधारण विस्तार ने भी विदेशी क्षेत्र की नीतियों और मौद्रिक नीति के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भण्डारों का संचयन मौद्रिक प्रबन्धन के लिए एक चुनौती देता है। बदले में मुद्रास्फीति ने वास्तविक विनिमय दर को प्रभावित किया।

पद्धति सुधार लक्ष्य

16. मौद्रिक प्रक्रिया सुधार, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का एक आवश्यक तत्व है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था और अधिक बाजार उत्प्रेरित बनती जाती है, मौद्रिक प्रबन्धन की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना पड़ता है। भौतिक नियंत्रण साधनों से बाजार आधारित साधनों में परिवर्तन का यह अभियान इस वर्ष भी जारी रहा (बाक्स 3.1)। इस दिशा में दो मूल निर्णय लिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को शामिल किए जाने का प्रयास किया गया है और बैंकों को उच्चतर ऋण राशि अर्थात् 2 लाख रुपए से अधिक पर अपनी ब्याज दर निर्धारित किए जाने की छूट दी गई। पूंजीगत अन्तःप्रवाहों की चुनौती पर खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से विशेषतः नीति की अधिक सक्रिय स्थिति को देखते हुए ध्यान दिया गया।

राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण

17. वर्ष 1994-95 का केन्द्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य है और 6000 करोड़ रुपए का बजट घाटा दर्शाया गया है। अधिक महत्वपूर्ण सरकार की घोषणा थी जिसमें इसने तदर्थ सरकारी हुंडियों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी उधार को वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए 6000 करोड़ रुपए सीमित किया है। वर्ष के दौरान राजस्व राशियों और व्ययों के प्रवाह में अस्थिरता के कारण वर्ष के दौरान ऐसी उधार राशियों के वर्ष के अन्तिम लक्ष्य को पार कर जाना असामान्य नहीं है। अतः यह भी सहमति हुई कि ऐसी उधार राशियां 10 लगातार कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए 9000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होंगी। यदि ये शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो भारतीय रिजर्व

बाक्स संख्या 3.1

वित्तीय क्षेत्र सुधार : वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95

* वृद्धिकारी निवल घरेलू मांग और समयबद्ध देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस.एल.आर.) वर्ष 1991-92 में 38.5 प्रतिशत से घट कर 25 प्रतिशत हो गई। बकाया घरेलू निवल मांग और समयबद्ध देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात को वर्ष 1991-92 में 38.5 प्रतिशत से घटाकर 31.50 प्रतिशत कर दिया गया है। जिसके मार्च 1995 तक गिरकर 29.5 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है।

* वृद्धिकारी नकद प्रारक्षित मुद्रा अनुपात का 10 प्रतिशत हटाया गया और नकद प्रारक्षित मुद्रा अनुपात में 0.6 प्रतिशत को कमी करते हुए नकद वृद्धिकारी प्रारक्षित मुद्रा अनुपात के अन्तर्गत एक तिहाई जब्त नकद बकाया राशियों को निर्मुक्त किया गया।

* 2 लाख रुपए से अधिक की सामान्य अग्रिम राशियों पर भारतीय स्टेट बैंक और अधिकांश अन्य बैंकों को मूल दर वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 के बीच 5 प्रतिशतता बिन्दु घट कर 14 प्रतिशत पर आ गई है।

* सभी सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर) की जमा राशियों और अग्रिम राशियों पर ब्याज दरों पर से नियमन हटा दिया गया परन्तु ऋण की न्यूनतम दर 12 प्रतिशत रखी गयी।

* बैंक अग्रिम राशियों पर लागू ब्याज दरों को संख्या वर्ष 1989-90 में 20 से घटकर वर्ष 1994-95 में 2 कर दी गई। 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशियों पर ब्याज दर पर से पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता सावधिक जमा राशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को 11 से घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

* भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि बैंकों को पूंजी बाजार तक पहुंच हो सके और शेयर धारकों को 10 प्रतिशत मतदान अधिकार प्रदान कर सके। भारतीय स्टेट बैंक ने सार्वजनिक निर्गमों और बन्ध पत्रों से 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई। भारतीय रिजर्व बैंक को शेयरधारिता पूर्ववर्ती 99 प्रतिशत को तुलना में अब 67 प्रतिशत है।

* बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण और इक्विटी के लिये पूंजी बाजार में पहुंच हो गई। ओरियण्टल बैंक आफ कॉमर्स ने अपने प्रथम निर्गम के माध्यम से 360 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की।

* "सिद्धान्त रूप से" नए निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए सात प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। बैंकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों से 20 प्रतिशत तक और अनिवासी भारतीयों से 40 प्रतिशत तक और पूंजीगत अंशदान एकत्रित किए जाने की अनुमति दी गई। चार निजी बैंकों ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

* आय का पता लगाने के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों, परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और डूबी ऋण राशियों का प्रावधान करना आरम्भ किया गया।

* 25,000 रुपए से कम गैर-निष्पादन संबंधी अग्रिम राशियों के लिए प्रावधान करने संबंधी आवश्यकता में वृद्धि की की गई ताकि वह वर्ष 1995-96 में 10 प्रतिशत हो जाए।

* सभी बैंकों ने 31 मार्च, 1993 तक 4 प्रतिशत की पूंजीगत पर्याप्तता प्राप्त कर ली। भारत में विदेशी बैंकों और ऐसे भारतीय बैंकों, जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं, 8 प्रतिशत के पूरे मानदण्डों को प्राप्त कर लिया गया, जबकि शेष बैंकों द्वारा मार्च 1996 के अन्त तक इन मानदण्डों को अवश्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

* कम सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए वर्ष 1993-94 में 5,700 करोड़ रुपए और वर्ष 1994-95 में 5,600 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की मदद की गई। ये बैंक इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंक प्रबन्धन को सुदृढ़ करने तथा सक्षमता में सुधार करने पर भी सहमत हुए।

* बैंकों को पूंजीगत पर्याप्त मानदण्डों और विवेकपूर्ण लेखा मानकों को प्राप्त कर लेने पर नई शाखाएं खोलने और एक्सटेंशन कांउटरों का दर्जा बढाने की छूट दी गई। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को छोड़ कर अन्य गैर-किफायती बैंक शाखाओं को बन्द किए जाने की अनुमति दी गई।

* न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया।

* बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की पर्यवेक्षणीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें एक सलाहकार परिषद होगी। बोर्ड की सहायतार्थ दिसम्बर, 1993 में में भारतीय रिजर्व बैंक में एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण विभाग की भी स्थापना की गई है।

* ऋण राशियों की वसूली और बकाया ऋण राशियों को अधिक शीघ्रता से वसूले जाने में सुविधाकारी बनाए जाने के लिए विशेष वसूली न्यायाधिकरणों का गठन करने के लिए बैंक से प्राप्य ऋणों की वसूली और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 पारित किया गया दो न्यायाधिकरणों ने कलकत्ता और दिल्ली में कार्य करना शुरु कर दिया है और एक अपीलीय न्यायाधिकरण बम्बई में स्थापित किया गया है।

* बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया ताकि बैंकिंग कम्पनी को एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और प्रोन्नति शील संस्थाओं के निदेशकों में से तीन तक निदेशक रख सके और 10 प्रतिशत शेयर होल्डर के लिए मतदान अधिकारों के प्रयोग लिए सीमा को बढ़ा सके और अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा सके।

* अक्टूबर, 1993 में किए गए संघ समझौते ने बैंकों में तेजी से कम्प्यूटरीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

* बैंक ऋण राशियों के मानदण्डों को उदार बनाया गया और बैंकों की सम्पत्ति सूची की तथा प्राप्य वस्तुओं को वैयक्तिक मदों को धारिता के स्तरों का निर्णय करने की छूट दी गई।

* अनिवार्य सहायता-संघ प्रबन्धन का क्षेत्र 934 खातों के स्थान पर 76 बड़े उधार संबंधी खातों तक सीमित किया गया और अब तक कर्जदारों को सहायता संघ में नए बैंकों को शामिल करने की अनुमति दी गई और बैंकों को दो वर्ष बाद सहायता संघ को छोड़ देने की अनुमति दी गई।

* बैंकों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए ताकि बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में बैंकों की ग्राहक सेवा गुणात्मक सुधार 600 को सुनिश्चित किया जा सके।

* आई. एफ. सी. आई. को कम्पनी में परिवर्तित किया गया और इसके प्रथम सार्वजनिक निर्गम ने इक्विटी के रूप में (प्रीमियम सहित) 600 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की।

* सावधिक ऋण संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता के लिए परिवर्तनीयता धारा अब अनिवार्य नहीं होगी।

* कुछ अखिल भारतीय विकास बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता पर मुक्त ब्याज दर (364 दिवसीय सरकारी हुण्डियों पर ब्याज दर से सम्बद्ध) आरम्भ की।

* सांविधिक नकदी अनुपात निधियों तक वित्तीय संस्थाओं की पहुंच को कम किया गया और उन्हें निधियों की प्राप्ति के लिए कम किया गया और उन्हें निधियों की प्राप्ति के लिए पूंजीगत बाजार में पहुंचने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

सारणी 3.3

सुनिश्चित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण राशि दरों में परिवर्तन

प्रभावी दरें

ऋण	8 अप्रैल 1993 से पहले	8 अप्रैल	जून, 24 1993	2 सितम्बर 1994	सावधिक ऋण राशि (3 वर्ष और अधिक)	1 मार्च, 1994 अन्य अग्रिम राशियां	18 अक्तूबर 1994
1	2	3	4	5	6	7	8
(i) 75000रु. सहित तथा राशि	11.5						
(ii) 7500 रु. से 25,000 रु. तक	13.5	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
(iii) 25000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपए तक	16.5	16.5	16.0	15.0	14.0	15.0	13.5
(iv) 2 लाख रु. तक (न्यूनतम)	17.0	17.0	16.0	15.0	14.0	15.0	मुक्त[3]

1 निर्यात ऋण राशि के लिए उनसे अन्य की दरों सम्बन्धी

2 सितम्बर 1993 से ऋण राशि की दरों सम्बन्धी संरचना सावधिक ऋण राशियों और कार्यशील पूंजीगत अग्रिम राशियों दोनों के लिए एक समान है।

3 बैंकों को अपनी प्रारम्भिक ऋण राशि दर के नियतन और घोषणा किए जाने के लिए अपने निदेशक मण्डल का अनुमोदन लेना होगा जो कि उसकी सभी शाखाओं के लिए समान रहेगी।

बैंक सरकारी हुंडियों की नीलामी करने या भारत सरकार की नई प्रतिभूतियों को बाजार में बेचने का अधिकार होगा ताकि तदर्थ उधार राशियों को 9000 करोड़ रुपए के नीचे लाया जा सके। इसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार ऐसे "तदर्थ" उधार राशि को वर्ष 1994-95 में 6,000 करोड़ रुपए से वर्ष 1997-98 में कुछ नहीं घटाया जाएगा। यह सुनिश्चित किए जाने द्वारा कि राजकोषीय घाटे में उतार-चढ़ाव "बजट घाटे" और स्वतः मौद्रिक वृद्धि में रूपान्तरित नहीं किए जाते हैं, मौद्रिक वृद्धि से राजकोषीय घाटे को असम्बद्ध किया जाना यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रबन्धन से भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्ता में वृद्धि होगी, जो राजकोषीय स्थिति की मौद्रिक नीति को स्वतंत्र रूप से व्यवहार में ला सकती है। इसके अनुवर्तन में इससे प्रभावी मौद्रिक प्रबन्धन और मुद्रा-स्फीति नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर अधिक दायित्व भार बढ़ता है।

बाक्स संख्या 3.2

तदर्थ सरकारी हुण्डियों को सीमित करने के लिए करार

तदर्थ सरकारी हुण्डियों के माध्यम से उधार राशियों को सीमित करने के लिए 1994-95 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्रीद्वारा किए गए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 9 सितम्बर, 1994 को वित्त मंत्री, भारत सरकार और गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अनुसार वर्ष 1994-95 के लिए तदर्थ सरकारी हुण्डियों का निवल निर्गम 6,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार की सीमा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए तदर्थ सरकारी हुण्डियों के निवल निर्गम के लिए भी निर्धारित की जाएगी और वर्ष 1997-98 में तदर्थ सरकारी हुण्डियों की प्रणाली को पूरी तरह बन्द कर दिया जाएगा।

सरकार द्वारा यह कदम बजट घाटों के प्रत्यक्ष और स्वतः मुद्राकरण को नियंत्रित करने और उसके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रबन्धन की सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। वर्तमान करार तीन वर्ष तक सरकार के बजट घाटे के स्वतः मुद्रीकरण को समाप्त करेगा, मौद्रिक प्रबन्धन में अस्थिरता के मुख्य स्त्रोतों को समाप्त करेगा और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता देगा।

18. 2 लाख रुपए से अधिक की बैंक अग्रिम राशियों पर अस्थायी ब्याज दरों को अक्तूबर, 1994 में समाप्त कर दिया गया। यह बैंक ब्याज दरों के मुख्य नियमन हटाने को दर्शाता है (बाक्स-3.3)। 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए ब्याज दर स्वयं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। (सारणी 3.3) विनियामक से अनियमितता, जिसमें बैंक 12–14 प्रतिशत की कूपन दरों से कम्पनियों के वाणिज्यिक पत्र खरीद रहे थे, जबकि वे कर्जदारों के उसी समूह को 15 प्रतिशत से कम ऋण नहीं दे सकते थे, को समाप्त हुआ समझा जाए। अब ब्याज दरें बाजार में निधियों के लिए मांग और आपूर्ति की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगी। अतिरिक्त नकद बकाया राशि तथा सांविधिक अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां रखने की स्थिति, जैसी कि वर्ष 1993-94 में और वर्ष 1994-95 की कुछ अवधि में रहीं, ब्याज दरों पर अधोगामी दवाब डालेगी। यह बैंकों के सामने परिचालनात्मक और मध्यस्थता लागतों को घटाने के लिए यह चुनौती प्रस्तुत करता है। बैंकों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबावों में वृद्धि से जोखिमों और ऋण से प्राप्त लाभों का मूल्यांकन करने से कर्जदारों के कार्यनिष्पादन के बेहतर मानिटरिंग तथा अनुवर्तन के लिए अधिक अच्छी पद्धतियों और प्रक्रियाओं का विकास होना चाहिए। इससे गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों (एन पी ए) को कम करने में सहायता मिलेगी जिसके लिए ब्याज और/या मूल की वापसी अदायगी प्राप्त नहीं हो रही है। बैंक नकदी और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए रियायती दर और खुला बाजार परिचालनों जैसे बाजार साधनों का और अधिक विकास तथा प्रयोग मुद्रा प्रणाली का प्रबन्धन करने के लिए रिजर्व बैंक के सामने भी ऐसी ही चुनौती है।

खुला बाजार परिचालन

19. पूंजी अन्तः प्रवाहों में लहर उत्पन्न होने पर अतिरिक्त नकदी राशि की समस्या के समाधान किए जाने के लिए, रिजर्व बैंक ने व्यापक स्तर पर खुले बाजार परिचालन आरम्भ किए। इससे भारत सरकार की रुपए प्रतिभूतियों की स्पष्ट बिक्रियों द्वारा इसके पोर्टफोलियों से वर्ष 1993-94 के दौरान 9,047 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी के उपयोग किए जाने में सहायता मिली। वर्ष 1993-94 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए खुले बाजार परिचालन नकद प्रारक्षित मुद्रा अनुपात में 2.8 प्रतिशतता बिन्दु वृद्धि के समान होंगे। (बाक्स 3.4) चालू वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान (20 जनवरी 1995 तक) भारतीय रिजर्व बैंक के एन. एफ. ए. में 17,496 करोड़ रुपए की तेजी से वृद्धि हुई लेकिन इसका केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निबल ऋण में 1896 करोड़ रुपए की गिरावट द्वारा आंशिक रूप से सामना किया गया है। खुले बाजार परिचालनों को समयबद्ध किया जाना है ताकि उनका सरकार के उधार कार्यक्रम से टकराव न होवे। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1,032 करोड़ रुपए की निवल बिक्री के खुले बाजार परिचालन किए गए हैं।

बाक्स 3.3

ऋण दर का विनियमन समाप्त करना

8 अक्टूबर, 1994 से, "न्यूनतम ऋण दर" को समाप्त करके 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों का विनियमन समाप्त कर दिया गया है। बैंकों के मण्डल अब अपनी आरम्भिक ऋण दर निर्धारित कर सकते हैं। यह 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए बैंकों द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम दर के रूप में कार्य करेगा। इसे घोषित करना पड़ेगा और सभी बैंक शाखाओं पर समान रूप से लागू किया जायेगा।

2 लाख रुपए से अधिक बैंक अग्रिम राशियों के लिए ऋण दर के विनियमन का समापन उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों, जो अप्रैल, 1992 में आरम्भ की गयी थीं, के सुधार/युक्ति संगत बनाने की प्रक्रिया में एक प्रमुख कदम का द्योतक है। छह स्तरीय ऋण दर संरचना को एक चार स्तरीय ऋण दर से प्रति-स्थापित किया गया और ऋण दरों की संख्या को अप्रैल, 1993 में चार से घटाकर तीन कर दिया गया था। अप्रैल 1992 और सितम्बर, 1994 के बीच इसी अवधि में 2 लाख रुपये से अधिक की बैंक अग्रिम राशियों पर न्यूनतम ब्याज दर को भी 19 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। पहले भी बैंकों को अपनी सावधिक जमा राशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने को छूट दी गई है बशर्ते कि यह 11 प्रतिशत से अधिक न हो।

बैंक अग्रिम राशि की उच्चतम सीमा पर ब्याज दर का विनियमन समाप्त करने से बैंकों के बीच लाभकारी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा और उनकी परिचालनात्मक सक्षमता को भी प्रोत्साहित करेगा। यह बैंकों के लिए अधिकतम सीमा तक बेहतर समायोजित करने तथा अपने ग्राहकों के संबंध में जोखिम अवधारणा के लिए सहायक होगा। अन्य आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की तरह, सकल नकदी और ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालनों और अन्य मौद्रिक उपायों द्वारा प्रभावित होती रहेंगी।

बैंक दर

20. मौद्रिक नीति के साधन के रूप में बैंक दर की भूमिका ब्याज दरों की प्रबन्ध संरचना, वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्षेत्र विशेष पुनः वित्तपोषित सुविधाओं और अविकसित बिल बाजार जैसे अनेक कारकों की वजह से भारत में अत्यन्त सीमित रही है । इस समय केवल कुछेक अन्य दरें ही बैंक दर से सम्बद्ध हैं । ये हैं (क) नकद प्रारक्षित मुद्रा अनुपात व्यतिक्रमों पर प्रभारित दण्डस्वरूप ब्याज और सांविधिक नकदी अनुपात (एस. एल. आर.) में गिरावट (ख) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा अभिधानित भारतीय विकास बन्ध-पत्र (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गमित) की प्रतिभूति की तुलना में रुपए में अग्रिम राशियों पर ब्याज दर । यह भारत में इन बन्ध-पत्रों के अनिवासी धारकों और निवासी व्यक्तियों /फर्मों/कम्पनियों दोनों पर लागू होता है और (ग) राज्य सरकारों को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऋण पर ब्याज दर/बैंक दर में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जो नवम्बर, 1951 में 3 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 1981 में 10 प्रतिशत हो गई । इस अवधि के दौरान केवल 10 परिवर्तन हुए । बैंक दर में वर्ष 1991 तक दस वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसमें उर्ध्वगामी संशोधन किया गया जिसे जुलाई 1991 में 11 प्रतिशत और फिर अक्तूबर, 1991 में 12 प्रतिशत किया गया ।

21. आधुनिक अर्थव्यवस्था में "बैंक दर" अथवा सैंट्रल बैंक पुनः छूट दर एक महत्वपूर्ण मौद्रिक साधन है । इसकी अत्यधिक उपयोगी भूमिका सैंट्रल बैंक की मौद्रिक और ब्याज दर अवस्थिति का वित्तीय क्षेत्र में सभी प्रतिभागियों को और विशेष रूप से बैंकों को संकेत और/अथवा स्पष्टीकरण देना है । यदि मौद्रिक नीति प्रभावी और विश्वसनीय

बाक्स 3.4

खुला बाजार परिचालन

खुले परिचालनों में सेंट्रल बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद किया जाना शामिल है । जब सेंट्रल बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में बिक्री करता है, तो यह बैंकिंग क्षेत्र के जमा संसाधनों का कुछ भाग निकाल देता है, जिससे उधार देने के लिए बैंक के पास उपलब्ध संसाधनों में कमी आ जाती है । किसी भी निश्चित समय पर ऋण राशि सृजित किए जाने की (नए ऋण देने की) बैंकों की क्षमता इसकी अधिशेष नकद राशि पर निर्भर करता है अर्थात् (सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित) सांविधिक नकद प्रारक्षित निधि अनुपात से नकद संसाधनों की राशि । खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री ऋण राशि सृजित करने के लिए आधार को संकुचित करते हुए बैंकों के अधिशेष नकद संसाधनों में कमी करती है । एक बार मुक्त प्रारक्षित मुद्रा समाप्त किए जाने पर, बैंकों को अपनी ऋण राशि की आपूर्ति संकुचित करनी पड़ती है जिससे वे सांविधिक नकदी प्रारक्षित मुद्रा अनुपात की तुलना में कुछ मुक्त प्रारक्षित मुद्रा सृजित कर सकें । बैंक ऋण राशि की आपूर्ति, जिसमें मांग जमा राशियों का सृजन शामिल है, कम हो जाता है और मुद्रा आपूर्ति संकुचित हो जाती है । इसके विपरीत स्थिति तब होती है जब सेंट्रल बैंक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार खरीद करता है । विक्रेता बैंक के पास प्रतिभूतियों का भण्डार कम हो जाता है और मुक्त अधिशेष नकदी का विस्तार होता है और इस तरह उनकी ऋण राशि सृजन की क्षमता में वृद्धि होती है । इसलिए, बैंक ऋण राशि की आपूर्ति में विस्तार होता है और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है ।

खुले बाजार की बिक्री में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है और यह आय अंततः बैंक के नकद शेष में कटौती तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित अन्य जमा राशियों (तुलन-पत्र जमा राशियों में गिरावट) के रूप में प्रतीत होती है । खुले बाजार परिचालन सरकारी प्रतिभूतियों के कुल भण्डार में परिवर्तन नहीं करते, बल्कि सेंट्रल बैंक और वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के अनुपात में परिवर्तन करते हैं । खुले बाजार बिक्रियों के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के (एन०आर०सी०जी०) में गिरावट आयेगी और सरकार को दिए जाने वाले अन्य (वाणिज्यिक और सहकारी) बैंकों के ऋण (ओ०बी०सी०जी०) में वृद्धि होगी जिसका बजट (या राजकोषीय) घाटे पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सेंट्रल बैंक लोक ऋण के निर्गम के प्रबन्धक के रूप में केन्द्रीय सरकार की ओर से बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री भी करता है । अधिक अन्तर प्रतिभूतियों के स्वामित्व में है । लोक ऋण प्रबन्धक के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों की केवल बिक्री करता है, जिसकी आय को सरकार के खाते में डाला जाना होता है । इस स्थिति में प्रतिभूतियों की कुछ आपूर्ति में वृद्धि होती है ।

है, तो दर में परिवर्तन का परिणाम बैंकों की प्रारम्भिक ऋण दर में परिवर्तन का आना है और इस प्रकार मौद्रिक प्रबन्धन का स्वतंत्र साधन के रूप में कार्य करना है। निर्यात के लिए पुनः वित्तपोषण दर को कम करते हुए और इस तरह एक विशेष प्रकार के वित्तपोषण के साथ इसका सम्बन्ध कम करते हुए, इस साधन की संभावित प्रभावशीलता को बढ़ाया जा रहा है। मौद्रिक साधन के रूप में इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की रियायत सुविधा की सामान्य प्राप्ति के नियमों और प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करनी होगी।

अल्पकालिक मौद्रिक प्रबन्धन

22. मांग मुद्रा दरें सितम्बर, 1994 में लगभग 15 प्रतिशत के अभूतपूर्व स्तरों तक पहुंच गयी। अस्थिरता का अंश भी भिन्नता के सहकारी कारक से अभूतपूर्व था जो कि दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम दोनों के लिए 0.7 से अधिक था। यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक सक्षम परिसम्पत्ति देयता प्रबन्धन की तत्काल आवश्यकता तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक बाजारों की सघन मानिटरिंग पर प्रकाश डालता है। मुद्रा बाजार स्थितियों को दिन-प्रतिदिन मानिटरिंग की भी मांग-मुद्रा दरों में उतार चढ़ावों को सहज बनाए जाने के लिए 1 से 14 दिवसीय पुनर्क्रय जैसे साधन का प्रयोग करके पूर्ति की जा सकती है। अनेक सेंट्रल बैंकों द्वारा निष्पादित यह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आवधिक पुनर्क्रय नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में अल्पकालिक नकदी को समाप्त करने की नीति जारी रखी। फिर भी, नकदी में समायोजन के लिए बाजार में अन्तर बैंक पुनर्क्रय लेन-देन हेतु उपलब्ध पात्र प्रतिभूतियों की मात्रा में काफी वृद्धि के परिणामस्वरूप 1994-95 के दौरान पुनर्क्रय नीलामियों में प्राप्त और स्वीकृत बोलियों में क्रमिक गिरावट आई। सरकारी प्रतिभूतियों की स्पष्ट बिक्री में वृद्धि से स्वीकृत पुनर्क्रय बोलियों के औसत परिणाम में गिरावट आई है जो वर्ष 1993-94 में 1,853.57 करोड़ रुपए से घटकर इस वित्तीय वर्ष (दिसम्बर, 1994 तक) में 321 करोड़ रुपए रह गये।

मौद्रिक प्रबन्धन

23. 'दृष्टिकोण' अनुभाग ने वर्ष 1993-94 की आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया था कि मौद्रिक नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूंजी अन्तःप्रवाहों में व्यापक स्तर पर वृद्धि का प्रबन्ध करना होगा। चुनौती दो प्रकार की थी नीति का प्रबन्ध इस प्रकार करना कि विदेशी मुद्रा के उत्पादक प्रयोग में वृद्धि करे तथा शेष जुटाई गयी राशि को इस प्रकार रोकना कि वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि किए बिना मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित किया जा सके।

विदेशी मुद्रा संचय

24. बीच की अवधि की तुलना में मुद्रास्फीतिकारी संभाव्यता को संतुलित करने की दृष्टि से इस दिशा में किए गए उपाय में ये शामिल थे: (क) अनिवासी विदेशी (रुपया) खातों (एन आर ई आर) पर ब्याज दर में कमी करके उसे "10 प्रतिशत से अनाधिक" से "8 प्रतिशत से अनाधिक" करना; (ख) 3 वर्ष की परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (एफ सी एन आर ए) को समाप्त करना; (ग) 1 अक्तूबर, 1994 से शुरु करते हुए अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमा राशियों (एन आर एन आर) पर और विदेशी मुद्रा सामान्य अप्रत्यावर्तनीय जमा राशियों (एफ सी ओ एन आर) पर लगने वाले ब्याज को प्रत्यावर्तित करने की छूट; (घ) 20 अगस्त, 1994 से विदेशी मुद्रा सामान्य अप्रत्यावर्तनीय जमा राशियों (एफ सी ओ एन आर) के अन्तर्गत नई जमा राशियां समाप्त की गई; (ङ) भारतीय फर्मों द्वारा यूरो निर्गमों के लिए जारी किए गए तथा कठोर मार्ग-दर्शी सिद्धान्त; (च) नैगम क्षेत्र को अपने महंगे विदेशी ऋण की अदायगी के लिए प्रोत्साहित करना; और (छ) विदेशों में भारतीय पूंजी निवेश के लिए सीमाओं और प्रक्रियाओं का उदारीकरण, हमारी विदेशी मुद्रा के उत्पादक प्रयोग को सरल बनाने और निर्यात अनुबंधन की संरचना को प्रोत्साहित करना।

निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण

25. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को उनके रुपया निर्यात ऋण तथा अमेरिकी डालर में मूल्यवर्गित पोत-लदानोत्तर निर्यात ऋण दिया गया पुनः वित्तपोषण के प्रति प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि का का एक साधन है। मार्च 18, 1994 की स्थिति के अनुसार कुछ निर्यात ऋण पुनर्वित्त बकाया राशि 8713 करोड़ रुपए थी। सामान्य प्रणाली के अनुसार, निर्यात ऋण (रुपये) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण सीमा निर्धारित करने के आधार को पुनः एक वर्ष तक के लिए बदल दिया गया है। बैंक वर्ष 1990-91 के मासिक औसत स्तर (एम ए एल) से वर्ष 1991-92 के मासिक औसत स्तर तक के कारण निर्यात ऋण में वृद्धि का 60 प्रतिशत भाग तथा वर्ष 1991-92 में बकाया निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर तक ऐसे ऋण में वृद्धि का 100 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिकी डालर के मूल्यवर्गित पोत-लदानोत्तर निर्यात ऋण की स्थिति में, बैंकों द्वारा प्रदत्त ऐसी बकाया निर्यात ऋण के लिए पात्रता प्रतिशतता को 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया गया। इन उपाय से निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण सीमा में 1505 करोड़ रुपए की कमी आएगी।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर):

26. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी०आर०आर०) को अप्रैल और मई 1993 में दो चरणों में 15 प्रतिशत से कम करके 14 प्रतिशत किया गया। तथापि, वृहद् अवस्थाओं

में अल्पकालिक परिवर्तनों, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के संचयन, जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक नकदी में वृद्धि हुई के कारण मध्यम अवधि की कार्य नीति में अस्थायी परिवर्तन आवश्यक हो गया। विदेशी मुद्रा के अन्तः प्रवाह के एक भाग को नियंत्रित करने के लिए, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 11 जून से 6 अगस्त, 1994 तक तीन चरणों में 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया। क्योंकि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक से) (एफ सी एन आर) (ब) स्कीम की सुविधा के अन्तर्गत कीमत लागत अन्तर बहुत अधिक था और स्थायी डालर-रुपया दर के अन्तर्गत अग्रवर्ती सुरक्षा-राशि प्रभार सामान्य था, प्रारक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं से ऐसी जमा राशियों की पूर्णतः छूट देने का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता स्कीम को समाप्त करने से, अन्य अनिवासी जमा स्कीम के अन्तर्गत जमा की गयी राशियों में तदनुरूपी वृद्धि हुई जिससे समग्र प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी हुई। इसे ध्यान में रखते हुए तथा मौद्रिक प्रवृत्तियों की समीक्षा करने पर, पहली बार इस स्कीम के अन्तर्गत देयताओं पर बैंकों द्वारा प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 29 अक्तूबर, 1994 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 7.5 प्रतिशत संधारित किए जाने की आवश्यकता थी। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (ख) स्कीम के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया तथा अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया खाता (एन.आर.एन.आर.) स्कीम के लिए 21 जनवरी, 1995 को शुरू होने वाले पखवाड़े से 7.5 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को पहली बार शुरू किया गया। इसके साथ ही, इन दोनों उपायों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 1155 करोड़ रुपए अग्र ग्राह्य संसाधनों को अवरुद्ध किए जाने की संभावना है। जिससे मुद्रा आपूर्ति वृद्धि पर सामान्य प्रभाव पड़ेगा।

सांविधिक नकदी अनुपात

27. केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार सम्बद्ध आय के प्रस्ताव ने ऐसी प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक दृष्टिकोणों से भी पूंजी निवेश के लिए एक आकर्षक साधन बना दिया है। उनका शून्य जोखिम भार इसे पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अन्तर्गत (जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात पद्धति के लिए पूंजी) पूंजीगत सहायता प्रदान किया जाना अनावश्यक बनाता है। इसलिए, सांविधिक नकदी अनुपात, जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, अधिकतर अनावश्यक हो गई है। फिर भी, इस साधन पर राज्य सरकार की निर्भरता ने सांविधिक नकदी अनुपात को समाप्त करने के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। अब भी इसका लक्ष्य कुल सांविधिक नकदी अनुपात को कम करके वर्ष 1996-97 तक 25 प्रतिशत तक लाना है। वर्ष 1993-94 में वृद्धिकारी सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) को कम करके 25 प्रतिशत तक लाया गया था जिसे 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार अपने स्तर पर निवल मांग और समय देयताओं (एन० डी० टी० एल०) में वृद्धि करने के लिये लागू किया गया और बकाया निवल मांग और समय देयताओं के लिए सांविधिक नकदी अनुपात को कम करके 34.75 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1994-95 में, सांविधिक नकदी अनुपात में चरणबद्ध रूप से कमी करके 20 अगस्त 1994 को 34.25 प्रतिशत और 17 सितम्बर, 1994 से 33.75 प्रतिशत किया गया। अक्टूबर, 1994 में औसत और वृद्धिकारी सांविधिक नकदी अनुपात के आंकलन की प्रभावी तारीख को 17 सितम्बर, 1993 से बदल कर 30 सितम्बर, 1994 किया गया। इस तारीख को बकाया निवल मांग और समय देयताओं पर संधारित किये जाने वाले सांविधिक नकदी अनुपात को कम करके 31.50 प्रतिशत किया गया। क्योंकि बैंकों के पास सांविधिक नकदी अनुपात से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं (लगभग 29,804 करोड़ रुपये से अधिक की राशि), फिर भी सांविधिक नकदी अनुपात में इस गिरावट का बैंक की ऋण देने की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत सांविधिक नकदी अनुपात के मार्च 1992 में 37.4 प्रतिशत से घटकर मार्च, 1995 के अन्त तक 29.5 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना है। अतः वित्तीय क्षेत्र सुधार के एक भाग के रूप में सांविधिक नकदी अनुपात को 1996-97 तक कम करके 25 प्रतिशत करने का कार्यक्रम जारी है।

वर्ष 1994-95 में मौद्रिक प्रवृतियां

मुद्रा आपूर्ति

28. वर्ष 1993-94 की दूसरी छमाही में अवलोकित मौद्रिक प्रवृत्तियां वर्ष 1994-95 में जारी रहीं। राजकोषीय वर्ष 1994-95 के दौरान एम 3 वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20 जनवरी, 1995 तक 14.1 प्रतिशत तक पहुंच गयी। इसके फलस्वरूप एम 3 की वार्षिक वृद्धि पर इस तारीख तक 18.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष के दौरान एम 1 वृद्धि से पिछले वर्ष में 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गयी। एम 1 वृद्धि में वर्ष 1993-94 की दूसरी छमाही से आरम्भ हो कर निरन्तर तेजी से वृद्धि हो रही है। फिर भी, वार्षिक वृद्धि दर 29 अक्तूबर, 1994 को 28 प्रतिशत के शिखर तक पहुंच गयी प्रतीत होती है, जो इसके बाद स्थिर होते हुए 20 जनवरी, 1995 तक 22.8 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

प्रारक्षित मुद्रा

29. पूर्ववर्ती वर्षों की भांति, मुद्रा वृद्धि की वार्षिक दरों और प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। तथापि, परिवर्तनीय विलम्बनों के कारण यह वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर से तुलना करते हुए स्पष्ट नहीं है जो कि

इस वित्तीय वर्ष के दौरान मामूली कम था । प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि 20 जनवरी, 1995 तक इस वित्तीय वर्ष में, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 18.0 प्रतिशत की तुलना में, 14.2 प्रतिशत थी। फिर भी, प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि में तेजी से बढ़ोतरी, एम 1 में तेजी से बढ़ोतरी होने के बहुत पहले वर्ष 1993-94 की दूसरी तिमाही के दौरान शुरू हुई। वार्षिक वृद्धि दर 24 जून, 1994 को 30.2 प्रतिशत के शिखर तक पहुंचने के बाद 20 जनवरी, 1995 को अभी भी 21.2 प्रतिशत चल रही है ।

30. वर्ष के दौरान प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि के उत्प्रेरक बल में निरन्तर परिवर्तन होना जारी रहा और इसमें तेजी आई। प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक में निवल प्रारक्षित मुद्रा परिसम्पत्तियों के संचयन द्वारा स्पष्ट रूप से उत्प्रेरित हुई । इनमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 57.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994-95 (20 जनवरी, 1995 तक) के दौरान 34.0 प्रतिशत की पहले ही वृद्धि हो चुकी है । इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के संचयन ने (वित्तीय वर्ष के दौरान) प्रारक्षित मुद्रा की कुल वृद्धि का 88.7 प्रतिशत का अंशदान दिया । यह भी 20 जनवरी, 1995 को 93.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि में दर्शाया गया है । पिछले वर्ष के विपरीत प्रारक्षित मुद्रा में बकाया वृद्धि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण राशियों में वृद्धि से आई है । यह मुख्य रूप से बैंकों द्वारा निर्यात ऋण राशि के पुनर्वित्तपोषण को दर्शाता है । 20 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार, इसमें पिछले बारह महीनों में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

31. दूसरा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन सरकार को दिये जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में गत वर्ष की तदनुरूप अवधि में 7245 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 3983 करोड़ रुपए तक की गिरावट आना थी। यह गिरावट इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छः महीनों की निरन्तर अवधि (जुलाई 29, 1994 से) के लिए नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर रही है। यह अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ली जाने वाली उधार राशियों की संरचना में परिवर्तन का द्योतक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के बजाय बाजार से उधार लिया गया है । यह तथ्य भी है इन्हीं छः महीनों में बजट बचत भी थी। ऐसा कई दशकों से घटित नहीं हुआ है ।

ऋण

32. सरकारी उधार राशियों की संरचना में परिवर्तन केवल अस्थायी था जो सरकार के अन्य बैंकों में ऋण की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है । मई, 1994 में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वार्षिक वृद्धि में 20 जनवरी, 1945 तक 21.6 प्रतिशत की गिरावट आई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि दर वर्ष 1993-94 की तदनुरूप अवधि में 21.7 प्रतिशत की तुलना में, 20 जनवरी, 1995 तक 15 प्रतिशत थी । इसमें वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए अन्य बैंकों के ऋण की वृद्धि भी जोड़ी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 6.4 प्रतिशत की दुगुने से भी अधिक थी । परिणामस्वरुप, 20 जनवरी, 1995 तक वार्षिक वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति की दर से अधिक हो गई, इस प्रकार यह इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्य-भिन्न ऋणों में भारी वृद्धि दर्शाई गई है । 20 जनवरी, 1995 तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इसमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाना, समग्र मुद्रा संसाधन के सापेक्ष आम जनता के पास उपलब्ध धन में तेजी से वृद्धि सहित, कलैन्डर वर्ष 1994 के दौरान आर्थिक व्यवस्था के पुनः प्रवर्तन का संकेत करता है ।

बैंकिंग नीति और प्रवृत्तियां

क्रमबद्ध समस्याएं

प्रावधान और लाभ

33. अधिकतम बैंकों द्वारा सामना की जारी गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों की समस्या बनी रही । हमने अपने आपको अपनी गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के प्रति बैंकों के खातों में प्रावधानों के रूप में व्यक्त किया । बैंकों को उस वर्ष बकाया गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के प्रति कम से कम 30 प्रतिशत का प्रावधान करके 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के लिये किये जाने वाले अपेक्षित प्रावधान को समाप्त करने की अनुमति दी गई और वर्ष में पता लगाई गई गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षित नए प्रावधान किये जाने सहित बकाया राशियों की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में की जा सकती थी। इसलिये बैंकों की प्रावधान की जाने संबंधी आवश्यकताओं को वर्ष 1993-94 में और अधिक होने का अनुमान लगाया गया, और यह आशा की गई है कि अनेक बैंक निवल घाटों की सूचना देंगे । सारणी 3.4 में वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 में भारतीय स्टेट बैंक समूह और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए किये गये प्रावधानों सकल तथा निवल लाभों को दर्शाती है ।

1993-94 में केवल भारतीय स्टेट बैंक समूह ने, कम सकल लाभ होने के बावजूद, उच्च शुद्ध मुनाफा अर्जित किया ।

सारणी 3.4

वर्ष 1992-93 और 1993-94 में सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ

(करोड़ रुपए)

	1992-93			1993-94		
	भारतीय स्टेट बैंक समूह	अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	भारतीय स्टेट बैंक बैंक समूह	अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1. आय	13963	22126	36089	13909	34686	48595
2. व्यय, जिन में :	13683	25774	39457	13553	39111	52664
प्रावधान तथा आकस्मिक खर्चे	1984	4453	6437	1680	7832	9512
3. लाभ	280	--3648	—3368	357	—6889	--6532

कार्य परिणाम

34. 1992-93 तथा 1993-94 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्य परिणाम भारतीय स्टेट बैंक समूह एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिये अलग अलग सारणी 3.5 में दिये गये हैं। 1993-94 में कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में सभी श्रेणियों के बैंकों के व्यय (तथा विशेष रूप से ब्याज के खर्चे) में गिरावट आई। यद्यपि कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में आय में कमी आई यह गिरावट व्यय के सम्बन्ध में ज्यादा उल्लेखनीय है। कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा निजी बैंकों के मुनाफों में सुधार हुआ, जबकि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ज्यादा प्रावधान करने की वजह से कार्यशील निधियों में ज्यादा प्रतिशत का घाटा उठाया।

विधिक संरचना

35. वित्तीय क्षेत्र के सुधारों ने यह आवश्यक कर दिया है कि बैंकों के काम करने के विधिक संरचना की समीक्षा की जाए। जैसाकि सामान्य आर्थिक प्रणाली के साथ होता है, बैंकों को विवादों को शीघ्रतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्वक निपटाने के लिए विवेकसम्मत कानूनों तथा न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली से युक्त एक अच्छी विधिक प्रणाली की आवश्यकता है। जिन कानूनों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है वे हैं —परक्राम्य लिखित अधिनियम, संविदा अधिनियम, और प्रतिभूति संविदा अधिनियम, इलेक्ट्रोनिक निकासी व्यवस्था एवं जमा प्रणाली का गठन करने के लिये कम्पनी अधिनियम तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम में भी परिवर्तनों की आवश्यकता है। सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, पंजीकरण एवं स्टाम्प कानून में भी उसी प्रकार के संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। बकायों की वसूली के दावों से निपटने के लिए प्रयोज्य प्रक्रियाओं की समीक्षा की भी जरूरत है। कई मामलों में कानून के मूल ढांचे का निर्माण उप-निवेशीय कालों में हुआ तथा स्वतन्त्रता के बाद प्रौद्योगिकी संस्थाओं एवं बाजारों में दूरगामी परिवर्तनों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। जब तक आवश्यक आधार पर नहीं देखा जायेगा, विधिक प्रणाली में कमियां एवं विलम्ब उत्पादन तथा रोजगार की अभिवृद्धि को उनकी कार्यक्षमता से नीचे रख सकते हैं तथा मुनाफों में कमी ला सकते हैं जो आर्थिक सुधारों के कारण लोगों को प्राप्त होने चाहिये।

विनियामक दायित्व

36. वाणिज्यिक बैंकों को आन्तरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग प्रणालियों के तहत आवश्यक विवरण सहित भारतीय रिजर्व बैंक की भिन्न-भिन्न आवर्तिताओं की विभिन्न वैधानिक तथा नियन्त्रण विवरण भरने आवश्यक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक "बैंकिग सांख्यिकी पर निर्देशन समिति" है जो यह सुनिश्चित करती है कि बैंकों पर न्यूनतम जोर देकर प्रमुख जानकारी एकत्र की जाए। इसके प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न वैधानिक विवरणों की आवर्तिताओं में कमी आई है तथा अनुलिपिकरण घटा है। इसी तरह, बैंक स्तर पर समीक्षा के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग विवरणों की संख्या में कमी लाई गई है। तथापि, विवरणियों की कुल संख्या अब भी कुछ बैंकों में 100 तक है। इतनी भारी संख्या में विवरणियों के भरने में समय तथा लागत दोनों समाविष्ट हैं। यद्यपि विनियामक प्राधिकारियों को सूचित करना तथा उनके द्वारा मानीटरिंग करना, बैंकिग प्रणाली की सुचारू व्यवस्था के लिए आवश्यक है, विनियमों की लागत का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। मानीटरिंग की सामाजिक लागत प्रभावकारिता बढ़ाने के लिये इन विवरणियों का और सरलीकरण एवं एकीकरण आवश्यक है। बैंकों की आन्तरिक रिपोर्टों को भी जानकारी के अनुकूल बनाना चाहिये जिससे विश्लेषण, मानीटरिंग एवं निष्पादन मूल्यांकन की प्रभावकारिता बढ़े ताकि प्रबन्धकों का ध्यान लागत घटाने, ऋण निष्पादन तथा बढ़ी हुई लाभकारिता पर केन्द्रित हो सके। इसमें बैंक के भिन्न भिन्न संगठनात्मक श्रेणियों में प्रौद्योगिकी के विस्तृत एवं गहन यन्त्रीकरण तथा उन्नयन की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रणाली सुधार

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

37. सरकार ने 1994-95 के बजट में कम लाभकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु 5,600 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं। 1993-94 के बजट में पुनर्पूंजीकरण के लिए 5700 करोड़ रुपये के आवंटन इस शर्त पर दिये गये कि प्राप्तकर्ता बैंक पुन-संरचनाकारी योजनाएं तैयार करेंगे। प्राप्तकर्ताओं को 2–3 वर्षों की अवधि में व्यवहार्य हो जाना था ताकि पुनर्पूंजीकरण एक निरन्तर जारी रखने लायक परिचालन होता। बैंकों द्वारा प्राप्त धन का 10 प्रतिशत पुनर्पूंजीकरण बाण्ड 2006 में निवेश करना था जिससे वार्षिक ब्याज की आय होगी और मूलधन का क्रमिक परिशोधन होगा। इन बाण्डों को भी अब हस्तांतरणीय बना दिया गया है।

निवेश

38. खोई हुई परिसम्पत्तियों के संबंध में बैंकों को तत्काल 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा। मानदण्ड से नीचे तथा 25000 रुपए और उससे ऊपर के संदिग्ध अग्रिमों के लिए, उन्हें मार्च, 1994 के अन्त तक व्यवस्था पूरी करनी थी। ऐसे अग्रिमों के लिये जिनमें शेष 25,000 रुपए से नीचे था प्रावधान का प्रतिशत 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर (31 मार्च, 1993) 31 मार्च, 1994 को कुल बकाया राशि का 5 प्रतिशत कर दिया गया। इस श्रेणी में निष्पादन भिन्न परिसम्पत्तियों के अनुपात तथा पर्याप्त प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिशतता बढ़ाकर 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिये कुल बकाया राशि का 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। 31 मार्च, 1996 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिये यह और बढ़कर 10 प्रतिशत हो जायेगा। (बैंकों को पूंजी संरचना पर बाक्स 3.5 का भी अवलोकन करें)।

विशेष ऋण वसूली अधिकरण

39. पिछले वित्तीय वर्ष में "बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993" के पारित होने से वसूली मामलों के छः माह के भीतर शीघ्र निपटारे का मार्ग प्रशस्त हो या। यह अधिनियम किसी बैंक, वित्तीय संस्थाओं या बैंक संघों को देय 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशियों अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 1 लाख रुपए से अधिक की ऐसी अन्य ऋण राशियों पर लागू होती है। इसमें निर्णीत ऋण राशियों का अधित्याग करने या घटाने की शक्तियों से युक्त एक अपीलीय अधिकरण की भी व्यवस्था है। कोई अपील दायर करने से पूर्व अपीलकर्ता को ऋण राशि का 75 प्रतिशत जमा कराना होगा। पांच अधिकरणों ने कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और बंगलौर में काम करना शुरू कर दिया है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके बाद इन अधिकरणों पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। बम्बई में भी एक अपीलीय अधिकरण स्थापित किया गया है।

वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड

40. भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके गवर्नर श्री सी० रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड का गठन किया है। दो वर्ष की अवधि के साथ इसने 16 नवम्बर, 1994 से कार्य करना शुरू कर दिया। बोर्ड में एक उप-सभापति (भारतीय रिजर्व बैंक का एक डिप्टी गवर्नर) तथा छः सदस्य शामिल है, जिनमें से दो डिप्टी गवर्नर हैं, जबकि अन्य चार भी भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य हैं। यह बोर्ड समस्त वित्तीय प्रणाली पर पर्यवेक्षण और चौकसी मजबूत करने तथा पर्यवेक्षीय नीति एवं कार्यकुशलता पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए काम करेगा। यह वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय अन्तर्मध्यस्थों तथा अन्य बैंकिंग-तुल्य वित्तीय संस्थाओं पर एकीकृत पर्यवेक्षण एवं चौकसी बरतेगा। बोर्ड के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ई० एस० वेंकटरमैया की अध्यक्षता में दो वर्ष की अवधि के लिए ही एक सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही बोर्ड की सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक नये विभाग अर्थात् पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया गया।

पूंजी बाजार की सुलभता

41. "बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम 1970/1980" ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को सार्वजनिक निर्गमों द्वारा पूंजी निधियों के लिए बाजार की सुलभता के योग्य बनाया गया है। यह इस उपबन्ध की शर्त के तहत है कि केन्द्र सरकार की भागीदारी चुकता पूंजी के 51 प्रतिशत से नीचे नहीं जायेगी। दी ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स पूंजी बाजार में जाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था। इसने सार्वजनिक निर्गम के जरिये लगभग 360 करोड़ रुपए उगाहे हैं। अन्य मुनाफा वाले राष्ट्रीयकृत बैंक भी निकट भविष्य में पूंजी बाजार में पहुंचने की योजना बना रहे हैं।

अदायगी न करने वाले कर्जदारों की सूची

42. अप्रैल, 1994 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अदायगी न करने वाले कर्जदारों के नाम प्रकाशित करने हेतु एक स्कीम की घोषणा की। यह प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल बकाया वाले कर्जदारों के मामलों में लागू होती है। बड़े बाकीदारों के बारे में नामों की सूची बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सावधान करने के लिए परिचालित की जाएगी। इस स्कीम से कर्जदारों के बीच अनुशासन तथा ऋण वसूली के लिए वातावरण में सुधार की आशा है। तत्पश्चात् प्रथम सूची परिचालित कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने भी उधार से संबंधित उन खातों की एक सूची प्रकाशित की है जिनके खिलाफ निधियों की वसूली के लिए बैंकों ने मुकदमे दायर किये हैं।

बाक्स 3.5

पूंजी पर्याप्तता तथा श्रेणी I और श्रेणी II पूंजी

बैंकों को जोखिमयुक्त परिसम्पत्तियों एवं अन्य पहलुओं के योग पर निर्धारित अनुपात के समकक्ष अक्षुण्ण न्यूनतम पूंजी निधियां बनाए रखना आवश्यक है। भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बासले समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, जो बैंकों के लिए पूंजी की दो श्रेणियां विहित करती है, एक नई पूंजी संरचना की शुरुआत की गई है :—

(क) श्रेणी I अथवा मुख्य पूंजी (सबसे अधिक स्थायी तथा अप्रत्याशित नुकसानों पर तुरन्त उपलब्ध सहायता) में चुकता पूंजी, सांविधिक प्रारक्षित निधियां शेयर प्रीमियम आरक्षित पूंजी) परिसम्पत्तियों की बिक्री अधिशेष पर तथा केवल अलग खाते में रखे अधिभार का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा अन्य प्रकाशित मुक्त आरक्षित निधियां (यदि कोई हों)—सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेशों, अमूर्त परिसम्पत्तियों, चालू अवधि में हुए नुकसानों तथा पिछली अवधियों से अग्रेषित किए गये नुकसानों तथा

(ख) श्रेणी II की पूंजी को घटाकर जिसके अन्तर्गत—

(i) अप्रकाशित प्रारक्षित निधियां तथा पूर्ण चुकता संचयी स्थायी तरजीही शेयर,

(ii) परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उद्भूत पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां जिन्हें बैंक की किताबों में कम आंका गया है (जिसे बैंक परिसर एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियां)।

(iii) सामान्य प्रावधान एवं प्रारक्षित निधियों में नुकसान, जिसके कारण मूल्य में कमी अथवा किसी विशिष्ट परिसम्पत्ति में पहचान योग्य सम्भावित हानि न हो, तथा जो अप्रत्याशित नुकसानों को पूरा कर सकें।

(iv) मिश्र ऋण पूंजी लिखतें जो इक्विटी एवं ऋण सम्मिलित हों, तथा

(v) अधीनस्थ ऋण जो पूरी तरह चुकता कर दिया गया हो, अप्राप्त हो, अन्य ऋणदाताओं के दावों के अधीन लाया गया हो, प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त हो तथा धारक की पहल पर अथवा बैंकों के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना प्रति देय न हो। यदि अधीनस्थ ऋण पर कोई मियादी परिपक्वता हो तो यह उत्तरोतर छूट के अधीन होना चाहिए तथा प्रारम्भिक परिपक्वता पांच वर्षों से कम की नहीं होनी चाहिए। श्रेणी II की पूंजी श्रेणी I की पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक तथा अधीनस्थ ऋण लिखत श्रेणी II की पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रेणी II की पूंजी में समाहित करने हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि पर 55 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। सामान्य प्रावधान/प्रारक्षित निधि में हानि कुल अनुमानित जोखिम परिसम्पत्तियों के 1.25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

विनियंत्रण तथा प्रतिस्पर्धा

ब्याज-दर संरचना

43. 18 अक्टूबर, 1994 से प्रभावी 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए न्यूनतम उधार दर निर्धारण का उन्मूलन कर दिया गया है और बैंकों को ऐसी ऋण सीमाओं के लिए उधार दर नियत करने की छूट प्रदान कर दी गई है। बैंकों को, मुख्य उधार दर हेतु जो 2 लाख रुपए से ऊपर की ऋण सीमाओं के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम दर है, अपने संबंधित बोर्डों का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर बैंक को अपनी मुख्य उधार दर की घोषणा करनी होती है तथा उसकी सभी शाखाओं में इसे एकरूपता से लागू किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये से ऊपर तथा 2 लाख रुपये तक की सीमाओं के लिए सावधिक ऋणों सहित सभी अग्रिमों के लिए ब्याज की दर घटाकर 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है। 25,000 रुपए तक की सीमाओं के लिये ब्याज दर 12.0 प्रतिशत तक प्रति वर्ष अपरिवर्तित रही। इस श्रेणी में प्रभारित दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम पर 2 लाख से ऊपर की श्रेणी में कर्जदारों की हुण्डियों की छूट पर प्रभावी ब्याज दर की शर्त वापस ले ली गयी है। बैंकों को (क) चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के दायरे में आने वाली वस्तुओं (ख) पोत लदान की तारीख से छः माह से अधिक पोत लदान-उपरान्त ऋण तथा (ग) अन्यथा

सारणी 3.5

1992-93 तथा 1993-94 के अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों के कार्य परिणाम

	भारतीय स्टेट बैंक समूह		अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी बैंक	
	1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(करोड़ रुपए)
					करोड़ रुपये					
क. आय	13963	13909	22126	34686	1879	2353	4009	4086	41977	41125
(i) ब्याज	12166	11901	19945	30188	1677	2051	3700	3841	37489	35581
(ii) अन्य आय	1797	2008	2181	4499	202	302	309	744	4489	5544
ख. व्यय	13683	13553	25774	39111	1879	2203	4851	3511	46127	44825
(i) ब्याज	8416	8119	15696	21923	1154	1354	2570	1939	27836	25216
(ii) अन्य कार्य संबंधी व्यय	3283	3754	5625	9356	482	564	858	885	10148	10804
(iii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	1984	1680	4403	7832	183	285	1423	667	8043	8805
ग. लाभ	280	357	3648	6589	60	153	842	1092	4150	5287
घ. कार्यशील निधियां	124567	140917	211614	353474	17883	22976	31678	33418	385742	550785
					ख. कार्यशील निधियों का प्रतिशत					
क. आय	11.2	9.9	10.5	9.8	10.5	10.2	12.7	12.2	10.9	7.5
(i) ब्याज से आय	9.8	8.4	9.4	8.5	9.4	8.9	11.7	11.5	9.7	6.5
(ii) अन्य आय	1.4	1.4	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	2.2	1.2	1.0
ख. व्यय	11.0	9.6	12.2	11.1	10.2	9.6	15.3	10.5	12.0	8.1
(i) ब्याज खर्च	6.8	5.8	7.4	6.2	6.5	5.9	8.1	5.8	7.2	4.6
(ii) अन्य कार्य संबंधी खर्च	2.6	2.7	2.7	2.6	2.3	2.5	2.7	2.6	2.7	2.0
(iii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	1.6	1.2	2.1	2.2	1.0	1.2	4.5	2.1	2.1	1.6
ग. लाभ	0.2	0.3	1.7	1.9	0.3	0.7	2.7	3.3	1.1	--1.0

विनिर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण के लिये उधार दरें निर्धारित करने की छूट भी प्रदान की गई है ।

44. बैंकों द्वारा मध्यस्थ अभिकरणों को निवेश समर्थन प्रदान करने वाले अन्तिम लाभग्राहियों एवं अभिकरणों को उधार देने हेतु मंजूर किये गये वित्त पर, 20 मई, 1994 से प्रभावी निम्न लिखित ब्याज दर लागू की गई :—

(1) तीन वर्ष और उससे ऊपर के सावधिक ऋणों के लिए 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत दर और

(2) अन्य सभी अग्रिमों के लिए 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत दर I

निजी क्षेत्र के बैंक

45. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नये मार्गदर्शी नियमों के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला बैंक हुआ । इसके बाद पांच और निजी बैंक आये । निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए छः और प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन मिल गया है ।

विदेशी मुद्रा के रूप में लदान-पूर्व ऋण

46. लदान-पूर्व ऋण स्कीम के अन्तर्गत केवल रत्नों और जवाहारातों के निर्यातकों को ही चालू खाता (रनिंग एकाउन्ट) सुविधा प्राप्त थी । चालू वित्तीय वर्ष में यह सुविधा सभी वस्तुओं के संबंध में प्रदान कर दी गई है बशर्ते कि निर्यातकों का निष्पादन रिकार्ड अच्छा रहा हो।

उप-पूर्तिकारों हेतु निर्यात ऋण सुविधा

47. निवल बैंक ऋण बकाया के 10 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत, जिसे बैंकों को निर्यात ऋण के क्षेत्र में पूरा करना होता है, जून 1994 के अंत में कुल बकाया निर्यात ऋण 12.1 प्रतिशत (19,200 करोड़ रुपये) था। बैंकों

को लदान-पूर्व अनुज्ञेय कुल निर्यात ऋण के भीतर निर्यात आदेशों के उप-पूतिकारों को लदान-पूर्व ऋण प्रदान करने की अनुमति देकर निर्यात ऋण की व्यवहार्यता को और सरल बना दिया गया। यह निर्यात प्रयत्नों को उद्देश्यपूर्ण समर्थन प्रदान करेगा।

जमा राशियों पर ब्याज दर

48. 16 मई, 1994 से प्रभावी अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते (एन० आर० ई० एकाउन्ट्स) स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम सावधि जमा दर "11 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक" से "10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक" तक एक प्रतिशत बिन्दु तक घटा दी गई, जिससे घरेलू सावधि जमा दरों के साथ उन खातों पर जमा दरों में समन्वय लाया जा सके। पुनः इस स्कीम के अन्तर्गत सावधि जमा की न्यूनतम परिपक्वता 46 दिन से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई। वर्ष के उत्तरार्द्ध में एन० आर० ई० खाता स्कीम के अन्तर्गत बचत जमा पर ब्याज दर 1 नवम्बर, 1994 से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गई। इस स्कीम के अन्तर्गत सावधि जमा दर भी "10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक" से घटाकर 18 अक्टूबर, 1994 से "8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक" कर दी गई। (सारणी 3.6)

49. 1 नवम्बर, 1994 से प्रभावी घरेलू बचत जमा राशियों पर ब्याज दर घटाकर 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से

सारणी 3.6

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की चयनित ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	दरें जैसी कि	
	1 मार्च, 1993 को	18 अक्तूबर, 1994 को
1	2	3
क. घरेलू जमाराशियां		
(i) घरेलू बचत जमाराशियां	5.00	4.50
(ii) घरेलू सावधि जमाराशियां	11.00	11.00
ख. अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते	से अधिक नहीं	इससे अधिक नहीं
(i) बचत जमाराशियां	6.00	4.50
(ii) सावधि जमाराशियां	13.00	8.00
1. निर्यात ऋण (रुपया)		
(i) 90 दिनों तक प्राप्ति योग्य शुल्क में कमी पर ऋण	0.00	0.00
(ii) 180 दिनों तक लदान-पूर्व ऋण	13.00	13.00
(iii) लदान पश्चात ऋण		
(क) मांग-बिल	13.00	13.00
(ख) मुद्दती बिल (46–90 दिन)	13.00	13.00
(iv) सरकारी प्रोत्साहनों पर ऋण (90 दिनों तक)	13.00	13.00
(v) लदान-पूर्व ऋण (181–270 दिन)	15.00	15.00
(vi) लदान-पश्चात ऋण		
(क) मुद्दती बिल (91–180 दिन)	17.00	15.00
(ख) लदान की तारीख से 6 माह से ऊपर	22.00	मुक्त
(vii) अन्य सभी निर्यात ऋण जो सूचीबद्ध नहीं है (न्यूनतम)	17.00	मुक्त
2. लदान-पश्चात निर्यात ऋण (अमरीकी डालर) (एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल तथा एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा विनिर्दिष्ट मुद्दती अवधि सहित सम्पूर्ण अवधि के लिए मुद्दती बिल एवं लदान की तारीख से छः महीने तक की रियायती अवधि)	6.50	6.50
ग. डी०आर०आई. अग्रिम	4.50	4.50

ये दरें ब्याज कर को छोड़कर है, प्रभावी 1 अक्तूबर, 1991 निर्यात ऋण 1 अप्रैल, 1993 से ब्याज कर-मुक्त है।

एन०आई०ई० सावधि जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर घटाकर 8 अप्रैल, 1993 से 12 प्रतिशत, 12 अक्तूबर, 1993 से 11 प्रतिशत तथा पुनः 16 मई, 1994 से 10 प्रतिशत कर दी गई।

2 सितम्बर, 1993 से सभी श्रेणियों के कर्जदारों के लिए कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों के लिए उधार दरों का ढांचा वैसे ही है।

4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत बिन्दु तक कम कर दी गई क्योंकि बचत जमा खातों के एक भारी हिस्से का उपयोग अनिवार्यतः चालू खातों के रूप में किया जाता है, और इसलिये बचत जमा दर को ऐसे खातों का स्वरूप ही प्रतिबिम्बित करना बेहतर था। मुद्रा बाजार के संसाधनों और भारतीय रिजर्व बैंक पर बैंकों की निर्भरता कम करने तथा परिसम्पत्ति कर देयता सन्तुलन को और दृढ़ करने तथा सावधिक जमा दरों का आकर्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू सावधिक जमा पर दिनांक 10 फरवरी 1995 से प्रभावी ब्याज की अधिकतम दर एक प्रतिशत अंक ऊपर की तरफ संशोधित करके 11.0 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक कर दिया है। तथापि 18 अक्टूबर, 1994 से प्रभावी रिजर्व बैंक द्वारा विहित घरेलू तथा अनिवासी भारतीय सावधि जमा राशियों पर भी अग्रिमों के लिए 25 प्रतिशत तक की राशि की आवश्यकता वापस ले ली गई और बैंकों को अलग-अलग मामलों के आधार पर अतिरिक्त राशि के निर्धारण की छूट प्रदान कर दी गई।

शेयर और डिबेंचरों में निवेश

50. बैंकों द्वारा हामीदारी वचनबद्धता से पैदा हुई सुपुर्दगी सहित निगम निकायों के शेयरों और डिबेंचरों की प्राप्ति पिछले वर्ष की बढ़ी जमा राशियों के 5 प्रतिशत तक सीमित है। कारपोरेट शेयरों में निवेश के लिये 1.5 प्रतिशत की उप-सीमा (सब-सीलिंग) भी थी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बाण्डों पर कोई सीमा (सीलिंग) नहीं है। वर्ष के दौरान, 1.5 प्रतिशत की उप-सीमा का उन्मूलन कर दिया गया। बैंकों को 5 प्रतिशत की दूरी सीलिंग के भीतर शेयर (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इक्विटी सहित) या डिबेंचर रखने की छूट दे दी गई। अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा जारी इक्विटी/बाण्डों में बैंकों द्वारा निवेश, निगम निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेशों के लिए विहित 5 प्रतिशत की उपर्युक्त उच्च सीमा के अतिरिक्त होगा।

सावधि ऋणों पर उच्चतम सीमा का उन्मूलन

51. बैंकों में उपलब्ध उधार योग्य संसाधनों तथा सावधि वित्त में बैंकिंग प्रणाली की उच्चतर भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए सावधि वित्त/ऋण, पर उच्चतम सीमा जो प्रत्येक बैंक के लिये 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, समाप्त कर दी गई। बैंक अब एक-एक करके विवेकपूर्ण खुले मापदण्डों के अनुपालन के अधीन सावधि वित्त/ऋण की मंजूरी दे सकते हैं। साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली के सावधि वित्त/ऋण प्रकटन पर उच्चतम सीमा 200 करोड़ रु० से बढ़ा कर 500 करोड़ रु० कर दी गई।

आधारभूत ढांचे के लिए बैंक वित्त

52. आधारभूत ढांचे के विकास के महत्व तथा भारी पूंजी के परिव्ययों वाली ऐसी परियोजनाओं में निधियों की आवश्यकता को देखते हुए, बैंकों को निश्चित शर्तों के अधीन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधारभूत परियोजनाओं के सृजन/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिये, सावधि वित्त/ऋण प्रदान करने की अनुमति दे दी गई।

गृह निर्माण ऋण

53. भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरों में व्यक्ति विशेष को दिये जाने वाले गृह-निर्माण ऋणों पर उच्चतम सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त गृह निर्माण वित्तपोषण संस्थाओं के बाण्डों में किये जाने वाले निवेश के हिस्से पर भी उच्चतम सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इससे गृह निर्माण में ऋण-प्रवाह बढ़ेगा तथा गृह-निर्माण स्टॉक की मांग एवं आपूर्ति के बीच की दूरी खत्म करने में मदद मिलेगी।

अतिरिक्त राशि (मार्जिन) की अपेक्षा

54. भारतीय रिजर्व बैंक की सावधि जमा राशियों पर ऋणों एवं अग्रिमों पर 25 प्रतिशत की राशि की अपेक्षा संबंधी शर्तों को हटा दिया गया। हर बैंक को अपनी स्वयं की राशि (मार्जिन) निर्धारित करने की छूट दे दी गई।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण

55. आपूर्ति की अल्पकालिक तटस्थता सहित सघन अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण में चयनात्मक ऋण नियन्त्रण की एक भूमिका होती है। लागत में वृद्धि करके तथा स्टॉक एकत्रीकरण के लिये ऋण की उपलब्धता को घटाकर मुद्रास्फीति संबंधी, प्रत्याशाओं की वृद्धि को संयत किया जा सकता है। उपयुक्त टैरिफ के साथ-साथ आयातों पर से लाइसेंस हटाना, तथापि, ज्यादा प्रभावकारी और ज्यादा फलोत्पादक हो सकता है क्योंकि इससे आपूर्ति में वृद्धि होती है। 1994-95 के दौरान कीमतों और उत्पादन की वृद्धि से 16 मई, 1994 से कई सामानों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण में कठोरता आई। दालों, तिलहनों, एवं खाद्य तेलों और रूई तथा कपास के लिए बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया गया। अक्तूबर, 1993 को समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि के दौरान उन पर ऋण संबंधी उच्चतर सीमा 100 प्रतिशत से घटाकर 85 प्रतिशत के शिखर स्तर पर कर दी गई (किसी पार्टी को दिये गये ऋण का)। राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं को दिये गये जाने वाले बैंक अग्रिमों के लिये 10 प्रतिशत की रियायती मार्जिन को सरकारी गारण्टी सहित 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया।

56. निर्गम-मूल्य स्थिति की अर्धवार्षिक सीमा से यह प्रदर्शित हुआ कि भरी-पूरी खरीफ फसल की सम्भावनाओं से धान/चावल की कीमत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ । अतः धान/चावल पर बैंक अग्रिमों पर चयनात्मक ऋण नियन्त्रण हटा दिया गया । रूई/कपास के उत्पादन मूल्य प्रवृत्तियों में भी कुछ सुधार हुआ। अतः इन वस्तुओं के लिए बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत बिन्दु तक घटा दिया गया तथा अक्टूबर, 1993 को समाप्त हो रहे तीन वर्ष के दौरान ऋण संबंधी उच्चतम सीमा 85 प्रतिशत से बढ़ाकर हर कर्जदार के ऋण के चोटी स्तर का 100 प्रतिशत कर दिया गया । तथापि 27 दिसम्बर, 1994 से रूई और कपास के भण्डार पर (अन्य कताई मिलों सहित रूई मिलों से भिन्न) तथा मालगोदाम प्राप्तियों के प्रति बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन उनके उत्पादन मूल्य रुझानों की पुनः समीक्षा करने के बाद 15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया गया (सारणी 3.7 तथा सारांश हेतु बाक्स 3.6 का अवलोकन करें) ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

57. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-निष्पादन लक्ष्य से थोड़ा नीचे रहा है । यह अंशतः 1990 की कृषि कर्ज राहत स्कीम के तहत कृषि संबंधी कर्जों को बट्टे खाते डालने के कारण है और अंशतः विभिन्न कारणों से जैसे कि दूषित वसूली वातावरण तथा असन्तोषप्रद वसूली निष्पादन अपेक्षित आधारभूत ढांचा की कमी और राज्य सरकार की संबंधित विकास अभिकरणों से अपर्याप्त समर्थन एवं सहयोग तथा आय के साधनों का पता लगाने, परिसम्पत्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरूआत के कारण उच्च जोखिम वाले कर्जदारों को बैंकों द्वारा उधार देने में हिचकिचाना या संकोच करना।

58. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाए गये हैं । कृषि को दिये जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अग्रिमों को अब 18 प्रतिशत के कृषि संबंधी उपलक्ष्य को पूरा करने के लिये मिलाया जा सकता है ।

सारणी 3.7

बैंक अग्रिमों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(27 दिसम्बर, 1994 से प्रभावी)

(प्रतिशत)

	न्यूनतम सीमांत राशियां			
	मिलें/संसाधक	अन्य	मालगोदाम प्राप्तियां	ऋण की अधिकतम सीमा नवम्बर, 1991- अक्तूबर, 1992
1	2	3	4	5
1. दालें	60	75	60	85
2. अन्य खाद्यान्न (धान/चावल, गेहूं और दालों से भिन्न)	45	60	45	100
3. तेलहनें (अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनौला, अलसी अरण्डी तथा सभी आयातित तेलहनें)	60	75	60	85
4. वनस्पति तेल (अर्थात् मूंगफली का तेल, तोरिया/सरसों का तेल, बिनौला-तेल, अरण्डी-तेल वनस्पति तथा सभी आयातित तेल)	60[1]	75	60	85
5. चीनी				
(क) संकटरोधक	0	—	—	—
(ख) जारी न किया गया स्टाक	20	—	—	—
(ग) जारी किया गया	75	75[3]	60	—
6. गुड़ और खांडसारी	45	75	60	—
7. रूई और कपास	2	60	45	100[4]

1 पंजीकृत तेल मिलों वनस्पति विनिर्माताओं के संबंध में प्रोज्य

—लागू नहीं

2 शर्तों से मुक्त

3 कताई मिलों सहित कॉटन मिलों से भिन्न के संबंध में लागू—

4 27 मई से नवम्बर 1994 के अन्त तक 8 सप्ताहों से अनधिक समयावधि के लिए नकद आधार पर आयातित चीनी के अग्रिम भण्डार के लिए 25 प्रतिशत की रियायती न्यूनतम सीमा उपलब्ध थी।

बाक्स 3.6

मौद्रिक नीति तथा ऋण नियन्त्रण उपाय 1994-95

* जून तथा अगस्त, 1994 के बीच आरक्षित नकदी अनुपात तीन चरणों में बढ़कर 14 से 15 प्रतिशत हो गया ।

* विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते स्कीम (बैंक) पर 15 प्रतिशत आरक्षित नकदी अनुपात दो चरणों में प्रारम्भ किया गया तथा अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा (एन०आर०एन०आर०) स्कीम पर 7.5 प्रतिशत आरक्षित नकदी अनुपात लागू किया गया ।

* निर्यात ऋण (रुपया) पुनर्वित्त सीमाओं के निर्धारण का आधार, एक वर्ष आगे बढ़ा तथा अमरीकी डालर मुद्रा मूल्य वर्ग की लदान-पश्चात ऋण के लिए पात्रता प्रतिशत 90 प्रतिशत से घटकर 80 प्रतिशत हुई ।

* दालों, तिलहनों, वनस्पति तेल एवं रुई तथा कपास पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ाया गया और ऋण उच्चतम सीमा का स्तर 15 प्रतिशत बिन्दुओं तक घटाया गया ।

* अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों पर अधिकतम सावधि जमा दर 1 प्रतिशत बिन्दु तक घटाई गई और नई जमा राशियों के लिए न्यूनतम परिपक्वता बढ़ाकर 6 माह कर दी गई ।

* बैंकों को पूर्ववर्ती वर्ष की वृद्धिकारी जमा राशियों की कुल 5 प्रतिशत उच्चतम सीमा के भीतर शेयर (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इक्विटी सहित) या डिबेंचर रखने की अनुमति दे दी गई ।

* विदेशी मुद्रा के रूप में लदान-पूर्व ऋण के तहत चालू खाता (रनिंग एकाउन्ट) सुविधा अच्छे निष्पादन रिकार्ड वाले सभी निर्यातकों को प्रदान कर दी गई ।

* भारतीय रिज़र्व बैंक से नाबार्ड को मौसमी कृषीय कार्यों के लिए सामान्य ऋण रेखा 3,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,100 करोड़ रुपए कर दी गई ।

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का दायरा निम्नलिखित को समाहित करने के लिए बढ़ाया गया (क) प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जाने वाली निवल निधियां (ख) कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलापों हेतु निवेशों के संवितरण के लिए 5 लाख रुपए तक के अग्रिम और (ग) योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टीशनर एक मोटर-वाहन की खरीद हेतु मंजूर की गई अग्रिम राशि ।

* बचत जमा दर 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष करके 0.5 प्रतिशत बिन्दु तक घटा दी गई ।

* अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के लिए बचत जमा दर 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटाकर 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई । 18 अक्टूबर, 1994 से एन०आर०ई० खातों के लिए 6 माह से तीन वर्ष और उससे ऊपर के लिए अधिकतम सावधि जमा दरें 10 प्रतिशत से घटाकर 8.0 प्रतिशत कर दी गई ।

* एफ०सी०एन०आर० (बैंक) स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को देनदारियों पर 7.5 प्रतिशत की आरक्षित नकदी अनुपात बनाए रखना आवश्यक कर दिया गया ।

* सभी कर्जदारों को धान/चावल पर दिए जाने वाले बैंक अग्रिमों को चयनात्मक ऋण-नियन्त्रण के सभी उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया ।

* बैंकों को पहले 13 दिनों तक अपेक्षित पाक्षिक औसत आरक्षित नकदी अनुपात बकाया राशि के 85 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का निदेश दिया गया। प्रतिवेदन वाले पखवाड़े के चौदहवें दिन बैंकों को दैनिक शेष का औसत अपेक्षित स्तर तक समायोजित करने लायक 85 प्रतिशत से कम कर सकने की अनुमति दे दी जाएगी ।

* वाणिज्यिक पेपर के लिए एवजी व्यवस्था की सुविधा समाप्त कर दी गई। वाणिज्यिक पेपर के जारी होने के पश्चात यदि जारीकर्ता ऋण सीमा का पूर्व स्तर पुनः प्राप्त करना चाहता है तो उसे नये सिरे से नकदी-करण के लिए बैंक से संपर्क करना होगा ।

* बैंकों को "नकद ऋण सुविधा" सिंचाई की सुविधा वाले किसानों तथा कृषि से अलग/सम्बद्ध क्रियाकलापों में लगे अन्य किसानों को भी प्रदान करने की सलाह दी गई ।

* हर बैंक के लिए 50 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा समाप्त कर दी गई तथा समस्त बैंकिंग प्रणाली के लिए किसी भी परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया ।

† बैंकों को राज्य औद्योगिक विकास/वित्तीय निगम (लघु औद्योगिक एककों को ऋण देने हेतु) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के भाग के रूप में ऋण श्रृंखला सावधिक ऋण प्रदान करने की अनुमति दे दी गई ।

* प्रत्यक्ष व्यक्तिगत गृह निर्माण ऋण पर सीलिंग 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई तथा मान्यता प्राप्त गृह निर्माण वित्तीय संस्थाओं के बाण्डों की खरीद के जरिए निवेश की मात्रा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई ।

* जमा राशियों पर मंजूर किए गये ऋणों के लिए मार्जिनों पर बैंकों को अपनी स्वयं की नीति निर्धारित करने की छूट दी गई ।

* निर्यात आदेशों के उप-पूर्तिकारों को कुल अनुज्ञेय लदान-पूर्व निर्यात-ऋण के भीतर ऋण प्रदान किया जाएगा ।

कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलापों हेतु निवेशों के संवितरण का वित्त पोषण करने के लिये अब 5 लाख रुपये तक के अग्रिमों की गणना अप्रत्यक्ष कृषीय अग्रिमों के रूप में की जायेगी। सम्बद्ध क्रिया-कलापों के अन्तर्गत डेरी, मुर्गी-पालन एवं सुअर पालन तथा परिणामत मुर्गी चारा एवं पशु चारा इस प्रयोजन हेतु पात्र हैं । व्यवसायी एवं स्वरोजगार वाले व्यक्ति के लिए ऋणों पर उच्चतम सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है । बैंक अब व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त मेडिकल चिकित्सकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की श्रेणी के अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक का ऋण दे सकते हैं।

ग्रामीण ऋण

59. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को मौसमी कृषीय कार्यों को ऋण समर्थन हेतु दी जाने वाली सामान्य ऋण रेखा 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,100 करोड़ रुपए कर दी गई । गैर-कृषि क्षेत्र के लिये सामान्य ऋण रेखा II भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दी गई । 500 करोड़ रुपए की यह वृद्धि जनवरी 1993 और अक्टूबर, 1993 के बीच पहले की 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि के अतिरिक्त है।

60. नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कम से कम 40 प्रतिशत की न्यूनतम वसूली दर प्राप्त करनी आवश्यक थी । इस पात्रता शर्त की प्रयुक्ति 30 जून, 1995 तक स्थगित कर दी गई । । यह ऐसे कई क्षेत्रों में सहायक होगी जिनमें ऋण कृषि संबंधी पैदावार में बाधा उत्पन्न कर रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून 1994 तक 1994-95 में कृषीय उधार में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने को कहा गया । उधार हेतु कृषि सम्बन्धित उधार उप-लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकों को कृषि के लिए दक्षता प्राप्त कम से कम एक शाखा के गठन पर विचार करना चाहिये । ऐसी शाखाएं जल-कृषि (एक्सा-कल्चर), कृषि (फ्लोरी-कल्चर) तथा ऊतक-कृषि (टिसूयू-कल्चर) जैसे क्षेत्रों पर जिन्हें निवेश मूल्य निर्धारण के लिए तकनीकी ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं ।

कृषि के लिए नकद ऋण सुविधा

61. भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1994 में बैंकों को सलाह दी है कि वे किसानों के लिये उनकी मिश्रित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण श्रृंखला की शुरुआत करें । नकद ऋण सुविधा उन किसानों को दी जाए जिनका पिछले दो सालों में सन्तोष-जनक निष्पादन रिकार्ड रहा हो तथा जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं हो और/अथवा जो डेरी, मुर्गीपालन इत्यादि और/या अन्य कृषि भिन्न कियकलापों में लगे हों । यह आशा की जाती है कि किसानों को मिश्रित जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव हो सके विद्यमान सहकारी ऋण पद्धति की कठोरता को हटाकर पर्याप्त एवं सामयिक-ग्रामीण ऋण-प्रवाह को बढ़ावा दिया जाये ।

लघु उद्योग

62. बैंकों को लचीलापन प्रदान करने तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों/ राज्य वित्तीय निगमों को निधियां उपलब्ध कराने के लिये, बैंकों को ऋण श्रृंखला के रूप में इन संस्थाओं को गुणनक्रम के आधार पर सम्बन्धित वित्त/ऋण के मंजूरी के प्रस्तावों पर विचार करने की अनुमति दे दी गई। इन संस्थाओं द्वारा जिस सीमा तक ऐसे सावधि वित्त/ऋण का उपयोग लघु उद्योग एककों को ऋण की संस्वीकृति के लिये किया जाता है उस सीमा तक उसे संबंधित बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र-उधार के रूप में माना जायेगा।

सारणी 3.8

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—चयनित संकेतक

मदें	अधोलिखित वर्षों के दौरान परिवर्तन			
	1992-93 20 मार्च, 1992 से 19 मार्च, 1993 तक	1993-94 19 मार्च, 1992 से 18 मार्च, 1994	1993-94 19 मार्च, 1993 से 21 जनवरी 1994 तक	1994-95 18 मार्च, 1994 से 20 जनवरी 1995 तक
1	2	3	4	5
				(करोड़ रुपए)
1. कुल जमा राशियां (क+ख)	37814	46560	38822	44876
(क) मांग जमा राशियां	1373	10111	6899	8479
(ख) मियादी जमा राशियां	36441	36449	31923	36397
2. भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज	1042	194	330	982
3. हस्तगत रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	—5359	19215	17134	5839
(क) हस्तगत रोकड़	285	—10	33	191
(ख) भारतीय रजर्व बैंक में शेष राशि	—5644	19225	17101	5648
5. भारतीय रिजर्व बैंक में निवल शेष राशि (3ख—2)	6686	19031	13771	4636
6. मांग और संक्षिप्त सूचना पर मुद्रा	1293	—564	—842	1349
7. बैंक ऋण (क+ख)	26390	12346	10404	28968
(क) सार्वजनिक खाद्य प्राप्त ऋण	2073	4164	3967	2860
(ख) खाद्य भिन्न बैंक ऋण जिसका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को	24317	8272	6437	26108
	4407	4043	21	5603
8. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	15460	26866	21605	15534
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	13218	25256	19940	15411
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	2242	1610	1665	123
9. अन्य बैंकों के चालू खाते में बकाया राशि	—192	—350	—219	148
			(प्रतिशत)	
10. ऋण जमा अनुपात	56.6	52.2	52.8	53.7
11. निवेश जमा अनुपात	39.3	42.1	41.4	41.1

1 अनन्तिम   2 जुलाई, 1993 तक   3 जुलाई, 1994 तक

4 आंकड़े अनन्तिम हैं तथा अगस्त, 1990 से 48 बैंकों और सितम्बर, 1993 से 47 बैंकों से संबंधित हैं जो बैंक ऋण का 90–95 प्रतिशत है। परिवर्तन मार्च के अंतिम प्रतिवेदन वाले शुक्रवार से संबंधित हैं।

बैंक ऋण एवं व्यापार में प्रवृत्तियां

63. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चुनिन्दा कार्यसूचक (सारणी 3.8) वित्तीय वर्ष 1994-95 (20 जनवरी, 1995 तक) के दौरान कुल जमा राशियों (14.2 प्रतिशत) मजबूत अभिवृद्धि प्रदर्शित करते हैं। यह वर्ष 1993-94 की तदनुरूपी) अवधि में हुई अभिवृद्धि (14.5 प्रतिशत) के लगभग समान ही थी। मांग जमा राशियों में वर्ष 1993-94 की तदनुरूपी अवधि में अभिवृद्धि 14.8 प्रतिशत के विपरीत 15 प्रतिशत तक हुई है। बैंक ऋण की 17.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर 1993-94 की समवर्ती अवधि में 6 8 प्रतिशत की अभिवृद्धि से दो गुने से भी अधिक है। खाद्य-भिन्न ऋण में 17.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि जो कि 1993-94 की तदनुरूपी अवधि में 4 4 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर से तीन गुने से भी अधिक है, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। यह औद्योगिक गतिविधि की महत्वपूर्ण बसूली को दर्शाता है। खाद्य-ऋण में भी 26 2 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है, यद्यपि यह 1993-94 की तदनुरूपी अवधि में 58.8 प्रतिशत की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में 15.2 प्रतिशत की अभिवृद्धि भी ध्यान देने योग्य है। क्योंकि बैंकों में "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों" का स्टाक लगभग स्थिर रहा है।

सारणी 3.9

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन

अंतिम प्रतिवेदन वाले शुक्रवार को	अधोलिखित के दौरान परिवर्तन*							
	अप्रैल–जुलाई				अप्रैल–जुलाई			
	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95	1992-93	1993-91	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(रुपये करोड़ में)				(प्रतिशत)			
I. सकल बैंक ऋण	21134	9697	1107	1915	16.8	6.6	0.8	1.2
1. सार्वजनिक खाद्य प्राप्ति	2073	4164	2808	1102	44.4	61.8	41.6	10.1
2 सकल खाद्य-भिन्न ऋण (क+ख+ग+घ)	19061	5533	—1701	813	15.7	3.9	—1.2	0.6
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (i + ii + iii)	4407	4043	21	560	9.7	8.1	0.0	1.0
(i) कृषि	1806	1245	159	16	9.9	6.2	0.8	0.1
(ii) लघु उद्योग	1876	2594	83	94	10.3	13.0	0.4	0.4
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	725	204	—221	450	8.0	2.1	—2.2	4.5
(ख) मध्यम और भारी उद्योग	11546	—764	—969	—323	24.5	—1.3	—1.7	—0.6
(ग) थोक व्यापार (खाद्य प्राप्ति को छोड़कर)	815	365	—421	—230	13.2	5.2	—6.0	—3.1
(घ) अन्य क्षेत्र	2293	1889	—332	806	10.1	7.6	—1.3	3 0
II. निर्यात ऋण2	5062	1738	1091	1539	49.2	11.3	7.1	9.0
निवल बैंक ऋण के समानुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र-अग्रिम3					35.1	35.3	34.6	35.0

1 1992-93 के पश्चात सभी आंकड़े अनन्तिम हैं ।

2 खाद्य-भिन्न ऋण में भी शामिल

3 अवधि के अंतिम शुक्रवार को ।

टिप्पणी :—आंकड़े 47 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का 90–95 प्रतिशत है। सकल बैंक ऋण आंकड़ों के अन्तर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं की पुनर्बट्टित बिलें शामिल हैं ।

बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन

64. चालू वित्तीय वर्ष के लिये, सरल बैंक ऋण आंकड़ों का क्षेत्रीय परिनियोजन जुलाई, 1994 तक उपलब्ध है । अप्रैल-जुलाई, 1994 के दौरान, मुख्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में निर्यात सहित उच्चतर ऋण विस्तार के कारण, 1993–94 की तुलना अवधि के दौरान 0.8 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत बैंक ऋण में 1.2 प्रतिशत की कुछ उच्चतर वृद्धि परिलक्षित हुई है (सारणी 3.9) कृषि के ऋण में महत्वपूर्ण रूप से कम अभिवृद्धि हुई ।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

ऋण प्रवृत्तियां

65. अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा मंजूरियों एवं संवितरणों से इन संस्थाओं के माध्यम से हो रहे बचत तथा निवेश के बीच मध्यस्थता के स्तर का संकेत मिलता है । इसके दो भाग होते हैं, उत्पादन तथा निवेश के लिये "प्रत्यक्ष उधार" तथा ऋण साधनों और प्राथमिक बाजार गतिविधियों को वित्त करने आदि में "निवेश" ।

विकास वित्त संस्थाओं में (डी.एफ.आई.) उधार की मात्रा बहुत अधिक है जबकि निवेश वित्त संस्थाओं (आई.एफ.आई.) अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम में "निवेश" बहुत अधिक है। ऐतिहासिक रूप से विकास वित्त संस्थाओं द्वारा "मंजूरियों" एवं संवितरणों से परियोजना वित्त हेतु लम्बी अवधि के उधार के अच्छे संकेत मिले हैं। फलतः यह निवेश-रुझानों का भी संकेतक है। यद्यपि, दबाव एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विकास वित्त संस्थाओं द्वारा अल्पावधि वाले उधार एवं निवेश की मात्रा बढ़ रही है, उसकी मंजूरियों एवं संवितरणों में परिवर्तन अब भी सावधि उधार में परिवर्तनों की ओर इशारा करते हैं।

66. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (ए.आई.एफ.आई.) द्वारा वित्तीय मंजूरियों में 26.8 प्रतिशत की

सारणी 3.10

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	अप्रैल 1994 से	
			1993से जनवरी 1994	जनवरी 1995
1	2	3	4	5
क. मंजूरियां				
(क) अखिल भारतीय वत्तीय विकास वित्त संस्थाएं	32674.8 (46.5)	41444.1 (26.8)	32264.7	50014.2 (55.0)
(ख) निवेश संस्थाएं	21845.7 (29.8)	31554.1 (44.4)	23020.4	41893.1 (82.0)
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (क+ख)	12601.6 (92.9)	10765.0 (-14.6)	9444.3	9321.1 (-1.3)
ख. संवितरण				
	22268.8 (41.6)	25631.9 (15.1)	18792.6	23353.9 (24.3)
(क) विकास वित्त संस्थाएं	14486.0 (23.9)	18630.2 (28.6)	12768.1	17813.7 (39.5)
(ख) निवेश संस्थाएं	9400.4 (105.1)	7876.7 (-16.2)	6124.5	5540.2 (-9.6)

(क) विकास वित्त संस्था :--आई. डी. बी. आई. आई. एफ. सी. आई., आई. सी. आई. सी. आई, एस. आई. डी. बी. आई., आई. आर. बी. आई., एम. सी. आई., सी. आइ., आर. सी. टी. सी., टी. डी. आई. सी. आइ. तथा टी. फ. सी. आइ.

(ख) निवेश संस्थाएं -- भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट

टिप्पणी :-- (1) वर्ष 1993 तथा वर्ष 1994 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(2) कोष्ठकों में दिए गए अंक प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत :--भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

अभिवृद्धि दर्ज की गई, जब कि उनके सहायता संवितरण में 1993-94 में 15.1 प्रतिशत की अधिक सामान्य अभिवृद्धि दिखाई दी। यह दर्शाता है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई मध्यस्थता से अभिवृद्धि घटी है। नौ विकास वित्त संस्थाओं (आई डी बी आई, आई एफ. सी. आई., आई सी आई सी आई, एच आई डी बी आई, आई आर बी आई, एस सी, आई सी आई, आर सी टी सी, टी डी आई सी आई. तथा टी एफ सी आई) द्वारा की गई मंजूरियां 1993-94 में 44.4 प्रतिशत बढ़ गई। विकास वित्त संस्थाओं द्वारा किये गए संवितरण जो सीधे उधार का बेहतर सूचक है वह 23.6 प्रतिशत बढ़ा (सारणी 3.10) है।

67. चालू वित्त वर्ष (अर्थात् अप्रैल-जनवरी, 1995) के पहले दस महीनों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय मंजूरियों एवं संवितरणों में तेजी के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। विकास वित्त संस्थाओं की मंजूरियों में 82 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि निवेश संस्थाओं में 1.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की कुल स्वीकृतियों में 55 प्रतिशत तक की प्रभावशाली वृद्धि हुई। तथापि, संवितरण विकास वित्त संस्थाओं के लिये 39.5 प्रतिशत तथा निवेश-संस्थाओं के लिये 9.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ मंजूरियों से पिछड़ गये हैं। अप्रैल-नवम्बर, 1993 में अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा सम्मिलित संवितरण 24.3 प्रतिशत तक आगे बढ़ा। संवितरणों के मंजूरियों से विशेषतः विकास वित्त संस्थाओं के लिये (मंजूरियों का लगभग 40 प्रतिशत) बहुत नीचे रहने के कई कारण हैं। कई कम्पनियों ने घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में, परिकल्पित निवेश के अग्रिम के रूप में, इक्विटी और डिबेंचर से धन उगाहा है, इस तरह ऐसी स्थिति पर संस्वीकृत सहायता लेना अनावश्यक कर दिया है। यह हो सकता है कि कम्पनियों ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज दर में गिरावट की आशा की हो और संस्वीकृत ऋणों का उपयोग स्थगित कर दिया हो।

नीति सुधार

68. अक्तूबर, 1994 में एक अध्यादेश द्वारा आई.डी.बी.आई. अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें आई.डी.बी.आई. की शेयर पूंजी के पुनर्संरचना करने पर विचार हुआ तथा आई.डी.बी.आई. की पूंजी बाजार से इक्विटी उगाहने की शक्ति प्रदान की। इस विधेयक पर संसद द्वारा बजट अधिवेशन में विचार किया जाना है।

विवेकपूर्ण मानदण्ड

69. मार्च, 1994 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पांचों अखिल भारतीय विकास वित्त संस्थाओं अर्थात्—आई.डी.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई.आई. एफ.सी.आई., आई.आर.बी.आई. तथा निर्यात-आयात बैंक द्वारा अनुसरण किये जाने के लिये विवेकपूर्ण मानदण्डों पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। मानदण्ड, मोटे तौर पर विकास वित्त संस्थाओं के प्रचालन स्वरूप को ध्यान में रख कर किये गये कुछ संशोधनों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये इससे पूर्व विहित मानदण्डों के समान ही हैं। डी.एफ. आई. को 31 मार्च, 1994 तक 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करना होगा। ऐसी संस्थाओं को, जो विदेशों में सरकारी या गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ काम कर रही हैं, 31 मार्च, 1995 तक 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करना अपेक्षित है। जब कि अन्य संस्थाओं को 31 मार्च 1996 तक का समय दिया गया है। स्वस्थ तथा रुग्ण इकाइयों के विलय के मामले में विकास वित्त संस्थाओं को तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोनों इकाइयों की सुविधाओं का अलग-अलग वर्गीकरण करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात् सम्मिलित निष्पादन परिसम्पत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से लिया जा सकता है।" मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष से, विकास वित्त संस्थाओं को परिसम्पत्ति का दर्जा घटाने से पूर्व परियोजना पूरी होने के अनुमानित समय का 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त समय-गणना की रियायत दी गई। मानदण्ड प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए मुनाफों को या तो लाभ अथवा हानि-खाते में अथवा पूंजी आरक्षित निधि खाते में शामिल करने की भी अनुमति देते हैं। बैंकों को उनके निवेशों की बिक्री पर हुए नुकसान को लाभ या हानि खाते में लिखना होता है तथा केवल मुनाफों को ही पूंजी आरक्षित निधि खाते में डालना होता है।

70. बदलते हुए परिवेश के अनुरूप विकास वित्त संस्थाएं अपने कार्य प्रचालन बदल रही है तथा अपनी व्यापार कार्यनीतियों का पुनराभिविन्यास कर रही हैं। परियोजनाओं का और विस्तृत प्रतिबिम्ब समाहित करने के लिये आई.डी.बी.आई. ने अपनी उद्यम पूंजी स्कीम के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है। नई प्रौद्योगिकी और नये उत्पाद एवं प्राप्तियां उच्च जोखिम तत्व तथा उच्च संभावित मुनाफे सहित शामिल किये जायेंगे। इसमें बी. आई. ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की इक्विटी भागीदारी के साथ नेशनल स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने में अगुवाई की। इसने एक कम्पनी इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड (आई.एस.एल.) का प्रवर्तन किया है जो शेयर रजिस्ट्रार सेवाएं प्रदान करती है तथा ट्रान्सफर एजेन्ट के रूप में काम करती है। आई.एस.एल. ने काम करना शुरू कर दिया है। इसने एक वाणिज्यिक बैंक एक म्युचुअल फण्ड तथा एक स्टाक ब्रोकिंग फर्म के प्रवर्तन के लिये कदम उठाये हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने एक बैंक अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक की स्थापना की है। जिसने काम करना प्रारम्भ कर दिया है।

71. आई.सी.आई.सी.आई. ने परियोजना सलाहकार सेवाओं की शुरुआत की है तथा निवेशकों को शेयर रजिस्ट्री एवं ट्रान्सफर सेवाएं प्रदान करने हेतु एक नई कम्पनी का भी प्रवर्तन किया है। इसने एक म्युचुअल फण्ड की शुरुआत की है तथा निजी क्षेत्र में एक वाणिज्यिक बैंक की शुरुआत की है।

72. आधारभूत ढांचों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश करने के साथ, एस.सी.आई.सी.आई. पोत सुविधाओं, परिवहन, विद्युत् उत्पादन तथा दूर संचार हेतु ऋण पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। आई.आर.बी.आई. पहली बार इश्यु प्रबंध क्रियाकलापों में उतरा है तथा एक विशेष फण्ड अर्थात् पुनर्संरचना सहायता फण्ड की स्थापना करने का विचार किया है। यह फण्ड इकाइयों को उभारने एवं पुनर्वास के लिये विशेष वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा, ये ऐसी जरूरतें हैं जिनको बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सामान्य उधार के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। 1993–94 के दौरान, एस.आई.डी.बी.आई. ने निर्यातोन्मुखी इकाइयों को विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करना तथा ग्रामीण गरीबों द्वारा आत्म सहायता को बढ़ावा देने के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को समर्थन जैसे नये पहल किये। एस.आई.डी.बी. आई. ने लघु एककों को संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिये पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

73. विकास वित्त संस्थाओं ने पूरे आर्थिक परिवेश के अनुरूप अपने ब्याज दर ढांचे को विवेक सम्मत कर लिया है। आई.डी.वी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. और आई.एफ. सी.आई. ने देश में पहली बार भिन्न-भिन्न ब्याज दर ऋण स्कीम की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति का अनुसरण करते हुए विकास वित्त संस्थाओं की न्यूनतम सावधि उधार कर दी गई हैं। तथापि 20 फरवरी 1995 से आई.डी.बी. आई. ने अपनी संशोधित अवधि उधार दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है।

74. संसाधनों की ओर, विकास वित्त संस्थाओं ने अपने संसाधन आधार को व्यापक बनाने तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से फण्ड एकत्रित करने के प्रयास जारी रखे । आई.डी.बी.आई. ने 100 मिलियन अमरीकी डालर के लिये मुक्त विनिमय दर नोटों की कई निजी व्यवस्था की। आई.सी.आई.सी.आई. और एस.सी.आई.सी.आई. ने यूरो निर्गमों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में प्रवेश किया। आई.डी.बी.आई. ,आई.सी.आई.सी.आई. और एस.सी.आई.सी.आई. ने मुक्त विनिमय दर वाले बाण्डों के साथ घरेलू बाजारों में भी प्रवेश किया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

75. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से जिनमें बैंकों को विनियमनकारी अवरोधों के कारण प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, उनकी संख्या एवं व्यापार के परिणाम में वृद्धि हुई है । वे सार्वजनिक बचतें जुटा रही हैं और उन्हें बाजार में निवेश कर रही हैं। मौद्रिक प्राधिकारी का ध्यान इन कम्पनियों के नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय कम्पनियों पर एक कार्यशील समूह का गठन किया जिसकी अनुशंसाएं चरणबद्ध रूप में लागू की जा रही हैं। 50 लाख रुपये और उससे ऊपर की निवल निधियों वाली कम्पनियों को अब भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होने की आवश्यकता है। 13 जून, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण एवं आय का पता लगाने वाले मानदण्ड, लेखाकरण मानक, डूबा और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता अनुपात तथा ऋण-निवेशों के केन्द्रीयकरण को शामिल करते हुए इन कम्पनियों के लिये मार्गदर्शी नियम जारी किये । इन गैर-बैंक वित्तीय कम्पनियों को अपने जोखिम भारित परिसम्पत्तियों तथा तुलना पत्र से अलग प्रकटनों पर 31 मार्च, 1995 तक छः प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड प्राप्त करना होगा और 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करना होगा । अन्तर्निगम जमाराशियों को भी विनियमयकारी ढांचे के अनुशासन के भीतर लाया गया है ।

76. पंजीकृत वित्त कम्पनियों को वर्ष में कम से कम एक बार किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग प्राप्त करना होगा । यह जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं को उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा और उनके हितों की रक्षा करने में सहायक होगा । 2 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की निवल निधियों वाली कम्पनियों को अपनी पहली रेटिंग 1994–95 के अन्त तक प्राप्त करनी होगी जबकि 50 लाख से 2 करोड़ रु. तक की निवल निधियों वाली कम्पनियों को पहली रेटिंग 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान निदेशों का नये मानदण्डों के लागू होने तक, प्रयुक्त होना जारी रहेगा। उनकी अर्धवार्षिक विवरणियां विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन की मानीटरिंग के लिये प्रयुक्त की जायेंगी। पंजीकृत "ऋण एवं निवेश कम्पनियों" के लिये जमा राशि सीमा उनके द्वारा धारित निधियों के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है । जमा राशियां अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बाण्ड निर्गमों को मिलाकर परिभाषित की गई है। नये विनियमों के साथ, वित्तीय कम्पनियों के प्रचालन का परिसम्पत्ति पक्ष विनियमकारी ढांचे के अन्तर्गत आयेगा तथा परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता पर भी यथोचित ध्यान दिया जायेगा । इससे कम्पनियों के मजबूत होने की आशा है तथा यह वित्तीय क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगा ।

मुद्रा बाजार सम्बन्धी गतिविधियां और प्रवृत्तियां

77. मुद्रा बाजार अल्पकालिक निधियों के परिनियोजन तथा नकदीकरण और ब्याज दरों में रुखों का संकेत देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः ये बाजार मुद्रा नीति के प्रतिपादन और प्रबन्ध के लिये जानकारी प्रदान करते हैं । चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक मुद्रा बाजारों ने अच्छी स्थिर प्रवृत्ति को दर्शाया है, लेकिन माह सितम्बर, और दिसम्बर, 1994 तथा फरवरी, 1995 के दौरान कुछ अस्त-व्यवस्तता देखने में आई है जिसमें मांग मुद्रा दरों में एकदम से भारी वृद्धि हुई । इसने बेहतर मानीटरिंग तथा मुद्रा बाजारों के विस्तृत आधार तैयार करने, सघन बनाने एवं एकीकरण करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

अन्तर्बैंक शीघ्रावधि मुद्रा बाजार

78. प्रारक्षित मुद्रा में अभिवृद्धि से उत्पन्न प्राथमिक नकदीकरण में सुदृढ़ अभिवृद्धि अगस्त, 1994 तक के कैलेंडर वर्ष के दौरान अन्त बैंक दैनिक औसत शीघ्रावधि मुद्रा दर (2.5–6 प्रतिशत के निम्न स्तर के लिये जिम्मेदार आधारभूत कारक थे । सितम्बर, 1994 के तीसरे सप्ताह में शीघ्रावधि मुद्रा दरों को कड़ा करने में कई कारण शामिल थे, जब औसत दैनिक अन्त बैंक शीघ्रावधि मुद्रा दर 53 प्रतिशत तक जा पहुंची । अन्त में, सितम्बर, 1994 के अन्त तक शीघ्रावधि मुद्रा दरें 3 प्रतिशत तक नीचे आ गयीं । उसके बाद दरें कमोवेश 5 से 6 प्रतिशत तक रही हैं। तथापि, दिसम्बर, 1994 और फरवरी, 1995 में दरों में झोंके देखे गए ।

79. सितम्बर और दिसम्बर, 1994 में छह राज्य सरकारों के ऋणों और अग्रिम कर भुगतानों के प्रवर्तन के लिए मांग मुद्रा बाजार में कठिन स्थिति आंशिक रूप से उत्तरदायी थी । चूंकि राज्य सरकारों के ऋणों पर प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत की कूपन दर आकर्षक थी, इन ऋणों के लिए प्राप्त कुल अंशदान अधिसूचित 613.43 करोड़ रुपये

के मुकाबले 3,991.43 करोड़ रुपये अधिक था। बैंकों ने राजस्व सरकारों के ऋणों के लिए अधिग्रंशदान की देय राशि की वापसियों और सांविधिक नकद प्रारक्षित अनुपात को पूरा करने के लिए आवश्यक नकदी का ठीक तरह से पूर्वानुमान नहीं लगाया । इसने सितम्बर, 1994 में मांग मुद्रा दर को पार करने की ओर अग्रसर किया । दिसम्बर में मांग मुद्रा दर तेजी से बढ़ी क्योंकि 10—23 दिसम्बर, 1994 पखवाड़े के दौरान, सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी बिक्री, अग्रिम कर भुगतानों और आंशिक रूप से प्रदत्त सरकारी प्रतिभूति की दूसरी किस्त के माध्यम से लगभग 4,200 करोड़ रुपये का भुगतान निर्धारित किया है। इस पखवाड़े के दौरान अब तक बाजार में नकदीकरण की बहुत कमी थी और मुद्रा बाजार दर संयमित रुप से बढ़ी है । संभवतःक्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त नकदी के हस्तक्षेप से जिसमें भारतीय छूट और वित्त गृह (डी एफ एच आई) तथा भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम (एस टी सी आई) हैं, ऐसा हुआ है । मगर मुद्रा दरों में उत्तार चढाव की ओर उत्प्रेरित करने वाला अन्य कारक कुछ बैंको द्वारा अपने नकद प्रारक्षित अनुपात के अनुरक्षण के लिए मांग /सूचित मुद्रा बाजार में दीर्घ कालिक भारी कर्जदार होना है । इन बैंकों ने भविष्य में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा में मांग मुद्रा बाजार में ऋण द्वारा मध्यम और दीर्घकालिक परिसम्पत्तियों में निवेश किया था। दृश्यमान रुप में ऐसे ऋण लाभकारी थे क्योंकि मांग मुद्रा दरें कम थी। कुछ बैंकों ने अपने नकद अन्त शेष को रिजर्व बैंक के निम्नस्तर से इतना कम रखा जो अपेक्षित नकद प्रारक्षित मुद्रा का 10 प्रतिशत था । यह परिसंपत्ति देनदारी बेमेल सितम्बर, और दिसम्बर, 1994 (आकृति 3.1) में मांग/सूचित मुद्रा बाजार में अस्थिरता को बढ़ावा देने वाली थी ।

80. मांग/नोटिस मद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकों द्वारा नकद संतुलनों को बनाए रखने में अस्थिरता को घटाने में भी, नकद प्रारक्षित अनुपात संतुलनों के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को सूचित पखवाड़ों के प्रत्येक पहले 13 दिनों में बैंकों द्वारा अनुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है जिन्हें 7 जनवरी, 1995 से शुरू हुए पखवाड़े से निर्धारित किया गया है। इस उपाय से मांग दरों में तेजी से होने वाले परिवर्तनों को व्यापक रूप से कम करने की आशा की जाती है ।

जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक बिल

81. बैंकों में नये जमा प्रमाणपत्रों के जारी करने की रूचि कम रही है और जमा प्रमाणपत्रों में गौण बाजार सरगर्मी भी विद्यमान नहीं थी क्योंकि प्रत्येक धारक जमा प्रमाणपत्रों को परिपक्वता होने तक रखने की कोशिश करता है । बकाया जमा प्रमाणपत्रों के स्टॉक 19 मार्च, 1993 को 9803 करोड़ रुपये से तेजी से घटकर 18 मार्च, 1994 को 5571 करोड़ रुपये हो गए । उसी अवधि में जारी करने वाले बैंकों की संख्या भी 51 से घटकर 48 हो गई । ब्याज दरें जो कि 12.5 से 16.5 प्रतिशत के बीच थी, 7 से 12.2 प्रतिशत तक नीचे आ गई । जमा प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए कोई बैंक-वार सीमाएं नहीं हैं और बैंक जमा प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए मुक्त हैं । यह जमा बाजार के थोक मूल्य लक्ष्य पर जमा प्रमाणपत्र दरों को मुक्त करने के समान है। 8 जनवरी 1995 के अनुसार गतिविधि में मामूली रूप से वृद्धि हुई थी, जिस में 5385 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वृद्धि शामिल है। (44 बैंकों द्वारा 7.5 से 12 प्रतिशत)। इसलिए, जमा प्रमाणपत्र बाजार में सरल शर्तें बैंकों की व्यापक रूप से सुविधाजनक नकदी स्थिति के कारण थी।

वाणिज्यिक पत्र

82. वाणिज्यिक पत्रों पर प्रस्तावित दरें 1993-94 में एक क्रमिक घाटा दिखाती हैं। नवम्बर-दिसम्बर, 1993 के दौरान ये 9.35 से 9.50 प्रतिशत के स्तर में थी। भारतीय बैंकों के संघ ने 1993-94 में बैंकों को 12.5 प्रतिवर्ष से नीचे की आय वाले वाणिज्यिक पत्रों का समर्थन नहीं करने की सलाह दी। ऐसी सूचना थी कि यह सलाह प्रभावी नहीं थी क्योंकि वाणिज्यिक पत्रों को 10.5—11.5 प्रतिशत की नीची दरों पर लिया जा रहा था। मार्च, 1994 के अंत तक वाणिज्यिक पत्रों का बकाया स्टाक 3,264 करोड़ रुपए था और इसमें अगस्त, 1994 के अन्त तक 4511.05 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई । 15 फरवरी, 1995 को बकाया वाणिज्यिक पत्र का स्तर महत्वपूर्ण रूप से 1393.25 करोड़ रुपए नीचे आ गया । बैंक ऐसे पत्रों के मुख्य धारक हैं, और कुछ स्तर पर वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से अच्छी दर से संबंधित कंपनियों को दी जाने वाली उधार राशि वर्ष 1993-94 में प्रत्यक्ष बैंक ऋण के लिए एक विकल्प थी।

83. नकद ऋण राशि सीमा में कमी करने और इसके विपरीत प्रयोग में लाए गए वाणिज्यिक पत्रों का प्रकाशन करना । ऋणों के अहस्तांतरण की स्थिति में यह परिपक्व होने पर वाणिज्यिक पत्रों की अदायगी का आश्वासन देता है, जबकि जारी करने वाली कंपनियां नकद ऋण राशि सीमाओं पर स्वतः से आहरण कर सकती हैं। इस व्यवस्था के कारण कंपनियां एक उच्च ऋण दर भी प्राप्त कर सकती हैं। इस वैकल्पिक व्यवस्था को समाप्त करके भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रणाली को हाल ही में बंद कर दिया है । जब एक वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है, बैंक नकद ऋण राशि सीमा में उस सीमा तक कमी करेंगे । तत्पश्चात् यदि जारी करने वाली एक उच्च नकद ऋण राशि सीमा चाहता है,

सारणी 3.11

नियत मूल्यों पर 91 दिन की सरकारी हुंडियों की निहित आय दर

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

महीना	1993-94	1994-95
अप्रैल	11.10	7.45
	10.76	7.33
	9.50	7.25
	9.84	7.25
मई		7.25
	9.75	7.21
	9.63	7.50
	9.71	7.58
जून	9.75	7.75
	9.92	7.75
	9.96	8.00
	10.05	8.46
जुलाई	10.09	8.75
	10.05	9.08
	10.00	9.08
	9.84	8.91
	9.84	8.58
अगस्त	9.75	8.75
	9.46	8.25
	9.33	8.00
	9.25	8.00
सितम्बर	9.17	8.08
	9.08	8.08
	8.91	8.08
	8.71	8.41
अक्तूबर	8.37	9.08
	8.37	9.21
	8.16	9.21
	8.08	8.50
	8.25	8.33
नवम्बर	8.16	
	8.25	8.29
	8.16	8.25
	8.50	8.58
दिसम्बर	8.62	8.75
	8.58	9.00
	8.04	9.37
	7.96	9.75
	7.83	9.84
जनवरी	7.79	10.26
	8.08	10.51
	8.32	10.85
	8.58	10.93
फरवरी	8.50	11.10
	8.46	11.10
	8.37	11.23
	8.37	11.40
मार्च	8.25	
	7.83	
	7.46	
	7.88	
	7.33	

उसे बैंक के प्रारंभिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा । तब बैंक उस समय की बाजार स्थितियों पर आधारित स्वीकृत करने और नहीं करने का निर्णय लेगा । यह यह वाणिज्यिक पत्र को अपनी अर्थव्यवस्था की मूलभूत सुदृढ़ता को दर सहित प्रतिबिंबित करते हुए मुद्रा बाजार साधन को और अधिक स्वतंत्र बनाएगा ।

91 दिन की सरकारी हुंडियाँ

84. जनवरी, 1993 से संचालित साप्ताहिक नीलामियों में 91 दिन की सरकारी हुंडियों के लिए, वर्ष 1993-94 में सकल राशि 15,850 करोड़ रुपए और 1994-95 में (24 दिसम्बर, 1994 तक) 11,650 करोड़ रुपए बढ़ी है। निर्धारित कीमतों पर अन्तर्निहित आय वर्ष 1993-94 में 7.08 प्रतिशत से 11.10 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1994-95 में (फरवरी, 1995 तक) 7.15 प्रतिशत और 11.40 प्रतिशत के बीच रही (सारणी 3.11) । रिजर्व बैंक से बाहर की सरकारी हुंडियों की नीलामी के स्टाक में 31 मार्च, 1993 को 203 करोड़ रुपए से 31 मार्च, 1994 को 5,245 करोड़ रुपए की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई परन्तु 24 दिसम्बर, 1994 को 1,646 करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। सरकारी हुंडियों का बकाया स्टाक केवल नई हुंडियों के निर्गम और उनकी परिपक्वता से ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि दिनांकित प्रतिभूतियों में सरकारी हुंडियों के एकमात्र भारतीय प्रणाली के आंशिक परिवर्तन से भी होता है । 15 अक्तूबर, 1993 को 4,088.31 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य की 91 दिन की नीलामी की गई सरकारी हुंडियां 12 प्रतिशत की कूपन दर पर 2 वर्ष के सरकारी स्टाक में परिवर्तित हो गई । पुनः 7 अप्रैल, 1994 को 91 दिन की नीलाम की गई सरकारी हुंडियां 12 प्रतिशत की समान कूपन दर पर 5 वर्ष के सरकारी स्टाक में परिवर्तित हो गई । नियमित साप्ताहिक नीलामियां इन बिलों में की जा चुकी है, जिनमें अधिक प्रोत्साहक हिस्सेदारी हो चुकी है । 91 दिन की सरकारी हुंडियों की नीलामी के लिए प्राप्त बोलियों की संख्या वर्ष 1993-94 के दौरान 4 और 65 तथा वर्ष 1994-95 के दौरान (23 दिसम्बर, 1994 तक) 6 और 82 के बीच विविध सीमाओं में रही (बोलियों की राशि वर्ष 1993-94 के दौरान 20 करोड़ रुपए से 2,350 करोड़ रुपए और वर्ष 1994-95 के दौरान (25 फरवरी, 1995 तक) 28 करोड़ रुपए से 1,838 करोड़ रुपए की विविध सीमाओं में प्राप्त हुई । जबकि मई, 1993 से जनवरी 1994 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक का अंशदान व्यवहारिक रूप से शून्य था, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक बोलियों में 25 फरवरी, 1995 तक की अनुवर्ती अवधि के दौरान 16 करोड़ रुपए से 477 करोड़ रुपए की राशियों की सीमाओं में अपना अंशदान किया ।

85. सांविधिक नकदी अनुपात संबंधी दृष्टिकोणों से इन बिलों की मांग को भी मूल रूप से अधिक समय तक नियंत्रित नहीं किया गया और उनमें प्रतिभोगियों द्वारा अल्पकालिक नकदी के प्रभावी प्रबन्धन के लिए अनुभव की गई आवश्यकता द्वारा उत्प्रेरित द्वितीय बाजार संचालनों में वृद्धि की जा रही है । द्वितीय बाजार संचालनों की कीमत एस.जी.एल. लेखे में दी गई हैं जो सितम्बर से नवम्बर, 1994 के दौरान क्रमशः 17,987 करोड़ रुपए थी ।

364 दिन की सरकारी हुंडियां

86. 364 दिन की सरकारी हुंडियों के लिए पाक्षिक नीलामियों में वर्ष 1993-94 के दौरान 20,323 करोड़ रुपए की सकल राशि और वर्ष 1994-95 के दौरान (23 दिसम्बर, 1994 तक) 16,469 करोड़ रुपए की राशि (सकल) की वृद्धि हुई। यह केवल सरकारी ऋणों का एक महत्वपूर्ण साधन ही नहीं है बल्कि एक चल मुद्रा बाजार साधन के रूप में भी है इस अर्थ में इसकी आय बाजार स्थितियों में बहुत अधिक परिलक्षित होती है । यह मुक्त ब्याज दर साधनों के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थिरक दर के रूप में मानी गई है । इन हुंडियों के पाक्षिक प्रस्ताव पूर्वघोषित नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक इन हुंडियों के लिए अपना अंशदान नहीं देता है जो कि सम्पूर्णतः बाजार द्वारा नियंत्रित किए गए हैं । अतः 364 दिन की सरकारी हुंडियों पर आय बाजार नकदी प्रवृत्तियों के लिए संवेदनशील है । 364 दिन की सरकारी हुंडियों की अर्न्तनिहित निर्धारित आय जून, 1994 में 11.36 प्रतिशत के शिखर से क्रमिक रूप से घटकर अक्तूबर 1994 के अन्त में 9.41 प्रतिशत रह गई और इसके बाद फरवरी, 1995 में पुनः बढ़कर 11.48 प्रतिशत ऊर्ध्वगामी हो गई (सारणी 3.12) । 364 दिन की सरकारी हुंडियों को भी निधिबद्ध किया जा चुका है (वर्ष 1993-94 में दो बार ओर 1994-95 में एक बार)। पिछली बकाया राशि 31 मार्च, 1994 के अनुसार 8,385.97 करोड़ रुपये (निधिकरण के बाद) से बढ़कर 17 फरवरी, 1995 को दूसरे निधिकरण के बाद 9749.15 करोड़ रुपए हो गई ।

87. 364 दिन की सरकारी हुंडियों के लिए प्राप्त बोलियों की संख्या वर्ष 1993-94 में 15 से 162 और 1994-95 में (17 फरवरी, 1995 तक) 9 से 165 की विविध सीमाओं में रही । बोलियों की राशि वर्ष 1993-94 के दौरान 77 करोड़ रुपये से 5,147 करोड़ रुपये और वर्ष 1994-95 के दौरान, 17 फरवरी, 1995 तक 11 करोड़ रुपये से 4,028 करोड़ रुपये की सीमा में प्राप्त हुई । 364 दिन की सरकारी हुंडियों का परिवर्तन 6,946 करोड़ रुपये की तीन गुणी राशि का 12.75 प्रतिशत पर तीन वर्ष के सरकारी स्टॉक के लिए, 11,226 करोड़ रुपये का 12.5 प्रतिशत पर दस वर्ष के सरकारी स्टॉक के लिए और 8,078 करोड़ रुपये का 11.75 प्रतिशत पर छः वर्ष के सरकारी स्टॉक के लिए क्रमशः 19 अप्रैल, 1993, 23 मार्च, 1994 और 25 अगस्त, 1994 को शुरू हुआ।

अन्तः बैंक माँग मुद्रा दर*

1993-94 और 1994-95

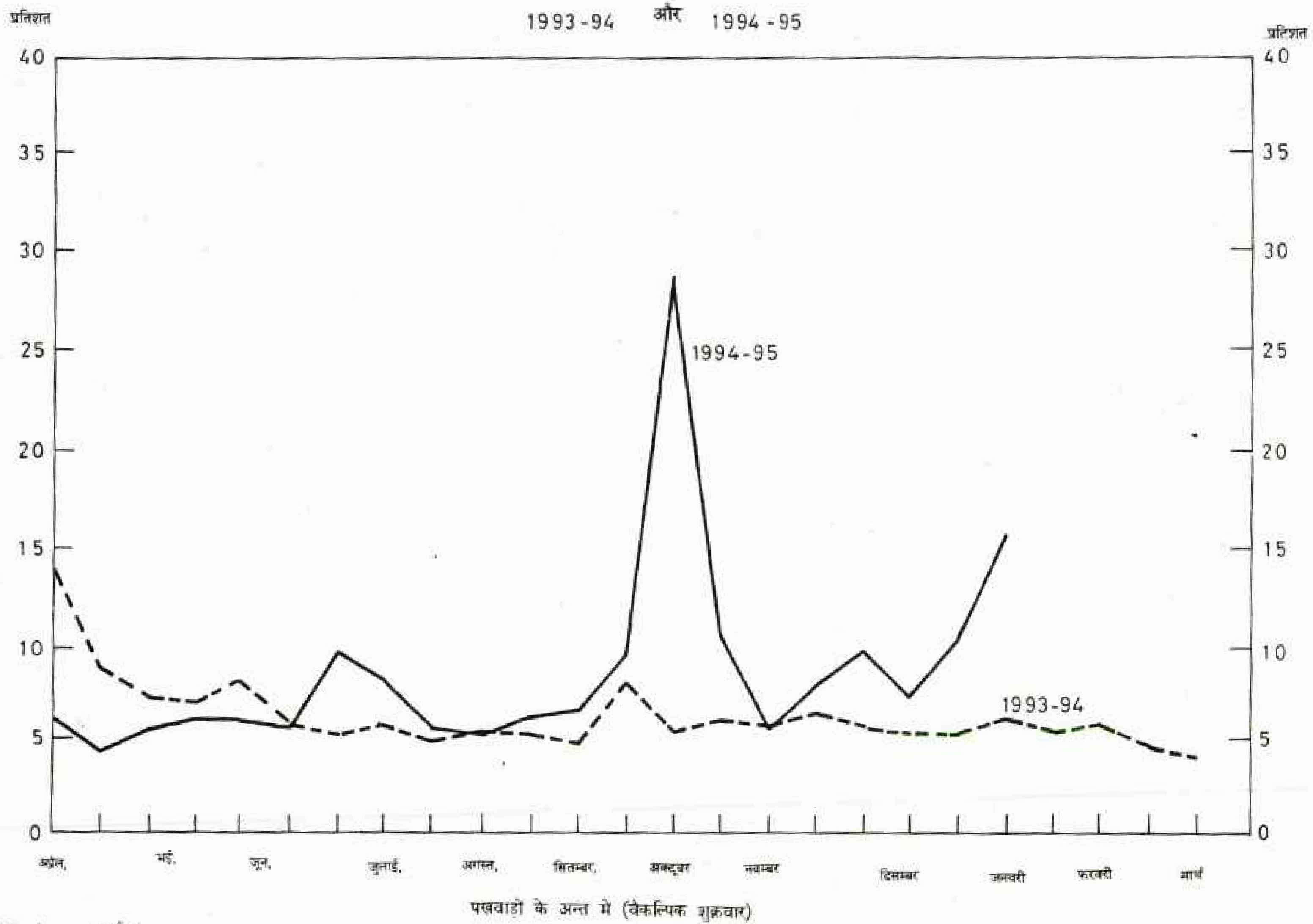

* दैनिक भारित औसत

सारणी 3.12

नियत मूल्यों पर 364 दिन की सरकारी हुंडियों की निहित आय दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)

महीना	1993 94	1994 95
1	2	3
अप्रैल	10.99	9.86
	10.99	9.94
मई	11.05	9.82
	11.23	9.77
जून	11.23	9.77
	11.27	9.82
जुलाई	11.36	9.99
	11.36	10.04
अगस्त	11.36	9.82
	11.36	9.71
	11.33	9.51
सितम्बर	11.32	9.41
	11.25	9.41
	11.23	9.42
अक्तूबर	11.20	9.47
	11.21	9.42
नवम्बर	11.29	9.499
	11.17	9.54
दिसम्बर	11.17	9.54
	11.15	9.83
जनवरी	11.02	9.91
	11.02	9.91
फरवरी	10.95	10.56
	10.85	10.86
मार्च	10.75	11.23
	10.63	11.48
	10.44	
	9.97	
	9.97	

88. छूट एवं भारतीय वि पोषण संस्था

सरकारी हुंडियों की नीलामी में (कुल बोलियों में स्वीकृत छूट एवं भारतीय वित्तपोषण संस्था (डी एफ एच आई) की उत्तरवर्ती दर में वर्ष 1993–94 में 40 प्रतिशत से चालू वर्ष में 50 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की तदनुरुप अवधि में कुल बिक्री की तुलना में इसके सरकारी हुडियों की कुल बिक्री में 45.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में कुल बिक्री फिर भी चालू वित्तीय वर्ष में गिरावट आई है। ऋण की परिपक्वता संरचना में दीर्घकालिक से अल्पकालिक का परिवर्तन आया है (मांग और सूचना मुद्रा बाजार) ऋणों में घटने वाली प्रवृत्ति वर्ष 1993-94 में शुरु हुई और वर्ष 1994–95 तक निरन्तर जारी रही। (सारणी 3.13)।

ऋण राशि दर

89. वित्तीय क्षेत्र और पूंजीगत बाजार में सुधार ने ऋण राशि दर अभिकरणों की भूमिका को व्यापक रूप से बढ़ाया है। भारतीय ऋण राशि दर सूचना सेवा लिमिटेड (सी.आर.आई.एस.आई.एल.) जो कि ऋण राशि दर में अग्रणीय है, न केवल बैंकों को दरों संबंधी ऋण साधनों, वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों (गैर-बैंकिंग वित्तीय और गैर वित्तीय) में बल्कि कंपनियों को ऋण राशि सम्बंधी निर्धारण और सी.आर.आई.एस.आई.एल.वी.आई.ई.डब्ल्यू. (क्रिसिलव्यू) तथा सी.आर.आई.एस.आई.एल. (क्रिसिल) दर संबंधी क्रमवीक्षण जैसी अनेक सूचना उत्पादों को प्रदान भी करती है। इसका ऋण राशि संबंधी निर्धारण भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों द्वारा

सारणी 3.13

रियायत व्यापार और भारतीय वित्त पोषण संस्था

	1993-94 (18 फरवरी 1994 तक)	1994-95 (17 फरवरी 1995 तक)
1	2	3
I. ऋण		
(i) मांग मुद्रा बाजार (दैनिक औसत)	482199 (1493)	467'108 (1446)
(ii) सूचित मुद्रा (2-14 दिन)	5'121	4519
(iii) सर्वाधिक मुद्रा (15-90 दिन)	1,526	19
II. आय		
(i) सरकारी हुण्डियां	158,926	23,113
(ii) वाणिज्यिक हुण्डियां	26	75
(iii) जमा प्रमाण-पत्र	187	—
(iv) वाणिज्यिक पत्र	211	—
(v) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां	14,194	11,385

अग्रिम राशियों पर उनके निर्णय किए जाने वाली प्रक्रियाओं में निवेश स्वरूप प्रयोग किया जाता है। 31 दिसम्बर, 1994 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रिसिल के आरम्भ से कुल संचित 1284 ऋण साधनों सहित 13742 करोड़ रुपये के कुल परिमाण के 278 ऋण साधनों तक इसकी दर थी और यह 61049 करोड़ रुपये से अधिक ऋण परिमाण की दर तक पहुंचा। चालू वितीय वर्ष के दौरान क्रिसिल के दर संबंधी विकास परियोजनाओं, सावधिक आय, पारस्परिक निधियों और चिट निधियों के लिए कार्य प्रणाली का विकास किया।

90. अन्य महत्वपूर्ण ऋण दर संस्थान जिन में (आर. सी. आर. ड्ए.) भारतीय निवेश सूचना ओर ऋण दर अभिकरण का नाम है ओर ओर जो बन्ध पत्रों यिवेचर, अधिमान शेयरों, अनिवार्य जमा राशि पत्रां तथा वाणिज्यिक पत्रों की दरें निर्धारित करता है, 31 दिसम्बर, 1994 तक 14,713 करोड़ रुपए के 420 लिखित पत्रों के संचित योग तक दर निर्धारित कर चुका है चालू वित्तीय वर्ष में, 31 दिसम्बर, 1994 तक इस ने 2419 करोड़ रुए के लिए 147 ऋण लिखित पत्रों की कुल संख्या की दर निर्धारित की

सरकारी प्रतिभूति बाजार

गाजार उधार

91. जैसा कि पहले ध्यान में आया है, सून्द्रीय सरकार ने बाजार से अपने ऋण में बहुत असिुक परिवर्तन किए हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए गए मुख्य लिखित पत्र 364 दिनों ओर 91 दिनों की सरकारी हुण्डियों से सम्बन्धित दिनांकित प्रतिभूतियां है। परम्परागत उधार

सारणी 3.14

केन्द्रीय सरकार को निवल बाजार उधार राशियां[1]

(रुपए करोड़ों में)

स्रोत	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95
	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-अक्तूबर	
(क) सामान्य बाजार उधार राशि	3670	3700	3972	3700
(ख) अन्य माध्यम तथा दीर्घकालीन उधार राशियां	—	23842	10992	12597
(ग) 182/364 दिन की सरकारी हुण्डियां	4791	(—) 391	4070	3189
कुल	8641	27151	19034	20486

[1]भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े

सम्बन्धी बाजार का थोड़ा-सा समानुपात भी है। बाजार दरों पर कुल बाजार उधार राशि इस वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान 91 दिन की सरकारी हुण्डियों को छोड़ कर लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आदेश पर रहा है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बाजार उधार राशियों से 12 प्रतिशत अधिक है। निवल उधार राशि की संरचना भी बदलती रही है। पिछले वर्ष निवल बाजार उधार राशि का 89 प्रतिशत मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के रुप में था, जबकि 364 दिन की सरकारी हुंडियों के माध्यम से बढ़ाई गई राशि में वस्तविक रुप से किरावट आई। चालू वर्ष में मध्यम और दीर्घ कालिक ऋण निवल बाजार उधार राशि का केवल 66 प्रतिशत का गठन करता है। 364 दिन की सरकारी हुण्डियों के समानुपात में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (सारणी 3.14)

संस्थागत घटना क्रम

92. राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंजह की स्थापना से, ऋण लिखित पत्रों में व्यापार के लिए संस्थागत बाजार अब उपलब्ध हो गया है राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ने जून 1994 में ऋण लिखित पत्रों में पहली बार व्यापार को उत्प्रेरित करते हुए परिचालन शुरु किया है। जबकि ऋण लिखित पत्रों में व्यापार का परिमाण चालू समय में बहुत कम होने पर भी 21 जनवरी, 1995 के अन्तिम सप्ताह में 244.22 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। व्यापार में लाए गए लिखित पत्रों के स्वरुप में "इकाई की इकाइयां" 64 स्कीम, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी हुडियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्बन्धी बन्धपत्र वाणिज्यिक पत्र और जमा राशि प्रमाणपत्रों को शामिल किया गया। भारतीय रजर्व बैंक के छह सार्वजनिक ऋण कार्यालयों में सहायक सामान्य खाता एम जी एल लेखों के कम्प्यूटरीकरण से संचालन के अभिलेखन में सुधार आयात है। इस ने एस.जी.एल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी हुण्डियों में कार्य संचालन की प्रविष्टियां के विवरण प्रस्तुत करते हुए दैनिक आधार पर प्रकाशन करना भी शुरु कर दिया है। इस से उपयोगी बाजार सुचनाए और उनके प्रसार में सहायता मिलेगी जिस में निर्देशित दरों/कीमतों को सभी बाजार दक्षता में सुधार लाए जाने की सम्भावना है। भारतीय प्रतिभति व्यापार में गोण बाजार का विकास करने के लिए की गई इससे मई 1994 में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसमें 100 करोड़ की पूरी तरह से निर्गमित भुगतान की गई पूंजी है और इसने जून 1994 में परिचालन करना शुरु किया।

मूल व्यापारी

93. सरकारी प्रतिभूतियों के लिये बाजार को सुदृढ़ किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक मूल व्यापारियों की प्रणाली शुरू कर रहा है। ये व्यापारी अंतिम निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के लिये और उससे सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को विकसित तथा व्यापक स्वरूप दिये जाने के लिये उत्तरदायी होने का कार्य करते हैं। इनसे बाजार निर्माता स्वरूप कार्य किये जाने की आशा की जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक उनका परिचालन किये जाने के लिये उन्हें नकदी वितरण हेतु ऋण राशि संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्हें नीलामियों में अपनी उपस्थिति के सन्दर्भ में कुछ दायित्वों का निर्वाह भी करना होगा, और इन प्रतिभूतियों के लिये द्विमार्गीय भावों के प्रस्ताव इन विवेकपूर्ण मानदण्डों को अपनाये जाने की शर्त पर करने होंगे। सरकारी प्रतिभूतियों और मौद्रिक परिचालनों को सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाये जाने के लिये बाजार को गहन तथा व्यापक स्वरूप दिये जाने हेतु मूल व्यापारी प्रणाली आवश्यक है।

आंशिक रूप से प्रदत्त सरकारी प्रतिभूतियां

94. हाल ही में सरकार ने मानक नीलामी प्रक्रिया सहित "आंशिक रूप से प्रदत्त सरकारी स्टाक" कहे जाने वाले नवीन दिनांकित प्रतिभूतियां शुरू की हैं। इसमें ऐसी प्रवर्तित विशेषता है जिसमें चार समान किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। आठ वर्ष की परिपक्वता पर 2000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की 15 नवम्बर, 1994 को नीलामी की गई। तथा उन्हें सफल बोली लगाने वालों को आंशिक रूप से भुगतान आधार पर आबंटित किया गया। प्रीमियम सहित अंकित मूल्य का एक चौथाई, यदि कोई हो, आवंटित तिथि पर देय था और शेष राशि तीन समान किस्तों में 15 दिसम्बर, 1994, 16 जनवरी, 1995 और 15 फरवरी, 1995 को देय है।

अन्तर बैंक प्रतिभूति संचालन

95. भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद बैंक प्राप्तियों (बी आर) के बदले प्रतिभूतियों में अन्तर बैंक संचालनों की समीक्षा की है और उनमें बैंक प्राप्तियों के उपयोग पर भारी संख्या में प्रतिबंध शुरू किये हैं। बैंक प्राप्तियों की विधिमान्यता अवधि 30 दिन (जून, 1992 में पहले की तरह नियत) से कम होकर 15 दिन हो गई है। बैंकों को अब आगे सलाह दी गई कि बैंक प्राप्तियां केवल पावती पत्रों के वास्तविक वितरण द्वारा छुड़ाई जानी चाहिये और नियत अवधि में दूसरे संचालन के बदले संचालनों/समंजन के रद्द करने से नहीं। अन्यथा वे अस्वीकृत समझी जानी चाहिये। बकाया राशि रशि की की स्थिति में, बैंक को निर्गमित बैंक प्राप्तियों के उल्लेख में में पावती-पत्रों के अवितरण और संचालनों के निपटारे के

के प्रस्तावित ढंग के कारणों का स्पष्टीकरण भारतीय रिजर्व बैंक को करना होता है। बैंकों को चेतावनी दी गई है कि बैंक प्रोप्तियों से संबंधित अनुदेश के किसी भी अतिक्रमण पर दांडिक कार्रवाई लागू होगी। इसमें प्रारक्षित मुद्रा मांग को बढ़ाना, भारतीय रिजर्व बैंक से पुर्नवित की निकासी और मुद्रा बाजार के लिये पहुंच से इंकार अथवा ऐसा दूसरा दंड जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इसके योग्य समझें, शामिल है।

96. 21 दिसम्बर, 1992 को और बातों के साथ-साथ बैंकों को सलाह दी गई कि एक वर्ष के दौरान वैयक्तिक दलालों के माध्यम से दर्ज की गई प्रतिभूतियों में संचालनों को सुनिश्चित करें जो कुल संचालनों (खरीददारियों और बिक्रियों दोनों) का पांच प्रतिशत से अधिक न हो तथा उस वर्ष के दौरान एक बैंक द्वारा दर्ज किये गये हों। यदि किसी कारणवश किसी दलाल के लिये इस सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया था, तों उसके विनिर्दिष्ट कारण को शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किया जाये और इस कार्य के बाद की कार्रवाई से बोर्ड को सूचित किया जाये।

97. संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट (जे पी सी) के अनुसार दलालों की सेवाओं को जारी रखने की आवश्यकता का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परीक्षण किया गया। यह निश्चित किया गया है कि प्रतिभूतियों के संचालनों को अब से सीधे बैंकों के बीच शुरू किया जाये और इन संचालनों में किसी दलाल की सेवाओं को कोई भी बैंक ग्रहण नहीं करेगा। तथापि, बैंक प्रतिभूतियों के संचालनों को राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एन एस ई) के सदस्यों के माध्यम से अपने बीच और गैर-बैंक ग्राहकों के साथ शुरू कर सकते हैं जिनमें संचालन पारदर्शी हैं। गैर-बैंक ग्राहकों के साथ, प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा संचालन राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से अथवा सीधे दलालों के उपयोग के बिना किये जा सकते हैं। इन अनुदेशों के किसी अतिक्रमण अथवा प्रवंचना पर भी दांडिक कार्रवाई लागू होगी जैसे बैंक प्राप्तियों के उपयोग से संबंधी अनुदेशों के अतिक्रमण के लिये नियत होती है।

पूंजीगत बाजार में घटना क्रम

98. पूंजीगत बाजार, निगमित क्षेत्र के लिए निवेश योग्य धन के साधन के रूप में अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक बाजार जोकि वर्ष 1994-95 की प्रथम तिमाही में मन्दा था इसने सकल घरेलू अनुपात की सहायता से अपनी उत्पलावकता को दूसरी तिमाही में पुनः प्राप्त किया। गौण बाजार ने भी उल्लेखनीय गतिविधि को विदेशी संस्थागत निवेशकों, घरेलू पारस्परिक निधियों, बाजार के संस्थाकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने सहित दर्शाया है। पूंजीगत बाजार सुधार की प्रक्रियाएं प्रभावी नियमित आधार ढांचे के साथ जारी रहीं जिनका उद्देश्य दक्षता में सुधार लाना, स्टाक बाजार संचालनों को अधिक पारदर्शी बनाना, अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रित करना और पूंजीगत बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय मानक में शामिल करना है। भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जांच पर आधारित और पावी-पत्र रहित व्यापार प्रणाली के साथ इस वर्ष अपनी कार्य प्रणाली शुरू कर दी है जो भारतीय पूंजीगत बाजार के विकास में मील के पत्थर के रूप में जानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बम्बई के और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों ने अपनी व्यापार प्रणाली के स्वचालन के वेग को बढ़ा दिया है। साथ-साथ उठाये गए ये कदम सुदृढ़ और कम्पायमान घरेलू पूंजीगत बाजार के निर्गमन को सुकर बनाने के लिए सहायता करेंगे।

99. एस इ.बी.आई. का सुदृढ़ीकरण :—

सरकार ने 25 जनवरी, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश की उद्घोषणा की है जिस से भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को पूंजीगत बाजार के क्रमिक घटना-चक्र से सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त अधिकारों से युक्त किया जा सके ताकि निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए इसकी सामर्थ्य को बढ़ाया जा सके।

100. सेबी को बाजार स्थितियों, शीघ्र अनुक्रिया करने में समर्थ बनाने के लिए तथा इसकी स्वायतता को पुनर्गठित करने के लिए सेबी को भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न्यायालय में शिकायतें दर्ज करने का अधिकार दिया गया है और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इसके विनियमों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है।

101. इस संशोधन में सेबी को निगमों पर पूंजी के निर्गमन में, प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण और अन्य संबन्धित मामलों में नियमित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस में पूंजी बाजार मध्यस्थों और अन्य सहभागियों पर अतिक्रमण की सूत्रीबद्ध सीमा के लिए मौद्रिक शास्तियों को अधिरोपित करने के अधिकार भी दिए गए हैं। अब से, सेबी अधिनियम में पंजीकरण को निलम्बित और अब से, सेबी अधिनियम में पंजीकरण को निलम्बित और निरस्त करने तथा मध्यस्थों पर अभियोग चलाए जाने का भी अधिकार दिया गया है। जैसा कि निलम्बन और निरस्तीकरण से व्यवसाय को बन्द करने के लिए उत्प्रेरणा मिली है इस से प्रायः अन्य प्रति कूल रुप से प्रभावित होते हैं जिन का प्रभावित मध्यस्थों के साथ व्यवसाय चल रहा था, मौद्रिक शास्तियां पूंजी बाजार अतिक्रमणों के साथ व्यवहार करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया का गठन करती है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि न्याय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील के प्रकरणों के निबटान के लिए एक अलग अधिकरण का गठन किया जाए। अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकरण उच्च न्यायालय होंगे।

बाक्स 3·7

* पूंजीगत निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 रद्द हो गया और पूंजीगत निर्गमों के नियंत्रक का कार्यालय समाप्त हो गया ; कीमतों पर नियंत्रण और शेयरों के प्रीमियम को हटा दिया । सेबी से समाशोधन के बाद पूंजीगत बाजार के दृष्टिकोण से कंपनियां अब मुक्त हैं ।

* भारत के प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को पूंजीगत बाजार के विनियमन और सुधार के लिए आवश्यक प्राधिकरण और अधिकारों सहित सुरक्षित किया गया ।

* प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के अधिकार सेबी को प्रदान किए गए । इसमें मान्यता, नियम अनुच्छेद मताधिकार वितरण संविदाएं, स्टाक एक्सचेंज सूचीकरण और सार्वजनिक प्रतिनिधियों का नामांकन शामिल है ।

* व्यापारिक बैंकों को सेबी की नियामक संरचना के तहत लाया गया तथा आचार संहिता जारी की गई ।

* सेबी ने प्राथमिक व अन्य द्वितीय बाजार मध्यस्थों को नियमित संरचना में लाने के लिए विनियमन अधिसूचित किया ।

* "इश्यू के बैंकर" को निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया ।

* प्रस्तावित दस्तावेजों में अभिव्यक्त किए गए विषयों के संबंध में चल प्रबन्धकों द्वारा देय उद्यम प्रमाण पत्र, चल प्रबन्धकों की ओर से उन्नत दायित्व पूर्णता और पारदर्शिता के लिए स्वयं प्रस्तावित दस्तावेज को एक भाग के रूप में तैयार किया गया है ।

* प्राथमिक बाजार में सेबी द्वारा किए गए नए सुधारों में उन्नत अभिव्यक्त विषयामानकों, विवेक पूर्ण मानदंडों को लागू किया जाना और निर्गम प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना शामिल है ।

* सार्वजनिक इश्युओं को जारी करते समय कम्पनियों से सभी विषयों से संबंधित तथ्यों को व्यक्त करने और उनके अनुमानों से संबंधित विशेष जोखिम कारकों को स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है ।

* स्टाक एक्सचेंज ने यह निश्चित करने की अपेक्षा की कि संबंधित कंपनियों के पास सेबी द्वारा जारी विधिमान्य पावती-पत्र होना चाहिए । यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि प्रस्ताव प्रपत्रों में कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज के लिए सूचीबद्ध करने आवेदन करते समय सभी स्पष्टीकरण कम्पनी द्वारा तैयार किए जाते हैं, सेबी प्रस्ताव प्रपत्रों का पुनिरीक्षण करती है ।

* स्टॉक एक्सचेंज ने सूचीबद्ध करार को संशोधन और यह निश्चित करने के लिए एक सूचीकृत कम्पनी प्रस्तावित दस्तावेजों और आंकड़ों में अभिव्यक्त निधियों के वित्तीय अनुमानों तथा अनुमानित उपयोग के बीच विभिन्नताओं को दिखाते हुए स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी । यह शेयर धारकों को निष्पादन और वचनों के बीच तुलना करने के योग्य बनाएगी ।

* संस्थागत निवेशकों द्वारा स्टॉक-निवेश के प्रयोग को निरुत्साहित करने के लिए यह सुविधा पारस्परिक निधियों और वैकल्पिक निवेशकों के लिए प्रतिबंधित की गई ।

* सेबी ने उचित और सत्यपूर्ण अभिव्यक्त विषयों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इश्युओं के लिए विज्ञापन संहिता को शुरू किया ।

* निर्गमों को वैकल्पिक बनाए जाने द्वारा दायित्व लेते हुए निर्गम की लागत को कम किए जाने के लिए, इस शर्त के अधीन कि यदि निर्गम का दायित्व नहीं लिया गया और जनता को प्रस्तावित राशि का 90 प्रतिशत एकत्र किए जाने में समर्थ नहीं हुआ तो सारी एकत्रित की गई राशि निवेशकों को लौटानी होगी ।

* मान्यताप्राप्त निवेशक संघों सहित इसमें भागीदारी करते हुए निवेशकों की व्यथाओं के निवारण को प्रोत्साहित किया जाना है । यह त्रुटिपूर्ण कंपनियों के प्रति उपभोक्ता न्यायालयों में श्रेणीगत कार्रवाई मुकदमों को सूचीबद्ध करने में सहायक होगा ।

* लाभांश की भागीदारी के लिए व्यापक मार्गनिर्देशी सिद्धान्तों में छूट दी गई है ।

* सेबी ने शेयरों के मूल अर्जन को नियंत्रित करते हुए और शर्तों को शुरू तथा निर्धारित करते हुए विनियमनों को लागू किया जिसके अन्तर्गत स्पष्टीकरण और अनिवार्य सार्वजनिक प्रस्तावों को शेयर धारकों के लिए तैयार किया जाना है ।

* सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के नियंत्रण बोर्डों का पुर्नगठन किया, दलालों के लिए पूंजीगत पर्याप्तता मानदंडों को लागू किया और ग्राहक दलालों के बीच संबंधों को अधिक पारदर्शी, विशेषकर, ग्राहक और दलाल के खातों को अलग किए जाने के लिए नियम बनाए ।
* समूह "ख" संबंधी प्रतिभूतियों में संचालन के नवीकरण को प्रतिबंधित किया जिससे सात दिनों के अन्तर्गत कार्य संचालन का निपटान किया जा सके ।
* निजी पारस्परिक निधियों की अनुमति दी गई और अनेक निधियों का पहले ही गठन किया गया । सभी पारस्परिक निधियों को सार्वजनिक निर्गमों में फर्म आबंटन के लिए आवेदन किए जाने हेतु अनुमति दी गई ।
* भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सेबी के विनियमनकारी क्षेत्राधिकार में लाया गया ।
* सेबी द्वारा जारी पारस्परिक निधियों द्वारा विज्ञापन करने के लिए नए मार्गनिर्देशी सिद्धांत और सेबी द्वारा हटाए गए विज्ञापनों के पूर्व-पुनरीक्षण की आवश्यकता समझी गई ।
* पारस्परिक निधियों द्वारा निवेशों के क्षेत्र को प्रोन्नत करना, सार्वजनिक निर्गमों के उत्तरदायित्व के लिए पारस्परिक निधियों को अनुमति दी गई और मुद्रा बाजार साधनों के लिए मार्गनिर्देशी सिद्धान्तों में छूट दी गई ।
* भारत के काउन्टर एक्सचेंज (ओ.टी.सी.ई.एल.) और भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर राष्ट्रव्यापी स्टॉक व्यापार तथा इलैक्ट्रोनिकी से संबंधित वस्तुओं के प्रदर्शन के साथ निकासी और निपटान सम्बन्धी सुविधाओं के परिचालनों का आरंभ करना । चालू बाजार कीमतों से असम्बन्धित कीमतों पर शेयरों से संवितरण को तरजीह दी जाने वाली प्रणाली को समाप्त किया गया और सेबी द्वारा नए मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों को निर्गमित किया गया ।
* विदेशी संस्थागत निवेशकों को सेबी से पंजीकृत भारतीय पूंजीगत बाजारों के लिए सुलभता की अनुमति दी गई । 284 विदेशी संस्थागत निवेशकों को दिसम्बर के अन्त तक पंजीकृत किया गया ।
* "जम्बो" अंतरण विलेखों और स्टाम्प शुल्क के समेकित भुगतान को लागू किए जाने के माध्यम से घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों के आधार की प्रक्रियाओं को अंतरण के लिए उल्लेखनीय रूप से सरल बना दिया है ।
* भारतीय कंपनियों को यूरो इक्विटि शेयरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत बाजारों की सुलभता की अनुमति दी गई ।
* अप्रवासी भारतीयों के लिए निवेश मानदंडों को उदार बना दिया गया है, जिससे कि अप्रवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शेयर और डिबेंचर खरीद सकते हैं ।

102. संशोधनों में सेबी के बोर्ड सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में उस सदस्य के कम्पनी के निदेशक के रुप में नियुक्त रहते हुए विद्यमान उपबन्धों को निकाल दिए जाने की भी व्यवस्था है। इस संशोधन में सरकार को पूंजी बाजार के निपुण तथा अनुभवी निवेशकों की नियुक्ति करने की समर्थता होगी ।

103. सेबी को अनियमितताओं की जाच पड़ताल करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार में कार्यरत व्यक्तियों सहित सभी श्रेणियों के बाजार मध्यस्थों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने के अधिकार भी दिए गए हैं ।

सेबी को अब सभी मध्यस्थों और प्रतिभूतियों से संबन्धित बाजार के व्यक्तियों को निवेशकों की सुरक्षा के विचार से अथवा प्रतिभूतियों से संबन्धित बजार की क्रमिक घटना क्रम को प्राप्त करते हुए निदेश जारी करने के अधिकार प्राप्त होंगे ।

104. व्यापारिक विकल्प :

संशोधनों में स्टाक एक्सचेंज को अपनी उप विधियों में संशोधन करने के लिए छः महीनों से दो महीनों की समय सीमा को कम करने की सेबी द्वारा यथा निदेशित व्यवस्था की गई है और समय सीमा को कम करने की सेबी द्वारा यथानिदेशित व्यवस्था की गई है और सेबी की पूर्व स्वीकृति से अतिरिक्त व्यापार कार्यशाला स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रदान करना है। यह भी विशेष रुप से प्रदान किया गया है कि स्टाक एक्सचेंज की सूची में प्रविष्टि के लिए इच्छुक किसी निगम

को स्टाक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करारों में उल्लिखित उपबन्धों का अनुपालन , अधिनियम के अन्तर्गत सूचीबद्ध करारों के अतिक्रमण करने पर दण्डनीय होने के सहित, करना होगा।

प्राथमिक बाजार सुधार

105. भारत के प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने बाजार की लाभप्रद और दक्षता पूर्ण कार्यप्रणाली और पूंजीगत निर्गमों के लिए अनेकों मार्गनिर्देशी और विनियमनकारी उपाय शुरू किए हैं। फर्मों से उनके प्रस्तावित विवरणिका में जोखिम कारकों के बारे में विवय को स्पष्ट करने को और दर संबंधी ऋण साधन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। बढ़ती हुई पूंजी की लागत को कम करने के प्रयास किए गए हैं। व्यापारिक बैंकरों के पास प्रस्तावित दस्तावेज और निर्गम प्रक्रिया में दायित्व को एक बड़ी अवस्था है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गए है कि फर्मों द्वारा निरन्तर स्पष्टीकरण दिए जाएं जिससे वचनों और निष्पादनों के बीच तुलना करने के लिए शेयर धारक समर्थ होंगे। न्यूनतम आवेदन की संख्या को बढ़ाया गया और अनिवार्य संग्रह केन्द्रों की संख्या में कमी की गई। पारस्परिक निधियों की तरह फर्म आबंटन से संस्थानों के लिए अनुमत किए गए प्रत्येक निर्गम के अनुपात को बढ़ाया गया है, उन दायित्वों को छोड़कर जिन्हें अब से अनेक शर्तों के अधीन आवश्यक रूप से वैकल्पिक बनाया गया है।

गौण बाजार सुधार

106. वर्ष 1992 से, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में दशकों पुरानी व्यापार प्रणाली की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। दो विस्तृत क्षेत्रों में मुख्य कमियों का पता लगाया गया है: (i) स्टॉक एक्सचेंजों में निकासी और निपटान प्रणाली जिसके द्वारा विक्रेता शेयरों का वितरण तथा क्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है, और (ii) कम्पनी द्वारा क्रेताओं के नाम में शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रियाएं। अतिरिक्त पत्र संबंधी कार्य, कार्य संचालन के निपटान संबंधी विलम्बन, और लागतों में गैर-पारदर्शिता तथा कीमतें जिनसे उपभोक्ताओं के मांग संबंधी आदेश निष्पादित किए जाते हैं, इनके परिणामस्वरूप चालू प्रक्रियाएं प्रवर्तन में है। सरकार और सेबी द्वारा जमा राशियों की व्यवस्था के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। प्रति भूतियों के अवरुद्ध होने से यह पत्र संबंधी कार्य को समाप्त किए जाने में सहायक होगा और बाजारों की वृद्धि में प्रोत्साहन बढ़ाएगा। (सुधारों के उपाय के सारांश बॉक्स 3.7 में देखें)।

बदला प्रणाली

107. स्टाक बाजार में "बदला" के प्रचलन की पहचान बहुधा सट्टा संबंधी क्रियाकलाप को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में की गई थी। लेन-देन के लिए स्पष्ट नियमों की स्थापना की प्रक्रिया के भाग के रूप में, सेबी ने दिसम्बर, 1993 में "बदला" प्रणाली बन्द कर दी। 13 दिसम्बर, 1993 को सेबी ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद स्थित स्टाक एक्सचेंजों को यह लागू करने का निदेश दिया कि प्रतिभूतियों में सभी प्रकार के कारोबार का समापन सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा हो तथा लेन-देनों के किसी तरह के अग्रेनीत किए जाने (कैरी फारवर्ड) की अनुमति न दी जाए। इसके अतिरिक्त, उनसे यह भी कहा गया कि वे सदस्यों को निदेश दें कि वे अपनी अग्रेनीत स्थितियों का एक चरणबद्ध ढंग से नकदीकरण करें। यह भारी सट्टात्मक स्थितियों के निर्माण के संदर्भ में बाजार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया।

108. 11 मार्च, 1994 को सेबी ने इन एक्सचेंजों में पारदर्शिता की संरचना और प्रभावकारी विनियमन के तहत विशिष्ट शेयरों में अग्रेनीत करने की सुविधा की अनुमति प्रदान करने का निश्चय किया। सेबी द्वारा प्रस्तावित नई व्यापार प्रणाली में यह व्यवस्था थी कि सभी स्टाक दलालों को एक भुगतान अवधि की समाप्ति पर उन्हें अपनी निवल स्थितियों का भुगतान एवं निपटारा करना होगा। तथापि, स्टाक एक्सचेंजों को अग्रेनीत सुविधायुक्त इस नई व्यापार प्रणाली की शुरूआत तभी करनी थी जब वे सेबी को इस बात से सन्तुष्ट कर देते कि वे इस प्रणाली को यथा प्रस्तावित अनुसार लागू करने की स्थिति में थे।

109. प्रमुख स्टाक एक्सचेंज सेबी द्वारा प्रतिपादित अनुसार विशिष्ट शेयरों में नई व्यापार प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना नहीं कर सके, अतः विशिष्ट वर्ग के शेयरों में लेन-देन सौदों के अग्रेनीत किए बगैर ही चल रहा है। तदनुसार प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों में सौदेबाजी सुपुर्दगी और भुगतान द्वारा अभिलक्षित निपटारे की एक प्रणाली की ओर अग्रसर हुई। व्यापार के प्रतिमान में ऐसे बदलाव ने प्रतिभूतियों में रोकड़ बाजार को मजबूती प्रदान की। अदायगी की अवधियां कम कर दी गई हैं तथा सुपुर्दगी आधार पर अदायगी का प्रयास किया गया है। 'ख' समूह की प्रतिभूतियों के नवीकरण (अदायगी का आस्थगन या स्क्रिप की सुपुर्दगी) निषिद्ध कर दिए गए हैं। तथापि, बहुत-से स्टाक एक्सचेंजों ने लेखांकन अवधि घटाकर 14 से 7 दिन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसके लिए दिए गए कारणों में प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं तथा बाहरी ग्राहकों से शेयरों/भुगतान की प्राप्ति में विलम्ब हैं।

110. सेबी द्वारा परम्परागत "बदला" प्रणाली पर रोक लगाये जाने की कुछ जगहों पर इस आधार पर आलोचना की गई है कि इसने बाजार में नकदीकरण और व्यापार के परिमाण पर बुरा असर डाला है। सेबी और सरकार दोनों ही इस तर्क से अवगत हैं तथा मानते हैं कि स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार अधिकांश तौर पर बाजार की सुरक्षा के पारदर्शिता तथा निवेशक-सुरक्षा के सिद्धान्तों द्वारा संचालित होना चाहिए। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (एस.सी.आर.)

अधिनियम, 1956, जो एस.सी.आर. अधिनियम की धारा 20 का विलोप करती है, में संशोधन करने के लिए 25 जनवरी, 1995 को एक अध्यादेश जारी किया गया। इसके अन्तर्गत विकल्पों के निषेध का उल्लेख भी शामिल है तथा परिणामस्वरुप विकल्पों के व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। जिससे बाजार में नकदीकरण में वृद्धि होगी।

न्यासी-विधान

111. देश के स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों में सौदे के निपटारे के अन्तर्गत विधिवत भरे हुए अन्तरण पत्रों सहित स्क्रिप की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी शामिल होती है। हाल के वर्षों में स्टाक-एक्सचैंजों में व्यापार के परिमाण में महत्वपूर्ण अभिवृद्धि से सौदों के निपटारे की परम्परागत प्रणाली पुरानी पड़ गई है तथा यह आवश्यक हो गया है कि इसकी जगह एक नई और आधुनिक न्यासी प्रणाली प्रतिस्थापित की जाए। इस नई प्रणाली से कागजी काम समाप्त हो जाएगा, प्रतिभूतियों के अन्तरण के इलैक्ट्रानिक पंजी-प्रविष्टि में सुविधा मिलेगी। प्रतिभूतियों में स्वचालित एवं पारदर्शी स्क्रीन पर आधारित व्यापार की अनुमति मिलेगी, अदायगी-अवधियां कम करने की अनुमति होगी तथा प्रतिभूतियों में निवेश में नकदीकरण में सुधार होगा। आगारों की स्थापना के लिए आवश्यक कानून सम्मुख लाने पर कार्य इस समय प्रगति के चरण पर है।

भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचैंज

112. गौण बाजार की कई समस्याओं का पूरी तरह समाधान स्क्रिप रहित व्यापार की शुरुआत करने तथा आगारों में स्क्रिपों की मोजूदगी समाप्त करने के द्वारा ही हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की स्थापना के साथ एक शुरुआत कर दी गई है। यद्यपि इसका औपचारिक घाटन जुलाई 1994 में किया गया, भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ने थोक ऋण बाजार में कार्य की शुरुआत जून, 1994 में की तथा पूंजी बाजार खंड में इक्विटी-व्यापार की शुरुआत नवम्बर, 1994 में की गई है। एन.एस.ई. के बहुत छोटे एपरचर टर्मिनल (वी.एस.ए.टी.) आधारित उपग्रह नैटवर्क के जरिए भारी सख्या में सदस्य अपने सबधित कार्यालयों सें सफलतापूर्वक व्यापार कर रहे हैं। एक्सचैंज ने बबई सहित 13 शहरों में सदस्यता की शुरुआत की है तथा उपग्रह नेटवर्क के प्रयोग द्वार जल्दी ही अन्य शहरों सें कार्यारभ होने की आशा है।

113. यह सुनिश्चित किये जाने के लिए कि व्यापारी सदस्य अच्छे पूंजीगत हैं और निवेशकों को अन्य व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है, राष्ट्रीय एक्सचेंज के रूप में इसने विस्तार केन्द्र से संबंधित पात्रता शिक्षा और अनुभव के संदर्भ में सदस्यता के लिए निष्पक्ष रूप से कठोर मापदंडों का गठन किया है। थोक ऋण बाजार (डब्लू डी एम) खण्ड (सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी हुंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित बंध पत्रों, जमा-प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्रों और नैगम डिबेन्चरों) में मुख्य प्रतिभागी बैंक, वित्तीय संस्थाएं और व्यापक स्तर के निगम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को दलालों के माध्यम से पूर्ववर्ती की गई ऋण प्रतिभूतियों में सभी संचालनों के लिए पार दर्शिता और विनियमन को सुकर बनाए जाने के लिए केवल राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग किये जाने (अनियंत्रित वायदा बाजार के स्थान पर) का निदेश दिया है। इससे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के मूलरूप से ऋण संबंधी व्यापार के परिमाण में वृद्धि हुई है।

114. पूंजीगत बाजार खंड में, अनेक प्रतिभूतियां दिसम्बर, 1994 तक व्यापार को 200 से शुरू करके 525 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। तब से व्यापार परिमाणों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। उनके बाजार पूंजी करण और व्यापार खण्ड के आधार पर चयनित 100 इक्विटी को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 100 अंतरिम सूचकांक नवम्बर, 1994 में शुरू किया गया। न्यास की अनुपस्थिति में लेखा अवधि और आर्वतन निपटान बुधवार से मंगलवार तक चालित राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा परिचालित किया जाता है। निपटान और कम किये गए पत्र प्रवाहों को मुख्य धारा में लाए जाने के उद्देश्य से विस्तार केन्द्र और आबंटन के साथ अन्तरिम और परस्पर—अभिरक्षात्मक निपटारे को बढ़ाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विलम्बित निपटान के लिए अधिशेषित की गई कठोर शास्तियों का परिणाम नकद राशि या डूबी हुई अल्पकालिक वितरण के न्यून समानुपात सहित नकद और प्रतिभूतियों का उपयुक्त समय पर निपटान और वितरण है। भारत के काउन्टर एक्सचेंज से अधिक (ओ० टी० सी० ई०आई० (1992) ने भी लघु स्तरीय फर्मों के सापेक्षिक स्टॉकों के लिए इलैक्ट्रोनिक व्यापार प्रणाली को शुरू किया है और यह दिसम्बर, 1994 में 45 मिलियन रुपये से अधिक की मासिक आय पर पहुंच गया था।

स्टाक एक्सचेंज

115. राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के क्रियाकलाप को निवेश करने वाली जनता को दक्षतापूर्ण और पारदर्शी सेवाए उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में समीक्षा की आवश्यकता है, न कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज या देश में किन्हीं अन्य एक्सचेंजों को कमजोर करने का प्रयत्न है। वास्तव में राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के सचालनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदर्शन आधारित व्यापार शुरू करने के लिए बम्बई स्टाक एक्सचेंज आन लाईन ट्रेडिंग (बी.ओ.एल.टी.) प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रेरक के रूप में काम करेगा। बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने देश भर में निवेशकों को बेहतर सेवाए उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्टाक बाजार प्रणाली (एन.एस.एम.एस.) स्थापित करने की शुरुआत की है। आखिरकार, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

सारणी 3.15

जारी किए गए निर्गमों का विश्लेषण

(रुपए करोड़ों में)

स्वरूप	1992-93		1993-94		1993 अप्रैल-दिसम्बर		1994 अप्रैल-दिसम्बर	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वत्व	488	6000.8	370	8922.6	287	6479.7	219	4140.0
सार्वजनिक	546	10748.3	773	13059.8	466	9795.9	813	7241.4
कुल	1034	16749.1	1143	21982.4	753	16275.6	1032	11381.4

तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों को विनिमय सबंधी लागतों को कम करने तथा निवेशकों को उचित सेवाए मुहैया कराने में होड़ करनी चाहिए।

116. व्यक्ति विशेष से संस्थागत निवेशकों में परिवर्तन से कुछ समस्यायें उत्पन्न होते हुए गौण बाजार में अन्य आयाम जुड़े। व्यापार और अप्रचलित प्रणालियों को परिमाण देते हुए, विदेशी संस्थागत निवेशकों के अभिरक्षकों के लिये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बी० एस० ई०) में संविदा पत्रों के उपरान्त कार्य को पूरा करने में असमर्थ थे। इसलिये, बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने उच्च मूल्य वर्ग के शेयर प्रमाण पत्रों की नई प्रणाली और संस्थागत तथा फुटकर बाजार के बीच अर्न्तबिन्दु को कम करने के लिए निपटान प्रक्रिया में प्रयोग किये गये साफ्टवेयर के परिवर्तन को प्रस्तावित किया।

117. सेबी बम्बई स्टाक एक्सचेंज सहित निरन्तर बाजार का अनवीक्षण करता है। वर्ष 1993-94 के दौरान अनेक उपायों के माध्यम से भागीदारों के हितों को सुरक्षित किया गया। इनमें शामिल, हैं (क) खरीद के साथ-साथ बिक्री दोनों पर दैनिक उपातों को अधिरोपित करना; (ख) विशेषकृत शेयरों में कार्य सीमित करना; (ग) वितरण आधार पर प्रतिबन्धित होते हुए कार्य संचालन सहित सट्टा बाजारों को व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना; (घ) वितरण आधार पर भी खरीद और बिक्री का विनियमन, (ङ) एक समझौते पर अग्रेनीत किया गया बकाया व्यवसाय का ठेका; (च) व्यापार कार्य की अवधि के अतिरिक्त फुटकर व्यापार (पटल पर) पर प्रतिबन्ध लगाना; और (छ) परिपथ अवरोधकों का प्रयोग।

प्राथमिक बाजार सबंधी घटनाक्रम

118. अनुमोदित प्रवर्तनों के माध्यम से कुल पूंजी में हुई वृद्धि सहित अनेक निर्गमों के परिप्रेक्ष्य में प्रारभिक बाजार गतिविधि ने गत दो वर्षों में निरन्तर सुधार दर्शाया है। वर्ष 1993-94 में कुल 1143 निर्गम शुरू किए गए जो

चित्र 3.2 शेयर मूल्यों का बी०एस०ई० सेनसेक्स

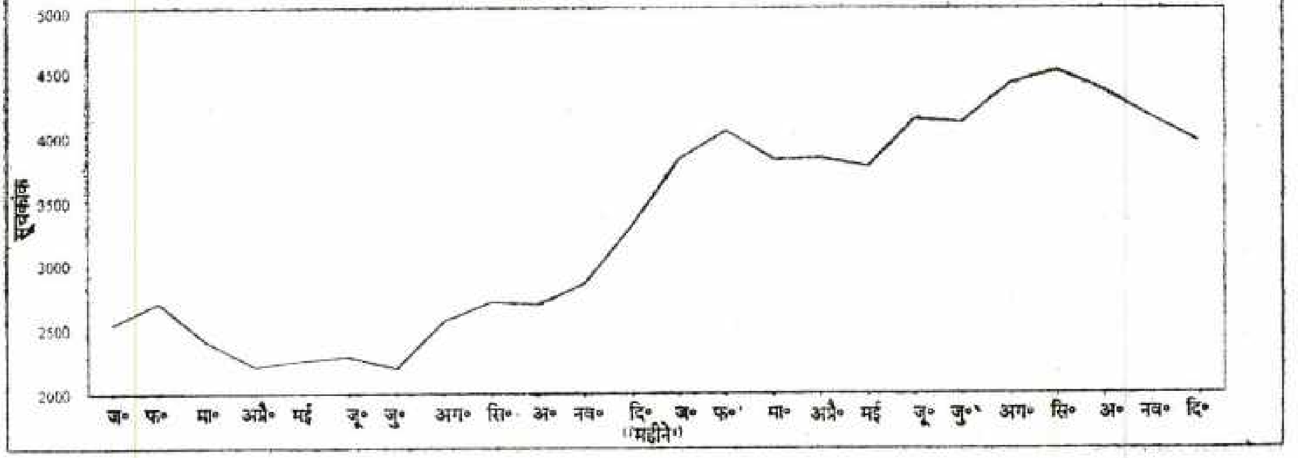

वर्ष 1992-93 के दौरान की तुलना में 10.5 प्रतिशत अधिक थे। वर्ष 1993-94 में जुटायी गई कुल पूंजी 1992-93 में 31.24 प्रतिशत (सेबी द्वारा अनुमोदित प्रवर्तनों के अनुसार) अधिक थी। स्वत्व निर्गमों के लिए यह वृद्धि 48.7 प्रतिशत और सार्वजनकि निर्गमों के लिए 21 प्रतिशत थी। कुल प्रवर्तनों में 21982.4 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। सार्वजनकि निर्गमों का औसत आकार 18 करोड़ रुपए (1993-94 में 24 करोड़ रुपए) और स्वत्व निर्गमों के लिए 9 करोड़ रुपए (वर्ष 1993-94 में 17 करोड़ रुपए) था।

119. अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान कुल 1032 सार्वजनकि और स्वत्व निर्गम शुरू किए और 11381.45 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की। 813 सार्वजनिक निर्गमों में इकट्ठी की गई राशि 7241.4 करोड़ रुपए और 219 स्वत्व निर्गमों में 4140.05 करोड़ रुपए जुटाए गए। अप्रैल-दिसम्बर, 1993 केदौरान सार्वजनिक निर्गमों में 9795.98 करोड़ रुपए और स्वत्व निर्गमों में 6479.75 करोड़ रुपए (सारणी–3.15) की राशि जुटाई गई थी।

गौण बाजार संबंधी घटनाक्रम

120. बम्बई स्टाक एक्सचेंज संवेदनशील अंक के इक्विटी मूल्यों (1978-79 – 100) में नवम्बर 1993 में वृद्धि होने लगी थी और यह नवम्बर 1993 के 2622 की तुलना में 24 दिसम्बर, 1993 को 3346 पर स्थिर रही। सूचकांक में वृद्धि का रूख जनवरी और फरवरी, 1994 में जारी रहा और फरवरी, 1994 में यह सूचकांक 4286 के स्तर पर पहुंच गया। बाद में सूचकांक मार्च से मई, 1994 के दौरान सामान्यतः गिरा। जून, 1994 में सूचकांक ने बढ़ना शुरू किया और सितम्बर, 1994 के दौरान 4630 के शीर्ष पर पहुंच गया। उसके बाद सूचकांक ने सामान्यतः गिरावट का रूख दिखलाया और यह 24 जनवरी 1995 को 3411 तक गिर गई। गिरावट का यह रूख संभवतः 26 जनवरी, 1995 को पलट गया और 31 31 जनवरी, 1995 को सूचकांक 3618 पर (आकृति 3.2 और सारणी 3.16) बंद हुआ।

121. शेयरों के मूल्यों को घटबढ़ को सेबी और सरकार द्वारा नजदीक से मानीटर किया गया। निगमित वित्तीय परिणाम, निवेशकों की अपेक्षाओं, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, सेबी द्वारा शुरू किए गए अन्य व्यापारिक सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा पारस्परिक निधियों जैसे विभिन्न तथ्यों ने शेयर अमूल्य और उनके सूचकांक की घटबढ़ को प्रभावित किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों का व्यवहार भी विश्व पूंजी और मुद्रा बाजारों के साथ-साथ विकसित देशों (विशेषतया अमरीका में बढ़ती हुई ब्याज की दरों के प्रभाव से निधियां इक्विटी से बांड जारी की तरफ जा रही है) में घरेलू विभाग परिवर्तनों सहित अन्य उभरते हुए बाजार और विश्व पूंजी की स्थितियों तथा मुद्रा बाजार के व्यवहार पर भी अनिश्चित होता है।

122. कुल बिक्री अनुपात (बाजार पूंजीकरण के लिए कुल बिक्री के अनुपात के अनुसार परिभाषित) नीचे दर्शायी गई उभरती अर्थ-व्यवस्था की तुलना में न केवल बहुत कम है, बल्कि इस की अन्तः अल्पकालिक घट-बढ़ भी उत्साहवर्धक नहीं हैं। इस अनुपात में वर्ष 1989-90 के दौरान 57.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से वर्ष 1990-91 के दौरान 47.8 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 1991-92 में 23.4 प्रतिशत से वर्ष 1992-93 में 24.3 प्रतिशत की एक-दम से गिरावट आई। वर्ष 1994-95 के दौरान कुछ प्रत्यावर्तन है और पूंजीगत बाजार सुधारों का सकारात्मक प्रभाव की ओर संकेत करते हुए प्रवृत्ति और अधिक उत्साही रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

123. दिसम्बर, 1993 के अन्त तक बम्बई स्टांक एक्सचेंज में सूचित कम्पनियों की संख्या 3585 थी। यह नौ उभरते बाजारों (मलेशिया, द० अफ्रीका, मैक्सिको, ताइवान, कोरिया, थाइलैण्ड, ब्राजील, चिल्ली, और अर्जेन्टाइना) में सूचित कम्पनियों के सकल योग से अधिक था। सूचित कम्पनियों की संख्या जापान, यू० के० (इंग्लैण्ड), जर्मनी, फ्रान्स, हांगकांग, कनाडा, आस्ट्रेलिया और नीदरलैण्ड जैसे विकसित देशों के बाजारों से भी व्यापक थी। बम्बई स्टॉक बाजार का कुल बिक्री अनुपात (23 प्रतिशत) भी चिल्ली (6.3 प्रतिशत) और दक्षिणी अफ्रिका (6 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। फिर भी, यह उन सात अन्य उभरते हुए बाजारों जैसे थाईलैण्ड (66.6 प्रतिशत), मलेशिया (69.7 प्रतिशत), ताइवान (177.5 प्रतिशत) और कोरिया (151.9 प्रतिशत) से कम था।

पारस्परिक निधियां

124. वर्ष 1994-95 में पूंजीगत बाजार सुधारों का एक संघटक वैयक्ति से संस्थागत निवेशक के केन्द्र में बदला जाता रहा है। पारस्परिक निधियाँ जैसे संस्थागत निवेशक विकसित देशों में पूंजीगत बाजार के अत्यधिक महत्वपूर्ण संघटक का गठन करते हैं। इन्हें सामान्य नियामक संरचना के अन्तर्गत लाया गया है और इससे उपभोक्ताओं के हितों की अच्छी सुरक्षा के लिए स्पष्ट अभिव्यक्ति के मानकों को इकत्रित किये जाने में सहायता मिली है।

125. भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित पंजीकृत पारस्परिक निधियों की कुल संख्या 21 है। सभी पारस्परिक निधियों के अन्तर्गत 155 स्कीमों के माध्यम से इन निधियों के 81 प्रतिशत के भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लेखे सहित कुल निधियां लगभग 64820 करोड़ रुपए है। अब तक शुरू की गई 28 स्कीमों में गैर-भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पारस्परिक निधियों से 3,109 करोड़ रुपए जुटाए गए। निजी पारस्परिक निधि निधियों में 16 स्कीमों के माध्यम से 2,147 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरुप, निवेशक विभिन्न

सारणी—3.16

चुने हुए स्टाक बाजार सूचकों के रुख

सूचक	1993		1994	
	अप्रैल—दिसम्बर		अप्रैल—दिसम्बर	
1	2	3	4	5
(क) सूचकांक				
(1) सेन्सैक्स	2205.37	3301.85	3824.75	3949.78
(2) राष्ट्रीय सूचकांक	993.63	1589.25	1855.81	1876.13
(ख) कीमत @ उपार्जन अनुपात (पी! ई.)				
(1) सेन्सैक्स 2	27.19	40.02	46.43	34.50
(2) राष्ट्रीय सूचकांक 3	24.98	40.28	46.45	38.58
(ग) औसत दैनिक आय करोड़ रुपये)				
(ग) औसत दैनिक आय करोड़ रुपये)	173	438	196	423
(घ) पूंजीकरण बाजार करोड़ रुपये)	175093	305000	364868	400000

1. अनन्तिम जैसे कि महीने के अन्त में थी।

2. बम्बई स्टाक एक्सचेन्ज सेनसैक्स की 30 स्क्रिप से सम्बन्धित मासिक औसत

3. बम्बई स्टाक एक्सचेन्ज राष्ट्रीय सूचकांक की 1000 स्क्रिप से सम्बन्धित मासिक औसत।

4. शेयरों के दोनों समूह (क+ख) का लगभग औस त।

परिपक्वता अवधियों और विभिन्न जोखिम-आय सम्बन्धी व्यापार-भिन्न प्रस्तावित स्कीमों का चयन किए जाने में समर्थ रहे हैं। विदेशी परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियों ने भी घरेलू परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियों के संयुक्त उद्यम स्वरूप गठन किए जाने से पारस्परिक निधियों के क्षेत्र में प्रवेश किया है।

126. सेबी विनियामकों की पचास प्रतिशत स्वतन्त्र निदेशकों सहित परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियों का गठन करने के लिए पारस्परिक निधियों की आवश्यकता होती है न्यासों के अलग मण्डलों या न्यासी कम्पनियां, जिनमें स्वतन्त्र न्यासियों का कम से कम पचास प्रतिशत और स्वतन्त्र अभिरक्षकों की नियुक्ति की भी आवश्यकता होती है। यह न्यासियों, निधि प्रबन्धकों और अभिरक्षकों के बीच संरक्षा दूरी की सुनिश्चितता बनाए जाने के लिए है। स्कीमों के शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित दस्तावेजों को सेबी द्वारा पुनिरीक्षित किए जाने की आवश्यकता समझी जाती है। पारस्परिक निधि विवरण पत्रों के लिए एक मानक प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। पारस्परिक निधियों के साथ विज्ञापन संहिता जोड़े जाने की आवश्यकता समझी गई है। पारस्परिक निधि स्कीमों के प्राक्कलन और निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एन०ए०वी०एस०) को घोषित किए जाने के लिए एक प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। यह पारदर्शिता को लागू करेगी, सूचना निधि के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किए

सारणी 3.17

यूरो इश्यू और अन्तः प्रवाह की राशि
(अमेरिकी मिलियन डालर)

अवधि	जारी निर्गम (जुटाई गई पूंजी)			अन्तः प्रवाह की राशि		
	जी०डी० आर०	एफ०सी० सी०बी० 1	कुल	जी०डी० आर०	एफ०सी० सी०बी०	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	240.52		240.52	85.85[2]	--	85.82
1993-94	1522.44	995.50	2517.94	1462.93	913.94[2]	2376.87
1994-95[2]	1852.87	102.51	1955.38	1742.03	92.60	1834.63
कुल	3615.83	1098.01	4713.84	3290.78	1006.54	4297.32

1. स्विस फ्रैंक एफ. सी. सी! बी. के 20 मिलियन एस. एफ. सहित और 19.57 मिलियन एस. एफ. के अन्तः प्रवाह के तदनुरूपी

2. जनवरी 1995 तक

जाने के लिए अनुमत करेगी । पारस्परिक निधियों को अपनी निवेशन गतिविधि के एक भाग के रूप में निर्गम जारी किए जाने के दायित्व के लिए भी अनुमत किया है । पारस्परिक निधियों के नियमित अनुवीक्षण की नियमनों सहित अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए सेबी द्वारा वचनबद्ध किया गया है ।

विदेशी संस्थागत निवेशक

127. वर्ष 1993 में साक्ष्यांकित भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के हित वर्ष 1994 में निरन्तर जारी रहे । पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या में जनवरी, 1993 में 0.2 मिलियन अमेरिकी डालर के संचित निवल निवेश सहित 10 से बढ़कर जनवरी, 1994 में 1231.3 मिलियन अमेरिकी डालर के संचित निवेशन सहित 136 की वृद्धि हुई । वर्ष 1994 के दौरान यह वृद्धि जारी रही । पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या दिसम्बर 1994 के अन्त तक 3 बिलियन अमेरिकी डालर के संचित निवेश सहित 281 थी । अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान, नई 123 विदेशी संस्थागत निवेशन पंजीकृत किए गए और उन के द्वारा 1201.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेशन किया गया । भारत में निवेशन के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शुरू की गई समर्पित निधि दिसम्बर 1994 तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की 36 प्रतिशत हैं । इस मार्ग के माध्यम से 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निवेशित की गई है । यद्यपि नीति सम्बन्धी सुधारों और विदेशों में कम ब्याज दरों द्वारा अनुप्रेरित विदेशी संस्थागत सम्बन्धी अन्तः प्रवाहों में परिमाण सम्बन्धी उछाल को, संस्थागत परिवर्तनों सहित प्रक्रियात्मक सरलीकरणों द्वारा सुकर किया गया है । इन में आवेदन-पत्रों का सरलीकरण, और अभिरक्षकों के लिए परिचालनात्मक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया । अभिरक्षकों सम्बन्धी सेवाओं का गठन किए जाने के लिए नवीन संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया है । विदेशी संस्थागत निवेशन को बहुविध नकद लेखों और अपने प्रत्येक उप-लेखों को खोलने के लिए अनुमत किया गया । प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन, करके सरकार ने संयुक्त उद्यम स्टॉक ब्रोकिंग कम्पनियों में गैर-भारतीय नागरिकों को अपने निदेशक मण्डलों में रखे जाने की अनुमति दी ।

विश्वव्यापी निक्षेपागार प्राप्तियां (जी.डी.आरएस)

128. वर्ष 1992 से, भारतीय कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीगत बाजारों की सुलभता के लिए अनुमत किया गया । जनवरी, 1995 तक, भारतीय कम्पनियों ने विश्व-व्यापी निक्षेपागार प्राप्ति निर्गमों के माध्यम से 3.616 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि और यूरो परिवर्तनीय बन्धपत्रों के माध्यम से 1.098 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई थी । सारणी 3.17 में गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बन्धपत्रों के साथ-साथ विश्व-व्यापी निक्षेपागार आंकड़ों को दर्शाती है ।

नीति संबंधी दिशा निर्देशी सिद्धांत

129. मई, 1994 के बाद अनुभव के आधार पर, जब यूरो इश्यूओं के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धांतों को जारी किया गया, इन मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों में आगामी आशोधन अक्टूबर, 1994 में किए गए । व्यवस्था जो कि यूरो इश्यू की प्राप्त आयों को स्थायी इश्यू की निकाली गई तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत संस्वीकृत लक्ष्य के उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए समाप्त कर दी गई है । इसके स्थान पर, निर्गमन करने वाली कम्पनियों को यूरो इश्यू से प्राप्त की गई आयों को विदेश में प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए आवश्यक रूप से सुरक्षित रखे जाने की अपेक्षा होगी जिससे जिस सीमा तक और जब भी संस्वीकृत लक्ष्य के प्रयोग के लिए (सामान्य नैगम आधारिक संरचना के लिए 15 प्रतिशत तक सुनिश्चित किए जाने सहित) व्यय को उपगत किया जा सके । स्रोतों के बीच अभिप्रेरित करते हुए यह परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डार का निरन्तर संचय था और नये निवेशन के लिए एक दीर्घकालिक अवधि थी ।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट

130. प्रतिभूतियों और बैंकिंग संचालनों में अनियमितताओं को नियन्त्रित किए जाने की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की जांच की गई और 26 जुलाई, 1994 को संसद में टिप्पणियों/निष्कर्षों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई (ए०टी०आर०) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । परिणामस्वरूप, संसद में विभिन्न विपक्षी दलों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के प्रकाश में की गई कार्रवाई रिपोर्ट में शामिल 273 मदों के 147 के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफों को भी दिसम्बर, 28 1994 को संसद में प्रस्तुत किया गया ।

बीमा क्षेत्र

131. आर्थिक-समीक्षा 1993-94 में, अप्रैल, 1993 में बीमा सुधार समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था।

इस का उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा निगम (एल० आई०सी०), भारतीय साधारण बीमा निगम (जी०आई०सी०) और इस की चार सहायक कम्पनियों की कार्यशीलता का अध्ययन करना तथा बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें करना था । वित्त सचिव के साथ बीमा उद्योग के मुख्य कार्यकारियों, भारतीय जीवन बीमा निगम/भारतीय साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों और उपभोक्ताओं/परिपृच्छसदस्यों/प्रेस द्वारा आयोजित परामर्शदात्री बैठकों की श्रृंखला में विशेष रूप से, (एल०आई०सी० तथा जी०आई०

सी० दोनों सहित) बीमा उद्योग के निजीकरण के लिए आवश्यकता सहित समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। इस से सुधार की दिशा तथा मानदण्डों पर व्यापक सहमति के मूल्यांकन को मुकर किया गया। इस विषय पर वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में, इस विषय पर हुई विशेष बैठक, में विस्तार से, विचार-विमर्श भी किया गया।

132. उपरोक्त विचार-विमर्शों पर आधारित, समिति की सिफारिशों पर सरकार के विचारों को सुनिश्चित स्वरूप दिया गया है और उद्योग में निजी बीमा कम्पनियों के प्रवेश को अनुमति दिए जाने सहित प्रमुख नीति परिवर्तनों पर निर्णय तैयार किए जाने की अग्रिम अवस्था में है।

दृष्टिकोण

133. वर्ष के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू किए जाने पर "बजट" या "मौद्रीकृत" घाटे के माध्यम से राज-कोषीय घाटे और मौद्रिक वृद्धि को अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। इससे सरकार की मौद्रिक नीति स्वतन्त्र बनेगी। और इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक पर अधिक दायित्व निर्वहन किये जाएंगे। इसलिए वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय बैंक के बीच परस्पर कार्यवाही को, जैसा कि विकसित देशों में प्रणाली व्यवहार में लायी जाती है, मुद्रा-स्फीति नियन्त्रण तथा उत्पादन के अभिवृद्धि द्विलक्ष्यों में सन्तुलन बनाए रखे जाने के विचार सहित मुद्रा आपूर्ति की लक्ष्य वृद्धि पर केन्द्रित किया जाएगा।

134. वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय बैंक के बीच बदलते सम्बन्धों का अन्य आयाम "बाजार से उधार राशि कार्यक्रम" है। पूर्ववर्ती वर्षों में सांविधिक नकदी अनुपात बैंकों से केन्द्र द्वारा अनिवार्य उधार राशियों का एक स्रोत था। इस परिप्रेक्ष्य में बाजार से उधार राशि कार्यक्रम "मौद्रिकृत घाटे" का ऋण प्रतिस्थानी था। ब्याज की बाजार दरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तविक रूप में पूरा परिवर्तन वित्तीय बाजार पर (जबकि यह स्वयम् में जोखिम रहित है।) केन्द्रीय सरकार का किसी अन्य ऋणों के समान बदलना है। भारतीय रिजर्व बैंक का लोक ऋण कार्यालय (पी० डी०ओ०) केन्द्रीय सरकार का केवल ऋण/वित्तीय प्रबन्धक है, अनेक देशों में वित्त मंत्रालयों के "कोष विभागों" द्वारा निष्पादित किया जाने वाला कार्य है। इस परिवर्तित सन्दर्भ में केवल राज्य सरकार ऋण, जो अब भी बाजार दरों से कम निर्गमित किया जाता है, सांविधिक नकदी अनुपात से मूल सम्बन्ध रखती है। सांविधिक नकदी अनुपात पूरी तरह से अनावश्यक बन जाएगा जब राज्य ऋणों को भी बाजार दरों पर जुटाया जाता है। इन परिवर्तनों में पुनर्मूल्यांकन और "बाजार ऋण राशि कार्यक्रम" की पूरी व्यवस्था में सुधार तथा केन्द्रीय सरकार ऋण निर्गमन व प्रबन्धन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

135. भारतीय रिजर्व बैंक सहित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार का संचयन नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में कुछ स्तर तक मन्द हुआ है। यदि यह मन्दी निरन्तर जारी रहती है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि को नियन्त्रित किए जाने का कार्य और भी अधिक सरल हो जाएगा। फिर भी, यदि प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि पूर्ववर्ती स्तरों पर प्रत्यावर्त होती है, अन्तः प्रवाह को नियन्त्रित किए जाने के लिए खुले बाजार परिचालन अपने उचित मूल्य प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा मौद्रिक नीति कार्रवाई की प्रमुख विशेषता बनेंगे।

अध्याय 4

कीमतें और संवितरण

जनवरी, 1994 से कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति, जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 9 प्रतिशत जा पहुंची, बीते अप्रेल, 1994 तक वार्षिक मुद्रास्फीति दर 12 प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुंचने के साथ 1994-95 की पहली तिमाही में जारी रही। पहली तिमाही अप्रैल-जून में प्राथमिक वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों में भी अपेक्षाकृत उच्चतर मूल्य बृद्धि दर्ज की गई। तत्पश्चात्, कीमतों की अभिवृद्धि में सुस्पष्ट मंदी आई और वार्षिक मुद्रास्फीति दर (अंतिम) अक्टूबर, 1994 के प्रथम सप्ताह में घटकर 8.4 प्रतिशत पर आ गई। तथापि, मध्य अक्टूबर से मुख्यतः विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों तथा मध्यस्थ उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण फिर कुछ चढ़ाव का रुख आया। फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह तक मुद्रास्फीति की 11.4 प्रतिशत की अनन्तिम दर, अंतिम दर के 12 प्रतिशत स्तर के तथापि नजदीक होने का सूचक है। जबकि आपूर्ति पक्ष के कारक इस वर्ष भारी तौर पर अनुकूल रहे हैं (सिवाय संक्षिप्त रूप से चीनी के मामले में और बाद में खाद्य तेलों और रूई के मामले में), अक्टूबर, 1994 से नई स्फीतिकारी अंतः प्रवाह का कारण मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षाकृत उच्चतर अभिवृद्धि मानी जा सकती है जो अप्रैल-दिसम्बर के दौरान पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि में 13 प्रतिशत के विपरीत 20 प्रतिशत के वार्षिक दर पर हो गई।

2. नये स्फीतिकारी दबाव 1993-94 की अंतिम तिमाही में देखे गये जब मुद्रास्फीति दर जनवरी, 1994 में 9.1 प्रतिशत से मार्च, 1994 में 10.5 प्रतिशत पहुंच गई, कायम रही और चालू बित्त वर्ष में 1994-95 की पहली तिमाही में 12 प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुंच कर बिखर गई और इस प्रकार 1993-94 की अंतिम तिमाही में चीनी, चावल, गेहूं, पेट्रोलियम और अन्य ऊर्जा निवेशों के संबंध में लागू मूल्य संशोधनों के प्रभाव को पुनः प्रतिबिम्बित किया। उसके बाद ध्यानाकर्षणीय गिरावट आई और सितम्बर, 1994 के अन्त तक मुद्रास्फीति दर महत्वपूर्ण रूप से नीचे गिरी तथा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 8.4 प्रतिशत नीचे तक पहुंच गई। द्वितीय तिमाही की गिरावट प्रायः पूरे अक्टूबर भर जारी रही किन्तु जल्दी ही प्रतिवर्तित हुई और तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर), में वार्षिक मुद्रास्फीति दर (अनन्तिम) पुनः 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत की सीमा में आ गई। फरवरी, 1995 तक के अनन्तिम थोक मूल्य सूचकांक की चालू प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक मुद्रास्फीति दर 11 प्रतिशत के आस-पास हो सकती है।

थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति

3. देश की मुद्रास्फीति दर ज्यादातर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) द्वारा मापी जाती है। फुटकर मूल्य, उपभोक्ता श्रेणी के तीन समूहों अर्थात् औद्योगिक कर्मचारी, शहरी शारीरिक श्रम-भिन्न कर्मचारी तथा खेतिहर मजदूर परिवार के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई) की चाल के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। (देखें, बॉक्स 4.1)।

4. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर तीनों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला—थोक मूल्य सूचकांक के प्रायः आगे पीछे रही। जुलाई, 1993 में 4.5 प्रतिशत के निम्न स्तर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई० डब्ल्यू०) आधारित मुद्रास्फीति दर जनवरी, 1994 में 9.1 प्रतिशत हो गई (बिल्कुल थोक मूल्य सूचकांक की तरह) तथा सितम्बर, 1994 में 11.2 प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुंच गई किन्तु दिसम्बर, 1994 में 9.5 प्रतिशत पर आ गिरी। शहरी शारीरिक श्रम भिन्न कर्मचारियों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू० एन० एम० ई०) के मूल्यों के मामले में प्रतिमान थोड़ा भिन्न था, जहां मासिक मुद्रास्फीति दर अन्य सभी श्रृंखलाओं की अपेक्षा सुसंगत रूप से कम रही है। खेतिहर मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर उपलब्ध आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि जुलाई, 1994 में मुद्रास्फीति की चरम दर 13.4 प्रतिशत थी जो नवम्बर तक गिरकर 11.2 प्रतिशत हो गई। (सारणी 4.1)

सारणी 4.1

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें (बिन्दु–दर–बिन्दु)

(प्रतिशत)

वर्ष	आधार	थोक मूल्य सूचकांक 1981-82	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई. डब्ल्यू) 1982	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू. एन. एम. ई.) 1984-85	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ए० एल०) 1960-61
	1	2	3	4	5
1991-92	अप्रैल	11.6	12.2	12.6	14.7
	मई	11.8	12.1	11.8	13:7
	जून	12.2	13.0	12.3	15.4
	जुलाई	13.1	13.2	13.3	15.9
	अगस्त	16.1	14.2	15.1	18.3
	सितम्बर	16.3	15.7	15.7	23.1
	अक्तुबर	14.7	14.4	14.2	23.1
	नवम्बर	14.7	13.6	14.0	21.2
	दिसम्बर	14.3	13.1	13.3	21.7
	जनवरी	13.6	12.9	12.4	20.4
	फरवरी	12.9	13.4	13.0	20.6
	मार्च	13.6	13.9	13.6	21.9
1992-93	अप्रैल	13.8	14.4	13.5	22.6
	मई	13.8	14.7	14.0	23.9
	जून	13.0	12.9	13.2	21.9
	जुलाई	11.7	13.1	12.8	20.6
	अगस्त	9.4	11.5	10.9	19.0
	सितम्बर	9.6	10.0	10.9	14.1
	अक्तूबर	10.6	9.4	10.8	11.0
	नवम्बर	9.1	8.4	9.6	8.6
	दिसम्बर	8.5	8.0	9.6	5.9
	जनवरी	7.6	5.7	7.9	5.0
	फरवरी	7.6	5.7	7.3	1.9
	मार्च	7.1	6.1	6.8	0.7
1993-94	अप्रैल	6.9	6.1	6.7	—0.7
	मई	6.9	5.1	6.2	—1.9
	जून	7.0	5.9	6.6	—1.0
	जुलाई	7.3	4.5	5.4	—2.0
	अगस्त	8.0	5.8	5.9	—2.3
	सितम्बर	8.8	6.6	6.4	0.1
	अक्तूबर	8.5	7.4	6.3	3.2
	नवम्बर	8.6	8.6	7.3	6.5
	दिसम्बर	8.8	8.6	7.8	9.3
	जनवरी	9.1	9.1	7.8	9.4
	फरवरी	9.5	9.5	8.3	10.2
	मार्च	10.5	9.9	8.3	11.6
1994-95	अप्रैल	11.8	9.8	8.7	12.1
	मई	12.0	10.6	9.7	13.2
	जून	11.8	10.8	9.5	12.5
	जुलाई	11.6	11.1	9.9	13.4
	अगस्त	10.2	10.9	9.8	13.1
	सितम्बर	8.9	11.2	9.7	12.4
	अक्तूबर	8.9	10.3	10.1	11.6
	नवम्बर	9.8	9.8	9.1	11.2
	दिसम्बर	9.9[1]	9.5		
	जनवरी	11.1[1]			
	4फरवरी	11.4[1]			

[1]अनन्तिम

बॉक्स

मूल्य सूचकांक संख्याओं की संरचना

1981-82 आधार वर्ष के साथ थोक मूल्य सूचकांक की चालू श्रृंखलायें 447 वस्तुओं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, ईंधन और विद्युत क्षेत्र और विनिर्माणकारी क्षेत्र में व्यापार की जाने वाली सभी वस्तुएं शामिल हैं---की कीमतों में परिवर्तन प्रतिबिम्बित करती है। प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी कृषि खाद्य और खाद्य भिन्न उत्पाद तथा खनिज आते हैं। ईंधन, विद्युत और बिजली समूह में कोयला खनन, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। विनिर्मित समूह--जिसके अन्तर्गत सर्वाधिक संख्या (334) में वस्तुएं आती हैं में कृषि औद्योगिक खाद्य-उत्पाद, पेय, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, कपड़े लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, धातु भिन्न-खनिज उत्पाद, मूल धातुएं, मिश्र धातुएं तथा धातु उत्पाद, मशीनरी और मशीनी उपकरण, परिवहन उपकरण एवं पुर्जे तथा अन्य विविध विनिर्माणकारी उद्योग शामिल हैं।

फुटकर स्तर पर कीमतों में गति तीन भिन्न श्रृंखलाओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी शारीरिक श्रम-भिन्न कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा खेतिहर मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसकी संरचना नियमित रूप से क्रमशः आधार वर्ष 1982, 1984-85 तथा 1960-61 के साथ मासिक आधार पर की जाती है। संबंधित श्रृंखलाओं की वस्तुओं की टोकरी में खाद्य वस्तुएं, पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य, आवास, ईंधन, और बिजली, कपड़ा, बिस्तर तथा जूते-चप्पले तथा विविध रूप से समूहित कई सेवाएं, शामिल हैं। औद्योगिक कर्मचारियों की श्रृंखलाओं के अंतर्गत 260 वस्तुएं, शहरी शारीरिक श्रम-भिन्न कर्मचारियों की श्रृंखलाओं में 180 वस्तुएं तथा खेतिहर मजदूर परिवार की श्रृंखलाओं में 60 वस्तुएं शामिल हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में वित्तीय वर्ष परिवर्तन

5. इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर) में कीमतों में अभिवृद्धि तीन सुस्पष्ट चरणों में आई। अप्रैल से जून तक प्रथम तिमाही के सदृश पहले चरण में, थोक मूल्य सूचकांक के 4 प्रतिशत की वृद्धि (मार्च 1994 के अन्त में) दर्ज करने के साथ स्पष्ट तौर पर ऊपरी रुख दिखाई पड़ा। दूसरे चरण (जुलाई-सितम्बर) में मात्र 1.6 प्रतिशत की बहुत वृद्धि मामूली हुई। इस प्रकार 1994-95 के पूर्वार्द्ध में कीमतों में 5.6 प्रतिशत तक की संचयी वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्वार्द्ध में कीमतों में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि से बहुत नीचे थी जो कि आपूर्ति प्रबन्ध नीतियों की प्रभावकारिता की पुष्टि करती है। तीसरे चरण (अक्टूबर-दिसम्बर) में थोक मूल्य सूचकांक में मौसमी गिरावटी प्रवृत्ति के बजाए, दरअसल कीमतों में लगभग 1.5 प्रतिशत की ओर वृद्धि हुई। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) में कुल मूल्य वृद्धि 7.3 प्रतिशत की थी जो कि 1993-94 की समवर्ती अवधि में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ी कम थी तथापि, जनवरी, 1995 (4 फरवरी तक) में 2.2 प्रतिशत की और वृद्धि ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.5 प्रतिशत की तुलना में कुल मूल्यवृद्धि को 9.6 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। (सारणी 4.2)।

सारणी 4.2

वित्तीय वर्ष वृद्धि (अप्रैल से 4 फरवरी तक)

(प्रतिशत)

	1993-94 अप्रैल-फरवरी	1994-95				
		पहली तिमाही अप्रैल-जून	दूसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर	तीसरी तिमाही अक्तूबर-दिसम्बर[1]	चौथी तिमाही जनवरी-फरवरी[1]	योग अप्रैल-फरवरी[1]
1	2	3	4	5	6	7
सभी वस्तुएं	8.5	4.0	1.6	1.5	2.2	9.6
प्राथमिक वस्तुएं	9.8	6.9	2.0	1.3	2.8	13.7
ईंधन, शक्ति, बिजली इत्यादि	10.0	0.4	0.3	0.6	—	1.2
विनिर्मित उत्पाद	7.4	3.1	2.0	1.5	0.4	9.0

[1]अनन्तिम

प्राथमिक वस्तुएं

6. इस वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में प्राथमिक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 10.2 प्रतिशत तक बढ़ गया। 1993-94 की समवर्ती अवधि में 10.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि पर यह वृद्धि गम्भीर चिन्ता का क्षेत्र होना चाहिये क्योंकि इस समूह में मजदूरी के सामान तथा अत्यावश्यक वस्तुएं शामिल हैं। प्रकट रूप में, पहली तिमाही, अप्रैल से जून के दौरान ये 7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि थी जो कि प्रत्यक्ष रूप से फरवरी 1994 में खाद्यान्नों की नियन्त्रित मूल्य वृद्धियों के परिणामस्वरूप हुई जिसकी वजह से सम्भवत: इस वर्ष प्राथमिक वस्तुओं में तेज वृद्धि हुई। (सारणी 4.2)

प्राथमिक वस्तुओं, जिनका थोक मूल्य सूचकांक में वजन 32.3 है, का इस वर्ष (अप्रैल —4 फरवरी), की मुद्रा स्फीति में योगदान 46 प्रतिशत का था, जो कि उसके वजन की तुलना में बहुत अधिक है। प्राथमिक वस्तुओं के समूह में यह खाद्य वस्तुओं का समूह था जिसने 1994-95 में 14.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की जो मुद्रास्फीति में मात्र 11.9 प्रतिशत के योगदान सहित 1993-94 की इसी अवधि में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत इस वर्ष की प्राय: एक तिहाई मुद्रास्फीति के लिये जिम्मेदार है। (सारणी 4.3)

7. यद्यपि मुख्यत: गेहूं की स्थिर कीमतों के कारण खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि (अप्रैल, 1994—4 फरवरी, 1995) पिछले वर्ष की वृद्धि (18 प्रतिशत) की अपेक्षा कम (8.7 प्रतिशत) थी, धान्य-भिन्न खाद्य सामानों जैसे कि फलों एवं सब्जियों (7.1 प्रतिशत), दूध (10.1 प्रतिशत), अण्डे, मछली और मांस (22.9 प्रतिशत), काफी चाय (79.2 प्रतिशत) तथा मसाले (36.4 प्रतिशत) में वृद्धि बहुत अधिक थी। खाद्य भिन्न वस्तुओं विशेषकर रेशेदार फसलों और गन्ने में वृद्धि इस वर्ष कम (13.8 प्रतिशत) थी तथा पिछले वर्ष के विपरीत जबकि इस समूह के थोक मूल्य सूचकांक में 17 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि हुई, इस वर्ष की मुद्रास्फीति में इसका योगदान मात्र 15.7 प्रतिशत था (सारणी 4.3) तथा कुल मुद्रास्फीति में योगदान 18.5 प्रतिशत था।

सारणी 4.3

प्रमुख वस्तु समूहों के थोक मूल्यों में घटबढ़

(4 फरवरी के अनुसार)

(आधार : 1981-82 — 100)

(प्रतिशत)

वस्तु समूह/उप-समूह	भार (प्रतिशत)	मुद्रास्फीति (वित्तीय वर्ष)		वार्षिक मुद्रास्फीति (बिन्दु प्रति बिन्दु)		मुद्रास्फीति में योगदान	
		1994-95 (अप्रैल-फर.)	1993-94 (अप्रै.-फर.)	1994-95 (फर./फर)	1993-94 (फर./फर.)	1994-95 (अप्रै.-फर.)	1994-95 (फर/फर)
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी वस्तुएं	100.00	9.6	9.1	11.4	9.5	100.0	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएं	32.29	13.7	9.9	15.4	8.7	46.2	43.8
(क) खाद्य वस्तुएं	17.39	14.7	5.4	13.7	3.7	28.9	23.3
क. खाद्यान्न	7.92	8.7	18.0	8.1	18.7	7.8	6.2
चावल	3.69	7.9	10.8	9.8	12.4	3.3	3.4
गेहूं	2.25	0−0.5	21.2	−2.7	22.1	−0.1	−0.6
मोटे अनाज	0.89	27.7	11.5	36.9	10.6	2.3	2.4
दालें	1.09	15.8	38.8	7.4	36.7	2.3	1.0
फल एवं सब्जियां	4.09	7.1	−8.8	7.4	−7.7	2.9	2.5
दूध	1.96	10.1	0.1	13.8	0.1	2.3	2.6
अंडे, मछली और मांस	1.78	22.9	12.2	29.7	9.6	5.3	5.6
मिर्च और मसाले	0.95	36.4	−17.4	34.0	−243	5.2	4.3
अन्य खाद्य वस्तुएं (चाय एवं काफी)	0.69	79.2	9.6	24.6	−9.5	5.4	2.1
(ख) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	10.08	13.8	17.3	21.2	16.5	15.7	19.4
रेशे	1.79	5.7	44.7	34.0	56.2	1.6	6.3
कच्ची रुई	1.34	4.4	41.2	42.9	54.6	1.0	5.8
कच्चा जूट	0.16	6.7	74.7	6.2	109.6	0.2	0.1
11. ईंधन, शक्ति बिजली और लुब्रिकेन्ट्स	10.66	1.2	12.6	1.6	15.2	1.5	1.6
111. विनिर्मित उत्पाद	57.04	9.0	7.8	11.1	8.9	52.4	54.7
(क) खाद्य-उत्पाद	10.14	9.3	10.3	−11.3	12.2	9.6	9.8
चीनी	2.01	−3.6	16.6	−2.3	28.6	−0.7	−0.4

1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्य तेल	2.45	18.3	4.8	20.0	0.4	4.6	4.2
वस्त्र	11.55	11.0	10.5	17.3	12.2	12.4	15.9
रसायन और रसायन उत्पाद . . .	7.36	11.7	5.1	14.4	5.7	7.5	7.7
धातु भिन्न खनिज उत्पाद . . .	2.48	5.1	10.5	6.2	12.0	1.4	1.4
सीमेंट	0.86	13.6	−1.3	15.9	−1.1	1.0	1.0
मूल धातुएं, मिश्र धातुएं और धातु उत्पाद .	7.63	9.6	7.7	10.1	9.8	8.4	7.6
@1. नियंत्रित वस्तुएं[1]	15.93	2.5	13.3	2.6	15.4	3.6	3.3
2. मौसमी वस्तुएं[2]	34.40	13.2	9.9	15.3	9.3	50.0	48.8
3. कच्चे माल[3]	14.91	12.3	17.4	17.9	17.1	17.3	20.5
4. आवश्यक वस्तुएं	21.77	10.1	11.7	10.4	12.0	23.0	20.3

[1] नियंत्रित वस्तुओं में, कच्चा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम उत्पाद, कोयला खनन, बिजली और एन यूरिया तत्व शामिल हैं।

[2] मौसमी वस्तुओं में खाद्य-भिन्न वस्तुएं, चीनी, खांडसारी और गुड़, खाद्य-तेल और तेल की खलियां शामिल हैं।

[3] कच्चे माल में खाद्य-भिन्न वस्तुएं और खनिज शामिल हैं।

विनिर्मित उत्पाद

8. चालू वित्त वर्ष (4 फरवरी, 1995 तक के दौरान अधिकांश वृद्धि पहले छः माह में होने के साथ (5.1 प्रतिशत), विनिर्मित उत्पाद समूह के मूल्य सूचकांक में 9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इस समूह में खाद्य उत्पादों (जिसमें चीनी और खाद्य तेल शामिल है) में मुद्रास्फीति पिछले वर्ष (10.3 प्रतिशत) की अपेक्षा कम (9.3 प्रतिशत) थी तथा इस वर्ष की मुद्रास्फीति में योगदान भी कम था। दरअसल, चीनी के मूल्य में इस वर्ष गिरावट आ गई थी। खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि पिछले वर्ष की (4.8 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष अधिक (18.3 प्रतिशत) थी। रसायन, धातुओं और सीमेंट जैसे अत्यावश्यक मध्यस्थ उत्पादों ने चालू वर्ष में बहुत अधिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की और वस्त्रों के साथ मिलकर इस वर्ष की मुद्रास्फीति में 28 प्रतिशत से अधिक का अपना योगदान दिया (सारणी 4.3)।

कच्चे माल

9. कच्चा माल समूह, जिसका थोक मूल्य सूचकांक में वजन 14.9 प्रतिशत का है, ने पिछले वर्ष की 17.4 प्रतिशत के विपरीत इस वर्ष (अप्रैल, 1994 से 4 फरवरी, 1995) बहुत कम 12.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की। इस समूह द्वारा मुद्रास्फीति में योगदान भी 1993-94 की समवर्ती अवधि में 23.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम (17.3 प्रतिशत) था।

नियन्त्रित उत्पाद

10. थोक मूल्य सूचकांक में कुल 15.9 प्रतिशत के वजन के साथ सिर्फ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला खनन, इलेक्ट्रीसिटी तथा यूरिया खाद ही पूर्ण नियंत्रित मूल्य वाली वस्तुएं हैं। इस समूह के मूल्य सूचकांक में संतुलित रूप से 2.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष 13.3 प्रतिशत की तुलना में तथा 1993-94 में 20.1 प्रतिशत के विपरीत इस वर्ष की मुद्रास्फीति में केवल 3.6 प्रतिशत का योगदान रहा।

आवश्यक वस्तुएं

11. थोक मूल्य सूचकांक में 21.77 प्रतिशत का वजन रखने वाली 30 आवश्यक वस्तुओं ने मुख्यतः चीनी की कीमतों में गिरावट के कारण 4 फरवरी, 1995 तक 10.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की जो कि पिछले वर्ष के 11.7 प्रतिशत से थोड़ी कम थी। तथापि, चालू वर्ष की मुद्रास्फीति में इस समूह का योगदान 23 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष की भांति थोक मूल्य सूचकांक में उसके वजन के समानुपात के अनुरूप नहीं था (सारणी 4.3)।

वार्षिक मुद्रास्फीति

सभी वस्तुएं

12. 4 फरवरी, 1995 को समाप्त 45वें सप्ताह का थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की समवर्ती तारीख को दर्ज किए गए 254.2 (अंतिम सूचकांक) पर 11.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 283.1 (अनन्तिम) पर पहुंच गया था। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 21 सप्ताहों की वार्षिक मुद्रास्फीति दर न्यूनतम 10.16 प्रतिशत से अधिकतम 12.1 प्रतिशत के बीच दो अंकों के स्तर पर रही। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह में एक अंक के स्तर (9.57 प्रतिशत) पर आ गिरी। तत्पश्चात मध्य अक्तूबर 1994 तक 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत स्तर के बीच मंडराती रही। दिसम्बर में, वार्षिक दर को बिन्दु-प्रति-बिन्दु के आधार पर 10 प्रतिशत के स्तर पर और 4 फरवरी 1995 तक 11.4 प्रतिशत के स्तर पर ढकेलते हुए वार्षिक दर में पुनः कुछ ऊपरी रुझान दृष्टिगोचर हुआ। दिसम्बर के अन्त से मूल्य व्यवस्था किंचित उन्नति का सूचक है और इसलिए वर्षान्त मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 11 प्रतिशत के आसपास रह सकती है (सारणी 4.4)।

सारणी 4.4
वार्षिक मुद्रास्फीति दर (बिन्दु प्रति बिन्दु)
(4 फरवरी के अनुसार)

(प्रतिशत)

वस्तु समूह/उप-समूह	भार (प्रतिशत)	वार्षिक मुद्रास्फीति दर		मुद्रास्फीति में योगदान	
		1994–95	1993–94	1994–95	1993–94
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुएं	100.00	11.4	9.5	100.0	100.0
1 प्राथमिक वस्तुएं	32.29	15.4	8.7	43.8	30.0
(क) खाद्य वस्तुएं	17.39	13.7	3.7	23.3	7.9
(क) खाद्यान्न	7.92	8.1	17.8	6.2	15.9
1. अनाज	6.82	8.2	15.4	5.2	11.1
(i) चावल	3.69	9.8	12.4	3.4	5.0
(ii) गेहूं	2.25	−2.7	22.1	−0.6	5.3
2. दालें	1.09	7.4	36.7	1.0	4.8
(ख) फल एवं सब्जियां	4.09	7.4	−7.7	2.5	−3.8
(i) फल	2.80	11.8	−15.7	2.7	−5.6
(ii) सब्जियां	1.29	−1.5	14.0	−0.2	1.9
(ग) दूध	1.96	13.8	0.1	2.6	0.0
(घ) अंडे, मछली और मांस	1.78	29.7	9.6	5.6	2.2
(ङ) मिर्च-मसाले	0.95	34.0	−24.3	4.3	5.3
(च) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.69	24.6	−9.5	2.1	−1.2
(ख) खाद्य भिन्न वस्तुएं	10.08	21.2	16.5	19.4	17.0
1. रेशे	1.79	34.0	56.2	6.3	8.7
2. तेलहन	3.86	25.7	6.1	7.7	2.3
(ग) खनिज	4.83	4.8	19.6	1.1	5.0
II. ईंधन, शक्ति, बिजली और लुब्रीकेण्ट्स	10.66	1.6	15.2	1.6	17.6
III. विनिर्मित उत्पाद	57.04	11.1	8.9	54.7	52.4
(क) खाद्य उत्पाद	10.14	11.3	12.2	9.8	12.4
1. चीनी, खांडसारी और गुड़	4.06	3.7	29.3	1.2	9.8
(1) चीनी	2.01	−2.3	28.6	−0.4	4.6
2. खाद्य तेल	2.45	20.0	0.4	4.2	0.1
(i) तोरी एवं सरसों का तेल	0.28	19.4	7.8	0.4	0.2
(ii) मूंगफली का तेल	0.53	31.3	13.9	1.3	0.7
3. खली	0.43	17.2	18.0	0.7	0.8
अन्य					
1. वस्त्र	11.55	17.3	12.2	15.9	13.1
2. सीमेंट	0.86	15.9	−1.1	1.0	−0.1
3. लोहा एवं स्टील	2.44	7.0	11.0	1.6	2.8
4. उर्वरक	1.75	10.6	−0.1	1.2	−0.0
@5. अलौह धातुएं (अल्युमिनियम से भिन्न)	0.57	21.5	−1.3	1.4	−0.1
नियंत्रित वस्तुएं	15.93	2.6	15.4	3.3	21.8
1. पेट्रोलियम, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस	4.27	4.0	21.2	0.7	4.2
2. पेट्रोलियम उत्पाद (खनिज तेल)	6.67	−0.1	7.4	−0.1	4.9
3. कोयला खनन	1.26	5.2	17.9	0.8	3.0
4. इलैक्ट्रिसिटी	2.74	2.8	29.2	0.9	9.7
5 यूरिया नाइट्रोजन सहित	0.99	21.4	0.0	0.9	0.0
मौसमी वस्तुएं[1]	34.40	15.3	9.3	48.8	35.6
कच्चे माल[2]	14.91	17.9	17.1	20.5	21.9

[1]मौसमी वस्तुओं के अन्तर्गत खाद्य वस्तुएं, खाद्येतर वस्तुएं, चीनी, खांडसारी और गुड़, खाद्य तेल एवं खली शामिल हैं।
[2]कच्चे माल में खाद्येतर वस्तुएं तथा खनिज शामिल है।

चित्र 4.1

थोक मूल्य सूचकांक में वित्तीय वर्षीय परिवर्तन

समस्त वस्तुएं तथा प्रमुख समूह

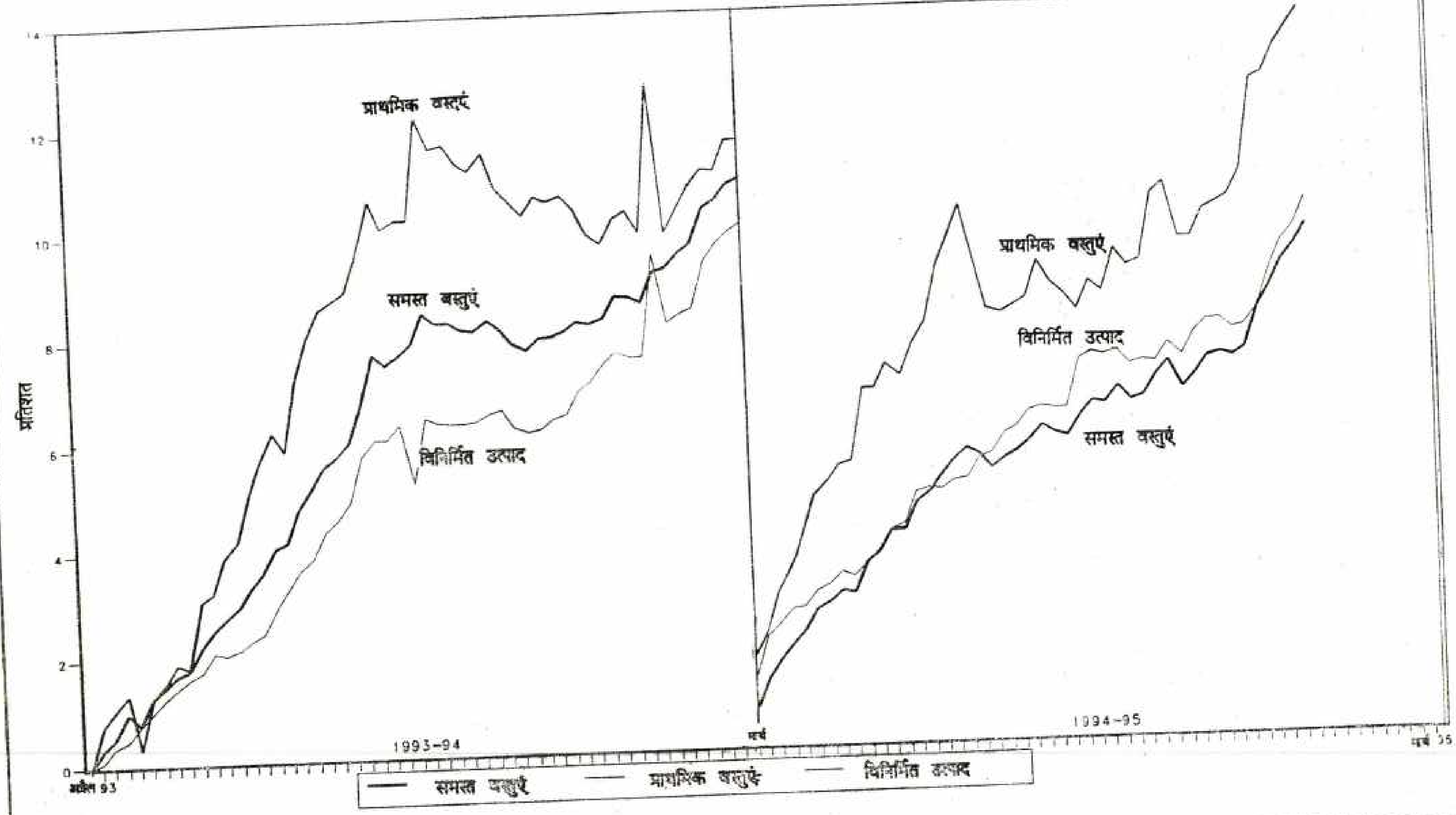

प्राथमिक वस्तुएं

13. 4 फरवरी, 1995 को प्राथमिक वस्तुओं में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 1994 की समवर्ती तारीख को 8.7 प्रतिशत की तुलना में 15.4 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं जो प्राथमिक वस्तुओं के समूह के वजन की आधी से ज्यादा होती है, इस वर्ष की मुद्रास्फीति में 23 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हुए 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 1993-94 में मुद्रास्फीति में इस समूह का योगदान 7.9 प्रतिशत था (सारणी 4.4)। पिछले वर्ष के विपरीत इस वर्ष की खाद्य वस्तु समूह में उच्चतर वृद्धि ज्यादातर अंडा, मछली और मांस (29.7 प्रतिशत), मिर्च-मसाले (34 प्रतिशत), काफी (137.4 प्रतिशत) तथा दूध (13.8 प्रतिशत) जैसे धान्य-भिन्न पदार्थों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण है।

14. खाद्य-भिन्न वस्तुओं, जिनका थोक मूल्य सूचकांक में वजन 10.1 प्रतिशत है, में वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष की 16.5 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई। पिछले वर्ष की ही तरह खाद्य-भिन्न वस्तुओं के मूल्य में अधिकांश वृद्धि का कारण कच्ची रुई की कीमतों में ऊंची वृद्धि है। तेलहन की कीमतें भी पिछले वर्ष की मात्र 6.1 प्रतिशत के विपरीत 25.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज करते हुए काफी ऊंची उठी। मूंगफली में भी अपेक्षाकृत ऊंची मुद्रास्फीति (43.6 प्रतिशत) दर्ज की गई।

ईंधन शक्ति, बिजली तथा लुब्रीकेण्ट

15. 10.7 प्रतिशत के वजन वाला यह समूह 1993-94 में 15.2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष मात्र (1.6 प्रतिशत) की वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्ज करता हुआ कम अस्थिर था। इस समूह में तीन प्रमुख संघटकों अर्थात् कोयला खनन, खनिज तेल तथा इलैक्ट्रिसिटी में पिछले वर्ष के विपरीत जब कोयले तथा इलैक्ट्रिसिटी के मूल्य में काफी भारी वृद्धि कर दी गई थी, हल्की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। इस समूह के मूल्य ज्यादातर नियन्त्रित हैं।

विनिर्मित उत्पाद

16. विनिर्मित उत्पादों में इस वर्ष 11.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक थी। पिछले वर्ष के स्तर से बहुत अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले मुख्य उत्पाद थे—खाद्य तेल (20 प्रतिशत), पेय पदार्थ (11.7 प्रतिशत), कपड़ा (17.3 प्रतिशत), रसायन तथा रसायन उत्पाद (14.4 प्रतिशत), यूरिया (21.4 प्रतिशत), सीमेंट (15.9 प्रतिशत) तथा अलौह धातुएं (21.5 प्रतिशत)।

वस्तु समष्टि

17. नियन्त्रित वस्तुओं ने पूर्ववर्ती वर्ष में 21.8 प्रतिशत के योगदान की तुलना में इस वर्ष की कुल मुद्रा-स्फीति में बहुत कम (3.3 प्रतिशत) योगदान करते हुए पिछले वर्ष की 15.4 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत इस वर्ष 2.6 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की। मौसमी वस्तुओं ने जिनमें मौसमी प्राथमिक वस्तुएं तथा मौसमी विनिर्मित वस्तुएं भी शामिल हैं पिछले वर्ष के 9.3 प्रतिशत की तुलना में 15.3 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की और इस वर्ष की मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की 35.6 प्रतिशत की अपेक्षा 48.8 प्रतिशत का योगदान किया। कच्चे माल समूह ने 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो कि पिछले वर्ष की 17.1 की तुलना में कुछ अधिक थी। इस प्रकार इस वर्ष की मुद्रास्फीति में उनका योगदान पिछले वर्ष की 21.9 प्रतिशत से थोड़ा कम 20.5 प्रतिशत था। थोक मूल्य सूचकांक गति पर आधारित, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 9.2 प्रतिशत तक ऊंची उठी (नवम्बर, 1993 की तुलना में नवम्बर, 1994) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कर्मचारी) पर आधारित इस समूह ने 10.5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की (सारणी 4.5 और आकृति 4.2)।

चित्र 4.2 आवश्यक वस्तुओं में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर (सी०पी०आई० तथा डब्ल्यू०पी०आई० पर आधारित)

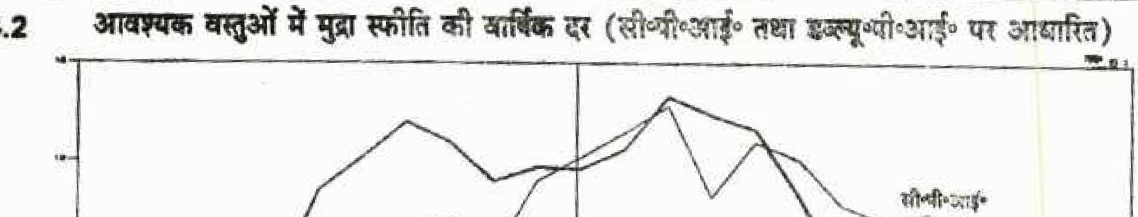

सारणी 4.5

आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें

(नवम्बर, 1994)

(प्रतिशत)

वस्तु	भार		वित्तीय वर्ष परिवर्तन नवम्बर/मार्च				वार्षिक मुद्रास्फीति दर नवम्बर/नवम्बर			
			1994-95		1993-94		1994		1993	
	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई.डब्लू.)	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सामान्य सूचकांक	100.00	100.00	9.0	7.2	9.1	7.9	9.8	9.8	8.6	8.6
चावल	12.45	3.69	8.1	8.9	5.5	13.9	16.8	7.5	5.4	11.0
पूर्ण गेहूं	4.43	2.25	0.2	-2.7	5.7	8.4	13.9	8.3	7.8	13.7
गेहूं आटा	1.75	0.76	-1.0	1.3	10.2	6.3	5.7	7.7	7.9	6.0
ज्वार	0.46	0.42	12.7	20.8	-2.2	-13.5	14.3	32.8	-21.7	-21.8
बाजरा	0.16	0.18	10.0	-7.5	9.1	14.9	37.2	17.1	7.1	5.9
मूंग	0.53	0.20	14.6	23.1	4.5	9.5	23.3	41.0	10.2	21.2
चना	0.08	0.41	12.8	-2.9	43.2	49.0	10.2	-6.7	66.8	76.7
मसूर	0.41	0.05	28.1	52.6	9.5	20.0	32.7	50.5	3.4	8.9
अरहर	1.69	0.27	11.0	53.3	13.3	16.5	5.7	50.1	10.5	18.8
उड़द	0.35	0.15	72.7	-24.0	4.4	21.1	93.5	-19.0	-1.7	12.0
नारियल का तेल	0.09	0.17	4.8	2.3	-16.8	-18.7	-6.4	-4.9	-20.0	-20.9
मूंगफली का तेल	2.27	0.53	12.0	6.7	24.9	30.2	5.4	-2.3	4.5	9.2
सरसों का तेल	1.44	0.28	18.2	19.1	13.2	10.7	14.4	15.4	—0.3	—0.9
वनस्पति	0.78	0.52	14.6	50.7	13.1	8.0	8.1	41.0	—0.9	—8.8
बकरी का मांस	2.12	0.52	7.9	19.7	4.0	5.8	14.6	29.3	9.5	10.0
मछली ताजा	1.31	0.51	3.3	7.8	3.8	13.0	12.7	22.5	14.5	19.7
दूध	5.52	1.96	4.0	11.6	6.9	3.8	5.5	9.7	7.1	3.7
नमक	0.15	0.04	9.4	3.4	3.9	4.9	12.7	1.5	7.1	12.5
मिर्च	0.63	0.32	39.9	47.3	-21.1	-21.5	45.2	77.3	-47.6	-52.4
प्याज	0.67	0.16	38.2	39.4	106.5	75.0	-32.8	-24.9	193.2	179.2
आलू	1.23	0.47	81.4	63.6	94.0	102.3	4.3	-7.2	41.3	30.8
चीनी	2.24	2.01	-0.8	-3.4	3.1	6.7	12.7	6.7	19.3	17.0
गुड़	0.47	1.75	6.6	16.6	41.5	39.5	-6.1	5.1	47.9	51.7
चाय पत्ती	0.82	0.56	0.3	8.7	15.1	-3.5	0.8	-21.2	23.8	20.0
साफ्ट कोक	0.80	0.35	1.7	5.2	3.3	4.8	2.9	5.2	6.5	20.4
किरोसीन तेल	1.82	0.87	0.6	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.8	0.0
माचिस	0.23	0.23	16.3	0.5	4.4	8.2	16.9	0.6	8.5	13.1
कपड़े धोने का साबुन	1.33	0.59	2.8	9.1	4.0	-6.2	3.4	14.8	3.9	-6.2
लट्ठा	0.20	0.36	12.6	8.5	11.0	2.6	16.1	35.7	7.6	9.4
धोती	0.35	1.19	12.4	9.1	11.3	10.5	15.9	12.1	8.3	12.4
साड़ियां	2.05		9.1		12.3		11.1		11.7	
आवश्यक वस्तुएं	48.83	21.77	9.2	10.1	10.8	12.7	10.5	9.2	9.7	13.2

मौद्रिक अभिवृद्धि और मुद्रास्फीति

18. मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पक्षों की तरफ कार्यरत विभिन्न कारकों की आपसी गतिविधि का परिणाम है। चालू वित्तीय वर्ष में, संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी को छोड़कर आपूर्ति पक्ष के कारक सब मिलकर अनुकूल रहे। अतः चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य मूल्य स्तर में ऊपरी प्रवृत्ति, विशेष रूप से मध्य अक्तूबर, 1994 से, प्रणाली में अतिरिक्त नकदीकरण से उत्पन्न मांग पक्ष के कारकों द्वारा घटित हुई प्रतीत होती है।

19. 1993-94 में सरकार के राजकोषीय घाटे में अभिवृद्धि ने प्रणाली में स्फीतिकारी दबाव का निर्माण किया था। राजकोषीय घाटा और ज्यादा विशेष तौर पर मुद्रीकृत घाटा (सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण) आरक्षित नकदी मुद्रा तथा परिणामतः मुद्रा आपूर्ति की अभिवृद्धि में सहायक होता है जो स्फीतिकारी मांग दबाव को तीव्र करने में मदद करती है। केन्द्र का राजकोषीय घाटा 1992-93 में 40,173 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 58,551 करोड़ रुपए हो गया। मुद्रीकृत घाटे में भी 1992-93 में 11.4 प्रतिशत के विपरीत 15.6 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की गई। तथापि 1993-94 के अन्त से आरक्षित नकदी मुद्रा के विस्तार में प्रमुख कारक विदेशी मुद्रा की शुद्ध परिसंपत्तियों में तीव्र अभिवृद्धि ही रही है। 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी परिसम्पत्तियों में अभिवृद्धि 1992-93 में मात्र 17.6 प्रतिशत के मुकाबले 105 प्रतिशत थी। परिणामतः 1993-94 में आरक्षित नकदी मुद्रा में अभिवृद्धि 25 प्रतिशत से आगे चली गई तथा मुद्रा आपूर्ति अभिवृद्धि 1992-93 में 15.7 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 18.2 प्रतिशत हो गई। इसी तरह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1992-93 के अन्त में 7 प्रतिशत के निम्न स्तर से 1993-94 के अंत में 10.8 प्रतिशत तक ऊपर चली गई।

20. चालू वित्तीय वर्ष में प्रणाली में अतिरिक्त नकदीकरण को पूरे वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए की सीलिंग की शर्त और वर्ष के दौरान लगातार दस कार्य दिवसों के लिए 9,000 करोड़ रुपए तक की अधिकतम अस्थायी पहुंच द्वारा तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अभिवृद्धि को सीमित करके नियंत्रित करने का अनुरोध किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 20 जनवरी, 1995 तक पिछले छः माह से केन्द्र सरकार का बजटीय घाटा नकारात्मक रहा है। 31 मार्च, 1994 और 20 जनवरी, 1995 के बीच सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में पिछले वित्तीय वर्ष की समवर्ती अवधि में इसके 7.4 प्रतिशत के विस्तार के विपरीत 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। तथापि, प्रणाली में अतिरिक्त नकदीकरण का उत्पादन नवम्बर, 1994 के अन्त तक, भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में तीव्र अभिवृद्धि के कारण जारी रहा, जिस अवधि तक उन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष में 27 प्रतिशत की अभिवृद्धि के मुकाबले 36.3 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की। केवल दिसम्बर, 1994 में पिछले महीनों में नीति संबंधी कई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में कुछ कमी आई है। खाद्य-भिन्न बैंक ऋण में तेजी के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में व्यापक रूप से वृद्धि हुई और 1993-94 की समवर्ती अवधि में 18 प्रतिशत के विपरीत 1994-95 के दौरान 20 जनवरी, 1995 तक आरक्षित मुद्रा में अभिवृद्धि को 14.2 प्रतिशत तक आगे बढ़ा दिया। वार्षिक आधार पर आरक्षित नकदी मुद्रा में अभिवृद्धि एक वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत ज्यादा है (20.3 प्रतिशत के मुकाबले 21.2 प्रतिशत)। आरक्षित नकदी मुद्रा में भारी अभिवृद्धि ने मुद्रा आपूर्ति अभिवृद्धि को भी तीव्र किया है। वार्षिक आधार पर 20 जनवरी, 1995 को यह एक वर्ष पूर्व 17.5 के मुकाबले 18.6 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रणाली में निरन्तर नकदीकरण अभिवृद्धि उत्पादन (तथा परिणामतः अतिरिक्त नकदीकरण) ने अतिरिक्त मांग में वृद्धि की है और उसके द्वारा प्रणाली में स्फीतिकारी दबाव का प्रोत्साहन प्रदान किया है। एम-3 में 24 जून, 1994 को 18.6 प्रतिशत से अगली तिमाही के अंत में 20.2 प्रतिशत तक और पुनः 26 नवम्बर, 1994 को 21.8 प्रतिशत की बढ़ती हुई वार्षिक अभिवृद्धि दर यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि दूसरी तिमाही में एक संक्षिप्त अधोगामी प्रवृत्ति के पश्चात वार्षिक मुद्रास्फीति की दर ने पुनः दर अक्टूबर, 1994 से ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति क्यों प्रदर्शित की है (सारणी (4.6)।

सारणी 4.6

मुद्रास्फीति और धन आपूर्ति अभिवृद्धि

(प्रतिशत)

	वित्तीय वर्ष के परिवर्तन					वार्षिक दर			
	1994–95		1993–94			1994–95		1993–94	
	एम$_3$	मुद्रास्फीति	एम$_3$	मुद्रास्फीति		एम$_3$	मुद्रास्फीति	एम$_3$	मुद्रास्फीति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल – जून . .	5.2	4.0	4.9	3.3	जून 24	18.6	11.6	13.1	7.1
अप्रैल – सितम्बर .	9.7	5.7	7.8	7.8	सित. 30	20.2	8.6	12.1	8.5
अप्रैल – अक्तूबर . .	12.2	6.3	9.1	8.0	अक्तू. 28	21.6	9.1	12.6	8.2
अप्रैल – नवम्बर . .	13.4	6.5	10.0	7.6	नव. 26	21.8	9.7	13.4	8.6
अप्रैल – दिसम्बर . .	14.1	7.1	12.4	8.1	दिस. 23	21.2	9.8	15.4	8.9
अप्रैल – जनवरी . .	14.3	8.9	14.6	8.6	जन. 20	18.6	11.1	17.5	9.1

1994–95 में मुद्रास्फीति के आधारभूत कारण

21. 1994-95 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि 1 फरवरी, 1994 से चावल (23 प्रतिशत), गेहूं (21.8 प्रतिशत) और चीनी (9 प्रतिशत) की केन्द्रीय वस्तु मूल्य में वृद्धि का अतिरेक प्रभाव था। मजदूरी संबंधी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि सामान्यतः कुछ समय पश्चात् अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त चीनी, रुई, जूट और मूंगफली की पैदावार में कमी, जिसने, संभवतः स्फीतिकारी दबावों के और उत्प्लावकता प्रदान की हो, के कारण अल्पकालिक आपूर्ति असंतुलनों का प्रभाव था। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की मुद्रास्फीति के, वस्तुओं के एक बहुत विस्तृत प्रतिबिम्ब-पार अधिक व्यापक होने का यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन, यह केवल एक आंशिक स्पष्टीकरण है। इस वर्ष की स्फीतिकारी दबावों के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण कुल मांग की तरफ, विशेष रूप से मौद्रिक समष्टियों में सारवान वृद्धि है।

22. ऐसे कारक जिन्होंने वर्ष के दौरान स्फीतिकारी अन्तःप्रवाह को ईंधन प्रदान किया है, मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

(i) 1993-94 में उच्चतर राजकोषीय घाटे का अतिरेक प्रभाव जिसने व्यापार न किये जाने योग्य वस्तुओं तथा उन वस्तुओं, जिनका आयात अभी भी प्रतिबन्धित है, पर दबाव डाला।

(ii) मौद्रिक परिवर्तनों की ऊंची अभिवृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा भण्डार के सशक्त गठन के कारण।

(iii) 1993-94 में चीनी, रुई, जूट और मूंगफली के उत्पादन में कमी ने अल्पकालीन आपूर्ति असंतुलन पैदा किया जिससे उनकी कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।

(iv) 1993-94 के बाद के महीने में गेहूं, चावल, चीनी और ऊर्जा उत्पादों में नियन्त्रित मूल्य वृद्धियों के अतिरेक प्रभाव।

(v) लगातार पिछले तीन वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप प्राथमिक उत्पाद की कीमतों में उच्चतर वृद्धि हुई है तथा मजदूरी संबंधी वस्तुओं पर ऊपरी दबाव पैदा हुआ है।

स्फीतिकारी-निरोधी उपाय

23. पिछले वर्ष के अन्त में स्फीतिकारी ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के पुनर्नवीकरण में जब वर्ष का अन्त मुद्रास्फीति दर के 10.8 प्रतिशत पर पहुंचने से हुआ सरकार को मूल्यों की अभिवृद्धि में धीमापन लाने के लिए कई कदम उठाने पर मजबूर किया। सबसे महत्वपूर्ण कदम केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे को नियन्त्रित करने का निश्चय था जिसके लिए कार्य संबंधी ढांचे की रूपरेखा 1994-95 बजट में तैयार की गई थी। इस ढांचे की प्रमुख विशेषता 6,000 करोड़ रुपए तक की तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के जारी करने के मध्य से सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले निवल ऋण पर उच्चतम सीमा लगाना तथा ऐसी राजकोषीय हुंडियों के लगातार दस दिन से अधिक के लिए 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर के लिए जारी होने की अनुमति न देना, जिसका पालन न करने पर भारतीय रिजर्व बैंक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों का स्तर घटाने के लिए बाजार में स्वतः ताजे सरकारी पेपर की बिक्री करेगा।

24. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वर्ष 1993-94 में 18.2 प्रतिशत की वास्तविक एम 3 वृद्धि के विपरीत वर्ष 1994-95 में 16 प्रतिशत के अन्तर्गत (एम० 3) मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए मुद्रास्फीतिकारी-निरोधी मौद्रिक नीति संबंधी उपायों के समूह, सहित हस्तक्षेप किया है। नकद प्रारक्षित अनुपात में मौद्रिक वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए मई 1994 में 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन्हीं लक्ष्यों सहित, नकद प्रारक्षित अनुपात एफ०सी०एन०आर० (बैंकों) और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एन० आर० एन० आर०) खातों पर अधिरोपित किया गया जबकि एन०आर०ई० खातों पर अधिकतम ब्याज दर में गिरावट आई। एफ० सी० एन० आर० स्कीम (जिसके अन्तर्गत सरकार मुद्रा गारंटी का वहन करती है) को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया गया जिससे अनिवासी जमाराशियों के अन्तप्रवाह को संतुलित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त नकदी को आमेलित किए जाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री किए जाने का आयोजन भी किया।

सारणी 4.7

प्रारक्षित मुद्रा और इसके स्रोत की तिमाही वृद्धि

(प्रतिशत)

		प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तृतीय तिमाही
प्रारक्षित मुद्रा	1993–94	3.5	9.7	14.2
	1994–95	6.5	5.7	11.3[1]
स्रोत (1994–95)[1]				
(i) सरकार को दिया जाने वाला निवल भा. रि. बैं. ऋण		−0.7	−10.6	−7.8[1]
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल एफ. ई. परिसम्पत्तियां		13.3	30.3	33.0[1]
(iii) अन्य स्रोत		−23.0	−23.3	−53.5[1]

[1]23 दिसम्बर, 1994 तक

25. आपूर्ति की दिशा में इस वित्तीय वर्ष की प्रमुख उपलब्धता गेहूं के मूल्यों में स्थिरता होना था जिसे मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे जा रहे केन्द्रीय पूल से खुले बाजार में गेहूं की बिक्री (जनवरी 1995 तक 3.4 मिलियन टन) द्वारा प्राप्त किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 1993-94 में इसके विपरीत 2.8 मिलियन टन गेहूं बेचा गया था। गेहूं के प्रमुख उत्पादन राज्यों में इसके मूल्य जनवरी, 1995 में लगभग जनवरी, 1994 के समान ही थे। खुले बाजार में चावल की बिक्री 2.3 लाख टन थी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनवरी 1995 में इसके बिक्री मूल्यों में कमी की घोषणा के पश्चात इसकी बिक्री बढ़ने की संभावना है।

26. मई, 1994 के मध्य में चीनी के मूल्य काफी बढ़ गए जो थोक बाजार में 17 रुपए प्रति कि०ग्रा० तक पहुंच गए, ऐसा 1993-94 (अक्तूबर–सितम्बर) में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप हुआ। चीनी के आयातों को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखकर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए सरकारी खाते में लगभग 10 लाख टन आयात करके दिसम्बर, 1994 तक इसके थोक मूल्य 12-13 रुपए तक नीचे लाने में सहायता की। इसी तरह अप्रैल 1994 में कपास के आयात को भी शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस में रखकर घरेलू आपूर्ति-मांग की दूरी को पूरा करने में सहायता मिली। अप्रैल 1994 में खुले सामान्य लाईसेंस पर पामोलीन तेल के आयात को रखना त्यौहार के मौसम से पहले सामान्यतः खाद्य तेलों में पायी जाने वाली सट्टे बाजी की प्रवृत्तियों को रोकना था परन्तु 1994–95 की अन्तिम तिमाही में खाद्य तेलों में उर्ध्वगामी रुख ने सरकार को मार्च 1995 से सभी प्रमुख खाद्य तेलों, नारीयल के तेल को छोड़कर, को 30 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर खुले समान्य लाईसेंस के अन्तर्गत रखने के लिए तैयार होना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

27. खाद्यान्न मुख्यतः चावल और गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों द्वारा लाइसेंसशुदा उचित दर दुकानों के एक तंत्र के माध्यम से जनता को वितरित किए जाते हैं। 31 मार्च, 1994 को ऐसी दुकानों की संख्या 4.24 लाख से अधिक थी जिनमें से 3.24 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 99 हजार शहरी क्षेत्रों में स्थित थी।

28. सामान्यतः 2000 की जनसंख्या पर एक उचित दर दुकान होती है। जून, 1992 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करते हुए एक विशेष स्कीम शुरू की जहां राज्य सरकार द्वारा आपूरित चाय, साबुन, दाल और आयोडीन युक्त नमक जैसी अतिरिक्त वस्तुएं दी ताकी पिछड़े और कमजोर आधारभूत ढांचे वाले दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 1775 खंडों में जनजातीय, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र की जनसंख्या की सेवा कर सके। राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके सामान्य आबंटन से अलग नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3.1 मिलियन टन खाद्यान (चावल और गेहूं) की अतिरिक्त मात्रा दी जाएगी ताकि इन्हें नवीकृत उचित दर दुकानों से ऐसे दामों पर वितरित किया जा सके जो कहीं भी सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तुलना में केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 रुपए प्रति क्विटल कम हो। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है कि इन नवीकृत उचित दर दुकानों के खुदरा मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 25 पैसे प्रति कि०ग्रा० से अधिक न हों। वर्तमान नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1775 खण्डों के अतिरिक्त सरकार ने नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए 409 और खण्डों की पहचान की है।

29. सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी की मासिक आपूर्तियां 3.35 से 3.50 लाख टन के औसत स्तर पर रखी जा रही थी। त्यौहार के मौसम में आबंटन बढ़ाकर सितम्बर में 3.65 लाख टन और अक्तूबर में 3.80 लाख टन कर दिया गया था। सरकार ने पूर्णतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डार को बढ़ाने के लिए मई-दिसम्बर, 1994 के बीच 9.8 लाख टन चीनी का आयात किया।

30. खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में मामूली कमी को पूरा करने के लिए, खासतौर पर त्यौहार के मौसम के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु 20 प्रतिशत रियायत शुल्क पर जुलाई और अक्तूबर, 1994 के बीच 1.08 लाख टन पामोलिन तेल का आयात किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों ने अप्रैल-दिसम्बर के बीच 93000 टन आयातित पामोलिन तेल उठाया। राज्यों को आयातित तेल खुला 24000 रुपए प्रति टन और 15 कि०ग्रा० के टिन में 27000 रुपए प्रति टन के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर आवंटित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले आयातित तेल के अंतिम उपभोक्ता मूल्य का निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया।

खाद्यान्न

31. खाद्यान्नों का सार्वजनिक भंडारण बनाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों को प्रत्येक माह इसे जारी करना ही केन्द्रीय सरकार के खाद्य सुरक्षा अभियानों का केन्द्रीय घोषणा-पत्र है। प्रत्येक राज्य को एक निर्धारित मात्रा में आवंटन किया जाता है जो उसके पिछले रिकार्डों, मांग, खरीद की प्रवृत्ति तत्संबंधी आवश्यकता और ऐसे ही संबंधित तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी दिए गए समय में चावल और गेहूं के न्यूनतम भंडार का केन्द्रीय बफर स्टाक रखा जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यदि

इसमें कोई कमी हो तो स्टाक को आयातों के माध्यम से भरा जाता है । यदि स्टाक ज्यादा है, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ, तो आपूर्ति को सुधारने और खुले बाजार में इसके मूल्यों को संतुलित रखने के लिए स्टाक को खुली बिक्री के लिए जारी किया जाता है ।

खाद्यान्नों का आवंटन और खरीद

32. 1990-91 से प्रत्येक वर्ष 9 मिलियन टन से ऊपर के गेहूं के आवंटन में से पिछले कुछ समय से इसकी खरीद कम होती जा रही है । 1991-92 में 8.78 मिलियन टन से घटकर 1993-94 में यह 5.86 मिलियन टन तक नीचे चली गई । गेहूं की खरीद अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के चालू वर्ष में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.3 मिलियन टन की तुलना में सिर्फ 3.20 मिलियन टन (सारणी 4.8) ही थी । जबकि 1991-92 से चावल के वार्षिक आवंटन 11 मिलियन टन से अधिक रहे हैं और 1993-94 में तो इससे भी अधिक 12.20 मिलियन टन थे । वार्षिक खरीद 1993-94 में 8.74 मिलियन टन और 1991-92 में 9.94 मिलियन टन के बीच रही । पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल दोनों की ही खरीद में गिरावट आई है जो उपभोक्ता की खुले बाजार को वरीयता देना दर्शाता है । इसका मुख्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के मूल्य के बीच कम अन्तर होना प्रतीत होता है । ऐसा विशेषकर गेहूं के मामले में गेहूं की खपत वाले राज्यों में है ।

सारणी 4.8

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन और खरीद

(मिलियन टन)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटन	खरीद	आवंटन	खरीद
1990-91	9.50	7.09	9.61	7.87
1991-92	10.36	8.78	11.36	9.94
1992-93	9.24	7.41	11.48	9.36
1993-94	9.56	5.86	12.41	8.88
1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर)[3]	7.01	4.03	9.03	6.77
1994-95[1] (अप्रैल-दिसम्बर)[3]	7.91	3.20[2]	9.90	5.86[2]

1—22 दिसम्बर 1994 तक   2—दिसम्बर, 1994 के लिए संभावित खरीद शामिल है।   3.—अनन्तिम

खाद्यान्नों की वसूली और वितरण

33. 1994-95 में गेहूं की 11.87 मिलियन टन की वसूली पिछले वर्ष की 12.83 मिलिनन टन से मामूली सी कम थी । अप्रैल 1995 में आने वाली अगली फसल के साथ ही स्टाक की स्थिति और सुधरने की संभावना है । पिछले वर्ष (अक्तूबर 1993 से सितम्बर 1994 तक) चावल की 13.65 मिलियन टन की वसूली एक रिकार्ड थी । इस वर्ष (अक्तूबर 1994 से सितम्बर 1995 तक) चावल की वसूली पिछले वर्ष जितनी या उससे अधिक होने की संभावना है । दिसम्बर 1994 के अन्त तक, चालू चावल वर्ष (खरीफ विपणन वर्ष 1994-95 अक्तूबर-सितम्बर) के पहले तीन महीनों में केन्द्रीय पूल में इसकी वसूली 8 मिलियन टन को पार कर गई जो कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लगभग समान थी । (सारणी 4.9 और सारणी 4.11) ।

सारणी 4.9

केन्द्रीय पूल भंडार और न्यूनतम बफर स्टॉक मानदंड

(मिलियन टन)

महीने के प्रारम्भ में	गेहूं		चावल		जोड़	
	न्यूनतम मानदंड	वास्तविक भंडार	न्यूनतम मानदंड	वास्तविक भंडार	न्यूनतम मानदंड	वास्तविक भंडार
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी–1992	7.7	5.3	7.7	8.6	15.4	13.9
अप्रैल	3.7	2.2	10.8	8.9	14.5	11.1
जुलाई	13.1	6.5	9.2	7.4	22.3	13.9
अक्तूबर	10.6	4.3	6.0	5.1	16.6	9.4
जनवरी–1993	7.7	3.3	7.7	8.5	15.4	11.8
अप्रैल	3.7	2.7	10.8	9.9	14.5	12.6
जुलाई	13.1	14.9	9.2	9.3	22.3	24.2
अक्तूबर	10.6	13.7	6.0	7.2	16.6	20.9
जनवरी–1994	7.7	10.8	7.7	11.2	15.4	22.0
अप्रैल	3.7	7.0	10.8	13.5	14.5	20.5
जुलाई	13.1	17.5	9.2	13.2	22.3	30.7
अक्तूबर	10.6	15.6	6.0	10.9	16.6	26.5
जनवरी–1995 [1]	7.7	12.9	7.7	17.4	15.4	30.3

1.—अनन्तिम

सारणी 4.10

केन्द्रीय पूल भण्डार

(मिलियन टन)

पहली जनवरी को	गेहूं	चावल	कुल
1980	8.58	8.15	16.73
1981	6.21	4.91	11.12
1982	5.34	5.01	10.35
1983	4.77	6.99	11.76
1984	4.34	10.45	14.79
1985	6.74	14.54	21.28
1986	9.06	14.93	23.99
1987	8.50	13.93	22.43
1988	5.91	7.35	13.26
1989	4.09	4.44	8.53
1990	5.65	5.61	11.26
1991	8.65	9.27	17.92
1992	8.63	5.28	13.91
1993	8.46	3.29	11.75
1994	11.17	10.82	21.99
1995 [1]	12.88 [1]	17.42 [1]	30.30 [1]
पहली जनवरी को संकटरोधी (बफर) मानदंड	7.7	7.7	15.4

[1]अनंतिम

34. लगातार दूसरे वर्ष बढ़िया वसूली के प्रदर्शन ने केन्द्रीय पूल में सार्वजनिक भंडारों को अभूतपूर्व स्तरों तक ऊंचा पहुंचा दिया है । जबकि देश ने 1992-93 में 3 मिलियन टन गेहूं का आयात किया, वर्तमान भंडार स्थिति ऐसी है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 3.7 मिलियन टन के न्यूनतम बफर स्टाक मानदंड से हमारे पास 5 मिलियन टन से ऊपर गेहूं का अधिक भण्डार होगा । चावल के मामले में भी स्थिति भिन्न नहीं है । सितम्बर, 1994 के अन्त में केन्द्रीय पूल में चावल का भण्डार 6 मिलियन टन के न्यूनतम बफर स्टाक मानदंड के विपरीत 10.86 मिलियन टन था । सितम्बर 1995 के अंत तक जब चालू चावल वर्ष समाप्त होता है, *बफर स्टाक न्यूनतम मानदंड से 8 मिलियन टन से भी अधिक का फालतू भंडार हो जाएगा ।

35. जनवरी, 1994 में भंडार 15.4 मिलियन टन के न्यूनतम बफर स्टाक के विपरीत 22 मिलियन टन (10.8 मिलियन टन गेहूं और 11.2 मिलियन टन चावल) तक पहुंच गए । जनवरी 1993 में कुल भंडार 11.8 मिलियन टन और जनवरी 1992 में 13.9 मिलियन टन (सारणी 4.10 देखें) था । अप्रैल-जून 1994 के बीच गेहूं की वसूली से जुलाई 1994 में कुल भंडार 30.7 मिलियन टन तक पहुंच गया जो जुलाई 1993 की अपेक्षा 6 मिलियन टन से अधिक था और जुलाई 1992 के भंडारों के दुगुने से भी अधिक था । दिसम्बर 1994 के आरम्भ में अब तक कुल भंडार 30.7 मिलियन टन था, जो इस माह के लिए न्यूनतम बफर की अपेक्षा से लगभग दुगुना था ।

सारणी 4.11

गेहूं और चावल की वसूली (केन्द्रीय पूल)

(मिलियन टन)

विपणन वर्षवार	गेहूं अप्रैल–मार्च		चावल (अक्तूबर–सितम्बर)		कुल (गेहूं और चावल)	
	मात्रा	प्रतिशत परिवर्तन	मात्रा	प्रतिशत परिवर्तन	मात्रा	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7
1985-86 . . .	10.34	11.3	8.86	1.2	19.20	5.1
1986-87 . . .	10.53	1.8	8.24	−7.0	18.77	−2.2
1987-88 . . .	7.88	−25.2	6.33	−23.0	14.21	−24.2
1988-89 . . .	6.58	−16.5	6.94	9.6	13.52	−4.8
1989-90 . . .	8.94	35.9	10.88	56.8	19.82	46.6
1990-91 . . .	11.07	23.7	11.74	7.9	22.81	15.1
1991-92 . . .	7.75	−29.9	9.24	−21.3	16.99	−25.5
1992-93 . . .	6.38	−17.7	11.80	27.7	18.18	7.0
1993-94 . . .	12.83	101.1	13.65	15.7	26.48	45.7
1994-95* . . .	11.87	−7.5	9.67	—	21.54	

*19 जनवरी, 1995 तक

केन्द्रीय निर्गम मूल्य

36. विभिन्न कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के वसूली मूल्य में वृद्धि से केन्द्रीय निर्गम मूल्य में आवधिक संशोधन की आवश्यकता होती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तीन प्रमुख आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल और चीनी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य में पिछला बड़ा संशोधन 1 फरवरी 1994 को किया गया था जब गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 330 रुपए प्रति क्विटल से बढ़ाकर 402 रुपए प्रति क्विटल (सारणी 4.12) किया गया था । इस वृद्धि से, चाहे देर से ही सही, गेहूं की अप्रैल 1993 की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी पहले ही 280 रुपए से 330 रुपए प्रति क्विटल प्रतिबिंबित हुई है । तत्पश्चात अप्रैल 1994 की फसल हेतु किसानों को देय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पुनः बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया । न्यूनतम समर्थन मूल्य के इस संशोधन से अप्रैल 1994 से केन्द्रीय निगम मूल्य में एक बार फिर 402 रुपए से 440 रुपए प्रति क्विटल की वृद्धि होनी सुनिश्चित हुई । तथापि यह संशोधन 1994 के पूरे वर्ष नवीकृत मुद्रास्फीति झुकाव के कारण प्रभावित नहीं हुआ । अप्रैल 1995 में आने वाली गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पुनः बढ़ाकर 360 रुपए प्रति क्विटल कर दिया गया था । इसलिए निकट भविष्य में घोषित किए जाने वाले केन्द्रीय निर्गम मूल्य केवल

गेहूं की अप्रैल 1993 की फसल के अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही नहीं बल्कि अप्रैल 1995 में काटी जाने वाली 1994-95 की फसल को भी प्रतिबिंबित करेंगे । चावल के मामले में भी स्थिति वही है जहां पहले ही वसूल की जा चुकी 1993-94 की फसल के लिए संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 1994-95 की फसल की चालू वसूली 1994-95 के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में प्रतिबिंबित नहीं हुई है । 1 अक्तूबर, 1994 से लागू चावल के संशोधित केन्द्रीय निर्गम मूल्य जिसे सामान्य किस्म, अच्छी किस्म और बहुत अच्छी किस्म में प्रत्येक के लिए 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाना था । मूल्यों में हाल ही में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों को और तेज होने के संभावित प्रभाव के कारण स्थगित रखा गया ।

37. केन्द्रीय निर्गम मूल्य में आवश्यक सुधार करने की अनिच्छा या देरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में अनुवर्ती वृद्धि से बजट की खाद्य पर आर्थिक सहायता 1994-95 में 4000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधानों से बहुत अधिक बढ़ जाएगी । इसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धात्मक हो गए हैं । गेहूं का निर्यात भी कोई व्यवहारिक विकल्प प्रतीत नहीं होता । भारत नरम गेहूं का उत्पादन करता है जो विश्व भर में व्यापार किए जाने वाले सख्त गेहूं के 130 डालर से 160 डालर प्रति टन के विपरीत बहुत कम निर्यात मूल्य (लगभग 100 डालर प्रतिटन पोत-पर्यन्त) प्राप्त कर पाता है । इसलिए गेहूं के निर्यात में भी हम घाटे में ही हैं जब तक कि हम सख्त बीज के गेहूं का उत्पादन नहीं करते । सरकार को अब से आगे वसूली मूल्यों की घोषणा करते हुए यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, सार्वजनिक भंडार, निर्यात के सीमित अवसर तथा खुले बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता तक सीमित कीमत के बीच मामूली अन्तर तक पहुंचते हुए भी जो अतिरिक्त आपूर्ति बाजार वास्तविकता को नहीं दर्शाते ।

सारणी 4.12

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्रीय निर्गम मूल्य में आवधिक संशोधन

(रुपए/क्विंटल)

	चावल			गेहूं	
संशोधन की तारीख	सामान्य	अच्छा	बहुत अच्छा	संशोधन की तारीख	
1	2	3	4	5	6
1982 (अक्तूबर) . . .	188	200	215	1982 (अगस्त)	160
1984 (जनवरी) . . .	208	220	235	1983 (अप्रैल)	172
1985 (अक्तूबर) . . .	217	229	244	1986 (फरवरी)	190
1986 (फरवरी) . . .	231	243	253	1987 (मई)	195
1986 (अक्तूबर) . . .	239	251	266	1988 (मार्च)	204
1987 (अक्तूबर) . . .	239	264	279		
1989 (जनवरी) . . .	244	304	325		
1990 (जून) . . .	289	349	370	1990 (मई)	234
1991 (दिसम्बर) . . .	377	437	458	1991 (दिसम्बर)	280
1993 (जनवरी) . . .	437	497	518	1993 (जनवरी)	330
1994 (फरवरी) . . .	537	617	648	1994 (फरवरी)	402

38. यह इंगित करना भी महत्वपूर्ण है कि जहां केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों को खाद्यान्न एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर जारी करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपभोक्ता तक सीमित खुदरा मूल्य विभिन्न राज्यों में बहुत भिन्न होते हैं । महाराष्ट्र और गुजरात में गेहूं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता मूल्य सबसे ऊंचे हैं और तमिलनाडु में चावल के मूल्य सबसे नीचे (सारणी 4.13) हैं । उन राज्यों में जहां खाद्यान्नों के उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम हैं, उदाहरण के लिए तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश, राज्य सरकारें स्पष्टतया अतिरिक्त आर्थिक सहायता वहन करती हैं ।

कृषि मूल्य समर्थन और खाद्य सुरक्षा नीति

39. सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य जनता को वहन करने योग्य मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो दूसरे विश्व युद्ध से देश में विद्यमान थी इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है । चावल और गेहूं देश की खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल सिद्धांत का गठन करते हैं । इन अनाजों और कुछ सीमित मात्रा में मोटे अनाजों की वसूली मूलभूत खाद्य की उपलब्धता और मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप का मुख्य हिस्सा है । अनाज की ऐसे मूल्य पर घरेलू खरीद से खाद्यान्नों के अपेक्षित भंडारण और अनुरक्षण तथा वसूली द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है जो कृषि के समर्थन मूल्य के रूप में भी काम करती है जो आगे चलकर देश की कृषि मूल्य नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व बनता है ।

सारणी 4.13

1 फरवरी, 1994 से लागू चावल और गेहूं के राज्यवार उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुदरा मूल्य

(रुपए/क्विंटल)

केन्द्र राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल						गेहूं	
	सामान्य		अच्छा		बहुत अच्छा			
	(केन्द्रीय निर्गम मूल्य 537 रुपए)		(केन्द्रीय निर्गम मूल्य 617 रुपए)		(केन्द्रीय निर्गम मूल्य 648 रुपए)		(केन्द्रीय निर्गम मूल्य 402 रुपए)	
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुदरा मूल्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय निर्गम मूल्य की प्रतिशत वृद्धि	सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुदरा मूल्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय निर्गम मूल्य की प्रतिशत वृद्धि	सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुदरा मूल्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय निर्गम मूल्य की प्रतिशत वृद्धि	सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुदरा मूल्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय निर्गम मूल्य की प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम								
गुजरात	660	22.9	760	23.2	800	23.5	490	21.9
महाराष्ट्र	660	22.9	750	21.6	790	21.9	500	24.4
मध्य प्रदेश	600	11.7	680	10.2	715	10.3	460	14.4
गोआ	570	6.1	655	6.2	685	5.7	430	7.0
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	415	3.2
दक्षिण								
केरल	575	7.1	656	6.3	687	6.0	438	9.0
तमिलनाडु	350	−34.8	475	−23.0	475	−26.7	450	11.9
पांडिचेरी	555	3.4	635	2.9	665	2.6	427	6.2
कर्नाटक	595	10.8	675	9.4	705	8.8	—	—
आंध्र प्रदेश (पिंक कार्ड) तू	675	25.7	—	—	—	—	—	—
(व्हाईट कार्ड)	350	350	—	—	—	—	—	—
(होटल/एस. बैल)	265	−51.0	—	—	—	—	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	660	22.9	740	19.9	775	19.6	500	24.4
उत्तर								
हरियाणा	—	—	—	—	692	6.8	422	5.0
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	745	15.0	432	7.5
जम्मू व कश्मीर (सा.वि.प्र.)	560	−4.3	605	−1.9	665−725	2.6-11.9	432−437	7.5−8.7
(न. सा. वि. प्र.)	512	−4.7	—	—	623	−3.9	377	−6.2
पंजाब	—	—	—	—	679	4.8	405	0.7
राजस्थान	490	−8.8	670	8.6	700	8.0	445	10.7
उत्तर प्रदेश	600	11.7	690	11.8	721	11.3	450	11.9
दिल्ली	473	−11.9	657	6.5	690	6.5	427	6.2
चण्डीगढ़	—	—	—	—	685	5.7	451	12.2
पूर्व								
बिहार	608	13.2	690	11.8	726	12.0	458	13.2
उड़ीसा	622	15.8	709	14.9	743	14.7	455	13.2
प. बंगाल	590	9.9	680	10.2	715	10.3	455	13.2
सिक्किम	600	11.7	—	—	708	9.3	435	8.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर-पूर्व								
असम	605	12.7	693	12.3	736	12.0	—	—
अरुणाचल प्रदेश (न.सा.वि.प्र.)	487	−9.3	567	−8.1	598	−7.7	352	−12.4
मणिपुर	600	11.7	636	11.2	720	11.1	—	—
मेघालय (न.सा.वि.प्र.)	540	0.6	620	0.5	650	0.3	—	—
नागालैंड (न.सा.वि.प्र.)	512	−4.7	592	−4.1	623	−3.9	377	−6.2
त्रिपुरा (न.सा.वि.प्र.)	590	9.9	670	8.6	700	8.0	455	13.2
मिजोरम (न.सा.वि.प्र.)	512	−4.7	592	−4.1	623	−3.9	—	—

40. कृषि मूल्य नीति के साधन के रूप में सरकार के वसूली अभियानों का इरादा किसान को मानक पारिश्रमिक आय मूल्य उपलब्ध कराना और फसल के समय मूल्यों में भारी गिरावट को रोकना है। दूसरे शब्दों में वसूली मूल्य मूल्यों में अनिश्चितता के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक कवच का काम करते हैं जिससे किसान को उत्पादकता सुधारने और विभिन्न फसलों के बीच संसाधनों के औचित्यपूर्ण पुनः आवंटन हेतु निरन्तर प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है । इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार की आपूर्ति में स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं।

41. न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसकी सिफारिशें उत्पादन की लागत और अन्य संबद्ध उपादानों की जांच पर आधारित होती है । कृषि लागत और मूल्य आयोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है । यह चना, अरहर, मूंग और उड़द इन चार दालों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, रेपसीड/सरसों, कुसुम, तोरिया और नारियल नामक सात तिलहनों के मूल्यों की सिफारिश करता है । यह कपास, पटसन, गन्ना और तम्बाकू (सारणी 4.14) जैसी चार अखाद्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है ।

42. सरकार द्वारा घोषित वसूली मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य भंडारण के लिए पुनः पूर्ति की आवश्यकताओं का सरकार को ध्यान दिलाने तथा खुले बाजार में मूल्यों के व्यवहार पर आधारित होते हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के वसूली मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई । (सारणी 4.14) । गेहूं की अप्रैल 1995 (1994-95 की फसल के लिए) में आने वाली फसल के वसूली मूल्य 360 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं जिसमें 1993-94 में 2.9 प्रतिशत की संतुलित वृद्धि हुई । तथापि अप्रैल 1992 की तुलना में जब वसूली मूल्य 280 रुपए प्रति क्विंटल था, अप्रैल 1995 में वसूली मूल्य 360 रुपए प्रति क्विंटल, 29 प्रतिशत अधिक है । धान का समर्थन मूल्य साधारण, अच्छी और बहुत अच्छी इन तीन किस्मों के लिए घोषित किया जाता है । 1994-95 (अक्तूबर 1994 से सितम्बर 1995 तक) के मौसम के लिए साधारण धान का वसूली मूल्य 1993-94 के मौसम में 310 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था जो 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । अच्छी किस्म का मूल्य 330 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए और बहुत अच्छी किस्म का पिछले वर्ष के 350 से बढ़ाकर 380 रुपए कर दिया गया था । वर्ष 1994-95 में कुल मिलाकर खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के बीच बढ़ा है । गन्ने के मामले में यह वृद्धि 13.3 प्रतिशत और एच-4 कपास में 14.3 प्रतिशत (सारणी 4.14) थी ।

सारणी 4.14

वसूली और न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष आधार)

(रु. प्रति क्विंटल)

वस्तु	कीमतों का प्रकार	किस्म	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	% वृद्धि 1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. धान	व.	सामान्य	205	230	270	310	340	9.7
		बढ़िया	215	240	280	330	360	9.1
		बहुत बढ़िया	225	250	290	350	380	8.6
2. मोटा अनाज	व.	अ.औ. स्तर	180	205	240	260	280	7.7
3. मक्का	व.	अ.औ. स्तर	180	210	245	265	290	9.4
4. गेहूं	व.	अ.औ. स्तर	225	275[1]	330[1]	350	360	2.9
5. जौ	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	200	210	260	275	285	3.6

1		2	3	4	5	6	7	8	9
6. चना	.	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	450	500	600	640	670	4.7
7. अरहर	. .	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	480	545	640	700	760	8.6
8. मूंग	. .	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	480	545	640	700	760	8.6
9. उड़द	. .	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	480	545	640	700	760	8.6
10. गन्ना	.	सांविधिक समर्थन मूल्य	आ.औ. स्तर	23	26	31	34.5	39.1[5]	13.3
11. कपास	. .	न्यूनतम समर्थन मूल्य	एफ-414/एच-777	620	695	800	900	1000	11.1
		न्यूनतम समर्थन मूल्य	एच-4	750	840	950	1050	1200	14.3
12. मूंगफली	. .	न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	580	645	750	800	860	7.5
13. जूट		न्यूनतम समर्थन मूल्य	टीडी-5 ग्रेड	320	375	400	450	470	4.4
14. तोरिया और सरसों		सांविधिक समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	600	670	760	810	830	2.5
15. सूरजमुखी		न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	600	670	800	850	900	5.9
16. सोयाबीन		न्यूनतम समर्थन मूल्य	काला	350	395	475	525	570	8.6
			पीला	400	445	525	580	625	7.8
17. कुसुम		न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	575	640	720	760	780	2.6
18. तोरिया		न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	570	645	735	—		
19. तम्बाकू		न्यूनतम समर्थन मूल्य	बी एफ सी एफ-2	13250[3]	1475[3]	16004	—	1850[3]	
20. नारियल (मिलिंग)		न्यूनतम समर्थन मूल्य	एल-2	1425[4]	1600[4]	17504	—	2100[4]	
21. कोपरा गिरि		न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	1600[5]	3700[6]	—	—	2350	
		न्यूनतम समर्थन मूल्य	अ.औ. स्तर	1850	—	—	—	2575	

व.—वसूली कीमत, अ.औ. स्तर—अच्छा औसत स्तर

न्यून=न्यूनतम समर्थन मूल्य सां. सम मूल्य—सांविधिक समर्थन मूल्य

25.00 रुपए प्रति क्विंटल का एक केन्द्रीय बोनस शामिल है।

ये कीमतें उस स्तर से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत के लिए आनुपातिक मूल्य के साथ 8.5 प्रतिशत की आधारभूत वसूली से संबंधित है।

काली मिट्टी हल्की मिट्टी कैलेण्डर वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए (–) घोषणा नहीं हुई।

ये कीमतें 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध हैं लेकिन उस स्तर से ऊपर 10 प्रतिशत तक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि—के लिए 0.46 रुपए का प्रीमियम और 10 प्रतिशत से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बिन्दु के लिए 0.60 रुपए का प्रीमियम शामिल होगा।

कृषि और उद्योग के मूल्य में सापेक्ष घटबढ़

43. विनिर्मित उत्पादों के मूल्य के अनुपात में कृषि के मूल्य विशेष रूप से 1991-92 से कृषि क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल झुकाव दर्शाते हैं। विनिर्मित उत्पादों के मूल्य सूचकांक कृषि मूल्य सूचकांक का अनुपात इस वित्तीय वर्ष (अगस्त तक) में 113.1 था जो पिछले वर्ष के वार्षिक औसत 111.8 से थोड़ा अधिक (सारणी 4.15) था। सरकार की कृषि मूल्य नीति ने पहले की उद्योग का पक्ष लेने वाली पक्षपात पूर्ण नीति को सुधारने का प्रयास किया है और इस प्रकार कृषि संबंधी उत्पादकों के लिए अधिक अनुकूल व्यापार क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है।

सारणी 4.15

विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्यों की तुलना में कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1981–82=100)

वर्ष	थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक	कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक[1]	विनिर्मित उत्पादों का मूल्य सूचकांक	विनिर्माण मूल्यों का कृषि मूल्यों से प्रतिशत
वजन	100.00	27.47	57.04	(कालम 3/ कालम 4) × 100)
1	2	3	4	5
1982-83	104.9	107.3	103.5	103.7
1983-84	112.8	121.4	109.8	110.6
1984-85	120.1	129.2	117.5	109.9
1985-86	125.4	129.1	124.4	103.8
1986-87	132.7	142.8	129.2	110.5
1987-88	143.6	161.8	138.5	116.8
1988-89	154.3	170.9	151.6	112.7
1989-90	165.7	174.4	168.6	103.5
1990-91	182.7	198.3	182.8	108.5
1991-92	207.8	236.8	203.4	116.4
1992-93	228.7	255.5	225.6	113.2
1993-94	247.8	271.4	243.2	111.6
1994-95[2]	271.0	303.0	264.9	114.4

1 उप-समूहों का मिश्रित सूचकांक—खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ

2 अप्रैल—दिसम्बर 1994 की वार्षिक औसत

स्रोत=आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

दृष्टिकोण

44. इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर लगभग 11 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो 1993-94 के अन्त में दर्ज की गई मुद्रास्फीति के लगभग समान है। वर्ष 1994-95 की पहली तिमाही में जिन कारणों से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा वे ज्यों-ज्यों वर्ष आगे बढ़ा उनमें न्यूनाधिक नरमी आई परन्तु वर्ष की प्रथम छमाही में मौद्रिक संचय में बढ़ोतरी से अक्तूबर के आखिर तक मुद्रास्फीति के नए दबाव उत्पन्न हुए। यही एक कारण है कि क्यों इस वर्ष की मुद्रास्फीति 1993-94 की स्थिति की तुलना में कई वस्तुओं में अधिक सामान्य रही।

45. आपूर्ति की दिशा में, संचित भारी लोक भण्डार और उच्च विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार द्वारा प्रोत्साहित उदारीकृत आयात नीति से खुले बाजार की अपनी नीति के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों जैसी विशेष रूप से मुख्य आवश्यक वस्तुओं में अनिश्चित दबावों के नियंत्रण के लिए युक्ति-चालनीयता का सरकार के पास पर्याप्त कार्यक्षेत्र है। वस्तुओं के उदार आयातों के माध्यम से घरेलू आपूर्तियों की अनुपूर्ति किए जाने की सरकार की नीति जारी रहेगी, जिसमें घरेलू उत्पादन अपर्याप्त है। अधिक सक्रिय उपभोक्ता प्रवृत्ति से युक्त उदार आयात घरेलू उत्पादों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली एकाधिकारी और सीमित उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों का सामना किए जाने में पर्याप्त भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मांग पक्ष में, सरकार को राजकोषीय घाटों और मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए।

अध्याय 5

वैदेशिक क्षेत्र

वर्ष 1993-94 में भारत के वैदेशिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया । इस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां मार्च, 1993 के अंत में 6.4 बिलियन अमरीकी डालर से मार्च, 1994 के अंत में 15.1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़कर दुगुने से अधिक हो गई । प्रारक्षित निधि में अत्यधिक संग्रहण चालू खाते में उल्लेखनीय सुधार और पूंजी खाते में निजी पूंजी प्रवाह में वृद्धि के कारण हुआ था । वर्ष 1993-94 में व्यापार और भुगतान नीतियों में हुए सुधार का निर्यात पर प्रभाव पड़ा जिससे निर्यातों में डालर के रूप में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अदृश्य खाते में अधिशेष दुगुना हो गया । चालू खाते का घाटा वर्ष 1990-91 में लगभग 10 बिलियन डालर की तुलना में घटकर 315 मिलियन डालर हो गया । पूंजी खाते को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेशों में तीव्र वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ था जो वर्ष 1992-93 में 600 मिलियन अमरीकी डालर से भी कम से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 4 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक हो गया ।

2. वर्ष 1994-95 में भुगतान संतुलन की स्थिति और सुदृढ़ हुई है । विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार में संग्रहण जो जनवरी, 1995 के अंत में 19.6 बिलियन डालर के स्तर पर पहुंच गया था, उसी गति पर बना रहा जैसा कि वर्ष 1993-94 के उत्तरार्द्ध में था । यह संग्रहण चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों में तेल-भिन्न आयातों में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि की तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद हुआ था और यह मुख्य रूप से ऋण-भिन्न सृजनकारी पूंजी के लगातार सुदृढ़ प्रवाह का परिणाम था । बकाया विदेशी ऋण मार्च, 1994 के अंत में 90.7 बिलियन अमरीकी डालर से थोड़ा घटकर सितम्बर, 1994 के अंत में 90.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया । भुगतान संतुलन की लगातार सुदृढ़ता ने देश के चालू खाते की परिवर्तनीयता में सफल संक्रमण को मजबूत किया । वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुच्छेद–8 के अन्तर्गत अगस्त, 1994 में दायित्व ग्रहण किया ।

3. पूंजी अन्तर्प्रवाहों में वृद्धि, जो प्रारक्षित भण्डार में त्वरित संग्रहण का मुख्य कारण था, ने भी वृहत् आर्थिक दायित्व बनाए रखने के लिए नई नीतिगत चुनौतियां उत्पन्न कीं । वर्ष 1993-94 के उत्तरार्द्ध और वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में विदेशी मुद्रा आस्तियों में पर्याप्त वृद्धि ने मौद्रिक प्रसार में योगदान दिया जिससे कीमतें प्रभावित हुई हैं । अन्य कारकों ने भी भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों की तुलना में अधिक दर पर मुद्रास्फीति बढ़ाई । इसके परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि हुई है । सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में वृद्धि अक्तूबर, 1994 से स्थिर रही है और इसने मौद्रिक प्रसार को नियंत्रित रखने में सहायता की है ।

4. हाल की घटनाएं बहुत उत्साहवर्धक रही हैं और भारत के भुगतान संतुलन की अल्पावधिक संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं । परन्तु वर्ष 1993-94 और 1994-95 में विदेशी भुगतान की स्थिति में काफी सुधार के बावजूद, निर्यात बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संभावित दीर्घावधिक प्रवाहों को आकर्षित करने में हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं की जा सकती ।

भुगतान संतुलन

5. भारत के वैदेशिक क्षेत्र में हाल की घटनाएं विदेशी मुद्रा-बाधित नियंत्रण व्यवस्था में एक अधिक मुक्त, बाजार-प्रचालित और उदारीकृत अर्थव्यवस्था में अंतरण प्रदर्शित करती है । इसे देश के भुगतान संतुलन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा सुसाध्य बना दिया गया है । इस परिवर्तन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता निर्यात अर्जन द्वारा आयातों को पूरा करने में तीव्र वृद्धि रही है (सारणी 5.1 और चित्र 5.1) । अस्सी के दशक के प्रारंभ में पूरा करने का यह अनुपात केवल 52.4 प्रतिशत था और इससे काफी अधिक व्यापार घाटा हुआ । यह पिछले दशक के अंत तक सुधर कर लगभग 70 प्रतिशत हो गया था । जैसा कि सारणी 5.1 से स्पष्ट है, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात अर्जन औसतन आयात मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत हुआ है । अदृश्य खाते में हुए सुधार के साथ मिलकर निर्यात-आयात अनुपात में यह सुस्पष्ट वृद्धि-चालू खाते के घाटे में तीव्र कमी के कारण हुई है, जो सकल घरेलू उत्पाद (और 1990-91 में अधिक से अधिक 3.3 प्रतिशत) के 2 प्रतिशत से अधिक के असतत स्तर से कम होकर पिछले वर्ष आधे प्रतिशत से भी कम हो गया है (चित्र 5.2 और 5.3) ।

सारणी 5.1

भुगतान संतुलन की चयनित मदों का अनुपात

(1)	1980-81 (2)	1985-86 (3)	1986-87 (4)	1987-88 (5)	1988-89 (6)	1989-90 (7)	1990-91 (8)	1991-92 (9)	1992-93 (10)	1993-94 (11)
1. निर्यात/आयात (प्रतिशत)	52.4	54.7	58.7	63.8	60.4	69.5	66.2	86.7	81.2	94.6
2. चालू खाता/स. घ. उ. (प्रतिशत)	−1.6	−2.3	−2.0	−1.9	−2.6	−2.0	−3.3	−0.4	−1.8	−0.1
3. चालू खाते का घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)	2095	4845	4563	4853	7996	6837	9680	1178	3526	315
4. वि. वा. उ./कु. पूं. प्र. (प्रतिशत)	10.9	25.2	48.1	20.1	36.7	31.8	26.8	30.6	−8.4	9.1
5. अनिवासी भारतीय जमा/कु. पूं. (प्रतिशत)	9.7	38.2	31.6	29.3	31.3	26.2	18.3	6.1	47.0	10.2
6. विदेशी सहायता/कु. पूं. (प्रतिशत)	60.9	36.2	34.6	46.9	36.7	33.2	26.3	63.9	43.7	18.5
7. चालू प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ऋण संबंधी अदायगियां	10.2	18.7	24.8	26.8	26.5	31.8	32.3	29.8	30.3	24.8

टिप्पणी :

(1) कु. पूं. प्र. – कुल पूंजी प्रवाह (निवल)

(2) स. घ. उ. – सकल घरेलू उत्पाद

(3) वि. वा. उ. – विदेशी वाणिज्यिक उधार

(4) चूंकि कुल पूंजी प्रवाहों को कुछ बहिर्प्रवाहों को हिसाब में लेने के बाद घटाया जाता है, कुल मामलों में मद सं० 4, 5, और 6 के लिए अनुपात 100 से भी अधिक हो सकते हैं।

(5) वर्ष 1980-81, 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के लिए ऋण शोधन संबंधी अदायगियों में रक्षा ऋण शामिल नहीं हैं।

चित्र 5.1 आयातों के प्रतिशत के रूप में निर्यात

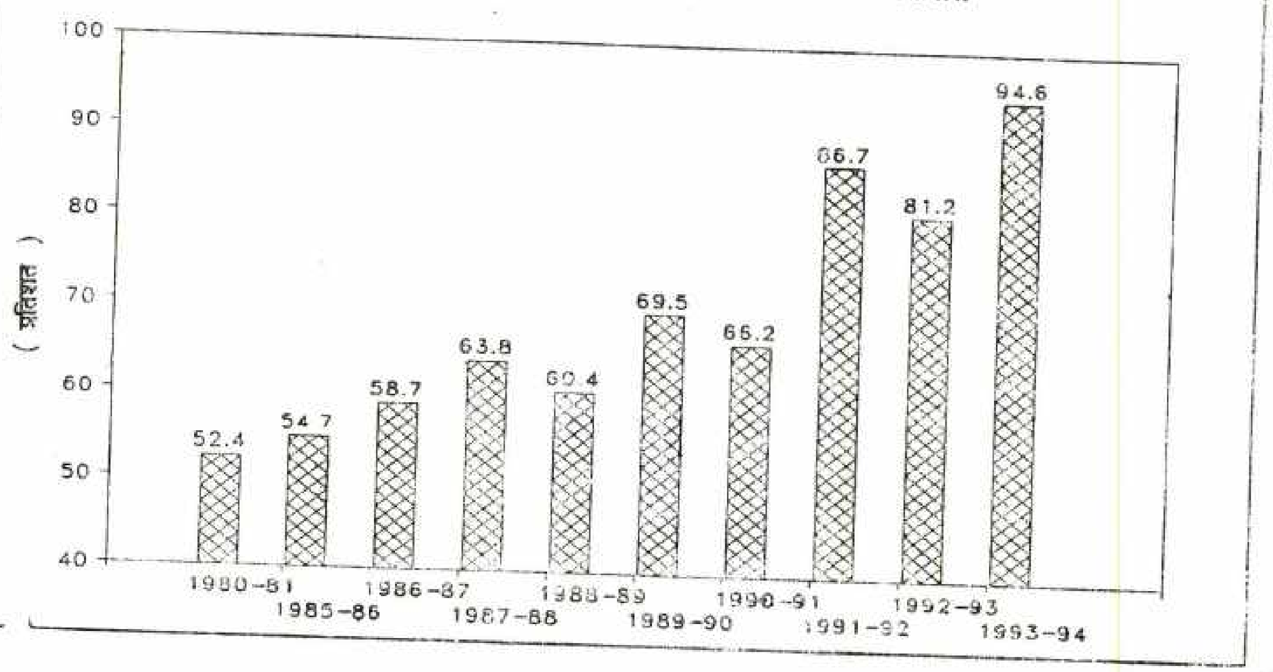

5.2 चालू खाते का घाटा

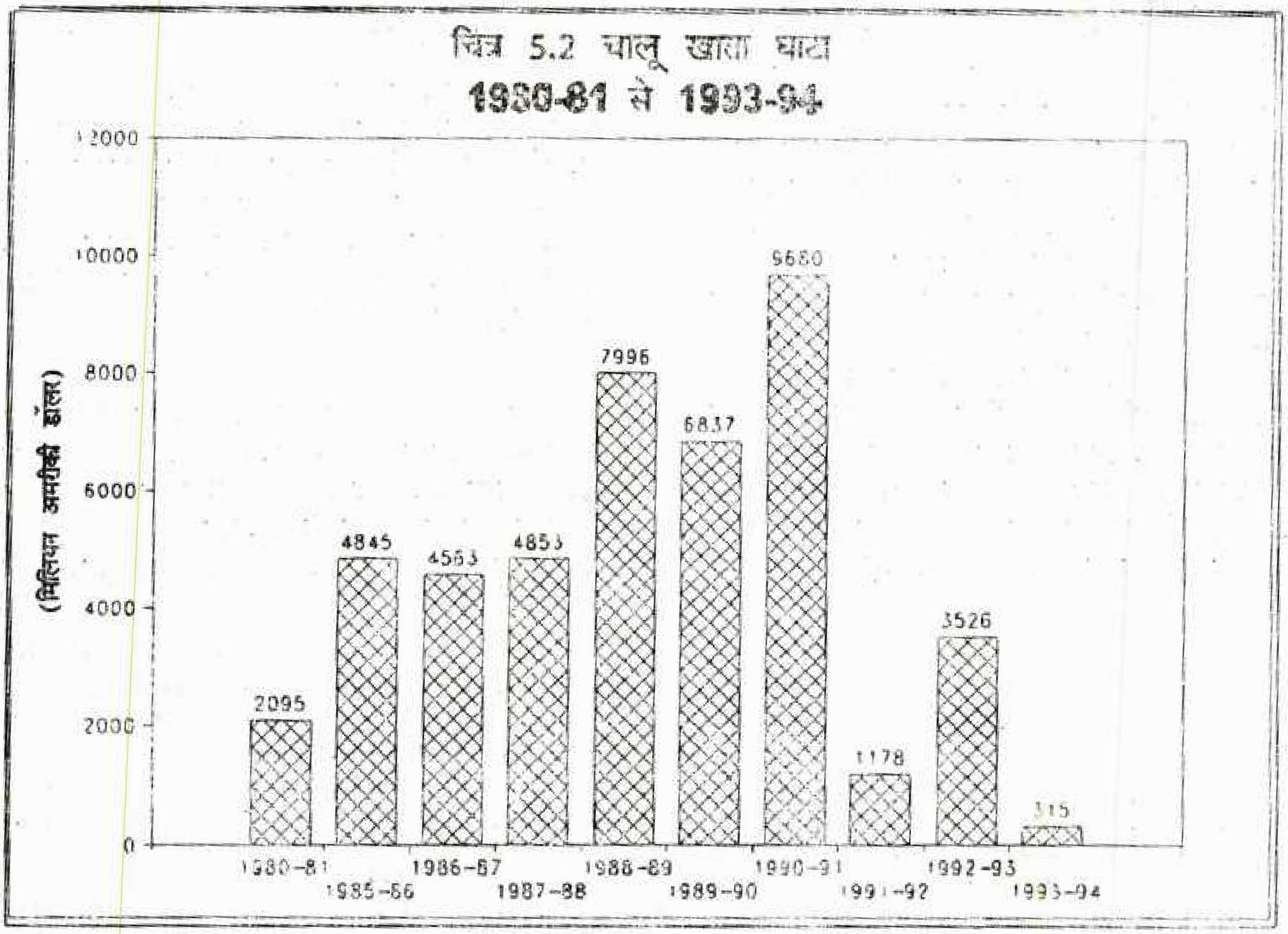
चित्र 5.2 चालू खाता घाटा
1980-81 से 1993-94
(मिलियन अमरीकी डॉलर)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2095
4845
4563
4853
7996
6837
9680
1178
3526
315
1980-81
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94

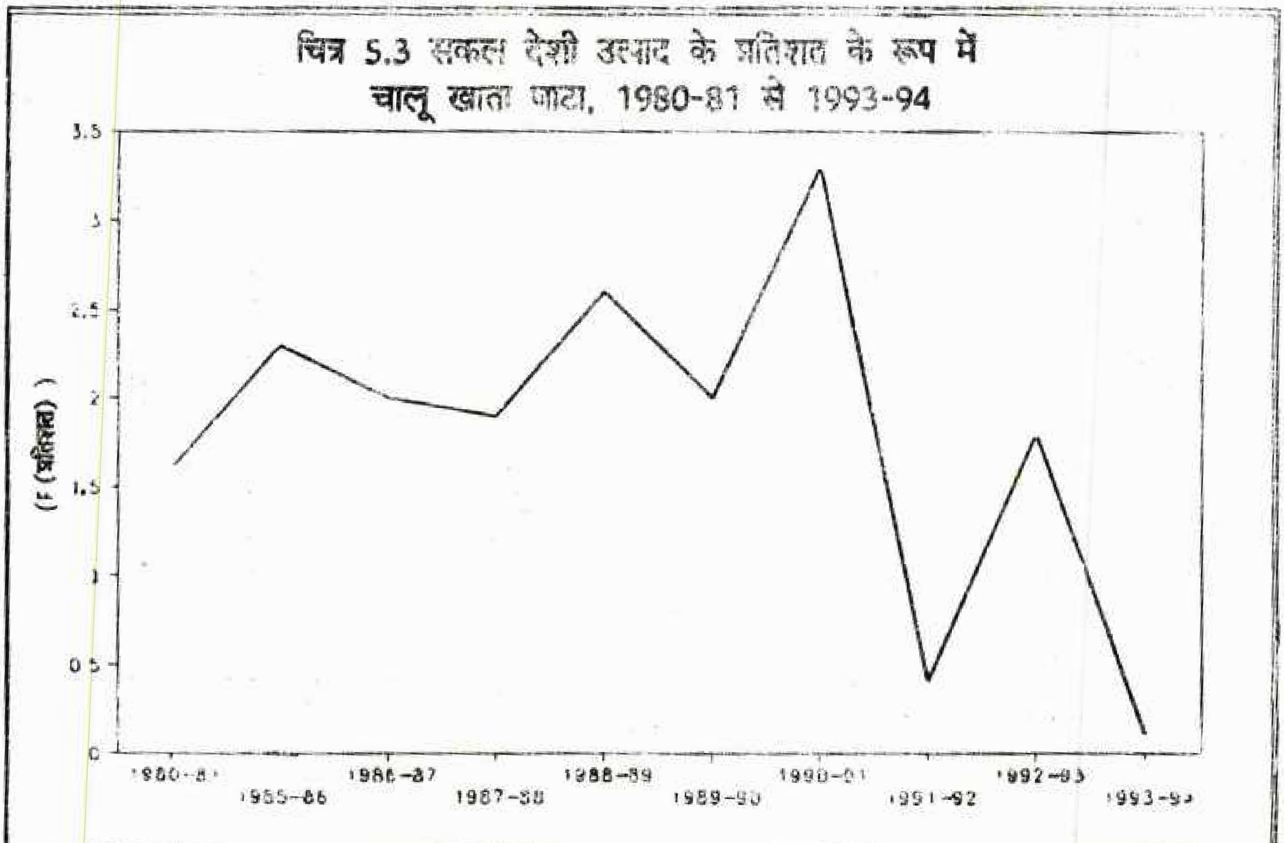
चित्र 5.3 सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
चालू खाता घाटा, 1980-81 से 1993-94
(प्रतिशत)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1980-81
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94

6. सारणी 5.1 यह भी दर्शाती है कि विदेशी सहायता और विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर देश की निर्भरता उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। यह विशेषकर विदेशी सहायता के लिए सत्य है, जो अस्सी के दशक में बहुत अधिक ऊंचे स्तर की तुलना में निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों के 20 प्रतिशत से भी कम था। यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण करने में विदेशी सहायता की भूमिका और भी कम होगी। सारणी 5.1 स्पष्टतया आठवें दशक के उत्तरार्ध के दौरान चालू खाते के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए वाणिज्यिक उधारों पर अत्यधिक निर्भरता दर्शाती है, जब यह देश के कुल पूंजी अतर्प्रवाहों के 25 प्रतिशत से भी अधिक था। इसे अब वर्ष 1993-94 के लिए 9.1 प्रतिशत के अधिक युक्तिसंगत स्तरों तक लाया गया है और इसका लाभ आने वाले वर्षों में अपेक्षाकृत निम्न ऋण-अदायगी अनुपातों के रूप में प्राप्त होगा। जैसा कि सारणी 5.2 से देखा जा सकता है, ऋण अदायगी अनुपात में भी पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है, जो वर्ष 1990-91 में 32.3 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1992-93 में 30.3 प्रतिशत और वर्ष 1993-94 में और कम होकर 24.8 प्रतिशत हो गई।

7. इस प्रकार अर्थव्यवस्था पिछले चार वर्षों के दौरान अधिक स्थायी और अविच्छिन्न भुगतान संतुलन की स्थिति की ओर अग्रसर हुई है। जैसा कि सरकार द्वारा अनुमान किया गया था और कुछ तबकों में व्यक्त की गई आशंकाओं के विपरीत व्यापार उदारीकरण और बाजार निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था में अन्तरण का देश के भुगतान संतुलन की स्थिति पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

चालू खाता

8. वर्ष 1992-93 में व्यापार घाटे में होने वाली लगभग 4.4 बिलियन डालर से लेकर वर्ष 1993-94 में लगभग 1.3 बिलियन डालर तक की तीव्र गिरावट वर्ष 1993-94 के दौरान भुगतान संतुलन में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक था (सारणी 5.1)। ऐसा क्रमशः निर्यातों में

सारणी 5.2

भुगतान संतुलन : मुख्य संकेतक

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1990–91 (प्रा. अ.)	1991–92 (प्रा. अ.)	1992–93 (प्रा. अ.)	1993–94 (तु. अ.)	अप्रैल—सितंबर 1993	तु. अ. 1994
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निर्यात	18477	18266	18869	22700	10590	11853
2. आयात	27914	21064	23237	23985	11436	13385
जिसमें से : पेट्रोल, तेल और स्नेहक	6028	5364	6100	5653	3045	2652
3. **व्यापार शेष**	**−9437**	**−2798**	**−4368**	**−1285**	**−846**	**−1532**
4. अदृश्य (निवल)	−243	1620	842	970	−92	1096
कारक-भिन्न (सेवाएं	979	1207	1128	777	उ. न.	उ. न.
निवेश आय	−3752	−3830	−3422	−4002	उ. न.	उ. न.
निजी अन्तरण	2069	3783	2773	3325	उ. न.	उ. न.
अनुदान	461	460	363	370	उ. न.	उ. न.
5. **चालू खाता**	**−9680**	**−1178**	**−3536**	**−315**	**−938**	**−436**
6. विदेशी सहायता (निवल)	2210	3037	1859	1700	48	281
7. वाणिज्यिक उधार (निवल)	2249	1451	−358	839	254	−302
8. अं. मु. को. (निवल)	1214	786	1288	191	236	—1134
9. अनिवासी जमा (निवल)	1536	290	2001	940	657	536
10. रुपया ऋण शोधन	−1193	−1240	−878	−745	−690	−650
11. विदेशी निवेश	68	154	585	4110	608	2586
जिसमें से :						
(i) डी. एफ. आई.	68	154	344	620	299	466
(ii) एफ. आई. आई.	0	0	1	1665	240	1017
(iii) यूरो–इक्विटी	0	0	240	1460	69	903
12. अन्य प्रवाह[2]	2318	271	−243	2148	1018	2441
13. पूंजी खाता जोड़ (निवल)	8402	4754	4254	9183	2131	3758
14. प्रारक्षित भंडार प्रयोग	1278	−3576	−728	−8868	−1192	−3322
स्थापित मदें	(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)					
निर्यात	6.2	7.3	7.8	9.1		
आयात	9.4	8.4	9.8	9.6		
व्यापार शेष	−3.2	−1.1	−2.0	−0.5		
अदृश्य शेष	−0.1	0.7	0.2	0.4		
चालू खाता शेष	−3.3	−0.4	−1.8	−0.1		

प्रा. अ. = प्रारंभिक आंकड़े, तु. अ. = तुरन्त अनुमान उ० न० = उपलब्ध नहीं

1. इसमें भारत विकास बांड शामिल है।

2. इसमें त्रुटियां तथा विलंबित निर्यात प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 1992-93 के लिए इसमें उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली (एल ई आर एम एस) के अंतर्गत लागू दोहरे विनिमय दरों से उत्पन्न होने वाली त्रुटियां भी शामिल हैं।

अपवादस्वरूप होने वाले अच्छे निष्पादन के कारण हुआ, जिसमें डालर के हिसाब से 20.3 प्रतिशत की वृद्धि और आयातों में 3.2 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में व्यापार घाटा वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध के लगभग 850 मिलियन डालर से बढ़कर 1.5 बिलियन डालर हो गया है। यह 11.9 प्रतिशत (वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध में 21.4 प्रतिशत) की कम निर्यात वृद्धि और 17.0 प्रतिशत (वर्ष 1993-94 के पूर्वार्ध में 3.5 प्रतिशत की गिरावट) की उच्च आयात वृद्धि के कारण है। इन प्रवृत्तियों से पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 में अधिक व्यापार घाटा होने का अनुमान है।

9. देश के भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय घटना वर्ष 1991-92 से अदृश्य खाते में सुधार की रही है। वर्ष 1990-91 में अदृश्य खाते में घाटे को वर्ष 1991-92 में लगभग 1.6 बिलियन डालर के अधिशेष में रूपान्तरित किया गया और परवर्ती वर्षों में अदृश्य खाता अधिशेष में बना रहा। यह प्राथमिक तौर पर गैर-कानूनी (हवाला) माध्यमों से हटकर निजी अंतरणों को बैंकिंग माध्यमों में अंतरित करने के कारण हुई है, जिसे अब पर्याप्त रूप से आकर्षक और सुरक्षित माना जाता है। वर्ष 1992-93 से पर्यटकों से होने वाली आय भी बढ़ी है। निजी अंतरणों और पर्यटकों से होने वाली आय में सुधार वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में जारी रहा और इससे यात्रा को छोड़कर निवेश आय संबंधी भुगतानों और कारक-भिन्न सेवाओं के कारण अधिक बहिर्प्रवाहों के लिए क्षतिपूर्ति भी अधिक हुई। कुल मिलाकर अदृश्य प्राप्तियों में अप्रैल-सितम्बर, 1993 के दौरान हुए लगभग 90 मिलियन डालर के संतुलित घाटे के विपरीत अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान लगभग 1.1 बिलियन डालर का अधिशेष दर्ज किया गया है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप चालू खाते के घाटे में अप्रैल–सितम्बर, 1993 की तुलना में इस वर्ष के पूर्वार्ध में कमी हुई। वर्तमान वर्ष का लगभग 1 बिलियन डालर के चालू खाते के घाटे से समाप्त होना अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग आधा प्रतिशत होगा और इससे वित्तपोषण संबंधी कोई समस्या उपस्थित नहीं होगी।

पूंजी खाता

10. भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में अब संरचनात्मक अंतरण होने जा रहा है। कुल पूंजी अंतर्प्रवाहों में रियायती और वाणिज्यिक ऋण-सृजनकारी प्रवाहों का हिस्सा कम हो रहा है। इसे ऋण-भिन्न सृजनकारी विदेशी निवेश अंतर्प्रवाहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति जो पहली बार 1993-94 में देखी गई थी, चालू वर्ष में और सुदृढ़ हो गई।

विदेशी सहायता

11. बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों प्रकार की विदेशी सहायता (अनुदानों को छोड़कर) के कारण होने वाली 3.5 बिलियन डालर की सकल प्राप्तियां वर्ष 1992-93 के स्तर से कुछ अधिक थी। तथापि, देश के विदेशी वित्त संबंधी अंतर का वित्तपोषण करने में उनके अंशदान में कुछ वर्षों से गिरावट आई है। कुल निवल विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह में निवल विदेशी सहायता का हिस्सा वर्ष 1980-81 के 61 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1990-91 में 26 प्रतिशत हो गया। भुगतान संतुलन के संकट को पूरा करने के लिए इस वर्ष में मुख्यतः आपवादिक वित्त की अत्यधिक उपलब्धता के कारण वर्ष 1991-92 में इसके शेयर में 64 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, भी यह हिस्सा उसके बाद पुनः घट गया और वर्ष 1993-94 में यह 20 प्रतिशत से कम था।

12. चालू वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान किया गया 1.2 बिलियन डालर का सकल संवितरण पिछले वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान हुए 850 मिलियन डालर के संवितरण की तुलना में अधिक है। अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान हुआ 281 मिलियन डालर का निवल संवितरण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 48 मिलियन डालर के संवितरण से काफी अधिक रहा है। हाल के पिछले कुछ समय में विदेशी सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें राज्य सरकारों को अग्रिम तौर पर निधियां जारी करना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले ऋणों में मध्यस्थता को समाप्त करना, उच्च-स्तरीय कार्य दल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संविदा प्रदान करने और अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यविधि को सरल और कारगर बनाना, परियोजना अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में एक परियोजना प्रबंध इकाई (पी०एम०यू०) का गठन करना और पोर्टफोलियो युक्तिकरण के लिए कई उपाय करना शामिल है। इन उपायों का परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा। तथापि, संवितरण अनुपात बाधाएं अत्यन्त जटिल हैं और इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही स्तर पर और आयोजना परिव्यय आबंटित करने के तौर-तरीकों में कुछ बड़े प्रयास करने होंगे। इन मुद्दों पर अब ध्यान दिया गया है। तथापि, संवितरण अनुपात में वर्ष 1992-93 के 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि से लेकर 1993-94 में 12 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध में और वृद्धि द्वारा कुछ प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई दिए हैं।

13. भारत सहायता परिसंघ को भारत विकास मंच (आई.डी.एफ.) में परिवर्तित कर दिया गया था और निजी निवेशकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों में निजी विदेशी निवेशों के बढ़ते हुए महत्व और ऐसे प्रवाहों को आकर्षित करने के लिए भारत की बढ़ी हुई क्षमता को देखते हुए भारत विकास मंच की 30 जून-पहली जुलाई, 1994

के दौरान हुई बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था । बैठक ने भारत की वैदेशिक स्थिति में सुधार और आपातकालीन सहायता की आवश्यकताओं में समतुल्य कमी का अवलोकन किया । भारत विकास मंच ने कुल 6 बिलियन डालर मूल्य की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता का वचन दिया जिसमें से 2.4 बिलियन डालर अनुदान अथवा कम ब्याज वाले ऋणों में था। यह पिछले वर्ष की 7.4 बिलियन डालर की राशि से कम था, जिसमें 2.2 बिलियन डालर की राशि कम ब्याज और लम्बी परिपक्वता वाली उदार शर्तों पर दी गई थी। रियायती संघटक में सुधार के साथ कुल मात्रा में कमी कुल सहायता की घटी हुई आवश्यकता और ऋण प्रवाहों की गुणवत्ता के अनवरत महत्व की मान्यता प्रदर्शित करती है।

विदेशी वाणिज्यिक उधार

14. पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता विदेशी ऋणग्रस्तता पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना रहा है। विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) की नीति सावधानीपूर्वक कुल विदेशी ऋणग्रस्तता को विवेकपूर्ण सीमा में बनाए रखने के लिए चिह्नांकित की गई है। इस नीति से लाभ प्राप्त हुए हैं और भारत का ऋण संबंधी दर्जा सुधरा है। जापान बांड अनुसंधान संस्थान (जे. बी. आर. आई.) ने मार्च, 1994 में भारत को निवेश श्रेणी में उन्नयित कर दिया, जिसके बाद मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, सं. रा. अ ने दिसम्बर, 1994 में ऐसी ही कार्रवाई की।

15. वर्ष 1993-94 के दौरान, विदेशी वाणिज्यिक उधारों का सकल संवितरण अथवा अंतर्प्रवाह वर्ष 1992-93 के दौरान 1.2 बिलियन डालर की तुलना में तेजी से बढ़कर 2.9 बिलियन डालर हो गया । इसमें निजी भारतीय निगमित कंपनियों द्वारा 915 मिलियन डालर के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों का निर्गमन शामिल है, जिसे बाद में इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। निवल रूप में वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधार वर्ष 1992-93 के दौरान 358 मिलियन डालर के बहिर्प्रवाह के विपरीत 839 मिलियन डालर था । वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 254 मिलियन डालर के निवल अंतर्प्रवाह की तुलना में 302 मिलियन डालर के निवल बहिर्प्रवाह के कारण विदेशी वाणिज्यिक उधारों का आश्रय कम लिया गया । कुछ निजी क्षेत्र के विद्युत् और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा अपने वित्तपोषण संबंधी पैकेजों को अंतिम रूप देने से वर्ष 1994-95 के उत्तरार्ध में विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अन्तर्गत अंतर्प्रवाहों के बढ़ने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि विदेशी ऋण की समग्र वृद्धि दर को नियंत्रणाधीन रखते हुए आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए वांछित विदेशी वाणिज्यिक उधार उपलब्ध हो सकें। वर्ष 1994-95 के उत्तरार्ध के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयातों, जिन्होंने औद्योगिक सुधार के प्रत्युत्तर में वृद्धि दर्शायी है, का वित्तपोषण करने के लिए आपूर्तिकर्ता ऋण में कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार

16. भारत में जून, 1993 में एवजी व्यवस्था के अंतर्गत 325 मिलियन डालर की अंतिम किस्त (ट्रांश) आहरित की, जिससे वर्ष 1993-94 के दौरान 191 मिलियन डालर का निवल आहरण हुआ। भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय सुधार के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने पूर्वापेक्षित मध्यावधिक विस्तारित निधि सुविधा के लिए अं.मु.को. से सम्पर्क नहीं करने का निर्णय लिया । इसकी बजाए, देश ने अप्रैल, 1994 में निधि की 1.1 बिलियन डालर की अग्रिम वापसी अदायगी की । इसका 1994-95 के दौरान किस्तों में भुगतान किया जाना था ।

अनिवासी जमा राशि

17. पिछले सर्वेक्षण में उतार-चढ़ाव के तत्व और अनिवासी जमाराशियों के साथ संबद्ध मुद्रा जोखिमों की लागत को कम करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कई कदमों का विवरण दिया गया था । ये जमा राशियां अस्सी के दशक उत्तरार्ध के दौरान देश में पूंजी अंतर्प्रवाह का मुख्य स्रोत रही हैं । विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफ.सी.एन. आर.ए.), जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार विनिमय जोखिम का वहन कर रही है, अंतिम रूप से अगस्त, 1994 में समाप्त हो गया था । इसके लिए कोई नई जमाराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते से 1.3 बिलियन डालर निवल बहिर्प्रवाह हुआ था। वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य) जमाराशियों से भी 576 मिलियन डालर का निवल बहिर्प्रवाह हुआ था। ये बहिर्प्रवाह अन्य अनिवासी जमा स्कीमों, जैसे एन.आर. (ई.) आर.ए. और एन.आर. (एन.आर.) आर.डी. में अंतर्प्रवाहों द्वारा अधिक प्रतिपूरित हो गए थे। इस प्रकार, पूरे वर्ष 1993-94 के लिए अनिवासी जमाराशियों के कारण 940 मिलियन डालर का निवल अंतर्प्रवाह हुआ था। तथापि, यह वर्ष 1992-93 के दौरान हुए लगभग 2.0 बिलियन डालर के निवल अंतर्प्रवाह के आधे से भी कम था ।

18. भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निधियों की लागत कम करने और उन्हें अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए अनिवासी जमा स्कीमों में कतिपय परिवर्तन किए हैं । विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफ.सी.एन.आर.) (बी.) जमा पर ब्याज की दरें नवम्बर, 1994 से अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों की तुलना में कुछ कम हो गई हैं । अक्तूबर, 1994 में, इन जमाराशियों को नकदी प्रारक्षित अनुपात की 7.5 प्रतिशत की आवश्यकताओं के अधीन लाया गया था, जिसे जनवरी, 1995 में और बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया

था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1995 में एन.आर. (एन.आर.) आर. जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का नकदी प्रारक्षित अनुपात भी लागू किया है। अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता (एन.आर.) ई (आर.ए.) पर ब्याज दरें जमाराशियों की बचत करने के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत और विभिन्न परिपक्वताओं वाली मियादी जमाओं के लिए 10 प्रतिशत अनधिक से 8 प्रतिशत अनधिक कर दी गई थीं। ये निवासी जमाराशियों की दरों से कम हैं। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की समाप्ति से और ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों को देखते हुए, वर्ष 1994-95 के दौरान सभी अनिवासी जमाराशियों के अधीन निवल अंतर्प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान इन जमाराशियों में निवल अंतर्प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 657 मिलियन डालर की तुलना में 536 मिलियन डालर होना अनुमानित है। तथापि, पूरे वर्ष के लिए हम अनिवासी जमाराशियों के केवल संतुलित निवल अंतर्प्रवाह की ही आशा कर सकते हैं। (बाक्स 5.1)

बाक्स 5.1

अनिवासी बैंक खाता/जमा स्कीमें

भारतीय राष्ट्रिक और विदेशों में भारतीय मूल के निवासी व्यक्ति भारत में स्वतंत्र रूप से विदेशों से प्रेषित निधियों अथवा विदेशों से लाई गई विदेशी मुद्रा या भारत में उन्हें वैध रूप से देय निधियों में से बैंक खाता खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों, जो विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत (प्राधिकृत डीलर) है, को मुक्त रूप से ऐसे खाते खोलने के लिए सामान्य अनुमति दे दी है। छह किस्म के ऐसे अनिवासी खाते हैं, जिन्हें प्राधिकृत डीलरों द्वारा रखा जा सकता है:--

(1) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफ.सी.एन.आर.ए.)

(2) अनिवासी विदेशी रुपया खाता (एन.आर. (ई.) आर.ए.)

(3) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता (एफ.सी.एन.आर.(बी.))

(4) अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशि (एन.आर.) एन.आर. (आर.डी.)

(5) विदेशी मुद्रा सामान्य अप्रत्यावर्तनीय (एफ.सी.ओ.एन.)

(6) विदेशी मुद्रा (बैंक एवं अन्य) जमाराशि (एफ.सी.) बी.एण्ड.ओ.(डी.)

	स्कीमें	आरंभ होने की तारीख	समाप्त होने की तारीख	के अन्त तक बकाया स्टाक (मिलियन अमरीकी डालर)				
				मार्च, 1991	मार्च, 1992	मार्च, 1993	मार्च, 1994	20 जनवरी, 1995
1.	एफ.सी.एन. आर. (ए.)	नवम्बर, 1975	15-8-94	10,103	9792	10617	9300	7266
2.	एन.आर. (ई.) आर.ए.	फरवरी, 1970	–जारी–	3588	2527	2863	3590	4726
3.	एफ.सी.एन. आर. (बी.)	मई, 1993	–जारी–	–	—	—	1075	2921
4.	एन.आर. (एन. आर.) आर.डी.	जून, 1992	–जारी–	—	—	610	1797	2299
5.	एफ.सी.ओ.एन.	जन, 1991	20-8-94	—	—	1	18	7
6.	एफ.सी. (बी. एण्ड.ओ.)डी.	दिसम्बर 1990	31-7-92	262	607	1044	533	0
	जोड़			13,953	12926	15135	16313	17219

टिप्पणी : 1. सभी आंकड़ों में प्राप्त ब्याज शामिल है।

2. एन.आर. (एस.आर.) आर.डी. और एफ.सी.ओ.ए. को छोड़कर इन सभी स्कीमों के अन्तर्गत बकाया स्टाक सारणी 5.7 में यथा-निर्दिष्ट भारत के विदेशी ऋण का भाग है।

रुपया ऋण-शोधन अदायगियां

19. वर्ष 1993–94 में रूस की ऋण शोधन अदायगियों में गिरावट आई थी, जो पिछले वर्ष के दौरान 977 मिलियन डालर की तुलना में केवल 745 मिलियन डालर थी। यह भारत से आयातों की अपेक्षित माला, जो ऋण की पूरी तरह अदायगी करने के लिए आवश्यक है, को प्राप्त कर सकने में रूस की असमर्थता प्रदर्शित करता है। रूस को अभी भी भारत के ऋण संबंधी दायित्वों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए उचित प्रक्रिया का प्रवर्तन करना है।

विदेशी निवेश

20. विदेशी निवेश के अन्तर्प्रवाह वर्ष 1993–94 से देश में पूंजी अंतर्प्रवाह में वृद्धि के मुख्य कारक थे। कुल पूंजी अंतर्प्रवाह (अं.मु.को. के लेन-देनों सहित) वर्ष 1992–93 में लगभग 4.3 बिलियन डालर के दुगुने से भी अधिक बढ़कर वर्ष 1993-94 में 9.2 बिलियन डालर हो गया, जिसमें से विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह का हिस्सा 585 मिलियन डालर (14 प्रतिशत) से बढ़कर 4.1 बिलियन डालर (45 प्रतिशत) हो गया। पूंजी अंतर्प्रवाह में विदेशी निवेश का अंशदान वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में इस खाते के अधीन पहले से होने वाले लगभग 3.9 बिलियन डालर के अंतर्प्रवाह के साथ वर्ष 1994–95 में और बढ़ने की संभावना है। (सारणी 5.3)।

सारणी 5.3

श्रेणीवार विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95* (अप्रैल-दिस.)
क. प्रत्यक्ष निवेश	150	341	620	756
क. भा. रि. बैं. के स्वचालित माध्यम	0	42	89	81
ख. एस. आई. ए./एफ. आई. पी. बी. माध्यम	87	238	315	380
ग. अनिवासी भारतीय (40 प्रतिशत से शत-प्रतिशत)	63	61	217	295
ख. पोर्टफोलियो निवेश	8	92	3493	3141
क. एफ. आई. आई.	0	1	1665	1195
ख. यूरो–इक्विटी	0	86	1460	1726
ग. अपतटीय निधियां और अन्य	8	5	365	220
जोड़ (क + ख)	158	433	4113	3897

*अनन्तिम

टिप्पणी :– वास्तविक अन्तर्प्रवाहों पर आधारित और ये भुगतान संतुलन सारणी 5.2 में विदेशी निवेश के अन्तर्गत दी गई संख्याओं से मेल नहीं खाते जो मिलने वाली राशि के आधार पर दिए गए हैं।

21. विदेशी निवेश व्यवस्था के उदारीकरण के प्रति विदेशी निवेशकर्ताओं का प्रत्युत्तर बहुत उत्साहवर्धक रहा है। जी० डी० आर० सहित पोर्टफोलियो निवेश ने शीघ्रतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया है, जो वर्ष 1992-93 में 100 मिलियन डालर से भी कम से बढ़कर वर्ष 1993-94 में लगभग 3.5 बिलियन डालर हो गया और वर्ष 1994–95 में इतना ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के अनुमोदनों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका मूल्य वर्ष 1991 में 235 मिलियन डालर (534 करोड़ रुपए) से बढ़कर वर्ष 1994 में 2.9 बिलियन डालर (8957 करोड़ रुपए) हो गया (सारणी 5.4)। वर्ष 1991 से 1994 तक अनुमोदित कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की राशि पूरे पिछले दशक (1981-90) के दौरान अनुमोदित 1.0 बिलियन डालर (1274 करोड़ रुपए) से थोड़ी कम राशि की तुलना में 7.2 बिलियन डालर (22238 करोड़ रुपए) है। इन सभी प्रस्तावों को वास्तविक अंतर्प्रवाह में फलीभूत होने में कुछ समय लगता है परन्तु पहले से ही ऐसे संकेत मिले हैं कि वास्तविक अंतर्प्रवाहों में वर्ष 1992 से बढ़ते हुए अनुमोदनों में प्रवाहों के अनुपात के साथ वृद्धि हो रही है (सारणी 5.4)।

भारत के निर्यातों की संरचना

(प्रतिशत)

क - कृषि और सबद्ध उत्पाद

ख - अयस्क और खनिज

ग - विनिर्मित वस्तुए

घ - कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ

ड. - अन्य

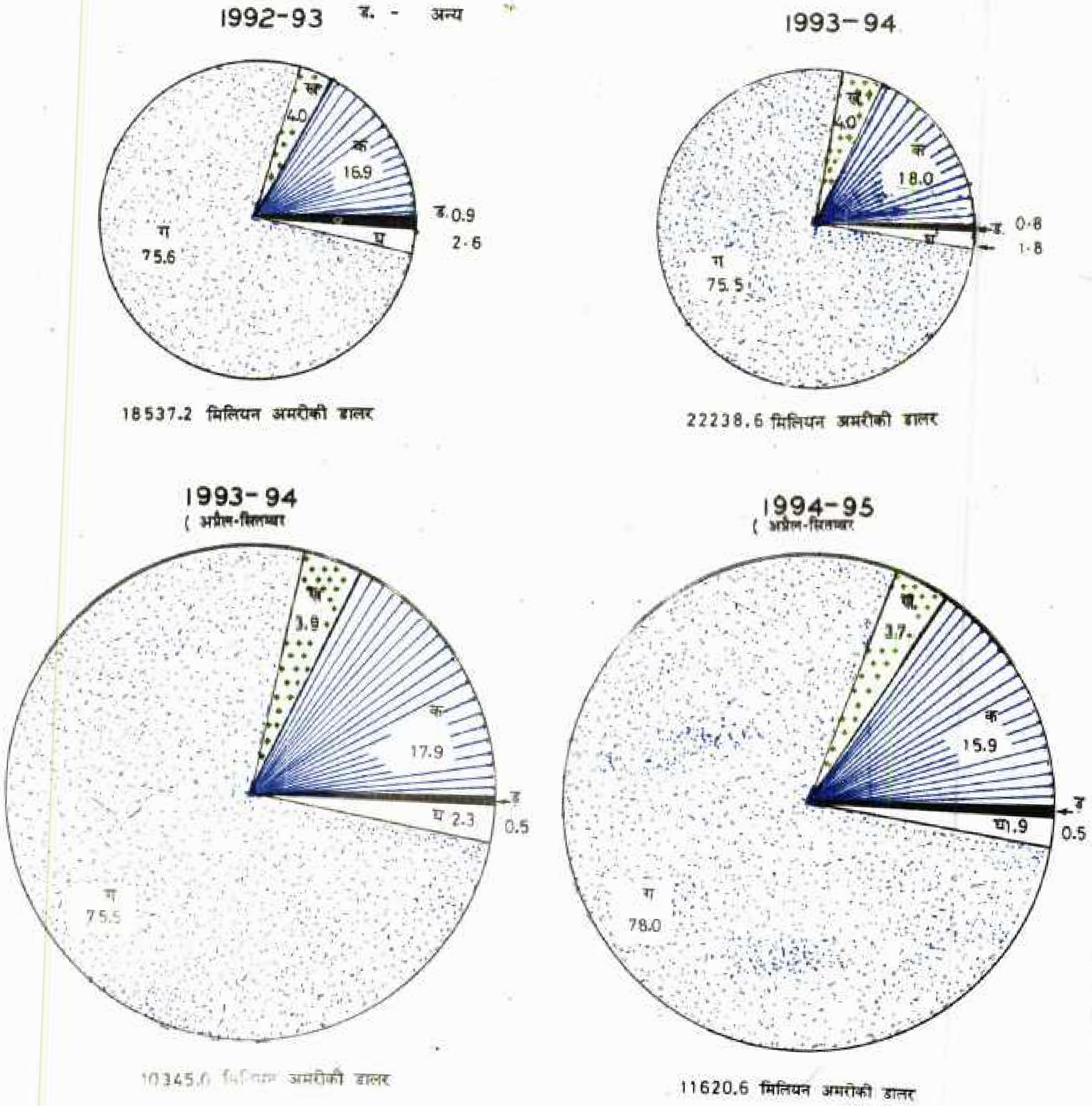

सारणी 5.4

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वास्तविक अन्तर्प्रवाह बनाम अनुमोदन

	1991	1992	1993	1994	जोड़ (1991 से 1994)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुमोदन					
करोड़ रुपए	534.1	3887.5	8859.3	8956.8	22237.7
मिलियन अमरीकी डालर	234.9	1317.5	2817.5	2854.8	7224.7
वास्तविक अन्तर्प्रवाह					
करोड़ रुपए	351.4	675.2	1786.0	2969.9	5782.5
मिलियन अमरीकी डालर	154.5	228.8	568.0	946.6	1897.9
अनुमोदनों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक राशियां	65.8	17.4	20.2	33.2	26.0

22. विशुद्ध इक्विटी निर्गमों के अतिरिक्त, निगमित निकायों को भी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ.सी.सी.बी.) जारी करने की अनुमति दी जाती है । वर्ष 1993-94 में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों से लगभग 915 मिलियन डालर की राशि जुटाई गई थी । विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड इक्विटी में रूपांतरित होने तक देश के विदेशी ऋण का हिस्सा होते हैं और इसलिए चालू वर्ष में उनके लिए सरकार ने विदेशी ऋण की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ हद तक प्रतिबंधात्मक नीति अपनाई है ।

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार

23. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में घटबढ़ सभी विदेशी लेन-देनों का निवल परिणाम है । इसलिए वे देश के भुगतान-संतुलन की दशा का सार सूचकांक प्रदान करते हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण सुधार के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों का अभूतपूर्व संग्रहण हुआ। ये वर्ष 1992–93 के अंत में 6.4 बिलियन डालर (20140 करोड़ रुपए) से बढ़कर वर्ष 1993–94 के अंत में 15.1 बिलियन डालर (47287 करोड़ रुपए) हो गए अर्थात् वर्ष 1993–94 के दौरान 8.7 बिलियन डालर (27147 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई (चित्र 5.4) । विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण तथा एस.डी.आर. भी शामिल हैं, उसी अवधि के दौरान 9.8 बिलियन डालर (30745 करोड़ रुपए) से बढ़कर 19.3 बिलियन डालर (60420 करोड़ रुपए) हो गए । विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में वृद्धि वर्ष 1994–95 में तेज रही और विदेशी मुद्रा आस्तियां दिनांक 31 अक्तूबर, 1994 का 19.8 बिलियन डालर तक पहुंच गई। उस समय से ये करीब 19.5 बिलियन डालर के स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं ।

24. वर्ष 1993–94 से आगे प्रारक्षित भंडारों में तीव्र संग्रहण भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों में महत्वपूर्ण सुधार होने के कारण हुआ । यह स्मरणीय है कि वर्ष 1990–91 के दौरान भी पूंजी खाते में 8.4 बिलियन डालर का काफी अंतर्प्रवाह हुआ था । तथापि, चालू खाते के अत्यधिक घाटे को वित्तपोषित करने के लिए ही इसका अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990–91 में विदशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में कमी हुई (सारणी 5.2) । परन्तु वर्ष 1993–94 से आगे अत्यधिक पूंजी अन्तर्प्रवाहों के कारण प्रारक्षित भंडार में वृद्धि हुई है क्योंकि चालू खाते का अंतर काफी कम हो गया है । पूंजी अंतर्प्रवाहों के स्वरूप में भी आकस्मिक परिवर्तन हुआ है; विदेशी सहायता की भूमिका को धीरे-धीरे और वाणिज्यिक उधारों, अ.मु.को. ऋणों और अनिवासी जमाराशियों की भूमिका को उत्तरोत्तर विदेशी निवेश अंतर्प्रवाहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

25. निरंतर वृद्धि और विकास की संभावनाओं के साथ अभूतपूर्व उच्च स्तरीय प्रारक्षित भंडार ने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के प्रबन्ध से संबंधित मुद्दे उठाए हैं । साधारणतया यह माना जाता है कि जैसे चालू और पूंजी खाते पर भुगतान कम प्रतिबंधित और अधिक मुक्त होते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित भंडार की आवश्यकता बढ़ जाती है । किसी भी मामले में सारणी 5.5 से यह निर्दिष्ट हो जाता है कि भारत के प्रारक्षित भंडार का मौजूदा स्तर कुछ अन्य बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपवादस्वरूप ऊंचा नहीं हैं । (सारणी 5.6)

चित्र 5.4 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

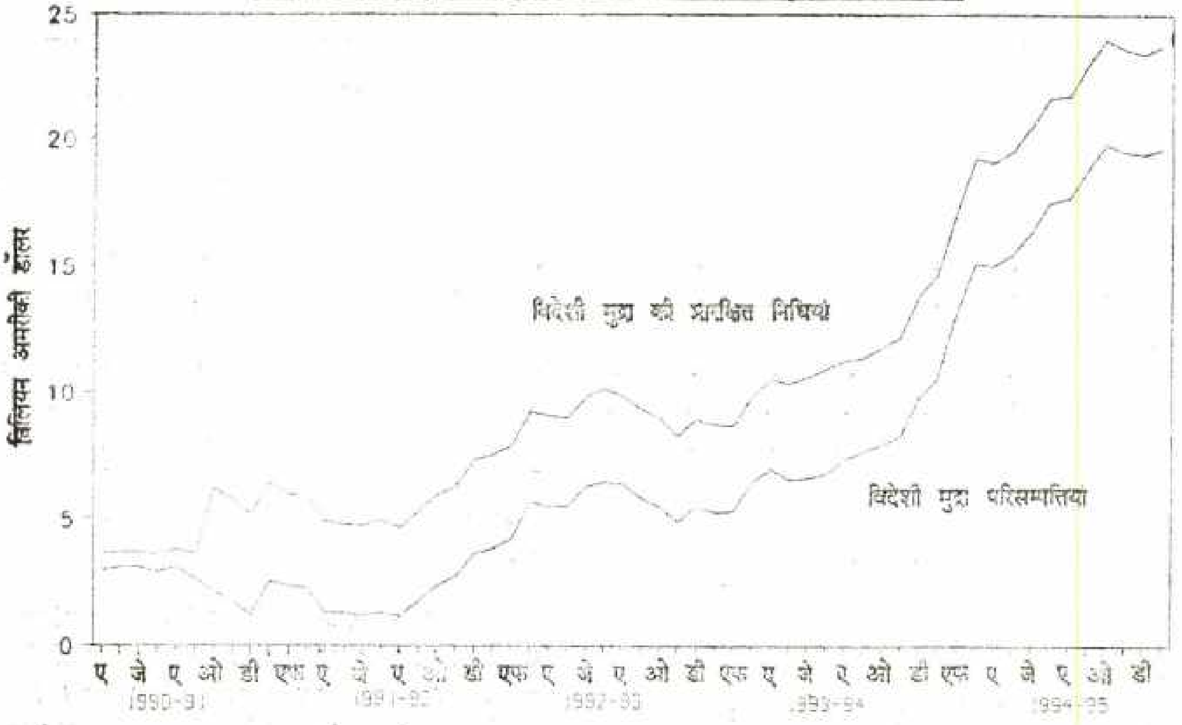

सारणी 5.5

चयनित देशों में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार, 1990–94

(मिलियन डालर)

देश	1990	1991	1992	1993	1994 (अद्यतन)
1	2	3	4	5	6
भारत	1205	3580	5461	9807	19604[3]
चीन[1]	28594	42664	19443	21199	39969
इंडोनेशिया	7353	9151	10181	10988	11021
मेक्सिको	9327	10421	16784	26814	29689
द. कोरिया	14459	13306	16639	20804	23404
थाइलैंड	13247	17287	20012	24078	28321
ताइवान[2]	35790	40275	43534	44295	42622
आयात सीमा (कवर) (महीनों की संख्या)					
भारत	0.6	2.1	2.8	5.2	8.2
चीन	6.4	8.0	2.9	2.5	4.6
इंडोनेशिया	4.0	4.2	4.5	4.7	4.7
मलेशिया	3.8	3.4	5.0	7.1	7.8
द. कोरिया	2.5	2.0	2.4	3.0	3.3
थाइलैंड	4.8	5.5	5.9	6.3	7.4
ताइवान	7.8	7.7	7.2	6.9	5.6

1 वर्ष 1992 से पूर्व विदेशी मुद्रा में बैंक आफ चायना की विदेशी मुद्रा धारिता भी शामिल थी और वर्ष 1992 से इसमें केवल पीपुल्स बैंक आफ चायना की विदेशी मुद्रा धारिता शामिल है।

2. स्वर्ण को घटाकर कुल प्रारक्षित भंडार

3. जनवरी 1995 के अन्त में विदेशी मुद्रा आस्तियां

स्रोत: अन्तराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी अ०मु०को

सारणी 5.6
विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार[1]
ऐतिहासिक परिदृश्य

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार[2]	आयात सीमा (महीनों की संख्या[3])	चालू भुगतान सीमा (कवर (महीनों की संख्या 3))
(1)	(2)	(3)	(4)
1950–51	1914	16.8	14.6
1955–56	1648	12.2	10.6
1960–61	390	2.0	1.7
1965–66	383	1.6	1.3
1970–71	584	2.9	2.2
1975–76	1657	3.3	2.9
1980–81	5850	4.5	4.0
1985–86	5972	4.2	3.5
1990–91	2236	1.0	0.8
1991–92	5631	3.3	2.3
1992–93	6434	3.4	2.5
1993–94	15068	7.5	5.3
1994–95[5]	19604	8.2	5.9

1. स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर 2. वर्षान्त स्तर 3. संबंधित वर्षान्त स्तर के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार पर आधारित
4. पण्य सामग्रियों के आयातों के योग और अदृश्य राशियों के आधार पर बहिप्रवाह के चालू भुगतान सीमा (कवर) का अनुमान लगाया गया है।
5. जनवरी, 1994 के अन्त में।

विदेशी ऋण

26. विदेशी ऋण का उच्च स्तर सरकार के लिए चिन्ता का विषय रहा है। तथापि, भुगतान संतुलन में किए गए सुधार ने सरकार को अतिरिक्त ऋण की वृद्धि कम करने में काफी सक्षम बनाया है। इस प्रकार वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी ऋण में बढ़ोतरी मात्र 740 मिलियन अमरीकी डालर थी। वस्तुतः वर्ष 1994-95 के पूर्वार्ध के दौरान ऋण में लगभग 270 मिलियन डालर की गिरावट आई (सारणी 5.7)। इस प्रकार हाल के वर्षों में पहली बार, देश के विदेशी ऋण में पूर्ण रूप से गिरावट हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, विदेशी ऋण वर्ष 1991-92 में 41 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1992-93 में 40 प्रतिशत और वर्ष 1993-94 में और तेजी से घटकर 36 प्रतिशत हो गया। कुल ऋण में अल्पावधिक संघटक का हिस्सा भी उत्तरोत्तर घट रहा है। यह हिस्सा वर्ष 1990-91 के अन्त में 10.2 प्रतिशत से घटकर 1993-94 के अन्त में 10.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1993-94 के अन्त तक 4.0 प्रतिशत हो गया तथा यह सितम्बर, 1994 के अन्त तक मात्र 3.1 प्रतिशत था। इस आंकड़े की इंडोनेशिया (23.1 प्रतिशत), ब्राजील (20.5 प्रतिशत) मैक्सिको (23.1 प्रतिशत) और टर्की (27.3 प्रतिशत) जैसे देशों के आंकड़ों से अनुकूल रूप से तुलना की जा सकती है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि कुल ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा भारत में उन अन्य विकासशील देशों, जिनके पास विदेशी ऋण का बड़ा भण्डार है, की तुलना में आपवादिक रूप से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण देश की तुलनाओं से यह पता चलता है कि जब विदेशी ऋण के वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाता है तब भारत के ऋण का अनुमान अन्य देशों की तुलना में काफी कम हो जाता है (सारणी 5.8)।

सारणी 5.7
विदेशी ऋण और ऋण शोधन : मुख्य संकेतक

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अप्रैल – सित.)
अवधि के अंत में बकाया ऋण स्टाक						
बिलियन अमरीकी डालर	75.90	83.96	85.33	89.99	90.72	90.45
हजार करोड़ रुपए	130.28	163.31	253.03	280.63	234.20	273.93
ऋण स्टाक में परिवर्तन						
बिलियन अमरीकी डालर		8.06	1.38	4.65	0.74	-0.27
ऋण शोधन अदायगियां :						
बिलियन अमरीकी डालर	7.60	8.23	8.13	8.09	8.32	
कुल ऋण						
स. घ. उ. के प्रतिशत के रूप में	28.5	30.5	41.1	39.9	36.1	
निर्यातों के प्रतिशत के रूप में	447.7	454.4	467.2	476.9	399.7	
कुल ऋण शोधन						
चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	31.6	32.3	29.8	30.3	24.8	
निर्यात के प्रतिशत के रूप में	44.8	44.5	44.5	42.9	36.6	

1. अनन्तिम अनुमान

सारणी 5.8

चयनित देशों के लिए ऋण संकेतक, 1993

(बिलियन अमरीकी डालर)

देश	कुल विदेशी ऋण	ऋण का वर्तमान मूल्य	कुल ऋण में रियायती ऋण (प्रतिशत)
1	2	3	4
भारत	91.78	60.52	46.7
अर्जेन्टीना	74.47	72.08	0.7
ब्राजील	132.75	130.08	1.9
चीन	83.80	76.59	16.1
इंडोनेशिया	89.54	81.50	27.9
मेक्सिको	118.03	116.46	1.2
रूसी संघ	83.09	81.37	4.5
टर्की	67.86	63.74	10.3

स्रोत : विश्व बैंक ऋण सारणियां, 1994-95

27. पिछले तीन वर्षों में ऋण शोधन अदायगियां लगभग 8.2 बिलियन डालर तक होती रहीं परन्तु वर्ष 1994-95 में ये बढ़कर लगभग 10.5 बिलियन डालर तक हो जाने का अनुमान है। ऋण शोधन अदायगियों का विवरण सारणी 5.9 में देखा जा सकता है। ऋण शोधन अनुपात (सरकारी अन्तरणों को छोड़कर चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण शोधन) वर्ष 1990-91 रहा है और यह गिरावट वर्ष 1992-93 में 30.3 प्रतिशत के से वर्ष 1993-94 से 24.8 प्रतिशत तक विशेषकर तेज रही है। तथापि, वर्ष 1994-95 में यह अनुपात बढ़ने की आशा है।

विनिमय दर और चालू खाते की परिवर्तनीयता

28. वर्ष 1993-94 के प्रारंभ में विदेशी मुद्रा बजटीयकरण को समाप्त करके आयातों पर मुद्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना तथा विनिमय दर का समरूपीकरण चालू खाते की परिवर्तनीयता की ओर प्रथम मुख्य कदम था (बॉक्स 5.2)। वर्ष 1994-95 के बजट में इस दिशा में उठाए जाने वाले अगले कदम को इंगित किया गया और तदनुसार रिजर्व बैंक ने अनेक अदृश लेन-देनों के मामले में भुगतान प्रतिबन्धों में ढील देने की घोषणा की। अदृश भुगतानों को और उदार बनाकर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद-VIII के तहत बाध्यताओं को स्वीकार करके चालू खाता परिवर्तनीयता की ओर अंतिम कदम, अगस्त, 1994 में उठाया गया जिसके अन्तर्गत भारत चालू अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों पर विनिमय प्रतिबन्धों का भुगतान संतुलन की व्यवस्था करने के एक साधन के रूप में प्रयोग न करने के लिए वचनबद्ध है।

सारणी 5.9

ऋण शोधन संबंधी अदायगियां

(मिलियन अमेरिकी डालर)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94@
1	2	3	4	5	6
1. विदेशी सहायता	2145	2307	2588	2798	2984
वापसी अदायगियां	1148	1244	1406	1523	1656
ब्याज अदायगियां	997	1063	1182	1275	1328
2. विदेशी वाणिज्यिक उधार*	2240	2665	2573	2873	3252
वापसी अदायगियां	1154	1502	1373	1639	2033
ब्याज अदायगियां**	1086	1163	1200	1234	1219
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.)	1046	783	697	614	430
वापसी अदायगियां	877	649	459	335	134
ब्याज अदायगियां	169	134	238	279	296
4. अनिवासी भारतीयों की जमाराशि					
ब्याज अदायगियां	1112	1282	1036	930	905
5. रुपया ऋण शोधन	1055	1193	1240	878	745
कुल ऋण शोधन	7598	8230	8134	8093	8316
वापसी अदायगियां	4234	4588	4478	4375	4568
ब्याज अदायगियां	3364	3642	3656	3718	3748
चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	31.8	32.3	29.8	30.3	24.8

* डी. सी. ए. रक्षा सहित ** अल्पकालिक व्यापार से संबद्ध ऋण पर अनुमानित ब्याज सहित @ अनन्तिम

बॉक्स 5.2

चालू खाते की परिवर्तनीयता की और बढ़ते कदम

* ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों से चालू खाते की परिवर्तनीयता पुनः चालू करने की अपेक्षा की। यह दायित्व अनुच्छेद-VIII धारा 2, 3 और 4 में परिभाषित है, जो यह निर्दिष्ट करती है कि सदस्य देशों को :
  (क) चालू भुगतानों (पूंजी खाते पर प्रतिबन्ध अनुमत्य है) पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिये; और
  (ख) भेदमूलक मुद्रा व्यवहार (बहु विनिमय दरों सहित) से बचना चाहिए।
* अगर कोई सदस्य देश निधि में शामिल होने पर अनुच्छेद VIII के दायित्वों की पूर्ति नहीं करता है तो उसे अनुच्छेद XIV के अंतर्गत परिवर्ती व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी जाती है ।
* चालू खाते की परिवर्तनीयता को निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा बेचने की स्वतन्त्रता के रूप में परिभाषित किया गया है :
  (क) विदेश व्यापार, सेवाओं सहित अन्य चालू व्यापार और सामान्य अल्पावधिक बैंकिंग और ऋण सुविधाओं से संबंधित सभी बकाया भुगतान;
  (ख) ऋणों पर ब्याज के रूप में और अन्य निवेशों से निवल आय के रूप में देय भुगतान;
  (ग) ऋणों को चुकाने अथवा प्रत्यक्ष निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए मामूली राशि का भुगतान, और
  (घ) परिवार निर्वाह व्यय के लिए मामूली प्रेषणाएं ।
* चालू खाते की परिवर्तनीयता की ओर मार्च, 1993 में भारत द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया था । उस समय विदेशी मुद्रा बजट समाप्त कर दिया गया, विनिमय दर एकरूप बना दी गई और व्यापार खाते पर लेन-देनों को मुद्रा नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया । रुपए के विनिमय दर का निर्धारण बाजार पर छोड़ दिया गया था । वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में कहा गया था कि "चालू खाते पर परिवर्तनीयता की ओर अगला कदम उठाने और उन्मुख होने का समय आ गया है ।"
* बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी, 1994 को निम्नलिखित के संबंध में विनिमय नियंत्रण विनियमनों का एक निर्दिष्ट सीमा तक उदारीकरण करने की घोषणा की थी :
  (क) मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता;
  (ख) बुनियादी यात्रा कोटा;
  (ग) विदेशों में अध्ययन
  (घ) उपहार प्रेषणाएं;
  (ङ) दान; और
  (च) विदेशी पक्षों द्वारा प्रदान की गई कतिपय सेवाओं का भुगतान ।
* दिनांक 19 अगस्त, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और भी कदम उठाए गए थे, जिनमें ये शामिल हैं : चालू खाते के भुगतानों पर और छूट, इस बात की पुष्टि कि पहले निर्दिष्ट की गई सीमाएं स्वरूप में केवल सांकेतिक थीं और भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त सुविधाओं के लिए उचित अनुरोधों पर अनुकूल रूप से विचार करेगा; विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफ सी एम आर ए) स्कीम जिसके अन्तर्गत परिपक्वताओं को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया था, 15 अगस्त, 1994 से बन्द कर दी गई; अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा स्कीम के अधीन प्राप्त ब्याज को पहली अक्टूबर, 1994 में प्रारंभ होने वाली तिमाही से प्रत्यावर्तनीय बना दिया गया; विदेशी मुद्रा (साधारण) अप्रत्यावर्तनीय जमा स्कीम (एफ. सी. ओ. एन.) दिनांक 20 अगस्त, 1994 से समाप्त कर दी गई और मौजूदा विदेशी मुद्रा (साधारण) अप्रत्यावर्तनीय जमा स्कीम में जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज को पहली अक्टूबर, 1994 की मौजूदा जमा राशियों की परिपक्वता तारीख तक प्रत्यावर्तन के लिए पात्र बना दिया गया; अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश आय का प्रत्यावर्तन अब आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के बाद 3 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्रत्यावर्तनीय होना । भारत ने दिनांक 20 अगस्त, 1994 को अनुच्छेद VIII का दर्जा प्राप्त किया ।
* अब तक सतानवे देशों ने अनुच्छेद-8 का दर्जा प्राप्त किया है । साठ देशों ने वर्ष 1995 तक अनुच्छेद- VIII का दर्जा प्राप्त किया था, वर्ष 1986--92 के दौरान चौदह और देशों ने यह दर्जा प्राप्त किया तथा तेईस और देशों ने इसे जनवरी, 1993 से 6 अक्टूबर, 1994 की अवधि के दौरान प्राप्त किया । भारत के अतिरिक्त वर्ष 1994 में अनुच्छेद-VIII का दर्जा पाने वाले देश बंगला देश, घाना, ग्रेनेडा, केन्या, लटाविया लिथूनिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, एस्टोनिया, पराग्वे हैं और 6 अक्टूबर, 1994 तक पश्चिमी समोआ की यह दर्जा प्राप्त कर लिया ।

29. अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की स्थिरता जुलाई 1993 से करीब 31.37 रुपए प्रति अमरीकी डालर चल रही थी, 1994-95 के दौरान भी वहीं चलती रही। तथापि, 1994-95 की प्रथम तीन तिमाहियों में रुपए की नामिनल प्रभावी विनिमय दर में मामूली कमी हुई क्योंकि प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डालर के मूल्य में कमी हुई थी (चित्र 5.5 और 5.6 तथा परिशिष्ट सारणी 6.6)। लेकिन भारत में मुद्रास्फीति प्रमुख औद्योगिक देशों के मुकाबले काफी अधिक होने के कारण रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 1993 की दूसरी छमाही के दौरान बढ़ गई और 1994 में स्थिर रही।

चित्र 5.5 रुपए की सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (5 देशीय सूचकांक)

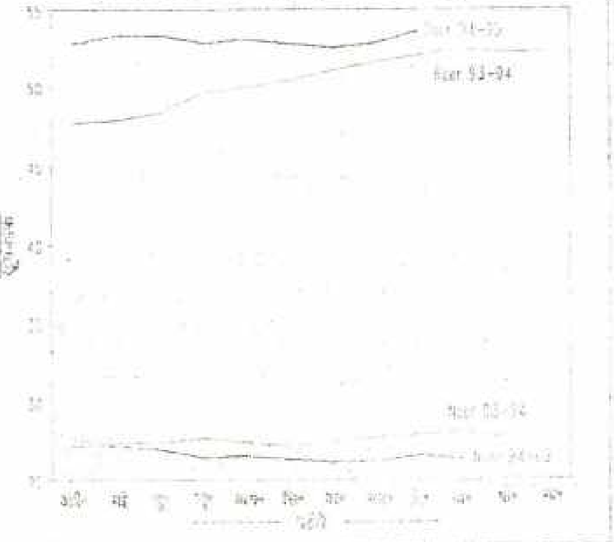

चित्र 5.6 रुपए की सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (10 देशीय सूचकांक)

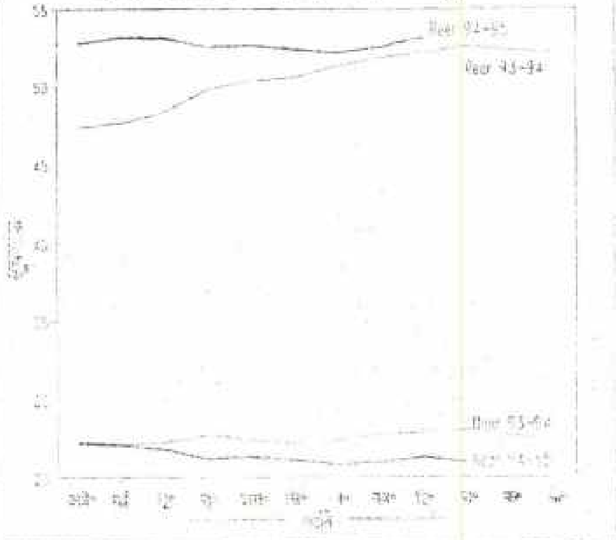

30. वर्ष 1993-94 के दौरान अमरीकी डालर का "हवाला" प्रीमियम जुलाई और अगस्त माह को छोड़कर जब यह 9 प्रतिशत से भी कम था, 10 से 13 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 1994-95 के दौरान दिसम्बर, 1994 तक यह प्रीमियम 10 से 12 प्रतिशत के बीच रहा जबकि केवल मई और जून में ही यह बढ़कर करीब 13 प्रतिशत तक हो गया था। अन्तः बैंक बाजार में अमरीकी डालर पर वायदा प्रीमियम जो 1993-94 के प्रारंभ में 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक था, स्थिर गति से घटकर जुलाई, 1993 में करीब 5 प्रतिशत हो गया तथा बाद में और भी घटकर फरवरी-मार्च, 1994 के दौरान 1 प्रतिशत से भी कम हो गया। तत्पश्चात जुलाई, 1994 तक यह बढ़कर 2 से 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गया। बाजार में अमरीकी डालर के इतने कम वायदा प्रीमियम ने रिजर्व बैंक को जून, 1994 में विनिमय (स्वैप) सुविधा हटा लेने के लिए उद्यत किया। बाजार में विदेशी मुद्रा की सहज स्थिति और एक लम्बी अवधि तक रुपए की उल्लेखनीय स्थिरता ने अन्तः बैंक बाजार में विनिमय (स्वैप) प्रीमियम स्तरों को कम करने में योग दिया है। तथापि, वायदा प्रीमियम ने नवम्बर, 1994 से बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई है।

पण्य व्यापार

निर्यात

31. 1994-95 की प्रथम छमाही में चालू खाते शेष में व्यापक व्यापार घाटा देखा गया था। ऐसी आशा थी। निर्यात संवर्धन में कमी तथा पेट्रोलियम, तेल व स्नेहक (पी० ओ० एल०) भिन्न आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की वजह से ही यह घाटा हुआ है। डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992-93 में 18.5 बिलियन डालर की तुलना में वर्ष 1993-94 में 22.2 बिलियन डालर का निर्यात हुआ था। वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यातों की 20 प्रतिशत की वृद्धि दर वास्तव में ही उत्साहवर्धक रही और इसके बाद अप्रैल- नवम्बर-1994-95 की अवधि में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे यह परिलक्षित होता है कि निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में किये गये नीति संबंधी उपायों के सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होने लगे है।

32. अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान समग्र निर्यात 18.3 बिलियन डॉलर का हुआ था। 1994-95 के पहले नौ महीनों के दौरान निर्यातों की वृद्धि दर काफी ऊंची रही है। आशा है कि वर्ष 1994-95 के शेष भाग में निर्यातों में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी।

33. जिस समूह के अनुसार निर्यातों की वृद्धि दर सारणी 5.10 में दर्शाई गई है। जिन मदों के निर्यात में अप्रैल-सितम्बर, 1994 में काफी वृद्धि हुई है उनमें विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस समूह के अन्तर्गत सूती धागे के निर्यात में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में 24.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिन अन्य मदों के निर्यात में अधिक वृद्धि हुई ये हैं—यातायात के साधन (33.9 प्रतिशत) और रंग सामग्री (29.4 प्रतिशत)। हीरे और जवाहरातों के निर्यात में करीब 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

34. कृषि निर्यातों में, जिनमें कुल मिलाकर 0.3 प्रतिशत तक की मामूली गिरावट आई है, जिन मुख्य मदों के निर्यात में कमी हुई है वे इस प्रकार हैं: कच्ची कपास (–) 81.5 प्रतिशत अविनिर्मित तम्बाकू (—) 44.0 प्रतिशत और अनाज (—) 17.9 प्रतिशत। ऐसा मुख्यतया जिस बाजार की अस्थिर प्रकृति और बाजार की असामान्य स्थितियों की वजह से रूस की मांग कम हो जाने के कारण ही हुआ है। दूसरी ओर काफी के निर्यात में 208.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि ब्राजील में कॉफी की फसल में कमी होने की वजह से भारतीय काफी की मांग बढ़ गई।

35. सारणी 5.11 यह दर्शाती है कि वर्ष 1993-94 की प्रथम छःमाही में (75.5 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 1994-95 की प्रथम छःमाही (78.0 प्रतिशत) के दौरान विनिर्मित वस्तुओं द्वारा अधिकांश अंशदान करने से निर्यात का संघटन वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है। कृषि संबंधी निर्यातों के हिस्से में मामूली कमी हुई थी जो 17.9 प्रतिशत से घटकर 15.9 हो गया है (चित्र 5.7)।

आयात

36. वर्ष 1993-94 में कुल आयातों का समूचा स्तर 23307 मिलियन अमरीकी डालर रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान आयात बिल 20339 मिलियन अमरीकी डालर का था। इसमें पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पी.ओ.एल.) की आयात राशि 4201 मिलियन अमरीकी डालर है जबकि पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक भिन्न (नॉन-पी.एल.ओ.) आयातों की राशि 16138 मिलियन अमरीकी डालर है। आयात के भाग में वृद्धि कुछ हद तक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए उतार-चढ़ाव के कारण हुई जिसकी वजह से पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन मिला। अप्रैल-दिसम्बर, 1994-95 की अवधि तक आयातों की वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत रही है। पेट्रोलियम तेल और स्नेहक भिन्न आयातों में वृद्धि वर्ष 1992-93 से ही स्पष्ट है। वर्ष 1992-93 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि से पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक भिन्न आयात वर्ष 1993-94 में 14.0 प्रतिशत तक बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में 33.1 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के आयात में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

37. अप्रैल-सितम्बर, 1994 में आयातों की संवृद्धि का विश्लेषण (सारणी 5.12) यह दर्शाता है कि जिन उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वे हैं खाद्य तेल जिनमें 413.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे खाद्य उत्पादों के आयात की समूची वृद्धि दर बढ़कर 282.6 प्रतिशत हो गई है। कोयले के आयात में 56.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिन पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 28.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है उनमें से मशीनरी के आयात में 40.8 प्रतिशत और परियोजना वस्तुओं के आयात में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मदों की अगली श्रेणी जिनके आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, वे हैं–रसायन 60.0 प्रतिशत, लोहा एवं इस्पात 60.2 प्रतिशत और अलौह धातु 66.1 प्रतिशत।

38. पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 की पहली छःमाही में आयातों की संरचना में परिवर्तन हुआ है। खाद्य और सम्बद्ध उत्पादों का शेयर जो अप्रैल-सितम्बर, 1993-94 में 2.0 प्रतिशत था अप्रैल 1994-95 में बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया है और पूंजीगत वस्तुओं का शेयर 23.5 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया है (सारणी 5.13)। बाद की स्थिति निवेश संबंधी कार्यकलाप में वृद्धि होने की वजह से हो सकती है और यह स्थिति देशी पूंजीगत वस्तु उद्योगों की भरमार के कारण नहीं है, जिसने उत्पाद में तेजी भी दिखाई है। दूसरी ओर ईंधन और उर्वरकों के आयातों के शेयर में कमी हुई है, जो अप्रैल-सितम्बर, 1993-94 और अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 के बीच क्रमशः 30.6 प्रतिशत से घटकर 24.1 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया (चित्र 5.8)।

सारणी 5.10

जिन्स समूहों द्वारा भारत का निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

जिन्स समूह	1992-93	1993-94	अप्रैल-सित. 1993-94	अप्रैल-सित. 1994-95	अप्रैल-मार्च 1993-94 (प्रतिशत परिवर्तन)	अप्रैल-सित. 1994-95
1	2	3	4	5	6	7
I. कृषि और सम्बद्ध वस्तुएं जिनमें :	3135.8	3994.8	1847.7	1853.2	27.4	0.3
1. चाय	337.2	311.9	164.7	141.3	-7.5	-14.2
2. कॉफी	129.9	177.1	60.9	187.7	36.3	208.4
3. अनाज	343.9	423.6	193.9	160.8	23.2	-17.1
4. विनिर्मित तम्बाकू	122.8	118.0	61.0	34.2	-3.9	-44.0
5. मसाले	135.8	178.9	85.7	78.4	31.7	-8.4
6. काजू	257.2	332.1	159.3	204.5	29.1	28.3
7. खली	535.5	736.2	303.4	254.1	38.0	-16.2
8. फल एवं सब्जियां	107.9	133.4	60.8	66.8	23.6	10.0
9. समुद्री उत्पाद	601.9	808.8	310.5	438.3	34.4	41.2
10. कच्ची कपास	62.8	210.2	163.6	30.2	235.0	-81.5
II अयस्क और खनिज जिनमें	737.8	888.0	402.7	435.1	20.4	8.0
11. कच्चा लोहा	381.2	432.7	211.5	188.7	13.5	-10.8
12. संसाधित खनिज	143.0	195.0	88.8	109.1	36.3	22.8
13. अन्य अयस्क एवं खनिज	188.0	232.9	93.7	129.1	23.9	37.8
III विनिर्मित वस्तुएं जिनमें	14015.9	16789.0	7810.0	9059.6	19.8	16.0
14. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	867.3	839.9	410.9	472.4	-3.2	15.0
15. चमड़े के जूते	410.2	479.8	202.3	219.4	17.0	8.5
16. हीरे और जवाहारात	3071.7	3994.4	1875.0	2016.3	30.0	7.5
17. औषध, भेषज और विशुद्ध रसायन	529.3	642.1	289.1	346.2	21.3	19.7
18. रंग-सामग्री/मध्य रंग और कोलतार रसायन	330.6	366.5	165.5	214.2	10.9	29.4
19. धातुओं का विनिर्माण	560.2	693.3	313.8	323.3	23.8	3.0
20. मशीनरी और उपस्कर	541.6	636.4	304.9	325.8	17.5	6.9
21. परिवहन उपस्कर	533.7	586.7	252.9	338.6	9.9	33.9
22. प्राथमिक और अर्द्ध-निर्मित लोहा और इस्पात	164.4	432.1	222.7	174.0	162.9	-21.9
23. इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	212.3	311.8	137.9	172.1	46.9	24.8
24. कपास के सूत, कपड़ा और बने बनाए वस्त्र	1350.5	1542.3	713.4	1004.9	14.2	40.8
25. सिले-सिलाए वस्त्र	2393.0	2579.6	1217.4	1325.4	7.8	8.9
26. हस्तशिल्प	865.2	928.7	437.4	481.5	7.3	10.1
IV कच्चा तेल एवं पैट्रोलियम उत्पाद	476.2	397.8	236.7	217.4	-16.5	-8.1
V अन्य एवं वर्गीकृत मदें	171.6	103.9	47.9	55.4	-39.4	15.7
कुल जोड़	18537.2	22238.6	10345.0	11620.6	20.0	12.3

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता ।

सारणी 5.1[1]

निर्यातों का संघटन

प्रतिशत हिस्सा

जिंस समूह	1992-93	1993-94	अप्रैल – सितम्बर 1993-94	अप्रैल – सितम्बर 1994-95
I. कृषि और सम्बद्ध उत्पाद जिनमें :	16.9	18.0	17.9	15.9
1. चाय	1.8	1.4	1.6	1.2
2. कॉफी	0.7	0.8	0.6	1.6
3. अनाज	1.9	1.9	1.9	1.4
4. विनिर्मित तम्बाकू	0.7	0.5	0.6	0.3
5. मसाले	0.7	0.8	0.8	0.7
6. काजू	1.4	1.5	1.5	1.8
7. खली	2.9	3.3	2.9	2.2
8. फल और सब्जियां	0.6	0.6	0.6	0.6
9. समुद्री उत्पाद	3.2	3.6	3.0	3.8
10. कच्ची कपास (अवशिष्ट सहित)	0.3	0.9	1.6	0.3
II. अयस्क और खनिज जिसमें :	4.0	4.0	3.9	3.7
11. कच्चा लोहा	2.1	1.9	2.0	1.6
12. संसाधित खनिज	0.8	0.9	0.9	0.9
13. अन्य अयस्क और खनिज	1.0	1.0	0.9	1.1
III. निर्मित वस्तुएं जिसमें :	75.6	75.5	75.5	78.0
14. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	4.7	3.8	4.0	4.1
15. चमड़े के जूते	2.2	2.2	2.0	1.9
16. हीरे और जवाहारात	16.6	18.0	18.1	17.4
17. औषध, भषज और विशुद्ध रसायन	2.9	2.9	2.8	3.0
18. रंग रोगन/मध्य रंग और कोलतार रसायन	1.8	1.6	1.6	1.8
19. धातु विनिर्माण	3.0	3.1	3.0	2.8
20. मशीनरी और उपकरण	2.9	2.9	2.9	2.8
21. यातायात उपस्कर	2.9	2.6	2.4	2.9
22. प्राथमिक और अर्ध निर्मित लोहा व इस्पात	0.9	1.9	2.2	1.5
23. इलक्ट्रानिक वस्तुएं	1.1	1.4	1.3	1.5
24. कपास के सूत, बने बनाए कपड़े	7.3	6.9	6.9	8.6
25. सिले-सिलाए वस्त्र	12.9	11.6	11.8	11.4
26. हस्तशिल्प	4.7	4.2	4.2	4.1
IV. कच्चा तेल और पैट्रोलियम उत्पाद	2.6	1.8	2.3	1.9
V. अन्य और अवर्गीकृत मदें	0.9	0.8	0.5	0.5
कुल जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता।

सारणी 5.12

जिन्स समूहों द्वारा भारत को आयात

(मिलियन अमरीकी डालर)

जिन्सें	1992-93	1993-94	अप्रैल-सित. 1993-94	अप्रैल-सित. 1994-95	अप्रैल-मार्च 1093-95 (प्रतिशत परिवर्तन)	अप्रैल-सित. 1994-95 (प्रतिशत परिवर्तन)
1	2	3	4	5	6	7
I. खाद्य और संबद्ध उत्पाद, जिनमें	721.8	550.4	212.8	814.1	-23.7	282.6
1. अनाज	333.5	84.9	66.6	20.6	-74.5	-69.0
2. दालें	115.5	1809.9	60.9	87.0	56.7	42.9
3. काजू की गिरी	129.9	153.9	44.9	111.7	18.4	148.6
4. खाद्य तेल	57.6	52.2	15.1	77.4	-9.4	413.5
II. ईंधन जिनमें	6396.1	6221.5	3298.6	3097.4	-2.7	6.1
5. कोयला	477.6	465.0	216.1	338.8	-2.6	56.7
6. पेट्रोल, तेल, स्नेहक	5918.6	5756.5	3082.5	2758.6	-2.7	-10.5
III. उर्वरक	977.7	831.2	387.5	394.2	-15.0	1.7
IV. कागज बोर्ड विनिर्माण और अखबारी कागज	177.2	222.1	85.4	103.0	25.3	20.6
V. पूंजीगत वस्तुएं जिनमें	4531.0	6040.0	2533.0	3243.4	33.3	28.0
7. (बिजली और मशीन उपकरणों को छोड़कर) मशीनरी	1652.6	2190.7	823.5	1159.7	32.6	40.8
8. बिजली की मशीनरी	826.2	794.4	475.4	547.8	-3.8	15.2
9. परिवहन उपस्कर	461.8	1266.8	503.6	517.7	174.3	2.8
10. परियोजनागत वस्तुएं	1278.5	1401.0	577.5	828.9	9.6	43.5
VI. अन्य, जिनमें	6067.0	6377.5	2962.9	3142.8	5.1	6.1
11. रसायन	2017.5	1986.3	827.5	1323.7	-1.5	60.0
12. मोती, बहुमूल्य, रत्न और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न	2441.9	2641.2	1429.6	780.0	8.2	-45.4
13. लोहा और इस्पात	711.4	781.6	302.7	484.9	9.9	60.2
14. अलौह धातुएं	394.8	474.9	210.2	349.3	20.3	66.1
15. व्यावसायिक यंत्र, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	501.4	493.4	192.9	204.9	-1.6	6.2
VII. अवर्गीकृत मदें	3011.5	3064.0	1316.2	2056.2	1.7	56.2
कुल जोड़	21881.6	23306.7	10796.4	12851.1	6.5	19.0

स्रोत :- डी. जी. सी. आई. एण्ड. एस. कलकत्ता।

सारणी 5.13

भारत के आयातों का संघटन

(प्रतिशत शेयर)

1	1992-93	1993-94	अप्रैल—सितम्बर 1993-94	अप्रैल—सितम्बर 1994-95
	2	3	4	5
I. खाद्य और संबद्ध उत्पाद,	3.3	2.4	2.0	6.3
जिनमें				
1. अनाज	1.5	0.4	0.6	0.2
2. दालें	0.5	0.8	0.6	0.7
3. काजू की गिरी	0.6	0.7	0.4	0.9
4. खाद्य तेल	0.6	0.7	0.4	0.9
II. ऊ ईंधन	29.2	26.7	30.6	24.1
जिनमें				
5. कोयला	2.2	2.0	2.0	2.6
6. पेट्रोल, तेल, स्नेहक	27.0	24.7	28.6	21.5
III. उर्वरक	4.5	3.6	3.6	3.1
IV. कागज बोर्ड, विनिर्माण एवं अखबारी कागज	0.8	1.0	0.8	0.8
V. पूंजीगत वस्तुएं जिनमें	20.7	25.9	23.5	25.2
7. बिजली और मशीनरी उपकरण को छोड़कर मशीनरी	7.6	9.4	7.6	9.0
8. विद्युत मशीनरी	3.8	3.4	4.4	4.3
9. परिवहन उपस्कर	2.1	5.4	4.7	4.0
10. परिरयोजनागत वस्तुएं	5.8	6.0	5.3	6.5
VI. अन्य	27.7	27.4	27.4	24.5
जिनमें				
11. रसायन	9.2	8.5	7.7	10.3
12. मोती, बहुमूल्य रत्न और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न	11.2	11.3	13.2	6.1
13. लोहा और इस्पात	3.3	3.4	2.8	3.8
14. अलौह धातु	1.8	2.0	1.9	2.7
15. व्यावसायिक यंत्र, प्रकाशीय वस्तुएं आदि	2.3	2.1	1.8	1.6
VII. अवर्गीकृत मदें	13.8	13.1	12.2	16.0
कुल जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : डी.सी.जी.सा.आई.एण्ड एस. कलकत्ता।

व्यापार की दिशा

39. सारणी 5.14 और 5.15 में यथा-उल्लिखत व्यापार की दिशा से यह पता चलता है कि जबकि निर्यात के गंतव्य स्थलों अथवा आयातों के उद्गम स्थलों, दोनों में कोई खास अन्तर नहीं आया है, फिर भी कतिपय व्यापारिक क्षेत्रों का महत्व बढ़ा है। इसमें से संभवतः अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वी एशियाई देश हैं। चुनिन्दा एशियाई देशों के साथ व्यापार की प्रमात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है (सारणी 5.14)। अप्रैल-सितम्बर, 1994 में उनके कुल निर्यातों का प्रतिशत शेयर 1991-92 के 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 14.1 प्रतिशत हो गया। आयातों में भी वृद्धि हुई है जो कि 1991-92 में 9.9 प्रतिशत से अप्रैल-सितम्बर, 1994 में बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गया। यह देखा गया है कि इन पूर्वी एशियाई देशों में से हांगकांग, सिंगापुर और थाइलैण्ड निर्यात के मख्य गंतव्य स्थल रहे हैं। दूसरी ओर भारत में आयात मुख्यतया सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और मलेशिया से हुआ है। हांककांग को किए ज. रहे निर्यातों का प्रतिशत शेयर जो 1991-92 में 3.4 प्रतिशत था बढ़कर 1993-94 में 5.6 प्रतिशत हो गया और अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 की अवधि में निर्यात 5.4 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा। इंडोनेशिया आयातों का एक प्रमुख स्रोत देश रहा है जिसने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी है, जो 1991-92 के 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 0.5 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 में 1.1 प्रतिशत हो गया था। दक्षिणी कोरिया से हो रहे आयातों के प्रतिशत शेयर में भी वृद्धि दर्शायी गई है जो 1991-92 के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 2.4 प्रतिशत हो गया है। तथापि दक्षिण कोरिया के आयातों के शेयर में अप्रैल-सितम्बर, 1994 की अवधि में 2.0 प्रतिशत तक की कमी हुई है। जहां तक भारत के पारपरिक हिस्सेदारों का संबंध है, इसमें जो मुख्यतया परिवर्तन हुए वे हैं —1994-95 की पहली छमाही में रूस के बाजार को किए जाने वाले निर्यातों के शेयर में वृद्धि इसके अतिरिक्त जर्मनी के अलावा ई० यू० के देशों से होने वाले आयातों के शेयर में कमी और अन्य कम विकसित देशों से होने वाले आयातों

सारणी 5.14

चुनींदा पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार की दिशा

(प्रतिशत शेयर)

देश	निर्यात					आयात				
	1991-92	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95	1991-92	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95
		(अप्रैल-मार्च)			(अप्रैल-सित)		(अप्रैल-मार्च)			(अप्रैल-सित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. इंडोनेशिया	0.8	0.7	1.0	1.0	0.9	0.3	0.3	0.5	0.4	1.1
ख. मलाया (मलेशिया)	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	2.0	1.9	1.1	1.0	2.2
ग. हांगकांग	3.4	4.1	5.6	5.8	5.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
घ. द कोरिया	1.4	0.9	0.9	0.9	1.1	1.7	1.6	2.4	1.6	2.0
ड. सिंगापुर	2.2	3.2	3.4	3.4	2.9	3.6	2.9	2.7	2.5	2.8
च. थाइलैंड	1.1	1.4	1.6	1.4	1.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8
छ. चीनी ताइपेई	1.0	1.0	1.2	1.4	1.1	1.5	1.0	0.7	0.8	0.9
जोड़	11.1	12.3	14.8	15.2	14.1	9.9	8.7	8.4	7.4	10.7

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता ।

सारणी 5.15

भारत के व्यापार की दिशा

(प्रतिशत शेयर)

देश	निर्यात				आयात			
	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1993-94	1994-95
	(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-सित)		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-सित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. यूनाइटेड किंगडम	6.5	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	7.0	5.6
ख. जर्मनी	7.7	6.9	6.9	6.6	7.6	7.7	7.3	7.3
ग. अन्य यूरोपीय देश	14.1	12.9	12.2	12.9	16.1	15.7	17.6	11.0
घ. संयुक्त राज्य अमरीका	19.0	18.0	18.5	19.8	9.8	11.7	10.5	9.9
ङ. जापान	7.7	7.8	7.7	7.7	6.5	6.6	5.9	7.3
च. रूस	3.3	2.9	2.4	3.0	1.2	1.1	0.9	1.3
छ. पूर्वी यूरोप	1.1	0.9	1.0	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6
ज. ओ पी ई.सी.	9.6	10.7	10.4	9.5	21.6	22.4	24.8	21.0
झ. अन्य कम विकसित देश	20.8	24.1	24.5	23.2	15.2	15.3	13.7	21.5
ञ. अन्य	10.1	9.7	10.2	10.1	14.2	12.4	11.7	14.6
जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता ।

भारत के आयात की संरचना

(प्रतिशत)

क - खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद
ख - ईंधन
ग - उर्वरक
घ - कागज बोर्ड विनिर्माण और अखबारी कागज
ङ. - पूजीगत वस्तुए
च - अन्य भारी वस्तुए
छ - अन्य

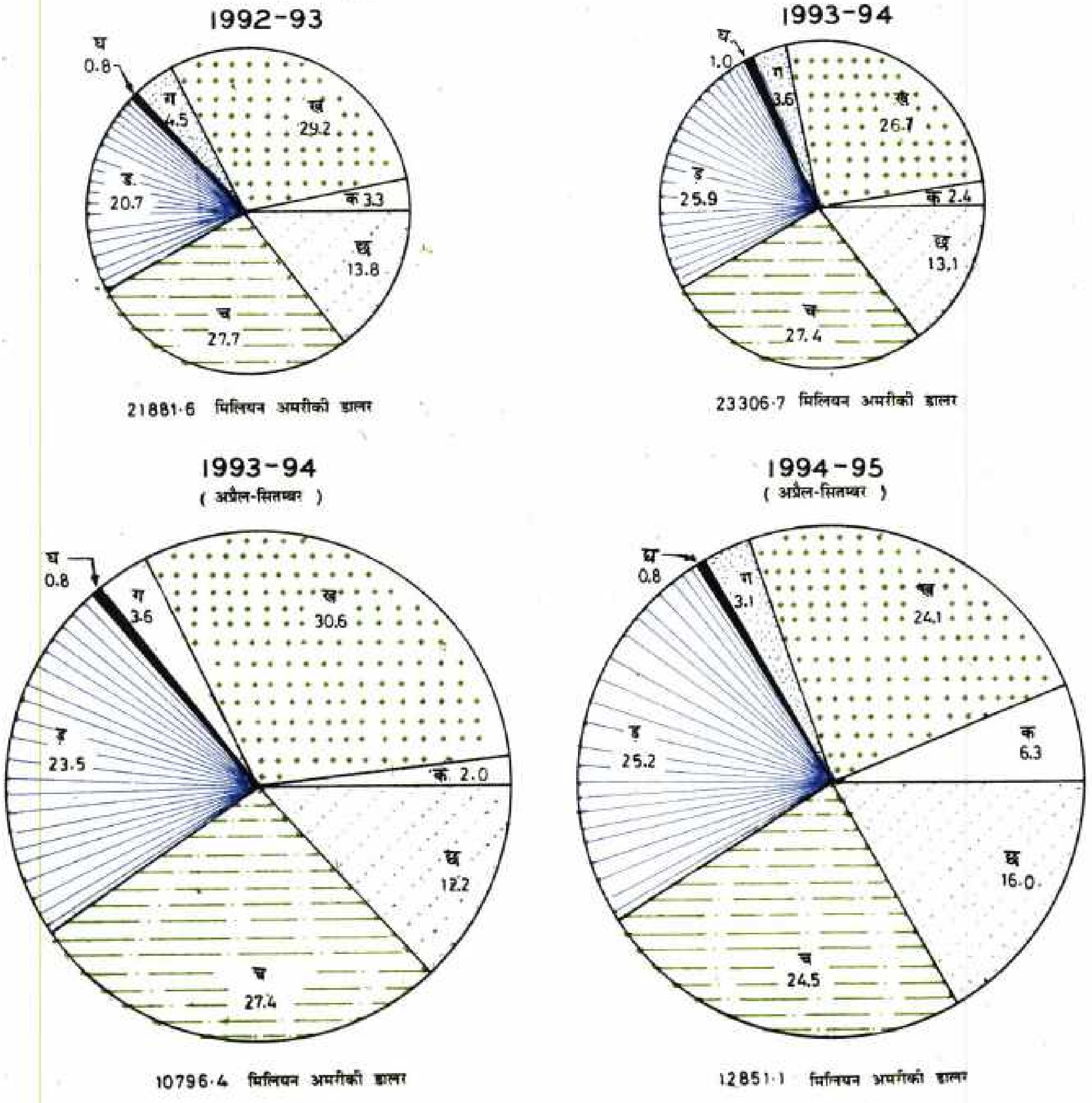

भारतीय निर्यात के गन्तव्य स्थल

(प्रतिशत)

क - यू.के.

ख - जर्मनी

ग - अन्य यूरोपीय संघ

घ - संयुक्त राज्य अमरीका

ङ. - जापान

च - रूस

छ - पूर्व यूरोपीय देश.

ज - तेल निर्यातक देशों का संगठन

झ - कम विकसित देश

ञ - अन्य

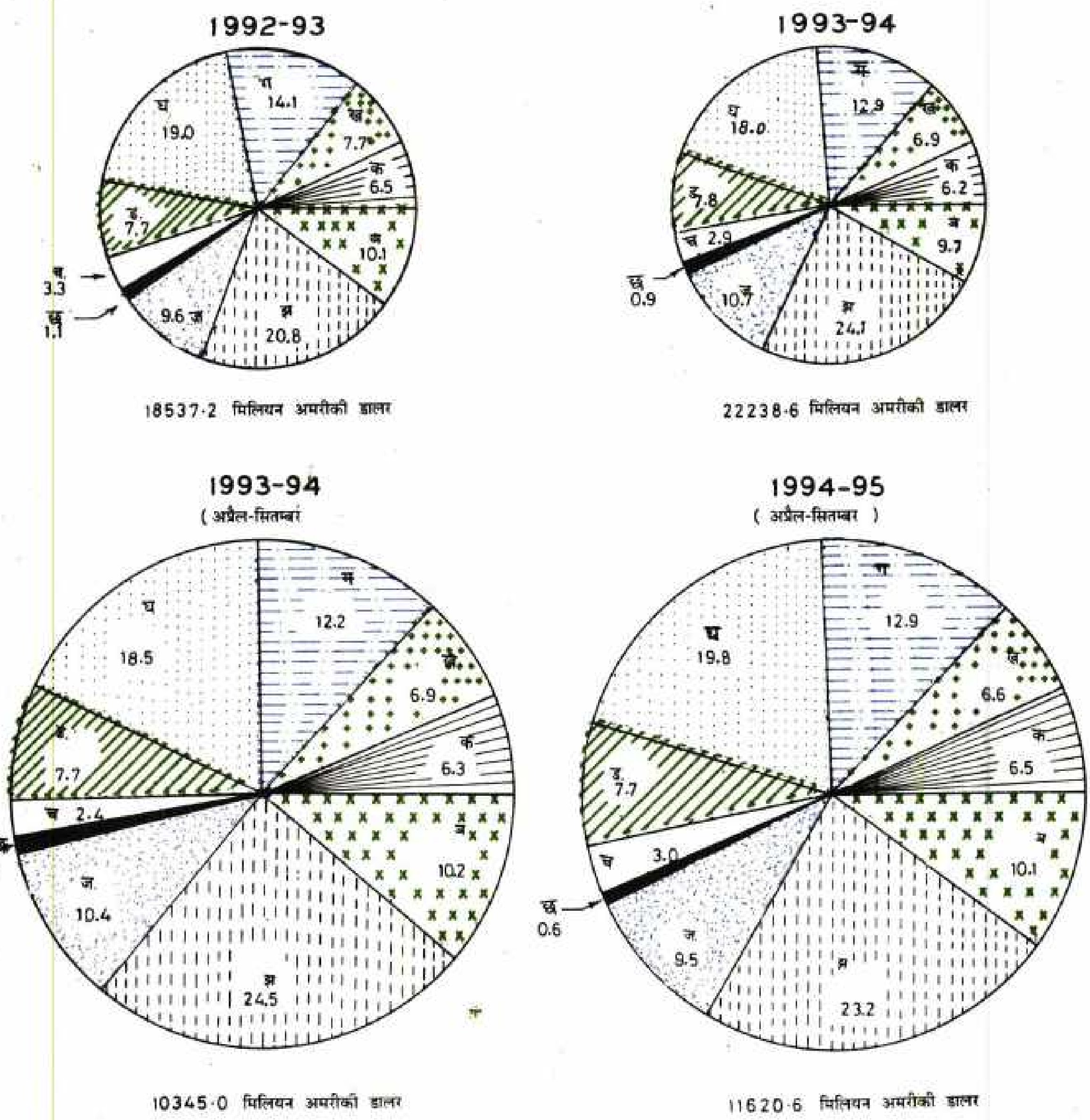

चित्र 5.10

भारत के आयात के स्रोत

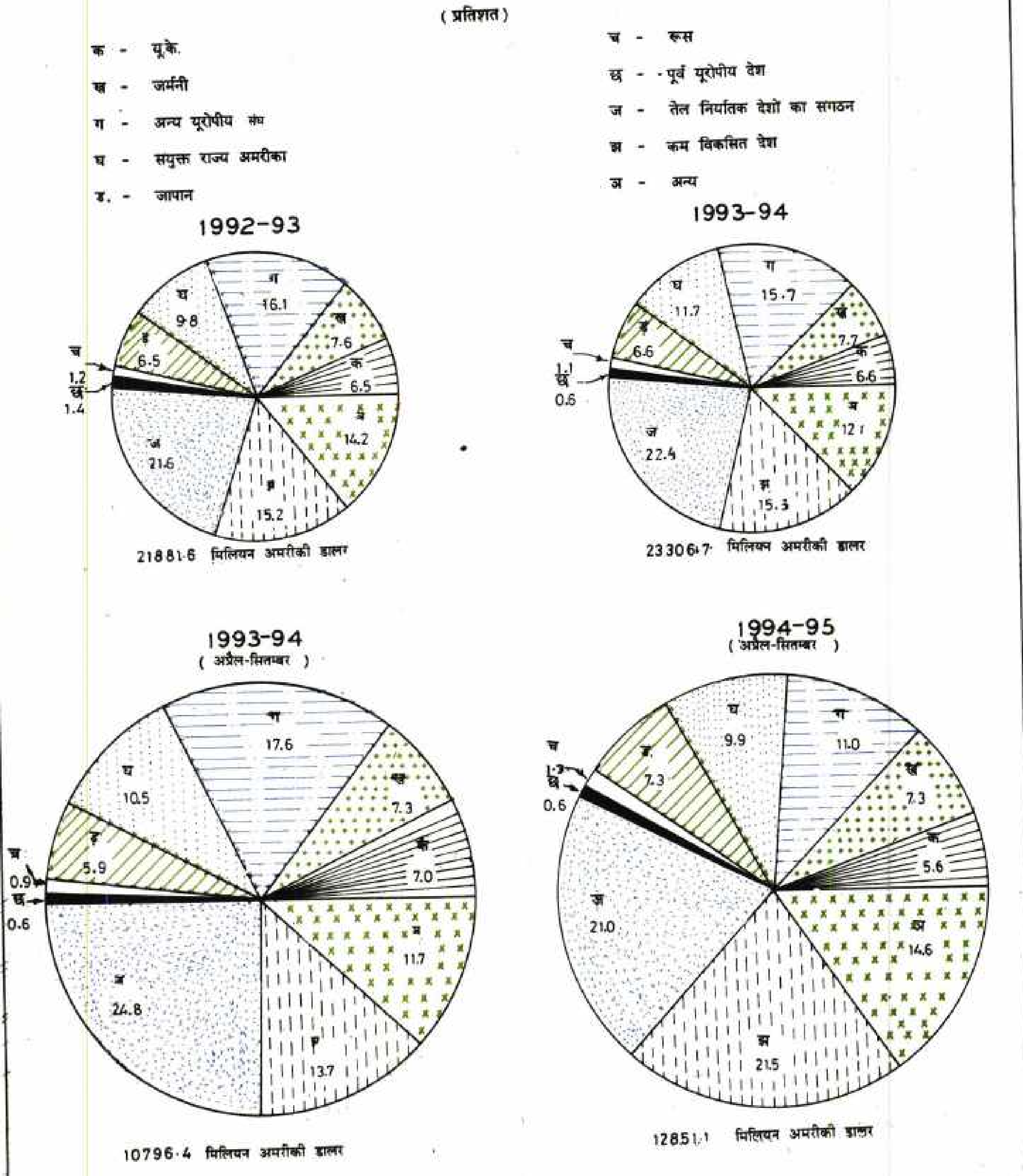

में तीव्र वृद्धि जिनका शेयर अप्रैल, 1993-94 के 13.7 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 में 21.5 प्रतिशत हो गया। फिर भी इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार में सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 में निर्यातों का प्रतिशत शेयर विगत वर्ष की इसी अवधि तक 18.8 प्रतिशत की तुलना में 19.8 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमरीका से होने वाले आयातों में अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 की अवधि में 9.9 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई जो कि विगत वर्ष के इसी अवधि में 10.5 प्रतिशत की थी। (चित्र 5.9 और 5.10)।

30 मार्च 1994 से नीति संबंधी गतिविधियां

40. निर्यातों को बढ़ावा देने और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप में इस वर्ष निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए।

— शुल्क छूट स्कीम (डी.ई.एस.) तथा निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत तीसरी पार्टी के निर्यातों को लाभ प्रदान किया गया।

— विशेष आयात अनुज्ञा-पत्रों के तहत आयात की जाने वाली मदों की मात्रा में वृद्धि की गई।

— तदर्थ मानदंडों पर आधारित शुल्क मुक्त अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने की सुविधा आयातकों को उपलब्ध कराई गई।

— निर्यात/व्यापार/उत्कृष्ट व्यापार गृह की मान्यता प्रदान करने के लिए विशिष्ट व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

— सर्वोत्कृष्ट व्यापार गृहों की एक नई श्रेणी का सृजन किया गया जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार नीति एवं संवर्धन संबंधी शीर्ष परामर्शदात्री निकायों की सदस्यता की पात्र है।

— 5 वर्षों से अधिक की न्यूनतम अवशिष्ट अवधि वाले सभी पुराने पूंजीगत माल को वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा पूरी तरह आयात योग्य बनाया गया।

— अग्रिम अनुज्ञा-पत्रों के लिए बैंक गारंटियों और विधिक वचन-पत्र (अंडरटेकिंग) को मूलत: युक्तिसंगत और सरल बनाया गया।

— ई.पी.सी.जी. स्कीम सेवा क्षेत्र में लागू होती रही।

— उन कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के निर्यात में लगे हुए एककों को ई.ओ.यू. की मान्यता प्रदान की गई जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में अपने उत्पादों का कम से से कम 50 प्रतिशत निर्यात किया गया।

— ई.ओ.यू./ई.पी.ज़ेड. के लिए मूल्य संयोजन सूत्रों को सरल और कारगर बनाया गया।

41. इन उपायों के बन जाने से व्यापार नीति फोकस में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत और अवस्थापनात्मक, दोनों प्रकार का समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश

उरूग्वे दौर संबंधी मुद्दे

42. गैर वार्ताओं का उरूग्वे दौर दिनांक 12 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1994 तक माराकेश, मोरोक्को में आयोजित सरकारी सम्मेलन में औपचारिक रूप से सम्पन्न हुआ। 110 अन्य देशों सहित भारत ने अन्तिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हुए उरूग्वे दौर के परिणामों को अधिप्रमाणित किया। इसके अलावा, 104 देशों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी०ओ०) की स्थापना से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। विश्व व्यापार संगठन समझौता 1 जनवरी, 1995 से लागू हो गया है और भारत 30 दिसम्बर, 1994 को विश्व व्यापार संगठन समझौते का अनुसमर्थन करके इसका एक संस्थापक सदस्य बन गया है।

43. विश्व बैंक, ओ०ई०सी०डी० और गैर सचिवालय द्वारा जो अनुमान लगाये गये हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उरूग्वे दौर पैकेज के कार्यान्वयन से विश्व की आमदनी वार्षिक रूप से 213 से 274 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ जाएगी। समग्र व्यापार संघटन के संबंध में गैर-सचिवालय का अनुमान है कि वस्तुओं के पण्य व्यापार का स्तर वर्ष 2005 में 745 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ जाएगा, जैसाकि पहले कभी नहीं हुआ था। गैर सचिवालय का यह भी अनुमान है कि सर्वाधिक वृद्धि कपड़े (60 प्रतिशत), कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादों (20 प्रतिशत) तथा प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थों (19 प्रतिशत) के क्षेत्र में होगी। चूंकि भारत की विद्यमान और संभावित निर्यात प्रतिस्पर्द्धा इन उत्पाद समूहों में निहित है, अत: इस बात का विश्वास करना तर्कसंगत होगा कि भारत को इन क्षेत्रों से बहुत लाभ प्राप्त होगा। यह मानते हुए कि विश्व निर्यातों में भारत का बाजार शेयर 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1 प्रतिशत हो गया है और हम सृजित अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ हैं, अतिरिक्त निर्यातों से मोटे तौर पर प्रतिवर्ष कम से कम 2.7 बिलियन अमरीकी डालर तक का लाभ हो सकता है। इस संबंध में लगाए गए और अधिक उदार अनुमानों के अनुसार अतिरिक्त निर्यातों से प्राप्त लाभ 3.5 से 7 बिलियन अमरीकी डालर के बीच होंगे।

44. उरूग्वे दौर पैकेज में कई ऐसे क्षेत्र है जिनका संबंध विपणन सुगम्यता से है। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, टैरिफ, वस्त्रोद्योग और कपड़े तथा कृषि।

(i) अधिकांश विकसित देशों में औद्योगिक शुल्क (टैरिफ) कम कर दिया गया है और अब वे बहुत ही न्यून स्तरों (औसतन 5 प्रतिशत) पर ही लगते हैं। वे व्यापार के लिए कोई महत्वपूर्ण अवरोध नहीं हैं। विकासशील देश भी अपने शुल्क कम कर रहे हैं। उरूग्वे दौर में समग्र शुल्क में औसतन एक तिहाई की कटौती हुई है। भारत में औद्योगिक कच्चे माल, संघटकों और पूंजीगत माल पर शुल्क 40 प्रतिशत (जबकि 1993-94 में यह 40 प्रतिशत से अधिक था) और अन्य मामलों में 25 प्रतिशत तक सीमित है। 1 मार्च, 1995 से जहां आवश्यक हो, शुल्क की कटौती छह समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। जैसा कि शुल्क में कटौती की उल्लिखित तारीख 1 जनवरी, 1990 है, जब भारतीय शुल्क बहुत ऊंचे थे और पर्याप्त रूप से स्वायत्त शुल्क कटौतियां की गई थीं तब से ही आरम्भिक वर्षों में शुल्क में खास कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस समय हमारी शुल्क सीमा 5 प्रतिशत तक सीमित है और उरूग्वे दौर के पश्चात् यह करीब 68 प्रतिशत हो जाएगी। इसकी तुलना में एशिया और लातीन अमरीका के बहुत से विकासशील देशों में शुल्क सीमा 90 से 100 प्रतिशत के बीच है जो भारत की बाध्यताओं के समान अथवा उससे कम स्तर पर है।

(ii) वस्त्रोद्योग एवम कपड़ा समझौता भी विपणन सुगम्यता का एक हिस्सा है। इसकी प्रमुख उपलब्धि इस क्षेत्र के ढांचे में स्वीकृत करने की वचनबद्धता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आयातकर्ता देशों ने वस्त्र व्यापार को गैट में एकीकृत करने की सुस्पष्ट वचनबद्धता की स्वीकृति दी है। एकीकरण की विधिसम्मत वचनबद्धता को विश्व व्यापार संगठन पाठ के इस प्रावधान द्वारा और भी मजबूत बना दिया गया है कि संधिकाल से संबद्ध समझौते के तहत बाध्यताओं से छूट केवल सर्वसम्मति के आधार पर दी जा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि छूट के निर्णय पर कोई भी सदस्य आपत्ति कर सकता है। भारत वस्त्रोद्योग समझौते में दस वर्ष के संधिकाल से नीतियां निर्धारित करके उद्योग में नीति संबंधी प्रतिक्रियाओं की अनुमति दे सकेगा ताकि एकीकरण से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा, भारत ने वस्त्रोद्योग और कपड़ों से संबंधित शुल्क की कटौतियों और बाध्यताओं को वस्त्रोद्योग समझौते के कार्यान्वयन से जोड़ दिया है।

(iii) कृषि के सम्बन्ध में, भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि कृषि के विकास से संबंधित सभी मुख्य कार्यक्रमों को कृषि समझौते के प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। समझौता पाठ में एक एकल समष्टि सहायता मापन (ए.एम.एस.) की व्यवस्था की गई है जो उत्पाद विशेष और गैर उत्पाद विशेष, दोनों तरह की सहायता पर आधारित है। सम्बद्ध आधार अवधि 1986-87 में भारत का कुल ए.एम. एस. ऋणात्मक (निम्न आय वाले तथा साधन रहित किसानों को दी जाने वाली निविष्टि संबंधी आर्थिक सहायता पर उपलब्ध छूटों को ध्यान में रखे बिना) है और इनमें कटौती संबधी कोई वचनबद्धता नहीं है। भारत की कृषि क्षेत्र में विपणन सुगम्यता संबंधी कोई न्यूनतम वचनबद्धता भी नहीं है। अन्तिम अधिनियम के पाठ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक वितरण प्रणाली का प्रचालन समझौते के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होगा। विकासशील देशों को कृषि सबंधी शुल्कों पर सीमा संबंधी अधिकतम बाध्यताएं निर्दिष्ट करने की शिथिलता प्राप्त है। भारत ने प्राथमिक उत्पादों पर 100 प्रतिशत, प्रसंस्कृत उत्पादों पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत की सीमा बाध्यताओं का उल्लेख किया।

45. उरूग्वे दौर समझौते में बहुपक्षीय नियमावलियों और प्रतिबंधों को भी सुदृढ़ बनाया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों एवं प्रतिबंधों का संबंध प्रतिपादन, आर्थिक सहायता और प्रतिसंतुलनकारी उपायों, सुरक्षा उपायों और विवाद निपटान से है। उदाहरणार्थ, आर्थिक सहायता के मामले में, 1000 अमरीकी डालर से कम की प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को औद्योगिक उत्पादों पर निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने की सामान्य छूट से विमुक्त किया गया है। प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखे बगैर सभी देशों को उन उत्पादों में जिनमें उनका शेयर लगातार दो वर्ष तक विश्व बाजार का 3.25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक रहा हो, निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा। लेकिन इससे भारत के हीरे-जवाहरातों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रतिपाटन और आर्थिक सहायता तथा प्रतिसन्तुलनकारी उपायों की नई बाध्यताओं के अनुसार 31 दिसम्बर, 1994 को एक अध्यादेश लागू करके सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों को समयबद्ध स्वचालित और न्यायाधीन बनाया गया है।

46. व्यापार सम्बद्ध निवेश उपाय समझौते (ट्रिम्स) में राष्ट्रीय व्यवहार (अनुच्छेद–III) के साथ मेल न खाने वाले निवेश संबंधी उपायों अथवा मात्रात्मक प्रतिबंधों (अनुच्छेद–II) के सामान्य बहिष्कार का निषेध किया गया है। असंगत ट्रिम्स को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए विकासशील देशों को पांच वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि की अनुमति दी गई है। समझौते में विदेशी निवेश के सभी अथवा किसी एक विशेष क्षेत्र को सुगम्यता प्रदान करने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

47. सेवाओं से संबंधित सामान्य समझौते (जी. ए. टी. एस.) की दो मुख्य सार्वजनिक आवश्यकताएं हैं। पहली है–सर्वाधिक समर्थित देश (एम. एफ. एन.) खण्ड के आधार पर अविभेद और दूसरी है पारदर्शिता। सेवा क्षेत्र खोलने की सार्वजनिक आवश्यकता नहीं है। भारत ने देश के स्वहित के आधार पर प्रस्ताव किया है। सेवाओं से संबंधित बातचीत में भारत की रूचि मुख्यतया अपने नागरिकों की सीमा पर की गतिविधियों की रूपात्मकता के जरिए सेवाओं की सुपुर्दगी में थी। सेवाओं से संबंधित बातचीत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संबंधी समझौते के लागू होने के छह माह बाद सम्पन्न हो जाएगी।

48(i). व्यापार संबद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते में प्रतिलिप्याधिकारों और सम्बद्ध अधिकारों, व्यापार चिह्नों, भौगोलिक निर्देशनों, औद्योगिक डिजाइनों, एकस्वों, (पेटेन्ट्स), एकीकृत सरकिटों के अभिन्यास डिजाइनों और गोपनीय सूचना की रक्षा के मानदण्डों और मानकों की व्यवस्था की गई है। प्रतिलिप्याधिकारों और सम्बद्ध अधिकारों के मामले में इस समझौते में बर्न अभिसमय के प्रावधानों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है। भारत बर्न अभिसमय का पहले से ही एक हस्ताक्षरकर्ता है और नया प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पहले से ही ट्रिप्स समझौते की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेवा चिह्नों की सुरक्षा के लिए व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम 1958 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक 1993 में संसद में पेश किया गया है। भारत में भौगोलिक निर्देशनों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, हालांकि निर्णय विधि में भौगोलिक निर्देशनों की सुरक्षा की अनुमति दी गई है। इस संबंध में एक नया कानून बनाना होगा लेकिन इससे पहले समझौते के तहत पांच वर्ष की संक्रमण अवधि होती है। औद्योगिक डिजाइनों के संबंध में डिजाइन अधिनियम, 1991 को अद्यतन बनाना होगा लेकिन इसके लिए पांच वर्ष की संक्रमण अवधि दी जाती है। एकीकृत सरकिटों के अभिन्यास डिजाइन और गोपनीय सूचना की रक्षा के लिए भी पांच वर्ष की संक्रमण–अवधि की अनुमति दी जाती है

(ii) एकस्वों के मामले में मूल बाध्यता यह है कि कि उत्पाद और प्रसंस्करण एकस्वों की अनुमति सभी क्षेत्रों में दी जाए। तथापि, चुनिंदा क्षेत्रों के लिए एकस्वता के विशेष अपवादों को स्वीकृति दी गई है। जो देश इस समय कतिपय क्षेत्रों में उत्पाद एकस्व प्रदान नहीं करते हैं, वे उत्पाद एकस्वों की आवश्यकता सम्बंधी प्रावधानों में पांच वर्ष की मंजूर की गई सामान्य छूट के बाद और पांच वर्षों के लिए विलम्ब कर सकते हैं। लेकिन जनवरी, 1995 के बाद एकस्व प्राप्त करने वाले उत्पादों के लिए पूर्ण विपणन अधिकार प्रदान करने होंगे। तदनुसार, एकस्व (संशोधन) अध्यादेश 1994–31, दिसम्बर 1994 को लागू किया गया। पौध की किस्मों के संबंध में एकस्वों द्वारा अथवा किसी प्रभावी अद्वितीय प्रणाली द्वारा अथवा दोनों के सम्मिश्रण द्वारा सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। समझौते में अद्वितीय प्रणाली के संघटकों का उल्लेख नहीं किया गया है और प्रत्येक देश ऐसे तत्वों का निर्धारण कर सकता है जो कारगर सुरक्षा प्रदान कर सकें। भारत ने उत्पाद एकस्व के बजाए अद्वितीय प्रणाली अपनाने का निश्चय किया है क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में अधिक है। कृषि मंत्रालय ने एक उपयुक्त विधान का मसौदा तैयार करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है जो किसानों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित एक मसौदा। समूह ने जननिक सामग्री तक पहुंच संबंधी विनियम का मुद्दा उठाया है।

वस्त्रों से संबंधित करार

49. भारत ने सं.रा.अ. और ई.यू. से दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को वस्त्रों में बाजार अभिगम्यता के विषय पर दो पृथक करारों पर हस्ताक्षर किए। ये करार भारत और सं.रा.अ. तथा ई.यू. देशों के बीच वस्त्र उत्पादों संबंधी व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से किए गए हैं। इस समय, भारत के कुछ वस्त्र निर्यातों का लगभग दो-तिहाई निर्यात इन देशों को किया जाता है।

50. यह अनुमान लगाया गया है कि अगर भारत दो करारों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त अभिगम्यता का पूर्ण उपयोग कर पाता है तो इससे प्रारंभिक वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उरुग्वे दौर के वस्त्र और वस्त्रोद्योग संबंधी समझौते में निर्धारित किए गए कोटे की संवृद्धि दरों के कारण, उपलब्ध अतिरिक्त अभिगम्यता एकीकरण के दूसरे और तीसरे चरणों में और बढ़ जाएगी तथा इन अवधियों के दौरान अधिक आय प्रदान करेगी।

51. सं.रा.अ. और ई.यू. के कुछ हितों को समायोजित करने के लिए, भारत ने तीन से सात वर्ष से प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर विश्व व्यापार संगठन के साथ कतिपय मदों के लिए चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण अनुसूची प्रदान करने की सहमति दी है। इसके अतिरिक्त, भारत ने चरणबद्ध तरीके से वस्त्र उत्पादों

के लिए अपना बाजार खोल देने की भी सहमति व्यक्त की है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पहले चरण में भारत ने रेशे, सूत और औद्योगिक फैब्रिक्स, जो बुनियादी कच्चे माल हैं और जिनमें से कुछ घरेलू आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति नहीं होती, को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अधीन रखने की सहमति दे दी है। अगले चरण में, फैब्रिक्स और परवर्ती चरण में तैयारशुदा मदों और कपड़े को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल उपलब्ध कराने की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

अन्य गतिविधियां

52. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी के उपरांत सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा है। माराकेश करार के अनुसमर्थन और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) की स्थापना से व्यापार का बहु-पक्षीय ढांचा और मजबूत बनेगा तथा विश्व व्यापार और अधिक बढ़ेगा। कुछ उप-सहारा देशों के दृष्टिकोण में भी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कई वर्षों की गिरावट के उपरान्त सुधार होने लगा है। जिन क्षेत्रों में परिवर्तन जल्दी होने लगा उनमें पहले से ही सुधार हो रहा है अथवा उन्होंने उत्पादों में होने वाली पूर्ववर्ती गिरावटों को नियंत्रित कर लिया है। इन सकारात्मक लक्षणों के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था को कतिपय संरचनात्मक कमजोरियों के कारण क्षति पहुंचनी जारी है जिससे मध्यकालिक संवृद्धि संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इससे भारत सहित अनेक विकासशील देशों द्वारा शुरु किए गए सुधार कार्यक्रमों को मदद नहीं मिलेगी।

53. औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 1930 के दशक से ही अत्यधिक रही है। इससे केवल इन देशों में ही समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं बल्कि संरक्षणवाद की प्रवृत्ति के कारण बहुपक्षीय व्यापार को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहुत से औद्योगिक देशों में राजकोषीय घाटा अधिक बना हुआ है जिससे राष्ट्रीय बचतों तथा ब्याज दरों पर दबाव पड़ रहा है। इससे इन देशों में निजी निवेशों तथा विकासशील देशों को होने वाले वित्तीय संसाधनों के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि अनेक विकासशील देशों ने आर्थिक सुधार के भाग के तौर पर व्यापार को पर्याप्त उदार बना दिया है, फिर भी विकसित देशों ने बाधाएं उत्पन्न की हैं जिससे कि विकासशील देशों के काम आने वाली वस्तुओं की बाजार सुलभता को खतरा उत्पन्न हो गया है।

54. विकासशील देशों को दी जाने वाली सरकारी विकास सहायता (ओ० डी० ए०) 1993 में वास्तविक रूप में कम होकर लगभग 8 प्रतिशत तक रह गई जो कि 0.7 प्रतिशत के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जी० एन० पी०) के 0.3 प्रतिशत से कम है। वास्तविक रूप में 1992 से ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) से ऋण नहीं मिल पाया तथा विश्व बैंक से होने वाले कुल निवल अन्तरण पिछले कई वर्षों में नकारात्मक रहे हैं।

55. 1981 से विशेष आहरण अधिकारों (एस०डी०आर०), अंतर्राष्ट्रीय रूप से सृजित प्रारक्षित परिसंपत्ति, का नए सिरे से नियतन नहीं हुआ है। एक तिहाई से अधिक विकासशील देशों तथा संक्रमणकालीन स्थिति से गुजरने वाले आधे देशों के पास 1993 के अंत तक दो महीनों से कम अवधि में आयातों से होने वाली आय के बराबर प्रारक्षित निधियां थीं। बहुत से विकासशील तथा संक्रमणकालीन देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष आहरण अधिकारों का नए सिरे से नियतन करना बहुत आवश्यक हो गया है। दुर्भाग्यवश, अक्तूबर, 1994 में मैड्रिड में आयोजित अंतरिम समिति की अन्तिम बैठक में इस संबंध में कोई सवसम्मति न हो सकी।

दृष्टिकोण

56. आर्थिक सुधारों की मुख्य उपलब्धि भारत की आर्थिक संवृद्धि पर पचास के दशक के मध्यकाल से प्रचलित विदेशी मुद्रा के दबाव को अकस्मात् मुक्त करना रहा है। 1994-95 में भुगतान संतुलन आशाप्रद बना रहा। निर्यात संवृद्धि 1993-94 में दर्ज की गई 20 प्रतिशत की उच्च संवृद्धि से अपेक्षाकृत कम और आयात संवृद्धि औद्योगिक सुधारों के कारण पिछले वर्ष दर्ज की गई लगभग 6 प्रतिशत की संवृद्धि से काफी ऊंची हो सकती है जिसके कारण 1994-95 के लिए व्यापार घाटा अपेक्षाकृत अधिक होगा। फिर भी, परोक्ष निवेशों के बेहतर निष्पादन तथा पूंजी के अधिक अंतप्रर्वाहों के कारण विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में संग्रह होता रहा है तथा 1994-95 के अंत में यह 20 बिलियन डालर तक पहुंच सकती है।

57. तेजी से हो रहे औद्योगिक सुधारों और बढ़ते हुए आयातों की वजह से इस वर्ष और संभवतः 1995-96 में भी व्यापार घाटे में वृद्धि होने की आशा है। विगत ऋण पर ऋण शोधन अदायगियां अधिक ही रहेंगी और 1995-96 में ये 13 बिलियन डालर तक पहुंच सकती हैं। मध्यावधि में भारत की भुगतान संतुलन स्थिति मुख्यतया निर्यात निष्पादन पर निर्भर बनी रही। निर्यात संवर्धन को सुदृढ़ बनाए रखने में सफलता मुख्यतया प्रतिस्पर्द्धी विनिमय दर को बनाए रखने, समूची बृहत् आर्थिक स्थिरता, देशी बाजार की तुलना में निर्यातों की सापेक्षिक लाभ संभाव्यता को बढ़ाने के प्रयासों और भारत के उद्योग, कृषि और सेवाओं की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर निर्भर करेगी। इन सब बातों से विश्वव्यापी आर्थिक परिवेश में भारत के एकीकरण का संकेत मिलता है।

अध्याय 6

औद्योगिक नीति और विकास

वर्ष 1993-94 में औद्योगिक विकास में 4.1 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई और अप्रैल-अक्टूबर, 1994 में 8.0 प्रतिशत की अत्यन्त प्रभावशाली वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन के एक उन्नत सूचकांक के अनुसार (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 50 प्रतिशत के भार सहित) औद्योगिक क्षेत्र में अप्रैल--दिसम्बर, 1994 के दौरान 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसे स्पष्ट संकेत हैं कि 1990 के आरम्भिक आर्थिक नीतिगत सुधारों के अनुसरण में भारी और बड़े पैमाने पर औद्योगिक सुधार आने वाला है। पूंजीगत सामान क्षेत्र, जो पहले शांत अवस्था में रहा वह अब औद्योगिक उत्प्लावकता का एक अग्रणीय अंशदाता बन कर उभरा है और उसने अप्रैल---अक्टूबर, 1994 में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी है। इस ठोस वृद्धि में आंशिक रूप से पिछले बजट में किए गए एकमुश्त नीतिगत उपायों और अंशतः उन अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में हुए सुधार के प्रत्युत्तर में निवेशजन्य वस्तुओं की मांग सामान्य कमी द्वारा प्रतिबिम्बित होती है, जैसा कि पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया था कि व 1993-94 के उत्तरार्ध में पहले से ही परिचयन के दौर में है। उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ दोनों वस्तुएं भी सही कार्य निष्पादन कर रही हैं। कपास और जूट के अतिरिक्त वस्त्र उत्पादों, कागज और कागज उत्पादों, धातु और धातु-उत्पादों, बिजली की मशीनरी और परिवहन उपस्करों ने भारी वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। छः प्रमुख आधारभूत उद्योग, अर्थात् विद्युत, उत्पादन, कोयला, लोहा और इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल तथा तेल शोधक उत्पादों ने जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 28.8 प्रतिशत भार बैठता है, अपनी सा मान्य ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाए रखी है और अप्रैल दिसम्बर, 1994 के दौरान 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। निवेश का वातावरण अत्यधिक उत्प्लावक बना हुआ है

2. वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख नीतिगत उपक्रमों में लगभग सभी थोक औषधियों को लाइसेंस मुक्त किया जाना और अधिकांश औषधियों तथा नुस्खों में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी को स्वतः अनुमोदन दिया जाना शामिल हैं। इसके साथ ही बुनियादी दूर संचार सेवाएं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं उन्हें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। एक अन्य अच्छी घटना यह है कि बहुत से राज्य आधारिक स्तर पर उदारीकरण के लिए प्रक्रियात्मक और नीतिगत सुधार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सुस्पष्ट नई औद्योगिक नीति विशषरूप से हितकर है जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था में निजी स्वदेशी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

3. सारणी 6.1 में तीन प्रमुख क्षेत्रों की मासिक वृद्धि दरों की प्रवृत्ति और वर्ष 1993 से औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया है। सारणी में स्पष्टतः बताया गया है कि भारतीय उद्योग विनिर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार सहित निश्चित सुधार की प्रक्रिया पर है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक ने अप्रैल-अक्टूबर, 1993 में केवल 3.8 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर, 1994 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

4. सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि विद्यमान आंकड़ा संग्रहण प्रणाली कुछ क्षेत्रों की, विशेषरूप से उद्योगों की वृद्धि को पूर्णतया दर्ज नहीं कर पाती है। इसका कारण असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों का उपलब्ध न हो पाना और कुछ सीमा तक संगठित क्षेत्र द्वारा उन्हें सूचित न किया जाना है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुमान के लिए आंकड़ा आधार और कार्य पद्धति में सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को 1980-81 से बदलकर 1985-86 किया जा रहा है जिसमें संशोधित मदों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सम्बद्ध आंकड़ों की उन्नत भारण प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाते हुए पुनरीक्षा की जा रही है।

S/13 Fin./95—18

सारणी 6.1

औद्योगिक उत्पादन की मासिक वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

अवधि	सामान्य	विनिर्माण	खनन और उत्खनन	विद्युत
(भार)	(100)	(77.11)	(11.46)	(11.43)
1	2	3	4	5
1993				
जनवरी	—3.2	—5.4	—1.4	7.6
फरवरी	—3.1	—4.4	—3.1	4.6
मार्च	—1.2	—3.7	8.5	5.3
अप्रैल	—0.5	—2.1	1.4	6.4
मई	2.3	1.2	—0.4	9.5
जून	2.8	1.1	4.9	9.9
जुलाई	6.7	6.8	5.5	7.3
अगस्त	9.2	8.8	6.6	13.3
सितम्बर	3.7	3.5	2.8	5.5
अक्तूबर	2.6	2.8	1.1	2.3
नवम्बर	2.2	1.5	1.8	6.7
दिसम्बर	6.4	7.2	1.5	6.2
1994				
जनवरी	6.5	7.2	4.0	5.0
फरवरी	6.0	6.7	1.1	6.9
मार्च	1.1	—0.6	1.4	10.7
अप्रैल	6.9	8.4	—0.9	5.7
मई	8.0	8.4	5.6	8.3
जून	7.0	8.1	0.3	6.8
जुलाई	6.8	7.2	3.4	7.4
अगस्त	8.9	9.8	7.8	4.7
सितम्बर	7.9	7.1	11.3	9.2
अक्तूबर	10.3	9.2	15.6	11.8

औद्योगिक नीति में सुधार

5. जुलाई 1991 से आरम्भ की गई औद्योगिक नीति में सुधारों की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान भी जारी रही। 1994-95 के दौरान नीतिगत परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ "मोडवाट" का और अधिक क्षेत्रों में विस्त उत्पाद कर ढांचे में सुधार करना, सीमा शुल्कों को अधिक युक्तियुक्त बनाना तथा उनमें कटौती किया जाना, बैंकों की उधार देने की दरों से नियंत्रण हटाना, कुछ एक औषधियों के अतिरिक्त औषधियों और भेषजीय क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त करना तथा दूर संचार क्षेत्रों का उदारीकरण करना शामिल है।

6. हाल के वर्षों में राज्य सरकारों ने भी सुधार प्रक्रिया और नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण पहलें की हैं । बाक्स 6.2 राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए गए सुधारों में से कुछ की विशिष्टता प्रकट करता है ।

बाक्स 6.1

औद्योगिक क्षेत्र में सुधार

* लगभग सभी थोक औषधियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया ।
* 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश का स्वतः अनुमोदन और केवल कुछ एक को छोड़कर सभी थोक औषधियों तथा फार्मूलेशनों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी करार ।
* बुनियादी दूरसंचार सेवाएं विदेशी निवेश सहित प्राइवेट भागीदारी के लिए खोली गईं ।
* 2 लाख रुपए से अधिक राशि के लिए न्यूनतम उधार दरें समाप्त की गई । 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए के बीच अग्रिमों के लिए दरें घटाकर 13.5 प्रतिशत की गई ।
* वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सांविधिक नकदी अनुपात कम करके 31.5 प्रतिशत किया गया ।
* पूंजीगत माल पर आयात शुल्क घटाकर निर्यात से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं पर 15 प्रतिशत, परियोजना आयातों और अधिकांश पूंजीगत वस्तुओं के लिए 25 प्रतिशत किया गया तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए 20 प्रतिशत पर रियायती शुल्कों को जारी रखा गया तथा उर्वरक परियोजनाओं के लिए [illegible] शून्य रहा ।
* मोडवाट का विस्तार पूंजीगत वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए किया गया ।
* निगम कर को घरेलू कम्पनियों के लिए पर्याप्त मात्रा में धारित कम्पनियों के लिए घटाकर 45 प्रतिशत तथा सीमित रूप से रखे जाने वाली कम्पनियों के लिए 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया और विदेशी कम्पनियों के लिए 65 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत किया गया ।
* 1993-94 के बजट में औद्योगिक स्तर पर पिछड़े हुए राज्यों में जिन नए औद्योगिक उपक्रमों को आरम्भ में पांच वर्ष के करावकाश की अनुमति दी गयी थी उसे उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी बढ़ाया गया है जिसे राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।
* दरों का यौक्तिकीकरण, अधिकांश अन्तः प्रयोज्य छूटों को समाप्त करना और विशिष्ट शुल्कों से यथा-मूल्य शुल्कों में सामान्य बदलाव सहित उत्पाद-कर ढांचे में प्रमुख परिवर्तन किया जाना ।
* शीर्ष स्तरीय शुल्क दरों में कटौती, अधिकांश अन्तः प्रयोज्य छूटों की समाप्ति और अनवरत लगने वाले शुल्कों से छूटों की समाप्ति सहित सीमा शुल्कों में लगातार सुधार ।

बाक्स 6.2

औद्योगिक नीतिगत सुधार : राज्य सरकारों के चुनिंदा उपक्रमण

हरियाणाः

* प्रक्रिया को सरल बनाने और एक समय सीमा के कार्य के निपटान के लिए अनेक कदम उठाये गये ।
* सिंगल विंडो एजेन्सी के रूप में औद्योगिक सहायता ग्रुप की स्थापना । विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो सेवाओं का जिला स्तर तक और अधिक विस्तार।
* औद्योगिक भूखण्डों भवनों को आवंटित करने, हस्तान्तरित करने, पट्टे पर देने और किराये पर लेने, हरियाणा वित्त निगम द्वारा ऋणों की स्वीकृति : संवितरण, एक निश्चित सीमा तक बिजली-भार की स्वीकृति करने की शक्तियां जिला स्तर के अधिकारियों को सौंपी गयी हैं ।

* समय बद्ध निपटान/स्वीकृतियों में निम्नलिखित सभी पहलू शामिल हैं आवेदन प्राप्ति के समय से परियोजना स्वीकृति (15 दिन) लघु इकाई के रूप में पंजीकरण (एक दिन), राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र देना (15 दिन), भूखण्डों/सायबानों का आवंटन (10 दिन)।

* राज्य के माध्यम से बिक्री कर की सभी बाधाएं दूर की गई ।

* निश्चित समयावधि के अन्दर सभी निपटानों को सुनिश्चित करने के लिये उच्च स्तरीय समन्वय समिति की स्थापना। प्रशासन को और अधिक चुस्त बनाने के लिये एक शक्ति सम्पन्न ग्रुप (विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधित्व सहित) की स्थापना ।

* विदेशी निवेशों अनिवासी भारतीय परियोजनाओं और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख परियोजनाओं पर तत्काल निर्णय लेने के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना।

* उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति की स्थापना।

* निरीक्षकों के दौरों को औचित्यपूर्ण और सरल बना दिया गया है ।

केरल

* अधिक निवेश आकर्षित करने और प्रक्रियागत नियमों में सरलीकरण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ।

* निर्धारित समय सीमा के अन्दर नए लघु उद्योगों के आवेदनों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने, अच्छे औद्योगिक संबंधों की समीक्षा करने और उन्हें बनाए रखने तथा औद्योगिक विकास के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास समितियां गठित की जाएंगी ।

* प्रत्येक जिले में जिला विकास समिति गठित की जानी है ।

* औद्योगिक संबंध समिति का विस्तार सभी विद्यमान और संभावित औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाना है ।

* सभी शोधन-पत्रों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए एक नई "ग्रीन चैनल स्कीम" लागू की जाएगी और सभी अनावश्यक लाइसेंस प्रणालियों और शोधनों को समाप्त किया जाएगा ।

* एक औद्योगिक आधारिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा ।

* केन्द्रीय परियोजनाओं से सम्बद्ध कियाकलापों को समन्वित करने के लिए एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा ।

* प्रथम सात वर्षों तक नई इकाइयों को सभी प्रकार के राज्य करों से छूट दी जाएगी ।

* कतिपय सीमाओं के साथ निवेश-राज-सहायता को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा ।

उड़ीसा

* आधारिक सुविधाओं की पूर्ति और सरकारी सहायता के लिए प्रस्तावों का निपटान करने के लिए तथा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए उपायों की संस्तुति करने हेतु राज्य सरकार स्तर पर एक नोडल समिति गठित की गयी ।

* उड़ीसा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम में विदेशी निवेश प्रभाग अनिवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य कर रहा है ।

* उद्यमियों द्वारा अनुभव की जा रही स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर नोडल समितियां गठित की गयी है ।

पंजाब

*निवेश को आकर्षित करने, प्रोत्साहनों और क्रियाविधियों की बहुलता से बचने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और उद्यमों का शीघ्रता से शोधन करने के लिए अक्टूबर, 1992 में घोषित तथा लागू किए गए एक मुश्त नए प्रोत्साहन। जो उपाय किए गए हैं/अपेक्षित हैं, उनमें ये शामिल हैं :--

* "आफ दि शेल्फ" को भूमि प्रदान करने के लिये एक समिति गठित की गई।

*परियोजनाओं का शोधन करने के लिए एकल स्थानीय सेवा के रूप में कार्य करने वाली "शेल्फ उद्योग सहायिका"।

*औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने के लिए चयनित औद्योगिक इकाइयों के साथ राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

*सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण किया जाना है।

*आधारभूत विकास के एक भाग के रूप में चयनित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। निजी पहलों का उपयोग आधार भूत विकास, विशेष रूप से विद्युत के लिए किया जाना है।

*राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करने की क्रियाविधियों को सरल बनाया जाना। निर्यात के संवर्धन के लिए विदेशी बैंकों की शाखाएं लुधियाना में स्थापित की जानी हैं।

*अनुरोध की प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर उद्योगों की स्थापना करने के लिए सहमति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति तैयार कर रहा है।

राजस्थान

*आधारभूत ढांचे का विस्तार करने/सुदृढ़ बनाने, नियमों और क्रियाविधियों को सरल बनाने, निविष्टियों/शोधनों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने, रोजगार और निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

*निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, दूरसंचार सेवाएं, पर्यटन, होटल उद्योग को प्रोत्साहित किया गया।

*प्राइवेट पार्टियों को उनके द्वारा निर्मित सड़कों/पुलों से पथ-कर वसूल करने की अनुमति देने के कानून को बनाते हुए उसे क्रियान्वित करना।

*औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन और उसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया।

*राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से 155 लघु उद्योगों को छूट दी गयी। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के अधिकारों को विकेन्द्रीकृत किया गया।

*कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत जिन उद्योगों की जांच की जाएगी उनकी संख्या 15 से घटाकर 3 कर दी गई है। इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई जांच सूची के अनुसार सामान्य निरीक्षण किया गया है। यहां तक कि लघु उद्योगों के लिए प्रक्रिया को सरलतम बनाया गया है।

पश्चिम बंगाल

* राज्य, जहां उचित समझता है, विदेशी प्रौद्योगिकी तथा निवेश का स्वागत करता है।

* राज्य, वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये निजी क्षेत्रों के महत्व और प्रमुख भूमिका को मान्यता देता है।

*मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जो निवेश संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेगी।

*पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० के एकल मार्गी अभिकरण को नई परियोजनाओं को 'प्रभावी सुरक्षा सेवाएं' प्रदान करने के लिए सुदृढ़ बनाया गया है।

*भूमि, रोजगार और अन्य सम्बद्ध विषयों पर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में समितियां गठित की गई हैं।

*बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन 1993-94

7. औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 1993-94 के दौरान 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिसमें खनन और उत्खनन में 2.5 प्रतिशत, बिजली में 7.4 प्रतिशत और विनिर्माण में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान रहा। सभी प्रमुख क्षेत्रों ने 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान अच्छा निष्पादन किया। सारणी 6.2 उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दरें दर्शाती हैं।

8. वियोजित स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का विश्लेषण प्रकट करता है कि विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से केवल चार समूहों अर्थात् खाद्य उत्पादों, अन्य वस्त्र उत्पादों, बिजली की मशीनरी और विविध उद्योग (जिनका 12.8 प्रतिशत मिश्रित भारांश है) ने वर्ष 1993-94 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज कीं। दूसरी ओर मादक पेयों और तम्बाकू ने अधिकतम वृद्धि (21.3 प्रतिशत) दर्ज की तथा जूट के वस्त्रों, कागज और कागज उत्पादों, चमड़ा और फर के उत्पादों रसायन और रसायन उत्पादों तथा बुनियादी धातुओं ने 6.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दरें दर्ज कीं। 1993-94 में औद्योगिक वृद्धि की धीमी प्रगति में पुन: संरचना की प्रक्रिया में अदृश्य समायोजन संबंधी विलम्ब, निवेशों और आयातों में मंदी, ब्याज और निगम करों की अभी तक बनी हुई ऊंची दरें और सामान के बेहतर उपयोगों जैसे अनेक कारकों का योगदान रहा।

सारणी 6.2

उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक विकास दर

(प्रतिशत)

वर्ष (भार)	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
1	2	3	4	5
1981-82	17.7	7.9	10.2	9.3
1982-83	12.4	1.4	5.7	3.2
1983-84	11.8	5.7	7.6	6.7
1984-85	8.8	8.0	12.0	8.6
1985-86	4.1	9.7	8.5	8.7
1986-87	6.2	9.4	10.3	9.2
1987-88	3.8	7.9	7.6	7.3
1988-89	7.9	8.7	9.5	8.7
1989-90	6.3	8.6	10.8	8.6
1990-91	4.5	8.9	7.8	8.3
औसत				
(1980-81 से 1990-91)	8.4	7.6	9.0	7.9
1991-92	0.6	—1.8	8.5	0.6
1992-93	0.6	2.2	5.0	2.3
1993-94	2.5	3.6	7.4	4.1
अप्रैल-अक्टूबर				
1992-93	—0.2	4.6	4.3	4.0
1993-94	3.1	3.1	7.7	3.8
1994-95	6.2	8.3	7.7	8.0

औद्योगिक उत्पादन 1994-95

9. अप्रैल-अक्टूबर 1994-95 के दौरान समग्र औद्योगिक उत्पादन में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें विनिर्माण में 8.3 प्रतिशत, बिजली में 7.7 प्रतिशत और खनन तथा उत्खनन में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान रहा (सारणी 6.3)। उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त औद्योगिक उत्पादन के अग्रिम सूचकांक के अनुसार ऐसे 24 प्रमुख उद्योग जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 50 प्रतिशत का भार रहा, अप्रैल-दिसम्बर, 1993 में 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। वाणिज्य वाहनों ने अप्रैल-दिसम्बर, 1993 में 1.6 की कमी की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में 52.5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की।

चित्र 6.1

औद्योगिक उत्पादन के परिवर्तन की दरें

1980-81 = 100

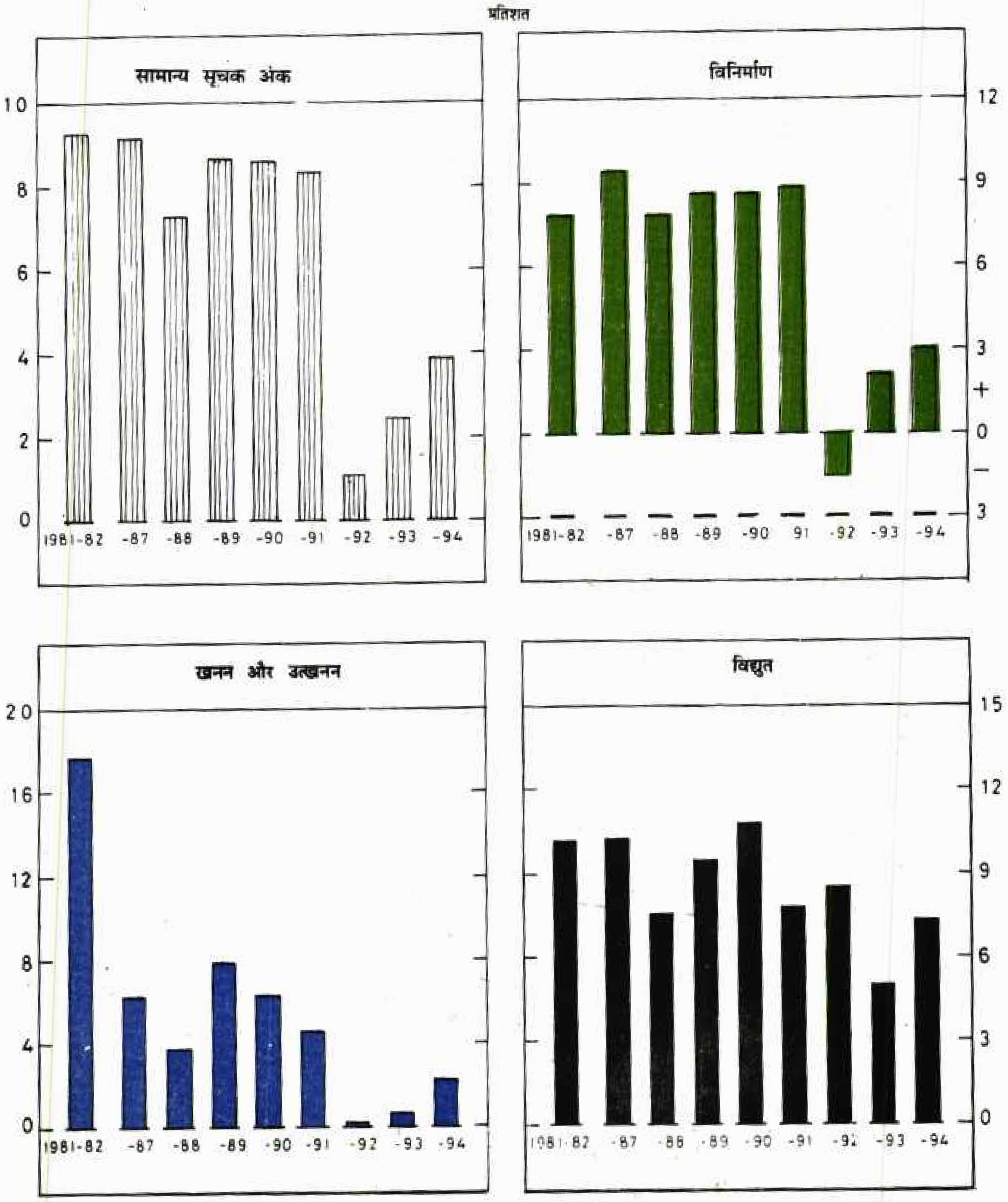

चित्र 6.2

औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक

1980-81=100

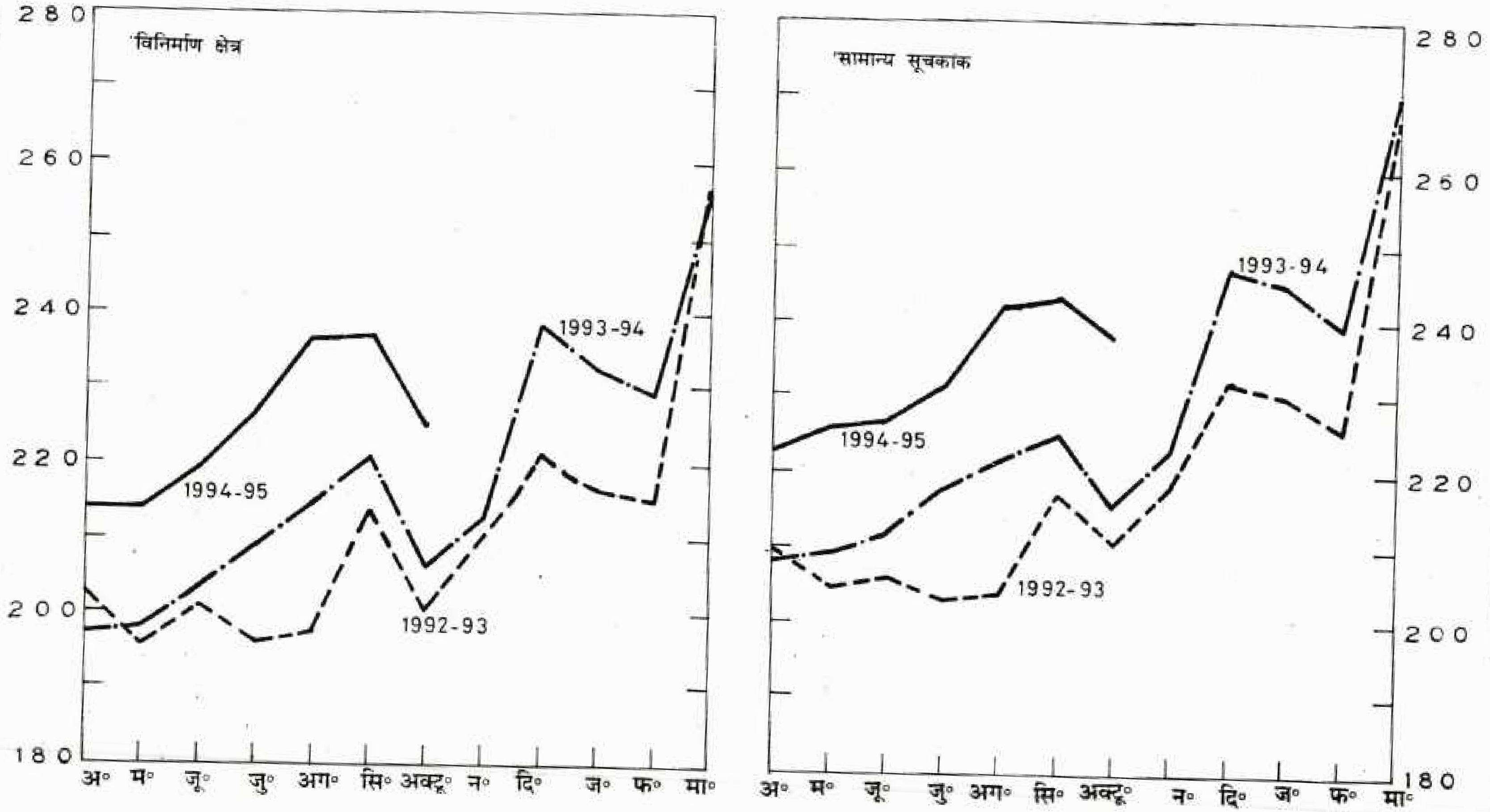

सारणी 6.3

मुख्य श्रेणियों और उपभोग आधारित वर्गीकरण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दरें

(प्रतिशत)

क्षेत्र	भार	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल 94	मई 94	जून 94	जुलाई 94	अगस्त 94	सितम्बर 94	अक्तूबर 94	अप्रैल-अक्तूबर 1994	अप्रैल-अक्तूबर 1993
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सामान्य	100.00	0.6	2.3	4.1	6.9	8.0	7.0	6.8	8.9	7.9	10.3	8.0	3.8
विनिर्माण	77.11	0.8	2.2	3.6	8.4	8.4	8.1	7.2	9.8	7.1	9.2	8.3	3.1
खनन और उत्खनन	11.46	0.6	0.6	2.5	--0.9	5.6	0.8	3.4	7.8	11.3	15.6	6.2	3.1
विद्युत	11.43	8.5	5.0	7.4	5.7	8.3	6.8	7.4	4.7	9.2	11.8	7.7	7.7
उपभोग आधारित वर्गीकरण													
बुनियादी सामान	39.4	6.5	--2.6	5.9	6.0	7.4	4.4	0.9	0.7	2.0	10.6	4.2	7.2
पूंजीगत सामान	16.4	--8.6	--0.1	--5.3	15.0	19.7	12.1	32.7	35.6	22.9	14.4	21.7	--8.7
मध्यवर्ती सामान	20.5	--2.2	5.4	11.4	5.9	4.2	6.4	4.5	4.6	2.5	4.3	4.6	10.2
उपभोक्ता सामान	23.6	1.5	1.8	3.1	3.3	3.9	8.5	6.1	8.0	10.4	11.5	7.3	3.1
उपभोक्ता टिकाऊ सामान	2.6	--10.7	--0.7	15.2	17.2	13.3	14.2	4.4	12.7	3.1	--2.3	8.6	14.1
गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान	21.0	4.7	2.4	0.5	0.5	1.7	7.1	6.6	6.8	12.4	15.2	7.0	0.7

10. विनिर्माण क्षेत्र के 17 प्रमुख समूहों की वृद्धि दरों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि केवल चार क्षेत्रों, अर्थात् सूती वस्त्रों, जूट वस्त्रों, बुनयादी धातुओं और विविध विनिर्माण उद्योगों ने, जिनका मिश्रित भार 25.0 प्रतिशत था अप्रैल-अक्तूबर 1994 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज कीं (सारणी 6.4)। तथापि, सूती वस्त्रों में गिरावट केवल नाममात्र की थी। अन्य सभी समूहों ने जिनका मिश्रित भार 52.1 प्रतिशत था, सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

सारणी 6.4

विनिर्माण के बड़े समूहों द्वारा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	भारांश	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल 1994	मई 1994
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य उत्पाद	5.3	4.8	−1.6	−8.4	−13.8	0.1
मादक पेय, तम्बाकू	1.6	2.4	5.9	21.3	23.1	−2.0
सूती कपड़ा	12.3	9.8	8.0	5.0	1.3	−4.0
जूट वस्त्र	2.0	−10.6	−4.2	18.6	−12.1	−28.3
अन्य वस्त्र उत्पाद	0.8	−5.8	−22.0	−3.2	11.6	35.1
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	0.5	−6.2	3.0	4.3	12.1	14.7
कागज और कागज उत्पाद	3.2	2.6	3.9	6.6	13.4	9.2
चमड़ा तथा फर उत्पाद	0.5	−6.7	3.5	6.6	−6.4	13.0
रबड़ और पेट्रोलियम उत्पाद	4.0	−1.1	1.5	0.9	−0.7	1.4
रासायनिक उत्पाद	12.5	2.8	6.0	7.6	9.0	8.3
गैर-धातु खनिज उत्पाद	3.0	6.2	1.8	3.4	11.0	4.7
मूल धातु और मिश्रित धातु	9.8	5.7	0.4	15.0	8.0	6.8
धातु उत्पाद और पुर्जे	2.3	−7.0	−6.4	1.4	23.0	19.0
बिना बिजली की मशीनें	6.2	−1.9	−1.2	4.2	4.1	10.3
बिजली की मशीनें	5.8	12.4	−2.0	−6.8	21.6	20.6
परिवहन उपस्कर	6.4	−0.7	5.0	5.2	19.5	26.3
अन्य विनिर्माण उद्योग	0.9	−16.1	4.2	−5.7	−8.7	−8.1

(प्रतिशत)

	जून 1994	जुलाई 1994	अगस्त 1994	सितम्बर 1994	अक्टूबर 1994	अप्रैल-अक्टूबर 1994	1993
1	8	9	10	11	12	13	14
खाद्य उत्पाद	9.5	12.1	9.5	6.1	18.7	4.2	−15.4
मादक पेय, तम्बाकू	−4.6	1.2	2.4	7.4	8.9	4.9	13.7
सूती कपड़ा	−2.7	−5.1	−2.3	0.9	1.4	−1.6	7.6
जूट वस्त्र	−21.2	−19.8	−21.1	−18.4	−13.9	−19.3	19.5
अन्य वस्त्र उत्पाद	31.9	18.2	6.5	1.7	0.0	13.7	−13.1
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	−8.1	3.5	−7.9	0.4	−1.0	1.6	3.4
कागज और कागज उत्पाद	1.4	20.4	12.0	17.9	13.9	12.6	3.1
चमड़ा तथा फर उत्पाद	12.5	5.6	14.7	9.6	−12.9	5.0	14.3
रबड़ और पेट्रोलियम उत्पाद	−1.8	6.4	10.7	12.7	19.1	6.6	−0.4
रासायनिक उत्पाद	15.9	10.1	6.6	6.5	10.7	9.5	7.9
गैर-धातु खनिज उत्पाद	4.2	1.0	3.1	9.9	14.1	6.7	1.5
मूल धातु और मिश्रित धातु	7.1	−23.9	−15.0	6.8	7.9	−2.3	16.9
धातु उत्पाद और पुर्जे	16.5	17.1	18.6	14.1	−19.6	12.6	−1.8
बिना बिजली की मशीनें	−0.4	−0.9	1.7	−6.2	0.4	1.0	3.6
बिजली की मशीनें	15.6	47.7	54.1	39.3	17.9	31.1	−12.3
परिवहन उपस्कर	14.7	20.1	20.0	12.2	10.9	17.4	1.8
अन्य विनिर्माण उद्योग	−8.3	−12.8	−13.4	−9.6	−3.8	−9.3	2.1

अन्य वस्त्र उत्पादों, कागज तथा कागज उत्पादों, धातु उत्पादों और हिस्से पुर्जों, बिजली की मशीनरी और परिवहन उपस्करों में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दरें दर्ज हुई। इससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर होता है कि 1994-95 के दौरान औद्योगिक व्यवसाय का काफी विस्तार हुआ है।

11. सारणी 6.3 में उपभोग आधारित वर्गीकरण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दरें भी प्रस्तुत हैं। सारणी से पता चलता है कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का कार्यनिष्पादन काफी प्रभावशाली रहा है। इसने अप्रैल-अक्टूबर, 1993 में 8.7 प्रतिशत की आयी गिरावट की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर, 1994 में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। बुनियादी वस्तुओं (4.2 प्रतिशत), मध्यवर्ती वस्तुओं (4.6 प्रतिशत), उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (8.6 प्रतिशत) और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (7.0 प्रतिशत) में काफी सुधार हुआ है।

12. 172 चुनिंदा उद्योगों के संबंध में जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 88.1 प्रतिशत बैठता है, अप्रैल-अक्टूबर, 1994 के उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है, कि चीनी, रेलवे वैगन, समुद्री जहाज निर्माण, जूट विनिर्माण, जीप, ग्रफाइट इलक्ट्रोट एंड एनोड्स, मशीन औजार और डीजल इंजनों जैसे कुछ उत्पादों को छोड़कर सामान्यतः औद्योगिक सुधार व्यापक स्तर पर था। 74.2 भारांश वाले 121 उद्योगों ने सकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज की और 13.9 भारांश वाले 51 उद्योगों ने नकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज की। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों जिन्होंने 10 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—रेडियो रिसीवर (397.0 प्रतिशत) सड़क रोलर (369.2 प्रतिशत), टेट्रासाइक्लिन (73.8 प्रतिशत), क्षुधावर्धक एवं लौहयुक्त पदार्थ (64.9 प्रतिशत), वाणिज्यिक वाहन (64.9 प्रतिशत), पोलिथीलेन एल० डी० (63.8 प्रतिशत), फास्फेट उर्वरक (47.4 प्रतिशत), इलेक्ट्रिक जनरेटर (37.2 प्रतिशत), अर्थमूविंग उपकरण (28.9 प्रतिशत), पेंसिलिन (20.7 प्रतिशत), अशोधित पेट्रोल (17.5 प्रतिशत), कपड़ा (विकेन्द्रित क्षेत्र), (16.9 प्रतिशत), आटो अनुषंगिक पुर्जे (15.5 प्रतिशत), पेपर एवं पेपर बोर्ड (14.5 प्रतिशत), जियन्ट टायर (14.1 प्रतिशत), कृषि ट्रैक्टर (12.5 प्रतिशत), चमड़ा वस्त्र (10.5 प्रतिशत)। तथापि, इनका कार्य निष्पादन कई क्षेत्रों, जैसे रेलवे वैगन (—28.5 प्रतिशत)), जूट विनिर्माण (−12.9 प्रतिशत), जीप (−10.1 प्रतिशत), ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड एण्ड एनोड्स (−8.9 प्रतिशत), चीनी (−6.9 प्रतिशत), मशीनी औजार (−5.1) प्रतिशत समुद्री जहाज विनिर्माण (मरम्मत कार्य सहित) (−5.1 प्रतिशत), कास्टिक सोडा (−3.4 प्रतिशत) और डीजल इंजन (−3.1 प्रतिशत), के उत्पादन में आई० गिरावट के माध्यम से आंशिक रूप से प्रति संतुलित हो गया था।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

13. वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 1980-81=100) में 352 मदें शामिल हैं। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि लघु उद्योग क्षेत्र, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रगतिशील और तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है, आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण इसका भारांश रेखाचित्र में कम प्रस्तुत किया गया है विशेषकर सिले-सिलाये वस्त्रों, चमड़ा, हीरे और जवाहरात जैसे निर्यातोन्मुख क्षेत्रों का कम उल्लेख किया गया है। 1980-81 के भारांशों में आटोमोबाइल्स, चमड़े का सामान और इलेक्ट्रोनिक जैसे कुछ संगठित क्षेत्रों, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशकों में काफी प्रगति दर्शाई, का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जुलाई, 1991 में अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने और इसके पश्चात डी.जी.टी.डी. का कार्यालय बन्द करने के बाद आंकड़ों को प्रस्तुत करने में कुछ चूकें हो गई हैं। इसलिए यह महसूस किया गया है कि आधार वर्ष को अद्यतन वर्ष के नजदीक लाने तथा भारांश रेखाचित्र को अधिक सादृश्य बनाने की जरूरत है। इस तरह के संशोधन की आवश्यकता और आंकड़ों की उपलब्धता में विद्यमान कठिनाइयों पर पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) का आधार वर्ष 1980-81 से बदलकर 1985-86 किया जा रहा है और मदों की संख्या 352 से बढ़ाकर 375 की जा रही है। 28 नई मदें हैं और जैसी कि उपायुक्त लघु उद्योग (डी.सी.एस.एस. आई) द्वारा सूचना दी गयी है कि 18 मदें नए सूचकांक में शामिल की गयी हैं। 2 अंकीय स्तर पर पूर्ववर्ती शृंखला के साथ सामंजस्यता के लिए संशोधित शृंखला की परख कर ली गई है और इसे बहुत संतोषजनक पाया गया है।

14. तथापि, इसमें लगातार सुधार करने की जरूरत है ताकि कुछ कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके जो अभी भी बनी हुई हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व दिए जाने की जरूरत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में औद्योगिक क्षेत्र की गतिशीलता और उभरते परिदृश्य की जहां तक हो सके, ठीक-ठीक पकड़ रखने की जरूरत है। आंकड़ों का संग्रहण और उपलब्धता समय पर और सटीक होनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि एक स्वतंत्र औद्योगिक रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई जाए और सूचकांक में शामिल मदों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी जाए।

निवेश की रूप रेखा

15. आर्थिक सुधारों का देश के निवेश संबंधी वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने विदेशी निवेशकों और पोर्टफोलियो प्रबन्धकों से भी सुदृढ़ सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अह्वान किया है। पारम्परिक संकेतकों से

पता चलता है कि निवेश के वातावरण और पूंजी बाजार दोनों में तेजी बनी रही । इस तेजी को स्वदेशी बाजार और विदेशों दोनों में भारतीय कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गमों की संख्या में वृद्धि करके और जापान बांड अनुसंधान संस्थान तथा मूडी के निवेशकों की सेवा जैसी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दर निर्धारण अभिकरणों द्वारा भारतीय प्रमुख ऋण दर निर्धारण को उन्नयन करके पुनः बल मिला है ।

16. स्वदेशी निवेश में उत्साहजनक प्रवृत्ति रही है जो कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋणों की मंजूरियों व संवितरणों और पूंजी बाजार प्रचालन से स्पष्ट है ।

17. जबकि वर्ष 1993-94 में स्वीकृति में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, संवितरण 15.1 प्रतिशत बढ़ा । अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता ने 59.2 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की, परन्तु संवितरणों ने 26.3 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्शायी जो मुख्यतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों/ जी०डी०आर० के यूरो निर्गमों के जरिए वैकल्पिक सुलभ निधियों की उपलब्धता के कारण हैं । वित्तीय सहायता में वृद्धि को पूंजी बाजार में उत्प्लावकता द्वारा अनुपूरित किया गया है, जैसाकि (सारणी 6.5) में दिया गया है ।

सारणी 6.5

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित ऋण तथा प्रमुख बाजार में जुटाई गयी पूंजी

(निर्गमों की संख्या और राशि करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94	1993	1994
				(अप्रैल—दिसम्बर)	
1	2	3	4	5	6
स्वीकृत	23146	32675	41444	27982	44545
संवितरित	15589	22269	25632	15792	19946
निर्गमों की संख्या	517	1034	1143	753	1032
जटाई गयी राशि	5757	16749	21982	16276	11381

18. वर्ष 1991 से सितम्बर 1994 तक दाखिल किए गए औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापनों की कुल संख्या 17014 थी और इनकी समग्र निवेश राशि 345000 करोड़ रुपए थी ।

सारणी 6.6

दाखिल किए गए औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापनों में प्रस्तावित निवेश राशि और अनुमोदित एफ. डी. आई. ।

वर्ष	दाखिल किए गये औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन (सं०)	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु०)	अनुमोदित एफ०डी०आई संख्या	अनुमोदित एफ०डी०आई अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए)
1991	3034	76300	289	534
1992	4860	115900	692	3888
1993	4456	64000	785	8859
1994	4664	88800	1040	8957
कुल	17014	345000	2806	22238

19. विदेशी निवेशकों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया भी काफी उत्साहवर्धक थी । 1991 से 1994 की अवधि के दौरान सरकार ने 22238 बिलियन रुपए के विदेशी इक्विटी के 2806 प्रस्तावों सहित 5778 विदेशी सहयोग प्रस्तावों को अनुमोदित किया । इन अनुमोदनों में से 80 प्रतिशत से अधिक अनुमोदन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे विद्युत उत्पादन, तेल शोधन कारखाने, बिजली के उपकरण, रसायन और निर्यात संबद्ध क्षेत्रों में हैं । फेरा में संशोधन और विदेशी निवेश नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एम.एन.सी.) ने अपनी इक्विटी को 51 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दिया है। कोका कोला, आई.बी.एम. जैसी बहुत सी कम्पनियां, जिन्होंने 1970 के दशक में विनिवेश किया था, नए सुअवसरों का फायदा उठाने के लिए भारत लौट आई हैं । यहां तक कि जो क्षेत्र अभी तक सरकारी क्षेत्र (दूरसंचार, हाईड्रो-कार्बन, कोयला, रेलवे और डाक सेवाएं) के लिए आरक्षित थे,

सरकार ने विदेशी निवेशों सहित निजी निवेशों के संबंध में काफी उदार दृष्टिकोण अपनाया है ।

20. वर्ष 1994-95 में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को निर्माण और अचल सम्पत्ति से संबंधित कार्यकलापों में बड़े पैमाने में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी । विदेशी निवेश की अनुमति, राजमार्गों, द्रुतगामी मार्गों एवं पुलों के निर्माण और प्रचा न के लिये पथकर प्रणाली के आधार पर बिजली उत्पन्न करने के लिये बनाओ-चलाओ-अपनाओ के आधार पर और रेलवे के कतिपय कार्य प्रचालनों तथा बुनियादी दूरभाष सेवाओं के संचालनों के लिये बनाओ -चलाओ -पट्टे पर दो-हस्तान्तरण करो के आधार पर दी गई थी । पूर्व अनुमोदनों के बिना; विदेशी निवेदक अब किसी भारतीय फर्म में इक्विटी का 24 प्रतिशत तक और और नए निजी बैंकों में 20 प्रतिशत तया का स्वामित्व रख रख सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार

21. बाजार का नियमाचरण मुहैया कराने और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से चुनिदा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की शेयर पूंजी में 'सरकारी धारित के एक भाग के अपनिवेश की परिकल्पना वाले औद्योगिक नीति विवरण की घोषणा सरकार ने जुलाई, 1991 में की थी । मार्च 1994 तक 4950 करोड़ रुपये की कुल राशि का अपनिवेश सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं, म्यूच्यूअल फंडों और आम जनता में पहले ही किया जा चुका है ।

22. सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए फरवरी 1992 में एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई और कर्मचारियों के पुनः ही प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन, और उन्हें परामर्श देने के सहायतार्थ योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं । ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेते हैं या उन्हें फालतू घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के माध्यम से निधियों की व्यवस्था भी विद्यमान है । राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण का सृजन किया गया है और चालू वर्ष के बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 542.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है और स्कीम के अन्तर्गत अनुमानित 75,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये चयन किया है । इस राशि के एक प्रमुख भाग को कपड़ा क्षेत्र में इस्तेमाल में लाया गया है ।

23. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्वास और पुनर्संरचना की प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से जिसमें सरकार को उसका पूरा वित्तीय बोझ वहन न करना पड़े, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसके सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिये रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को संशोधित किया गया है । नवम्बर 1994 के अंत तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 52 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पहले ही सौंपे जा चुके हैं । औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अब तक आई डी पी एल और विक्को लारी लि० के पुनरुद्धार के लिए आदेश जारी किये हैं । उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय बाईसिकल कारपोरेशन लि०, कानपोर टेक्सटाइल्स लि०, एलिजन मिल्स लि० और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० को बन्द करने की सिफारिश भी की है

चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपकरणों का कार्य निष्पादन

24. 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार ऐसी 9 कम्पनियों के अतिरिक्त जिनमें केन्द्रीय सरकार का निवेश तो था लेकिन प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं था, 240 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 6 बीमा कंपनियां और 3 वित्तीय संस्थाएं थी। इनमें से 6 निर्माण में, 74 सेवा कार्यों में और 166 विनिर्माण में थे।

25. 240 परिचालित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से पिछले वर्ष के दौरान 131 की तुलना में 1993-94 के दौरान केवल 120 ही लाभकारी थे । इन लाभार्जन करने वाले उद्यमों का लाभ 1992-93 में 7384 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993-94 में 9722 करोड़ रुपये हो गया जो 31.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करता है (सारणी 6.7) । लेकिन घाटा होने वाली शेष कम्पनियों का घाटा इसी अवधि के दौरान 4113 करोड़ रुपये से बढ़कर 5287 करोड़ रुपए हो गया जो 28.5 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित पूंजी की तुलना में समग्र प्राप्ति की दर 1992-93 के दौरान 2.33 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 के दौरान 2.78 प्रतिशत हो गई । लेकिन, नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सकल मार्जिन (अर्थात् मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पूर्व) 1992-93 में 18.01 से गिरकर 1993-94 में 17.33 रह गया। विगत में भारी पूंजी निवेश के साथ-साथ ब्याज के अत्यधिक बोझ ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सकल मार्जिन में कमी की है ।

26. पिछले दस वर्षों के बाद भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभदेयता में नियोजित पूंजी के सकल मार्जिनों और सकल लाभों के अनुपातों के अनुसार कोई सुधार नहीं हुआ है (सारणी 6.7) । तथापि नियोजित पूंजी के निवल लाभ के अनुपात में 1993-94 में मामूली सुधार दिखायी दिया है । ऐसे 15 बड़े उद्यमों में से जो एकाधिकार वाले हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिचालित हैं. उसमें से घाटा देने वाले उद्यमों में भारतीय उर्वरक निगम, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम, वायुदूत, भारत गोल्ड माइन्स और राष्ट्रीय इस्पात निगम तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड शामिल हैं ।

सारणी 6.7

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को लाभ देयता

1	1981-82 2	1990-91 3	1991-92 4	1992-93 5	1993-94 6
1. परिचालित उद्यम	188	236	237	239	240
(1) लाभकारी उद्यम	104	123	133	131	120
(2) घाटा देने वाले उद्यम	83	111	102	106	117
			करोड़ रुपए		
2. नियोजित पूंजी	21935	102083	117991	140110	159307
3. सकल मार्जिन	4012	18312	22223	25227	27600
4. सकल लाभ	2654	11102	13675	15957	18438
5. निवल लाभ	445	2272	2355	3271	4435
6. लाभ देने वाले उद्यमों का लाभ	1293	5394	6097	7384	9722
7. घाटा देने वाले उद्यमों की हानियां	848	3122	3723	4113	5287
			प्रतिशत		
8. नियोजित पूंजी की तुलना में सकल मार्जिन का अनुपात	18.29	17.94	18.83	18.01	17.33
9. नियोजित पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत	12.10	10.88	11.59	11.39	11.59
10. नियोजित पूंजी की तुलना में निवल लाभ का प्रतिशत	2.03	2.23	2.00	2.33	2.78

27. समझौता ज्ञापन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया गया है। 1992-93 के दौरान 101 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 98 थी। इनके लेखा-परीक्षणों के आधार पर 100 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया जिसमें से 46 को उत्कृष्ट (46 प्रतिशत), 29 को बहुत अच्छा (29 प्रतिशत), 12 को अच्छा और 10 को मध्यम श्रेणी में रखा गया। 1994-95 में 106 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक है।

जुलाई, 1991 से सरकार ने चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगी हुई अपनी इक्विटी के एक भाग का विनिवेश भी किया है। बाक्स 6.3, 35 चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों जहां सरकार ने दिसम्बर, 1994 के अन्त तक विनिवेशों का अनुमोदन किया है, में केन्द्रीय सरकार की इक्विटी में परिवर्तनों को सूचित करता है।

चुनिंदा उद्योगों का कार्यनिष्पादन

इस्पात

28. पिछले 2/3 वर्षों में इस्पात की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में आई मंदी के बाद, वर्ष 1994-95 में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 के बजट में इस्पात पर ऊंचे आयात शुल्कों को 75-80 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत तथा एच०आर० कायल्स पर शुल्क को यथा मूल्य 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया।

सारणी 6.8

लोहा और इस्पात का उत्पादन

(मिलियन टन)

	1993-94	1993-94	1994-95
		(अप्रैल—नवम्बर)	
बिक्री योग्य इस्पात			
सेल और बी एस पी	9.83 (6.7)	6.22	6.71 (7.9)
जोड़	11.98 (6.1)	7.58	8.20 (8.2)
परिष्कृत इस्पात			
प्रमुख उत्पादनकर्ता	8.77 (4.2)	5.54	6.12 (10.5)
अनुषंगी उत्पादक	6.36 (—6.4)	4.28	4.74 (10.7)
बिक्री योग्य कच्चा लोहा			
मुख्य उत्पादनकर्ता	1.98 (17.7)	1.17	1.36 (16.3)

कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पिछले वर्ष की समरूप अवधि में हुए परिवर्तन को दर्शाते हैं।

चयनित उद्योगों का उत्पादन

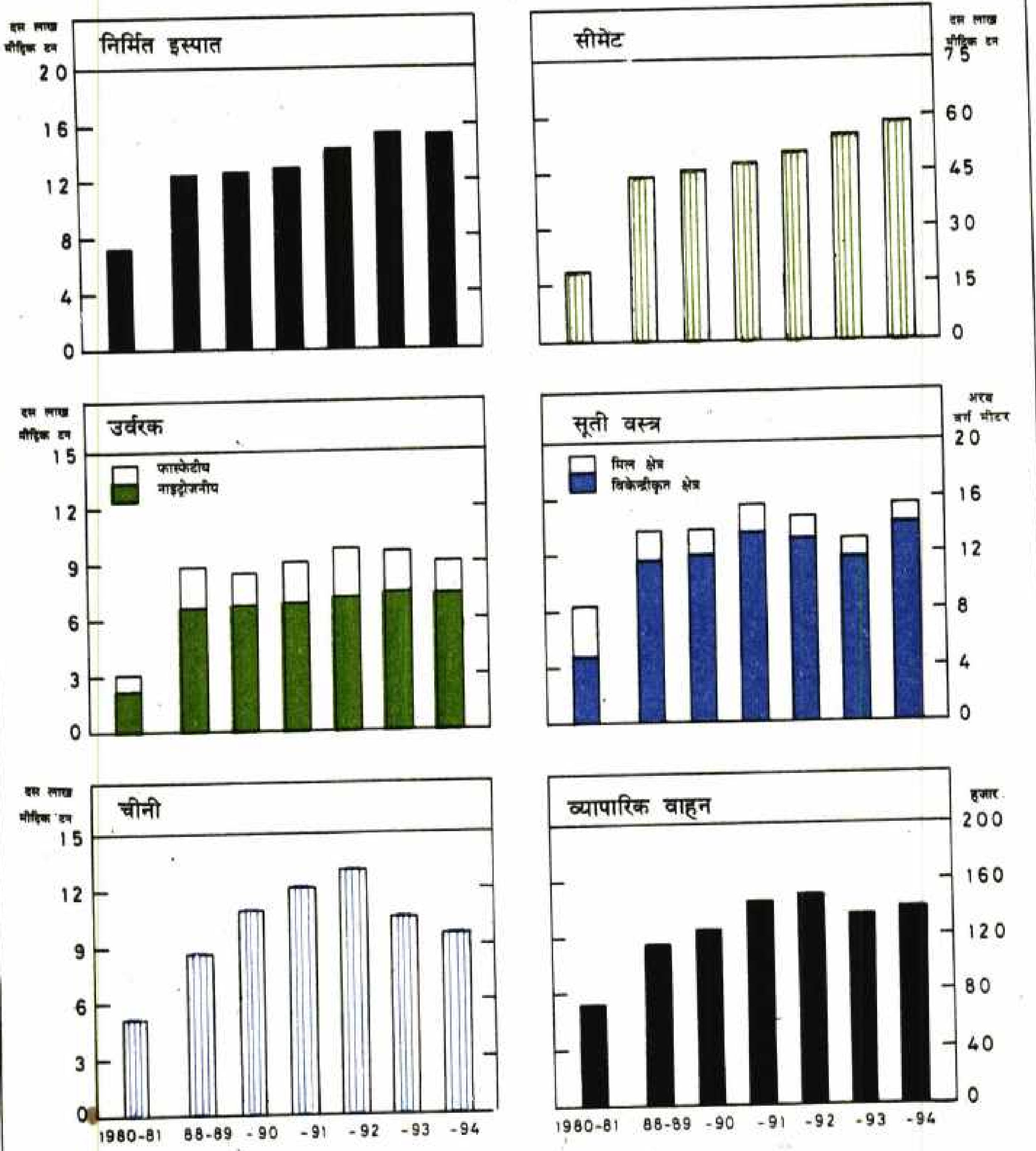

बाक्स 6.3

वर्ष 1991-92 से विनिवशित शेयरों का वर्षवार/सरकारी क्षेत्र का उद्यमवार ब्यौरा

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नाम	केन्द्रीय सरकार की धारित की प्रतिशतता				
		1-7-91	31-3-92	31-3-93	31-3-94	31-12-94
1	2	3	4	5	6	7
1.	एन्ड्रयू यूले	71.30	62.80	62.80	62.80	62.80
2.	भारत अर्थमूवर्स लि० *	100.00	80.00	80.00	80.00	60.03
3.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	100.00	80.00	80.00	80.00	75.86
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०	100.00	80.00	79.54	79.46	68.46
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	100.00	80.00	70.00	69.62	69.62
6.	बोंगोई गांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लि०	100.00	80.00	74.60	74.59	74.59
7.	सी एम सी लि०	100.00	83.31	83.31	83.31	83.31
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि०	61.16	55.04	55.04	55.04	55.04
9.	ड्रेजिंग कारपोरेशन लि०	100.00	98.56	98.56	98.56	98.56
10.	फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स (ट्रावनकोर) लि०	98.99	97.46	97.35	97.35	97.35
11.	एच०एम०टी० लि०	100.00	95.14	90.32	90.32	90.32
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	100.00	96.36	97.97	97.97	97.97
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	100.00	100.00	98.88	98.88	98.88
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल्स लि० *	100.00	80.00	80.00	80.00	56.90
15.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	100.00	80.00	70.00	69.72	62.72
16.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०	100.00	87.47	87.47	87.47	87.47
17.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	100.00	80.04	75.93	75.93	75.93
18.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०**	100.00	80.00	80.97	62.40	62.40
19.	इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०	100.00	99.74	99.74	99.74	99.74
20.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	99.65	79.72	77.79	77.67	77.67
21.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	84.62	67.70	67.70	51.80	51.80
22.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	100.00	80.00	80.00	80.00	67.18
23.	मिनरल्स एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन	100.00	99.33	99.33	99.33	99.33
24.	नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	100.00	97.28	87.20	87.19	87.19
25.	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड	100.00	97.72	97.66	97.66	97.65
26.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	100.00	100.00	98.38	98.38	98.38
27.	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन **	100.00	95.42	93.86	94.19	94.19
28.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजरस	100.00	94.36	92.50	92.50	92.50
29.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	100.00	81.49	81.49	81.49	80.12
30.	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन	100.00	92.02	91.02	91.02	91.02
31.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०	100.00	95.01	89.45	89.45	89.36
32.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	100.00	85.00	85.00	85.00	85.00
33.	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00
34.	इंडियन आयल कारपोरेशन	99.88	99.88	99.88	99.88	88.17
35.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00

*हाल में कम्पनी ने पब्लिक इश्यु जारी किया है। पब्लिक इश्यु समाप्ति के पश्चात् डी. पी. ई. के पास सरकारी स्वामित्व का कोई ब्यौरा नहीं है। उपरोक्त सूचना सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति पर आधारित है।

**सरकार द्वारा और अधिक इक्विटी जारी करने के कारण।

29. सेल और बी०एस०पी० द्वारा बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन वर्ष 1993-94 में 6.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1994 में 7.9 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 1993-94 और अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान मुख्य उत्पादन-कर्त्ताओं द्वारा बिक्री योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दरें दर्ज की गई। जबकि मुख्य उत्पादनकर्ताओं ने परिष्कृत इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की और गौण उत्पादनकर्ताओं द्वारा उत्पादन में कुछ कमी दिखाई गयी।

30. वर्ष 1993-94 में लोहा और इस्पात का निर्यात 22.2 लाख मीट्रिक टन था जिसमें 144 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। परन्तु वर्ष 1994-95 में लौह और इस्पात के निर्यातों में विभिन्न कारकों जैसे देशीय मांग में वृद्धि और चीन जैसे प्रमुख देशों द्वारा आयात में की गयी कमी के कारण अब तक गिरावट आयी है। महत्वपूर्ण उदारीकरण के बावजूद, इस्पात का आयात वर्ष 1990-1994 में 11.5 लाख मीट्रिक वार्षिक टन के औसत स्तर पर लगभग स्थिर रहा।

31. उदारीकरण से भारतीय लौह और इस्पात के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस्पात उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने और उस पर नियंत्रण हटाने से तथा लौह और इस्पात मदों से आयात शुल्कों को कम करने से उत्पादनकर्ता उपभोक्ता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गए हैं। गुणवत्ता में सुधार करने और लागतों को कम करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

चीनी

32. चीनी उद्योग ऐसे बहुत कम उद्योगों में से एक है जिसने 1991-92 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि में निरन्तर उच्च वृद्धि बनाए रखी है। 1991-92 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ने में औसत वार्षिक वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। तथापि, चीनी वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के 106.09 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन की अपेक्षा 20.9 प्रतिशत कम था। पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूली दर में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। चीनी मौसम 1993-94 में चीनी का उत्पादन लगभग 98 लाख मी० टन था। चीनी मौसम 1993-94 में कमी, गन्ने का अधिक गुड़ बनाने और खांडसारी और प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ने/चीनी उत्पादन में गिरावट आने के कारण हुई है। हालांकि अगस्त, 1994 से चीनी उत्पादन में काफी वृद्धि दर्शाई है। इसमें (अगस्त-अक्तूबर) 1994 के दौरान 128.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी के उत्पादन में 1994-95 में 20.0 प्रतिशत की और वृद्धि होने की सम्भावना है।

33. जैसा कि गत वर्ष की आर्थिक समीक्षा में दर्शाया गया था, चीनी पर पूर्ण नियंत्रण जारी रहा। चीनी की अर्थव्यवस्था काफी नियंत्रित बनी हुई है। चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के लिये एक सांविधिक न्यूनतम मूल्य है और सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अलावा राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के लिए निर्धारित सांविधिक विवेचित मूल्य है। 1993-94 (अक्तूबर-सितम्बर) के चीनी मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 34.50 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया गया, जिसे 8.5 प्रतिशत चीनी की वसूली से जोड़ा गया। राज्य विवेचित मूल्य 36.00 रुपए प्रति क्विटल से लेकर 62.00 रुपए प्रति क्विटल था। चीनी उत्पादन का कतिपय हिस्सा (नई यूनिटों के लिए न्यूनतम दरों पर सामान्यतः 40 प्रतिशत) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी के रूप में आवंटित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी की लेवी की कीमतें औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य और परिवर्तन लागतों के आधार पर जोन वार निर्धारित की जाती है। हालांकि चीनी की खुली बिक्री पर कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन इसकी बाजार आपूर्तियां सरकार द्वारा मासिक निर्मुक्ति कोटा निर्धारित करके विनियमित की जाती है ताकि मूल्यों की स्थिरता बनी रहे। निर्यात कोटा सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और एक नामांकित अभिकरण चीनी निर्यातों का संचालन करता है। इस प्रकार उद्योग के प्रविष्टि से लेकर निर्यात तक के लगभग सभी पहलू सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस समय इस बात की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे विस्तृत नियंत्रणों की अब भी जरूरत है और यदि इनमें से कुछ नियंत्रण शिथिल कर दिए जाएं तो क्या इससे अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है।

मोटर वाहन

34. वर्ष 1993 के दौरान मोटरवाहन उद्योग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 1994 में और भी बढ़ रहा है। उद्योग के सभी क्षेत्रों में बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 के दौरान कारों की बिक्री लगभग 20 प्रतिशत, जीपों की 30 प्रतिशत, वाणिज्यिक वाहनों की 25 प्रतिशत, दुपहिया की 18 प्रतिशत और तिपहिया की 41 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 1994-95 में मोटर वाहनों के क्षेत्र में वृद्धि बनी हुई है। अप्रैल-सितम्बर, 1993 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1994 के दौरान उत्पादन की वृद्धि की दर लगभग 25 प्रतिशत अधिक रही है।

35. मोटर वाहन क्षेत्र (आटो घटकों के क्षेत्र को शामिल करते हुए) देश के लिए निवल विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र है। आटो-मोटिव वाहनों का निर्यात भी लगातार

बढ़ रहा है । यह वर्ष 1992-93 के दौरान 737 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर 1100 करोड़ रुपये हो गया ।

36. मोटर वाहन उद्योग में अग्रणी देशों की रूचि भारत में फिर से उत्पन्न हुई है । भारतीय कम्पनियों और विश्व के जाने माने कार निर्माताओं के बीच में कार निर्माण के लिए हाल ही में कई नये संयुक्त उपक्रम करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं । इन संबंधों में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स का अमेरीका की जनरल मोटर्स के साथ, पीएएल का फ्रांस की पीजिअट के साथ, टैल्को का जर्मनी की मर्सीडीस बेंस के साथ, डी०सी०एम० टोयटा का दक्षिण कोरिया की दीवू के साथ और सिपानी आटोमाबाईल्स का इंग्लैंड की रोवर्स के साथ किये गये संबंध शामिल हैं । इससे उद्योग के लिए और अधिक प्रतियोगी पर्यावरण और उपभोक्ता के लिए पर्याप्त चयन के अवसर प्राप्त होने की आशा है ।

उर्वरक

37. जैसा कि गत वर्ष की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, सरकार ने उर्वरक क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए । उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—कुछ संशोधनों के साथ विनियमित उर्वरकों के लिए रियायत का पुनः आरम्भ करना, मुरिएट ऑफ पोटाश (एम ओ पी), मोनो अमोनिया फास्फेट (एम ए पी) और सल्फेट ऑफ पोटाश (एस ओ पी) को असारणीबद्ध करना । इस समय केवल यूरिया को ही सांविधिक मूल्य और गतिविधि नियंत्रण के अन्तर्गत लिया गया है । सी ए एन, अमोनिया सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड जैसे निम्न विश्लेषण के नाईट्रोजन उर्वरकों पर से 10 जून, 1994 से नियंत्रण हटा दिया गया ।

38. वर्ष 1993-94 में नाइट्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य 78 लाख टन निर्धारित किया गया था । इसका वास्तविक उत्पादन 72.31 लाख टन था । उत्पादन में कमी के मुख्य कारण गैसों की कम उपलब्धता, उपस्कर समस्याएं और दो रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का खराब निष्पादन थे । फास्फेट का उत्पादन वर्ष 1993-94 में 22 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 18.16 लाख टन था । इसके उत्पादन में कमी अगस्त 1992 में फास्फेट उर्वरकों के विनियंत्रण जैसे कई नीतिगत परिवर्तनों के फलस्वरूप हुई थी । वर्ष 1993-94 में घोषित अनेक रियायतों के बावजूद किसानों को विनियंत्रण से पहले की तुलना में अभी भी वास्तविक रूप से अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं । इसके अतिरिक्त, विशेष रियायतों की स्कीम के अन्तर्गत, कुछ राज्यों ने समय-समय पर इकाइयों को अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते हुए देशी डी ए पी और सम्मिश्रणों की अलाभकारी कीमतें निश्चित की हैं ।

39. अप्रैल-नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान अप्रैल-नवम्बर, 1993 की तुलना में नाईट्रोजन के लिए उर्वरक उत्पादन की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत और फास्फेट के लिए 49.9 प्रतिशत थी । तथापि, 1994-95 की प्रथम 7 महीनों के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन 50.94 लाख टन और फास्फेट का उत्पादन 14.44 लाख टन था, जबकि उनके उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 47.29 टन और 10.30 टन था ।

40. खरीफ, 1994 में यूरिया की उपलब्धता कुल मिलाकर मांग के अनुरूप ही थी । खरीफ 1993 की तुलना में खरीफ 1994 के दौरान यूरिया की बिक्री 7 प्रतिशत अधिक थी । खरीफ, 1994 के दौरान देश में विनियंत्रित फास्फेट और पोटाश उर्वरकों की उपलब्धता भी कुल मिलाकर संतोषजनक ही थी । खरीफ, 1994 की अवधि के दौरान, डी ए पी की बिक्री 1993 की अनुरूपी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक थी । इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान एम०ओ०पी० की बिक्री में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

इलैक्ट्रोनिक्स

41. वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग की वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत थी ।

सारणी 6.9

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक इलैक्ट्रोनिक्स का उत्पादन (क्षेत्रवार विवरण)

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1991-92	1992-93	1993-94
1. उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स	3100	3300	4050
2. औद्योगिक इलैक्ट्रोनिक्स	1500	1700	1750
3. कम्प्यूटर प्रणाली	870	1040	1050
4. संचार और प्रसारण उपस्कर	2130	2800	3150
5. नीतिगत इलैक्ट्रोनिक्स	430	385	500
6. संघटक	1900	2200	2600
7. मुक्त व्यापार क्षेत्र (हार्डवेयर)	275	350	550
8. निर्यात के लिए सोफ्टवेयर (ई०पी०जेड०) को शामिल करते हुए, 100 प्रतिशत (ई०ओ०यू०)	385	575	750
जोड़	10590	12350	1440

42. वर्ष 1993-94 के बजट में घोषित पर्याप्त उत्पादन-शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप टेलिविजन उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन आया। जिसने गत 4 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि की तुलना में, वर्ष 1993 में 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की।

43. वर्ष 1993-94 के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र का निर्यात क्रमिक रूप से बढ़कर 1750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 1990-91 में 910 करोड़ रुपये था। निर्यात के क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण स्थान कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का है। डालर के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्शाते हुए, इस क्षेत्र में ठोस आधार पर कार्य निष्पादन हो रहा है। कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का निर्यात वर्ष 1990-91 में 220 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान 750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

44. सोफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) स्कीम के अन्तर्गत, सोफ्टवेयर निर्यातकों को अधिक लचीला नीतिगत माहौल प्रदान किया जाता है और कोर कम्प्यूटर तथा हाई स्पीड द्वारा लिंक जैसी कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एस टी पी यूनिटों में किये गये सभी प्रकार के आयात पूरी तरह से शुल्क मुक्त होते हैं।

45. इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी) स्कीम निर्यातोन्मुख इलेक्ट्रोनिक उत्पादन में निवेशों को आकर्षित करने के लिए तैयार की जाती है। ई एच टी पी शुल्क मुक्त क्षेत्र हैं। अप्रैल, 1993 में हुए इसके आरम्भ से इस स्कीम के अन्तर्गत 2000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों को स्वीकार किया जा चुका है और बहुत सी यूनिटों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

रसायन और पेट्रो-रसायन

46. हाल के विगत में रसायन, औषध और पेट्रो-रसायन उद्योगों का कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा है। सारणी 6.10 में इस क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

सारणी 6.10

रसायन और पेट्रो-रसायन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
1. रसायन और रसायन उत्पादन	2.8	2.7	4.6	3.7
2. औषध	12.6	24.7	25.4	15.0
3. पैट्रो-रसायन	17.0	10.0	22.0	21.0

47. विगत वर्षों में प्राप्त किए गये अनुभवों के आधार पर, सरकार ने वर्तमान औषध नीति, 1991 में सुधार करने एवं इसे औद्योगिक नीति, 1991 के समरूप लाने और इसकी कार्य प्रणाली में पायी गयी विसंगतियों/दोषों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की। 15 सितम्बर, 1994 को घोषित नीति में किये गये संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:—

(क) (i) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित पांच अभिज्ञात थोक औषधियों; (ii) पुन संयोजन डी० एन०ए० तकनीक के प्रयोग सहित दवाइयों; और (iii) विशेष कोषिका/उत्तक लक्षित फार्मूलेशनों को छोड़कर सभी थोक औषधियों एवं उनके फार्मूलेशनों (नुस्खों) और मध्यवर्तियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

(ख) 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की स्वतः स्वीकृति सभी औषधियों, उनके मध्यवर्तियों और फार्मूलेशनों को प्रदान की गई है। विदेशी तकनीकी करारों, पुन संयोजन डी. एन. ए. तकनीकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पादों को छोड़कर उन सभी उत्पादों के लिए औद्योगिक नीति के अनुसार स्वतः स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) मौलिक स्तर पर निर्मित की गई औषधियों के मामले में एक नया मूल्य संबंधी फार्मूला तैयार किया गया है।

(घ) 400 लाख अथवा अधिक रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाली औषधियों को मूल्य नियंत्रण में रखने का निर्णय किया गया है। परिणामस्वरूप मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली औषधियों की संख्या वर्तमान में 142 से घटकर लगभग 73 हो जायेगी और नियंत्रण का विस्तार वर्तमान में 70 प्रतिशत से घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो जायेगा।

(ङ) मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली औषधियों के सभी मामलों में समरूप अधिकतम स्वीकार्य विनिर्माणोत्तर खर्चों (एम ए पी ई) के शत प्रतिशत तक की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(च) गुणवत्ता नियंत्रण और औषधियों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कुशल तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(छ) आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक और औषधियों की अन्य परम्परागत पद्धतियों के विकास और उन्नयन पर अधिक ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक अलग विभाग का सृजन किया जायेगा।

48. वर्ष के दौरान पेट्रो-रसायन उद्योग को कम मूल्य पर किये गये आयातों के दबावों का मुकाबला, विश्व व्यापार में आई मंदी और मात्रा की अधिकता को ध्यान में रखते हुए, जिसका सबसे अधिक दबाव एशिया प्रशान्त क्षेत्र में पड़ा करना पड़ा था। वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार और नये संयंत्र स्थापित करने की योजनाओं को कम लाभों, जिससे आंतरिक संसाधनों का उत्पादन बहुत ही घटिया हो रहा था, के कारण टाला जाना जारी रहा।

कपड़ा

49. कपड़ा उद्योग हमारे देश में सबसे बड़ा उद्योग रहा है। यह समस्त औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत बैठता है, इससे 20 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और कुल निर्यात में इसका लगभग 30 प्रतिशत योगदान है।

50. उदारीकरण की सामान्य नीति के अनुरूप, नियंत्रणों को हटाने/कम करने के लिए और कपड़ा क्षेत्र में अधिक स्पष्टता लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 1993 के अनुसार कपड़ा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1996 तक प्रभावी वर्तमान निर्यात हकदारी संवितरण नीति (जो कोटा नीति के नाम से जानी जाती है), का उद्देश्य कोटा प्रणाली को अधिक सुस्पष्ट एवं सरल बनाने और कपड़ा एवं परिधान कोटाओं से बढ़े हुए यूनिट मूल्य को वसूल करने तथा परिधानों के कोटा-भिन्न निर्यात को प्रोत्साहित करना है। कपड़ा और परिधान करार, जिसको जी.ए.टी टी. (गैट) के अन्तिम अधिनियम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है उसमें 10 वर्षों की निश्चित अवधि के दौरान बहुरेशा व्यवस्था (एम एफ ए) के अन्तर्गत व्यवहार्य विभेदक कोटा प्रणाली को विखंडित करने का प्रावधान है।

51. भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्यत: कपास पर ही आधारित रहा है और कपड़े के लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन में कपास का ही उपयोग होता है। वर्ष 1993-94 के कपास मौसम के दौरान कपास का उत्पादन वर्ष 1992-93 की तुलना में 10 प्रतिशत कम हुआ। वर्ष के प्रारम्भ में उत्पादन आशानुरूप होने की संभावना थी, परन्तु उत्तरी राज्यों में फसल में कीड़ों के प्रकोप और पाकिस्तान एवं चीन में फसल में हुए नुकसान के कारण कपास की उपलब्धता में अनपेक्षित कमी हो गयी। कपास वर्ष 1993-94 के दौरान, नवम्बर, 1993 से कपास की कीमतों में असाधारण वृद्धि देखी गयी। तथापि, (शून्य अथवा रियायती दरों पर विसकोस तन्तु रेशा कपास के प्रतिबद्ध आयात की अनुमति देने जैसे विनिर्दिष्ट मात्रा के आयातों की अनुमति दे और कपास के लिए ऋण पर चयनात्मक तरीके से नियंत्रण के उपायों को कड़ा करने जैसे सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों से कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता मिली।

52. सारणी 6.11 में कपड़ा उत्पादन की प्रवृत्ति और कपड़े के कुल उत्पादन में मिलों, बिजली करघों तथा हथकरघों का हिस्सा दर्शाया गया है। कपड़ा उत्पादन में मिल क्षेत्र के हिस्से में मामूली कमी आई।

सारणी 6.11

कपड़े का उत्पादन

(मिलियन वर्ग मीटर)

क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल-नवम्बर	
						1993-94	1994-95 (अ)
मिल	2677	2589	2376	2000	1990	1337	1225
बिजलीकरघा*	14007	16044	16089	17826	19631	12892	13055
हथकरघा	3924	4295	4123	5219	5851	3826	3706
जोड़	20608	22938	22588	25045	27472	180 55	17986
	उत्पाद में हिस्सा (प्रतिशत)						
मिल	12.95	11.29	10.52	7.98	7.24	7.41	6.81
बिजलीकरघा*	68.00	69.98	71.23	71.18	71.46	71.40	72.58
हथकरघा	19.05	18.73	18.25	20.84	21.30	21.19	20.60
जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

अ—अनन्तिम

* हौजरी सहित।

53. इन वर्षों में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गयी। केवल 1991-92 में मामूली कमी हुई थी। वर्ष 1993-94 के दौरान कपड़े का कुल उत्पादन, 1992-93 की तुलना में 9.7 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान, कपड़े के उत्पादन में अप्रैल-नवम्बर, 1993 की अवधि की तुलना में 0.4 प्रतिशत की कमी हुई। कताई के धागे का उत्पादन लगभग पूर्णरूप से संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत था और इसमें पिछले वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई, केवल 1991-92 के दौरान मामूली कमी आई थी। वर्ष 1993-94 के दौरान कताई के धागे के उत्पादन में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इसने अप्रैल-नवम्बर, 1994 में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया। लघु इकाइयों द्वारा किया गया 75 मिलियन कि०ग्रा० कताई के धागे का उत्पादन कुल उत्पादन का अब एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है।

सारणी 6.12

कताई के धागे का उत्पादन

(मिलियन किलोग्राम)

वर्ष	सूती धागा	मिश्रित धागा	100 प्रतिशत गैर सूती धागा	जोड़
1989-90	1372	173	107	1652
1990-91	1510	207	107	1824
1991-92	1450	234	122	1806
1992-93	1523	247	125	1895
1993-94	1622	305	140	2067
अप्रैल-नवम्बर				
1993-94	1078	198	92	1368
1994-95 (अ)	1039	223	105	1367

अ—अनन्तिम

54. मानव-निर्मित रेशे का उत्पादन 4553 लाख कि०ग्रा० था, जिसने वर्ष 1993-94 के दौरान 19.2 प्रतिशत वृद्धि की दर दर्ज की। अप्रैल-अगस्त 1994 की अवधि के दौरान इसका उत्पादन 1856 लाख कि०ग्रा० था, जबकि अप्रैल-अगस्त 1993 की अवधि के दौरान उत्पादन 1771 लाख कि०ग्रा० था। इस प्रकार वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही। गत वर्षों में मानव निर्मित तन्तु धागे के उत्पादन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गयी।

55. पिछले कुछ वर्षों के दौरान कपड़े के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान कपड़े का कुल निर्यात अनुमानतः (नारियल रेशे, पटसन और दस्तकारी सहित) 25011 करोड़ रुपये का था, जिसमें वर्ष 1992-93 की तुलना में 30.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कपड़े की विभिन्न मदों में, सिले-सिलाये कपड़ों में 31.7 प्रतिशत, सूती कपड़े में (मिल-निर्मित, बिजली करघा एवं हथकरघा द्वारा निर्मित) 29.6 प्रतिशत, रेशमी कपड़े में 7.5 प्रतिशत, मानव-निर्मित रेशे के कपड़े में 28.4 प्रतिशत, ऊनी कपड़े में 43.1 प्रतिशत, हस्त निर्मित कपड़े की वस्तुओं में 39.8 प्रतिशत, पटसन के सामान में 5.7 प्रतिशत और नारियल के रेशे के सामान में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के दौरान सूती धागे के निर्यात में भी 37.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

खाद्य प्रसंकरण

56. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, दूध, मछली और मांस जैसे उद्योग समाहित है। इस उद्योग में, महत्वपूर्ण एवं व्यापक रोजगार प्रदान करने और निर्यात में ठोस योगदान देने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और यह सब सापेक्षतः सरल तकनीक अपनाते हुए किया जा सकता है।

57. खाद्य प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। 1991-92 के बजट में फल और सब्जियों के उत्पादों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया। 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी और विदेशी प्रौद्योगिकी करार को स्वतः स्वीकृति दी गयी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं है। आयात-निर्यात नीति में किए गए परिवर्तन और उदारीकृत विनिमय-दर के कारण भी इस क्षेत्र को सहायता मिली है।

58. उत्पादन की हाल की प्रवृत्तियों और इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात से महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन किया है। यह मोटेतौर पर इस क्षेत्र के लिए की गयी नीतिगत पहलों का परिणाम है।

सारणी 6.13

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि)

	1990	1991	1992	1993	1994
1	2	0	4	5	6
संसाधित फल और सब्जियां	5.9	14.3	28.6	30.3	20.0
दुग्ध उत्पाद	—2.4	—1.2	8.6	4.1	12.3
**मत्स्य उत्पाद	4.6	8.3	5.0	7.1	1.5

संसाधित खाद्यपदार्थों का निर्यात

(करोड़ रुपये)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
संसाधित फल और सब्जियां	122.5	193.9	263.0	332.4
दुग्ध उत्पाद	2.48	11.18	8.37	14.14
मत्स्य उत्पाद	893.4	1375.9	1767.4	2503.6

*परियोजित **वित्त वर्ष से सम्बन्धित है।

59. पैकिंग सामग्री तथा विभिन्न राजकीय करों पर लगाए जाने वाले शुल्कों को फलों और सब्जियों की अधिक पैदावार बढ़ाने में अब भी बाधक समझा जाता है। अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद फलों और सब्जियों का वाणिज्यिक प्रसंस्करण मात्र 1.2 प्रतिशत ही हुआ है।

चमड़ा

60. चमड़ा उत्पादों के मूल्यवर्धित निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतिगत पहल की गयी है। कच्चे माल तथा मशीनरी के आयात को उदार बना दिया गया है। परिष्कृत चमड़े के विनिर्माण को 28 अप्रैल, 1993 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। जूता उद्योग के लिए संघटकों के घरेलू विनिर्माण को संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने तथा ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निवेशों पर लगने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे उपायों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

61. देश में चुनिन्दा संस्थाओं/अभिकरणों के जरिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के एक कार्यक्रम सहित चमड़ा उद्योग के समेकित विकास के लिए सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (एन एल डी पी) क्रियान्वित किया जा रहा है। मूल्यवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए चमड़ा उत्पाद परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) के बाजार में पहचान बनाने का एक कार्यक्रम (लेदर विलट्ज) शुरू किया है। यह राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम का एक संघटक है।

62. चमड़ा उद्योग के उत्पादन आधार में लघु उद्योग इकाइयों का अब भी प्रमुख स्थान है। कुटीर उद्योग क्षेत्र का अपने परंपरागत ग्रामीण शिल्पकारों सहित चमड़ा शोधन में प्रमुख स्थान है। भारतीय चमड़ा उद्योग अनेक अन्तनिष्ठ लाभों से अभिलक्षित किया जाता है। वार्षिक रूप से उपलब्ध चमड़े और खालों के लगभग 166 मिलियन अदद का कच्चे माल का एक वृहत आधार उद्योग का एक मुख्य ठोस आधार है। अनुमान है कि यह बढ़कर 1994-95 में 185 मिलियन अदद और 2000 ई० में 218 मिलियन अदद हो जायगा। भारतीय बकरी/बछड़ा/भेड़ की कुछ खालों के अच्छे बाजार को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट उत्पाद के रूप में माना जाता है। तथापि, उद्योग के प्रमुख भागों में बड़ी-बड़ी इकाइयों के विरुद्ध प्रवेश बाधाओं के माध्यम से कुछ सीमा तक अतिरिक्त कुशलता और क्षमता के उन्नयन को नियंत्रित किया जाता है।

63. चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का भारत से निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 1993 में 1945.5 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1994 की अवधि में 2089.6 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।

लघु और ग्रामीण उद्योग

64. जैसा कि लघु विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमान लगाया गया है लघु उद्योग क्षेत्र में संख्या, रोजगार, उत्पादन और निर्यात सारणी 6.14 में दिए गए हैं।

सारणी 6.14

लघु उद्योग--संख्या, उत्पादन, रोजगार और निर्यात

वर्ष	इकाइयों की संख्या (लाख में) (31 दिसम्बर को)	चालू कीमतों पर उत्पादन (करोड़ रु०)	रोजगार (लाख में)	निर्यात (करोड़ रुपये)
1991-92	20.82	178699	129.80	13883
1992-93	22.35 (7.3)	209300 (17.1)	134.06 (3.3)	17785 (28.1)
1993-94	23.84 (6.7)	241648 (15.5)	139.38 (4.0)	2400* (34.9)

*मोटा सा अनुमान

टिप्पणी : कोष्टक में दिए गये आंकड़े गत वर्षों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि को दर्शाते हैं।

65. वास्तव में लघु उद्योग क्षेत्र में 1991-92 में 3.1 प्रतिशत और 1992-93 में 5.6 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 1993-94 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। ये दरें सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक थी।

66. लघु उद्योग क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में कुल बिक्री में 40 प्रतिशत और कुल निर्यातों के 35 प्रतिशत का योगदान करता है। लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और इसकी प्रतियोगितात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत पहल की गयी हैं। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं --

-- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 50 केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में एकीकृत संरचनात्मक विकास की एक नई योजना आरम्भ की गयी।

-- 30 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक की बिक्री वाली इकाइयों को उपलब्ध उत्पाद शुल्क की रियायती दर गैर-पंजीकृत क्षेत्र के लिए भी विस्तारित की गयी।

-- ऐसे लघु उद्योग उत्पादनों के गुणवत्ता संबंधी मानकों में सुधार करने के लिए 1994 में एक गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना आरम्भ की गयी जिन्हें अभिज्ञान कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता द्वारा सहायता प्रदान की जानी है ताकि आई एस ओ 9000 अथवा उसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता संबंधी मानकों को प्राप्त किया जा सके।

67. एस आई डी बी आई द्वारा प्रचालित "एकल मार्गी स्कीम" में संशोधन किए गए। स्कीम के अन्तर्गत परियोजना परिव्यय को समग्र रूप से जिससे कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण संघटकों के लिए उप-सीमाओं को हटा दिया गया। 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया।

68. भारतीय रिजर्व बैंक ने नायक समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं --

(क) संबंधित क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय उस क्रम में ग्रामीण उद्योगों, बहुत छोटे उद्योगों और दूसरी लघु उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता देना।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र की वैध आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जाता है, निचले (बॉटम अप) आधार पर वार्षिक बजट तैयार करना।

(ग) "एकल मार्गी स्कीम" सभी जिलों में विस्तरित की जानी चाहिए।

69. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उद्यमकारिता आधार में सुधार लाने के लिए गुवाहाटी, असम में एक नया उद्यमकारिता विकास संस्थान स्थापित किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग

70. इस समय खादी और ग्रामोद्योग 3,490 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का उत्पादन करता है तथा इनमें 55.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। भारत सरकार क्षेत्र के लिए संरचनात्मक और निवेश संबंधी सहयोग दे रही है नीतिगत पैकेज में उचित मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी और उत्पादकता का उन्नयन, शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण, रियायती और पर्याप्त संस्थागत ऋण का प्रवाह शामिल

है । हाल ही में, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी और समिति अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है । इसकी प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना तैयार की गयी है जिसे 2 अक्तूबर, 1994 से आरम्भ कर दिया गया है । कार्य योजना के कार्यान्वयन से, उक्त क्षेत्र को उत्पादन और रोजगार में काफी मात्रा में वृद्धि से प्रोत्साहन मिलेगा ।

औद्योगिक रुग्णता

71. सारणी 6.15 से रुग्ण इकाइयों की संख्या (लघु इकाइयों और गैर-लघु इकाइयों दोनों तथा उन पर बकाया राशि) का पता चलता है । सितम्बर, 1992 के अन्त में, रुग्ण और कमजोर इकाइयों की संख्या 2.36 लाख थी । इनमें से 2.33 लाख इकाइयां लघु उद्योग क्षेत्र में थी । मार्च, 1992 के अन्त में बकाया राशि 11533 करोड़ रुपये से बढ़कर सितम्बर, 1992 के अन्त में 12586 करोड़ रुपये हो गयी, जो 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । यद्यपि सितम्बर, 1992 के अन्त में लघु उद्योग की कुल रुग्ण और कमजोर इकाइयां 98.7 प्रतिशत थीं, बैंक ऋण में कुल जमा में उनका भाग केवल 26.6 प्रतिशत था ।

सारणी 6.15

औद्योगिक रुग्णता

(करोड़ रुपये)

	इकाइयों की संख्या			बकाया राशि		
	मार्च, 1991 के अंत में*	मार्च, 1992 के अंत में*	सितम्बर 1992 के अंत में	मार्च, 1991 के अंत में*	मार्च, 1992 के अंत में*	सितम्बर, 1992 के अंत में
1	2	3	4	5	6	7
1. लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां	221472	245575	233441	2792	3101	3346
2. गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां	1461	1536	1599	5106	5787	6805
3. गैर-लघु उद्योग कमजोर इकाइयां	876	813	828	2870	2646	2436
जोड़	223809	247924	235868	10768	11533	12586
	(पिछले वर्ष अर्द्ध/वार्षिक की तुलना में हुआ परिवर्तन प्रतिशत)					
1. लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां	1.2	10.9	—4.9	15.0	11.1	7.9
2. गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयां	0.4	5.1	4.1	12.5	13.3	17.6
3. गैर-लघु उद्योग कमजोर इकाइयां	7.6	—7.2	1.9	20.3	—7.8	—7.9
जोड़	1.2	10.8	—4.9	15.1	7.1	9.1

*दिसम्बर, 1988 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन

72. आरम्भ से सितम्बर, 1994 के अन्त तक, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) को रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस॰आई॰सी॰ए॰) की धारा 15 के अधीन 2207 संदर्भ प्राप्त हुए । इनमें से, 1602 संदर्भ अधिनियम के उपबंधों के अधीन आगे की कार्रवाई के लिए पंजीकृत किए गए । 1602 संदर्भों में से, 334 मामले खारिज किए गए क्योंकि उन्हें चालू नहीं रखा जा सकता था । 463 मामलों के संबंध में पुनः प्रवर्तित स्कीमें स्वीकृत अथवा अनुमोदित की गयी और 343 मामलों को कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सम्बद्ध उच्च न्यायालयों से बन्द करने की सिफारिश की गयी । 10 मामलों के बारे में कार्रवाई बंद कर दी गयी क्योंकि छानबीन के दौरान कम्पनी की निवल सम्पत्ति सकारात्मक हो गयी थी । कार्यान्वयन के अधीन पुनः प्रवर्तन स्कीमों के हाल ही के अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 22 प्रतिशत मामलों में पुनः प्रवर्तन होने वाला है, लगभग 20 प्रतिशत मामलों में किसी प्रकार की राय व्यक्त करना बहुत जल्दी होगा तथा शेष 36 प्रतिशत मामलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है ।

73. आन्तरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी मामले के पंजीकरण और उसकी प्रथम सुनवाई के बीच लिए गए समय को कम करना सम्भव था । प्रथम सुनवाई के लिए 1994 के दौरान लिए गए समय का औसत प्रथम 5 वर्षों में 160 दिनों से अधिक के औसत की तुलना में 63 दिन था । निर्णय लेने वाले

मामलों के लिए लिया गया समय भी बोर्ड की कार्य प्रणाली की प्रथम 5 वर्षों में 700 दिनों से पर्याप्त रूप से कम होकर 1993 में 187 दिन रह गया ।

74. उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन के कारण रुके हुए मामलों को छोड़कर 1987 के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत सभी मामले निपटा दिए गए थे । 1988, 1989 और 1990 के लम्बित मामलों की संख्या (न्यायालयों द्वारा स्थगित मामलों को छोड़कर) क्रमश: 4, 5 और 9 थी । ये या तो कार्यवाही की उपांतिम स्थिति में पहुंच गये हैं अथवा कार्यवाही को अग्रिम स्थिति में हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों से संबंधित स्थिति के बारे में आंकड़े सारणी 6.16 में दिए गए हैं :--

सारणी 6.16

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामलों को स्थिति :

	केन्द्रीय	राज्य	जोड़
1	2	3	4
पंजीकृत संदर्भ (मामले)	54	66	120
खारिज किए गए क्योंकि उन्हें चालू नहीं रखा जा सकता था	2	20	22
पुन: प्रवर्तन स्कीम स्वीकृत	4	7	11
संबंधित उच्च न्यायालय को बन्द करने के लिए की गयी सिफारिश	2	5	7
न्यायालयों द्वारा स्थगित किए गए मामले	5	--	5

75. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों के निपटान में देरी, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भेजी गयी अपर्याप्त सूचना, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतिम विचारों की अनुपलब्धता और मामलों की जटिलता इत्यादि के कारण है ।

दृष्टिकोण

76. पूंजीगत वस्तुओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में महत्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ 1994-95 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुस्पष्ट सुधार हुआ है । पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, जिसमें 1992 से घटिया कार्यनिष्पादन हो रहा था, अप्रैल—अक्टूबर, 1994 में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ काफी अच्छा कार्यनिष्पादन दिखाया है । औद्योगिक रिकवरी भी काफी बढ़ी है और केवल रेलवे वैगन, जूट. निर्माण, जीप, ग्रेनाइट इलैक्ट्रोड तथा एनोड, मशीन टूल्स, जहाज निर्माण, कास्टिक सोडा और डीजल इंजन जैसे कुछ उप-क्षेत्र अभी भी नकारात्मक वृद्धि दरें दर्शाते हैं। अधिक क्षेत्रों में "मोडवाट" का विस्तार, सीमा शुल्कों का और यौक्तिकीकरण तथा न्यूनीकरण, निगम करों की कटौती तथा ब्याज दरों से सरकारी नियंत्रण हटाना सहित सरकार द्वारा उठाये गये अनेक नीतिगत अभिक्रमों द्वारा औद्योगिक सुधार और ठोस वृद्धि सम्भव हो पायी है। इसे भी नयी औद्योगिक नीति की सुधार प्रक्रिया और कार्यान्वियन में राज्य सरकार द्वारा की गयी सुस्पष्ट पहल शक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त हुई है ।

77. आपूर्ति संबंधी कोई प्रमुख बाधा नहीं है । मांग में सार्थक वृद्धि हुई है । जो परिवर्तन और सम्भावनाएं उद्योग क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं उनसे यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि उच्च वृद्धि दरें कायम होंगी और यहां तक कि ये बढ़ भी रही हैं । इसे देखते हुए यह आशा की जाती है कि यह वर्ष 8 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर के साथ समाप्त होगा ।

अध्याय 7

कृषि

वर्ष 1994 में काफी अच्छा मानसून आने के कारण जून-सितम्बर के दौरान देश भर में अच्छी वर्षा हुई जो कि वर्ष 1989 से लेकर अब तक की सर्वोत्तम वर्षा थी, इस प्रकार कृषि के लिए अत्यधिक सुविधाजनक यह एक उत्कृष्ट वर्ष था। देश में वर्ष 1994-95 में 1850 लाख मी० टन का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है। खरीफ, 1994 में 1020 लाख मी० टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है और रबी फसल का उत्पादन 830 लाख मी० टन से अधिक होने की संभावना है। सोयाबीन के उत्पादन में कुछ बाधा पड़ने के बावजूद गौण तथा साथ ही प्राथमिक स्रोतों से तेलहनों/खाद्य तेलों का कुल उत्पादन वर्ष 1994-95 में मामूली रूप से अधिक होने की संभावना है। वर्ष 1994-95 में मुख्यतया महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता के कारण चीनी का उत्पादन अधिक होने की आशा है। कपास का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक और पटसन तथा मेस्ता का उत्पादन वर्ष 1993-94 के समान होने की संभावना है। बागवानी वाली फसलों में चाय और प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन वर्ष 1994-95 में अपेक्षाकृत अधिक होगा परन्तु कॉफी के उत्पादन में बहुत गिरावट आ सकती है।

मानसून 1994

1. वर्ष 1994 का मानसून सातवां लगातार सामान्य मानसून था। चार महीने (जून--सितम्बर) की अवधि के दौरान पूरे देश के लिए संचयी मौसमी वर्षा अपनी दीर्घावधिक औसत का लगभग 110 प्रतिशत थी। पिछले 10 वर्षों के दौरान दूसरी बार मानसून की सबसे अधिक वर्षा हुई, सबसे अधिक वर्षा 1988 में हुई थी जब कि यह दीर्घावधिक औसत का 119 प्रतिशत थी।

2. केरल में मानसून अपनी सामान्य तारीख से कुछ दिन पहले ही दिनांक 28 मई, 1994 को आया और यह असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़ा और सामान्य तारीख से लगभग 15 दिनों पूर्व पूरे देश में छा गया। मानसून के मौसम की समाप्ति तक 35 मौसम विज्ञान उप-प्रभागों में से 25 और देश के 75 प्रतिशत क्षेत्र को शामिल करने वाले 76 प्रतिशत जिलों में सामान्य से लेकर अधिक वर्षा हुई। वर्ष 1988 से 1994 तक की अवधि के लिए मानसून का तुलनात्मक निष्पादन सारणी 7.1 और चित्र 7.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.1

वर्ष 1988 से 1994 तक मानसून का निष्पादन

(जून--सितम्बर)

वर्ष	मौसम उप-प्रभागों की संख्या			सामान्य/अधिक वर्षा वाले जिलों का प्रतिशत	सामान्य वर्षा के प्रतिशत के रूप में वास्तविक वर्षा (समग्र रूप से देश)
	अधिक/सामान्य	न्यून/अल्प	जोड़		
1	2	3	4	5	6
1988	32	3	35	88	119
1989	29	6	35	72	101
1990	32	3	35	84	106
1991	27	8	35	68	91
1992	32	3	35	65	93
1993	31	4	35	78	100
1994	25	10	35	76	110

Fig 7.1

चित्र 7.1 अखिल भारत मौनसून वर्षा (जून-सितम्बर)
1988 से 1994

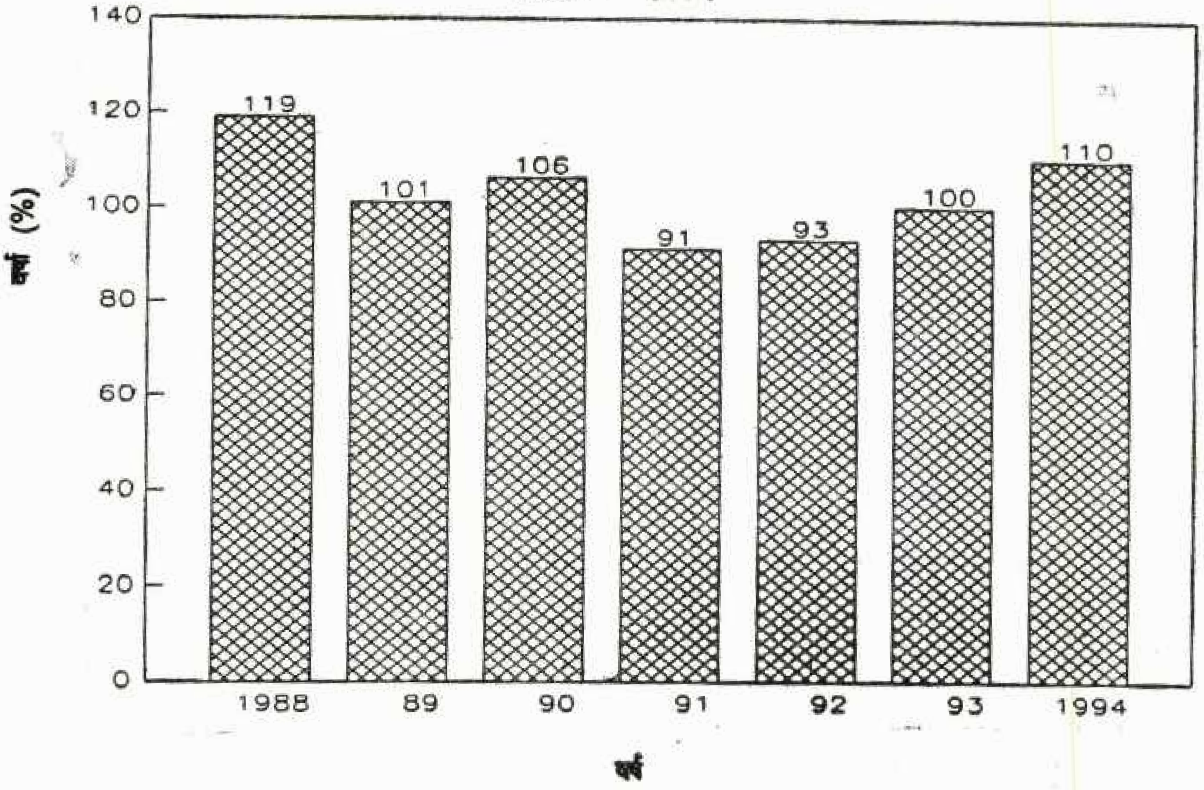

Fig 7.2

चित्र 7.2 सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम वर्षा वाले जिले
1988 से 1994

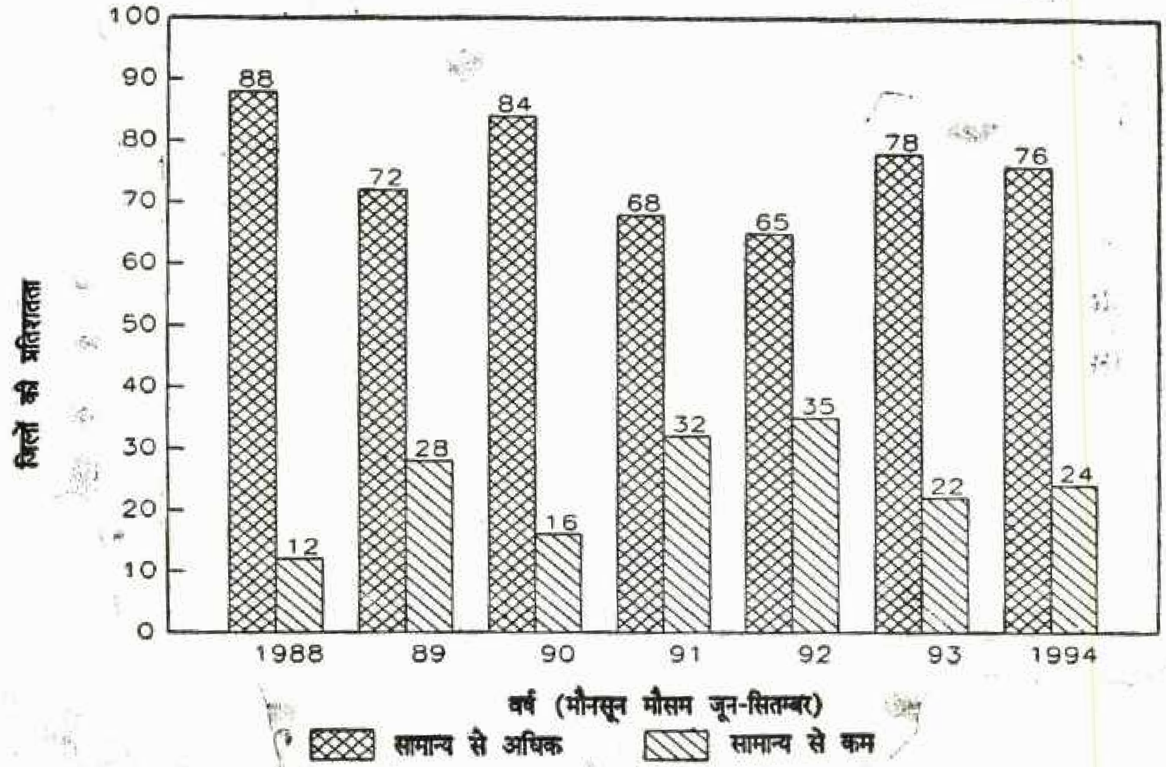

3. देश के पूरे भूतल क्षेत्र में 35 मौसम विज्ञान उप-प्रभाग हैं, जिसके अन्तर्गत 415 जिले आते हैं । वर्षा के वितरण को मात्रा के रूप में प्रत्येक जिले में मानसून की प्रगति की जांच की जाती है । चित्र 7.2 में पिछले सात वर्षों के लिए वर्षा के जिलेवार - वितरण की सूची दी गई है।

सारणी 7.2

खरीफ के अनाज उत्पादन द्वारा भारांशित राज्य-वार वर्षा सूचकांक

(प्रतिशत)

राज्य	उत्पादन भारांश	सिंचाई के अधीन चावल का क्षेत्र[1]	14 जुलाई को			30 सितम्बर को		
			1988	1993	1994	1988	1993	1994
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	8.70	94.9	106.29	82.04	98.38	151.16	80.40	85.88
असम	3.34	33.8	79.27	106.50	87.92	103.05	113.15	74.73
बिहार	7.94	35.4	137.30	69.10	87.74	107.68	97.14	87.61
गुजरात	3.30	48.5	62.62	161.50	158.00	133.69	102.25	180.22
हरियाणा	2.49	99.1	241.23	192.64	121.27	206.93	97.32	121.18
हिमाचल प्रदेश	0.85	57.6	151.51	137.93	161.01	136.32	81.41	108.70
जम्मू और कश्मीर	1.23	91.2	165.97	200.16	56.66	152.60	38.74	59.76
कर्नाटक	5.80	61.0	75.78	96.88	143.38	119.08	93.34	125.94
केरल	1.31	40.1	70.92	104.84	107.63	99.05	82.40	115.74
मध्य प्रदेश	9.42	20.1	100.93	101.37	179.99	90.79	101.76	140.05
महाराष्ट्र	7.51	30.4	82.54	100.64	139.16	125.82	100.80	118.37
उड़ीसा	6.13	35.6	108.85	109.50	141.24	91.88	88.35	131.07
पंजाब	6.91	99.2	179.37	250.86	78.95	183.13	115.95	110.93
राजस्थान	4.02	22.5	93.49	199.45	163.13	79.24	110.44	141.30
तमिलनाडु	8.06	90.8	117.38	100.66	83.64	122.60	102.91	70.17
उत्तर प्रदेश	12.87	43.4	116.49	99.13	80.01	102.96	95.75	95.26
पश्चिम बंगाल	8.40	24.6	136.81	95.69	69.65	112.99	113.39	89.76
अखिल भारतीय	**100.00**	**45.1**	**107.95**	**105.65**	**106.74**	**115.28**	**94.81**	**105.52**

[1]यह वर्ष 1990-91 में चावल के अधीन सिंचित क्षेत्र को प्रतिशतता दर्शाता है ।

4. कुल मिलाकर पूरे देश के लिए वर्ष 1994 में वर्षा का वितरण बहुत संतोषप्रद था और देश के लिए वर्षा की कुल प्रमात्रा बहुत अच्छी रही । तथापि, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में यह कुछ हद तक न्यून थी । वर्ष 1994 के मानसून की एक मुख्य विशेषता यह थी कि यद्यपि वर्षा की मात्रा औसत से अधिक थी और देश के केन्द्रीय भागों में मौसम की अधिकांश अवधि के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी उत्तरपूर्वी भारत के भारी वर्षा वाले पारम्परिक क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई । इसके परिणामस्वरूप पूर्वी भारत के बाढ़-प्रवण क्षेत्र इस वर्ष बाढ़ के प्रकोप से बच गए ।

5. वर्ष 1994-95 के दौरान मानसून का काल संबंधी वितरण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए अधिक अनुकूल था। वर्ष 1994 और पिछले वर्ष में तथा साथ ही वर्ष 1988 में पूर्ववर्ती सर्वोत्तम-स्थानीय वितरण को सारणी 7.2 में सूचीबद्ध किया गया है । वर्ष 1993 और 1988 की तुलना में वर्ष 1994 के मानसून मौसम के दौरान वर्षा के काल-संबंधी वितरण का सप्ताहवार तुलनात्मक दृश्य चित्र 7.3 में दर्शाया गया है । दिनांक 30 सितम्बर, 1994 को खरीफ के अनाज के उत्पादन द्वारा भारांशित समग्र वर्षा सूचकांक पिछले वर्ष समतुल्य अवधि के लिए दर्ज किए गए केवल 94.81 प्रतिशत की तुलना में 105.52 प्रतिशत था ।

चित्र 7.3 **खरीफ के अनाज के उत्पादन द्वारा मापित अखिल भारत साप्ताहिक वर्षा सूचकांक**

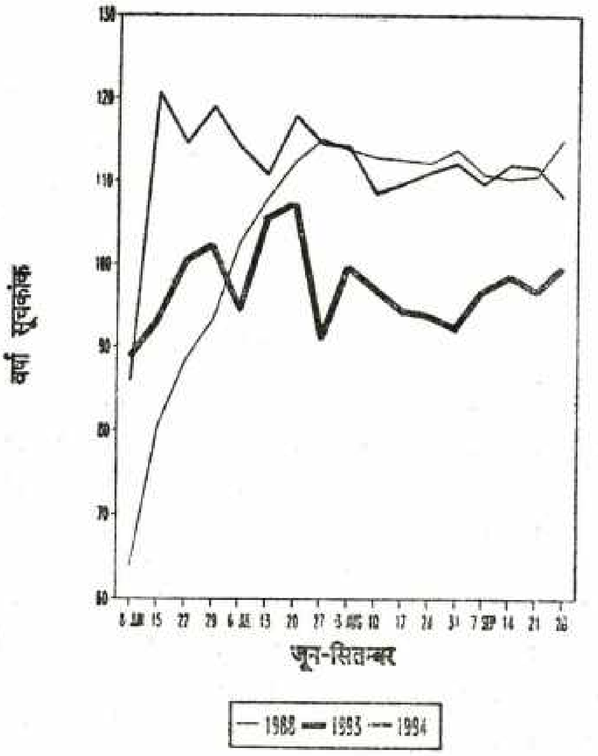

जलाशय संबंधी स्थिति

6. 1994 के मानसून के अंत में 62 महत्वपूर्ण जलाशयों में कुल मौजूदा संग्रहण स्थिति सितम्बर, 1993 के दौरान 87.2 हजार मिलियन घनमीटर (टी० एम० सी०) की तुलना में 109.6 हजार मिलियन घनमीटर (टी०एम०सी०) थी। पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत मौजूदा संग्रहण 89.5 हजार मिलियन घन मीटर (टी० एम० सी०) था। इस प्रकार चालू वर्ष ने इस वर्ष जलाशय-संग्रहण में न केवल लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी बल्कि सितम्बर, 1993 में दर्ज किये गए 71 प्रतिशत की तुलना में निर्दिष्ट उपयोगिता योग्य संग्रहित जल को 90 प्रतिशत तक भी बढ़ाया।

उत्पादन संबंधी निष्पादन

मुख्य फसलें

7. पिछले चार वर्षों में कृषि उत्पादन संबंधी निष्पादन और वर्ष 1994-95 की फसल उत्पादन की संभावनाओं को सारणी 7.3 में दर्शाया गया है। वर्ष 1982-83 से 1993-94 की अवधि के लिए खाद्यान्न उत्पादन संबंधी प्रवृत्ति को चित्र 7.4 में दर्शाया गया है। वर्ष 1970-71 और 1980-81 की तुलना में वर्ष 1986-87 से 1993-94 की अवधि के लिए उत्पादन संबंधी निष्पादन चित्र 7.5 और चित्र 7.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.3

मुख्य फसलों का कृषि उत्पादन

फसल	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94		1994-95	
			(संशोधित)	लक्ष्य	अंतिम	लक्ष्य	संभावित
1	2	3	4	5	6	7	8
			(दस लाख टन)				
चावल	74.3	74.7	72.9	78.0	79.0	78.5	80.0
गेहूं	55.1	55.7	57.2	58.5	59.1	58.5	58.5
मोटे अनाज	32.7	26.0	36.6	36.0	30.9	36.5	32.0
दालें	14.3	12.0	12.8	15.5	13.1	15.5	14.5
कुल खाद्यान	**176.4**	**168.4**	**179.5**	**188.0**	**182.1**	**189.0**	**185.0**
खरीफ	99.4	91.6	101.5	105.5	99.4	106.3	101.80
रबी	77.0	76.8	78.0	82.5	82.7	82.7	83.2
तेलहन	18.6	18.6	20.1	21.0	21.5	22.0	21.5
गन्ना	241.0	254.0	228.0	250.0	227.1	250.0	245.6
कपास[1]	9.8	9.7	11.4	12.5	10.7	12.5	11.6
जूट और मेस्ता[2]	9.2	10.3	8.6	9.3	8.5	9.3	8.5
	(पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत घटबढ़)						
चावल	1.0	0.5	—2.4		8.4		1.3
गेहूं	10.6	1.1	2.7		3.3		—1.0
मोटे अनाज	—6.0	—20.5	40.8		—15.6		3.6
दालें	10.9	—16.1	6.7		2.3		10.7
कुल खाद्यान	**3.2**	**—4.5**	6.6		**1.4**		**1.6**
खरीफ	—1.6	—7.8	10.8		—2.1		2.4
रबी	10.0	—0.3	1.6		6.0		0.6
तेलहन	10.1	0.0	8.1		7.0		0.0
गन्ना	6.8	5.4	—10.2		—0.4		8.1
कपास	—14.0	—1.0	17.5		—6.2		8.4
जूट और मेस्ता	10.8	12.0	—16.5		—1.2		0.0

[1]प्रत्येक 170 किलोग्राम की दस लाख गांठें
[2]प्रत्येक 180 किलोग्राम की दस लाख गांठें

चित्र 7.5

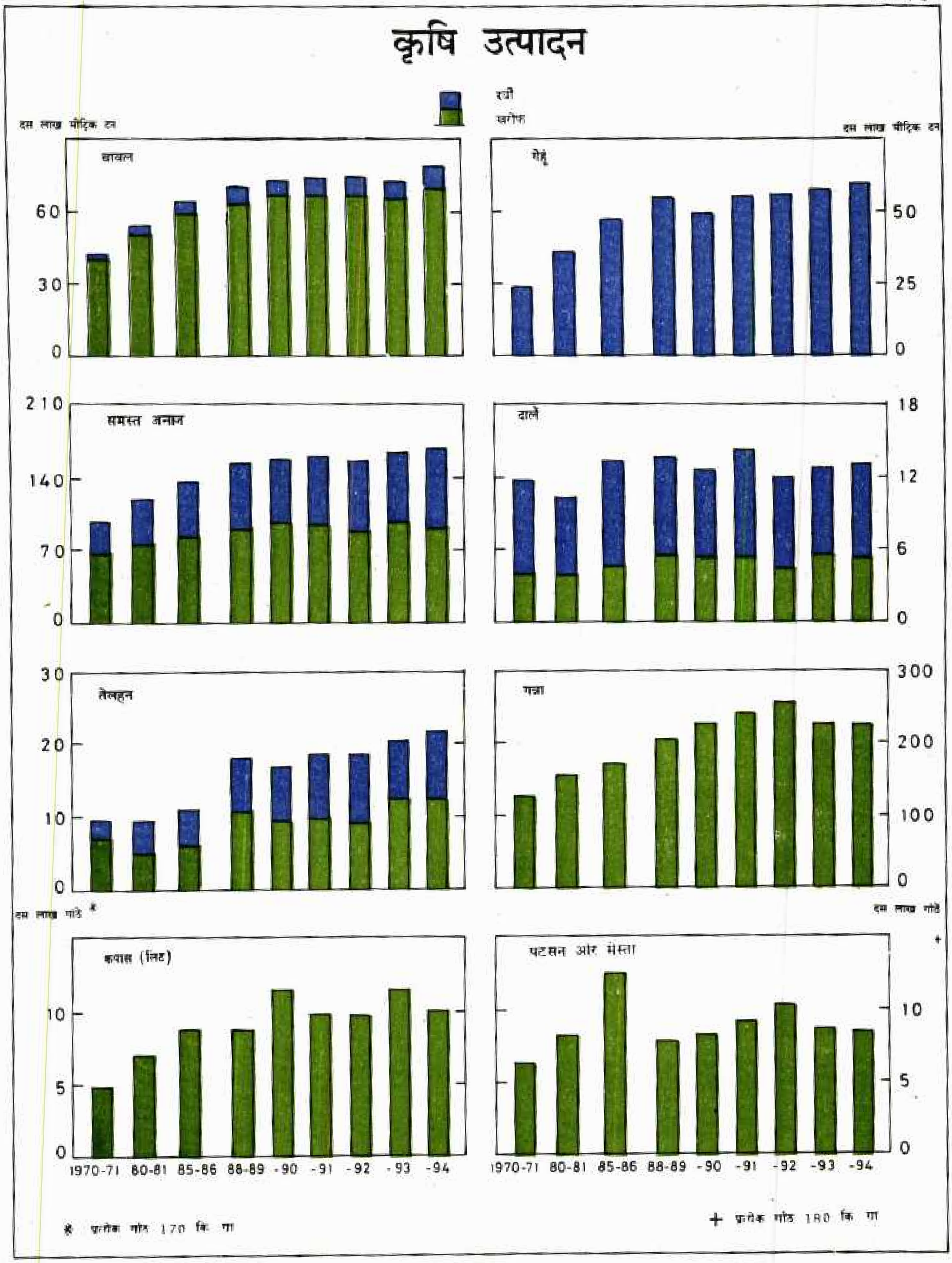
कृषि उत्पादन
रबी
खरीफ
दस लाख मीट्रिक टन
चावल
गेहूं
समस्त अनाज
दालें
तेलहन
गन्ना
दस लाख गांठे *
दस लाख गांठे +
कपास (लिंट)
पटसन और मेस्ता
1970-71 80-81 85-86 88-89 -90 -91 -92 -93 -94
* प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा
+ प्रत्येक गांठ 180 कि. ग्रा

चित्र 7.6

कृषि उत्पादन का सूचकांक

आधार :— 1981-82 की समाप्त त्रिवर्ष = 100

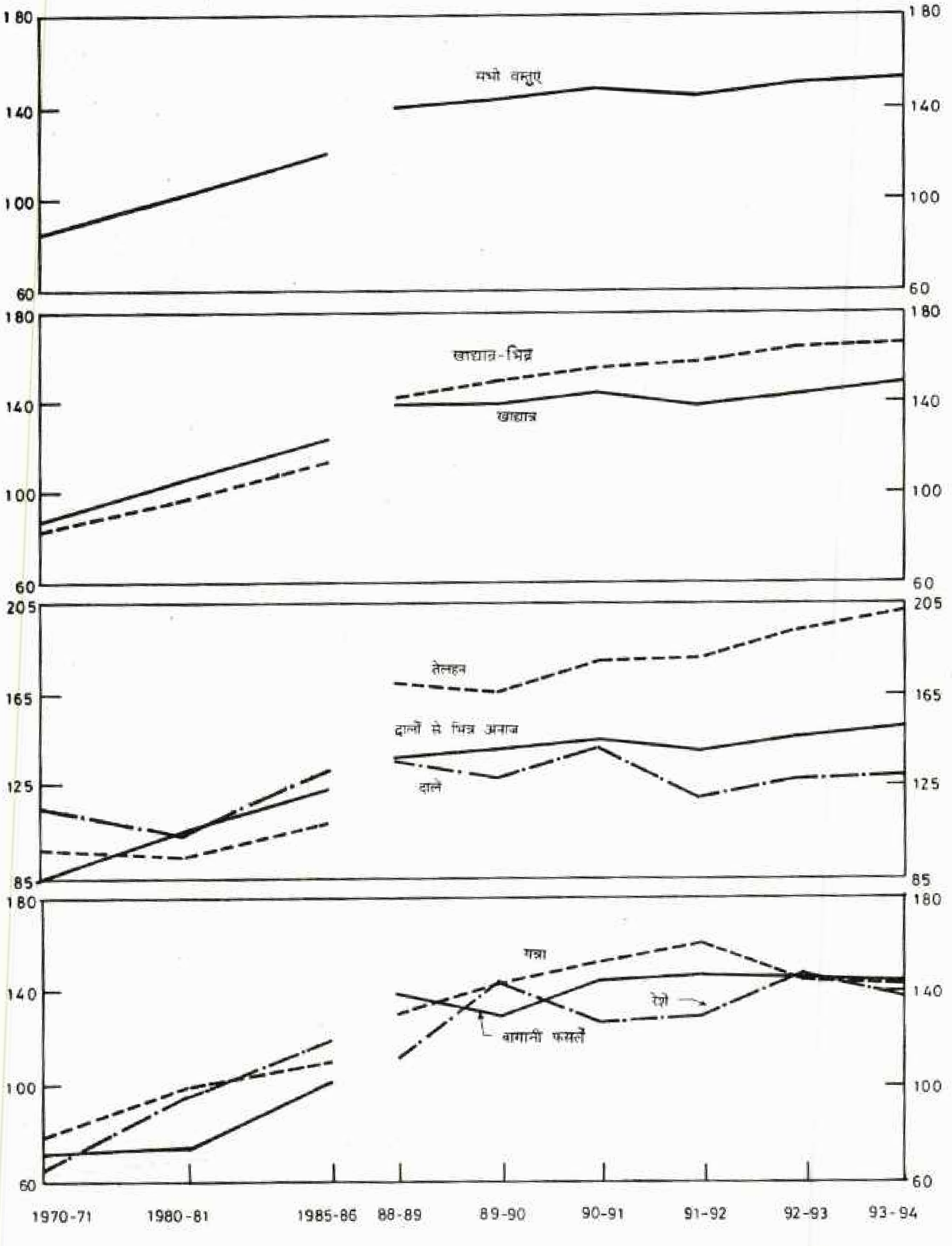

चित्र 7.4 खाद्यान्न उत्पादन में प्रवृत्तियाँ

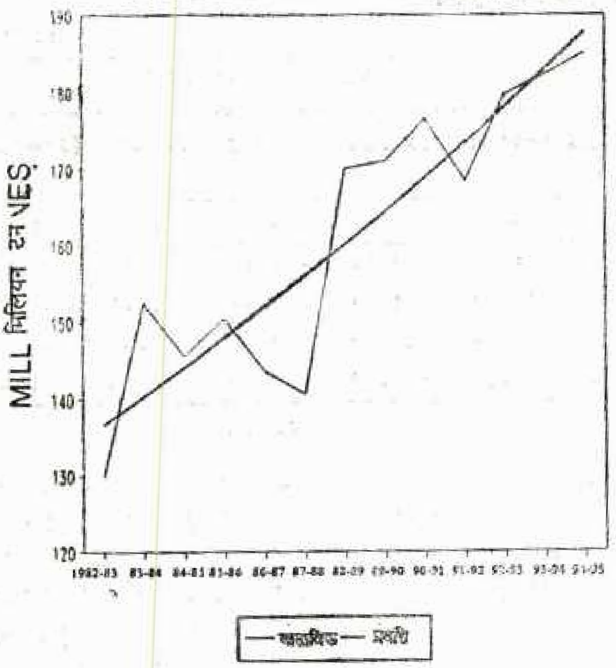

खाद्यान्न

8. वर्ष 1993-94 में 1820 लाख मी टन का खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक (लगभग 1.4 प्रतिशत) था। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पिछले तीन वर्षों के दौरान अपेक्षतया संतुलित रही है। परन्तु वर्ष 1994-95 में उत्पादन लगभग 1850 लाख मी० टन अर्थात् वर्ष 1993-94 से 30 लाख मी० टन अधिक होने की संभावना है।

चावल

9. वर्ष 1993-94 में चावल का उत्पादन 780 लाख मी० टन के लक्ष्य से बढ़कर 790 लाख मी० टन हो गया, जो पिछले वर्ष में 60 लाख मी० टन अधिक है। वर्ष 1994-95 में 10 लाख मी० टन की वृद्धि हो सकती है, जिससे कुल उत्पादन 800 लाख मी० टन तक पहुंच जाने की संभावना है जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से पुनः अधिक होगा। खरीफ 1994 का मौसम चावल के उत्पादन का अच्छा वर्ष था।

गेहूं

10. वर्ष 1993-94 में गेहूं का उत्पादन 591 लाख मी० टन तक पहुंच गया, जो वर्ष 1992-93 में हुए उत्पादन से 3.3 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन की संभावना बहुत अच्छी है और संभावित उत्पादन 585 लाख मी० टन है, जो वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य के बराबर है।

मोटे अनाज

11. मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ और छोटे मड़वे आते हैं। वर्ष 1992-93 में कुल मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्र 344 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष से 3 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1993-94 में मोटे अनाजों का उत्पादन पिछले वर्ष से कम है और वर्ष 1994-95 के दौरान संभावित उत्पादन 320 लाख मी० टन होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा। संभवतः अच्छी वर्षा वाले वर्ष के कारण मोटे अनाजों के अधीन रहने वाले क्षेत्रों में कमी करके भी अधिक क्षेत्रों में उच्च कीमत वाली फसलें तैयार की जाती हैं, ताकि मोटे अनाजों वाले प्रति इकाई क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

दालें

12. भारत में दालों का उत्पादन पिछले 30 वर्षों से लगभग 110-140 लाख मी० टन पर ही अवरुद्ध रहा है। मानसून की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। वर्ष 1987-88 में 109 लाख मी० टन से वर्ष 1992-93 में 128 लाख मी० टन के बीच घट-बढ़ कर वर्ष 1993-94 में दालों का उत्पादन 131 लाख मी० टन हो गया जिसमें वर्ष 1992-93 की तुलना में लगभग 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 में 155 लाख मी० टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 145 लाख मी० टन उत्पादन होने की प्रत्याशा है।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

13. वर्ष 1967-68 से प्रारंभ हुए पश्च हरित क्रांति अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में वार्षिक वृद्धि 2.62 प्रतिशत थी जो जनसंख्या की वृद्धि दर से थोड़ी अधिक थी। अभी हाल की अवधि (1980-81) में चावल उत्पादन में वृद्धि ने काफी बढ़कर गेहूं उत्पादन में वृद्धि दर को संतुलित कर दिया है। एकमात्र गतिरोध दालों में है जिन्होंने गिरावट दर्ज किया है, और इसके फलस्वरूप दालों की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्ष 1991 में प्रतिदिन लगभग 69 ग्राम से घटकर वर्ष 1994 में 37.8 ग्राम हो गई। दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि करना आवश्यक है और इसका निष्पादन किया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा उपज कम है। दालों के उत्पादन में मंद वृद्धि का कारण मुख्यतया दालों की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों का विकसित न हो पाना है। अरहर (तूर) मूंग और चने में कुछ सफल कार्य किए गए हैं परन्तु आपूर्ति बढ़ाने पर इसका प्रभाव अभी भी दिखाई नहीं देता। (सारणी 7.4)।

सारणी 7.4

खाद्यान्न उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

खाद्यान्न	मिश्रित वृद्धि दर[1]		वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन)				
	1967-68 से 1992-93	1980-81 से 1992-93	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95[2]
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल	2.84	3.47	1.00	0.54	—2.41	8.37	1.27
गेहूं	4.89	3.55	10.60	1.09	2.69	3.32	—1.02
दालें	0.94	1.49	10.89	—16.09	6.67	2.34	10.69
खाद्यान्न	2.62	2.84	3.16	—4.54	6.59	1.45	1.59

[1]वर्ष 1981-82=100 को समाप्त वर्षांत्य आधार के सूचकांक पर आधारित। [2]अनंतिम।

तेलहन

14. देश में पैदा किए जाने वाले मुख्य खाद्य तेलहन मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरण्डी, कुसुम्ब, नाइजर और अलसी है। वर्ष 1992-93 में तेलहन का कुल उत्पादन 201 लाख मी० टन था, और वर्ष 1993-94 में 215 लाख मी० टन था। वर्ष 1994-95 में उत्पादन का लक्ष्य 220 लाख मी० टन है, जिसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब रबी की फसल का उत्पादन पिछले वर्ष हुए 93 लाख मी० टन के उत्पादन की तुलना में 100 लाख मी० टन हो। खरीफ, 1994 के मौसम में सोयाबीन की फसल में गतिरोध आया था और इसलिए इस वर्ष का फसल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक न होने के बारे में कुछ अनिश्चितता है। वर्ष 1987-88 से 1993-94 तक तेलहन उत्पादन की प्रवृत्ति और लक्ष्य के साथ वर्ष 1994-95 के दौरान संभावित उत्पादन सारणी 7.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.5

तेलहन का उत्पादन

(दस लाख मी० टन)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93[1]	1993-94[2]	1994-95	
								लक्ष्य	संभावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मूंगफली	5.85	9.66	8.10	7.51	7.09	8.56	7.76	8.30	8.22
खरीफ	4.18	7.49	6.10	5.12	4.99	6.66	5.61	6.10	6.01
रबी	1.67	2.17	2.00	2.39	2.10	1.90	2.15	2.20	2.21
अरण्डी	0.20	0.41	0.52	0.72	0.58	0.62	0.64	0.70	0.89
तिल	0.58	0.68	0.74	0.84	0.71	0.76	0.57	0.90	0.81
तोरिया और सरसों	3.46	4.38	4.12	5.23	5.87	4.80	5.39	5.70	5.47
अलसी	0.39	0.36	0.33	0.33	0.29	0.28	0.33	0.40	0.36
नाइजरसीड	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.16	0.18	0.20	0.20
कुसुम्ब	0.46	0.44	0.49	0.32	0.20	0.34	0.58	0.40	0.60
सूरजमुखी	0.63	0.37	0.63	0.87	1.19	1.18	1.40	1.40	1.18
खरीफ	0.38	0.22	0.27	0.33	0.36	0.43	0.53	0.60	0.38
रबी	0.25	0.15	0.36	0.54	0.83	0.75	0.87	0.80	0.80
सोयाबीन	0.90	1.55	1.80	2.60	2.49	3.39	4.63	4.00	3.72
जोड़	**12.65**	**18.03**	**16.92**	**18.61**	**18.60**	**20.11**	**21.48**	**22.00**	**21.45**
खरीफ	**6.42**	**10.53**	**9.62**	**9.80**	**9.31**	**12.03**	**12.16**	**12.50**	**12.01**
रबी	**6.23**	**7.50**	**7.30**	**8.81**	**9.29**	**8.08**	**9.32**	**9.50**	**9.44**

[1]संशोधित [2]अंतिम

गन्ना

15. गन्ने के उत्पादन में वर्ष 1985-86 से लेकर जब तक कि वर्ष 1991-92 में यह 2540 लाख मी० टन के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच गया उर्ध्वमुखी प्रवृति बनी रही। मुख्यतया वर्ष 1991-92 में क्षेत्र के 38 लाख हेक्टेयर से कम होकर वर्ष 1992-93 में 36 लाख हेक्टेयर हो जाने के कारण वर्ष 1992-93 में यह घटकर 2280 लाख मी० टन हो गया। वर्ष 1993-94 में लगभग 2270 लाख मी० टन का उत्पादन होना अनुमानित है, जो वर्ष 1992-93 में हुए उत्पादन से 10 लाख मी० टन कम था। वर्ष 1994-95 में 2456 लाख मी० टन गन्ने के उत्पादन की स्पष्ट संभावना है। इस वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने का अधिक उत्पादन होने की संभावना है।

कपास

16. कपास के उत्पादन में व्यापक घट-बढ़ होती है। फिर भी उत्पादन सीमा वर्ष 1982-83 में 75.3 लाख गांठें (प्रत्येक 170 कि०ग्रा०) के निम्न स्तर से बढ़कर 1992-93 में 114 लाख गांठें हो गई। वर्ष 1994-95 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष में हुए 107 लाख गांठों के उत्पादन की तुलना में लगभग 116 लाख गांठें हो सकता है। कपास के अधीन क्षेत्र वर्ष 1981-82 में 80.6 लाख हेक्टेयर से काफी कम होकर वर्ष 1993-94 में 73.4 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसलिए कपास के उत्पादन में वृद्धि इसकी उत्पादकता के वर्ष 1981-82 में प्रति हेक्टेयर 166 कि०ग्रा० से लेकर वर्ष 1992-93 में 257 कि०ग्रा० तक काफी बढ़ जाने का परिणाम है। कपास की खपत भी वर्ष 1981-82 में 75.9 लाख गांठों से लगातार बढ़कर वर्ष 1993-94 में 128 लाख गांठें हो गई हैं, इस प्रकार यह कपास के उत्पादन में वृद्धि से अधिक हो गई है। जब तक कपास के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तब तक कच्चे कपास की मांग में वृद्धि होने से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है।

जूट और मेस्ता

17. वर्ष 1985-86 में 12.6 लाख गांठों (प्रत्येक 180 कि०ग्रा०) के उच्च उत्पादन स्तर से उत्तरोत्तर वर्षों में इसका उत्पादन कम होकर 8.5 लाख से 10.3 लाख गांठों के बीच स्तर पर आ गया है। वर्ष 1994-95 में 85 लाख गांठों के उत्पादन होने की आशा है, जो लगभग पिछले वर्ष के समान ही है।

* पौध रोपण एवं बागानी फसलें

कॉफी

18. भारत का कॉफी उत्पादन विश्व उत्पादन का मात्र 2.8 प्रतिशत है। एरेबिका और रोबस्ता भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख किस्में हैं। कॉफी की खपत मुख्यतया दक्षिणी राज्यों में होती है और वार्षिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा अधिशेष होता है और इसलिए निर्यात के लिए उपलब्ध होता है। कॉफी की घरेलू मांग प्रतिवर्ष लगभग 60,000 टन पर स्थिर रही है।

सारणी 7.6

कॉफी का उत्पादन

(मी० टन)

मौसम/वर्ष	उत्पादन
1950-51	18893
1985-86	122450
1986-87	192094
1987-88	122713
1988-89	215000
1989-90	118053
1990-91	169726
1991-92*	174000
1992-93*	161500
1993-94*	212000
1994-95**	180100

*संशोधित अनुमान

**पूर्णण अनुमान

19. कॉफी का उत्पादन वर्ष 1950-51 में 18,893 मी० टन की अल्प मात्रा से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 2.15 लाख मी० टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया (सारणी 7.6)। वर्ष 1993-94 में उत्पादन बढ़कर 2.12 लाख मी० टन हो गया और फिर वर्ष 1994-95 में घटकर 1.8 लाख मी० टन हो गया। कुछ वर्षों में कॉफी के उत्पादन में अधिक घट-बढ़ मौसम संबंधी कारकों के कारण है क्योंकि कॉफी मौसम की दशाओं में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। वर्ष 1985-86 से देश में वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा सारणी 7.6 में सूचीबद्ध है।

20. विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 2.3 प्रतिशत होना अनुमानित है। वर्ष 1992-93 के दौरान 113,602 मी० टन का निर्यात हुआ था, जिसका मूल्य 381.3 करोड़ रुपए था। तथापि, वर्ष 1993-94 में निर्यात बढ़कर 135,626 मी० टन हो गया और निर्यात से होने वाली आय मुख्यतः अधिक विश्वव्यापी मूल्यों के कारण बढ़कर 581.8 करोड़ रुपए हो गई।

21. कॉफी अधिनियम 1942 के अनुसार कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश में उत्पादित कॉफी नीलामी/बिक्री के लिए कॉफी बोर्ड को सुपुर्द कर दी जाती है। तथापि, यह अधिनियम उत्पादकों को उत्पाद के अधिकतम 30 प्रतिशत तक आंतरिक बिक्री कोटा की अनुमति देता है। दिनांक 14 जनवरी 1994 से कॉफी अधिनियम को उस उत्पाद, जिसे उत्पादक घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में बेच सकें, के खुले बाजार में बिक्री के कोटे को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था। उत्पाद के शेष 50 प्रतिशत को कॉफी बोर्ड द्वारा नीलामी के लिए रखा गया था। इस संशोधन से घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए दोहरी नीलामी प्रणाली को कॉफी बोर्ड में एक नीलामी में संयोजित कर दिया गया था।

22. वर्ष 1994 में विश्व बाजार में कॉफी की सामान्य कमी के कारण और घरेलू उत्पादन की खुली बिक्री के कोटे को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के कारण घरेलू कॉफी के मूल्य तेजी से बढ़े। इसलिए सरकार ने निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया और जनवरी-दिसम्बर 1994 के 12 महीनों की अवधि के लिए 110 हजार मी० टन के सीमा निर्धारण की घोषणा की गई। इस सीमा को बाद में बढ़ाकर 120 हजार मी० टन कर दिया गया था। कॉफी की कुछ श्रेणियों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। तथापि इस निर्णय की समीक्षा की गई है और सरकार ने पहली जनवरी, 1995 से कॉफी के निर्यात पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं।

प्राकृतिक रबड़

23. प्राकृतिक रबड़ सड़क परिवहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। इस समय देश में प्राकृतिक रबड़ के लगभग 95 प्रतिशत की मांग देशी उत्पादन से पूरी की जाती है और शेष कमी को आयातों से पूरा किया जाता है।

24. हाल के वर्षों के उत्पादन ने काफी ऊर्ध्वमुखी प्रवृति दर्शायी है। वर्ष 1988-89 में 2.6 लाख मी० टन से यह वर्ष 1993-94 में बढ़कर 4.35 लाख मी० टन हो गया है। रबड़ के वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र के भी वर्ष 1988-89 में 26,469 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 5.03 लाख हेक्टेयर हो जाने का अनुमान है। केरल रबड़ उत्पादक राज्यों में प्रमुख है जिसके अधिकार में लगभग 85 प्रतिशत रबड़ उत्पादन क्षेत्र आता है। रबड़ का उत्पादन महाराष्ट्र त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोआ, उड़ीसा आदि गैर-परम्परागत क्षेत्रों में भी होता है। रबड़ की अधिकांश बागवानी छोटे क्षेत्र में होती है, जिसका औसत जोत आकार केवल 0.5 हेक्टेयर होता है। वर्ष 1993-94 में 4.35 लाख मी० टन के उत्पादन और 4.5 लाख मी० टन की अनुमानित खपत की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अनुमानित उत्पादन और खपत क्रमशः 4.75 लाख मी० टन और 4.85 लाख मी० टन है। सीमांत पर प्राकृतिक रबड़ के आयातों से कुल आवश्यकता और कुल उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करना जारी रहा।

चाय

25. चाय उद्योग भारत का एक प्राचीनतम और सुसंगठित उद्योग है और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह नगण्य आयात अंश सहित पारम्परिक रूप से एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक है और राज्य तथा केन्द्रीय राजकोषों में महत्वपूर्ण अंशदान करता है।

26. देश में चाय का उत्पादन वर्ष 1982-83 में 5610 लाख कि०ग्रा० के स्तर से लगातार बढ़कर वर्ष 1992-93 में 7230 लाख कि०ग्रा० हो गया है। चाय की घरेलू मांग तेज गति से बढ़ी है, जिससे निर्यात योग्य अधिशेष पर दबाव पड़ा है, जो लगभग 2000 लाख कि०ग्रा० के करीब है। सरकार द्वारा बढ़ती हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए ए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2000 तक 10000 लाख कि०ग्रा० का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा एक संदर्शी योजना तैयार की गई है। वर्ष 1992-93 में 993.4 करोड़ रुपए मूल्य की 1779 लाख कि०ग्रा० चाय का निर्यात किया गया था। वर्ष 1993-94 में निर्यात घटकर 1612 लाख कि०ग्रा० हो गया, जिससे 1080.1 करोड़ रुपए की आय हुई। निर्यात में गिरावट मुख्यतया रूस द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण, भारतीय चाय की कुल खरीद में कमी करने और ईरान और मिस्र को उनकी विदेशी मुद्रा समस्याओं के कारण कम निर्यात करने के कारण हुई थी।

27. वर्ष 1994-95 के लिए 7700 लाख कि०ग्रा० का उत्पादन लक्ष्य और 2100 लाख कि०ग्रा० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अगस्त, 1994 तक उत्पादन पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि के दौरान 4541 लाख कि०ग्रा० की तुलना में 4659 लाख कि०ग्रा० हुआ था । इसी प्रकार, अगस्त, 1994 तक पिछले वर्ष की तदनुरुप अवधि में 408.1 करोड़ रुपए मूल्य के 591 लाख कि०ग्रा० के निर्यात की तुलना में 330.5 करोड़ रुपए मूल्य के 535 लाख कि०ग्रा० का निर्यात किया गया था ।

फल और गिरी

28. कृषि संबंधी जलवायु की असीम विविधता के कारण ही भारत में बागवानी फसलों की एक बहुत बड़ी किस्म जैसे कि फल, सब्जियां, फूल, बागानी फसलें—नारियल, काजू, कोको, सुपारी और कई किस्म के मसाले, औषधियां एवं सुगन्धित पौधों की पैदावार होती है । इस समय इन फसलों के अन्तर्गत अनुमानतः 13.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है जिसमें 106 मिलियन मी० टन वार्षिक उपज होती है जो कि ब्राजील और चीन के बाद सर्वाधिक उपज की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है । भारत अदरक, हल्दी और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ-साथ विश्व के कुल नारियल उत्पादन का 17 प्रतिशत और विश्व के कुल काजू उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन करने वाला देश है । मसालों, विशेषतया काली मिर्च के विश्व व्यापार में भारत का शेयर करीब 18 प्रतिशत है ।

29. वर्ष 1992-93 में भारत में फलों का उत्पादन करीब 33 मिलियन मी० टन हुआ जिससे भारत उस शिखर स्तर के करीब पहुंच गया जिस पर इस समय विश्व के सबसे बड़े फल उत्पादक ब्राजील का स्थान है । मुख्यतः 1992-93 में उत्पादकता 1981-82 के 5445 गिरी प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 7034 गिरी हो जाने के कारण 1992-93 तक नारियल का उत्पादन बढ़कर 11375 मिलियन गिरी हो गया । आठवीं योजना (1992–97) में वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 15000 मिलियन गिरी है ।

30. वर्ष 1992-93 में काजू का उत्पादन 3.5 लाख मी० टन तक पहुंच गया । 1993-94 में 72450 मी० टन काजू का निर्यात किया गया जिससे 1044 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई । हालांकि भारत प्रसंस्कृत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है लेकिन देशी उत्पादन प्रसंस्करण उद्योग की आन्तरिक मांग से कम होता है और इसलिए कच्चे काजू का आयात भी किया जाता है । आठवीं योजना में काजू के उत्पादन का लक्ष्य 4.73 लाख मी० टन था जो अब भी 6 लाख मी० टन की अनुमानित मांग से कम रहेगा ।

मसाले

31. मसाले की बहुत-सी फसलों में से 15 मुख्य मसालों की फसलों को विकास हेतु चुना गया है । इनमें से काली मिर्च देशी उपभोग तथा साथ ही निर्यात के लिए अत्यधिक विशिष्ट फसल है । 1992-93 में प्रमुख मसालों का कुल उत्पादन 2.2 मिलियन मी० टन होने का अनुमान लगाया गया है और आठवीं योजना में सभी मसालों के लिए 3.2 मिलियन मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । बढ़ते हुए विश्वव्यापी निर्यात बाजार में अपना शेयर बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण पर और अधिक ध्यान देना आवश्यक होगा ।

पुष्प कृषि

32. निर्यात की ऊंची संभावनाओं वाला यह एक नया क्षेत्र है । विदेशी भागीदारी से संयुक्त उद्यम वाली 41 परियोजनाओं को पहले ही अनुमोदन प्राप्त हो गया है और कुछ परियोजनाओं के उत्पादन स्तर पर पहुंचने की सूचना मिली है ।

बागवानी में प्लास्टिक का प्रयोग

33. बागवानी फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ड्रिप सिंचाई, पादप-गृहों और प्लास्टिक पलवारों के रूप में प्लास्टिक का उपयोग सरकार का एक प्रमुख प्रयास रहा है, जिसके लिए आठवीं योजना की अवधि (1992–97) में 250 करोड़ रुपए का निवेश आवंटित किया गया है । इसमें से 200 करोड़ रुपए केवल ड्रिप सिंचाई के लिए नियत किए गए हैं, जो अनेक राज्यों में काफी लोकप्रिय बनती जा रही है । पादप-गृहों को निर्यातोन्मुखी पुष्पकृषि परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । गैर-मौसमी सब्जियां पैदा करने के लिए यह लद्दाख क्षेत्र में पहले ही लोकप्रिय हो चुकी हैं ।

फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी

34. मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को कमजोर आधारभूत ढांचे और सुव्यवस्थित विपणन की कमी की वजह से फलों और सब्जियों की कटाई के पश्चात् होने वाली हानियों के कारण 3000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक नुकसान हो रहा है । आठवीं योजना में इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है और देश के भिन्न-भिन्न भागों में पूर्वशीतलन एककों, शीतागारों, पैकिंग गृहों आदि की स्थापना करने के लिए निगमित क्षेत्र सहित विभिन्न एजेंसियों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है ताकि हानियों को कम किया जा सके और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके । तथापि, कटाई के पश्चात् प्रसंस्करण और परिरक्षण प्रौद्योगिकी में गैर-सरकारी निवेश की संभाव्यता का अभी तक पूरी तरह पता नहीं लग पाया है ।

कृषि संबंधी निविष्टियां

35. कुछ मुख्य और अधिक मूल्य की फसलों का कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्राप्त हुई सफलताओं के बावजूद, अभी भी कई फसलें हैं, जहां उत्पादन और इसलिए खेतिहरों को प्राप्त होने वाली आय बहुत कम है। इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टि संबंधी पर्याप्त सहायता जुटाने में कोई आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती। विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए निविष्टियों के पैकेज उनकी उपलब्धता और सुपुर्दगी प्रणाली पर बल देना जारी रखना होगा। कृषि संबंधी कुछ मुख्य निविष्टियां नीचे दर्शायी गई हैं।

सिंचाई

36. फसल उपजाने की एक अत्यधिक सक्षम और सिंचित फसल प्रणाली ही भारत की विशाल और बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकती है। इसलिए सिंचाई क्षमता का विस्तार और उसका इष्टतम उपयोग उच्च प्राथमिकता रखता है।

37. देश की सिंचाई क्षमता योजना-पूर्व अवधि में 226 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1993-94 के अंत में 850 लाख हेक्टेयर हो गई है जिनमें 318 लाख हेक्टेयर बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन और 532 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई स्कीमों के अधीन है। वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य 28 लाख हेक्टेयर है जिसमें 7 लाख हेक्टेयर बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के अधीन और 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई स्कीमों के अधीन हैं। वर्ष 1994-95 के अंत में सृजित पूर्वानुमानित सिंचित क्षमता 878 लाख हेक्टेयर है जिसमें 325 लाख हेक्टेयर बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के अधीन और 553 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई स्कीमों के अधीन है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का क्षेत्र विकास के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है।

38. विशेषकर बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का कम उपयोग बना हुआ है। वर्ष 1993-94 के अंत में 851 लाख हेक्टेयर की सृजित क्षमता की तुलना में 763 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग हुआ था। इससे कम उपयोग किए गए 88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (46 लाख हेक्टेयर बड़ी और मध्यम सिंचाई तथा 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई के अधीन) की क्षमता का अन्तर रह जाता है। इस अन्तर का मुख्य कारण खेतों में जलमार्गों के निर्माण, भू-समतलीकरण और "बाड़ाबंदी" प्रणाली (कमान क्षेत्र में जल वितरिकाओं और छोटी नालियों का जाल) को अपनाने जैसे खेती के कार्यों के विकास में होने वाली देरी और अंतिम रूप से किसानों द्वारा नई फसल पद्धति अर्थात् शुष्क खेती से सिंचित खेती अपनाने में लिया गया समय है।

39. सृजित क्षमता और उपयोग में लाई गई क्षमता के बीच अन्तर कम करने के मूल उद्देश्य से वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र-प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास स्कीम (सी०ए०डी०) कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम में खेतों में जलमार्गों के निर्माण, भू-समतलीकरण और खेतों को आकार देने, चक्रीय जलापूर्ति के लिए "बाड़ाबंदी" का कार्यान्वयन करने और खेत में नालियों का निर्माण करने जैसे खेती के विकास कार्यों का निष्पादन परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में अपनाई जाने वाली विधियों का परीक्षण, प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण तथा उपयुक्त फसल पद्धतियां शुरु करना भी शामिल है। मार्च 1994 तक इस कार्यक्रम पर लगभग 5102 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें से केन्द्रीय सहायता की राशि 1302 करोड़ रुपए थी और शेष 3800 करोड़ रुपए की राशि की पूर्ति राज्य क्षेत्र स्कीमों के अधीन की गई थी।

40. लघु सिंचाई स्कीम में भू-जल और भू-तल जल स्कीमें शामिल हैं। जबकि भू-जल स्कीमों में खोदे गए गहरे कुंए, छिछले नलकूप और पम्पसेट शामिल हैं वहीं भूतल जल स्कीमों में तालाब और जलाशय मार्ग-परिवर्तन स्कीमें नदियों और सरिताओं से लिफ्ट सिंचाई आदि शामिल हैं। इन स्कीमों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1993-94 के अंत में सृजित सिंचाई क्षमता और लघु सिंचाई स्कीम के माध्यम से उसके उपयोग का अनुमान क्रमशः 532 लाख हेक्टेयर और 491 लाख हेक्टेयर लगाया गया था। वर्ष 1994-95 के लिए सृजित और प्रयुक्त अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य क्रमशः 21 लाख हेक्टेयर और 16 लाख हेक्टेयर रखा गया है। अपेक्षाकृत त्वरित विकास में विलम्ब और कम निवेश लागत के कारण भू-जल और भू-तल जल दोनों को शामिल करने वाली लघु सिंचाई स्कीमों के सृजन पर बल दिया जाना है। उपयुक्त जल-स्तर के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई अन्वेषण के लिए पूर्वी

क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिंचाई क्षमता के विकास और उसके उपयोग के ब्यौरे सारणी 7.7 में दिए गए हैं।

सारणी 7.7

सिंचाई क्षमता का विकास और उसका उपयोग

(दस लाख हेक्टेयर)

	सातवीं योजना के अन्त में (1989-90)	वर्ष 1991-92 के दौरान	वर्ष 1991-92 के अन्त में	1992-93 (वास्तविक)	1993-94 (संभावित)	1994-95 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1. बड़ी और मध्यम सिंचाई						
क्षमता	29.9	0.8	30.7	0.4	31.8	0.7
उपयोग	25.5	0.9	26.3	0.3	27.2	0.6
2. लघु सिंचाई						
क्षमता	46.6	3.7	50.4	1.5	53.2	2.1
उपयोग	43.1	3.4	46.5	1.4	49.1	1.6
3. **जोड़**						
क्षमता	**76.5**	**4.5**	**81.1**	**1.9**	**85.0**	**2.8**
उपयोग	**68.6**	**4.3**	**72.8**	**1.7**	**76.3**	**2.2**

टिप्पणी :—10000 हेक्टेयर से अधिक के संचयी कमान क्षेत्र (सं०क०क्षे०) वाली सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं और 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10000 हेक्टेयर तक के संचयी कमान क्षेत्र (सं०क०क्षे०) वाली परियोजनाओं को मध्यम परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

41. सिंचाई के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 1992 में आठवीं योजना की शुरूआत में पिछली योजनाओं से आगे लाई गई 158 बड़ी, 226 मध्यम और 95 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजनाएं थीं। इन परियोजनाओं की पहले की कुल लागत का अनुमान लगभग 40563 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसलिए आठवीं योजना की नीति चालू परियोजनाएं पूरा करने को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत देती है। इस नीति के अन्य मुख्य तत्वों में सिंचित कृषि में तीव्र अन्तरण सुनिश्चित करना और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से जल का इष्टतम प्रयोग करना, जल की कमी वाले और सूखा प्रवण क्षेत्रों में छिड़काव और रिसाव सिंचाई प्रणालियों की संस्थापना और भू-जल तथा लिफ्ट सिंचाई को प्रोत्साहन देना शामिल है।

42. सिंचाई जल के प्रयोक्ता लागत का मामला ऐसा है जिससे अंतर्राज्यीय स्तर पर चर्चा जारी रहती है ताकि बढ़ते हुए बकायों और तदनुरूपी आर्थिक सहायता द्वारा उत्पन्न की जा रही समस्याओं पर सहमति हो सके। मोटे तौर पर यह सहमति है कि सिंचाई की दरों में कम से कम वार्षिक अनुरक्षण और प्रचालनात्मक व्यय और नियत लागत का कुछ हिस्सा शामिल होना चाहिए। जबकि भूजल और भूतल जल के लिए जल की दरों को छोटे और सीमांत किसानों के हितों का सम्यक ध्यान रखते हुए युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है, वहीं सिंचाई परियोजनाओं के मजबूत वित्तीय पुनर्गठन की समस्या से अनिश्चित काल तक बचा नहीं जा सकता।

बीज

43. सत्तर के दशक के प्रारम्भ में मोटे अनाज के उत्पादन में अधिकांश उल्लेखनीय उपलब्धि और इसके फलस्वरूप होने वाली हरित क्रांति का श्रेय बीज प्रौद्योगिकी में प्राप्त सफलता को दिया जाता है। बीजों में "विकल्प के युग" का प्रारम्भ होने से बीजों की प्रारंभिक अवस्था के जननिक प्रयोग ने इस प्रकार देश के किसानों के लिए नए द्वार खोले। दुर्भाग्यवश, बीज-क्रांति, कृषि अर्थव्यवस्था के केवल मोटे अनाज के खण्ड को सम्मिलित करने के बाद क्षीण हो गई प्रतीत होती है। कृषि अर्थव्यवस्था के दालों, तिलहनों, सब्जियों और फलों जैसे महत्वपूर्ण खण्ड उन्नत बीज प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित हैं।

44. बड़ी और बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे भी महत्वपूर्ण आय-स्तरों में वृद्धि के अनुसार मोटे अनाजों की अपेक्षा मोटे अनाजों से भिन्न अनाजों की अधिमानता में, अन्तरण होने से सब्जियों और फलों की मांग बढ़ रही है जिनका आम उपभोक्ता की खपत क्षमता में अब महत्वपूर्ण स्थान है। कीमतों की अनिश्चित स्थिति और फलों और सब्जियों की कीमतों में होने वाले काफी अधिक मौसमी परिवर्तन अब चिन्ता उत्पन्न कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वर्षों में भी मूल्यों में अधिकांश उर्ध्व प्रवृत्ति

का कारण बहुत हद तक सब्जियों और फलों तथा दालों की कीमतों में होने वाली अधिक वृद्धि रही ।

45. सब्जियों और फलों तथा दालों के लिए उपयुक्त बीज प्रौद्योगिकी विकसित करने में देशी प्रयास धीमा अथवा असफल है । इसलिए विशेषकर सब्जियों तथा फलों, जिसके लिए संसाधन अब कोई बाधा नहीं रह गए हैं, के लिए विश्वव्यापी रूप से अच्छे किस्म के बीजों का पता लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे आयात मोटे अनाजों से भिन्न फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगे ।

46. गेहूं, धान, मोटे अनाजों, दालों और बुआई के लिए चारे के बीजों का आयात करने की अनुमति वर्ष 1988 में तैयार की गई बीज नीति के उपबंधों की पूर्ति करने पर लाइसेंस के बिना दी जाती है । तथापि, गेहूं और धान का थोक आयात बीज नीति के अन्तर्गत आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का आई० आर०आर० आई०, मनीला और सी०आई०एम०एम०वाई०टी०, मेक्सिको से अनुसंधान संबंधी प्रभावी सहयोग है ।

47. सब्जियों, फूलों, फलों और पौधों के बीजों, कन्दों, कतरनों, पौधों और बुआई तथा रोपण के लिए फूलों तथा फलों की कलमों के आयात के लिए पौधा, फल और बीज आदेश, 1989 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंस के बिना अनुमति दी जाती है ।

48. वर्ष 1993-94 के दौरान 61 लाख क्विंटल प्रमाणीकृत अच्छी किस्म वाले बीजों का वितरण किया गया था । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके 70 लाख मी० टन के स्तर तक पहुंच जाने की आशा है । विभिन्न फसलों के अन्तर्गत उच्च उत्पादक किस्म की बीजों के अधीन आने वाले क्षेत्रों और कुल क्षेत्र में उनके हिस्से का विवरण सारणी 7.8 में सूचीबद्ध किया गया है ।

सारणी 7.8

बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र

फसल		1966-67	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92*	1992-93**	1993-94 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(दस लाख हेक्टेयर)				
धान	0.9	25.4	26.2	27.4	28.0	27.5	28.9	32.8
गेहूं	0.5	20.2	20.3	21.0	20.5	21.7	22.0	23.3
ज्वार	0.2	6.1	6.9	7.1	6.8	6.9	6.88	7.0
बाजरा	0.1	5.9	5.6	5.7	5.4	5.6	5.1	6.2
मक्का	0.2	2.5	2.3	2.6	2.8	2.6	2.7	2.9
रागी	—	—	—	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3
जोड़	1.9	60.1	61.2	65.0	64.7	65.4	66.6	73.5
	(फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र की प्रतिशतता)							
धान	2.6	60.9	62.1	64.2	65.7	65.9	68.8	
गेहूं	3.9	83.8	86.4	86.9	88.1	88.2	. 4	
ज्वार	1.1	41.8	46.6	49.4	53.0	53.1	52.7	
बाजरा	0.8	49.2	51.4	54.4	53.8	52.8	53.7	
मक्का	3.9	42.4	39.0	44.1	47.8	43.6	45.1	
रागी	—	—	—	55.3	56.3	57.6	62.8	

*संशोधित **प्रत्याशित

49. समय-समय पर यथासंशोधित बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत बीज का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है । बीज अधिनियम और नियम के प्रावधान राष्ट्रीय स्तर के दो शीर्ष निकायों, केन्द्रीय बीज समिति एवं केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड (सी०एस०सी०बी०) और राज्य स्तर की बीज उप-समितियों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं ।

उर्वरक

50. भारतीय कृषि में फसल उत्पादन की दरों को बढ़ाने में रासायनिक उर्वरक एक आधारभूत आदान सिद्ध हुआ है । रासायनिक उर्वरकों की खपत जो 1955-56 में पोषक तत्वों के रूप में केवल 0.13 मिलियन मी० टन थी, 1993-94 में पोषक तत्वों के रूप में बढ़कर 12.4 मिलियन मी० टन हो गई । वर्ष 1986-87 से देश में उर्वरकों की खपत की प्रगति सारणी 7.9 में सूचीबद्ध है ।

सारणी 7.9

रासायनिक उर्वरकों की खपत

(दस लाख मी० टन पोषक तत्व)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन०)	फास्फेट (पी०)	पोटाश (के०)	जोड़ एन०पी०के०
1986-87	5.7	2.1	0.9	8.7
1987-88	5.7	2.2	0.9	8.8
1988-89	7.3	2.7	1.1	11.1
1989-90	7.4	3.0	1.2	11.6
1990-91	8.0	3.2	1.3	12.5
1991-92	8.0	3.3	1.4	12.7
1992-93	8.4	2.9	0.9	12.2
1993-94	8.8	2.7	0.9	12.4
1994-95*	9.9	3.1	1.1	14.1

*अनुमानित

51. तीन प्राथमिक पौध पोषक तत्वों—नाइट्रोजन (एन०) फास्फेट (पी०) और पोटाश (के०) के उचित मिश्रण (अनुपात) की खपत फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। देश के लिए समग्र रूप से एन०पी०के० का कुल सही अनुपात 4:2:1 है लेकिन अखिल भारतीय एन०पी०के० खपत अनुपात इस आदर्श प्रतिमान की तुलना में काफी भिन्न है। (सारणी 7.10)

सारणी 7.10

भारत में एन०पी०के० का खपत अनुपात

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1955-56	10.8	1.3	1
1960-61	7.2	1.8	1
1965-66	7.5	1.7	1
1980-81	5.9	1.9	1
1985-86	7.0	2.5	1
1991-92	5.9	2.4	1
1992-93	9.5	3.2	1
1993-94	9.3	3.0	1

52. एन०पी० खपत अनुपात वर्ष 1980-81 में 5.9:1.9 था, जो 1991-92 में थोड़ा घटकर 5.9:2.4 हो गया था। तथापि, वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान यह प्रवृत्ति विपरीत हो गई लगती है क्योंकि 1992-93 और 1993-94 में नाइट्रोजन और फास्फेट का अनुपात बढ़कर क्रमशः 9.5: 3.2 और 9.3:3 हो गया था।

53. सारणी 7.10 से पता चलता है कि एन०पी०के० अनुपात में, जो अगस्त, 1992 में उर्वरकों के विनियंत्रण से पूर्व प्रायः सही स्तर पर था, विनियंत्रण के पश्चात काफी अन्तर आया है। इस प्रतिकूल प्रवृत्ति को रोकने और नियंत्रित उर्वरकों पर बढ़ते हुए आर्थिक सहायता बिल को नियंत्रित रखने के लिए 10 जून, 1994 से यूरिया की कीमत 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई। इसके अलावा, कम विश्लेषित नाइट्रोजनी उर्वरकों अर्थात् कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट,

अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के मूल्यों को भी उसी तारीख से विनियंत्रित किया गया। तथापि, विनियंत्रित फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों पर विशेष रियायत देने की स्कीम लगातार तीसरे वर्ष चल रही है।

54. वर्ष 1993-94 के दौरान नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों का उत्पादन लगभग 9.05 मिलियन मी० टन हुआ, जो कि 1992-93 की तुलना में लगभग 7.1 प्रतिशत कम है। तथापि, 1994-95 में नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों के उत्पादन में 10 मिलियन मी० टन 78.2 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 23 लाख मी० टन फास्फेट से अधिक वृद्धि होने की आशा वर्ष 1987-88 से उत्पादन, आयात और आर्थिक सहायता के ब्यौरे सारणी 7.11 में दिए गए हैं।

सारणी 7.11

उर्वरक उत्पादन, आयात और आर्थिक सहायता

वर्ष	उत्पादन (एन+पी) (हजार मी०टन०)	आयात (एन+पी+के) (हजार मी०टन०)	आर्थिक सहायता आयातित उर्वरकों पर	देशी उर्वरकों पर	(करोड़ रुपए) जोड़
1987-88	7131	984	114	2050	2164
1988-89	8964	1608	201	3000	3201
1989-90	8543	3114	771	3771	4542
1990-91	9045	2758	659	3730	4389
1991-92	9863	2769	1300	3500	4800
1992-93	9736	2988	996	4800	5796
1993-94	9047	3166	600	3800	4400 *
1994-95	10120	1518*	500**	3500**	4000*

*इसमें पोषक तत्व के रूप में यूरिया का आयात शामिल है, जो सरकारी खाते में आयातित एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है।

** (बजट व्यवस्था)

55. आयातित यूरिया के मूल्य में वृद्धि और खपत में वृद्धि होने के अलावा, मुख्यतया यूरिया के लिए प्रतिधारण मूल्य व आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत छठी निर्धारण अवधि के लिये नीति पैरामीटरों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण वर्ष 1994-95 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता 4000 करोड़ रुपए की बजट राशि से अधिक हो जाने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष में यूरिया का मूल्य 3320 रुपए प्रति मी० टन तक बढ़ने (20 प्रतिशत वृद्धि) और कम विश्लेषित उर्वरकों (सी०ए०एम०, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट) के विनियंत्रण से आर्थिक सहायता के बोझ के कुछ भाग को प्रतिसंतुलित करने में अवश्य मदद मिलेगी।

56. देशी उर्वरक उद्योग को गैर-नाइट्रोजनी उर्वरकों के विनियंत्रण और असरणीकरण तथा वर्ष 1992-93 में किये गये व्यापार नीति संबंधी परिवर्तनों की वजह से और अधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। डाई-अमोनियम फास्फेट (डी०ए०पी०) के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ फास्फोरिक अम्ल के आयात पर सीमा शुल्क को सितम्बर, 1993 में समाप्त कर दिया गया था ताकि देशी फास्फेटी उद्योग उत्पादन लागत को कम कर सकें। इसके अलावा, इसे अपेक्षाकृत सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ बनाने के लिये विनियंत्रित उर्वरकों पर विशेष रियायतें देने की स्कीम 1993-94 से आगे देशी डाई-अमोनियम सल्फेट (डी०ए० पी०) और सिंगनल सल्फेट फास्फेट (एस० एस० पी०) सहित मिश्रित उर्वरकों तक सीमित कर दी गई है। तथापि, यह रियायत आयातित म्यूरेट आफ पोटाश (एम० ओ० पी०) की बिक्री पर भी उपलब्ध है क्योंकि देश में पोटाश का कोई ज्ञात और उपयोग में लाया जाने वाला भण्डार न होने के कारण म्यूरेट आफ पोटाश का पूरी मात्रा में आयात किया जाता है।

57. उर्वरक संयंत्रों की पूंजी संबंधी लागत को कम करने के दीर्घावधिक उपाय के तौर पर, नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने तथा नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क 23 सितम्बर 1992 से समाप्त कर दिया गया।

वनस्पति रक्षण

58. पारिस्थितिक प्रणाली और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से आठवीं योजना अवधि के दौरान समूचे फसल

उत्पादन कार्यक्रमों में एकीकृत कीट प्रबंध (आई॰पी॰ एम॰) को मुख्य क्षेत्र के रूप में अपनाने की नीति रही है। 1993-94 में कीटनाशियों की खपत 83000 मी॰ टन होने का अनुमान लगाया है जबकि 1992-93 में यह 69463 मी॰ टन थी। कीटनाशियों की अधिकांश जरूरत देशी उत्पादन से पूरी की जाती है। वर्ष 1993-94 के दौरान चावल और कपास के लिए एकीकृत कीट प्रबंध (आई॰ पी॰ एम॰) में करीब 5000 विस्तार कार्यकर्ताओं और 3000 कृषकों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना बनाई गई है।

59. राज्य प्राधिकारियों के साथ एकीकृत कीट प्रबंध (आई॰ पी॰ एम॰) प्रशिक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिये मार्च, 1994 में एकीकृत कीट प्रबन्ध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी प्रकार, जैव कीटनाशियों के प्रयोग के संबंध में भी सक्रिय रूप से अध्ययन किया जा रहा है। भारत में एकीकृत कीट प्रबन्ध (आई॰ पी॰ एम॰) को बढ़ावा देने के लिये खाद्य और कृषि संगठन (एफ॰ ए॰ ओ॰) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू॰ एन॰ डी॰ पी॰) और एशियाई विकास बैंक (ए॰ डी॰ बी॰), सी॰ ए॰ बी॰ आई॰ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तकनीकी और वित्तीय सहायता की मांग की जा रही है।

कृषि ऋण

60. कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को यथा-समय और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिये कृषि ऋण नीति का उतरोतर संस्थायीकरण किया गया है। लघु और सीमांत किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में समर्थ बनाने के लिये उन्हें संस्थागत ऋण बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है।

61. कृषि ऋण एक बहु-एजेंसी नेटवर्क के जरिये संवितरित किया जाता है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं। विभिन्न संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण की मात्रा 1985-86 के 7005 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1992-93 में 13000 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 1994-95 के लिये ऋण संवितरण का लक्ष्य 16700 करोड़ रुपए का है। कृषि ऋण का वर्ष 1987-88 से 1993-94 तक एजेंसीवार संवितरण और 1994-95 के लक्ष्य सारणी 7.12 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.1 2

कृषि ऋण का संवितरण

(करोड़ रुपए)

मद	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91[1]	1991-92[1]	1992-93[1]	1993-94[1]	1994-95 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सहकारी समितियां								
अल्पावधिक	3824	4087	3995	2822	3950	4900	6000	6600
मध्यावधिक	688	809	577	366	391	182	461	
दीर्घावधिक	734	655	684	785	1005	1213	2039	3000
उप-जोड़	5246	5551	5256	3973	5346	6295	8500	9600
वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक								
अल्पावधिक और सावधिक ऋण	4009	4234	4930	5010	5962	6705	6600	7100
कुल जोड़	9255	9785	10186	8983	11308	13000	15100	16700

अनंतिम

62. सहकारी समितियों ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन और निवेश दोनों के लिए ऋण के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल संवितरणों का 57.5 प्रतिशत ऋण सहकारी समितियों और 37.5 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा 5 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अल्पकालीन (उत्पादन) अग्रिमों के रूप में दिए जाते हैं। मध्यावधिक/दीर्घावधिक (निवेश) ऋण के मामले में कुल संवितरणों में सहकारी समितियों का हिस्सा 30 प्रतिशत है जबकि वाणिज्यिक बैंकों का 65 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 5 प्रतिशत है। हालांकि कृषि ऋण में सहकारी समितियों के शेयर में 1991-92 तक कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी थी। लेकिन उसके पश्चात् इसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ है। अल्पावधिक अग्रिमों के लिये 88000 प्राथमिक कृषि समितियों और दीर्घावधिक ऋण के लिये 2258 प्राथमिक एककों के साथ मिलकर सहकारी ऋण संस्थाओं का नेटवर्क देश के दूर-दराज के इलाकों में किसानों को ऋण पहुंचाने में सहायता करता रहा है।

63. कृषि ऋण में व्यापक वृद्धि के बावजूद अतिदेयताओं की एक गंभीर समस्या है, जिससे ऋण विस्तार और ऋण-दाता संस्थाओं, विशेष रूप से सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक व्यवहार्यता में बाधा आई है। वर्ष 1990 में कृषि ऋणों को माफ कर देने से वसूली की समस्या और बढ़ गई है। सरकार ने कृषि ऋण पुनरीक्षा समिति की सिफारिश पर सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करने के लिए कतिपय उपाय भी शुरू किए हैं। इन उपायों में राज्य सहकारी कानूनों में संशोधन, सहकारी निकायों के चुनाव करवाना और व्यापार विकास योजना के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनरुद्धार शामिल है। सरकार सहकारी ऋण तंत्र का पुनः प्रवर्तन करने के लिए एक व्यापक स्कीम शुरू करने पर भी विचार कर रही है। नाबार्ड ने भी सहारी ऋण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए विकासात्मक कार्रवाई योजनाएं (डी. ए. पी. एस.) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि इसे व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अक्तूबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उधार देने (बशर्ते कि यह कम स कम 12 प्रतिशत हो) और जमाराशि बढ़ाने हेतु सहकारी समितियों के लिए ब्याज दर की संरचना को पूर्णतया विनियंत्रित कर दिया है। इससे सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता में काफी सुधार होने की आशा है।

फसल बीमा

64. खरीफ 1985 से 1993-94 के रबी मौसम के अंत तक 7.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 414 लाख किसानों को व्यापक फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसकी बीमा राशि 10004 करोड़ रुपए है। जून, 1994 के अंत तक किसानों को 963 करोड़ रुपए की रकम के दावों का भुगतान किया गया) जिसमें आधे से ज्यादा रकम के दावे केवल गुजरात के ही थे) जबकि इसकी तुलना में प्रीमियम आय 167 करोड़ रुपए थी।

निवेश

65. वर्ष 1980-81 से सरकारी व्यय का अधिक हिस्सा निवेश की बजाय उर्वरक, सिंचाई, विद्युत, ऋण और अन्य कृषि संबंधी निविष्टियों के लिए आर्थिक सहायता के बढ़े हुए स्तर के रूप में इस समय खर्च हुआ। चालू व्यय (केन्द्र और राज्यों का विकासात्मक राजस्व व्यय) पर उपलब्ध आंकड़े और कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जी०सी०एफ०) वर्ष 1993-94 में स्वागत योग्य बदलाव सहित चालू व्यय की तुलना में निवेश के अनुपात (जी०सी०एफ०) में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं (सारणी 7.13 और चित्र 7.7)।

66. वर्ष 1945-46 के पूर्व, सरकारी सिंचाई स्कीमों ने कार्यशील व्यय, ब्याज प्रभार को पूरा करने और अनुत्पादक कार्यों में हानियां समंजित करने के बाद अधिशेष प्रदर्शित किया। तब से इस परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 1989-90 में सिंचाई क्षेत्र द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि (कार्यशील व्यय और संग्रहित राजस्व के बीच अन्तर) का अनुमान ब्याज प्रभार को छोड़कर 3600 करोड़ रुपए और निवेश पर ब्याज सहित 8900 करोड़ रुपए लगाया गया था। औसतन सिंचाई के प्रति हेक्टयर (कमान) 149 रुपये की हानि उठाई जा रही है। विद्युत क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कृषि क्षेत्र को औसत लागत से कम पर बेचे गए विद्युत के कारण वास्तविक रूप से उठाई गई क्षति की राशि वर्ष 1992-93 में काफी अधिक 7205 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1993-94 में इसके 8888 करोड़ रुपए होने की अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह वर्ष 1994-95 में 10113 करोड़ रुपए भी हो सकता है।

67. वास्तविक रूप में कृषि में (1980-81 की कीमतों पर) सकल निवेश अवरुद्ध हो गया है। यह वर्ष 1980-81 में 4636 करोड़ रुपए और वर्ष 1992-93 (वास्तविक) में 4617 करोड़ रुपये था। वर्ष 1980-81 में कुल सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 18 प्रतिशत से गिरकर यह वर्ष 1992-93 में 9 प्रतिशत हो गया है। सरकारी क्षेत्र द्वारा कृषि में वास्तविक पूंजी निर्माण में और अधिक गिरावट दिखाई देती है क्योंकि यह वर्ष 1980-81 में 1796 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1992-93 में कम होकर 1065 करोड़ रुपए हो गई है। कृषि में निजी क्षेत्र का वास्तविक निवेश सापेक्ष रूप में वर्ष 1980-81 में 2840 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 3552 करोड़ रुपए हो गया है। यद्यपि कुल सकल घरेलू पूंजी निर्माण में इसका हिस्सा इस अवधि के दौरान काफी कम हुआ है। कुल सकल पूंजी निर्माण में निजी निवेश का घटता हुआ हिस्सा यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में निजी निवेश के लिए सापेक्षतया

सारणी 7.13

कृषि में सकल पूंजी निर्माण और चालू सरकारी (केन्द्र और राज्य) व्यय
(चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल पूंजी निर्माण		चालू व्यय 2	अनुपात (कालम 3+4
	1980-81 के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर		
1	2	3	4	5
1987-88	4414	8389	11201	0.75
1988-89	4347	9062	13545	0.67
1989-90	4353	10025	16692	0.60
1990-91	4593	11592	18867	0.61
1991-92	4497	12837	26174	0.49
1992-93	4617	14462	27552 (सं. अनु.)	0.52
1993-94	4695	15642	24383 (ब. अनु.)	0.64

1. ये आंकड़े सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए हैं।

2. चालू व्यय में केन्द्र और राज्यों का कृषि और सम्बद्ध सेवाओं, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विद्युत और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता पर विकासात्मक राजस्व व्यय शामिल है। इसमें सरकारी क्षेत्र के गैर-विभागी वाणिज्यिक और गैर-सरकारी उद्यमों द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है।

चित्र 7.7 सरकार (केन्द्रीय-राज्य) के वर्तमान व्यय की तुलना में कृषि में कुल पूंजी निर्माण

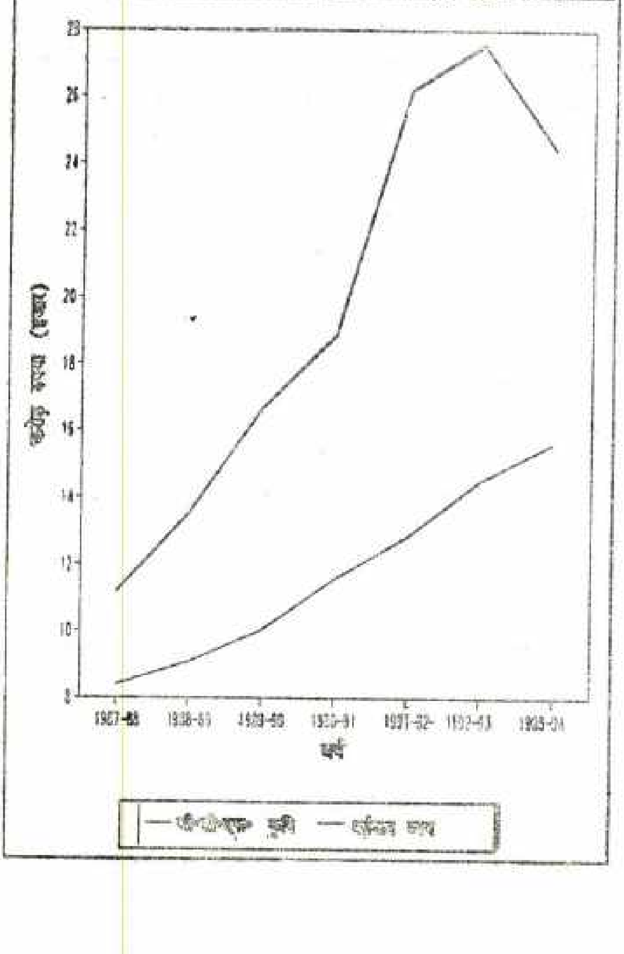

कम आकर्षक है। यह कृषि क्षेत्र में अधिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों पर जोर देने की आवश्यकता का सुझाव देता है। कृषि में निजी निवेश में वृद्धि की संभावना कृषि प्रसंस्करण के विकास की गति और मूल्यवर्धित गैर-पारम्परिक कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी निर्भर होगी।

68. शैक्षणिक और नीति-निर्माण स्तरों पर कृषि निविष्टियां संबंधी आर्थिक सहायता (विशेषकर विद्युत और जल) के बढ़ते हुए बोझ को बदलने की आवश्यकता पर लगातार चर्चा होती रही है। यह इस तथ्य से प्रेरित है कि धीरे-धीरे कम की गई आर्थिक सहायता का बोझ कृषि में सरकारी निवेश की घटती हुई प्रवृत्ति को बदलने के लिए आवश्यक संसाधन निर्मित करेगा, क्योंकि कृषि में निवेश की समस्या संसाधन की कुल उपलब्धता की समस्या कम और चालू व्यय तथा पूंजी निर्माण के बीच वितरण की समस्या अधिक है। यह भी महसूस किया जाता है कि निजी क्षेत्र द्वारा निवेश बढ़ाने की संभावना है बशर्ते कि नीति संबंधी प्रोत्साहनों को विशेषकर निर्यातोन्मुख कृषि उद्यमों में प्रभावी बनाया जाए।

कृषि अनुसंधान और विस्तार

69. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक प्रमुख शीर्ष संस्था है जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु वाले प्रदेशों में स्थित अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के जरिए फसल विज्ञान, मृदा-कृषि विज्ञान, पशु पालन और मात्स्यकी में कृषि के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने और प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उनका प्रयोग करने में सफल रहा है। सत्तर के दशक में हरित क्रांति लाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है।

70. सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों सहित प्रमुख राज्यों में विस्तार सेवाओं को पुनर्गठित किया है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे का पर्याप्त विकास किया गया है। विभिन्न स्तरों पर विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, 15 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 4 विस्तार शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है। वर्ष 1994-95 से दो नई स्कीमें अर्थात् "स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से कृषि विस्तार और "कृषि में महिलाएं" नामक दो नई स्कीमें लागू की गई हैं।

सम्बद्ध क्षेत्र

पशु पालन और डेरी विकास

71. पशु पालन विकास ने बढ़ती हुई और विविध कृषि के एक अभिन्न अंग के रूप में समूची अर्थव्यवस्था में

परिकल्पना से अधिक बड़ी भूमिका निभाई है। इस समय इस क्षेत्र का योगदान कृषि उत्पाद के सकल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक है। भारत की विशाल पशुधन संख्या में दुग्ध, अण्डा, मांस, ऊन आदि की घरेलू मांग को पूरा करने की भारी क्षमता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से सीमांत और लघु किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए नए रोजगार का स्रोत माना जाने लगा है क्योंकि इससे उन्हें पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए सहायक रोजगार मिलता है।

72. इस क्षेत्र से उत्पाद का सकल मूल्य 1992-93 में 58800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो भारवाही पशु उत्पाद के योगदान को छोड़कर कुल कृषि उत्पाद के मूल्य के एक चौथाई से अधिक है।

73. वर्ष 1993-94 में दुग्ध उत्पादन 60.2 मिलियन मी० टन हुआ जो 1992-93 की तुलना में करीब 4.6 प्रतिशत अधिक था। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में सफलता का श्रेय आपरेशन फ्लड परियोजना को जाता है जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) द्वारा 1970 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बुनियादी रूप से ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है और इस समय यह कार्यान्वयन के तीसरे चरण में है। 170 दुग्ध शेडों में 68900 से अधिक डेरी सहकारी समितियां गठित की गई हैं, जिनमें सितम्बर, 1994 तक करीब 88 लाख किसान सदस्य शामिल थे।

कुक्कुट पालन

74. कुक्कुट मानव उपयोग हेतु कम महत्व के आहार को न्यूनतम समय में अधिक महत्व वाले पोषाहार में बदलने का एक सर्वाधिक सक्षम परिवर्तक है। यह फार्म अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसकी मुख्य कार्यनीति यह है कि बढ़िया किस्म के चूजों की उपलब्धता और सहायक सुविधाओं जैसे कि संचयन, विपणन, संतुलित चारा, स्वास्थ्य-रक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाकर अण्डों और कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि की जाए। देश में पचास के दशक से अण्डों का उत्पादन बारह गुना बढ़ गया है जो कि 1950-51 में 1832 मिलियन से बढ़कर 1993-49 में अनुमानतः 23718 मिलियन हो गया था।

मत्स्य उद्योग

75. मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था में बिस्तृत तटीय जनसंख्या के लिए रोजगार का सृजन करने, पोषाहार स्तरों को बढ़ाने, खाद्य आपूर्ति में तेजी लाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए तुरन्त अनुमानों के अनुसार चालू कीमतों पर निवल घरेलू उत्पाद में मत्स्य उद्योग क्षेत्र के योगदान में चार गुना वृद्धि हुई है जो कि वर्ष 1984-85 में 1478 करोड़ रुपए थी और 1992-93 में 5860 करोड़ रुपए हो गयी।

76. देश में मत्स्य उत्पादन जो 1950-51 में 7.5 लाख मी० टन था 1993-94 के दौरान बढ़कर 46.8 लाख मी० टन हो गया। 1984-85 से 1993-94 की अवधि के दौरान मत्स्य उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग की वृद्धि दरें प्रतिवर्ष क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रही है। मत्स्य उत्पादन और निर्यात की प्रवृत्ति सारणी 7.14 में देखी जा सकती है

सारणी 7.14

मत्स्य उत्पादन और समुद्री उत्पादों का निर्माण

वर्ष	मत्स्य उत्पादन			समुद्री उत्पादों का निर्यात	
	समुद्री (लाख मी० टन)	अंतर्देशीय	कुल	मात्रा (लाख मी० टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6
1989-90	22.75	14.02	36.77	1.11	634.99
1990-91	23.00	15.36	38.36	1.39	893.37
1991-92	24.47	17.09	41.56	1.72	1375.89
1992-93	25.76	17.89	43.65	2.09	1767.43
1993-94	26.88(अ)	19.93(अ)	46.81(अ)	2.44	2503.62
1994-95	27.30(ल)	20.20(ल)	47.50(ल)	2.87(ल)	3120.00(ल०)

अ: अनन्तिम ल: लक्ष्य

77. 1994-95 में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 47.5 लाख मी. टन है जिसमें 27.3 लाख मी. टन समुद्री स्रोतों और 20.2 लाख मी. टन अन्तर्देशीय जलाशयों से प्राप्त होगा। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने अनेक स्कीमें शुरू की हैं। ये स्कीमें हैं : मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के जरिए मीठे पानी में मत्स्य पालन का विकास, मत्स्य संघटक के रूप में खारा पानी मत्स्य पालक विकास, एजेंसियों के जरिए खारे पानी में मत्स्य पालन विकास, तटीय समुद्री मत्स्य उद्योग विकास योजना के अंतर्गत आधुनिकीकृत मत्स्य नौकाओं की शुरुआत करना ताकि मछुआरे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकें तथा अपतटीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ सकें और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुल 20 मी. लंबाई की पंजीकृत नौका के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क राहत। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में झींगा पालन के विकास और इन तीन राज्यों के अलावा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से झींगा और मत्स्य पालन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि विपणन

78. देश में फार्म उत्पादों का विपणन कुल मिलाकर आपूर्ति और मांग की सामान्य मान्यताओं के तहत किया जाता है। निजी व्यापार देश की विपणन प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है। सरकार का हस्तक्षेप मुख्यतया उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने और देश में कृषि जिंसों के संगठित विपणन को बढ़ावा देने तक सीमित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिकांश राज्य सरकारों ने कृषि उत्पाद संबंधी बाजारों के विनियमन हेतु आवश्यक कानून बनाए हैं।

79. 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में विनियमित बाजारों की संख्या 6809 थी। केन्द्र सरकार ने बाजारों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने तथा गांवों में गोदाम की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की है। कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं अंकन) अधिनियम, 1937 के तहत 150 कृषि एवं सम्बद्ध जिंसों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में 3124 लाइसेंसशुदा शीतागार हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 8.174 मिलियन मी० टन है। सहकारी क्षेत्र के अधीन शीतागार की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मार्च, 1994 के अंत तक 243 शीतागारों जिनकी संस्थापित क्षमता 7.16 लाख मी० टन होगी, की संस्थापना के लिए 74.9 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

80. कृषि उत्पादों के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और विपणन को प्रभावित करने वाली उत्पाद एवं क्षेत्र संबंधी विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए इस समय कई संगठन एवं संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनमें कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम और जिंस बोर्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

81. कृषि विपणन प्राथमिक स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के नेटवर्क से भी अधिक जुड़ा हुआ है। विपणन संबंधी सहकारी समितियां लगभग सभी "मंडियों" में कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियां फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, गन्ने की पेराई, कपास की ओटाई और बिनौले निकालने आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

82. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों के जरिए कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, संचयन, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संवर्धन करता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नैफेड) चुनिन्दा कृषि जिंसों की अधिप्राप्ति, वितरण, निर्यात और आयात में कार्यरत एक शीर्ष सहकारी संगठन है। सहकारी क्षेत्र के कुछ अन्य संगठन राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादन संघ लि०, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि० (ट्राइफेड) (जो विशेष रूप से जनजातीय इलाकों की विपणन संबंधी समस्याओं को हल करता है) हैं। तथापि, कृषि जिंसों के कुल विपणन में सहकारी समितियों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

83. रबड़, कॉफी, चाय, तम्बाकू, मसालों, नारियल, तेलहनों और वनस्पति तेलों, बागवानी आदि के लिए विशिष्ट जिंस बोर्ड कार्य करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भी कृषि जिंसों के विपणन में संलग्न है। कृषि संबंधी कच्ची सामग्री जैसे कि गन्ना, पटसन, तम्बाकू, तेलहन, चावल, बाजरा, कपास, दालें, काजू, कोको, सुपारी, मसाले आदि के विकास की व्यवस्था करने के लिए पृथक निदेशालयों का सृजन किया गया है। इसके अलावा, विशेष जिंसों जैसे कि चावल, दालें, पटसन, बाजरा, कपास, तम्बाकू, तेलहन, गन्ना, सुपारी, कोको आदि के लिए कई विकास परिषदों की स्थापना की गई है। निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम के अलावा, कुछ सम्बद्ध निकाय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, चपड़ा (शेलॉक) निर्यात संवर्धन परिषद, कृषि और संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण हैं। कृषि उत्पादों के विपणन में सहकारी समितियों की भूमिका निरन्तर बढ़ रही है।

फार्म निर्यात

84. फार्म निर्यातों से देश की समूची निर्यात आमदनी में भारी वृद्धि होती है। चूंकि गैर-कृषि क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र के आयात की मात्रा काफी कम है, अतः

देश को कृषि निर्यातों के जरिए अर्जित प्रति इकाई विदेशी मुद्रा में काफी अधिक लाभ होता है।

85. कृषि निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात-आयात नीति को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया गया है। व्यापार नीति संबंधी परिवर्तनों का उद्देश्य शुल्क और गैर-शुल्क प्रतिबंधों को कम करना है, जिनसे कृषि निर्यातों के लिए नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

86. चावल एक प्रमुख निर्यात उत्पाद बनता जा रहा है। चावल की सभी किस्मों के संबंध में न्यूनतम निर्यात मूल्य समाप्त कर दिया गया है। फल, सब्जियां और फूल अधिक क्षमता वाले गैर-पारम्परिक निर्यात उत्पाद हैं। इन उत्पादों के निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है और निगमित निवेशक भी इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। पुष्पोत्पादन के क्षेत्र में कई निर्यातोन्मुखी एकक विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होने वाले हैं।

87. बातचीत के उरुग्वे दौर के सफल समापन से भारत के कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा। विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने देशों में घरेलू और निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के विद्यमान स्तरों को कम करें। इससे प्राथमिक उत्पादों के निर्यातक देशों के लिए नए बाजार खुलने की आशा है।

88. कृषि निर्यातों (अवशिष्ट सहित कच्ची कपास को छोड़कर) में पिछले 2 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है जैसाकि 1992-93 में 7430 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात किया गया था जो कि 1993-94 के दौरान बढ़कर 10062 करोड़ रुपए हो गया। चालू वर्ष में निर्यात निष्पादन और भी सुदृढ़ होना चाहिए।

दृष्टिकोण

89. समूचे आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र एक मूलभूत भूमिका निभाता रहेगा क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान अभी भी लगभग 30 प्रतिशत है और करीब दो तिहाई जनसंख्या अब भी जीविकोपार्जन के लिए इस क्षेत्र पर आश्रित है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि में 3 प्रतिशत की दीर्घावधिक वृद्धि दर एक वांछनीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होगा।

90. हाल ही के कुछ वर्षों में कृषि में निवेश की दर में आई गिरावट में सुधार करने की जरूरत है। सरकारी पूंजी परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख-रखाव के लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत है। सिंचाई, ग्रामीण संचार तथा भूमि और जल के अवक्रमण को रोकथाम और नियंत्रण की स्कीमों में सरकारी निवेश बढ़ाना होगा। इस प्रयोजन हेतु जल, विद्युत और उर्वरकों के लिए प्रदान की गई भारी आर्थिक सहायता को कम करके ही संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। कृषि में गैर-सरकारी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि के पक्ष में सापेक्ष प्रोत्साहनों में सुधार करने के लिए सुधार नीतियों को जारी रखना चाहिए।

91. वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि की फसलों की उपज बढ़ाने के लिए ऐसी कृषि जलवायु वाली परिस्थितियों के अनुरूप स्थान विशिष्ट किस्मों के प्रयोग पर अधिक जोर देने की जरूरत है। जल संरक्षण और विविधीकृत उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन के लिए एकीकृत जल संभर विकास परियोजनाओं की प्रगति का बारीकी से अनुवीक्षण किया जाना आवश्यक है। भूमि कटाव, भू-अवक्रमण और अच्छी सस्य भूमि को शहरी औद्योगिक प्रयोग में लाने की निरंतर प्रक्रिया के कारण कृषि योग्य भूमि संकुचित होती जा रही है। इसलिए सीमांतिक और वर्षा सिंचित भू-जोतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न मृदा और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाए जाने की आवश्यकता है।

92. बीज क्रांति जो केवल अनाज खण्ड को शामिल करने के बाद समाप्त होती हुई लगती है, को व्यापक बनाना होगा ताकि दालें, तिलहन, सब्जियां और फल जैसे महत्वपूर्ण खण्डों को उसके दायरे में लाया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औसत आय स्तरों में वृद्धि होने से अनाज-भिन्न खाद्य मदों की मांग बढ़ गई है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन जिंसों (फल, सब्जियों, तेल) की सुस्पष्ट मौसमी विशिष्टता को कम करने की जरूरत है ताकि वर्ष भर उन्नत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और मुद्रास्फीति के दबाव कम हों। इस क्षेत्र के सफल विकास हेतु पूर्व अपेक्षित उपायों के रूप में पर्याप्त और अधिक आधुनिक संचयन और भाण्डागारण की सुविधाओं की व्यवस्था है। इसके अलावा, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में तेजी लाने की जरूरत है।

93. कृषि ऋण की वर्तमान प्रणाली में पूरी तरह सुधार किए जाने की जरूरत है। लघु और गरीब किसानों को निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता की ऊंची लागत को कम करना आवश्यक होगा।

94. कृषि उत्पादों की फसल कटाई के बाद की नई प्रौद्योगिकियों के आविर्भाव से महत्वपूर्ण वृक्ष फसलों के लिए विशेषकर उनकी बढ़ी हुई निर्यात क्षमता को देखते हुए बेहतर डाटा बेस की आवश्यकता होगी। जबकि टैरिफ, व्यापार और विनिमय दर के सुधारों ने कृषि निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों को बढ़ाया है, कृषि उत्पादों के निर्यात को अवरुद्ध करने वाले अभी भी कई विनियमन हैं, जिन्हें धीरे-धीरे समाप्त किए जाने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन में निवेश के लिए उपर्युक्त नीति संबंधी प्रोत्साहनों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्याय 8

आधारभूत ढांचा

आधारभूत ढांचे की पर्याप्त गुणवत्ता, मात्रा और विश्वसनीयता समग्र अर्थव्यवस्था और निर्यातों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक हैं । भारत में अधिकांश आधारभूत सेवाएं अभी तक सार्वजनिक एकाधिकार और अर्ध-एकाधिकार प्राप्त उद्योगों द्वारा प्रदान की जा रही हैं और वे जबावदेही की कमी, अल्प-उत्पादकता, खराब वित्तीय निष्पादन तथा अति-रोजगार जैसी गंभीर समस्याओं से घिरी रही हैं । इसलिए तीव्र आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य कुशलता तथा जवाबदेही लाने, वाणिज्यिक सिद्धांतों का अधिक प्रचार करने और आधारभूत संरचनात्मक सेवाओं के प्रावधानों एवं प्रचालनों में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाने की तत्काल आवश्यकता है । चूंकि आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने की सरकार की क्षमता में गंभीर अवरोध आया है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के निवेश को तथा आधारभूत संरचनात्मक सेवाओं की व्यवस्था में भागीदारी को और अधिक प्रेरित किया जाए । प्राइवेट संभरकों का प्रवेश भी आधारभूत क्षेत्रों की जोखिम में बेहतर भागीदारी, जबावदेही, अनुवीक्षण तथा प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है ।

2. सरकार ने आधारभूत क्षेत्रों में अनेक संरचनात्मक सुधार पहले से ही आरम्भ कर दिए हैं । विद्युत क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को आकर्षित करने के लिये एक मुश्त प्रोत्साहनों की घोषणा की जा चुकी है । इन एक मुश्त प्रोत्साहनों में विद्युत उपस्करों पर आयात शुल्कों को घटाकर 20 प्रतिशत किया जाना, नई विद्युत परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष का करावकाश, प्रदत्त तथा अभिदत्त पूंजी पर गारन्टीशुदा 16 प्रतिशत प्रतिफल की दर और केन्द्र सरकार द्वारा प्रति-गारन्टी की व्यवस्था किया जाना शामिल है । पैट्रोलियम क्षेत्र में सरकार ने नए निवेशों को प्रेरित करने तथा परिचालनात्मक कार्य-कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र द्वारा बाजार मूल्य पर घरेलू खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल जैसे कतिपय पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने और वितरण करने की अनुमति दी है । हाल में ही सृजित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड ने अपनी इक्विटी पूंजी के 2 प्रतिशत का पहले ही विनिवेश कर दिया है और स्वदेशी तथा विदेशी बाजारों में और 18 प्रतिशत पूंजी का विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है । प्राइवेट और विदेशी कम्पनियों को अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अथवा आयल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में तेल अन्वेषण तथा उत्पादन के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण में भी अनुमति दी गयी है । स्नेहकों में घरेलू बाजार को विदेशी सहयोग के लिए खोल दिया गया है । सरकार ने 1994-95 में एक राष्ट्रीय दूर-संचार नीति घोषित की है । इसमें आधारिक दूरसंचार सेवाओं में प्राइवेट भागीदारी और 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गयी है ।

3. वायु निगम अधिनियम, 1994 के व्यवस्थापन ने प्राइवेट हवाई टैक्सी कम्पनियों को स्वदेशी क्षेत्र में प्रचालन करने योग्य बनाया है । 1994-95 के दौरान वायुयान नियम में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करने वाले 6 हवाई टैक्सी प्रचालकों को निर्धारित हवाई कम्पनी का दर्जा प्रदान किया गया है । विमानपत्तन की आधारभूत संरचना के विकास और उसके अनुरक्षण तथा प्रमुख विमान पत्तनों पर सामान के संचालन के कार्य प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिये गये हैं । डाक सेवाओं में भी सरकार कमीशन के आधार पर डाक सामग्री के वितरण में प्राइवेट क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति देते हुए अपने एकाधिकार नियंत्रण को छोड़ने पर सहमत हो गयी है । सड़कों के विकास और उनके अनुरक्षण में प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिये वर्ष 1994-95 में अनेक उपायों की घोषणा की गयी है जिसमें सड़क क्षेत्र को एक ऐसा उद्योग घोषित किया गया है जो वित्तीय संस्थाओं से उधार ले सकेगा; सड़क का उपयोग करने वालों पर मार्ग कर लगाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन और इस क्षेत्र में बड़ी फर्मों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए एम० आर० टी० पी० के उपबन्धों में ढील दिया जाना शामिल है । उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा की नई नीति के अनुसरण में रेलवे ने अपनी विपणन और वाणिज्यिक नीतियों में सुधार करने आरम्भ कर दिये हैं तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमों और क्रियाविधियों को सरल बनाया गया है । पत्तन क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रों में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है । पत्तनों में, पत्तन संबंधी उपस्करों को पट्टे पर देने, तट-आधारित उद्योगों द्वारा प्राइवेट पत्तनों की स्थापना करने, जहाजों की मरम्मत और उनका अनुरक्षण तथा पत्तनों के अन्दर परिवहन जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र को भागीदारी के लिये आमंत्रित किया गया है । इन उपायों से आधारभूत क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और इन आयोजनात्मक क्षेत्रों में क्षमताओं के विस्तार के संवर्धन की दृष्टि से आधारभूत क्षेत्रों को प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारिता के लिए खोलने की सरकार की वचनबद्धता प्रतिबिम्बित होती है ।

4. 1993-94 के दौरान अवसंरचनात्मक क्षेत्रों का समग्र कार्य-निष्पादन संतोषजनक था । कच्चे तेल के उत्पादन

सारणी 8.1

8—2

आधारभूत क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की प्रवृत्तियां

	यूनिट			अप्रैल—दिसम्बर*		पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	
		1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7	8
						(प्रतिशत)	
ऊर्जा							
1. कोयला							
(क) उत्पादन	मिलियन टन	238.26	246.04	165.75	171.01	3.3	3.2
(ख) खानद्वार भंडार (वर्षांत)	"	51.30	50.69	38.73	36.52	—1.2	−5.7
(ग) प्रेषण	"	231.03	242.60	175.43	176.78	5.0	0.8
2. उत्पादित बिजली (केवल उपयोगिताएं)	अरब कि. वा. घ.	301.07	323.53	237.86	257.87	7.5	8.4
(क) पनबिजली	—तदैव—	69.83	70.37	55.12	64.86	0.8	17.7
(ख) तापीय (नाभिकीय सहित)	—तदैव—	231.24	253.16	182.74	193.01	9.5	5.6
3. पेट्रोलियम							
(क) कच्चा तेल उत्पादन	मिलियन टन	26.95	27.03	20.00	23.87	0.3	19.4
(ख) रिफाइनरी कुल मात्रा	"	53.48	54.34	40.41	42.42	1.5	5.0
परिवहन एवं संचार							
1. रेलवे द्वारा राजस्व-उपार्जक माल का उत्पादन		350.05	358.72	258.37	264.74	2.5	2.5
2. प्रमुख पत्तनों पर ढोया गया माल	तदैव	166.58	179.26	130.12	141.00	7.6	8.4
3. दूर संचार— दिए गए नए दूरभाष कनेक्शन (डी.ई.एल. एस)	(सं. हजारों में)	986.81	1229.00	416.00	754.00	24.5	81.3

*अनंतिम

@अप्रैल—दिसम्बर

की गिरती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगी और अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन के कारण इसमें बदलाव आया। 1994-95 का वर्ष अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आशाजनक कार्य निष्पादन के साथ आरम्भ हुआ तथा तेल क्षेत्र में ठोस प्रतिवर्तन जारी रहा। अप्रैल—दिसम्बर, 1993-94 की तुलना में अप्रैल—दिसम्बर 1994-95 के दौरान विद्युत उत्पादन में 8.4 प्रतिशत, कच्चे तेल के उत्पादन में 19.4 प्रतिशत, और नए टेलीफोन के कनेक्शन देने की क्षमता में 81.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (सारणी 8.1) छः अवसंरचनात्मक उद्योगों, अर्थात् बिजली, कोयला, इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल और पैट्रोलियम उत्पादों में, जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 28.8 प्रतिशत का मिश्रित भार रहा है, अप्रैल—दिसम्बर, 1993 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल—दिसम्बर, 1994 के दौरान 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी।

कोयला

5. कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिसका देश में कुल ऊर्जा की खपत में लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा बैठता है। 1993-94 में 2460 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन 1992-93 की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गैर-कोककारी कोयले का उत्पादन, जिसका कुल कोयला उत्पादन में लगभग 82 प्रतिशत अंशदान है, 4.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि कोककारी कोयले के उत्पादन में 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी। अप्रैल-दिसम्बर 1994 के दौरान कोयले के उत्पादन में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 8.2) लेकिन इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से यह 1.0 प्रतिशत कम रहा। हालांकि भूमिगत तथा खुली खानों, दोनों ही में अप्रैल—दिसम्बर, 1994 के दौरान 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई लेकिन खुली खानों द्वारा कोयला उत्पादन में प्रमुख योगदान दिया जाना जारी रहा।

6. अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान कोककारी कोयले का उत्पादन 260 लाख मीट्रिक टन था जो अप्रैल-दिसम्बर, 1993 में हुए उत्पादन की अपेक्षा 7.1 प्रतिशत कम था। कोककारी कोयले के उत्पादन की प्रवृत्तियों और इसमें राख की भारी मात्रा को देखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि निकट भविष्य में कोककारी कोयले के आयात में गिरावट

आधारिक संरचनात्मक क्षेत्रों का कार्य निष्पादन

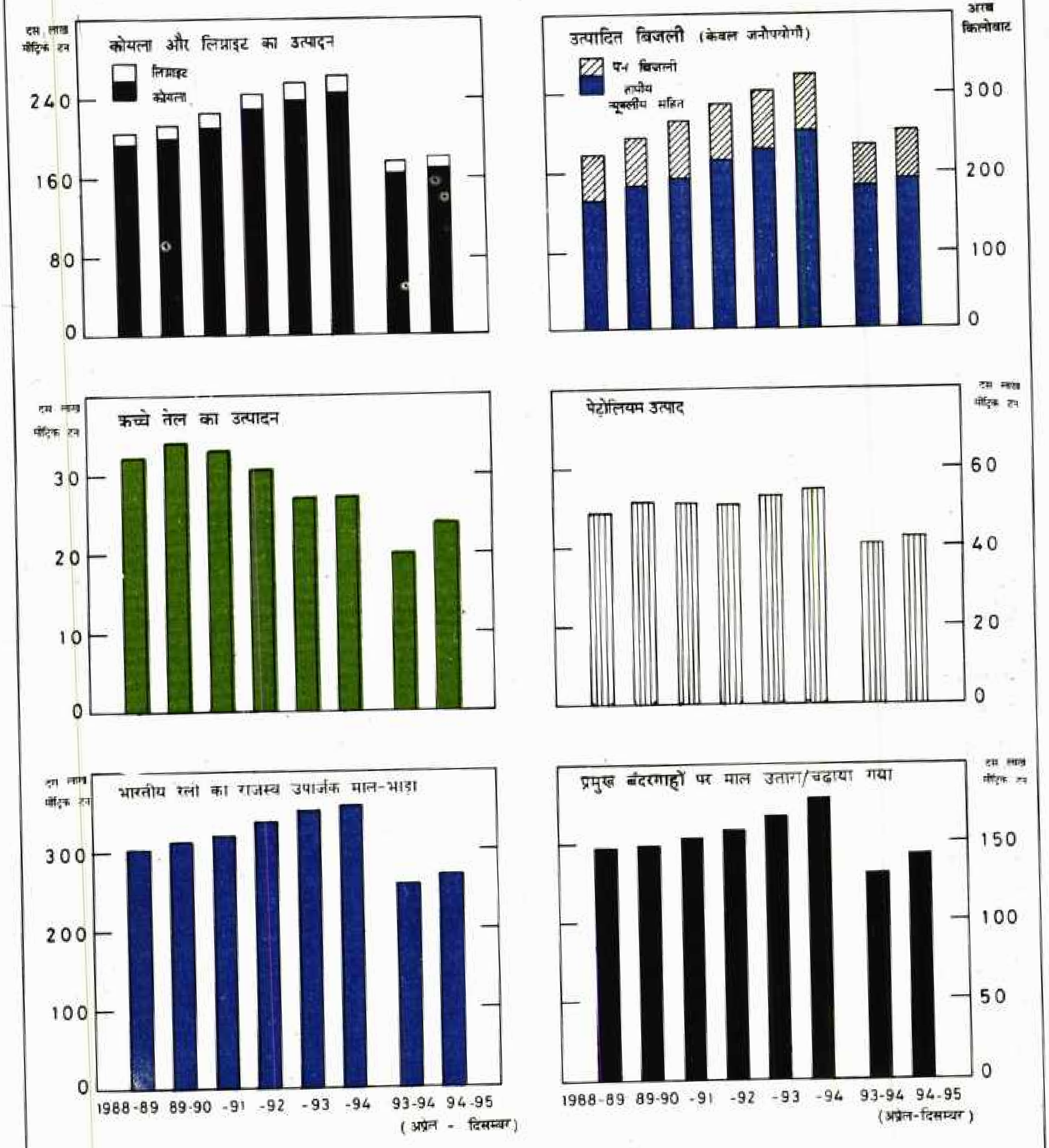

सारणी 8.2

कोयला क्षेत्र की प्रवृत्तियां

			अप्रैल—दिसम्बर*		पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	
	1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7
1. उत्पादन		(मिलियन टन)				(प्रतिशत)
(क) ओपन कास्ट	163.36	169.60	115.61	119.27	3.8	3.2
(ख) अंडर ग्राउंड	74.90	76.44	50.14	51.74	2.1	3.2
जोड़	238.26	246.04	195.75	171.01	3.3	3.2
2. उत्पादन (कोयला ग्रेडों में)						
(क) कोकिंग कोयला	45.36	45.06	28.06	26.08	−0.7	−7.1
(ख) नान-कोकिंग कोयला	192.90	200.98	137.69	144.93	4.2	5.3
(ग) धुला हुआ कोयला	12.16	12.22	8.63	8.43	0.5	−2.3
(घ) मध्यवर्ती	5.06	5.18	3.73	3.83	2.4	2.7
3. खानद्वार भंडार (वर्षांत में)	51.30	50.69	38.73	36.52	−1.2	−5.7
4. प्रेषण	231.03	242.60	175.43	176.78	5.0	0.8
5. लिग्नाइट उत्पादन**	13.31	14.15	10.45	10.53	6.3	0.8
6. प्रति व्यक्ति पारी पर उत्पादन						
(1) सी. आई. एल.	1.46	1.52	1.34	1.49	4.1	11.2
(2) एस. सी. सी. एल	1.04	1.05	0.98	0.97	1.0	−1.0

*अनंतिम

@अप्रैल-दिसम्बर

**केवल एन. एल. सी. द्वारा

आएगी। कोयले का आयात जो पिछले तीन वर्षों में 60 लाख टन से अधिक ही बना रहा वर्ष 1993-94 में 66 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया।

7. 1993-94 में कुल 2426 लाख टन कोयला उठाया गया जो 5.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करता है लेकिन अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1994 में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोयले का कुल गर्तमुख भंडार जो 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार 507 लाख टन था वह 31 दिसम्बर, 1994 को गिरकर 365 लाख टन रह गया। लेकिन ये भंडार अभी भी इष्टतम भंडार के स्तरों से काफी अधिक हैं जो एक महीने के उत्पादन के बराबर होंगे। गर्तमुख कोयले के भंडारों को एक उपयुक्त स्तर तक कम करने के लिए कोयले को उपभोक्ता स्थानों तक लाने के लिए रेलवे वैगनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध अल्पकालिक कोयला उत्पादन करने की आवश्यकता होगी।

8. कोयला क्षेत्र की लाभकारिता में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है भूमिगत खानों में कम उत्पादकता। यह भूमिगत खानों के यांत्रिकीकरण में अत्यधिक निवेश किए जाने के बावजूद भी पिछले दो दशकों से प्रति व्यक्ति पारी 0.55 टन के उत्पाद पर स्थित है। भूमिगत खदानों में मानव शक्ति का 80 प्रतिशत नियोजित है लेकिन ये कुल उत्पाद का केवल 30 प्रतिशत ही योगदान देती हैं। मशीनरी और उपस्करों के विद्यमान भंडारों के बेहतर उपयोग, मानव शक्ति के नियोजन में अधिक नम्यता और कार्यबल के यौक्तिकीकरण द्वारा उत्पादकता के स्तरों में सुधार लाया जा सकता है।

9. भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है और इसका ऊष्मीय मान कम होता है। राख की मात्रा 20 से 30 प्रतिशत के बीच होती है और कभी-कभी यह 40 प्रतिशत से भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार के अलाभकारी कोयले जैसी निष्क्रिय सामग्री को लंबी दूरी तक ले जाने में न केवल परिवहन क्षमता और ऊर्जा व्यर्थ जाती है बल्कि इससे कोयला आधारित तापीय विद्युत् संयंत्रों की कार्यकुशलता में भी गिरावट आती है और उच्च स्तरीय उत्सर्जन तथा राख के निकलने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। अपने विशाल कोयला भंडारों तथा वैकल्पिक ईंधन के उच्च आयात मूल्यों को देखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए कोयला उपयोग की उन्नत तकनीकों के स्तर का मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है।

सारणी 8.3

विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्तियां (केवल उपयोगिताएं)

(पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन)

			अप्रैल-दिसम्बर*			
	1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7
		(बिलियन कि०वा० घं०)				(प्रतिशत)
1. बिजली का उत्पादन	301.07	323.53	237.86	257.87	7.5	8.4
(1) पनबिजली	69.83	70.37	55.12	64.86	0.8	17 7
(2) तापीय	224.49	247.76	178.48	189.23	10.4	6.0
(3) नाभिकीय	6.75	5.40	4.26	3.78	—20.0	—11.4
2. तापीय संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात (प्रतिशत)	57.10	61.00	58.80	57.50	—	—

*अनन्तिम

@अप्रैल-दिसम्बर

10. कोयला क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्राइवेट क्षेत्र में लोहा और इस्पात तथा विद्युत् उत्पादन और कोयले की धुलाई का कार्य करने वाली कंपनियों द्वारा मंद कोयला खानों के परिचालन के लिए 9 जून, 1993 से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया। खुले सामान्य लाइसेंस के के अन्तर्गत कोककारी कोयले के आयातों की अनुमति दी गयी है और आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया है। ग्यारह विद्युत् उत्पादन करने वाली कंपनियों/बिजली बोर्डों तथा लोहा और इस्पात क्षेत्र में तीन कंपनियों के लिए मंद कोयला खनन खंडों की पहचान कर ली गयी है।

11. 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली 71 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं समय और लागत बाहुल्य के कारण बिगड़ गई हैं। औसतन प्रति परियोजना लागत अतिक्रमण लगभग 77 करोड़ रुपए हैं और प्रति परियोजना समय अतिक्रमण लगभग 38 महीने है। कोयला क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वियन को सुधारने की तत्काल आवश्यकता है।

12. 31 मार्च, 1994 को स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए उधार को राशि 3814 करोड़ रुपए थी। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को उत्पादन में योजनाबद्ध वृद्धि को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 अक्तूबर, 1992 से क्रियान्वित नकद भुगतान करो और ले जाओ योजना से कंपनी अपनी बकाया राशियों में होने वाली वृद्धि को कम करने में सक्षम हो सकी लेकिन कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री के उन अविवादित अर्न्तलाभों को जो भारी मात्रा में बकाया है, वसूल करने के लिए कदम उठाए। उदारीकृत आयातों और निधियों के प्रत्यावर्तन की नई नीति के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खानों में कटाई की लंबी दीवारों के खनन की परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों को संयुक्त उद्यम में काम करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रही है। जब तक कोल इंडिया लिमिटेड अपनी लाभकारिता में सुधार नहीं लाती तब तक हो सकता है कि उसे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई अनुभव हो।

विद्युत

13. वर्ष 1993-94 में 323.5 बिलियन किलोवाट के विद्युत् उत्पादन से 1992-93 की तुलना में 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की और वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 2.2 प्रतिशत अधिक रहा। जबकि तापीय और पन बिजली उत्पादन क्रमश: 10.4 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत बढ़ा, न्यूक्लीय विद्युत् उत्पादन में वर्ष 1992-93 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20.0 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 8.3)। न्यूक्लीय उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण रियेक्टर संबंधी समस्याएं थीं।

14. अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में विद्युत का कुल उत्पादन 257.9 बिलियन किलोवाट हुआ जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान यह उत्पादन 237.9 बिलियन किलोवाट था जो 8.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करते हुए इस अवधि के लक्ष्य से 1.3 प्रतिशत अधिक रहा। तापीय और पन बिजली उत्पादन में क्रमश: 6.0 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि न्यूक्लीय उत्पादन में 11.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

सारणी 8.4

तापीय संयंत्र भार कारक

			अप्रैल–दिसम्बर*		
	1992-93	1993-94*	1993 वास्तविक	1994 लक्ष्य	1994 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
					(प्रतिशत)
राज्य बिजली बोर्ड	54.1	56.6	54.1	54.8	52.7
दिल्ली (डेसु)	54.0	49.0	47.6	62.0	51.2
हरियाणा	49.9	40.3	37.3	47.4	42.6
राजस्थान	77.0	81.1	76.6	78.1	73.6
पंजाब	58.3	63.5	62.1	65.1	56.1
उत्तर प्रदेश	50.5	50.1	48.2	46.3	42.0
गुजरात	61.6	60.4	56.9	58.6	57.5
महाराष्ट्र	59.7	64.1	61.7	59.8	59.3
मध्य प्रदेश	52.5	56.0	50.6	52.1	52.9
आंध्र प्रदेश	65.0	68.7	64.8	68.6	65.7
तमिलनाडु	65.2	69.1	67.7	59.1	65.0
कर्नाटक	49.4	66.9	64.9	67.5	62.2
बिहार	25.2	24.4	23.9	28.6	20.5
उड़ीसा	34.5	35.6	33.6	36.8	29.0
पश्चिम बंगाल	31.1	40.5	40.1	40.6	41.7
प० बंगाल विद्युत विकास निगम	58.1	68.2	69.5	62.2	60.5
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	28.7	26.3	27.1	28.4	24.6
असम	24.3	19.9	17.1	28.9	25.3
II. केन्द्रीय क्षेत्र	62.7	69.8	67.7	65.1	65.8
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	68.8	76.9	74.8	70.9	72.5
नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन	56.4	55.5	52.8	65.7	55.9
दामोदर घाटी निगम	32.3	42.3	40.7	39.9	37.6
III. प्राइवेट क्षेत्र	58.8	57.0	58.7	56.5	65.4
अखिल भारत	57.1	61.0	58.8	58.5	57.5
IV. क्षेत्र					
उत्तरी	62.0	64.0	61.8	61.7	56.5
पश्चिमी	59.7	62.4	61.0	60.2	61.5
दक्षिणी	62.6	68.3	65.7	66.3	64.8
पूर्वी	39.8	44.8	44.1	42.3	43.2
उत्तर-पूर्वी	24.3	19.9	17.1	28.9	25.3

*अनन्तिम

15. संयंत्र भार अनुपात तापीय विद्युत् संयंत्रों की प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और राष्ट्रीय औसत संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि से स्थापित उत्पादन क्षमता में 450 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होती है। केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1993-94 और अप्रैल—दिसम्बर, 1994 के दौरान औसत संयंत्र भार अनुपात राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्त किए गए स्तर की अपेक्षा काफी अधिक था (सारणी 8.4)। राज्य बिजली बोर्डों के तापीय विद्युत् संयंत्रों की निम्नस्तरीय क्षमता का उपयोग किए जाने का मुख्य कारण प्रबंधन और प्रचालनों में त्रुटियां, अनुरक्षण का अभाव, और उपयुक्त गुणवत्ता के कोयले की अनुपलब्धता है। तापीय विद्युत् संयंत्रों के औसत संयंत्र भार अनुपात में व्यापक अन्तर्राज्यीय विभिन्नताएं हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के मामले में औसत संयंत्र भार अनुपात अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी कम बना रहा।

16. विद्युत् उत्पादन के भौतिक और वित्तीय पहलुओं और संप्रेषण तथा संवितरण को शामिल करते हुए अल्पावधिक, मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक उपायों के रूप में एक चरणबद्ध पद्धति द्वारा विद्युत् क्षेत्र के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी है। अल्पकालिक उपायों में बायलरों का जीर्णोद्धार और अनुरक्षण तथा क्षेत्रीय ग्रिडों का इष्टतम प्रचालन शामिल है जिससे विद्युत् केन्द्रों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार आएगा और परिणामतः संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि होगी। अनुरक्षण के उपयुक्त आयोजन जैसे मध्यावधिक उपायों के माध्यम से तापीय विद्युत् केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकेगा। दीर्घावधिक उपायों में उपयुक्त नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों द्वारा पुराने तापीय विद्युत् संयंत्रों के संयंत्र भार अनुपात की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है।

17. वर्तमान में कुल विद्युत् उत्पादन का 76 प्रतिशत तापीय संयंत्रों द्वारा और 22 प्रतिशत पन बिजली संयंत्रों द्वारा तथा शेष 2 प्रतिशत भाग न्यूक्लीय संयंत्रों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। 31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता 76,713 मेगावाट थी। आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन की क्षमता में वास्तविक योगदान क्रमशः 3537 मेगावाट (लक्ष्य का 79 प्रतिशत) और 4539 मेगावाट (लक्ष्य का 102 प्रतिशत) रहा। वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित 4819 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर के दौरान वास्तविक वृद्धियां 1992 मेगावाट की रही है जो इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 38.3 प्रतिशत कम है (सारणी 8.5)

सारणी 8.5

उत्पादन क्षमता में वृद्धि

(मे० वा०)

क्षेत्र	1992-93		1993-94*		अप्रैल–दिसम्बर 1994*	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
तापीय	3359	2944	3265	3742	2905	1938
पन-बिजली	879	373	954	797	102	54
नाभिकीय	220	220	220	—	220	—
जोड़	4458	3537	4439	4539	3227	1992

*अनन्तिम

18. राज्य बिजली बोर्ड जो विद्युत उत्पादन और वितरण शुल्कों का निर्धारण और राजस्व संग्रहण का कार्य करते हैं, का खराब कार्यनिष्पादन विद्युत क्षेत्र में आलोचना का विषय बना रहा। राज्य बिजली बोर्डों के पास उपभोक्ताओं के सापेक्ष हिस्सों के अनुसार कृषि और उद्योग, उपभोक्ताओं की दो अति महत्वपूर्ण श्रेणियां बनी रहीं क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत प्रभार लागत से काफी कम और औद्योगिक क्षेत्र के लिए इन्हें यूनिट लागत से ऊपर रखा गया था (सारणी 8.6)। कृषि क्षेत्र से किसी भी राज्य बिजली बोर्ड ने यूनिट औसत लागत के एक उचित हिस्से के रूप में यूनिट राजस्व प्राप्तियां नहीं की जिसके कारण भारी वित्तीय हानियां उठानी पड़ीं। राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां निरपेक्ष रूप में 1991–92 में लगभग 4100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1994–95 (सं.अ.) में 6300 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गयीं और 1995–96 में इन हानियों के लगभग 7100 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान है। कृषि और घरेलू क्षेत्रों के लिए अप्रत्यक्ष राज-सहायता 1992–93 में 7439 करोड़ रुपए से बढ़कर 1994–95 (सं.अ.) में 11,477 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गयी और 1995–96 में इसके और आगे बढ़कर 13,307 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान है (सारणी

सारणी 8.6

बिजली की उपभोक्ता श्रेणीवार बिक्री और औसत टैरिफ

उपभोक्ता	1992-93 बिक्री (प्रतिशत)	1992-93 टैरिफ (पैसे/ कि. वाट घं.)	1993 94 बिक्री (प्रतिशत)	1993 94 टैरिफ (पैसे/ कि. वा. घं.)	1994-95@ बिक्री (प्रतिशत)	1994-95@ टैरिफ (पैसे/ कि. वा.घं)
1	2	3	4	5	6	7
घरेलू	15.96	79.08	16.52	84.96	16.51	88.21
वाणिज्यिक	4.54	167.36	4.66	134.30	4.75	190.52
कृषि	29.85	15.59	28.44	20.09	27.55	21.70
औद्योगिक	35.69	160.44	37.32	185.79	37.80	201.92
रेलवे द्वारा संकर्षित	1.86	206.70	2.05	227.75	2.15	240.88
राज्य के बाहर	1.68	77.83	1.48	77.93	1.40	80.75
समग्र	10.42	105.52	9.53	120.71	9.84	129.76
सभी उपभोक्ता	100.00	98.28	100.00	112.67	100.00	125.00

@ पूर्वानुमान

8.7) । 50 पैसे/किलोवाट के प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यूनतम कृषि शुल्क को आरम्भ करने पर, यदि उसे क्रियान्वित किया जाए तो इस क्षेत्र को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता का एक भारी अनुपात फिर भी शामिल किए बगैर रह जाएगा।

19. विद्यमान विद्युत शुल्क ढांचों के अन्तर्ग्रस्त विशाल प्रति-राज सहायताओं के अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्ड तापीय उत्पादन यूनिटों के इष्टतम स्तर से कम क्षमता उपयोग से और उच्च स्तरीय सम्प्रेषण एवं वितरण से हानियां उठाते रहे।

सारणी 8.7

राज्य विद्युत क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन

	1991-92	1992-93	1993-94 (पूर्व वास्तविक)	1994-95 (सं. अ.)	1995-96 (वा. यो.पू.)
1	2	3	4	5	6
क. सम्मिलित सकल आर्थिक सहायता					(करोड़ रु.)
(1) निम्नलिखित को बिजली की बिक्री के कारण					
(क) कृषि	5938	7205	8888	10113	11178
(ख) घरेलू	1310	1919	2420	2963	3492
(ग) अंतर्राज्यीय बिक्री	201	226	138	232	330
जोड़	7449	9350	11446	13308	15000
(2) राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान—	2045	1911	2068	1831	1693
(3) निवल आर्थिक सहायता	5404	7439	9378	11477	13307
(4) अन्य क्षेत्रों को बिक्री द्वारा सृजित अधिशेष	2173	3312	3502	5308	5941
(5) शामिल न की गई आर्थिक सहायता	3231	4127	5876	6169	7366
(ख) वाणिज्यिक हानियां@	4117	4358	4995	6332	7130
(ग) राजस्व जुटाना					
(i) आय की दर $	—12.7	—11.8	—12.2	—13.5	—13.5
(ii) उपलब्ध राशि से अतिरिक्त राजस्व जुटाना					
(क) आय की दर 3 प्रतिशत	4959	5462	6221	7737	8715
(ख) कृषि/सिंचाई के लिए 50 पैसे/यूनिट शुरू करने से	2176	2159	2223	2017	1927

सं. अ.=संशोधित अनुमान

वा.यो.पू.=वार्षिक योजना पूर्वानुमान

@वाणिज्यिक हानियां शामिल न की गयी आर्थिक सहायता से भिन्न है क्योंकि इनमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों के वित्तीय परिणाम शामिल हैं।

$प्रतिशत में

ये सम्प्रेषण एवं वितरण संबंधी हानियां 21 से 23 प्रतिशत के बीच बनी रहीं जबकि इनका अन्तर्राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत से भी कम है। इनका कारण अधिकांश क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए अलग-अलग बिजली भार, संप्रेषण प्रणाली में स्तर से कम निवेश, अपर्याप्त रूप से बिल बनाए जाने और विद्युत की भारी मात्रा में चोरी है। इन हानियों को उन व्यवस्थित सुधार योजनाओं के माध्यम से कम किया जा सकेगा जिन्हें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आरम्भ किया जा रहा है।

20. विद्युत क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति को बहाल करना और उनके प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार लाना आज अति गंभीर विषय बने हुए हैं। बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी व्यवहृत निवल अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास और ब्याज प्रभारों की व्यवस्था करने के पश्चात् न्यूनतम 3 प्रतिशत प्रतिलाभ की दर अर्जित करें। लेकिन 1993-94 के दौरान प्रतिलाभ की दर के संशोधित अनुमान प्रकट करते हैं कि राज सहायता देने के बावजूद भी सात राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिलाभ की दर नकारात्मक थी। 50 पैसे प्रति यूनिट के न्यूनतम कृषि टैरिफ सहित अचल परिसम्पत्तियों पर 3 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिलाभ टैरिफ के निर्धारण के लिए एक कार्यशील ढांचा विद्युत को संरक्षण प्रदान कर सकता है। कुछ राज्यों ने कृषि क्षेत्र के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट का न्यूनतम टैरिफ पहले ही निर्धारित कर रखा है लेकिन उनमें से अधिकांश इन दरों को केवल मीटर द्वारा की गयी सप्लाई के लिए लागू कर रहे हैं। मीटर के बगैर दी जाने वाली सप्लाई की मांगों को कम करने और बिजली की चोरी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

21. सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड और दिल्ली बम्बई, कलकत्ता और शिलांग में क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों को गठित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड के मुख्य कार्य टैरिफों के निर्धारण के विषय में सभी क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सिद्धांत और दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत करने और विद्युत के अन्तर-राज्यीय तथा अन्तर-क्षेत्रीय आदान-प्रदान के लिए टैरिफ के निर्धारण करने होंगे। क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड वित्तीय और अधिक उपादानों पर आधारित विशिष्ट सिद्धांतों को प्रस्तुत करेंगे और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विद्युत के लिए टैरिफों का निर्धारण करने और विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत उपयोगिताएं देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सिफारिशें करेंगे।

22. विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निवल बजटीय सहायता अनुमोदित आयोजना परिव्यय की तुलना में 1985-86 में 52 प्रतिशत से घट कर 1994-95 में लगभग 9 प्रतिशत रह गयी है। वर्ष 1994-95 के लिए प्रस्तावित निवल बजटीय सहायता 640 करोड़ रुपए है। वर्ष दर वर्ष बजटीय सहायता में कमी आने के कारण केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से संसाधन जुटाने पड़ेंगे। 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के अन्तर्गत 4061 करोड़ रुपए के अनुमोदित आबंटन के मुकाबले 2787 करोड़ रुपए की राशि के संसाधन जुटाने में समर्थ रहे। 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से 4276 करोड़ रुपए जुटाने की आवश्यकता है जिसके मुकाबले सितम्बर, 1994 तक वास्तविक वसूली 1511 करोड़ रुपए की हुई है।

23. विद्यमान विदेशी सहायता के पोर्टफोलियो की समीक्षा करने से पता चलता है कि मार्च 1994 के अंत तक विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता का कुल असंवितरित शेष 18316 करोड़ रुपए था। तथापि, नवम्बर, 1994 के अंत तक विधि विद्युत परियोजनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय पुन-निर्माण और विकास बैंक के रद्द किए गए ऋणों का अनुपात 165 करोड़ रुपए बैठता है। सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए 3004 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 1993-94 के दौरान वास्तविक उपयोग 2970 करोड़ रुपए अर्थात् लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत था

24. केन्द्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य बिजली बोर्डों के पास संसाधनों की कमी और तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग और उसकी पूर्ति के बीच के अन्तर को भरने के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र में प्राइवेट उद्यमियों द्वारा अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में एक नीति तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन और संवितरण में क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना था और वह नीति वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। इस नई नीति को अप्रत्याशित समर्थन मिला है। अब तक प्राइवेट उद्यमों द्वारा 58,745 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए लगभग 2,19,927 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश के लिए 138 नए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अनिवासी भारतीयों और संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों सहित 41 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के हैं। इनमें से विदेशी निवेश के दृष्टिकोण से सरकार ने 13 प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है।

25. नीति को अधिक आकर्षक बनाने के लिए टैरिफ अधिसूचना में दो बार संशोधन किया जा चुका है जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार-चढ़ावों से विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत तक संरक्षण, 68.5 प्रतिशत से अधिक संयंत्र भार अनुपात के कार्यनिष्पादन के लिए अर्जित की जाने वाली राशियों पर प्रोत्साहनों की स्पष्टता, मूल्यह्रास की

बाक्स 8.1

स्वतन्त्र विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की प्रति-गारन्टियां

* भारत सरकार ने आठ अच्छा कार्य करने वाली स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

पात्रता संबंधी मानदंड :

* भारत सरकार द्वारा परियोजना के प्रस्ताव का गहराई से मूल्यांकन करने के पश्चात् ही प्रति-गारन्टी दी जाएगी ।
* विद्युत मंत्रालय तकनीकी आर्थिक सहमति प्रदान करेगा और प्रमाणित करेगा कि परियोजना ग्रिड प्रबन्धन के लिए अनिवार्य एवं अनुकूल है, जनरेटिंग क्षमता की प्रति लागत युक्तिसंगत है तथा टैरिफ एवं अन्य पैरामीटर भारत सरकार के अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।
* राज्य बिजली बोर्ड और विकासकर्ता एक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रति यूनिट लागत निर्धारित करके उसे स्पष्ट रूप से विद्युत क्रय करार में दर्शाया जाएगा और इसमें समायोजन केवल ज्ञात एवं सहमत परिवर्तनों तक ही किए जा सकेंगे ।
* राज्य बिजली बोर्ड निजी विद्युत कम्पनी के साथ एक महीने की अपनी भुगतान संबंधी देयताओं के लिए अपरिवर्तनीय आवर्ती साख पत्र रखने पर सहमत होंगे और एक ऐसा निलम्ब खाता रखेंगे जिसमें निजी कम्पनी के एक महीने के बराबर राजस्व को जमा में डाला जाएगा ।
* राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत वित्त निगम के साथ संचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर करके उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा ।
* भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की राय में राज्य बिजली बोर्ड और राज्य के वित्त निगमों का प्रबन्धन विवेकपूर्ण रहे और राज्य बिजली बोर्ड की पिछले वर्ष में कम से कम तीन प्रतिशत प्रतिफल दर की प्राप्ति हो ।

निबन्धन और शर्तें :

* भारत सरकार द्वितीय गारन्टीदाता होगी और संबंधित राज्य सरकारें प्रथम गारन्टीदाता रहेंगी ।
* भारत सरकार की गारंटी के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित वार्षिक सीमा तक राज्य बिजली बोर्डों को क्षमता और उनके ऊर्जा भुगतान संबंधी दायित्व शामिल होंगे ।
* विद्युत क्रय करार को निरस्त करने की स्थिति में विदेशी ऋण दायित्वों के विरुद्ध स्वतंत्र विद्युत परियोजना को विदेशी इक्विटी की राशि की सीमा तक ही इसके अन्तर्गत लिया जाएगा ।
* प्रति गारन्टियों के साथ, ऐसे सहमति प्राप्त कार्यनिष्पादन पैरामीटर, जिन पर चूक की अवस्था में आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा, को प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
* योजना सहायता के वार्षिक केन्द्रीय अंतरणों और सम्बद्ध राज्यों के करों द्वारा गारन्टियों की सीमा प्रतिबन्धित होगी तथा राज्य बिजली बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा भुगतान में चूक होने की दशा में ऐसे अन्तरणों की वचनबद्धता दी जाएगी ।
* गारन्टी की अवधि सामान्यतया वाणिज्यिक सेवा में आरम्भ होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी । इसके पश्चात् स्वतंत्र विद्युत परियोजना को वैकल्पिक प्रतिभूति प्रबन्धों पर ही आश्रित रहना होगा ।

उदारीकृत दरें और कतिपय शर्तों के अधीन टैरिफ ढांचे में गतिशीलता प्रदान करने जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों का वर्गीकरण निवेशकों को प्रदान करना शामिल है। पन-बिजली परियोजनाओं में प्राइवेट निवेश में वृद्धि करने के लिए सरकार पन-बिजली टैरिफ के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा कर रही है और शीघ्र ही संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने की आशा है। प्राइवेट निवेश को नई दिशा देने; पुराने विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण और उनकी श्रेणी का उन्नयन करने के लिए सरकार एकमुश्त उपायों की शीघ्र ही घोषणा करने वाली है।

26. तथापि, बिजली के लिए अंतिम बाजार तक पहुंच की कमी, राज्य बिजली बोर्डों का खराब कार्य निष्पादन, भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए उनका पिछला खराब रिकार्ड और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उनके अथवा राज्य सरकारों की साख दर निर्धारण की अनुपलब्धता इस क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को आकर्षित करने में आने वाली कुछ एक प्रमुख बाधाएं हैं। इसलिए, अधिकांश प्रवर्तक भारत सरकार से राज्य बिजली बोर्डों की भुगतान संबंधी बाध्यताओं के लिए प्रति-गारन्टी की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में कतिपय शर्तों और निबंधनों के अधीन 5,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता सहित विदेशी निवेश के लिए आठ स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों की भुगतान संबंधी बाध्यताओं के लिए प्रति-गारन्टी के विस्तार को अनुमोदित कर दिया है (बाक्स 8.1)। लेकिन अभी तक केवल दो को ही अंतिम रूप दिया जा सका है।

पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक :

27. वर्ष 1993–94 के दौरान 27.03 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य से 0.5 प्रतिशत कम था लेकिन 1992–93 के दौरान प्राप्त किए गए 26.95 मिलियन टन के उत्पादन की अपेक्षा थोड़ा अधिक था। उत्पादन में इस वृद्धि के साथ 1990–91 से जो गिरावट की प्रवृति आरम्भ हुई थी, उस पर नियंत्रण लगा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने 1993–94 में कुल कच्चे तेल का 90 प्रतिशत उत्पादन किया, जबकि शेष उत्पादन आयल इंडिया लिमिटेड ने किया। वर्ष 1994–95 के लिए कच्चे तेल के 38.28 मिलियन टन के उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 23.9 मिलियन टन हुआ जो अप्रैल-दिसम्बर 1993 के दौरान उत्पादित कच्चे तेल की अपेक्षा 19.4 प्रतिशत अधिक था (सारणी 8.8)।

28. 1993–94 के दौरान तेल शोधक कारखानों द्वारा शोधित कुल कच्चा तेल 54.3 मिलियन टन था जबकि 1992–93 में इसकी मात्रा 53.5 मिलियन टन थी। तेरह तेल शोधक कारखानों का औसत क्षमता उपभोग 1993–94 में 102 प्रतिशत था जबकि 1992–93 में 12 तेल शोधक कारखानों का औसत क्षमता उपभोग 101 प्रतिशत था। अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान तेल शोधक कारखानों द्वारा शोधित कुल कच्चा तेल जो 42.4 मिलियन टन था जो 40.0 मिलियन टन के लक्ष्य की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत अधिक था।

सारणी 8.8

पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रवृत्तियां

			अप्रैल—सितम्बर*		पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	
	1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7
	(मिलियन टन)				(प्रतिशत)	
1. कच्चे तेल का उत्पादन	26.95	27.03	20.00	23.87	0.3	19.4
(i) तटीय	11.20	11.65	8.67	9.02	4.0	4.0
(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	8.68	8.84	6.56	6.84	1.8	4.1
(ख) आयल इंडिया लि०	2.52	2.81	2.11	2.19	11.5	3.8
(ii) अपतटीय (तेल और प्राकृतिक गैस आयोग)	15.75	15.38	11.33	14.85	−2.3	31.1
2. रिफाइनरी कुल मात्रा	53.48	54.30	40.41	42.42	1.5	5.0
3. पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	50.36	51.08	37.91	39.62	1.4	4.5
	(बिलियन घन मीटर)					
4. प्राकृतिक गैस का उत्पादन	18.06	18.34	12.15**	13.05**	1.6	7.4**

*अनन्तिम ** अप्रैल-नवम्बर

@अप्रैल—दिसम्बर

29. 1993–94 में 18.3 बिलियन घन मीटर के स्तर पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1992–93 के उत्पादन की अपेक्षा 1.6 प्रतिशत अधिक था। 1993–94 के दौरान प्राकृतिक गैस का उपयोग 16.3 बिलियन घन मीटर था जबकि 1992–93 में 16.1 बिलियन घन मीटर का उपयोग किया गया था। अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान 13.05 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया, जो अप्रैल-नवम्बर, 1993 में किए गए उत्पादन की अपेक्षा 7.4 प्रतिशत अधिक था।

30. भविष्य में द्रव्य हाइड्रोकार्बन की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस संभवतः एक प्रमुख भूमिका अदा करेगी। वर्तमान में, प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्यतः विद्युत और उर्वरक जैसे मूल क्षेत्र के उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में किया जाता है। 1993–94 के दौरान प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत भभक गया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि. दोनों ने ही गैस भभकने में कटौती की परियोजना सहित भभके को न्यूनतम करने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं।

31. सरकार ने पैट्रोलियम क्षेत्र में आठवीं योजना के लिए 26,552 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है। प्रथम दो वर्षों में वास्तविक व्यय 15,571 करोड़ रुपए था। 1994–95 के दौरान पूर्वानुमानित व्यय 11,537 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसलिए, योजना के तीसरे वर्ष के अंत तक कुल व्यय योजना परिव्यय का 102 प्रतिशत हो जाएगा। यह इस क्षेत्र में संसाधनों की आवश्यकताओं को और प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी के लिए चल रहे उदारीकरण संबंधी उपायों की आवश्यकताओं को प्रकट करता है।

32. तेल और गैस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित किए गए हैं। सरकार ने पहले ही तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम में पुनर्गठित कर दिया है और इसकी इक्विटी पूंजी का 2 प्रतिशत विनिवेशित भी कर दिया है। स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में शेयरों की पेशकश के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इक्विटी पूंजी का 18 प्रतिशत और विनिवेशित किए जाने की कार्यवाही चल रही है। वर्ष भर चलने वाली बोलियों के आधार पर सरकार अन्वेषण खंडों की पेशकश कर रही है जिससे कि कंपनियां बोलियों के दौर में भाग लेने के लिए समय निकाल सकें। दिसम्बर, 1994 के अंत तक तेल और गैस की खोज के लिए बोलियों के आठ दौर सरकार ने प्रस्तुत किए। बोलियों के पांचवे दौर तक सरकार ने ग्यारह खंडों के लिए संविदाएं निष्पन्न की हैं। छठी, सातवीं और आठवीं बोलियों के दौरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार ने इनके उत्पादन में गति लाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को मध्यम और छोटे आकार के तेल और गैस के खोज लिए गए क्षेत्रों का विकास करने के लिए पेशकश की है। पहली पेशकश के अन्तर्गत, 5 मध्यम दर्जे के और 13 छोटे दर्जे के क्षेत्रों के लिए संविदाओं का निर्धारण कर दिया है। अन्वेषित क्षेत्रों के लिए दूसरी पेशकश में 7 मध्यम और 14 छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए 54 बोलियां लगी हैं। तलछटी थालों पर भूवैज्ञानिक आंकड़ों का उन्नयन करने के लिए सरकार ने अनुमानित सर्वेक्षण कार्य करने के लिए कम्पनियों से बोलियां आमंत्रित की हैं। अब तक पूर्वानुमानित सर्वेक्षणों के दो दौरों की घोषणा की जा चुकी है। सरकार राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में तेल की खोज का अधिग्रहण करने और रकबों का विकास करने को प्रोत्साहन दे रही है। तेल और प्राकृतिक गैस विदेश लिमिटेड (तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के संपूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी) का वियतनाम के अपतटों में एक उद्यम है जहां तेल की खोज की गई है। सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस विदेश लिमिटेड के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है जिसमें मिस्र में एक उद्यम में, जो ब्रिटिश गैस, यू.के. के नेतृत्व में एक संघ द्वारा वर्धमान में आयोजित हुआ था, भागीदारिता के लिए अपने हित बनाए रखेगी।

33. 1993–94 के अंत तक देश में तेलशोधक क्षमता 53.25 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। जो दिसम्बर, 1994 तक बढ़कर 53.4 मिलियन मी. टन प्रति वर्ष हो गयी है। विद्यमान तेलशोधक कारखानों के प्रस्तावित विस्तार और विभिन्न पार्टियों को अब तक जारी किए गए आशय पत्रों के आधार पर ध्यान देते हुए 2001–02 तक पेट्रोलियम उत्पादों की 102 मिलियन मी. टन प्रतिवर्ष की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए तेल शोधन क्षमता 135 मि.मी. टन प्रतिवर्ष तक बढ़ने की आशा है। उपभोग के स्तरों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पब्लिक क्षेत्र में 12 मि.मी. टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता सहित तीन नए तेलशोधक कारखाने स्थापित किए जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। सिद्धान्ततः सरकार ने तीन नए आधारभूत तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने का भी निर्णय लिया है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 6 मि. मी. टन प्रति वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में 7 तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने के आशय पत्र प्रदान किए हैं जिनसे 47 मि.मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता का विस्तार होगा।

34. 1993–94 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों का उपभोग 60.8 मि.मी. टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट करता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, मोटर स्प्रिट और उच्च गति के डीजल के उपभोग ने काफी अधिक वृद्धि दरें प्रकट की। अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में अप्रैल-दिसम्बर, 1993 की तुलना में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 8.9)। कच्चे तेल के उत्पादन में 1990–91 से गिरती हुई प्रवृत्ति और 1992–93 की तुलना में 1993–94

सारणी 8.9

पैट्रोलियम उत्पादों का उपभोग**

1	1992-93	1993-94*	अप्रैल—दिसम्बर* 1993	अप्रैल—दिसम्बर* 1994	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन 1993-94	पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन 1994-95@
	2	3	4	5	6	7
	(मिलियन टन)				(प्रतिशत)	
1. हल्के आसुत	10.31	10.57	7.77	उ०न०	2.5	उ०न०
जिसमें से						
(क) नेफ्था	3.38	3.19	2.39	2.50	—5.6	4.6
(ख) एल० पी० जी०	2.87	3.11	2.24	2.48	8.4	10.7
(ग) पेट्रोल	3.60	3.83	2.86	3.07	6.4	7.3
2. मध्यम आसुत	36.15	38.15	28.06	उ०न०	5.5	उ०न०
जिसमें से						
(क) मिट्टी का तेल	8.48	8.70	6.43	6.65	2.6	3.4
(ख) डीजल तेल	24.29	25.88	19.05	20.86	6.5	9.5
3. भारी प्रयोज्य	12.44	12.09	8.82	उ०न०	—2.8	उ०न०
जिसमें से						
(क) ईंधन तेल	9.27	9.19	6.74	7.32	—0.9	8.6
जोड़	58.90	60.81	44.65	48.28	3.2	8.1

*अनंतिम

@अप्रैल—दिसम्बर

उ०न० उपलब्ध नहीं

** रिफाइनरी बायलर ईंधन के अतिरिक्त

में लगभग स्थिरता आने के कारण आयातों पर निर्भरता बढ़ी है । 1993–94 के दौरान 42.9 मिलियन मी. टन पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सकल आयात 1992–93 में किए गए आयात की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत अधिक था । 1993–94 के दौरान पैट्रोलियम, तेल और स्नेहकों के आयात का मूल्य 17,730 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 17,045 करोड़ रुपए मूल्य का आयात हुआ था । अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों का सकल आयात 30.7 मि.मी. टन था जिसका मूल्य 13181 करोड़ रुपए था जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1993 के दौरान 13459 करोड़ रुपए की लागत से 31.8 मिलियन मी. टन का आयात किया गया था ।

35. सरकार ने पूर्ति की स्थितियों को सुधारने तथा आर्थिक सहायता प्राप्त पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण राजकोषीय भार को कम करने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, बढ़िया मिट्टी के तेल और "लो सल्फर हैवी स्टाक" के लिए फरवरी, 1993 से एक समानान्तर विपणन प्रणाली गठित की है । इस प्रणाली के अन्तर्गत प्राइवेट पार्टियों को बाजार-निर्धारित मूल्यों पर अपने वितरण तंत्र के माध्यम से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस/बढ़िया मिट्टी के तेल और 'लो सल्फर हैवी स्टाक' का आयात करने और उनका विपणन करने की अनुमति दी गयी है । सरकार ने समानान्तर विपणन प्रणाली के प्रचालनों को सुसाध्य बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस पर आयात शुल्कों में जनवरी, 1994 में कटौती की घोषणा की थी जो 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गयी है। 1994–95 के बजट में 10 प्रतिशत के प्रतिकारी शुल्क सहित इस शुल्क को फिर संशोधित करके 15 प्रतिशत कर दिया गया । प्राइवेट क्षेत्र को भी पैट्रोलियम के विपणन के लिए आधारिक संरचना के विकास के लिए निवेश करने की अनुमति दी गयी है । प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विपणन की जाने वाली द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस और बढ़िया मिट्टी के तेल का समानान्तर विपणन प्रणाली में विपथन रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ।

36. ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरणात्मक दृष्टि से नीतियों को सुसाध्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । सरकार ने चार बड़े शहरों के लिए पेट्रोल से सीसे को प्रावस्थित करने के लिए एक योजना तैयार की है । जून, 1994 से चार प्रमुख शहरों को कम सीसे वाले, अर्थात् 0.15 ग्राम/लीटर (अधिकतम), मोटर स्प्रिट की आपूर्ति आरम्भ कर दी है । पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए

भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें तेल शोधक कारखानों की ऊर्जात्मक कार्यकुशलता को सुधारना, परिवहन क्षेत्र में ईंधन की कारगरता को बढ़ाना, सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन के रूप में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस को उपयोग में लाना, स्नेहकों के स्तर का उन्नयन, बेकार बायलरों और भट्टियों का पुनर्स्थापन और औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन के लिए कारगर उपस्करों और क्रियाविधियों का संवर्धन, कृषि क्षेत्र में सिंचाई के काम आने वाले पम्प सेटों में संशोधन, घरेलू क्षेत्र में ईंधन-कार्यक्षम मिट्टी के तेल, एल.पी.जी. स्टोवों और झंझावात दीप लालटेनों का विकास व संवर्धन और बहु-माध्यम जागरूकता अभियान चलाना तथा तेल उपयोगकर्ताओं के विविध लक्ष्य समूहों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हैं। उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप 1993–94 के दौरान लगभग 1174 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत :

37. ऊर्जा के विकास और नए तथा नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग के लिए आरम्भ किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में बायोगैस और बायोमास के विकास के लिए कार्यक्रम, सौर-ऊर्जा, सुधार किए गए चूल्हे, फोटोवोल्टिक्स, सोलर थर्मल, पवन विद्युत, माइक्रो हाइडल और शहरी/नगरपालिका तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा शामिल है। बाजार विकास तथा वाणिज्यिकीकरण पर अत्यधिक बल देते हुए इन कार्यक्रमों का नवीकरण किया गया है। ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों के संवर्धन के लिए एक तिहरी नीति अपनायी जा रही है, जिसमें प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के लिए सरकार के बजटीय संसाधन प्रदान करना; वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाओं को आई.आर.ई.डी.ए. तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से संस्थागत वित्त उपलब्ध कराना, करावकाश, मूल्यह्रास की छूट, उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर से छूट, सीमा शुल्क संबंधी रियायतें और विद्युत के चक्रण और बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रिडों को प्रदान की गयी विद्युत के लिए लाभप्रद मूल्य प्रदान करना शामिल हैं।

38. मार्च, 1994 के अंत तक प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं सहित पवन विद्युत उत्पादन के माध्यम से लगभग 115 मेगावाट की क्षमता स्थापित की गयी थी। वर्ष 1994–95 के दौरान प्राइवेट क्षेत्र के निवेश के माध्यम से लगभग 159 मेगावाट की पवन विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित किए जाने की आशा है। पवन विद्युत उत्पादन के लिए की गयी एकमुश्त पहलों में शत-प्रतिशत त्वरित मूल्यह्रास, 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आई.आर. ई.डी.ए. से ऋण, किसी भी पांच वर्ष के ब्लाक के लिए करावकाश, उत्पाद शुल्क से छूट और विन्ड टर्बाइन के आयातों पर सीमा शुल्क से छूट/शुल्क की रियायती दरें शामिल हैं।

39. मार्च, 1994 तक लघु पन बिजली परियोजनाओं की 110.4 मेगावाट क्षमता प्रचालित की गयी है। लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ाने के लिए घोषित उपायों में 12.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर आई.आर.ई.डी.ए. द्वारा परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक का वित्तपोषण, राज्य बिजली बोर्डों के साथ वापसी–खरीद व्यवस्थाएं और प्राइवेट क्षेत्र को इन परियोजनाओं को बनाओ, ग्रहण करो और चलाओ आधार पर स्थापित करने की अनुमति शामिल हैं।

40. राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत देश में मार्च, 1994 के अंत तक 19.9 लाख से भी अधिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा चुके थे। वर्ष 1994–95 के लिए 2.00 लाख प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से दिसम्बर, 1994 के अन्त तक 74,058 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 1993–94 में आरम्भ किए गए खोई आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चीनी मिलों में खोई के रूप में उपलब्ध बायोमास को अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

41. वर्ष 1993-94 से अपनाए गए वाणिज्यिकीकरण दृष्टिकोण के अन्तर्गत सौर ऊर्जा से पानी गरम करने की प्रणालियों और सौर ऊर्जा से प्रयोग किए जाने वाले कुकरों पर आर्थिक सहायता को राजकोषीय प्रोत्साहनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वर्ष 1993–94 के दौरान सोलर फोटोवोल्टिक पंपों और सोलर फोटोवोल्टिक लालटेनों के कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में देश में अपनी किस्म की पहली सौर तापीय विद्युत परियोजना भी कार्यान्वियन के लिए अधिकृत की गयी है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से सोलर फोटोवोल्टिक का बाजार खुल जाने से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण और लागतों में कटौती आई है।

42. वर्ष 1987 में स्थापित किए गए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड ने विश्व बैंक और विश्व पर्यावरण निधि के समर्थन से अपने कार्यकलापों का अत्यधिक विस्तार किया है। "भारतीय नवीकरणीय संसाधन विकास परियोजना" नामक परियोजना आरम्भ की गयी है जिसमें पवन-खेती विकास, फोटोवोल्टिक मार्किट विकास और लघु जल विद्युत विकास की तीन परियोजनाएं समाविष्ट हैं और विश्व बैंक/विश्व पर्यावरण निधि की 195 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता शामिल है। आई.आर.ई.डी.ए. ने अनेक उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं ताकि उद्यमियों और परियोजना के विकास-कर्ताओं को आकर्षित किया जा सके। दिसम्बर, 1994 के अंत तक आई.आर.ई.डी.ए. ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रणालियों और यंत्रों का विनिर्माण करने और उनकी

स्थापना करने के लिए लगभग 349.45 करोड़ रुपए की लागत पर 390 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी।

43. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा की गयी है। अनिवासी भारतीयों ने रूचि दिखायी है और आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और केरल राज्यों में पवन खेती, सोलर प्लांट्स जैसी लगभग 450 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाएं आरम्भ होने की प्रक्रिया में हैं।

दूरसंचार :

44. भारत में 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 83 लाख कार्यरत कनैक्शन हैं और 105 लाख लाइनों की क्षमता सहित 19,293 से भी अधिक एक्सचेंजों का एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में प्रतिवर्ष 22 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान स्विचिंग क्षमता वाली 18.3 लाख लाइनें और शामिल की गयी थी, जोकि वर्ष 1992-93 से 54 प्रतिशत अधिक थीं। कुल क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में और शामिल किया गया था।

45. नए टेलीफोन कनैक्शनों की वार्षिक वृद्धि दर 1988-89 में 9.8 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़कर 1992-93 में 17 प्रतिशत हो गयी। 1993-94 के दौरान इसमें 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 1993-94 में 12.3 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन दिए गए। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार नए कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षारत लोगों की संख्या 25 लाख थी, जो पिछले वर्ष की संख्या से 12.3 प्रतिशत कम थी। दूर-संचार विभाग ने सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 1993-94 के दौरान 33,001 गांवों में टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान की गई। यह 1992-93 में प्रदान की गयी सुविधाओं से 9.7 प्रतिशत अधिक है।

46. वर्ष 1993-94 के दौरान 137.5 लाख कन्डक्टर कि.मी. (एल.सी.के.एम.एस.) केबल डाले गये जो 1992-93 के मुकाबले 28 प्रतिशत अधिक हैं। मात्र चार प्रमुख महानगरों में डाले गए केबल ही कुल केबलों का 29.1 प्रतिशत बैठते हैं।

47. दूरसंचार विभाग के लिए (एम.टी.एन.एल. सहित) आठवीं योजना का परिव्यय 23946 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। योजना के प्रथम दो वर्षों 1992-93 और 1993-94 में विकासात्मक योजनाओं पर खर्च हुई कुल योजनागत राशि 10,367 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 67.2 प्रतिशत राशि का वित्त पोषण आंतरिक संसाधनों से और 31.7 प्रतिशत राशि बाजार उधारों (टेलीकम बांड) से जुटाई गयी थी। इन दो वर्षों के दौरान कुल निवेश की मात्र 1.1 प्रतिशत राशि का बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ था। योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि परिकल्पित कुल निवेशों से योजनागत संबंधी व्यय बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें से 75 प्रतिशत राशि का वित्त पोषण आंतरिक संसाधनों के जरिए किया जाएगा।

48. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन टी पी) की घोषणा मई, 1994 में की गयी थी। नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मौलिक दूरसंचार सेवाओं में प्रतिस्पर्धा आरम्भ करना है। ऐसी आशा की जाती है कि प्रतिस्पर्द्धा से उपागम्यता में सुधार होगा और वहनीय कीमत पर बेहतर प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन टी पी) की प्रमुख विशेषताएं हैं:—आठवीं योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य; 1997 तक प्रत्येक गांव में फोन कनैक्शन उपलब्ध कराना; 1997 तक शहरी क्षेत्रों में प्रति 500 व्यक्तियों पर एक पब्लिक काल आफिस की स्थापना करना; अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध सभी मूल्यवर्धित सेवाओं का 1997 तक भारत में प्रचालन किया जाना और देश का एक प्रमुख विनिर्माण आधार और दूरसंचार उपस्करों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरना (बाक्स 8.2)।

49. बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए मार्गनिर्देशों की घोषणा कर दी गयी है। बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान कराने वाली कंपनियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अपने कार्यकलापों में एक संतुलन बनाए रखना होगा। उन्हें एक सहमत टैरिफ और राजस्व विभाजन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करना होगा। यदि बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनी के बीच कोई संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की जाती है तो 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी की अनुमति नहीं होगी।

50. मूल्यवर्धित सेवाओं के क्षेत्र, जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, में कोशिकामय चल फोन (सेल्यूलर मोबाइल फोन) प्रदान करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास को विशेष अधिकार देने के प्रावधान को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा बम्बई और दिल्ली में रेडियो पेजिंग सेवा लागू कर दी गयी है। 27 अन्य नगरों में रेडियो पेजिंग सेवा को अधिक देने के लिए निजी आपरेटरों से निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं और 15 बोलीदाताओं को आशय पत्र जारी किए गए थे। निजी कंपनियों को अधिकार प्रदान करने के लिए अन्य मूल्यवर्धित 6 सेवाओं की पहचान की गई हैं। ये हैं: इलैक्ट्रानिक डाक सेवाएं, ध्वनि डाक सेवाएं, आडियो टैक्स, 64 के बी पी एस डाटा सेवा उपयोग वी एस ए टी, वीडियो टैक्स और वीडियो कान्फेरन्सिंग इन सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं और इनका सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

बाक्स 8.2

दूरसंचार में सुधार

* वर्ष 1984 में ग्राहक परिसर उपस्कर उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोला गया।

* वर्ष 1992 में मूल्यवर्धित सेवाएं (वी ए एस) निजी क्षेत्र के लिए खोली गयी। इन सेवाओं में कोशिकामय चल फोन (सेल्यूलर मोबाइल फोनस्) रेडियो पेजिंग, इलैक्ट्रानिक डाक सेवाएं, ध्वनि डाक सेवाएं, आडियो टैक्स सेवाएं, वीडियो टैक्स सेवाएं, डाटा सेवाएं, वी. एस. ए. टी. का प्रयोग और वीडियो कान्फरेन्सिंग शामिल है।

* राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन टी पी), 1994 के अनुसार प्रतिस्पर्धा के लिए बुनियादी दूरसंचार सेवाएं खोली गई। वर्धित आंतरिक उत्पादन के माध्यम से और लिसिंग आस्थगित अदायगियों, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, बनाओ, मालिक बनो और चलाओ, आदि जैसे नए साधन अपनाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये दूरसंचार विभाग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिये निजी क्षेत्र प्रयासों का उपयोग किया जायेगा।

* बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कम्पनी और विदेशी कम्पनी के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के मामले में 49 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी जाती है।

* बुनियादी दूरसंचार सेवाओं में प्रवेश करने के लिए निजी क्षेत्र की लाइसेंस सर्कल आधार पर दिए जाएंगे। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त केवल एक लाइसेंस प्रत्येक सर्कल में ऑपरेट करने की अनुमति दी जा रही है। लाइसेंस की अवधि सामान्यतः 15 वर्ष होगी। फिर भी, ग्राहकों को निर्धारित स्तर/किस्म की सेवा प्रदान करने और दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होने पर लाइसेंस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

* ग्राहकों की मांग को पूरा करने और सभी को वहनीय तथा उचित कीमतों पर बुनियादी दूरसंचार उपलब्ध कराने के लिए सेवाओं के विरुद्ध अनुमत्य क्षेत्र के साथ दूरसंचार की व्यवस्था।

* सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक स्वायत निकाय की स्थापना करने का निर्णय किया है, जो विनियामक कार्य को नीति निर्माण और प्रचालन कार्यों से अलग करेगा। इसके विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :--मानक निर्धारण कीमतों का विनियमन, विभिन्न सेवा प्रदान करने वालों के बीच तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित करना, बढ़ते हुए प्रभारों का निर्धारण, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, सेवा प्रदान करने वालों के बीच विवादों का निपटान और सेवा प्रदानकर्ताओं के बीच स्थानीय और दूरसंचार विभाग दूरवर्ती सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय-तालिका सुनिश्चित करना।

51. उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना से निजी क्षेत्र का प्रवेश भी आसान हो जाएगा।

डाक :

52. विश्व की अपेक्षा भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मार्च, 1994 के अंत तक राष्ट्रीय डाक नेटवर्क में 1.5 लाख डाकघर थे। दीर्घावधिक उद्देश्य, प्रत्येक गांव की 3 कि.मी. की परिधि में एक डाकघर स्थापित करना है। 1993-94 के दौरान 637 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 116 विभागीय उप-डाकघरों की मंजूरी दी गयी। अब विभाग का उद्देश्य इन क्षेत्रों में पंचायतों की विद्यमान बुनियादी प्रणाली का उपयोग करके संविदात्मक आधार पर मूल डाक सुविधाएं प्रदान करके इस प्रयास में तेजी लाना है। इस संबंध में तैयार की गई पंचायत डाक सेवा योजना के दो लाभ हैं, एक तो जरूरतमंद क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बजटीय संसाधनों पर निर्भरता को कम करना और दूसरे इस प्रकार के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

53. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने उपभोक्ताओं को नई मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण के अपने कार्यक्रम पर बल दिया है। वर्ष 1994-95 के दौरान छः महानगरों को जोड़ने वाली मेट्रो चेनल सर्विस और दिल्ली को अधिकांश राज्यों की राजधानियों से जोड़ने वाली राजधानी चेनल तथा पिन कोड व्यापार डाक को विशेष महत्व देने के लिए व्यापार चेनल शुरू किए गए हैं। विभाग ने एक ग्रीन चेनल भी प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय डाक को प्राथमिकता दी जाती है। अप्रैल, 1993 में बम्बई में एक एकीकृत डाक संसाधन संयंत्र स्थापित किया गया था, एक अन्य संयंत्र मद्रास में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है ऐतथा

ही संयंत्र दिल्ली, बंगलौर तथा अन्य प्रमुख केन्द्रों में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ।

54. मनीआर्डर सेवा रोकड़ अंतरण का एक समाजोपयोगी साधन है । मनीआर्डर सम्प्रेषण में तेजी लाने के उद्देश्य से उपग्रह चैनलों के उपयोग की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । 6 केन्द्रों को कवर करते हुए एक प्रायोगिक परियोजना को पहले ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है और 1994-95 के दौरान ऐसे 20 और केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिए स्थापित बी एस ए टी (अत्यन्त छोटे द्वारक टर्मिनलों) के नेटवर्क का विस्तार किया जाना है और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं जैसे मिश्रज (हाईब्रिड) डाक, प्रीमियम बचत खाता, इस नेटवर्क के जरिए शुरू की जा रही है ।

55. स्पीड पोस्ट ट्रैफिक 47 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है । 1993-94 के दौरान कुल 50.13 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और सृजित ट्रैफिक 109 लाख वस्तुओं का हुआ । डाक जीवन बीमा में 19.9 लाख से अधिक पालिसियां हैं, जिनकी बीमित राशि 4153 करोड़ रुपए है । 1992-93 की तुलना में 1993–94 में पालिसियों में 1.57 लाख की वृद्धि हुई, जिनकी बीमित राशि 595.4 करोड़ रुपए थी । विभाग ने विद्यमान पी एल आई योजना की भांति ही एक ग्रामीण बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है ।

56. डाक घर बचत बैंक का संचालन डाकघरों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए किया जाता है, जिनमें से 89 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं । वर्ष 1993–94 के अन्त में विभिन्न बचत योजनाओं के अन्तर्गत 67,293 करोड़ रुपये का कुल बकायाशेष था । डाकघर बचत बैंक के कार्यों का अब डाक विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । अक्तूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना नामक एक नई योजना शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य प्रौढ़ ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से योग्य बनाना है । 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 7.3 लाख खातों में 9.2 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे ।

57. देश की डाक सेवा को अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवा मान लिया गया है । परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक व्यवहार्य के कड़े मानदण्डों का पालन नहीं किया गया है और इस समय यह प्रणाली घाटे में चल रही है । 1993–94 में विभाग को 207 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है । कुल व्यय में स्थापना खर्च 80 प्रतिशत है । स्थापना खर्च को नियंत्रित करने के लिए जनशक्ति का पुर्ननियोजन और उसको युक्ति-संगत बनाया जा रहा है ।

58. सरकार, पत्रों को भेजने के अपने एकाधिकार नियंत्रण को सीमित करने पर विचार कर रही है, इससे कुरियर उद्योग को एक औपचारिक दर्जा प्रदान करने का मार्ग खुल जाएगा । राज्य स्वामित्व वाली डाक सेवाओं के उदारीकरण की दिशा में एक दूसरे उपाय के रूप में सरकार नीजी क्षेत्र को कमीशन के आधार पर डाक लेखन-सामग्री को वितरण करने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है ।

रेलवे :

59. भारतीय रेलवे का 62,462 किलोमीटर का एक विस्तृत नेटवर्क है, जिसमें (36,824 किलोमीटर) बड़ी लाइनें, (20,653 किलोमीटर) मीटरगेज लाइनें और (3,985 किलोमीटर) छोटी लाइनें शामिल हैं । 11,793 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है जो कुल किलोमीटर मार्ग का 18.8 प्रतिशत था । आठवीं योजना अवधि में प्राथमिकता दिए जाने वाले क्षेत्रों में पुरानी पड़ गई परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन और नवीकरण, टर्मिनल और रोलिंग स्टाक क्षमताओं में वृद्धि करना, रेलवे लाइनों का बदलना और विद्युतीकरण शामिल है । भारतीय रेल ने 1992–93 में 1,351 किलोमीटर और 1993–94 में 1,619 किलोमीटर रेलवे लाइनों को बदला तथा 1994–95 के लिए 1,600 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है ।

60. वर्ष 1993–94 के दौरान रेलवे द्वारा राजस्व उपार्जक माल यातायात की ढुलाई 359 मिलियन मी. टन थी । यह 1992–93 के कार्य-निष्पादन से 2.5 प्रतिशत अधिक थी । अप्रैल–दिसम्बर, 1994–95 के दौरान माल की ढुलाई 264.7 मिलियन टन थी जिसमें अप्रैल–दिसम्बर, 1993 की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि मुख्यतः कोयले इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल, उर्वरक, पी.ओ.एल. आदि में हुई । तथापि, खाद्यान्नों, कच्चा लोहा, परिष्कृत इस्पात, निर्यातों के लिए लौह-अयस्कों और सीमेंट में भारी कमी आई (सारणी 8.10) ।

सारणी 8.10

रेलवे का कार्य निष्पादन

			अप्रैल-दिसम्बर*		पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	
	1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7
					(प्रतिशत)	
कुल राजस्व उपार्जक माल यातायात ढुलाई (मिलियन टन)	350.05	358.72	258.37	264.74	2.5	2.5
(1) कोयला	157.73	167.00	121.39	125.08	5.9	3.0
(2) इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चा माल (कोयले को छोड़कर)	32.97	33.40	23.81	26.56	1.3	11.5
(3) इस्पात संयंत्रों से तैयार किया हुआ कच्चा लोहा और परिष्कृत	12.03	12.08	8.77	8.66	0.4	—1.3
(4) निर्यात के लिए लोह अयस्क	10.47	10.46	7.73	7.26	—0.1	—6.1
(5) सीमेंट	30.38	32.54	22.70	22.99	7.1	—1.3
(6) खाद्यान्न	27.30	26.68	18.78	14.49	—2.3	—22.8
(7) उर्वरक	18.94	19.50	14.18	15.55	3.0	9.7
(8) पी०ओ०एल०	26.41	25.95	18.95	20.54	—1.7	8.4
(9) शेष (अन्य माल)	32.82	31.11	22.06	23.61	—8.0	7.0
2. निवल टन कि० मी० (मिलियन)	252.39	252.41	183.97	182.74	0.0	—7
3. निवल टन कि० मी० प्रतिदिन प्रति वैगन (ब्राड गेज)	1457.00	1506.00	1442.00	1505.00	3.4	4.4
4. मूल यात्री यातायात (मिलियन)**	3749.37	3708.04	1776.49	1921.15	—1.1	8.1
5. यात्री किलोमीटर (बिलियन)**	300.10	296.24	147.21	156.84	—1.3	6.5

*अनन्तिम @अप्रैल—दिसम्बर **अप्रैल—सितम्बर

61. रेल और सड़क परिवहन के बीच विद्यमान माडल शेयर उस इष्टतम शेयरों के अनुरूप नहीं हैं, जो न्यूनतम आर्थिक लागत द्वारा निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने अब सड़क परिवहन द्वारा की जा रही माल की ढुलाई को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाकर, एक नई विपणन नीति तैयार की है, जो ऊर्जा की अधिक खपत वाली है और पर्यावरण के कम अनुकूल हैं। नई विपणन स्कीम में मुख्य रूप से बल दिए जाने वाले क्षेत्रों का बाक्स 8.3 में उल्लेख किया गया है।

62. रेलवे में 16 लाख कर्मचारी नियोजित हैं, यह संख्या देश में किसी भी उपक्रम की सबसे अधिक संख्या है। कार्यकुशलता को बढ़ाने, श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण देने और अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए एक सर्वतोमुखी योजना की आवश्यकता है। रेलवे को एकीकृत स्वाचालन नियंत्रण प्रणालियों का निर्माण करना चाहिए, ताकि रेल लाइनों, ट्रेकशनों, टर्मिनलों और रेल-गाड़ियों का बेहतर उपयोग किया जा सके। नेटवर्क की क्षमताओं के साथ एक सशक्त, सुवितरित कम्प्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग द्वारा सिगनल और दूरसंचार प्रणाली को सुधारा जा सकता है। यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान प्रति कर्मचारी यातायात यूनिटों की संख्या के संदर्भ में कर्मचारियों की उत्पादकता, प्रति वैगन प्रतिदिन निवल मी. टन किलोमीटर के रूप में परिसम्पत्ति उत्पादकता, वैगन के आगे-जाने का समय, इंजन के उपयोग आदि में सुधार हुआ है, फिर भी इनमें और सुधार लाने की गुंजाइश है।

बाक्स—8.3

रेलवे की नई विपणन नीति की विशेषताएं

* भारतीय कंटेनर निगम (सी ओ एन सी ओ आर) एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो स्वदेशी उपयोगकर्ताओं के लिये घर-घर सेवा प्रदान करेगा, छोटे ग्राहकों के लिए माल की बड़ी मात्रा में ढुलाई और अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) कंटेनरों में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन का कार्य करेगा।

* निश्चित समय पर निर्यात कंटेनरों के आवागमन के लिए बम्बई, जवाहर लाल नेहरू और मद्रास बन्दरगाहों के साथ तुगलकाबाद को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां शुरू करेगा।

* ग्राहकों को ब्रेक वैन स्पेस लीज पर देना ताकि वे मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों द्वारा निश्चित स्थानों के बीच ढुलाई सुनिश्चित कर सकें।

* बम्बई और दिल्ली के बीच लम्बी दूरी की एक्सप्रेस पार्सल सेवा शुरू करेगा।

* मांग पत्रों की निर्बाध स्वीकृति वैगनों की आपूर्ति, एकल खिड़की बुकिंग प्रणाली और सुधार करने के लिये गन्तव्य स्थान तक बीजकों को फैक्स के द्वारा भेजने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियमों को सरल बनाएगा।

63. रेलवे के लिए बजटीय समर्थन में निरन्तर गिरावट आई है, जो पांचवीं योजना में रेलवे योजना परिव्यय का 75 प्रतिशत था, वह सातवीं योजना में परिव्यय का 40 प्रतिशत और आठवीं योजना में परिव्यय का 20 प्रतिशत रह गया। तथापि, आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान रेलवे के लिए बजटीय समर्थन इसके वार्षिक परिव्ययों का लगभग 18 प्रतिशत रहा है। घटते हुए बजटीय समर्थन और राजस्वों में आयी कमी के फलस्वरूप इंजनों, कोचों और वैगनों की प्राप्ति के लिए रेलवे की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए लाइनों के विस्तार, उनके नवीकरण, रेल लाइनों के परिवर्तन और प्रमुख मार्गों के विद्युतीकरण की चालू परियोजनाओं को पुनः प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

64. रेलवे योजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोत अर्थात् बाजार उधार भी अनिश्चित और खर्चीले हो गए हैं। इसलिए रेलवे को आंतरिक उपार्जन पर अधिक निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिसका 1994-95 में लगभग 66 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

नागर-विमानन :

65. नागर विमानन के तीन कार्यात्मक उप-क्षेत्र हैं: परिचालनात्मक, संरचनात्मक और विनियामक-एवं-विकासात्मक। परिचालनात्मक पक्ष की ओर इंडियन एयरलाइन्स लि., वायुदूत (जो इंडियन एयरलाइन्स लि. के एक पृथक अभिज्ञात प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है) और निजी एयर लाइन्स (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित), स्वदेशी वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। एयर इंडिया लि. और इंडियन एयर लाइन्स लि. स्वदेशी एयर लाइनें हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रदान करती हैं। पवन हंस लि. मुख्यतया पैट्रोलियम क्षेत्र को हैलीकाप्टर समर्थन सेवाएं प्रदान करती हैं। बुनियादी सुविधाएं, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई.ए.ए.आई.) और राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण (एन.ए.ए.) द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के विधिकरण के फलस्वरूप इन दोनों प्राधिकरणों को मिलाकर एक ही प्राधिकरण अर्थात् भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण बनाया जा रहा है। विनियामक और विकासात्मक कार्यों की देखभाल नागर विमानन मंत्रालय और महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालयों द्वारा की जाती हैं।

66. वायु निगम अधिनियम, 1953 को पहली मार्च, 1994 को निरसित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित हवाई यातायात सेवाओं पर से इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत का एकाधिकार समाप्त हो गया। 6 निजी ऑपरेटरों को, जो अब तक एयर टैक्सियों के रूप में काम कर रहे थे, अनुसूचित एयर लाइन्स का दर्जा प्रदान किया गया है।

67. असल में घरेलू सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण अप्रैल 1993 से विद्यमान है। मार्च, 1994 तक 120 प्लस कैटगरी में 19 विमान जो निजी एयर टैक्सियों के हैं, प्रचालन में थे। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम करने का स्वाभाविक परिणाम यह था कि मार्च, 1994 तक बाजार के 25 प्रतिशत भाग की सेवा निजी एयर टैक्सियों द्वारा की जा रही थी। एयर टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या, जो 1990 में 15,000 थी वह 1992 में बढ़कर 4.1 लाख और 1993 में 29.2 लाख हो गई और आशा है कि 1994 के दौरान यह संख्या 35 लाख को पार कर जायगी। इस प्रकार, इंडियन एयर लाइन्स को एक ओर तो अपने लाभप्रद मुख्य मार्गों पर बाजार में भागीदारी करनी पड़ी। दूसरी ओर, अपने अत्यन्त

सक्षम कार्मिकों, को जिन्हें निजी ऑपरेटरों ने अधिक परिलब्धियां प्रदान करने की पेशकश की, सेवाएं खोने का डर हुआ। परिणामस्वरूप उनकी विद्यमान विमान क्षमता का इष्टतम उपयोग करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा। इंडियन एयर लाइन्स ने जून, 1993 से प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने के लिये भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के अनुरूप बनाया है। अनेक और भी उपाय किये गये हैं, जो मुख्यतः संगठन को निर्णय लेने के संबंध में विपणन दृष्टिकोण अपनाने और अपने उत्पादन को गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाने पर जोर देते हैं। इसने अपनी यात्री सुविधाओं अर्थात् विमान के अन्दर और हवाई अड्डों दोनों पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने, विमानों को समय पर चलाने, उड़ान के समय सुरक्षा संबंधी उपायों में सुधार किया है तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिये कर्मचारियों की भागीदारी भी बढ़ाई है।

68. चूंकि 1993-94 में कुल स्वदेशी बाजार म पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई और विद्यमान बाजार को निजी ऑपरेटरों के साथ बांटना पड़ा, इसलिये इंडियन एयर लाइन्स को वर्ष के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस पर किराये ढांचे द्वारा और जोर दिया गया था, जिसने लागत निर्दिष्टियों की पूर्णतः पूर्ति नहीं की और विमानी बेड़े में नये विमानों के शामिल होने के कारण मूल्यह्रास और वित्त पोषण प्रभारों में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 के दौरान आशा है कि स्वदेशी बाजार में वृद्धि की दर लगभग 12 से 14 प्रतिशत होगी, किन्तु उद्योग द्वारा जिस लागत ढांचे का सामना किया जा रहा है वह अभी भी बहुत अधिक है और दीर्घावधिक सीमांतिक लागतों की अपेक्षा सीमांतिक राजस्व बहुत कम रहे। विमान टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) की घरेलू कीमतें, जो कुल खर्च का लगभग 35 प्रतिशत बैठती हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में ढाई गुणा अधिक हैं। इसलिये सरकार ने 1994-95 के दौरान विशेष आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत विमान टरबाइन ईंधन (ए० टी० एफ०) के सीधे आयात की अनुमति दे दी है। इंडियन एयर लाइन्स ने इस योजना के अन्तर्गत विमान टरबाइन ईंधन (ए० टी० एफ०) के आयात के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है तथा अन्य घरेलू एयर लाइन संबंधी कम्पनियां भी ऐसा ही करने की सोच रही हैं।

69. अप्रैल-फरवरी, 1993-94 के दौरान इंडियन एयर लाइन्स के राजस्व और व्यय में क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान 235 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई, जबकि अप्रैल-फरवरी, 1992-93 के दौरान 179 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान 195.05 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। देश के सभी भागों में हवाई सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये, ताकि श्रेणी-II और III गैर-प्रमुख मार्गों के रूप में श्रेणीबद्ध मार्गों पर प्रचालनों की एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशतता प्रदान की जा सके। इसके परिणामस्वरूप जबकि निजी ऑपरेटरों के पास कुल हवाई क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी, इस समय 36 मार्गों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि 1993-94 में ये सेवायें लगभग 20 मार्गों पर प्रदान को जा रही थीं। हवाई अड्डों के आधारभूत ढांचे की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने और उन क्षेत्रों में सेवाओं में वृद्धि करने जहां ये अब तक नहीं थीं, हवाई यातायात सेवाओं के क्रमबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिये स्वदेशी हवाई सेवाओं के लिए एक विनियामक ढांचे की स्थापना की गई है।

70. एयर इंडिया लि० को 1993-94 में लगभग 200 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ तो जो 1992-93 की तुलना में 40 प्रतिशत कम था। अप्रैल-सितम्बर, 1994 के दौरान एयर इंडिया लि० का निवल लाभ 55 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि भारत के कुछ भागों में प्लेग फैलने के कारण भारत में आने वाले और भारत से जाने वाले विमानों पर खाड़ी देशों द्वारा लगाई गई रोक के कारण 28 सितम्बर, 1994 से 25 अक्टूबर, 1994 तक मध्यपूर्व के लिए जाने वाली उड़ानों को रद्द किये जाने के कारण एयर इंडिया लि० को 26.66 करोड़ रुपए की हुई अनुमानित निवल हानि के द्वारा आंशिक रूप से इसमें कमी आयी है। एयर इंडिया का समग्र भार अनुपात 57.3 प्रतिशत है, जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयर लाइनों की तुलना में कम है। भारत से होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में इसका हिस्सा, जो 1981 में 42 प्रतिशत था, वह 1991 में घटकर 35 प्रतिशत और 1993 में 20 प्रतिशत रह गया है। अपनी स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से एयर इंडिया लि० स्टेट आफ दी आर्ट विमान प्राप्त करके और इसके साथ ही विमानों को वेट-लीस पर प्राप्त करके अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है।

71. पवन हंस लि० मूलतः तेल क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 1993-94 के दौरान उड़ान के घंटों की कुल संख्या 18127 थी, जबकि 1992-93 के दौरान यह संख्या लगभग 17000 थी। वर्ष 1993-94 के दौरान राजस्व प्राप्तियां और निवल लाभ क्रमशः 127.7 करोड़ रुपए और 23.3 करोड़ रुपए थे, जबकि, 1992-93 में यह राशि क्रमशः 123.6 करोड़ रुपए और 27.5 करोड़ रूपए थी। अप्रैल--सितम्बर, 1994 के दौरान उड़ान घंटे 9260 थे और राजस्व तथा निवल लाभ क्रमशः 65.5 करोड़ रुपए और 17.8 करोड़ रुपए थे।

72. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और तिरुवनन्तपुरम स्थित पांच

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का प्रबन्ध करता है, उनका संचालन और विकास करता है। 1993-94 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निवल लाभ 50.2 करोड़ रुपए था, जो 1992-93 के दौरान हुए 45.7 करोड़ रुपए के निवल लाभ से 9.8 प्रतिशत अधिक था। 1993-94 के दौरान व्यय में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1993-94 के दौरान 209.7 लाख और 4.4 लाख टन क्रमशः यात्रियों और माल की उतराई-चढ़ाई हुई जो 1992-93 की तुलना में क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत अधिक थी। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1993-94 के लिए 14.7 करोड़ रुपए (24 प्रतिशत) के लाभांश की घोषणा की, जबकि 1992-93 के लिए 14 करोड़ रुपए (23 प्रतिशत) की घोषणा की गयी थी।

73. अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व और व्यय में क्रमशः 28.6 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार निवल लाभ 57.7 करोड़ रुपए का हुआ जो, अप्रैल—सितम्बर, 1993 की तुलना में 48.2 प्रतिशत अधिक था। इस अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या और उतारे-चढ़ाए गए माल में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल काम्पलैक्सों के निर्माण कार्य और हवाई पट्टियों तथा टर्मिनल भवनों के सुधार और उन्नयन का कार्य शुरू किया है। कलकत्ता में नए स्वदेशी टर्मिनल ने जनवरी 1995 में कार्य करना शुरू कर दिया है। बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल (तृतीय-चरण) का कार्य चल रहा है।

74. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1993-94 के दौरान 53.4 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ, जो 1992-93 की तुलना में 216.5 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान राजस्व में 65.5 प्रतिशत की वृद्धि और व्यय में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 59.7 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जो अप्रैल—सितम्बर, 1993 के दौरान हुए लाभ की तुलना में 427.8 प्रतिशत अधिक है।

75. बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात के आधुनिकीकरण, अहमदाबाद, गोवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनन्तपुरम में विमानपत्तन निगरानी राडार की स्थापना, हवाई अड्डों पर सुविधाओं को बढ़ाने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 12 माडल हवाई अड्डों के विकास जैसी अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों पर निवेश यद्यपि किफायती नहीं है, फिर भी वहां बड़ी मात्रा में कार्य शुरू किए गए हैं। उन परियोजनाओं पर निवेश का 60 प्रतिशत भाग, जिन्हें उत्तर-पूर्वी परिषद का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त है, उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा वहन किया जाता है।

76. हवाई अड्डों का संरचनात्मक ढांचा अधिक मात्रा में निवेश, प्रदायगियों के संबंध में अधिक व्यय पुनः स्थापन और नवीकरणों की अपेक्षा करता है। संसाधन संबंधी दबावों को ध्यान में रखते हुए घरेलू और विदेशी निवेशकर्त्ताओं को, जिनमें अनिवासी भारतीय शामिल हैं। नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास और कुछ अन्य स्वदेशी हवाई अड्डों पर संरचनात्मक सहायता के विस्तार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ को कम करने और विमान आवागमन के समय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिल्ली और बम्बई में हवाई अड्डों पर माल के उतारने-चढ़ाने के कार्य को निजीकरण करने का भी निर्णय लिया है।

सड़क और सड़क परिवहन :

77. 1985 में देश में सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 16.9 लाख कि.मी. थी, जो 1990-91 के अंत तक बढ़कर 20.4 लाख कि.मी. हो गई। इसमें से आधे मार्ग कच्ची सड़कों के बने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1993-94 के अंत में 34058 किलो मीटर था, जो कुल सडक नेटवर्क का 2 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन इस पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40 प्रतिशत आवागमन होता है।

78. अनुमान लगाया गया है कि सड़क यातायात, जो यात्री यातायात का 80 प्रतिशत और माल यातायात का 60 प्रतिशत बैठता है, सन् 2000 तक क्रमशः 87 और 65 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह सड़क यातायात के विस्तार को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अत्यधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश सड़कों के खड़ंजों की मोटाई अपर्याप्त है। इसकी अन्य कमियां हैं; जैसे अपर्याप्त क्षमता, सवारी करने की स्थिति घटिया, पुल/पुलियां कमजोर और टूटे हुए, शहरी खण्ड भीड़ वाले, अत्यधिक रेलवे क्रासिंग, सड़कों के किनारे सुविधाओं की कमी और सड़क सुरक्षा संबंधी कमजोर उपाय। लगभग 20 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग को सिंगल लेन से डबल लेन में करने की जरूरत है और दो लेन वाली लगभग 70 प्रतिशत सड़कों को मजबूत किया जाना है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुनिंदा रास्तों को द्रुतगामी (एक्सप्रेस) मार्गों में बदले जाने की आवश्यकता है। स्पष्टतः यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसमें काफी निवेश करने तथा संगठनात्मक संसाधनों के लिए वचनबद्धता की आवश्यकता है।

79. पहले सड़कों का वित्तपोषण प्राय: बजटीय संसाधनों से किया जाता रहा है, और लोक निर्माण विभाग द्वारा इनका निर्माण किया जाता रहा है। चूंकि बजटीय आवंटन उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा मार्गों पर शुल्क की लेवी लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। निजी क्षेत्र को निर्माण करने और शुल्क प्रभार लगाने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का संशोधन किए जाने से निर्माण, प्रचालन और अन्तरण के आधार पर निजी क्षेत्र को सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन कार्य में भागीदारी करने की अनुमति मिलेगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा किये गये अनेक सुधारों/उपायों का सारांश बाक्स 8.4 में दिया गया है।

80. वर्ष 1994-95 के दौरान सरकार ने कुल 850 करोड़ रुपए के निवेश वाली 17 परियोजनाओं के लिए विदेशी कम्पनियों सहित निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किए। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9 पुल और 8 बाई पास शामिल हैं। जबकि इन परियोजनाओं में से कुछ में 27 भारतीय कम्पनियों ने अपनी रुचि व्यक्त की, फिर भी, जनवरी, 1995 तक केवल 5 परियोजनाएं क्रियान्वित हो सकी और चुनिंदा उद्यमों को आशय पत्र जारी किए गए ताकि वे आंकड़ा संग्रहण कर सकें और कार्य प्रचालन व्यवस्थाओं आदि को सुदृढ़ बना सकें। तथापि, निर्माण कार्यों को सौंपे जाने पर अंतिम निर्णय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और जब भी सरकार द्वारा नीतियों पर निर्णय लिया जायेगा उन नीतियों के अनुसार लिया जायेगा।

81. राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने हेतु विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान के ओवरसीज आर्थिक सहयोग जैसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से ऋण सहायता के जरिए अतिरिक्त बजटीय समर्थन प्राप्त किया जा रहा है। हालांकि भूतल परिवहन मंत्रालय के एजेन्टों के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के धीमे कार्यान्वयन ने विश्व बैंक को विदेशी सहायता की मात्रा में 96 मिलियन अमरीकी डालर की कटौती करने के लिए पहले ही विवश कर दिया है। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सक्रिय करने का

बाक्स–8.4

सड़क क्षेत्र में सुधार

* सभी राज्य सरकारों द्वारा पथकर को और उनमें से कई राज्यों द्वारा चुंगी को समाप्त कर दिया गया ताकि समग्र आवागमन के समय में कमी की जा सके और सड़क पर यातायात को निर्बाध गति से चलाने में मदद मिल सके।
* मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित कर दिया गया है, जो 14 नवम्बर, 1994 से लागू किया गया है, ताकि प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और राज्य सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस मंजूर करने और मोटर वाहनों को परमिट प्रदान करने के मामले में अधिक अधिकार दिये जा सकें।

  जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत तौर पर अथवा कम्पनी द्वारा धारण किये जा सकने वाले स्टैंज केरीएज परमिटों की संख्या की सीमाओं को भी समाप्त करेगा।
* सड़क क्षेत्र को उद्योग घोषित किया गया है ताकि आसान शर्तों पर ऋण लेने की सुविधा मिल सके और बांडों को जारी करने की अनुमति मिल सके।
* एन० आर० टी० पी० उपबन्धों में ढील दी गई ताकि बड़ी फर्में राजमार्ग क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।
* राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, संशोधित किया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और सुरंगों पर शुल्क की लेवी लगाई जा सके।
* निर्माण उपकरणों पर सीमा शुल्क कम किया गया और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया।

निर्णय लिया है, जिसका एक स्वतंत्र और स्वायत्त दर्जा होगा और उसे विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को इसके सुपुर्द किया जाएगा ताकि उनके कार्यान्वयन की गति को बढ़ाया जा सके।

82. राज्य सड़क परिवहन उद्यम लगभग 1.1 लाख बसों का प्रचालन करते हैं तथा इसमें 8.9 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इन उद्यमों को कुछ अपवादों के साथ अलाभकारी मार्गों पर भी वाहन चलाने की सामाजिक वचनबद्धता, लागत-आधारित भाड़ा संरचना का अभाव, कर्मचारियों की अधिकता, घटिया प्रबंध और व्यापक अकुशलताओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण गंभीर वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है।

83. शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप परिवहन संबंधी मांग में गुणोत्तर वृद्धि हुई हैं। बहुत से शहरों में उपलब्ध सड़क नेटवर्क के अनुपात में वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। जनसंख्या के अधिक घनत्व और भूमि की कमी के कारण बहुत से शहरों में सड़क क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाना कुल मिलाकर असम्भव है और इसलिए बढ़ती हुई वाहनों की संख्या और परिवहन संबंधी मांग में ताल-मेल बिठाना सम्भव नहीं है। इससे भूमि और पूंजी की रुकावटों, ऊर्जा उपभोग, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के कारण बढ़ती हुई परिवहन संबंधी मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक रास्ते निकालने के कार्य में तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार के साथ परामर्श करके एक हाई स्पीड ट्राम प्रणाली शुरू करने की एक परियोजना निर्धारित की गई है। इसे निजी भागीदारी की सहायता से शुरू किया जा सकता है। ये हाई-स्पीड ट्रामें उत्थापित मार्गों पर चलायी जायेंगी। बाद में इस परियोजना का विस्तार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्य महानगरों में भी किया जायेगा।

नौवहन :

84. वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय पोतों ने कुल समुद्री माल के लगभग 34 प्रतिशत माल की ढुलाई की। वर्ष 1993-94 में पी.ओ.एल की ढुलाई में भारतीय पोतों का हिस्सा 60.6 प्रतिशत, भारी माल की ढुलाई में 20.0 प्रतिशत और लाईनर यातायात में 8.8 प्रतिशत था। भारी माल की ढुलाई और लाईनर यातायात में भारत की हिस्सेदारी का दीर्घावधिक लक्ष्य क्रमशः 50 और 40 प्रतिशत है। दिसम्बर, 1994 के अन्त में 438 पोतों वाले बेड़े की क्षमता 6.3 मिलियन सकल पंजीकृत मीट्रिक टन (जी० आर०टी०) थी, जबकि दिसम्बर, 1993 में 443 पोतों वाले बेड़े में 6.27 मिलियन सकल पंजीकृत मीट्रिक टन की क्षमता थी। वर्ष 1993-94 के दौरान 136.97 मिलियन टन का विदेशी व्यापार हुआ था जबकि 1992-93 के दौरान 122.3 मिलियन टन का था। भविष्य में दक्षिणी अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेजी आने का पूर्वानुमान लगाते हुए, कुछ नौवहन कम्पनियां इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

85. वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय जहाजरानी निगम ने बेहतर कार्य-निष्पादन का प्रदर्शन किया है। 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार इसका सकल टन-भार 3.08 मिलियन जी०आर०टी० था (समस्त बेड़े का लगभग 50 प्रतिशत), जबकि 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार यह 3.04 मिलियन जी०आर०टी० था। भारतीय जहाजरानी निगम के सकल आन्तरिक संसाधन 1992-93 में 263 करोड़ रुपये की तुलना में, 1993-94 में 286 करोड़ रुपये हो गये। वर्ष 1993-94 के दौरान कर चुकाने के पश्चात् इसका निवल लाभ 168 करोड़ रुपये था, जिसने 1992-93 की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। अप्रैल–सितम्बर, 1994 के दौरान, कर पश्चात् होने वाले लाभ का अनन्तिम तौर पर अनुमान 54.6 करोड़ रुपए लगाया गया है।

86. सरकार ने हाल ही में एक स्कीम स्वीकृत की है, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से विदेशी व्यापार में सम्पादित कार्य लाईनर जहाजी माल के मूल्य के 40 प्रतिशत तक की भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए पोतवणिकों का स्वैच्छिक नौभार समर्थन की परिकल्पना की गयी है। इस स्कीम के लाभों का पूरा फायदा उठाने के लिए भा०ज०नि० ने अपनी ग्राहक सेवा सेल को सुदृढ़ बनाया है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर पोतवणिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके।

87. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्ध (आई.एस.एम.) कोड, जो नवम्बर, 1993 में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आई० एम०ओ०) द्वारा अपनाया गया था, के अनुसार भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। आई०एस०एम० कोड के अन्तर्गत, जो यात्री-पोतों और टैंकरों के मामले में जुलाई, 1998 तथा अन्य पोतों के मामले में जुलाई, 2002 से लागू होगा, नौवहन कम्पनियों से तटीय-कर्मचारियों और पोत पर कार्यरत नाविकों को विशेष प्रशिक्षण देने की अपेक्षा की जाती है।

पत्तन :

88. देश के 5560 कि०मी० लम्बे समुद्री तट पर 11 प्रमुख और 139 उपयोग योग्य लघु पत्तन स्थित हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान प्रमुख पत्तनों पर 179.3 मिलियन टन माल उतारा-चढ़ाया गया, जो 1992-93 की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक था। इसकी तुलना 1980 के दशक के उत्तरार्ध : ौरान प्राप्त की गयी लगभग 5 प्रति-

सारणी 8.11

प्रमुख पत्तनों पर यातायात की प्रवृत्तियां

			अप्रैल—दिसम्बर*		पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	
	1992-93	1993-94*	1993	1994	1993-94	1994-95@
1	2	3	4	5	6	7
	(मिलियन टन)					(प्रतिशत)
1. पी० ओ० एल०	73.61	76.92	56.90	60.13	4.5	5.7
2. लोह अयस्क	29.83	34.13	24.13	22.72	14.4	−6.5
3. उर्वरक तथा कच्चा माल	7.38	7.44	5.47	6.13	0.8	12.1
4. खाद्यान्न	2.32	1.47	1.20	0.45	−36.6	−62.5
5. कोयला	24.48	26.74	19.45	21.82	9.2	12.2
6. बनस्पति तेल	0.25	0.37	0.27	0.48	48.0	77.8
7. अन्य तरल पदार्थ	3.99	3.60	2.24	3.59	−9.8	60.3
8. डिब्बा बन्द माल	9.01	12.25	8.82	10.95	36.0	24.1
9. अन्य	15.71	16.34	11.46	14.73	4.0	28.5
जोड़	166.58	179.26	130.12	141.00	7.6	8.4

*अनन्तिम @अप्रैल-अक्टूबर

शत की वृद्धि दर से भली प्रकार की जा सकती है। अप्रैल–दिसम्बर, 1994 के दौरान प्रमुख पत्तनों के माध्यम से 141 मिलियन टन माल उतारा-चढ़ाया गया, जो अप्रैल–दिसम्बर 1993 में किए गए कार्य-निष्पादन की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक था। (सारणी 8.11) उतारे-चढ़ाये गये माल यातायात में प्रमुख वृद्धियां उर्वरक और कच्ची सामग्रियां (12.1 प्रतिशत), कोयला (12.2 प्रतिशत), वनस्पति तेल (77.8 प्रतिशत), अन्य तरल पदार्थ (60.3 प्रतिशत) और डिब्बाबंद माल (24.1 प्रतिशत) के संबंध में देखी गयी थीं। हाल के वर्षों में यातायात के संघटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए तदनुसार पत्तनों की क्षमताओं का पुनरीक्षण और पुनर्संरचना करना आवश्यक है।

89. हाल के वर्षों में पत्तन–उत्पादकता में वृद्धि हुई है, और जहाज आवागमन के औसत समय तथा प्रति जहाज–गोदी–दिन निर्गम में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पत्तन-उत्पादकता के विपरीत, श्रम और उपकरण उत्पादकता स्तर अभी भी कम है, इसके प्रमुख कारण हैं: पत्तनों पर मजदूरों की अधिकता, पुराने उपकरण तथा प्रचालनात्मक प्रतिबंध। कार्यदल के पुनर्गठन के लिए किये गए प्रस्तावों पर मजदूर संघों के विरोध के बावजूद ऐच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) अतिरिक्त मानव शक्ति को कम करने के लिए सफलतापूर्वक प्रस्तावित की गई है। 30 नवम्बर, 1994 तक लगभग 9375 कर्मचारियों ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है।

90. अधिकांश भारतीय पत्तनों में वार्षिक यातायात का परिमाण पर्याप्त रूप से उनकी क्षमता के अनुरूप है। आधुनिक तकनीक के साथ निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, नई आर्थिक नीति की घोषणा के साथ ही पत्तन सुविधाओं के निजीकरण की कार्यवाही पहले ही आरम्भ हो चुकी है। निर्माण कार्य, कंटेनर-गोदी का संचालन एवं अनुरक्षण, गोदी में माल का उतारने चढ़ाने, तलछटों के अनुरक्षण एवं सुधार के लिए तलमार्जन, मालगोदाम तथा भंडारण सुविधाओं का सृजन और पत्तनों के अन्दर जहाजों की मरम्मत एवं परिवहन की व्यवस्था करने में अगले कुछ वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना है।

91. तथापि, पत्तनों का अधिक निजीकरण, पत्तन प्राधिकरणों की भूमिका में क्रमिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण की दिशा में विचारों में परिवर्तन का संकेत करता है। वर्तमान में पत्तनों का नियंत्रण भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और प्रमुख पत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के द्वारा किया जाता है। इन अधिनियमों के अंतर्गत पत्तन गतिविधियों में निजीकरण को अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। फिर भी, यदि निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कायम रखना है तो पत्तनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के बृहद प्रत्यायोजन पर गंभीरता से विचार करना होगा।

पर्यावरणीय समस्याएं :

92. पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास लम्बे समय तक कायम रहेगा। भारी, मध्यम एवं लघु उद्योगों के संयोजन पर आधारित विविधता/पूर्ण औद्योगिक ढांचे की स्थापना तथा देश में बढ़ती हुई शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के परिणाम स्वरूप वायु, जल एवं भू-संसाधनों पर दबाव उत्पन्न किये हैं। इन दबावों को वायु तथा जल प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव-क्षेत्र में विस्तार से देखा जा सकता है।

93. औद्योगिक कार्यकलाप के वर्तमान पैटर्न में खतरनाक पदार्थों का उपयोग तथा इससे ठोस कचरा उत्पन्न होना शामिल है। चिमनी से उड़ती राख, फास्फोजिप्सम तथा झोंका-भट्टी का धातु अपशिष्ट जैसे ठोस कचरे का भंडारण, कचरे का ढेर लगाना, एवं उसका निपटान करना औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख समस्या के रूप में उभर रहे हैं। रसायन एवं पैट्रोरसायन उद्योगों के विकास के पीछे जहरीले ज्वलनशील एवं विस्फोटक रसायनों को विनियमित करने की समस्या भी बड़ी जटिल है। अधिकांश उद्योग दूषित जल को नदियों एवं जल-मार्गों में पर्याप्त शोधन के बिना ही छोड़ देते हैं। औद्योगिक अवशिष्टों का स्राव आसानी से घुलनशील नहीं होता है और अक्सर नदियां भी इसको प्राकृतिक रूप से आत्मसात नहीं कर पाती हैं जिसके परिणामस्वरूप जल तत्व प्रदूषित ही रह जाते हैं और जन-स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 17 राज्यों में द्वितीय श्रेणी के 241 नगरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, आपूर्ति किया गया 90 प्रतिशत जल गंदा होता है। अपर्याप्त सफाई की समस्या भी गंभीर है। जैसा कि 1988 के आंकड़ों से विदित होता है, कि शहरी जनसंख्या के 54 प्रतिशत भाग को और ग्रामीण जनसंख्या के 97 प्रतिशत भाग को सफाई सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

94. औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख भाग अवशिष्ट पदार्थों के रूप में हैं। अधिकांश वायु निगरानी केन्द्रों, में इन अवशिष्ट पदार्थों का गाढ़ापन देखा जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश किये गये मानक-स्तर से अधिक है। उद्योगों और सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों द्वारा (प्रतिदिन) हजारों टन प्रदूषित पदार्थ वायु में उत्सर्जित किया जाता है। कई यूरोपीय देशों एवं अमेरिका से तुलना करने पर भारत में वाहनों की सघनता अपेक्षाकृत अभी कम है, परन्तु इसके संतुलित होने के बावजूद भी शहरों में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि हुई है। वाहनों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थ अधिक घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनसे जनता का नजदीकी सम्पर्क रहता है, और शहरों में ऊंचे-ऊंचे भवनों के कारण वायु में उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। शहरी क्षेत्रों में वाहनों के केन्द्रीयकरण के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं जैसे पुराने प्रकार के इंजिन, पुराने वाहन, भीड़-भाड़ वाला यातायात, खराब दशा वाली सड़कें और घटिया किस्म का ईंधन।

95. कोयले पर आधारित तापीय संयंत्र सल्फर-डायोक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड आदि गैसें उत्सर्जित करके वातावरण को प्रदूषित बनाते हैं, जिसके कारण तेजाबी वर्षा होती है, जो क्षेत्र की मिट्टी वनस्पति एवं जल में रहने वाले जीव-जन्तुओं के जीवन को नष्ट करती है तथा बड़ी मात्रा में समाज का अहित होता है, चिमनी से उड़ने वाली राख एवं भूतल राख भी भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, खनन उद्योग भी आस-पास के क्षेत्र में वायु और जल को प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा कारण रहा है। खननों के वास्तविक प्रचालनों के अलावा खानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ और इनके ढेर क्षेत्र में खेतों एवं सम्पत्ति को नष्ट करते हैं। खुदाई से भूमिगत जल के स्रोत भी दूषित हो जाते हैं। खानों से बंदरगाहों और रेलवे-स्टेशनों के लिए लौह-अयस्कों की ढुलाई से प्रत्येक स्थान यथा वायु में, घरों में तथा खाना पकाने के बर्तनों में धूल की एक परत जम जाती है।

96. विशेषकर बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की भी वृद्धि हो रही है। बड़े शहरों में यातायात का शोर एवं वायुयानों का शोर मानव स्वास्थ्य और श्रवण शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है, और शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के तनाव उत्पन्न करता है। बढ़ती हुई अत्यधिक जनसंख्या के कारण लोग विशेषत: महा-नगरों में, हवाई अड्डों की ओर बढ़ने शुरू हो गये हैं, जो भूमि के उपयोग की उचित आयोजन की कमी को दर्शाता है। वाहनों के ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कारंवाई को सुदृढ़ करने और हवाई अड्डों की ओर निवास बनाने के यथेच्छ फैलाव को रोकने की आवश्यकता है।

97. व्यापक स्तर पर गरीबी के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जिससे पर्यावरण का स्तर विकृत हुआ है। हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हैक्टेयर है, इसमें से लगभग 174 मिलियन हैक्टेयर भूमि विकृत होने का अनुमान है, इसमें कृषि गैर-कृषि और वन भूमि शामिल है। वन संसाधनों को अधिक चराई, व्यापारिक एवं घरेलू आवश्यकताओं दोनों प्रकार के अधिक उपयोग के दूसरे तरीकों, अतिक्रमणों,

अवैज्ञानिक कृषि जैसी अस्थायी पद्धतियों और विकासात्मक क्रियाकलापों के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। अनुमान है कि वनों से ईंधन की लकड़ी की कुल 235 मिलियन घन मीटर से अधिक की कटाई होती है, जबकि लकड़ी के उत्पादन का स्थिर स्तर केवल 48 मिलियन घन मीटर है। वनों के अधिकांश भागों में पशुधन की प्रचुर मात्रा में चराई के कारण प्राकृतिक पुनरुत्पत्ति अपर्याप्त है, ऐसे पशुधन की अनुमानित संख्या लगभग 450 मिलियन है। देश में वनों के अधिक उपयोग और प्राकृतिक वन सम्पदा की कमी के कारण उपलब्ध सम्पन्न जैविक विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में अनेक प्रकार की जैव-सम्पदा है, 75,000 से अधिक किस्म के जीव-जन्तु हैं एवं 45,000 प्रकार की वनस्पतियां पायी जाती हैं। तथापि, इनमें से बहुत सी खतरे में है। इन बहुत सारे जानवरों में से 79 प्रकार के स्तनपायी, 44 प्रकार के पक्षी, 15 प्रकार के सरीसृप और 3 प्रकार के उभयचर जानवरों का जीवन खतरे में है। लगभग 1500 प्रकार के पौधे भी खतरे के घेरे में हैं।

98. देश की नाजुक पारिस्थितिक-प्रणालियों को भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मूंगे की चट्टानें, जो समुद्रीय पारिस्थितिकी-प्रणालियों की बहुत ही उत्पादनकारी प्रणाली है, पर भी चूने के उत्पादन, मनोरंजक वस्तुओं के उपयोग और आभूषण सम्बन्धी व्यापार के कारण हुए अन्धाधुन्ध दोहन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 6700 वर्ग कि.मी. कच्छ वनस्पति क्षेत्र, मछली पकड़ने, भूमि तथा समुद्र के बीच के स्थान के उपयोग में परिवर्तन और जल प्रदूषण, जो कि समुद्री जहाजों एवं तटीय तेल शोधक कारखानों से तेल के रिसाव, घरेलू गंदगी तथा औद्योगिक बहिस्राव के गलत दिशा परिवर्तन से होता है, के कारण जैविक दबाव के अंतर्गत है। देश के 1.45 मिलियन हैक्टेयर में फैले अद्वितीय आर्द्र-भूमि क्षेत्रों को भी अवांछित वनस्पति, कृषि और अतिक्रमण के गादीय दबाव, रसायन एवं कार्बन की मात्रा, औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में बदलाव शहरीकरण और आवासीय स्थानों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के 85 आर्द्र-भूमि क्षेत्रों में से 45 प्रतिशत क्षेत्र को मध्यम अथवा उच्च दर्जे का खतरा है। इसी प्रकार, द्वीप समूहों के पारिस्थितिक-प्रणालियों का नाजुक परिपेक्ष भी विभिन्न प्रकार के दबावों, जिसमें मुख्य भूमि से लोगों का स्थानान्तरण भी शामिल है, के अंतर्गत है।

99. पर्यावरण को विकृत होने से बचाने के लिए सरकार में निरोधात्मक तथा प्रवर्तक उपायों सहित चल रहे प्रयास किए हैं। पर्यावरण को विकृत होने से रोकने के लिए अपनायी गई नीति में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, औद्योगिक एवं दूसरी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्व मूल्यांकन, जनता के सहयोग से विकृत जंगलों का पुनरुत्थान और पर्यावरण जागरूकता अभियान शामिल हैं।

100. प्रदूषण निवारण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रमशः वायु और जल के उत्सर्जन और रिसाव के पर्यावरणीय उत्कर्ष मानकों को लागू किया है। विशेष अनुवीक्षण करने तथा प्रवर्तन प्रयासों के लिए अत्यधिक प्रदूषित 17 उद्योगों को पहचान कर ली गई है तथा इनकी शिनाख्त की गयी अधिकांश यूनिटों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगवा दिये गये हैं। विशेष रूप से ध्यान देने और जानपदिक रोग विज्ञानीय अध्ययन के लिए देश के विभिन्न भागों में गंभीर रूप से प्रदूषित 24 उद्योग क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करके क्षेत्र विशेष की प्रदूषण की समस्याओं को लक्षित किया है। वाहनों के लिए विस्तृत रूप से उत्सर्जन का मानक और ध्वनि के प्रदूषण के मानक भी तैयार किये गये एवं अधिसूचित किये गये हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत, कूड़े-करकट के न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित उत्पादन के लिए स्वच्छ तकनीक आरम्भ करने के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों जो निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करते और उत्पादन, पैकेजिंग करना एवं कूड़े-करकट के निपटान में उच्च पर्यावरणीय सोहार्द दर्शाते हैं, के उत्पादनों को प्रमाणित करने के लिए एक "इको-मार्क स्कीम" प्रचालन में है। गंगा नदी की सफाई करने के लिए चलाई गई गंगा कार्य योजना नदी प्रदूषण के निवारण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरणों को स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय सहायता भी दी जाती है।

101. वन क्षेत्रों का अधिक उपयोग करने और विनियमों का सख्ती से पालन करने की दृष्टि से तथा उपकरणों की एक विस्तृत रेंज एवं विशेष स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलन प्रस्तावों को शामिल करने के लिए नव संरक्षण नीति तैयार की गयी है। राष्ट्रीय वन नीति में स्पष्ट रूप से, वनों की बहुउपयोगिता, स्थानीय जनता के सक्रिय सहयोग के बिना वन-संसाधनों की सुरक्षा के अनुपयुक्तता को शामिल करते हुए, उनके अधिकार, और गरीबों के अस्तित्व में बने रहने के लिए वनों की भूमिका को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड ने निम्न-स्तर की वन भूमि, वन क्षेत्रों के निकट की भूमि, और दूसरे सुरक्षित एवं पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में पुनरुत्पादन और पारिस्थिति का विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कार्य को आरंभ किया जा रहा है।

102. वन्य प्राणी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी योजनाएं वन्य प्राणियों एवं उनके आवासों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास पर ध्यान देती हैं। जैव विविधता के संरक्षण की मुख्य नीति प्रतिनिधिक पारिस्थितिक-प्रणाली में व्यावहारिक आवासों को सुरक्षा प्रदान करती है। 75 राष्ट्रीय पार्कों, 421 वन्य प्राणी अभ्यारण्यों, 21 बाघ परियोजना क्षेत्रों और 8 जीव सुरक्षित क्षेत्रों के एक व्यापक नेटवर्क कार्य ने इन जातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

दृष्टिकोण :

103. नई विकास नीति सक्षम आधारभूत सेवाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है, ताकि परिवहन, विद्युत दूर संचार और अन्य आधारभूत सेवाओं में वर्तमान अड़चनें समग्र आर्थिक विकास एवं निर्यात की प्रगति में अवरोध उत्पन्न न कर सकें। विद्यमान सेवाओं को अपर्याप्त एवं घटिया गुणवत्ता, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, सार्वजनिक सम्पत्तियों, पर वित्तीय दबाव और बाह्य क्षेत्र की आवश्यकताएं परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्य मुद्दा यह है कि हम संरचनात्मक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को किसी प्रकार बढ़ा सकते हैं। ताकि कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके और सार्वजनिक वित्तीय मांग को कम किया जा सके। तथापि, निजीकरण के क्षेत्र में नियम कार्य-कुशलता रोजगार का सृजन और अपर्याप्त संसाधनों के संरक्षण जैसे अन्य कारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। विनियंत्रण एवं निजीकरण को विभिन्न प्रचालकों के बीच स्पष्ट प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की रुचि की सुरक्षा करने, असुरक्षित एवं कमजोर वर्गों की आवश्यकता, जन-सुरक्षा, आन्तरिक एवं बाहरी सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उचित विनियामक रूप रेखाओं की स्थापना के द्वारा पूरा किया जाने की आवश्यकता भी है।

104. आधारभूत संरचना के लगभग सभी क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए संरचनात्मक कार्यवाई पहले ही आरम्भ हो चुकी है, इनमें उदाहरण के तौर पर उल्लेखनीय नागर विमानन, सड़कें, पत्तन, विद्युत, पेट्रोलियम और दूरसंचार हैं। रेलवे एवं पत्तनों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आज भी आरक्षित क्षेत्रों में भी, सरकार विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी की अनुमति प्रदान कर रही है। तथापि, आधारभूत सेवाओं की प्रतियोगितात्मक आपूर्ति के लिए गति एवं कार्य क्षेत्र में क्षेत्रों के बाहर, क्षेत्रों के अन्दर और प्रौद्योगिकियों के बीच काफी भिन्नताएं होती हैं। ऐसी विशेषताएं जो उपभोग में बाह्यताओं, लागत वसूली पर प्रतिबन्धों, वितरण प्रतिष्ठानों और अधिप्लव प्रभावों की महत्ता आदि जैसे कुछ आधारभूत क्षेत्रों को अलग करते हैं, विक्रयता की सीमा निश्चित करती हैं। बदलाव के वर्तमान संक्रामी चरण की सफलता नीतियों एवं विनियमनों की अत्यधिक स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सरकार की स्थिर वचनबद्धता पर निर्भर करती है। राज्य के एकाधिकार से प्रतियोगी पर्यावरण की ओर अग्रसर होने को संविदाओं की वचनबद्धता को पूरा करने की गारंटी देने और जहां पर आवश्यक हो वहां पर कीमतों को नियंत्रित करने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से कारगर ढंग से पूरा किया जा सकता है, ताकि निजी उद्यमी जनहित और आधारभूत सेवाएं प्रदान करते हुए सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रचालन में व्यापारिक सिद्धान्तों को कार्यान्वित किये बिना कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।

105. प्रगतिशील भविष्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पी.एस.ई.) अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सेवाएं प्रदान करते हुए बड़ी जिम्मेदारी को निभाना जारी रखेंगे। वर्तमान प्रतियोगी वातावरण में निजी क्षेत्र के उद्यमों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाना अनिवार्य है। बहुत से सार्वजनिक उद्यम प्रचालन की अकुशलताओं और रख-रखाव की कमी से दबे हुए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ सार्वजनिक उद्यमों में एक ओर तो कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है, दूसरी ओर इसका उपयोग कुशलता पूर्वक नहीं हो पाता है, इससे लागत में वृद्धि होती है। आशा है कि ये सार्वजनिक उद्यम राष्ट्रीय नवीकरण निधि का समुचित उपयोग करेंगे, और जहां तक सम्भव हो वहां तक अपनी अतिरिक्त मानवशक्ति अर्थात् कर्मचारियों का पुर्ननियोजन करेंगे ताकि लागत को कम किया जा सके और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपभोक्ता-लागत की कम वसूली की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए खराब वित्तीय निष्पादन होता है। लागत-वसूली और विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए निवेश योग्य पर्याप्त संसाधनों के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए लाभकारी मूल्य के निर्धारण की अब एक नीति होनी चाहिए, ताकि संरचनात्मक विकास हो सके। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी लम्बी अवधि की सामूहिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, जिनमें निजी देशी एवं विदेशी भागीदारों के साथ नीतिगत संबंधों को शामिल किया जा सके। इससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होगा और वे आधुनिकतम तकनीक भी अपना सकेंगे।

अध्याय-9

सामाजिक क्षेत्र

भारत की विशाल मानविक संभाव्यताओं का विकास, आर्थिक विकास, समानता और आत्मनिर्भरता के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में काफी कुछ निष्पन्न हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। चूंकि, अर्थव्यवस्था अभी बड़े भारी आर्थिक संकट से उभरी है और एक मजबूत, व्यापक विकास के मार्ग से गुजर रही है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को पुनर्बलित करना और इस संक्रमण काल के दौरान संरचनात्मक समायोजनों और स्थिरीकरण की नीतियों के कठोर नियंत्रणों से समाज के कमजोर एवं निर्धनतम वर्गों को संरक्षित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. इन अनिवार्यताओं को जानते हुए सरकार ने पिछले दो बजटों में सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्र के आयोजना आबटनों में भारी वृद्धि की है। जैसा कि सारणी 9.1 दर्शाती है, पिछले दो वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए परिव्यय में 84 प्रतिशत और प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिव्यय में 78 प्रतिशत की वृद्धि सहित शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन में 62 प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के लिए आबंटन में 91 प्रतिशत वृद्धि की गई। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में, जिसके परिवेष्टन में गरीबी उन्नमूलन और रोजगार सृजन के प्रमुख कार्यक्रम आते हैं, पिछले दो वर्षों के दौरान 126 प्रतिशत की वृद्धि करके 1994-95 (ब०अ०) में 7,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। वर्ष 1993-94 में रोजगार बीमा योजना और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना नामक दो नयी योजनाएं आरम्भ की गयी थीं जिनको सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ विस्तार भी किया जा रहा है।

सारणी 9.1

सामाजिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग/योजना	1992-93		1993-94		1994-95	प्रतिशत में बदलाव	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	1994-95 बजट अनुमान 1993-94 बजट अनुमान	1994-95 बजट अनुमान 1992-93 बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1. शिक्षा	952	964	1310	1314	1541	17.6	61.9
जिसमें :							
(क) प्राथमिक शिक्षा	284	307	442	389	523	18.3	84.2
(ख) प्रौढ़ शिक्षा	120	98	178	178	214	20.2	78.3
2. स्वास्थ्य	302	383	483	402	578	19.7	91.4
3. परिवार कल्याण	1000	1190	1270	1523	1430	12.6	43.0
4. महिला और बाल विकास जिसमें :	452	481	569	573	662	16.3	46.5
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	360	372	474	474	537	13.3	49.2
5. कल्याण	530	532	630	747	705	11.9	33.0

1	2	3	4	5	6	7	8
6. ग्रामीण विकास	3100	3596	5010	5438	7010	39.9	126.1
जिसमें :							
(क) जवाहर रोजगार योजना	2046	2545	3306	3306	3855	16.6	88.4
(ख) रोजगार बीमा योजना	—	—	*	438	1200	—	—
(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम@	390	394	654	657	675	3.2	73.1
(घ) ग्रामीण जलापूर्ति और स्वास्थ्य	480	481	770	770	950	23.4	97.9
7. अन्य कार्यक्रम :							
(क) नेहरू रोजगार योजना	71	71	75	75	70	−6.7	−1.4
(ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना	45	40	40	38	**	—	—
(ग) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना	—	—	*	35	145	—	—
जोड़ (अन्यों सहित)	48407		63936		70141	9.7	44.9

**प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के साथ एकीकृत।

*2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गयी स्कीमों के लिए संशोधित अनुमानों के चरण में व्यवस्था की गयी। रोजगार बीमा योजना के लिए संशोधित अनुमान 600 करोड़ रुपए और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लिए 35 करोड़ रुपए था।

@ग्रामीण विकास विभाग और योजना आयोग के अनुसार बजट-अनुमान। ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल बजट अनुमान में ही ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया। बजट दस्तावेजों में बजट अनुमान वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्रमशः 375 करोड़ रुपए, 630 करोड़ रुपये और 624 करोड़ रुपये की राशि के थे।

स्रोत : बजट दस्तावेज और सम्बद्ध विभाग।

3. सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजना के आवंटनों में इन प्रमुख वृद्धियों के अतिरिक्त सरकार ने अपनी आर्थिक सुधार की नीतियों में एक चिरस्थायी एवं रोजगार में तेजी से विकास के संवर्धन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप योजना आयोग द्वारा अनुमानित, अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार वृद्धि संभवतः 1992-93 और 1993-94 के प्रत्येक वर्ष में 1991-92 के संकटग्रस्त वर्ष में केवल मात्र 3 मिलियन की तुलना में बढ़कर लगभग 6 मिलियन के स्तर पर दुगुनी हो गयी है। 1994-95 में समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण गति आने के कारण कुल रोजगार में वृद्धि का अनुमान आनुपातिक आधार पर अधिक लगाया जा सकता है।

4. सारणी 9.2 में मानव विकास के बुनियादी निर्देशकों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली के वार्षिक आंकड़ों में वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों को अधिक महत्व न देते हुए यह ध्यान देना अपेक्षाकृत अच्छा होगा कि अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर 1993 में गिरावट की प्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व 1991 और 1992 के संकटकालीन वर्षों में वास्तव में स्थिर रही थी। इसी प्रकार, वर्ष 1993 में मृत्यु दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति आने से पूर्व 1991 और 1992 के वर्षों में यह मामूली सी बढ़ी थी। ये अस्थायी प्रवृत्तियां इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि जबकि 1991-92 के आर्थिक संकट द्वारा सामान्य रहन-सहन का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था तो उसके पश्चात् आए सुधार का व्यापक लाभकारी प्रभाव पड़ा है।

सारणी 9.2

मानव विकास के बुनियादी संकेतक

वर्ष	जन्म के समय जीवन की संभावना@ वर्ष	साक्षरता दर@@ (प्रतिशत)	जन्म दर** (प्रति हजार)	मृत्यु दर** (प्रति हजार)	शिशु मृत्यु दर* (प्रति हजार जीवित जन्म)	1980-81 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद‡ (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
1951	32.1	18.3	39.9	27.4	146	1127
1961	41.3	28.3	41.7	22.8	146	1350
1971	45.6	34.5	41.2	19.0	129	1520

1	2	3	4	5	6	7
1981	50.4	43.6	37.2	15.0	110	1630
1982	उ.न.	उ.न.	33.8	11.9	105	1693
1983	55.4	उ.न.	33.7	11.9	105	1691
1984	उ.न.	उ.न.	33.9	12.6	105	1790
1985	उ.न.	उ.न.	32.9	11.8	97	1811
1986	उ.न.	उ.न.	32.6	11.1	96	1841
1987	उ.न.	उ.न.	32.2	10.9	95	1870
1988	57.7	उ.न.	31.5	11.0	94	1901
1989	उ.न.	उ.न.	30.6	10.3	91	2059
1990	उ.न.	उ.न.	30.2	9.7	80	2157
1991	उ.न.	52.2	29.5	9.8	80	2223
1992	60.8	उ.न.	29.2	10.1	79	2178
1993 अ०	उ.न.	उ.न.	28.5	9.2	74	2226

उ.न. = उपलब्ध नहीं   अ. = अनन्तिम

@वर्ष 1951, 1961, 1971 और 1981 के आंकड़े क्रमशः 1941–50, 1951–60, 1961–70 और 1971–80 के दशकों से संबंधित हैं जिनका केन्द्र बिन्दु दशक का मध्य है अर्थात् 1946, 1956, 1966 और 1976। वर्ष 1983 के लिए यह 1981–85 से संबंधित है जिसका केन्द्र बिन्दु 1981 है। वर्ष 1988 पर केन्द्रित अनुमान वर्ष 1986–90 की अवधि से सम्बद्ध हैं। वर्ष 1992 के लिए यह जनसंख्या पूर्वानुमान पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति के बहिर्वेशित मूल्यों पर, जून, 1992 को केन्द्रित मानते हुए आधारित है।

@@1951, 1961 और 1971 के आंकड़े 5 वर्ष और अधिक की आयु वाली जनसंख्या से संबंधित हैं और 1981 तथा 1991 के आंकड़े 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या से संबंधित हैं। इन आंकड़ों में वर्ष 1981 में असम और 1991 में जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं है।

*वर्ष 1951, 1961, 1971 और 1981 के आंकड़े क्रमशः 1941–50, 1951–60, 1961–70 और 1971–80 के दशकों से संबंधित हैं। वर्ष 1981 से आगे के अनुमान नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित है।

‡वित्तीय वर्ष 1950–51, 1960–61 और इसी प्रकार आगे के वर्षों से संबंधित हैं।

स्रोत: (i) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त।
(ii) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

5. मानव विकास के संकेतकों में व्यापक अन्तर-राजीय असमानताएं हैं (सारणी 9.3)। उदाहरणार्थ, केरल में जन्म पर संभावित जीवनावधि 69.5 वर्ष और पुरुष साक्षरता दर 93.6 प्रतिशत है, जो बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां जीवनावधि में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने अपेक्षित है, की तुलना में ऊंचे स्तरों पर है। इसी प्रकार, केरल में शिशु मृत्यु दर 13 प्रति हजार है जो 74 प्रति हजार के अखिल भारतीय अनुमान के पांचवें भाग से भी कम है और मध्यप्रदेश और उड़ीसा में विद्यमान दरों के आठवें भाग से भी कम है। वास्तव में, केरल में मानव विकास के संकेतकों की तुलना चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका जैसे अनेक एशियाई विकासशील देशों के साथ की जा सकती है जिन्होंने मानव विकास में काफी अच्छा कार्य किया है (सारणी 9.4)।

सारणी 9.3

प्रमुख राज्यों के मानव विकास के चयनित संकेतक*

राज्य	जन्म के समय जीवन की संभावना @(वर्ष 1986–90)	साक्षरता दर 1991**			शिशु मृत्यु दर£ (वर्ष 1993 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनन्तिम अनुमान) (प्रति हजार)	मृत्यु दर	जन्मदर
		जोड़	पुरुष (प्रतिशत)	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	59.1	44.09	55.13	32.72	64	8.4	24.1
2. असम	53.6	52.89	61.87	43.03	81	10.2	29.5
3. बिहार	54.9	38.48	52.49	22.89	70	10.6	32.1

1	2	3	4	5	6	7	8
4. गुजरात	57.7	61.29	73.13	48.64	58	8.1	28.0
5. हरियाणा	62.2	55.85	69.10	40.47	65	7.8	30.6
6. कर्नाटक	61.1	56.04	67.26	44.34	67	8.0	25.5
7. केरल	69.5	89.81	93.62	86.17	13	6.0	17.3
8. मध्य प्रदेश	53.0	44.20	58.42	28.85	106	12.6	33.4
9. महाराष्ट्र	62.6	64.87	76.56	52.32	50	7.2	25.0
10. उड़ीसा	54.4	49.09	63.09	34.68	110	12.2	27.2
11. पंजाब	65.2	58.51	65.66	50.41	55	7.9	26.3
12. राजस्थान	55.2	38.55	54.99	20.44	82	9.0	33.6
13. तमिलनाडु	60.5	62.66	73.75	51.33	56	8.0	19.2
14. उत्तर प्रदेश	53.4	41.60	55.73	25.31	93	11.4	36.0
15. पं० बंगाल	60.8	57.70	67.81	56.56	58	7.3	25.6
अखिल भारत	57.7	52.21	64.13	39.29	74	9.2	28.5

*प्रमुख राज्यों में वे राज्य शामिल हैं जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन और उससे अधिक है।

@आंकड़े नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा अनुमानित 1986-90 की अवधि के औसत से संबंधित है जिनका केन्द्र 1988 है।

**वर्ष 1991 के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाली जनसंख्या से सम्बद्ध है तथा अखिल भारतीय आंकड़ों में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है।

£शिशु मृत्यु दर।

स्रोत : (1) कालम 2, 6, 7 और 8--भारत के महापंजीयक, नमूना पंजीकरण प्रणाली के वर्ष 1994 का प्रासंगिक पत्र संख्या-1.
(2) कालम 3, 4 और 5--वर्ष 1991 की जनगणना अंतिम जनसंख्या के जोड़ पर आधारित हैं, भारत के महापंजीयक के वर्ष 1992 का पत्र संख्या 2, शृंखला-1।

सारणी 9.4

कुछ एशियाई देशों के मानव विकास के संकेतक-1992

देश	जन्म के समय जीवन की संभावना (वर्षों में)	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म दर)	प्रौढ़ साक्षरता (प्रतिशत)
1	2	3	4
चीन	70.5	27	80.0
इंडोनेशिया	62.0	66	84.4
भारत	60.8	74	52.2
केरल राज्य (भारत)	69.5	13	89.8
मलेशिया	70.4	14	80.0
फिलीपीन्स	64.6	40	90.4
पाकिस्तान	58.3	99	36.4
कोरिया गणराज्य	70.4	21	96.8
सिंगापुर	74.2	8	92.0
श्रीलंका	71.2	24	89.1
थाईलैण्ड	68.7	26	93.8

टिप्पणी : भारत और केरल राज्य के अनुमान सारणी 9.2 और 9.3 से लिए गए हैं।
स्रोत : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-मानव विकास रिपोर्ट, 1994

6. गरीबी का प्रभाव जो 1983-84 में 37.4 प्रतिशत था, वर्ष 1987-88 में गिरकर 29.9 प्रतिशत रह गया (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 48वें दौर पर हाल ही में जारी किए गए योजना आयोग के आधिकारिक अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है)। ये समग्र देश के औसत हैं और इसमें राज्यों के बीच आने वाली विसंगतियों को दूर करने का प्रयास है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 1987-88 में लगभग 7 से 12 प्रतिशत तक गरीबी का निम्नतम प्रभाव रहा जबकि इसके मुकाबले बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी में रहते हैं (सारणी 9.5)। यह निर्दिष्ट करता है कि पूरे देश में गरीबी के अनुपात में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से जनसंख्या बाहुल्य वाले राज्यों में जहां जनसंख्या का काफी अधिक समानुपात गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है, गरीबी को कम करने के लिए अनवरत प्रयास करने होंगे।

सारणी 9.5

गरीबी की रेखा से नीचे वाली जनसंख्या की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत

राज्य	1983-84		1987-88	
	जनसंख्या (लाख)	प्रतिशत	जनसंख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	205.1	36.4	199.7	31.7
2. असम	49.8	23.5	52.9	22.8
3. बिहार	365.5	49.5	336.4	40.8
4. गुजरात	87.6	24.3	73.3	18.4
5. हरियाणा	27.7	15.6	18.2	11.6
6. हिमाचल प्रदेश	6.1	13.5	4.5	9.2
7. जम्मू और कश्मीर	10.3	16.3	9.8	13.9
8. कर्नाटक	137.6	35.0	136.5	32.1
9. केरल	71.5	26.8	49.0	17.0
10. मध्य प्रदेश	254.9	46.2	224.9	36.7
11. महाराष्ट्र	232.0	34.9	214.1	29.2
12. मणिपुर	1.9	12.3	@	@
13. मेघालय	4.0	28.0	@	@
14. उड़ीसा	118.1	42.8	135.1	44.7
15. पंजाब	24.4	13.8	13.9	7.2
16. राजस्थान	126.2	34.3	99.5	24.4
17. तमिलनाडु	200.2	39.6	176.9	32.8
18. त्रिपुरा	5.1	23.0	@	@
19. उत्तर प्रदेश	530.6	45.3	448.3	35.1
20. पश्चिम बंगाल	255.1	39.2	173.5	27.6
21. छोटे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	32.3	27.1	14.2	7.7
अखिल भारत	2710.0	37.4	2370.7	29.9

@ छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल है।

टिप्पणियां :

(1) वर्ष 1983-84 के अनुमान 1983-84 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 101.8 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की गरीबी रेखा का प्रयोग करके और शहरी क्षेत्रों के लिए 117.5 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का प्रयोग करके निकाले गए हैं, जिसके तदनुरूप 1973-74 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के अनुमान क्रमशः 49.1 रुपए और 56.6 रुपए थे।

(2) वर्ष 1987-88 के अनुमान 1987-88 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 131.8 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा और 150.1 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग करके निकाले गए हैं जिसके तदनुरूप 1973-74 में गरीबी की रेखा से नीचे के अनुमान क्रमशः 49.1 रुपए और 56.6 रुपए थे।

(3) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1 मार्च, 1984 और 1988 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या से संबंधित है।

स्रोत : योजना आयोग

7. खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने वाली औसत वास्तविक कृषि मजदूरी में सम्पूर्ण देश में वर्ष 1991-92 (कृषि वर्ष जुलाई-जून) के संकटकालीन वर्ष में 5 प्रतिशत की गिरावट आयी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि 1992-93 और 1993-94 के सुधार के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई जो 1991-92 में आई गिरावट की अपेक्षा काफी सीमा तक क्षतिपूरक रही। राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक मजदूरी में आए परिवर्तन काफी सीमा तक सम्पूर्ण देश में अवलोकित प्रवृत्तियों के अनुरूप रहे। केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां वास्तविक मजदूरी में 1—6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सभी चुनिंदा राज्यों में वर्ष 1991-92 (कृषि वर्ष जुलाई से जून) में 4—15 प्रतिशत के बीच गिरावट आई (सारणी 9.6)। अनुवर्ती वर्ष 1992-93 में बिहार, कर्नाटक और राजस्थान के अतिरिक्त सभी राज्यों में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1993-94 के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में जहां वास्तविक मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई वहीं असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसमें गिरावट आयी। इन प्रवृत्तियों से प्रकट होता है कि इन विभिन्न राज्यों में प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों का संभवतः कृषि मजदूरी पर वैसा ही प्रभाव है जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर वृहद-आर्थिक उतार-चढ़ावों का है

सारणी 9.6

चुनिंदा राज्यों में अकुशल खेतिहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में प्रतिशत परिवर्तन

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94(अ०)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	(+) 1.1	(—) 11.4	(+) 1.6	(+) 8.7
असम	(+) 5.4	(—) 8.9	(+) 0.8	(—) 6.7
बिहार	(+) 4.2	(—) 4.5	(—) 4.7	(+) 5.9
गुजरात	(—) 0.8	(—) 4.3	(+) 7.7	(+) 3.0
कर्नाटक	(—) 3.1	(—) 13.1	(—) 14.4	(+) 41.3
केरल	(+) 5.2	(+) 4.1	(+) 9.7	(—) 2.9
मध्य प्रदेश	(+) 6.8	(—) 3.9	(+) 12.3	(—) 3.7
महाराष्ट्र	(+) 6.8	(—) 14.7	(+) 0.5	(+) 26.1
उड़ीसा	(+) 9.4	(—) 6.5	(+) 10.7	—
पंजाब	(+) 3.9	(+) 3.8	(+) 4.1	(+) 1.6
राजस्थान	(+) 0.7	(+) 5.6	(—) 3.3	(—) 7.6
तमिलनाडु	(+) 2.6	(—) 5.1	(+) 13.4	(+) 11.3
उत्तर प्रदेश	(—) 3.5	(+) 1.4	(+) 7.6	(—) 7.0
पश्चिम बंगाल	(—) 6.1	(—) 6.2	(+) 24.3	(—) 6.4
अखिल भारत	(+) 1.1	(—) 5.3	(+) 5.6	(+) 3.6

अ०—अनन्तिम

टिप्पणी: वर्तमान मूल्यों पर अकुशल खेतिहर मजदूरों की औसत मजदूरी दरों से संबंधित सामान्य आंकड़े कृषि मंत्रालय, आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय से लिए गए हैं। उन्हें खेतिहर मजदूरों के लिए राज्य स्तर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ अपस्फीत करके वास्तविक मजदूरी में परिवर्तित कर दिया है। कृषि वर्ष (जुलाई-जून) के लिए वास्तविक मजदूरी को अनुमानित करके पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन निकाले गए हैं।
स्रोत: कृषि और श्रम मंत्रालय।

8. कमजोर वर्गों के हक में कुछ एक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाते हुए उनका पुनरानुकूलन किया गया है। गरीबी दूर करने और रोजगार बढ़ाने के विशेष कार्यक्रमों में तथा अन्य अनेक कार्यक्रमों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को जो न्यूनतम जातिगत महत्व मिलना चाहिए, दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1775 खंडों में फिर से दुरुस्त किया गया है। 1994-95 के दौरान 700 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) का प्रावधान राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए किया गया है जिसकी स्थापना 1991-92 में संरचनात्मक समायोजन की प्रक्रिया में क्षति-पूर्ति, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन जैसी सुविधाएं प्रदान करते हुए विद्यमान सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी थी।

सारणी 9.7

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर£

श्रेणी	1981*			1991*		
	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7
(1) अनुसूचित जातियाँ	21.38	31.12	10.93	37.41	49.91	23.76
(2) अनुसूचित जनजातियां	16.35	21.52	8.04	29.60	40.65	18.19
(3) सभी श्रेणियां	43.67	56.50	29.85	52.21	64.13	39.29

£साक्षरता दर 7 वर्ष और उसके अधिक आयु वाली जनसंख्या से संबंधित है।
*इसमें 1981 में असम को और 1991 में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: "सभी के लिए शिक्षा" भारतीय परिदृश्य 1993, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

9. जैसा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जान लिया गया था कि उत्पादनकारी रोजगार के अवसरों का तीव्रतापूर्वक और अनवरत विकास तथा गरीबी दूर करने एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाना, गरीबी को कम करने की कारगर नीति के अनिवार्य संघटक हैं। इन उद्देश्यों का सफलतापूर्वक अनुसरण करने के लिए एक ठोस राजकोषीय आधार और सार्वजनकि सरकारी व्ययों का स्पष्टतः प्राथमिकीकरण किया जाना आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्रों और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए अधिक मात्रा में संसाधनों को जारी करने के लिए ऐसे अन्य क्रियाकलापों पर सहायता को नियंत्रित करना पड़ेगा जिसे प्राइवेट क्षेत्र द्वारा लाभप्रद तरीके से संचालित किया जा सकता है।

साक्षरता और शिक्षा

10. शिक्षा समग्र रूप से विकास की प्रक्रिया से सम्बद्ध है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साक्षरता दर, जो 1951 में 18.3 प्रतिशत थी वह 1991 में बढ़कर 52.2 प्रतिशत हुई है (सारणी 9.2)। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी 1950-51 में 2.09 लाख से बढ़कर 1993-94 में 5.73 लाख हुई है। इसी अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या भी 27 से बढ़कर 169 हुई है।

11. मुख्य चिन्ता का विषय साक्षरता में लिंग-वार अन्तर है। 1991 में महिला साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत थी जबकि इसके मुकाबले पुरुषों की साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत थी (सारणी 9.7)। राज्यों के बीच भी साक्षरता दर में बहुत अन्तर है, जैसे कि 1991 में केरल में महिला साक्षरता 86.2 प्रतिशत थी तो राजस्थान में महिला साक्षरता मात्र 20.4 प्रतिशत थी (सारणी 9.3)। यही स्थिति पुरुष साक्षरता के विषय में भी विद्यमान है। अनुसूचित जाति के विषय में साक्षरता दर 1981 में 21.4 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 37.4 प्रतिशत हुई है। अनुसूचित जन जातियों में यह 1981 में 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 29.6 प्रतिशत हुई है (सारणी 9.7)।

12. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V तक) में सकल पंजीकरण अनुपात 1950-51 में 42.6 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 104.5 प्रतिशत और प्राथमिक स्तर से ऊपर (कक्षा VI से VIII तक) यह 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 67.7 प्रतिशत हुआ है। तथापि, प्रमुख राज्यों के बीच सकल पंजीकरण अनुपात में काफी अधिक अन्तर है। प्राथमिक स्तर में सकल पंजीकरण अनुपात जबकि बिहार में 76.1 प्रतिशत है तो इसके मुकावले तमिलनाडु में यह 145.0 प्रतिशत है (सारणी 9.8)।

13. 16 दिसम्बर, 1993 को "सभी के लिए शिक्षा" पर अधिक जनसंख्या वाले नौ देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें "सभी के लिए शिक्षा" को एक वास्तविकता बनाने के लिए कार्यवाई की रूपरेखा और घोषणा के रुप में दिल्ली को अपनाया गया। जनसांख्यिकीय और अन्य जटिल आधारिक वास्तविकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत में "सभी के लिए शिक्षा" पर तैयार किए गए लक्ष्यों को बाक्स 9.1 में विस्तार से बताया गया है:—

14. दिल्ली घोषणा में निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने और साक्षरता पर एन० डी० सी० समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाई करने के लिए फरवरी, 1994 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने और प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की ओर से समन्वित तथा सहयोजित कार्यवाई करने पर जोर दिया गया था।

15. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। विश्व बैंक, छः राज्यों यथा असम, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के 23 जिलों

में इस कार्यक्रम को सहायता देने के लिए 260 मिलियन अमरीकी डालर का आई०डी०ए० ऋण प्रदान कर रहा है। यूरोपीय समुदाय भी मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सहायता देने के लिए 150 मिलियन ई०सी०यू० (585 करोड़ रुपए) का ऋण प्रदान कर रहा है।

16. संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिसकी नीति का मूल उद्देश्य निरक्षरता समाप्त करना है, का विस्तार करके उसमें 282 जिलों को और साक्षरता-पश्च अभियान में 105 जिलों को शामिल किया गया है। इन अभियानों क्रियाकलापों को अब उन हिन्दी भाषी राज्यों में क्रियान्वित किया गया है जिनकी अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। अगस्त, 1994 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 58.07 मिलियन लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है।

सारणी 9.8

प्रमुख राज्यों में कक्षा I से V और VI से VIII में पंजीकरण का सकल अनुपात* 1992-93

(प्रतिशत)

राज्य	प्राथमिक (I से V)			प्राथमिक कक्षा से ऊपर VI-VIII		
	बालक	बालिका	जोड़	बालक	बालिका	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	116.4	100.1	108.4	73.9	53.1	63.7
असम	134.4	125.3	130.0	89.3	65.5	77.7
बिहार	95.9	54.4	76.1	47.4	21.00	34.7
गुजरात	131.4	106.0	119.1	82.8	55.5	69.6
हरियाणा	109.7	95.6	102.8	81.8	59.2	70.9
कर्नाटक	124.3	115.2	119.9	72.4	57.2	65.2
केरल	103.8	100.8	102.3	108.3	105.7	107.8
मध्य प्रदेश	116.7	91.3	104.5	82.5	50.0	66.5
महाराष्ट्र	123.6	115.0	119.4	89.0	71.8	80.7
उड़ीसा	116.8	77.6	96.8	67.5	46.9	57.8
पंजाब	92.0	88.1	90.6	71.8	63.4	67.8
राजस्थान	119.3	60.9	91.8	76.8	28.9	53.6
तमिलनाडु	149.0	140.8	145.0	111.3	91.0	101.4
उत्तर प्रदेश	103.9	72.8	89.3	72.2	35.4	55.9
पश्चिम बंगाल	124.7	123.00	123.9	98.2	89.1	93.9
अखिल भारत	115.3	92.9	104.5	79.3	55.2	67.7

*1991 की जनगणना के अनुसार प्रमुख राज्यों में 1 करोड़ और उसके अधिक जनसंख्या वाले राज्य शामिल हैं।

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

17. महिलाओं की शिक्षा सदैव प्राथमिकता का विषय रहा है। अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में लिंग का सरोकार रखा जाए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण में बालिकाओं के करण जीप तथा प्रतिरक्षण पर तथा महिला अध्यापिकाओं की भर्ती में और पाठ्यचर्या में लिंग के पूर्वाग्रह को समाप्त करने पर भी जोर दिया गया है। नवीकृत ब्लैक बोर्ड स्कीम में कम से कम 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाओं की भर्ती के लिए व्यवस्था की गयी है और अनन्य रूप से बालिकाओं के लिए आरक्षित केन्द्रों को 90 प्रतिशत सहायता दी जा रही है।

18. शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना आबंटन (ब.अ.) जो 1992-93 में 952 करोड़ रुपए था, 1993-94 में बढ़ा 1310 करोड़ रुपए और उसके बाद 1994-95 में 1541 करोड़ रुपए कर दिया गया। केन्द्र और राज्यों द्वारा वर्ष 1992-1993 में शिक्षा पर योजना और योजना-भिन्न कुल सरकारी व्यय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा शिक्षा पर हुए व्यय सहित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.2 प्रतिशत था। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, जो गरीब लोगों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, के लिए आबंटनों में काफी पर्याप्त वृद्धि करके अन्तर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में हाल ही में आया बदलाव है। प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा पर केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल योजना व्यय (राजस्व) का हिस्सा जो 1990-91 में 48 प्रतिशत था 1993-94 में बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया गया है। यह प्रवृत्ति सही दिशा में उठाया गया कदम

बाक्स 9.1

सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य

1. परिवारों, समुदायों और उपयुक्त संस्थाओं को अन्तर्वेष्ठित करते हुए बहु-आयामी प्रयासों के माध्यम से विशेष रूप से निर्धन, लाभ वंचित और विकलांग बच्चों के लिए आरम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या और विकास क्रियाकलापों का विस्तार ।

2. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, जो निम्नलिखित के लिए मिश्रित कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है :—

   * 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता ।
   * जब तक वे औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के स्तर को पूरा नहीं कर लेते तब तक सार्वभौमिक भागीदारी ; और
   * शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को सार्वभौमिक रूप से प्राप्त किया जाना ।

3. निरक्षरता में अत्यधिक कमी, विशेष रूप से 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में । इस आयु वर्ग में साक्षरता के स्तर को प्रत्येक लिंग में और प्रत्येक अभिज्ञात लाभ-वंचित समूह के लिए भी इसे कम से कम 80 प्रतिशत तक लाया गया है, इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पढ़ाई, लिखाई और गणित के स्तर भी लोगों के रहन-सहन और उनके कार्य करने की स्थितियों के अनुकूल हों।

4. उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कार्यात्मक दृष्टि से साक्षर है तथा जिन्होंने औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, बौद्धिक ज्ञान के विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा उन्नत शिक्षा का उपयोग करने एवं अवसरों की व्यवस्था को बनाए रखना ।

5. आवश्यक संरचनाओं का सृजन करना तथा ऐसी प्रक्रियाओं को गतिशील बनाए रखना जो महिलाओं को समर्थ बनाए तथा शिक्षा को महिलाओं की समानता का एक साधन बनाए ।

6. शिक्षा के परिमाण और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार लाते हुए इसे सामयिक परिस्थितियों, लोगों की संस्कृति तथा उनके रहन-सहन तथा कार्य करने की स्थितियों के साथ बेहतर तरीके से सम्बद्ध करते हुए उनकी सीखने की योग्यता को बढ़ाते हुए जीविकोपार्जन तथा पारिस्थितिक समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम बनाए ।

19. शैक्षिक संस्थाओं के वित्त पोषण में सरकार का हिस्सा बहुत अधिक है । 1985-86 में यह शैक्षिक संस्थाओं की कुल आय का लगभग 88 प्रतिशत था, जबकि शैक्षिक संस्थाओं से फीस और धर्मादा तथा अन्य स्रोतों के हिस्से में तेजी से गिरावट आई है (सारणी 9.9)।

सारणी 9.9

सभी शैक्षणिक संस्थाओं के आय-स्रोत

(प्रतिशत)

वर्ष	सरकारी धनराशियां (केन्द्र और राज्य)	स्थानीय निकायों की धनराशियां	विश्वविद्यालय की धनराशियां	जोड़ सरकारी (2+3+4)	शुल्क	दान और अन्य स्रोत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1950-51	57.05	10.93	—	67.99	20.39	11.62	100.00
1960-61	67.97	6.53	—	74.50	17.14	8.35	100.00
1970-71	75.65	4.34	1.36	81.35	12.81	5.85	100.00
1980-81	81.70	4.71	1.37	87.78	8.20	4.03	100.00
1983-84	81.51	5.61	1.61	88.73	7.50	3.78	100.00
1984-85	79.98	5.40	2.08	87.46	6.47	6.07	100.00
1985-86	80.29	5.23	2.15	87.67	6.27	6.06	100.00

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

20. चूंकि शिक्षा पर उसके अनुरक्षण व्यय सहित व्यय का काफी बड़ा भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है इसलिए उन्हें व्यय को पुन: प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने राजकोषी अनुशासन को मजबूत बनना होगा । सार्वजनिक कार्यों पर खर्चों के अतिरिक्त शिक्षा के सामुदायिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित किए जाने की की आवश्यकता है । समग्र राजकोषीय अड़चनों को दृष्टि रखते हुए इस क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा के उच्च स्तरों पर फीसों और अन्य उपभोक्ता प्रभारों में संशोधन करते हुए प्रचुर मात्रा में संसाधन जुटाने की की आवश्यकता है ।

जनसंख्या और परिवार कल्याण

21. जनसांख्यिकीय गतिविधि एवं सामाजिक-आर्थिक प्रगति के बीच सम्बन्ध स्थापित करके समग्र विकास संबंधी लक्ष्यों के अन्तर्गत एकीकृत जनसंख्या नीतियों के महत्व को सितम्बर, 1994 में काहिरा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन में में पुनः दोहराया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन की सिफारिशों में जीवन के स्तर में सुधार लाने के एक साधन के रूप में महिलाओं को समर्थ बनाने पर भी बल दिया गया । ये सिफारिशें पूरी तरह से जनसंख्या और विकास के सम्बन्ध में भारत की नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप हैं ।

22. अपनायी गयी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता मिली है । कुल प्रजनन दर, जो किसी महिला के प्रजनन काल के दौरान उसके बच्चों की औसत संख्या को मात्रा है, 1971 में 5.2 से घटकर 1992 में 3.6 रह गयी। एस.आर.एस. के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, अशोधित जन्मदर 1971 में 41.2 प्रति हजार से घटकर 1993 में 28.5 प्रति हजार हो गयी । इसी अवधि के दौरान अशोधित मृत्यु दर भी 19 प्रति हजार से घटकर 9.2 प्रति हजार हो गई । शिशु मृत्यु दर 1992 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 79 से घटकर 1993 में 74 रह गई। इससे परिवार कल्याण कार्यक्रम के मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सघटक की सफलता का आंशिक रूप से पता चलता है । वर्ष 1981—91 की अवधि के दौरान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत रही, जो 1971—81 की अवधि के दौरान 2.22 की वृद्धि दर से मामूली सी कम है ।

23. तथापि, राज्यों के बीच में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन में काफी अधिक भिन्नताएं हैं । केरल एवं तमिलनाडु जैसे कुछ दक्षिणी राज्यों ने समानता की निवल प्रजनन दर पहले ही प्राप्त कर ली है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर 2011–16 ई. की अवधि के दौरान प्राप्त किये जाने का अनुमान है । बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है । इसलिए कम निष्पादन वाले राज्यों/जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने की तत्काल आवश्यकता है ।

24. लिंग-अनुपात में गिरावट से सम्बन्धित जन्म-पूर्व यौन-निर्धारण तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग की रोकथाम) विधेयक, 1991 को 1994 में वर्षा सत्र के दौरान संसद ने पारित कर दिया था । इस अधिनियम में विशिष्ट परिस्थितियों और मान्य संस्थानों में ही महिलाओं पर जन्म-पूर्व रोग-निदान तकनीकों को प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त है । कानून का उल्लंघन करने पर संस्थानों के स्वामियों, डाक्टरों एवं परीक्षण करने वाले दूसरे कर्मचारियों और गर्भवती महिला के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी दण्ड निर्धारित किए गये हैं ।

25. जनसंख्या दर एन.डी.सी. समिति की सिफारिशों के अनुसरण में डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मसौदे को प्रस्तुत कर दिया है, जिसको 14 जून, 1994 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा

26. इस बात पर विचार किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वास्थ्य सेवाएं संपूर्ण जन-संख्या तक पहुंचनी चाहिएं । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को अपनाने के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को एक मुख्य साधन के रूप में स्वीकार किया गया है।

27. आर्थिक सुधारों को आरम्भ करने से स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय वर्ष 1992–93 में 302 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) से बढ़कर 1993–94 में 483 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) हो गया, इसके पश्चात् 1994-95 में यह बढ़कर 578 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) हो गया। आयोजना परिव्यय के पर्याप्त हिस्से में मुख्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के आबंटन शामिल हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान 578 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में से मलेरिया (90 करोड़ रुपए), क्षयरोग (46 करोड़ रुपए), कुष्ठ रोग (94 करोड़ रुपए), रोहा अन्धता (40 करोड़ रुपए) और एड्स (82.55 करोड़ रुपए) जैसी प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण के लिए आबंटन किए गए हैं ।

28. चेचक उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है । हैजा और कुछ अन्य बीमारियों के कारण अस्वस्थता दर में पर्याप्त रूप से गिरावट आयी है, फिर भी कई

संक्रामक बीमारियों के कारण रुग्णता और विकलांगता अभी भी बहुत अधिक है। अभी हाल में फैले प्लेग के कारण देश में और देश के बाहर लोगों में आतंक उत्पन्न हो गया, जिसके कारण चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा। तथापि, सरकार द्वारा तुरन्त कदम उठाए जाने से विकृतियों पर काबू पाकर सामान्यावस्था लाई गयी।

29. वर्ष 1994-95 के दौरान आदिवासी जनसंख्या वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों में मलेरिया का नियंत्रण करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस पर प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। केन्द्रीय सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल को 20 करोड़ रुपए मूल्य की डी.डी.टी. एवं काला आजार निरोधी दवाईयां प्रदान कर रही है। इसके परिणाम-स्वरूप, वर्ष 1992-93 की तुलना में 1993-94 में बिहार में काला आजार से होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत कमी हुई है।

30. गत वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की संरचना में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है (सारणी 9.10)। चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत मानव शक्ति के आधार पर अनुभव की गई आत्म-निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान नये मेडिकल कालिज खोलने का निर्णय लिया गया था। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1943, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ही नये मेडिकल कालिज खोले जा सकते हैं। ऐसा इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि देश में निम्न स्तर के मेडिकल कालिजों की संख्या में कुकुरमुत्ता की तरह हो रही वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके।

31. स्वास्थ्य क्षेत्र के संसाधन आधार का संवर्धन करने के लिए उपचार एवं परामर्श स्वास्थ्य सेवाओं पर उपयुक्त उपभोक्ता-प्रभार, उन लोगों पर जो वहन कर सकते हैं, लगाना भी आवश्यक है। इससे मूल स्वास्थ्य सुविधाओं के सार्वजनिक वित्तपोषण को सरल बनाये बिना ही बेहतर कोटि की सेवाएं प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी, जिनकी आय में वृद्धि होने के साथ-साथ मांग बढ़ रही है।

महिला एवं बाल विकास

32. महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और उनके बौद्धिक स्तर को उन्नत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन देने की स्कीम को आरम्भ किए जाने

सारणी 9.10

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

(संख्या में)

मद	1951	1961	1971	1981	1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6	7	8
1. मेडिकल कालिज**	28*	60	98	111	128	146	146
2. अस्पताल**	2694	3094	3862	6804	11174	13692	उ०न०
3. औषधालय**	6515	9406	12180	16751	27431	27403	उ०न०
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र@	0	0	0	217	2071	2193	2289
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र@	725	2565	5112	5740	20450	20719	21009
6. उप-केन्द्र@	—	—	28489	51405	130958	131464	131471
7. अस्पतालों में रोगी-बिस्तर (सभी प्रकार के)**	117178	230000	348655	569495	810548	उ०न०	उ०न०
8. चिकित्सक**	61840	83756	151129	268712	394068	410825	उ०न०
9. दन्त चिकित्सक**	3290	3582	5512	8648	10751	11300	उ०न०
10. नर्से**	16550	35584	80620	154280	340208	385410	उ०न०

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

* वर्ष 1950 से संबंधित।

** 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार।

@ 31 मार्च की स्थिति के अनुसार।

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

से दिसम्बर, 1994 तक लगभग 1.37 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1992–93 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गयी थी। 31 करोड़ रुपए की संगृहीत निधि से कोष को स्थापना की गई थी। वर्ष के दौरान कोष ने 39 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की और 7.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 44,186 महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया। 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गयी महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ाना है। योजना के अन्तर्गत, एक वर्ष की परिबद्ध अवधि में 300 रुपए तक की बचत के लिए एक ग्रामीण वयस्क महिला को 75 रुपए का सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम को पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिला है। इस योजना के आरम्भ में होने से लेकर (दिसम्बर 1994 तक) लगभग 72 लाख महिला समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं जिनकी कुल जमा राशियां 65.90 करोड़ रुपए बैठती है।

33. अब संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातिक निधि की सहायता से देश के 450 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रचलन में हैं। 1993–94 के दौरान, 2.69 लाख महिलाओं की सदस्यता सहित 15,483 समूह आर्थिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए गठित किए गए थे। 1994-95 के दौरान (नवम्बर 1994 तक) 3.19 लाख महिला सदस्यता सहित 19,000 से अधिक समूह गठित हो चुके हैं।

34. विशेष रोजगार देने और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण/प्राथमिकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों का 40 प्रतिशत महिलाएं होंगी। वर्ष 1993–94 के दौरान उपलब्धि 33.6 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन का 30 प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके मुकाबले 1993–94 में रोजगार में महिलाओं का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत था। महिलाओं की कार्यचालन स्थितियों को सुधारने और उन्हें समर्थन देने की अन्य योजनाओं में कामगार महिलाओं के लिए होस्टल, दिवस देखभाल केन्द्र/शिशुगृहों, रोजगार और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र आदि शामिल हैं।

35. एकीकृत बाल विकास सेवाएं बच्चों और गर्भवती/धाय माताओं के विकास के लिए व्यापक स्कीम हैं। इस स्कीम का क्रमिक रूप से 3381 परियोजनाओं में विस्तार किया गया है जिसमें 3657 खंड और 240 शहरी गंदी-बस्तियां शामिल की गयी हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के अन्तर्गत 3.4 लाख आंगनवाड़ियां हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के व्याप्ति क्षेत्र में 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 1.75 करोड़ बच्चों तथा 0.38 करोड़ माताओं की उच्च संख्या है। एकीकृत बाल विकास सेवा की 3381 परियोजनाओं में से 755 परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों की प्रधानता वाले इलाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा ने बच्चों के पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति में अनुभूतक्षम सुधार किया है। एकीकृत बाल विकास सेवा के 507 खंडों में 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में, विशेषरूप से विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के लिए सेवाओं का विस्तार किया गया है। बच्चों के विकास के लिए अन्य मुख्य कार्यक्रमों में आरम्भिक बाल शिक्षा, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, विशेष पोषाहार कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

36. व्यापक पैमाने पर फैले हुए कुपोषण को समाप्त/घटाने के लिए अप्रैल 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति को अपनाया जाना एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। इसके लिए विशेष कार्रवाई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। नीति के कार्यान्वयन का विहंगम दृष्टि से अवलोकन करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पोषाहार परिषद् गठित की गई है।

कमजोर वर्गों का कल्याण

37. समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के विकास और कल्याण के लिए जो नीति अपनायी गयी है उसका उद्देश्य निधियां निर्धारित करके, आर्थिक सहायता प्रदान करके तथा सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं आदि में आरक्षण प्रदान करके विशेष लक्षित-वर्गोन्मुख कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जिन अन्य फायदों की परिकल्पना की गयी है उसमें अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रशिक्षणों आदि के लिए परीक्षा-पूर्व निःशुल्क शिक्षा शामिल है।

38. कुल जनसंख्या में से कम से कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास के लिए केन्द्र और राज्य योजनाओं से निधियों के प्रवाह को सरणीबद्ध करने के लिए विशेष संघटक योजना संबंधी नीति अपनायी गयी है। राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता से संपूरित किया जाता है ताकि केन्द्रीय/राज्य योजनाओं से अपेक्षित और सामान्य के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके। 1994–95 के दौरान कुल 39,194 करोड़ रुपये के राज्य योजना परिव्यय में से 4,312 करोड़ रुपए की राशि (अर्थात् लगभग 11 प्रतिशत) विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित की गयी थी। इस प्रयोजन के लिए 274 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है। केन्द्रीय मंत्रालयों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित

जातियों के विकास के लिए निधियां निर्धारित की हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन परिवारों को सहायता दी गयी/निधियां उपयोग में लायी गयीं उनमें से 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों के होने चाहिएं। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अधीन रोजगार में प्राथमिकता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दी जाती है और रोजगार सृजन का लगभग 50 प्रतिशत भाग उनको जाता है। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 22.5 प्रतिशत का आरक्षण भी उपलब्ध है।

39. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया जा रहा है। जनजातीय उप-योजनाओं का 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं और 250 संशोधित क्षेत्र विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है। जनजातीय उपयोजनाओं के लिए निधियां राज्य योजनाओं तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से एकत्र की जाती हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटन केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। 1994–95 के दौरान राज्यों को कुल योजना राशि में से 5,061 करोड़ रुपये की राशि जनजातीय उपयोजना के लिए और 275 करोड़ रुपए की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए निर्धारित की गयी है।

40. अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्तियां, होस्टल सुविधा, निःशुल्क कोचिंग इत्यादि जैसे अनेक प्रोत्साहन दिये जाते हैं। मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 में लगभग 13.38 लाख अनुसूचित जाति और 3.37 लाख अनुसूचित जनजाति के बच्चों ने योजना से वित्तीय लाभ उठाया।

41. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम जिसकी स्थापना 1989 में की गयी थी, अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के लोगों के जीवन के आर्थिक स्तर और क्षमता को सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरा करता है। निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्रीय स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से निधियां सरणीबद्ध करता है ताकि आय सृजित करने वाली और स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के लोगों की मदद कर सके। सितम्बर, 1994 तक राष्ट्रीय अ० जा० और अ० ज० जाति वित्त और विकास निगम ने 491 करोड़ रुपये की लागत की 609 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी, जिनमें 1.79 लाख अ० जा०/अ० ज० जा० लाभभोगियों को सहायता दी गई। 243 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में राष्ट्रीय अ० जा०/अ० ज० जा० वित्त और विकास निगम के हिस्से के ऋण में से 137 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण कर दिया गया था। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की अगस्त 1987 में जनजातीय क्षेत्रों से उत्पादों, विशेषकर लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापना की गई थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा बिक्री और प्राप्ति का कुल कारोबार वर्ष 1988–89 में 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 1992–93 में 86 करोड़ रुपये और 1993–94 में 106 करोड़ रुपए हो गया।

42. भारत सरकार ने अपने अन्तर्गत आने वाले सिविल सेवाओं और नौकरियों की रिक्तियों में "क्रीमी लेयर" को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण को कार्यान्वित किया है। अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए वर्ष 1992–93 में 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1993–94 के दौरान 76,289 लाभभोगियों की सहायता करने के लिए 106 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

43. अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण में सुधार करने के लिए अभी हाल में कुछ कदम उठाए गये हैं। इनमें (i) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कुछ जातियों को शामिल करने के आवेदनों के परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करना ; (ii) झाड़ू-कशों, खाल उतारने वालों और चर्मशोधकों की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना करना ; (iii) अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों की आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों का संवर्धन करने के लिए 500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम की स्थापना करना ; (iv) समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों विशेष रूप से, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों और दूसरे सामान्य वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना करना शामिल है।

आवास

44. अगस्त, 1994 में संसद द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति अपनाई गई थी। नीति का दीर्घावधिक लक्ष्य गृहविहीनता को कम करना और सभी को निम्न स्तर पर अपेक्षित बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। यह स्वीकार्य है कि समस्या की गंभीरता जिसमें सरकार, सहकारिताएं, समुदाय और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न अभिकरणों को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती है। नीति में सरकार की भूमिका के बारे में एक बड़ा परिवर्तन लाने की परिकल्पना की गयी है, जोकि आवास प्रदान करने की अपेक्षा उसे सुलभ कराने में सहायक हो। अनुरक्षित वर्गों की आवश्यकताओं का सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। आवास विकास नीति, जिसमें प्रौद्योगिकी, वित्तीय और संस्थागत जैसे

पहलू शामिल हैं, को नीतिगत ढांचे में शामिल किया गया है। हालांकि इसे आर्थिक विकास का एक अनिवार्य भाग मानते हुए परियोजना आधारित परिप्रेक्ष्य से हटकर क्षेत्रीयता पर जोर दिया गया है।

सारणी 9.11

कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए ग्रामीण आवासन का कार्य निष्पादन

(लाख में)

स्कीम	1992-93	1993-94		1994-95	
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अगस्त, 94 तक)
1	2	3	4	5	6
1. ग्रामीण आवास स्थल एवं आवास निर्माण :					
(क) आवास स्थल (परिवार)	8.88	5.53	9.21	4.98	3.26
(ख) निर्माण संबंधी सहायता (परिवार)	5.31	2.95	4.66	2.97	1.26
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आवासीय यूनिट)	1.14	0.96	1.22	0.92	0.23
3. निम्न आय वर्गीय आवास (आवासीय यूनिट)	0.54	0.48	0.60	0.40	0.09

स्रोत : कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय।

45. केन्द्र और राज्य सरकारें आवास क्षेत्र के लिए संस्थागत और अनुसंधान संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें चला रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आवास के लिए स्थान और उसके निर्माण के लिए सहायता के आबंटन की स्कीम राज्य क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीबों में से भी अधिक गरीब लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना 1985–86 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अब कतिपय शर्तों के अधीन गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार भी पात्र हैं। जहां तक संभव है इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत छोटे परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवासों का निर्माण समूहों में किया जाता है ताकि समूहों में सामान्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 2.51 लाख आवासों की तुलना में वर्ष 1993–94 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3.06 लाख आवासों का निर्माण किया गया था।

46. ग्रामीण आवास के लिए स्थान और उसके निर्माण के लिए सहायता संबंधी स्कीम के अन्तर्गत वास्तविक कार्य निष्पादन से यह पता चलता है कि कमजोर वर्गों को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है। (सारणी 9.11)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वर्ष 1993–94 में 0.96 लाख आवास यूनिटों का लक्ष्य 1.22 लाख आवास यूनिटों को भी पार कर गया।

47. आवास कार्यकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषित किया है कि आवास क्षेत्र के लिए बैंक ऋण (नए मकान के मामले में 2 लाख रुपए तक और मरम्मत के लिए 25,000 रुपए तक) को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में माना जाएगा। आवास ऋण के लिए अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

48. आवास क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने तथा आवास वित्त संस्थाओं को संवर्धित और नियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक बैंक के रूप में जुलाई, 1988 में स्थापित किया गया था। यह संसाधनों को जुटाता है और आवास तथा आधारभूत संबंधी विभिन्न स्कीमों के लिए उन्हें सारणीबद्ध करता है तथा वाणिज्य बैंकों तथा गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए आवास ऋणों के पुनर्वित्तपोषण की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक नए आवास/आवास यूनिटों के निर्माण/खरीद के लिए प्रत्यक्ष ऋण, भूमि विकास के लिए सार्वजनिक अभिकरणों, आश्रय परियोजनाओं, प्रारम्भिक सहकारिताओं, आवासीय समितियों, व्यवसायिक विकासकों को और भूमि विकास तथा आश्रय परियोजनाओं के अन्तर्गत प्लाट/आवास यूनिटों के आवंटियों को भी प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए आवास वित्त संस्थाओं को वित्तपोषित करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने आरम्भ होने से मार्च, 1994 तक विभिन्न भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के 196 करोड़ रुपए का अग्रिम देने के अलावा 1929 करोड़ रुपए की पुनर्वित्तपोषण सहायता प्रदान की थी।

49. आवास और शहरी विकास निगम आवास और आधारभूत विकास के लिए राज्य और स्थानीय अभिकरणों

को ऋण तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। 1970 में इसकी शुरूआत से अक्तूबर, 1994 तक 9476 करोड़ रुपए की कुल राशि के ऋण मंजूर किये गये थे और 5.66 मिलियन से अधिक रिहायशी यूनिटों के निर्माण कार्यों के लिए वास्तव में 6,522 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। हुडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए आवासीय परियोजनाओं की रिहायती दर पर वित्त भी प्रदान करता है। वर्ष 1994–95 के दौरान (अक्तूबर, 1994 तक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए क्रमशः 85 करोड़ रुपए और 64 करोड़ रुपए मंजूर किए गये थे।

जल आपूर्ति और सफाई

50. साफ पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने में विशेषकर उन गांवों में जहां यह सुविधा नहीं है, काफी प्रगति हुई है परन्तु इस गम्भीर समस्या को देखते हुए भी इसमें अधिकांश क्षेत्रों को शामिल किया जाना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 8365 "हार्ड कोर" वाले पिछले बकाया गांवों और उन गांवों को जहां स्वच्छ पेय जल की सुविधा का कोई स्रोत नहीं है, शामिल नहीं किया गया है। इन बकाया गांवों में से 8062 गांवों को वर्ष 1990–94 के दौरान शामिल किया गया था। चालू वर्ष के 278 गांवों के लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 1994 तक 59 गांव इसमें शामिल किए गए हैं।

सारणी 9.12

पेय जल और सफाई सुविधाओं के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या

(31 मार्च को स्थिति के अनुसार कवरेज का प्रतिशत)

मद/क्षेत्र	1985	1990	1993*
पेय जल आपूर्ति			
ग्रामीण	56.3	73.9	79.2
शहरी	72.9	83.8	84.9
सफाई सुविधाएं			
ग्रामीण	0.7	2.4	3.26
शहरी	28.4	45.9	47.9

*अनन्तिम

स्रोत: योजना आयोग।

51. 1985 से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति और सफाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या के कवरेज में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। (सारणी 9.12)। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु बजटीय आवंटन वर्ष 1993–94 में 770 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1994–95 में 950 करोड़ रुपये किया गया जो 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

श्रम और रोजगार

52. रोजगार जैसे गहन क्षेत्रों के विकास पर जोर डालते हुए आठवीं योजना में विचारित रोजगार नीति के संबंध में 5.6 प्रतिशत के समग्र आर्थिक विकास की औसत वार्षिक दर के अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप प्रति वर्ष रोजगार की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत तक प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 8.5 मिलियन रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने का अनुमान लगाया था। अब यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1992–93 और 1993–94 में क्रमशः 6.4 मिलियन और 5.6 मिलियन रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए गए। अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में यह वृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य से कम है। इसका मुख्य कारण है कि सकल घरेलू उत्पाद में कमी लक्षित वृद्धि से कम है। दूसरी तरफ वर्ष 1985–86 से 1991–92 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष उत्पन्न किए गए रोजगार के अतिरिक्त अवसर 5 मिलियन औसत की तुलना में योजना के प्रथम दो वर्षों में 6.0 मिलियन की औसत वृद्धि से कहीं अधिक हैं। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

53. योजना आयोग द्वारा श्रम संबंधी एक स्थायी सलाहकार समिति गठित की गई है, ताकि श्रम तथा रोजगार के संबंध में योजनाओं और नीतियों को बनाते समय श्रम संबंधी मामलों में ट्रेड यूनियनों और विशेषज्ञों के साथ आसानी से परामर्श किया जा सके।

54. संवैधानिक आवश्यकताओं और कानूनी निवारकों के बावजूद भी बाल श्रम एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बाल श्रम के प्रयोग में लगातार कमी करने तथा अन्ततः

उन्मूलन करने के चालू प्रयत्नों में मुख्यतः बाल श्रम वाले कई क्षेत्रों में, जहां बच्चों को बालश्रम से उन्मुक्त कराया गया है, इन बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाएं शुरू करना है। 15 अगस्त, 1994 को प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा किए जाने के बाद जोखिम वाले रोजगारों में बालश्रम का उन्मूलन करने हेतु वर्ष 2000 तक एक नई स्कीम तैयार की जा रही है। श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1994 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(i) विशेषकर जोखिम वाले रोजगारों में, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना।

(ii) बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटर करना।

(iii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सम्बद्ध परियोजनाओं में बाल श्रम उन्मूलन के कार्यान्वियन का समन्वय करना।

55. यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय बाल श्रम सलाहकार बोर्डों, राज्य बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरणों और जिला स्तरीय बाल कल्याण समितियों को गठित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य निर्धारित समय सीमा में बाल श्रम उन्मूलन हेतु मास्टर कार्य-योजना तैयार करेगा। इस प्रयोजनार्थ बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों/उद्योगों का पता लगाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

विशेष रोजगार कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

56. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना जैसे विशेष रोजगार और गरीबी-रोधी कार्यक्रम भारत की विकास नीति के प्रमुख लक्षण है। वर्ष 1993–94 में रोजगार बीमा योजना और प्रधान मंत्री रोजगार योजना नामक दो नए कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों के अपने विशेष रोजगार कार्यक्रम हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना और पश्चिम बंगाल में पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना।

57. रोजगार बीमा योजना देश के 1778 पिछड़े खंडों में कार्यान्वित की गयी है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए खंडों के भीतर गांवों में आमतौर पर रहने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के दो सदस्यों को 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराना है। यह आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है, अतः रोजगार सृजन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 1993–94 से जवाहर रोजगार योजना अधिक लक्ष्योन्मुख बनाई गई है और इसका बढ़ते हुए बजटीय आवंटनों के जरिए काफी विस्तार भी किया गया है। इस योजना को तीन भागों में बांटा गया है अर्थात :—

(i) जवाहर रोजगार योजना – पहले भाग को कुल आवंटन का 75 प्रतिशत, (ii) जवाहर रोजगार योजना–दूसरे भाग को 120 चुनिंदा पिछड़े जिलों के लिए कुल आवंटन का 20 प्रतिशत और (iii) जवाहर रोजगार योजना–तीसरा भाग नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए है, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के देशान्तरण को रोकना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रमों और जिनका लक्ष्य सूखा-रोधी तथा जलसंभर विकास क है, को तैयार करना है।

58. बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का लागत के आधार पर और विवेकपूर्ण ढंग से चयन करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के प्रथम भाग की दो उप-योजनाओं, इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटन जो 1992-93 में 6 प्रतिशत था 1993-94 में बढ़ाकर 10 प्रतिशत और लाखों के लिए कल्याणकारी योजना के लिए आवंटनों को इसी अवधि के दौरान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के साथ-साथ गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को भी इंदिरा आवास योजना और लाखों के लिए कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए शामिल किया गया है, परन्तु शर्त यह है कि उनका आवंटन में हिस्सा क्रमशः 4 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

59. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवार सहायता के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए सहायता प्राप्त कुल परिवारों का 50 प्रतिशत तक आरक्षण है। महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है।

60. विशेष कार्यक्रमों की उपलब्धियां सारणी 9.13 में दी गयी हैं। वर्ष 1994-95 से शिक्षित बेरोजगार युवा स्वरोजगार योजना को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के साथ जोड़ दिया गया है। वर्ष 1994-95 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 4.4 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए 2.2 लाख छोटे-छोटे उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान जवाहर

सारणी 9.13

विशेष रोजगार कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की उपलब्धियां

(लाख में)

	1992-93		1993-94		1994-95	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (प्र०) नवम्बर, 94 तक
1	2	3	4	5	6	7
क. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम						
1. जवाहर रोजगार योजना सृजित श्रम दिवस	7557.95	7821.02	10383.26	10236.81	10365.53	4705.87
2. रोजगार बीमा योजना—सृजित श्रम दिवस*			**	494.74	**	1150.98
3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहायता प्रदत्त परिवार	18.75	20.69	25.70	25.38	21.15	9.91
4. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण	3.00	2.76	3.50	3.04	3.22	1.06
5. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास						
(क) बनाए गए समूह	0.08	0.09	0.11	0.15	0.18	0.19
(ख) सदस्यता	—	1.29	—	2.69	—	3.19
ख. शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम						
6. नेहरू रोजगार योजना						
(क) सहायता प्राप्त परिवार	0.92	1.20	3.23	1.52	1.20	0.90‡
(ख) सृजित श्रम दिवस	158.20	133.89	143.00	123.67	100.66	45.72‡
(ग) प्रशिक्षित व्यक्ति	0.48	0.32	0.58	0.48	0.55	0.26‡
ग. अन्य कार्यक्रम						
7. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना	1.00	0.72	1.26	0.51	@	—
8. प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ता						
(क) छोटे उद्यम	—	—	0.40	0.32	2.20	0.69‡
(ख) सृजित रोजगार	—	—	0.80	0.36	4.40	0.31ϕ

प्र० = अनन्तिम

*रोजगार बीमा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू किए गए थे।

‡दिसम्बर, 1994 तक

@प्रधानमंत्री रोजगार योजना में एकीकृत

**लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए क्योंकि इसके लिए आधार की आवश्यकता है।

स्रोत : ग्रामीण विकास, शहरी विकास और उद्योग मंत्रालय।

रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 50 प्रतिशत रोजगार का सजृन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह से किया गया। वर्ष 1993–94 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कवरेज सहायता प्राप्त कुल परिवारों में 50 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 53 प्रतिशत से अधिक था। महिलाओं का कवरेज 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 34 प्रतिशत था।

61. अनारक्षित बेरोजगार की अधिक व्यापकता और गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या से अधिक अनुपात के कारण इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना न्यायसंगत है। हालांकि बेहतर लक्ष्य निर्धारित करके अधिक आवश्यकता वाले राज्यों के पक्ष में निधियों के आवंटन में लचीलापन लाने और क्षेत्रीय तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों का सामंजस्य स्थापित करने के माध्यम से इन कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। उचित आयोजन, आधारीय स्तर पर बल दिए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण, गरीब परिवारों की प्रबन्ध क्षमताओं के अन्तर्गत व्यवहार्य परियोजनाएं और विकसित तथा पिछड़े संबंधों का कारगर बंधन, ऋण और विपणन में भी गुणात्मक सुधार लाना आवश्यक है।

दृष्टिकोण

62. सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों ने सकारात्मक दिशा में परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हाल के वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। परन्तु गरीबी को दूर करने की समस्याएं और मानव संसाधन विकास की समस्या जटिल और बड़ी है। राज्यों के बीच, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यापक विषमताओं को कम करने के लिए सतत और भारी प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

63. हाल के वर्षों में सामाजिक क्षेत्रों के लिए अधिक बजटीय आवंटनों ने संरचनात्मक समायोजन की अल्पावधिक सामाजिक लागतों को न्यूनतम करने में सहायता की है। सामाजिक क्षेत्रों में अधिक बजटीय आवंटनों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों, दोनों द्वारा पर्याप्त संसाधन जुटाये जाने होंगे। इसके अतिरिक्त उपलब्ध सीमित संसाधनों को बेहतर लक्ष्य पर लगाना होगा। इसके परिणामस्वरूप जो लोग अदा कर सकते हैं उनसे उन्हें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के लिए प्रभार लिया जाना चाहिए। संसाधनों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा गैर-सरकारी संगठनों से अधिक सहायता सहित नवीकरणीय विकल्पों की खोज की जाती है।

64. विभिन्न सामाजिक क्षेत्र/संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को 72वें और 73वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा सरल बनाया गया है। अब जिस बात की आवश्यकता है वह विभिन्न कार्यक्रमों की लागत प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार की समग्र समन्वयकारी जिम्मेदारी के साथ पंचायती राज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों का शामिल होना।

परिशिष्ट

आंकड़ों संबंधी सारणियां

सारणियां

पृष्ठ संख्या

0.1 चुने हुये संकेतक 1950-51 से 1993-94 तक — S-1

1. राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन

1.1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद — S-3
1.2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर — S-4
1.3 मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद — S-5
1.4 सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण — S-6
1.5 सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूंजी निर्माण— — S-8
1.6 मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें — S-10
1.7 वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (नई श्रृंखला) — S-11
1.8 वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (नई श्रृंखला) — S-12
1.9 कृषि उत्पादन के सूचक अंक — S-13
1.10 प्रमुख फसलों के क्षेत्रों का सूचक अंक — S-14
1.11 प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचक अंक — S-15
1.12 प्रमुख फसलों का उत्पादन — S-16
1.13 प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र — S-17
1.14 प्रमुख फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन — S-18
1.15 खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन: 1989-90 से 1993-94 — S-19
1.16 चुने हुये कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति — S-22
1.17 विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र — S-23
1.18 अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा — S-24
1.19 खाद्यान्न की निवल उपलब्ध मात्रा, प्राप्ति और सरकारी वितरण — S-25
1.20 उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा — S-26
1.21 उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग — S-27
1.22 मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन — S-28
1.23 कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन — S-29
1.24 बिजली पूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर-जनोपयोगी) — S-30
(क) स्थापित संयंत्र क्षमता
(ख) उत्पादित ऊर्जा (सकल)
1.25 बिजली उपभोग का पैटर्न (जनोपयोगी) — S-31
1.26 भारतीय रेलों का प्रचालन — S-32
1.27 भारतीय रेलों का राजस्व उपार्जक माल यातायात — S-33
(क) प्रारम्भिक यातायात
(ख) ढोया गया माल
1.28 सड़क परिवहन प्रचालन — S-34
1.29 नागर विमानन में वृद्धि — S-34
1.30 पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष — S-35
1.31 चुने हुये उद्योगों का उत्पादन — S-36
1.32 औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक — S-39

2. बजटीय लेन-देन

2.1 केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी साधनों में से सकल पूंजी निर्माण — S-40
2.2 केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजट संबंधी लेन-देन — S-41
2.3 केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय — S-43
2.4 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय 1961—1980 — S-44
2.5 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का छठी योजना परिव्यय 1980—1985 — S-45
2.6 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सातवीं योजना का परिव्यय, 1985—90 — S-46
2.7 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सातवीं योजना का परिव्यय, 1985—90 — S-47
2.8 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजना परिव्यय, 1990—92 — S-48
2.9 विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का आठवां योजना का परिव्यय, 1992—97 — S-49
2.10 केन्द्र और राज्यों की वार्षिक योजनाओं 1993-94 तथा 1994-95 का वित्त-पोषण — S-50
2.11 आठवीं योजना: 1992—97 में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का अनुमानित वित्त-पोषण पैटर्न — S-51
2.12 भारतीय रेलों का वित्तीय कार्य-निष्पादन — S-52
2.13 डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन — S-53
2.14 दूर संचार विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन — S-53

पृष्ठ संख्या

3. रोजगार

3.1 उद्योग द्वारा सरकारी क्षेत्र में रोजगार S-54
3.2 उद्योग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार S-55
3.3 संगठित सरकारी तथा निजि क्षेत्र में रोजगार के अनुमान S-56
3.4 सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति परिलब्धियां तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक S-57

4. मौद्रिक प्रवृत्तियां

4.1 मुद्रा भण्डार (एम 3) में घट-बढ़ के स्रोत S-58
4.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—धनराशि का मौसमी प्रवाह S-59
4.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक—चुनी हुई मदों में घट-बढ़ S-60
4.4 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत शामिल वस्तुओं के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम S-61
4.5 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार S-62
4.6 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम S-63
4.7 बैंकों के कार्यालयों, इनमें कुल जमा रकमों और सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के प्रतिशत अंश का राज्यवार विवरण S-64
4.8 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता S-65

5. कीमतें

5.1 थोक मूल्यों के सूचक अंक S-66
5.2 थोक मूल्यों के सूचक अंक—चुनी हुई वस्तुएं और वस्तु समूह S-68
5.3 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक S-70
5.4 थोक मूल्य सूचक अंक—विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें S-72

6. भुगतान संतुलन

6.1 विदेशी मुद्रा भंडार (क और ख) S-74
6.2 भुगतान संतुलन S-78
6.3 भुगतान संतुलन चालू खाते की अदृश्य मदें (अनुदानों सहित) (क और ख) S-81
6.4 भुगतान संतुलन—पूंजी खाते की चुनी हुई मदें (क और ख) S-83
6.5 विश्व की चयनित मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर S-85
6.6 रुपये की सांकेतिक और वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर प्रवृत्तियां S-86

7. विदेश व्यापार

7.1 निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन (क और ख) S-87
7.2 आयात की मुख्य वस्तुएं S-89
7.3 निर्यात की मुख्य वस्तुएं S-92
7.4 व्यापार की दिशा (क और ख) S-95
7.5 वस्तु वर्गीकरणों और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा S-97
7.6 विदेशी व्यापार के सूचकांक S-100

8. विदेशी सहायता

8.1 कुल विदेशी सहायता (क और ख) S-101
8.2 स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण (क और ख) S-103
8.3 स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग (क और ख) S-107
8.4 भारत का विदेशी ऋण (क और ख) S-111
8.5 अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एन॰आर॰(ई॰)आर॰ए॰] योजना के अंतर्गत ब्याज की दरें (क और ख) S-115

9. जनसंख्या गणना, 1991

9.1 भारत की जनसंख्या—1991 S-116
9.2 भारत की जनसंख्या 1991 की विशेषताएं S-117

0.1 चुने हुए संकेतक 1950-51 से 1993-94 तक

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आर्थिक संकेतक											
उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद											
(i) मौजूदा कीमतों पर (करोड़ रुपए)	8979	15254	39708	122427	294851	352706	408662	477797	552030	627634	**707145 #**
(ii) 1980-81 की कीमतों पर (करोड़ रुपए)	42871	62904	90426	122427	170322	188461	201453	212276	214156	223438	**233042 #**
(1980-81) की कीमतों पर (रुपए में) प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	1127	1350	1520	1630	1901	2059	2157	2223	2178	2226	**2282 #**
औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक (आधार = 1980-81)	18.3 @	36.2	65.3	100.0	166.4	180.9	196.4	212.6	213.9	218.9	**227.8**
कृषि उत्पाद का सूचकांक (आधार = 1981-82 को समाप्ति वर्ष तक)	46.2	68.8	85.9	102.1	115.3	140.0	143.0	148.4	145.5	151.5 (P)	**154.8 (P)**
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	10.2	15.7	16.6	22.7	22.9	24.7	25.0	27.1	23.6	22.0	**20.4 #**
सकल घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	10.4	12.7	15.7	21.2	20.9	21.5	22.3	23.7	23.1	20.0	**20.2 #**
उत्पाद:											
(क) खाद्यान्न (दस लाख टन)	50.8	82.0	108.4	129.6	140.4	169.9	171.0	176.4	168.4	179.5	**182.1 (P)**
(ख) तैयार इस्पात (दस लाख टन)	1.04	2.39	4.64	6.82	11.68	12.84	13.00	13.53	14.33	15.20	**15.13**
(ग) सीमेंट (दस लाख टन)	2.7	8.0	14.3	18.6	39.6	44.3	45.8	48.8	51.7	54.7	**57.8**
(घ) कोयला (लिग्नाइट सहित) (दस लाख टन)	32.3	55.2	76.3	119.0	190.9	207.0	213.7	225.5	243.8	254.9	**264.1**
(ङ) कच्चा तेल (दस लाख टन)	0.3	0.5	6.8	10.5	30.4	32.0	34.1	33.0	30.4	27.0	**27.0**
(च) उत्पादित बिजली (केवल उपभोग) (अरब किलोवाट)	5.1	16.9	55.8	110.8	202.1	221.4	245.4	264.3	287.0	301.1	**323.5**
थोक (मूल्य) सूचकांक (आधार = 1981-82)	16.9	19.6	35.5	91.1	143.5	154.2	165.7	182.7	207.8	228.7	**247.8**
उपभोक्ता (मूल्य) सूचकांक (आधार 1982 = 100 @@	17	21	38	81	150	163	173	193	219	240	**258.0**
आयोजन परिव्यय (करोड़ रुपए)	260 ##	1117	2524	15023	44034	48645	55630	58369	64751	72852	**92629 (RE)**
केन्द्र का बजटीय घाटा (करोड़ रुपए)	(-)33 ##	(-)117	285	2576	5816	5642	10592	11347	6855	12312	**9060 (RE)**
विदेश व्यापार											
(i) निर्यात											
(करोड़ रुपए)	606	642	1535	6711	15674	20232	27658	32553	44041	53688	**697[illegible]1**
अमरीकी डालर दस लाख	1269	1346	2031	8486	12089	13970	16612	18143	17865	18537	**222[illegible]9**
(ii) आयात											
(करोड़ रुपए)	608	1122	1634	12549	22244	28235	35328	43198	47851	63375	**73101**
अमरीकी डालर दस लाख	1273	2353	2162	15869	17156	19497	21219	24075	19411	21882	**23307**
विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण और एस॰डी॰आर॰ को छोड़कर) (करोड़ रुपए)	911	186	438	4822	7287	6605	5787	4388	14578	20140	**47287**
अमरीकी डालर दस लाख	1908	390	584	5850	5618	4226	3368	2236	5631	6434	**15068**
सामाजिक संकेतक											
जनसंख्या											
जनसंख्या (दस लाख में) (1)	361.1	439.2	548.2	683.3	795.1	811.3	827.4	846.3	862.5 (2)	878.6 (2)	**894.6 (2)**
जन्म दर (प्रति हजार में) (2)	39.9	41.7	41.2	37.2	31.5	30.6	30.2	29.5	29.2	28.5 (P)	..
मृत्यु दर (प्रति हजार) (3)	27.4	22.8	19.0	15.0	11.0	10.3	9.7	9.8	10.1	9.2 (P)	..
जन्म पर प्रत्याशित जीवनावधि (वर्षों में) (4)											
(क) पुरुष	32.4	41.9	46.4	50.9	..	..	..	..	..	60.4	..
(ख) महिलाएं	31.7	40.6	44.7	50.0	..	..	..	..	..	61.2	..
कुल	32.1	41.3	45.6	50.4	..	..	..	..	..	60.8	..
शिक्षा											
साक्षरता दर (प्रतिशत)—5											
(क) पुरुष	27.16	40.40	45.95	56.37	..	..	..	64.1	..	..	..
(ख) महिलाएं	8.86	15.34	21.97	29.75	..	..	..	39.3	..	..	..
कुल	18.33	28.31	34.45	43.56	..	..	..	52.[illegible]	..	..	..

जारी...

0.1 चुने हुए निर्देशक 1950-51 से 1992-93 तक (जारी)

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण—(6)											
पंजीकृत चिकित्सक (आर एम पी) (हजार)	61.8	83.7	151.1	268.7	335.6	368.6	381.9	394.0	410.8	..	..
प्रति 10,000 जनसंख्या पर पंजीकृत चिकित्सक	1.7	1.9	2.8	3.9	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	..	..
बिस्तर (सभी प्रकार के)** प्रति दस हजार	3.2	5.2	6.4	8.3	9.2	9.5	9.4	9.6	..	..	..

@ कैलेण्डर वर्ष 1950 से संबंधित।

$ 1951-52 से संबंधित

त्वरित अनुमान

* 1980-81 की अवधि के लिए आंकड़े पुराने आधार के आंकड़ों को आधार 1980-81 = 100 में परिवर्तित करके निकाला गया है।

** अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, (क्लिनिकों), स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में बिस्तरों सहित।

@@ 1988-89 तक की अवधि के लिए आंकड़े पुराने आधार के आंकड़ों को आधार 1982=100 में परिवर्तित करके निकाला गया है।

सं॰अ॰—संशोधित अनुमान।

.. उपलब्ध नहीं।

अ—अनुमान

टिप्पणी:

(1) भारत की जनसंख्या के अनुसार 1 मार्च, 1951 को और उससे आगे 1980-81 और 1990-91 तक (1986-90 की अवधि के आंकड़े जनसंख्या प्रक्षेपणों पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति के समायोजित प्रक्षेपों पर आधारित हैं।

(2) ये आंकड़े जनसंख्या प्रक्षेपों पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति की वार्षिक श्रृंखला पर आधारित 1 मार्च, 1992, 1993 और 1994 से संबंधित हैं और 1991 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुरूप समायोजित हैं।

(3) 1950-51, 1960-61, 1970-71 तथा 1980-81 के आंकड़े जनगणना अनुमान हैं और क्रमशः 1941-50, 1951-60, 1961-70 तथा 1971-80 के दशकों से संबंधित हैं। 1987-88 तथा आगे के अनुमान एस॰आर॰एस॰ पर आधारित हैं।

(4) 1950-51, 1960-61, और 1970-71 और 1980-81 से संबंधित आंकड़े क्रमशः 1941-50, 1951-60, 1961-70 तथा 1971-80 के दशकों से संबंधित हैं, जो दशक के मध्य अर्थात् 1946, 1956, 1966 और 1976 पर केन्द्रित हैं। वर्ष 1992-93 के लिए, ये आंकड़े अवधि के मध्य में केन्द्रित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति के बहिर्वेशन मूल्यों पर आधारित हैं। यह बहिर्वेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानकीकृत मानदंडों का प्रयोग करके किया गया है।

(5) 1950-51, 1960-61, 1970-71, 1980-81 और 1990-91 के आंकड़े क्रमशः वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991 से संबंधित हैं। 1951, 1961 और 1971 के लिए आंकड़े 5 वर्ष और उससे ऊपर की जनसंख्या से संबंधित है, जबकि 1981 और 1991 के आंकड़े 7 वर्ष और उससे ऊपर की जनसंख्या से संबंधित है। अखिल भारतीय साक्षरता दर में वर्ष 1981 के लिए असम और वर्ष 1991 के लिए जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं है।

(6) यह कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 1950-51 दिसम्बर, 1951 और उसके बाद से संबंधित है।

1.1: सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद उपादान लागत के अनुसार (करोड़ रुपये)		निवल राष्ट्रीय उत्पादन उपादान लागत के अनुसार (करोड़ रुपये)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये)		सूचक अंक (1950-51 - 100) निवल राष्ट्रीय उत्पाद		सूचक अंक (1950-51 - 100) प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	
	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1950-51	8938	42644	8574	40454	238.8	1126.9	100.0	100.0	100.0	100.0
1951-52	9445	43730	9034	41443	247.5	1135.4	105.4	102.4	103.6	100.8
1952-53	9324	45002	8882	42613	238.8	1145.5	103.6	105.3	100.0	101.7
1953-54	10161	47768	9696	45292	255.8	1195.1	113.1	112.0	107.1	106.1
1954-55	9534	49750	9023	47111	233.8	1220.5	105.2	116.5	97.9	108.3
1955-56	9707	51119	9161	48288	233.1	1228.7	106.8	119.4	97.6	109.0
1956-57	11583	54002	10972	50955	273.6	1270.7	128.0	126.0	114.6	112.8
1957-58	11839	53304	11177	50051	273.3	1223.7	130.4	123.7	114.4	108.6
1958-59	13231	57311	12459	53869	298.1	1288.7	145.3	133.2	124.8	114.4
1959-60	13877	58434	13035	54775	306.0	1285.8	152.0	135.4	128.1	114.1
1960-61	15182	62532	14242	58602	328.2	1350.3	166.1	144.9	137.4	119.8
1961-62	15999	64359	14946	60168	336.6	1355.1	174.3	148.7	141.0	120.3
1962-63	17104	65657	15947	61165	351.3	1347.2	186.0	151.2	147.1	119.5
1963-64	19559	69006	18258	64216	393.5	1384.0	212.9	158.7	164.8	122.8
1964-65	22836	74121	21373	68942	450.9	1454.5	249.3	170.4	188.8	129.1
1965-66	23899	71338	22247	65734	458.7	1355.3	259.5	162.5	192.1	120.3
1966-67	27159	72092	25215	66089	509.4	1335.1	294.1	163.4	213.3	118.5
1967-68	31929	77845	29745	71519	587.8	1413.4	346.9	176.8	246.1	125.4
1968-69	33688	79945	31311	73285	604.5	1414.8	365.2	181.2	253.1	125.5
1969-70	37057	85149	34421	78177	650.7	1477.8	401.5	193.2	272.5	131.1
1970-71	39424	89465	36503	82211	674.7	1519.6	425.7	203.2	282.5	134.8
1971-72	41957	90281	38717	82675	698.9	1492.3	451.6	204.4	292.7	132.4
1972-73	46171	89997	42510	81991	749.7	1446.0	495.8	202.7	313.9	128.3
1973-74	56629	94395	52362	86010	902.8	1482.9	610.7	212.6	378.1	131.6
1974-75	66748	95885	61290	87116	1033.6	1469.1	714.8	215.3	432.8	130.4
1975-76	70946	104660	64623	95433	1064.6	1572.2	753.7	235.9	445.8	139.5
1976-77	76303	105996	69523	96253	1121.3	1552.5	810.9	237.9	469.6	137.8
1977-78	87118	113903	79749	103670	1257.9	1635.2	930.1	256.3	526.8	145.1
1978-79	93724	120302	85298	109466	1316.3	1689.3	994.8	270.6	551.2	149.9
1979-80	102595	114379	92324	102937	1390.4	1550.3	1076.8	254.5	582.2	137.6
1980-81	122772	122772	110685	110685	1630.1	1630.1	1290.9	273.6	682.6	144.7
1981-82	143256	129928	128797	117140	1861.2	1692.8	1502.2	289.6	779.4	150.2
1982-83	158761	133299	141875	119704	2003.9	1690.7	1654.7	295.9	839.2	150.0
1983-84	185779	143861	166550	129392	2303.6	1789.7	1942.5	319.8	964.7	158.8
1984-85	207109	149256	185018	133808	2503.6	1810.7	2157.9	330.8	1048.4	160 7
1985-86	232370	155365	206133	139025	2730.2	1841.4	24042	343.7	1143.3	163.4
1986-87	258225	161535	228402	144242	2962.4	1870.8	2663.9	356.6	1240.5	166.0
1987-88	292232	168121	258891	149787	3285.4	1900.9	3019.5	370.3	1375.8	168.7
1988-89	348210	185226	309289	165750	3842.1	2059.0	3607.3	409.7	1608.9	182.7
1989-90	402931	198082	357285	177315	4346.5	2157.1	4167.1	438.3	1820.1	191.4
1990-91	470252	208504	418057	186469	4982.8	2222.5	4875.9	460.9	2086.6	197.2
1991-92	541953	209794	479001	186418	5595.8	2177.8	5586.7	460.8	2343.3	193.3
1992-93	615831	218698	543566	194093	6233.6	2225.8	6339.7	479.8	2610.4	197.5
1993-94@	**695342**	**228671**	**615273**	**202670**	**6928.8**	**2282.3**	**7176.0**	**501.0**	**2901.5**	**202.5**

@ त्वरित अनुमान

स्रोत—केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

1.2: सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद उपादान लागत के अनुसार		निवल राष्ट्रीय उत्पादन उपादान लागत के अनुसार		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	
	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर	मौजूदा कीमतों के आधार पर	1980-81 की कीमतों के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7
1951-52	5.7	2.5	5.4	2.4	3.6	0.8
1952-53	-1.3	2.9	-1.7	2.8	-3.5	0.9
1953-54	9.0	6.1	9.2	6.3	7.1	4.3
1954-55	-6.2	4.1	-6.9	4.0	-8.6	2.1
1955-56	1.8	2.8	1.5	2.5	-0.3	0.7
1956-57	19.3	5.6	19.8	5.5	17.4	3.4
1957-58	2.2	-1.3	1.9	-1.8	-0.1	-3.7
1958-59	11.8	7.5	11.5	7.6	9.1	5.3
1959-60	4.9	2.0	4.6	1.7	2.7	-0.2
1960-61	9.4	7.0	9.3	7.0	7.3	5.0
1961-62	5.4	2.9	4.9	2.7	2.6	0.4
1962-63	6.9	2.0	6.7	1.7	4.4	-0.6
1963-64	14.4	5.1	14.5	5.0	12.0	2.7
1964-65	16.8	7.4	17.1	7.4	14.6	5.1
1965-66	4.7	-3.8	4.1	-4.7	1.7	-6.8
1966-67	13.6	1.1	13.3	0.5	11.1	-1.5
1967-68	17.6	8.0	18.0	8.2	15.4	5.9
1968-69	5.5	2.7	5.3	2.5	2.8	0.1
1969-70	10.0	6.5	9.9	6.7	7.6	4.5
1970-71	6.4	5.1	6.0	5.2	3.7	2.8
1971-72	6.4	0.9	6.1	0.6	3.6	-1.8
1972-73	10.0	-0.3	9.8	-0.8	7.3	-3.1
1973-74	22.7	4.9	23.2	4.9	20.4	2.6
1974-75	17.9	1.6	17.1	1.3	14.5	-0.9
1975-76	6.3	9.2	5.4	9.5	3.0	7.0
1976-77	7.6	1.3	7.6	0.9	5.3	-1.3
1977-78	14.2	7.5	14.7	7.7	12.2	5.3
1978-79	7.6	5.6	7.0	5.6	4.6	3.3
1979-80	9.5	-4.9	8.2	-6.0	5.6	-8.2
1980-81	19.7	7.3	19.9	7.5	17.2	5.1
1981-82	16.7	5.8	16.4	5.8	14.2	3.8
1982-83	10.8	2.6	10.2	2.2	7.7	-0.1
1983-84	17.0	7.9	17.4	8.1	15.0	5.9
1984-85	11.5	3.8	11.1	3.4	8.7	1.2
1985-86	12.2	4.1	11.4	3.9	9.1	1.7
1986-87	11.1	4.0	10.8	3.8	8.5	1.6
1987-88	13.2	4.1	13.3	3.8	10.9	1.6
1988-89	19.2	10.2	19.5	10.7	16.9	8.3
1989-90	15.7	6.9	15.5	7.0	13.1	4.8
1990-91	16.7	5.3	17.0	5.2	14.6	3.0
1991-92	15.2	0.6	14.6	-0.0	12.3	-2.0
1992-93	13.6	4.2	13.5	4.1	11.4	2.2
1993-94	**12.9**	**4.6**	**13.2**	4.4	**11.2**	**2.5**
			वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर			
पहली योजना (1951-56)	1.7	3.7	1.3	3.6	-0.5	1.7
दूसरी योजना (1956-61)	9.4	4.1	9.2	3.9	7.1	1.9
तीसरी योजना (1961-66)	9.5	2.7	9.3	2.3	6.9	0.1
तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)	12.1	3.9	12.1	3.7	9.6	1.4
चौथी योजना (1969-74)	10.9	3.4	10.8	3.3	8.4	0.9
पांचवीं योजना (1974-79)	10.6	5.0	10.3	4.9	7.8	2.6
वार्षिक योजना (1979-80)	9.5	-4.9	8.2	-6.0	5.6	-8.2
छठी योजना (1980-85)	15.1	5.5	14.9	5.4	12.5	3.2
सातवीं योजना (1985-90)	14.2	5.8	14.1	5.8	11.7	3.6

स्रोत: 'सारणी 1.1 में आंकडो पर आधारित।

1.3 : मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (1980-81 की कीमतों पर)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि, वानिकी और लट्ठा उद्योग, मीन उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	परिवहन, संचार और व्यापार	बैंक और बीमा, भू-गृहादि सम्पदा तथा आवासों पर स्वामित्व और व्यापारिक सेवाएं	सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा एवम् अन्य सेवाएं	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	24204	6451	4718	3870	3628	42871
1951-52	24615	6719	4842	3959	3737	43872
1952-53	25387	6790	5001	4125	3814	45117
1953-54	27309	7250	5188	4184	3932	47863
1954-55	28119	7839	5527	4337	4073	49895
1955-56	27890	8642	5931	4511	4199	51173
1956-57	29404	9372	6365	4585	4360	54086
1957-58	28149	9408	6560	4758	4557	53432
1958-59	30941	10025	6884	4893	4744	57487
1959-60	30670	10732	7315	5080	4948	58745
1960-61	32793	11790	7945	5185	5191	62904
1961-62	32866	12685	8462	5408	5435	64856
1962-63	32329	13532	8956	5590	5821	66228
1963-64	33091	14932	9592	5763	6203	69581
1964-65	36068	16013	10244	5921	6612	74858
1965-66	32310	16418	10420	6100	6874	72122
1966-67	31892	16874	10692	6207	7191	72856
1967-68	36501	17288	11146	6376	7474	78785
1968-69	36478	18219	11650	6687	7807	80841
1969-70	38805	19821	12280	6965	8238	86109
1970-71	41385	20209	12884	7256	8692	90426
1971-72	40661	20793	13175	7630	9080	91339
1972-73	38752	21545	13449	7925	9377	91048
1973-74	41468	21966	14014	8119	9625	95192
1974-75	40919	22361	14843	8093	10081	96297
1975-76	46183	23507	16190	8651	10437	104968
1976-77	43656	25658	16902	9337	10727	106280
1977-78	47929	27437	18044	9794	11015	114219
1978-79	49039	29959	19529	10486	11491	120504
1979-80	43005	28963	19349	10588	12331	114236
1980-81	48536	29828	20437	10791	12835	122427
1981-82	51547	32092	21684	11284	13282	129889
1982-83	51190	33471	22826	12114	14314	133915
1983-84	56531	36541	24109	12859	14825	144865
1984-85	56547	38844	25475	13714	15853	150433
1985-86	56841	40602	27600	14708	16815	156566
1986-87	56259	43404	29335	15916	18357	163271
1987-88	56559	46287	31028	16871	19577	170322
1988-89	65756	50324	33189	18416	20776	188461
1989-90	67064	55597	35894	20403	22495	201453
1990-91	69860	59493	37743	21724	23456	212276
1991-92	68570	58800	38565	23806	24415	214156
1992-93	71889	60595	40950	24523	25481	223438
1993-94@	**74089**	**62668**	**42969**	**26609**	**26707**	**233042**

1993-94
@त्वरित अनुमान।
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

1.4 : सकल घरेलू बचत और सकल

चालू मूल्य पर

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल स्थिर पूंजी निर्माण			
	गृह क्षेत्र	गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (6+7)	सार्वजनिक क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51	718	89	168	975	224	650	874	35
1951-52	621	132	252	1005	262	702	964	41
1952-53	601	60	145	806	281	605	880	-25
1953-54	709	86	127	922	327	566	893	-35
1954-55	789	114	151	1054	394	627	1021	42
1955-56	1128	130	172	1430	533	750	1283	-34
1956-57	1217	151	231	1599	615	1006	1621	51
1957-58	1008	117	245	1370	643	1049	1692	190
1958-59	1046	136	227	1409	701	1006	1707	114
1959-60	1349	180	236	1765	884	986	1870	16
1960-61	1362	276	425	2063	1055	1101	2156	87
1961-62	1284	315	494	2093	1107	1303	2410	40
1962-63	1572	338	566	2476	1312	1352	2664	133
1963-64	1730	387	709	2826	1562	1587	3149	119
1964-65	1937	381	817	3135	1824	1835	3659	124
1965-66	2586	396	809	3791	2046	2086	4132	170
1966-67	3432	414	668	4514	2047	2554	4601	88
1967-68	3431	399	667	4497	2012	3072	5084	319
1968-69	3412	427	858	4697	2111	3265	5376	56
1969-70	4475	536	1033	6044	2190	3708	5898	69
1970-71	4873	657	1253	6783	2394	3911	6305	414
1971-72	5477	753	1278	7508	2802	4282	7084	488
1972-73	5713	788	1332	7833	3619	4511	8130	121
1973-74	8562	1063	1807	11432	4009	5060	9069	742
1974-75	8610	1440	2676	12726	4272	6731	11003	1285
1975-76	10534	1055	3339	14928	5600	7730	13330	1983
1976-77	12698	1147	4185	18030	7048	8255	15303	1536
1977-78	14686	1376	4168	20230	7697	9522	17219	149
1978-79	17747	1611	4780	24138	8376	10500	18876	1507
1979-80	17379	2352	4967	24698	9974	11333	21307	1844
1980-81	21848	2284	4654	28786	11693	14583	26276	74
1981-82	21847	2496	7254	31597	14598	16857	31455	2002
1982-83	23044	2908	7822	33774	18586	17183	35769	1127
1983-84	29341	3172	6781	39294	20450	19541	39991	337
1984-85	31705	3947	6526	42178	23396	22172	45568	1679
1985-86	38158	5318	8457	51933	27501	26754	54255	1916
1986-87	41587	5212	8002	54801	33254	28798	62052	888
1987-88	56618	5790	7223	69631	34571	37623	72194	-1512
1988-89	68443	8731	8101	85275	39866	45803	85669	-502
1989-90	82747	11800	7423	101970	43862	58913	102775	1704
1990-91	106914	14443	5436	126793	50176	73828	124004	1974
1991-92	109804	19490	12735	142029	58714	78062	136776	-2210
1992-93	108938	20804	10893	140635	59669	91509	151178	2687
1993-94@	**125396**	**31153**	**1944**	**158493**	**66004**	**98375**	**164379**	**3815**

@ त्वरित अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

जारी ···

DOMES पूंजी निर्माण I पर)

(करोड़ रुपये)

पूंजी निर्माण में परिवर्तन		(सकल घरेलू पूंजी निर्माण					बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	वर्ष
गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (12+13)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (14 + 15)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
125	160	259	775	1034	-80	954	9366	1950-51
157	198	303	859	1162	26	1188	9966	1951-52
-2	-27	256	603	859	-87	772	9774	1952-53
6	-29	292	572	864	45	909	13638	1953-54
25	67	436	652	1088	-18	1070	10073	1954-55
167	133	499	917	1416	53	1469	10258	1955-56
219	270	666	1225	1891	68	1959	12217	1956-57
58	248	833	1107	1940	-97	1843	12598	1957-58
-84	30	815	922	1737	48	1785	14034	1958-59
228	244	900	1214	2114	-118	1996	14793	1959-60
340	427	1142	1441	2583	-39	2544	16201	1960-61
230	270	1147	1533	2680	-242	2438	17177	1961-62
254	387	1445	1606	3051	-135	2916	18476	1962-63
261	380	1681	1848	3529	-263	3266	21237	1963-64
286	410	1948	2121	4069	-334	3735	24765	1964-65
125	295	2216	2211	4427	-37	4390	26145	1965-66
627	715	2135	3181	5316	121	5437	29571	1966-67
304	623	2331	3376	5707	-373	5334	34611	1967-68
108	164	2167	3373	5540	-427	5113	36674	1968-69
509	578	2259	4217	6476	-191	6285	40387	1969-70
660	1074	2808	4571	7379	-202	7177	43163	1970-71
974	1462	3290	5256	8546	-560	7986	46257	1971-72
472	593	3740	4983	8723	-593	8130	51005	1972-73
1518	2260	4751	6578	11329	495	11824	62007	1973-74
2187	3472	5557	8918	14475	-1096	13379	73235	1974-75
1093	3076	7583	8823	16406	-1595	14811	78761	1975-76
937	2473	8584	9192	17776	-1055	16721	84894	1976-77
1649	1798	7846	11171	19017	-252	18765	96067	1977-78
2835	4342	9883	13335	23218	1048	24266	104190	1978-79
2994	4838	11818	14327	26145	-867	25278	114356	1979-80
2103	2177	11767	16686	28453	2427	30880	136013	1980-81
4494	6496	16600	21351	37951	-3743	34208	159760	1981-82
3207	4334	19713	20390	40103	-3763	36340	178132	1982-83
3462	3799	20787	23003	43790	-1979	41811	207589	1983-84
1765	3444	25075	23937	49012	-3542	45470	231343	1984-85
7271	9187	29417	34025	63442	-5275	58167	262243	1985-86
4959	5847	34142	33757	67899	-6743	61156	292949	1986-87
4200	2688	33059	41823	74882	1574	76456	333201	1987-88
11887	11385	39364	57690	97054	525	97579	395782	1988-89
6312	8016	45566	65225	110791	3458	114249	456902	1989-90
11413	13387	52150	85241	137391	7598	144989	535517	1990-91
6298	4088	56504	84360	140864	4542	145406	616061	1991-92
9891	12578	62356	101400	163756	-9305	154451	702829	1992-93
-641	**3174**	**69819**	**97734**	**167553**	**-6911**	**160642**	**786355**	**1993-94** @

1.5 सकल घरेलू बचत और सकल

मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू

वर्ष	सकल घरेलू बचत				सकल स्थिर पूंजी निर्माण		
	गृह क्षेत्र	गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	जोड़ (2+3+4)	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1950-51	7.7	1.0	1.8	10.4	2.4	6.9	9.3
1951-52	6.2	1.3	2.5	10.1	2.6	7.0	9.7
1952-53	6.1	0.6	1.5	8.2	2.9	6.2	9.1
1953-54	5.2	0.6	0.9	6.8	2.4	4.2	6.5
1954-55	7.8	1.1	1.5	10.5	3.9	6.2	10.1
1955-56	11.0	1.3	1.7	13.9	5.2	7.3	12.5
1956-57	10.0	1.2	1.9	13.1	5.0	8.2	13.3
1957-58	8.0	0.9	1.9	10.9	5.1	8.3	13.4
1958-59	7.5	1.0	1.6	10.0	5.0	7.2	12.2
1959-60	9.1	1.2	1.6	11.9	6.0	6.7	12.6
1960-61	8.4	1.7	2.6	12.7	6.5	6.8	13.3
1961-62	7.5	1.8	2.9	12.2	6.4	7.6	14.0
1962-63	8.5	1.8	3.1	13.4	7.1	7.3	14.4
1963-64	8.1	1.8	3.3	13.3	7.4	7.5	14.8
1964-65	7.8	1.5	3.3	12.7	7.4	7.4	14.8
1965-66	9.9	1.5	3.1	14.5	7.8	8.0	15.8
1966-67	11.6	1.4	2.3	15.3	6.9	8.6	15.6
1967-68	9.9	1.2	1.9	13.0	5.8	8.9	14.7
1968-69	9.3	1.2	2.3	12.8	5.8	8.9	14.7
1969-70	11.1	1.3	2.6	15.0	5.4	9.2	14.6
1970-71	11.3	1.5	2.9	15.7	5.5	9.1	14.6
1971-72	11.8	1.6	2.8	16.2	6.1	9.3	15.3
1972-73	11.2	1.5	2.6	15.4	7.1	8.8	15.9
1973-74	13.8	1.7	2.9	18.4	6.5	8.2	14.6
1974-75	11.8	2.0	3.7	17.4	5.8	9.2	15.0
1975-76	13.4	1.3	4.2	19.0	7.1	9.8	16.9
1976-77	15.0	1.4	4.9	21.2	8.3	9.7	18.0
1977-78	15.3	1.4	4.3	21.1	8.0	9.9	17.9
1978-79	17.0	1.5	4.6	23.2	8.0	10.1	18.1
1979-80	15.2	2.1	4.3	21.6	8.7	9.9	18.6
1980-81	16.1	1.7	3.4	21.2	8.6	10.7	19.3
1981-82	13.7	1.6	4.5	19.8	9.1	10.6	19.7
1982-83	12.9	1.6	4.4	19.0	10.4	9.6	20.1
1983-84	14.1	1.5	3.3	18.9	9.9	9.4	19.3
1984-85	13.7	1.7	2.8	18.2	10.1	9.6	19.7
1985-86	14.6	2.0	3.2	19.8	10.5	10.2	20.7
1986-87	14.2	1.8	2.7	18.7	11.4	9.8	21.2
1987-88	17.0	1.7	2.2	20.9	10.4	11.3	21.7
1988-89	17.3	2.2	2.0	21.5	10.1	11.6	21.6
1989-90	18.1	2.6	1.6	22.3	9.6	12.9	22.5
1990-91	20.0	2.7	1.0	23.7	9.4	13.8	23.2
1991-92	17.8	3.2	2.1	23.1	9.5	12.7	22.2
1992-93	15.5	3.0	1.5	20.0	8.5	13.0	21.5
1993-94	**15.9**	**4.0**	**0.2**	**20.2**	**8.4**	**12.5**	**20.9**

जारी....

टिप्पणी: (i) सारणी 1.4 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर।

(ii) संभवत है कि पूर्णांकन के कारण प्रत्येक क्षेत्र की बचत और पूंजी निर्माण के अनुपात आपस में मेल न खाएं।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

घरेलू पूंजी निर्माण

उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

स्टाक में परिवर्तन			सकल घरेलू पूंजी निर्माण					
सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (9+10)	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	जोड़ (12+13)	भूल-चूक	समायोजित जोड़ (14+15)	वर्ष
9	10	11	12	13	14	15	16	17
0.4	1.3	1.7	2.8	8.3	11.0	-0.9	10.2	1950-51
0.4	1.6	2.0	3.0	8.6	11.7	0.3	11.9	1951-52
-0.3	0.0	-0.3	2.6	6.2	8.8	-0.9	7.9	1952-53
-0.3	0.0	-0.2	2.1	4.2	6.3	0.3	6.7	1953-54
0.4	0.2	0.7	4.3	6.5	10.8	-0.2	10.6	1954-55
-0.3	1.6	1.3	4.9	8.9	13.8	0.5	14.3	1955-56
0.4	1.8	2.2	5.5	10.0	15.5	0.6	16.0	1956-57
1.5	0.5	2.0	6.6	8.8	15.4	-0.8	14.6	1957-58
0.8	-0.6	0.2	5.8	6.6	12.4	0.3	12.7	1958-59
0.1	1.5	1.6	6.1	8.2	14.3	-0.8	13.5	1959-60
0.5	2.1	2.6	7.0	8.9	15.9	-0.2	15.7	1960-61
0.2	1.3	1.6	6.7	8.9	15.6	-1.4	14.2	1961-62
0.7	1.4	2.1	7.8	8.7	16.5	-0.7	15.8	1962-63
0.6	1.2	1.8	7.9	8.7	16.6	-1.2	15.4	1963-64
0.5	1.2	1.7	7.9	8.6	16.4	-1.3	15.1	1964-65
0.7	0.5	1.1	8.5	8.5	16.9	-0.1	16.8	1965-66
0.3	2.1	2.4	7.2	10.8	18.0	0.4	18.4	1966-67
0.9	0.9	1.8	6.7	9.8	16.5	-1.1	15.4	1967-68
0.2	0.3	0.4	5.9	9.2	15.1	-1.2	13.9	1968-69
0.2	1.3	1.4	5.6	10.4	16.0	-0.5	15.6	1969-70
1.0	1.5	2.5	6.5	10.6	17.1	-0.5	16.6	1970-71
1.1	2.1	3.2	7.1	11.4	18.5	-1.2	17.3	1971-72
0.2	0.9	1.2	7.3	9.8	17.1	-1.2	15.9	1972-73
1.2	2.4	3.6	7.7	10.6	18.3	0.8	19.1	1973-74
1.8	3.0	4.7	7.6	12.2	19.8	-1.5	18.3	1974-75
2.5	1.4	3.9	9.6	11.2	20.8	-2.0	18.8	1975-76
1.8	1.1	2.9	10.1	10.8	20.9	-1.2	19.7	1976-77
0.2	1.7	1.9	8.2	11.6	19.8	-0.3	19.5	1977-78
1.4	2.7	4.2	9.5	12.8	22.3	1.0	23.3	1978-79
1.6	2.6	4.2	10.3	12.5	22.9	-0.8	22.1	1979-80
0.1	1.5	1.6	8.7	12.3	20.9	1.8	22.7	1980-81
1.3	2.8	4.1	10.4	13.4	23.8	-2.3	21.4	1981-82
0.6	1.8	2.4	11.1	11.4	22.5	-2.1	20.4	1982-83
0.2	1.7	1.8	10.0	11.1	21.1	-1.0	20.1	1983-84
0.7	0.8	1.5	10.8	10.3	21.2	-1.5	19.7	1984-85
0.7	2.8	3.5	11.2	13.0	24.2	-2.0	22.2	1985-86
0.3	1.7	2.0	11.7	11.5	23.2	-2.3	20.9	1986-87
-0.5	1.3	0.8	9.9	12.6	22.5	0.5	22.9	1987-88
-0.1	3.0	2.9	9.9	14.6	24.5	0.1	24.7	1988-89
0.4	1.4	1.8	10.0	14.3	24.2	0.8	25.0	1989-90
0.4	2.1	2.5	9.7	15.9	25.7	1.4	27.1	1990-91
-0.4	1.0	0.7	9.2	13.7	22.9	0.7	23.6	1991-92
0.4	1.4	1.8	8.9	14.4	23.3	-1.3	22.0	1992-93
0.5	**-0.1**	**0.4**	**8.9**	**12.4**	**21.3**	**-0.9**	**20.4**	**1993-94**

1.6: मूल उद्योग के अनुसार उपादान लागत के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें

(1980-81 की कीमतों पर)

प्रतिशत

वर्ष	कृषि, वानिकी और लट्ठा उद्योग, मीन उद्योग, खनन और उत्खनन	विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), निर्माण, बिजली, गैस और जलपूर्ति	परिवहन, संचार और व्यापार	बैंक और बीमा, भू-गृहादि संपदा तथा आवास पर स्वामित्व और व्यापारिक सेवाएं	सरकारी प्रशासन और रक्षा तथा अन्य सेवाएं	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
1951-52	1.7	4.2	2.6	2.3	3.0	2.3
1952-53	3.1	1.1	3.3	4.2	2.1	2.8
1953-54	7.6	6.8	3.7	1.4	3.1	6.1
1954-55	3.0	8.1	6.5	3.7	3.6	4.2
1955-56	-0.8	10.2	7.3	4.0	3.1	2.6
1956-57	5.4	8.4	7.3	1.6	3.8	5.7
1957-58	-4.3	0.4	3.1	3.8	4.5	-1.2
1958-59	9.9	6.6	4.9	2.8	4.1	7.6
1959-60	-0.9	7.1	6.3	3.8	4.3	2.2
1960-61	6.9	9.9	8.6	2.1	4.9	7.1
1961-62	0.2	7.6	6.5	4.3	4.7	3.1
1962-63	-1.6	6.7	5.8	3.4	7.1	2.1
1963-64	2.4	10.3	7.1	3.1	6.6	5.1
1964-65	9.0	7.2	6.8	2.7	6.6	7.6
1965-66	-10.4	2.5	1.7	3.0	4.0	-3.7
1966-67	-1.3	2.8	2.6	1.8	4.6	1.0
1967-68	14.5	2.5	4.2	2.7	3.9	8.1
1968-69	-0.1	5.4	4.5	4.9	4.5	2.6
1969-70	6.4	8.8	5.4	4.2	5.5	6.5
1970-71	6.6	2.0	4.9	4.2	5.5	5.0
1971-72	-1.7	2.9	2.3	5.2	4.5	1.0
1972-73	-4.7	3.6	2.1	3.9	3.3	-0.3
1973-74	7.0	2.0	4.2	2.4	2.6	4.6
1974-75	-1.3	1.8	5.9	-0.3	4.7	1.2
1975-76	12.9	5.1	9.1	6.9	3.5	9.0
1976-77	-5.5	9.2	4.4	7.9	2.8	1.2
1977-78	9.8	6.9	6.8	4.9	2.7	7.5
1978-79	2.3	9.2	8.2	7.1	4.3	5.5
1979-80	-12.3	-3.3	-0.9	1.0	7.3	-5.2
1980-81	12.9	3.0	5.6	1.9	4.1	7.2
1981-82	6.2	7.6	6.1	4.6	3.5	6.1
1982-83	-0.7	4.3	5.3	7.4	7.8	3.1
1983-84	10.4	9.2	5.6	6.1	3.6	8.2
1984-85	0.0	6.3	5.7	6.6	6.9	3.8
1985-86	0.5	4.5	8.3	7.2	6.1	4.1
1986-87	-1.0	6.9	6.3	8.2	9.2	4.3
1987-88	0.5	6.6	5.8	6.0	6.6	4.3
1988-89	16.3	8.7	7.0	9.2	6.1	10.6
1989-90	2.0	10.5	8.2	10.8	8.3	6.9
1990-91	4.2	7.0	5.2	6.5	4.3	5.4
1991-92	-1.8	-1.2	2.2	9.6	4.1	0.9
1992-93	4.8	3.1	6.2	3.0	4.4	4.3
1993-94	**3.1**	**3.4**	**4.9**	**8.5**	**4.8**	**4.3**

टिप्पणी: सारणी 1.3 में दिये गये आंकड़ों के आधार पर।

1.7: वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद
(नई श्रृंखला)

करोड़ रुपए

		1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अ)	**1992-93 (ख)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
1	आन्ध्र प्रदेश	7324	13412	14242	17375	22089	25424	31165	37165	**39704**
2	अरुणाचल प्रदेश	97	237	267	284	335	366	467	523	**572**
3	असम	2356	5118	5476	5993	6563	7741	8905	10430	**11736**
4	बिहार	6349	12367	14182	15358	18580	19188	22741	25256	**29342**
5	दिल्ली	2297	4718	5252	6061	7197	8284	9428	11201	-
6	गोवा	316	509	608	671	781	920	1024	1144	**1222**
7	गुजरात	6585	12037	13883	13667	19283	20910	23316	26359	**32240**
8	हरियाणा	3032	5788	6077	6744	8915	9943	12229	14551	**16392**
9	हिमाचल प्रदेश	723	1237	1363	1539	1873	2184	2429	2798	-
10	जम्मू और कश्मीर	1050	1929	2134	2086	2601	2702	2951	3167	**3368**
11	कर्नाटक	5612	10322	11845	13550	15825	18181	20990	26778	**29122**
12	केरल	3823	6503	7354	8258	9182	10668	12195	13535	**15082**
13	मध्य प्रदेश	6967	11963	12415	16001	18740	21145	27171	29357	**32307**
14	महाराष्ट्र	15113	26464	28413	33249	39876	48551	57178	63848	**75481**
15	मणिपुर	201	377	431	508	610	642	694	761	-
16	मेघालय	180	342	386	472	513	664	795	946	**1071**
17	मिजोरम	62	157	194	259	260	281	304	-	-
18	नागालैंड	110	242	269	340	387	469	561	681	-
19	उड़ीसा	3225	5936	6206	6521	8433	9105	9664	12215	**12922**
20	पंजाब	4449	8347	9174	10816	12495	15055	16729	19879	**22499**
21	राजस्थान	4126	7669	8341	9437	12892	13836	17940	19622	**22936**
22	सिक्किम	49	113	135	156	167	185	203	224	-
23	तमिलनाडु	7218	13682	15305	18166	20423	23935	28031	32691	**35225**
24	त्रिपुरा	268	485	512	589	765	836	931	-	-
25	उत्तर प्रदेश	14012	24669	27237	30481	36129	41009	48477	56250	**61267**
26	पश्चिम बंगाल	8720	15699	17499	20151	23823	27302	32062	36443	**41604**

ख: त्वरित अनुमान अ: अनन्तिम
—उपलब्ध नहीं
टिप्पणी: प्रयोग में लाई गई स्रोत सामग्री में अंतर के कारण, विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं है।
स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

1.8 वर्तमान कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
(नई श्रृंखला)

(रुपये)

	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अ)	**1992-93 (त्व)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
1. आन्ध्र रदेश	1380	2296	2394	2869	3584	4054	4728	5529	**5802**
2. अरुणाचल प्रदेश	1561	3274	3575	3680	4212	4467	5479	5965	**6359**
3. असम	1200	2313	2420	2589	2772	3589	4014	4594	**5056**
4. बिहार	917	1601	1798	1906	2259	2286	2655	2886	**3280**
5. दिल्ली	3759	6252	6677	7393	8426	9311	10177	11650	-
6. गोवा	3145	4522	5277	5696	6501	7505	8797	9667	**10128**
7. गुजरात	1948	3218	3644	3504	4857	5176	5687	6306	**7586**
8. हरियाणा	2370	4004	4104	4446	5738	6248	7502	8722	**9609**
9. हिमाचल प्रदेश	1704	2649	2870	3185	3813	4375	4790	5355	-
10. जम्मू और कश्मीर	1776	2874	3099	2954	3591	3636	3872	4051	**4212**
11. कर्नाटक	1527	2520	2837	3186	3656	4131	4696	5898	**6313**
12. केरल	1508	2398	2676	2937	3233	3718	4207	4607	**5065**
13. मध्य प्रदेश	1349	2063	2091	2631	3007	3310	4149	4383	**4725**
14. महाराष्ट्र	2427	3825	3993	4566	5350	6362	7316	7997	**9270**
15. मणिपुर	1429	2362	2636	3040	3568	3674	3893	4180	-
16. मेघालय	1361	2250	2479	2955	3118	3863	4530	5231	**5769**
17. मिजोरम	1289	2658	3165	4077	4026	4135	4451	-	-
18. नागालैंड	1448	2591	2781	3385	3706	4333	5006	5863	-
19. उड़ीसा	1231	2072	2128	2194	2793	2965	3077	3816	**3963**
20. पंजाब	2674	4578	4940	5719	6487	7674	8373	9769	**10857**
21. राजस्थान	1222	1978	2095	2310	3089	3241	4113	4402	**5035**
22. सिक्किम	1571	3023	3472	3886	4241	4686	5063	5416	-
23. तमिलनाडु	1498	2620	2885	3374	3782	4370	5047	5817	**6205**
24. त्रिपुरा	1323	2074	2123	2371	2991	3170	3420	-	-
25. उत्तर प्रदेश	1278	1999	2157	2360	2736	3038	3516	4001	**4280**
26. पश्चिम बंगाल	1612	2599	2834	3192	3691	4138	4753	5284	**5901**

अ: अनंतिम　　　**त्व:** त्वरित अनुमान

- -उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: प्रयोग में लाई गई स्रोत सामग्री में अंतर के कारण, विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं है।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

1.9: कृषि उत्पादन के सूचक अंक

(आधार: 1981-82 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	भारांश	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 *	1993-94 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. खाद्यान्न	62.92	87.9	104.9	123.4	139.1	143.7	137.6	144.3	**148.3**
(क) अनाज	54.98	84.1	105.0	122.2	140.8	144.2	140.4	146.9	**151.1**
चावल	29.74	84.4	107.8	128.3	147.9	149.4	150.2	146.5	**158.8**
गेहूं	14.45	67.7	103.2	133.7	141.6	156.6	158.2	162.5	**168.0**
मोटे अनाज	10.79	105.4	99.8	90.1	120.3	113.1	89.4	127.0	**107.0**
(ख) दालें	7.94	113.6	104.1	131.0	127.1	140.5	118.6	126.5	**129.0**
चना	3.07	126.3	105.4	140.7	102.5	130.2	100.2	107.4	**119.2**
ख. गैर-खाद्यान्न	37.08	82.6	97.4	113.0	149.7	156.3	158.8	163.6	**165.8**
(क) तेलहन	12.64	97.1	95.1	109.8	166.1	179.5	181.9	194.0	**202.1**
मूंगफली	5.60	101.8	83.4	85.4	135.1	125.3	118.3	142.8	**129.4**
तोरिया और सरसों	2.41	97.2	113.0	131.4	202.2	256.3	287.3	235.4	**264.1**
(ख) रेशे	5.09	65.6	94.2	121.3	144.6	128.2	128.5	147.3	**137.6**
कपास (रुई)	4.37	63.4	93.2	116.0	151.9	130.9	129.2	151.6	**142.4**
जूट	0.55	76.5	100.8	168.5	109.5	122.6	138.3	138.3	**121.6**
मेस्ता	0.14	77.3	96.7	103.1	71.2	76.7	79.0	64.0	**64.3**
(ग) बागानी फसलें	2.29	73.2	76.0	102.4	131.6	144.9	146.1	146.6	**146.6**
चाय	1.46	74.7	101.6	117.0	128.4	132.3	125.5	125.5	**125.5**
काफी	0.44	79.1	85.1	88.0	85.0	122.3	129.5	116.2	**116.2**
रबड़	0.39	60.8	101.1	132.3	196.2	217.6	242.0	259.7	**259.7**
(घ) अन्य									
गन्ना	8.11	81.2	98.8	109.2	144.4	154.3	162.6	145.9	**145.3**
तम्बाकू	1.12	75.5	100.2	91.9	114.9	115.8	121.7	124.2	**118.5**
आलू	2.09	50.2	103.9	111.9	158.6	163.3	176.0	163.6	**193.7**
ग. समस्त वस्तुएं	100.00	85.9	102.1	119.5	143.0	148.4	145.5	151.5	**154.8**

*अन्तिम

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

1.10: प्रमुख फसलों के क्षेत्रों का सूचक अंक

(आधार: 1981-82 को समाप्त त्रिवर्षीय = 10

	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 *	1993-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. खाद्यान	97.9	99.8	100.9	99.9	100.7	96.0	97.0	96.5
(क) अनाज	97.9	100.1	99.5	99.2	99.1	95.4	96.8	96.0
चावल	93.6	100.2	102.6	105.2	106.5	106.4	104.2	104.9
गेहूं	82.2	100.4	103.6	105.9	108.9	104.8	110.8	112.3
मोटे अनाज	110.1	99.9	94.2	90.0	86.7	79.8	82.2	78.9
(ख) दालें	98.0	98.6	107.3	102.9	108.4	99.0	98.2	98.6
चना	109.5	92.1	109.3	90.6	105.3	78.2	90.4	90.2
ख. गैर-खाद्यान्न	91.1	99.4	104.2	115.8	120.0	124.7	123.6	126.0
(क) तेलहन	94.2	98.5	103.3	118.8	122.9	130.4	127.9	132.9
मूंगफली	102.8	95.4	100.0	122.2	116.6	121.7	114.6	117.6
तोरिया और सरसों	84.8	102.2	98.9	123.5	143.7	162.9	153.9	156.5
(ख) रेशे	94.6	98.8	97.5	92.7	91.1	94.4	92.8	89.3
कपास (रुई)	95.1	97.7	94.1	96.1	92.9	95.7	94.2	91.6
जूट	86.4	108.5	132.2	78.1	89.7	101.0	101.0	88.3
मेस्ता	93.1	101.1	97.9	64.4	67.1	67.0	58.0	54.7
(ग) बागानी फसलें	79.8	89.8	94.8	117.0	122.5	121.9	124.0	124.0
चाय	93.2	100.5	105.3	109.7	110.3	110.5	110.5	110.5
काफी	64.8	100.6	115.1	99.9	111.1	99.9	99.9	99.9
रबड़	73.0	100.4	115.3	149.3	158.2	167.6	176.1	176.1
(घ) अन्य								
गन्ना	91.5	94.4	100.8	121.7	130.4	136.0	126.4	119.8
तम्बाकू	101.5	102.5	90.2	93.9	93.3	97.0	95.1	87.8
आलू	62.2	100.6	115.9	129.2	128.6	141.6	144.8	148.5
ग. समस्त वस्तुएं	96.3	99.7	101.6	103.5	105.2	102.6	103.2	103.3

*अनन्तिम

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

1.11: प्रमुख फसलों की पैदावार का सूचक अंक

(आधार: 1981-82 को समाप्त त्रिवर्षीय = 100)

	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 *	1993-94 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. खाद्यान	93.2	105.1	120.6	135.5	137.8	136.5	142.0	145.5
(क) अनाज	89.9	104.9	120.5	137.3	139.3	138.8	144.2	147.9
चावल	90.2	107.7	125.0	140.6	140.2	141.1	140.6	151.4
गेहूं	82.4	102.8	129.0	133.7	143.8	150.9	146.7	149.6
मोटे अनाज	97.0	100.2	94.9	132.6	128.8	109.9	152.3	132.2
(ख) दालें	114 4	106.6	121.3	122.9	128.1	120.2	126.7	128.9
चना	115.3	114.3	128.7	113.1	123.6	128.2	118.8	132.2
ख. गैर-खाद्यान्न	91.4	99.2	108.3	126.7	128.0	123.9	130.0	131.7
(क) तिलहन	102.2	96.8	102.2	127.0	132.1	124.7	134.9	134.0
मूंगफली	99.0	87.5	85.4	110.5	107.4	97.2	124.6	110.0
तोरिया और सरसों	114.7	110.6	132.8	163.8	178.3	176.4	152.9	168.8
(ख) रेशा	69.5	95.1	123.5	155.4	139.9	135.0	157.3	152.9
कपास (रुई)	66.7	95.4	123.3	158.0	140.8	135.0	160.9	155.4
जूट	88.6	92.9	127.5	140.1	136.6	137.0	137.0	137.7
मेस्ता	83.1	95.6	105.3	110.5	114.3	117.8	110.4	117.5
(ग) बागानी फसलें	86.8	84.6	104.8	114.9	122.2'	123.7	122.6	122.6
चाय	80.2	101.1	111.2	117.1	119.9	113.6	113.6	113.6
काफी	122.0	84.6	76.5	85.1	110.2	129.7	116.4	116.4
रबड़	83.2	100.7	114.8	131.4	137.5	144.4	147.5	147.5
(घ) अन्य	88.8	104.6	108.3	118.7	118.3	119.5	115.5	121.3
गन्ना	74.4	97.7	101.9	122.4	124.0	125.5	130.7	134.9
तम्बाकू	80.7	103.4	96.6	122.8	127.0	124.3	113.0	130.4
आलू	92.6	102.9	116.0	131.9	133.8	131.1	137.0	139.7
ग. समस्त वस्तुएं								

*अनन्तिम

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

1.12: प्रमुख फसलों का उत्पादन

(मिलियन इकाइयां)

समूह / वस्तु	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खाद्यान्न	टन	50.8	82.0	108.4	129.6	150.4	171.0	176.4	168.4	179.5	**182.1**
खरीफ	टन	उ०न०	उ०न०	68.9	77.7	85.2	101.0	99.4	91.6	101.5	**99.4**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	39.5	51.9	65.2	70.0	77.0	76.8	78.0	**82.7**
अनाज	टन	42.4	69.3	96.6	119.0	137.1	158.2	162.1	156.4	166.6	**169.0**
खरीफ	टन	उ०न०	उ०न०	65.0	73.9	80.7	95.5	94.0	87.2	95.8	**93.9**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	31.6	45.1	56.4	62.7	68.1	69.2	70.8	**75.1**
दालें	टन	8.4	12.7	11.8	10.6	13.4	12.8	14.3	12.0	12.8	**13.1**
खरीफ	टन	उ०न०	उ०न०	3.9	3.8	4.6	5.5	5.4	4.4	5.6	**5.5**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	7.9	6.8	8.8	7.3	8.9	7.6	7.2	**7.6**
चावल	टन	20.6	34.6	42.2	53.6	63.8	73.6	74.3	74.7	72.9	**79.0**
खरीफ	टन	उ०न०	उ०न०	39.5	50.1	59.4	65.9	66.3	66.4	65.3	**69.4**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	2.7	3.5	4.4	7.7	8.0	8.3	7.6	**9.6**
गेहूं	टन	6.5	11.0	23.8	36.3	47.1	49.8	55.1	55.7	57.2	**59.1**
खरीफ	टन	5.5	9.8	8.1	10.4	10.2	12.9	11.7	8.1	12.8	**11.5**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	5.8	7.5	7.3	9.2	8.3	5.7	9.4	**7.5**
मक्का	टन	उ०न०	उ०न०	2.3	2.9	2.9	3.7	3.4	2.4	3.4	**4.0**
बाजरा	टन	1.7	4.1	7.5	7.0	6.6	9.7	9.0	8.1	10.0	**9.5**
चना	टन	2.6	3.3	8.0	5.3	3.7	6.6	6.9	4.7	8.9	**5.0**
तूर	टन	3.6	6.3	5.2	4.3	5.8	4.2	5.4	4.1	4.4	**4.9**
तेलहन**	टन	1.7	2.1	1.9	2.0	2.4	*2.7	2.4	2.1	2.3	**2.7**
खरीफ	टन	5.2	7.0	9.6	9.4	10.8	16.9	18.6	18.6	20.1	**21.5**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	7.0	5.0	6.0	9.6	9.8	9.3	12.0	**12.2**
मूंगफली	टन	उ०न०	उ०न०	2.6	4.4	4.8	7.3	8.8	9.3	8.1	**9.3**
खरीफ	टन	3.5	4.8	6.1	5.0	5.1	8.1	7.5	7.1	8.6	**7.8**
रबी	टन	उ०न०	उ०न०	उ०न०	3.7	3.7	6.1	5.1	5.0	6.7	**5.6**
रेपसीड और सरसों	टन	उ०न०	उ०न०	उ०न०	1.3	1.4	2.0	2.4	2.1	1.9	**2.2**
गन्ना	टन	0.8	1.4	2.0	2.3	2.7	4.1	5.2	5.9	4.8	**5.4**
कपास	बेल्स@	57.1	110.0	126.4	154.2	170.7	225.6	241.0	254.0	228.0	**227.1**
जूट और मेस्ता	बेल्स+	3.0	5.6	4.8	7.0	8.7	11.4	9.8	9.7	11.4	**10.7**
जूट	बेल्स+	3.3	5.3	6.2	8.2	12.6	8.3	9.2	10.3	8.6	**8.5**
मेस्ता	बेल्स+	3.3	4.1	4.9	6.5	10.9	7.1	7.9	8.9	7.5	**7.4**
बागानी फसलें	टन	उ०न०	1.1	1.3	1.7	1.8	1.2	1.3	1.4	1.1	**1.1**
चाय	टन	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7 *	0.7	उ०न०	उ०न०
काफी	टन	नगण्य	नगण्य	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	**0.2**
रबड़	टन	नगण्य	नगण्य	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	**0.4**
आलू	टन	1.7	2.7	4.8	9.7	10.4	14.8	15.2	16.4	15.2	**17.6**

*अनन्तिम। उ०न० उपलब्ध नहीं

**इसमें मूंगफली, तोरिया और सरसों, तिल, अलसी, रेंडी, नाइजर के बीज, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल है।

@एक गांठ = 170 किलोग्राम।

+ एक गांठ = 180 किलोग्राम।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

1.13: प्रमुख फसलों के अंतर्गत सकल क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)

समूह / वस्तु	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खाद्यान्न	97.3	115.6	124.3	126.7	128.0	126.8	127.8	121.9	123.1	**122.4**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	82.3	83.2	81.8	81.4	80.8	78.0	77.9	**76.0**
रबी	उ०न०	उ०न०	42.0	43.5	46.2	45.4	47.0	43.9	45.2	**46.4**
अनाज	79.2	92.0	101.8	104.2	103.6	103.3	103.2	99.3	100.8	**100.0**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	72.9	72.8	70.8	69.9	69.3	66.8	66.5	**64.5**
रबी	उ०न०	उ०न०	28.9	31.4	32.8	33.4	33.9	32.5	34.3	**35.5**
दालें	19.1	23.6	22.6	22.5	24.4	23.4	24.7	22.5	22.4	**22.4**
खरीफ	NA	NA	9.5	10.4	11.0	11.5	11.5	11.2	11.4	**11.4**
रबी	NA	NA	13.1	12.1	13.4	11.9	13.2	11.3	11.0	**11.0**
चावल	30.8	34.1	37.6	40.1	41.1	42.2	42.7	42.7	41.8	**42.0**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	36.0	38.4	39.2	39.3	39.7	39.6	38.9	**38.6**
रबी	उ०न०	उ०न०	1.6	1.7	1.9	2.9	3.0	3.1	2.9	**3.4**
गेहूं	9.8	12.9	18.2	22.3	23.0	23.5	24.2	23.3	24.6	**24.9**
ज्वार	15.6	18.4	17.4	15.8	16.1	14.8	14.4	12.4	13.0	**12.9**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	10.9	10.2	9.6	8.8	8.6	7.6	7.6	**7.0**
रबी	उ०न०	उ०न०	6.5	5.6	6.5	6.0	5.8	4.8	5.4	**5.9**
मक्का	3.2	4.4	5.8	6.0	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	**6.0**
बाजरा	9.0	11.5	12.9	11.7	10.6	10.9	10.5	10.0	10.6	**9.5**
चना	7.6	9.3	7.8	6.6	7.8	6.5	7.5	5.6	6.5	**6.4**
तूर	2.2	2.4	2.7	2.8	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	**3.6**
तिलहन**	10.7	13.8	16.6	17.6	19.0	22.8	24.1	25.9	25.3	**26.8**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	10.8	10.2	11.5	13.9	14.0	15.4	15.0	**16.1**
रबी	उ०न०	उ०न०	5.8	7.4	7.5	8.9	10.1	10.5	10.3	**10.7**
मूंगफली	4.5	6.5	7.3	6.8	7.1	8.7	8.3	8.7	8.2	**8.4**
खरीफ	उ०न०	उ०न०	उ०न०	5.9	6.2	7.4	6.8	7.3	6.9	**7.0**
रबी	उ०न०	उ०न०	उ०न०	0.9	0.9	1.3	1.5	1.4	1.3	**1.4**
रेपसीड और सरसों	2.1	2.9	3.3	4.1	4.0	5.0	5.8	6.6	6.2	**6.3**
गन्ना	1.7	2.4	2.6	2.7	2.8	3.4	3.7	3.8	3.6	**3.4**
कपास	5.9	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7	7.4	7.7	7.5	**7.3**
जूट और मेस्ता	0.6	0.9	1.1	1.3	1.5	0.9	1.0	1.1	0.9	**0.9**
जूट	0.6	0.6	0.8	0.9	1.2	0.7	0.8	0.9	0.7	**0.7**
मेस्ता	उ०न०	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	**0.2**
बागानी फसलें										
चाय (कुल क्षेत्र)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 *	0.4	उ०न०	**उ०न०**
कॉफी (तुड़ाई क्षेत्र)	0.1	0.1	उ०न०	0.2	0.2	0.2	0.2	उ०न०	उ०न०	**उ०न०**
रबड़ (ऊपरी क्षेत्र)	नगण्य	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	**0.4**
आलू	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	**1.1**

*अनन्तिम। उ०न०=उपलब्ध नहीं।

**इसमें मूंगफली, तोरियां और सरसों, तिल अलसी, रेंडी, नाइजर के बीज कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल है।

स्रोत: आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता विभाग।

1.14: प्रमुख फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

(कि०ग्रा० / हेक्टेयर)

समूह / वस्तु	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खाद्यान्न	522	710	872	1023	1175	1349	1380	1382	1457	1487
खरीफ	उ०न०	उ०न०	837	933	1042	1241	1231	1174	1302	1308
रबी	उ०न०	उ०न०	942	1195	1410	1544	1635	1751	1725	1781
अनाज	542	753	949	1142	1323	1530	1571	1574	1654	1690
खरीफ	उ०न०	उ०न०	892	1015	1140	1366	1357	1305	1440	1456
रबी	उ०न०	उ०न०	1093	1434	1718	1875	2010	2126	2068	2116
दालें	441	539	524	473	547	549	578	533	573	584
खरीफ	उ०न०	उ०न०	410	361	412	480	471	393	495	476
रबी	उ०न०	उ०न०	607	571	658	616	672	672	654	696
चावल	668	1013	1123	1336	1552	1745	1740	1751	1744	1879
खरीफ	उ०न०	उ०न०	1100	1303	1514	1677	1670	1676	1677	1797
रबी	उ०न०	उ०न०	1625	2071	2329	2678	2671	2720	2653	2814
गेहूं	663	851	1307	1630	2046	2121	2281	2394	2327	2373
ज्वार	353	533	466	660	633	869	814	655	982	894
खरीफ	उ०न०	उ०न०	533	737	761	1053	969	757	1230	1084
रबी	उ०न०	उ०न०	354	520	447	604	582	496	632	672
मक्का	547	926	1279	1159	1146	1632	1518	1376	1676	1583
बाजरा	288	286	622	458	344	610	658	465	836	527
चना	482	674	663	657	742	652	712	739	684	761
तूर	788	849	709	689	767	763	673	588	652	754
तेलहन**	481	507	579	532	570	742	771	719	797	801
खरीफ	उ०न०	उ०न०	649	492	516	691	698	604	804	753
रबी	उ०न०	उ०न०	449	588	651	822	872	886	786	875
मूंगफली	775	745	834	736	719	930	904	818	1049	926
खरीफ	उ०न०	उ०न०	उ०न०	629	602	824	751	687	969	799
रबी	उ०न०	उ०न०	उ०न०	1444	1549	1532	1611	1501	1473	1591
रेपसीड और सरसों	368	467	594	560	674	831	904	895	776	856
गन्ना (टन/हे०)	33	46	48	58	60	65	65	66	64	67
कपास	88	125	106	152	197	252	225	216	257	248
जूट और मेस्ता	1043	1049	1032	1130	1524	1646	1634	1662	1658	1713
जूट	1043	1183	1186	1245	1710	1879	1833	1837	1857	1907
मेस्ता	उ०न०	742	684	828	910	956	988	1019	955	1016
बागानी फसलें										
चाय (कुल क्षेत्र)	876	971	1182	1491	1641	1729	1770	1678	उ०न०	उ०न०
कॉफी (तुड़ाई क्षेत्र)	298	448	उ०न०	624	570	566	732	उ०न०	उ०न०	उ०न०
रबड़ (ऊपरी क्षेत्र)	342	354	653	788	898	1029	1076	1130	1154	उ०न०
आलू (टन/हे०)	7	7	10	13	12	16	16	16	15	उ०न०

*अनन्तिम। उ०न०=उपलब्ध नहीं।
**इसमें मूंगफली तोरिया और सरसों तिल, अलसी, रेंडी, नाइजर के बीज, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल है।
स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

1.15: खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन
1989-90 से 1993-94

(हजार मीट्रिक टन)

	वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	कुल अनाज	कुल दाल	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	1989-90	9959.1	8.5	2122.2	12089.8	682.0	12771.8
	1990-91	9654.0	9.0	1971.1	11634.1	695.5	12329.6
	1991-92	9249.4	6.8	1657.4	10913.6	791.8	11705.4
	1992-93	8792.2	7.6	2119.1	10918.9	739.0	11657.9
	1993-94 *	9487.0	6.7	1939.3	11433.0	609.8	12042.8
असम	1989-90	2794.8	87.5	17.8	2900.1	51.0	2951.1
	1990-91	3270.2	104.8	18.3	3393.3	48.5	3441.8
	1991-92	3197.2	111.2	17.5	3325.9	53.3	3379.2
	1992-93	3299.7	78.7	17.5	3395.9	51.1	3447.0
	1993-94 *	3361.1	100.8	16.1	3478.0	57.0	3535.0
बिहार	1989-90	6348.9	3270.2	1379.3	10998.4	835.9	11834.3
	1990-91	6563.5	3560.4	1219.2	11343.1	915.8	12258.9
	1991-92	4753.2	3594.3	1440.5	9788.0	850.4	10638.4
	1992-93	3641.2	3449.5	1298.4	8389.1	693.3	9082.4
	1993-94 *	6063.3	4323.3	1592.1	11978.7	754.8	12733.5
गुजरात	1989-90	817.3	1101.7	2301.4	4220.4	567.4	4787.8
	1990-91	791.1	1443.7	1982.1	4216.9	626.6	4843.5
	1991-92	690.6	905.7	1403.5	2999.8	393.7	3393.5
	1992-93	829.6	1360.2	2571.8	4761.6	648.1	5409.7
	1993-94 *	838.6	928.2	1073.1	3239.9	537.9	3777.8
हरियाणा	1989-90	1698.0	5913.0	612.0	8223.0	428.6	8651.6
	1990-91	1834.0	6440.0	747.0	9021.0	540.2	9561.2
	1991-92	1812.0	6502.0	509.0	8823.0	270.2	9093.2
	1992-93	1869.0	7083.0	969.0	9921.0	330.2	10251.2
	1993-94 *	2057.0	7231.0	497.0	9785.0	469.6	10254.6
हिमाचल प्रदेश	1989-90	94.5	543.7	719.9	1358.1	10.7	1368.8
	1990-91	106.5	601.7	712.5	1420.7	13.5	1434.2
	1991-92	103.0	595.8	627.6	1326.4	13.1	1339.5
	1992-93	110.3	593.5	687.0	1390.8	12.2	1403.0
	1993-94 *	101.9	414.9	708.6	1225.4	10.8	1236.2
जम्मू कश्मीर	1989-90	549.2	262.2	470.0	1281.4	23.9	1305.3
	1990-91	555.1	297.4	466.6	1319.1	24.5	1343.6
	1991-92	550.1	308.0	526.5	1384.6	20.6	1405.2
	1992-93	508.8	347.3	509.6	1365.7	18.1	1383.8
	1993-94 *	508.8	347.3	509.6	1365.7	18.1	1383.8
कर्नाटक	1989-90	2376.9	89.3	4095.9	6562.1	545.0	7107.1
	1990-91	2415.3	124.8	3307.4	5847.5	551.7	6399.2
	1991-92	2826.1	142.1	4292.9	7261.1	665.9	7927.0
	1992-93	3068.7	158.1	4709.2	7936.0	562.6	8498.6
	1993-94 *	3135.6	178.6	4547.9	7862.1	599.6	8461.7
केरल	1989-90	1073.6	-	6.0	1079.6	18.8	1098.4
	1990-91	1086.6	-	6.3	1092.9	18.2	1111.1
	1991-92	1060.3	-	6.3	1066.6	16.7	1083.3
	1992-93	1084.8	-	5.6	1090.4	20.0	1110.4
	1993-94 *	961.0	-	6.2	967.2	19.2	986.4

*अनन्तिम

जारी

1.15: खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन
1989-90 से 1993-94

(हजार मीट्रिक टन)

1	वर्ष 2	चावल 3	गेहूं 4	मोटे अनाज 5	कुल अनाज 6	कुल दालें 7	कुल खाद्यान्न 8
मध्य प्रदेश	1989-90	4492.5	4119.7	3729.0	12341.2	2505.5	14846.7
	1990-91	5738.1	5832.6	3223.1	14893.8	3103.9	17997.7
	1991-92	5248.5	5138.0	2329.2	12715.7	2792.4	15508.1
	1992-93	5262.9	5282.9	3466.1	13991.9	2898.2	16890.1
	1993-94 *	**5822.2**	**6160.5**	**3216.9**	**15199.6**	**3362.7**	**18562.3**
महाराष्ट्र	1989-90	2318.8	907.1	8281.4	11507.3	1734.5	13241.8
	1990-91	2313.7	918.7	7507.9	10740.3	1443.9	12184.2
	1991-92	2100.2	625.7	4707.3	7433.2	932.6	8365.8
	1992-93	2363.8	797.6	9054.3	12215.7	1829.1	14044.8
	1993-94 *	**2484.4**	**1055.9**	**7836.8**	**11377.1**	**2013.4**	**13390.5**
मणिपुर	1989-90	245.1	-	14.9	260.0	-	260.0
	1990-91	274.2	-	11.4	285.6	-	285.6
	1991-92	340.5	-	9.6	350.1	-	350.1
	1992-93	269.3	-	8.1	277.4	-	277.4
	1993-94 *	**348.8**	**-**	**7.8**	**356.6**	**-**	**356.6**
मेघालय	1989-90	116.7	5.9	26.0	148.6	2.4	151.0
	1990-91	119.8	5.9	26.3	152.0	2.4	154.4
	1991-92	121.1	5.6	26.2	152.9	2.4	155.3
	1992-93	114.0	6.2	22.6	142.8	2.4	145.2
	1993-94 *	**114.0**	**6.2**	**22.5**	**142.7**	**2.5**	**145.2**
नागालैण्ड	1989-90	150.0	..	20.0	170.0	9.2	179.2
	1990-91	152.2	1.3	28.2	181.7	12.0	193.7
	1991-92	154.0	1.6	33.0	188.6	15.0	203.6
	1992-93	176.0	0.3	44.9	221.2	7.5	228.7
	1993-94 *	**180.0**	**1.0**	**38.0**	**219.0**	**10.0**	**229.0**
उड़ीसा	1989-90	6284.0	64.9	507.9	6856.8	1116.6	7973.4
	1990-91	5275.3	55.6	525.6	5856.5	1085.8	6942.3
	1991-92	6659.7	56.5	423.9	7140.1	1132.9	8273.0
	1992-93	5387.7	7.5	151.5	5546.7	362.4	5909.1
	1993-94 *	**6616.3**	**5.0**	**163.4**	**6784.7**	**387.4**	**7172.1**
पंजाब	1989-90	6697.0	11681.0	508.5	18886.5	99.1	18985.6
	1990-91	6535.0	12155.0	450.3	19140.3	108.4	19248.7
	1991-92	6755.0	12295.0	505.2	19555.2	79.6	19634.8
	1992-93	7002.0	12369.0	561.1	19932.1	74.6	20006.7
	1993-94 *	**7624.0**	**13341.0**	**480.1**	**21445.1**	**73.6**	**21518.7**
राजस्थान	1989-90	151.1	3400.1	3826.1	7377.3	1155.6	8532.9
	1990-91	142.1	4308.6	4765.0	9215.7	1718.8	10934.5
	1991-92	119.5	4478.4	2466.5	7064.4	916.9	7981.3
	1992-93	174.8	5147.8	4698.6	10021.2	1457.9	11479.1
	1993-94 *	**143.0**	**3459.5**	**2373.8**	**5976.3**	**1068.7**	**7045.0**
तमिलनाडु	1989-90	6063.4	0.1	1415.6	7479.1	411.8	7890.9
	1990-91	5782.4	0.2	1307.3	7089.9	348.2	7438.1
	1991-92	6596.3	0.2	1317.6	7914.1	331.2	8245.3
	1992-93	6805.7	0.1	1209.5	8015.3	342.7	8358.0
	1993-94 *	**6601.9**	**-**	**1568.5**	**8170.4**	**397.1**	**8567.5**

जारी

*अनंतिम

1.15: खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन
1989-90 से 1993-94

(हजार टन)

	वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	कुल अनाज	कुल दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	1989-90	459.1	6.6	-	465.7	6.1	471.8
	1990-91	501.3	6.9	1.6	509.8	6.2	516.0
	1991-92	474.5	4.7	1.2	480.4	6.3	486.7
	1992-93	438.1	9.1	1.7	448.9	6.5	455.4
	1993-94 *	**438.1**	**9.1**	**1.7**	**448.9**	**6.5**	**455.4**
उत्तर प्रदेश	1989-90	9476.9	17684.1	4392.1	31553.1	2413.4	33966.5
	1990-91	10260.3	18600.1	4038.8	32899.2	2771.9	35671.1
	1991-92	9411.4	20229.4	3358.8	32999.6	2522.1	35521.7
	1992-93	9709.3	19814.3	4187.0	33710.6	2526.9	36237.5
	1993-94 *	**10115.3**	**20797.7**	**3567.6**	**34480.6**	**2488.3**	**36968.9**
पश्चिम बंगाल	1989-90	10923.6	569.0	151.4	11644.0	211.9	11855.9
	1990-91	10436.5	530.2	110.1	11076.8	193.1	11269.9
	1991-92	11954.2	557.5	169.6	12681.3	174.7	12856.0
	1992-93	11445.4	587.3	157.6	12190.3	198.6	12388.9
	1993-94 *	**11444.4**	**632.1**	**186.7**	**12263.2**	**178.1**	**12441.3**
सिक्किम	1989-90	23.0	20.3	65.7	109.0	18.7	127.7
	1990-91	25.3	19.6	69.0	113.9	16.4	130.3
	1991-92	22.3	14.2	63.6	100.1	6.4	106.5
	1992-93	20.7	14.1	59.9	94.7	6.8	101.5
	1993-94 *	**20.7**	**14.1**	**60.9**	**95.7**	**5.5**	**101.2**
अरूणाचल प्रदेश	1989-90	138.8	6.4	64.2	209.4	-	209.4
	1990-91	142.5	6.7	65.1	214.3	4.2	218.5
	1991-92	143.1	6.8	65.4	215.3	4.5	219.8
	1992-93	116.9	6.4	65.8	189.1	5.3	194.4
	1993-94 *	**144.0**	**8.5**	**68.2**	**220.7**	**5.3**	**226.0**
गोवा	1989-90	138.0	-	3.8	141.8	-	141.8
	1990-91	134.2	-	3.8	138.0	-	138.0
	1991-92	137.2	-	4.8	142.0	5.1	147.1
	1992-93	140.4	-	4.3	144.7	4.6	149.3
	1993-94 *	**137.8**	-	**3.6**	**141.4**	**5.1**	**146.5**
मिजोरम	1989-90	59.2	-	9.1	68.3	0.7	69.0
	1990-91	63.8	-	11.1	74.9	6.6	81.5
	1991-92	71.0	-	12.3	83.3	6.9	90.2
	1992-93	84.0	-	12.9	96.9	7.9	104.8
	1993-94 *	**96.7**	-	**14.2**	**110.9**	**10.8**	**121.7**
अखिल भारत	1989-90	73572.6	49849.5	34756.5	158178.6	12857.8	171036.4
	1990-91	74291.4	55134.5	32699.1	162125.0	14265.3	176390.3
	1991-92	74677.6	55689.5	25991.4	156358.5	12014.7	168373.2
	1992-93	72867.7	57210.1	36590.9	166668.7	12814.5	179483.2
	1993-94 *	**78972.4**	**59131.3**	**30917.8**	**169021.5**	**13099.6**	**182121.1**

*अनन्तिम

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

1.16: चुने हुए कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	1994-95 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अधिक उपज देने वाली किस्में	मिलियन हेक्टेयर										
धान	"	5.6	12.4	18.2	23.5	26.2	27.4	28.0	27.5	28.9	32.8
गेहूं	"	6.5	13.5	16.1	19.1	20.3	21.0	20.5	21.7	22.0	23.3
मक्का	"	0.5	1.1	1.6	1.8	2.3	2.6	2.8	2.6	2.7	2.9
ज्वार	"	0.8	2.0	3.5	6.1	6.9	7.1	6.8	6.9	6.8	7.0
बाजरा	"	2.0	2.9	3.7	5.0	5.6	5.7	5.4	5.6	5.1	6.2
रागी	"	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3
जोड़—अधिक उपज देने वाली किस्में	"	15.4	31.9	43.1	55.4	61.2	65.0	64.7	65.4	66.6	73.5
सिंचाई का क्षेत्र	"	38.0	45.3	54.1	62.4	68.6	70.8	72.8	74.5	76.3	78.5
बड़ी और मध्यम सिंचाई	"	17.3	20.1	22.7	25.8	25.5	26.0	26.3	26.6	27.2	27.7
लघु सिंचाई©	"	20.7	25.2	31.4	36.6	43.1	44.8	46.5	47.9	49.1	50.8
भूमि संरक्षण +	"	13.4	20.0	24.4	30.5	34.0	34.9	35.7	36.5	37.3	NA
उर्वरकों की खपत	मिलियन टन	2.2	2.9	5.5	8.5	11.6	12.6	12.7	12.2	12.4	14.1
नाईट्रोजनी	"	1.5	2.1	3.7	5.7	7.4	8.0	8.0	8.4	8.8	9.9
फास्फेटिक	"	0.5	0.5	1.2	2.0	3.0	3.2	3.3	2.9	2.7	3.1
पोटाशी	"	0.2	0.3	0.6	0.8	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	1.1

*अनन्तिम

© लघु सिंचाई संबंधी आंकड़ों से पानी की रिसाई के लिए गुंजाइश छोड़ने के बाद का निवल लाभ प्रकट होता है।

... उपलब्ध नहीं

+ वर्ष के अन्त में संचयी स्तर

टिप्पणी: 1992-93 के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों, सिंचाई वाले क्षेत्र और उर्वरक खपत के लिए संचयी लक्ष्य है।

स्रोत:—(1) कृषि और सहकारिता विभाग।

(2) जल संसाधन मंत्रालय।

1.17: विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)

समूह/वस्तु	1970-71	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	**1991-92**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चावल	14.3 (38.4)	16.4 (40.5)	17.7 (43.0)	18.2 (43.4)	17.0 (43.4)	18.7 (44.9)	19.2 (45.6)	19.2 (44.8)	**19.6** (46.0)
ज्वार	0.6 (3.7)	0.8 (3.8)	0.7 (4.4)	0.7 (4.8)	0.8 (4.8)	0.8 (5.0)	0.8 (5.4)	0.9 (6.1)	**0.8** (6.4)
बाजरा	0.5 (4.0)	0.6 (5.4)	0.5 (5.2)	0.7 (5.7)	0.7 (7.9)	0.6 (5.1)	0.7 (6.4)	0.6 (5.2)	**0.6** (6.2)
मक्का	0.9 (15.9)	1.2 (19.7)	1.1 (18.6)	1.3 (20.8)	1.2 (21.7)	1.2 (21.3)	1.2 (20.3)	1.2 (19.7)	**1.3** (22.3)
गेहूं	9.9 (54.3)	15.6 (69.7)	17.5 (76.3)	17.7 (77.3)	17.9 (76.1)	18.6 (78.1)	18.7 (79.6)	19.4 (80.9)	**19.4** (82.9)
जौ	1.3 (52.0)	0.9 (50.4)	0.7 (49.0)	0.6 (54.4)	0.6 (53.9)	0.6 (54.6)	0.5 (50.0)	0.5 (54.6)	**0.6** (60.2)
जोड़: अनाज	28.1 (27.6)	35.8 (33.8)	38.5 (37.2)	39.5 (37.8)	38.5 (38.4)	40.8 (39.1)	41.4 (36.6)	42.0 (40.7)	**42.5** (42.6)
जोड़: दालें	2.0 (8.8)	2.0 (8.9)	2.1 (8.3)	2.2 (9.8)	2.0 (9.4)	2.0 (9.0)	2.2 (9.4)	2.6 (10.2)	**2.5** (10.8)
जोड़: खाद्यान्न	30.1 (24.1)	37.9 (29.4)	40.6 (31.7)	41.7 (32.7)	40.5 (33.3)	42.9 (33.8)	43.7 (34.5)	44.5 (34.7)	**45.0** (36.7)
तेलहन	1.1 (7.4)	2.3 (14.3)	3.4 (17.6)	3.3 (18.8)	4.3 (20.6)	4.4 (20.5)	4.6 (19.7)	5.6 (22.1)	**6.5** (23.9)
कपास	1.4 (17.3)	2.1 (27.1)	2.2 (27.0)	2.2 (30.9)	2.3 (31.0)	2.3 (32.2)	2.7 (35.1)	2.5 (32.8)	**2.6** (33.1)
गन्ना	1.9 (72.4)	2.4 (80.8)	2.5 (85.6)	2.8 (82.1)	2.9 (84.8)	3.0 (85.1)	3.0 (85.7)	3.3 (86.2)	**3.3** (83.5)

टिप्पणी—1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े फसल के अन्तर्गत कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत हैं।

2. तेलहन के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र में मूंगफली, तोरिया तथा सरसों, अलसी, तिल और अन्य तेलहनों के क्षेत्र आते हैं।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

1.18: अनाज और दालों की निवल उपलब्ध मात्रा

वर्ष	अनाज					दालें	प्रति व्यक्ति उपलब्ध दैनिक निवल मात्रा (ग्राम में)		
	जनसंख्या (मिलियन)	निवल उत्पादन (मिलियन टन)	निवल आयात (मिलियन टन)	सरकारी स्टाक में घट-बढ़ (मिलियन टन)	निवल उपलब्ध मात्रा (कालम 3+4+5) (मिलियन टन)	निवल उपलब्ध मात्रा (मिलियन टन)	अनाज	दालें	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	363.2	40.1	4.1	(+)0.6	44.3	8.0	334.2	60.7	394.9
1952	369.2	40.7	3.9	(+)0.6	44.0	8.0	325.4	59.1	384.5
1953	375.6	45.5	2.0	(-)0.5	48.0	8.6	349.9	62.7	412.6
1954	382.4	53.6	0.8	(+)0.2	54.2	9.7	388.1	69.7	457.8
1955	389.7	51.7	0.6.	(-)0.8	53.1	10.1	372.9	71.1	444.0
1956	397.3	50.4	1.4	(-)0.6	52.4	10.2	360.4	70.3	430.7
1957	405.5	52.8	3.6	(+)0.9	55.5	10.6	375.3	71.8	447.1
1958	414.0	49.5	3.2	(-)0.3	52.9	8.8	350.3	58.5	408.8
1959	423.1	57.4	3.9	(+)0.5	60.8	11.6	393.4	74.9	468.3
1960	432.5	57.1	5.1	(+)1.4	60.8	10.4	384.1	65.5	449.6
1961	442.4	60.9	3.5	(-)0.2	64.6	11.1	399.7	69.0	468.7
1962	452.2	61.8	3.6	(-)0.4	65.8	10.2	398.9	62.0	460.9
1963	462.0	60.2	4.6	(-)Neg.	64.8	10.1	384.0	59.8	443.8
1964	472.1	61.8	6.3	(-)1.2	69.3	8.8	401.0	51.0	452.0
1965	482.5	67.3	7.4	(+)1.1	73.7	10.8	418.5	61.6	480.1
1966	493.2	54.6	10.3	(+)0.1	64.8	8.7	359.9	48.2	408.1
1967	504.2	57.6	8.7	(-)0.3	66.6	7.3	361.8	39.6	401.4
1968	515.4	72.6	5.7	(+)2.0	76.2	10.6	404.1	56.1	460.2
1969	527.0	73.1	3.8	(+)0.5	76.5	9.1	397.8	47.3	445.1
1970	538.9	76.8	3.6	(+)1.1	79.3	10.2	403.1	51.9	455.0
1971	551.3	84.5	2.0	(+)2.6	84.0	10.3	417.6	51.2	468.8
1972	563.9	82.3	(-)0.5	(-)4.7	86.5	9.7	419.1	47.0	466.1
1973	576.8	76.2	3.6	(-)0.3	80.1	8.7	380.5	41.1	421.6
1974	590.0	82.8	5.2	(-)0.4	88.4	8.8	410.4	40.8	451.2
1975	603.5	78.6	7.5	(+)5.6	80.6	8.8	365.8	39.7	405.5
1976	617.2	94.5	0.7	(+)10.7	84.4	11.4	373.8	50.5	424.3
1977	631.3	87.3	0.1	(-)1.6	89.0	10.0	386.3	43.3	429.6
1978	645.7	100.1	(-)0.8	(-)0.3	99.6	10.7	422.5	45.5	468.0
1979	660.3	104.8	(-)0.3	(+)0.4	104.1	10.8	431.8	44.7	476.5
1980	675.2	88.5	(-)0.5	(-)5.8	93.8	7.6	379.5	30.9	410.4
1981	688.5	104.1	0.5	(-)0.2	104.8	9.4	417.3	37.5	454.8
1982	703.8	106.6	1.6	(+)1.3	106.8	10.1	415.6	39.2	454.8
1983	718.9	103.0	4.1	(+)2.7	104.4	10.4	397.8	39.5	437.3
1984	734.5	122.0	2.4	(+)7.1	117.4	11.3	437.8	41.9	479.7
1985	750.4	116.9	(-)0.3	(+)2.7	113.9	10.5	415.6	38.4	454.0
1986	766.5	119.9	(-)0.1	(-)1.6	121.5	12.3	434.2	43.9	478.1
1987	782.7	115.2	(-)0.4	(-)9.5	124.4	10.4	435.4	36.4	471.8
1988	799.2	113.2	2.3	(-)4.6	120.1	10.7	411.8	36.7	448.5
1989	815.8	136.6	0.8	(+)2.6	134.7	12.5	452.6	41.9	494.5
1990	832.6	138.4	Neg.	(+)6.2	132.3	12.5	435.3	41.1	476.4
1991	851.7	141.9	(-)0.6	(-)4.4	145.7	12.9	468.5	41.6	510.1
1992 *	867.8	136.8	(-)0.8	(-)1.5	137.6	10.9	434.2	34.3	468.5
1993 *	883.9	145.6	2.6	(+)10.3	137.9	11.9	427.4	37.0	464.4
1994 *	899.9	146.8	0.5	(+)3.9	143.4	12.4	436.4	37.8	474.2

*अनन्तिम

टिप्पणियां——

1. वर्ष 1971 से 1980 तक जनसंख्या के मध्य वर्ष आंकड़े भारत के महापंजीकार के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अनुमानों पर आधारित है। वर्ष 1981 से आगे के अनुमान अनन्तिम हैं तथा 1991 की जनगणना के अनन्तिम जनसंख्या आंकड़ों को लेकर तैयार किये जायेंगे।
2. उत्पादन के आंकड़े जुलाई से जून तक के कृषि के बारे में है, 1951 के आंकड़े 1950-51 के उत्पादन के सूचक है और उसके बाद के वर्षों के लिये भी आंकड़े इसी प्रकार है।
3. सकल उत्पादन के 87.5 प्रतिशत उत्पादन को निवल उत्पादन माना गया है, बाकी 12.5 प्रतिशत अंक चारे, बीज और बेकार अंग का सूचक है।
4. व्यापारियों और उत्पादकों की स्टाक की घट-बढ़ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त की निवल उपलब्ध मात्रा के अनुमानों को खपत की मात्रा के ठीक बराबर नहीं समझा जाना चाहिए।
5. 1981 से आगे के निवल आयात के आंकड़े केवल भारत सरकार के आयातों और निर्यातों के खातों पर आधारित है।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

1.19: खाद्यान्न की निवल उपलब्ध मात्रा, प्राप्ति और सरकारी वितरण

	खाद्यान्न का निवल उत्पादन (मिलियन टन)	निवल आयात (मिलियन टन)	खाद्यान्न की निवल उपलब्ध मात्रा@ (मिलियन टन)	वसूली (मिलियन टन)	सरकारी वितरण (मिलियन टन)	कालम 3, कालम 4 के प्रतिशत के रूप में	कालम 5, कालम 2 के प्रतिशत के रूप में	कालम 6 कालम 4 के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	48.1	4.8	52.4	3.8	8.0	9.2	7.9	15.3
1952	48.7	3.9	52.0	3.5	6.8	7.5	7.2	13.1
1953	54.1	2.0	56.6	2.1	4.6	3.5	3.9	8.1
1954	63.3	0.8	63.9	1.4	2.2	1.3	2.2	3.4
1955	61.9	0.5	63.2	1.3	1.6	0.8	2.1	2.5
1956	60.7	1.4	62.6	नगण्य	2.1	2.2	नगण्य	3.4
1957	63.4	3.6	66.2	0.3	3.1	5.4	0.5	4.7
1958	58.3	3.2	61.8	0.5	4.0	5.2	0.9	6.5
1959	69.0	3.9	72.3	1.8	5.2	5.4	2.6	7.2
1960	67.5	5.1	71.2	1.3	4.9	7.2	1.9	6.9
1961	72.0	3.5	75.7	0.5	4.0	4.6	0.7	5.3
1962	72.1	3.6	76.1	0.5	4.4	4.8	0.7	5.7
1963	70.3	4.5	74.8	0.8	5.2	6.1	1.1	6.9
1964	70.6	6.2	78.1	1.4	8.7	8.0	2.0	11.1
1965	78.2	7.4	84.6	4.0	10.1	8.8	5.2	11.9
1966	63.3	10.3	73.5	4.0	14.1	14.0	6.3	19.2
1967	65.0	8.7	73.9	4.5	13.2	11.7	6.9	17.8
1968	83.2	5.7	86.8	6.8	10.2	6.5	8.2	11.8
1969	82.3	3.8	85.6	6.4	9.4	4.5	7.8	11.0
1970	87.1	3.6	89.5	6.7	8.8	4.0	7.7	9.9
1971	94.9	2.0	94.3	8.9	7.8	2.1	9.3	8.3
1972	92.0	(-)0.5	96.2	7.7	10.5	(-)0.5	8.3	10.9
1973	84.9	3.6	88.8	8.4	11.4	4.0	9.9	12.8
1974	91.6	5.2	97.1	5.6	10.8	5.3	6.2	11.1
1975	87.4	7.5	89.3	9.6	11.3	8.4	10.9	12.6
1976	105.9	0.7	95.8	12.8	9.2	0.7	12.1	9.6
1977	97.3	0.1	99.0	9.9	11.7	0.1	10.1	11.8
1978	110.6	(-)0.6	110.2	11.1	10.2	(-)0.5	10.0	9.2
1979	115.4	(-)0.2	114.9	13.8	11.7	(-)0.2	12.0	10.2
1980	96.0	(-)0.3	101.4	11.2	15.0	(-)0.3	11.6	14.8
1981	113.4	0.7	114.3	13.0	13.0	0.6	11.4	11.4
1982	116.6	1.6	116.9	15.4	14.8	1.4	13.2	12.6
1983	113.3	4.1	114.7	15.6	16.2	3.5	13.7	14.1
1984	133.3	2.4	128.6	18.7	13.3	1.8	14.0	10.4
1985	127.4	(-)0.4	124.3	20.1	15.8	(-)0.3	15.8	12.7
1986	131.6	0.5	133.8	19.7	17.3	0.4	15.0	12.9
1987	125.5	(-)0.2	134.8	15.7	18.7	(-)0.1	12.5	13.8
1988	122.8	3.8	130.8	14.1	18.6	2.9	11.5	14.2
1989	148.7	1.2	147.2	18.9	16.4	0.8	12.7	11.1
1990	149.7	1.3	144.8	24.0	16.0	0.9	16.0	11.0
1991	154.3	(-)0.1	158.6	19.6	20.8	नगण्य	12.7	13.1
1992 *	147.3	(-)0.4	148.4	17.9	18.8	(-)0.3	12.2	12.7
1993 *	157.5	2.6	149.8	28.0	16.4	1.7	17.8	10.9
1994 *	159.3	0.5	155.8	25.9	14.1	0.3	16.3	9.1

* अनन्तिम।

@ उपलब्ध निवल मात्रा = निवल उत्पादन + निवल आयात (-) सरकारी भण्डार में परिवर्तन।

-- इसमें 1978 से 1990 तक के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई मात्रा शामिल है।

टिप्पणी: उत्पादन के आंकड़े कृषि वर्ष से सम्बन्धित हैः 1951 के आंकड़े 1950-51 के अनुरूप है तथा इसी प्रकार बाद के वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं। प्राप्ति तथा सार्वजनिक वितरण के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष से सम्बन्धित हैं।

स्रोत: 1. खाद्य मंत्रालय

2. आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग।

1.20 : उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा

वर्ष	खाद्य तेल@ (किलोग्राम)	वनस्पति $ (किलोग्राम)	चीनी (नवम्बर से अक्तूबर कलोग्राम)+	सूती कपड़ा@@ (मीटर)	हाथ से बना कपड़ा (मीटर)	जोड़ (मीटर)	चाय$$ (ग्राम)	कॉफी* (ग्राम)	बिजली (घरेलू उपभोग के लिए) (किलोवाट घण्टे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1955-56	2.5	0.7	5.0	14.4	उ॰न॰	उ॰न॰	362.0	67.0	2.4***
1960-61	3.2	0.8	4.8	13.8	1.2	15.0	296.0	80.0	3.4
1961-62	3.2	0.7	5.8	14.8	1.2	16.0	337.0	79.0	3.8
1962-63	3.1	0.8	5.5	14.4	1.2	15.6	296.0	77.0	4.2
1963-64	2.7	0.8	5.0	14.7	1.2	15.9	266.0	81.0	4.4
1964-65	3.6	0.8	5.1	15.2	1.6	16.8	343.0	76.0	4.7
1965-66	2.7	0.8	5.7	14.7	1.7	16.4	346.0	72.0	4.8
1966-67	2.7	0.7	5.2	14.0	1.7	15.7	399.0	72.0	5.2
1967-68	3.4	0.8	4.3**	13.6	1.7	15.3	339.0	69.0	5.7
1968-69	2.6	0.9	5.0	14.4	1.9	16.3	376.0	73.0	6.0
1969-70	3.0	0.9	6.1	13.6	2.0	15.6	430.0	62.0	6.5
1970-71	3.5	1.0	7.4	13.6	2.0	15.6	401.0	68.0	7.0
1971-72	3.0	1.1	6.8	12.4	2.2	14.6	423.0	65.0	7.3
1972-73	2.4	1.0	6.2	13.2	2.0	15.2	458.0	69.0	7.3
1973-74	3.4	0.8	6.1	12.0	1.9	13.9	492.0	64.0	8.1
1974-75	3.3	0.6	5.8	12.9	1.7	14.6	471.0	62.0	8.8
1975-76	3.5	0.8	6.1	12.6	2.0	14.6	446.0	62.0	9.7
1976-77	3.2	0.9	6.0	11.4	2.4	13.8	450.0	71.0	10.4
1977-78	3.8	0.9	7.2	9.5	4.0	13.5	516.0	73.0	10.9
1978-79	3.8	1.0	9.6	10.2	4.8	15.0	599.0	77.0	11.9
1979-80	3.7	1.0	7.8	10.1	4.6	14.7	521.0	73.0	12.1
1980-81	3.8	1.2	7.3	11.0	3.7	14.7	511.0	74.0	13.5
1981-82	5.1	1.3	8.2	10.2	4.2	14.4	463.0	79.0	15.1
1982-83	4.5	1.3	9.0	9.9	3.7	13.6	525.0	82.0	17.0
1983-84	5.8	1.2	10.5	10.8	4.0	14.8	519.0	78.0	18.3
1984-85	5.5	1.3	10.7	10.6	3.9	14.5	576.0	72.0	21.0
1985-86	5.0	1.3	11.1	13.6	5.4	19.0	589.0	71.0	22.9
1986-87	5.0	1.2	11.4	15.2	6.6	21.8	545.0	76.0	25.1
1987-88	5.8	1.2	11.7	14.0	6.9	21.0	592.0	72.0	28.2
1988-89	5.3	1.2	12.1	15.0	8.0	23.0	612.0	79.0	30.9
1989-90	5.3	1.1	12.3	14.6	8.0	22.7	571.0	65.0	36.1
1990-91	5.5	1.0	12.7	15.1	9.0	24.1	612.0	59.0	38.2
1991-92	5.6	1.0	13.0	13.7	9.2	22.9	621.0	64.0	41.9
1992-93	5.9	1.0	13.6	15.6	8.0	23.7	उ॰न॰	57.0	45.6
1993-94 (अ)	**6.0**	**1.0**	**12.4**	**15.8**	**10.0**	**25.8**	उ॰न॰	उ॰न॰	**48.7**

अ-अनन्तिम

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं

@ इसमें मूंगफली का तेल, तोरिया और सरसों का तेल, तिल का तेल, नाइजर के बीज का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी के बीजों का तेल शामिल है, किन्तु वनस्पति बनाने के काम आने वाला तेल शामिल नही है।

@@ आंकड़े कैलेण्डर वर्षों से संबंधित हैं: 1955 के आंकड़े 1955-56 के सामने दिए गए हैं और आगे के वर्षों के आंकड़े भी इसी प्रकार से दिए गए हैं। ब्लैण्डैड, मिश्रित कपड़े के लिए 1969 के पहले के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे। इन्हें 1969 के बाद कृत्रिम रेशे से बने कपड़ों में सम्मिलित किया गया है।

* 1971-72 तक के आंकड़े, 'कॉफी' के मौसम से संबंधित है और इसके बाद के कैलेण्डर वर्षों के आधार पर है। 1972-73 के आंकड़े 1973 के है और आगे के भी इसी तरह से हैं।

** 1967-68 से चीनी का मौसम अक्तूबर-सितम्बर है।

*** 1956 से संबंधित

\+ घरेलू उपभोग के लिए वास्तविक रूप से जारी की गई मात्रा से संबंधित।

$ वित्तीय वर्ष से संबंधित।

$$ कलैण्डर वर्ष से संबंधित।

स्रोत: 1. वनस्पति, वनस्पति तेल तथा चिकनाई निदेशालय, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
2. चीनी निदेशालय, खाद्य मंत्रालय।
3. वस्त्र मंत्रालय।
4. चाय बोर्ड।
5. कॉफी बोर्ड।
6. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, विद्युत विभाग।

1.21 : उर्वरकों का उत्पादन, आयात तथा उपभोग

(हजार टन पोषाहार)

	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	**1994-95***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) नाइट्रोजनी उर्वरक										
उत्पादन	98	830	2164	4328	6747	6993	7301	7430	7231	**7820**
आयात	399	477	1510	1680	523	414	566	1160	1564	**1518** **
उपभोग	210	1487	3678	5661	7386	7997	8046	8426	8986	**9890**
(ख) फास्फेटी उर्वरक										
उत्पादन	52	229	841	1428	1796	2052	2562	2306	1816	**2300**
आयात		32	452	816	1311	1016	967	746	722	उ०न० **
उपभोग	53	462	1214	2005	3014	3221	3321	2842	2884	**3110**
(ग) पोटाशी उर्वरक										
आयात	20	120	797	903	1280	1328	1236	1082	880	उ०न० **
उपभोग	29	228	624	808	1168	1328	1361	884	963	**1060**
(घ) समस्त उर्वरक (ना०फा०पो०)										
उत्पादन	150	1059	3005	5756	8543	9045	9863	9736	9047	**10120**
आयात	419	629	2759	3399	3114	2758	2769	2988	3166	**1518** **
उपभोग	292	2177	5516	8474	11568	12546	12728	12152	12833	**14060**

@ लक्ष्य।

* पूर्वानुमानित।

** पोषाहार में यूरिया का आयात शामिल है, जो सरकारी खाते पर आयातित एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है।

स्रोतः 1. रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारियता विभाग।

1.22 : मुख्य पशुधन उत्पादों और मछली का उत्पादन

वर्ष	दूध (हजार टन)	अंडे (मिलियन में)	मछली (हजार टन)
1	2	3	4
1950-51	17000	1832	752
1960-61	20000	2881	1160
1968-69	21200	5300	उ०न०
1970-71	उ०न०	उ०न०	1756
1973-74	23200	7800	उ०न०
1980-81	31600	10100	2442
1981-82	34300	10876	2444
1982-83	35800	11454	2367
1983-84	38800	12792	2506
1984-85	41517	14252	2801
1985-86	43979	16128	2876
1986-87	46061	17310	2942
1987-88	46671	17795	2959
1988-89	48408	18874	3152
1989-90	51402	20084	3677
1990-91	53931	21101	3836
1991-92	55679	21983	4156
1992-93*	57616	22940	4365
1993-94 प्र०उ०	**60239**	**23718**	**4681** अ.)

* अनन्तिम। प्र०उ०—प्रत्याशित उपलब्धि।

उ०न०—उपलब्ध नहीं।

स्रोत: 1. पशु पालन और डेयरी विभाग।

2. कृषि और सहकारिता विभाग।

1.23 : कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	कोयला				लिग्नाइट	जोड़ कोयला और लिग्नाइट (5)+(6)
	कोकिंग		गैर-कोकिंग	जोड़		
	धातुकर्मीय	गैर-धातुकर्मीय				
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	32.30	उ॰न॰	32.30
1960-61	16.99	उ॰न॰	38.24	55.23	उ॰न॰	55.23
1970-71	17.82	उ॰न॰	55.13	72.95	3.39	76.34
1975-76	22.19	7.93	69.51	99.63	3.03	102.66
1976-77	23.65	8.18	69.16	100.99	4.02	105.01
1977-78	23.23	8.10	69.65	100.98	3.58	104.56
1978-79	22.54	8.67	70.74	101.95	3.30	105.25
1979-80	24.19	6.68	73.07	103.94	2.90	106.84
1980-81	24.59	8.03	81.29	113.91	5.11	119.02
1981-82	26.89	9.23	88.11	124.23	6.31	130.54
1982-83	30.10	7.47	92.93	130.50	6.93	137.43
1983-84	30.11	6.24	101.87	138.22	7.30	145.52
1984-85	30.57	6.04	110.80	147.41	7.80	155.21
1985-86	29.07	6.57	118.56	154.20	8.05	162.25
1986-87	27.91	11.63	126.23	165.77	9.43	175.20
1987-88	26.28	14.73	138.71	179.72	11.16	190.88
1988-89	25.16	17.56	151.88	194.60	12.40	207.00
1989-90	24.50	19.93	156.46	200.89	12.80	213.69
1990-91	24.10	21.20	166.43	211.73	13.77	225.50
1991-92	26.33	19.95	183.00	229.28	14.55	243.83
1992-93	25.72	19.64	192.90	238.26	16.62	254.88
1993-94*	**25.99**	**19.07**	**200.98**	**246.04**	**18.10**	**264.14**

*अनंतिम

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं।

स्रोत: कोयला मंत्रालय।

1.24 : बिजली आपूर्ति की प्रगति (जनोपयोगी और गैर जनोपयोगी)

क : स्थापित संयंत्र क्षमता

(हजार मैगावाट में)

वर्ष	जनोपयोगी				गैर-जनोपयोगी	कुल जोड़ (5)+(6)
	पन-बिजली	तापीय	न्युक्लीय	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
1950-51+	0.6	1.1	--	1.7	0.6	2.3
1960-61	1.9	2.7	--	4.6	1.0	5.6
1970-71	6.4	7.9	0.4	14.7	1.6	16.3
1975-76	8.5	11.0	0.6	20.1	2.1	22.2
1976-77	9.0	11.8	0.6	21.5	2.3	23.8
1977-78	10.0	13.0	0.6	23.7	2.5	26.2
1978-79	10.8	15.2	0 6	26.7	2.6	29.3
1979-80	11.4	16.4	0.6	28.4	2.9	31.3
1980-81	11.8	17.6	0.9	30.2	3.1	33.3
1981-82	12.2	19.3	0.9	32.3	3.4	35.8
1982-83	13.1	21.4	0.9	35.4	3.9	39.2
1983-84	13.9	24.4	1.1	39.3	4.4	43.7
1984-85	14.5	27.0	1.1	42.6	5.1	47.7
1985-86	15.5	30.0	1.3	46.8	5.5	52.3
1986-87	16.2	31.8	1.3	49.3	5.7	55.0
1987-88	17.3	35.6	1.3	54.2	6.3	60.5
1988-89	17.8	39.7	1.5	59.0	7.5	65.5
1989-90	18.3	43.8	1.5	63.6	8.2	71.8
1990-91	18.8	45.8	1.5	66.1	8.6	74.7
1991-92	19.2	48.1	1.8	69.1	9.3	78.4
1992-93	19.6	50.7	2.0	72.3	10.1	82.4
1993-94*	**20.4**	**54.3**	**2.0**	**76.7**	**10.2**	**86.9**

ख :उत्पादित ऊर्जा (सकल)

(अरब किलोवाट)

वर्ष	जनोपयोगी				गैर-जनोपयोगी	कुल जोड़ (5+6)
	पन-बिजली	तापीय	न्युक्लीय	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
1950-51+	2.5	2.6	-	5.1	1.5	6.6
1960-61	7.8	9.1	-	16.9	3.2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2.4	55.8	5.4	61.2
1975-76	33.3	43.3	2.6	79.2	6.7	85.9
1976-77	34.8	50.2	3.3	88.3	7.3	95.6
1977-78	38.0	51.1	2.3	91.4	7.6	98.9
1978-79	47.1	52.6	2.8	102.5	7.6	110.1
1979-80	45.5	56.3	2.9	104.6	8.2	112.8
1980-81	46.5	61.3	3.0	110.8	8.4	119.3
1981-82	49.6	69.5	3.0	122.1	9.0	131.1
1982-83	48.4	79.9	2.0	130.3	10.0	140.3
1983-84	50.0	86.7	3.5	140.2	10.8	151.0
1984-85	53.9	98.8	4.1	156.9	12.3	169.2
1985-86	51.0	114.4	5.0	170.4	13.0	183.4
1986-87	53.8	128.9	5.0	187.7	13.6	201.3
1987-88	47.5	149.6	5.0	202.1	16.9	219.0
1988-89	57.9	157.7	5.8	221.4	19.9	241.3
1989-90	62.1	178.7	4.6	245.4	23.0	268.4
1990-91	71.7	186.5	6.1	264.3	25.1	289.4
1991-92	72.8	208.7	5.5	287.0	28.6	315.6
1992-93	69.8	224.5	6.8	301.1	30.2	331.3
1993-94*	**70.4**	**247.7**	**5.4**	**323.5**	**32.1**	**355.6**

* अनन्तिम।

* कैलेंडर वर्ष के आधार पर।

टिप्पणी: संभवत पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का योग दिए गए जोड़ से मेल न खाए।

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)।

1.25 : बिजली उपभोग का पैटर्न (जनोपयोगी)

(प्रतिशत)

वर्ष	घरेलू	वाणिज्यिक	उद्योग	कर्षण	कृषि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1950-51+	12.6	7.5	62.6	7.4	3.9	6.0
1960-61	10.7	6.1	69.4	3.3	6.0	4.5
1970-71	8.8	5.9	67.6	3.2	10.2	4.3
1975-76	9.7	5.8	62.4	3.1	14.5	4.5
1976-77	9.5	6.2	62.5	3.3	14.4	4.1
1977-78	9.9	6.4	61.6	3.3	14.6	4.2
1978-79	9.8	5.6	61.8	2.8	15.6	4.4
1979-80	10.8	6.0	58.9	2.9	17.2	4.2
1980-81	11.2	5.7	58.4	2.7	17.6	4.4
1981-82	11.6	5.8	58.8	2.8	16.8	4.2
1982-83	12.7	6.1	55.4	2.8	18.6	4.4
1983-84	12.9	6.4	55.8	2.6	17.8	4.5
1984-85	13.6	6.1	55.2	2.5	18.4	4.2
1985-86	14.0	5.9	54.5	2.5	19.1	4.0
1986-87	14.2	5.7	51.7	2.4	21.7	4.3
1987-88	15.2	6.1	47.5	2.5	24.2	4.5
1988-89	15.5	6.2	47.1	2.3	24.3	4.6
1989-90	16.9	5.4	46.0	2.3	25.1	4.3
1990-91	16.8	5.9	44.2	2.2	26.4	4.5
1991-92	17.3	5.8	42.0	2.2	28.2	4.5
1992-93	18.0	5.7	40.9	2.3	28.7	4.4
1993-94*	**18.2**	**5.9**	**39.6**	**2.3**	**29.7**	**4.3**

* अनन्तिम।

+ कैलेंडर वर्ष पर आधारित।

टिप्पणी: संभवत आंकड़े पूर्णांकन के कारण आंकड़ों के शत-प्रतिशत योग से मेल न खाए।

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)।

1.26 भारतीय रेलों का प्रचालन

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1) मार्ग किलोमीटर— (हजार में) : विद्युत चालित	0.4	0.8	3.7	5.4	6.5	8.2	8.9	9.1	10.0	10.7	11.3	**11.8**
कुल	53.6	56.3	59.8	61.2	61.8	62.0	62.0	62.2	62.4	62.5	62.5	**62.5**
(2) आरम्भिक यातायात (मिलियन टन में) : राजस्व उपार्जक	73.2	119.8	167.9	195.9	258.5	290.2	302.0	310.0	318.4	338.0	350.1	**358.7**
कुल यातायात	93.0	156.2	196.5	220.0	286.4	318.5	329.5	334.3	341.4	360	370.9	**377.5**
(3) ढोया गया माल किलोमीटर (बिलियन में) : राजस्व उपार्जक	37.6	72.3	110.7	147.7	196.6	222.5	222.4	229.6	235.8	250.2	252.4	**252.4**
कुल यातायात	44.1	87.7	127.4	158.5	205.9	231.2	230.1	236.9	242.7	256.9	258.1	**257.1**
(4) ढोये गये माल से आय (करोड़ रुपये)	139.3	280.5	600.7	1550.9	4232.2	5839.2	6196.7	7460.8	8247.0	9293.1	10663.8	**12275.5**
(5) औसत लीड (समस्त माल यातायात) (कि॰मी॰)	470.0	561.0	648.0	720.0	719.0	726.0	698.0	709.0	711.0	714.0	696.0	**681.0**
(6) औसत दर प्रति टन-किलोमीटर (पैसों में)	3.2	3.9	5.4	10.5	21.5	26.2	27.9	32.5	35.0	37.1	42.3	**48.6**
(7) आरम्भिक यात्री यातायात (मिलियन में)	1284.0	1594.0	2431.0	3613.0	3433.0	3792.0	3500.0	3653.0	3858.0	4049.0	3749.0	**3708.0**
(8) यात्री-किलोमीटर (बिलियन में)	66.5	77.7	118.1	208.6	240.6	269.4	263.7	280.8	295.6	314.6	300.1	**296.2**
(9) यात्री आय (करोड़ रुपए)	98.2	131.6	295.5	827.5	1719.4	2058.1	2453.4	2666.4	3144.7	3681.6	4311.2	**4891.2**
(10) औसत लीड यात्री यातायात (किलोमीटरों में)	51.8	48.7	48.6	57.7	70.1	71.0	75.3	76.9	76.6	77.7	80	**79.9**
(11) प्रति यात्री औसत दर-किलोमीटर (पैसों में)	1.5	1.7	2.5	4.0	7.2	7.6	9.3	9.5	10.6	11.7	14.5	**16.7**

* अनन्तिम।

स्रोत :— रेल मंत्रालय।

1.27 : भारतीय रेलों का राजस्व उपार्जक माल यातायात

क. प्रारम्भिक यातायात

(दस लाख टन)

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. कोयला	20.2	30.9	47.9	64.08	101.64	119.84	128.01	130.15	135.16	146.43	157.73	167
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (जिसमें कोयला शामिल नहीं है)	उ०न०	10.5	16.1	20.17	22.99	24.86	26.97	27.43	25.90	29.53	32.97	33.4
3. कच्चा लोहा तथा इस्पात संयंत्रों से प्राप्त होने वाला तैयार इस्पात	उ०न०	3.8	6.2	7.53	8.85	9.87	10.18	10.15	10.01	11.43	12.03	12.08
4. निर्यात के लिए लौह अयस्क	उ०न०	2.6	9.8	11.07	12.54	13.04	13.64	14.76	13.14	12.76	10.47	10.46
5. सीमेंट	2.5	6.5	11.0	9.64	17.96	22.32	25.91	27.45	28.88	30.76	30.38	32.54
6. खाद्यान्न	7.8	12.7	15.1	18.33	24.11	30.13	24.88	23.66	25.35	27.38	27.3	26.68
7. उर्वरक	उ०न०	1.4	4.7	8.11	13.62	13.18	16.10	16.97	18.36	18.61	18.94	19.5
8. खनिज तेल	2.7	4.7	8.9	14.95	18.63	21.69	22.60	24.31	24.99	25.56	26.41	25.95
9. अन्य माल	40.0	46.7	48.2	42.06	38.22	35.28	23.76	35.09	36.61	35.52	33.82	31.11
10. कुल राजस्व उपार्जक यातायात	73.2	119.8	167.9	195.94	258.55	290.21	302.05	309.97	318.40	337.98	350.05	358.72

ख. ढोया गया माल

(अरब टन किलोमीटर)

वस्तुएं	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. कोयला	11.27	20.35	27.84	36.37	64.40	78.67	82.86	85.11	85.90	91.66	100.48	104.01
2. इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल (जिसमें कोयला शामिल नहीं है)	उ०न०	1.98	2.71	4.25	5.36	6.45	6.91	7.82	7.51	9.37	10.9	11.27
3. कच्चा लोहा तथा इस्पात संयंत्रों से प्राप्त होने वाला तैयार इस्पात	उ०न०	3.32	6.20	8.56	10.41	11.54	11.60	11.79	11.56	13.68	13.75	12.95
4. निर्यात के लिए लौह अयस्क	उ०न०	2.77	5.49	7.29	7.27	7.92	7.84	8.52	7.54	6.97	6.12	5.99
5. सीमेंट	उ०न०	2.47	6.99	7.19	11.73	14.54	16.89	17.74	18.94	22.25	19.21	19.7
6. खाद्यान्न	4.00	9.62	14.51	24.31	32.71	41.67	33.44	33'68	35.59	37.28	36.29	35.26
7. उर्वरक	उ०न०	उ०न०	3.81	8.92	14.90	14.36	16.27	17.38	17.27	17.5	17.27	16.95
8. खनिज तेल	2.70	2.56	5.26	11.66	10.96	13.78	14.13	15.67	15.12	15.48	15.92	16.51
9. अन्य माल	22.30	29.08	37.89	39.10	38.86	33.60	32.60	33.89	36.36	36.05	32.45	29.72
10. कुल राजस्व उपार्जक यातायात	35.57	72.33	110.70	147.65	196.60	222.53	222.37	229.60	235.79	250.24	252.39	252.41

*अनंतिम

उ०न० उपलब्ध नहीं

स्रोतः—रेल मंत्रालय

1.28 : सड़क परिवहन प्रचालन

		1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. सड़कों की लम्बाई (हजार कि॰मी॰)											
(क) कुल		400.0	524.0	918.0	1491.0	1726.0	1905.0	1970.0	2037.0	उ॰न॰	उ॰न॰
(ख) सतही		157.0	263.0	398.0	684.0	825.0	920.0	960.0	1001.0	उ॰न॰	उ॰न॰
2. राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई (हजार कि॰मी॰)											
(क) कुल		22.0	24.0	24.0	32.0	32.0	33.0	33.7	33.7	33.7	**34.0**
(ख) सतही		22.0	21.0	23.0	32.0	32.0	33.0	33.7	33.7	33.7	**34.0**
3. राज्य राजमार्गों की लम्बाई (हजार कि॰मी॰)											
(क) कुल		उ॰न॰	उ॰न॰	57.0	94.0	100.0	117.0	122.0	127.0	उ॰न॰	उ॰न॰
(ख) सतही		उ॰न॰	उ॰न॰	52.0	90.0	97.0	114.0	118.0	122.0	उ॰न॰	उ॰न॰
4. पंजीकृत वाहनों की संख्या (हजार में)											
(क) सभी वाहन		306.0	665.0	1865.0	5336.0	10489.0	16920.0	19177.0	21310.0	23462.0	**25299.0**
(ख) माल वाहक वाहन		82.0	168.0	343.0	542.0	848.0	1180.0	1290.0	1411.0	1528.0	**1599.0**
(ग) बसें		34.0	57.0	94.0	159.0	223.0	278.0	313.0	333.0	377.0	**381.0**
5. सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपए)											
(क) केन्द्रीय		35.0	112.0	452.0	1423.0	2461.0	3569.0	4073.0	4596.0	4786.0	**4792.3**
(ख) राज्य		13.0	55.0	231.0	750.0	1553.0	2571.0	2700.0	3035.0	3510.0	**4763.8**

*अनन्तिम।

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं

स्रोत:—रेल मंत्रालय।

1.29 : नागर विमानन में वृद्धि

		1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6 *	7	8	9	10	11	12
1. विमान बेड़े की कुल संख्या											
(i) एअर इंडिया		13	10	17	17	21	24	24	24	22	**26**
(ii) इण्डियन एअरलाइंस		88	73	49	54	48+	56+	59	55	57	**58**
(iii) वायुदूत		उ॰न॰	उ॰न॰	@	3	20	20	17	17	16	**#**
2. राजस्व मार्ग टन कि॰मी॰	**(करोड़ में)**										
(i) एअर इंडिया		7.56	27.52	98.01	111.00	137.23	144.20	138.10	114.05	109.05	**109.38**
(ii) इण्डियन एअरलाइंस		10.00	20.00	40.00	72.00	84.13	82.58	69.92	76.10	68.53	**63.48**
(iii) वायुदूत		उ॰न॰	उ॰न॰	0.03	0.70	1.70	1.93	1.99	1.87	1.10	**#**
3. वाहित यात्रियों की संख्या	**(लाख में)**										
(i) एअर इंडिया		1.25	4.87	14.18	17.80	21.23	22.46	21.61	20.04	22.00	**19.47**
(ii) इण्डियन एअरलाइंस		7.90	21.30	54.10	91.30	101.10	98.49	78.66	88.86	78.44	**72.14**
(iii) वायुदूत		उ॰न॰	उ॰न॰	0.19	2.32	5.23	5.61	5.53	5.04	2.27	
4. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर उतारे चढ़ाये गए यात्रियों की संख्या	**(लाख में)**	उ॰न॰	उ॰न॰	107.38	170.62	196.53	199.64	177.23	188.19	188.00	**209.69**
5. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर उतारा-चढ़ाया गया माल	**(हजार टन)**	उ॰न॰	उ॰न॰	178.70	331.00	404.30	415.00	377.33	270.32	391.40	**435.35**

* अनन्तिम

@ इंडियन एअरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए विमान।

† पूर्ण वर्ष के लिए पट्टे पर लिए गए विमानों सहित।

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं।

$ वायुदूत का इंडियन एयरलाइंस में विलय हो गया।

स्रोत:—नागर विमानन मंत्रालय।

1.30 : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का वस्तु शेष

(मिलियन टन)

	1950-51 +	1960-61 +	1970-71 +	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कच्चा तेल										
1. रिफाइनरी में प्रक्रियागत	0.3	6.6	18.4	25.8	42.9	51.9	51.8	51.4	53.5	**54.3**
2. घरेलू उत्पादन	0.3	0.5	6.8	10.5	30.2	34.1	33.0	30.4	27.0	**27.0**
क) तट पर	0.3	0.5	6.8	5.5	9.4	12.4	11.8	11.4	11.2	**11.7**
ख) तट से दूर	-	-	-	5.0	20.8	21.7	21.2	19.0	15.8	**15.3**
3. आयात	उ०न०	6.0	11.7	16.2	15.1	19.5	20.7	24.0	29.2	**30.8**
4. निर्यात	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
5. निवल आयात (3—4)	उ०न०	6.0	11.7	16.2	14.6	19.5	20.7	24.0	29.2	**30.8**
II. उत्पाद										
1. घरेलू उपभोग @ जिसमें से	3.3	7.7	17.9	30.9	40.9	54.1	55.0	57.0	58.9	**60.8**
(क) नेफ्था	-	-	0.9	2.3	3.1	3.4	3.4	3.5	3.4	**3.2**
(ख) किरोसीन	0.9	2.0	3.3	4.2	6.2	8.2	8.4	8.4	8.5	**8.7**
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	0.2	1.2	3.8	10.3	14.9	20.7	21.1	22.7	24.3	**25.9**
(घ) ईंधन तेल	0.9	1.7	4.7	7.5	7.9	8.8	9.0	9.2	9.3	**9.2**
2. घरेलू उत्पाद जिसमें से	0.2	5.7	17.1	24.1	39.9	48.7	48.6	48.3	50.4	**51.1**
(क) नेफ्था	उ०न०	-	1.2	2.1	5.0	5.2	4.9	4.5	4.6	**4.7**
(ख) किरोसीन	उ०न०	0.9	2.9	2.4	4.0	5.7	5.5	5.3	5.2	**5.3**
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल	उ०न०	1.1	3.8	7.4	14.6	17.7	17.2	17.4	18.3	**18.8**
(घ) ईंधन तेल	उ०न०	1.6	4.1	6.1	8.0	9.0	9.4	9.6	10.4	**10.3**
3. आयात ;	3.1	2.5	1.1	7.3	3.9	6.6	8.7	9.4	11.3	**12.1**
4. निर्यात@@	उ०न०	उ०न०	0.3	नगण्य	2.0	2.6	2.7	2.9	3.7	**4.0**
5. निवल आयात (3—4)	उ०न०	उ०न०	0.8	7.3	1.9	4.0	6.0	6.5	7.6	**8.1**

* अनन्तिम।

+ कैलेण्डर वर्ष पर आधारित

@इसमें रिफाइनरी ईंधन का उपयोग शामिल नहीं है।

@@इसमें नेपाल को की गई पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेन्ट का उत्पाद तथा सप्लाई शामिल नहीं है।

उ०न०: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: —तेल एवम् प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

1.31 : चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

उद्योग	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. खनन													
1. कोयला (लिग्नाइट; सहित)	मिलियन टन	32.3	55.2	76.3	119.0	162.3	190.9	207.0	213.7	225.1	243.9	253.7	**262.7**
2. कच्चा पेट्रोलियम	मिलियन टन	0.3	0.5	6.8	10.5	30.2	30.4	32.0	34.1	33.0	30.4	26.9	**26.8**
(i) तटीय	-तदैव-	0.3	0.5	6.8	5.5	9.4	10.2	10.9	12.4	11.8	11.4	उ.न.	उ.न.
(ii) अपतटीय	-तदैव-	-	-	-	5.0	20.8	20.2	21.1	21.7	21.2	19.0	उ.न.	उ.न.
3. लौह अयस्क	-तदैव-	3.0	10.9	32.5	42.2	47.7	51.0	49.5	50.6	53.7	53.9	53.3	**54.7**
II. धातु कर्मीय उद्योग													
4. उष्म धातु	-तदैव-	1.69	4.31	6.99	9.55	10.06	10.87	11.88	11.96	12.15	14.35	15	**15.7**
5. इस्पात की छड़ें (मिनी संयंत्रों सहित)	-तदैव-	1.47	3.48	6.14	10.33	12.15	12.87	13.96	13.72	उ.न.	12.63	13.25	**13.9**
6. अर्ध-तैयार इस्पात (मुख्य संयंत्र)	-तदैव-	1.20	1.04	0.85	1.95	1.73	2.02	2.11	2.03	4.30	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7. तैयार इस्पात (गौण उत्पादकों सहित)	-तदैव-	1.04	2.39	4.64	6.82	9.49	11.68	12.84	13.00	13.53	14.33	15.2	**15.1**
8. इस्पात की ढली वस्तुएं	हजार टन	-	35	62	71	93	170	211	239	262	393.3	359.4	**374.6**
9. एल्युमिनियम	-तदैव-	4.0	18.5	168.8	199.0	264.8	278.1	357.3	427.1	451.1	511.5	487.0	**465.2**
10. फफोला ताम्बा	-तदैव-	7.1	9.0	9.3	25.3	33.6	33.9	44.8	42.5	40.6	45.1	47.0	**49.7**
III. यांत्रिकी इंजीनियरी उद्योग													
11. मशीनी औजार	मिलियन टन	3	8	430	1692	2914	3899	5107	6515	7731	9217	10438	**8900**
12. सूती कपड़ा बनाने की मशीनें (फालतू पुर्जे/सहायक उपकरणों सहित)	-तदैव-	-	-	303+	3027	3652	4475	4840	6440	9454	10296	उ.न.	उ.न.
13. जूट मिलों की मशीनें	-तदैव-	-	-	11	50	33	21	43	48	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14. चीनी मिलों की मशीनें	-तदैव-	-	44	139	242	426	394	325	517	867	1075	1028	**783**
15. सीमेंट बनानेकी मशीनें	-तदैव-	-	6	42	336	954	1250	2753	3146	2761	2246	1695	**3237**
16. रेल के माल डिब्बे@	क्तदैव-	-	9.0 #	11.1	13.6	13.1	13.4	20.2	29.0	25.3	25.2	25	**19.2**
17. मोटर गाड़ियां (कुल)	-तदैव-	16.5	54.8	87.9	121.1	219.2	291.6	317.2	350.7	366.3	341.9	335.1	**398.5**
(i) वाणिज्य गाड़ियां		8.6	28.2	41.2	71.7	103.0	119.9	115.3	125.5	145.5	149.8	133.2	**140.7**
(ii) कारें, जीपें और लैंड-रोवर		7.9	26.6	46.7	49.4	116.2	171.7	201.9	225.2	220.8	192.1	201.9	**257.8**
18. मोटर साइकिल स्कूटर और मोपेड और मोपेड/स्कूटरेट	-तदैव-	-	0.9	97.0	447.2	1221.6	1541.0	1674.4	1753.8	1842.8	1608.4	1509.8	**1794**
19. विद्युत (पावर) से चलने वाले पम्प	-तदैव-	35	105	259	431	512	516	593	464	519	531	523	**478**
20. डीजल इंजन (स्थिर)	-तदैव-	5.5	43.2	65.0	173.9	183.9	160.0	167.0	152.0	158.4	159.6	166.2	**146.4**
21. भूमि परिवर्तक उपस्कर	-तदैव-	-	-	-	0.1	1.8	2.0	2.1	2.4	4.0	2.9	2.1	**1.6**
22. बाइसिकल	-तदैव-	99	1063	2042	4189	5553	6676	6703	6802	7084	7150	6963	**7739**
23. सिलाई की मशीनें	-तदैव-	33	297	235	335	291	327	238	124	88	151	127	**111.8**
24. कृषि के ट्रैक्टर	-तदैव-	-	-	-	71.0	76.3	82.9	109.6	125.1	142.2	166.3	146.9	**138.6**

जारी

1.31 : चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

	उद्योग	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	विद्युत इंजीनियरी उद्योग													
	25. विद्युत ट्रांसफार्मर	मिलियन किलो-वाट-अम्पियर	0.18	1.39	8.09	19.46	27.25	24.73	28.50	36.55	36.58	34.28	34.8	**33.5**
	26. बिजली की मोटरें	मिलियन हैर्स पावर	0.10	0.73	2.72	4.06	5.25	4.26	5.33	5.23	5.86	6.07	5.3	**6**
	27. बिजली के पंखे	मिलियन	0.20	1.06	1.72	4.18	5.20	4.75	5.22	3.50	4.24	5.3	5.1	**6**
	28. बिजली के लैंप	-तदैव-	15.0	43.5	119.3	198.1	270.7	256.5	247.5	251.7	274.4	288.8	303.1	**324.2**
	29. रेडियो रिसीवर	हजारों	54	280	1704	1734	1161	978	1024	668	685	282	245	**152**
	30. एल्यूमीनियम कन्डक्टर	हजार टन	1.7	23.7	64.2	86.00	61.1	40.9	29.5	57.8	67.6	56.9	25.6	**27.2**
V.	रासायनिक तथा सम्बद्ध उद्योग													
	31. नाइट्रोजनी उर्वरक (एन)	हजार टन	9	99	830	2164	4328	5466	6712	6742	6993	7235	7497	**7393**
	32. फास्फेटी उर्वरक (पी2ओ5)	-तदैव-	9	54	229	842	1428	1665	2252	1792	2052	2535	2376	**1881**
	33. सोडा ऐश	-तदैव-	46	147	449	563	849	956	1191	1377	1385	1409	1391	**1550**
	34. कास्टिक सोडा	-तदैव-	12	99	371	578	727	958	903	933	992	1036	1073	**1114**
	35. कागज और गत्ता	-तदैव-	116	349	755	1149	1517	1662	1726	1823	2088	2122	2533	**2731**
	36. मोटर गाड़ियों के टायर	मिलियन	-	1.49	3.79	7.97	12.33	14.62	15.03	19.00	20.10	26	28	**29**
	37. साइकलों के टायर	-तदैव-	-	11.2	19.2	27.00	36.1	31.8	26.0	25.6	24.8	22.6	19.1	**12.5**
	38. सीमेंट	मिलियन टन	2.7	8.0	14.3	18.6	33.1	39.6	44.3	45.8	48.8	51.7	54.7	**57.8**
	39. पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद	-तदैव-	0.2	5.7	17.1	24.1	39.9	44.7	45.7	48.7	48.0	47.8	49.7	**50.5**
	40. पैंसिलीन	एम-एम-यू	-	-	190.4	336.8	236.0	304.8	330.5	324.9	525.0	515.6	757	**762**
	41. स्ट्रेप्टोमाइसिन	बेस टन	-	-	157.2	227.3	187.2	248.3	243.8	134.2	162.0	178.7	157.8	**173**
	42. क्लोरमफेनिकोल पाउडर	टन	-	-	30.9	85.5	82.5	94.6	92.8	100.3	121.6	112.8	121	**97.5**
	43. विटामिन ए	एम-एम-यू	-	-	38.5	59.9	65.4	76.1	74.2	94.3	220.5	102.3	96.2	**123.1**
VI.	वस्त्र उद्योग													
	44. जूट वस्त्र	हजार टन	837	1071	1060	1392	1352	1192	1389	1304	1430	1378	1310	**1451**
	45. कपड़ा													
	(क) सूती कपड़ा	मिलियन वर्ग मीटर	4215	6738	7602	8368	12467	12626	13658	13936	15431	14647	13054	**15630**
	(1) मिल क्षेत्र	-तदैव-	3401	4649	4055	3434	2716	2346	2100	1957	1859	1651	1453	**1366**
	(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	-तदैव-	814	2089	3547	4934	9751	10280	11558	11979	13572	12996	11601	**14164**
	(ख) मिश्रित/ब्लेंडिंग कपड़ा	-तदैव-	-	-	170	1270	1660	1815	2321	2118	2371	2712	2479	**3009**
	(1) मिल क्षेत्र	-तदैव-	-	-	107	730	822	827	782	658	689	666	553	**544**
	(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	-तदैव-	-	-	63	540	838	988	1539	1460	1682	2046	1926	**2465**
	(ग) हस्त निर्मित रेशा कपड़ा	-तदैव-	300 #	550 #	951	1350	3080	3536	4039	4544	5126	5229	[illegible]	[illegible]
	(1) मिल क्षेत्र	-तदैव-	13 #	3 #	2	4	6	5	20	52	41	59	[illegible]	[illegible]
	(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	-तदैव-	287 ##	547 #	949	1346	3086	3531	4019	4492	5085	5170	[illegible]	[illegible]
	46. स्पन यार्न (सूती वस्त्र मिलों द्वारा)													
	(1) कपास	मिलियन किलोग्राम	533 #	788 #	929	1067	1253	1321	1310	1372	1510	1450	1402	**1556**
	(2) मिश्रित / ब्लेंडेड	-तदैव-	-	-	22	144	129	152	185	173	207	234	270	**306**
	(3) शत प्रतिशत कपास रहित	-तदैव-	11 ##	15 #	65	87	72	82	92	107	107	122	145	**162**

जारी ..

1,31 : चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

उद्योग	इकाई	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.फिलामेंट यार्न													
(क) सेल्यूलोसिक	-तदैव-	नगण्य	21 #	38	43	42	46	44	49	51	53	50	55
(1) विस्कोस	-तदैव-	नगण्य	19 #	36	41	42	46	44	49	51	53	50	55
(2) एसिटेट	-तदैव-	-	2 #	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) संश्लिष्ट (सिन्थेटिक)	-तदैव-	-	-	10	31	107	145	179	195	225	218	278	351
(1) नाइलोन	-तदैव-	-	-	9	20	39	34	36	39	40	31	38	54
(2) पालिएस्टर	-तदैव-	-	-	1	11	68	111	143	156	185	187	240	297
48. स्टेपल रेशा		-											
(क) सेल्यूलोसिक	-तदैव-	-	22 #	62	83	90	119	126	148	160	158	159	175
(1) विस्कोस	-तदैव-	-	22 #	62	83	90	119	126	148	160	158	159	175
(1) एसिटेट	-तदैव-	-	-	नगण्य	नगण्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) संश्लिष्ट (सिथेटिक)	-तदैव-	-	-	5	34	65	101	138	157	176	183	139	180
(1) पालिएस्टर	-तदैव-	-	-	5	24	43	79	112	127	134	136	139	180
(2) एक्रेलिक	-तदैव-	-	-	-	10	22	22	26	30	42	47	-	-
VII. खाद्य उद्योग													
49. चीनी**	हजार टन	1134 ++	3029 ++	3740	5148	7003	9110	8752	10989	12047	13277	10562	9658
50. चाय	मिलियन कि०ग्रा०	277	318	423	568	652	678	690	700	705	715	735	743
51. कॉफी	हजार टन	21.0	54.1	71.4	139.5	160.3	164.4	166.7	175.0	128.5	141	109	102
52. वनस्पति	-तदैव-	155	355	558	753	870	980	996	939	850	826	893	900
53. नमक	-तदैव-	-	-	5568	8409	10482	9827	8326	10598	12645	14169	14021	14313
VIII. उत्पादित बिजली**	बिलियन कि०वा०	5.1	16.9	55.8	110.8	170.4	202.1	221.4	245.4	264.2	286.7	301.1	322.5

*अनन्तिम।

@ इसमें रेलवे वर्कशाप में हुआ उत्पादन शामिल है।

इसमें होजरी, वस्त्र परीक्षण उपकरण और फालतू पुर्जे / सहायक उपकरण शामिल नहीं है।

© इसमें बसें, ट्रक तथा तीन और चार पाहियों वाले टेम्पों शामिल है।

**वार्षिक आंकड़े चीनी उत्पादन मौसम के है जो अक्टूबर—सितम्बर है।

*** इसका संबंध जनोपयोगी उत्पादन से है।

उ०न०—उपलब्ध नहीं।

$ कलैण्डर वर्ष के आधार पर।

$$ कलैण्डर वर्ष 1951 से संबंधित है।

नवम्बर - अक्तूबर से संबंधित

स्रोत:—

1. कोयला मंत्रालय
2. और 39, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3, 9 और 10 खान मंत्रालय
4 से 8, तक लौह और इस्पात विकासायुक्त
11,14 से 30 और 35 से 37 तकनीकी विकास महानिदेशालय
12, 45-48 वस्त्र मंत्रालय, वस्त्रायुक्त
13 और 44 वस्त्र मंत्रालय, जूट आयुक्त

31 से 34 और 40-43 रसायन और उर्वरक मंत्रालय
38 सीमेंट विकास आयुक्त
49 खाद्य मंत्रालय, चीनी निदेशालय
50. वाणिज्य मंत्रालय, चाय बोर्ड
51. वाणिज्य मंत्रालय, कार्फी बोर्ड
52. खाद्य मंत्रालय, वनस्पति निदेशालय
53. नमकायुक्त
VIII. विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, विद्युत विभाग।

1.32 : औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
(आधार : 1980-81=100)

उद्योगसमूह	उद्योग	भारांश	1981-82	1984-85	1985-86'	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	सामान्य सूचकांक	100.00	109.3	130.7	142.1	166.4	180.9	196.4	212.6	213.9	218.9	227.8
1	खनन और उत्खनन	11.46	117.7	160.8	167.5	184.6	199.1	211.6	221.2	222.5	223.7	229.4
2-3	विनिर्माण	77.11	107.9	124.8	136.9	161.5	175.6	190.7	207.8	206.2	210.7	218.3
20-21	खाद्य उत्पाद	5.33	113.5	120.0	125.6	139.0	148.5	150.9	169.8	178.0	175.3	160.6
22	पेय पदार्थ, तम्बांकू और तत्बाकू उत्पाद	1.57	104.3	111.7	112.1	84.9	92.1	103.0	104.8	107.3	113.7	137.8
23	सूती वस्त्र	12.31	99.7	102.2	110.4	111.2	107.8	112.3	126.6	139.0	150.1	157.6
25	जूट, सन और मेस्ता उत्पाद	2.00	95.7	99.4	97.2	91.0	101.9	97.4	101.6	90.8	87	103.2
26	वस्त्र उत्पाद और परिधान@	0.82	96.7	95.6	112.8	91.7	134.2	151.7	103.2	97.2	75.8	73.4
27	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद फर्नीचर और फिक्सचर	0.45	153.2	216.5	223.2	161.7	171.7	176.0	197.2	185.0	190.5	198.8
28	कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	3.23	108.3	131.9	148.5	166.3	171.3	181.5	198.0	203.0	210.9	224.8
29	चमड़ा और फर का उत्पाद†	0.49	128.1	139.7	169.2	185.5	177.4	188.3	194.3	181.3	187.7	200.1
30	रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम और कोयला उत्पाद	4.00	119.2	147.2	153.0	155.1	168.3	173.5	174.0	172.0	174.6	176.2
31	रसायन	12.51	116.9	142.8	154.3	200.9	233.4	247.6	254.1	261.2	276.9	298.0
32	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	3.00	106.7	138.4	157.3	158.1	184.6	189.9	193.1	205.2	209.0	216.1
33	मूल धातु और मिश्र धातु उत्पाद	9.80	100.0	107.3	117.0	135.6	144.9	143.7	158.8	167.8	168.4	193.7
34	धातु उत्पाद††	2.29	94.6	105.0	114.7	129.6	133.5	142.6	143.1	133.1	124.6	126.4
35	बिजली भिन्न मशीनरी और मशीनी औजार††	6.24	111.1	127.6	130.2	139.2	161.2	171.9	186.9	183.3	181.1	188.8
36	बिजली मशीनरी और उपकरण	5.78	103.9	148.8	200.6	335.2	346.0	459.2	563.6	493.7	483.6	450.9
37	परिवहन उपकरण††	6.39	108.1	131.6	135.8	151.9	171.3	181.1	192.5	191.1	200.6	211.0
38	अन्य विनिर्माण	0.90	149.2	122.8	152.7	272.1	306.3	333.2	321.8	269.9	281.3	265.4
40	बिजली	11.43	110.2	140.4	152.4	181.0	198.2	219.7	236.8	257.0	269.9	289.9

* अनन्तिम
@ फुटवियर के अतिरिक्त
† मरम्मत के अतिरिक्त
†† अतिरिक्त पुर्जों सहित
स्रोत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध

2.1 : केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी साधनों में से सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रुपए)

	केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण				पूंजी निर्माण के लिए सकल वित्तीय सहायता				
	अचल परिसंपत्तियां	निर्माण संबंधी सामान का भंडार	खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के भंडार में वृद्धि	जोड़	राज्य सरकारों को	गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	अन्य को†††	जोड़	जोड़ (5)+(9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पहली योजना (1951-52 से 1955-56)	593.9	9.8	8.6	612.3	815.7	81.1	95.9	992.7	1605.0
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61)	1362.3	8.3	73.9	1444.5	1373.2	932.4	154.7	2460.3	3904.8
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66)	2355.4	99.5	-9.8	2445.1	2837.4	1658.8	210.4	4706:6	7151.7
वार्षिक योजना 1966-67 से 1968-69)	1410.6	12.2	-179.6 -121.6*	1243.2 1301.2*	2127.2	1593.5 1403.5**	163.6	3884.3 3694.3**	5127.5 4995.5
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	2857.6	104.1	7.0	2968.7	4570.3	2750.8	621.1	7942.2	10910.9
पांचवी योजना (1974-75 से 1978-79)	5222.1	68.0	661.1	5951.2	9668.9	9380.8	920.6	19980.3	25931.5
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)	14148.1	674.6		14822.7	25693.3	21288.9	2663.2	49645.4	64468.1
सातवीं योजना (1985-86 to 1989-90)	30728.5	887.6		31616.1	61468.5	31643.4	8829.0	101941.0	133557.1
1950-51	79.5	9.9	-9.3	80.1	41.1	5.2	2.4	48.7	128.8
1955-56	177.4	5.1	-29.8	152.7	275.2	22.0	33.4	330.6	483.3
1960-61	302.0	-38.4	43.8	307.4	319.3	210.7	24.6	554.6	862.0
1965-66	549.1	1.2	-29.9	520.4	739.4	492.6	53.0	1285.0	1805.4
1970-71	485.0	8.3	26.0	519.3	740.2	530.7	98.3	1369.2	1888.5
1971-72	566.1	55.4	-24.1	597.4	884.7	545.1	133.4	1563.2	2160.6
1972-73	664.8	59.1	-46.8	677.1	1062.3	731.4	156.7	1950.4	2627.5
1973-74	711.4	8.8	62.1	782.3	1190.8	583.1	108.4	1882.3	2664.6
1974-75	822.6	33.3	371.5	1227.4	1188.1	1108.0	153.8	2449.9	3677.3
1975-76	949.6	17.6	237.1	1204.3	1433.3	1838.2	187.4	3458.9	4663.2
1976-77	1089.7	-30.4	52.5	1111.8	1523.9	2183.3	172.0	3879.2	4991.0
1977-78	1118.5	-11.3		1107.2	2221.2	2156.3	202.8	4580.3	5687.5
1978-79	1241.7	58.8		1300.5	3302.4	2105.0	204.6	5612.0	6912.5
1979-80	1443.3	84.3		1527.6	3243.6	2234.9	222.7	5701.2	7228.8
1980-81	1751.2	156.3		1907.5	3665.8	3166.2	272.6	7104.6	9012.1
1981-82	2411.4	140.5		2551.9	3927.9	3880.5	438.8	8247.2	10799.1
1982-83	2813.8	70.5		2884.3	4931.2	4074.2	514.3	9519.7	12404.0
1983-84	3219.1	136.6		3355.7	5973.6	4678.9	693.5	11346.0	14701.7
1984-85	3952.6	170.7		4123.3	7194.8	5489.1	744.0	13427.9	17551.2
1985-86	4451.5	106.2		4557.7	10053.5	6082.4	783.6	16919.5	21477.2
1986-87	5817.3	87.7		5905.0	10800.2	6523.4	1091.1	18414.7	24319.7
1987-88	5683.1	277.5		5960.6	12723.4	5667.2	1418.9	19809.5	25770.1
1988-89	6976.7	79.5		7056.2	13956.4	6316.5	1648.2	21921.2	28977.4
1989-90	7799.9	336.7		8136.6	13935.0	7053.9	3887.2	24876.1	33012.7
1990-91	8193.0	408.9		8601.9	20009.1	5541.0	905.4	26455.5	35057.4
1991-92	9056.4	202.7		9259.1	19376.5	4764.3	1764.7	25905.5	35164.6
1992-93	11642.9	231.7		11874.6	19651.3	4730.4	1392.3	25774.0	37648.6
1993-94 (स॰अ॰)	13721.9	471.5		14193.4	24065.4	6353.5	2550.0	32968.9	47162.3
1994-95 (ब॰अ॰)	**14920.9**	**595.5**		**15516.4**	**22147.7**	**6015.6**	**4673.8**	**32837.1**	**48353.5**

* इसमें भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित खाद्यान्न शामिल है।

**इसमें भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न का भंडार बनाने के लिए दिये गये ऋण शामिल है।

†††स्वायत्त निगमों और कंपनियों द्वारा चलाये जा रहे सरकारी उपक्रम।

इसमें पूंजी निमाण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को दिये गये ऋण और अनुदान शामिल है।

$ इसमें दिल्ली शामिल नहीं है।

स्रोत: आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

2.2 : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजट संबंधी लेन-देन
(इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयोजनाओं के लिए उनके आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन शामिल हैं)

(करोड़ रुपए)

	1980-81	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (ब.अ.)	1993-94 (स.अ.)	1994-95 (ब.अ.)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कुल परिव्यय	36845	130048	158107	176548	199370	224688	258477	261224	294960
क. विकास (क)	24426	79548	98501	105922	118715	134020	153911	151154	168233
ख. विकास-भिन्न	12419	50500	59606	70626	80655	90668	104566	110070	126727
1. रक्षा (निवल)	3600	13341	14416	15427	16347	17582	19180	21500	23000
2. ब्याज अदायगियां	2957	16447	20501	25006	30994	35864	44597	44141	54044
3. कर संग्रह व्यय	504	1552	1795	1973	2331	2588	2948	2943	3215
4. पुलिस	1163	4086	4833	5657	6563	7815	8030	8942	9287
5. अन्य (ख)	4195	15074	18061	22563	24420	26819	29811	32544	37181
II. चालू राजस्व	24563	85714	103114	110607	133834	153195	178958	168885	191933
क. कर राजस्व	19844	66925	77692	87723	103198	114165	131805	121930	140945
1. आयकर और निगम-कर	2817	8691	9808	10712	14586	16794	20000	20000	23405
2. सीमा शुल्क	3409	15806	18036	20644	22257	23776	27727	22500	25200
3. संघ उत्पाद शुल्क	6500	18841	22406	24514	28110	30831	34292	31750	36700
4. बिक्री कर	4018	13670	15662	18228	21552	24031	27494	27637	32311
5. अन्य	3100	9918	11780	13625	16693	18733	22292	20043	23329
ख. कर भिन्न (ग)	4719	18789	25422	22884	30636	39030	47153	46955	50987
(आयोजना के लिए सरकारी उपक्रमों के आन्तरिक साधन)	(1374)	(9174)	(11892)	(11183)	(13131)	(18743)	(26616)	(24954)	(27223)
III. अन्तर (1—2) के द्वारा वित्त पोषित	12282	44334	54993	65941	65536	71493	79519	92339	103028
IV. पूंजीगत प्राप्तियां निवल (क+ख)									
क. आन्तरिक (निवल)	8831	39232	44380	54455	58455	58952	73248	80935	94561
1. निवल बाजार ऋण (घ)	7161	36172	40813	50192	52284	52968	66428	75799	88917
2. निवल लघु बचतें	3163	11168	10405	11308	11701	7876	7885	8008	8643
3. निवल राज्य तथा लोक भविष्य निधियां	1121	5475	7958	8309	5654	4373	1900	4430	4090
4. गैर- सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	558	2957	3590	3887	4609	5590	6294	6542	7278
5. भारतीय रिजर्व बैंक से अनिवार्य जमा के आधार पर उधार	604	5657	7000	6721	6099	7144	8000	8090	8100
6. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-70	-190	-106	-105	-55	0	0	0	0
निवल (ङ)	1785	11105	11966	20072	24276	27985	40349	48729	60806

जारी......

2.2 : केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के बजट संबंधी लेन-देन
(इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयोजनाओं के लिए उनके आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन शामिल हैं)

(करोड़ रुपए)

		1980-81	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (ब.अ.)	1993-94 (स.अ.)	1994-95 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ख. विदेशी	1670	3060	3567	4263	6171	5984	6820	5136	**5644**
	1. निवल ऋण (पी॰ एल 480 को छोड़कर)	798	2521	2595	3181	5421	5319	5235	3623	**3616**
	(1) सकल	1190	4016	4443	5339	8279	9625	10203	8662	**9004**
	(2)घटाइए—वापसी अदायगियां	392	1495	1848	2158	2858	4306	4968	5039	**5388**
	2. अनुदान	436	600	754	586	947	919	1366	1300	**1365**
	3. भारत अमेरिका करार 1974के	(-)49	-	-	-	-	-	-	-	-
	अंतर्गत निवलपी.एल. 480 लेखे	(-)53	(-)61	(-)32	(-)76	(-)197	(-)254	(-)127	(-)133	-
	4. निवल विशेष ऋण	538	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि से. ऋण	-	-	250	572	-	-	346	346	**663**
	6. परिक्रामी निधि									
	V. कुल बजटीय घाटा	3451	5102	10613	11486	7081	12540	6271	11404	**8467**

टिप्पणियां—

(क) इसमें रेलवे, डाक-तार और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आयोजनागत व्यय शामिल है, जिनका वित्तपोषण बाजार ऋणों और वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों के उपक्रमों को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों सहित उनके आन्तरिक और बजट बाह्य साधनों से किया जाता है। इसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा गैर-विभागीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य पक्षों को दिये जाने वाले विकास संबंधी ऋण भी शामिल है फिर भी, इसमें 1980-81 में 45 करोड़ रुपये, की संकेतिक राशि शामिल नहीं है जो गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का इक्विटी पूंजी में रूपान्तरित करने के लिए ऋण पूंजी देने के लिए की गई थी।

(ख) इसमें सामान्य प्रशासन, भूतपूर्व नरेशों को दी जाने वाली पेंशनें और अनुकम्पापूर्ण अनुदान, अकाल सहायता (केवल आयोजना-भिन्न अंश) खाद्य और नियंत्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता, विदेशों को अनुदान और ऋण और अन्य पक्षों की विकास भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण शामिल हैं किन्तु इसमें आकस्मिकता निधि के लेन-देन शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अभिदान के संबंध में सांकेतिक लेन-देनों में 1980-81 में 559 करोड़ रुपये, 1988-89 में 775 करोड़ रुपए और 1989-90 में 803 करोड़ रुपए 1990-91 में 550 करोड़ रुपए 1991-92 में 1805 करोड़ रुपए और 1992-93 में 7013 करोड़ रुपए, 1993-94 में 1300 करोड़ रुपए (ब.अ.), 1993-94 में 5698 करोड़ रुपए (सं॰ अ) और 1994-95 में 894 करोड़ रुपए (ब.अ.) भी शामिल नहीं है।

(ग) इसमें रेलवे, डाक तथा दूर-संचार और गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के आयोजना के लिए आन्तरिक साधन शामिल हैं।

(घ) इसमें राज्य सरकारों के सरकारी उद्यमों के लिए बाजार-उधार शामिल हैं।

(ङ) इसमें गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा उनकी इक्विटी पूंजी में ऋणों को रूपांतरित किये जाने के कारण ऋणों की वापसी, अदायगियों की सांकेतिक प्राप्तियां शामिल नहीं हैं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आकस्मिकता निधि लेन-देन के संबंध में सांकेतिक लेन-देन भी शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

2.3 : केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपए)

	अंतिम परिव्यय			शेष अर्थव्यवस्था के अंतरण अदायगी			शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश तथा ऋण (सकल)	कुल व्यय (4+7+8)
	सरकारी खपत व्यय	सकल पूंजी 1 निर्माण	जोड़	चालू	पूंजी	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पहली योजना (1951-52 से 1955-56)	1241.3	612.3	1853.6	809.2	122.7	931.9	965.7	3751.2
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61)	1961.5	1444.5	3406.0	1567.1	249.3	1816.4	2600.2	7822.6
तीसरी योजना (1960-61 से 1965-66)	4256.0	2445.1	6701.1	2982.9	500.9	3483.8	5075.9	15260.8
वार्षिक योजनाएं (1966-67 से 1968-69)	3877.5	1243.2	5120.7	3214.0	406.9	3620.9	4739.8	13481.4
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	9775.4	2969.2	12744.6	8035.8	1453.7	9489.5	10759.6	32993.7
पांचवीं योजना (1974-75 से 1978-79)	17575.6	5951.2	23526.8	19772.7	3229.9	23002.6	21144.9	67674.3
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)	35885.4	14822.7	50708.1	50604.0	9909.7	60513.7	47034.3	158256.1
सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90)	81973.6	31616.4	113590.0	134246.1	26291.7	160537.8	89764.0	363891.8
1950-51	234.7	80.1	314.8	110.9	6.0	116.9	72.0	503.7
1955-56	269.1	152.7	421.8	202.8	48.5	251.3	301.4	974.5
1960-61	433.0	307.4	740.4	426.5	68.7	495.2	570.0	1805.6
1965-66	1109.1	520.4	1629.5	753.8	131.9	885.7	1425.4 *	3940.6 *
1970-71	1669.4	519.3	2188.7	1239.1	193.3	1432.4	1955.5	5576.6
1971-72	2054.5	597.4	2651.9	1722.7	283.8	2006.5	2051.3	6709.7
1972-73	2262.1	677.1	2939.2	1851.5	428.6	2280.1	2630.0	7849.3
1973-74	2312.5	782.3	3094.8	2059.5	356.3	2415.8	2620.2	8130.8
1974-75	2866.8	1227.4	4094.2	2449.8	375.0	2824.8	2865.9	9784.9
1975-76	3449.2	1204.3	4653.5	3017.7	535.7	3553.4	3829.6	12036.5
1976-77	3605.9	1111.8	4717.7	3944.7	501.9	4446.6	3985.8	13150.1
1977-78	3678.2	1107.2	4785.4	4677.9	754.6	5432.5	4767.7	14985.6
1978-79	3975.2	1300.5	5276.6	5682.6	1062.7	6745.3	5695.9	17717.2
1979-80	4502.4	1527.6	6030.0	6063.8	1219.6	7283.4	5190.9	18504.3
1980-81	5174.0	1907.5	7081.5	6911.6	1302.2	8213.8	7199.5	22494.8
1981-82	6096.3	2551.9	8648.2	7728.2	1524.8	9253.0	7499.8	25401.2
1982-83	7056.9	2884.3	9941.2	9589.8	1787.9	11377.7	9174.8	30493.7
1983-84	8130.0	3355.7	11485.7	11436.3	2337.1	13773.4	10728.6	35987.7
1984-85	9428.2	4123.3	13551.5	14938.1	2957.7	17895.8	12431.6	43878.9
1985-86	11210.4	4557.7	15768.1	18347.4	3825.1	22172.5	15171.8	53112.4
1986-87	14664.7	5905.0	20569.7	21242.8	4407.8	25650.6	17802.8	64023.1
1987-88	16551.2	5960.9	22512.1	25380.2	5474.1	30854.3	16938.2	70304.6
1988-89	18763.6	7056.2	25819.8	31398.7	5749.5	37148.2	18434.3	81402.3
1989-90	20783.7	8136.6	28920.3	37877.0	6835.2	44712.2	21416.9	95049.4
1990-91	22359.2	8601.9	30961.1	45134.0	7117.4	52251.4	21760.4	104972.9
1991-92	24465.9	9259.1	33725.0	51377.8	8449.1	59826.9	19178.8	112730.7
1992-93	26864.6	11874.6	38739.2	58518.2	9091.7	67609.9	19577.8	125926.9
1993-94(सं॰अ॰)	32466.8	14193.4	46660.2	67970.4	12064.6	80035.0	22826.1	149521.3
1994-95(ब॰अ॰)	33983.2	15516.4	49499.6	74579.6	13289.2	87868.8	21376.2	158744.6

*इसमें 1965-66 के लिए 53 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त अदायगियों की रकम शामिल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को रुपए के सममूल्य में हुए परिवर्तन के कारण की गई थी। यह परिव्यय सांकेतिक है क्योंकि यह भारत सरकार की अपक्राम्य प्रतिभूतियां(सिक्यूरिटीज) जारी करके पूरा किया जाता है।
£इसमें दिल्ली शामिल नहीं है।

स्रोतः आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

2.4 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय, 1961-80

	रकम (करोड़ रुपए)					प्रतिशत विभाजन				
	तीसरी आयोजना 1961-66	वार्षिक आयोजना 1966-69	चौथी आयोजना 1969-74	पांचवीं आयोजना 1974-79	वार्षिक आयोजना 1979-80	तीसरी आयोजना 1961-66	वार्षिक आयोजना 1966-69	चौथी आयोजना 1969-74	पांचवीं आयोजना 1974-79	वार्षिक आयोजना 1979-80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	1088.9	1107.1 *	2320.4 *	4864.9	1996.5	12.7	16.7	14.7	12.3	16.4
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	664.7	471.0	1354.1	3876.5	1287.9	7.8	7.1	8.6	9.8	10.6
3. विद्युत	1252.3	1212.5	2931.7	7399.5	2240.5	14.6	18.3	18.6	18.8	18.4
4. ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	240.8	126.1	242.6	592.5	255.7	2.8	1.9	1.5	1.5	2.1
5. उद्योग और खनिज	1726.3	1510.4	2864.4	8988.6	2383.5	20.1	22.8	18.2	22.8	19.6
6. परिवहन तथा संचार	2111.7	1222.4	3080.4	6870.3	2044.9	24.6	18.5	19.5	17.4	16.8
7. शिक्षा ation	588.7	306.8	774.3	1710.3)	263.0	6.9	4.6	4.9	4.3)	2.2
8. वैज्ञानिक अनुसंधान	71.6	47.1	130.8	)	91.4 +	0.8	0.7	0.8	)	0.8
9. स्वास्थ्य	225.9	140.2	335.5	760.8	223.1	2.6	2.1	2.1	1.9	1.8
10. परिवार नियोजन	24.9	70.4	278.0	491.8	118.5	0.3	1.1	1.8	1.2	1.0
11. जलपूर्ति तथा सफाई	105.7	102.7	458.9	1091.6	387.6	1.2	1.6	2.9	2.8	3.2
12. आवास, शहरी तथा क्षेत्रीय विकास	127.6	73.3	270.2	1150.0	368.8	1.5	1.1	1.7	2.9	3.0
13. पिछड़े वर्गों का कल्याण	99.1	73.6	164.6	724.0 **	247.9 **	1.2	1.1	1.0	1.8	2.0
14. समाज कल्याण।	19.4	11.2	64.4	88.2	30.7	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
15. श्रम कल्याण तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण	55.8	34.8	31.1	817.2)	236.5)	0.7	0.5	0.2	2.1)	1.9
16. अन्य कार्यक्रम	173.1	115.8	179.8	)	)	2.0	1.7	1.1	)	
17. विशेष योजनाएं:										
(1) विशेष कल्याण कार्यक्रम	--	--	123.6	--	--	--	--	0.8	--	--
(2) शिक्षित बेरोजगारों के लिए फौरी योजना	--	--	54.0	--	--	--	--	0.3	--	--
(3) पांचवीं आयोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई	--	--	120.0	--	--	--	--	0.8	--	--
जोड़	8576.5	6625.4	15778.8	39426.2	12176.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*इसमें अनाज का संकट निरोधक भंडार (बफर स्टाक) रखने का खर्च शामिल है—1968-69 के लिए 140 करोड़ रुपए, 1969-70 के लिए 25 करोड़ रुपए 1971-72 के लिए 50 करोड़ रुपए, 1972-73 के लिए 25 करोड़ रुपए तथा 1973-74 के लिए 24 करोड़ रुपए। इसी प्रकार चौथी योजना में अनाज का संकट निरोधक भंडार रखने का खर्च 124 करोड़ रुपए बैठता है जबकि इसके लिए योजना में मूलतः 255 करोड़ रुपए रखे गये थे।

**इसमें पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र शामिल है।

†इसमें ऊर्जा के नए तथा पुनर्नवीकरणीय स्रोत शामिल है।

स्रोत: योजना आयोग।

2.5 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का छठी योजना का परिव्यय, 1980-85

	A राशि (करोड़ रुपए)		प्रतिशत विवरण	
	छठी योजना का परिव्यय 1980-85	छठी योजना (वास्तविक) 1980-85	छठी योजना (वास्तविक) 1980-85	छठी योजना (वास्तविक) 1980-85
1	2	3	4	5
I. कृषि	5695.1	6623.5	5.8	6.1
II. ग्रामीण क्षेत्र कार्यक्रम	5363.7	6996.8	5.5	6.4
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1480.0	1580.3	1.5	1.4
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	12160.0	10929.9	12.5	10.0
V. ऊर्जा	26535.4	30751.3	27.2	28.1
1. विद्युत (पावर)	19265.4	18298.6	19.8	16.7
2. ऊर्जा के नए और पुनर्नवीकरणीय स्रोत	100.0	163.1	0.1	0.1
3. पेट्रोलियम	4300.0	8482.1	4.4	7.8
4. कोयला	2870.0	3807.5	2.9	3.5
VI. उद्योग और खनिज	15017.6	16947.5 *	15.4	15.5
1. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1780.5	1945.1	1.8	1.8
2. बड़े और मध्यम उद्योग	13237.1	14790.4 *	13.6	13.5
3. अन्य		212.0		0.2
VII. परिवहन	12412.0	14208.4	12.7	13.0
1. रेलवे	5100.0	6586.7	5.2	6.1
2. अन्य	7312.0	7612.7	7.5	6.9
VIII. संचार और सूचना तथा प्रसारण	3134.3	3469.5	3.2	3.2
IX. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	865.2	1020.4 @	0.9	0.9
X. सामाजिक सेवाएं	14035.2	15916.6	14.4	14.5
1. शिक्षा	2523.7	2976.6	2.6	2.7
2. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	2831.0	3412.2	2.9	3.1
3. आवास और शहरी विकास	2488.4	2839.1	2.6	2.6
4. अन्य सामाजिक सेवाएं	6192.1	6688.7	6.3	6.1
XI. अन्य [illegible]	801.5	847.5	0.9	0.8
XII. जोड़ (I से XI)	97500.0	109291.7 110467.3	100.0	100.0
(क) केन्द्रीय योजना	47250.0	57825.2	48.5	52.9
(ख) राज्यों की योजनाएं	48600.0	49458.2 50633.8	49.8	45.3
(ग) संघ-राज्य क्षेत्रों की योजना	1650.0	2008.3	1.7	1.8

* इनमें राष्ट्रीय परीक्षण गृहों के लिए 2.85 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

@ इनमें राष्ट्रीय परीक्षण गृहों के लिए 2.85 करोड़ रुपये शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दी गई राशियों में दैवी विपत्तियों से राहत के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्तपोषित निर्माण कार्यों पर व्यय शामिल है (1980-81 में 191 करोड़ रुपए, 1981-82 में 162 करोड़ रुपए, 1982-83 में 442 करोड़ रुपए, 1983-84 में 226 करोड़ रुपए और 1984-85 में 154.5 करोड़ रुपए) ।

स्रोत : योजना आयोग।

2.6 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का सातवीं योजना का परिव्यय, 1985-90

(करोड़ रुपए)

	सातवीं योजना का परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1988-89 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1989-90 (वास्तविक)	जोड़ सातवीं योजना (कालम 3 से 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	10523.6	1825.9	2215.[illegible]	2742.9	2903.0	3105.0	12792.6
II. ग्रामीण विकास	8906.1	2226.1	2667.7	3146.4	2982.3	4224.0	15246.5
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.6	447.3	627.6	677.1	926.5	791.8	3470.3
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	16978.6	2792.2	3221.6	3346.9	3590.9	3638.2	16589.9
V. ऊर्जा	54821.3	9613.2	11402.8	11594.5	13226.4	15852.4	61689.3
(क) विद्युत	34273.5	5615.5	6701.5	7096.3	8243.8	10238.3	37895.1
(ख) पैट्रोलियम	12627.7	2869.9	3326.4	3019.6	3108.9	3684.0	16008.8
(ग) कोयला और लिग्नाइट	7400.6	995.0	1233.0	1362.9	1737.7	1793.6	7122.3
(घ) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	519.5	132.8	141.9	115.7	136.0	136.5	662.9
VI. उद्योग और खनिज	22415.5 @	5502.9 @	5619.6 @	5537.1 #	5896.1 #	6664.7 #	29220.3
(क) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	2752.7	524.4	615.7	616.9	686.2	806.1	3249.3
(ख) अन्य उद्योग	19662.8	4978.5	5003.9	4920.2	5209.9	5858.6	25971.1
VII. परिवहन	22644.9	4072.2	5201.4	6034.6	6723.0	7516.9	29548.1
(क) रेलवे	12334.5	1941.7	2697.0	3418.9	3929.4	4562.2	16549.2
(ख) अन्य	10310.4	2130.5	2504.4	2615.7	2793.6	2954.7	12998.9
VIII. संचार	4474.5	942.1	1085.6	1464.0	2193.8	2740.0	8425.5
IX. विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2463.1	404.8	512.4	585.4	751.4	769.9	3023.9
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं	1395.6 *	179.1	423.1	386.1 @	494.8 @	766.6 @	2249.6
XI. सामाजिक सेवाएं	31545.2	4858.5	5902.0	7006.4	8052.5	9140.3	34959.7
(क) शिक्षा	6382.6	876.8	1014.4	1610.8	1913.4	2270.1	7685.5
(ख) चिकित्सा व जनस्वास्थ्य	3392.9	579.9	641.8	724.3	831.0	911.6	3688.6
(ग) परिवार कल्याण	3256.3	479.8	561.1	607.4	671.8	800.7	3120.8
(घ) आवास	2428.2	437.9	561.0	506.4	587.0	630.5	2722.8
(ङ) शहरी विकास	1801.3	323.2	359.0	400.9	482.3	548.0	2113.4
(च) अन्य सामाजिक सेवाएं	14283.9 **	2160.9	2764.7	3156.6	3567.0	3879.4	15628.5
XII. सामान्य सेवाएं	1028.0	195.6	269.5	399.2	329.1	320.4	1513.8
जोड़ (I से XII)	180000.0	33059.9	39149.1	42920.6	48069.8	55530.2	218729.5
		(33421.1)	(39705.2)	(44034.1)	(48644.8)	(55630.2)	(221435.[illegible])
(क) केन्द्रीय आयोजना	95534.0	19115.5	22401.7	24584.7	27949.0	33468.7	127519.[illegible]
(ख) राज्य परियोजनाएं	80698.0	13249.5	16043.0	17627.5	19356.4	21216.0	87492.4
		(13610.7)	(16599.0)	(18741.1)	(19931.4)	(21316.0)	(90198.2)
(ग) संघ-राज्य क्षेत्र	3768.0	694.9	704.4	708.4	764.5	845.5	3717.7

* इनमें जिला आयोजनाओं तथा राष्ट्रीय बचत योजना के लिये व्यवस्था भी शामिल है।

** इसमें विशेष रोजगार योजना के लिये भी व्यवस्था है।

$ इसमें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र शामिल है।

@ इनमें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र शामिल नहीं है।

टिप्पणी :—

1. संशोधित वर्गीकरण के अनुसार।
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में दैवी विपत्तियों से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित निर्माण कार्यों पर 1985-86 में 361.2 करोड़ रुपए, 1986-87 में 556.1 करोड़ रुपए, 1987-88 में 1113.6 करोड़ रुपए, 1988-89 में 575.0 करोड़ रुपए 1989-90 में 100 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है।
3. कुछ पूर्व संघ शासित क्षेत्रों के राज्यों का दर्जा प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप इनका वार्षिक योजना परिव्यय/व्यय राज्य आयोजना आंकड़ों में शामिल कर लिया गया है। तथापि सातवीं योजना परिव्यय तत्कालीन स्थिति के अनुसार हैं।
4. 1985-86 से 1988-89 का वास्तविक आयोजना व्यय पिछले वार्षिक योजना दस्तावेजों में प्रकाशित अनुसार है।
5. सम्भवतः पूर्णांकन के कारण आंकडों का योग कुल जोड़ से मेल न खाए।
6. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पैट्रोलियम और इंजीनियरिंग इकाइयों के लिए परिव्यय/व्यय को ऊर्जा से निकाल दिया गया है तथा उद्योग और खनिज में शामिल कर दिया गया है।

स्रोत : योजना आयोग।

2.7 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का सातवीं योजना का परिव्यय, 1985-90

(प्रतिशत वितरण)

	सातवीं योजना का परिव्यय 1985-86	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1988-89 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1989-90 (वास्तविक)	सातवीं योजना का योग (कालम 3 से 7) (Col. 3 to 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	5.8	5.5	5.7	6.4	6.0	5.6	5.8
II. ग्रामीण विकास	4.9	6.7	6.8	7.3	6.2	7.6	7.0
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.6	1.4	1.6	1.6	1.9	1.4	1.6
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9.4	8.4	8.2	7.8	7.5	6.6	7.6
V. ऊर्जा	30.5	29.1	29.1	27.0	27.5	28.5	28.2
(क) विद्युत	19.0	17.0	17.1	16.5	17.1	18.4	17.3
(ख) पैट्रोलियम	7.0	8.7	8.5	7.0	6.5	6.6	7.3
(ग) कोयला और लिग्नाइट	4.1	3.0	3.1	3.2	3.6	3.2	3.3
(घ) ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधन	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
VI. उद्योग और खनिज	12.5	16.6	14.4	12.9	12.3	12.0	13.4
(क) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5
(क) अन्य उद्योग	10.9	15.1	12.8	11.5	10.8	10.6	11.9
VII. परिवहन	12.6	12.3	13.3	14.1	14.0	13.5	13.5
(क) रेलवे	6.9	5.9	6.9	8.0	8.2	8.2	7.6
(ख) अन्य	5.7	6.4	6.4	6.1	5.8	5.3	5.9
VIII. संचार	2.5	2.8	2.8	3.4	4.6	4.9	3.9
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.8	0.5	1.1	0.9	1.0	1.4	1.0
XI. सामाजिक सेवाएं	17.5	14.7	15.1	16.3	16.8	16.5	16.0
(क) शिक्षा	3.5	2.7	2.6	3.8	4.0	4.1	3.5
(ख) चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य	1.9	1.8	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7
(ग) परिवार कल्याण	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
(घ) आवास	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2
(ङ) शहरी विकास	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
(च) अन्य सामाजिक सेवाएं	7.9	6.5	7.1	7.4	7.4	7.0	7.1
XII. सामान्य सेवाएं	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7
जोड़ (I से XII)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(क) केन्द्रीय आयोजना	53.1	57.8	57.2	57.3	58.1	60.3	58.3
(ख) राज्य परियोजनाएं	44.8	40.1	41.0	41.1	40.3	38.2	40.0
(ग) संघ-राज्य क्षेत्र	2.1	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7

नोट :—सारणी 2.6 के आंकड़ों पर आधारित।

2.8 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्यय, 1990—92

	राशि (करोड़ रुपए)		प्रतिशतांक वितरण	
	वार्षिक योजना 1990-91 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1991-92 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1990-91 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1991-92 (वास्तविक)
1	2	3	4	5
I. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	3405.4	3850.5	5.8	5.9
II. ग्रामीण विकास	4149.9	4141.6	7.1	6.4
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	986.3	1067.3	1.7	1.6
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3974.1	4231.9	6.8	6.5
V. ऊर्जा	17101.1	19733.6	29.3	30.5
क. विद्युत	11387.8	14517.9	19.5	22.4
ख. पैट्रोलियम	3592.1	3339.8	6.2	5.2
ग. कोयला और लिग्नाइट	1984.8	1709.6	3.4	2.6
घ. ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधन	136.4	166.3	0.2	0.3
VI. उद्योग और खनिज	6374.3	6564.5	10.9	10.1
क. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	877.9	941.2	1.5	1.5
ख. अन्य उद्योग	5496.4	5623.3	9.4	8.7
VII. परिवहन	8074.3	9314.0	13.8	14.4
क. रेलवे	4892.8	5393.3	8.4	8.3
ख. अन्य	3181.5	3920.7	5.5	6.1
VIII. संचार	2948.3	3613.7	5.1	5.6
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	758.7	861.7	1.3	1.3
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं	754.7	843.0	1.3	1.3
XI. सामाजिक सेवाएं	9606.6	10298.7	16.5	15.9
क. शिक्षा	2316.5	2599.0	4.0	4.0
ख. चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य	1040.8	924.8	1.8	1.4
ग. परिवार कल्याण	782.2	1023.3	1.3	1.6
घ. आवास	939.8	603.9	1.6	0.9
ड़. शहरी विकास	740.2	748.4	1.3	1.2
च. अन्य सामाजिक सेवाएं	3787.1	4399.3	6.5	6.8
XII. सामान्य सेवाएं	235.6	230.7	0.4	0.4
XIII. जोड़ (I से XII)	58369.3	64751.2	100.0	100.0
क. केन्द्रीय योजना	35254.7	37846.5	60.4	58.4
ख. राज्य योजनाएं	23116.9	25739.3	39.6	39.8
ग. संघ-राज्य क्षेत्र योजनाएं	997.7	1165.4	1.7	1.8

स्रोत : योजना आयोग।

2.9 : विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के परिव्यय, 1992—97

	राशि (करोड़ रुपए)				प्रतिशतांक वितरण			
	आठवीं योजना 1992-97	वार्षिक योजना 1992-93 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1993-94 (स॰ अ॰)	वार्षिक योजना 1994-95 (ब॰ अ॰)	आठवीं योजना 1992-97	वार्षिक योजना 1992-93 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1993-94 (स॰ अ॰)	वार्षिक योजना 1994-95 (ब॰ अ॰)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	22467.2	4215.6	4912.7	5845.7	5.2	5.8	5.3	5.2
II. ग्रामीण विकास	34425.4	5091.4	7013.2	8627.4	7.9	7.0	7.6	7.7
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6750.1	1283.8	1327.7	1547.5	1.6	1.8	1.4	1.4
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	32525.3	4705.2	5005.7	6494.8	7.5	6.5	5.4	5.8
V. ऊर्जा	115561.1	20289.8	27044.3	32915.3	26.6	27.9	29.2	29.3
क. विद्युत	79588.7	12157.4	13702.1	18455.5	18.3	16.7	14.8	16.4
ख. पैट्रोलियम	24000.0	5698.5	10660.2	11387.0	5.5	7.8	11.5	10.1
ग. कोयला और लिग्नाइट	10507.0	2276.5	2421.2	2781.2	2.4	3.1	2.6	2.5
घ. ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधन	1465.4	157.4	260.8	291.6	0.3	0.2	0.3	0.3
VI. उद्योग और खनिज	46921.7	7444.2	10587.5	12565.7	10.8	10.2	11.4	11.2
क. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	6334.2	995.3	1180.4	1592.9	1.5	1.4	1.3	1.4
ख. अन्य उद्योग	40587.5	6448.9	9407.1	10972.8	9.3	8.9	10.2	9.8
VII. परिवहन	55925.6	10662.7	13317.8	14908.8	12.9	14.6	14.4	13.3
क. रेलवे	27202.0	6162.0	6600.0	7149.0	6.3	8.5	7.1	6.4
ख. अन्य	28723.6	4500.7	6717.8	7759.8	6.6	6.2	7.3	6.9
VIII. संचार :ations	25110.0	5150.9	6388.4	7194.2	5.8	7.1	6.9	6.4
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण*	9041.7	929.9	1317.6	1435.2	2.1	1.3	1.4	1.3
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं	4549.5	1490.1	955.8	1950.4	1.0	2.0	1.0	1.7
XI. सामाजिक सेवाएं	79011.9	11322.8	14270.9	18048.5	18.2	15.5	15.4	16.1
क. शिक्षा**	19599.7	2619.4	3259.1	4400.0	4.5	3.6	3.5	3.9
ख. चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य	7575.9	1213.9	1435.5	1819.1	1.7	1.7	1.5	1.6
ग. परिवार कल्याण	6500.0	1008.1	1273.6	1430.0	1.5	1.4	1.4	1.3
घ. आवास	5273.0	650.6	1373.1	1347.9	1.2	0.9	1.5	1.2
ड़. शहरी विकास	5277.0	791.3	763.0	1341.2	1.2	1.1	0.8	1.2
च. अन्य सामाजिक सेवाएं	34786.3	5039.5	6166.6	7710.3	8.0	6.9	6.7	6.9
XII. सामान्य सेवाएं	1810.5	266.0	487.0	663.6	0.4	0.4	0.5	0.6
XIII. जोड़ (I से XII)	434100.0	72852.4	92628.6	112197.1	100.0	100.0	100.0	100.0
क. केन्द्रीय योजना	247865.0	43693.8	61453.5	70140.9	57.1	60.0	66.3	62.5
ख. राज्य योजना@	179985.0	27916.7	29780.6	39992.7	41.5	38.3	32.2	35.6
ग. संघ-राज्य क्षेत्र आयोजनाएं@@	6250.0	1241.9	1394.5	2063.5	1.4	1.7	1.5	1.8

* इसमें 1994-95 (ब॰अ॰) के लिए बजट को अंतिम रूप देने के बाद इलेक्ट्रानिकी विभाग (केन्द्रीय क्षेत्र) के अंतर्गत आवंटित 50 लाख रुपए शामिल नहीं है।

** इसमें 1994-95 (ब॰ अ॰) के लिए बजट को अंतिम रूप देने के बाद उत्तर-पूर्वी परिषद को केन्द्रीय सहायता (विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अंतरित 8.00 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

स्रोत: योजना आयोग।

2.10 : केन्द्र और राज्यों की वार्षिक योजनाओं

1993-94 तथा 1994-95 का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

1	1993-94 नवीनतम अनुमान			1994-95 वार्षिक आयोजना अनुमान		
	केनदर तथा संघ राज्य	राज्य	जोड़	केन्द्र तथा संघ राज्य	राज्य	जोड़
	2	3	4	5	6	7
I. आंतरिक संसाधन					*	
(क) चालू राजस्व से बकाया (ए॰आर॰एम॰ सहित बी॰सी॰आर॰)	-15713	-1709	-17422	-12946	-1878	-14824
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन / अंशदान	26068	-1114	24954	28233	-1010	27223
(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बांड / ऋणपत्र जारी करना	6237	455	6692	7464	1711	9175
(घ) बाजार ऋण	3700	4308	8008	3700	4943	8643
(ङ) दीर्घ तथा मध्यावधिक ऋण	13992	0	13992	11000	0	11000
(च) अल्प बचत	6000	5235	11235	6000	5981	11981
(छ) भविष्य निधियां	1700	4184	5884	1800	4167	5967
(ज) वित्तीय संस्थाओं / निगमों से सावधि ऋण	0	2315	2315	0	2944	2944
(झ) विविध पूंजी प्राप्तियां	21865	-3930	17935	25069	-4083	20986
(ञ) अथ शेष और अन्य संसाधन	0	821	821	0	6002	6002
कुल आंतरिक संसाधन	63849	10565	74414	70320	18777	89097
II. विदेश से प्राप्त निवल निधियां	9273	0	9273	12809	0	12809
III. बजटीय घाटा	9060	0	9060	6000	0	6000
IV. कुल संसाधन (I से III)	82182	10565	92747 ##	89129	18777 #	107906 ##
V. राज्यों को केन्द्रीय सहायता	-17510	15340	-2170	-15745	17468	1723
VI. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आयोजना अनुदान	-2217	2217	0	-2680	2680	0
VII. योजना ऋण तथा अन्य	62455	28124	@@ 90579 (91607)	70704	@ 38925	109629 (110709)

* मुख्य मंत्री स्तर पर प्रतिबद्ध अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना (ए॰आर॰एम॰) शामिल है, जिसका भाग राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (एस॰एल॰पी॰ई॰) से भी सम्बद्ध हो सकता है।

** विदेशी सहायता प्राप्त परियपजनाओं के लिए सहायता शामिल है, शेष आयोजना ऋण, क्षेत्र कार्यक्रम है।

$ भिन्नता केन्द्र तथा राज्यों द्वारा राज्य ई॰ए॰पी॰ के लिए आवंटन में अंतर तथा राज्यों की निधीयन पद्धति में क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी परिव्यय को शामिल न करने के कारण है।

$$ आसाम के गैर-योजना अंतर को पूरा करने के लिए बाकी बचे 118.07 करोड़ रुपए शामिल नहीं किए गए है।

@ परिव्यय की तुलना में संसाधनों में 14 करोड़ रुपये की अधिकता, राज्यों को अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत योजनागत अनुदानों में तदनुरूपी कमी की पूर्ति के लिए अधिक प्रावधान करने के कारण है।

@@ अंतराल को राज्यों द्वारा अधिक कर एकत्र करके तथा योजना-भिन्न व्यय में किफायतशारी उपाय करके पूरा करना है।

स्रोत: योजना आयोग।

2.11 : आठवीं योजना 1992—97 में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का अनुमानित वित्तपोषण पैटर्न

(1991-92 की कीमतों पर आधारित करोड़ रुपए)

	संसाधन	केन्द्र तथा संघ राज्य क्षेत्र	राज्य	जोड़
	1	2	3	4
I.	घरेलू संसाधन			
	1. चालू राजस्व से बकाया (बी॰सी॰आर॰)*	22020	12985**	35005
	2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंशदान	144140	4000	148140
	3. ऋण @ तथा विविध (निवल) पूंजी प्राप्तियां (एम॰सी॰आर॰)	117755	84500	202255
	जोड़-I (1 से 3)	283915	101485	385400
II.	विदेशों से निवल पूंजी अंतर्प्रवाह	28700	0	28700
III.	घाटे की वित्तीय व्यवस्था	20000	0	20000
IV.	कुल संसाधन (I+II+III)	332615	101485	434100
V.	राज्य योजनाओं के लिए सहायता @@	-78500	78500	0
VI.	सरकारी क्षेत्र के लिए संसाधन (IV+V)	254115	179985	434100

* अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है।

** केवल गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के अनुमान शामिल हैं।

@ बाजार ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि और वित्तीय संस्थाओं से ऋण शामिल है।

@@ अनुच्छेद 275(i) के तहत आयोजना राजस्व घाटा अनुदान शामिल है।

स्रोत: योजना आयोग।

2.12 : भारतीय रेलों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	1980-81	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (स०अ०)	1994-95 (ब०अ०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सकल यातायात प्राप्तियां	2624	8435	9259	10739	12096	13730	15688	18585	20394
(i) यात्री कोचिंग	827	2060	2455	2669	3147	3685	4315	4865	5138
(ii) अन्य कोचिंग	116	255	271	313	336	398	424	455	473
(iii) माल	1618	5982	6343	7624	8408	9462	10903	12830	14289
(iv) अन्य विविध अर्जन	82	162	225	226	242	303	371	355	369
(v) उचंत	-19	-24	-35	-93	-37	-118	-325	80	125
2. कार्यकरण व्यय	2537	7803	8633	9887	11154	12389	13980	15355	17307
(i) साधारण कार्यचालन व्यय	2233	6003	6583	7444	8234	9209	10480	11755	13307
(ii) मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि को विनियोग Reserve Fund	220	1350	1500	1715	1950	2000	2300	2100	2300
(iii) पेंशन निधि को विनियोग	84	450	550	728	970	1180	1200	1500	1700
3. निवल यातायात (1-2) प्राप्तियां	87	632	626	852	942	1341	1708	3230	3087
4. निवल विविध प्राप्तियां	40	91	111	130	171	200	247	264	255
5. निवल राजस्व (3-4)	127	723	737	982	1113	1541	1955	3494	3342
6. सामान्य राजस्व की अदायगी	325	639	716	809	938	1106	1514	1299	1372
7. अधिशेष (+) अथवा घाटा (-)	-198	84	22	173	175	435	441	2195	1970
8. ब्याजदेय पूंजी	6096	11622	12988	14629	16126	17712	20123	22832*	25432*
9. मद 5, मद 8 के प्रतिशत के रूप में	2.1	6.2	5.7	6.7	6.9	8.7	9.7	15.3	13.1
10. मद 7, मद 8 के प्रतिशत के रूप में	-3.2	0.7	0.2	1.2	1.1	2.5	2.2	9.6	7.7

* पूंजीगत निधि से निवेश के कारण 1993-94 (सं०अ०) में 1943 करोड़ रुपए तथा 1994-95 (ब०अ०) में 3623 करोड़ रुपए शामिल है।

स्रोत: रेल मंत्रालय।

2.13 : डाक विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	1980-81	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (RE)	**1994-95 (BE)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1. सकल प्राप्तियां	278	643	742	703	841	948	1074	1105	**1170**
2. निवल कार्यचालन व्यय	346	834	912	966	1033	1162	1166	1312	**1316**
3. निवल प्राप्तियां (1-2)	-68	-191	-170	-263	-192	-214	-92	-207	**-146**
4. सामान्य राजस्व का लाभांश	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अधिशेष / घाटा (3-4)	-72	-191	-170	-263	-192	-214	-92	-207	**-146**

स्रोत: डाक विभाग, संचार मंत्रालय

2.14 : दूर संचार विभाग का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	1980-81	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (स॰अ॰)	**1994-95 (ब॰अ॰)**
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सकल प्राप्तियां	632	1701	2359	2841	3405	3875	4758	6531	**8152**
2. निवल कार्यचालन व्यय	475	1247	1375	1603	1857	2145	2563	3848	**4483**
3. निवल प्राप्तियां (1-2)	157	454	984	1238	1548	1730	2195	2683	**3669**
4. सामान्य राजस्व का लाभांश	32	0	161	180	220	247	257	263	**263**
5. अधिशेष / घाटा (3-4)	125	454	823	1058	1328	1483	1938	2420	**3406**

*वर्ष 1993-94 में हुंडियों का विमोचन 550 करोड़ रुपये तथा दूसरे ऋण सहित वर्ष 1994-95 में हुंडियों का विमोचन 1994-95 350 करोड़ रुपये है।

स्रोत: दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय

3.1 : उद्योग द्वारा सरकारी क्षेत्र में रोजगार

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार लाख में)

	1981	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क. शाखाओं के अनुसार											
1. केन्द्रीय सरकार	31.95	32.66	33.11	33.29	33.46	33.50	33.81	33.95	33.97	34.10	34.28
2. राज्य सरकारें	56.76	60.38	61.54	62.80	64.73	66.66	67.81	68.29	69.79	71.12	71.90
3. अर्ध सरकारी	45.76	50.40	52.74	54.96	56.74	57.95	59.48	59.99	61.73	62.22	63.93
4. स्थानीय निकाय	20.37	21.11	21.30	21.64	21.90	22.14	22.11	22.38	22.23	23.13	21.98
जोड़	154.84	164.55	168.69	172.69	176.83	180.25	183.21	184.44	187.72	190.57	192.10
ख. उद्योगों के अनुसार											
0. कृषि, शिकार आदि	4.63	4.76	4.89	4.98	5.26	5.57	5.54	5.55	5.49	5.56	5.73
1. खनन और उत्खनन	8.18	8.84	9.27	9.74	9.66	9.42	9.56	9.56	9.66	9.99	9.87
2. और 3. विनिर्माण	15.02	16.34	17.17	17.61	18.15	18.62	18.67	18.63	18.70	18.52	18.61
4. बिजली, गैस और जल	6.83	7.21	7.33	7.60	7.85	7.89	8.49	8.69	8.97	9.05	9.16
5. निर्माण	10.89	11.20	11.20	11.46	11.81	11.85	12.14	11.46	11.34	11.49	11.51
6. थोक और खुदरा व्यापार	1.17	1.18	1.24	1.31	1.31	1.34	1.39	1.50	1.50	1.50	1.57
7. परिवहन, संग्रहण तथा संचार	27.09	28.26	28.64	28.94	29.29	29.70	30.11	29.74	30.23	30.26	30.64
8. वित्त व्यवस्था, बीमा, भू-गृहादि सम्पदा	7.48	8.72	9.14	9.83	10.30	10.56	10.95	11.23	11.54	11.94	12.14
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	73.55	78.06	79.81	81.23	83.21	85.29	86.35	88.11	90.19	92.27	92.87
जोड़	154.84	164.57	168.69	172.70	176.84	180.24	183.20	184.47	187.62	190.58	192.10

टिप्पणी—क और ख के जोड़ में आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण अंतर हो सकता है।

स्रोत: श्रम मंत्रालय

3.2 : उद्योग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार लाखों में)

	1981	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. कृषि शिकार आदि	8.58	8.47	8.19	8.07	8.22	8.48	8.44	8.68	8.76	8.91	9.12
1. खनन और उत्खनन	1.30	1.20	1.13	1.13	1.11	0.91	0.93	0.96	0.99	1.00	1.07
2. और 3. विनिर्माण	45.45	46.56	44.73	44.21	44.48	44.10	43.95	43.83	44.57	44.81	45.66
4. बिजली, गैस और जल	0.35	0.37	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40
5. निर्माण	0.72	0.68	0.66	0.70	0.69	0.58	0.50	0.69	0.68	0.73	0.78
6. थोक और खुदरा व्यापार	2.77	2.75	2.76	2.77	2.77	2.77	2.83	2.86	2.91	3.00	2.96
7. परिवहन, संगरहण तथा संचार	0.60	0.59	0.57	0.54	0.54	0.52	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54
8. वित्त व्यवस्था, बीमा, भू-गृहादि सम्पदा	1.96	2.07	2.14	2.19	2.21	2.29	2.38	2.34	2.39	2.54	2.66
9. सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	12.22	12.83	12.89	13.09	13.32	13.59	13.97	14.29	14.60	14.85	15.27
जोड़	73.95	75.52	73.46	73.09	73.74	73.64	73.92	74.53	75.82	76.77	78.46

† 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी क्षेत्र में गैर-कृषि संस्थानों से संबंधित है।
टिप्पणी : निर्माण कार्य, खास तौर पर निजी लेखा पर जानकारी अपर्याप्त है।

स्रोत:— श्रम मंत्रालय।

3.3 : संगठित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार के अनुमान

31 मार्च के अनुसार प्रति लाख व्यक्ति

वर्ष	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र			सरकारी तथा निजी क्षेत्र (जोड़)		
	पुरुष	महिला le	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1990	165.22	22.50	187.72	61.88	13.94	75.82	227.09	36.44	263.53
1991	167.10	23.47	190.57	62.42	14.34	76.76	229.52	37.81	267.33
1992	167.81	24.29	192.10	63.67	14.79	78.46	231.48	39.08	270.56
1993*	169.01	24.86	193.87	62.80	15.51	78.31	231.81	40.37	272.18

* त्वरित अनुमान

टिप्पणी: रोजगार के आकार को ध्यान में रखे बिना सरकारी क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्र में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं।
(ii) सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: श्रम मंत्रालय, रो॰ एवं प्र॰ म॰ नि॰

3.4 : सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति परिलब्धियां तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	रोजगार (लाख)	परिलब्धियां (करोड़ रु०)	प्रति व्यक्ति परिलब्धियां (रुपये)	1971-72 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)	उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100)	1971-72 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1971-72	7.01	415	5920	--	192	--
1972-73	9.32	541	5805	-1.94	207	7.81
1973-74	13.44	749	5573	-5.86	250	30.21
1974-75	14.32	1060	7402	25.03	317	65.10
1975-76	15.04	1352	8983	51.74	313	63.02
1976-77	15.75	1408	8940	51.01	301	56.77
1977-78	16.38	1646	10048	69.73	324	68.75
1978-79	17.03	1908	11210	89.36	331	72.40
1979-80	17.75	2214	12468	110.61	360	87.50
1980-81	18.39	2619	14239	140.52	401	108.85
1981-82	19.39	3133	16158	172.94	451	134.90
1982-83	20.24	3649	18029	204.54	486	153.13
1983-84	20.72	4465	21549	264	547	184.90
1984-85	21.07	5126	24328	310.95	582	203.13
1985-86	21.54	5576	25887	337.28	620	222.92
1986-87	22.11	6371	28820	386.82	674	251.04
1987-88	22.14	7193	32537	449.61	736	283.33
1988-89	22.09	8683	39415	565.79	803	318.23
1989-90	22.36	9742	43665	637.58	855	345.31
1990-91	22.19	10912	49179	730.73	951	395.31
1991-92	21.79	12311	56508	854.52	1079	461.98
1992-93	21.52	13984	64983	997.68	1185	517.19
1993-94	**20.69**	**14928**	**72151**	**1118.77**	**1272**	**562.50**

स्रोतः सरकारी उद्यम ब्यूरो।

4.1 : मुद्रा भण्डार (एम 3) में घट-बढ़ के स्रोत

करोड़ रुपये)

		इन अवधियों में घट-बढ़							
	31 मार्च, 1988 को बकाया	1989-90 31 मार्च से 31 मार्च	1990-91 31 मार्च से 31 मार्च	1991-92 31 मार्च से 31 मार्च	1992-93 31 मार्च से 31 मार्च	1993-94 31 मार्च से 31 मार्च	1993-94 31 मार्च से 21 जनवरी (अ०)	1994-95 31 मार्च से 20 जनवरी	20 जनवरी; 1995 को बकाया (अ०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. एम 1 (जनता के पास मुद्रा उपलब्धि)	71108	15290	13366	20898	10390	31085	11348	12733	**174870**
II. एम 3 (कुल मौद्रिक संसाधन) (1+3+3+4)	200245	38939	38419	50359	50916	72467	41512	47037	**498382**
1) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	38071	8029	6491	8111	7111	14067	11675	15719	**97599**
2) बैंकों के पास मांग जमा राशियां	32343	7357	6799	12576	2851	15803	-690	-3644	**74085**
3) बैंकों के पास सावधि जमा राशियां	129137	23649	25053	29461	40526	41382	30164	34304	**323512**
4) भा॰रि॰बैंक के पास अन्य जमा राशियां	694	-96	76	211	428	1215	363	658	**3186**
III. मुद्रा भंडार में घट-बढ़ के स्रोत (एम 3) (1+2+3+4+5)									
1. सरकार को दिया गया निवल बैंक ऋण (क+ख)	97373	20720	23280	17206	18657	28722	27313	9531	**215489**
क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण**(i+ii)	59615	14068	15165	5168	4433	851	7245	-3983	**95317**
(i) केन्द्रीय सरकार को	58200	13813	14745	5508	4257	260	8587 **	-1886 **	**94897**
(ii) राज्य सरकार को	1415	255	420	-340	176	591	-1342	-2097	**420**
ख. अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण	37758	6652	8115	12038	14224	27871	20068	13514	**120172**
2. बैंकों द्वारा वणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण (क+ख)	132663	24102	21969	18582	30187	16591	6436	25326	**269420**
क. भा॰रि॰बैंक द्वारा वणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण@	5524	825	-7	918	-1040	225	62	127	**6572**
ख. अन्य बैंकों द्वारा वणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण	27139	23277	21976	17664	31227	16366	6374	25199	**262848**
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	6800	18	3763 #	10645 #	3726 #	28775 #	12490 #	16920 #	**70653**
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी देयताएं	1475	80	66	83	120	114	132	151	**2089**
5. बैंकिंग क्षेत्र की सावधि जमा से भिन्न निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	38066	5981	10659 #	-3843 #	1774 #	1735 #	4859 #	4897 #	**59269**

अ—अनन्तिम।

@इसमें 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड की स्थापना से बैंकों को इसके पुनर्वित आंकड़े शामिल नहीं किए गए।

** विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।

$इसमें कोटा वृद्धि के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किए गए प्रारक्षित परिसंपत्ति अभियान के कारण (211.95 मिलियन एस डी आर के बराबर) 751.64 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें 17 अक्तूबर, 1990 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के अनुसार सोने का पुर्नमूल्यांकन करने के बाद इसके मूल्य में विनियोग शामिल है। इस प्रकार के विनियोग का भारतीय रिजर्व बैंक का निवल गैर-मौद्रिक देयताओं पर तदनुरूपी प्रभाव पड़ता है।

टिप्पणी: (1) आंकड़े 31 मार्च से संबंधित हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े सरकारी लेखा के बंद होने के आधार पर हैं।

(2) संभवतः पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल आंकड़ों से मेल नहीं खाए।

(3) 1988-89 में बैंक लेखा वर्ष के कैलेंडर से वित्तीय में बदलने के कारण 1988-89 और 1989-90 के वित्तीय वर्ष के अंत में कुल जमा और ऋणों में तेजी से और असामान्य वृद्धि हुई, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में उनमें भारी गिरावट आई।

4. शहरी सहकारी बैंकों तथा वेतन अर्जक सोसाइटियों की सावधि जमा राशियों में नकद पत्रों के शामिल करने के कारण, आंकड़े मार्च 1989 से संशोधित किए जाते हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: धनराशि का मौसमी प्रवाह

(करोड़ रुपये)

	1990-91 व्यस्त मौसम	1991 मंदी का मौसम @@	1991-92 व्यस्त मौसम	1992 मंदी का मौसम	1992-93 व्यस्त मौसम	1993 मंदी का मौसम	1993-94 व्यस्त मौसम	1994 मंदी का मौसम	1993-94 व्यस्त मौसम (29 अक्तूबर से 21 जनवरी) (अ)	1994-95 व्यस्त मौसम (28 अक्तूबर से 20 जन॰) (अ)	20 जनवरी 1995 को बकाया (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
साधनः											
1. सकल जमा में वृद्धि	15880	17558	21074	20857	19654	16614	34026	28710	14937	3219	360008
2. भा॰रि॰बैंक से लिये गये उधार में वृद्धि	5672	-7774	2324	-1120	1414	-1995	-96	-1407	-130	2220	2796
3. अन्य उधारों में वृद्धि @	-525	-298	-94	784	-886	4	-3	43	-53	67	170
4. अन्य मांगों तथा समयबद्ध देनदारियों में वृद्धि	-1419	-990	3411	37	4727	-590	4274	1121	2232	287	23739
5. अवशिष्ट (निवल)	915	-1395	954	-6465	917	-1649	5077	-3482	2542	4581	10611
जोड़	20523	7101	27669	14093	25826	12384	43278	24985	19528	10374	397324
उपभोग											
1. बैंक ऋण में वृद्धि	12026	1265	12754	8810	14843	-576	11649	11772	6156	12592	193386
2. निवेश में वृद्धि	4649	5873	8479	7780	5924	11126	25724	5759	10144	78	148057
3. उपलब्ध नकदी में वृद्धि	0	-23	263	201	-118	-62	149	132	41	-177	2508
4. भा॰रि॰बैंक के पास शेष वृद्धि	3848	-14	6173	-2699	5177	1896	5756	7322	3187	-2119	60006
जोड़	20523	7101	27669	14093	25826	12384	43278	24985	19528	10374	397324

अ॰—अनन्तिम

@ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक्सिम बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उधार शामिल नहीं है।

टिप्पणी: 1. अवशिष्ट (निवल) राशि निधियों के स्रोतों की तुलना में निधियों के उपयोग का शेष और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक्सिम बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उधार शामिल है।

2. मंदी का मौसम मई से अक्तूबर तक है और व्यस्त मौसम नवम्बर से अप्रैल तक है।

3. मंदी मौसम, 1991 से आगे के आंकड़े रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.3 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: चुनी हुई

(करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च, 1982 को बकाया	इन अवधियों मदों में घट बढ़ 1984-85 31 मार्च से 31 मार्च	1985-86 31 मार्च से 31 मार्च	1986-87 31 मार्च से 31 मार्च	1987-88 31 मार्च से 31 मार्च	1988-89 31 मार्च से 31 मार्च	1989-90 31 मार्च से 31 मार्च	1990-91 31 मार्च से 31 मार्च	1991-92 31 मार्च से 31 मार्च	1992-93 31 मार्च से 31 मार्च	1993-94 31 मार्च से 31 मार्च (अ)	1993-94 31 मार्च से 21 जनवरी (अ)	1994-95 31 मार्च से 20 जनवरी (अ)	20 जनवरी 1995 को बकाया (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. मांग जमा राशियां	11593	2743	1756	3641	1040	7148	6488	6113	11218	2168	14819	548	3676	65051
2. सावधि जमा राशियां	49139	9096	11377	13593	14275	21759	21793	23220	26076	36849	37325	26858	30455	294957
3. कुल जमा राशियां	60732	11839	13133	17234	15315	28907	28281	29333	37294	39017	52144	26308	26779	360008
4. भारतीय रिजर्व से उधार	1503	469	943	348	847	1996	-112	2238	-5612	4161	-4259	-2946	2160	2796
5. भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद राशि और शेष	8857	2759	864	3231	3348	4554	6688	3521	2899	3450	11946	7791	3764	558881
6. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	13426	2087	3549	5984	5815	5852	6511	7953	11866	13899	26432	18943	13239	116613
7. बैंक ऋण	42025	7148	7869	7715	7492	17121	17295	16770	12164	23757	11566	3029	22464	193386

अ—अनन्तिम

*12 जुलाई, 1982 का नाबार्ड के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उधारों के अंतरण के कारण होने वाली घटबढ़ों का हिसाब में लिया गया है।

टिप्पणी: 1988-89 में बैंक लेखा वर्ष के कलैंडर से वित्तीय वर्ष में बदलने के कारण 1988-89 और 1989-90 के वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल जमा और ऋण में असामान्य वृद्धि हुई जिस के कारण अगले वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में उनमें भारी गिरावट आई।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.4 : चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत शामिल वस्तुओं के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम

(करोड़ रुपए)

वस्तुएं	निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को									इन अवधियों में घट-बढ़	
	मार्च 1989	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1993	अगस्त 1993	मार्च 1994*	अगस्त 1994*	1993-94 अप्रैल-मार्च	अप्रैल-अगस्त 1993-94	अप्रैल-अगस्त 1994-95*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. धान और चावल	438	433	392	452	619	419	606	479	-13	-200	-127
2. गेहूं	65	77	71	86	90	92	97	74	7	2	-3
3. दालें	39	65	88	100	47	54	48	60	1	7	12
4. अन्य खाद्यान्न	53	67	56	65	109	143	162	170	53	34	3
5. चीनी	560	536	807	773	1179	771	991	624	-188	-408	-367
6. खांडसारी	28	26	26	36	32	32	41	35	9	0	-6
7. गुड़	3	23	3	9	3	3	4	3	1	0	-1
8. मूंगफली	33	3	44	25	24	27	31	61	7	3	30
9. तोरिया / सरसों के बीज	16	17	15	18	23	30	29	42	6	7	13
10. अलसी	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
11. रेंडी के बीज	2	4	1	4	3	3	4	4	1	0	0
12. बिनौला	11	10	11	14	11	12	12	13	1	1	1
13. सोयाबीन	48	94	92	72	79	83	113	106	34	4	-7
14. अन्य तेलहन	11	16	13	20	18	21	20	18	2	3	-2
15. मूंगफली का तेल	24	41	29	38	48	43	21	21	-27	-5	0
16. तोरियां / सरसों का तेल	23	38	30	44	57	54	59	48	2	-3	-11
17. रेंडी का तेल	15	40	42	11	12	20	21	56	9	8	35
18. अलसी का तेल	2	2	5	2	2	4	2	2	0	2	0
19. बिनौले का तेल	10	12	16	19	22	16	25	17	3	-6	-8
20. सोयाबीन का तेल	28	18	23	40	44	37	29	34	-15	-7	5
21. अन्य वनस्पति तेल	26	27	35	41	44	43	44	2	0	-1	-2
22. वनस्पति	66	75	68	76	86	85	98	89	12	-1	-9
23. रूई और कपास	516	672	661	690	769	730	686	667	-83	-39	-19
24. जोड़	2019	2306	2529	2636	3322	2723	3144	2666	-178	-599	-478

*आंकड़े अनंतिम हैं।

**इस समय इस पर चयनित ऋण नियंत्रण लागू नहीं है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.5 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार

बैंक	30 जून की स्थिति के अनुसार कार्यालयों की संख्या						30-6-69 और 30-6-94 के बीच वृद्धि	ग्रामीण केन्द्रों में कार्यालयों की संख्या में वृद्धि*	कालम 8 की तुलना में कालम 9 का प्रतिशत
	1969	1990	1991	1992	1993	1994			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. भारतीय स्टेट बैंक	1569	8216	8462	8593	8645	8772	7153	3998	56
ख. भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक	893	3671	3706	3763	3811	3904	3011	1172	39
ग. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंक	4134	25157	25613	25833	26032	26934	22800	12577	55
घ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	..	14453	14522	14525	14529	14530	14530	13415	92
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़ (क+ख+ग+घ)	6596	51497	52303	52714	53017	54090	47494	31162	66
ङ. 15-4-1980 को राष्ट्रीयकृत किए गए छः बैंक	419	3889	3904	3919	3981	3471	3052	उ०न०	उ०न०
(क+ख+ग+घ+ङ) का जोड़	7015	55386	56207	56633	56998	57561	50546	31162	62
च. अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	900	3825	3801	3828	3872	3987	3087	1006	33
छ. विदेशी बैंक	130	138	140	140	141	146	16	..	..
ज. गैर अनुसूचित बैंक**	217	39	42	48	48	48	-169	-41	..
सभी वाणिज्यिक बैंक	8262	59388	60190	60649	61059	61742	53480	32127	60

*ग्रामीण केन्द्र 10,000 से कम की जनसंख्या वाले स्थान।

**गैर-अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में कमी के निम्नलिखित कारण है—

(1) कुछ बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना; और

(2) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुछ गैर-अनुसूचित बैंकों को अपने नियन्त्रण में लेना और अन्य अनुसूचित बैंक।

उ०न० उपलब्ध नहीं।

.. शून्य

टिप्पणी: ग्रामीण केन्द्रों में कार्यालयों की संख्या में वृद्धि 30 जून, 1969 को ऐसे केन्द्रों में इन कार्यालयों की संख्या (1961 की जनगणना के आधार पर वर्गीकृत) तथा 30 जून, 1993 को ग्रामीण केन्द्रों में इन कार्यालयों की संख्या (198) की जनगणना के आधार पर वर्गीकृत) के अन्तर को दर्शाती है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.6: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गये अग्रिम

(खाते हजारों में)
(राशि करोड़ रुपए में)

	खातों की संख्या					बकाया राशि				
	जून 1969	मार्च 1990+	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1993	जून 1969	मार्च 1990+	मार्च 1991	मार्च 1992	मार्च 1993
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि										
(क) प्रत्यक्ष वित्त*	160	21055	19735	20552	20680	40.31	15152	15739	16944	18450
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	4	728	564	437	414	122.12	1363	1132	1367	1485
2. लघु उद्योग**	51	2725	2830	2863	2857	251.07	15015	16756	17487	19143
3. औद्योगिक एस्टेट की स्थापना	..	1	1	2	3	..	61	59	54	70
4. सड़क और जल परिवहन प्रचालक	2	753	751	743	728	5.49	2377	2487	2390	2354
5. खुदरा व्यापार	33	4518	4629	4662	4730	19.37 #	2374	2563	2694	2870
6. छोटे व्यापार	..	3177	3459	3466	3484	..	1427	1691	1823	1923
7. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति	8	2392	2367	2303	2262	1.91	1332	1380	1431	1472
8. शिक्षा	1	72	70	69	66	0.80	67	77	106	117
9. खपत ऋण	..	154	153	120	105	..	24	23	26	25
10. ऊपर 4 से 9 में उल्लिखित अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एस एस सी का संगठन	..	18	8	17	16	..	43	40	39	95
11. निविष्टियों की आपूर्ति और उत्पादनों के विपणन के लिए अ॰ जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लिए एस॰ एस॰ संगठन	..	2	4	4	11	..	8	8	8	29
12. आवास ऋण	..	271	288	250	238	..	330	367	323	351
13. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (1 से 12)	260	35867	34859	35988	35594	440.97	39574	42312	44692	48384
14. कुल बैंक ऋण						3017.00	91732	107049	113686	132579
						प्रतिशत कुल बकाया				
1. कृषि										
(क) प्रत्यक्ष वित्त						1.3	16.5	14.7	14.9	13.9
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त						4.1	1.5	1.1	1.2	1.1
2. लघु उद्योग						8.3	16.4	15.7	15.4	14.4
3. औद्योगिक एस्टेट की स्थापना						..	0.1	0.1	0.1	नगण्य
4. सड़क और जल परिवहन चालक						0.2	2.6	2.3	2.1	1.8
5. खुदरा व्यापार						0.6	2.6	2.4	2.3	2.2
6. छोटे व्यापार						..	1.6	1.6	1.6	1.4
7. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति						0.1	1.5	1.3	1.3	0.1
8. शिक्षा						..	0.1	0.1	0.1	नगण्य
9. खपत ऋण						--	नगण्य	नगण्य	नगण्य	0.1
10. ऊपर 4 से 9 में उल्लिखित अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को आगे ऋण देने के लिए एस॰एस॰सी॰ का संगठन						-	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
						..	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
12. आवास ऋण						..	0.4	0.3	0.3	0.3
13. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (1 से 12)						14.6	43.1	39.5	39.3	36.5

† अनन्तिम।
* इसमें विकास वित्त से इतर बागान शामिल नहीं है।
** इकाइयों की संख्या।
$ इसमें छोटे व्यापार शामिल हैं।
टिप्पणी: 1. संभवतः पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल आंकड़ों से मेल न खाए।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.7: बैंकों के कार्यालयों, इनमें जमा कुल रकमों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के प्रतिशत अंश का राज्यवार विवरण

राज्य / संघ राज्य	निम्नलिखित महीनों के अंत में कार्यालयों की संख्या		जमा रकम (करोड़ रुपये)		बैंक ऋण (करोड़ रुपये)		बैंक ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अंश (प्रतिशत)	
	जून 1969	सितंबर 1994*	जून 1969	सितम्बर 1994*	जून 1969	सितंबर 1994*	जून 1969	सितम्बर 1993*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	444	3426	121	15425	122	11453	24.4	43.2
2. असम	67	817	33	2985	13	1214	10.3	51.0
3. बिहार	269	3022	169	12745	52	4173	9.1	61.1
4. गुजरात	750	2933	401	20579	195	8661	15.9	35.6
5. हरियाणा	140	1016	49	6188	23	2839	28.2	59.4
6. हिमाचल प्रदेश	41	623	12	2216	3	606	2.7	53.3
7. जम्मू और काश्मीर	17	253	18	1345	1	325	30.3	52.6
8. कर्नाटक	510	2851	188	14100	143	9345	24.8	39.7
9. केरल	331	1720	117	11558	77	4733	27.6	41.0
10. मध्य प्रदेश	332	2802	107	11232	63	5767	22.3	51.1
11. महाराष्ट्र	946	4624	903	52485	912	35299	12.4	18.7
12. मणिपुर	2	56	1	142	नगण्य	92	नगण्य	63.9
13. मेघालय	7	126	9	511	3	75	50.0	58.0
14. नागालैंड	2	62	1	231	Neg.	96	40.0	55.3
15. उड़ीसा	96	1325	29	4376	15	2295	11.2	52.6
16. पंजाब	290	1997	185	15621	50	6175	27.9	52.9
17. राजस्थान	311	1854	74	8164	38	3605	16.8	51.1
18. तमिलनाडु	721	3312	233	18871	311	16183	25.5	39.0
19. त्रिपुरा	5	91	4	303	नगण्य	121	9.5	61.9
20. उत्तर प्रदेश	639	5341	337	28820	154	10023	16.9	55.2
21. पश्चिम बंगाल	428	3321	456	22042	526	10841	4.4	27.8
22. चंडीगढ़	19	119	35	2721	64	3482	4.2	31.3
23. दिल्ली	207	1078	360	30343	245	20748	10.2	10.5
24. गोवा, दमन और दीव	83	266	49	2604	20	617	12.6	@
25. पांडिचेरी	11	60	5	482	5	217	12.9	43.9
26. अन्य सभी**	1	162	नगण्य	537	नगण्य	111	नगण्य	@@
जोड़	6669	43317	3897	286727	3035	159095	14.9	33.9

\# इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं।
* आंकड़े अनन्तिम हैं।
** इसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं।
@ गोआ 26.2, दमन एवं दीव 80.00
@@ अरुणाचल प्रदेश 44.4, मिजोरम 44.4, सिक्किम 33.3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 43.5, दादरा एवं नागर हवेली 50.00, लक्षद्वीप 100.00

टिप्पणियां—

(1) जमा राशियों में अन्तर-बैंक जमा राशियां शामिल नहीं हैं।

(2) बैंक ऋणों में बैंकों से प्राप्य राशियां शामिल नहीं हैं किन्तु इनमें भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुनः भुनाई गई हुंडियों की रकम शामिल है।

(3) जमा राशियों और बैंक ऋणों से संबंधित आंकड़े महीने के अन्तिम शुक्रवार के हैं और वे कुल जमा राशियों तथा सकल बैंक ऋणों के तिमाही विवरणों पर आधारित हैं।

(4) राज्यवार तथा अखिल भारतीय प्रतिशतताएं सकल बैंक ऋण (खाद्य ऋण सहित) के संदर्भ में तैयार की गई है।

(5) संभव है पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ दिए गए जोड़ से मेल न खाए।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

4.8: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

संस्था	1980-81	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल 1993-94 (अ)	दिसम्बर 1994-95 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम													
(i) सवीकृत	206.6	415.4	499.2	798.1	922.6	1635.5	1817.0	2491.9	2392.9	2471.8	3980.7	3324.3	3685.7
(ii) वितरित	108.9	272.9	403.9	451.6	657.1	997.5	1121.8	1574.1	1604.8	1732.5	2163.1	1750.4	1554.5
2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि॰													
(i) स्वीकृत	314.1	620.7	708.2	1118.3	1231.7	1978.1	2850.6	3738.0	4094.9	5771.8	8703.8	6119.1	13350.9
(ii) वितरित	185.3	392.7	482.2	695.5	771.2	1085.6	1357.1	1967.5	2351.3	3315.2	4413.3	2811.0	4970.5
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक													
(i) स्वीकृत	1275.5	3321.7	3459.9	4244.1	4574.1	6675.5	7343.1	6294.4	7159.4	9618.0	13195.2	9332.2	17371.8
(ii) वितरित	1014.1	2073.7	2783.9	3205.9	3613.6	4745.8	5084.7	4459.4	5762.8	6668.5	8070.6	5305.3	7370.6
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक													
(i) स्वीकृत	19.4	110.8	75.2	148.9	186.5	208.8	146.6	234.7	277.7	294.3	425.8	282.4	717.5
(ii) वितरित	16.9	54.8	67.8	94.7	101.9	116.5	141.1	153.9	185.2	183.9	188.6	124.1	355.4
5. राज्य वित्त निगम													
(i) स्वीकृत	370.5	743.1	1009.1	1210.8	1305.0	1391.1	1514.2	1863.9	2190.3	2028.0	1926.1	उ॰न॰	उ॰न॰
(ii) वितरित	248.0	497.7	608.5	791.9	942.5	1055.2	1156.5	1270.8	1536.8	1564.5	1573.0	उ॰न॰	उ॰न॰
6. राज्य औद्योगिक विकास निगम													
(i) स्वीकृत	216.4	477.9	527.0	570.3	641.5	722.1	691.0	823.7	1009.0	967.2	850.2	उ॰न॰	उ॰न॰
(ii) वितरित	124.6	297.6	364.0	425.5	448.6	472.1	545.2	598.3	678.7	632.7	631.5	उ॰न॰	उ॰न॰
7. भारतीय यूनिट ट्रस्ट													
(i) स्वीकृत	40.4	357.3	696.6	465.0	966.0	1878.1	1202.8	1923.6	3671.5	10302.3	8277.0	7190.6	6966.9
(ii) वितरित	51.0	236.2	528.9	417.6	707.2	1054.6	1017.5	1355.5	2631.7	7469.4	6612.4	5205.7	4242.1
8. भारतीय जीवन बीमा निगम													
(i) स्वीकृत	70.0	219.9	383.6	363.8	362.7	660.2	578.2	688.1	1515.3	1739.8	1664.0	1479.8	1743.5
(ii) वितरित	65.6	161.5	261.9	389.8	342.3	442.0	455.2	427.4	1022.5	1395.4	794.0	602.4	1000.4
9. भारतीय साधारण बीमा निगम													
(i) स्वीकृत	30.8	144.1	153.0	153.3	98.3	122.6	211.2	336.8	695.5	559.3	824.0	773.9	610.7
(ii) वितरित	44.0	110.5	107.3	131.6	103.5	115.4	179.6	170.3	280.1	536.0	470.3	316.4	297.7
10. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक													
(i) स्वीकृत	..	..	..	..	..	..	..	2408.8	2845.9	2908.4	3354.1	2373.3	3164.7
(ii) वितरित	..	..	..	..	..	..	..	1838.5	2027.4	2145.8	2671.3	1871.8	2218.5
11. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि॰													
(i) स्वीकृत	0.6	2.4	2.2	2.7	3.7	5.7	6.1	10.9	9.7	11.3	7.4	5.1	11.6
(ii) वितरित	0.5	1.0	1.7	2.7	3.5	4.9	5.1	7.3	8.4	10.1	9.1	6.7	8.2
12. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कम्पनी लि॰													
(i) स्वीकृत	..	..	..	..	..	8.1	12.3	11.0	18.6	23.4	30.8	22.9	102.1
(ii) वितरित	..	..	..	..	..	3.4	9.5	11.4	17.8	22.9	28.9	17.8	72.1
13. भारतीय नौवहन, ऋण और निवेश कम्पनी लि॰													
(i) स्वीकृत	..	..	..	..	143.8	312.0	321.2	331.6	409.0	760.9	1698.3	1450.5	3284.0
(ii) वितरित	..	..	..	..	60.5	137.9	225.7	167.0	170.9	486.3	1006.6	807.4	1112.3
14. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि॰													
(i) स्वीकृत	..	..	..	..	..	..	52.8	85.0	103.5	125.0	159.1	111.9	182.1
(ii) वितरित	..	..	..	..	..	..	12.8	39.2	48.3	59.8	78.8	47.6	114.9

अ॰ अनन्तिम

उ॰न॰ उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: 1. भा॰ औ॰ वि॰ बैं॰ के 1989-90 तक के आंकड़ों में लघु क्षेत्र को सहायता शामिल है। लघु क्षेत्र के संबंध में भा॰औ॰वि॰बैं॰ के प्रचलन को 1990 से भा॰ल॰उ॰वि॰ बैंक को अंतरित कर दिया गया है।

2. भा॰ल॰उ॰वि॰बैं॰ ने लघु उद्योग विकास निधि और राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अधीन भा॰औ॰वि॰ बैंक के प्रचालनों को अधिग्रहित करने के बाद दिनांक 2 अप्रैल, 1990 से अपना कार्य करना आरंभ किया।

3. टी॰डी॰आई॰सी॰आई॰ ने जुलाई, 1988 में, एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ ने दिसम्बर, 1986 में और टी॰एफ॰सी॰आई॰ ने फरवरी, 1989 में प्रचालन शुरू किये।

4. एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ के 1987-88 के आंकड़े जनवरी, 1987 से मार्च, 1988 तक 15 महीने की अवधि के लिए है। भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कम्पनी लि॰ का नाम 20 अक्तूबर, 1992 से बदल कर एस॰सी॰आई॰सी॰ लि॰ हो गया है।

5. 1975 में आई॰एफ॰सी॰आई॰ द्वारा स्थापित जोखिम पूंजी फाउंडेशन की पुनर्स्थापना पर आई॰सी॰टी॰सी॰ जनवरी, 1988 में स्थापित किया गया था। आई॰सी॰टी॰सी॰ के आंकड़े 1987-88 तक कैलेंडर वर्ष के आधार पर और उसके बाद अप्रैल-मार्च के आधार पर हैं।

6. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नाम 1 जुलाई, 1993 से बदलकर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि॰ हो गया है।

स्रोत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।

5.1: थोक मूल्यों के सूचक अंक

आधारः 1981-82 = 100

	प्राथमिक वस्तुएं						विनिर्मित उत्पाद						समस्त वस्तुएं
	जोड़	खाद्य जोड़	वस्तुएं खाद्यान्न	खादय-भिनन वस्तुएं	खनिज	ईंधन बिजली प्रकाश और लुब्रीकेंट	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीनरी औजार	
¥ भारांश।	32.30	17.39	7.92	10.08	4.83	10.66	57.04	10.14	11.55	7.36	7.63	6.27	100.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंतिम सप्ताह													
1982-83	110	117	118	102	100	110	105	97	108	106	107	104	107.2
1983-84	119	124	115	118	104	116	112	110	113	109	114	108	114.9
1984-85	123	130	118	121	106	123	121	112	123	114	133	115	121.8
1985-86	129	137	129	126	107	137	126	118	115	121	140	124	127.7
1986-87	136	144	130	138	101	140	132	130	120	128	144	129	134.2
1987-88	157	168	151	167	98	148	144	142	135	133	161	139	148.5
1988-89	157	174	166	156	99	155	157	149	144	137	192	158	156.9
1989-90	167	177	160	176	110	165	175	169	169	144	210	171	171.1
1990-91	196	211	196	211	109	189	190	191	178	154	228	189	191.8
1991-92	225	255	243	228	115	214	214	210	198	178	242	223	217.8
1992-93	232	269	239	224	118	246	231	244	209	201	265	233	233.1
1993-94	259	280	280	280	138	278	254	252	244	216	287	244	258.3
सप्ताहों का औसत													
1982-83	107	111	109	101	103	107	104	97	105	104	105	103	104.9
1983-84	118	127	119	112	100	113	110	108	110	107	112	107	112.8
1984-85	126	132	117	125	105	117	118	114	120	112	123	112	120.1
1985-86	126	134	125	120	107	130	124	117	120	118	140	121	125.4
1986-87	137	148	129	134	104	139	129	129	116	125	141	127	132.7
1987-88	153	161	141	163	101	143	139	141	127	132	150	132	143.6
1988-89	160	177	162	160	99	151	152	148	140	136	176	151	154.3
1989-90	164	179	165	166	102	157	169	165	158	140	206	166	165.7
1990-91	185	201	179	194	109	176	183	182	171	148	220	180	182.7
1991-92	218	241	216	229	114	199	203	206	188	168	235	208	207.8
1992-93	235	271	242	229	116	227	226	224	201	193	257	231	228.7
1993-94	251	284	261	249	134	262	243	247	220	208	277	238	247.8
1992-93													
अप्रैल	227	258	244	226	115	214	216	214	199	179	243	224	219.4
मई	229	262	243	225	115	214	219	219	198	181	244	226	221.6
जून	233	271	245	225	115	214	221	221	197	183	254	226	224.1
जुलाई	238	275	248	232	116	214	223	227	197	184	257	228	226.6
अगस्त	241	277	251	238	117	214	225	230	198	188	258	228	228.8
सितम्बर	238	274	246	234	116	225	228	227	200	199	259	229	230.7
अक्तूबर	237	274	240	231	116	235	229	230	201	200	259	233	232.4
नवम्बर	236	274	239	227	116	235	229	225	202	199	259	234	231.7
दिसम्बर	235	272	239	227	116	235	229	225	202	199	259	235	231.4
जनवरी	235	271	240	230	116	237	229	222	202	200	260	235	231.6
फरवरी	235	233	236	224	118	243	230	222	206	200	262	236	232.8
मार्च	233	270	239	224	118	246	231	224	207	201	265	233	233.1

जारी ....

थोक मूल्यों के सूचक अंक

(आधार 1981-82 = 100)

	प्राथमिक वस्तुएं						विनिर्मित उत्पाद						
	जोड़	खाद्य जोड़	वस्तुएं खाद्यान्न	खादय-भिन्न वस्तुएं	खनिज	ईंधन बिजली प्रकाश और लुब्रीकेंट	जोड़	खाद्य उत्पाद	वस्त्र	रसायन और रासायनिक उत्पाद	बुनियादी धातु मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद	मशीनरी और मशीनरी औजार	समस्त वस्तुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1993-94													
अप्रैल	234	272	238	224	118	249	232	228	209	201	266	233	234.6
मई	237	274	239	227	121	252	234	235	211	203	266	235	237.0
जून	242	276	241	233	136	253	236	243	210	204	266	235	239.8
जुलाई	248	284	250	238	136	254	239	245	212	205	271	235	243.1
अगस्त	253	290	255	245	136	254	242	252	216	208	276	235	247.0
सितम्बर	256	294	263	249	136	263	246	258	219	209	279	236	250.9
अक्तूबर	259	295	267	255	136	266	246	255	219	209	279	238	252.2
नवम्बर	257	293	270	253	136	266	246	251	220	209	280	239	251.6
दिसम्बर	257	289	271	259	137	267	246	247	222	210	282	241	251.7
जनवरी	255	282	271	263	141	269	248	246	229	210	284	242	252.7
फरवरी	256	282	282	266	139	277	250	249	232	211	285	243	254.8
मार्च	258	281	281	277	138	278	254	251	241	216	286	244	257.6
1994-95													
अप्रैल	266	289	278	288	140	278	257	257	248	219	287	248	262.3
मई	274	300	279	288	140	277	259	265	248	219	289	250	265.4
जून	277	310	282	285	140	278	261	268	247	222	290	253	268.1
जुलाई	282	317	287	287	144	279	264	272	248	226	292	255	271.3
अगस्त	281	315	292	288	142	280	266	273	250	230	292	258	272.1
सितम्बर	281	315	291	290	142	280	267	275	251	234	291	262	273.2
अक्तूबर	282	316	295	288	142	281	270	272	254	237	304	263	274.7
नवम्बर (अ)	283	319	300	289	143	280	269	270	255	236	301	264	274.8
दिसम्बर (अ)	**285**	**316**	**304**	**299**	**144**	**281**	**271**	**268**	**258**	**237**	**311**	**265**	**276.7**

अ—अनन्तिम

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

5.2 : थोक मूल्यों के सूचक अंक—चुनी हुई वस्तुएं और वस्तु समूह

(आधार 1981-82 = 100)

वर्ष/महीना	चावल	गेहूं	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली	खोपरा	खनिज तेल	चीनी खान्डसारी और गुड़	खाद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा इस्पात और मिश्रित धातुएं
भारांश	3.69	2.25	1.09	0.56	1.34	0.16	1.3	1.26	6.67	4.06	2.45	1.23	3.16	0.69	1.75	0.86	2.64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अन्तिम सप्ताह																	
1982-83	125	126	93	148	93	155	96	120	106	78	107	103	110	121	105	130	103
1983-84	121	111	117	185	115	199	113	155	106	93	121	106	112	191	98	148	108
1984-85	121	115	133	169	105	418	110	155	115	101	119	117	114	233	98	172	128
1985-86	128	130	134	125	83	114	111	175	126	114	122	102	121	133	107	140	139
1986-87	134	129	131	154	109	139	131	175	125	108	156	113	122	148	108	139	138
1987-88	153	147	169	154	151	157	171	206	128	115	175	157	129	171	105	127	158
1988-89	163	165	188	218	156	250	133	232	129	130	162	172	135	209	99	141	176
1989-90	165	138	209	282	129	374	180	233	141	147	190	193	153	284	99	162	196
1990-91	188	205	232	247	186	318	234	233	170	147	252	197	168	300	99	185	208
1991-92	245	230	253	248	232	214	235	297	186	155	257	254	197	283	128	217	215
1992-93	245	236	260	324	206	218	200	334	221	199	239	251	206	282	182	209	217
1993-94	276	280	335	219	399	380	238	350	236	241	254	254	241	345	180	211	262
सप्ताहों का औसत																	
1982-83	115	111	94	120	87	120	97	116	103	83	105	101	108	113	105	125	102
1983-84	129	114	110	178	100	173	111	128	106	92	117	104	111	145	99	145	107
1984-85	121	111	131	199	116	383	118	155	107	100	126	116	113	234	98	158	117
1985-86	127	119	138	155	95	197	112	159	120	116	117	113	120	180	101	153	141
1986-87	134	127	128	169	87	125	138	175	126	118	144	102	121	142	108	139	139
1987-88	146	135	153	173	133	147	169	183	126	117	176	137	125	157	108	139	144
1988-89	161	154	200	183	141	198	155	212	129	127	170	164	133	197	99	133	165
1989-90	169	148	206	283	147	271	156	232	130	152	178	188	148	245	99	148	190
1990-91	178	172	228	300	146	360	209	233	155	152	223	190	159	283	99	173	203
1991-92	217	204	249	270	238	256	245	250	180	160	266	233	183	283	124	197	214
1992-93	249	227	257	308	218	204	236	301	204	180	265	253	201	273	161	210	234
1993-94	266	253	308	337	246	314	230	346	224	237	254	273	218	319	182	208	253
1992-93																	
अप्रैल	246	225	254	258	229	211	240	297	186	158	271	253	198	284	128	218	218
मई	250	215	254	301	226	218	244	297	186	166	272	249	198	277	128	213	220
जून	251	221	255	310	233	212	240	297	186	170	270	248	198	264	128	213	235
जुलाई	252	226	259	309	245	223	251	297	186	180	272	251	199	261	128	216	235
अगस्त	252	235	268	282	236	223	262	297	186	184	278	254	199	263	139	214	235
सितम्बर	251	228	266	264	218	219	248	297	203	183	272	254	200	276	184	209	235
अक्तूबर	249	221	256	280	219	192	240	297	219	189	273	255	201	272	184	211	235
नवम्बर	252	223	245	284	212	191	233	297	219	181	267	255	202	268	184	202	235
दिसम्बर	249	228	247	297	205	177	229	297	219	182	263	254	202	269	183	198	235
जनवरी	247	234	258	340	199	178	228	297	219	181	254	254	203	279	182	201	235
फरवरी	240	232	265	414	191	193	215	315	220	186	247	255	203	280	182	211	240
मार्च	245	234	262	353	203	215	202	334	221	197	241	252	206	283	182	212	243

जारी

5.2 : थोक मूल्यों के सूचक अंक—चुनी हुई वस्तुएं और वस्तु समूह

(आधार 1981-82 = 100)

वर्ष / महीना	चावल	गेहूं	दालें	चाय	कपास	कच्चा जूट	मूंगफली	कोयला	खनिज तेल	चीनी खाण्डसारी और गुड़	खाद्य तेल	सूती धागा	सूती कपड़ा (मिल)	जूट सन और मेस्ता वस्त्र	उर्वरक	सीमेंट	लोहा इस्पात और मिश्रित धातुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1993-94																	
अप्रैल	246	235	256	330	207	209	203	334	221	208	239	252	206	281	182	208	243
मई	248	235	259	353	214	212	204	334	221	225	237	260	206	285	182	213	243
जून	249	238	267	360	216	257	217	342	221	239	246	262	206	284	182	212	243
जुलाई	264	241	271	352	216	277	233	350	221	240	251	262	207	296	182	213	247
अगस्त	268	244	289	341	223	295	249	350	221	249	261	262	217	300	182	207	251
सितम्बर	276	251	308	356	229	294	259	350	221	255	271	265	220	296	182	206	255
अक्तूबर	279	255	321	331	218	310	252	350	221	250	268	265	221	306	182	207	256
नवम्बर	280	254	334	340	222	387	228	350	221	241	263	262	222	339	182	207	256
दिसम्बर	274	257	346	361	246	376	228	350	221	230	259	266	222	356	182	205	259
जनवरी	266	261	354	364	273	383	228	350	224	232	254	280	224	370	182	202	261
फरवरी	272	287	356	324	307	384	227	350	236	237	251	303	225	368	182	208	261
मार्च	276	283	337	247	377	386	233	350	236	241	252	337	241	350	181	210	262
1994-95																	
अप्रैल	276	272	332	230	402	395	262	350	236	251	259	376	242	344	180	216	262
मई	282	265	334	321	389	399	272	350	235	269	262	358	251	330	180	226	264
जून	286	266	335	313	367	395	270	359	234	276	266	339	252	326	192	231	266
जुलाई	293	270	343	291	364	367	276	368	235	276	272	346	253	318	197	233	268
अगस्त	297	271	357	285	360	340	288	368	235	272	280	350	254	329	197	232	269
सितम्बर	295	268	361	268	366	289	279	368	235	275	283	346	255	330	198	234	269
अक्तूबर	297	268	387	264	354	319	275	368	235	266	278	346	259	342	199	238	274
नवम्बर (अ)	300	274	393	267	358	405	276	368	235	255	282	347	258	361	198	239	275
दिसम्बर (अ)	304	280	383	269	403	405	281	368	235	249	287	367	257	379	199	235	284

अ—अनंतिम

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय

5.3 : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

	औद्योगिक श्रमिक (आधार : 1982= 100)		शहरी गैर श्रमिक कर्मचारी (आधार : 1984-85= 100)	कृषि मजदूर (आधार : 1960-61=100
	खाद्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक
1	2	3	4	5
महीनों का औसत				
1983-84	117 *	111 *	92 **	520
1984-85	122 *	118 *	100 **	521
1985-86	128 *	126 *	107 **	546
1986-87	141 *	137 *	115 **	572
1987-88	154 *	149 *	126 **	629
1988-89	169 *	163 *	136	708
1989-90	177	173	145	746
1990-91	199	193	161	803
1991-92	230	219	183	958
1992-93	254	240	202	1076
1993-94	272	258	216	1114
निम्नलिखित का अंतिम महीना				
1983-84	117	114	95	514
1984-85	120	120	102	517
1985-86	132	130	110	556
1986-87	142	138	117	573
1987-88	156	153	129	658
1988-89	169	163	138	729
1989-90	178	177	149	736
1990-91	207	201	169	858
1991-92	241	229	192	1046
1992-93	253	243	205	1053
1993-94	281	267	222	1175
1992-93				
अप्रैल	243	231	193	1046
मई	247	234	195	1058
जून	251	236	197	1068
जुलाई	258	242	202	1090
अगस्त	258	242	203	1114
सितम्बर	258	243	204	1112
अक्तूबर	258	244	205	1099
नवम्बर	257	244	205	1085
दिसम्बर	256	243	205	1067
जनवरी	252	241	205	1066
फरवरी	252	242	205	1058
मार्च	252	243	205	1053

जारी ...

5.3: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यों का सूचकांक

	औद्योगिक श्रमिक (आधार: 1982=100)		शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी (आधार: 1984-85=100)	कृषि मजदूर (आधार: 1960-61=100)
	खाद्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक	सामान्य सूचक अंक
1	2	3	4	5
1993-94				
अप्रैल	253	245	206	1039
मई	255	246	207	1038
जून	262	250	210	1057
जुलाई	266	253	213	1068
अगस्त	270	256	215	1088
सितम्बर	275	259	217	1113
अक्तूबर	279	262	218	1134
नवम्बर	284	265	220	1156
दिसम्बर	281	264	221	1166
जनवरी	277	263	221	1166
फरवरी	280	265	222	1166
मार्च	281	267	222	1175
1994-95				
अप्रैल	284	269	224	1165
मई	288	272	227	1175
जून	294	277	230	1189
जुलाई	301	281	234	1211
अगस्त	304	284	236	1231
सितम्बर	309	288	238	1251
अक्तूबर	311	289	240	1265
नवम्बर	313	291	240	1285
दिसम्बर	.....	289	.....	.....

* 1982 को आधार मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अक्तूबर, 1988 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला शुरू की गई है। इसके साथ-साथ पूर्व श्रृंखला आधार 1960=100 समाप्त कर दी गई है। सामान्य सूचकांक के संबंध में नई से पुरानी श्रृंखला में परिवर्तन गुणक 4.93 है और खाद्य सूचकांक के संबंध में 4.98 है।

** 1984-85 को आधार मानते हुए शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए नवम्बर, 1987 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला शुरू की गई है। पूर्व श्रृंखला, आधार 1960=100 इसके साथ-साथ समाप्त कर दी गई है। नई श्रृंखला से पुरानी श्रृंखला में परिवर्तन करने का गुणक 5.32 है।

.....उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी: वार्षिक आकड़े महीनों के वार्षिक औसत है।

स्रोत:—1. औद्योगिक श्रमिकों और कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में श्रम ब्यूरो, शिमला।
2. शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

5:4 : थोक मूल्यों के सूचक अंक—विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमते

आधार: 1981-82=100

वर्ष / महीना	थोक कीमतों का सामान्य सूचक अंक	विनिर्मित उत्पादों का सूचक अंक	कृषि उत्पादों का सूचक अंक@	कृषि उत्पादों के सूचक अंक के प्रतिशत के रूप में विनिर्मित उत्पादों का सूचक अंक
भार	100.00	57.04	27.47	
1	2	3	4	5
1982-83	104.9	103.5	107.3	96.4
1983-84	112.8	109.8	121.3	90.5
1984-85	120.1	117.5	129.2	91.0
1985-86	125.4	124.4	129.1	96.4
1986-87	132.7	129.2	142.8	90.5
1987-88	143.5	138.5	161.8	85.6
1988-89	154.2	151.5	170.9	88.6
1989-90	165.7	168.6	174.4	96.7
1990-91	182.7	182.8	198.3	92.2
1991-92	207.8	203.4	236.7	85.9
1992-93	228.7	225.6	255.5	88.3
1993-94	247.8	243.2	271.4	89.6
1992-93				
अप्रैल	219.4	216.4	246.5	87.8
मई	221.6	219.0	248.7	88.1
जून	224.1	220.9	253.8	87.0
जुलाई	226.6	222.6	259.0	85.9
अगस्त	228.8	224.7	262.7	85.5
सितम्बर	230.7	227.7	259.4	87.8
अक्तूबर	232.4	229.3	258.3	88.8
नवम्बर	231.7	228.7	256.8	89.0
दिसम्बर	231.4	228.7	255.8	89.4
जनवरी	231.6	228.6	255.9	89.3
फरवरी	232.8	229.9	255.2	90.1
मार्च	233.1	230.8	253.1	91.2

जारी

5:4 : थोक मूल्यों के सूचक अंक—विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों की सापेक्ष कीमतें

आधार: 1981-82=100

वर्ष / महीना	थोक कीमतों का सामान्य सूचक अंक	विनिर्मित्त उत्पादों का सूचक अंक	कृषि उत्पादों का सूचक अंक@	कृषि उत्पादों के सूचक अंक के प्रतिशत के रूप में विनिर्मित उत्पादों का सूचक अंक
1	2	3	4	5
1993-94				
अप्रैल	234.6	232.2	254.6	91.2
मई	237.0	234.4	256.8	91.3
जून	239.8	236.1	260.3	90.7
जुलाई	243.1	238.6	267.1	89.3
अगस्त	247.0	242.4	273.4	88.7
सितम्बर	250.9	245.5	277.4	88.5
अक्तूबर	252.2	245.8	280.5	87.6
नवम्बर	251.6	245.8	278.5	88.3
दिसम्बर	251.7	246.1	277.6	88.7
जनवरी	252.7	248.2	275.4	90.1
फरवरी	254.8	250.0	276.3	90.5
मार्च	257.6	253.5	279.4	90.7
1994-95				
अप्रैल	262.3	257.1	288.5	89.1
मई	265.4	259.4	295.4	87.8
जून	268.1	261.2	300.9	86.8
जुलाई	271.3	263.8	306.1	86.2
अगस्त	272.1	265.8	305.1	87.1
सितम्बर	273.2	267.3	305.9	87.4
अक्तूबर	274.7	269.7	306.0	88.1
नवम्बर(अ)	274.8	268.6	309.1	86.9
दिसम्बर(अ)	**276.7**	**277.1**	**309.8**	**89.4**

@उपसमूहों, खाद्य वस्तुओं और खाद्य-भिन्न वस्तुओं का संयुक्त सूचकांक।

*अनन्तिम

टिप्पणी: वार्षिक आंकड़े मासिक औसत है।
मासिक आंकड़े सप्ताहों की मासिक औसत है।

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

6.1 : (क) विदेशी मुद्रा भण्डार

(करोड़ रुपए)

	प्रारक्षित भण्डार						आई॰एम॰एफ॰ के साथ लेन-देन		
	सोना		एस॰डी॰आर॰		विदेशी मुद्रा	जोड़	आहरण	पुनः खरीद	बकाया पुनः खरीद देनदारियां
	टन	करोड़ रुपए	मिलियन।	करोड़ रुपए	करोड़ रुपए	करोड़ रुपए (3+5+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1950-51	219.8	117.8	--	--	911.4	1029.2	--	--	48
1951-52	219.8	117.8	--	--	746.6	864.4	--	--	48
1952-53	219.8	117.8	--	--	763.3	881.1	--	--	48
1953-54	219.8	117.8	--	--	792.2	910.0	--	17.3	30
1954-55	219.8	117.8	--	--	774.1	891.9	--	17.2	13
1955-56	219.8	117.8	--	--	784.6	902.4	--	7.1	6
1956-57	219.8	117.8	--	--	563.3	681.1	60.7	6.0	61
1957-58	219.8	117.8	--	--	303.4	421.2	34.5	--	95
1958-59	219.8	117.8	--	--	261.1	378.9	--	--	95
1959-60	219.8	117.8	--	--	245.1	362.9	--	23.8	71
1960-61	219.8	117.8	--	--	185.8	303.6	--	10.7	61
1961-62	219.8	117.8	--	--	179.5	297.3	119.1	60.7	119
1962-63	219.8	117.8	--	--	177.3	295.1	11.9	--	131
1963-64	219.8	117.8	--	--	188.0	305.8	--	23.8	107
1964-65	249.6	133.8	--	--	115.9	249.7	47.6	47.6	107
1965-66	216.3	115.9	--	--	182.1	298.0	65.5	35.7	137
1966-67	216.3	182.5	--	--	295.9	478.4	89.3	43.1	313
1967-68	216.3	182.5	--	--	356.1	538.6	67.5	43.1	338
1968-69	216.3	182.5	--	--	391.2	573.7	--	58.5	279
1969-70	217.0	182.5	122.7	92.0	546.4	820.9	--	125.3	154
1970-71	216.3	182.5	148.9	111.7	438.1	732.3	--	153.8	--
1971-72	216.3	182.5	247.7	194.0	480.4	856.9	--	--	--
1972-73	216.3	182.5	246.5	225.7	478.9	887.1	--	--	--
1973-74	216.3	182.5	244.9	229.5	580.8	992.8	62.0	--	59
1974-75	216.3	182.5	234.9	228.9	610.5	1021.9	484.7	--	557
1975-76	216.3	182.5	202.8	211.2	1491.7	1885.4	207.1	--	804
1976-77	222.5	187.8	187.4	192.0	2863.0	3242.8	--	302.8	492
1977-78	228.8	193.1	161.6	169.6	4499.8	4862.5	--	248.6	210
1978-79	260.1	219.5	364.9	381.3	5219.9	5820.7	--	206.9	--
1979-80	266.3	224.7	529.1	545.3	5163.7	5933.7	--	55.1 *	--
1980-81	267.3	225.6	490.5	496.7	4822.1	5544.4	274.4 @	5.1 **	268
1981-82	267.3	225.6	425.1	443.5	3354.5	4023.6	636.8 @@	--	901
1982-83	267.3	225.6	270.2	290.7	4265.2	4781.5	1892.8 @@	--	2867
1983-84	267.3	225.6	216.4	248.3	5497.8	5971.7	1413.7 @@	72.1 (क)	4444
1984-85	291.2	245.8	146.5	180.5	6816.8	7243.1	218.8 @@	155.9 (ख)	4888
1985-86	325.0	274.3	115.1	161.4	7384.3	7820.0	--	253.0 (ग)	5285
1986-87	325.0	274.3	139.4	231.7	7645.2	8151.2	--	672.2 (घ)	5548
1987-88	325.0	274.3	69.7	125.3	7287.1	7686.7	--	1208.9 (ङ)	4732
1988-89	325.0	274.3	79.5	160.7	6604.6	7039.6	--	1547.3 (च)	3696
1989-90	332.6	280.7	81.9	183.5	5787.2	6251.4		1459.6 (छ)	2572
1990-91	332.6	6828.3	75.9	200.0	4388.1	11416.4	3333.8 &	1155.9 (ज)	5132
1991-92	350.9	9038.8	65.7	233.3	14578.0	23850.1	3204.7 &&	1127.3 (झ)	8934
1992-93	354.2	10548.8	12.7	55.4	20140.5	30744.7	4231.0	867.7 (ञ)	14986
1993-94	367.0	12794.1	76.5	339.0	47287.3	60420.4	1006.9	420.0 (ट)	15812
जून	354.3	11946.4	133.2	585.9	20483.4	33015.7	--	129.5	15990
सितम्बर	356.3	11519.7	43.1	191.8	23868.5	35580.0	--	145.5	16025
दिसम्बर	356.3	12372.7	72.9	314.0	30746.9	43433.6	--	72.8	15452
मार्च	367.0	12794.1	76.5	339.0	47287.3	60420.4	--	72.2	15812

6.1 (ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

करोड़ रुपये

	प्रारक्षित भण्डार						अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन		
	सोना		एस॰डी॰आर॰		विदेशी मुद्रा	योग	आहरण	पुनर्खरीद	बकाया पुनर्खरीद दायित्व
	टन	करोड़ रुपये	मिलियन	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये (3+5+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1994-95									
अप्रैल	367.0	12616.3	34.9	155.8	47284.2	60056.3	--	3547.1 (ठ)	12331
मई	367.0	12682.1	31.0	137.6	48547.8	61367.5	--	--	12286
जून	367.0	12838.5	31.0	140.6	51429.4	64408.5	--	--	12555
जुलाई	367.0	12851.0	44.0	199.0	55044.6	68094.6	--	--	12514
अगस्त	367.0	12664.0	1.8	8.0	55430.4	68102.4	--	--	12549
सितम्बर	367.0	13027.8	1.8	8.1	59062.0	72097.9	--	--	12719
अक्तूबर (अ)	367.0	13010.9	46.8	217.8	62191.3	75420.0	--	--	12868
नवम्बर (अ)	367.0	12813.7	1.4	6.5	61198.2	74018.4	--	--	12635
दिसम्बर (अ)	367.0	12665.1	1.4	6.5	60840.7	73512.3	--	--	12658

अ अनन्तिम

@ न्यास निधि के अंतर्गत निकाले गए 544.53 करोड़ रूपए इसमें शामिल नहीं है।

@@ विस्तारित निधि सुविधा (ई॰एफ॰एफ॰) के अंतर्गत निकासियां।

& प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत 1883.6 करोड़ रुपए की निकासी तथा एवजी प्रबंध के प्रथम ऋण श्रृंखला के अंतर्गत 1450.2 करोड़ रुपए की निकासियां की गई।

&& प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत 2217.2 करोड़ रुपए की निकासी तथा एवजी प्रबंध के प्रथम ऋण श्रृंखला के अंतर्गत 987.5 करोड़ रुपए की निकासियां की गई।

S अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसके सामान्य संसाधन लेखा के अंतर्गत रुपए की स्वैच्छिक पुनर्खरीद (199 करोड़ रुपए) और रुपए की बिक्री (35.2 करोड़ रुपए) शामिल है।

SS कोष द्वारा रुपए की बिक्री।

॰ इसके अलावा रुपए की स्वैच्छिक पुनर्खरीद के लिए मई, 1979 में 599 लाख एस॰डी॰आर॰, जुलाई, 1980 में 73 लाख एस॰डी॰आर॰ और मार्च, 1982 में 345 लाख एस॰डी॰आर॰ का उपयोग किया गया था।

(क) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 665.0 लाख एस॰डी॰आर॰ का प्रयोग किया गया।

(ख) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 332.5 लाख एस॰डी॰आर॰ और 117.85 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा को प्रयोग में लाया गया।

(ग) प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा तथा विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए क्रमशः 665.0 लाख एस॰डी॰आर॰ और 1312.5 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(घ) विस्तारित निधि सुविधा (ई॰एफ॰एफ॰) के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए क्रमशः 4312.5 लाख एस॰डी॰आर॰ का उपयोग किया गया।

(ङ) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 7041.7 लाख एस॰डी॰आर॰ का उपयोग किया गया।

(च) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 8041.8 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(छ) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 6812.5 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(ज) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 4687.5 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(झ) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 3374.9 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(ञ) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए क्रमशः 3374.9 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(ट) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए 958.4 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

(ठ) विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत निकासियों की पुनर्खरीद के लिए अप्रैल-दिसम्बर, 1994-95 के दौरान 8050.6 लाख एस॰डी॰आर॰ प्रयोग में लाए गए।

टिप्पणी:
1. जून, 1966 में रूपए के अवमूल्यन के कारण वर्ष 1965-66 के बाद के आंकड़ों की तुलना उससे पूर्व वर्षों से नहीं की जा सकती।
2. पहली जुलाई और तीन जुलाई, 1991 को किए गए रुपए के अधोगामी समायोजन के कारण जुलाई, 1991 के आंकड़ों की भी पिछली अवधियों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।
3. आहरणों, पुनर्खरीद तथा बकाया पुनर्खरीद दायित्वों को लागू विनियम दरों पर परिकलित किया जाता है।
4. सोने का मूल्य मई, 1966 तक 53.58 रूपए प्रति 10 ग्राम और सितम्बर, 1990 तक 84.39 रूपए प्रति 10 ग्राम तथा 17 अक्तूबर, 1990 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के लगभग निकट आंका गया है।
5. विदेशी मुद्रा में (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी परिसंपत्तियां और (ख) 1955-56 तक विदेश में रखे गए सरकारी शेष शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

6.1 (ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(मिलियन अमरीकी डालर)

	प्रारक्षित भण्डार				अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन		
	सोना	एस॰डी॰आर॰	विदेशी मुद्रा	योग	आहरण	पुनर्खरीद	बकाया पुनर्खरीद दायित्व
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8
1950-51	247	--	1914	2161	--	--	100
1951-52	247	--	1568	1815	--	--	100
1952-53	247	--	1603	1850	--	--	100
1953-54	247	--	1664	1911	--	36	64
1954-55	247	--	1626	1873	--	36	28
1955-56	247	--	1648	1895	--	15	13
1956-57	247	--	1184	1431	126	12	128
1957-58	247	--	637	884	72	--	200
1958-59	247	--	548	795	--	--	200
1959-60	247	--	515	762	--	50	150
1960-61	247	--	390	637	--	23	128
1961-62	247	--	377	624	249	127	250
1962-63	247	--	372	619	25	--	275
1963-64	247	--	395	642	--	50	225
1964-65	281	--	243	524	99	100	225
1965-66	243	--	383	626	137	75	288
1966-67	243	--	395	638	126	57	418
1967-68	243	--	475	718	89	58	450
1968-69	243	--	526	769	--	78	372
1969-70	243	123	728	1094	--	167	205
1970-71	243	148	584	975	--	205	--
1971-72	264	269	661	1194	--	--	--
1972-73	293	297	629	1219	--	--	--
1973-74	293	296	736	1325	79	--	75
1974-75	304	293	782	1379	608	--	715
1975-76	281	234	1657	2172	239	--	896
1976-77	290	217	3240	3747	--	336	559
1977-78	319	200	5305	5824	--	333	249
1978-79	377	470	6421	7268	--	256	--
1979-80	375	662	6324	7361	--	145	--
1980-81	370	603	5850	6823	342	16	327
1981-82	335	473	3582	4390	692	40	964
1982-83	324	291	4281	4896	1968	--	2876
1983-84	320	230	5099	5649	1376	70	4150
1984-85	325	145	5482	5952	201	134	3932
1985-86	417	131	5972	6520	--	209	4290
1986-87	471	179	5924	6574	--	521	4291
1987-88	508	97	5618	6223	--	930	3653
1988-89	473	103	4226	4802	--	1070	2365
1989-90	487	107	3368	3962		873	1493
1990-91	3496	102	2236	5834	1858	647	2623
1991-92	3499	90	5631	9220	1240	460	3451
1992-93	3380	18	6434	9832	1623	335	4799
1993-94	4078	108	15068	19254	--	23	5040

जारी...

6.1 (ख) : विदेशी मुद्रा भण्डार

(मिलियन अमरीकी डालर)

	प्रारक्षित भण्डार				अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ लेन-देन		
	सोना	एस॰डी॰आर॰	विदेशी मुद्रा	योग	आहरण	पुनर्खरीद	बकाया पुनर्खरीद दायित्व
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7	8
1993-94							
जून	3807	187	6553	10547	325	41	5102
सितम्बर	3672	61	7629	11362	--	47	5108
दिसम्बर	3944	100	9807	13851	--	23	4924
मार्च	4078	108	15068	19254	--	23	5040
1994-95							
अप्रैल	4022	50	15025	19097	--	1134	3928
मई	4043	44	15485	19572	--	--	3916
जून	4093	45	16372	20510	--	--	4002
जुलाई	4095	63	17516	21674	--	--	3988
अगस्त	4036	3	17682	21721	--	--	4000
सितम्बर	4153	3	18856	23012	--	--	4055
अक्तूबर (अ)	4146	69	19778	23993	--	--	4102
नवम्बर (अ)	4083	2	19493	23578	--	--	4025
दिसम्बर (अ)	**4031**	**2**	**19386**	**23419**	--	--	**4034**

अ अनंतिम

टिप्पणी:
1. आंकड़ों के अमरीकी डालर में संकलन करने के लिए सोने का मूल्य 35 एस॰डी॰आर॰ प्रति ट्राय औंस में आंका गया है जैसा कि 16 अक्तूबर, 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सांख्यिकी में है। इसके बाद सोने का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट आंका गया है।
2. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और एस॰डी॰आर॰ का अमरीकी डालरों में परिवर्तन आइ॰एम॰एफ॰ द्वारा दी गई विनिमय दरों पर किया गया है।
3. आई॰एम॰एफ॰ के साथ लेन-देन को संबंधित एस॰जी॰आर॰ डालर दर पर परिवर्तित किया गया है।

6.2 : भुगतान संतुलन

मद	1960-61		1970-71		1980-81		1985-86	
	करोड़ रूपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़ रूपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़ रूपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़ रूपये	दस लाख अमरीकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आयात (लागत बीमा भाड़ा)	1106	2323	1826	2435	12544	15862	21164	17298
(क) पी०एल० 480 शीर्षक 1	185	389	50	67	-	-	-	
(ख) अन्य	921	1934	1776	2368	12544	15862	21164	17298
2. निर्यात-(जहाज तक निःशुल्क)	631	1325	1418	1890	6576	8316	11578	9463
3. व्यापार संतुलन (2-1)	-475	-998	-408	-545	-5967	-7546	-9586	-7835
4. अदृश्यः—								
(क) प्राप्तियां	260	546	496	662	5890	7449	7875	6437
(ख) अदायगियां	177	372	533	711	1580	1998	4245	3470
(जिसमें से ऋणों व उधारों की ब्याज व सेवा सम्बन्धी अदायगियां)	(34)	(71)	(204)	(272)	(282)	(357)	(1372)	(1121)
(ग) निवल	83	174	-37	-49	4311	5451	3630	2967
5. चालू खाता (निवल)	-392	-824	-445	-594	-1657	-2095	-5956	-4868
6. पूंजीगत लेन-देन								
(क) गैर-सरकारी								
(i) प्राप्तियां	52	108	80	107	163	206	2567	2098
(ii) अदायगियां	35	74	60	80	66	83	213	174
(iii) निवल	17	35	20	27	97	123	2354	1924
(ख) सरकारी विविध								
(i) प्राप्तियां	147	309	324	432	1011	1278	2262	1848
(ii) अदायगियां	42	88	353	471	1247	1577	896	732
(iii) निवल	105	221	-30	-39	-236	-298	1366	1116
(ग) ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां (सकल)	-38	-79	-232	-309	-691	-874	-1465	-1198
(घ) रूपए में ऋण भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से पुनः खरीद	-11	-23	-154	-205	-8	-10	-253	-207
(च) बैंकों की पूंजी (निवल)	10	20	0	0	13	16	186	152
7. भूल-चुक	-6	-13	-67	-89	-158	-200	580	474
8. कुल अधिशेष (+) अथवा घाटा (5 से 8)	-316	-663	-907	-1210	-2640	-3338	-3187	-2606
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी								
9. विदेशी सहायता ऋण	257 @	539	743 @	991	1729 *	2186	2481	2028
10. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां (सकल)	-	-	-	-	274	347		
11. एस०डी०आर० का आवंटन	-	-	75	101	121	152	-	
12. प्रारक्षित निधि में कमी (+) अथवा वृद्धि (-)	59	124	89	118	516	653	707	577
जोड़ से।	316	663	907	1210	2640	3338	3188	2605

जारी....

6.2 भुगतान संतुलन

अमरीकी डालर मद	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93	
	करोड़ रुपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़ रुपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़ रुपये	दस लाख अमरीकी डालर	करोड़	दस लाख अमरीकी डालर
1	10	11	12	13	14	15	16	17
1. आयात (लागत बीमा और भाड़ा	40642	24411	50086	27915	51418	21064	68863	23237
(क) पी॰एल॰ 480 शीर्षक 1		-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य	40642	24411	50086	27915	51418	21064	68863	23237
2. निर्यात-(जहाज पर-निःशुल्क)	28229	16955	33153	18477	44923	18266	54762	18869
3. व्यापार संतुलन (2-1)	-12413	-7456	16934	-9438	-6495	-2798	-14101	-4368
4. अदृश्यः—								
(क) प्राप्तियां	12484	7498	13394	7465	23447	9501	23859	8241
(ख) अदायगियां	11459	6883	13829	7707	19189	7881	22522	7399
(जिसमें से ऋणों व उधारों की ब्याज सेवा सम्बन्धी अदायगियां)	(5095)	(3060)	(4958)	(2763)	(6346)	(2590)	(7395)	(2412)
(ग) निवल	1025	616	-435	-242	4258	1620	1337	842
5. चालू खाता (निवल)	-11388	-6841	-17369	-9680	-2237	-1178	-12764	-3526
6. पूंजीगत लेन-देन								
(क) गैर-सरकारी								
(i) प्राप्तियां	11375	6832	10564	8395	30512	12319	32087	11561
(ii) अदायगियां	6191	3719	10710	5969	18490	7620	24599	8845
(iii) निवल	5183	3113	4354	2426	12023	4699	7488	2716
(ख) सरकारी विविध								
(i) सरकारी विविध	12021	7221	18594	10363	13087	5470	19374	6320
(ii) अदायगियां	6153	3696	7383	4115	14963	6035	16250	5515
(iii) निवल	5868	3525	11211	6248	-1876	-565	3124	805
(ग) ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां (सकल)	-3773	-2266	-5725	-3190	-7365	-3006	-9100	-2967
(घ) रुपए में ऋण भुगतान		-	-2140	-1193	-2785	-1240	-2335	-878
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से फिर से खरीद	-1460	-877	-1156	-644	-1127	-459	-868	-335
(च) बैंकों की पूंजी (निवल)	59	36	-1134	-632	-405	-154	2859	928
7. भूल-चूक	-720	-433	237	132	-301	-132	-246	-940
8. कुल (अधिशेष (+) अथवा घाटा (-) (5 से 7)	-6231	-3742	-11721	-6533	-4073	-2035	-11842	-4197
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी								
9. विदेशी सहायता ऋण	4998	3002	6095	3397	10715	4366	10173	3302
10. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां (सकल)			3334	1858	3205	1245	4231	1623
11. एस॰डी॰आर॰ का आवंटन				-	-	-	-	-
12. प्रारक्षित निधि में कमी (+) वृद्धि (—)	1232	740	2293	1270	-9845	-3576	-2563	-728
जोड 1से। 12)	6231	3742	11721	6525	4075	2035	11841	4197

Contd...

*1990-91 से आरंभ होने वाले नए भुगतान संतुलन प्रारूप के अनुसार।

@पी॰एल॰ 480 शीर्षक-1 के अंतर्गत लिए गए रूपए ऋण शामिल हैं। 1980-81 के बाद के आंकड़े प्रांभिक हैं।

टिप्पणी:

1. इस सारणी में दिए गए आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित उन्हीं मदों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यह अंतर विदेशी सहायता के अंतर्गत लिए गए ऋण तथा उसकी वापसी अदायगियों के संबंध में कि गए समायोजन के करने के कारण है। उक्त सारणी में भुगतान संतुलन के दिए गए आंकड़े आर्थिक्र समीक्षा के पिछले अंको में प्रकाशित समायोजित भुगतान संतुलन के आंकड़ो से मेल नहीं खा
2. रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा के सभी लेन-देन जून, 1972 तक समान केन्द्रीय दरों का प्रयोग करके निर्धारित किया गया है और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्टर्लिंग मुद्रा के हाजिर क्रय और विक्रय करने औसत दरों पर और स्टर्लिंग-भिन्न मुद्राओं के लंदन बाजार आधारित क्रॉस दर से मासिक औसत पर निर्धारित किया गया है।
3. जो अनुदान प्राप्त हुए हैं वे मद 5(क) में शामिल हैं।
4. पी॰एल॰ 480 प्रतिरूप निधियों में से किया गया संयुक्त राज्य अमरीका दूतावास का व्यय मद 5(क) में शामिल किया गया है।
5. कुल निधि से लिए गए ऋणों सहित गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों के रूप में प्राप्तियां और तत्संबंधी वापसी अदायगियां मद संख्या 7(ख) (1) और 7(ख) (11) में शामिल नहीं की गई और उनको क्रमशः संख्या 10 और 7 (ग) में शामिल किया गया है।
6. विदेशी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र द्वारा प्राप्त ऋणों के रूप में प्राप्तियां, जिसमें पी॰एल॰ 480 शीर्षक-1 में से लिए गए रुपए ऋण भी शामिल है, तथा उनके अनुरूप भुगतान संबंधी अदायगियां म संख्या 7 (ख) (1) तथा (11) में सम्मिलित नहीं है और वे क्रमशः मद 10 तथा 7 (ग) में सम्मिलित है।
7. पी॰एल॰ 480 के रुपया शेष में घट-बढ़ को मद संख्या 7 (ख) के अंतर्गत दिखाया गया है।
8. अक्तूबर-दिसम्बर, 1986 से गैर-सरकारी दीर्घावधि पूंजी और सरकारी ऋणों के आंकड़ों में वे उधार शामिल है जो पूर्ववर्ती ऋणों की वापसी के लिए दिए गए थे, गैर-सरकारी दीर्घावधि और सरकारी ऋण परिशोध पर ऋणों पर इस प्रकार की पुनः अदायगियां शामिल हैं।
9. 1990-91 में भुगतान संतुलन के आंकड़े अध्याय 5 में उल्लिखित नए प्रारूप पर आधारित हैं।
10. वर्ष के दौरान उपार्जित तथा अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में जमा किए गए अनुमानित ब्याज को अदृश्य भुगतानों के अंतर्गत काल्पनिक बहिर्वाह के रूप में माना गया है तथा निजी दीर्घावधिक पूंजी के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में निवेश के रूप में जोड़ा गया है। वर्ष 1988-89 से आगे के आंकड़ों को संशोधित किया गया है।
11. मद "गैर-मौद्रिक स्वर्ण संचालन" को भुगतान संतुलन के आई॰एम॰एफ॰ मैनुअल (चौथा संस्करण) की सिफारिशों के अनुरूप समाप्त कर दिया गया है, इन प्रविष्टियों को लेन-देन की प्रकृति के आधार पर सरकार विविध पूंजी संबंधी वाणिज्य माल के अंतर्गत शामिल किया गया है।
12. वर्ष 1990-91 से भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़ों को ऐसे फार्मेट में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आयात वाले वर्ष में रक्षा से सम्बद्ध आयातों के मूल्य को पूंजी लेखा में दर्शाए गए ऐसे आयातों के वित्त पोषण संबंधी उधार वाले आयातों के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता है। सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी॰सी॰ए॰) को देय रक्षा ऋण संबंधी ब्याज का भुगतान (जब कभी वह किया जाता है) को अदृश्य लेखे में निवेश आय भुगतान के अंतर्गत तथा मूल भुगतान क्षेत्र (आर॰पी॰ए॰) के मामले में ऋण पर ब्याज के भुगतान तथा उस पर मूल के पुन-भुगतान को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसे पूंजी लेखे में "रुपया ऋण भुगतान" मद के अंतर्गत अलग दर्शाया जाता है। यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्षः डा॰ सी॰ रंगराजन) की सिफारिश के अनुकूल है।

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक।

6.3: (क) भुगतान संतुलन—चालू खाते की अदृश्य मदें
(अनुदानों सहित)

करोड़ रुपये

मदें	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. विदेश यात्रा:								
प्राप्तियां	15	36	1166	1189	2386	2613	4892	6060
अदायगियां	12	18	90	412	670	703	1112	1177
निवल	3	19	1076	778	1716	1910	3780	4883
2. परिवहन								
प्राप्तियां	45	109	362	604	1511	1765	2308	2850
अदायगियां	25	78	355	816	1857	1961	3190	4547
निवल	20	30	7	-212	-346	-196	-882	-1697
3. बीमा								
प्राप्तियां	8	12	48	79	198	198	265	460
अदायगियां	6	12	34	83	140	158	307	449
निवल	2	0	14	-5	58	40	-42	11
4. निवेशात्मक आय								
प्राप्तियां	14	49	855	669	688	661	542	1004
अदायगियां	62	303	371	1619	5562	7393	9939	11507
(जिसमें से विदेशी ऋणों और उधारों पर ब्याज व सेवा भुगतान)	(34)	(204)	(282)	(1372)	(5095)	(4958)	(6346)	(7395)
निवल	-48	-254	484	-950	-4875	-6732	-9397	-10503
5. सरकारें जो अन्यत्र शामिल नहीं है								
प्राप्तियां	51	30	88	116	52	27	40	195
अदायगियां	21	23	47	124	211	311	290	280
निवल	30	7	40	-7	-159	-284	-251	-85
6. विविध								
प्राप्तियां	37	31	664	2063	2924	3564	4840	4111
अदायगियां	35	79	670	1164	2988	3275	4313	4525
निवल	2	-47	-6	899	-64	289	527	-414
7. अन्तरण अदायगियां								
(क) सरकारी								
प्राप्तियां	45	72	439	320	902	829	1142	1055
अदायगियां	0	7	1	13	5	2	2	2
निवल	45	66	438	307	897	828	1140	1053
(ख) गैर-सरकारी								
प्राप्तियां	45	157	2269	2835	3824	3737	9419	8124
अदायगियां	17	13	12	15	26	26	38	35
निवल	28	143	2257	2821	3798	3711	9381	8089
कुल प्राप्तियां	260	496	5890	7875	12484	13394	23447	23859
कुल अदायगियां	177	533	1580	4245	11459	13829	19189	22522
निवल अदायगियां	83	-37	4311	3630	1025	-435	4258	1337

टिप्पणी:
1) इस सारणी में जो सूचना दी गई है वह सारणी 6.2 की मद 5 का ब्यौरेवार विवरण है।
2) इसमें पी॰एल॰ 480 के प्रतिरूप कोष में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतावास द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च की प्राप्त रकमें शामिल है।
3) वर्ष 1980-81 से बाद में आंकड़े प्रारंभिक है।

स्रोत: रिजर्व बैंक।

6.3: (ख) भुगतान संतुलन—चालू खाते की अदृश्य मदें
(अनुदानों सहित)

(अमरीकी डालर दस लाख)

	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. विदेश यात्रा								
प्राप्तियां	32	49	1475	972	1433	1456	1977	2098
अदायगियां	25	24	114	336	403	392	465	385
निवल	7	25	1361	635	1031	1064	1512	1713
2. परिवहन								
प्राप्तियां	94	145	457	494	907	983	939	982
अदायगियां	52	105	449	667	1115	1093	1289	1485
निवल	42	40	8	-173	-208	-110	-350	-503
3. बीमा								
प्राप्तियां	17	16	61	64	119	111	108	158
अदायगियां	12	16	43	68	84	88	126	147
निवल	5	0	18	-4	35	23	-18	11
4. निवेशात्मक आय								
प्राप्तियां	30	66	1081	547	413	368	221	376
अदायगियां	130	404	469	1323	3341	4120	4051	3799
(जिसमें से विदेशी ऋणों और उधारों पर ब्याज व सेवा भुगतान)	(71)	(272)	(357)	(1121)	(3060)	(2763)	(2590)	(2412)
निवल	-100	-339	612	-776	-2928	-3752	-3830	-3423
5. सरकारें जो अन्यत्र शामिल नहीं है								
प्राप्तियां	107	40	111	95	31	15	16	66
अदायगियां	45	31	60	101	127	173	119	92
निवल	62	9	51	-6	-96	-158	-103	-26
6. विविध								
प्राप्तियां	77	42	840	1686	1756	1986	1981	1412
अदायगियां	73	105	847	951	1794	1825	1816	1480
निवल	4	-63	-7	735	-38	161	165	-68
7. अन्तरण अदायगियां								
(क) सरकारी प्राप्तियां	95	96	555	262	542	462	461	364
अदायगियां	0	9	1	10	3	1	1	0
निवल	95	88	554	251	539	461	460	364
(ख) गैर-सरकारी								
प्राप्तियां	94	209	2869	2318	2297	2083	3798	2785
अदायगियां	35	18	15	12	16	14	15	11
निवल	59	191	2854	2305	2281	2069	3783	2774
कुल प्राप्तियां	546	662	7449	6437	7498	7465	9501	8241
कुल अदायगियां	372	711	1997	3470	6883	7707	7881	7399
निवल अदायगियां	174	-49	5451	2967	616	-242	1620	842

टिप्पणी:

(1) इस सारणी के आंकड़े संबंधित रुपए-अमरीकी डालर दरों पर आधारित पिछली सारणी 6.3(क) से परिवर्तित किए गए हैं।

6.4 (क): भुगतान संतुलन—पूंजी खाते की चुनी हुई मदें

(करोड़ रुपये)

	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. गैर-सरकारी (बैंकिंग भिन्न)								
प्राप्तियां	52	80	163	2567	11375	15064	30512	32087
अदायगियां	35	60	66	213	6191	10710	18490	24599
निवल	17	20	97	2354	5183	4354	12022	7488
(क) दीर्घावधिक								
प्राप्तियां	46	79	161	2561	11333	14984	27638	30578
अदायगियां	27	57	64	206	6090	10679	18189	20067
निवल	19	21	97	2355	5243	4305	9449	10511
(ख) अल्पावधिक								
प्राप्तियां	6	1	2	6	41	80	2874	1510
अदायगियां	8	2	1	7	101	31	300	4532
निवल	-3	-1	1	-1	-60	49	2574	-3022
2. बैंकिंग (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर):								
प्राप्तियां	44	47	430	755	974	1099	3480	4492
अदायगियां	34	47	418	568	914	2233	3885	1633
निवल	10	0	13	186	59	-1134	-405	2859
3. सरकारी विविध:								
प्राप्तियां#	147	324	1011	2262	12021	18594	13087	19374
अदायगियां	42	353	1247	896	6153	7383	14963	16250
निवल	105	-30	-236	1366	5868	11211	-1876	3124
4. जोड़ (1 से 3)								
प्राप्तियां	243	451	1604	5583	24369	34756	47079	55953
अदायगियां	111	460	1730	1677	13259	20326	37338	42482
निवल	131	-9	-126	3907	11110	14431	9741	13471

इसमें परिशोधन प्राप्तियां शामिल है।
टिप्पणी: यह सारणी, सारणी 6.2 की मद 7(क) 7(ख) और 7(ङ) का ब्यौरा है।,
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

6.4 (ख) भुगतान संतुलन—पूंजी खाते की चुनी हुई मदें

(अमरीकी डालर दस लाख)

	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. गैर-सरकारी (बैंकिंग भिन्न)								
प्राप्तियां	108	107	206	2098	5896	8395	12319	11561
अदायगियां	74	80	83	174	3719	5969	7620	8845
निवल	35	27	123	1924	2177	2426	4699	2716
(क) दीर्घावधिक								
प्राप्तियां	97	105	203	2093	5871	8351	11175	11069
अदायगियां	56	76	81	168	3658	5952	7498	7359
निवल	41	29	122	1925	2213	2399	3678	3710
(ख) अल्पावधिक								
प्राप्तियां	12	2	2	5	25	45	1144	492
अदायगियां	18	3	2	6	61	17	122	1486
निवल	-6	-1	1	-1	-36	27	1022	-993
2. बैंकिंग (भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर):								
प्राप्तियां	93	63	544	617	585	612	1370	1464
अदायगियां	72	63	528	465	549	1244	1524	536
निवल	20	0	16	152	36	-632	-154	928
3. सरकारी विविध:								
प्राप्तियां#	309	432	1278	1848	7221	10363	5470	6320
कदायगियां	88	471	1577	732	3696	4115	6035	5515
निवल	221	-39	-298	1116	3525	6248	-565	805
4. जोड़ (1 से 3)								
प्राप्तियां	510	601	2028	4563	13702	19370	19159	19345
अदायगियां	234	613	2188	1370	7964	11328	15179	14896
निवल	276	-12	-160	3192	5738	8042	3980	4449

इसमें परिशोधन प्राप्तियां शामिल है।

टिप्पणी: इस सारणी के आंकड़े संबंधित रुपए अमरीकी डालर दरों पर आधारित पिछली सारणी 6.4 (क) से परिवर्तित किये गये है।

6.5: विश्व की चयनित मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर

(विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई में रुपये)

वर्ष / माह	अमेरिकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्यूटसे मार्क	येन	फ्रांसीसी फ्रैंक	कनाडी डालर	इतालवी लीरा	टर्किश लीरा	इंडोनेशियन रुपया	ब्राजीलियन कुजाडो	मैक्सिकन पैसो	कोरियन वोन	पाकिस्तानी रुपया	थाइलैंड बाहत	एस. डी. आर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1980-81	7.908	18.500	4.188	0.037	1.800	6.720	0.009	0.096	0.012	0.137	0.343	0.011	0.805	0.388	10.178
1981-82	8.968	17.110	3.861	0.039	1.570	7.457	0.008	0.074	0.014	0.085	0.340	0.013	0.899	0.403	10.335
1982-83	9.666	16.136	3.960	0.039	1.425	7.810	0.007	0.056	0.014	0.046	0.152	0.013	0.792	0.422	10.563
1983-84	10.340	15.417	3.940	0.044	1.299	8.343	0.007	0.042	0.011	0.015	0.076	0.013	0.788	0.452	10.941
1984-85	11.889	14.867	3.988	0.049	1.301	9.007	0.007	0.030	0.011	0.005	0.061	0.015	0.830	0.485	11.933
1985-86	12.235	16.847	4.555	0.056	1.491	8.889	0.007	0.022	0.011	0.002	0.038	0.014	0.777	0.461	12.923
1986-87	12.778	19.072	6.297	0.080	1.929	9.309	0.009	0.018	0.009	0.874 *	0.018	0.015	0.764	0.494	15.447
1987-88	12.966	22.087	7.400	0.094	2.203	9.914	0.010	0.014	0.008	0.270	0.008	0.016	0.752	0.515	17.121
1988-89	14.482	25.596	8.649	0.113	2.370	11.960	0.011	0.009	0.009	1.292	0.006	0.021	0.791	0.575	19.262
1989-90	16.649	26.918	9.092	0.117	2.680	14.093	0.012	0.008	0.009	6.360	0.006	0.025	0.800	0.651	21.368
1990-91	17.943	33.193	11.435	0.128	3.387	15.479	0.015	0.007	0.010	0.203	0.006	0.025	0.827	0.710	24.849
1991-92	24.474	42.515	14.625	0.185	4.209	21.267	0.020	0.005	0.012	0.050	0.008	0.033	1.021	0.977	33.413
								सरकारी दर							
मार्च, 92	25.890	44.677	15.603	0.194	4.591	21.709	0.021	0.004	0.013	0.015	0.009	0.034	1.050	1.015	35.347
1992-93															
अप्रैल	25.890	45.461	15.705	0.194	4.645	21.800	0.021	0.004	0.013	0.012	0.009	0.033	1.049	1.021	35.485
मई	25.890	46.838	15.965	0.198	4.749	21.586	0.021	0.004	0.013	0.010	0.009	0.033	1.056	1.014	35.931
जून	25.890	47.788	16.464	0.204	4.893	21.651	0.022	0.004	0.013	0.008	0.009	0.033	1.085	1.020	36.551
जुलाई	25.890	49.721	17.413	0.206	5.160	21.764	0.023	0.004	0.013	0.007	0.009	0.033	1.119	1.025	37.185
अगस्त	25.890	50.384	17.921	0.205	5.280	21.734	0.024	0.004	0.013	0.006	0.009	0.033	1.035	1.027	37.709
सितम्बर	25.890	47.567	17.809	0.211	5.237	21.161	0.022	0.004	0.013	0.005	0.009	0.034	1.035	1.028	37.695
अक्तूबर	25.890	42.862	17.424	0.214	5.135	20.805	0.020	0.003	0.013	0.004	0.009	0.033	1.054	1.026	37..62
नवम्बर	25.890	39.535	16.311	0.209	4.816	20.413	0.019	0.003	0.013	0.003	0.008	0.033	1.021	1.019	35.910
दिसम्बर	26.154	40.578	16.527	0.211	4.846	20.574	0.019	0.003	0.013	0.002	0.008	0.033	1.028	1.026	36.329
जनवरी	26.199	40.141	16.244	0.210	4.792	20.500	0.018	0.003	0.013	0.002	8.435 ***	0.033	1.025	1.028	36.082
फरवरी	26.199	37.704	15.952	0.217	4.710	20.788	0.017	0.003	0.013	0.002	8.460	0.033	1.010	1.029	35.939
									बाजार दर						
मार्च 1992	29.455	51.959	18.171	0.227	5.224	24.698	0.024	0.005	0.015	0.017	0.010	0.380	1.195	1.155	35.347
1992-93	30.649	51.686	19.588	0.246	5.790	24.937	0.024	0.004	0.015	0.001	2.565	0.039	1.229	1.208	37.142
1993-94	31.366	47.206	18.740	0.291	5.463	23.956	0.020	0.002	0.015	0.122 *	10.009	0.039	1.083	1.240	43.866
1994-95															
अप्रैल	31.371	46.494	18.481	0.303	5.400	22.693	0.019	0.001	0.015	0.027	9.390	0.039	1.028	1.242	44.062
मई	31.371	47.168	18.926	0.303	5.533	22.714	0.020	0.001	0.015	0.019	9.459	0.039	1.026	1.245	44.397
जून	31.371	47.827	19.245	0.306	5.644	22.682	0.020	0.001	0.015	0.014	9.345	0.039	1.025	1.247	44.764
जुलाई	31.371	48.489	19.964	0.318	5.835	22.705	0.020	0.001	0.015	33.650 ****	9.229	0.039	1.026	1.255	45.710
अगस्त	31.373	48.386	20.021	0.313	5.855	22.771	0.020	0.001	0.015	46.639	8.991	0.039	1.027	1.255	45.577
सितम्बर	31.371	49.044	20.231	0.318	5.923	23.183	0.020	0.001	0.014	46.660	9.236	0.039	1.025	1.257	45.930
अक्तूबर	31.371	50.397	21.365	0.319	6.030	23.243	0.020	0.009	0.014	49.699	9.172	0.039	1.025	1.257	46.361
नवम्बर	31.391	49.830	20.397	0.320	5.936	22.999	0.020	0.009	0.014	49.583	9.118	0.039	1.025	1.256	46.164
दिसम्बर	**31.388**	**48.861**	**19.961**	**0.313**	**5.805**	**22.576**	**0.019**	**0.008**	**0.014**	**46.266**	**7.867**	**0.040**	**1.022**	**1.250**	**45.576**

* 28 फरवरी, 1986 को 1000 कुजेडो के बराबर कुजाडो चलाया गया।
15 जनवरी, 1989 को 1000 पुराने कुजाडो के बराबर के नया कुजाडो चलाया गया था। मुद्रा का नाम बदल कर 1.8.93 से रियल कुजेरा रखा गया। एक रियल कुजेरो 1000 कुजेरो के बराबर है।

** फैडरेशन आ`फ एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आ`फ इंडिया (फेडाई) के द्वारा घोषित सूचक दरें।

*** पैसो को जनवरी, 1993 में पुर्नमूल्यांकित किया गया। 1000 पुराने पैसा=1 नए पैसा।

**** नई मुद्रा रियल जुलाई, 1994 में आरंभ की गई, 2750 पुराने कुजेरो रियल=1 रियल।

टिप्पणी: वार्षिक / मासिक औसत 1 मार्च, 1992 से फरवरी, 1993 के दौरान दोहरी विनिमय दर पद्धति चालू की जिसमें अमरीकी डालर के लिए सरकारी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई थी तथा बाजार दर का निर्धारण अंतर-बैंक बाजार द्वारा किया गया था।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

6.6 : रुपये की सांकेतिक और वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर प्रवृतियां

(आधार: 1985=100)

वर्ष/महीना	सांकेतिक रूप से प्रभावी विनिमय दर (एन॰ई॰ई॰आर)		वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर (आर॰ ई॰ई॰आर॰)	
	5 देशों का सूचकांक	10 देशों का सूचकांक	5 देशों का सूचकांक	10 देशों का सूचकांक
1	2	3	4	5
1985	100.00	100.00	100.00	100.00
1986	82.14	81.25	89.51	88.92
1987	72.61	71.01	83.57	82.21
1988	64.08	62.98	78.43	77.48
1989	57.69	56.84	75.16	74.25
1990	52.03	50.24	69.99	67.86
1991	40.20	39.09	59.84	58.53
1991-92	36.89	35.96	56.78	55.68
1992-93	30.23	29.52	51.38	50.44
1993-94	27.57	27.50	50.46	50.54
1993-94 अप्रैल	27.57	27.27	47.71	47.40
मई	27.42	27.13	47.89	47.59
जून	27.38	27.21	48.39	48.31
जुलाई	27.68	27.65	49.64	49.79
अगस्त	27.37	27.44	50.04	50.35
सितम्बर	27.18	27.13	50.48	50.56
अक्तूबर	27.42	27.42	51.14	51.29
नवम्बर	27.73	27.77	51.62	51.84
दिसम्बर	27.85	27.84	52.04	52.17
जनवरी	28.06	28.04	52.51	52.61
फरवरी	27.68	27.67	52.21	52.32
मार्च	27.43	27.38	52.28	52.30
1994-95* अप्रैल	27.18	27.15	52.75	52.79
मई	27.20	27.06	53.34	53.18
जून	26.96	26.80	53.33	53.11
जुलाई	26.40	26.20	52.85	52.54
अगस्त	26.49	26.27	53.02	52.67
सितम्बर	26.30	26.07	52.76	52.40
अक्तूबर	26.06	25.80	52.57	52.14
नवम्बर	26.12	25.90	52.85	52.52
दिसम्बर	26.49	26.22	53.57	53.16
जनवरी	26.30	25.97	उ॰न॰	उ॰न॰

*अनन्तिम उ॰न॰—उपलब्ध नहा।

टिप्पणी—ये 1982-83 में भारत के निर्यातों की दिशा पर आधारित भारांशों सहित निर्यात—भारित सूचकांक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंगलैंड, जर्मनी और फ्रांस 5 देशों के सूचकांक में शामिल है और नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, स्विटजरलैंड और आस्ट्रेलिया दस देशों के सूचकांक में अतिरिक्त रूप से शामिल हैं।

7.1 (क): निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	आयात	व्यापार संतुलन Balance	परिवर्तन दर निर्यात	(प्रतिशत) आयात
1	2	3	4	5	6
1949-50	485	617	-132		
1950-51	606	608	-2	24.9	-1.5
1951-52	716	890	-174	18.2	46.4
1952-53	578	702	-124	-19.3	-21.1
1953-54	531	610	-79	-8.1	-13.1
1954-55	593	700	-107	11.7	14.8
1955-56	609	774	-165	2.7	10.6
1956-57	605	841	-236	-0.7	8.7
1957-58	561	1035	-474	-7.3	23.1
1958-59	581	906	-325	3.6	-12.5
1959-60	640	961	-321	10.2	6.1
1960-61	642	1122	-480	0.3	16.8
1961-62	660	1090	-430	2.8	-2.9
1962-63	685	1131	-446	3.8	3.8
1963-64	793	1223	-430	15.8	8.1
1964-65	816	1349	-533	2.9	10.3
1965-66	810	1409	-599	-0.7	4.4
1966-67	1157	2078	-921	42.9	47.5
1967-68	1199	2008	-809	3.6	-3.4
1968-69	1358	1909	-551	13.3	-4.9
1969-70	1413	1582	-169	4.1	-17.1
1970-71	1535	1634	-99	8.6	3.3
1971-72	1608	1825	-217	4.8	11.7
1972-73	1971	1867	104	22.6	2.3
1973-74	2523	2955	-432	28.0	58.3
1974-75	3329	4519	-1190	31.9	52.9
1975-76	4036	5265	-1229	21.2	16.5
1976-77	5142	5074	68	27.4	-3.6
1977-78	5408	6020	-612	5.2	18.6
1978-79	5726	6811	-1085	5.9	13.1
1979-80	6418	9143	-2725	12.1	34.2
1980-81	6711	12549	-5838	4.6	37.3
1981-82	7806	13608	-5802	16.3	8.4
1982-83	8803	14293	-5490	12.8	5.0
1983-84	9771	15831	-6060	11.0	10.8
1984-85	11744	17134	-5390	20.2	8.2
1985-86	10895	19658	-8763	-7.2	14.7
1986-87	12452	20096	-7644	14.3	2.2
1987-88	15674	22244	-6570	25.9	10.7
1988-89	20232	28235	-8003	29.1	26.9
1989-90	27658	35328	-7670	36.7	25.1
1990-91	32553	43198	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	-3810	35.3	10.8
1992-93	53688	63375	-9687	21.9	32.4
1993-94 अ.	69751	73101	-3350	29.9	15.3
1994-95 अ. (अप्रैल-दिसम्बर)	**57503**	**63814**	**-6311**	**16.9**	**24.0**

अः अनन्तिम

टिप्पणीः वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से सम्बन्धित आंकड़े विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

स्रोतः डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एण्ड एस॰।

7.1 (ख): निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	निर्यात (पुनर्निर्यात शामिल)	आयात rts	व्यापार संतुलन	परिवर्तन दर (प्रतिशत) निर्यात	आयात
1	2	3	4	5	6
1949-50	1016	1292	-276		
1950-51	1269	1273	-4	24.9	-1.5
1951-52	1490	1852	-362	17.4	45.5
1952-53	1212	1472	-260	-18.6	-20.5
1953-54	1114	1279	-166	-8.1	-13.1
1954-55	1233	1456	-223	10.7	13.8
1955-56	1275	1620	-345	3.3	11.3
1956-57	1259	1750	-491	-1.2	8.0
1957-58	1171	2160	-989	-7.0	23.4
1958-59	1219	1901	-682	4.2	-12.0
1959-60	1343	2016	-674	10.1	6.0
1960-61	1346	2353	-1007	0.3	16.7
1961-62	1381	2281	-900	2.6	-3.1
1962-63	1437	2372	-935	4.0	4.0
1963-64	1659	2558	-899	15.5	7.8
1964-65	1701	2813	-1111	2.6	10.0
1965-66	1693	2944	-1251	-0.5	4.7
1966-67	1628	2923	-1295	-3.9	-0.7
1967-68	1586	2656	-1071	-2.6	-9.1
1968-69	1788	2513	-726	12.7	-5.4
1969-70	1866	2089	-223	4.4	-16.9
1970-71	2031	2162	-131	8.8	3.5
1971-72	2153	2443	-290	6.0	13.0
1972-73	2550	2415	134	18.4	-1.1
1973-74	3209	3759	-549	25.9	55.6
1974-75	4174	5666	-1492	30.1	50.8
1975-76	4665	6084	-1420	11.7	7.4
1976-77	5753	5677	77	23.3	-6.7
1977-78	6316	7031	-715	9.8	23.9
1978-79	6978	8300	-1322	10.5	18.0
1979-80	7947	11321	-3374	13.9	36.4
1980-81	8486	15869	-7383	6.8	40.2
1981-82	8704	15174	-6470	2.6	-4.4
1982-83	9107	14787	-5679	4.6	-2.6
1983-84	9449	15311	-5861	3.8	3.5
1984-85	9878	14412	-4534	4.5	-5.9
1985-86	8904	16067	-7162	-9.9	11.5
1986-87	9745	15727	-5982	9.4	-2.1
1987-88	12089	17156	-5067	24.1	9.1
1988-89	13970	19497	-5526	15.6	13.6
1989-90	16612	21219	-4607	18.9	8.8
1990-91	18143	24075	-5932	9.2	13.5
1991-92	17865	19411	-1546	-1.5	-19.4
1992-93	18537	21882	-3345	3.8	12.7
1993-94 अ.	22239	23307	-1068	20.0	6.5
1994-95 अ. ((अप्रैल-दिसम्बर)	**18328**	**20339**	**-2011**	**16.9**	**23.9**

अ: अनन्तिम

टिप्पणी: वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59 और 1959-60 से सम्बन्धित आंकड़े विदेश व्यापार मंत्रालय की आकलन समिति (1971-72) की चौदहवीं रिपोर्ट के अनुसार हैं।

स्रोत: डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एण्ड एस॰।

7.2: आयात की मुख्य वस्तुएं

मात्राः हजार टन
मूल्यः करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1960-61			1970-71			1980-81		
		मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से:	---	214	449	---	242	321	---	380	481
I.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	3747.7	181	380	3343.2	213	282	400.8	100	127
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	---	527	1105	---	889	1176	---	9760	12341
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)		---	---	169.4	29	39	25.0	9	11
II.2	कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त)	36.2	11	23	7.8	4	5	26.2	32	40
II.3	रेशे जिसमें से:	---	101	212	---	127	168	---	164	208
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	0.2	---	---	15.8	9	12	68.8	97	122
II.3.2	ऊन रेशा	1.9	1	2	19.0	15	20	18.8	43	55
II.3.3	कपास	237.1	82	172	139.1	99	131		---	---
II.3.4	जूट रेशा	100.4	8	17	0.7	0	0	8.0	1	1
II.4	पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेन्ट	800.0	69	145	12767.0	136	180	23537.0	5264	6656
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से:	---	5	10	---	39	51	---	709	896
II.5.1	खाद्य तेल	31.1	4	8	84.7	23	31	1633.3	677	857
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से:	---	88	185	---	217	286	---	1490	1884
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	307.0	13	27	2392.7	86	113	5560.2	818	1034
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	---	39	82	---	68	90	---	358	453
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	---	1	2	---	9	12	---	21	26
II.6.4	चिकित्सीय और औषध भेषजीय उत्पाद	---	10	21	---	24	32	---	85	107
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	---	9	19	---	8	11	---	121	154
II.7	लुगदी और अवशिष्ट कागज	80.3	7	15	71.7	12	16	36.9	18	23
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	55.6	12	25	159.0	25	33	371.4	187	236
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से:	---	6	13	---	33	44	---	555	702
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	---	1	2	---	25	33	---	417	527
II.10.	लौह और इस्पात	1325.2	123	258	683.4	147	194	2031.1	852	1078
II.11	अलौह धातुएं	---	47	99	---	119	158	---	477	604
III.	पूंजीगत वस्तुएं*	---	356	747	---	404	534	---	1910	2416
III.1	धातुओं का विनिर्माण	---	23	48	---	9	12	---	90	113
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	---	203	426	---	258	341	---	1089	1377
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	---	57	120	---	70	93	---	260	328
III.4	परिवहन उपकरण	---	72	151	---	67	88	---	472	597
IV.	अन्य (अवर्गीकृत)	---	25	52	---	99	131	---	499	631
V.	योग	---	1122	2353	---	1634	2162	---	12549	15869

जारी...

7.2: आयात की मुख्य वस्तुएं (जारी)

मात्राः हजार टन
मूल्यः करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1985-86			1989-90			1990-91		
		मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रु०	मिलियन डालर
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य जीवित पशु (कच्चे काजू को छोड़कर) जिसमें से:	---	854	698	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
I.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	297.2	110	90	756.7	389	234	308.3	182	102
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	---	13966	11415	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	21.9	24	20	59.6	83	50	82.6	134	75
II.2	कच्चा रबर, (कृतिम एवं पुनर्प्राप्त)	76.0	101	82	83.0	174	105	105.1	226	126
II.3	रेशे जिसमें से:	---	259	212	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
II.3.1	कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	43.3	69	56	23.0	66	40	21.2	56	31
II.3.2	ऊन रेशा	32.5	98	80	20.4	172	103	29.4	182	102
II.3.3	कपासें	10.9	13	10	4.1	11	7	0.2	1	0
II.3.4	जूट रेशा	19.8	6	5	19.5	11	6	32.1	20	−11
II.4	पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेन्ट	19009.0	4989	4078	26054.0	6273	3768	29359.0	10816	6028
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा। जिसमें से:	---	770	629	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
II.5.1	खाद्य तेल	1036.4	735	600	324.2	209	126	525.8	326	182
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से:	---	3256	2661	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	8066.0	1436	1174	7435.9	1803	1083	7560.3	1766	984
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	---	1089	890	---	1995	1198	---	2289	1276
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	---	56	46	---	144	86	---	168	94
II.6.4	चिकित्सीय और औषध भेषजीय उत्पाद	---	177	145	---	400	240	---	468	261
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एवं कृत्रिम राल	---	322	263	---	998	599	---	1095	610
II.7	लुगदी और अवशिष्ट कागज	551.2	246	201	457.8	307	184	678.2	458	255
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	237.2	226	185	246.4	348	209	286.4	456	254
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से:	---	1201	982	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	---	1100	899	---	4253	2554	---	3738	2083
II10.	लौह और इस्पात	2417.7	1395	1140	2083.0	2253	1353	1920.5	2113	1178
II.11	अलौह धातुएं	---	542	443	---	1191	715	---	1102	614
III.	पूंजीगत वस्तुएं*	---	4285	3503	---	8802	5287	---	10466	5833
III.1	धातुओं का विनिर्माण	---	202	165	---	246	148	---	302	168
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	---	2593	2119	---	3469	2084	---	4240	2363
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	---	923	754	---	1866	1121	---	1702	949
III.4	परिवहन उपकरण	---	569	465	---	1484	891	---	1670	931
IV.	अन्य (अवर्गीकृत)	---	553	452	---	उ०न०	उ०न०	---	उ०न०	उ०न०
V.	योग	---	19658	16067	---	35328	21219	---	43198	24075

जारी...

7.2: आयात की मुख्य वस्तुएं

मात्रा हजार टन
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1991-92			1992-93			1993-94		
		मात्रा	करोड़ रु॰	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रु॰	मिलियन डालर	मात्रा रु॰	करोड़ रु॰	मिलियन डालर
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	खाद्य पदार्थ और मुख्यत खाद्य जीवित पशु (कच्चे काजू को छोड़कर) जिसमें से:	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
1.1	अनाज और अनाज के उत्पाद	187.7	173	70	1613.0	966	334	402.7	290	92
II.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
II.1	काजूगिरी (असंसाधित)	106.1	267	108	134.9	376	130	191.3	483	154
II.2	कच्चा रबर (कृतिम एवं पुनर्प्राप्त)	55.6	182	74	67.1	261	90	86.8	342	109
II.3	रेशे जिसमें से:	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
II.3.1	कृत्रिम और पुनरूत्पादित रेशे (हस्त निर्मित रेशे)	12.8	48	20	14.8	71	25	28.1	126	40
II.3.2	ऊन रेशा	27.7	198	80	38.4	315	109	57.0	372	119
II.3.3	कपास	1.0	5	2	52.6	218	75	3.8	18	6
II.3.4	जूट रेशा	9.5	5	2	12.5	11	4	37.9	33	11
II.4	पैट्रोलियम तेल और लुब्रीकेंट	33800.0	13127	5364	40661.0	17142	6100	42897.0	18046	5754
II.5	पशु और वनस्पति तेल और वसा जिसमें से:	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
II.5.1	खाद्य तेल	226.1	248	101	102.7	167	58	114.3	167	53
II.6	उर्वरक और रासायनिक उत्पाद जिसमें से:	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
II.6.1	उर्वरक और उर्वरक सामग्री	6726.7	2353	954	7547.5	2832	978	7822.1	2591	826
II.6.2	रासायनिक तत्व और यौगिक	---	3399	1379	---	4134	1427	-	4823	1538
II.6.3	रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	---	157	64	---	199	69	-	287	92
II.6.4	चिकित्सीय और औषध भेषजीय उत्पाद									
II.6.5	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस	---	559	227	---	813	281	-	809	258
	एवं कृत्रिम राल	---	1402	569	---	1218	421	-	1363	435
II.6.7	लुगदि और अवशिष्ट कागज	385.5	299	121	436.8	409	141	626.1	497	158
II.8	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	260.1	488	198	270.3	513	177	352.3	696	222
II.9	अधात्विक खनिज विनिर्माण जिसमें से:	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
II.9.1	मोती, बहुमूल्य और अल्पमूल्य रत्न, गढ़े अथवा अनगढ़े	---	4825	1957	---	7072	2442	-	8263	2634
II.10	लौह और इस्पात	1390.4	1970	799	1444.5	2254	778	1408.3	2494	795
II.11	अलौह धातुएं	---	840	341	---	1144	395	-	1503	479
III.	पूंजीगत वस्तुएं*	---	8899	3610	---	10839	3742	-	16663	5313
III.1	धातुओं का विनिर्माण	---	321	130	---	422	146	-	559	178
III.2	गैर-विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	---	3646	1479	---	4788	1653	-	6388	2037
III.3	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण									
III.4	परिवहन उपकरण	---	391	159	---	588	203	-	640	204
		---	915	371	---	1338	462	-	3985	1271
IV.	अन्य (अवर्गीकृत)	---	उ॰न॰	उ॰न॰	---	उ॰न॰	उ॰न॰	-	उ॰न॰	उ॰न॰
V.	योग	---	47851	19411	---	63375	21882	-	73101	23307

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं।
*वर्ष 1987-88 से आगे (III) पूंजीगत वस्तुओं में परियोजना वस्तुएं शामिल हैं।
स्रोत : डी॰ जी॰ सी॰ आई एंड एस॰

7.3: निर्यात की मुख्य वस्तुएं

मात्रा: हजार टन
मूल्य करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1960-61			1970-71			1980-81		
		मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से:	...	284	596	...	487	644	...	2057	2601
I.1	कॉफी	19.7	7	15	32.2	25	33	87.3	214	271
I.2	चाय और मेट	199.2	124	260	199.1	148	196	229.2	426	538
I.3	खली	433.8	14	29	878.5	55	73	886.0	125	158
I.4	तम्बाकू	47.5	16	34	49.8	33	43	91.3	141	178
I.5	काजू गिरी	43.6	19	40	60.6	57	76	32.3	140	177
I.6	मसाले	47.2	17	36	46.9	39	51	84.2	11	14
I.7	चीनी और शीरा	99.6	3.0	6	473.0	29	39	97.0	40	50
I.8	कपास	32.6	12	25	32.1	14	19	131.6	165	209
I.9	चावल	...	...	...	32.8	5	7	726.7	224	283
I.10	मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	19.9	5	10	32.6	31	40	69.4	217	274
I.11	मांस और मांस से बनी वस्तुएं	...	1	2	...	3	4	...	56	70
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी और संसाधित फलों व जूसों के अतिरिक्त)	...	6	13	...	12	16	...	80	101
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	1	2	...	4	6	-	36	45
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त जिसमें से:—	...	52	109	...	164	217	...	414	523
II.1	अभ्रक	28.4	...	...	26.7	16	21	16.7	18	22
II.2	लौह अयस्क	3.2	17	36	21.2	117	155	22.4	303	384
III.	विनिर्मित वस्तुएं ods जिसमें से:—	...	291	610	...	772	1021	...	3747	4738
III.1	कपड़ा और इससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	73	153	...	145	192	...	933	1179
III.1.1 III.1.2	सूती धागे, वस्त्र (मिल निर्मित और हथकरघा) आदि सभी प्रकार के कपड़ा सामग्रियों के सूती परिधान	...	65	136	...	142	188	...	408	516
III.2	नारियल के रेशे और इससे	...	1	2	...	29	39	...	550	696
	निर्मित सामान	...	6	13	...	13	17	...	17	22
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	790.0	135	283	560.0	190	252	660.0	330	417
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान, चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल है	...	28	59	...	80	106	...	390	493
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचों सहित) जिसमें	...	11	23	...	73	96	...	952	1204
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	1	2	...	45	59	...	618	782
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद	...	7	15	...	29	39	...	225	284
III.7	मशीनरी, परिवहन उपस्कर और इंजीनियर वस्तु धातु उत्पाद, लौहा और इस्पात सहित,	...	22	46	...	198	261	...	827	1045
IV.	खनिज, ईंधन और लुब्रीकैंट (कोयले सहित)	...	7	15	...	13	17	...	28	35
V.	अन्य	...	8	16	...	100	132	...	466	589
VI.	जोड़	...	642	1346	...	1535	2031	...	6711	8486

जारी

7.3: निर्यात की मुख्य वस्तुएं (जारी)

मात्रा: हजार टन
मूल्य करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1985-86			1989-90			1990-91		
		मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से:	...	3018	2467	...	5021	3016	...	6317	3521
I.1	काफी	98.9	265	217	124.5	347	208	86.5	252	141
I.2	चाय और मेट	205.6	626	512	209.2	916	550	199.1	1070	596
I.3	खली	806.9	134	110	2840.7	612	367	2447.8	609	339
I.4	तम्बाकू	80.5	170	139	71.8	179	108	87.1	263	147
I.5	काजू गिरी	37.1	225	184	48.2	368	221	55.5	447	249
I.6	मसाले	89.0	278	227	106.3	283	170	103.3	239	133
I.7	चीनी और शीरा	37.9	16	13	167.0	33	20	191.0	38	21
I.8	कपास	35.7	68	56	34.5	116	70	374.4	846	471
I.9	चावल	245.0	196	160	421.8	427	256	505.0	462	257
I.10	मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	87.5	409	334	124.4	687	413	158.9	960	535
I.11	मांस और मांस से बनी वस्तुएं	...	74	60	...	114	68	...	140	78
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी और संसाधित फलों व जूसों के अतिरिक्त)	...	124	101	...	203	122	...	216	120
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल हैं)	...	82	67	...	208	125	...	213	119
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त जिसमें से:—	...	785	641	...	1377	827	...	1497	834
II.1	अभ्रक	18.1	21	17	38.7	30	18	42.0	35	19
II.2	लौह अयस्क	30.1	579	473	35.3	928	557	32.5	1049	585
III.	विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से:—	...	6374	5210	...	20500	12313	...	23736	13229
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	1795	1467	...	5386	3235	...	6832	3807
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र (मिल निर्मित और हथकरघा) आदि	...	574	469	...	1520	913	...	2100	1170
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़ा सामग्रियों के सूती परिधान	...	1067	872	...	3226	1938	...	4012	2236
III.2	कृत्रिम के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	34	28	...	42	25	...	48	27
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान	250.0	262	214	2.3	291	175	220.0	298	166
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान, चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल है	...	770	629	...	2020	1213	...	2600	1449
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचों सहित) जिसमें	...	1881	1538	...	6162	3701	...	6167	3437
III.5.1	रत्न और आभूषण	...	1503	1228	...	5290	3177	...	5247	2924
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद products	...	498	407	...	2145	1288	...	2111	1176
III.7	मशीनरी, परिवहन उपस्कर और इंजीनियर वस्तु धातु उत्पाद, लौहा और इस्पात सहित,	...	954	780	...	3277	1968	...	3872	2158
IV.	खनिज, ईंधन और लुब्रीकेंट (कोयले सहित)	...	655	535	...	729	438	...	948	528
V.	अन्य	...	63	50	...	31	19	...	55	31
VI.	जोड़	...	10895	8904	...	27658	16612	...	32553	13143

जारी

7.3: निर्यात की मुख्य वस्तुएं (जारी)

मात्रा: हजार टन
मूल्य: करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर

		1991-92			1992-93			1993-94		
		मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर	मात्रा	करोड़ रुपए	मिलियन डालर
	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमें से:	...	8228	3338	...	9457	3265	...	13021	4151
I.1	काफी	98.4	332	135	114.1	376	130	118.5	546	174
I.2	चाय और मेट	216.4	1212	491	168.1	977	337	154.3	1059	338
I.3	खली	3649.6	922	374	3678.8	1545	534	4820.7	2324	741
I.4	तम्बाकू	84.2	377	153	88.3	474	164	104.7	461	147
I.5	काजू गिरी	52.5	676	274	62.7	749	258	73.5	1048	334
I.6	मसाले	143.0	394	160	128.7	393	136	182.4	569	181
I.7	चीनी और शीरा	445.7	157	64	485.1	354	122	204.5	178	57
I.8	कपास	160.2	305	124	63.7	182	63	297.3	654	209
I.9	चावल	678.2	756	306	580.4	976	337	767.7	1287	410
I.10	मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	190.0	1443	585	210.8	1743	602	257.9	2552	814
I.11	मांस और मांस से बनी वस्तुएं	...	231	94	...	257	89	...	245	78
I.12	फल, सब्जियां और दालें (काजू गिरी और संसाधित फलों व जूसों के अतिरिक्त)	...	352	143	...	366	126	...	488	156
I.13	विविध संसाधित खाद्य पदार्थ (जिसमें संसाधित फल एवं जूस शामिल है)	...	305	124	...	373	129	...	470	150
II.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त जिसमें से:—	...	2030	823	...	1814	626	...	2371	756
II.1	अभ्रक	34.4	35	14	27.3	24	8	33.4	28	9
II.2	लौह अयस्क	29.5	1435	582	22.2	1104	381	26.9	1374	438
III.	विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से:—	...	32693	13262	...	40835	14099	...	52702	16803
III.1	कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से:	...	9921	4024	...	12498	4315	...	14863	4739
III.1.1	सूती धागे, वस्त्र (मिल निर्मित और हथकरघा) आदि	...	3204	1300	...	3911	1350	...	4821	1537
III.1.2	सभी प्रकार के कपड़ा, मार्गदर्शी के सूती परिधान	...	5422	2199	...	6931	2393	...	8112	2586
III.2	नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान	...	70	28	...	90	31	...	130	41
III.3	बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान		391	159	210.6	355	123	200.0	389	124
III.4	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित सामान, चमड़ा फुटवियर, चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल है		3128	1269	...	3700	1277	...	4077	1300
III.5	हस्तशिल्प (हाथ के बुने गलीचों सहित) जिसमें		8349	3357	...	10957	3783	...	14955	4768
III.5.1	रत्न और आभूषण		6750	2738	...	8896	3072	...	12533	3996
III.6	रसायन और संबद्ध उत्पाद		3902	1583	...	3991	1378	...	5688	1813
III.7	मशीनरी, परिवहन उपस्कर और इंजीनियरी वस्तु धातु उत्पाद, लोहा और इस्पात सहित,		5508	2234	...	7118	2458	...	9484	3024
IV.	खनिज, ईंधन और लुब्रीकेंट (कोयले सहित)		1041	422	...	1520	525	...	1554	495
V.	अन्य		51	21	...	62	21	...	103	33
VI.	जोड़	...	44041	17865	...	53688	18537	...	69751	22239

@रसायनों और संबंधित उत्पादों के आंकड़े "आधारभूत रसायन" और "प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद" से संबंधित हैं।
$1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कच्चे तेल के निर्यात से संबंधित आंकड़ा शून्य है।
*इसमें इलेक्ट्रानिक वस्तुएं और कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी शामिल हैं।
स्रोत: डी॰ जी॰ सी॰ आई॰ एंड एस॰

7.4 : व्यापार की दिशा : (क) निर्यात

		(करोड़ रुपये)								(प्रतिशत हिस्सा)							
		1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें	**425**	**769**	**3126**	**5532**	**17428**	**25481**	**32467**	**39620**	**66.1**	**50.1**	**46.6**	**50.8**	**53.5**	**57.9**	**60.5**	**56.8**
I.1	(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसमें	232	282	1447	1929	8951	11897	15196	18149	36.2	18.4	21.6	17.7	27.5	27.0	28.3	26.0
I(1)	बैल्जियम	5	20	145	225	1259	1643	1979	2632	0.8	1.3	2.2	2.1	3.9	3.7	3.7	3.8
I(2)	फ्रांस	9	18	147	203	766	1049	1366	1582	1.4	1.2	2.2	1.9	2.4	2.4	2.5	2.3
I(3)	जर्मनी	20	32	385	513	2549 @	3131 @	4133 @	4833 @	3.1	2.1	5.7	4.7	7.8 @	7.1 @	7.7 @	6.9 @
I(4)	नीदरलैण्ड	9	14	152	158	644	919	1203	1602	1.3	0.9	2.3	1.5	2.0	2.1	2.2	2.3
I(5)	यूनाइटिड किंगडम	173	170	395	524	2128	2806	3514	4306	26.9	11.1	5.9	4.8	6.5	6.4	6.5	6.2
	(ख) उत्तरी अमेरिका	120	235	806	2106	5077	7666	10737	13276	18.7	15.3	12.0	19.3	15.6	17.4	20.0	19.0
	(i) कनाडा	18	28	62	132	281	465	554	710	2.7	1.8	0.9	1.2	0.9	1.1	1.0	1.0
	(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका	103	207	743	1974	4797	7202	10183	12566	16.0	13.5	11.1	18.1	14.7	16.4	19.0	18.0
	(ग) अन्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें	65	234	708	1304	3401	4630	4897	6331	10.1	15.2	10.6	12.0	10.4	10.5	9.1	9.1
I.3.1	(i) आस्ट्रेलिया	22	25	92	123	321	499	647	792	3.5	1.6	1.4	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1
I.3.2	(ii) जापान	35	204	598	1164	3039	4071	4160	5432	5.5	13.3	8.9	10.7	9.3	9.2	7.7	7.8
II.	**पैट्रोलियम निर्यातक देश संगठन जिसमें**	**26**	**99**	**745**	**835**	**1831**	**3852**	**5180**	**7441**	**4.1**	**6.4**	**11.1**	**7.7**	**5.6**	**8.7**	**9.6**	**10.7**
II.1	ईरान	5	27	123	95	141	302	331	498	0.8	1.7	1.8	0.9	0.4	0.7	0.6	0.7
II.2	इराक	3	10	52	34	44	0	17	12	0.5	0.6	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
II.3	कुवैत	3	16	97	121	74	129	314	331	0.5	1.0	1.4	1.1	0.2	0.3	0.6	0.5
II.4	सउदी अरब	3	15	165	221	419	866	1180	1600	0.5	0.9	2.5	2.0	1.3	2.0	2.2	2.3
III.	**पूर्वी यूरोप जिसमें**	**45**	**323**	**1486**	**2294**	**5819**	**4814**	**2259**	**2620**	**7.0**	**21.0**	**22.1**	**21.1**	**17.9**	**10.9**	**4.4**	**3.8**
III.1	जर्मन लोकतंत्रीय गण राज्य	3	25	49	95	**	**	**	**	0.5	1.6	0.7	0.9	**	**	**	**
III.2	रूमानिया@	1	14	58	98	96	31	23	80	0.2	0.9	0.9	0.9	0.3	0.1	0.0	0.1
III.3	रूस@@	29	210	1226	2006	5255	4043	1759	2004	4.5	13.7	18.3	18.4	16.1	9.2	3.3	2.9
IV.	**अन्य कम विकसित देश जिसमें**	**95**	**305**	**1286**	**1463**	**5465**	**7712**	**11177**	**16799**	**14.8**	**19.8**	**19.2**	**13.4**	**16.8**	**17.5**	**20.8**	**24.1**
IV.1	अफ्रीका	40	129	350	289	668	958	1441	1823	6.3	8.4	5.2	2.7	2.1	2.2	2.7	2.6
IV.2	एशिया	45	166	900	1156	4665	6503	9342	14319	6.9	10.8	13.4	10.6	14.3	14.8	17.4	20.5
IV.3	लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	10	10	36	18	132	251	393	657	1.6	0.7	0.5	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9
V.	**अन्य**	**51**	**40**	**68**	**771**	**2010**	**2182**	**2506**	**3271**	**8.0**	**2.6**	**1.0**	**7.1**	**6.2**	**5.0**	**4.7**	**4.7**
VI.	**जोड़**	**642**	**1535**	**6711**	**10895**	**32553**	**44041**	**53688**	**69751**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

जारी

7.4 : व्यापार की दिशा (जारी): (ख) आयात

		(करोड़ रुपये)								(प्रतिशत हिस्सा)							
		1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें**	**875**	**1042**	**5740**	**10527**	**23310**	**25943**	**35534**	**40896**	**78.0**	**63.8**	**45.7**	**53.6**	**54.0**	**54.2**	**56.1**	**55.9**
I.1.	(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसमें	417	320	2639	5234	12680	13968	19124	21898	37.1	19.6	21.0	26.6	29.4	29.2	30.2	30.0
I.1.1	(i) बैल्जियम	15	12	296	951	2718	3422	5291	5866	1.4	0.7	2.4	4.8	6.3	7.2	8.3	8.0
I.1.2.	(ii) फ्रांस	21	21	280	583	1304	1516	1722	1866	1.9	1.3	2.2	3.0	3.0	3.2	2.7	2.6
I.1.3.	(iii) जर्मनी संघीय गणराज्य	123	108	694	1544	3473	3846 @	4799 @	5617 @	10.9	6.6	5.5	7.9	8.0	8.0 @	7.6 @	7.7 @
I.1.4.	(iv) नीदरलैण्ड	11	19	215	296	793	689	1105	1193	0.9	1.2	1.7	1.5	1.8	1.4	1.7	1.6
I.1.5.	(v) यूनाईटेड किंगडम	217	127	731	1251	2894	2963	4105	4793	19.4	7.8	5.8	6.4	6.7	6.2	6.5	6.6
I.2.	(ख) उत्तरी अमेरिका	347	570	1851	2515	5804	5610	7393	9259	31.0	34.9	14.7	12.8	13.4	11.7	11.7	12.7
I.2.1.	(i) कनाडा	20	117	332	451	559	690	1174	731	1.8	7.2	2.6	2.3	1.3	1.4	1.9	1.0
I.2.2.	(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका	328	453	1619	2064	5245	4919	6219	8528	29.2	27.7	12.9	10.5	12.1	10.3	9.8	11.7
I.3.	(ग) अन्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें	80	122	932	2257	4826	4988	6739	7088	7.1	7.4	7.4	11.5	11.2	10.4	10.6	9.7
I.3.1.	(i) आस्ट्रेलिया	18	37	170	442	1464	1445	2427	2063	1.6	2.2	1.4	2.2	3.4	3.0	3.8	2.8
I.3.2.	(ii) जापान	61	83	749	1774	3245	3375	4136	4790	5.4	5.1	6.0	9.0	7.5	7.1	6.5	6.6
II.	**पैट्रोलियम निर्यातक देश संगठन जिसमें**	**52**	**126**	**3488**	**3420**	**7041**	**9499**	**13690**	**16363**	**4.6**	**7.7**	**27.8**	**17.4**	**16.3**	**19.9**	**21.6**	**22.4**
II.1.	(i) ईरान	30	92	1339	885	1018	1435	1152	1189	2.6	5.6	10.7	4.5	2.4	3.0	1.8	1.6
II.2.	(ii) इराक	2	3	753	547	496	6	0	0	0.2	0.2	6.0	2.8	1.1	0.0	0.0	0.0
II.3.	(iii) कुवैत	0	6	338	340	363	822	2763	3534	0.0	0.3	2.7	1.7	0.8	1.7	4.4	4.8
II.4.	(iv) सऊदी अरब	14	24	540	794	2899	3552	4333	4865	1.3	1.5	4.3	4.0	6.7	7.4	6.8	6.7
III.	**पूर्वी यूरोप जिसमें**	**38**	**220**	**1296**	**2169**	**3377**	**2444**	**1606**	**1267**	**3.4**	**13.5**	**10.3**	**11.0**	**7.8**	**5.1**	**2.5**	**1.7**
III.1	(i) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य*	3	19	44	85	*	*	*	*	0.3	1.1	0.4	0.4	*	*	*	*
III.2	(ii) रूमानिया	5	17	97	144	50	62	159	78	0.4	1.0	0.8	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1
III.3	(iii) रूस@@	16	106	1014	1678	2548	1796	737	810	1.4	6.5	8.1	8.5	5.9	3.8	1.2	1.1
IV.	**अन्य कम विकसित देश जिसमें***	**132**	**239**	**1966**	**3466**	**7965**	**8199**	**9628**	**11179**	**11.8**	**14.6**	**15.7**	**17.6**	**18.4**	**17.1**	**15.2**	**15.3**
IV.1	(i) अफ्रीका	63	169	205	593	959	1961	2149	1623	5.6	10.4	1.6	3.0	2.2	4.1	3.4	2.2
IV.2	(ii) एशिया	64	54	1431	2344	6033	5365	6668	8770	5.7	3.3	11.4	11.9	14.0	11.2	10.5	12.0
IV.3	(iii) लेटिन अमेरिका और कैरेबियन	5	16	313	529	974	873	812	785	0.4	1.0	2.5	2.7	2.3	1.8	1.3	1.1
V.	**अन्य**	**25**	**8**	**60**	**75**	**1505**	**1765**	**2917**	**3397**	**2.2**	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**3.5**	**3.7**	**4.6**	**4.6**
	योग	**1122**	**1634**	**12549**	**19658**	**43198**	**47851**	**63375**	**73101**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*आंकड़े संयुक्त जर्मनी के हैं।

**ओपेक के सदस्यों को छोड़ कर

@ 1992-93 से पहले के भूतपूर्व समाजवादी जनतंत्र संघ से संबंधित है।

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

7.5 : वस्तु वर्गीकरणों और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा

विभाजन क्रम सं.	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1970			1975		
			विश्व (मिलियन अमरीकी डालर)	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व (मिलियन अमरीकी डालर)	भारत	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		मांस और मांस से निर्मित वस्तुएं	3584	4	0.1	7378	9	0.1
03		पपड़ीदार मछली और चूर्ण प्रकार तथा उससे निर्मित वस्तुएं	--	--	--	--	--	--
04		अनाज और उससे निर्मित वस्तुएं	6775	9	0.1	25133	16	0.1
	042	चावल	925	6	0.6	1984	12	0.6
05		सब्जियां और फल	1471	17	1.2	10104	154	1.5
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	2700	26	1.0	11663	554	4.8
07		काफी, चाय, कोका, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	5437	280	5.1	9133	438	4.8
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	3205	31	1.0	4580	73	1.6
	074	चाय और मेट	587	196	33.4	933	292	31.3
	075	मसाले	255	52	20.5	548	73	13.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	--	--	--	--	--	--
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	1713	43	2.5	3827	124	3.2
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	1058	42	4.0	2357	119	5.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	655	1	0.2	1470	5	0.4
22		तेलहन और तेलियां फल	--	--	--	--	--	--
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	7357	193	2.6	13446	253	1.9
	281	लोह अयस्क और उसके सांद्रित टुकड़े	2373	158	6.7	4601	247	5.4
51		कार्बनिक रसायन	6648	9	0.1	20219	22	0.1
52		अकार्बनिक रसायन	--	--	--	--	--	--
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	1615	8	0.5	3642	23	0.6
54		औषधीय और औषध भेषजीय उत्पाद	2687	11	0.4	6503	29	0.4
55		आवश्यक तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, पालिश और सफाई के काम आने वाले उत्पाद	916	10	1.1	3059	18	0.6
57		विस्फोटक और आतिशबाजी उत्पाद	--	--	--	--	--	--
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टरस और ईथर	--	--	--	--	--	--
59		रसायनिक सामग्री और उल्लिखित उत्पाद	--	--	--	--	--	--
61			1047	95	9.1	2380	200	8.4
	611	चमड़ा	701	94	13.4	1540	189	12.3
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	132	1	0.6	355	4	1.0
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्त्र आदि	214	--	--	486	8	1.6
65		धागा कपड़ा, फैब्रिक और संबंधित उत्पादन	11371	461	4.1	23798	599	2.5
	652	बुने सूती कपड़े	1436	98	6.8	3149	161	5.1
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	3967	189	4.8	8038	191	2.4
	654	वस्त्र हेतु धागा, बुनाईदार, सूती रेशे को छोड़कर	270	2	0.8	547	5	0.9
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	2431	53	2.2	5707	128	2.2
67		लोहा और इस्पात	14540	132	0.9	40789	116	0.3
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं	4328	27	0.6	12053	74	0.6
71		विद्युत (पावर) उत्पादन की मशीनरी और उपस्कर	20884	25	0.1	54327	97	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	10670	17	0.2	67016	102	0.2
73		धातु-कार्यकारी मशीनरी	--	--	--	--	--	--
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनकी मशीनी पुर्जे	--	--	--	--	--	--
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कार	--	--	--	--	--	--
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और रिप्रड्यूसिंग उपकरण और उपस्कर	--	--	--	--	--	--
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	--	--	--	--	--	--
78		सड़क गाड़ियां (वात-उपधानित गाड़ियों सहित)	--	--	--	--	--	--
79		अन्य यातायात उपस्कार	--	--	--	--	--	--
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	109	--	--	308	--	--
		अन्य निर्यात	207521	605	0.3	555611	1398	0.3
		कुल निर्यात	313804	2026	0.6	876094	4355	0.5

जारी ..

7.5 : वस्तु वर्गीकरणों और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा

विभाजन क्रम॰ सं॰	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1980 विश्व (मिलियन अमरीकी डालर)	1980 भारत (मिलियन अमरीकी डालर)	1980 भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	1985 विश्व (मिलियन अमरीकी डालर)	1985 भारत (मिलियन अमरीकी डालर)	1985 भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		मांस और मांस से निर्मित वस्तुएं	17832	67	0.4	15755	61	0.4
03		पपड़ीदार मछली और चूर्ण प्रावार तथा उससे निर्मित वस्तुएं	12258	242	2.0	14335	337	2.4
04		अनाज और उससे निर्मित वस्तुएं	41989	201	0.5	32643	211	0.6
	042	चावल	4355	160	3.7	2916	162	5.6
05		सब्जियां और फल चीनी,	24018	259	1.1	23606	332	1.4
06		चीनी, चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	16183	46	0.3	10113	0	0.0
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	22121	879	4.0	20779	971	4.7
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	12979	271	2.1	11676	226	1.9
	074	चाय और मेट	1631	452	27.7	1973	517	26.2
	075	मसाले	1072	156	14.5	1188	229	19.3
08		पशुओं के चारे की सामग्री	10322	164	1.6	8515	127	1.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	3423	151	4.4	7822	140	1.8
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	3423	151	4.4	3798	113	3.0
	122	विनिर्मित तम्बाकू	--	--	--	4024	27	0.7
22		तेलहन और तैलिया फल	9487	30	0.3	7896	20	0.3
28		धातु छड़ और धातु की कतरनें	30239	465	1.5	23137	557	2.4
	281	लोह आयस्क और उसके सांद्रित टुकड़े	6515	411	6.3	6154	478	7.8
51		कार्बनिक रसायन	31841	17	0.1	36923	25	0.1
52		अकार्बनिक रसायन	15491	26	0.2	16318	22	0.1
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई सामग्री	7986	65	0.8	8024	62	0.8
54		औषधीय और औषध भेषजीय उत्पाद	13918	109	0.8	15920	130	0.8
55		आवश्यक तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, पालिश और सफाई के काम आने वाले उत्पाद	7647	86	1.1	8136	56	0.7
57		विस्फोटक और आतिशबाजी उत्पाद	630	1	0.1	840	0	0.1
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टरस और ईथर	27223	3	--	28456	5	0.0
59		रासायनिक सामग्री और उल्लिखित उत्पाद	15960	8	--	16613	28	0.2
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं और प्रसाधित लोम चर्म	5967	405	6.8	6444	534	8.3
	611	चमड़ा	3415	342	10.0	4185	331	7.9
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा	975	62	6.3	1233	202	16.4
	613	चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	1577	1	0.1	1026	0	0.0
65		धागा कपड़ा, फैब्रिक और संबंधित उत्पादन	48884	1145	2.3	48218	1037	2.1
	652	बुने सूती कपड़े	6632	351	5.3	6804	327	4.8
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	9325	44	0.5	9735	20	0.2
	654	वस्त्र हेतु धागा, बुनाईदार, सूती रेशे को छोड़कर	3188	204	6.4	3462	167	4.8
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	18563	579	3.1	12073	1165	9.6
67		लोहा और इस्पात	68231	87	0.1	61891	46	0.1
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं	36840	221	0.6	32884	125	0.4
71		विद्युत (पावर) उत्पादन की मशीनरी और उपस्कर	35722	88	0.2	38433	59	0.2
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	58495	65	0.1	54707	97	0.2
73		धातु-कार्यकारी मशीनरी	15671	32	0.2	12696	55	0.4
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनकी मशीनी पुर्जे	59443	67	0.1	53954	60	0.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़ा संसाधन हेतु उपस्कर	24750	2	0.0	53604	30	0.1
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और रिप्रडूसिंग उपकरण और उपस्कर	26799	11	0.0	47318	4	0.0
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर)	60947	114	0.2	75739	121	0.2
78		सड़क गाड़ियां (वात-उपधानित गाड़ियों सहित)	127347	208	0.2	157446	126	0.1
79		अन्य यातायात उपस्कर	41291	32	0.1	50709	27	0.1
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	32365	590	1.8	38718	887	2.3
		अन्य निर्यात	1027803	1912	0.2	890188	1293	0.1
		कुल निर्यात	1997686	8378	0.4	1930849	8750	0.5

जारी ...

7.5 : वस्तु-वर्गीकरणों और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा—(जारी)

विभाजन क्र. सं०	कोड समूह	वस्तु वर्गीकरण/समूह	1990 विश्व	1990 भारत	1990 भारत का हिस्सा	1992 विश्व	1992 भारत	1992 भारत का हिस्सा
			(मिलियन अमरीकी डालर)		(प्रतिशत)	(मिलियन अमरीकी डालर)		(प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		मांस और मांस से निर्मित वस्तुएं	34045	77	0.2	39253	74	0.2
03		पपड़ीदार मछली और चूर्ण प्रावार तथा उससे निर्मित वस्तुएं	33978	524	1.5	37225	661	1.8
04		अनाज और उससे निर्मित वस्तुएं	45442	286	0.6	49013	161	0.3
	042	चावल	3903	254	6.5	3929	133	3.4
05		सब्जियां और फल	50430	400	0.8	56654	394	0.7
06		चीनी चीनी से निर्मित वस्तुएं और शहद	15411	21	0.0	14225	79	0.6
07		काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे निर्मित वस्तुएं	20963	856	4.1	20665	433	2.1
	071	काफी और काफी के अनुकल्प	8558	148	1.7	7865	98	1.2
	074	चाय और मेट	2653	585	22.0	2129	224	10.5
	075	मसाले	1376	109	7.9	172	110	64.1
08		पशुओं के चारे की सामग्री	15662	336	2.1	17975	451	2.5
12		तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	17805	145	0.8	21101	81	0.4
	121	अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	5207	107	2.0	6060	77	1.3
	122	विनिर्मित तम्बाकू	12598	39	0.3	15041	3	0.0
22		तैलहन और तैलिया फल	10506	8	0.1	10165	20	0.2
28		धातुमेय छड़ और धातु की कतरनें	37567	762	2.0	32724	868	2.7
	281	लौह अयस्क और उसके सांद्रित टुकड़े	7923	578	7.3	7881	744	9.4
51		कार्बनिक रसायन	71757	232	0.3	75765	369	0.5
52		अकार्बनिक	27258	59	0.2	25638	50	0.2
53		रंगाई, चमड़ा रंगाई और रंगाई की सामग्री	20004	233	1.2	22416	233	1.0
54		औषधीय और औषध भेषजीय उत्पाद	37648	453	1.2	49103	144	0.3
55		आवश्यक तेल और सुगन्धित सामग्री प्रसाधन, पालिश और सफाई के काम आने वाले उत्पाद	20931	240	1.1	24731	70	0.3
57		विस्फोट और आतिशबाजी उत्पाद	1437	2	0.2	1099	5	0.4
58		कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, सेलूलोज इस्टरस और ईथर	65606	11	0.0	70088	13	0.0
59		रासायनिक सामग्री और उल्लिखित उत्पाद	33443	76	0.2	37687	46	0.1
61		चमड़ा, चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं और प्रसाधित लोम चर्म	13316	833	6.3	14652	580	4.0
	611	चमड़ा	9393	447	4.8	9859	332	3.4
	612	चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं अथवा चमड़े की संरचना वाली वस्तुएं	2845	385	13.5	3686	248	6.7
	613	लोम चर्म, रंगे या चमड़े से प्रसाधित वस्तु आदि	1077	0	0.0	1107	0	0.0
65		धागा कपड़ा, फैब्रिक और संबंधित उत्पादन	104937	2180	2.1	118332	2393	2.0
	652	बुने सूती कपड़े	15621	571	3.7	16517	461	2.8
	653	कृत्रिम रेशे का बुनाईदार कपड़ा	21894	156	0.7	25943	127	0.5
	654	वस्तु हेतु धागा, बुनाईदार, सूती रेशे को छोड़कर	8403	195	2.3	8831	196	2.2
66	667	मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	30202	2710	9.0	27869	2825	10.1
67		लोहा आर इस्पात	109486	284	0.3	102984	390	0.4
69		धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं	66199	341	0.5	74462	425	0.6
71		विद्युत (पावर) उत्पादन की मशीनरी और उपस्कर	80341	126	0.2	89828	253	0.3
72		विशेष उद्योगों के लिए विशिष्ट मशीनरी	116392	236	0.2	116538	71	0.1
73		धातु-कार्यकारी मशीनरी	30688	58	0.2	27666	22	0.1
74		सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपस्कर और उनके मशीनी पुर्जे	131153	132	0.1	144315	163	0.1
75		कार्यालय मशीनरी और स्वतः आंकड़े संसाधन हेतु उपस्कर	125079	112	0.1	147006	67	0.0
76		दूरसंचार और ध्वनि रिकार्डिंग और रिप्रड्यूसिंग उपकरण और उपस्कर	100729	31	0.0	116454	42	0.0
77		बिजली की मशीनरी, उपकरण और उपस्कर	185423	241	0.1	223973	130	0.1
78		सड़क गाड़ियां (वात-उपधानित गाड़ियों सहित)	305550	344	0.1	349480	280	0.1
79		अन्य यातायात उपस्कर	96075	18	0.0	115740	21	0.0
84		परिधान की वस्तुएं और कपड़ा बनाने की सहायक सामग्री	104782	2533	2.4	133815	3266	2.4
		अन्य निर्यात	1111498	2856	0.3	978352	2312	0.2
		कुल निर्यात	3137485	18178	0.6	3218905	18145	0.6

टिप्पणी : भारत के हिस्से में शून्य से तात्पर्य नगण्य या कोई भी हिस्सा नहीं है।

स्रोत : इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ईयर बुक : यूनाईटेड नेशन्स, 1990।

7.6 विदेश व्यापार के सूचकांक

(आधार : 1978-79=100)

वर्ष	इकाई मूल्य सूचकांक		परिमाण सूचकांक		व्यापार स्थिति		
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	सकल	निवल	आय
1	2	3	4	5	6	7	8
1969-70	44.0	35.2	55.7	64.9	116.5	125.0	69.6
1970-71*	45.0	35.3	59.0	67.2	113.9	127.4	75.2
1971-72*	46.0	32.8	59.2	80.6	136.1	140.2	83.0
1972-73*	51.2	34.2	66.5	76.7	115.3	149.7	99.6
1973-74*	62.2	48.9	69.5	87.2	125.4	127.2	88.4
1974-75*	78.0	84.5	73.7	77.2	104.7	92.3	68.4
1975-76*	83.9	99.1	81.7	76.0	93.0	84.7	69.2
1976-77*	89.4	96.3	96.8	76.1	78.6	92.9	89.9
1977-78*	100.3	88.0	93.2	100.0	107.3	114.0	106.2
1978-79	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1979-80	105.4	114.1	106.2	116.4	109.7	92.4	98.1
1980-81	108.5	134.2	108.1	137.9	127.6	80.8	87.3
1981-82	124.1	133.1	110.1	150.6	136.8	93.2	102.6
1982-83	132.0	136.3	116.7	154.6	132.4	96.8	113.0
1983-84	151.0	125.8	113.0	185.4	164.1	120.0	135.6
1984-85	169.8	161.7	120.8	156.1	129.2	105.0	126.8
1985-86	170.8	158.8	111.3	182.3	163.8	107.6	119.8
1986-87	179.4	139.4	121.3	212.3	175.0	128.6	156.0
1987-88	195.4	160.0	140.0	204.8	146.3	122.1	170.9
1988-89	232.2	185.5	152.1	224.2	147.4	125.2	190.4
1989-90	276.6	228.4	174.9	227.8	130.2	121.1	211.8
1990-91	292.5	267.7	194.1	237.7	122.5	109.3	212.2
1991-92	369.5	309.1	208.6	228.0	109.3	119.5	249.3
1992-93	421.5	331.0	222.9	282.0	126.5	127.3	283.8
1993-94	**448.0**	**327.2**	**272.4**	**329.1**	**120.8**	**136.9**	**373.0**

*संबंधित उपादानों की सहायता से मूल आधार से रूपांतरित।

टिप्पणी:—1. व्यापार की सकल स्थिति से तात्पर्य है निर्यातों के परिमाण सूचकांक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया आयातों का परिमाण सूचकांक।

2. व्यापार की निवल स्थिति से तात्पर्य है आयातों के इकाई मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया निर्यातों का इकाई मूल्य सूचकांक।

3. व्यापार की आय स्थिति से तात्पर्य है प्रतिशत रूप में दर्शाए गए व्यापार की निवल स्थिति के उत्पाद और निर्यातों के परिमाण सूचकांक।

स्त्रोत :— डी०जी० सी० आई० एण्ड एस।

8.1 (क) : कुल विदेशी सहायता

(करोड़ रुपए)

	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
1	2	3	4
क. प्राधिकृत सहायता			
1979-80	1295.1	564.4	1859.5
1980-81	3771.2	75.8	3847.0
1981-82	2766.5	207.4	2973.9
1982-83	2549.4	423.3	2972.7
1983-84	1700.8	386.9	2087.7
1984-85	4409.3	470.7	4880.0
1985-86	5337.0	313.4	5650.4
1986-87	5730.0	429.5	6159.5
1987-88	8203.1	1062.2	9265.3
1988-89	12855.6	214.2	13069.8
1989-90	10105.8	720.2	10826.0
1990-91	7601.3	522.1	8123.4
1991-92	11805.8	901.8	12707.6
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8
1993-94	**11618.8**	**2415.1**	**14033.9**
ख. उपयोग में लाई गई सहायता			
1979-80	1048.6	304.5	1353.1
1980-81	1765.3	396.5	2161.8
1981-82	1519.4	345.5	1864.9
1982-83	1909.2	342.8	2252.0
1983-84	1962.4	303.4	2265.8
1984-85	1962.2	397.2	2359.4
1985-86	2493.1	442.9	2936.0
1986-87	3175.7	429.3	3605.0
1987-88	4574.4	477.5	5051.9
1988-89	4738.6	565.8	5304.4
1989-90	5137.8	664.7	5802.5
1990-91	6170.0	534.3	6704.3
1991-92	10695.9	919.1	11615.0
1992-93	10102.2	879.6	10981.8
1993-94	**10895.4**	**885.6**	**11781.0**

टिप्पणी:—

1. प्राधिकृत सहायता के आंकड़ों का निर्धारण सहायता देने वाले अलग-अलग देशों की मुद्रा के साथ रुपयों की औसत विनिमय दर लागू करके किया गया है। उपयोग की गई सहायता के आंकड़े लेन देन की तारीख को प्रवृत्त चालू दरों पर हैं।

2. प्राधिकृत तथा उपयोग की गई सहायता के आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखे दोनों में ऋण और अनुदान शामिल हैं।

स्रोत:—सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

8.1 (ख) : कुल विदेशी सहायता

(मिलियन अमरीकी डालर)

	ऋण	अनुदान	जोड़ (2+3)
1	2	3	4
क. प्राधिकृत सहायता			
1979-80	1603.6	698.9	2302.5
1980-81	4768.9	95.9	4864.7
1981-82	3084.9	231.3	3316.2
1982-83	2637.5	437.9	3075.5
1983-84	1644.8	374.2	2019.0
1984-85	3708.7	395.9	4104.6
1985-86	4362.1	256.2	4618.2
1986-87	4484.2	336.1	4820.4
1987-88	6326.7	819.2	7145.9
1988-89	8877.0	147.9	9024.9
1989-90	6069.9	432.6	6502.5
1990-91	4236.4	291.0	4527.3
1991-92	4766.0	364.1	5130.0
1992-93	4275.7	330.7	4606.4
1993-94	**3717.5**	**772.7**	**4490.2**
ख. उपयोग में लाई गई सहायता			
1979-80	1298.4	377.0	1675.5
1980-81	2232.3	501.4	2733.7
1981-82	1694.2	385.3	2079.5
1982-83	1975.2	354.6	2329.8
1983-84	1897.9	293.4	2191.3
1984-85	1650.4	334.1	1984.5
1985-86	2037.7	362.0	2399.7
1986-87	2485.3	336.0	2821.3
1987-88	3528.0	368.2	3896.2
1988-89	3272.1	390.7	3662.7
1989-90	3086.0	399.2	3485.2
1990-91	3438.7	297.8	3736.4
1991-92	4317.9	371.0	4689.0
1992-93	3301.8	287.5	3589.3
1993-94	**3486.0**	**283.4**	**3769.4**

टिप्पणी:—इस सारणी में आंकड़ों को संबंधित रुपए—अमरीकी डालर दरों के आधार पर पूर्ववर्ती सारणी 8.1 (क) से रूपांतरित किया गया है।

8.2 (क) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण;

करोड़ रुपये

सहायता के स्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	2614.9	4118.4	6371.5	5705.3	7232.1	6787.8	10046.6	8982.0	**10221.7**
(ख) अनुदान	68.8	313.4	888.0	177.1	545.3	516.8	754.6	910.1	**1685.3**
जोड़	2683.7	4431.8	7259.5	5882.4	7777.4	7304.6	10801.2	9892.1	**11907.0**
देशवार वितरण									
(1) आस्ट्रिया									
(क) ऋण	1.7	--	--	--	--	--	25.1	--	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	1.7	--	--	--	--	--	25.1	--	--
(2) बेल्जियम									
(क) ऋण	--	--	--	--	10.8	--	--	23.7	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	--	--	--	10.8	--	--	23.7	--
(3) कनाडा									
(क) ऋण	65.8	2.7	--	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान	4.9	--	399.1	4.2	85.2	--	10.6	49.8	--
जोड़	70.7	2.7	399.1	4.2	85.2	--	10.6	49.8	--
(4) डैनमार्क									
(क) ऋण	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान	--	--	48.7	--	47.2	7.4	40.1	178.1	**120.5**
जोड़	--	--	48.7	--	47.2	7.4	40.1	178.1	**120.5**
(5) फ्रांस									
(क) ऋण	182.0	143.7	166.5	292.8	369.1	1.3	118.3	--	**211.1**
(ख) अनुदान	--	--	--	--	50.7	--	11.6	4.0	**0.7**
जोड़	182.0	143.7	166.5	292.8	419.8	1.3	129.9	4.0	**211.8**
(6) जर्मनी									
(क) ऋण	215.2	165.0	508.9	426.5	252.3	1069.3	129.4	1097.3	**171.7**
(ख) अनुदान	--	--	1.1	2.2	--	11.4	3.0	--	**233.9**
जोड़	215.2	165.0	510.0	428.7	252.3	1080.7	132.4	1097.3	**405.6**
(7) इटली									
(क) ऋण	--	77.3	110.9	--	--	57.1	--	--	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	77.3	110.9	--	--	57.1	--	--	--
(8) जापान									
(क) ऋण	46.6	223.6	895.3	1120.6	385.3	1640.9	2637.7	2739.5	**4233.7**
(ख) अनुदान	15.0	16.1	24.8	57.5	32.6	61.6	39.3	104.0	**109.4**
जोड़	61.6	239.7	920.1	1178.1	417.9	1702.5	2677.0	2843.5	**4343.1**
(9) नीदरलैंड									
(क) ऋण	67.7	4.9	168.8	6.1	84.4	101.0	98.2	--	--
(ख) अनुदान	22.1	--	5.2	--	--	126.2	19.9	22.0	**166.3**
जोड़	89.8	4.9	174.0	6.1	84.4	227.2	118.1	22.0	**166.3**
(10) स्वीडन									
(क) ऋण	--	--	--	--	232.3	--	--	--	**1141.2**
(ख) अनुदान	--	106.4	159.6	--	179.8	19.4	125.2	193.2	**90.6**
जोड़	--	106.4	159.6	--	412.1	19.4	125.2	193.2	**1231.8**
(11) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण	--	--	--	--	--	--	42.8	--	--
(ख) अनुदान	--	171.4	219.2	78.7	81.5	253.2	451.1	209.6	**900.3**
जोड़	--	171.4	219.2	78.7	81.5	253.2	493.9	209.6	**900.3**
(12) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण	135.0	47.0	25.4	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान	26.8	19.5	30.3	34.5	68.3	37.6	53.8	149.5	**62.5**
जोड़	161.8	66.5	55.7	34.5	68.3	37.6	53.8	149.5	**62.5**

जारी ---

8.2 (क) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(करोड़ रुपये)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(13) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1
बैंक अनुदान	362.2	2362.3	3231.3	3004.3	4442.4	2219.0	3670.3	1768.4	2250.3
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक-ऋण	1538.7	1092.0	1264.4	855.0	1455.6	1698.4	3324.8	3353.0	2213.7
(14) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ									
(II) रूसी संघ और पूर्वी यूरोप के देश ऋण	485.7	1134.0	1162.7	6210.0	2212.6	--	--	--	--
देशवार वितरण									
(1) रूसी संघ ऋण	485.7	1134.0	1162.7	6210.0	1880.0	--	--	--	--
(2) हंगरी ऋण	--	--	--	--	332.6	--	--	--	--
(III) अन्य									
(क) ऋण	670.6	84.6	668.9	940.3	661.1	813.5	1759.2	4100.2	1397.1
(ख) अनुदान	7.0	--	174.2	37.1	174.9	5.3	147.2	101.5	729.8
जोड़	677.6	84.6	843.1	977.4	836.0	818.8	1906.4	4201.7	2126.9
(1) स्विटजरलैंड									
(क) ऋण	--	--	--	--	--	--	101.0		
(ख) अनुदान	--	--	27.1	--	--	5.3	130.3	22.0	21.8
जोड़	--	--	27.1	--	--	5.3	231.3	22.0	21.8
(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय/संयुक्त राष्ट्र आपात कार्य अनुदान									
(क) ऋण									
(ख) अनुदान	--	--	147.1	37.1	171.3	--	--	46.4	703.0
जोड़	--	--	147.1	37.1	171.3	--	--	46.4	703.0
(3) पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन निधि (क) ऋण	39.8	--	10.4	14.6	--	11.6	--	--	--
(4) विकास के लिए सऊदी अरब निधि (क) ऋण	--	51.6	50.2	--	--	--	--	--	--
(5) अरब आर्थिक विकास हेतु कुवैती निधि									
(क) ऋण	--	30.8	--	36.1		--	--	--	--
(ख) अनुदान	7.0								
जोड़	7.0	30.8	--	36,1		--	--	--	--
(6) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (क) ऋण	13.9	--	15.9	--	28.3	--	48.5	--	--
(7) ईराक (क) ऋण	82.9	--	--	--	--	--	--	--	--
(8) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि (क) ऋण	534.0	--	--	--	--	--	--	--	--
(9) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (क) ऋण	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--
(10) एशियाई विकास बैंक (क) ऋण	--	--	592.4	889.6	631.9	801.9	1609.7	4060.1	1397.1
(11) स्पेन									
(क) ऋण	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--
(12) नार्वे									
(क) ऋण	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	3.6	--	16.9	33.1	5.0
जोड़	--	--	--	--	3.6	--	16.9	33.1	5.0
(13) आस्ट्रेलिया[a]									
(क) ऋण	--	--	--	--	--	--	--	40.1	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	--	--	--	--	--	--	40.1	--
कुल जोड़	3847.0	5650.4	9265.3	13069.8	10826.0	8123.4	12707.6	14093.8	14033.9
(क) ऋण	3771.2	5337.0	8203.1	12855.6	10105.8	7601.3	11805.8	13082.1	11618.8
(ख) अनुदान	75.8	313.4	1062.2	214.2	720.2	522.1	901.8	1011.7	2415.1

-- शून्य

टिप्पणी: सहायता के प्राधिकरण से संबंधित आंकड़ों में सरकारी और गैर-सरकारी लेखे पर हस्ताक्षरित करार शामिल हैं।

स्रोत: सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग 1, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

8.2 (ख) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	3306.7	3366.1	4914.0	3939.6	4343.9	3783.0	4055.8	2935.6	3270.5
(ख) अनुदान	87.0	256.2	684.9	122.3	327.5	288.0	304.6	297.5	539.2
जोड़	3393.7	3622.3	5598.9	4061.9	4671.4	4071.0	4360.4	3233.1	3809.7
देशवार वितरण									
(1) आस्ट्रिया									
(क) ऋण	2.1	..	..	..	..	..	10.1	..	..
(ख) अनुदान							..	..	..
जोड़	2.1	..	..	..	..	..	10.1	..	..
(2) बेल्जियम									
(क) ऋण	..	..	..	..	6.5	..	..	7.7	..
(ख) अनुदान							..	..	..
जोड़	..	..	..	..	6.5	..	..	7.7	..
(3) कनाडा									
(क) ऋण	83.2	2.2	..	..	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	6.2	..	307.8	2.9	51.2	..	4.3	16.3	..
जोड़	89.4	2.2	307.8	2.9	51.2	..	4.3	16.3	..
(4) डैनमार्क									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	..	..	37.6	..	28.4	4.1	16.2	58.2	38.6
जोड़	..	..	37.6	..	28.4	4.1	16.2	58.2	38.6
(5) फ्रांस									
(क) ऋण	230.1	117.4	128.4	202.2	221.7	0.7	47.8	..	67.5
(ख) अनुदान	..	..	..	..	30.5		4.7	1.3	0.2
जोड़	230.1	117.4	128.4	202.2	252.2	0.7	52.5	1.3	67.7
(6) जर्मनी									
(क) ऋण	272.1	134.8	392.5	294.5	151.5	595.9	52.2	358.6	55.0
(ख) अनुदान			0.8	1.5		6.4	1.2		74.8
जोड़	272.1	134.8	393.3	296.0	151.5	602.3	53.4	358.6	129.8
(7) इटली									
(क) ऋण	..	63.2	85.5	..	..	31.8	..	..	..
(ख) अनुदान						..	..	..	..
जोड़	..	63.2	85.5	..	..	31.8	..	..	..
(8) जापान									
(क) ऋण	58.9	182.8	690.5	773.8	231.4	914.5	1064.8	895.4	1354.6
(ख) अनुदान	19.0	13.2	19.1	39.7	19.6	34.3	15.9	34.0	35.0
जोड़	77.9	196.0	709.6	813.5	251.0	948.8	1080.7	929.4	1389.6
(9) नीदरलेंड									
(क) ऋण	85.6	4.0	130.2	4.2	50.7	56.3	39.6	..	..
(ख) अनुदान	27.9		4.0			70.3	8.0	7.2	53.2
जोड़	113.5	4.0	134.2	4.2	50.7	126.6	47.6	7.2	53.2
(10) स्वीडन									
(क) ऋण	..	..	..	..	139.5	..	..	..	365.1
(ख) अनुदान	..	87.0	123.1	..	108.0	10.8	50.5	63.1	29.0
जोड़		87.0	123.1	..	247.5	10.8	50.5	63.1	394.1
(11) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	17.3	..	..
(ख) अनुदान	..	140.1	169.1	54.3	49.0	141.1	182.1	68.5	288.1
जोड़	..	140.1	169.1	54.3	49.0	141.1	199.4	68.5	288.1
(12) संयुक्त राज्य अमेरिका									
(क) ऋण	170.7	38.4	19.6	..	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	33.9	15.9	23.4	23.8	41.0	21.0	21.7	48.9	20.0
जोड़	204.6	54.3	43.0	23.8	41.0	21.0	21.7	48.9	20.0

शून्य

टिप्पणी: इस सारणी में आंकड़े को संबंधित रुपया अमरीकी डालर दरों के आधार पूर्ववर्ती सारणी 8.2 (क) से परिवर्तित किया गया है।

8.2 (ख) : स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का प्राधिकरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(13) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास (xiii) बैंक अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	..	**0.3**
(xiii) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक-ऋण	458.0	1930.7	2492.1	2074.5	2668.2	1236.7	1481.7	578.0	**720.0**
(14) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	1945.8	892.5	975.2	590.4	874.3	946.6	1342.2	1095.9	**708.3**
(II) रूसी संघ और पूर्वी यूरोप के देश									
ऋण	614.2	926.8	896.7	4288.1	1329.0	..	..	..	..
देशवार वितरण									
(1) रुसी संघ									
ऋण	614.2	926.8	896.7	4288.1	1129.2	..	..	..	..
(2) हंगरी									
ऋण	..	..	..	..	199.8	..	..	..	..
III. अन्य									
(a) ऋण	848.0	69.1	515.9	649.3	397.1	453.4	710.2	1340.1	**447.0**
(b) अनुदान	8.9		134.4	25.6	105.0	3.0	59.4	33.2	**233.5**
जोड़	856.9	69.1	650.3	674.9	502.1	456.4	769.6	1373.3	**680.5**
(1) स्विटजरलैंड									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	40.8	..	..
(ख) अनुदान	..	..	20.9	..	..	3.0	52.6	7.2	**7.0**
जोड़	..	..	20.9	..	..	3.0	93.4	7.2	**7.0**
(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय/संयुक्त राष्ट्र आपात कार्य अनुदान									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	..	..	113.5	25.6	102.9	..	..	15.2	**224.9**
जोड़	..	..	113.5	25.6	102.9	..	..	15.2	**224.9**
(3) पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन निधि									
(क) ऋण	50.3	..	8.0	10.1	..	6.5	..	..	..
(4) विकास के लिए सऊदी अरब निधि									
(क) ऋण	..	42.2	38.7	..	..	..	..	..	..
(5) अरब आर्थिक विकास सहायता के लिए कुवैत निधि									
(क) ऋण	..	25.2	..	24.9	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	8.9		..		..	..	..	..	..
जोड़	8.9	25.2	..	24.9	..	..	..	..	..
(6) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि									
(क) ऋण	17.6	..	12.3	..	17.0	..	19.6	..	..
(7) ईराक									
(क) ऋण	104.8	..	..	..	..	..	..	..	..
(8) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि									
(क) ऋण	675.3	..	..	..	..	..	..	..	..
(9) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन									
(क) ऋण	..	1.8	..	..	..	..	..	..	..
(10) एशियाई विकास बैंक									
(क) ऋण	..	..	456.9	614.3	379.6	446.9	649.8	1327.0	**447.0**
(11) स्पेन									
(क) ऋण	..	..	..	..	0.5	..	..	..	..
(ख) अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जोड़	..	..	..	..	0.5	..	..	..	..
12) नार्वे									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(ख) अनुदान	..	..	..	..	2.2	..	6.8	10.8	**1.6**
जोड़	..	..	..	..	2.2	..	6.8	10.8	**1.6**
(13) आस्ट्रेलिया									
(क) ऋण	..	..	..	..	..	..	..	13.1	..
(ख) अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जोड़	..	..	..	..	..	..	..	13.1	..
कुल जोड़	4864.8	4618.3	7145.9	9024.9	6502.5	4527.4	5130.1	4606.4	**4490.2**
(क) ऋण	4768.9	4362.1	6326.7	8877.0	6069.9	4236.4	4766.0	4275.7	**3717.5**
(ख) अनुदान	95.9	256.2	819.2	147.9	432.6	291.0	364.1	330.7	**772.7**

.. शून्य

टिप्पणी: इस सारणी में आंकड़ों को [संबंधित रुपया अमरीकी डालर दरों के आधार पर] पूर्ववर्ती 8.2 (क) से परिवर्तित किया गया है।

18.3 (क): स्त्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(करोड़ रुपये)

सहायता के स्त्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. सहायता संघ के सदस्य :embers									
(क) ऋण	1687.1	2270.2	4290.9	4375.3	4681.8	5383.5	9152.8	8949.0	**10241.7**
(ख) अनुदान	311.9	281.6	299.1	352.0	507.1	413.0	748.6	710.5	**689.3**
जोड़	1999.0	2551.8	4590.0	4727.3	5188.9	5796.5	9901.4	9659.5	**10931.0**
देशवार वितरण ɔution									
(1) आस्ट्रिया									
(क) ऋण	2.0	3.6	--	--	7.2	18.7	6.9	13.7	**17.3**
(ख) अनुदान	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	2.6	3.6	--	--	7.2	18.7	6.9	13.7	**17.3**
(2) बैल्जियम ım									
(क) ऋण	5.5	3.0	6.1	1.2	1.4	--	3.0	11.4	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	5.5	3.0	6.1	1.2	1.4	--	3.0	11.4	--
(3) कनाडा									
(क) ऋण	21.3	40.2	9.7	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान	--	--	16.9	19.8	23.5	15.8	21.0	25.9	**20.1**
जोड़	21.3	40.2	26.6	19.8	23.5	15.8	21.0	25.9	**20.1**
(4) डेनमार्क									
(क) ऋण	2.9	10.8	21.8	9.5	7.3	0.1	0.2	0.6	--
(ख) अनुदान		10.1	28.2	16.2	12.8	57.1	52.4	24.5	**37.9**
जोड़	2.9	20.9	50.0	25.7	20.1	57.2	52.6	25.1	**37.9**
(5) फ्रांस									
(क) ऋण	70.1	170.0	247.0	129.4	161.8	164.2	252.0	354.1	**175.3**
(ख) अनुदान	--	--	--	--	51.4	--	--	0.7	**6.0**
जोड़	70.1	170.0	247.0	129.4	213.2	164.2	252.0	354.8	**181.3**
(6) जर्मनी									
(क) ऋण	142.3	145.4	256.4	274.5	285.7	422.3	840.3	1085.2	**677.1**
(ख) अनुदान	1.2	1.5	0.5	0.7	0.9	0.4	0.9	0.4	--
जोड़	143.5	146.9	256.9	275.2	286.6	422.7	841.2	1085.6	**677.1**
(7) इटली									
(क) ऋण	--	11.9	93.4	42.5	104.7	10.6	61.3	10.8	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	11.9	93.4	42.5	104.7	10.6	61.3	10.8	--
(8) जापान									
(क) ऋण	62.0	157.8	607.7	318.3	421.0	861.3	1873.5	1327.5	**3192.7**
(ख) अनुदान	28.2	17.3	20.5	70.9	46.5	33.6	95.9	41.1	**162.6**
जोड़	90.2	175.1	628.2	389.2	467.5	894.9	1969.4	1368.6	**3355.3**
(9) नीदरलैंड									
(a) Loans	72.5	45.8	79.4	89.8	52.6	125.3	73.9	13.2	--
(ख) अनुदान	33.8	34.7	46.2	45.9	68.4	67.8	111.5	252.7	**137.2**
जोड़	106.3	80.5	125.6	135.7	121.0	193.1	185.4	265.9	**137.2**
(10) स्वीडन									
(क) ऋण	--	--	--	--	90.2	164.8	97.6	66.4	**63.4**
(ख) अनुदान	52.9	12.8	16.0	36.4	162.3	34.2	59.4	46.8	**86.6**
जोड़	52.9	12.8	16.0	36.4	252.5	199.0	157.0	113.2	**150.0**
(11) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण	1.5	--	--	--	--	--	35.8	--	--
(ख) अनुदान	195.2	194.8	131.2	154.7	125.9	181.7	361.7	309.8	**221.0**
जोड़	196.7	194.8	131.2	154.7	125.9	181.7	397.5	309.8	**221.0**
(12) संयुक्त राज्य अमरीका									
(क) ऋण	82.4	59.9	83.3	40.1	40.4	34.5	52.4	68.5	--
(ख) अनुदान	--	10.4	39.6	7.4	15.4	22.4	45.8	8.6	**17.3**
जोड़	82.4	70.3	122.9	47.5	55.8	56.9	98.2	77.1	**17.3**
(13) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ऋण	138.8	394.6	1658.7	2360.8	2543.0	2184.6	3294.8	2582.0	**4021.8**
(13) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं	--	--	--	--	--	--	--	--	**0.6**
(14) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	522.0	1198 *	1206.6	1079.9	948.6	1388.6	2547.5	3407.3	**2082.9**
(15) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्य ऋण)	19.0	--	--	--	--	--	--	--	--
(16) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	7.3	29.2	20.8	29.3	17.9	8.5	13.6	8.3	**11.2**
(17) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	537.5	--	--	--	--	--	--	--	--

जारी...

8.3 (क): स्त्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(करोड़ रुपये)

सहायता के स्त्रोत और स्वरूप ncc	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. रूसी संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के ऋण वितरण									
(i) रूसी संघ— (क) ऋण	32.9	161.2	222.1	218.8	240.5	312.8	137.4	34.8	**(-)0.6**
(ii) चेक तथा स्लोवाक के प्रतिनिधि									
(क) ऋण	32.9	161.2	221.1	207.2	218.4	295.3	137.4	34.8	**(-)0.6**
III. अन्य									
(क) ऋण	--	--	--	11.6	22.1	17.5	0.0	--	--
(ख) अनुदान	45.3	61.7	61.4	144.5	215.5	473.7	1405.7	1118.4	**654.3**
जोड़	84.6	161.3	178.4	213.8	157.6	121.3	170.5	169.1	**196.3**
देशवार वितरण:	129.9	223.0	239.8	358.3	373.1	595.0	1576.2	1287.5	**850.6**
(1) आबूधावी निधि									
(क) ऋण									
(2) स्विटजरलैंड	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--
(क) ऋण									
(ख) अनुदान	0.3	3.4	3.7	4.4	17.5	18.6	1.6	45.8	**21.1**
जोड़	13.9	12.8	15.9	17.2	1.1	1.1	64.2	71.3	**61.6**
(3) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं@@	14.2	16.2	19.6	21.6	18.6	19.7	65.8	117.1	**82.7**
अनुदान									
(4) यूरोपीय आर्थिक समुदाय	--	41.9	67.7	89.6	25.5	48.9	30.6	34.6	**33.5**
अनुदान	63.7	106.6	79.1	94.1	111.2	51.2	41.2	42.3	**91.3**
(5) तेल उत्पादक और निर्यातक देश									
ऋण	3.4	4.7	24.5	29.0	6.9	9.8	18.1	10.1	**5.3**
(6) विकास के लिए सऊदी अरब निधि									
ऋण	13.0	0.2	0.9	5.6	42.6	29.7	26.5	2.2	**5.2**
((7) नार्वे									
अनुदान	--	--	15.7	12.9	19.8	20.1	34.5	20.9	**9.9**
(8) स्पेन									
ऋण	--	--	--	--	38.7	33.2	7.6	--	--
(9) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि									
ऋण	8.6	53.4	10.8	1.8	1.5	1.3	--	5.6	**8.8**
अनुदान@	7.0	--	--	--	--	--	--	--	--
३10) इराक		--	--	--	--	--	--	--	--
ऋण	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--
(11) ईरान		--	--	--	--	--	--	--	--
ऋण	17.3	--	--	--	--	--	--	--	--
(12) एशियाई विकास बैंक ऋण	--	--	21.5	103.7	108.3	381.1	1351.9	1051.8	**607.3**
(13) आस्ट्रेलिया ऋण	--	--	--	--	--	--	--	2.9	**6.6**
कुल जोड़	2161.8	2936.0	5051.9	5304.4	5802.5	6704.3	11615.0	10981.8	**11781.0**
(क) ऋण	1765.3	2493.1	4574.4	4738.6	5137.8	6170.0	10695.9	10102.2	**10895.4**
(ख) अनुदान	396.5	442.9	477.5	565.8	664.7	534.3	919.1	879.6	**885.6**

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋणों के 309.27 करोड़ रुपये की परिक्रमण निधि प्राप्तियां शामिल है।

@ एशियाड खेल, 1982 के लिए इन्डौर स्टेडियम के निर्माण हेतु कुवैत से प्राप्त अनुदान।

@@ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूनीसेफ, यू एन डी पी , आई एल ओ, डब्ल्यू एच ओ, यू एन एफ पी ए और यूनेस्को शामिल है।

टिप्पणी: पूर्णांक के कारण संघटक मदों को योग में नहीं जोड़ा जा सकता।

(2) उपयोगिता आंकड़ो में सघंरक ऋण और वाणिज्यिक उधार शामिल. नहीं है।

(3) सरकारी और गैर-सरकारी लेखों पर सहायता का उपयोग।

स्त्रोत: सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

8.3 (क): स्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. सहायता संघ के सदस्य									
(क) ऋण	2133.4	1855.5	3309.3	3021.2	2812.1	3000.3	3695.0	2924.8	3276.8
(ख) अनुदान	394.4	230.2	230.7	243.1	304.6	230.2	302.2	232.2	220.6
जोड़	2527.8	2085.7	3540.0	3264.3	3116.7	3230.5	3997.2	3157.0	3497.4
देशवार ब्यौरा वितरण									
(1) आस्ट्रिया									
(क) ऋण	2.5	2.9	--	--	4.3	10.4	2.8	4.5	5.5
(ख) अनुदान	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	3.3	2.9	--	--	4.3	10.4	2.8	4.5	5.5
(2) बैल्जियम									
(क) ऋण	7.0	2.5	4.7	0.8	0.8	--	1.2	3.7	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	7.0	2.5	4.7	0.8	0.8	--	1.2	3.7	--
(3) कनाडा									
(क) ऋण	26.9	32.9	7.5	--	--	--	--	--	--
(ख) अनुदान			13.0	13.7	14.1	8.8	8.5	8.5	6.5
जोड़	26.9	32.9	20.5	13.7	14.1	8.8	8.5	8.5	6.5
(4) डेनमार्क									
(क) ऋण	3.7	8.8	16.8	6.6	4.4	0.1	0.1	0.2	--
(ख) अनुदान		8.3	21.7	11.2	7.7	31.8	21.2	8.0	12.1
जोड़	3.7	17.1	38.5	17.8	12.1	31.9	21.3	8.2	12.1
(5) फ्रांस									
(क) ऋण	88.6	138.9	190.5	89.4	97.2	91.5	101.7	115.7	56.1
(ख) अनुदान	--	--	--	--	30.9	--	--	0.2	1.9
जोड़	88.6	138.9	190.5	89.4	128.1	91.5	101.7	115.9	58.0
(6) जर्मनी									
(क) ऋण	179.9	118.8	197.7	189.5	171.6	235.4	339.2	354.7	216.6
(ख) अनुदान	1.5	1.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	--
जोड़	181.4	120.0	198.1	190.0	172.1	235.6	339.6	354.8	216.6
(7) इटली									
(क) ऋण	--	9.7	72.0	29.3	62.9	5.9	24.7	3.5	--
(ख) अनुदान	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जोड़	--	9.7	72.0	29.3	62.9	5.9	24.7	3.5	--
(8) जापान									
(क) ऋण	78.4	129.0	468.7	219.8	252.9	480.0	756.3	433.9	1021.5
(ख) अनुदान	35.7	14.1	15.8	49.0	27.9	18.7	38.7	13.4	52.0
जोड़	114.1	143.1	484.5	268.8	280.8	498.7	795.0	447.3	073.5
(9) नीदरलैंड									
(क) ऋण	91.7	37.4	61.2	62.0	31.6	69.8	29.8	4.3	--
(ख) अनुदान	42.7	28.4	35.6	31.7	41.1	37.8	45.0	82.6	44.0
जोड़	134.4	65.8	96.8	93.7	72.7	107.6	74.8	86.9	44.0
(10) स्वीडन									
(क) ऋण					54.2	91.8	39.4	21.7	20.3
(ख) अनुदान	66.9	10.5	12.3	25.1	97.5	19.1	24.0	15.3	27.7
जोड़	66.9	10.5	12.3	25.1	151.7	110.9	63.4	37.0	48.0
(11) यूनाइटेड किंगडम									
(क) ऋण	1.9	--	--	--	--	--	14.5	--	--
(ख) अनुदान	246.8	159.2	101.2	106.8	75.6	101.3	146.0	101.3	70.7
जोड़	248.7	159.2	101.2	106.8	75.6	101.3	160.5	101.3	70.7
(12) संयुक्त राज्य अमरीका									
(क) ऋण	104.2	49.0	64.2	27.7	24.3	19.2	21.2	22.4	--
(ख) अनुदान	--	8.5	30.5	5.1	9.2	12.5	18.5	2.8	5.5
जोड़	104.2	57.5	94.7	32.8	33.5	31.7	39.7	25.2	5.5
(13) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं	175.5	322.5	1279.3	1630.2	1527.4	1217.5	1330.1	843.9	1286.8
(xii (विशेष कार्य ऋण) nts	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2
(14) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ऋण	660.1	979.2	930.6	745.7	569.8	773.9	1028.4	1113.6	666.4
(15) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ बैंक अनुदान	24.0	--	--	--	--	--	--	--	--
(16) यूरोपीय आर्थिक समुदाय	9.2	23.9	16.0	20.2	10.8	4.7	5.5	2.7	3.6
(17) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	679.7	--	--	--	--	--	--	--	--

जारी ...

8.3 (ख): स्त्रोत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

(मिलियन अमरीकी डालर)

सहायता के स्त्रोत और स्वरूप	1980-81	1985-86	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.रूसी संघ और पूर्वी यूरोप के देश									
ऋण	41.6	131.8	171.3	151.1	144.5	174.3	55.5	11.4	**(-) 0.2**
देशवार वितरण									
(i) रूसी संघ									
(क) ऋण	41.6	131.8	170.5	143.1	131.2	164.6	55.5	11.4	**(-) 0.2**
(ii). चेक तथा स्लोवाक के प्रतिनिधि									
(क) ऋण	--	--	--	--	13.3	9.8	--	--	--
II. अन्य									
(क) ऋण	57.3	50.4	47.4	99.8	129.4	264.0	567.5	365.5	**209.4**
(ख) अनुदान	107.0	131.8	137.6	147.6	94.7	67.6	68.8	55.2	**62.8**
जोड़	164.3	182.2	185.0	247.4	224.1	331.6	636.3	420.7	**272.2**
देशवार वितरण:									
(1) आबूधाबी निधि									
(क) ऋण	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--
(2) स्विटजरलैंड									
(क) ऋण	0.4	2.8	2.9	3.0	10.5	10.4	0.6	15.0	**6.8**
(ख) अनुदान	17.6	10.5	12.3	11.9	0.7	0.6	25.9	23.3	**19.7**
जोड़	18.0	13.3	15.2	14.9	11.2	11.0	26.5	38.3	**26.5**
(3) अन्य अंतराष्ट्रीय संस्थान									
अनुदान	--	34.2	52.2	61.9	15.3	27.3	12.4	11.3	**10.7**
(4) यूरोपीय आर्थिक समुदाय									
अनुदान	80.6	87.1	61.0	65.0	66.8	28.5	16.6	13.8	**29.2**
(5) तेल उत्पादक और निर्यातक देश									
ऋण	4.3	3.8	18.9	20.0	4.1	5.5	7.3	3.3	**1.7**
(6) विकास के लिए सऊदी अरब निधि									
ऋण	16.4	0.2	0.7	3.9	25.6	16.6	10.7	0.7	**1.7**
(7) नार्वे									
अनुदान	--	--	12.1	8.9	11.9	11.2	13.9	6.8	**3.2**
(8) स्पेन									
ऋण	--	--	--	--	23.2	18.5	3.1	--	--
(9) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि									
ऋण	10.9	43.6	8.3	1.2	0.9	0.7	--	1.8	**2.8**
	8.9	--	--	--	--	--	--	--	--
(10) इराक									
ऋण	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--
(11) ईरान									
ऋण	21.9	--	--	--	--	--	--	--	--
(12) ए॰ डी॰ बी॰									
ऋण		--	16.6	71.6	65.0	212.4	545.8	343.8	**194.3**
(13) आस्ट्रेलिया									
ऋण								0.9	**2.1**
कुल जोड़	2733.7	2399.7	3896.2	3662.8	3485.2	3736.5	4688.9	3589.2	**3769.4**
(क) ऋण	2232.3	2037.7	3528.0	3272.1	3086.0	3438.7	4317.9	3301.8	**3486.0**
(ख) अनुदान	501.4	362.0	368.2	390.7	399.2	297.8	371.0	287.4	**283.4**

टिप्पणी: इस सारणी में आंकड़ों को सम्बन्धित रूपया अमरीकी डालर दरों के आधार पर पूर्ववर्ती सारणी 8.3(क) से परिवर्तित किया गया है।

8.4 (क) : भारत का विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	मार्च के अन्त में						सितम्बर के अन्त में
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1994(अ)
I. बहुपक्षीय	27535	32886	40386	68262	77758	82185	84069
क. सरकारी उधार	26719	31575	38429	63787	72286	75617	77362
(i) रियायती	19333	21760	25849	40990	48206	50250	52486
(क) आई॰ डी॰ ए॰	18477	21055	25221	40017	47167	49238	51453
(ख) अन्य	856	705	628	973	1039	1012	1033
(ii) गैर-रियायती	7386	9815	12580	22797	24080	25367	24876
(क) आई॰ बी॰ आर॰ डी॰	7362	9752	12161	21134	21602	22518	21772
(ख) अन्य	24	63	419	1663	2478	2849	3104
ख. गैर-सरकारी उधार	816	1311	1957	4475	5472	6568	6707
(i) रियायती	0	0	0	0	0	0	0
(ii) गैर-रियायती	816	1311	1957	4475	5472	6568	6707
क. सरकारी क्षेत्र	130	158	303	1424	1777	2786	2849
(i) आई॰ बी॰ आर॰ डी॰	130	158	303	962	1300	2158	2220
(ii) अन्य	0	0	0	462	477	628	629
ख. वित्तीय संस्थाएं	409	799	1270	2345	2883	2708	2754
(i) आई॰ बी॰आर॰ डी॰	278	503	872	1720	1791	1667	1727
(ii) अन्य	131	296	398	625	1092	1041	1027
ग. निजी क्षेत्र	277	354	384	706	812	1074	1104
(i) ई॰ बी॰आर॰ डी॰	274	313	330	628	709	953	987
(ii) अन्य	3	41	54	78	103	121	117
II. द्विपक्षीय	20174	22993	27378	47603	50258	53548	49534
क. सरकारी उधार	17625	19444	23065	40371	42220	45387	47880
(i) रियायती	17625	19444	23065	40371	42220	45387	47880
(ii) गैर-रियायती	0	0	0	0	0	0	0
ख. गैर- सरकारी उधार	2549	3549	4313	7232	8038	8161	1654
(i) रियायती	398	441	514	928	1243	1453	1654
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	40	7	0	0	0	190	215
(ख) वित्तीय संस्थाएं	354	431	514	928	1243	1263	1439
(ग) निजी क्षेत्र	4	3	0	0	0	0	0
(ii) गैर-रियायती	2151	3108	3799	6304	6795	6708	6674
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	1702	2581	2957	4472	4726	4443	4492
(ख) वित्तीय संस्थाएं	196	271	527	1236	1571	1669	1661
(ग) निजी क्षेत्र	253	256	315	596	498	596	521

जारी···

8.4 (क) : भारत का विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	मार्च के अन्त में						सितम्बर के अन्त में
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1994(अ)
III. आई एन एफ	3696	2572	5132	8934	14985	15812	12719
IV. निर्यात ऋण	4069	8002	8374	12418	13484	13786	12893
(क) क्रेता ऋण	1958	1877	2230	3566	3989	4982	4519
(ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	1049	950	933	1380	2050	2100	1922
(ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	1062	1340	1390	2428	3671	3947	4164
(घ) सुरक्षा खरीदों के लिए निर्यात ऋण	n.a.	3835	3821	5044	3774	2757	2288
V. वाणिज्यिक उधार	12803	15988	19727	35664	36251	36178	37108
(क) वाणिज्यिक बैंक ऋण	9815	11453	13200	20933	20156	17975	18216
(ख) प्रतिभूतिकृत उधार (आई॰ डी॰ बी॰ सहित)	2749	4227	5840	13219	13990	15991	16696
(ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारण्टी* आई॰एफसी॰ (डब्ल्यू) सहित ऋण/प्रतिभूतिकृत आदि	239	308	687	1512	2105	2212	2196
VI. एन॰ आर॰ आई॰ और एफ॰ सी॰ (बी एण्ड ओ) जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	12342	15819	20350	27575	34941	39729	41898
(क) एन॰ आर॰ आई॰ जमा राशियां	12342	15819	20163	26928	34113	39729	41898
(ख) एफ॰ सी॰ (बी॰ एण्ड ओ) जमा राशियां	0	0	187	647	828	0	0
VII. रुपया ऋण* *	n.a.	19075	25199	31956	33149	31591	31847
(क) रक्षा	n.a.	17276	22875	28796	30177	28735	29014
(ख) नागरिक	1433	1799	2324	3160	2972	2856	2833
VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (I से VII) o VII)	80619	117335	146546	232412	260826	272829	270068
IX. अल्पावधि ऋण	7784	12943	16765	20620	19804	11375	8907
(क) एन आर॰ आई॰ जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	4043	5568	7008	6495	8131	4078	4734
(ख) एफ॰॰ सी॰ (बी एण्ड ओ) जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	0	0	328	924	2433	1672	16
(ग) अन्य (व्यापार से सम्बद्ध)**	3741	7375	9429	13201	9240	5625	4157
जिसमें से 6 महीने के अल्पावधि ऋण	1695	3472	4976	4738	5601	5625	4157
X. सकल जोड़ (रक्षा ऋण छोड़कर)	89836	109167	136615	219193	246679	252712	247673
(रक्षा ऋण सहित)	n.a.	130278	163311	253033	280630	284204	278975

अ—अनन्तिम

*—रूस को देय ऋण जो रुपयो में मूल्यवर्गित है और चालू विनिमय दर पर परिवर्तनीय, जो निर्यात में अदायगी योग्य है।

†मार्च, 1990 के अंत से रुपया सप्लायर ऋण शामिल है।

**इसमें एल॰ सी॰ आधारित व्यापार ऋण शामिल नहीं है जिसके लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और भारतीय रिजर्व बैंक।

8.4 (ख) : भारत का विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	मार्च के अन्त में						सितम्बर के अन्त में
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1994(अ)
I. बहुपक्षीय	17560	19164	20900	23090	25008	26258	26360
क. सरकारी उधार	17004	18399	19887	21651	23247	24158	24715
(i) रियायती	12304	12672	13377	14320	15503	16044	16757
(क) आई॰ डी॰ ए॰	11759	12261	13052	13974	15169	15721	16427
(ख) अन्य	545	411	325	346	334	323	330
(ii) गैर-रियायती	4700	5727	6510	7331	7744	8114	7958
(क) आई॰ बी॰ आर॰ डी॰	4685	5690	6293	6796	6947	7203	6965
(ख) अन्य	15	37	217	535	797	911	993
ख. गैर-सरकारी उधार	556	765	1013	1439	1761	2100	2145
(i) रियाती	0	0	0	0	0	0	0
(ii) गैर-रियायती	556	765	1013	1439	1761	2100	2145
क. सरकारी क्षेत्र	83	92	157	458	572	891	911
(क) आई॰ बी॰ आर॰ डी॰	83	92	157	308	418	690	710
(ii) अन्य	0	0	0	150	154	201	201
ख. वित्तीय संस्थाएं	296	465	657	754	928	866	881
(i) आई॰ बी॰आर॰ डी॰	178	292	451	553	576	533	552
(ii) अन्य	118	173	206	201	352	333	329
ग. निजी क्षेत्र	177	208	199	227	261	343	353
(i) आई॰ बी॰आर॰ डी॰	175	184	171	202	228	305	316
(ii) अन्य	2	24	28	25	33	38	37
II. द्विपक्षीय	12843	13564	14168	15466	16154	17122	17974
क. सरकारी उधार	11227	11489	11936	13099	13578	14519	15317
(i) रियायती	11227	11489	11936	13099	13578	14519	15317
(ii) गैर-रियायती	0	0	0	0	0	0	0
ख. गैर- सरकारी उधार	1616	2075	2232	2367	2576	2603	2657
(i) रियायती	242	261	266	348	400	465	529
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	26	4	0	0	0	61	69
(ख) वित्तीय संस्थाएं	214	255	266	348	400	404	460
(ग) निजी क्षेत्र	2	2	0	0	0	0	0
(ii) गैर-रियायती	1374	1814	1966	2019	2176	2138	2128
(क) सार्वजनिक क्षेत्र	1087	1507	1530	1432	1513	1416	1432
(ख) वित्तीय संस्थाएं	125	158	273	396	503	532	530
(ग) निजी क्षेत्र	162	149	163	191	160	190	166

जारी····

8.4 (ख) : भारत का विदेशी ऋण

(मिलियन अमरीकी डालर)

	मार्च के अन्त में						सितम्बर के अन्त में
	1989	1990	1991	1992	1993	1994(अ)	
III. आई एम एफ	2365	1493	2623	3451	4799	5040	4055
IV. निर्यात ऋण	2597	4655	4301	3990	4322	4399	4114
(क) क्रेता ऋण	1251	1096	1154	1142	1277	1588	1440
(ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	670	555	483	442	656	669	613
(ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण संघटक	676	790	719	791	1181	1263	1332
(च) सुरक्षा खरीदों के लिए निर्यात ऋण	n.a.	2214	1945	1615	1208	879	729
V. वाणिज्यिक उधार	8176	9335	10209	11700	11606	11525	11829
(क) वाणिज्यिक बैंक ऋण	6268	6687	6831	6704	6453	5730	5807
(ख) प्रतिभूतिकृत उधार (आई॰ डी॰ बी॰ सहित)	1756	2468	3022	4512	4479	5090	5322
(ग) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारण्टी* आई॰एफसी॰ (डब्ल्यू) सहित ऋण/प्रतिभूतिकृत आदि	152	180	356	484	674	705	700
VI. एन॰ आर॰ आई॰ और एफ॰ सी॰ (बीएण्ड ओ) जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि से ऊपर)	7896	9183	10372	10144	11141	12665	13356
(क) एन॰ आर॰ आई॰ जमा राशियां	7896	9183	10277	9894	10876	12665	13356
(ख) एफ॰ सी॰ (बी॰ एण्ड ओ) जमा राशियां	0	0	95	250	265	0	0
VII. रुपया ऋण*	n.a.	11021	12847	10420	10616	10088	9425
(क) रक्षा	n.a.	9972	11645	9222	9661	9159	8519
(ख) नागरिक	917	1049	1202	1198	955	929	906
VIII. कुल दीर्घकालिक ऋण (I से VII)	51437	68415	75420	78261	83646	87097	87613
IX. अल्पावधि ऋण	4974	7489	8539	7073	6340	3626	2839
(क) एन आर॰ आई॰ जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	2586	3232	3572	2489	2603	1300	1509
(ख) एफ॰॰ सी॰ (बी एण्ड ओ) जमा राशियां (एक वर्ष तक की परिपक्वता)	0	0	167	357	779	533	5
(ग) अन्य (व्यापार से सम्बद्ध)**	2388	4257	4800	4227	2958	1793	1325
जिसमें से 6 महीने के अल्पावधि ऋण	1082	2004	2533	1517	1793	1793	1325
X. सकल जोड़ (रक्षा ऋण छोड़कर)	57328	63718	70369	74497	79117	80685	81204
(रक्षा ऋण सहित)	n.a.	75904	83959	85334	89986	90723	90452

अ—अनन्तिम

*—रूस को देय ऋण जो रुपयो में मूल्यवर्गित है और निर्यातों में अदायगी योग्य है।

†—मार्च, 1990 के अंत से रुपया सप्लायर ऋण शामिल है।

**—इसमें एल॰ सी॰ आधारित व्यापार ऋण शामिल नहीं है जिसके लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और भारतीय रिजर्व बैंक।

8.5 (क): अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एन॰आर॰(ई) आर॰ए॰) योजना के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज की दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

परिपक्वता अवधि	से प्रभावी							
	12 अक्तूबर 1987	16 अप्रैल, 1990	13 अप्रैल, 1991	9 अक्तूबर, 1992	8 अप्रैल, 1993	12 अक्तूबर, 1993	16 मई, 1994	18 अक्तूबर 1994
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 15 दिन से 45 दिन	3.0	*	*	*	*	*	*	*
2. 46 दिन से 90 दिन	4.0)							
3. 91 दिन से लेकर 6 महीने से कम	6.5)	8.5	8.5					
4. 6 महीने से लेकर 1 वर्ष से कम	8.5)							
5. 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	10.5	10.5	10.5	13 प्रतिशत से से अधिक नहीं	12 प्रतिशत से से अधिक नहीं	11 प्रतिशत से से अधिक नहीं	10 प्रतिशत से से अधिक नहीं	8 प्रतिशत से से अधिक नहीं
6. 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	11.0	11.0	11.0					
7. 3 वर्ष 5 वर्ष के कम	12.0	12.0	13.0					
8. 5 वर्ष व उससे अधिक	13.0	13.0	14.0					

*15 दिन से लेकर 45 दिनों तक की परिपक्वता वाली अवधि 16 अप्रैल, 1990 से समाप्त कर दी गई है।

8.5 (ख): विदेश मुद्रा अनिवासी खाता (एफ॰सी॰एन॰आर॰ए॰) योजना के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

प्रभावी	परिपक्वता अवधि															
	अमरीकी डालर $				पाउंड स्टर्लिंग				ड्यूश मार्क				येन			
	6 महीने से लेकर 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	3 वर्ष केवल	6 महीने से लेकर 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	3 वर्ष केवल	6 महीने से लेकर 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	3 वर्ष केवल	6 महीने से लेकर 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम	3 वर्ष केवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27 मार्च, 1990	9.25	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.25	8.50	8.50	8.50
4 मई	9.25	9.75	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.00	8.25	8.25	8.25
10 मई, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
19 जुलाई, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25
13 अगस्त, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50
3 सितम्बर, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	9.00	9.25	9.25	9.25
25 सितम्बर, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.25	9.50	9.75	9.75
26 अक्तूबर 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.00	9.25	9.25	9.25
4 दिसम्बर, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.50	9.75	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00
14 जनवरी, 1991	8.25	8.50	9.00	9.25	11.50	11.75	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
8 फरवरी, 1992	7.50	8.00	8.50	9.00	13.25	13.25	13.25	13.25	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
12 दिसम्बर, 1991	6.50	6.75	7.25	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	7.50	7.50	7.50	7.50
27 जनवरी, 1991	5.50	5.75	6.75	7.50	12.00	12.00	12.00	12.00	10.25	10.25	10.50	10.50	7.00	7.00	7.00	7.00
27 मार्च, 1992	5.75	6.25	7.50	8.25	12.00	12.00	12.00	12.00	10.50	10.50	10.50	10.50	6.00	6.00	6.50	7.00
13 जुलाई, 1992	4.75	5.25	6.25	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.50	10.50	10.50	10.50	5.75	6.00	6.00	6.50
12 अक्तूबर, 1992	4.00	4.50	5.50	6.25	9.75	10.00	10.00	10.25	9.75	9.75	9.75	9.75	4.75	5.00	5.25	5.75
2 नवम्बर, 1992	4.50	5.00	6.00	6.75	8.00	8.00	8.75	9.25	9.00	9.00	9.00	9.00	4.75	5.00	5.25	5.75
22 फरवरी, 1993	4.25	4.75	5.75	6.50	7.00	7.00	7.50	8.00	8.75	8.50	8.25	8.25	4.25	4.50	4.75	5.25
15 मार्च, 1993	4.00	4.25	5.25	5.75	6.75	6.75	7.25	7.75	8.00	8.00	8.00	8.00	4.25	4.50	4.50	5.00
10 मई, 1993	4.00	4.25	5.00	5.50	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00
8 जून, 1993	4.25	4.50	5.50	6.00	6.75	7.00	7.75	8.25	8.00	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00
29 जुलाई 1993	4.25	4.75	5.50	6.00	6.75	7.00	7.50	8.00	7.75	7.50	7.50	7.50	4.00	4.25	4.50	5.00
	4.00	4.25	4.75	5.25	6.75	6.50	7.00	7.50	7.25	6.75	6.75	7.00	3.50	3.50	3.75	4.00
13 सितम्बर, 1993	4.00	4.25	4.75	5.25	6.50	6.50	6.75	7.25	7.25	6.75	6.50	6.75	3.25	3.25	3.50	3.75
25 अक्तूबर, 1993	4.25	4.50	5.00	5.50	6.25	6.25	6.25	7.00	6.75	6.25	6.25	6.25	3.00	3.00	3.25	3.50
27 दिसम्बर, 1993	4.25	4.50	5.00	5.50	6.25	6.25	6.25	7.00	6.75	6.25	6.00	6.00	2.75	2.75	3.00	3.25
4 फरवरी, 1993	4.25	4.50	5.00	5.50	6.25	6.25	6.25	6.75	6.75	6.25	5.75	5.75	2.75	2.75	3.00	3.25
8 मार्च, 1994	4.25	4.50	5.25	5.75	5.75	5.75	6.25	6.50	6.25	6.25	5.75	5.75	2.75	2.75	3.00	3.25
30 मार्च, 1994	4.50	5.00	5.75	6.00	5.50	5.75	6.50	7.00	6.00	5.75	5.75	6.00	2.75	2.75	3.25	3.50
23 मई, 1994	4.50	5.00	5.75	6.00	5.50	5.75	6.50	7.00	5.25	5.25	5.50	5.75	2.50	2.50	3.00	3.25
8 जुलाई, 1994	4.50	5.00	5.75	6.00	5.25	5.75	6.50	7.00	4.75	5.00	5.50	5.75	2.00	2.00	2.75	3.25
25 जुलाई, 1994	4.50	5.00	5.75	6.00	5.25	5.75	6.50	7.00	4.50	4.75	5.25	5.50	2.00	2.00	2.75	3.25
17 नवम्बर, 1994	4.50	5.50	6.25	6.50	5.25	6.25	7.00	7.50	4.50	4.75	5.25	5.50	2.00	2.00	2.75	3.25
9 जनवरी, 1995	**4.50**	**6.50**	**7.00**	**7.00**	**5.25**	**6.50**	**7.25**	**7.50**	**4.50**	**5.00**	**5.75**	**6.00**	**2.00**	**2.25**	**2.75**	**3.25**

*एफ॰सी॰एन॰आर॰ए॰ योजना की विभिन्न परिपक्वताओं को चरणों में वापस ले लिया गया था और अंततः इस योजना को 15 अगस्त, 1994 से समाप्त कर दिया गया। तथापि, ये ब्याज दरें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफ॰सी॰एन॰आर॰(बी॰)] जमा की नई योजना के लिए विभिन्न परिपक्वताओं के लिए निम्नलिखित प्रकार से वैध है:-

(i) छः महीने से लेकर 2 वर्ष से कम परिपक्वताओं के लिए 15 मई, 1993 से;

(ii) एक वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम की परिपक्वताओं के लिए 12 अक्तूबर, 1993 से;

(iii) दो वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम की परिपक्वताओं के लिए 15 फरवरी, 1994 से; और

(iv) केवल 3 वर्ष की परिपक्वताओं के लिए 15 अगस्त, 1994 से।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

9.1 : भारत की जनसंख्या—1991

	जोड़	पुरुष	महिलाएं	ग्रामीण	शहरी	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1	2	3	4	5	6	7	8
भारत	846302688	439230458	407072230	628691676	217611012	138223277	67758380
राज्य							
1. आन्ध्र प्रदेश	66508008	33724581	32783427	48620882	17887126	10592066	4199481
2. अरुणाचल प्रदेश	864558	465004	399554	753930	110628	4052	550351
3. आसाम	22414322	11657989	10756333	19926527	2487795	1659412	2874441
4. बिहार	86374465	45202091	41172374	75021453	11353012	12571700	6616914
5. गोवा	1169793	594790	575003	690041	479752	24364	376
6. गुजरात	41309582	21355209	19954373	27063521	14246061	3060358	6161775
7. हरियाणा	16463648	8827474	7636174	12408904	4054744	3250933	-
8. हिमाचल प्रदेश	5170877	2617467	2553410	4721681	449196	1310296	218349
9. जम्मू और कश्मीर	7718700	4014100	3704600	5879300	1839400	उ॰न॰	उ॰न॰
10. कर्नाटक	44977201	22951917	22025284	31069413	13907788	7369279	1915691
11. केरल	29098518	14288995	14809523	21418224	7680294	2886522	320967
12. मध्य प्रदेश	66181170	34267293	31913877	50842333	15338837	9626679	15399034
13. महाराष्ट्र	78937187	40825618	38111569	48395601	30541586	8757842	7318281
14. मणिपुर	1837149	938359	898790	1331504	505645	37105	632173
15. मेघालय	1774778	907687	867091	1444731	330047	9072	1517927
16. मिजोरम	689756	358978	330778	371810	317946	691	653565
17. नागालैंड	1209546	641282	568264	1001323	208223	-	1060822
18. उड़ीसा	31659736	16064146	15595590	27424753	4234983	5129314	7032214
19. पंजाब	20281969	10778034	9503935	14288744	5993225	5742528	-
20. राजस्थान	44005990	23042780	20963210	33938877	10067113	7607820	5474881
21. सिक्किम	406457	216427	190030	369451	37006	24084	90901
22. तमिलनाडु	55858946	28298975	27559971	36781354	19077592	10712266	574194
23. त्रिपुरा	2757205	1417930	1339275	2335484	421721	451116	853345
24. उत्तर प्रदेश	139112287	74036957	65075330	111506372	27605915	29276455	287901
25. पश्चिम बंगाल	68077965	35510633	32567332	49370364	18707601	16080611	3808760
संघ राज्य क्षेत्र							
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	280661	154369	126292	205706	74955	-	26770
2. चंडीगढ़	642015	358614	283401	66186	575829	105977	-
3. दादर और नगर हवेली	138477	70953	67524	126752	11725	2730	09380
4. दमन और द्वीव	101586	51595	49991	54043	47543	·3891	11724
5. दिल्ली	9420644	5155512	4265132	949019	8471625	1794836	-
6. लक्षद्वीप	51707	26618	25089	22593	29114	-	48163
7. पांडिचेरी	807785	408081	399704	290800	516985	131278	-

उ॰न—उपलब्ध नहीं

—शून्य जनसंख्या

टिप्पणी—वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी। वर्ष 1991 के लिए जम्मू और कश्मीर के आंकड़े अनुमानित जनसंख्या के हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए जम्मू और कश्मीर तथा समग्र भारत के विवरण को कालम 7 और 8 में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: भारत की जनगणना शृंखला-I, 1992 का प्रपत्र 2 अंतिम जनसंख्या का जोड़— प्राथमिक जनगणना सार का संक्षिप्त विश्लेषण।

9.2 : भारत की जनसंख्या 1991 की विशेषताएं

	वार्षिक छातांकी की वृद्धि दर (19981-91) प्रतिशत	कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में 0-6 वर्ष की आयु की जनसंख्या	घनत्व (जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर)	साक्षरता * दर			कार्य सहभागिता दर (कुल जनसंख्या के प्रतिशत क रूप में कुल श्रमिक)		
				योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	2.14	17.94	274	52.21	64.13	39.29	37.46	51.55	22.25
राज्य									
1. आन्ध्र प्रदेश	2.17	16.49	242	44.09	55.13	32.72	45.05	55.48	34.32
2. अरुणाचल प्रदेश	3.14	21.12	10	41.59	51.45	29.69	46.24	53.76	37.49
3. आसाम	2.17	19.73	286	52.89	61.87	43.03	36.09	49.45	21.61
4. बिहार	2.11	20.57	497	38.48	52.49	22.89	32.16	47.92	14.86
5. गोवा	1.49	11.74	316	75.51	83.64	67.09	35.28	49.56	20.52
6. गुजरात	1.92	16.53	211	61.29	73.13	48.64	40.23	53.57	25.96
7. हरियाणा	2.42	18.98	372	55.85	69.10	40.47	31.00	48.51	10.76
8. हिमाचल प्रदेश	1.89	16.25	93	63.86	75.36	52.13	42.83	50.64	34.81
9. जम्मू और कश्मीर	2.54	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	NA
10. कर्नाटक	1.92	16.63	235	56.04	67.26	44.34	41.99	54.09	29.39
11. केरल	1.34	13.19	749	89.81	93.62	86.17	31.43	47.58	15.85
12. मध्य प्रदेश	2.38	19.78	149	44.20	58.42	28.85	42.82	52.26	32.68
13. महाराष्ट्र	2.29	17.11	257	64.87	76.56	52.32	42.97	52.17	33.11
14. मणिपुर	2.57	16.69	82	59.89	71.63	47.60	42.18	45.27	38.96
15. मेघालय	2.84	22.18	79	49.10	53.12	44.85	42.67	50.07	34.93
16. मिजोरम	3.34	18.60	33	82.27	85.61	78.60	48.91	53.87	43.52
17. नागालैंड	4.45	17.15	73	61.67	67.62	54.75	42.68	46.86	37.96
18. उड़ीसा	1.83	16.89	203	49.09	63.09	34.68	37.53	53.79	20.79
19. पंजाब	1.89	16.30	403	58.51	65.66	50.41	30.88	54.22	4.40
20. राजस्थान	2.50	20.13	129	38.55	54.99	20.44	38.87	49.30	27.40
21. सिक्किम	2.51	18.37	57	56.94	65.74	46.69	41.51	51.26	30.41
22. तमिलनाडु	1.43	13.33	429	62.66	73.75	51.33	43.31	56.39	29.89
23. त्रिपुरा	2.95	18.03	263	60.44	70.58	49.65	31.14	47.55	13.76
24. उत्तर प्रदेश	2.27	20.27	473	41.60	55.73	25.31	32.20	49.68	12.32
25. पश्चिम बंगाल	2.21	16.98	767	57.70	67.81	46.56	32.19	51.40	11.25
संघ राज्य क्षेत्र									
1. अंडमान और निकोबार द्वीप, समूह	3.97	16.51	34	73.02	78.99	65.46	35.24	53.32	13.13
2. चंडीगढ़	3.52	14.92	5632	77.81	82.04	72.34	34.94	54.34	10.39
3. दादर और नगर हवेली	2.89	20.46	282	40.71	53.56	26.98	53.25	57.50	48.79
4. दमन और द्वीव	2.52	15.53	907	71.20	82.66	59.40	37.63	51.63	23.17
5. दिल्ली	4.15	17.06	6352	75.29	82.01	66.99	31.64	51.72	7.36
6. लक्षद्वीप	2.51	18.30	1616	81.78	90.18	72.89	26.43	44.17	7.60
7. पांडिचेरी	2.90	13.67	1642	74.74	83.68	65.63	33.08	50.55	15.24

उ॰न—उपलब्ध नहीं *सात वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से संबंधित।

टिप्पणी—वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी और वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या शामिल है। तथापि कालम 4 से 11 में जम्मू और कश्मीर की दरें शामिल नहीं है।

स्रोतः भारत की जनगणना 1991 श्रृंखला-I, 1992 का प्रपत्र 2 अंतिम जनसंख्या के जोड़-प्राथमिक जनगणना सार का संक्षिप्त विश्लेषण।

BILL NO. 12 OF 1995

THE FINANCE BILL, 1995

(AS INTRODUCED IN LOK SABHA)

The Finance Bill, 1995

THE FINANCE BILL, 1995

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CHAPTER I

PRELIMINARY

CLAUSES

1. Short title and commencement.

CHAPTER II

RATES OF INCOME-TAX

2. Income-tax.

CHAPTER III

DIRECT TAXES

Income-tax

3. Amendment of section 2.
4. Amendment of section 10.
5. Amendment of section 10A.
6. Amendment of section 17.
7. Amendment of section 32.
8. Amendment of section 33AC.
9. Amendment of section 35CCA.
10. Amendment of section 36.
11. Amendment of section 40A.
12. Amendment of section 43.
13. Amendment of section 44AB.
14. Amendment of section 55.
15. Insertion of new section 80DDA.
16. Amendment of section 80G.
17. Amendment of section 80GGA.
18. Amendment of section 80HHE.
19. Amendment of section 80-IA.
20. Amendment of section 80L.
21. Amendment of section 80U.
22. Amendment of section 88.
23. Amendment of section 112.
24. Insertion of new section 113.
25. Amendment of section 115K.
26. Amendment of section 132.
27. Amendment of section 133.
28. Amendment of section 133A.
29. Amendment of section 139.

CLAUSES

30. Substitution of new section for section 139A.
31. Substitution of new section 145.
32. Insertion of new Chapter XIV-B.
33. Amendment of section 194A.
34. Amendment of section 194C.
35. Amendment of section 194-I.
36. Insertion of new sections 194J and 194K.
37. Substitution of new section for section 196A.
38. Amendment of section 197.
39. Amendment of section 197A.
40. Amendment of sections 198 to 200 and 202 to 205.
41. Amendment of section 230A.
42. Amendment of section 234B.
43. Amendment of section 245C.
44. Amendment of section 245D.
45. Amendment of section 253.
46. Amendment of section 269UC.
47. Amendment of section 269UD.
48. Amendment of section 271B.
49. Amendment of section 293A.

CHAPTER IV

INDIRECT TAXES

Customs

50. Substitution of new authorities.
51. Amendment of section 2.
52. Substitution of new sections for sections 3 and 4.
53. Amendment of section 20.
54. Amendment of section 27.
55. Insertion of new section 27A.
56. Substitution of new section for section 28.
57. Insertion of new section 28AA.
58. Amendment of section 45.
59. Amendment of section 47.
60. Amendment of section 74.
61. Amendment of section 75.
62. Insertion of new section 75A.
63. Amendment of section 80.
64. Insertion of new section 98A.
65. Amendment of section 129C.
66. Amendment of section 142.
67. Amendment of section 157.
68. Substitution of new section for section 159.
69. Amendment of Act 51 of 1975.

Excise

70. Substitution of new authorities.
71. Amendment of section 2.
72. Amendment of section 11A.
73. Insertion of new section 11AA.
74. Amendment of section 11B.

CLAUSES
75. Insertion of new section 11BB.
76. Insertion of new section 14A.
77. Amendment of section 35D.
78. Amendment of section 37.
79. Amendment of section 38.
80. Amendment of Act 5 of 1986.
81. Amendment of Act 58 of 1957.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

82. Amendment of Act 19 of 1838.
83. Amendment of Act 23 of 1940.
84. Amendment of Act 27 of 1940.
85. Amendment of Act 7 of 1942.
86. Amendment of Act 29 of 1953.
87. Amendment of Act 37 of 1954.
88. Amendment of Act 43 of 1958.
89. Amendment of Act 54 of 1959.
90. Amendment of Act 52 of 1963.
91. Amendment of Act 46 of 1973.
92. Repeal of Act 38 of 1974.

THE FIRST SCHEDULE.

THE SECOND SCHEDULE.

THE THIRD SCHEDULE.

THE FOURTH SCHEDULE.

THE FIFTH SCHEDULE.

AS INTRODUCED IN LOK SABHA
ON 15TH MARCH, 1995

Bill No.12 of 1995

THE FINANCE BILL, 1995

A

BILL

to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1995-96.

BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Finance Act, 1995.

(*2*) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 49 shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1995.

CHAPTER II

RATES OF INCOME-TAX

Income-tax.

2. (*1*) Subject to the provisions of sub-sections (*2*) and (*3*), for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, income-tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and such tax shall be increased in the cases to which Paragraph E of that Part applies, by a surcharge, calculated in the manner provided therein.

(*2*) In the cases to which Sub-Paragraph I or Sub-Paragraph II of Paragraph A of Part I of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year, any net agricultural income exceeding six hundred rupees, in addition to total income, and the total income exceeds,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, thirty-five thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, eighteen thousand rupees,

then,—

(*a*) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (*b*) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, the first thirty-five thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, the first eighteen thousand rupees,

of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of charging income-tax in respect of the total income; and

(*b*) the income-tax chargeable shall be calculated as follows:—

(*i*) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(*ii*) the net agricultural income shall be increased,—

(*A*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, by a sum of thirty-five thousand rupees; and

(*B*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, by a sum of eighteen thousand rupees,

and the amount of income-tax shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if the net agricultural income as so increased were the total income;

(*iii*) the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (*i*) shall be reduced by the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (*ii*) and the sum so arrived at shall be the income-tax in respect of the total income.

(*3*) In cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as Income-tax Act) apply, the tax chargeable shall be determined as provided in that Chapter or that section, and with reference to the rates imposed by sub-section (*1*) or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be: 43 of 1961.

Provided that the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of section 112 shall be increased in the case of a domestic company by a surcharge as provided in Paragraph E of Part I of the First Schedule:

Provided further that in respect of any income chargeable to tax under section 115B, or in the case of a domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, under section 115BB, of the Income-tax Act, the income-tax computed shall be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

(*4*) In cases in which tax has to be deducted under sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D and 195 of the Income-tax Act at the rates in force, the deduction shall be made at the rates specified in Part II of the First Schedule and shall be increased in the cases to which the provisions of sub-item (*a*) of item 2 of that Part apply, by a surcharge, calculated in the manner provided therein.

(*5*) In cases in which tax has to be deducted under sections 194C, 194G, 194-I, 194J and 194K of the Income-tax Act, the deduction shall be made at the rates specified in those sections and shall be increased in the case of an assessee, being a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such deduction.

(*6*) In cases in which tax has to be collected under section 206C of the Income-tax Act, the collection shall be made at the rate specified in that section and shall be increased in the case of a buyer, being a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such collection.

(*7*) Subject to the provisions of sub-section (*8*), in cases in which income-tax has to be calculated under the first proviso to sub-section (*5*) of section 132 of the Income-tax Act or charged under sub-section (*4*) of section 172 or sub-section (*2*) of section 174 or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the said Act or deducted under section 192 of the said Act from income chargeable under the head "Salaries" or in which the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act has to be computed, at the rate or rates in force, such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be so calculated, charged, deducted or computed at the rate or rates specified in Part III of the First Schedule and such tax shall be increased in the cases to which Paragraph E of that Part applies, by a surcharge, calculated in the manner provided therein:

Provided that in cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act apply, "advance tax" shall be computed with reference to the rates imposed by this sub-section or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be:

Provided further that the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of sections 112 and 113 shall be increased in the case of a domestic company by a surcharge as provided in Paragraph E of Part III of the First Schedule:

Provided also that in respect of any income chargeable to tax under section 115B, or in the case of a domestic company, under section 115BB, of the Income-tax Act, having in either case a total income exceeding seventy-five thousand rupees, the "advance tax" computed under the first proviso shall be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such "advance tax".

(*8*) In the cases to which Sub-Paragraph I or Sub-Paragraph II of Paragraph A of Part III of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year or, if by virtue of any provision of the Income-tax Act, income-tax is to be charged in respect of the income of a period other than the previous year, in such other period, any net agricultural income exceeding six hundred rupees, in addition to total income and the total income exceeds,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, forty thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, eighteen thousand rupees,

then, in calculating income-tax under the first proviso to sub-section (*5*) of section 132 of the Income-tax Act or in charging income-tax under sub-section (*2*) of section 174 or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the said Act or in computing the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act, at the rate or rates in force,—

(*a*) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (*b*) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, the first forty thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, the first eighteen thousand rupees,

of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of calculating, charging or computing such income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income; and

(*b*) such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be so calculated, charged or computed as follows:—

(*i*) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(*ii*) the net agricultural income shall be increased,—

(*A*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, by a sum of forty thousand rupees; and

(*B*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, by a sum of eighteen thousand rupees,

and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in the said Sub-Paragraph I or, as the case may be, the said Sub-Paragraph II as if the net agricultural income as so increased were the total income;

(*iii*) the amount of income-tax or "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*i*) shall be reduced by the amount of income-tax or, as the case may be, "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*ii*) and the sum so arrived at shall be the income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income.

(*9*) For the purposes of this section and the First Schedule,—

(*a*) "domestic company" means an Indian company, or any other company which, in respect of its income liable to income-tax under the Income-tax Act for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends (including dividends on preference shares) payable out of such income in accordance with the provisions of section 194 of the Act;

(*b*) "insurance commission" means any remuneration or reward, whether by way of commission or otherwise, for soliciting or procuring insurance business (including business relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance);

(*c*) "net agricultural income", in relation to a person, means the total amount of agricultural income, from whatever source derived, of that person computed in accordance with the rules contained in Part IV of the First Schedule;

(*d*) all other words and expressions used in this section or in the First Schedule but not defined in this sub-section and defined in the Income-tax Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER III

DIRECT TAXES

Income-tax

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the Income-tax Act, in clause (*42A*), in *Explanation* 1, in clause (*i*), after sub-clause (*e*), the following sub-clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

"(*f*) in the case of a capital asset, being a financial asset, allotted without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, the period shall be reckoned from the date of the allotment of such financial asset;".

Amendment of section 10.

4. In section 10 of the Income-tax Act,—

(*1*) in clause (*10D*), after the words "such policy", the words, brackets, figures and letters "other than any sum received under sub-section (*3*) of section 80DDA" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996;

(*2*) in clause (*14*), with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) in sub-clause (*i*), for the words "as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify", the words "as may be prescribed" shall be substituted;

(*b*) in sub-clause (*ii*), for the words "as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the extent specified in the notification", the words "as may be prescribed and to the extent as may be prescribed" shall be substituted;

(*3*) in clause (*15*), for sub-clause (*v*), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(*v*) interest on—

(*a*) securities held by the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal, in the Reserve Bank's SGL Account No. SL/DH048;

(*b*) deposits for the benefit of the victims of the Bhopal gas leak disaster held in such account, with the Reserve Bank of India or with a public sector bank, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, whether prospectively or retrospectively but in no case earlier than the 1st day of April, 1994 in this behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (*23D*);';

(*4*) for clause (*15A*), the following clause shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'(*15A*) any payment made, by an Indian company engaged in the business of operation of aircraft, to acquire an aircraft or an aircraft engine (other than a payment for providing spares, facilities or services in connection with the operation of leased aircraft) on lease from the Government of a foreign State or a foreign enterprise under an agreement approved by the Central Government in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression "foreign enterprise" means a person who is a non-resident;';

(*5*) after clause (*23AA*), the following clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely :—

"(*23AAA*) any income received by any person on behalf of a fund established, for such purposes as may be notified by the Board in the Official Gazette, for the welfare of employees or their dependants and of which fund such employees are also members if such fund fulfills the following conditions, namely :—

(*a*) the fund—

(*i*) applies its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established; and

(*ii*) invests its funds and contributions and other sums received by it in the forms or modes specified in sub-section (*5*) of section 11;

(*b*) the fund is approved by the Commissioner in accordance with the rules made in this behalf:

Provided that any such approval shall at any one time have effect for such assessment year or years not exceeding three assessment years as may be specified in the order of approval;";

(*6*) in clause (*23D*), for the portion beginning with the words "any income of such Mutual Fund" and ending with the words "specify in this behalf", the following shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"any income of—

(*i*) a Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made thereunder; 15 of 1992.

(*ii*) such other Mutual Fund set up by a public sector bank or a public financial institution or authorised by the Reserve Bank of India and subject to such conditions as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf";

(*7*) after clause (*23E*), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

"(*23F*) any income by way of dividends or long-term capital gains of a venture capital fund or a venture capital company from investments made by way of equity shares in a venture capital undertaking:

Provided that such venture capital fund or venture capital company is approved for the purposes of this clause by the prescribed authority in accordance with the rules made in this behalf and satisfies the prescribed conditions:

Provided further that any approval by the prescribed authority shall, at any one time, have effect for such assessment year or years, not exceeding three assessment years, as may be specified in the order of approval:

Provided also that if the aforesaid equity shares are transferred (other than in the event of the said shares being listed in a recognised stock exchange in India) by a venture capital fund or a venture capital company to any person at any time within a period of three years from the date of their acquisition, the aggregate amount of income by way of dividends on such equity shares which has not been included in the total income of the previous year or years preceding the previous year in which such transfer has taken place shall be deemed to be the income of the venture capital fund or of the venture capital company of the previous year in which such transfer has taken place:

Provided also that the exemption shall not be allowed in respect of the long-term capital gains, if any, arising on such transfer of equity shares as is mentioned in the third proviso.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(*a*) "venture capital fund" means such fund, operating under a trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908, established to raise monies by the trustees for investments mainly by way of acquiring equity shares of a venture capital undertaking in accordance with the prescribed guidelines; 16 of 1908.

(*b*) "venture capital company" means such company as has made investments by way of acquiring equity shares of venture capital undertakings in accordance with the prescribed guidelines; and

(*c*) "venture capital undertaking" means such domestic company whose shares are not listed in a recognised stock exchange in India and which is engaged in the manufacture or production of such articles or things (including computer software) as may be notified by the Central Government in this behalf.';

(*8*) after clause (*25*), the following clause shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1962, namely:—

"(*25A*) any income of the Employees' State Insurance Fund set up under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948;"; 34 of 1948.

(*9*) after clause (*26B*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*26BB*) any income of a corporation established by the Central Government or any State Government for promoting the interests of the members of a minority community.

Explanation.—For the purposes of this clause, "minority community" means a community notified as such by the Central Government in the Official Gazette in this behalf;'.

5. In section 10A of the Income-tax Act, in sub-section (*2*), after clause (*i*), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:— Amendment of section 10A.

"(*ia*) in relation to an undertaking which begins to manufacture or produce any article or thing on or after the 1st day of April, 1995, its exports of such articles or things are not less than seventy-five per cent. of the total sales thereof during the previous year;".

6. In section 17 of the Income-tax Act, in clause (*3*), in sub-clause (*ii*), with effect from the 1st day of April, 1996,— Amendment of section 17.

(*a*) after the word, brackets and figures "clause (*12*)", the word, brackets and figures ", clause (*13*)" shall be inserted;

(*b*) the brackets and words "(not being an approved superannuation fund)" shall be omitted.

7. In section 32 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,— Amendment of section 32.

(*a*) the first proviso shall be omitted;

(*b*) in the second proviso, the word "further" shall be omitted;

(*c*) in the third proviso, for the word "also", the word "further" shall be substituted.

8. In section 33AC of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the portion beginning with the words "In the case of an assessee" and ending with the words, brackets and figure "manner laid down in sub-section (*2*):", the following shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:— Amendment of section 33AC.

'In the case of an assessee, being a Government company or a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of operation of ships, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed a deduction of an amount not exceeding fifty per cent. of profits derived from the business of operation of ships (computed under the head

"Profits and gains of business or profession" and before making any deduction under this section), as is debited to the profit and loss account of the previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to a reserve account, to be utilised in the manner laid down in sub-section (*2*):'.

Amendment of section 35CCA.

9. In section 35CCA of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) in clause (*c*), for the word "behalf,", the words "behalf; or" shall be substituted;

(*b*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government in this behalf,".

Amendment of section 36.

10. In section 36 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clause (*viii*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) for the portion beginning with the words "industrial or agricultural development in India" and ending with the words "such reserve account", the following shall be substituted, namely :—

'industrial or agricultural development or development of infrastructure facility in India or by a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes, an amount not exceeding forty per cent. of the profits derived from such business of providing long-term finance (computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under this section) carried to such reserve account:';

(*b*) in the *Explanation*, after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely :—

'(*d*) "infrastructure facility" shall have the meaning assigned to it in section 80-IA.'.

Amendment of section 40A.

11. In section 40A of the Income-tax Act, in sub-section (*3*), for the words "such expenditure shall not be allowed as a deduction", the words "twenty per cent. of such expenditure shall not be allowed as a deduction" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 43.

12. In section 43 of the Income-tax Act, in sub-section (*3*), after the words "business or profession", the words "but does not include tea bushes or livestock" shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1962.

Amendment of section 44AB.

13. In section 44AB of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) for the words "obtain before", the words "furnish by" shall be substituted;

(*b*) in the first proviso, the words, figures and letters "section 44AC or" shall be omitted;

(*c*) in the second proviso, for the words "obtains before", the words "furnishes by" shall be substituted.

Amendment of section 55.

14. In section 55 of the Income-tax Act, in sub-section (*2*), in clause (*aa*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*i*) for the portion beginning with the words "in a case where" and ending with the words, brackets, figures and letter "sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*b*)", the following shall be substituted, namely:—

" in a case where, by virtue of holding a capital asset, being a share or any other security, within the meaning of clause (*h*) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereafter in this clause referred to as the financial asset), the assessee— 42 of 1956.

(*A*) becomes entitled to subscribe to any additional financial asset; or

(*B*) is allotted any additional financial asset without any payment,

then, subject to the provisions of sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*b*)";

(*ii*) after sub-clause (*iii*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*iiia*) in relation to the financial asset allotted to the assessee without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, shall be taken to be *nil* in the case of such assessee;".

Insertion of new section 80DDA.

15. After section 80DD of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely :—

Deduction in respect of deposit made for maintenance of handicapped dependant.

'80DDA. (*1*) In computing the total income of an assessee who is resident in India, being an individual or a Hindu undivided family, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section, an amount not exceeding twenty thousand rupees paid or deposited by him in the previous year, out of his income chargeable to tax, under any scheme framed in this behalf by the

Life Insurance Corporation or the Unit Trust of India subject to the conditions specified in sub-section (*2*) and approved by the Board in this behalf.

(*2*) The deduction under sub-section (*1*) shall be allowed only if the following conditions are fulfilled, namely :—

(*a*) the scheme referred to in sub-section (*1*) provides for payment of annuity or lump sum amount for the benefit of a handicapped dependant in the event of the death of the individual or the member of the Hindu undivided family in whose name subscription to the scheme has been made;

(*b*) the assessee nominates either the handicapped dependant or any other person or a trust to receive the payment on his behalf, for the benefit of the handicapped dependant.

(*3*) If the handicapped dependant predeceases the individual or the member of the Hindu undivided family referred to in sub-section (*2*), an amount equal to the amount paid or deposited under sub-section (*1*) shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year in which such amount is received by the assessee and shall accordingly be chargeable to tax as the income of that previous year.

(*4*) In this section,—

(*a*) "Government hospital" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to section 80DD;

(*b*) "handicapped dependant" shall mean a person who—

(*i*) is a relative of the individual or, as the case may be, is a member of the Hindu undivided family and is not dependant on any person other than such individual or Hindu undivided family for his support or maintenance; and

(*ii*) is suffering from a permanent physical disability (including blindness) or is subject to mental retardation, being a permanent physical disability or mental retardation specified in the rules made by the Board for the purposes of section 80DD, which is certified by a physician, a surgeon, an oculist or a psychiatrist, as the case may be, working in a Government hospital, and which has the effect of reducing considerably such person's capacity for normal work or engaging in a gainful employment or occupation;

(*c*) "Life Insurance Corporation" shall have the same meaning as in clause (*iii*) of sub-section (*8*) of section 88;

(*d*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963.'. 52 of 1963.

Amendment of section 80G.

16. In section 80G of the Income-tax Act,—

(*a*) in sub-section (*1*), in clause (*i*), after the words, brackets, figures and letter "sub-clause (*iiig*) or", the words, brackets, figures and letter "sub-clause (*iiih*) or" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996;

(*b*) in sub-section (*2*), in clause (*a*),—

(*i*) after sub-clause (*iiig*), the following sub-clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'(*iiih*) any Zila Saksharta Samiti constituted in any district under the chairmanship of the Collector of that district for the purposes of improvement of primary education in villages and towns in such district and for literacy and post-literacy activities.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, "town" means a town which has a population not exceeding one lakh according to the last preceding census of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year; or';

(*ii*) after sub-clause (*vi*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*via*) any corporation referred to in clause (*26BB*) of section 10; or";

(*c*) in sub-section (*4*), for the brackets, figures and word "(*vi*) and (*vii*)", the brackets, figures, letter and word "(*vi*), (*via*) and (*vii*)" shall be substituted.

Amendment of section 80GGA.

17. In section 80GGA of the Income-tax Act, in sub-section (*2*), after clause (*d*), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

"(*e*) any sum paid by the assessee in the previous year to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government for the purposes of clause (*d*) of sub-section (*1*) of section 35CCA.".

Amendment of section 80HHE.

18. In section 80HHE of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), the proviso shall be omitted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 80-IA.

19. In section 80-IA of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) in sub-section (*1*), for the words and brackets "operation of a ship (such business being hereinafter referred to as the eligible business)", the words and brackets "operation of a ship or developing, maintaining and operating any infrastructure facility (such business being hereinafter referred to as the eligible business)" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*2*), in clause (*iv*), after sub-clause (*c*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) in the case of an industrial undertaking being a small scale industrial undertaking, not specified in sub-clause (*b*) or in sub-clause (*c*), it begins to manufacture or produce articles or things or to operate its cold storage plant at any time during the period beginning on the 1st day of April, 1995 and ending on the 31st day of March, 2000;";

(*c*) after sub-section (*4*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4A*) This section applies to any enterprise carrying on the business of developing, maintaining and operating any infrastructure facility which fulfills all the following conditions, namely:—

(*i*) the enterprise is owned by a company registered in India or by a consortium of such companies;

(*ii*) the enterprise has entered into an agreement with the Central Government or a State Government or a local authority or any other statutory body for developing, maintaining and operating a new infrastructure facility subject to the condition that such infrastructure facility shall be transferred to the Central Government, State Government, local authority or such other statutory body, as the case may be, within a period stipulated in the agreement;

(*iii*) the enterprise starts operating and maintaining the infrastructure facility on or after the 1st day of April, 1995.";

(*d*) in sub-section (*5*),—

(*i*) in clause (*i*), in sub-clause (*a*), after the words, brackets and letter "sub-clause (*a*)", the words, brackets and letter "or sub-clause (*d*)" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*i*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ia*) in the case of an enterprise referred to in sub-section (*4A*), hundred per cent. of the profits and gains derived from such business for the initial five assessment years and thereafter, thirty per cent. of such profits and gains;";

(*e*) in sub-section (*6*), in clause (*iii*), after the words "of a hotel", the words "or of development, maintenance and operation of an infrastructure facility" shall be inserted;

(*f*) in sub-section (*12*), after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*ca*) "infrastructure facility" means a road, highway, bridge, airport, port or rail system or any other public facility of a similar nature as may be notified by the Board in this behalf in the Official Gazette;'.

Amendment of section 80L.

20. In section 80L of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clauses (*1*) and (*2*), for the words "ten thousand", the words "thirteen thousand" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 80U.

21. In section 80U of the Income-tax Act, for the words "twenty thousand rupees", the words "forty thousand rupees" shall be substituted, with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 88.

22. In section 88 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*i*) sub-section (*3*) shall be omitted;

(*ii*) in sub-section (*7*), in clause (*i*), for the words "contract of insurance, before premiums have been paid for two years; or", the following shall be substituted, namely:—

"contract of insurance,—

(*a*) in case of any single premium policy, within two years after the date of commencement of insurance, or

(*b*) in any other case, before premiums have been paid for two years; or".

Amendment of section 112.

23. In section 112 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*i*) the proviso at the end of clause (*b*) shall be omitted;

(*ii*) the *Explanation*, at the end, shall be omitted.

Insertion of new section 113.

24. After section 112 of the Income-tax Act, the following section shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely :—

Tax in the case of block assessment of search cases.

"113. The total undisclosed income for the block period, determined under section 158BC, shall be chargeable to tax at the rate of sixty per cent.".

Amendment of section 115K.

25. In section 115K of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) for the words "forty-two thousand rupees", wherever they occur, the words "forty-seven thousand rupees" shall be substituted;

(*b*) for the words "five lakh rupees", at both the places where they occur, the words "six lakh rupees" shall be substituted.

Amendment of section 132.

26. In section 132, in sub-section (*5*), after the words, brackets, figure and letter "or sub-section (*1A*)", the words, figures and letters "as a result of a search initiated or requisition made before the 1st day of July, 1995, " shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 133.

27. In section 133 of the Income-tax Act, in clause (*6*), with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) after the words "will be useful for, or relevant to, any", the words "inquiry or" shall be inserted; and

(*b*) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the power in respect of an inquiry, in a case where no proceeding is pending, shall not be exercised by any income-tax authority below the rank of Director or Commissioner without the prior approval of the Director or, as the case may be, the Commissioner.".

Amendment of section 133A.

28. In section 133A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) in sub-section (*1*),—

(*i*) in clause (*b*), the word "or" shall be inserted at the end;

(*ii*) after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*c*) any place in respect of which he is authorised for the purposes of this section by such income-tax authority, who is assigned the area within which such place is situated or who exercises jurisdiction in respect of any person occupying such place,";

(*b*) in the *Explanation* occurring at the end, in clause (*a*), for the words "a Deputy Commissioner", the words "a Commissioner, a Deputy Commissioner, a Director, a Deputy Director," shall be substituted.

Amendment of section 139.

29. In section 139 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) in sub-section (*6A*),—

(*i*) the words, brackets and figures "sub-sections (*1*) and (*3*) of" shall be omitted;

(*ii*) for the words, figures and letters "obtained under section 44AB", the words, figures and letters "referred to in section 44AB, or, where the report has been furnished prior to the furnishing of the return, a copy of such report together with proof of furnishing the report" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*9*), in the *Explanation*, for clause (*bb*), the following clause shall be substituted, namely :—

"(*bb*) the return is accompanied by the report of the audit referred to in section 44AB, or, where the report has been furnished prior to the furnishing of the return, by a copy of such report together with proof of furnishing the report;".

Substitution of new section for section 139A.

30. For section 139A of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

Permanent account number.

'139A. (*1*) Every person,—

(*i*) if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this Act during any previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax; or

(*ii*) carrying on any business or profession whose total sales, turnover or gross receipts are or is likely to exceed fifty thousand rupees in any previous year; or

(*iii*) who is required to furnish a return of income under sub-section (*4A*) of section 139,

and who has not been allotted a permanent account number shall, within such time, as may be prescribed, apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number.

(*2*) The Assessing Officer may also allot to any other person by whom tax is payable, a permanent account number.

(3) Any person, not falling under sub-section (1) or sub-section (2), may apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number and, thereupon, the Assessing Officer shall allot a permanent account number to such person forthwith.

(4) For the purpose of allotment of permanent account numbers under the new series, the Board may, by notification in the Official Gazette, specify the date from which the persons referred to in sub-sections (1) and (2) and other persons who have been allotted permanent account numbers and residing in a place to be specified in such notification, shall, within such time as may be specified, apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number under the new series and upon allotment of such permanent account number to a person, the permanent account number, if any, allotted to him earlier shall cease to have effect:

Provided that the persons to whom permanent account number under the new series has already been allotted shall not apply for such number again.

(5) Every person shall—

(a) quote such number in all his returns to, or correspondence with, any income-tax authority;

(b) quote such number in all challans for the payment of any sum due under this Act;

(c) quote such number in all documents pertaining to such transactions as may be prescribed by the Board in the interests of the revenue, and entered into by him:

Provided that the Board may prescribe different dates for different transactions or class of transactions or for different class of persons;

(d) intimate the Assessing Officer any change in his address or in the name and nature of his business on the basis of which the permanent account number was allotted to him.

(6) Every person receiving any document relating to a transaction prescribed under clause (c) of sub-section (5) shall ensure that the permanent account number has been duly quoted in the document.

(7) No person who has already been allotted a permanent account number under the new series shall apply, obtain or possess another permanent account number.

(8) The Board may make rules providing for—

(a) the form and the manner in which an application may be made for the allotment of a permanent account number and the particulars which such application shall contain;

(b) the categories of transactions in relation to which permanent account numbers shall be quoted by every person in the documents pertaining to such transactions;

(c) the categories of documents pertaining to business or profession in which such numbers shall be quoted by every person.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "Assessing Officer" includes an income-tax authority who is assigned the duty of allotting permanent account numbers;

(b) "permanent account number" means a number which the Assessing Officer may allot to any person for the purpose of identification and includes a permanent account number allotted under the new series;

(c) "permanent account number under the new series" means a permanent account number having ten alphanumeric characters and issued in the form of a laminated card.'.

Substitution of new section for section 145.

31. For section 145 of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1997, namely:—

Method of accounting.

'145. (1) Income chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources" shall, subject to the provisions of sub-section (2), be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the assessee.

(2) The Central Government may notify in the Official Gazette from time to time accounting standards to be followed by any class of assessees or in respect of any class of income.

(3) Where the Assessing Officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, or where the method of accounting provided in sub-section (1) or accounting standards as notified under sub-section (2), have not been regularly followed by the assessee, the Assessing Officer may make an assessment in the manner provided in section 144.'.

32. In the Income-tax Act, after Chapter XIV-A, the following Chapter shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

Insertion of new Chapter XIV-B.

'CHAPTER XIV-B

SPECIAL PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF SEARCH CASES

Definitions.

158B. In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "block period" means the period of ten previous years preceding the previous year in which the search was conducted under section 132 or any requisition was made under section 132A, and includes, in the previous year in which such search was conducted or requisition made, the period up to the date of the commencement of such search or, as the case may be, the date of such requisition;

(*b*) "undisclosed income" includes any money, bullion, jewellery or other valuable article or thing or any income based on any entry in the books of account or other documents or transactions, where such money, bullion, jewellery, valuable article, thing, entry in the books of account or other document or transaction represents wholly or partly income or property which has not been or would not have been disclosed for the purposes of this Act.

Assessment of undisclosed income as a result of search.

158BA. (*1*) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where after the 30th day of June, 1995 a search is initiated under section 132 or books of account, other documents or any assets are requisitioned under section 132A in the case of any person, then, the Assessing Officer shall proceed to assess the undisclosed income in accordance with the provisions of this Chapter.

(*2*) The total undisclosed income relating to the block period shall be charged to tax, at the rate specified in section 113, as income of the block period irrespective of the previous year or years to which such income relates and irrespective of the fact whether regular assessment for any one or more of the relevant assessment years is pending or not.

(*3*) Where the assessee proves to the satisfaction of the Assessing Officer that any part of income referred to in sub-section (*1*) relates to an assessment year for which the previous year has not ended or the date of filing the return of income under sub-section (*1*) of section 139 for any previous year has not expired, and such income or the transactions relating to such income are recorded on or before the date of the search or requisition in the books of account or other documents maintained in the normal course relating to such previous years, the said income shall not be included in the block period.

Computation of undisclosed income of the block period.

158BB. (*1*) The undisclosed income of the block period shall be the aggregate of the total income of the previous years falling within the block period computed, in accordance with the provisions of Chapter IV, on the basis of evidence found as a result of search or requisition of books of account or documents and such other materials or information as are available with Assessing Officer, as reduced by the aggregate of the total income, or as the case may be, as increased by the aggregate of the losses of such previous years, determined,—

(*a*) where assessments under section 143 or section 144 or section 147 have been concluded, on the basis of such assessments;

(*b*) where returns of income have been filed under section 139 or section 147 but assessments have not been made till the date of search or requisition, on the basis of the income disclosed in such returns;

(*c*) where the due date for filing a return of income has expired but no return of income has been filed, as *nil*;

(*d*) where the previous year has not ended or the date of filing the return of income under sub-section (*1*) of section 139 has not expired, on the basis of entries relating to such income or transactions as recorded in the books of account and other documents maintained in the normal course on or before the date of the search or requisition relating to such previous years;

(*e*) where any order of settlement has been made under sub-section (*4*) of section 245D, on the basis of such order;

(*f*) where an assessment of undisclosed income had been made earlier under clause (*c*) of section 158BC, on the basis of such assessment.

Explanation.—For the purposes of determination of undisclosed income,—

(*a*) the total income or loss of each previous year shall, for the purpose of aggregation, be taken as the total income or loss computed in accordance with the provisions of Chapter IVwithout giving effect to set off of brought forward losses under Chapter VI or unabsorbed depreciation under sub-section (*2*) of section 32;

(*b*) of a firm, or its partners, the method of computation of undisclosed income and its allocation to the partners shall be in accordance with the method adopted for determining the assessed income or returned income for each of the previous year falling within the block period;

(*c*) assessment under section 143 includes determination of income under sub-section (*1*) or sub-section (*1B*) of section 143.

(*2*) In computing the undisclosed income of the block period, the provisions of sections 68, 69, 69A, 69B and 69C shall, so far as may be, apply and references to "financial year" in those sections shall be construed as references to the relevant previous year falling in the block period including the previous year ending with the date of search or of the requisition.

(*3*) The burden of proving to the satisfaction of the Assessing Officer that any undisclosed income had already been disclosed in any return of income filed by the assessee before the commencement of search or of the requisition, as the case may be, shall be on the assessee.

(*4*) For the purpose of assessment under this Chapter, losses brought forward from the previous year under Chapter VI or unabsorbed depreciation under sub-section (*2*) of section 32 shall not be set off against the undisclosed income determined in the block assessment under this Chapter, but may be carried forward for being set off in the regular assessments.

Procedure for block assessment.

158BC. Where any search has been conducted under section 132 or books of account, other documents or assets are requisitioned under section 132A, in the case of any person, then,—

(*a*) the Assessing Officer shall serve a notice to such person requiring him to furnish, within such time, not being less than fifteen days, as may be specified in the notice, a return in the prescribed form and verified in the same manner as a return under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 142, setting forth his total income including the undisclosed income for the block period:

Provided that no notice under section 148 is required to be issued for the purposes of proceeding under this Chapter;

(*b*) the Assessing Officer shall proceed to determine the undisclosed income of the block period in the manner laid down in section 158BB and the provisions of section 142, sub-sections (*2*) and (*3*) of section 143 and section 144 shall, so far as may be, apply;

(*c*) the Assessing Officer, on determination of the undisclosed income of the block period in accordance with this Chapter, shall pass an order of assessment and determine the tax payable by him on the basis of such assessment;

(*d*) the assets seized under section 132 or requisitioned under section 132A shall be retained to the extent necessary and the provisions of section 132B shall apply subject to such modifications as may be necessary and the references to "regular assessment" or "reassessment" in section 132B shall be construed as references to "block assessment".

Undisclosed income of any other person.

158BD. Where the Assessing Officer is satisfied that any undisclosed income belongs to any person, other than the person with respect to whom search was made under section 132 or whose books of account or other documents or any assets were requisitioned under section 132A, then, the books of account, other documents or assets seized or requisitioned shall be handed over to the Assessing Officer having jurisdiction over such other person and that Assessing Officer shall proceed against such other person and the provisions of this Chapter shall apply accordingly.

Time limit for completion of block assessment.

158BE. (*1*) The order under section 158BC shall be passed within one year from the end of the month in which the last of the authorisations for search under section 132 or for requisition under section 132A, as the case may be, in the case of an assessee, was executed.

(*2*) The period of limitation for completion of block assessment in the case of the other person referred to in section 158BD shall be one year from the end of the month in which the notice under this Chapter was served on such other person.

Certain interests and penalties not to be levied or imposed.

158BF. No interest under the provisions of sections 234A, 234B or 234C or penalty under the provisions of clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 271 or section 271A or section 271B shall be levied or imposed upon the assessee in respect of the undisclosed income determined in the block assessment.

Authority competent to make the block assessment.

158BG. The order of assessment for the block period shall be passed by an Assessing Officer not below the rank of an Assistant Commissioner:

Provided that no such order shall be passed without the previous approval of the Commissioner.

Application of other provisions of this Act.

158BH. Save as otherwise provided in this Chapter, all other provisions of this Act shall apply to assessment made under this Chapter.'.

33. In section 194A of the Income-tax Act, in sub-section *(3)*, with effect from the 1st day of July, 1995,— Amendment of section 194A.

(a) in clause *(i)*, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

10 of 1949. 'Provided that in respect of the income credited or paid in respect of time deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or with a co-operative society engaged in carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have effect as if for the words "two thousand five hundred rupees", the words "ten thousand rupees" had been substituted and the aforesaid amount shall be computed with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or the co-operative society, as the case may be;';

(b) for clause *(vii)*, the following clauses shall be substituted, namely:—

10 of 1949. "*(vii)* to such income credited or paid in respect of deposits (other than time deposits made on or after the 1st day of July, 1995) with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);

(viia) to such income credited or paid in respect of,—

(a) deposits with a primary agricultural credit society or a primary credit society or a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank;

(b) deposits (other than time deposits made on or after the 1st day of July, 1995) with a co-operative society, other than a co-operative society or bank referred to in sub-clause *(a)*, engaged in carrying on the business of banking;";

(c) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely:—

'*Explanation* .—For the purposes of clauses *(i)*, *(vii)* and *(viia)*, "time deposits" means deposits (excluding recurring deposits) repayable on the expiry of fixed periods.'.

34. In section 194C of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,— Amendment of section 194C.

(i) in sub-section *(1)*,—

3 of 1956. *(a)* in clause *(i)*, for the words and figures "University Grants Commission Act, 1956", the words and figures "University Grants Commission Act, 1956; or" shall be substituted;

(b) after clause *(i)*, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(j)* any firm,";

(ii) below sub-section *(2)*, after *Explanation* II, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

'*Explanation* III.—For the purposes of this section, the expression "work" shall also include—

(a) advertising;

(b) broadcasting and telecasting including production of programmes for such broadcasting or telecasting;

(c) carriage of goods and passengers by any mode of transport other than by railways;

(d) catering.';

(iii) in sub-section *(3)*, in clause *(i)*, for the words "ten thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

35. In section 194-I of the Income-tax Act, in the opening portion, for the words "deduct income-tax thereon at the rate of twenty per cent.", the following shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:— Amendment of section 194-I.

"deduct income-tax thereon at the rate of—

(a) fifteen per cent. if the payee is an individual or a Hindu undivided family; and

(b) twenty per cent. in other cases".

36. After section 194-I of the Income-tax Act, the following sections shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:— Insertion of new sections 194J and 194K.

'194J. *(1)* Any person, not being an individual or a Hindu undivided family, who is responsible for paying to a resident any sum by way of— Fees for professional or technical services.

(a) fees for professional services, or

(b) fees for technical services,

shall, at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to ten per cent. of such sum as income-tax on income comprised therein:

Provided that no deduction shall be made under this section—

(*A*) from any sums as aforesaid credited or paid before the 1st day of July, 1995; or

(*B*) where the amount of such sum or, as the case may be, the aggregate of the amounts of such sums credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the aforesaid person to the account of, or to, the payee, does not exceed—

(*i*) twenty thousand rupees, in the case of fees for professional services referred to in clause (*a*), or

(*ii*) twenty thousand rupees, in the case of fees for technical services referred to in clause (*b*).

(*2*) Where the Assessing Officer is satisfied that the total income of any person in receipt of the sum referred to in sub-section (*1*) justifies the deduction of income-tax at any lower rate or no deduction of income-tax, as the case may be, the Assessing Officer shall, on an application made by that person in this behalf, give to him such certificate as may be appropriate.

(*3*) Where any such certificate is given, the person responsible for paying the sum referred to in sub-section (*1*) shall, until such certificate is cancelled by the Assessing Officer, deduct income-tax at the rates specified in such certificate or deduct no tax, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "professional services" means services rendered by a person in the course of carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or advertising or such other profession as is notified by the Board for the purposes of section 44AA or of this section;

(*b*) "fees for technical services" shall have the same meaning as in *Explanation* 2 to clause (*vii*) of sub-section (*1*) of section 9;

(*c*) where any sum referred to in sub-section (*1*) is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such sum, such crediting shall be deemed to be credit of such sum to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.

Income in respect of units.

194K. (*1*) Where any income is payable to a resident in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (*23D*) of section 10 or of the Unit Trust of India the person responsible for making the payment shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rate of,—

(*a*) twenty per cent., if the payee is a company, and

(*b*) fifteen per cent. in the case of other payees.

(*2*) The provisions of sub-section (*1*) shall not apply—

(*i*) where the amount of such income or, as the case may be, the aggregate of the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the person responsible for making the payment to the account of, or to, the payee does not exceed ten thousand rupees:

Provided that the amount of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid,—

(*a*) in respect of a branch office of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the case may be, and

(*b*) under a particular scheme under which the units have been issued;

(*ii*) to such income credited or paid before the 1st day of July, 1995;

(*iii*) to such income credited or paid in respect of units issued under such scheme already in operation of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf having regard to the plan of payment of income thereunder to the unit-holders; and

(*iv*) to such income credited or paid in respect of units issued under any scheme of the Unit Trust of India to any institution or fund where such income is not liable to inclusion in its total income under the provisions of sections 11 and 12 or clause (*22*) or clause (*22A*) or clause (*23*) or clause (*23AA*) or clause (*23C*) of section 10.

Explanation.—For the purposes of this section,—

52 of 1963. (*a*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963;

(*b*) where any income as aforesaid is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.'.

Substitution of new section for section 196A.

37. For section 196A of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

Income in respect of units of non-residents.

'196A. (*1*) Any person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any income in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 or of the Unit Trust of India shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by the issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rate of twenty per cent.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), no deduction of tax shall be made from any income payable in respect of units of the Unit Trust of India to a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family, where the units have been acquired from the Unit Trust of India out of the funds in a Non-resident (External) Account maintained with any bank in India or by remittance of funds in foreign currency, in accordance, in either case, with the provisions of the Foreign Exchange 46 of 1973. Regulation Act, 1973, and the rules made thereunder.

Explanation.—For the purposes of this section—

46 of 1973. (*a*) "foreign currency" shall have the meaning assigned to it in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973;

(*b*) "non-resident Indian" shall have the meaning assigned to it in clause (*e*) of section 115C;

52 of 1963. (*c*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963;

(*d*) where any income as aforesaid is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.'.

Amendment of section 197.

38. In section 197 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), after the figures and letter "194-I", the figures and letter ", 194K" shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 197A.

39. In section 197A of the Income-tax Act, for sub-section (*1A*), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"(*1A*) Notwithstanding anything contained in section 194A or section 194K, no deduction of tax shall be made under either of the said sections in the case of a person (not being a company or a firm), if such person furnishes to the person responsible for paying any income of the nature referred to in section 194A or section 194K, as the case may be, a declaration in writing in duplicate in the prescribed form and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his estimated total income of the previous year in which such income is to be included in computing his total income will be *nil*.".

Amendment of sections 198 to 200 and 202 to 205.

40. In sections 198, 199, 200, 202, 203, 203A, 204 and 205 of the Income-tax Act, after the word, figures and letter "section 194-I,", the words, figures and letters "section 194J, section 194K," shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 230A.

41. In section 230A of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the words "two lakh rupees", the words "five lakh rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 234B.

42. In section 234B of the Income-tax Act,—

(*i*) in sub-section (*1*), for the words "or regular assessment on an amount", the words "and where a regular assessment is made, to the date of such regular assessment, on an amount" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1989;

(*ii*) in sub-section (*3*), for the words, brackets and figure "or regular assessment referred to in sub-section (*1*)," the words, brackets and figure "and where a regular assessment is made as is referred to in sub-section (*1*) following the date of such regular assessment" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1989.

Amendment of section 245C. 43. In section 245C of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in the proviso, in clause (*b*), for the words "fifty thousand rupees", the words "one hundred thousand rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 245D. 44. In section 245D of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the second proviso, the following proviso shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"Provided further that the Commissioner shall furnish the report within a period of forty-five days of the receipt of communication from the Settlement Commission in case of all applications made under section 245C on or after the 1st day of July, 1995 and if the Commissioner fails to furnish the report within the said period, the Settlement Commission may make the order without such report.".

Amendment of section 253. 45. In section 253 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*i*) in sub-section (*1*), after clause (*a*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*b*) an order passed by an Assessing Officer under clause (*c*) of section 158BC; or";

(*ii*) in sub-section (*3*), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

'Provided that in respect of any appeal under clause (*b*) of sub-section (*1*), this sub-section shall have effect as if for the words "sixty days", the words "thirty days" had been substituted.'.

Amendment of section 269UC. 46. In section 269UC of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*i*) in sub-section (*1*), for the words "no transfer of any immovable property of such value exceeding five lakh rupees as may be prescribed", the words "no transfer of any immovable property in such area and of such value exceeding five lakh rupees, as may be prescribed", shall be substituted;

(*ii*) after sub-section (*3*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4*) Where it is found that the statement referred to in sub-section (*2*) is defective, the appropriate authority may intimate the defect to the parties concerned and give them an opportunity to rectify the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, the appropriate authority may, in its discretion, allow and if the defect is not rectified within the said period of fifteen days or, as the case may be, the further period so allowed, then, notwithstanding anything contained in any other provision of this Chapter, the statement shall be deemed never to have been furnished.".

Amendment of section 269UD. 47. In section 269UD of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995, in sub-section (*1*), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the period of limitation referred to in the second proviso shall be reckoned, where any defect as referred to in sub-section (*4*) of section 269UC has been intimated, with reference to the date of receipt of the rectified statement by the appropriate authority:".

Amendment of section 271B. 48. In section 271B of the Income-tax Act, for the words, figures, letters and brackets "obtain a report of such audit as required under section 44AB or furnish the said report along with the return of his income filed under sub-section (*1*) of section 139, or along with the return of income furnished in response to a notice under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 142", the words, figures and letters "furnish a report of such audit as required under section 44AB" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 293A. 49. In section 293A of the Income-tax Act,—

(*a*) in sub-section (*1*), after the words "or in regard to the whole or any part of the income of such class of persons", the following words shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1993, namely:—

"or in regard to the status in which such class of persons or the members thereof are to be assessed on their income from the business referred to in clause (*a*) of sub-section (*2*):

Provided that the notification for modification in respect of the status may be given effect from an assessment year beginning on or after the 1st day of April, 1993.";

(*b*) for *Explanation* occurring at the end, the following *Explanation* shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1993, namely:—

'*Explanation*.—For the purposes of this section,—

(*a*) "mineral oil" includes petroleum and natural gas;

(*b*) "status" means the category under which the assessee is assessed as "individual", "Hindu undivided family" and so on.'.

CHAPTER IV

INDIRECT TAXES

Customs

52 of 1962.

Substitution of new authorities.

50. In the Customs Act, 1962 (hereinafter referred to as the Customs Act), unless the context otherwise requires, references to any authority specified in column (2) of the Table below shall be substituted by the references to the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table and such consequential changes as the rules of grammar may require shall also be made:—

TABLE

S. No.	Existing Designation	Substituted Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Collector of Customs	Chief Commissioner of Customs
2.	Collector of Customs	Commissioner of Customs
3.	Collector (Appeals)	Commissioner (Appeals)
4.	Deputy Collector of Customs	Deputy Commissioner of Customs
5.	Assistant Collector of Customs	Assistant Commissioner of Customs.

Amendment of section 2.

51. In section 2 of the Customs Act,—

(*i*) in clause (*1*), for the words and brackets "Collector (Appeals)", the words and brackets "Commissioner (Appeals)" shall be substituted;

(ii) for clauses (*7A*) and (*8*), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(*7A*) "Commissioner (Appeals)" means a person appointed to be a Commissioner of Customs (Appeals) under sub-section (*1*) of section 4;

(*8*) "Commissioner of Customs", except for the purposes of Chapter XV, includes an Additional Commissioner of Customs;'.

Substitution of new sections for sections 3 and 4.

52. For sections 3 and 4 of the Customs Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Classes of officers of customs.

"3. There shall be the following classes of officers of customs, namely:—

(*a*) Chief Commissioners of Customs;

(*b*) Commissioners of Customs;

(*c*) Commissioners of Customs (Appeals);

(*d*) Deputy Commissioners of Customs;

(*e*) Assistant Commissioners of Customs; and

(*f*) such other class of officers of customs as may be appointed for the purposes of this Act.

Appointment of officers of customs.

4. (*1*) The Central Government may appoint such persons as it thinks fit to be officers of customs.

(*2*) Without prejudice to the provisions of sub-section (*1*), the Central Government may authorise the Board, a Commissioner of Customs or a Deputy or Assistant Commissioner of Customs to appoint officers of customs below the rank of Assistant Commissioner of Customs.".

Amendment of section 20.

53. In section 20 of the Customs Act, the provisos and the *Explanations* shall be omitted.

Amendment of section 27.

54. In section 27 of the Customs Act, in sub-section (*1*), for the words "in such form", the words "in such form and manner" shall be substituted.

Insertion of new section 27A.

55. After section 27 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed refunds.

"27A. **If any duty ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 27 to an applicant is not refunded within three months from the date of receipt of application under sub-section (*1*) of that section, there shall be paid to that applicant interest at such rate, not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of three months from the date of receipt of such application till the date of refund of such duty:**

Provided that where any duty, ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 27 in respect of an application under sub-section (*1*) of that section made before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.

Explanation.—Where any order of refund is made by the Commissioner (Appeals), Appellate

Tribunal or any court against an order of the Assistant Commissioner of Customs under sub-section (*2*) of section 27, the order passed by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, by the court shall be deemed to be an order passed under that sub-section for the purposes of this section.".

Substitution of new section for section 28.

56. For section 28 of the Customs Act, the following section shall be substituted, namely:—

Notice for payment of duties, interest etc.

'28. (*1*) When any duty has not been levied or has been short-levied or erroneously refunded, or when any interest payable has not been paid, part paid or erroneously refunded, the proper officer may,—

(*a*) in the case of any import made by any individual for his personal use or by Government or by any educational, research or charitable institution or hospital, within one year;

(*b*) in any other case, within six months,

from the relevant date, serve notice on the person chargeable with the duty or interest which has not been levied or charged or which has been so short-levied or part paid or to whom the refund has erroneously been made, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice:

Provided that where any duty has not been levied or has been short-levied or the interest has not been charged or has been part paid or the duty or interest has been erroneously refunded by reason of collusion or any wilful mis-statement or suppression of facts by the importer or the exporter or the agent or employee of the importer or exporter, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "one year" and "six months", the words "five years" were substituted.

Explanation.—Where the service of the notice is stayed by an order of a court, the period of such stay shall be excluded in computing the aforesaid period of one year or six months or five years, as the case may be.

(*2*) The proper officer, after considering the representation, if any, made by the person on whom notice is served under sub-section (*1*), shall determine the amount of duty or interest due from such person (not being in excess of the amount specified in the notice) and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(*3*) For the purposes of sub-section (*1*), the expression "relevant date" means—

(*a*) in a case where duty is not levied, or interest is not charged, the date on which the proper officer makes an order for the clearance of the goods;

(*b*) in a case where duty is provisionally assessed under section 18, the date of adjustment of duty after the final assessment thereof;

(*c*) in a case where duty or interest has been erroneously refunded, the date of refund;

(*d*) in any other case, the date of payment of duty or interest.'.

Insertion of new section 28AA.

57. After section 28A of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed payment of duty.

"28AA. Where a person, chargeable with the duty determined under sub-section (*2*) of section 28, fails to pay such duty within three months from the date of such determination, he shall pay in addition to the duty, interest at such rate not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum, as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such duty:

Provided that where a person chargeable with duty determined under sub-section (*2*) of section 28 before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, fails to pay such duty within three months from such date, then, such person shall be liable to pay interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of payment of such duty.

Explanation 1.—Where the duty determined to be payable is reduced by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be the date on which an amount of duty is first determined to be payable.

Explanation 2.—Where the duty determined to be payable is increased or further increased by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be,—

(*a*) for the amount of duty first determined to be payable, the date on which the duty is so determined;

(*b*) for the amount of increased duty, the date of order by which the increased amount of duty is first determined to be payable;

(*c*) for the amount of further increase of duty, the date of order on which the duty is so further increased.".

58. In section 45 of the Customs Act, after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 45.

"(*3*) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any imported goods are pilferred after unloading thereof in a customs area while in the custody of a person referred to in sub-section (*1*), that person shall be liable to pay duty on such goods at the rate prevailing on the date of delivery of an import manifest or, as the case may be, an import report to the proper officer under section 30 for the arrival of the conveyance in which the said goods were carried.".

59. In section 47 of the Customs Act, in sub-section (*2*),— Amendment of section 47.

(*a*) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(*b*) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the Board is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, by order for reasons to be recorded, waive the whole or part of any interest payable under this section.".

60. In section 74 of the Customs Act, for sub-section (*3*), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 74.

"(*3*) The Central Government may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this section and, in particular, such rules may—

(*a*) provide for the manner in which the identity of goods imported in different consignments which are ordinarily stored together in bulk, may be established;

(*b*) specify the goods which shall be deemed to be not capable of being easily identified; and

(*c*) provide for the manner and the time within which a claim for payment of drawback is to be filed.".

61. In section 75 of the Customs Act,— Amendment of section 75.

(*a*) in sub-section (*1*),—

(*i*) for the words "manufactured in India", the words "manufactured, processed or on which any operation has been carried out in India" shall be substituted;

(*ii*) for the words "manufacture of such goods" wherever they occur, the words "manufacture or processing of such goods or carrying out any operation on such goods" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*1A*), for the words "manufactured in India", the words "manufactured, processed or on which any operation has been carried out in India" shall be substituted;

(*c*) in sub-section (*2*),—

(*i*) for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) for the payment of drawback equal to the amount of duty actually paid on the imported materials used in the manufacture or processing of the goods or carrying out any operation on the goods or as is specified in the rules as the average amount of duty paid on the materials of that class or description used in the manufacture or processing of export goods or carrying out any operation on export goods of that class or description either by manufacturers generally or by persons processing or carrying on any operation generally or by any particular manufacturer or particular person carrying on any process or other operation, and interest if any payable thereon;";

(*ii*) in clause (*ab*), after the word, brackets and figure "sub-section (*1*)", the words "or interest chargeable thereon" shall be inserted;

(*iii*) in clause (*c*),—

(*a*) for the word "manufacturer", the words "manufacturer or the person carrying on any process or other operation" shall be substituted;

(*b*) for the word "manufacture", the words "manufacture, process or any other operations carried out" shall be substituted;

(*iv*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) for the manner and the time within which the claim for payment of drawback may be filed;";

(*d*) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*3*) The power to make rules conferred by sub-section (*2*) shall include the power to give drawback with retrospective effect from a date not earlier than the date of changes in the rates of duty on inputs used in the export goods.".

Insertion of new section 75A.

62. After section 75 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on drawback.

"75A. (*1*) **Where any drawback payable to a claimant under section 74 or section 75 is not paid within a period of three months from the date of filing a claim for payment of such drawback, there shall be paid to that claimant in addition to the amount of drawback, interest at the rate fixed under section 27A from the date after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such drawback:**

Provided that where any drawback, ordered to be paid under section 74 or section 75 in respect of a claim under any of the said sections filed before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.

(*2*) Where any drawback has been paid to the claimant erroneously, the claimant shall, within a period of three months from the date of demand, pay in addition to the said amount of drawback, interest at the rate fixed under section 28AA from the date after the expiry of the said period of three months till the date of recovery of such drawback.".

Amendment of section 80.

63. In section 80 of the Customs Act, after the words "on his leaving India", the words "and if for any reason, the passenger is not able to collect the article at the time of his leaving India, the article may be returned to him through any other passenger authorised by him and leaving India or as cargo consigned in his name" shall be inserted.

Insertion of new section 98A.

64. After section 98 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Power to relax.

"98A. If the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do it may, by notification in the Official Gazette, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the notification, coastal goods or vessels carrying coastal goods from all or any of the provisions of this Chapter.".

Amendment of section 129C.

65. In section 129C of the Customs Act,—

(*a*) in sub-section (*2*), for the words, brackets and figures "sub-sections (*3*) and (*4*)", the word, brackets and figure "sub-section (*4*)" shall be substituted;

(*b*) sub-section (*3*) shall be omitted.

Amendment of section 142.

66. In section 142 of the Customs Act, in sub-section (*1*),—

(*a*) in the opening portion, for the words "Where any duty demanded from any person or any amount of drawback to be recovered from any person or any penalty payable by any person", the words "Where any sum payable by any person" shall be substituted;

(*b*) for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*c*) if the amount cannot be recovered from such person in the manner provided in clause (*a*) or clause (*b*)—

(*i*) the Assistant Commissioner of Customs may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his business and the said Collector on receipt of such certificate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue; or

(*ii*) the proper officer may, on an authorisation by a Commissioner of Customs and in accordance with the rules made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus, if any, to such person.".

Amendment of section 157.

67. In section 157 of the Customs Act, in sub-section (*2*), in clause (*aa*), for the word "form", the words "form and manner" shall be substituted.

Substitution of new section for section 159.

68. For section 159 of the Customs Act, the following section shall be substituted, namely:—

Rules, certain notifications and orders to be laid before Parliament.

"159. Every rule or regulation made under this Act, every notification issued under sections 11, 11B, 11H, 11-I, 11K, 11N, 14, 25, 28A, 43, 66, 69, 70, 74, 75, 76, 98, 98A, 101 and 123 and every order made under sub-section (*2*) of section 25, other than an order relating to goods of strategic, secret, individual or personal nature, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or notification or order, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made or notification or order should not be issued or made, the rule or regulation or notification or order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything

previously done under that rule or regulation or notification or order.".

Amendment of Act 51 of 1975.

69. The Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act),—

(*a*) shall be amended in the manner specified in the Second Schedule; and

(*b*) shall, with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, be also amended in the manner specified in the Third Schedule.

Excise

1 of 1944.

Substitution of new authorities.

70. In the Central Excises and Salt Act, 1944 (hereinafter referred to as the Central Excises Act), unless the context otherwise requires, the references to any authority or authorities specified in column (2) of the Table below shall be substituted by the references to the authority or authorities specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table and such consequential changes as the rules of grammar may require shall also be made:—

TABLE

S.No.	Existing Designation	Substituted Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Collector of Central Excise	Chief Commissioner of Central Excise
2.	Collector of Central Excise	Commissioner of Central Excise
3.	Collector of Central Excise (Appeals) / Collector (Appeals)	Commissioner of Central Excise (Appeals)/ Commissioner (Appeals)
4.	Deputy Collector of Central Excise	Deputy Commissioner of Central Excise
5.	Assistant Collector of Central Excise	Assistant Commissioner of Central Excise.

Amendment of section 2.

71. In section 2 of the Central Excises Act, for clause (*b*), the following clause shall be substituted, namely:—

'(*b*) "Central Excise Officer" means the Chief Commissioner of Central Excise, Commissioner of Central Excise, Commissioner of Central Excise (Appeals), Additional Commissioner of Central Excise, Deputy Commissioner of Central Excise, Assistant Commissioner of Central Excise or any other officer of the Central Excise Department, or any person (including an officer of the State Government) invested by the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 with any of the powers of a Central Excise Officer under this Act.'.

54 of 1963.

Amendment of section 11A.

72. In section 11A of the Central Excises Act, in sub-section (*3*), in clause (*ii*), for sub-clause (*a*), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) in the case of excisable goods on which duty of excise has not been levied or paid or has been short-levied or short-paid—

(*A*) where under the rules made under this Act a periodical return, showing particulars of the duty paid on the excisable goods removed during the period to which the said return relates, is to be filed by a manufacturer or a producer or a licensee of a warehouse, as the case may be, the date on which such return is so filed;

(*B*) where no periodical return as aforesaid is filed, the last date on which such return is to be filed under the said rules;

(*C*) in any other case, the date on which the duty is to be paid under this Act or the rules made thereunder;".

Insertion of new section 11AA.

73. After section 11A of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed payment of duty.

"11AA. Where a person, chargeable with duty determined under sub-section (*2*) of section 11A, fails to pay such duty within three months from the date of such determination, he shall pay, in addition to the duty, interest at such rate not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such duty:

Provided that where a person chargeable with duty determined under sub-section (*2*) of section 11A before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, fails to pay such duty within three months from such date, then such person shall be liable to pay interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of payment of such duty.

Explanation 1.—Where the duty determined to be payable is reduced by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be the date on which an amount of duty is first determined to be payable.

Explanation 2.—Where the duty determined to be payable is increased or further increased by the

Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the Court, the date of such determination shall be,—

(*a*) for the amount of duty first determined to be payable, the date on which the duty is so determined;

(*b*) for the amount of increased duty, the date of order by which the increased amount of duty is first determined to be payable;

(*c*) for the amount of further increase of duty, the date of order on which the duty is so further increased.".

Amendment of section 11B.

74. In section 11B of the Central Excises Act, in sub-section (*1*), for the words "in such form", the words "in such form and manner" shall be substituted.

Insertion of new section 11BB.

75. After section 11B of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed refunds.

"11BB. **If any duty ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 11B to any applicant is not refunded within three months from the date of receipt of application under sub-section (*1*) of that section, there shall be paid to that applicant interest at such rate, not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of three months from the date of receipt of such application till the date of refund of such duty:**

Provided that where any duty ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 11B in respect of an application under sub-section (*1*) of that section made before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.

Explanation.—Where any order of refund is made by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or any court against an order of the Assistant Commissioner of Central Excise, under sub-section (*2*) of section 11B, the order passed by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, by the court shall be deemed to be an order passed under the said sub-section (*2*) for the purposes of this section.".

Insertion of new section 14A.

76. After section 14 of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:—

Special audit in certain cases.

'14A. (*1*) If at any stage of enquiry, investigation or any other proceedings before him, any Central Excise Officer not below the rank of an Assistant Commissioner of Central Excise, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been correctly declared or determined by a manufacturer or any person, he may, with the previous approval of the Chief Commissioner of Central Excise, direct such manufacturer or such person to get the accounts of his factory, office, depots, distributors or any other place, as may be specified by the said Central Excise Officer, audited by a cost accountant, nominated by the Chief Commissioner of Central Excise in this behalf.

(*2*) The cost accountant, so nominated shall, within the period specified by the Central Excise Officer, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Central Excise Officer mentioning therein such other particulars as may be specified:

Provided that the Central Excise Officer may, on an application made to him in this behalf by the manufacturer or the person and for any material and sufficient reason, extend the said period by such further period or periods as he thinks fit; so, however, that the aggregate of the period originally fixed and the period or periods so extended shall not, in any case, exceed one hundred and eighty days from the date on which the direction under sub-section (*1*) is received by the manufacturer or the person.

(*3*) The provisions of sub-section (*1*) shall have effect notwithstanding that the accounts of the manufacturer or person aforesaid have been audited under any other law for the time being in force or otherwise.

(*4*) The expenses of, and incidental to, such audit (including the remuneration of the cost accountant) shall be determined by the Chief Commissioner of Central Excise (which determination shall be final) and paid by the manufacturer or person and in default of such payment, shall be recoverable from the manufacturer or the person in the manner provided in section 11 for the recovery of sums due to the Government.

(*5*) The manufacturer or the person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of audit under sub-section *(1)* and proposed to be utilised in any proceedings under this Act or rules made thereunder.

Explanation.—For the purpose of this section, "cost accountant" shall have the meaning assigned to it in clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.'. 23 of 1959.

Amendment of section 35D.

77. In section 35D of the Central Excises Act, sub-section (*2*) shall be omitted.

Amendment of section 37.

78. In section 37 of the Central Excises Act,—

(*a*) in sub-section (*2*),—

(*i*) in clause (*xvi*), after the words "outside India", the words "including interest thereon" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*xvib*), the following clause shall be inserted, namely :—

"(*xvic*) provide for charging and payment of interest as the case may be, on credit of duty paid or deemed to have been paid on the goods used in, or in relation to, the manufacture of exciseable goods where such credit is varied subsequently;";

(*iii*) in clause (*xxiii*), for the word "form", the words "form and manner" shall be substituted;

(*b*) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(*2A*) The power to make rules conferred by clause (*xvi*) of sub-section (*2*) shall include the power to give retrospective effect to rebate of duties on inputs used in the export goods from a date not earlier than the changes in the rates of duty on such inputs.".

Amendment of section 38.

79. In section 38 of the Central Excises Act, for sub-section (*2*), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(*2*) Every rule made under this Act, every notification issued under sub-section (*1*) of section 5A and section 11C and every order made under sub-section (*2*) of section 5A, other than an order relating to goods of strategic, secret, individual or personal nature, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or order, or both Houses agree that the rule should not be made or notification or order should not be issued or made, the rule or notification or order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification or order.".

Amendment of Act 5 of 1986.

80. The Central Excise Tariff Act, 1985 (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act) shall be amended in the manner specified in the Fourth Schedule.

Amendment of Act 58 of 1957.

81. The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (hereinafter referred to as the Additional Duties of Excise Act) shall be amended in the manner specified in the Fifth Schedule.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Amendment of Act 19 of 1838.

82. In the Coasting Vessels Act, 1838, for the expression "Collector of Sea Customs", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 23 of 1940.

83. In the Drugs and Cosmetics Act, 1940, for the expression "Customs Collector", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 27 of 1940.

84. In the Agricultural Produce Cess Act, 1940,—

(*i*) in section 2, for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*a*) "Commissioner" means a Commissioner of Customs as defined in clause (8) of section 2 of the Customs Act, 1962;';

52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner" shall be substituted.

Amendment of Act 7 of 1942.

85. In the Coffee Act, 1942,—

(*i*) in section 3, for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*c*) "Commissioner" means the "Commissioner of Customs" as specified in clause (*b*) of section 3 of the Customs Act, 1962;';

52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner" shall be substituted.

Amendment of Act 29 of 1953.

86. In the Tea Act, 1953,—

(*i*) in section 3, for clause (*d*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*d*) "Commissioner of Customs" means a Commissioner of Customs as specified in clause (*b*) of section 3 of the Customs Act, 1962;';

52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Customs Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 37 of 1954.

87. In the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, for the expression "Customs Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 43 of 1958.

88. In the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, for the expression "Chief Customs Officer", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 54 of 1959.

89. In the Arms Act, 1959, for the expression "Collector of Customs", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 52 of 1963.

90. In the Unit Trust of India Act, 1963, in section 32, in sub-section (*2*), clauses (*b*) and (*c*) and the proviso shall be omitted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of Act 46 of 1973.

91. In the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, for the expressions "Collector of Customs" and "Collector", wherever they occur, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Repeal of Act 38 of 1974.

92. The Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 shall, as from the 1st day of April, 1996, stand repealed.

Declaration under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931

It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the provisions of sub-clause (*a*) of clause 69, clause 80 and clause 81 of this Bill shall have immediate effect under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.

16 of 1931.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 2)

PART I

INCOME-TAX

Paragraph A

Sub-Paragraph I

In the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, not being a case to which Sub-Paragraph II of this Paragraph or any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 35,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs. 35,000 but does not exceed Rs. 60,000	20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 35,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 60,000 but does not exceed Rs.1,20,000	Rs. 5,000 *plus* 30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 60,000;
(4) where the total income exceeds Rs. 1,20,000	Rs. 23,000 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.1,20,000.

Sub-Paragraph II

In the case of every Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995 exceeds Rs. 35,000,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 18,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs.18,000 but does not exceed Rs. 1,00,000	30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.18,000;
(3) where the total income exceeds Rs.1,00,000	Rs. 24,600 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.1,00,000.

Paragraph B

In the case of every co-operative society,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 10,000	10 per cent. of the total income;
(2) where the total income exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs. 20,000	Rs. 1,000 *plus* 20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.10,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 20,000	Rs. 3,000 *plus* 35 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 20,000.

Paragraph C

In the case of every firm,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income	40 per cent.

Paragraph D

In the case of every local authority,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income	30 per cent.

Paragraph E

In the case of a company,—

Rates of income-tax

I. In the case of a domestic company	40 per cent. of the total income;
II. In the case of a company other than a domestic company,—	
(*i*) on so much of the total income as consists of—	
(*a*) royalties received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976, or	
(*b*) fees for rendering technical services received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976,	
and where such agreement has, in either case, been approved by the Central Government	50 per cent.;
(*ii*) on the balance, if any, of the total income	55 per cent.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Paragraph or section 112 shall, in the case of every domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART II

RATES FOR DEDUCTION OF TAX AT SOURCE IN CERTAIN CASES

In every case in which under the provisions of sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D and 195 of the Income-tax Act, tax is to be deducted at the rates in force, deduction shall be made from the income subject to the deduction at the following rates:—

	Rate of income-tax
1. In the case of a person other than a company—	
(*a*) where the person is resident in India—	
(*i*) on income by way of interest other than "Interest on securities"	10 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on income by way of insurance commission	10 per cent.;
(*v*) on income by way of interest payable on—	10 per cent.;
(*A*) any security of the Central or a State Government	
(*B*) any debentures or other securities for money issued by or on behalf of any local authority or a corporation established by a Central, State or Provincial Act	
(*C*) any debentures issued by a company where such debentures are listed on a recognised stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and any rules made thereunder	
(*vi*) on any other income	20 per cent.;
(*b*) where the person is not resident in India—	
(*i*) in the case of a non-resident Indian—	
(*A*) on investment income and long-term capital gains	20 per cent.;
(*B*) on income by way of dividends and interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;

	Rate of income-tax
(*C*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*D*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*E*) on the whole of other income	income-tax at 30 per cent. of the amount of income or income-tax in respect of the income at the rates prescribed in Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of this Schedule, if such income had been the total income, whichever is higher;
(*ii*) in the case of any other person—	
(*A*) on income by way of dividends, interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;
(*B*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*C*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*D*) on income by way of long-term capital gains	20 per cent.;
(*E*) on the whole of the other income	income-tax at 30 per cent. of the amount of income or income-tax in respect of the income at the rates prescribed in Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of this Schedule, if such income had been the total income, whichever is higher.
2. In the case of a company—	
(*a*) where the company is a domestic company—	
(*i*) on income by way of interest other than "Interest on securities"	20 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on any other income	21.5 per cent.;
(*b*) where the company is not a domestic company—	
(*i*) on income by way of dividends payable by any domestic company	20 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on income by way of interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;
(*v*) on income by way of royalty payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1976, where such royalty is in consideration for the transfer of all or any rights (including the granting of a licence) in respect of copyright in any book on a subject referred to in the first proviso to sub-section (*1A*) of section 115A of the Income-tax Act, to the Indian concern, or in respect of any computer software referred to in the second proviso to sub-section (*1A*) of section 115A of the Income-tax Act, to a person resident in India.	30 per cent.;
(*vi*) on income by way of royalty [not being royalty of the nature referred to in sub-item (*b*) (*v*)] payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern and where such agreement is with an Indian concern, the agreement is approved by the Central	

	Rate of income-tax
Government or where it relates to a matter included in the industrial policy, for the time being in force, of the Government of India, the agreement is in accordance with that policy—	
(*A*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976	50 per cent.;
(*B*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1976	30 per cent.;
(*vii*) on income by way of fees for technical services payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern and where such agreement is with an Indian concern, the agreement is approved by the Central Government or where it relates to a matter included in the industrial policy, for the time being in force, of the Government of India, the agreement is in accordance with that policy—	
(*A*) where the agreement is made after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976	50 per cent.;
(*B*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1976	30 per cent.;
(*viii*) on income by way of long-term capital gains	20 per cent.;
(*ix*) on any other income	55 per cent.

Explanation.—For the purpose of item 1 (*b*) (*i*) of this Part, "investment income" and "non-resident Indian" shall have the meanings assigned to them in Chapter XII-A of the Income-tax Act.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax deducted in accordance with the provisions of sub-item (*a*) of item 2 of this Part shall be increased by a surcharge, calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART III

RATES FOR CALCULATING OR CHARGING INCOME-TAX IN CERTAIN CASES, DEDUCTING INCOME-TAX FROM INCOME CHARGEABLE UNDER THE HEAD "SALARIES" AND COMPUTING "ADVANCE TAX"

In cases in which income-tax has to be calculated under the first proviso to sub-section (*5*) of section 132 of the Income-tax Act or charged under sub-section (*4*) of section 172 or sub-section (*2*) of section 174 or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the said Act or deducted under section 192 of the said Act from income chargeable under the head "Salaries" or in which the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act has to be computed at the rate or rates in force, such income-tax or, as the case may be, "advance-tax" [not being "advance tax" in respect of any income chargeable to tax under Chapter XII or Chapter XII-A or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act at the rates as specified in that Chapter or section or surcharge on such "advance tax" in respect of any income chargeable to tax under section 115B], shall be calculated, charged, deducted or computed at the following rate or rates:—

Paragraph A

Sub-Paragraph I

In the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (31) of section 2 of the Income-tax Act, not being a case to which Sub-Paragraph II of this Paragraph or any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of income-tax

(1)	where the total income does not exceed Rs. 40,000	*Nil;*
(2)	where the total income exceeds Rs. 40,000 but does not exceed Rs. 60,000	20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 40,000;
(3)	where the total income exceeds Rs. 60,000 but does not exceed Rs.1,20,000	Rs. 4,000 *plus* 30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 60,000;
(4)	where the total income exceeds Rs.1,20,000	Rs. 22,000 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 1,20,000.

Sub-Paragraph II

In the case of every Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996 exceeds Rs. 40,000,—

Rates of income-tax

(1)	where the total income does not exceed Rs. 18,000	*Nil;*
(2)	where the total income exceeds Rs. 18,000 but does not exceed Rs. 1,00,000	30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 18,000;
(3)	where the total income exceeds Rs. 1,00,000	Rs. 24,600 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 1,00,000.

Paragraph B

In the case of every co-operative society,—

	Rates of income-tax
(1) where the total income does not exceed Rs. 10,000	10 per cent. of the total income;
(2) where the total income exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs. 20,000	Rs.1,000 *plus* 20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.10,000;
(3) where the total income exceeds Rs.20,000	Rs. 3,000 *plus* 35 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.20,000.

Paragraph C

In the case of every firm,—

	Rate of income-tax
On the whole of the total income	40 per cent.

Paragraph D

In the case of every local authority,—

	Rate of income-tax
On the whole of the total income	30 per cent.

Paragraph E

In the case of a company,—

	Rates of income-tax
I. In the case of a domestic company	40 per cent. of the total income;

II. In the case of a company other than a domestic company—

(*i*) on so much of the total income as consists of—

(*a*) royalties received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976, or

(*b*) fees for rendering technical services received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976,

and where such agreement has, in either case, been approved by the Central Government	50 per cent.;
(*ii*) on the balance, if any, of the total income	55 per cent.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Paragraph or sections 112 and 113 shall, in the case of every domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART IV

[*See* section 2*(9)(d)*]

RULES FOR COMPUTATION OF NET AGRICULTURAL INCOME

Rule 1.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*a*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Income from other sources" and the provisions of sections 57 to 59 of that Act shall, so far as may be, apply accordingly:

Provided that sub-section (*2*) of section 58 shall apply subject to the modification that the reference to section 40A therein shall be construed as not including a reference to sub-sections (*3*) and (*4*) of section 40A.

Rule 2.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*b*) or sub-clause (*c*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act [other than income derived from any building required as a dwelling house by the receiver of the rent or revenue of the cultivator or the receiver of rent-in-kind referred to in the said sub-clause (c)] shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Profits and gains of business or profession" and the provisions of sections 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 40A [other than sub-sections (*3*) and (*4*) thereof], 41, 43, 43A, 43B and 43C of the Income-tax Act shall, so far as may be, apply accordingly.

Rule 3.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*c*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act, being income derived from any building required as a dwelling house by the receiver of the rent or revenue or the cultivator or the receiver of rent-in-kind referred to in the said sub-clause (c) shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Income from house property" and the provisions of sections 23 to 27 of that Act shall, so far as may be, apply accordingly.

Rule 4.—Notwithstanding anything contained in any other provisions of these rules, in a case where the assessee derives income from sale of tea grown and manufactured by him in India, such income shall be computed in accordance with rule 8 of the Income-tax Rules, 1962, and sixty per cent. of such income shall be regarded as the agricultural income of the assessee.

Rule 5.—Where the assessee is a member of an association of persons or a body of individuals (other than a Hindu undivided family, a company or a firm) which in the previous year has either no income chargeable to tax under the Income-tax Act or has total income not exceeding the maximum amount not chargeable to tax in the case of an association of persons or a body of individuals (other than a Hindu undivided family, a company or a firm) but has any agricultural income, then, the agricultural income or loss of the association or body shall be computed in accordance with these rules and the share of the assessee in the agricultural income or loss so computed shall be regarded as the agricultural income or loss of the assessee.

Rule 6.—Where the result of the computation for the previous year in respect of any source of agricultural income is a loss, such loss shall be set off against the income of the assessee, if any, for that previous year from any other source of agricultural income:

Provided that where the assessee is a member of an association of persons or a body of individuals and the share of the assessee in the agricultural income of the association or body, as the case may be, is a loss, such loss shall not be set off against any income of the assessee from any other source of agricultural income.

Rule 7.—Any sum payable by the assessee on account of any tax levied by the State Government on the agricultural income shall be deducted in computing the agricultural income.

Rule 8.—(*1*) Where the assessee has, in the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, any agricultural income and the net result of the computation of the agricultural income of the assessee for any one or more of the previous years relevant to the assessment years commencing on the 1st day of April, 1987 or the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994, is a loss, then, for the purposes of sub-section (*2*) of section 2 of this Act,—

(*i*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1987, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*ii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*iii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*iv*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*v*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*vi*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*vii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1994,

(*viii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994,

shall be set off against the agricultural income of the assessee for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995.

(*2*) Where the assessee has, in the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996 or, if by virtue of any provision of the Income-tax Act, income-tax is to be charged in respect of the income of a period other than that previous year, in such other period, any agricultural income and the net result of the computation of the agricultural income of the assessee for any one or more of the previous years relevant to the assessment years commencing on the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994, or the 1st day of April, 1995, is a loss, then, for the purposes of sub-section (*8*) of section 2 of this Act,—

(*i*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*ii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*iii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*iv*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st of April, 1995,

(*v*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*vi*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*vii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995,

(*viii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995,

shall be set off against the agricultural income of the assessee for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996.

(*3*) Where any person deriving any agricultural income from any source has been succeeded in such capacity by another person, otherwise than by inheritance, nothing in sub-rule (*1*) or sub-rule (*2*) shall entitle any person, other than the person incurring the loss, to have it set off under sub-rule (*1*) or, as the case may be, sub-rule (*2*).

(*4*) Notwithstanding anything contained in this rule, no loss which has not been determined by the Assessing Officer under the provisions of these rules or the rules contained in Part IV of the First Schedule to the Finance Act, 1987 (11 of 1987), or of the First Schedule to the Finance Act, 1988 (26 of 1988), or of the First Schedule to the Finance Act, 1989 (13 of 1989), or of the First Schedule to the Finance Act, 1990 (12 of 1990), or of the First Schedule to the Finance (No. 2) Act, 1991 (49 of 1991), or of the First Schedule to the Finance Act, 1992 (18 of 1992), or of the First Schedule to the Finance Act, 1993 (38 of 1993), or of the First Schedule to the Finance Act, 1994 (32 of 1994), shall be set off under sub-rule (*1*) or, as the case may be, sub-rule (*2*).

Rule 9.—Where the net result of the computation made in accordance with these rules is a loss, the loss so computed shall be ignored and the net agricultural income shall be deemed to be *nil*.

Rule 10.—The provisions of the Income-tax Act relating to procedure for assessment (including the provisions of section 288A relating to rounding off of income) shall, with the necessary modifications, apply in relation to the computation of the net agricultural income of the assessee as they apply in relation to the assessment of the total income.

Rule 11.—For the purposes of computing the net agricultural income of the assessee, the Assessing Officer shall have the same powers as he has under the Income-tax Act for the purposes of assessment of the total income.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* section 69*(a)*]

In the First Schedule to the Customs Tariff Act, —

(1) in Chapter 1, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(2) in Chapter 4, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 0402.10 and 0402. 21), the entry "40%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 0402.10 and 0402. 21, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "*Nil*" shall be substituted;

(3) in Chapter 8, —

(i) for the entries in column (4) and column (5) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 0802.11, 0802.12, 0804.10, 0806.10, 0806.20 and 0809.40), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading No. 0802.11, for the entries in column (4) and column (5), the entries "Rs. 44 per kg." and "Rs.39 per kg." shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading No. 0802.12, for the entries in column (4) and column (5), the entries "Rs.80 per kg." and "Rs.75 per kg." shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading No. 0804.10, for the entries in column (4) and column (5), the entries "40%" and "30%" shall respectively be substituted;

(v) in sub-heading No. 0806.10, for the entries in column (4) and column (5), the entries " 30%" and "20%" shall respectively be substituted;

(vi) in sub-heading No. 0806.20, for the entries in column (4) and column (5), the entries "135%" and "125%" shall respectively be substituted;

(vii) in sub-heading No. 0809.40, for the entries in column (4) and column (5), the entries "30%" and "20%" shall respectively be substituted;

(4) in Chapter 9,—

(i) in sub-heading No. 0903.00, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "50% less 26 paise per kg." shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 0904.11, 0904.12, 0906.10, 0906.20, 0907.00, 0908.10 and 0908.30, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "42.5%" shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 0904.20, 0905.00, 0908.20, 0909.10, 0909.20, 0909.30, 0909.50, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 0910.91 and 0910.99, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(iv) in sub-heading Nos. 0909.40 and 0910.40, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(5) in Chapter 11, in sub-heading Nos.1107.10, 1107.20, 1108.11, 1108.12, 1108.13, 1108.14, 1108.19 and 1108.20, for the entry in column (4), occurring against each of them, the entry "30%" shall be substituted;

(6) in Chapter 12, —

(i) in sub-heading Nos.1201.00, 1202.10, 1202.20, 1203.00, 1204.00, 1205.00, 1206.00, 1207.10, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 1207.60, 1207.91, 1207.92 and 1207.99, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 1208.10, 1208.90, 1209.11, 1209.19, 1209.21, 1209.22, 1209.23, 1209.24, 1209.25, 1209.26, 1209.29, 1209.30, 1210.10, 1210.20, 1211.10, 1211.20, 1211.90, 1212.10, 1212.20, 1212.30, 1212.91, 1212.92, 1212.99, 1213.00, 1214.10 and 1214.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 1209.91 and 1209.99, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(7) in Chapter 13,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1301.20), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.1301.20, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(8) in Chapter 15,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.1502.00, 1507.10, 1507.90, 1508.10, 1508.90, 1509.10,1509.90, 1510.00, 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512.21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21, 1513.29, 1514.10, 1514.90, 1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515.29, 1515.30, 1515.40, 1515 .50, 1515.60 and 1515.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 1502.00, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 1507.10 and 1507.90, for the entries in column (4) and column (5), the entries "35%" and "25%" shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading Nos. 1508.10 and 1508.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(v) in sub-heading Nos. 1509.10, 1509.90 and 1510.00, for the entries in column (4) and column(5), the entries "45%" and "35%" shall respectively be substituted;

(vi) in sub-heading Nos. 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512. 21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21 and 1513.29, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(vii) in sub-heading Nos. 1514.10 and 1514.90, for the entries in column (4) and column(5), the entries "35%" and "25%" shall respectively be substituted;

(viii) in sub-heading Nos.1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515. 29, 1515.30, 1515.40, 1515.50, 1515.60 and 1515.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(9) in Chapter 16, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(10) in Chapter 17, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1702.10), the entry "50%" shall be substituted;

(11) in Chapter 18, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(12) in Chapter 19, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1901.10), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.1901.10, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(13) in Chapter 20, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(14) in Chapter 21, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(15) in Chapter 22, —

(i) in sub-heading Nos. 2201.10, 2201.90, 2202.10, 2202.90 and 2209.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2204.10, 2204.21, 2204.29, 2205.10, 2205.90, 2207.10, 2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50 and 2208.90, for the entries in column (4) occurring against each of them, the entry "290%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading No. 2208.10, for the entry in column (4), the entry "200%" shall be substituted;

(16) in Chapter 23, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 2301.20), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 2301.20, for the entry in column (4), the entry "35%" shall be substituted;

(17) in Chapter 24, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(18) in Chapter 25,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (execpt sub-heading Nos. 2503.10,2504.10, 2504.90, 2510.20 and 2527.00), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 2503.10, for the entry in column (4), the entry "Free" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos .2504.10 and 2504.90, for the entries in column (4) and column(5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading No. 2510.20, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;

(v) in sub-heading No. 2527.00, for the entries in column (4) and column(5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(19) in Chapter 26, —

(i) in sub-heading Nos. 2620.11, 2620.19 and 2620.30, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2620.20, 2620.40, 2620.50, 2620.90 and 2621.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(20) in Chapter 28, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(21) in Chapter 29,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 2917.37, 2933.71, 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90,2937.10, 2937.21, 2937.22, 2937.29, 2937.91, 2937.92, 2937.99, 2939.40, 2939.50, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 and 2941.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2917.37, 2933.71, 2937.10, 2937.21, 2937.22, 2937.29, 2937.91, 2937.92, 2937.99, 2939.40 and 2939.50, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50, and 2941.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "44%" shall respectively be substituted;

(22) in Chapter 30 ,—

(i) for the entries in column (4) and column (5) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50 and 3006.60), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50 and 3006.60, for the entry in column (4) occurrring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(23) in Chapter 31,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 3102.21, 3102.50, 3104.30, 3105.20, 3105.30, 3105.40, 3105.51, 3105.59, 3105.60 and 3105.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.3102.50, for the entry in column (4), the entry "Free" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 3104.30, 3105.30 and 3105.40, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;

(24) in Chapter 32,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No.3201.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.3201.90, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(25) in Chapter 33, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(26) in Chapter 34,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.3402.11, 3402.12, 3402.13 and 3402.19), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3402.11, 3402.12, 3402.13 and 3402.19, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(27) in Chapter 35, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(28) in Chapter 36, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(29) in Chapter 37, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(30) in Chapter 38,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.3801.10, 3802.10, 3812.10, 3815.11 and 3815.12), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3801.10, 3802.10, 3812.10, 3815.11 and 3815.12, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(31) in Chapter 39, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(32) in Chapter 40,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos.(except sub-heading No. 4011.30), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading No. 4011.30, the entry "3%" shall be substituted;

(33) in Chapter 41,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 4108.00, 4109.00, 4110.00 and 4111.00), the entry "25%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4108.00, 4109.00, 4110.00 and 4111.00, the entry "50%" shall be substituted;

(34) in Chapter 42, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(35) in Chapter 43, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(36) in Chapter 44, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except 4403.10, 4403.20, 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34, 4403.35, 4403.91, 4403.92, 4403.99, 4407.92 and 4407.99), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4403.10, 4403.20, 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34, 4403.35, 4403.91, 4403.92 and 4403.99, the entry "25%" shall be substituted;

(iii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4407.92 and 4407.99, the entry "35%" shall be substituted;

(37) in Chapter 45, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "40%" shall be substituted;

(38) in Chapter 46, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(39) in Chapter 47,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93, 4707.10, 4707.20, 4707.30 and 4707.90), the entry "25%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93, 4707.10, 4707.20, 4707.30 and 4707.90, the entry "40%" shall be substituted;

(40) in Chapter 48, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(41) in Chapter 49, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(42) in Chapter 50, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 5002.00), the entry "50%" shall be substituted;

(43) in Chapter 51, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.5101.11, 5101.19, 5101.21, 5101.29 and 5101.30), the entry "50%" shall be substituted;

(44) in Chapter 52, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 5201.00), the entry "50%" shall be substituted;

(45) in Chapter 53, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(46) in Chapter 54, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(47) in Chapter 55, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(48) in Chapter 56, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(49) in Chapter 57, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(50) in Chapter 58, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(51) in Chapter 59, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(52) in Chapter 60, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(53) in Chapter 61, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(54) in Chapter 62, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(55) in Chapter 63, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(56) in Chapter 64, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(57) in Chapter 65, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(58) in Chapter 66, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(59) in Chapter 67, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(60) in Chapter 68, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(61) in Chapter 69, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(62) in Chapter 70, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(63) in Chapter 71, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(64) in Chapter 75, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 7501.10, 7501.20, 7502.10, 7502.20 and 7503.00), the entry "30%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 7501.10, 7501.20, 7502.10, 7502.20 and 7503.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(65) in Chapter 76, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 7601.10, 7601.20 and 7602.00), the entry "40%" shall be substituted;

(66) in Chapter 78, for the entry in column(4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.7801.10, 7801.91, 7801.99 and 7802.00), the entry "50%" shall be substituted;

(67) in Chapter 79, for the entry in column(4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.7901.11, 7901.12, 7901.20 and 7902.00), the entry "50%" shall be substituted;

(68) in Chapter 81,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8101.10, 8101.91, 8102.10, 8102.91, 8103.10, 8104.11, 8104.19, 8104.20, 8105.10, 8106.00, 8107.10, 8108.10, 8109.10, 8110.00, 8111.00, 8112.11, 8112.20, 8112.30, 8112.40 and 8112.91), the entry "40%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8101.10, 8101.91, 8102.10, 8102.91, 8103.10, 8105.10, 8106.00, 8107.10, 8108.10, 8109.10, 8110.00, 8111.00, 8112.11, 8112.20, 8112.30, 8112.40 and 8112.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "30%" shall be substituted;

(69) in Chapter 82,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8212.10, 8212.20, 8212.90, 8213.00, 8214.10, 8214.20, 8214.90, 8215.10, 8215.20, 8215.91 and 8215.99), the entry "30%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8212.10, 8212.20, 8212.90, 8213.00, 8214.10, 8214.20, 8214.90, 8215.10, 8215.20, 8215.91 and 8215.99, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(70) in Chapter 83, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(71) in Chapter 84,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99 , for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50% *plus* Rs.200 per kg." shall be substituted;

(72) in Chapter 85, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(73) in Chapter 86, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(74) in Chapter 87, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 8710.00), the entry " 50%" shall be substituted;

(75) in Chapter 88,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos.(except sub-heading Nos. 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20 and 8803.30), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20 and 8803.30, the entry "3%" shall be substituted;

(76) in Chapter 89, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos.(except sub-heading No. 8908.00) the entry "50%" shall be substituted;

(77) in Chapter 90, for the entry in column (4) occuring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 9018.11, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.11, 9021.19, 9021.21, 9021.29, 9021.30, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.11, 9022.21 and 9023.00), the entry "50%" shall be substituted;

(78) in Chapter 91, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(79) in Chapter 92, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(80) in Chapter 93, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%"shall be substituted;

(81) in Chapter 94, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(82) in Chapter 95, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(83) in Chapter 96, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(84) in Chapter 97, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 9704.00 and 9705.00), the entry "50%" shall be substituted;

(85) in Chapter 98,—

(i) in NOTE 4, after clause *(b)*, the following shall be inserted, namely:—

"*(c)* Goods imported through courier service.";

(ii) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 9803.00), the entry "50%" shall be substituted;

(iii) for the entry in column (4) occurring against sub-heading No. 9803.00, the entry "150%" shall be substituted.

THE THIRD SCHEDULE

[*See* section 69*(b)*]

PART I

In the First Schedule to the Customs Tariff Act,—

(1) in Chapter 2, in heading No. 02.09, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT, AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR OTHERWISE EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED";

(2) in Chapter 3,—

(i) in subheading No. 0301.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(ii) in subheading No. 0302.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(iii) in subheading No. 0302.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, Atlantic salmon *(Salmo salar)* and Danube salmon *(Hucho hucho)*";

(iv) in subheading No. 0303.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, excluding livers and roes";

(v) in subheading No. 0303.21, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(vi) in subheading No. 0305.41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, Atlantic salmon *(Salmo salar)* and Danube salmon *(Hucho hucho)*";

(3) in Chapter 4,—

(i) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

'2. For the purposes of heading No. 04.05 :

(a) The term "butter" means natural butter, whey butter or recombined butter (fresh, salted or rancid, including canned butter) derived exclusively from milk, with a milkfat content of 80% or more but not more than 95% by weight, a maximum milk solids-not-fat content of 2% by weight and a maximum water content of 16% by weight. Butter does not contain added emulsifiers, but may contain sodium chloride, food colours, neutralising salts and cultures of harmless lactic-acid-producing bacteria.

(b) The expression "dairy spreads" means a spreadable emulsion of the water-in-oil type, containing milkfat as the only fat in the product, with a milkfat content of 39% or more but less than 80% by weight.' ;

(ii) after NOTE 4 as so renumbered, for the SUBHEADING NOTE, the following shall be substituted, namely:—

"SUBHEADING NOTES

1. For the purpose of subheading No. 0404.10, the expression "modified whey" means products consisting of whey constituents, i.e. whey from which all or part of the lactose, proteins or minerals have been removed, whey to which natural whey constituents have been added, and products obtained by mixing natural whey constituents.

2. For the purposes of subheading No. 0405.10, the term "butter" does not include dehydrated butter or ghee (subheading No. 0405.90).";

(4) in Chapter 5, in heading No. 05.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED";

(5) in Chapter 7,—

(i) in NOTE 3, for clauses *(c)* and *(d)*, the following clauses shall be substituted, namely :—

"*(c)* flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes (heading No. 11.05);

(d) flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13 (heading No.11.06).";

(ii) in heading No. 07.12, subheading No. 0712.10 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) in heading No. 07.14,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MANIOC, ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT SLICED OR IN THE FORM OF PELLETS; SAGO PITH";

(b) in subheading Nos. 0714.10, 0714.20 and 0714.90, for the entry in column (4), the entry "50%" shall be substituted;

(6) in Chapter 11,—

(i) in NOTE 2, in clause *(A)*, the following shall be inserted at the end, namely:—

"However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground is always classified in heading No. 11.04.";

(ii) in heading No. 11.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FLOUR, MEAL, POWDER, FLAKES, GRANULES AND PELLETS OF POTATOES";

(iii) in subheading No.1105.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Flour, meal and powder";

(iv) in heading No.11.06,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING No. 07.13, OF SAGO OR OF ROOTS OR TUBERS OF HEADING No. 07.14 OR OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8";

(b) in subheading No.1106.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13";

(c) in subheading No. 1106.20, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" -Of sago or of roots or tubers of heading No. 07.14" ;

(d) in subheading No. 1106.30, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" -Of the products of Chapter 8";

(7) in Chapter 12, in heading No. 12.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGAR CANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY *CICHORIUM INTYBUS SATIVUM*) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(8) in Chapter 13,—

(i) in NOTE 1,—

(a) for clause *(d)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(d)* Vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages (Chapter 22);";

(b) for clause *(h)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(h)* Essential oils, concretes, absolutes, resinoids, extracted oleoresins, aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils or preparations based on odoriferous substances of a kind used for the manufacture of beverages (Chapter 33); or";

(ii) in heading 13.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"LAC; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND OLEORESINS (FOR EXAMPLE, BALSAMS)" ;

(9) in Chapter 15,—

(i) in NOTE 1, in clause *(e)*, the words "in an isolated state" shall be omitted;

(ii) in heading No. 15.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PIG FAT (INCLUDING LARD) AND POULTRY FAT, OTHER THAN THAT OF HEADING No. 02.09 OR 15.03";

(iii) in heading No.15.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 15.03";

(iv) heading No. 15.19, sub-heading Nos. 1519.11, 1519.12, 1519.13, 1519.19 and 1519.20 and the entries relating thereto shall be omitted;

(10) in Chapter 16, in NOTE 1, for the words and figures "Chapter 2 or 3", the words and figures "Chapter 2 or 3 or heading No. 05.04" shall be substituted;

(11) in Chapter 19,—

(i) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"3. Heading No.19.04 does not cover preparations containing more than 6% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis or coated with chocolate or other food preparations containing cocoa of heading No.18.06.";

(ii) in heading No.19.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS NOs. 04.01 TO 04.04, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 5% BY WEIGHT OF COCOA CLACULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(iii) in heading No. 19.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR CEAREAL PRODUCTS (FOR EXAMPLE, CORN FLAKES); CEREALS [OTHER THAN MAIZE (CORN)] IN GRAIN FORM OR IN THE FORM OF FLAKES OR OTHER WORKED GRAINS (EXCEPT FLOUR AND MEAL), PRECOOKED, OR OTHERWISE PREPARED, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(12) in Chapter 20,—

(i) in heading No. 20.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING NO. 20.06";

(ii) in heading No. 20.05,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 20.06";

(b) subheading No. 2005.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) in heading No. 20.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"VEGETABLES, FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED)";

(13) in Chapter 21,—

(i) in NOTE 1, clause *(f)* shall be omitted and the existing clauses *(g)* and *(h)* shall be renumbered as clauses *(f)* and *(g)* respectively;

(ii) in heading No. 21.06, in subheading No. 2106.90, for the entry in column (4), the entry " 290%" shall be substituted;

(14) in Chapter 22,—

(i) in heading No. 22.06, in column (3), for the words "BEVERAGES NOT ELSEWHERE", the words "BEVERAGES, NOT ELSEWHERE" shall be substituted;

(ii) in heading No.22.08,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"UNDENATURATED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 80% VOL; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES";

(b) subheading No. 2208.10 and the entries relating thereto shall be omitted;

(15) in Chapter 25,—

(i) in NOTE 2, in clause *(g)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(ii) in heading No. 25.30, subheading No. 2530.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(16) in Chapter 26,—

(i) in NOTE 1, for clause *(e)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(e)* Waste or scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste or scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal (heading No. 71.12); or";

(ii) in heading No. 26.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING FERRUGINOUS MANGANESE ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20% OR MORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT";

(17) in Chapter 28,—

(i) in NOTE 1, for clause *(d)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(d)* The products mentioned in *(a)*, *(b)* or *(c)* above with an added stabiliser (including an anti-caking agent) necessary for their preservation or transport;";

(ii) in NOTE 3,—

(a) in cluase *(e)*, for the figures "38.23", wherever they occur, the figures "38.24" shall be substituted;

(b) for clause *(g)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(g)* The metals, whether or not pure, metal alloys or cermets, including sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal), of Section XV ; or";

(iii) in heading No. 28.27, subheading No. 2827.37 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) in heading No. 28.35, subheading No. 2835.21 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(v) in heading No. 28.36, subheading No. 2836.93 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(18) in Chapter 29,—

(i) in NOTE 1, for clause *(f)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(f)* The products mentioned in *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)* or *(e)* above with an added stabiliser (including an anti-caking agent) necessary for their preservation or transport;";

(ii) in NOTE 2,—

(a) for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(a)* Goods of heading No.15.04 or crude glycerol of heading No.15.20;" ;

(b) in clause *(ij)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(iii) in NOTE 5,—

(a) in clause *(b)*, the words "or glycerol" shall be omitted;

(b) in clause *(d)*, the words "and glycerol" shall be omitted;

(iv) in heading No. 29.05, subheading No. 2905.21 and the entries relating thereto shall be omitted;

(v) in heading No. 29.33,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOM(S) ONLY" ;

(b) after subheading No. 2933.40 and the entries relating thereto, in column (3), for the wordsand brakets "*-Compound containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure; nucleic acids and their salts:*", the following words and brakets shall be substituted, namely:—

"*-Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure:*";

(vi) in heading No. 29.34, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS; OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS";

(19) in Chapter 30,—

(i) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

'2. For the purposes of heading No. 30.02, the expression "modified immunological products" applies only to monoclonal antibodies (MABs), antibody fragments, antibody conjugates and antibody fragment conjugates.';

(ii) in NOTE 3 as so renumbered, for the word, figure, brackets and letter "Note 3*(d)*", the word, figure, brackets and letter "Note 4 *(d)*" shall be substituted;

(iii) in heading No. 30.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS" ;

(iv) in subheading No. 3002.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"*-Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes*";

(v) in heading No. 30.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PHARMACEUTICAL GOODS SPECIFIED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER";

(20) in Chapter 31, in NOTE 1, in clause *(c)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted ;

(21) in Chapter 32,—

(i) in heading No. 32.01, subheading No. 3201.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in heading No. 32.14, in subheading No. 3214.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings";

(22) in Chapter 33,—

(i) in NOTE 1, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(a)* Natural oleoresins or vegetable extracts of heading No.13.01 or 13.02;";

(ii) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively, and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"2. The expression "odoriferous substances" in heading No. 33.02 refers only to the substances of heading No. 33.01, to odoriferous constituents isolated from those substances or to synthetic aromatics.";

(iii) in heading No. 33.01, in column (3), after the word "RESINOIDS;" the words "EXTRACTED OLEORESINS;" shall be inserted;

(iv) in heading No.33.02,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES (INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS) WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES";

(b) in subheading No.3302.10, for the entry in column (4), the entry "290%" shall be substituted;

(23) in Chapter 34, in NOTE 5, in clause (a), for the figures "15.16, 15.19 or 34.02", the figures "15.16, 34.02 or 38.23" shall be substituted ;

(24) in chapter 37,—

(i) in NOTE 1, the word "materials" shall be omitted;

(ii) for NOTE 2, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"2. In this Chapter the word "photographic" relates to the process by which visible images are formed, directly or indirectly, by the action of light or other forms of radiation on photosensitive surfaces.";

(iii) in heading No. 37.02,—

(a) after subheading No.3702.20, and the entries relating thereto, in column (3), for the words, "*-Other film, without sprocket holes, of a width not exceeding 105 mm.*", the following words shall be substituted, namely :—

"*-Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm.*" ;

(b) after subheading No. 3702.39, and the entries relating thereto, in column (3), for the words "*-Other film, without sprocket holes, of a width exceeding 105 mm.*", the following words shall be substituted, namely:-

(25) in Chapter 38,—

(i) in NOTE 1, after clause *(c)*, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(d)* Spent catalysts of a kind used for the extraction of base metals or for the manufacture of chemical compounds of base metals (heading No. 26.20), spent catalysts of a kind used principally for the recovery of precious metal (heading No. 71.12) or catalysts consisting of metals or metal alloys in the form of, for example, finely divided powder or woven gauze (Section XIV or XV)." ;

(ii) in NOTE 2, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(iii) in heading No. 38.06, in subheading No. 3806.20, for the entry in column *(3)*, the following entry shall be substituted, namely :—

" -Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts";

(iv) in heading No.38.22, for the entry in column *(3)*, the following entry shall be substituted, namely:—

" DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS ON A BACKING AND PREPARED DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS WHETHER OR NOT ON A BACKING, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO.30.02 OR 30.06";

(26) in Chapter 39,—

(i) in NOTE 2,—

(a) for clause *(d)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(d)* Solutions (other than collodions) consisting of any of the products specified in headings Nos. 39.01 to 39.13 in volatile organic solvents when the weight of the solvent exceeds 50% of the weight of the solution (heading No. 32.08); stamping foils of heading No. 32.12;";

(b) clauses *(g)* to *(v)* shall be renumbered as clauses *(h)* to *(w)* respectively and before clause *(h)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(g)* Diagnostic or laboratory reagents on a backing of plastics (heading No. 38.22);";

(ii) for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"4. The expression "copolymers" covers all polymers in which no single monomer unit contributes 95% or more by weight to the total polymer content.

For the purposes of this Chapter, except where the context otherwise requires, copolymers (including co-polycondensates, co-polyaddition products, block copolymers and graft copolymers) and polymer blends are to be classified in the heading covering polymers of that comonomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For the purposes of this NOTE, constituent comonomer units of polymers falling in the same heading shall be taken together.

If no single comonomer unit predominates, copolymers or polymer blends, as the case may be, are to be classified in the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.";

(iii) for the SUBHEADING NOTE, the following SUBHEADING NOTE shall be substituted, namely:—

" Within any one heading of this Chapter, polymers (including copolymers) and chemically modified polymers are to be classified according to the following provisions :

(a) Where there is a subheading named "Other" in the same series :

(1) The designation in a subheading of a polymer by the prefix "poly" (e.g., polyethylene and polyamide-6, 6) means that the constituent monomer unit or monomer units of the named polymer taken together must contribute 95% or more by weight of the total polymer content.

(2) The copolymers named in subheadings Nos. 3901.30, 3903.20, 3903.30 and 3904.30 are to be classified in those subheadings, provided that the comonomer units of the named copolymers contribute 95% or more by weight of the total polymer content.

(3) Chemically modified polymers are to be classified in the subheading named "Other", provided that the chemically modified polymers are not more specifically covered by another subheading.

(4) Polymers not meeting *(1)*, *(2)* or *(3)* above, are to be classified in the subheading, among the remaining subheadings in the series, covering polymers of that monomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For this purpose, constituent monomer units of polymers falling in the same subheading shall be taken together. Only the constitutent comonomer units of the polymers in the series of subheadings under consideration are to be compared.

(b) Where there is no subheading named "Other" in the same series:

(1) Polymers are to be classified in the subheading covering polymers of that monomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For this purpose, constituent monomer units of polymers falling in the same subheading shall be taken together. Only the constituent comonomer units of the polymers in the series under consideration are to be compared.

(2) Chemically modified polymers are to be classified in the subheading appropriate to the unmodified polymer.

Polymer blends are to be classified in the same subheading as polymers of the same monomer units in the same proportions."

(27) in Chapter 41, in heading No. 41.04, in subheading No. 4104.31, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Full grains and full grain splits";

(28) in Chapter 42, for NOTE 2, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"2. *(A)* In addition to the provisions of Note 1 above, heading No. 42.02 does not cover :

(a) Bags made of sheeting of plastics, whether or not printed, with handles, not designed for prolonged use (heading No.39.23);

(b) Articles of plaiting materials (heading No. 46.02).

(B) Articles of heading Nos. 42.02 and 42.03 which have parts of precious metal or metal clad with precious metal, of natural or cultured pearls, of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) remain classified in those headings even if such parts constitute more than minor fittings or minor ornamentation, provided that these parts do not give the articles their essential character. If, on the other hand, the parts give the articles their essential character, the articles are to be classified in Chapter 71.";

(29) in Chapter 43,—

(i) in NOTE 1, for the word "hair", the words "hair or wool" shall be substituted;

(ii) in NOTE 2, in clause *(b)*, for the word "hair", the words "hair or wool" shall be substituted;

(30) in Chapter 44,—

(i) in NOTE 1, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(b)* Bamboos or other materials of a woody nature of a kind used primarily for plaiting, in the rough, whether or not split, sawn lengthwise or cut to length (heading No. 14.01);";

(ii) for NOTE 6, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"6. Subject to Note 1 above and except where the context otherwise requires, any reference to "wood" in a heading of this Chapter applies also to bamboos and other materials of a woody nature".;

(iii) after NOTE 6, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely:—

'SUBHEADING NOTE

For the purposes of subheadings Nos. 4403.41 to 4403.49, 4407.24 to 4407.29, 4408.31 to 4408.39 and 4412.13 to 4412.99, the expression "tropical wood" means one of the following types of wood :

Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makore, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.';

(iv) in heading No. 44.15,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET COLLARS OF WOOD";

(b) in subheading No. 4415.20, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" -Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars";

(31) in Chapter 46, in NOTE 1, for the words and brackets "strips of other vegetable material (for example, raffia, narrow leaves or strips cut from broad leaves) or bark,", the words and brackets "strips of other vegetable material (for example, strips of bark, narrow leaves and raffia or other strips obtained from broad leaves)," shall be substituted;

(32) in SECTION X, in the title, for the words "WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD",the words and brackets "RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD" shall be substituted;

(33) in Chapter 47,—

(i) in the title, for the words *"Waste and Scrap of paper or Paperboard"*, the words and brackets "*Recovered (waste and scrap) paper or paperboard*" shall be substituted;

(ii) in heading No.47.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" PULPS OF FIBRES DERIVED FROM RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL";

(iii) in heading No. 47.07, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD";

(34) in Chapter 48,—

(i) in NOTE 1, clauses (f) to (o) shall be renumbered as clauses (g) to (p) respectively and before clause (g) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(f)* Paper impregnated with diagnostic or laboratory reagents (heading No. 38.22);";

(ii) in NOTE 2, the words "for example, by coating or impregnation", shall be omitted;

(iii) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"3. In this Chapter the expression "newsprint" means uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 65% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 MPa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m^2 and not more than 65 g/m^2.";

(iv) in NOTE 4,—

(a) the brackets and sign "(*)", wherever they occur, shall be omitted;

(b) the footnote shall be omitted;

(c) in clauses *(d)* and *(e)*, for the figures and letters " 2.5 kPa / g / m^2" the figure and letters "2.5 kPa. m^2 /g" shall be substituted;

(v) for NOTE 6, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"6. Except where the terms of the headings otherwise require, paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres answering to a description in two or more of the headings Nos. 48.01 to 48.11 are to be classified under that one of such headings which occurs last in numerical order in this Schedule.";

(vi) existing NOTE 7 shall be renumbered as NOTE 7(A) and after NOTE 7(A) as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

"7(B). Headings Nos. 48.03 and 48.09 apply only to paper, cellulose wadding and webs of cellulose fibres :

(a) in strips or rolls of a width exceeding 36cm; or

(b) in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.";

(vii) in SUBHEADING NOTE 2, in clause *(a)*, for the figures "38", the figures and letters "3.7 kPa. m^2 /g" shall be substituted;

(viii) in SUBHEADING NOTE 3, for the figures and letters "20 kgf", the figures and word "196 newtons" shall be substituted;

(ix) in SUBHEADING NOTE 4, for the figures "15", the figures and letters "1.47kPa. m^2/g" shall be substituted;

(x) in heading No. 48.03, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS";

(xi) in heading No.48.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"OTHER UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, NOT FURTHER WORKED OR PROCESSED THAN AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO THIS CHAPTER";

(xii) in heading No. 48.08, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT GLUED FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN PAPER OF THE KIND DESCRIBED IN HEADING No .48.03";

(xiii) in heading No. 48.09, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CARBON PAPER, SELF-COPY PAPER AND OTHER COPYING OR TRANSFER PAPERS (INCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES), WHETHER OR NOT PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS";

(xiv) in heading No. 48.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN GOODS OF THE KIND DESCRIBED IN HEADING No. 48.03, 48.09 OR 48.10";

(xv) in heading No. 48.18, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLECLOTHES, SERVIETTES, NAPKINS FOR BABIES, TAMPONS, BED SHEETS AND SIMILAR HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES";

(xvi) in heading No. 48.23, subheading No. 4823.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(35) in SECTION XI,—

(i) in NOTE 1,—

(a) for clause *(e)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(e)* Articles of heading No. 30.05 or 30.06 (for example, wadding, gauze, bandages and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary purposes, sterile surgical suture materials); yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages, of heading No. 33.06;" ;

(b) in clause *(s)*, the word "or" occurring at the end shall be omitted;

(c) after clause *(t)* the following clauses shall be inserted, namely:—

"*(u)* Articles of Chapter 96 (for example, brushes, travel sets for sewing, slide fasteners and typewriter ribbons); or

(v) Artilces of Chapter 97." ;

(ii) in NOTE 5, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* Dressed for use as sewing thread; and" ;

(iii) in NOTE 7, for clause *(f)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(f)* Knitted or crocheted to shape, whether presented as separate items or in the form of a number of items in the length.";

(iv) for NOTE 8, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"8. For the purposes of Chapters 50 to 60 :

(a) Chapters 50 to 55 and 60 and, except where the context otherwise requires, Chapters 56 to 59 do not apply to goods made up within the meaning of Note 7 above; and

(b) Chapters 50 to 55 and 60 do not apply to goods of Chapters 56 to 59.";

(v) in NOTE 13, the following shall be inserted at the end, namely:—

"For the purposes of this Note, the expression "textile garments" means garments of heading Nos. 61.01 to 61.14 and heading Nos. 62.01 to 62.11.';

(vi) in SUBHEADING NOTE 2, in clause *(B)*, for sub- clause *(c)*, the following sub- clause shall be substituted, namely:—

"*(c)* in the case of embroidery of heading No. 58.10 and goods thereof, only the ground fabric shall be taken into account. However, embroidery without visible ground, and goods thereof, shall be classified with reference to the embroidering threads alone." ;

(36) in Chapter 52, for SUBHEADING NOTE, the following SUBHEADING NOTE shall be substituted, namely :—

'For the purposes of subheading Nos. 5209.42 and 5211.42, the expression "denim" means fabrics of yarns of different colours, of 3-thread or 4-thread twill, including broken twill, warp faced, the warp yarns of which are of one and the same colour and the weft yarns of which are unbleached, bleached, dyed grey or coloured a lighter shade of the colour of the warp yarns.';

(37) in Chapter 58, in heading No. 58.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TULLES AND OTHER NET FABRICS, NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS; LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 60.02" ;

(38) in Chapter 59,—

(i) in NOTE 4, for clauses *(c)* and *(d)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(c)* Fabrics composed of parallel textile yarns agglomerated with rubber, irrespective of their weight per square metre.

This heading does not, however, apply to plates, sheets or strip of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric is present merely for reinforcing purposes (Chapter 40), or textile products of heading No. 58.11.";

(ii) in NOTE 7, in clause *(a)*, for sub-clause *(i)*, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"*(i)* Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams);" ;

(iii) in heading No. 59.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OR REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL" ;

(iv) in heading No. 59.11, in subheading No. 5911.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Textile, fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams)" ;

(39) in Chapter 61,—

(i) in NOTE 3, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

'*(a)* The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and comprising :

-one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front is made from the same fabric as the outer surface of the other components of the set and whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or jacket; and

-one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.

All of the components of a "suit" must be of the same farbic construction, colour and composition; they must also be of the same style and of corresponding or compatible size. However, these components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a different fabric.

If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above conditons :

-morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back and striped trousers;

-evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;

-dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels';

(ii) NOTES 5 to 9 shall be renumbered as NOTES 6 to 10 respectively and before NOTE 6 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"5. Heading No. 61.09 does not cover garments with a drawstring, ribbed waistband or other means of tightening at the bottom of the garment.";

(iii) in heading No. 61.16, in subheading No. 6116.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Impregnated, coated or covered with plastics or rubber";

(40) in Chapter 62, in NOTE 3, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

'*(a)* The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and comprising :

-one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front is made from the same fabric as the outer surface of the other components of the set and whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or jacket; and

-one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.

All of the components of a "suit" must be of the same fabric construction, colour and composition; they must also be of the same style and of corresponding or compatible size. However, these components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a different fabric.

If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above conditions :

-morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back and striped trousers;

-evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;

-dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels." ;

(41) in Chapter 64, —

(i) in NOTE 1,—

(a) for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(a)* Disposable foot or shoe coverings of flimsy material (for example, paper, sheeting of plastics) without applied soles.

These products are classified according to their constituent material;" ;

(b) clauses *(b)* to *(e)* shall be renumbered as clauses *(c)* to *(f)* respectively and before clause *(c)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(b)* Footwear of textile material, without an outer sole glued, sewn or otherwise affixed or applied to the upper (Section XI);";

(ii) for NOTES 2 and 3, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"2. For the purposes of heading No. 64.06, the term "parts" does not include pegs, protectors, eyelets, hooks, buckles, ornaments, braid, laces, pompons or other trimmings (which are to be classified in their appropriate headings) or buttons or other goods of heading No. 96.06.

3. For the purposes of this Chapter :

(a) the terms "rubber" and "plastics" include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and

(b) the term "leather" refers to the goods of heading Nos. 41.04 to 41.09." ;

(iii) in SUBHEADING NOTE,—

(a) in opening sentence, for the figures "6402.11" and "6403.11", for the figures "6402.12" and "6403.12" shall respectively be substituted;

(b) for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes.";

(42) in Chapter 68, —

(i) in heading No. 68.10, subheading No. 6810.20 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(ii) in heading No. 68.15, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING CARBON FIBRES, ARTICLES OF CARBON FIBRES AND ARTICLES OF PEAT), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(43) in Chapter 69,—

(i) in NOTE 2, clauses *(b)* to *(l)* shall be renumbered as clauses *(c)* to *(m)* respectively, and before clause *(c)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(b)* Articles of heading No. 68.04;" ;

(ii) in heading No. 69.03, in subheading No. 6903.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Containing by weight more than 50% of graphite or other carbon or of a mixture of these products";

(44) in Chapter 70,—

(i) in NOTE 2, for clause *(c)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(c)* the expression "absorbent, reflecting or non-reflecting layer" means a microscopically thin coating of metal or of a chemical compound (for example, metal oxide) which absorbs, for example, infra-red light or improves the reflecting qualities of the glass while still allowing it to retain a degree of transparency or translucency; or which prevents light from being reflected on the surface of the glass.';

(ii) in heading No. 70.03, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CAST GLASS AND ROLLED GLASS, IN SHEETS OR PROFILES, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(iii) in heading No. 70.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"DRAWN GLASS AND BLOWN GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(iv) in heading No. 70.05,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(b) in subheading No. 7005.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non- reflecting layer";

(45) in Chapter 71,—

(i) in NOTE 3,—

(a) clauses *(d)* to *(o)* shall be renumbered as clauses *(e)* to *(p)* respectively and before clause *(e)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(d)* Supported catalysts (heading No .38.15);" ;

(b) for clause *(e)* as so renumbered, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(e)* Articles of heading No. 42.02 or 42.03 referred to in Note 2 *(B)* to Chapter 42;";

(ii) NOTES 8, 9 and 10 shall be renumbered as NOTES 9, 10 and 11 respectively and before NOTE 9 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"8. Subject to Note 1 *(a)* to Section VI, goods answering to a description in heading No. 71.12 are to be classified in that heading and in no other heading of this Schedule.";

(iii) in NOTE 11 as so renumbered, for the word and figure "NOTE 8", the word and figure " NOTE 9" shall be substituted ;

(iv) in heading No. 71.01, in column (3), the word "UNGRADED" shall be omitted ;

(v) in heading No. 71.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substitted, namely :—

"WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL; OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METAL";

(46) in SECTION XV,—

(i) NOTES 3 to 6 shall be renumbered as NOTES 5 to 8 respectively and before NOTE 5 as so renumbered, the following NOTES shall be inserted, namely :—

'3. Throughout this Schedule, the expression "base metals" means : iron and steel, copper, nickel, aluminium, lead, zinc, tin, tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, cadmium, titanium, zirconium, antimony, manganese, beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium.

4. Throughout this Schedule, the term "cermets" means products containing a microscopic heterogeneous combination of a metallic component and a ceramic component. The term "cermets" includes sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal).';

(ii) in NOTE 6 as so renumbered and in clause *(b)* of NOTE 7 as so renumbered, for the word and figure "NOTE 3", the word and figure "NOTE 5" shall be substituted ;

(47) in Chapter 72,—

(i) in NOTE 1, for clauses *(l)* and *(m)*, the following clauses shall be substituted, namely :—

'*(l) Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils*

Hot-rolled products in irregularly wound coils, which have a solid cross-section in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods).

(m) Other bars and rods

Products which do not conform to any of the definitions at *(ij)*, *(k)* or *(l)* above or to the definition of wire, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel. These products may :

-have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods);

-be twisted after rolling.';

(ii) in SUBHEADING NOTE 1, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"*(e) Silico manganese steel*

Alloy steels containing by weight :

-not more than 0.7% of carbon,

-0.5% or more but not more than 1.9% of manganese, and

-0.6% or more but not more than 2.3% of silicon, but no other element in a proportion that would give the steel the characteristics of another alloy steel." ;

(48) in Chapter 73, in heading No. 73.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"OTHER TUBES AND PIPES (FOR EXAMPLE, WELDED, RIVETED OR SIMILARLY CLOSED), HAVING CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON OR STEEL" ;

(49) in Chapter 75, after the NOTE ,—

(i) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(ii) the existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 1 thereof, and after SUBHEADING NOTE 1, as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

'2 Notwithstanding the provisions of Chapter Note 1 *(c)*, for the purposes of subheading No. 7508.10, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.';

(50) in Chapter 76, after the NOTE,—

(i) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(ii) the existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 1 thereof, and after SUBHEADING NOTE 1 as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

'2 Notwithstanding the provisions of Chapter Note 1 *(c)*, for the purposes of subheading No. 7616.91, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.';

(51) in Chapter 82, in heading No. 82.09, in column (3), the words "SINTERED METAL CARBIDES OR" shall be omitted.

(52) in SECTION XVI,—

(i) in NOTE 1, in clause *(o)*, for the words and figures "of heading No. 96.03", the brackets, words and figurfes "(heading No. 96.03)" shall be substituted;

(ii) in NOTE 2,—

(a) in clause *(a)*, for the brackets, words and figures "(other than heading Nos. 84.85 and 85.48)", the brackets, words and figures "(other than headings Nos. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 and 85.48)" shall be substituted ;

(b) in clause *(b)*, for the words "of that kind", the words and figures "of that kind or in heading No. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 or 85.38 as appropriate" shall be substituted ;

(c) for clause *(c)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(c)* All other parts are to be classified in heading No .84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 or 85.38 as appropriate or, failing that, in heading No .84.85 or 85.48.";

(53) in Chapter 84,—

(i) in NOTE 1, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* Machinery or appliances (for example, pumps) of ceramic material and ceramic parts of machinery or appliances of any material (Chapter 69);" ;

(ii) in NOTE 2, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Heading No. 84.24 does not cover :

Ink-jet printing machines (heading No.84.43 or 84.71)." ;

(iii) for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"4. Heading No. 84.57 applies only to machine-tools for working metal, other than lathes (including turning centres), which can carry out different types of machining operations either :

(a) by automatic tool change from a magazine or the like in conformity with a machining programme (machining centres),

(b) by the automatic use, simultaneously or sequentially, of different unit heads working on a fixed position workpiece (unit construction machines, single station), or

(c) by the automatic transfer of the workpiece to different unit heads (multi-station transfer machines).";

(iv) in NOTE 5, for clause (B) and the portion beginning with the words "Heading No." and ending with the words "in residual headings", the following clauses shall be substituted, namely:—

"(B) Automatic data processing machines may be in the form of systems consisting of a variable number of separate units. Subject to paragraph (E) below, a unit is to be regarded as being a part of a complete system if it meets all of the following conditions:

(a) It is of a kind solely or principally used in an automatic data processing system;

(b) It is connectable to the central processing unit either directly or through one or more other units; and

(c) It is able to accept or deliver data in a form (codes or signals) which can be used by the system.

(C) Separately presented units of an automatic data processing machine are to be classified in heading No. 84.71

(D) Printers, keyboards, X-Y co-ordinate input devices and disk storage units which satisfy the conditions of paragraphs (B) (b) and (B) (c) above, are in all cases to be classified as units of heading No.84.71.

(E) Machines performing a specific function other than data processing and incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine are to be classified in the headings appropriate to their respective functions or, failing that, in residual headings." ;

(v) after NOTE 7, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"8. For the purposes of heading No.84.70, the term "pocket-size" applies only to machines the dimensions of which do not exceed 170 mm.x 100 mm. x 45 mm.";

(vi) after NOTE 8, as so inserted,—

(a) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(b) existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 2 thereof and before SUBHEADING NOTE 2 as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

"1. For the purposes of Subheading No.8471.49, the term "systems" means automatic data processing machines whose units satisfy the conditions laid down in NOTE 5 (B) to Chapter 84 and which comprise at least a central processing unit, one input unit (for example, a keyboard or a scanner), and one output unit (for example, a visual display unit or a printer)." ;

(vii) in heading No.84.22,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"DISH WASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR CONTAINERS; OTHER PACKING OR WRAPPING MACHINERY (INCLUDING HEAT-SHRINK WRAPPING MACHINERY); MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES" ;

(b) in subheading No. 8422.30, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages";

(c) in subheading No.8422.40, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery)" ;

(viii) in heading No. 84.43, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PRINTING MACHINERY, INCLUDING INK-JET PRINTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO.84.71; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING" ;

(ix) in heading No. 84.58, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"LATHES (INCLUDING TURNING CENTRES) FOR REMOVING METAL" ;

(x) in heading No.84.59, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"MACHINE-TOOLS (INCLUDING WAY-TYPE UNIT HEAD MACHINES) FOR DRILLING, BORING, MILLING, THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, OTHER THAN LATHES (INCLUDING TURNING CENTRES) OF HEADING NO.84.58" ;

(xi) in heading No. 84.60, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted ;

(xii) in heading No. 84.61, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted;

(xiii) in heading No. 84.63, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted;

(xiv) in heading No. 84.67, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC, HYDRAULIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR" ;

(xv) in heading No. 84.70,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CALCULATING MACHINES AND POCKET-SIZE DATA RECORDING, REPRODUCING AND DISPLAYING MACHINES WITH CALCULATING FUNCTIONS; ACCOUNTING MACHINES, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE; CASH REGISTERS";

(b) in subheading No. 8470.10, in column (3), for the words "external source of power", the words "external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions" shall be substituted ;

(xvi) in heading No. 84.83,—

(a) in column (3), for the words "BALL SCREWS", the words "BALL OR ROLLER SCREWS" shall be substituted ;

(b) in subheading No. 8483.40, in column 3, for the words "ball screws", the words "ball or roller screws" shall be substituted;

(xvii) in heading No. 84.84, in column (3), for the words "SIMILAR PACKINGS", the words "SIMILAR PACKINGS; MECHANICAL SEALS" shall be substituted;

(54) in Chapter 85,—

(i) in NOTE 4, for the portion beginning with the words "The term" and ending with the words "connecting elements", the following shall be substituted, namely :—

"The expression "printed circuits" does not cover circuits combined with elements other than those obtained during the printing process, nor does it cover individual, discreet resistors, capacitors or inductances. Printed circuits may, however, be fitted with non-printed connecting elements." ;

(ii) after NOTE 6, the following NOTE and SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

"7. For the purposes of heading No.85.48, "spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators" are those which are neither usable as such because of breakage, cutting-up, wear or other reasons, nor capable of being recharged.

SUBHEADING NOTE

Subheadings Nos. 8519.92 and 8527.12 cover only cassette-players with built-in amplifier, without built-in loudspeaker, capable of operating without an external source of electric power and the dimensions of which do not exceed 170 mm x 100 mm x 45 mm.";

(iii) in heading No.85.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"SHAVERS, HAIR CLIPPERS AND HAIR-REMOVING APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR" ;

(iv) in heading No.85.15, in column (3), for the words "SINTERED METAL CARBIDES", the word "CERMETS" shall be substituted;

(v) in heading No.85.22, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE APPARATUS OF HEADINGS NOs. 85.19 TO 85.21" ;

(vi) in heading No.85.25, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS" ;

(vii) in heading No.85.37, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING NO. 85.35 OR 85.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE INCORPORATING INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, AND NUMERICAL CONTROL APPARATUS,OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING NO. 85.17";

(55) in SECTION XVII, for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"4. For the purposes of this Section :

(a) Vehicles specially constructed to travel on both road and rail are classified under the appropriate heading of Chapter 87;

(b) Amphibious motor vehicles are classified under the appropriate heading of Chapter 87;

(c) Aircraft specially constructed so that they can also be used as road vehicles are classified under the appropriate heading of Chapter 88.";

(56) in Chapter 87, in NOTE 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"Machines and working tools designed for fitting to tractors of heading No. 87.01 as interchangeable equipment remain classified in their respective headings even if presented with the tractor, and whether or not mounted on it.";

(57) in Chapter 88,—

(i) after the title of the Chapter, the following shall be inserted, namely :—

'SUBHEADING NOTE

For the purposes of subheadings Nos. 8802.11 to 8802.40, the expression "unladen weight" means the weight of the machine in normal flying order, excluding the weight of the crew and of fuel and equipment other than permanently fitted items of equipment.';

(ii) in heading No. 88.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER AIRCRAFT (FOR EXAMPLE, HELICOPTERS, AEROPLANES); SPACECRAFT (INCLUDING SATELLITES) AND SUBORBITAL AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES";

(iii) in heading No. 88.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PARACHUTES (INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES AND PARAGLIDERS) AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO" ;

(58) in Chapter 90, —

(i) in NOTE 1, in clause *(h)*, for the words and heading No. "sound heads (heading No. 85.22);" the words and heading Nos. "sound heads (heading No. 85.22); still image video cameras and other video camara recorders (heading No. 85.25);" shall be substituted;

(ii) in heading No. 90.10, in column (3), for the words "APPARATUS FOR THE PROJECTION", the words "APPARATUS FOR THE PROJECTION OR DRAWING" shall be substituted ;

(iii) in heading No. 90.25, subheading No. 9025.20 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(59) in Chapter 91,—

(i) in heading No. 91.01,—

(a) in the portion occuring immediately after heading No. 91.01, in column (3), for the words "- *Wrist- watches, battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop - watch facility:*" the following words shall be substituted, namely :— *Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility:" ;*

(b) in subheading No. 9101.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-- Electrically operated";

(ii) in heading No. 91.02, —

(a) in the portion occuring immediately after heading No. 91.02, in column (3), for the words "-*Wrist - watches, battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop - watch facility:*" the following words shall be substituted, namely:—

"-*Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility:*";

(b) in subheading No. 9102.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(iii) in heading No. 91.03, in subheading No. 9103.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Electrically operated" ;

(iv) in heading No. 91.05,-

(a) in subheading No. 9105.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(b) in subheading No. 9105.21, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(c) in subheading No. 9105.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(v) in heading No. 91.08, in the portion occuring immediately after heading No. 91.08, in column (3), for the words "*-Battery or accumulator powered*:", the following words shall be substituted, namely:—

"*-Eletrically operated:*";

(vi) in heading No. 91.09, in the portion occuring immediately after heading No. 91.09, in column (3), for the words "*-Battery or accumulator powered:*", the following words shall be substituted, namely:—

"*-Eletrically operated:*";

(60) in Chapter 92, in heading No.92.06, in column (3), for the word "MARACCAS" the word "MARACAS" shall be substituted;

(61) in Chapter 95, in NOTE 1, for clause *(m)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(m)* Pumps for liquids (heading No. 84.13), filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases (heading No. 84.21), electric motors (heading No. 85.01), electric transformers (heading No.85.04) or radio remote control apparatus (heading No. 85.26);" ;

(62) in Chapter 96, in heading No.96.14, subheading No.9614.10 and the entries relating thereto, shall be omitted ;

(63) in Chapter 97, for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"3. Heading No.97.03 does not apply to mass-produced reproductions or works of conventional craftsmanship of a commercial character, even if these articles are designed or created by artists.".

PART II

Heading No. No.	Sub-Heading No.	Description of Article	Rate of duty Standard	Preferential Areas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

In the First Schedule to the Customs Tariff Act,—

(1) in Chapter 1, for heading No. 01.05, subheading Nos. 0105.11, 0105.19, 0105.91 and 0105.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"01.05		LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS OF THE SPECIES *GALLUS DOMESTICUS*, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS		
		- *Weighing not more than 185 g :*		
	0105.11	-- Fowls of the species *Gallus domesticus*	50%	..
	0105.12	-- Turkeys	50%	..
	0105.19	-- Other	50%	..
		- Other:		
	0105.92	-- Fowls of the species *Gallus domesticus*, weighing not more than 2,000 g	50%	..
	0105.93	-- Fowls of the species *Gallus omesticus*, weighing more than 2,000 g	50%	..
	0105.99	-- Other	50%	...";

(2) in Chapter 2, for heading No. 02.07, subheading Nos. 0207.10, 0207.21, 0207.22, 0207.23, 0207.31, 0207.39, 0207.41, 0207.42, 0207.43 and 0207.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"02.07		MEAT, AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING No. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN		
		- *Of fowls of the species Gallus domesticus :*		
	0207.11	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.12	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.13	-- Cuts and offal, fresh or chilled	10%	..
	0207.14	-- Cuts and offal, frozen	10%	..
		- *Of turkeys :*		
	0207.24	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.25	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.26	-- Cuts and offal, fresh or chilled	10%	..
	0207.27	-- Cuts and offal, frozen	10%	..

1	2	3	4	5
		- *Of ducks, geese or guinea fowls :*		
	0207.32	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.33	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.34	-- Fatty livers, fresh or chilled	10%	..
	0207.35	-- Other, fresh or chilled	10%	..
	0207.36	-- Other, frozen	10%	..":

(3) in Chapter 4, for heading No. 04.05 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"04.05		BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK; DAIRY SPREADS		
	0405.10	- Butter	40%	..
	0405.20	- Dairy spreads	40%	..
	0405.90	- Other	40%	..":

(4) in Chapter 6, in heading No. 06.02, after subheading No. 0602.40 and the entries relating thereto, for the word "*-Other.*" and subheading Nos. 0602.91 and 0602.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"0602.90	- Other	10%	..":

(5) in Chapter 8,—

(i) in heading No. 08.01, for subheading Nos. 0801.10, 0801.20 and 0801.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Coconuts :*		
	0801.11	-- Desiccated	50%	40%
	0801.19	-- Other	50%	40%
		- *Brazil nuts :*		
	0801.21	-- In shell	50%	40%
	0801.22	-- Shelled	50%	40%
		- *Cashew nuts :*		
	0801.31	-- In shell	50%	40%
	0801.32	-- Shelled	50%	40%";

(ii) in heading No. 08.07, for subheading No. 0807.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Melons (including watermelons) :*		
	0807.11	-- Watermelons	50%	40%
	0807.19	-- Other	50%	40%";

(iii) in heading No. 08.10, after subheading No. 0810.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

"0810.50		- Kiwifruit	50%	40%";

(6) in Chapter 9, in heading No. 09.01, for subheading Nos. 0901.30 and 0901.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"0901.90	- Other	10%	10% less 13 paise per kg";

(7) in Chapter 14, in heading No. 14.02, after subheading No.1402.10 and the entries relating thereto, for the word "*-Other.*" and subheading Nos. 1402.91 and 1402.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"1402.90	- Other	10%	..":

(8) in Chapter 15, for heading No. 15.20, subheading Nos. 1520.10 and 1520.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"15.20	1520.00	GLYCEROL,CRUDE; GLYCEROL WATERS AND GLYCEROL LYES	50%	.." ;

1	2	3	4	5

(9) in Chapter 16, in heading No. 16.02, after subheading No.1602.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"1602.32	- - Of fowls of the species *Gallus domesticus*	50%	...";

(10) in Chapter 17, in heading No. 17.02, for subheading No.1702.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Lactose and lactose syrup :*		
	1702.11	-- Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose calculated on the dry matter	25%	..
	1702.19	-- Other	25%	...";

(11) in Chapter 19, in heading No.19.04, after subheading No.1904.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"1904.20	- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals .	50%	...";

(12) in Chapter 21, in heading No. 21.01, for subheading No.2101.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee :*		
	2101.11	-- Extracts, essences and concentrates	50%	..
	2101.12	-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	50%	...";

(13) in Chapter 22, in heading No. 22.08, after subheading No. 2208.50 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

	"2208.60	- Vodka	290%	..
	2208.70	- Liqueurs and cordials	290%	...";

(14) in Chapter 23, in heading No. 23.06, after subheading No. 2306.60 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"2306.70	- Of maize (corn) germ	50%	...";

(15) in Chapter 25,—

(i) for heading No.25.03, subheading Nos. 2503.10 and 2503.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"25.03	2503.00	SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHER, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR	50%	...";

(ii) in heading No.25.13, after subheading No. 2513.19 and the entries relating thereto, for the words *"-Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:"* and subheading Nos. 2513.21 and 2513.29 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"2513.20	- Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives	50%	...";

(16) in Chapter 28,—

(i) in heading No. 28.41, for subheading No. 2841.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		- *Manganites, manganates and permanganates :*		
	2841.61	-- Potassium permanganate	50%	..
	2841.69	-- Other	50%	...";

1	2	3	4	5

(*ii*) for heading No.28.48, subheading Nos. 2848.10 and 2848.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"28.48	2848.00	PHOSPIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, EXCLUDING FERROPHOSPHORUS	50%	.. ";

(*17*) in Chapter 29,—

(*i*) in heading No. 29.03, for subheading No. 2903.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens :*		
	2903.41	-- Trichlorofluoromethane	50%	..
	2903.42	-- Dichlorodifluoromethane	50%	..
	2903.43	-- Trichlorotrifluoroethanes	50%	..
	2903.44	-- Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane	50%	..
	2903.45	-- Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine	50%	..
	2903.46	-- Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes	50%	..
	2903.47	-- Other perhalogenated derivatives	50%	..
	2903.49	-- Other	50%	..";

(*ii*) in heading No. 29.05, after subheading No. 2905.44 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"2905.45	-- Glycerol	50%	..";

(*iii*) in heading No. 29.14,—

(a) for subheading No. 2914.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Aromatic ketones without other oxygen function :*		
	2914.31	-- Phenylacetone (1-phenylpropan-2-one)	50%	..
	2914.39	-- Other	50%	..";

(*b*) after subheading No. 2914.30 as substituted by subheading Nos. 2914.31 and 2914.39, for the words "-*Ketone-alcohols and ketone-aldehydes* :" and subheading Nos. 2914.41 and 2914.49 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	" 2914.40	- Ketone-alcohols and ketone-aldehydes	50%	..";

(*iv*) in heading No. 29.16, for subheading No. 2916.33 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"2916.34	-- Phenylacetic acid and its salts	50%	..
	2916.35	-- Esters of phenylacetic acid	50%	..";

(*v*) in heading No. 29.22, after subheading No. 2922.42 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"2922.43	-- Anthranilic acid and its salts	50%	..";

(*vi*) in heading No. 29.24, after subheading No .2924.21 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"2924.22	-- 2-Acetamidobenzoic acid	50%	..";

1	2	3	4	5

(*vii*) in heading No. 29.32, for subheading No. 2932.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Other:*		
	2932.91	-- Isosafrole	50%	..
	2932.92	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan- 2-one	50%	..
	2932.93	-- Piperonal	50%	..
	2932.94	-- Safrole	50%	..
	2932.99	-- Other	50%	...";

(*viii*) in heading No. 29.33, after subheading No. 2933.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"2933.32	-- Piperidine and its salts	50%	...";

(*ix*) in heading No. 29.39,—

(*a*) for subheading No. 2939.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Ephedrines and their salts :*		
	2939.41	-- Ephedrine and its salts	50%	40%
	2939.42	-- Pseudoephedrine (INN) and its salts	50%	40%
	2939.49	-- Other	50%	40%" ;

(*b*) for subheading No. 2939.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof :*		
	2939.61	-- Ergometrine (INN) and its salts	50%	..
	2939.62	-- Ergotamine (INN) and its salts	50%	..
	2939.63	-- Lysergic acid and its salts	50%	..
	2939.69	-- Other	50%	...";

(*18*) in Chapter 30, in heading No.30.02, after subheading No.3002.20 and the entries relating thereto, for the words "*-Vaccines for veterinary medicine:*" and subheading Nos. 3002.31 and 3002.39 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"3002.30	- Vaccines for veterinary medicine	50%	40%";

(*19*) in Chapter 32, in heading No. 32.06, for subheading No. 3206.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Pigments and preparations based on titanium dioxide :*		
	3206.11	-- Containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight	50%	..
	3206.19	-- Other	50%	...";

(*20*) in Chapter 33, for heading No. 33.06, subheading Nos. 3306.10 and 3306.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"33.06		PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO CLEAN BETWEEN THE TEETH (DENTAL FLOSS), IN INDIVIDUAL RETAIL PACKAGES		
	3306.10	- Dentifrices	50%	..
	3306.20	- Yarn used to clean between the teeth (dental floss)	50%	..
	3306.90	- Other	50%	...";

(*21*) in Chapter 35, in heading No.35.02, for subheading Nos. 3502.10 and 3502.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Egg albumin:*		
	3502.11	-- Dried	50%	..
	3502.19	-- Other	50%	..
	3502.20	- Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins	50%	..
	3502.90	- Other	50%	...";

(22) in Chapter 38, for heading No. 38.23, subheading Nos. 3823.10, 3823.20, 3823.30, 3823.40, 3823.50, 3823.60 and 3823.90 and the entries relating thereto, the following headings, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"38.23		INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS		
		- *Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining :*		
	3823.11	-- Stearic acid	50%	..
	3823.12	-- Oleic acid	50%	..
	3823.13	-- Tall oil fatty acids	50%	..
	3823.19	-- Other	50%	..
	3823.70	- Industrial fatty alcohols	50%	..
38.24		PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES; CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES (INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED		
	3824.10	- Prepared binders for foundry moulds or cores	50%	..
	3824.20	- Naphthenic acids,their water-insoluble salts and their esters	50%	..
	3824.30	- Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders	50%	..
	3824.40	- Prepared additives for cements, mortars or concretes	50%	..
	3824.50	- Non-refractory mortars and concretes	50%	..
	3824.60	- Sorbitol other than that of subheading No. 2905.44	50%	..
		- *Mixtures containing perhalogenated derivatives or acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens:*		
	3824.71	-- Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with flourine and chlorine	50%	..
	3824.79	-- Other	50%	..
	3824.90	- Other	50%	..";

(23) in Chapter 39, for heading No. 39.05, subheading Nos. 3905.11, 3905.19, 3905.20 and 3905.90 and the entries relating thereto, the following headings, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"39.05		POLYMERS OF VINYL ACETATE OR OF OTHER VINYL ESTERS, IN PRIMARY FORMS; OTHER VINYL POLYMERS IN PRIMARY FORMS		
		- *Polyvinyl acetate* :		
	3905.12	-- In aqueous dispersion	50%	..
	3905.19	-- Other	50%	..
		- *Vinyl acetate copolymers:*		
	3905.21	-- In aqueous dispersion	50%	..
	3905.29	-- Other	50%	..
	3905.30	- Polyvinyl alcohol, whether or not containing unhydrolysed acetate groups	50%	..
		- *Other* :		
	3905.91	-- Copolymers	50%	..
	3905.99	-- Other	50%	..":

(24) in Chapter 40, for heading No. 40.10, subheading Nos. 4010.10, 4010.91 and 4010.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"40.10		CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER		
		- *Conveyor belts or belting:*		
	4010.11	-- Reinforced only with metal	50%	..
	4010.12	-- Reinforced only with textile materials	50%	..
	4010.13	-- Reinforced only with plastics	50%	..
	4010.19	-- Other	50%	..
		- *Transmission belts or belting:*		
	4010.21	-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), whether or not grooved, of a circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm	50%	..
	4010.22	-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), whether or not grooved, of a circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm	50%	..
	4010.23	-- Endless synchronous belts, of a circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm	50%	..
	4010.24	-- Endless synchronous belts, of a circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm	50%	..
	4010.29	-- Other	50%	..":

(25) in Chapter 44,—

(i) in heading No. 44.03, after subheading No. 4403.20 and the entries relating thereto, for the words "*Other, of the following tropical woods:*", subheading Nos. 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34 and 4403.35 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"- *Other, of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter:*		
4403.41	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	25%	..
4403.49	-- Other	25%	..":

(ii) in heading No. 44.07, after subheading No. 4407.10 and the entries relating thereto, for the words "*-Of the following tropical woods:*" and subheading Nos. 4407.21, 4407.22 and 4407.23 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"*-Of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter:*		
4407.24	-- Virola, Mahogany (*Swietenia spp.*), Imbuia and Balsa	50%	..
4407.25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	50%	..
4407.26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan	50%	..
4407.29	-- Other	50%	..":

(iii) in heading No. 44.08, for subheading No.4408.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"- *Of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter:*		
4408.31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	50%	..
4408.39	-- Other	50%	..":

(iv) in heading No. 44.10, for subheading No. 4410.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Of wood:*		
4410.11	-- Waferboard, including oriented strand board	50%	..
4410.19	-- Other	50%	..":

(v) for heading No. 44.12, subheading Nos. 4412.11, 4412.12, 4412.19, 4412.21, 4412.29, 4412.91 and 4412.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"44.12		PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD		
		- *Plywood, consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6mm thickness:*		
	4412.13	-- With at least one outer ply of tropical wood specified in Subheading	50%	..
	4412.14	-- Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood	50%	..
	4412.19	-- Other	50%	..
		- *Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood:*		
	4412.22	-- With at least one ply of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter	50%	..
	4412.23	-- Other, containing at least one layer of particle board	50%	..
	4412.29	-- Other	50%	..
		- *Other:*		
	4412.92	-- With at least one ply of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter	50%	..
	4412.93	-- Other, containing at least one layer of particle board	50%	..
	4412.99	-- Other	50%	...";

(26) in Chapter 47, in heading No. 47.06, after subheading No. 4706.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
	"4706.20	- Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paper board	40%	..";

(27) in Chapter 48, in heading No. 48.07, after subheading 4807.10 and the entries relating thereto, for the words "-*Other*" and subheading Nos. 4807.91 and 4807.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
	"4807.90	- Other	50%	..";

(28) in Chapter 52, in heading No. 52.05,—

(i) for subheading No. 5205.25 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
	"5205.26	-- Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)	50%	..
	5205.27	-- Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)	50%	..
	5205.28	-- Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number)	50%	..";

(ii) for subheading No. 5205.45 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
	"5205.46	-- Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn)	50%	..

1	2	3	4	5
	5205.47	-- Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)	50%	..
	5205.48	-- Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)	50%	..".

(*29*) in Chapter 54, in heading No. 54.07, for subheading No. 5407.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of polyester filaments:*		
	5407.61	-- Containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments	50%	..
	5407.69	-- Other	50%	..".

(*30*) in Chapter 56, for heading No.56.03 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"56.03		NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED		
		- *Of man-made filaments:*		
	5603.11	-- Weighing not more than 25 g/m2	50%	..
	5603.12	-- Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2	50%	..
	5603.13	-- Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2	50%	..
	5603.14	-- Weighing more than 150 g/m2	50%	..
		- *Other* :		
	5603.91	-- Weighing not more than 25 g/m2	50%	..
	5603.92	-- Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2	50%	..
	5603.93	-- Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2	50%	..
	5603.94	-- Weighing more than 150 g/m2	50%	..".

(*31*) in Chapter 63, in heading No. 63.05, after subheading No.6305.20 and the entries relating thereto, for the words "-*Of man-made textile materials :*" and subheading Nos. 6305.31 and 6305.39 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Of man-made textile materials* :		
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk containers	50%	..
	6305.33	-- Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like	50%	..
	6305.39	-- Other	50%	..".

(*32*)in Chapter 64,—

(*i*) in heading No. 64.02, for subheading No. 6402.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"6402.12	-- Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	50%	..".

(*ii*) in heading No. 64.03, for subheading No. 6403.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"6403.12	-- Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	50%	..".

(*33*) in heading No. 69.09, after subheading No. 6909.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"6909.12	-- Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale	50%	..".

1	2	3	4	5

(*34*) in heading No. 70.03, for subheading No. 7003.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"7003.12	-- Coloured throughout the mass (body- tinted), opacified, flashed or having tinted), ax reflecting or non-reflecting layer	50%	...";

(*35*) in heading No. 70.04, for subheading No. 7004.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"7004.20	-- Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer	50%	...";

(*36*) in heading No. 70.10, for subheading No. 7010.90 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"7010.20	- Stoppers, lids and other closures	50%	..
		- *Other, of a capacity* :		
	7010.91	-- Exceeding 1 l	50%	..
	7010.92	-- Exceeding 0.33 l but not exceeding 1 l	50%	..
	7010.93	-- Exceeding 0.15 l but not exceeding 0.33 l	50%	..
	7010.94	-- Not exceeding 0.15 l	50%	...";

(*37*) for heading No. 70.19, subheading Nos. 7019.10, 7019.20, 7019.31, 7019.32, 7019.39 and 7019.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"70.19		GLASS FIBRES (INCLUDING GLASS-WOOL) AND ARTICLES THEREOF (FOR EXAMPLE, YARN, WOVEN FABRICS)		
		- *Slivers, rovings, yarn and chopped strands*:		
	7019.11	-- Chopped strands, of a length of not more than 50 mm	50%	..
	7019.12	-- Rovings	50%	..
	7019.19	-- Other	50%	..
		- *Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar nonwoven products* :		
	7019.31	-- Mats	50%	..
	7019.32	-- Thin sheets (voiles)	50%	..
	7019.39	-- Other	50%	..
	7019.40	- Woven fabrics of rovings	50%	..
		- *Other woven fabrics* :		
	7019.51	-- Of a width not exceeding 30 cm	50%	..
	7019.52	-- Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m^2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex	50%	..
	7019.59	-- Other	50%	..
	7019.90	- Other	50%	...";

(*38*) in Chapter 72,—

(*i*) in heading No. 72.01, for subheading Nos. 7201.30 and 7201.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"7201.50	- Alloy pig iron; spiegeleisen	50%	...";

(*ii*) for heading No. 72.08, subheading Nos. 7208.11, 7208.12, 7208.13, 7208.14, 7208.21, 7208.22, 7208.23, 7208.24, 7208.31, 7208.32, 7208.33 7208.34, 7208.35, 7208.41, 7208.42, 7208.43, 7208.44, 7208.45 and 7208.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"72.08		FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, HOT-ROLLED NOT CLAD, PLATED OR COATED		

1	2	3	4	5
	7208.10	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	50%	..
		- *Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled*:		
	7208.25	-- Of a thickness of 4.75 mm or more	50%	..
	7208.26	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.27	-- Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
		- *Other, in coils, not further worked than hot-rolled*:		
	7208.36	-- Of a thickness exceeding 10 mm	50%	..
	7208.37	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	50%	..
	7208.38	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.39	-- Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
	7208.40	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	50%	..
		- *Other, not in coils, not further worked than hot-rolled*:		
	7208.51	-- Of a thickness exceeding 10 mm	50%	..
	7208.52	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	50%	..
	7208.53	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.54	-- Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
	7208.90	-- Other	50%	..",

(*iii*) for heading No.72.09, subheading Nos. 7209.11, 7209.12, 7209.13, 7209.14, 7209.21, 7209.22, 7209.23,7209.24, 7209.31, 7209.32, 7209.33, 7209.34, 7209.41, 7209.42, 7209.43, 7209.44 and 7209.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"72.09		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, COLD-ROLLED (COLD-REDUCED), NOT CLAD, PLATED OR COATED		
		- *In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)*:		
	7209.15	-- Of a thickness of 3 mm or more	50%	..
	7209.16	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	50%	..
	7209.17	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	50%	..
	7209.18	-- Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
		- *Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)* :		
	7209.25	-- Of a thickness of 3 mm or more	50%	..
	7209.26	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	50%	..
	7209.27	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	50%	..
	7209.28	-- Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
	7209.90	- Other	50%	..",

(*iv*) for heading No. 72.10, subheading Nos. 7210.11, 7210.12, 7210.20, 7210.31, 7210.39, 7210.41, 7210.49,7210.50, 7210.60, 7210.70 and 7210.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
"72.10		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, CLAD, PLATED OR COATED		
		- *Plated or coated with tin* :		
	7210.11	-- Of a thickness of 0.5 mm or more	50%	..
	7210.12	-- Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
	7210.20	- Plated or coated with lead, including terne-plate	50%	..
	7210.30	- Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..

1	2	3	4	5
		- *Otherwise plated or coated with zinc*:		
	7210.41	-- Corrugated	50%	..
	7210.49	-- Other	50%	..
	7210.50	-- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	50%	..
		- *Plated or coated with aluminium*:		
	7210.61	-- Plated or coated with aluminium-zinc alloys	50%	..
	7210.69	-- Other	50%	..
	7210.70	- Painted, varnished or coated with plastics	50%	..
	7210.90	- Other	50%	..":

(*v*) for heading No. 72.11, subheading Nos. 7211.11, 7211.12. 7211.19, 7211.21, 7211.22, 7211.29, 7211.30, 7211.41, 7211.49 and 7211.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.11		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF LESS THAN 600 MM, NOT CLAD, PLATED OR COATED		
		- *Not further worked than hot-rolled:*		
	7211.13	-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief	50%	..
	7211.14	-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more	50%	..
	7211.19	-- Other	50%	..
		- *Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)*:		
	7211.23	-- Containing by weight less than 0.25% of carbon	50%	..
	7211.29	-- Other	50%	..
	7211.90	- Other	50%	..":

(*vi*) for heading No.72.12, subheading Nos.7212.10, 7212.21, 7212.29, 7212.30, 7212.40, 7212.50 and 7212.60 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.12		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF LESS THAN 600 MM, CLAD, PLATED OR COATED		
	7212.10	- Plated or coated with tin	50%	..
	7212.20	- Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
	7212.30	- Otherwise plated or coated with zinc	50%	..
	7212.40	- Painted, varnished or coated with plastics	50%	..
	7212.50	- Otherwise plated or coated	50%	..
	7212.60	- Clad	50%	..":

(*vii*) for heading No.72.13, subheading Nos.7213.10, 7213.20. 7213.31, 7213.39, 7213.41, 7213.49 and 7213.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"72.13		BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7213.10	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	50%	..
	7213.20	- Other, of free-cutting steel	50%	..
		- *Other*:		
	7213.91	-- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	50%	..
	7213.99	-- Other	50%	..":

(*viii*) in heading No. 72.14, for subheading Nos. 7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.40, 7214.50 and 7214.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"7214.10	- Forged	50%	..
	7214.20	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	50%	..

1	2	3	4	5
	7214.30	- Other, of free-cutting steel	50%	..
		- *Other*:		
	7214.91	-- Of rectangular (other than square) cross-section	50%	..
	7214.99	-- Other	50%	...";

(*ix*) for heading No. 72.15, subheading Nos. 7215.10, 7215.20, 7215.30, 7215.40 and 7215.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.15		OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7215.10	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold- finished	50%	..
	7215.50	- Other, not further worked than cold- formed or cold-finished	50%	..
	7215.90	- Other	50%	...";

(*x*) in heading No.72.16,—

(*a*) for subheading No.7216.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished :*		
	7216.61	-- Obtained from flat-rolled products	50%	..
	7216.69	-- Other	50%	...";

(*b*) for subheading No. 7216.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other*:		
	7216.91	-- Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products	50%	..
	7216.99	-- Other	50%	...";

(*xi*) for heading No. 72.17, subheading Nos. 7217.11, 7217.12, 7217.13, 7217.19, 7217.21, 7217.22, 7217.23, 7217.29, 7217.31, 7217.32, 7217.33 and 7217.39 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.17		WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7217.10	- Not plated or coated, whether or not polished	50%	..
	7217.20	- Plated or coated with zinc	50%	..
	7217.30	- Plated or coated with other base metals	50%	..
	7217.90	- Other	50%	...";

(*xii*) in heading No.72.18, for subheading No.7218.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other*:		
	7218.91	-- Of rectangular (other than square) cross-section	50%	..
	7218.99	-- Other	50%	...";

(*xiii*) in heading No.72.22, for subheading No.7222.10 and the entries relating thereto the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :*		
	7222.11	-- Of circular cross-section	50%	..
	7222.19	-- Other	50%	...";

(*xiv*) in heading No.72.25,—

(*a*) for subheading No. 7225.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
		- *Of silicon-electrical steel*:		
	7225.11	-- Grain-oriented	50%	..
	7225.19	-- Other	50%	...";

(*b*) for subheading No. 7225.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		- *Other*:		
	7225.91	-- Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
	7225.92	-- Otherwise plated or coated with zinc	50%	..
	7225.99	-- Other	50%	...";

(*xv*) in heading No.72.26,—

(*a*) for subheading No. 7226.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		- *Of silicon-electrical steel*:		
	7226.11	-- Grain-oriented	50%	..
	7226.19	-- Other	50%	...";

(*b*) after subheading No. 7226.92 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

	"7226.93	-- Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
	7226.94	-- Otherwise plated or coated with zinc	50%	...";

(*39*) in Chapter 73,—

(*i*) in heading No. 73.04, for subheading No. 7304.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		- *Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas*:		
	7304.21	-- Drill pipe	50%	..
	7304.29	-- Other	50%	...";

(*ii*) for heading No. 73.14, subheading Nos. 7314.11, 7314.19, 7314.20, 7314.30, 7314.41, 7314.42, 7314.49 and 7314.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"73.14		CLOTH (INCLUDING ENDLESS BANDS), GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL		
		- *Woven cloth*:		
	7314.12	-- Endless bands for machinery, of stainless steel	50%	..
	7314.13	-- Other endless bands for machinery	50%	..
	7314.14	-- Other woven cloth, of stainless steel	50%	..
	7314.19	-- Other	50%	..
	7314.20	- Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm^2 or more	50%	..
		- *Other grill, netting and fencing, welded at the intersection*:		
	7314.31	-- Plated or coated with zinc	50%	..
	7314.39	-- Other	50%	..
		- *Other cloth, grill, netting and fencing*:		
	7314.41	-- Plated or coated with zinc	50%	..
	7314.42	-- Coated with plastics	50%	..
	7314.49	-- Other	50%	..
	7314.50	- Expanded metal	50%	...";

(*40*) in Chapter 74,—

(*i*) in heading No. 74.14, for subheading No. 7414.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"7414.20	- Cloth	50%	...";

1	2	3	4	5

(ii) in heading No. 74.18, for subheading No. 7418.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like :*		
	7418.11	-- Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like	50%	..
	7418.19	-- Other	50%	..".

(41) in Chapter 75, for heading No. 75.08 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"75.08		OTHER ARTICLES OF NICKEL		
	7508.10	- Cloth, grill and netting, of nickel wire	30%	..
	7508.90	- Other	30%	..".

(42) in Chapter 76, —

(i) in heading No. 76.15, for subheading No. 7615.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like :*		
	7615.11	-- Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like	40%	..
	7615.19	-- Other	40%	..".

(ii) in heading No. 76.16, for subheading No.7616.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other* :		
	7616.91	-- Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire	40%	..
	7616.99	-- Other	40%	..".

(43) in Chapter 79, for heading No. 79.07, subheading Nos. 7907.10 and 7907.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"79.07	7907.00	OTHER ARTICLES OF ZINC	50%	..".

(44) in Chapter 80, for heading No. 80.05, subheading Nos. 8005.10 and 8005.20 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"80.05	8005.00	TIN FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM; TIN POWDERS AND FLAKES	50%	..".

(45) in Chapter 82,—

(i) in heading No. 82.02, for subheading No. 8202.32 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8202.39	-- Other, including parts	30%	..".

(ii) in heading No.82.07, for subheading Nos.8207.11 and 8207.12 and the entries relating thereto, the following subheadings and entires shall be substituted, namely :—

	"8207.13	-- With working part of cermets	30%	..
	8207.19	-- Other, including parts	30%	..".

1	2	3	4	5

(*iii*) in heading No. 82.11, after subheading No. 8211.94 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8211.95	-- Handles of base metal	30%	...";

(*46*) in Chapter 84,—

(*i*) for heading No. 84.06, subheading Nos. 8406.11, 8406.19 and 8406.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"84.06		STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES		
	8406.10	- Turbines for marine propulsion	50%	..
		- *Other turbines* :		
	8406.81	-- Of an output exceeding 40 MW	50%	..
	8406.82	-- Of an output not exceeding 40 MW	50%	..
	8406.90	- Parts	50%	...";

(*ii*) in heading No.84.15, after subheading No.8415.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8415.20	- Of a kind used for persons, in motor vehicles	50%	...";

(*iii*) in heading No.84.43, for subheading No. 8443.50 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other printing machinery* :		
	8443.51	-- Ink-jet printing machines	50%	..
	8443.59	-- Other	50%	...";

(*iv*) in heading No. 84.56, for subheading No. 8456.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other* :		
	8456.91	-- For dry-etching patterns on semi-conductor materials	50%	..
	8456.99	-- Other	50%	...";

(*v*) for heading No. 84.69, subheading Nos. 8469.10, 8469.21, 8469.29, 8469.31 and 8469.39 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"84.69		TYPEWRITERS OTHER THAN PRINTERS OF HEADING NO.84.71; WORD-PROCESSING MACHINES		
		- *Automatic typewriters and word-processing machines* :		
	8469.11	-- Word-processing machines	50%	..
	8469.12	-- Automatic typewriters	50%	..
	8469.20	- Other typewriters, electric	50%	..
	8469.30	- Other typewriters, non-electric	50%	...";

(*vi*) for heading No. 84.71, subheading Nos. 8471.10, 8471.20, 8471.91, 8471.92, 8471.93 and 8471.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"84.71		AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED		
	8471.10	- Analogue or hybrid automatic data processing machines	50%	..
	8471.30	- Portable digital automatic data processing machines, weighing not more than 10 Kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display	50%	..
		- *Other digital automatic data processing machines* :		

1	2	3	4	5
	8471.41	-- Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined	50%	..
	8471.49	-- Other, presented in the form of systems	50%	..
	8471.50	- Digital processing units other than those of subheadings 8471.41 and 8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of unit : storage units, input units, output units	50%	..
	8471.60	- Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing	50%	..
	8471.70	- Storage units	50%	..
	8471.80	- Other units of automatic data processing machines	50%	..
	8471.90	- Other	50%	..”;

(*vii*) in heading No. 84.73, after subheading No. 8473.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	“8473.50	- Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the headings Nos. 84.69 to 84.72	50%	..”;

(*viii*) in heading No. 84.75, for subheading No. 8475.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		“- *Machines for manufacturing or hot working glass or glassware* :		
	8475.21	-- Machines for making optical fibres and preforms thereof	50%	..
	8475.29	-- Other	50%	..”;

(*ix*) for heading No. 84.76, subheading Nos. 8476.11, 8476.19 and 8476.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

“84.76		AUTOMATIC GOODS - VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, POSTAGE STAMPS, CIGARETTE, FOOD OR BEVERAGE MACHINES), INCLUDING MONEY CHANGING MACHINES		
		- *Automatic beverage-vending machines* :		
	8476.21	-- Incorporating heating or refrigerating devices	50%	..
	8476.29	-- Other	50%	..
		- *Other machines:*		
	8476.81	-- Incorporating heating or refrigerating devices	50%	..
	8476.89	-- Other	50%	..
	8476.90	- Parts	50%	..”;

(*x*) in heading No.84.79, after subheading No.8479.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely :—

	“8479.50	- Industrial robots, not elsewhere specified or included	50%	..
	8479.60	- Evaporative air coolers	50%	..”;

(*xi*) after subheading No. 8484.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	“8484.20	- Mechanical seals	50%	..”;

(*47*) in Chapter 85,—

(*i*) in heading No.85.02, for subheading No.8502.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		“- *Other generating sets* :		
	8502.31	-- Wind-powered	50%	..
	8502.39	-- Other	50%	..”;

1	2	3	4	5

(*ii*) for heading No. 85.06, subheading Nos. 8506.11, 8506.12, 8506.13, 8506.19, 8506.20 and 8506.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.06		PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES		
	8506.10	- Manganese dioxide	50%	..
	8506.30	- Mercuric oxide	50%	..
	8506.40	- Silver oxide	50%	..
	8506.50	- Lithium	50%	..
	8506.60	- Air-zinc	50%	..
	8506.80	- Other	50%	..
	8506.90	- Parts	50%	...";

(*iii*) in heading No. 85.10, after subheading No. 8510.20 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8510.30	- Hair-removing appliances	50%	...";

(*iv*) for heading No. 85.17, subheading Nos. 8517.10, 8517.20, 8517.30, 8517.40, 8517.81, 8517.82 and 8517.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.17		ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY OR LINE TELEGRAPHY, INCLUDING LINE TELEPHONE SETS WITH CORDLESS HANDSETS AND TELECOMMUNICATION APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS OR FOR DIGITAL LINE SYSTEMS; VIDEOPHONES		
		- *Telephone sets; videophones* :		
	8517.11	-- Line telephone sets with cordless handsets	50%	..
	8517.19	-- Other	50%	..
		- *Facsimile machines and teleprinters* :		
	8517.21	-- Facsimile machines	50%	..
	8517.22	-- Teleprinters	50%	..
	8517.30	- Telephonic or telegraphic switching apparatus	50%	..
	8517.50	- Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems	50%	..
	8517.80	- Other apparatus	50%	..
	8517.90	- Parts	50%	..";

(*v*) in heading No. 85.19, for subheading No. 8519.91 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8519.92	-- Pocket-size cassette-players	50%	..
	8519.93	-- Other, cassette-type	50%	..";

(*vi*) in heading No.85.20, for subheading No. 8520.31 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"8520.32	-- Digital audio type	50%	..
	8520.33	-- Other, cassette-type	50%	..";

(*vii*) in heading No. 85.23, after subheading No. 8523.20 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8523.30	- Cards incorporating a magnetic stripe	50%	..";

(*viii*) in heading No. 85.24, after subheading No. 8524.10 and the entries relating thereto, for the words " *-Magnetic tapes:*", subheading Nos. 8524.21, 8524.22, 8524.23 and 8524.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Discs for laser reading systems* :		
	8524.31	-- For reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
	8524.32	-- For reproducing sound only	50%	..
	8524.39	-- Other	50%	..
	8524.40	- Magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
		- *Other magnetic tapes* :		
	8524.51	-- Of a width not exceeding 4 mm	50%	..
	8524.52	-- Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm	50%	..
	8524.53	-- Of a width exceeding 6.5 mm	50%	..
	8524.60	- Cards incorporating a magnetic stripe	50%	..

1	2	3	4	5
		- *Other*:		
	8524.91	-- For reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
	8524.99	-- Other	50%	..":

(*ix*) in heading No. 85.25, after subheading No. 8525.30 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8525.40	- Still image video cameras and other video camera recorders	50%	..":

(*x*) in heading No.85.27, for subheading No. 8527.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"8527.12	-- Pocket-size radio cassette-players	50%	..
	8527.13	-- Other apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus	50%	..":

(*xi*) for heading No.85.28, subheading Nos. 8528.10 and 8528.20 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.28		RECEPTION APPARATUS FOR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND OR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARAUS; VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS		
		- *Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus* :		
	8528.12	-- Colour	50%	..
	8528.13	-- Black and white or other monochrome	50%	..
		- *Video monitors* :		
	8528.21	-- Colour	50%	..
	8528.22	-- Black and white or other monochrome	50%	..
	8528.30	- Video projectors	50%	..":

(*xii*) in heading No.85.39, -

(*a*) after subheading No. 8539.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8539.32	-- Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps	50%	..":

(*b*) for subheading No.8539.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Ultra-violet or infra-red lamps; rcd-lamps* : *Arc-lamps:*		
	8539.41	-- Arc-lamps	50%	..
	8539.49	-- Other	50%	..":

(*xiii*) for heading No.85.40, subheading Nos. 8540.11, 8540.12, 8540.20, 8540.30, 8540.41, 8540.42, 8540.49, 8540.81, 8540.89, 8540.91 and 8540.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"THERMIONIC, COLD CATHODE OR PHOTO CATHODE VALVES AND TUBES (FOR EXAMPLE,VACCUM OR VAPOUR OR GAS FILLED VALVES AND TUBES, MERCURY ARC RECTIFYING VALVES AND TUBES, CATHODE-RAY TUBES, TELEVISION CAMERA TUBES)		
		- *Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode ray tubes:*		
	8540.11	-- Colour	50%	..
	8540.12	-- Black and white or other monochrome	50%	..
	8540.20	- Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode tubes	50%	..
	8540.40	- Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm	50%	..
	8540.50	- Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome	50%	..

1	2	3	4	5
	8540.60	- Other cathode-ray tubes	50%	..
		- *Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes :*		
	8540.71	-- Magnetrons	50%	..
	8540.72	-- Klystrons	50%	..
	8540.79	-- Other	50%	..
		- *Other valves and tubes :*		
	8540.81	-- Receiver or amplifier valves and tubes	50%	..
	8540.89	-- Other	50%	..
		- *Parts :*		
	8540.91	-- Of cathode-ray tubes	50%	..
	8540.99	-- Other	50%	..":

(xiv) for heading No. 85.42, subheading Nos. 8542.11, 8542.19, 8542.20, 8542.80 and 8542.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.42		ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES		
		- *Monolithic digital integrated circuits :*		
	8542.12	-- Cards incorporating an electronic integrated circuit ("smart" cards)	50%	..
	8542.13	-- Metal oxide semiconductors (MOS technology)	50%	..
	8542.14	-- Circuits obtained by bipolar technology	50%	..
	8542.19	-- Other, including circuits obtained by a combination of bipolar and MOS technologies (BIMOS technology)	50%	..
	8542.30	- Other monolithic integrated circuits	50%	..
	8542.40	- Hybrid integrated circuits	50%	..
	8542.50	- Electronic microassemblies	50%	..
	8542.90	- Parts	50%	..":

(xv) for heading No. 85.43, subheading Nos. 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.80 and 8543.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.43		ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER		
		- *Particle accelerators :*		
	8543.11	-- Ion implanters for doping semiconductor materials	50%	..
	8543.19	-- Other	50%	..
	8543.20	- Signal generators	50%	..
	8543.30	- Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis	50%	..
	8543.40	- Electric fence energisers	50%	..
		- *Other machines and apparatus :*		
	8543.81	-- Proximity cards and tags	50%	..
	8543.89	-- Other	50%	..
	8543.90	- Parts	50%	..":

(xvi) for heading No. 85.48 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.48		WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS; SPENT PRIMARY CELLS, SPENT PRIMARY BATTERIES AND SPENT ELECTRIC ACCUMULATORS; ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY OR APPARATUS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER		

1	2	3	4	5
	8548.10	- Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators	50%	..
	8548.90	- Other	50%	..”;

(48) in Chapter 88, in heading No. 88.02, for subheading No. 8802.50 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	“8802.60	- Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles	50%	..”;

(49) in Chapter 90,—

(i) in heading No. 90.07, after subheading No.9007.19 and the entries relating thereto,for the word “-Projectors:”, subheading Nos.9007.21 and 9007.29 and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:—

	“9007.20	- Projectors	50%	..”;

(ii) in heading No. 90.10, for subheading Nos. 9010.20 and 9010.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		“- *Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials :*		
	9010.41	-- Direct write-on-wafer apparatus	50%	..
	9010.42	-- Step and repeat aligners	50%	..
	9010.49	-- Other	50%	..
	9010.50	- Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes	50%	..
	9010.60	- Projection screens	50%	..”;

(iii) in heading No. 90.18, after subheading No. 9018.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

	“9018.12	-- Ultrasonic scanning apparatus	40%	..
	9018.13	-- Magnetic resonance imaging apparatus	40%	..
	9018.14	-- Scintigraphic apparatus	40%	..”;

(iv) in heading No. 90.22, for subheading No. 9022.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	“9022.12	-- Computed tomography apparatus	40%	..
	9022.13	-- Other, for dental uses	40%	..
	9022.14	-- Other, for medical, surgical or veterinary uses	40%	..”;

(v) in heading No. 90.30, after subheading No. 9030.40 and the entries relating thereto, for the words “-*Other instruments and apparatus:*”, subheading Nos. 9030.81 and 9030.89 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		“- *Other instruments and apparatus :*		
	9030.82	-- For measuring or checking semiconductor wafers or devices	50%	..
	9030.83	-- Other, with a recording device	50%	..
	9030.89	-- Other	50%	..”;

(vi) in heading No. 90.31, for subheading No. 9031.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		“- *Other optical instruments and appliances :*		
	9031.41	-- For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	50%	..
	9031.49	-- Other	50%	..”.

THE FOURTH SCHEDULE

(*See* section 80)

PART I

In the Schedule to the Central Excise Tariff Act,—

(*1*) in Chapter 4,—

(*i*) in sub-heading Nos. 0401.13, 0402.10 and 0403.10, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "Nil" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 0401.14, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*2*) in Chapter 11, in sub-heading Nos. 1102.00 and 1104.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "Nil" shall be substituted;

(*3*) in Chapter 14, in sub-heading No. 1401.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(*4*) in Chapter 15,—

(*i*) in sub-heading No. 1504.00, for the entry in column (4), the entry "Rs. 1,500 per tonne" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 1505.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 1508.90, for the entry in column (4), the entry "Rs. 1,500 per tonne" shall be substituted;

(*5*) in Chapter 17, in sub-heading No. 1704.10, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*6*) in Chapter 18, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "20%" shall be substituted;

(*7*) in Chapter 19, in sub-heading Nos. 1901.19 and 1901.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*8*) in Chapter 21,—

(*i*) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

'3. In this Chapter, "Pan Masala" means any preparation containing betel nuts and any one or more of the following ingredients, namely lime, katha (catechu) and tobacco, whether or not containing any other ingredients, such as cardamom, copra and menthol.';

(*ii*) NOTES 4 and 5 shall be renumbered as NOTES 8 and 9 respectively and before NOTE 8 as so renumbered, the following NOTES shall be inserted, namely:—

'4. In this Chapter "Betel nut powder known as supari" means any preparation containing betel nuts but not containing any one or more of the following ingredients, namely lime, katha (catechu) and tobacco, whether or not containing any other ingredients, such as cardamom, copra and menthol.

5. Sub-heading No. 2108.10, *inter alia*, includes preparations for lemonades or other beverages, consisting, for example, of; flavoured or coloured syrup, syrup flavoured with an added concentrated extract, syrup flavoured with fruit juice and intended for use in the manufacture of aerated water, such as in automatic vending machines.

6. For the purpose of sub-heading No. 2108.20, the expression "Sharbat" means any non-alcoholic sweetened beverage or syrup containng not less than 10% fruit juice of flavoured with non-fruit flavours, such as rose, khjus, kewara but not including aerated preparations.

7. In relation to products of heading Nos. 21.06, 21.07 and 21.08, labelling or re-labelling of containers and repacking from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to "manufacture".';

(*iii*) in NOTE 9 as so renumbered, for the figures" 21.07", the figures "21.08" shall be substituted;

(*iv*) in sub-heading No. 2105.00, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*9*) in Chapter 22,—

(*i*) for the existing NOTE, the following NOTES shall be substituted, namely:—

'NOTES

1. This Chapter does not cover alcoholic liquors for human consumption.

2. In relation to natural or artificial mineral waters of heading Nos. 22.01 and 22.02, processes, such as filteration, purification or any other process or any one or more of these processes, labelling or relabelling of containers and repacking from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to "manufacture".

3. In this Chapter, "brand name" means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.';

(*ii*) in sub-heading Nos. 2201.11, 2201.12, 2201.19, 2202.11, 2202.12, 2202.13, 2202.14 and 2202.19, for the entry in column (4) occuring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 2202.90, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*10*) in Chapter 24,—

(*i*) in NOTE 2, for the figures and word "24.02, 24.03 and 24.04", the figures and word "24.01, 24.02, 24.03 and 24.04" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 2401.00, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading Nos. 2404.41 and 2404.49, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*11*) in Chapter 25,—

(*i*) in sub-heading Nos. 2502.30 and 2502.50, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 2503.00, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*12*) in Chapter 32,—

(*i*) the existing NOTES 3, 4, 5, 6 and 7, shall be renumbered as NOTES 4, 5, 6, 7 and 8 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

"3. In relation to products of heading No. 32.06, labelling or re-labelling of containers and re-packing from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to 'manufacture'.";

(*ii*) in sub-heading Nos. 3208.10, 3208.20, 3208.30, 3208.90, 3209.10, 3209.20 and 3209.90, for the entry in column (4), occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*13*) in Chapter 33,—

(*i*) in sub-heading Nos. 3301.00, 3302.10, 3302.90, 3303.00, 3305.10, 3306.00 and 3307.49, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos. 3304.00, 3305.90, 3307.10, 3307.20, 3307.30 and 3307.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*14*) in Chapter 39, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(*15*) in Chapter 40,—

(*i*) in sub-heading Nos. 4005.00, 4006.10, 4008.11, 4008.19, 4008.21, 4009.92, 4010.10 and 4010.90, for the entry in column (*4*) occurring against each of them, the entry "25%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos. 4011.80 and 4011.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 4016.11, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*16*) in Chapter 41, for the entry in column (4) occurring against sub-heading No. 4101.00, the entry "Nil" shall be substituted;

(*17*) in Chapter 42, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(*18*) in Chapter 44, in sub-heading Nos. 4406.10, 4406.20, 4406.30, 4406.90, 4407.10 and 4407.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(*19*) in Chapter 48,—

(*i*) in sub-heading No. 4811.30, for the entry in column (4), the entry " 25%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 4815.00, for the entry in column (4), the entry " 20%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 4823.90, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*20*) in Section XI,—

(*i*) for NOTES 1 and 2, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"1. This Section does not cover :

(*a*) Animal brush-making bristles or hair (Chapter 5); horsehair or horsehair waste (Chapter 5);

(*b*) Human hair or articles of human hair (Chapter 5 or 67), except straining cloth of a kind commonly used in oil presses or the like (heading No. 59.11);

(*c*) Cotton linters or other vegetable materials of Chapter 14;

(*d*) Asbestos of Chapter 25 or articles of asbestos or other products of Chapter 68;

(*e*) Articles of Chapter 30 (for example, wadding, gauze, bandages and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary purposes, sterile surgical suture materials);

(*f*) Sensitised textiles of Chapter 37;

(*g*) Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm or strip or the like (for example, artificial straw) of an apparent width exceeding 5 mm, of plastics (Chapter 39), or plaits or fabrics or other basketware or wickerwork of such monofilament or strip (Chapter 46);

(*h*) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or articles thereof, of Chapter 39;

(*ij*) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, or articles thereof, of Chapter 40;

(*k*) Hides or skins with their hair or wool on (Chapter 41 or 43) or articles of furskin, artificial fur or articles thereof, of Chapter 43;

(*l*) Articles of textile materials of Chapter 42;

(*m*) Products or articles of Chapter 48 (for example, cellulose wadding);

(*n*) Footwear or parts of footwear, gaiters or leggings or similar articles of Chapter 64;

(*o*) Hair-nets or other headgear or parts thereof of Chapter 65;

(*p*) Goods of Chapter 67;

(*q*) Abrasive-coated textile material (Chapter 68) and also carbon fibres or articles of carbon fibres of Chapter 68;

(*r*) Glass fibres or articles of glass fibres, other than embroidery with glass thread on a visible ground of fabric (Chapter 70);

(*s*) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, bedding, lamps and lighting fittings); or

(*t*) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites and nets).

2.(*A*) Goods classifiable in Chapters 50 to 55 or in heading No. 58.09 or 59.02 and of a mixture of two or more textile materials are to be classified as if consisting wholly of that one textile material which predominates by weight over any other single textile material.

When no one textile material predominates by weight, the goods are to be classified as if consisting wholly of that one textile material which is covered by the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

(*B*) For the purposes of the above rule:

(*a*) Gimped horsehair yarn (heading No. 51.09) and metallised yarn (heading No. 56.05) are to be treated as a single textile material the weight of which is to be taken as the aggregate of the weights of its components; for the classification of woven fabrics, metal thread is to be regarded as a textile material;

(*b*)The choice of appropriate heading shall be effected by determining first the Chapter and then the applicable heading within that Chapter, disregarding any materials not classified in that Chapter;

(*c*) When both Chapters 54 and 55 are involved with any other Chapter, Chapters 54 and 55 are to be treated as a single Chapter;

(*d*) Where a Chapter or a heading refers to goods of different textile materials, such materials are to be treated as a single textile material.

(*C*) The provisions of paragraphs (*A*) and (*B*) above apply also to the yarns referred to in Notes 3, 4 and 12 below.";

(*ii*) in NOTE 3, for the opening portion, the following shall be substituted, namely:—

"3. For the purposes of heading Nos. 52.04, 54.01 and 55.08, 'sewing thread' means multiple (folded) or cabled yarn:";

(*iii*) for NOTES 12, 13 and 14, the following NOTE and SUBHEADING NOTES shall be substituted, namely: —

'12. (*A*) For the purposes of this Section, and subject to the exceptions in paragraph (*B*) below, yarns [single, multiple (folded) or cabled] of the following descriptions are to be treated as "twine, cordage, ropes and cables":

(*a*) Of silk or waste silk, measuring more than 18000 deniers;

(*b*) Of man-made fibres (including yarn of two or more monofilaments of Chapter 54), measuring more than 9000 deniers;

(*c*) Of true hemp or flax:

(*i*) Polished or glazed, measuring 1286 deniers or more; or

(*ii*) Not polished or glazed, measuring more than 18000 deniers;

(*d*) Of coir, consisting of three or more plies;

(*e*) Of other vegetable fibres, measuring more than 18000 deniers; or

(*f*) Reinforced with metal thread.

(*B*) Exceptions:

(*a*) Yarn of wool or other animal hair and paper yarn, other than yarn reinforced with metal thread;

(*b*) Man-made filament tow of Chapter 55 and multifilament yarn without twist or with a twist of less than 5 turns per metre of Chapter 54;

(*c*) Silk worm gut of heading No. 50.04, and monofilaments of Chapter 54;

(*d*) Metallised yarn of heading No. 56.05; yarn reinforced with metal thread is subject to paragraph (*A*) (*f*) above; and

(*e*) Chenille yarn, gimped yarn and loop wale-yarn of heading No. 56.06.

SUBHEADING NOTES

1. In this Section and, where applicable, throughout this Schedule, the following expressions have the meanings hereby assigned to them:

(*a*) ELASTOMERIC YARN

Filament yarn, including monofilament, of synthetic textile material, other than textured yarn, which does not break on being extended to three times its original length and which returns, after being extended to twice its original length, within a period of five minutes, to a length not greater than one-and-a half times its original length.

(*b*) UNBLEACHED YARN

Yarn which:

(*i*) has the natural colour of its constitutent fibres and has not been bleached, dyed (whether or not in the mass) or printed; or

(*ii*) is of indeterminate colour ('grey yarn'), manufactured from garnetted stock.

Such yarn may have been treated with a colourless dressing or fugitive dye (which disappears after simple washing with soap) and, in the case of man-made fibres, treated in the mass with delustring agents (for example, titanium dioxide).

(*c*) BLEACHED YARN

Yarn which:

(*i*) has undergone a bleaching process, is made of bleached fibres or, unless the context otherwise requires, has been dyed white (whether or not in the mass) or treated with a white dressing;

(*ii*) consists of a mixture of unbleached and bleached fibres; or

(*iii*) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached and bleached yarns.

(*d*) COLOURED (DYED OR PRINTED) YARN

Yarn which:

(*i*) is dyed (whether or not in the mass) other than white or in a fugitive colour, or printed, or made from dyed or printed fibres;

(*ii*) consists of a mixture of dyed fibres of different colours or of a mixture of unbleached or bleached fibres with coloured fibres (marl or mixture yarns), or is printed in one or more colours at intervals to give the impression of dots;

(*iii*) is obtained from slivers or rovings which have been printed; or

(*iv*) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached or bleached yarn and coloured yarn.

The above definitions also apply, *mutatis mutandis*, to monofilament and to strip or the like of Chapter 54.

(*e*) UNBLEACHED WOVEN FABRIC

Woven fabric made from unbleached yarn and which has not been bleached, dyed or printed. Such fabric may have been treated with a colourless dressing or a fugitive dye.

(*f*) BLEACHED WOVEN FABRIC

Woven fabric which:

(*i*) has been bleached or, unless the context otherwise requires, dyed white or treated with a white dressing, in the piece;

(*ii*) consists of bleached yarn; or

(*iii*) consists of unbleached and bleached yarn.

(*g*) DYED WOVEN FABRIC

Woven fabric which:

(*i*) is dyed a single uniform colour other than white (unless the context otherwise requires) or has been treated with a coloured finish other than white (unless the context otherwise requires), in the piece; or

(*ii*) consists of coloured yarn of a single uniform colour.

(*h*) WOVEN FABRIC OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS

Woven fabric (other than printed woven fabric) which:

(*i*) consists of yarns of different colours or yarns of different shades of the same colour (other than the natural colour of the constituent fibres);

(*ii*) consists of unbleached or bleached yarn and coloured yarn; or

(*iii*) consists of marl or mixture yarns.

(In all cases, the yarn used in selvedges and piece ends is not taken into consideration.)

(*ij*) PRINTED WOVEN FABRIC

Woven fabric which has been printed in the piece, whether or not made from yarns of different colours.

(The following are also regarded as printed woven fabrics: woven fabrics bearing designs made, for example, with a brush or spray gun, by means of transfer paper, by flocking or by the batik process).

The process of mercerisation does not affect the classification of yarns or fabrics within the above categories.

2. (*A*) Products of Chapters 56 to 63 containing two or more textile materials are to be regarded as consisting wholly of that textile material which would be selected under Note 2 above for the classification of a product of Chapters 50 to 55 consisting of the same textile materials.

(*B*) For the application of this rule:—

(*i*) where appropriate, only the part which determines the classification under rule 3 for the interpretation of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) shall be taken into account;

(*ii*) in the case of textile products consisting of a ground fabric and a pile or looped surface no account shall be taken of the ground fabric;

(*iii*) in the case of embroidery of heading No.58.05 only the ground fabrics shall be taken into account. However, embroidery without visible ground shall be classified with reference to the embroidering threads alone.';

(*21*) in Chapter 51,—

(*i*) for NOTES 2 and 3, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"2. In relation to products of heading Nos. 51.05, 51.06, 51.07, 51.08, 51.09, 51.10, 51.11 and 51.12 and the entries relating thereto, the expressions 'wool', 'fine animal hair', and 'coarse animal hair' shall include respective waste and garnetted stock after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

3. In relation to products of heading Nos. 51.06, 51.07, 51.08 and 51.09, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these proceses, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.";

(*ii*) in NOTE 4, for the words and figures " heading No. 51.07", the words and figures " heading Nos.51.10, 51.11 and 51.12" shall be substituted;

(*22*) in Chapter 52, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely:—

'NOTES

1. In relation to products of heading Nos. 52.04, 52.05 and 52.06, the process of dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.

2. In relation to products of heading Nos. 52.03, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08 and 52.09 and the entries relating thereto, the expression "cotton" shall include waste and garnetted stock after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

3. In relation to products of heading Nos.52.07, 52.08 and 52.09, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.';

(*23*) in Chapter 54, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely :—

" NOTES

1. Throughout this Schedule, the term 'man made fibres' means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes, either:

(*a*) By polymerisation of organic monomers, such as polyamides, polyesters, polyurethanes or polyvinyl derivatives; or

(*b*) By chemical transformation of natural organic polymers (for example, cellulose, casein, proteins or algae), such as viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates.

The terms 'synthetic' and 'artificial', used in relation to fibres, mean: synthetic: fibres as defined at (*a*); artificial: fibres as defined at (*b*).

The terms 'man made', 'synthetic' and 'artificial' shall have the same meanings when used in relation to 'textile materials'.

2. Heading Nos. 54.02 and 54.03 do not apply to synthetic or artificial filament tow of Chapter 55.

3. In relation to products of heading Nos. 54.01, 54.02, 54.03, 54.04 and 54.05, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to ' manufacture'.

4. For the purposes of heading Nos.54.06 and 54.07, bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other processes or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.";

(*24*) in Chapter 55, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely :—

' NOTES

1. For the purposes of heading Nos. 55.01 and 55.02, synthetic filament tow and artificial filament tow apply only to tow, consisting of parallel filaments of a uniform length equal to the length of the tow, meeting the following specificiations:

(*a*) Length of tow exceeding 2 metres;

(*b*) Twist less than 5 turns per metre;

(*c*) Measuring per filament less than 60 deniers;

(*d*) Synthetic filament tow only : the tow must be drawn, that is to say, be incapable of being stretched by more than 100% of its length;

(*e*) Total measurement of tow more than 18,000 deniers.

Tow of a length not exceeding 2 metre is to be classified in heading No. 55.03 or 55.04.

2. In relation to products of heading Nos. 55.09 and 55.10, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.

3. In relation to products of heading Nos. 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13 and 55.14 and the entries relating thereto, the expression"staple fibres" shall include waste of synthetic staple fibres or filaments and waste of artificial staple fibres or filaments after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

4. In relation to products of heading Nos.55.11, 55.12, 55.13 and 55.14, bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other processes or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.';

(*25*) in Chapter 57, NOTE 3 shall be omitted;

(*26*) in Chapter 58,—

(*i*) in NOTE 4, for the word "knitted", the word "knotted" shall be substituted;

(*ii*) for NOTES 6 and 7, the following NOTES shall be substituted, namely:—

'6. For the purposes of heading No. 58.06, the expression " narrow woven fabrics" means:

(*a*) Woven fabrics of a width not exceeding 30 cm, whether woven as such or cut from wider pieces, provided with selvedges (woven, gummed or otherwise made) on both edges;

(*b*) Tubular woven fabrics of a flattened width not exceeding 30 cm; and

(*c*) Bias binding with folded edges, of a width when unfolded not exceeding 30 cm.

Narrow woven fabrics with woven fringes are to be classified in heading No. 58.08.

7. In addition to the products of heading No.58.09, this Chapter also includes articles made of metal thread and of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes.

8. In relation to fabrics of this Chapter, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water proofing, shrink proofing, tentering, heat-setting, crease resistant, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.';

(*27*) in Chapter 59,—

(*i*) for NOTE 1, the following NOTE shall be substituted, namely:—

'1. Except where the context otherwise requires, for the purposes of this Chapter the expression "textile fabrics" applies only to the woven fabrics of Chapters 50 to 55 and heading Nos.58.03 and 58.06, the braids and ornamental trimmings in the piece of heading No.58.08 and the knitted or crocheted fabrics of heading No.60.02.';

(*ii*) in NOTE 2, —

(*i*) in clause (*a*), after sub-clause (*5*), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(*6*) Textile products of heading No. 58.10," ;

(*ii*) clause (*c*) shall be omitted;

(*iii*) for NOTES 3, 4 and 5, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"3. For the purposes of heading No.59.05, the expression 'textile wall coverings' applies to products in rolls, of a width of not less than 45 cms., suitable for wall or ceiling decoration, consisting of a textile surface which has been fixed on a backing or has been treated on the back (impregnated or coated to permit pasting).

This heading does not, however, apply to wall coverings consisting of textile flock or dust fixed directly on a backing of paper (heading No.48.14) or on a textile backing (generally heading No.59.07).

4. For the purposes of heading No.59.06, the expression 'rubberised textile fabrics' means:

(*a*) Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with rubber,

(*i*) weighing not more than 1,500 g/m^2; or

(*ii*) weighing more than 1,500 g/m^2 and containing more than 50 per cent. by weight of textile material;

(*b*) Fabrics made from yarn, strip or the like, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber, of heading No.56.04;

(*c*) Fabrics composed of parallel textile yarns agglomerated with rubber, irrespective of their weight per square metre; and

(*d*) Plates, sheets or strip, of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric is more than mere reinforcement, other than quilted textile products.

5. Heading No.59.07 does not apply to:

(*a*) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be seen with the naked eye (usually Chapters 50 to 55, 58 or 60); for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour;

(*b*) Fabrics painted with designs (other than painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like);

(*c*) Fabrics partially covered with flock, dust, powdered cork or the like and bearing designs resulting from these treatments; however, imitation pile fabrics remain classified in this heading;

(*d*) Fabrics finished with normal dressings having a basis of amylaceous or similar substances;

(*e*) Wood veneered on a backing of textile fabrics (Chapter 44);

(*f*) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of textile fabrics (Chapter 68);

(*g*) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of textile fabrics (Chapter 68); or

(*h*) Metal foil on backing of textile fabrics (Section XV).";

(*28*) in Chapter 60,—

(*i*) for NOTE 1, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"1. This Chapter does not cover:

(*a*) Crochet lace of heading No. 58.04;

(*b*) Labels, badges or similar articles, knitted or crocheted, of heading No. 58.07; or

(*c*) Knitted or crocheted fabrics, impregnated, coated, covered or laminated of Chapter 59. However, knitted or crocheted pile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, remain classified in heading No. 60.01.";

(*ii*) after NOTE 3, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"4. In relation to products referred to in this Chapter, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.";

(*29*) in Chapter 68,—

(*i*) in sub-heading Nos. 6804.10, 6804.20, 6804.30 and 6804.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "25%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 6807.00, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*30*) in Chapter 69,—

(*i*) in sub-heading Nos. 6905.00,6906.90, 6907.00, 6908.10, 6909.10, 6909.20, 6909.30, 6909.90, 6910.00 and 6911.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 6906.10, for the entry in column (4), the entry "30%" shall be substituted;

(*31*) in Chapter 70, in sub-heading No. 7007.90, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*32*) in Section XV, after NOTE 6, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"7. In relation to the products of this section, the process of obtaining goods and materials by breaking up of ships, boats and other floating structures shall amount to 'manufacture'.";

(*33*) in Chapter 76, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "15%" shall be substituted;

(*34*) in Chapter 83, in sub-heading No. 8303.00, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*35*) in Section XVI, in NOTE 1, in clause (*e*), for figures "59.08" and "59.09", the figures "59.10" and "59.11"shall respectively be substituted;

(*36*) in Chapter 84,—

(*i*) in sub-heading Nos. 8409.00, 8422.90, 8431.00, 8466.00, 8470.00, 8471.00, 8472.00, 8473.00, 8481.99, 8482.00, 8483.00, 8484.00, 8485.10 and 8485.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "15%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos. 8414.10, 8414.91, 8415.00, 8418.00, 8419.00, 8476.11, 8476.91, 8481.10 and 8481.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading Nos. 8422.10, 8476.19 and 8476.99, for the entry in column (4), the entry 20% shall be substituted;

(*37*) in Chapter 85,—

(*i*) in sub-heading Nos. 8503.00, 8508.00 and 8525.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "15%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos.8502.00, 8504.00 and 8535.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 8536.10, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted;

(*iv*) in sub-heading Nos. 8506.00, 8507.00, 8509.00, 8510.00, 8511.00, 8512.00, 8516.00, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.14, 8523.19, 8523.20, 8523.90, 8524.10, 8524.21, 8524.22, 8524.23, 8524.24, 8524.29, 8524.30, 8524.90, 8543.00, 8545.00, 8546.00 and 8548.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*v*) in sub-heading No. 8544.00 , for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*38*) in Chapter 87, in sub- heading No. 8708.00 and 8714.00, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(*39*) in Chapter 89, in sub- heading Nos. 8901.00, 8902.00, 8904.00, 8905.00 and 8906.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(*40*) in Chapter 90, in sub-heading Nos. 9032.11 and 9032.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*41*) in Chapter 94, in sub-heading No. 9404.00, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*42*) in Chapter 96, in sub-heading No. 9605.10, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted.

PART II

Heading No.	Sub-heading No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
In the Schedule to the Central Excise Tariff Act,—			
(*1*) in Chapter 7, for heading No. 07.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"07.01	0701.00	DRIED VEGETABLES, INCLUDING POTATOES, ONIONS AND MUSHROOMS, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED; DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, INCLUDING PEAS AND BEANS, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT	Nil";
(*2*) in Chapter 8, for heading No. 08.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"08.01	0801.00	EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS	Nil";
(*3*) in Chapter 9, for heading Nos. 09.01, 09.02 and 09.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"09.01	0901.00	COFFEE, WHETHER OR NOT CURED OR ROASTED OR DECAFFEINATED; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION	Nil
09.02	0902.00	TEA, INCLUDING TEA WASTE	Nil
09.03	0903.00	SPICES	Nil";
(*4*) in Chapter 11,—			
(*i*) for heading No. 11.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"11.01	1101.00	PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY, INCLUDING FLOURS, GROATS, MEAL AND GRAINS OF CEREALS, AND FLOUR, MEAL OR FLAKES OF VEGETABLES	Nil";
(*ii*) for heading No.11.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"11.03	1103.00	STARCHES	Nil";
(*5*) in Chapter 13, for heading No. 13.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"13.01	1301.00	LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS	Nil";
(*6*) in Chapter 15, for heading No. 15.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"15.03	1503.00	FIXED VEGETABLE OILS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 15.02	Nil";
(*7*) in Chapter 16, for heading No. 16.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"16.01	1601.00	PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, INCLUDING SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, EXTRACTS AND JUICES, PREPARED OR PRESERVED FISH AND CAVIER AND CAVIER SUBSTITUTES	Nil";
(*8*) in Chapter 20, for heading No. 20.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"20.01	2001.00	PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS, INCLUDING JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES , FRUIT OR NUT PUREE AND FRUIT OR NUT PASTES, FRUIT JUICES AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER	Nil";
(*9*) in Chapter 21,—			
(*i*) for heading Nos. 21.06 and 21.07 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"21.06	2106.00	PAN MASALA	50%
21.07	2107.00	BETEL NUT POWDER KNOWN AS "SUPARI"	20%";
(*ii*) after heading No. 21.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—			
"21.08		EDIBLE PREPARATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	
	2108.10	Preparations for Lemonades or other Beverages intended for use in the manufacture of Aerated Water	40%

1	2	3	4
	2108.20	- Sharbat	20%
	2108.30	- Prasad or Prasadam	Nil
	2108.40	- Sterilised or Pasteurised Miltone	Nil
	2108.90	- Other	20%";

(*10*) in Chapter 24, for heading No. 24.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"24.02	2402.00	CIGARS AND CHEROOTS OF TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES	Nil";

(*11*) in Chapter 25, for heading No. 25.05 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"25.05	2505.00	MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED (INCLUDING CLAY, EARTH COLOURS, NATURAL ABRASIVES, SULPHURS, SLATE AND STONE), LIME; PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT INCLUDING PLASTERS SPECIALLY PREPARED FOR USE IN DENTISTRY	Nil";

(*12*) in Chapter 27, for heading Nos. 27.09 and 27.10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"27.09	2709.00	PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE	10%
27.10		PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS	
		- Motor spirit, that is to say, any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which has its flash point below 25° C, and which either by itself or in admixture with any other substance, is suitable for use as fuel in spark ignition engines :	
	2710.11	-- Special boiling point spirits (other than Benzene, Toluol) with nominal boiling point range 55 - 115° C	20%
	2710.12	-- Special boiling point spirits (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol) with nominal boiling point range 63-70° C	20%
	2710.13	-- Other special boiling point spirits (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol)	20%
	2710.14	-- Naphtha	10%
	2710.19	-- Other	20%
	2710.90	- Other	10%";

(*13*) in Chapter 37, for heading No. 37.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"37.04		PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED	
	3704.10	- Photographic paper or paper board	20%
	3704.20	- Sensitised textiles	20%
	3704.90	- Other	20%";

(*14*) in Chapter 44, for heading No. 44.10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"44.10		ARTICLES OF WOOD NOT ELSEWHERE SPECIFIED	
		- Doors, of wood:	
	4410.11	-- Flush doors	20%
	4410.19	-- Other	Nil
	4410.90	- Other	Nil";

1	2	3	4

(*15*) in Chapter 48,—

(*i*) for heading No. 48.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"48.02	4802.00	UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, AND PUNCH CARD STOCK AND PUNCH TAPE PAPER, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN PAPER OF HEADING No.48.01 OR 48.03; HANDMADE PAPER AND PAPERBOARD	20%";

(*ii*) for heading No. 48.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"48.04	4804.00	UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING No. 48.02 OR 48.03	20%";

(*16*) in Chapter 50, for heading Nos. 50.01, 50.02 and 50.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"50.01	5001.00	SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING	Nil
50.02	5002.00	RAW SILK (NOT THROWN)	Nil
50.03		SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5003.10	- Not carded or combed	Nil
	5003.90	- Other	Nil
50.04		SILK YARN AND YARN SPUN FROM SILK WASTE; SILK-WORM GUT	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5004.11	-- Containing 85% or more by weight of silk or silk waste	Nil
	5004.19	-- Containing less than 85% by weight of silk or silk waste	20%
	5004.90	- Other	Nil
50.05		WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE	
	5005.10	- Fabrics of noil silk	Nil
	5005.20	- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk	Nil
	5005.90	- Other fabrics	Nil";

(*17*) in Chapter 51, for heading Nos. 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 51.06, 51.07 and 51.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"51.01	5101.00	WOOL, NOT CARDED OR COMBED	Nil
51.02	5102.00	FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED	Nil
51.03	5103.00	WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK	Nil
51.04	5104.00	GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR	Nil
51.05		WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS)	
	5105.10	- Carded Wool	Nil
		- Wool tops and other combed wool:	
	5105.21	-- Combed wool in fragments	10%
	5105.29	-- Other	10%
	5105.30	- Fine animal hair, carded or combed	10%
	5105.40	- Coarse animal hair, carded or combed	10%

1	2	3	4
51.06		YARN OF CARDED WOOL	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5106.11	-- Containing 85% or more by weight of wool	10%
	5106.12	-- Containing less than 85% by weight of wool	10%
	5106.90	- Other	Nil
51.07		YARN OF COMBED WOOL	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5107.11	-- Containing 85% or more by weight of wool	10%
	5107.12	-- Containing less than 85% by weight of wool	10%
	5107.90	- Other	Nil
51.08	5108.00	YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED)	20%
51.09	5109.00	YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSE HAIR (INCLUDING GIMPED HORSE HAIR YARN)	20%
51.10		WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR OF CARDED FINE ANIMAL HAIR	
	5110.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5110.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5110.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5110.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5110.29	-- Other woven fabrics	15%
51.11		WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR	
	5111.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5111.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5111.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5111.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5111.29	-- Other woven fabrics	15%
51.12		WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSE HAIR	
	5112.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5112.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5112.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5112.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5112.29	-- Other woven fabrics	15%";

(18) in Chapter 52, for heading Nos. 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11 and 52.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"52.01	5201.00	COTTON, NOT CARDED OR COMBED	Nil
52.02		COTTON WASTE (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	

1	2	3	4
	5202.10	- Yarn waste (including thread waste)	Nil
		- Other:	
	5202.91	-- Garnetted stock	Nil
	5202.99	-- Other	Nil
52.03	5203.00	COTTON, CARDED OR COMBED	Nil
52.04	5204.00	COTTON SEWING THREAD	20%
52.05		COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5205.11	-- Single yarn	20%
	5205.19	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5205.90	- Other	Nil
52.06		COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5206.11	-- Single yarn	20%
	5206.12	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5206.90	- Other	Nil
52.07		WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
	5207.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5207.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5207.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5207.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5207.29	-- Other woven fabrics	20%
52.08		WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES	
	5208.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5208.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5208.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5208.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5208.29	-- Other woven fabrics	20%
52.09		OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON	
	5209.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5209.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5209.22	-- Dyed woven fabrics	20%

1	2	3	4
	5209.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5209.29	-- Other woven fabrics	20%";

(*19*) in Chapter 53, for heading Nos. 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07 and 53.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"53.01		FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5301.10	- Flax, raw or retted	Nil
		- Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun:	
	5301.21	-- Broken or scutched	Nil
	5301.29	-- Other	Nil
	5301.30	- Flax tow and waste	Nil
53.02		TRUE HEMP (CANNABIS SATIVA L.), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5302.10	- True hemp, raw or retted	15%
	5302.90	- Other	15%
53.03		JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES (EXCLUDING FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5303.10	- Jute and other textile bast fibres, raw or retted	Nil
	5303.90	- Other	Nil
53.04		SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5304.10	- Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw	15%
	5304.90	- Other	15%
53.05		COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
		- Of coconut (coir):	
	5305.11	-- Raw	15%
	5305.19	-- Other	15%
		- Of Abaca:	
	5305.21	-- Raw	15%
	5305.29	-- Other	15%
		- Of Ramie:	
	5305.31	-- Raw	Nil
	5305.39	-- Other	Nil
		- Other:	
	5305.91	-- Raw	15%
	5305.99	-- Other	15%
53.06		FLAX YARN	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5306.11	-- Single	20%

1	2	3	4
	5306.19	-- Multiple (folded) or cabled	20%
	5306.90	- Other	Nil
53.07		YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING No.53.03	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5307.11	-- Single	10%
	5307.12	-- Multiple (folded) or cabled	10%
	5307.90	- Other	Nil
53.08		YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5308.11	-- Coir Yarn	15%
	5308.12	-- True hemp yarn	15%
	5308.13	-- Paper yarn	15%
	5308.14	-- Ramie yarn	20%
	5308.19	-- Other	15%
	5308.90	- Other	Nil
53.09		WOVEN FABRICS OF FLAX	
	5309.10	- Not subjected to any process	10%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5309.21	-- Bleached woven fabrics	10%
	5309.22	-- Dyed woven fabrics	10%
	5309.23	-- Printed woven fabrics	10%
	5309.29	-- Other woven fabrics	10%
53.10		WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING No.53.03	
	5310.10	- Not subjected to any process	10%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5310.21	-- Bleached woven fabrics	10%
	5310.22	-- Dyed woven fabrics	10%
	5310.23	-- Printed woven fabrics	10%
	5310.29	-- Other woven fabrics	10%
53.11		WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN	
	5311.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5311.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5311.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5311.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5311.29	-- Other woven fabrics	15%";

1	2	3	4

(20) in Chapter 54, for heading Nos. 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11 and 54.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"54.01		SEWING THREAD OF MAN-MADE FILAMENTS	
	5401.10	- Of synthetic filaments	20%
	5401.20	- Of artificial filaments	20%
54.02		SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 60 DENIERS	
	5402.10	- High tenacity yarn of nylon or other polyamides	30%
	5402.20	- High tenacity yarn of polyesters	50%
		- Textured yarn:	
	5402.31	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.32	-- Of polyesters	50%
	5402.39	-- Other	20%
		- Other yarn, single, untwisted :	
	5402.41	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.42	-- Of polyesters, partially oriented	50%
	5402.43	-- Of polyesters, other	50%
	5402.49	-- Other	20%
		- Other yarn, single, twisted:	
	5402.51	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.52	-- Of polyesters	50%
	5402.59	-- Other	20%
		- Other yarn, multiple (folded) or cabled:	
	5402.61	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.62	-- Of polyesters	50%
	5402.69	-- Other	20%
54.03		ARTIFICIAL FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), INCLUDING ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF LESS THAN 60 DENIERS	
	5403.10	- High tenacity yarn of viscose rayon	15%
	5403.20	- Textured yarn	15%
		- Other yarn, single:	
	5403.31	-- Of viscose rayon, untwisted	15%
	5403.32	-- Of viscose rayon, twisted	15%
	5403.33	-- of cellulose acetate	15%
	5403.39	-- Other	15%
		- Other yarn, multiple (folded) or cabled:	
	5403.41	-- Of viscose rayon	15%
	5403.42	-- Of cellulose acetate	15%
	5403.49	-- Other	15%
54.04		SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 60 DENIERS OR MORE AND OF WHICH NO CROSS SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 mm; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 mm	
	5404.10	- Monofilament	20%
	5404.90	- Other	20%

1	2	3	4
54.05	5405.00	ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 60 DENIERS OR MORE AND OF WHICH NO CROSS SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 mm; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 mm	20%
54.06		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.04	
	5406.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5406.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5406.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5406.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5406.29	-- Other woven fabrics	20%
54.07		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.05	
	5407.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5407.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5407.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5407.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5407.29	-- Other woven fabrics	20%";

(*21*) in Chapter 55, for heading Nos. 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 and 55.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"55.01		SYNTHETIC FILAMENT TOW	
	5501.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5501.20	- Of polyesters	20%
	5501.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5501.90	- Other	20%
55.02	5502.00	ARTIFICIAL FILAMENT TOW	20%
55.03		SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5503.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5503.20	- Of polyesters	20%
	5503.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5503.40	- Of polypropylene	20%
	5503.90	- Other	20%
55.04		ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5504.10	- Of viscose rayon	20%
	5504.90	- Other	20%
55.05		WASTE (INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF MAN-MADE FIBRES	
	5505.10	- Of synthetic fibres	Rs.10 per Kg. or 50% whichever is higher

1	2	3	4
	5505.20	- Of artificial fibres	Rs.10 per Kg. or 20% whichever is higher
55.06		SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5506.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5506.20	- Of polyesters	20%
	5506.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5506.90	- Other	20%
55.07	5507.00	ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	20%
55.08		SEWING THREAD OF MAN MADE STAPLE FIBRES	
	5508.10	- Of synthetic staple fibres	20%
	5508.20	- Of artificial staple fibres	20%
55.09		YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
		- Containing 85% or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides:	
	5509.11	-- Single yarn	20%
	5509.19	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres:	
	5509.21	-- Single yarn	20%
	5509.22	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres:	
	5509.31	-- Single yarn	20%
	5509.32	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres:	
	5509.41	-- Single yarn	20%
	5509.42	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5509.50	- Other yarn of Polyester staple fibre	20%
	5509.60	- Other yarn of acrylic or modacrylic staple fibres	20%
	5509.90	- Other yarn	20%
55.10		YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
		- Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres:	
	5510.11	-- Single yarn	20%
	5510.12	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5510.90	- Other yarn	20%
55.11		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5511.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5511.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5511.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5511.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5511.29	-- Other woven fabrics	20%

1	2	3	4
55.12		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON	
	5512.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5512.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5512.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5512.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5512.29	-- Other woven fabrics	20%
55.13		OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5513.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5513.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5513.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5513.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5513.29	-- Other woven fabrics	20%
55.14		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
	5514.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5514.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5514.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5514.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5514.29	-- Other woven fabrics	20%";

(*22*) in Chapter 56, for heading Nos. 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05, 56.06, 56.07 and 56.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"56.01		WADDING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES THEREOF; TEXTILE FIBRES, NOT EXCEEDING 5 mm IN LENGTH (FLOCK), TEXTILE DUST AND MILL NEPS	
	5601.10	- Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding	15%
		- Wadding; other articles of wadding:	
	5601.21	-- Of Cotton	15%
	5601.22	-- Of man-made fibres	15%
	5601.29	-- Other	15%
	5601.30	- Textile flock and dust and mill neps	15%
56.02		FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED	
	5602.10	- Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics	15%
		- Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated:	
	5602.21	-- Of wool or fine animal hair	15%
	5602.29	-- Of other textile materials	15%
	5602.90	- Other	15%

1	2	3	4
56.03	5603.00	NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED	20%
56.04		RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED; TEXTILE YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS	
	5604.10	- Rubber thread and cord, textile covered	15%
	5604.20	- High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated	15%
	5604.90	- Other	15%
56.05	5605.00	METALLISED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OF THE LIKE OF HEADING No.54.04 OR 54.05, COMBINED WITH METAL IN THE FORM OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAL	20%
56.06	5606.00	GIMPED YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, GIMPED (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO. 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN (INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN); LOOP WALE YARN	15%
56.07		TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, WHETHER OR NOT PLAITED OR BRAIDED AND WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS	
	5607.10	- Of jute or other textile bast fibres of heading No.53.03	10%
		- Of sisal or other textile fibres of the genus Agave:	
	5607.21	- - Binder or baler twine	15%
	5607.29	- - Other	15%
	5607.30	- Of abaca (Manila hemp or Musa textillis Nee) or other hard (leaf) fibres	15%
		- Of polyethylene or polypropylene:	
	5607.41	- - Binder or baler twine	15%
	5607.49	- - Other	15%
	5607.50	- Of other synthetic fibres	15%
	5607.90	- Other	15%
56.08		KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING NETS AND OTHER MADE UP NETS, OF TEXTILE MATERIALS	
		- Of man-made textile materials:	
	5608.11	- - Made up fishing nets	Nil
	5608.19	- - Other	15%
	5608.90	- Other	15%
56.09	5609.00	ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	15%";

(*23*) in Chapter 57, for heading Nos. 57.01 and 57.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"57.01		CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP	
	5701.10	- Of wool or fine animal hair	30%
	5701.90	- Of other textile materials	30%
57.02		CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP	

1	2	3	4
	5702.10	- Floor coverings of coconut fibres (coir)	Nil
		- Other, of pile construction, not made up:	
	5702.21	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.22	-- Of man made textile materials	30%
	5702.29	-- Of other textile materials	30%
		- Other, of pile construction, made up:	
	5702.31	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.32	-- Of man- made textile materials	30%
	5702.39	-- Of other textile materials	30%
		- Other, not of pile construction, not made up:	
	5702.41	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.42	-- Of man- made textile materials	30%
	5702.49	-- Of other textile materials	30%
		- Other, not of pile construction, made up:	
	5702.91	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.92	-- Of man- made textile materials	30%
	5702.99	-- Of other textile materials	30%
57.03		CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, WHETHER OR NOT MADE UP	
	5703.10	- Of wool or fine animal hair	30%
	5703.20	- Of nylon or other polyamides	30%
	5703.30	- Of other man- made textile materials	30%
	5703.40	- Of other textile materials	30%
57.04	5704.00	CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF FELT, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP	30%
57.05	5705.00	OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP	30%";

(*24*) in Chapter 58, for heading Nos. 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05 and 58.06 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"58.01		WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 58.02 OR 58.06	
		- Of wool or fine animal hair:	
	5801.11	-- Not subjected to any process	15%
	5801.12	-- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes	15%
		- Of cotton:	
	5801.21	-- Not subjected to any process	20%
	5801.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of man-made fibres:	
	5801.31	-- Not subjected to any process	20%
	5801.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of other textile materials:	

1	2	3	4
	5801.91	-- Not subjected to any process	15%
	5801.92	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering,heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	15%
58.02		TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06; TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 57.03	
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton:	
	5802.21	-- Not subjected to any process	20%
	5802.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of man-made fibres:	
	5802.31	-- Not subjected to any process	20%
	5802.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials:	
	5802.41	-- Not subjected to any process	15%
	5802.42	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	15%
		- Tufted textile fabrics:	
	5802.51	-- Not subjected to any process	20%
	5802.52	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.03	5803.00	GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06	10%
58.04		TULLES AND OTHER NET FABRICS, NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS; LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power or steam:	
	5804.11	-- Of cotton	20%
	5804.12	-- Of man made fibres	20%
	5804.19	-- Of other textile materials	15%
	5804.90	- Other	Nil
58.05		EMBROIDERY IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- Manufactured with the aid of vertical type automatic shuttle embroidery machines operated with power:	
	5805.11	-- Embroidery without visible ground	10%
	5805.19	-- Other	10%
	5805.90	- Other	Nil
58.06		NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN GOODS OF HEADING No. 58.07; NARROW FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE (BOLDUCS)	

1	2	3	4
	5806.10	- Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics	20%
	5806.20	- Other woven fabrics, containing elastomeric yarn or rubber thread	15%
		- Other woven fabrics:	
	5806.31	-- Of cotton	20%
	5806.32	-- Of man made fibres	20%
	5806.39	-- Of other textile materials	15%
	5806.40	- Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)	15%
58.07		LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, NOT EMBROIDERED	
	5807.10	- Woven	15%
	5807.90	- Other	15%
58.08	5808.00	BRAIDS IN THE PIECE; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED; TASSELS, POMPONS AND SIMILAR ARTICLES	15%
58.09	5809.00	WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLISED YARN OF HEADING No. 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	15%
58.10	5810.00	QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY STITCHING OR OTHERWISE, OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING No. 58.05	15%";

(*25*) in Chapter 59, for heading Nos. 59.01, 59.02, 59.03, 59.04, 59.05, 59.06, 59.07, 59.08 and 59.09 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"59.01		TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS	
	5901.10	- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like	10%
	5901.90	- Other	10%
59.02		TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON	
	5902.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5902.20	- Of polyesters	20%
	5902.90	- Other	20%
59.03		TEXTILE FABRICS, IMPREGANATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
	5903.10	- With polyvinyl chloride	20%
	5903.20	- With polyurethane	20%
	5903.90	- Other	20%
59.04		LINOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE	

1	2	3	4
	5904.10	- Linoleum	30%
		- Other:	
	5904.91	-- With a base consisting of needleloom felt or nonwovens	30%
	5904.92	-- With other textile base	30%
59.05	5905.00	TEXTILE WALL COVERINGS	30%
59.06		RUBBERISED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
	5906.10	- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm	15%
		- Other:	
	5906.91	-- Knitted or crocheted	15%
	5906.99	-- Other	15%
59.07		TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE LIKE	20%
		- Fabrics, covered partially or fully with textile flocks or with preparation containing textile flocks:	
	5907.11	-- On base fabrics of cotton	20%
	5907.12	-- On base fabrics of man made textile material	20%
	5907.19	-- On base fabrics of other textile material	20%
	5907.90	- Other	30%
59.08	5908.00	TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND TUBULAR KNITTED GAS MANTLE FABRIC THEREFOR, WHETHER OR NOT IMPREGNATED	15%
59.09	5909.00	TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS	15%
59.10	5910.00	TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL	25%
59.11		TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER	
	5911.10	- Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes	15%
	5911.20	- Bolting cloth, whether or not made up	15%
	5911.30	- Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement)	15%
	5911.40	- Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair	15%
	5911.90	- Other	15%";

(26) in Chapter 60, for heading No.60.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"60.01		PILE FABRICS, INCLUDING 'LONG PILE' FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED	
		- 'Long pile' fabrics:	
	6001.11	-- Of cotton	20%

1	2	3	4
	6001.12	-- Of man-made fibres	20%
	6001.19	-- Of other textile materials	15%
		- Looped pile fabrics:	
	6001.21	-- Of cotton	20%
	6001.22	-- Of man-made fibres	20%
	6001.29	-- Of other textile materials	15%
		- Other:	
	6001.91	-- Of cotton	20%
	6001.92	-- Of man-made fibres	20%
	6001.99	-- Of other textile materials	15%
60.02		OTHÈR KNITTED OR CROCHETED FABRICS	
	6002.10	- Of a width not exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	15%
	6002.20	- Other, of a width not exceeding 30 cm	20%
	6002.30	- Of a width exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	20%
		- Other fabrics, warp knit:	
	6002.41	-- Of wool or fine animal hair	15%
	6002.42	-- Of cotton	20%
	6002.43	-- Of man-made fibres	20%
	6002.49	-- Other	15%
		- Other:	
	6002.91	-- Of wool or fine animal hair	15%
	6002.92	-- Of cotton	20%
	6002.93	-- Of man-made fibres	20%
	6002.99	-- Other	15%";

(27) in Chapter 63, for heading No.63.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"63.01		BLANKETS AND TRAVELLING RUGS	
	6301.10	- Electric blankets	10%
	6301.20	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair	10%
	6301.30	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton	10%
	6301.40	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres	10%
	6301.90	- Other blankets and travelling rugs	10%
63.02	6302.00	BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN	10%
63.03	6303.00	CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES	10%
63.04	6304.00	OTHER FURNISHING ARTICLES, EXCLUDING THOSE OF HEADING No. 94.04	10%
63.05		SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS	
	6305.10	- Of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03	10%
	6305.20	- Of cotton	10%
		- Of man-made textile materials:	

1	2	3	4
	6305.31	-- Of polyethylene or polypropylene strip or the like	25%
	6305.39	-- Other	25%
	6305.90	- Of other textile materials	10%
63.06	6306.00	TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS; TENTS; SAILS FOR BOATS, SAILBOARDS OR LANDCRAFT; CAMPING GOODS	10%
63.07	6307.00	OTHER MADE-UP ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED	10%";

(*28*) in Chapter 69, for heading No. 69.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"69.04	6904.00	CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS	20%";

(*29*) in Chapter 72, after heading No. 72.29 and the entries relating thereto,the following shall be inserted, namely:—

"72.30	7230.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 72 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*30*) in Chapter 73, after heading No. 73.26 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"73.27	7327.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 73 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*31*) in Chapter 74, after heading No. 74.19 and the entries relating thereto,the following shall be inserted, namely:—

"74.20	7420.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 74 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*32*) in Chapter 75, after heading No. 75.08 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"75.09	7509.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 75 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*33*) in Chapter 76, after heading No. 76.16 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"76.17	7617.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 76 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*34*) in Chapter 78, after heading No. 78.06 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"78.07	7807.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 78 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*35*) in Chapter 79, after heading No. 79.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"79.08	7908.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 79 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*36*) in Chapter 80, after heading No. 80.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"80.08	8008.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 80 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*37*) in Chapter 81, after heading No. 81.13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"81.14	8114.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 81 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(*38*) in Chapter 84,—

(*i*) for heading Nos. 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.05 and 84.06 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.01		NUCLEAR REACTORS; FUEL ELEMENTS(CARTRIDGES), NON-IRRADIATED, FOR NUCLEAR REACTORS; MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION	
	8401.10	- All goods other than parts	10%
	8401.90	- Parts	15%

1	2	3	4
84.02		STEAM OR OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS (OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILERS	
	8402.10	- All goods other than parts	10%
	8402.90	- Parts	15%
84.03		CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING No.84.02	
	8403.10	- All goods other than parts	10%
	8403.90	- Parts	15%
84.04		AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING No. 84.02 OR 84.03 (FOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPER-HEATERS, SOOT REMOVERS, GAS RECOVERERS); CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS	
	8404.10	- All goods other than parts	10%
	8404.90	- Parts	15%
84.05		PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS	
	8405.10	- All goods other than parts	10%
	8405.90	- Parts	15%
84.06		STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES	
	8406.10	- All goods other than parts	10%
	8406.90	- Parts	15%";

(*ii*) for heading Nos. 84.10, 84.11, 84.12 and 84.13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.10		HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS, AND REGULATORS THEREFOR	
	8410.10	- All goods other than parts	10%
	8410.90	- Parts	15%
84.11		TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS AND OTHER GAS TURBINES	
	8411.10	- All goods other than parts	10%
	8411.90	- Parts	15%
84.12		OTHER ENGINES AND MOTORS	
	8412.10	- All goods other than parts	10%
	8412.90	- Parts	15%
84.13		PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A MEASURING DEVICE; LIQUID ELEVATORS	
	8413.10	- All goods other than parts	10%
	8413.90	- Parts	15%";

(*iii*) for heading Nos. 84.16 and 84.17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.16		FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR MECHANICAL GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES	

1	2		3	4
	8416.10	-	All goods other than parts	10%
	8416.90	-	Parts	15%
84.17			INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCLUDING INCINERATORS, NON-ELECTRIC	
	8417.10	-	All goods other than parts	10%
	8417.90	-	Parts	15%";

(*iv*) for heading Nos. 84.20 and 84.21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.20			CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES, OTHER THAN FOR METALS OR GLASS, AND CYLINDERS THEREFOR	
	8420.10	-	All goods other than parts	10%
	8420.90	-	Parts	15%
84.21			CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES	
	8421.10	-	All goods other than parts	10%
	8421.90	-	Parts	15%";

(*v*) for heading Nos. 84.23 and 84.24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.23			WEIGHING MACHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CENTIGRAMS OR BETTER), INCLUDING WEIGHT OPERATED COUNTING OR CHECKING MACHINES; WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS	
	8423.10	-	All goods other than parts	15%
	8423.90	-	Parts	15%
84.24			MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND-OPERATED) FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT CHARGED; SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES	
	8424.10	-	All goods other than parts	10%
	8424.90	-	Parts	15%";

(*vi*) for heading Nos. 84.34 and 84.35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.34			MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY	
	8434.10	-	All goods other than parts	10%
	8434.90	-	Parts	15%
84.35			PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES	
	8435.10	-	All goods other than parts	10%
	8435.90	-	Parts	15%";

(*vii*) for heading Nos. 84.38, 84.39, 84.40, 84.41, 84.42 and 84.43 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.38			MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS	
	8438.10	-	All goods other than parts	10%
	8438.90	-	Parts	15%

1	2	3	4
84.39		MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL OR FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD	
	8439.10	- All goods other than parts	10%
	8439.90	- Parts	15%
84.40		BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES	
	8440.10	- All goods other than parts	10%
	8440.90	- Parts	15%
84.41		OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CUTTING MACHINES OF ALL KINDS	
	8441.10	- All goods other than parts	10%
	8441.90	- Parts	15%
84.42		MACHINERY, APPARATUS AND EQUIPMENT (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING Nos. 84.56 TO 84.65), FOR TYPE-FOUNDING OR TYPE-SETTING, FOR PREPARING OR MAKING PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER PRINTING COMPONENTS; PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS; BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC STONES, PREPARED FOR PRINTING PURPOSES (FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED)	
	8442.10	- All goods other than parts	10%
	8442.90	- Parts	15%
84.43		PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING	
	8443.10	- All goods other than parts	10%
	8443.90	- Parts	15%";

(*viii*) for heading Nos. 84.48, 84.49, 84.50 and 84.51 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.48		AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF HEADING No. 84.44, 84.45, 84.46 OR 84.47 (FOR EXAMPLE, DOBBIES, JACQUARDS, AUTOMATIC STOP MOTIONS, SHUTTLE CHANGING MECHANISMS); PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE, SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR OF HEADING No.84.44, 84.45, 84.46 OR 84.47 (FOR EXAMPLE, SPINDLES AND SPINDLE FLYERS, CARD CLOTHING, COMBS, EXTRUDING NIPPLES, SHUTTLES, HEALDS AND HEALD-FRAMES, HOSIERY NEEDLES)	
	8448.10	- All goods other than parts	10%
	8448.90	- Parts	15%
84.49		MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT OR NONWOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MACHINERY FOR MAKING FELT HATS; BLOCKS FOR MAKING HATS	
	8449.10	- All goods other than parts	10%
	8449.90	- Parts	15%
84.50		HOUSEHOLD OR LAUNDRY TYPE WASHING MACHINES, INCLUDING MACHINES WHICH BOTH WASH AND DRY	
	8450.10	- All goods other than parts	20%
	8450.90	- Parts	15%

1	2	3	4
84.51		MACHINERY (OTHER THAN MACHINES OF HEADING No.84.50) FOR WASHING, CLEANING, WRINGING, DRYING, IRONING, PRESSING (INCLUDING FUSING PRESSES), BLEACHING, DYEING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IMPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR MADE UP TEXTILE ARTICLES AND MACHINES FOR APPLYING THE PASTE TO THE BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT USED IN THE MANUFACTURE OF FLOOR COVERINGS SUCH AS LINOLEUM; MACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS	
	8451.10	- All goods other than parts	10%
	8451.90	- Parts	15%";

(*ix*) for heading Nos. 84.53, 84.54 and 84.55 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"84.53		MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER OR FOR MAKING OR REPAIRING FOOTWEAR OR OTHER ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, OTHER THAN SEWING MACHINES	
	8453.10	- All goods other than parts	10%
	8453.90	- Parts	15%
84.54		CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES	
	8454.10	- All goods other than parts	10%
	8454.90	- Parts	15%
84.55		METAL-ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR	
	8455.10	- All goods other than parts	10%
	8455.90	- Parts	15%";

(*x*) for heading Nos. 84.67 and 84.68 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"84.67		TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR	
	8467.10	- All goods other than parts	15%
	8467.90	- Parts	15%
84.68		MACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING, WHETHER OR NOT CAPABLE OF CUTTING, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 85.15; GAS-OPERATED SURFACE TEMPERING MACHINES AND APPLIANCES	
	8468.10	- All goods other than parts	10%
	8468.90	- Parts	15%";

(*xi*) for heading Nos. 84.74 and 84.75 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"84.74		MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING, WASHING, CRUSHING, GRINDING, MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID (INCLUDING POWDER OR PASTE) FORM; MACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR MOULDING SOLID MINERAL FUELS, CERAMIC PASTE, UNHARDENED CEMENTS, PLASTERING MATERIALS OR OTHER MINERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORM; MACHINES FOR FORMING FOUNDRY MOULDS OF SAND	
	8474.10	- All goods other than parts	10%
	8474.90	- Parts	15%

1	2		3	4
84.75			MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAMPS, TUBES OR VALVES OR FLASH-BULBS, IN GLASS ENVELOPES; MACHINES FOR MANUFACTURING OR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE	
	8475.10	-	All goods other than parts	10%
	8475.90	-	Parts	15%";

(*xii*) for heading Nos. 84.77, 84.78, 84.79 and 84.80 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.77			MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8477.10	-	All goods other than parts	10%
	8477.90	-	Parts	15%
84.78			MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8478.10	-	All goods other than parts	10%
	8478.90	-	Parts	15%
84.79			MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8479.10	-	All goods other than parts	10%
	8479.90	-	Parts	15%
84.80			MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY; MOULD BASES; MOULDING PATTERNS; MOULDS FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), METAL CARBIDES, GLASS, MINERAL MATERIALS, RUBBER OR PLASTICS	
	8480.10	-	All goods other than parts	10%
	8480.90	-	Parts	15%";

(*39*) in Chapter 89, after heading No. 89.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"89.08	8908.00		VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR BREAKING UP	15%".

THE FIFTH SCHEDULE

(*See* section 81)

In the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

'THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 3(*1*)]

NOTES

1. In this Schedule, "heading", "sub-heading" and "Chapter" mean respectively a heading, sub-heading and Chapter in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985.

2. The rules for the interpretation of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the said Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this Schedule.

Heading No.	Sub-Heading No.	Description of goods	Rate of additional duty
(1)	(2)	(3)	(4)
17.01		SUGAR, OTHER THAN KHANDSARI SUGAR	
	1701.31	-- Required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)	Rs. 25 per quintal
	1701.39	-- Other	Rs. 45 per quintal
17.02	1702.11	-- Palmyra sugar	*Nil*
24.01	2401.00	UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE	10%
24.02	2402.00	CIGARS AND CHEROOTS OF TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES	*Nil*
24.03		CIGARETTES AND CIGARILLOS OF TOBACCO	
		- Cigarettes:	
	2403.11	-- Of tobacco	Rs. 350 per thousand
		- Cigarillos:	
	2403.21	-- Of tobacco	Rs. 350 per thousand
24.04		OTHER MANUFACTURED TOBACCO	
		- Smoking mixtures of tobacco for pipes and cigarettes; cut tobacco:	
	2404.11	-- 'Gudaku' bearing a brand name	5%
	2404.12	-- 'Gudaku' not bearing a brand name	*Nil*
	2404.13	-- Cut tobacco	*Nil*
	2404.19	-- Others	75%
		- Hookah tobacco:	
	2404.21	-- Bearing a brand name	5%
	2404.29	-- Others	*Nil*
		- Biris of tobacco:	
	2404.31	-- In the manufacture of which any process has been conducted with the aid of machines operated with or without the aid of power	Rs. 2.50 per thousand
	2404.39	-- Others	Rs. 2.50 per thousand
		- Chewing tobacco including preparations commonly known as 'Khara Masala', 'Kimam', 'Dokta', 'Jarda', 'Sukha' and 'Surti':	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2404.41	-- bearing a brand name	10%
	2404.49	-- Others	10%
	2404.50	- Snuff of tobacco	10%
	2404.60	- Preparations containing snuff of tobacco in any proportion	10%
50.05		WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE	
	5005.10	- Fabrics of noil silk	*Nil*
	5005.20	- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk	*Nil*
	5005.90	- Other fabrics	*Nil*
51.10		WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL EXCLUDING HAIR BELTING	
	5110.10	- Not subjected to any process	5%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5110.21	-- Bleached woven fabrics	5%
	5110.22	-- Dyed woven fabrics	5%
	5110.23	-- Printed woven fabrics	5%
	5110.29	-- Other woven fabrics	5%
51.11		WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL EXCLUDING HAIR BELTING	
	5111.10	- Not subjected to any process	5%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5111.21	-- Bleached woven fabrics	5%
	5111.22	-- Dyed woven fabrics	5%
	5111.23	-- Printed woven fabrics	5%
	5111.29	-- Other woven fabrics	5%
52.07		WOVEN FABRICS OF COTTON CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
	5207.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5207.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5207.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5207.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5207.29	-- Other woven fabrics	20%
52.08		WOVEN FABRICS OF COTTON CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES	
	5208.10	- Not subjected to any process	*Nil*

(1)	(2)	(3)	(4)
		Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5208.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5208.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5208.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5208.29	-- Other woven fabrics	20%
52.09		OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON	
	5209.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5209.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5209.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5209.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5209.29	-- Other woven fabrics	20%
54.06		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No.54.04	
	5406.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5406.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5406.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5406.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5406.29	-- Other woven fabrics	20%
54.07		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.05	
	5407.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5407.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5407.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5407.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5407.29	-- Other woven fabrics	20%
55.11		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5511.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5511.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5511.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5511.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5511.29	-- Other woven fabrics	20%

(1)	(2)	(3)	(4)
55.12		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON	
	5512.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5512.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5512.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5512.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5512.29	-- Other woven fabrics	20%
55.13		OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5513.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5513.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5513.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5513.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5513.29	-- Other woven fabrics	20%
55.14		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
	5514.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5514.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5514.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5514.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5514.29	-- Other woven fabrics	20%
58.01		WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 58.02 OR 58.06	
		- Of wool:	
	5801.11	-- Not subjected to any process	5%
	5801.12	-- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes	5%
		- Of cotton:	
	5801.21	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5801.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of man-made fibres:	
	5801.31	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5801.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.02		TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06; TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 57.03	

(1)	(2)	(3)	(4)
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton:	
	5802.21	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5802.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics of man-made fibres:	
	5802.31	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5802.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Tufted textile fabrics:	
	5802.51	-- Not subjected to any process	5%
	5802.52	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.03	5803.00	GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06	5%
58.04		LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power or steam:	
	5804.11	-- Of cotton	20%
	5804.12	-- Of man-made fibres	20%
58.05		EMBROIDERY IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- Manufactured with the aid of vertical type automatic shuttle embroidery machines operated with power:	
	5805.11	-- Embroidery without visible ground	*Nil*
	5805.19	-- Other	*Nil*
58.06	5806.00	NARROW WOVEN FABRICS (OTHER THAN TULLES, OTHER NET FABRICS AND GOODS OF HEADING Nos. 58.07, 58.08, 58.09 AND 58.10)	*Nil*
59.01		TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS	
	5901.10	- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like	20%
	5901.90	- Other	20%
59.02		TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON	
	5902.10	- Of nylon or other polyamides	5%
	5902.20	- Of polyesters	5%
	5902.90	- Other	5%

(1)	(2)	(3)	(4)
59.03		TEXTILE FABRICS OF COTTON AND MAN-MADE TEXTILE MATERIALS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
5903.10		- With polyvinyl chloride	5%
5903.20		- With polyurethane	5%
5903.90		- Other	5%
59.07		FABRICS COVERED PARTIALLY OR FULLY WITH TEXTILE FLOCKS OR WITH PREPARATION CONTAINING TEXTILE FLOCKS	
	5907.11	-- On base fabrics of cotton	5%
	5907.12	-- On base fabrics of man-made textile material	5%
60.01		PILE FABRICS, INCLUDING 'LONG PILE' FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED	
		- 'Long pile' fabrics:	
	6001.11	-- Of cotton	20%
	6001.12	-- Of man-made fibres	20%
		- Looped pile fabrics:	
	6001.21	-- Of cotton	20%
	6001.22	-- Of man-made fibres	20%
		- Other:	
	6001.91	-- Of cotton	20%
	6001.92	-- Of man-made fibres	20%
60.02		OTHER KNITTED OR CROCHETED FABRICS	
	6002.10	- Of a width not exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	10%
	6002.20	- Other, of a width not exceeding 30 cm	10%
	6002.30	- Of a width exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	20%
		- Other fabrics, warp knit:	
	6002.42	-- Of cotton	20%
	6002.43	-- Of man-made fibres	20%
		- Other:	
	6002.92	-- Of cotton	20%
	6002.93	-- Of man-made fibres	20%".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The object of the Bill is to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1995-96. The notes on clauses explain the various provisions contained in the Bill.

NEW DELHI; MANMOHAN SINGH.

The 15th March, 1995.

PRESIDENT'S RECOMMENDATION UNDER ARTICLES 117 AND 274 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Copy of letter No.F.3(1)-B(D)/95, dated the 15th March, 1995 from Shri Manmohan Singh, Minister of Finance, to the Secretary-General, Lok Sabha.]

The President, having been informed of the subject matter of the proposed Bill, recommends under clauses (1) and (3) of article 117, read with clause (1) of article 274, of the Constitution of India, the introduction of the Finance Bill, 1995 to the Lok Sabha and also recommends to the Lok Sabha the consideration of the Bill.

2. The Bill will the introduced in the Lok Sabha immediately after the presentation of the Budget on the 15th March, 1995.

Notes on clauses

Income-tax

Clause 2, read with the First Schedule to the Bill, seeks to prescribe the rates at which income-tax (including surcharge thereon in case of domestic companies) is to be levied on income chargeable to tax for the assessment year 1995-96. Further, it lays down the rates at which tax is to be deducted at source during the financial year 1995-96 from income subject to such deduction under the Income-tax Act; and the rates at which "advance tax" is to be paid, tax is to be deducted at source from income chargeable under the head "Salaries" and tax is to be calculated and charged in special cases for the financial year 1995-96.

Rates of income-tax for the assessment year 1995-96

Part I of the First Schedule to the Bill specifies the rates of income-tax on income liable to tax for the assessment year 1995-96. These rates are the same as those specified in Part III of the First Schedule to the Finance Act, 1994, for the purposes of deduction of tax at source from "Salaries", computation of "advance tax" and charging of income-tax in special cases during the financial year 1994-95.

As provided by the Finance Act, 1994, the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Part shall be increased in the case of a domestic company having income exceeding seventy-five thousand rupees, by a surcharge calculated at the rate of 15 per cent. of such income-tax.

Rates for deduction of tax at source during the financial year 1995-96 from income other than "Salaries"

Part II of the First Schedule to the Bill specifies the rates at which income-tax is to be deducted at source during the financial year 1995-96 from incomes other than "Salaries". These rates are the same as those specified in Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1994, for the purposes of deduction of income-tax at source during the financial year 1994-95. Reference to income payable in respect of units of the Unit Trust of India purchased by a non-resident in foreign currency is proposed to be omitted. This is in consequence of the proposed substitution of section 196A in the Income-tax Act, providing for deduction of income-tax at source in the case of non-residents from income in respect of units of specified Mutual Funds and Unit Trust of India.

The amount of income-tax so deducted at source shall be increased in the case of a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

Rates for deduction of tax at source from "Salaries", computation of "advance tax" and charging of income-tax in special cases during the financial year 1995-96

Part III of the First Schedule to the Bill specifies the rates at which income-tax is to be deducted at source from "Salaries" and also the rates at which "advance tax" is to be paid and income-tax is to be calculated or charged in special cases for the financial year 1995-96.

Sub-Paragraph I of Paragraph A of this Part specifies the rates of income-tax in the case of every individual or Hindu undivided family or every association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, not being a case to which Sub-Paragraph II of Paragraph A or any other Paragraph of Part III applies. In such cases, the income-tax exemption limit has been raised from Rs.35,000 to Rs. 40,000. The rates of income-tax on total income above Rs. 40,000 will be as under:—

Rs. 40,001 to Rs. 60,000	20 per cent.;
Rs. 60,001 to Rs. 1,20,000	30 per cent.;
above Rs. 1,20,000	40 per cent.

Sub-Paragraph II of Paragraph A of this Part specifies the rates of income-tax in the case of every Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st April, 1996, exceeds Rs. 40,000. In such cases, both the exemption limit and the rates of tax will continue to be the same as those specified for assessment year 1995-96.

Paragraph B of this Part specifies the rates of income-tax in the case of every co-operative society. In such cases, the rates of tax will continue to be the same as those specified for assessment year 1995-96.

Paragraph C of this Part specifies the rate of income-tax in the case of every firm. In such cases, the rate of tax will continue to be the same as that specified for assessment year 1995-96.

Paragraph D of this Part specifies the rate of income-tax in the case of every local authority. In such cases, the rate of tax will continue to be the same as that specified for assessment year 1995-96.

Paragraph E of this Part specifies the rates of income-tax in the case of a company. In such cases, the rates of tax will continue to be the same as those specified for assessment year 1995-96.

In the case of domestic companies having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Part shall be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

Clause 3 seeks to amend clause (*42A*) of section 2 of the Income-tax Act relating to definitions.

Under the existing provisions, "short-term capital asset" means a capital asset held by an assessee for thirty-six months or less immediately preceding the date of its transfer. However, in case of a share held in a company or any other security listed in a recognised stock exchange or a unit of the Unit Trust of India or a unit of a Mutual Fund specified under clause (*23D*) of section 10, the share, security or unit, as the case may be, shall be treated as a short-term capital asset if it is held by the assessee for twelve months or less, immediately preceding the date of its transfer.

The proposed amendment seeks to specify that in the case of a capital asset being a share, security or unit which is allotted without any payment on the basis of holding of any other financial asset, the period for treating such share, security or unit as a short-term capital asset shall be calculated from the date of allotment of such share, security or unit, as the case may be.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 4 seeks to amend section 10 of the Income-tax Act relating to incomes not included in the total income.

Sub-clause (1) seeks to amend clause (*10D*) so as to provide that any sum received under sub-section (*3*) of section 80DDA proposed to be inserted *vide* clause 15 of the Bill will not be exempt from tax.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Sub-clause (2) seeks to amend clause (*14*). Under the existing provisions of clause (*14*), the allowances or benefits of the nature referred to in sub-clause (*i*) and sub-clause (*ii*) are exempt from income-tax if these are specified by the Central Government by notification in the Official Gazette. The proposed amendment seeks to provide income-tax exemption to the allowances or

benefits of the nature referred to in sub-clause (*i*) and sub-clause (*ii*) as may be prescribed in the Income-tax Rules 1962.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Sub-clause (3) seeks to amend sub-clause (v) of clause (15). Under the existing provisions of sub-clause (v), income-tax exemption in respect of interest on securities held by the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal, in Reserve Bank's SGL Account No. SL/DH048 is provided. The amendment seeks to enlarge the scope of the income-tax exemption by providing such exemption also on interest on deposits for the benefit of the victims of the Bhopal gas leak disaster held in such account, with the Reserve Bank of India or with a public sector bank, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. It is also being provided that such notification may be made either prospectively or retrospectively but no retrospective effect may be given from a date earlier than 1st April, 1994. The expression "public sector bank" will have the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (*23D*) of section 10.

This amendment will take effect from 1st April, 1995 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1995-96 and subsequent years.

Sub-clause (4) seeks to substitute clause (15A). Under the existing provisions of this clause, income-tax exemption is provided on any payment made by an Indian company, engaged in the business of operation of aircraft, to acquire an aircraft on lease from the Government of a foreign State or a foreign enterprise under an agreement approved by the Central Government in this behalf. The proposed amendment seeks to restrict the scope of the aforesaid exemption by excluding therefrom payments made for providing spares, facilities or services in connection with the operation of the leased aircraft.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Sub-clause (5) seeks to insert a new clause (*23AAA*) so as to provide for exemption from income-tax on any income received by any person on behalf of a fund, established, for such purposes as may be notified by the Board, for the welfare of employees or their dependants and of which fund such employees are also members. The proposed exemption will be available only if the fund applies its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established. It is further proposed that the aforesaid fund shall invest its funds and contributions made by the employees and other sums received by it in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (*5*) of section 11. It is also proposed to provide that the said fund is to be approved by the Commissioner in accordance with the rules made in this behalf and such approval shall have effect for such assessment year or years not exceeding three assessment years as may be specified in the order of approval.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Sub-clause (6) seeks to amend clause (*23D*) which provides income-tax exemption on the income of certain Mutual Funds. Under the existing provisions of clause (*23D*), any income of a Mutual Fund set up by a public sector bank or a public financial institution or authorised by the Securities and Exchange Board of India or the Reserve Bank of India is exempt from income-tax only if it is specified for the purposes of this clause by the Central Government by notification in the Official Gazette. The proposed amendment seeks to provide that the requirement of specification by the Central Government will not apply in the case of Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made thereunder.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Sub-clause (7) seeks to insert a new clause (*23F*) so as to provide income-tax exemption on any income by way of dividends or long-term capital gains of a venture capital fund or a venture capital company from investments made by way of equity shares in a venture capital undertaking. In order to obtain the income-tax exemption, the venture capital fund or the venture capital company will require approval by the prescribed authority in accordance with the rules made in this behalf and also satisfy the prescribed conditions. The approval by the prescribed authority will, at any one time, have effect for such assessment year or years, not exceeding three assessment years, as may be specified in the order of approval. If the aforesaid equity shares are transferred (other than in the event of listing of the shares in a recognised stock exchange in India) by a venture capital fund or a venture capital company at any time within a period of three years from the date of their acquisition, the aggregate amount of income by way of dividends on such equity shares which has not been included in the total income of the previous year or years preceding the previous year in which such transfer has taken place shall be deemed to be the income of the venture capital fund or the venture capital company of such previous year in which such transfer has taken place. The exemption will also not be allowed in respect of the long-term capital gains, if any, arising on the aforesaid transfer of equity shares.

The expression "venture capital fund" is being defined to mean a fund, operating under a trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908, established to raise monies by the trustees for investments mainly by way of acquiring equity shares of a venture capital undertaking in accordance with the prescribed guidelines. The expression "venture capital company" is being defined to mean a company has made investments by way of acquiring equity shares of venture capital undertakings in accordance with the prescribed guidelines. The expression "venture capital undertaking" is being defined to mean a domestic company whose shares are not listed in a recognised stock exchange in India and which is engaged in the manufacture or production of such articles or things (including computer software) as may be notified by the Central Government in this behalf.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Sub-clause (8) seeks to insert a new clause (*25A*) so as to provide income-tax exemption on any income of the Employees' State Insurance Fund of the Employees' State Insurance Corporation set up under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948.

This amendment will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1962-63 and subsequent years.

Sub-clause (9) seeks to insert a new clause (*26BB*) so as to provide income-tax exemption on any income of a corporation established by the Central Government or any State Government for promoting the interests of the members of such minority communities as are notified by the Central Government from time to time.

This amendment will take effect from 1st April, 1995 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1995-96 and subsequent years.

Clause 5 seeks to amend section 10A of the Income-tax Act relating to special provisions in respect of newly established industrial undertakings in Free Trade Zones.

It is proposed to amend sub-section (*2*) so as to provide that where an undertaking begins to manufacture or produce any article or thing on or after the 1st day of April, 1995, the benefit under the said section will be available only if the exports by the undertakings

are not less than 75 per cent. of the total sales of articles or things during the previous year.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 6 seeks to amend sub-section (*3*) of section 17of the Income-tax Act which defines profits in lieu of salary.

The proposed amendment seeks to exclude from the definition of profits in lieu of salary the payments which are covered under clause (*13*) of section 10 and not any other payments from approved superannuation fund.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 7 seeks to make amendment in section 32 of the Income-tax Act relating to deduction in respect of depreciation on building, machinery, plant or furniture owned by the assessee and used for the purposes of business or profession.

The proposed amendment seeks to omit the first proviso to sub-section (1) of section 32. This proviso allows full deduction in respect of items of machinery or plant of small value which does not exceed five thousand rupees in the previous year in which it is first put to use. This proviso has outlived its utility as depreciation is allowable in respect of block of assets at such percentage as is prescribed under the rules. Machinery or plant where the actual cost is less than Rs. 5,000 will be eligible for depreciation as part of the block of assets, in accordance with rule 5 of the Income-tax Rules, 1962.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 8 seeks to amend section 33AC of the Income-tax Act which provides hundred per cent. deduction in respect of amounts carried to a reserve account by a Government company or public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of operation of ships.

The proposed amendment seeks to restrict the amount of deduction to fifty per cent. of the income derived from the business of operation of ships only.

Thus, it will take outside the scope of this section, income arising from other business or falling under other heads of income.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 9 seeks to amend section 35CCA of the Income-tax Act, relating to expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programmes.

Under the existing provisions, sums paid by an assessee, carrying on business or profession to any association or institution which has its object, the undertaking of programmes of rural development, are allowed as deduction in computing the taxable profit. The proposed amendment seeks to insert a new clause (*d*) so as to provide a deduction in respect of expenditure by way of payment to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government while computing the income from profits and gains of business or profession chargeable to tax.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 10 seeks to amend section 36 of the Income-tax Act relating to other deductions.

Sub-clause (*a*) seeks to amend clause (*viii*) of sub-section (*1*) of section 36 which provides that an approved financial corporation engaged in providing long-term finance for industrial or agricultural development in India, or an approved public company formed and registered in India with the main object of carrying on business of providing long-term finance for construction or purchase of residential houses, is entitled for a deduction of an amount not exceeding 40 per cent. of the total income.

It is proposed, with a view to promoting infrastructure development, to amend the aforesaid clause so as to allow deduction to an approved financial corporation which provide long-term finance for development of infrastructure facility. It is further proposed to restrict the deduction only to 40 per cent. of the profits derived from the business of long-term financing only from the activities specified in the said clause. Thus, it will take outside the scope of this section the income arising from other business or falling under other heads of income.

Sub-clause (b) seeks to define "infrastructure facility" so as to give that expression the meaning assigned to it in section 80-IA.

These amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 11 seeks to amend sub-section (*3*) of section 40A of the Income-tax Act. Under the existing provision of the aforesaid sub-section, cash payments in excess of ten thousand rupees are disallowed while computing business or professional income, unless the payment is covered by any one of the circumstances laid down in rule 6DD of the Income-tax Rules, 1962. The proposed amendment seeks to amend sub-section (*3*) of this section so as to provide that twenty per cent. of expenditure will be disallowed in computing the income.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 12 seeks to amend sub-section (*3*) of section 43 of the Income-tax Act relating to definition of "plant" for purposes of sections 28 to 41.

It is proposed to exclude tea bushes from the ambit of the definition of "plant". This amendment is being made to override certain judicial pronouncements. It is also proposed to exclude live stock from the ambit of the definition of "plant".

This amendment will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1962-63 and subsequent years.

Clause 13 seeks to amend section 44AB of the Income-tax Act relating to audit of accounts of certain persons carrying on business or profession.

Under the existing provisions of this section, every person carrying on business where total sales, turnover or gross receipts exceed forty lakh rupees, or carrying on profession where gross receipts exceed ten lakh rupees in any previous year, is required to get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date and obtain before that date the report of such audit in the prescribed form.

The proposed amendment seeks to substitute the requirement of obtaining the audit report before the specified date by the requirement of furnishing the audit report to the Assessing Officer by that date. It is also proposed to omit the reference to section 44AC as that section has already been omitted in the Income-tax Act.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 14 seeks to amend sub-section (*2*) of section 55 of the Income-tax Act relating to the meaning of the expression "cost of acquisition in relation to assets".

The existing clause (*aa*) of sub-section (*2*) specifies the cost of acquisition of a share or any other security referred to as financial asset in those cases where the assessee becomes entitled to subscribe to additional financial assets on the basis of right issues.

The proposed amendment seeks to insert a new sub-clause (*iiia*) in clause (*aa*) so as to specify that the cost of acquisition of any additional financial asset as bonus shares or security or otherwise which is received without any payment by the assessee on the basis of his holding any financial asset shall be taken to be *nil.*

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 15 seeks to insert a new section 80DDA in the Income-tax Act.

The new section provides that from the gross total income of an assessee resident in India being an individual or a Hindu undivided family, deduction of an amount, not exceeding Rs. 20,000, deposited in a year may be claimed, where such deposit has been made in any scheme of Life Insurance Corporation or of the Unit Trust of India framed with the approval of the Board for the maintenance of a handicapped dependant after the death of the assessee.

The broad features of such a scheme will be that, in the event of the death of the individual or the member of a Hindu undivided family in whose name subscription to the scheme has been made, the basic sum assured together with accretions and other amount will be utilised to provide funds for the maintenance of the handicapped dependant. For this purpose, the assessee will be required to nominate either the handicapped or any other person or a trust to receive the payment on his behalf, for the maintenance of the handicapped dependant. In case the handicapped dependant predeceases the assessee, the amount received by the assessee after death of the handicapped dependant will be subjected to tax as income of the year in which the amount is received by the assessee.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 16 seeks to amend section 80G of the Income-tax Act relating to deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.

It is proposed by sub-clause (a) and item (i) of sub-clause (b) to provide hundred per cent. deduction in respect of donations made to Zila Saksharta Samitis constituted under the chairmanship of Collectors of the districts for the purpose of improvement of primary education and for literacy and post-literacy efforts in villages and towns with population not exceeding one lakh according to the latest census.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

It is further proposed to allow deduction at the rate of fifty per cent. in respect of donations to the corporations referred to in clause (*26BB*) of section 10, proposed to be inserted *vide* clause 4 of the Bill. It is also proposed to subject the deduction in respect of donations to the aforesaid corporations to the overall limit of ten per cent. of the gross total income of the assessee.

This amendment will take effect from 1st April, 1995 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1995-96 and subsequent years.

Clause 17 seeks to amend section 80GGA of the Income-tax Act relating to deduction in respect of certain donations for scientific research or rural development.

The proposed amendment seeks to insert a new clause (*e*) in sub-section (*2*). Under the new provision, deduction will be allowed in respect of any sum paid by an assessee to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government for the purposes of clause (*d*), proposed to be inserted in sub-section (*1*) of section 35CCA of the Income-tax Act *vide* clause 9 of the Bill.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 18 seeks to amend section 80HHE of the Income-tax Act relating to deduction in respect of profits from export of computer software, etc.

Under the existing proviso to sub-section (*1*) of the said section, no deduction shall be allowed in relation to the assessment year commencing on the 1st April, 1996. It is proposed to omit the said proviso so as to extend the benefit of deduction under the said section in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

This amendment will take effect from 1st April, 1996.

Clause 19 seeks to amend section 80-IA of the Income-tax Act relating to deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings, etc., in certain cases.

The proposed amendment seeks to enlarge the scope of deduction under section 80-IA. It is proposed to provide hundred per cent. deduction from the profits and gains of an enterprise carrying on the business of development, maintenance and operation of infrastructure facility for the initial five assessment years and thereafter thirty per cent. of such profits and gains. The deduction will be available if the enterprise (a) is owned by a company or consortium of companies registered in India; (b) enters into an agreement with the Central or a State Government or a local authority or any other statutory body for development, maintenance and operation of a new infrastructure facility; (c) transfers such infrastructure facility after the period stipulated in the agreement to such Government or authority or body concerned; and (d) starts operating and maintaining the infrastructure facility on or after 1st April, 1995. "Infrastructure facility" has been defined to mean a road, highway, bridge, airport, port or rail system or any other public facility of a similar nature as may be notified by the Board.

It is also proposed to continue the existing concession of deduction of 25 per cent. of the profits (30 per cent. for companies) for a period of 10 years (12 years for the co-operatives) to the small scale industrial undertakings if such undertaking begins to manufacture or produce articles or things during the period beginning on the 1st April, 1995 and ending on 31st March, 2000. Small scale undertakings, commencing production in an industrially backward State after 31st March, 1998 or in an industrially backward District after 31st March, 1999, will be entitled to the deductions if they commence production before 31st March, 2000.

These amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to the assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 20 seeks to amend section 80L of the Income-tax Act relating to deduction in respect of income from interest on certain securities, dividends, etc.

It is proposed to amend this section in order to raise the deduction thereunder from Rs.10,000 to Rs.13,000.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 21 seeks to raise the deduction allowed under section 80U to handicapped persons suffering from permanent physical disability (including blindness) or mental retardation from twenty thousand rupees to forty thousand rupees.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 22 seeks to amend section 88 of the Income-tax Act relating to rebate on premium paid on life insurance policies or contribution towards provident fund, etc.

Sub-clause (i) proposes to omit sub-section (3) so as to provide that the benefit of rebate on premium paid on life insurance policy shall be available to the assessee even where the amount of premium is in excess of 10 per cent. of the actual capital sum assured.

Sub-clause (ii) proposes to amend clause (i) of sub-section (7) so as to provide that in case of any single premium policy, if such policy is surrendered within two years of the date of commencement of insurance, the amount of deduction of income-tax allowed earlier shall be deemed to be the tax payable in the year of surrender.

These amendments will take effect from 1st April, 1996 and will accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 23 seeks to amend section 112 of the Income-tax Act relating to tax on long-term capital gains.

The proposed amendment seeks to omit the provision regarding the concessional rate of tax on long-term capital gains arising to a venture capital company from the transfer of equity shares of venture capital undertakings. This amendment is consequential to the proposed insertion of a new clause (23F) in section 10 of the Income-tax Act *vide* clause 4 of the Bill, providing for income-tax exemption on dividends and long-term capital gains of a venture capital fund or a venture capital company from investments made in a venture capital undertaking.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 24 seeks to insert a new section 113 in the Income-tax Act relating to income-tax in the case of block assessment of search or requisition cases.

It is proposed that the undisclosed income of the block period determined under the new Chapter XIV-B proposed to be inserted *vide* clause 32 of the Bill, shall be taxed at a flat rate of sixty per cent.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 25 seeks to amend section 115K of the Income-tax Act which provides for a simplified procedure for computation of income with respect to small businessmen.

It is proposed to raise the deemed income under the simplified procedure from Rs. 42,000 to Rs. 47,000 in view of the exemption limit in the case of individuals being raised from Rs. 35,000 to Rs.40,000 and to raise the qualifying turnover from Rs. 5,00,000 to Rs. 6,00,000.

This amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

Clause 26 seeks to amend section 132 of the Income-tax Act relating to search and seizure.

It is proposed to amend sub-section (5) to provide that the proceedings under the said sub-section will no longer be necssary for searches initiated after 30th June, 1995.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 27 seeks to amend section 133 of the Income-tax Act relating to power to call for information.

Under the existing provisions of clause (*6*) of the section the prescribed authorities have the power to call for any information from any person which will be useful for or relevant to any proceeding under the Act. The proposed amendment seeks to empower the prescribed authorities to call for information for the purpose of any inquiry under this Act even in cases where no proceeding is pending. However, an income-tax authority below the rank of Director or Commissioner can exercise the said power in respect of an inquiry, only with the prior approval of the Director or, as the case may be, the Commissioner.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 28 seeks to amend section 133A of the Income-tax Act relating to power of survey.

The proposed amendment seeks to provide that an income-tax authority, having jurisdiction over an area assigned to him or in respect of any place occupied by any person in respect of whom he exercises jurisdiction, may authorise any other income-tax authority to exercise the power of survey. It has also proposed to widen the scope of the expression "income-tax authority" by including therein a Director, a Commissioner and a Deputy Director.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 29 seeks to amend section 139 of the Income-tax Act relating to return of income.

Under the existing provisions of sub-section (*6A*) of this section, an assessee, engaged in any business or profession, is required to furnish certain particulars along with the return of income including the report of audit obtained under section 44AB.

Sub-clause (*a*) seeks to amend the provisions of sub-section (*6A*) so as to provide that an assessee engaged in any business or profession is required to furnish either the report of any audit obtained under section 44AB or, where the report has been furnished prior to the furnishing of the return, a copy of such report with the return of income together with the proof of furnishing the report.

Sub-clause (*b*) seeks to substitute the existing provisions of clause (*bb*) of the *Explanation* to sub-section (9) so as to provide that the return of income shall be regarded as defective if the report of any audit obtained under section 44AB or, where such report has been furnished prior to the furnishing of the return, a copy of such report togetherwith the proof of furnishing the report, does not accompany the return of income.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 30 seeks to substtute new section for section 139A of the Income-tax Act relating to permanent account numbers.

Under the new section every person, if his total income assessable during the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax or any person carrying on business or profession whose total sales, turnover or gross receipts are or is likely to exceed fifty thousand rupees in any previous year and who has not been allotted any permanent account number, is obliged to obtain permanent account number within such time, as may be prescribed. It is also provided that a person who is required to furnish return of income under sub-section (4A) of section 139 is also required to obtain permanent account number. Besides above cases, Assessing Officer may also allot a permanent account number to any other person by whom tax is payable. Any other person may also apply for a permanent account number.

The amendment further seeks to provide enabling power to the Board for switching over to new series of permanent account numbers having ten alphanumeric characters. The Board will have powers to notify the places to be covered from time to time, the classes of persons to be covered and the period within which application for allotment of permanent account number under the new series has to be made.

It is being provided that it shall be the duty of every person who has been allotted permanent account number to quote such number in all his returns or correspondence with income-tax authorities, quote such numbers in all challans for the payment of any sum, quote such number in all documents pertaining to such transactions as may be prescribed by the Board in the interest of revenue.

The amendment further seeks to provide that every person, receiving any document relating to the prescribed transactions, shall ensure that the permanent account number has been duly quoted in the document. The proposed amendment also seeks to empower the Board to make rules in relation to the form and the manner in which the application for the allotment of a permanent account number and the particulars which such application will contain, prescribing the categories of transactions and the categories of documents pertaining to business or profession in which the permanent account numbers shall have to be quoted by every person.

The proposed amendment also seeks to include within the meaning of the permanent account number, a number allotted under the new series. The "permanent account number under the new series" has been defined to mean a number which will have ten alphanumeric characters to be issued on a laminated card. The expression "Assessing Officer" has been defined to include an income-tax authority to whom the job of allotting permanent account numbers has been assigned.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 31 seeks to substitute section 145 of the Income-tax Act relating to the method of accounting.

The existing section provides, *inter alia*, for computation of income from business or profession or income from other sources in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessee. The proposed amendment seeks to provide that income chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources" shall be computed only in accordance with either the cash or the mercantile system of accounting regularly employed by an assessee. It is also proposed to empower the Central Government to specify by notification in the Official Gazette the accounting standards which every assessee will have to follow in computing his income under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources".

This amendment will take effect from 1st April, 1997 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1997-98 and subsequent years.

Clause 32 seeks to insert a new Chapter XIV-B in the Income-tax Act relating to special procedure for assessment of search or requisition cases.

In order to make the procedure of assessment of search or requisition cases effective, it is proposed to introduce new provisions for assessment of undisclosed income detected as a result of search or requisition. Under the new provisions, the undisclosed income detected as a result of search initiated or requisition made after 30th June, 1995 shall be assessed separately as income of a block of ten previous years. Where the previous year has not ended or the due date for filing a return of income for any previous year has not expired, the income recorded on or before the date of search or requisition in the books of account or other documents maintained in the normal course relating to such previous years will not be included in that block.

2. The salient features of the proposed Chapter are as under,—

(a) The total undisclosed income of a person shall be assessed as the income of a block period consisting of ten previous years prior to the previous year in which the search was conducted or requisition was made and also the period of the current previous year up to the date of search or the requisition;

(b) The undisclosed income of the block period shall be taxed at a flat rate of 60 per cent. specified in section 113 proposed to be inserted *vide* clause 24 of the Bill. No penalty under section 271(1)(c), 271A, 271B or 273 or interest under sections 234A, 234B or 234C will be levied or imposed;

(c) The order of assessment for the block period shall be passed within one year from the end of the month in which the last authorisation for the search or requisition was executed;

(d) The order of assessment shall be passed by an Assessing Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Income-tax with the previous approval of the Commissioner;

(e) Proceedings under section 132(5) will no longer be necessary for searches initiated after 30th June, 1995;

(f) The undisclosed income of the block period shall be the aggregate of the total income of the previous years falling within the block period, computed in accordance with the provisions of Chapter IV on the basis of evidence found as a result of search or requisition and such other inquiries as the Assessing Officer may make and such other material or information as are available with him, as reduced by the aggregate of the total income, or as increased by the aggregate of the losses, of such previous years, determined,—

(i) where assessments under sections 143 or 144 or 147 have been concluded, on the basis of such assessments and where income is determined under sub-section (1) or sub-section (1B) of section 143 on the basis of such determination;

(ii) where returns of income have been filed under section 139 or section 147 but assessments have not been made till the date of search or requisition, on the basis of the incomes disclosed in such returns of income;

(iii) where the due date for filing a return of income has expired but no return of income has been filed, as *nil*;

(iv) where the previous year has not ended or the date of filing the return of income under section 139(1) for any previous year has not expired, on the basis of income or the transactions relating to such income as are recorded on or before the date of the search or requisition in the books of account or other documents maintained in the normal course relating to such previous years;

(v) where an order of settlement has been made, on the basis of such order;

(vi) where undisclosed income has been determined in any earlier block assessment, on the basis of such assessment;

(g) Provisions of sections 68, 69, 69A, 69B and 69C shall, as far as may be, apply in computing the undisclosed income for the block period;

(h) The total income or loss of each previous year shall, for the purpose of aggregation, be taken as the total income or loss without giving effect to set off of brought forward losses under Chapter VI or unabsorbed depreciation under section 32;

(i) In determination of undisclosed income in the case of a firm or its partner, the method of computation of undisclosed income and its allocation to the partners will be the method adopted for determining the assessed income or returned income for each of the previous year falling within the block period;

(j) The onus of proving to the satisfaction of the Assessing Officer that any undisclosed income referred to above has already been disclosed in any return of income filed by the assessee before the date of search will be on the assessee;

(k) Brought forward losses or unabsorbed depreciation will be allowed to be carried forward for set off in regular assessments and will not be set off against the undisclosed income determined in the block assessment;

(l) The Assessing Officer may serve a notice to such person requiring him to furnish within fifteen days, a return in the prescribed form and verified in the same manner as a return under clause (i) of sub-section (1) of section 142, setting forth his total income for the block period. No notice under section 148 is required to be issued for proceedings under this Chapter;

(m) The Assessing Officer shall proceed to determine the undisclosed income of the block period, and the provisions of section 142, sub-sections (2) and (3) of section 143 and section 144 will, so far as may be, apply;

(n) The Assessing Officer, on determination of the undisclosed income of the block period, will issue an order of assessment and determine the tax payable by him on the basis of such assessment;

(o) The assets seized under sub-section (1) of section 132 or requisitioned under section 132A will be retained to the extent necessary and will be dealt with in the manner laid down in section 132B;

(p) Where the Assessing Officer finds that any undisclosed income belongs to any person other than the person in whose case the search was conducted, the Assessing Officer having jurisdiction over such other person will proceed against him in accordance with the provisions of this Chapter;

(q) Except as otherwise provided in this Chapter, all other provisions of the Income-tax Act will apply for assessments made under this Chapter.

3. This new procedure for search or requisition cases is proposed to be made effective in respect of searches initiated or requisition made on or after the 1st July, 1995.

Clause 33 seeks to amend section 194A of the Income-tax Act, relating to deduction of income-tax at source from interest other than interest on securities.

The amendment seeks to provide for deduction of income-tax at source at the rates in force from payments of interest more than ten thousand rupees in a financial year on time deposits made on or after 1st July, 1995 with a banking company or with a co-operative society engaged in carrying on the business of banking. The aforesaid limit of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or the co-operative society, as the case may be. The interest on time deposits made with a primary agricultural credit society or a primary credit society or a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank, will not be subject to the requirement of deduction of income-tax at source.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 34 seeks to amend section 194C of the Income-tax Act, relating to deduction of income-tax at source from payments made to contractors and sub-contractors.

Sub-clause (*i*) seeks to apply the provisions of the said section in case of a firm which will be required to deduct income-tax at source from payments made by it to contractors and sub-contractors.

Sub-clause (*ii*) seeks to insert an *Explanation* below sub-section (*2*) so as to include (*a*) advertising, (*b*) broadcasting and telecasting including production of programmes for such broadcasting or telecasting, (*c*) carriage of goods and passengers by any mode of transport other than by railways, and (*d*) catering, within the expression "work".

Sub-clause (*iii*) seeks to raise the limit of ten thousand rupees to twenty thousand rupees where no deduction of tax at source is to be made if the consideration for the contract or sub-contract does not exceed the said amount.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 35 seeks to amend section 194-I of the Income-tax Act relating to deduction of income-tax at source from income by way of rent.

The proposed amendment seeks to reduce the rate of deduction of tax at source from twenty per cent. to fifteen per cent. in case the payee is an individual or a Hindu undivided family. In other cases, the rate of deduction of tax at source will remain at twenty per cent.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 36 seeks to insert new sections 194J and 194K in the Income-tax Act relating to deduction of income-tax at source.

The new section 194J provides for deduction of income-tax at source at the rate of ten per cent. on payments to a resident of fees for professional services or fees for technical services exceeding twenty thousand rupees, in either case, in a financial year made by any person other than an individual or a Hindu undivided family. No deduction under the provisions of this section will be required to be made in respect of the aforesaid fees paid or credited before 1st July, 1995. Where the Assessing Officer is satisfied that the total income of any person in receipt of the said fees justifies deduction of income-tax at any lower rate or no deduction of income-tax, as the case may be, he shall, on an application made by such person in this behalf, give to him such certificate as may be appropriate. Where any such certificate is given, the person responsible for making the payment of the said fees to that person shall, until such certificate is cancelled, deduct income-tax at the rate specified in the certificate or deduct no tax, as the case may be. The expressions "professional services" and "fees for technical services" are being defined in the *Explanation* to the proposed section.

The new section 194K provides for deduction of income-tax at source at the rate of twenty per cent. in the case of a domestic company and fifteen per cent. in the case of other residents, from payments of income exceeding ten thousand rupees in a financial year in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (*23D*) of section 10 or of the Unit Trust of India. The aforesaid limit of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid in respect of a branch office of the Mutual Fund of the Unit Trust of India, as the case may be. Further, the said limit shall be computed with reference to the income credited or paid to a unit-holder under a particular scheme of the Mutual Fund or of

the Unit Trust of India, as the case may be, under which the units have been issued. No deduction under the provisions of this section will be required to be made in respect of the income,—

(a) credited or paid to a unit-holder before the 1st July, 1995;

(b) from units issued under such scheme already in operation, of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the Central Government may specify having regard to the plan of payment of income thereunder to the unit-holders, and

(c) credited or paid in respect of units issued under any scheme of the Unit Trust of India to any institution or fund where such income is not liable to inclusion in its total income under the provisions of sections 11 and 12 or clause (22) or clause (22A) or clause (23) or clause (23AA) or clause (23C) of section 10.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 37 seeks to substitute a new section for section 196A of the Income-tax Act.

The new section provides for deduction of income-tax at source at the rate of twenty per cent. in the case of a non-resident (not being a company) or a foreign company, from payments of income in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 or of the Unit Trust of India.

It is also proposed to provide that no deduction shall be made from any income payable in respect of units of the Unit Trust of India in the case of a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family where the units have been acquired from the Unit Trust of India out of funds in a Non-resident (External) Account maintained with any bank in India or out of the remittance of funds in foreign currency, in accordance, in either case, with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 and the rules made thereunder.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 38 seeks to amend section 197 of the Income-tax Act, relating to certificate for deduction of income-tax at lower rate or for non-deduction of income-tax in appropriate cases.

It is proposed to insert therein a reference to the new section 194K inserted *vide* clause 36 of the Bill.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 39 seeks to amend section 197A of the Income-tax Act relating to non-deduction of income-tax at source on the basis of a declaration furnished by the payee that the tax on his estimated total income of the relevant previous year will be *nil*.

It is proposed to mention therein a reference of the new section 194K inserted vide clause 36 of the Bill.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 40 seeks to amend sections 198, 199, 200, 202, 203, 203A, 204 and 205 of the Income-tax Act relating to provisions in respect of deduction of income-tax at source. This amendment is consequential to the insertion of new sections 194J and 194K in the Act *vide* clause 36 of the Bill.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 41 seeks to amend sub-section (*1*) of section 230A of the Income-tax Act relating to the issue of a certificate by the Assessing Officer for registration of transfer of any property.

Under the existing provision, such a certificate is required for properties valued at more than rupees two lakhs. The proposed amendment seeks to enhance the aforesaid limit from two lakh rupees to five lakh rupees.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 42 seeks to amend section 234B of the Income-tax Act relating to interest for defaults in payment of advance tax.

The proposed amendment seeks to clarify that the assessee shall be liable to pay interest for defaults in payment of advance tax till the date of determination of total income under section 143(*1*) and where a regular assessment is made, till the date of such assessment.

This amendment, being clarificatory in nature, will take effect retrospectively from 1st April, 1989 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1989-90 and subsequent years.

Clause 43 seeks to amend section 245C of the Income-tax Act relating to application for settlement of cases.

The existing clause (*b*) of the proviso to sub-section (*1*) specifies that no application for settlement of a case can be made unless the additional amount of income-tax payable on the income disclosed in the application exceeds fifty thousand rupees.

The proposed amendment seeks to enhance the additional amount of income-tax payable from fifty thousand rupees to one hundred thousand rupees.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 44 seeks to amend the second proviso to sub-section (*1*) of section 245D of the Income-tax Act relating to the period within which the Commissioner shall furnish the report. The said proviso to sub-section (*1*) stipulates that the Commissioner shall furnish the report within one hundred twenty days of the receipt of communication from the Settlement Commission.

The proposed amendment seeks to reduce the period of furnishing the report by the Commissioner from one hundred twenty days to forty-five days from the date of receipt of communication from the Settlement Commission.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 45 seeks to amend section 253 of the Income-tax Act relating to appeals to the Appellate Tribunal.

It is proposed to provide that an assessee aggrieved by an order passed by the Assessing Officer under clause (c) of section 158BC, proposed to be inserted *vide* clause 32 of the Bill, may appeal within thirty days to the Appellate Tribunal against such order.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 46 seeks to amend section 269UC of the Income-tax Act relating to restrictions on transfer of immovable property.

Sub-clause (*i*) seeks to amend sub-section (*1*) which provides that no transfer of an immovable property of such value exceeding five lakh rupees as may be prescribed can be made except after an agreement for such transfer entered into between the parties. The Board has prescribed under rule 48K of the Income-tax Rules 1962, an apparent consideration of the property exceeding rupees ten lakhs for areas notified for the purposes of aforesaid sub-section. Now, with a view to enable the Board to prescribe different value for different areas, it is proposed to amend the aforesaid sub-section.

Sub-clause (*ii*) proposes to insert a new sub-section (*4*) in the aforesaid section. Under sub-section (*2*), an agreement for transfer is to be reduced to writing in the form of a statement. Further, the provisions of sub-section (*3*) requires that such statement will be in the prescribed form setting forth such particulars as may be prescribed and this statement is to be furnished to the appropriate authority. The new sub-section (*4*) is intended to deal with cases of defective statements which are

furnished to the appropriate authority. In such cases where a statement is found to be defective, the appropriate authority may intimate the defect to the party concerned and give them an opportunity to rectify the defect within fifteen days of such intimation or within such extended period as may be allowed by the appropriate authority. Where the defect is rectified within the period provided in this sub-section, the statement shall be deemed to have been received by the appropriate authority on the day the defect is rectified. Where the defect is not rectified, it will be considered as if the statement was never furnished to the appropriate authority.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

Clause 47 seeks to amend section 269UD of the Income-tax Act relating to order by appropriate authority for purchase by Central Government of immovable property.

Under the second proviso to sub-section (*1*), no order for purchase of property will be made after the expiration of a period of three months from the end of the month in which the statement referred to in section 269UC is received.

As a consequence to the provisions of the proposed new sub-section (*4*) in section 269UC inserted *vide* sub-clause (*ii*) of clause 46 of the Bill, it is proposed to insert after the second proviso to sub-section (*1*), a new proviso so as to provide that the said period of three months shall be reckoned from the date of receipt of the rectified statement by the appropriate authority.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 48 seeks to amend section 271B of the Income-tax Act relating to levy of penalty for failure to get accounts audited.

Under the existing provisions, if any person fails to get his accounts audited in respect of any previous year or obtain a report of such audit as required under section 44AB or fails to furnish the report of such audit along with the return of income filed under sub-section (*1*) of section 139, or along with the return of income filed in response to a notice under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 142, of the Act, the Assessing Officer may impose a penalty equal to one-half per cent. of the total sales, turnover or gross receipts in business or profession, in the relevant year, subject to a maximum of one lakh rupees.

The proposed amendment seeks to provide that failure to furnish the report of any audit as required under section 44AB shall be treated as a default attracting penalty under the provisions of section 271B.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 49 seeks to amend the provisions of section 293A of the Income-tax Act relating to the powers of the Central Government to make, by notification in the Official Gazette, an exemption, reduction in rate or other modification in respect of income-tax or in regard to the income in favour of any class of persons engaged, *inter alia*, in the business of prospectig for or extraction or production of mineral oils.

The proposed amendment seeks to enlarge the scope of section 293A by conferring powers to the Central Government to make a modification in regard to the status in which the aforesaid class of persons or members thereof (if such persons are associations of persons, etc.) are to be assessed on their income from the business of prospecting for or extraction or production of mineral oils. It is also being provided that the notification for modification of the status can have effect from an assessment year beginning on or after 1st April, 1993.

This amendment will take effect retrospectively from 1st April, 1993 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1993-94 and subsequent years.

Customs

Clauses 50 to 52 seek to redesignate the classes of officers of customs.

Clause 53 seeks to omit the provisos and *Explanations* to section 20 of the Customs Act relating to conditions and restrictions on reimportation of goods produced or manufactured in India.

Clause 54 seeks to amend section 27 of the Customs Act to provide for the manner in which an application under that section will be made.

Clause 55 seeks to insert a new section 27A in the Customs Act to provide for payment of interest on delayed payment of refund of customs duty to the assessees at such rate, not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board.

Clause 56 seeks to amend section 28 of the Customs Act relating to notice in any case where duty has not been levied, or has been short-levied or erroneously refunded, for refund of such duty. It is proposed to apply the provisions of this section where interest payable has not been paid, or short-paid or erroneously refunded.

Clause 57 seeks to insert a new section 28AA in the Customs Act to provide for the payment of interest on delayed payment of duties at such rate not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum, as is for the time being fixed by the Board.

Clause 58 seeks to insert new sub-section (3) in section 45 of the Customs Act to provide for recovery of duty, from the persons incharge of imported goods in a customs area, if such goods are pilfered from their custody.

Clause 59 seeks to amend section 47 of the Customs Act to reduce the rate of interest for delayed clearance of goods for home consumption from twenty per cent. per annum to ten per cent. per annum,and also to empower the Central Board of Excise and Customs to waive interest on delayed payment of customs duties in certain cases if it is in public interest.

Clause 60 seeks to substitute sub-section (*3*) of section 74 of the Customs Act so as to empower the Central Government to make rules in certain circumstances for the purposes of grant of drawback.

Clause 61 seeks to amend section 75 of the Customs Act so as to allow drawback not only on goods manufactured in India but also on goods processed or subjected to any operation in India. This clause also proposes to insert new sub-section (*3*) with a view to enabling the grant of drawback with retrospective effect in specified cases.

Clause 62 seeks to insert a new section 75A in the Customs Act to provide for payment of interest on delayed payment of drawback.

Clause 63 seeks to amend section 80 of the Customs Act to provide for the return of detained baggage of a passenger through any other passenger authorised by him or as cargo consigned in his name.

Clause 64 seeks to insert a new section 98A in the Customs Act to empower the Central Government to exempt coastal goods or vessels carrying coastal goods from all or any provisions of the Act.

Clause 65 seeks to amend section 129C of the Customs Act so as to omit sub-section (*3*) relating to special benches of the Customs, Excises and Gold Control Appellate Tribunal.

Clause 66 seeks to amend section 142 of the Customs Act to provide that in addition to the other modes of recovery of dues, the proper officer may on authorisation by a Commissioner of Customs distrain any movable or immovable property until the amount is

paid and also to sell such property for recovery of amount due to Government.

Clause 67 seeks to amend clause (*aa*) of sub-section (*2*) of section 157 of the Customs Act to provide for the manner in which an application for refund is to be made.

Clause 68 seeks to amend section 159 of the Customs Act so as also to provide for laying of certain orders before Parliament.

Clauses 50 to 68 will take effect from the date on which this Bill receives the assent of the President.

Sub-clause (*a*) of clause 69, read with the Second Schedule, seeks to amend the First Schedule to the Customs Act so as to,—

(*a*) reduce the basic customs duty in respect of articles falling under, —

(*i*) Chapters 1,4,8 (except sub-heading Nos.0802.11, 0802.12 and 0806.20), 9 (except heading Nos.09.01 and 09.02), 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 81 (except sub-heading Nos.8104.11, 8104.19 and 8104.20), 82, 83, 84 (except 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99), 85, 86, 87 (except sub-heading No.8710.00), 88, 89 (except sub-heading No.8908.00), 90 (except sub-heading Nos.9018.11, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.11, 9021.19, 9021.21, 9021.29, 9021.30, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.11, 9022.21 and 9023.00), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (except sub-heading Nos.9704.00 and 9705.00) and 98;

(*ii*) sub-heading Nos. 2201.10, 2201.90, 2202.10, 2202.90, 2209.00, 2620.11, 2620.19, 2620.20, 2620.30, 2620.40, 2620.50, 2620.90 and 2621.00;

(*b*) increase the basic customs duty in respect of articles falling under sub-heading Nos. 1107.10, 1107.20, 1108.11, 1108.12, 1108.13, 1108.14, 1108.19 and 1108.20;

(*c*) change the mode of levy of duty in respect of articles falling under sub-heading Nos. 0802.11, 0802.12, 0806.20, 2204.10, 2204.21, 2204.29, 2205.10, 2205.90, 2207.10, 2208.10, 2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50, 2208.90, 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99.

Sub-clause (*b*) of this clause, read with the Third Schedule also seeks to amend the First Schedule to the Customs Act so as to incorporate some amendments approved by the Customs Cooperation Council (World Customs Organisation) in the legal text of the Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System) in order that the First Schedule is in line with the Harmonised System.

Excise

Clauses 70 and 71 of the Central Excises Act seeks to redesignate the categories of officers of Central Excise.

Clause 72 seeks to amend section 11A of the Central Excises Act to provide for the filing of periodical returns instead of monthly returns by assessees.

Clause 73 seeks to insert a new section 11AA in the Central Excises Act to provide for interest on delayed payment of duty.

Clause 74 seeks to amend section 11B of the Central Excises Act to provide for the manner in which the application is to be made under that section.

Clause 75 seeks to insert a new section 11BB in the Central Excises Act to provide for interest on delayed refund of duty.

Clause 76 seeks to insert a new section 14A in the Central Excises Act to provide for special audit in certain cases.

Clause 77 seeks to amend sub-section (2) of section 35D of the Central Excises Act relating to special benches of the Customs, Central Excises and Gold Control Appellate Tribunal.

Clause 78 seeks to amend section 37 of the Central Excises Act so as to empower Central Government to make rules *inter alia* for charging and payment of interest and also to give retrospective effect to the rebate of duties on inputs in certain circumstances.

Clause 79 seeks to amend section 38 of the Central Excises Act to provide for laying of certain orders before Parliament.

Clauses 70 to 79 will take effect from the date on which this Bill receives the assent of the President.

Clause 80 seeks to amend the Schedule to the Central Excise Tariff Act so as to,—

(*a*) reduce the excise duty,—

(*i*) in respect of all goods falling under Chapter 18, 33, (except sub-heading No. 3307.41), 39 and 76;

(*ii*) in respect of articles falling under sub-heading Nos. 0401.13, 0401.14, 0402.10, 0403.10, 1102.00, 1104.00, 1401.00, 1504.00, 1505.00, 1508.90, 1901.19, 1901.90, 2201.11, 2201.12, 2201.19, 2202.11, 2202.12, 2202.13, 2202.14, 2202.19, 2202.90, 2503.00, 3208.10, 3208.20, 3208.30, 3208.90, 3209.10, 3209.20, 3209.90, 3301.00, 3302.10, 3302.90, 3303.00, 3304.00, 3305.10, 3305.90, 3306.00, 3307.10, 3307.30, 3307.49, 3307.90, 4005.00, 4008.11, 4008.19, 4009.92, 4010.10, 4010.90, 4011.80, 4011.91, 4016.11, 4101.00, 4201.10, 4201.90, 4406.10, 4406.20, 4406.30, 4406.90, 4407.10, 4407.90, 4811.30, 4815.00, 4823.90, 6804.10, 6804.20, 6804.30, 6804.90, 6807.00, 6905.00, 6906.10, 6906.90, 6907.00, 6908.10, 6909.10, 6909.20, 6909.30, 6909.90, 6910.00, 6911.00, 7007.90, 8303.00, 8409.00, 8414.10, 8414.91, 8415.00, 8418.00, 8419.00, 8422.10, 8422.90, 8431.00, 8470.00, 8471.00, 8472.00, 8473.00, 8476.11, 8476.19, 8476.91, 8476.99, 8481.10, 8481.91, 8481.99, 8482.00, 8483.00, 8484.00, 8485.10, 8485.90, 8502.00, 8503.00, 8504.00, 8506.00, 8507.00, 8508.00, 8509.00, 8510.00, 8511.00, 8512.00, 8516.00, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.14, 8523.19, 8523.20, 8523.90, 8524.10, 8524.21, 8524.22, 8524.23, 8524.24, 8524.29, 8524.30, 8524.90, 8525.00, 8535.00, 8536.10, 8543.00, 8544.00, 8545.00, 8546.00, 8548.00, 8708.00, 8714.00, 8901.00, 8902.00, 8904.00, 8905.00, 8906.00, 9032.11, 9032.91, 9404.00 and 9605.10;

(*b*) increase the excise duty in respect of articles falling under sub-heading Nos. 1704.10, 2401.00, 2404.41, 2404.49, 2502.30, 2502.50 and 8466.00;

(*c*) change the mode of levy of excise duty from specific or specific cum ad valorem to ad valorem in respect of articles falling under sub-heading Nos. 2105.00, 4006.10 and 4008.21;

(*d*) insert new headings Nos. 21.08, 72.30, 73.27, 74.20, 75.09, 76.17, 78.07, 79.08, 80.08, 81.14 and 89.08;

(*e*) substitute,—

(*i*) Chapters 7, 8, 9, 13, 16 and 20;

(ii) heading Nos. 07.01, 08.01, 09.01, 09.02, 09.03, 11.01, 11.03, 13.01, 15.03, 16.01, 20.01, 21.06, 21.07, 24.02, 25.05, 27.09, 27.10, 37.04, 44.10, 48.02, 48.04, 69.04, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.05, 84.06, 84.10, 84.11, 84.12, 84.13, 84.16, 84.17, 84.20, 84.21, 84.23, 84.24, 84.34, 84.35, 84.38, 84.39, 84.40, 84.41, 84.42, 84.43, 84.48, 84.49, 84.50, 84.51, 84.53, 84.54, 84.55, 84.67, 84.68, 84.74, 84.75, 84.77, 84.78, 84.79 and 84.80;

(f) amend the Section Notes, Chapter Notes and the tariff descriptions in respect of Section XI and Chapters 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 and 63, so as to align these Chapters with the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 up to four digit level and restructure the duty rates in respect of,—

(i) Silk, yarn and fabrics thereof;

(ii) Wool, fine or coarse animal hair, yarn and fabrics thereof;

(iii) Cotton, yarn and fabrics thereof;

(iv) Vegetable textile fibres, paper yarn, fabrics thereof;

(v) Man-made filaments and fabrics thereof;

(vi) Man-made staple fibres, yarn and fabrics thereof;

(vii) Wadding felt, nonwoven, special yarns, twine, cordage, ropes and cables and articles thereof;

(viii) Carpets and other textile floor coverings;

(ix) Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace and embroidery;

(x) Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics;

(xi) Knitted or crocheted fabrics;

(xii) Other made up articles;

(g) amend the Section Notes and Chapter Notes,—

(i) so as to define ship breaking activity as "manufacture" in notes to Section XV;

(ii) in respect of Chapter 21, so as to explain the scope of goods falling under proposed heading No. 21.08;

(iii) so as to define "manufacture" in relation to goods falling under proposed heading Nos. 21.06, 21.07, 21.08, 24.01 and 32.06;

(iv) so as to define "manufacture" in relation to mineral water falling under heading Nos. 22.01 and 22.02;

(v) so as to provide definitions for "pan masala", betel nut powder known as "supari", "preparations for lemonades or other beverages intended for use in the manufacture of aerated water" and "sharbat".

Clause 81 seeks to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957. The proposed amendment seeks to substitute the tariff descriptions with the corresponding proposed descriptions in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 and restructure the duty rates in respect of unmanufactured tobacco, cigars and cheroots, fabrics of silk, wool, cotton and man-made fibres, special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace and embroidery, impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics, knitted or crocheted fabrics.

Miscellaneous

Clauses 82 to 89 and clause 91 provides for amendments of consequential nature due to redesignation of Customs and Central Excise officers.

Clause 90 seeks to amend section 32 of the Unit Trust of India Act, 1963 relating to income-tax and other taxes.

The proposed amendment is consequential to the insertion of a new section 194K and substitution of section 196A in the Income-tax Act *vide* clauses 36 and 37 of the Bill providing, *inter alia*, for deduction of income-tax at source from income in respect of units of the Unit Trust of India.

This amendment will take effect from 1st July, 1995.

Clause 92 seeks to repeal the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974.

The said Act provided for making compulsory deposits in special accounts opened under the Compulsory Deposit Scheme up to the year 1984-85. The deposits were to be refunded in five equal annual instalments, the last of which had become refundable from 1st April, 1991. The repeal of the Act will bring to a close all the accounts from which the amounts have not been withdrawn after 1st April, 1991.

Repeal of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974, will take effect from 1st April, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 55 of the Bill seeks to insert a new section 27A in the Customs Act to provide that where any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 27 is not refunded, then, interest shall be paid on such duty for the delayed refund.

2. Clause 62 of the Bill seeks to insert a new section 75A in the Customs Act to provide that where any drawback payable under section 74 or section 75 is not paid, then, in addition to the drawback, interest at the rate specified under section 27A shall be paid on such drawback for the delayed payment.

3. Clause 75 of the Bill seeks to insert a new section 11BB in the Central Excises Act to provide that where any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 11B is not refunded, then, interest shall be paid on such duty for the delayed refund.

4. The payment of interest with respect to the aforesaid matters will involve expenditure from the Consolidated Fund of India. However, the expenditure to be incurred for such payment will depend upon the number of cases. In view of the above, the exact expenditure to be incurred for such purpose cannot be estimated at this stage.

5. The provisions of the Bill do not involve any other recurring or non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-clause (2) of clause 4 of the Bill seeks to amend clause (14) of section 10 of the Income-tax Act so as to provide that special allowances which are exempted from income-tax are to be prescribed by the Board including the extent to which such allowances may be allowed exemption.

Sub-clause (3) of clause 4 of the Bill seeks to amend clause (15) of section 10 so as to provide that the deposits for the benefit of the victims of Bhopal Gas leak disaster shall be exempt from income-tax, if the same is held in an account with the Reserve Bank of India or with such Public Sector Bank as the Central Government may, by notification, specify. The Central Government is also being empowered to issue such notification, whether prospectively or retrospectively, but not earlier than the 1st April, 1995.

Sub-clause (5) of clause 4 of the Bill seeks to insert a new clause (23AAA) in section 10. Under the new clause, the Board is being empowered to notify in the Official Gazette such funds whose income will be exempted from income-tax. However, such fund is to be constituted for the welfare of the employees or their dependants and the fund is approved by the Commissioner in accordance with the rules made by the Board. It is also being provided that such approval shall have effect for assessment year or years not exceeding three years as may be specified in the approval.

Sub-clause (6) of clause 4 of the Bill seeks to substitute clause (23D) of section 10, which allows exemption from income-tax on income from mutual fund. The income of such mutual fund shall be exempted in case they are registered under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made thereunder. In regard to other mutual funds whose income will be exempt from tax under clause (23D), the Central Government is being empowered to notify such fund in the Official Gazette.

Sub-clause (7) of clause 4 of the Bill seeks to insert a new clause (23F) in section 10. Under the newly inserted clause, the income of venture capital fund or a venture capital company by way of dividends or long term capital gains from investment by way of equity shares in a venture capital undertaking is being granted exemption from income-tax. It is being provided that such venture capital fund or venture capital company is to be approved by an authority which is to be prescribed by the Board and such authority shall act in accordance with the rules made by the Board in cases where the venture capital fund or venture capital company seeking approval specifies those conditions which are prescribed by the Board. It is also being provided that the approval of prescribed authority shall have effect for assessment year or years, but not exceeding three assessment years at any one time. A venture capital company has been defined as a company whose investments in equity shares of venture capital undertaking are in accordance with the guidelines which are prescribed by the Board. Further, a venture capital undertaking is defined to mean an undertaking which is engaged in manufacture or production of such articles or things as the Central Government may notify in the Official Gazette.

Sub-clause (9) of clause (4) of the Bill seeks to insert a new clause (26BB) in section 10. Under the new clause the income of a Corporation established by Central Government or State Government for promoting the interests of a minority community is exempt. The Central Government is being empowered to notify a minority community for the said purpose.

Clause 9 of the Bill seeks to insert a new clause in section 35CCA of the Income-tax Act. Under the newly inserted clause, deduction shall be allowed in respect of donation made to National Urban Development Eradication Fund, which is set up and notified by the Central Government.

Clause 15 of the Bill seeks to insert a new section 80DDA providing for deduction in respect of deposit made for maintenance of handicapped dependant. Such deposit is to be made in any scheme framed by the Life Insurance Corporation of India or by the Unit Trust of India and fulfills certain other conditions which are specified in the newly inserted section.

Clause 19 of the Bill seeks to insert a new sub-clause (ca) in sub-section (12) of section 80IA of the Income-tax Act so as to empower the Board to notify certain infrastructure facilities for the purposes of that section.

Clause 30 of seeks to substitute a new section for section 139A of the Income-tax Act to empower the Assessing Officer to grant permanent account number under the new series. Sub-section (8) of the said section empowers the Board to make rules regarding the form and manner of application and the time within which such application is to be made for allotment of permanent account number. The Board is also empowered to make rules regarding categories of transactions and categories of documents in relation to which permanent account number is to be quoted and the other requirements for the purposes of that section. It is also being empowered to notify in the Official Gazette, the date from which persons already having permanent account number shall make an application for allotment of permanent account number under the new series.

Clause 31 of the Bill seeks to substitute section 145of the Income-tax Act with a new section to provide for the method of accounting to be followed by the assessees having income chargable under the head 'Profits and gains of business or profession or income from other sources'. The proposed section empowers the Central Government to notify accounting standards to be followed by any particular class of assessee or for any particular class of income.

Clause 32 of the Bill seeks to insert, inter alia, a new section 158BC in the Income-tax Act. Clause (a) of that section empowers the Board to prescribe the form for filing return in case of block assessment by the persons covered under the newly inserted Chapter of special procedure for assessment of search cases.

Clause 36 of the Bill seeks to insert sections 194J and 194K in the Income-tax Act. Under the newly inserted section 194K, the Central Government is empowered, by notification in the Official Gazette, to specify scheme of mutual fund or Unit Trust of India which are already in operation for the purposes of that section.

Clause 39 of the Bill seeks to substitute sub-section (1A) of section 197A of the Income-tax Act. The new section empowers the Board to prescribe the form and manner in which a declaration is to be made by a person to the effect that the tax on his estimated total income of the previous year in which such income is to be included in computation ofhis total income will be nil.

Clause 46 of the Bill seeks to amend section 269UCof the Income-tax Act so as to empower the Board to prescribe by rules the value of immovable property for different areas where no transfer of property can take place without complying with the requirements of section 269UC of the Act.

Clause 49 of the Bill seeks to amend section 239A of the Income-tax Act to empower the Board, by notification , to modify the status of person covered under sub-section (2) of section 293A of the Act.

Clause 60 seeks to amend section 74 of the Customs Act to empower the Central Government to make rules to provide for:-

(i) the manner in which the identity of goods imported in different consignments which are ordinarily stored together in bulk, may be established;

(ii) the manner in which a claim for drawback is to be filed,

and also to specify the goods which shall be deemed to be not capable of being easily indentified.

Clause 61 of the Bill seeks to amend section 75 of the Customs Act. The said section empowers the Central Government to make rules for granting drawback on imported materials used in the manufacture of goods which are exported. It is proposed to empower the Central Government to make rules to provide for,-

(i) the procedure for recovery or adjustment of the amount of any interest chargable on drawback;

(ii) the manner and the time within which a claim for payment of drawback may be filed;

(iii) giving drawback with restrospective effect in certain special circumstances.

Clause 64 seeks to insert a new section 98A in the Customs Act. The new section empowers the Central Government by notification in the Official Gazette to exempt coastal goods or vessels carrying coastal goods from the provisions of Chapter XII.

Clause 66 of the Bill seeks to amend section 142 of the Customs Act. The proposed amendment seeks to empower the Central Government to make rules subject to which the proper officer has to exercise the power of distraining any movable or immovable property of any person for the purposes of recovering any amount payable under the Act.

Clause 67 seeks to amend section 157 of the Customs Act so as to empower the Board to specify by regulations the manner in which application for refunds shall be made under section 27.

Clause 78 of the Bill seeks to amend section 37 of the Central Excises Act to empower the Central Government to make rules, *inter alia*,-

(i) to provide for payment of interest on duty paid on inputs used in goods which are exported out of India;

(ii) to insert a new clause to provide for charging and payment of interest on credit of duty paid or deemed to have been paid on the goods used in the manufacture of excisable goods where such credit is varied subsequently;

(iii) to provide for the form and the manner in which an application for refund shall be made under section 11B.

(iv) to grant rebate of duties on inputs used in export of goods with retrospective effect.

The matters in respect of which notifications may be issued or orders or rules or regulations may be made in accordance with the aforesaid provisions are matters of procedure and detail and it is not practicable to provide for them in the Bill itself.

The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

LOK SABHA

A

BILL

to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1995-96.

(Shri Manmohan Singh,
Minister of Finance.)

Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 1995

FINANCE BILL, 1995

PROVISIONS RELATING TO DIRECT TAXES

The provisions in the Finance Bill, 1995, in the sphere of direct taxes relate to the following matters:

(i) Prescribing the rates of income-tax on incomes liable to tax for the assessment year 1995-96; the rates at which tax will be deductible at source during the financial year 1995-96 from interest (including interest on securities), dividends, winnings from lotteries or crossword puzzles, winnings from horse races, and other categories of income liable to deduction of tax at source under the Income-tax Act; rates for computation of "advance tax", deduction of income-tax from "Salaries" and charging of income-tax on current incomes in certain cases for the financial year 1995-96.

(ii) Proposal to continue the levy of surcharge in the case of a domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, at the rate of 15 per cent. of the income-tax.

(iii) Amendment of the Income-tax Act, 1961, with a view to promoting welfare, widening the tax base, providing incentives for industrialisation, rationalisation of certain provisions and on account of certain other matters.

2. Subject to certain exceptions, which have been indicated while dealing with the relevant provisions, the Bill follows the principle that changes in the provisions of the tax laws, should ordinarily be made operative prospectively in relation to current incomes and not in relation to incomes of past years. The new provisions relating to deduction of tax at source have been made applicable with effect from 1st July, 1995. The substance of the main provisions in the Bill relating to direct taxes is explained in the following paragraphs.

INCOME-TAX

I. Rates of income-tax in respect of incomes liable to tax for the assessment year 1995-96

In respect of incomes of all categories of taxpayers (corporate as well as non-corporate) liable to tax for the assessment year 1995-96, the rates of income-tax (including surcharge thereon in the case of domestic companies) have been specified in Part I of the First Schedule to the Bill and are the same as those laid down in Part III of the First Schedule to the Finance Act, 1994, for the purposes of computation of "advance tax", deduction of tax at source from "Salaries" and charging of tax payable in certain cases during the financial year 1994-95.

II. Rates for deduction of income-tax at source during the financial year 1995-96 from income other than "Salaries"

The rates for deduction of income-tax at source during the financial year 1995-96 from incomes other than "Salaries", have been specified in Part II of the First Schedule to the Bill. These rates apply to income by way of interest on securities, interest other than "interest on securities", dividends, insurance commission, winnings from lotteries or crossword puzzles, winnings from horse races and income of non-residents (including non-resident Indians). These rates are the same as those specified in Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1994, for the purposes of deduction of income-tax at source during the financial year 1994-95. Reference to income payable in respect of units of the Unit Trust of India purchased by a non-resident in foreign currency, is proposed to be omitted. This is in consequence of the proposed substitution of section 196A in the Income-tax Act, providing for deduction of income-tax at source in the case of non-residents from income in respect of units of specified Mutual Funds and of Unit Trust of India.

The amount of income-tax so deducted at source shall be increased in the case of a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of 15 per cent. of such income-tax.

III. Rates for deduction of income-tax at source from "Salaries", computation of "advance tax" and charging of income-tax in special cases during the financial year 1995-96

The rates for deduction of income-tax at source from "Salaries" during the financial year 1995-96 and also for computation of "advance tax" payable during that year in the case of all categories of taxpayers, have been specified in Part III of the First Schedule to the Bill. These rates are also applicable for charging income-tax during the financial year 1995-96 on current incomes in cases where accelerated assessments have to be made, e.g., provisional assessment of shipping profits arising in India to non-residents, assessment of persons leaving India for good during that financial year, assessment of persons who are likely to transfer property to avoid tax or where an order has to be passed in case of search and seizure for calculating the amount of tax on the estimated undisclosed income, etc. The salient features of the rates prescribed in the said Part III are indicated in the following paragraphs.

A. Individuals, Hindu undivided families, etc.

Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of the First Schedule specifies the rates of income-tax in the case of individuals, Hindu undivided families (other than those with one or more members having independent total income exceeding the exemption limit), associations of persons, etc.

Raising of exemption limit:- The exemption limit in the case of the aforesaid persons is proposed to be raised from Rs.35,000 to Rs.40,000. The rates of income-tax above the total income of Rs.40,000 will remain the same as these were during the financal year 1994-95. The Table below gives the income slabs and the rates of income-tax (a) as specified in Part I of the First Schedule to the Bill, i.e., the existing slabs and rates; and (b) as specified in Part III of the First Schedule to the Bill, i.e., the proposed slabs and rates.

TABLE

Income slab	Rates specified in Part I of the First Schedule to the Bill	Income slab	Rates specified in Part III of the First Schedule to the Bill
Upto Rs.35,000	Nil	Upto Rs.40,000	Nil
Rs.35,001 - Rs.60,000	20%	Rs.40,001 - Rs.60,000	20%
Rs.60,001 - Rs.1,20,000	30%	Rs.60,001 - Rs.1,20,000	30%
Above Rs.1,20,000	40%	Above Rs.1,20,000	40%

In the case of a Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996 exceeds Rs.40,000, the rates of income-tax have been specified in Sub-Paragraph II of Paragraph A of Part III of the First Schedule to the Bill. These rates are the same as those specified in the corresponding Paragraph of Part I of the First Schedule to the Bill.

B. Co-operative societies

In the case of co-operative societies, the rates of income-tax have been specified in Paragraph B of Part III of the First Schedule to the Bill. These rates are the same as those specified in the corresponding Paragraph of Part I of the First Schedule to the Bill.

C. Firms

In the case of firms, the rate of income-tax has been specified in Paragraph C of Part III of the First Schedule to the Bill. This rate is the same as that specified in the corresponding Paragraph of Part I of the First Schedule to the Bill.

D. Local authorities

In the case of local authorities, the rate of income-tax has been specified in Paragraph D of Part III of the First Schedule to the Bill. This rate is the same as that specified in the corresponding Paragraph of Part I of the First Schedule to the Bill.

E. Companies

In the case of companies, the rates of income-tax have been specified in Paragraph E of Part III of the First Schedule to the Bill. These rates are the same as those specified in the corresponding Paragraph of Part I of the First Schedule to the Bill.

F. Surcharge

In the case of domestic companies, surcharge will continue to be levied at the rate 15 per cent. of the amount of income-tax where the total income exceeds seventy-five thousand rupees.

Effect of changes in the exemption limit

The impact of increase in the exemption limit in the case of individuals, non-specified Hindu undivided families, etc., referred to in Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of the First Schedule to the Bill, at different income levels, is as under:

Total Income (Rs.)	Existing Tax Liability (Rs.)	New Tax Liability (Rs.)	Proposed Relief	
			Amount (Rs.)	Percentage relief
36,000	200	Nil	200	100
37,000	400	Nil	400	100
38,000	600	Nil	600	100
39,000	800	Nil	800	100
40,000	1,000	Nil	1,000	100
50,000	3,000	2,000	1,000	33.3
60,000	5,000	4,000	1,000	20
75,000	9,500	8,500	1,000	10.5
1,00,000	17,000	16,000	1,000	5.9
1,20,000	23,000	22,000	1,000	4.3
1,50,000	35,000	34,000	1,000	2.9
2,00,000	55,000	54,000	1,000	1.8

[Clause 2]

WELFARE MEASURES

Income-tax relief to guardian for providing for maintenance of handicapped persons on the guardian's death

Section 80DD of the Income-tax Act allows deduction of a sum of Rs.15,000 from the income of a taxpayer who incurs any expenditure on medical treatment, nursing, training and rehabilitation of a handicapped dependant. However, this deduction, by its very nature, is available only while the taxpayer is alive.

Many voluntary relief organisations have represented that the parents or guardians of children with disability have to provide for maintenance of the disabled after the death of the primary care-giver, i.e. the parent or the guardian.

It is, accordingly, proposed to insert a new section 80DDA in order to allow a separate deduction, from the gross total income, of an amount not exceeding Rs. 20,000, deposited in a year in any scheme of LIC, UTI, etc. approved by the Board in this behalf and specifically framed for providing recurring or lump sum payment for the maintenance and upkeep of a handicapped dependant after the death of the assessee.

The main features of such a scheme would be that, in the event of the death of the parent or other relative on whom the handicapped person depends, the basic sum assured together with accretions etc. will be utilised to provide for payment of an annuity or lump sum amount for the benefit of the handicapped dependant. For this purpose, the taxpayer would nominate either the handicapped himself or any other person or a trust to receive the payment on his behalf, for the benefit of the handicapped dependant. In case the handicapped dependant predeceases the taxpayer, the amount which would become payable to the taxpayer will be subjected to tax as income of the year in which the amount is received by the taxpayer.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly , apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clauses 4 and 15]*

Relief to handicapped persons suffering from permanent physical disability, blindness or mental retardation

Under the provisions of section 80U of the Income-tax Act, tax relief in the form of deduction of Rs.20,000 is allowed in computing the total income of a resident individual who is suffering from permanent physical disability, blindness or mental retardation. The nature of permanent physical disability or mental retardation is specified in the Income-tax Rules.

The cost of living aids for handicapped persons and of normal medical care has gone up substantially. It is, therefore, proposed to raise the level of deduction allowed under section 80U from Rs.20,000 at present to Rs.40,000.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 21]*

Incentive for savings

Under section 80L of the Income-tax Act, a deduction of upto Rs. 10,000 from total income is allowed in respect of income from dividend and interest from certain specified savings instruments.

With a view to giving a fillip to savings, it is proposed to amend section 80L in order to raise the deduction allowed to individuals and HUFs from the present Rs.10,000 to Rs.13,000.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 20]*

Deduction for payments to National Urban Poverty Eradication Fund

The Government is setting up a fund called the "National Urban Poverty Eradication Fund" (NUPEF), on the lines similar to those on which the National Fund for Rural Development (NFRD) has been set up.

Under the existing provisions of section 35CCA of the Income-tax Act, sums paid by an assessee to any association or institution for carrying out rural development programmes or to a rural development fund set up and notified by the Central Government are allowed as a deduction in computing profits and gains of business or profession. The Bill proposes to amend section 35CCA to allow the benefit of deduction under this section in respect of payments made to NUPEF also.

Similarly, section 80GGA provides, *inter alia*, for 100% deduction in respect of donations made to an approved association or institution for carrying out the programmes approved under section 35CCA and is available to all taxpayers other than those deriving income from business or profession. The Bill proposes to amend section 80GGA to provide that donations made to NUPEF will also be allowed as a deduction in the hands of such taxpayers.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clauses 9 & 17]*

Tax relief for National Minorities Development and Finance Corporation and such other State level corporations

The National Minorities Development and Finance Corporation has been set up in pursuance of the announcement made by the Prime Minister in his Independence day speech on 15th August, 1993. The main object of this corporation is to promote economic and developmental activities for the benefit of minority communities. Corporations, at the State level, for the development of minority communities already exist in some States. There is a need to provide income-tax exemption on the income of these corporations and also tax relief on the donations made to them.

The Bill, therefore, seeks to insert a new clause (26BB) in section 10 of the Income-tax Act. This clause provides that any income of a corporation established by the Central Government or any State Government for promoting the interests of the members of a minority community, will be exempt from income-tax. The expression 'minority community' is being defined to mean a community notified as such by the Central Government in the Official Gazette in this behalf.

The Bill also seeks to amend section 80G of the Income-tax Act to allow deduction, at the rate of fifty per cent., in respect of donations to the corporations referred to in clause (26BB) of section 10 of the Income-tax Act. The deduction in respect of donations to the aforesaid corporations will be subject to the overall limit of ten per cent. of the gross total income of the assessee, as provided in sub-section (4) of section 80G in respect of donations to certain funds, institutions, etc.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1995 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1995-96 and subsequent years. *[Clauses 4 &16]*

Hundred per cent. deduction for donations to Zila Saksharta Samitis for primary and adult education

Under section 80G of the Income-tax Act, a deduction from total income is allowed in respect of donations made by an assessee. In most cases, the deduction is 50% of the donations. However, in respect of donations to certain funds and for universities, 100% deduction is allowed.

There is urgent need for mobilisation of additional resources for elementary and adult education, especially in rural and semi-urban areas where facilities for such education are deficient.

In view of this, it is proposed to amend section 80G in order to provide for 100% deduction for donations to Zila Saksharta Samitis constituted in the districts under the chairmanship of the district collectors for the purpose of improvement of primary education in rural or semi-urban areas (towns with population not exceeding one lakh according to the latest census) and for literacy and post-literacy efforts.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly , apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 16]*

Income-tax exemption to funds established for welfare of employees of which such employees are members

A number of funds have been established for the welfare of employees or their dependants in which such employees themselves are members. These funds are expended to provide cash benefits to a member on his superannuation or in the event of his illness or illness of any member of his family, etc., or to the dependants of a member on his death. As these funds are in the nature of mutual benefit funds, their income does not qualify for exemption under section 10(23C)(iv) or section 11. Representations have been received to the effect that income-tax exemption should be provided to these funds as the liability to pay income-tax reduces the availability of funds with them for utilisation towards their objects. There is merit in these representations .

The Bill, therefore, seeks to insert a new clause (23AAA) in section 10 so as to provide for exemption from income-tax on any income received by any person on behalf of a fund established, for such purposes as may be notified by the Board, for the welfare of employees or their dependants, and of which fund such employees are members. The proposed exemption will be available only if the fund applies its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established. It is further proposed that the aforesaid fund shall invest its funds and contributions made by the employees and other sums received by it in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11. It is also proposed to provide that the said fund is to be approved by the Commissioner in accordance with the rules made in this behalf and such approval shall have effect for such assessment year or years not exceeding three assessment years as may be specified in the order of approval.

The proposed amendment will take effect from Ist April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

[Clause 4]

Income-tax exemption to Employees' State Insurance Fund

The contributions paid under the Employees' State Insurance Act, 1948 and all other moneys received on behalf of the Employees' State Insurance Corporation are paid into a Fund called the Employees' State Insurance Fund. This Fund is held and administered by the Employees' State Insurance Corporation. The amounts lying in the Fund are to be expended for payment of cash benefits and provision of medical treatment and attendance to insured persons and their families, establishment and maintenance of hospitals and dispensaries, etc. There is a need to provide income-tax exemption on the income of Employees' State Insurance Fund.

The Bill, therefore, seeks to insert a new clause (25A) in section 10 of the Income-tax Act. This clause provides that any income of the Employees' State Insurance Fund, set up under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948, will be exempt from income-tax.

The proposed amendment will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1962-63 and subsequent years.

[Clause 4]

Enlarging scope of income-tax exemption on interest on deposits for benefit of victims of the Bhopal gas leak disaster

Sub-clause (v) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act provides income-tax exemption in respect of interest on securities held by the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal in Reserve Bank's SGL Account No. SL/DH 048. Recently, in terms of an order of the Supreme Court to finance the construction of a hospital at Bhopal to serve the victims of the gas leak, the shares of the Union Carbide India Limited have been sold. The sale consideration reserved for construction, has been deposited with State Bank of India, Main Branch, Parliament Street, New Delhi in account number 807/787. The interest on the aforesaid deposit and similar deposits which may be made in future, needs to be provided income-tax exemption.

The Bill, therefore, seeks to substitute sub-clause (v) of clause (15) of section 10, in order to enlarge the scope of the income-tax exemption by providing such exemption also on interest on deposits for the benefit of the victims of the Bhopal gas leak disaster held in such account, with the Reserve Bank of India or with a public sector bank, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. It is also being provided that such notification may be made either prospectively or retrospectively but no retrospective effect may be given from a date earlier than 1st April,1994. The expression "public sector bank" is proposed to be given the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (23D) of section 10.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1995 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1995-96 and subsequent years.

[Clause 4]

INCENTIVES FOR INFRASTRUCTURE BUILDING, INDUSTRIALISATION AND EXPORT

Five year tax holiday for infrastructure development.

Under the provisions of section 80-IA, new industrial undertakings are allowed a deduction of 25% (30% for companies) for the first ten years (twelve years for the co-operative sector) of production. However, to an industrial undertaking engaged in the generation or generation and distribution of power or to an industrial undertaking set up in specified backward States/districts, a five-year full tax holiday is allowed. For undertakings entitled to the five-year full tax holiday, normal deduction of 25% (30% for companies) is allowed for the balance period after the five year holiday.

Industrial modernisation requires a massive expansion of, and qualitative improvement in, infrastructure. Our country is very deficient in infrastructure such as expressways, highways, airports, ports and rapid urban rail transport systems. Additional resources are needed to fulfill the requirements of the country within a reasonable time frame. In many countries the BOT (build-operate-transfer) or the BOOT (build-own-operate-transfer) concepts have been utilised for developing new infrastructure.

Applying commercial principles in the operation of infrastructure facilities can provide both managerial and financial efficiency. In view of this, it is proposed to allow a five-year tax holiday for any enterprise which builds, maintains and operates any infrastructure facility such as roads, highways or expressways or new bridges, airports, ports and rapid rail transport systems on BOT or BOOT or similar other basis (where there is an ultimate transfer of the facility to a Government or public authority). The enterprise must have entered into an agreement with the Central or State Government or a local authority or any other statutory authority for this purpose. The period within which the infrastructure facility has to be transferred needs to be stipulated in the agreement between the undertaking and the Government concerned. The tax holiday will be in respect of income derived from the use of the infrastructure facilities developed by them.

The five-year period will be counted from the year in which the infrastructure facility becomes operational. It will apply in respect of infrastructure facilities becoming operational on or after 1.4.1995.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.
[Clause 19]

Deduction in respect of income from long-term finance for development of infrastructure facilities

Under clause (viii) of sub-section (1) of section 36 of the Income-tax Act, 1961, an approved financial corporation engaged in providing long-term finance for industrial or agricultural development in India, or an approved public company formed and registered in India with the main object of carrying on business of providing long term finance for construction or purchase of residential houses, is entitled for a deduction of an amount not exceeding 40 per cent. of its total income carried to a special reserve. The deduction is allowed on the "total income" and not with reference to the income from the activities specified in section 36(1) (viii).

These organisations have diversified their activities and are claiming deduction under this section even in respect of their income from activities other than those specified in this section. There is no justification for allowing the deduction with reference to income from other activities or from sources other than business. It is, therefore, proposed to limit the deduction of 40% only to the income derived from providing long-term finance for the activities specified in section 36(1)(viii). It will thus take outside the purview of deduction, income arising from other business activities or from sources other than business.

Development of infrastructure is an important area requiring fiscal support for encouraging private sector participation. The Bill proposes to amend section 36(1)(viii) of the Income-tax Act to extend the benefit of deduction upto 40% of the income credited to a special reserve account to approved financial corporations providing long-term finance for development of infrastructure facilities in India .

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.
[Clause 10]

Income-tax exemption on income by way of dividends and long-term capital gains of venture capital funds and venture capital companies

Venture capital financing is an important source of finance in many countries, enabling pooled investment by investors in the equity of unlisted companies. Venture capital funds and venture capital companies can play a useful role by filling in the financial gap at the stage when a manufacturing company is expanding but is not ready to go to the public.

In order to encourage venture capital financing, the Bill seeks to insert a new clause (23F) in section 10 of the Income-tax Act so as to provide income-tax exemption on any income by way of dividends or long-term capital gains of a venture capital fund or a venture capital company from investments made by way of equity shares in a venture capital undertaking. In order to obtain the income-tax exemption, the venture capital fund or the venture capital company will require approval by the prescribed authority in accordance with the rules made in this behalf and will also have to satisfy the prescribed conditions. The approval by the prescribed authority wil', at any one time, have effect for such assessment year or years, not exceeding three assessment years, as may be specified in the order of approval. If the aforesaid equity shares are transferred (other than in the event of listing of the shares in a recognised stock exchange in India) by a venture capital fund or a venture capital company at any time within a period of three years from the date of their acquisition, the aggregate amount of the income by way of dividends on such equity shares which has not been included in the total income of the previous year or years preceding the previous year in which such transfer has taken place shall be deemed to be the income of the venture capital fund or of the venture capital company of the previous year in which such transfer has taken place. The exemption will also not be allowed in respect of the long-term capital gains, if any, arising on the aforesaid transfer of equity shares.

The expression 'venture capital fund' is being defined to mean a fund, operating under a trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908, established to raise monies by the trustees for investments mainly by way of acquiring equity shares of a venture capital undertaking in accordance with the prescribed guidelines. The expression 'venture capital company' is being defined to mean a company which has made investments by way of acquiring equity shares of venture capital undertakings in accordance with the prescribed guidelines. The expression 'venture capital undertaking' is being defined to mean a domestic company whose shares are not listed in a recognised stock exchange in India and which is engaged in the manufacture or production of such articles or things (including computer software) as may be notified by the Central Government in this behalf.

The Bill also seeks to amend section 112 of the Income-tax Act relating to tax on long-term capital gains, in order to omit the provision regarding the concessional rate of tax on long-term capital gains arising to a venture capital company from the transfer of equity shares of venture capital undertakings.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.
[Clauses 4 & 23]

Provision for modification of the status of persons engaged in business of prospecting, etc., of mineral oils

Section 42 of the Income-tax Act provides a machinery for securing flexible deductions in respect of expenses and allowances, etc., admissible in determining the profits and gains of any business consisting of the prospecting for, or extraction or production of, mineral oils. The provisions of this section can be invoked only where the Central Government has entered into an agreement with any person for prospecting for or extraction or production of mineral oils and the Central Government or its nominee is a participant in such business. This is done by means of production-sharing contracts. Besides the Government and its nominee, a consortium of companies is usually engaged in this business. As a result, the assessment of these persons (except the Government which is not liable to income-tax) is to be made in the status of Association of Persons (A.O.P). It has been represented that persons engaged in the business of prospecting, etc., for mineral oil should be assessed in their several capacities on their income from such business and not in the status of A.O.P. Assessment in the latter status tends to create difficulties in availing of the facility of the 'carry forward' of losses if the constitution of the A.O.P. were to change later on. Further, the non-resident persons who are members of A.O.P. would find it difficult to get credit in their own country for the tax paid in India, as the tax has been paid by the A.O.P. and not by the non-residents as such. There is merit in the representation made.

Under the existing provisions of section 293A of the Income-tax Act, the Central Government is empowered to make, by notification in the Official Gazette, an exemption, reduction in rate or other modification in respect of income-tax or in regard to the income in favour of any class of persons engaged in the business of prospecting for or extraction or production of mineral oils. The Bill seeks to amend section 293A, to provide enabling powers to the Central Government to make a modification in regard to the status in which the aforesaid class of persons or members thereof (if such persons are A.O.Ps themselves) are to be assessed on their income from the said business. The term

'status' is being explained to mean the category under which the assessee is assessed as "individual", "Hindu undivided family" and so on. It is also being provided that the notification for modification of the status may be given effect from an assessment year beginning on or after 1st April, 1993.

The proposed amendment will take effect retrospectively from 1st April, 1993 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1993-94 and subsequent years. *[Clause 49]*

Continuance of fiscal incentive under section 80-IA for small-scale industrial units commencing production after 1.4.1995

Under the provisions of section 80-IA, new industrial undertakings, hotels and ships are allowed a deduction of 25% of the profits (30% for companies) for the first ten years (twelve years for the co-operative sector) of production. However, for an industrial undertaking engaged in the generation or generation and distribution of power or to an industrial undertaking set up in specified backward areas, full tax holiday is allowed for the first five years and deduction of 25% (30% for companies) is allowed, thereafter, for a further period of five years (seven years for co-operatives).

For industrial units, other than those in backward areas or in the power sector, and for hotels and ships, the tax incentive is available to units commencing production between 1.4.1991 and 31.3.1995. Thereafter, the units which commence production by 31.3.1995 will continue to avail of the incentive for 10 or, as the case may be, 12 years. The incentive will, however, not be available to new units commencing production after 31.3.1995.

Indian industry and the service sector have come of age. In this liberalised atmosphere, there is little justification for continuing the across-the-board incentive to large-scale industrial units in areas which are not backward. However, the small-scale sector still needs fiscal support. In view of this, it is proposed to amend section 80-IA in order to provide continuance of the existing concession to the small scale units commencing production between 1.4.1995 and 31.3.2000. These units will be allowed a deduction of 25% of the profits (30% for companies) for a period of 10 years (12 years for the co-operatives) as at present.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 19]*

Making the deduction in respect of profits from export of computer software under section 80HHE open-ended

Under the provisions of section 80HHE, 100% deduction is allowed on profits derived from export of computer software provided the sale consideration is received in or brought into India in convertible foreign exchange.

The provisions of section 80HHE were introduced by Finance (No.2) Act, 1991 for assessment years 1991-92 to 1993-94. Finance Act, 1993 extended the deduction for the assessment year 1994-95. The Finance Act, 1994 further extended this for the assessment year 1995-96.

Software export has considerably increased in the last five years and is today a major foreign exchange earner. The sector deserves fiscal incentives to maintain the momentum gained. It is, therefore, proposed to extend the deduction under section 80HHE beyond assessment year 1995-96 and to make it open-ended in line with deduction under section 80HHC.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 18]*

ENLARGING SCOPE OF DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

An effective method of widening the tax base is to enlarge the scope of deduction of income-tax at source. Apart from bringing in more persons in the tax net, it also improves correct reporting of incomes. The Bill, therefore, seeks to subject,-

(a) interest on time deposits with banks,

(b) payments by way of fees for professional services or fees for technical services, and

(c) income in respect of units of the Mutual Funds specified under clause (23D) of section 10 or of the Unit Trust of India,

to the requirement of deduction of tax at source. It also seeks to enlarge the scope of deduction of tax at source under section 194C relating to payments made to contractors and sub-contractors. The details of the proposed provisions are as under.

Deduction of tax at source from interest on time deposits with banks

On account of the provisions contained in clause (vii) of sub-section (3) of section 194A, income credited or paid in respect of deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 applies or with a co-operative society engaged in carrying on the business of banking is exempt from the requirement of deduction of income-tax at source.

The Bill seeks to amend section 194A of the Income-tax Act relating to deduction of income-tax at source from interest other than interest on securities in the case of residents. The amendment seeks to provide for deduction of income-tax at source at the rates in force (at present, 10 per cent. in the case of resident non-corporate persons and 20 per cent. plus surcharge thereon in the case of domestic companies) from payments of interest exceeding ten thousand rupees in a financial year on time deposits made on or after 1st July, 1995 with a banking company or with a co-operative society engaged in carrying on the business of banking. The aforesaid limit of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or the co-operative society, as the case may be. The interest on time deposits made with a primary agricultural credit society or a primary credit society or a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank, will not be subject to the requirement of deduction of income-tax at source. The expression "time deposits" is being defined to mean deposits, excluding recurring deposits, repayable on the expiry of fixed period.

The aforesaid amendment will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 33]

Deduction of tax at source from payments by way of fees for professional services or fees for technical services

The Bill seeks to insert a new section 194J in the Income-tax Act providing for deduction of income-tax at source, at the rate of ten per cent., on payments to a resident of fees for professional services or fees for technical services exceeding twenty thousand rupees, in either case, in a financial year made by any person other than an individual or a Hindu undivided family. No deduction under the provisions of this

section will be required to be made in respect of the aforesaid fees paid or credited before the 1st day of July, 1995. Where the Assessing Officer is satisfied that the total income of any person in receipt of the said fees justifies deduction of income-tax at any lower rate or no deduction of income-tax, as the case may be, he shall, on an application made by such person in this behalf, give to him such certificate as may be appropriate. Where any such certificate is given, the person responsible for making the payment of the said fees to that person shall, until such certificate is cancelled, deduct income-tax at the rate specified in the certificate or deduct no tax at source, as the case may be. The expression "professional services" is being defined to mean services rendered by a person in the course of carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or advertising or such other profession as is notified by the Board for the purposes of section 44AA or of this section. The expression "fees for technical services" is proposed to be given the same meaning as in *Explanation* 2 below clause (vii) of sub-section (1) of section 9.

The Bill also seeks to amend sections 198 to 200 and 202 to 205 of the Income-tax Act, relating to provisions in respect of deduction of income-tax at source. This amendment is consequential to the insertion of new section 194J in the Act.

The proposed amendments will take effect from 1st July, 1995.

[Clauses 36 & 40]

Deduction of tax at source from income in respect of units of specified Mutual Funds or of the Unit Trust of India

On account of the existing provisions of sections 196A of the Income-tax Act, the income in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 is not liable to deduction of income-tax at source except in the case of foreign companies. On account of the existing provisions of section 32 of the Unit Trust of India Act, 1963, the income in respect of units payable to the unit-holders, who are individuals, is not liable to deduction of income-tax at source. In the case of other unit-holders of the Unit Trust of India, such income is liable to deduction of income-tax at source. Further, section 32 of the Unit Trust of India Act provides income-tax exemption on the income in respect of units of a unit-holder, being a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family, where the units have been acquired from the Unit Trust of India out of funds in a Non-resident (External) Account or out of the remittance of funds in foreign exchange.

The Bill seeks to insert a new section 194K in the Income-tax Act relating to deduction of income-tax at source. The new section provides for deduction of income-tax at source at the rate of twenty per cent. in the case of a domestic company and fifteen per cent. in cases of other residents, from payments of income exceeding ten thousand rupees in a financial year in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 or of the Unit Trust of India. The aforesaid limit of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid in respect of a branch office of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the case may be. Further, the said limit shall be computed with reference to the income credited or paid to a unit-holder under a particular scheme of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the case may be, under which the units have been issued. No deduction under the provisions of this section will be required to be made in respect of the income, -

(a) credited or paid to a unit-holder before the 1st day of July, 1995;

(b) from units issued under such scheme already in operation, of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the Central Government may specify having regard to the plan of payment of income thereunder to the unit-holders; and

(c) credited or paid in respect of units issued under any scheme of the Unit Trust of India to any institution or fund where such income is not liable to inclusion in its total income under the provisions of sections 11 and 12 or clause (22) or clause (22A) or clause (23) or clause (23AA) or clause (23C) of section 10.

The Bill also seeks to substitute a new section for section 196A of the Income-tax Act so as to provide for deduction of income-tax at source from income in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 or of the Unit Trust of India payable to a non-resident (not being a company) or to a foreign company at the rate of twenty per cent. It is also being provided that no deduction of income-tax at source will be made from any income credited or paid to a unit-holder, being a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family, in respect of units of the Unit Trust of India acquired from the Unit Trust of India out of funds in a Non-resident (External) Account maintained with any bank in India or out of remittance of funds in foreign currency, in accordance, in either case, with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, and the rules made thereunder.

The Bill also seeks to amend section 197 of the Income-tax Act, relating to certificate for deduction of income-tax at lower rate or for non-deduction of income-tax in appropriate cases, to insert reference to the proposed new section 194K therein.

The Bill also seeks to amend section 197A of the Income-tax Act which provides for non-deduction of income-tax at source on the basis of a declaration furnished by the payee that the tax on his estimated total income of the relevant previous year will be nil. The proposed amendment is for inserting reference to the new section 194K therein.

The Bill also seeks to amend sections 198 to 200 and 202 to 205 of the Income-tax Act, relating to provisions in respect of deduction of income-tax at source. This amendment is consequential to the insertion of new section 194K in the Act.

The Bill also seeks to amend section 32 of the Unit Trust of India Act, 1963 relating to income-tax and other taxes. The proposed amendment is consequential to insertion of new section 194K in the Act and the proposed substitution of section 196A.

The proposed amendments will take effect from 1st July, 1995.

[Clauses 36, 37, 38, 39, 40 & 90)

Enlarging scope of provision regarding deduction of tax at source from payments to contractors and sub-contractors

Sub-section (1) of section 194C provides for deduction of income-tax at source from any sum payable for carrying out any work in pursuance of a contract between the contractor and the Government, local authorities, statutory corporations, companies, co-operative societies, statutory authorities engaged in provision of housing accommodation, etc., registered societies, trusts and universities. There is no requirement for deduction of income-tax at source where the contract is between the contractor and a firm. The payments under such contracts also need to be subjected to the requirement of deduction of income-tax at source. The Bill, therefore, seeks to amend section 194C, in order to apply its provisions to the payments made in pursuance of a contract between the contractor and any firm.

In order to subject payments in respect of advertising contracts, broadcasting contracts, telecasting contracts, transport contracts and catering contracts to the requirement of deduction of income-tax at source, the Bill seeks to amend section 194C by providing that the expression "work", used therein, shall also include (a) advertising, (b) broadcasting and telecasting including production of programmes for such broadcasting or telecasting, (c) carriage of goods and passengers by any mode of transport other than by railways, and (d) catering.

Under the existing provisions of section 194C, no deduction of income-tax at source is required to be made if the consideration for the contract or the sub-contract does not exceed ten thousand rupees. As a measure of rationalisation, the Bill seeks to raise the aforesaid limit to twenty thousand rupees.

The aforesaid amendments will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 34]

SPECIAL PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF SEARCH CASES

Searches conducted by the Income-tax Department are important means of unearthing black money. However, under the present scheme, valuable time is lost in trying to relate the undisclosed incomes to the different years. Tax evaders generally manage to divert the focus to procedural and legal issues and often invent new evidence to explain undisclosed income. By the time search-related assessments are completed, the effect of the search is considerably diluted. Legal battles continue for many years to decide which income is assessable in which assessment year. No finality is reached and the seized assets remain with the Department for a long time.

In order to make the procedure of assessment of search cases cost-effective, efficient and meaningful, it is proposed to introduce a new scheme of assessment of undisclosed income determined as a result of search u/s 132 or requisition u/s 132A. Under this scheme, the undisclosed income detected as a result of any search initiated, or requisition made, after 30.6.1995 shall be assessed separately as income of a block of years. Where the previous year has not ended or the due date for filing a return of income for any previous year has not expired, the income recorded on or before the date of the search or requisition in the books of accounts or other documents, maintained in the normal course, relating to such previous years shall not be included in the block.

The salient features of this scheme are as under:-

(a) The total undisclosed income of a person shall be assessed as the income of the block period consisting of ten previous years prior to the previous year in which the search was conducted and also the period of the current previous year upto the date of search.

(b) The undisclosed income of the block period shall be taxed at a flat rate of 60 per cent. No penalty under sections 271(1)(c), 271A or 271B or interest under sections 234A, 234B or 234C shall be leviable. Interest on delayed payments under section 220 shall, however, be leviable; so will other penalties under the Income-tax Act.

(c) The order of assessment for the block period shall be passed within one year from the end of the month in which the last of the search warrants is executed. Thus, where consequential searches or requisitions have been made, the period of limitation will start from the end of the month in which the last of such consequential operations were concluded.

(d) The order of assessment shall be passed by an Assessing Officer not below the rank of Assistant Commissioner of income-tax, with the prior approval of Commissioner of income-tax.

(e) Proceedings under section 132(5) or 132(7) will no longer be necessary for searches initiated on or after 1.7.1995. Proceedings under section 132(5) or 132(7) will, however, be required where the initial search was conducted prior to 1.7.1995 and only the consequential searches were continued on or after that date.

(f) The undisclosed income of the block period shall be the aggregate of the total income of the previous years falling within the block period computed, in accordance with Chapter IV, on the basis of evidence found as a result of search and such other inquiries as the Assessing Officer may make and such other materials or information as are available with him, as reduced by the aggregate of the total income, or as increased by the losses, of such previous years, determined, -

  (i) where assessments under sections 143, 144 or 147 have been concluded or determination of income has been made under 143(1)(a) or 143(1B), on the basis of such assessments or determination;

  (ii) where returns of income have been filed under section 139 or section 147 but assessments have not been made till the date of search, on the basis of the incomes disclosed in such returns of income;

  (iii) where due date for filing a return of income has expired but no return of income has been filed, as nil;

  (iv) where the previous year has not ended or the date of filing the return of income under section 139(1) for any previous year has not expired, on the basis of income or the transactions relating to such income as are recorded on or before the date of the search in the books of account or other documents, maintained in the normal course, relating to such previous years.

  (v) where undisclosed income has been determined in any earlier block assessment, on the basis of such assessment;

  (vi) where any order of settlement under section 245D has been passed, on the basis of such order.

The total income or loss of each previous year shall, for the purpose of aggregation, be taken as the total income or loss without giving effect to set off of brought forward losses under Chapter VI or unabsorbed depreciation u/s 32 .

(g) Where the assessee offers no explanation about the nature and source of acquisition of certain assets, or the explanation offered by him is not, in the opinion of the Assessing Officer, satisfactory, the value of such assets may be deemed to be the income of the previous year in which the search took place.

(h) The onus of proving to the satisfaction of the Assessing Officer that any undisclosed assets including the income from undisclosed property referred to above has already been disclosed in any return of income filed by the assessee before the date of execution of the first warrant of search shall be on the assessee.

(i) Brought forward losses or unabsorbed depreciation will be allowed to be carried forward and set off in subsequent regular assessments and shall not be set off against the undisclosed income determined in the block assessment.

(j) In computing the undisclosed income for the block period, the provisions of sections 68, 69, 69A, 69B and 69C of this Act shall, *mutatis mutandis*, apply and the term "financial year" mentioned in these sections shall be taken to mean the relevant previous year falling in the block period, including the previous year ending with the date of search.

(k) The Assessing Officer may serve a notice on the searched person requiring him to furnish within fifteen days, a return in the prescribed form and verified in the same manner as a return under clause (i) of sub-section (1) of section 142, setting forth his total income, including undisclosed income for the block period.

(l) The Assessing Officer shall proceed to determine the undisclosed income of the block period, and the provisions of sections 142, sub-sections (2) and (3) of section 143 and section 144 shall apply accordingly;

(m) The Assessing Officer shall not be required to issue any notice under section 148 for the purpose of proceedings under this Chapter.

(n) The Assessing Officer, on determination of the undisclosed income of the block period, shall issue an order of assessment and determine the sum payable by him on the basis of such assessment.

(o) The assets seized under sub-section (1) of section 132 or requisitioned under section 132A shall be retained to the extent necessary and shall be dealt with in the manner laid down under section 132B.

(p) Where the Assessing Officer finds that any undisclosed income belongs to any person other than the person in whose case the search was conducted, the Assessing Officer having jurisdiction over such other person shall proceed against him. In this case, the limitation for completion of assessment shall start from the date of service of notice on him.

(q) Appeal against the order may be filed before the Income Tax Appellate Tribunal.

(r) All proceedings under the Income-tax Act other than those for determining the undisclosed income of the block period shall continue to have effect in respect of the assessee.

It is also proposed to make consequential amendments in other relevant sections, wherever necessary.

This new procedure for search cases is proposed to be made effective in respect of searches initiated on or after the 1st day of July, 1995. This means that the block assessment procedure will apply to cases where the initial search was conducted on or after 1.7.1995. Where the initial search was conducted prior to this date and only the consequential searches continue beyond 30.6.1995, such cases will be taken up according to the old procedure.

[Clauses 24, 26, 32 & 45]

MEASURES TO CHECK TAX EVASION AND AVOIDANCE

Permanent account numbers

Under the existing provisions of section 139A, every income-tax assessee, every person carrying on business with turnover exceeding Rs. 50,000, and every person required to furnish return of the income under section 139(4A) has to apply for allotment of a permanent account number, if not already allotted. Such allottee of permanent account number is required to quote that number in the prescribed documents and in the documents relating to the prescribed transactions. The Board is empowered to make rules relating to the procedure for applying for the number and categories of transactions and documents in relation to which the number is required to be quoted. "Permanent account number" has been defined to mean a number allotted to any person for the purpose of identification.

The Bill proposes to extend the requirement of applying for permanent account number to professionals whose gross receipts are, or are likely to exceed, fifty thousand rupees in any previous year. Any person who is not specifically required to apply, may also apply for a permanent account number and the Assessing Officer will allot the same to him. Persons who have already been allotted permanent account numbers under the new series will not apply for such numbers again. After allotment under the new series, any permanent account number allotted earlier shall cease to have effect.

The Bill also seeks to provide enabling powers to the Board for switching over to the new series of permanent account numbers. The Board will have powers to notify the places to be covered from time to time, the classes of persons and the period within which the application for allotment of a permanent account number under the new series has to be made.

The Bill further seeks to provide that every person will have to quote the permanent account number, in his returns or correspondence with income-tax authorities, in challans for payment of any sum and in the documents pertaining to prescribed transactions. The Board may prescribe dates from which different class of persons will have to quote the permanent account numbers or the transactions for which such numbers will have to be quoted. Every person receiving any document pertaining to the prescribed transactions will have to ensure that the permanent account number has been quoted in the document. The Board will make rules to provide the time within which the application for the allotment of a permanent account number is to be made and to specify the categories of transactions and documents in relation to which the permanent account number will have to be quoted.

The Bill also seeks to include within the meaning of "permanent account number", a number allotted under the new series having ten alphanumeric characters and issued on a laminated card. The expression "Assessing Officer" includes an income-tax authority who has been assigned the job of allotting permanent account numbers.

This amendment will come into effect from 1st July, 1995.

[Clause 30]

Power to call for information

At present, the provisions of sub-section (6) of section 133 empower income-tax authorities to call for information which will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act. In other words, the power under section 133(6) can be invoked only in the cases where proceedings are pending and not in other cases.

The existing provisions are being amended to enable certain income-tax authorities to call for information from any person which will be useful for or relevant to any inquiry or proceedings under the Income-tax Act. An income-tax authority below the rank of Director or Commissioner will be able to exercise the power in respect of an inquiry, in a case where no proceeding is pending, only with the prior approval of the Director or, as the case may be, the Commissioner. This would not, however, debar an Assessing Officer to call for information in specific cases in respect of which any proceeding is already pending as at present.

The proposed amendment will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 27]

Restricting the scope of income-tax exemption on payments to foreign enterprises for acquiring aircraft on lease

Under the existing provisions of clause (15A) of section 10 of the Income-tax Act, income-tax exemption is provided on any payment made by an Indian company, engaged in the business of operation of aircraft, to acquire an aircraft on lease from the Government of a

foreign State or a foreign enterprise under an agreement approved by the Central Government in this behalf. The provisions of clause (15A) of section 10, as at present, are being used for obtaining income-tax exemption not only on payments in respect of lease rental of the aircraft but also on payments for maintenance of leased aircraft, supply of spares therefor, provision of the services of pilots and other members of the crew along with the aircraft and for the training of the pilots and other crew members. The payments for the aforesaid services provided by the foreign enterprises would normally have been liable to income-tax, if these services were not provided under the lease agreement. The tax avoidance, as aforesaid, needs to be checked.

The Bill, therefore, seeks to substitute clause (15A) of section 10 by a new clause. The new clause (15A) seeks to restrict the scope of the aforesaid income-tax exemption by excluding therefrom payments made for providing spares, facilities or services in connection with the operation of the leased aircraft.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

[Clause 4]

MEASURES OF RATIONALISATION

Listing of exempt allowances under section 10(14) in the Income-tax Rules

Under the existing provisions of section 10(14)(i), income-tax exemption is provided, to the extent mentioned therein, on any such allowance or benefit, specifically granted to meet expenses wholly, necessarily and exclusively incurred in the performance of the duties of an office or employment of profit, as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette. Section 10(14)(ii) provides income-tax exemption on any such allowance, granted to an assessee either to meet his personal expenses at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily resides or to compensate him for the increased cost of living, as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette. The extent of the income-tax exemption is also to be specified in the notification.

Several notifications have been issued over a period of time for exempting various allowances for the purposes of sub-clauses (i) and (ii) of section 10(14). In order to ascertain whether a particular allowance is exempt from income-tax, all the aforesaid notifications have to be gone through. It is felt that the task of the taxpayers, the tax deductors as also of the income-tax officials will be facilitated if the aforesaid allowances and benefits are listed in the Income-tax Rules.

The Bill, therefore, seeks to amend clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, in order to provide income-tax exemption on the allowances or benefits, of the nature referred to in sub-clause (i) and sub-clause (ii) of the said clause, as may be prescribed in the Income-tax Rules. The extent to which an allowance will be exempt under section 10(14)(ii), will also be prescribed in the Income-tax Rules.

The proposed amendment will take effect from 1st July,1995.

A new rule is proposed to be inserted in the Income-tax Rules enlisting all the allowances which have been notified so far under sub-clauses (i) and (ii) of clause (14) of section 10, in order to give effect to the aforesaid proposal.

[Clause 4]

Removal of condition of specification for purposes of section 10(23D) in case of Mutual Funds registered with SEBI

Under the existing provisions of clause (23D) of section 10, any income of a Mutual Fund set up by a public sector bank or a public financial institution or authorised by the Securities and Exchange Board of India (S.E.B.I.) or the Reserve Bank of India is exempt from income-tax only if it is specified for the purposes of the aforesaid clause by the Central Government by notification in the Official Gazette. From January, 1993, S.E.B.I.(Mutual Funds) Regulations, 1993, framed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, have come into force. These regulations apply to all Mutual Funds except (i) the Money Market Mutual Funds established for investments exclusively in Money market instruments and (ii) Mutual Funds established outside India. The said regulations provide for registration of the Mutual Funds with S.E.B.I. and contain enough safeguards for the efficient and orderly conduct of the Mutual Funds. There is, therefore, no need to retain the condition, for obtaining income-tax exemption, of specification by the Central Government in the case of a Mutual Fund which has been registered with S.E.B.I.

The Bill, therefore, seeks to amend clause (23D) of section 10, in order to provide that the condition of specification by the Central Government will not apply in the case of a Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made thereunder. In the case of other Mutual Funds set up by a public sector bank or a public financial institution or authorised by the Reserve Bank of India, the condition of specification by the Central Government for the purposes of clause (23D) of section 10 will continue to operate.

The proposed amendment will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 4]

Restricting five-year tax holiday under section 10A to units in FTZs exporting at least 75 per cent. of their turnover

Under section 10A of the Income-tax Act, a five-year tax holiday is allowed to any industrial undertaking in a free trade zone (FTZ) which manufactures or produces any article or thing. This tax holiday is in operation from assessment year 1981-82. Similarly, the provisions of section 10B exempt the entire profits of 100% EOUs from assessment year 1989-90.

Units in FTZs/100% EOUs get special treatment by virtue of the fact that they export their entire produce. However, in order to provide economic flexibility to them and to allow them to dispose of the export rejects and by-products, they are allowed to sell 25% of their product in the domestic market. In effect, such units get exemption for 5 years even in respect of profits from the 25% domestic sales allowed to them.

As long as domestic sales are within reasonable limits (upto 25% of total sales), the exemption of profits in the case of units in FTZs/100% EOUs can be justified as a concession incidental to export. Recently, however, it has come to notice that several units approved as 100% EOUs/FTZs are allowed to sell 50% of their produce in the domestic market.

In view of this undue benefit, last year in the case of 100% EOUs, exemption u/s 10B was restricted only to units exporting at least 75% of their turnover. It is now proposed that, in the case of units in FTZ also, exemption u/s 10A be restricted to units exporting at least 75% of their turnover. Units which export less than 75% of their turnover can avail of the normal 100% deduction u/s 80HHC to the extent of the export profits. The restriction will apply to new units which begin to manufacture or produce an article or thing on or after 1.4.1995.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

[Clause 5]

Amendment of section 17(3) of the Income-tax Act - removal of anomaly

Under section 10(13) of the Income-tax Act, any payment from approved superannuation fund on the death of beneficiary or any payment to an employee on commutation of pension on retirement is exempt from tax. Part B of the Fourth Schedule to the Act contains rules relating to approval etc. of the superannuation funds. Rule 6 thereof provides for deduction of tax at source where employees' contributions to the approved superannuation fund are paid to an employee in circumstances other than those referred to in section 10(13).

Although tax is deducted at source on payments which are not covered by the exemption under section 10(13), the tax so deducted is being refunded because under the existing section 17 relating to profits in lieu of salary, payments from approved superannuation fund are not treated as income. This creates an anomalous situation where tax is deducted at source but has to be refunded because payments not covered by section 10(13) have not been specifically included as income.

In order to remove this anomaly, it is proposed to amend section 17(3) of the Income-tax Act to exclude from the definition of profits in lieu of salary only payments which are covered under section 10(13) and not other payments from the approved superannuation fund.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 6]*

Withdrawal of deduction of full cost of minor items of machinery or plant

The first proviso to Section 32(1)(ii) of the income-tax Act, which was inserted by the Finance Act, 1966, provides that where the actual cost of any individual item of machinery or plant does not exceed Rs.5,000, the full cost is allowed as depreciation in the very first year of user; and the written down value of the asset thereafter is taken to be nil. When the first proviso was introduced through the Finance Act, 1966, the concept of 'block of assets' was not in existence. Thereafter, sweeping changes were made in the provisions relating to depreciation. The concept of 'block of assets' was introduced as the basis of depreciation and the general rate of depreciation for machinery and plant was fixed at 33.33 per cent., with some specified departures. Subsequently, from lst April, 1992, the general rate of depreciation was reduced to 25 per cent. Despite these changes, the first proviso to Section 32(1)(ii) has remained untouched.

Some assessees have found in this provision a device to price a large number of assorted items below Rs. 5,000 each and claim 100% write off in the year of purchase itself. The Bill, therefore, proposes to delete the first proviso to Section 32(1)(ii) to provide that items of machinery or plant costing less than Rs.5,000 each will also form part of a 'block of assets' and be allowed depreciation at the specified rate in accordance with Rule 5 of the Income-tax Rules.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 7]*

Amendment of section 33AC to limit deduction to 50% only in respect of income derived from the carrying on of shipping operations

Section 33AC of the Income-tax Act, 1961, was inserted by Direct Tax Laws (Second Amendment) Act, 1989 with effect from lst April, 1990 with a view to providing a tax incentive to public/Government companies engaged in the business of operation of ships. This deduction is available to the extent of the total income provided the amount is credited to a reserve account and is utilised for the purchase of a new ship within the specified period.

It has come to notice that shipping companies have diversified into trading, real estate business, etc., and are claiming deduction under this section even in respect of their income from activities other than shipping. There is no justification for allowing deduction with reference to income from activities other than operation of ships. Further, the present 100 per cent. deduction is excessive keeping in view the improved situation in the shipping industry.

The Bill, therefore, proposes to amend section 33AC to restrict the deduction to 50 per cent., of the income derived from business of operation of ships only. This would take outside the purview of the deduction any income arising from businesses other than shipping business, or from sources other than business.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 8]*

Amendment of section 40A(3) of the Income-tax Act, to provide for disallowance of 20% of cash expenditure

Section 40A(3) provides for disallowance of an expenditure, incurred for business or profession, in respect of which payment exceeding Rs.10,000 is made otherwise than by a crossed cheque or a crossed bank draft. Certain cash payments have, however, been excluded under Rule 6DD from the prohibition contained in this section. Sub-rule(j) of Rule 6DD prescribes the mitigating circumstances with a view to relax the rigours of section 40A(3) in genuine and bonafide cases. Sub-rule (j) was introduced at a time when banking facilities had yet to take roots in rural areas. Now that banks have established themselves in rural areas and a vast branch network is available, it is felt that sub-rule (j) has outlived its purpose.

These provisions have also given rise to substantial litigation arising out of the interpretation and scope of section 40A (3) read with Rule 6DD (j).

The Bill proposes to amend section 40A (3) to provide that in case any payment is made in contravention of section 40A(3), then 20% of such expenditure would be disallowed and taken into account for computation of income. Simultaneously, clause (j) of Rule 6DD is proposed to be deleted.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 11]*

Amendment of section 43(3) of the Income-tax Act to exclude plantations and live-stock from the definition of plant

Under sub-section (3) of section 43 the term "plant" includes ships, vehicles, books, scientific apparatus and surgical equipment used for the purposes of business or profession.

In certain judicial pronouncements it has been held that the term 'plant' includes tea bushes and, therefore, they would also be eligible for depreciation under section 32. Rule 8(2) of the Income-tax Rules already provides for a deduction in respect of the expenditure incurred

on replacement of old tea bushes by an assessee. The deduction under rule 8(2) is allowed in lieu of depreciation. As a result of the judicial pronouncements, double deduction is now being claimed on the tea bushes,- once as replacement cost and then as depreciation allowance.

With a view to setting at rest the aforesaid controversy, section 43(3) is being amended to provide that the term 'plant' will not include tea bushes and livestock.

The proposed amendments will take effect, retrospectively, from 1st April, 1962 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1962-63 and subsequent years.

[Clause 12]

Furnishing of tax audit report

Section 44AB of the Income-tax Act, 1961 requires every person carrying on business or profession with gross receipts exceeding prescribed limits to get his accounts audited by an accountant before 31st October, or as the case may be, 30th November. Section 139(6A) requires an assessee engaged in business or profession to furnish, *inter alia*, the report of audit obtained under section 44AB along with the return of income. Section 271B prescribes levy of penalty for-

(1) failure to get the accounts audited as required under section 44AB;

(2) failure to obtain a report of such audit; or

(3) failure to furnish the said report along with the return of income filed, either under section 139(1) or under section 142(1)(i).

The provisions of section 44AB are being amended to ensure that tax audit is completed by the specified date and tax audit report is furnished by that date irrespective of the fact whether the return of income is filed or not by that date. The assessee shall furnish a copy of the audit report and proof of its filing by the specified date along with the return of income. Consequential amendments are being made in section 271B to provide penal action for not getting the accounts audited and not filing the report by the specified date.

In any case where the audit report has been filed before the furnishing of the return, non-furnishing of a copy of the audit report or proof of its filing by the specified date along with the return of income will only be a defect under section 139(9) which can be rectified.

These amendments will take effect from 1st July, 1995.

[Clauses 13, 29 & 48]

Simplified procedure for computation of capital gains on transfer of bonus shares

Bonus shares are received by an existing share holder without making any further payment. At present, cost of acquisition of these shares is taken on the basis of principles laid down by the Supreme Court in the case of *CIT Vs. Dalmia Investment Company Ltd. (52 ITR 567)*. It has been held that the cost of a bonus share is to be determined by averaging the cost of the original shares and bonus shares.

Computation of the cost of bonus shares on the principle of averaging, however, is not a simple job and has led to a number of difficulties. For the sake of clarity and simplicity, section 55 is being amended to provide that the cost of bonus shares will be taken as nil for computation of capital gain on sale of bonus shares. This would not affect the cost of original shares. This procedure will also be applicable to any other security where a bonus issue has been made.

The period of holding of the bonus asset will be reckoned from the date of allotment of such asset.

These amendments will take effect from 1st April, 1996 and, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

[Clauses 3 & 14]

Rebate under section 88 on subscription to life insurance policy - removal of condition regarding premiums exceeding 10 per cent. of sum assured

Section 88 of the Income-tax Act allows a rebate of tax amounting to 20 per cent. of the amount deposited in certain specified savings instruments including , *inter alia*, life insurance premiums. According to sub-section (3) of section 88, the amount eligible for rebate in respect of premium paid for life insurance policy is limited to 10 per cent. of the actual capital sum assured.

With a number of insurance policies coming up for persons in the higher age groups, premiums limited to a few years or a single premium are now quite common. It would be unjust to exclude from the benefit of section 88, higher premium paid generally by older persons for effecting life insurance policy.

In view of the above, it is proposed to delete sub-section (3) of section 88 in order to permit rebate on premium paid on life insurance policies even where premium paid is in excess of 10 per cent. of the actual sum assured.

It is also proposed to provide that in case of any single premium policy, if the policy is surrendered within two years of the date of insurance, the amount of rebate allowed earlier shall be treated as income-tax payable in the year of such surrender.

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly , apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years.

[Clause 22]

Raising the qualifying limits for the purposes of the simplified procedure for small businessmen

A simplified procedure for small businessmen, carrying on certain specified businesses or vocations, was introduced in the Income-tax Act by the Finance Act, 1992.

A person is eligible to opt for the scheme if:

- his income from such business or vocation does not exceed Rs. 42,000;
- in the case of retail business, his turnover does not exceed Rs. 500,000;
- taxable income from any source other than the business or vocation does not exceed Rs.5,000;
- no deduction under Chapter VIA (except section 80L) or rebate under Chapter VIII is allowed.

Under the scheme, income of a person is deemed to be Rs.42,000. The tax in respect of the deemed income of Rs.42,000 amounts to Rs.1,400. For income upto Rs.5,000 from any other source (as reduced by deduction under section 80L) tax is chargeable at the appropriate rate, i.e. 20 per cent.

In view of the raising of the exemption limit for individuals and non-specified HUFs from Rs.35,000 to Rs. 40,000, it is proposed to raise the qualifying amount and the deemed income under the simplified procedure from Rs.42,000 to Rs.47,000. It is also proposed to raise the limit on turnover in the case of retail business from Rs. 500,000 to Rs. 600,000.

The proposed amendment will take effect from 1st April, 1996 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1996-97 and subsequent years. *[Clause 25]*

Authorisation for conducting survey

Section 133A of the Income-tax Act, 1961, empowers an income-tax authority to conduct survey. The term "income-tax authority" has been defined in the Explanation, appearing at the end of section 133A, to mean Deputy Commissioner, an Assistant Director or an Assessing Officer and for some specific purposes, if authorised, an inspector of income-tax. These authorities are empowered to conduct survey only within the limits of their territorial jurisdiction resulting in operational difficulties when any of the defined authorities is not readily available for conducting a survey. In order to improve operational efficiency of the department, the existing law is being amended to provide that the Deputy Director, the Director and the Commissioner will also have power to conduct survey. It is further being provided that an officer having jurisdiction over an assessee or within the limits of the area assigned to him can authorise any other officer to conduct survey u/s 133A.

The proposed amendment will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 28]

Methods of accounting and accounting standards for computing income

The existing section 145(1) of the Income-tax Act provides for computation of income from business or profession or income from other sources in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessee. Income is generally computed by following one of the three methods of accounting, namely, (i) cash or receipts basis, (ii) accrual or mercantile basis, and (iii) mixed or hybrid method which has elements of both the aforesaid methods. It has been noticed that many assessees are following the hybrid method in a manner that does not reflect the correct income. It is proposed to amend section 145 to provide that income chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources" shall be computed only in accordance with either the cash or the mercantile system of accounting, regularly employed by an assessee.

The Institute of Chartered Accountants of India [ICAI] have directed its members to ensure that the Accounting Standards formulated by it are followed in the presentation of financial statements covered by their audit reports. It is seen that there is a flexibility in the standards issued by ICAI which makes it possible for an assessee to avoid the payment of correct taxes by following a particular system. Therefore, there is an urgent need to standardise one or more of the alternatives in various standards so that the income for tax purposes can be computed precisely and objectively.

The Bill proposes to amend the Income-tax Act to empower the Central Government to prescribe by notification in the Official Gazette, the accounting standards which an assessee will have to follow in computing his income under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources".

The proposed amendments will take effect from 1st April, 1997 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1997-98 and subsequent years. *[Clause 31]*

Reduction of rate of deduction of tax at source from rent in certain cases

Under the existing provisions of section 194-I of the Income-tax Act, income-tax has to be deducted at source at the rate of twenty per cent. from payments of rent made by any person other than an individual or a Hindu undivided family, if such payments exceed one hundred and twenty thousand rupees in a financial year. Representations have been received to the effect that the rate of deduction of tax at source, at twenty per cent., is high where the payee is an individual or a Hindu undivided family and needs to be lowered. There is merit in these representations.

The Bill, therefore, seeks to amend section 194-I of the Income-tax Act, in order to reduce the rate of deduction of tax at source from twenty per cent. to fifteen per cent. if the payee is an individual or a Hindu undivided family. In other cases, the rate of deduction of tax at source will remain at twenty per cent.

The proposed amendment will take effect from 1st July, 1995. *[Clause 35]*

Liberalisation of provisions relating to income-tax clearance certificate

The existing provisions of section 230A prohibit the registration of any transfer of immovable property valued at more than two lakh rupees unless the transferor obtains a certificate from his Assessing Officer that either the tax due from him has been paid or satisfactory arrangements for payment of such tax liability have been made. The limit of two lakh rupees was fixed with effect from 1st April, 1988. On account of rise in the prices of immovable properties since then, there is a need to raise the said limit.

The Bill, therefore, seeks to amend section 230A of the Income-tax Act, in order to raise the aforesaid limit to five lakh rupees.

The proposed amendment will take effect from 1st July, 1995.

[Clause 41]

Modification of provisions relating to interest for defaults in payment of advance tax

Section 234B of the Income-tax Act, relating to interest for defaults in payment of advance tax, provides that where an assessee, who is liable to pay advance tax in a financial year, fails to pay such tax or, where the advance tax paid by him is less than ninety per cent. of the assessed tax, he shall pay simple interest at the rate of two per cent. for every month or part of the month comprised in the period from the 1st day of April next following such financial year to the date of determination of total income under section 143(1) or regular assessment. The interest is to be calculated in cases where no advance tax has been paid, on the assessed tax and in cases where the advance tax paid is less than ninety per cent. of the assessed tax, on the difference between the assessed tax and the advance tax paid. The legislative intention is that the interest for defaults in payment of advance tax is to be charged till the date of determination of total income under section 143(1) and where a regular assessment is made, till the date of such assessment. However, on the basis of the language used in section 234B, a view has been taken in certain quarters that if interest has already been charged in a case till the date of determination of total income under section 143(1), the Assessing Officer cannot further levy the interest till the date of regular assessment.

In order to set the aforesaid doubts at rest, the Bill seeks to amend section 234B to clarify that an assessee shall be liable to pay interest

for defaults in payment of advance tax till the date of determination of total income under section 143(1) and where a regular assessment is made, till the date of such assessment.

The proposed amendment, being clarificatory in nature, will take effect retrospectively from 1st April, 1989 and will, accordingly, apply in relation to assessment year 1989-90 and subsequent years. *[Clause 42]*

Amendments in the provisions relating to Settlement Commission

Section 245C(1)(b) specifies that no application for settlement of a case can be made unless the additional amount of income-tax payable on the income disclosed in the application exceeds Rs. 50,000. This limit of additional tax was prescribed in 1984. With a view to ensuring that relatively unimportant and insignificant cases do not take the limited time available to the Settlement Commission, the Tax Reforms Committee have recommended the raising of this limit to one lakh rupees. Section 245C is, therefore, being amended to raise the present limit of Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh.

Under the second proviso to sub-section (1) of section 245D, the Commissioner is required to furnish the report called from him by the Settlement Commission within a period of 120 days of the receipt of communication from the Commission failing which the Settlement Commission is empowered to make the order without such report. The period for the submission of the report by the Commissioner is being reduced in case of applications made on or after 1st day of July, 1995 to 45 days from the date of receipt of communication from the Settlement Commission.

These amendments will take effect from 1st July, 1995. *[Clause 43 & 44]*

Modifications of the provisions relating to pre-emptive purchase of immovable properties under Chapter XXC

Rule 48K of the Income-tax Rules provides that the value of any immovable property for the purpose of section 269UC shall be the apparent consideration for that property exceeding 10 lakh rupees. This single monetary limit for all the notified areas has resulted in the accumulation of heavy workload in Delhi and Bombay. Hence, for better management of work and keeping the escalation in real estate prices in view, the provisions of section 269UC(1) are being amended so that different monetary limits could be prescribed for different areas.

Many High Courts have held that the provisions of Chapter XXC allow the income-tax Department to either purchase the property or issue a no objection certificate in response to an application for no objection certificate furnished in Form No.37-I. There is no third alternative. The Supreme Court, while dismissing the Department's SLP in *Appropriate Authority and Another vs. Tanvi Trading and Credit Pvt. Ltd. (191 ITR 307)* has upheld this view of the High Courts. Problems are faced by the appropriate authorities when an application for no objection certificate submitted by any intending seller is found to be defective. The appropriate authorities are, therefore, being empowered to intimate the defects, if any, in Form No.37-I to parties for rectification within the specified time. Where the defects are not rectified within the specified period, it shall be presumed that the statement had never been furnished and where the statement is rectified, it shall be taken as if the statement had been furnished on the date on which it stood rectified and the period of limitation prescribed in section 269 UD shall be reckoned from that date.

These amendments will take effect from 1st July, 1995. *[Clause 46 & 47]*

MISCELLANEOUS

Repealing of the Compulsory Deposit Scheme(Income-tax payers)Act, 1974

The Compulsory Deposit Scheme(Income-tax Payers) Act, 1974 provided for income-tax payers to make compulsory deposits in special accounts opened under compulsory deposits scheme upto the year 1984-85. The deposits were to be refunded in five equal annual instalments commencing from the expiry of two years. Accordingly, the last instalment had become refundable from 1.4.91. However, in terms of sub-section (2) of section 8 of the Act, the depositors had the option not to withdraw the instalment amount and interest, on becoming due and continue to earn interest. Some of the depositors have chosen not to withdraw the amount from the account opened under the compulsory deposit scheme and the Government is burdened with payment of interest annually. The Compulsory Deposit Scheme(Income-tax Payers)Act, 1974 is being repealed so as to bring to a close all the accounts from which the amounts have not been withdrawn after 1.4.91.

The proposed repeal of the Act will take effect from 1st April, 1996.

[Clause 92]

CUSTOMS
(Effective from 16.3.1995)

ABBREVIATIONS

CT : First Schedule to the Customs Tariff Act,1975 (51 of 1975) AD : Additional duty of customs

The proposals include the following :-

A. GENERAL

*The **First** Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is being amended vide relevant clause of the Bill to give effect to the tariff changes relating to the Customs Duties.*

B. Major Proposals involving changes in rates of duty, whether by amendment of tariff rates or by notifications.

1. Reduction in rates of customs duty on items presently attracting duty higher than 50%, to 50% except on dried grapes, almonds, alcoholic beverages, ball or roller bearings, passenger baggage and imports by couriers.
2. Reduction in customs duty on grand parent poultry stock from 30% to 20%.
3. Reduction in customs duty on miscellaneous edible products of animal origin falling under sub-heading No. 0410.00 of CT from 65% to 40%.
4. Reduction in customs duty on plums and sloes falling under sub-heading No. 0809.40 from 65% to 30%.
5. Increase in customs duty on malt and starch falling under heading Nos. 11.07 and 11.08 of CT from 10% to 30%.
6. Reduction in customs duty on jigat falling under sub-heading No. 1211.90 of CT from 40% to 10%.
7. Increase in customs duty on oleo pine resins from 10% to 20%.
8. Reduction in customs duty on molasses falling under heading No. 17.03 of CT from 65% to 10%.
9. Reduction in customs duty on preparations for infant use , put up for retail sale from 55% to 15%.
10. Reduction in customs duty on high grade natural flaky graphite from 50% to 40%.
11. Reduction in customs duty on specified non-metallic minerals from 65% to 30%.
12. Reduction in customs duty on :
    (a) hard zinc spelter, zinc dross and copper mill scale from 50% to 35%;
    (b) all other ash and residues falling under heading Nos. 26.20 and 26.21 of CT from 25% to 10%.
13. Reduction in customs duty on :
    (a) raw petroleum coke from 30% to 25%;
    (b) petroleum gases falling under heading No. 27.11 of CT from 15% to 10%.
14. Reduction in customs duty on:
    (a) soda ash from 65% to 40%;
    (b) caustic soda from 65% to 40%;
    (c) radium, its salts and some specified radio active isotopes from 30% to 15%;
    (d) zirconium oxide and yttrium oxide from 30% to 20%;
    (e) acetic acid from 65% to 40%.
15. I Reduction in customs duty on :
    (a) all xylenes from 30% to 10%;
    (b) DMT,PTA and MEG from 60% to 35%;
    (c) caprolactum from 60% to 45%;
    (d) acrylonitrile from 30% to 20%;
    (e) cumene from 30% to 20%;
    (f) toluene, methyl tertiary butyl ether (MT BE) and cyclohexane from 30% to 20%;
    (g) vinyl pyridine monomer from 45% to 40%;
    (h) vinyl chloride monomer from 15% to 10%;
    (i) ethylene dichloride from 15% to 10%;
    (j) benzene, ethyl benzene and styrene from 15% to 10%;
    (k) adipic acid and hexamethylene diamine from 60% to 40%;
    (l) DDT formulations/DDT(Technical) imported for National Malaria Eradication Programme from 30%/15% to 10%;
    (m) acrylic hydrocarbons falling under heading No. 29.01 of CT from 15% to 10%;
    (n) 29 specified chemicals for the manufacture of pesticides from 45% to 40%.

    II Prescribing general effective rate of 40% on phenol falling under Chaper 27 or 29 of CT.
16. Reduction in customs duty on :
    (a) specified chemicals used in the manufacture of bulk drugs from 50% to 40%;
    (b) DBX I and 8 DM for the manufacture of bulk drugs from 65% to 25%.
17. I Exemption from customs duty and AD on bovine insulin.

    II Reduction in customs duty on :
    (a) Nilutamide, Sodium Fusidate and low molecular weight heparin from 65% to 10%;
    (b) 13 specified formulations/preparations for veterinary use from 25% to 15%;
    (c) 3 specified drugs used in acqua culture and food processing industry from 65% to 15%;
    (d) 4 veterinary drugs from 65% to 15%;
    (e) Dextran and Hydroxy ethyl starch for the manufacture of I.V. fluids from 65% to 25%;
    (f) Lumulus Amebocyte Lysate (LAL) Test Kit from 65% to 25%;
    (g) 10 specified raw materials for manufacture of test kits (ELISA kits) from 65% to 25%.

    III Imposition of 15% AD on Erythropoietin formulation.
18. Increase in customs duty on guano and other natural animal or vegetable fertilisers from 45% to 50%.

19. Reduction in customs duty on:
   (a) jumbo rolls of colour roll films of Chapter 37 of CT from 50% to 40%;
   (b) instant print films falling under heading No. 37.01 and 37.02 of CT from 25% to 10%.

20. Reduction in customs duty on Linear Alkyl Benzene falling under heading No.38.17 of CT from 65% to 40%.

21. Reduction in customs duty on :
   (a) bulk polymers and other plastic materials from 65%/55%/50%/45% to 40%;
   (b) plastic waste, parings and scrap falling under heading No. 39.15 of CT from 65% to 50%;
   (c) polycarbonate and polyphenylene oxide, in powder form, to 25%.

22. Reduction in customs duty on cork and articles of cork from 65% to 40%.

23. I Reduction in customs duty on paper and paperboard falling under heading Nos. 48.01 to 48.11 of CT from 65% to 40%.
   II Extension of the concessional rate of customs duty of 25% to aseptic paper packaging materials of Chapter 48 of CT for food processing.
   III Withdrawal of concessional customs duty of 10% on filter paper imported by a manufacturer of tea bags for manufacture of tea bags resulting in increase in customs duty to 40%.
   III Increase in AD on impregnated filter paper from 6% to 20%.

24. I Exemption from customs duty on printed manuals.
   II Reduction in customs duty on :
   (a) certain products of the printing industry falling within Chapter 49 of CT from 45% to 25%;
   (b) plans, designs and drawings falling under Chapter 49 of CT from 35% to 10%.

25. I Reduction in customs duty on all vegetable fibres falling under Chapter 53 of CT from 65% to 40%.
   II Increase in customs duty on silk worm cocoons from 30% to 40%.

26. Reduction in customs duty on man made fibres and yarn from 65% to 45%.

27. Reduction in customs duty on ceramic fibre blocks for use as component parts of industrial furnaces falling under heading No.68.06 of CT from 45% to 35%.

28. Reduction in customs duty on refractory ceramic bricks and blocks, etc. falling under heading No. 69.02 of CT from 65%/40% to 35%.

29. Reduction in customs duty on industrial diamonds falling under Chapter 71 of CT from 40% to 30%.

30. Reduction in customs duty on :
   (a) sponge iron from 30% to 20%;
   (b) ferro nickel/ferro molybdenum from 30% to 20%;
   (c) other ferro alloys from 50% to 30%;
   (d) SS melting scrap from 30% to 20%;
   (e) non-alloy steel semis from 30% to 20%;
   (f) ingots from 50% to 20%;
   (g) non -alloy HR coils for CR coils from 40% to 30%;
   (h) stainless steel HR coils from 50% to 30%;
   (i) all other iron and steel products of Chapters 72 and 73 of CT from 50% to 40%.

31. I Reduction in customs duty on:
   (a) unwrought copper, unwrought zinc and unwrought lead and their waste and scrap from 50% to 35%;
   (b) all other forms of zinc, lead and their articles from 60% to 40%;
   (c) all other copper and articles from 50% to 40%.

32. Reduction in customs duty on :
   (a) unwrought nickel and nickel oxide sinter from 30% to 20%;
   (b) all other goods of Chapter 75 of CT from 50% to 30%.

33. Reduction in customs duty on articles of aluminium and tin from 50% to 40%.

34. Reduction in customs duty on other base metals (except magnesium) and articles from 35%/50% to 30%/40%.

35. Reduction in customs duty on tools, implements and parts thereof of base metals falling under heading Nos. 82.01 to 82.11 of CT from 35% to 30%.

36. I Reduction in customs duty on specified goods falling under Chapter 84 and 85 of CT from various rates to 25%.
   II Reduction in customs duty on:
   (a) machine tools and parts falling under heading Nos. 84.56 to 84.66 of CT from varying rates of 35% - 45% to 25%;
   (b) CNC systems and parts imported for use in CNC machine tools and systems from 35% to 25%.
   III Rationalisation of customs duty structure for ball or roller bearings to a uniform rate of 25% *plus* Rs.120 per kilogram.

37. Extension of the concessional rate of customs duty of 10% to parts of CNG equipments also.

38. I Conversion of existing specific cum *ad valorem* rates of spark plugs and micromotors to purely *ad valorem* rate of 50%.
   II Increase in customs duty on graphite electrodes from 25% to 40%.

39. Reduction in customs duty for electronic industry on :

	From	**To**
(a) Specified raw materials	20%	15%
(b) Specified piece parts	30%	15%/25%
(c) Specified components	40%	25%
(d) Populated printed circuit boards (PCBs) of electronic goods	65%	35%
(e) Colour Television picture tubes	65%	40%
(f) Finished consumer electronics goods	65%	50%

40. Extending concessional customs duty of 15% to specified inputs used in glass shell/glass parts of TV picture tubes and to certain other inputs of electronic goods.

41. Reduction in customs duty on non electronic parts of specified electronic goods from 65% to 35%.

42. Reduction in customs duty on :

		From	To
(a)	Computers and computer peripherals	65%	40%
(b)	Systems software recorded on media	65%	10%
(c)	Application software recorded on media	20%	10%
(d)	Integrated circuits	40%	25%
(e)	Colour monitor tubes	40%	25%
(f)	Hard disk drive	65%	25%
(g)	Floppy disk drive	65%	25%
(h)	Electronic and non electronic parts of computers	50%	35%

43. Reduction in customs duty on following items for non-conventional energy sectors:

		From	To
(a)	Poly crystalline silicon, silicon ingots, undiffused silicon wafers	30%	15%
(b)	Solar cells and modules, photovoltaic systems	45%/60%	35%

44. Reduction in customs duty on :
   (a) specified raw materials of solar cells/modules from 20% *plus* nil AD to 15% *plus* nil AD;
   (b) 7 specified inputs of solar cells/modules from existing rates to 15% *plus* nil AD.

45. I Reduction in customs duty on :
   (a) electronic and non-electronic parts falling within Chapter 85 of CT of specified telecom equipment from 50%/40% to 35%;
   (b) specified inputs of optical fibres or telecom cables and FRP rods from 20% to 15%;
   (c) optical fibres from 40% to 35%.

   II Extending concessional rate of 15% customs duty to additional raw materials of FRP.

46. I Reduction in customs duty on ships for breaking up from 15% to 10%.

   II Imposing 15% AD on ships for breaking up.

47. Reduction in customs duty on :
   (a) parts of gliders to 3% + nil AD as applicable to parts of helicopters;
   (b) goods falling under heading Nos. 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10,8803.20 and 8803.30 to 3%.

48. Exemption from customs duty on:
   (a) parts required for manufacture of specified life saving medical equipment presently attracting rates of 15% *plus* AD generally subject to the certain conditions;
   (b) spare parts (including populated PCBs, etc.) of sight saving medical equipment subject to the certain conditions;
   (c) linear accelerator from present rate of 15% *plus* nil AD;
   (d) bone cement.

49. Reduction in customs duty on populated PCBs and ball bearings imported as spare parts of dutiable medical equipment from merit rates to 15% *plus* AD.

50. I Reduction in customs duty on the following goods of Chapter 90 of CT :

		From	To
(a)	Specified instruments	40%/60%	25%
(b)	Non electronic parts and accessories of (a) above	40%	25%
(c)	Electronic parts and accessories of (a) above	40%/65%	25%

   II Reduction in customs duty on specified pollution control equipment from 40% to 25%.

51. Withdrawal of AD exemption on crude refining projects and imposing 10% AD on them.

52. I Reduction in customs duty on baggage including unaccompanied baggage from 100% to 80%.

   II Increase in duty free allowance under baggage rules from Rs.4000 to Rs. 6000.

   III Certain specified items like life saving drugs, equipment, food stuffs, printed books, labels, etc. to pay normal rate of duty even when imported as baggage.

53. Reduction in customs duty rates on certain goods in order to implement commitments under the Uruguay Round.

54. Withdrawal of export duty on finished leather.

The NET LOSS in revenue due to reduction in customs duties Rs. 1178.50 crores

UNION EXCISE DUTIES

(Effective from 16.3.1995 unless otherwise stated)

ABBREVIATIONS

BED	:	Basic Excise duty
AED	:	Additional excise duty in lieu of sales tax
AT&T	:	Additional duty on textiles and textile articles
CET	:	Schedule to the Central Excise Tariff Act,1985(5 of 1986)
MODVAT	:	Modified Value Added Tax
PMT	:	Per Metric Tonne
Kg	:	Kilograms

Unless otherwise indicated, the excise duty rates refer to basic excise duty.

The proposals include the following:

A. GENERAL

The Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 is being amended vide relevant clauses of the Finance Bill to give effect to the Tariff changes relating to the Union Excise Duties .

B. Major Proposals involving changes in rates of duty, whether by amendment of tariff rates or by notifications.

1. Increase in excise duty on chewing gum falling under sub-heading No. 1704.10 of CET from 10% to 20%.
2. Reduction in excise duty on cocoa and cocoa preparations from 25% to 20%.
3. Reduction in excise duty on malt preparations and other preparations of cereals from 25% to 20%.
4. Reduction in excise duty on :
   (a) aerated waters from 50% to 40%;
   (b) preparations for lemonades or other beverages for aerated waters from 50% to 40%;
   (c) sharbat, thandai and similar products from 50% to 20%.
5. I Prescribing 20% excise duty for all branded miscellaneous edible preparations falling under proposed sub-heading No.2108.90 of CET.
   II Prescribing 10% excise duty for branded natural or artificial mineral water falling under heading Nos. 22.01 and 22.02 of CET.
6. Revision in specific rates of excise duty (BED+AED) on cigarettes falling under sub-heading No. 2403.11 of CET as indicated below:

		Present	Proposed
		(per thousand cigarettes)	
(a)	Non-filter not exceeding 60 mm	60	60
•	Non-filter between 60-70 mm	280	300
(b)	Filter not exceeding 70 mm	370	400
	Filter between 70-75 mm	710	750
	Filter between 75-85 mm	950	1000

7. I Increase in excise duty (BED+AED) on chewing tobacco falling under sub-heading Nos. 2404.41 and 2404.49 of CET from 40% to 50%.
   II Imposing excise duty of 50% (BED+AED) on branded unmanufactured tobacco falling under sub-heading No. 2401.00 of CET.
   III Extension of MODVAT benefit to cut tobacco used as input for the manufacture of cigarettes.
8. I Reduction in excise duty on asbestos, raw including fibre falling under sub-heading No.2503.00 of CET from 20% to 10%.
   II Increase in excise duty on :
   (a) portland cement from Rs. 330 PMT to Rs. 350 PMT;
   (b) portland cement manufactured in mini cement plants from Rs. 185 to Rs. 200 PMT;
   (c) cement clinker from Rs. 185 to Rs. 200 PMT;
   (d) aluminous cement and alumina refractory cement from 10% to 20%.
   III Increase in daily clearance limit for mini cement plants using vertical shaft kilns from 200 to 300 metric tonnes per day.
9. Exemption from excise duty on:
   (a) Deferiprone, a drug used for treatment of thalassaemia;
   (b) Unbranded cotton wool, bandages and gauges falling under heading No. 30.04 of CET.
10. Reduction in excise duty on paints and varnishes based on synthetic polymers falling under heading Nos. 32.08 and 32.09 of CET from 30% to 20%.
11. I Reduction in excise duty on :
   (a) essential oils, perfumes and toilet waters from 30% to 20%;
   (b) anti-septic perfumed cream, ayurvedic anti-septic perfumed cream and barrier cream from 30% to 20%;
   (c) perfumed hair oil put up in unit containers from 30% to 20%;
   (d) cosmetics and toilet preparations falling under Chapter 33 of CET and travel sets for personal toilet falling under heading No. 96.05 of CET from 50% to 40%.
   II Increase in excise duty on perfumed hair oil sold in bulk form from 10% to 20%.
12. Reduction in excise duty on lubricating preparations falling under sub-heading No. 3404.00 of CET from 20% to 10%.
13. Reduction in excise duty on fireworks, signalling flares, rain rockets, etc. falling under heading No. 36.04 of CET from 20% to 15%.
14. Reduction in excise duty on instant print films falling under heading Nos. 37.01 and 37.02 of CET from 20% to 10%.
15. I Reduction in excise duty on :
   (a) plastic raw materials including LDPE, HDPE and PVC falling under heading Nos. from 39.01 to 39.04 of CET from 30% to 25%;
   (b) other plastic raw materials falling under heading Nos. 39.05 to 39.13 of CET from 30% to 20%;

(c) multi layer plastic laminated tubes falling under heading No. 39.17of CET from 30% to 20%;
(d) polyethylene coated paper or paperboard falling under heading No. 39.20 of CET from 30% to 20%;
(e) other plastic articles from 30% to 25%.

II Increase in excise duty on articles of rigid polyurethane/phenolic foam from 20% to 25% and to remove distinction between rigid and flexible products.

III Extension of MODVAT credit to users of plastic woven sacks.

16. I Reduction in excise duty on off the road tyres falling within Chapter 40 of CET presently attracting 70% to 35%.

II Increase in specific duty rates on certain tyres .

III Change in excise duty rates on specified gun carriage tyres from 20% to Rs. 300 per tyre.

IV Rationalisation of excise duty structure for rubber tubes (for tyres) from 13 rates to 8 rates resulting in a reduction in excise duty on certain tubes for tyres of three-wheelers, trailers, etc.

17. I Exemption from excise duty on:
(a) compounded rubber used captively in the manufacture of any excisable goods;
(b) air bags/bladders used captively in the manufacture of cycle and rickshaw tyres.

II Reduction in excise duty on :
(a) cellular rubber and articles thereof from 30% to 25%;
(b) rubber pipes and tubes from 30% to 25%;
(c) certain conveyor and transmission belts from 30% to 25%.

III Rationalisation and conversion of existing *ad valorem* or specific rates of excise duties on rubber retreading materials to a single uniform rate of 25%.

IV Rationalisation and conversion of existing specific rates of excise duties of Rs.6/kg, Rs.8.50/kg and Rs.13/kg to a single rate of 15% for smaller manufacturers of rubber retreading materials. This will take effect from 1st April, 1995.

18. Exemption from excise duty on straw, basketware, etc. falling under chapter 46 of CET.

19. Reduction in excise duty on:
(a) decorative laminates falling within Chapter 48 of CET from 30% to 25%;
(b) certain floor coverings falling within Chapter 48 of CET from 30% to 20%.

20. Increase in excise duty on blended silk yarn from 15% to 20%.

21. I Increase in excise duty on yarns of coarse or fine animal hair from 15% to 20%.

II Imposing 10% excise duty on wool tops including tops of fine or coarse animal hair.

III Prescribing uniform excise duty of 15% for:
(a) melton cloth of value more than Rs.100 per square metre and falling under Chaper 51 of CET from present rates of nil/ 10%.
(b) all woollen fabrics, processed or unprocessed, from various rates of nil/10%/15%.

22. I Withdrawal of excise duty exemption and imposing 5% excise duty on diversified jute products falling under Chapters 53,56, 57 or 63 of CET;

II Imposing excise duty of 10% on grey fabrics of flax, ramie and 15% on grey fabrics of wool, if MODVAT credit is availed of.

III Prescribing uniform excise duty of 10% for processed ramie fabrics from present rates of 5%/10%.

23. I Reduction in excise duty on :
(a) polyester filament yarn (PFY) from 60% to 50%;
(b) PFY based sewing threads from 60% to 20%;
(c) nylon filament yarn (NFY) based sewing threads from 30% to 20%;
(d) polypropylene monofilament yarn from 30% to 20%;
(e) HDPE monofilament yarn from 30% to 20%;
(f) PFY (industrial grade) from 30% to 20%.

II Revision in tariff value of textured yarn of polyester filament so as to reduce the total duty burden from Rs. 10.35/kg. to Rs.4.60/kg.

III Exemption from excise duty on HDPE/PP monofilament yarns provided no MODVAT facility has been availed of.

IV Increase in excise duty on viscose filament yarn (industrial grade) from 10% to 15%.

V Charging excise duty on draw twisted yarn of polyester filament at par with textured yarns.

24. I Imposing excise duty of 10% on covered spandex yarn and covered rubber thread.

II Rationalisation of duty on man-made metallic yarns to a uniform rate of 20%.

III Increase in excise duty on non woven fabrics falling under Chapter 56 of CET from 15% to 20%.

25. Prescribing same rates of BED and AED in respect of fabrics of Chapters 58 (other than gauze, embroidery and fabrics containing elastomeric yarn) and Chapter 60 (other than narrow fabrics) as applicable to corresponding base woven fabrics.

26. I Exemption from excise duty on :
(a) rubberised fabrics falling within Chapter 59 of CET when used captively in the manufacture of excisable goods;
(b) tarpaulin cloth falling within Chapter 59 of CET manufactured without the aid of power.

II Reduction in excise duty on fabrics coated, laminated or covered with plastics (other than LDPE) falling under Chapter 59 of CET from 30% to 20%.

III Increase in excise duty on fabrics coated, laminated or covered with preparation of LDPE (other than jute fabrics) from 5% to 20% and imposing AED at 5% on such fabrics.

IV Imposing 20% excise duty on tyre cord fabrics falling under Chapter 59 of CET and extending MODVAT when used as input in the manufacture of tyres.

27. Prescribing 25% excise duty for sacks and bags made out of woven fabrics of man-made textile material.

28. Extension of MODVAT to textiles falling under Chapters 50 to 63 of CET except for the inputs going into the manufacture of woven fabrics of Chapters 52, 54 and 55 of CET.

29. Reduction in excise duty on :
(a) floor coverings in rolls or in the form of tiles falling under heading No. 68.07 of CET from 30% to 20%;

(b) articles of asbestos cement, etc. falling under heading No. 68.04 of CET from 30% to 25%.

30. Reduction in excise duty on :
   (a) glazed ceramic tiles from 40% to 30%;
   (b) glazed ceramics other than tiles from 30% to 20%;
   (c) ceramic wares and other ceramic articles from 30% to 20%;
   (d) tableware, kitchenware, toilet articles and other articles of porcelain or china from 30% to 15%.

31. Reduction in excise duty on :
   (a) glass containers like bottles from 30% to 20%;
   (b) glasswares produced by mouth blown process from 20% to 10%.

32. Increase in excise duty on rails, sleepers and ingots, etc. from 10% to 15%.

33. Exemption from excise duty on metal containers made without the aid of power.

34. Reduction in excise duty on aluminium and articles thereof from 20% to 15%.

35. Reduction in excise duty on safes and strong boxes falling under heading No. 83.03 of CET from 30% to 20%.

36. I Exemption from excise duty on :
   (a) turbines for small hydro equipment of upto 15 MW;
   (b) forestry machines falling under heading Nos. 84.32 and 84.36 of CET;
   (c) parts of wind electricity generator;
   (d) crankshafts of sewing machines.

   II Reduction in excise duty on :
   (a) specified parts of capital goods like ball bearings, crankshafts, etc. from 20%/25% to 15%;
   (b) electrical insulated wires and cables from 30% to 25%;
   (c) air conditioners including car air conditioners and parts thereof from 60% to 40%;
   (d) office equipment and parts from 20% to 15%;
   (e) weighing machinery from 20% to 15%;
   (f) fork lift trucks from 25% to 15%;
   (g) lifts and escalators from 20% to 15%;
   (h) hand tools from 20% to 15%;
   (i) welding and soldering machines from 15% to 10%;
   (j) parts of computers from 20% to 15%.

   III Withdrawal of exemption from excise duty on :
   (a) jigs, fixtures, moulds, etc. if procured from outside the factory;
   (b) fuelless pumps.

   IV Increase in excise duty on certain parts of capital goods from 10% to 15%.

37. I Exemption from excise duty on ' Solar Lanterns'.

   II Reduction in excise duty on :
   (a) electrical parts and accessories of motor vehicles falling under Chapter 85 of CET from 25% to 20%;
   (b) unspecified machines falling under heading No. 85.43 of CET from 25% to 20%;
   (c) carbon electrodes, brushes, etc. falling under heading No. 85.45 of CET from 25% to 20%;
   (d) floppy disks, audio/video magnetic tapes from 30% to 20%;
   (e) audio tape deck mechanism and other electrical parts of machinery falling under heading No.85.48 of CET from 25% to 20%.

   III Prescribing uniform excise duty of 20% on button cells and dry cell batteries from existing rates of 15%/ 25%.

38. I Exemption from excise duty on floating or submersible drilling or production platforms.

   II Reduction in excise duty on:
   (a) parts of motor vehicles falling under heading No. 87.08 of CET from 20% to 15%;
   (b) parts of two wheelers falling under heading No. 87.14 of CET from 20% to 15%.

39. Imposing excise duty of 15% on materials obtained from breaking up of ships.

40. Exemption from excise duty on:
   (a) diode lasers and excimer lasers;
   (b) all parts of hearing aids falling within Chapter 90 or 85 of CET unconditionally.

41. Reduction in excise duty on mattress supports, articles of bedding, etc. falling under heading No. 94.04 of CET from 30% to 25%.

42. Exemption from excise duty on goods manufactured in factory's workshop and used for repair or maintenance of machinery installed therein.

43. Exemption from excise duty on waste and scrap generated in the manufacture of any exempted goods.

44. Increase in eligibility limit for availing of exemption under Small Scale Duty Exemption (SSI) Scheme from Rs. 2 crores to Rs. 3 crores. This will take effect from1st April, 1995.

45. Simplifying the MODVAT scheme and extending MODVAT scheme to specified equipment, quality control, testing and pollution control equipment.

46. Liberalising the MODVAT scheme so as to permit the MODVAT credit for payment of excise duty on any dutiable articles. This will apply to inputs received on or after 16th March, 1995.

The net effect of the proposals in a year is as shown below :

		(Rs. in lakhs)
(i)	Gain in revenue due to increase in excise duties	(+) 33500
(ii)	Loss in revenue due to reduction in excise duties	(-) 64600
	NET LOSS	**(-) 31100**

SUMMARY

	CENTRE	STATE	TOTAL (Rs. in lakhs)
Basic excise duty	(-) 19736	(-) 16147	(-) 35883
Additional duty on textiles and textile articles	(-) 717		(-) 717
Additional excise duty in lieu of sales tax	(+) 105	(+) 5395	(+) 5500
TOTAL	**(-)20348**	**(-)10752**	**(-)31100**

7

The Finance Act, 1995

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004 / 95

REGISTERED NO. DL-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 52] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1995 / ज्येष्ठ 6, 1917 (शक)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1995/JYAISTHA 6, 1917 (Saka)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

New Delhi, the 27th May, 1995/Jyaistha 6, 1917 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 26th May, 1995, and is hereby published for general information:—

THE FINANCE ACT 1995

No. 22 OF 1995

[26th May, 1995.]

An Act to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1995-96.

BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (*1*) This Act may be called the Finance Act, 1995. Short title and commencement.

(*2*) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 49 shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1995.

CHAPTER II

RATES OF INCOME-TAX

2. (*1*) Subject to the provisions of sub-sections (*2*) and (*3*), for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, income-tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and such tax shall be increased in the cases to which Paragraph E of that Part applies, by a surcharge, calculated in the manner provided therein. Income-tax.

(2) In the cases to which Sub-Paragraph I or Sub-Paragraph II of Paragraph A of Part I of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year, any net agricultural income exceeding six hundred rupees, in addition to total income, and the total income exceeds,—

(i) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, thirty-five thousand rupees, and

(ii) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, eighteen thousand rupees,

then,—

(a) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (b) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after,—

(i) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, the first thirty-five thousand rupees, and

(ii) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, the first eighteen thousand rupees, of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of charging income-tax in respect of the total income; and

(b) the income-tax chargeable shall be calculated as follows:—

(i) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(ii) the net agricultural income shall be increased,—

(A) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, by a sum of thirty-five thousand rupees; and

(B) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, by a sum of eighteen thousand rupees,

and the amount of income-tax shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if the net agricultural income as so increased were the total income;

(iii) the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (i) shall be reduced by the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (ii) and the sum so arrived at shall be the income-tax in respect of the total income.

(3) In cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or sub-section (1A) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the Income-tax Act) apply, the tax chargeable shall be determined as provided in that Chapter or that section, and with reference to the rates imposed by sub-section (1) or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be: 43 of 1961.

Provided that the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of section 112 shall be increased in the case of a domestic company by a surcharge as provided in Paragraph E of Part I of the First Schedule:

Provided further that in respect of any income chargeable to tax under section 115B, or in the case of a domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, under section 115BB, of the Income-tax Act, the income-tax computed shall be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

(4) In cases in which tax has to be deducted under sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D and 195 of the Income-tax Act at the rates in force, the deduction shall be made at the rates specified in Part II of the First Schedule and shall be increased in the cases to which the provisions of sub-item (a) of item 2 of that Part apply, by a surcharge, calculated in the manner provided therein.

(5) In cases in which tax has to be deducted under sections 194C, 194G, 194-I, 194J and 194K of the Income-tax Act, the deduction shall be made at the rates specified in those sections and shall be increased in the case of an assessee, being a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such deduction.

(6) In cases in which tax has to be collected under section 206C of the Income-tax Act, the collection shall be made at the rate specified in that section and shall be increased in the case of a buyer, being a domestic company, by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such collection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (8), in cases in which income-tax has to be calculated under the first proviso to sub-section (5) of section 132 of the Income-tax Act or charged under sub-section (4) of section 172 or sub-section (2) of section 174 or section 175 or sub-section (2) of section 176 of the said Act or deducted under section 192 of the said Act from income chargeable under the head "Salaries" or in which the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act has to be computed, at the rate or rates in force, such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be so calculated, charged, deducted or computed at the rate or rates specified in Part III of the First Schedule and such tax

shall be increased in the cases to which Paragraph E of that Part applies, by a surcharge, calculated in the manner provided therein:

Provided that in cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act apply, "advance tax" shall be computed with reference to the rates imposed by this sub-section or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be:

Provided further that the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of sections 112 and 113 shall be increased in the case of a domestic company by a surcharge as provided in Paragraph E of Part III of the First Schedule:

Provided also that in respect of any income chargeable to tax under section 115B, or in the case of a domestic company, under section 115BB, of the Income-tax Act, having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, the "advance tax" computed under the first proviso shall be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such "advance tax".

(*8*) In the cases to which Sub-Paragraph I or Sub-Paragraph II of Paragraph A of Part III of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year or, if by virtue of any provision of the Income-tax Act, income-tax is to be charged in respect of the income of a period other than the previous year, in such other period, any net agricultural income exceeding six hundred rupees, in addition to total income and the total income exceeds,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, forty thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, eighteen thousand rupees,

then, in calculating income-tax under the first proviso to sub-section (*5*) of section 132 of the Income-tax Act or in charging income-tax under sub-section (*2*) of section 174 or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the said Act or in computing the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act, at the rate or rates in force,—

(*a*) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (*b*) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after,—

(*i*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, the first forty thousand rupees, and

(*ii*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, the first eighteen thousand rupees,

of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of calculating, charging or computing such income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income; and

(*b*) such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be so calculated, charged or computed as follows:—

(*i*) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in Sub-Paragraph I or, as the case may be, Sub-Paragraph II of the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(*ii*) the net agricultural income shall be increased,—

(*A*) in a case to which the said Sub-Paragraph I applies, by a sum of forty thousand rupees; and

(*B*) in a case to which the said Sub-Paragraph II applies, by a sum of eighteen thousand rupees,

and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in the said Sub-Paragraph I or, as the case may be, the said Sub-Paragraph II as if the net agricultural income as so increased were the total income;

(*iii*) the amount of income-tax or "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*i*) shall be reduced by the amount of income-tax or, as the case may be, "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*ii*) and the sum so arrived at shall be the income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income.

(*9*) For the purposes of this section and the First Schedule,—

(*a*) "domestic company" means an Indian company, or any other company which, in respect of its income liable to income-tax under the Income-tax Act for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends (including dividends on preference shares) payable out of such income in accordance with the provisions of section 194 of the Act;

(*b*) "insurance commission" means any remuneration or reward, whether by way of commission or

otherwise, for soliciting or procuring insurance business (including business relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance);

(*c*) "net agricultural income", in relation to a person, means the total amount of agricultural income, from whatever source derived, of that person computed in accordance with the rules contained in Part IV of the First Schedule;

(*d*) all other words and expressions used in this section or in the First Schedule but not defined in this sub-section and defined in the Income-tax Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER III

DIRECT TAXES

Income-tax

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the Income-tax Act, in clause (*42A*), in *Explanation* 1, in clause (*i*), after sub-clause (*e*), the following sub-clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

"(*f*) in the case of a capital asset, being a financial asset, allotted without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, the period shall be reckoned from the date of the allotment of such financial asset;".

Amendment of section 10.

4. In section 10 of the Income-tax Act,—

(*1*) in clause (*10D*), after the words "such policy", the words, brackets, figures and letters "other than any sum received under sub-section (*3*) of section 80DDA" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996;

(*2*) in clause (*14*), with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) in sub-clause (*i*), for the words "as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify", the words "as may be prescribed" shall be substituted;

(*b*) in sub-clause (*ii*), for the words "as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the extent specified in the notification", the words "as may be prescribed and to the extent as may be prescribed" shall be substituted;

(*3*) in clause (*15*), for sub-clause (*v*), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(*v*) interest on—

(*a*) securities held by the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal, in the Reserve Bank's SGL Account No. SL/DH048;

(*b*) deposits for the benefit of the victims of the Bhopal gas leak disaster held in such account, with the Reserve Bank of India or with a public sector bank, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, whether prospectively or retrospectively but in no case earlier than the 1st day of April, 1994 in this behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (*23D*);';

(*4*) for clause (*15A*), the following clause shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'(*15A*) any payment made, by an Indian company engaged in the business of operation of aircraft, to acquire an aircraft or an aircraft engine (other than a payment for providing spares, facilities or services in connection with the operation of leased aircraft) on lease from the Government of a foreign State or a foreign enterprise under an agreement approved by the Central Government in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression "foreign enterprise" means a person who is a non-resident;';

(*5*) after clause (*23AA*), the following clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely :—

"(*23AAA*) any income received by any person on behalf of a fund established, for such purposes as may be notified by the Board in the Official Gazette, for the welfare of employees or their dependants and of which fund such employees are members if such fund fulfills the following conditions, namely :—

(*a*) the fund—

(*i*) applies its income, or accumulates it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established; and

(ii) invests its funds and contributions and other sums received by it in the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11;

(b) the fund is approved by the Commissioner in accordance with the rules made in this behalf:

Provided that any such approval shall at any one time have effect for such assessment year or years not exceeding three assessment years as may be specified in the order of approval;";

(6) in clause (23D), for the portion beginning with the words "any income of such Mutual Fund" and ending with the words "specify in this behalf", the following shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"any income of—

15 of 1992. (i) a Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or regulations made thereunder;

(ii) such other Mutual Fund set up by a public sector bank or a public financial institution or authorised by the Reserve Bank of India and subject to such conditions as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf";

(7) after clause (23E), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'(23F) any income by way of dividends or long-term capital gains of a venture capital fund or a venture capital company from investments made by way of equity shares in a venture capital undertaking:

Provided that such venture capital fund or venture capital company is approved for the purposes of this clause by the prescribed authority in accordance with the rules made in this behalf and satisfies the prescribed conditions:

Provided further that any approval by the prescribed authority shall, at any one time, have effect for such assessment year or years, not exceeding three assessment years, as may be specified in the order of approval:

Provided also that if the aforesaid equity shares are transferred (other than in the event of the said shares being listed in a recognised stock exchange in India) by a venture capital fund or a venture capital company to any person at any time within a period of three years from the date of their acquisition, the aggregate amount of income by way of dividends on such equity shares which has not been included in the total income of the previous year or years preceding the previous year in which such transfer has taken place shall be deemed to be the income of the venture capital fund or of the venture capital company of the previous year in which such transfer has taken place:

Provided also that the exemption shall not be allowed in respect of the long-term capital gains, if any, arising on such transfer of equity shares as is mentioned in the third proviso.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

16 of 1908. (a) "venture capital fund" means such fund, operating under a trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908, established to raise monies by the trustees for investments mainly by way of acquiring equity shares of a venture capital undertaking in accordance with the prescribed guidelines;

(b) "venture capital company" means such company as has made investments by way of acquiring equity shares of venture capital undertakings in accordance with the prescribed guidelines; and

(c) "venture capital undertaking" means such domestic company whose shares are not listed in a recognised stock exchange in India and which is engaged in the manufacture or production of such articles or things (including computer software) as may be notified by the Central Government in this behalf.';

(8) after clause (25), the following clause shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1962, namely:—

34 of 1948. "(25A) any income of the Employees' State Insurance Fund set up under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948;";

(9) after clause (26B), the following clause shall be inserted, namely:—

'(26BB) any income of a corporation established by the Central Government or any State Government for promoting the interests of the members of a minority community.

Explanation.—For the purposes of this clause, "minority community" means a community notified as such by the Central Government in the Official Gazette in this behalf;'.

5. In section 10A of the Income-tax Act, in sub-section (2), after clause (i), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:— Amendment of section 10A.

"(*ia*) in relation to an undertaking which begins to manufacture or produce any article or thing on or after the 1st day of April, 1995, its exports of such articles or things are not less than seventy-five per cent. of the total sales thereof during the previous year;".

Amendment of section 17.

6. In section 17 of the Income-tax Act, in clause (*3*), in sub-clause (*ii*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) after the word, brackets and figures "clause (*12*)", the word, brackets and figures ", clause (*13*)" shall be inserted;

(*b*) the brackets and words "(not being an approved superannuation fund)" shall be omitted.

Amendment of section 32.

7. In section 32 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) the first proviso shall be omitted;

(*b*) in the second proviso, the word "further" shall be omitted;

(*c*) in the third proviso, for the word "also", the word "further" shall be substituted.

Amendment of section 33AC.

8. In section 33AC of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the portion beginning with the words "In the case of an assessee" and ending with the words, brackets and figure "manner laid down in sub-section (*2*):", the following shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'In the case of an assessee, being a Government company or a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of operation of ships, there shall, in accordance with and subject to the provisions of this section, be allowed a deduction of an amount not exceeding fifty per cent. of profits derived from the business of operation of ships (computed under the head "Profits and gains of business or profession" and before making any deduction under this section), as is debited to the profit and loss account of the previous year in respect of which the deduction is to be allowed and credited to a reserve account, to be utilised in the manner laid down in sub-section (*2*):'.

Amendment of section 35CCA.

9. In section 35CCA of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) in clause (*c*), for the word "behalf,", the words "behalf; or" shall be substituted;

(*b*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government in this behalf,".

Amendment of section 36.

10. In section 36 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clause (*viii*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) for the portion beginning with the words "industrial or agricultural development in India" and ending with the words "such reserve account", the following shall be substituted, namely :—

'industrial or agricultural development or development of infrastructure facility in India or by a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes, an amount not exceeding forty per cent. of the profits derived from such business of providing long-term finance (computed under the head "Profits and gains of business or profession" before making any deduction under this section) carried to such reserve account:';

(*b*) in the *Explanation*, after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely :—

'(*d*) "infrastructure facility" shall have the meaning assigned to it in section 80-IA.'.

Amendment of section 40A.

11. In section 40A of the Income-tax Act, in sub-section (*3*), for the words "such expenditure shall not be allowed as a deduction", the words "twenty per cent. of such expenditure shall not be allowed as a deduction" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 43.

12. In section 43 of the Income-tax Act, in clause (*3*), after the words "business or profession", the words "but does not include tea bushes or livestock" shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1962.

Amendment of section 44AB.

13. In section 44AB of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) for the words "obtain before", the words "furnish by" shall be substituted;

(*b*) in the first proviso, the words, figures and letters "section 44AC or" shall be omitted;

(*c*) in the second proviso, for the words "obtains before", the words "furnishes by" shall be substituted.

14. In section 55 of the Income-tax Act, in sub-section (*2*), in clause (*aa*), with effect from the 1st day of April, 1996,— Amendment of section 55.

(*i*) for the portion beginning with the words "in a case where" and ending with the words, brackets, figures and letter "sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*b*)", the following shall be substituted, namely:—

42 of 1956. " in a case where, by virtue of holding a capital asset, being a share or any other security, within the meaning of clause (*h*) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereafter in this clause referred to as the financial asset), the assessee—

(*A*) becomes entitled to subscribe to any additional financial asset; or

(*B*) is allotted any additional financial asset without any payment,

then, subject to the provisions of sub-clauses (*i*) and (*ii*) of clause (*b*)";

(*ii*) after sub-clause (*iii*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*iiia*) in relation to the financial asset allotted to the assessee without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, shall be taken to be *nil* in the case of such assessee;".

15. After section 80DD of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1996, namely :— Insertion of new section 80DDA.

'80DDA. (*1*) In computing the total income of an assessee who is resident in India, being an individual or a Hindu undivided family, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section, an amount not exceeding twenty thousand rupees paid or deposited by him in the previous year, out of his income chargeable to tax, under any scheme framed in this behalf by the Life Insurance Corporation or the Unit Trust of India subject to the conditions specified in sub-section (*2*) and approved by the Board in this behalf. Deduction in respect of deposit made for maintenance of handicapped dependant.

(*2*) The deduction under sub-section (*1*) shall be allowed only if the following conditions are fulfilled, namely :—

(*a*) the scheme referred to in sub-section (*1*) provides for payment of annuity or lump sum amount for the benefit of a handicapped dependant in the event of the death of the individual or the member of the Hindu undivided family in whose name subscription to the scheme has been made;

(*b*) the assessee nominates either the handicapped dependant or any other person or a trust to receive the payment on his behalf, for the benefit of the handicapped dependant.

(*3*) If the handicapped dependant predeceases the individual or the member of the Hindu undivided family referred to in sub-section (*2*), an amount equal to the amount paid or deposited under sub-section (*1*) shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year in which such amount is received by the assessee and shall accordingly be chargeable to tax as the income of that previous year.

(*4*) In this section,—

(*a*) "Government hospital" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to section 80DD;

(*b*) "handicapped dependant" shall mean a person who—

(*i*) is a relative of the individual or, as the case may be, is a member of the Hindu undivided family and is not dependant on any person other than such individual or Hindu undivided family for his support or maintenance; and

(*ii*) is suffering from a permanent physical disability (including blindness) or is subject to mental retardation, being a permanent physical disability or mental retardation specified in the rules made by the Board for the purposes of section 80DD, which is certified by a physician, a surgeon, an oculist or a psychiatrist, as the case may be, working in a Government hospital, and which has the effect of reducing considerably such person's capacity for normal work or engaging in a gainful employment or occupation;

(*c*) "Life Insurance Corporation" shall have the same meaning as in clause (*iii*) of sub-section (*8*) of section 88;

52 of 1963. (*d*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963.'.

16. In section 80G of the Income-tax Act,—

(*a*) in sub-section (*1*), in clause (*i*), after the words, brackets, figures and letter "sub-clause (*iiig*) or", the words, brackets, figures and letter "sub-clause (*iiih*) or" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996; Amendment of section 80G.

(*b*) in sub-section (*2*), in clause (*a*),—

(*i*) after sub-clause (*iiig*), the following sub-clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

'(*iiih*) any Zila Saksharta Samiti constituted in any district under the chairmanship of the Collector of that district for the purposes of improvement of primary education in villages and towns in such district and for literacy and post-literacy activities.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, "town" means a town which has a population not exceeding one lakh according to the last preceding census of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year; or';

(*ii*) after sub-clause (*vi*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*via*) any corporation referred to in clause (*26BB*) of section 10; or";

(*c*) in sub-section (*4*), for the brackets, figures and word "(*vi*) and (*vii*)", the brackets, figures, letter and word "(*vi*), (*via*) and (*vii*)" shall be substituted.

Amendment of section 80GGA.

17. In section 80GGA of the Income-tax Act, in sub-section (*2*), after clause (*d*), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1996, namely:—

"(*e*) any sum paid by the assessee in the previous year to the National Urban Poverty Eradication Fund set up and notified by the Central Government for the purposes of clause (*d*) of sub-section (*1*) of section 35CCA.".

Amendment of section 80HHE.

18. In section 80HHE of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), the proviso shall be omitted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 80-IA.

19. In section 80-IA of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) in sub-section (*1*), for the words and brackets "operation of a ship (such business being hereinafter referred to as the eligible business)", the words and brackets "operation of a ship or developing, maintaining and operating any infrastructure facility (such business being hereinafter referred to as the eligible business)" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*2*), in clause (*iv*), after sub-clause (*c*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) in the case of an industrial undertaking being a small scale industrial undertaking, not specified in sub-clause (*b*) or in sub-clause (*c*), it begins to manufacture or produce articles or things or to operate its cold storage plant at any time during the period beginning on the 1st day of April, 1995 and ending on the 31st day of March, 2000;";

(*c*) after sub-section (*4*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4A*) This section applies to any enterprise carrying on the business of developing, maintaining and operating any infrastructure facility which fulfills all the following conditions, namely:—

(*i*) the enterprise is owned by a company registered in India or by a consortium of such companies;

(*ii*) the enterprise has entered into an agreement with the Central Government or a State Government or a local authority or any other statutory body for developing, maintaining and operating a new infrastructure facility subject to the condition that such infrastructure facility shall be transferred to the Central Government, State Government, local authority or such other statutory body, as the case may be, within the period stipulated in the agreement;

(*iii*) the enterprise starts operating and maintaining the infrastructure facility on or after the 1st day of April, 1995.";

(*d*) in sub-section (*5*),—

(*i*) in clause (*i*), in sub-clause (*a*), after the word, brackets and letter "sub-clause (*a*)", the words, brackets and letter "or sub-clause (*d*)" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*i*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ia*) in the case of an enterprise referred to in sub-section (*4A*), hundred per cent. of the profits and gains derived from such business for the initial five assessment years and thereafter, thirty per cent. of such profits and gains;";

(*e*) in sub-section (*6*), after clause (*iii*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*iv*) any ten consecutive assessment years falling within a period of twelve assessment years beginning with the assessment year in which an assessee begins operating and maintaining infrastructure facility.";

(*f*) in sub-section (*12*), for clause (*c*), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(*c*) "initial assessment year",—

(*1*) in the case of an industrial undertaking or cold storage plant or ship or hotel, means the assessment year relevant to the previous year in which the industrial undertaking begins to manufacture or produce articles or things, or to operate its cold storage plant or olants or the ship is first brought into use or the business of the hotel starts functioning;

(*2*) in the case of an enterprise, carrying on the business of developing, operating and maintaining any infrastructure facility, means the assessment year specified by the assessee at

his option to be the initial year, not falling beyond the twelfth assessment year starting from the previous year in which the enterprise begins operating and maintaining the infrastructure facility;

(*ca*) "infrastructure facility" means a road, highway, bridge, airport, port or rail system or any other public facility of a similar nature as may be notified by the Board in this behalf in the Official Gazette;'.

Amendment of section 80L.

20. In section 80L of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clauses (*1*) and (*2*), for the words "ten thousand", the words "thirteen thousand" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 80U.

21. In section 80U of the Income-tax Act, for the words "twenty thousand rupees", the words "forty thousand rupees" shall be substituted, with effect from the 1st day of April, 1996.

Amendment of section 88.

22. In section 88 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*i*) sub-section (*3*) shall be omitted;

(*ii*) in sub-section (*7*), in clause (*i*), for the words "contract of insurance, before premiums have been paid for two years; or", the following shall be substituted, namely:—

"contract of insurance,—

(*a*) in case of any single premium policy, within two years after the date of commencement of insurance, or

(*b*) in any other case, before premiums have been paid for two years; or".

Amendment of section 112.

23. In section 112 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*i*) the proviso at the end of clause (*b*) shall be omitted;

(*ii*) the *Explanation* at the end shall be omitted.

Insertion of new section 113.

24. After section 112 of the Income-tax Act, the following section shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely :—

Tax in the case of block assessment of search cases.

"113. The total undisclosed income of the block period, determined under section 158BC, shall be chargeable to tax at the rate of sixty per cent.".

Amendment of section 115K.

25. In section 115K of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 1996,—

(*a*) for the words "forty-two thousand rupees", wherever they occur, the words "forty-seven thousand rupees" shall be substituted;

(*b*) for the words "five lakh rupees", at both the places where they occur, the words "six lakh rupees" shall be substituted.

Amendment of section 132.

26. In section 132, in sub-section (*5*), after the words, brackets, figure and letter "or sub-section (*1A*)", the words, figures and letters "as a result of a search initiated or requisition made before the 1st day of July, 1995, " shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 133.

27. In section 133 of the Income-tax Act, in clause (*6*), with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) after the words "will be useful for, or relevant to, any", the words "inquiry or" shall be inserted; and

(*b*) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the power in respect of an inquiry, in a case where no proceeding is pending, shall not be exercised by any income-tax authority below the rank of Director or Commissioner without the prior approval of the Director or, as the case may be, the Commissioner.".

Amendment of section 133A.

28. In section 133A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*a*) in sub-section (*1*),—

(*i*) in clause (*b*), the word "or" shall be inserted at the end;

(*ii*) after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*c*) any place in respect of which he is authorised for the purposes of this section by such income-tax authority, who is assigned the area within which such place is situated or who exercises jurisdiction in respect of any person occupying such place,";

(*b*) in the *Explanation* occurring at the end, in clause (*a*), for the words "a Deputy Commissioner", the words "a Commissioner, a Deputy Commissioner, a Director, a Deputy Director," shall be substituted.

Amendment of section 139.

29. In section 139 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(a) in sub-section (*6A*),—

(*i*) the words, brackets and figures "sub-sections (*1*) and (*3*) of" shall be omitted;

(*ii*) for the words, figures and letters "obtained under section 44AB", the words, figures and letters "referred to in section 44AB, or, where the report has been furnished prior to the furnishing of the return, a copy of such report together with proof of furnishing the report" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*9*), in the *Explanation*, for clause (*bb*), the following clause shall be substituted, namely :—

"(*bb*) the return is accompanied by the report of the audit referred to in section 44AB, or, where the report has been furnished prior to the furnishing of the return, by a copy of such report together with proof of furnishing the report;".

Substitution of new section for section 139A.

30. For section 139A of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

Permanent account number.

'139A. (*1*) Every person,—

(*i*) if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this Act during any previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income-tax; or

(*ii*) carrying on any business or profession whose total sales, turnover or gross receipts are or is likely to exceed fifty thousand rupees in any previous year; or

(*iii*) who is required to furnish a return of income under sub-section (*4A*) of section 139,

and who has not been allotted a permanent account number shall, within such time, as may be prescribed, apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number.

(*2*) The Assessing Officer may also allot to any other person by whom tax is payable, a permanent account number.

(*3*) Any person, not falling under sub-section (*1*) or sub-section (*2*), may apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number and, thereupon, the Assessing Officer shall allot a permanent account number to such person forthwith.

(*4*) For the purpose of allotment of permanent account numbers under the new series, the Board may, by notification in the Official Gazette, specify the date from which the persons referred to in sub-sections (*1*) and (*2*) and other persons who have been allotted permanent account numbers and residing in a place to be specified in such notification, shall, within such time as may be specified, apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number under the new series and upon allotment of such permanent account number to a person, the permanent account number, if any, allotted to him earlier shall cease to have effect:

Provided that the persons to whom permanent account number under the new series has already been allotted shall not apply for such number again.

(*5*) Every person shall—

(*a*) quote such number in all his returns to, or correspondence with, any income-tax authority;

(*b*) quote such number in all challans for the payment of any sum due under this Act;

(*c*) quote such number in all documents pertaining to such transactions as may be prescribed by the Board in the interests of the revenue, and entered into by him:

Provided that the Board may prescribe different dates for different transactions or class of transactions or for different class of persons;

(*d*) intimate the Assessing Officer any change in his address or in the name and nature of his business on the basis of which the permanent account number was allotted to him.

(*6*) Every person receiving any document relating to a transaction prescribed under clause (*c*) of sub-section (*5*) shall ensure that the permanent account number has been duly quoted in the document.

(*7*) No person who has already been allotted a permanent account number under the new series shall apply, obtain or possess another permanent account number.

(*8*) The Board may make rules providing for—

(*a*) the form and the manner in which an application may be made for the allotment of a permanent account number and the particulars which such application shall contain;

(*b*) the categories of transactions in relation to which permanent account numbers shall be quoted by every person in the documents pertaining to such transactions;

(*c*) the categories of documents pertaining to business or profession in which such numbers shall be quoted by every person.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "Assessing Officer" includes an income-tax authority who is assigned the duty of allotting permanent account numbers;

(*b*) "permanent account number" means a number which the Assessing Officer may allot to any person for the purpose of identification and includes a permanent account number allotted under the new series;

(*c*) "permanent account number under the new series" means a permanent account number having ten alphanumeric characters and issued in the form of a laminated card.'.

Substitution of new section for section 145.

31. For section 145 of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1997, namely:—

Method of accounting.

'145. (*1*) Income chargeable under the head "Profits and gains of business or profession" or "Income from other sources" shall, subject to the provisions of sub-section (*2*), be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the assessee.

(*2*) The Central Government may notify in the Official Gazette from time to time accounting standards to be followed by any class of assessees or in respect of any class of income.

(*3*) Where the Assessing Officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, or where the method of accounting provided in sub-section (*1*) or accounting standards as notified under sub-section (*2*), have not been regularly followed by the assessee, the Assessing Officer may make an assessment in the manner provided in section 144.'.

Insertion of new Chapter XIV-B.

32. In the Income-tax Act, after Chapter XIV-A, the following Chapter shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

'CHAPTER XIV-B

SPECIAL PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF SEARCH CASES

Definitions.

158B. In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "block period" means the period of ten previous years preceding the previous year in which the search was conducted under section 132 or any requisition was made under section 132A, and includes, in the previous year in which such search was conducted or requisition made, the period up to the date of the commencement of such search or, as the case may be, the date of such requisition;

(*b*) "undisclosed income" includes any money, bullion, jewellery or other valuable article or thing or any income based on any entry in the books of account or other documents or transactions, where such money, bullion, jewellery, valuable article, thing, entry in the books of account or other document or transaction represents wholly or partly income or property which has not been or would not have been disclosed for the purposes of this Act.

Assessment of undisclosed income as a result of search.

158BA. (*1*) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where after the 30th day of June, 1995 a search is initiated under section 132 or books of account, other documents or any assets are requisitioned under section 132A in the case of any person, then, the Assessing Officer shall proceed to assess the undisclosed income in accordance with the provisions of this Chapter.

(*2*) The total undisclosed income relating to the block period shall be charged to tax, at the rate specified in section 113, as income of the block period irrespective of the previous year or years to which such income relates and irrespective of the fact whether regular assessment for any one or more of the relevant assessment years is pending or not.

(*3*) Where the assessee proves to the satisfaction of the Assessing Officer that any part of income referred to in sub-section (*1*) relates to an assessment year for which the previous year has not ended or the date of filing the return of income under sub-section (*1*) of section 139 for any previous year has not expired, and such income or the transactions relating to such income are recorded on or before the date of the search or requisition in the books of account or other documents maintained in the normal course relating to such previous years, the said income shall not be included in the block period.

Computation of undisclosed income of the block period.

158BB. (*1*) The undisclosed income of the block period shall be the aggregate of the total income of the previous years falling within the block period computed, in accordance with the provisions of Chapter IV, on the basis of evidence found as a result of search or requisition of books of account or documents and such other materials or information as are available with the Assessing Officer, as reduced by the aggregate of the total income, or as the case may be, as increased by the aggregate of the losses of such previous years, determined,—

(*a*) where assessments under section 143 or section 144 or section 147 have been concluded, on the basis of such assessments;

(b) where returns of income have been filed under section 139 or section 147 but assessments have not been made till the date of search or requisition, on the basis of the income disclosed in such returns;

(c) where the due date for filing a return of income has expired but no return of income has been filed, as *nil*;

(d) where the previous year has not ended or the date of filing the return of income under sub-section (1) of section 139 has not expired, on the basis of entries relating to such income or transactions as recorded in the books of account and other documents maintained in the normal course on or before the date of the search or requisition relating to such previous years;

(e) where any order of settlement has been made under sub-section (4) of section 245D, on the basis of such order;

(f) where an assessment of undisclosed income had been made earlier under clause (c) of section 158BC, on the basis of such assessment.

Explanation.—For the purposes of determination of undisclosed income,—

(a) the total income or loss of each previous year shall, for the purpose of aggregation, be taken as the total income or loss computed in accordance with the provisions of Chapter IV without giving effect to set off of brought forward losses under Chapter VI or unabsorbed depreciation under sub-section (2) of section 32;

(b) of a firm, or its partners, the method of computation of undisclosed income and its allocation to the partners shall be in accordance with the method adopted for determining the assessed income or returned income for each of the previous years falling within the block period;

(c) assessment under section 143 includes determination of income under sub-section (1) or sub-section (1B) of section 143.

(2) In computing the undisclosed income of the block period, the provisions of sections 68, 69, 69A, 69B and 69C shall, so far as may be, apply and references to "financial year" in those sections shall be construed as references to the relevant previous year falling in the block period including the previous year ending with the date of search or of the requisition.

(3) The burden of proving to the satisfaction of the Assessing Officer that any undisclosed income had already been disclosed in any return of income filed by the assessee before the commencement of search or of the requisition, as the case may be, shall be on the assessee.

(4) For the purpose of assessment under this Chapter, losses brought forward from the previous year under Chapter VI or unabsorbed depreciation under sub-section (2) of section 32 shall not be set off against the undisclosed income determined in the block assessment under this Chapter, but may be carried forward for being set off in the regular assessments.

Procedure for block assessment.

158BC. Where any search has been conducted under section 132 or books of account, other documents or assets are requisitioned under section 132A, in the case of any person, then,—

(a) the Assessing Officer shall serve a notice to such person requiring him to furnish, within such time, not being less than fifteen days, as may be specified in the notice, a return in the prescribed form and verified in the same manner as a return under clause (i) of sub-section (1) of section 142, setting forth his total income including the undisclosed income for the block period:

Provided that no notice under section 148 is required to be issued for the purposes of proceeding under this Chapter;

(b) the Assessing Officer shall proceed to determine the undisclosed income of the block period in the manner laid down in section 158BB and the provisions of section 142, sub-sections (2) and (3) of section 143 and section 144 shall so far as may be apply;

(c) the Assessing Officer, on determination of the undisclosed income of the block period in accordance with this Chapter, shall pass an order of assessment and determine the tax payable by him on the basis of such assessment;

(d) the assets seized under section 132 or requisitioned under section 132A shall be retained to the extent necessary and the provisions of section 132B shall apply subject to such modifications as may be necessary and the references to "regular assessment" or "reassessment" in section 132B shall be construed as references to "block assessment".

158BD. Where the Assessing Officer is satisfied that any undisclosed income belongs to any person, other than the person with respect to whom search was made under section 132 or whose books of account or other documents or any assets were requisitioned under section 132A, then, the books of account, other documents or assets seized or requisitioned shall be handed over to the Assessing Officer having jurisdiction over such other person and that Assessing Officer shall proceed against such other person and the provisions of this Chapter shall apply accordingly. Undisclosed income of any other person.

158BE. (*1*) The order under section 158BC shall be passed within one year from the end of the month in which the last of the authorisations for search under section 132 or for requisition under section 132A, as the case may be, in the case of an assessee, was executed. Time limit for completion of block assessment.

(*2*) The period of limitation for completion of block assessment in the case of the other person referred to in section 158BD shall be one year from the end of the month in which the notice under this Chapter was served on such other person.

158BF. No interest under the provisions of section 234A, 234B or 234C or penalty under the provisions of clause (*c*) of sub-section (*1*) of section 271 or section 271A or section 271B shall be levied or imposed upon the assessee in respect of the undisclosed income determined in the block assessment. Certain interests and penalties not to be levied or imposed

158BG. The order of assessment for the block period shall be passed by an Assessing Officer not below the rank of an Assistant Commissioner: Authority competent to make the block assessment.

Provided that no such order shall be passed without the previous approval of the Commissioner.

158BH. Save as otherwise provided in this Chapter, all other provisions of this Act shall apply to assessment made under this Chapter.'. Application of other provisions of this Act.

33. In section 194A of the Income-tax Act, in sub-section (*3*), with effect from the 1st day of July, 1995,— Amendment of section 194A.

(*a*) in clause (*i*), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

10 of 1949. 'Provided that in respect of the income credited or paid in respect of time deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or with a co-operative society engaged in carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have effect as if for the words "two thousand five hundred rupees", the words "ten thousand rupees" had been substituted and the aforesaid amount shall be computed with reference to the income credited or paid by a branch of the banking company or the co-operative society, as the case may be;';

(*b*) for clause (*vii*), the following clauses shall be substituted, namely:—

10 of 1949. "(*vii*) to such income credited or paid in respect of deposits (other than time deposits made on or after the 1st day of July, 1995) with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act);

(*viia*) to such income credited or paid in respect of,—

(*a*) deposits with a primary agricultural credit society or a primary credit society or a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank;

(*b*) deposits (other than time deposits made on or after the 1st day of July, 1995) with a co-operative society, other than a co-operative society or bank referred to in sub-clause (*a*), engaged in carrying on the business of banking;";

(*c*) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely:—

'*Explanation*.—For the purposes of clauses (*i*), (*vii*) and (*viia*), "time deposits" means deposits (excluding recurring deposits) repayable on the expiry of fixed periods.'.

34. In section 194C of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,— Amendment of section 194C.

(*i*) in sub-section (*1*),—

3 of 1956. (*a*) in clause (*i*), for the words and figures "University Grants Commission Act, 1956", the words and figures "University Grants Commission Act, 1956; or" shall be substituted;

(*b*) after clause (*i*), the following clause shall be inserted, namely :—

"(*j*) any firm,";

(*c*) for the words "deduct an amount equal to two per cent. of such sum as income-tax on income comprised therein", the following shall be substituted, namely:—

"deduct an amount equal to—

(*i*) one per cent. in case of advertising,

(*ii*) in any other case two per cent.,

of such sum as income-tax on income comprised therein;";

(*ii*) below sub-section (*2*), after *Explanation* II, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

'*Explanation* III.—For the purposes of this section, the expression "work" shall also include—

(*a*) advertising;

(*b*) broadcasting and telecasting including production of programmes for such broadcasting or telecasting;

(*c*) carriage of goods and passengers by any mode of transport other than by railways;

(*d*) catering.';

(*iii*) in sub-section (*3*), in clause (*i*), for the words "ten thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 194-I.

35. In section 194-I of the Income-tax Act, in the opening portion, for the words "deduct income-tax thereon at the rate of twenty per cent.", the following shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"deduct income-tax thereon at the rate of—

(*a*) fifteen per cent. if the payee is an individual or a Hindu undivided family; and

(*b*) twenty per cent. in other cases".

Insertion of new sections 194J and 194K.

36. After section 194-I of the Income-tax Act, the following sections shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

Fees for professional or technical services.

'194J. (*1*) Any person, not being an individual or a Hindu undivided family, who is responsible for paying to a resident any sum by way of—

(*a*) fees for professional services, or

(*b*) fees for technical services,

shall, at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to five per cent. of such sum as income-tax on income comprised therein:

Provided that no deduction shall be made under this section—

(*A*) from any sums as aforesaid credited or paid before the 1st day of July, 1995; or

(*B*) where the amount of such sum or, as the case may be, the aggregate of the amounts of such sums credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the aforesaid person to the account of, or to, the payee, does not exceed—

(*i*) twenty thousand rupees, in the case of fees for professional services referred to in clause (*a*), or

(*ii*) twenty thousand rupees, in the case of fees for technical services referred to in clause (*b*).

(*2*) Where the Assessing Officer is satisfied that the total income of any person in receipt of the sum referred to in sub-section (*1*) justifies the deduction of income-tax at any lower rate or no deduction of income-tax, as the case may be, the Assessing Officer shall, on an application made by that person in this behalf, give to him such certificate as may be appropriate.

(*3*) Where any such certificate is given, the person responsible for paying the sum referred to in sub-section (*1*) shall, until such certificate is cancelled by the Assessing Officer, deduct income-tax at the rates specified in such certificate or deduct no tax, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "professional services" means services rendered by a person in the course of carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or advertising or such other profession as is notified by the Board for the purposes of section 44AA or of this section;

(*b*) "fees for technical services" shall have the same meaning as in *Explanation* 2 to clause (*vii*) of sub-section (*1*) of section 9;

(*c*) where any sum referred to in sub-section (*1*) is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such sum, such crediting shall be deemed to be credit of such sum to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.

Income in respect of units.

194K. (*1*) Where any income is payable to a resident in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (*23D*) of section 10 or of the Unit Trust of India the person responsible for making the payment shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rate of,—

(*a*) twenty per cent., if the payee is a company, and

(*b*) fifteen per cent. in the case of other payees.

(*2*) The provisions of sub-section (*1*) shall not apply—

(*i*) where the amount of such income or, as the case may be, the aggregate of the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the person responsible for making the payment to the account of, or to, the payee does not exceed ten thousand rupees:

Provided that the amount of ten thousand rupees shall be computed with reference to the income credited or paid,—

(*a*) in respect of a branch office of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the case may be, and

(*b*) under a particular scheme under which the units have been issued;

(*ii*) to such income credited or paid before the 1st day of July, 1995;

(*iii*) to such income credited or paid in respect of units issued under such scheme already in operation of the Mutual Fund or of the Unit Trust of India, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf having regard to the plan of payment of income thereunder to the unit-holders; and

(*iv*) to such income credited or paid in respect of units issued under any scheme of the Unit Trust of India to any institution or fund where such income is not liable to inclusion in its total income under the provisions of sections 11 and 12 or clause (*22*) or clause (*22A*) or clause (*23*) or clause (*23AA*) or clause (*23C*) of section 10.

Explanation.—For the purposes of this section,—

52 of 1963. (*a*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963;

(*b*) where any income as aforesaid is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.'.

37. For section 196A of the Income-tax Act, the following section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:— Substitution of new section for section 196A.

'196A. (*1*) Any person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any income in respect of units of a Mutual Fund specified under clause (*23D*) of section 10 or of the Unit Trust of India shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by the issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rate of twenty per cent. Income in respect of units of non-residents.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), no deduction of tax shall be made from any income payable in respect of units of the Unit Trust of India to a non-resident Indian or a non-resident Hindu undivided family, where the units have been acquired from the Unit Trust of India out of the funds in a Non-resident (External) Account maintained with any bank in India or by remittance of funds in foreign currency, in accordance, in either case, with the provisions of the Foreign Exchange
46 of 1973. Regulation Act, 1973, and the rules made thereunder.

Explanation.—For the purposes of this section—

46 of 1973. (*a*) "foreign currency" shall have the meaning assigned to it in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973;

(*b*) "non-resident Indian" shall have the meaning assigned to it in clause (*e*) of section 115C;

(*c*) "Unit Trust of India" means the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963;

52 of 1963. (*d*) where any income as aforesaid is credited to any account, whether called "Suspense account" or by any other name, in the books of account of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly.'.

Amendment of section 197.

38. In section 197 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), after the figures and letter "194-I", the figures and letter ", 194K" shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 197A.

39. In section 197A of the Income-tax Act, for sub-section (*1A*), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"(*1A*) Notwithstanding anything contained in section 194A or section 194K, no deduction of tax shall be made under either of the said sections in the case of a person (not being a company or a firm), if such person furnishes to the person responsible for paying any income of the nature referred to in section 194A or section 194K, as the case may be, a declaration in writing in duplicate in the prescribed form and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his estimated total income of the previous year in which such income is to be included in computing his total income will be *nil*.".

Amendment of sections 198 to 200 and 202 to 205.

40. In sections 198, 199, 200, 202, 203, 203A, 204 and 205 of the Income-tax Act, after the word, figures and letter "section 194-I,", the words, figures and letters "section 194J, section 194K," shall be inserted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 230A.

41. In section 230A of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the words "two lakh rupees", the words "five lakh rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 234B.

42. In section 234B of the Income-tax Act,—

(*i*) in sub-section (*1*), for the words "or regular assessment on an amount", the words "and where a regular assessment is made, to the date of such regular assessment, on an amount" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1989;

(*ii*) in sub-section (*3*), for the words, brackets and figure "or regular assessment referred to in sub-section (*1*)", the words, brackets and figure "and where a regular assessment is made as is referred to in sub-section (*1*) following the date of such regular assessment" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1989.

Amendment of section 245C.

43. In section 245C of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in the proviso, in clause (*b*), for the words "fifty thousand rupees", the words "one hundred thousand rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of section 245D.

44. In section 245D of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), for the second proviso, the following proviso shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995, namely:—

"Provided further that the Commissioner shall furnish the report within a period of forty-five days of the receipt of communication from the Settlement Commission in case of all applications made under section 245C on or after the 1st day of July, 1995 and if the Commissioner fails to furnish the report within the said period, the Settlement Commission may make the order without such report.".

Amendment of section 253.

45. In section 253 of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*i*) in sub-section (*1*), after clause (*a*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*b*) an order passed by an Assessing Officer under clause (*c*) of section 158BC; or";

(*ii*) in sub-section (*3*), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

'Provided that in respect of any appeal under clause (*b*) of sub-section (*1*), this sub-section shall have effect as if for the words "sixty days", the words "thirty days" had been substituted.'.

Amendment of section 269UC.

46. In section 269UC of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995,—

(*i*) in sub-section (*1*), for the words "no transfer of any immovable property of such value exceeding five lakh rupees as may be prescribed", the words "no transfer of any immovable property in such area and of such value exceeding five lakh rupees, as may be prescribed" shall be substituted;

(*ii*) after sub-section (*3*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*4*) Where it is found that the statement referred to in sub-section (*2*) is defective, the appropriate authority may intimate the defect to the parties concerned and give them an opportunity to rectify the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, the appropriate authority may, in its discretion, allow and if the defect is not rectified within the said period of fifteen days or, as the case may be, the further period so allowed, then, not withstanding anything contained in any other provision of this Chapter, the statement shall be deemed never to have been furnished.".

47. In section 269UD of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of July, 1995, in sub-section (*1*), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:— Amendment of section 269UD.

"Provided also that the period of limitation referred to in the second proviso shall be reckoned, where any defect as referred to in sub-section (*4*) of section 269UC has been intimated, with reference to the date of receipt of the rectified statement by the appropriate authority:".

48. In section 271B of the Income-tax Act, for the words, figures, letters and brackets "obtain a report of such audit as required under section 44AB or furnish the said report along with the return of his income filed under sub-section (*1*) of section 139, or along with the return of income furnished in response to a notice under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 142", the words, figures and letters "furnish a report of such audit as required under section 44AB" shall be substituted with effect from the 1st day of July, 1995. Amendment of section 271B.

49. In section 293A of the Income-tax Act,— Amendment of section 293A.

(*a*) in sub-section (*1*), after the words "or in regard to the whole or any part of the income of such class of persons", the following words shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1993, namely:—

"or in regard to the status in which such class of persons or the members thereof are to be assessed on their income from the business referred to in clause (*a*) of sub-section (*2*):

Provided that the notification for modification in respect of the status may be given effect from an assessment year beginning on or after the 1st day of April, 1993.";

(*b*) for *Explanation* occurring at the end, the following *Explanation* shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1993, namely:—

'*Explanation*.—For the purposes of this section,—

(*a*) "mineral oil" includes petroleum and natural gas;

(*b*) "status" means the category under which the assessee is assessed as "individual", "Hindu undivided family" and so on.'.

CHAPTER IV

INDIRECT TAXES

Customs

52 of 1962. 50. In the Customs Act, 1962 (hereinafter referred to as the Customs Act), unless the context otherwise requires, references to any authority specified in column (2) of the Table below shall be substituted by the references to the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table and such consequential changes as the rules of grammar may require shall also be made:— Substitution of new authorities.

TABLE

S. No.	Existing Designation	Substituted Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Collector of Customs	Chief Commissioner of Customs
2.	Collector of Customs	Commissioner of Customs
3.	Collector (Appeals)	Commissioner (Appeals)
4.	Deputy Collector of Customs	Deputy Commissioner of Customs
5.	Assistant Collector of Customs	Assistant Commissioner of Customs.

51. In section 2 of the Customs Act,— Amendment of section 2.

(*i*) in clause (*1*), for the words and brackets "Collector (Appeals)", the words and brackets "Commissioner (Appeals)" shall be substituted;

(*ii*) for clauses (*7A*) and (*8*), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(*7A*) "Commissioner (Appeals)" means a person appointed to be a Commissioner of Customs (Appeals) under sub-section (*1*) of section 4;

(*8*) "Commissioner of Customs", except for the purposes of Chapter XV, includes an Additional Commissioner of Customs;'.

Substitution of new sections for sections 3 and 4.

52. For sections 3 and 4 of the Customs Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Classes of officers of customs.

"3. There shall be the following classes of officers of customs, namely:—

(*a*) Chief Commissioners of Customs;

(*b*) Commissioners of Customs;

(*c*) Commissioners of Customs (Appeals);

(*d*) Deputy Commissioners of Customs;

(*e*) Assistant Commissioners of Customs; and

(*f*) such other class of officers of customs as may be appointed for the purposes of this Act.

Appointment of officers of customs.

4. (*1*) The Central Government may appoint such persons as it thinks fit to be officers of customs.

(*2*) Without prejudice to the provisions of sub-section (*1*), the Central Government may authorise the Board, a Commissioner of Customs or a Deputy or Assistant Commissioner of Customs to appoint officers of customs below the rank of Assistant Commissioner of Customs.".

Amendment of section 20.

53. In section 20 of the Customs Act, the provisos and the *Explanations* shall be omitted.

Amendment of section 27.

54. In section 27 of the Customs Act, in sub-section (*1*), for the words "in such form", the words "in such form and manner" shall be substituted.

Insertion of new section 27A.

55. After section 27 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed refunds.

"27A. If any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 27 to an applicant is not refunded within three months from the date of receipt of application under sub-section (*1*) of that section, there shall be paid to that applicant interest at such rate, not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of three months from the date of receipt of such application till the date of refund of such duty:

Provided that where any duty, ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 27 in respect of an application under sub-section (*1*) of that section made before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.

Explanation.—Where any order of refund is made by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or any court against an order of the Assistant Commissioner of Customs under sub-section (*2*) of section 27, the order passed by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, by the court shall be deemed to be an order passed under that sub-section for the purposes of this section.".

Substitution of new section for section 28.

56. For section 28 of the Customs Act, the following section shall be substituted, namely:—

Notice for payment of duties, interest, etc.

'28. (*1*) When any duty has not been levied or has been short-levied or erroneously refunded, or when any interest payable has not been paid, part paid or erroneously refunded, the proper officer may,—

(*a*) in the case of any import made by any individual for his personal use or by Government or by any educational, research or charitable institution or hospital, within one year;

(*b*) in any other case, within six months,

from the relevant date, serve notice on the person chargeable with the duty or interest which has not been levied or charged or which has been so short-levied or part paid or to whom the refund has erroneously been made, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice:

Provided that where any duty has not been levied or has been short-levied or the interest has not been charged or has been part paid or the duty or interest has been erroneously refunded by reason of collusion or any wilful mis-statement or suppression of facts by the importer or the exporter or the agent or employee of the importer or exporter, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "one year" and "six months", the words "five years" were substituted.

Explanation.—Where the service of the notice is stayed by an order of a court, the period of such stay shall be excluded in computing the aforesaid period of one year or six months or five years, as the case may be.

(*2*) The proper officer, after considering the representation, if any, made by the person on whom notice is served under sub-section (*1*), shall determine the amount of duty or interest due from such person (not being in excess of the amount specified in the notice) and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(3) For the purposes of sub-section (1), the expression "relevant date" means,—

(a) in a case where duty is not levied, or interest is not charged, the date on which the proper officer makes an order for the clearance of the goods;

(b) in a case where duty is provisionally assessed under section 18, the date of adjustment of duty after the final assessment thereof;

(c) in a case where duty or interest has been erroneously refunded, the date of refund;

(d) in any other case, the date of payment of duty or interest.'.

57. After section 28A of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 28AA.

"28AA. Where a person, chargeable with the duty determined under sub-section (2) of section 28, fails to pay such duty within three months from the date of such determination, he shall pay, in addition to the duty, interest at such rate not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum, as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such duty: Interest on delayed payment of duty.

Provided that where a person, chargeable with duty determined under sub-section (2) of section 28 before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, fails to pay such duty within three months from such date, then, such person shall be liable to pay interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of payment of such duty.

Explanation 1.—Where the duty determined to be payable is reduced by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be the date on which an amount of duty is first determined to be payable.

Explanation 2.—Where the duty determined to be payable is increased or further increased by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be,—

(a) for the amount of duty first determined to be payable, the date on which the duty is so determined;

(b) for the amount of increased duty, the date of order by which the increased amount of duty is first determined to be payable;

(c) for the amount of further increase of duty, the date of order on which the duty is so further increased.".

58. In section 45 of the Customs Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 45.

"(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any imported goods are pilferred after unloading thereof in a customs area while in the custody of a person referred to in sub-section (1), that person shall be liable to pay duty on such goods at the rate prevailing on the date of delivery of an import manifest or, as the case may be, an import report to the proper officer under section 30 for the arrival of the conveyance in which the said goods were carried.".

59. In section 47 of the Customs Act, in sub-section (2),— Amendment of section 47.

(a) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the Board is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, by order for reasons to be recorded, waive the whole or part of any interest payable under this section.".

60. In section 74 of the Customs Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 74.

"(3) The Central Government may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this section and, in particular, such rules may—

(a) provide for the manner in which the identity of goods imported in different consignments which are ordinarily stored together in bulk, may be established;

(b) specify the goods which shall be deemed to be not capable of being easily identified; and

(c) provide for the manner and the time within which a claim for payment of drawback is to be filed.".

Amendment of section 75.

61. In section 75 of the Customs Act,—

(*a*) in sub-section (*1*),—

(*i*) for the words "manufactured in India", the words "manufactured, processed or on which any operation has been carried out in India" shall be substituted;

(*ii*) for the words "manufacture of such goods" wherever they occur, the words "manufacture or processing of such goods or carrying out any operation on such goods" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (*1A*), for the words "manufactured in India", the words "manufactured, processed or on which any operation has been carried out in India" shall be substituted;

(*c*) in sub-section (*2*),—

(*i*) for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) for the payment of drawback equal to the amount of duty actually paid on the imported materials used in the manufacture or processing of the goods or carrying out any operation on the goods or as is specified in the rules as the average amount of duty paid on the materials of that class or description used in the manufacture or processing of export goods or carrying out any operation on export goods of that class or description either by manufacturers generally or by persons processing or carrying on any operation generally or by any particular manufacturer or particular person carrying on any process or other operation, and interest, if any, payable thereon;";

(*ii*) in clause (*ab*), after the word, brackets and figure "sub-section (*1*)", the words "or interest chargeable thereon" shall be inserted;

(*iii*) in clause (*c*),—

(*a*) for the word "manufacturer", the words "manufacturer or the person carrying on any process or other operation" shall be substituted;

(*b*) for the word "manufacture", the words "manufacture, process or any other operations carried out" shall be substituted;

(*iv*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*d*) for the manner and the time within which the claim for payment of drawback may be filed;";

(*d*) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*3*) The power to make rules conferred by sub-section (*2*) shall include the power to give drawback with retrospective effect from a date not earlier than the date of changes in the rates of duty on inputs used in the export goods.".

Insertion of new section 75A.

62. After section 75 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on drawback.

"75A. (1) Where any drawback payable to a claimant under section 74 or section 75 is not paid within a period of three months from the date of filing a claim for payment of such drawback, there shall be paid to that claimant in addition to the amount of drawback, interest at the rate fixed under section 27A from the date after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such drawback:

Provided that where any drawback, ordered to be paid under section 74 or section 75 in respect of a claim under any of the said sections filed before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such drawback.

(*2*) Where any drawback has been paid to the claimant erroneously, the claimant shall, within a period of three months from the date of demand, pay in addition to the said amount of drawback, interest at the rate fixed under section 28AA from the date after the expiry of the said period of three months till the date of recovery of such drawback.".

Amendment of section 80.

63. In section 80 of the Customs Act, after the words "on his leaving India", the words "and if for any reason, the passenger is not able to collect the article at the time of his leaving India, the article may be returned to him through any other passenger authorised by him and leaving India or as cargo consigned in his name" shall be inserted.

Insertion of new section 98A.

64. After section 98 of the Customs Act, the following section shall be inserted, namely:—

Power to relax.

"98A. If the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do it may, by notification in the Official Gazette, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the notification, coastal goods or vessels carrying coastal goods from all or any of the provisions of this Chapter.".

65. In section 129C of the Customs Act,— Amendment of section 129C.

(a) in sub-section (2), for the words, brackets and figures "sub-sections (3) and (4)", the word, brackets and figure "sub-section (4)" shall be substituted;

(b) sub-section (3) shall be omitted.

66. In section 142 of the Customs Act, in sub-section (1),— Amendment of section 142.

(a) in the opening portion, for the words "Where any duty demanded from any person or any amount of drawback to be recovered from any person or any penalty payable by any person", the words "Where any sum payable by any person" shall be substituted;

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) if the amount cannot be recovered from such person in the manner provided in clause (a) or clause (b)—

(i) the Assistant Commissioner of Customs may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his business and the said Collector on receipt of such certificate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue; or

(ii) the proper officer may, on an authorisation by a Commissioner of Customs and in accordance with the rules made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus, if any, to such person.".

67. In section 157 of the Customs Act, in sub-section (2), in clause (aa), for the word "form", the words "form and manner" shall be substituted. Amendment of section 157.

68. For section 159 of the Customs Act, the following section shall be substituted, namely:— Substitution of new section for section 159.

Rules, certain notifications and orders to be laid before Parliament.

"159. Every rule or regulation made under this Act, every notification issued under sections 11, 11B, 11H, 11-I, 11K, 11N, 14, 25, 28A, 43, 66, 69, 70, 74, 75, 76, 98, 98A, 101 and 123 and every order made under sub-section (2) of section 25, other than an order relating to goods of strategic, secret, individual or personal nature, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or notification or order, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made or notification or order should not be issued or made, the rule or regulation or notification or order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation or notification or order.".

69. The Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act),— Amendment of Act 51 of 1975.

(a) shall be amended in the manner specified in the Second Schedule; and

(b) shall, with effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, be also amended in the manner specified in the Third Schedule.

Excise

1 of 1944. 70. In the Central Excises and Salt Act, 1944 (hereinafter referred to as the Central Excises Act), unless the context otherwise requires, the references to any authority or authorities specified in column (2) of the Table below shall be substituted by the references to the authority or authorities specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table and such consequential changes as the rules of grammar may require shall also be made:— Substitution of new authorities.

TABLE

S.No.	Existing Designation	Substituted Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Collector of Central Excise	Chief Commissioner of Central Excise
2.	Collector of Central Excise	Commissioner of Central Excise
3.	Collector of Central Excise (Appeals) / Collector (Appeals)	Commissioner of Central Excise (Appeals)/ Commissioner (Appeals)
4.	Deputy Collector of Central Excise	Deputy Commissioner of Central Excise
5.	Assistant Collector of Central Excise	Assistant Commissioner of Central Excise.

Amendment of section 2.

71. In section 2 of the Central Excises Act, for clause (*b*), the following clause shall be substituted, namely:—

'(*b*) "Central Excise Officer" means the Chief Commissioner of Central Excise, Commissioner of Central Excise, Commissioner of Central Excise (Appeals), Additional Commissioner of Central Excise, Deputy Commissioner of Central Excise, Assistant Commissioner of Central Excise or any other officer of the Central Excise Department, or any person (including an officer of the State Government) invested by the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 with any of the powers of a Central Excise Officer under this Act.'. 54 of 1963.

Amendment of section 11A.

72. In section 11A of the Central Excises Act, in sub-section (*3*), in clause (*ii*), for sub-clause (*a*), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) in the case of excisable goods on which duty of excise has not been levied or paid or has been short-levied or short-paid—

(*A*) where under the rules made under this Act a periodical return, showing particulars of the duty paid on the excisable goods removed during the period to which the said return relates, is to be filed by a manufacturer or a producer or a licensee of a warehouse, as the case may be, the date on which such return is so filed;

(*B*) where no periodical return as aforesaid is filed, the last date on which such return is to be filed under the said rules;

(*C*) in any other case, the date on which the duty is to be paid under this Act or the rules made thereunder;".

Insertion of new section 11AA.

73. After section 11A of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed payment of duty.

"11AA. Where a person, chargeable with duty determined under sub-section (*2*) of section 11A, fails to pay such duty within three months from the date of such determination, he shall pay, in addition to the duty, interest at such rate not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such duty:

Provided that where a person chargeable with duty determined under sub-section (*2*) of section 11A before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, fails to pay such duty within three months from such date, then, such person shall be liable to pay interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of payment of such duty.

Explanation 1.—Where the duty determined to be payable is reduced by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be the date on which an amount of duty is first determined to be payable.

Explanation 2.—Where the duty determined to be payable is increased or further increased by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, the court, the date of such determination shall be,—

(*a*) for the amount of duty first determined to be payable, the date on which the duty is so determined;

(*b*) for the amount of increased duty, the date of order by which the increased amount of duty is first determined to be payable;

(*c*) for the amount of further increase of duty, the date of order on which the duty is so further increased.".

Amendment of section 11B.

74. In section 11B of the Central Excises Act, in sub-section (*1*), for the words "in such form", the words "in such form and manner" shall be substituted.

Insertion of new section 11BB.

75. After section 11B of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:—

Interest on delayed refunds.

"11BB. If any duty ordered to be refunded under sub-section (2) of section 11B to any applicant is not refunded within three months from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, there shall be paid to that applicant interest at such rate, not below ten per cent. and not exceeding thirty per cent. per annum as is for the time being fixed by the Board, on such duty from the date immediately after the expiry of three months from the date of receipt of such application till the date of refund of such duty:

Provided that where any duty ordered to be refunded under sub-section (*2*) of section 11B in respect of an application under sub-section (*1*) of that section made before the date on which the Finance Bill, 1995 receives the assent of the President, is not refunded within three months from such date, there shall be paid to the applicant interest under this section from the date immediately after three months from such date, till the date of refund of such duty.

Explanation.—Where any order of refund is made by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or any court against an order of the Assistant Commissioner of Central Excise, under sub-

section (*2*) of section 11B, the order passed by the Commissioner (Appeals), Appellate Tribunal or, as the case may be, by the court shall be deemed to be an order passed under the said sub-section (*2*) for the purposes of this section.".

76. After section 14 of the Central Excises Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 14A.

'14A. (*1*) If at any stage of enquiry, investigation or any other proceedings before him, any Central Excise Officer not below the rank of an Assistant Commissioner of Central Excise, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been correctly declared or determined by a manufacturer or any person, he may, with the previous approval of the Chief Commissioner of Central Excise, direct such manufacturer or such person to get the accounts of his factory, office, depots, distributors or any other place, as may be specified by the said Central Excise Officer, audited by a cost accountant, nominated by the Chief Commissioner of Central Excise in this behalf. Special audit in certain cases.

(*2*) The cost accountant, so nominated shall, within the period specified by the Central Excise Officer, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Central Excise Officer mentioning therein such other particulars as may be specified:

Provided that the Central Excise Officer may, on an application made to him in this behalf by the manufacturer or the person and for any material and sufficient reason, extend the said period by such further period or periods as he thinks fit; so, however, that the aggregate of the period originally fixed and the period or periods so extended shall not, in any case, exceed one hundred and eighty days from the date on which the direction under sub-section (*1*) is received by the manufacturer or the person.

(*3*) The provisions of sub-section (*1*) shall have effect notwithstanding that the accounts of the manufacturer or person aforesaid have been audited under any other law for the time being in force or otherwise.

(*4*) The expenses of, and incidental to, such audit (including the remuneration of the cost accountant) shall be determined by the Chief Commissioner of Central Excise (which determination shall be final) and paid by the manufacturer or person and in default of such payment, shall be recoverable from the manufacturer or the person in the manner provided in section 11 for the recovery of sums due to the Government.

(*5*) The manufacturer or the person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of audit under sub-section (*1*) and proposed to be utilised in any proceedings under this Act or rules made thereunder.

Explanation.—For the purpose of this section, "cost accountant" shall have the meaning assigned to it in clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.'. 23 of 1959.

77. In section 35D of the Central Excises Act, sub-section (*2*) shall be omitted. Amendment of section 35D.

78. In section 37 of the Central Excises Act,— Amendment of section 37.

(*a*) in sub-section (*2*),—

(*i*) in clause (*xvi*), after the words "outside India", the words "including interest thereon" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*xvib*), the following clause shall be inserted, namely :—

"(*xvic*) provide for charging and payment of interest, as the case may be, on credit of duty paid or deemed to have been paid on the goods used in, or in relation to, the manufacture of excisable goods where such credit is varied subsequently;";

(*iii*) in clause (*xxiii*), for the word "form", the words "form and manner" shall be substituted;

(*b*) after sub-section (*2*), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(*2A*) The power to make rules conferred by clause (*xvi*) of sub-section (*2*) shall include the power to give retrospective effect to rebate of duties on inputs used in the export goods from a date not earlier than the changes in the rates of duty on such inputs.".

79. In section 38 of the Central Excises Act, for sub-section (*2*), the following sub-section shall be substituted, namely :— Amendment of section 38.

"(*2*) Every rule made under this Act, every notification issued under sub-section (*1*) of section 5A and section 11C and every order made under sub-section (*2*) of section 5A, other than an order relating to goods of strategic, secret, individual or personal nature, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or order, or both Houses agree that the rule should not be made or notification or order should not be issued or made, the rule or notification or order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be;

so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification or order.".

Amendment of Act 5 of 1986.

80. The Central Excise Tariff Act, 1985 (hereinafter referred to as the Central Excise Tariff Act) shall be amended in the manner specified in the Fourth Schedule.

Amendment of Act 58 of 1957.

81. The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (hereinafter referred to as the Additional Duties of Excise Act) shall be amended in the manner specified in the Fifth Schedule.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Amendment of Act 19 of 1838.

82. In the Coasting Vessels Act, 1838, for the expression "Collector of Sea Customs", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 23 of 1940.

83. In the Drugs and Cosmetics Act, 1940, for the expression "Customs Collector", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 27 of 1940.

84. In the Agricultural Produce Cess Act, 1940,—

(*i*) in section 2, for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*a*) "Commissioner" means a Commissioner of Customs as defined in clause (*8*) of section 2 of the Customs Act, 1962;'; 52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner" shall be substituted.

Amendment of Act 7 of 1942.

85. In the Coffee Act, 1942,—

(*i*) in section 3, for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*c*) "Commissioner" means the Commissioner of Customs as specified in clause (*b*) of section 3 of the Customs Act, 1962;'; 52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner" shall be substituted.

Amendment of Act 29 of 1953.

86. In the Tea Act, 1953,—

(*i*) in section 3, for clause (*d*), the following clause shall be substituted, namely :—

'(*d*) "Commissioner of Customs" means a Commissioner of Customs as specified in clause (*b*) of section 3 of the Customs Act, 1962;'; 52 of 1962.

(*ii*) for the expression "Customs Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 37 of 1954.

87. In the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, for the expression "Customs Collector", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 43 of 1958.

88. In the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, for the expression "Chief Customs Officer", the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 54 of 1959.

89. In the Arms Act, 1959, for the expression "Collector of Customs", wherever it occurs, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Amendment of Act 52 of 1963.

90. In the Unit Trust of India Act, 1963, in section 32, in sub-section (*2*), clauses (*b*) and (*c*) and the proviso shall be omitted with effect from the 1st day of July, 1995.

Amendment of Act 46 of 1973.

91. In the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, for the expressions "Collector of Customs" and "Collector", wherever they occur, the expression "Commissioner of Customs" shall be substituted.

Repeal of Act 38 of 1974.

92. The Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 shall, as from the 1st day of April, 1996, stand repealed.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 2)

PART I

INCOME-TAX

Paragraph A

Sub-Paragraph I

In the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, not being a case to which Sub-Paragraph II of this Paragraph or any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 35,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs. 35,000 but does not exceed Rs. 60,000	20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 35,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 60,000 but does not exceed Rs.1,20,000	Rs. 5,000 *plus* 30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 60,000;
(4) where the total income exceeds Rs. 1,20,000	Rs. 23,000 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.1,20,000.

Sub-Paragraph II

In the case of every Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995 exceeds Rs. 35,000,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 18,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs.18,000 but does not exceed Rs. 1,00,000	30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.18,000;
(3) where the total income exceeds Rs.1,00,000	Rs. 24,600 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.1,00,000.

Paragraph B

In the case of every co-operative society,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 10,000	10 per cent. of the total income;
(2) where the total income exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs. 20,000	Rs. 1,000 *plus* 20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.10,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 20,000	Rs. 3,000 *plus* 35 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 20,000.

Paragraph C

In the case of every firm,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income — 40 per cent.

Paragraph D

In the case of every local authority,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income — 30 per cent.

Paragraph E

In the case of a company,—

Rates of income-tax

I. In the case of a domestic company	40 per cent. of the total income;
II. In the case of a company other than a domestic company,—	
(*i*) on so much of the total income as consists of—	
(*a*) royalties received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976, or	
(*b*) fees for rendering technical services received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976,	
and where such agreement has, in either case, been approved by the Central Government	50 per cent.;
(*ii*) on the balance, if any, of the total income	55 per cent.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Paragraph or section 112 shall, in the case of every domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART II

RATES FOR DEDUCTION OF TAX AT SOURCE IN CERTAIN CASES

In every case in which under the provisions of sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D and 195 of the Income-tax Act, tax is to be deducted at the rates in force, deduction shall be made from the income subject to the deduction at the following rates:—

	Rate of income-tax
1. In the case of a person other than a company—	
(*a*) where the person is resident in India—	
(*i*) on income by way of interest other than "Interest on securities"	10 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on income by way of insurance commission	10 per cent.;
(*v*) on income by way of interest payable on—	10 per cent.;
(*A*) any security of the Central or a State Government	
(*B*) any debentures or other securities for money issued by or on behalf of any local authority or a corporation established by a Central, State or Provincial Act	
(*C*) any debentures issued by a company where such debentures are listed on a recognised stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and any rules made thereunder	
(*vi*) on any other income	20 per cent.;
(*b*) where the person is not resident in India—	
(*i*) in the case of a non-resident Indian—	
(*A*) on investment income and long-term capital gains	20 per cent.;
(*B*) on income by way of dividends and interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;

	Rate of income-tax
(*C*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*D*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*E*) on the whole of other income	income-tax at 30 per cent. of the amount of income or income-tax in respect of the income at the rates prescribed in Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of this Schedule, if such income had been the total income, whichever is higher;
(*ii*) in the case of any other person—	
(*A*) on income by way of dividends, interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;
(*B*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*C*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*D*) on income by way of long-term capital gains	20 per cent.;
(*E*) on the whole of the other income	income-tax at 30 per cent. of the amount of income or income-tax in respect of the income at the rates prescribed in Sub-Paragraph I of Paragraph A of Part III of this Schedule, if such income had been the total income, whichever is higher.
2. In the case of a company—	
(*a*) where the company is a domestic company—	
(*i*) on income by way of interest other than "Interest on securities"	20 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on any other income	21.5 per cent.;
(*b*) where the company is not a domestic company—	
(*i*) on income by way of dividends payable by any domestic company	20 per cent.;
(*ii*) on income by way of winnings from lotteries and crossword puzzles	40 per cent.;
(*iii*) on income by way of winnings from horse races	40 per cent.;
(*iv*) on income by way of interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency	20 per cent.;
(*v*) on income by way of royalty payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1976, where such royalty is in consideration for the transfer of all or any rights (including the granting of a licence) in respect of copyright in any book on a subject referred to in the first proviso to sub-section (*1A*) of section 115A of the Income-tax Act, to the Indian concern, or in respect of any computer software referred to in the second proviso to sub-section (*1A*) of section 115A of the Income-tax Act, to a person resident in India	30 per cent.;
(*vi*) on income by way of royalty [not being royalty of the nature referred to in sub-item (*b*) (*v*)] payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern and where such agreement is with an Indian concern, the agreement is approved by the Central	

	Rate of income-tax
Government or where it relates to a matter included in the industrial policy, for the time being in force, of the Government of India, the agreement is in accordance with that policy—	
(*A*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976	50 per cent.;
(*B*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1976	30 per cent.;
(*vii*) on income by way of fees for technical services payable by Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern and where such agreement is with an Indian concern, the agreement is approved by the Central Government or where it relates to a matter included in the industrial policy, for the time being in force, of the Government of India, the agreement is in accordance with that policy—	
(*A*) where the agreement is made after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976	50 per cent.;
(*B*) where the agreement is made after the 31st day of March, 1976	30 per cent.;
(*viii*) on income by way of long-term capital gains	20 per cent.;
(*ix*) on any other income	55 per cent.

Explanation.—For the purpose of item 1 (*b*) (*i*) of this Part, "investment income" and "non-resident Indian" shall have the meanings assigned to them in Chapter XII-A of the Income-tax Act.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax deducted in accordance with the provisions of sub-item (*a*) of item 2 of this Part shall be increased by a ırcharge, calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART III

RATES FOR CALCULATING OR CHARGING INCOME-TAX IN CERTAIN CASES, DEDUCTING INCOME-TAX FROM INCOME CHARGEABLE UNDER THE HEAD "SALARIES" AND COMPUTING "ADVANCE TAX"

In cases in which income-tax has to be calculated under the first proviso to sub-section (*5*) of section 132 of the Income-tax Act or ıarged under sub-section (*4*) of section 172 or sub-section (*2*) of section 174 or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of e said Act or deducted under section 192 of the said Act from income chargeable under the head "Salaries" or in which the "advance x" payable under Chapter XVII-C of the said Act has to be computed at the rate or rates in force, such income-tax or, as the case ay be, "advance-tax" [not being "advance tax" in respect of any income chargeable to tax under Chapter XII or Chapter XII-A or sub-ction (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act at the rates as specified in that ıapter or section or surcharge on such "advance tax" in respect of any income chargeable to tax under section 115B], shall be lculated, charged, deducted or computed at the following rate or rates:—

Paragraph A

Sub-Paragraph I

In the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated r not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, not being a ase to which Sub-Paragraph II of this Paragraph or any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 40,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs. 40,000 but does not exceed Rs. 60,000	20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 40,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 60,000 but does not exceed Rs.1,20,000	Rs. 4,000 *plus* 30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 60,000;
(4) where the total income exceeds Rs.1,20,000	Rs. 22,000 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 1,20,000.

Sub-Paragraph II

In the case of every Hindu undivided family which at any time during the previous year has at least one member whose total income the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996 exceeds Rs. 40,000,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 18,000	*Nil;*
(2) where the total income exceeds Rs. 18,000 but does not exceed Rs. 1,00,000	30 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 18,000;
(3) where the total income exceeds Rs. 1,00,000	Rs. 24,600 *plus* 40 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs. 1,00,000.

Paragraph B

In the case of every co-operative society,—

Rates of income-tax

(1) where the total income does not exceed Rs. 10,000	10 per cent. of the total income;
(2) where the total income exceeds Rs.10,000 but does not exceed Rs. 20,000	Rs.1,000 *plus* 20 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.10,000;
(3) where the total income exceeds Rs.20,000	Rs. 3,000 *plus* 35 per cent. of the amount by which the total income exceeds Rs.20,000.

Paragraph C

In the case of every firm,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income — 40 per cent.

Paragraph D

In the case of every local authority,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income — 30 per cent.

Paragraph E

In the case of a company,—

Rates of income-tax

I. In the case of a domestic company — 40 per cent. of the total income;

II. In the case of a company other than a domestic company—

(*i*) on so much of the total income as consists of—

(*a*) royalties received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 31st day of March, 1961 but before the 1st day of April, 1976, or

(*b*) fees for rendering technical services received from Government or an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Government or the Indian concern after the 29th day of February, 1964 but before the 1st day of April, 1976,

and where such agreement has, in either case, been approved by the Central Government — 50 per cent.;

(*ii*) on the balance, if any, of the total income — 55 per cent.

Surcharge on income-tax

The amount of income-tax computed in accordance with the provisions of this Paragraph or sections 112 and 113 shall, in the case of every domestic company having a total income exceeding seventy-five thousand rupees, be increased by a surcharge calculated at the rate of fifteen per cent. of such income-tax.

PART IV

[*See* section 2(*9*)(*d*)]

RULES FOR COMPUTATION OF NET AGRICULTURAL INCOME

Rule 1.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*a*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Income from other sources" and the provisions of sections 57 to 59 of that Act shall, so far as may be, apply accordingly:

Provided that sub-section (*2*) of section 58 shall apply subject to the modification that the reference to section 40A therein shall be construed as not including a reference to sub-sections (*3*) and (*4*) of section 40A.

Rule 2.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*b*) or sub-clause (*c*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act [other than income derived from any building required as a dwelling house by the receiver of the rent or revenue of the cultivator or the receiver of rent-in-kind referred to in the said sub-clause (*c*)] shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Profits and gains of business or profession" and the provisions of sections 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 40A [other than sub-sections (*3*) and (*4*) thereof], 41, 43, 43A, 43B and 43C of the Income-tax Act shall, so far as may be, apply accordingly.

Rule 3.—Agricultural income of the nature referred to in sub-clause (*c*) of clause (*1A*) of section 2 of the Income-tax Act, being income derived from any building required as a dwelling house by the receiver of the rent or revenue or the cultivator or the receiver of rent-in-kind referred to in the said sub-clause (c) shall be computed as if it were income chargeable to income-tax under that Act under the head "Income from house property" and the provisions of sections 23 to 27 of that Act shall, so far as may be, apply accordingly.

Rule 4.—Notwithstanding anything contained in any other provisions of these rules, in a case where the assessee derives income from sale of tea grown and manufactured by him in India, such income shall be computed in accordance with rule 8 of the Income-tax Rules, 1962, and sixty per cent. of such income shall be regarded as the agricultural income of the assessee.

Rule 5.—Where the assessee is a member of an association of persons or a body of individuals (other than a Hindu undivided family, a company or a firm) which in the previous year has either no income chargeable to tax under the Income-tax Act or has total income not exceeding the maximum amount not chargeable to tax in the case of an association of persons or a body of individuals (other than a Hindu undivided family, a company or a firm) but has any agricultural income, then, the agricultural income or loss of the association or body shall be computed in accordance with these rules and the share of the assessee in the agricultural income or loss so computed shall be regarded as the agricultural income or loss of the assessee.

Rule 6.—Where the result of the computation for the previous year in respect of any source of agricultural income is a loss, such loss shall be set off against the income of the assessee, if any, for that previous year from any other source of agricultural income:

Provided that where the assessee is a member of an association of persons or a body of individuals and the share of the assessee in the agricultural income of the association or body, as the case may be, is a loss, such loss shall not be set off against any income of the assessee from any other source of agricultural income.

Rule 7.—Any sum payable by the assessee on account of any tax levied by the State Government on the agricultural income shall be deducted in computing the agricultural income.

Rule 8.—(*1*) Where the assessee has, in the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995, any agricultural income and the net result of the computation of the agricultural income of the assessee for any one or more of the previous years relevant to the assessment years commencing on the 1st day of April, 1987 or the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994, is a loss, then, for the purposes of sub-section (*2*) of section 2 of this Act,—

(*i*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1987, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*ii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*iii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*iv*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*v*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*vi*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994,

(*vii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the1st day of April, 1994,

(*viii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994,

shall be set off against the agricultural income of the assessee for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995.

(*2*) Where the assessee has, in the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996 or, if by virtue of any provision of the Income-tax Act, income-tax is to be charged in respect of the income of a period other than that previous year, in such other period, any agricultural income and the net result of the computation of the agricultural income of the assessee for any one or more of the previous years relevant to the assessment years commencing on the 1st day of April, 1988 or the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994, or the 1st day of April, 1995, is a loss, then, for the purposes of sub-section (*8*) of section 2 of this Act,—

(*i*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1988, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989 or the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*ii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1989, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990 or the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*iii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1990, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991 or the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*iv*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1991, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992 or the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st of April, 1995,

(*v*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1992, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993 or the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*vi*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1993, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994 or the 1st day of April, 1995,

(*vii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1994, to the extent, if any, such loss has not been set off against the agricultural income for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995,

(*viii*) the loss so computed for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1995,

shall be set off against the agricultural income of the assessee for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1996.

(*3*) Where any person deriving any agricultural income from any source has been succeeded in such capacity by another person, otherwise than by inheritance, nothing in sub-rule (*1*) or sub-rule (*2*) shall entitle any person, other than the person incurring the loss, to have it set off under sub-rule (*1*) or, as the case may be, sub-rule (*2*).

(*4*) Notwithstanding anything contained in this rule, no loss which has not been determined by the Assessing Officer under the provisions of these rules or the rules contained in Part IV of the First Schedule to the Finance Act, 1987 (11 of 1987), or of the First Schedule to the Finance Act, 1988 (26 of 1988), or of the First Schedule to the Finance Act, 1989 (13 of 1989), or of the First Schedule to the Finance Act, 1990 (12 of 1990), or of the First Schedule to the Finance (No. 2) Act, 1991 (49 of 1991), or of the First Schedule to the Finance Act, 1992 (18 of 1992), or of the First Schedule to the Finance Act, 1993 (38 of 1993), or of the First Schedule to the Finance Act, 1994 (32 of 1994), shall be set off under sub-rule (*1*) or, as the case may be, sub-rule (*2*).

Rule 9.—Where the net result of the computation made in accordance with these rules is a loss, the loss so computed shall be ignored and the net agricultural income shall be deemed to be *nil*.

Rule 10.—The provisions of the Income-tax Act relating to procedure for assessment (including the provisions of section 288A relating to rounding off of income) shall, with the necessary modifications, apply in relation to the computation of the net agricultural income of the assessee as they apply in relation to the assessment of the total income.

Rule 11.—For the purposes of computing the net agricultural income of the assessee, the Assessing Officer shall have the same powers as he has under the Income-tax Act for the purposes of assessment of the total income.

THE SECOND SCHEDULE

[*See* section 69*(a)*]

In the First Schedule to the Customs Tariff Act , —

(1) in Chapter 1, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(2) in Chapter 4, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 0402.10 and 0402. 21), the entry "40%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 0402.10 and 0402. 21, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry *"Nil"* shall be substituted;

(3) in Chapter 8, —

(i) for the entries in column (4) and column (5) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 0802.11,0802.12, 0804.10, 0806.10, 0806.20 and 0809.40), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading No. 0802.11, for the entries in column (4) and column (5), the entries "Rs. 44 per kg." and "Rs.39 per kg." shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading No. 0802.12, for the entries in column (4) and column (5), the entries "Rs.80 per kg." and "Rs.75 per kg." shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading No. 0804.10, for the entries in column (4) and column (5), the entries"40%" and"30%" shall respectively be substituted;

(v) in sub-heading No. 0806.10, for the entries in column (4) and column (5), the entries " 30%" and "20%" shall respectively be substituted;

(vi) in sub-heading No. 0806.20, for the entries in column (4) and column (5), the entries"135%" and "125%" shall respectively be substituted;

(vii) in sub-heading No. 0809.40, for the entries in column (4) and column (5), the entries"30%" and "20%" shall respectively be substituted;

(4) In Chapter 9,—

(i) in sub-heading No. 0903.00, for the entries in column (4) and column (5) , the entries "50%" and " 50% less 26 paise per kg." shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 0904.11, 0904.12, 0906.10, 0906.20 , 0907.00, 0908.10 and 0908.30, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "42.5%" shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 0904.20, 0905.00, 0908.20, 0909.10, 0909.20, 0909.30, 0909.50, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 0910.91 and 0910.99, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry " 50%" shall be substituted;

(iv) in sub-heading Nos. 0909.40 and 0910.40, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(5) in Chapter 11, in sub-heading Nos.1107.10, 1107.20, 1108.11, 1108.12, 1108.13, 1108.14, 1108.19 and 1108.20, for the entry in column (4), occurring against each of them, the entry "30%" shall be substituted;

(6) in Chapter 12, —

(i) in sub-heading Nos.1201.00, 1202.10, 1202.20, 1203.00, 1204.00, 1205.00, 1206.00, 1207.10, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 1207.60, 1207.91, 1207.92 and 1207.99, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 1208.10, 1208.90, 1209.11, 1209.19, 1209.21, 1209.22, 1209.23, 1209.24, 1209.25, 1209.26, 1209.29, 1209.30, 1210.10, 1210.20, 1211.10, 1211.20, 1211.90, 1212.10, 1212.20, 1212.30, 1212.91, 1212.92, 1212.99, 1213.00, 1214.10 and 1214.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 1209.91 and 1209.99, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(7) in Chapter 13,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1301.20), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.1301.20, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(8) in Chapter 15,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.1502.00, 1507.10, 1507.90, 1508.10, 1508.90, 1509.10,1509.90, 1510.00, 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512.21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21, 1513.29, 1514.10, 1514.90, 1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515.29, 1515.30, 1515.40, 1515 .50, 1515.60 and 1515.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 1502.00, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 1507.10 and 1507.90, for the entries in column (4) and column (5), the entries "35%" and "25%" shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading Nos. 1508.10 and 1508.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(v) in sub-heading Nos. 1509.10, 1509.90 and 1510.00, for the entries in column (4) and column(5), the entries "45%" and "35%" shall respectively be substituted;

(vi) in sub-heading Nos. 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512. 21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21 and 1513.29, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(vii) in sub-heading Nos. 1514.10 and 1514.90, for the entries in column (4) and column(5), the entries "35%" and "25%" shall respectively be substituted;

(viii) in sub-heading Nos.1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515. 29, 1515.30, 1515.40, 1515.50, 1515.60 and 1515.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(9) in Chapter '16, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(10) in Chapter 17, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1702.10), the entry "50%" shall be substituted;

(11) in Chapter 18, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(12) in Chapter 19, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 1901.10), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.1901.10, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(13) in Chapter 20, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(14) in Chapter 21, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(15) in Chapter 22, —

(i) in sub-heading Nos. 2201.10, 2201.90, 2202.10, 2202.90 and 2209.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2204.10, 2204.21, 2204.29, 2205.10, 2205.90, 2207.10, 2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50 and 2208.90, for the entries in column (4) occurring against each of them, the entry "290%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading No. 2208.10, for the entry in column (4), the entry "200%" shall be substituted;

(16) in Chapter 23, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 2301.20), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 2301.20, for the entry in column (4), the entry "35%" shall be substituted;

(17) in Chapter 24, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(18) in Chapter 25,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 2503.10, 2504.10, 2504.90, 2510.20 and 2527.00), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 2503.10, for the entry in column (4), the entry "Free" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos .2504.10 and 2504.90, for the entries in column (4) and column(5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(iv) in sub-heading No. 2510.20, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;

(v) in sub-heading No. 2527.00, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(19) in Chapter 26, —

(i) in sub-heading Nos. 2620.11, 2620.19 and 2620.30, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2620.20, 2620.40, 2620.50, 2620.90 and 2621.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(20) in Chapter 28, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(21) in Chapter 29,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 2917.37, 2933.71, 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90, 2937.10, 2937.21, 2937.22, 2937.29, 2937.91, 2937.92, 2937.99, 2939.40, 2939.50, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 and 2941.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 2917.37, 2933.71, 2937.10, 2937.21, 2937.22, 2937.29, 2937.91, 2937.92, 2937.99, 2939.40 and 2939.50, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 and 2941.90, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "44%" shall respectively be substituted;

(22) in Chapter 30 ,—

(i) for the entries in column (4) and column (5) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50 and 3006.60), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50 and 3006.60, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(23) in Chapter 31,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 3102.21, 3102.50, 3104.30, 3105.20, 3105.30, 3105.40, 3105.51, 3105.59, 3105.60 and 3105.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.3102.50, for the entry in column (4), the entry "Free" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 3104.30, 3105.30 and 3105.40, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;

(24) in Chapter 32,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 3201.90), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No.3201.90, for the entries in column (4) and column (5), the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(25) in Chapter 33, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(26) in Chapter 34,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 3402.11, 3402.12, 3402.13 and 3402.19), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3402.11, 3402.12, 3402.13 and 3402.19, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(27) in Chapter 35, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(28) in Chapter 36, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(29) in Chapter 37, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(30) in Chapter 38,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.3801.10, 3802.10, 3812.10, 3815.11 and 3815.12), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 3801.10, 3802.10, 3812.10, 3815.11 and 3815.12, for the entries in column (4) and column (5) occurring against each of them, the entries "50%" and "40%" shall respectively be substituted;

(31) in Chapter 39, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(32) in Chapter 40,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 4011.30), the entry "50%" shall be substituted,

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading No. 4011.30, the entry "3%" shall be substituted;

(33) in Chapter 41,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 4108.00, 4109.00, 4110.00 and 4111.00), the entry "25%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4108.00, 4109.00, 4110.00 and 4111.00, the entry "50%" shall be substituted;

(34) in Chapter 42, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(35) in Chapter 43, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(36) in Chapter 44, —

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except 4403.10, 4403.20, 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34, 4403.35, 4403.91, 4403.92, 4403.99, 4407.92 and 4407.99), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4403.10, 4403.20, 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34, 4403.35, 4403.91, 4403.92 and 4403.99, the entry "25%" shall be substituted;

(iii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4407.92 and 4407.99, the entry "35%" shall be substituted;

(37) in Chapter 45, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "40%" shall be substituted;

(38) in Chapter 46, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(39) in Chapter 47,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93, 4707.10, 4707.20, 4707.30 and 4707.90), the entry "25%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 4706.10, 4706.91, 4706.92, 4706.93, 4707.10, 4707.20, 4707.30 and 4707.90, the entry "40%" shall be substituted;

(40) in Chapter 48, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(41) in Chapter 49, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(42) in Chapter 50, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 5002.00), the entry "50%" shall be substituted;

(43) in Chapter 51, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.5101.11, 5101.19, 5101.21, 5101.29 and 5101.30), the entry "50%" shall be substituted;

(44) in Chapter 52, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 5201.00), the entry "50%" shall be substituted;

(45) in Chapter 53, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(46) in Chapter 54, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(47) in Chapter 55, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(48) in Chapter 56, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(49) in Chapter 57, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(50) in Chapter 58, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(51) in Chapter 59, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(52) in Chapter 60, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(53) in Chapter 61, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(54) in Chapter 62, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(55) in Chapter 63, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(56) in Chapter 64, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(57) in Chapter 65, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(58) in Chapter 66, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(59) in Chapter 67, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(60) in Chapter 68, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(61) in Chapter 69, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(62) in Chapter 70, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(63) in Chapter 71, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(64) in Chapter 75,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 7501.10, 7501.20, 7502.10, 7502.20 and 7503.00), the entry "30%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 7501.10, 7501.20, 7502.10, 7502.20 and 7503.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(65) in Chapter 76, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 7601.10, 7601.20 and 7602.00), the entry "40%" shall be substituted;

(66) in Chapter 78, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.7801.10, 7801.91, 7801.99 and 7802.00), the entry "50%" shall be substituted;

(67) in Chapter 79, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos.7901.11, 7901.12, 7901.20 and 7902.00), the entry "50%" shall be substituted;

(68) in Chapter 81,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8101.10, 8101.91, 8102.10, 8102.91, 8103.10, 8104.11, 8104.19, 8104.20, 8105.10, 8106.00, 8107.10, 8108.10, 8109.10, 8110.00, 8111.00, 8112.11, 8112.20, 8112.30, 8112.40 and 8112.91), the entry "40%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8101.10, 8101.91, 8102.10, 8102.91, 8103.10, 8105.10, 8106.00, 8107.10, 8108.10, 8109.10, 8110.00, 8111.00, 8112.11, 8112.20, 8112.30, 8112.40 and 8112.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "30%" shall be substituted;

(69) in Chapter 82,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8212.10, 8212.20, 8212.90, 8213.00, 8214.10, 8214.20, 8214.90, 8215.10, 8215.20, 8215.91 and 8215.99), the entry "30%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8212.10, 8212.20, 8212.90, 8213.00, 8214.10, 8214.20, 8214.90, 8215.10, 8215.20, 8215.91 and 8215.99, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50%" shall be substituted;

(70) in Chapter 83, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(71) in Chapter 84,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91 and 8482.99 , for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "50% *plus* Rs.200 per kg." shall be substituted;

(72) in Chapter 85, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(73) in Chapter 86, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(74) in Chapter 87, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 8710.00), the entry " 50%" shall be substituted;

(75) in Chapter 88,—

(i) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos.(except sub-heading Nos. 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20 and 8803.30), the entry "50%" shall be substituted;

(ii) for the entry in column (4) occurring against the sub-heading Nos. 8802.20, 8802.30, 8802.40, 8803.10, 8803.20 and 8803.30, the entry "3%" shall be substituted;

(76) in Chapter 89, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos.(except sub-heading No. 8908.00), the entry "50%" shall be substituted;

(77) in Chapter 90, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 9018.11, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.11, 9021.19, 9021.21, 9021.29, 9021.30, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.11, 9022.21 and 9023.00), the entry "50%" shall be substituted;

(78) in Chapter 91, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(79) in Chapter 92, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(80) in Chapter 93, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(81) in Chapter 94, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(82) in Chapter 95, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(83) in Chapter 96, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "50%" shall be substituted;

(84) in Chapter 97, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading Nos. 9704.00 and 9705.00), the entry "50%" shall be substituted;

(85) in Chapter 98,—

(i) in NOTE 4, after clause *(b)*, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(c)* Goods imported through courier service.";

(ii) for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos. (except sub-heading No. 9803.00), the entry "50%" shall be substituted;

(iii) for the entry in column (4) occurring against sub-heading No. 9803.00, the entry "150%" shall be substituted.

[*See* section 69*(b)*]

PART I

In the First Schedule to the Customs Tariff Act,—

(1) in Chapter 2, in heading No. 02.09, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT, AND POULTRY FAT, NOT RENDERED OR OTHERWISE EXTRACTED, FRESH, CHILLED FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED";

(2) in Chapter 3,—

(i) in subheading No. 0301.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(ii) in subheading No. 0302.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(iii) in subheading No. 0302.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, Atlantic salmon *(Salmo salar)* and Danube salmon *(Hucho hucho)*";

(iv) in subheading No. 0303.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, excluding livers and roes";

(v) in subheading No. 0303.21, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Trout *(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)*";

(vi) in subheading No. 0305.41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Pacific salmon *(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)*, Atlantic salmon *(Salmo salar)* and Danube salmon *(Hucho hucho)*";

(3) in Chapter 4,—

(i) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

'2. For the purposes of heading No. 04.05 :

(a) The term "butter" means natural butter, whey butter or recombined butter (fresh, salted or rancid, including canned butter) derived exclusively from milk, with a milkfat content of 80% or more but not more than 95% by weight, a maximum milk solids-not-fat content of 2% by weight and a maximum water content of 16% by weight. Butter does not contain added emulsifiers, but may contain sodium chloride, food colours, neutralising salts and cultures of harmless lactic-acid-producing bacteria.

(b) The expression "dairy spreads" means a spreadable emulsion of the water-in-oil type, containing milkfat as the only fat in the product, with a milkfat content of 39% or more but less than 80% by weight.' ;

(ii) after NOTE 4 as so renumbered, for the SUBHEADING NOTE, the following shall be substituted, namely:—

"SUBHEADING NOTES

1. For the purposes of subheading No. 0404.10, the expression "modified whey" means products consisting of whey constituents, *i.e.*, whey from which all or part of the lactose, proteins or minerals have been removed, whey to which natural whey constituents have been added, and products obtained by mixing natural whey constituents.

2. For the purposes of subheading No. 0405.10, the term "butter" does not include dehydrated butter or ghee (subheading No. 0405.90).";

(4) in Chapter 5, in heading No. 05.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED";

(5) in Chapter 7,—

(i) in NOTE 3, for clauses *(c)* and *(d)*, the following clauses shall be substituted, namely :—

"*(c)* flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes heading No. 11.05);

(d) flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13 (heading No.11.06).";

(*ii*) in heading No. 07.12, subheading No. 0712.10 and the entries relating thereto shall be omitted;

(*iii*) in heading No. 07.14,—

(*a*) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MANIOC, ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT SLICED OR IN THE FORM OF PELLETS; SAGO PITH";

(*b*) in subheading Nos. 0714.10, 0714.20 and 0714.90, for the entry in column (4), the entry "50%" shall be substituted;

(*6*) in Chapter 11,—

(*i*) in NOTE 2, in clause (*A*), the following shall be inserted at the end, namely:—

"However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground is always classified in heading No. 11.04.";

(*ii*) in heading No. 11.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FLOUR, MEAL, POWDER, FLAKES, GRANULES AND PELLETS OF POTATOES";

(*iii*) in subheading No.1105.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" Flour, meal and powder";

(*iv*) in heading No.11.06,—

(*a*) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING No. 07.13, OF SAGO OR OF ROOTS OR TUBERS OF HEADING No. 07.14 OR OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8";

(*b*) in subheading No.1106.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Of the dried leguminous vegetables of heading No. 07.13";

(*c*) in subheading No. 1106.20, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" Of sago or of roots or tubers of heading No. 07.14" ;

(*d*) in subheading No. 1106.30, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

" Of the products of Chapter 8";

(*7*) in Chapter 12, in heading No. 12.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGAR CANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY *CICHORIUM INTYBUS SATIVUM*) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(*8*) in Chapter 13,—

(*i*) in NOTE 1,—

(*a*) for clause (*d*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*d*) Vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages (Chapter 22);";

(*b*) for clause (*h*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*h*) Essential oils, concretes, absolutes, resinoids, extracted oleoresins, aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils or preparations based on odoriferous substances of a kind used for the manufacture of beverages (Chapter 33); or";

(*ii*) in heading 13.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"LAC; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND OLEORESINS (FOR EXAMPLE, BALSAMS)" ;

(*9*) in Chapter 15,—

(*i*) in NOTE 1, in clause (*e*), the words "in an isolated state" shall be omitted;

(*ii*) in heading No. 15.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PIG FAT (INCLUDING LARD) AND POULTRY FAT, OTHER THAN THAT OF HEADING No. 02.09 OR 15.03";

(*iii*) in heading No.15.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 15.03";

(*iv*) heading No. 15.19, sub-heading Nos. 1519.11, 1519.12, 1519.13, 1519.19 and 1519.20 and the entries relating thereto shall be omitted;

(*10*) in Chapter 16, in NOTE 1, for the words and figures "Chapter 2 or 3", the words and figures "Chapter 2 or 3 or heading No. 05.04" shall be substituted;

(11) in Chapter 19,—

(i) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"3. Heading No.19.04 does not cover preparations containing more than 6% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis or coated with chocolate or other food preparations containing cocoa of heading No.18.06 (heading No.18.06).";

(ii) in heading No.19.01, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS NOs. 04.01 TO 04.04, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING LESS THAN 5% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(iii) in heading No. 19.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR CEAREAL PRODUCTS (FOR EXAMPLE, CORN FLAKES); CEREALS [OTHER THAN MAIZE (CORN)] IN GRAIN FORM OR IN THE FORM OF FLAKES OR OTHER WORKED GRAINS (EXCEPT FLOUR AND MEAL), PRECOOKED, OR OTHERWISE PREPARED, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(12) in Chapter 20,—

(i) in heading No. 20.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING NO. 20.06";

(ii) in heading No. 20.05,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 20.06";

(b) subheading No. 2005.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) in heading No. 20.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"VEGETABLES, FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED)";

(13) in Chapter 21,—

(i) in NOTE 1, clause *(f)* shall be omitted and the existing clauses *(g)* and *(h)* shall be renumbered as clauses *(f)* and *(g)* respectively;

(ii) in heading No. 21.06, in subheading No. 2106.90, for the entry in column (4), the entry " 290%" shall be substituted;

(14) in Chapter 22,—

(i) in heading No. 22.06, in column (3), for the words "BEVERAGES NOT ELSEWHERE", the words "BEVERAGES, NOT ELSEWHERE" shall be substituted;

(ii) in heading No.22.08,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 80% VOL; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES";

(b) subheading No. 2208.10 and the entries relating thereto shall be omitted;

(15) in Chapter 25,—

(i) in NOTE 2, in clause *(g)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(ii) in heading No. 25.30, subheading No. 2530.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(16) in Chapter 26,—

(i) in NOTE 1, for clause *(e)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(e)* Waste or scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste or scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal (heading No. 71.12); or";

(ii) in heading No. 26.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING FERRUGINOUS MANGANESE ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20% OR MORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT";

(17) in Chapter 28,—

(i) in NOTE 1, for clause *(d)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(d)* The products mentioned in *(a)*, *(b)* or *(c)* above with an added stabiliser (including an anti-caking agent) necessary for their preservation or transport;";

(ii) in NOTE 3,—

(a) in cluase *(e)*, for the figures "38.23", wherever they occur, the figures "38.24" shall be substituted;

(b) for clause *(g)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(g)* The metals, whether or not pure, metal alloys or cermets, including sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal), of Section XV ; or";

(iii) in heading No. 28.27, subheading No. 2827.37 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) in heading No. 28.35, subheading No. 2835.21 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(v) in heading No. 28.36, subheading No. 2836.93 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(18) in Chapter 29,—

(i) in NOTE 1, for clause *(f)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(f)* The products mentioned in *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)* or *(e)* above with an added stabiliser (including an anti-caking agent) necessary for their preservation or transport;";

(ii) in NOTE 2,—

(a) for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(a)* Goods of heading No.15.04 or crude glycerol of heading No.15.20;" ;

(b) in clause *(ij)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(iii) in NOTE 5,—

(a) in clause *(b)*, the words "or glycerol" shall be omitted;

(b) in clause *(d)*, the words "and glycerol" shall be omitted;

(iv) in heading No. 29.05, subheading No. 2905.21 and the entries relating thereto shall be omitted;

(v) in heading No. 29.33,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOM(S) ONLY" ;

(b) after subheading No. 2933.40 and the entries relating thereto, in column (3), for the words and brackets "*-Compound containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure; nucleic acids and their salts:*", the following words and brackets shall be substituted, namely:—

"*-Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure:*";

(vi) in heading No. 29.34, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS; OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS";

(19) in Chapter 30,—

(i) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

'2. For the purposes of heading No. 30.02, the expression "modified immunological products" applies only to monoclonal antibodies (MABs), antibody fragments, antibody conjugates and antibody fragment conjugates.';

(ii) in NOTE 3 as so renumbered, for the word, figure, brackets and letter "Note 3*(d)*", the word, figure, brackets and letter "Note 4 *(d)*" shall be substituted;

(iii) in heading No. 30.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS" ;

(iv) in subheading No. 3002.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"*-Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes*";

(v) in heading No. 30.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PHARMACEUTICAL GOODS SPECIFIED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER";

(20) in Chapter 31, in NOTE 1, in clause *(c)*, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted ;

(21) in Chapter 32,—

(i) in heading No. 32.01, subheading No. 3201.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in heading No. 32.14, in subheading No. 3214.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings";

(22) in Chapter 33,—

(i) in NOTE 1, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(a)* Natural oleoresins or vegetable extracts of heading No.13.01 or 13.02;";

(ii) NOTES 2 and 3 shall be renumbered as NOTES 3 and 4 respectively, and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"2. The expression "odoriferous substances" in heading No. 33.02 refers only to the substances of heading No. 33.01, to odoriferous constituents isolated from those substances or to synthetic aromatics.";

(iii) in heading No. 33.01, in column (3), after the word "RESINOIDS;" the words "EXTRACTED OLEORESINS;" shall be inserted;

(iv) in heading No.33.02,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES (INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS) WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES";

(b) in subheading No.3302.10, for the entry in column (4), the entry "290%" shall be substituted;

(23) in Chapter 34, in NOTE 5, in clause (a), for the figures "15.16, 15.19 or 34.02", the figures "15.16, 34.02 or 38.23" shall be substituted ;

(24) in chapter 37,—

(i) in NOTE 1, the word "materials" shall be omitted;

(ii) for NOTE 2, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"2. In this Chapter the word "photographic" relates to the process by which visible images are formed, directly or indirectly, by the action of light or other forms of radiation on photosensitive surfaces.";

(iii) in heading No. 37.02,—

(a) after subheading No.3702.20, and the entries relating thereto, in column (3), for the words, "*-Other film, without sprocket holes, of a width not exceeding 105 mm:*", the following words shall be substituted, namely :—

"*-Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm :*" ;

(b) after subheading No. 3702.39, and the entries relating thereto, in column (3), for the words "*-Other film, without sprocket holes, of a width exceeding 105 mm:*", the following words shall be substituted, namely:—

"*- Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm :*";

(25) in Chapter 38,—

(i) in NOTE 1, after clause *(c)*, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(d)* Spent catalysts of a kind used for the extraction of base metals or for the manufacture of chemical compounds of base metals (heading No. 26.20), spent catalysts of a kind used principally for the recovery of precious metal (heading No. 71.12) or catalysts consisting of metals or metal alloys in the form of, for example, finely divided powder or woven gauze (Section XIV or XV)." ;

(ii) in NOTE 2, for the figures "38.23", the figures "38.24" shall be substituted;

(iii) in heading No. 38.06, in subheading No. 3806.20, for the entry in column *(3)*, the following entry shall be substituted, namely :—

" -Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts";

(iv) in heading No.38.22, for the entry in column *(3)*, the following entry shall be substituted, namely:—

" DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS ON A BACKING AND PREPARED DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS WHETHER OR NOT ON A BACKING, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO.30.02 OR 30.06";

(26) in Chapter 39,—

(i) in NOTE 2,—

(a) for clause *(d)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(d)* Solutions (other than collodions) consisting of any of the products specified in headings Nos. 39.01 to 39.13 in volatile organic solvents when the weight of the solvent exceeds 50% of the weight of the solution (heading No. 32.08); stamping foils of heading No. 32.12;";

(b) clauses *(g)* to *(v)* shall be renumbered as clauses *(h)* to *(w)* respectively and before clause *(h)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(g)* Diagnostic or laboratory reagents on a backing of plastics (heading No. 38.22);";

(ii) for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"4. The expression "copolymers" covers all polyners in which no single monomer unit contributes 95% or more by weight to the total polymer content.

For the purposes of this Chapter, except where the context otherwise requires, copolymers (including co-polycondensates, co-polyaddition products, block copolymers and graft copolymers) and polymer blends are to be classified in the heading covering polymers of that comonomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For the purposes of this NOTE, constituent comonomer units of polymers falling in the same heading shall be taken together.

If no single comonomer unit predominates, copolymers or polymer blends, as the case may be, are to be classified in the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.";

(iii) for the SUBHEADING NOTE, the following SUBHEADING NOTE shall be substituted, namely:—

" Within any one heading of this Chapter, polymers (including copolymers) and chemically modified polymers are to be classified according to the following provisions :

(a) Where there is a subheading named "Other" in the same series :

(1) The designation in a subheading of a polymer by the prefix "poly" (e.g., polyethylene and polyamide-6, 6) means that the constituent monomer unit or monomer units of the named polymer taken together must contribute 95% or more by weight of the total polymer content.

(2) The copolymers named in subheading Nos. 3901.30, 3903.20, 3903.30 and 3904.30 are to be classified in those subheadings, provided that the comonomer units of the named copolymers contribute 95% or more by weight of the total polymer content.

(3) Chemically modified polymers are to be classified in the subheading named "Other", provided that the chemically modified polymers are not more specifically covered by another subheading.

(4) Polymers not meeting *(1)*, *(2)* or *(3)* above, are to be classified in the subheading, among the remaining subheadings in the series, covering polymers of that monomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For this purpose, constituent monomer units of polymers falling in the same subheading shall be taken together. Only the constitutent comonomer units of the polymers in the series of subheadings under consideration are to be compared.

(b) Where there is no subheading named "Other" in the same series:

(1) Polymers are to be classified in the subheading covering polymers of that monomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit. For this purpose, constituent monomer units of polymers falling in the same subheading shall be taken together. Only the constituent comonomer units of the polymers in the series under consideration are to be compared.

(2) Chemically modified polymers are to be classified in the subheading appropriate to the unmodified polymer.

Polymer blends are to be classified in the same subheading as polymers of the same monomer units in the same proportions.";

(27) in Chapter 41, in heading No. 41.04, in subheading No. 4104.31, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Full grains and full grain splits";

(28) in Chapter 42, for NOTE 2, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"2. *(A)* In addition to the provisions of Note 1 above, heading No. 42.02 does not cover :

(a) Bags made of sheeting of plastics, whether or not printed, with handles, not designed for prolonged use (heading No.39.23);

(b) Articles of plaiting materials (heading No. 46.02).

(B) Articles of heading Nos. 42.02 and 42.03 which have parts of precious metal or metal clad with precious metal, of natural or cultured pearls, of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) remain classified in those headings even if such parts constitute more than minor fittings or minor ornamentation, provided that these parts do not give the articles their essential character. If, on the other hand, the parts give the articles their essential character, the articles are to be classified in Chapter 71.";

(29) in Chapter 43,—

(i) in NOTE 1, for the word "hair", the words "hair or wool" shall be substituted;

(ii) in NOTE 2, in clause *(b)*, for the word "hair", the words "hair or wool" shall be substituted;

(30) in Chapter 44,—

(i) in NOTE 1, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(b)* Bamboos or other materials of a woody nature of a kind used primarily for plaiting, in the rough, whether or not split, sawn lengthwise or cut to length (heading No. 14.01);";

(ii) for NOTE 6, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"6. Subject to Note 1 above and except where the context otherwise requires, any reference to "wood" in a heading of this Chapter applies also to bamboos and other materials of a woody nature.";

(iii) after NOTE 6, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely:—

'SUBHEADING NOTE

For the purposes of subheading Nos. 4403.41 to 4403.49, 4407.24 to 4407.29, 4408.31 to 4408.39 and 4412.13 to 4412.99, the expression "tropical wood" means one of the following types of wood :

Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makore, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.';

(iv) in heading No. 44.15,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET COLLARS OF WOOD" ;

(b) in subheading No. 4415.20, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars";

(31) in Chapter 46, in NOTE 1, for the words and brackets "strips of other vegetable material (for example, raffia, narrow leaves or strips cut from broad leaves) or bark,", the words and brackets "strips of other vegetable material (for example, strips of bark, narrow leaves and raffia or other strips obtained from broad leaves)," shall be substituted;

(32) in SECTION X, in the title, for the words "WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD", the words and brackets "RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD" shall be substituted;

(33) in Chapter 47,—

(i) in the title, for the words *"Waste and Scrap of paper or Paperboard"*, the words and brackets *"Recovered (waste and scrap) paper or paperboard"* shall be substituted;

(ii) in heading No.47.06, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"PULPS OF FIBRES DERIVED FROM RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL";

(iii) in heading No. 47.07,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD";

(b) in subheading No.4707.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"- Unbleached Kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard";

(c) in subheading No. 4707.20, in column (3), for the words "Of other paper", the words "Other paper" shall be substituted;

(d) in subheading No. 4707.30, in column (3), for the words "Of paper", the word "Paper" shall be substituted;

(34) in Chapter 48,—

(i) in NOTE 1, clauses (f) to (o) shall be renumbered as clauses (g) to (p) respectively and before clause (g) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"*(f)* Paper impregnated with diagnostic or laboratory reagents (heading No. 38.22);";

(ii) in NOTE 2, the words "for example, by coating or impregnation", shall be omitted;

(iii) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"3. In this Chapter the expression "newsprint" means uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 65% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 MPa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m^2 and not more than 65 g/m^2.";

(iv) in NOTE 4,—

(a) the brackets and sign "(*)", wherever they occur, shall be omitted;

(b) the footnote shall be omitted;

(c) in clauses *(d)* and *(e)*, for the figures and letters " 2.5 kPa / g / m^2" the figure and letters "2.5 kPa. m^2 /g" shall be substituted;

(v) for NOTE 6, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"6. Except where the terms of the headings otherwise require, paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres answering to a description in two or more of the heading Nos. 48.01 to 48.11 are to be classified under that one of such headings which occurs last in numerical order in this Schedule.";

(vi) existing NOTE 7 shall be renumbered as NOTE 7(A) and after NOTE 7(A) as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

"7(B). Heading Nos. 48.03 and 48.09 apply only to paper, cellulose wadding and webs of cellulose fibres :

(a) in strips or rolls of a width exceeding 36cm; or

(b) in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.";

(vii) in SUBHEADING NOTE 2, in clause *(a)*, for the figures "38", the figures and letters "3.7 kPa. m^2 /g" shall be substituted;

(viii) in SUBHEADING NOTE 3, for the figures and letters "20 kgf", the figures and word "196 newtons" shall be substituted;

(ix) in SUBHEADING NOTE 4, for the figures "15", the figures and letters "1.47kPa. m^2/g" shall be substituted;

(x) in heading No. 48.03, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIMILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS";

(xi) in heading No.48.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"OTHER UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, NOT FURTHER WORKED OR PROCESSED THAN AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO THIS CHAPTER";

(xii) in heading No. 48.08, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT GLUED FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN PAPER OF THE KIND DESCRIBED IN HEADING No .48.03";

(xiii) in heading No. 48.09, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CARBON PAPER, SELF-COPY PAPER AND OTHER COPYING OR TRANSFER PAPERS (INCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES), WHETHER OR NOT PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS";

(xiv) in heading No. 48.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN GOODS OF THE KIND DESCRIBED IN HEADING No. 48.03, 48.09 OR 48.10";

(xv) in heading No. 48.18, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING TISSUES, TOWELS, TABLECLOTHES, SERVIETTES, NAPKINS FOR BABIES, TAMPONS, BED SHEETS AND SIMILAR HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES";

(xvi) in heading No. 48.23, subheading No. 4823.30 and the entries relating thereto shall be omitted;

(35) in SECTION XI,—

(i) in NOTE 1,—

(a) for clause *(e)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(e)* Articles of heading No. 30.05 or 30.06 (for example, wadding, gauze, bandages and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary purposes, sterile surgical suture materials); yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages, of heading No. 33.06;" ;

(b) in clause *(s)*, the word "or" occurring at the end shall be omitted;

(c) after clause *(t)* the following clauses shall be inserted, namely:—

"*(u)* Articles of Chapter 96 (for example, brushes, travel sets for sewing, slide fasteners and typewriter ribbons); or

(v) Artilces of Chapter 97." ;

(ii) in NOTE 5, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* Dressed for use as sewing thread; and" ;

(iii) in NOTE 7, for clause *(f)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(f)* Knitted or crocheted to shape, whether presented as separate items or in the form of a number of items in the length.";

(iv) for NOTE 8, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"8. For the purposes of Chapters 50 to 60 :

(a) Chapters 50 to 55 and 60 and, except where the context otherwise requires, Chapters 56 to 59 do not apply to goods made up within the meaning of Note 7 above; and

(b) Chapters 50 to 55 and 60 do not apply to goods of Chapters 56 to 59.";

(v) in NOTE 13, the following shall be inserted at the end, namely:—

"For the purposes of this Note, the expression "textile garments" means garments of heading Nos. 61.01 to 61.14 and heading Nos. 62.01 to 62.11.';

(vi) in SUBHEADING NOTE 2, in clause *(B)*, for sub- clause *(c)*, the following sub- clause shall be substituted, namely:—

"*(c)* in the case of embroidery of heading No. 58.10 and goods thereof, only the ground fabric shall be taken into account. However, embroidery without visible ground, and goods thereof, shall be classified with reference to the embroidering threads alone." ;

(36) in Chapter 52, for SUBHEADING NOTE, the following SUBHEADING NOTE shall be substituted, namely :—

'For the purposes of subheading Nos. 5209.42 and 5211.42, the expression "denim" means fabrics of yarns of different colours, of 3-thread or 4-thread twill, including broken twill, warp faced, the warp yarns of which are of one and the same colour and the weft yarns of which are unbleached, bleached, dyed grey or coloured a lighter shade of the colour of the warp yarns.';

(37) in Chapter 58, in heading No. 58.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TULLES AND OTHER NET FABRICS, NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS; LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 60.02" ;

(38) in Chapter 59,—

(i) in NOTE 4, for clauses *(c)* and *(d)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(c)* Fabrics composed of parallel textile yarns agglomerated with rubber, irrespective of their weight per square metre.

This heading does not, however, apply to plates, sheets or strip of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric is present merely for reinforcing purposes (Chapter 40), or textile products of heading No. 58.11.";

(ii) in NOTE 7, in clause *(a)*, for sub-clause *(i)*, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"*(i)* Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams);" ;

(iii) in heading No. 59.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OR REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL" ;

(iv) in heading No. 59.11, in subheading No. 5911.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams)" ;

(39) in Chapter 61,—

(i) in NOTE 3, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

'*(a)* The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and comprising :

-one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front is made from the same fabric as the outer surface of the other components of the set and whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or jacket; and

-one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.

All of the components of a "suit" must be of the same farbic construction, colour and composition; they must also be of the same style and of corresponding or compatible size. However, these components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a different fabric.

If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above conditions :

-morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back and striped trousers;

-evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;

-dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels.';

(ii) NOTES 5 to 9 shall be renumbered as NOTES 6 to 10 respectively and before NOTE 6 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"5. Heading No. 61.09 does not cover garments with a drawstring, ribbed waistband or otner means of tightening at the bottom of the garment.";

(iii) in heading No. 61.16, in subheading No. 6116.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Impregnated, coated or covered with plastics or rubber";

(40) in Chapter 62, in NOTE 3, for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

'*(a)* The term "suit" means a set of garments composed of two or three pieces made up, in respect of their outer surface, in identical fabric and comprising :

-one suit coat or jacket the outer shell of which, exclusive of sleeves, consists of four or more panels, designed to cover the upper part of the body, possibly with a tailored waistcoat in addition whose front is made from the same fabric as the outer surface of the other components of the set and whose back is made from the same fabric as the lining of the suit coat or jacket; and

-one garment designed to cover the lower part of the body and consisting of trousers, breeches or shorts (other than swimwear), a skirt or a divided skirt, having neither braces nor bibs.

All of the components of a "suit" must be of the same fabric construction, colour and composition; they must also be of the same style and of corresponding or compatible size. However, these components may have piping (a strip of fabric sewn into the seam) in a different fabric.

If several separate components to cover the lower part of the body are presented together (for example, two pairs of trousers or trousers and shorts, or a skirt or divided skirt and trousers), the constituent lower part shall be one pair of trousers or, in the case of women's or girls' suits, the skirt or divided skirt, the other garments being considered separately.

The term "suit" includes the following sets of garments, whether or not they fulfil all the above conditions :

-morning dress, comprising a plain jacket (cutaway) with rounded tails hanging well down at the back and striped trousers;

-evening dress (tailcoat), generally made of black fabric, the jacket of which is relatively short at the front, does not close and has narrow skirts cut in at the hips and hanging down behind;

-dinner jacket suits, in which the jacket is similar in style to an ordinary jacket (though perhaps revealing more of the shirt front), but has shiny silk or imitation silk lapels." ;

(41) in Chapter 64, —

(i) in NOTE 1,—

(a) for clause *(a)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(a)* Disposable foot or shoe coverings of flimsy material (for example, paper, sheeting of plastics) without applied soles. These products are classified according to their constituent material;" ;

(b) clauses *(b)* to *(e)* shall be renumbered as clauses *(c)* to *(f)* respectively and before clause *(c)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(b)* Footwear of textile material, without an outer sole glued, sewn or otherwise affixed or applied to the upper (Section XI);";

(ii) for NOTES 2 and 3, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"2. For the purposes of heading No. 64.06, the term "parts" does not include pegs, protectors, eyelets, hooks, buckles, ornaments, braid, laces, pompons or other trimmings (which are to be classified in their appropriate headings) or buttons or other goods of heading No. 96.06.

3. For the purposes of this Chapter :

(a) the terms "rubber" and "plastics" include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour; and

(b) the term "leather" refers to the goods of heading Nos. 41.04 to 41.09." ;

(iii) in SUBHEADING NOTE,—

(a) in opening sentence, for the figures "6402.11" and "6403.11", for the figures "6402.12" and "6403.12" shall respectively be substituted;

(b) for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* skating boots, ski-boots and cross-country ski footwear, snowboard boots, wrestling boots, boxing boots and cycling shoes.";

(42) in Chapter 68, —

(i) in heading No. 68.10, subheading No. 6810.20 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(ii) in heading No. 68.15, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING CARBON FIBRES, ARTICLES OF CARBON FIBRES AND ARTICLES OF PEAT), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED";

(43) in Chapter 69,—

(i) in NOTE 2, clauses *(b)* to *(l)* shall be renumbered as clauses *(c)* to *(m)* respectively, and before clause *(c)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(b)* Articles of heading No. 68.04;" ;

(ii) in heading No. 69.03, in subheading No. 6903.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Containing by weight more than 50% of graphite or other carbon or of a mixture of these products";

(44) in Chapter 70,—

(i) in NOTE 2, for clause *(c)*, the following clause shall be substituted, namely:—

'*(c)* the expression "absorbent, reflecting or non-reflecting layer" means a microscopically thin coating of metal or of a chemical compound (for example, metal oxide) which absorbs, for example, infra-red light or improves the reflecting qualities of the glass while still allowing it to retain a degree of transparency or translucency; or which prevents light from being reflected on the surface of the glass.';

(ii) in heading No. 70.03, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CAST GLASS AND ROLLED GLASS, IN SHEETS OR PROFILES, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(iii) in heading No. 70.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"DRAWN GLASS AND BLOWN GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(iv) in heading No. 70.05,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED";

(b) in subheading No. 7005.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non- reflecting layer";

(45) in Chapter 71,—

(i) in NOTE 3,—

(a) clauses *(d)* to *(o)* shall be renumbered as clauses *(e)* to *(p)* respectively and before clause *(e)* as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"*(d)* Supported catalysts (heading No .38.15);" ;

(b) for clause *(e)* as so renumbered, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(e)* Articles of heading No. 42.02 or 42.03 referred to in Note 2 *(B)* to Chapter 42;";

(ii) NOTES 8, 9 and 10 shall be renumbered as NOTES 9, 10 and 11 respectively and before NOTE 9 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"8. Subject to Note 1 *(a)* to Section VI, goods answering to a description in heading No. 71.12 are to be classified in that heading and in no other heading of this Schedule.";

(iii) in NOTE 11 as so renumbered, for the word and figure "NOTE 8", the word and figure " NOTE 9" shall be substituted ;

(iv) in heading No. 71.01, in column (3), the word "UNGRADED" shall be omitted ;

(v) in heading No. 71.12, for the entry in column (3), the following entry shall be substitutted, namely :—

"WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL; OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METAL";

(46) in SECTION XV,—

(i) NOTES 3 to 6 shall be renumbered as NOTES 5 to 8 respectively and before NOTE 5 as so renumbered, the following NOTES shall be inserted, namely :—

'3. Throughout this Schedule, the expression "base metals" means : iron and steel, copper, nickel, aluminium, lead, zinc, tin, tungsten (wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, cadmium, titanium, zirconium, antimony, manganese, beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium.

4. Throughout this Schedule, the term "cermets" means products containing a microscopic heterogeneous combination of a metallic component and a ceramic component. The term "cermets" includes sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal).';

(ii) in NOTE 6 as so renumbered and in clause *(b)* of NOTE 7 as so renumbered, for the word and figure "NOTE 3", the word and figure "NOTE 5" shall be substituted ;

(47) in Chapter 72,—

(i) in NOTE 1, for clauses *(l)* and *(m)*, the following clauses shall be substituted, namely:—

'*(l) Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils*

Hot-rolled products in irregularly wound coils, which have a solid cross-section in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods).

(m) Other bars and rods

Products which do not conform to any of the definitions at *(ij)*, *(k)* o r *(l)* above or to the definition of wire, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel. These products may :

-have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods);

-be twisted after rolling.';

(ii) in SUBHEADING NOTE 1, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"*(e) Silico manganese steel*

Alloy steels containing by weight :

-not more than 0.7% of carbon,

-0.5% or more but not more than 1.9% of manganese, and

-0.6% or more but not more than 2.3% of silicon, but no other element in a proportion that would give the steel the characteristics of another alloy steel." ;

(48) in Chapter 73, in heading No. 73.05, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"OTHER TUBES AND PIPES (FOR EXAMPLE, WELDED, RIVETED OR SIMILARLY CLOSED), HAVING CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON OR STEEL" ;

(49) in Chapter 75, after the NOTE ,—

(i) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(ii) the existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 1 thereof, and after SUBHEADING NOTE 1, as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

'2 Notwithstanding the provisions of Chapter Note 1 *(c)*, for the purposes of subheading No. 7508.10, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.';

(50) in Chapter 76, after the NOTE,—

(i) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(ii) the existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 1 thereof, and after SUBHEADING NOTE 1 as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

'2 Notwithstanding the provisions of Chapter Note 1 *(c)*, for the purposes of subheading No. 7616.91, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.';

(51) in Chapter 82, in heading No. 82.09, in column (3), the words "SINTERED METAL CARBIDES OR" shall be omitted.

(52) in SECTION XVI,—

(i) in NOTE 1, in clause *(o)*, for the words and figures "of heading No. 96.03", the brackets, words and figures "(heading No. 96.03)" shall be substituted;

(ii) in NOTE 2,—

(a) in clause *(a)*, for the brackets, words and figures "(other than heading Nos. 84.85 and 85.48)", the brackets, words and figures "(other than heading Nos. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 and 85.48)" shall be substituted ;

(b) in clause *(b)*, for the words "of that kind", the words and figures "of that kind or in heading No. 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 or 85.38 as appropriate" shall be substituted ;

(c) for clause *(c)*, the following clause shall be substituted, namely:—

"*(c)* All other parts are to be classified in heading No .84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 or 85.38 as appropriate or, failing that, in heading No. 84.85 or 85.48.";

(53) in Chapter 84,—

(i) in NOTE 1, for clause *(b)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"*(b)* Machinery or appliances (for example, pumps) of ceramic material and ceramic parts of machinery or appliances of any material (Chapter 69);" ;

(ii) In NOTE 2, the following shall be inserted at the end, namely :—

"Heading No. 84.24 does not cover :

Ink-jet printing machines (heading No.84.43 or 84.71)." ;

(iii) for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"4. Heading No. 84.57 applies only to machine-tools for working metal, other than lathes (including turning centres), which can carry out different types of machining operations either :

(a) by automatic tool change from a magazine or the like in conformity with a machining programme (machining centres),

(b) by the automatic use, simultaneously or sequentially, of different unit heads working on a fixed position workpiece (unit construction machines, single station), or

(c) by the automatic transfer of the workpiece to different unit heads (multi-station transfer machines).";

(iv) in NOTE 5, for clause (B) and the portion beginning with the words "Heading No." and ending with the words "in residual headings", the following clauses shall be substituted, namely:—

"(B) Automatic data processing machines may be in the form of systems consisting of a variable number of separate units. Subject to paragraph (E) below, a unit is to be regarded as being a part of a complete system if it meets all of the following conditions:

(a) It is of a kind solely or principally used in an automatic data processing system;

(b) It is connectable to the central processing unit either directly or through one or more other units; and

(c) It is able to accept or deliver data in a form (codes or signals) which can be used by the system.

(C) Separately presented units of an automatic data processing machine are to be classified in heading No. 84.71

(D) Printers, keyboards, X-Y co-ordinate input devices and disk storage units which satisfy the conditions of paragraphs (B) (b) and (B) (c) above, are in all cases to be classified as units of heading No.84.71.

(E) Machines performing a specific function other than data processing and incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine are to be classified in the headings appropriate to their respective functions or, failing that, in residual headings." ;

(v) after NOTE 7, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"8. For the purposes of heading No.84.70, the term "pocket-size" applies only to machines the dimensions of which do not exceed 170 mm.x 100 mm. x 45 mm.";

(vi) after NOTE 8, as so inserted,—

(a) for the words "SUBHEADING NOTE", the words "SUBHEADING NOTES" shall be substituted ;

(b) existing SUBHEADING NOTE shall be numbered as SUBHEADING NOTE 2 thereof and before SUBHEADING NOTE 2 as so numbered, the following SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

"1. For the purposes of Subheading No.8471.49, the term "systems" means automatic data processing machines whose units satisfy the conditions laid down in NOTE 5 (B) to Chapter 84 and which comprise at least a central processing unit, one input unit (for example, a keyboard or a scanner), and one output unit (for example, a visual display unit or a printer)." ;

(vii) in heading No.84.22,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"DISH WASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR CONTAINERS; OTHER PACKING OR WRAPPING MACHINERY (INCLUDING HEAT-SHRINK WRAPPING MACHINERY); MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES" ;

(b) in subheading No. 8422.30, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Machinery for filling, closing, sealing, or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; machinery for aerating beverages";

(c) in subheading No.8422.40, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"-Other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery)" ;

(viii) in heading No. 84.43, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PRINTING MACHINERY, INCLUDING INK-JET PRINTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO.84.71; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING" ;

(ix) in heading No. 84.58, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"LATHES (INCLUDING TURNING CENTRES) FOR REMOVING METAL";

(x) in heading No.84.59, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"MACHINE-TOOLS (INCLUDING WAY-TYPE UNIT HEAD MACHINES) FOR DRILLING, BORING, MILLING, THREADING OR TAPPING BY REMOVING METAL, OTHER THAN LATHES (INCLUDING TURNING CENTRES) OF HEADING NO.84.58";

(xi) in heading No. 84.60, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted ;

(xii) in heading No. 84.61, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted;

(xiii) in heading No. 84.63, in column (3), the words ", SINTERED METAL CARBIDES" shall be omitted;

(xiv) in heading No. 84.67, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC, HYDRAULIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR";

(xv) in heading No. 84.70,—

(a) for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"CALCULATING MACHINES AND POCKET-SIZE DATA RECORDING, REPRODUCING AND DISPLAYING MACHINES WITH CALCULATING FUNCTIONS; ACCOUNTING MACHINES, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING DEVICE; CASH REGISTERS";

(b) in subheading No. 8470.10, in column (3), for the words "external source of power", the words "external source of electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions" shall be substituted ;

(xvi) in heading No. 84.83,—

(a) in column (3), for the words "BALL SCREWS", the words "BALL OR ROLLER SCREWS" shall be substituted ;

(b) in subheading No. 8483.40, in column (3), for the words "ball screws", the words "ball or roller screws" shall be substituted;

(xvii) in heading No. 84.84, in column (3), for the words "SIMILAR PACKINGS", the words "SIMILAR PACKINGS; MECHANICAL SEALS" shall be substituted;

(54) in Chapter 85,—

(i) in NOTE 4, for the portion beginning with the words "The term" and ending with the words "connecting elements", the following shall be substituted, namely :—

"The expression "printed circuits" does not cover circuits combined with elements other than those obtained during the printing process, nor does it cover individual, discreet resistors, capacitors or inductances. Printed circuits may, however, be fitted with non-printed connecting elements.";

(ii) after NOTE 6, the following NOTE and SUBHEADING NOTE shall be inserted, namely :—

"7. For the purposes of heading No.85.48, "spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators" are those which are neither usable as such because of breakage, cutting-up, wear or other reasons, nor capable of being recharged.

SUBHEADING NOTE

Subheading Nos. 8519.92 and 8527.12 cover only cassette-players with built-in amplifier, without built-in loudspeaker, capable of operating without an external source of electric power and the dimensions of which do not exceed 170 mm x 100 mm x 45 mm.";

(iii) in heading No.85.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"SHAVERS, HAIR CLIPPERS AND HAIR-REMOVING APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR";

(iv) in heading No.85.15, in column (3), for the words "SINTERED METAL CARBIDES", the word "CERMETS" shall be substituted;

(v) in heading No.85.22, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE APPARATUS OF HEADING Nos. 85.19 TO 85.21";

(vi) in heading No.85.25, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS";

(vii) in heading No.85.37, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF HEADING No. 85.35 OR 85.36, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCLUDING THOSE INCORPORATING INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, AND NUMERICAL CONTROL APPARATUS, OTHER THAN SWITCHING APPARATUS OF HEADING No. 85.17";

(55) in SECTION XVII, for NOTE 4, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"4. For the purposes of this Section :

(a) Vehicles specially constructed to travel on both road and rail are classified under the appropriate heading of Chapter 87;

(b) Amphibious motor vehicles are classified under the appropriate heading of Chapter 87;

(c) Aircraft specially constructed so that they can also be used as road vehicles are classified under the appropriate heading of Chapter 88.";

(56) in Chapter 87, in NOTE 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"Machines and working tools designed for fitting to tractors of heading No. 87.01 as interchangeable equipment remain classified in their respective headings even if presented with the tractor, and whether or not mounted on it.";

(57) in Chapter 88,—

(i) after the title of the Chapter, the following shall be inserted, namely :—

'SUBHEADING NOTE

For the purposes of subheading Nos. 8802.11 to 8802.40, the expression "unladen weight" means the weight of the machine in normal flying order, excluding the weight of the crew and of fuel and equipment other than permanently fitted items of equipment.';

(ii) in heading No. 88.02, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"OTHER AIRCRAFT (FOR EXAMPLE, HELICOPTERS, AEROPLANES); SPACECRAFT (INCLUDING SATELLITES) AND SUBORBITAL AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES";

(iii) in heading No. 88.04, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"PARACHUTES (INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES AND PARAGLIDERS) AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO" ;

(58) in Chapter 90, —

(i) in NOTE 1, in clause (h), for the words, brackets and figures "sound heads (heading No. 85.22);", the words, brackets and figures "sound heads (heading No. 85.22); still image video camera and other video camera recorders (heading No. 85.25);" shall be substituted;

(ii) in heading No. 90.10, in column (3), for the words "APPARATUS FOR THE PROJECTION", the words "APPARATUS FOR THE PROJECTION OR DRAWING" shall be substituted ;

(iii) in heading No. 90.25, subheading No. 9025.20 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(59) in Chapter 91,—

(i) in heading No. 91.01,—

(a) in the portion occurring immediately after heading No. 91.01, in column (3), for the words "*-Wrist-watches, battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop - watch facility:*", the following words shall be substituted, namely:—

"*-Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility:*" ;

(b) in subheading No. 9101.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-- Electrically operated";

(ii) in heading No. 91.02, —

(a) in the portion occurring immediately after heading No. 91.02, in column (3), for the words "*-Wrist - watches, battery or accumulator powered, whether or not incorporating a stop - watch facility:*" the following words shall be substituted, namely:—

"*-Wrist-watches, electrically operated, whether or not incorporating a stop-watch facility:*";

(b) in subheading No. 9102.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(iii) in heading No. 91.03, in subheading No. 9103.10, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"-Electrically operated" ;

(iv) in heading No. 91.05,—

(a) in subheading No. 9105.11, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(b) in subheading No. 9105.21, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(c) in subheading No. 9105.91, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"--Electrically operated";

(v) in heading No. 91.08, in the portion occurring immediately after heading No. 91.08, in column (3), for the words "-*Battery or accumulator powered:*", the following words shall be substituted, namely:—

"-*Electrically operated:*";

(vi) in heading No. 91.09, in the portion occurring immediately after heading No. 91.09, in column (3), for the words "-*Battery or accumulator powered:*", the following words shall be substituted, namely:—

"-*Electrically operated:*";

(60) in Chapter 92, in heading No.92.06, in column (3), for the word "MARACCAS", the word "MARACAS" shall be substituted;

(61) in Chapter 95, in NOTE 1, for clause *(m)*, the following clause shall be substituted, namely :—

"(m) Pumps for liquids (heading No. 84.13), filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases (heading No. 84.21), electric motors (heading No. 85.01), electric transformers (heading No.85.04) or radio remote control apparatus (heading No. 85.26);" ;

(62) in Chapter 96, in heading No.96.14, subheading No.9614.10 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(63) in Chapter 97, for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely :—

"3. Heading No.97.03 does not apply to mass-produced reproductions or works of conventional craftsmanship of a commercial character, even if these articles are designed or created by artists.".

PART II

Heading No.	Subheading No.	Description of article	Rate of duty	
			Standard	Preferential Areas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

In the First Schedule to the Customs Tariff Act,—

(1) in Chapter 1, for heading No. 01.05, subheading Nos. 0105.11, 0105.19, 0105.91 and 0105.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"01.05		LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS OF THE SPECIES *GALLUS DOMESTICUS*, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS		
		- *Weighing not more than 185 g :*		
	0105.11	-- Fowls of the species *Gallus domesticus*	50%	..
	0105.12	-- Turkeys	50%	..
	0105.19	-- Other	50%	..
		- Other:		
	0105.92	-- Fowls of the species *Gallus domesticus*, weighing not more than 2,000 g	50%	..
	0105.93	-- Fowls of the species *Gallus domesticus*, weighing more than 2,000 g	50%	..
	0105.99	-- Other	50%	...";

(2) in Chapter 2, for heading No. 02.07, subheading Nos. 0207.10, 0207.21, 0207.22, 0207.23, 0207.31, 0207.39, 0207.41, 0207.42, 0207.43 and 0207.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"02.07		MEAT, AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING No. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN		
		- *Of fowls of the species Gallus domesticus :*		
	0207.11	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.12	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.13	-- Cuts and offal, fresh or chilled	10%	..
	0207.14	-- Cuts and offal, frozen	10%	..
		- *Of turkeys :*		
	0207.24	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.25	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.26	-- Cuts and offal, fresh or chilled	10%	..
	0207.27	-- Cuts and offal, frozen	10%	..

1	2	3	4	5
		- *Of ducks, geese or guinea fowls :*		
	0207.32	-- Not cut in pieces, fresh or chilled	10%	..
	0207.33	-- Not cut in pieces, frozen	10%	..
	0207.34	-- Fatty livers, fresh or chilled	10%	..
	0207.35	-- Other, fresh or chilled	10%	..
	0207.36	-- Other, frozen	10%	...";

(3) in Chapter 4, for heading No. 04.05 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"04.05		BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK; DAIRY SPREADS		
	0405.10	- Butter	40%	..
	0405.20	- Dairy spreads	40%	..
	0405.90	- Other	40%	..";

(4) in Chapter 6, in heading No. 06.02, after subheading No. 0602.40 and the entries relating thereto, for the word "-*Other*." and subheading Nos. 0602.91 and 0602.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"0602.90	- Other	10%	..";

(5) in Chapter 8,—

(i) in heading No. 08.01, for subheading Nos. 0801.10, 0801.20 and 0801.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Coconuts :*		
0801.11	-- Desiccated	50%	40%
0801.19	-- Other	50%	40%
	- *Brazil nuts :*		
0801.21	-- In shell	50%	40%
0801.22	-- Shelled	50%	40%
	- *Cashew nuts :*		
0801.31	-- In shell	50%	40%
0801.32	-- Shelled	50%	40%";

(ii) in heading No. 08.07, for subheading No. 0807.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Melons (including watermelons) :*		
0807.11	-- Watermelons	50%	40%
0807.19	-- Other	50%	40%";

(iii) in heading No. 08.10, after subheading No. 0810.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

"0810.50	- Kiwifruit	50%	40%";

(6) in Chapter 9, in heading No. 09.01, for subheading Nos. 0901.30 and 0901.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"0901.90	- Other	10%	10% less 13 paise per kg";

(7) in Chapter 14, in heading No. 14.02, after subheading No.1402.10 and the entries relating thereto, for the word "-*Other*." and subheading Nos. 1402.91 and 1402.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"1402.90	- Other	10%	..";

(8) in Chapter 15, for heading No. 15.20, subheading Nos. 1520.10 and 1520.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"15.20	1520.00	GLYCEROL, CRUDE; GLYCEROL WATERS AND GLYCEROL LYES	50%	..";

1	2	3	4	5

(9) in Chapter 16, in heading No. 16.02, after subheading No.1602.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"1602.32	- - Of fowls of the species *Gallus domesticus*	50%	...";

(10) in Chapter 17, in heading No. 17.02, for subheading No.1702.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Lactose and lactose syrup :*		
	1702.11	- - Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose calculated on the dry matter	25%	..
	1702.19	- - Other	25%	...";

(11) in Chapter 19, in heading No.19.04, after subheading No.1904.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"1904.20	- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals	50%	...";

(12) in Chapter 21, in heading No. 21.01, for subheading No.2101.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee :*		
	2101.11	- - Extracts, essences and concentrates	50%	..
	2101.12	- - Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	50%	...";

(13) in Chapter 22, in heading No. 22.08, after subheading No. 2208.50 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

	"2208.60	- Vodka	290%	..
	2208.70	- Liqueurs and cordials	290%	...";

(14) in Chapter 23, in heading No. 23.06, after subheading No. 2306.60 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

	"2306.70	Of maize (corn) germ	50%	...";

(15) in Chapter 25,—

(i) for heading No.25.03, subheading Nos. 2503.10 and 2503.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"25.03	2503.00	SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR	50%	...";

(ii) in heading No.25.13, after subheading No. 2513.19 and the entries relating thereto, for the words "-*Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:*" and subheading Nos. 2513.21 and 2513.29 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"2513.20	Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives	50%	...";

(16) in Chapter 28,—

(i) in heading No. 28.41, for subheading No. 2841.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Manganites, manganates and permanganates :*		
	2841.61	- - Potassium permanganate	50%	..
	2841.69	- - Other	50%	...";

1	2	3	4	5

(ii) for heading No.28.48, subheading Nos. 2848.10 and 2848.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"28.48	2848.00	PHOSPIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, EXCLUDING FERROPHOSPHORUS	50%	...";

(17) in Chapter 29,—

(i) in heading No. 29.03, for subheading No. 2903.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens :*		
2903.41	-- Trichlorofluoromethane	50%	..
2903.42	-- Dichlorodifluoromethane	50%	..
2903.43	-- Trichlorotrifluoroethanes	50%	..
2903.44	-- Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane	50%	..
2903.45	-- Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine	50%	..
2903.46	-- Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes	50%	..
2903.47	-- Other perhalogenated derivatives	50%	..
2903.49	-- Other	50%	..";

(ii) in heading No. 29.05, after subheading No. 2905.44 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

"2905.45	-- Glycerol	50%	..";

(iii) in heading No. 29.14,—

(a) for subheading No. 2914.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Aromatic ketones without other oxygen function :*		
2914.31	-- Phenylacetone (1-phenylpropan-2-one)	50%	..
2914.39	-- Other	50%	..";

(b) after subheading No. 2914.30 as substituted by subheading Nos. 2914.31 and 2914.39, for the words "*-Ketone-alcohols and ketone-aldehydes* :" and subheading Nos. 2914.41 and 2914.49 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"2914.40	- Ketone-alcohols and ketone-aldehydes	50%	..";

(iv) in heading No. 29.16, for subheading No. 2916.33 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"2916.34	-- Phenylacetic acid and its salts	50%	..
2916.35	-- Esters of phenylacetic acid	50%	..";

(v) in heading No. 29.22, after subheading No. 2922.42 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

"2922.43	-- Anthranilic acid and its salts	50%	..";

(vi) in heading No. 29.24, after subheading No. 2924.21 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

"2924.22	-- 2-Acetamidobenzoic acid	50%	..";

1	2	3	4	5

(vii) in heading No. 29.32, for subheading No. 2932.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Other:*		
2932.91	-- Isosafrole	50%	..
2932.92	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan- 2-one	50%	..
2932.93	-- Piperonal	50%	..
2932.94	-- Safrole	50%	..
2932.99	-- Other	50%	..":

(viii) in heading No. 29.33, after subheading No. 2933.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

"2933.32	-- Piperidine and its salts	50%	..":

(ix) in heading No. 29.39,—

(a) for subheading No. 2939.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Ephedrines and their salts :*		
2939.41	-- Ephedrine and its salts	50%	40%
2939.42	-- Pseudoephedrine (INN) and its salts	50%	40%
2939.49	-- Other	50%	40%" ;

(b) for subheading No. 2939.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof :*		
2939.61	-- Ergometrine (INN) and its salts	50%	..
2939.62	-- Ergotamine (INN) and its salts	50%	..
2939.63	-- Lysergic acid and its salts	50%	..
2939.69	-- Other	50%	..":

(18) in Chapter 30, in heading No.30.02, after subheading No.3002.20 and the entries relating thereto, for the words "*- Vaccines for veterinary medicine:*" and subheading Nos. 3002.31 and 3002.39 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"3002.30	- Vaccines for veterinary medicine	50%	40%";

(19) in Chapter 32, in heading No. 32.06, for subheading No. 3206.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Pigments and preparations based on titanium dioxide :*		
3206.11	-- Containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight	50%	..
3206.19	-- Other	50%	..":

(20) in Chapter 33, for heading No. 33.06, subheading Nos. 3306.10 and 3306.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"33.06		PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO CLEAN BETWEEN THE TEETH (DENTAL FLOSS), IN INDIVIDUAL RETAIL PACKAGES		
	3306.10	- Dentifrices	50%	..
	3306.20	- Yarn used to clean between the teeth (dental floss)	50%	..
	3306.90	- Other	50%	..":

(21) in Chapter 35, in heading No. 35.02, for subheading Nos. 3502.10 and 3502.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"- *Egg albumin:*		
3502.11	-- Dried	50%	..
3502.19	-- Other	50%	..
3502.20	- Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins	50%	..
3502.90	- Other	50%	..":

1	2		3	4	5

(22) in Chapter 38, for heading No. 38.23, subheading Nos. 3823.10, 3823.20, 3823.30, 3823.40, 3823.50, 3823.60 and 3823.90 and the entries relating thereto, the following headings, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"38.23			INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS		
		-	*Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining :*		
	3823.11	--	Stearic acid	50%	..
	3823.12	--	Oleic acid	50%	..
	3823.13	--	Tall oil fatty acids	50%	..
	3823.19	--	Other	50%	..
	3823.70	-	Industrial fatty alcohols	50%	..
38.24			PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES; CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES (INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED		
	3824.10	-	Prepared binders for foundry moulds or cores	50%	..
	3824.20	-	Naphthenic acids,their water-insoluble salts and their esters	50%	..
	3824.30	-	Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders	50%	..
	3824.40	-	Prepared additives for cements, mortars or concretes	50%	..
	3824.50	-	Non-refractory mortars and concretes	50%	..
	3824.60	-	Sorbitol other than that of subheading No. 2905.44	50%	..
		-	*Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens:*		
	3824.71	--	Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with flourine and chlorine	50%	..
	3824.79	--	Other	50%	..
	3824.90	-	Other	50%	...";

(23) in Chapter 39, for heading No. 39.05, subheading Nos. 3905.11, 3905.19, 3905.20 and 3905.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"39.05			POLYMERS OF VINYL ACETATE OR OF OTHER VINYL ESTERS, IN PRIMARY FORMS; OTHER VINYL POLYMERS IN PRIMARY FORMS		
		-	*Polyvinyl acetate* :		
	3905.12	--	In aqueous dispersion	50%	..
	3905.19	--	Other	50%	..
		-	*Vinyl acetate copolymers:*		
	3905.21	--	In aqueous dispersion	50%	..
	3905.29	--	Other	50%	..
	3905.30	-	Polyvinyl alcohol, whether or not containing unhydrolysed acetate groups	50%	..
		-	*Other* :		
	3905.91	--	Copolymers	50%	..
	3905.99	--	Other	50%	...";

(24) in Chapter 40, for heading No. 40.10, subheading Nos. 4010.10, 4010.91 and 4010.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2		3	4	5
"40.10			CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER		
		-	*Conveyor belts or belting* :		
	4010.11	--	Reinforced only with metal	50%	..
	4010.12	--	Reinforced only with textile materials	50%	..
	4010.13	--	Reinforced only with plastics	50%	..
	4010.19	--	Other	50%	..
		-	*Transmission belts or belting* :		
	4010.21	--	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), whether or not grooved, of a circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm	50%	..
	4010.22	--	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), whether or not grooved, of a circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm	50%	..
	4010.23	--	Endless synchronous belts, of a circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm	50%	..
	4010.24	--	Endless synchronous belts, of a circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm	50%	..
	4010.29	--	Other	50%	..":

(25) in Chapter 44,—

(i) in heading No. 44.03, after subheading No. 4403.20 and the entries relating thereto, for the words "-*Other, of the following tropical woods:*", subheading No's. 4403.31, 4403.32, 4403.33, 4403.34 and 4403.35 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"-	*Other, of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter* :		
4403.41	--	Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	25%	..
4403.49	--	Other	25%	..":

(ii) in heading No. 44.07, after subheading No. 4407.10 and the entries relating thereto, for the words "-*Of the following tropical woods:*" and subheading Nos. 4407.21, 4407.22 and 4407.23 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"-*Of tropical wood specified in Sub-heading Note 1 to this Chapter* :		
4407.24	--	Virola, Mahogany (*Swietenia spp.*), Imbuia and Balsa	50%	..
4407.25	--	Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	50%	..
4407.26	--	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan	50%	..
4407.29	--	Other	50%	..":

(iii) in heading No. 44.08, for subheading No.4408.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"-	*Of tropical wood specified in Sub-heading Note 1 to this Chapter* :		
4408.31	--	Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau	50%	..
4408.39	--	Other	50%	..":

(iv) in heading No. 44.10, for subheading No. 4410.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"-	*Of wood* :		
4410.11	--	Waferboard, including oriented strand board	50%	..
4410.19	--	Other	50%	..":

1	2		3	4	5

(v) for heading No. 44.12, subheading Nos. 4412.11, 4412.12, 4412.19, 4412.21, 4412.29, 4412.91 and 4412.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"44.12			PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD		
		-	*Plywood, consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6mm thickness:*		
	4412.13	--	With at least one outer ply of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter	50%	..
	4412.14	--	Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood	50%	..
	4412.19	--	Other	50%	..
		-	*Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood:*		
	4412.22	--	With at least one ply of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter	50%	..
	4412.23	--	Other, containing at least one layer of particle board	50%	..
	4412.29	--	Other	50%	..
		-	*Other:*		
	4412.92	--	With at least one ply of tropical wood specified in Subheading Note 1 to this Chapter	50%	..
	4412.93	--	Other, containing at least one layer of particle board	50%	..
	4412.99	--	Other	50%	..":

(26) in Chapter 47, in heading No. 47.06, after subheading No. 4706.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely:—

"4706.20	-	Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paper board	40%	..":

(27) in Chapter 48, in heading No. 48.07, after subheading 4807.10 and the entries relating thereto, for the word "*-Other*" and subheading Nos. 4807.91 and 4807.99 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

"4807.90	-	Other	50%	..":

(28) in Chapter 52, in heading No. 52.05,—

(i) for subheading No. 5205.25 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"5205.26	--	Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)	50%	..
5205.27	--	Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)	50%	..
5205.28	--	Measuring less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number)	50%	..":

(ii) for subheading No. 5205.45 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"5205.46	--	Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn)	50%	..

1	2	3	4	5
	5205.47	-- Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)	50%	..
	5205.48	-- Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)	50%	...";

(29) in Chapter 54, in heading No. 54.07, for subheading No. 5407.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of polyester filaments:*		
	5407.61	-- Containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments	50%	..
	5407.69	-- Other	50%	..";

(30) in Chapter 56, for heading No.56.03 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"56.03		NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED		
		- *Of man-made filaments*:		
	5603.11	-- Weighing not more than 25 g/m2	50%	..
	5603.12	-- Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2	50%	..
	5603.13	-- Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2	50%	..
	5603.14	-- Weighing more than 150 g/m2	50%	..
		- *Other*:		
	5603.91	-- Weighing not more than 25 g/m2	50%	..
	5603.92	-- Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2	50%	..
	5603.93	-- Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2	50%	..
	5603.94	-- Weighing more than 150 g/m2	50%	..";

(31) in Chapter 63, in heading No. 63.05, after subheading No.6305.20 and the entries relating thereto, for the words "*-Of man-made textile materials :*" and subheading Nos. 6305.31 and 6305.39 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Of man-made textile materials* :		
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk containers	50%	..
	6305.33	-- Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like	50%	..
	6305.39	-- Other	50%	..";

(32)in Chapter 64,—

(*i*) in heading No. 64.02, for subheading No. 6402.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"6402.12	-- Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	50%	..";

(*ii*) in heading No. 64.03, for subheading No. 6403.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

	"6403.12	-- Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots	50%	..";

(33) in heading No. 69.09, after subheading No. 6909.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"6909.12	-- Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale	50%	..";

1	2	3	4	5

(34) in heading No.70.03, for subheading No. 7003.11 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"7003.12	-- Coloured throughout the mass (body- tinted), opacified, flashed or having an absorbent reflecting or non-reflecting layer	50%	...";

(35) in heading No. 70.04, for subheading No. 7004.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"7004.20	- Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer	50%	...";

(36) in heading No. 70.10, for subheading No. 7010.90 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"7010.20	- Stoppers, lids and other closures	50%	..
	- *Other, of a capacity* :		
7010.91	-- Exceeding 1 l	50%	..
7010.92	-- Exceeding 0.33 l but not exceeding 1 l	50%	..
7010.93	-- Exceeding 0.15 l but not exceeding 0.33 l	50%	..
7010.94	-- Not exceeding 0.15 l	50%	...";

(37) for heading No. 70.19, subheading Nos. 7019.10, 7019.20, 7019.31, 7019.32, 7019.39 and 7019.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"70.19		GLASS FIBRES (INCLUDING GLASS-WOOL) AND ARTICLES THEREOF (FOR EXAMPLE, YARN, WOVEN FABRICS)		
		- *Slivers, rovings, yarn and chopped strands*:		
	7019.11	-- Chopped strands, of a length of not more than 50 mm	50%	..
	7019.12	-- Rovings	50%	..
	7019.19	-- Other	50%	..
		- *Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar nonwoven products* :		
	7019.31	-- Mats	50%	..
	7019.32	-- Thin sheets (voiles)	50%	..
	7019.39	-- Other	50%	..
	7019.40	- Woven fabrics of rovings	50%	..
		- *Other woven fabrics* :		
	7019.51	-- Of a width not exceeding 30 cm	50%	..
	7019.52	-- Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m^2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex	50%	..
	7019.59	-- Other	50%	..
	7019.90	- Other	50%	...";

(38) in Chapter 72,—

(i) in heading No. 72.01, for subheading Nos. 7201.30 and 7201.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely:—

"7201.50	- Alloy pig iron; spiegeleisen	50%	...";

(ii) for heading No. 72.08, subheading Nos. 7208.11, 7208.12, 7208.13, 7208.14, 7208.21, 7208.22, 7208.23, 7208.24, 7208.31, 7208.32, 7208.33, 7208.34, 7208.35, 7208.41, 7208.42, 7208.43, 7208.44, 7208.45 and 7208.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"72.08		FLAT ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, HOT-ROLLED NOT CLAD, PLATED OR COATED

1	2		3	4	5
	7208.10	-	In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	50%	..
		-	*Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled*:		
	7208.25	--	Of a thickness of 4.75 mm or more	50%	..
	7208.26	--	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.27	--	Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
		-	*Other, in coils, not further worked than hot-rolled*:		
	7208.36	--	Of a thickness exceeding 10 mm	50%	..
	7208.37	--	Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	50%	..
	7208.38	--	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.39	--	Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
	7208.40	-	Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	50%	..
		-	*Other, not in coils, not further worked than hot-rolled*:		
	7208.51	--	Of a thickness exceeding 10 mm	50%	..
	7208.52	--	Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm	50%	..
	7208.53	--	Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	50%	..
	7208.54	--	Of a thickness of less than 3 mm	50%	..
	7208.90	-	Other	50%	..”;

(*iii*) for heading No.72.09, subheading Nos. 7209.11, 7209.12, 7209.13, 7209.14, 7209.21, 7209.22, 7209.23, 7209.24, 7209.31, 7209.32, 7209.33, 7209.34, 7209.41, 7209.42, 7209.43, 7209.44 and 7209.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

“72.09			FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, COLD-ROLLED (COLD-REDUCED), NOT CLAD, PLATED OR COATED		
		-	*In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)*:		
	7209.15	--	Of a thickness of 3 mm or more	50%	..
	7209.16	--	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	50%	..
	7209.17	--	Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	50%	..
	7209.18	--	Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
		-	*Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)*:		
	7209.25	--	Of a thickness of 3 mm or more	50%	..
	7209.26	--	Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	50%	..
	7209.27	--	Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	50%	..
	7209.28	--	Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
	7209.90	-	Other	50%	..”;

(*iv*) for heading No. 72.10, subheading Nos. 7210.11, 7210.12, 7210.20, 7210.31, 7210.39, 7210.41, 7210.49, 7210.50, 7210.60, 7210.70 and 7210.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

“72.10			FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, CLAD, PLATED OR COATED		
		-	*Plated or coated with tin* :		
	7210.11	--	Of a thickness of 0.5 mm or more	50%	..
	7210.12	--	Of a thickness of less than 0.5 mm	50%	..
	7210.20	-	Plated or coated with lead, including terne-plate	50%	..
	7210.30	-	Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..

1	2	3	4	5
		- *Otherwise plated or coated with zinc* :		
	7210.41	-- Corrugated	50%	..
	7210.49	-- Other	50%	..
	7210.50	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	50%	..
		- *Plated or coated with aluminium* :		
	7210.61	-- Plated or coated with aluminium-zinc alloys	50%	..
	7210.69	-- Other	50%	..
	7210.70	- Painted, varnished or coated with plastics	50%	..
	7210.90	- Other	50%	.."; 1

(v) for heading No. 72.11, subheading Nos. 7211.11, 7211.12. 7211.19, 7211.21, 7211.22, 7211.29, 7211.30, 7211.41, 7211.49 and 7211.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.11		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF LESS THAN 600 MM, NOT CLAD, PLATED OR COATED		
		- *Not further worked than hot-rolled:*		
	7211.13	-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief	50%	..
	7211.14	-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more	50%	..
	7211.19	-- Other	50%	..
		- *Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)* :		
	7211.23	-- Containing by weight less than 0.25% of carbon	50%	..
	7211.29	-- Other	50%	.. 2
	7211.90	- Other	50%	..";

(vi) for heading No.72.12, subheading Nos.7212.10, 7212.21, 7212.29, 7212.30, 7212.40, 7212.50 and 7212.60 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.12		FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF LESS THAN 600 MM, CLAD, PLATED OR COATED		
	7212.10	- Plated or coated with tin	50%	..
	7212.20	- Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
	7212.30	- Otherwise plated or coated with zinc	50%	..
	7212.40	- Painted, varnished or coated with plastics	50%	..
	7212.50	- Otherwise plated or coated	50%	..
	7212.60	- Clad	50%	..";

(vii) for heading No.72.13, subheading Nos.7213.10, 7213.20. 7213.31, 7213.39, 7213.41, 7213.49 and 7213.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"72.13		BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7213.10	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process	50%	..
	7213.20	- Other, of free-cutting steel	50%	..
		- *Other* :		
	7213.91	-- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	50%	..
	7213.99	-- Other	50%	..";

(viii) in heading No. 72.14, for subheading Nos. 7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.40, 7214.50 and 7214.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	"7214.10	- Forged	50%	..
	7214.20	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	50%	..

1	2	3	4	5
	7214.30	- Other, of free-cutting steel	50%	..
		- *Other*:		
	7214.91	-- Of rectangular (other than square) cross-section	50%	..
	7214.99	-- Other	50%	...";

(*ix*) for heading No. 72.15, subheading Nos. 7215.10, 7215.20, 7215.30, 7215.40 and 7215.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.15		OTHER BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7215.10	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold- finished	50%	..
	7215.50	- Other, not further worked than cold- formed or cold-finished	50%	..
	7215.90	- Other	50%	...";

(*x*) in heading No.72.16,—

(*a*) for subheading No.7216.60 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished* :		
	7216.61	-- Obtained from flat-rolled products	50%	..
	7216.69	-- Other	50%	...";

(*b*) for subheading No. 7216.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other* :		
	7216.91	-- Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products	50%	..
	7216.99	-- Other	50%	...";

(*xi*) for heading No. 72.17, subheading Nos. 7217.11, 7217.12, 7217.13, 7217.19, 7217.21, 7217.22, 7217.23, 7217.29, 7217.31, 7217.32, 7217.33 and 7217.39 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"72.17		WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL		
	7217.10	- Not plated or coated, whether or not polished	50%	..
	7217.20	- Plated or coated with zinc	50%	..
	7217.30	- Plated or coated with other base metals	50%	..
	7217.90	- Other	50%	...";

(*xii*) in heading No.72.18, for subheading No.7218.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other*:		
	7218.91	-- Of rectangular (other than square) cross-section	50%	..
	7218.99	-- Other	50%	...";

(*xiii*) in heading No.72.22, for subheading No.7222.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded* :		
	7222.11	-- Of circular cross-section	50%	..
	7222.19	-- Other	50%	...";

(*xiv*) in heading No.72.25,—

(*a*) for subheading No. 7225.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substitute namely :—

1	2		3	4	5
		-	*Of silicon-electrical steel* :		
	7225.11	--	Grain-oriented	50%	..
	7225.19	--	Other	50%	...";

(*b*) for subheading No. 7225.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	-	*Other* :		
7225.91	--	Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
7225.92	--	Otherwise plated or coated with zinc	50%	..
7225.99	--	Other	50%	..";

(*xv*) in heading No.72.26,—

(*a*) for subheading No. 7226.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

	-	*Of silicon-electrical steel* :		
7226.11	--	Grain-oriented	50%	..
7226.19	--	Other	50%	..";

(*b*) after subheading No. 7226.92 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

"7226.93	--	Electrolytically plated or coated with zinc	50%	..
7226.94	--	Otherwise plated or coated with zinc	50%	..";

(*39*) in Chapter 73 ,—

(*i*) in heading No. 73.04, for subheading No. 7304.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	-	*Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas* :		
7304.21	--	Drill pipe	50%	..
7304.29	--	Other	50%	..";

(*ii*) for heading No. 73.14, subheading Nos. 7314.11, 7314.19, 7314.20, 7314.30, 7314.41, 7314.42, 7314.49 and 7314.50 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"73.14			CLOTH (INCLUDING ENDLESS BANDS), GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL		
		-	*Woven cloth* :		
	7314.12	--	Endless bands for machinery, of stainless steel	50%	..
	7314.13	--	Other endless bands for machinery	50%	..
	7314.14	--	Other woven cloth, of stainless steel	50%	..
	7314.19	--	Other	50%	..
	7314.20	-	Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm^2 or more	50%	..
		-	*Other grill, netting and fencing, welded at the intersection* :		
	7314.31	--	Plated or coated with zinc	50%	..
	7314.39	--	Other	50%	..
		-	*Other cloth, grill, netting and fencing* :		
	7314.41	--	Plated or coated with zinc	50%	..
	7314.42	--	Coated with plastics	50%	..
	7314.49	--	Other	50%	..
	7314.50	-	Expanded metal	50%	..";

(*40*) in Chapter 74,—

(*i*) in heading No. 74.14, for subheading No. 7414.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

"7414.20	-	Cloth	50%	..";

1	2	3	4	5

(ii) in heading No. 74.18, for subheading No. 7418.10 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like :*		
	7418.11	-- Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like	50%	..
	7418.19	-- Other	50%	..",

(41) in Chapter 75, for heading No. 75.08 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"75.08		OTHER ARTICLES OF NICKEL		
	7508.10	- Cloth, grill and netting, of nickel wire	30%	..
	7508.90	- Other	30%	..",

(42) in Chapter 76, —

(i) in heading No. 76.15, for subheading No. 7615.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like :*		
	7615.11	-- Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like	40%	..
	7615.19	-- Other	40%	..",

(ii) in heading No. 76.16, for subheading No.7616.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other :*		
	7616.91	-- Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire	40%	..
	7616.99	-- Other	40%	..",

(43) in Chapter 79, for heading No. 79.07, subheading Nos. 7907.10 and 7907.90 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"79.07	7907.00	OTHER ARTICLES OF ZINC	50%	..",

(44) in Chapter 80, for heading No. 80.05, subheading Nos. 8005.10 and 8005.20 and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"80.05	8005.00	TIN FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM: TIN POWDERS AND FLAKES	50%	..",

(45) in Chapter 82,—

(i) in heading No. 82.02, for subheading No. 8202.32 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8202.39	-- Other, including parts	30%	..",

(ii) in heading No.82.07, for subheading Nos.8207.11 and 8207.12 and the entries relating thereto, the following subheadings and entires shall be substituted, namely :—

	"8207.13	-- With working part of cermets	30%	..
	8207.19	-- Other, including parts	30%	..",

1	2		3	4	5

(*iii*) in heading No. 82.11, after subheading No. 8211.94 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8211.95	--	Handles of base metal	30%	...";

(*46*) in Chapter 84,—

(*i*) for heading No. 84.06, subheading Nos. 8406.11, 8406.19 and 8406.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"84.06			STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES		
	8406.10	-	Turbines for marine propulsion	50%	..
		-	*Other turbines* :		
	8406.81	--	Of an output exceeding 40 MW	50%	..
	8406.82	--	Of an output not exceeding 40 MW	50%	..
	8406.90	-	Parts	50%	...";

(*ii*) in heading No.84.15, after subheading No.8415.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8415.20	-	Of a kind used for persons, in motor vehicles	50%	...";

(*iii*) in heading No.84.43, for subheading No. 8443.50 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"-	*Other printing machinery* :		
	8443.51	--	Ink-jet printing machines	50%	..
	8443.59	--	Other	50%	...";

(*iv*) in heading No. 84.56, for subheading No. 8456.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"-	*Other* :		
	8456.91	--	For dry-etching patterns on semi-conductor materials	50%	..
	8456.99	--	Other	50%	...";

(*v*) for heading No. 84.69, subheading Nos. 8469.10, 8469.21, 8469.29, 8469.31 and 8469.39 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"84.69			TYPEWRITERS OTHER THAN PRINTERS OF HEADING NO.84.71; WORD-PROCESSING MACHINES		
		-	*Automatic typewriters and word-processing machines* :		
	8469.11	--	Word-processing machines	50%	..
	8469.12	--	Automatic typewriters	50%	..
	8469.20	-	Other typewriters, electric	50%	..
	8469.30	-	Other typewriters, non-electric	50%	...";

(*vi*) for heading No. 84.71, subheading Nos. 8471.10, 8471.20, 8471.91, 8471.92, 8471.93 and 8471.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely:—

"84.71			AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED		
	8471.10	-	Analogue or hybrid automatic data processing machines	50%	..
	8471.30	-	Portable digital automatic data processing machines, weighing not more than 10 Kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display	50%	..
		-	*Other digital automatic data processing machines* :		

1	2	3	4	5
	8471.41	-- Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined	50%	..
	8471.49	-- Other, presented in the form of systems	50%	..
	8471.50	- Digital processing units other than those of subheadings 8471.41 and 8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of unit : storage units, input units, output units	50%	..
	8471.60	- Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing	50%	..
	8471.70	- Storage units	50%	..
	8471.80	- Other units of automatic data processing machines	50%	..
	8471.90	- Other	50%	...";

(*vii*) in heading No. 84.73, after subheading No. 8473.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8473.50	- Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the heading Nos. 84.69 to 84.72	50%	...";

(*viii*) in heading No. 84.75, for subheading No. 8475.20 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		- *Machines for manufacturing or hot working glass or glassware* :		
	8475.21	-- Machines for making optical fibres and preforms thereof	50%	..
	8475.29	-- Other	50%	...";

(*ix*) for heading No. 84.76, subheading Nos. 8476.11, 8476.19 and 8476.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"84.76		AUTOMATIC GOODS - VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE,POSTAGE STAMPS,CIGARETTE, FOOD OR BEVERAGE MACHINES), INCLUDING MONEY CHANGING MACHINES		
		- *Automatic beverage-vending machines* :		
	8476.21	-- Incorporating heating or refrigerating devices	50%	..
	8476.29	-- Other	50%	..
		- *Other machines:*		
	8476.81	-- Incorporating heating or refrigerating devices	50%	..
	8476.89	-- Other	50%	..
	8476.90	- Parts	50%	...";

(*x*) in heading No.84.79, after subheading No.8479.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely :—

	"8479.50	- Industrial robots, not elsewhere specified or included	50%	..
	8479.60	- Evaporative air coolers	50%	...";

(*xi*) after subheading No. 8484.10 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8484.20	- Mechanical seals	50%	...";

(*47*) in Chapter 85,—

(*i*) in heading No.85.02, for subheading No.8502.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other generating sets* :		
	8502.31	-- Wind-powered	50%	..
	8502.39	-- Other	50%	...";

1	2	3	4	5

(ii) for heading No. 85.06, subheading Nos. 8506.11, 8506.12, 8506.13, 8506.19, 8506.20 and 8506.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"85.06		PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES		
	8506.10	- Manganese dioxide	50%	..
	8506.30	- Mercuric oxide	50%	..
	8506.40	- Silver oxide	50%	..
	8506.50	- Lithium	50%	..
	8506.60	- Air-zinc	50%	..
	8506.80	- Other	50%	..
	8506.90	- Parts	50%	...";

(iii) in heading No. 85.10, after subheading No. 8510.20 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5
	"8510.30	- Hair-removing appliances	50%	...";

(iv) for heading No. 85.17, subheading Nos. 8517.10, 8517.20, 8517.30, 8517.40, 8517.81, 8517.82 and 8517.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"85.17		ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY OR LINE TELEGRAPHY, INCLUDING LINE TELEPHONE SETS WITH CORDLESS HANDSETS AND TELECOMMUNICATION APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS OR FOR DIGITAL LINE SYSTEMS; VIDEOPHONES		
		- *Telephone sets; videophones* :		
	8517.11	-- Line telephone sets with cordless handsets	50%	..
	8517.19	-- Other	50%	..
		- *Facsimile machines and teleprinters* :		
	8517.21	-- Facsimile machines	50%	..
	8517.22	-- Teleprinters	50%	..
	8517.30	- Telephonic or telegraphic switching apparatus	50%	..
	8517.50	- Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems	50%	..
	8517.80	- Other apparatus	50%	..
	8517.90	- Parts	50%	..";

(v) in heading No. 85.19, for subheading No. 8519.91 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
	"8519.92	-- Pocket-size cassette-players	50%	..
	8519.93	-- Other, cassette-type	50%	..";

(vi) in heading No.85.20, for subheading No. 8520.31 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
	"8520.32	-- Digital audio type	50%	..
	8520.33	-- Other, cassette-type	50%	..";

(vii) in heading No. 85.23, after subheading No. 8523.20 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5
	"8523.30	- Cards incorporating a magnetic stripe	50%	..";

(viii) in heading No. 85.24, after subheading No. 8524.10 and the entries relating thereto, for the words " -*Magnetic tapes:*", subheading Nos. 8524.21, 8524.22, 8524.23 and 8524.90 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
		"- *Discs for laser reading systems* :		
	8524.31	-- For reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
	8524.32	-- For reproducing sound only	50%	..
	8524.39	-- Other	50%	..
	8524.40	- Magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
		- *Other magnetic tapes* :		
	8524.51	-- Of a width not exceeding 4 mm	50%	..
	8524.52	-- Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm	50%	..
	8524.53	-- Of a width exceeding 6.5 mm	50%	..
	8524.60	- Cards incorporating a magnetic stripe	50%	..

1	2	3	4	5
		- *Other:*		
	8524.91	-- For reproducing phenomena other than sound or image	50%	..
	8524.99	-- Other	50%	..":

(ix) in heading No. 85.25, after subheading No. 8525.30 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8525.40	- Still image video cameras and other video camera recorders	50%	..":

(x) in heading No.85.27, for subheading No. 8527.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"8527.12	-- Pocket-size radio cassette-players	50%	..
	8527.13	-- Other apparatus combined with sound recording or reproducing apparatus	50%	..":

(xi) for heading No.85.28, subheading Nos. 8528.10 and 8528.20 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.28		RECEPTION APPARATUS FOR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND OR VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; VIDEO MONITORS AND VIDEO PROJECTORS		
		- *Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus* :		
	8528.12	-- Colour	50%	..
	8528.13	-- Black and white or other monochrome	50%	..
		- *Video monitors* :		
	8528.21	-- Colour	50%	..
	8528.22	-- Black and white or other monochrome	50%	..
	8528.30	- Video projectors	50%	..":

(xii) in heading No.85.39, -

(a) after subheading No. 8539.31 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be inserted, namely :—

	"8539.32	-- Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps	50%	..":

(b) for subheading No.8539.40 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Ultra-violet or infra-red lamps; Arc-lamps* :		
	8539.41	-- Arc-lamps	50%	..
	8539.49	-- Other	50%	..":

(xiii) for heading No.85.40, subheading Nos. 8540.11, 8540.12, 8540.20, 8540.30, 8540.41, 8540.42, 8540.49, 8540.81, 8540.89, 8540.91 and 8540.99 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

"85.40		THERMIONIC, COLD CATHODE OR PHOTO CATHODE VALVES AND TUBES (FOR EXAMPLE,VACUUM OR VAPOUR OR GAS FILLED VALVES AND TUBES, MERCURY ARC RECTIFYING VALVES AND TUBES, CATHODE-RAY TUBES, TELEVISION CAMERA TUBES)		
		- *Cathode-ray television picture tubes, including video monitor cathode ray tubes*:		
	8540.11	-- Colour	50%	..
	8540.12	-- Black and white or other monochrome	50%	..
	8540.20	- Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-cathode tubes	50%	..
	8540.40	- Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm	50%	..
	8540.50	- Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome	50%	..

1	2		3	4	5
	8540.60	-	Other cathode-ray tubes	50%	..
		-	*Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling wave tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes :*		
	8540.71	- -	Magnetrons	50%	..
	8540.72	- -	Klystrons	50%	..
	8540.79	- -	Other	50%	..
		-	*Other valves and tubes :*		
	8540.81	- -	Receiver or amplifier valves and tubes	50%	..
	8540.89	- -	Other	50%	..
		-	*Parts :*		
	8540.91	- -	Of cathode-ray tubes	50%	..
	8540.99	- -	Other	50%	..”;

(*xiv*) for heading No. 85.42, subheading Nos. 8542.11, 8542.19, 8542.20, 8542.80 and 8542.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

“85.42			ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES		
		-	*Monolithic digital integrated circuits :*		
	8542.12	- -	Cards incorporating an electronic integrated circuit (“smart” cards)	50%	..
	8542.13	- -	Metal oxide semiconductors (MOS technology)	50%	..
	8542.14	- -	Circuits obtained by bipolar technology	50%	..
	8542.19	- -	Other, including circuits obtained by a combination of bipolar and MOS technologies (BIMOS technology)	50%	..
	8542.30	-	Other monolithic integrated circuits	50%	..
	8542.40	-	Hybrid integrated circuits	50%	..
	8542.50	-	Electronic microassemblies	50%	..
	8542.90	-	Parts	50%	..”;

(*xv*) for heading No. 85.43, subheading Nos. 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.80 and 8543.90 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

“85.43			ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER		
		-	*Particle accelerators :*		
	8543.11	- -	Ion implanters for doping semiconductor materials	50%	..
	8543.19	- -	Other	50%	..
	8543.20	-	Signal generators	50%	..
	8543.30	-	Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis	50%	..
	8543.40	-	Electric fence energisers	50%	..
		-	*Other machines and apparatus :*		
	8543.81	- -	Proximity cards and tags	50%	..
	8543.89	- -	Other	50%	..
	8543.90	-	Parts	50%	..”;

(*xvi*) for heading No. 85.48 and the entries relating thereto, the following heading, subheadings and entries shall be substituted, namely :—

“85.48			WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS; SPENT PRIMARY CELLS, SPENT PRIMARY BATTERIES AND SPENT ELECTRIC ACCUMULATORS; ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY OR APPARATUS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER		

1	2	3	4	5
	8548.10	- Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators	50%	..
	8548.90	- Other	50%	..":

(48) in Chapter 88, in heading No. 88.02, for subheading No. 8802.50 and the entries relating thereto, the following subheading and entries shall be substituted, namely :—

	"8802.60	- Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles	50%	..":

(49) in Chapter 90,—

(i) in heading No. 90.07, after subheading No.9007.19 and the entries relating thereto, for the word "-Projectors:", subheading Nos.9007.21 and 9007.29 and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:—

	"9007.20	- Projectors	50%	..":

(ii) in heading No. 90.10, for subheading Nos. 9010.20 and 9010.30 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials* :		
	9010.41	-- Direct write-on-wafer apparatus	50%	..
	9010.42	-- Step and repeat aligners	50%	..
	9010.49	-- Other	50%	..
	9010.50	- Other apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes	50%	..
	9010.60	- Projection screens	50%	..":

(iii) in heading No. 90.18, after subheading No. 9018.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be inserted, namely:—

	"9018.12	-- Ultrasonic scanning apparatus	40%	..
	9018.13	-- Magnetic resonance imaging apparatus	40%	..
	9018.14	-- Scintigraphic apparatus	40%	..":

(iv) in heading No. 90.22, for subheading No. 9022.11 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

	"9022.12	-- Computed tomography apparatus	40%	..
	9022.13	-- Other, for dental uses	40%	..
	9022.14	-- Other, for medical, surgical or veterinary uses	40%	..":

(v) in heading No. 90.30, after subheading No. 9030.40 and the entries relating thereto, for the words "-*Other instruments and apparatus*:", subheading Nos. 9030.81 and 9030.89 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely:—

		"- *Other instruments and apparatus* :		
	9030.82	-- For measuring or checking semiconductor wafers or devices	50%	..
	9030.83	-- Other, with a recording device	50%	..
	9030.89	-- Other	50%	..":

(vi) in heading No. 90.31, for subheading No. 9031.40 and the entries relating thereto, the following subheadings and entries shall be substituted, namely :—

		"- *Other optical instruments and appliances* :		
	9031.41	-- For inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	50%	..
	9031.49	-- Other	50%	..".

THE FOURTH SCHEDULE

(*See* section 80)

PART I

In the Schedule to the Central Excise Tariff Act,—

(*1*) in Chapter 4,—

(*i*) in sub-heading Nos. 0401.13, 0402.10 and 0403.10, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "Nil" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 0401.14, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*2*) in Chapter 11, in sub-heading Nos. 1102.00 and 1104.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "Nil" shall be substituted;

(*3*) in Chapter 14, in sub-heading No. 1401.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(*4*) in Chapter 15,—

(*i*) in sub-heading No. 1504.00, for the entry in column (4), the entry "Rs. 1,500 per tonne" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 1505.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 1508.90, for the entry in column (4), the entry "Rs. 1,500 per tonne" shall be substituted;

(*5*) in Chapter 17, in sub-heading No. 1704.10, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*6*) in Chapter 18, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "20%" shall be substituted;

(*7*) in Chapter 19, in sub-heading Nos. 1901.19 and 1901.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*8*) in Chapter 21,—

(*i*) for NOTE 3, the following NOTE shall be substituted, namely:—

'3. In this Chapter, "Pan Masala" means any preparation containing betel nuts and any one or more of the following ingredients, namely lime, katha (catechu) and tobacco, whether or not containing any other ingredients, such as cardamom, copra and menthol.';

(*ii*) NOTES 4 and 5 shall be renumbered as NOTES 8 and 9 respectively and before NOTE 8 as so renumbered, the following NOTES shall be inserted, namely:—

'4. In this Chapter "Betel nut powder known as supari" means any preparation containing betel nuts but not containing any one or more of the following ingredients, namely lime, katha (catechu) and tobacco, whether or not containing any other ingredients, such as cardamom, copra and menthol.

5. Sub-heading No. 2108.10, *inter alia*, includes preparations for lemonades or other beverages, consisting, for example, of ; flavoured or coloured syrup, syrup flavoured with an added concentrated extract, syrup flavoured with fruit juice and intended for use in the manufacture of aerated water, such as in automatic vending machines.

6. For the purpose of sub-heading No. 2108.20, the expression "Sharbat" means any non-alcoholic sweetened beverage or syrup containing not less than 10% fruit juice or flavoured with non-fruit flavours, such as rose, khus, kewra but not including aerated preparations.

7. In relation to products of heading Nos. 21.06, 21.07 and 21.08, labelling or re-labelling of containers and repacking from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to "manufacture".';

(*iii*) in NOTE 9 as so renumbered, for the figures" 21.07", the figures "21.08" shall be substituted;

(*iv*) in sub-heading No. 2105.00, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*9*) in Chapter 22,—

(*i*) for the existing NOTE, the following NOTES shall be substituted, namely:—

NOTES

1. This Chapter does not cover alcoholic liquors for human consumption.

2. In relation to natural or artificial mineral waters of heading Nos. 22.01 and 22.02, processes, such as filteration, purification or any other process or any one or more of these processes, labelling or relabelling of containers and repacking from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to "manufacture".

3. In this Chapter, "brand name" means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.';'

(*ii*) in sub-heading Nos. 2201.11, 2201.12, 2201.19, 2202.11, 2202.12, 2202.13, 2202.14 and 2202.19, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 2202.90, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*10*) in Chapter 24,—

(*i*) in NOTE 2, for the figures and word "24.02, 24.03 and 24.04", the figures and word "24.01, 24.02, 24.03 and 24.04" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 2401.00, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading Nos. 2404.41 and 2404.49, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*11*) in Chapter 25,—

(*i*) in sub-heading Nos. 2502.30 and 2502.50, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 2503.00, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(*12*) in Chapter 32,—

(*i*) the existing NOTES 3, 4, 5, 6 and 7, shall be renumbered as NOTES 4, 5, 6, 7 and 8 respectively and before NOTE 3 as so renumbered, the following NOTE shall be inserted, namely:—

"3. In relation to products of heading No. 32.06, labelling or re-labelling of containers and re-packing from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer, shall amount to 'manufacture'.";

(*ii*) in sub-heading Nos. 3208.10, 3208.20, 3208.30, 3208.90, 3209.10, 3209.20 and 3209.90, for the entry in column (4), occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*13*) in Chapter 33,—

(*i*) in sub-heading Nos. 3301.00, 3302.10, 3302.90, 3303.00, 3305.10, 3306.00 and 3307.49, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos. 3304.00, 3305.90, 3307.10, 3307.20, 3307.30 and 3307.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(*14*) in Chapter 39, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(*15*) in Chapter 40,—

(*i*) in sub-heading Nos. 4005.00, 4006.10, 4008.11, 4008.19, 4008.21, 4009.92, 4010.10 and 4010.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "25%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading Nos. 4011.80 and 4011.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "35%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 4016.11, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*16*) in Chapter 41, for the entry in column (4) occurring against sub-heading No. 4101.00, the entry "Nil" shall be substituted;

(*17*) in Chapter 42, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "25%" shall be substituted;

(*18*) in Chapter 44, in sub-heading Nos. 4406.10, 4406.20, 4406.30, 4406.90, 4407.10 and 4407.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(*19*) in Chapter 48,—

(*i*) in sub-heading No. 4811.30, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(*ii*) in sub-heading No. 4815.00, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(*iii*) in sub-heading No. 4823.90, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

20) in Section XI,—

(i) for NOTES 1 and 2, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"1. This Section does not cover :

(a) Animal brush-making bristles or hair (Chapter 5); horsehair or horsehair waste (Chapter 5);

(b) Human hair or articles of human hair (Chapter 5 or 67), except straining cloth of a kind commonly used in oil pressesor or the like (heading No. 59.11);

(c) Cotton linters or other vegetable materials of Chapter 14;

(d) Asbestos of Chapter 25 or articles of asbestos or other products of Chapter 68;

(e) Articles of Chapter 30 (for example, wadding, gauze, bandages and similar articles for medical, surgical, dental or veterinary purposes, sterile surgical suture materials);

(f) Sensitised textiles of Chapter 37;

(g) Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm or strip or the like (for example, artificial straw) of an apparent width exceeding 5 mm, of plastics (Chapter 39), or plaits or fabrics or other basketware or wickerwork of such monofilament or strip (Chapter 46);

(h) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or articles thereof, of Chapter 39;

(ij) Woven, knitted or crocheted fabrics, felt or nonwovens, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, or articles thereof, of Chapter 40;

(k) Hides or skins with their hair or wool on (Chapter 41 or 43) or articles of furskin, artificial fur or articles thereof, of Chapter 43;

(l) Articles of textile materials of Chapter 42;

(m) Products or articles of Chapter 48 (for example, cellulose wadding);

(n) Footwear or parts of footwear, gaiters or leggings or similar articles of Chapter 64;

(o) Hair-nets or other headgear or parts thereof of Chapter 65;

(p) Goods of Chapter 67;

(q) Abrasive-coated textile material (Chapter 68) and also carbon fibres or articles of carbon fibres of Chapter 68;

(r) Glass fibres or articles of glass fibres, other than embroidery with glass thread on a visible ground of fabric (Chapter 70);

(s) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, bedding, lamps and lighting fittings); or

(t) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites and nets).

2.(A) Goods classifiable in Chapters 50 to 55 or in heading No. 58.09 or 59.02 and of a mixture of two or more textile materials are to be classified as if consisting wholly of that one textile material which predominates by weight over any other single textile material.

When no one textile material predominates by weight, the goods are to be classified as if consisting wholly of that one textile material which is covered by the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

(B) For the purposes of the above rule:

(a) Gimped horsehair yarn (heading No. 51.09) and metallised yarn (heading No. 56.05) are to be treated as a single textile material the weight of which is to be taken as the aggregate of the weights of its components; for the classification of woven fabrics, metal thread is to be regarded as a textile material;

(b) The choice of appropriate heading shall be effected by determining first the Chapter and then the applicable heading within that Chapter, disregarding any materials not classified in that Chapter;

(c) When both Chapters 54 and 55 are involved with any other Chapter, Chapters 54 and 55 are to be treated as a single Chapter;

(d) Where a Chapter or a heading refers to goods of different textile materials, such materials are to be treated as a single textile material.

(C) The provisions of paragraphs (A) and (B) above apply also to the yarns referred to in Notes 3, 4 and 12 below.";

(ii) in NOTE 3, for the opening portion, the following shall be substituted, namely:—

"3. For the purposes of heading Nos. 52.04, 54.01 and 55.08, 'sewing thread' means multiple (folded) or cabled yarn:";

(iii) for NOTES 12, 13 and 14, the following NOTE and SUBHEADING NOTES shall be substituted, namely: —

'12. (*A*) For the purposes of this Section, and subject to the exceptions in paragraph (*B*) below, yarns [single, multiple (folded) or cabled] of the following descriptions are to be treated as "twine; cordage, ropes and cables":

(*a*) Of silk or waste silk, measuring more than 18000 deniers;

(*b*) Of man-made fibres (including yarn of two or more monofilaments of Chapter 54), measuring more than 9000 deniers;

(*c*) Of true hemp or flax:

(*i*) Polished or glazed, measuring 1286 deniers or more; or

(*ii*) Not polished or glazed, measuring more than 18000 deniers;

(*d*) Of coir, consisting of three or more plies;

(*e*) Of other vegetable fibres, measuring more than 18000 deniers; or

(*f*) Reinforced with metal thread.

(*B*) Exceptions:

(*a*) Yarn of wool or other animal hair and paper yarn, other than yarn reinforced with metal thread;

(*b*) Man-made filament tow of Chapter 55 and multifilament yarn without twist or with a twist of less than 5 turns per metre of Chapter 54;

(*c*) Silk worm gut of heading No. 50.04, and monofilaments of Chapter 54;

(*d*) Metallised yarn of heading No. 56.05; yarn reinforced with metal thread is subject to paragraph (*A*) (*f*) above; and

(*e*) Chenille yarn, gimped yarn and loop wale-yarn of heading No. 56.06.

SUBHEADING NOTES

1. In this Section and, where applicable, throughout this Schedule, the following expressions have the meanings hereby assigned to them:

(*a*) ELASTOMERIC YARN

Filament yarn, including monofilament, of synthetic textile material, other than textured yarn, which does not break on being extended to three times its original length and which returns, after being extended to twice its original length, within a period of five minutes, to a length not greater than one-and-a half times its original length.

(*b*) UNBLEACHED YARN

Yarn which:

(*i*) has the natural colour of its constitutent fibres and has not been bleached, dyed (whether or not in the mass) or printed; or

(*ii*) is of indeterminate colour ('grey yarn'), manufactured from garnetted stock.

Such yarn may have been treated with a colourless dressing or fugitive dye (which disappears after simple washing with soap) and, in the case of man-made fibres, treated in the mass with delustring agents (for example, titanium dioxide).

(*c*) BLEACHED YARN

Yarn which:

(*i*) has undergone a bleaching process, is made of bleached fibres or, unless the context otherwise requires, has been dyed white (whether or not in the mass) or treated with a white dressing;

(*ii*) consists of a mixture of unbleached and bleached fibres; or

(*iii*) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached and bleached yarns.

(*d*) COLOURED (DYED OR PRINTED) YARN

Yarn which:

(*i*) is dyed (whether or not in the mass) other than white or in a fugitive colour, or printed, or made from dyed or printed fibres;

(*ii*) consists of a mixture of dyed fibres of different colours or of a mixture of unbleached or bleached fibres with coloured fibres (marl or mixture yarns), or is printed in one or more colours at intervals to give the impression of dots;

(*iii*) is obtained from slivers or rovings which have been printed; or

(*iv*) is multiple (folded) or cabled and consists of unbleached or bleached yarn and coloured yarn.

The above definitions also apply, *mutatis mutandis*, to monofilament and to strip or the like of Chapter 54.

(*e*) UNBLEACHED WOVEN FABRIC

Woven fabric made from unbleached yarn and which has not been bleached, dyed or printed. Such fabric may have been treated with a colourless dressing or a fugitive dye.

(*f*) BLEACHED WOVEN FABRIC

Woven fabric which:

(*i*) has been bleached or, unless the context otherwise requires, dyed white or treated with a white dressing, in the piece;

(*ii*) consists of bleached yarn; or

(*iii*) consists of unbleached and bleached yarn.

(*g*) DYED WOVEN FABRIC

Woven fabric which:

(*i*) is dyed a single uniform colour other than white (unless the context otherwise requires) or has been treated with a coloured finish other than white (unless the context otherwise requires), in the piece; or

(*ii*) consists of coloured yarn of a single uniform colour.

(*h*) WOVEN FABRIC OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS

Woven fabric (other than printed woven fabric) which:

(*i*) consists of yarns of different colours or yarns of different shades of the same colour (other than the natural colour of the constituent fibres);

(*ii*) consists of unbleached or bleached yarn and coloured yarn; or

(*iii*) consists of marl or mixture yarns.

(In all cases, the yarn used in selvedges and piece ends is not taken into consideration.)

(*ij*) PRINTED WOVEN FABRIC

Woven fabric which has been printed in the piece, whether or not made from yarns of different colours.

(The following are also regarded as printed woven fabrics: woven fabrics bearing designs made, for example, with a brush or spray gun, by means of transfer paper, by flocking or by the batik process).

The process of mercerisation does not affect the classification of yarns or fabrics within the above categories.

2. (*A*) Products of Chapters 56 to 63 containing two or more textile materials are to be regarded as consisting wholly of that textile material which would be selected under Note 2 above for the classification of a product of Chapters 50 to 55 consisting of the same textile materials.

(*B*) For the application of this rule:—

(*i*) where appropriate, only the part which determines the classification under rule 3 for the interpretation of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) shall be taken into account;

(*ii*) in the case of textile products consisting of a ground fabric and a pile or looped surface no account shall be taken of the ground fabric;

(*iii*) in the case of embroidery of heading No.58.05 only the ground fabrics shall be taken into account. However, embroidery without visible ground shall be classified with reference to the embroidering threads alone.';

(*21*) in Chapter 51,—

(*i*) for NOTES 2 and 3, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"2. In relation to products of heading Nos. 51.05, 51.06, 51.07, 51.08, 51.09, 51.10, 51.11 and 51.12 and the entries relating thereto, the expressions 'wool', 'fine animal hair', and 'coarse animal hair' shall include respective waste and garnetted stock after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

3. In relation to products of heading Nos. 51.06, 51.07, 51.08 and 51.09, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these proceses, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.";

(*ii*) in NOTE 4, for the words and figures " heading No. 51.07", the words and figures " heading Nos.51.10, 51.11 and 51.12" shall be substituted;

(*22*) in Chapter 52, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely:—

'NOTES

1. In relation to products of heading Nos. 52.04, 52.05 and 52.06, the process of dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.

2. In relation to products of heading Nos. 52.03, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08 and 52.09 and the entries relating thereto, the expression "cotton" shall include waste and garnetted stock after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

3. In relation to products of heading Nos.52.07, 52.08 and 52.09, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.';

(23) in Chapter 54, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely :—

" NOTES

1. Throughout this Schedule, the term 'man made fibres' means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes, either:

(a) By polymerisation of organic monomers, such as polyamides, polyesters, polyurethanes or polyvinyl derivatives; or

(b) By chemical transformation of natural organic polymers (for example, cellulose, casein, proteins or algae), such as viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates.

The terms 'synthetic' and 'artificial', used in relation to fibres, mean: synthetic: fibres as defined at (a); artificial: fibres as defined at (b).

The terms 'man made', 'synthetic' and 'artificial' shall have the same meanings when used in relation to 'textile materials'.

2. Heading Nos. 54.02 and 54.03 do not apply to synthetic or artificial filament tow of Chapter 55.

3. In relation to products of heading Nos. 54.01, 54.02, 54.03, 54.04 and 54.05, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to ' manufacture'.

4. For the purposes of heading Nos.54.06 and 54.07, bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other processes or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.";

(24) in Chapter 55, for the NOTES, the following NOTES shall be substituted, namely :—

' NOTES

1. For the purposes of heading Nos. 55.01 and 55.02, synthetic filament tow and artificial filament tow apply only to tow, consisting of parallel filaments of a uniform length equal to the length of the tow, meeting the following specificiations:

(a) Length of tow exceeding 2 metres;

(b) Twist less than 5 turns per metre;

(c) Measuring per filament less than 60 deniers;

(d) Synthetic filament tow only : the tow must be drawn, that is to say, be incapable of being stretched by more than 100% of its length;

(e) Total measurement of tow more than 18,000 deniers.

Tow of a length not exceeding 2 metre is to be classified in heading No. 55.03 or 55.04.

2. In relation to products of heading Nos. 55.09 and 55.10, dyeing, printing, bleaching, mercerising, twisting, texturising, doubling, multiple-folding, cabling or any other process or any one or more of these processes, or the conversion of any form of the said products into another form of such products shall amount to 'manufacture'.

3. In relation to products of heading Nos. 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13 and 55.14 and the entries relating thereto, the expression"staple fibres" shall include waste of synthetic staple fibres or filaments and waste of artificial staple fibres or filaments after they have been carded, combed or otherwise processed for spinning.

4. In relation to products of heading Nos.55.11, 55.12, 55.13 and 55.14, bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other processes or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture.';

(25) in Chapter 57, NOTE 3 shall be omitted;

(26) in Chapter 58,—

(i) in NOTE 4, for the word "knitted", the word "knotted" shall be substituted;

(ii) for NOTES 6 and 7, the following NOTES shall be substituted, namely:—

'6. For the purposes of heading No. 58.06, the expression " narrow woven fabrics" means:

(a) Woven fabrics of a width not exceeding 30 cm, whether woven as such or cut from wider pieces, provided with selvedges (woven, gummed or otherwise made) on both edges;

(b) Tubular woven fabrics of a flattened width not exceeding 30 cm; and

(e) Bias binding with folded edges, of a width when unfolded not exceeding 30 cm.

Narrow woven fabrics with woven fringes are to be classified in heading No. 58.08.

7. In addition to the products of heading No.58.09, this Chapter also includes articles made of metal thread and of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes.

8. In relation to fabrics of this Chapter, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water proofing, shrink proofing, tentering, heat- setting, crease resistant, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.';

(27) in Chapter 59,—

(i) for NOTE 1, the following NOTE shall be substituted, namely:—

'1. Except where the context otherwise requires, for the purposes of this Chapter the expression "textile fabrics" applies only to the woven fabrics of Chapters 50 to 55 and heading Nos.58.03 and 58.06, the braids and ornamental trimmings in the piece of heading No.58.08 and the knitted or crocheted fabrics of heading No.60.02.';

(ii) in NOTE 2, —

(i) in clause (a), after sub-clause (5), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(6) Textile products of heading No. 58.10," ;

(ii) clause (c) shall be omitted;

(iii) for NOTES 3, 4 and 5, the following NOTES shall be substituted, namely :—

"3. For the purposes of heading No.59.05, the expression 'textile wall coverings' applies to products in rolls, of a width of not less than 45 cms., suitable for wall or ceiling decoration, consisting of a textile surface which has been fixed on a backing or has been treated on the back (impregnated or coated to permit pasting).

This heading does not, however, apply to wall coverings consisting of textile flock or dust fixed directly on a backing of paper (heading No.48.14) or on a textile backing (generally heading No.59.07).

4. For the purposes of heading No.59.06, the expression 'rubberised textile fabrics' means:

(a) Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with rubber,

(i) weighing not more than 1,500 g/m^2; or

(ii) weighing more than 1,500 g/m^2 and containing more than 50 per cent. by weight of textile material;

(b) Fabrics made from yarn, strip or the like, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber, of heading No.56.04;

(c) Fabrics composed of parallel textile yarns agglomerated with rubber, irrespective of their weight per square metre; and

(d) Plates, sheets or strip, of cellular rubber, combined with textile fabric, where the textile fabric is more than mere reinforcement, other than quilted textile products.

5. Heading No.59.07 does not apply to:

(a) Fabrics in which the impregnation, coating or covering cannot be seen with the naked eye (usually Chapters 50 to 55, 58 or 60); for the purpose of this provision, no account should be taken of any resulting change of colour;

(b) Fabrics painted with designs (other than painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like);

(c) Fabrics partially covered with flock, dust, powdered cork or the like and bearing designs resulting from these treatments; however, imitation pile fabrics remain classified in this heading;

(d) Fabrics finished with normal dressings having a basis of amylaceous or similar substances;

(e) Wood veneered on a backing of textile fabrics (Chapter 44);

(f) Natural or artificial abrasive powder or grain, on a backing of textile fabrics (Chapter 68);

(g) Agglomerated or reconstituted mica, on a backing of textile fabrics (Chapter 68); or

(h) Metal foil on backing of textile fabrics (Section XV).";

(iv) in NOTE 6, for the figures "59,08", the figures "59.10" shall be substituted;

(v) in NOTE 7,—

(a) in the opening line, for the figures "59.09", the figures "59.11" shall be substituted;

(b) in clause (a), for the figures and word "59.07 and 59.08", the figures and word "59.08, 59.09 and 59.10 shall be substituted;

(c) in clause (b), for the figures and word "59.07 and 59.08", the figures and word "59.08, 59.09 and 59.10" shall be substituted.";

(28) in Chapter 60,—

(i) for NOTE 1, the following NOTE shall be substituted, namely:—

"1. This Chapter does not cover:

(a) Crochet lace of heading No. 58.04;

(b) Labels, badges or similar articles, knitted or crocheted, of heading No. 58.07; or

(c) Knitted or crocheted fabrics, impregnated, coated, covered or laminated of Chapter 59. However, knitted or

crocheted pile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated, remain classified in heading No. 60.01.";

(ii) after NOTE 3, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"4. In relation to products referred to in this Chapter, bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant, organdie processing or any other process or any one or more of these processes shall amount to 'manufacture'.";

(29) in Chapter 68,—

(i) in sub-heading Nos. 6804.10, 6804.20, 6804.30 and 6804.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "25%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 6807.00, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(30) in Chapter 69,—

(i) in sub-heading Nos. 6905.00, 6906.90, 6907.00, 6908.10, 6909.10, 6909.20, 6909.30, 6909.90, 6910.00 and 6911.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading No. 6906.10, for the entry in column (4), the entry "30%" shall be substituted;

(31) in Chapter 70, in sub-heading No. 7007.90, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(32) in Section XV, after NOTE 6, the following NOTE shall be inserted, namely :—

"7. In relation to the products of this section, the process of obtaining goods and materials by breaking up of ships, boats and other floating structures shall amount to 'manufacture'.";

(33) in Chapter 76, for the entry in column (4) occurring against all the sub-heading Nos., the entry "15%" shall be substituted;

(34) in Chapter 83, in sub-heading No. 8303.00, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;

(35) in Section XVI, in NOTE 1, in clause (e), for figures "59.08" and "59.09", the figures "59.10" and "59.11" shall respectively be substituted;

(36) in Chapter 84,—

(i) in sub-heading Nos. 8409.00, 8422.90, 8431.00, 8466.00, 8470.00, 8471.00, 8472.00, 8473.00, 8481.99, 8482.00, 8483.00, 8484.00, 8485.10 and 8485.90, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "15%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8414.10, 8414.91, 8415.00, 8418.00, 8419.00, 8476.11, 8476.91, 8481.10 and 8481.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading Nos. 8422.10, 8476.19 and 8476.99, for the entry in column (4), the entry 20% shall be substituted;

(37) in Chapter 85,—

(i) in sub-heading Nos. 8503.00, 8508.00 and 8525.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "15%" shall be substituted;

(ii) in sub-heading Nos. 8502.00, 8504.00 and 8535.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "10%" shall be substituted;

(iii) in sub-heading No. 8536.10, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted;

(iv) in sub-heading Nos. 8506.00, 8507.00, 8509.00, 8510.00, 8511.00, 8512.00, 8516.00, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.14, 8523.19, 8523.20, 8523.90, 8524.10, 8524.21, 8524.22, 8524.23, 8524.24, 8524.29, 8524.30, 8524.90, 8543.00, 8545.00, 8546.00 and 8548.00, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "20%" shall be substituted;

(v) in sub-heading No. 8544.00, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(38) in Chapter 87, in sub- heading No. 8708.00 and 8714.00, for the entry in column (4), the entry "15%" shall be substituted;

(39) in Chapter 89, in sub-heading Nos. 8901.00, 8902.00, 8904.00, 8905.00 and 8906.00, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

(40) in Chapter 90, in sub-heading Nos. 9032.11 and 9032.91, for the entry in column (4) occurring against each of them, the entry "40%" shall be substituted;

(41) in Chapter 94, in sub-heading No. 9404.00, for the entry in column (4), the entry "25%" shall be substituted;

(42) in Chapter 96, in sub-heading No. 9605.10, for the entry in column (4), the entry "40%" shall be substituted.

PART II

Heading No.	Sub-heading No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)

In the Schedule to the Central Excise Tariff Act,—

(*1*) in Chapter 7, for heading No. 07.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"07.01	0701.00	DRIED VEGETABLES, INCLUDING POTATOES, ONIONS AND MUSHROOMS, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED; DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, INCLUDING PEAS AND BEANS, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT	Nil";

(*2*) in Chapter 8, for heading No. 08.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"08.01	0801.00	EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS	Nil";

(*3*) in Chapter 9, for heading Nos. 09.01, 09.02 and 09.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"09.01	0901.00	COFFEE, WHETHER OR NOT CURED OR ROASTED OR DECAFFEINATED; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION	Nil
09.02	0902.00	TEA, INCLUDING TEA WASTE	Nil
09.03	0903.00	SPICES	Nil";

(*4*) in Chapter 11,—

(*i*) for heading No. 11.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"11.01	1101.00	PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY, INCLUDING FLOURS, GROATS, MEAL AND GRAINS OF CEREALS, AND FLOUR, MEAL OR FLAKES OF VEGETABLES	Nil";

(*ii*) for heading No.11.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"11.03	1103.00	STARCHES	Nil";

(*5*) in Chapter 13, for heading No. 13.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"13.01	1301.00	LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS	Nil";

(*6*) in Chapter 15, for heading No. 15.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"15.03	1503.00	FIXED VEGETABLE OILS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 15.02	Nil";

(*7*) in Chapter 16, for heading No. 16.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"16.01	1601.00	PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, INCLUDING SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, EXTRACTS AND JUICES, PREPARED OR PRESERVED FISH AND CAVIER AND CAVIER SUBSTITUTES	Nil";

(*8*) in Chapter 20, for heading No. 20.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"20.01	2001.00	PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS, INCLUDING JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES , FRUIT OR NUT PUREE AND FRUIT OR NUT PASTES, FRUIT JUICES AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER	Nil";

(*9*) in Chapter 21,—

(*i*) for heading Nos. 21.06 and 21.07 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"21.06	2106.00	PAN MASALA	50%
21.07	2107.00	BETEL NUT POWDER KNOWN AS "SUPARI"	20%";

(*ii*) after heading No. 21.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"21.08		EDIBLE PREPARATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	
	2108.10	Preparations for Lemonades or other Beverages intended for use in the manufacture of Aerated Water	40%

1	2		3	4
	2108.20	-	Sharbat	20%
	2108.30	-	Prasad or Prasadam	Nil
	2108.40	-	Sterilised or Pasteurised Miltone	Nil
	2108.90	-	Other	20%";

(10) in Chapter 24, for heading No. 24.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"24.02	2402.00		CIGARS AND CHEROOTS OF TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES	Nil";

(11) in Chapter 25, for heading No. 25.05 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"25.05	2505.00		MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED (INCLUDING CLAY, EARTH COLOURS, NATURAL ABRASIVES, SULPHURS, SLATE AND STONE); LIME; PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT INCLUDING PLASTERS SPECIALLY PREPARED FOR USE IN DENTISTRY	Nil";

(12) in Chapter 27, for heading Nos. 27.09 and 27.10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"27.09	2709.00		PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE	10%
27.10			PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS	
		-	Motor spirit, that is to say, any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which has its flash point below 25° C, and which either by itself or in admixture with any other substance, is suitable for use as fuel in spark ignition engines :	
	2710.11	--	Special boiling point spirits (other than Benzene, Toluol) with nominal boiling point range 55 - 115° C	20%
	2710.12	--	Special boiling point spirits (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol) with nominal boiling point range 63-70° C	20%
	2710.13	--	Other special boiling point spirits (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol)	20%
	2710.14	--	Naphtha	10%
	2710.19	--	Other	20%
	2710.90	-	Other	10%";

(13) in Chapter 37, for heading No. 37.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"37.04			PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED	
	3704.10	-	Photographic paper or paper board	20%
	3704.20	-	Sensitised textiles	20%
	3704.90	-	Other	20%";

(14) in Chapter 44, for heading No. 44.10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"44.10			ARTICLES OF WOOD NOT ELSEWHERE SPECIFIED	
		-	Doors, of wood:	
	4410.11	--	Flush doors	20%
	4410.19	--	Other	Nil
	4410.90	-	Other	Nil";

1	2	3	4
(15) in Chapter 48,—			
(i) for heading No. 48.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"48.02	4802.00	UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, AND PUNCH CARD STOCK AND PUNCH TAPE PAPER, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN PAPER OF HEADING No.48.01 OR 48.03; HANDMADE PAPER AND PAPERBOARD	20%";
(ii) for heading No. 48.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"48.04	4804.00	UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OR SHEETS, OTHER THAN THAT OF HEADING No. 48.02 OR 48.03	20%";
(16) in Chapter 50, for heading Nos. 50.01, 50.02 and 50.03 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"50.01	5001.00	SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING	Nil
50.02	5002.00	RAW SILK (NOT THROWN)	Nil
50.03		SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5003.10	- Not carded or combed	Nil
	5003.90	- Other	Nil
50.04		SILK YARN AND YARN SPUN FROM SILK WASTE; SILK-WORM GUT	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5004.11	-- Containing 85% or more by weight of silk or silk waste	Nil
	5004.19	-- Containing less than 85% by weight of silk or silk waste	20%
	5004.90	- Other	Nil
50.05		WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE	
	5005.10	- Fabrics of noil silk	Nil
	5005.20	- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk	Nil
	5005.90	- Other fabrics	Nil";
(17) in Chapter 51, for heading Nos. 51.01, 51.02, 51.03, 51.04, 51.05, 51.06, 51.07 and 51.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—			
"51.01	5101.00	WOOL, NOT CARDED OR COMBED	Nil
51.02	5102.00	FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED	Nil
51.03	5103.00	WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK	Nil
51.04	5104.00	GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR	Nil
51.05		WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS)	
	5105.10	- Carded Wool	Nil
		- Wool tops and other combed wool:	
	5105,21	-- Combed wool in fragments	10%
	5105.29	-- Other	10%
	5105.30	- Fine animal hair, carded or combed	10%
	5105.40	- Coarse animal hair, carded or combed	10%

1	2	3	4
51.06		YARN OF CARDED WOOL	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5106.11	-- Containing 85% or more by weight of wool	10%
	5106.12	-- Containing less than 85% by weight of wool	10%
	5106.90	- Other	Nil
51.07		YARN OF COMBED WOOL	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5107.11	-- Containing 85% or more by weight of wool	10%
	5107.12	-- Containing less than 85% by weight of wool	10%
	5107.90	- Other	Nil
51.08	5108.00	YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED)	20%
51.09	5109.00	YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSE HAIR (INCLUDING GIMPED HORSE HAIR YARN)	20%
51.10		WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR OF CARDED FINE ANIMAL HAIR	
	5110.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5110.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5110.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5110.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5110.29	-- Other woven fabrics	15%
51.11		WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR	
	5111.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5111.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5111.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5111.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5111.29	-- Other woven fabrics	15%
51.12		WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSE HAIR	
	5112.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5112.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5112.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5112.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5112.29	-- Other woven fabrics	15%";

(*18*) in Chapter 52, for heading Nos. 52.01, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11 and 52.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"52.01	5201.00	COTTON, NOT CARDED OR COMBED	Nil
52.02		COTTON WASTE (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	

1	2	3	4
	5202.10	- Yarn waste (including thread waste)	Nil
		- Other:	
	5202.91	-- Garnetted stock	Nil
	5202.99	-- Other	Nil
52.03	5203.00	COTTON, CARDED OR COMBED	Nil
52.04	5204.00	COTTON SEWING THREAD	20%
52.05		COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5205.11	-- Single yarn	20%
	5205.19	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5205.90	- Other	Nil
52.06		COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5206.11	-- Single yarn	20%
	5206.12	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5206.90	- Other	Nil
52.07		WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
	5207.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5207.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5207.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5207.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5207.29	-- Other woven fabrics	20%
52.08		WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES	
	5208.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5208.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5208.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5208.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5208.29	-- Other woven fabrics	20%
52.09		OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON	
	5209.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-procfing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5209.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5209.22	-- Dyed woven fabrics	20%

1	2	3	4
	5209.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5209.29	-- Other woven fabrics	20%";

(*19*) in Chapter 53, for heading Nos. 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07 and 53.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"53.01		FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5301.10	- Flax, raw or retted	Nil
		- Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun:	
	5301.21	-- Broken or scutched	Nil
	5301.29	-- Other	Nil
	5301.30	- Flax tow and waste	Nil
53.02		TRUE HEMP (CANNABIS SATIVA L.), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5302.10	- True hemp, raw or retted	15%
	5302.90	- Other	15%
53.03		JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES (EXCLUDING FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5303.10	- Jute and other textile bast fibres, raw or retted	Nil
	5303.90	- Other	Nil
53.04		SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
	5304.10	- Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw	15%
	5304.90	- Other	15%
53.05		COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK)	
		- Of coconut (coir):	
	5305.11	-- Raw	15%
	5305.19	-- Other	15%
		- Of Abaca:	
	5305.21	-- Raw	15%
	5305.29	-- Other	15%
		- Of Ramie:	
	5305.31	-- Raw	Nil
	5305.39	-- Other	Nil
		- Other:	
	5305.91	-- Raw	15%
	5305.99	-- Other	15%
53.06		FLAX YARN	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5306.11	-- Single	20%

1	2	3	4
	5306.19	-- Multiple (folded) or cabled	20%
	5306.90	- Other	Nil
53.07		YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING No.53.03	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power	
	5307.11	-- Single	10%
	5307.12	-- Multiple (folded) or cabled	10%
	5307.90	- Other	Nil
53.08		YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power:	
	5308.11	-- Coir Yarn	15%
	5308.12	-- True hemp yarn	15%
	5308.13	-- Paper yarn	15%
	5308.14	-- Ramie yarn	20%
	5308.19	-- Other	15%
	5308.90	- Other	Nil
53.09		WOVEN FABRICS OF FLAX	
	5309.10	- Not subjected to any process	10%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5309.21	-- Bleached woven fabrics	10%
	5309.22	-- Dyed woven fabrics	10%
	5309.23	-- Printed woven fabrics	10%
	5309.29	-- Other woven fabrics	10%
53.10		WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING No.53.03	
	5310.10	- Not subjected to any process	10%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5310.21	-- Bleached woven fabrics	10%
	5310.22	-- Dyed woven fabrics	10%
	5310.23	-- Printed woven fabrics	10%
	5310.29	-- Other woven fabrics	10%
53.11		WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN	
	5311.10	- Not subjected to any process	15%
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5311.21	-- Bleached woven fabrics	15%
	5311.22	-- Dyed woven fabrics	15%
	5311.23	-- Printed woven fabrics	15%
	5311.29	-- Other woven fabrics	15%";

1	2	3	4

(20) in Chapter 54, for heading Nos. 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11 and 54.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

1	2	3	4
"54.01		SEWING THREAD OF MAN-MADE FILAMENTS	
	5401.10	- Of synthetic filaments	20%
	5401.20	- Of artificial filaments	20%
54.02		SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 60 DENIERS	
	5402.10	- High tenacity yarn of nylon or other polyamides	30%
	5402.20	- High tenacity yarn of polyesters	50%
		- Textured yarn:	
	5402.31	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.32	-- Of polyesters	50%
	5402.39	-- Other	20%
		- Other yarn, single, untwisted :	
	5402.41	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.42	-- Of polyesters, partially oriented	50%
	5402.43	-- Of polyesters, other	50%
	5402.49	-- Other	20%
		- Other yarn, single, twisted:	
	5402.51	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.52	-- Of polyesters	50%
	5402.59	-- Other	20%
		- Other yarn, multiple (folded) or cabled:	
	5402.61	-- Of nylon or other polyamides	30%
	5402.62	-- Of polyesters	50%
	5402.69	-- Other	20%
54.03		ARTIFICIAL FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), INCLUDING ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF LESS THAN 60 DENIERS	
	5403.10	- High tenacity yarn of viscose rayon	15%
	5403.20	- Textured yarn	15%
		- Other yarn, single:	
	5403.31	-- Of viscose rayon, untwisted	15%
	5403.32	-- Of viscose rayon, twisted	15%
	5403.33	-- of cellulose acetate	15%
	5403.39	-- Other	15%
		- Other yarn, multiple (folded) or cabled:	
	5403.41	-- Of viscose rayon	15%
	5403.42	-- Of cellulose acetate	15%
	5403.49	-- Other	15%
54.04		SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 60 DENIERS OR MORE AND OF WHICH NO CROSS SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 mm; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 mm	
	5404.10	- Monofilament	20%
	5404.90	- Other	20%

1	2	3	4
54.05	5405.00	ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 60 DENIERS OR MORE AND OF WHICH NO CROSS SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 mm; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 mm	20%
54.06		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.04	
	5406.10	- Not subjected to any process	20%
		Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5406.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5406.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5406.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5406.29	-- Other woven fabrics	20%
54.07		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.05	
	5407.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5407.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5407.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5407.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5407.29	-- Other woven fabrics	20%";

(21) in Chapter 55, for heading Nos. 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 and 55.12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"55.01		SYNTHETIC FILAMENT TOW	
	5501.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5501.20	- Of polyesters	20%
	5501.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5501.90	- Other	20%
55.02	5502.00	ARTIFICIAL FILAMENT TOW	20%
55.03		SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5503.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5503.20	- Of polyesters	20%
	5503.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5503.40	- Of polypropylene	20%
	5503.90	- Other	20%
55.04		ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5504.10	- Of viscose rayon	20%
	5504.90	- Other	20%
55.05		WASTE (INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF MAN-MADE FIBRES	
	5505.10	- Of synthetic fibres	Rs.10 per Kg. or 50% whichever is higher

1	2	3	4
	5505.20	- Of artificial fibres	Rs.10 per Kg. or 20% whichever is higher
55.06		SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	
	5506.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5506.20	- Of polyesters	20%
	5506.30	- Acrylic or modacrylic	20%
	5506.90	- Other	20%
55.07	5507.00	ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING	20%
55.08		SEWING THREAD OF MAN MADE STAPLE FIBRES	
	5508.10	- Of synthetic staple fibres	20%
	5508.20	- Of artificial staple fibres	20%
55.09		YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
		- Containing 85% or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides:	
	5509.11	-- Single yarn	20%
	5509.19	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Containing 85% or more by weight of polyester staple fibres:	
	5509.21	-- Single yarn	20%
	5509.22	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres:	
	5509.31	-- Single yarn	20%
	5509.32	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
		- Other yarn, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres:	
	5509.41	-- Single yarn	20%
	5509.42	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5509.50	- Other yarn of Polyester staple fibre	20%
	5509.60	- Other yarn of acrylic or modacrylic staple fibres	20%
	5509.90	- Other yarn	20%
55.10		YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
		- Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres:	
	5510.11	-- Single yarn	20%
	5510.12	-- Multiple (folded) or cabled yarn	20%
	5510.90	- Other yarn	20%
55.11		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5511.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5511.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5511.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5511.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5511.29	-- Other woven fabrics	20%

1	2	3	4
55.12		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON	
	5512.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5512.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5512.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5512.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5512.29	-- Other woven fabrics	20%
55.13		OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5513.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5513.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5513.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5513.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5513.29	-- Other woven fabrics	20%
55.14		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
	5514.10	- Not subjected to any process	20%
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5514.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5514.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5514.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5514.29	-- Other woven fabrics	20%";

(*22*) in Chapter 56, for heading Nos. 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05, 56.06, 56.07 and 56.08 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"56.01		WADDING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES THEREOF; TEXTILE FIBRES, NOT EXCEEDING 5 mm IN LENGTH (FLOCK), TEXTILE DUST AND MILL NEPS	
	5601.10	-- Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding	15%
		- Wadding; other articles of wadding:	
	5601.21	-- Of Cotton	15%
	5601.22	-- Of man-made fibres	15%
	5601.29	-- Other	15%
	5601.30	- Textile flock and dust and mill neps	15%
56.02		FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED	
	5602.10	- Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics	15%
		- Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated:	
	5602.21	-- Of wool or fine animal hair	15%
	5602.29	-- Of other textile materials	15%
	5602.90	- Other	15%

1	2		3	4
56.03	5603.00		NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED	20%
56.04			RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED; TEXTILE YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS	
	5604.10	-	Rubber thread and cord, textile covered	15%
	5604.20	-	High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated.	15%
	5604.90	-	Other	15%
56.05	5605.00		METALLISED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED, BEING TEXTILE YARN, OR STRIP OF THE LIKE OF HEADING No.54.04 OR 54.05, COMBINED WITH METAL IN THE FORM OF THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAL	20%
56.06	5606.00		GIMPED YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, GIMPED (OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN (INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN); LOOP WALE YARN	15%
56.07			TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, WHETHER OR NOT PLAITED OR BRAIDED AND WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS	
	5607.10	-	Of jute or other textile bast fibres of heading No.53.03	10%
		-	Of sisal or other textile fibres of the genus Agave:	
	5607.21	--	Binder or baler twine	15%
	5607.29	--	Other	15%
	5607.30	-	Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres	15%
		-	Of polyethylene or polypropylene:	
	5607.41	--	Binder or baler twine	15%
	5607.49	--	Other	15%
	5607.50	-	Of other synthetic fibres	15%
	5607.90	-	Other	15%
56.08			KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING NETS AND OTHER MADE UP NETS, OF TEXTILE MATERIALS	
		-	Of man-made textile materials:	
	5608.11	--	Made up fishing nets	Nil
	5608.19	--	Other	15%
	5608.90	-	Other	15%
56.09	5609.00		ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING No. 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	15%";

(23) in Chapter 57, for heading Nos. 57.01 and 57.02 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"57.01			CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP	
	5701.10	-	Of wool or fine animal hair	30%
	5701.90	-	Of other textile materials	30%
57.02			CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP	

1	2	3	4
	5702.10	- Floor coverings of coconut fibres (coir)	Nil
		- Other, of pile construction, not made up:	
	5702.21	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.22	-- Of man made textile materials	30%
	5702.29	-- Of other textile materials	30%
		- Other, of pile construction, made up:	
	5702.31	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.32	-- Of man- made textile materials	30%
	5702.39	-- Of other textile materials	30%
		- Other, not of pile construction, not made up:	
	5702.41	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.42	-- Of man- made textile materials	30%
	5702.49	-- Of other textile materials	30%
		- Other, not of pile construction, made up:	
	5702.91	-- Of wool or fine animal hair	30%
	5702.92	-- Of man-made textile materials	30%
	5702.99	-- Of other textile materials	30%
57.03		CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, WHETHER OR NOT MADE UP	
	5703.10	- Of wool or fine animal hair	30%
	5703.20	- Of nylon or other polyamides	30%
	5703.30	- Of other man-made textile materials	30%
	5703.40	- Of other textile materials	30%
57.04	5704.00	CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF FELT, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP	30%
57.05	5705.00	OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP	30%";

(24) in Chapter 58, for heading Nos. 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05 and 58.06 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"58.01		WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 58.02 OR 58.06	
		- Of wool or fine animal hair:	
	5801.11	-- Not subjected to any process	15%
	5801.12	-- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes	15%
		- Of cotton:	
	5801.21	-- Not subjected to any process	20%
	5801.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of man-made fibres:	
	5801.31	-- Not subjected to any process	20%
	5801.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of other textile materials:	

1	2	3	4
	5801.91	-- Not subjected to any process	15%
	5801.92	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering,heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	15%
58.02		TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06; TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 57.03	
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton:	
	5802.21	-- Not subjected to any process	20%
	5802.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of man-made fibres:	
	5802.31	-- Not subjected to any process	20%
	5802.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials:	
	5802.41	-- Not subjected to any process	15%
	5802.42	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	15%
		- Tufted textile fabrics:	
	5802.51	-- Not subjected to any process	20%
	5802.52	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat-setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.03	5803.00	GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06	10%
58.04		TULLES AND OTHER NET FABRICS, NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS; LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power or steam:	
	5804.11	-- Of cotton	20%
	5804.12	-- Of man-made fibres	20%
	5804.19	-- Of other textile materials	15%
	5804.90	- Other	Nil
58.05		EMBROIDERY IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- Manufactured with the aid of vertical type automatic shuttle embroidery machines operated with power:	
	5805.11	-- Embroidery without visible ground	10%
	5805.19	-- Other	10%
	5805.90	- Other	Nil
58.06		NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN GOODS OF HEADING No. 58.07; NARROW FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE (BOLDUCS)	

1	2	3	4
	5806.10	- Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics	20%
	5806.20	- Other woven fabrics, containing elastomeric yarn or rubber thread	15%
		- Other woven fabrics:	
	5806.31	-- Of cotton	20%
	5806.32	-- Of man-made fibres	20%
	5806.39	-- Of other textile materials	15%
	5806.40	- Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)	15%
58.07		LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, NOT EMBROIDERED	
	5807.10	- Woven	15%
	5807.90	- Other	15%
58.08	5808.00	BRAIDS IN THE PIECE; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED; TASSELS, POMPONS AND SIMILAR ARTICLES	15%
58.09	5809.00	WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLISED YARN OF HEADING No. 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED	15%
58.10	5810.00	QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY STITCHING OR OTHERWISE, OTHER THAN EMBROIDERY OF HEADING No. 58.05	15%";

(*25*) in Chapter 59, for heading Nos. 59.01, 59.02, 59.03, 59.04, 59.05, 59.06, 59.07, 59.08 and 59.09 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"59.01		TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS	
	5901.10	- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like	10%
	5901.90	- Other	10%
59.02		TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON	
	5902.10	- Of nylon or other polyamides	20%
	5902.20	- Of polyesters	20%
	5902.90	- Other	20%
59.03		TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
	5903.10	- With polyvinyl chloride	20%
	5903.20	- With polyurethane	20%
	5903.90	- Other	20%
59.04		LINOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE	

1	2	3	4
	5904.10	- Linoleum	30%
		- Other:	
	5904.91	-- With a base consisting of needleloom felt or nonwovens	30%
	5904.92	-- With other textile base	30%
59.05	5905.00	TEXTILE WALL COVERINGS	30%
59.06		RUBBERISED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
	5906.10	- Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm	15%
		- Other:	
	5906.91	-- Knitted or crocheted	15%
	5906.99	-- Other	15%
59.07		TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE LIKE	
		- Fabrics, covered partially or fully with textile flocks or with preparation containing textile flocks:	
	5907.11	-- On base fabrics of cotton	20%
	5907.12	-- On base fabrics of man-made textile material	20%
	5907.19	-- On base fabrics of other textile material	20%
	5907.90	- Other	30%
59.08	5908.00	TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND TUBULAR KNITTED GAS MANTLE FABRIC THEREFOR, WHETHER OR NOT IMPREGNATED	15%
59.09	5909.00	TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS	15%
59.10	5910.00	TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL	25%
59.11		TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER	
	5911.10	- Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes	15%
	5911.20	- Bolting cloth, whether or not made up	15%
	5911.30	- Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement)	15%
	5911.40	- Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair	15%
	5911.90	- Other	15%";

(26) in Chapter 60, for heading No.60.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"60.01		PILE FABRICS, INCLUDING 'LONG PILE' FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED	
		- 'Long pile' fabrics:	
	6001.11	-- Of cotton	20%

1	2	3	4
	6001.12	-- Of man-made fibres	20%
	6001.19	-- Of other textile materials	15%
		- Looped pile fabrics:	
	6001.21	-- Of cotton	20%
	6001.22	-- Of man-made fibres	20%
	6001.29	-- Of other textile materials	15%
		- Other:	
	6001.91	-- Of cotton	20%
	6001.92	-- Of man-made fibres	20%
	6001.99	-- Of other textile materials	15%
60.02		OTHER KNITTED OR CROCHETED FABRICS	
	6002.10	- Of a width not exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	15%
	6002.20	- Other, of a width not exceeding 30 cm	20%
	6002.30	- Of a width exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	20%
		- Other fabrics, warp knit:	
	6002.41	-- Of wool or fine animal hair	15%
	6002.42	-- Of cotton	20%
	6002.43	-- Of man-made fibres	20%
	6002.49	-- Other	15%
		- Other:	
	6002.91	-- Of wool or fine animal hair	15%
	6002.92	-- Of cotton	20%
	6002.93	-- Of man-made fibres	20%
	6002.99	-- Other	15%";

(27) in Chapter 63, for heading No.63.01 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

63.01		BLANKETS AND TRAVELLING RUGS	
	6301.10	- Electric blankets	10%
	6301.20	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair	10%
	6301.30	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton	10%
	6301.40	- Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres	10%
	6301.90	- Other blankets and travelling rugs	10%
63.02	6302.00	BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN	10%
63.03	6303.00	CURTAINS (INCLUDING DRAPES) AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN OR BED VALANCES	10%
63.04	6304.00	OTHER FURNISHING ARTICLES, EXCLUDING THOSE OF HEADING No. 94.04	10%
63.05		SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS	
	6305.10	- Of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03	10%
	6305.20	- Of cotton	10%
		- Of man-made textile materials:	

1	2		3	4
	6305.31	--	Of polyethylene or polypropylene strip or the like	25%
	6305.39	--	Other	25%
	6305.90	-	Of other textile materials	10%
63.06	6306.00		TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS; TENTS; SAILS FOR BOATS, SAILBOARDS OR LANDCRAFT; CAMPING GOODS	10%
63.07	6307.00		OTHER MADE-UP ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED	10%";

(28) in Chapter 69, for heading No. 69.04 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"69.04	6904.00	CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS	20%";

(29) in Chapter 72, after heading No. 72.29 and the entries relating thereto,the following shall be inserted, namely:—

"72.30	7230.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 72 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(30) in Chapter 73, after heading No. 73.26 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"73.27	7327.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 73 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(31) in Chapter 74, after heading No. 74.19 and the entries relating thereto,the following shall be inserted, namely:—

"74.20	7420.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 74 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(32) in Chapter 75, after heading No. 75.08 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"75.09	7509.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 75 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(33) in Chapter 76, after heading No. 76.16 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"76.17	7617.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 76 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(34) in Chapter 78, after heading No. 78.06 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"78.07	7807.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 78 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(35) in Chapter 79, after heading No. 79.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"79.08	7908.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 79 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(36) in Chapter 80, after heading No. 80.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"80.08	8008.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 80 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(37) in Chapter 81, after heading No. 81.13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"81.14	8114.00	GOODS AND MATERIALS OF CHAPTER 81 OBTAINED BY BREAKING UP OF SHIPS, BOATS AND OTHER FLOATING STRUCTURES	15%";

(38) in Chapter 84,—

(i) for heading Nos. 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.05 and 84.06 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.01			NUCLEAR REACTORS; FUEL ELEMENTS(CARTRIDGES), NON-IRRADIATED, FOR NUCLEAR REACTORS; MACHINERY AND APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION	
	8401.10	-	All goods other than parts	10%
	8401.90	-	Parts	15%

1	2		3	4
84.02			STEAM OR OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS (OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILERS	
	8402.10	-	All goods other than parts	10%
	8402.90	-	Parts	15%
84.03			CENTRAL HEATING BOILERS OTHER THAN THOSE OF HEADING No.84.02	
	8403.10	-	All goods other than parts	10%
	8403.90	-	Parts	15%
84.04			AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING No. 84.02 OR 84.03 (FOR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPER-HEATERS, SOOT REMOVERS, GAS RECOVERERS); CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS	
	8404.10	-	All goods other than parts	10%
	8404.90	-	Parts	15%
84.05			PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS	
	8405.10	-	All goods other than parts	10%
	8405.90	-	Parts	15%
84.06			STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES	
	8406.10	-	All goods other than parts	10%
	8406.90	-	Parts	15%";

(*ii*) for heading Nos. 84.10, 84.11, 84.12 and 84.13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.10			HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS, AND REGULATORS THEREFOR	
	8410.10	-	All goods other than parts	10%
	8410.90	-	Parts	15%
84:11			TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS AND OTHER GAS TURBINES	
	8411.10	-	All goods other than parts	10%
	8411.90	-	Parts	15%
84.12			OTHER ENGINES AND MOTORS	
	8412.10	-	All goods other than parts	10%
	8412.90	-	Parts	15%
84.13			PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A MEASURING DEVICE; LIQUID ELEVATORS	
	8413.10	-	All goods other than parts	10%
	8413.90	-	Parts	15%";

(*iii*) for heading Nos. 84.16 and 84.17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.16			FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, INCLUDING THEIR MECHANICAL GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES	

1	2		3	4
	8416.10	-	All goods other than parts	10%
	8416.90	-	Parts	15%
84.17			INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCLUDING INCINERATORS, NON-ELECTRIC	
	8417.10	-	All goods other than parts	10%
	8417.90	-	Parts	15%";

(iv) for heading Nos. 84.20 and 84.21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.20			CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES, OTHER THAN FOR METALS OR GLASS, AND CYLINDERS THEREFOR	
	8420.10	-	All goods other than parts	10%
	8420.90	-	Parts	15%
84.21			CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS; FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES	
	8421.10	-	All goods other than parts	10%
	8421.90	-	Parts	15%".

(v) for heading Nos. 84.23 and 84.24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.23			WEIGHING MACHINERY (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CENTIGRAMS OR BETTER), INCLUDING WEIGHT OPERATED COUNTING OR CHECKING MACHINES; WEIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS	
	8423.10	-	All goods other than parts	15%
	8423.90	-	Parts	15%
84.24			MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND-OPERATED) FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT CHARGED; SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES	
	8424.10	-	All goods other than parts	10%
	8424.90	-	Parts	15%";

(vi) for heading Nos. 84.34 and 84.35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.34			MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY	
	8434.10	-	All goods other than parts	10%
	8434.90	-	Parts	15%
84.35			PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IN THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR BEVERAGES	
	8435.10	-	All goods other than parts	10%
	8435.90	-	Parts	15%";

(vii) for heading Nos. 84.38, 84.39, 84.40, 84.41, 84.42 and 84.43 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.38			MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK, OTHER THAN MACHINERY FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED VEGETABLE FATS OR OILS	
	8438.10	-	All goods other than parts	10%
	8438.90	-	Parts	15%

1	2		3	4
84.39			MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL OR FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD	
	8439.10	-	All goods other than parts	10%
	8439.90	-	Parts	15%
84.40			BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES	
	8440.10	-	All goods other than parts	10%
	8440.90	-	Parts	15%
84.41			OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CUTTING MACHINES OF ALL KINDS	
	8441.10	-	All goods other than parts	10%
	8441.90	-	Parts	15%
84.42			MACHINERY, APPARATUS AND EQUIPMENT (OTHER THAN THE MACHINE-TOOLS OF HEADING Nos. 84.56 TO 84.65), FOR TYPE-FOUNDING OR TYPE-SETTING, FOR PREPARING OR MAKING PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER PRINTING COMPONENTS; PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS; BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC STONES, PREPARED FOR PRINTING PURPOSES (FOR EXAMPLE, PLANED, GRAINED OR POLISHED)	
	8442.10	-	All goods other than parts	10%
	8442.90	-	Parts	15%
84.43			PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING	
	8443.10	-	All goods other than parts	10%
	8443.90	-	Parts	15%";

(*viii*) for heading Nos. 84.48, 84.49, 84.50 and 84.51 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.48			AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF HEADING No. 84.44, 84.45, 84.46 OR 84.47 (FOR EXAMPLE, DOBBIES, JACQUARDS, AUTOMATIC STOP MOTIONS, SHUTTLE CHANGING MECHANISMS); PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE, SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR OF HEADING No.84.44, 84.45, 84.46 OR 84.47 (FOR EXAMPLE, SPINDLES AND SPINDLE FLYERS, CARD CLOTHING, COMBS, EXTRUDING NIPPLES, SHUTTLES, HEALDS AND HEALD-FRAMES, HOSIERY NEEDLES)	
	8448.10	-	All goods other than parts	10%
	8448.90	-	Parts	15%
84.49			MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT OR NONWOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING MACHINERY FOR MAKING FELT HATS; BLOCKS FOR MAKING HATS	
	8449.10	-	All goods other than parts	10%
	8449.90	-	Parts	15%
84.50			HOUSEHOLD OR LAUNDRY TYPE WASHING MACHINES, INCLUDING MACHINES WHICH BOTH WASH AND DRY	
	8450.10	-	All goods other than parts	20%
	8450.90	-	Parts	15%

1	2		3	4
84.51			MACHINERY (OTHER THAN MACHINES OF HEADING No.84.50) FOR WASHING, CLEANING, WRINGING, DRYING, IRONING, PRESSING (INCLUDING FUSING PRESSES), BLEACHING, DYEING, DRESSING, FINISHING, COATING OR IMPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR MADE UP TEXTILE ARTICLES AND MACHINES FOR APPLYING THE PASTE TO THE BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT USED IN THE MANUFACTURE OF FLOOR COVERINGS SUCH AS LINOLEUM; MACHINES FOR REELING, UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS	
	8451.10	-	All goods other than parts	10%
	8451.90	-	Parts	15%";

(ix) for heading Nos. 84.53, 84.54 and 84.55 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.53			MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER OR FOR MAKING OR REPAIRING FOOTWEAR OR OTHER ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER, OTHER THAN SEWING MACHINES	
	8453.10	-	All goods other than parts	10%
	8453.90	-	Parts	15%
84.54			CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL FOUNDRIES	
	8454.10	-	All goods other than parts	10%
	8454.90	-	Parts	15%
84.55			METAL-ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR	
	8455.10	-	All goods other than parts	10%
	8455.90	-	Parts	15%";

(x) for heading Nos. 84.67 and 84.68 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.67			TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR	
	8467.10	-	All goods other than parts	15%
	8467.90	-	Parts	15%
84.68			MACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING, WHETHER OR NOT CAPABLE OF CUTTING, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 85.15; GAS-OPERATED SURFACE TEMPERING MACHINES AND APPLIANCES	
	8468.10	-	All goods other than parts	10%
	8468.90	-	Parts	15%";

(xi) for heading Nos. 84.74 and 84.75 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.74			MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING, WASHING, CRUSHING, GRINDING, MIXING OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID (INCLUDING POWDER OR PASTE) FORM; MACHINERY FOR AGGLOMERATING, SHAPING OR MOULDING SOLID MINERAL FUELS, CERAMIC PASTE, UNHARDENED CEMENTS, PLASTERING MATERIALS OR OTHER MINERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORM; MACHINES FOR FORMING FOUNDRY MOULDS OF SAND	
	8474.10	-	All goods other than parts	10%
	8474.90	-	Parts	15%

1	2		3	4
84.75			MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC OR ELECTRONIC LAMPS, TUBES OR VALVES OR FLASH-BULBS, IN GLASS ENVELOPES; MACHINES FOR MANUFACTURING OR HOT WORKING GLASS OR GLASSWARE	
	8475.10	-	All goods other than parts	10%
	8475.90	-	Parts	15%";

(xii) for heading Nos. 84.77, 84.78, 84.79 and 84.80 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"84.77			MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8477.10	-	All goods other than parts	10%
	8477.90	-	Parts	15%
84.78			MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8478.10	-	All goods other than parts	10%
	8478.90	-	Parts	15%
84.79			MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER	
	8479.10	-	All goods other than parts	10%
	8479.90	-	Parts	15%
84.80			MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY; MOULD BASES; MOULDING PATTERNS; MOULDS FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), METAL CARBIDES, GLASS, MINERAL MATERIALS, RUBBER OR PLASTICS	
	8480.10	-	All goods other than parts	10%
	8480.90	-	Parts	15%";

(39) in Chapter 89, after heading No. 89.07 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"89.08	8908.00		VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR BREAKING UP	15%".

THE FIFTH SCHEDULE

(*See* section 81)

In the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act , for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 3(*1*)]

NOTES

1. In this Schedule, "heading","sub-heading" and "Chapter" mean respectively a heading, sub-heading and Chapter in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985.

2. The rules for the interpretation of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985, the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the said Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this Schedule.

Heading No.	Sub-Heading No.	Description of goods	Rate of additional duty
(1)	(2)	(3)	(4)
17.01		SUGAR,OTHER THAN KHANDSARI SUGAR	
	1701.31	-- Required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)	Rs. 25 per quintal
	1701.39	-- Other	Rs. 45 per quintal
17.02	1702.11	-- Palmyra sugar	*Nil*
24.01	2401.00	UNMANUFACTURED TOBACCO;TOBACCO REFUSE	10%
24.02	2402.00	CIGARS AND CHEROOTS OF TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES	*Nil*
24.03		CIGARETTES AND CIGARILLOS OF TOBACCO	
		- Cigarettes:	
	2403.11	-- Of tobacco	Rs. 350 per thousand
		- Cigarillos:	
	2403.21	-- Of tobacco	Rs. 350 per thousand
24.04		OTHER MANUFACTURED TOBACCO	
		- Smoking mixtures of tobacco for pipes and cigarettes; cut tobacco:	
	2404.11	-- 'Gudaku' bearing a brand name	5%
	2404.12	-- 'Gudaku' not bearing a brand name	*Nil*
	2404.13	-- Cut tobacco	*Nil*
	2404.19	-- Others	75%
		- Hookah tobacco:	
	2404.21	-- Bearing a brand name	5%
	2404.29	-- Others	*Nil*
		- Biris of tobacco:	
	2404.31	-- In the manufacture of which any process has been conducted with the aid of machines operated with or without the aid of power	Rs. 2.50 per thousand
	2404.39	-- Others	Rs. 2.50 per thousand
		- Chewing tobacco including preparations commonly known as 'Khara Masala', 'Kimam', 'Dokta', 'Jarda', 'Sukha' and 'Surti':	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2404.41	-- bearing a brand name	10%
	2404.49	-- Others	10%
	2404.50	- Snuff of tobacco	10%
	2404.60	- Preparations containing snuff of tobacco in any proportion	10%
50.05		WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE	
	5005.10	- Fabrics of noil silk	*Nil*
	5005.20	- Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk	*Nil*
	5005.90	- Other fabrics	*Nil*
51.10		WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL EXCLUDING HAIR BELTING	
	5110.10	- Not subjected to any process	5%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5110.21	-- Bleached woven fabrics	5%
	5110.22	-- Dyed woven fabrics	5%
	5110.23	-- Printed woven fabrics	5%
	5110.29	-- Other woven fabrics	5%
51.11		WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL EXCLUDING HAIR BELTING	
	5111.10	- Not subjected to any process	5%
		- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes:	
	5111.21	-- Bleached woven fabrics	5%
	5111.22	-- Dyed woven fabrics	5%
	5111.23	-- Printed woven fabrics	5%
	5111.29	-- Other woven fabrics	5%
52.07		WOVEN FABRICS OF COTTON CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON	
	5207.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5207.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5207.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5207.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5207.29	-- Other woven fabrics	20%
52.08		WOVEN FABRICS OF COTTON CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES	
	5208.10	- Not subjected to any process	*Nil*

(1)	(2)	(3)	(4)
		Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5208.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5208.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5208.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5208.29	-- Other woven fabrics	20%
52.09		OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON	
	5209.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5209.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5209.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5209.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5209.29	-- Other woven fabrics	20%
54.06		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No.54.04	
	5406.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5406.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5406.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5406.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5406.29	-- Other woven fabrics	20%
54.07		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING No. 54.05	
	5407.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5407.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5407.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5407.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5407.29	-- Other woven fabrics	20%
55.11		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5511.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5511.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5511.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5511.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5511.29	-- Other woven fabrics	20%

(1)	(2)	(3)	(4)
55.12		WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON	
	5512.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5512.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5512.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5512.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5512.29	-- Other woven fabrics	20%
55.13		OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES	
	5513.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5513.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5513.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5513.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5513.29	-- Other woven fabrics	20%
55.14		WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES	
	5514.10	- Not subjected to any process	*Nil*
		- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes:	
	5514.21	-- Bleached woven fabrics	20%
	5514.22	-- Dyed woven fabrics	20%
	5514.23	-- Printed woven fabrics	20%
	5514.29	-- Other woven fabrics	20%
58.01		WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OTHER THAN FABRICS OF HEADING No. 58.02 OR 58.06	
		- Of wool:	
	5801.11	-- Not subjected to any process	5%
	5801.12	-- Subjected to the process of milling, raising, blowing, tentering, dyeing or any other process or any one or more of these processes	5%
		- Of cotton:	
	5801.21	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5801.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Of man-made fibres:	
	5801.31	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5801.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.02		TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06; TUFTED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING No. 57.03	

(1)	(2)	(3)	(4)
		-- Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton:	
	5802.21	--- Not subjected to any process	*Nil*
	5802.22	-- Subjected to the process of bleaching, mercerising, dyeing, printing, water-proofing, shrink-proofing, organdie processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Terry towelling and similar woven terry fabrics of man-made fibres:	
	5802.31	-- Not subjected to any process	*Nil*
	5802.32	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
		- Tufted textile fabrics:	
	5802.51	-- Not subjected to any process	5%
	5802.52	-- Subjected to the process of bleaching, dyeing, printing, shrink-proofing, tentering, heat setting, crease-resistant processing or any other process or any one or more of these processes	20%
58.03	5803.00	GAUZE, OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING No. 58.06	5%
58.04		LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- In or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power or steam:	
	5804.11	-- Of cotton	20%
	5804.12	-- Of man-made fibres	20%
58.05		EMBROIDERY IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS	
		- Manufactured with the aid of vertical type automatic shuttle embroidery machines operated with power:	
	5805.11	-- Embroidery without visible ground	*Nil*
	5805.19	-- Other	*Nil*
58.06	5806.00	NARROW WOVEN FABRICS (OTHER THAN TULLES, OTHER NET FABRICS AND GOODS OF HEADING Nos. 58.07, 58.08, 58.09 AND 58.10)	*Nil*
59.01		TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS	
	5901.10	- Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like	20%
	5901.90	- Other	20%
59.02		TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON	
	5902.10	- Of nylon or other polyamides	5%
	5902.20	- Of polyesters	5%
	5902.90	- Other	5%

(1)	(2)	(3)	(4)
59.03		TEXTILE FABRICS OF COTTON AND MAN-MADE TEXTILE MATERIALS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING No. 59.02	
	5903.10	- With polyvinyl chloride	5%
	5903.20	- With polyurethane	5%
	5903.90	- Other	5%
59.07		FABRICS COVERED PARTIALLY OR FULLY WITH TEXTILE FLOCKS OR WITH PREPARATION CONTAINING TEXTILE FLOCKS	
	5907.11	-- On base fabrics of cotton	5%
	5907.12	-- On base fabrics of man-made textile material	5%
60.01		PILE FABRICS, INCLUDING 'LONG PILE' FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED	
		- 'Long pile' fabrics:	
	6001.11	-- Of cotton	20%
	6001.12	-- Of man-made fibres	20%
		- Looped pile fabrics:	
	6001.21	-- Of cotton	20%
	6001.22	-- Of man-made fibres	20%
		- Other:	
	6001.91	-- Of cotton	20%
	6001.92	-- Of man-made fibres	20%
60.02		OTHER KNITTED OR CROCHETED FABRICS	
	6002.10	- Of a width not exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	10%
	6002.20	- Other, of a width not exceeding 30 cm	10%
	6002.30	- Of a width exceeding 30 cm, containing elastomeric yarn or rubber thread	20%
		- Other fabrics, warp knit:	
	6002.42	-- Of cotton	20%
	6002.43	-- Of man-made fibres	20%
		- Other:	
	6002.92	-- Of cotton	20%
	6002.93	-- Of man-made fibres	20%".

K.L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

8

Resolution on Final Budget Statements 1995-96

रजिस्ट्री सं. डी. एल—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 132] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 1995/श्रावण 10, 1917

No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 1995/SRAVANA 10, 1917

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1995

सं॰एफ॰ 2(104)-बी.(डी.)/95—दिनांक 15 मार्च, 1995 को संसद में यथा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण अब सामान्य जानकारी के लिए अंतिम रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

2. वर्ष 1995-96 के बजट में समग्र प्रस्तावों से सरकार पर निवल अतिरिक्त भार अथवा राजस्व हानि होना अनुमानित नहीं है ।

3. राजस्व खाते पर तथा साथ ही बजटीय और राजकोषीय घाटों के क्रमश: 35,541 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए और 57,634 करोड़ रुपए पर ही रहना अनुमानित है ।

4. वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगें किसी संशोधन के बिना अनुमोदित कर दी गई हैं ।

एन॰ पी॰ बागची, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1995

No. F. 2(104)-B(D)/95:—The Annual Financial Statement as presented to Parliament on the 15th March, 1995 is now published in its final form for general information.

2. The proposals in the Budget, 1995-96 overall are not estimated to result in any net additionality or loss of revenue to the Government.

3. The deficit on revenue account as well as the budgetary and fiscal deficits are estimated to remain at Rs. 35,541 crore, Rs. 5,000 crore and Rs. 57,634 crore, respectively.

4. The Demands for Grants, 1995-96 have been approved without any modification.

N. P. BAGCHEE, Addl. Secy. (Budget)

केन्द्रीय सरकार

का

1995-96

का

वार्षिक वित्तीय विवरण

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

OF THE

CENTRAL GOVERNMENT

FOR

1995-96

(अंतिम रूप से स्वीकृत)

(As finally adopted)

एम॰ एस॰ आहलूवालिया
वित्त सचिव

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1995
New Delhi, the 26th July, 1995

M.S. AHLUWALIA
Finance Secretary

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. कर राजस्व	**A. TAX REVENUE**					
(क) आय और व्यय पर कर	***(a) Taxes on Income and Expenditure:***		***12362.86***	***16454.45***	***16860.12***	***20441.19***
निगम-कर	Corporation Tax	0020	10060.06	12480.00	13250.00	15500.00
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	Taxes on Income other than Corporation Tax	0021	1346.42	2720.45	2440.12	3766.19
होटल प्राप्तियों पर कर	Hotel Receipts Tax	0023	0.06	...	...	...
ब्याज कर	Interest Tax	0024	727.58	1044.00	1000.00	1000.00
आय और व्यय पर अन्य कर	Other Taxes on Income and Expenditure	0028	228.74	210.00	170.00	175.00
(ख) सम्पत्ति और पूंजी लेन-देनों पर कर	***(b) Taxes on Property and Capital Transactions:***		***159.17***	***131.00***	***95.00***	***101.00***
सम्पदा शुल्क	Estate Duty	0031	0.21	1.00	1.00	1.00
धन पर कर	Taxes on Wealth	0032	153.98	125.00	80.00	90.00
दान-कर	Gift Tax	0033	4.98	5.00	14.00	10.00
(ग) वस्तुओं और सेवाओं पर कर	***(c) Taxes on Commodities and Services:***		***54254.84***	***62160.00***	***64125.00***	***73285.00***
सीमा शुल्क	Customs	0037	22192.72	25200.00	26450.00	29500.00
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	0038	31696.63	36700.00	36900.00	42780.00
बिक्री कर	Sales Tax	0040	12.78	...	...	...
सेवा कर	Service Tax	0044	...	...	375.00	600.00
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	0045	352.71	260.00	400.00	405.00
(घ) संघ राज्य क्षेत्रों का कर	***(d) Taxes of Union Territories***		***1197.89***	***186.40***	***190.72***	***200.91***
दिल्ली	Delhi		1028.64	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		169.25	186.40	190.72	200.91
जोड़ - कर राजस्व	**TOTAL-TAX REVENUE**		67974.76	78931.85	81270.84	94028.10
ख. कर-भिन्न राजस्व	**B. NON-TAX REVENUE**					
(क) राजकोषीय सेवाएं	***(a) Fiscal Services***		***1253.22***	***1236.57***	***1169.12***	***1198.78***
करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	0046	477.68	479.53	458.28	537.28
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	0047	775.54	757.04	710.84	661.50
(ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	***(b) Interest Receipts, Dividends and Profits:***		***17510.24***	***24491.89***	***24542.71***	***23519.3***
ब्याज प्राप्तियां	Interest Receipts	0049	15062.16	15977.89	16234.52	18419.4
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Govts		9553.13	11162.65	11379.50	13347.8
रेलवे से ब्याज	Interest from Railways		1270.45	1372.00	1380.00	1371.1
दूरसंचार से ब्याज	Interest from Telecommunications		230.33	263.40	269.20	265.0
अन्य ब्याज प्राप्तियां	Other Interest Receipts		4008.25	3179.84	3205.82	3435.52
लाभांश और लाभ	Dividends and Profits	0050	2448.08	8514.00	8308.19	5099.87
(ग) अन्य कर-भिन्न राजस्व	***(c) Other Non-Tax Revenue:***					
(i) सामान्य सेवाएं	*(i) General Services:*		*3387.03*	*3327.99*	*3634.16*	*4028.43*
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	0051	5.67	6.50	8.12	8.12
पुलिस	Police	0055	313.37	310.05	382.70	400.01
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	0057	35.81	24.51	32.98	26.72

टिप्पणी:- 'वास्तविक 1993-94 कालम के अतर्गत दिखाए गए आंकड़े अनन्तिम है ।

Note: The figures shown under the column 'Accounts 1993-94' are provisional.

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery and Printing	0058	27.15	38.52	35.00	38.50
लोक निर्माण कार्य	Public Works	0059	66.37	45.82	50.00	52.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	0070	220.83	184.84	230.92	231.78
पेशने और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अशदान और वसूलियां	Contributions and Recoveries towards Pension & Other Retirement benefits	0071	49.32	56.26	38.11	38.01
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	0075	1701.12	1827.41	1889.55	2164.28
रक्षा सेवाएं	***Defence Services***		*967.39*	*834.08*	*966.78*	*1069.01*
थल सेना	Army	0076	376.65	324.35	385.31	386.81
नौ सेना	Navy	0077	28.51	35.00	28.90	35.67
वायु सेना	Air Force	0078	135.01	78.00	130.00	130.00
आयुध कारखाने	Ordnance Factories	0079	427.22	396.73	422.57	516.53
(ii) सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं :	***(II) Social and Community Services:***		*540.73*	*576.68*	*579.00*	*693.03*
शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	Education, Sports, Arts and Culture	0202	10.40	11.65	4.45	12.00
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical & Public Health	0210	16.07	18.88	38.98	43.98
परिवार कल्याण	Family Welfare	0211	6.61	10.98	7.50	10.30
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	0215	0.03	...	...	...
आवास	Housing	0216	43.03	62.58	45.34	51.09
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	0220	21.42	23.77	23.77	23.77
प्रसारण	Broadcasting	0221	440.07	446.00	456.16	549.00
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	0230	1.42	1.24	1.48	1.57
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	0235	1.66	1.55	1.32	1.32
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	0250	0.02	0.03	...	...
(iii) आर्थिक सेवाएं	***(iii) Economic Services:***		*27675.11*	*32800.32*	*32011.48*	*35767.95*
कृषि कार्य	Crop Husbandry	0401	11.42	8.92	11.50	11.50
पशु पालन	Animal Husbandry	0403	3.79	3.50	3.65	3.65
डेरी विकास	Dairy Development	0404	105.01	46.10	102.10	125.10
मत्स्यपालन	Fisheries	0405	0.93	0.95	1.03	1.08
वानिकी और वन्य जीवन	Forestry & Wild Life	0406	21.42	103.00	58.00	55.00
पौध-रोपण	Plantations	0407	4.44	...	...	...
खाद्य भंडारण और भांडागारण	Food Storage and Warehousing	0408	7.05	6.26	8.17	8.18
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	0435	2.35	2.02	4.02	5.02
वृहद और मध्यम सिंचाई	Major & Medium Irrigation	0701	3.38	3.20	4.45	3.53
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	0702	0.60	0.60	0.80	1.00
विद्युत	Power	0801	444.71	874.25	772.75	850.39
पेट्रोलियम	Petroleum	0802	801.88	983.22	1018.52	1316.22
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	0810	0.02	0.01	0.02	0.02
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	0851	8.08	9.03	10.52	11.23
उद्योग	Industries	0852	111.01	213.81	178.62	220.17
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Minning & Metallurgical Industries	0853	2.46	1.14	1.87	2.40
अन्य उद्योग	Other Industries	0875	104.07	62.00	80.00	100.00
पत्तन और दीपस्तम्भ	Ports and Lighthouses	1051	56.58	48.59	49.00	56.25

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
नौवहन	Shipping	1052	6.39	2.95	7.26	8.30
नागर विमानन	Civil Aviation	1053	1.02	0.65	1.02	1.02
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	1054	40.54	41.50	46.50	49.50
अन्य सचार सेवाएं	Other Communication Services	1275	7.10	5.40	7.10	7.10
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	1401	10.09	9.08	11.35	8.37
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	1425	15.58	15.59	16.08	16.58
पर्यटन	Tourism	1452	0.61	...	...	...
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	1453	69.31	52.29	56.44	59.95
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	1456	0.10	0.15	0.08	0.09
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	1475	271.84	179.31	329.44	285.25
रेलवे बजट के अनुसार रेलवे का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget		18363.29	20804.80	20348.19	22370.05
डाक प्राप्तिया	Postal Receipts	1201	1105.17	1170.00	1185.00	1315.00
दूरसंचार प्राप्तियां	Telecommunication Réceipts	1225	6094.87	8152.00	7698.00	8876.00
ग. सहायता—अनुदान और अंशदान	**C. GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS**		**993.26**	**1365.00**	**1175.99**	**1153.66**
विदेशी अनुदान सहायता	External Grant Assistance	1605	885.62	1284.55	995.74	1085.20
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Material and Equipment	1606	107.64	80.45	180.25	68.46
संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	***Non-Tax Revenue of Union Territories***		***267.25***	***191.52***	***184.05***	***196.42***
दिल्ली	Delhi		43.56	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		223.69	191.52	184.05	196.42
जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**TOTAL- NON-TAX REVENUE**		**51626.84**	**63989.97**	**63296.51**	**66557.62**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	***TOTAL-REVENUE RECEIPTS***		***119601.60***	***142921.82***	***144567.35***	***160585.72***
अग्रेनीत (देखिए पृष्ठ 7) प्राप्तियों से अधिक संवितरण (राजस्व घाटा)	Carried over (see page 13) Excess of Disbursements over Receipts (Revenue Deficit)		32715.58	32727.13	34131.40	35541.85
जोड़	**TOTAL:**		**152317.18**	**175648.95**	**178698.75**	**196127.57**

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. सामान्य सेवाएं	A. GENERAL SERVICES		63801.19	75232.32	74012.03	84647.59
(क) राज्य के अंग	*(a) Organs of State*		*528.22*	*544.57*	*802.14*	*820.93*
संसद	Parliament	2011	54.23	55.50	65.44	74.02
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति आदि	President, Vice President, etc.	2012	4.39	5.17	5.15	5.23
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers	2013	39.73	40.62	50.69	50.03
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	20.63	22.03	25.87	25.66
चुनाव	Elections	2015	69.21	61.25	287.00	284.99
लेखा परीक्षा	Audit	2016	340.03	360.00	368.00	381.00
(ख) राजकोषीय सेवाएं	*(b) Fiscal Services*		*2107.47*	*2425.12*	*2181.43*	*2308.50*
(i) कर संग्रह	*(i) Tax Collection*		*819.81*	*950.54*	*983.91*	*1023.06*
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure	2020	304.38	337.61	371.32	371.33
सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर का संग्रह	Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax	2031	31.05	34.13	34.20	34.20
सीमा-शुल्क	Customs	2037	238.94	295.30	287.89	322.91
संघ उत्पाद-शुल्क	Union Excise Duties	2038	237.63	275.00	280.70	282.47
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties on Commodities and Services	2045	7.81	8.50	9.80	12.15
(ii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	*(ii) Other Fiscal Services*		*1287.66*	*1474.58*	*1197.52*	*1285.44*
करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	2046	335.36	454.27	335.35	521.51
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	2047	952.30	1020.31	862.17	763.93
(ग) ब्याज संदाय और ऋण परिशोधन	*(c) Interest Payment and Servicing of Debt*		*36694.97*	*46000.00*	*44000.00*	*52000.00*
ब्याज संदाय	Interest Payments	2049	36694.97	46000.00	44000.00	52000.00
(घ) प्रशासनिक सेवाएं	*(d) Administrative Services*		*3826.79*	*3979.89*	*4233.68*	*4432.84*
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	25.62	27.10	28.05	29.19
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	329.11	338.06	346.23	374.26
पुलिस	Police	2055	2484.50	2629.16	2691.45	2844.08
जेलें	Jails	2056	0.00	...	0.05	0.05
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	2057	18.65	19.45	20.21	21.19
लेखन-सामग्री और मुद्रण	Stationery and Printing	2058	71.20	68.28	71.15	74.84
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	146.23	129.13	180.00	174.20
वैदेशिक कार्य	External Affairs	2061	580.40	579.12	691.34	708.25
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	171.08	189.57	205.20	206.78
(ङ) पेंशनें और विविध सामान्य सेवाएं	*(e) Pensions and Miscellaneous General Services*		*4699.03*	*5279.79*	*5217.24*	*5870.30*
पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits	2071	3303.05	3604.28	3650.82	3850.51
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	2075	1395.98	1675.51	1566.42	2020.29
(च) रक्षा सेवाएं	*(f) Defence Services*		*15944.71*	*17002.95*	*17577.54*	*19214.52*
रक्षा सेवाएं - थल सेना	Defence Services-Army	2076	10768.94	11460.03	11725.48	12819.62
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	Defence Services-Navy	2077	1342.05	1390.43	1468.30	1570.39
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	Defence Services-Air Force	2078	3500.35	3696.33	3901.76	4264.91
रक्षा सेवाएं- आयुध कारखाने	Defence Services-Ordnance Factories	2079	333.37	456.16	482.00	559.60
ख सामाजिक सेवाएं	B. SOCIAL SERVICES		4498.27	5039.04	5227.78	5906.18
सामान्य शिक्षा	General Education	2202	1168.85	1380.91	1423.62	1471.17
तकनीकी शिक्षा	Technical Education	2203	399.89	428.89	455.07	463.66
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services	2204	97.99	98.90	96.85	96.15
कला और संस्कृति	Art and Culture	2205	170.37	171.76	174.59	187.84
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	2210	565.10	642.81	698.67	721.09
परिवार कल्याण	Family Welfare	2211	81.85	96.20	91.78	175.08
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	2215	84.44	125.60	89.51	398.09
आवास	Housing	2216	128.33	132.38	155.15	160.21
शहरी विकास	Urban Development	2217	8.03	10.27	10.68	36.52
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	2220	86.64	96.60	102.92	110.06

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
प्रसारण	Broadcasting	2221	729.06	777.58	799.44	914.70
अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes	2225	50.90	36.80	69.23	66.61
श्रम तथा रोजगार	Labour & Employment	2230	510.52	480.86	482.30	507.37
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	370.53	510.26	523.55	543.10
पोषाहार	Nutrition	2236	4.77	4.47	5.04	5.52
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	2250	2.98	2.31	4.95	2.52
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services	2251	38.02	42.44	42.43	46.39
ग. आर्थिक सेवाएं	**C. ECONOMIC SERVICES**		**47008.01**	**58545.38**	**61858.55**	**63176.22**
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	***(a) Agriculture and Allied Activities***		*8145.98*	*6357.36*	*9720.65*	*8910.04*
कृषि कार्य	Crop Husbandry	2401	974.77	803.41	2021.17	2423.41
मृदा तथा जल संरक्षण	Soil and Water Conservation	2402	11.51	20.30	25.60	20.41
पशु पालन	Animal Husbandry	2403	21.18	56.15	30.08	51.87
डेरी विकास	Dairy Development	2404	154.92	70.16	162.32	154.73
मत्स्य पालन	Fisheries	2405	62.15	46.59	42.04	42.31
वानिकी तथा वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	2406	100.61	133.55	132.77	93.22
पौध-रोपण	Plantations	2407	76.37	93.69	93.69	107.87
खाद्य भंडारण तथा भाण्डागारण	Food, Storage and Warehousing	2408	5761.54	4213.85	5313.83	5409.62
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education	2415	429.11	476.25	495.00	548.07
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions	2416	23.29	58.54	13.53	12.67
सहकारिता	Co-operation	2425	19.03	29.06	37.23	29.71
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	2435	511.50	355.81	353.39	16.15
(ख) ग्रामीण विकास	***(b) Rural Development***		*1625.01*	*4226.38*	*4157.36*	*5700.37*
ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development	2501	564.03	583.28	579.78	911.38
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment	2505	1001.14	3573.59	3508.24	4680.34
भूमि सुधार	Land Reforms	2506	9.03	14.02	0.35	1.73
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes	2515	50.81	55.49	68.99	106.92
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	***(c) Special Areas Programmes***		*20.10*	*25.02*	*810.47*	*809.89*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	2552	20.10	25.02	20.47	19.89
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	MPs Local Area Development Scheme	2553	...	...	790.00	790.00
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	***(d) Irrigation and Flood Control***		*168.20*	*169.52*	*144.00*	*176.88*
वृहद और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	2701	50.24	51.73	57.63	61.62
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	2702	92.06	81.38	55.42	72.60
कमान क्षेत्र विकास	Command Areas Development	2705	0.87	3.95	2.70	2.55
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control & Drainage	2711	25.03	32.46	28.25	40.11
(ङ) ऊर्जा	***(e) Energy***		*1131.07*	*1393.95*	*1218.83*	*1406.51*
विद्युत	Power	2801	718.74	1052.81	936.36	1082.73
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	2803	260.11	167.82	109.67	148.37
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	2810	152.22	173.32	172.80	175.41
(च) उद्योग और खनिज	***(f) Industry and Minerals***		*5783.78*	*5784.58*	*5817.39*	*5930.50*
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	2851	501.54	643.19	623.72	843.78
उद्योग	Industries	2852	5016.62	4818.22	4834.15	4690.39
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	2853	141.19	147.10	148.53	163.13
अन्य उद्योग	Other Industries	2875	49.12	45.20	47.12	68.05
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other outlays on Industries and Minerals	2885	75.31	130.87	163.87	165.15

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - राजस्व खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - REVENUE ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(छ) परिवहन	***(g) Transport***		***19387.51***	***21786.65***	***21545.38***	***23353.99***
रेलवे बजट के अनुसार व्यय	Expenditure as per Railway Budget		18363.29	20804.80	20348.19	22370.05
पत्तन तथा दीपस्तंभ	Ports & Light Houses	3051	120.08	105.64	159.50	111.06
नौवहन	Shipping	3052	112.76	94.14	92.57	49.86
नागर विमानन	Civil Aviation	3053	60.11	47.60	78.41	40.93
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	3054	292.07	297.39	408.65	343.75
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	7.27	14.75	14.75	6.50
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	3056	6.91	7.80	7.80	8.15
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	3075	425.02	414.53	435.51	423.69
(ज) संचार	***(h) Communications***		***7659.85***	***9661.81***	***9478.55***	***10837.80***
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	1312.26	1316.14	1516.12	1619.13
दूरसंचार	Telecommunications		6094.87	8152.00	7698.00	8876.00
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	3225	3738.02	4482.60	4123.80	4744.00
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividends to General revenues	3230	230.33	263.40	269.20	265.00
दूरसंचार अधिशेष से विनियोग	Appropriations from Telecommunication Surplus	3231	2126.52	3406.00	3305.00	3867.00
उपग्रह प्रणाली	Satellite Systems	3252	206.96	156.65	224.83	330.48
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	3275	45.76	37.02	39.60	12.19
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	***(i) Science Technology and Environment***		***1586.33***	***1788.35***	***1777.37***	***1876.43***
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	3401	328.96	350.22	350.10	363.89
अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	387.60	474.21	434.29	499.08
समुद्रविज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	3403	40.67	47.53	52.93	55.87
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	656.62	731.80	756.01	809.85
पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	Ecology and Environment	3435	172.48	184.59	184.04	147.74
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं	***(j) General Economic Services***		***1500.18***	***7351.76***	***8188.55***	***4173.81***
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services	3451	165.59	193.50	204.41	219.40
पर्यटन	Tourism	3452	76.81	93.20	93.20	92.19
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	3453	766.84	406.59	707.04	468.41
जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Census, Surveys and Statistics	3454	103.00	119.77	110.46	113.57
मौसम विज्ञान	Meteorology	3455	55.13	59.12	63.35	66.06
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies	3456	42.97	11.86	36.86	3.43
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	General Financial and Trading Institutions	3465	0.94	2.00	6.65	7.75
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	International Financial Institutions	3466	0.41	0.41	0.55	0.55
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	3475	288.49	6465.31	6966.03	3202.45
घ. सहायता—अनुदान और अंशदान	**D- GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS**		**35583.91**	**36219.80**	**36958.16**	**41701.11**
राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	Grants in aid to State Governments	3601	20829.90	19626.78	20263.43	21543.57
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants in aid to Union Territory Governments	3602	125.95	216.32	258.37	297.84
संघ उत्पाद शुल्कों के राज्यों के हिस्से की अदायगी	Payment of States' share of Union Excise Duties	3603	14472.55	16189.47	16282.91	19654.58
अन्य देशों के साथ तकनीकी व आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Cooperation with other countries	3605	155.49	187.23	153.45	205.12
सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Aid Materials and Equipment	3606	0.02	...	...	...
संघ राज्य क्षेत्रों का संवितरण	**Disbursements of Union territories**		**1425.80**	**612.41**	**642.23**	**696.47**
दिल्ली	Delhi		820.90	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		604.90	612.41	642.23	696.47
जोड़ - राजस्व संवितरण	***TOTAL- REVENUE DISBURSEMENTS***		***152317.18***	***175648.95***	***178698.75***	***196127.57***
संवितरण से अधिक राजस्व (अधिशेष)	Excess of Revenue over Disbursements (Surplus)		...	...	...	...
जोड़	TOTAL:		152317.18	175648.95	178698.75	196127.57

विवरण 1 - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - प्राप्तियां
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA-CAPITAL ACCOUNT-RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. लोक ऋण	*A. PUBLIC DEBT*					
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001				
91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	91 Days Treasury Bills		102890.38	151000.00	148650.00	164999.40
बाजार ऋण	Market Loans		30065.45	4653.67	4653.68	9255.58
अन्य	Others		26657.73	42427.51	38915.67	37557.80
जोड़-केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	***Total-Internal Debt of Central Government***		***159613.56***	***198081.18***	***192219.35***	***211812.78***
विदेशी ऋण	External Debt	6002	10023.50	9004.17	8762.88	10134.72
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL-PUBLIC DEBT**		**169637.06**	**207085.35**	**200982.23**	**221947.50**
ख. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	*B. RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES*					
राज्य सरकारें	State Governments		5174.25	5221.51	5333.18	5729.65
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	Union Territory Governments		17.55	21.09	21.09	24.57
विदेशी सरकारें	Foreign Governments		262.57	34.86	23.02	35.98
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances		2156.91	2553.54	2453.71	2071.80
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**,OTAL- RECOVERIES OF LOANS AND ADVANCES**		**7611.28**	**7831.00**	**7831.00**	**7862.00**
ग. अन्य प्राप्तियां	*C. OTHER RECEIPTS*	*4000*	*-47.74*	*4000.00*	*5767.03*	*7000.00*
जोड़-पूंजी खाते की प्राप्तियां	***TOTAL CAPITAL ACCOUNT RECEIPTS***		***177200.60***	***218916.35***	***214580.26***	***236809.50***
राजस्व प्राप्तियां (पृष्ठ 3 से आगे लाया गया)	REVENUE RECEIPTS (brought forward from page ..)		119601.60	142921.82	144567.35	160585.72
जोड़-भारत की समेकित निधि - प्राप्तियां	***TOTAL-CONSOLIDATED FUND OF INDIA RECEIPTS***		***296802.20***	***361838.17***	***359147.61***	***397395.22***

विवरण I - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण

STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता	**A. CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES**		**7391.66**	**7557.66**	**7589.44**	**8112.77**
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	4046	33.74	224.32	156.96	200.28
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services	4047	145.38	193.26	160.74	186.85
लेखन-सामग्री और मुद्रण	Sationery and Printing	4058	2.02	6.00	6.00	5.50
लोक निर्माण कार्य	Public Works	4059	276.99	300.55	335.38	373.65
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	4070	6.65	...	1.82	...
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services	4075	59.49	2.40	-4.70	-8.00
रक्षा सेवाएं	Defence Services	4076	6867.39	6831.13	6933.24	7354.49
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजी खाता	**B. CAPITAL ACCOUNT OF SOCIAL SERVICES**		**332.07**	**414.62**	**724.71**	**621.22**
शिक्षा, खेल,कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	4202	6.09	14.56	229.78	11.60
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4210	2.54	3.74	7.10	13.73
परिवार कल्याण	Family Welfare	4211	0.15	0.10	0.10	0.10
जलापूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation	4215	9.00	11.00	11.00	12.00
आवास	Housing	4216	186.89	206.36	213.57	279.00
शहरी विकास	Urban Development	4217	30.00	48.00	48.00	45.00
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	4220	2.87	16.56	11.42	17.86
प्रसारण	Broadcasting	4221	21.32	18.96	18.70	40.58
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	4225	61.00	84.91	180.67	183.76
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Walfare	4235	5.13	0.03	0.03	1.03
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	4250	7.08	10.40	4.34	16.56
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	**C. CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES**		**16648.67**	**12399.16**	**11197.53**	**7136.01**
(क) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजी खाता	***(a) Capital Account of Agriculture and allied activities***		***47.74***	***157.36***	***308.87***	***447.59***
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	4401	3.52	8.26	8.88	12.53
भूमि तथा जल संरक्षण	Soil and Water Conservation	4402	1.69	1.45	1.45	1.46
पशुपालन	Animal Husbandry	4403	2.62	1.70	3.11	0.20
डेरी विकास	Dairy Development	4404	0.85	1.94	2.73	1.37
मत्स्य पालन	Fisheries	4405	2.66	8.51	8.51	7.17
वानिकी और वन्य जीव	Forestry and Wild Life	4406	1.43	1.05	0.95	1.35
खाद्य, भंडारण और भाण्डागारण	Food, Storage and Warehousing	4408	21.62	23.32	22.22	19.10
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investment in Agricultural Financial Institutions	4416	13.25	110.00	261.00	404.38
सहकारिता	Co-operation	4425	0.10	0.13	0.01	0.03
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	4435	0.00	1.00	0.01	...
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजी खाता	***(b) Capital Account of Rural Development***		***1.52***	...	...	...
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes	4515	1.52	...	...	...
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूंजी खाता	***(c) Capital Account of Special Areas Programmes***		***140.25***	***165.09***	***186.03***	***196.40***
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	4552	140.25	165.09	186.03	196.40
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजी खाता	***(d) Capital account of Irrigation and Flood Control***		***4.09***	***6.75***	***8.15***	***11.84***
वृहद और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	4701	3.81	3.65	3.65	3.20
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	4702	0.25	3.00	3.50	3.50
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	Flood Control Projects	4711	0.03	0.10	1.00	5.14
(ङ) ऊर्जा का पूंजी खाता	***(e) Capital Account of Energy***		***1769.17***	***1972.45***	***2292.46***	***1322.20***
विद्युत परियोजनाएं	Power Projects	4801	1683.32	1742.85	1514.40	1293.85
पेट्रोलियम	Petroleum	4802	26.39	3.90	552.35	4.29
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	4803	53.26	211.52	211.53	0.01

विवरण I- भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	4810	6.20	14.18	14.18	24.05
(च) उद्योग और खनिज का पूंजी खाता	***(f) Capital Account of Industry and Minerals***		***986.53***	***865.23***	***803.63***	***806.26***
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	4851	15.71	23.43	23.43	20.92
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron & Steel Industries	4852	327.03	1.97	1.97	3.97
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries	4853	9.06	30.73	30.73	9.79
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	Cement and Non-metallic Mineral Industries	4854	2.05	12.75	12.75	62.25
उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industries	4855	67.40	57.00	59.00	54.50
रसायन और भेषज उद्योग	Chemical and Pharmaceutical Industries	4857	3.13	4.06	4.06	4.32
इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	4858	47.08	45.48	53.26	50.90
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	Telecommunication and Electronic Industries	4859	53.70	28.02	28.02	26.66
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	4860	7.68	61.88	68.88	17.74
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	4861	419.03	493.42	419.03	487.15
अन्य उद्योग	Other Industries	4875	0.60	3.97	3.96	5.86
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	4885	34.06	102.52	98.54	62.28
(छ) परिवहन का पूंजी खाता	***(g) Capital Account of Transport***		***1803.49***	***2232.85***	***2178.04***	***2311.21***
रेलवे	Railways	5002	895.29	1150.00	1150.00	1150.00
भारतीय रेलवे—सामरिक महत्त्व की लाइनों पर पूंजी परिव्यय	Capital Outlay on Indian Railways-Strategic Lines	5003	79.18	...	...	...
पत्तन तथा दीपस्तंभ	Ports & Light Houses	5051	15.71	20.40	20.40	21.30
नौवहन	Shipping	5052	27.19	45.90	42.01	41.00
नागर विमानन	Civil Aviation	5053	3.62	12.21	11.01	31.15
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	5054	773.30	979.71	931.43	1048.48
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	5056	0.00	6.75	6.75	6.30
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	5075	9.20	17.88	16.44	12.98
(ज) संचार का पूंजी खाता	***(h) Capital Account of Communications***		***141.66***	***53.65***	***71.99***	***69.64***
डाक सेवाएं	Postal Services	5201	49.07	47.86	65.88	63.87
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	5225	89.32	...	...	...
उपग्रह प्रणाली	Satellite system	5252	3.27	5.79	6.11	5.77
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजी खाता	***(i) Capital Account of Science, Technology and Environment***		***175.37***	***224.45***	***236.13***	***210.41***
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5401	60.24	77.52	102.04	109.53
अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research	5402	92.49	116.42	107.71	73.84
समुद्रविज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	5403	7.06	10.70	5.30	9.25
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणात्मक अनुसंधान	Other Scientific and Environmental Research	5425	15.58	19.81	21.08	17.79
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	***(j) Capital Account of General Economic Services***		***11578.85***	***6721.33***	***5112.23***	***1760.44***
पर्यटन	Tourism	5452	19.99	15.41	15.41	16.35
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	5453	35.13	74.30	74.30	74.50
मौसम-विज्ञान	Meteorology	5455	28.45	31.62	32.42	32.19
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions	5465	5725.30	5604.00	4866.94	852.00
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in International Financial Institutions	5466	5749.83	970.03	88.19	754.16
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	5475	20.15	25.97	34.97	31.24

विवरण I - भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (in crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
संघ राज्य क्षेत्रों के संवितरण	**Disbursements of Union Territories**		277.67	246.12	242.71	252.30
दिल्ली	Delhi		95.63	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		182.04	246.12	242.71	252.30
जोड़ - राजस्व खाते के बाहर का पूंजी व्यय	***TOTAL-CAPITAL EXPENDITURE OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT***		*24650.07*	*20617.56*	*19754.39*	*16122.30*
लोक ऋण	**PUBLIC DEBT**					
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Goverment	6001				
बाजार ऋण	Market Loans		1136.91	953.67	953.67	5555.58
91 दिवसीय राजकोषीय हुडियां	91 Days Treasury Bills		90908.49	145000.00	145000.00	160000.00
अन्य	Others		20956.16	17295.73	17380.04	13456.55
जोड़-केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	***Total-Internal Debt of Central Goverment***		*113001.56*	*163249.40*	*163333.71*	*179012.13*
विदेशी ऋण	External Debt	6002	4949.75	5388.40	5479.60	5916.15
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL-PUBLIC DEBT**		**117951.31**	**168637.80**	**168813.31**	**184928.28**
ऋण और अग्रिम	***LOANS AND ADVANCES***					
क. सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	**A. LOANS FOR SOCIAL SERVICES**		26.28	11.07	86.58	11.57
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	6202	0.50	0.50	0.50	0.50
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	6210	...	...	24.00	...
परिवार कल्याण	Family Welfare	6211	...	0.05	0.05	0.05
जलापूर्ति और सफाई	Water Supply and Sanitation	6215	9.14	1.00	50.00	2.50
आवास	Housing	6216	15.33	8.50	11.01	7.50
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	6220	1.00	1.00	1.00	1.00
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	6235	...	0.02	0.02	0.02
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	6250	0.31	0.00	0.00	0.00
ख. आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	**B. LOANS FOR ECONOMIC SERVICES**		5939.95	4705.33	5003.97	4660.77
(क) कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण	***(a) Loans For Agriculture and allied activities***		*343.59*	*438.66*	*558.78*	*578.37*
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	6401	...	0.01	0.01	0.01
डेरी विकास	Dairy Development	6404	164.52	175.00	175.00	194.00
पौध-रोपण	Plantations	6407	9.97	14.40	14.40	12.00
खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	Food Storage and Warehousing	6408	...	3.50	4.60	6.50
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions	6416	1.77	30.00	75.00	68.86
सहकारिता	Co-operation	6425	167.33	215.75	289.77	297.00
(ख) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए ऋण	***(b) Loans for Special Area Programme***		*21.61*	*0.50*	*6.89*	*1.50*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	6552	11.61	...	...	...
बड़ी और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	6701	10.00	...	6.89	1.00
कमान क्षेत्र विकास	Command Area Development	6705		0.50	...	0.50
(ग) ऊर्जा के लिए ऋण	***(c) Loans for Energy***		*2453.52*	*2221.55*	*2102.70*	*2428.17*
विद्युत परियोजनाएं	Power Projects	6801	1771.52	1767.79	1651.04	2011.49
पेट्रोलियम	Petroleum	6802	160.00	132.00	132.00	...
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite	6803	522.00	321.76	296.66	416.68
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	6810	...	...	23.00	...
(घ) उद्योग और खनिजों के लिए ऋण	***(d) Loans for Industry & Minerals***		*2881.07*	*1865.32*	*2141.30*	*1405.44*
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	Village and Small Industries	6851	339.87	352.13	352.07	295.06
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron and Steel Industies	6852	864.08	348.03	345.03	285.55

विवरण I- भारत की समेकित निधि - पूंजी खाता - संवितरण
STATEMENT I - CONSOLIDATED FUND OF INDIA - CAPITAL ACCOUNT - DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
अलौह धातु खनम और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries	6853	14.20	23.00	23.00	19.25
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	Cement and Non-metallic Mineral Industries	6854	1.25	12.50	12.50	1.00
उर्वरक उद्योग	Fertilizer Industries	6855	128.00	218.25	328.00	190.50
रसायन और भेषज उद्योग	Chemicals and Pharmaceuticals Industries	6857	33.77	32.53	40.34	19.92
इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	6858	149.51	147.60	169.31	116.11
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	Telecommunication and Electronic Industries	6859	12.31	13.26	5.93	5.27
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	6860	165.90	59.07	193.57	44.04
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	6861	8.42	...	...	...
अन्य उद्योग	Other Industries	6875	0.41	0.41	0.41	0.41
अन्य उद्योग और खनिज	Other Industries and Minerals	6885	1163.35	658.54	671.14	428.33
(ङ) परिवहन के लिए ऋण	***(e) Loans for Transport***		***208.22***	***177.02***	***173.02***	***215.90***
पत्तन और दीप स्तम्भ	Ports and Light Houses	7051	80.64	103.50	95.50	123.65
नौवहन	Shipping	7052	73.56	28.00	28.00	27.99
नागर विमानन	Civil Aviation	7053		5.50	5.50	21.94
सड़क परिवहन	Road Transport	7055	46.02	27.25	27.25	30.00
अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	7056	8.00	12.75	16.75	12.30
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services	7075		0.02	0.02	0.02
(च) दूरसंचार के लिए ऋण	***(f) Loans for Communications***		***-5.00***	...	...	...
अन्य दूर संचार सेवाएं	Other Communication services	7275	-5.00	...	...	...
(छ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिए ऋण	***(g) Loans for Science, Technology and Environment***		***5.15***	***0.59***	***0.59***	***0.28***
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	7425	5.15	0.59	0.59	0.28
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	***(h) Loans for General Economic Services***		***31.79***	***1.69***	***20.69***	***31.11***
पर्यटन	Tourism	7452	2.56	0.10	0.10	0.10
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के लिए ऋण	Loans for Foreign Trade Export Promotion	7453	1.50	0.01	0.01	0.01
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	7475	27.73	1.58	20.58	31.00
ग. अन्य ऋण	**C. OTHER LOANS**		**15507.63**	**15175.08**	**20026.60**	**17677.95**
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	15074.88	14503.39	19080.70	16731.22
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to Union Territory Governments	7602	188.50	288.92	573.88	549.67
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments	7605	46.74	88.52	77.39	100.03
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	Loans to Government Servants etc.	7610	196.32	292.00	292.00	294.00
विविध ऋण	Miscellaneous Loans	7615	1.19	2.25	2.63	3.03
संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण	**Loans Of Union territories**		**400.19**	**3.98**	**5.17**	**5.58**
दिल्ली	Delhi		395.45	...	...	...
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	Other Union Territories		4.74	3.98	5.17	5.58
जोड़-ऋण और अग्रिम	**TOTAL-LOANS AND ADVANCES**		**21874.05**	**19895.46**	**25122.32**	**22355.87**
जोड़ - पूंजीगत व्यय	***TOTAL-CAPITAL EXPENDITURE***		***164475.43***	***209150.82***	***213690.02***	***223406.45***
जोड़ - भारत की समेकित निधि - संवितरण	**TOTAL-CONSOLIDATED FUND OF INDIA-DISBURSEMENTS**		**316792.61**	**384799.77**	**392388.77**	**419534.02**

विवरण - I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" संवितरण
STATEMENT IA - DISBURSEMENTS "CHARGED" ON THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
संसद	Parliament	2011	0.20	0.23	0.23
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि	President, Vice President, etc.	2012	4.85	4.81	4.84
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	2014	18.91	23.20	20.71
लेखा-परीक्षा	Audit	2016	12.45	14.08	14.11
आय और व्यय पर करों का संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure	2020	0.02	0.02	0.02
भू-राजस्व	Land Revenue	2029	...	0.04	0.02
सीमा शुल्क	Customs	2037	0.25	0.25	0.25
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	2038	0.50	0.50	0.50
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	2046	4.04	0.42	0.35
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Service	2047	0.88	0.56	0.58
ब्याज सदाय	Interest Payments	2049	46000.00	44000.00	52000.00
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission	2051	18.27	18.81	19.38
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Service	2052	0.15	0.18	0.18
पुलिस	Police	2055	0.45	0.80	0.58
पूर्ति और निपटान	Supplies and Disposals	2057	0.70	0.90	0.90
लोक निर्माण कार्य	Public Works	2059	0.20	3.60	0.55
विदेश कार्य	External Affairs	2061	0.01	0.01	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	0.01	0.03	0.02
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pension and other Retirement Benefits	2071	3.11	2.66	2.79
रक्षा सेवाएं-थल सेना	Defence Services-Army	2076	6.79	4.30	5.07
रक्षा सेवाएं-नौ सेना	Defence Services-Navy	2077	2.51	2.51	2.68
रक्षा सेवाएं-वायु सेना	Defence Services-Air Force	2078	0.34	0.62	0.64
आयुध कारखाने	Ordnance Factories	2079	1.40	1.40	1.20
सामान्य शिक्षा	General Education	2202	...	0.40	0.37
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	2210	0.02	0.05	0.05
आवास	Housing	2216	7.25	10.82	8.91
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	2220	0.02	0.01	0.02
प्रसारण	Broadcasting	2221	0.06	0.07	0.06
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	2230	0.01	0.02	0.01
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	2235	0.05	0.05	0.05
फसल उगान कार्य	Crop Husbandry	2401	0.01	0.04	0.03
पशु पालन	Animal Husbandary	2403	0.05	0.07	0.01
मत्स्य उद्योग	Fisheries	2405	...	0.06	0.06
खाद्य, भंडारण और भाण्डागारण	Food, Storage and Warehousing	2408	0.05	0.01	0.05
सहकारिता	Cooperation	2425	...	0.06	0.04
बड़ी और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	2701	0.01	...	...
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	2702	0.01	0.01	0.01
विद्युत	Power	2801	...	0.07	0.05
ग्रामीण और लघु उद्योग	Village and Small Industries	2851	...	0.02	0.02
उद्योग	Industries	2852	25.69	16.69	...
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	Non ferrous Mining and Metallaurgical Industries	2853	0.05	0.05	0.05
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	2885	...	0.43	...
सड़क परिवहन	Road Transport	3055	0.46	0.46	0.46
डाक सेवाएं	Postal Services	3201	0.01	1.01	0.01
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	3225	0.30	0.30	0.30
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	3401	0.04	0.07	0.17
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	3402	0.09	0.09	0.09

विवरण - I क - भारत की समेकित निधि पर "भारित" संवितरण
STATEMENT IA - DISBURSEMENTS "CHARGED" ON THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	3425	...	0.01	0.01
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Surveys and Statistics	3454	0.05	0.05	0.05
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	3475	...	145.14	...
राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान	Grants in aid to State Governments	3601	4649.23	4617.23	5544.15
संघ उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से की अदायगी	Payments of States' Share of Union Excise Duties	3603	16189.47	16282.91	19654.58
मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसाल	Currency, Coinage and Mint	4046	0.02	...	...
लोक निर्माण कार्य	Public Works	4059	1.75	1.30	1.36
रक्षा सेवाएं	Defence Services	4076	7.03	7.03	7.18
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4210	...	0.04	...
आवास	Housing	4216	3.68	3.86	4.66
शहरी विकास	Urban Development	4217	1.00	1.00	1.00
प्रसारण	Broadcasting	4221	0.60	0.82	0.60
लोहा और इस्पात उद्योग	Iron & Steel Industries	4852	0.05	0.05	0.02
परमाणु ऊर्जा उद्योग	Atomic Energy Industries	4861	0.02	0.02	0.01
उद्योग और खनिज	Industries and Minerals	4885	...	0.01	...
नौवहन	Shipping	5052	...	0.05	...
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	5054	0.20	0.20	0.20
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services	5225	0.01	0.01	0.01
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5401	...	0.04	...
अंतरिक्ष अनुसंधान	Space Research	5402	0.12	0.03	0.03
केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	Internal Debt of Central Government	6001	163249.40	163333.71	179012.13
विदेशी ऋण	External Debt	6002	5388.40	5479.60	5916.15
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments	7601	14503.39	19080.70	16731.22
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***		***250104.64***	***253064.60***	***278959.79***

विवरण II - भारत की आकस्मिकता निधि - निवल
STATEMENT II - CONTINGENCY FUND OF INDIA - NET

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
आकस्मिकता निधि	CONTINGENCY FUND	8000	...	...	...	...

विवरण III - भारत का लोक खाता - प्राप्तियां
STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA -RECEIPTS

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	**A. SMALL SAVINGS, PROVIDENT FUNDS ETC.**	*48107.30*	*50428.78*	*55913.13*	*52537.82*
(क) अल्प बचतें	(a) Small Savings	*24731.02*	*23130.00*	*31850.00*	*26335.00*
(ख) भविष्य निधियां	(b) Provident Funds:	*7133.36*	*7540.00*	*8370.00*	*9370.00*
(i) राज्य भविष्य निधियां	(i) State Provident Funds	4584.32	5100.00	5250.00	5750.00
(ii) लोक-भविष्य निधियां	(ii) Public Provident Funds	2549.04	2440.00	3120.00	3620.00
(ग) अन्य खाते	(c) Other Accounts:	*16242.92*	*19758.78*	*15693.13*	*16832.82*
(i) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(i) Postal Insurance and Life Annuity Fund.	309.50	367.00	353.00	423.00
(ii) अन्य मदें	(ii) Other Items	15933.42	19391.78	15340.13	16409.82
ख. प्रारक्षित निधियां	**B. RESERVE FUNDS**	**9114.07**	**10282.80**	**10027.17**	**10835.69**
(क) सब्याज प्रारक्षित निधियां	(a) Reserve Funds bearing Interest	*7567.56*	*9683.98*	*9355.25*	*10208.85*
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	5325.45	6168.02	5935.26	6212.37
(ii) दूरसंचार निधियां	(ii) Telecommunication Funds	2177.45	3465.34	3360.75	3927.78
(iii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(iii) Other Reserve Funds	64.66	50.62	59.24	68.70
(ख) निर्ब्याज प्रारक्षित निधियां	(b) Reserve Funds not bearing interest	*1546.51*	*598.82*	*671.92*	*626.84*
(i) केन्द्रीय सड़क निधि	(i) Central Road Fund	10.18	10.18	58.30	10.85
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highways Permanent Bridges Fee Fund	35.00	35.00	40.00	43.00
(iii) खान कल्याण निधियां	(iii) Mines Welfare Funds	15.06	...	...	...
(iv) चीनी विकास निधि	(iv) Sugar Development Fund	247.42	185.00	210.00	210.00
(v) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(v) Railway Safety Works Fund	2.53	2.53	2.48	2.48
(vi) अन्य प्रारक्षित निधियां	(vi) Other Reserve Funds	1236.32	366.11	361.14	360.51
ग. जमाराशियां और अग्रिम	**C. DEPOSITS AND ADVANCES**	**30455.22**	**17390.88**	**19052.52**	**18956.01**
(क) सब्याज जमाराशियां	(a) Deposits bearing interest:	*4909.68*	*3161.69*	*4593.71*	*4328.31*
(i) राष्ट्रीय रक्षा कोष	(i) National Defence Fund	5.47	5.69	6.06	6.10
(ii) परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि, आदि	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance Fund, etc.	1287.17	1092.05	1054.14	1060.05
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	3617.04	2063.95	3533.51	3262.16
(ख) निर्ब्याज जमाराशियां	(b) Deposits not bearing Interest:	*17004.87*	*14229.19*	*14458.81*	*14627.70*
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	9631.24	10381.71	10472.69	10667.96
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds	16.62	14.00	14.00	14.00
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	7357.01	3833.48	3972.12	3945.74
(ग) अग्रिम	(c) Advances	*8540.67*	...	...	...
घ. उचंत और विविध	**D. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS:**	**574.72**	...	...	...
उचंत खाते (निवल)	Suspense Accounts (Net)	...	...	...	...
चैक और बिल (निवल)	Cheques and Bills (Net)	570.79	...	...	...
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)	...	...	...	...
रोकड़ शेष निवेश	Cash Balance Investment		...	...	...
अन्य	Others	3.93	...	...	...
ड. प्रेषित रकमें	**E. REMITTANCES:**	**495.11**	...	...	...
(i) मनीआर्डर	(i) Money Orders	5.66	...	...	...
(ii) अन्य प्रेषित रकमें	(ii) Other Remittances	489.45	...	...	...
जोड़-लोक खाता प्राप्तियां	**TOTAL - PUBLIC ACCOUNT RECEIPTS**	88746.42	78102.46	84992.82	82329.52
कुल जोड़ - (I + II + III)	**GRAND TOTAL - (I + II + III)**	*385548.62*	*439940.63*	*444140.43*	*479724.74*
रोकड़ शेष	**CASH BALANCE**	*1379.93*	*51.03*	*2402.24*	*52.54*
जोड़	**TOTAL**	386928.55	439991.66	446542.67	479777.28

विवरण III - भारत का लोक खाता - संवितरण
STATEMENT III - PUBLIC ACCOUNT OF INDIA -DISBURSEMENTS

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		वास्तविक Accounts 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	**A. SMALL SAVINGS, PROVIDENT FUNDS ETC.**	***24553.34***	***28503.57***	***26120.93***	***32237.97***
(क) अल्प बचतें	*(a) Small Savings*	*17573.65*	*19040.00*	*20080.00*	*20815.00*
(ख) भविष्य निधियां :	*(b) Provident Funds:*	*3417.30*	*3860.00*	*4264.00*	*4927.00*
(i) राज्य भविष्य निधियां	(i) State Provident Funds	2794.12	3300.00	3350.00	3750.00
(ii) लोक भविष्य निधियां	(ii) Public Provident Funds	623.18	560.00	914.00	1177.00
(ग) अन्य खाते	*(c) Other Accounts:*	*3562.39*	*5603.57*	*1776.93*	*6495.97*
(i) डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि	(i) Postal Insurance and Life Annuity Fund.	87.63	85.00	88.00	99.00
(ii) अन्य मदें	(ii) Other Items	3474.76	5518.57	1688.93	6396.97
ख. प्रारक्षित निधियां	**B. RESERVE FUNDS**	***8834.41***	***9967.95***	***9877.28***	***10321.04***
(क) सब्याज प्रारक्षित निधियां	*(a) Reserve Funds bearing Interest*	*7667.21*	*9394.95*	*9080.00*	*9907.00*
(i) रेलवे निधियां	(i) Railway Funds	5489.35	5970.00	5760.00	6025.00
(ii) दूरसंचार निधियां	(ii) Telecommunication Funds	2176.52	3406.00	3305.00	3867.00
(iii) अन्य प्रारक्षित निधियां	(iii) Other Reserve Funds	1.34	18.95	15.00	15.00
(ख) निर्ब्याज प्रारक्षित निधियां	*(b) Reserve Funds not bearing interest*	*1167.20*	*573.00*	*797.28*	*414.04*
(i) केन्द्रीय सड़क निधि	(i) Central Road Fund	9.96	10.00	58.24	10.79
(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि	(ii) National Highways Permanent Bridges Fee Fund	20.88	1.00	69.00	72.00
(iii) खान कल्याण निधियां	(iii) Mines Welfare Funds	8.20	...	...	...
(iv) चीनी विकास निधि	(iv) Sugar Development Fund	118.70	180.00	150.00	150.00
(v) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	(v) Railway Safety Works Fund	8.11	6.50	6.50	6.50
(vi) अन्य प्रारक्षित निधियां	(vi) Other Reserve Funds	1001.35	375.50	513.54	174.75
ग. जमाराशियां और अग्रिम	**C. DEPOSITS AND ADVANCES**	***30055.57***	***16944.64***	***17473.27***	***18088.88***
(क) सब्याज जमाराशियां	*(a) Deposits bearing interest:*	*4168.64*	*2095.08*	*3243.52*	*3406.93*
(i) राष्ट्रीय रक्षा कोष	(i) National Defence Fund	0.96	1.00	2.42	2.42
(ii) परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि, आदि	(ii) Family Pension-cum-Life Assurance Fund, etc.	...	211.70	262.95	274.10
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	4167.68	1882.38	2978.15	3130.41
(ख) निर्ब्याज जमाराशियां	*(b) Deposits not bearing Interest:*	*17237.26*	*14849.56*	*14229.75*	*14681.95*
(i) सिविल जमाराशियां	(i) Civil Deposits	9455.37	11356.10	10689.03	10676.45
(ii) स्थानीय निधियों की जमाराशियां	(ii) Deposits of Local Funds	28.02	14.00	14.00	14.00
(iii) अन्य जमाराशियां	(iii) Other Deposits	7753.87	3479.46	3526.72	3991.50
(ग) अग्रिम	*(c) Advances*	*8649.67*	...	...	...
घ. उचंत और विविध	**D. SUSPENSE AND MISCELLANEOUS:**	***2897.22***	***-275.15***	***629.88***	***-456.15***
उचंत खाते (निवल)	Suspense Accounts (Net)	2160.39	-275.15	629.88	-456.15
चैक और बिल (निवल)	Cheques and Bills (Net)	...	...	...	...
विभागीय शेष (निवल)	Departmental Balances (Net)	704.57	...	...	...
रोकड़ शेष निवेश	Cash Balance Investment	...	...	...	...
अन्य	Others	32.26	...	...	..
ङ. प्रेषित रकमें	**E. REMITTANCES:**	***1393.16***	...	...	...
(i) मनीआर्डर	(i) Money Orders	...	...	...	...
(ii) अन्य प्रेषित रकमें	(ii) Other Remittances	1393.16	...	...	...
जोड़-लोक खाता संवितरण	**TOTAL - PUBLIC ACCOUNT DISBURSEMENTS**	**67733.70**	**55141.01**	**54101.36**	**60191.74**
कुल जोड़ - (I+II+III)	**GRAND TOTAL - (I + II + III)**	***384526.31***	***439940.78***	***446490.13***	***479725.76***
रोकड़ शेष	**CASH BALANCE**	***2402.24***	***50.88***	***52.54***	***51.52***
जोड़	**TOTAL**	**386928.55**	**439991.66**	**446542.67**	**479777.28**

बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां और व्यय

RECEIPTS AND EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE

प्राप्तियां RECEIPTS				व्यय EXPENDITURE			
	(करोड़ रुपए) (Rs. in crores)				(करोड़ रुपए) (Rs. in crores)		
	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
			चंडीगढ़	CHANDIGARH			
कर राजस्व Tax Revenue	153.98	155.85	164.35	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	279.68	292.93	312.13
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	97.06	101.56	106.78	पूंजी व्यय Capital Expenditure	32.55	31.93	35.17
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.33	0.33	...
जोड़ Total	**251.04**	**257.41**	**271.13**	**जोड़ Total**	**312.56**	**325.19**	**347.30**
			अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS			
कर राजस्व Tax Revenue	3.72	4.74	4.69	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	199.98	211.49	236.94
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	47.35	56.75	60.31	पूंजी व्यय Capital Expenditure	174.13	164.98	167.92
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.99	3.53	4.14
जोड़ Total	**51.07**	**61.49**	**65.00**	**जोड़ Total**	**375.10**	**380.00**	**409.00**
			दादरा और नगर हवेली	DADRA AND NAGAR HAVELI			
कर राजस्व Tax Revenue	2.83	3.91	4.49	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	23.83	24.43	24.75
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	41.34	17.45	17.72	पूंजी व्यय Capital Expenditure	13.90	17.00	18.91
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	2.00	0.90	0.92
जोड़ Total	**44.17**	**21.36**	**22.21**	**जोड़ Total**	**39.73**	**42.33**	**44.58**
			लक्षद्वीप	LAKSHADWEEP			
कर राजस्व Tax Revenue	0.10	0.10	0.11	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	85.79	89.46	97.63
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	4.28	4.34	4.84	पूंजी व्यय Capital Expenditure	13.79	13.80	15.73
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.26	0.26	0.21
जोड़ Total	**4.38**	**4.44**	**4.95**	**जोड़ Total**	**99.84**	**103.52**	**113.57**
			दमन और दीव	DAMAN AND DIU			
कर राजस्व Tax Revenue	25.77	26.12	27.27	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	22.99	23.78	24.88
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	1.49	3.95	6.77	पूंजी व्यय Capital Expenditure	11.75	15.00	14.57
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	0.40	0.15	0.31
जोड़ Total	**27.26**	**30.07**	**34.04**	**जोड़ Total**	**35.14**	**38.93**	**39.76**
			सारांश	SUMMARY			
कर राजस्व Tax Revenue	186.40	190.72	200.91	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	612.27	642.09	696.33
कर-भिन्न राजस्व Non Tax Revenue	191.52	184.05	196.42	पूंजी व्यय Capital Expenditure	246.12	242.71	252.30
				ऋण और अग्रिम Loans and Advances	3.98	5.17	5.58
जोड़ Total	**377.92**	**374.77**	**397.33**	**जोड़ Total**	**862.37**	**889.97**	**954.21**

1995-96 में केन्द्रीय सरकार के रेलवे राजस्व और व्यय

का

बजट

BUDGET

OF THE

Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1995-96

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

वी॰ शिवकुमारन
वित्तीय अधीक्षक, रेलवे

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

V. SHIVAKUMARAN
Financial Commissioner, Railways

दिनांक 26 जुलाई, 1995
Dated, the 26th July, 1995

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) Increase (+)/ Decrease (–) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
1002 और 1003—राजस्व प्राप्तियां 1002 & 1003—Revenue Receipts					
यात्री—ऊंचे दर्जे Passenger—Upper Classes	679,56,44	709,00,00	846,49,42	+137,49,42	948,25,00
यात्री—दूसरा दर्जा Passenger—Second Class	4215,64,36	4429,00,00	4563,50,58	+134,50,58	4806,75,00
जोड़—यात्री यातायात से आमदनी TOTAL—Passenger Earnings	4895,20,80	5138,00,00	5410,00,00	+272,00,00	5755,00,00
कोचिंग यातायात से अन्य आमदनी Other Coaching Earnings	442,87,29	473,00,00	485,00,00	+12,00,00	500,00,00
माल यातायात से आमदनी Goods Earnings	12557,36,49	14289,00,00	13700,00,00	–589,00,00	15125,00,00
अन्य फुटकर आमदनी Sundry Other Earnings	363,17,51	369,00,00	375,00,00	+6,00,00	390,00,00
जोड़—आमदनी TOTAL—Earnings	18258,62,09	20269,00,00	19970,00,00	–299,00,00	21770,00,00
उचंत Suspense	–312,59,74	125,00,00	–50,00,00	–175,00,00	+185,00,00
£*भारतीय रेलों की सकल यातायात प्राप्तियां £*Gross Traffic Receipts of Indian Railways	17946,02,35	20394,00,00	19920,00,00	–474,00,00	21955,00,00
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	4,02,76	4,25,00	6,31,00	+2,06,00	655,27
£*इसमें चालित लाइनों की आमदनी शामिल है £*Includes earnings of worked lines	34,00	34,00	34,00	..	34,00

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण

2. Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (—) Increase (+)/ Decrease (—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
बी (सी) (iii)—रेलवे—व्यय B(c)(iii)—RAILWAYS—EXPENDITURE					
3002 और 3003—संचालन व्यय— 3002 & 3003—Working Expenses—					
(1) £साधारण संचालन व्यय £Ordinary Working Expenses	11759,54,45	13307,00,00	13050,00,00	—257,00,00	14790,00,00
(2) मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	1875,00,00	2300,00,00	2140,00,00	—160,00,00	2000,00,00
(3) पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	1500,00,00	1700,00,00	1750,00,00	+50,00,00	1970,00,00
*3001 ए और बी—भारतीय रेलें—नीति निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन *3001A & B—Indian Railways—Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations	95,34,77	110,80,00	113,19,00	+2,39,00	138,88,15
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	31,27,98	45,00,00	45,00,00	..	45,00,00
3005—सामान्य राजस्व को भुगतान 3005—Payments to General Revenues—					
(1) **वर्तमान लाभांश— **Current Dividend	1270,44,50	1346,35,01	1354,39,67	+8,04,66	1315,56,17
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान Payment in lieu of Passenger Fare Tax	23,12,00	23,12,00	23,12,00	..	23,12,00
(3) रेल संरक्षा कार्य निधि में अंशदान Contribution to Railway Safety Works Fund	2,48,33	2,52,99	2,48,33	—4,66	2,48,33
जोड़—अग्रेनीत TOTAL—Carried Forward	16557,22,03	18834,80,00	18478,19,00	—356,61,00	20315,04,65

*इसमें निम्नलिखित शामिल हैं— *Includes—					
राजस्व से रेलवे पेंशन निधि में विनियोग Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	9,00,00	10,00,00	10,00,00	..	10,00,00
चालित लाइनों को भुगतान Payments to Worked Lines	13,79	14,87	14,72	15	14,66
सहायता प्राप्त कम्पनियां Subsidised Companies	..	..	..	..	..
**इसमें देय लाभांश की वे रकमें शामिल नहीं है जिन्हें 'आस्थगित लाभांश दायित्व लेखे' में अंतरित कर दिया गया है **Figures exclude amounts due as dividend, but transferred to 'Deferred Dividend Liability Account'	..	..	..	..	..
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	11,35,17	14,23,00	13,11,00	—1,12	14,31,00

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण—(समाप्त)

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (−) Increase (+)/Decrease (−) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
रेलवे—राजस्व RAILWAYS—REVENUE					
पृष्ठ 1 से अग्रेनीत Brought forward from page 1	17946,02,35	20394,00,00	19920,00,00	—474,00,00	21955,00,00
बी(सी)(iii)—भारतीय रेलें— B(c)(iii)—Indian Railways—					
1001—भारतीय रेल विविध प्राप्तियां— 1001—Indian Railways Miscellaneous Receipts—					
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्तियां Other Receipts from Subsidised Companies	3,54	2,06,00	..	—2,06,00	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड Railway Recruitment Boards	1,06,32	1,53,00	1,05,17	—47,83	1,36,00
(3) विविध प्राप्तियां Miscellaneous receipts	4,15,15	4,11,00	3,72,79	—38,21	2,32,15
(4) लाभांश राहतों तथा अन्य रियायतों के संबंध में सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता Subsidy from General Revenues towards dividend reliefs and other concessions	412,02,36	403,10,00	423,41,04	+20,31,04	411,36,50
जोड़—विविध प्राप्तियां TOTAL—MISCELLANEOUS RECEIPTS	417,27,37	410,80,00	428,19,00	+17,39,00	415,04,65
जोड़—प्राप्तियां TOTAL—RECEIPTS	18363,29,72	20804,80,00	20348,19,00	—456,61,00	22370,04,65

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण—(समाप्त)

2. Statement of the expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (—) Increase (+)/ Decrease(—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
पृष्ठ 2 से अग्रेनीत Brought forward from page 2	16557,22,03	18834,80,00	18478,19,00	—356,61,00	20315,04,65
3006—रेलवे के खर्च से अधिक प्राप्तियों से विनियोग— 3006—Appropriation from Railways' excess of receipts over expenditure—					
(1) रेलवे विकास निधि में विनियोग Appropriation to Railway Development Fund	132,25,59	290,00,00	295,00,00	+5,00,00	350,00,00
(2) पूंजी निधि में विनियोग—रेलवे Appropriation to Capital Fund—Railways	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	—105,00,00	1705,00,00
जोड़—व्यय TOTAL—EXPENDITURE	18363,29,72	20804,80,00	20348,19,00	—456,61,00	22370,04,65

3. रेलवे के खर्च से अधिक प्राप्तियों का वितरण

3. Distribution of Railways' Excess of Receipts over Expenditure

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
खर्च से अधिक प्राप्तियां Excess of receipts over expenditure	1806,07,69	1970,00,00	1870,00,00	2055,00,00
8117—विकास निधि रेलवे विकास निधि 8117—Development Funds Railway Development Fund	132,25,59	290,00,00	295,00,00	350,00,00
8118—पूंजी आरक्षित निधि पूंजी निधि—रेलवे 8118—Capital Reserve Funds Capital Fund—Railways	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00
3007—विकास निधि के लिए सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की अदायगी तथा विकास निधि ऋण पर ब्याज 3007—Repayment of loan taken from General Revenue for Development Fund and interest on Development Fund Loan	..	..	..	..

4. रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के निर्माण व्यय का विवरण

4. Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (—) Increase (+)/Decrease (—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान, Budget Estimate, 1995-96
सी (एक)—पूंजी— C(I)—Capital—					
*रेलवे पूंजी जिसकी पूर्ति राजस्व से नहीं की जाती— *Railway Capital not met from Revenue—					
5002 और 5003—रेलों का निर्माण-कार्य 5002 & 5003—Construction of Railways	974,47,07	1150,00,00	1150,00,00	..	1250,00,00
जे—आरक्षित निधियां— J—Reserve Funds—					
निर्माण व्यय जिसकी पूर्ति रेलवे निधियों से की जाती है— Works Expenditure met from Railway Funds—					
8115—मूल्यह्रास आरक्षित निधि 8115—Depreciation Reserve Fund	2062,56,14	2300,00,00	2140,00,00	—160,00,00	2060,00,00
8117—विकास निधि 8117—Development Fund	189,13,21	290,00,00	295,00,00	+5,00,00	350,00,00
8118—पूंजी निधि—रेलवे 8118—Capital Fund—Railways	1746,98,84	1680,00,00	1575,00,00	—105,00,00	1705,00,00
बी (सी) (iii)—राजस्व B(c)(iii)—Revenue					
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	31,27,93	45,00,00	45,00,00	..	45,00,00
@कुल जोड़ @GRAND TOTAL	5004,43,24	5465,00,00	5205,00,00	—260,00,00	5250,00,00
*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता का व्यय शामिल है। *Includes expenditure on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta	224,08,98	230,00,00	250,50,00	+20,50,00	240,00,00
@ (i) इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा चल स्टाक में निवेश के लिए बाजार से लिया जाने वाला ऋण शामिल नहीं है। @ (i) Excludes market borrowings by Indian Railway Finance Corporation for investment in Rolling Stock	856,33,63	1050,00,00	1950,00,00	..	2250,00,00

क—रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि
A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
*प्रथ शेष *Opening Balance	@1078,08,11	1143,19,68	985,28,96	1106,00,99					
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	(क) (a) 1900,00,00	(ख) (b) 2350,00,00	(ग) (c) 2190,00,00	(घ) (d) 2050,00,00	मूल्यह्रास आरक्षित निधि से विनियोग Appropriation from Depreciation Reserve Fund	2062,56,14	2300,00,00	2140,00,00	2000,00,00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि पर ब्याज Interest on Depreciation Reserve Fund	69,76,99	81,77,38	70,72,03	79,17,07	इतिशेष Closing Balance	985,28,56	1274,97,06	1106,00,99	1235,18,06
जोड़ TOTAL	3047,85,10	3574,97,06	3246,00,99	3235,18,06	जोड़ TOTAL	3047,85,10	3574,97,06	3246,00,99	3235,18,06

@इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण के 1,52 शामिल हैं ।

*इसमें 1-4-1950 से ली गयी भारत की रियासती रेलों के 7,83,93 (अनंतिम) शामिल हैं ।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,30,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (3,53,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,57,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (3,60,00) रेल सवारी डिब्बा कारखाना (7,45,00) और डी० पु० का० (3,55,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 25,00,00 शामिल हैं ।

(ख) इसमें चि०रे०का० (8,54,00), डी०रे०का० (7,30,00), स०डि०का० (6,01,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (6,72,00) रे०कों०फ० (14,47.00) और डीजल कलपुर्जा कारखाना (6,96,00) से सम्बन्धित कारखाना निर्माण उचन्त लेखे के नामखाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (8,00,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (6,29,00), सवारी डिब्बा कारखाना (6,01,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (7,29,00), तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना (15,04,00) और डी० पु० का० (7,37,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (8,00,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (6,29,00), सवारी डिब्बा कारखाना (6,03,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (7,28,00), रेल सवारी डिब्बा कारखाना (15,03,00) और डी.पु.का. (7,37,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

@Includes 1,52 on account of "Transfer without Financial Adjustment".

*Includes 7,83,93 (Provisional) on account of Indian State Railways taken over from 1-4-1950.

(a) Includes 25,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (3,30,00) DLW (3,53,00), ICF (3,57,00), W&AP (3,60,00), RCF (7,45,00) and DCW (3,55,00)

(b) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (8,54,00), DLW (7,30,00), ICF (6,01,00), W&AP (6,72,00), RCF (14,47,00) and DCW (6,96,00).

(c) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (8,00,00), DLW (6,29,00), ICF (6,01,00), W&AP (7,29,00), RCF (15,04,00) and DCW (7,37,00).

(d) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account— CLW(8,00,00), DLW(6,29,00), ICF(6,03,00), W&AP(7,28,00), RCF (15,03,00), and DCW(7,37,00).

ख—रेलवे विकास निधि
B—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Buget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Pevised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Pudget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Buug t Estimate, 1995-96
*अथशेष *Opening Balance	54,13,98	59,93,26	32,32	36,20	विकास निधि से निम्नलिखित के लिए विनियोग : Appropriatoin from Development Fund for :				
विकास निधि में विनियोग : Appropriation to Development Fund :					(1) विकास कार्य के लिए Development Works	189,13,21	290,00,00	295,00,00	350,00,00
(1) अधिशेष से विनियोग Appropriation from surplus	132,25,59	290,00,00	295,00,00	350,00,00	(2) ऋणों की अदायगी के लिए Repayment of loans	..	..	..	..
(2) सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	..	..	..	..	(3) ऋणों पर ब्याज के लिए Interest on loans				
विकास निधि पर ब्याज Interest on Development Fund	3,05,96	6,41,28	3,88	4,34	इतिशेष Closing Balance	32,32	66,34,54	36,20	40,54
जोड़ TOTAL	189,45,53	356,34,54	295,36,20	350,40,54	जोड़ TOTAL	189,45,53	356,34,54	295,36,20	350,40,54

टिप्पणी : 1-4-1993 से राजस्व आरक्षित निधि और दु०क्ष०नि० बन्द कर दिये जाने से इसका इतिशेष 1-4-1993 को अथशेष के रूप में इस निधि को अंतरित कर दिया गया है । दु०क्ष०नि० और रा०आ०नि० की इतिशेष की राशि जिसे विकास निधि लेखा 1993-94 के अथशेष में शामिल किया गया है, नीचे दी गई है :—

	दु०क्ष०नि०	रा०आ०नि०	जोड़
लेखा 1993-94	53,42,96	71,02	54,13,98

NOTE : With the discontinuance of RRF and ACSPF w.e.f. 1-4-1993 the Closing Balances thereof have been transferred to this fund as Opening Balance as on 1-4-93. Amounts of Closing Balances of ACSPF and RRF as included in Opening Balances of Development Fund Accounts 1993-94 are given below :

	ACSPF	RRF	Total
Accounts 1993-94	53,42,96	71,02	54,13,98

ग—रेलवे पेंशन निधि
C—RAILWAY PENSION FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
†प्रथशेष †Opening Balance	275,41,94	297,71,01	328,09,56	382,41,39	पेंशन निधि से विनियोग Appropriation from Pension Fund	1487,85,20	1700,00,00	1750,00,00	1970,00,00
††पेंशन निधि में विनियोग ††Appropriation to Pension Fund	(क) (a) 1520,11,36	(ख) (b) 1730,14,70	(ग) (c) 1780,29,14	(घ) (d) 2000,14,70					
पेंशन निधि पर ब्याज Interest on Pension Fund	20,41,46	21,89,48	24,02,69	27,82,41	इतिशेष Closing Balance	328,09,56	349,75,19	382,41,39	440,38,50
जोड़ TOTAL	1815,94,76	2049,75,19	2132,41,39	2410,38,50	जोड़ TOTAL	1815,94,76	2049,75,19	2132,41,39	2410,38,50

†इसमें 1957 से पहले जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित उपांत वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनकी भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राज्य रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1993-94 में 1,30,43 हजार रुपए शामिल हैं।

††इसमें 1957 से पहले जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनकी भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राज्य रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1993-94 में 14,36 हजार रुपये, बजट अनुमान 1994-95 में 14,70 हजार रुपये, संशोधित अनुमान 1994-95 में प्रस्तावित 29,14 हजार रुपये और 1995-96 के बजट अनुमान में 14,70 हजार रुपये शामिल हैं।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,63,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (1,58,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,10,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (39,00), डीजल कल पुर्जा कारखाना (77,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,50,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 10,97,00 शामिल हैं।

(ख) इसमें चि०रे०का० (6,61,00) डी०रे०का० (2,81,00) स०डि०का० (5,69,00) प० एवं धु०सं० (69,00) डी०पु०का० (1,51,00), रे०को०फै० (2,69,00) से सम्बन्धित कारखाना निर्माण उचन्त लेखे के नाम खाते में 20,00,00 शामिल हैं।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (6,58,40), डीजल रेल इंजन कारखाना (2,86,32), सवारी डिब्बा कारखाना (5,49,85) पहिया एवं धुरा संयंत्र (73,95) डीजल कल पुर्जा कारखाना (1,47,89) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (2,83,59) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते में 20,00,00 शामिल हैं।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (6,46,10), डीजल रेल इंजन कारखाना (2,91,84), सवारी डिब्बा कारखाना (5,66,32), पहिया एवं धुरा संयंत्र (70,37) और डी०पु०का० (1,45,85) रे०को०फै० (2,79,52) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 20,00,00 शामिल हैं।

†Includes Rs. 1,30,43 thousand in 1993-94 by transfer from State Railway Provident Fund of the accumulated government-contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who had elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes Rs. 14,36 thousand in 1993-94, Rs. 14,70 thousand in B.E. 1994-95, Rs. 29,14 thousand in R.E. 1994-95 and Rs. 14,70 thousand in B.E. 1995-96 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective financial year.

(a) Includes 10,97,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (3,63,00), DLW (1,58,00), ICF (3,10,00), W&AP (39,00), DCW (77,00) and RCF (1,50,00)
(b) „ 20,00,00 „ „ „ „ „ „ (6,61,00) „ (2,81,00), „ (5,69,00) „ (69,00), „ (1,51,00) „ (2,69,00)
(c) „ 20,00,00 „ „ „ „ „ „ (6,58,40) „ (2,86,32) „ (5,49,85) „ (73,95) „ (1,47,89) „ (2,83,59)
(d) „ 20,00,00 „ „ „ „ „ „ (6,46,10) „ (2,91,84) „ (5,66,32) „ (70,37) „ (1,45,85) „ (2,79,52)

घ—पूंजी निधि—रेलवे

D—CAPITAL FUND—RAILWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
प्रथशेष Opening Balance	73,18,02	111,42,28	2,57,46	2,75,48	पूंजी निधि से विनियोग Appropriation from Capital Fund	1746,98,84	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00
पूंजी निधि में विनियोग Appropriation to Capital Fund	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00					
पूंजी निधि पर ब्याज Interest on Capital Fund	2,56,18	7,79,96	18,02	19,28					
					इतिशेष Closing Balance	2,57,46	119,22,24	2,75,48	2,94,76
जोड़ TOTAL	1749,56,30	1799,22,24	1577,75,48	1707,94,76	जोड़ TOTAL	1749,56,30	1799,22,24	1577,75,48	1707,94,76

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1995

9

Expenditure Budget 1995-96 Volume I (Incorporating Explanatory Memorandum and Plan Budget)

विषय-सूची Table of Contents

विषय	विवरण	Contents	Statement	पृष्ठ संख्या Page No.
1. परिचायक टिप्पणी		1. Introductory Notes ...		1
खण्ड—I—सामान्य		**Part– I – General**		
2. व्यय का सारांश ...	विवरण 1	2. Summary of Expenditure ...	Statement 1	3
3. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार व्यय ...	विवरण 2	3. Expenditure by Ministries/ Departments ...	Statement 2	4-8
4. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय ...	विवरण 3	4. Expenditure of Union Territories without Legislature ...	Statement 3	8
5. संशोधित अनुमान, 1994-95		5. Revised Estimates, 1994-95 ...		9
6. बजट अनुमान, 1995-96		6. Budget Estimates, 1995-96 ...		10
खण्ड-II-आयोजना भिन्न व्यय		**Part– II–Non-Plan Expenditure**		
7. आयोजना-भिन्न व्यय, 1995-96		7. Non-Plan Expenditure, 1995-96		11-16
8. स्थूल श्रेणियों के अनुसार आयोजना-भिन्न व्यय ...	विवरण 4	8. Non-Plan Expenditure by Broad Categories ...	Statement 4	17
9. आयोजना-भिन्न-आर्थिक सहायता ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	विवरण 5	9. Non-Plan Subsidies - Interest Subsidies ...	Statement 5	18
10. आयोजना-भिन्न-आर्थिक सहायता अन्य आर्थिक सहायता ...	विवरण 6	10. Non-Plan Subsidies Other Subsidies ...	Statement 6	19
11. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम ...	विवरण 7	11. Departmental Commercial Undertakings ...	Statement 7	20
12. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय ...	विवरण 8	12. Non-Plan Capital Outlay ...	Statement 8	21
13. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण ...	विवरण 9	13. Non-Plan Loans to Public Enterprises ...	Statement 9	22-23
14. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण ...	विवरण 10	14. Non-Plan Grants and Loans to State and Union Territory Governments ...	Statement 10	24
15. विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण ...	विवरण 11	15. Grants and Loans to Foreign Governments ...	Statement 11	25
खण्ड-III-आयोजना परिव्यय		**Part– III–Plan Outlay**		
16. आयोजना परिव्यय 1995-96		16. Plan Outlay 1995-96		26-43
17. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय ...	विवरण 12	17. Central Plan Outlay by Ministries/Departments ...	Statement 12	44-45
18. विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय ...	विवरण 13	18. Central Plan Outlay by Heads of Development ...	Statement 13	44-47
19. सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश ...	विवरण 14	19. Plan Investments in Public Enterprises ...	Statement 14	48-53
20. सरकारी उद्यमों के संसाधन ...	विवरण 15	20. Resources of Public Enterprises ...	Statement 15	54-57
22. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ...	विवरण 16	21. Central Assistance for State and Union Territory Plans ...	Statement 16	58

		पृष्ठ संख्या Page No.
22. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण ... विवरण 17	22. Plan Grants and Loans to State and Union Territory Governments ... Statement 17	59-60
अनुबन्ध	**ANNEXURES**	
1. लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं	1. Budget Provisions by Heads of Accounts	61-76
2. वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुबन्ध 1 और अनुदानों की मांगों में दिखाए गए व्यय का मिलान	2. Reconciliation between Expenditure shown in Annual Financial Statement and Annexure 1 and Demands for Grants	77
3. व्यय की प्रवृत्तियां	3. Trends in Expenditure	78-80
4. अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान	4. Contributions to International Bodies	81-83
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	5. Guarantees given by Central Government	84
6. गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों, आदि को सहायता अनुदान	6. Grants-in-aid to private institutions, organisations, etc.	85
7. स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए की गई व्यवस्था	7. Estimated strength of Establishment and provision therefor.	86-87

परिचायक-टिप्पणी

जहा तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है । इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय मे बाटा गया है । विवरण और अनुबन्ध,जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है, स्वतः स्पष्ट है और उनका उल्लेख यथास्थान विनिर्दिष्टतः किया गया है। वाणिज्यिक विभागो/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो के मामले मे विभिन्न विवरणो मे शामिल की गई व्यय व्यवस्थाए वसूलियो और प्राप्तियो को घटाकर दिखाई गई है ताकि व्ययो/प्राप्तियो, दोनों के आकडो का बहुत अधिक विस्तार न हो जाए । ऐसे विभागो/उपक्रमो के व्ययों/प्राप्तियो की विस्तृत जानकारी विवरण 7 में दी गई है । उसी प्रकार, राज्यों को दिए जाने वाले ऐसे अल्पावधिक ऋणो और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया जाता है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है । कतिपय लेनदेनों को, जिनके आधार पर किसी निवल नकद रकम की निकासी नही होती और जिनको उतनी ही प्राप्तियों से बराबर रखा जाता है जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीयकृत बैंको आदि के शेयर पूंजी मे निवेश को दिए जाने वाले अशदानो के संबंध मे किया जाता है, वसूलिया घटाकर वास्तविक निवल राशियो के रूप मे प्रस्तुत किया गया है ताकि व्यय की वास्तविक मदों पर पूर्णतः स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जा सके ।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत बजट-व्यय के अनुमानो में, सामान्य बजट में से किए गए आयोजनागत निवेशों की मात्रा को छोड़ते हुए, रेलवे और दूर-संचार विभागो के लेन-देनो को सम्मिलित नही किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण मे केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों / विभागो का व्यय प्रदर्शित किया गया है ।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियो के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब मे नहीं लिया गया है जिन्हें खातों मे व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है । इन वसूलियो की राशियो को अनुदानों की सम्बद्ध मांगों में दिखा दिया गया है । खाते मे प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने केबाद, वार्षिक वित्तीय विवरण मे प्रदर्शित किया गया है। जैसे ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप मे स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ और प्राप्तियों को भी और ज्यादा निवल रूप मे निरूपित किया गया है । इस पुस्तक के अनुबंध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजन के बाद व्यय को ही दिखाया गया है । अनुबंध 2 के द्वारा, अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ो और वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ-साथ अनुदानों की मागो में दिए गए व्यय के जोड़ो के बीच मिलान करके एकरूपता स्थापित की गई है ।

INTRODUCTORY NOTES

This volume serves as the Explanatory Memorandum to the Budget of the Central Government in so far as the expenditure provisions are concerned. It is divided into three parts, viz, Part I-General, Part II - Non-Plan Expenditure and Part III - Plan Outlay. The Statements and Annexures which form part of this volume are self-explanatory and have been referred to in the write-up at the appropriate places. The Expenditure provisions included in the various Statements are net of recoveries, and receipts in the case of Commercial Departments / Departmental Commercial Undertakings, so as not to inflate the figures of expenditure / receipts. The details of expenditure / receipts of such Departments / Undertakings are given in Statement No. 7. Similarly, short-term loans and advances given to the States and recovered during the same year have also been netted. Certain transactions which do not involve a net cash outgo and are matched by receipts, e. g., subscriptions to the International Monetary Fund, investment in share capital of Nationalised Banks etc., have also been netted, so as to focus attention on real items of expenditure.

2. The estimates of budgetary expenditure in this document exclude the transactions of Railways and Telecommunications except to the extent of Plan investments made from the General Budget. The Annual Financial Statement presented separately under article 112 of the Constitution, however, incorporates the expenditure of all the Central Government Ministries / Departments.

3. The Demands for Grants presented separately under article 113 of the Constitution seek the approval of Parliament for "gross" amounts of expenditure without taking into account "recoveries" taken in reduction of expenditure in the accounts. Amounts of these recoveries are also shown in the respective Demands for Grants. The expenditure under each major head of account is shown in the Annual Financial Statement net of these recoveries. A further netting of some receipts is done in this document, as explained above, to facilitate proper appreciation of various items of expenditure. Annexure 1 to this document shows the expenditure under each major head of account after such adjustments. Annexure 2 reconciles the totals of Annexure 1 and the expenditure totals in the Annual Financial Statement, as well as in the Demands for Grants.

भाग- I सामान्य
Part I - General

व्यय का सारांश विवरण-1 और मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय विवरण-2 में दर्शाया गया है ।

The Summary of Expenditure is given in Statement No.1 and the Expenditure by Ministries/Departments is given in Statement No.2.

व्यय का सारांश SUMMARY OF EXPENDITURE

विवरण STATEMENT 1

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
1. कुल व्यय (2+3) **TOTAL EXPENDITURE (2+3)**	**118810.88**	**32888.02**	**151698.90**	**122901.76**	**39370.58**	**162272.34**	**136328.35**	**35823.17**	**172151.52**
2. आयोजना-भिन्न व्यय Non Plan Expenditure	90749.30	14367.92	105117.22	93964.79	19546.84	113511.63	106998.21	16653.09	123651.30
3. आयोजना व्यय Plan Expenditure	28061.58	18520.10	46581.68	28936.97	19823.74	48760.71	29330.14	19170.08	48500.22
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता Central Assistance for State & UT Plans	9983.81	9320.32	19304.13	11141.14	9685.99	20827.13	9476.73	10029.27	19506.00
5. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन (3-4) BUDGET SUPPORT FOR CENTRAL PLAN (3-4)	18077.77	9199.78	27277.55	17795.83	10137.75	27933.58	19853.41	9140.81	28994.22
6. सरकारी उद्यमों के संसाधन Resources of Public Enterprises	...	42863.41	42863.41	...	40382.06	40382.06	...	49854.62	49854.62
7. केन्द्रीय आयोजना (5+6) CENTRAL PLAN (5+6)	18077.77	52063.19	70140.96	17795.83	50519.81	68315.64	19853.41	58995.43	78848.84

मंत्रालयों/विभागों का व्यय
EXPENDITURE OF MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
कृषि और सहकारिता	Agriculture & Cooperation	1404.00	380.36	1784.36	1457.22	916.13	2373.35	1489.00	545.81	2034.81
राजस्व	Revenue	1077.21	380.13	1457.34	1059.13	915.90	1975.03	1071.64	545.58	1617.22
पूंजी	Capital	326.79	0.23	327.02	398.09	0.23	398.32	417.36	0.23	417.59
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education	275.00	202.00	477.00	274.99	220.64	495.63	310.00	238.86	548.86
राजस्व	Revenue	275.00	202.00	477.00	274.99	220.64	495.63	310.00	238.86	548.86
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पशुपालन और डेरी कार्य	Animal Husbandry and Dairying	322.71	9.10	331.81	331.40	9.15	340.55	344.00	9.33	353.33
राजस्व	Revenue	146.19	9.10	155.29	154.28	9.15	163.43	148.43	9.33	157.76
पूंजी	Capital	176.52	...	176.52	177.12	...	177.12	195.57	...	195.57
रसायन और पेट्रो रसायन	Chemicals and Petro-Chemicals	38.03	62.79	100.82	31.03	112.79	143.82	33.91	102.69	136.60
राजस्व	Revenue	24.92	39.31	64.23	17.92	81.50	99.42	20.28	92.08	112.36
पूंजी	Capital	13.11	23.48	36.59	13.11	31.29	44.40	13.63	10.61	24.24
उर्वरक	Fertilizers	184.00	4267.73	4451.73	186.25	5538.67	5724.92	205.00	5465.42	5670.42
राजस्व	Revenue	11.90	4164.48	4176.38	12.15	5325.67	5337.82	11.90	5413.42	5425.32
पूंजी	Capital	172.10	103.25	275.35	174.10	213.00	387.10	193.10	52.00	245.10
नागर विमानन	Civil Aviation	23.11	42.90	66.01	21.57	115.13	136.70	53.37	68.93	122.30
राजस्व	Revenue	5.40	42.90	48.30	5.06	115.13	120.19	0.28	68.93	69.21
पूंजी	Capital	17.71	...	17.71	16.51	...	16.51	53.09	...	53.09
पर्यटन	Tourism	92.81	16.15	108.96	89.71	19.25	108.96	92.00	16.90	108.90
राजस्व	Revenue	77.30	16.15	93.45	74.20	19.25	93.45	75.55	16.90	92.45
पूंजी	Capital	15.51	...	15.51	15.51	...	15.51	16.45	...	16.45
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution	17.45	4.42	21.87	17.45	29.50	46.95	19.85	4.77	24.62
राजस्व	Revenue	10.18	4.42	14.60	10.18	29.50	39.68	11.92	4.77	16.69
पूंजी	Capital	7.27	...	7.27	7.27	...	7.27	7.93	...	7.93
कोयला	Coal	586.98	170.95	757.93	531.68	111.69	643.37	475.00	131.43	606.43
राजस्व	Revenue	23.50	170.95	194.45	23.50	111.68	135.18	43.82	131.42	175.24
पूंजी	Capital	563.48	...	563.48	508.18	0.01	508.19	431.18	0.01	431.19
वाणिज्य	Commerce	180.00	420.98	600.98	180.00	770.50	950.50	234.84	486.97	721.81
राजस्व	Revenue	91.30	420.98	512.28	91.30	770.50	861.80	148.34	486.97	635.31
पूंजी	Capital	88.70	...	88.70	88.70	...	88.70	86.50	...	86.50
आपूर्ति	Supply	2.50	29.52	32.02	2.50	30.50	33.00	1.45	32.16	33.61
राजस्व	Revenue	2.50	29.52	32.02	2.50	30.50	33.00	1.45	32.16	33.61
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
डाक	Posts	77.00	117.00	194.00	92.00	305.00	397.00	85.00	283.00	368.00
राजस्व	Revenue	21.14	125.00	146.14	18.12	313.00	331.12	17.13	287.00	304.13
पूंजी	Capital	55.86	-8.00	47.86	73.88	-8.00	65.88	67.87	-4.00	63.87
दूरसंचार	Telecommunication	3.85	34.43	38.28	3.02	37.84	40.86	3.95	9.50	13.45
राजस्व	Revenue	3.85	34.43	38.28	3.02	37.84	40.86	3.95	9.50	13.45
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
रक्षा (सिविल अनुमान)	Defence (Civil estimates)	...	2963.87	2963.87	...	2943.54	2943.54	...	3052.27	3052.27
राजस्व	Revenue	...	2875.51	2875.51	...	2897.24	2897.24	...	3025.75	3025.75
पूंजी	Capital	...	88.36	88.36	...	46.30	46.30	...	26.52	26.52
रक्षा सेवाएं	Defence Services	...	23000.00	23000.00	...	23544.00	23544.00	...	25500.00	25500.00
राजस्व	Revenue	...	16168.87	16168.87	...	16610.76	16610.76	...	18145.51	18145.51
पूंजी	Capital	...	6831.13	6831.13	...	6933.24	6933.24	...	7354.49	7354.49
पर्यावरण और वन	Environment and Forests	360.00	58.27	418.27	360.00	59.93	419.93	370.50	64.91	435.41
राजस्व	Revenue	352.69	58.27	410.96	352.69	59.93	412.62	363.39	64.91	428.30
पूंजी	Capital	7.31	...	7.31	7.31	...	7.31	7.11	...	7.11
विदेश कार्य	External Affairs	...	845.00	845.00	...	926.90	926.90	...	997.95	997.95
राजस्व	Revenue	...	801.01	801.01	...	881.75	881.75	...	950.90	950.90
पूंजी	Capital	...	43.99	43.99	...	45.15	45.15	...	47.05	47.05
आर्थिक कार्य	Economic Affairs	1093.82	2192.87	3286.69	2147.73	2018.84	4166.57	1100.00	2432.03	3532.03
राजस्व	Revenue	127.76	1840.22	1967.98	93.78	2130.62	2224.40	76.94	2063.43	2140.37
पूंजी	Capital	966.06	352.65	1318.71	2053.95	-111.78	1942.17	1023.06	368.60	1391.66

मंत्रालयों/विभागों का व्यय
EXPENDITURE OF MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
आर्थिक कार्य (केन्द्रीयकृत व्यवस्थाएं)	Economic Affairs (centralised provisions)	...	53073.33	53073.33	...	55536.28	55536.28	...	64822.97	64822.97
राजस्व	Revenue	...	47760.33	47760.33	...	45728.28	45728.28	...	57660.97	57660.97
पूंजी	Capital	...	5313.00	5313.00	...	9810.00	9810.00	...	7162.00	7162.00
व्यय	Expenditure	1.69	1281.11	1282.80	3.51	1312.48	1315.99	1.93	1390.95	1392.88
राजस्व	Revenue	1.69	1281.11	1282.80	1.69	1312.48	1314.17	1.93	1390.95	1392.88
पूंजी	Capital	...	...	...	1.82	...	1.82	...	...	...
राजस्व	Revenue ...	1128.19	1128.19	...	1138.02	1138.02	...	1284.28	1284.28	
राजस्व	Revenue	...	966.96	966.96	...	981.80	981.80	...	1023.69	1023.69
पूंजी	Capital	...	161.23	161.23	...	156.22	156.22	...	260.59	260.59
खाद्य	Food	29.00	4193.03	4222.03	29.00	5293.21	5322.21	21.05	5394.88	5415.93
राजस्व	Revenue	2.03	4197.78	4199.81	2.03	5297.96	5299.99	1.95	5394.88	5396.83
पूंजी	Capital	26.97	-4.75	22.22	26.97	-4.75	22.22	19.10	...	19.10
खाद्य प्रसंस्करण	Food Processing	45.00	4.83	49.83	45.00	4.89	49.89	45.00	5.13	50.13
राजस्व	Revenue	37.72	4.82	42.54	37.72	4.88	42.60	36.00	5.13	41.13
पूंजी	Capital	7.28	0.01	7.29	7.28	0.01	7.29	9.00	...	9.00
स्वास्थ्य	Health	565.00	350.00	915.00	585.00	408.89	993.89	644.57	403.59	1048.16
राजस्व	Revenue	564.20	356.65	920.85	584.30	391.54	975.84	644.17	410.24	1054.41
पूंजी	Capital	0.80	-6.65	-5.85	0.70	17.35	18.05	0.40	-6.65	-6.25
परिवार कल्याण	Family Welfare	1430.00	11.68	1441.68	1430.00	12.03	1442.03	1581.00	12.51	1593.51
राजस्व	Revenue	1429.85	11.68	1441.53	1429.85	12.03	1441.88	1580.85	12.51	1593.36
पूंजी	Capital	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
गृह	Home Affairs	53.98	3786.94	3840.92	52.77	3858.83	3911.60	76.75	3972.04	4048.79
राजस्व	Revenue	28.98	3331.22	3360.20	27.77	3431.16	3458.93	36.75	3545.11	3581.86
पूंजी	Capital	25.00	455.72	480.72	25.00	427.67	452.67	40.00	426.93	466.93
शिक्षा	Education	1540.30	875.31	2415.61	1566.30	920.22	2486.52	1823.84	880.21	2704.05
राजस्व	Revenue	1539.78	872.46	2412.24	1565.78	917.37	2483.15	1823.32	879.21	2702.53
पूंजी	Capital	0.52	2.85	3.37	0.52	2.85	3.37	0.52	1.00	1.52
युवा कार्य और खेल	Youth Affairs and Sports	94.00	41.11	135.11	94.00	40.83	134.83	95.00	37.74	132.74
राजस्व	Revenue	92.58	41.10	133.68	91.58	40.82	132.40	92.94	37.73	130.67
पूंजी	Capital	1.42	0.01	1.43	2.42	0.01	2.43	2.06	0.01	2.07
संस्कृति	Culture	102.60	77.09	179.69	102.60	297.90	400.50	113.00	82.73	195.73
राजस्व	Revenue	102.60	77.09	179.69	102.60	79.90	182.50	113.00	82.73	195.73
पूंजी	Capital	...	...	...	...	218.00	218.00	...	...	...
महिला और बाल विकास	Women and Child Development	662.00	43.59	705.59	662.00	44.16	706.16	730.00	44.89	774.89
राजस्व	Revenue	662.00	43.59	705.59	662.00	44.16	706.16	730.00	44.89	774.89
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
औद्योगिक विकास	Industrial Development	776.50	44.92	821.42	276.50	49.75	326.25	430.00	50.24	480.24
राजस्व	Revenue	776.25	44.80	821.05	276.25	49.63	325.88	428.75	50.12	478.87
पूंजी	Capital	0.25	0.12	0.37	0.25	0.12	0.37	1.25	0.12	1.37
भारी उद्योग	Heavy Industry	134.36	78.15	212.51	147.91	141.06	288.97	175.00	84.56	259.56
राजस्व	Revenue	5.30	9.36	14.66	3.30	18.83	22.13	10.45	9.56	20.01
पूंजी	Capital	129.06	68.79	197.85	144.61	122.23	266.84	164.55	75.00	239.55
सरकारी उद्यम	Public Enterprises	...	1.55	1.55	...	1.80	1.80	...	1.62	1.62
राजस्व	Revenue	...	1.55	1.55	...	1.80	1.80	...	1.62	1.62
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	474.19	372.11	846.30	453.72	372.05	825.77	604.30	356.42	960.72
राजस्व	Revenue	375.88	107.93	483.81	355.41	107.93	463.34	544.72	110.31	655.03
पूंजी	Capital	98.31	264.18	362.49	98.31	264.12	362.43	59.58	246.11	305.69
सूचना और प्रसारण	Information and Broadcasting	61.00	410.42	471.42	57.98	426.53	484.51	101.00	441.90	542.90
राजस्व	Revenue	25.62	409.28	434.90	27.74	425.65	453.39	43.76	439.70	483.46
पूंजी	Capital	35.38	1.14	36.52	30.24	0.88	31.12	57.24	2.20	59.44
श्रम	Labour	111.00	420.20	531.20	94.45	422.80	517.25	114.04	416.76	530.80
राजस्व	Revenue	111.00	420.20	531.20	94.45	422.80	517.25	114.04	416.76	530.80
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विधि और न्याय	Law and Justice	50.00	76.36	126.36	49.55	302.45	352.00	50.00	301.62	351.62
राजस्व	Revenue	50.00	76.36	126.36	49.55	302.45	352.00	50.00	301.62	351.62
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निर्वाचन आयोग	Election Commission	...	2.49	2.49	...	3.24	3.24	...	3.29	3.29
राजस्व	Revenue	...	2.49	2.49	...	3.24	3.24	...	3.29	3.29
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Supreme Court of India	...	10.34	10.34	...	14.63	14.63	...	11.71	11.71
राजस्व	Revenue	...	10.34	10.34	...	14.63	14.63	...	11:71	11.71
पूंजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...

मंत्रालयों/विभागों का व्यय
EXPENDITURE OF MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
कंपनी कार्य	Company Affairs	...	15.45	15.45	...	15.45	15.45	...	16.37	16.37
राजस्व	Revenue	...	15.44	15.44	...	15.44	15.44	...	16.36	16.36
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
खान	Mines	98.53	99.02	197.55	98.53	100.60	199.13	97.72	97.43	195.15
राजस्व	Revenue	64.80	85.02	149.82	64.80	86.60	151.40	74.00	92.18	166.18
पूँजी	Capital	33.73	14.00	47.73	33.73	14.00	47.73	23.72	5.25	28.97
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	Non-Conventional Energy Sources	224.13	2.25	226.38	246.61	2.77	249.38	246.13	2.25	248.38
राजस्व	Revenue	209.95	2.25	212.20	209.43	2.77	212.20	222.08	2.25	224.33
पूँजी	Capital	14.18	...	14.18	37.18	...	37.18	24.05	...	24.05
संसदीय कार्य	Parliamentary Affairs	...	1.73	1.73	...	1.73	1.73	...	1.76	1.76
राजस्व	Revenue	...	1.73	1.73	...	1.73	1.73	...	1.76	1.76
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	Personnel, Public Grievances and Pensions	8.10	75.00	83.10	8.10	76.81	84.91	8.10	80.69	88.79
राजस्व	Revenue	5.31	69.00	74.31	5.61	70.81	76.42	6.10	74.69	80.79
पूँजी	Capital	2.79	6.00	8.79	2.49	6.00	8.49	2.00	6.00	8.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	Petroleum and Natural Gas	135.90	2.75	138.65	132.27	554.83	687.10	4.29	2.75	7.04
राजस्व	Revenue	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75
पूँजी	Capital	135.90	...	135.90	132.27	552.08	684.35	4.29	...	4.29
योजना	Planning	120.00	14.11	134.11	100.00	14.31	114.31	120.00	14.40	134.40
राजस्व	Revenue	98.50	14.11	112.61	69.50	14.31	83.81	94.60	14.40	109.00
पूँजी	Capital	21.50	...	21.50	30.50	...	30.50	25.40	...	25.40
सांख्यिकी	Statistics	17.26	54.02	71.28	11.47	55.48	66.95	17.00	57.70	74.70
राजस्व	Revenue	13.68	54.02	67.70	7.89	55.48	63.37	11.23	57.70	68.93
पूँजी	Capital	3.58	...	3.58	3.58	...	3.58	5.77	...	5.77
कार्यक्रम कार्यान्वयन	Programme Implementation	...	0.88	0.88	...	1.10	1.10	...	1.04	1.04
राजस्व	Revenue	...	0.88	0.88	...	1.10	1.10	...	1.04	1.04
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत	Power	2887.10	18.58	2905.68	2563.25	20.23	2583.48	2596.61	20.75	2617.36
राजस्व	Revenue	78.66	18.58	97.24	63.30	20.23	83.53	125.47	20.75	146.22
पूँजी	Capital	2808.44	...	2808.44	2499.95	...	2499.95	2471.14	...	2471.14
ग्रामीण विकास	Rural Development	7010.00	14.64	7024.64	7320.00	16.81	7336.81	7700.00	18.06	7718.06
राजस्व	Revenue	7009.00	14.64	7023.64	7319.99	16.81	7336.80	7700.00	18.06	7718.06
पूँजी	Capital	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	...	...	...
बंजर भूमि विकास	Wastelands Development	60.00	0.26	60.26	60.00	0.26	60.26	60.00	0.28	60.28
राजस्व	Revenue	60.00	0.26	60.26	60.00	0.26	60.26	60.00	0.28	60.28
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Science and Technology	214.80	171.30	386.10	213.95	182.68	396.63	229.80	189.05	418.85
राजस्व	Revenue	180.80	169.58	350.38	181.68	180.96	362.64	195.07	187.81	382.88
पूँजी	Capital	34.00	1.72	35.72	32.27	1.72	33.99	34.73	1.24	35.97
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	Scientific and Industrial Research	161.00	199.45	360.45	161.00	218.83	379.83	186.00	225.03	411.03
राजस्व	Revenue	155.95	199.45	355.40	155.95	216.16	372.11	177.01	225.03	402.04
पूँजी	Capital	5.05	...	5.05	5.05	2.67	7.72	8.99	...	8.99
जैव-प्रौद्योगिकी	Biotechnology	87.00	3.23	90.23	86.87	3.36	90.23	90.00	6.52	96.52
राजस्व	Revenue	85.80	3.23	89.03	85.67	3.36	89.03	90.00	6.52	96.52
पूँजी	Capital	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	...	...	...
इस्पात	Steel	325.00	29.63	354.63	325.00	26.65	351.65	284.50	9.87	294.37
राजस्व	Revenue	...	4.63	4.63	...	4.65	4.65	...	4.85	4.85
पूँजी	Capital	325.00	25.00	350.00	325.00	22.00	347.00	284.50	5.02	289.52
भूतल परिवहन	Surface Transport	968.50	736.86	1705.36	950.86	936.67	1887.53	1075.00	784.11	1859.11
राजस्व	Revenue	79.79	596.73	676.52	80.15	798.17	878.32	42.81	671.08	713.89
पूँजी	Capital	888.71	140.13	1028.84	870.71	138.50	1009.21	1032.19	113.03	1145.22
वस्त्रोद्योग	Textiles	270.00	374.00	644.00	270.00	467.54	737.54	298.00	252.27	550.27
राजस्व	Revenue	237.48	334.12	571.60	237.48	283.66	521.14	284.88	238.35	523.23
पूँजी	Capital	32.52	39.88	72.40	32.52	183.88	216.40	13.12	13.92	27.04

मंत्रालयों/विभागों का व्यय
EXPENDITURE OF MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
शहरी विकास	Urban Development	456.78	488.23	945.01	507.78	726.39	1234.17	622.72	584.71	1207.43
राजस्व	Revenue	221.48	328.80	550.28	221.48	542.41	763.89	366.02	405.79	771.81
पूँजी	Capital	235.30	159.43	394.73	286.30	183.98	470.28	256.70	178.92	435.62
जल संसाधन	Water Resources	275.47	95.16	370.63	245.82	105.49	351.31	302.00	102.00	404.00
राजस्व	Revenue	225.22	93.28	318.50	196.11	96.72	292.83	247.66	100.02	347.68
पूँजी	Capital	50.25	1.88	52.13	49.71	8.77	58.48	54.34	1.98	56.32
कल्याण	Welfare	705.00	31.25	736.25	803.77	36.15	839.92	890.00	35.41	925.41
राजस्व	Revenue	619.59	30.84	650.43	622.60	35.74	658.34	704.74	35.00	739.74
पूँजी	Capital	85.41	0.41	85.82	181.17	0.41	181.58	185.26	0.41	185.67
परमाणु ऊर्जा	Atomic Energy	525.00	728.50	1253.50	494.86	728.67	1223.53	643.00	759.15	1402.15
राजस्व	Revenue	47.47	432.88	480.35	47.09	453.16	500.25	55.47	447.85	503.32
पूँजी	Capital	477.53	295.62	773.15	447.77	275.51	723.28	587.53	311.30	898.83
इलैक्ट्रानिकी	Electronics	140.10	14.32	154.42	140.60	16.20	156.80	147.00	14.35	161.35
राजस्व	Revenue	114.88	14.32	129.20	115.38	16.20	131.58	125.48	14.35	139.83
पूँजी	Capital	25.22	...	25.22	25.22	...	25.22	21.52	...	21.52
महासागर विकास	Ocean Development	46.00	13.00	59.00	46.00	13.00	59.00	52.00	13.94	65.94
राजस्व	Revenue	35.30	13.00	48.30	40.70	13.00	53.70	42.75	13.94	56.69
पूँजी	Capital	10.70	...	10.70	5.30	...	5.30	9.25	...	9.25
अन्तरिक्ष	Space	600.00	154.99	754.99	620.00	154.99	774.99	750.00	161.20	911.20
राजस्व	Revenue	477.79	154.99	632.78	506.18	154.99	661.17	670.39	161.20	831.59
पूँजी	Capital	122.21	...	122.21	113.82	...	113.82	79.61	...	79.61
संसद, राष्ट्रपति का सचिवालय, आदि	Parliament, Secretariat of the President,etc	...	78.94	78.94	...	89.40	89.40	...	98.63	98.63
राजस्व	Revenue	...	78.94	78.94	...	89.40	89.40	...	98.63	98.63
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
रेलवे	Railway	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00
राजस्व	Revenue	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूँजी	Capital	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00
केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग	Central Ministries/ Departments									
जोड़	Total	27277.55	104518.64	131796.19	27933.58	112880.45	140814.03	28994.22	122992.69	151986.91
राजस्व	Revenue	18077.77	90143.82	108221.59	17795.83	93326.77	111122.60	19853.41	106332.79	126186.20
पूँजी	Capital	9199.78	14374.82	23574.60	10137.75	19553.68	29691.43	9140.81	16659.90	25800.71
राज्यों की आयोजनाएं (उत्तर-पूर्वी परिषद सहित)	**STATE PLANS (Including NEC)**									
जोड़	**Total**	**18741.34**	**...**	**18741.34**	**20134.34**	**...**	**20134.34**	**18726.11**	**...**	**18726.11**
राजस्व	Revenue	9814.69	...	9814.69	10930.74	...	10930.74	9210.90	...	9210.90
पूँजी	Capital	8926.65	...	8926.65	9203.60	...	9203.60	9515.21	...	9515.21
राज्यों की आयोजनाएं	State Plans	18466.34	...	18466.34	19829.34	...	19829.34	18432.11	...	18432.11
राजस्व	Revenue	9712.91	...	9712.91	10821.22	...	10821.22	9121.20	...	9121.20
पूँजी	Capital	8753.43	...	8753.43	9008.12	...	9008.12	9310.91	...	9310.91
कृषि और सहकारिता	Agriculture and Cooperation	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	16.00	...	16.00
राजस्व	Revenue	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	16.00	...	16.00
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
वित्त	Finance	17785.34	...	17785.34	19148.34	...	19148.34	16873.11	...	16873.11
राजस्व	Revenue	9347.91	...	9347.91	10456.22	...	10456.22	7910.20	...	7910.20
पूँजी	Capital	8437.43	...	8437.43	8692.12	...	8692.12	8962.91	...	8962.91
विद्युत	Power	316.00	...	316.00	316.00	...	316.00	348.00	...	348.00
राजस्व	Revenue	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूँजी	Capital	316.00	...	316.00	316.00	...	316.00	348.00	...	348.00
कार्यक्रम कार्यान्वयन	Programme Implementation	...	...	...	...	...	...	790.00	...	790.00
राजस्व	Revenue	...	...	...	...	...	...	790.00	...	790.00
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कल्याण	Welfare	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	405.00	...	405.00
राजस्व	Revenue	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	405.00	...	405.00
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
उत्तर पूर्वी परिषद की आयोजना	**NEC Plan**	**275.00**	**...**	**275.00**	**305.00**	**...**	**305.00**	**294.00**	**...**	**294.00**
राजस्व	Revenue	101.78	...	101.78	109.52	...	109.52	89.70	...	89.70
पूँजी	Capital	173.22	...	173.22	195.48	...	195.48	204.30	...	204.30
गृह	Home Affairs	267.00	...	267.00	297.00	...	297.00	294.00	...	294.00
राजस्व	Revenue	93.78	...	93.78	101.52	...	101.52	89.70	...	89.70
पूँजी	Capital	173.22	...	173.22	195.48	...	195.48	204.30	...	204.30
शिक्षा	Education	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
राजस्व	Revenue	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...	...	...	...	...	...	...
संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES**	**562.79**	**598.58**	**1161.37**	**692.79**	**631.18**	**1323.97**	**779.89**	**658.61**	**1438.50**
राजस्व	Revenue	169.12	605.48	774.60	210.40	638.02	848.42	265.83	665.42	931.25
पूँजी	Capital	393.67	-6.90	386.77	482.39	-6.84	475.55	514.06	-6.81	507.25

मंत्रालयों/विभागों का व्यय
EXPENDITURE OF MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories with Legislature	194.29	104.71	299.00	324.29	109.71	434.00	374.29	110.00	484.29
राजस्व	Revenue	79.40	82.93	162.33	118.40	87.93	206.33	146.70	88.22	234.92
पूंजी	Capital	114.89	21.78	136.67	205.89	21.78	227.67	227.59	21.78	249.37
पांडिचेरी	Pondicherry	85.29	104.71	190.00	85.29	109.71	195.00	104.29	110.00	214.29
राजस्व	Revenue	46.70	82.93	129.63	46.70	87.93	134.63	65.70	88.22	153.92
पूंजी	Capital	38.59	21.78	60.37	38.59	21.78	60.37	38.59	21.78	60.37
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	National Capital Territory of Delhi	109.00	...	109.00	239.00	...	239.00	270.00	...	270.00
राजस्व	Revenue	32.70	...	32.70	71.70	...	71.70	81.00	...	81.00
पूंजी	Capital	76.30	...	76.30	167.30	...	167.30	189.00	...	189.00
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories without Legislature	368.50	493.87	862.37	368.50	521.47	889.97	405.60	548.61	954.21
राजस्व	Revenue	89.72	522.55	612.27	92.00	550.09	642.09	119.13	577.20	696.33
पूंजी	Capital	278.78	-28.68	250.10	276.50	-28.62	247.88	286.47	-28.59	257.88
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	Andaman & Nicobar Islands	205.00	170.10	375.10	200.00	180.00	380.00	215.00	194.00	409.00
राजस्व	Revenue	31.09	168.89	199.98	32.70	178.79	211.49	44.15	192.79	236.94
पूंजी	Capital	173.91	1.21	175.12	167.30	1.21	168.51	170.85	1.21	172.06
दादर और नगर हवेली	Dadra & Nagar Haveli	25.00	14.73	39.73	27.00	15.33	42.33	29.00	15.58	44.58
राजस्व	Revenue	10.73	13.10	23.83	10.73	13.70	24.43	10.86	13.89	24.75
पूंजी	Capital	14.27	1.63	15.90	16.27	1.63	17.90	18.14	1.69	19.83
लक्षद्वीप	Lakshadweep	32.00	67.84	99.84	32.00	71.52	103.52	38.60	74.97	113.57
	Revenue	17.99	67.80	85.79	17.99	71.47	89.46	22.70	74.93	97.63
	Capital	14.01	0.04	14.05	14.01	0.05	14.06	15.90	0.04	15.94
चण्डीगढ़	Chandigarh	88.00	224.56	312.56	88.00	237.19	325.19	100.00	247.30	347.30
राजस्व	Revenue	23.54	256.14	279.68	24.21	268.72	292.93	33.28	278.85	312.13
पूंजी	Capital	64.46	-31.58	32.88	63.79	-31.53	32.26	66.72	-31.55	35.17
दमन और दीव	Daman & Diu	18.50	16.64	35.14	21.50	17.43	38.93	23.00	16.76	39.76
राजस्व	Revenue	6.37	16.62	22.99	6.37	17.41	23.78	8.14	16.74	24.88
पूंजी	Capital	12.13	0.02	12.15	15.13	0.02	15.15	14.86	0.02	14.88
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***46581.68***	***105117.22***	***151698.90***	***48760.71***	***113511.63***	***162272.34***	***48500.22***	***123651.30***	***172151.52***
राजस्व	Revenue	28061.58	90749.30	118810.88	28936.97	93964.79	122901.76	29330.14	106998.21	136328.35
पूंजी	Capital	18520.10	14367.92	32888.02	19823.74	19546.84	39370.58	19170.08	16653.09	35823.17

विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय
EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE

विवरण
STATEMENT 3

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		बजट Budget 94-95			संशोधित Revised 94-95			बजट Budget 95-96		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	Andaman and Nicobar Islands	205.00	170.10	375.10	200.00	180.00	380.00	215.00	194.00	409.00
दादरा और नगर हवेली	Dadra and Nagar Haveli	25.00	14.73	39.73	27.00	15.33	42.33	29.00	15.58	44.58
लक्षद्वीप	Lakshadweep	32.00	67.84	99.84	32.00	71.52	103.52	38.60	74.97	113.57
चंडीगढ़	Chandigarh	88.00	224.56	312.56	88.00	237.19	325.19	100.00	247.30	347.30
दमन और दीव	Daman and Diu	18.50	16.64	35.14	21.50	17.43	38.93	23.00	16.76	39.76
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	**Total Union Territories**	**368.50**	**493.87**	**862.37**	**368.50**	**521.47**	**889.97**	**405.60**	**548.61**	**954.21**

संशोधित अनुमान, 1994-95

बजट अनुमानों की तुलना में 1994-95 के व्यय के संशोधित अनुमान 10573 करोड़ रुपए की निबल वृद्धि दर्शाते हैं। वृद्धि वाली प्रमुख मदें नीचे बताई गई हैं:—

REVISED ESTIMATES, 1994-95

Revised Estimates of expenditure for 1994-95 show a net increase of Rs. 10573 crore, as compared to the Budget Estimates. The major items of increase are indicated below :—

(करोड़ रुपए में) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	वृद्धि Increase
आयोजना-भिन्न	**Non-Plan**			
1. रक्षा व्यय	1. Defence Expenditure	23000	23544	544
2. ब्याज अदायगी	2. Interest Payments	46000	44000	-2000
3. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	3. Food Subsidy	4000	5100	1100
4. उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	4. Subsidy on Fertilizer	4000	5166	1166
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	5. Export Promotion and Market Development	300	560	260
6. किसानों को रियायत वाले विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	6. Sale of decontrolled fertilizers with concession to farmers	...	531	531
7. डाक घाटा	7. Postal deficit	125	313	188
8. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	8. Issue of photo-identity cards to voters	...	225	225
9. निजाम के आभूषणों का अधिग्रहण	9. Acquisition of Nizam's jewellery	...	218	218
10. विदेशी कार्य	10. External Affairs	579	691	112
11. इराक में निष्पादित परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटियों के अंतर्गत भुगतान	11. Payments under counter-guarantees etc. for projects executed in Iraq	...	221	221
12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	12. Non-Plan loans to PSEs	637	911	274
13. लघु बचत संग्रहों के एवज में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	13. Loans to State and UT Governments against small savings collections	5152	9649	4497
14. अन्य	14. Others	21324	22382	1058
जोड़ (आयोजना-भिन्न)	**Total (Non-Plan)**	**105117**	**113511**	**8394**
आयोजना	**Plan**			
1. केन्द्रीय आयोजना	1. Central Plan	27278	27934	656
2. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	2. Central Assistance for State and U.T. Plans	19304	20827	1523
जोड़ (आयोजना)	**Total (Plan)**	**46582**	**48761**	**2179**
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***151699***	***162272***	***10573***

आयोजना भिन्न

2. आतरिक ऋण पर ब्याज तथा गैर सरकारी लोक निधि की विशेष जमाराशियो के लिए अपेक्षाकृत कम आवश्यकताएं मुख्यतया कटौती के लिए होती है।

3. यह वृद्धि मुख्यतः खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में संशोधन, पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया राशियों के निपटान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित चीनी जारी करने के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करने में हुए विलम्ब के कारण हुई है।

4. यह वृद्धि देशी उर्वरकों के निवेश मूल्य और यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है।

5. अतिरिक्त व्यवस्था नकद प्रतिपूर्ति सहायता, शुल्क वापसी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति स्कीम के बकाया दावों के निपटाने के लिए आवश्यक है।

6. यह व्यवस्था, जो मुख्यतया विनिर्माताओं/अभिकरणों को भुगतान का द्योतक है, किसानों को रियायत पर विनियंत्रित फास्फेटी तथा पोटाशी उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए है।

7. डाक घाटे में वृद्धि मुख्यतया इस वर्ष मंजूर की गई महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों और उत्पादकता संबद्ध बोनस, पेंशन प्रभारों तथा महिला समृद्धि योजना स्कीम से संबद्ध एजेंसी कार्य आदि जैसे स्थापना संबंधी व्यय की बढ़ती हुई मांग के कारण है।

8. यह व्यवस्था मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने पर हुए खर्च के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र के सरकारों को केन्द्र सरकार के शेयर की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक है।

9. यह व्यवस्था निजाम न्यास से निजाम के जवाहरातों की 173 मदें प्राप्त करने के लिये है।

10. यह बढ़ी हुई व्यवस्था स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और विनिमय दरों में हुए अंतर के लिए आवश्यक है।

11. यह व्यवस्था बैंकों को इराक में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रति-गारंटियों से उत्पन्न दावों के निपटान और निर्यात ऋण और गारंटी निगम को उसके द्वारा जारी किए गए बाण्डों पर ब्याज का भुगतान करने से भी संबंधित है।

12. यह वृद्धि मुख्यतया रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके अपरिहार्य स्थापना संबंधी खर्च के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने के कारण हुई है।

13. राज्य और संघ शासित क्षेत्र के सरकारों को अल्प बचतों में उनके शेयर पर दिए गए ऋणों में वृद्धि बेहतर संग्रहों की वजह से हुई है।

Non Plan

2. Lesser requirements for interest on internal debt and special deposits of non-Government provident funds mainly account for the reduction.

3. Increase is mainly due to the time lag in the revision of issue prices of foodgrains, clearance of arrears of earlier years and subsidy in respect of imported sugar released through the public distribution system.

4. Increase is due to rise in the price of inputs of indigenous fertilizers and the international price of Urea.

5. The additional provision is required to clear arrear claims on account of cash compensatory support, duty draw back and International Price Reimbursement Scheme.

6. The provision, which mainly represents payment to manufacturers/agencies is for making available decontrolled phosphatic and potassic fertilizers on concession to farmers.

7. The increase in Postal deficit is attributable to larger demand an establishment-related expenditure, like additional instalments of dearness allowance and productivity linked bonus sanctioned this year, pensionary charges and agency function relating to Mahila Samridhi Yojana Scheme.

8. The provision is required for making reimbursement to State and Union Territory Governments of the share of Central Government towards expenditure incurred on issue of photo-identity cards to voters.

9. The provision is for acquiring 173 items of Nizam's jewellery from the Nizam's Trust.

10. The enhanced provision is required on account of additional establishment-related expenditure and variation in the exchange rates.

11. The provision relates to settlement of claims arising out of counter-guarantees issued by the Government to banks for projects executed in Iraq and also for payment to Export Credit and Guarantee Corporation towards interest on bonds issued by it.

12. Increase is mainly for providing additional budgetary support to sick public sector enterprises towards their unavoidable establishment-related expenditure.

13. The increase in loans to State and Union territory Governments on account of their share of small savings is due to improved collections.

आयोजना

1. यह वृद्धि मुख्यतः छः राष्ट्रीयकृत बैंकों और संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम को टीयर-II पूंजी प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के कारण हुई है।

2. यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने तथा जम्मू और कश्मीर सरकार को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए की है।

Plan

1. The Increase is mainly on account of the provisions required for providing Tier II capital to six nationalised banks and MPs Local Area Development Scheme, partly counter-balanced by savings.

2. The increase is mainly for providing additional Central assistance to States for externally-aided projects and special central assistance to J&K Government for developmental purposes.

बजट अनुमान 1995-96

संशोधित अनुमान 1994-95 की तुलना में बजट अनुमान 1995-96 में 9879 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं। आयोजना-भिन्न व्यय में 10140 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जो आयोजना लेखे में 261 करोड़ रुपए की कमी करके आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो जाती है। आयोजना व्यवस्था इस दस्तावेज के भाग III में दी गई है। आयोजना-भिन्न अनुमानों में घट-बढ़ वाली मुख्य मदें नीचे सारणी में दी गई हैं:-

BUDGET ESTIMATES 1995-96

The Budget Estimates 1995-96 show an increase of Rs.9879 crores over the Revised Estimates 1994-95. The increase in Non-Plan expenditure is Rs.10140 crores which is partly counter-balanced by a decrease of Rs. 261 crore on Plan account. The Plan provisions are dealt with in Part III of this document. The main items of variations in Non-Plan estimates are given in the table below:-

(करोड़ रुपए में) *(In crores of Rupees)*

		संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96	वृद्धि Increase
1. ब्याज अदायगी	1. Interest Payments	44000	52000	8000
2. रक्षा	2. Defence	23544	25500	1956
3. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	3. Food subsidy	5100	5250	150
4. उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	4. Subsidy on fertilizers	5166	5400	234
5. किसानों को ऋण राहत	5. Debt relief to farmers	341	...	-341
6. एफसी(एन आर) लेखा के तहत मुद्रा क्षति	6. Exchange loss under FC(NR) Account Scheme	365	785	420
7. पुलिस	7. Police	2685	2837	152
8. पेंशन	8. Pensions	3651	3851	200
9. निजाम के जवाहरातों का अधिग्रहण	9. Acquisition of Nizam's jewellery	218	...	-218
10. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान	10. Non-Plan grants to States	2238	5927	3689
11. अल्प बचत संग्रहों के एवज में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण	11. Loans to State and UT Governments against small savings collections	9649	7000	-2649
12. अन्य	12. Others	16554	15101	-1453
जोड़	Total	113511	123651	10140

1. यह वृद्धि मुख्यतया ब्याज की उच्चतर दरों वाले ऋण द्वारा विद्यमान ऋण स्टाक के प्रतिस्थापन सहित आन्तरिक ऋण और अपेक्षाकृत अधिक संग्रहणों के कारण अल्प बचतों और सरकार के पास गैर-सरकारी भविष्य निधियों पर ब्याज की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण है।

2. यह वृद्धि सामान्य विकास और वचनबद्धताओं तथा अनिवार्य भुगतानों को पूरा करने के कारण है।

3. अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था खाद्यान्नों की खरीद और खरीद मूल्यों के स्तर और पिछले बकायों के निपटान को ध्यान में रखकर की गई है।

4. यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी वृद्धि होने से यूरिया के आयात की बढ़ी हुई लागत की वजह से है।

5. सरकार ने किसानों को ऋण राहत देने की योजना के तहत उसके द्वारा लिए गए दायित्व का परिसमापन कर दिया है।

6. यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा अपनाई गई विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता स्कीम के तहत मुद्रा क्षति के कारण देयताओं की द्योतक है। बैंक अतिरिक्त लाभांश के रूप में इसके द्वारा निर्मित प्रारक्षित भंडार सरकार को अंतरित करेगा। इस खाते पर सरकारी बजट का निवल व्यय 785 करोड़ रुपए बैठता है।

7. यह वृद्धि पुलिस बल तथा सामान्य वृद्धि को सुदृढ़ करने के कारण है।

8. इस वृद्धि में वर्ष 1995-96 के दौरान पेंशनभोगियों को मंजूर की गई राहतों पर होने वाले खर्च को शामिल किया गया है।

9. यह भुगतान एकमुश्त था जो वर्ष 1994-95 में किया गया था।

10. अगले वर्ष के बजट में की गई व्यवस्था में दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया गया है।

11. यह कमी अल्प बचत संग्रहणों के अपेक्षाकृत कम अन्तर्प्रवाह और अधिक निकासी के कारण है।

1. The increase is mainly attributable to larger requirement for interest on internal debt including replacement of existing stock of debt by debt carrying higher rates of interest and small savings following higher collections and non-Government Provident Funds lodged with the Government.

2. The increase is due to normal growth and to meet committed and obligatory payments.

3. Provision in the next Budget takes into account level of procurement and procurement prices of food grains and clearance of past arrears.

4. The increase is due to higher cost of import of urea on account of rise in the international price.

5. Government has liquidated the liability taken over by it under the scheme of debt relief to farmers.

6. The provision represents the liability on account of exchange loss under Foreign Currency (Non-Resident) Account Scheme taken over by the Government from Reserve Bank of India. The Bank will be transferring to Government the reserves built by it as additional dividend. The net expenditure on this account is estimated at Rs.785 crores.

7. The increase is on account of strengthening of Police forces and normal growth.

8. The increase takes into account the likely impact of reliefs to be sanctioned to the pensioners during 1995-96.

9. The payment involved was one-time, which was made in 1994-95.

10. The provision in the next Budget takes into account the recommendations made by the Tenth Finance Commission.

11. The decrease is due to lesser inflow of small savings collections and more withdrawals.

भाग-II

आयोजना-भिन्न व्यय, 1995-96

आयोजना-भिन्न व्यय शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में सरकार के ऐसे सारे व्यय के बारे में किया जाता है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता । इसमें विकासात्मक और गैर-विकासात्मक दोनों प्रकार का व्यय शामिल होता है । व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे ब्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों को साविधिक अन्तरण और व्यय का अन्य भाग राज्य के दायित्वों के सम्बन्ध में होता है अर्थात् रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा । इसके अलावा, केन्द्र की कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं, जैसे विदेश कार्य, और करेंसी तथा टकसाल, और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग । पिछली आयोजनाओं की अवधि में निर्मित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर किया जाने वाला व्यय भी आयोजना-भिन्न माना जाता है । इसी प्रकार, किसी एक आयोजना की अवधि में प्राप्त स्तरों पर जारी सेवाओं और गतिविधियों पर होने वाला व्यय अगली आयोजना में आयोजना-भिन्न के रूप में शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, पहले से चालू अनुसंधान परियोजनाएं और बिजली घरों का प्रचालन व्यय । इस प्रकार, आयोजना के वित्तपोषण के वास्ते लिए गए उधारों पर ब्याज के अलावा, जैसे-जैसे अधिक आयोजनाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे ही सुविधाओं तथा सेवाओं के अनुरक्षण और प्रचालन पर होने वाले खर्च की बहुत बड़ी राशि, आयोजना-भिन्न व्यय में बढ़ती जाती है ।

आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार ब्यौरे विवरण सं. 4 में दिए गए हैं ।

1995-96 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदों की जानकारी निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है ।

1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां *(52000 करोड़ रुपए)*

ये आन्तरिक ऋण पर ब्याज से संबंधित हैं जिनमें मुख्यतया ये शामिल हैं; बाजार ऋण और अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण, बाह्य ऋण और अल्प बचतें, भविष्य निधियां जिसमें गैर-सरकारी भविष्य निधियों के जमा शामिल हैं, वाणिज्यिक विभागों की प्रारक्षित निधियां और अन्य दायित्व।

2. रक्षा *(25500 करोड़ रुपए)*

इसमें रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, राजस्व प्राप्तियों को घटाकर, शामिल है । इसके घटक ये है- थल सेना *(12432.81 करोड़ रुपए)*, नौ सेना *(1534.72 करोड़ रुपए)*, वायु सेना *(4134.91 करोड़ रुपए)*, आयुध कारखाने *(43.07 करोड़ रुपए)* और उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय *(7354.49 करोड़ रुपए)*।

3.1 प्रमुख आर्थिक सहायताएं (10965 करोड़ रुपए)

***3.1.1 खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता** (5250 करोड़ रुपए)*:-भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित खरीद मूल्यों पर केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता है । ये अनाज (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को, (ख) सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली/समेकित आदिवासी विकास परियोजना और (ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य राहत योजनाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्यों पर दिए जाते हैं । आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति निगम को उपभोक्ता सम्बन्धी आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है । निगम सरकार की ओर से सुरक्षित भंडार भी रखता है और इसे रखने की लागत की, जिसमें उठाने-धरने और

PART-II

NON-PLAN EXPENDITURE 1995-96

Non-Plan expenditure is a generic term used to cover all expenditure of Government not included in the Plan. It includes both developmental and non-developmental expenditure. Part of the expenditure is obligatory in nature e.g. interest payments, pensionary charges and statutory transfers to States and a part of the expenditure is an essential obligation of a State, e.g. Defence and internal security. Then, there are special responsibilities of the Centre like external affairs, currency and mint and co-operation with other developing countries. Expenditure on maintaining the assets created in previous Plans is also treated as Non-plan expenditure. Similarly, expenditure on continuing services and activities at levels already reached in a Plan period is shifted to Non-plan in the next Plan, e.g. educational and health facilities, continuing research projects and operating expenses of power stations. Thus, as more Plans are completed, besides the interest on borrowings to finance the Plan, a large amount of expenditure on operation and maintenance of facilities and services created gets added to Non-plan expenditure.

Details of Non-Plan Expenditure by broad categories are given in Statement No.4.

Important items of Non-plan expenditure included in the Budget for 1995-96 are indicated in the following paragraphs.

1. INTEREST PAYMENTS *(Rs.52000 crore)*

These relate to interest on internal debt which mainly comprises market loans and other medium and long term loans; external debt and small savings, provident funds including deposits of non-Government provident funds, reserve funds of commercial departments and other obligations.

2. DEFENCE *(Rs.25500 crore)*

This includes revenue and capital expenditure on Defence Services net of revenue receipts. The components are Army *(Rs.12432.81 crore)*, Navy *(Rs.1534.72 crore)*, Air Force *(Rs.4134.91 crore)*, Ordnance factories *(Rs.43.07 crore)* and capital outlay on all the above services *(Rs.7354.49 crore)*.

3.1 MAJOR SUBSIDIES (Rs.10965 crore)

3.1.1 Food subsidy (Rs.5250 crore) :- The Food Corporation of India purchases foodgrains for the central pool at procurement prices fixed by government from time to time. These grains are issued to (a) public through public distribution system (b) revamped PDS/Integrated Tribal Development Projects and (c) for rural employment programme and other relief schemes, at issue prices fixed by Government. The difference between the economic cost and the issue price is reimbursed to the Corporation as consumer subsidy. The Corporation also carries buffer stock on behalf of Government and is reimbursed the carrying cost including handling, storage, interest

भंडारण का खर्च, ब्याज और प्रशासनिक प्रभार शामिल है, प्रतिपूर्ति की जाती है । जिन महत्वपूर्ण घटकों के आधार पर आर्थिक सहायता का अनुमान लगाया गया है, वे निम्नानुसार हैं-

and administrative charges. Important parameters on which the subsidy estimate has been framed are :

		(लाख टन In lakh tonnes)	
		गेहूं Wheat	चावल Rice
खरीद	Procurement	115.84	125.08
बिक्री	Offtake	100.00	100.00
औसत सुरक्षित भण्डार	Average buffer stock	61.95	142.52
	(प्रति क्विंटल दर, रुपयों में Rate per quintal in Rupees)		
खरीद लागत और खरीद सम्बन्धी आनुषंगिक व्यय	Purchase cost and procurement incidental	457.60	622.80
वितरण लागत (समूहीकृत)*	Distribution cost (pooled)*	114.40	115.30
कुल आर्थिक लागत*	Total economic cost*	572.00	738.10
बिक्री से प्राप्त राशि (औसत)	Sales Realisation (Average)	400.80	600.20
उपभोक्ता संबंधी आर्थिक सहायता	Consumer subsidy	171.20	137.90

		वितरण लागत Distribution cost		लाने-ले जाने की लागत Carrying cost
		गेहूं Wheat	चावल Rice	
ब्यौरे	Details			
भाड़ा	Freight	49.20	48.30	...
उठाना-धरना	Handling	12.20	12.10	9.10
भंडारण	Storage	6.50	6.50	19.56
ब्याज	Interest	36.50	38.40	66.56
प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च	Administrative overheads	10.00	10.00	7.48
*इसमें भंडारण और परिवहन संबंधी हानियां शामिल नहीं हैं ।	*Exclude storage and transit loss	*114.40*	*115.30*	*102.70*

3.1.2 ***देशी उर्वरक (3750 करोड़ रुपए):-*** देशी उर्वरकों के सम्बन्ध में प्रतिधारण मूल्य योजना 1977 से लागू है । इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और उसी के साथ-साथ उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना था ।

प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत निवल धनराशि पर 12 प्रतिशत कर-उपरांत प्रतिलाभ की अनुमति है । वितरण मार्जिन को घटाकर, इस प्रकार निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और सांविधिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दी जाती है । आर्थिक सहायता की मात्रा प्रतिधारण मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर होती है । इसके अलावा, विनिर्माताओं को कारखाने से वितरण के स्थान तक उर्वरकों को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध में भी आर्थिक सहायता दी जाती है ।

निविष्टि लागतों में हुई वृद्धि को शामिल करने के लिए प्रतिधारण मूल्य में तिमाही रूप से संशोधन किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान छठी मूल्य निर्धारण नीति को सरकार द्वारा 1.4.1991 से अनुमोदित किया गया था।

3.1.3 ***आयातित उर्वरक (1650 करोड़ रुपए) :-*** चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है । उर्वरकों की मुख्यतः तीन किस्में अर्थात् यूरिया, डाई–अमोनियम फास्फेट और म्यूरिएट आफ पोटाश आयात की जाती है । चूंकि नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण लागू होता है इसलिए ये अनुमान वर्ष के दौरान यूरिया के सम्भावित आयात पर आधारित हैं। यूरिया के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी वृद्धि होने के कारण आयातित उर्वरकों पर विगत वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है।

3.1.4 ***निर्यात संवर्धन और बाजार विकास (315.40 करोड़ रुपए):-*** यह व्यवस्था मुख्यतः नकद प्रतिपूरक सहायता और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण सहायता के भुगतान के लिए, पहले चल रही योजना, जो क्रमशः 3/7/91 और 6/8/91 को समाप्त हो गई, के अधीन बचे हुए दावों को निपटाने के लिए है । इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषद और अन्य संस्थाओं को अनुदान का भुगतान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

3.1.2 Indigenous fertilisers (Rs.3750 crore) :– A retention price scheme for indigenous fertilizers is in operation since 1977. This scheme was intended to make fertilizers available to farmers at reasonable prices and at the same time give producers of fertilizers a reasonable return on their investment.

The retention price scheme allows a 12% post-tax return on net worth. The difference between the retention price so fixed *less* distribution margin and the statutorily controlled consumers' price is allowed as subsidy. The quantum of subsidy depends on the retention price, the consumers' price and the level of production. In addition, the manufacturers are also allowed freight subsidy for movement of fertilisers from factory to delivery points.

Quarterly revision is made in the retention price to account for the escalation in the input costs. During the year 1994-95 the sixth Pricing Policy was approved by the Government with effect from 1.4.1991.

3.1.3 Imported Fertilizers (Rs.1650 crore) :- As indigenous production is not adequate to meet the demand for fertilisers, imports are arranged to make up the shortfall. Mainly three varieties of fertilizers viz Urea, Diammonium phosphate and Muriate of Potash are imported. As only Nitrogenous fertilizers are under price control the estimates are based on the likely imports of urea during the year. Higher subsidy on the imported fertilisers is required as compared to the last year's requirement, because of steep rise in the international price of urea.

3.1.4 Export promotion and Market Development (Rs. 315.40 crore) :– This includes provision for clearance of residual claims under the erstwhile schemes for payment of cash compensatory support and credit subsidy to commercial banks which terminated with effect from 3.7.1991 and 6.8.1991 respectively and for payment of benefits to deemed exports and for grants to Export Promotion Councils and other institutions.

3.2 किसानों को रियायत वाले विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री (500 करोड़ रुपए):- यह व्यवस्था किसानों को रियायत वाले विनियंत्रित फास्फेटी और पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री की स्कीम के अन्तर्गत विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान करने से संबंधित है।

3.3 किसानों को ऋण राहत :- इस योजना के तहत सरकार की देयता 1994-95 में समाप्त हो जाएगी।

3.4 ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता (34.13 करोड़ रुपए):- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की अदायगी सामान्यतः समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाती है । उन विशेष मामलों में, जहां किसी पार्टी को ब्याज की दरों में रियायत दी जाती है अथवा जहां ऋणकर्ता को ऋण पर ब्याज की अदायगी से छूट दी जाती है, वहां ब्याज के बदले आर्थिक सहायता दी जाती है । आर्थिक सहायता के बराबर की राशि को सरकार की ब्याज-प्राप्ति मान लिया जाता है।

ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे विवरण संख्या 5 में दिए गए है।

3.5 अन्य आर्थिक सहायताएं (901.77 करोड़ रुपए)

अन्य आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं । दो प्रमुख मदें जिनके संबंध में व्यवस्था की गई है, नीचे दी गई है :-

(क) रेलवे *(411.16 करोड़ रुपए)*

रेलवे कन्वेंशन समिति की सिफारिशों के रूप में रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व लाभांश की अदायगी के संबंध में रियायतें दी गई हैं । इनके बारे में प्राप्ति बजट में स्पष्ट रूप से बताया गया है । सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन संबंधित हानियों को छोड़कर रेलवे को लाभांश रियायत सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) मिल का बना कपड़ा और हथकरघों पर बना कपड़ा *(157.95 करोड़ रुपए)*: वस्त्रोद्योग और वस्त्रों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से वित्तपोषित एक स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्ता को मिल निर्मित कंट्रोल का कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित धोतियां और साड़ियां रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं । हथकरघा कपड़े पर आर्थिक सहायता के लिए 156.95 करोड़ रुपए, जबकि मिल निर्मित कपड़े के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

4. डाक सम्बन्धी घाटा *(287 करोड़ रुपए)*

यह डाक सेवाओं के निवल घाटे का द्योतक है । विभाग का अनुमानित कार्यचालन व्यय 1602 करोड़ रुपए और प्राप्तियां 1315 करोड़ रुपए है और इस प्रकार कुल 287 करोड़ रुपए का घाटा रह जाता है ।

5. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के तहत मुद्रा-क्षति (785 **करोड़ रुपए)**

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने मुद्रा-क्षति के कारण बैंक से इस देयता को अधिगृहीत करने का निर्णय किया है। रिजर्व बैंक इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा बनाई गई प्रारक्षित निधियों को अतिरिक्त लाभांश के रूप में सरकार को अन्तरित करेगा। बैंक से 2154 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद, सरकार द्वारा इस पर वहन किया जाने वाला निवल व्यय 785 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

6. मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना (225 **करोड़ रुपए)**

यह निर्वाचन आयोग के सम्पूर्ण देश में सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने से संबंधित निर्देश के अनुसरण में है। आरम्भ में यह व्यय राज्य और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खर्च किया जाएगा और केन्द्र सरकार इस व्यय को 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी। यह व्यवस्था चालू वर्ष और अगले वर्ष के व्यय में केन्द्र सरकार के शेयर से संबंधित है।

7. सामान्य सेवाएं

7.01 राज्य के अंग (594.43 करोड़ रुपए):- इसमें संसद *(74.02 करोड़ रुपए)*, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति *(5.23 करोड़ रुपए)*, मंत्रिपरिषद

3.2 Sale of decontrolled fertilizers with concession to farmers (Rs.500 crore) : The provision relates to payment to manufacturers/ agencies under the scheme of sale of decontrolled phosphatic and potassic fertilizers with concession to farmers.

3.3 Debt Relief to Farmers:- The liability of the Government under this scheme will be over by 1994-95.

3.4 Interest subsidies (Rs.34.13 crore) :– Interest on loans sanctioned by the Government is normally payable at the rates prescribed from time to time. In specific cases where a concession is allowed in the rate of interest to a party or where the loanee is exempted from payment of interest on the loans, subsidies are paid in lieu of interest. An amount equal to the subsidy is taken as interest receipt of the Government.

Details of interest subsidies are given in Statement No.5.

3.5 Other Subsidies (Rs.901.77 crore)

The details of other subsidies are given in Statement No.6. Two major items for which provisions are made are explained below:-

(a) Railways *(Rs.411.16 crore)*

In terms of the recommendations of the Railway Convention Committee, the Railways have been given concessions in payment of dividend to General Revenues on a number of items. These have been explained in the Receipts Budget. The dividend concessions, except that relating to loss in the working of strategic lines, is provided to Railways in the form of subsidy from General Revenues.

(b) **Mill made and handloom cloth** *(Rs.157.95 crore):* Under a scheme financed from the proceeds of additional excise duties levied on textiles and textile articles, the consumer is supplied mill made controlled cloth and dhoties and sarees produced in the handloom sector at subsidised rates. Provision for subsidy on handloom cloth is Rs.156.95 crore, while that for mill-made cloth is Rs.1 crore.

4. POSTAL DEFICIT *(Rs.287 crore)*

This represents the net deficit of the Postal services. Working expenses of the Department are estimated at Rs.1602 crore and receipts at Rs.1315 crore, leaving a deficit of Rs.287 crore.

5. EXCHANGE LOSS UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNT SCHEME (RS.785 CRORE)

The FC (NR) Account Scheme is operated by Reserve Bank of India. Government have decided to take over from the Bank the liability on account of exchange loss. Reserve Bank will be transferring to Government by way of additional dividends the reserves built by it for this purpose. The net expenditure on this account to be borne by the Government, after taking into account the receipts of Rs.2154 crore from the Bank, is estimated at Rs.785 crore.

6. ISSUE OF PHOTO IDENTITY-CARDS TO VOTERS (RS.225 CRORE)

This is in pursuance of the directive from the Election Commission regarding issuance of photo identity-cards to all electors across the country. The expenditure will be initially incurred by the State and Union territory Governments and Central Government will reimburse 50% of the expenditure. The provision relates to Central Government share of the expenditure in the current year and the next.

7. GENERAL SERVICES

7.01 Organs of State (Rs.594.43 crore): The main provisions are for Parliament *(Rs.74.02 crore)*, President/Vice President

(50.03 करोड़ रुपए), न्याय प्रशासन *(24.16 करोड़ रुपए)*, निर्वाचन *(284.99 करोड़ रुपए)* और लेखा-परीक्षा विभाग *(381 करोड़ रुपए)* के लिए व्यवस्था की गई है।

7.02 कर-संग्रह (1023.06 करोड़ रुपए)- यह व्यवस्था कर संग्रह एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग *(400 करोड़ रुपए)*, सीमाशुल्क *(322.91 करोड़ रुपए)* और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क *(282.47 करोड़ रुपए)* के सम्बन्ध में है।

7.03 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार (570.80 करोड़ रुपए):- ये प्रभार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विस्तारित निधि सुविधा/प्रतिपूरक और आकस्मिकता वित्तपोषण सुविधा और एवजी व्यवस्था के अन्तर्गत निकासियों के लिए देय हैं ।

7.04 सचिवालय सामान्य सेवाएं : (372.16 करोड़ रुपए):- प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा (महानियंत्रक रक्षा लेखा के संगठन सहित) *(203 करोड़ रुपए)*, विदेश कार्य *(58 करोड़ रुपए)* और और राजस्व विभाग *(25.42 करोड़ रुपए)* के लिए की गई है ।

7.05 पुलिस (2837.08 करोड़ रुपए) :-इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 846.95 करोड़ रुपए, सीमा सुरक्षा बल के लिए 993.34 करोड़ रुपए, असम राइफल के लिए 303.20 करोड़ रुपए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 344.45 करोड़ रुपए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 176.47 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

7.06 विदेश कार्य (708.24 करोड़ रुपए):- यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है ।

707 पेंशनें (3850.51 करोड़ रुपए) :- इसमें रक्षा सेवाओं *(2857 करोड़ रुपए)* और अन्य सिविल विभागों *(993.51 करोड़ रुपए)* के सेवा-निवृत्त कार्मिकों की पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल हैं । रेलवे और डाक और दूर संचार विभागों के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

7.10 अन्य (393.09 करोड़ रुपए):- इसमें भारत सरकार के मुद्रणालयों सहित लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए 74.84 करोड़ रुपए, की व्यवस्थाएं शामिल है।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा, कैन्टीन स्टोर विभाग और विभिन्न प्रतिभूति मुद्रण, करेंसी नोट और बैंक नोट मुद्रणालयों और प्रतिभूति कागज कारखाने का राजस्व व्यय 2438.24 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि, यह 2512.72 करोड़ रुपए की प्राप्तियों द्वारा अधिकांशतः प्रतिसंतुलित हो जाएगी।

8. सामाजिक सेवाएं

8.01 शिक्षा (863.70 करोड़ रुपए) :-इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 185.46 करोड़ रुपए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 341.82 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 213.37 करोड़ रुपए, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए 148.91 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

8.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (415.97 करोड़ रुपए):- इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए 120 करोड़ रुपए, एलोपैथी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 61.08 करोड़ रुपए, डाक्टरी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 160.57 करोड़ रुपए और लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 32.09 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

8.06 सूचना और प्रसारण (432.30 करोड़ रुपए) :- इसमें विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए 86.61 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । आकाशवाणी का कार्यचालन व्यय 236.50 करोड़ रुपए और इसकी प्राप्तियां 83 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । अनुमान है कि दूरदर्शन का कार्यचालन व्यय 323.91 करोड़ रुपए और इसकी प्राप्तियां 466 करोड़ रुपए होंगी ।

(Rs.5.23 crore), Council of Ministers *(Rs.50.03 crore)*, Administration of Justice *(Rs.24.16 crore)*, Elections *(Rs.284.99 crore)* and the Audit Department *(Rs.381 crore)*.

7.02 Tax Collection (Rs.1023.06 crore) :–The provisions are for the expenditure of tax collecting agencies and relate mainly to the Income Tax department *(Rs.400 crore)*, Customs *(Rs.322.91 crore)* and Central Excise *(Rs.282.47 crore)*.

7.03 Charges payable to IMF (Rs.570.80 crore) :- These charges are payable to IMF for drawings under the Extended Fund Facility/Compensatory and Contingency Financing Facility and the Stand-by Arrangement.

7.04 Secretariat-General Services (Rs.372.16 crore):-The major provisions are for Ministry of Defence, including the C.G.D.A's organisation *(Rs.203 crore)*, External Affairs *(Rs.58 crore)*, and Department of Revenue *(Rs.25.42 crore)*.

7.05 Police (Rs.2837.08 crore):–The provision includes Rs.846.95 crore for Central Reserve Police, Rs.993.34 crore for Border Security Force, Rs.303.20 crore for Assam Rifles, Rs.344.45 crore for Central Industrial Security Force and Rs.176.47 crore for Indo-Tibetan Border Police.

7.06 External Affairs (Rs.708.24 crore):–This expenditure is mainly on the embassies and missions abroad and for special diplomatic expenditure.

7.07 Pensions (Rs. 3850.51 crore):–These include pensions and other retirement benefits of retired personnel of defence services *(Rs.2857 crore)* and other civil departments *(Rs.993.51 crore)*. Pensionary charges of Railways and Departments of Posts and Telecommunications are treated as a part of operating expenses of these Departments.

7.10 Others (Rs.393.09 crore) :– The major provision included here is Rs.74.84 crore for stationery and printing including Government of India presses.

The revenue expenditure of the commercial departments included in this sector, namely the Canteen Stores Department and the various security printing, currency note and bank note presses and Security Paper Mill, is estimated at Rs.2438.24 crore. However, this will be more than offset by receipts of Rs.2512.72 crore.

8. SOCIAL SERVICES

8.01 Education (Rs.863.70 crore) :–The provisions include Rs.185.46 crore for Kendriya Vidyalayas, Rs.341.82 crore for University Grants Commission, Rs.213.37 crore for technical education including Rs.148.91 crore for Indian Institutes of Technology and Regional Engineering Colleges.

8.04 Health and Family Welfare (Rs.415.97 crores):–The provisions include Rs.120 crore for Central Government Health Scheme, Rs.61.08 crore for allopathic hospitals and dispensaries, Rs.160.57 crore for medical education, training and research and Rs.32.09 crore for Public Health Schemes.

8.06 Information and Broadcasting (Rs.432.30 crore) :– The provisions include Rs.86.61 crore for the various information and publicity agencies like Films Division, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Press Information Service, Song and Drama Division, Publications Division, etc. Operational expenses of Akashvani are estimated at Rs. 236.50 crore and the receipts at Rs.83 crore. Doordarshan's operational expenses are placed at Rs.323.91 crore and receipts at Rs.466 crore.

8.07 श्रमिक कल्याण (435.17 करोड़ रुपए) :- इसमें कर्मचारी परिवार पेंशन योजना को अंशदान के लिए 290 करोड़ रुपए, कोयला खान श्रमिक परिवार पेंशन-एवं-जीवन बीमा निधि में अंशदान के लिए 24.51 करोड़ रुपए शामिल है । अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, ये हैः- औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, श्रमिक शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण ।

8.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (290.76 करोड़ रुपए):- इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए 225.03 करोड़ रुपए, बाल और महिला कल्याण के लिए 38.99 करोड़ रुपए, विकलांगों के कल्याण के लिए 13.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

9. आर्थिक सेवाएं

9.01 कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप (473.74 करोड़ रुपए):- इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मीन उद्योग, वानिकी और वन्य-जीवन, खाद्य भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है । मुख्य व्यवस्थाएं कृषि अनुसंधान और शिक्षा *(238.17 करोड़ रुपए)*, चीनी विकास निधि के लेन-देनों आदि *(139.38 करोड़ रुपए)* और बागानों *(30.03 करोड़ रुपए)* के लिए है ।

9.03 ऊर्जा (222.07 करोड़ रुपए) :- इस व्यवस्था में विद्युत केन्द्रों/स्कीमों पर निवल व्यय के लिए 117.57 करोड़ रुपए शामिल हैं । राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के मामले में व्यय प्राप्तियों से 61.72 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है । बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र की प्राप्तियां *(429 करोड़ रुपए)* व्यय *(430 करोड़ रुपए)* के आस-पास होने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा *(45 करोड़ रुपए)* और कोयला क्षेत्र में सड़कों के विकास *(55 करोड़ रुपए)* से संबंधित है ।

9.04 उद्योग और खनिज (313.04 करोड़ रुपए) :- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, न्यूक्लीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है । परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए 47.59 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को घटाकर व्यवस्था की गई है, जिसे वाणिज्यिक सेवा माना जाता है ।

9.05 परिवहन (464.68 करोड़ रुपए) :- इसमें की गई व्यवस्था मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण *(230 करोड़ रुपए)*, तलकर्षण और सर्वेक्षण संगठन *(60 करोड़ रुपए)* से सम्बंधित है । दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और 3.59 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है ।

9.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (873.67 करोड़ रुपए):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए 308.42 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 154.51 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए 120.90 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए 223.85 करोड़ रुपए और समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 13.12 करोड़ रुपए शामिल है ।

10. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान *(5926.96 करोड़ रुपए)*

इनमें दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान और विशेष योजनाओं अथवा प्रयोजनों के लिए अन्य अनुदान शामिल है । अगले वर्ष अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 5078.42 करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाने का अनुमान है। यात्री किराया कर के बदले दिए जाने वाले अनुदानों के लिए 380 करोड़ रुपए रखे गए हैं । अन्य व्यवस्थाओं में विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए 4.90 करोड़ रुपए, पुलिस योजनाओं के लिए 146 करोड़ रुपए, विस्थापित व्यक्तियों और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 33.75 करोड़ रुपए रुपए, सीमा-सड़कों के निर्माण एवं-अनुरक्षण के लिए 213.10 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं शामिल हैं । ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं ।

8.07 Labour Welfare (Rs.435.17 crore):– The provision includes Rs.290 crore for contribution to Employees Family Pension Scheme and Rs.24.51 crore to Family Pension cum Life Assurance Fund for coal mine workers. Other schemes for which provision has been made include industrial relations, working conditions and safety, labour welfare, labour education and training of craftsmen and supervisors.

8.08 Social Security and Welfare (Rs.290.76 crore) :– The provision includes Rs.225.03 crore for pension and other benefits to freedom fighters, Rs.38.99 crore for child and women's welfare and Rs.13.45 crore for the welfare of handicapped etc.

9. ECONOMIC SERVICES

9.01 Agriculture and Allied activities (Rs.473.74 crore) :– The provisions are for various schemes relating to crop husbandry, plantations, soil and water conservation, animal husbandry, dairy development, fisheries, forestry and wild life, food, storage, warehousing etc. Major provisions are for agricultural research and education *(Rs.238.17 crore)*, Sugar Development Fund transactions, etc. *(Rs.139.38 crore)* and plantations *(Rs.30.03 crore)*.

9.03 Energy (Rs.222.07 crore) : - The provisions include Rs.117.57 crore for the net expenditure on power stations/schemes. In case of the Rajasthan Atomic Power Station, the expenditure is estimated to exceed the receipts by Rs.61.72 crore. The receipts of the Badarpur Thermal Power Station *(Rs.429 crore)* are likely to be close to the expenditure *(Rs.430 crore)*. Other major provisions in this sector relate to conservation and safety in coal mines *(Rs.45 crore)* and development of roads in coal field area *(Rs.55 crore)*.

9.04 Industry and Minerals (Rs.313.04 crore) :–The main provisions are for village and small industries, the Geological Survey of India, the industrial projects of Department of Atomic Energy including nuclear fuel projects and for organisations and schemes relating to textiles and jute. The provision for projects of Department of Atomic Energy takes into account Rs.47.59 crore as net receipts on Fuel fabrication facilities which is treated as a commercial service.

9.05 Transport (Rs.464.68 crore) :– The provisions mainly relate to maintenance of national highways *(Rs. 230 crore)*, Dredging and Survey organisation *(Rs.60 crore)*. Lighthouses and Lightships department is treated as a commercial undertaking and the net receipt is estimated at Rs.3.59 crore.

9.06 Science,Technology and Environment (Rs.873.67 crore):–The provisions include Rs.308.42 crore for Atomic energy research, Rs.154.51 crore for Space research, Rs.120.90 crore for the schemes of the Department of Science and Technology, Rs.223.85 crore for the Council of Scientific and Industrial Research and Rs.13.12 crore for oceanographic research.

10. NON -PLAN GRANTS TO STATES *(Rs.5926.96 crore)*

These include grants under Article 275(1) of the Constitution on the basis of the recommendations of the Tenth Finance Commission and other grants for specific schemes or purposes. Article 275(1) grants are estimated at Rs.5078.42 crore next year. Grants in lieu of tax on passenger fares are placed at Rs.380 crore. Other provisions include Rs.4.90 crore for revision of pay scales of University and College teachers, Rs.146 crore for Police schemes, Rs.33.75 crore for rehabilitation of displaced persons and repatriates and Rs.213.10 crore for construction and maintenance of border roads. Details are given in Statement No.10.

11. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान *(89.10 करोड़ रुपए)*

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पांडिचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर *(88.22 करोड़ रुपए)* को पूरा करने के लिए की गई है । ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं ।

12. विदेशी सरकारों को अनुदान *(205.12 करोड़ रुपए)*

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए 100 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 20 करोड़ रुपए और अन्य विकासशील देशों के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

13. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय *(1484.95 करोड़ रुपए)*

मुख्य व्यवस्थाएं ये हैं :- परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी व्यय के लिए 311.15 करोड़ रुपए, भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 106 करोड़ रुपए, तट-रक्षक संगठन के लिए भवनों और समुद्री जहाज, तथा जलयानों के अधिग्रहण के लिए 170.50 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए भवनों (आवासों सहित) के लिए 140 करोड़ रुपए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालयों और रिहायशी इमारतों के निर्माण के लिए 168.42 करोड़ रुपए विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा आवसीय और गैर-आवासीय भवन के अधिग्रहण/निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को अभिदान के लिए 81.16 करोड़ रुपए। ब्यौरे विवरण संख्या 8 में दिए गए हैं।

14. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण *(6751.29 करोड़ रुपए)*

इसमें राज्यों को अल्प बचत संग्रह के एवज में ऋण देने के लिए 6700 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए है ।

15. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण *(321.78 करोड़ रुपए)*

इसमें अल्प बचतों के संग्रहण में भाग के संबंध में दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इसमें पांडिचेरी को अपने आयोजना-भिन्न पूंजीगत अन्तर को पूरा करने के लिए 21.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

16. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार *(438.46 करोड़ रुपए)*

इसमें सरकारी क्षेत्र के कई उद्यमों की नकद हानियों और कार्यकारी व्ययों को पूरा करने के लिए 184.96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग को पहले दिए गए ऋणों के नवीकरण के लिए 246 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम निधि से हुडको (एच यू डी सी ओ) को ऋण के लिए 7.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं ।

17. विदेशी सरकारों को ऋण *(100.03 करोड़ रुपए)*

मुख्य व्यवस्थाएं केन्द्रीय एशियाई गणराज्य के लिए 51.99 करोड़ रुपए, वियतनाम के लिए 23 करोड़ रुपए, और श्रीलंका के लिए 17 करोड़ रुपए की है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं ।

18. अन्य आयोजना-भिन्न उधार *(230.68 करोड़ रुपए)*

इसमें उत्पाद राहत स्कीम के अन्तर्गत उधार के रूप में 35 करोड़ रुपए और सरकारी सेवकों आदि को उधार के रूप में 162 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था है।

19. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय *(548.61 करोड़ रुपए)*

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 194 करोड़ रुपए, दादरा और नागर हवेली के लिए 15.58 करोड़ रुपए, लक्षद्वीप के लिए 74.97 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ के लिए 247.30 करोड़ रुपए और दमन एवं दीव के लिए 16.76 करोड़ रुपए।

ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए है ।

11. NON-PLAN GRANTS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS *(Rs.89.10 crore)*

The provision is mainly for Pondicherry to cover its Non-Plan revenue gap *(Rs.88.22 crore)*. Details are given in Statement No.10.

12. GRANTS TO FOREIGN GOVERNMENTS *(Rs.205.12 crore)*

The major provisions are Rs.100 crore for Bhutan, Rs.20 crore for Nepal, and Rs.30 crore for other developing countries. Details are given in Statement No.11.

13. NON-PLAN CAPITAL OUTLAY *(Rs.1484.95 crore)*

The main provisions are Rs.311.15 crore for capital expenditure relating to Atomic Energy industries, Rs.150 crore for Indo-Bangladesh Border Works, Rs.106 crore for national highways constructed by Border Roads Development Board, Rs.170.50 crore for buildings and acquisition of ships and vessels for the Coast Guards Organisation, Rs.140 crore for Police buildings (including housing), Rs.168.42 crore for construction of office and residential buildings by the CPWD, Rs.47 crore for acquisition/construction of residential and non-residential buildings by India's missions abroad and Rs.81.16 crore for subscriptions to international financial insititutions. Details are given in Statement No.8.

14. NON-PLAN LOANS TO STATES *(Rs.6751.29 crore)*

The provision include Rs.6700 crore for loans to States against collection of small savings. Details are given in Statement No.10.

15. NON-PLAN LOANS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS *(Rs.321.78 crore)*

Includes Rs.300 crore for Delhi and Pondicherry towards share in small savings collections. The provision for Pondicherry for covering its Non plan capital gap is Rs.21.78 crore.

16. NON-PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES *(Rs.438.46 crore)*

These comprise Rs.184.96 crore for meeting cash losses and working expenses of a number of Public Sector enterprises. Rs.246 crore for renewal of past loans given to Khadi and Village Industries Commission and Rs.7.50 crore for loans to HUDCO from Central Government Employes Group Insurance Scheme Fund.

Details are given in Statement No. 9.

17. LOANS TO FOREIGN GOVERNMENTS *(Rs.100.03 crore)*

The major provisions are Rs.51.99 crore for Central Asian Republics, Rs.23 crore for Vietnam, and Rs.17 crore for Sri Lanka. Details are given in Statement No.11.

18. OTHER NON PLAN LOANS *(Rs. 230.68 crore)*

This includes Rs.35 crore as loans under the Excise Relief Scheme and Rs.162 crore as loans to Government servants, etc.

19. NON-PLAN EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE *(Rs.548.61 crore)*

The provisions are: Rs.194 crore for Andaman and Nicobar Islands, Rs.15.58 crore for Dadra and Nagar Haveli, Rs.74.97 crore for Lakshadweep, Rs.247.30 crore for Chandigarh and Rs. 16.76 crore for Daman and Diu.

Details are given in Statement No.3.

स्थूल श्रेणियों के अनुसार आयोजना-भिन्न व्यय
NON PLAN EXPENDITURE BY BROAD CATEGORIES

विवरण
STATEMENT 4
(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

विवरण	Particulars	1994-95 बजट Budget	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. ब्याज अदायगियां	**1. Interest Payments**	**46000.00**	**44000.00**	**52000.00**
2. रक्षा	**2. Defence**	**23000.00**	**23544.00**	**25500.00**
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	16168.87	16610.76	18145.51
पूंजी खाते पर	On Capital Account	6831.13	6933.24	7354.49
3. आर्थिक सहायता	**3. Subsidies**			
3.1 मुख्य आर्थिक सहायता	3.1 Major Subsidies	8300.00	10826.00	10965.40
3.11 खाद्य	3.1. 1 Food	4000.00	5100.00	5250.00
3.12 देशी उर्वरक	3.1.2 Indigenous fertilizers	3500.00	4000.00	3750.00
3.13 आयातित उर्वरक	3.1.3 Imported fertilizers	500.00	1166.00	1650.00
3.14 निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	3.1.4 Export promotion & market development	300.00	560.00	315.40
3.2 किसानों को नियत्रण मुक्त उर्वरक की रियायत पर बिक्री	3.2 Sale of decontrolled fertilizers with concession to farmers	...	530.93	500.00
3.3 किसानों को ऋण राहत	3.3 Debt relief to farmers	341.00	341.00	...
3.4 ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताएं (विवरण सं. 5)	3.4 Interest subsidies (Statement No-5)	112.03	76.27	34.13
3.5 अन्य आर्थिक सहायताएं (विवरण सं. 6)	3.5 Other subsidies (Statement No.-6)*	972.13	1035.76	901.77
कुल आर्थिक सहायता	***Total - Subsidies***	***9725.16***	***12809.96***	***12401.30***
4 डाक घाटा	**4. Postal deficit**	**125.00**	**313.00**	**287.00**
5. विदेशी मुद्रा(अनिवासी) के अन्तर्गत मुद्रा क्षति लेखा योजना	**5. Exchange loss under Foreign Currency (NR) Accounts Scheme**	**365.00**	**365.00**	**785.00**
6. मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र जारी करना	**6. Issue of photo-identity cards to voters**	**0.01**	**225.01**	**225.00**
7. सामान्य सेवाएं	**7. General Services**	**9891.93**	**10049.88**	**10670.73**
7.01 राज्य के अंग	7.01 Organs of State	544.06	577.08	594.43
7.02 कर संग्रह	7.02 Tax collection	950.54	983.91	1023.06
7.03 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार	7.03 Charges payable to IMF	840.36	686.91	570.80
7.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	7.04 Secretariat-General Services	336.36	344.53	372.16
7.05 पुलिस	7.05 Police	2623.38	2685.34	2837.08
7.06 विदेश कार्य	7.06 External Affairs	579.11	691.33	708.24
7.07 पेंशन	7.07 Pensions	3604.28	3650.82	3850.51
7.08 लोक निर्माण कार्य	7.08 Public Works	126.33	177.20	170.80
7.09 आसूचना ब्यूरो	7.09 Intelligence Bureau	134.50	149.19	150.56
7.10 अन्य	7.10 Others	153.01	103.57	393.09
8. सामाजिक सेवाएं	**8. Social Services**	**2612.97**	**2722.48**	**2750.19**
8.01 शिक्षा	8.01 Education	834.21	886.87	863.70
8.02 खेल और युवा कार्य	8.02 Sports & Youth Services	25.57	25.57	22.49
8.03 कला और संस्कृति	8.03 Art & Culture	72.26	75.09	77.86
8.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	8.04 Health & Family Welfare	361.82	397.11	415.97
8.05 आवास और शहरी विकास	8.05 Housing & Urban Development	130.64	154.84	156.43
8.06 सूचना और प्रसारण	8.06 Information & Broadcasting	402.70	393.63	432.30
8.07 श्रमिक कल्याण	8.07 Labour Welfare	438.52	440.42	435.17
808 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8.08 Social Security & Welfare	296.00	289.52	290.76
8.09 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	8.09 Secretariat-Social Services	39.50	39.66	41.90
8.10 अन्य	8.10 Others	11.75	19.77	13.61
9. आर्थिक सेवाएं	**9. Economic Services**	**2816.24**	**3838.57**	**2935.10**
9.01 कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	9.01 Agriculture & Allied Services	472.62	497.09	473.74
9.02 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन (आर्थिक सहायताओं के अलावा)	9.02 Foreign Trade & Export Promotion (Other than Subsidies)	81.88	122.33	80.50
9.03 ऊर्जा	9.03 Energy	196.79	198.08	222.07
9.04 उद्योग और खनिज	9.04 Industry & Minerals	376.99	418.64	313.04
9.05 परिवहन	9.05 Transport	419.10	616.05	464.68
9.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9.06 Science Technology & Environment	816.15	840.03	873.67
9.07 मौसम-विज्ञान	9.07 Meteorology	53.07	57.30	59.46
9.08 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9.08 Irrigation & Flood Control	67.64	70.42	73.11
9.09 जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	9.09 Census, Surveys & Statistics	98.44	95.89	95.66
9.10 पर्यटन	9.10 Tourism	15.90	19.00	16.64
9.11 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	9.11 Secretariat-Economic Services	132.23	142.92	146.35
9.12 अन्य	9.12 Others	85.43	760.82	116.18
10. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान(विवरण सं. 10)	**10. Non-Plan Grants to States (Statement No-10)**	**2250.57**	**2237.82**	**5926.96**
11. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (विवरण सं. 10)	**11. Non-Plan Grants to Union Territory Govt. (Statement No-10)**	**83.77**	**88.77**	**89.10**
12. विदेशी सरकारों को अनुदान (विवरण सं.11)	**12. Grants to Foreign Governments (Statement No-11)**	**187.23**	**153.45**	**205.12**
13. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (विवरण सं. 8)	**13. Non-Plan Capital Outlay (Statement No-8)**	**1401.94**	**1663.59**	**1484.95**
14. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं.10)	**14. Non-Plan Loans to States (Statement No-10)**	**5054.13**	**9371.48**	**6751.29**
15. संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं.10)	**15. Non-Plan Loans to UTs (Statement No-10)**	**173.78**	**367.78**	**321.78**
16. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं. 9)	**16. Non-Plan Loans to Public Enterprises (Statement No-9)**	**637.07**	**910.97**	**438.46**
17. विदेशी सरकारों को ऋण (विवरण सं. 11)	**17. Loans to Foreign Governments (Statement No-11)**	**88.52**	**77.39**	**100.03**
18. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	**18. Other Non-Plan Loans**	**210.03**	**251.01**	**230.68**
19. बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय (विवरण सं. 3)	**19. Expenditure of UTs without Legislature (Statement No-3)**	**493.87**	**521.47**	**548.61**
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***105117.22***	***113511.63***	***123651.30***
*राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से निर्मुक्त सहायता सहित	** Includes subsidies released through State and UT Governments*	*204.00*	*217.40*	*180.33*

आयोजना-भिन्न आर्थिक सहायता - ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता
NON-PLAN SUBSIDIES - INTEREST SUBSIDIES

विवरण
STATEMENT 5

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

सरकारी उद्यमों आदि का नाम	Name of Public Enterprises etc.	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. कोल इण्डिया लि०	1. Coal India Ltd	58.08	0.00	0.00
2. मजगाव डॉक लि.	2. Mazagon Dock Ltd.	14.82	14.82	0.00
3 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	3. Industrial Reconstruction Bank of India	5.00	27.33	0.00
4. गोआनी बैंक	4. Goan Banks	0.11	0.11	0.11
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग	5. Khadi and Village Industries Commission	34.00	34.00	34.00
(क) खादी उद्योगों के लिए	(a) For Khadi Industries	23.00	23.00	23.00
(ख) अन्य ग्रामोद्योगों के लिए	(b) For other village industries	11.00	11.00	11.00
6. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	6. Interest subsidy to F.T.I.	0.01	0.01	0.01
7. बिन्नी एंड कम्पनी	7. Binny & Co.	0.01	0.00	0.01
जोड़ - ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	**TOTAL-INTEREST SUBSIDIES**	**112.03**	**76.27**	**34.13**

आयोजना-भिन्न आर्थिक सहायता - अन्य आर्थिक सहायता (सब्सिडी)
NON-PLAN SUBSIDIES - OTHER SUBSIDIES

विवरण
STATEMENT 6
(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

विवरण	Particulars	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. आलुओं, प्याज आदि के लिए मूल्य समर्थन क्रियाकलाप	**1. Price support operations for Potatoes, Onions Etc.**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
1.01 नाफेड के माध्यम से	1.01 Through NAFED	0.01	0.01	0.01
2. मदर डेरी को आर्थिक सहायता	2. Subsidy to Mother Dairy	0.01	0.01	0.01
3. अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों को बेचे गए विमानन ईंधन पर विक्रय कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगियां	3. Payments to State Governments in lieu of sales Tax on aviation fuel sold to international airlines	1.00	46.47	28.33
4. वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति	4. Reimbursement of losses to S.T.C for export of commodities	0.01	0.01	0.01
5. हज तीर्थ यात्रियों को विनिमय की सरकारी दर से जारी विदेशी मुद्रा के कारण भारतीय स्टेट बैंक को अदायगी	5. Payment to SBI on account of foreign exchange released to Haj pilgrims at official rate of exchange	0.01	0.01	0.01
6. लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	6. Subsidy to Railways for dividend relief & other concessions	403.10	423.41	411.16
7. साधारण बीमा निगम आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा स्कीमें	7. Insurance schemes for the poor through GIC,etc.	10.00	17.00	18.00
8. रेल व समुद्री मार्ग से कोयले को लाने-ले जाने के लिए आर्थिक सहायता	8. Subsidy for transport of Coal by Rail-cum Sea route	0.15	0.10	0.05
9. चीनी के संकट-निरोधक भंडार को बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता	9. Subsidy on maintenance of buffer stock of Sugar	25.00	25.00	15.00
10. खाद्य तेलों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम की हानि का भुगतान	10. Payments to STC for loss on edible oil imports	...	25.00	...
11. गैर-किफायती नौवहन लाइनों के लिए भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता	11. Subsidy to Shipping Corporation of India, for uneconomic Shipping Lines	15.31	15.31	7.45
12. शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	**12. Subsidy to Shipyards**	**28.21**	**30.71**	**34.27**
12.01 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	12.01 Cochin Shipyards Ltd	0.01	4.46	8.00
12.02 ट्रालर विकास समर्थन निधि	12.02 Trawler development Support Fund	0.50	0.12	0.12
12.03 जहाजों का अधिग्रहण-ब्याज अंतर	12.03 Aquisition of Ships-Interest Differentials	27.70	26.13	26.15
13. जूट और कपास के लिए मूल्य समर्थन अभियान क्रियाकलाप	**13. Price Support operations in Jute & Cotton**	**7.00**	**19.00**	**7.00**
13.01 जूट	13.01 Jute	6.00	18.00	6.00
13.02 कपास	13.02 Cotton	1.00	1.00	1.00
14. मिल में बने कपड़े पर आर्थिक सहायता	**14. Subsidy on Mill-made Cloth**	**10.00**	**10.00**	**1.00**
15. हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता	**15. Handloom subsidy**	**205.39**	**159.49**	**156.95**
15.01 हथकरघा के कपड़े पर विशेष छूट	15.01 Special Rebate on handloom cloth	67.00	67.00	67.00
15.02 जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता	15.02 Subsidy on Janata Cloth	136.00	90.00	85.00
15.03 अन्य	15.03 Others	2.39	2.49	4.95
16. दंगा-पीड़ितों को ब्याज राहत	16. Interest Relief to riot victims	15.00	15.00	10.00
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	17. Subsidy for Helicopter services in North-eastern region	...	...	4.00
18. असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता	18. Subsidy to Assam gas cracker project	...	...	75.00
19. मुद्रा विनिमय की हानि की प्रतिपूर्ति	19. Compensation for exchange loss	101.05	98.35	133.52
19.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	19.01 Industrial Development Bank of India	8.00	11.70	46.65
19.02 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	19.02 Industrial Credit & Investment Corpn. of India	40.85	36.55	34.67
19.03 राष्ट्रीय आवास बैंक	19.03 National Housing Bank	2.20	2.03	2.20
19.04 हाउसिंग विकास वित्त निगम	19.04 Housing Development Finance Corporation	50.00	48.07	50.00
20. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड को कुवैत को ऋण देने पर हुई मुद्रा विनिमय की हानियों के लिए प्रतिपूर्ति	20. Compensation to Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. for exchange losses incurred in the discharge of Dinar loan from Kuwait	150.88	150.88	0.00
जोड़ - अन्य आर्थिक सहायता	***TOTAL-OTHER SUBSIDIES***	***972.13***	***1035.76***	***901.77***

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम
DEPARTMENTAL COMMERCIAL UNDERTAKINGS

विवरण
STATEMENT 7
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1994-95 राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure	संशोधित Revised 1994-95 राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure	बजट Budget 1995-96 राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**47.00**	**46.00**	**1.00**	**103.00**	**102.00**	**1.00**	**126.00**	**125.00**	**1.00**
पशु पालन विभाग और दुग्ध उद्योग	*Department ofAnimal Husbandry and Dairying*									
1. दिल्ली दुग्ध योजना	1 Delhi Milk Scheme	47.00	46.00	1.00	103.00	102.00	1.00	126.00	125.00	1.00
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**1295.00**	**1170.00**	**125.00**	**1498.00**	**1185.00**	**313.00**	**1602.00**	**1315.00**	**287.00**
2. डाक सेवाएं	2 Postal Services	1295.00	1170.00	125.00	1498.00	1185.00	313.00	1602.00	1315.00	287.00
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	**1674.94**	**1702.85**	**-27.91**	**1565.68**	**1596.85**	**-31.17**	**1819.77**	**1858.13**	**-38.36**
3. कैंटीन स्टोर विभाग	3 Canteen Stores Department	1674.94	1702.85	-27.91	1565.68	1596.85	-31.17	1819.77	1858.13	-38.36
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**583.07**	**674.51**	**-91.44**	**463.68**	**621.99**	**-158.31**	**686.24**	**754.59**	**-68.35**
आर्थिक कार्य विभाग	*Department of Economic Affairs*	*538.08*	*612.51*	*-74.43*	*416.81*	*541.99*	*-125.18*	*618.47*	*654.59*	*-36.12*
4 करेंसी नोट प्रेस	4 Currency Note press	200.48	231.89	-31.41	146.98	187.15	-40.17	236.06	241.86	-5.80
5. बैंक नोट प्रेस	5 Bank Note press	128.85	154.04	-25.19	70.68	122.18	-51.50	152.99	147.67	5.32
6. सिक्यूरिटी पेपर मिल	6 Security paper Mill	70.53	79.08	-8.55	64.68	69.46	-4.78	76.91	83.06	-6.15
7. इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस	7 India Security Press	110.21	117.50	-7.29	109.89	139.20	-29.31	124.83	152.00	-27.17
8. सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस	8 Security Printing Press	28.01	30.00	-1.99	24.58	24.00	0.58	27.68	30.00	-2.32
राजस्व विभाग	Department Of Revenue	44.99	62.00	-17.01	46.87	80.00	-33.13	67.77	100.00	-32.23
9. अफीम और एल्कलायड के कारखाने	9 Opium and Alkaloid Factories	44.99	62.00	-17.01	46.87	80.00	-33.13	67.77	100.00	-32.23
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**	**469.12**	**446.00**	**23.12**	**500.24**	**456.16**	**44.08**	**560.41**	**549.00**	**11.41**
10. आकाशवाणी	10 Akashvani	198.45	60.00	138.45	226.24	70.16	156.08	236.50	83.00	153.50
11. दूरदर्शन	11 Doordarshan	270.67	386.00	-115.33	274.00	386.00	-112.00	323.91	466.00	-142.09
विद्युत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER**	**430.00**	**429.00**	**1.00**	**430.00**	**429.00**	**1.00**	**430.00**	**429.00**	**1.00**
12. बदरपुर तापीय बिजलीघर	12 Badarpur Thermal Power Station	430.00	429.00	1.00	430.00	429.00	1.00	430.00	429.00	1.00
भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**39.52**	**43.04**	**-3.52**	**39.60**	**43.03**	**-3.43**	**44.93**	**48.52**	**-3.59**
13.दीप स्तंभ और दीपपोत	13 Lighthouses & Lightships	39.52	43.04	-3.52	39.60	43.03	-3.43	44.93	48.52	-3.59
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**	**654.54**	**625.18**	**29.36**	**529.76**	**479.94**	**49.82**	**630.51**	**596.20**	**34.31**
14. ईंधन निर्माण सुविधाएं	14 Fuel fabrication facilities:	131.46	185.73	-54.27	113.14	142.03	-28.89	132.92	180.51	-47.59
15. राजस्थान परमाणु बिजलीघर	15 Rajasthan Atomic Power Station:	78.82	21.83	56.99	50.66	0.00	50.66	71.52	9.80	61.72
16. ईंधन की विस्तृत सूची	16 Fuel inventory	295.90	216.37	79.53	223.9	169.70	54.20	244.06	218.03	26.03
17. भारी पानी के पुंज प्रबंध	17 Heavy water pool management:	148.36	201.25	-52.89	142.06	168.21	-26.15	182.01	187.86	-5.85
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	*5193.19*	*5136.58*	*56.61*	*5129.96*	*4913.97*	*215.99*	*5899.86*	*5675.44*	*224.42*

आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय
NON PLAN CAPITAL OUTLAY

विवरण
STATEMENT 8

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

विवरण	PARTICULARS	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	**1. Non-Plan Investments in Public Enterprises**			
रक्षा मंत्रालय	*Ministry of Defence*	*15.00*	*15.00*	*0.02*
1.01 मझगांव डॉक लि०	1.01 Mazagoan Dock Ltd	10.00	10.00	0.01
1.02 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स	1.02 Garden Reach Ship-Builders & Engineers	2.00	2.00	...
1.03 मिश्र धातु निगम लि.	1.02 Mishra Dhatu Nigam Ltd	3.00	3.00	0.01
2. विदेशों में दूतावासों और मिशनों के लिए कार्यालय इमारतों का अधिग्रहण/निर्माण	2. Acquisition/Construction of office buildings for Embassies & Missions abroad	28.95	35.00	35.00
3. विदेशों में दूतावासों और मिशनों के लिए रिहायशी इमारतों का अधिग्रहण/निर्माण	3. Acquisition/Construction of residential buildings for Embassies & Missions abroad	5.00	10.00	12.00
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	**4. Investments in International Financial Institutions**	**76.03**	**75.60**	**81.16**
4.01 पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक	4.01 International Bank for Reconstruction and Development	16.52	...	16.52
4.02 एशियाई विकास बैंक	4.02 Asian Development Bank	10.00	10.00	20.00
4.03 अफ्रीकी विकास बैंक/निधि	4.03 African Development Bank/Fund	10.13	12.36	12.36
4.04 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	4.04 International Finance Corporation	17.11	32.48	22.28
4.05 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	4.05 International Development Association	1.50	...	...
4.06 बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण	4.06 Multilateral Investment Guarantee Agency	20.77	20.76	10.00
5. सिक्कों की ढलाई के लिए धातुओं की खरीद	5. Purchase of metals for coinage	67.51	81.29	70.62
6. करेंसी/बैंक नोट/सिक्योरिटी प्रैस और सिक्योरिटी पेपर मिलें	6. Currency/Bank Note/Security Press & Security Paper Mills	81.15	19.42	48.15
7. तट रक्षक संगठन के लिए जहाजों, पोतों, वायुयानों आदि का अधिग्रहण	7. Acquisition of ships, vessels, aircrafts etc. for Coast Guard Organisation	157.56	157.56	170.50
8. पुलिस के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण	8. Construction of office buildings for Police	141.14	137.52	140.00
9. पंजाब कार्रवाई योजना	9. Punjab Action Plan	80.00	80.28	53.59
10. पुलिस के लिए रिहायशी आवासों का निर्माण	10. Construction of residential accommodation for Police	36.50	40.12	31.82
11. भारत-बंगला देश सीमावर्ती निर्माण कार्य	11. Indo-Bangladesh border works	150.18	120.00	150.00
12. आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए भवन/उपस्कर	12. Buildings/Equipments for Akashvani & Doordarshan	1.14	0.88	2.20
13. निजाम के जवाहरातों का अर्जन	13. Acquisition of the Nizam's jewellery	...	218.00	...
14. बी आर डी बी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण	14. Construction of National Highways through BRDB	114.10	95.72	106.00
15. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण	15. Construction of residential buildings by CPWD	54.28	53.83	63.72
16. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवनों का निर्माण	16. Construction of office buildings by CPWD	94.65	119.65	104.70
17. परमाणु ऊर्जा	17. Atomic Energy	295.42	275.30	311.15
18. अन्य मदें	18. Other items	3.33	128.42	104.32
जोड़	Total	**1401.94**	**1663.59**	**1484.95**

सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण
NON PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 9

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**	**126.73**	**244.29**	**62.61**
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	*Department of Chemicals and Petrochemicals*	*23.48*	*31.29*	*10.61*
1. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि.	1. Smith Stainistreet Phamaceuticals Ltd.	1.00	3.82	0.22
2. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	2. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	1.48	3.10	0.10
3. बंगाल इम्युनिटी लि.	3. Bengal Immunity Ltd	1.00	4.37	0.29
4. भारतीय ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि.	4. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	20.00	20.00	0.00
5. रुग्ण इकाइयों के लिए एक मुश्त व्यवस्था	5. Lumpsum Provision for sick units	0.00	0.00	10.00
उर्वरक विभाग	*Department of Fertilizers*	*103.25*	*213.00*	*52.00*
6. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि.	6. Hindustan Fertilizers Corpn. Ltd.	64.25	110.00	32.00
7. भारतीय उर्वरक निगम	7. Fertilizers Corpn. of India	37.50	101.50	18.50
8. पी.डी.आई.एल.	8. P.D.I.L.	1.50	1.50	1.50
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	**55.00**	**10.00**	**0.00**
9. निवेश ऋण:	**9. Investment loans:**	**55.00**	**10.00**	**0.00**
9.01 भारत अर्थ मूवर्स लि.	9.01 Bharat Earth Movers Ltd.	10.00	0.00	0.00
9.02 भारत डाईनेमिक्स लि.	9.02 Bharat Dynamics Ltd.	5.00	5.00	0.00
9.03 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	9.03 Hindustan Aeronautics Ltd.	25.00	0.00	0.00
9.04 गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स	9.04 Garden Reach Ship Builders & Engineers	2.00	2.00	0.00
9.05 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	9.05 Bharat Electronics Ltd.	10.00	0.00	0.00
9.07 मिश्र धातु निगम लि. (मिधानि)	9.07 Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI)	3.00	3.00	0.00
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10. Regional Rural Banks	0.00	0.00	1.00
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**332.79**	**386.24**	**321.00**
भारी उद्योग विभाग	*Department of Heavy Industry*	*68.79*	*122.23*	*75.00*
11. नेशनल इनस्ट्रूमेंट्स लि.	11. National Instruments Ltd	1.50	3.10	1.50
12. भारत ऑपथालमिक ग्लास लि.	12. Bharat Ophthalmic Glass Ltd	1.00	1.00	0.50
13. भारतीय साईकिल निगम	13. Cycle Corporation of India	6.50	8.00	8.00
14. भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकल निगम	14. National Bicycle Corporation of India	2.00	3.20	2.10
15. स्कूटर्स इंडिया लि.	15. Scooters India Ltd	10.00	10.00	8.00
16. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	16. Heavy Eng Corpn. Ltd	0.01	27.68	0.01
17. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.	17. Mining and Allied Machinery Corporation Ltd	15.00	19.52	15.00
18. पुनर्वास उद्योग निगम	18. Rehabilitation Industries Corpn.	7.00	10.00	7.00
19. भारत यंत्र निगम लि.	19. Bharat Yantra Nigam Ltd.	7.00	10.80	7.00
20. भारत भारी उद्योग लि.	20. Bharat Bhari Udyog Ltd.	6.00	6.00	6.00
21. पराग टूल्स	21. Praga Tools	0.00	2.65	2.00
22 टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	22. Tannery and Foot Wear Corporation of India Ltd	5.50	8.00	6.00
23. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया	23. Tyre Corporation of India	6.40	6.40	6.00
24 हिन्दुस्तान साल्टस लि.	24. Hindustan Salts Ltd	0.48	0.48	0.50
25. भारत लेदर कारपोरेशन लि.	25. Bharat Leather Corporation Ltd	0.40	0.40	0.39
26. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	26. Hindustan Paper Corporation. Ltd	0.00	5.00	5.00
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	*Department of Small Scale and Agro. & Rural Industries*	*264.00*	*264.01*	*246.00*
27. खादी और ग्रामोद्योग आयोग	27. Khadi and Village Industries Commission	264.00	264.01	246.00
खान मंत्रालय	**MINISTRY OF MINES**	**14.00**	**14.00**	**5.25**
28. भारत गोल्ड माइन्स लि.	28. Bharat Gold Mines Ltd.	14.00	14.00	3.50
29. मिनेरल एकसपलोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	29. Mineral Exploration Corporation Limited	0.00	0.00	1.75
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**	**25.00**	**22.00**	**5.02**
30. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	30. Hindustan Steelworks Construction Ltd.	15.00	15.00	5.00
31. बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	31. Bird Group of companies	7.00	6.00	0.01

सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण
NON PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 9

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
32. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	32. Bharat Refractories Ltd	3.00	1.00	0.01
भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**36.02**	**53.02**	**22.02**
33 दिल्ली परिवहन निगम	33. Delhi Transport Corporation	14.00	24.00	14.00
34. केन्द्रीय भारत जल परिवहन निगम	34. Central India Water Transport Corporation	6.00	10.00	6.00
35. भारतीय सड़क निर्माण निगम	35. Indian Roads Construction Corporation	0.02	0.02	0.02
36. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	36. Hindustan Shipyards Ltd.	15.00	15.00	1.00
37. हुगली डॉक और पोर्ट इन्जीनियर्स लि.	37. Hooghly Dock and Port Engineers Ltd	1.00	4.00	1.00
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**	**39.62**	**166.62**	**13.65**
38. उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम	38. North Eastern Handloom & Handicrafts Development Corpn.	0.30	0.30	0.30
39. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	39. National Textile Corporation	1.00	123.00	1.00
40. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	40. British India Corporation	2.00	2.00	1.00
41. राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	41. National Jute Manufacturers Corporation	26.00	31.00	5.00
42 एलगिन मिल	42. Elgin Mills Ltd.	7.87	7.87	5.00
43. कानपुर टेक्सटाइल मिल्स	43. Cawnpur Textile Mills Ltd.	2.10	2.10	1.00
44. बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट लि.	44. Bird Jute and Export Limited	0.35	0.35	0.35
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**	**7.50**	**7.50**	**7.50**
48. आवास तथा शहरी विकास निगम	45. Housing & Urban Development Corporation	7.50	7.50	7.50
जल संसाधन मंत्रालय	**MINISTRY OF WATER RESOURCES**	**0.00**	**6.89**	**0.00**
46.राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	46. Rashtriya Pariyojna Nirman Nigam Ltd	0.00	6.89	0.00
कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF WELFARE**	**0.41**	**0.41**	**0.41**
47. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	47. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	0.41	0.41	0.41
जोड़	***TOTAL***	***637.07***	***910.97***	***438.46***

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना भिन्न अनुदान और ऋण
NON-PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 10

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	Ministries/Deptts.	बजट Budget 1994-95			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
		अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total
राज्य सरकारें	**STATE GOVERNMENTS**									
1. पशुपालन और डेरी	1. Animal Husbandry and Dairying	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
2. नागर विमानन	2. Civil Aviation	0.55	...	0.55	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
3. वित्त *	**3. Finance ***	**1757.80**	**5000.00**	**6757.80**	**1725.80**	**9303.00**	**11028.80**	**5458.49**	**6700.00**	**12158.49**
3.01 लघु बचत संग्रह के एवज में को ऋण	3.01 Loans against small savings collections	...	5000.00	5000.00	...	9303.00	9303.00	...	6700.00	6700.00
3.02 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान	3.02 Grants under Article 275 (1) of the Constitution.	1583.28	...	1583.28	1551.28	...	1551.28	5078.42	...	5078.42
3.03 रेल यात्री किराया कर के बदले अनुदान ऋण	3.03 Grants in lieu of Tax on Railway Passenger Fares.	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	380.00	...	380.00
3.04 भोपाल गैस त्रासदी कार्य योजना के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान	3.04 Grant to Madhya Pradesh for Bhopal Gas Tragedy Action Plan	24.45	...	24.45	24.45	...	24.45	...	...	...
3.05 अन्य	3.05 Others	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
4. गृह	**4. Home Affairs**	**242.08**	**30.65**	**272.73**	**256.77**	**35.25**	**292.02**	**222.16**	**35.27**	**257.43**
4.01 होमगार्ड	4.01 Home Guards	27.00	...	27.00	26.00	...	26.00	28.00	...	28.00
4.02 पुलिस	4.02 Police	140.00	...	140.00	149.56	...	149.56	146.00	...	146.00
4.03 विस्थापितों और प्रत्यावर्तियों का पुनर्वास	4.03 Rehabilitation of DPs and repatriates	37.97	...	37.97	50.57	...	50.57	33.75	...	33.75
4.04 अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली	4.04 Crime - Criminal Information System	22.00	...	22.00	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01
4.05 अन्य	4.05 Others	15.11	30.65	45.76	15.64	35.25	50.89	14.40	35.27	49.67
5. शिक्षा	**5. Education**	**28.82**	**2.85**	**31.67**	**21.22**	**2.85**	**24.07**	**5.72**	**1.00**	**6.72**
5.01 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमानों में सुधार	5.01 Improvement in salary scales of University & College teachers	27.00	...	27.00	19.50	...	19.50	4.90	...	4.90
5.02 अन्य	5.02 Others.	1.82	2.85	4.67	1.72	2.85	4.57	0.82	1.00	1.82
6. युवा कार्य और खेल	6. Youth Affairs & Sports	13.36	...	13.36	13.36	...	13.36	13.16	...	13.16
7. भूतल परिवहन	**7. Surface Transport**									
7.01 सड़कें	7.01 Roads	193.93	5.00	198.93	206.67	4.75	211.42	213.10	...	213.10
8. शहरी विकास	8. Urban Development	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
9. अन्य मंत्रालय/विभाग	*9. Other Ministries/Departments*	*13.77*	*15.63*	*29.40*	*13.44*	*25.63*	*39.07*	*13.77*	*15.02*	*28.79*
जोड़-राज्य सरकारें	**TOTAL- State Governments**	**2250.57**	**5054.13**	**7304.70**	**2237.82**	**9371.48**	**11609.30**	**5926.96**	**6751.29**	**12678.25**
संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES**									
1. गृह	1. Home Affairs	82.94	21.78	104.72	87.94	21.78	109.72	88.22	21.78	110.00
2. वित्त	2. Finance									
2.01 लघु बचत संग्रह के एवज में ऋण	2.01 Loans against small savings collections	...	152.00	152.00	...	346.00	346.00	...	300.00	300.00
3. अन्य मंत्रालय/विभाग	*3. Other Ministries/Departments*	*0.83*	...	*0.83*	*0.83*	...	*0.83*	*0.88*	...	*0.88*
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	**TOTAL-Union Territories**	**83.77**	**173.78**	**257.55**	**88.77**	**367.78**	**456.55**	**89.10**	**321.78**	**410.88**
कुल जोड़-आयोजना-भिन्न	***GRAND TOTAL- NON PLAN***	***2334.34***	***5227.91***	***7562.25***	***2326.59***	***9739.26***	***12065.85***	***6016.06***	***7073.07***	***13089.13***
@ इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों क्षेत्र के माध्यम से जारी की गई आर्थिक सहायताएं शामिल नहीं है।	@ Excludes subsidies released through State/UT Governments		204.00			217.40			180.33	

* इसमें अर्थोपाय अग्रिम शामिल नहीं है जो वसूलियों से प्रतिसतुलित हो गए है ।
* Excludes ways and means advances matched by recoveries

विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण
GRANTS AND LOANS TO FOREIGN GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 11

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	Ministry/Department	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
आयोजना-भिन्न	*Non-Plan*	*187.23*	*88.52*	*275.75*	*153.45*	*77.39*	*230.84*	*205.12*	*100.03*	*305.15*
1. विदेश कार्य	**1. External Affairs**	**167.10**	**10.02**	**177.12**	**133.50**	**0.03**	**133.53**	**184.62**	**0.03**	**184.65**
1.01 बंगला देश	1.01 Bangladesh	1.70	10.00	11.70	0.50	0.01	0.51	1.70	0.01	1.71
1.02 भूटान	1.02 Bhutan	92.00	0.01	92.01	69.00	0.01	69.01	100.00	0.01	100.01
1.03 नेपाल	1.03 Nepal	22.83	0.01	22.84	19.00	0.01	19.01	20.00	0.01	20.01
1.04 अफ्रीका	1.04 Africa	2.80	...	2.80	6.90	...	6.90	14.55	...	14.55
1.05 कम्बोडिया	1.05 Combodia	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
1.06 मालदीव	1.06 Maldieves	12.49	...	12.49	5.50	...	5.50	12.00	...	12.00
1.07 श्रीलंका	1.07 Srilanka	4.75	...	4.75	4.00	...	4.00	6.27	...	6.27
1.08 अन्य विकासशील देश	1.08 Other developing countries	30.52	...	30.52	28.50	...	28.50	30.00	...	30.00
2. वित्त	**2. Finance**	**18.93**	**78.50**	**97.43**	**18.75**	**77.36**	**96.11**	**19.30**	**100.00**	**119.30**
2.01 यू.एन.डी.पी को अंशदान	2.01 Contribution to U.N.D.P.	14.01	...	14.01	13.67	...	13.67	14.02	...	14.02
2.02 मॉरीशस	2.02 Mauritius	...	...	...	...	0.01	0.01	...	8.00	8.00
2.03 श्रीलंका	2.03 Sri Lanka	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	17.00	17.00
2.04 वियतनाम	2.04 Vietnam	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	23.00	23.00
2.05 सूरीनाम	2.05 Surinam	...	1.50	1.50	...	0.36	0.36	...	...	...
2.06 मंगोलिया	2.06 Mangolia	...	1.00	1.00	...	5.46	5.46	...	...	...
2.07 मध्य एशियाई गणराज्य (कजकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान)	2.07 Central Asian Republics (Kazahkistan Uzbekistan, Kyrghyzstan, Turkmenistan)	...	50.00	50.00	...	45.53	45.53	...	51.99	51.99
2.08 म्यांमॉर	2.08 Myanmar	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
2.09 अन्य देश	2.09 Other countries	4.92	...	4.92	5.08	...	5.08	5.28	...	5.28
3. भूतल परिवहन	**3. Surface Transport**	**1.20**	**...**	**1.20**	**1.20**	**...**	**1.20**	**1.20**	**...**	**1.20**
3.01 बंगलादेश को सहायता	3.01 Assistance to Bangladesh	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20
कुल जोड़	*GRAND TOTAL*	*187.23*	*88.52*	*275.75*	*153.45*	*77.39*	*230.84*	*205.12*	*100.03*	*305.15*

खण्ड – III

आयोजना परिव्यय 1995-96

इस भाग में 1995-96 की केन्द्रीय आयोजना में शामिल विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए आयोजना-परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है । विवरण 12 में मंत्रालय/विभागवार योजना आवंटन दिए गए हैं। विवरण 13 में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत, विकास क्षेत्रवार और विकास शीर्षवार, योजना परिव्यय दिए गए हैं। आगामी टिप्पणियों में वास्तविक लक्ष्यों का संबंध, जहां कहीं वे दिए गए हों, समूचे आयोजना-परिव्यय से है और इसमें बजट सहायता तथा आन्तरिक और बजटेत्तर साधन (आई.ई.बी.आर.) दोनों शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यनिष्पादन का और अधिक विश्लेषण कार्यनिष्पादन बजटों में दिया गया है, जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे जिनका उस विकास व्यय से संबंध है।

1994-95 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के मुकाबले 1995-96 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :

PART – III

PLAN OUTLAY 1995-96

This part depicts the Plan outlay for various projects, programmes and schemes included in the Central Plan for 1995-96. Statement 12 gives plan allocations Ministry/Department-wise. Statement 13 gives Plan outlays by sectors of development and heads of development under the various sectors. In the notes which follow the physical targets, wherever given, are relatable to the entire Plan outlay which includes both the budgetary support and the internal and extra budgetary resources (IEBR). A more detailed analysis of the performance of various projects, programmes and schemes will be available in the Performance Budgets which will be separately presented by the Ministries/ Departments dealing with developmental expenditure.

The Central Plan outlay for 1995-96 compares with the outlay for 1994-95 as under:

(करोड़ रुपए *Rupees in Crores*)

		बजट अनुमान Budget Estimates 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimates 1995-96
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट व्यवस्था	Budgetary support for Central Plan	27277.55	27933.58	28994.22
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजटेत्तर संसाधन	Internal and extra budgetary resources of Public Enterprises	42863.41	40382.06	49854.62
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**Central Plan Outlay**	**70140.96**	**68315.64**	**78848.84**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओ के लिए बजट में दर्शायी गई केन्द्रीय सहायता	**Central assistance for States and Union Territories' Plans**	**19304.13**	**20827.13**	**19506.00**

कृषि और संबद्ध गतिविधिया

फसल कार्य : कृषि वस्तुओं के उत्पादन को बढाने की नीति के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उद्यान विकास के लिएआयोजना परिव्यय में भारी वृद्धि की गई है। प्रौद्योगिकी मिशन, तिलहनों व दालों, फसल अभिमुख कार्यक्रमों, पादप संरक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षा सिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी तथा फसल बीमा आदि के लिए भी आबंटन किए गए हैं। वर्ष 1995-96 के लिए 926.92 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

भूमि और जल संरक्षण : इस शीर्ष के अधीन किए गए परिव्यय में मुख्यतः इनके लिए व्यवस्था की गई है :- मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में भूमि के कटाव को कम करने के लिए भूमि और जल संरक्षण उपाय और जलाशयों में गाद को रोकना और सिन्धु-गंगा बेसिन में बाढ़ की आशंका वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में समन्वित जलक्षेत्र प्रबन्ध करना और केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय (ऊसर) भूमि का सुधार । राज्य भूमि उपयोग बोर्डों और अखिल भारतीय मृदा और भूमि के उपयोग पर सर्वेक्षण आदि के लिए भी व्यवस्था की गई है । वर्ष 1995-96 के लिए 125.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

पशुपालन : पशु-विकास के सामान्य रूप से दो उद्देश्य है अर्थात् पहला, बढ़ती हुई आबादी के लिए जान्तव प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना और दूसरा, कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशु-शक्ति प्रदान करना है । वर्ष 1995-96 के लिए 93.25 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है।

डेरी विकास : इस शीर्ष में मुख्य रूप से भरपूर दूध की पूर्ति-III कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वस्तु सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई.डी.ए.) से ऋण सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)से ऋण और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के आन्तरिक साधनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य 80 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत दूध का उत्पादन करने वाली 258 दुग्ध शालाएं शामिल हैं जिनका उनकी दुग्ध-उत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पता लगाया गया है। इसमें डेरी विकास संबधी प्रौद्योगिकी (टी.एम.डी.डी.) कार्यक्रम, स्विस की सहायता-प्राप्त उत्तरी केरल डेरी परियोजना (एन.के.डी.पी.), दिल्ली दुग्ध योजना, आपरेशन फ्लड-III से भिन्न क्षेत्रों, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास परियोजना के लिए परिव्यय शामिल है। वर्ष 1995-96 के लिए 250.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

मीन उद्योग : इस शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय का उपयोग ताजा पानी और खारा पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने, मछली पकड़ने के बन्दरगाहों और अवतरण केन्द्रों का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करने, तटीय मीन उद्योग के विकास, मीन उद्योग विनियमन अधिनियम लागू करने के लिए राज्यों को सहायता देने और विश्व बैंक सहायता-प्राप्त

AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

Crop Husbandry : The strategy for increasing production of agricultural commodities will have to focus greater attention on providing incentive to farmers through various development programmes. A substantial hike in the plan out lay has been provided for development of horticulture. Allocation has also been made for Technology Mission, Oilseeds and Pulses, Crop oriented programmes, Plant protections, Education and Training, Rainfed farming, Seeds & Fertilizers, Agricultural Economics and Statistics and Crop Insurance etc. The outlay for 1995-96 is Rs.926.92 crores.

Soil and Water Conservation : The outlay under this head is provided for undertaking soil and water conservation measures in catchments of major river valley projects with a view to reducing soil erosion and preventing siltation in reservoirs and integrated watershed management in the catchments of flood-prone rivers in the Indo-Gangetic Basin and for reclamation of alkali (Usar) soils under Centrally Sponsored Programme and also with EEC assistance. Provision is also made for strengthening of State Land Use Board, All India Soil & Land Use Suvey etc. The outlay for 1995-96 is Rs.125.00 crores.

Animal Husbandry : Development of livestock in general has a two-fold objective i.e., first, to make available adequate quantity of animal protein for the growing population, and second, to supply adequate animal power to sustain the growth of agricultural production. The outlay for 1995-96 is Rs. 93.25 crores including provision for E.E.C. assisted project.

Dairy Development: This head mainly provides for Operation Flood III Programme which is being implemented with commodity assistance from European Economic Community, credit assistance from International Development Agency (IDA), loan from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)and internal resources of the National Dairy Development Board. This project is intended to benefit 8 million rural milk-producer families. The project cover 258 milk sheds identified on the basis of their potential for milk production. It also includes provision for Technology Mission on Dairy Development (TMDD), Swiss-assisted North Kerala Dairy Project (NKDP), Delhi Milk Scheme and Integrated Dairy Development Project in non-operation Flood III, hilly and backward areas. The outlay for 1995-96 is Rs.250.00 crores.

Fisheries: The outlay provided under the head is utilised for promotion of fresh water and brackish water aquaculture, providing assistance for construction of fishery harbours and landing centres, development of coastal marine fisheries, assistance to states for enforcing the Marine Fishing Regulations Act and the Central Project

कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय झींगा मछली और मीनपालन परियोजना एकक के लिए किया जाता है। मीन उद्योग सहकारियों को प्रशिक्षण देने, अन्तर्देशीय मछली विपणन के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और मछुआरों के कल्याण संवर्धन संबंधी क्रियाकलाप भी इस शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित धनराशियों में से पूरे किए जाते हैं। 1995-96 के लिए अनुमोदित परिव्यय 111.15 करोड़ रुपए है।

वानिकी और वन्य जीवन : इसमें राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की योजनाओं, एकीकृत मृदा तथा जल संरक्षण योजनाओं, सामाजिक वनपालन और वन संरक्षण, विकास और पुनः प्रजनन के लिए परिव्यय शामिल है। पर्यावरण और वन मंत्रालय में अगस्त, 1992 में राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड गठित किया गया। यह देश में वनरोपण, वृक्षरोपण, पारिस्थितिकी पुनरूद्धार और पारिस्थितिकी विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है जिसमें अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से जुड़ी भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, पक्षी विहार और अन्य संरक्षित क्षेत्रों तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति के मूल तत्व ये है-सूक्ष्म आयोजना, सामान्य जागृति उत्पन्न करना और बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

भारतीय वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (आई सी एफ आर ई) के समन्वय के अंतर्गत वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेंगे। भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के कार्यक्रम भी जारी रहेंगे।

भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रस्तावित कार्यक्रमों में वन संसाधनों की आधारिक सूचियां, हवाई फोटोग्राफी द्वारा विषयक नक्शा बनाना और वनस्पति संबंधी नक्शों को तैयार करना तथा उपग्रह आंकड़ों के निर्वचन द्वारा कवर वन का मूल्यांकन शामिल है।

वन नीति के अंतर्गत निम्नस्तर के वनों के पुनरूत्पादन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण गरीबों के संघ का उद्देश्य विश्वव्यापी उष्णकटिबंधी वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निम्नस्तर वनों में बायोमास संसाधन तथा "राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम" में सुधार करना है।

अग्नि प्रवृत राज्यों के कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में 'आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण तरीका' संबंधी योजना का कार्यान्वियन करके अन्य राज्यों में आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण के तकनीकों को दोहराने का प्रस्ताव रखा गया है।

"चीता आरक्षण" अभ्यरण्यों और "राष्ट्रीय पार्कों की पारिस्थितिकी विकास", "योजना बनाने की योग्यताओं के प्रबंध को सुदृढ़ बनाने", "हाथी संबंधी परियोजना", "पशु कल्याण" और "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण" सहित अभ्यरण्यों के चारों ओर पारिस्थितिकी विकास और राष्ट्रीय पार्कों की वन्यजीवन संरक्षण योजनाएं जारी रहेंगी। "राष्ट्रकीय पार्कों और अभ्यरण्यों का विकास", "भारतीय वन्यजीवन संस्थान", "प्रोजैक्ट टाइगर" और "जनजातीय विकास के लिए लाभोन्मुख योजना" जैसी अन्य योजनाएं भी जारी रहेंगी। प्रोजैक्ट टाईगर एरियाओं, राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीवन अभ्यरण्यों की पुनःस्थापित योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित जनजाति के परिवारों का पुनर्वास भी जारी रहेगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों सहित राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एन ए ई बी) की महत्वपूर्ण योजनाएं 'एकीकृत वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास परियोनजाओं की योजनाएं (आई ए ई पी एस)' और 'क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा योजना' हैं।

वर्ष 1995-96 के परिव्यय में 211.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है ।

बागान : इस शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय का उपयोग चाय, काफी, रबड़ तथा मसालों, तम्बाकू और काजू जैसे निर्यात-प्रधान बागानों के विकास के लिये किया जाता है। वर्ष 1995-96 के लिए 92.03 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण : इस परिव्यय में ये शामिल हैं:

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बजट सहायता (निवेश) के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण;

(ii) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम निर्माण कार्यक्रम और अपने संसाधनों (आईईबीआर) में से राज्य भाण्डागारण निगम के निर्माण कार्यक्रमों को उसका अंशदान;

(iii) फल और सब्जियों का संसाधन;

(iv) मांस और कुक्कुट उत्पादों के लिए बाजार बनाना ताकि निर्यात में तेजी लायी जा सके

(v) विभिन्न पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक विद्यार्थियों को खपाने के लिए राष्ट्रीय चीनी संस्थान के अतिरिक्त स्कन्ध का निर्माण और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण और

(vi) अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन;

(vii) वनस्पति तैल एवं वसा तथा तिलहन एवं तेलों के विषय में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम; तथा

(ix) चावल मिलों का आधुनिकीकरण।

1995-96 के लिए 67.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

Unit for shrimp and fish culture under the World Bank assisted programme. Activities relating to imparting training, developing infrastructural facilities for inland fish marketing and promoting welfare of fishermen are also financed from the allocation under this head. The outlay approved for 1995-96 is Rs. 111.15 crores.

Forestry and Wild Life: The outlay includes schemes of National Wastelands Develop-ment Board, Integrated Soil and Water Conservation schemes, social forestry, forest conservation, development and regeneration. National Afforestation and Eco-development Board (NAEB) is responsible for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country, with special attention to the degraded forest areas and lands adjoining the forest areas, national parks, sanctuaries and other protected areas as well as the ecologically fragile areas like the Western Himalayas, Aravallis, Western Ghats, etc. The key elements of the strategy are micro-planning, creation of general awareness and promoting people's participation in the activities being implemented by the Board.

The Forestry research, education and training programmes would be continued, under the coordination of the Indian Council of Forestry Research Education and Training (ICFRE). The programmes of the Indian Institute of Forest Management, the Indian Plywood Industries Research and Training Institute and the Indira Gandhi National Forest Academy would also continue.

The proposed programmes of the Forest Survey of India (FSI) include ground inventories of forest resources, thematic mapping by aerial photography and preparation of vegatation maps and assessment of forest cover by interpretation of satellite data.

The programmes of"Association of Scheduled Tribes and rural poor in regeneration of degraded forests", under Forest Policy will be with the aim of improving biomass resource base in degraded forests and "National Forestry Action Programme", as a part of global Tropical Forestry Action Programme.

It is proposed to replicate the techniques of modern forest fire control in other States by implementing the scheme on 'Modern Forest Fire Control Methods' in certain selected areas of fire prone States.

The Wildlife Conservation schemes of "Eco-development around Sanctuaries and National Parks including Tiger Reserves", "Strengthening management planning capabilities". "Project Elephant", "Animal Welfare" and "Central Zoo Authority" would be continued. The other schemes like "Development of National parks and Sanctuaries", "Wildlife Institute of India", "Project Tiger" and "Beneficiary oriented Scheme for Tribal Development" would also be continued. Rehabilitation of tribal families affected under relocation plans of Project Tiger Areas, National parks and Wildlife Sanctuaries would also be continued.

With the above objectives, the important schemes of the NAEB are 'Integrated Afforestation and Eco-development Projects Schemes (IAEPS)' and "Area Oriented Fuelwood and Fodder Scheme".

The outlay for 1995-96 is Rs. 211.50 crores.

Plantations: The outlay under this head is utilised for development of export-oriented industries such as tea, coffee, rubber, spices, Tobacco and cashew. The outlay for 1995-96 has been kept at Rs.92.03 crores.

Food, Storage and Warehousing: The outlay includes :

(i) construction of storage godowns by Food Corporation of India through budget support (investment);

(ii) the construction programme of Central Warehousing Corporation and its contribution to the construction programmes of State Warehousing Corporation out of its own resources (IEBR);

(iii) fruit and vegetable processing;

(iv) boost export to generate markets for meat & poultry products;

(v) construction of staff quarters, construction of additional wing of National Sugar Institute to accommodate more number of students in various courses;

(vi) research, training and evaluation;

(vii) vegetable oils and fats and research & development programme in oil seeds & oils; and

(viii) Modernisation of rice mills.

Outlay for 1995-96 is Rs.67.80 crores.

कृषि अनुसंधान और शिक्षा: परिव्यय में निम्नलिखित शामिल है :

(i) स्वीकृत भौतिक और तकनीकी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(ii) प्रयोगशालाओं के लिए भवन, कार्यशालाओं, कारखानों और आवासीय मकानों, भूमि का अधिग्रहण और उपस्करों की खरीद करने के लिए विद्यमान तथा नए संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों की आधारभूत सुविधाओं का विकास/सुदृढ़ बनाने के लिए पूंजीगत संघटकों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना।

(iii) परिषद के उन समग्र आयोजनागत क्रियाकलापों की आवश्कताओं को पूरा करना जिसने आठवीं पंच वर्षीय योजना के लिए अनुमोदित अधिकांश जारी नई योजनागत स्कीमों के क्लीयरेंस के साथ अपेक्षित गति प्राप्त कर ली है। 1995-96 के लिए 309.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

कृषि वित्तीय संस्थाएं : वर्ष 1995-96 के लिए 476.38 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए कृषि ऋण देने के लिए 157.00 करोड़ रुपए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 319.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इसमें से 72.00 करोड़ रुपए प्रतिरूप निधि से है।

सहकारिता : इस परिव्यय में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है : सहकारी ऋण संस्थाएं, कम विकसित राज्यों, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, संस्थाओं की इमारतों के लिये सहकारी विकास योजना, सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्थाओं के लिये विशेष योजना, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई सहकारी समितियों के लिये योजना, सहकारी ऋण ढांचे के विकास के लिये विस्तृत योजना, भूमि विकास बैंक आदि । 1995-96 के लिए 350.60 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

अन्य कृषि-संबंधी कार्यक्रम : वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय में 7.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था बाजार-अनुसंधान, जांच, मानकीकरण तथा गुणवत्ता-नियंत्रण संबंधी उपाय करने और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को सहायता, पंचायतों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विपणन संबंधी संरचना का विकास और विस्तारित क्रियाकलापों का फैलाव करने के लिए है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : वर्ष 1995-96 के लिए कुल परिव्यय 957.00 करोड़ रुपए है (आई.आर.डी.पी. 639.85 करोड़ रुपए, ब्लाक स्तर पर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 16.15 करोड़ रुपए, टी.आर.वाई .एस.ई.एम. 14.00 करोड़ रुपए, डी.पी.ए.पी. 125.00 करोड़ रुपए, डी.डी.पी. 100.00 करोड़ रुपए)। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर. डी.पी.) प्रमुख ऋण सबद्ध स्वरोजगार कार्यक्रम है जो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को आय उपार्जन करने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पर काबू पाने के लिए तैयार किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1995-96 के संबंध में कुल परिव्यय 656.00 करोड़ रुपए का रखा गया है। जिसमें ब्लाक स्तर पर प्रशासन और उपकरणों के किट के लिए व्यवस्था शामिल है।

ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) मुख्यतः गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी/प्रबंधकीय कुशलता की व्यवस्था करके गौण/तृतीय क्षेत्रों में विविधता की अपेक्षित मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को उत्पादनकारी स्वरोजगार का सुनिश्चयन करने की दृष्टि से दस्तकारी और उनके कार्यान्वयन के एकीकृत पैकेज मुहैया कराए जाते है।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो अभिज्ञात क्षेत्रों में सूखे की स्थिति को खत्म करने और अंत में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए दीर्घावधिक उपाय के रूप में तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को भूमि- विकास, मृदा की नमी का संरक्षण, जल संसाधन विकास तथा परियोजना-क्षेत्रों में वनरोपण तथा चरागाह के विकास के रूप में वनस्पति आच्छादित करके प्राप्त किया जाएगा। इस समय यह कार्यक्रम देश के 13 राज्यों में 96 जिलों के 627 खंडों में कार्यान्वयनाधीन है। 1.4.1995 से देश के 13 राज्यों के 148 जिलों के 945 खंडों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम पूर्णरूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेगिस्तान के फैलाव और मरुभूमि बनने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना तथा अन्त में क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। इन उद्देश्यों को बालू डिब्बा स्थिरीकरण, कवचपट्टी वनरोपण, वानिकीकरण और जल संसाधनों का विकास करके प्राप्त किया जाना है। इस समय यह कार्यक्रम देश के 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 खंडों में कार्यान्वयनाधीन है। यह कार्यक्रम 1.4.1995 से 5 राज्यों के 36 जिलों के 225 खंडों में क्रियान्वित

Agricultural Research and Education: The outlay includes

(i) Carrying out approved physical and technical programmes.

(ii) Meeting the adequate urgent requirement of capital component for development/strengthening of infrastructural facilities for existing and new Institutes, National Research Centres and Regional Centres in terms of construction of laboratory buildings, workshop, factory and residential quarters, acquisition of land and purchase of equipments.

(iii) Meeting the requirement of overall plan activity of the Council which has picked up desired momentum with the clearance of most of the on-going new Plan Schemes approved for VIII Five Year Plan. An outlay of Rs. 309.90 crores has been envisaged for 1995-96.

Agricultural Financial Institutions : The outlay for 1995-96 has been kept at Rs.476.38 crores. It includes an outlay of Rs.157.00 crores for NABARD for providing agricultural credit and Rs.319.38 crores for Regional Rural Banks. Rs.72.00 crores from above is against counterpart funds.

Co-operation: The provision includes outlay for assistance to Cooperative Credit Institutions in under-developed States, National Cooperative Development Corporation, National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited, Cooperative Development Scheme for institution building, special scheme for the institutions in cooperatively weaker States/Union Territories, scheme for cooperative societies set-up for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, comprehensive scheme for development of cooperative credit structure, Land Development Banks, etc. The outlay for 1995-96 is Rs.350.60 crores.

Other Agricultural Programmes: Outlay of Rs.7.25 crores for 1995-96 is for taking up market research, investigation, standardisation and quality control measures assisting National Institute of Agricultural Marketing, expansion of extension activities and development of marketing infrastructure in tribal areas through Panchayats.

RURAL DEVELOPMENT

Special Programmes for Rural Development : The total central outlay for 1995-96 is Rs. 957.00 crores. (IRDP 639.85 crores, strengthening of Block Level Administration: 16.15 crores, TRYSEM : Rs.14.00 crores, DPAP: Rs.125.00 crores, DDP: Rs.100.00 crores.) The Integrated Rural Development Programme (IRDP) is a major credit linked self employment programme designed to tackle rural poverty through the provisions of income generating assets to below poverty line families. The total outlay for IRDP in 1995-96 is Rs.656.00 crores. This also includes provisions for Block level administration and tool kits.

TRYSEM is primarily designed to ensure the desired degree of diversification into the Secondary/Tertiary Sectors through the provision of basic technical/managerial skills to below poverty line rural youths. Under this Programme an integrated package of skills and implementation are provided to Rural Youths to enable them to seek productive self employment.

The Drought Prone Areas Programme (DPAP) is an integrated area development programme conceived as a long-term measure for achieving drought-proofing and restoration of ecological balance in the long run in the identified areas. The objectives of the programme are sought to be achieved through land shaping and development, soil moisture conservation, water resources development and afforestation and pasture development. This programme is at present under implementation in 627 blocks of 96 destricts of 13 States in the country. This programme will be implemented in 945 blocks of 148 dis tricts of 13 States in the Country w.e.f. 1.4.1995.

The Desert Development Programme (DDP) a Central Sector scheme fully funded by the Central Government. The objectives of the programme are to control advancement of the desert and process of desertification and restoration of the ecological balance of the area in the long run. The objectives are sought to be achieved through sand-dune stabilisation, shelterbelt plantation, afforestation and water resources development. This Programme is at present under implementation in 131 blocks of 21 districts of 5 States in the country.

किया जायेगा।

बंजरभूमि विकास : बंजरभूमि विकास विभाग प्रमुख रूप से वन-भिन्न क्षेत्रों में बंजरभूमियों में सुधार और विकास करने के लिए जिम्मेदार है और इसका उद्देश्य भू-अवक्रमण को रोकना, ऐसी बंजरभूमियों का स्थायी उपयोग करना और बायोमास उपलब्धता, विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे के लिए भूमि का उपयोग करना है। इस विभाग के लिए वर्ष 1995-96 में आयोजना परिव्यय 60 करोड़ रुपए रखा गया है।

ग्रामीण रोजगार : 1995-96 के लिए कुल परिव्यय 5432.00 करोड़ रुपए है (जवाहर रोजगार योजना 3862 करोड़ रुपए और ई.ए एस के लिए 1570.00 करोड़ रुपए)। जवाहर रोजगार योजना 1989-90 के दौरान आरम्भ की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार देना है। जवाहर रोजगार योजना के गौण उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक आधारभूत-ढांचे को सुदृढ़ करना, और ग्रामीण निर्धनों के पक्ष में उनके सीधे और निरंतर लाभों के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत व्यय के लिए केन्द्र और राज्यों का हिस्सा 80:20 है। जे.आर.वाई. के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देश में कुल ग्रामीण निर्धनों और किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण निर्धनों के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की नीति को 1992-93 में संशोधित किया गया है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वार्षिक रूप से आबंटित की गई निधियों के 75 प्रतिशत को देश में योजना के कार्यान्वयन पर उपयोग में लाना होता है। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत निधियों को देश के विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े हुए जिलों में ऐसे स्थानों पर जहां बेरोजगारी अधिक मात्रा में संकेद्रित हो, इस योजना को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पिछड़े हुए जिलों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि इसका 50 प्रतिशत भारांश अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को और 50 प्रतिशत भारांश कृषि श्रमिक उत्पादकता को दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत शेष 5 प्रतिशत निधियों (बशर्ते कि यह 75 करोड़ रुपए से अधिक न हो) को ऐसी विशेष और परिवर्तनशील परियोजनाओं को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा जिनका उद्देश्य श्रमिकों के प्रत्यावर्तन को रोकना, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, सूखे का निराकरण करने के लिए विशेष कार्यक्रम और बंजर भूमि विकास आदि करना हो।

योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक जिले में इंदिरा आवास योजना और 'मिलियन वैल्स स्कीम' जैसे विशेष क्षेत्रों को आबंटन करने के पश्चात, आबंटित निधियों का कम से कम 80 प्रतिशत जिलों में ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत निधियों को अन्तर-मंडलीय/ग्रामीण कार्यों के लिए जिला स्तर पर उपयोग में लाया जा सकेगा। वर्ष 1993-94 से इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों के आबंटन को विद्यमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है और इसके व्याप्ति क्षेत्र को गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब ग्रामीणों तक बढ़ाया गया है बशर्ते कि गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदत्त वित्तीय सहायता (मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों के अतिरिक्त) कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हो। इसी प्रकार मिलियन वेल्स स्कीम के लिए आबंटित की जाने वाली निधियों को भी वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

रोजगार बीमा योजना को 2.10.1993 से ऐसे 1778 अभिज्ञात पिछड़े हुए ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो ऐसे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें वर्तमान में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचलन में है। वर्ष 1994-95 के दौरान रोजगार बीमा योजना को ऐसे अन्य 665 खंडों तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है जिनमें श्री सी.एस. हनुमन्थाराव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा डी पी ए पी/डी डी पी के अंतर्गत सिफारिश किए गये नए खण्ड और वे जो मादा पोकेटो एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं को शामिल करने की सिफारिश शामिल है। रोजगार बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ वयस्कों को कृषि के मंदी के मौसम के दौरान शारीरिक कार्य में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है जो जरूरतमंद है और काम करने के इच्छुक है लेकिन या तो उन्हें खेती पर अथवा अन्य सम्बद्ध कार्य प्रचालनों के लिए ऐसी अवधियों के दौरान कार्य नहीं मिल पाता। इसका गौण उद्देश्य अनवरत बने रहने वाले रोजगार और नियोजन के लिए आर्थिक आधारभूत ढांचा तैयार करना और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

यह स्कीम ग्रामीण गरीबों को ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मंडलों में 100 दिन के अकुशल शारीरिक कार्य के रोजगार को सुनिश्चित कराएगी। इस योजना पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के आधार पर बांटा जाएगा। मजदूरी और गैर-मजदूरी का अनुपात 60:40 है और इस योजना के अन्तर्गत कारीगरों को देय मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी होगी।

भूमि सुधार : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अन्तर्देशीय राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, सर्वेक्षण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने और राजस्व के निपटान के लिए प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और निपटान के लिए स्टाफ, कम्प्यूटरीकरण सहित भूमि के रिकार्डों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण, उनको अद्यतन रखना और उनको उचित प्रकार से

This Programme will be implemented in 225 blocks in 36 districts of 5 States w.e.f. 1.4.1995.

Wastelands Development : The Department of Wastelands Development is mainly responsible for reclamation and development of wastelands in non-forest areas aimed at checking land degradation, putting such wastelands to sustainable use and increasing bio-mass availability, specialy fuelwood and fodder. The plan outlay for this department for 1995-96 is Rs.60 crores.

Rural Employment : The total outlay for 1995-96 is Rs. 5432.00 crores (JRY : Rs. 3862 crores and EAS : Rs.1570.00 crores). Jawahar Rozgar Yojana (JRY) was launched during the year 1989-90 with the primary objective of generation of additional gainful employment for the unemployed persons in the rural areas. The secondary objectives of JRY are strengthening rural infrastructure and also creation of assets in favour of rural poor for their direct and continuing benefits and improvement in the overall quality of life in the rural areas. The expenditure under the JRY is shared between the Centre and the States on 80 : 20 basis. The Central assistance under JRY is provided to the States/UTs on the basis of proportion of rural poor in a State/UT to the total rural poor in the country. The strategy for implementation of JRY has been modified in 1992-93. 75% of the funds allocated annually under JRY is to be utilised for the implementation of the Yojana throughout the country. 20% of the funds under JRY are to be used to intensify JRY in 120 backward districts in different States in the Country where there is concentration of unemployment. The selection of backward districts is made on the basis of 50% weightage being given to SC/ST population and 50% to agricultural labour producitivity. Remaining 5% of funds under JRY (subject to a maximum of Rs. 75 crores) would be utilised for taking up special and innovative projects which aim at prevention of migration of labour, enhancing women's employment, special programmes for drought proofing and wasteland development etc.

Under the Yojana, not less than 80% of the funds allocated to each district after providing for earmarked sectors of Indira Awas Yojana and Million Wells Scheme are to be distributed to the village panchayats in the district. The balance 20% funds could be utilised at the district level for inter-block/village works. From the year 1993-94, earmarking of funds for Indira Awas Yojana has been increased from existing 6% to 10% and its coverage extended to non-SC/ST rural poor subject to the condition that financial assistance provided to non-SC/ST poor people (excluding freed bonded labourers) does not exceed 4% of the total allocation. Similarly, earmarking of funds for Million Wells Scheme has also been increased from existing 20% to 30%.

The Employment Assurance Scheme (EAS) is being implemented w.e.f. 2.10.1993 in 1778 identified backward blocks situated in the drought prone areas, desert areas, tribal areas and hill areas in which currently the Revamped Public Distribution System (RPDS) is in operation. During the year 1994-95 it has also been decided to extend EAS to another 665 blocks which includes new blocks recommended by the high level committee headed by Shri C.S. Hanumantha Rao for inclusion under DPAP/DDP and those under MADA pockets and flood prone areas. The primary objective of the EAS is to provide gainful employment during the lean agricultural season in manual work to all able-bodied adults in rural areas who are in need and who are desirous of work but cannot find work either on farm or on other allied operations during such period. The secondary objective is the creation of economic infrastructure and community assets for sustained employment and development.

The scheme will provide assured employment for 100 days of unskilled manual work in blocks to the rural poor. The expenditure under EAS is shared between the Centre and State on 80:20 basis. Wage and non-wage ratio is 60:40 and the wages payable to workers under EAS are the minimum agricultural wages for unskilled labour prescribed by the concerned State Governments.

Land Reforms : An outlay of Rs.39.50 crores has been approved under the Land Reforms Schemes for 1995-96 for providing financial assistance to States/UTs to strengthen their land revenue administration, induction of modern technology in the field of survey and settlement, training of revenue, survey and settlement staff,

संचित रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1995-96 की भूमि सुधार स्कीमों के अन्तर्गत 39.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है । इसके अलावा, कृषि संबंधी अध्ययनों के लिए चुनिंदा संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है चूंकि ऐसे अध्ययन उपचारात्मक उपायों के लिए, भूमि सुधार नीतियों के मूल्यांकन में मदद करते हैं।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम : वर्ष 1995-96 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 111.25 करोड़ रुपए का है। इसमें डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. (65.00 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण योजनाओं (23.75 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना (10.00 करोड़ रुपए), गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लाभानुभोगियों का संगठन (3.50 करोड़ रुपए), जन-संचार (4.00 करोड़ रुपए), पंचायत विकास और प्रशिक्षण (3.00 करोड़ रुपए) और विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों (2.00 करोड़ रुपए) के लिए व्यवस्था शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास एक विशेष नई योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे की महिलाओं को आय देने वाली गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब गृहणियों की आय के स्तर को बढ़ाना है ताकि आर्थिक आत्म-निर्भरता के प्रति सामाजिक विकास में उनकी संगठित भागीदारी को समर्थ बनाया जा सके। प्रमुख बल ग्राम स्तर पर गरीब गृहणियों की 10-15 महिलाओं के समूहों को बनाकर उनके माध्यम से ऋणों और दस्तकारी आदि की प्रशिक्षण सेवाएं दिलवायी जा सके और स्व रोजगार के लिए नकदी तथा आधारभूत सहायता दी जा सके। समूह बनाने की नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु देखभाल, पोषाहार, जल और सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं में पुरुषों की भागीदारी को सुधारना है। प्रत्येक समूह को भारत सरकार राज्य सरकारों और यूनीसेफ द्वारा समान रूप से आवर्ती निधियों के अंशदान के रूप में 25,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

बड़ी और मध्यम सिंचाई : बड़ी और मध्यम सिंचाई के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को तैयार करने तथा प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण, आंकड़ों के संग्रह, नदी बेसिन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रमुख हाईड्रोलोजिकल केन्द्रों की स्थापना, अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियों से सम्बद्ध व्यय के लिए व्यवस्था की गई है। 1995-96 के लिए 30.21 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के अंतर्गत मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। अंतिम रूप से पैकेजों को संशोधित किए जाने तक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को भी 1.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गयी है।

लघु सिंचाई : 1995-96 के लिए कुल परिव्यय 59.00 करोड़ रुपए का है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि-जल विकास और केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड द्वारा अन्वेषण, (ii) सूखा-प्रभावित राज्यों को सहायता; (iii) भूमि जल को कृत्रिम तरीके से शुद्ध करना; (iv) भूमिगत जल के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान; (v) राज्यों में लघु सिंचाई के कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए मूल्यांकन; (vi) लघु सिंचाई आंकड़ों का यौक्तिकीकरण; और (vii) ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति पर आधारित सौर-ऊर्जा के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं।

कमान क्षेत्र विकास : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म संबंधी विकास कार्यों को तैयार करने, उनकी योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और पर्यवेक्षण तथा टोपो-ग्राफिकल भूमि और हवाई सर्वेक्षण, वेयर बन्दी, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन आदि के लिए राज्यों को अनुदान तथा ऋण दिए जाते है। भूमि को समतल बनाने और उसे आकार में लाने, खेतों में नालियों और नालों का निर्माण करने, जल छिड़काव और ड्रिप सिंचाई के लिए आई. आर. डी. पी. पद्धति के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सहायता देने के लिए बराबर-बराबर के आधार पर अनुदान/ऋण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा रखे जा रहे 'विशेष ऋण खाते' में केन्द्र सरकार का अंशदानभी शामिल है। 1995-96 के लिए 140.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी : इस क्षेत्र के अंतर्गत 58.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था निम्नलिखित कार्यक्रमों के दो वर्गों के लिए है : (i) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं/कार्यक्रम इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जिनका विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वियन किया जाता है ; और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता। इन कार्यक्रमों में बाढ़ से संबंधित आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, बारीकी से मानीटरिंग कार्य तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी और चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी करना और चेतावनी देना, इंडो-बांग्ला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाएं, मास्टरआयोजना तैयार करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर आयोजना तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, नेपाल और भूटान की संयुक्त नदियों पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच। इसके अतिरिक्त 1995-96 के बजट अनुमानों में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए असम सरकार

preparation, updating and storage of land records including computerisation. In addition, financial assistance is provided to selected institutions for conducting agrarian studies as these studies help in appraisal of land reform policies for corrective measures.

Other Rural Development Programmes : The total Plan outlay for 1995-96 is Rs. 111.25 crores. This includes provision for DWCRA (Rs. 65.00 crores), training Schemes (Rs.23.75 crores), promotion of voluntary action in Rural development (Rs. 10.00 crores), Organisation of Beneficiaries of Anti-Poverty Programme (Rs.3.50 crores), Publicity/ Communication (Rs.4.00 crore), Panchayat Development and Training (Rs.3.00 crores) and roads in special problem areas (Rs.2.00 crores).

Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) is a special scheme which seeks to provide assistance for income-generating activities to women below the poverty line in rural areas. The objective of this Programme is to raise the income level of women of poor households, so as to enable their organised participation in social development towards economic self-reliance. The primary thrust is to formation of groups of 10-15 women from poor households at the village level for delivery of services like credit and skill training, cash and infrastructural support for self employment. Through the strategy of group formation the aim is to improve womens' access to basic services of health, education, childcare, nutrition, water and sanitation. Each group is given a one time grant of Rs.25,000/- as revolving funds contributed by the Government of India, the State Governments and the UNICEF equally.

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL

Major and medium irrigation : The outlay under this sector is meant for survey and investigation, data collection, establishment of additional key hydrological stations in river basins, research and other activities for building up the infrastructural facilities and upgrading technology needed for major and medium irrigation sector. The total outlay of Rs.30.21 crores for 1995-96 covers the requirements of different organisations under the Ministry. The budgetary support of Rs.1.00 crore has been provided for Rastriya Pariyojana Nirman Nigam Ltd. subject to finalisation of the revised package.

Minor irrigation : The total outlay in 1995-96 is Rs.59.00 crores. The programmes that are to be implemented under this sector include :- (i) Ground water development through hydro-geological surveys and exploration by the Central Ground Water Board; (ii) assistance to drought affected States; (iii) artificial recharge of ground water; (iv) Rajiv Gandhi National Training & Research Institute for Ground Water; (v) evaluation studies of minor irrigation programmes in States; (vi) rationalisation of minor irrigation statistics; and (vii) Pilot Projects for solar energy based water supply in rural areas.

Command Area Development Programme : Under this programme, grants and loans are given to State Governments for preparation, planning, implementation and supervision of on-farm development works for topographical soil and aerial survey warabandi, training and evaluation studies, etc. Grants/loans are also given on matching basis for subsidy of loans to small and marginal farmers on the IRDP pattern for land levelling and shaping, construction of field channels and drains, sprinklers and drip irrigation. Central Government's contribution to 'Special Loan Account' being maintained by NABARD is also included under this programme. The outlay for 1995-96 is Rs. 140.00 crores.

Flood Control and Drainage: The outlay of Rs.58.50 crores under this sector is for two categories of programmes: (i) flood control schemes/programmes that are implemented by various organisations under the control of this Ministry and (ii) assistance to various States for flood control work. The programme includes systematic collection of data on floods, close monitoring and issue of flood forecasts and warnings through the network of flood forecasting and warning centres established by the Central Water Commission and also the schemes approved by the Indo-Bangla Desh Joint River Commission, Brahmaputra Board for preparation of Master Plan, Ganga Flood Control Commission for preparation of Master Plan for flood control in Ganga Basin and Survey and Investigation of Flood Control Projects on rivers common with Nepal and Bhutan. A provision has also been made in the Budget estimates 1995-96 for assistance to Government

को और उत्तरी बिहार और गंगा बेसिन के अन्य राज्यों में बाढ़-रोधन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। कोसी उच्च बांध परियोजना के सर्वेक्षण एवं जांच कार्य के लिए प्रावधान भी इसमें किया गया है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली प्रस्तावित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के लिए 7.67 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

ऊर्जा

विद्युत : 1995-96 के लिए 8254.38 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (1700.74 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (1337.69 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (329.00 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (498.40 करोड़ रुपए), विद्युत वित्त निगम (300.00 करोड़ रुपए) नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (530.00 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (211.17 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम (1515.84 करोड़ रुपए), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (300.00 करोड़ रुपए) और विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अन्य स्कीमें/ कार्यक्रमों (200.67 करोड़ रुपए) के लिए है।

तापीय और पन बिजली उत्पादन और संबद्ध पारेषण लाइनें : इसमें राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के लिए 344.33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इसके निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजना परिव्यय में 1700.74 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए है : सिंगरौली चरण-I और II (2000 मेगावाट), कोरबा चरण-I और II (2100 मेगावाट), रामगुंडम चरण I और II (2100 मेगावाट), फरक्का चरण-I, II और III (2100 मेगावाट), कहलगांव चरण-I (840 मेगावाट), विन्ध्याचल (1260 मेगावाट), रिहन्द (1000 मेगावाट), ऊंचाहार-I (420 मेगावाट), एन. सी. टी. पी. पी. (दादरी)-(840 मेगावाट), तलचर चरण-I (1000 मेगावाट), सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कवास (645 मेगावाट), अन्ता (413 मेगावाट) और औरैया (652 मेगावाट) तथा दादरी (817 मेगावाट)-गैस आधारित केन्द्र गांधार गैस-I (648 मेगावाट) और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाएं। इसमें 40.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था, अन्य पब्लिक क्षेत्र के उपक्रमों में एन.टी.पी.सी. द्वारा इक्विटी की भागीदारी। 30.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए भी शामिल है जिसमें 1.64 करोड़ रुपए चरण-II (210 मेगावाट), 4.52 करोड़ रुपए चरण-III (210 मेगावाट) जो व्यावसायिक प्रचालन के अधीन है, 10.59 करोड़ रुपए इन संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण, 12.59 करोड़ रुपए राख के कुण्ड हेतु भूमि के लिए और 0.66 करोड़ रुपए अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए शामिल है।

राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम की निम्नलिखित चल रही परियोजनाओं के लिए 1337.69 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता के लिए 111.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है : दुलहस्ती (390 मेगावाट) चमेरा (540 मेगावाट), उरी (480 मेगावाट), टनकपुर (3 x 40 मेगावाट), सलाल-II (3 x 115 मेगावाट), रनगिट (60 मेगावाट), कोएल कारो (710 मेगावाट), धौलीगंगा (280 मेगावाट) और पनबिजली परियोजनाओं और छामेहा-II (300 मेगावाट) की नई परियोजनाएं और इसके साथ-साथ नई पन-बिजली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए।

भारतीय विद्युत ग्रिड निगम को उसके 1515.84 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में बजटीय सहायता, देने के लिए 318.64 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो इनके लिए हैं—चालू लाइनें और विद्युत ग्रिड निगम द्वारा एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनईईपीसीओ से अधिगृहीत नई पारेषण लाइनें एवं अन्तः क्षेत्रीय लाइनें तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज सीधे करेंट वाली पारेषण लाइनें और सहायक उपकेन्द्रों की स्थापना तथा भार प्रेषण एवं संचार सुविधाओं का निर्माण।

अन्य व्यवस्था में सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक में मध्य प्रदेश के अंश में संसाधनों में अन्तर के लिए भारत सरकार के अंशदान के रूप में 30.00 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है, काठलगुरी गैस आधारित उत्पादन परियोजना (305.95 करोड़ रुपए), कोपली विस्तार (40.35 करोड़ रुपए)उत्तर पूर्वी बिजली विद्युत निगम के लिए 350.12 करोड़ रुपए, अगरतला गैस टर्बाइन (150 करोड़ रुपए) और कोपली आदि के आर एण्ड एम (2.10 करोड़ रुपए) प. बंगाल और एशियाई विकास बैंक की सहायता स्कीमों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड की विद्युत कारगरता को वित्तपोषित करने के लिए विद्युत वित्त निगमों को भी 300.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता है। नाथ्पा झाखरी विद्युत निगम के लिए 440.58 करोड़ रुपए और टेहरी पन विकास निगम के लिए 211.17 करोड़ रुपए, ओ.ई.सी.एफ. की सहायता के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को परियोजनाओं की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए वित्त पोषण के रूप में आर.ई.सी. को 300.00 करोड़ रुपए शामिल है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें : क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण में सहायता देने के लिए समीप की विद्युत प्रणालियों को जोड़ने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 3.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे कि अन्ततः एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण होगा और जिससे उपभोक्ताओं को समुचित और कुशलतापूर्वक बिजली की सप्लाई मिलेगी।

of Assam for flood control in Brahmaputra Valley and assistance for flood proofing programme in North Bihar and other Ganga Basin States. Provision has also been made for survey and investigation of Kosi High Dam Project. An amount of Rs.7.67 crores has been provided for National Hydrology Project proposed to be funded by World Bank.

ENERGY

Power: The outlay for 1995-96 is Rs.8254.38 crores,which is mainly for schemes of National Thermal Power Corporation (Rs.1700.74 crores), National Hydro-electric Power Corporation (Rs.1337.69 crores), Damodar Valley Corporation (Rs.329.00 crores), North Eastern Electric Power Corporation (Rs.498.40 crores), Power Finance Corporation (Rs.300.00 crores), Nathpa-Jhakri Power Corporation (Rs.530.00 crores), Tehri Hydro Development Corporation (Rs.211.17 crores), Power Grid Corporation of India (Rs.1515.84 crores), Rural Electrification Corporation (Rs.300.00 crores) and other schemes/programmes of the Ministry of Power and Central Electricity Authority (Rs.200.67 crores).

Thermal & Hydro Power Generation including associated Transmission Lines : Provision of Rs.344.33 crores has been made for National Thermal Power Corporation to support its plan outlay of Rs.1700.74 crores mainly for Singrauli Stages I & II (2000MW), Korba Stages I & II (2100 MW), Ramagundam Stages I & II (2100 MW), Farakka Stages I , II & III (2100 MW), Kahalgoan Stage I (840 MW), Vindhyachal (1260 MW), Rihand(1000 MW), Unchahar-I (420 MW), NCTPP (Dadri)-(840 MW), Talcher Stage I (1000 MW), Super Thermal Power Stations; Kawas (645 MW), Anta (413 MW) and Auraiya (652 MW) and Dadri (817 MW)- Gas Based Stations, Gandhar Gas-I (648 MW) and renovation and modernisation schemes. This also includes a provision of Rs.40.00 crores for equity participation by NTPC in other Public Sector undertakings. A provision of Rs.30.00 crores for Badarpur Thermal Power Project comprising Rs.1.64 crores for Stage-II (210 MW), Rs.4.52 crores for Stage-III (210 MW), which are under commercial operation, Rs.10.59 crores for renovation & modernisation of these Plants, Rs.12.59 crores for land for ash pond and Rs.0.66 crores for fire protection system.

A budget provision of Rs.111.10 crores has been provided for National Hydro-Electric Power Corporation to support its plan outlay of Rs.1337.69 crores for ongoing projects viz. Dulhasti (390 MW), Chamera-I (540 MW), Uri (480 MW), Tanakpur (3 x 40 MW), Salal II (3 x 115 MW), Rangit (60 MW),Koel Karo (710 MW), Dhauliganga (280 MW) and Hydro-electric projects and new project of Chamera II (300 MW), as well as investigations of new hydro-electric projects.

A budgetary support of Rs.318.64 crores is meant for Power Grid Corporation of India to support its plan outlay of Rs.1515.84 crores for ongoing as well as new transmission lines taken over by Power Grid Corporation from NTPC, NHPC and NEE P CO and inter regional links and for laying Extra High Volage (EHV), High Voltage Direct Current (HVDC) transmission system and associated substations as well as construction of load despatch and communication facilities.

Other provisions include capital expenditure of Rs. 30.00 crores as Government of India's contribution to the resources gap in the share of Madhya Pradesh in the power component of Sardar Sarovar Project, Rs.350.12 crores for North Eastern Electric Power Corporation for Kathalguri Gas Based generation project (Rs.305.95 crores), Kopli Extension (Rs.40.35 crores), Agartala Gas Turbine (Rs.150.00 crores) and R & M Kopli etc. (Rs.2.10 crores). Rs.300.00 crores as budgetary support to Power Finance Corporation to finance power efficiency improvement projects of State Electricity Boards under WB/ADB assistance schemes, Rs.440.58 crores for Nathpa Jhakri Power Corporation and Rs.211.17 crores for Tehri Hydro Development Corporation and Rs.300 crore to REC to finance system improvement projects of SEBs under OECF assistance.

Inter-State Transmission Lines: A provision of Rs.3.30 crores has been made for centrally sponsored inter-state transmission lines to connect contiguous power systems for facilitating the formation of regional grid leading ultimately to the formation of a national grid, which will enable reliable and efficient supply of power to the consumers.

क्षेत्रीय भार परेषण केन्द्र : पांच क्षेत्रीय भार परेषण केन्द्रों-उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की स्थापना संबंधित क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन एवं नियंत्रण के लिए की गई है। इससे क्षेत्र में उत्पादन और परेषण सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में राज्य प्रणाली की गतिविधियों के बीच समन्वय करने में सुविधा होगी। इसके लिए अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रीय भार परेषण केन्द्रों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भार परेषण केन्द्र के लिए 70 लाख रुपए की व्यवस्था शामिल है। 13.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के लिए की गई है।

अनुसंधान और विकास : बहुत से संस्थान जैसे केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, बिजली की आधारभूत और अनुप्रायोगिक-दोनों प्रकार की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य में लगे है। इस प्रयोजन के लिए 68.00 करोड़ रुपए का प्रावधान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के लिए और 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के लिए किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण और अन्य कार्यक्रम : ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए 13.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें ऊर्जा प्रबन्ध के लिए सहायता अनुदान शामिल है। ताप बिजली घरों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए और टी एंड डी हानियों को कम करने की प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 5.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

प्रशिक्षण : विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों का प्रशिक्षण और विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, हाट लाइन प्रशिक्षण केन्द्र और विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ब.अ.. 1995-96 के लिए कुल प्रावधान 11.59 करोड़ रुपए (10.00 करोड़ रुपए एनपीटीआई के लिए, 0.70 करोड़ रुपए एचएलटीसीके लिए और 0.89 करोड़ रुपए पीएसटीआई के लिए) है।

न्यूक्लीय विद्युत : 1995-96 के लिए इस क्षेत्र के अंतर्गत कुल अनुमोदित परिव्यय 1151.73 करोड़ रुपए है। इसमें से 1122.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था काकरापार परमाणु बिजली परियोजना, कैगा परमाणु बिजली परियोजना I और II, राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना, इकाई III और IV को समर्थन देने हेतु न्यूक्लीय विद्युत निगम के लिए तथा तारापुर परमाणु बिजली परियोजना (कैगा III से IV) के लिए है। कुल परिव्यय में एन पी सी तथा डी ए ई की सहायक परियोजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है। एन पी सी की सहायक परियोजनाएं तारापुर, राजस्थान तथा नरोरा परमाणु बिजली घरों में सुधार, 500 मे.वा. और 235 मे.वा. रिएक्टरों का विकास और अन्य बुनियादी कार्य है। डीएई परियोजनाओं के अंतर्गत कालपक्कम में वेस्ट इमोबाइलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए व्यवस्था भी शामिल है। कैगा में पर्यावरणात्मक सर्वेक्षण प्रयोगशाला, ठोस भण्डारण निगरानी सुविधा, एकत्रित हो गए फालतू उत्पादों और कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए गोदाम का निर्माण, सी डब्ल्यू एस उच्च तकनीकी सुविधा और न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों के लिए अतिरिक्त बढ़ी हुई सुविधाएं।

पेट्रोलियम : वर्ष 1995-96 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए 11938.20 करोड़ रुपए के अनुमोदित आयोजना परिव्यय जिसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस (प्राकृतिक गैस के लाने ले जाने सहित) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 7396.51 करोड़ रुपए, और पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण और विपणन के लिए 4541.69 करोड़ रुपए हैं। (2) इस मंत्रालय के 1995-96 के आयोजना परिव्यय का वित्तपोषण 11933.91 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजटेतर साधनों और 4.29 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन द्वारा किया जाएगा। (3) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 1995-96 का आयोजना परिव्यय 5524.00 करोड़ रुपए का है जिसमें सर्वेक्षण, ड्रिलिंग के लिए व्यवस्था शामिल है। (4) ऑयल इंडिया लिमिटेड के 1995-96 के आयोजना परिव्यय के लिए 610 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। इसमें असम, अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर तट आदि में समर्थन उपस्कर और सुविधाएं, की व्यवस्था शामिल है। (5) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के लिए आयोजना परिव्यय 1995-96 के लिए 2162.51 करोड़ रुपए का है। इसमें किए गए प्रावधानों में लाकवा और उसार में एलपीजी संयंत्र, एच बी जे प्रोन्नयन परियोजना और उ.प्र. पैट्रोरसायन परियोजना,आदि जैसी परियोजनाएं शामिल है। (6) भारतीय तेल निगम का आयोजना परिव्यय 1995-96 के लिए 2625.95 करोड़ रुपए का है। डिग्बोई रिफाइनरी, कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइप- लाइन, पानीपत रिफाइनरीआदि के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता है। (7) वर्ष 1995-96 के लिए एच पी सी एल के लिए आयोजना परिव्यय 750.00 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये है। कम्पनी मंगलौर में एल.पी.जी. के आयात की सुविधाओं, मंगलौर रिफाइनरी, आदि परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है। (8) बी पी सी एल का आयोजना परिव्यय 1995-96 के लिए 498.69 करोड़ रुपए रखा गया है। सेन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी, बम्बई-मन्माड उत्पाद पाइपलाइन, आदि जैसी योजनाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं। (9) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 1995-96 के लिए अनुमोदित आयोजना परिव्यय 270.12 करोड़ रुपए है। एरोमैटिक्स परियोजना आदि के लिए धनराशियों की व्यवस्था की गई है। (10) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के लिए वर्ष 1995-96 का अनुमोदित परिव्यय 66.12 करोड़ रुपए का है। कोचीन रिफाइनरी के गैर-गत्यावरोध, ऊर्जा संरक्षण, आदि

Regional Load Despatch Stations: Five Regional Load Despatch stations for the Northern, Southern, Western, Eastern and North - Eastern Regions have been established for the operation and control of respective regional grids. This will also facilitate coordination between the activities of the State system in the respective regions with a view to ensure optimum utilisation of generation and transmission facilities in the region. This includes a provision of Rs. 70 lakhs for a National Load Despatch Centre at New Delhi to coordinate the activities of the regional load despatch centres on an All India basis. A provision of Rs.13.57 crores has been made for Regional Load Despatch Stations.

Research and Development : A number of institutes such as Central Power Research Institute, Bangalore, Central Board of Irrigations & Power are engaged in research on power problems, fundamental as well as applied. A provision of Rs.68.00 crores has been made for Central Power Research Institute and Rs.1.50 crore for Central Board of Irrigation and Power.

Energy Conservation and Other Programme: Provision of Rs.13.00 crores is earmarked for schemes relating to conservation of energy including grant in aid to Energy Management, Rs. 5.00 crores for incentive schemes for better performance of thermal power stations and for incentive schemes for reduction of T & D losses.

Training : Training of Power Sector personnel and research in Power Sector is conducted by National Power Training Institute (NPTI), Hot Line Training Centre (HLTC) and Power system Training Institute (PSTI). A total provision of Rs.11.59 crores (Rs.10.00 crores for NPTI, Rs.0.70 crore for HLTC and Rs.0.89 crores for PSTI) has been made in BE 1995-96.

Nuclear Power: The total approved outlay under this sector for 1995-96 is Rs.1151.73 crores. Out of this, Rs.1122.00 crores are for Nuclear Power Corporation for Kakrapar Atomic Power Project, Kaiga Atomic Power Project I and II, Rajasthan Atomic Power Project Unit III and IV andTarapur Atomic Power Project (III to IV). The total outlay includes provision for ancillary projects of NPC and DAE. The ancillary projects of NPC are improvements to Tarapur, Rajasthan and Narora Atomic Power Stations, Development of 500 MWs and 235 MWs Reactors and other infrastructural works. DAE projects include the establishment of Waste Immobilisation Project at Kalpakkam, Environmental Survey Laboratory at Kaiga, Construction of a Repository for Immobilised Waste Products and for Prototype Fast Breeder Reactor, CWS High Tech Facility and additional upgrading facility for Nuclear Power Plants.

Petroleum: The approved Plan outlay for 1995-96 of Rs. 11938.20 crores of the Ministry of Petroleum & Natural Gas consists of Rs.7396.51 crores for exploration and production of crude oil and natural gas (including transportation of natural gas) and Rs.4541.69 crores for refining and marketing of petroleum products. (2) The Plan outlay of 1995-96 of this Ministry will be financed by internal and extra-budgetary resources of Rs. 11933.91 crores and by budgetary support of Rs.4.29 crores. (3) Plan outlay for ONGC for 1995-96 is Rs. 5524.00 crores which includes provisions for surveys, drilling etc., (4) The plan outlay of Oil India Ltd for 1995-96 has been approved at Rs.610 crores. Provisions have been made for back up equipments and facilities, drilling and surveys in Assam and Arunachal Pradesh and NE Coast, (5) The plan outlay for GAIL for 1995-96 has been kept at Rs.2162.51 crores. Provisions include for projects like LPG plant Lakwa and Usar, HBJ upgradation Project and UP Petrochemical Project, etc. (6) The Plan outlay for Indian Oil Corporation for 1995-96 is Rs.2625.95 crores. Funds are required for implementation of projects such as modernisation of Digboi Refinery, Kandla-Bhatinda pipeline,Panipat Refinery etc., (7)The plan outlay for HPCL for 1995-96 has been fixed at Rs.750.00 crores. The Company is implementing projects like Mangalore Refinery, LPG import facilities at Mangalore etc. (8) BPCL's plan outlay for 1995-96 has been approved at Rs.498.69 crores. Provisions are there for schemes like Central India Refinery, Bombay-Manmad Product Pipeline, etc. (9) For Madras Refineries Ltd., the approved plan outlay for 1995-96 is Rs.270.12 crores. Funds have been provided for Aromatics Project etc. (10) The approved outlay for Cochin Refineries Ltd. for 1995-96 is Rs.66.12 crores. There are provisions for projects like Debottlenecking of Cochin Refinery, Energy Conservation, etc. (11) Outlay approved for BRPL for 1995-96 is Rs. 103.75 crores which includes provision for projects like Expansion of Refinery, etc. (12) Plan Outlay for Lubrizol India Ltd. is Rs.3.98 crores for 1995-96 which includes provision for some

जैसी परियोजनाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं। (11) बी आर पी एल के लिए 1995-96 के लिए 103.75 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और इसमें रिफाइनरी विस्तार, आदि जैसी परियोजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है। (12) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड के लिए 1995-96 का आयोजना परिव्यय 3.98 करोड़ रुपए है और इसमें कुछ जारी और नई योजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है। (13) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए 1995-96 हेतु अनुमोदित आयोजना परिव्य 6.50 करोड़ रुपए निर्णीत किया गया है। (14) आईबीपी कंपनी लिमिटेड के लिए 1995-96 के लिए अनुमोदित आयोजना परिव्यय 118.89 करोड़ रुपए का है। (15) बालमेर लॉरी कंपनी लिमिटेड का 1995-96 के लिए अनुमोदित परिव्यय 30.06 करोड़ रुपए का है। (16) 1995-96 में बीको लारी का आयोजना परिव्यय 3.00 करोड़ रुपए है। (17) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को असम में नुमालीगढ़ में 3 एम एम टी पी ए रिफाइनरी को चालू करना है। 1995-96 के लिए आयोजना परिव्यय की राशि 400 करोड़ रुपए है।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी समर्थन देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, कोयले और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए 1995-96 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के लिए 3207.06 करोड़ रुपए रखा गया है। 460.50 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता में 2410 लाख मीट्रिक टनों के निर्धारित कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 241.00 करोड़ रुपए, 280 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित कोयला उत्पादन के लिए सिंगरेनी कोलरीज के लिए 22.00 करोड़ रुपए तथा 155.0 लाख मीट्रिक टनों के निर्धारित लिग्नाइट उत्पादन के लिए नेवेली लिग्नाइट निगम के लिए 153.68 करोड़ रुपए शामिल है।

ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत : सुदूरवर्ती इलाकों, ग्रामीण, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जात्मक आवश्यकताओं के लिए विकेन्द्रीकृत तरीके से तथा स्थलों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपारम्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता तथा सक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, तकनीकी तथा वित्तीय निविष्टियों को लगाकर इस क्षेत्र को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

व,र्ष 1995-96 का परिव्यय 150.00 करोड़ रुपए के आ. ब., बा. स. सहित एम. एन. ई. एस. के लिए 395.00 करोड़ रुपए है।

उद्योग और खनिज

ग्राम और लघु उद्योग : इस शीर्ष के अन्तर्गत खादी और ग्राम उद्योग, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, के लिए परिव्यय शामिल है। वर्ष 1995-96 के लिए 887.40 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 159 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लगभग 14 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना-अपना कारोबार/उद्योग 7 लाख छोटे उद्यम शुरू करने में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना हेतु 145 करोड़ रुपए रखे हैं। यह योजना शिक्षित रोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना का स्थान लेगी। 13 करोड़ रुपए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए है जो उसकी उन आयोजना स्कीमों के लिए है जिसके अंतर्गत लघु क्षेत्र के उद्योगों को किश्तों में मशीनें और कच्चा माल प्राप्त करवाने में सहायता की जाती है। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिपारिशों के कार्यन्वयन के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 130 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

लोहा और इस्पात उद्योग : 1995-96 के लिए 3869.86 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसका वित्तपोषण, 284.50 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 3585.36 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजटेत्तर साधनों द्वारा किया जाएगा । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) के लिए 3187.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा जिसमें एस.डी.एफ. से 583.00 करोड़ रुपए, ईसीबी/सप्लायर ऋणों से 214.00 करोड़ रुपए, बांडों/ऋणपत्रों से 205 करोड़ रुपए की और आंतरिक संसाधनों से 1207 करोड़ रुपए धनराशि शामिल है। विभिन्न स्कीमों के लिए परिव्यय का मुख्य ब्यौरा इस प्रकार है (1) भिलाई इस्पात संयत्र के लिए 334.00 करोड़ रुपए जिसमें 4 मीट्रिक टन वाले चरण तक के विस्तार संबंधी अंतिम अदायगियों के लिए 3.29 करोड़ रुपए, डिबोटल नेकिंग स्कीमों के लिए 27.50 करोड़ रुपए, आर एण्ड एस मिल-चरण-I का आधुनिकीकरण (55.34 करोड़ रुपए), ए एम आर (160.09 करोड़ रुपए) और शेष राशि टाऊनशिप और नई बड़ी योजनाओं के लिए है । (2) राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 1346.35 करोड़ रुपए जिसमें चरण-I के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए तथा चरण-II के आधुनिकीकरण के लिए 1150करोड़ रुपए, ए एम आर के लिए 148.25 करोड़ रुपए और शेष राशि टाऊनशिप आदि के लिए, (3) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए 431.14 करोड़ रुपए जिसमें 350 करोड़ रुपए की राशि संयंत्र के आधुनिकीकरण और खानों के लिए है, 55.54 करोड़ रुपए ए एम आर और शेष पुनर्स्थापन स्कीमों व टाऊनशिप के लिए है, (4) सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 113.46 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें हॉट रोलिंग सुविधाओं के लिए 110.91 करोड़ रुपए, ए एम आर के लिए 2.00

continuing and new schemes. (13) For Engineers India Ltd., the approved plan outlay for 1995-96 is Rs.6.50 crores. (14) Approved Plan Outlay for IBP Co. Ltd. for 1995-96 is Rs. 118.89 crores. (15) Balmer Lawrie Co. Ltd.'s outlay for 1995-96 is Rs.30.06 crores. (16) Biecco Lawrie's Plan outlay for 1995-96 is Rs.3.00 crores. (17) Numaligarh Refinery Ltd. is to implement a 3 MMTPA refinery at Numaligarh in Assam. Its plan outlay for 1995-96 is Rs.400 crores.

Coal and Lignite : Keeping in view the importance of the energy sector for infrastructure support to the Indian economy, the Central Plan outlay for the coal and lignite sector for 1995-96 has been kept at Rs. 3207.06 crores. The total budgetary support of Rs.460.50 crores mainly comprises of Rs.241.00 crores for Coal India Ltd., for targetted coal production of 241.00 million tonnes, Rs. 22.00 crores for Singareni Collieries Co. Ltd., for targetted coal production of 28.00 million tonnes and Rs. 153.68 crores for Neyveli Lignite Corporation, for targetted lignite production of 15.50 million tonnes.

Non-Conventional Sources of Energy : In view of the potential and capability of Non-Conventional and Renewable Energy sources in providing energy in situ and in a decentralised way for various energy needs in remote, rural, semi-urban and urban areas, it is necessary to develop this sector by putting more and more R & D, technical and financial inputs.

The outlay for 1995-96 for the MNES is Rs.395.00 crores including IEBR of Rs.150.00 crores.

INDUSTRY AND MINERALS

Village and Small Scale Industries: This head includes outlays for Khadi and Village Industries, Prime Minister's RozgarYojana, National Small Industries Corporation. The outlay for 1995-96 is Rs.887.40 crores which includes a sum of Rs. 159.00 crores for promoting Khadi & Village Industries and thus provide employment opportunities in the rural areas. Rs.145 crores for Prime Minister Rozgar Yojana is to assist around 1.4 million educated unemployed youth to start their own business/Industry (7 lakhs micro enterprises). Rs.13 crores for National Small Industries Corporation for their plan schemes under which Small Scale Industries are assisted in procuring machines on hire purchase basis and raw materials. Rs.130 crores outlay has been provided for Rural Employment Generation Programme for Implementation of recommendations of High Power committee.

Iron and Steel Industries : The outlay for 1995-96 is Rs.3869.86 crores which will be financed by a budgetary support of Rs.284.50 crores and internal and extra-budgetary resources of Rs.3585.36 crores. The outlay for Steel Authority of India (SAIL) has been set at Rs.3187.00 crores. This outlay will be met out of the extra budgetary resources including Rs.583.00 crores from SDF, Rs.214.00 crores from ECB/Suppliers Credit, Rs.205.00 crores from Bonds and Rs.1207 crores from internal resources. The broad details of outlay provided for various schemes are (1) Rs.334.00 crores for Bhilai Steel Plant including Rs.3.29 crores for the expansion of 4 MT Stage to take care of final payments, Debottlenecking Schemes (Rs.27.50 crores), Modernisation of R & S Mill - Phase I (Rs.55.34 crores), AMR (Rs.160.09 crores) and the balance for new capital schemes and township, (2) Rs.1346.35 crores for Rourkela Steel Plant including Rs.45.00 crores for modernisation of Phase I and Rs.1150.00 crores for Phase II, Rs.148.25 crores for A.M.R. and the balance for township etc., (3) Rs.431.14 crores for Durgapur Steel Plant includes Rs.350.00 crores for modernisation of the plant and mines, Rs.55.54 crores for AMR and the balance for rehabilitation schemes township, (4) An outlay of Rs.113.46 crores has been provided for Salem Steel plant. This includes Rs.110.91 crores for Hot Rolling Facilities, Rs.2.00 crores for AMR, Rs.0.80 crore for Acid Recovery and the balance for land compensation and town ship, (5) Out of an outlay of Rs.16.89 crores for Alloy Steel Plant, an amount of

करोड़ रुपए और 0.80 करोड़ रुपए एसिड वसूली तथा शेष भूमि के मुआवजे टाऊनशिप के लिए है, (5) मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के लिए 16.89 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 16.87 करोड़ रुपए की राशि ए एम आर और 0.02 करोड़ रुपए टाऊनशिप के लिए है, (6) जहां तक बोकारो इस्पात संयंत्र का संबंध है, 737.26 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से 2 करोड़ रुपए 4 एम टी चरण के विस्तार के लिए है जिसका मुख्य भाग नवम्बर, 1990 में शुरू किया गया था। इस परिव्यय में 0.50 करोड़ रुपए मेघाताबुरू लौह परियोजना संयंत्र जिसे दिसम्बर, 1985 में चालू किया गया था, 14.72 करोड़ रुपए डिबोटल नैकिंग योजनाओं के लिए, 531.06 करोड़ रुपए सी सी एम और एच एस एम चरण-I के आधुनिकीकरण के लिए और 188.58 करोड़ रुपए ए एम आर और शेष राशि टाऊनशिप के लिए; (7) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के लिए अन्य महत्वपूर्ण परिव्यय में ये शामिल हैं - आर डी सी आई एस, सी एम ओ, निगमित कार्यालय, सी ई टी, आर एम डी, 'इस्को', एम ई एल और वी आई एस एल के लिए 207.90 करोड़ रुपए, (8) 298 करोड़ रुपए का परिव्यय विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए है जिसे अगस्त, 1992 में चालू किया गया है, (9) 184.57 करोड़ रुपए का परिव्यय एन एम डी सी के लिए रखा गया है जो चालू योजनाओं, नई योजनाओं, ए एम आर, अनुसंधान एवं विकास, तथा टाऊनशिप के लिए है। (10) के आई ओ सी एल के लिए 125.02 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें नई योजनाओं और ए एम आर और अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए प्रावधान शामिल हैं। (11) इस्पात मंत्रालय के परिव्यय में अन्य प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं — स्क्रैप प्रोसैसिंग यार्ड संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए और ए एम आर योजनाओं के लिए एम एस टी सी और एफ एस एन एल को 24.50 करोड़ रुपए, बी आर एल को 6.00 करोड़ रुपए जो मुख्यतः ए एम आर, अनुसंधान और विकास और टाऊनशिप के लिए है, 600 करोड़ रुपए एस आई आई एल के लिए निर्माण के विभिन्न स्थानों पर कार्यनिष्पादन से संबंधित उपस्करों की खरीद तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए हैं जो ए एम आर, अनु. एवं वि. कार्यक्रमों तथा टाऊनशिप एम.ओ. आई.एल. के लिए 10.53 करोड़ रुपए और एस आई आई एल के लिए 6.03 करोड़ रुपए के लिए हैं। 9.21 करोड़ रुपए एम ई सी ओ एन के लिए जो टाऊनशिप और अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए है, 3.00 करोड़ रुपए लौह अयस्क, चूने, डोलोमाइट के खनन कार्य में रत बर्ड ग्रुप की कम्पनियों के लिए है जो नई खानों के विकास, उपस्करणों के प्रतिस्थापन आदि में लगी हैं और 10 करोड़ रुपए लौह एवं इस्पात कार्यक्रम के लिए हैं।

Rs.16.87 crores is for AMR and Rs.0.02 crore for town ship, (6) As regards Bokaro Steel Plant, out of the approved outlay of Rs.737.26 crores, Rs.2 crore relate to expansion of 4 MT stage, the mainstream of which was commissioned in November, 1990. The outlay also includes Rs.0.50 crore for Meghataburu Iron Project plant, which has been commissioned in December, 1985, Rs.14.72 crores for Debottlenecking schemes; Rs.531.06 crores for CCM and modernisation of HSM (Phase I) and Rs.188.58 crores for AMR and the balance for township, (7) Other important outlay for SAIL includes–Rs.207.90 crores for RDCIS, CMO, Corporate office, CET, RMD, IISCO, MEL and VISL, (8) An outlay of Rs.298.00 crores has been provided for Visakhapatnam Steel Plant which has been commissioned in August, 1992, (9) The outlay of Rs.184.57 crores has been provided for NMDC for Continuous Schemes, New Schemes, AMR, R&D and township, (10) The outlay of Rs.125.02 crores provided for KIOCL includes provisions for New Schemes and AMR and R & D and feasibility studies, (11) The other major provisions included in the outlay of Ministry of Steel are Rs.24.50 crores for MSTC and FSNL for setting up scrap processing yards joint venture and for AMR schemes; Rs.6.00 crores for BRL mainly for AMR, R & D and township; Rs.6.00 crores for SIIL for purchase of equipment and other capital expenditure relating to execution of work at various sites of constructions, Rs.10.53 crores for MOIL and Rs.6.03 crores for SIIL for AMR, R & D Programmes and township; Rs.9.21 crores for MECON for township and R&D schemes; Rs.3.00 crores for Bird Group of Companies who are engaged in mining of iron ore, limestone, dolomite, for development of new mines, replacement of equipment etc. and Rs.10.00 crores for the Iron and Steel Mission.

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए 474.01 करोड़ रुपए (366.29 करोड़ रुपए के आन्तरिक तथा बजटेत्तर साधनों सहित) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सकल परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) एल्यूमीनियम (247.00 करोड़ रुपए), नेलको के लिए 180.00 करोड़ रुपए और बालको के लिए 67.00 करोड़ रुपए।

(ख) तांबा (79.77 करोड़ रुपए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लिए)।

(ग) जस्ता और शीशा (45.00 करोड़ रुपए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए)

(घ) सोना (भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड) - 6 करोड़ रुपए

(ङ) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (2.37 करोड़ रुपए)

(च) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (55.00 करोड़ रुपए)

(छ) भारतीय खान ब्यूरो (10.00 करोड़ रुपए)

(ज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (10.11 करोड़ रुपए)

(झ) सिक्किम खनन निगम (0.76 करोड़ रुपए)

(ञ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए विनिर्माण कार्यक्रम (10.00 करोड़ रुपए)।

Non-ferrous Mining and Metallurgical Industry: The outlay for 1995-96 is Rs.474.01 crores (including internal and extra budgetary resources of Rs.366.29 crores). The break-up of the gross outlay is as under:–

(a) Aluminium (Rs.247.00 crores);NALCO Rs.180.00 crores and BALCO Rs.67.00 crores.

(b) Copper (Rs.79.77 crores for Hindustan Copper Ltd.);

(c) Zinc and Lead (Rs.45.00 crores for Hindustan Zinc Ltd.)

(d) Gold (Bharat Gold Mines Ltd.) - Rs.6.00 crores;

(e) Mineral Exploration Corporation Ltd. (Rs.2.37 crores).

(f) Geological Survey of India (Rs. 55.00 crores)

(g) Indian Bureau of Mines (Rs.10.00 crores).

(h) Science & Technology Programmes (Rs.10.11 crores).

(i) Sikkim Mining Corpn. (Rs.0.76 crores).

(j) Construction Programme for Geological Survey of India and Indian Bureau of Mines (Rs.10.00 crores).

सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग : 1995-96 के लिए 68.53 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से 2.00 करोड़ रुपए भारतीय सीमेंट निगम के लिए और 60.00 करोड़ रुपए सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र की व्यवहार्यता को बनाये रखने के लिए निर्णायक संतुलित निवेश के लिए है।

Cement and Non-metallic Mineral Industries: Outlay for 1995-96 is Rs.68.53 crores of which Rs.2.00 crores is for the Cement Corporation of India and Rs.60.00 crores for Crucial Balancing Investment for sustained viability of PEs.

उर्वरक उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए 1974.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जिसमें से 1769.00 करोड़ रुपए की राशि आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से तथा 205.00 करोड़ रुपए की बकाया राशि की बजट समर्थन के जरिए व्यवस्था की जाएगी। 1974.00 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय, उर्वरक तथा रसायन, ट्रावनकोर (208.00 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (25.00 करोड़ रुपए), हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (18.00 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लि. (250.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (408.00 करोड़ रुपए), पारादीप फास्फेट लि. (50.00 करोड़ रुपए), प्रोजेक्ट्स एन्ड डेवलेपमेंट इण्डिया लि. (1.00 करोड़ रुपए), पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (5.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (281.00 करोड़ रुपए), भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड (448.00 करोड़ रुपए), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (268.00 करोड़ रुपए) तथा अन्य स्कीमों (12.00 करोड़ रुपए) के लिए है।

205.00 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन, उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड (70.00 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (25.00

Fertilizer Industries: The outlay for 1995-96 is Rs.1974.00 crores, of which an amount of Rs.1769.00 crores will be met from the internal and extra budgetary resources and the balance amount of Rs. 205.00 crores will be provided by way of budgetary support. The outlay of Rs.1974.00 crores is for Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (Rs.208.00 crores), Fertilizer Corporation of India (Rs.25.00 crores), Hindustan Fertilizer Corporation (Rs.18.00 crores), Madras Fertilizers Ltd. (Rs.250.00 crores), National Fertilizer Ltd. (Rs.408.00 crores), Paradeep Phosphate Ltd. (Rs.50.00 crores), Project and Development India Ltd. (Rs.1.00 crores), Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd. (Rs.5.00 crores), Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (Rs.281.00 crores), Indian Farmers Fertilizers Coop. Ltd. (Rs.448.00 crores), Krishak Bharti Coop Ltd. (Rs.268.00 crores) and other schemes (Rs.12.00 crores).

The budgetary support of Rs. 205.00 crores is for Fertilizer & Chemicals Travancore Limited (Rs.70.00 crores), Fertilizer

करोड़ रुपए), हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (18.00 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक निगम (24.00 करोड़ रुपए), पारादीप फास्फेट लि. (50.00 करोड़ रुपए) भारतीय परियोजना एवं विकास लि. (1.00 करोड़ रुपए) पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (5.00 करोड़ रुपए) तथा अन्य स्कीमों (12.00 करोड़ रुपए) के लिए है। अन्य स्कीमों के अंतर्गत, 2.00 करोड़ रुपए इंडो-ईईसी - उर्वरक शिक्षा कार्यक्रमों, 2.00 करोड़ रुपए एचएफसी और 3.00 करोड़ रुपए 'कृभको' को ए इंडो-यू.के. एड कार्यक्रम के अंतर्गत रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए, जर्मनी की सहायता प्राप्त चारा विकास परियोजना के लिए 0.40 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोजेक्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट इंडिया लि. को अनुदान के रूप में 4.00 करोड़ रुपए, एस एण्ड टी कार्य के लिए 0.50 करोड़ रुपए तथा नेशनल प्रोजेक्ट फार फर्टिलाइजर हैंडलिंग के लिए 0.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। प्रोजेक्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट इंडिया लि. के लिए अनुसंधान एवं विकास, एस एण्ड टी कार्य तथा नेशनल प्रोजेक्ट फार फर्टिलाइजर हैंडलिंग के प्रावधान को छोड़कर उपर्युक्त सभी कार्यक्रम 'अन्य स्कीमों' के अंतर्गत विदेशी सहायता के अंतर्गत शामिल हैं।

पेट्रो-रसायन उद्योग : इस क्षेत्र के लिए 2077.27 करोड़ रुपए का जो परिव्यय रखा गया है, वह निम्नलिखित उद्योग समूहों के लिए रखे गए परिव्ययों के जोड़ के बराबर है:

i) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अधीन पेट्रो-रसायन (883.35 करोड़ रुपए); और
ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास पेट्रोलियम तेल शोधक कारखानों का पेट्रो-रसायन भाग (1193.92 करोड़ रुपए)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में 1995-96 के आयोजना परिव्यय को मुख्य रूप से इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. के 842.00 करोड़ रुपए के और पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. के 25.35 करोड़ रुपए तक के आंतरिक और बजटेत्तर संसाधनों से पूरा किया जाता है।

रसायन और औषधीय उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए 185.83 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 17.91 करोड़ रुपए बजट समर्थन और 167.92 करोड़ रुपए आई.ई.बी.आर. के होंगे। इस परिव्यय में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. के संबंध में 140.00 करोड़ रुपए, हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लि. के लिए 8.43 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इंजीनियरी उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए आयोजना परिव्यय 359.36 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., एच एम टी लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., भारत यंत्र निगम लि., भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत हिन्दुस्तान केबल्स लि., हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इंजीनियर इण्डिया लि. आदि जैसे इंजीनियरी उद्योग शामिल हैं।

दूर-संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए 339.36 करोड़ रुपए का परिव्यय है। परिव्यय में प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टी.डी.सी.) परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास कार्यक्रम, भारतीय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी विकास कार्यक्रम, पांचवी पीढ़ी कम्प्यूटर प्रणाली मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण, अन्य कार्यक्रम, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम के लिए व्यवस्था और एस.सी.एल., सी.एम.सी. और ई.टी.टी. एण्ड डी.सी. के लिए निवेश शामिल हैं। संचार विभाग के अंतर्गत रखा गया परिव्यय भारतीय टेलीफोन उद्योग और हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड के लिए है।

उपभोक्ता उद्योग : इसके अंतर्गत खाद्य संसाधन उद्योग, नागरिक आपूर्ति तथा लोक वितरण, वस्त्र मंत्रालयों तथा भारी उद्योग विभाग के उपभोक्ता उद्योगों से संबंधित है। वर्ष 1995-96 के लिए 226.27 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत परिव्यय भारतीय मानक ब्यूरो के लिए है जब कि खाद्य संसाधन उद्योगों के अंतर्गत यह माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. और नैरामाक शाक्तिवर्धक खाद्य संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने हेतु है। भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता उद्योगों के लिए रखा गया परिव्यय नेपा लि., भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. हिन्दुस्तान पेपर निगम, भारतीय टायर निगम तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनी से संबंधित है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम, हैन्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन वस्त्र अनुसंधान संघ आदि के लिए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

परमाणु ऊर्जा उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए कुल 201.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इसमें 3.67 करोड़ रुपए की व्यवस्था मानुगुरू में भारी पानी परियोजनाओं के लिए और अन्य आवासीय कालोनियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की ईंधन पुनः संसाधित तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए (25.00 करोड़ रुपए) परिव्यय शामिल है। नाभिकीय ईंधन काम्प्लैक्स के लिए मुख्यतः ईंधन निर्माण संयंत्रों और जिर्कलोय एवं जिर्कोनियम परियोजनाओं के विस्तार के लिए तथा परमाणु बिजली घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नए यूरेनियम आक्साइड ईंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए 70.00 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। इसके

Corporation of India Ltd. (Rs. 25.00 crores), Hindustan Fertilizer Corporation (Rs. 18.00 crores), Madras Fertilizers Ltd. (Rs. 24.00 crores), Paradeep Phosphates Ltd., (Rs.50.00 crores), Project & Development India Ltd. (Rs.1.00 crores), Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd. (Rs.5.00 crores) and other schemes (Rs.12.00 crores). Under other schemes, there is a provision of Rs.2.00 crores for Indo-EEC Fertilizer Education Programmes, Rs.2.00 crores for HFC and Rs.3.00 crores for KRIBHCO, for Rainfed Farming Project under Indo-UK Aid Programme, Rs.0.40 crore for German Assisted Fodder Development Project, Rs.4.00 crores as grant to Projects & Development India Ltd. for R&D, Rs.0.50 crore for S&T Work and Rs.0.10 crore for National Project for Fertilizer Handling. Except the provision of R&D for Projects & Development India Ltd., S&T Work and National Project for Fertilizer Handling, all other programmes under 'other schemes' are covered under foreign aid.

Petrochemical Industries : The plan outlay of Rs.2077.27 crores for this sector is the aggregate of the outlays provided for :

i) Petro-chemicals under the Deptt. of Chemicals & Petro-chemicals (Rs.883.35 crores); and
ii) Petro-chemical portion of the petroleum refineries with the Ministry of Petroleum and Natural Gas (Rs.1193.92 crores).

The plan outlay for 1995-96 in respect of projects under Department of Chemical and Petro-chemicals is mainly met from internal & extra budgetary resources of Indian Petro-chemicals Corporation Ltd. (IPCL) to the tune of Rs.842.00 crores and that of Petrofils Cooperative Ltd. (PCL) to the extent of Rs.25.35 crores.

Chemical and Pharmaceutical Industries : The outlay for 1995-96 is Rs.185.83 crores with a budgetry support of Rs.17.91 crores and I.E.B.R. of Rs.167.92 crores. The outlay includes Hindustan Organic Chemicals Ltd.,- Rs.140.00 crores and Hindustan Antibiotics Ltd.,-Rs.8.43 crores.

Engineering Industries : The Plan outlay for 1995-96 is Rs.359.36 crores. It includes outlay for engineering industries viz. Bharat Heavy Electricals Limited, HMT Limited, Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, Bharat Yantra Nigam Limited, Hindustan Cables Ltd., Heavy Engineering Corporation Ltd. etc. under Department of Heavy Industry and Engineers India Ltd. etc. under Ministry of Petroleum & Natural Gas.

Telecommunication and Electronic Industries : The Plan outlay for 1995-96 is Rs.339.36 crores. The outlay includes provisions for Technology Development Council (TDC) projects. Electronics Material Development Programme, Indian Micro-Electronic Development Programme, Fifth Generation Computer System, Standardisation Testing & Quality Certification, other programmes, Central Electronics Ltd., Electronics Corporation of India and for investment in SCL, CMC and ETT & DC. The outlay under the Department of Communication is for Indian Telephone Industries and Hindustan Teleprinters Limited.

Consumer Industries: The outlays relate to consumer industries under the Ministries of Food Processing Industries, Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, Textiles and Department of Heavy Industry . The outlay for 1995-96 is Rs.226.27 crores. The outlay under Civil Supplies Consumer Affairs and Public Distribution relates to Bureau of Indian Standards while under Food Processing Industries is for support to Modern Food Industries India Ltd. and Neramac for setting up of Energy Food Plants etc.. The outlay for consumer industries under the Department of Heavy Industry relates to NEPA Ltd., Bharat Leather Corporation of India Ltd., Hindustan Paper Corporation and Tyre Corporation of India, Hindustan Photo-films Manufacturing Co.. The outlay for textiles relates to National Textile Corporation, British India Corporation and National Jute Manufactures Corporation, Textile Research Associations etc.

Atomic Energy Industries: The total outlay for 1995-96 is Rs.201.00 crores. This includes Rs.3.67 crores for Heavy Water Projects at Manuguru and others, housing colonies fuel reprocessing and other industrial projects of Bhabha Atomic Research Centre (Rs.25.00 crores). A provision of Rs.70.00 crores has also been made for Nuclear Fuel Complex mainly for expansion of Fuel Fabrication Plants, Zircaloy and Zirconium Projects and for setting up of a new Uranium Oxide Fuel Plant to meet the needs of Atomic Power Stations. In addition, the provisions include an amount of Rs.1.90 crores for

अलावा, प्रावधानों में ये शामिल है — लेसर की उत्पादन यूनिट स्थापित करने के वास्ते सी ए टी, इंदौर के लिए 1.90 करोड़ रुपए तथा फास्ट रिएक्टर फ्युअल रिप्रोसेसिंग संयंत्र के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के संबंध में 8.28 करोड़ रुपए, परमाणु खनन प्रभाग (1.65 करोड़ रुपए) के विकास कार्यों के लिए और 4.00 करोड़ रुपए बोर्ड आफ रेडिएशन एण्ड आइसोटोप टैक्नोलोजी के लिए ताकि रेडियो आइसोटोप एवं अन्य संबंध उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति संबंधी सुविधाएं जुटाई जा सकें। कुल परिव्यय में डीएई के उपक्रमों-अर्थात् यू सी आई एल के लिए 55.00 करोड़ रुपए और आई आर इ लि. (5.00 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान है। जैसा कि ऊपर कहा गया है 201.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में 176.00 करोड़ रुपए बजट समर्थन के रूप में और शेष 25.00 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक संसाधनों के लिए हैं।

अन्य उद्योग : वर्ष 1995-96 के लिए 317.27 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। परिव्यय में से 300.00 करोड़ रुपए राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अन्तरण करने के लिए है जिसका उद्देश्य औद्योगिक पुनर्संरचना/बन्दी से प्रभावित श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना और ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करना है जो आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के परिणामस्वरूप छंटनी, पुनप्रशिक्षण अथवा पुनर्नियोजन का सहारा ले सकते हैं।

उद्योगों तथा खनिजों के अंतर्गत अन्य परिव्यय : वर्ष 1995-96 के बजट में 618.07 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 1995-96 में जो परिव्यय रखा गया है, वह औद्योगिक वित्तीय संस्थानों और पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक एककों को आर्थिक सहायता देने के लिए है।

CAT, Indore for setting up a Production Unit for Lasers and Rs.8.28 crores in respect of Indira Gandhi Centre for Atomic Research for Fast Reactor Fuel Reprocessing plant and for Atomic Minerals Division (Rs.1.65 crores) for development works as well as an amount of Rs.4.00 crores for the Board of Radiation and Isotope Technology to undertake facilities for production and supply of radio-isotopes and other allied products. Included in the total outlay is also a provision towards financial assistance to the undertakings of DAE viz. Rs.55.00 crores for UCIL and IRE Ltd. (Rs.5.00 crore). The Plan outlay of Rs.201.00 crores consists of Rs.176.00 crores as mentioned above by way of Budgetary Support and balance of Rs.25.00 crores by internal resources of Public Sector Undertakings.

Other Industries: The outlay for 1995-96 is Rs.317.27 crores. The outlay includes Rs.300.00 crores for transfer to National Renewal Fund created for protection of labour affected by industrial restructuring/closures, and to meet the requirement of labourers in the Industries which may resort to retrenchment, retraining or redeployment as a result of modernisation and technology upgradation.

Other outlays on Industries and Minerals: The outlay for 1995-96 is Rs.618.07 crores. The outlay is for industrial financial institutions and subsidy to new industrial units in backward areas.

परिवहन

रेलवे : उपलब्ध बजटीय सहायता और रेलवे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, 1994-95 के लिए 7694.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। भारतीय रेलवे के लिए 7500 करोड़ रुपए, कोंकण रेलवे निगम के लिए 120 करोड़ रुपए, और भारतीय कन्टेनर निगम के लिए 74 करोड़ रुपए शामिल है। इससे रेलवे को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी:— (1) वैगन (चार-पहियों वाले)-12,000, (2) लोकोमोटिव-254, (3) कोच-1650, (4) ईएमयू-350, (5) ट्रेक नवीकरण (प्राथमिक और परोक्ष)-2600 कि.मी., (6) विद्युतीकरण-500 रूट किलोमीटर, (7) नई लाइनें-17 कि.मी., (8) गेज परिवर्तन-1500 कि.मी.।

पत्तन और दीपस्तम्भ : पत्तन क्षेत्र की नीति में निम्नलिखित तरीकों से बड़े पत्तनों का विकास करने के लिए जोर दिया गया है (i) कन्टेनर कार्यों के लिए पत्तन सुविधाओं का विस्तार करना, (ii) अन्य पत्तन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार, (iii) बड़े जहाजों को घाट लगाने के लिए चुने हुए मुख्य पत्तनों पर गोदी (ड्राफ्ट) को गहरा करना, (iv) तलकर्षण सुविधाओं का विस्तार करना।

1995-96 के लिये आयोजना परिव्यय 829.13 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

नौवहन : भारतीय नौवहन उद्योग के विकास और विस्तार के लिए वर्ष 1995-96 के लिए 926.49 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें भारतीय नौवहन निगम के लिए 879.40 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

नागर विमानन : नागर विमानन क्षेत्र के लिए 1995-96 के परिव्यय में 3810.91 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है, इसमें एयर इंडिया 2972.61 करोड़ रुपए, इंडियन एयरलाइन्स 413.57 करोड़ रुपए, आई.ए.ए.आई. 162.31 करोड़ रुपए, नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी 225.50 करोड़ रुपए, पवनहंस 29.80 करोड़ रुपए शामिल है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू व कश्मीर तथा लक्षदीप आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को बजटीय समर्थन देने के लिए 46.25 करोड़ रुपए है।

सड़कें और पुल : देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और अनुरक्षण के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है। सामरिक और अन्तर-राज्यीय महत्व की सड़कों की देखभाल केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सड़कों के महत्व को देखते हुए 1995-96 के संदर्भ में 765.90 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। (i) इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए (738.89 करोड़ रुपए), (ii) अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए (12.00 करोड़ रुपए) और (iii) राजमार्ग अनुसंधान तथा आयोजन, मशीनरी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एन.आई.टी.एच.आई. को अनुदान हेतु (15.01 करोड़ रुपए) प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है।

सड़क परिवहन : सरकार सड़क परिवहन के बारे में व्यापक नीतियां बनाने पर विचार कर रही है जिसमें राज्य परिवहन उपक्रमों का प्रबन्ध, राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित मोटर वाहन कानून भी शामिल है। 1995-96 के लिये परिव्यय की राशि 28.00 करोड़ रुपए रखी गई है। इस राशि में शामिल परिव्यय इस प्रकार है : राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों के लिये 6.00 करोड़ रुपए (2) दिल्ली परिवहन निगम के लिये 10.00 करोड़ रुपये और (3) अनुसंधा‍न और प्रशिक्षण की अन्य योजनाओं जिसमें वाहनों से होने

TRANSPORT

Railways : Keeping in view the Budgetary Support made available and the Internal and Extra-budgetary resources to be generated by the Railways, the outlay for 1995-96 has been fixed at Rs.7694.00 crores. This includes Rs. 7500 crores for Indian Railways, Rs. 120 crores for Konkan Railway Corporation and Rs. 74 crores for Contaner Corporation of India. It would enable the Railways to achieve the following targets : (1) Wagons (in terms of 4-Wheeler) -12000, (2) Locomotives -254, (3) Coaches-1600, (4) EMUs-350, (5) Track Renewals (Primary & Secondary)-2,600 Kms., (6) Electrification -500 route Kms., (7) New Lines-17 Kms (8) Gauge conversion-1500 Kms.

Ports and Lighthouses: The policy thrust in the port sector envisages development of major ports by (i) expansion of port facilities for containerised cargo; (ii) modernisation and expansion of other port facilities; (iii) deepening of draft at selected major ports to receive larger vessels; (iv) augmentation of dredging facilities.

The Plan outlay for 1995-96 has been placed at Rs. 829.13 crores.

Shipping : This outlay is for development and expansion of Indian shipping industry. The outlay for 1995-96 has been kept at Rs.926.49 crores. This includes provision of Rs.879.40 crores for Shipping Corporation of India.

Civil Aviation: The outlay for 1995-96 for the Civil Aviation Sector has been fixed at Rs.3810.91 crores. This includes provision for Air India Rs.2972.61 crores, Indian Airlines Rs.413.57 crores, I.A.A.I. Rs.162.31 crores, National Airports Authority Rs.225.50 crores and Pawan Hans Rs.29.80 crores. An amount of Rs.46.25 crores is budgetary support to National Airports Authority for providing night landing and other facilities at Airports in the North Eastern Region and other crucial areas like Jammu and Kashmir and Lakshdweep etc.

Roads and Bridges : Considerable progress has been made in construction, development and maintenance of National Highways in the country. Strategic and roads of inter-state importance are also looked after by the Central Government. Keeping in view the importance of roads for development of the national economy, the outlay for 1995-96 has been kept at Rs. 765.90 crores. 'This includes (i) provision for construction and development of National Highways (Rs.738.89 crores), (ii) Rs.12.00 crores for roads of Inter-State of economic importance and (iii) Rs.15.01 crores for highway research and Planning, machinery and grant to National Highway Authority of India and NITHI.

Road Transport: The Government is concerned with broad policies relating to road transport including management of State Transport Undertakings and Motor Vehicles legislation relating to State Road Transport Corporations. The outlay for 1995-96 has been kept at Rs. 28.00 crores. It includes an outlay of (i) Rs.6.00 crores for Central Government contribution to State Road Transport Corporation, (ii) Rs. 10.00 crores for Delhi Transport Corporation and (iii) Rs. 12.00 crores for other Schemes of Research and Training

वाले प्रदूषण पर नियंत्रण भी शामिल है, के लिये 12.00 करोड़ रुपये।

अन्तर्देशीय जल परिवहन : वर्ष 1995-96 के लिए 20.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । जिसमें ये शामिल हैं :- केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में निवेश के लिए 12.60 करोड़ रुपए, (ii) भारतीय अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण को 5.30 करोड़ रुपए का अनुदान और (iii) विकास एवं योजना, अनुसंधान तथा जलसर्वेक्षण की अन्य योजनाओं के लिए 2.10 करोड़ रुपए।

अन्य परिवहन सेवाएं : फरक्का बराज परियोजना का उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नैगम्यता में सुधार द्वारा कलकत्ता बंदरगाह का परिरक्षण और रख रखाव करना है । 1995-96 के लिये 14.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो मुख्यतः बहु-उद्देशीय पन-बिजली परियोजना की स्थापना के लिए आवंटन सहित भूमि-कटाव निरोधी योजनाओं के लिए है।

संचार

डाक सेवाएं : 1995-96 के बजट अनुमानों में 85.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस परिव्यय के एक बड़े भाग (46.82 करोड़ रुपए) को डाक प्रणाली संबंधी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए खर्च करने का प्रस्ताव है जिसमें कम्प्यूटीकृत काउंटर मशीनों का इष्टतम लाभ उठाकर काउंटर कार्यों और अन्य अग्रणी कार्यालय गतिविधियों का आधुनिकीकरण तथा विभिन्न केन्द्रों पर इलैक्ट्रोनिकी डाक धन अंतरण प्रणाली की स्थापना करना शामिल है। डाक भवनों के चल रहे निर्माण के लिए 24.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सामग्री प्रबंध, तथा डाक भंडार डिपो के कंप्यूटरीकरण, के लिए 0.47 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

दूर-संचार सेवाएं : (महानगर टेलीफोन निगम लि. सहित) डाक संचार विभाग के लिए वर्ष 1995-96 के लिये 7838.80 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसका वित्तपोषण मुख्यतः दूरसंचार क्षेत्र के आंतरिक और बजटेत्तर साधनों से किया जायेगा। वर्ष 1995-96 के दौरान दूरसंचार सेवाओं से संबंधित परिव्यय मुख्यतः सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये है क्योंकि दूरसंचार विभाग की योजना में सामग्री पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में वस्तुपरक लक्ष्यों के अंतर्गत 24.00 लाख निवल स्थानीय स्विचिंग क्षमता जिसमें 5.00 लाख लीज आधार पर, 20 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन (4 लाख लीज आधार पर) शामिल है। 3,70,000 लाइनों की क्षमता वाले ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों तथा ग्राम पंचायतों में 1,00,000 टेलीफोनों की व्यवस्था शामिल है।

एम/एस, आई.टी.आई. एच.टी.एल.आर. बी.एस.एन.एल. के लिए वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय 533.54 करोड़ रुपए है जिसे आन्तरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाता है।

अन्य संचार सेवाएं : इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विदेश संचार निगम लि. के लिए 394.24 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसे आंतरिक और अतिरिक्त संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा। वायर लैस मानीटरिंग संगठन के लिए 5.00 करोड़ रुपए है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान : 1995-96 के लिए 165.00 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय अनुसंधान और विकास के लिए रखा गया है जो मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज प्रभाग, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, इन्दौर, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, तथा नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले संस्थानों में चल रहे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान कार्यों को जारी रखने, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने तथा इस विभाग के अनुसंधान और विकास एककों के लिए आवसीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है।

अंतरिक्ष अनुसंधान: निम्नलिखित संस्थानों की चालू स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 750.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की व्यवस्था की गई है:

अंतरिक्षण प्रौद्योगिकी खोज के लिए 369.61 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें विक्रम साराभाई अनुसंधान केन्द्र के बड़े आइ.एस.आर.ओ. केन्द्रों के लिए 56.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है, आई.एस.आर.ओ. इनर्शियल सिस्टम यूनिट, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, आई.एस.आर.ओ. सेटलाइट सेंटर, विद्युत प्रकाशिकी प्रणाली के लिए प्रयोगशाला (एल.इ.ओ.एस.) एस.एच.ए.आर.सेंटर और आई.एस.आर.ओ. टेलिमीट्री ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क, प्रक्षेपण वाहन परियोजनाओं के लिए 255.11 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पोलर सेटलाइट लांच वाहन, जियो-सिंक्रोनस सेटलाइट प्रक्षेपण वाहन, तथा ओजनिक अपर स्टेज परियोजना एस.आर.ओ.एस.एम. अनुवर्तन की उपग्रह परियोजनाओं के लिए 57.01 करोड़ रुपए, इन्सेट-2 टी.एस., भारतीय सुदूर संवेदन, भारतीय सुदूर संवेदन अनुवर्तन (आई.आर.एस.-सी) तथा आई.आर.एस.-पी-2 आदि शामिल हैं। (ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कुल प्रावधान

which also includes control of motor vehicle pollution.

Inland Water Transport: The outlay for 1995-96 is Rs.20.00 crores which includes (i) investment of Rs.12.60 crores in Central Inland Water Transport Corporation, (ii) Rs. 5.30 crores grant to Inland Waterways Authority of India and (iii) Rs. 2.10 crores for other schemes of development and planning, research and hydrographic survey.

Other Transport Services: The Farakka Barrage project is intended to preserve and maintain the Calcutta Port by improving the regime and navigability of the Bhagirathi Hooghly River system. The outlay for 1995-96 of Rs.14.00 crores is mainly for anti erosion schemes including allocation for setting up multi purpose hydel-power Project.

COMMUNICATIONS

Postal Services : An outlay of Rs. 85.00 crores has been provided in Budget Estimates 1995-96. A major portion of this outlay (Rs.46.82 crores) is proposed to be spent on upgradation of technology of postal system which includes modernisation of the counter functions and other front office activities by optimising the benefits of computerised counter machines and Electronic Mail Money Transfer System at various stations. An amount of Rs.24.00 crores has been earmarked for on going construction of postal buildings. Rs.0.47 crores have been provided for material management for computerisation of Postal Stores Depot.

Telecommunication Services: The outlay for DOT (including MTNL) 1995-96 is Rs.7838.80 crores which will be financed from the internal and extra budgetary resources of the Telecommunication sector. The outlay for Telecommunication services during 1995-96 is mainly for the procurement of material as the plan of DOT is material intensive. The physical targets envisaged are provision of 24.00 lakhs net local switching capacity including 5.00 lakhs on lease basis, 20.00 lakh new telephone connections including 4.00 lakh on lease basis, 3,70,000 lines of TAX capacity and 100,000 Telephones in Gram Panchayats.

The outlay for 1995-96 for M/S ITI, HTL & VSNL is Rs.533.54 crores which is met from the Internal Resources and Extra Budgetary Resources.

Other Communication Services: Outlay of Rs. 394.24 crores is mainly for Videsh Sanchar Nigam Ltd., to be met from internal & extra resources. Rs.5.00 crores is for the wireless monitoring organisation.

SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Atomic Energy Research: The Plan outlay for 1995-96 for Research and Development is Rs.165.00 crores which is mainly for continuing the research and development of technologies involved in the Atomic Energy programme at the Bhabha Atomic Research Centre, Variable Energy Cyclotron Centre, Atomic Minerals Division, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Centre for Advanced Technology, Indore, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Saha Institute of Nuclear Physics, Institute of Physics, Bhubaneswar and other institutions for conducting research in the field of nuclear science, carrying out national programmes and also for providing housing facilities for the various research and development units of the Department.

Space Research : An approved outlay of Rs.750.00 crores on on-going schemes/projects includes provision for the following:

A provision of Rs.369.61 crores for Space Technology sector which includes a provision of Rs.56.49 crores for major ISRO centres of Vikram Sarabhai Space Centre. (VSSC), ISRO Inertial Systems Unit (IISU), Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC), ISRO Satellite Centre (ISAC), Laboratory for Electro-Optics Systems (LEOS), SHAR centre and ISRO Telemetry Tracking and Command Network (ISTRAC); a provision of Rs.255.11 crores for Launch Vehicle Projects of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), Geo-Synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) and Cryogenic Upper Stage (CUS) Project, Rs. 57.01 crores for Satellite Projects of SROSS Continuation, INSAT-II TS, Indian Remote Sensing, Indian Remote Sensing Continuation (IRS-C) and IRS - P2/P3 etc. (ii) A total provision of Rs.31.73 crores for Space Applications which includes provision of

31.73 करोड़ रुपए का है जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र के लिए 11.29 करोड़ रुपए, सुदूर संवेदन अनुप्रयोग कार्यक्रम के लिए 2.50 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली के लिए 3.28 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्रों के लिए 1.87 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण के लिए 6.53 करोड़ रुपए और सतत विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम के लिए 5.00 करोड़ रुपए शामिल है। (iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 6.35 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें 1.50 करोड़ रुपए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए है। राष्ट्रीय एम.एस.टी शहर सुविधा के लिए 0.07 करोड़ रुपये, '**रेसपोण्ड**' के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपऐ 'इसदो ज्योस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम के लिए 0.90 करोड़ रुपये और अन्तरिक्ष विज्ञान प्रयोगों के लिए ध्वनि वाले राकेटों के लिए 0.30 करोड़ रुपये। केन्द्रीय व्यवस्था अग्रिम कार्रवाई, पैरलल आर्डरिंग, नीति संबंधी मदों के इजीजेनाइजेशन के लिए 10.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इनसेट प्रचान क्षेत्र के अंतर्गत 331.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था में 5.44 करोड़ रुपए मास्टर कन्ट्रोल सुविधा और 326.03 करोड़ रुपए इनसेट-2 उपग्रह परियोजना जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल है, के लिए है।

समुद्रविज्ञान अनुसंधान : 1995-96 के लिए 52.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। (1) एंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत 14वें एंटार्टिका अभियान की शुरूआत करने के लिए 18.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह व्यय मुख्यतः एंटार्टिका में अभियान दल भेजने के लिए जलपोत का किराया देने तथा एंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र के लिए गोवा में भवन निर्माणकार्य जारी रखने हेतु है।एंटार्टिका कार्यक्रम के लिए एक उपयुक्त बहुधन्धी एंटार्कटिक वाहन खरीदने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। (2) बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम के अंतर्गत, सी.एम.ई.आर.आई इसी से प्रचालित वाहन के ढांचे को तैयार करेगा, विकसित करेगा और उसका उन्नयन करेगा

अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान : इस शीर्ष के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजनागत स्कीमों (177.46 करोड़ रुपए) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व बायो-प्रौद्योगिकी विभाग (109.13 करोड़ रुपए) के परिव्यय के लिए व्यवस्था की गई है। वर्ष 1995-96 के लिए अनुमोदित परिव्यय 490.52 करोड़ रुपए का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत रखे गए परिव्यय की व्यवस्था राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्च और आविर्भावी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास-बुनियादी और प्रायोगिक, के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञानों, रासायनिक विज्ञानो, जीव विज्ञानों तथा इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के अतिरिक्त उच्च सामग्री विकास, मौसम विज्ञान, शल्यकर्म विकास तथा सुपर कन्डक्टिविटी से संबंधित है। उद्यमशीलता विकास सहित सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बड़ी संख्या में मुख्यतया नये और अन्तःशास्त्रीय क्षेत्रों में सतत आधार पर समर्थन दिया जाता है। चुनिंदा क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं/उद्यमों को उन्नत करने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत कार्यक्रमों को समर्थन दिया जाता रहेगा। जीव प्रौद्योगिकी विभाग में 1995-96 के लिए अनुमोदित परिव्यय 109.13 करोड़ रुपए है। परिव्यय मुख्यतः विभाग की अनुसंधान योजनाओं के लिए है। जीव चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि और समुद्री जीव प्रौद्योगिकी आदि के अंतर्गत योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव है। मानव स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में उदीयमान संभावनाओं के साथ जीव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रदर्शन के उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रमों को समर्थन दिया जाता रहेगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की योजना स्कीमों को संवर्धित समर्थन दिया जाएगा। डी.एन.ए. फिंग्रर प्रिंटिंग और डायगनोस्टिक्सके क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 3.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अन्य स्कीमों में द्वीपीय विकास कार्यक्रम तटीय महासागर अनुवीक्षण और पूर्वानुमान प्रणाली (कौम्पास), समुद्री उपकरण, राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली (एन.ओ.आई.एम.), आंकड़ा वृद्धि कार्यक्रम, समुद्री स्तर, अनुवीक्षण और मॉडलिंग (एस.ई.एल.एम.ए.एम.), प्रदर्शनी और मेले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रम आदि जैसी परियोजनाएं शामिल है। 1995-96 के दौरान सी.ई.एल. को अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए प्रावधान बढ़ाया गया है।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण : 1995-96 के लिए परिव्यय 159.00 करोड़ रुपए का है। वर्ष 1995-96 के लिए प्रदूषण समापन कार्यक्रम का जोर प्रदूषण निवारण एवं राष्ट्रीय संरक्षण योजना के लिए नीति विवरण और पर्यावरण तथा विकास पर नीति विवरण पर आधारित होगा। प्राथमिकताओं में ओजोन अवक्षेपी पदार्थों की सूची बनाना घरेलू सीवर प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु प्रदूषण जिसमें वायु की प्राचीन गुणवत्ता को कायम रखना, खतरनाक अपशिष्टों आदि का सुरक्षित निपटान। नदी, भूमिगत जल, तालाब, झीलों, और तटीय जल प्रदूषण की रोकथाम, औद्योगिक सम्पदाओं के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं तथा अच्छी प्रौद्योगिकियों का संवर्धन और उन्हें अपनाना, मिश्रित कुशल उपचार योजनाओं का संवर्धन, पर्यावरणीय आंकड़े एवं मानचित्रण और लघु उद्योगों द्वारा स्पष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, चरण I के अन्तर्गत चालू स्कीम को जारी रखते हुए, मल-जल शोधन संयंत्र से संबंधित 'यमुना कार्य योजना'

Rs.11.29 crores for Space Applications Centre, Rs.2.50 crores for Remote Sensing Application Mission, Rs.3.28 crores for National Natural Resources Management System(NNRMS), Rs.1.87 crores for Regional Remote Sensing Satellite Centres (RRSSCs), Rs.6.53 crores for National Remote Sensing Agency (NRSA) and Rs.5.00 crores for Integrated Mission for Sustainable Development. (iii) A provision of Rs.6.35 crores is made for Space Science which includes a provision of Rs.1.50 crores for the Physical Research Laboratory (PRL). 0.07 crores for National MST Radar Facility, Rs.2.00 crores for sponsored Research Projects in academic institutions under RESPOND, 0.90 crore for ISRO Geosphere-Biosphere Programme and Rs.0.30 crore for Sounding Rockets for space science experiments. Rs.10.41 crores is made for Central management, advanced across/parallel Ordering, indigenisation of Strategic items etc. A provision of Rs.331.57 crores under INSAT Operational Sector includes a provision of Rs.5.44 crores for Master Control Facility and Rs.326.03 crores for INSAT-2 Satellite Project including launch services.

Oceanographic Research: The outlay for 1995-96 is Rs. 52.00 crores. (1) There is a provision of Rs.18.00 crores under Antarctic Research programme which is mainly for charter hire of a vessel for sending the Expedition to Antarctica and also for the continuance of construction activities of a building at Goa to house Antarctic Study Centre. Steps for procurement of a suitable multipurpose Antarctic Vessel for the Antarctic Programme are also being taken. (2) Under the Polymetallic Nodules Programme, CMERI would design develop and upgrade version of Remotely Operated Vehicle.

Other Scientific Research : This head provides outlays for Plan schemes of the Department of Scientific and Industrial Research (Rs. 177.46 crores), the Department of Science and Technology and Department of Bio-technology (Rs. 109.13 crores). The approved outlay for 1995-96 is Rs. 490.52 crores. The outlay under Department of Science and Technology is for strengthening promotion of research and development-basic and applied-in frontier and emerging areas of science & technology in accordance with national priorities identified. These areas relate to Advanced Materials Development, Meteorology, Instrumentation Development and Superconductivity in addition to various disciplines in Physical Sciences, Chemical Sciences, Life Sciences and Engineering. Due emphasis is being given to programmes of socio-economic development including Entrepreneurship development. A large number of R & D activities are supported on continuing basis particularly in new and inter-disciplinary areas. Programmes under International Co-operation in Science & Technology with a view to promote joint projects/ventures in selected areas will continue to be supported. In Department of Bio-Technology the approved outlay for 1995-96 is Rs.109.13 crores. The outlay is mainly for research schemes of the Department. Additional support is proposed for schemes/projects under Medical Biotechnology, Agriculture and marine Biotechnology etc. Programmes aimed at research and demonstration in biotechnology with promising possibilities in the areas of human health, agriculture and industry will continue to be supported. Plan schemes of National Institute of Immunology will receive enhanced support. A provision of Rs. 3.20 crores has been made for Research in the area of DNA Finger Printing and Diagnostics. The other schemes include projects such as: Island Development Programme, Coastal Ocean Monitoring & Prediction System (COMPAS), Marine Instrumentation, National Ocean Information System (NOIS), Data Buoy Programme, Sea Level Monitoring & Modelling (SELMAN), Exhibition & fairs, International Cooperation & Programmes, etc. During the year 1995-96, enhanced provision for R & D schemes to CEL has been made.

Ecology and Environment : The outlay for 1995-96 is Rs. 159.00 crores. The thrust area for 1995-96 in the Pollution Abatement Programme will be based on the Policy Statement for Abatement of pollution and national Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development. The priorities include inventerisation of ozone depleting substances, prevention and control of domestic sewage pollution, air pollution including restoration of ambient air quality, safe disposal of hazardous waste etc., prevention of river, ground water, lakes and coastal water pollution, promotion & adoption of cleaner technologies and infrastructure facility for industrial estate, promotion of combined affluent treatment schemes, Environemental Statistics and Mapping and adoption of clean technologies by small scale industries

Under the Ganga Action Plan, while the on-going schemes under Phase I will be continued, 'Yamuna Action Plan' concerning water on

और अवरोधन एवं विपणन तथा मल-जल शोधन संयंत्रों से संबंधित 'गोमती कार्य योजना' को चरण II की गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा।

सामान्य आर्थिक सेवाएं

सचिवालय-आर्थिक सेवाएं : इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए 67.89 करोड़ रुपए के परिव्यय का संबंध कृषि, जल संसाधन मंत्रालयों, इलैक्ट्रानिक्स विभाग और योजना विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय आदि से संबद्ध मुख्यतः आर्थिक सेवा विभागों के सचिवालय व्यय से है। आयोजना के अंतर्गत 60.60 करोड़ रुपए के आवंटन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को 55.60 करोड़ रुपए और योजना आयोग के लिए 5.00 करोड़ रुपए शामिल है। एन.आई.सी.एन.ई.टी. नामक एन.आई.सी. उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क उपरोक्त प्रयोक्ताओं के बीच सूचना और आंकड़ा अन्तरण/आदान-प्रदान करना सुगम बनाता है। एन.आई.सी.एन.ई.टी. का राष्ट्रीय सूचना हाईवे जो मौजूदा कम्प्यूटर-संचार नेटवर्क की तुलना में वृहदकारी है, को चालू किया गया है। एन.आई.सी.एन.ई.टी. लाइन पर आंकड़ा आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रानिक मेल (एन.आई.सी. मेल 400) प्रतिच्छाया पारेषण, आई.एस.डी.एन, बहुप्रचार सेवाएं, दूर सम्मेलन, डायरेक्टरी सेवाएं और अंतराष्ट्रीय आंकड़ा संवाहकता आदि प्रदान करता है। एन.आई.सी.एन.आई.टी. के पास इन्टरनेट प्रयोक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है। एन.आई.सी.एन.ई.टी. 160 देशों में 200 से अधिक नेटवर्क को संबद्धता प्रदान करता है।

वर्ष 1995-96 के लिए आयोजना व्यवस्था मुख्यतः सभी एन.आई.सी. प्रयोक्ताओं, एन.आई.सी.एन.ई.टी. आधारित भू-अभिलेख सूचना प्रणाली, जिलों को निचले स्तर पर निविष्टियां (जी.आर.आई.डी.) कार्यक्रमों, संदार्भि का सूचना सेवाओं, उच्च न्यायालय के कम्प्यूटीकरण कार्यक्रम, एन.आई.सी. सर्विसिस इंक. और एन.आई.सी-एम.टी.ई.एल. संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए है।

पर्यटन : 1995-96 के लिये 102.70 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है । पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं में विदेशी बाजारों में प्रचार और विपणन के दीर्घकालिक अभियान, स्वदेशी पर्यटन का विकास, किफायती दर पर आवास उपलब्ध करने हेतु यात्री निवासों का निर्माण, तीर्थस्थानों पर यात्रिकाओं का निर्माण, समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों का विकास, स्कीइंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग तथा साहसिक पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना, सम्मेलनों और संगोष्ठियों का संवर्द्धन, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाना, राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण, बौद्ध धर्म केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास, वन्यजीवन पर्यटन को प्रोत्साहन तथा राजमार्गों के किनारे सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

होटल और खान-पान प्रबंध के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों का विकास करने के बारे में होटल प्रबंध और खान-पान प्रोद्योगिकी प्रभाग ने कई कार्यक्रम तैयार किए हैं।

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और विशेष योग्यता के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास भी उच्च परिचालन प्राप्त करने तथा निवल लाभ, मानव शक्ति विकास और प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रम है तथा भारत और विदेशों में परामर्श प्रदान करने के लिए सेवाओं का उत्तरदायित्व भी लिया है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन : वर्ष 1995-96 के लिय परिव्यय 145.00 करोड़ रुपए का है। इस शीर्ष के अंतर्गत आयोजना परिव्यय में ये मदें शामिल है : निर्यात प्रक्रिया जोनों का विकास (35.00 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (13.00 करोड़ रुपए), कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (50.00 करोड़ रुपए), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (7.00 करोड़ रुपए) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (40.00 करोड़ रुपए)

जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी : 1995-96 के लिए 25.00 करोड़ रुपए के इस परिव्यय में, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (3.49 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (9.11 करोड़ रुपए), भारतीय सांख्यिकी संस्थान (4.00 करोड़ रुपए) की आयोजना स्कीमों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है। 1991 जनगणना आंकड़ों की कम्प्यूटरीकृत सारणी और वर्गीकरण के प्रचालन और विकास कार्यों, सशक्त आंकड़ा प्रणाली में सुधार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पर जनगणना आंकड़ा अवधारित अध्ययन, कम्प्यूटर की सहायता से मानचित्र तैयार करना और आंकड़ों के प्रसार आदि के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की मुख्य योजना में चौथी आर्थिक जनगणना 1995 का आयोजन, जिसका उद्देश्य देश में गैर-कृषि उद्यमों की पहचान, शामिल है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की मुख्य योजना आंकड़ा संसाधन सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाने और आंकड़ों के संसाधन में गति लाने के लिए वर्तमान सूक्ष्म संसाधन प्रणाली का संवर्धन करने से संबंधित है।

मौसम विज्ञान : वर्ष 1995-96 के लिए 40.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें वेधशालाओं और मौसम केन्द्रों के लिए वृहत्

sewage treatment plants and 'Gomti Action Plan' concerning interception and diversion and sewage treatment plants will be taken under the Ganga Action Plan Phase II.

GENERAL ECONOMIC SERVICES

Secretariat Economic Services : Outlay of Rs.67.89 crores under this head relate to secretariat expenditure of the economic services, mainly of Ministries of Agriculture and Water Resources, Department of Electronics and Department of Planning, Ministry of Food Processing Industries and Ministry of Food etc. The allocation of Rs. 60.60 crores Under Planning includes Rs. 55.60 crores for National Informatics Centre and Rs. 5 crore for Planning Commission. The Satelite based computer-Communication Network of NIC called NICNET, enables transfer/exchange of information and data among the above users. The NICNET National Info Highway as an incremental overlay over the existing Computer-Communication Network has been commissioned. NICNET provides on-line Database services, Electronic Mail (NICMAIL 400), Image Transmission, ISDN, Multimedia Services, Tele-conferencing, Directory Services and International Data Connectivity etc. NICNET has large number of INTERNET users. NICNET provides connectivity to over 200 networks in 160 countries.

The plan provision for 1995-96 is mainly for providing computer support to all NIC users, NICNET based Land Records Information System, Grass Root Input to District (GRID) Programmes, Bibilographic Informatics Service, High Court Computerisation Programme, Setting up of NIC Services Inc. and NIC-MTEL joint venture.

Tourism: The outlay for 1995-96 has been fixed at Rs. 102.70 crores. The schemes for development of tourism include undertaking sustained publicity and marketing campaigns in the overseas markets, development of domestic tourism, construction of Yatri Niwas to provide budget accommodation, construction of Yatrikas at pilgrim centres, development of beach resorts, improvement of facilities for skiing, mountaineering, trekking and adventure tourism, promotion of conferences & conventions, augmentation of transport facilities, preserving of national heritage areas, development of facilities along Buddhist circuits, promotion of wildlife tourism and provision of wayside facilities on highways, etc.

The Hotel Mangement & Catering Technology Division have programmes for development of adequate human resources to meet the needs of vast expanding hotel and catering sector.

The Indian Institute of Tourism & Travel Management have programmes for training and specialisation in tourism field by organising various training courses/workshops.

The Indian Tourism Development Corporation also has several programmes to obtain higher operating as well as net profit, manpower development and training and also to understake consultancy services in India and overseas.

Foreign Trade and Export Promotion : The outlay for 1995-96 is Rs. 145.00 crores. Items included in Plan outlay under this head are Development of Export Processing Zones (Rs. 35.00 crores), Marine Products Exports Development Authority (Rs. 13.00 crores); Agricultural Products Export Development Authority (Rs.50.00 crores); Indian Institute of Packaging (Rs.7.00 crores), Export Promotion Industrial Park (Rs.40.00 crores)

Census, Surveys and Statistics : The outlay of Rs.25.00 crores for 1995-96 includes provision for the plan schemes of the Central Statistical Organisation (CSO) (Rs.3.49 crores), for the National Sample Survey Organisation (NSSO)(Rs.9.11 crores), Indian Statistical Institute (ISI)(Rs.4.00 crores) etc. The provision also includes Rs.8.00 crores for Operation and Developmental Activities for Computerised Tabulation and Dissemination of 1991 Census data, improvement in the vital statistics system census Data based study on SC/ST, computer-assisted cartography and data dissemination etc.

The major plan scheme of CSO includes conduct of "Fourth Economic Census 1995" the objective of which is to cover all non-agricultural enterprises in the country.

The major NSSO schemes relate to rationalisation of data processing facilities, and upgradation of existing micro processor system for accelerating data processing.

Meteorology : The outlay for 1995-96 of Rs.40.00 crores includes larger provisions for observatories and weather stations

व्यवस्था शामिल है जिसका मुख्य उद्देश्य उड़ान, नौवहन और कृषि संबंधी उपयोगकर्ताओं को मौसम संबंधी जानकारी देना और साथ ही बाढ़ नियंत्रण, तूफानों की चेतावनी देना आदि है।

नागरिक आपूर्ति : वर्ष 1995-96 के लिए 17.05 करोड़ रुपए की राशि में एन सी सी एफ और सुपर बाजार के लिए सहायता शामिल है। प्रावधान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपाय, आसूचना प्रवर्तन से संबंधित योजनाएं तथा मानव शक्ति को प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मापतौल का विनियमन, वायदा बाजारों आयोगों का विनियमन और राज्य/संघ राज्य सरकारों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को सहायता दिया जाना शामिल है। राज्यों/संघ राज्य सरकारों को गोदाम का निर्माण करने और आर.पी.डी.एस. के लिए मोबाइल वैनों की खरीद के लिए तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं (9.75 करोड़ रुपए) : राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदान के लिए 7.75 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और शेयर पूंजी के लिए 2 करोड़ रुपए रुपया प्रतिरूप निधि के रूप में होगा।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं : वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय 132.73 करोड़ रुपए का है। इसमें नेहरू रोजगार योजना के लिए 71.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के लिए व्यवस्था, आई.ए.एम.आर को सहायता अनुदान, योजना बोर्डों जिला योजना तंत्र और सूक्ष्म स्तरीय भागीदारी योजना और समर्थनकारी स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान भी शामिल है। इसमें कृषि-मौसम क्षेत्रीय योजना इकाई (ए.आर.पी.यू.) और द्वीप विकास प्राधिकरण आदि सहित योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता प्रदान करने की योजना के लिए व्यवस्था शामिल है।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षा : आठवीं योजना से मानव संसाधन विकास की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सामान्य शिक्षा के लिए वर्ष 1995-96 में 1570.77 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस परिव्यय में से प्राथमिक शिक्षा के लिए 651.04 करोड़ रुपए की राशि में से आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 279.00 करोड़ रुपए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 118.00 करोड़ रुपए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए 158.50 करोड़ रुपए, शिक्षाकर्मी प्रयोजन के लिए 8.00 करोड़ रुपए, महिला समाख्या के लिए लिए 6.90 करोड़ रुपए, लोक जुम्बेश के लिए 22.14 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के लिए 2.00 करोड़ रुपए, बाल भवन समिति के लिए 1.50 करोड़ रुपए, बिहार शिक्षा परियोजना के लिए 30.00 करोड़ रुपए और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना एस.ओ.पी. के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए 409.11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए 22.88 करोड़ रुपए, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण संबंधी विषय के लिए 1.95 करोड़ रुपए, विज्ञान शिक्षा सुधार (विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास) के लिए 24.47 करोड़ रुपए, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए 82.00 करोड़ रुपए, विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा के लिए 4.70 करोड़ रुपए, योगा संवर्धन हेतु 0.60 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लिए 7.12 करोड़ रुपए, के.वी.एस. के लिए 10.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के लिए 5.00 करोड़ रुपए, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पीय विद्यालय शिक्षा के लिए 0.32 करोड़ रुपए, संस्कृति/कला मूल्यों को सुदृढ़ बनाने वाली एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए 1.00 करोड़ रूपए, नवोदय विद्यालयों के लिए 200.00 करोड़ रुपए, विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा परियोजना के लिए 1.02 करोड़ रूपए और छात्राओं के लिए बोर्डिंग/हॉस्टल की सुविधाओं को सुदृढ़ करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने की नई योजना के लिए 0.55 करोड़ की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए 245.55 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 189.29 करोड़ रूपए, वैज्ञानिक अनुसंधान को मुद्दा बनाने के कार्यक्रम के लिए 17.50 करोड़ रुपए, पंजाब विश्वविद्यालय को विकास ऋण के लिए 0.50 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन के लिए 0.25 करोड़ रूपए, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 0..01 करोड़ रूपए, भारतीय समुन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के लिए 4.00 करोड़ रूपए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के लिए 0.49 करोड़ रूपए, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् के लिए 2.02 करोड़ रुपए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लिए 0.23 करोड़ रूपए, डा. जॉकिर हुसैन मेमोरियल महाविद्यालय, दिल्ली के लिए 0.25 करोड़ रूपए, उच्चतर अध्ययन संस्था के लिए 0.20 करोड़ रूपए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों के लिए 3.00 करोड़ रूपए, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए 4.50 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद के लिए 0.01 करोड़ रूपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए 22.50 करोड़ रूपए, राष्ट्रमण्डल शिक्षा के लिए 0.75 करोड़ रूपए, विश्वविद्यालय प्रशासक प्रशिक्षण के लिए 0.50 करोड़ रूपए।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए 234.00 करोड़ रूपए की रकम का प्रावधान है जिसमें ग्रामीण क्रियाशील साक्षरता परियोजना के लिए 6.00 करोड़ रूपए, उत्तर साक्षरता तथा तथा अनवरत शिक्षा के लिए 66.00 करोड़ रूपए, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 14.00 करोड़ रुपए, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए 0.15 करोड़ रूपए, स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए

aimed at furnishing weather information to users in aviation, shipping, and agriculture as also for flood control, issue of warnings against cyclones, etc.

Civil Supplies: Outlay of Rs.17.05 crores in 1995-96 includes provision for assistance to National Cooperatives Consumers Federation and Super Bazars. The provision also includes measures for consumer protection, scheme relating to intelligence, enforcement, and manpower training for Public distribution system, regulation of weights and measures, regulation of forward markets commission and assistance to State/UTs and State Civil supplies corporation. Assistance is provided to the States/UTs for construction of godowns and for purchase of mobile vans for Revamped Public Distribution System and for the State Govt. Civil Supplies Corporation in the form of 50% grant.

General Financial & Trading Institutions(Rs.9.75 crores): Rs.7.75 crores has been provided for grant to nationalised banks and Rs.2 crores as rupee counterpart funds as share capital.

Other General Economic Services: The outlay for 1995-96 is Rs.132.73 crores. This includes a provision of Rs.71.00 crores for Nehru Rozgar Yojana. It also includes provision for National Informatic Centre (NIC), grant-in-aids to IAMR, grants for Strengthening Planning Boards/District Planning Machinary and Microlevel participatory planning and supporting voluntary organisations. This also includes provision for plan schemes on providing expertise for planning process including Agro-climatic Regional Planning Unit (ARPU) and Island Development Authority etc.

SOCIAL SERVICES

General Education: High priority is being accorded to the problem of human resource development in the Eighth Plan. The outlay for general education during 1995-96 is Rs.1570.77 crores. The outlay consists of Rs.651.04 crores for elementary education consisting of Rs.279.00 crores for Operation Black Board, Rs.118.00 crores for Teacher Training Programmes, Rs.158.50 crores for Non-formal Education, Rs. 8.00 crores for Shiksha Karmi Project, Rs.6.90 crores for Mahila Samakhya, Rs.22.14 crores for Lok Jumbish, Rs.2.00 crore for National Council of Teacher Education, Rs.1.50 crore for Bal Bhavan Society, Rs.30.00 crores for Bihar Education Project and Rs.25.00 crores for District Primary Education Project S.O.P.

For secondary education and physical education, the outlay consists of Rs.409.11 crores consisting Rs.22.88 crores for education Technology Programmes, Rs.1.95 crores for environmental orientation in school education, Rs.24.47 crores for Improvement of Science Education (Promotion of Science Lab.), Rs.82.00 crores for Vocationalisation of Education, Rs.4.70 crores for Integrated Education for Disabled Children, Rs.0.60 crores for Promotion of Yoga, Rs.7.12 crores for National council for Educational Research and Training, Rs.10.50 crores for KVS,Rs.5.00 crores for National Open School, Rs.0.32 crores for International Science Olympiads School Education, Rs.1.00 crore for Assistance to Agencies for strengthening Culture / Art / Values, Rs.200.00 crores for Navodaya Vidyalayas, Rs.1.02 crore for Population Education Project in school Education and Rs.0.55 crore for new scheme of Assistance to Non-Government Organisations for strengthening Boarding/Hostel facilities for girl students.

Rs.245.55 crores have been earmarked for University and Higher Education, consisting of Rs.189.29 crores for University Grants Commission, Rs.17.50 crores for Programmes to Strengthen Scientific Research, Rs.0.50 crore for Development Loan to Pubjab Universities, Rs.0.25 crore for National Evaluation Organisation, Rs.0.01 crore for strenthening of Administrative Machinery, Rs.4.00 crore for Indian Institute of Advanced Study, Shimla, Rs.0.49 crore for Indian Council for Historical Research, Rs.2.02 crore for Indian Council for Philosophical Research, Rs.0.23 crore for Association of Indian Universities, Rs.0.25 crore for Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi, Rs.0.20 crore for Institution of Higher Learning, Rs.3.00 crores for Rural Universities, Rs.4.50 crores for Indian Council for Social Science Research, Rs.0.01 crore for National Council for Higher Education, Rs.22.50 crores for Indira Gandhi National Open University, Rs.0.75 crore for Commonwealth Learning and Rs.0.05 crore for Training of University Administrators.

Rs.234.00 crores for Adult Education including Rs.6.00 crores for Rural Functional Literacy Project, Rs.66.00 crores for Post Literacy and Continuing Education, Rs.14.00 crores for Strengthening of Administrative Structure, Rs.0.15 crore for Technology Demonstration, Rs.10.00 crores for Voluntary Agencies, Rs.4.35 crores for

10.00 करोड़ रूपए, श्रमिक विद्यापीठ के लिए 4.35 करोड़ रूपए, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए 0.12 करोड़ रुपए, प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या संबंधी शिक्षा ई.ए.पी. कार्यक्रम के लिए 1.51 करोड़ रुपएराष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के लिए 0.50 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लिए 0.75 करोड़ रूपए, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्र के लिए 0.25 करोड़ रूपए, पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए 120.00 करोड़ रूपए और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के लिए 10.37 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

भाषाओं और भारतीय भाषाओं के सहित्य के विकास, जिसमें हिन्दी को लोकप्रिय बनाना शामिल है, के लिए 21.20 करोड़ रूपए का परिव्यय है। शिक्षा विभाग की भाषा विकास संबंधी अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 21.00 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है।

शिक्षा विभाग की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 9.31 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है जिसमें पूंजी निर्माण कार्यों, के लिए यूनेस्को भवन के निर्माण हेतु 0.96 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

तकनीकी शिक्षा : वर्ष 1995-96 में तकनीकी शिक्षा के लिए 253.41 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 25.00 करोड़ रुपए, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए 30.00 करोड़ रुपए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 26.00 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के लिए 41.00 करोड़ रुपए, छात्रवृत्ति/वृत्ति के लिए 11.00 करोड़ रुपए, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों के लिए 12.00 करोड़ रूपए, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए 10.50 करोड़ रुपए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए 71.89 करोड़ रुपए, प्रौद्योगिकी विकास मिशन के लिए 20.00 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर के लिए 3.00 करोड़ रुपए, और अन्य कार्यक्रमों के लिए 3.02 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

खेल और युवा सेवाएं : 1995-96 के लिए परिव्यय 95.35 करोड़ रुपए का है। युवाओं के संबंध में बजट में मुख्यतः राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरु युवा केन्द्र के लिए प्रावधान किया गया है। हाल में आरम्भ किये गये कार्यों में राष्ट्रीय युवा विकास राजीव गांधी संस्थान की स्थापना है।

खेल के संबंध में प्रमुख योजनाएं "खेलो के सृजन के लिए सहायता" और "भारतीय खेल प्राधिकरण" है। खेल संघों को सहायता के लिए मार्गनिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है ताकि खेलों के विकास में लगी हुई एजेन्सियों की भूमिका और उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण और पहचान की जा सके और उनके प्रबन्ध संबंधी कार्यों में सुधार किया जा सके।

कला और संस्कृति : 1995-96 के लिए 121.23 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए 2.10 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए 14.10 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए 2.35 करोड़ रुपए, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 3.10 करोड़ रुपए, साहित्य अकादमी के लिए 2.50 करोड़ रुपए, ललित कला अकादमी के लिए 1.70 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय के लिए 2.00 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय लाइब्रेरी के लिए 1.50 करोड़ रुपए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के लिए 3.00 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के लिए 15.02 करोड़ रुपए, भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण के लिए 1.60 करोड़ रुपए, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के लिए 3.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

चिकित्सा और लोकस्वास्थ्य : 1995-96 के लिए 669.30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय का अधिकांश भाग संचारी और अन्य बीमारियों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिव्यय में मुख्य रूप से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों (80.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें कालाआजार भी शामिल है (139.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें कुष्ठरोग एस.ई.टी. स्कीमों के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना भी शामिल है (80.00 करोड़ रुपए) कैंसर नियंत्रण (15.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय रोहा और अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (72.00 करोड़ रुपए), क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (50.00 करोड़ रुपए), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औषध नियंत्रण और खाद्य मानक प्रशासन (3.50 करोड़ रुपए), संचारी रोगों पर नियंत्रण (10.45 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आई.डी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य (1.15 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता, खाद्य संबंधी मिलावट की रोकथाम, औषध-मानक नियंत्रण संगठन, ए.आई.आई.एच. और पी.एच.कलकत्ता, राष्ट्रीय जैविकी मानकीकरण संस्थान, ड्रग डि-एडिक्शन प्रोग्राम मधुमेह नियंत्रण कार्यस्वास्थ्य परिक्षय कार्यक्रम, आहार कुपोषण के विरुद्ध कार्यक्रम, राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम, हृदय धमनी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रायोगिक परियोजनाओं आदि (32.33 करोड़ रुपए) के लिए व्यवस्था की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के विकास पर बल दिया जा रहा है। जिसमें चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान शामिल है, इसके लिए 1995-96 के लिए 178.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है:—

	करोड़ रुपए
अस्पताल और औषधालय	34.55
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित)	119.96
आई.एस.एम. तथा होम्योपैथी	23.49
जोड़	178.00

परिवार कल्याण : परिवार कल्याण कार्यक्रम को अभिभावी राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य, इस शताब्दी के अन्त में होने तक

Shramik Vidyapeeths, Rs.0.12 crore for non-formal education for Women and Girls, Rs.1.51 crores for Population Education in Adult Educatin (EAP Programme),Rs.0.50 crores for National Institute of Adult Education, Rs.0.75 crore for National Literacy Mission Authority, Rs.0.25 crore for Cultural Exchange Programme, Rs.120.00 crores for Total Literacy Campaign and Rs.10.37 crores for Directorate of Adult Education.

For Development of Languages and Literature of Indian Languages including popularisation of Hindi, the outlay is Rs.21.20 crores. Rs.21.00 crores has been earmarked for other schemes/ programmes of the Department of Education for Language Development.

Rs.9.31 crores has been earmarked for other schemes/ programmes of the Department of Education, including Rs.0.96 crore for construction of UNESCO House for Capital works.

Technical Education: Outlay for technical education for 1995-96 has been kept at Rs.253.41 crores. It includes Rs.25.00 crores for University Grants Commission, Rs.30.00 crores for Quality Improvement Programme, Rs.26.00 crores for Indian Institutes of Technology, Rs.41.00 crores for Regional Engineering Colleges, Rs.11.00 crores for Scholarships/Stipends, Rs.12.00 crores for Indian Institutes of Management, Rs.10.50 crores for Indian Institute of Sciences, Bangalore, Rs.71.89 crores for All India Council of Technical Education, Rs.20.00 crores for Technology Development Mission, Rs.3.00 crores for North-Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, Rs.3.02 crores. for other Programmes.

Sports and Youth Services: The outlay for 1995-96 is Rs.95.35 crores. On the Youth side, the budget is mainly for the National Service Schemes and Nehru Yuva kendra. Among the new initiatives taken recently is the establishment of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.

On the Sports side, the main schemes are "Schemes of Grants to Sports Federations", "Assistance for creation of Sports infrastructure", and "Sports Authority of India". The guidelines for assistance to Sport Federations are being revised to achieve a clear demarcation and identification of the role and responsibility of the agencies involved in sports development and to improve their management practices.

Art and Culture: The outlay for 1995-96 is Rs.121.23 crores. This includes provision of Rs.2.10 crores for Zonal Cultural Centres, Rs.20.00 crores for Indira Gandhi National Centre for Arts, Rs. 14.10 crores for Archaeological Survey of India, Rs.2.35 crores for National Museum, Rs.3.10 crores for Centre for Cultural Resources and Training, Rs.2.50 crores for Sahitya Akadami, Rs.1.70 crores for Lalit Kala Akademi, Rs.2.00 crores for National Archives, Rs.1.50 crores for National Library, Rs.3.00 crores for Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Rs.15.02 crores for National Council of Science Museums, Rs.1.60 crores for Anthropological Survey of India, Rs.3.00 crores for Indira Gandhi Rashtriya Manav Sanghrahalaya.

Medical and Public Health: The outlay for 1995-96 is Rs.669.30 crores. A major portion of the outlay under this head is meant for national programmes for control of communicable and other diseases. These Schemes are implemented through State Governments. On the Health side, the outlay mainly includes allocations for National AIDS Control Programmes (Rs.80.00 crores), NMEP including Kala-Azar (Rs.139.00 crores), National Leprosy Control Programme including Grants to voluntary organisations under Leprosy SET Schemes (Rs.80.00 crores) Cancer Research and Control (Rs.15.00 crores), Prevention of blindness including National Trachoma and Blindness Control Programme (Rs.72.00 crores), TB Control Programme (Rs.50.00 crores), Strengthening of Drug Control & Food standard Administration in the State/UTs (Rs.3.50 crores), control of Communicable diseases (Rs.10.45 crores), National I.D.D. Control Programme and Mental Health (Rs.1.15 crores), Health Education, Health Intelligence, Prevention of Food Adulteration, Drug-Standard control Organisation, A.I.I.H & P.H. Calcutta, National Institute of Biological Standardisation, Drug Deaddiction Programme, pilot project on diabetes control programme, Oral health programme, programme against micronutrient malnutrition, National programme on rehabilitation, Cardio vascular disease control programme etc. (Rs.32.33 crores). On the medical side, the emphasis is on the development of medical sciences including medical education, training and research for which a total outlay of Rs.178.00 crores has been provided during 1995-96 as under:—

	Rs. in crores
Hospitals and Dispensaries	34.55
Medical Education, Training & Research (Including ICMR)	119.96
I.S.M. & Homeopathy	23.49
Total	178.00

Family Welfare: Family Welfare Programme is given an over-riding national priority. It aims to bring down the birth rate to 21 per

जन्म दर को घटाकर 21 प्रति हजार और मृत्यु दर को 9 प्रति हजार करना है। यह कार्यक्रम अपने प्रारंभिक समय से ही शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में जारी है। वर्ष 1995-96 के लिए 1581.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व परियोजना के लिए व्यवस्था भी शामिल है।

जल-पूर्ति और सफाई : ग्रामीण क्षेत्रों में पीने वाले साफ जल आपूर्ति की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है तथा राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा गांवों में जल आपूर्ति संबंधी स्कीमों को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। तथापि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन इसके साथ राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत समान राशि की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। विभिन्न समस्याओं से निपटने तथा गांवों में जल आपूर्ति संबंधी कार्यक्रमों में गति लाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक मिशन के एक भाग के रूप में 1986 में एक राष्ट्रीय पेय जल मिशन शुरू किया गया था। सभी समस्याग्रस्त गांवों में साफ पेय जल की आपूर्ति करने को 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। 1995-96 के लिए इस क्षेत्र हेतु 1110.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण सफाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निजी घरों में साफ शौचालयों का निर्माण करके विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके । वर्ष 1995-96 के लिए 60.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 1995-96 के लिए जल आपूर्ति और सफाई सहित राशि 1170.00 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण, शहरी आवास कार्यक्रम मानीटरिंग और प्रबंध सूचना प्रणाली तथा शहरी विकास तथा शहरी जल आपूर्ति वित्त निगम/हडको जैसे शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र में की इक्विटी सहायता में विभिन्न योजनाओं पर व्यय के लिए 64.55 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय की व्यवस्था है। झाड़ूकशों के कल्याण की कम लागत सफाई योजना के लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अत्यधिक कमी वाले प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं और हवाईअड्डों के पास घने कचरे के प्रबन्ध के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपए तथा छोटे शहरों (टाउनों) में ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के विस्तार के लिए 20.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2.50 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता की भी व्यवस्था की गई है।

आवास : इसके लिए 698.85 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 'हडको' योजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है। अन्य व्यवस्थाओं में पुलिस के लिए रिहायशी आवास के निर्माण के लिए 40.00 करोड़ रुपए), सी.जी.ई., डब्ल्यू.एच.ओ., एन.बी.आई., एच.पी.एल., बी.एम.टी.पी.सी. के लिए अन्य व्यवस्था के अतिरिक्त भारत में विभिन्न स्थानों पर सामान्य श्रेणी के भवनों के निर्माण पर होने वाला व्यय शामिल है। वर्ष 1995-96 में योजना के लिए 45.00 के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण आवास क्षेत्र में राज्य सरकारों को उनके प्रयत्नों को पूरक करने और सुदृढ़ बनाने के लिए अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यूनिट लागत की अल्प प्रतिशतता लाभभोगी अंशदान के रूप में दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं और ये कुल मिलाकर 1992-93 में उनके द्वारा प्राप्त व्यय राशि की तुलना में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास कार्यक्रमों पर उनके द्वारा किए गए आवंटनों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुपात में नहीं होनी चाहिएं।

शहरी विकास : 1995-96 के दौरान 311.70 करोड़ रुपये के परिव्यय में 35.00 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास तथा 40.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना, शहरी निर्धन लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं के लिए 18 करोड़ रुपए, नेहरू रोजगार योजना के लिए 71.00 करोड़ रुपए, शहरी परिवहन सहायता संघ निधि के लिए 9.00 करोड़ रुपए, अन्य स्कीमों के लिए प्रावधान के अतिरिक्त महानगरों यथा : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर के आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए 84.00 करोड़ रुपए शामिल है। इस परिव्यय में (1) पश्चिम बंगाल में विकलांगों की कलोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था और (2) छोटे शहरों के लिए प्रधानमंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नामक दो नई योजनाओं के लिए क्रमशः 20 करोड़ रुपए और 100.00 करोड़ रुपए के लिए राशि शामिल है।

सूचना और प्रचार : 1995-96 के लिए आंवटित 46.72 करोड़ रुपए की राशि में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (आ.व.बा.स. 4.10 करोड़ रुपए की राशि सहित) के लिए 5.60 करोड़ रुपए, फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता के लिए 4.50 करोड़ रुपए तथा प्रसारण इंजीनियरिंग सलाहकार (इंडिया) लि. की इक्विटी को अंशदान देने के लिए 0.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

thousand and death rate to 9 per thousand by the turn of the centuary. The programme continues to be cent per cent Centrally Sponsored Plan Scheme since its inception. The outlay for 1995-96 has been fixed at Rs.1581.00 crores which also includes provision for implementing child survival and safe motherhood project.

Water Supply and Sanitation: The provision of safe drinking water supply in rural areas is the responsibility of the respective State Governments and schemes for supply of drinking water in villages are formulated and implemented by the States under the State sector Minimum Needs Programme (MNP). However, to supplement the State resources, Central assistance is being provided as 100% grant under the Accelerated Rural Water Supply Programme subject to a matching provision being made by the State Governments under MNP. In order to overcome the various problems and to give a fillip to the programme of supplying drinking water in villages, a National Drinking Water Mission was launched in 1986 as one of the National Societial Mission. The Mission has now been renamed as Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. Supply of safe drinking Water to all problem villages has been included in the 20-Point Programme. A provision of Rs.1110.00 crores has been made for this sector for the year 1995-96.

The scheme of rural sanitation aims at supplementing the efforts made under Central and State sector programmes for providing sanitary facilities in the rural areas through construction of sanitary latrines with the overall objective of improving the quality of life in rural areas. The provision for 1995-96 is Rs.60.00 crores. Including this, the total outlay for water supply and sanitation in 1995-96 is Rs.1170 crores. In addition, there is a plan outlay of Rs.64.55 crores for expenditure on various schemes in the Urban Water Supply and Sanitation Sector such as Training in Public Health Enineering, Urban Waste Disposal, Monitoring and Management Information System and equity support to UD & Urban Water Supply Financing Corporation/HUDCO. A provision of Rs.28 crores has been made for the Low Cost Sanitation Scheme for the Liberation of Scavengers. Rs.4.00 crores has been provided for support to Water Supply Scheme of Major Cities facing acute shortage and pilot project on solid waste management near Airport, Rs.20.00 crores for extension of AUWSP to small towns. Foreign assistance of Rs.2.50 crore has also been provided.

Housing: The outlay is Rs.698.85 crores including IEBR of Rs.550.00 crores. This includes the schemes of HUDCO. Other provisions include expenditure on construction of residential accomodation for police (Rs.40.00 crores), general pool accommodation at various places in India besides other provisions for C.G.E.W.H.O.; N.B.O.; H.P.L.; B.M.T.P.C. An outlay of Rs.45.00 crores has been approved for Rural Housing Programme in 1995-96. Rural Housing Programme aims at providing financial assistance to State Governments by way of grants to supplement and strengthen their efforts in rural housing sector. In order to ensure people's involvement, a small percentage of unit cost is insisted upon as the beneficiary contribution. Under the scheme funds are provided to the States in proportion not exceeding 50% of the allocation made by them on housing programme for rural poor over and above the level of expenditure received by them in 1992-93.

Urban Development: The outlay of Rs.311.70 crores during 1995-96 includes Rs.35.00 crores for the Integrated Development of Small and Medium Towns in various States & U.Ts. and Rs.40.00 crores for the development of National Capital Region, Rs.18.00 crores on urban basic services for poor, Rs.71.00 crores for Nehru Rozgar Yojana, Rs.9.00 crore for Urban Transport, besides provision for other schemes, Rs.84.00 crores for infrastructure development of megacities viz; Bombay , Calcutta, Madras, Hyderabad and Bangalore. The outlay also included two new schemes, namely, (1) Provision for Infrastrual facilities in the displaced person colonies in West Bengal, and (2) PM's Integrated Urban Poverty Eradication Programme for small towns with an allocation of Rs.20.00 crores and Rs.100.00 crores, respectively.

Information and Publicity : The allocation for 1995-96 is Rs. 46.72 crores which includes an amount of Rs.5.60 crores (including Rs.4.10 crores as IEBR) for the National Film Development Corporation, Rs.4.50 crores for the Film and Television Institute, Calcutta, and Rs.0.50 crores for subscription to the equity of Broadcast Engineering Consultant (India) Ltd.

प्रसारण : सुदृढ़ प्रसारण के लिए वर्ष 1995-96 के लिये 135.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है (जिससे 110.00 करोड़ रुपये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की व्यावसायिक राजस्व निधि से प्राप्त किये जायेंगे)। परिव्यय में स्टूडियो को पूर्ण करना, नये स्टेशन स्थापित करने सम्बधी निर्माण कार्य तथा ट्रांसमीटर परियोजनाओं को पूरा करना तथा एफ एम ट्रांसमीटर्स इत्यादि स्थापित करना भी शामिल है । दूरदर्शन के लिए 1995-96 में 313.78 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है (जिसमें से 280.40 करोड़ रुपये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की व्यावसायिक राजस्व निधि से प्राप्त किये जायेंगे) । 1995-96 के परिव्यय में नये टी. वी. स्टूडियो को पूर्ण करना, पी. जी. एम. केन्द्र, उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटरों, कम शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर, उपग्रह क्षेत्रीय सेवा ट्रांसमीशन को जोड़ने उपग्रह सूचना एकत्रीकरण प्रणाली, उपस्करों को बदलना सिविल निर्माण कार्य निष्पादन इत्यादि शामिल हैं।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :1995-96 के लिए परिव्यय में 860.54 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (275.00 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति विकास निगम (30.00 करोड़ रुपए), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (145.00 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकारी छात्रवास (11.00 करोड़ रुपए), सफाई वालों की मुक्ति (90.00 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (65.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (39.00 करोड़ रुपए), टी.आर.आई.एफ.ई.डी. में निवेश (10.75 करोड़ रुपए), प्रोहिबिशन एण्ड ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन (15.00 करोड़ रुपए), तथा विकलांगों के लिए सहायक उपकरण (13.00 करोड़ रुपए) विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (25.83 करोड़ रुपए) आदि के लिए प्रावधान है।

श्रम तथा रोजगार : निर्माण कार्य के लिये परिव्यय सहित वर्ष 1995-96 के लिए परिव्यय 135.66 करोड़ रुपये है । इसमें श्रमिकों के रोजगार तथा प्रशिक्षण तथा उनके कार्य करने की दशा में सुधार तथा सुरक्षा पर बल दिया गया है ।

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण : वर्ष 1995-96 के लिए 806.13 करोड़ रुपए का परिव्यय है । जिसमें से 500.00 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं इंदिरा महिला योजना (12 करोड़ रुपए), महिला समृद्धि योजना (60.00 करोड़ रुपए) विश्व बैंक आई.सी.पी.एस. (64.00 करोड़ रुपए) आदि के लिए हैं। परिव्यय में विकलांगों और बालकों का कल्याण तथा मद्य-निषेध के लिए शिक्षा कार्य और ड्रग्स की बुराइयों की रोकथाम आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

पोषण : यह महिला और बाल विकास विभाग की मांग का एक हिस्सा है। 1995-96 के लिए 2.48 करोड़ रुपए के परिव्यय का संबंध नमक और दूध के पुष्टिकरण, पोषण, शिक्षा और विस्तार, पुष्टिकारक खाने के लिए तैयार/ ऊर्जा खाद्य के उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास से है।

सामान्य सेवाएं

न्याय प्रशासन : 1995-96 के दौरान न्यायतंत्र संबंधी व्यय के लिए संरचनात्मक सुविधाओं हेतु 50.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों की 50:50 के अनुपात में भागीदारी होगी। परिव्यय में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अनुदान देने के लिए 1.50 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

मुद्रा, सिक्का तथा टकसाल : 1995-96 के बजट अनुमानों में 95.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह व्यय मुख्यतः टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा जो काफी जोरों पर चल रहा है।

सचिवालय सामान्य सेवाएं : वर्ष 1995-96 के लिए 1.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

पुलिस : 1995-96 में पुलिस के लिए 6.00 करोड़ रूपए रखा गया है।

जेल : 1995-96 में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 20.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

लेखन सामग्री मुद्रण - भारत सरकार के मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के लिए 1995-96 में 2.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

लोक निर्माण - इस में सामान्य पूल गैर-रिहायशी आवास के निर्माण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान शिलांग में नई स्थापित उत्तरी पूर्वी जोन के लिए 16.40 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

अन्य प्रशासकीय सेवाएं : सरकारी कार्यालयों के मशीनीकरण तथा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन, राजभाषा के लिये 1995-96 में 13.61 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

Broadcasting : For Sound Broadcasting (All India Radio) the outlay for 1995-96 is Rs.135.00 crores (of which Rs.110.00 crores would be met from Akashvani and Doordarshan Commercial Revenue Fund). The outlay includes provision for completion of studios, new stations, installation works and completion of transmitter projects, setting up of FM transmitters etc. The outlay for Doordarshan for 1995-96 has been fixed at Rs.313.78 crores (of which Rs. 280.40 crores will be met from Akashvani and Doordarshan Commercial Revenue Fund). Outlay for 1995-96 includes provision for commissioning of new T.V. Studios, P.G.F. Centres, High Power T.V. Transmitters, low Power TV Transmitters, uplinks for Satelite Regional Service Transmission, satellite news gathering system, replacements of equipments, execution of civil works etc.

WELFARE

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes : The outlay for 1995-96 of Rs.860.54 crores includes provisions for special central assistance to Scheduled Castes special component plan (Rs.275.00 crores), Scheduled Castes Development Corporation (Rs.30.00 crores), Post Matric Scholarship (Rs.145.00 crores), Girls Hostels for Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Rs. 11.00 crores); Liberation of Scavengers (Rs. 90.00 crores), National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (Rs 65.00 crores), National Backward Classes Finance and Development Corporation (Rs. 39.00 crores), Investment in TRIFED (Rs. 10.75 crores), Prohibilition and Drug Abuse Prevention (Rs. 15.00 crores), Aids and Appliances for the Handicapped (Rs. 13.00 crores), grants-in-aid to voluntary organisation for disabled persons (Rs.15.00 crores), and SC/STs (Rs.25.83 crores) etc.

Labour and Employment : The outlay for 1995-96 is Rs. 135.66 crores inclusive of works outlay. Emphasis is on employment and training of labour and improving working conditions and safety.

Social Security and Welfare: The outlay for 1995-96 is Rs.806.13 crores of which Rs.500.00 crores are for Integrated Child Development Services, Indira Mahila Yojna (Rs.12.00 crores), Mahila Samriddhi Yojna (Rs.60.00 crores), World Bank ICDS (Rs.64.00 crores) etc. The outlay also includes provision for welfare of handicapped, Child education and work for prohibition and drug abuse prevention etc.

Nutrition : This forms a part of the demands of the Department of Woman and Child Development. The outlay for 1995-96 is Rs.2.48 crores relating to schemes for fortification of salt and milk, nutrition, education & extension, productions of nutritious ready-to-eat/energy foods and research & development.

GENERAL SERVICES

Administration of Justice: The outlay for 1995-96 is Rs.50.00 crores for infrustructural facilities for the Judiciary. Expenditure will be shared by the Central Govt. and State Govt. on 50:50 basis. The Outlay includes Rs.1.50 crores for grants to National Judicial Academy.

Currency, Coinage and Mint: A provision of Rs.95.00 crores has been made in BE 1995-96, the expenditure is mainly for modernisation of Mints which is going on at full pace.

Secretariat General Services: The outlay for 1995-96 is Rs.1.00 crore.

Police: A provision of Rs.6.00 crores has been made in 1995-96 for Police.

Jails: A provision of Rs. 20.00 crores has been made in 1995-96 for modernisation of prison administration.

Stationery Printing : The outlay for 1995-96 is Rs.2.50 crores for modernisation of Govt. of India Presses.

Public Works: The outlay of Rs.16.40 crores provides for construction of general pool non-residential accommodation, CPWD Training Institute and North-Eastern Zone at Shillong.

Other Administrative Services: The outlay for 1995-96 is Rs.13.61 crores and includes provision for training and upgradation of training facilities, official languages, mechanisation of government offices etc.

मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY MINISTRIES/DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 12

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1994-95			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
		बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**2005.00**	...	**2005.00**	**2069.42**	...	**2069.42**	**2144.00**	...	**2144.00**
कृषि तथा सहकारिता विभाग	Department of Agriculture and Cooperation	1405.00	...	1405.00	1458.84	...	1458.84	1490.00	...	1490.00
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	Department of Agricultural Research and Education	275.00	...	275.00	274.99	...	274.99	310.00	...	310.00
पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	Department of Animal Husbandry And Dairying	325.00	...	325.00	335.59	...	335.59	344.00	...	344.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**	**222.03**	**1755.30**	**1977.33**	**217.28**	**1350.42**	**1567.70**	**238.91**	**2804.27**	**3043.18**
रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	Department of Chemicals and Petro-Chemicals	38.03	897.80	935.83	31.03	763.85	794.88	33.91	1035.27	1069.18
उर्वरक विभाग	Department of Fertilisers	184.00	857.50	1041.50	186.25	586.57	772.82	205.00	1769.00	1974.00
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**	**115.92**	**1673.64**	**1789.56**	**111.28**	**2283.00**	**2394.28**	**145.37**	**3768.24**	**3913.61**
नागर विमानन विभाग	Department of Civil Aviation	23.11	1662.94	1686.05	21.57	2272.30	2293.87	53.37	3757.54	3810.91
पर्यटन विभाग	Department of Tourism	92.81	10.70	103.51	89.71	10.70	100.41	92.00	10.70	102.70
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION**	**17.45**	...	**17.45**	**17.45**	...	**17.45**	**19.85**	...	**19.85**
कोयला मंत्रालय	**MINISTRY OF COAL**	**586.98**	**2311.50**	**2898.48**	**531.68**	**2095.98**	**2627.66**	**475.00**	**2911.20**	**3386.20**
वाणिज्य मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE**	**184.40**	**8.31**	**192.71**	**184.70**	**13.29**	**197.99**	**238.64**	**12.19**	**250.83**
वाणिज्य विभाग	Department of Commerce	180.00	8.31	188.31	180.00	13.29	193.29	234.84	12.19	247.03
पूर्ति विभाग	Department of Supply	4.40	...	4.40	4.70	...	4.70	3.80	...	3.80
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**82.00**	**7245.49**	**7327.49**	**96.51**	**7536.98**	**7633.49**	**90.00**	**8372.34**	**8462.34**
डाक विभाग	Department of Posts	77.00	...	77.00	92.00	...	92.00	85.00	...	85.00
दूर-संचार विभाग	Department of Telecommunications	5.00	7245.49	7250.49	4.51	7536.98	7541.49	5.00	8372.34	8377.34
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**	**360.00**	...	**360.00**	**360.00**	...	**360.00**	**370.50**	...	**370.50**
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**1095.51**	...	**1095.51**	**2151.24**	...	**2151.24**	**1101.93**	...	**1101.93**
आर्थिक कार्य विभाग	Department of Economic Affairs	1093.82	...	1093.82	2147.73	...	2147.73	1100.00	...	1100.00
व्यय विभाग	Department of Expenditure	1.69	...	1.69	3.51	...	3.51	1.93	...	1.93
राजस्व विभाग	Department of Revenue	...	...	...	...	...	...	...	...	...
खाद्य मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD**	**29.00**	**15.40**	**44.40**	**29.00**	**15.00**	**44.00**	**21.05**	**24.00**	**45.05**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**	**45.00**	...	**45.00**	**45.00**	...	**45.00**	**45.00**	...	**45.00**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**	**2008.00**	...	**2008.00**	**2029.38**	...	**2029.38**	**2251.00**	...	**2251.00**
स्वास्थ्य विभाग	Department of Health	578.00	...	578.00	599.38	...	599.38	670.00	...	670.00
परिवार कल्याण विभाग	Department of Family Welfare	1430.00	...	1430.00	1430.00	...	1430.00	1581.00	...	1581.00
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**	**53.98**	...	**53.98**	**52.77**	...	**52.77**	**76.75**	...	**76.75**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**	**2412.46**	...	**2412.46**	**2435.22**	...	**2435.22**	**2772.00**	...	**2772.00**
शिक्षा विभाग	Department of Education	1541.46	...	1541.46	1568.91	...	1568.91	1825.00	...	1825.00
युवा कार्य और खेल-कूद विभाग	Department of Youth Affairs and Sports	94.00	...	94.00	94.00	...	94.00	95.00	...	95.00
संस्कृति विभाग	Department of Culture	115.00	...	115.00	110.31	...	110.31	122.00	...	122.00
महिला और बाल विकास विभाग	Department of Women and Child Development	662.00	...	662.00	662.00	...	662.00	730.00	...	730.00
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**1388.86**	**234.07**	**1622.93**	**881.33**	**348.00**	**1229.33**	**1212.00**	**221.11**	**1433.11**
औद्योगिक विकास विभाग	Department of Industrial Development	776.50	...	776.50	276.50	...	276.50	430.00	...	430.00
भारी उद्योग विभाग	Department of Heavy Industry	134.36	234.07	368.43	147.91	348.00	495.91	175.00	221.11	396.11
सरकारी उद्यम विभाग	Department of Public Enterprises	...	...	...	...	...	...	...	...	...

मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY MINISTRIES/DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 12
(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
		बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total
लघु उद्योग और कृषि एव ग्रामीण उद्योग विभाग	Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries	478.00	...	478.00	456.92	...	456.92	607.00	...	607.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING	61.00	364.30	425.30	57.98	364.31	422.29	101.00	394.50	495.50
श्रम मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR	126.00	...	126.00	100.05	...	100.05	136.00	...	136.00
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS	50.00	...	50.00	49.55	...	49.55	50.00	...	50.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES	101.03	230.26	331.29	101.63	163.26	264.89	107.72	366.29	474.01
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES	225.00	...	225.00	246.87	...	246.87	247.00	150.00	397.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS	8.10	...	8.10	8.10	...	8.10	8.10	...	8.10
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS	135.90	12117.00	12252.90	132.27	10820.42	10952.69	4.29	13169.28	13173.57
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION	137.26	...	137.26	111.47	...	111.47	137.00	...	137.00
योजना	Planning	120.00	...	120.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
सांख्यिकी विभाग	Department of Statistics	17.26	...	17.26	11.47	...	11.47	17.00	...	17.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER	2887.10	4276.16	7163.26	2563.25	3557.99	6121.24	2596.61	4326.90	6923.51
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	7070.00	...	7070.00	7380.00	...	7380.00	7760.00	...	7760.00
ग्रामीण विकास विभाग	Department of Rural Development	7010.00	...	7010.00	7320.00	...	7320.00	7700.00	...	7700.00
बंजर भूमि विकास विभाग	Department of Wastelands Development	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	473.00	...	473.00	477.40	...	477.40	516.00	19.13	535.13
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Science and Techhology	225.00	...	225.00	229.53	...	229.53	240.00	...	240.00
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	Department of Scientific and Industrial Research	161.00	...	161.00	161.00	...	161.00	186.00	...	186.00
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Biotechnology	87.00	...	87.00	86.87	...	86.87	90.00	19.13	109.13
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL	325.00	3496.41	3821.41	325.00	3326.18	3651.18	284.50	3585.36	3869.86
भूतल परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT	975.00	1534.37	2509.37	953.47	1534.37	2487.84	1082.00	1521.53	2603.53
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES	270.00	140.00	410.00	270.00	140.00	410.00	298.00	149.00	447.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	385.00	400.00	785.00	443.23	400.00	843.23	530.00	550.00	1080.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES	275.47	...	275.47	245.82	...	245.82	302.00	...	302.00
कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF WELFARE	705.00	...	705.00	803.77	...	803.77	890.00	50.00	940.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	525.00	1041.76	1566.76	494.86	679.22	1174.08	643.00	886.73	1529.73
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	DEPARTMENT OF ELECTRONICS	140.10	20.44	160.54	140.60	14.64	155.24	147.00	28.55	175.55
महासागर विकास विभाग	DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00	52.00	...	52.00
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE	600.00	...	600.00	620.00	...	620.00	750.00	..	750.00
रेलवे	RAILWAYS	1150.00	5999.00	7149.00	1150.00	5739.00	6889.00	1150.00	6544.00	7694.00
कुल जोड़	*GRAND TOTAL*	*27277.55*	*42863.41*	*70140.96*	*27933.58*	*40382.06*	*68315.64*	*28994.22*	*49854.62*	*78848.84*

विकास शीर्ष के अनुसार केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY HEADS OF DEVELOPMENT

विवरण
STATEMENT 13
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head Of Development	बजट 1994-95 Budget	संशोधित 1994-95 Revised	बजट 1995-96 Budget
I. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	***I. Agriculture and Allied Activities***		***2637.23***	***2852.78***	***3021.78***
1. खेती बाड़ी	1. Crop Husbandry	12401	932.53	877.40	926.92
2. भू और जल संरक्षण	2. Soil and Water Conservation	12402	120.00	124.26	125.00
3. पशु पालन	3. Animal Husbandry	12403	99.30	72.94	93.25
4. डेरी विकास	4. Dairy Development	12404	225.00	261.95	250.00
5. मीन उद्योग	5. Fisheries	12405	114.00	104.04	111.15
6. वानिकी और वन्य जीवन	6. Forestry and Wild Life	12406	263.00	264.04	211.50
7. बागान	7. Plantations	12407	80.33	82.14	92.03
8. खाद्य, भंडारण और भांडागार	8. Food, Storage and Warehousing	12408	66.17	65.77	67.80
9. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9. Agricultural Research and Education	12415	274.95	274.95	309.90
10. कृषि वित्तीय संस्थाएं	10. Agricultural Financial Institutions	12416	190.00	341.00	476.38
11. सहकारिता	11. Co-operation	12425	260.95	342.93	350.60
12. अन्य कृषि कार्यक्रम	12. Other Agricultural programmes	12435	11.00	41.36	7.25
II. ग्रामीण विकास	***II. Rural Development***		***6036.00***	***5636.82***	***6539.75***
1. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1. Special Programmes for Rural Development	12501	876.00	858.25	957.00
2. ग्रामीण रोजगार	2. Rural Employment	12505	5055.00	4675.00	5432.00
3. भूमि सुधार	3. Land Reforms	12506	39.50	27.82	39.50
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4. Other Rural Development Programmes	12515	65.50	75.75	111.25
5. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	5. Other Special Area programmes	12575	...	...	...
III. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	***III. Irrigation and Flood Control***		***261.18***	***232.95***	***287.71***
1. बड़ी और मध्यम सिंचाई	1. Major and Medium Irrigation	12701	21.99	27.04	30.21
2. लघु सिंचाई	2. Minor Irrigation	12702	65.38	38.44	59.00
3. कमान क्षेत्र कार्यक्रम	3. Command Area Development	12705	125.00	124.50	140.00
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	4. Flood Control and Drainage	12711	* 48.81	42.97	58.50
IV. ऊर्जा	***IV. Energy***		***22856.71***	***20349.21***	***23794.64***
1. विद्युत	1. Power	12801	8463.54	7053.23	8254.38
2. पेट्रोलियम	2. Petroleum	12802	11386.97	10509.44	11938.20
3. कोयला और लिग्नाइट	3. Coal and Lignite	12803	2781.20	2539.67	3207.06
4. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत,	4. Non-Conventional Sources of Energy	12810	225.00	246.87	395.00
5. ऊर्जा समन्वय और विकास	5. Energy Coordination and Development	12820	...	...	...
V. उद्योग और खनिज	***V. Industry and Minerals***		***10393.66***	***8871.80***	***11598.23***
1. ग्राम और लघु उद्योग	1. Village and Small Industries	12851	720.60	699.52	887.40
2. लोहा और इस्पात उद्योग	2. Iron and Steel Industries	12852	3821.41	3651.18	3869.86
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	3. Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	12853	331.29	264.89	474.01
4. सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	4. Cement and non-Metallic Mineral Industries	12854	30.05	30.24	68.53
5. उर्वरक उद्योग	5. Fertiliser Industries	12855	1041.50	772.82	1974.00
6. पेट्रो-रसायन उद्योग	6. Petro-Chemical Industries	12856	1635.64	1066.06	2077.27
7. रसायन और औषधीय उद्योग	7. Chemical and Pharmaceutical Industries	12857	139.33	135.57	185.83
8. इंजीनियरी उद्योग	8. Engineering Industries	12858	306.21	393.00	359.36
9. दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग	9. Telecommunication and Electronic Industries	12859	309.65	308.90	339.36
10. उपभोक्ता उद्योग	10. Consumer Industries	12860	257.78	308.54	226.27
11. परमाणु ऊर्जा उद्योग	11. Atomic Energy Industries	12861	248.76	168.95	201.00
12. अन्य उद्योग	12. Other Industries	12875	713.10	208.61	317.27
13. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	13. Other outlays on Industries and Minerals	12885	838.34	863.52	618.07
VI. परिवहन	***VI. Transport***		***11343.42***	***11667.91***	***14088.43***
1. रेलवे	1. Railways	13002	7149.00	6889.00	7694.00
2. पत्तन और दीपस्तम्भ	2. Ports and Lighthouses	13051	494.00	486.00	829.13
3. नौवहन	3. Shipping	13052	1282.37	1278.48	926.49
4. नागर विमानन	4. Civil Aviation	13053	1686.05	2293.87	3810.91
5. सड़कें और पुल	5. Roads and Bridges	13054	665.00	665.00	765.90
6. सड़क परिवहन	6. Road Transport	13055	28.00	18.00	28.00
7. अन्तर्देशीय जल परिवहन	7. Inland Water Transport	13056	20.00	20.00	20.00
8. अन्य परिवहन सेवाएं	8. Other Transport Services	13075	19.00	17.56	14.00
VII. संचार	***VII. Communications***		***7191.34***	***7494.79***	***8318.04***
1. डाक सेवाएं	1. Postal Services	13201	77.00	92.00	85.00
2. दूर संचार सेवाएं	2. Telecommuncation Services	13225	6751.00	6988.00	7838.80
3. अन्य संचार सेवाएं	3. Other Communication Services	13275	363.34	414.79	394.24

विकास शीर्ष के अनुसार केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY HEADS OF DEVELOPMENT

विवरण
STATEMENT 13
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head Of Development	बजट 1994-95 Budget	संशोधित 1994-95 Revised	बजट 1995-96 Budget
VIII. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	***VIII. Science Technology & Environment***		***1362.34***	***1408.00***	***1616.52***
1. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1. Atomic Energy Research	13401	125.00	149.13	165.00
2. अंतरिक्ष अनुसंधान	2. Space Research	13402	600.00	620.00	750.00
3. समुद्र-विज्ञान अनुसंधान	3. Oceanographic Research	13403	46.00	46.00	52.00
4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4. Other Scientific Research	13425	434.34	436.91	490.52
5. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	5. Ecology and Environment	13435	157.00	155.96	159.00
IX. सामान्य आर्थिक सेवाएं	IX. General Economic Services		471.26	1387.12	540.12
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	13451	58.91	59.16	67.89
2. पर्यटन	2. Tourism	13452	103.51	100.41	102.70
3. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	3. Foreign Trade and Export Promotion	13453	99.05	99.00	145.00
4. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	4. Census, Surveys and Statistics	13454	25.74	18.98	25.00
5. मौसम विज्ञान	5. Meteorology	13455	39.00	41.13	40.00
6. नागरिक पूर्ति	6. Civil Supplies	13456	14.95	14.95	17.05
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	7. General Financial and Trading Institutions	13465	6.00	936.48	9.75
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8. Other General Economic Services	13475	124.10	117.01	132.73
X. सामाजिक सेवाएं	***X. Social Services***		***7380.96***	***8250.80***	***8839.11***
1. सामान्य शिक्षा	1. General Education	22202	1317.64	1344.12	1570.77
2. तकनीकी शिक्षा	2. Technical Education	22203	223.00	224.02	253.41
3. खेल-कूद और युवा सेवाएं	3. Sports and Youth Services	22204	94.35	94.46	95.35
4. कला और संस्कृति	4. Art and Culture	22205	114.28	109.59	121.23
5. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5. Medical and Public Health	22210	577.60	598.98	669.30
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	22211	1430.00	1430.00	1581.00
7. जल पूर्ति और सफाई	7. Water Supply and Sanitation	22215	1006.60	975.60	1234.55
8. आवास	8. Housing	22216	527.60	524.49	698.85
9. शहरी विकास	9. Urban Development	22217	170.50	170.50	311.70
10. सूचना और प्रचार	10. Information and Publicity	22220	36.98	33.97	46.72
11. प्रसारण	11. Broadcasting	22221	388.32	388.32	448.78
12. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes	22225	631.82	730.45	860.54
13. श्रम और रोजगार	13. Labour and Employment	22230	125.68	99.86	135.66
14. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14. Social Security and Welfare	22235	732.43	732.63	806.13
15. पोषाहार	15. Nutrition	22236	2.47	2.28	2.48
16. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	16. Secretariat-Social Services	22251	1.69	1.53	2.64
17. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	17. Other Special Area Programmes	22553	...	790.00	...
XI. सामान्य सेवाएं	XI. General Services		206.86	163.46	204.51
1. न्याय प्रशासन	1. Administration of Justice	32014	50.00	49.55	50.00
2. करेंसी, सिक्का और टकसाल	2. Currency, Coinage and Mint	32046	108.71	60.26	95.00
3. अन्य राजकोषीय सेवाएं	3. Other Fiscal Services	32047	...	...	...
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	4. Secretariat - General Services	32052	1.00	1.00	1.00
5. पुलिस	5. Police	32055	5.50	5.50	6.00
6. जेलें	6. Jails	32056	12.00	12.00	20.00
7. पूर्ति और निपटान	7. Supplies and Disposals	32057	...	...	...
8. लेखन-सामग्री और मुद्रण	8. Stationery and Printing	32058	3.00	3.00	2.50
9. लोक निर्माण कार्य	9. Public Works	32059	12.30	17.14	16.40
10. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10. Other Administrative Services	32070	14.35	15.01	13.61
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***		***70140.96***	***68315.64***	***78848.84***

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
कृषि मंत्रालय	**Ministry of Agriculture**	390.86	0.10	390.76	464.88	0.10	464.78	491.11	0.10	491.01
कृषि और सहकारिता विभाग	*Department of Agriculture and Cooperation*	*215.86*	*0.10*	*215.76*	*289.88*	*0.10*	*289.78*	*297.11*	*0.10*	*297.01*
1. भूमि विकास बैंक	1. Land Development Banks	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	120.00	...	120.00
2. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	2. National Cooperative Development Corporation	147.75	...	147.75	221.77	...	221.77	177.00	...	177.00
3. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	3. National Dairy Development Board	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. राष्ट्रीय बीज निगम	4. National Seeds Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. आयल पाम इंडिया लिमिटेड	5. Oil Palm India Ltd.	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...
पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	*Department of Animal Husbandry and Dairying*	*175.00*	...	*175.00*	*175.00*	...	*175.00*	*194.00*	...	*194.00*
6. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	6. National Dairy Development Board	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	194.00	...	194.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**Ministry of Chemicals and Fertilisers**	1965.33	85.98	124.05	1555.45	80.98	124.05	3031.18	79.10	147.81
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	*Department of Chemicals and Petrochemicals*	*935.83*	*28.98*	*9.05*	*794.88*	*21.98*	*9.05*	*1069.18*	*24.60*	*9.31*
7. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50
8. बंगाल इम्यूनिटी लि.	8. Bengal Immunity Ltd.	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50
9 .हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	9. Hindustan Antibiotics Ltd.	20.00	...	...	17.37	...	...	8.43	...	...
10. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	10. Hindustan Insecticides Ltd.	3.00	1.50	1.50	5.80	1.50	1.50	6.69	1.50	1.50
11. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	11. Hindustan Organic Chemicals Ltd.	90.00	...	...	90.00	...	...	140.00	...	...
12. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12. Indian Drugs and Pharm aceuticals Ltd.	16.56	1.38	6.38	12.63	1.38	6.38	16.43	1.32	6.31
13. भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि.	13. Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.	730.00 *	...	...	622.00	...	...	842.00	...	...
14.नाइपर	14. NIPER	7.00	1.50	...	7.00	1.50	...	10.28	3.28	...
15. कीटनाशक विकास केन्द्र	15. Pesticides Development Centre	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लि.	16. Petrofils Cooperative Ltd.	43.50	...	...	21.04	...	...	25.35	...	...
17. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	17. Smith Stanistreet Pharm aceuticals Ltd.	0.35	0.18	0.17	0.35	0.18	0.17	1.00	0.50	0.50
18.अन्य निकाय/संस्थाएं	18. Other bodies/institutions	23.42	23.42	...	16.69	16.42	...	17.00	17.00	...
उर्वरक विभाग	*Department of Fertilisers*	*1029.50*	*57.00*	*115.00*	*760.57*	*59.00*	*115.00*	*1962.00*	*54.50*	*138.50*
19. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	19. Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	120.00	8.00	60.50	94.42	8.00	60.50	208.00	...	70.00
20.फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	20. Fertilizers Corporation of India Ltd.	23.00	10.00	13.00	23.00	10.00	13.00	25.00	10.00	15.00
21. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	21. Hindustan Fertilizers Corporation Ltd.	17.00	7.00	10.00	17.00	7.00	10.00	18.00	8.00	10.00
22. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.	22. Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.	154.00	...	...	128.60	...	...	448.00	...	...
23. कृषक भारती कोआपरेटिव लि.	23. Krishak Bharati Cooperative Ltd.	100.00	...	...	36.51	...	...	268.00	...	...
24. मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	24. Madras Fertilizers Ltd.	246.00	...	24.00	125.37	...	24.00	250.00	...	24.00
25. नेशनल फर्टिलाइजर लि.	25. National Fertilizers Ltd.	200.00	...	...	161.00	...	...	408.00	...	...
26. पारादीप फास्फेट्स लि.	26. Paradeep Phosphates Ltd.	34.00	28.00	6.00	36.00	30.00	6.00	50.00	34.00	16.00
27. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि.	27. Projects and Development (India) Ltd.	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50	1.00	0.50	0.50
28. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.	28. Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd.	4.00	3.00	1.00	4.00	3.00	1.00	5.00	2.00	3.00
29. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि.	29. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	130.00	...	...	133.17	...	...	281.00	...	...
नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	1686.75	7.61	5.50	2294.11	5.61	5.50	3814.49	24.31	21.94
नागर विमानन विभाग	*Department of Civil Aviation*	*1676.05*	*7.61*	*5.50*	*2283.41*	*5.61*	*5.50*	*3803.79*	*24.31*	*21.94*
30. एयर इंडिया	30. Air India	764.51	...	...	1453.96	...	...	2972.61	...	...
31. इंडियन एयरलाइन्स	31. Indian Airlines	430.68	...	...	330.88	...	...	413.57	...	...
32. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	32. Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy	...	...	...	...	...	...	...	...	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	SL No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	संशोधित 1994-95 Revised कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	बजट 1995-96 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
33. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण लि.	33. International Airports Authority of India Ltd.	119.60	...	...	102.83	...	...	162.31	...	...
34. राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण	34. National Airport Authority	342.36	7.61	5.50	392.34	5.61	5.50	225.50	24.31	21.94
35. पवन हंस लिमिटेड	35. Pawan Hans Ltd.	14.90	...	...	3.40	...	...	29.80	...	...
36. वायुदूत	36. Vayudoot	4.00	...	...	...	...	...	...	...	...
पर्यटन विभाग	*Department of Tourism*	*10.70*	...	...	*10.70*	...	...	*10.70*	...	...
37. भारतीय पर्यटन विकास निगम	37. India Tourism Development Corporation	10.70	...	...	10.70	...	...	10.70	...	...
कोयला मंत्रालय	**Ministry of Coal**	**2874.98**	**211.52**	**351.96**	**2604.16**	**211.52**	**296.66**	**3342.38**	...	**431.18**
38. कोल इंडिया लि.	38. Coal India Ltd.	2062.90	211.52	147.00	1850.00	211.52	147.00	2260.00	...	241.00
39. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	39. Neyveli Lignite Corporation Ltd.	328.68	...	85.56	204.16	...	30.26	566.38	...	168.18
40. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	40. Singareni Collieries Company Ltd.	483.40	...	119.40	550.00	...	119.40	516.00	...	22.00
वाणिज्य मंत्रालय	**Ministry of Commerce**	**8.31**	...	...	**13.29**	...	...	**12.19**	...	...
वाणिज्य विभाग	*Department of Commerce*	*8.31*	...	...	*13.29*	...	...	*12.19*	...	...
41. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	41. Mica Trading Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42. चाय व्यापार निगम	42. Tea Trading Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43. अन्य निकाय/संस्थाएं	43. Other bodies / Institutions	8.31	...	...	13.29	...	...	12.19	...	...
संचार मंत्रालय	**Ministry of Communications**	**7245.49**	...	...	**7536.98**	...	...	**8372.34**	...	...
दूर-संचार सेवाएं	*Telecommunication Services*	*7245.49*	...	...	*7536.98*	...	...	*8372.34*	...	...
44. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.	44. Hindustan Teleprinters Ltd.	6.15	...	...	8.70	...	...	12.30	...	...
45. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	45. Indian Telephone Industries Ltd.	130.00	...	...	130.00	...	...	132.00	...	...
46. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	46. Mahanagar Telephone Nigam Limited	986.00	...	...	1023.00	...	...	943.80	...	...
47. दूर-संचार	47. Telecommunications	5765.00	...	...	5965.00	...	...	6895.00	...	...
48. विदेश संचार निगम लिमिटेड	48. Videsh Sanchar Nigam Ltd.	358.34	...	...	410.28	...	...	389.24	...	...
वित्त मंत्रालय	**Ministry of Finance**	**856.35**	**213.00**	**643.35**	**1992.69**	**1286.74**	**705.95**	**927.07**	**466.05**	**461.02**
आर्थिक कार्य विभाग	*Department of Economic Affairs*	*856.35*	*213.00*	*643.35*	*1992.69*	*1286.74*	*705.95*	*927.07*	*466.05*	*461.02*
49. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	49. Export Import Bank of India	86.00	86.00	...	82.91	82.91	...	59.67	59.67	...
50. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	50. Industrial Credit and Investment Corporation of India	276.90	...	276.90	284.95	...	284.95	234.49	...	234.49
51. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	51. Industrial Development Bank of India	220.70	...	220.70	231.10	...	231.10	80.74	...	80.74
52. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	52. Industrial Finance Corporation of India	3.75	...	3.75	2.90	...	2.90	2.90	...	2.90
53. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	53. Industrial Reconstruction Bank of India	20.00	13.00	7.00	20.00	13.00	7.00	20.00	...	20.00
54. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	54. National Bank for Agriculture and Rural Development	135.00	105.00	30.00	180.00	105.00	75.00	152.86	85.00	67.86
55 .राष्ट्रीयकृत बैंक	55. Nationalised Banks	4.00	4.00	...	929.83	929.83	...	2.00	2.00	...
56. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56. Regional Rural Banks	5.00	5.00	...	156.00	156.00	...	319.38	319.38	...
57. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	57. Small Industries Development Bank of India	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	55.03	...	55.03
खाद्य मंत्रालय	**Ministry of Food**	**36.40**	**21.00**	...	**36.00**	**21.00**	...	**42.26**	**18.26**	...
58. केन्द्रीय भांडागार निगम	58. Central Warehousing Corporation	15.40	...	...	15.00	...	...	24.00	...	...
59. भारतीय खाद्य निगम	59. Food Corporation of India	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	18.26	18.26	...
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Food Processing Industries**	**2.00**	**0.50**	1.50	**2.00**	**0.50**	**1.50**	**2.00**	**2.00**	...
60. मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.	60. Modern Food Industries (I) Ltd.	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	2.00	2.00	...
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**Ministry of Health and Family Welfare**	**0.15**	**0.10**	0.05	2.19	1.07	**1.12**	**0.15**	**0.10**	**0.05**
स्वास्थ्य विभाग	*Department of Health*	*0.10*	*0.10*	...	...	...	...	*0.10*	*0.10*	...
61. इंडियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लि.	61. Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Ltd.	0.10	0.10	...	...	...	...	0.10	0.10	...
परिवार कल्याण विभाग	*Department of Family Welfare*	*0.05*	...	*0.05*	*2.19*	*1.07*	*1.12*	*0.05*	...	*0.05*
62. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	62. Hindustan Latex Ltd.	0.05	...	0.05	2.19	1.07	1.12	0.05	...	0.05
उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Industry**	459.13	95.44	129.62	**588.61**	103.22	**137.39**	443.66	**170.20**	**52.35**
भारी उद्योग विभाग	*Department of Heavy Industry*	*363.13*	*84.44*	*44.62*	*492.61*	*92.22*	*52.39*	*385.66*	*112.20*	*52.35*

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	SL. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support	
			इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans
63. एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लि.	63. Andrew Yule and Company Ltd.	34.41	...	...	32.00	...	...	29.62	0.01	0.01
64. भारत भारी उद्योग निगम लि.	64. Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	13.51	4.99	5.02	10.46	4.99	5.02	10.56	4.93	4.98
65. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	65. Bharat Heavy Electricals Ltd.	105.39	...	...	207.00	...	...	105.00	...	...
66. भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	66. Bharat Leather Corporation of India Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.30	0.15	0.15
67. भारत आप्थेलमिक ग्लास लि.	67. Bharat Opthalmic Glass Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
68. भारत यंत्र निगम लि.	68. Bharat Yantra Nigam Ltd.	17.52	0.90	0.92	15.97	0.90	0.92	24.40	3.95	3.95
69. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	69. Cement Corporation of India Ltd.	25.00	12.50	12.50	25.00	12.50	12.50	2.00	1.00	1.00
70. भारतीय साईकिल निगम लि.	70. Cycle Corporation of India Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
71. द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	71. Fluid Control Research Institute	0.65	...	...	0.65	...	...	1.06	...	...
72. भारी इंजीनियरी निगम लि.	72. Heavy Engineering Corporation Ltd.	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00
73. हिन्दुस्तान केबल्स लि.	73. Hindustan Cables Ltd.	67.22	17.07	17.08	57.70	24.85	24.85	83.91	22.45	22.46
74. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.	74. Hindustan Machine Tools Ltd.	0.01	...	...	...	...	...	7.76	3.88	3.88
75. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	75. Hindustan Paper Corporation Ltd.	38.00	1.50	1.51	33.07	1.50	1.51	37.77	4.23	4.24
76. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि.	76. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd.	40.00	40.00	...	95.69	40.00	...	0.02	0.01	0.01
77. हिन्दुस्तान साल्ट कंपनी लि.	77. Hindustan Salts Ltd.	1.57	0.78	0.79	1.57	0.78	0.79	0.01	...	0.01
78. इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	78. Instrumentation Ltd.	5.36	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.02	0.01	0.01
79. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.	79. Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
80. नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	80. National Bicycle Corporation of India Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
81. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	81. National Industrial Development Corporation	0.23	0.11	0.12	0.23	0.11	0.12	0.20	0.10	0.10
82. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	82. National Instruments Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
83. नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि.	83. National Newsprint and Paper Mills Ltd.	...	...	...	...	...	...	0.02	0.01	0.01
84. प्राग टूल्स लि.	84. Praga Tools Ltd.	2.00	...	...	...	...	...	1.00	0.50	0.50
85. पुनर्वास उद्योग निगम लि.	85. Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
86. स्कूटर्स इंडिया लि.	86. Scooters India Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.30	1.65	1.65
87. टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	87. Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
88. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	88. Tyre Corporation of India Ltd.	6.19	3.09	3.10	6.19	3.09	3.10	16.64	8.32	8.32
89. सार्वजनिक उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता के लिए निर्णायक सन्तुलन-कारी निवेशन	89. Crucial Balancing Investment for sustained viability of PEs	...	...	...	...	...	...	60.00	60.00	...
लघु उद्योग तथा कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	*Department of Small Scale Industries and Agro. and Rural Industries*	*96.00*	*11.00*	*85.00*	*96.00*	*11.00*	*85.00*	*58.00*	*58.00*	...
90. खादी और ग्रामोद्योग आयोग - खादी उद्योग	90. Khadi and Village Industries Commission - Khadi Industries	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	35.00	...
91. खादी और ग्रामोद्योग आयोग -अन्य ग्रामीण उद्योग	91. Khadi and Village Industries Commission - Other Village Industries	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	10.00	10.00	...
92. भारतीय लघु उद्योग कारपोरेशन लि.	92. National Small Industries Corporation Ltd.	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	13.00	13.00	...
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**Ministry of Information & Broadcasting**	**370.27**	**4.97**	**1.00**	**367.86**	**2.55**	**1.00**	**396.50**	**1.00**	**1.00**
93. ब्रोडकास्ट इंजिनियरिंग परामर्श (भारत) लि.	93. Broadcast Engineering Consultants(India) Ltd	...	...	...	...	...	...	0.50	0.25	0.25
94. संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां	94. Joint Sector Companies	3.97	3.97	...	1.55	1.55	...	...	...	...
95. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन	95. National Film Development Corporation	5.80	1.00	1.00	5.81	1.00	1.00	5.60	0.75	0.75
96. आकाशवाणी और दूरदर्शन की अव्यपनीय निधि	96. Non-lapsable funds of Akashvani and Doordarshan	360.50	...	...	360.50	...	...	390.40	...	...
खान मंत्रालय	**Ministry of Mines**	**261.49**	**25.23**	**6.00**	**194.49**	**25.23**	**6.00**	**389.01**	**8.72**	**14.00**
97. भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि.	97. Bharat Aluminium Company Ltd.	40.00	...	...	51.00	...	...	67.00	...	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

विवरण
STATEMENT 14

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support	
			इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans
98. भारत गोल्ड माइन्स लि.	98. Bharat Gold Mines Ltd.	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
99. हिन्दुस्तान कापर लि.	99. Hindusthan Copper Ltd.	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	79.77	8.00	8.00
100. हिन्दुस्तान जिंक लि.	100. Hindusthan Zinc Ltd.	25.00	...	...	25.00	...	...	45.00	...	...
101. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	101. Mineral Exploration Corporation Ltd.	8.00	...	...	...	...	...	2.37	...	...
102. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि.	102. National Aluminium Company Ltd.	150.00	...	...	80.00	...	...	180.00	...	...
103. सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन	103. Sikkim Mining Corporation	0.76	0.23	...	0.76	0.23	...	0.76	0.72	...
104. अन्य निकाय/संस्थाए	104. Others bodies/Institutions	6.73	...	...	6.73	...	...	8.11	...	...
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**Ministry of Non-Conventional Energy Sources**	**14.15**	**14.15**	**...**	**37.15**	**14.15**	**23.00**	**174.00**	**24.00**	**...**
105. इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमैंट एजेन्सी	105. Indian Renewable Energy Development Agency	14.15	14.15	...	37.15	14.15	23.00	174.00	24.00	...
106. फोटोवोल्टिक और संबद्ध उद्योग	106. Photovoltaics and related Industries	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	**12252.90**	**3.90**	**132.00**	**10952.69**	**0.27**	**132.00**	**13173.57**	**4.29**	**...**
107. बाल्मेर लारी लि.	107. Balmer Lawrie Ltd.	21.25	...	...	25.10	...	...	30.06	...	...
108. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	108. Bharat Petroleum Corporation Ltd.	232.25	...	...	116.08	...	...	496.69	...	...
109. बीको लारी लि.	109. Biecco Lawrie Ltd.	...	...	...	3.27	...	...	3.00	...	...
110. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स लि.	110. Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd.	115.00	...	...	85.00	...	...	103.75	...	...
111. कोचीन रिफाइनरीज लि.	111. Cochin Refineries Ltd.	159.82	...	...	129.72	...	...	66.12	...	...
112. इंजीनियर्स इंडिया लि.	112. Engineers India Ltd.	4.75	...	...	6.42	...	...	6.50	...	...
113. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	113. Gas Authority of India Ltd.	1601.30	3.90	...	676.30	0.27	...	2162.51	4.29	...
114. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	114. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	336.68	...	...	258.72	...	...	750.00	...	...
115. इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	115. Indian Oil Corporation Ltd.	2123.21	...	...	1880.44	...	...	2625.95	...	...
116. इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि.	116. Indo-Burmah Petroleum Company Ltd.	181.04	...	...	81.69	...	...	118.89	...	...
117. लूब्रिजोल इंडिया लि.	117. Lubrizol India Ltd.	10.92	...	...	24.03	...	...	3.98	...	...
118. मद्रास रिफाइनरीज लि.	118. Madras Refineries Ltd.	79.32	...	...	105.92	...	...	270.12	...	...
119. नूमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	119. Numaligarh Refinery Ltd	165.00	...	...	165.00	...	...	400.00	...	...
120. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	120. Oil and Natural Gas Commission	6798.36	...	34.00	7000.00	...	34.00	5524.00	...	...
121. आयल इंडिया लि.	121. Oil India Ltd.	424.00	...	98.00	395.00	...	98.00	610.00	...	...
आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**Ministry of Planning and Programme Implementation**	**0.60**	**0.30**	**0.30**	**2.60**	**2.30**	**0.30**	**1.80**	**1.10**	**0.70**
122. एन.आई.सी सर्विसिज	122. NIC Services Inc.	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	1.70	1.00	0.70
123. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	123. National Centre for Trade Information	...	...	...	2.00	2.00	...	0.01	0.01	...
124. एन.आई.सी.-एम.टी.ई.एल. संयुक्त उद्यम	124. NIC-MTEL Joint Venture	...	...	...	...	...	...	0.09	0.09	...
विद्युत मंत्रालय	**Ministry of Power**	**6989.59**	**1448.84**	**1264.59**	**5961.13**	**1208.59**	**1194.55**	**6722.84**	**873.95**	**1521.99**
125. दामोदर घाटी निगम	125. Damodar Valley Corporation	506.04	...	30.00	348.00	...	30.00	329.00	...	20.00
126. नाथपा झाकरी विद्युत निगम	126. Nathpa Jhakri Power Corporation	566.33	130.00	339.34	401.91	130.05	205.00	530.00	148.16	292.42
127. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	127. National Hydro Electric Power Corporation of India Ltd.	1277.91	230.25	...	1280.82	205.86	...	1337.69	111.10	...
128. विद्युत ग्रिड कारपोरेशन	128. Power Grid Corporation	1108.75	270.67	72.33	927.70	72.04	245.79	1515.84	...	318.64
129. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	129. National Thermal Power Corporation of India Ltd.	2623.55	271.91	602.92	2179.05	667.99	96.26	1700.74	53.40	290.93
130. उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम कारपोरेशन लि.	130. North Eastern Electric Power Corporation	522.01	381.01	...	541.01	0.01	467.50	498.40	350.12	...
131. विद्युत वित्त निगम	131. Power Finance Corporation	175.00	5.00	170.00	140.00	...	140.00	300.00	...	300.00
132. टिहरी पन बिजली विकास निगम	132. Tehri Hydro Development Corporation	160.00	160.00	...	132.64	132.64	...	211.17	211.17	...
133. ग्रामीण बिजलीकरण निगम	133. Rural Electrification Corporation	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	300.00	...	300.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**Ministry of Rural Development**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
134. शहरी विकास और आवास निगम	134. Housing and Urban Development Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	संशोधित 1994-95 Revised कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	बजट 1995-96 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ministry of Science and Technology	6.00	3.60	2.40	6.00	3.60	2.40	27.97	4.42	4.42
135. भारत प्रतिरक्षण और जीव विज्ञान निगम	135. Bharat Immunologicals and Biological Corporation	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	19.13	...	...
136. सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.	136. Central Electronics Ltd.	4.50	2.25	2.25	4.50	2.25	2.25	8.54	4.27	4.27
137. इंडिन वेक्सीन कारपोरेशन	137. Indian Vaccines Corporation	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	...	...	...
138. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	138. National Research Development Corporation	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15
इस्पात मंत्रालय	**Ministry of Steel**	**3821.41**	**1.97**	**323.03**	**3651.18**	**1.97**	**323.03**	**3869.86**	**3.97**	**280.53**
139. भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	139. Bharat Refractories Ltd.	6.30	0.60	5.70	6.30	0.60	5.70	6.00	0.97	5.03
140. बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	140. Bird Group of Companies	6.90	...	6.90	6.90	...	6.90	3.00	...	3.00
141. फेरो स्क्रेप निगम लि.	141. Ferro Scrap Nigam Ltd	17.40	...	...	9.84	...	...	18.50	...	...
142. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	142. Hindusthan Steel Works Construction Ltd.	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
143. कुद्रेमुख लोहा अयस्क कंपनी लि.	143. Kudremukh Iron Ore Company Ltd.	294.16	...	...	253.58	...	...	125.02	...	...
144. मैंगनीज ओर इंडिया लि.	144. Manganeese Ore India Ltd.	13.98	...	...	7.50	...	...	10.53	...	...
145. मैटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	145. Metal Scrap Trade Corporation Ltd.	0.50	...	...	5.50	...	...	6.00	...	...
146. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि.	146. Metallurgical and Engineering Consultants India Ltd.	6.25	...	...	5.69	...	...	9.21	...	...
147. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	147. National Mineral Development Corporation	213.12	...	...	103.28	...	...	184.57	...	...
148. लोहा और इस्पात मिशन	148. Iron and Steel Mission	5.00	...	...	2.00	...	...	10.00	...	...
149. नीलाचल इस्पात निगमलि.	149. Neelachal Ispat Nigam Ltd.	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	...	...	...
150. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	150. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	355.00	...	300.00	355.00	...	300.00	298.00	...	264.00
151. स्पौज आयरन इंडिया लि.	151. Sponge Iron India Ltd.	4.80	0.37	4.43	4.80	0.37	4.43	6.03	3.00	1.50
152. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	152. Steel Authority of India Ltd.	2891.00	...	...	2883.79	...	...	3187.00	...	1.00
153. विजयनगर स्टील लि.	153. Vijaynagar Steel Ltd.	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	...	...	...
भू-तल परिवहन मंत्रालय	**Ministry of Surface Transport**	**1705.64**	**13.76**	**157.51**	**1687.64**	**13.76**	**139.51**	**1731.78**	**18.80**	**191.45**
भू-तल परिवहन विभाग	*Department of Surface Transport*	*26.75*	*6.75*	*20.00*	*16.75*	*6.75*	*10.00*	*28.60*	*6.30*	*22.30*
154. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	154. Central Inland Water Transport Corporation	13.50	6.75	6.75	13.50	6.75	6.75	12.60	6.30	6.30
155. दिल्ली परिवहन निगम	155. Delhi Transport Corporation	10.00	...	10.00	...	...	...	16.00	...	16.00
156. राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम	156. National Road Transport Development Financial Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...
157. राज्य परिवहन निगम	157. State Transport Corporations	3.25	...	3.25	3.25	...	3.25	...	...	...
सड़कें	Roads	10.00	...	...	10.00	...	...	...	...	...
158. अन्य संस्थाएं (सड़क और पुल)	158. Other Institutions (Roads and Bridges)	10.00	...	...	10.00	...	...	...	...	...
पत्तन, दीपस्तम्भ एवं नौवहन पत्तन विभाग	*Department of Ports, Lighthouses & Shipping Ports*	*1668.89*	*7.01*	*137.51*	*1660.89*	*7.01*	*129.51*	*1703.18*	*12.50*	*169.15*
159. बम्बई पत्तन	159. Bombay Port	58.50	...	38.50	50.50	...	30.50	144.41	...	46.60
160. कलकत्ता पत्तन	160. Calcutta Port	10.50	...	5.50	10.50	...	5.50	65.52	...	7.20
161. कोचीन पत्तन	161. Cochin Port	60.00	...	14.50	60.00	...	14.50	50.00	...	5.52
162. भारतीय तलकर्षण निगम	162. Dredging Corporation of India	15.00	...	...	15.00	...	...	71.35	...	...
163. हल्दिया गोदी	163. Haldia Dock	30.00	...	...	30.00	...	...	...	...	...
164. मद्रास पत्तन न्यास	164. Madras Port	55.00	...	30.00	55.00	...	30.00	92.59	...	16.30
165. मार्मागोआ पत्तन	165. Mormugao Port	30.00	...	...	30.00	...	...	27.28	...	...
166. जवाहर लाल पत्तन	166. Jawahar Lal Port	30.00	...	5.00	30.00	...	5.00	55.24	...	24.03
167. नया कान्डला पत्तन	167. New Kandla Port	30.00	...	...	30.00	...	...	30.92	...	...
168. नया मंगलौर पत्तन	168. New Mangalore Port	40.00	...	...	40.00	...	...	107.44	...	...
169. पारादीप पत्तन	169. Paradip Port	40.00	...	10.00	40.00	...	10.00	77.93	...	30.00
170. तूतीकोरिन पत्तन	170. Tuticorin Port	19.50	...	...	19.50	...	...	23.10	...	...
171. विशाखापत्तनम पत्तन	171. Vishakapatnam Port	40.00	...	...	40.00	...	...	53.00	...	...
पोत-निर्माण	*Ship-Building*									
172. बम्बई पत्तन न्यास	172. Bombay Port Trust	...	...	...	...	...	...	...	...	...
173. कोचीन शिपयार्ड लि.	173. Cochin Shipyard Ltd.	7.00	3.75	3.25	6.50	3.25	3.25	9.00	4.50	4.50
174. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	174. Hindustan Shipyard Ltd.	7.00	3.25	3.75	7.50	3.75	3.75	15.00	7.50	7.50
175. हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियरिंग कंपनी लि.	175. Hooghly Dock and Ports Engineering Company Ltd.	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	1.00	0.50	0.50
176. भारतीय नौवहन निगम लि.	176. Shipping Corporation of India Ltd.	1196.37	...	27.00	1196.37	...	27.00	879.40	...	27.00

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	SL No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support	
			इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**Ministry of Textiles**	**159.15**	**19.15**	...	**159.15**	**19.15**	...	**155.50**	**6.50**	...
177. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	177. British India Corporation	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	1.00	1.00	...
178. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम	178. Central Cottage Industries Corporation	1.15	1.15	...	1.15	1.15	...	0.50	0.50	...
179. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	179. National Cooperative Development Corporation	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	3.00	3.00	...
180. नेशनल जूट मैन्यूफेक्चर्स कारपोरेशन	180. National Jute Manufacturers Corporation	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	1.00	1.00	...
181. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम	181. National Textile Corporation	140.00	1.00	...	140.00	1.00	...	150.00	1.00	...
182. नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी	182. National Institute of Fashion Technology	1.00	...	...	1.00	...	...	...	...	...
शहरी विकास मंत्रालय	**Ministry of Urban Development**	**426.00**	**24.00**	**2.00**	**477.51**	**24.00**	**53.51**	**578.50**	**26.00**	**2.50**
183. हिन्दुस्तान प्रिफेब लि.	183. Hindustan Prefab Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...
184. आवास और शहरी विकस निगम	184. Housing and Urban Development Corporation	425.50	24.00	1.50	474.50	24.00	50.50	578.50	26.00	2.50
185. आवास विकास वित्त निगम	185. Housing Development Finance Corporation	0.50	...	0.50	3.01	...	3.01	...	...	...
जल संसाधन मंत्रालय	**Ministry of Water Resources**	**0.50**	...	**0.50**	...	...	...	**1.50**	...	**1.50**
186. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	186. National Bank for Agriculture and Rural Development	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
187. नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रशन कारपोरेशन लि.	187. National Projects Construction Corporation Ltd.	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
कल्याण मंत्रालय	**Ministry of Welfare**	**76.41**	**76.41**	...	**172.17**	**172.17**	...	**224.51**	**174.51**	...
188. कृत्रिम अंग निर्माण निगम	188. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...
189. राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम	189. National Backward Classes Finance & Development Corporation	35.90	35.90	...	35.90	35.90	...	39.00	39.00	...
190. राष्ट्रीय अ.ज. और अ. जनजाति वित्त और विकास निगम	190. National SC & ST Finance and Development Corporation	40.00	40.00	...	63.77	63.77	...	115.00	65.00	...
191. राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम	191. National Minorities Finance and Development Corporation	0.01	0.01	...	50.00	50.00	...	39.00	39.00	...
192. अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूजी	192. Share Capital to Scheduled Caste Dev. Corpn.	...	...	...	22.00	22.00	...	30.00	30.00	...
193. राज्य पिछड़ा वर्ग निगम	193. State Backward Classes Corporation	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	...
194. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम	194. National Handicapped Finance and Development Corporation	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00	...
परमाणु ऊर्जा विभाग	*Department of Atomic Energy*	*1284.76*	*242.00*	*1.00*	*923.36*	*243.14*	*1.00*	*1219.00*	*331.27*	*1.00*
195. ए.सी.सी बेबकॉक लि.	195. A.C.C. Babcock Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...
196. भारतीय इलक्ट्रानिक निगम.	196. Electronics Corporation of India	10.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00
197. इंडियन रेअर अर्थ्स लि.	197. Indian Rare Earths Ltd.	46.76	1.00	...	26.22	1.00	...	25.00	5.00	...
198. नाभिकीय विद्युत निगम	198. Nuclear Power Corporation	1167.30	184.30	...	830.59	186.59	...	1122.00	270.27	...
199. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया	199. Uranium Corporation of India	60.70	55.70	...	54.55	54.55	...	60.00	55.00	...
इलेक्ट्रानिकी विभाग	*Department of Electronics*	*20.46*	*0.02*	...	*14.66*	*0.01*	*0.01*	*28.55*	...	...
200. कंप्यूटर अनुरक्षण निगम	200. Computer Maintenance Corporation	10.00	...	...	3.54	...	...	4.40	...	...
201. इलेक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास कारपोरेशन लि.	201. Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd.	...	...	...	(-) 5.90	...	...	...	...	...
202. सेमी-कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.	202. Semi-Conductor Complex Ltd	0.02	0.02	...	6.58	0.01	0.01	...	...	...
203. अन्य संस्थाएं /निकाय	203. Other Institutions / Bodies	10.44	...	...	10.44	...	...	24.15	...	...
अंतरिक्ष विभाग	*Department of Space*	*0.25*	*0.25*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...
204. एनट्रिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया	204. Antrix Corporation Limited	0.25	0.25	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...
रेल मंत्रालय	Ministry of Railways	7149.00	1150.00	...	6889.00	1150.00	...	7694.00	1150.00	...
205. भारतीय रेलवे	205. Indian Railways	6515.00	1150.00	...	6255.00	1150.00	...	7500.00	1150.00	...
206. कोंकण रेलवे कारपोरेशन	206. Konkan Railways Corporation	450.00	...	...	450.00	...	...	120.00	...	...
207. कण्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	207. Container Corporation of India	184.00	...	...	184.00	...	...	74.00	...	...
कुल जोड़	**GRAND TOTAL**	50064.33	3663.80	3537.12	48587.05	4591.73	3613.26	56867.82	3388.75	3624.45

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 15

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1994-95					बजट अनुमान Budget Estimates, 1995-96				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड/ ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सप्लायर ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड/ ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सप्लायर ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**Ministry of Chemicals and Fertilizers**	**783.80**	**357.76**	**20.00**	**188.86**	**1350.42**	**1519.29**	**125.00**	**490.75**	**669.23**	**2804.27**
रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	***Department of Chemicals & Petrochemicals***	***289.96***	***357.76***	***20.00***	***96.13***	***763.85***	***589.04***	***125.00***	***245.00***	***136.23***	***1035.27***
1. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0	1.Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. बंगाल इम्युनिटी लि0	2.Bengal Immunity Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	3.Hindustan Antibiotics Ltd	11.25	...	...	6.12	17.37	8.43	...	...	...	8.43
4. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	4.Hindustan Insecticides Ltd	2.80	...	...	...	2.80	3.69	...	...	...	3.69
5. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि0	5.Hindustan Organic Chemicals Ltd	22.24	67.76	...	...	90.00	53.14	...	...	86.86	140.00
6. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि0	6.Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	...	...	...	4.87	4.87	...	...	...	8.80	8.80
7. भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि0	7.Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd	262.00	290.00	20.00	50.00	622.00	472.00	125.00	245.00	...	842.00
8. नाइपर	8.NIPER	...	...	...	5.50	5.50	...	...	...	7.00	7.00
9. पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि0	9.Petrofils Cooperative Ltd	(-)8.60	...	...	29.64	21.04	(-)8.22	...	...	33.57	25.35
10. कीटनाशी विकास केन्द्र	10.Pesticides Development Centre	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. अन्य निकाय/संस्थाएं (सीआईपीईटी,एनसीपीए)	12.Other Bodies/Institutions (CIPET, NCPA)	0.27	...	...	...	0.27	...	...	...	...	...
उर्वरक विभाग	***Department of Fertilizers***	***493.84***	...	...	***92.73***	***586.57***	***930.25***	...	***245.75***	***533.00***	***1769.00***
13. भारतीय उर्वरक निगम लि0	13.Fertilizer Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि)	14.Fertilizers and Chemicals (Travancore) Ltd.	25.92	...	...	...	25.92	62.25	...	5.75	70.00	138.00
15. भारतीय उर्वरक निगम लि.	15.Hindustan Fertilizers Corporation Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि0	16.Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.	128.60	...	...	...	128.60	448.00	...	...	...	448.00
17. कृषक भारती कोआपरेटिव लि0	17.Krishak Bharati Cooperative Ltd.	36.51	...	...	...	36.51	268.00	...	...	...	268.00
18. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि0	18.Madras Fertilizers Ltd.	8.64	...	...	92.73	101.37	8.00	...	190.00	28.00	226.00
19. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0	19.National Fertilizers Ltd.	161.00	...	...	...	161.00	76.00	...	...	332.00	408.00
20. पारादीप फास्फेटस लि0	20.Paradeep Phosphates Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि0	21.Projects and Development(India) Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. पाइराइट्स, फासफेट्स एंड केमिकल्स लि0	22.Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0	23.Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	133.17	...	...	...	133.17	128.00	...	50.00	103.00	281.00
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	**1110.74**	...	**851.69**	**320.57**	**2283.00**	**1398.92**	...	**2178.85**	**190.47**	**3768.24**
नागर विमानन विभाग	***Department of Civil Aviation***	***1100.04***	...	***851.69***	***320.57***	***2272.30***	***1388.22***	...	***2178.85***	***190.47***	***3757.54***
24. एअर इंडिया	24.Air India	808.33	...	645.63	...	1453.96	821.41	...	2151.20	...	2972.61
25. इंडियन एअरलाइन्स	25.Indian Airlines	103.00	...	...	227.88	330.88	270.10	...	...	143.47	413.57
26. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	26.Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	27.International Airports Authority of India	102.83	...	...	...	102.83	162.31	...	...	...	162.31
28. राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	28.National Airports Authority	82.48	...	206.06	92.69	381.23	104.60	...	27.65	47.00	179.25
29. भारतीय हेलीकोप्टर निगम (पवन हंस लि0)	29.Helicopter Corporation of India (Pawan Hans Ltd)	3.40	...	...	...	3.40	29.80	...	...	...	29.80
30. वायुदूत	30.Vayudoot	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पर्यटन विभाग	***Department of Tourism***	***10.70***	...	...	...	***10.70***	***10.70***	...	...	...	***10.70***
31. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि0	31.India Tourism Development Corporation Ltd.	10.70	...	...	...	10.70	10.70	...	...	...	10.70
कोयला मंत्रालय	**Ministry of Coal**	**1202.63**	**442.06**	**152.38**	**298.91**	**2095.98**	**1596.68**	**462.48**	**102.04**	**750.00**	**2911.20**
32. कोल इंडिया लिमिटेड	32.Coal India Ltd	836.03	300.00	58.38	297.07	1491.48	912.02	400.00	56.98	650.00	2019.00
33. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	33.Neyveli Lignite Corporation Ltd	30.00	142.06	...	1.84	173.90	290.66	62.48	45.06	...	398.20
34. सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि0	34.Singareni Collieries Company Ltd	336.60	...	94.00	...	430.60	394.00	...	...	100.00	494.00

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 15
(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1994-95					बजट अनुमान Budget Estimates, 1995-96				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
वाणिज्य मंत्रालय	**Ministry of Commerce**	**13.29**	...	...	...	**13.29**	**12.19**	...	...	...	**12.19**
वाणिज्य विभाग	***Department of Commerce***	***13.29***	...	...	...	***13.29***	***12.19***	...	...	...	***12.19***
35. माइका ट्रैडिंग कारपोरेशन इंडिया लि.	35.Mica Trading Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. चाय व्यापार निगम	36.Tea Trading Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. अन्य निकाय/संस्थाएं	37. Other bodies/institutions	13.29	...	...	...	13.29	12.19	...	...	...	12.19
संचार मंत्रालय	**Ministry of Communications**	**5299.53**	**1685.00**	...	**552.45**	**7536.98**	**6518.52**	**1700.00**	...	**153.82**	**8372.34**
दूर संचार सेवाएं	***Telecommunication Services***	***5299.53***	***1685.00***	...	***552.45***	***7536.98***	***6518.52***	***1700.00***	...	***153.82***	***8372.34***
38. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	38.Hindustan Teleprinters Ltd	7.42	...	...	1.28	8.70	12.30	...	...	...	12.30
39. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	39.Indian Telephone Industries Ltd	...	...	...	130.00	130.00	77.00	...	...	55.00	132.00
40. महानगर टेलीफोन निगम लि०	40.Mahanagar Telephone Nigam Ltd	794.27	100.00	...	128.73	1023.00	913.24	...	...	30.56	943.80
41. दूर संचार	41.Telecommunications	4380.00	1585.00	...	...	5965.00	5195.00	1700.00	...	...	6895.00
42. विदेश संचार निगम लि०	42.Videsh Sanchar Nigam Ltd	117.84	...	...	292.44	410.28	320.98	...	...	68.26	389.24
खाद्य मंत्रालय	**Ministry of Food**	**15.00**	...	...	...	**15.00**	**24.00**	...	...	...	**24.00**
43. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	43.Central Warehousing Corporation	15.00	...	...	...	15.00	24.00	...	...	...	24.00
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	**Ministry of Food Processing Industries**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.	44.Modern Food Industries (India) Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Industry**	**194.86**	**15.00**	...	**138.14**	**348.00**	**90.51**	...	...	**130.60**	**221.11**
भारी उद्योग विभाग	***Department of Heavy Industry***	***194.86***	***15.00***	...	***138.14***	***348.00***	***90.51***	...	...	***130.60***	***221.11***
45. एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि०	45.Andrew Yule and Company Ltd	2.00	15.00	...	15.00	32.00	5.00	...	...	24.60	29.60
46. भारत भारी उद्योग निगम लि०	46.Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd	0.45	...	...	...	0.45	0.65	...	...	...	0.65
47. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	47.Bharat Heavy Electricals Ltd	147.00	...	...	60.00	207.00	45.00	...	...	60.00	105.00
48. भारत लेदर कोरपोरेशन आफ इंडिया लि०	48.Bharat Leather Corporation of India Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49. भारत ऑपथलमिक ग्लास लि०	49.Bharat Opthalmic Glass Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50. भारत यन्त्र निगम लि०	50.Bharat Yantra Nigam Ltd	6.70	...	...	7.45	14.15	7.50	...	...	9.00	16.50
51. सीमेन्ट निगम लि०	51.Cement Corporation Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	52.Cycle Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53. द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	53.Fluid Control research Institute	0.65	...	...	...	0.65	1.06	...	...	...	1.06
54. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	54.Heavy Engineering Corporation Limited	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55. हिन्दुस्तान केबल लि०	55.Hindustan Cables Ltd	8.00	...	...	...	8.00	9.00	...	...	30.00	39.00
56. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	56.Hindustan Machine Tools Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	57.Hindustan Paper Corporation limited	30.06	...	...	...	30.06	22.30	...	...	7.00	29.30
58. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि०	58.Hindustan Photo Films Mnfg Company Ltd	...	...	...	55.69	55.69	...	...	...	...	...
59. हिन्दुस्तान साल्ट लि०	59.Hindustan Salts Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि०	60.Instrumentation Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61. माइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	61.Mining and Allied Machinery Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62. नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	62.National Bicycle Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63. नेशनल इंडस्ट्रीयल डवेलपमेंट कारपोरेशन लि.	63.National Industrial Development Corprn Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	64.National Instruments Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65. नेपा लि०	65.NEPA Limited	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66. प्रागा टूल्स लि०	66.Praga Tools Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67. पुनर्वास उद्योग निगम लि०	67.Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68. स्कूटर इंडिया लि०	68.Scooters India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69. भारत टेनरी एण्ड फुटवीयर निगम लि०	69.Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70. भारत टायर निगम लि०	70.Tyre Corporation of India Limited	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**Ministry of Information and Broadcasting**	**364.31**	...	...	...	**364.31**	**394.50**	...	...	...	**394.50**
71. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	71.National Film Development Corprn Ltd	3.81	...	...	...	3.81	4.10	...	...	...	4.10

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 15
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

संत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1994-95					बजट अनुमान Budget Estimates, 1995-96				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
72. अन्य निकाय/संस्थाएं आदि (आकाशवाणी/दूरदर्शन की अव्यपगमीय निधि)	72. Other bodies/institutions etc. (non-lapsable fund of Akashvani/Doordarshan)	360.50	...	...	...	360.50	?90.40	...	...	...	390.40
खान मंत्रालय	**Ministry of Mines**	**163.26**	...	...	...	**163.26**	**151.39**	...	**39.46**	**175.44**	**366.29**
73. भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	73. Bharat Aluminium Company Ltd	51.00	...	...	...	51.00	49.56	...	...	17.44	67.00
74. हिन्दुस्तान कापर लि०	74. Hindustan Copper Ltd	...	...	...	...	...	24.31	...	39.46	...	63.77
75. हिन्दुस्तान जिंक लि०	75. Hindustan Zinc Ltd.	25.00	...	...	...	25.00	45.00	...	...	...	45.00
76. भारतीय खान ब्यूरो	76. Indian Bureau of Mines	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77. खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लि.	77. Mineral Exploration Corporation Ltd	...	...	...	...	...	2.37	...	...	...	2.37
78. नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	78. National Aluminium Company Ltd	80.00	...	...	...	80.00	29.61	...	...	150.39	180.00
79. सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन	79. Sikkim Mining Corporation	0.53	...	...	...	0.53	0.04	...	...	...	0.04
90. अन्य निकाय/संस्थाएं	80. Other bodies/Institutions	6.73	...	...	...	6.73	0.50	...	...	7.61	8.11
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**Ministry of Non-conventional Energy Sources**	...	...	...	...	...	...	**150.00**	...	...	150.00
81. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	81. Indian Renewable Energy Development Agency	...	...	...	...	...	...	150.00	...	...	150.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	**7655.58**	**284.76**	**1336.13**	**1543.95**	**10820.42**	**8985.52**	**1298.92**	**1458.08**	**1426.76**	**13169.28**
82. बामर लारी एंड कम्पनी लि०	82. Balmer Lawrie and Company Ltd	...	...	...	25.10	25.10	...	...	...	30.06	30.06
83. भारत पेट्रोलियम निगम लि०	83. Bharat Petroleum Corporation Ltd	116.08	...	...	...	116.08	284.94	213.75	...	...	498.69
84. बिको लारी लि०	84. Biecco Lawrie Ltd	...	...	...	3.27	3.27	...	...	...	3.00	3.00
85. बोंगाईगांव रिफाईनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स लि०	85. Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd	65.00	...	...	20.00	85.00	88.13	...	...	15.62	103.75
86. कोचीन रिफाईनरी लि०	86. Cochin Refineries Ltd	55.75	...	...	73.97	129.72	1.28	50.00	...	14.84	66.12
87. इंजीनियर्स इण्डिया लि०	87. Engineers India Ltd	6.42	...	...	...	6.42	6.50	...	...	...	6.50
88. गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लि०	88. Gas Authority of India Ltd	676.03	...	...	...	676.03	1427.15	...	114.13	616.94	2158.22
89. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	89. Hindustan Petroleum Coporation Ltd	112.84	...	...	145.88	258.72	426.47	273.75	...	49.78	750.00
90. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	90. Indian Oil Corporation Ltd	1595.68	284.76	...	...	1880.44	682.00	600.00	1343.95	...	2625.95
91. भारत-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०	91. Indo-Burmah Petroleum Company Ltd	34.65	...	...	47.04	81.69	30.42	60.00	...	28.47	118.89
92. लुब्रीजोल इण्डिया लि०	92. Lubrizol India Ltd	24.03	...	...	...	24.03	3.98	...	...	...	3.98
93. मद्रास रिफाइनरीज लि०	93. Madras Refineries Ltd	105.92	...	...	...	105.92	2.07	...	...	268.05	270.12
94. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि०	94. Numaligarh Refinery Ltd	...	...	...	165.00	165.00	...	...	...	400.00	400.00
95. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	95. Oil and Natural Gas Commission	4566.18	...	1336.13	1063.69	6966.00	5524.00	...	...	...	5524.00
96. आयल इण्डिया लि०	96. Oil India Ltd	297.00	...	...	...	297.00	508.58	101.42	...	...	610.00
विद्युत मंत्रालय	**Minitry of Power**	**1042.85**	**1609.51**	**881.03**	**24.60**	**3557.99**	**1590.18**	**1690.51**	**928.81**	**117.40**	**4326.90**
97. दामोदर घाटी निगम	97. Damodar Valley Corporation	257.00	61.00	...	...	318.00	173.00	130.00	...	6.00	309.00
98. नाथपा झाकरी विद्युत निगम	98. Nathpa Jhakri Power Corporation	...	...	66.86	...	66.86	...	...	89.42	...	89.42
99. नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	99. National Hydro Electric Power Corpn Ltd	...	577.46	497.50	...	1074.96	564.29	612.30	50.00	...	1226.59
100. विद्युत ग्रिड निगम	100. Power Grid Corporation	185.85	250.00	149.42	24.60	609.87	202.89	400.00	482.91	111.40	1197.20
101. राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लि.	101. National Thermal Power Corporation Ltd	600.00	647.55	167.25	...	1414.80	650.00	499.93	206.48	...	1356.41
102. उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	102. North-Eastern Electric Power Corporation	...	73.50	...	...	73.50	...	48.28	100.00	...	148.28
103. पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि०	103. Power Finance Corporation Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104. टिहरी पनबिजली विकास निगम	104. Tehri Hydro-Development Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**Ministry of Science and Technology**	...	...	...	...	...	19.13	...	...	...	**19.13**
105. भारत इम्यूनोलाजीकल्स एंड बायोलाजीकल कारपोरेशन	105. Bharat Immunologicals and Biological Corporation	...	...	...	...	...	19.13	...	...	...	19.13
इस्पात मंत्रालय	**Ministry of Steel**	**1393.68**	**500.00**	**622.00**	**810.50**	**3326.18**	**1465.47**	**252.00**	**214.00**	**1653.89**	**3585.36**
106. भारत रिफरेक्ट्रीस लि.	106. Bharat Refractaries Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
107. फैरो स्क्रैप निगम लि०	107. Ferro Scrap Nigam Ltd	9.84	...	...	...	9.84	18.50	...	...	...	18.50
108. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि०	108. Hindustan Steelworks Construction Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
109. कुद्रेमुख आयरन लौह अयस्क कम्पनी लि०	109. Kundremukh Iron Ore Company Ltd	127.58	...	126.00	...	253.58	125.02	...	...	...	125.02

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 15

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1994-95					बजट अनुमान Budget Estimates, 1995-96				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
110. मैंगनीज ओर इंडिया लि०	110.Managanese Ore India Ltd	6.79	...	...	0.71	7.50	9.38	...	...	1.15	10.53
111. मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	111.Metal Scrap Trade Corporation of India Ltd	5.50	...	...	...	5.50	6.00	...	...	...	6.00
112. मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स (इण्डिया) लि०	112.Metallurgical and Engineering Consultants(I) Ltd	5.69	...	...	...	5.69	9.21	...	...	...	9.21
113. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	113.National Mineral Development Corporation Ltd.	103.28	...	...	...	103.28	90.36	47.00	...	47.21	184.57
114. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	114.Rashtriya Ispat Nigam Ltd	...	...	...	55.00	55.00	...	...	...	34.00	34.00
115. स्पंज आयरन इंडिया लि०	115.Sponge Iron India Ltd.	...	...	...	...	...	...	...	...	1.53	1.53
116. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	116.Steel Authority of India Ltd	1135.00	500.00	496.00	752.79	2883.79	1207.00	205.00	214.00	1560.00	3186.00
117. आयरन एण्ड स्टील मिशन	117.Iron and Steel Mission	...	...	...	2.00	2.00	...	...	...	10.00	10.00
भूतल परिवहन मंत्रालय	**Ministry of Surface Transport**	**411.00**	**96.37**	**915.00**	**112.00**	**1534.37**	**689.52**	**...**	**698.76**	**133.25**	**1521.53**
सड़कें	*Roads*	*10.00*	...	...	...	*10.00*	...	...	...	...	...
118. अन्य संस्थाएं (सड़कें)	118.Other Institutions (Roads)	10.00	...	...	...	10.00	...	...	...	...	...
पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	***Ports, Lighthouses and Shipping***	***401.00***	***96.37***	***915.00***	***112.00***	***1524.37***	***689.52***	***...***	***698.76***	***133.25***	***1521.53***
119. बम्बई पत्तन न्यास	119.Bombay Port Trust	20.00	...	...	...	20.00	97.81	...	...	...	97.81
120. कलकत्ता पत्तन न्यास	120.Calcutta Port Trust	...	...	...	5.00	5.00	58.32	...	...	...	58.32
121. कोचीन पत्तन न्यास	121.Cochin Port Trust	3.00	...	...	42.50	45.50	5.48	...	11.00	28.00	44.48
122. भारतीय तलकर्षण निगम लि०	122.Dredging Corporation of India Ltd	15.00	...	...	...	15.00	71.35	...	...	...	71.35
123. हल्दिया पत्तन	123.Haldia Dock	30.00	...	...	...	30.00	...	...	...	...	...
124. मद्रास पत्तन न्यास	124.Madras Prot Trust	25.00	...	...	...	25.00	76.29	...	...	...	76.29
125. मारमोगोआ पत्तन न्यास	125.Mormugao Port Trust	30.00	...	...	...	30.00	27.28	...	...	...	27.28
126. नया कांडला पत्तन न्यास	126.New Kandla Port Trust	30.00	...	...	...	30.00	30.92	...	...	...	30.92
127. नया मंगलौर पत्तन न्यास	127.New Mangalore Port Trust	7.00	...	...	33.00	40.00	4.84	...	...	102.60	107.44
128. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	128.Jawahar Lal Nehru Port Trust	...	...	...	25.00	25.00	31.21	...	...	...	31.21
129. पारादीप पत्तन न्यास	129.Paradip Port Trust	30.00	...	...	...	30.00	47.93	...	...	...	47.93
130. भारतीय नौवहन निगम लि०	130.Shipping Corporation of India Ltd	158.00	96.37	915.00	...	1169.37	169.06	...	683.34	...	852.40
131. तूतीकोरिन पत्तन न्यास	131.Tuticorn Port Trust	13.00	...	...	6.50	19.50	16.03	...	4.42	2.65	23.10
132. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	132.Vishkapatnam Port Trust	40.00	...	...	...	40.00	53.00	...	...	...	53.00
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**Ministry of Textiles**	**...**	**...**	**140.00**	**...**	**140.00**	**...**	**...**	**149.00**	**...**	**149.00**
133. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	133.National Cooperative Development Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
134. राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम	134.National Jute Manufacturers Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
135. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.	135.National Textile Corporation Ltd	...	...	139.00	...	139.00	...	...	149.00	...	149.00
136. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	136.National Institute of Fashion Technology	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...
शहरी विकास मंत्रालय	**Ministry of Urban Development**	**...**	**400.00**	**...**	**...**	**400.00**	**27.00**	**523.00**	**...**	**...**	**550.00**
137. आवास और शहरी विकास निगम	137.Housing and Urban Development Corporation	...	400.00	...	...	400.00	27.00	523.00	...	...	550.00
कल्याण मंत्रालय	**Ministry of Welfare**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**50.00**	**50.00**
138. राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. वित्त विकास निगम	138.National SC & ST Finance Development Corporation	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	50.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	***Department of Atomic Energy***	***281.22***	***334.00***	***60.00***	***4.00***	***679.22***	***80.00***	***801.73***	***...***	***5.00***	***886.73***
139. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	139.Electronics Corporation of India Ltd	6.00	...	...	4.00	10.00	5.00	...	...	5.00	10.00
140. इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	140.Indian Rare Earths Ltd	25.22	...	...	...	25.22	20.00	...	...	...	20.00
141. भारतीय यूरेनियम निगम लि०	141.Uranium Corporation of India Ltd	...	...	...	...	...	5.00	...	...	...	5.00
142. नाभिकीय शक्ति निगम	142.Nuclear Power Corporation	250.00	334.00	60.00	...	644.00	50.00	801.73	...	...	851.73
इलेक्ट्रोनिकी विभाग	***Department of Electronics***	***(-)17.36***	***10.00***	***(-)1.13***	***23.13***	***14.64***	***10.37***	***...***	***...***	***18.18***	***28.55***
143. कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम	143.Computer Maintenance Corporation	(-)21.33	10.00	(-)1.13	16.00	3.54	4.40	...	...	...	4.40
144. इलेक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लि०	144.Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd	(-)13.03	...	...	7.13	(-)5.90	...	...	...	...	...
145. सैमी-कन्डक्टर कौम्प्लेक्स लि०	145.Semi Conductor Complex Ltd	6.56	...	...	...	6.56	...	...	...	...	...
146. अन्य निकाय/संस्थाएं	146.Other bodies/institutions	10.44	...	...	...	10.44	5.97	...	...	18.18	24.15
रेल मंत्रालय	**Ministry of Railways**	**4239.00**	**1500.00**	**...**	**...**	**5739.00**	**4294.00**	**1350.00**	**..**	**900.00**	**6544.00**
147. भारतीय रेलवे	147.Indian Railways	4055.00	1050.00	...	...	5105.00	4100.00	1350.00	...	900.00	6350.00
148. कोंकण रेलवे निगम	148.Konkan Railways Corporation	...	450.00	...	...	450.00	120.00	...	...	...	120.00
149. भारतीय कन्टेनर निगम	149.Container Corporation of India	184.00	...	...	...	184.00	74.00	...	...	...	74.00
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***24153.39***	***7234.46***	***4977.10***	***4017.11***	***40382.06***	***28867.19***	***8353.64***	***F259.75***	***6374.04***	***49854.62***

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता
CENTRAL ASSISTANCE FOR STATE AND UNION TERRITORY PLANS

विवरण
STATEMENT 16
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट 1994-95 Budget	संशोधित 1994-95 Revised	बजट 1995-96 Budget
क. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**A. Central Assistance for State Plans**	**18741.34**	**20134.34**	**18726.11**
सामान्य केन्द्रीय सहायता	*Normal Central Assistance*	*11024.97*	*10914.97*	*12635.11*
विशेष केन्द्रीय सहायता	*Special Central Assistance*	*1030.00*	*1060.00*	*1152.00*
पर्वतीय क्षेत्र	Hill Areas	320.00	320.00	352.00
जनजातीय उप-आयोजना	Tribal Sub Plan	275.00	275.00	330.00
सीमावर्ती क्षेत्र	Border Areas	160.00	160.00	176.00
उत्तर पूर्वी परिषद	North Eastern Council	275.00	305.00	294.00
अन्य विशेष क्षेत्र	Other Special Areas	35.00	5.00	55.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम	MPs Local Area Development Scheme	...	... @	790.00
परिवर्ती कृषि नियंत्रण	Control of Shifting Cultivation	15.00	13.24	16.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	*Additional Central Assistance for Externally Aided Projects*	*2838.00*	*3338.00*	*2500.00*
अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	*Additional Central Assistance for Other Projects*	*202.40*	*202.40*	*305.00*
विशेष आयोजना ऋण	Special Plan Loan	600.00	630.00	700.00
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	Rural Electrification Corporation	316.00	316.00	348.00
अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	Grants under Article 275(1)	2679.97	2679.97	...
उजाड़ क्षेत्रों का सुधार और स्थिरीकरण	Reclamation and Stabilisation of Revenous Areas	...	1.76	...
विशेष केन्द्रीय सहायता	*Special Central Assistance*	...	*973.00*	...
अन्तरित केन्द्र प्रायोजित आयोजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता	*Central Assitance for transferred Centrally Sponsored Plan Schemes*	...	...	*225.00*
ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	**B. Union Territory Plans**	**562.79**	**692.79**	**779.89**
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*Union territories with Legislature*	*194.29*	*324.29*	*374.29*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	National Capital Territory of Delhi	109.00	239.00	270.00
पाण्डिचेरी	Pondicherry	85.29	85.29	104.29
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*Union territories without Legislature*	*368.50*	*368.50*	*405.60*
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	Andaman &Nicobar Islands	205.00	200.00	215.00
चंडीगढ़	Chandigarh	88.00	88.00	100.00
दादरा और नगर हवेली	Dadra & Nagar Haveli	25.00	27.00	29.00
लक्षद्वीप	Lakshadweep	32.00	32.00	38.60
दमन और दीव	Daman & Diu	18.50	21.50	23.00
कुल जोड़ (क + ख)	***Grand Total (A+B)***	***19304.13***	***20827.13***	***19506.00****

* इसमें राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण के रूप में दी गई 17198.37 करोड़ रुपए (मांग संख्या 2, 28, 44, और 84), संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 374.29 करोड़ रुपए अनुदान और ऋण के रूप मे, (मांग संख्या 45), बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों मे व्यय के लिए 405.60 करोड़ रुपए (मांग संख्या 95 से 99) और अन्य व्यय के रूप में 1527.74 करोड़ रुपए (मांग संख्या 28, 44, 46, 68, 69 और 84) की व्यवस्था शामिल है।

* This comprises Rs.17198.37 crores as grants and loans to State Governments (Demands No. 2, 28, 44 and 84), Rs.374.29 crores as grants and loans to U.T. Governments (Demand No.45), Rs.405.60 crores as expenditure in Union Territories without legislature (Demands No. 95 to 99) and Rs.1527.74 crores as other expenditure (Demands No. 28, 44, 46, 68, 69 and 84).

@ संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम के लिए संशोधित अनुमान 1994-95 (790 करोड़ रुपए) आयोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में है।

@ RE 1994-95 (Rs.790 crores) for the MPs Local Area Development Scheme is in the Central Sector of Plan.

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण
PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 17
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
राज्य आयोजना	**STATE PLAN**	**9788.46**	**8285.56**	**18074.02**	**10909.06**	**8537.08**	**19446.14**	**8402.56**	**8795.81**	**17198.37**
1. कृषि और सहकारिता	*1. Agriculture & Cooperation*	*15.00*	...	*15.00*	*15.00*	...	*15.00*	*16.00*	...	*16.00*
1.01 परिवर्ती कृषि पर नियन्त्रण	1.01 Control of Shifting Cultivation	15.00	...	15.00	13.24	...	13.24	16.00	...	16.00
1.02 राजस्व क्षेत्रों के पुनर्दावाकरण और स्थिरीकरण	1.02. Reclamation and Stabilisation of Ravenous Areas	...	...	...	1.76	...	1.76	...	...	...
2. वित्त	*2. Finance*	*9347.91*	*8277.43*	*17625.34*	*10456.22*	*8527.63*	*18983.85*	*7910.20*	*8787.91*	*16698.11*
2.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	2.01 Normal Central Assistance	5263.83	5526.14	10789.97	5354.78	5320.70	10675.48	6242.80	6142.31	12385.11
2.02 विशेष केन्द्रीय सहायता-पहाड़ी क्षेत्र	2.02 Special Central Assistance - Hill areas	288.00	32.00	320.00	288.00	32.00	320.00	316.80	35.20	352.00
2.03 विशेष केन्द्रीय सहायता -सीमावर्ती क्षेत्र	2.03 Special Central Assistance - Border areas	155.00	5.00	160.00	160.00	...	160.00	176.00	...	176.00
2.04 अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	2.04 Grants under Article 275(1)	2679.97	...	2679.97	2679.97	...	2679.97	...	...	...
2.05 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2.05 Additional Central Assistance for Externally Aided Projects	868.89	1969.11	2838.00	1032.05	2305.95	3338.00	770.10	1729.90	2500.00
2.06 विशेष ऋण योजना	2.06 Special Plan Loan	...	600.00	600.00	...	630.00	630.00	...	700.00	700.00
2.07 अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2.07 Addl Central Assistance for Other Projects	60.72	141.68	202.40	60.72	141.68	202.40	133.50	171.50	305.00
2.08 अन्य विशेष क्षेत्र	2.08 Other Special Areas	31.50	3.50	35.00	5.00	...	5.00	55.00	...	55.00
2.09 विशेष केन्द्रीय सहायता-	2.09 Special Central Assistance	...	...	...	875.70	97.30	973.00	...	...	...
2.10 केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	2.10 Central Assistance for Transferred Centrally Sponsored Plan Schemes	...	...	...	...	...	...	216.00	9.00	225.00
3. गृह कार्य	*3. Home Affairs*	*76.76*	*8.13*	*84.89*	*89.05*	*9.45*	*98.50*	*72.81*	*7.90*	*80.71*
3.01 विशेष केन्द्रीय सहायता- उत्तर पूर्वी परिषद आयोजना	3.01 Special Central Assistance- North Eastern Council Plan	76.76	8.13	84.89	89.05	9.45	98.50	72.81	7.90	80.71
4. कल्याण	*4. Welfare*	*348.79*	...	*348.79*	*348.79*	...	*348.79*	*403.55*	...	*403.55*
4.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	4.01 Normal Central Assistance	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
4.02 विशेष केन्द्रीय सहायता -जनजातीय उप-आयोजना	4.02 Special Central Assistance- Tribal Sub Plan	273.79	...	273.79	273.79	...	273.79	328.55	...	328.55
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	**CENTRAL AND CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEMES**	**7383.75**	**163.70**	**7547.45**	**6899.29**	**172.14**	**7071.43**	**7033.72**	**184.12**	**7217.84**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	721.65	94.62	816.27	664.74	92.06	756.80	750.67	100.93	851.60
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	71.59	...	71.59	69.72	...	69.72	72.29	...	72.29
3. पर्यावरण और वन	3. Environment and Forests	133.93	...	133.93	136.84	...	136.84	183.68	...	183.68
4. वित्त	4. Finance	0.00	...	0.00	...	...	...	...	...	...
5. स्वास्थ्य	5. Health	271.45	...	271.45	266.95	...	266.95	321.45	...	321.45
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	1331.38	...	1331.38	1335.29	...	1335.29	1396.80	...	1396.80
7. गृह	7. Home Affairs	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
8. शिक्षा	8. Education	559.75	...	559.75	568.64	...	568.64	740.05	...	740.05
9. युवा कार्य और खेल	9. Youth Affairs and Sports	19.22	...	19.22	18.22	...	18.22	19.40	...	19.40
10. महिला और बाल विकास	10. Women and Child Development	520.82	...	520.82	520.40	...	520.40	571.53	...	571.53
11. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	11. Small Scale industries and Agro & Rural Industries	6.58	0.95	7.53	6.22	0.95	7.17	9.11	0.35	9.46
12. श्रम	12. Labour	66.49	...	66.49	50.53	...	50.53	40.10	...	40.10
13. विद्युत	13. Power	5.00	4.00	9.00	5.86	15.00	20.86	5.00	3.30	8.30
14. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	14. Non-Conventional Energy Sources	34.69	...	34.69	34.69	...	34.69	41.95	...	41.95
15. ग्रामीण विकास	15. Rural Development	2694.20	...	2694.20	2325.03	...	2325.03	1691.63	...	1691.63
16. बंजर विकास	16. Wastelands Development	14.45	...	14.45	14.45	...	14.45	14.45	...	14.45
17. जल-भूतल परिवहन	17. Surface Transport	9.61	3.21	12.82	9.61	3.21	12.82	13.11	12.75	25.86
18. वस्त्रोद्योग	18. Textiles	84.85	3.00	87.85	84.85	3.00	87.85	101.10	...	101.10
19. शहरी विकास	19. Urban Development	102.89	22.91	125.80	104.09	22.91	127.00	269.90	32.78	302.68
20. जल संसाधन	20. Water Resources	122.55	29.00	151.55	122.17	29.00	151.17	143.20	27.00	170.20
21. कल्याण	21. Welfare	521.07	...	521.07	486.71	...	486.71	563.02	...	563.02
22. अन्य मंत्रालय/विभाग	22. Other Ministries/Departments	79.58	6.01	85.59	62.28	6.01	68.29	65.28	7.01	72.29
जोड़-राज्य सरकारें	**TOTAL - State Governments**	**17172.21**	**8449.26**	**25621.47**	**17808.35**	**8709.22**	**26517.57**	**15436.28**	**8979.93**	**24416.21**

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण
PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 17
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं	**UNION TERRITORY PLANS**	**79.40**	**114.89**	**194.29**	**118.40**	**205.89**	**324.29**	**146.70**	**227.59**	**374.29**
1. गृह	*1. Home Affairs*	*79.40*	*114.89*	*194.29*	*118.40*	*205.89*	*324.29*	*146.70*	*227.59*	*374.29*
1.01 संघ राज्य क्षेत्र आयोजना (विधान मंडल सहित)	1.01 U.T. Plans (with Legislature)	79.40	114.89	194.29	118.40	205.89	324.29	146.70	227.59	374.29
केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	**CENTRAL AND CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEMES**	**53.15**	**0.25**	**53.40**	**51.06**	**0.21**	**51.27**	**62.04**	**0.30**	**62.34**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	4.91	0.09	5.00	4.44	0.05	4.49	5.16	0.07	5.23
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	1.04	...	1.04	0.91	...	0.91	1.37	...	1.37
3. पर्यावरण और वन	3. Environment and Forests	0.12	...	0.12	0.09	...	0.09	0.12	...	0.12
4. स्वास्थ्य	4. Health	1.10	...	1.10	4.78	...	4.78	5.94	...	5.94
5. परिवार कल्याण	5. Family Welfare	12.53	...	12.53	13.39	...	13.39	19.93	...	19.93
6. शिक्षा	6. Education	2.85	...	2.85	3.98	...	3.98	6.83	...	6.83
7. युवा कार्य और खेल	7. Youth Affairs and Sports	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
8. महिला और बाल विकास	8. Women and Child Development	6.57	...	6.57	6.62	...	6.62	6.62	...	6.62
9. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	9. Small Scale industries and Agro & Rural Industries	0.14	0.05	0.19	0.14	0.05	0.19	0.14	0.03	0.17
10. श्रम	10. Labour	1.85	...	1.85	1.85	...	1.85	1.40	...	1.40
11. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	11. Non-Conventional Energy Sources	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.63	...	0.63
12. ग्रामीण विकास	12. Rural Development	5.89	...	5.89	2.61	...	2.61	3.67	...	3.67
13. बंजर विकास	13. Wastelands Development	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	0.55	...	0.55
14. वस्त्रोद्योग	14. Textiles	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
15. शहरी विकास	15. Urban Development	0.88	0.11	0.99	0.81	0.11	0.92	0.74	0.20	0.94
16. जल संसाधन	16. Water Resources	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.40	...	0.40
17. कल्याण	17. Welfare	12.69	...	12.69	9.81	...	9.81	8.40	...	8.40
18. अन्य मंत्रालय/विभाग	18. Other Ministries/Departments	0.52	...	0.52	0.02	...	0.02	0.06	...	0.06
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	**TOTAL - Union Territory Governments**	**132.55**	**115.14**	**247.69**	**169.46**	**206.10**	**375.56**	**208.74**	**227.89**	**436.63**
कुल जोड़-आयोजना	***GRAND TOTAL- PLAN***	***17304.76***	***8564.40***	***25869.16***	***17977.81***	***8915.32***	***26893.13***	***15645.02***	***9207.82***	***24852.84***

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
जोड़	TOTAL	46581.68	105117.22	151698.90	48760.71	113511.63	162272.34	48500.22	123651.30	172151.52
राजस्व व्यय	*REVENUE EXPENDITURE*	*28061.58*	*90749.30*	*118810.88*	*28936.97*	*93964.79*	*122901.76*	*29330.14*	*106998.21*	*136328.35*
क. सामान्य सेवाएं	**A. GENERAL SERVICES**	**22.06**	**72060.82**	**72082.88**	**20.75**	**70885.66**	**70906.41**	**24.61**	**81041.25**	**81065.86**
(क) राज्य के अंग	*(a) Organs of State*	*0.50*	*544.07*	*544.57*	*0.05*	*802.09*	*802.14*	*1.50*	*819.43*	*820.93*
संसद	2011 *Parliament*	...	*55.50*	*55.50*	...	*65.44*	*65.44*	...	*74.02*	*74.02*
मांग संख्या 90	Demand90	...	39.00	39.00	...	45.09	45.09	...	48.96	48.96
मांग संख्या 91	Demand91	...	16.50	16.50	...	20.35	20.35	...	25.06	25.06
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति	2012 *President, Vice President*	...	*5.17*	*5.17*	...	*5.15*	*5.15*	...	*5.23*	*5.23*
मांग संख्या 92	Demand92	...	4.85	4.85	...	4.81	4.81	...	4.84	4.84
मांग संख्या 93	Demand93	...	0.32	0.32	...	0.34	0.34	...	0.39	0.39
मंत्रि परिषद	2013 *Council of Ministers*	...	*40.62*	*40.62*	...	*50.68*	*50.68*	...	*50.03*	*50.03*
मांग संख्या 39	Demand39	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
मांग संख्या 41	Demand41	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
मांग संख्या 42	Demand42	...	40.21	40.21	...	50.25	50.25	...	49.60	49.60
मांग संख्या 46	Demand46	...	0.03	0.03	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
मांग संख्या 84	Demand84	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
न्याय प्रशासन	2014 *Administration of Justice*	*0.50*	*21.53*	*22.03*	*0.05*	*25.82*	*25.87*	*1.50*	*24.16*	*25.66*
मांग संख्या 57	Demand57	0.50	2.44	2.94	0.05	2.44	2.49	1.50	2.70	4.20
मांग संख्या 59	Demand59	...	10.34	10.34	...	14.63	14.63	...	11.71	11.71
मांग संख्या 64	Demand64	...	8.75	8.75	...	8.75	8.75	...	9.75	9.75
निर्वाचन	2015 *Elections*	...	*61.25*	*61.25*	...	*287.00*	*287.00*	...	*284.99*	*284.99*
मांग संख्या 57	Demand57	...	58.76	58.76	...	283.76	283.76	...	281.70	281.70
मांग संख्या 58	Demand58	...	2.49	2.49	...	3.24	3.24	...	3.29	3.29
लेखा परीक्षा	2016 *Audit*	...	*360.00*	*360.00*	...	*368.00*	*368.00*	...	*381.00*	*381.00*
मांग संख्या 33	Demand33	...	360.00	360.00	...	368.00	368.00	...	381.00	381.00
(ख) कर संग्रह	*(b) Tax Collection*	...	*950.54*	*950.54*	...	*983.91*	*983.91*	...	*1023.06*	*1023.06*
आय और व्यय पर करों का संग्रह	2020 *Collection of Taxes on Income and Expenditure*	...	*337.61*	*337.61*	...	*371.32*	*371.32*	...	*371.33*	*371.33*
मांग संख्या 34	Demand34	...	0.20	0.20	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
मांग संख्या 35	Demand35	...	332.87	332.87	...	365.80	365.80	...	365.80	365.80
मांग संख्या 57	Demand57	...	4.54	4.54	...	5.34	5.34	...	5.35	5.35
सम्पदा शुल्क, धन पर कर और उपहार कर का संग्रह	2031 *Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax*	...	*34.13*	*34.13*	...	*34.20*	*34.20*	...	*34.20*	*34.20*
मांग संख्या 35	Demand35	...	34.13	34.13	...	34.20	34.20	...	34.20	34.20
सीमा शुल्क	2037 *Customs*	...	*295.30*	*295.30*	...	*287.89*	*287.89*	...	*322.91*	*322.91*
मांग संख्या 36	Demand36	...	295.30	295.30	...	287.89	287.89	...	322.91	322.91
संघीय उत्पाद शुल्क	2038 *Union Excise Duties*	...	*275.00*	*275.00*	...	*280.70*	*280.70*	...	*282.47*	*282.47*
मांग संख्या 36	Demand36	...	275.00	275.00	...	280.70	280.70	...	282.47	282.47
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2045 *Other Taxes and Duties on Commodities and Services*	...	*8.50*	*8.50*	...	*9.80*	*9.80*	...	*12.15*	*12.15*
मांग संख्या 34	Demand34	...	8.50	8.50	...	9.80	9.80	...	12.15	12.15
(ग) अन्य राजकोषीय सेवाएं	*(c) Other Fiscal Services*	...	*862.07*	*862.07*	...	*655.53*	*655.53*	...	*630.85*	*630.85*
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	2046 *Currency, Coinage and Mint*	...	*-10.74*	*-10.74*	...	*-43.44*	*-43.44*	...	*48.92*	*48.92*
मांग संख्या 25	* Demand25	...	-10.74	-10.74	...	-43.44	-43.44	...	48.92	48.92
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047 *Other Fiscal Services*	...	*872.81*	*872.81*	...	*698.97*	*698.97*	...	*581.93*	*581.93*
मांग संख्या 24	Demand24	...	28.64	28.64	...	27.65	27.65	...	26.91	26.91
मांग संख्या 25	* Demand25	...	-5.03	-5.03	...	-24.53	-24.53	...	-24.87	-24.87
मांग संख्या 26	Demand26	...	840.36	840.36	...	686.91	686.91	...	570.80	570.80
मांग संख्या 31	Demand31	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 34	Demand34	...	8.83	8.83	...	8.93	8.93	...	9.08	9.08
(घ) ब्याज अदायगी और ऋण शोधन	*(d) Interest Payment and Servicing of Debt*	...	*46000.00*	*46000.00*	...	*44000.00*	*44000.00*	...	*52000.00*	*52000.00*
ब्याज अदायगियां	2049 *Interest Payments*	...	*46000.00*	*46000.00*	...	*44000.00*	*44000.00*	...	*52000.00*	*52000.00*
मांग संख्या 27	Demand27	...	46000.00	46000.00	...	44000.00	44000.00	...	52000.00	52000.00
(ङ) प्रशासनिक सेवाएं	*(e) Administrative Services*	*21.56*	*3958.33*	*3979.89*	*20.70*	*4212.98*	*4233.68*	*23.11*	*4409.73*	*4432.84*
लोक सेवा आयोग	2051 *Public Service Commission*	...	*27.10*	*27.10*	...	*28.05*	*28.05*	...	*29.19*	*29.19*
मांग संख्या 64	Demand64	...	8.83	8.83	...	9.24	9.24	...	9.81	9.81
मांग संख्या 94	Demand94	...	18.27	18.27	...	18.81	18.81	...	19.38	19.38

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	*2052 Secretariat-General Services*	*1.70*	*336.36*	*338.06*	*1.70*	*344.53*	*346.23*	*2.10*	*372.16*	*374.26*
मांग संख्या 12	Demand12	...	6.23	6.23	...	6.40	6.40	...	6.89	6.89
मांग संख्या 15	Demand15	...	179.37	179.37	...	189.00	189.00	...	203.00	203.00
मांग संख्या 23	Demand23	...	50.47	50.47	...	48.47	48.47	...	58.00	58.00
मांग संख्या 24	Demand24	...	16.84	16.84	...	16.75	16.75	...	17.00	17.00
मांग संख्या 31	Demand31	...	9.49	9.49	...	8.58	8.58	...	9.40	9.40
मांग संख्या 34	Demand34	...	25.28	25.28	...	23.90	23.90	...	25.42	25.42
मांग संख्या 41	Demand41	...	23.74	23.74	...	25.31	25.31	...	24.45	24.45
मांग संख्या 42	Demand42	...	...	...	...	0.31	0.31	...	0.61	0.61
मांग संख्या 57	Demand57	...	9.15	9.15	...	9.31	9.31	...	10.11	10.11
मांग संख्या 63	Demand63	...	1.73	1.73	...	1.73	1.73	...	1.76	1.76
मांग संख्या 64	Demand64	1.00	7.13	8.13	1.00	7.29	8.29	1.00	7.56	8.56
मांग संख्या 68	Demand68	...	0.88	0.88	...	1.10	1.10	...	1.04	1.04
मांग संख्या 80	Demand80	0.70	6.05	6.75	0.70	6.38	7.08	1.10	6.92	8.02
पुलिस	*2055 Police*	*5.80*	*2623.38*	*2629.18*	*6.11*	*2685.34*	*2691.45*	*7.00*	*2837.08*	*2844.08*
मांग संख्या 43	Demand43	5.50	2587.13	2592.63	5.50	2647.67	2653.17	6.00	2797.70	2803.70
मांग संख्या 64	Demand64	0.30	36.25	36.55	0.61	37.67	38.28	1.00	39.38	40.38
कारागार	*2056 Jails*	...	...	...	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*
मांग संख्या 44	Demand44	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
पूर्ति और निपटान	*2057 Supplies and Disposals*	...	*19.45*	*19.45*	...	*20.21*	*20.21*	...	*21.19*	*21.19*
मांग संख्या 12	Demand12	...	19.45	19.45	...	20.21	20.21	...	21.19	21.19
मांग संख्या 23	Demand23									
लेखन सामग्री और मुद्रण	*2058 Stationery and Printing*	...	*68.28*	*68.28*	...	*71.15*	*71.15*	...	*74.84*	*74.84*
मांग संख्या 82	Demand82	...	68.28	68.28	...	71.15	71.15	...	74.84	74.84
लोक-निर्माण कार्य	*2059 Public Works*	*2.80*	*126.33*	*129.13*	*2.80*	*177.20*	*180.00*	*3.40*	*170.80*	*174.20*
मांग संख्या 15	Demand15	...	0.40	0.40	...	0.53	0.53	...	0.94	0.94
मांग संख्या 81	Demand81	2.80	125.93	128.73	2.80	176.67	179.47	3.40	169.86	173.26
विदेश कार्य	*2061 External Affairs*	...	*579.12*	*579.12*	...	*691.34*	*691.34*	...	*708.25*	*708.25*
मांग संख्या 23	Demand23	...	579.12	579.12	...	691.34	691.34	...	708.25	708.25
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	*2070 Other Administrative Services*	*11.26*	*178.31*	*189.57*	*10.09*	*195.11*	*205.20*	*10.61*	*196.17*	*206.78*
मांग संख्या 1	Demand1	2.56	1.08	3.64	1.64	1.38	3.02	1.83	1.40	3.23
मांग संख्या 24	Demand24	...	9.37	9.37	...	10.91	10.91	...	8.49	8.49
मांग संख्या 31	Demand31	1.69	1.61	3.30	1.69	1.84	3.53	1.93	2.33	4.26
मांग संख्या 34	Demand34	...	3.49	3.49	...	3.25	3.25	...	3.32	3.32
मांग संख्या 41	Demand41	3.00	149.95	152.95	2.76	164.46	167.22	2.75	166.39	169.14
मांग संख्या 50	Demand50	...	2.85	2.85	...	3.36	3.36	...	3.84	3.84
मांग संख्या 57	Demand57	...	1.47	1.47	...	1.60	1.60	...	1.76	1.76
मांग संख्या 64	Demand64	4.01	8.04	12.05	4.00	7.86	11.86	4.10	8.19	12.29
मांग संख्या 42	Demand42	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45
(च) पेंशनें और विविध सामान्य सेवाएं	*(f) Pensions and Miscellaneous General Services*	...	*3576.94*	*3576.94*	...	*3620.39*	*3620.39*	...	*4012.67*	*4012.67*
पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	*2071 Pension and other Retirement Benefits*	...	*3604.28*	*3604.28*	...	*3650.82*	*3650.82*	...	*3850.51*	*3850.51*
मांग संख्या 16	Demand16	...	2706.00	2706.00	...	2721.00	2721.00	...	2857.00	2857.00
मांग संख्या 32	Demand32	...	898.28	898.28	...	929.82	929.82	...	993.51	993.51
विविध सामान्य सेवाएं	*2075 Miscellaneous General Services*	...	*-27.34*	*-27.34*	...	*-30.43*	*-30.43*	...	*162.16*	*162.16*
मांग संख्या 15	* Demand15	...	-27.91	-27.91	...	-31.17	-31.17	...	-38.36	-38.36
मांग संख्या 24	Demand24	...	0.11	0.11	...	0.41	0.41	...	0.11	0.11
मांग संख्या 28	Demand28	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
मांग संख्या 34	Demand34	...	0.15	0.15	...	0.02	0.02	...	0.10	0.10
मांग संख्या 44	Demand44	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
मांग संख्या 23	Demand23	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
(छ) रक्षा सेवाएं	*(g) Defence Services*	...	*16168.87*	*16168.87*	...	*16610.76*	*16610.76*	...	*18145.51*	*18145.51*
रक्षा सेवाएं - थल सेना	*2076 Defence Services-Army*	...	*11135.68*	*11135.68*	...	*11340.17*	*11340.17*	...	*12432.81*	*12432.81*
मांग संख्या 17	* Demand17	...	11135.68	11135.68	...	11340.17	11340.17	...	12432.81	12432.81
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	*2077 Defence Services-Navy*	...	*1355.43*	*1355.43*	...	*1439.40*	*1439.40*	...	*1534.72*	*1534.72*
मांग संख्या 18	* Demand18	...	1355.43	1355.43	...	1439.40	1439.40	...	1534.72	1534.72
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	*2078 Defence Services-Air Force*	...	*3618.33*	*3618.33*	...	*3771.76*	*3771.76*	...	*4134.91*	*4134.91*
मांग संख्या 19	* Demand19	...	3618.33	3618.33	...	3771.76	3771.76	...	4134.91	4134.91

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए *(In crores of rupees)*

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate			बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
आयुध कारखाने	*2079 Ordnance Factories*	...	*59.43*	*59.43*	...	*59.43*	*59.43*	...	*43.07*	*43.07*
मांग संख्या 20	* Demand20	...	59.43	59.43	...	59.43	59.43	...	43.07	43.07
ख. सामाजिक सेवाएं	**B. SOCIAL SERVICES**	**1955.06**	**2637.98**	**4593.04**	**1992.13**	**2779.49**	**4771.62**	**2578.98**	**2778.20**	**5357.18**
सामान्य शिक्षा	*2202 General Education*	*752.61*	*628.30*	*1380.91*	*767.82*	*655.80*	*1423.62*	*820.74*	*650.43*	*1471.17*
मांग संख्या 46	Demand46	752.61	628.21	1380.82	767.82	655.68	1423.50	820.74	650.27	1471.01
मांग संख्या 82	Demand82	...	0.09	0.09	...	0.12	0.12	...	0.16	0.16
तकनीकी शिक्षा	*2203 Technical Education*	*222.98*	*205.91*	*428.89*	*224.00*	*231.07*	*455.07*	*250.39*	*213.27*	*463.66*
मांग संख्या 46	Demand46	222.98	205.91	428.89	224.00	231.07	455.07	250.39	213.27	463.66
खेल और युवा सेवाएं	*2204 Sports and Youth Services*	*73.33*	*25.57*	*98.90*	*73.28*	*25.57*	*98.85*	*73.66*	*22.49*	*96.15*
मांग संख्या 46	Demand46	0.30	0.30	0.60	0.14	0.30	0.44	0.45	0.30	0.75
मांग संख्या 47	Demand47	73.03	25.27	98.30	73.14	25.27	98.41	73.21	22.19	95.40
कला और संस्कृति	*2205 Art and Culture*	*99.50*	*72.26*	*171.76*	*99.50*	*75.09*	*174.59*	*109.98*	*77.86*	*187.84*
मांग संख्या 48	Demand48	99.38	71.55	170.93	99.38	74.36	173.74	109.73	77.04	186.77
मांग संख्या 54	Demand54	0.12	0.71	0.83	0.12	0.73	0.85	0.25	0.82	1.07
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	*2210 Medical and Public Health*	*291.25*	*351.56*	*642.81*	*312.17*	*386.50*	*698.67*	*316.08*	*405.01*	*721.09*
मांग संख्या 39	Demand39	291.25	351.56	642.81	312.17	386.50	698.67	316.08	405.01	721.09
परिवार कल्याण	*2211 Family Welfare*	*85.94*	*10.26*	*96.20*	*81.17*	*10.61*	*91.78*	*164.12*	*10.96*	*175.08*
मांग संख्या 40	Demand40	85.94	10.26	96.20	81.17	10.61	91.78	164.12	10.96	175.08
जल पूर्ति और स्वच्छता	*2215 Water Supply and Sanitation*	*124.97*	*0.63*	*125.60*	*88.78*	*0.73*	*89.51*	*397.35*	*0.74*	*398.09*
मांग संख्या 70	Demand70	80.57	0.63	81.20	44.38	0.73	45.11	347.50	0.74	348.24
मांग संख्या 80	Demand80	44.40	...	44.40	44.40	...	44.40	49.85	...	49.85
आवास	*2216 Housing*	*5.60*	*126.78*	*132.38*	*4.60*	*150.55*	*155.15*	*8.35*	*151.86*	*160.21*
मांग संख्या 15	Demand15	...	2.20	2.20	...	2.43	2.43	...	2.43	2.43
मांग संख्या 80	Demand80	4.60	124.58	129.18	4.60	148.12	152.72	7.85	149.43	157.28
मांग संख्या 70	Demand70	1.00	...	1.00	...	...	...	0.50	...	0.50
शहरी विकास	*2217 Urban Development*	*6.41*	*3.86*	*10.27*	*6.39*	*4.29*	*10.68*	*32.05*	*4.57*	*36.62*
मांग संख्या 80	Demand80	6.41	3.86	10.27	6.39	4.29	10.68	32.05	4.57	36.62
सूचना और प्रचार	*2220 Information and Publicity*	*15.47*	*81.13*	*96.60*	*17.56*	*85.36*	*102.92*	*23.45*	*86.61*	*110.06*
मांग संख्या 54	Demand54	15.47	81.13	96.60	17.56	85.36	102.92	23.45	86.61	110.06
प्रसारण	*2221 Broadcasting*	*10.00*	*321.58*	*331.58*	*10.00*	*333.28*	*343.28*	*20.00*	*345.70*	*365.70*
मांग संख्या 55	* Demand55	10.00	321.58	331.58	10.00	333.28	343.28	20.00	345.70	365.70
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*2225 Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes*	*30.97*	*5.83*	*36.80*	*58.13*	*11.10*	*69.23*	*59.53*	*7.08*	*66.61*
मांग संख्या 56	Demand56	0.32	0.70	1.02	0.19	0.70	0.89	0.34	0.70	1.04
मांग संख्या 84	Demand84	30.65	5.13	35.78	57.94	10.40	68.34	59.19	6.38	65.57
श्रम तथा रोजगार	*2230 Labour & Employment*	*42.34*	*438.52*	*480.86*	*41.88*	*440.42*	*482.30*	*72.20*	*435.17*	*507.37*
मांग संख्या 10	Demand10	...	24.44	24.44	...	23.32	23.32	...	24.51	24.51
मांग संख्या 56	Demand56	42.34	414.08	456.42	41.88	417.10	458.98	72.20	410.66	482.86
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	*2235 Social Security and Welfare*	*189.26*	*321.00*	*510.26*	*202.03*	*321.52*	*523.55*	*224.34*	*318.76*	*543.10*
मांग संख्या 24	Demand24	...	25.26	25.26	...	32.26	32.26	0.01	28.30	28.31
मांग संख्या 32	Demand32	...	11.72	11.72	...	4.23	4.23	...	4.70	4.70
मांग संख्या 44	Demand44	...	226.59	226.59	...	228.14	228.14	...	225.61	225.61
मांग संख्या 84	Demand84	56.29	19.12	75.41	69.25	18.22	87.47	74.88	21.16	96.04
मांग संख्या 49	Demand49	132.97	38.31	171.28	132.78	38.67	171.45	149.45	38.99	188.44
पोषाहार	*2236 Nutrition*	*1.49*	*2.98*	*4.47*	*2.05*	*2.99*	*5.04*	*2.25*	*3.27*	*5.52*
मांग संख्या 37	Demand37									
मांग संख्या 49	Demand49	1.49	2.98	4.47	2.05	2.99	5.04	2.25	3.27	5.52
अन्य सामाजिक सेवाएं	*2250 Other Social Services*	...	*2.31*	*2.31*	...	*4.95*	*4.95*	...	*2.52*	*2.52*
मांग संख्या 44	Demand44	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
मांग संख्या 84	Demand84	...	1.36	1.36	...	1.46	1.46	...	1.54	1.54
मांग संख्या 87	Demand87	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
मांग संख्या 41	Demand41	...	0.30	0.30	...	2.84	2.84	...	0.33	0.33
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	*2251 Secretariat-Social Services*	*2.94*	*39.50*	*42.44*	*2.77*	*39.66*	*42.43*	*4.49*	*41.90*	*46.39*
मांग संख्या 39	Demand39	0.40	4.79	5.19	0.40	4.74	5.14	0.70	4.93	5.63
मांग संख्या 40	Demand40	...	1.42	1.42	...	1.42	1.42	...	1.55	1.55
मांग संख्या 46	Demand46	1.29	9.18	10.47	1.20	9.04	10.24	1.86	9.59	11.45
मांग संख्या 47	Demand47	0.25	2.46	2.71	0.14	2.18	2.32	0.25	2.32	2.57
मांग संख्या 48	Demand48	0.72	3.00	3.72	0.72	3.00	3.72	0.77	3.15	3.92
मांग संख्या 54	Demand54	0.03	5.86	5.89	0.06	6.28	6.34	0.06	6.57	6.63

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 56	Demand56	...	5.42	5.42	...	5.00	5.00	...	5.40	5.40
मांग संख्या 84	Demand84	0.10	5.07	5.17	0.10	5.50	5.60	0.70	5.76	6.46
मांग संख्या 49	Demand49	0.15	2.30	2.45	0.15	2.50	2.65	0.15	2.63	2.78
ग. आर्थिक सेवाएं	C. ECONOMIC SERVICES	8689.98	12802.38	21492.36	8854.28	17052.11	25906.39	10962.40	16200.05	27162.45
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	*(a) Agriculture and Allied Activities*	*972.72*	*5338.64*	*6311.36*	*972.54*	*7646.11*	*8618.65*	*896.28*	*7888.76*	*8785.04*
फसल रोपण कार्य	2401 *Crop Husbandry*	*278.34*	*525.07*	*803.41*	*310.29*	*1710.88*	*2021.17*	*244.39*	*2179.02*	*2423.41*
मांग संख्या 1	Demand1	275.09	23.62	298.71	307.04	543.76	850.80	244.39	528.02	772.41
मांग संख्या 6	Demand6	...	500.00	500.00	...	1166.00	1166.00	...	1650.00	1650.00
मांग संख्या 11	Demand11	3.25	1.45	4.70	3.25	1.12	4.37	...	1.00	1.00
मृदा तथा जल संरक्षण	2402 *Soil and Water Conservation*	*19.73*	*0.57*	*20.30*	*24.99*	*0.61*	*25.60*	*19.78*	*0.63*	*20.41*
मांग संख्या 2	Demand2	19.73	0.57	20.30	24.99	0.61	25.60	19.78	0.63	20.41
पशु पालन	2403 *Animal Husbandry*	*49.71*	*6.44*	*56.15*	*23.64*	*6.44*	*30.08*	*45.30*	*6.57*	*51.87*
मांग संख्या 4	Demand4	49.71	6.44	56.15	23.64	6.44	30.08	45.30	6.57	51.87
डेयरी विकास	2404 *Dairy Development*	*23.15*	*1.01*	*24.16*	*59.31*	*1.01*	*60.32*	*28.72*	*1.01*	*29.73*
मांग संख्या 4	* Demand4	23.15	1.01	24.16	59.31	1.01	60.32	28.72	1.01	29.73
मत्स्य पालन	2405 *Fisheries*	*39.64*	*6.95*	*46.59*	*35.08*	*6.96*	*42.04*	*35.10*	*7.21*	*42.31*
मांग संख्या 2	Demand2	21.32	5.26	26.58	16.76	5.26	22.02	17.50	5.31	22.81
मांग संख्या 38	Demand38	18.32	1.69	20.01	18.32	1.70	20.02	17.60	1.90	19.50
वानिकी तथा वन्यजीवन	2406 *Forestry and Wild Life*	*117.35*	*16.20*	*133.55*	*115.61*	*17.16*	*132.77*	*75.95*	*17.27*	*93.22*
मांग संख्या 22	Demand22	72.85	16.20	89.05	71.11	17.16	88.27	75.95	17.27	93.22
मांग संख्या 71	Demand71	44.50	...	44.50	44.50	...	44.50	...	...	...
बागान	2407 *Plantations*	*63.35*	*30.34*	*93.69*	*63.35*	*30.34*	*93.69*	*77.84*	*30.03*	*107.87*
मांग संख्या 11	Demand11	63.35	30.34	93.69	63.35	30.34	93.69	77.84	30.03	107.87
खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागारण	2408 *Food, Storage and Warehousing*	*19.20*	*4194.65*	*4213.85*	*19.20*	*5294.63*	*5313.83*	*18.20*	*5391.42*	*5409.62*
मांग संख्या 15	Demand15	...	0.63	0.63	...	0.63	0.63	...	0.74	0.74
मांग संख्या 37	Demand37	1.76	4192.80	4194.56	1.76	5292.70	5294.46	1.70	5389.38	5391.08
मांग संख्या 9	Demand9	0.20	0.59	0.79	0.20	0.67	0.87	0.20	0.67	0.87
मांग संख्या 38	Demand38	17.24	0.63	17.87	17.24	0.63	17.87	16.30	0.63	16.93
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2415 *Agricultural Research and Education*	*274.95*	*201.30*	*476.25*	*274.95*	*220.05*	*495.00*	*309.90*	*238.17*	*548.07*
मांग संख्या 3	Demand3	274.95	201.30	476.25	274.95	220.05	495.00	309.90	238.17	548.07
कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416 *Agricultural financial Institutions*	*50.00*	*8.54*	*58.54*	*5.00*	*8.53*	*13.53*	*4.14*	*8.53*	*12.67*
मांग संख्या 26	Demand26	50.00	8.54	58.54	5.00	8.53	13.53	4.14	8.53	12.67
सहकारिता	2425 *Cooperation*	*29.06*	...	*29.06*	*37.23*	...	*37.23*	*29.71*	...	*29.71*
मांग संख्या 2	Demand2	29.06	...	29.06	37.23	...	37.23	29.71	...	29.71
अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 *Other Agricultural Programmes*	*8.24*	*347.57*	*355.81*	*3.89*	*349.50*	*353.39*	*7.25*	*8.90*	*16.15*
मांग संख्या 1	Demand1	...	341.00	341.00	...	341.00	341.00	...	...	...
मांग संख्या 70	Demand70	8.24	6.57	14.81	3.89	8.50	12.39	7.25	8.90	16.15
(ख) ग्रामीण विकास	*(b) Rural Development*	*4223.10*	*3.28*	*4226.38*	*4154.08*	*3.28*	*4157.36*	*5696.45*	*3.92*	*5700.37*
ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	2501 *Special Programmes for Rural Development*	*583.28*	...	*583.28*	*579.78*	...	*579.78*	*911.38*	...	*911.38*
मांग संख्या 70	Demand70	579.28	...	579.28	579.78	...	579.78	864.38	...	864.38
मांग संख्या 66	Demand66	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 62	Demand62	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
मांग संख्या 71	Demand71	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
ग्रामीण रोजगार	2505 *Rural Employment*	*3573.59*	...	*3573.59*	*3508.24*	...	*3508.24*	*4680.34*	...	*4680.34*
मांग संख्या 70	Demand70	3573.59	...	3573.59	3508.24	...	3508.24	4680.34	...	4680.34
भूमि सुधार	2506 Land Reforms	14.02	...	14.02	0.35	...	0.35	1.73	...	1.73
मांग संख्या 70	Demand70	14.02	...	14.02	0.35	...	0.35	1.73	...	1.73
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 *Other Rural Development Programmes*	*52.21*	*3.28*	*55.49*	*65.71*	*3.28*	*68.99*	*103.00*	*3.92*	*106.92*
मांग संख्या 70	Demand70	52.21	3.28	55.49	65.71	3.28	68.99	103.00	3.92	106.92
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	*(c) Special Areas Programmes*	*25.02*	...	*25.02*	*810.47*	...	*810.47*	*809.89*	...	*809.89*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2552 *North Eastern Areas*	*25.02*	...	*25.02*	*20.47*	...	*20.47*	*19.89*	...	*19.89*
मांग संख्या 44	Demand44	17.02	...	17.02	12.47	...	12.47	16.89	...	16.89
मांग संख्या 46	Demand46	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	3.00	...	3.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के विकास की स्कीम	2553 *MPs Local Area Development Scheme*	...	...	...	*790.00*	...	*790.00*	*790.00*	...	*790.00*
मांग संख्या 70	Demand70	...	...	...	790.00	...	790.00	...	...	...
मांग संख्या 68	Demand68	...	...	...	...	...	...	790.00	...	790.00

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate			बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(d) Irrigation and Flood Control	101.88	67.64	169.52	73.58	70.42	144.00	103.77	73.11	176.88
मुख्य और मध्यम सिंचाई	2701 Major and Medium Irrigation	18.34	33.39	51.73	23.39	34.24	57.63	26.01	35.61	61.62
मांग संख्या 83	Demand83	18.34	33.39	51.73	23.39	34.24	57.63	26.01	35.61	61.62
लघु सिंचाई	2702 Minor Irrigation	59.38	22.00	81.38	31.92	23.50	55.42	48.10	24.50	72.60
मांग संख्या 83	Demand83	59.38	22.00	81.38	31.92	23.50	55.42	48.10	24.50	72.60
कमान क्षेत्र विकास	2705 Command Areas Development	3.95	...	3.95	2.70	...	2.70	2.55	...	2.55
मांग संख्या 83	Demand83	3.95	...	3.95	2.70	...	2.70	2.55	...	2.55
बाढ़ नियंत्रण	2711 Flood Control	20.21	12.25	32.46	15.57	12.68	28.25	27.11	13.00	40.11
मांग संख्या 71	Demand71									
मांग संख्या 83	Demand83	20.21	12.25	32.46	15.57	12.68	28.25	27.11	13.00	40.11
(ङ) ऊर्जा	(e) Energy	270.48	255.02	525.50	253.74	198.18	451.92	339.70	222.12	561.82
विद्युत	2801 Power	73.66	110.70	184.36	57.44	112.01	169.45	120.47	117.57	238.04
मांग संख्या 69	* Demand69	73.66	15.52	89.18	57.44	16.83	74.27	120.47	17.25	137.72
मांग संख्या 86	* Demand86	...	95.18	95.18	...	95.18	95.18	...	100.32	100.32
कोयला और लिग्नाइट	2803 Coal and Lignite	23.50	144.32	167.82	23.50	86.17	109.67	43.82	104.55	148.37
मांग संख्या 10	Demand10	23.50	144.32	167.82	23.50	86.17	109.67	43.82	104.55	148.37
ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत	2810 Non-Conventional Sources of Energy	173.32	...	173.32	172.80	...	172.80	175.41	...	175.41
मांग संख्या 62	Demand62	173.32	...	173.32	172.80	...	172.80	175.41	...	175.41
ऊर्जा समन्वय और विकास	2820 Energy Coordination and Development									
(च) उद्योग और खनिज	(f) Industry and Minerals	1596.02	3940.83	5536.85	1074.39	4520.97	5595.36	1453.76	4196.23	5649.99
ग्रामीण और लघु उद्योग	2851 Village and Small Industies	510.19	133.00	643.19	490.08	133.64	623.72	704.65	139.13	843.78
मांग संख्या 53	Demand53	369.16	107.93	477.09	349.05	107.93	456.98	535.47	110.31	645.78
मांग संख्या 79	Demand79	141.03	25.07	166.10	141.03	25.71	166.74	169.18	28.82	198.00
उद्योग	2852 Industries	895.27	3737.22	4632.49	383.08	4309.04	4692.12	510.07	3999.81	4509.88
मांग संख्या 15	Demand15	...	14.82	14.82	...	14.82	14.82	...	...	...
मांग संख्या 6	Demand6	11.90	3511.33	3523.23	12.15	4006.29	4018.44	11.90	3760.82	3772.72
मांग संख्या 38	Demand38	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.90
मांग संख्या 9	Demand9	2.30	0.02	2.32	2.30	0.02	2.32	2.60	0.02	2.62
मांग संख्या 50	Demand50	723.40	31.60	755.00	219.10	32.37	251.47	325.82	30.62	356.44
मांग संख्या 51	Demand51	5.30	7.56	12.86	3.30	7.56	10.86	8.00	7.56	15.56
मांग संख्या 5	Demand5	24.92	37.74	62.66	17.92	78.98	96.90	20.28	89.48	109.76
मांग संख्या 75	Demand75	...	2.13	2.13	...	2.00	2.00	...	2.05	2.05
मांग संख्या 78	Demand78	1.98	0.51	2.49	2.34	20.33	22.67	4.00	13.12	17.12
मांग संख्या 79	Demand79	11.40	92.72	104.12	11.40	87.62	99.02	12.60	53.20	65.80
मांग संख्या 85	* Demand85	...	29.82	29.82	...	49.84	49.84	...	33.93	33.93
मांग संख्या 87	Demand87	113.77	8.14	121.91	114.27	8.14	122.41	124.57	8.14	132.71
मांग संख्या 52	Demand52	...	0.23	0.23	...	0.47	0.47	...	0.27	0.27
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2853 Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	64.80	82.30	147.10	64.80	83.73	148.53	74.00	89.13	163.13
मांग संख्या 61	Demand61	64.80	82.30	147.10	64.80	83.73	148.53	74.00	89.13	163.13
अन्य उद्योग	2875 Other Industries	...	-16.80	-16.80	...	-32.88	-32.88	...	-31.95	-31.95
मांग संख्या 34	* Demand34	...	-16.80	-16.80	...	-32.88	-32.88	...	-31.95	-31.95
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885 Other outlays on Industries and Minerals	125.76	5.11	130.87	136.43	27.44	163.87	165.04	0.11	165.15
मांग संख्या 26	Demand26	75.76	5.11	80.87	82.13	27.44	109.57	65.04	0.11	65.15
मांग संख्या 50	Demand50	50.00	...	50.00	54.30	...	54.30	100.00	...	100.00
(छ) परिवहन	(g) Transport	73.60	865.21	938.81	73.26	1080.90	1154.16	25.98	909.44	935.42
पत्तन तथा दीप स्तम्भ	3051 Ports & Light Houses	0.10	62.50	62.60	0.10	116.37	116.47	0.05	62.49	62.54
मांग संख्या 78	* Demand78	0.10	62.50	62.60	0.10	116.37	116.47	0.05	62.49	62.54
नौवहन	3052 Shipping	40.00	54.14	94.14	40.00	52.57	92.57	5.00	44.86	49.86
मांग संख्या 23	Demand23	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 26	Demand26	...	6.20	6.20	...	3.50	3.50	...	2.40	2.40
मांग संख्या 78	Demand78	40.00	47.93	87.93	40.00	49.06	89.06	5.00	42.45	47.45
नागर विमानन	3053 Civil Aviation	5.40	42.20	47.60	5.06	73.35	78.41	0.28	40.65	40.93
मांग संख्या 7	Demand7	5.40	37.90	43.30	5.06	64.93	69.99	0.28	36.64	36.92
मांग संख्या 23	Demand23	...	4.30	4.30	...	8.42	8.42	...	0.01	0.01
मांग संख्या 44	Demand44	...	...	...	...	...	...	...	4.00	4.00
सड़क और पुल	3054 Road and Bridges	7.05	290.34	297.39	7.05	401.60	408.65	7.50	336.25	343.75
मांग संख्या 28	Demand28	...	2.53	2.53	...	2.48	2.48	...	2.48	2.48
मांग संख्या 43	Demand43	...	14.05	14.05	...	12.05	12.05	...	13.30	13.30
मांग संख्या 77	Demand77	7.05	273.76	280.81	7.05	387.07	394.12	7.50	320.47	327.97

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन	3055 Road Transport	14.75	...	14.75	14.75	...	14.75	6.50	...	6.50
मांग संख्या 76	Demand76	14.75	...	14.75	14.75	...	14.75	6.50	...	6.50
अन्तर्देशीय जल परिवहन	3056 Inland Water Transport	6.30	1.50	7.80	6.30	1.50	7.80	6.65	1.50	8.15
मांग संख्या 76	Demand76	6.30	1.50	7.80	6.30	1.50	7.80	6.65	1.50	8.15
अन्य परिवहन सेवाएं	3075 Other Transport Services	...	414.53	414.53	...	435.51	435.51	...	423.69	423.69
मांग संख्या 7	Demand7	...	1.01	1.01	...	0.99	0.99	...	1.03	1.03
मांग संख्या 24	Demand24	...	403.10	403.10	...	423.41	423.41	...	411.16	411.16
मांग संख्या 83	Demand83	...	10.42	10.42	...	11.11	11.11	...	11.50	11.50
मांग संख्या 75	Demand75									
(ज) संचार	(h) Communications	177.49	162.32	339.81	241.55	354.00	595.55	346.88	299.92	646.80
डाक सेवाएं	3201 Postal Services	21.14	125.00	146.14	18.12	313.00	331.12	17.13	287.00	304.13
मांग संख्या 13	* Demand13	21.14	125.00	146.14	18.12	313.00	331.12	17.13	287.00	304.13
दूर संचार सेवाएं	3225 Telecommunication Services	...	-3669.40	-3669.40	...	-3574.20	-3574.20	...	-4132.00	-4132.00
मांग संख्या 14	* Demand14	...	-3669.40	-3669.40	...	-3574.20	-3574.20	...	-4132.00	-4132.00
सामान्य राजस्व में लाभांश	3230 Dividends to General revenues	...	263.40	263.40	...	269.20	269.20	...	265.00	265.00
मांग संख्या 14	Demand14	...	263.40	263.40	...	269.20	269.20	...	265.00	265.00
दूर संचार से विनियोजन अधिशेष	3231 Appropriations from Telecommuniation Surplus	...	3406.00	3406.00	...	3305.00	3305.00	...	3867.00	3867.00
मांग संख्या 14	Demand14	...	3406.00	3406.00	...	3305.00	3305.00	...	3867.00	3867.00
उपग्रह प्रणाली	3252 Satellite Systems	152.50	4.15	156.65	220.41	4.42	224.83	325.80	4.68	330.48
मांग संख्या 89	Demand89	152.50	4.15	156.65	220.41	4.42	224.83	325.80	4.68	330.48
अन्य संचार सेवाएं	3275 Other Communication Services	3.85	33.17	37.02	3.02	36.58	39.60	3.95	8.24	12.19
मांग संख्या 14	Demand14	3.85	33.17	37.02	3.02	36.58	39.60	3.95	8.24	12.19
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	(i) Science Technology and Environment	972.20	816.15	1788.35	937.34	840.03	1777.37	1002.76	873.67	1876.43
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401 Atomic Energy Research	47.47	302.75	350.22	47.09	303.01	350.10	55.47	308.42	363.89
मांग संख्या 85	Demand85	47.47	302.75	350.22	47.09	303.01	350.10	55.47	308.42	363.89
अन्तरिक्ष अनुसंधान	3402 Space Research	325.24	148.97	474.21	285.75	148.54	434.29	344.57	154.51	499.08
मांग संख्या 89	Demand89	325.24	148.97	474.21	285.75	148.54	434.29	344.57	154.51	499.08
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403 Oceanographic Research	35.30	12.23	47.53	40.70	12.23	52.93	42.75	13.12	55.87
मांग संख्या 88	Demand88	35.30	12.23	47.53	40.70	12.23	52.93	42.75	13.12	55.87
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 Other Scientific Research	418.40	313.40	731.80	419.15	336.86	756.01	456.33	353.52	809.85
मांग संख्या 12	Demand12	2.50	3.84	6.34	2.50	3.89	6.39	1.45	4.08	5.53
मांग संख्या 72	Demand72	174.45	109.48	283.93	175.33	116.33	291.66	188.17	120.90	309.07
मांग संख्या 73	Demand73	155.95	198.53	354.48	155.95	215.02	370.97	177.01	223.89	400.90
मांग संख्या 74	Demand74	85.50	1.55	87.05	85.37	1.62	86.99	89.70	4.65	94.35
पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	3435 Ecology and Environment	145.79	38.80	184.59	144.65	39.39	184.04	103.64	44.10	147.74
मांग संख्या 22	Demand22	145.79	38.80	184.59	144.65	39.39	184.04	103.64	44.10	147.74
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(j) General Economic Services	277.47	1353.29	1630.76	263.33	2338.22	2601.55	286.93	1732.88	2019.81
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451 Secretariat-Economic Services	61.27	132.23	193.50	61.49	142.92	204.41	73.05	146.35	219.40
मांग संख्या 71	Demand71	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	0.28	0.28
मांग संख्या 1	Demand1	2.89	8.60	11.49	2.29	9.96	12.25	2.60	10.22	12.82
मांग संख्या 3	Demand3	0.05	0.70	0.75	0.04	0.59	0.63	0.10	0.69	0.79
मांग संख्या 70	Demand70	...	4.16	4.16	...	4.30	4.30	...	4.50	4.50
मांग संख्या 6	Demand6	...	2.27	2.27	...	2.50	2.50	...	2.60	2.60
मांग संख्या 7	Demand7	...	2.44	2.44	...	2.44	2.44	...	2.63	2.63
मांग संख्या 11	Demand11	...	7.42	7.42	...	7.50	7.50	...	8.00	8.00
मांग संख्या 14	Demand 14	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26
मांग संख्या 10	Demand10	...	2.19	2.19	...	2.19	2.19	...	2.36	2.36
मांग संख्या 69	Demand69	...	3.06	3.06	...	3.40	3.40	...	3.50	3.50
मांग संख्या 62	Demand62	1.71	2.25	3.96	1.71	2.77	4.48	2.09	2.25	4.34
मांग संख्या 22	Demand22	...	3.27	3.27	...	3.38	3.38	...	3.54	3.54
मांग संख्या 37	Demand37	0.27	4.98	5.25	0.27	5.26	5.53	0.25	5.50	5.75
मांग संख्या 9	Demand9	...	2.26	2.26	...	2.35	2.35	...	2.50	2.50
मांग संख्या 38	Demand38	1.86	1.90	3.76	1.86	1.95	3.81	1.80	2.00	3.80
मांग संख्या 50	Demand50	0.15	6.10	6.25	0.15	8.74	8.89	0.60	10.31	10.91

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 60	Demand60	...	5.10	5.10	...	5.08	5.08	...	5.25	5.25
मांग संख्या 51	Demand51	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	2.45	2.00	4.45
मांग संख्या 65	Demand65	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75
मांग संख्या 5	Demand5	...	1.57	1.57	...	2.52	2.52	...	2.60	2.60
मांग संख्या 66	Demand66	51.60	12.91	64.51	52.44	13.01	65.45	60.60	13.01	73.61
मांग संख्या 67	Demand67	...	1.83	1.83	...	1.98	1.98	...	2.04	2.04
मांग संख्या 72	Demand72	0.30	7.03	7.33	0.30	7.33	7.63	0.30	7.45	7.75
मांग संख्या 73	Demand73	...	0.92	0.92	...	1.14	1.14	...	1.14	1.14
मांग संख्या 74	Demand74	0.30	1.68	1.98	0.30	1.74	2.04	0.30	1.87	2.17
मांग संख्या 75	Demand75	...	2.50	2.50	...	2.65	2.65	...	2.80	2.80
मांग संख्या 61	Demand61	...	2.72	2.72	...	2.87	2.87	...	3.05	3.05
मांग संख्या 76	Demand76	...	15.40	15.40	...	15.97	15.97	...	16.75	16.75
मांग संख्या 79	Demand79	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50
मांग संख्या 8	Demand8	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.26	0.26
मांग संख्या 83	Demand83	0.29	4.12	4.41	0.31	4.42	4.73	0.29	4.31	4.60
मांग संख्या 85	Demand85	...	5.13	5.13	...	5.13	5.13	...	5.18	5.18
मांग संख्या 87	Demand87	1.10	5.54	6.64	1.10	7.42	8.52	0.90	5.57	6.47
मांग संख्या 88	Demand88	...	0.77	0.77	...	0.77	0.77	...	0.82	0.82
मांग संख्या 89	Demand89	0.05	1.87	1.92	0.02	2.03	2.05	0.02	2.01	2.03
मांग संख्या 52	Demand52	...	1.32	1.32	...	1.26	1.26	...	1.35	1.35
मांग संख्या 4	Demand4	0.70	1.40	2.10	0.70	1.45	2.15	0.75	1.50	2.25
पर्यटन	*3452 Tourism*	*77.30*	*15.90*	*93.20*	*74.20*	*19.00*	*93.20*	*75.55*	*16.64*	*92.19*
मांग संख्या 8	Demand8	77.30	15.90	93.20	74.20	19.00	93.20	75.55	16.64	92.19
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	*3453 Foreign Trade and Export Promotion*	*24.70*	*381.89*	*406.59*	*24.70*	*682.34*	*707.04*	*72.50*	*395.91*	*468.41*
मांग संख्या 11	Demand11	24.70	381.77	406.47	24.70	682.22	706.92	70.50	395.79	466.29
मांग संख्या 79	Demand79	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	2.00	0.03	2.03
मांग संख्या 87	Demand87	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	*3454 Census, Survey and Statistics*	*21.33*	*98.44*	*119.77*	*14.57*	*95.89*	*110.46*	*17.91*	*95.66*	*113.57*
मांग संख्या 41	Demand41	8.48	46.25	54.73	7.51	42.39	49.90	8.00	40.00	48.00
मांग संख्या 67	Demand67	12.85	52.19	65.04	7.06	53.50	60.56	9.91	55.66	65.57
मौसम विज्ञान	*3455 Meteorology*	*6.05*	*53.07*	*59.12*	*6.05*	*57.30*	*63.35*	*6.60*	*59.46*	*66.06*
मांग संख्या 72	Demand72	6.05	53.07	59.12	6.05	57.30	63.35	6.60	59.46	66.06
नागरिक पूर्ति	*3456 Civil Supplies*	*1.47*	*10.39*	*11.86*	*1.47*	*35.39*	*36.86*	*2.01*	*1.42*	*3.43*
मांग संख्या 9	Demand9	1.47	0.39	1.86	1.47	25.39	26.86	2.01	0.42	2.43
मांग संख्या 79	Demand79	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	1.00	1.00
समान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थायें	*3465 General Financial and Trading Institutions*	*2.00*	...	*2.00*	*6.65*	...	*6.65*	*7.75*	...	*7.75*
मांग संख्या 26	Demand26	2.00	...	2.00	6.65	...	6.65	7.75	...	7.75
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	*3466 International Financial Institutions*	...	*0.41*	*0.41*	...	*0.55*	*0.55*	...	*0.55*	*0.55*
मांग संख्या 26	Demand26	...	0.41	0.41	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	*3475 Other General Economic Services*	*83.35*	*660.96*	*744.31*	*74.20*	*1304.83*	*1379.03*	*31.56*	*1016.89*	*1048.45*
मांग संख्या 24	* Demand24	...	392.07	392.07	...	417.74	417.74	...	812.20	812.20
मांग संख्या 34	Demand34	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 9	Demand9	0.20	1.16	1.36	0.20	1.07	1.27	0.10	1.16	1.26
मांग संख्या 26	Demand26	...	101.05	101.05	...	523.78	523.78	...	133.52	133.52
मांग संख्या 50	Demand50	2.70	4.25	6.95	2.70	5.16	7.86	2.33	5.35	7.68
मांग संख्या 51	Demand51	...	...	...	...	9.47	9.47	...	...	...
मांग संख्या 60	Demand60	...	10.34	10.34	...	10.36	10.36	...	11.11	11.11
मांग संख्या 66	Demand66	21.65	1.20	22.85	13.61	1.30	14.91	28.00	1.39	29.39
मांग संख्या 80	Demand80	58.80	...	58.80	57.69	...	57.69	1.13	...	1.13
मांग संख्या 81	Demand81	...	...	...	...	135.67	135.67	...	...	...
मांग संख्या 6	Demand6	...	150.88	150.88	...	150.88	150.88	...	...	...
मांग संख्या 11	Demand11	...	...	...	...	49.32	49.32	...	52.15	52.15
मांग संख्या 52	Demand52	...	...		...	0.07	0.07	...	...	...
घ-सहायता अनुदान और अंशदान	**D-GRANS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS**	**17304.76**	**2725.57**	**20030.33**	**17977.81**	**2697.44**	**20675.25**	**15645.02**	**6401.51**	**22046.53**
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	*3601 Grants in aid to State Governments*	*17172.21*	*2454.57*	*19626.78*	*17808.35*	*2455.08*	*20263.43*	*15436.28*	*6107.29*	*21543.57*
मांग संख्या 71	Demand71	14.45	...	14.45	14.45	...	14.45	14.45	...	14.45
मांग संख्या 1	Demand1	600.75	...	600.75	549.55	13.79	563.34	620.23	...	620.23
मांग संख्या 2.	Demand2	135.90	...	135.90	130.19	...	130.19	146.44	...	146.44
मांग संख्या 70	Demand70	2694.20	...	2694.20	2325.03	...	2325.03	1691.63	...	1691.63
मांग संख्या 7	Demand7	...	1.55	1.55	...	46.77	46.77	...	28.63	28.63
मांग संख्या 69	Demand69	5.00	...	5.00	5.86	...	5.86	5.00	...	5.00
मांग संख्या 62	Demand62	34.69	...	34.69	34.69	...	34.69	41.95	...	41.95

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 22	Demand22	133.93	...	133.93	136.84	...	136.84	183.68	...	183.68
मांग संख्या 28	Demand28	9347.91	1757.80	11105.71	10456.22	1725.80	12182.02	7910.20	5458.49	13368.69
मांग संख्या 9	Demand9	6.01	...	6.01	6.01	...	6.01	7.01	...	7.01
मांग संख्या 39	Demand39	271.45	...	271.45	266.95	...	266.95	321.45	...	321.45
मांग संख्या 40	Demand40	1331.38	...	1331.38	1335.29	...	1335.29	1396.80	...	1396.80
मांग संख्या 41	Demand41	...	42.11	42.11	...	41.64	41.64	...	42.40	42.40
मांग संख्या 43	Demand43	...	162.00	162.00	...	164.56	164.56	...	146.01	146.01
मांग संख्या 44	Demand44	88.76	37.97	126.73	101.05	50.57	151.62	92.81	33.75	126.56
मांग संख्या 46	Demand46	559.75	28.82	588.57	568.64	21.22	589.86	740.05	5.72	745.77
मांग संख्या 47	Demand47	19.22	13.36	32.58	18.22	13.36	31.58	19.40	13.16	32.56
मांग संख्या 48	Demand48	2.49	2.53	5.02	2.49	2.53	5.02	2.49	2.53	5.02
मांग संख्या 56	Demand56	66.49	...	66.49	50.53	...	50.53	40.10	...	40.10
मांग संख्या 57	Demand57	49.50	...	49.50	49.50	...	49.50	48.50	...	48.50
मांग संख्या 66	Demand66	20.75	...	20.75	3.45	...	3.45	6.00	...	6.00
मांग संख्या 67	Demand67	0.82	...	0.82	0.82	...	0.82	1.27	...	1.27
मांग संख्या 77	Demand77	9.51	193.93	203.44	9.51	206.67	216.18	7.51	213.10	220.61
मांग संख्या 78	Demand78	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
मांग संख्या 79	Demand79	84.85	203.00	287.85	84.85	157.00	241.85	101.10	152.00	253.10
मांग संख्या 80	Demand80	102.89	0.01	102.90	104.09	0.01	104.10	269.90	0.01	269.91
मांग संख्या 83	Demand83	122.55	11.10	133.65	122.17	10.77	132.94	143.20	11.10	154.30
मांग संख्या 84	Demand84	869.86	0.14	870.00	835.50	0.14	835.64	966.57	0.14	966.71
मांग संख्या 49	Demand49	520.82	...	520.82	520.40	...	520.40	571.53	...	571.53
मांग संख्या 87	Demand87	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
मांग संख्या 53	Demand53	6.58	...	6.58	6.22	...	6.22	9.11	...	9.11
मांग संख्या 4	Demand4	71.59	0.25	71.84	69.72	0.25	69.97	72.29	0.25	72.54
मांग संख्या 76	Demand76	...	...	...	...	...	...	5.50	...	5.50
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	*3602 Grants in aid to Union Territory Governments*	*132.55*	*83.77*	*216.32*	*169.46*	*88.91*	*258.37*	*208.74*	*89.10*	*297.84*
मांग संख्या 1	Demand1	1.82	...	1.82	1.39	0.14	1.53	2.09	...	2.09
मांग संख्या 2	Demand2	3.09	...	3.09	3.05	...	3.05	3.07	...	3.07
मांग संख्या 70	Demand70	5.89	...	5.89	2.61	...	2.61	3.67	...	3.67
मांग संख्या 62	Demand62	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.63	...	0.63
मांग संख्या 22	Demand22	0.12	...	0.12	0.09	...	0.09	0.12	...	0.12
मांग संख्या 39	Demand39	1.10	...	1.10	4.78	...	4.78	5.94	...	5.94
मांग संख्या 40	Demand40	12.53	...	12.53	13.39	...	13.39	19.93	...	19.93
मांग संख्या 44	Demand44	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
मांग संख्या 45	Demand45	79.40	82.93	162.33	118.40	87.93	206.33	146.70	88.22	234.92
मांग संख्या 46	Demand46	2.85	0.01	2.86	3.98	0.01	3.99	6.83	0.01	6.84
मांग संख्या 47	Demand47	0.08	0.01	0.09	0.08	0.01	0.09	0.08	0.06	0.14
मांग संख्या 48	Demand48	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
मांग संख्या 71	Demand71	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	0.55	...	0.55
मांग संख्या 56	Demand56	1.85	...	1.85	1.85	...	1.85	1.40	...	1.40
मांग संख्या 66	Demand66	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 67	Demand67	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05
मांग संख्या 79	Demand79	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	1.00	...	0.80	0.80
मांग संख्या 80	Demand80	0.88	...	0.88	0.81	...	0.81	0.74	...	0.74
मांग संख्या 83	Demand83	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.40	...	0.40
मांग संख्या 84	Demand84	12.69	...	12.69	9.81	...	9.81	8.40	...	8.40
मांग संख्या 49	Demand49	6.57	...	6.57	6.62	...	6.62	6.62	...	6.62
मांग संख्या 53	Demand53	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14
मांग संख्या 4	Demand4	1.04	...	1.04	0.91	...	0.91	1.37	...	1.37
अन्य देशों के साथ तकनीकी व आर्थिक सहयोग	*3605 Technical and Economic Cooperation with other countries*	...	*187.23*	*187.23*	...	*153.45*	*153.45*	...	*205.12*	*205.12*
मांग संख्या 23	Demand23	...	167.10	167.10	...	133.50	133.50	...	184.62	184.62
मांग संख्या 24	Demand24	...	18.93	18.93	...	18.75	18.75	...	19.30	19.30
मांग संख्या 76	Demand76	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
*संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	*3710 Expenditure of U.T's*	*89.72*	*522.55*	*612.27*	*92.00*	*550.09*	*642.09*	*119.13*	*577.20*	*696.33*
मांग संख्या 94	* Demand94	89.72	522.55	612.27	92.00	550.09	642.09	119.13	577.20	696.33
जोड़- (पूंजी और ऋण)	**TOTAL(CAPITAL AND LOANS)**	18520.10	14367.92	32888.02	19823.74	19546.84	39370.58	19170.08	16653.09	35823.17
पूंजी व्यय	**CAPITAL EXPENDITURE**	5919.82	8203.74	14123.56	6811.70	8567.56	15379.26	5789.10	8810.20	14599.30
क. सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता	**A. CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES**	128.22	7429.44	7557.66	86.53	7502.91	7589.44	125.40	7987.37	8112.77
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	*4046 Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint*	*108.71*	*115.61*	*224.32*	*60.26*	*96.70*	*156.96*	*95.00*	*105.28*	*200.28*
मांग संख्या 26	Demand26	108.71	115.61	224.32	60.26	96.70	156.96	95.00	105.28	200.28

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*4047 Capital Outlay on Other Fiscal Services*	...	*193.26*	*193.26*	...	*160.74*	*160.74*	...	*186.85*	*186.85*
मांग संख्या 25	Demand25	...	35.50	35.50	...	2.98	2.98	...	16.15	16.15
मांग संख्या 36	Demand36	...	157.76	157.76	...	157.76	157.76	...	170.70	170.70
लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	*4058 Capital Outlay on Sationery and Printing*	*3.00*	*3.00*	*6.00*	*3.00*	*3.00*	*6.00*	*2.50*	*3.00*	*5.50*
मांग संख्या 82	Demand82	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	2.50	3.00	5.50
सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	*4059 Capital Outlay on Public Works*	*16.51*	*284.04*	*300.55*	*21.45*	*313.93*	*335.38*	*27.90*	*345.75*	*373.65*
मांग संख्या 15	Demand15	...	4.10	4.10	...	9.06	9.06	...	9.32	9.32
मांग संख्या 23	Demand23	...	28.95	28.95	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00
मांग संख्या 35	Demand35	...	...	...	...	...	...	...	36.53	36.53
मांग संख्या 36	Demand36	...	...	...	...	...	...	...	5.00	5.00
मांग संख्या 41	Demand41	...	15.20	15.20	...	12.70	12.70	...	15.20	15.20
मांग संख्या 43	Demand43	...	141.14	141.14	...	137.52	137.52	...	140.00	140.00
मांग संख्या 64	Demand64	2.79	...	2.79	2.49	...	2.49	2.00	...	2.00
मांग संख्या 81	Demand81	13.72	94.65	108.37	18.96	119.65	138.61	25.90	104.70	130.60
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*4070 Capital Outlay on Other Administrative Services*	...	...	...	*1.82*	...	*1.82*	...	...	...
मांग संख्या 31	Demand31	...	...	...	1.82	...	1.82	...	...	...
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*4075 Capital Outlay on Miscellaneous General Services*	...	*2.40*	*2.40*	...	*-4.70*	*-4.70*	...	*-8.00*	*-8.00*
मांग संख्या 15	Demand15	...	2.40	2.40	...	0.30	0.30	...	2.00	2.00
मांग संख्या 35	Demand35	...	...	...	...	-5.00	-5.00	...	-10.00	-10.00
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*4076 Capital Outlay on Defence Services*	...	*6831.13*	*6831.13*	...	*6933.24*	*6933.24*	...	*7354.49*	*7354.49*
मांग संख्या 21	Demand21	...	6831.13	6831.13	...	6933.24	6933.24	...	7354.49	7354.49
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजी खाता	***B. CAPITAL ACCOUNT OF SOCIAL SERVICES***	***319.32***	***95.30***	***414.62***	***403.95***	***320.76***	***724.71***	***457.95***	***163.27***	***621.22***
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	*4202 Capital Outlay on Education, Sports, Art and Cultiure*	*14.55*	*0.01*	*14.56*	*11.77*	*218.01*	*229.78*	*11.59*	*0.01*	*11.60*
मांग संख्या 46	Demand46	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
मांग संख्या 47	Demand47	1.42	0.01	1.43	2.42	0.01	2.43	2.06	0.01	2.07
मांग संख्या 48	Demand48	...	...	...	...	218.00	218.00	...	...	...
मांग संख्या 81	Demand81	13.11	...	13.11	9.33	...	9.33	9.51	...	9.51
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	*4210 Capital Outlay on Medical and Public Health*	*10.41*	*-6.67*	*3.74*	*13.77*	*-6.67*	*7.10*	*20.40*	*-6.67*	*13.73*
मांग संख्या 39	Demand39	0.80	-6.67	-5.87	0.70	-6.67	-5.97	0.40	-6.67	-6.27
मांग संख्या 81	Demand81	9.61	...	9.61	13.07	...	13.07	20.00	...	20.00
परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	*4211 Capital Outlay on Family Welfare*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*
मांग संख्या 40	Demand40	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजी परिव्यय	*4215 Capital Outlay on Water Supply and Sanitation*	*11.00*	...	*11.00*	*11.00*	...	*11.00*	*12.00*	...	*12.00*
मांग संख्या 80	Demand80	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	12.00	...	12.00
आवास पर पूंजी परिव्यय	*4216 Capital Outlay on Housing*	*105.57*	*100.79*	*206.36*	*105.06*	*108.51*	*213.57*	*111.30*	*167.70*	*279.00*
मांग संख्या 15	Demand15	...	3.01	3.01	...	2.81	2.81	...	6.16	6.16
मांग संख्या 23	Demand23	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00
मांग संख्या 35	Demand35	...	...	...	...	...	...	...	13.00	13.00
मांग संख्या 36	Demand36	...	...	...	...	...	...	...	40.00	40.00
मांग संख्या 41	Demand41	...	2.00	2.00	...	1.75	1.75	...	1.00	1.00
मांग संख्या 43	Demand43	25.00	36.50	61.50	25.00	40.12	65.12	40.00	31.82	71.82
मांग संख्या 80	Demand80	80.57	54.28	134.85	80.06	53.83	133.89	71.30	63.72	135.02
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	*4217 Capital outlay on Urban Development*	*48.00*	...	*48.00*	*48.00*	...	*48.00*	*45.00*	...	*45.00*
मांग संख्या 80	Demand80	48.00	...	48.00	48.00	...	48.00	45.00	...	45.00
सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	*4220 Capital Outlay on Information and Publicity*	*16.56*	...	*16.56*	*11.42*	...	*11.42*	*17.86*	...	*17.86*
मांग संख्या 54	Demand54	16.56	...	16.56	11.42	...	11.42	17.86	...	17.86
प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	*4221 Capital Outlay on Broadcasting*	*17.82*	*1.14*	*18.96*	*17.82*	*0.88*	*18.70*	*38.38*	*2.20*	*40.58*
मांग संख्या 55	Demand55	17.82	1.14	18.96	17.82	0.88	18.70	38.38	2.20	40.58

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	*4225 Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes*	*84.91*	...	*84.91*	*180.67*	...	*180.67*	*183.76*	...	*183.76*
मांग संख्या 84	Demand84	84.91	...	84.91	180.67	...	180.67	183.76	...	183.76
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	*4235 Capital Outlay on Social Security and Walfare*	...	*0.03*	*0.03*	...	*0.03*	*0.03*	*1.00*	*0.03*	*1.03*
मांग संख्या 44	Demand44	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
मांग संख्या 84	Demand84	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*4250 Capital Outlay on Other Social Services*	*10.40*	...	*10.40*	*4.34*	...	*4.34*	*16.56*	...	*16.56*
मांग संख्या 81	Demand81	10.40	...	10.40	4.34	...	4.34	16.56	...	16.56
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	**C. CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES**	**5196.83**	**708.33**	**5905.16**	**6049.24**	**773.16**	**6822.40**	**4924.21**	**688.80**	**5613.01**
(क) कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का पूंजी खाता	*(a)Capital Account of Agriculture and allied activities*	*161.86*	*-4.50*	*157.36*	*313.37*	*-4.50*	*308.87*	*447.35*	*0.24*	*447.59*
कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	*4401 Capital Outlay on Crop Husbandry*	*8.03*	*0.23*	*8.26*	*8.65*	*0.23*	*8.88*	*12.30*	*0.23*	*12.53*
मांग संख्या 1	Demand1	6.93	0.23	7.16	6.93	0.23	7.16	11.20	0.23	11.43
मांग संख्या 6	Demand6	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
मांग संख्या 81	Demand81	1.00	...	1.00	1.62	...	1.62	1.00	...	1.00
भूमि तथा जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय	*4402 Capital Outlay on Soil and Water Conservation*	*1.45*	...	*1.45*	*1.45*	...	*1.45*	*1.46*	...	*1.46*
मांग संख्या 2	Demand2	1.45	...	1.45	1.45	...	1.45	1.46	...	1.46
पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	*4403 Capital Outlay on Animal Husbandry*	*1.70*	...	*1.70*	*3.11*	...	*3.11*	*0.20*	...	*0.20*
मांग संख्या 4	Demand4	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
मांग संख्या 81	Demand81	1.55	...	1.55	2.96	...	2.96	...	...	...
डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	*4404 Capital Outlay on Dairy Development*	*1.94*	...	*1.94*	*2.73*	...	*2.73*	*1.37*	...	*1.37*
मांग संख्या 4	Demand4	1.37	...	1.37	1.97	...	1.97	1.37	...	1.37
मांग संख्या 81	Demand81	0.57	...	0.57	0.76	...	0.76	...	...	...
मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय	*4405 Capital Outlay on Fisheries*	*8.50*	*0.01*	*8.51*	*8.50*	*0.01*	*8.51*	*7.17*	...	*7.17*
मांग संख्या 2	Demand2	7.82	...	7.82	7.82	...	7.82	6.67	...	6.67
मांग संख्या 38	Demand38	0.68	0.01	0.69	0.68	0.01	0.69	0.50	...	0.50
वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	*4406 Capital Outlay on Forestry and Wild Life*	*1.05*	...	*1.05*	*0.95*	...	*0.95*	*1.35*	...	*1.35*
मांग संख्या 22	Demand22	1.05	...	1.05	0.95	...	0.95	1.35	...	1.35
खाद्य, भंडारण और भांडागारण पर पूंजी परिव्यय	*4408 Capital Outlay on Food, storage and Warehousing*	*28.07*	*-4.75*	*23.32*	*26.97*	*-4.75*	*22.22*	*19.10*	...	*19.10*
मांग संख्या 37	Demand37	26.97	-4.75	22.22	26.97	-4.75	22.22	19.10	...	19.10
मांग संख्या 38	Demand38	1.10	...	1.10	...	...	...	...	...	...
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	*4416 Investment in Agricultural Financial Institutions*	*110.00*	...	*110.00*	*261.00*	...	*261.00*	*404.38*	...	*404.38*
मांग संख्या 26	Demand26	110.00	...	110.00	261.00	...	261.00	404.38	...	404.38
सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	*4425 Capital Outlay on Cooperation*	*0.12*	*0.01*	*0.13*	...	*0.01*	*0.01*	*0.02*	*0.01*	*0.03*
मांग संख्या 2	Demand2	0.12	...	0.12	...	...	...	0.02	...	0.02
मांग संख्या 85	Demand85	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	*4435 Capital Outlay on other Agricultural Programmes*	*1.00*	...	*1.00*	*0.01*	...	*0.01*	...	...	...
मांग संख्या 70	Demand70	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	...	...	...
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजी खाता	*(b) Capital Account of Rural Development*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	*4515 Capital Outlay on Other Rural Development Programmes*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ग) विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों का पूंजी खाता	*(c) Capital Account of Spcial Areas Programmes*	*165.09*	...	*165.09*	*186.03*	...	*186.03*	*196.40*	...	*196.40*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए *(In crores of rupees)*

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552 Capital Outlay on North Eastern Areas	165.09	...	165.09	186.03	...	186.03	196.40	...	196.40
मांग संख्या 44	Demand44	165.09	...	165.09	186.03	...	186.03	196.40	...	196.40
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजी खाता	(d) Capital account of Irrigation and Flood Caontrol	6.75	...	6.75	8.15	...	8.15	11.84	...	11.84
वृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4701 Capital outlay on Major and Medium Irrigation	3.65	...	3.65	3.65	...	3.65	3.20	...	3.20
मांग संख्या 83	Demand83	3.65	...	3.65	3.65	...	3.65	3.20	...	3.20
लघु सिंचाई	4702 Minor Irrigation	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
मांग संख्या 83	Demand83	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4711 Capital Outlay on Flood Control Projects	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	5.14	...	5.14
मांग संख्या 83	Demand83	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	5.14	...	5.14
(ङ) ऊर्जा का पूंजी खाता	(e) Capital Account of Energy	1972.45	...	1972.45	1740.37	552.09	2292.46	1322.19	0.01	1322.20
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801 Capital Outlay on Power Projects	1742.85	...	1742.85	1514.40	...	1514.40	1293.85	...	1293.85
मांग संख्या 10	Demand10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 69	Demand69	1542.85	...	1542.85	1314.40	...	1314.40	993.85	...	993.85
मांग संख्या 86	Demand86	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802 Capital Outlay on Petroleum	3.90	...	3.90	0.27	552.08	552.35	4.29	...	4.29
मांग संख्या 65	Demand65	3.90	...	3.90	0.27	552.08	552.35	4.29	...	4.29
कोयले और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	4803 Capital outlay on Coal and Lignite	211.52	...	211.52	211.52	0.01	211.53	...	0.01	0.01
मांग संख्या 10	Demand10	211.52	...	211.52	211.52	0.01	211.53	...	0.01	0.01
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों पर पूंजी परिव्यय	4810 Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy	14.18	...	14.18	14.18	...	14.18	24.05	...	24.05
मांग संख्या 62	Demand62	14.18	...	14.18	14.18	...	14.18	24.05	...	24.05
(च) उद्योग और खनिज का पूंजी खाता	(f) Capital Account of Industry and Minerals	551.31	313.92	865.23	502.84	300.79	803.63	489.71	316.57	806.28
ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851 Capital Outlay on Village and Small Industries	23.43	...	23.43	23.43	...	23.43	20.92	...	20.92
मांग संख्या 53	Demand53	12.31	...	12.31	12.31	...	12.31	14.20	...	14.20
मांग संख्या 79	Demand79	11.12	...	11.12	11.12	...	11.12	6.72	...	6.72
लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4852 Capital outly on Iron & Steel Industries	1.97	...	1.97	1.97	...	1.97	3.97	...	3.97
मांग संख्या 75	Demand75	1.97	...	1.97	1.97	...	1.97	3.97	...	3.97
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4853 Capital Outlay on Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries	27.73	3.00	30.73	27.73	3.00	30.73	9.72	0.01	9.73
मांग संख्या 61	Demand61	27.73	...	27.73	27.73	...	27.73	9.72	...	9.72
मांग संख्या 15	Demand15	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	0.01	0.01
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4854 Capital outly on cement and Non-metallic Mineral Industries	12.75	...	12.75	12.75	...	12.75	62.25	...	62.25
मांग संख्या 51	Demand51	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	61.00	...	61.00
मांग संख्या 50	Demand50	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	1.25	...	1.25
उर्वरक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4855 Capital Outlay on Fertilizer Industries	57.00	...	57.00	59.00	...	59.00	54.50	...	54.50
मांग संख्या 6	Demand6	57.00	...	57.00	59.00	...	59.00	54.50	...	54.50
रसायन उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4857 Capital Outlay on Chemical Industries	4.06	...	4.06	4.06	...	4.06	4.32	...	4.32
मांग संख्या 5	Demand5	4.06	...	4.06	4.06	...	4.06	4.32	...	4.32
इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4858 Capital Outlay on Engineering Industries	33.47	12.01	45.48	41.25	12.01	53.26	50.88	0.02	50.90
मांग संख्या 15	Demand15	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	0.01	0.01
मांग संख्या 51	Demand51	26.46	...	26.46	34.24	...	34.24	38.38	...	38.38
मांग संख्या 78	Demand78	7.01	0.01	7.02	7.01	0.01	7.02	12.50	0.01	12.51

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
दूर संचार और इलैक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4859 Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries*	*28.02*	...	*28.02*	*28.02*	...	*28.02*	*26.66*	...	*26.66*
माग संख्या 73	Demand73	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	4.27	...	4.27
माग संख्या 85	Demand85	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
माग संख्या 87	Demand87	24.77	...	24.77	24.77	...	24.77	21.39	...	21.39
उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4860 Capital Outlay on consumer Industries*	*61.87*	*0.01*	*61.88*	*61.87*	*7.01*	*68.88*	*17.72*	*0.02*	*17.74*
माग संख्या 38	Demand38	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
माग संख्या 51	Demand51	45.37	...	45.37	45.37	...	45.37	12.72	...	12.72
माग संख्या 79	Demand79	16.00	0.01	16.01	16.00	7.01	23.01	3.00	0.02	3.02
परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4861 Capital Outlay on Atomic Energy Industries*	*198.00*	*295.42*	*493.42*	*143.73*	*275.30*	*419.03*	*176.00*	*311.15*	*487.15*
माग संख्या 85	Demand85	198.00	295.42	493.42	143.73	275.30	419.03	176.00	311.15	487.15
अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4875 Capital Outlay on Other Industries*	*0.50*	*3.47*	*3.97*	*0.50*	*3.46*	*3.96*	*0.50*	*5.36*	*5.86*
माग संख्या 34	Demand34	...	3.47	3.47	...	3.46	3.46	...	5.36	5.36
माग संख्या 81	Demand81									
माग संख्या 84	Demand84	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय	*4885 Capital Outlay on Industries and Minerals*	*102.51*	*0.01*	*102.52*	*98.53*	*0.01*	*98.54*	*62.27*	*0.01*	*62.28*
माग संख्या 26	Demand26	99.00	0.01	99.01	95.91	0.01	95.92	59.67	0.01	59.68
माग संख्या 51	Demand51	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.10	...	0.10
माग संख्या 81	Demand81	3.40	...	3.40	2.51	...	2.51	2.50	...	2.50
(छ) परिवहन का पूंजी खाता	*(g) Capital Account of Transport*	*1903.69*	*329.16*	*2232.85*	*1897.16*	*280.88*	*2178.04*	*2017.64*	*293.57*	*2311.21*
रेलवे पर पूंजी परिव्यय	*5002 Capital Outlay on Railways*	*1150.00*	...	*1150.00*	*1150.00*	...	*1150.00*	*1150.00*	...	*1150.00*
माग संख्या 100	Demand100	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00
पत्तनों और दीपस्तंभों पर पूंजी परिव्यय	*5051 Capital Outlay on Ports & Light Houyses*	*35.40*	*-15.00*	*20.40*	*35.40*	*-15.00*	*20.40*	*36.30*	*-15.00*	*21.30*
माग संख्या 78	Demand78	35.40	-15.00	20.40	35.40	-15.00	20.40	36.30	-15.00	21.30
नौवहन पर पूंजी परिव्यय	*5052 Capital Outlay on Shipping*	*44.90*	*1.00*	*45.90*	*41.01*	*1.00*	*42.01*	*41.00*	...	*41.00*
माग संख्या 26	Demand26	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	...	...
माग संख्या 78	Demand78	38.40	...	38.40	38.40	...	38.40	34.00	...	34.00
माग संख्या 81	Demand81	6.50	...	6.50	2.61	...	2.61	7.00	...	7.00
नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	*5053 Capital Outlay on Civil Aviation*	*12.21*	...	*12.21*	*11.01*	...	*11.01*	*31.15*	...	*31.15*
माग संख्या 7	Demand7	12.21	...	12.21	11.01	...	11.01	31.15	...	31.15
सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	*5054 Capital Outlay on Roads and Bridges*	*635.43*	*344.28*	*979.71*	*635.43*	*296.00*	*931.43*	*738.89*	*309.59*	*1048.48*
माग संख्या 43	Demand43	...	230.18	230.18	...	200.28	200.28	...	203.59	203.59
माग संख्या 77	Demand77	635.43	114.10	749.53	635.43	95.72	731.15	738.89	106.00	844.89
अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजी परिव्यय	*5056 Capital Outlay on Inland Water Transport*	*6.75*	...	*6.75*	*6.75*	...	*6.75*	*6.30*	...	*6.30*
माग संख्या 76	Demand76	6.75	...	6.75	6.75	...	6.75	6.30	...	6.30
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*5075 Capital Outlay on Other Transport Services*	*19.00*	*-1.12*	*17.88*	*17.56*	*-1.12*	*16.44*	*14.00*	*-1.02*	*12.98*
माग संख्या 78	Demand78	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
माग संख्या 83	Demand83	14.00	-1.12	12.88	12.56	-1.12	11.44	14.00	-1.02	12.98
(ज) संचार का पूंजी खाता	*(h) Capital Account of Communications*	*61.65*	*-8.00*	*53.65*	*79.99*	*-8.00*	*71.99*	*73.64*	*-4.00*	*69.64*
डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*5201 Capital Outlay on Postal Services*	*55.86*	*-8.00*	*47.86*	*73.88*	*-8.00*	*65.88*	*67.87*	*-4.00*	*63.87*
माग संख्या 13	Demand13	55.86	-8.00	47.86	73.88	-8.00	65.88	67.87	-4.00	63.87
उपग्रह प्रणाली पर पूंजी परिव्यय	*5252 Capital Outlay on Satelite system*	*5.79*	...	*5.79*	*6.11*	...	*6.11*	*5.77*	...	*5.77*
माग संख्या 89	Demand89	5.79	...	5.79	6.11	...	6.11	5.77	...	5.77
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजी खाता	*(i) Capital Account of Science Technology and Environment*	*223.26*	*1.19*	*224.45*	*234.93*	*1.20*	*236.13*	*209.71*	*0.70*	*210.41*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401 Capital Outlay on Atomic Energy Research	*77.53*	*-0.01*	*77.52*	*102.04*	...	*102.04*	*109.53*	...	*109.53*
मांग संख्या 85	Demand85	77.53	-0.01	77.52	102.04	...	102.04	109.53	...	109.53
अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402 Capital Outlay on Space Research	*116.42*	...	*116.42*	*107.71*	...	*107.71*	*73.84*	...	*73.84*
मांग संख्या 89	Demand89	116.42	...	116.42	107.71	...	107.71	73.84	...	73.84
समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधानों पर पूंजी परिव्यय	5403 Capital Outlay on Oceanographic Research	*10.70*	...	*10.70*	*5.30*	...	*5.30*	*9.25*	...	*9.25*
मांग संख्या 88	Demand88	10.70	...	10.70	5.30	...	5.30	9.25	...	9.25
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425 Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	*18.61*	*1.20*	*19.81*	*19.88*	*1.20*	*21.08*	*17.09*	*0.70*	*17.79*
मांग संख्या 22	Demand22	6.26	...	6.26	6.36	...	6.36	5.76	...	5.76
मांग संख्या 72	Demand72	7.05	1.20	8.25	6.32	1.20	7.52	7.33	0.70	8.03
मांग संख्या 73	Demand73	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.30	...	0.30
मांग संख्या 74	Demand74	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	...	...	...
मांग संख्या 81	Demand81	3.70	...	3.70	5.60	...	5.60	3.70	...	3.70
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता	(j) Capital Acclunt of General Economic Services	*150.77*	*76.56*	*227.33*	*1086.40*	*-349.30*	*737.10*	*155.73*	*81.71*	*237.44*
पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452 Capital Outlay on Tourism	*15.41*	...	*15.41*	*15.41*	...	*15.41*	*16.35*	...	*16.35*
मांग संख्या 8	Demand8	15.41	...	15.41	15.41	...	15.41	16.35	...	16.35
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	5453 Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion	*74.30*	...	*74.30*	*74.30*	...	*74.30*	*74.50*	...	*74.50*
मांग संख्या 11	Demand11	74.30	...	74.30	74.30	...	74.30	74.50	...	74.50
मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455 Capital Outlay on Meteorology	*31.10*	*0.52*	*31.62*	*31.90*	*0.52*	*32.42*	*31.65*	*0.54*	*32.19*
मांग संख्या 72	Demand72	26.95	0.52	27.47	25.95	0.52	26.47	27.40	0.54	27.94
मांग संख्या 81	Demand81	4.15	...	4.15	5.95	...	5.95	4.25	...	4.25
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465 Investments in General Financial and Trading Institutions	*4.00*	...	*4.00*	*929.83*	*-425.43*	*504.40*	*2.00*	...	*2.00*
मांग संख्या 26	Demand26	4.00	...	4.00	929.83	-425.43	504.40	2.00	...	2.00
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466 Investiments in International Financial Institutions	...	*76.03*	*76.03*	...	*75.60*	*75.60*	...	*81.16*	*81.16*
मांग संख्या 26	Demand26	...	76.03	76.03	...	75.60	75.60	...	81.16	81.16
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475 Capital Outlay on Other General Economic Services	*25.96*	*0.01*	*25.97*	*34.96*	*0.01*	*34.97*	*31.23*	*0.01*	*31.24*
मांग संख्या 9	Demand9	1.18	...	1.18	1.18	...	1.18	0.76	...	0.76
मांग संख्या 60	Demand60	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 66	Demand66	21.20	...	21.20	30.20	...	30.20	24.70	...	24.70
मांग संख्या 67	Demand67	3.58	...	3.58	3.58	...	3.58	5.77	...	5.77
संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	5710 Expenditure of U.T's	*275.45*	*-29.33*	*246.12*	*271.98*	*-29.27*	*242.71*	*281.54*	*-29.24*	*252.30*
मांग संख्या 94	Demand94	275.45	-29.33	246.12	271.98	-29.27	242.71	281.54	-29.24	252.30
ङ-ऋण और अग्रिम	**E-LOANS AND ADVANCES**	**12600.28**	**6164.18**	**18764.46**	**13012.04**	**10979.28**	**23991.32**	**13380.98**	**7842.89**	**21223.87**
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	**LOANS FOR SOCIAL SERVICES**	**3.55**	**7.52**	**11.07**	**55.06**	**31.52**	**86.58**	**4.05**	**7.52**	**11.57**
शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण	6202 Loans for Education, Sports, Art and Culture	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 46	Demand46	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के लिये ऋण	6210 Loans for Medical and Public Health	...	...	...	...	*24.00*	*24.00*	...	...	...
मांग संख्या 39	Demand39	...	...	...	...	24.00	24.00	...	...	...
परिवार कल्याण के लिये ऋण	6211 Loans for Family Welfare	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*
मांग संख्या 40	Demand40	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जल आपूर्ति और सफाई के लिए ऋण	6215 Loans for water supply and sanitation	*1.00*	...	*1.00*	*50.00*	...	*50.00*	*2.50*	...	*2.50*
मांग संख्या 80	Demand80	1.00	...	1.00	50.00	...	50.00	2.50	...	2.50

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
आवास के लिये ऋण	*6216 Loans for Housing*	*1.00*	*7.50*	*8.50*	*3.51*	*7.50*	*11.01*	...	*7.50*	*7.50*
मांग संख्या 80	Demand80	1.00	7.50	8.50	3.51	7.50	11.01	...	7.50	7.50
सूचना और प्रचार के लिए ऋण	*6220 Loans Information and Publicity*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*
मांग संख्या 54	Demand54	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	*6235 Loans for Social Security and Welfare*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
मांग संख्या 44	Demand44	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	**LOANS FOR ECONOMIC SERVICES**	**4029.00**	**676.33**	**4705.33**	**4037.14**	**966.83**	**5003.97**	**4164.18**	**496.59**	**4660.77**
कृषि और सवद्ध क्रिया कलापों के लिए ऋण	*Loans For Agriculture and allied activities*	*438.66*	...	*438.66*	*558.78*	...	*558.78*	*577.37*	*1.00*	*578.37*
कृषि कार्य के लिए ऋण	*6401 Loans for Crop Husbandry*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
मांग संख्या 1	Demand1	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
डेरी विकास के लिये ऋण	*6404 Loans for Dairy Development*	*175.00*	...	*175.00*	*175.00*	...	*175.00*	*194.00*	...	*194.00*
मांग संख्या 4	Demand4	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	194.00	...	194.00
बागानों के लिये ऋण	*6407 Loans for Plantations*	*14.40*	...	*14.40*	*14.40*	...	*14.40*	*12.00*	...	*12.00*
मांग संख्या 11	Demand11	14.40	...	14.40	14.40	...	14.40	12.00	...	12.00
खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण के लिए ऋण	*6408 Loans for Food Storage and Warehousing*	*3.50*	...	*3.50*	*4.60*	...	*4.60*	*6.50*	...	*6.50*
मांग संख्या 38	Demand38	3.50	...	3.50	4.60	...	4.60	6.50	...	6.50
कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण	*6416 Loans to Agricultural Financial Institutions*	*30.00*	...	*30.00*	*75.00*	...	*75.00*	*67.86*	*1.00*	*68.86*
मांग संख्या 26	Demand26	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00	67.86	1.00	68.86
सहकारिता के लिये ऋण	*6425 Loans for Cooperation*	*215.75*	...	*215.75*	*289.77*	...	*289.77*	*297.00*	...	*297.00*
मांग संख्या 2	Demand2	215.75	...	215.75	289.77	...	289.77	297.00	...	297.00
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिये ऋण	*Loans for Special Area Programme*	*0.50*	...	*0.50*	...	*6.89*	*6.89*	*1.50*	...	*1.50*
वृहत और मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	*6701 Loans for Major & Medium Irrigation*	...	...	...	...	*6.89*	*6.89*	*1.00*	...	*1.00*
मांग संख्या 83	Demand83	...	...	...	...	6.89	6.89	1.00	...	1.00
कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये ऋण	*6705 Loans for Command Area Development*	*0.50*	...	*0.50*	...	...	...	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 83	Demand83	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
ऊर्जा के लिये ऋण	*Loans for Energy*	*2221.55*	...	*2221.55*	*2102.70*	...	*2102.70*	*2428.17*	...	*2428.17*
विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण	*6801 Loans for Power Projects*	*1767.79*	...	*1767.79*	*1651.04*	...	*1651.04*	*2011.49*	...	*2011.49*
मांग संख्या 69	Demand69	1577.59	...	1577.59	1486.55	...	1486.55	1821.99	...	1821.99
मांग संख्या 28	Demand28	160.00	...	160.00	164.49	...	164.49	175.00	...	175.00
मांग संख्या 10	Demand10	30.20	...	30.20	...	...	...	14.50	...	14.50
पेट्रोलियम के लिये ऋण	*6802 Loans for Petroleum*	*132.00*	...	*132.00*	*132.00*	...	*132.00*	...	...	...
मांग संख्या 65	Demand65	132.00	...	132.00	132.00	...	132.00	...	...	...
कोयले और लिग्नाइट के लिये ऋण	*6803 Loans for Coal and Lignite*	*321.76*	...	*321.76*	*296.66*	...	*296.66*	*416.68*	...	*416.68*
मांग संख्या 10	Demand10	321.76	...	321.76	296.66	...	296.66	416.68	...	416.68
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के लिए ऋण	*6810 Loans for Non-Conventional Sources of Energy*	...	...	...	*23.00*	...	*23.00*	...	...	...
मांग संख्या 62	Demand62	...	...	...	23.00	...	23.00	...	...	...
उद्योग और खनिजों के लिये ऋण	*Loans for Industry & Minerals*	*1210.22*	*655.10*	*1865.32*	*1235.59*	*905.71*	*2141.30*	*960.02*	*445.42*	*1405.44*
ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये ऋण	*6851 Loans for Village and Small Industries*	*87.40*	*264.73*	*352.13*	*87.40*	*264.67*	*352.07*	*48.40*	*246.66*	*295.06*
मांग संख्या 53	Demand53	85.00	264.18	349.18	85.00	264.12	349.12	45.00	246.11	291.11
मांग संख्या 79	Demand79	2.40	0.55	2.95	2.40	0.55	2.95	3.40	0.55	3.95
लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए ऋण	*6852 Loans for Iron and Steel Industies*	*323.03*	*25.00*	*348.03*	*323.03*	*22.00*	*345.03*	*280.53*	*5.02*	*285.55*
मांग संख्या 75	Demand75	323.03	25.00	348.03	323.03	22.00	345.03	280.53	5.02	285.55
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण	*6853 Loans for Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries*	*6.00*	*17.00*	*23.00*	*6.00*	*17.00*	*23.00*	*14.00*	*5.25*	*19.25*
मांग संख्या 61	Demand61	6.00	14.00	20.00	6.00	14.00	20.00	14.00	5.25	19.25
मांग संख्या 15	Demand15	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	...	...

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं अनुबन्ध
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योगों के लिये ऋण	*6854 Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries*	*12.50*	...	*12.50*	*12.50*	...	*12.50*	*1.00*	...	*1.00*
माग संख्या 51	Demand51	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	1.00	...	1.00
उर्वरक उद्योगों के लिये ऋण	*6855 Loans for Fertilizer Industries*	*115.00*	*103.25*	*218.25*	*115.00*	*213.00*	*328.00*	*138.50*	*52.00*	*190.50*
माग संख्या 6	Demand6	115.00	103.25	218.25	115.00	213.00	328.00	138.50	52.00	190.50
रसायन उद्योगों के लिये ऋण	*6857 Loans for Chemicals Industries*	*9.05*	*23.48*	*32.53*	*9.05*	*31.29*	*40.34*	*9.31*	*10.61*	*19.92*
माग संख्या 5	Demand5	9.05	23.48	32.53	9.05	31.29	40.34	9.31	10.61	19.92
इंजीनियरी उद्योगों के लिये ऋण	*6858 Loans for Engineering Industries*	*33.59*	*114.01*	*147.60*	*41.36*	*127.95*	*169.31*	*57.00*	*59.11*	*116.11*
माग संख्या 15	Demand15	...	42.00	42.00	...	7.00	7.00	...	...	...
माग संख्या 51	Demand51	26.58	56.01	82.59	34.35	101.95	136.30	38.50	57.11	95.61
माग संख्या 78	Demand78	7.01	16.00	23.01	7.01	19.00	26.01	18.50	2.00	20.50
दूरसंचार और इलैक्ट्रानिकी उद्योगों के लिये ऋण	*6859 Loans for Tele-communication and Electronic Industries*	*3.26*	*10.00*	*13.26*	*3.26*	*2.67*	*5.93*	*5.27*	...	*5.27*
माग संख्या 15	Demand15	...	10.00	10.00	...	...	...	...	...	...
माग संख्या 73	Demand73	2.25	...	2.25	2.25	2.67	4.92	4.27	...	4.27
माग संख्या 85	Demand85	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
माग संख्या 87	Demand87	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऋण	*6860 Loans for Consumer Industries*	*6.92*	*52.15*	*59.07*	*6.92*	*186.65*	*193.57*	*12.75*	*31.29*	*44.04*
माग संख्या 38	Demand38	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
माग संख्या 50	Demand50	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
माग संख्या 51	Demand51	5.42	12.78	18.20	5.42	20.28	25.70	12.75	17.89	30.64
माग संख्या 79	Demand79	...	39.32	39.32	...	166.32	166.32	...	13.35	13.35
परमाणु ऊर्जा उद्योगों के लिए ऋण	*6875 Loans for other Industries*	...	*0.41*	*0.41*	...	*0.41*	*0.41*	...	*0.41*	*0.41*
माग संख्या 84	Demand84	...	0.41	0.41	...	0.41	0.41	...	0.41	0.41
अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये ऋण	*6885 Loans for other Industries and Minerals*	*613.47*	*45.07*	*658.54*	*631.07*	*40.07*	*671.14*	*393.26*	*35.07*	*428.33*
माग संख्या 24	Demand24	...	45.00	45.00	...	40.00	40.00	...	35.00	35.00
माग संख्या 26	Demand26	613.35	...	613.35	630.95	...	630.95	393.16	...	393.16
माग संख्या 50	Demand50	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
माग संख्या 51	Demand51	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.10	...	0.10
परिवहन के लिये ऋण	*Loans for Transport*	*157.00*	*20.02*	*177.02*	*139.00*	*34.02*	*173.02*	*195.88*	*20.02*	*215.90*
पत्तनों और दीप स्तम्भों के लिये ऋण	*7051 Loans for Ports and Light Houses*	*103.50*	...	*103.50*	*95.50*	...	*95.50*	*123.65*	...	*123.65*
माग संख्या 78	Demand78	103.50	...	103.50	95.50	...	95.50	123.65	...	123.65
नौवहन के लिये ऋण	*7052 Loans for Shipping*	*28.00*	...	*28.00*	*28.00*	...	*28.00*	*27.99*	...	*27.99*
माग संख्या 24	Demand24	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.99	...	0.99
माग संख्या 78	Demand78	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00
नागर विमानन के लिये ऋण	*7053 Loans for Civil Aviation*	*5.50*	...	*5.50*	*5.50*	...	*5.50*	*21.94*	...	*21.94*
माग संख्या 7	Demand7	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	21.94	...	21.94
सड़क परिवहन के लिये ऋण	*7055 Loans for Road Transport*	*13.25*	*14.00*	*27.25*	*3.25*	*24.00*	*27.25*	*16.00*	*14.00*	*30.00*
माग संख्या 76	Demand76	13.25	14.00	27.25	3.25	24.00	27.25	16.00	14.00	30.00
अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये ऋण	*7056 Loans for Inland Water Transport*	*6.75*	*6.00*	*12.75*	*6.75*	*10.00*	*16.75*	*6.30*	*6.00*	*12.30*
माग संख्या 76	Demand76	6.75	6.00	12.75	6.75	10.00	16.75	6.30	6.00	12.30
अन्य परिवहन सेवाओं के लिये ऋण	*7075 Loans for Other Transport Services*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
माग संख्या 77	Demand77	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिये ऋण	*Loans for Science, Technology and Environment*	*0.59*	...	*0.59*	*0.59*	...	*0.59*	*0.28*	...	*0.28*
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिये ऋण	*7425 Loans for Other Scientific Research*	*0.59*	...	*0.59*	*0.59*	...	*0.59*	*0.28*	...	*0.28*
माग संख्या 73	Demand73	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
माग संख्या 87	Demand87	0.44	...	0.44	0.44	...	0.44	0.13	...	0.13
सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	*Loans for General Economic Services*	*0.48*	*1.21*	*1.69*	*0.48*	*20.21*	*20.69*	*0.96*	*30.15*	*31.11*
पर्यटन के लिये ऋण	*7452 Loans for Tourism*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*
माग संख्या 8	Demand8	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए ऋण	*7453 Loans for Foreign Trade Export Promotion*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*
मांग संख्या 23	Demand23	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	*7475 Loans for Other General Economic Services*	*0.38*	*1.20*	*1.58*	*0.38*	*20.20*	*20.58*	*0.86*	*30.14*	*31.00*
मांग संख्या 66	Demand66	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.70	...	0.70
मांग संख्या 9	Demand9	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.16	...	0.16
मांग संख्या 85	Demand85	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.14	0.14
मांग संख्या 24	Demand24	...	1.00	1.00	...	20.00	20.00	...	30.00	30.00
अन्य ऋण	**OTHER LOANS**	**8564.40**	**5479.68**	**14044.08**	**8915.32**	**9980.28**	**18895.60**	**9207.82**	**7338.13**	**16545.95**
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	*7601 Loans and Advances to State Governments*	*8449.26*	*5054.13*	*13503.39*	*8709.22*	*9371.48*	*18080.70*	*8979.93*	*6751.29*	*15731.22*
मांग संख्या 1	Demand1	37.95	...	37.95	36.13	...	36.13	38.00	...	38.00
मांग संख्या 2	Demand2	56.67	...	56.67	55.93	...	55.93	62.93	...	62.93
मांग संख्या 15	Demand15	...	6.61	6.61	...	6.61	6.61	...	6.00	6.00
मांग संख्या 69	Demand69	4.00	...	4.00	15.00	...	15.00	3.30	...	3.30
मांग संख्या 28	Demand28	8277.43	5000.00	13277.43	8527.63	9303.00	17830.63	8787.91	6700.00	15487.91
मांग संख्या 9	Demand9	6.01	...	6.01	6.01	...	6.01	7.01	...	7.01
मांग संख्या 39	Demand39	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
मांग संख्या 43	Demand43	...	29.00	29.00	...	33.60	33.60	...	35.00	35.00
मांग संख्या 44	Demand44	8.13	1.65	9.78	9.45	1.65	11.10	7.90	0.27	8.17
मांग संख्या 46	Demand46	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85	...	1.00	1.00
मांग संख्या 53	Demand53	0.95	...	0.95	0.95	...	0.95	0.35	...	0.35
मांग संख्या 64	Demand64	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
मांग संख्या 76	Demand76	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.75	...	0.75
मांग संख्या 77	Demand77	3.01	5.00	8.01	3.01	4.75	7.76	12.00	...	12.00
मांग संख्या 79	Demand79	3.00	...	3.00	3.00	10.00	13.00	...	...	...
मांग संख्या 80	Demand80	22.91	...	22.91	22.91	...	22.91	32.78	...	32.78
मांग संख्या 83	Demand83	29.00	3.00	32.00	29.00	3.00	32.00	27.00	3.00	30.00
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	*7602 Loans and Advances to Union Territory Governments*	*115.14*	*173.78*	*288.92*	*206.10*	*367.78*	*573.88*	*227.89*	*321.78*	*549.67*
मांग संख्या 2	Demand2	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
मांग संख्या 45	Demand45	114.89	21.78	136.67	205.89	21.78	227.67	227.59	21.78	249.37
मांग संख्या 53	Demand53	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03
मांग संख्या 80	Demand80	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.20	...	0.20
मांग संख्या 1	Demand1	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
मांग संख्या 28	Demand28	...	152.00	152.00	...	346.00	346.00	...	300.00	300.00
विदेशी सरकारों को अग्रिम	*7605 Advances to Foreign Governments*	...	*88.52*	*88.52*	...	*77.39*	*77.39*	...	*100.03*	*100.03*
मांग संख्या 23	Demand23	...	10.02	10.02	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
मांग संख्या 24	Demand24	...	78.50	78.50	...	77.36	77.36	...	100.00	100.00
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण	*7610 Loans to Government Servants etc.*	...	*161.00*	*161.00*	...	*161.00*	*161.00*	...	*162.00*	*162.00*
मांग संख्या 29	Demand29	...	161.00	161.00	...	161.00	161.00	...	162.00	162.00
विविध ऋण	7615 Miscellaneous Loans	...	2.25	2.25	...	2.63	2.63	...	3.03	3.03
मांग संख्या 15	Demand15	...	2.24	2.24	...	2.52	2.52	...	3.02	3.02
मांग संख्या 23	Demand23	...	0.01	0.01	...	0.11	0.11	...	0.01	0.01
संघ राज्य क्षेत्रों का ऋण	*7710 Loan's of U.T's*	*3.33*	*0.65*	*3.98*	*4.52*	*0.65*	*5.17*	*4.93*	*0.65*	*5.58*
मांग संख्या 94	* Demand94	3.33	0.65	3.98	4.52	0.65	5.17	4.93	0.65	5.58

* अग्रणी 'मुख्य शीर्ष' के अतर्गत आने वाली सख्याएं 3710, 5710 और 7710 कम्प्यूटर की कोड संख्याएं हैं ।

* The numbers 3710, 5710 and 7710 appearing under the heading 'Major Head' are Computer Code Numbers.

वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगों और अनुबन्ध 1 में दर्शाए गए व्यय के बीच मिलान
RECONCILIATION BETWEEN EXPENDITURE SHOWN IN DEMANDS FOR GRANTS, ANNUAL FINANCIAL STATEMENT AND ANNEXURE 1

अनुबन्ध ANNEXURE-2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. अनुदानों की मांगों में दर्शाया गया सकल राजस्व व्यय	**A. GROSS REVENUE EXPENDITURE as shown in Demands for Grants**	136520.51	162456.87	177883.82
घटाइए - अनुदानों की मांगों में दर्शायी गई वसूलियां	*Less- Recoveries as shown in Demand for Grants*	*-2566.62*	*-4106.31*	*-4126.30*
जोड़िए - रेलवे व्यय	*Add - Railway Expenditure*	*18363.29*	*20348.19*	*22370.05*
वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया गया राजस्व व्यय	**Revenue Expenditure as shown in Annual Financial Statement**	152317.18	178698.75	196127.57
राजस्व में से घटा कर राज्यों का संघ उत्पाद शुल्क में भाग	States' share of Union Excise Duties taken in reduction of revenues	-14472.55	-16282.91	-19654.58
रेलवे बजट में शामिल किए गए रेलवे के राजस्व व्यय	Revenue expenditure of Railways included in the Railway Budget	-18363.29	-20348.19	-22370.05
व्यय में से घटा कर दूर संचार की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Telecommunications taken in reduction of expenditure	-6094.87	-7698.00	-8876.00
व्यय में से घटाकर डाक की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Posts taken in reduction of expenditure	-1105.17	-1185.00	-1315.00
व्यय में से घटा कर अन्य वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	Receipts of other commercial departments taken in reduction of expenditure	-3091.95	-3728.97	-4360.44
व्यय में से घटा कर रक्षा प्राप्तियां	Defence receipts taken in reduction of expenditure	-967.39	-966.78	-1069.01
विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों के संबंध में हुई मुद्रा-क्षति हेतु अंशदान	Contribution for exchange loss on FC(NR) Account	0.00	-5587.00	-2154.00
बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व तथा व्यय में से घटा कर स्थानीय निकायों को राजस्व का आवंटन	Assignment of revenues to local bodies taken in reduction of revenues and expenditure of Union Territories without Legislature	-52.75	-0.14	-0.14
अनुबन्ध - 1 में कुल राजस्व व्यय	**TOTAL REVENUE EXPENDITURE in Annexure 1**	108169.21	122901.76	136328.35
ख. अनुदानों की मांगों में दर्शाया गया सकल पूंजी व्यय	**B. GROSS CAPITAL EXPENDITURE as shown in Demands for Grants**	164989.56	221510.57	230537.84
घटाइए - अनुदानों की मांगों में दर्शायी गई वसूलियां	*Less-Recoveries as shown in Demand for Grants*	*-1488.60*	*-8970.55*	*-8281.39*
जोड़िए - रेलवे व्यय	*Add-Railway Expenditure*	*974.47*	*1150.00*	*1150.00*
वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया गया पूंजी व्यय	**Capital Expenditure as shown in Annual Financial Statement**	164475.43	213690.02	223406.45
प्राप्तियों में से घटाकर लोक ऋण की वापसी अदायगी	Repayment of Public debt taken in reduction of receipts	-117951.31	-168813.31	-184928.28
प्राप्तियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां	Securities issued to International Monetary Fund matched by receipts	- 5697.90	-12.59	-673.00
प्राप्तियों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश	Investments in nationalised banks matched by receipts	-5722.77	-4362.54	-850.00
प्राप्तियों के अनुसार इकट्ठी की गई अल्प बचत की धन राशि पर राज्य सरकारों को ऋण	Ways and means and short term Loans to States matched by recoveries	-1278.39	-1000.00	-1000.00
सरकारी सेवकों आदि को उधारों की वसूलियां वितरणों को घटाकर	Recoveries of Loans from Government servants etc. netted against disbursements	-141.43	-131.00	-132.00
अनुबन्ध 1 में कुल पूंजी व्यय	**TOTAL CAPITAL EXPENDITURE in Annexure 1**	33683.63	39370.58	35823.17
अनुदानों की मांगों में कुल सकल व्यय	**TOTAL GROSS EXPENDITURE in Demand for Grants**	301510.07	383967.44	408421.66
वार्षिक वित्तीय विवरण में कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE in Annual Financial Statement**	316792.61	392388.77	419534.02
अनुबन्ध 1 में कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE in Annexure 1**	141852.84	162272.34	172151.52

खर्च की प्रवृत्तियां
TRENDS IN EXPENDITURE

अनुबन्ध
ANNEXURE-3

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क आयोजना-भिन्न व्यय	**A. Non-Plan Expenditure**	**39920**	**44052**	**52960**	**65388**	**76933**	**80453**	**85958**	**98998**	**113511**	**123651**
1. ब्याज संबंधी अदायगियां	1. Interest Payments	9246	11251	14278	17757	21498	26596	31075	36695	44000	52000
2. रक्षा व्यय••	2. Defence Expenditure**	10477	11968	13341	14416	15426	16347	17582	21845	23544	25500
3. आर्थिक सहायता	3. Subsidies	5451	5980	7732	10474	12158	12253	11995	12864	12810	12401
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान•••	4. Grants to States & U.T. Govts.**	1714	1789	2186	2143	3982	3921	2645	2271	2327	6016
5. विदेशी सरकारों को अनुदान	5. Grants to Foreign Govts.	114	139	124	120	139	147	132	155	153	205
6. अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (ब्यौरा अनुबंध 3.2 में)	6. Other Non-Plan Expenditure	6491	7782	8386	10693	11310	11692	13709	15726	17514	17653
7. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय@#	7. Non-Plan Capital Expenditure@#	380	667	788	1091	947	782	1785	1469	1664	1485
8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण तथा. अग्रिम@@	8. Loans & Advances to State & U.T.Govts.@@	3722	3134	4293	5793	7606	5532	4728	4985	9739	7073
9. विदेशी सरकारों को ऋण	9. Loans to Foreign Govts.	374	136	82	776	1719	1135	268	47	77	100
10. अन्य ऋण	10. Other Loans	1395	769	1025	1260	1162	874	740	1684	1162	669
11. बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का योजना भिन्न व्यय	11. Non-Plan Expenditure of UTswithout Legislature	556	437	725	865	986	1174	1299	1257	521	549
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	449	465	724	849	934	1166	1260	1162	550	578
पूंजी खाते पर	On Capital Account	107	-28	1	16	52	8	39	95	-29	-29
ख आयोजना व्यय	**B. Plan Expenditure**	**22996**	**24209**	**26151**	**27520**	**28365**	**30961**	**36660**	**44655**	**48761**	**48500**
राजस्व व्यय पर	On Revenue Account	8216	9907	11118	11979	12620	15074	19777	26424	28937	29330
पूंजी व्यय पर	On Capital Account	14780	14302	15033	15541	15745	15887	16883	18231	19824	19170
कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE**	**62916**	**68261**	**79111**	**92908**	**105298**	**111414**	**122618**	**141853**	**162272**	**172151**
राजस्व व्यय पर	On Revenue Account	40860	46174	54106	64210	73516	82292	92702	108169	122902	136328
पूंजी व्यय पर	On Capital Account	22056	22087	25005	28698	31782	29122	29916	33684	39370	35823

नोट :- जहां तक संभव हुआ है 1-4-1987 से हिसाब मे अपनाई गई वर्गीकरण व्यवस्था के अंतर्गत व्यय मे प्रवृत्तियो की उचित वृद्धि के बारे में 1986-87 तक के वर्ष से संबंधित आंकड़े इसमे और संलग्न अनुबन्धो मे दिए गए हैं। वर्ष 1993-94 के वास्तविक आंकड़े अनन्तिम हैं।

Notes: *For a proper appreciation of the trends in expenditure, the figures for the year 1986-87 have been given in this and in the supporting Annexures, under the classification structure adopted in accounts from 1.4.1987 as far as possible. Actuals of 1993-94 are provisional.*

•• रक्षा प्राप्तियों को घटाकर लेकिन रक्षा संबंधी पूंजी व्यय सहित	**Net of Defence Receipts, but inclusive of Defence Capital Expenditure	302	328	300	362	418	538	1239	967	967	1069
		1298	3107	3783	4222	4552	4905	5473	6867	6933	7354
•••इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता शामिल नही है।	***Excludes Subsidies released through States & U.Ts.	154	159	178	199	233	585	527	921	217	180
@अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी प्रतिभूतियां, जो पूंजीगत प्राप्तियों में से घटा दी गई है, शामिल नही है।	@Excludes Securities issued to IMF omitted per contra from capital receipts	1134	1029	775	802	550	1805	6266	5698	13	673
@@अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों को घटाकर कृषि निवेशों के लिए अल्पावधिक ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यो के ऋण ओवरड्राफ्टों का निपटान करने के लिए ऋण, लेकिन जिसमें अल्प बचत संग्रहों के एवज में निम्नलिखित को दिए गए ऋण शामिल हैः	@@Net of short term Ways & Means Advances and short term Loans	382	716	131	131	657	512	961	982	1000	1000
	for Agriculture input and loans to clear Overdrafts of States with RBI but including Loans against small saving collections to	253	284	248	263	298	357	234	296	...	...
- राज्य सरकारें	-States Governments	2800	3097	4205	5742	7076	5481	4264	5000	9303	6700
- संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	-UT Government.	...	...	...	...	...	...	...	...	346	300

अनुबन्ध 3 में शामिल आर्थिक सहायताओं का ब्यौरा
DETAILS OF SUBSIDIES INCLUDED IN ANNEXURE 3

अनुबन्ध
ANNEXURE-3.1

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. मुख्य आर्थिक सहायता	**A. Major Subsidies**	**4683**	**5126**	**6787**	**9032**	**9581**	**9793**	**9414**	**10764**	**10826**	**10965**
1. खाद्य	1. Food	2000	2000	2200	2476	2450	2850	2800	5537	5100	5250
2. स्वदेशी उर्वरक	2. Indigenous Fertilizer	1700	2050	3000	3771	3730	3500	4800	3800	4000	3750
3. आयातित उर्वरक	3. Imported Fertilizer	198	114	201	771	659	1300	996	762	1166	1650
4. छोटे और सीमातंक किसानों को उर्वरक सहायता	4. Fertilizers subsidy to small and marginal farmers	...	...	...	...	...	385	...	...	...	...
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	5. Export promotion and Market Development	785	962	1386	2014	2742	1758	818	665	560	315
ख. किसानों को रियायत सहित विनियन्त्रित उर्वरकों की बिक्री	**B. Sale of decontrolled fertilisers with concession to farmers**	...	...	...	...	...	...	...	...	**531**	**500**
ग. किसानों को ऋण राहत	**C. Debt Relief to farmers**	...	...	...	...	**1502**	**1425**	**1500**	**500**	**341**	...
घ. अन्य आर्थिक सहायता	**D. Other Subsidies**	**768**	**854**	**945**	**1442**	**1075**	**1035**	**1081**	**1600**	**1112**	**936**
6. रेलवे	6. Railways	144	174	207	233	283	312	353	405	423	411
7. मिल निर्मित कपड़ा	7. Mill-made Cloth	36	23	27	10	10	15	15	16	10	1
8. हथकरघा कपड़ा	8. Handloom Cloth	123	124	146	181	185	187	161	190	159	157
9. चीनी, खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	9. Import/Export of sugar Edible Oils etc.	76	5	40	...	...	...	...	...	...	...
10. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	10. Interest Subsidies	229	393	406	881	379	316	113	113	76	34
11. उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	11. Assistance for fertilizer promotion	...	...	...	...	...	...	340	632	...	...
12. अन्य आर्थिक सहायता	12. Other Subsidies	160	135	119	137	218	205	99	244	444	333
जोड़ - आर्थिक सहायता	**TOTAL - Subsidies**	**5451**	**5980**	**7732**	**10474**	**12158**	**12253**	**11995**	**12864**	**12810**	**12401**

अनुबंध 3 में शामिल अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का ब्यौरा
DETAILS OF OTHER NON-PLAN REVENUE EXPENDITURE INCLUDED IN ANNEXURE 3

अनुबन्ध
ANNEXURE-3.2

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. सामान्य सेवाएं	**1. General Services**	**3633**	**4388**	**4979**	**6129**	**6849**	**6932**	**8860**	**9474**	**10275**	**10896**
1.01. राज्यों के अंग	1.01 Organs of State	218	239	252	461	359	516	526	528	577	594
102. कर संग्रह	1.02 Tax Collection	215	418	296	494	543	617	725	818	984	1023
1.03. पुलिस	1.03 Police	819	980	1132	1297	1564	1849	2119	2483	2685	2837
1.04. पेंशन	1.04 Pensions	920	1586	2014	2327	2138	2416	3005	3303	3651	3851
1.05. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार	1.05 Charges payable to IMF	370	359	183	291	219	469	666	866	687	571
1.06 बट्टेखाते डाले गए उधार	1.06 Write off of Loans	84	82	81	1	966		...	...	...	...
107. अन्य व्यय	1.07 Other Expenditure	1007	724	1021	1258	1060	1065	1819	1476	1691	2020
2. सामाजिक सेवाएं	**2. Social Services**	**1206**	**1309**	**1293**	**1522**	**1783**	**1945**	**2103**	**2557**	**2723**	**2749**
2.01 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण	2.01 Education, Sports, Youth Affairs.	499	608	474	589	721	762	774	958	988	964
2.02. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.02 Health and Family Welfare	145	163	140	200	236	281	303	364	397	416
203. जल आपूर्ति, सफाई आवास और शहरी विकास	2.03 Water supply, Housing etc.	-4	49	...	68	110	89	104	122	155	156
2.04. सूचना और प्रसारण	2.04 Information & Broadcasting	125	164	150	222	282	305	346	354	394	432
2.05 श्रम और रोजगार	2.05 Labour & Employment	232	163	231	253	269	288	313	492	440	435
2.06 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.06 Welfare of SC/ST & OBC	2	3	3	3	4	5	3	5	11	7
2.07. अन्य सामाजिक सेवाएं	2.07 Other Social Services	207	159	295	187	161	215	260	262	338	339
3. आर्थिक सेवाएं	**3. Economic Services**	**1437**	**1894**	**1944**	**2782**	**2492**	**2606**	**2660**	**3495**	**4203**	**3721**
3.01. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	3.01 Agriculture and Allied Activities	164	243	261	378	418	431	442	538	497	474
3.02. ग्रामीण विकास	3.02 Rural Development	2	3	4	3	6	4	3	4	0	0
3.03. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3.03 Irrigation & Flood Control	39	19	41	45	61	58	64	76	70	73
3.04 ऊर्जा	3.04 Energy	135	463	510	452	548	621	393	334	198	222
3.05 उद्योग और खनिज	3.05 Industry & Minerals	334	342	162	639	282	317	295	387	418	313
3.06 परिवहन	3.06 Transport	179	201	228	482	330	210	447	521	616	465
3.07 संचार	3.07 Communications	4	6	4	...	10	...	9	46	41	23
3.08 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3.08 Science Tech. & Environment	343	376	427	476	555	621	672	772	840	874
3.09 सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.09 Other Economic Services	237	241	307	307	282	344	335	817	1523	1277
4. डाक संबंधी घाटा	**4. Postal Deficit**	**215**	**191**	**170**	**260**	**186**	**209**	**86**	**200**	**313**	**287**
जोड़ - अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	**Total - Other Non-Plan Expenditure**	**6491**	**7782**	**8386**	**10693**	**11310**	**11692**	**13709**	**15726**	**17514**	**17653**

अनुबंध 3 में शामिल आयोजना व्यय का ब्यौरा
DETAILS OF PLAN EXPENDITURE INCLUDED IN ANNEXURE 3

अनुबन्ध
ANNEXURE-3.3

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना पर व्यय	**A. Expenditure on Central Plan by Head of Development**	**15001**	**14458**	**16333**	**18049**	**17496**	**17096**	**19777**	**23348**	**27934**	**28994**
1. आर्थिक सेवाएं	*1. Economic Services*	*12809*	*11756*	*13073*	*14762*	*13859*	*13122*	*15412*	*17863*	*20284*	*20945*
1.01 कृषि और संबद्ध सेवाएं	1.01 Agriculture and allied Activities	1375	1111	1275	1291	1184	1634	1897	2225	2824	2986
1.02 ग्रामीण विकास	1.02 Rural Development	1360	1844	1753	2766	2672	2279	3208	4517	5637	6540
1.03 सिचाई और बाढ़ नियंत्रण	1.03 Irrigation & Flood Control	114	158	209	46	161	210	75	261	233	288
1.04 ऊर्जा	1.04 Energy	1566	2916	3575	4162	3646	2979	3143	3583	3674	3621
1.05 उद्योग और बाढ़ नियंत्रण	1.05 Industry & Minerals	5074	3018	2846	2653	2372	2368	2601	3850	2912	3029
1.06 परिवहन	1.06 Transport	2088	2015	2411	2696	2313	2358	3216	1790	2122	2265
1.07 संचार	1.07 Communication	616	151	194	144	335	72	80	65	97	90
1.08 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1.08 Science, Technology & Environment	477	499	660	679	706	814	838	1184	1408	1597
1.09 सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.09 General Economic Services	139	44	150	325	470	408	354	388	1376	529
2. सामाजिक सेवाएं	*2.. Social Services*	*2134*	*2633*	*3202*	*3240*	*3597*	*3947*	*4294*	*5349*	*7487*	*7845*
2.01 शिक्षा, कला और संस्कृति	2.01 Education Art & Culture	398	645	1063	960	965	993	1104	1410	1772	2041
2.02 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.02 Health & Family Welfare	728	750	872	828	1037	1101	1419	1662	2029	2250
2.03 जल पूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	2.03 Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	382	287	456	511	718	845	684	990	1271	1695
2.04 सूचना और प्रसारण	2.04 Information & Broadcasting	232	198	225	266	154	112	25	60	58	101
2.05 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	2.05 Welfare of SC/ST and other backward classes	218	234	299	345	344	414	485	550	730	811
2.06 श्रम और श्रम कल्याण	2.06 Labour & Labour Welfare	15	15	20	27	20	69	34	60	100	136
2.07 सामाजिक कल्याण और पोषाहार	2.07 Social welfare & Nutritution	161	504	267	303	359	413	543	617	1527	811
3. सामान्य सेवाएं	*3. General Services*	*58*	*69*	*58*	*47*	*40*	*27*	*71*	*136*	*163*	*204*
राजस्व खाते पर	On Revenue account	5146	6132	7217	8227	8326	9039	11314	14834	17796	19853
पूंजी खाते पर	On Capital account	9855	9116	9116	9822	9134	8057	8463	8514	10138	9141
ख. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**B. Central Assistance for State Plans**	**7079**	**8923**	**9082**	**8719**	**9949**	**12708**	**15664**	**18558**	**20134**	**18726**
1. सामान्य सहायता (पर्वतीय क्षेत्रों सहित)	1. Normal Assistance (including Hill areas)	6089	7377	8475	8266	9682	12246	15185	18017	19513	18084
2. उत्तर पूर्वी परिषद आयोजना	2. North Eastern Council Plan	152	126	154	169	56	202	224	255	305	294
3. ग्रामीण विद्युतीकरण	3. Rural Electrification	282	306	215	230	209	260	255	286	316	348
4. सूखा राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता	4. Advance Plan Assistance for Drought Relief	556	1114	238	54	2	...	...	...	...	...
ग. संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**C. Central Assistance to UT Plans**	**916**	**828**	**736**	**752**	**920**	**1157**	**1220**	**949**	**693**	**780**
(क) विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*(a) UTs with Legislature*	*261*	*47*	*55*	*60*	*66*	*82*	*90*	*155*	*324*	*374*
(i) अरूणाचल प्रदेश	(i) Arunachal Pradesh	91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) गोआ, दमन और दीव	(ii) Goa, Daman & Diu	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) मिजोरम	(iii) Mizoram	52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(iv) पाण्डिचेरी	(iv) Pondicherry	38	47	55	60	66	82	90	108	85	104
(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	(v) National Capital Territory of Delhi	...	...	...	...	...	...	...	47	239	270
(ख) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र :	*(b) UTs without Legislature*	*655*	*781*	*681*	*692*	*854*	*1075*	*1130*	*794*	*369*	*406*
(i) अंडमान और निकोबार	(i) Andaman & Nicobar Island	62	43	68	60	18	143	122	147	200	215
(ii) चंडीगढ़	(ii) Chandigarh	42	42	29	19	51	60	43	75	88	100
(iii) दादरा और नागर हवेली	(iii) Dadra and Nagar Haveli	8	7	9	11	11	17	19	22	27	29
(iv) दिल्ली	(iv) Delhi	535	666	545	570	741	823	913	505	...	...
(v) लक्षद्वीप	(v) Ladshadweep	6	15	18	22	21	18	19	30	32	39
(vi) दमन और दीव	(vi) Daman & Diu	2	8	12	10	12	14	14	15	22	23
जोड़ -राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता	**TOTAL-Central Assistance to States and UT Plans**	**7995**	**9751**	**9818**	**9471**	**10869**	**13865**	**16884**	**19507**	**20827**	**19506**
राजस्व खाते पर	On Revenue account	3070	3775	3901	3752	4258	6121	8464	10099	11141	9477
पूंजी खाते पर	On Capital account	4925	5976	5917	5719	6611	7744	8420	9408	9686	10029
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***22996***	***24209***	***26151***	***27520***	***28365***	***30961***	***36660***	***42855***	***48761***	***48500***
राजस्व खाते पर	On Revenue account	8216	9907	11118	11979	12620	15074	19777	24624	28937	29330
पूंजी खाते पर	On Capital account	14780	14302	15033	15541	15745	15887	16883	18231	19824	19170

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान
CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES

अनुबन्ध
ANNEXURE-4

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग/मदें	Ministry No.	Department No.	Ministry/Department/Items	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. **कृषि मंत्रालय**	1.		**Ministry of Agriculture**	**9.24**	**10.94**	**11.96**	**11.77**
1. कृषि और सहकारिता		1.	Agriculture and Cooperation				
(i) खाद्य तथा कृषि संगठन			(i) Food and Agricultural Organisation	4.48	4.74	4.74	5.10
(ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम			(ii) World Food Programme	1.84	2.78	3.80	3.32
(iii) पूर्वी क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डी दल के लिए एफ.ए.ओ. आयोग			(iii) FAO Commission for Desert Locust in Eastern Region	0.13	0.07	0.06	0.09
(iv) भारत में खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) का कार्यालय			(iv) FAO Office in India	0.04	0.04	0.04	0.10
(v) एस.आई.डी.ए. परियोजना			(v) SIDA Project	0.07	0.07	0.07	0.07
(vi) नकद अंशदान			(vi) Cash Contribution	0.08	0.08	0.08	0.08
(vii) अन्य			(vii) Others	0.28	0.26	0.23	0.22
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा		2.	Agricultural Research and Education				
(i) राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो			(i) Commonwealth Agricultural Bureau	0.44	0.61	0.61	0.61
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शदाता दल			(ii) Consultative Group on International Agricultural Research	1.58	1.72	1.72	1.82
(iii) एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए कृषि केन्द्रों का विस्तार केन्द्र			(iii) Network of Agriculture Centres for Asia & the Pacific	0.13	0.14	0.14	0.14
(iv) अन्य			(iv) Others	0.07	0.28	0.28	0.03
3. पशु पालन और डेयरी		3.	Animal Husbandry and Dairying				
(i) पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य आयोग तथा अन्य			(i) Animal Production & Health Commission and others	0.10	0.15	0.19	0.19
2. **नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय**	2.		**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	**1.31**	**1.14**	**1.27**	**1.30**
4. नागर विमानन		4.	Civil Aviation				
(i) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन			(i) International Civil Aviation Organisation	0.78	0.81	0.91	0.91
5. पर्यटन		5.	Tourism				
(i) विश्व पर्यटन संगठन			(i) World Tourism Organisation	0.40	0.19	0.23	0.26
(ii) अन्य			(ii) Others	0.13	0.14	0.13	0.13
3. **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**	3.		**Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution**				
अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मौसम विज्ञान संगठन			International Organisation of Legal Metrology	**0.08**	**0.08**	**0.09**	**0.09**
4. **वाणिज्य मंत्रालय**	4.		**Ministry of Commerce**	**2.45**	**4.00**	**4.00**	**4.00**
6. वाणिज्य		6.	Commerce				
(i) शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार			(i) General Agreement on Tariff and Trade	1.16	1.50	1.50	1.50
(ii) एशियाई और प्रशान्त विकास केन्द्र			(ii) Asia and Pacific Development Centre	...	0.14	0.14	0.14
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन			(iii) International Coffee Organisation	0.08	0.11	0.13	0.13
(iv) कालीमिर्च समुदाय			(iv) Pepper Community	0.36	0.17	0.20	0.20
(v) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र			(v) International Trade Centre	0.16	0.15	0.15	0.15
(vi) अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन			(vi) International Tropical Timber Organisation	0.54	0.28	0.28	0.28
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जापान संघ			(vii) Japan Association for simplifying International Trade Procedure	...	...	0.02	0.08
(viii) वस्तुओं के लिए सामान्य निधि			(viii) Common Fund for Commodities	0.02	1.46	1.38	1.32
(ix) अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग और कपड़ा ब्यूरो			(ix) International Textiles and Clothing Bureau	0.11	0.13	0.13	0.13
(x) अन्य			(x) Others	0.02	0.06	0.07	0.07
5. **संचार मंत्रालय**	5.		**Ministry of Communications**	**2.13**	**6.57**	**9.66**	**6.63**
7. डाक		7.	Posts				
(i) विश्व डाक संघ			(i) Universal Postal Union	1.91	2.14	2.18	2.33
(ii) अन्य			(ii) Others	0.05	0.42	0.06	0.22
8. दूरसंचार		8.	Telecommunication				
(i) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ			(i) International Telecommunications Union	...	3.78	7.19	3.85
(ii) एशिया-प्रशान्त दूरसंचार समुदाय			(ii) Asia -Pacific Telecommunity	0.17	0.23	0.23	0.23
6. **रक्षा मंत्रालय**	6.		**Ministry of Defence**	**3.06**	**3.59**	**3.15**	**3.23**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन			(i) International Hydrographic Organisation	0.16	0.16	0.17	0.19
(ii) राष्ट्रमंडल युद्ध समाधि आयोग			(ii) Commonwealth War Graves Commission	2.87	3.40	2.94	3.00
(iii) अन्य			(iii) Others	0.03	0.03	0.04	0.04
7. **पर्यावरण और वन मंत्रालय**	7.		**Ministry of Environment and Forests**	**0.79**	**0.96**	**1.03**	**1.09**
(i) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम			(i) United Nations Environment Programme	0.31	0.33	0.33	0.39
(ii) प्रकृति और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ			(ii) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources	0.24	0.25	0.28	0.28
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्हेल आयोग			(iii) International Whaling Commission	0.09	0.11	0.10	0.10
(iv) दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम			(iv) South Asia Co-operative Environment Programme	0.07	0.07	0.07	0.07
(v) अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वती विकास केन्द्र			(v) International Centre for Integrated Mountain in Development	...	0.12	0.12	0.12
(v) अन्य			(vi) Others	0.08	0.08	0.13	0.13
8. **विदेश मंत्रालय**	8.		**Ministry of External Affairs**	**21.66**	**21.52**	**37.38**	**22.53**
(i) संयुक्त राष्ट्र संगठन			(i) United Nations Organisation				
(क) सामान्य अंशदान			(a) Normal Conitribution	11.56	12.00	24.00	12.00
(ख) अन्य अंशदान			(b) Other Contributions	5.04	5.28	7.59	6.20
(i) संयुक्त राष्ट्र मुक्ति प्रेक्षक बल			(i) UN Disengagement Observer Force	0.04	0.10	0.15	0.15
(ii) लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम बल			(ii) UN Interim Force in Lebanon	0.38	0.33	0.33	0.33
(iii) संयुक्त राष्ट्र ईराक कुवैत प्रेक्षण मिशन			(iii) UN Iraq Kuwait Observation Mission	0.06	0.20	0.15	0.15

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान
CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES

अनुबन्ध
ANNEXURE-4

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग/मदें	Ministry No.	Department No.	Ministry/Department/Items	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(iv) अल सल्वाडोर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन			(iv) UN Observer Mission in El Salvador	0.05	0.05	0.05	0.06
(v) संयुक्त राष्ट्र संरक्षण बल			(v) UN Protection Force	2.31	1.50	3.00	3.00
(vi) सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई			(vi) UN Operations in Somalia	1.39	2.50	2.50	1.00
(vii) मौजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई			(vii)UN Operation in Mozambique	0.57	0.50	0.65	0.65
(viii) लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन			(viii) UN Observer Mission in Liberia	0.09	0.05	0.10	0.10
(ix) जार्जिया में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन			(ix) UN Observer Mission in Georgia	0.01	0.05	0.05	0.05
(x) साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना			(x) United Nations Peace keeping Force in Cyprus	0.02	...	0.06	0.06
(xi) रवान्डा में सं.रा. सहायता मिशन			(xi) UN Assistance Mission in Rwanda	0.12	...	0.35	0.35
(xii) सं.रा. की 50वीं वर्षगांठ का समारोह			(xii) Celebration of 50th Anniversary of UN	...	...	0.20	0.30
(ii) विश्व निरस्त्रीकरण अभियान			(ii) World Disarmament Campaign	...	0.31	0.31	0.31
(iii) राष्ट्रमंडल सचिवालय			(iii) Commonwealth Secretariat	1.58	1.50	1.49	0.16
(iv) राष्ट्रमंडल फाउंडेशन			(iv) Commonwealth Foundation	0.47	0.45	0.46	0.50
(v) सार्क सचिवालय			(v) SAARC Secretariat	1.59	0.65	0.71	0.80
(vi) अन्य			(vi) Others	1.42	1.33	2.82	2.56
9. वित्त मंत्रालय	9.		**Ministry of Finance**	**18.68**	**28.30**	**32.14**	**33.02**
9. आर्थिक कार्य		9.	Economic Affairs				
(i) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि			(i) Commonwealth Fund for Technical Cooperation	2.62	2.30	2.60	3.00
(ii) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष			(ii) International Fund for Agricultural Development	...	8.54	8.53	8.53
(iii) विश्व पर्यावरण न्यास निधि			(iii) Global Environment Trust Fund	2.52	2.52	2.68	2.88
(iv) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम			(iv) United Nations Development Programme	13.14	14.01	13.67	14.02
(v) एशियाई विकास बैंक			(v) Asian Development Bank	0.23	0.23	0.23	0.23
(vi) ई.एस.ए.एफ न्यास निधि			(vi) ESAF Trust Fund	...	...	3.12	3.12
(vii) अन्य			(vii) Others	...	0.36	0.38	0.12
10. राजस्व		10.	Revenue				
(i) सीमाशुल्क सहयोग परिषद			(i) Customs Cooperation Council	0.14	0.25	0.25	0.25
(ii) मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि			(ii) UN Fund for Control of Drug Abuse	...	0.06	0.65	0.65
(iii) राष्ट्रमण्डल कर-प्रशासन संघ			(iii) Commonwealth Assocation of Tax Adminstration	0.01	0.02	0.02	0.21
(iv) कोलम्बो योजना ब्यूरो का औषधि परामर्शदायीकार्यक्रम			(iv) Drug Advising Programme of Colombo Plan Bureau	0.02	0.01	0.01	0.01
10. खाद्य मंत्रालय	10.		**Ministry of Food**	**0.14**	**0.30**	**0.27**	**0.30**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद			(i) International Sugar Council	0.04	0.12	0.12	0.12
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद			(ii) International Wheat Council	0.10	0.18	0.15	0.18
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	11.		**Ministry of Health and Family Welfare**	**5.15**	**5.84**	**6.80**	**6.56**
11. स्वास्थ्य		11.	Health				
(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन			(i) World Health Organisation	4.36	4.72	5.58	5.58
(ii) रेडक्रास सोसायटी की अन्तर्राष्ट्रीय समिति			(ii) International Committee of Red Cross Society	0.03	0.03	0.03	0.03
12. परिवार कल्याण		12.	Family Welfare				
(i) जनसंख्या संबंधी कार्यकलापों हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि			(i) United Nations Fund for Population Activities	0.72	0.90	1.03	0.90
(ii) जनसंख्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन			(ii) International Conference on Population	...	0.14	0.12	...
(iii) अन्य			(iii) Others	0.04	0.05	0.04	0.05
12. गृह मंत्रालय	12.		**Ministry of Home Affairs**	**0.59**	**0.60**	**0.60**	**0.60**
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	13.		**Ministry of Human Resource Development**	**8.90**	**8.54**	**8.51**	**9.05**
13. शिक्षा		13.	Education				
(i) एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान			(i) Asian Institute of Technology	0.13	0.14	0.14	0.18
(ii) यूनेस्को			(ii) UNESCO	3.90	4.00	4.00	4.00
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट संघ			(iii) International Copyright Union	0.32	0.37	0.30	0.30
(iv) आर्थिक अनुसंधान के विकास के लिए विश्व संस्थान			(iv) World Institution for Development Economic Research	0.67	0.24	0.24	0.24
(v) राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय "राष्ट्रमण्डल शिक्षा"			(v) Commonwealth University and College " The Commonwealth Learning"	...	0.25	0.25	0.75
(vi) अन्य			(vi) Others	0.25	...	...	...
14. युवा कार्य और खेलकूद		14.	Youth Affairs and Sports				
(i) राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम			(i) Commonwealth Youth Programme	0.49	0.38	0.41	0.41
(ii) संयुक्त राष्ट्र वालंटियर कार्यक्रम			(ii) United Nations Volunteers Programme	0.05	0.05	0.05	0.05
15. संस्कृति		15.	Culture				
(i) संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र			(i) International Centre for Conservation	...	0.04	0.04	0.04
(ii) विश्व दाय निधि			(ii) World Heritage Fund	0.04	0.04	0.04	0.04
16. महिला और बाल विकास		16.	Women and Child Development				
(i) यूनिसेफ			(i) UNICEF	2.98	2.98	2.98	2.98
(ii) संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक निधि			(ii) UN Voluntary Fund	0.07	0.05	0.06	0.06
14. उद्योग मंत्रालय	14.		**Ministry of Industry**	**6.08**	**5.86**	**6.22**	**6.10**
17. औद्योगिक विकास		17.	Industrial Development				
(i) एशियाई उत्पादकता संगठन			(i) Asian Productivity Organisation	1.53	1.35	1.35	1.35
(ii) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन			(ii) United Nations Industrial Development Organisation	4.34	4.30	4.40	4.50

अनुबन्ध
ANNEXURE-4

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान
CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग/मदें	Ministry No.	Department No.	Ministry/Department/Items	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
18. सरकारी उद्यम		18.	Public Enterprises	0.21	0.21	0.47	0.25
15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**15.**		**Ministry of Information and Broadcasting**	**1.58**	**1.32**	**1.40**	**1.17**
(i) एशिया-प्रशान्त प्रसारण संघ			(i) Asia-Pacific Broadcasting Union	1.04	0.60	0.56	0.56
(ii) विजन्यूज			(ii) Visnews	0.41	0.41	0.41	0.41
(iii) अन्य			(iii) Others	0.13	0.31	0.43	0.20
16. श्रम मंत्रालय	**16.**		**Ministry of Labour**	**2.62**	**3.00**	**2.80**	**2.97**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन			(i) International Labour Organisation	2.62	3.00	2.80	2.97
17. विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय	**17.**		**Ministry of Law, Justice and Company Affairs**				
19. विधायी कार्य		19.	Legal Affairs	...	0.01	0.01	0.01
18. खान मंत्रालय	**18.**		**Ministry of Mines**	0.05	0.08	0.08	0.07
19. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**19.**		**Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**				
20. कार्मिक तथा प्रशिक्षण		20.	Personnel and Training	0.01	0.01	0.01	0.01
20. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**20.**		**Ministry of Planning and Programme Implementation**				
21. सांख्यिकी		21.	Statistics	0.05	0.09	0.09	0.09
21. विद्युत मंत्रालय	**21.**		**Ministry of Power**				
22. विद्युत		22.	Power	*	0.01	*	*
22. ग्रामीण विकास मंत्रालय	**22.**		**Ministry of Rural Development**	0.65	0.66	0.66	0.66
(i) अफ्रीका-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन			(i) Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation	0.42	0.41	0.41	0.41
(ii) एशिया और प्रशान्त मे एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र			(ii) Centre on Integrated Rural Development in Asia and Pacific	0.22	0.24	0.24	0.24
(iii) अन्य			(iii) Others	0.01	0.01	0.01	0.01
23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**23.**		**Ministry of Science and Technology**	**4.42**	**4.99**	**4.92**	**4.92**
23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी		23.	Science and Technology				
(i) विश्व मौसम विज्ञान संगठन			(i) World Meteorological Organisation	0.75	0.98	0.91	0.91
(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि और अतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स फेडरेशन			(ii) UN Fund for Science and Technology Development and International Federation of Robotics	0.09	0.12	0.12	0.12
(iii) अतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद			(iii) International Council of Scientific Unions	0.52	0.53	0.53	0.53
(iv) अन्य			(iv) Others	0.04	0.04	0.04	0.04
24. जैव प्रौद्योगिकी		24.	Biotechnology				
(i) आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के अतर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए "यूनिडो"			(i) UNIDO for International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	2.70	3.00	3.00	3.00
25. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान		25.	Scientific and Industrial Research	0.32	0.32	0.32	0.32
24. भूतल परिवहन मंत्रालय	**24.**		**Ministry of Surface Transport**	**1.13**	**2.30**	**1.23**	**1.27**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन			(i) International Maritime Organisation	1.09	1.25	1.17	1.20
(ii) अन्य			(ii) Others	0.04	1.05	0.06	0.07
25. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**25.**		**Ministry of Textiles**	**0.42**	**1.51**	**1.51**	**1.51**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगठन			(i) International Jute Organisation	0.35	0.43	0.43	0.43
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कपास संस्थान और कपास सलाहकार समिति			(ii) International Institute for Cotton and Cotton Advisory Committee	0.07	1.08	1.08	1.08
26. शहरी विकास मंत्रालय	**26.**		**Ministry of Urban Development**	**0.33**	**0.36**	**0.33**	**0.34**
(i) मानव पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र केन्द्र			(i) United Nations Centre for Human Settlements	0.32	0.35	0.32	0.32
(ii) अन्य			(ii) Others	0.01	0.01	0.01	0.02
27. जल संसाधन मंत्रालय	**27.**		**Ministry of Water Resources**	...	0.01	0.04	0.01
28. कल्याण मंत्रालय	**28.**		**Ministry of Welfare**	0.16	0.03	0.05	0.03
29. परमाणु ऊर्जा विभाग	**29.**		**Department of Atomic Energy**	3.98	2.55	2.78	2.80
30. महासागर विकास विभाग	**30.**		**Department of Ocean Development**	1.10	0.15	0.15	0.18
31. लोक सभा	**31.**		**Lok Sabha**	0.29	0.29	0.29	0.28
कुल जोड़			*GRAND TOTAL*	*97.05*	*115.61*	*139.43*	*122.59*

* एक लाख रुपए से कम। *Less than Rs. 1 lakh.*

31.3.94 को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां और बकाया राशि
GUARANTEES GIVEN BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND OUTSTANDING AS ON 31.3.1994

अनुबन्ध
ANNEXURE-5

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

क्रम संख्या मंत्रालय/विभाग	Sl. No.	Ministry/Department	गारंटियों के मामलों की संख्या No. of Cases of guarantees		गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार के साथ करार हुआ Maximum amount of guarantees for which Govt. have entered into agreement	31.3.1994 को गारंटियों की राशि और बकाया Sums guaranteed are and outstanding as on 31.3.1994
			दी गई गारन्टियों की संख्या No. of guarantees given	31.3.94 को बकाया No. outstanding as on 31.3.94		
1. कृषि मंत्रालय	1.	**Ministry of Agriculture**				
(i) कृषि और सहकारिता		(i) Agriculture and Cooperation	205	103	933.58	745.81
(ii) पशुपालन और डेयरी उद्योग		(ii) Animal Husbandry and Dairying	2	2	1.24	1.24
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2.	**Ministry of Chemicals and Fertilizers**				
(i) रसायन और पैट्रोरसायन		(i) Chemicals and Petrochemicals	17	13	1133.08	998.11
(ii) उर्वरक		(ii) Fertilizers	8	8	804.50	670.85
3. नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	3.	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**				
(i) नागर विमानन		(i) Civil Aviation	27	27	6941.63	4903.31
(ii) पर्यटन		(ii) Tourism	2	...	7.80	...
4. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4.	**Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution**	3	3	3.18	3.14
5. कोयला मंत्रालय	5.	**Ministry of Coal**	4	4	872.40	715.61
6. संचार मंत्रालय दूर-संचार	6.	**Ministry of Communications** Telecommunications	10	10	3126.41	2866.18
7. रक्षा मंत्रालय	7.	**Ministry of Defence**	6	6	80.00	38.00
8. वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य	8.	**Ministry of Finance** Economic Affairs	404	322	44131.05	33886.11
9. खाद्य मंत्रालय	9.	**Ministry of Food**	3	3	3000.00	3000.00
10. गृह मंत्रालय	10.	**Ministry of Home Affairs**	585	575	48.09	33.98
11. उद्योग मंत्रालय	11.	**Ministry of Industry**				
(i) भारी उद्योग		(i) Heavy Industry	86	82	1538.27	1266.03
(ii) लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग		(ii) Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	14	14	162.86	82.03
12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12.	**Ministry of Information and Broadcasting**	6	5	5.94	3.74
13. खान मंत्रालय	13.	**Ministry of Mines**	7	7	2809.79	2675.97
14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14.	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	3	3	18.06	6.32
15. विद्युत मंत्रालय	15.	**Ministry of Power**	72	71	13774.02	7548.58
16. रेल मंत्रालय	16.	**Ministry of Railways**	91	70	308.60	286.57
17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	17.	**Ministry of Science and Technology**	2	2	14.35	14.35
18. इस्पात मंत्रालय	18.	**Ministry of Steel**	16	15	1353.49	1101.56
19. भूतल परिवहन मंत्रालय	19.	**Ministry of Surface Transport**	151	133	2321.92	789.59
20. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	20.	**Ministry of Textiles**	13	13	30.52	30.52
21. शहरी विकास मंत्रालय	21.	**Ministry of Urban Development**	93	86	1251.63	1130.42
22. जल संसाधन मंत्रालय	22.	**Ministry of Water Resources**	1	1	23.00	23.00
23. परमाणु ऊर्जा विभाग	23.	**Department of Atomic Energy**	4	4	19.34	12.94
कुल जोड़		***Grand Total***	*1835*	*1582*	*84714.75*	*62833.96*

अनुबन्ध
ANNEXURE-6

1993–94 के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों के लिए मंजूर की गई 5 लाख रूपए (आवर्ती) से अधिक अथवा 10 लाख रूपए (अनावर्ती) का सहायता अनुदान

GRANTS-IN-AID EXCEEDING Rs.5 LAKHS (RECURRING) OR Rs.10 LAKHS (NON-RECURRING) SANCTIONED TO PRIVATE INSTITUTIONS/ORGANISATIONS/INDIVIDUALS DURING 1993-94.

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

क्रम संख्या मंत्रालय/विभाग	Sl. No.	Ministry/Department	मदों की संख्या No. of Items	अनुदान की राशि Amount of grant आवर्ती Recurring	अनावर्ती Non-recurring
1. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	1.	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**			
(i) नागर विमानन		(i) Civil Aviation	16	1.29	...
(ii) पर्यटन		(ii) Tourism	22	3.75	3.25
2. वाणिज्य मंत्रालय	2.	**Ministry of Commerce**			
(i) वाणिज्य		(i) Commerce	25	12.20	...
3. रक्षा मंत्रालय	3.	**Ministry of Defence**	2	1.12	0.09
4. विदेश मंत्रालय	4.	**Ministry of External Affairs**	6	15.70	1.62
5. वित्त मंत्रालय	5.	**Ministry of Finance**			
(i) आर्थिक कार्य		(i) Economic Affairs	7	2.78	10.70
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	6.	**Ministry of Health and Family Welfare**			
(i) स्वास्थ्य		(i) Health	20	1.95	3.88
(ii) परिवार कल्याण		(ii) Family Welfare	56	5.85	0.35
7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	7.	**Ministry of Human Resource Development**			
(i) शिक्षा		(i) Education	354	22.64	124.31
(ii) युवा कार्य और खेलकूद		(ii) Youth Affairs and Sports	21	0.38	4.45
(iii) संस्कृति		(iii) Culture	7	0.30	1.63
(iv) महिला और बाल विकास		(iv) Women and Child Development	42	8.97	7.85
8. उद्योग मंत्रालय	8.	**Ministry of Industry**			
(i) औद्योगिक विकास		(i) Industrial Development	2	...	0.45
(ii) भारी उद्योग		(ii) Heavy Industry	1	1.60	...
9. श्रम मंत्रालय	9.	**Ministry of Labour**	2	0.23	...
10. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	10.	**Ministry of Law, Justice and Company Affairs**			
(i) विधायी कार्य		(i) Legal Affairs	3	0.29	...
11. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	11.	**Ministry of Non-Conventional Energy Sources**	2	0.80	...
12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	12.	**Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**			
(i) कार्मिक और प्रशिक्षण		(i) Personnel and Training	1	1.16	0.45
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय	13.	**Ministry of Rural Development**			
(i) परती भूमि विकास		(i) Waste lands Development	9	...	2.40
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	14.	**Ministry of Science and Technology**			
(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी		(i) Science and Technology	14	2.44	0.54
(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान		(ii) Scientific and Industrial Research	4	0.39	...
(iii) जैव-प्रौद्योगिकी		(iii) Bio-Technology	4	2.29	0.20
15. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	15.	**Ministry of Textiles**	8	10.05	...
16. कल्याण मंत्रालय	16.	**Ministry of Welfare**	189	19.49	3.01
17. परमाणु ऊर्जा विभाग	17.	**Department of Atomic Energy**	17	65.88	47.73
18. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	18.	**Department of Electronics**	3	...	0.47
कुल जोड़		***Grand Total***	*837*	*181.55*	*213.38*

स्थापना की अनुमानित संख्या और उसके लिए व्यवस्था
Estimated Strength of Establishment and provision therefor.

अनुबन्ध
ANNEXURE-7

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

पहली मार्च को संख्या Strength as on 1st March — वास्तविक Actual 1994	अनुमानित Estimated 1995	1996	मंत्रालय/विभाग	Ministry/Department	वास्तविक 1993-94 Actual 1993-94 — वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses	संशोधित अनुमान 1994-95 R.E. 1994-95 — वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses	बजट अनुमान 1995-96 B.E. 1995-96 — वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses
			1. कृषि मंत्रालय	**1. Ministry of Agriculture.**									
11933	11998	12079	i) कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	i) Department of Agriculture & Cooperation and Department of Animal Husbandry and Dairying	20.48	22.13	2.40	24.52	25.40	3.02	25.17	29.99	3.78
44	44	44	ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	ii) Department of Agricultural Research and Education	0.18	0.07	0.04	0.25	0.07	0.12	0.29	0.09	0.15
			2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**2. Ministry of Chemicals and Fertlizers**									
327	375	375	i) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	i) Department of Chemicals & Petro-Chemicals	0.41	0.54	0.06	0.90	1.03	0.16	0.92	1.51	0.21
307	380	380	ii) उर्वरक विभाग	ii) Department of Fertilizers.	0.75	0.97	0.08	0.85	1.19	0.12	0.86	1.40	0.11
			3. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**3. Ministry of Civil Aviation & Tourism**									
1312	1544	1544	i) नागर विमानन विभाग	i) Department of Civil Aviation	3.23	3.87	0.54	3.96	4.69	0.62	4.40	5.27	0.66
676	689	689	ii) पर्यटन विभाग	ii) Department of Tourism	3.10	2.21	0.35	2.84	3.19	0.53	2.93	3.37	0.54
656	696	696	4. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**4. Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution**	1.73	1.49	0.17	1.50	1.72	0.17	1.65	1.96	0.27
448	439	439	5. कोयला मंत्रालय	**5. Ministry of Coal**	0.90	1.02	0.10	1.15	1.20	0.20	1.15	1.37	0.25
			6. वाणिज्य मंत्रालय	**6. Ministry of Commerce**									
5289	5265	5265	i) वाणिज्य विभाग	i) Department of Commerce	16.47	17.84	5.05	17.35	21.21	5.76	16.76	20.49	6.02
5135	4938	4938	ii) पूर्ति विभाग	ii) Department of Supply	10.65	12.79	0.47	11.32	13.86	0.66	12.07	14.98	0.62
			7. संचार मंत्रालय	**7. Ministry of Communication**									
599663	599695	599650	i) डाक विभाग	i) Department of Posts	623.52	778.67	15.92	652.99	796.92	16.50	662.29	814.59	17.10
336336	385648	416072	ii) दूर-संचार विभाग	ii) Department of Telecommunications	549.48	776.37	49.88	567.61	965.92	55.27	584.69	1084.89	60.27
37899	38182	38418	8. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	**8. Ministry of Defence (Civil)**	88.03	83.04	5.56	87.04	93.71	5.60	91.61	102.23	6.24
5460	5470	5525	9. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	**9. Ministry of Environment & Forests**	12.48	8.29	1.09	13.60	15.60	2.05	13.30	14.16	3.29
7283	7392	7438	10. विदेश मंत्रालय	**10. Ministry of External Affairs**	42.70	116.03	51.53	45.21	123.04	50.67	47.38	128.74	51.69
			11. वित्त मंत्रालय	**11. Ministry of Finance**									
28932	28351	30249	i) आर्थिक कार्य विभाग	i) Department of Economic Affairs	18.00	78.99	2.60	19.08	84.83	2.37	20.57	87.00	2.38
1118	1291	1394	ii) व्यय विभाग	ii) Department of Expenditure	2.40	3.22	0.34	2.89	3.62	0.55	3.14	4.01	0.76
1,22,102	1,34,895	1,36,362	iii) राजस्व विभाग	iii) Department of Revenue	250.62	320.36	20.25	260.43	346.66	22.98	271.10	375.03	23.99
60728	67700	69456	iv) लेखा परीक्षा	iv) Audit	179.04	121.52	28.80	194.09	133.54	35.24	201.49	138.75	36.10
1977	1914	1917	12. खाद्य मंत्रालय	**12. Ministry of Food**	4.09	3.76	0.60	3.99	5.11	0.85	4.00	6.32	0.97
1076	1062	1029	13. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**13. Ministry of Food Processing Industries**	1.80	2.07	0.34	2.50	3.12	0.49	2.50	3.34	0.58
			14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**14. Ministry of Health & Family Welfare**									
30116	20200	30250	i) स्वास्थ्य विभाग	i) Department of Health	50.76	62.04	1.61	58.67	71.71	1.29	71.91	87.89	2.06
836	847	889	ii) परिवार कल्याण विभाग	ii) Department of Family Welfare	2.47	1.66	0.24	2.96	2.01	0.35	3.14	2.14	0.40
			15. गृह मंत्रालय	**15. Ministry of Home Affairs**									
29953	32382	34254	i) गृह मंत्रालय	i) Ministry of Home Affairs	59.32	74.02	40.43	59.17	87.85	51.27	60.21	94.24	50.52
499881	524536	527129	ii) पुलिस	ii) Police	683.71	774.97	157.06	719.76	964.44	165.04	782.04	1037.50	165.44
			16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**16. Ministry of Human Resource Development**									
2288	2420	2402	i) शिक्षा विभाग	i) Department of Education	6.02	5.54	0.77	6.83	6.38	1.12	7.56	7.19	1.11
392	443	443	ii) युवा कार्य और खेलकूद विभाग	ii) Department of Youth Affairs and Sports	0.81	1.10	0.23	1.03	1.20	0.32	1.18	1.30	0.34
11729	11849	11849	iii) संस्कृति विभाग	iii) Department of Culture	24.03	8.13	0.84	29.45	15.00	1.80	30.73	16.35	1.90
773	830	810	iv) महिला एवं बाल विकास विभाग	iv) Department of Women and Child Development	0.59	0.61	0.21	1.74	2.19	0.31	1.87	2.31	0.36

			17. उद्योग मंत्रालय	17. Ministry of Industry									
3528	3392	3398	i) औद्योगिक विकास विभाग	i) Department of Industrial Development	8.87	8.04	0.82	8.02	7.97	0.91	8.63	8.58	1.10
221	221	221	ii) भारी उद्योग विभाग	ii) Department of Heavy Industries	0.73	0.42	0.05	0.79	0.48	0.05	0.84	0.51	0.05
125	136	145	iii) सरकारी उद्यम विभाग	iii) Department of Public Enterprises	0.32	0.41	0.05	0.32	0.41	0.07	0.35	0.45	0.07
3688	3688	3688	iv) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	iv) Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	8.72	7.68	0.60	8.85	7.78	0.66	10.19	8.95	0.67
53167	48840	52693	18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	18. Ministry of Information and Broadcasting	95.15	124.33	8.89	92.75	131.93	9.63	100.35	144.64	10.88
9595	9760	9748	19. श्रम मंत्रालय	19. Ministry of Labour	23.69	18.23	2.33	26.95	20.19	4.36	29.83	23.11	4.39
3903	4317	4322	20. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	20. Ministry of Law, Justice and Company Affairs	14.23	15.32	0.80	9.83	11.54	0.84	10.77	13.13	0.87
1778	1784	1787	21. भारत का उच्चतम न्यायालय	21. Supreme Court of India	2.68	4.90	0.24	4.37	6.73	0.25	3.14	5.65	0.25
294	311	311	22. भारत का निर्वाचन आयोग	22. Election Commission of India	0.53	0.71	0.07	0.63	0.90	0.06	0.63	0.97	0.06
19752	20276	20276	23. खान मंत्रालय	23. Ministry of Mines	51.72	65.35	7.87	51.72	65.35	7.87	40.44	60.67	6.62
442	462	466	24. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	24. Ministry of Non-Conventional Energy Sources	1.00	1.27	0.25	1.20	1.50	0.50	1.20	1.56	0.44
154	153	153	25. संसदीय कार्य मंत्रालय	25. Ministry of Parliamentary Affairs	0.31	0.41	0.06	0.36	0.43	0.07	0.37	0.45	0.07
8255	8527	8882	26. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	26. Ministry of Personnel, Public Grievences & Pensions	16.64	16.56	4.03	20.81	18.74	4.71	20.37	20.74	4.77
302	325	325	27. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	27. Ministry of Petroleum & Natural Gas	1.50	0.09	0.20	1.60	0.13	0.18	1.62	0.13	0.18
			28. योजना मंत्रालय	28. Ministry of Planning									
4942	5371	5371	i) योजना आयोग	i) Planning Commission	11.94	13.88	1.18	12.81	17.24	1.43	14.74	21.12	1.67
5829	6885	6847	ii) सांख्यिकी विभाग	ii) Department of Statistics	13.64	16.77	3.26	13.75	19.43	3.07	15.54	22.24	4.01
91	96	96	iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	iii) Department of Programme Implementation	0.24	0.32	0.03	0.25	0.50	0.07	0.26	0.39	0.07
2857	2704	3638	29. विद्युत मंत्रालय	29. Ministry of Power	8.70	7.34	1.02	8.95	8.10	0.94	9.01	8.75	1.55
#1706000	#1712000	#1718000	30. रेल मंत्रालय	30. Ministry of Railways	3102.10	4052.95	182.11	3178.67	4139.59	186.81	3169.01	4642.49	182.51
			31. ग्रामीण विकास विभाग	31. Ministry of Rural Development									
1918	2213	2213	i) ग्रामीण विकास विभाग	i) Department of Rural Development	5.37	3.86	0.43	5.89	4.99	0.64	5.93	5.48	0.83
89	97	100	ii) बंजर भूमि विकास विभाग	ii) Department of Wastelands Development	0.15	0.18	0.09	0.27	0.33	0.19	0.27	0.33	0.21
			32. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	32. Ministry of Science and Technology									
23936	24708	24708	i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	i) Department of Science and Technology	42.16	57.98	5.3.	43.50	66.82	6.26	44.29	68.98	7.29
93	93	93	ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	ii) Department of Scientific and Industrial Research	0.30	0.32	0.06	0.32	0.37	0.10	0.34	0.42	0.12
228	251	251	iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग	iii) Department of Biotechnology	0.51	0.65	0.26	0.54	0.80	0.39	0.57	0.84	0.39
617	627	627	33. इस्पात मंत्रालय	33. Ministry of Steel	1.52	1.79	0.23	1.45	1.74	0.25	1.45	1.92	0.31
5545	5795	5792	34. भूतल परिवहन मंत्रालय	34. Ministry of Surface Transport	14.13	10.78	1.30	14.88	13.02	1.73	15.71	15.00	1.75
6119	6500	6500	35. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	35. Ministry of Textiles	11.90	6.09	0.73	13.88	6.28	1.10	15.00	8.00	1.50
39308	41983	41910	36. शहरी विकास मंत्रालय	36. Ministry of Urban Development	76.47	76.93	2.35	80.53	97.21	3.29	84.58	112.24	3.53
15265	16518	16483	37. जल संसाधन मंत्रालय	37. Ministry of Water Resources	32.05	34.07	4.93	33.62	39.17	4.95	34.67	40.56	4.95
1071	1147	1168	38. कल्याण मंत्रालय	38. Ministry of Welfare	2.35	2.60	0.45	2.96	3.37	0.79	3.23	3.74	0.92
32863	35920	37761	39. परमाणु ऊर्जा विभाग	39. Department of Atomic Energy	87.22	82.29	5.21	88.63	104.91	6.51	94.79	120.05	7.51
1683	1919	1823	40. इलेक्ट्रानिकी विभाग	40. Department of Electronics	5.30	4.70	1.10	5.30	4.70	1.10	5.30	5.25	1.20
209	210	210	41. महासागर विकास विभाग	41. Department of Ocean Development	0.33	0.35	0.20	0.67	0.51	0.26	0.62	0.61	0.26
16484	16700	16820	42. अंतरिक्ष विभाग	42. Department of Space	44.55	51.23	7.29	46.00	58.89	7.24	48.84	64.24	9.25
848	892	891	43. मंत्रिमंडल सचिवालय	43. Cabinet Secretariat	1.85	1.60	0.24	2.26	2.20	0.27	2.32	2.56	0.31
1681	1749	1854	44. लोक सभा सचिवालय	44. Lok Sabha Secretariat	5.34	3.86	0.12	5.48	4.52	0.15	4.87	5.35	0.17
703	981	1017	45. राज्य सभा सचिवालय	45. Rajya Sabha Secretariat	1.87	2.18	0.06	2.71	2.51	0.08	2.90	2.98	0.08
314	314	314	46. राष्ट्रपति सचिवालय	46. President Secretariat	0.77	0.79	0.01	0.72	0.78	0.01	0.74	0.82	0.02
50	50	50	47. उपराष्ट्रपति सचिवालय	47. Vice-President Secretariat	0.11	0.08	2.50	0.11	0.08	1.50	0.12	0.11	2.50
1761	1842	1844	48. संघ लोक सेवा आयोग	48. U.P.S.C.	3.48	4.47	1.07	3.79	5.04	1.25	3.99	5.01	1.26
			49. संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल)	49. Union Territories (Without Legislature)									
21618	22424	24125	i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	i) Andaman and Nicobar Islands	33.37	43.04	1.71	33.75	53.06	1.70	37.54	58.36	2.07
3141	3178	3345	ii) दादरा और नगर हवेली	ii) Dadra and Nagar Haveli	4.39	4.13	0.12	4.33	5.19	0.16	4.73	6.22	0.17
4132	5117	5318	iii) लक्षद्वीप	iii) Lakshadweep	7.41	9.87	0.97	8.21	12.29	1.02	7.86	14.60	0.87
30000	30145	31804	iv) चण्डीगढ़	iv) Chandigarh	51.04	62.32	0.45	60.47	80.05	0.60	61.91	82.22	0.71
2628	3340	3340	v) दमन और दीव	v) Daman and Diu	4.73	6.21	0.13	4.77	6.36	0.25	4.52	5.77	0.30
3841896	**3945436**	**4012713**	**जोड़**	TOTAL	**6459.15**	**8110.67**	**638.80**	**6701.35**	**8830.54**	**689.70**	**6851.29**	**9704.60**	**706.82**

83,000 दैनिक मजदूर शामिल हैं। Includes 83,000 casual labourers.

10

Expenditure Budget 1995-96 Volume 2
(Incorporating Notes on Demands for Grants)

प्राप्तियों और वसूलियों को घटाने के बाद, वर्ष, 1995-96 के लिए बजट व्यवस्था इस प्रकार है । आगे का ब्यौरा इस विवरण के अन्तिम कालम में दिखाए गए पृष्ठों पर दिया गया है ।

Budget Provisions, net of receipts and recoveries, for the year 1995-96 are as under. Further details are on pages indicated in the last column of this Statement

बजट 1995-96 Budget (करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	आयोजना Plan पूंजी Capital	आयोजना Plan जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	आयोजना-भिन्न Non Plan पूंजी Capital	आयोजना-भिन्न Non Plan जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**1546.07**	**612.93**	**2159.00**	**793.77**	**0.23**	**794.00**	**2953.00**	
1. कृषि	1. Agriculture	871.14	49.21	920.35	539.64	0.23	539.87	1460.22	1-7
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	2. Other Services of Department of Agriculture & Cooperation	216.50	368.15	584.65	5.94	...	5.94	590.59	8-11
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3. Department of Agricultural Research and Education	310.00	...	310.00	238.86	...	238.86	548.86	12
4. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	4. Departement of Animal Husbandry and Dairying	148.43	195.57	344.00	9.33	...	9.33	353.33	13-15
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**	**32.18**	**206.73**	**238.91**	**5505.50**	**62.61**	**5568.11**	**5807.02**	
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	5. Department of Chemicals and Petro-chemicals	20.28	13.63	33.91	92.08	10.61	102.69	136.60	16-19
6. उर्वरक विभाग	6. Department of Fertilisers	11.90	193.10	205.00	5413.42	52.00	5465.42	5670.42	20-23
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**	**75.83**	**69.54**	**145.37**	**85.83**	...	**85.83**	**231.20**	
7. नागर विमानन विभाग	7. Department of Civil Aviation	0.28	53.09	53.37	68.93	...	68.93	122.30	24-25
8. पर्यटन विभाग	8. Department of Tourism	75.55	16.45	92.00	16.90	...	16.90	108.90	26-27
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION**	**11.92**	**7.93**	**19.85**	**4.77**	...	**4.77**	**24.62**	
9. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	9. Ministry of Civil Supplies Consumer Affairs and Public Distribution	11.92	7.93	19.85	4.77	...	4.77	24.62	28-29
कोयला मंत्रालय	**MNISTRY OF COAL**	**43.82**	**431.18**	**475.00**	**131.42**	**0.01**	**131.43**	**606.43**	
10. कोयला मंत्रालय	10. Ministry of Coal.	43.82	431.18	475.00	131.42	0.01	131.43	606.43	30-32
वाणिज्य मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE**	**149.79**	**86.50**	**236.29**	**519.13**	...	**519.13**	**755.42**	
11. वाणिज्य विभाग	11. Department of Commerce.	148.34	86.50	234.84	486.97	...	486.97	721.81	33-35
12. आपूर्ति विभाग	12. Department of Supply	1.45	...	1.45	32.16	...	32.16	33.61	36
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**21.08**	**67.87**	**88.95**	**296.50**	**-4.00**	**292.50**	**381.45**	
13. डाक विभाग	13. Department of Posts.	17.13	67.87	85.00	287.00	-4.00	283.00	368.00	37-38
14. दूरसंचार विभाग	14. Department of Telecommunication.	3.95	...	3.95	9.50	...	9.50	13.45	39-41
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	...	...	...	**21171.26**	**7381.01**	**28552.27**	**28552.27**	
15. रक्षा मंत्रालय	15. Ministry of Defence	...	...	...	168.75	26.52	195.27	195.27	42-44
16. रक्षा पेंशन	16. Defence Pensions	...	...	...	2857.00	...	2857.00	2857.00	45
17. रक्षा सेवा-थल सेना	17. Defence Services - Army	...	...	...	12432.81	...	12432.81	12432.81	46
18. रक्षा सेवा-नौसेना	18. Defence Services - Navy	...	...	...	1534.72	...	1534.72	1534.72	47
19. रक्षा सेवा-वायु सेना	19. Defence Services - Air Force	...	...	...	4134.91	...	4134.91	4134.91	48
20. रक्षा आयुध निर्माणियाँ	20. Defence Ordnance Factories	...	...	...	43.07	...	43.07	43.07	49
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	21. Capital Outlay on Defence Services	...	...	...	...	7354.49	7354.49	7354.49	50
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**	**363.39**	**7.11**	**370.50**	**64.91**	...	**64.91**	**435.41**	
22. पर्यावरण और वन मंत्रालय	22. Ministry of Environment and Forests	363.39	7.11	370.50	64.91	...	64.91	435.41	51-55

बजट 1995-96 Budget (करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan			आयोजना-भिन्न Non Plan			जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**	**...**	**...**	**...**	**950.90**	**47.05**	**997.95**	**997.95**	
23. विदेश मंत्रालय	23. Ministry of External Affairs	...	...	...	950.90	47.05	997.95	997.95	56-57
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**7989.07**	**9985.97**	**17975.04**	**62139.04**	**7791.19**	**69930.23**	**87905.27**	
24. आर्थिक कार्य विभाग	24. Department of Economic Affairs	0.01	0.99	1.00	1323.47	165.00	1488.47	1489.47	58-60
25. करेंसी, सिक्का और स्टाम्प	25. Currency, Coinage and Stamps	...	95.00	95.00	24.05	121.43	145.48	240.48	61-62
26. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	26. Payments to Financial Institutions	76.93	927.07	1004.00	715.91	82.17	798.08	1802.08	63-66
27. विनियोजन - ब्याज अदायगियां	27. Appropriation - Interest Payments	...	...	...	52000.00	...	52000.00	52000.00	67
28. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	28. Transfer to State and Union Territory Governments.	7910.20	8962.91	16873.11	5660.97	7000.00	12660.97	29534.08	68-69
29. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	29. Loans to Government Servants etc.	...	...	...	...	162.00	162.00	162.00	70
30. विनियोजन - ऋण की वापसी अदायगी *	30. Appropriation - Repayment of Debt *	...	...	...	...	...	...	...	71
31. व्यय विभाग	31. Department of Expenditure	1.93	...	1.93	11.74	...	11.74	13.67	72
32. पेंशन	32. Pensions	...	...	...	998.21	...	998.21	998.21	73
33. लेखा परीक्षा	33. Audit	...	...	...	381.00	...	381.00	381.00	74
34. राजस्व विभाग	34. Department of Revenue	...	...	...	18.31	5.36	23.67	23.67	75-76
35. प्रत्यक्ष कर	35. Direct Taxes	...	...	...	400.00	39.53	439.53	439.53	77
36. अप्रत्यक्ष कर	36. Indirect Taxes	...	...	...	605.38	215.70	821.08	821.08	78
खाद्य मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD**	**1.95**	**19.10**	**21.05**	**5394.88**	**...**	**5394.88**	**5415.93**	
37. खाद्य मंत्रालय	37. Ministry of Food	1.95	19.10	21.05	5394.88	...	5394.88	5415.93	79-80
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**	**36.00**	**9.00**	**45.00**	**5.13**	**...**	**5.13**	**50.13**	
38. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	38. Ministry of Food Processing Industries	36.00	9.00	45.00	5.13	...	5.13	50.13	81-82
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**	**2225.02**	**0.55**	**2225.57**	**422.75**	**-6.65**	**416.10**	**2641.67**	
39. स्वास्थ्य विभाग	39. Department of Health.	644.17	0.40	644.57	410.24	-6.65	403.59	1048.16	83-90
40. परिवार कल्याण विभाग	40. Department of Family Welfare.	1580.85	0.15	1581.00	12.51	...	12.51	1593.51	91-95
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**	**273.15**	**471.89**	**745.04**	**3633.33**	**448.71**	**4082.04**	**4827.08**	
41. गृह मंत्रालय	41. Ministry of Home Affairs	10.75	...	10.75	273.63	16.20	289.83	300.58	96-97
42. मंत्रिमंडल	42. Cabinet	...	...	...	50.66	...	50.66	50.66	98
43. पुलिस	43. Police	6.00	40.00	46.00	2957.01	410.41	3367.42	3413.42	99-101
44. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	44. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	109.70	204.30	314.00	263.81	0.32	264.13	578.13	102-104
45. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	45. Transfers to Union Territory Governments	146.70	227.59	374.29	88.22	21.78	110.00	484.29	105
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**	**2759.26**	**2.58**	**2761.84**	**1044.56**	**1.01**	**1045.57**	**3807.41**	
46. शिक्षा विभाग	46. Department of Education.	1823.32	0.52	1823.84	879.21	1.00	880.21	2704.05	106-115
47. युवा कार्य और खेलकूद विभाग	47. Department of Youth Affairs and Sports.	92.94	2.06	95.00	37.73	0.01	37.74	132.74	116-118
48. कला और संस्कृति	48. Department of Culture	113.00	...	113.00	82.73	...	82.73	195.73	119-122
49. महिला और बाल विकास विभाग	49. Department of Women and Child Development	730.00	...	730.00	44.89	...	44.89	774.89	123-126
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**983.92**	**225.38**	**1209.30**	**171.61**	**321.23**	**492.84**	**1702.14**	
50. औद्योगिक विकास विभाग	50. Department of Industrial Development.	428.75	1.25	430.00	50.12	0.12	50.24	480.24	127-130
51. भारी उद्योग विभाग	51. Department of Heavy Industry	10.45	164.55	175.00	9.56	75.00	84.56	259.56	131-135
52. सार्वजनिक उद्यम विभाग	52. Department of Public Enterprises	...	...	...	1.62	...	1.62	1.62	136
53. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	53. Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries	544.72	59.58	604.30	110.31	246.11	356.42	960.72	137-140
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**	**43.76**	**57.24**	**101.00**	**439.70**	**2.20**	**441.90**	**542.90**	
54. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	54. Ministry of Information and Broadcasting	23.76	18.86	42.62	94.00	...	94.00	136.62	141-142

बजट 1995-96 Budget (करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
55. प्रसारण सेवाएं	55. Broadcasting Services	20.00	38.38	58.38	345.70	2.20	347.90	406.28	143-145
श्रम मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR**	**114.04**	**...**	**114.04**	**416.76**	**0.00**	**416.76**	**530.80**	
56. श्रम मंत्रालय	56. Ministry of Labour	114.04	...	114.04	416.76	0.00	416.76	530.80	146-150
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS**	**50.00**	**...**	**50.00**	**332.98**	**0.01**	**332.99**	**382.99**	
57. विधि और न्याय	57. Law and Justice	50.00	...	50.00	301.62	...	301.62	351.62	151-152
58. निर्वाचन आयोग	58. Election Commission	...	...	...	3.29	...	3.29	3.29	153
59. विनियोजन-भारत का उच्चतम न्यायालय	59. Appropriation - Supreme Court of India	...	...	...	11.71	...	11.71	11.71	154
60. कम्पनी कार्य विभाग	60. Department of Company Affairs	...	...	...	16.36	0.01	16.37	16.37	155
खान मंत्रालय	**MINISTRY OF MINES**	**74.00**	**23.72**	**97.72**	**92.18**	**5.25**	**97.43**	**195.15**	
61. खान मंत्रालय	61. Ministry of Mines	74.00	23.72	97.72	92.18	5.25	97.43	195.15	156-157
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**	**222.08**	**24.05**	**246.13**	**2.25**	**...**	**2.25**	**248.38**	
62. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	62. Ministry of Non-Conventional Energy Sources	222.08	24.05	246.13	2.25	...	2.25	248.38	158-160
संसदीय कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**	**...**	**...**	**...**	**1.76**	**...**	**1.76**	**1.76**	
63. संसदीय कार्य मंत्रालय	63. Ministry of Parliamentary Affairs	...	...	...	1.76	...	1.76	1.76	161
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**	**6.10**	**2.00**	**8.10**	**74.69**	**6.00**	**80.69**	**88.79**	
64. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	64. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	6.10	2.00	8.10	74.69	6.00	80.69	88.79	162
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**	**...**	**4.29**	**4.29**	**2.75**	**...**	**2.75**	**7.04**	
65. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65. Ministry of Petroleum and Natural Gas	...	4.29	4.29	2.75	...	2.75	7.04	163-165
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**	**895.83**	**31.17**	**927.00**	**73.14**	**...**	**73.14**	**1000.14**	
66. योजना	66. Planning	94.60	25.40	120.00	14.40	...	14.40	134.40	166-167
67. सांख्यिकी विभाग	67. Department of Statistics	11.23	5.77	17.00	57.70	...	57.70	74.70	168
68. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	68. Department of Programme Implementation	790.00	...	790.00	1.04	...	1.04	791.04	169
विद्युत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER**	**125.47**	**2819.14**	**2944.61**	**20.75**	**...**	**20.75**	**2965.36**	
69. विद्युत मंत्रालय	69. Ministry of Power	125.47	2819.14	2944.61	20.75	...	20.75	2965.36	170-174
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**	**7760.00**	**...**	**7760.00**	**18.34**	**...**	**18.34**	**7778.34**	
70. ग्रामीण विकास विभाग	70. Department of Rural Development	7700.00	...	7700.00	18.06	...	18.06	7718.06	175-178
71. बंजर भूमि विकास विभाग	71. Department of Wastelands Development	60.00	...	60.00	0.28	...	0.28	60.28	179
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**	**462.08**	**43.72**	**505.80**	**419.36**	**1.24**	**420.60**	**926.40**	
72. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	72. Department of Science and Technology	195.07	34.73	229.80	187.81	1.24	189.05	418.85	180-188
73. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	73. Department of Scientific and Industrial Research	177.01	8.99	186.00	225.03	...	225.03	411.03	189-191
74. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	74. Department of Biotechnology	90.00	...	90.00	6.52	...	6.52	96.52	192-194
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**	**...**	**284.50**	**284.50**	**4.85**	**5.02**	**9.87**	**294.37**	
75. इस्पात मंत्रालय	75. Ministry of Steel	...	284.50	284.50	4.85	5.02	9.87	294.37	195-198
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**42.81**	**1032.19**	**1075.00**	**671.08**	**113.03**	**784.11**	**1859.11**	
76. जल-भूतल परिवहन	76. Surface Transport	18.65	29.35	48.00	19.45	20.00	39.45	87.45	199-200
77. सड़कें	77. Roads	15.01	750.89	765.90	533.57	106.02	639.59	1405.49	201-202
78. पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	78. Ports, Lighthouses and Shipping	9.15	251.95	261.10	118.06	-12.99	105.07	366.17	203-205
वस्त्र मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**	**284.88**	**13.12**	**298.00**	**238.35**	**13.92**	**252.27**	**550.27**	
79. वस्त्र मंत्रालय	79. Ministry of Textiles	284.88	13.12	298.00	238.35	13.92	252.27	550.27	206-210
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**	**366.02**	**256.70**	**622.72**	**405.79**	**178.92**	**584.71**	**1207.43**	
80. शहरी विकास और आवास	80. Urban Development and Housing	362.62	163.78	526.40	160.93	71.22	232.15	758.55	211-213
81. लोक निर्माण कार्य	81. Public Works	3.40	90.42	93.82	169.86	104.70	274.56	368.38	214-215

बजट 1995-96 Budget (करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	आयोजना Plan पूंजी Capital	आयोजना Plan जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	आयोजना-भिन्न Non Plan पूंजी Capital	आयोजना-भिन्न Non Plan जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
82. लेखन सामग्री और मुद्रण	82. Stationery and Printing	...	2.50	2.50	75.00	3.00	78.00	80.50	216
जल संसाधन मंत्रालय	**MINISTRY OF WATER RESOURCES**	**247.66**	**54.34**	**302.00**	**100.02**	**1.98**	**102.00**	**404.00**	
83. जल संसाधन मंत्रालय	83. Ministry of Water Resourses	247.66	54.34	302.00	100.02	1.98	102.00	404.00	217-221
कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF WELFARE**	**1109.74**	**185.26**	**1295.00**	**35.00**	**0.41**	**35.41**	**1330.41**	
84. कल्याण मंत्रालय	84. Ministry of Welfare	1109.74	185.26	1295.00	35.00	0.41	35.41	1330.41	222-227
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**	**55.47**	**587.53**	**643.00**	**447.85**	**311.30**	**759.15**	**1402.15**	
85. परमाणु ऊर्जा	85. Atomic Energy	55.47	287.53	343.00	347.53	311.30	658.83	1001.83	228-232
86. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	86. Nuclear Power Schemes	...	300.00	300.00	100.32	...	100.32	400.32	233-234
इलेक्ट्रानिकी विभाग	**DEPARTMENT OF ELECTRONICS**	**125.48**	**21.52**	**147.00**	**14.35**	**...**	**14.35**	**161.35**	
87. इलेक्ट्रानिकी विभाग	87. Department of Electronics	125.48	21.52	147.00	14.35	...	14.35	161.35	235-238
महासागर विकास विभाग	**DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT**	**42.75**	**9.25**	**52.00**	**13.94**	**...**	**13.94**	**65.94**	
88. महासागर विकास विभाग	88. Departrment of Ocean Development	42.75	9.25	52.00	13.94	...	13.94	65.94	239-241
अन्तरिक्ष विभाग	**DEPARTMENT OF SPACE**	**670.39**	**79.61**	**750.00**	**161.20**	**...**	**161.20**	**911.20**	
89. अन्तरिक्ष विभाग	89. Department of Space	670.39	79.61	750.00	161.20	...	161.20	911.20	242-247
संसद, राष्ट्रपति सचिवालय, आदि	**PARLIAMENT, SECRETARIAT OF THE PRESIDENT, ETC.**	**...**	**...**	**...**	**98.63**	**...**	**98.63**	**98.63**	
90. लोक सभा	90. Lok Sabha	...	...	...	48.96	...	48.96	48.96	248
91. राज्य सभा	91. Rajya Sabha	...	...	...	25.06	...	25.06	25.06	249
92. विनियोजन - राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	92. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	...	...	...	4.84	...	4.84	4.84	250
93. उपराष्ट्रपति का सचिवालय	93. Secretariat of the Vice-President	...	...	...	0.39	...	0.39	0.39	251
94. संघ लोक सेवा आयोग	94. Appropriation - Union Public Service Commission	...	...	...	19.38	...	19.38	19.38	252
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE**	**119.13**	**286.47**	**405.60**	**577.20**	**-28.59**	**548.61**	**954.21**	253-256
95. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	95. Andaman & Nicobar Islands	44.15	170.85	215.00	192.79	1.21	194.00	409.00	254
96. दादरा और नागर हवेली	96. Dadra & Nagar Haveli	10.86	18.14	29.00	13.89	1.69	15.58	44.58	254
97. लक्षद्वीप	97. Lakshadweep	22.70	15.90	38.60	74.93	0.04	74.97	113.57	255
98. चंडीगढ़	98. Chandigarh	33.28	66.72	100.00	278.85	-31.55	247.30	347.30	255
99. दमन और दीव	99. Daman & Diu	8.14	14.86	23.00	16.74	0.02	16.76	39.76	256
रेलवे**	**RAILWAYS ****	**...**	**1150.00**	**1150.00**	**...**	**...**	**...**	**1150.00**	
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	*29330.14*	*19170.08*	*48500.22*	*106998.21*	*16653.09*	*123651.30*	*172151.52*	

* मांग संख्या 30 ऋण की वापसी-अदायगी के लिए है, जो प्राप्तियों से समतुल्य है ।

* *Demand No. 30 is for repayment of debt which is matched by receipts.*

** रेलवे बजट के एक भाग के रूप में अलग से प्रस्तुत ।

** *Presented separately as part of Railway Budget.*

कृषि मंत्रालय *MINISTRY OF AGRICULTURE*

मांग संख्या DEMAND No.1

कृषि Agriculture

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		883.11	374.30	1257.41	861.91	910.03	1771.94	871.14	539.64	1410.78
पूंजी	*Capital*		*44.94*	*0.23*	*45.17*	*43.08*	*0.23*	*43.31*	*49.21*	*0.23*	*49.44*
जोड़	Total		928.05	374.53	1302.58	904.99	910.26	1815.25	920.35	539.87	1460.22
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	2.89	8.60	11.49	2.29	9.96	12.25	2.60	10.22	12.82
कृषि कार्य	**Crop Husbandry**										
बीज	**Seeds**										
2. राष्ट्रीय बीज निगम को अनुदान	2. Grants to National Seeds Corporation etc.	2401	34.50	...	34.50	34.50	...	34.50	11.50	...	11.50
3. अन्य बीज योजनाएं	3. Other seeds schemes	3601	...	...	...	...	...	...	1.45	...	1.45
		2401	0.85	0.08	0.93	0.71	0.08	0.79	2.54	0.65	3.19
		4401	0.51	...	0.51	0.51	...	0.51	0.21	...	0.21
जोड़		*Total*	*1.36*	*0.08*	*1.44*	*1.22*	*0.08*	*1.30*	*4.20*	*0.65*	*4.85*
जोड़-बीज	**Total-Seeds**		35.86	0.08	35.94	35.72	0.08	35.80	15.70	0.65	16.35
खाद्यान्न फसलें	**Foodgrain Crops**										
4. चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए मिनिकिट कार्यक्रम	4. Minikit programmes for rice, wheat and Coarse Cereals	2401	3.50	...	3.50	2.40	...	2.40	3.00	...	3.00
5. एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- गेहूं, और मोटे अनाज	5. Integrated Cereals Development Programme - Wheat and Coarse Cereals	2401	4.00	...	4.00	1.65	...	1.65	2.77	...	2.77
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*1.65*	...	*1.65*	*2.77*	...	*2.77*
6. अनाजों का एकीकृत विकासकार्यक्रम-चावल	6. Integrated Cereals Development Programme - Rice	2401	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	2.06	...	2.06
		3601	67.08	...	67.08	27.75	...	27.75	55.08	...	55.08
		3602	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25	0.41	...	0.41
जोड़		*Total*	*70.08*	...	*70.08*	*30.00*	...	*30.00*	*57.55*	...	*57.55*
7. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	7. Others schemes of Foodgrain crops	2401	0.10	0.18	0.28	0.10	0.16	0.26	...	0.18	0.18
जोड़-खाद्यान्न फसलें	**Total - Foodgrain crops**		77.68	0.18	77.86	34.15	0.16	34.31	63.32	0.18	63.50
8. दालों का विकास	8. Development of Pulses	3601	30.57	...	30.57	28.56	...	28.56	28.96	...	28.96
		2401	5.43	0.08	5.51	5.43	0.09	5.52	5.43	0.10	5.53
		3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*36.00*	*0.08*	*36.08*	*34.00*	*0.09*	*34.09*	*34.40*	*0.10*	*34.50*
खाद और उर्वरक	**Manures & Fertilizers**										
9. उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	9. *Assistance for Fertilizer promotion*	3601	...	...	...	...	13.79	13.79	...	...	...
		3602	...	...	...	...	0.14	0.14	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	*13.93*	*13.93*	...	...	...
10. नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए विनिर्माताओं/एजेंसियों को अदायगियां	10 Payment to manufacturers/ agencies for Concessional sale of decontrolled fertilizers	2401	...	...	...	...	517.00	517.00	...	500.00	500.00
11. खाद और उर्वरक की अन्य योजनाएं	11. Other schemes of Manures and Fertilizers										
11.01 जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना	11.01 National Project on Development and use of Bio-fertilizers	2401	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.10	...	1.10
		3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.37	...	0.37
		3602	...	...	...	...	...	...	0.13	...	0.13
		4401	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
11.02 उर्वरकों का संतुलित प्रयोग	11.02 Balanced use of fertilizers	2401	0.70	...	0.70	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
		3601	4.00	...	4.00	4.65	...	4.65	4.80	...	4.80
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*4.75*	...	*4.75*	*4.75*	...	*4.75*	*5.00*	...	*5.00*
11.03 अन्य कार्यक्रम	11.03 Other Programmes	2401	0.81	...	0.81	1.05	...	1.05	1.40	...	1.40
		3601	1.38	...	1.38	1.13	...	1.13	7.85	...	7.85
		3602	0.06	...	0.06	0.03	...	0.03	0.25	...	0.25
		4401	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*3.25*	...	*3.25*	*3.21*	...	*3.21*	*11.00*	...	*11.00*
जोड़-खाद और उर्वरक की अन्य योजनाएं	***Total-Other Schemes of Manures and Fertilizers***	***Total***	*10.00*	...	*10.00*	*9.96*	...	*9.96*	*18.00*	...	*18.00*
जोड़-खाद और उर्वरक	**Total-Manures & Fertilizers**		10.00	...	10.00	9.96	530.93	540.89	18.00	500.00	518.00
12. पौध संरक्षण	12. Plant protection	3601	...	...	...	5.00	...	5.00	3.70	...	3.70
		3602	...	...	...	...	...	...	0.10		0.10

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		2401	14.44	4.50	18.94	9.51	5.10	14.61	12.15	5.30	17.45
		4401	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	6.32	...	6.32
जोड़		*Total*	*17.04*	*4.50*	*21.54*	*17.11*	*5.10*	*22.21*	*22.27*	*5.30*	*27.57*
वाणिज्यिक फसलें	**Commercial Crops**										
13. तेलहन उत्पादन कार्यक्रम	13. Oil Seeds Production Programme	3601	94.50	...	94.50	83.45	...	83.45	94.00	...	94.00
		2401	10.94	0.31	11.25	10.94	0.31	11.25	10.00	0.32	10.32
जोड़		*Total*	*105.44*	*0.31*	*105.75*	*94.39*	*0.31*	*94.70*	*104.00*	*0.32*	*104.32*
14. राष्ट्रीय तेलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	14. National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board	2401	3.50	0.01	3.51	4.65	0.01	4.66	4.00	0.01	4.01
15. तेलहनों और दालों में पश्च-फसल प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास	15. Research and development of Post Harvest Technology in Oilseeds & Pulses	2401	10.99	...	10.99	7.50	...	7.50	10.99	...	10.99
		7601	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
		Total	*10.99*	...	*10.99*	*7.50*	...	*7.50*	*11.99*	...	*11.99*
16. गहन कपास विकास कार्यक्रम	16. Intensive Cotton Development Programme	3601	14.75	...	14.75	11.23	...	11.23	14.75	...	14.75
		2401	0.30	0.20	0.50	0.32	0.26	0.58	0.25	0.26	0.51
जोड़		*Total*	*15.05*	*0.20*	*15.25*	*11.55*	*0.26*	*11.81*	*15.00*	*0.26*	*15.26*
17. सक्षम राज्यों में ताड़ के पेड़ों की खेती	17. Oil Palm Cultivation in potential States	2401	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.05	...	1.05
		3601	21.50	...	21.50	18.90	...	18.90	23.75	...	23.75
		3602	0.40	...	0.40	...	...	...	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*23.40*	...	*23.40*	*20.40*	...	*20.40*	*24.90*	...	*24.90*
18. जल प्रबंध	18. Water Management	3601	...	...	...	8.00	...	8.00	38.40	...	38.40
		2401	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
		Total	...	...	...	*10.00*	...	*10.00*	*40.40*	...	*40.40*
19. वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम	19. National watershed development programme for rainfed agriculture	3601	159.00	...	159.00	151.80	...	151.80	150.50	...	150.50
		3602	0.20	...	0.20	0.04	...	0.04	...	...	...
		2401	0.80	...	0.80	0.60	...	0.60	0.50	...	0.50
		7601	37.95	...	37.95	36.13	...	36.13	37.00	...	37.00
		7602	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
		Total	*198.00*	...	*198.00*	*188.58*	...	*188.58*	*188.00*	...	*188.00*
20. जल संभरण विकास परिषद	20. Watershed Development Council	2401	2.00	...	2.00	1.42	...	1.42	2.00	...	2.00
21. अन्य वाणिज्यक फसलें	21. Other Commercial Crops										
21.01 कृषि प्रयोग के लिए दूर संवेदी अनुप्रयोग मिशन के लिए अंतरिक्ष विभाग को अदायगी।	21.01 Payment to Dept of Space for Remote Sensing Application Mission for Agriculture Application	2401	0.01	...	0.01	3.82	...	3.82	4.02	...	4.02
21.02 अन्य कार्यक्रम	21.02 Other Programmes	2401	0.02	0.69	0.71	4.07	0.78	4.85	0.11	0.82	0.93
		3601	...	...	...	9.00	...	9.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.02*	*0.69*	*0.71*	*13.07*	*0.78*	*13.85*	*0.11*	*0.82*	*0.93*
जोड़-अन्य वाणिज्यिक फसलें जोड़	***Total- Other Commercial Crop.***	***Total***	***0.03***	***0.69***	***0.72***	***16.89***	***0.78***	***17.67***	***4.13***	***0.82***	***4.95***
जोड़-वाणिज्यिक फसलें	**Total-Commercial Crops**		**358.41**	**1.21**	**359.62**	**355.38**	**1.36**	**356.74**	**394.42**	**1.41**	**395.83**
22. बागवानी और सब्जी-फसलें	22. Horticulture and Vegetable Crops	3601	102.44	...	102.44	99.33	...	99.33	111.87	...	111.87
		3602	0.46	...	0.46	0.61	...	0.61	0.54	...	0.54
		2401	81.10	0.51	81.61	73.56	0.52	74.08	99.59	0.53	100.12
		4401	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*184.00*	*0.51*	*184.51*	*173.50*	*0.52*	*174.02*	*212.00*	*0.53*	*212.53*
23. विस्तार और प्रशिक्षण	23. Extension and Training	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		2401	16.00	2.35	18.35	18.24	2.70	20.94	12.95	2.80	15.75
		Total	*16.00*	*2.35*	*18.35*	*18.24*	*2.70*	*20.94*	*12.95*	*2.80*	*15.75*
फसल बीमा	**Crop Insurance**										
24. फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत साधारण बीमा निगम को अदायगी	24. Payment to GIC under crop Insurance schemes	2401	69.99	...	69.99	106.71	...	106.71	36.37	...	36.37
		3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*70.05*	...	*70.05*	*106.77*	...	*106.77*	*36.40*	...	*36.40*
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	**Agricultural Economics & Statistics**										
25. कृषि गणना	25. Agricultural Census	2401	0.34	...	0.34	0.32	...	0.32	0.34	...	0.34
		3601	1.63	...	1.63	1.63	...	1.63	1.40	...	1.40
		3602	0.03	...	0.03	0.05	...	0.05	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*1.80*	...	*1.80*
26. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं	26. Other schemes of Agricultural Economics & Statistics										
26.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	26.01 Directorate of Economics and Statistics	2401	...	3.31	3.31	0.60	3.45	4.05	...	3.67	3.67
26.02 मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना	26.02 Comprehensive Scheme for studying the cost of production of principal crops	2401	5.67	...	5.67	6.22	...	6.22	6.44	...	6.44
26.03 मुख्य फसलों के क्षेत्रों और उत्पादन के अनुमानों की सामयिक रिपोर्ट	26.03 Timely report of estimates of areas and production of principal crops	3601	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95	2.05	...	2.05
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.10*	...	*2.10*
26.04 कृषि संबंधी सांख्यिकी का संग्रहण	26.04 Collection of Agricultural Statistics	3601	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.94	...	4.94
26.05 अन्य कार्यक्रम	26.05 Other Programmes	2401	1.09	1.94	3.03	1.15	2.70	3.85	1.06	2.73	3.79

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
		3601	3.72	...	3.72	3.59	...	3.59	3.99	...	3.99
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*4.83*	*1.94*	*6.77*	*4.76*	*2.70*	*7.46*	*5.07*	*2.73*	*7.80*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं	***Total-Other Schemes of Agri Eco & Statistics***		*17.00*	*5.25*	*22.25*	*18.08*	*6.15*	*24.23*	*18.55*	*6.40*	*24.95*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	**Total-Agricultural Economics & Statistics**		19.00	5.25	24.25	20.08	6.15	26.23	20.35	6.40	26.75
27. कृषि इंजीनियरी	27. Agricultural Engineering	2401	0.62	1.56	2.18	0.53	1.72	2.25	0.78	1.81	2.59
28. आलू, प्याज आदि के लिए मूल्य समर्थन क्रियाकलाप		3601	11.13	...	11.13	10.28	...	10.28	6.53	...	6.53
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02
		4401	2.22	0.19	2.41	2.22	0.23	2.45	2.67	0.19	2.86
जोड़		*Total*	*14.00*	*1.75*	*15.75*	*13.06*	*1.95*	*15.01*	*10.00*	*2.00*	*12.00*
28. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	28. Price support operations for Potatoes,Onions etc.										
28.01 'नेफेड' के माध्यम से	28.01 Through NAFED	2401	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*
29. सरकारी उद्यमों में निवेश	29. Investments in Public Enterprises	4401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		6401	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*0.11*	...	*0.11*	*0.11*	...	*0.11*	*0.11*	...	*0.11*
30. अनाज का एकीकृत विकास कार्यक्रम - गेहूं, मोटे अनाज	30. Integrated Cereal Development programme - Wheat Coarse Cereal	3601	77.34	...	77.34	23.98	...	23.98	43.17	...	43.17
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*77.34*	...	*77.34*	*23.98*	...	*23.98*	*43.17*	...	*43.17*
31. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम	31. Other programmes of Crop Husbandry										
31.01 विशेष जूट विकास कार्यक्रम	31.01 Special Jute Development Programme	2401	0.26	...	0.26	0.20	...	0.20	0.24	...	0.24
		3601	4.70	...	4.70	3.30	...	3.30	4.34	...	4.34
जोड़		*Total*	*4.96*	...	*4.96*	*3.50*	...	*3.50*	*4.58*	...	*4.58*
31.02 गन्ना विकास	31.02 Sugarcane Development	2401	0.01	...	0.01	2.86	...	2.86	3.80	...	3.80
		3601	0.01	...	0.01	13.47	...	13.47	17.80	...	17.80
		3602	0.01	...	0.01	0.22	...	0.22	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*0.03*	...	*0.03*	*16.55*	...	*16.55*	*21.90*	...	*21.90*
31.03 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	31.03 International Cooperation	2401	...	7.89	7.89	...	8.87	8.87	...	8.83	8.83
		4401	...	0.04	0.04	...	...	...	...	0.04	0.04
जोड़		*Total*	...	*7.93*	*7.93*	...	*8.87*	*8.87*	...	*8.87*	*8.87*
31.04 अन्य कार्यक्रम	31.04 Other programmes	2401	2.12	...	2.12	1.42	...	1.42	5.85	...	5.85
		3601	...	...	...	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*2.12*	...	*2.12*	*1.52*	...	*1.52*	*6.35*	...	*6.35*
जोड़- कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम	***Total- Other Programmes of Crop Husbandry***		*7.11*	*7.93*	*15.04*	*21.57*	*8.87*	*30.44*	*32.83*	*8.87*	*41.70*
जोड़- कृषि कार्य के	**Total- Crop Husbandry**		**922.60**	**23.85**	**946.45**	**863.63**	**557.92**	**1421.55**	**915.92**	**528.25**	**1444.17**
अन्य कृषि कार्यक्रम	**Other Agricultural Programmes**										
32. किसानों को ऋण राहत की योजना	32. Scheme for debt relief to farmers	2435	...	341.00	341.00	...	341.00	341.00	...	...	...
33. आधारभूत निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता।	33. Assistance to Small and Marginal farmers for implementation of various schemes including infrastructure building	2401	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
		3601	...	...	...	37.40	...	37.40	...	...	...
		3602	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	*37.43*	...	*37.43*	...	...	...
34. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	34. Other Administrative Services										
34.01 कीटनाशक अधिनियम का कार्यान्वयन	34.01 Implementation of Insecticides Act	2070	2.56	1.08	3.64	1.64	1.38	3.02	1.83	1.40	3.23
कुल जोड़	***Grand Total***		*928.05*	*374.53*	*1302.58*	*904.99*	*910.26*	*1815.25*	*920.35*	*539.87*	*1460.22*
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
29.01 ऑयल पाम इंडिया लि.	29.01 Oil Palm India Ltd.	12401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
29.02 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	29.02 National Dairy Development Board	12401	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	**TOTAL**		**0.11**	...	**0.11**	**0.11**	...	**0.11**	**0.11**	...	**0.11**
ग. आयोजना परिव्यय केन्द्रीय आयोजना	**C. Plan Outlay *:-** *Central Plan:*										
1. फसल कार्य	1. Crop Husbandry	12401	923.60	...	923.60	865.25	...	865.25	916.92	...	916.92
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	2. Other Agricultural Programmes	12435	...	...	...	37.43	...	37.43	...	...	...

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना बजट समर्थन Budget Support	आयोजना-भिन्न आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	आयोजना बजट समर्थन Budget Support	आयोजना-भिन्न आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	आयोजना बजट समर्थन Budget Support	आयोजना-भिन्न आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3. Secretariat-Economic Services	13451	2.89	...	2.89	2.29	...	2.29	2.60	...	2.60
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4. Other Administrative Services	32070	2.56	...	2.56	1.64	...	1.64	1.83	...	1.83
		Total	929.05	...	929.05	906.61	...	906.61	921.35	...	921.35
	TOTAL		929.05	...	929.05	906.61	...	906.61	921.35	...	921.35

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

* *Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

1. यह व्यवस्था कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, काउंसलर (कृषि) भारतीय दूतावास, रोम और तेलहनों और दालों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के व्यय के लिए है ।

2. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III (एन.एस.पी.-III) मार्च, 1990 में 15 करोड़ अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता से 236.01 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कृषकों को उचित मूल्य पर प्रमाणित/उन्नत बीजों की समुचित किस्मों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करना और राष्ट्रीय बीज निगम (एन. एस. सी), भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) और राज्य बीज निगमों (एस.एस.सी.) की कार्यकरण कुशलता में सुधार करना है ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके और अनुदान के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सकें तथा निजी बीज उद्योग की पर्याप्त संस्थागत वित्त के जरिए तथा साथ ही बीज से सम्बद्ध बफर स्टाक के व्यय की पूर्ति की जा सके।

3. इसमें बीजों के प्रसंस्करण और भंडारण के बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं, राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, बुनियादी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम को अनुदान देने, राज्यों के बीज प्रमाणीकरण संगठनों को सुदृढ़ बनाने आदि के लिए राज्यों को अनुदान देने पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

4. चावल, गेहूं जैसे मोटे अनाजों के मिनिकिट कार्यक्रम का उद्देश्य अद्यतन किस्मों के बीजों को शीघ्रतापूर्वक लोकप्रिय बनाना और देश भर में किसानों के बीच नई उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करना है। नई प्रौद्योगिकी के प्रचार का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में बीजों की रतुए से प्रभावित होने वाली किस्मों का प्रतिस्थापन रतुआ प्रतिरोधी किस्मों से करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई उत्पादन प्रौद्योगिकी में विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

5. यह कार्यक्रम गेहूं और मोटे अनाजों की उत्पादकता को विशिष्ट उच्च पैदावार वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को शामिल करके और संशोधित उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाकर बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य से तैयार किया गया है। इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरुआती प्रदर्शनी आयोजित करना, बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.), भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.) राज्य बीज निगम को वितरण प्रोत्साहन प्रदान करना, अध्ययनों का मूल्यांकन करना तथा संघ राज्य क्षेत्र और राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के लिए अनुदान सहायता देना शामिल है।

6. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमाणित बीजों और बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी आदि के प्रयोग द्वारा चुने गये राज्यों में चावल का उत्पादन और इसकी उत्पादकता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना है। इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में भारत सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

7. यह व्यवस्था चावल निदेशालय और बाजरे के विकास से सम्बधित कार्यक्रमों के लिए है ।

8. दालों के विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पावधिक किस्म की दालों की फसलों की खेती के अन्तर्गत दालों की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर और दालों की खेती के संबंध में पैकेज पद्धति अपनाकर और उपजाऊ बीजों का उत्पादन करके तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि द्वारा शुरुआती प्रदर्शनी आयोजित करके दालों का उत्पादन बढ़ाना है ।

9. किसानों को स्वदेशी डी.ए.पी., एन.ओ.पी., एस.एस.पी. की खरीद के लिए तथा अन्य स्वदेशी मिश्रित उर्वरकों को उचित मूल्य पर खरीदने के लिए रियायत प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए सं. अ. 1994-95 के अन्तर्गत 13.93 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Department of Agriculture and Cooperation, Counsellor (Agriculture) Embassy of India, Rome, and for Technology Mission on Oilseed and Pulses.

2. National Seeds Project Phase-III (NSP-III) has been launched at a total cost of Rs. 236.01 crores with the World Bank assistance of US $ 150 million in March, 1990 with a view to assisting the farmers by ensuring timely and adequate availability of certified/quality seeds of suitable varieties at reasonable prices and to improve the working efficiency of National Seeds Corporation (NSC), State Farms Corporation of India (SFCI) and State Seeds Corporations (SSCs) so as to make them economically viable and to provide facilities for grant and Private Seed Industry through adequate institutional finance and also to meet expenditure of Buffer Stocking on Seeds.

3. The provision includes expenditure on seed processing and storage-infrastructural facilities, setting up of national seeds training centre, grants to State Farms Corporation of India for production of foundation and certified seeds, grants to States for strengthening of state seed certification organisations, etc.

4. The minikit programmes of Coarse Cereals like rice, wheat aim at quick popularisation of the latest varieties of seeds and propagation of new production technology amongst the farming community all over the country. Propagation of the new technology is with a view to replacing the rust susceptible varieties with rust resistant varieties in hill areas. The programmes include training of extension workers in new production technology.

5. The Programme has been designed with specific objectives for increasing the productivity of wheat and coarse cereals through coverage of larger areas under location specific High Yielding varieties and adoption of improved production technology. These include frontline demonstration by ICAR, provide incentive for seed production and distribution incentives to National Seeds Corporation (NSC), State Farms Corporation of India (SFCI), State Seeds Corporation, evaluation of studies, grant-in-aid to Union Territories and State level training programmes etc.

6. The programme seeks to bring about substantial increase in production and productivity of rice in the indentified States through use of certified seeds, better agricultural technology etc. It is proposed to be implemented with 100% assistance from Government of India as Central Sector Scheme.

7. The provision is for Directorates of rice and millet development related programmes.

8. The programme for development of pulses aims at raising the production of pulses by increasing the area under these crops by cultivation of short-duration package of practices in pulses cultivation and also for production of breeder seed and holding of front line demonstration, by ICAR etc.

9. To provide concession to the farmers for purchase of indigenous DAP, NOP, SSP and other indigenous complex fertilizers at reasonable price. A provision of Rs.13.93 crore under RE 1994-95 has been made for this purpose.

10. किसान को रियायत सहित नियंत्रण मुक्त फास्फेटी और पोटासी उर्वरकों की बिक्री करने से सम्बद्ध स्कीम के अन्तर्गत विनिर्माता/एजेंसियों को भुगतान करने के लिए सं.अ. 1994-95 के अन्तर्गत 517.00 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 1995-96 के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस उद्देश्य हेतु की गई है।

11. यह व्यवस्था जैव-उर्वरक के विकास और उपयोग, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ बनाने और उर्वरकों आदि के संतुलित उपयोग और जैव उर्वरकों आदि के लिए प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित व्यय शामिल है।

12. इसमें प्रभावी पौधा संरक्षण उपाय करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, प्रभावी पौधा संरक्षण के लिए किसानों और विस्तार तंत्र की तकनीकी सक्षमता तैयार करने, एकीकृत कीटनाशक प्रबंध के लिए देश में/जैविक नियंत्रण और निगरानी और बीज विकास की नई नीति के अंतर्गत पौधा संगरोध प्रक्रिया सुदृढ़ करने और कृषकों द्वारा पौधा संरक्षण उपायों के लिए उच्च कोटि के कीटनाशकों की उपलब्धता में सुधार करने से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

13. तेलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना (एन.ओ.डी.पी.) और तेलहन उत्पादन संवृद्धि परियोजना (ओ.पी.टी.पी.) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। ये दोनों कार्यक्रम 1989-90 तक संचालन में थे। 1990-91 से राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना और तेलहन उत्पादन संवृद्धि परियोजना को मिलाकर "तेलहन उत्पादन कार्यक्रम" नामक एक परियोजना बना दिया गया है जो मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, करड़ी, नाइजर, कस्तूरी और अलसी नामक सभी प्रमुख नौ तिलहन फसलें शामिल है। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में चल रहा है। सभी प्रमुख संसाधनों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का ढांचा 75:25 है। इसके अतिरिक्त शुरुवाती प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए आई.सी.ए.आर. को सहायता अनुदान (100 प्रतिशत) दिया जाता है। तेलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष जोर बेहतर कार्यकलापों को अपनाकर, संसाधन समर्थन सेवाओं और तकनीक के अन्तरण आदि के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना है। 1990-91 से आई. सी. ए. आर. द्वारा किसानों के खेतों पर आयोजित की जाने वाली शुरुआती प्रदर्शनियों और किसानों को रियायती दरों पर बीज के वितरण नामक दो अवयव शुरू किए गए है।

14. तेलहन और वनस्पति तेल उद्योग के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड को उत्पादन, प्रसंस्करण विपणन, तकनीकी सुधार और अनुसंधान, अधिप्राप्ति, गोदाम सुविधा और संकट-रोधी स्टाक आदि के रख-रखाव सहित तेलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के सभी पहलुओं संबंधी बहुत व्यापक कार्य सौंपे गए है।

15. यह व्यवस्था तेलहन और दालों में जुताई के बाद की तकनीक संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए है जिसमें मुख्य रूप से (क) आधुनिक तेल के कोल्हू (एक्सपैलर) का विकास करना और उसे लोकप्रिय बनाना तथा (ख) ताड़ के फलों के प्रसंस्करण के लिए प्रोटोटाइप विकसित करना और आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक परीक्षणों के लिए तेल के लिए पनपने वाले ताड़ के पौधे लगाना, (ग) फार्म स्तर आदि पर दालों का परिरक्षण और भंडारण और चुनिंदा बड़े पत्तनों पर तेलहन निष्कर्षणों आदि के निर्यात के लिए उठान-धरने की बड़ी सुविधाओं की सस्थापना शामिल है।

16. यह व्यवस्था वर्तमान गहन कपास विकास कार्यक्रम को जारी रखने तथा नवीन सिंचित क्षेत्रों और अपरम्परागत क्षेत्रों में उसके विस्तार के लिए है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को शुरुआती प्रदर्शनी आयोजित करने, संकर बीजों के उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देने, एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. को बीज उत्पादन और वितरण के लिए सहायता देने तथा मूल्यांकन अध्ययन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

17. ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर तेल के रूप में अन्य तेल की फसलों से बहुत अधिक है। तेल के लिए ताड़ की खेती के लिए उपयुक्त लगभग 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पता लगाया गया है, जिसमें से इस योजना के अधीन 18,500 हेक्टेयर क्षेत्र का शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में देशी और आयातित दोनों स्रोतों से बीज और पौध की आपूर्ति, फसल उगाने के लिए किसानों को सहायता, तेल शोधक और तेल-निष्कर्षण इकाइयां आदि स्थापित करना शामिल है। साथ ही विदेश में संस्थापित बागान सम्बन्धी प्रशिक्षण/अध्ययन यात्राओं/सगोष्ठियों में भाग

10. For payment to the manufacturers/agencies under the Scheme of sale of decontrolled Phosphatic and potassic fertilisers with concession to the farmers. An amount of Rs.517.00 crores has been provided under R.E. 1994-95 and Rs.500.00 crores under B.E. 1995-96 for this purpose.

11. The provision is for expenditure on development and use of biofertilisers, strengthening of Central Fertiliser Quality and Control and Training Institute and Balanced use of Fertilisers Technology Mission on Biofertilisers etc.

12. The provision is for expenditure relating to various programmes for undertaking effective plant protection measures, building up the technical capability of extension machinery and farmers for effective plant protection, maintaining and running of surveillance and biological control in the Country for Integrate Pest Management and strengthening plant quarantine procedures under the new policy on seed development and improve availability of quality pesticides for plant protection measures by farmers.

13. Programme for increasing Oilseeds Production during the 7th Plan was implemented through two Centrally sponsored schemes, namely National Oilseeds Development Project (NODP) and Oilseed Production Thrust Project (OPTP). These two programmes were in operation upto 1989-90. From 1990-91, NODP and OPTP have been amalgamaged into a single project "Oilseed Production Programme" which covers all the major nine oilseed crops namely groundnut, rapeseed-mustard, soyabean sesamum, sunflower, safflower, niger, castor and lineseed. The programme is in operation in important oilseed growing States. The pattern of financial assistance is 75:25 between the Central and the State Governments for all the key inputs. In addition, grant-in-aid (100%) is given to ICAR for organising frontline demonstrations. Under OPP, the main emphasis is on increasing the productivity through adoption of improved package of practices, input support services and transfer of technology etc. Two components, namely frontline demonstrations to be organised by the ICAR on the farmers' fields and seed distribution to farmers at concessional rates have been introduced from 1990-91.

14. National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board set up under the NOVOD Board Act, 1983 for integrated development of oilseed and vegetable oil industry, is charged with comprehensive functions covering all aspects of oilseed industry and vegetable oil industry including production, processing, marketing, technological improvements and research, procurement, storage and maintenance of buffer stocks etc.

15. The provision is for research and development of post-harvest technology in oilseeds and pulses concentrating mainly on (a) development and popularisation of modern oil expeller and (b) to develop a proto-type for processing palm fruits and installation in oil Palm plantation coming up in Andhra Pradesh for commercial trials. (c) preservation and storage of pulses at the farm level etc. and installation of mechanised bulk handling facilities at selected Major Ports for export of Oil seeds extrautions etc.

16. The provision is for continuation of the existing intensive cotton development programme and its extension to new irrigated areas as well as non-traditional areas. In addition, grant-in-aid is given to ICAR for organising frontline demonstration training to farmers for production of hybrid seeds, aid to provide seed production and distribution of NSC/SFCI and evaluation studies etc.

17. The yields from oil palm is very high in terms of oil per hectare as compared to other oil crops, an area of about 5.75 lakh hectare has been identified suitable to oil palm cultivation of which 18,500 hectares is proposed to be covered under this scheme. The programme includes supply of seeds and seedlings both through imports and indigenous sources, assistance to farmers for raising the crop, establishment of refineries and oil extraction units etc. Provision is also made for training in established plantation abroad/study tours/

लेना और समवर्ती मूल्यांकन आदि के लिए भी प्रावधान है।

18. खेत पर कारगर जल प्रबंध प्रणाली संबंधी स्कीम और फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए कार्बनिक-पदार्थों के उपयोग का उद्देश्य जल जो एक दुर्लभ तरल है और फसलों की समग्र उत्पादकता की उन्नत कोटि का प्रबन्ध करना तथा उनका प्रभावी उपयोग करना है।

19. इस परियोजना का प्रयास देश में वर्षा-पोषित क्षेत्रों के विशाल भूभाग में पारिस्थितिक संतुलन की पुनःस्थापना और बायोमास के धारणीय उत्पादन के युग्म उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह परियोजना विशेषरूप से (i) प्राकृतिक निधियों जैसे भू-जल, पौधा, सुसंगत रूप से और एकीकृत ढंग से पशु और मानव संसाधनों के संरक्षण, कोटि बढ़ाने और उपयोग; (ii) अधिक संख्या में रोजगार देने (iii) भूमि और पानी के वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध के जरिए पारिस्थितिक संतुलन की पुनःस्थापना और उत्पादन पर्यावरण का सुधार; और (iv) सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। यह कार्यक्रम देश के उन सभी ब्लाकों के लिए है जिनके 30 प्रतिशत से कम कृषि क्षेत्र को सिंचाई के सुनिश्चित साधन मिल रहे हों। भूमि और जल के प्रयोग के वैज्ञानिक माडलों का लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा विकास किया जाएगा जिसे त्वरित गति से अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रतिवलित किया जाएगा।

20. यह व्यवस्था जलसंभर विकास परिषद जिसका गठन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं अर्थात् (i) हिमालय जलसंभर परियोजना और (ii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलसंभर विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना के कार्य-निष्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी के लिए किया गया था। जलसंभर विकास परिषद के मुख्य कार्यों का विस्तार करके विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पर्यवेक्षण तक बढ़ाया गया है। वर्षा सिंचित कृषि के लिए बढ़ती हुई प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि और सहकारिता विभाग ने वर्षा सिंचित खेती, जलसंभर विकास और प्रबंध नामक एक नए प्रभाग का सृजन किया है।

21. यह व्यवस्था वनस्पतीय सूचकांक और आई.एम.डी. अवलोकनों के आधार पर फसल क्षेत्र अनुमान और सूखा तथा बाढ़ क्षेत्रीकरण का पूर्वानुमान करने के लिए दूर संवेदी कार्यों के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान करने के लिए है। समुद्री क्षमता भी ज्ञात की जा सकती है, जिसके लिए महासागर विकास विभाग द्वारा कार्य किया जा सकता है, ताकि काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जा सके। उसमें विभिन्न निदेशालयों पर होने वाला व्यय भी शामिल है, जो वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों और सूखाप्रवण क्षेत्रों, जो अनिवार्यतः न केवल वर्षा बल्कि प्रमाणीकृत बीजों की उचित किस्मों की उपलब्धता की कमी से भी प्रभावित होते हैं, में बीज उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

22. इस कार्यक्रम में अनेक फसलें जैसे, फल, सब्जियां, पुष्पोत्पादन, मसाले, काजू, नारियल और सुगन्धित खुम्भी शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फलदार वृक्षों को अच्छी किस्म की रोपण सामग्री और रखने की टोकरियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर, कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन आयोजित करके और कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी की प्रभावोत्पादकता की जानकारी देकर उद्यान-कृषि फसलों के उत्पादन और उसकी उत्पादकता की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर बागवानी की फसलों का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। इसमें ड्रिप सिंचाई भी शामिल होगी। इन फसलों की देख-रेख का कार्य दो निदेशालय तथा दो स्वायतशासी बोर्ड कर रहे है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी उद्यान कृषि फसलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

23. इस योजना के अन्तर्गत विस्तार और प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन करने, उन्हें कार्यान्वित करने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें किसानों को समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, अनुदेशात्मक फिल्में, और प्रदर्शनियों आदि के जरिए खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी देना भी शामिल है।

24. फसल बीमा योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके प्रीमीयम तथा दावों की 2:1 के अनुपात में सह- भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। सभी किसान जो चावल, गेहूं, बाजरे, तेलहन और दालों की फसल उगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण प्राप्त कर रहे है, इस योजना के अन्तर्गत आते है। चावल, गेहूं और बाजरे के लिए प्रीमियम की दर बीमाकृत राशि की दो प्रतिशत और तेलहन तथा दालों के लिए बीमाकृत राशि का एक प्रतिशत है। छोटे और सीमान्तिक किसानों के लिए बीमा प्रीमियम के 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य आधार पर दी जाती है। अभी तक 19 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है।

participation in seminars and concurrent evaluation etc.

18. The scheme on efficient on form water management system and use of organics for improving quality and productivity of Crops aims at management and effective utilisation of improved quality of water which is a scarce commodity and overall productivity of Crops.

19. The project would endeavour to achieve the twin objectives of sustainable production of biomass and restoration of ecological balance in the vast tracts of rainfed areas in the country. It will specially focus on (i) Conservation, upgradation and utilisation of natural endowments like land water, plant, animal and human resources in harmonious and integrated manner; (ii) Generation of massive employment; (iii) Improvement of production environment and restoration of ecological balance through scientific management of land and water; and (iv) Reduction of inequalities between irrigated and rainfed areas. The programme is addressed to all the blocks of the country with less than 30% of their cultivated area being served with assured means of irrigation. Models of scientific land & water use would be developed with active participation of people which would be replicated to cover more areas at accelerated speed.

20. The provision is for Watershed Development Council which was constituted with overall responsibility of execution of the World Bank assisted project namely (i) Himalayan Watershed Management Project and (ii) Pilot Project for Watershed Development in rainfed areas. The main functions of the Watershed Development Council has been expanded to supervise foreign aided projects. In view of growing priority for rainfed agriculture, Department of Agriculture and Cooperation has created a new Division of Rainfed Farming, Watershed Development and Mangement.

21. The provision is for Payment to Department of Space remote sensing operation to forecast the crop area estimate and drought and flood zoning based on vegetative indix and IMD observations. The potential of marine fisheries coluld also be known for which work may be done by Ocean Development Department, so as to harvest rich Potential. It also covers to meet expenditure on various Directorates which are responsible for development programmes of commercial crops. and for seed production for draught prone areas which invariably suffer from scarcity of not only rains but availability of proper varities of certified seeds.

22. This programme covers a wide range of crops, such as fruits, vegetables, floriculture, spices, cashewnut, coconut and mushroom. This programme is to increase the production and productivity of horticultural crops by making available adequate quality planting material and input kits, organising demonstrations on agro-techniques and educating farmers on efficacy of improved technology. The budget provision has also been made for promoting use of plastics for increasing production/productivity of horticulture crops through adoption of modern technologies. This would include drip irrigation. There are two Directorates and two autonomous Boards looking after these crops. Special attention is also being given for the development of Horticultural Crops in the North-Eastern States.

23. Under the scheme, technical guidance and financial assistance are provided for planning, implementation, and evaluation of extension and training facilities. It also includes providing effective dissemination of knowledge and techniques of advanced farm technology to the farmers through press, radio, television, instructional films, exhibitions, etc.

24. The Crop Insurance Scheme is implemented by Central Government through General Insurance Corporation of India Ltd. in collaboration with the State Governments sharing premium as well as claims with them in the ratio of 2:1. All the farmers availing of crop loans from financial institutions for raising rice, wheat, millets, oilseeds and pulses are covered under the Scheme. The premium rate for rice, wheat and millets is 2% and for oilseeds and pulses it is 1% of the sums insured. For small and marginal farmers, 50% of the insurance premium is subsidised by the Central and State Governments on a matching basis. So far 19 States and 3 Union Territories have implemented the Scheme. In addition, a Pilot

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक जिले में कार्यान्वियन के लिए एक प्रायोगिक बीमा स्कीम तैयार की जा रही है।

25. यह व्यवस्था चालू आयोजना-अवधि में की जा रही कृषि-गणना पर होने वाले व्यय के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालनात्मक कृषि जोतों के ढांचे और उनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करना है, जो नीति-निर्माण के लिए जरूरी हैं।

26. यह व्यवस्था मुख्यतः कृषि-आर्थिक आकड़ो के संग्रह, संकलन और अनुरक्षण, आर्थिक विश्लेषण और योजना और नीति संबंधी निर्णयों के लिए कृषि आर्थिक आसूचना के संकलन और प्रसार की योजनाओं के लिए है।

27. इसका संबंध फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों से है, जो कृषि से संबंधित मशीनों के चयन, प्रचालन, अनुरक्षण, सर्विसिंग, और प्रबंधकीय पहलुओं के लिए प्रगतिशील कृषकों, तकनीशियनों तथा राज्य सरकारों, कृषि उद्योग निगमों, खेती संबंधी संस्थाओं और इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं के नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं। ये संस्थाए किसानों को उच्च कोटि की मशीनें प्रदान करने की दृष्टि से फार्म मशीनों के कार्य निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन का निरीक्षण भी करती हैं।

28. मूल्य-समर्थन अथवा बाजार में हस्तक्षेप करने के उपायों का उद्देश्य यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो तथा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो। तेलहनों और दालों के बारे में ये क्रियाकलाप केन्द्र द्वारा नामजद नेफेड द्वारा किए जाते हैं, जब कि आलू तथा प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के संबंध में केन्द्रीय सरकार में राज्य सरकारों के अनुरोध पर आवश्यक होने पर, बाजार में हस्तक्षेप किया है ताकि किसानों को सहायता दी जाए, जिससे संकट-बिक्री न करनी पड़े। बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत बिक्री का काम नेफेड और राज्य सरकारों द्वारा नामजद राज्य एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

29. यह व्यवस्था निम्नलिखित कम्पनियों की आयोजनागत स्कीमों के लिए दी जाने वाली बजट सहायता की द्योतक, है अर्थातः-

29.01 आयल पाम इंडिया लि. केरल में रेड आयल पाम (ताड़ के पेड़ो) को उगाने की परियोजना को क्रियान्वित करता है। आयल पाम इंडिया लि. केरल सरकार(51प्रतिशत) और भारत सरकार(49 प्रतिशत) का संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना केरल में रेड पाम आयल बागानों (ताड़ के पेड़ों) को उगाने, ताड़ के तेल का उत्पादन करने और उसका प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से की गई है।

29.02 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ऋणः यह व्यवस्था राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अर्धमिश्रित ऋण (40 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण) का ऋण से संबद्ध भाग देने के लिए की जा रही है ताकि खाद्य कोटि की गुणवत्ता वाले सोयाफ्लोर के अनुरूप दाल का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए स्विटजरलैंड के मेसर्स-भुल्लर से अत्यावश्यक उपस्कर प्राप्त किए जा सकें।

30. एस.एफ.पी.पी. कार्यक्रम को वर्ष 1988-89 में 14 राज्यों के पता लगाए गए 169 जिलों में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम चावल, गेहूं, मक्का, अरहर, तथा अनाज जैसी मुख्य फसलों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। चावल सम्बन्धी कार्यक्रम को बाद में एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम (आई.पी. आर.डी.) के साथ मिला दिया गया था। दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चना, अरहर और ग्रीष्मकालीन दालों के लिए पौधा संरक्षण उपाय के लिए भी व्यवस्था की गई थी। शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से बाद में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं) के अधीन गेहूं और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का और बाजरा) के अधीन मक्का के कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को अब नए तरीके से शुरु करके एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम - गेहूं और एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम - मोटे अनाज के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये कार्यक्रम अपने संबंधित क्षेत्रों में मुख्य फसलों के रूप में गेहूं और मोटे अनाजों के साथ फसल-प्रणाली के अन्तर्गत चलाए जाएगें।

31. इस व्यवस्था में उच्च कोटि के बीजों का उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम, गन्ना विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा प्रबंध तथा लघु कृषकों के कृषि-व्यवसाय सहायता-संघों (एस.एफ.ए.सी.) आदि के लिए अंशदान देना शामिल है।

32. यह व्यवस्था किसानों को ऋण संबंधी राहत देने की योजना के अन्तर्गत बैंकों आदि को भुगतान करने के लिए है।

33. उवर्रकों की कीमतों पर नियंत्रण समाप्त करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति की उवर्रक कीमत निर्धारण संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान पहले से ही शुरु किए जा चुके कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु सं.अ., 1994-95 के अन्तर्गत 37.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

34. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के क्रियान्वयन तथा प्रशासन से सम्बन्धित व्यय के लिए है।

Insurance Scheme is also being drawn for implementation in one district of every State/U.T.

25. The provision is for expenditure on agricultural census being carried out in the current Plan period. The main objective of the scheme is to obtain data on the structure of operational holdings and their various characterstics which are needed for policy purposes.

26. The provision is mainly for schemes relating to collection, compilation and maintenance of agro-economic data, economic analysis, compilation and dissemination of agro-economic intelligence for planning and policy decisions.

27. This relates to farm machinery training and testing institutes which provide training to the progressive farmers, technicians, nominees of State Governments, Agro Industries Corporations, farming institutions and engineering entrepreneurs for selection, operation, maintenance, servicing and management aspect of agricultural machinery. These institutes also undertake testing and performance evaluation of farm machines with a view to providing quality machines to the farmers.

28. The price support or market intervention measures are designed to ensure remunerative prices to farmers and increase in agriculture production and productivity. NAFED is the Central designated agency for carrying out such operations for oilseeds and pulses while for perishables like potatoes and onions, Central Government has, at the request of State Governments agreed to market intervention operations as and when necessary to help growers from possible distress sale. The purchase operations under the market intervention scheme are carried through NAFED, and State designated agencies nominated by State Govts.

29. The provision represents budgetary support for the Plan schemes of the following companies, namely :-

29.01 Oil Palm India Ltd – implements the project for raising red oil palm in Kerala. Oil Palm India Ltd. is a Joint Venture of the Government of Kerala (51%) and the Govt. of India (49%) established with the objective of raising red palm oil plantations in Kerala, produce palm oil and process it.

29.02 Loans to National Dairy Development Board. The provision is being made to pass on the loan portion of the Semi-Mixed Credit (40% grant and 60% loans) to NDDB for procurement of essential equipment from M/s Bhuller of Switzerland for commercial production of dal anologue from edible grade quality soyaflour.

30. The SFPP was launched in 1988-89 covering 169 identified districts of 14 states. The programme is being implemented on focus crops of rice, wheat, maize, arhar and grain. The programme on rice was later merged with the Integreated Programme for Rice Development (IPRD). Provision was also made for plant protection umbrella on gram, Arhar and Summer Pulses to help in increasing the pulses production. The wheat programme was implemented later under SFPP (Wheat) and Maize under SFPP (Maize and Millets) with 100% Central Assistance. These Programmes have now been re-oriented and proposed as Integrated Cereal Development Programme. Wheat and Integrated Cereal Development Programme-course Cereals. These Programmes shall be under Cropping system with wheat and coarse cereals as Major crops in their respective areas.

31. The provision includes contribution to Food and Agriculture Organisation, World Food Programme, Special Jute Development Programme, Sugarcane Development Programme for increasing production and availability of quality seeds Management of Natural Disasters and for Small Farmers Agri-Business consortiums (SFAC) etc.

32. The provision is for payment to banks, etc., under the scheme for debt relief to farmers.

33. For implementation of the Joint Parliamentary Committee's recommendation on fertilizer pricing following the decontrol of fertilizers prices, a provision of Rs.37.43 crores has been made under RE-1994-95 for completion of programmes already commenced during 1992-93.

34. The provision is for expenditure relating to administration and implementation of the Insecticides Act.

कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE

मांग संख्या DEMAND No.2

कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं Other Services of Department of Agriculture and Cooperation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		209.10	5.83	214.93	212.22	5.87	218.09	216.50	5.94	222.44
पूंजी	*Capital*		*281.85*	...	*281.85*	*355.01*	...	*355.01*	*368.15*	...	*368.15*
जोड़	**Total**		**490.95**	**5.83**	**496.78**	**567.23**	**5.87**	**573.10**	**584.65**	**5.94**	**590.59**
भू और जल संरक्षण	**Soil and Water Conservation**										
1. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण	1. Soil conservation in catchment of river valley projects	3601	28.23	...	28.23	28.23	...	28.23	30.49	...	30.49
		7601	28.23	...	28.23	28.23	...	28.23	30.49	...	30.49
		2402	3.54	0.08	3.62	3.54	0.10	3.64	4.02	0.12	4.14
जोड़		*Total*	*60.00*	*0.08*	*60.08*	*60.00*	*0.10*	*60.10*	*65.00*	*0.12*	*65.12*
2. सिंधु-गंगा बेसिन में बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक क्षेत्र प्रबन्ध	2. Integrated watershed management in the catchments of flood prone rivers in the Indo Gangetic basin	3601	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95
		7601	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95
		2402	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*
3. अन्य भू और जल संरक्षण योजनाएं	3. *Other soil and water conservation schemes*										
3.01 अखिल भारतीय भू और जल संरक्षण सर्वेक्षण	3.01 All India Soil and Land Use Survey	2402	2.55	0.42	2.97	2.55	0.44	2.99	2.74	0.44	3.18
		4402	1.45	...	1.45	1.45	...	1.45	1.46	...	1.46
जोड़		*Total*	*4.00*	*0.42*	*4.42*	*4.00*	*0.44*	*4.44*	*4.20*	*0.44*	*4.64*
3.02 राष्ट्रीय भूमि स्रोत आयोग	3.02 National Land Resources Commission	2402	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
3.03 स्टेट लैण्ड यूज बोर्ड को सुदृढ़ करना	3.03 Strengthening of State Land Use Board	2402	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.12	...	0.12
		3601	1.39	...	1.39	0.89	...	0.89	1.37	...	1.37
		3602	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
		7601	1.39	...	1.39	0.89	...	0.89	1.37	...	1.37
		7602	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*2.00*	...	*2.00*	*3.00*	...	*3.00*
3.04 रिमोट सेंसिंग एजेंसी का प्रयोग	3.04 Application of Remote Sensing Agency	2402	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.05 क्षारीय भूमि का सुधार और विकास करने के लिए ई.ई.सी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भूमि विकास निगम, उ. प्र. और गडक क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार को अनुदान	3.05 Grants to Land Development Corporation UP, and Gadak Area Development Agency Bihar under EEC assisted projects for Reclamation and Development of Alkali Soils	2402	9.00	...	9.00	16.00	...	16.00	9.50	...	9.50
3.06 क्षारीय भूमि का सुधार	3.06 Reclamation of Alkali Soils	3601	9.60	...	9.60	9.60	...	9.60	10.00	...	10.00
3.07 अन्य कार्यक्रम	3.07 Other Programmes	2402	0.40	0.07	0.47	0.16	0.07	0.23	0.30	0.07	0.37
जोड़-अन्य भू और जल संरक्षण योजनाएं	**Total-Other Soil and Water Conservation Schemes**		**30.00**	**0.49**	**30.49**	**34.26**	**0.51**	**34.77**	**30.00**	**0.51**	**30.51**
राज्य आयोजना	**State Plan**										
4. परिवर्ती कृषि का नियंत्रण	4. Control of Shifting Cultivation	3601	15.00	...	15.00	13.24	...	13.24	16.00	...	16.00
5. तंगघाटी क्षेत्रों का भूमि-सुधार और स्थिरीकरण	5. Reclamation and Stabilisation of Revenous Areas	3601	...	...	...	1.76	...	1.76	...	...	...
जोड़ राज्य आयोजना	**Total-State Plan**		**15.00**	...	**15.00**	**15.00**	...	**15.00**	**16.00**	...	**16.00**
जोड़-भू और जल संरक्षण	***Total - Soil and Water Conservation***		***135.00***	***0.97***	***135.57***	***139.26***	***0.61***	***139.87***	***141.00***	***0.63***	***141.63***
मत्स्य उद्योग	**Fisheries**										
6. मत्स्य बन्दरगाह और अवतरण सुविधा	6. Fishing harbour and landing facility	3601	10.00	...	10.00	10.25	...	10.25	10.60	...	10.60
		3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		2405	14.80	0.32	15.12	12.58	0.34	12.92	12.20	0.44	12.64
		4405	...	...	...	...	...	...	0.82	...	0.82
जोड़		*Total*	*25.80*	*0.32*	*26.12*	*23.83*	*0.34*	*24.17*	*24.62*	*0.44*	*25.06*
7. समुद्री मत्स्य उद्योग	7. Marine fisheries	2405	1.72	2.24	3.96	1.46	2.29	3.75	2.93	2.40	5.33
		3601	31.61	...	31.61	29.42	...	29.42	30.53	...	30.53
		3602	1.90	...	1.90	1.96	...	1.96	1.95	...	1.95
		4405	5.32	...	5.32	5.32	...	5.32	3.35	...	3.35
जोड़		*Total*	*40.55*	*2.24*	*42.79*	*38.16*	*2.29*	*40.45*	*38.76*	*2.40*	*41.16*
8. अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग	8. Inland fisheries	3601	21.20	...	21.20	17.78	...	17.78	24.75	...	24.75
		3602	0.15	...	0.15	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		2405	2.65	...	2.65	0.57	...	0.57	0.52	...	0.52
जोड़		*Total*	*24.00*	...	*24.00*	*18.40*	...	*18.40*	*25.32*	...	*25.32*
9. शिक्षा और प्रशिक्षण	9. Education and Training	2405	2.15	2.52	4.67	2.15	2.45	4.60	1.85	2.28	4.13
		4405	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़		*Total*	*4.65*	*2.52*	*7.17*	*4.65*	*2.45*	*7.10*	*4.35*	*2.28*	*6.63*
10. अन्य मत्स्य उद्योग कार्यक्रम	10. Other fisheries programmes	2405	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18	...	0.19	0.19
जोड़ - मत्स्य उद्योग	**Total-Fisheries**		**95.00**	**5.26**	**100.26**	**85.04**	**5.26**	**90.30**	**93.05**	**5.31**	**98.36**
सहकारिता	**Co-operation**										
11. शिक्षा और प्रशिक्षण	11. Education & Training	2425	6.56	...	6.56	6.60	...	6.60	6.60	...	6.60

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
12. *राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम*	12. *National Cooperative Development Corporation*										
12.01 सहकारी भाण्डागारण और विपणन समितियां	12.01 Warehousing and marketing cooperatives	2425	15.09	...	15.09	15.09	...	15.09	18.00	...	18.00
		6425	48.51	...	48.51	72.50	...	72.50	35.00	...	35.00
जोड़		*Total*	*63.60*	...	*63.60*	*87.59*	...	*87.59*	*53.00*	...	*53.00*
12.02 सहकारी प्रसंस्करण समितियां	12.02 Processing Cooperatives	6425	10.00	...	10.00	37.21	...	37.21	8.00	...	8.00
		2425	6.40	...	6.40	6.40	...	6.40	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*16.40*	...	*16.40*	*43.61*	...	*43.61*	*12.00*	...	*12.00*
12.03 सहकारी चीनी मिलें	12.03 Co-operative Sugar Mills	6425	79.24	...	79.24	79.24	...	79.24	93.50	...	93.50
12.04 सहकारी कताई मिलें	12.04 Co-operative Spinning Mills	6425	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	40.50	...	40.50
12.05 अन्य सहकारी समितियां	12.05 Other co-operatives	2425	...	...	...	7.93	...	7.93	...	...	...
		6425	...	...	...	22.82	...	22.82	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	*30.75*	...	*30.75*	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	**Total-NCDC**		**169.24**	..	**169.24**	**251.19**	..	**251.19**	**199.00**	..	**199.00**
13. भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	13. Debentures of Land Development Banks	6425	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	120.00	...	120.00
14. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	14. Agricultural Credit Stabilisation Fund	3601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.75	...	3.75
		7601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	*5.00*	...	*5.00*
15. अल्प विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाएं	15. Credit Cooperative institutions in underdeveloped states	7601	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
16. *अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण*	16. *Other programmes-Cooperation and Credit*										
16.01 कमजोर वर्ग की सहकारी संस्थाओं को सहायता	16.01 Assistance to Weaker Section Co-operatives	2425	...	...	...	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10
		3601	0.45	...	0.45	0.37	...	0.37	0.64	...	0.64
		7601	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	2.56	...	2.56
जोड़		*Total*	*2.25*	...	*2.25*	*2.25*	...	*2.25*	*3.30*	...	*3.30*
16.02 अन्य कार्यक्रम	16.02 Other Programmes	3601	0.47	...	0.47	0.70	...	0.70	3.36	...	3.36
		2425	1.01	...	1.01	1.13	...	1.13	1.01	...	1.01
		7601	1.30	...	1.30	1.06	...	1.06	2.31	...	2.31
		4425	0.12	...	0.12	...	...	...	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*2.90*	...	*2.90*	*2.89*	...	*2.89*	*6.70*	...	*6.70*
जोड़-अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण	**Total-Other Programmes-Cooperation and Credit**		**5.15**	...	**5.15**	**5.14**	...	**5.14**	**10.00**	...	**10.00**
जोड़-सहकारिता	**Total-Cooperation**		**260.95**	...	**260.95**	**342.93**	...	**342.93**	**350.60**	...	**350.60**
17. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल घटाइए-कार्यरत मुख्य शीर्ष को अंतरण सहायता सामग्री और उपस्कर	17. Aid Material & Equipment - Gross Deduct-Transfer to Functional Major Head Aid Material & Equipment	3606	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
		3606	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***490.95***	***5.83***	***496.78***	***567.23***	***5.87***	***573.10***	***584.65***	***5.94***	***590.59***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	1. National Cooperative Development Corporation	12425	147.75	...	147.75	221.77	...	221.77	177.00	...	177.00
2. भूमि विकास बैंक	2. Land Development Banks	12425	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	120.00	...	120.00
जोड़	**Total**		**215.75**	...	**215.75**	**289.77**	...	**289.77**	**297.00**	...	**297.00**
ग. आयोजना परिव्यय:-	**C. Plan Outlay :-**										
केन्द्रीय आयोजना	*Central Plan:*										
1. भू-और जल संरक्षण	1. Soil & Water Conservation	12402	120.00	...	120.00	124.26	...	124.26	125.00	...	125.00
2. मत्स्य	2. Fisheries	12405	95.00	...	95.00	85.04	...	85.04	93.05	...	93.05
3. सहकारिता	3. Cooperation	12425	260.95	...	260.95	342.93	...	342.93	350.60	...	350.60
जोड़ - केन्द्रीय आयोजना	**Total - Central Plan**		**475.95**	...	**475.95**	**552.23**	...	**552.23**	**568.65**	...	**568.65**
राज्य आयोजना	*State Plan*										
1. परिवर्ती कृषि का नियंत्रण	1. Control of Shifting Cultivation	43601	15.00	...	15.00	13.24	...	13.24	16.00	...	16.00
2. तगघाटी क्षेत्रों का भूमि सुधार और स्थिरीकरण	2. Reclamation and Stabilisation of Revenous Areas	43601	...	...	...	1.76	...	1.76	...	...	...
जोड़ - राज्य आयोजना	**Total - State Plan**		**15.00**	...	**15.00**	**15.00**	...	**15.00**	**16.00**	...	**16.00**
जोड़	*Total*		*490.95*	...	*490.95*	*567.23*	...	*567.23*	*584.65*	...	*584.65*

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का उद्देश्य पेड़-पौधे उगाने के उपायों, बांधों का निर्माण करके, वन-रोपण करके, चरागाह विकास, गाद-अवरोधन बांधों, नियत्रण बांधों का निर्माण करके, जल कृषि संरचना आदि के जरिए तलछट की दर कम करके जलाशयों की उपयोगिता को बनाए रखना है। यह योजना 27 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जिसके लिए इन्हें 50 प्रतिशत अनुदानों और 50 प्रतिशत ऋणों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. यह स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना के समय से चल रही है और यह गंगा बेसिन की, जो 7 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में फैला हुआ है, बाढ़-प्रवण नदियों के 8 जलग्रहण क्षेत्रों तक सीमित है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ संकटों को कम करना है।

1. Soil Conservation in catchments of river valley projects aims at reducing the rate of sedimentation and thereby prolong the usefulness of the reservoirs through vegetative measures, bunding, afforestation, pastures development, construction of silt detention bunds, check dams, water harvesting structure etc. The scheme is executed in the catchment areas of 27 river valley projects through States/UTs who are provided Central Assistance in the form of 50% grants and 50% loans.

2. This scheme, which is continuing from the Sixth Five Year Plan is limited in 8 catchments of flood prone rivers of the Gangetic basin covering 7 States and one Union Territory. The main objective is to minimise flood hazards.

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, भूमि संरक्षण योजनाओं के लिए दामोदर घाटी निगम को अनुदान, मिट्टी के सर्वेक्षण के लिए दूरस्थ संवेदनशील प्रौद्योगिकी, क्षारीय मिट्टी तथा ई.ई.सी भूमि सुधार तथा विकासात्मक कार्यक्रम के संबंध में परिशोधन हेतु व्यवस्था आदि के लिए है।

4. और 5. इसमें झूम खेती और तंग घाटी सुधार से संबद्ध राज्य आयोजना की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता शामिल है। संशोधित अनुमान 1994-95 के अंतर्गत झूम कृषि नियंत्रण स्कीम के लिए 15.00 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 1995-96 के अंतर्गत 16.00 करोड़ रुपए का भी आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

6. यह व्यय बड़े और छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जहाजों को घाट पर लगाने तथा खड़ा करने, अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा केन्द्रीय मत्स्य उद्योग पत्तन प्राधिकरण और मत्स्य उद्योग आदि हेतु तटीय इंजीनियरिंग के केन्द्रीय संस्थान के लिये है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्रों, राज्य मत्स्य निगमों के लिए प्रशीतक वाहनों, मत्स्य विपणन के लिए मत्स्य सहकारी संघों की व्यवस्था करने जैसी आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केन्द्रीय परियोजना इकाई के लिए झींगी और मत्स्य पालन के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।

7. यह व्यवस्था मुख्यतः एकीकृत मत्स्य उद्योग परियोजना के लिए है जो मछली पकड़ने के विभिन्न प्रायोगिक कार्यकलापों में लगी हुई है। इस परियोजना के कार्यकलापों के कुछ भागों में मछली पालन के सुप्रसिद्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए मछली पालन की विविध प्रणालियों का प्रचार करना भी शामिल है। इस स्कीम का संबंध में परम्परागत कच्चे माल से जमे हुए, डिब्बाबंद और शुष्क उत्पादों का विकास करने तथा इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने और इन उत्पादों का विपणन करने से है। इसमें तटीय समुद्री मत्स्य-उद्योगों के विकास और समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमों को लागू करने के लिए अनुदान भी शामिल है। मछुआरों के कल्याण कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान किया गया है।

8. इसका संबंध मुख्यतः मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों और तालाबों और जलाशयों आदि को सुधार कर अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग संसाधनों के विकास के लिए शुद्ध जल में जलकृषि के विकास, मछुआरों को मछली पालन की आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी देने और उन्हें प्रशिक्षण देने, मछली-पालन के लिए निविष्टियों की सप्लाई करने से है।

9. इसमें केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान के लिए व्यवस्था है, जो मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों की जनशक्ति (कार्मिकों) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इसमें प्रशिक्षण और मत्स्य उद्योग के विस्तार के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

10. यह व्यवस्था बीज जैसी पैकेज सहायता, चारे संबंधी आर्थिक सहायता के जरिए खारे जल में कृषि को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने, झींगा पालने वाले कृषकों को प्रशिक्षण देने तथा इसके साथ ही कृषकों को झींगा चारा मिलों, झींगों के चारे हेतु अंडज उत्पत्तिशालाओं की स्थापना करने में सहायता देने के लिए है। खारे जल के मत्स्य कृषक अभिकरणों को सहायता अनुदान देने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

11. इन योजनाओं का बुनियादी उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा देना और राज्यों के सहकारिता विभागों और सहकारी संस्थानों के वरिष्ठ, मध्यवर्ती और कनिष्ठ स्तर के कार्मिकों को सहकारी समितियों के लाभ के बारे में सदस्यों के और सहकारिता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए भी उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण देना है।

12. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का काम कृषि वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, मुर्गी के दानों तथा अधिसूचित वस्तुओं के विपणन, परिष्करण, भंडारण, निर्यात और आयात के सहकारी कार्यक्रम की आयोजना बनाना और उसका संवर्धन करना तथा छोटे वन उत्पादों का संग्रह, परिष्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात करना है। यह निगम सहकारी चीनी और

3. The provision is mainly for all India soil and land use survey, grants to DVC for soil conservation schemes. Application of remote sensing technology for soil survey, reclamation of alkali soils and EEC land reclamation and development programme etc.

4 & 5 This includes Central assistance for State plan schemes relating to shifting cultivation and ravine reclamation. Necessary Budget provision of Rs.15.00 crore have also been made for the Revised Estimates 1994-95 and Rs.16.00 crore under Budget Estimates 1995-96.

6. The expenditure relates to providing landing and berthing facilities for fishing crafts at major and minor ports, other necessary infrastructural facilities, Central Fisheries Harbour Authority, Central Institute of Coastal Engineering for Fishries etc. The provision is also made for providing infrastructural facilities like cold storage, ice plants, refrigerated vans to State Fisheries Corporation, fisheries cooperative federations for undertaking fish marketing. Provision has also been made for World Bank assisted Central project unit for shrimp and fish culture.

7. The provision is mainly for Integrated Fisheries Project which is engaged in various experimental fishing activities, etc. Propagation of diversified fishing methods for the optimum exploration of known fishery resources form part of the activities of the Project. The scheme relates to development of frozen, canned and dried products from unconventional raw materials and special drives to popularise and market the products. This also includes grants for development of coastal marine fisheries and enforcement of marine fishing regulations. The provision is also made for welfare programme for fishermen.

8. This mainly relates to fish farmers development agencies and development of fresh water acquaculture for development of inland fisheries resources by improvement of ponds, tanks etc. training of fish farmers including transfer of modern technology of fish farming to them and supply of inputs for fish culture.

9. The provision is for Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training which provides training facilities to meet manpower requirements of large fishing vessels. This also includes provision for training and fishery extension.

10. The provision is for encouraging and popularising brackish water acquaculture through a package of assistance like seed, feed subsidy, extension of training to Prawn farmers and also for assisting farmers in setting up prawn feed mills, prawn food hatcheries etc. The provision is also for providing grant-in-aid to brackish water fish farmers agencies.

11. The basic objectives of the schemes is to organise education of members of cooperatives and training of personnel of the State cooperative departments and cooperative institutions at the senior, intermediate and junior levels with the objective to make the members aware about the benefit of co-operatives and also for human resources developments in the co-operative sector.

12. The National Cooperative Development Corporation plans and promotes cooperative programmes of marketing, processing, storage, export and import of agricultural produce, food stuff, poultry feed and notified commodities and also for the collection, processing, marketing, storage and export of minor forest produce. It also

सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी आधार को भी सुदृढ करता है। 1995-96 के बजट में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋण के रूप में 177.00 करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में 22.00 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। इन ऋणों में ये शामिल हैं :- (क) सहकारी समितियों को विपणन, संसाधन और कम विकसित राज्यों में भंडारण कार्यक्रमों के लिए और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के लिए; (ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोयाबीन के विकास के लिए; (ग) सहकारी चीनी मिलों को शेयर पूंजी में निवेश के लिए; (घ) सहकारी कताई मिलों के लिए; (ङ) भंडारण कार्यक्रम के लिए; (च) कोल्ड स्टोरेज कार्यक्रम के लिए; (छ) कपास प्रसंस्करण कार्यक्रम के लिए और (ज) कमजोर वर्गों के लिए सहकारी कार्यक्रम के लिए।

13. भूमि विकास बैंक लघु सिंचाई, भूमि विकास, बागवानी खेती का यंत्रीकरण आदि जैसे विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किसानों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने वाला प्रधान अभिकरण है । भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश से इन बैंकों के संसाधनों की अनुपूर्ति की जाती है, जिनके वित्त का मुख्य साधन बाजार में जारी किए जाने वाले ऋण-पत्र होते हैं । बजट में ऐसे निवेशों के लिए ऋण के रूप में 120.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

14. राज्य सरकारों को अनुदान (75 प्रतिशत) और ऋणों (25 प्रतिशत) के रूप में सहायता दी जाती है ताकि वे अपने-अपने राज्य में शीर्ष सहकारी बैंकों के स्तर पर रखी जाने वाली कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ बना सकें । इसका उद्देश्य यह है कि बाढ़, सूखे आदि जैसी दैवी विपत्तियों के कारण जब किसान ऋणों की वापसी-अदायगी करने में असमर्थ हो तब इन निधियों का उपयोग अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने के लिए किया जाए।

15. योजना का उद्देश्य कमजोर राज्यों में चुने हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समतुल्य आधार पर सावधिक ऋण के रूप में सहायता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड की अतिदेय-भिन्न कवर शर्तों का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें।

16. इसमें राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि., जो आन्तरिक और निर्यात व्यापार दोनों के लिए कृषि वस्तुओं का विपणन करने वाला शीर्ष संगठन है, को सहायता और (ii) पी.ए.सी/पी.एल.डी.बी. के कमजोर वर्गों आदि की शेयर पूंजी आवश्यकताओं के लिए ऋणों के रूप में सहायता देना शामिल है।

17. यह अनुमान विदेशों से प्राप्त होने वाले वस्तु अनुदानों की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित है।

strengthens the share capital base of cooperative sugar factories and co-operative spinning mills. Budget 1995-96 provides Rs. 177.00 crores as loans and Rs.22.00 crores as grants to NCDC, the former comprising loans (a) for being re-lent to cooperatives for marketing, processing and storage programmes in underdeveloped States and National Agricultural Cooperative Marketing Federation (b) for soyabean development in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh ; (c) share capital participation in cooperative sugar mills ; (d) cooperative spinning mills (e) storage programme ; (f) cold storage programme ; (g) cotton processing programme and (h) cooperative programmes for weaker sections .

13. Land Development Banks constitute the principal agencies for providing long-term agricultural credit to the farmers for developmental purposes, like minor irrigation, land development, horticulture farm mechanisation, etc. The investment in debentures of LDBs is made to supplement the resources of these banks whose main source of finance is through floatation of debentures in the market. Budget provision of Rs.120.00 crores is for such investment as loans.

14. Assistance is provided to State Governments by way of grants (75 per cent) and loans (25 per cent) to enable them to strengthen the Agricultural Credit Stabilisation Fund maintained at the level of Apex Cooperative Banks in each State. The objective is to use the funds to convert short-term production loans into medium term loans when the farmers cannot repay on account of natural calamities like floods, drought, etc.

15. The scheme is meant for removing regional disparities by assisting selected central cooperative banks in the weaker states with a term loan on a matching basis, in order to enable them to overcome difficulties in meeting the non-overdue cover conditions of the Reserve Bank of India/NABARD.

16. This includes assistance to National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd., which is an apex organisation handling marketing of agricultural commodities both for internal and export trade and (ii) Assistance in the form of loans towards share Capital requirements of PACs/PLDBs Weaker Sections etc.

17. The estimates relate to receipt and utilisation of commodity grants expected to be received from foreign countries.

कृषि मंत्रालय *MINISTRY OF AGRICULTURE*

मांग संख्या DEMAND No.3

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		275.00	202.00	477.00	274.99	220.64	495.63	310.00	238.86	548.86
पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ Total		**275.00**	**202.00**	**477.00**	**274.99**	**220.64**	**495.63**	**310.00**	**238.86**	**548.86**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं / 1. Secretariat - Economic Services	3451	0.05	0.70	0.75	0.04	0.59	0.63	0.10	0.69	0.79
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां / Agricultural Research and EducationPayments to ICAR										
2. फसल कार्य / *2. Crop husbandry*										
2.01 कृषि उत्पाद अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां / 2.01 Payments of net proceeds of cess under Agricultural Produce Act, 1940	2415	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00
2.02 फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम / 2.02 Other Programmes of Crop Husbandry	2415	218.00	124.00	342.00	218.00	137.70	355.70	252.80	150.15	402.95
जोड़ - फसल कार्य / Total-Crop Husbandry		**218.00**	**138.00**	**356.00**	**218.00**	**151.70**	**369.70**	**252.80**	**164.15**	**416.95**
3. भू और जल संरक्षण / 3. Soil and Water Conservation	2415	2.95	3.80	6.75	2.95	3.80	6.75	3.57	4.10	7.67
4. पशु पालन / 4. Animal Husbandry	2415	31.00	22.00	53.00	31.00	24.20	55.20	26.28	26.25	52.53
5. डेरी विकास / 5. Dairy Development	2415	3.00	11.00	14.00	3.00	12.15	15.15	4.00	13.17	17.17
6. मत्स्य उद्योग / 6. Fisheries	2415	14.50	16.50	31.00	14.50	18.20	32.70	17.10	19.75	36.85
7. वानिकी / 7. Forestry	2415	5.25	7.50	12.75	5.25	7.50	12.75	5.75	8.15	13.90
जोड़-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां / Total - Payments to ICAR		**274.70**	**198.80**	**473.50**	**274.70**	**217.55**	**492.25**	**309.50**	**235.57**	**545.07**
8. राष्ट्रमण्डल कृषि ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी सलाहकार समूह तथा एशिया प्रशान्त कृषि अनुसंधान संस्थान संघ को अंशदान / 8. Contributions to Commonwealth Agricultural Bureau, Consultative Group on International Agricultural Research and Association of Asia Pacific Agricultural Research Institute	2415	0.25	2.50	2.75	0.25	2.50	2.75	0.40	2.60	3.00
जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा / Total - Agricultural Research and Education		**274.95**	**201.30**	**476.25**	**274.95**	**220.05**	**495.00**	**309.90**	**238.17**	**548.07**
कुल जोड़ / *Grand Total*		***275.00***	***202.00***	***477.00***	***274.99***	***220.64***	***495.63***	***310.00***	***238.86***	***548.86***

ग. आयोजना परिव्यय / C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा / 1. Agricultural Research & Education	12415	274.95	...	274.95	274.95	...	274.95	309.90	...	309.90
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं / 2. Secretariat-Economic Services	13451	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	0.10	...	0.10
जोड़	*Total*	*275.00*	...	*275.00*	*274.99*	...	*274.99*	*310.00*	...	*310.00*

इस मांग में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिवालय के व्यय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों तथा इसकी अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के संबंध में सहायता अनुदान की अदायगी शामिल है । इस मांग में कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी के लिए भी व्यवस्था की गई है । यह परिषद कृषि, मृदा और जल-संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, डेरी उद्योग, वानिकी और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान करती है ।

The Demand includes besides Secretariat expenditure of the Department of Agricultural Research and Education contribution to international bodies, payment of grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research to enable it to meet the expenditure on the various research institutes controlled by it and for its several research projects, schemes and activities. Payment of net proceeds of cess under the Agricultural Produce Cess Act, 1940 is also provided for in this Demand. The Council is engaged in conducting research in the field of agriculture, soil and water conservation, animal husbandry, fisheries, dairying, forestry and also agricultural education.

कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE

मांग संख्या DEMAND No.4

पशु-पालन और डेरी कार्य विभाग Department of Animal Husbandry and Dairying

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		146.19	9.10	155.29	154.28	9.15	163.43	148.43	9.33	157.76
पूंजी	*Capital*		*176.52*	...	*176.52*	*177.12*	...	*177.12*	*195.57*	...	*195.57*
जोड़	**Total**		**322.71**	**9.10**	**331.81**	**331.40**	**9.15**	**340.55**	**344.00**	**9.33**	**353.33**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat Economic Services	3451	0.70	1.40	2.10	0.70	1.45	2.15	0.75	1.50	2.25
पशु पालन	**Animal Husbandry**										
2. पशु-विकास	2. Cattle development	3601	9.00	...	9.00	9.99	...	9.99	10.50	...	10.50
		2403	13.40	2.52	15.92	5.06	2.52	7.58	8.40	2.65	11.05
जोड़		*Total*	*22.40*	*2.52*	*24.92*	*15.05*	*2.52*	*17.57*	*18.90*	*2.65*	*21.55*
3. पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	3. Veterinary services and animal health	3601	14.13	...	14.13	14.13	...	14.13	14.13	...	14.13
		3602	0.39	...	0.39	0.72	...	0.72	0.72	...	0.72
		2403	20.28	...	20.28	3.37	...	3.37	20.00	...	20.00
		4403	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*34.95*	...	*34.95*	*18.37*	...	*18.37*	*35.05*	...	*35.05*
4. अन्य पशु-पालन कार्यक्रम	*4. Other Animal Husbandry programmes*										
4.01 राष्ट्रीय कुक्कुट विकास अभिकरण	4.01 National Poultry Development Agency	2403	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	2.60	...	2.60
4.02 पशुधन उत्पादों के निर्यात हेतु प्रौद्योगिकी और आधार भूत संरचना का विकास करने के लिए सहायता	4.02 Assistance to Develop Technology and Infrastructure for export of livestock products	2403	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
4.03 सूअर-बाड़ों के विकास के लिए राज्यों को सहायता	4.03 Assistance to States for Piggery Development	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
4.04 दाने और चारे के विकास के लिए राज्यों को सहायता	4.04 Assistance to States for feed and fodder devt.	2403	...	...	...	...	...	...	1.15	...	1.15
		3601	4.20	...	4.20	4.20	...	4.20	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*4.20*	...	*4.20*	*4.20*	...	*4.20*	*4.15*	...	*4.15*
4.05 मौजूदा बूचड़खानों और मांस इकाइयों का सुधार	4.05 Improvement of existing abattoirs and meat units	3601	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
4.06 लोथ और उप-उत्पाद उपयोग संयंत्र और निस्लचन इकाइयाँ	4.06 Carcass and by-products utilisation plants and flaying units	3601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
4.07 विशेष पशुधन कार्यक्रम	4.07 Special Livestock programmes	3601	4.00	...	4.00	0.40	...	0.40	2.00	...	2.00
		3602	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
		2403	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*0.50*	...	*0.50*	*3.00*	...	*3.00*
4.08 अन्य कार्यक्रम	4.08 Other programmes	3601	6.35	0.25	6.60	7.09	0.25	7.34	5.75	0.25	6.00
		3602	0.15	...	0.15	0.14	...	0.14	0.15	...	0.15
		2403	9.03	3.92	12.95	8.66	3.92	12.58	9.65	3.92	13.57
जोड़		*Total*	*15.53*	*4.17*	*19.70*	*15.89*	*4.17*	*20.06*	*15.55*	*4.17*	*19.72*
जोड़-अन्य पशु-पालन कार्यक्रम	***Total-Other Animal Husbandry Programmes***		***40.23***	***4.17***	***44.40***	***36.09***	***4.17***	***40.26***	***39.30***	***4.17***	***43.47***
जोड़-पशु-पालन	**Total-Animal Husbandry**		**97.58**	**6.69**	**104.27**	**69.51**	**6.69**	**76.20**	**93.25**	**6.82**	**100.07**
डेरी विकास	**Dairy Development**										
5 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अनुदान और ऋण	*5. Grants and Loans to National Dairy Dev. Board*										
5.01 आपरेशन फ्लड III	5.01 Operation Flood III	2404	12.00	...	12.00	46.07	...	46.07	11.00	...	11.00
		6404	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	194.00	...	194.00
जोड़		*Total*	*187.00*	...	*187.00*	*221.07*	...	*221.07*	*205.00*	...	*205.00*
5.02 अन्य योजनाएं	5.02 Other schemes	2404	11.15	...	11.15	13.24	...	13.24	17.72	...	17.72
जोड़		*Total*	*198.15*	...	*198.15*	*234.31*	...	*234.31*	*222.72*	...	*222.72*
6. दिल्ली दुग्ध योजना	*6. Delhi Milk Scheme*										
6.01 राजस्व व्यय	6.01 Revenue Expenditure	2404	...	47.00	47.00	...	103.00	103.00	...	126.00	126.00
6.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	6.02 Less Revenue Receipts	0404	...	-46.00	-46.00	...	-102.00	-102.00	...	-125.00	-125.00
निवल		*Net*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*
6.03 पूंजी व्यय	6.03 Capital Expenditure	4404	1.37	...	1.37	1.97	...	1.97	1.37	...	1.37
जोड़		*Total*	*1.37*	*1.00*	*2.37*	*1.97*	*1.00*	*2.97*	*1.37*	*1.00*	*2.37*
7. मदर डेरी को आर्थिक सहायता	7. Subsidy to Mother Dairy	2404	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
8. अन्य डेरी विकास कार्यक्रम	*8. Other Dairy Development Programmes*										
8.01 नोन-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों संबंधी एकीकृत डेरी विकास परियोजना	8.01 Integrated Dairy Development Project on Non-operations Flood, Hilly and Backward areas	3601	24.91	...	24.91	24.91	...	24.91	25.91	...	25.91
जोड़-डेरी विकास	**Total-Dairy Development**		**224.43**	**1.01**	**225.44**	**261.19**	**1.01**	**262.20**	**250.00**	**1.01**	**251.01**
9. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	9. Aid Mateiral & Equipment - Gross	3606	...	6.08	6.08	...	33.05	33.05	...	4.00	4.00
घटाइए-कार्यशील मुख्य शीर्ष को अंतरण	*Deduct-Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-6.08*	*-6.08*	...	*-33.05*	*-33.05*	...	*-4.00*	*-4.00*
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल निवल	*Aid Material & Equipment - Net*	*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	**Grand Total**		**322.71**	**9.10**	**331.81**	**331.40**	**9.15**	**340.55**	**344.00**	**9.33**	**353.33**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	1. National Dairy Development Board	12404	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	194.00	...	194.00
ग. आयोजना परिव्यय* :-	**C. Plan Outlay *:-**										
केन्द्रीय आयोजना	*Central Plan:*										
1. पशु पालन	1. Animal Husbandry	12403	99.30	...	99.30	72.94	...	72.94	93.25	...	93.25
2. डेरी विकास	2. Dairy Development	12404	225.00	...	225.00	261.95	...	261.95	250.00	...	250.00
3. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3. Secretariat Economic Services	13451	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.75	...	0.75
जोड़	**Total**		**325.00**	**...**	**325.00**	**335.59**	**...**	**335.59**	**344.00**	**...**	**344.00**

** इसमें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।*

** Inclusive of Works Outlay provided by Ministry of Urban Development in*

मांग संख्या 80	Demand No. 80										
पशु पालन	Animal Husbandry	12403	0.17	...	0.17	0.47	...	0.47	...	...	...
मांग संख्या 81	Demand No. 81										
पशु पालन	Animal Husbandry	12403	1.55	...	1.55	2.96	...	2.96	...	...	...
डेरी विकास	Dairy Development	12404	0.57	...	0.57	0.76	...	0.76	...	...	...
जोड़	**Total**		**2.29**	**...**	**2.29**	**4.19**	**...**	**4.19**	**...**	**...**	**...**

1. इसमे विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

1. The provision is for the expenditure on secretariat of the Department.

2. यह व्यवस्था मुख्यतः दूध देने वाले पशुओं में प्रजननात्मक सुधार करने के लिए सूरतगढ़, चिपलिमा, हेसरघट्टा, कोरापुट, धमरोद, अलमधी और अंदेश नगर में स्थापित केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों पर होने वाले व्यय के लिए है। इस स्कीम का उद्देश्य पशु और भैंस प्रजनन कार्यकलापों के सवर्धन के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण करने के वास्ते सांड, भैंसे और बछड़ों को पैदा करना है । राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम, प्रशीतित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार, सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम और सतति परीक्षण और सैनिक फार्मों तथा रिमाउंट पशु-चिकित्सा दल की सहायता के लिए भी व्यवस्था की गई है।

2. This relates mainly to expenditure on Central cattle breeding farms established at Suratgarh, Chiplima, Hesserghatta, Koraput, Dhamrod, Alamadhi and Andesh Nagar for bringing about genetic improvements of the herd for milk production. The objective of this scheme is to produce bull, calves for distribution to states and U.Ts. for promoting cattle and buffalo breeding activities. Provisions have also been made for National Bull Production Programme, Extension of Frozen Semen Technology, Central Herd Registration Scheme, Progency Testing and Assistance to Military farms and Remount Veterinary Corps.

3. मुख्य योजनाएं राष्ट्रीय महत्व के पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के बारे में है जिसमें रोगमुक्त क्षेत्रों की स्थापना, पैर तथा मुंह की बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु-चिकित्सा जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्रों, क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना, आदि शामिल हैं । पशु महामारी को दूर करने सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु भी व्यवस्था की गई है जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना का लक्ष्य पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करके पशु महामारी को पूरी तरह दूर करना है । इस परियोजना से पशु स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और सुधारने तथा पशु उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने की भी संभावना है।

3. The main schemes are control of livestock diseases of national importance including creation of disease free zones, foot and mouth diseases control programme, setting up of national veterinary biological products quality control centres, regional disease diagonostic laboratories, etc. Provision has also been made for National Project on Rinderpest Eradication which is being implemented with EEC assistance. The project aims at complete eradication of rinderpest through strengthening of veterinary services. The project is also expected to strengthen and improve animal health facilities and increase animal production and productivity.

4. यह व्यवस्था हिसार में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, क्षेत्रीय मवेशी चारे का उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, पशु प्रणाली पर परियोजना, राष्ट्रीय कुक्कुट विकास अभिकरण, मौजूदा बूचड़खानों, लोथ और उप-उत्पाद उपयोग केन्द्रों के आधुनिकीकरण, दाना और चारा विकास, मांस इकाइयों सुअर विकास, पशु पालन विस्तार कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के लिए है। विशेष पशुधन कार्यक्रम तथा आपदा राहत निधि के लिए भी व्यवस्था की गई है।

4. Provision is for expenditure on Central Sheep Breeding Farm at Hissar, Central Poultry Breeding Farms, Regional Stations for Forage Production and Demonstration. Project on Animal system, National Poultry Development Agency, modernisation of existing a battoirs, car cass and by products, utilisation centres, feed and fodder development, meatenils piggery development, animal husbandry extension programme. Provision has also been made for special livestock programmes and calamity relief fund.

5. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्तूबर, 1987 में की गई थी, जिसे एक निगमित निकाय के रूप में राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, डेरी विकास और दुग्ध विपणन के लिए एक संवर्धनशील और विकासात्मक एजेन्सी है । यह बोर्ड सहकारी क्षेत्र की डेरियों के दूध के कारोबार की क्षमता का विस्तार करने में सहायता करता है तथा दुग्ध बाहुल्य सुविद क्षेत्रों में सहकारी समितियों को दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने और

5. National Dairy Development Board had been constituted in October, 1987 by an Act of Parliament as a body corporate and declared an institution of national importance. The NDDB is a promotional and developmental agency for dairy development and milk marketing. It assists in the expansion of milk handling capacity of the cooperative sector dairies and gives financial assistance to cooperatives in identified milk shed areas to step up milk production

उसकी प्राप्ति सम्बन्धी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है । यह आपरेशन फ्लड परियोजना को समर्थनीय सहयोग देने का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य लगभग 84.5 लाख दुग्ध-उत्पादक परिवारों को लगभग 67,720 ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों में संगठित करके सहकारिता प्रणाली के अनुसार एक सक्षम और आत्मनिर्भर डेरी उद्योग का निर्माण करना है । इस परियोजना में दुग्ध-उत्पादन की क्षमता के आधार पर 170 मिल्कशेड शामिल है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय स्तर के विकास कार्यक्रमों के साथ डेयरी विकास को समन्वित और प्रणालीबद्ध करने के लिए डेयरी विकास संबंधी तकनीकी मिशन के लिए भी व्यवस्था की गई है । यह मिशन कई विशेष अनुसंधान लक्ष्यों को भी पूरा करेगा और नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो डेयरी विकास बनाए रखने में सहायक होगा।

6. दिल्ली दुग्ध योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्यों पर अच्छे और पौष्टिक दूध की पूर्ति करना तथा दिल्ली और इसके आस-पास के दुग्ध उत्पादकों के लिए एक ऐसे लाभकारी तथा स्थायी बाजार की व्यवस्था करना है जिससे उन्हें दूध का उचित मूल्य मिल सके।

7. मदर डेरी, दिल्ली को नकद हानियों आदि की प्रतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए यह एक सांकेतिक प्रावधान है।

8. इसमें आपरेशन-फ्लड-भिन्न, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना को सहायता देने और दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद आदेश, 1992 के कार्यान्वियन के लिए व्यवस्था शामिल है।

9. इसमें विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्रियों और उपस्करों के लिए व्यवस्था शामिल है।

and procurement. It provides supportive assistance to Operation Flood Project which aims at building up of viable and self-sustaining dairy industry on cooperative lines covering about 84.5 lakh milk producer families organised into about 67,720 village level cooperative societies. The project covers 170 milk sheds on the basis of their potential for milk production. Beside this, provision has also been made for Technology mission on Dairy Development in order to systemise and coordinate dairy development with various field level development programmes. The Mission will also pursue specific research targets and focus on policy issues that will concentrate to sustained dairy development.

6. Delhi Milk Scheme aims to supply good and wholesome milk and milk products to the citizens of Delhi at reasonable prices and to ensure a remunerative and steady market for the milk producers in and around Delhi.

7. This is a token provision for providing subsidy to Mother Dairy, Delhi for reimbursement of cash losses etc.

8. This includes assistance to Integrated Dairy Development Project in non-operation Flood, hilly and backward areas and implementation of Milk and Milk Products order 1992.

9. The provision is for Aid Materials and Equipments received from foreign countries.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

मांग संख्या DEMAND No. 5

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		24.92	39.31	64.23	17.92	81.50	99.42	20.28	92.08	112.36
पूंजी	*Capital*		*13.11*	*23.48*	*36.59*	*13.11*	*31.29*	*44.40*	*13.63*	*10.61*	*24.24*
जोड़	**Total**		**38.03**	**62.79**	**100.82**	**31.03**	**112.79**	**143.82**	**33.91**	**102.69**	**136.60**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.57	1.57	...	2.52	2.52	...	2.60	2.60
उद्योग	**Industries**										
पेट्रो रसायन उद्योग	**Petrochemical Industries**										
2. सेन्ट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी	2. Central Institute of Plastics Engg. and Technology	2852	23.00	3.00	26.00	16.00	3.00	19.00	16.00	3.00	19.00
रासायनिक और भेषज उद्योग	**Chemical and Pharmaceutical Industries**										
3. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	3. Bhopal Gas Leak Disaster	2852	...	34.44	34.44	...	75.32	75.32	...	10.75	10.75
4. विकास आयुक्त का कार्यालय	4. Development Commissioner's Office	2852	...	0.30	0.30	...	0.31	0.31	...	0.33	0.33
5. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	5. Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology	2852	0.37	...	0.37	0.37	...	0.37	0.95	...	0.95
6. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	6. National Institute of Pharmaceuticals Education and Research	2852	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	3.28	...	3.28
7. एशिया और प्रशांत के लिए कीटनाशी पर क्षेत्रीय नेटवर्क (आर.ई.एन.पी.ए.पी.)	7. Regional Network on Pesticides for Asia and Pacific (RENPAP)	2852	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
8. रासायनिक अस्त्र सम्मेलन	8. Chemical Weapons Convention	2852	...	...	...	...	0.25	0.25	...	0.30	0.30
9. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	9. National Pharmaceutical Pricing Authority	2852	...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
10. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	10. Subsidy to Assam Gas Project	2852	...	...	...	...	...	...	...	75.00	75.00
जोड़ - उद्योग	**Total-Industries**		24.92	37.74	62.66	17.92	78.98	96.90	20.28	89.48	109.76
11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	11. Non Plan Loans to Public Enterprises										
11.01 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.01 Smith Stainistreet Phamaceuticals Ltd.	6857	...	1.00	1.00	...	3.82	3.82	...	0.22	0.22
11.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.02 Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	6857	...	1.48	1.48	...	3.10	3.10	...	0.10	0.10
11.03 बंगाल इम्यूनिटी लि.	11.03 Bengal Immunity Ltd	6857	...	1.00	1.00	...	4.37	4.37	...	0.29	0.29
11.04 इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.04 Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd	6857	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	...	...
11.05 रुग्ण एककों के लिए एकमुश्त व्यवस्था	11.05. Lumpsum provision for sick units	6857	...	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00
जोड़		*Total*	...	*23.48*	*23.48*	...	*31.29*	*31.29*	...	*10.61*	*10.61*
12. राष्ट्रीय नवीकरण निधि द्वारा आपूरित व्यय	12. *Expenditure met from National Renewal Fund*										
12.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का कार्यान्वयन	12.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
(i) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	(i) Smith Stainistreet Phamaceuticals Ltd.	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
(ii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	(ii) Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	2852	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	...	...	...
(iii) बंगाल इम्यूनिटी लि.	(iii) Bengal Immunity Ltd	2852	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	...	...	...
(iv) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	(iv) Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd	2852	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	...	...	...
(v) हिन्दुस्तान इंसैक्टी-साइड्स लि.	(v) Hindustan Insactiside Limited	2852	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*27.00*	...	*27.00*	*29.00*	...	*29.00*	...	...	...
12.2 घटाइए-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गयी राशि	12.2 Deduct expenditure met from NRF	2852	-27.00	...	-27.00	-29.00	...	-29.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. सरकारी उद्यमों में निवेश	13. Investment in Public Enterprises	4857	4.06	...	4.06	4.06	...	4.06	4.32	...	4.32
		6857	9.05	...	9.05	9.05	...	9.05	9.31	...	9.31
जोड़		*Total*	*13.11*	...	*13.11*	*13.11*	...	*13.11*	*13.63*	...	*13.63*
कुल जोड़	*Grand Total*		***38.03***	***62.79***	***100.82***	***31.03***	***112.79***	***143.82***	***33.91***	***102.69***	***136.60***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
पेट्रो रसायन उद्योग	**Petrochemical Industries**										
13.01 इंडियन पेट्रो रसायन निगम लि.	13.01 Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd	12856	...	730.00	730.00	...	622.00	622.00	...	842.00	842.00
13.02 पेट्रोफिल कोओपरेटिव लि.	13.02 Petrofils Cooperative Ltd	12856	...	43.50	43.50	...	21.04	21.04	...	25.35	25.35
अन्य निकाय / संस्थाएं (सी.आई.पी.ई.टी)	Other bodies/instins (CIPET)	12856	23.00	...	23.00	16.00	0.27	16.27	16.00	...	16.00
जोड़—पेट्रो रसायन उद्योग	**Total - Petrochemical Industries**		23.00	773.50	796.50	16.00	643.31	659.31	16.00	867.35	883.35

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
रसायन तथा फार्मास्युटिकल उद्योग	**Chemical and Pharmaceutical Industries**										
13.03 हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लि.	13.03 Hindustan Organic Chemicals Ltd	12857	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	140.00	140.00
13.04 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	13.04 Hindustan Insecticides Limited	12857	3.00	...	3.00	3.00	2.80	5.80	3.00	3.69	6.69
13.05 इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	13.05 Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd	12857	7.76	8.80	16.56	7.76	4.87	12.63	7.63	8.80	16.43
13.06 हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	13.06 Hindustan Antibiotics Ltd	12857	...	20.00	20.00	...	17.37	17.37	...	8.43	8.43
13.07 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	13.07 Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	12857	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
13.08 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	13.08 Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd	12857	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	1.00	...	1.00
13.09 बंगाल इम्यूनिटी लि.	13.09 Bengal Immunity Ltd	12857	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
13.10 एन.आई.पी.ई.आर.	13.10 NIPER	12857	1.50	5.50	7.00	1.50	5.50	7.00	3.28	7.00	10.28
अन्य निकाय/संस्थाएं (आई.पी.एफ.टी., आर.ई.एन.पी.ए.पी.	Other bodies/institutions (IPFT,RENPAP)	12857	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	1.00	...	1.00
जोड़—रसायन तथा फार्मास्युटिकल उद्योग	**Total-Chemical and Pharmaceutical Industries**		**15.03**	**124.30**	**139.33**	**15.03**	**120.54**	**135.57**	**17.91**	**167.92**	**185.83**
जोड़	**Total**		**38.03**	**897.80**	**935.83**	**31.03**	**763.85**	**794.88**	**33.91**	**1035.27**	**1069.18**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. पेट्रो रसायन उद्योग	1. Petrochemical Industries	12856	23.00	773.50	796.50	16.00	643.31	659.31	16.00	867.35	883.35
2. रसायन और फार्मास्युटिकल उद्योग	2. Chemical and Pharmaceutical Industries	12857	15.03	124.30	139.33	15.03	120.54	135.57	17.91	167.92	185.83
जोड़	**Total**		**38.03**	**897.80**	**935.83**	**31.03**	**763.85**	**794.88**	**33.91**	**1035.27**	**1069.18**

1. **सचिवालयः** इसमें रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **केंद्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानः** इस संस्थान की स्थापना 1968 में विशिष्ट प्रशिक्षण देने और प्लास्टिक उद्योग के विकास और वृद्धि में मदद देने के लिए की गई थी । यह संस्थान प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण भी करता है । संस्थान ने एक प्लास्टिक उत्पाद परीक्षण केन्द्र की भी स्थापना की है । संस्थान ने अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, भोपाल, अमृतसर, मैसूर और इम्फाल में विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं। गोआ में एक सेवा केन्द्र और पटना में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

3. **भोपाल गैस रिसाव दुर्घटनाः** इसमें पीड़ित लोगों को अंतरिम राहत के भुगतान और इस पर होने वाले प्रशासनिक खर्च से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था की गई है। भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के लिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की सहायता से सभी आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार भोपाल में उस अस्पताल के निर्माण के लिए यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरों की बिक्री पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर से होने वाली प्राप्तियों के समतुल्य अनुदान देगी।

4. **विकास आयुक्त (औषध उद्योग)** : इसमें रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है ।

5. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी) को अनुदान** : इसमें की गई व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से गुड़गांव में स्थापित पहले कीटनाशक विकास केन्द्र के नाम से ज्ञात कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए केन्द्र सरकार के सहभागी वित्तपोषण को प्रदर्शित करती है ।

6. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर):** यह एक ऐसी परियोजना है, जिसे चंडीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित किया जा रहा है। इस संस्थान का प्रयास भारत में औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और भारत में औषधीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

1. **Secretariat:** Provides for secretariat expenditure of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

2. **Central Institute of Plastics Engineering and Technology:** Was set up in 1968 for giving specialised training and for assisting in the development and growth of the plastic industry. It also undertakes physical testing of the plastic materials. The Institute has also set up a plastic product testing centre. The Institute has set up, extension centres at Ahmedabad, Hyderabad, Lucknow, Bhubaneswar, Bhopal, Amritsar, Mysore and Imphal. A service centre at Goa and one training centre at Patna has also been set up.

3. **Bhopal Gas Leak Disaster:** Provides for expenditure relating to payment of interim relief to the victims and the administrative expenses which it entails. A hospital for the victims of Bhopal Gas Leak Disaster with all modern facilities is being constructed at Bhopal with the assistance of Union Carbide Ltd. In addition, the Govt. of India will be giving a grant equivalent to the receipts on account of capital gains tax on the sale of shares of the Union Carbide India Ltd., for the construction of same hospital at Bhopal.

4. **Development Commissioner (Pharmaceutical Industry) : It** provides for Secretariat expenditure for an attached office of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

5. **Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT)** : The provision represents counter part funding of Central Government for the (Institute of Pesticides Formulation Technology) IPFT formerly known as Pesticides Development Centre set up at Gurgaon with Assistance of UNDP.

6. **National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER):** This is a Project which is being set up at S.A.S. Nagar (Mohali) near Chandigarh. The Institute seeks to promote excellence in the sphere of Pharmaceutical Education in India and to meet the current and future needs of the Pharmaceutical section in India.

7. **एशिया और प्रशांत के लिए कीटनाशकों पर क्षेत्रीय नेटवर्क** (आर.ई.एन.पी.ए.पी.) : यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त परियोजना, एशिया और प्रशांत के लिए कीटनाशकों पर क्षेत्रीय नेटवर्क के सचिवालय, जो इस क्षेत्र के देशों में पर्यावरणीय अनुकूल कृषि-रसायनों और कीटनाशकों के विकास और संवर्धन के लिए है, के रख-रखाव के लिए है।

7. **Regional Network on Pesticides for Asia and the Pacific (RENPAP)** : The provision is to maintain the Secretariat of the Regional Network on Pesticides for Asia and the Pacific and UNDP Assisted Project, which is for promoting and developing environmental friendly agro-chemicals and pesticides in countries of this region.

8. **रासायनिक शस्त्र समझौता (सी.डब्ल्यू.सी.)** : भारत रासायनिक शस्त्र समझौते पर, जिसके 1995 के मध्य में लागू किए जाने की आशा है, हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक देशों में से एक है। रासायनिक शस्त्र समझौते का उद्देश्य सभी सदस्य देशों द्वारा रासायनिक शस्त्रों तथा रासायनिक शस्त्रों से संबंधित रसायनों के विकास, उत्पादन, प्राप्ति, अन्तरण, प्रयोग और भण्डारण पर रोक लगाना है। समझौते को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन (ओ पी सी डब्ल्यू) द्वारा शासित किया जाएगा और इसका मुख्यालय हेग में होगा। समझौते के दायित्व को निभाने के लिए, भारत में एक केन्द्रक अभिकरण स्थापित किया जा रहा है। यह अभिकरण एककों के परीक्षण निरीक्षण, दोहरे प्रयोजनों वाले रासायनिक उद्योगों की गतिविधियों को मानीटर, उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था और रासायनिक शस्त्र समझौते के कार्यान्वयन में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन की मदद करेगा। यह अनुदान रसायनिक शस्त्र समझौते के अंतर्गत कार्य करने से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए है।

8. **Chemical Weapons Convention (CWC)** : India is one of the original signatories to the Chemicals Weapons Convention (C.W.C.) which is expected to come into force some time in mid 1995. C.W.C. aims at prohibiting development, production, acquisition, transfer, use and stock piling of chemical weapons and chemicals related to chemical weapons by all the member States. The convention will be administered by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) with its headquarters at the Hague. In order to discharge the obligation of the Convention, a nodal agency is being set up in India. The agency will undertake trial inspections of the units, monitor activities of dual purpose chemical industry, make arrangements for training of suitable personnel and will assist OPCW in regard to the implementation of C.W.C. The Grant is meant for meeting expenses relating to the discharging of function under the C.W.C.

9. **राष्ट्रीय औषधीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण(एन.पी.पी.ए.)**: वर्ष 1994 में घोषित नई औषधि नीति के एक भाग के रूप में, विषेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय गठित किया जा रहा है, जो औषधि और विरूपणों के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों जैसे स्थापित मानदण्ड/मार्गनिर्देशों के आधार पर शामिल/निकाल करके मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधियों की सूची को अद्यतन बनाने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। यह विनियंत्रित औषधियों और विरूपणों की कीमतों का अनुवीक्षण भी करेगा और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा।

9. **National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)** : As part of the new Drug Policy announced in 1994, an independent body of experts is being set-up which shall be responsible for price fixation/revision of drugs and formulations and other related matters, such as updating the list of drugs under price control by inclusion/exclusion on the basis of the established criteria/guidelines and would be empowered to take final decisions. It would also monitor the prices of decontrolled drugs and formulations and oversee the implementation of the provisions of Drugs (Prices Control) order.

10. **असम गैस क्रैकर काम्पलेक्स**: यह असम में स्थापित किया जा रहा एक गैस क्रैकर काम्पलेक्स है। असम में इकाई स्थापित करने में कई भौगोलिक कठिनाइयों के कारण, केन्द्र सरकार ने अगले तीन वर्षों में 4 चरणबद्ध तरीके से सवितरित की जाने वाली 377 करोड़ रुपए की एकमुश्त पूंजीगत आर्थिक-सहायता स्वीकृत की है।

10. **Assam Gas Cracker Complex**: It is a Gas Cracker Complex being set up in Assam. Owing to various geographical dis-advantages of setting up the unit in Assam, the Central Govt. have granted one time Capital subsidy of Rs.377 crores to be disbursed in 4 phased manner over the next three years.

11. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण**: सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक है ।

11. **Non-Plan Loans to Public Sector Enterprises:** Represents loans granted to the Public Sector Enterprises.

12. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन** : व्यवस्थाएं राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पुनःपूर्ति की जाने वाली सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए है।

12. **Implementation of Voluntary Retirement Scheme in Public Sector Enterprises** : The provisions are for Implementation of Voluntary Retirement Scheme in the Public Sector Enterprises, to be reimbursed from the National Renewal Fund.

वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों का इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

13. **सरकारी उद्यमों में निवेश**: इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है । इन उद्यमों और आं.ब.बा.सं. के बजट सहायता का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-I में दिया गया है ।

13. **Investment in Public Enterprises:** Provides for equity and loans to Public Sector Enterprises to meet their new and continuing schemes. The equity and loan-wise break up of the budgetary support to these enterprises, and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol.I

13.01 **इंडियन पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड**: 1969 में स्थापित यह देश का सरकारी क्षेत्र का प्रथम पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स है । इसे पेट्रोलियम फीड स्टाक से सिंथेटिक, आरगेनिक, रसायन, प्लास्टिक, रेशे, मध्यवर्ती रेशे के विनिर्माण तथा वितरण की जिम्मेवारी सौंपी गई है । निगम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलैक्स (एम. जी. सी. सी.) नामक एक बड़ी परियोजना पहले ही चालू कर चुका है। इस काम्पलैक्स मे उत्पादों की श्रेणी में पेट्रो-रसायन जैसे एल.डी.पी.ई., एल.एल.डी.पी.ई., एच.डी.पी.ई., पोलीप्रोपैलीन, मोनोएथीलीन, ग्लाइकोल आदि शामिल है । आई.पी.सी.एल. गंधार में एक नई परियोजना अर्थात् गंधार गैस क्रैकर काम्पलैक्स की भी स्थापना कर रहा है । इस परियोजना में इथेन/प्रोपेन रिकवरी प्लांट, गैस क्रैकर संयंत्र सम्मिलित हैं और यह विनाइल

13.01 **Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.**: It is the country's first petrochemicals complex set up in 1969 in the Public Sector. It has been given the responsibility of manufacturing and distributing of synthetics, organics, chemicals, plastics, fibres and fibre - intermediates from petroleum feed stocks. The Corporation has already commissioned a mega project, Maharashtra Gas Cracker Complex (MGCC), in Maharashtra. The product range at this complex includes petrochemicals like LDPE, LLDPE, HDPE, Polypropylene, Monoethylene Glycol, etc. I.P.C.L is also setting up a new project, Gandhar Gas Cracker complex at Gandhar. This project consists of an Ethane/propane Recovery Plant, Gas Cracker Plant and will produce

क्लोराइड/पोली विनायल क्लोराइड, पोली-ओलीफिन्स जैसे अनुप्रवाह उत्पादों का उत्पादन करेगा।

13.02 **पेट्रोफिल्स सहकारी लि.:** यह भारत सरकार और बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर सहकारियों का एक संयुक्त उद्यम है । इसका मुख्य उद्देश्य मानव निर्मित रेशा/धागा, एवं रेशा मध्यवर्तियों आदि के उत्पादन के जरिए इसके सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन करना है ।

13.03 **हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का नियमन औषधियों, रंजक पदार्थों, रबड़ रासायनिक पदार्थों और लेमीनेट आदि के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादनों का निर्माण करने के लिए 1960 में किया गया था ।

13.04 **हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड:** यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डी. डी. टी., मेलाथोन बी. एच. सी. और एण्डोसल्फेन तकनीक का उत्पादन करने के लिए दिल्ली, उद्योग मंडल (केरल) और रसायनी (महाराष्ट्र) में इसके तीन कारखाने चल रहे है।

13.05 **इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन, 1961 में किया गया था । निगमन का प्रयोजन, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के सहयोग से एंटीबायोटिक्स औषधों, संश्लिष्ट औषधों तथा शल्यचिकित्सा के औजारों का निर्माण करने वाले तीन संयंत्रों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना है । इसका संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा के साथ सहयोग है।

13.06 **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन 1954 में किया गया था । निगमन का उद्देश्य देश में जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करना तथा ऐसी ही औषधियों के आयात पर निर्भरता को कम करना था। इस कम्पनी की दो परियोजनाएं है जो संयुक्त क्षेत्र में है अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक-एक है और मणिपुर में तीसरी परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है ।

13.07 **बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड:** यह कम्पनी आधारभूत रासायनिक पदार्थों, थोक औषधों, नुस्खों के अनुसार दवाइयों, जड़ी बूटियों वाली दवाइयों और प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण करती है।

13.08 **स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन 1968 में हुआ था और यह औषधों के निर्माण कार्यों में लगी हुई है ।

13.09 **बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड:** इस कम्पनी के दो विनिर्माणकारी एकक हैं - कलकत्ता तथा देहरादून में एक-एक एकक स्थित हैं, जो थोक औषधियों, फार्मूलेशन, सीरमों और वेक्सीनों का निर्माण करते हैं।

down stream products like Vinyl Chloride/Poly-Vinyl Chloride, Poly-Olefines etc.

13.02 **Petrofils Cooperative Ltd.:** It is a Joint Venture of the Govt. of India and Weavers Cooperatives registered under the Multi-state Co-operative Societies Act. Its main object is to promote the economic interest of its members by undertaking production of man made fibre/yarn, fibre intermediates etc.

13.03 **Hindustan Organic Chemicals Ltd.** It was incorporated in 1960 with the objective of manufacturing chemical intermediates required for the manufacture of drugs, dyestuff, rubber chemicals, laminates etc.

13.04 **Hindustan Insecticides Ltd.** The company was incorporated in 1954 and has three factories at Delhi, Udyoga mandal (Kerala) and Rasayani (Maharashtra) for production of D.D.T, Malathion, B.H.C. and Endosulfan Tech.

13.05 **Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.** The company was incorporated in 1961 for setting up and managing 3 plants to manufacture antibiotics, synthetic drugs and surgical instruments in collaboration with the U.S.S.R. It has collaborations with UP, Rajasthan and Orissa for joint sector projects.

13.06 **Hindustan Antibiotics Ltd:** It was incorporated in1954 with the objective of producing life saving drugs in the country and to reduce dependence on imports of such drugs. It has got two joint sector projects - one each in Maharashtra and Karnataka and third is in the process of being set up in Manipur.

13.07 **Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd:** Manufactures basic chemicals, bulk drugs, formulations, herbal medicines and cosmetic products.

13.08 **Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd:** The company was incorporated in 1968 and is mainly engaged in the production of drug formulations.

13.09 **Bengal Immunity Ltd:** It has two manufacturing units- one each at Calcutta and Dehradun which produce bulk drugs, formulations sera and vaccines.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय *MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS*

मांग संख्या DEMAND No. 6

उर्वरक विभाग Department of Fertilizers

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		11.90	4164.48	4176.38	12.15	5325.67	5337.82	11.90	5413.42	5425.32
पूंजी	*Capital*		172.10	103.25	275.35	174.10	213.00	387.10	193.10	52.00	245.10
जोड़	**Total**		184.00	4267.73	4451.73	186.25	5538.67	5724.92	205.00	5465.42	5670.42
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.27	2.27	...	2.50	2.50	...	2.60	2.60
उर्वरक उद्योग	**Fertilizer Industries**										
2. देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2. Subsidy on indigenous fertilizers	2852	...	3500.00	3500.00	...	4000.00	4000.00	...	3750.00	3750.00
3. आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	3. Subsidy on imported fertilizers	2401	...	500.00	500.00	...	1166.00	1166.00	...	1650.00	1650.00
जोड़		Total	...	4000.00	4000.00	...	5166.00	5166.00	...	5400.00	5400.00
4. भारत-यूनाइटेड किंगडम उर्वरक विकास कार्यक्रम	*4. Indo-UK Fertilizers Development Programme*										
4.01 आई.बी.एफ.ई.पी के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को अनुदान	4.01 Grant to HFC for IBFEP	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.02 वर्षापोषित कृषि परियोजना के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को अनुदान	4.02 Grant to HFC for Rainfed Farming Project	2852	1.70	...	1.70	1.95	...	1.95	2.00	...	2.00
4.03 शुष्क भूमि कृषि परियोजना के लिए 'कृभको' को अनुदान	4.03 Grant to KRIBHCO for Dryland Farming Project	2852	3.30	...	3.30	3.30	...	3.30	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*5.25*	...	*5.25*	*5.00*	...	*5.00*
5. निम्नलिखित द्वारा क्रियान्वित भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय उर्वरक विकास कार्यक्रम	*5. Indo-EEC Fertilizers Development Programme, implemented by:*										
5.01 एफ.ए.सी.टी.	5.01 FACT	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.02 एन. एफ. एल.	5.02 NFL	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.03 आर. सी. एफ. एल.	5.03 RCFL	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.04 पी.पी.सी.एल.	5.04 PPCL	2852	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
6. उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान योजना	*6. Other Research Scheme for Fertilizers Development*										
6.01 अनुसंधान और विकास के लिए पी.डी.आई.एल को अनुदान	6.01 Grants to PDIL for Research and Development	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
6.02 जर्मनी से सहायता-प्राप्त चारा विकास कार्यक्रम	6.02 German Assisted Fodder Development Programme	2852	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
6.03 एस. एंड टी. कार्यक्रम	6.03 S & T Programme	2852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*4.90*	...	*4.90*	*4.90*	...	*4.90*	*4.90*	...	*4.90*
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	*7. Non-plan Loans to Public Sector Enterprises:*										
7.01 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	7.01 Hindustan Fert. Corporation Ltd.	6855	...	64.25	64.25	...	110.00	110.00	...	32.00	32.00
7.02 फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.02 Fertiliser Corpn. of India Ltd.	6855	...	37.50	37.50	...	101.50	101.50	...	18.50	18.50
7.03 एम.यू.एल ऋण गारंटी के लिए फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	7.03 FCI for MUL Loan Guarantee	6855	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.04 पी.डी.आई.एल.	7.04 P.D.I.L.	6855	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़		*Total*	...	*103.25*	*103.25*	...	*213.00*	*213.00*	...	*52.00*	*52.00*
8. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	*8. Expenditure met from National Renewal Fund*										
8.01 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन	*8.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme in PSEs*										
(i) एच.एफ.सी.एल.	(i) HFCL	2852	34.00	...	34.00	3.00	...	3.00	...	...	...
(ii) एफ.सी.आई.	(ii) FCI	2852	34.00	...	34.00	3.00	...	3.00	...	...	...
(iii) पी.पी.सी.एल	(iii) PPCL	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
(iv) पी.डी.आई.एल	(iv) PDIL	2852	11.00	...	11.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*80.00*	...	*80.00*	*7.00*	...	*7.00*	...	...	...
8.2 घटाइए-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	8.2 Deduct expenditure met from National Renewal Fund	2852	-80.00	...	-80.00	-7.00	...	-7.00	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	9. Investment in Public Enterprises	4855	57.00	...	57.00	59.00	...	59.00	54.50	...	54.50
		6855	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	138.50	...	138.50
जोड़		*Total*	*172.00*	...	*172.00*	*174.00*	...	*174.00*	*193.00*	...	*193.00*
10. अन्य कार्यक्रम	10. Other Programmes										
10.01 बहुपक्षीय वित्तपोषण के बिना नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए मान लिए गए निर्यात संबंधी लाभों के लिए अदायगी।	10.01 Payment towards Deemed Export benefits for New Fertilizer Projects without multilateral financing	2852	...	10.00	10.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
10.02 अन्य कार्यक्रम	10.02 Other programmes	2852	...	1.33	1.33	...	1.29	1.29	...	0.82	0.82
		4401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*0.10*	*11.33*	*11.43*	*0.10*	*6.29*	*6.39*	*0.10*	*10.82*	*10.92*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
11.कुवैत से दीनार-ऋण की पूर्ति में उठाए गए विदेशी मुद्रा संबंधी हानियों के संबंध में राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि. को क्षतिपूर्ति	11. Compensation to Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. for exchange losses incurred in the discharge of Dinar Loan from Kuwait	3475	...	150.88	150.88	...	150.88	150.88	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*184.00*	*4267.73*	*4451.73*	*186.25*	*5538.67*	*5724.92*	*205.00*	*5465.42*	*5670.42*

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
9.01 फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	9.01 Fertilizer Corporation of India	12855	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	25.00	...	25.00
9.02 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	9.02 Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.	12855	68.50	51.50	120.00	68.50	25.92	94.42	70.00	138.00	208.00
9.03 पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.	9.03 Pyrites,Phosphates & Chemicals Ltd.	12855	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
9.04 नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	9.04 National Fertilizers Ltd.	12855	...	200.00	200.00	...	161.00	161.00	...	408.00	408.00
9.05 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन	9.05 Hindustan Fertilizer Corporation	12855	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	18.00	...	18.00
9.06 प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलेपमेंट (इंडिया) लि.	9.06 Projects and Development(India) Ltd.	12855	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00
9.07 पारादीप फास्फेट्स लि.	9.07 Paradeep Phosphates Ltd.	12855	34.00	...	34.00	36.00	...	36.00	50.00	...	50.00
9.08 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	9.08 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	12855	...	130.00	130.00	...	133.17	133.17	...	281.00	281.00
9.09 मद्रास फर्टिलाइजर लि.	9.09 Madras Fertilizers Ltd.	12855	24.00	222.00	246.00	24.00	101.37	125.37	24.00	226.00	250.00
9.10 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.	9.10 Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.	12855	...	154.00	154.00	...	128.60	128.60	...	448.00	448.00
9.11 कृषक भारती कोआपरेटिव लि.	9.11 Krishak Bharti Cooperative Ltd.	12855	...	100.00	100.00	...	36.51	36.51	...	268.00	268.00
जोड़	Total		172.00	857.50	1029.50	174.00	585.57	760.57	193.00	1769.00	1962.00
ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay :-										
1. उर्वरक उद्योग	1. Fertilizers Industries	12855	184.00	857.50	1041.50	186.25	586.57	772.82	205.00	1769.00	1974.00

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह व्यवस्था उर्वरक प्रतिधारण मूल्य स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिए है, जिसमें उर्वरकों के लिए भाड़े संबंधी आर्थिक सहायता भी शामिल है। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित लाभ दिलाने के लिए है। उर्वरकों की बिक्री समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर की जाती है।

3. चूंकि उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए आयात का प्रबन्ध किया जाता है। इसकी लागत में मोटे तौर पर आयातित उर्वरकों की कीमत (लागत भाड़ा) और उर्वरक उठाने-धरने तथा उनके वितरण की लागत शामिल होती है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री की कीमतें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती हैं और इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती हैं। किसानों को उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त राशि और आयात की सरकारी लागत के बीच का अन्तर उर्वरकों के आयात पर दी जाने वाली सब्सिडी का द्योतक है।

4. यह व्यवस्था वर्षापोषित कृषि परियोजना के लिए है। जो यूनाइटेड किंगडम से ओ.डी.ए. अनुदान के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि., (एच.एफ.सी.एल.) तथा कृभको द्वारा और कार्यान्वित की जा रही है,

5. यह व्यवस्था भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के उर्वरक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, के तीसरे चरण के लिए की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि पद्धतियों के उन्नत पैकेजों की व्यवस्था करना है, जिनमें उर्वरकों का कुशल और सन्तुलित उपयोग भी शामिल है।

6. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलेपमेंट (इंडिया) लिमिटेड (पी.डी.आई.एल) को अनुदान देने का उद्देश्य, रसायन और उर्वरक उद्योगों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और विकास संबंधी जानकारी देना है। इसमें जर्मनी से सहायता-प्राप्त उर्वरक विकास कार्यक्रम और एस एंड टी कार्य के लिए भी व्यवस्था है।

1. Provision is for expenditure on secretariat of the Department.

2. This provision relates to subsidy under Fertilizer Retention Price Scheme including freight subsidy for fertilizers. The subsidy scheme is intended to make fertilizers available to the farmers at reasonable prices and give producers of fertilizers a reasonable return on their investment. The fertilizers are sold at issue prices, fixed from time to time.

3. As indigenous production is not adequate to meet the demand for fertilizers, imports are arranged to make up the shortfall. The cost involved is broadly the price (C&F) of imported fertilizers plus the cost of handling and distribution of the fertilizers. The selling price of fertilizers to farmers is controlled under the Fertilizer Control Order and the consumer prices are thus statutorily regulated. The difference between the amount realised by way of sale of fertilizers to farmers and the import costs to Government represents the subsidy on fertilizer imports.

4. The provision is for Rain-Fed Farming Project being implemented by Hindustan Fertilizers Corporation Ltd. (HFCL) and KRIBHCO, under ODA grant from the U.K.

5. The provision has been made for third phase of INDO-EEC Fertilizer Education Programme which is under finalisation. These projects aim at providing improved packages of agricultural practices including efficient and balanced use of fertilizers.

6. Grant to PDIL is intended to provide indigenous technology and development know how in the field of chemicals and fertilizers industries. It also includes provision for German Assisted Fertilizer Development Programme and S&T work.

7. एच. एफ. सी. एल, एफ.सी.आई. और पी.डी.आई.एल. के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था करने का उद्देश्य यह है कि ये कम्पनियां अपनी संबंधी समस्याओं को हल कर सकें ।

8. यह व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए है, जिसके धन राशि की पूर्ति राष्ट्रीय नवीकरण निधि से की जाएगी। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक मुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

9. सरकारी उद्यमों में निवेश

इन उद्यमों के बजट सहायता की इक्विटी और ऋण-वार ब्यौरे और आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन व्यय बजट खण्ड-I में दिए गए है।

9.01. **भारतीय उर्वरक निगम (एफ. सी. आई.) :** यह कम्पनी नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों और कुछ औद्योगिक रसायनों का उत्पादन और विपणन करती है । इस पुनर्गठित निगम के चार मुख्य चालू एकक हैं अर्थात् सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामागुण्डम, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 5.87 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन करने की है ।

9.02 **उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि. (एफ.ए.सी.टी.):** इस कंपनी में नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डायआक्साइड आदि का उत्पादन होता है । कंपनी के तीन चालू एकक हैं : एक उद्योगमंडल में तथा अन्य दो कोचीन में है । इन तीनों एककों की स्थापित क्षमता 3.24 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन और 1.44 लाख मीट्रिक टन पी2 ओ5 का उत्पादन करने की है । कम्पनी ने 368 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उद्योगमण्डल, केरल में एक अमोनियम सल्फेट - केप्रोलेक्टम परियोजना भी शुरू की है जिसकी क्षमता 0.50 लाख मी. टन केपक्लेक्टम के उत्पादन की है। कंपनी 618.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उद्योगमंडल में एक अमोनिया प्रतिस्थापन संयत्र भी लगा रही है।

9.03 **पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल):** यह कम्पनी बिहार के अमझोर तथा राजस्थान के सलादीपुरा में पाइराइट्स तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में चट्टानी फास्फेट निकालने के काम में लगी हुई है । देहरादून जिले में चट्टानी फास्फेट, अम्लीय भूमि में पी2ओ5 के स्रोत रूप में सीधे इस्तेमाल किये जाने के लिये चूर्ण रूप में सप्लाई किया जाता है । इस कम्पनी ने देशी पाइराइट्स का प्रयोग करते हुए नवम्बर, 1989 में अमझोर में एक फास्फेट-युक्त उर्वरक परियोजना चालू की है। कम्पनी की संस्थापित क्षमता 1.20 लाख मी. टन एम. फॉसफोरस और 2.64 लाख मी. टन एस.एस.पी. के उत्पादन की है।

9.04 **राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन. एफ. एल.) :** कंपनी के 5 एकक अर्थात् नांगल-I और नांगल-II भटिंडा, पानीपत और विजयपुर हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 10.36 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन की है।

कम्पनी ने भटिंडा, पानीपत और नांगल में नांगल आधुनिकीकरण संयत्र चरण-I में अपने उर्वरक संयत्रों में केप्टिव विद्युत संयत्र भी चालू किए हैं। कंपनी 987.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुना, मध्यप्रदेश में विजयपुर विस्तार परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

9.05. **हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. (एच. एफ. सी. एल.) :** इस कंपनी के 6.53 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन उत्पादन की संस्थापित क्षमता वाले पाँच एकक काम कर रहे हैं अर्थात् नामरूप-I, नामरूप-II, बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप-III। कम्पनी हल्दिया में एक उर्वरक परियोजना को भी क्रियान्वित कर रही है ।

9.06 **प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड : (पी.डी.आई.एल.)** इसमें उर्वरकों के क्षेत्र में रूपांकन इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एकक, अनुसंधान और विकास प्रभाग तथा उपस्कर और पात्रों (वैसलों) को निर्माण करने वाली कर्मशाला है । यह कम्पनी उर्वरक उद्योग के लिये उत्प्रेरकों के उत्पादन का काम भी करती है ।

रूपांकन इंजीनियरी, तकनीकी अधिप्राप्ति, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग के क्षेत्र में कम्पनी ने एच एफ सी एल की नामरूप III परियोजना को पूरी तरह अभिकल्पित और निष्पादित किया है । यह

7. The provision for Non-Plan loans to HFCL, F.C.I. and PDIL are intended to enable the companies to overcome their liquidity problems.

8. The provisions are for implemention of the Voluntary Retirement Schemes in the Public Sector Enterprises to be met from the National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE' 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

9. Investment in Public enterprises

The equity and loanwise break up of the Budgetary support to these enterprises and the IEBR are given in Expenditure Budget Vol. I.

9.01 **Fertilizer Corporation of India(FCI):** is engaged in the production and marketing of nitrogenous and phosphatic fertilizers and some industrial chemicals. The re-organised FCI has four major operating units namely, Sindri, Gorakhpur, Talcher and Ramagundam with a total installed capacity of 5.87 lakh tonnes of nitrogen.

9.02 **Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.(FACT):** is engaged in production of nitrogenous and phosphatic fertilizers, ammonium sulphate, ammonium chloride, sulphur dioxide, etc. The Company has three operating units - one at Udyogamandal and the other two units at Cochin. All the three units have installed capacity of 3.24 lakh tonnes of nitrogen and 1.44 lakh tonnes of P_2O_5. The Company has also commissioned Ammonium Sulphate-Caprolactam Project at Udyogamandal in Kerala at an estimated cost of Rs. 368 crores with production capacity of 0.50 lakh M.T. of Caprolactam. The company is also implementing Ammonia Replacement plant at udyogamandal at an estimated cost of Rs. 618.43 crores.

9.03 **Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.(PPCL):** is engaged in the exploitation of the pyrites deposits at Amjhore in Bihar, Saladipura in Rajasthan and rock phosphate deposits in Dehra Dun district of Uttar Pradesh. The rock phosphate mined in Dehra Dun district is supplied in powdered form for direct application as a source of P_2O_5 in acidic soils. The company has commissioned a phosphatic fertilizer project at Amjhore in Nov., 1989 using indigenous pyrites. The company has installed capacity of 1.20 lakh M.T. of M. Phos and 2.64 lakh M.T. of SSP.

9.04 **National Fertilizers Limited (NFL):** has five units namely, Nangal-I and Nangal-II, Bhatinda, Panipat and Vijaypur with a total installed capacity of 10.36 lakh tonnes of nitrogen per annum.

The company has also commissioned captive power plants at its fertilizer plants at Bhatinda, Panipat and Nangal Modernisition Plant Phase-I at Nangal. The company is implementing Vijaypur Expansion Project at Guna, MP at an estimated cost of Rs. 987.30 crores.

9.05 **Hindustan Fertilizer Corporation Ltd.(HFCL):** has five operating units namely, Namrup-I, Namrup-II, Barauni, Durgapur and Namrup-III with an installed capacity of 6.53 lakh tonnes of nitrogen. The Company is also implementing a fertilizer project at Haldia.

9.06 **Projects and Development India Ltd.(PDIL):** has design engineering and consultancy service unit, a research and development division and fabrication workshop of equipment and vessels in the field of fertilizers. The company is also engaged in the manufacture of catalysts for the fertilizer industry.

In the field of design engineering, technical procurement, supervision, construction and commissioning, the company has fully designed and executed the Namrup III project of HFCL. It was also

गुना, मध्यप्रदेश में विजयपुर उर्वरक परियोजना से भी सहयोजित थी जिसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा आंवला उर्वरक परियोजना जो 'इफको' द्वारा स्थापित की गई थी, के द्वारा क्रियान्वित किया गया था । इस समय यह कम्पनी जगदीशपुर, बबराला, गुडीपन तथा शाहजहांपुर में स्थापित की जा रही उर्वरक परियोजना और क्रमशः एन.एफ.एल. और इफ्को की विजयपुर और आंवला विस्तार परियोजनाओं के कार्यान्वियन में भी लगी हुई है।

9.07. **पारादीप फास्फेटस लिमिटेड (पी.पी.एल.):** यह कम्पनी उड़ीसा के पारादीप में पारादीप उर्वरक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है,जिससे दो चरणों में 7.21 लाख मीट्रिक टन डाइ-अमोनियम फास्फेट(डी.ए.पी.), 6.6 लाख मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक अम्ल और 2.25 लाख मीट्रिक टन फास्फोरिक अम्ल उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

यह परियोजना नौरू सरकार और भारत सरकार की इक्विटी भागीदारी से क्रियान्वित की गई है, परंतु दिनांक 10.6.93 से नौरू सरकार की पूर्ण शेयरधारिता भारत सरकार द्वारा खरीद ली गई है।

9.08. **राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आर. सी.एफ. एल) :** यह कम्पनी नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरक तथा कुछ औद्योगिक वस्तुओं जैसे मेथोनोल, अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन का काम करती है । इस समय कम्पनी की चार चालू यूनिटे अर्थात् ट्राम्बे, ट्राम्बे-4, ट्राम्बे-5 और थाल है, जिनकी स्थापित क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख मीट्रिक टन पी2 ओ5 तथा 0.45 लाख मी. टन के2ओ5 का उत्पादन करने की है।

9.09 **मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एम.एफ.एल.):** यह कम्पनी संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी थी, जिसमे भारत सरकार, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी और संयुक्त राज्य अमरीका में निगमित एमोको इंडिया की भागीदारी थी। एमोको इंडिया के शेयर आंशिक रूप में भारत सरकार द्वारा और आंशिक रूप से नेशनल इरानियन आयल कम्पनी द्वारा खरीद लिए गए हैं । यह कम्पनी 1.76 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 1.12 लाख मीट्रिक टन पी2 ओ 5 की स्थापित क्षमता से यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करती है। यह कंपनी 434 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक पुनर्निर्माण परियोजना भी क्रियान्वित कर रही है।

9.10 **भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ लिमिटेड (इफको) :** कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में आँवला में 696 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से गैस पर आधारित एक नया उर्वरक (अमोनिया/यूरिया) संयत्र चालू किया है । परियोजना में 1350 मीट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक अमोनिया संयत्र और प्रत्येक 1100 मीट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता वाले दो यूरिया संयत्र हैं । इस परियोजना ने अगस्त/सितम्बर, 1988 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ।

इस कम्पनी के 5.29 लाख टन नाइट्रोजन और 3.09 लाख टन पी2ओ 5 की कुल स्थापित क्षमता वाले तीन चालू एकक गुजरात में कांडला और कलोल तथा उत्तर-प्रदेश में फूलपुर है । कंपनी 960.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तरप्रदेश में आंवला में आंवला विस्तार परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

9.11 **कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड (कृभको):** कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया कम्प्लेक्स का निर्माण सहकारी क्षेत्र में किया गया है। प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन की है।

10. इसमें उर्वरकों के उठाने-धरने और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ बनाने की परियोजना पर होने वाले व्यय के लिए की गई आयोजना व्यवस्था शामिल है । ई. डी. के कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय एम. आई. एस. के क्षेत्र में अध्ययनों के लिए अनुदान, उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में उत्पादक पुरस्कार के लिए अनुदान और माने गए निर्यात लाभों, जो नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए खरीदे गए देशी उपस्करों के खरीददारों को उपलब्ध कराये जाते हैं, के प्रति होने वाले भुगतान, जिसके संबध में कोई बहुपक्षीय वित्तपोषण की व्यवस्था न होकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली पद्धति निर्धारित की गई है, के संबंध में आयोजना-भिन्न व्यवस्था की गई है।

11. यह व्यवस्था विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण कुवैती दीनार ऋण के संबध में मूल और ब्याज की बढ़ी हुई राशि के भुगतान से होने वाली क्षति के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. को प्रतिपूर्ति देने के लिए है। ऋण, जो परिपक्वता पर पहले से ही प्रतिदेय हो गया है, सरकार के आग्रह पर दिसम्बर, 1988 में लिया गया था। तथापि, वर्ष 1995-96 के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

associated with Vijaypur fertilizer project at Guna in Madhya Pradesh, implemented by National Fertilizers Limited and Aonla fertilizer project put up by IFFCO. Currently the company is associated with the implementation of fertilizers project being put up at Jagdishpur, Babrala, Gadepan and Shahjahanpur and also Vijaypur and Aonla Expansion Project of NFL and IFFCO respectively.

9.07 **Paradeep Phosphates Limited(PPL):** has implemented the Paradeep fertilizer project at Paradeep in Orissa envisaging a production of 7.21 lakh tonnes of Di-Ammonia Phosphate (DAP) 6.6 lakh tonnes of sulphuric acid and 2.25 lakh tonnes of phosphoric acid in two phases.

This project has been implemented with equity participation by Governments of India and Nauru, but w.e.f. 10.6.1993 the entire share holding of Govt. of Nauru has been purchased by the Government of India.

9.08 **Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd (RCFL):** is engaged in the production of nitrogen and phosphatic fertilizers and some industrial products like methanol and ammonium nitrate, etc. At present, the Company has four operating units namely, Trombay, Trombay IV. Trombay V and Thal with a total installed capacity of 10 lakh tonnes of nitrogen and 1.20 lakh tonnes of P_2O_5 and 0.45 lakhs of K_2O_5.

9.09 **Madras Fertilizers Limited(MFL):** was a joint sector company with participation of Government of India, National Iranian Oil Company and AMOCO India incorporated at USA. The shares of AMOCO India have been purchased partly by Government of India and partly by the National Iranian Oil Company. The company is engaged in the manufacture of urea and complex fertilizers with an installed capacity of 1.76 lakh tonnes of nitrogen and 1.12 lakh tonnes of P_2O_5. The company is implementing a revamping project at an estimated cost of Rs. 434 crores.

9.10 **Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.(IFFCO):** has commissioned a new gas based fertilizer (ammonia/urea) plant at Aonla in Uttar Pradesh with a capital cost of Rs. 696 crores. The project consists of an ammonia plant of 1350 tonnes per day capacity and two urea plants of 1100 tonnes per day capacity each. This Project has since gone into commercial production in August/September, 1988.

The Company has also three operating units at Kandla and Kalol in Gujarat and Phulpur in U.P. with a total installed capacity of 5.29 lakh tonnes of Nitrogen and3.09 lakh tonnes of P_2O_5. The company is implementing Aonla Expansion Project at Aonla in U.P. at an estimated cost of Rs. 960.00 crores.

9.11 **Krishak Bharati Cooperative Ltd.(KRIBHCO):** A large size ammonia/urea complex has been set up in the cooperative sector at Hazira in Gujarat by the Krishak Bharati Cooperative Ltd. Based on natural gas, the project has an installed capacity of 6.68 lakh tonnes of nitrogan.

10. This includes Plan provision for expenditure on the project for strengthening of fertilizers unloading, handling and transportation facilities, non-Plan provision for the Office of ED, Fertilizer Industry Coordination Committee, an attached Office of the Department of Fertilizers, grant for studies in the field of MIS, grant for Productivity Award in the field of fertilizer industry and payments towards deemed export benefits which are extended to vendors of indigenous equipments purchased for new fertiliser projects, for which there is no multilateral financing but international competitive bidding procedure has been prescribed.

11. The provision is for compensating Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. for the losses arising from payment of enhanced interest and principal amount in respect of a Kuwait's Dinar Loan, due to exchange rate variation. The loan which has since been redeemed on maturity was taken in December, 1988 at the instance of the Government. However No provision is made for 1995-96.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

मांग संख्या DEMAND No.7

नागर विमानन विभाग Department of Civil Aviation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		5.40	42.90	48.30	5.06	115.13	120.19	0.28	68.93	69.21
पूंजी	*Capital*		*17.71*	...	*17.71*	*16.51*	...	*16.51*	*53.09*	...	*53.09*
जोड़	**Total**		**23.11**	**42.90**	**66.01**	**21.57**	**115.13**	**136.70**	**53.37**	**68.93**	**122.30**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	2.44	2.44	...	2.44	2.44	...	2.63	2.63
नागर विमानन	**Civil Aviation**										
2. नागर विमानन का महानिदेशक	2. Director General of Civil Aviation	3053	0.40	8.73	9.13	0.06	8.82	8.88	0.27	9.74	10.01
		5053	3.60	...	3.60	4.40	...	4.40	5.18	...	5.18
जोड़		*Total*	*4.00*	*8.73*	*12.73*	*4.46*	*8.82*	*13.28*	*5.45*	*9.74*	*15.19*
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3. Bureau of Civil Aviation Security	3053	...	2.44	2.44	...	10.43	10.43	...	3.40	3.40
		5053	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.66	...	1.66
जोड़		*Total*	*1.00*	*2.44*	*3.44*	*1.00*	*10.43*	*11.43*	*1.66*	*3.40*	*5.06*
4. यात्री सेवा फीस और सुरक्षा उपायों के बदले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को अदायगियां	4. *Payments to IAAI against Passenger Service Fee and security measures*										
4.1 यात्री सेवा फीस के अधीन	4.1 Against Passenger service fee	3053	...	10.43	10.43	...	18.38	18.38	...	10.50	10.50
4.2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों के लिए	4.2 For security measures at International Airports	3053	...	1.00	1.00	...	15.00	15.00	...	1.00	1.00
जोड़		Total	...	11.43	11.43	...	33.38	33.38	...	11.50	11.50
5. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा हज चार्टरों के प्रचालनों में हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	5. Reimbursement of losses incurred by A.I. & I.A. on operations of Haj Charters	3053	...	14.00	14.00	...	10.50	10.50	...	11.00	11.00
6. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को बेचे जाने वाले विमानन टरबाइन ईंधन पर बिक्री कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगी	6. Payment to State Govts in lieu of sales tax on Aviation Turbine Fuel sold to International Airlines	3601	...	1.00	1.00	...	46.47	46.47	...	28.33	28.33
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	7. Investments in Public Enterprises	5053	7.61	...	7.61	5.61	...	5.61	24.31	...	24.31
		7053	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	21.94	...	21.94
जोड़		*Total*	*13.11*	...	*13.11*	*11.11*	...	*11.11*	*46.25*	...	*46.25*
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	3053	5.00	1.30	6.30	5.00	1.80	6.80	0.01	1.00	1.01
		3601	...	0.55	0.55	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
जोड़		*Total*	*5.00*	*1.85*	*6.85*	*5.00*	*2.10*	*7.10*	*0.01*	*1.30*	*1.31*
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
9. रेलवे सुरक्षा आयुक्त	9. Commissioner of Railway Safety	3075	...	1.01	1.01	...	0.99	0.99	...	1.03	1.03
10. सहायता सामग्री और उपस्कर—सकल	10. Aid Materials & Equipments - Gross	3606	...	2.11	2.11	...	0.11	0.11	...	2.37	2.37
घटाइए—कार्यशील मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct* - Transfer to Functional Major Head	3606	...	-2.11	-2.11	...	-0.11	-0.11	...	-2.37	-2.37
सहायता सामग्री और उपस्कर *निवल*	Aid Materials & Equipments -	*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***23.11***	***42.90***	***66.01***	***21.57***	***115.13***	***136.70***	***53.37***	***68.93***	***122.30***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	1994-95 बजट समर्थन Budget Support	आ.त.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	1994-95 Revised बजट समर्थन Budget Support	आ.त.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	1995-96 बजट समर्थन Budget Support	आ.त.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
7.01 एयर इंडिया	7.01 Air India	13053	...	764.51	764.51	...	1453.96	1453.96	...	2972.61	2972.61
702 इंडियन एयरलाइन्स	7.02 Indian Airlines	13053	...	430.68	430.68	...	330.88	330.88	...	413.57	413.57
7.03 वायुदूत	7.03 Vayudoot	13053	...	4.00	4.00	...	...	...	...	...	...
704 भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	7.04 International Airport Authority of India	13053	...	119.60	119.60	...	102.83	102.83	...	162.31	162.31
7.05 राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	7.05 National Airport Authority	13053	13.11	329.25	342.36	11.11	381.23	392.34	46.25	179.25	225.50
7.06 पवन हंस लि0	7.06 Pawan Hans Ltd	13053	...	14.90	14.90	...	3.40	3.40	...	29.80	29.80
जोड़	**Total**		13.11	1662.94	1676.05	11.11	2272.30	2283.41	46.25	3757.54	3803.79
ग. आयोजना परिव्यय :-	**C. Plan Outlay*:-**										
1. नागर विमानन	1. Civil Aviation	13053	23.11	1662.94	1686.05	21.57	2272.30	2293.87	53.37	3757.54	3810.91

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गयी व्यवस्था शामिल है ।
*Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. इस शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय और उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की खरीद के व्यय को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को किए जाने वाले भारत के अंशदान के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

3. यह व्यवस्था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्यय को पूरा करने और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले विमानपत्तनों की सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण और तिरुअंनतपुरम में बम संसूचन और निपटान स्क्वाड की स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए की गई है।

4. इनके अंतर्गत व्यवस्था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को (क) भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए और (ख) सरकार द्वारा एकत्रित विदेशी यात्रा कर में इसके हिस्से की अदायगी के लिए है।

5. यह व्यवस्था हज चार्टरों के प्रचालन के लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को आर्थिक सहायता की अदायगी के लिए है।

6. यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और एयर इंडिया द्वारा संबंधित राज्यों में स्थित हवाईअड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन ढोने के लिए उन्हें बिक्री कर के भुगतान से छूट देने पर राज्य सरकारों द्वारा परित्यक्त राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए है ।

7. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था इलाहाबाद में नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र के आधुनिकीकरण, औरंगाबाद विमानपत्तन के उन्नयन और रात्रि में हवाई पत्तन पर उतरने की सुविधाएं प्रदान करने तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू तथा कश्मीर और लक्षद्वीप जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विमानपत्तनों में अन्य प्रचालनात्मक सुधारों के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजट सहायता जारी करने के लिए है।

8. यह व्यवस्था राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को उसके विदेशी यात्रा कर के हिस्से की अदायगी और फ्लाईंग/ग्लाइडिंग क्लबों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान के लिए है।

9. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था रेलवे सुरक्षा आयोग, जो रेल यात्रा की सुरक्षा से संबंधित है, के स्थापना व्यय, और भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में विहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है।

10. ये अनुमान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थित नागरिक विमानन प्रशिक्षण केन्द्र के आधुनिकीकरण और औरंगाबाद विमानपत्तन के उन्नयन के लिए उपस्कर, जिसके यू.एन.डी.पी. से प्राप्त होने की संभावना है, के हिसाब के समायोजनों के लिए हैं।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Department.

2. The provision under this head is for meeting the establishment expenditure of the Directorate General of Civil Aviation and its regional and field offices and procurement of equipment and accessories. It also includes provision for India's contribution to International Civil Aviation Organisation.

3. The provision is for meeting the establishment expenditure of the Bureau of Civil Aviation Security, reimbursement to National Airports Authority of the expenditure incurred by it on security arrangements at the airports under its jurisdiction, construction of Staff Quarters and establishment of Bomb detection and disposal squad at Thuruvanandapuram.

4. The provision is for payments to International Airports Authority of India towards (a) reimbursement of expenditure incurred on security arrangements at the international airports in India and (b) its share of the Foreign Travel Tax collected by the Government

5. The provision is meant for payment of subsidy to Indian Airlines and Air India for operation of Haj Charters.

6. The provision is meant for compensating the State Governments for the revenue foregone by them by exempting International Airlines including Air India from payment of sales tax on aviation turbine fuel lifted by them at the airports located in the States concerned.

7. The allocation under this head is for release of Budgetary Support to National Airport Authority for modernisation of Civil Aviation Training Centre at Allahabad, upgradation of Aurangabad Airport and for providing night landing facilities and other operational improvements in various Airport in the North Eastern region and other crucial areas like Jammu and Kashmir and Lakshadweep.

8. The provision is for payment to National Airports Authority of its share of Foreign Travel Tax and grants-in-aid to flying/gliding clubs, Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy.

9. The provision under this head is for meeting the establishment expenditure of the Commission of Railway Safety which is concerned with safety in rail travel, certain statutory functions specified in the Indian Railway Act and the Rules framed there-under.

10. The estimates are for adjustments to be put through for accountal of equipment which is expected to be received from the UNDP for modernisation of the civil aviation training centre at Allahabad and upgradation of Aurangabad Airport under National Airport Authority.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

मांग संख्या DEMAND No.8

पर्यटन विभाग Department of Tourism

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		77.30	16.15	93.45	74.20	19.25	93.45	75.55	16.90	92.45
पूंजी	*Capital*		*15.51*	...	*15.51*	*15.51*	...	*15.51*	*16.45*	...	*16.45*
जोड़	**Total**		**92.81**	**16.15**	**108.96**	**89.71**	**19.25**	**108.96**	**92.00**	**16.90**	**108.90**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.26	0.26
पर्यटन	**Tourism**										
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	2. Director General Tourism - Direction & Administration	3452	1.00	6.42	7.42	1.00	6.96	7.96	1.00	7.10	8.10
3. पर्यटक सूचना और प्रचार	3. Tourist Information & Publicity										
3.01 प्रत्यक्ष व्यय	3.01. Direct Expenditure	3452	6.50	0.15	6.65	6.50	0.15	6.65	6.50	0.15	6.65
3.02 एअर इंडिया को अदायगी	3.02. Payment to Air India	3452	54.00	6.00	60.00	50.90	8.53	59.43	52.50	6.00	58.50
जोड़		*Total*	*60.50*	*6.15*	*66.65*	*57.40*	*8.68*	*66.08*	*59.00*	*6.15*	*65.15*
4. पर्यटक -आधारभूत सामग्री	4. Tourist Infrastructure	3452	2.65	...	2.65	2.65	...	2.65	1.65	...	1.65
		5452	9.61	...	9.61	9.61	...	9.61	11.11	...	11.11
जोड़		*Total*	*12.26*	...	*12.26*	*12.26*	...	*12.26*	*12.76*	...	*12.76*
5. प्रशिक्षण	5. Training	3452	6.55	3.00	9.55	6.55	3.00	9.55	7.55	3.00	10.55
		7452	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*6.65*	*3.00*	*9.65*	*6.65*	*3.00*	*9.65*	*7.65*	*3.00*	*10.65*
6. अन्य व्यय	6. Other expenditure	3452	6.60	0.33	6.93	6.60	0.36	6.96	6.35	0.39	6.74
		5452	5.80	...	5.80	5.80	...	5.80	5.24	...	5.24
जोड़		*Total*	*12.40*	*0.33*	*12.73*	*12.40*	*0.36*	*12.76*	*11.59*	*0.39*	*11.98*
जोड़- पर्यटन	**Total-Tourism**		**92.81**	**15.90**	**108.71**	**89.71**	**19.00**	**108.71**	**92.00**	**16.64**	**108.64**
कुल जोड़	***Grand Total***		***92.81***	***16.15***	***108.96***	***89.71***	***19.25***	***108.96***	***92.00***	***16.90***	***108.90***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
7.01 भारतीय पर्यटन विकास निगम	7.01 India Tourism Development Corporation	13452	...	10.70	10.70	...	10.70	10.70	...	10.70	10.70
जोड़		*Total*	...	*10.70*	*10.70*	...	*10.70*	*10.70*	...	*10.70*	*10.70*
ग. आयोजना परिव्यय*:-	**C. Plan Outlay*:-**										
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं - पर्यटन	1. General Economic Services - Tourism	13452	92.81	10.70	103.51	89.71	10.70	100.41	92.00	10.70	102.70

1. इसमें विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना के व्यय के लिए और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा अन्य कार्यालयों के व्यय के लिए है। इसकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी जानकारी देने, सैलानियों के लिए आधारभूत सामग्री संबंधी सुविधाओं का विकास करने, यात्रा व्यवसाय से संबद्ध विभिन्न सुविधाओं, जैसे कि होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, वन्यजीव विषयक उपस्कर प्रदाताओं, मार्गदर्शकों आदि जैसे माध्यमों का विनियमन करने से संबद्ध है।

3. भारत की छवि इलेक्ट्रानिकी माध्यम तथा छपाई माध्यम दोनों ही प्रकार के विज्ञापन अभियानों, पर्यटक साहित्य, चलचित्रों तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनों आदि के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। चयनित आधार पर आधारभूत सुविधाओं के विकास; घरेलू पर्यटन तथा प्रदर्शनियों तथा महोत्सवों में भाग लेने, भारत संध्याओं/गोष्ठियों, विशेष रुचि की यात्राओं, चार्टर्ड उड़ानों, अवकाश तथा फुरसत के समय की यात्राओं आदि में शामिल होने की कार्रवाइयों और पुस्तिकाओं, चलचित्रों तथा फोटोग्राफ आदि जैसी प्रचार सामग्री के उत्पादन के कार्यों जैसे समुद्रपारीय प्रचार कार्यक्रमों के संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के अधीन विदेशों में जो प्रचार कार्यक्रम सम्पन्न किया जाता है, वह एयर इंडिया के साथ निकट सहयोग करके किया जाता है। एयर इंडिया को किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था में व्यय में सरकार का भाग शामिल है जो एयर इंडिया के साथ, जिसका 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का हिस्सा है, वहन किया जाता है।

4. यह व्यवस्था पर्यटक केन्द्रों का एकीकृत विकास, पर्यटक बंगलों का निर्माण, गुलमर्ग शरतकालीन खेल परियोजना जैसी सैरगाह के विकास,

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Department.

2. The provision is for expenditure of headquarters establishment of the Directorate General of Tourism and the regional and other offices under it. Their main activities relate to dissemination of tourist information, development of tourist infrastructural facilities, regulation of various segments of travel trade such as hotels, travel agents, wildlife outfitters, guides etc.

3. India's image is projected through advertisement campaigns, both in the electronic media and print media, tourist literature, films, cultural presentations, etc. The emphasis will be on the development of infrastructural facilities on a selective basis the Promotion of domestic tourism and on overseas publicity programmes like participation in fairs and festivals, India evenings/ seminars, special interest tours, charter flights, holiday and leisure tours, etc. and production of publicity materials like brochures, films, photographs, etc. The publicity programme abroad is done in close cooperation with the Air India. The provision for payment to Air-India includes share of Government of the expenditure which is jointly borne with Air-India whose share is to the extent of Rs. 150 lakhs only.

4. The provision relates to expenditure on integrated development of tourist centres, construction of tourist bungalows,

बौद्ध केन्द्रों, यात्री निवासों, वन लॉजों, चुने हुए केन्द्रों पर मार्ग सुविधाओं तथा पर्यटक परिवहन पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

5. इसमें होटल प्रबंध, आहार प्रदान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों और आहार व्यवस्थापक संस्थानों के लिए होटल और आहार-प्रदाता संस्थापनाओं में प्रबंधकीय, आहार-प्रदाता तथा शिल्प स्तरों पर जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें पर्यटन विकास पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान को दिया जाने वाला सहायता-अनुदान भी शामिल है।

6. इस व्यवस्था में भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम को होटलों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और अन्य कार्यक्रमों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के विकास के लिए सहायता, होटलों, तम्बू वाले आवास, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, समुद्री तट पर्यटन और ताजमहल, लालकिले, सारनाथ, बोधगया आदि के आसपास पर्यावरणिक सुधार पर होने वाले व्यय के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता का भुगतान शामिल है।

resort development like Gulmarg Winter Sports Project, Buddhist centres, yatri niwas, forest lodges, wayside amenities and tourist transport at selected centres.

5. The provision is for grants-in-aid to the Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition and the Foodcrafts Institutes for meeting the manpower requirements at management, catering and crafts level in hotel and catering establishments. This also includes grants-in-aid to the Indian Institute of Tourism and Travel Management for conducting courses on tourism development.

6. The provision covers payment of interest subsidy to Industrial Financial Corporation of India on loans advanced by it for construction of hotels, market research and other programmes like assistance for development of International and domestic tourism, expenditure on construction of hotels, tented accommodation, tourist reception centres, beach tourism and environmental improvement in and around Taj Mahal, Red Fort, Sarnath, Bodhgaya etc.

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

मांग संख्या DEMAND No.9

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		10.18	4.42	14.60	10.18	29.50	39.68	11.92	4.77	16.69
पूंजी	*Capital*		*7.27*	...	*7.27*	*7.27*	...	*7.27*	*7.93*	...	*7.93*
जोड़	**Total**		**17.45**	**4.42**	**21.87**	**17.45**	**29.50**	**46.95**	**19.85**	**4.77**	**24.62**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.26	2.26	...	2.35	2.35	...	2.50	2.50
नागरिक पूर्ति	**Civil Supplies**										
2. अन्य उपभोक्ता सहकारी योजनाएं	2. Other Consumer Cooperative Schemes										
2.01 शहरी	2.01 Urban	3456	0.27	...	0.27	0.27	...	0.27	0.18	...	0.18
		5475	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	0.16	...	0.16
		7475	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.16	...	0.16
जोड़		*Total*	*0.83*	...	*0.83*	*0.83*	...	*0.83*	*0.50*	...	*0.50*
3. नागरिक पूर्ति की अन्य योजनाएं	3. Other Schemes of Civil Supplies	3456	1.20	0.39	1.59	1.20	25.39	26.59	1.83	0.42	2.25
		3475	0.20	1.16	1.36	0.20	1.07	1.27	0.10	1.16	1.26
		3601	6.01	...	6.01	6.01	...	6.01	7.01	...	7.01
		5475	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.60	...	0.60
		7601	6.01	...	6.01	6.01	...	6.01	7.01	...	7.01
जोड़		*Total*	*14.12*	*1.55*	*15.67*	*14.12*	*26.46*	*40.58*	*16.55*	*1.58*	*18.13*
4. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	4. Expenditure met from National Renewal Fund										
4.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	4.1. Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
4.1.1 हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम	4.1.1 Hindustan Vegetable Oil Coporation	3456	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	...	...	...
4.2 घटाइए-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए गए व्यय	4.2 Deduct expenditure met from NRF	3456	-5.00	...	-5.00	-3.00	...	-3.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-नागरिक पूर्ति	**Total-Civil Supplies**		**14.95**	**1.55**	**16.50**	**14.95**	**26.46**	**41.41**	**17.05**	**1.58**	**18.63**
5. उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत परियोजनाएं	5. Projects under the Consumer Welfare Fund	3456	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	10.00	10.00
		5475	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*5.00*	*5.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*10.00*	*10.00*
घटाइए- उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई राशि	Deduct amount met from Consumer Welfare Fund	3456	...	-4.00	-4.00	...	-4.00	-4.00	...	-10.00	-10.00
		5475	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. खाद्य,भण्डारण और भाण्डागार	6. Food,Storage and Warehousing	2408	0.20	0.59	0.79	0.20	0.67	0.87	0.20	0.67	0.87
उद्योग	**Industries**										
7. उपभोक्ता उद्योग	7. Consumer Industries	2852	2.30	0.02	2.32	2.30	0.02	2.32	2.60	0.02	2.62
कुल जोड़	***Grand Total***		***17.45***	***4.42***	***21.87***	***17.45***	***29.50***	***46.95***	***19.85***	***4.77***	***24.62***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. खाद्य,भण्डार और भाण्डागार	1. Food, Storage and Warehousing	12408	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.60	...	2.60
3. नागरिक पूर्ति	3. Civil Supplies	13456	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95	17.05	...	17.05
जोड़	**Total**		**17.45**	...	**17.45**	**17.45**	...	**17.45**	**19.85**	...	**19.85**

1. इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था है।

2. इसमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और सुपर बाजारों में निवेश और ऋणों के लिए व्यवस्था है।

3. इसमें उपभोक्ता संरक्षण के उपाय, सरकारी वितरण प्रणाली के लिए आसूचना, प्रवर्तन और जनशक्ति के प्रशिक्षण से संबंधित योजना, माप-तोल का विनियमन, वायदा बाजार आयोग का विनियमन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्य नागरिक पूर्ति निगमों को सहायता के लिए व्यवस्था शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य नागरिक

1. Provides for secretariat expenditure of the Ministry.

2. The provision is for investment in and loans to National Cooperative Consumers Federation and Super Bazar.

3. This includes provision for Measures for Consumer Protection, scheme relating to Intelligence, Enforcement and man power training for public distribution system, regulation of weights and measures, regulation of Forward Markets Commission and assistance to States/UTs and State Civil Supplies Corporation.

पूर्ति निगमों के लिए गोदामों के निर्माण और मोबाइल वैन खरीदने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में पुनः सहायता दी जाती है।

4. यह व्यवस्था हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के कार्यान्वयन के लिए है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक मुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

5. इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में व्यय शामिल है और यह उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरा किया जाता है।

6. इसमें वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय तथा 'तेलहन और तेलों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम' के लिए व्यवस्था शामिल है।

7. इसमें भारतीय मानक ब्यूरो और अमृतसर ऑयल वर्क्स के भुगतान आयुक्त यू/एस 14 के लिए व्यवस्था शामिल है।

Assistance is provided to the States/UTs for construction of godowns and for purchase of mobile vans for R.P.D.S. and for the State Civil Supplies Corporation in the form of 50% grant.

4. The provision is for implementation of voluntary retirement scheme by Hindustan Vegitable Oil Corporation. The provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 1995-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

5. This includes expenditure on consumer protection and consumer consciousness and is met from Consumer Welfare Fund.

6. This includes provision for Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and fats and 'research and development programme in oil seeds and oils'.

7. This includes provision for the Bureau of Indian Standards and Commissioner of payment U/S 14 of Amritsar Oil Works.

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

मांग संख्या DEMAND No.10

कोयला मंत्रालय Ministry of Coal

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		23.50	170.95	194.45	23.50	111.68	135.18	43.82	131.42	175.24
पूंजी	*Capital*		*563.48*	...	*563.48*	*508.18*	*0.01*	*508.19*	*431.18*	*0.01*	*431.19*
जोड़	**Total**		**586.98**	**170.95**	**757.93**	**531.68**	**111.69**	**643.37**	**475.00**	**131.43**	**606.43**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.19	2.19	...	2.19	2.19	...	2.36	2.36
श्रम और रोजगार	***Labour and Employment***										
कोयला खान श्रमिक कल्याण	**Coal Mines Labour Welfare**										
2. कोयला खान श्रमिकों की परिवार पेंशन व जीवन बीमा निधि को अंशदान	2. Contribution to the Family pension cum Life Assurance Fund for Coal Mines workers	2230	...	24.44	24.44	...	23.32	23.32	...	24.51	24.51
कोयला और लिग्नाइट	**Coal and Lignite**										
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	3. Conservation and Safety in Coal Mines (Met out of cess collections)	2803	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	45.00	45.00
4. कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	4. Development of Roads in Coal field areas (Met out of cess collections)	2803	...	40.59	40.59	...	40.59	40.59	...	55.00	55.00
5. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	5. *Interest Subsidy :*										
5.01. कोल इण्डिया लिमिटेड	5.01 Coal India Ltd.	2803	...	58.08	58.08	...	...	...	...	...	...
6. यूनाइटेड किंगडम के अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए कोल इण्डिया लि. को सहायता	6. Assistance to CIL for import of spares under UK grant	2803	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	3.00	3.00
7. रेल व समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई के लिए आर्थिक सहायता	7. Subsidy for transport of Coal by Rail cum Sea Route (Met out of cess collection)	2803	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10	...	0.05	0.05
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2803	0.09	1.50	1.59	0.09	1.48	1.57	0.10	1.50	1.60
9. प्रशिक्षण (यू.एन.डी.पी.)	9. Training (UNDP)	2803	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
10. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	10. Research & Development Programme	2803	7.41	...	7.41	7.41	...	7.41	20.20	...	20.20
11. क्षेत्रीय अन्वेषण	11. Regional Exploration	2803	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	17.00	...	17.00
12. पर्यावरणिक उपाय और अवतलन नियंत्रण	12. Environmental Measures & Subsidence-control	2803	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.52	...	5.52
जोड़ - कोयला और लिग्नाइट	**Total-Coal and Lignite**		**23.50**	**144.32**	**167.82**	**23.50**	**86.17**	**109.67**	**43.82**	**104.55**	**148.37**
13. सरकारी उद्यमों में निवेश-पूंजी	13. Investments in Public Enterprises - Capital	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4803	211.52	...	211.52	211.52	0.01	211.53	...	0.01	0.01
		6801	30.20	...	30.20	...	...	...	14.50	...	14.50
		6803	321.76	...	321.76	296.66	...	296.66	416.68	...	416.68
जोड़		*Total*	*563.48*	...	*563.48*	*508.18*	*0.01*	*508.19*	*431.18*	*0.01*	*431.19*
कुल जोड़	***Grand Total***		***586.98***	***170.95***	***757.93***	***531.68***	***111.69***	***643.37***	***475.00***	***131.43***	***606.43***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
13.01. नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	13.01 Neyveli Lignite Corpn. Ltd.	12801	30.20	87.08	117.28	...	87.99	87.99	14.50	164.64	179.14
		12803	55.36	156.04	211.40	30.26	85.91	116.17	153.68	233.56	387.24
जोड़		*Total*	*85.56*	*243.12*	*328.68*	*30.26*	*173.90*	*204.16*	*168.18*	*398.20*	*566.38*
13.02. कोल इण्डिया लिमिटेड	13.02 Coal India Ltd.	12803	358.52	1704.38	2062.90	358.52	1491.48	1850.00	241.00	2019.00	2260.00
13.03. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	13.03 Singareni Collieries Co. Ltd.	12803	119.40	364.00	483.40	119.40	430.60	550.00	22.00	494.00	516.00
जोड़	**Total**		**563.48**	**2311.50**	**2874.98**	**508.18**	**2095.98**	**2604.16**	**431.18**	**2911.20**	**3342.38**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. विद्युत	1. Power	12801	30.20	87.08	117.28	...	87.99	87.99	14.50	164.64	179.14
2. कोयला और लिग्नाइट	2. Coal and Lignite	12803	556.78	2224.42	2781.20	531.68	2007.99	2539.67	460.50	2746.56	3207.06
जोड़	**Total**		**586.98**	**2311.50**	**2898.48**	**531.68**	**2095.98**	**2627.66**	**475.00**	**2911.20**	**3386.20**

1. **सचिवालय :** इसमें कोयला मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **परिवार पेंशन व जीवन बीमा निधि को अंशदान और कोयला खनिकों के लिए जमा से संबद्ध बीमा योजना :** कोयला खनिक परिवार पेंशन योजना पहली मार्च, 1971 से लागू की गई । इस प्रयोजन के लिए धनराशिया, कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.1/6 प्रतिशत के बराबर की राशि और कोयला खनिकों की भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदानों, जिनमें योजना के सदस्यों की कुल परिलब्धियों के 1-2/3 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय सरकार के अंशदान जोड़े जाते हैं, से प्राप्त होती है । योजना के प्रशासन की लागत भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है । कोयला खनिकों के लिए जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की जाती है ।

1. **Secretariat:**Provides for the secretariat expenditure of the Ministry of Coal.

2. **Contribution to the Family Pension- cum- Life Assurance Fund and Deposit Linked Insurance Scheme for Coal Miners:** The Coal Mines Family Pension Scheme came into force on 1st March, 1971. The funds for the purpose are found by diverting a portion equal to 1. 1/6% of total emoluments from the employees and employers' contributions to the Coal Mines Provident Fund to which is added the Central Government Contribution at the rate of 1.2/3% of the total emoluments of the members of the Scheme. The cost of administration of the scheme is also borne by the Central Government. Provision is also made for the Deposit-Linked Insurance Scheme for coal miners.

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा** : इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है । इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग कोयले पर 3.50 रुपए प्रतिटन और कोकिंग कोयले पर 4.25 रुपए प्रतिटन की दर से एकत्र कोयला-उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. **कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास** : इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उपकर में से की जाती है।

5. **कोल इण्डिया लि० को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता** : संशोधित अनुमान के शून्य प्रावधान तथा अगले बजट में कोल इण्डिया लि. के पूंजी आधार की पुनर्संरचना के निर्देश का पालन किया गया है।

6. **कोयला कंपनियों को यूनाइटेड किंगडम अनुदान के अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने के लिए सहायता** : यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोयला कंपनियां यूनाइटेड किंगडम सरकार से मिले अनुदान के अन्तर्गत उस सरकार से प्राप्त कोयला खान उपस्करों के पूर्ण समुपयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात कर सकें।

7. **रेल-व-समुद्री मार्ग से कोयले के लाने-ले जाने के लिए आर्थिक सहायता** : यह योजना इस समय लागू नहीं है । यह व्यवस्था सम्भावित दावों के लिए की गई है, जो इस योजना के अधीन उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उपकर में से पूरा किया जाता है।

8. **अन्य व्यय** : इसमें कोयला नियंत्रक के कार्यालय, भुगतान आयुक्त के लिए और एन.सी.डी.सी. की स्थापना से पूर्व खानों के लेनदेनों के संबंध में कोल इंडिया लि. को अदायगी करने के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

10. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम**: इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनुसंधान स्कीमों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से प्रचालित स्कीमों के लिए व्यवस्था शामिल है।

11. **क्षेत्रीय अन्वेषण** : इसमें आठवी और नौवी योजना के दौरान कोयले की मांग में होने वाली पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

12. **पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण**: कोयला खानों के क्षेत्रों मे भूमि सुधार और अवतलन नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपाय पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है।

13. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :

13.01 **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.** : नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की गतिविधियों के अन्तर्गत लिग्नाइट का खनन, विद्युत उत्पादन और लिग्नाइट को धूम्ररहित ईंधन में परिवर्तित करने और यूरिया का उत्पादन करने का कार्य शामिल है। पूंजी परिव्यय लिग्नाइट क्षेत्र के लिए 387.24करोड़ रुपए तथा विद्युत क्षेत्र के लिए 179.14 करोड़ रुपए है जिसका कुल जोड़ 566.38 करोड़ रुपए है। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए सकल बजटीय समर्थन 168.18 करोड़ रुपए है (153.68 करोड़ रुपए लिग्नाइट क्षेत्र के लिए ऋण तथा 14.50 करोड़ रुपए विद्युत क्षेत्र के लिए)।

क्रियान्वयन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाएं, उनकी स्वीकृत लागत और उनके पूरे होने की निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं :

3. **Conservation and Safety in Coal Mines :** Includes provision for the various stowing and conservation measures. Funds for the purpose are found from the cess (excise duty) on coal at Rs.3.50 per tonne on non-coking coal and Rs.4.25 per tonne on coking coal under the Coal Mines (Conservation and Development) Act 1974.

4. **Development of roads in Coalfield areas :** Provision is for development of roads in coalfield areas. Provision is made from out of the Cess.

5. **Interest subsidy to Coal India Ltd. :** Nil provision in RE and next Budget follows decision to restruture the Capital base of Coal India Ltd.

6. **Assistance to Coal Companies for import of spares under UK Grant** : The provision is to enable Coal Companies to import spares under a grant from the UK Government to facilitate fuller utilisation of coal mining equipment received from that Government.

7. **Subsidy for transport of coal by rail- cum- sea route:** This scheme is not in operation now. Provision is for likely arrears claims that may arise under this scheme, and is met out of cess.

8. **Other Expenditure :** These include provisions for Coal Controller's Office, Commissioner of payments and payment to Coal India Ltd. on account of transactions of collieries prior to formation of National Coal Development Corporation.

10. **Science and Technology Programme**: Includes provision for Research Schemes of Science and Technology and for schemes operated with U.N.D.P. assistance.

11. **Regional Exploration** : Provision is for stepping up the pace of regional exploration of coal with a view to meeting the sizeable increase in the demand for coal during 8th Plan & 9th Plan.

12. **Environmental measures and subsidence Control**: Provision is for carrying out environment protection measures including land reclamation and subsidence control in the coalfields areas.

13. **Investment in Public Enterprises:**

13.01 **Neyveli Lignite Corporation Ltd. (NLC) :** The activities of NLC cover the mining of lignite, generation of electricity, conversion of lignite into smokeless fuel and manufacture of urea. The capital outlay is Rs. 387.24 crores for lignite sector and Rs. 179.14 crores for power sector totalling to Rs. 566.38 crores. The gross budgetary support for NLC is Rs. 168.18 crores (Rs. 153.68 crores for Lignite and Rs.14.50 crores for Power Sector).

Important projects under implementation, their sanctioned cost and the target dates of completion are given below :

क्रम.संख्या Sl.No.	परियोजना का नाम Name of the Project	क्षमता Capacity	स्वीकृत लागत Sanctioned cost (करोड़ रुपए) (In crores of rupees)	पूरा होने का वर्ष Year of completion Original मूल	Anticipated प्रत्याशित
1. राजस्थान में खान	Mine at Rajathan	1.70 मी.टन 1.70 MT	242.31	5/95	राजस्थान सरकार को यह परियोजना संयुक्त/सरकारी/निजी क्षेत्र में पूरा करने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया गया है। It has been decided to permit Rajasthan Govt. to take up this project in joint/ Public/Private sector.
2. राजस्थान में विद्युत केन्द्र	Power Station at Rajathan	2 x 210 मेगावाट 2 x 210 MW	585.73	6/96	- तदैव- - do-
3. खान I और II के लिए फ्लोट मशीन	Float Machine for Mines I & II	1.10 मी.टन 1.10 MT	148.44	5/93	5/96
4. खान I विस्तार	Mine I Expansion	10.50 मी.टन 10.50 MT	1336.93	—	3/97
5. नेवेली तापीय विद्युत केन्द्र--I का समय विस्तार	Extension Life of TPS- I-Neyveli	—	315.23	—	3/97

13.02 **कोल इण्डिया लि.** : कोल इण्डिया लि. कोयले के उत्पादन और वितरण., कोयला संसाधनों के संरक्षण, नई कोयला खानों के आयोजन और विकास तथा कोयले संबंधी अनुसंधान का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है।

क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिया गये हैं :-

13.02 **Coal India Ltd. :** Coal India Ltd. is responsible for the production and distribution of coal, conservation of coal resources, planning and development of new coal mines and the coordination of research on coal.

Details of Major projects under implementation are given below:-

क्रम. संख्या Sl.No.	परियोजना का नाम	Name of the Project	क्षमता (मीट्रिक टन/प्रतिवर्ष) Capacity (M.T./annum)	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) Sanctioned cost (Rs. in crores)	पूरा करने का/प्रत्याशित वर्ष Year of completion/Anticipated
1.	राजमहल विस्तार ओ.सी.पी.-ई.सी.एल	Rajmahal Expn. OCP-ECL	10.50	966.70	3/95
2.	जामबाद ई.सी.एल	Jambad ECL	1.70	210.55	3/98
3.	सोनपुर बजारी - ओ.सी.पी.-ई.सी.एल	Sonepur Bazari-OCP-ECL	3.00	192.96	3/97
4.	कोटाडिह (ओसीपी एण्ड यूजी)-ई.सी.एल	Kottadih (OCP&UG) - ECL	2.48	267.52	3/98
5.	झांजरा ई.सी.एल	Jhanjra ECL	3.50	184.55	3/98
6.	सतग्राम ई.सी.एल	Satgram ECL	1.20	148.26	3/95
7.	बकुलिया ई.सी.एल	Bakulia ECL	0.96	104.66	3/2000
8.	पुटकी बलिहारी बी.सी.सी.एल	Pootkee Ballihari BCCL	3.00	199.87	3/95
9.	मधुबंद वाशरी बी.सी.सी.एल	Madhuband Washery BCCL	2.50	194.18	3/95
10	पिपारवार सी.सी.एल	Piparwar CCL	6.50	838.27	6/95
11.	परेज ईस्ट सी.सी.एल	Parej East CCL	1.75	116.19	3/98
12.	केडला वाशरी सी.सी.एल	Kedla Washery CCL	2.60	130.41	12/95
13.	दुधीचुआ विस्तार एन.सी.एल	Dudhichua Expn. NCL	10.00	868.93	3/98
14.	खडिया एन.सी.एल	Khadia NCL	4.00	588.75	3/96
15.	निगाही एन.सी.एल	Nigahi NCL	4.20	648.04	11/94
16.	उकनी डब्ल्यू.सी.एल.	Ukni WCL	1.10	100.37	3/99
17.	कलिंग एम.सी.एल	Kalinga MCL	8.00	485.77	3/2000
18.	लिंगराज एम.सी.एल	Lingaraj MCL	5.00	229.84	3/97
19.	लखनपुर एम.सी.एल	Lakhanpur MCL	5.00	221.51	3/96
20.	अनन्त एम.सी.एल	Ananta MCL	4.00	156.49	3/95
21.	बेलपहाड़ एम.सी.एल	Belpahar MCL	2.00	131.31	3/95
22.	समलेश्वरी एम.सी.एल	Samaleshwari MCL	3.00	126.85	3/96

कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए आयोजना परिव्यय 2260 करोड़ रुपये है इसमें से बजट समर्थन 241.00करोड़ रुपये का है।

The Plan outlay for CIL is Rs. 2260.00 crores out of this Budgetary support is Rs. 241 crores.

13.03 **सिंगरेनी कोलियरीज क. लि.** : इसमें सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की इक्विटी पूंजी में निवेश हेतु और उसे उधार देने के लिए व्यवस्था की गई है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. आंध्रप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें राज्य सरकार का अधिक हिस्सा है । यह कंपनी आंध्रप्रदेश में सभी कोयला खानों का प्रबंध करती है। क्रियान्वित की जा रही छः प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं-

13.03 **Singareni Collieries Co. Ltd.** : Provision for equity investment and loan to Singareni Collieries Co. has been made here. S.C.C.L. is a joint venture of the Government of Andhra Pradesh and the Central Government with majority share holding with the State Government. The Company manages all coal mines in Andhra Pradesh. The six major projects under implementation are :-

क्रम संख्या Sl. No.	परियोजना का नाम	Name of the Project	क्षमता (मी.टन./प्रतिवर्ष) Capacity (M.T./annum)	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) Sanctioned Cost (Rs. in crores)	पूरा करने का/प्रत्याशित वर्ष Year of completion/Anticipated
1.	रामागुण्डम ओ.सी.पी-II दूसरा आरसी.ई.	Ramagundam OCP-II 2nd RCE.	2.00	807.85	3/95
2.	रामागुण्डम ओ.सी.पी - III	Ramagundam OCP - III	2.75	256.94	3/95
3.	गोलेटी लॉगवाल	Goleti Longwall	0.76	102.07	3/99
4.	गोदावरी खानी-संख्या 10 क	Godavari Khani - No. 10 A	0.57	116.53	3/95
5.	पद्मावती खानी	Padmavati Khani	1.20	196.17	3/2000
6.	मेडापल्ली	Medapalli	1.25	219.82	3/2001

एस.सी.सी.एल. के लिए आयोजना परिव्यय 516.00 करोड़ रुपए है जिसमें से बजट सहायता 22.00 करोड़ रुपए की है।

The Plan outlay for S.C.C.L is Rs.516.00 crores out of which the The Budget support is Rs.22.00 crores.

वाणिज्य मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE
मांग संख्या DEMAND No.11
वाणिज्य विभाग Department of Commerce

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		91.30	420.98	512.28	91.30	770.50	861.80	148.34	486.97	635.31
पूंजी	*Capital*		*88.70*	...	*88.70*	*88.70*	...	*88.70*	*86.50*	...	*86.50*
जोड़	**Total**		**180.00**	**420.98**	**600.98**	**180.00**	**770.50**	**950.50**	**234.84**	**486.97**	**721.81**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	7.42	7.42	...	7.50	7.50	...	8.00	8.00
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	**Foreign Trade and Export Promotion**										
2. व्यापार आयुक्त	2. Trade Commissioners	3453	...	30.00	30.00	...	35.00	35.00	...	38.00	38.00
3. विदेशी व्यापार महानिदेशक	3. Director General Foreign Trade	3453	...	14.73	14.73	...	17.00	17.00	...	13.00	13.00
4. भारत व्यापार संवर्धन संगठन	4. India Trade Promotion Organisation	3453	...	12.00	12.00	...	10.00	10.00	...	1.00	1.00
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता	*5. Assistance for Export Promotion and Market Development*										
5.01 उत्पाद संवर्धन और वस्तु विकास	5.01 Product Promotion and Commodity Development	3453	...	287.90	287.90	...	546.00	546.00	...	300.00	300.00
5.02 निर्यात संवर्धन और विपणन विकास संगठन को सहायता अनुदान	5.02 Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisation	3453	...	12.00	12.00	...	13.00	13.00	...	15.00	15.00
5.03 निर्यात ऋण विकास	5.03 Export Credit Development	3453	...	0.10	0.10	...	1.00	1.00	...	0.40	0.40
जोड़		*Total*	...	*300.00*	*300.00*	...	*560.00*	*560.00*	...	*315.40*	*315.40*
6. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों का विकास	*6. Development of Free Trade/ Export Processing Zones:*										
6.01 काण्डला	6.01 Kandla	3453	...	1.89	1.89	...	1.96	1.96	...	2.32	2.32
		5453	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
6.02 इलेक्ट्रानिक्स	6.02 Electronics	3453	...	3.20	3.20	...	2.70	2.70	...	2.60	2.60
		5453	6.80	...	6.80	6.80	...	6.80	5.00	...	5.00
6.03 फाल्टा	6.03 Falta	3453	...	0.77	0.77	...	0.74	0.74	...	0.89	0.89
		5453	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
6.04 मद्रास	6.04 Madras	3453	...	1.86	1.86	...	1.36	1.36	...	1.58	1.58
		5453	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
6.05 कोचीन	6.05 Cochin	3453	...	0.89	0.89	...	0.88	0.88	...	1.03	1.03
		5453	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
6.06 नोएडा	6.06 NOIDA	3453	...	1.02	1.02	...	1.08	1.08	...	1.18	1.18
		5453	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	5.00	...	5.00
6.07 विशाखापत्तनम	6.07 Visakhapatnam	3453	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
		5453	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50
6.08 मुक्त पत्तन की स्थापना	6.08 Establishment of Free Port	5453	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3453	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
6.09 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में रत्न और जेवरात	6.09 Gem. & Jewellery E.P.Z.	3453	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
6.10 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क	6.10 Export Promotion Industrial Park	5453	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
जोड़		*Total*	*75.00*	*9.65*	*84.65*	*75.00*	*8.74*	*83.74*	*75.00*	*9.62*	*84.62*
7. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	7. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority	3453	10.00	1.71	11.71	10.00	1.80	11.80	50.00	2.00	52.00
8. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	8. Marine Products Export Development Authority	3453	10.00	2.50	12.50	10.00	3.00	13.00	13.00	3.00	16.00
9. रूस सरकार को विशेष ऋण	9. Swing Credit to Govt. of Russia	7605	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00
घटाइए-उसी वर्ष के दौरान वसूलियां	*Less Recoveries during the year*	*7605*	...	*-300.00*	*-300.00*	...	*-300.00*	*-300.00*	...	*-300.00*	*-300.00*
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	*10. Other Schemes of Foreign Trade and Export Promotion*										
10.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक	10.01 Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics	3453	...	3.85	3.85	...	4.70	4.70	...	4.25	4.25
10.02 निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण	10.02 Export Inspection Co ncil/Agency	3453	...	0.40	0.40	...	33.00	33.00	...	0.40	0.40
10.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	10.03 Contributions to International Organisations	3453	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
10.04 विदेश जाने वाले शिष्टमंडल	10.04 Delegations going abroad	3453	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
10.05 विदेशों से आने वाले शिष्टमंडल	10.05 Delegations from abroad	3453	...	0.15	0.15	...	0.20	0.20	...	0.14	0.14
10.06 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	10.06 International Conferences	3453	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	0.50	0.50
10.07 श्रम अधिकारों और सम्बन्धित विषयों की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए आयोग	10.07 Commission for Study of Issues concerning Protection of Labour Rights and Related Matters	3453	...	...	...	...	2.00	2.00	...	3.00	3.00
10.08 भारतीय पैकेजिंग संस्था को भुगतान	10.08 Payment to Indian Institute of Packaging	3453	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	7.00	...	7.00
10.09 शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक	10.09 Custodian of Enemy Property	3453	...	0.37	0.37	...	0.37	0.37	...	0.37	0.37
10.10 निर्यात/आयात वस्तुओं के लिए घाटों की प्रतिपूर्ति	10.10 Reimbursement of losses for Export /Import of Commoditities	3453	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
10.11 अन्य	10.11 Others	3453	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	*4.00*	*11.18*	*15.18*	*4.00*	*46.68*	*50.68*	*7.00*	*13.77*	*20.77*
जोड़- विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	**Total-Foreign Trade and Export Promotion**		**99.00**	**381.77**	**480.77**	**99.00**	**682.22**	**781.22**	**145.00**	**395.79**	**540.79**
बागान	***Plantations***										
11. वस्तु बोर्ड	*11. Commodity Boards*										
11.01 चाय बोर्ड	11.01 Tea Board	2407	9.60	14.00	23.60	9.60	14.00	23.60	11.00	14.00	25.00
		6407	10.40	...	10.40	10.40	...	10.40	11.00	...	11.00
जोड़		*Total*	*20.00*	*14.00*	*34.00*	*20.00*	*14.00*	*34.00*	*22.00*	*14.00*	*36.00*
11.02 रबड़ बोर्ड	11.02 Rubber Board	2407	39.00	7.60	46.60	39.00	7.60	46.60	49.27	7.60	56.87
11.03 काफी बोर्ड	11.03 Coffee Board	2407	6.00	5.40	11.40	6.00	5.40	11.40	8.00	5.40	13.40
		6407	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*10.00*	*5.40*	*15.40*	*10.00*	*5.40*	*15.40*	*9.00*	*5.40*	*14.40*
11.04 मसाला बोर्ड	11.04 Spices Board	2407	8.75	2.00	10.75	8.75	2.00	10.75	9.47	2.00	11.47
11.05 काजू	11.05 Cashew	2407	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
जोड़ - वस्तु बोर्ड	**Total-Commodity Boards**		**77.75**	**29.00**	**106.75**	**77.75**	**29.00**	**106.75**	**89.84**	**29.00**	**118.84**
12. बागवानी की अन्य योजनाएं	*12. Other Schemes of Plantations*										
12.01 भण्डागारण के लिए टी.टी.सी.आई की अदायगियां	12.01 Payments to Tea Trading Corporation of India for warehousing	2407	...	1.29	1.29	...	1.29	1.29	...	1.00	1.00
12.02 रूग्ण चाय एककों के लिए अदायगियां	12.02 Payments for sick tea units	2407	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.03	0.03
जोड़		*Total*	...	*1.34*	*1.34*	...	*1.34*	*1.34*	...	*1.03*	*1.03*
जोड़ - बागान	**Total-Plantations**		**77.75**	**30.34**	**108.09**	**77.75**	**30.34**	**108.09**	**89.84**	**30.03**	**119.87**
फसल पालन	***Crop Husbandry***										
13. तम्बाकू बोर्ड	13. Tobacco Board	2401	3.25	1.45	4.70	3.25	1.12	4.37	...	1.00	1.00
	Other General Economic Services										
14. बॉण्डों पर देय ब्याज के सम्बन्ध में देनदारियों को पूरा करने के लिए इ.सी.जी.सी. को भुगतान	14. Payments to ECGC to meet liabilities in respect of interest payable on bonds	3475	...	...	...	...	49.32	49.32	...	52.15	52.15
कुल जोड़	***Grand Total***		***180.00***	***420.98***	***600.98***	***180.00***	***770.50***	***950.50***	***234.84***	***486.97***	***721.81***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन	1. Tea Trading Corporation	13465	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. भारतीय माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमि.	2. Mica Trading Corpn. of India Ltd	13465	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य संस्थाओं/निकायों वस्तु बोर्ड इत्यादि	Other institutions/bodies Commodity Boards etc.	12407	...	8.31	8.31	...	13.29	13.29	...	12.19	12.19
जोड़	**Total**		...	**8.31**	**8.31**	...	**13.29**	**13.29**	...	**12.19**	**12.19**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	1. Foreign Trade and Export Promotion	13453	99.00	0.05	99.05	99.00	...	99.00	145.00	...	145.00
2. बागान	2. Plantations	12407	77.75	2.58	80.33	77.75	4.39	82.14	89.84	2.19	92.03
3. फसल पालन	3. Crop Husbandry	12401	3.25	5.68	8.93	3.25	8.90	12.15	...	10.00	10.00
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	4. General Financial and Trading Institutions.	13465	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**180.00**	**8.31**	**188.31**	**180.00**	**13.29**	**193.29**	**234.84**	**12.19**	**247.03**

1. **सचिवालय** - विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है।

2. **व्यापार आयुक्त** - 65 विदेश व्यापार मिशनों में नियुक्त ये व्यापार संबंधी पूछ-ताछ, व्यापारिक विवादों को निपटाने और प्रदर्शनियां तथा मेले आदि आयोजित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं।

3. **महा निदेशक विदेश व्यापार** - महा निदेशक विदेश व्यापार के संगठन और इसके नियंत्रणाधीन 31 क्षेत्रीय आयात और निर्यात नियन्त्रण कार्यालयों पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

1. **Secretariat - Economic Services** - includes provision for secretariat expenditure of the Department.

2. **Trade Commissioners** – posted at 65 Trade Missions abroad, attend to trade enquiries and also assist in settling trade disputes and in organising exhibitions/fairs etc.

3. **Director General Foreign Trade** – includes provision for administrative expenditure of organisation of the Director General Foreign Trade and 31 Regional Import and Export Control Offices under him.

4. **भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन** - विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए इसे एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में मनोनीत किया गया है। यह, भारत में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेले भी आयोजित करता है। संगठन को इसके विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

5. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता** - यह सहायता भारत के निर्यात को बढ़ावा देने, उसमें विविधता लाने तथा भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए विदेशों में मंडियों का विकास करने के लिए दी गई थी। गैर-परम्परागत तथा औद्योगिक उत्पादों और वस्त्रों के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता संबंधी स्कीमों पर व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले अग्रिमों और निर्यातों के प्रयोजन के लिए अन्य ऋण सुविधाओं पर लिए जाने वाले रियायती दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई थी। ये दोनों स्कीमें, अर्थात् (i) नकद प्रतिपूर्ति सहायता भुगतान, और (ii) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण आर्थिक सहायता को क्रमशः 3.7.1991 और 6.8.1991 से समाप्त कर दिया गया। इस समय शामिल की गई व्यवस्था इन स्कीमों से संबंधित बकाया का भुगतान करने और लगातार संभावित निर्यात लाभ (शुल्क वापसी और समाप्त किए जाने वाले उत्पाद शुल्क की वापसी) से संबंधित चालू देयताओं के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थाओं को विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों के भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमानों में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिभूति स्कीम (आई.पी.आर.एस.) के अन्तर्गत विलम्बित दावों की स्वीकृति के लिए 31 मार्च, 1994 तक अभियान्त्रिक सामान के निर्यात किए जाने के सम्बन्ध में 146 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

6. **मुक्त व्यापार/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों का विकास** - गांधीधाम (कांडला) में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने और बम्बई, मद्रास, फाल्टा, कोचीन, नौएडा और विशाखापत्तनम में स्थापित किए गए निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल है। बजट में आयोजना पक्ष में निर्माण और विकास के लिए तथा गैर आयोजना पक्ष में प्रशासनिक व्यय तथा नई दिल्ली में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख जवाहरात व आभूषण परिसर की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है।

7. **कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** - बजट में आयोजना पक्ष की ओर कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को उपकरण संग्रहणों से संबंधित भुगतानों के रूप में कुछ कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन तथा उसमें सम्बद्ध विषयों के लिए व्यवस्था शामिल है।

8. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** - इसकी स्थापना निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास और विनियमन करने के उद्देश्य से की गई थी। उपकर वसूलियों की एवज के एम.पी.ई.डी.ए. को राशियां जारी की जाती हैं।

9. रूस सरकार को अवृत्ति ऋणः- एशिया की सरकार को 'स्विंग क्रेडिट' तथा विदेशी सरकारों को अन्य अदायगियों के लिए प्रावधान शामिल है। भारत और रूस के बीच करार हुआ है जिसके तहत भारत रूस को भारत से वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात के लिए रूस को आवर्ती ऋण उपलब्ध कराएगा जो भारत की ऋण की वापसी अदायगी देयताओं के प्रति समायोजित किया जाना है। तथापि, इस लेखे पर व्यय इसी वर्ष से प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

10. **विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं** - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक और निर्यात निरीक्षण परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य मदों के होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है। श्रम अधिकार और सम्बन्धित विषयों, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, आई.आई.पी. तथा अन्यों को भुगतान इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिए आयोग।

बागान

11. **वस्तु बोर्ड** - ये बोर्ड महत्वपूर्ण फसलों अर्थात् रबड़, चाय, कहवा, मसालों के निर्यात को बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन वस्तुओं पर उपकर लगाए जाते हैं और उपकरों से प्राप्त होने वाली रकम से बोर्डों के प्रशासनिक खर्च और उनके विकास सम्बन्धी कार्यों के खर्च के लिए भारत की समेकित निधि से रकमें दी जाती हैं।

12. **बागान की अन्य योजनाएं** - सरकारी चाय भाण्डागारों के संचालन तथा चाय कम्पनी (रूग्ण एककों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1985 की धारा 7(2) के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी करने के लिए चाय व्यापार निगम को अदायगी करने के वास्ते व्यवस्था शामिल है।

फसल पालन

13. **तम्बाकू बोर्ड** - तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा तम्बाकू के निर्यात के लिए संवर्धनात्मक प्रयास करने के लिए 1976 में तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी।

14. **इ.सी.जी.सी. को भुगतानः** इस में इराक के साथ आस्थगित भुगतान प्रभनन्धों के अन्तर्गत विलम्बित दावों के निपटान के लिए निर्गमित बॉण्डों पर निर्यात ऋण और गारण्टी निगम द्वारा देय ब्याज के सम्बन्ध में देनदारियों को पूरा करने हेतु निगम को समर्थ बनाने के प्रयोजन से भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

4. **India Trade Promotion Organisation** - has been made the nodal agency for participation in international fairs abroad and for organising national and international fairs in India. The provision is for payment of grants- in- aid to the organisation for its various activities.

5. **Assistance for Export Promotion and Market Development** - was given to stimulate and diversify India's export trade and to develop markets for Indian products/commodities in foreign countries. Expenditure was incurred on schemes of cash compensatory support for export of non-traditional and industrial products and textiles. In addition, commercial banks were also given subsidy to compensate them for the concessional rate of interest charged from exporters on advances and other credit facilities for export purposes. Both of these Schemes viz. (i) payment of Cash Compensatory Support and (ii) Credit subsidy to Commercial Banks stand suspended with effect from 3.7.1991 and 6.8.1991 respectively. The provision now included represents only to clear the residual payments for these two schemes and also current liabilities in respect of the continuing deemed exports benefits (duty draw backs and refund of terminable excise duty). In addition, provision has also been made for payment of grants to Export Promotion Councils and other institutions for expenditure on specific export promotion schemes. Revised estimates include a provision of Rs. 146 crore for clearance of pending claims under International Price Reimbursement Scheme (IPRS) in respect of engineering goods exports upto March 31, 1994.

6. **Development of Free Trade/Export Processing Zones** – includes provision for Free Trade Zone at Gandhidham (Kandla) and Export Processing Zones set up at Bombay, Madras, Falta, Cochin, Noida and Vishakapatnam. Budget includes provision on plan side for construction and development and on non-plan side for administrative expenditure and for setting up of 100% Export Oriented Gem and Jewellery Complex at New Delhi.

7. **Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)** - Budget includes provision on plan side as payments against collection of cess to APEDA for development and promotion of exports of certain agricultural and processed food products and for matter connected therewith.

8. **Marine Products Export Development Authority (MPEDA)**– was set up with the object of developing and regulating the marine products industry with special reference to exports. Funds are released to MPEDA against the collection of cess.

9. **Swing credit to Government of Russia** - includes provision for Swing Credit to the Government of Russia and other payments to foreign Governments. India and Russia have entered into an agreement under which India will provide loans as "Swing Credit" to Russia for Russia's import of goods and services from India, to be adjusted against India's debt repayment liability. The expenditure on this account will, however, be matched by receipts in the same year.

10. **Other Schemes of Foreign Trade and Export Promotion** – provides for expenditure for Director General of Commercial Intelligence and Statistics and Export Inspection Council, International Cooperation, Commission for the study of issues concerning Labour Rights and Related Matters, Custodian of Enemy Property, Payment to I.I.P and others etc.

Plantations

11. **Commodity Boards** – have been set up for developing and increasing export of certain important crops namely, rubber, tea, coffee, spices. Cess is levied on these commodities and from out of the cess proceeds, funds are released for the administrative and developmental expenditure of the Board from the Consolidated Fund of India.

12. **Other Schemes of plantations** – includes provision for payments to Tea Trading Corporation for running of Public Tea Warehouses, Payment of interest under Section 7(2) of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Units) Act,1985 etc.

Crop Husbandry

13. **Tobacco Board** – was set up in 1976 to protect the interests of the tobacco growers and to undertake promotional efforts for export of tobacco.

14. **Payments to ECGC**: The provision is for payment to the Export Credit and Guarantee Corporation to enable the corporation to meet liabilities in respect of interest payable by it on bonds issued to settle pending claims under the deferred payment arrangements with Iraq.

वाणिज्य मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE

मांग संख्या DEMAND No.12

पूर्ति विभाग Department of Supply

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		2.50	29.52	32.02	2.50	30.50	33.00	1.45	32.16	33.61
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**2.50**	**29.52**	**32.02**	**2.50**	**30.50**	**33.00**	**1.45**	**32.16**	**33.61**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	6.23	6.23	...	6.40	6.40	...	6.89	6.89
पूर्ति और निपटान	**Supplies and Disposals**										
2. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय	2. D.G.S. & D	2057	...	19.45	19.45	...	20.21	20.21	...	21.19	21.19
अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	**Other Scientific Research**										
3. राष्ट्रीय परीक्षण गृह	3. National Test House	3425	2.50	3.84	6.34	2.50	3.89	6.39	1.45	4.08	5.53
कुल जोड़	***Grand Total***		***2.50***	***29.52***	***32.02***	***2.50***	***30.50***	***33.00***	***1.45***	***32.16***	***33.61***

ग. आयोजना परिव्यय *	C. Plan Outlay *	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	1. Other Scientific Research	13425	4.40	...	4.40	4.70	...	4.70	3.80	...	3.80

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
includes Works Outlay provided in the Demand of the Ministry of Urban Development.

अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	Other Scientific Research										
मांग संख्या - 80	Demand No.80	13425	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50	...	...	...
मांग संख्या - 81	Demand No.81	13425	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	2.35	...	2.35
जोड़		**Total**	**1.90**	...	**1.90**	**2.20**	...	**2.20**	**2.35**	...	**2.35**

1. इसमें आपूर्ति विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

2. इसमें महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान के संगठन के लिए व्यवस्था है, जो भारत सरकार का एक केन्द्रीय क्रय संगठन है इसके (i) खरीद (ii) गुणवत्ता आश्वासन (iii) निपटान जैसे तीनों कार्यों के लिए अलग-अलग निदेशालय है।

1994-95 के संशोधित अनुमानों में पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 32.98 करोड़ रुपए और 1995-96 के लिए बजट अनुमान 26.72 करोड़ रुपए लगाया गया है।

3. **राष्ट्रीय परीक्षण गृह** - यह सरकारी तथा गैर सरकारी पार्टियों के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार माल से मूल्यांकन/परीक्षण की व्यवस्था करता है और परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करता है।

1. The provision is for secretariat expenditure of the Department of Supply.

2. The provision is for the organisation of the Director General, Supplies and Disposals which is the Central Purchase Organisation of the Government of India. It has a separate Directorate for each of the three functions viz. (i) Purchase (ii) Quality Assurance and (iii) Disposals.

Revenue receipts of D.G. S & D. are estimated at Rs. 32.98 crore under R.E. 1994-95 and Rs.26.72 crore under BE 1995-96.

3. The National Test House arranges for evaluation and testing of materials for Government as well as private parties as per national/ international standards and issues test certificates.

संचार मंत्रालय *MINISTRY OF COMMUNICATIONS*

मांग संख्या DEMAND No.13

डाक विभाग Department of Posts

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है: (करोड़ रुपए)

A. The Budget allocations, net of recoveries and revenue receipts, are given below: *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		21.14	125.00	146.14	18.12	313.00	331.12	17.13	287.00	304.13
पूंजी	*Capital*		*55.86*	*-8.00*	*47.86*	*73.88*	*-8.00*	*65.88*	*67.87*	*-4.00*	*63.87*
जोड़	**Total**		**77.00**	**117.00**	**194.00**	**92.00**	**305.00**	**397.00**	**85.00**	**283.00**	**368.00**
डाक सेवाएं	**Postal Services**										
राजस्व भाग	***.Revenue Section***										
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	3201	0.47	116.72	117.19	0.47	120.06	120.53	0.57	126.00	126.57
2. डाक सेवा नेटवर्क	2. Postal Network	3201	10.60	311.14	321.74	8.66	487.40	496.06	9.90	558.50	568.40
3. डाक की छंटाई	3. Mail sorting	3201	...	200.00	200.00	...	192.00	192.00	...	198.00	198.00
4. डाक परिवहन	4. Conveyance of mails	3201	...	190.00	190.00	...	192.00	192.00	...	195.00	195.00
5. एजेंसी सेवाएं	5. Agency services	3201	2.61	51.80	54.41	1.99	63.00	64.99	1.64	67.00	68.64
6. लेखे	6. Accounts	3201	...	43.50	43.50	...	46.00	46.00	...	48.00	48.00
7. इंजीनियरी	7. Engineering	3201	4.00	22.70	26.70	4.00	24.00	28.00	3.00	25.00	28.00
8. कर्मचारियों की सुविधाएं	8. Staff amenities	3201	...	17.00	17.00	...	18.00	18.00	...	20.00	20.00
9. पेंशनें	9. Pensions	3201	...	240.00	240.00	...	254.00	254.00	...	260.00	260.00
10. लेखन-सामग्री और मुद्रण	10. Stationery & Printing	3201	...	83.28	83.28	...	83.30	83.30	...	85.00	85.00
11. अन्य	11. Others	3201	3.46	18.86	22.32	3.00	18.24	21.24	2.02	19.50	21.52
12. जोड़ राजस्व व्यय-डाक सेवाएं	12. **Total Revenue Expenditure-Postal Services**		21.14	1295.00	1316.14	18.12	1498.00	1516.12	17.13	1602.00	1619.13
13. घटाइए - प्राप्तियां	13. **Less** Receipts	1201	...	-1170.00	-1170.00	...	-1185.00	-1185.00	...	-1315.00	-1315.00
14. निवल	*14. Net*		*21.14*	*125.00*	*146.14*	*18.12*	*313.00*	*331.12*	*17.13*	*287.00*	*304.13*
पूंजी भाग	***.Capital Section***										
1. डाक संबंधी नेटवर्क	1. Postal Network	5201	19.75	...	19.75	22.15	...	22.15	11.00	...	11.00
2. प्रशासनिक कार्यालय	2. Administrative Offices	5201	2.00	...	2.00	3.05	...	3.05	4.00	...	4.00
3. कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	3. Staff quarters	5201	4.25	...	4.25	10.90	...	10.90	6.00	...	6.00
4. अन्य	4. Others	5201	29.86	1.00	30.86	37.78	1.00	38.78	46.87	6.00	52.87
5. सरकारी समितियों को ऋण	5. Loans to Co-operative Societies@	7475	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. घटाइए-प्राप्तियां और वसूलियां	6. Less-receipts and recoveries	5201	...	-9.00	-9.00	...	-9.00	-9.00	...	-10.00	-10.00
पूंजी भाग (निवल)	Capital Section(Net)		55.86	-8.00	47.86	73.88	-8.00	65.88	67.87	-4.00	63.87
कुल जोड़	***Grand Total***		*77.00*	*117.00*	*194.00*	*92.00*	*305.00*	*397.00*	*85.00*	*283.00*	*368.00*

@व्यवस्था 50 हजार से कम है Provision is less than rupees 50 thousands

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total
डाक सेवाएं	Postal Services	13201	77.00	...	77.00	92.00	...	92.00	85.00	...	85.00

डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अधीन एक विभाग यह देश में डाक सेवाओं के आयोजन, विकास, विस्तार, तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग सरकार के अन्य विभागों के लिए अल्प बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना आदि के संबंध में कुछ अभिकरण कार्य भी करता है। विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए, विभाग के अन्तर्गत 5 डाक प्रशिक्षण केन्द्रों और गाजियाबाद स्थित एक पोस्टल स्टाफ कालेज के अलावा 19 डाक सर्कल हैं।

2. इस मांग में डाक सेवाओं के राजस्व और पूंजी व्यय के लिए व्यवस्था है। राजस्व भाग में कार्यचालन व्यय के लिए व्यवस्था है, जिसमें एजेंसी सेवाओं के संबंध में व्यय और लेखा परीक्षा तथा पेंशन प्रभारों से संबंधित व्यय भी शामिल है। सेवाओं के राजस्व भाग में होने वाला निवल घाटा (सकल व्यय में से डाक आय को घटाने के बाद की राशि) सरकार के सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है। पूंजी भाग में मोटर डाक गाड़ियों/रेल डाक गाड़ियों की खरीद, काउन्टर सेवाओं के उन्नयन, मुद्रा अन्तरण की इलैक्ट्रानिक पद्धति लागू करने, डाक संसाधन प्रणालियों के यंत्रीकरण आदि के माध्यम से डाकघरों के आधुनिकीकरण के अतिरिक्त चालू प्रचालन संबंधी इमारतों और कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

3. बजट अनुमान 1994-95 में 1170.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 1994-95 में 1185.00 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 1995-96 में 1315.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

The Department of Posts, is a department under the Ministry of Communications. It is responsible for planning, development, expansion and operations and maintenance of Postal Services in the country. It also discharges certain agency functions in respect of small savings schemes, Postal Life Insurance Scheme, Mahila Samridhi Yojna etc. for other departments of the Government. For the implementation of the various programmes and activities, the Department has a net work of 19 Postal circles, besides 5 Postal Training Centres and a Postal Staff College at Ghaziabad.

2. This Demand provides for the revenue as well as the capital expenditure of Postal Services. In the revenue section, the provision is for working expenses, which includes those on account of agency services, as well as expenditure relating to audit and pensionary charges. The net deficit in the revenue section of the Services (i.e. gross expenditure less Postal earnings) is met from General revenue of the Government. In the Capital Section, provision is made for expenditure for completion of ongoing operative buildings and staff quarters etc. besides purchase of MMS/RMS vans, modernisation of Post Offices through upgradation of counter services, introduction of electronic money transfer system, mechanisation of mail processing systems, etc.

3. The receipts in BE 1995-96 are estimated at Rs. 1315.00 crore against Rs. 1170.00 crore in BE 1994-95 and Rs. 1185.00 crore in RE 1994-1995.

4. व्यय के लिए अगले वर्ष के बजट में डाक सेवाओं के सामान्य विकास और विस्तार की व्यवस्था की गई है ।

5. वर्ष 1995-96 के योजना परिव्यय में परिकल्पित मुख्य वास्तविक लक्ष्य मोटे रूप में इस प्रकार हैः–

	स्कीमें		लक्ष्य
1.	पंचायत डाक सेवा केन्द्र	-	1000 नग
2.	इलैक्ट्रानिक मुद्रा अन्तरण प्रणाली का विस्तार	-	49 केन्द्र
3.	स्पीड पोस्ट के लिए ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली	-	20 केन्द्र
4.	(क) जिन डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाना है उनकी सख्या	-	500 नग
	(ख) बहु प्रयोजनीय काउन्टर मशीनों की संख्या	-	1000 नग
5.	(क) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	-	80 नग
	(ख) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर जिला उप डाकघर बनाना।	-	150 नग
	(ग) पत्र पेटियों की आपूर्ति	-	26,000 नग

4. Next year's Budget for expenditure provides for normal growth and expansion of postal services.

5. The major physical targets envisaged in 1995-96 Plan outlay are broadly:—

	Schemes		Targets
1.	Panchayat Dak Sewa Kendras	-	1000 Nos
2.	Expansion of Electronic Money Transfer System	-	49 centres
3.	Track & Trace System for Speed Post	-	20 centres
4.	a) Number of Post Offices to be modernised	-	500 Nos
	b) Number of Multi Purpose Counter Machines	-	1000 Nos
5.	a) Extra Departmental branch Post Offices	-	80 Nos
	b) Upgradation of Extra Departmental Branch Post Offices to District Sub Post Offices	-	150 Nos
	c) Supply of Letter Boxes	-	26,000 Nos

संचार मंत्रालय *MINISTRY OF COMMUNICATIONS*

मांग संख्या DEMAND No.14

दूरसंचार सेवाएं Department of Telecommunication

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, and revenue receipts are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		3.85	34.43	38.28	3.02	37.84	40.86	3.95	9.50	13.45
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**3.85**	**34.43**	**38.28**	**3.02**	**37.84**	**40.86**	**3.95**	**9.50**	**13.45**
क. राजस्व भाग	**A.-Revenue Section**										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1. Secretarial Economic Services	3451	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26
दूरसंचार	**Telecommunications**										
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	3225	...	306.25	306.25	...	305.77	305.77	...	328.33	328.33
2. प्रचालन व्यय	2. Operational expenses	3225	...	629.17	629.17	...	609.47	609.47	...	659.15	659.15
3. भंडार और कारखाने	3. Stores and Factories	3225	...	-144.62	-144.62	...	-188.79	-188.79	...	-247.45	-247.45
4. इंजीनियरी	4. Engineering	3225	90.00	1042.69	1132.69	90.00	1014.85	1104.85	90.00	1120.59	1210.59
5. लेखे और लेखा-परीक्षा	5. Accounts and Audit	3225	...	24.44	24.44	...	23.17	23.17	...	24.97	24.97
6. कर्मचारियों को सुविधाएं	6. Amenities to staff	3225	...	20.50	20.50	...	17.50	17.50	...	18.15	18.15
7. पेंशन	7. Pensions	3225	...	165.00	165.00	...	164.00	164.00	...	185.00	185.00
8. लेखन-सामग्री और मुद्रण	8. Stationery and Printing	3225	...	30.00	30.00	...	17.00	17.00	...	19.00	19.00
9. मूल्यह्रास	9. Depreciation	3225	...	994.10	994.10	...	976.27	976.27	...	1237.89	1237.89
10. सामान्य राजस्व को लाभांश	10. Dividend to General Revenues	3230	...	263.40	263.40	...	269.20	269.20	...	265.00	265.00
11. अधिशेष से निधियों को विनियोग	11. Appropriations from surplus to Funds	3231	...	3406.00	3406.00	...	3305.00	3305.00	...	3867.00	3867.00
12. अन्य	12. Others	3225	...	1325.07	1325.07	...	1094.56	1094.56	...	1308.37	1308.37
13. जोड़ - राजस्व व्यय-दूरसंचार सेवाएं	**13. Total Revenue Expenditure-Telecom.Services**		**90.00**	**8062.00**	**8152.00**	**90.00**	**7608.00**	**7698.00**	**90.00**	**8786.00**	**8876.00**
14. घटाइए- प्राप्तियां	*14. Less - Receipts*	*1225*	*-90.00*	*-8062.00*	*-8152.00*	*-90.00*	*-7608.00*	*-7698.00*	*-90.00*	*-8786.00*	*-8876.00*
15 निवल	15. Net		...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य संचार सेवाएं	**Other Communications Services**										
16. अनुवीक्षण सेवाएं	16. Monitoring Services	3275	3.85	3.40	7.25	3.02	3.40	6.42	3.95	3.40	7.35
17. अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योगों को अनुदान	17. Grants to Indian Telephone Industries for R &D works	3275	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	...	...
18. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र को अनुदान	18. Grants to Centre for Development of Telematics	3275	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
19. आई.टी.आई. को क्षतिपूर्ति	19. Compensation to I.T.I.	3275	...	...	...	...	3.89	3.89	...	...	...
20. घटाइए - राजस्व प्रारक्षित निधि से आहरण	20. *Less* - Withdrawal from Revenue Reserve Fund	3275	-60.00	...	-60.00	-60.00	-3.89	-63.89	-70.00	...	-70.00
21. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय को अंशदान	21. Contribution to International Telecommunication Union, Geneva and Asia Pacific Telecommunity	3275	...	4.01	4.01	...	7.42	7.42	...	4.08	4.08
22. अन्य कार्यक्रम	22. Other Programmes	3275	...	0.76	0.76	...	0.76	0.76	...	0.76	0.76
जोड़ - अन्य संचार सेवाएं	**Total-Other Communication Services**		**3.85**	**33.17**	**37.02**	**3.02**	**36.58**	**39.60**	**3.95**	**8.24**	**12.19**
राजस्व भाग-निवल	Revenue Section-Net		3.85	34.43	38.28	3.02	37.84	40.86	3.95	9.50	13.45
ख. पूंजी भाग	**B.Capital Section**										
1. तार प्रणालियां	1.Telegraph Systems	5225	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	150.00	...	150.00
2. स्थानीय टेलीफोन प्रणालियां	2. Local Telephone Systems	5225	3291.00	--	3291.00	3491.00	--	3491.00	3950.00	--	3950.00
3. लम्बी दूरी वाली स्विचिंग प्रणालियां	3. Long Distance switching Systems	5225	158.00	...	158.00	158.00	...	158.00	205.00	...	205.00
4. पारेषण प्रणालियां	4. Transmission Systems	5225	1940.00	...	1940.00	1917.00	...	1917.00	2180.00	...	2180.00
5. सहायक प्रणालियां	5. Ancillary Systems	5225	37.00	...	37.00	60.00	...	60.00	75.00	...	75.00
6. अन्य भूमि और इमारतें	6. Other Land & Buildings										
(i) आवासीय	(i) Residential	5225	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	140.00	...	140.00
(ii) गैर-आवासीय	(ii) Non-residential	5225	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	35.00	...	35.00
जोड़		*Total*	*94.00*	...	*94.00*	*94.00*	...	*94.00*	*175.00*	...	*175.00*
7. भंडार उचन्त	7. Stores Suspense	5225	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	35.00	35.00
8. घटाइए-पूंजी खाते की प्राप्तियां और वसूलियां	8. Deduct-Receipts and recoveries on Capital Account	5225	-5615.00	-30.00	-5645.00	-5815.00	-30.00	-5845.00	-6735.00	-35.00	-6770.00
9. सरकारी उद्यमों में निवेश	9. Investments in Public Enterprises										
9.01 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स	9.01 Hindusthan Teleprinters	4859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		6859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. महानगर टेलीफोन निगम लि. को ऋण	10. Loans to Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	7225	...	...	...	...	...	...	...	...	...
घटाइए - पूंजी प्रारक्षित निधि से पूरी की गई राशि	*Less* Amount met from Capital Reserve Fund		...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी भाग - निवल	**Capital Section-Net**		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*3.85*	*34.43*	*38.28*	*3.02*	*37.84*	*40.86*	*3.95*	*9.50*	*13.45*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
9.01 दूरसंचार	9.01 Telecommunications	13225	...	5765.00	5765.00	...	5965.00	5965.00	...	6895.00	6895.00
9.02 महानगर टेलीफोन निगम लि.	9.02 Mahanagar Telephone Nigam Limited	13225	...	986.00	986.00	...	1023.00	1023.00	...	943.80	943.80
9.03 भारतीय टेलीफोन उद्योग	9.03 Indian Telephone Industries	12859	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	132.00	132.00
9.04 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.	9.04 Hindustan Teleprinters Ltd.	12859	...	6.15	6.15	...	8.70	8.70	...	12.30	12.30
9.05 विदेश संचार निगम लि.	9.05 Videsh Sanchar Nigam Ltd.	13275	...	358.34	358.34	...	410.28	410.28	...	389.24	389.24
जोड़	**TOTAL**		...	**7245.49**	**7245.49**	...	**7536.98**	**7536.98**	...	**8372.34**	**8372.34**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. दूरसंचार सेवाएं	1. Telecommunication services	13225	...	6751.00	6751.00	...	6988.00	6988.00	...	7838.80	7838.80
2. अन्य संचार सेवाएं	2. Other Communication Services	13275	5.00	358.34	363.34	4.51	410.28	414.79	5.00	389.24	394.24
3. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	3. Telecommunication & Electronic Industries	12859	...	136.15	136.15	...	138.70	138.70	...	144.30	144.30
जोड़	**TOTAL**		**5.00**	**7245.49**	**7250.49**	**4.51**	**7536.98**	**7541.49**	**5.00**	**8372.34**	**8377.34**

** इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*

** Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

मांग 80	Demand 80	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.17	...	0.17
मांग 81	Demand 81	0.93	...	0.93	1.24	...	1.24	0.88	...	0.88
जोड़	**Total-**	**1.15**	...	**1.15**	**1.49**	...	**1.49**	**1.05**	...	**1.05**

राजस्व भाग

(1) **सचिवालय** : इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है।

(2) **दूरसंचार** : दूरसंचार विभाग देश में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है । ये सेवाएं देश में 18 दूरसंचार मंडलों और 2 दूरसंचार जिलों के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर प्रचालित की जाती हैं।

दिल्ली और बम्बई महानगरों में पहली अप्रैल, 1986 से दूरसंचार सेवाओं (टेलीग्राफ सेवाओं को छोड़कर) का प्रबंध महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम. टी. एन. एल.) द्वारा किया जाता है। मांग के राजस्व भाग में की गई व्यवस्था कार्यचालन व्यय (मूल्यह्रास, लेखा परीक्षा, पेंशन संबंधी प्रभार और अनुसंधान एवं विकास सहित), सामान्य राजस्व से उधार ली गई पूंजी पर देय लाभांश विभाग के कार्यचालन से अधिशेष के उसकी आरक्षित निधियों में विनियोग तथा टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) को सहायता अनुदान के लिए है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान में 8152.00 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में 1994-95 के संशोधित अनुमानों में मुख्य शीर्ष 1225 के अन्तर्गत 7698.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था ।

महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा देय निवल कार्य प्रभारों पर सामान्य वृद्धि, और संभावित अभिदाताओं से पंजीकरण फीस को हिसाब में लेने के बाद 1995-96 के बजट अनुमानों में मुख्य शीर्ष 1225 के अन्तर्गत 8876.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है।

(3) **अन्य संचार सेवाएं : *अनुवीक्षण सेवाएं*** - अनुवीक्षण संगठन रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध के लिए अनुश्रवण प्रेक्षण के आधार पर तकनीकी और सहायक आंकड़े उपलब्ध कराता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करता है और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कतिपय कानूनी कामों को पूरा करता है । इसके अलावा यह प्रभावकारी राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति के प्रबंधन के लिए रेडियो पारेषण पर हर समय नजर रखता है ।

(4) **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** : इसमें अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय बैंकाक को की जाने वाली अदायगियों से संबंधित अनुमान शामिल है।

(5) **अन्य कार्यक्रम**: इनमें बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध से सम्बन्धित अनुमान शामिल है। बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध पारेषण

Revenue Section

(1) **Secretariat:** The provision is for expenditure on the secretariat of the Ministry.

(2) **Telecommunications:** The Department of Telecommunications is responsible for the control and administration of the Telecommunication Services in the country. The services are operated on a commercial basis, through 18 Telecommunication circles and 2 Telecommunication Districts in the country.

At the metropolitan Cities of Delhi and Bombay, the Telecommunication Services (except Telegraph Services), are managed by Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) with effect from Ist April, 1986. The provision in the Revenue Section of the Demand is for working expenses (including depreciation, audit, pensionary charges and research and development), dividend payable to General Revenues on the borrowed capital, appropriation of the surplus in the working of the Department to its Reserve Funds and grant-in-aid to the Centre for Development of Telematics (C-DOT).

Receipts under Major Head 1225 in RE 1994-95 were estimated at Rs.7698.00 crore as against Rs.8152.00 crore assumed in the B.E. 1994-95.

Receipts under Major Head 1225 in BE 1995-96 are expected to be Rs.8876.00 crore after taking into account the normal growth, net work charges payable by MTNL and Registration fee from prospective subscribers.

(3) **Other Communications Services: *Monitoring Services:*** Monitoring Organisation provides for technical and allied data on the basis of monitoring observations for radio frequency management, enforcement of national and international radio regulations and for carrying out certain statutory functions under the Indian Telegraphs Act, 1885 and rules made thereunder. Besides, it keeps a round the clock watch on radio transmissions for effective national radio frequency management.

(4) **International Co-Operation:** Covers the estimates relating to payments to International Telecommunication Union, Geneva and Asia Pacific Telecommunity, Bangkok.

(5) **Other Programmes:** Covers the estimates relating to Wireless Planning and Co-ordination Wing. The Wireless Planning and Co-

और ग्रहण केन्द्रों के लिए भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1885 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस भी जारी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बेतार प्रचालकों के लिए परीक्षाएं लेता है।

पूंजी भाग: इस भाग में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार, टेलीग्राफ प्रणाली स्कीमों, स्थानीय टेलीफोन पद्धतियों, लम्बी दूरी की स्विचिंग और पारेषण प्रणालियों, जिनमें उपग्रह के जरिए दूरस्थ क्षेत्र की दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं, प्रशासनिक कार्यालयों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण और कारखानों और भंडार संगठनों की सहायक प्रणालियों आदि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

बजट अनुमानों में दूरसंचार विभाग तथा शून्य बजट समर्थन वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 7245.49 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 1994-95 में दूरसंचार विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शून्य बजट समर्थन के साथ 7536.98 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, बेतार अनुवीक्षण संगठन के लिए बजट अनुमान 1994-95 में 5.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय के एवज में संशोधित अनुमान, 1994-95 में 4.51 करोड़ रुपए का उपायोजना परिव्यय है, जिसे बजटीय समर्थन से पूरा किया जाता है।

बजट अनुमान 1995-96 में दूरसंचार विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और 5 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ बेतार अनुवीक्षण संगठन के लिए 8377.34 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

ordination Wing issues licences under various provisions of Indian Wireless Telegraphy Act, 1885 for transmitting and receiving stations and conducts examinations for Wireless operators as per international standard.

Capital Section: This section provides for expenditure on expansion of Telecommunication network; the schemes being Telegraph Systems, Local Telephone Systems, Long-Distance Switching and Transmission Systems including remote area Telecommunication Services through Satellite, construction of Administrative Offices and Staff Quarters and Support Systems of factories and Stores Organisations etc.

The Plan Outlay for RE 1994-95 of DOT and PSUs put together is Rs. 7536.98 crore with nil budgetary support as against the Plan Outlay of Rs.7245.49 crore for DOT and PSUs with nil Budgetary Support in the Budget Estimates. Besides, the Plan outlay for Wireless Monitoring Organisation is Rs.4.51 crore in RE 1994-95 against the Plan Outlay of Rs.5.00 crore in BE 1994-95 which is met from Budgetary Support.

The plan outlay for BE 1995-96 has been kept at Rs. 8377.34 crore for DOT and other PSUs and Wireless Monitoring Organisation with Budgetary Support of Rs.5.00 crore for Wireless Monitoring Organisation.

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

मांग संख्या DEMAND No.15

रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन तथा प्राप्तियां इस प्रकार है -

A.The Budget allocations ,net of recoveries and receipts are given below:-

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	169.51	169.51	...	176.24	176.24	...	168.75	168.75
पूंजी	*Capital*		...	*88.36*	*88.36*	...	*46.30*	*46.30*	...	*26.52*	*26.52*
जोड़	**Total**		...	**257.87**	**257.87**	...	**222.54**	**222.54**	...	**195.27**	**195.27**
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	179.37	179.37	...	189.00	189.00	...	203.00	203.00
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
2. कैंटीन स्टोर्स विभाग	*2. Canteen Stores Department :*										
2.01 राजस्व व्यय	2.01 Revenue Expenditure	2075	...	1674.94	1674.94	...	1565.68	1565.68	...	1819.77	1819.77
2.02 घटाइए प्राप्तियां	2.02 Less Receipts	0075	...	-1702.85	-1702.85	...	-1596.85	-1596.85	...	-1858.13	-1858.13
2.03 निवल व्यय	2.03 Net Expenditure		...	-27.91	-27.91	...	-31.17	-31.17	...	-38.36	-38.36
2.04 पूंजी व्यय	2.04 Capital Expenditure	4075	...	2.40	2.40	...	0.30	0.30	...	2.00	2.00
जोड़		*Total*	...	*-25.51*	*-25.51*	...	*-30.87*	*-30.87*	...	*-36.36*	*-36.36*
आवास	**Housing**										
3. सी.एस.डी. कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	3.Residential Housing Facilities to the C.S.D. Staff	4216	...	0.36	0.36	...	0.16	0.16	...	0.40	0.40
4. रक्षा लेखाविभाग के कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	4. Residential Housing Facilities to Defence Accounts Department Staff	4216	...	2.65	2.65	...	2.65	2.65	...	5.76	5.76
5. रक्षा लेखाविभाग की रिहायशी इमारतों का रखरखाव तथा मरम्मत	5. Maintenance and repairs to Defence Accounts Residential Buildings	2216	...	2.20	2.20	...	2.43	2.43	...	2.43	2.43
जोड़ - आवास	**Total-Housing**		...	**5.21**	**5.21**	...	**5.24**	**5.24**	...	**8.59**	**8.59**
जलापूर्ति और स्वच्छता	**Water Supply And Sanitation**										
6. राज्य सरकारों को जलापूर्ति योजनाओं हेतु ऋण और अग्रिम	6.Loans and Advances to State Governments for Water Supply Schemes	7601	...	6.61	6.61	...	6.61	6.61	...	6.00	6.00
7. लोक निर्माण कार्य	*7. Public Works*										
7.01 रक्षा लेखाविभाग की इमारतों का रखरखाव और मरम्मत	7.01 Maintenance and repairs to Defence accounts buildings	2059	...	0.40	0.40	...	0.53	0.53	...	0.94	0.94
7.02 रक्षा लेखा विभाग - अन्य इमारतों के लिए निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	7.02 Capital outlay for construction of Defence Accounts Deptt - other buildings	4059	...	4.10	4.10	...	9.06	9.06	...	9.32	9.32
जोड़		*Total*	...	*4.50*	*4.50*	...	*9.59*	*9.59*	...	*10.26*	*10.26*
8. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	*8. Interest Subsidy*										
8.1 मंझगांव डाक लि0	8.1 Mazagon Dock Ltd.	2852	...	14.82	14.82	...	14.82	14.82	...	...	...
9. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	*9. Expenditure met from National Renewal Fund*										
9.1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	9.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
9.1.1. भारत अर्थमूवर्ज लि0	9.1.1 Bharat Earth Movers Ltd	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.1.2. विज्ञान इंडस्ट्रीज लि0 (बी.ई.एम.एल. का सहायक उद्योग)	9.1.2 Vigyan Industries Ltd (Subsidiary of BEML)	2852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	...	...
9.1.3. मझगांव डाक लि0	9.1.3 Mazagon Dock Ltd	2852	...	13.00	13.00	...	15.00	15.00	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*18.00*	*18.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	...	...
9.2 घटाइए- राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	9.2 Deduct amount met from National Renewal Fund	2852	...	-18.00	-18.00	...	-20.00	-20.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. लोक उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	*10. Non Plan Investments in Public Enterprises*										
10.01 भारत डायनामिक्स लि0	10.01 Bharat Dynamics Ltd.	4858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.02 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि0	10.02 Hindustan Aeronautics Ltd.	4858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.03 मझगांव डाक लि0	10.03 Mazagon Dock Ltd.	4858	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01
10.04 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स	10.04 Garden reach Ship Builders & Engineers	4858	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...
10.05 गोआ शिपयार्ड लि.	10.05 Goa Shipyard Ltd	4858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10.06 मिश्र धातु निगम लि.	10.06 Mishra Dhatu Nigam Ltd.	4853	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	0.01	0.01
10.07 भारत इलैक्ट्रानिक्स लि0	10.07 Bharat Electronics Ltd.	4859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*15.00*	*15.00*	...	*15.00*	*15.00*	...	*0.02*	*0.02*
11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	*11. Non-Plan Loans to Public Enterprises*										
11.01 मिश्र धातु निगम लि0	11.01 Mishra Dhatu Nigam Ltd.	6853	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	...	...

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
11.02 भारत अर्थ मूवर्स लि०	11.02 Bharat Earth Movers Ltd.	6858	...	10.00	10.00	...	...	...	...	...	...
11.03 भारत डायनेमिक्स लि०	11.03 Bharat Dynamics Ltd.	6858	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	...	...
11.04 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	11.04 Hindustan Aeronautics Ltd.	6858	...	25.00	25.00	...	...	...	...	...	...
11.05 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स	11.05 Garden reach Ship Builders & Engineers	6858	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	...	...
11.06 गोआ शिपयार्ड लि०	11.06 Goa Shipyard Ltd	6858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.07 भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०	11.07 Bharat Electronics Ltd.	6859	...	10.00	10.00	...	...	...	...	...	...
11.08 मझगांव डाक लि०	11.08 Mazagon Dock Ltd.	6858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*55.00*	*55.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	...	...
12. अन्य व्यय	*12. Other Expenditure*										
12.01 मुख्य क्रय निदेशालय के कार्यालय पर स्थापना व्यय	12.01 Establishment expenditure on the O/o the Chief Directorate of Purchase	2408	...	0.63	0.63	...	0.63	0.63	...	0.74	0.74
12.02 विविध ऋण	12.02 Miscellaneous loans	7615	...	2.24	2.24	...	2.52	2.52	...	3.02	3.02
जोड़		*Total*	...	*2.87*	*2.87*	...	*3.15*	*3.15*	...	*3.76*	*3.76*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*257.87*	*257.87*	...	*222.54*	*222.54*	...	*195.27*	*195.27*

1. यह व्यवस्था मंत्रालय के सचिवालय तथा रक्षा लेखा विभाग के व्यय के लिए की गई है।

2. कैंटीन स्टोर्स विभाग मंत्रालय का एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह रक्षा सेवाओं के सदस्यों को समूचे भारत में उचित और किफायती दरों पर घरेलू वस्तुएं तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। इस शीर्ष के अन्तर्गत की गई व्यवस्था निवल कार्यचालन व्यय (प्राप्तियां सकल व्यय से अधिक हैं) के लिए है। वर्ष 1995-96 के बजट में व्यय में वृद्धि के लिए व्यवस्था लेनदेन में सामान्य वृद्धि होने के कारण है।

3,4 और 5. यह व्यवस्था कैंटीन स्टोर्स विभाग और रक्षा लेखा विभाग के स्टाफ के लिए रिहायशी आवास सुविधाओं के लिए की गई है। वर्ष 1995-96 के बजट में यह व्यवस्था कार्य की गति पर तथा रक्षा लेखा विभागों के संबंध में तैयार आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों की खरीद के लिए मौजूदा प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।

6. यह व्यवस्था कुछ छावनी क्षेत्रों (जोधपुर) में जलापूर्ति योजनाओं हेतु राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए है।

7. यह व्यवस्था रक्षा लेखा विभाग के कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव पर होने वाले व्यय तथा रक्षा लेखा विभाग के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है।

9. बजट अनुमान 1995-96 के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरे किए जाने वाले व्यय हेतु व्यवस्था केन्द्रीय रूप से मांग सं.50-औद्योगिक विकास विभाग के तहत एकमुश्त राशि के रूप में की गई है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से किए जाने वाले आवंटन के संबंध में वर्ष के दौरान निर्णय किया जाएगा, जिसके बाद पूरक अनुदानों अथवा अन्य रूप में, जैसा भी आवश्यक हो, की संबंधित अनुदानों में व्यय की व्यवस्था की जाएगी।

10 और 11. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश/ऋण

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)

मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) का धातुओं एवं मिश्र धातुओं के विनिर्माण के लिए एक धात्विकी संयंत्र है। 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 6.00 करोड़ रुपए (3 करोड़ रुपए ऋण+3 करोड़ रुपए इक्विटी) की व्यवस्था की तुलना में 1995-96 के बजट अनुमानों में इक्विटी पूंजी निवेश हेतु 1 लाख रुपए की सांकेतिक राशि की व्यवस्था की गयी है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता:

यह कम्पनी बहुएककों वाला मध्यम आकार का औद्योगिक उपक्रम है जिसके 9 एकक हैं जिनमें से 7 कलकत्ता में, एक रांची में तथा एक नागपुर में है। यह कम्पनी समुद्री जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत और विभिन्न प्रकार के इंजीनियरी उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है, जिनमें समुद्री डीज़ल इंजन, इस्पात संयंत्रों के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकीय उपस्कर, रोड रोलर्स, टर्बाइन, क्रेन, कन्वेयर उपस्कर और प्रैशर वेसल आदि शामिल हैं।

1. The provision is for expenditure on Secretariat of the Ministry and of the Defence Accounts Department.

2. Canteen Stores Department is a departmental commercial undertaking of the Ministry. It is functioning with the object of providing household articles and other items of daily necessity to members of the Defence Services at reasonable and economical rates throughout India. The provision under this head is for net working expenses (the receipts exceeding the gross expenditure). The provision for the increase in the expenditure in the budget for the year 1995-96 is due to normal growth in the transactions.

3,4 &5. The provision is for residential housing facilities to the staff of the Canteen Stores Department and Defence Accounts Department. The provision in the budget for 1995-96 is based on the tempo of work and on account of decentralisation of existing procedure for purchase of ready-built residential & non-residential building in respect of Defence Accounts Departments.

6. The provision is for loans to State Governments for Water Supply Schemes in certain cantonment areas (Jodhpur).

7. The provision is for repairs and maintenance expenditure of Defence Accounts Department's office buildings and construction of Office buildings for the Defence Accounts Department.

9.Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 1995-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 - Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

10& 11.NON-PLAN INVESTMENT/LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED(MIDHANI):

Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) has a metallurgical plant for manufacture of metals and alloys. As against a provision of Rs.6.00 crore in RE 1994-95 (Rs.3 crore loans+Rs.3 crore equity) a token sum of Rs. 1 lakh has been provided in BE 1995-96 for investment in equity capital.

GARDEN REACH SHIPBUILDERS AND ENGINEERS LIMITED, CALCUTTA :

This company is a multi-unit, medium sized industrial undertaking having 9 Units, 7 at Calcutta and one each at Ranchi and Nagpur. It is engaged in ship-building, ship repairs and manufacture of a wide variety of engineering products including marine diesel engines, sophisticated technological equipments for Steel Plants, Road Rollers, Turbines, Cranes, Conveyor Equipments, Pressure Vessels

31.3.1994 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 121.84 करोड़ रुपए थी।

1994-95 के संशोधित अनुमानों में 5.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना में 1995-96 के बजट अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

यह कम्पनी निर्देशित मिसाइलों और सम्बद्ध उपस्करों के निर्माण का कार्य कर॰ रही है ।

31.3.1994 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 115.00 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1994-95 में 5.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के एवज में बजट अनुमान 1995-96 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्षा उद्यम है । इस समय इस कम्पनी के बारह कारखाने हैं जो छः विभिन्न राज्यों में स्थित है । इनमें से छः कारखाने बंगलौर काम्पलेक्स में है, दो कारखाने लखनऊ और हैदराबाद में, दो कारखाने कोरापूट और नासिक में तथा एक-एक कोरवा और कानपुर में है ।

31.3.1994 को इस कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 120.50 करोड़ रुपए थी ।

बजट अनुमान 1994-95 में 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना में, संशोधित अनुमान 1994-95 और बजट अनुमान 1995-96 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल), बैंगलौर

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) एक बहु एकक उपक्रम है, जिसके बंगलौर, गाजियाबाद, पुणे मच्छिलपट्नम, तलोजा, पंचकुला, कोटद्वार, मद्रास और हैदराबाद स्थित 9 एकक कार्य कर रहे है। कम्पनी ने अपनी शुरुआत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रेडियो-संचार, रडार, प्रसारण उपस्करों तथा् इलैक्ट्रानिक संघटकों के डिजाइन, विकास तथा उत्पादन में उत्तरोत्तर आत्म-निर्भरता प्राप्त की है।

31.3.1994 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 80.00 करोड़ रुपए थी।

बजट अनुमान 1995-96 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई :

यह शिपयार्ड देश का अग्रणी रक्षा शिपयार्ड है । यह यात्री और मालवाही जलयानों की सभी प्रकार की भारी मरम्मत करने की क्षमता भी रखता है । यह कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल कुओं के प्लेटफार्मों का काम भी करती है।

31.3.1994 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 193.20 करोड़ रुपए थी। संशोधित अनुमान 1994-95 में 10.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के एवज में बजट अनुमान 1995-96 में इक्विटी पूंजी में निवेश हेतु 1 लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

12. अन्य व्यय

इसमें मुख्यतः मंत्रालय से संबंधित कुछ मदों को शामिल किया गया है जैसे कि सेना क्रय संगठन के अन्तर्गत मुख्य क्रय निदेशालय की स्थापना और रक्षा लेखा विभाग की रिहायशी इमारतों के रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय आदि। बजट व्यवस्था में वर्ष की सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

The paid up capital of the company is **Rs.121.84 crore** as on 31.03.1994.

As against a provision of Rs.4.00 crore in RE 1994-95, no provision has been made in BE 1995-96.

BHARAT DYNAMICS LIMITED, HYDERABAD:

This company is engaged in the manufacture of guided missiles and allied equipment.

The paid up capital of the company is Rs.115.00 crore as on 31.03.1994.

As against a provision of Rs. 5.00 crore in RE 1994-95, no provision has been made in BE 1995-96.

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED, BANGALORE:

Hindustan Aeronautics Limited is the largest of the Defence Public Sector Enterprises. The company has 12 factories located in 6 different States. 6 of these constitute Bangalore Complex, 2 factories are at Lucknow and Hyderabad, 2 factories are at Koraput and Nasik and one each at Korwa and Kanpur.

The paid up capital of the company as on 31.03.1994 stood at Rs.120.50 crore.

As against a provision of Rs.25.00 crore in BE 1994-95, no provision has been made in RE 1994-95 and BE 1995-96.

BHARAT ELECTRONICS LIMITED(BEL), BANGALORE:

Bharat Electronics Limited (BEL) is a multi-unit undertaking with 9 operating units located at Bangalore, Ghaziabad, Pune, Machilpatnam, Taloja, Panchkula, Kotdwar, Madras and Hyderabad. Since its inception, the Company has achieved progressive self reliance in the design, development and production of Radio-Communication, Radar, Broadcasting equipments and electronics components of international standards.

The paid up capital of the company as on 31.3.1994 stood at Rs.80.00 crore.

No provision has been made in BE 1995-96.

MAZAGON DOCK LIMITED, BOMBAY :

This Shipyard is the country's leading Defence Shipyard. It is also equipped to carry out all types of major repairs to passenger-cum-cargo ships. The company also undertakes work for ONGC's Oil Well Platforms.

The paid up capital of the company as on 31.3.1994 is Rs.193.20 crore. As against a provision of Rs.10.00 crore in RE 1994-95 a token provision of Rs.1 lakh has been made in BE 1995-96 for investment in equity capital.

12.OTHER EXPENDITURE:

Covers mainly certain items relating to the Ministry such as Establishment of Chief Directorate of Purchase under Army Purchase Organisation and expenditure on maintenance and repairs of Defence Accounts Department's residential buildings etc. The budget provision takes into account the normal requirements in the year.

रक्षा मंत्रालय ***MINISTRY OF DEFENCE***

मांग संख्या DEMAND No.16

रक्षा पेंशनें Defence Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	2706.00	2706.00	...	2721.00	2721.00	...	2857.00	2857.00
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**...**	**2706.00**	**2706.00**	**...**	**2721.00**	**2721.00**	**...**	**2857.00**	**2857.00**
1. पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1. Pensions and Other Retirement benefits										
थल सेना	Army	2071	...	2532.53	2532.53	...	2559.25	2559.25	...	2683.95	2683.95
नौ सेना	Navy	2071	...	46.22	46.22	...	43.00	43.00	...	46.49	46.49
वायु सेना	Air Force	2071	...	126.24	126.24	...	117.73	117.73	...	125.54	125.54
2. पुरस्कार - थल सेना, नौ सेना और वायु सेना	2. Rewards- Army, Navy & Airforce	2071	...	1.01	1.01	...	1.02	1.02	...	1.02	1.02
कुल जोड़	***Grand Total***		***...***	***2706.00***	***2706.00***	***...***	***2721.00***	***2721.00***	***...***	***2857.00***	***2857.00***

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (जिसमे असैनिक कर्मचारी भी शामिल है) और साथ ही आयुध कारखानो के कर्मचारियो के लिए रक्षा पेंशनों में पेंशन प्रभारों की व्यवस्था की गयी है। इसमे पेंशन और उपदानों, पारिवारिक पेंशनों, विकलांगता पेंशनों और हताहत होने पर दिए जाने वाले पुरस्कारों जैसे युद्ध मे क्षति होने पर दिए जाने वाले वेतनों और साथ ही वीरता पुरस्कारों जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि के अतिरिक्त पेंशनों के सराशीकृत मूल्य के भुगतान के लिए व्यवस्था की गयी है।

2. बजट अनुमान 1994-95 की तुलना में संशोधित अनुमान के आवंटन में मांग में जो वृद्धि की व्यवस्था की गयी हैं, वह मुख्यतः (i) केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के लिए 1-1-94 तथा 1-7-1994 से स्वीकृत मंहगाई भत्ते, (ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित 1993-94 के वाउचरों, जो 1994-95 मे प्राप्त हुए, के समायोजन के कारण है।

3. बजट अनुमान 1995-96 में आवंटन की जरूरत अतिरिक्त आवश्यकता को दर्शाती है जो मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी पेशनभोगियों हेतु क्रमशः 1.1.1995 तथा 1.7.1995 से सभवतः स्वीकृत की जाने वाली राहत के प्रभाव के कारण है ।

Defence Pensions, under the Ministry of Defence, provides for pensionary charges in respect of retired Defence personnel (including civilian employees) of the three Services viz. Army, Navy and Air Force and also employees of Ordnance Factories. It covers payments of pension & gratuities, family pensions, disability pensions & casualty awards such as War-Injury Pay and also Gallantry awards like Param Vir Chakra, Mahavir Chakra etc. besides payment of commuted value of pensions.

2. The increased provision in R.E. over BE 1994-95 allocation in the Demand is mainly on account of (i) Dearness Relief sanctioned to Central Government Pensioners, with effect from 1-1-1994 and 1-7-1994 (ii) Adjustment of vouchers relating to payments made by Public Sector Banks pertaining to 1993-94 which were received in 1994-95.

3. The requirement of allocation in BE 1995-96 shows an additional requirement mainly on account of the impact of relief likely to be sanctioned to the Central Government Pensioners with effect from 1.1.1995 and 1-7-1995 respectively.

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.17

रक्षा सेवाएं-थल सेना Defence Services-Army

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts , are given below:

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		...	11135.68	11135.68	...	11340.17	11340.17	...	12432.81	12432.81
पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ **Total**		...	11135.68	11135.68	...	11340.17	11340.17	...	12432.81	12432.81
1. थल सेना का वेतन और भत्ते 1. Pay and allowances of the Army	2076	...	4469.42	4469.42	...	4529.00	4529.00	...	4956.23	4956.23
2. सहायक बलों का वेतन और भत्ते तथा विविध व्यय 2. Pay and allowances and Miscellaneous expenses of the Auxiliary Forces	2076	...	38.25	38.25	...	36.00	36.00	...	45.00	45.00
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते 3. Pay and allowances of Civilians	2076	...	610.99	610.99	...	601.44	601.44	...	652.05	652.05
4. परिवहन 4. Transportation	2076	...	350.67	350.67	...	329.47	329.47	...	335.50	335.50
5. मिलिटरी फार्म 5. Military Farms	2076	...	71.97	71.97	...	75.93	75.93	...	79.95	79.95
6. अनुसंधान और विकास 6. Research and Development	2076	...	739.85	739.85	...	870.85	870.85	...	976.08	976.08
7. निरीक्षण 7. Inspection	2076	...	135.70	135.70	...	137.04	137.04	...	157.39	157.39
8. भण्डार 8. Stores	2076	...	3980.54	3980.54	...	4025.31	4025.31	...	4422.90	4422.90
9. निर्माण कार्य 9. Works	2076	...	700.90	700.90	...	751.09	751.09	...	786.52	786.52
10. राष्ट्रीय रायफल्स 10. Rashtriya Rifles	2076	...	14.87	14.87	...	14.42	14.42	...	15.93	15.93
11. राष्ट्रीय केडेट कोर 11. National Cadet Corps	2076	...	121.45	121.45	...	118.87	118.87	...	128.90	128.90
12. अन्य व्यय 12. Other Expenditure	2076	...	225.42	225.42	...	236.06	236.06	...	263.17	263.17
13. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां 13. Less Revenue Receipts	0076	...	-324.35	-324.35	...	-385.31	-385.31	...	-386.81	-386.81
कुल जोड़ ***Grand Total***		...	*11135.68*	*11135.68*	...	*11340.17*	*11340.17*	...	*12432.81*	*12432.81*

टिप्पणी :— अनुमान का ब्यौरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।

Note : *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.18

रक्षा सेवाएं-नौ सेना Defence Services-Navy

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts , are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	1355.43	1355.43	...	1439.40	1439.40	...	1534.72	1534.72
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**...**	**1355.43**	**1355.43**	**...**	**1439.40**	**1439.40**	**...**	**1534.72**	**1534.72**
1. नौसेना के वेतन और भत्ते	1. Pay & Allowances of Navy	2077	...	293.00	293.00	...	293.00	293.00	...	316.44	316.44
2. रिजर्व सैनिकों के वेतन और भत्ते	2. Pay & Allowances of Reservists	2077	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते	3. Pay & Allowances of Civilians	2077	...	220.00	220.00	...	227.10	227.10	...	245.26	245.26
4. परिवहन	4. Transportation	2077	...	38.00	38.00	...	42.00	42.00	...	44.00	44.00
5. भण्डार	5. Stores	2077	...	540.00	540.00	...	600.00	600.00	...	634.45	634.45
6. निर्माण कार्य	6. Works	2077	...	136.00	136.00	...	136.00	136.00	...	145.02	145.02
7. अन्य व्यय	7. Other Expenditure	2077	...	163.43	163.43	...	170.20	170.20	...	185.22	185.22
8. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	8. Less Revenue Receipts	0077	...	-35.00	-35.00	...	-28.90	-28.90	...	-35.67	-35.67
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*1355.43*	*1355.43*	...	*1439.40*	*1439.40*	...	*1534.72*	*1534.72*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्यौरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.19

रक्षा सेवाएं—वायु सेना Defence Services-Air Force

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts , are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	3618.33	3618.33	...	3771.76	3771.76	...	4134.91	4134.91
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**3618.33**	**3618.33**	...	**3771.76**	**3771.76**	...	**4134.91**	**4134.91**
1. वायु सेना का वेतन और भत्ते	1. Pay & Allowances of Air-Force	2078	...	759.20	759.20	...	758.53	758.53	...	818.77	818.77
2. रिजर्व और सहायक सेवाओं के वेतन और भत्ते	2. Pay & Allowances of Reserve & Auxiliary Services	2078	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते	3. Pay and Allowances of Civilians	2078	...	116.14	116.14	...	151.69	151.69	...	163.83	163.83
4. परिवहन	4. Transporatation	2078	...	70.74	70.74	...	76.00	76.00	...	82.00	82.00
5. भण्डार	5. Stores	2078	...	2481.50	2481.50	...	2632.37	2632.37	...	2888.35	2888.35
6. निर्माण कार्य	6. Works	2078	...	210.23	210.23	...	219.36	219.36	...	241.26	241.26
7. विशेष परियोजनायें	7. Special Projects	2078	...	8.34	8.34	...	6.41	6.41	...	8.30	8.30
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2078	...	50.18	50.18	...	57.40	57.40	...	62.40	62.40
9. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	9. Less-Revenue Receipts	0078	...	-78.00	-78.00	...	-130.00	-130.00	...	-130.00	-130.00
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***3618.33***	***3618.33***	...	***3771.76***	***3771.76***	...	***4134.91***	***4134.91***

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्यौरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No. 20

रक्षा आयुध कारखाने Defence Ordnance Factories

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts , are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	59.43	59.43	...	59.43	59.43	...	43.07	43.07
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**59.43**	**59.43**	...	**59.43**	**59.43**	...	**43.07**	**43.07**
1. निदेशन और प्रशासन	1.Direction and Administration	2079	...	15.12	15.12	...	19.12	19.12	...	21.03	21.03
2. अनुसंधान और विकास	2. Research & Development	2079	...	3.04	3.04	...	4.00	4.00	...	4.50	4.50
3. विनिर्माण	3. Manufacture	2079	...	772.00	772.00	...	790.86	790.86	...	880.30	880.30
4. भंडार	4. Stores	2079	...	1234.25	1234.25	...	1244.25	1244.25	...	1336.91	1336.91
5. अनुरक्षण-मशीनरी और उपस्कर	5.Maintenance- Machinery and Equipment	2079	...	6.69	6.69	...	6.69	6.69	...	7.50	7.50
6. परिवहन	6.Transportation	2079	...	26.90	26.90	...	26.90	26.90	...	29.50	29.50
7. निर्माण कार्य	7.Works	2079	...	32.10	32.10	...	32.10	32.10	...	35.50	35.50
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2079	...	180.43	180.43	...	195.10	195.10	...	214.60	214.60
9. नवीकरण और प्रतिस्थापन	9. Renewals & Replacements	2079	...	70.00	70.00	...	90.00	90.00	...	117.00	117.00
10. नवीकरण आरक्षित निधि को/से अन्तरण-नवीकरण आरक्षित निधि आयुध कारखाने	10. Transfer to/from Renewal Reserve Fund - Renewal Reserve Fund Ordinance Factories	2079	...	...	...	...	-20.00	-20.00	...	-37.00	-37.00
11 घटाइए - थल सेना, नौ सेना, वायु सेना आदि को की गई आपूर्तियों के लिए वसूलियां	11.Deduct-Recoveries for supplies made to Army, Navy Air Force, Etc	2079	...	-1884.37	-1884.37	...	-1907.02	-1907.02	...	-2050.24	-2050.24
12. घटाइए -राजस्व प्राप्तियां	12.Less-Revenue Receipts	0079	...	-396.73	-396.73	...	-422.57	-422.57	...	-516.53	-516.53
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***59.43***	***59.43***	...	***59.43***	***59.43***	...	***43.07***	***43.07***

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्यौरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.21

रक्षा सेवाओं का पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Defence Services.

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		...	6831.13	6831.13	...	6933.24	6933.24	...	7354.49	7354.49
जोड़	**Total**		...	**6831.13**	**6831.13**	...	**6933.24**	**6933.24**	...	**7354.49**	**7354.49**
1. भूमि	**1. Land**										
थल सेना	Army	4076	...	43.00	43.00	...	43.00	43.00	...	47.00	47.00
नौ सेना	Navy	4076	...	2.14	2.14	...	12.14	12.14	...	6.62	6.62
वायु सेना	Air Force	4076	...	12.95	12.95	...	25.30	25.30	...	18.15	18.15
2. निर्माण	**2. Construction**										
थल सेना	Army	4076	...	262.15	262.15	...	262.15	262.15	...	288.30	288.30
नौ सेना	Navy	4076	...	66.00	66.00	...	56.50	56.50	...	62.44	62.44
वायु सेना	Air Force	4076	...	111.75	111.75	...	112.35	112.35	...	125.30	125.30
3. विमान और एयर इंजिन	**3. Air-Craft &Aero-Engine**										
थल सेना	Army	4076	...	105.00	105.00	...	102.42	102.42	...	111.85	111.85
नौ सेना	Navy	4076	...	199.84	199.84	...	199.84	199.84	...	350.00	350.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	2264.74	2264.74	...	2332.10	2332.10	...	1963.24	1963.24
4. भारी और मध्यम वाहन	**4. Heavy and Medium Vehicles**										
थल सेना	Army	4076	...	117.70	117.70	...	102.64	102.64	...	102.64	102.64
नौ सेना	Navy	4076	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.58	3.58
वायु सेना	Air Force	4076	...	3.84	3.84	...	4.03	4.03	...	3.75	3.75
5. अन्य उपस्कर	**5. Other Equipment.**										
थल सेना	Army	4076	...	1497.97	1497.97	...	1557.97	1557.97	...	1887.71	1887.71
नौ सेना	Navy	4076	...	27.82	27.82	...	39.93	39.93	...	60.00	60.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	336.10	336.10	...	325.78	325.78	...	277.00	277.00
6. नौसैनिक बेड़ा	**6. Naval Fleet**	4076	...	1040.97	1040.97	...	1132.97	1132.97	...	1286.82	1286.82
7. नौसैनिक डाक यार्ड	**7. Naval Dock-Yards**	4076	...	42.80	42.80	...	51.75	51.75	...	85.39	85.39
8. विशेष परियोजनाएं	**8. Special projects**	4076	...	45.29	45.29	...	26.64	26.64	...	29.93	29.93
9. आयुध कारखाने	**9. Ordnance factories**	4076	...	312.57	312.57	...	204.15	204.15	...	247.00	247.00
10. अनुसंधान और विकास	**10. Research & Development**	4076	...	316.15	316.15	...	316.15	316.15	...	385.40	385.40
11. निरीक्षण	**11 Inspection.**	4076	...	3.00	3.00	...	3.50	3.50	...	4.25	4.25
12. चल स्टाक की खरीद	**12. Procurement of Rolling Stock**	4076	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	4.35	4.35
13. राष्ट्रीय राइफल्स	**13. Rashtriya Rifles**	4076	...	0.54	0.54	...	0.54	0.54	...	0.54	0.54
14. राष्ट्रीय कैडेट कोर	**14. National Cadet Corps**	4076	...	0.63	0.63	...	3.21	3.21	...	0.73	0.73
15. अन्य	**15 Others**	4076	...	1.18	1.18	...	1.18	1.18	...	2.50	2.50
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*6831.13*	*6831.13*	...	*6933.24*	*6933.24*	...	*7354.49*	*7354.49*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्यौरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

पर्यावरण और वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

मांग संख्या DEMAND No.22

पर्यावरण और वन मंत्रालय Ministry of Environment and Forests

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		352.69	58.27	410.96	352.69	59.93	412.62	363.39	64.91	428.30
पूंजी	*Capital*		*7.31*	...	*7.31*	*7.31*	...	*7.31*	*7.11*	...	*7.11*
जोड़	**Total**		**360.00**	**58.27**	**418.27**	**360.00**	**59.93**	**419.93**	**370.50**	**64.91**	**435.41**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	3.27	3.27	...	3.38	3.38	...	3.54	3.54
वानिकी और वन्यजीवन	**Forestry and Wildlife**										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण	2. Education and Training	2406	6.20	3.37	9.57	6.20	3.49	9.69	6.20	3.71	9.91
3. अनुसंधान	3. Research	2406	40.40	7.27	47.67	40.40	7.27	47.67	48.40	7.45	55.85
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	4. Survey and Utilisation of Forest Resources	2406	3.80	2.00	5.80	7.77	2.17	9.94	3.50	2.20	5.70
5. वन संरक्षण, विकास और पुर्नजनन	5. Forest Conservation,	2406	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
	Development and Regeneration	3601	5.44	...	5.44	2.97	...	2.97	5.44	...	5.44
		3602	0.06	...	0.06	0.03	...	0.03	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*8.20*	...	*8.20*	*5.70*	...	*5.70*	*8.20*	...	*8.20*
6. वन जीवन संरक्षण	6. Wild Life Preservation	2406	9.20	1.38	10.58	9.23	1.40	10.63	8.85	1.49	10.34
		3601	19.57	...	19.57	19.20	...	19.20	19.42	...	19.42
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*28.80*	*1.38*	*30.18*	*28.46*	*1.40*	*29.86*	*28.30*	*1.49*	*29.79*
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	7. Zoological Park	2406	0.05	1.67	1.72	0.06	2.25	2.31	0.05	1.84	1.89
		3601	11.47	...	11.47	11.47	...	11.47	11.47	...	11.47
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*11.55*	*1.67*	*13.22*	*11.56*	*2.25*	*13.81*	*11.55*	*1.84*	*13.39*
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	8. International Cooperation	2406	...	0.48	0.48	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	9. National Afforestation and Eco-development Programme										
9.01 राष्ट्रीय कार्यक्रम वानिकी और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	9.01 National Afforestation and Eco-development Board	2406	3.90	...	3.90	3.35	...	3.35	3.95	...	3.95
9.02 समेकित वानिकी और पारिस्थितिकी-विकास परियोजना	9.02 Integrated Afforestation and Eco- Development	2406	5.00	...	5.00	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00
	Projects	3601	43.00	...	43.00	51.60	...	51.60	49.00	...	49.00
9.03 ईंधन काष्ठ और चारा परियोजनाएं	9.03 Fuelwood and Fodder	2406	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Projects	3601	34.00	...	34.00	30.00	...	30.00	34.00	...	34.00
9.04 औषधीय पौधों सहित लघु वन वृक्षारोपण	9.04 Plantation of Minor Forest including Medicinal Plants	3601	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00	12.25	...	12.25
9.05 अन्य कार्यक्रम	9.05 Other Programmes	2406	1.60	0.03	1.63	1.00	0.03	1.03	1.30	0.03	1.33
		3601	3.50	...	3.50	1.65	...	1.65	2.50	...	2.50
		4406	1.05	...	1.05	0.95	...	0.95	1.35	...	1.35
जोड़		*Total*	*104.05*	*0.03*	*104.08*	*103.95*	*0.03*	*103.98*	*105.35*	*0.03*	*105.38*
जोड़-वानिकी और वन्य जीवन	**Total- Forestry and Wildlife**		**203.00**	**16.20**	**219.20**	**204.04**	**17.16**	**221.20**	**211.50**	**17.27**	**228.77**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**Ecology and Environment**										
10. सर्वेक्षण	10. Survey										
10.01 वानस्पतिक	10.01 Botanical	3435	2.42	5.60	8.02	2.42	6.06	8.48	2.92	6.22	9.14
10.02 प्राणी विज्ञान	10.02 Zoological	3435	2.68	5.47	8.15	2.68	5.60	8.28	2.68	5.88	8.56
जोड़		*Total*	*5.10*	*11.07*	*16.17*	*5.10*	*11.66*	*16.76*	*5.60*	*12.10*	*17.70*
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार	11. Environmental Education/ Training/Extension	3435	6.15	0.60	6.75	5.89	0.60	6.49	6.15	0.62	6.77
12. संरक्षण कार्यक्रम	12. Conservation Programme	3435	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70
		3601	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80
जोड़		*Total*	*6.50*	...	*6.50*	*6.50*	...	*6.50*	*6.50*	...	*6.50*
13. पर्यावरणीय योजना और समन्वय	13. Environmental Planning and Coordination	3435	4.24	1.08	5.32	4.24	1.08	5.32	4.24	1.13	5.37
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुर्नजनन	14. Research and Ecological Regeneration	3435	13.41	...	13.41	13.22	...	13.22	13.41	...	13.41
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	15. International Cooperation	3435	0.88	0.50	1.38	1.20	0.50	1.70	1.00	0.60	1.60
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण	**Prevention and Control of Pollution**										
16. गंगा के प्रदूषण की रोकथाम	16. Prevention of Pollution of Ganga	3435	72.85	...	72.85	37.60	...	37.60	34.85	...	34.85
		3601	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	44.05	...	44.05
जोड़		*Total*	*73.00*	...	*73.00*	*37.75*	...	*37.75*	*78.90*	...	*78.90*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	17. Prevention of Air and Water Pollution										
17.01 वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम जिसकी पूर्ति उपकर से होगी	17.01 Prevention of Air and Water Pollution, met from cess	3435	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	25.00	25.00
17.02 अन्य स्कीमें	17.02 Other Schemes	3435	24.03	4.50	28.53	9.28	4.50	13.78	20.63	4.60	25.23
जोड़		*Total*	*24.03*	*25.50*	*49.53*	*9.28*	*25.50*	*34.78*	*20.63*	*29.60*	*50.23*
18. प्रभाव मूल्यांकन	18. Impact Assessment	3435	5.39	0.05	5.44	5.39	0.05	5.44	5.39	0.05	5.44
जोड़ - प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण	**Total- Prevention and Control of Pollution**		102.42	25.55	127.97	52.42	25.55	77.97	104.92	29.65	134.57
19. अन्य कार्यक्रम	19. Other Programmes										
19.01 प्रदूषण का शमन	19.01 Abatement of Pollution	3435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
19.02 पर्यावरणिक आयोग और न्यायाधिकरण	19.02 Enviornmental Commission and Tribunal	3435	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
19.03 संकटपूर्ण पदार्थ प्रबंध	19.03 Hazarduous Substance Management	3435	3.00	...	3.00	1.75	...	1.75	2.25	...	2.25
		3601	...	...	...	...	...	...	0.75	...	0.75
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	19.04 Natural Resources Management	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
19.05 पर्यावरण सुधार परियोजना	19.05 Paryavaran Sudhar Pariyojana	3435	3.99	...	3.99	0.49	...	0.49	3.32	...	3.32
19.06 भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना	19.06 Indo-Canada Environment Facility Projects	3435	0.50	...	0.50	55.24	...	55.24	0.55	...	0.55
19.07 अन्य	19.07 Others	3435	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
		Total	12.04	...	12.04	61.03	...	61.03	11.42	...	11.42
20. पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर पूंजी परिव्यय	20. Capital Outlay on Ecology and Environment	5425	6.26	...	6.26	6.36	...	6.36	5.76	...	5.76
जोड़ - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**Total- Ecology and Environment**		**157.00**	**38.80**	**195.80**	**155.96**	**39.39**	**195.35**	**159.00**	**44.10**	**203.10**
कुल जोड़	***Grand Total***		***360.00***	***58.27***	***418.27***	***360.00***	***59.93***	***419.93***	***370.50***	***64.91***	***435.41***

ग. योजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. वानिकी और वन्य जीवन	2. Forestry and Wildlife	12406	203.00	...	203.00	204.04	...	204.04	211.50	...	211.50
3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3. Ecology and Environment	13435	157.00	...	157.00	155.96	...	155.96	159.00	...	159.00
जोड़	**Total**		**360.00**	**...**	**360.00**	**360.00**	**...**	**360.00**	**370.50**	**...**	**370.50**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं** : इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है।

2. **शिक्षा तथा प्रशिक्षण** :-

(क) **राज्य वन सेवा महाविद्यालय** : देहरादून बर्नीहाट और कोयम्बटूर में वन सेवा महाविद्यालय स्थित हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(ख) **रेंजर कालेज** : रेंजर कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

(ग) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून** : यह अकादमी भारतीय वन महाविद्यालय का उन्नयन करके तथा इसको वन अनुसंधान संस्थान से असम्बद्ध करके 25.5.1987 को स्थापित की गई थी। अकादमी में भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) **भारतीय वन प्रबंध संस्थान** : इस संस्थान की छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना की गई थी ताकि वन्य आधारित उत्पादों तथा इसके वानिकीकरण के संरक्षण स्थान और समय के अनुसार इसके इष्टतम उपयोग और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि और विशेष वन कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित प्रबन्धकीय कुशलता तथा विशेष योग्यता का विकास किया जा सके।

3. **अनुसन्धान** : यह व्यवस्था निम्नलिखित से सम्बन्धित है:-

(क) भारत में वर्तमान वनक्षेत्र को संरक्षित करने तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 31.12.1986 में भारतीय वानिकी अनुसन्धान और शिक्षा परिषद की स्थापना करके वानिकी अनुसंधान को पुनर्गठित किया गया था। आई. सी. एफ. आर. ई. को दिनांक 1.6.1991 से स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। वन-अनुसंधान संस्थान, देहरादून एक श्रेष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। इसके अतिरिक्त आई.सी.एफ.आर.ई. के विभिन्न क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए देश के विभिन्न पर्यावरणीय भौगोलिक क्षेत्रों में निम्नलिखित पांच संस्थान है :

i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
ii) वन-आनुवंशिकी और वृक्ष उत्पादन संस्थान, कोयम्बटूर
iii) अस्थायी वन संस्थान, जबलपुर
iv) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
v) वर्षा तथा आर्द्रता अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

(ख) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्था, बंगलौर की स्थापना प्लाइवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में हुई थी।

1. **Secretariat-Economic Services:** The provision is for Secretariat expenditure of the Ministry of Environment and Forests.

2. **Education & Training :**

(a) **State Forest Service Colleges :** There are 3 State Forest Service Colleges located at Dehradun, Burnihat and Coimbatore. These colleges run two year courses for SFS Officers.

(b) **Rangers College :** Rangers College is situated at Kurseong (West Bengal). The College provides training to Range Officers of the State Forest Departments.

(c) **Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun :** The Academy was created on 25.5.1987 by upgrading the Indian Forest College at Dehradun and delinking it from the Forest Research Institute. The Academy is responsible for training the Indian Forest Service Officers.

(d) **Indian Institute of Forest Management :** This Institute was established during the Sixth Plan as an autonomous body to develop managerial skills and specialisation relating to conservation, optimum utilisation and increasing production and productivity over space and time in forest based products as well as large afforestation and special forest programme.

3. **Research** : The provisions are in respect of the followings:-

(a) Forestry Research was re-organised in India by setting up Indian Council of Forestry Research and Education on 31.12.1986 with a view to achieve the national goals of conserving existing forest area and to increase productivity of forests. The Indian Council of Forestry Research and Education has been given autonomous status w.e.f. 1.6.1991. The Forest Research Institute, Dehradun is a Centre of Excellence in Research. In addition, ICFRE has following five institutes in different Eco-Geographic Regions of the country to take care of the research needs of the regions.

i) Institute of Wood Science and Technology, Bangalore.
ii) Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore.
iii) Institute of Deciduous Forests, Jabalpur.
iv) Institute of Arid Zone Forestry Research, Jodhpur.
v) Institute of Rain and Moist Deciduous Forests Research, Jorhat.

(b) The Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore was established in 1963 jointly by the Plywood Industries and the Government of India.

(ग) **वन नीति और तैयारी :-** इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों/संस्थाओं के विश्व बैंक मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों के अनुसार परामर्शों द्वारा तैयार वानिकी परियोजनाओं के प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

4. **वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग :** भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें सरल वैज्ञानिक वानिकी आयोजना की सूची के द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल है।

5. **वन संरक्षण, विकास और सम्पोषण :** यह अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकने और वन भूमि को वन-भिन्न उपयोग में परिवर्तित करने को रोकने के लिए पहले से चल रहा कार्यक्रम है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन संरक्षण बल को सुदृढ़ बनाने, चराई पर नियंत्रण, सिर पर लकड़ी की गठरियों के रूप में ईंधन लकड़ी ले जाने पर प्रतिबंध और वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति का पता लगाया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं।

(क) **आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण का आरंभः** योजना का उद्देश्य, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वन अग्नि के निवारण, पता लगाने और नियंत्रण के सिद्धान्त तथा तकनीक बनाना परीक्षण तथा प्रदर्शन करना है।

(ख) **जनजातीय विकास के लिए लाभकारी प्रचालन स्कीमः** इस का उद्देश्य वृक्ष तथा बांस की खेती और संबंधित गतिविधियों के द्वारा वनों तथा वनों की सीमाप्रांत में रहने वाले जनजातीय परिवारों की आर्थिक पुर्नस्थापना है।

(ग) **विकृत वनों की पुर्नउत्पत्ति में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण गरीब लोगों का सहयोग :** योजना का उद्देश्य संसाधन आधार में सुधार करने के लिए विकृत वनों की पुनर्उत्पत्ति में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण गरीबों को शामिल करना है।

6. **वन्य जीवन संरक्षण :** भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण के लिए सेवाकालीन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा वन्य जीवन पर दो वर्ष का एम.एस.सी. पाठयक्रम का आयोजन भी करता है।

वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 'प्रोजेक्ट टाइगर' 'राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों का विकास' 'प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय विकास' और 'हाथी परियोजना' हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल वन्य जीवन की लुप्त प्रायः जातियों बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्था को भी संरक्षित करना है। अंतिम दो योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा वन्य उत्पादों पर उन की निर्भरता को कम करना भी है। योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से लगे हुए क्षेत्रों में आयोजना के जरिए विभिन्न फलदायी पेड़ों की पूर्ति को बढ़ाना भी है।

प्राणी कल्याण बोर्ड मार्च 1990 में कृषि मन्त्रालय से इस मन्त्रालय में स्तानान्तरण पर आया था। बोर्ड की स्थापना प्राणियों पर क्रूरता की रोक-थाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई।

7. **प्राणी विज्ञान उद्यान :** राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान पार्क देश में एकमात्र प्राणी उद्यान है, जो लुप्त होते जा रहे पशुओं का संरक्षण और प्रजनन का कार्य करता है और उन के व्यवहार, पुर्नउत्पादन और पोषाहार के संबंध में अनुसंधान करता है ।

8. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** इस स्कीम के अंतर्गत, वन उद्योग और वन्य जीवन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों को अंशदान के लिए प्रावधान किए जाते हैं ।

9. **राष्ट्रीय वानिकीकरण और आर्थिक-विकास बोर्डः** राष्ट्रीय वानिकीकरण और आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1992 में देश में वानिकीकरण संवर्धन, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुर्नस्थापन और आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ हुई। विकृत वन क्षेत्रों और भूमि के सम्पोषण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनमें वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारणों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि के समान पारिस्थितिकी से संबंधित कमजोर क्षेत्र शामिल हैं।

10. **सर्वेक्षण-** (i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, निम्नलिखित कार्यों को देखता है (क) देश के विभिन्न भागों

(c) **Forest Policy and preparation:** The provision will be utilized for getting Forestry Projects prepared by consultants in accordance with World Bank guidelines of different States/Institutes.

4. **Survey and Utilisation of Forest Resources :** Forest Survey of India, Dehradun carries out comprehensive forest resources survey at regular intervals and presents information for planning at National, State and local levels including evaluation through re-inventory to facilitate scientific forestry planning.

5. **Forest Conservation, Development and Regeneration :** This is an on-going programme to check indiscriminate deforestation and diversion of forest land to non-forest use. Strengthening of forests protection force, control on grazing; restriction on removal of fuelwood as head loads and supply of alternate fuels have been identified for effective protection of forests. Following are some of the important schemes under this programme:-

(a) **Introduction of Modern Forest Fire Control:** The objective of the Scheme is to devise, test and demonstrate principles and techniques of prevention, detection and suppression of forest fires in certain areas of Maharashtra and Uttar Pradesh.

(b) **Beneficiary Oriented Schemes for Tribal Development:** Its objectives are economic rehabilitation of the tribal families living in forest and forest fringes through tree and bamboo farming and allied activities.

(c) **Association of Scheduled Tribe and Rural Poor in Regeneration of Degraded Forests :** The objective of the scheme is to involve Scheduled Tribe and Rural Poor in Regeneration of Degraded Forests to improve resource base.

6. **Wildlife Preservation :** The Wildlife Institute of India, Dehradun imparts training and provides continuing education to in-service officers and also organises a two-year M.Sc. Course in Wildlife.

The Centrally Sponsored Schemes for preservation of wildlife under operation are 'Project Tiger', 'Development of National Parks and Sanctuaries', 'Eco-development of areas around important protected areas' and 'Project Elephant'. The schemes aim not only at protecting the endangered species of wildlife, but the entire ecosystem. The last two schemes also aim at improving the quality of the life of the local people and reducing their dependence on forest products. The schemes also aim at augmenting the supply of various usufructs through planning in areas adjoining National Parks and Sanctuaries.

The Animal Welfare Board came on transfer to this Ministry from Ministry of Agriculture in March 1990. The Board was established in 1962 Under Section 4 of the Prevention of cruelty to Animals Act 1960.

7. **Zoological Park :** The National Zoological Park is the only zoological garden in the country that conserves and breeds endangered animals, conducts research regarding their behaviour, reproduction and nutrition.

8. **International Cooperation :** Under this Scheme, the provisions are made for contributions to various international organisations relating forestry and wild life.

9. **National Afforestation and Eco-Development Board :** The National Afforestation and Eco-development Board was set up in August, 1992, with the principal aim of promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development in the country. Special attention is given to the regeneration of degraded forest areas and lands adjoining forest areas, national parks, sanctuaries and other protected areas as well as the ecologically fragile areas like the Western Himalayas, Aravallis, Western Ghats, etc.

10. **Surveys** : (i) The Botanical Survey of India, with its headquarters at Calcutta looks after (a) intensive floristic study in

में वनस्पतियों का गहन अध्ययन (ख) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वनस्पतियों के रूप में पौधा सम्पति का संग्रह, देखभाल करना, उनका पता लगाना और उनकी सूची तैयार करना और (ग) आर्थिक और औषधियों के काम आने वाले पौधों का अध्ययन करना।

(ii) भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण अपने कलकत्ता मुख्यालय में, समूह सर्वेक्षण और समुद्री जन्तुओं सहित जन्तु समूहों के क्रमबद्ध प्राणि विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है।

11. **पर्यावरण संबंधी शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार :** यह मंत्रालय प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देता है। यह मंत्रालय प्राथमिक और उच्चतर स्कूल स्तर पर और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरण संबंधी शिक्षा के संवर्धन का कार्य भी कर रहा है ।

इस विभाग के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा केन्द्र है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और संवर्धन की दृष्टि से, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण संबंधी संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है ।

12. **संरक्षण कार्यक्रम**

13. **पर्यावरण संबंधी आयोजना और समन्वय**

14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरूत्पादन -**

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय का लक्ष्य पारिस्थितिकी का विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी प्रणाली के पुनरूत्थान में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस मंत्रालय ने पर्यावरण सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह, संसाधन और प्रसार के लिए पर्यावरणीय सूचना प्रणाली स्थापित की है और इसने नशीले रासायनिक प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्र में दस सूचना केन्द्र भी स्थापित किए है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :-** इसमें पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुत्पादन के विकास के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान का प्रावधान किया गया है।

16. **गंगा के प्रदूषण का निवारण :** गंगा नदी की प्रदूषित धाराओं की सफाई करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। कार्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम विपथन, सीवर की सफाई और पम्प सैटों के नवीकरण से संबंधित है। आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें इस प्रकार हैं: (i) नदी के गंदे पानी को रोकना और उसका विपथन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधन प्राप्त करने के साथ गन्दे जल का शोधन (iii) कम लागत पर सफाई, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई संबंधी उपाय।

17. **वायु और जल प्रदूषण का निवारण -** इस व्यवस्था में शामिल हैं: (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सहायता अनुदान; राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता और प्रदूषण संगत योजनाओं का वित्तपोषण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी । बोर्ड भी वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है । इस व्यवस्था में सामान्य अपगामी अभिक्रिया संयंत्रों के लिए दिया गया सहायता अनुदान भी शामिल है ।

वर्ष 1992-93 के दौरान तीन नई स्कीमें, यथा; पर्यावरणीय लेखा परीक्षा पर्यावरणीय सांख्यिकी और मानचित्रण तथा लघु उद्योगों द्वारा नई प्रौद्योगिकियां आरंभ की गई है।

18. **प्रभाव मूल्यांकन :** पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के लिए, सूचना प्राप्त करने और विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू के साथ-साथ चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट मार्ग निर्देशों के लिए प्रश्नावलियां तैयार की गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम विचार के लिए विभाग को भेजे गए, जो कि इस उद्देश्य के लिए गठित तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित हैं ।

different parts of the country, (b) collection, observation, identification and preparation of an inventory of the plant wealth in the form of national and regional floras; and (c) studies of economic and medicinal plants.

(ii) Zoological Survey of India with its headquarters at Calcutta is responsible for carrying out the faunistic survey and research work in systematic Zoology, Animal Ecology, Zoolography of various groups of animals including marine fauna.

11. **Environmental Education/Training/Extension** : The Ministry gives priority to Environmental Education of almost all age groups of the country's population through exhibitions and training programmes etc. The Ministry is also involved in promoting environmental education by imparting non-formal education at the primary and secondary school level and in colleges and universities.

National Museum of Natural History is a centre set up under the Ministry to impart non-formal education to the school going children in the field of ecology, wildlife and environmental conservation with a view to create and promote awareness in the country about the need to conserve national natural resources.

12. **Conservation Programme.**

13. **Environmental Planning and Coordination.**

14. **Research and Ecological Regeneration :**

Under these programmes, research projects undertaken by various organisations are supported by the Ministry. The Ministry envisages more active participation of universities, scientific institutions and voluntary organisations in eco-development, restoration of damaged eco-systems and eco-regeneration of degraded areas. The Ministry has also set up environmental information system for collecting, processing and dissemination of environmental data and has also set up ten Information Centres in the field of toxic chemical, pollution control etc.

15. **International Cooperation** : The provisions are for contribution to UNO and other international organisations engaged in the development of environmental research and eco-regeneration.

16. **Prevention of Pollution of Ganga :** An action plan has been drawn up for clearing the polluted stretches of River Ganga and to oversee its implementation. The major work programmes relate to diversion, sewer cleaning and renovation of pumping set. The schemes proposed to be taken up are: (i) Interception and diversion of waste water from the river (ii) Treatment of waste water with recovery of resources such as bioenergy (iii) Other sanitation measures, such as low cost sanitation, biological conservation etc.

17. **Prevention of Air and Water Pollution** : The provision covers: (i) Grants-in-aid to the Central Pollution Control Board; Assistance to State Governments/ Central Pollution Control Board; and Funding of pollutionally relevent schemes.

The Central Pollution Control Board was set up in 1974. The Board is also responsible for the prevention and control of air pollution. The provision covers grants given for the promotion of common effluent treatment plants.

During 1992-93, three new Schemes viz; Enviromental Audit Environmental Statistics and Mapping and Clean Technologies by Small Scale industries had been taken up.

18. **Impact Assessment:** For environmental impact assessment studies, questionnaires for eliciting information and environmental aspect of development projects as well as specific guidelines in selected sectors have been designed. Under this programme various development programmes are referred to the Ministry for consideration and are approved by Technical Committees constituted for the purpose.

19. अन्य कार्यक्रम :-

इन योजनाओं यथा, प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरणीय आयोग और ट्रिब्यूनल, जोखिम पदार्थ प्रबंध के लिए सहायता का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थानों और अन्य सरकारी अभिकरणों/संगठनों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीति व्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी तकनीकी क्षमता को मजबूत बनाने के लक्ष्य के लिए उसकी सहायता करना है।

पर्यावरण सुधार परियोजना : यह बेरोजगार युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने तथा विभिन्न प्रकार की निम्नकोटि की भूमि की उत्पादकता में सुधार और पुनर्स्थापन के दोहरे प्रयोजन को पूरा करता है। इन कार्यक्रमों में पीताम्बर पंत, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली, जैव विविधिता संरक्षण भी शामिल है।

भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना (आई.सी.ई.एफ.) : आई.सी.ई.एफ. का गठन मार्च, 1994 में, दिल्ली में एक पंजीकृत सोसाईटी के रूप में, भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के तहत हुआ था। समझौते के तहत, कनाडा द्वारा प्रदत्त और सरकारी खाते में डाली गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री प्राप्तियाँ आई.सी.ई.एफ. को भारत में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आगे बढ़ा दी जाती हैं।

इन कार्यक्रमों में पीताम्बर पंत फैलोशिप, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जैव-भिन्नता संरक्षण की स्कीमें शामिल हैं।

20. **पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी पूंजीगत परिव्यय :** इस स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान संबंधी सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

19. Other Programmes :-

The main objective of these schemes viz Assistance for Abatement of Pollution, Environmental Commission and Tribunal and Hazardous Substance Management are to assist State Governments, State Pollution Control Boards, Central/State Research Institutions and other Government Agencies/Organisations with the aim of strengthening their technical capabilities to achieve the objectives of the Policy Statement for Abatement of Pollution.

Paryavaran Sudhar Pariyojana : To serve the twin purposes of providing gainful employment to the unemployed youth and to rehabilitate and improve the productivity of degraded lands of various kinds.

India-Canada Environment Facility Project (ICEF): ICEF has been set up in March, 1994 as a registered society in Delhi, under a Memorandum of Understanding between Government of India and Government of Canada. Under the agreement, sale proceeds of designated commodities gifted by Canada and credited to Government account are passed on to ICEF for implementation of projects for environment preservation and protection in India.

These programmes also include the schemes of Pitambar Pant Fellowship, National Natural Resources Management System, Bio-Diversity Conservation.

20. **Capital Outlay on Ecology and Environment :-** Under this scheme, provisions are made for Civil Engineering Works for Scientific and Environmental Research.

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No.23

विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	801.01	801.01	...	881.75	881.75	...	950.90	950.90
पूंजी	*Capital*		...	*43.99*	*43.99*	...	*45.15*	*45.15*	...	*47.05*	*47.05*
जोड़	**Total**		...	**845.00**	**845.00**	...	**926.90**	**926.90**	...	**997.95**	**997.95**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	50.47	50.47	...	48.47	48.47	...	58.00	58.00
2. विदेश कार्य	2. External Affairs										
i) राजदूतावास और मिशन	i) Embassies & Missions	2061	...	340.00	340.00	...	387.43	387.43	...	403.03	403.03
ii). विशेष राजनयिक व्यय	ii) Special Diplomatic Expenditure	2061	...	129.48	129.48	...	176.87	176.87	...	180.90	180.90
iii). अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	iii) International Conferences/ Meetings	2061	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
iv). पासपोर्ट और उत्प्रवास	iv) Passport & Emigration	2061	...	54.35	54.35	...	31.00	31.00	...	60.00	60.00
v). आतिथ्य प्रभार	v) Hospitality Charges	2061	...	5.00	5.00	...	7.50	7.50	...	8.00	8.00
vi). अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	vi) International cooperation	2061	...	21.52	21.52	...	37.38	37.38	...	22.53	22.53
vii). प्रशिक्षण	vii) Training	2061	...	0.20	0.20	...	0.25	0.25	...	0.20	0.20
viii). अन्य व्यय	viii) Other Expenditure										
(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	a) Grants to Indian Council for Cultural Relations	2061	...	15.00	15.00	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00
(ख) खाड़ी निष्क्रमण	b) Gulf Evacuation	2061	...	0.06	0.06	...	15.43	15.43	...	0.08	0.08
(ग) हज यात्रियों को विनिमय की सरकारी दर पर विदेशी मुद्रा देने के कारण भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान	c) Payment to SBI on account of Foreign Exchange release to Haj pilgrims at official rate of exchange	2061	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
(घ) अन्य मदें	d) Other Items	2061	...	11.50	11.50	...	12.47	12.47	...	11.50	11.50
जोड़-अन्य व्यय	**Total - Other Expenditure**		...	**26.57**	**26.57**	...	**48.91**	**48.91**	...	**31.59**	**31.59**
जोड़-विदेश कार्य	***Total- External Affairs***		...	***579.12***	***579.12***	...	***691.34***	***691.34***	...	***708.25***	***708.25***
3. विविध सामान्य सेवाएं	3. Miscellaneous General Services										
विनिमय द्वारा हानि	Loss by exchange	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4. नौपरिवहन-सामान्य-भारतीय नौपरिवहन निगम को भुगतान	4. Shipping - General -Payment to S.C.I.	3052	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. नागरिक उड्डयन-सामान्य अन्य व्यय	5. Civil Aviation - General Other Expenditure	3053	...	4.30	4.30	...	8.42	8.42	...	0.01	0.01
6. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम	6. Technical & Economic Co-operation with Other Countries and Advances to Foreign Governments										
i). बंगलादेश	i) Bangladesh	3605	...	1.70	1.70	...	0.50	0.50	...	1.70	1.70
		7605	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		Total	...	11.70	11.70	...	0.51	0.51	...	1.71	1.71
ii). भूटान	ii) Bhutan	3605	...	92.00	92.00	...	69.00	69.00	...	100.00	100.00
		7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*92.01*	*92.01*	...	*69.01*	*69.01*	...	*100.01*	*100.01*
iii). नेपाल	iii) Nepal	3605	...	22.83	22.83	...	19.00	19.00	...	20.00	20.00
		7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*22.84*	*22.84*	...	*19.01*	*19.01*	...	*20.01*	*20.01*
iv). श्रीलंका	iv) Srilanka	3605	...	4.75	4.75	...	4.00	4.00	...	6.27	6.27
v). मालदीव	v) Maldives	3605	...	12.49	12.49	...	5.50	5.50	...	12.00	12.00
vi). कम्बोडिया	vi) Combodia	3605	...	0.01	0.01	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
vii). अन्य विकासशील देश	vii) Other Developing Countries	3605	...	30.52	30.52	...	28.50	28.50	...	30.00	30.00
viii). अफ्रीका निधि के अन्तर्गत सहायता	viii) Aid under AFRICA Fund	3605	...	2.80	2.80	...	6.90	6.90	...	14.55	14.55
जोड़		*Total*	...	*177.12*	*177.12*	...	*133.53*	*133.53*	...	*184.65*	*184.65*
7. सार्वजनिक निर्माण कार्य	7. Public Works	4059	...	28.95	28.95	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00
8. आवास	8. Housing	4216	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00
9. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए ऋण (एफसीआई को ऋण)	9. Loans for Foreign Trade Export promotion (Loan to FCI)	7453	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
10. विविध ऋण (विभागीय कैण्टीनों को ऋण)	10. Miscellaneous loans (Loans to Departmental Canteens)	7615	...	0.01	0.01	...	0.11	0.11	...	0.01	0.01
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***845.00***	***845.00***	...	***926.90***	***926.90***	...	***997.95***	***997.95***

1. **सचिवालय** -इस शीर्ष के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय की तथा विदेशों में प्रचार कार्य के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है ।

बजट अनुमान 95-96 में 9.53 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि मुख्य रूप से अकबर भवन के लिए 5.82 करोड़ रुपए के बकाया किराये का भुगतान करने की आवश्यकता के कारण हुई है।

2. **विदेश कार्य**

(i) **राजदूतावास तथा मिशन:** इस शीर्ष के अन्तर्गत विदेशों में भारत का

1. **Secretariat** – This provides for the expenditure on Secretariat of Ministry of External Affairs and expenditure on External Publicity.

A marginal increase of Rs.9.53 crores in BE 95-96 is principally because of a requirement to pay rental arrears amounting to Rs.5.82 crores for Akbar Bhavan.

2. **External Affairs:**

i) **Embassies & Missions**: This provides for expenditure on India's

प्रतिनिधित्व करने वाले 148 मिशनों/केन्द्रों के लिए व्यय की व्यवस्था है। स.अ. 94-95 में वर्धित अपेक्षा मुख्य रूप से विदेश स्थित हमारे मिशनों और कार्यालयों, जिनमें भूतपूर्व सोवियत ब्लाक, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश प्रमुख हैं, के किराए में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, नए खोले गए मिशनों/केन्द्रों में, जहां पर प्रारम्भ में थोड़ा सा स्टाफ था, स्टाफ को बढ़ाए जाने के कारण भी व्यय में वृद्धि हुई। स्थाई संसदीय समिति के निदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रचार के अन्तर्गत आवंटनों में भी वृद्धि की गई है।

बजट अनुमान 95-96 में वृद्धि इस कारण से हुई क्यों कि जो मिशन वर्ष 1993 और 1994 में खोले गए हैं वे 1995-96 में पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। दूतावास संबंधी तथा वाणिज्यिक अपेक्षाओं में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए पपुआ न्यू गिनी, ग्लासगो, ब्रातिसलावा और हुस्टन में नए मिशन खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ii) **विशेष राजनयिक व्यय** : इस शीर्ष के अन्तर्गत विवेकाधीन व्यय की व्यवस्था की गई है।

(iii) **अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** : स.अ. 94-95 में किए जाने वाले व्यय में जी-15 शिखर सम्मेलन से सम्बद्ध बकाया बिलों का निपटान करने और नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले आगामी सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारी सम्बन्धी कार्य के लिए व्यवस्था की गई है।

(iv) **पासपोर्ट और उत्प्रवास**: इस शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय तथा भारत स्थित 23 पासपोर्ट कार्यालयों में स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है। वर्धित ब.अ.95-96 में की गई व्यवस्था का उपयोग भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय को बकाया राशि का भुगतान करने, पासपोर्ट पठन मशीन का निर्माण करने, शेष पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने और लगभग 30 लाख वीसा स्टीकरों का मुद्रण करने के लिए किया जाएगा। स्थापना व्यय में हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालयों का नए परिसरों में अंतरण भी शामिल है।

(v) **आतिथ्य प्रभार**: इस शीर्ष के अन्तर्गत, भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी उच्चाधिकारियों की यात्रा पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर वायुयान से लाने-ले जाने की व्यवस्था भी शामिल है। यह निर्णय लिया गया है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भारतीय वायुसेना के जहाजों को किराए पर लेने में होने वाले व्यय को, जिसे पहले रक्षा मंत्रालय के नामे डाला जाता था, अब विदेश मंत्रालय के नामे डाला जाएगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय में हैदराबाद हाउस के रख-रखाव के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(vi) **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** : इस शीर्ष में राष्ट्र संघ तथा इसके अभिकरणों, राष्ट्रमण्डलीय सचिवालय, राष्ट्रमण्डलीय फाउण्डेशन, सार्क सचिवालय को दिए जाने वाले अंशदान के अनिवार्य भुगतान के व्यय हेतु व्यवस्था की गई है। यह निर्णय किया गया है कि अपवादस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट को किए जाने वाले हमारे अंशदान हेतु इस वित्तीय वर्ष में दो भुगतान किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे अंशदान 1 जून से पहले कर दिए जाएं जो कि ऐसे भुगतानों की अंतिम तिथि है।

(vii) **प्रशिक्षण** : इस शीर्ष के अन्तर्गत विदेश सेवा संस्थान द्वारा भारतीय और विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि होने के कारण स.अ. 94-95 में मामूली वृद्धि हुई है।

(viii) **अन्य व्यय** : इसमें पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं पर सीमांकन करने, उप-राष्ट्रपति की विदेश-यात्राओं सहित संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि को प्रतिनिधिमण्डल भेजने, गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप यमन से भारतीय लोगों को हटाने पर हुए व्यय, विदेश मंत्रालय के हास्टलों, विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदानों, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आदि मनाने, के लिए व्यवस्था की गई है।

5. **नागर विमानन** : 94-95 के स.अ. में हुई यह वृद्धि हज सेवाओं के लिए एम.बी. निकोबार को हटा दिए जाने के परिणामस्वरूप मुख्य भू-भाग - अण्डमान सेक्टर पर वायु सेवाएं मुहैया कराने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

6 **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग**: यह व्यवस्था पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों को विभिन्न द्विपक्षीय करारों तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के तहत तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए की गई है। यह व्यवस्था अफ्रीका निधि के अन्तर्गत सहायता संबंधी जरूरतों तथा संकट राहत के लिए भी है।

7. **लोक निर्माण एवं आवास** : संसदीय प्राक्कलन समिति द्वारा यथा अनुशंसित बढ़ाई गई व्यवस्था उन देशों में, जहां हम ऊंचे किराए अदा कर रहे हैं, आवासों तथा कार्यालयों के अधिग्रहण तथा निर्माण के लिए है।

representation of 148 Missions/Posts abroad. The enhanced requirement in RE 94-95 is mainly due to steep rise in rents for our Missions and Chanceries abroad, principally in the former Soviet Block, South Africa, Gulf countries and South-East Asian countries. Further, increased expenditure is also on account of augmentation of staff in the newly opened Mission/Posts where initially there was only skelton staff. In keeping with the directive of the Standing Committee of Parliament, allocations under publicity have also been augmented.

The increase in BE 95-96 is due to the fact that Missions opened in 1993 and in 1994 will become fully operational in 1995-96. New Missions are proposed to be opened in Papua New Guinea, Glasgow, Bratislava and Houston to respond to increased consular and commercial requirements.

(ii) **Special Diplomatic Expenditure** : This provides for discretionary expenditure.

(iii) **International Conferences/Meetings**: In RE 94-95, the expenditure constitutes provision for settlement of pending bills pertaining to G-15 Summit and preparatory work for the forthcoming SAARC Summit to be held in New Delhi.

(iv) **Passport and Emigration** : This provides for establishment expenses of the Head Office and the 23 passport offices in India. The enhanced BE 95-96 will cater to clearing of outstanding dues of the India Security Press, production of machine readable passport, computerisation of remaining passport offices and printing of over 30 lakhs visa stickers. Establishment expenses also includes the shifting to new premises of passport offices at Hyderabad and Ahmedabad.

(v) **Hospitality Charges** : This provides for expenditure on visits of foreign dignitaries to India, including provision for airlifts when required. It has been decided that expenditure on hiring of IAF planes for VVIPs which was earlier debited to Ministry of Defence will now be debited to Ministry of External Affairs. Expenditure under this head also provides for the maintenance of Hyderabad House.

(vi) **International Cooperation** : This provides for the expenditure on mandatory payment of subscription to UN and its agencies, Commonwealth Secretariat, Commonwealth Foundation, SAARC Secretariat. It has been decided as an exception to make two payments in this financial year towards our contribution to UN regular budget so as to ensure that our contributions are made before June Ist which is the last date for such payments.

(vii) **Training** : The provision made under this head is for organizing training programmes for Indian and foreign diplomats by Foreign Service Institute. There is marginal increase in RE 94-95 due to an increase in the number of training programmes.

(viii) **Other Expenditure** : This includes provision for demarcation of boundaries with the neighbouring countries, Delegations to UN etc. including Vice President's visits abroad, expenditure incurred on evacuation of Indians from Yemen as a result of civil war, External Affairs hostels, grants-in-aid to various organisations, Republic Day and Independence Day celebrations abroad etc.

5. **Civil Aviation**: The increase in RE 94-95 is in order to cater to expenditure on providing air services on the mainland-Andaman Sector in lieu of withdrawal of M.V. Nicobar for Haj services.

6. **Technical and Economic Cooperation with Other Countries**: This provision is made for extending technical and economic assistance under various bilateral agreements and other special programmes to neighbouring and other developing countries. The provision also provides for requirements of aid under Africa Fund and also for Disaster Relief.

7. **Public Works and Housing** : As recommended by the Estimates Committee of Parliament increased provision is for aquisition and construction of residences and Chanceries abroad in those countries where we are paying high rents.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.24

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)

(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	894.32	894.32	...	947.88	947.88	0.01	1323.47	1323.48
पूंजी	*Capital*		*1.00*	*124.50*	*125.50*	*1.00*	*137.36*	*138.36*	*0.99*	*165.00*	*165.99*
जोड़	**Total**		**1.00**	**1018.82**	**1019.82**	**1.00**	**1085.24**	**1086.24**	**1.00**	**1488.47**	**1489.47**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	16.84	16.84	...	16.75	16.75	...	17.00	17.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. राष्ट्रीय बचत संगठन	2. National Savings Organisation	2047	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
3. अनिवार्य जमा योजना, (आयकरदाता) 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	3. Interest on deposits under Compulsory Deposits (Income Tax Payers) Scheme,1974	2047	...	15.00	15.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि को अंशदान	4. Contribution to ESAF Trust subsidy account of IMF	2047	...	...	...	...	3.12	3.12	...	3.12	3.12
5. अन्य व्यय	5. Other Expenditure	2047	...	3.64	3.64	...	4.53	4.53	...	3.79	3.79
अन्य सामान्य सेवाएं	**Other Administrative Services**										
6. दसवां वित्त आयोग	6. 10th Finance Commission	2070	...	2.07	2.07	...	3.64	3.64	...	...	...
7. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण	7. Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction	2070	...	0.86	0.86	...	0.92	0.92	...	1.04	1.04
8. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	8. Board for Industrial and Financial Reconstruction	2070	...	3.42	3.42	...	3.89	3.89	...	3.95	3.95
9. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	9. Debt Recovery Tribunal	2070	...	3.02	3.02	...	2.46	2.46	...	3.50	3.50
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
10. अन्य कार्यक्रम	10. Other Programmes	2075	...	0.11	0.11	...	0.41	0.41	...	0.11	0.11
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Social Security and Welfare**										
11. साधारण बीमा निगम आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा-योजना	11. Insurance schemes for the poor through GIC,etc.										
11.01 झोपड़ी बीमा योजना	11.01 Hut Insurance Scheme	2235	...	...	...	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
11.02 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना	11.02 Personal Accident Insurance Social Security Scheme	2235	...	10.00	10.00	...	7.00	7.00	...	8.00	8.00
जोड़		*Total*	...	*10.00*	*10.00*	...	*17.00*	*17.00*	...	*18.00*	*18.00*
12. नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को ऋण पर ब्याज राहत	12. Interest Relief on loans to persons affected by November 1984 Riots	2235	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	0.01	10.00	10.01
13. अन्य व्यय	13. Other Expenditure	2235	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	0.30	0.30
अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण	**Loans for other Industries and Minerals**										
14. उत्पाद-शुल्क राहत योजना के अंतर्गत ऋण	14. Loans under the Excise Relief Scheme	6885	...	45.00	45.00	...	40.00	40.00	...	35.00	35.00
नौवहन को ऋण	**Loans for Shipping**										
15. नौवहन कंपनियों के लिए ऋण	15. Loans to shipping companies	7052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.99	...	0.99
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	**Loans for other General Economic Services**										
16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऋण	16. Loans to Securities & Exchange Board of India	7475	...	1.00	1.00	...	20.00	20.00	...	30.00	30.00
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
17. लाभांश राहतों और अन्य रियायतों के द्वारा रेलवे को आर्थिक सहायता	17. Subsidy to Railways towards dividend reliefs and other concessions	3075	...	403.10	403.10	...	423.41	423.41	...	411.16	411.16
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
18. युद्ध-जोखिम (मेरिन-हल्स) पुनर्बीमा योजनाएं आदि	18. War Risks (Marine Hulls) Re-insurance Schemes, etc.	3475	...	0.78	0.78	...	0.03	0.03	...	0.78	0.78
19. आपात जोखिम बीमा निधि - अंतरण	19. Emergency Risks Insurance Funds - Transfers										
को	To	3475	...	12.37	12.37	...	12.05	12.05	...	12.68	12.68
से	From	3475	...	-0.78	-0.78	...	-0.03	-0.03	...	-0.78	-0.78
निवल	*Net*		...	*11.59*	*11.59*	...	*12.02*	*12.02*	...	*11.90*	*11.90*
20. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	20. Grants to Indian Investment Centre	3475	...	1.20	1.20	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90
21. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	21. International Cooperation	3475	...	2.53	2.53	...	2.83	2.83	...	3.23	3.23

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
22. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	22. Exchange Loss under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme	3475	...	6086.00	6086.00	...	5952.00	5952.00	...	2939.00	2939.00
घटाइए-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतरित व्यवस्था	Less-Provision Transferred by RBI	3475	...	-5721.00	-5721.00	...	-5587.00	-5587.00	...	-2154.00	-2154.00
निवल		*Net*	...	*365.00*	*365.00*	...	*365.00*	*365.00*	...	*785.00*	*785.00*
23. इराक में निष्पादित परि-योजनाओं के संबंध में भारतीय रेल निर्माण कंपनी द्वारा प्रति-गारंटी का निपटान	23. Settlement of counter-guarantees by Indian Railway Construction Company in respect of projets executed in Iraq	3475	...	...	...	...	26.09	26.09	...	...	...
24. अन्य व्यय	24. Other Expenditure	3475	...	10.97	10.97	...	10.87	10.87	...	10.39	10.39
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	**Technical and Economic Co-operation with other Countries**										
25. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	25. Contribution to U.N.D.P.	3605	...	14.01	14.01	...	13.67	13.67	...	14.02	14.02
26. अन्य देशों के साथ सहयोग	26. Cooperation with other countries	3605	...	4.92	4.92	...	5.08	5.08	...	5.28	5.28
27. विदेशी सरकारों को अग्रिम	27. Advances to Foreign Governments										
(क) मॉरीशस	(a) Mauritius	7605	...	...	...	...	0.01	0.01	...	8.00	8.00
(ख) श्रीलंका	(b) Sri Lanka	7605	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	17.00	17.00
(ग) वियतनाम	(c) Vietnam	7605	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	23.00	23.00
(घ) सूरीनाम	(d) Surinam	7605	...	1.50	1.50	...	0.36	0.36	...	...	...
(ङ) मंगोलिया	(e) Mongolia	7605	...	1.00	1.00	...	5.46	5.46	...	...	...
(च) मध्य एशियाई गणतंत्र (कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिस्तान और तुर्कमेनिस्तान)	(f) Central Asian Republics (Kazahkistan, Uzbekistan, Kyrghyzstan and Turkmenistan)	7605	...	50.00	50.00	...	45.53	45.53	...	51.99	51.99
(छ) म्यानमार	(g) Myanmar	7605	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*78.50*	*78.50*	...	*77.36*	*77.36*	...	*100.00*	*100.00*
कुल जोड़	***Grand Total***		*1.00*	*1018.82*	*1019.82*	*1.00*	*1085.24*	*1086.24*	*1.00*	*1488.47*	*1489.47*
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. नौवहन	1. Shipping	13052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.99	...	0.99
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2. Social Security and Welfare	22235	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़	Total		1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. इसमें देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यय के लिए व्यवस्था है।

3. यह व्यवस्था अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत ब्याज संदायों पर व्यय के लिए है।

4. यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि में भारत के अंशदान के लिए की गई है।

5. इसमें मुख्यतः बचत प्रमाण पत्रों, चैक बुकों आदि के मुद्रण की लागत, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अदायगियों, प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं की जांच हेतु गठित अभिरक्षक तथा विशेष न्यायालय के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रेजीडेंट के कार्यालय और यू एन सी टी ए डी की न्यास निधि में अंशदान के लिए व्यवस्था की गयी है।

6. 10 वें वित्त आयोग ने 26.11.1994 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। अतः बजट अनुमान 1995-96 में इसके लिए कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई है।

7-9. यह व्यवस्था औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के लिए की गई है।

10. इसमें मुख्यतः मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

11. यह व्यवस्था साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्धनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए है।

1. The provision is for the secretariat expenditure of the Department of Economic Affairs.

2. The provision is for expenditure of National Savings Organisation with its net work of regional offices all over the country.

3. The provision is for expenditure on interest payment under the Compulsory Deposits (Income-tax Payers) Scheme, 1974.

4. The provision is for India's contribution to Enhanced Structural Adjustment Facility Trust Fund of the IMF.

5. The provision is mainly for cost of printing saving certificates, cheque books etc., payments under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, Office of the Custodian and Special Court set up for investigating irregularities involving transaction in securities, IMF Resident Office and contribution for UNCTAD Trust Fund.

6. The 10th Finance Commission has already submitted its report to the Government on 26.11.1994. Hence, no budget provision has been made for it in BE 1995-96.

7-9. Provision is for the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction, Board for Industrial and Financial Reconstruction, Debt Recovery Tribunal etc.

10. Includes provision mainly for interest payment on Central securities in time-barred cases and payment in connection with unclaimed securities credited to Government Accounts, etc.

11. The provision is for various insurance schemes for the poor through GIC and its subsidiaries.

12. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को उनके अपने सामान्य व्यवसाय में लगाने, अपने घरों की मरम्मत करने आदि में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी राहत देने की व्यवस्था की गई है।

13. इसमें गरीबों के लिए प्रतिरक्षित बचत योजना के लिए बीमे के अंश की व्यवस्था शामिल है।

14. इस योजना के अधीन वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयां पुनः गतिशीलता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने द्वारा देय उत्पाद शुल्क की सीमा तक ब्याज- मुक्त ऋण लेने के पात्र है। यह योजना मार्च 1993 से बंद कर दी गई है।व्यवस्था आगे ले जाई गई देयताओं के निपटान के लिए है।

15. यह व्यवस्था भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने के संबंध में नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

16. यह व्यवस्था पूंजीगत व्यय के लिए "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" को ऋण देने के लिए की गई है।

17. इसके अंतर्गत सामान्य राजस्व में से रेलवे को देय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

18 और 19. विभिन्न जोखिम बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रीमियमों को लोक खाते की आरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें से इन योजनाओं के व्यय को पूरा किया जाता है। इन लेन-देनों को भारतीय समेकित निधि के माध्यम से पूरा किया जाता है। व्यय की यह व्यवस्था मुख्यतया युद्ध जोखिम (मैरीन हल्ज) पुनः बीमा योजना के लिए है; इसमें आपात जोखिम (माल, कारखाने तथा उपक्रम) बीमा योजनाओं की बकाया देय राशि का निपटान भी शामिल है।

20. यह अनुदान सहायता भारतीय निवेश केन्द्र को अपने स्थापना व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है । भारतीय निवेश केन्द्र भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश सहित विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करता है, विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात सुलभ कराता है और भारत की निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में समुद्रपारीय निवेशकों को सूचना प्रदान करता है।

21. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

22. यह व्यवस्था उस विदेशी मुद्रा हानि की देयता की पूर्ति के लिए है जिसे सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 1 जुलाई, 1993 से आगे परिपक्व होने वाली जमाराशियों के लिए विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता स्कीम के कारण ले लिया है। 2154 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास हानि की आंशिक पूर्ति के लिए उपलब्ध है, को 1995-96 के दौरान सरकार को अंतरित कर दिया जाएगा और इस प्रकार से, निवल देयता, जो सरकार को 1995-96 में वहन करनी होगी, 785 करोड़ रुपए की होगी।

23. इसमें भारतीय रेलवे निर्माण कम्पनी लिमिटेड की ओर से, इस कम्पनी द्वारा इराक में निष्पादित परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा बैंकों को जारी की गई प्रति-गारन्टियों से प्रत्युत्पन्न दावों के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है।

24. इसमें भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, वाशिंगटन और ब्रूसेल्ज में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, भारत की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद, आर्थिक अनुसंधान के लिए अनुदान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

25 और 26. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा को, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है, जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को उनके विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यक्रमों के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे।

27. इसके अन्तर्गत मित्र विकासशील देशों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए व्यवस्था की गई है।21

12. The provision is made for giving interest relief on loans advanced by the commercial banks to persons affected by November, 1984 riots, to enable them to re-establish themselves in their normal occupation and for repairs to their houses, etc.

13. This includes provision for the insurance element of Protected Savings Scheme for the poor.

14. Under this Scheme financially weak units are eligible for an interest-free loan limited to part of the excise duty payable by them with the objective of helping them regain viability. Scheme has been closed with effect from March 1993. Provision is for discharging carry over liabilities.

15. The provision is for providing financial assistance to the shipping companies in respect of past commitments of the erstwhile Shipping Development Fund Committee.

16. The provision is for a loan to "Securities and Exchange Board of India" for its capital expenditure.

17. This represents subsidy towards dividend relief and other concessions payable to the Railways from General Revenues.

18 & 19. The premia received under the various risk insurance schemes are transferred to reserve funds in the Public Account from which expenditure under the schemes is met. These transactions are routed through the Consolidated Fund of India. The provision for expenditure mainly relates to War Risks (Marine Hulls) Reinsurance Scheme; it also includes settlement of arrear dues under the emergency risk (goods, factories and undertakings) insurance schemes.

20. The grant assistance is intended to enable IIC to meet its establishment expenditure. The IIC promotes foreign investments in India, including from non-resident Indians, facilitates import of technology from abroad and provides information to overseas investors about India's investment policies and procedures.

21. This includes provision for technical assistance scheme of the Asian Development Bank and contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation.

22. The provision is to meet the exchange loss liability which the Government has taken over from Reserve Bank of India on account of Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme for deposits maturing from 1st July, 1993 onwards. The provision of Rs.2154 crores which is available with the RBI for partly meeting the loss will be transferred to the Government during 1995-96 and the net liability which the Government has to bear in 1995-96 will thus be Rs.785 crores.

23. Provision is for settlement of claims arising out of counter guarantees issued by government to banks on behalf of Indian Railway Construction Company Limited for projects in iraq executed by the Company.

24. This includes expenditure on training of Indian Economic Service officers; Economic wing of the Embassy of India, Washington and Brussels; grants to National Council of Applied Economic Research; Indian Council for Research in International Economic Relations, grants for economic research, etc.

25 & 26. This includes provision for contribution to UNDP technical aid to South and South East Asia under the Colombo Plan and contribution to the Global Environmental Facility, a pilot programme developed by World Bank, UNDP and UNEP, under which grants or concessional loans will be provided to developing countries to help them implement programmes that protect the global environment.

27. This provision is intended for providing credits on soft term basis to friendly developing countries.

वित्त मंत्रालय *MINISTRY OF FINANCE*

मांग संख्या DEMAND No.25

करैंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प Currency, Coinage and Stamps

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	-15.77	-15.77	...	-67.97	-67.97	...	24.05	24.05
पूंजी	*Capital*		*108.71*	*151.11*	*259.82*	*60.26*	*99.68*	*159.94*	*95.00*	*121.43*	*216.43*
जोड़	**Total**		**108.71**	**135.34**	**244.05**	**60.26**	**31.71**	**91.97**	**95.00**	**145.48**	**240.48**
करैंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	**Currency,Coinage & Mints**										
1. करैंसी नोट मुद्रणालय	1. *Currency Note Press*										
1.01. राजस्व व्यय	1.01 Revenue Expenditure	2046	...	200.48	200.48	...	146.98	146.98	...	236.06	236.06
1.02. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	1.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-231.89	-231.89	...	-187.15	-187.15	...	-241.86	-241.86
1.03 निवल	1.03 Net		...	-31.41	-31.41	...	-40.17	-40.17	...	-5.80	-5.80
1.04 पूंजीगत व्यय	1.04 Capital Expenditure	4046	...	22.83	22.83	...	3.50	3.50	...	8.50	8.50
2. बैंक नोट मुद्रणालय	2. *Bank Note Press*										
2.01 राजस्व व्यय	2.01 Revenue Expenditure	2046	...	128.85	128.85	...	70.68	70.68	...	152.99	152.99
2.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	2.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-154.04	-154.04	...	-122.18	-122.18	...	-147.67	-147.67
2.03 निवल	2.03 Net		...	-25.19	-25.19	...	-51.50	-51.50	...	5.32	5.32
2.04 पूंजीगत व्यय	2.04 Capital Expenditure	4046	...	14.92	14.92	...	7.80	7.80	...	10.00	10.00
3. प्रतिभूति कागज कारखाना	3. *Security Paper Mill*										
3.01 राजस्व व्यय	3.01 Revenue Expenditure	2046	...	70.53	70.53	...	64.68	64.68	...	76.91	76.91
3.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	3.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-79.08	-79.08	...	-69.46	-69.46	...	-83.06	-83.06
3.03 निवल	3.03 Net		...	-8.55	-8.55	...	-4.78	-4.78	...	-6.15	-6.15
3.04 पूंजीगत व्यय	3.04 Capital Expenditure	4046	...	7.90	7.90	...	5.14	5.14	...	13.50	13.50
4. टकसाल	4. Mints	2046	...	51.66	51.66	...	51.33	51.33	...	55.29	55.29
		4046	108.71	6.02	114.73	60.26	2.54	62.80	95.00	3.18	98.18
जोड़		*Total*	*108.71*	*57.68*	*166.39*	*60.26*	*53.87*	*114.13*	*95.00*	*58.47*	*153.47*
5. धातुओं की खरीद	5. Purchase of Metals	4046	...	67.51	67.51	...	81.29	81.29	...	70.62	70.62
6. स्वर्ण और चांदी की खरीद	6. *Purchase of Gold and Silver*										
6.01 स्वर्ण बांड स्कीम, 1993 के अंतर्गत सोने की अधिप्राप्ति	6.01 Acquisition of gold under Gold Bond Scheme, 1993	4046	...	1225.00	1225.00	...	1100.00	1100.00	...	65.00	65.00
6.02 घटाइए-पूंजी लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां	6.02 Deduct-Receipts and recoveries on Capital account	4046	...	-1225.00	-1225.00	...	-1100.00	-1100.00	...	-65.00	-65.00
6.03 निवल	6.03 Net		...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.04 अन्य	6.04 Others	4046	...	-3.57	-3.57	...	-3.57	-3.57	...	-0.52	-0.52
7. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को समाप्त करने पर हानि	7. Loss on destruction of withdrawn coins	2046	...	2.50	2.50	...	0.78	0.78	...	0.25	0.25
8. एक रुपए के नोट के फार्मों की लागत	8. Cost of one rupee note forms	2046	...	0.25	0.25	...	0.90	0.90	...	0.01	0.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
9. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	9. *India Security Press*										
9.01 राजस्व व्यय	9.01 Revenue Expenditure	2047	...	110.21	110.21	...	109.89	109.89	...	124.83	124.83
9.02 घटाइए- राजस्व प्राप्तियां	9.02 Less - Revenue Receipts	0047	...	-117.50	-117.50	...	-139.20	-139.20	...	-152.00	-152.00
9.03 निवल	9.03 Net		...	-7.29	-7.29	...	-29.31	-29.31	...	-27.17	-27.17
9.04 पूंजीगत व्यय	9.04 Capital Expenditure	4047	...	20.00	20.00	...	2.43	2.43	...	15.60	15.60
10. प्रतिभूति मुद्रणालय	10. *Security Printing Press*										
10.01 राजस्व व्यय	10.01 Revenue Expenditure	2047	...	28.01	28.01	...	24.58	24.58	...	27.68	27.68
10.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	10.02 Less - Revenue Receipts	0047	...	-30.00	-30.00	...	-24.00	-24.00	...	-30.00	-30.00
10.03 निवल	10.03 Net		...	-1.99	-1.99	...	0.58	0.58	...	-2.32	-2.32
10.04 पूंजी व्यय	10.04 Capital Expenditure	4047	...	15.50	15.50	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
11. अन्य व्यय	11. Other Expenditure	2047	...	4.25	4.25	...	4.20	4.20	...	4.62	4.62
कुल जोड़	***Grand Total***		*108.71*	*135.34*	*244.05*	*60.26*	*31.71*	*91.97*	*95.00*	*145.48*	*240.48*

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. करैंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	1. Currency, Coinage & Mints	32046	108.71	...	108.71	60.26	...	60.26	95.00	...	95.00
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	2. Other Fiscal Services	32047	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**108.71**	**...**	**108.71**	**60.26**	**...**	**60.26**	**95.00**	**...**	**95.00**

1. **करैंसी नोट मुद्रणालय, नासिक,** भारत सरकार के लिए एक रुपए के नोट तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तथा 100 रुपए के नोटो का मुद्रण करता है तथा उनकी आपूर्ति करता है।

पूंजी के अंतर्गत यह व्यवस्था लेथ मशीनों आदि को खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पट्टे के आधार पर प्राप्त मशीनों के लिए भवन निर्माण तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए है।

1. **Currency Note Press, Nashik**, prints and supplies one rupee currency notes for the Government of India and bank notes of the denominations of Rs.2/-, Rs.5/-, Rs.10/- and Rs.100/- for the Reserve Bank of India.

The provision under Capital is towards purchase of lathe machines etc. and construction of buildings for the machines to be received from RBI on lease basis and for C.I.S.F.

2. **बैंक नोट मुद्रणालय, देवास** 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तथा 500 रुपए के बैंक नोटों का मुद्रण करता है । मुद्रणालय अपनी आवश्यकता के साथ- साथ भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, करेंसी नोट मुद्रणालय, प्रतिभूति मुद्रणालय की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए स्याही का निर्माण भी करता है।

पूंजी के अंतर्गत यह व्यवस्था विशेष खजाना वैगनों और भारतीय रिजर्व बैंक से पट्टे के आधार पर प्राप्त मशीनों के लिए भवन निर्माण हेतु है।

3. **प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद,** करेंसी और बैंक नोट कागजों तथा स्टाम्प पेपरों का विनिर्माण करता है। इस कारखाने को यू.के. के मैसर्स पोर्टेल के सहयोग से स्थापित किया गया तथा जून, 1967 में आरंभ किया गया। इस कारखाने का लक्ष्य देश को प्रतिभूति कागज की आवश्यकता के प्रति आत्म निर्भर बनाना था। 1994-95 और 1995-96 दोनों वर्षों के लिए तैयार उत्पादन का लक्ष्य 4000 मीट्रिक टन है।

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था शीट कटर, फाइबर डोजिंग टैंक और मकानों के निर्माण आदि के लिए है।

4. **भारत सरकार टकसालें :** बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा स्थित भारत सरकार की टकसालें भारत सरकार के लिए सिक्कों की ढलाई करने के अतिरिक्त, चलन से बाहर निकाले गए सिक्कों का परीक्षण करती है तथा इन को समाप्त करती है तथा जाली और संदिग्ध सिक्कों के बारे में अपनी विशेषज्ञ राय देती हैं। ये सरकार के विभिन्न विभागों तथा विश्वविद्यालयों जैसे अन्य संस्थानों के लिए मेडलों का निर्माण भी करती हैं। बम्बई तथा कलकत्ता टकसालों के साथ संलग्न धातु परख विभाग सिक्कों, मैडलों, बैजों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सोने चांदी तथा मिश्रित धातुओं की परख करता है। बम्बई की टकसाल स्मारक सिक्कों की ढलाई करती है तथा तौल, माप और क्षमता आदि के मापकों का निर्माण करती है। यह सोने को पिघलाने, उसकी सफाई तथा ढलाई का कार्य भी करती है।

यह व्यवस्था चार मौजूदा टकसालों के लिए है। टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए लागत अनुमानों को संशोधित करके 348.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था संयंत्र तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति तथा आधुनिकीकरण के अंतर्गत भवनों के निर्माण के लिए है।

5. इसमें सिक्कों के निर्माण के लिए धातु की खरीद के संबंध में निवल आधार पर व्यवस्था की गई है।

6. यह व्यवस्था स्वर्ण बांड योजना, 1993 के अंतर्गत स्वर्ण की अधिप्राप्ति के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त स्वर्ण की बिक्री के कारण सादृश वसूलियां होने का अनुमान लगाया गया है। हट्टी स्वर्ण खानों तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड से स्वर्ण की खरीद के लिए व्यवस्था की गई है।

7. यह शीर्ष चलन से वापस लिए गए और समाप्त किए गए सिक्कों के अंकित मूल्य तथा उनके धातु मूल्य के अंतर का द्योतक है।

8. यह व्यवस्था एक रुपए के नोटों के मुद्रण तथा उनकी आपूर्ति के लिए करेंसी नोट मुद्रणालय (जिसे वाणिज्यिक विभाग माना जाता है) को अदायगी करने के लिए की गई है।

9. **भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक,** डाक लेखन सामग्री, डाक तथा डाक- भिन्न टिकटों, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक स्टाम्पों, चैकों, बांडों तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों अर्थात पासपोर्ट, वचनपत्रों इत्यादि का मुद्रण करता है । इसके अलावा मुद्रणालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और अर्द्ध सरकारी संगठनों के लिए प्रतिभूति स्वरूप की अनेक विविध मदों का मुद्रण भी करता है । इस मुद्रणालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम. आई. सी. आर. चैकों का मुद्रण भी शुरू कर दिया है।

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था पासपोर्ट विनिर्माण सुविधाओं और उनके सहायक सिविल तथा बिजली निर्माण कार्यों के लिए है।

10. **प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद** भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा किए जाने वाले डाक लेखन सामग्री तथा माचिस उत्पाद शुल्क बैंडरोलों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टिकटों के उत्पादन की कमी को पूरा करता है। यह प्रेस 5 रुपए, 3.50 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज भी छापता है। मुद्रणालय ने वर्ष 1989-90 से आगे 10 रुपए के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज छापने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था निर्माण कार्यों और मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए है।

11. इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय स्टाम्प डिपो के लिए व्यवस्था शामिल है।

2. **Bank Note Press, Dewas** prints bank notes of denominations of Rs.20/-, Rs.50/-, Rs.100/- and Rs.500/-. The Press also manufactures and partly meets the requirement of inks of India Security Press, Currency Note Press and Security Printing Press, besides its own.

The provision under Capital is towards construction of special treasure wagons and construction of buildings for the machines to be received from the RBI on lease basis.

3. **Security Paper Mill, Hoshangabad**, manufactures currency and bank note papers and Stamp papers. The Mill was setup in collaboration with M/s. Portale of U.K. and commissioned in June, 1967. The Mill intended to make the country self-dependent for its requirements of security paper. The target of finished production for both the years 1994-95 and 1995-96 is 4000 M.Ts.

The provision under capital is towards sheet cutter, fibre dosing tank and construction of quarters etc.

4. **The India Government Mints** at Bombay, Calcutta, Hyderabad and NOIDA besides minting Government of India coins, examine and dispose of withdrawn coins and tender expert opinion on counterfeit and doubtful coins. They also manufacture medals for various Government Departments and other Institutions like Universities. The assay departments attached to Bombay and Calcutta Mint assay gold, silver and alloys for coins, medals, badges, etc. The Bombay Mint, mints commemorative coins and manufactures weights, volume and length measures. It also undertakes gold melting, refining and casting work.

The provision is for the four existing Mints. Cost estimates of modernisation of Mints have been revised to 348.80 crores. The provision under capital is towards procurement of plant and machinery and construction of buildings under modernisation.

5. This represents net provision on account of purchase of metals for coinage.

6. The provision is towards acquisition of gold under the Gold Bond Scheme, 1993. Corresponding recoveries are assumed on account of the sale of the said gold to RBI. Provision has also been made for purchase of gold from Hutti Gold Mines and Hindustan Copper Ltd.

7. This represents the difference between the face value and metal value of coins withdrawn and destroyed.

8. The provision is for payment to Currency Note Press (which is treated as a commercial department) for printing and supply of one rupee notes.

9. **India Security Press, Nashik**, prints postal stationery, postal and non-postal stamps, judicial and non-judicial stamps, cheques, bonds and other security documents such as passports, promissory notes, etc., besides a number of miscellaneous items of security nature required by Central and State Governments and quasi Government organisations. It has also started printing MICR cheques to meet the needs of Reserve Bank of India and Central/State Governments Departments.

The provision under capital is towards passport manufacturing facilities and ancillary civil and electrical works thereto.

10. **Security Printing Press, Hyderabad** supplements the output of the India Security Press for postal stationery as also of match excise banderols and Central excise stamps. The Press is also printing non-judicial stamp papers of the denominations of Rs.5/-, Rs.3.50, Rs.2/- and Re.1/-. The press has also taken up the printing of Rs. 10/- denomination non-judicial stamp papers from the year 1989-90 onwards.

The provision under capital is towards construction works and procurement of machinery.

11. This includes provision mainly for Central Stamp Depot.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.26

वित्तीय संस्थानों को अदायगियां Payments to Financial Institutions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		127.76	961.67	1089.43	93.78	1250.71	1344.49	76.93	715.91	792.84
पूंजी	*Capital*		*856.35*	*77.04*	*933.39*	*1992.69*	*-348.82*	*1643.87*	*927.07*	*82.17*	*1009.24*
जोड़	**Total**		**984.11**	**1038.71**	**2022.82**	**2086.47**	**901.89**	**2988.36**	**1004.00**	**798.08**	**1802.08**
औद्योगिक वित्तीय संस्थान	Industrial Financial Institutions										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1. Industrial Development Bank of India	2885	7.50	...	7.50	8.50	...	8.50	6.90	...	6.90
		4885	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		6885	220.70	...	220.70	231.10	...	231.10	80.74	...	80.74
जोड़		*Total*	*228.20*	...	*228.20*	*239.60*	...	*239.60*	*87.64*	...	*87.64*
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2. Industrial Finance Corporation of India	2885	22.35	...	22.35	21.35	...	21.35	23.00	...	23.00
		6885	3.75	...	3.75	2.90	...	2.90	2.90	...	2.90
जोड़		*Total*	*26.10*	...	*26.10*	*24.25*	...	*24.25*	*25.90*	...	*25.90*
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3. Industrial Credit and Investment Corporation of India	2885	34.92	...	34.92	41.79	...	41.79	29.14	...	29.14
		6885	276.90	...	276.90	284.95	...	284.95	234.49	...	234.49
जोड़		*Total*	*311.82*	...	*311.82*	*326.74*	...	*326.74*	*263.63*	...	*263.63*
4. भारतीय आयात-निर्यात बैंक	4. Export-Import Bank of India	2885	10.00	...	10.00	9.50	...	9.50	5.00	...	5.00
		4885	86.00	...	86.00	82.91	...	82.91	59.67	...	59.67
जोड़		*Total*	*96.00*	...	*96.00*	*92.41*	...	*92.41*	*64.67*	...	*64.67*
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	5. Industrial Reconstruction Bank of India	4885	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	...	...	...
		6885	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	20.00	...	20.00
जोड़		*Total*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	6. Small Industries Development Bank of India	2885	0.99	...	0.99	0.99	...	0.99	1.00	...	1.00
		6885	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	55.03	...	55.03
जोड़		*Total*	*105.99*	...	*105.99*	*105.99*	...	*105.99*	*56.03*	...	*56.03*
जोड़ - औद्योगिक वित्तीय संस्थान	**Total-Industrial Financial Institutions**		**788.11**	...	**788.11**	**808.99**	...	**808.99**	**517.87**	...	**517.87**
कृषि वित्तीय संस्थान	***Agricultural Financial Institutions***										
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	7. National Bank for Agriculture and Rural Dev.	2416	50.00	...	50.00	5.00	...	5.00	4.14	...	4.14
		4416	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	85.00	...	85.00
		6416	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00	67.86	...	67.86
जोड़		*Total*	*185.00*	...	*185.00*	*185.00*	...	*185.00*	*157.00*	...	*157.00*
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8. Regional Rural Banks	4416	5.00	...	5.00	156.00	...	156.00	319.38	...	319.38
		6416	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*156.00*	...	*156.00*	*319.38*	*1.00*	*320.38*
जोड़ - कृषि वित्तीय संस्थान	**Total-Agricultural Financial Institutions**		**190.00**	...	**190.00**	**341.00**	...	**341.00**	**476.38**	**1.00**	**477.38**
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	***General Financial and Trading Institutions***										
9. राष्ट्रीयकृत बैंक	9. Nationalised banks	3465	2.00	...	2.00	6.65	...	6.65	7.75	...	7.75
		5465	5604.00	...	5604.00	5292.37	...	5292.37	852.00	...	852.00
		8012	-5600.00	...	-5600.00	-4362.54	...	-4362.54	-850.00	...	-850.00
निवल		*Net*	*6.00*	...	*6.00*	*936.48*	...	*936.48*	*9.75*	...	*9.75*
अन्य	**Others**										
10. सरकारी गारंटियों के एवज में बैंकों को भुगतान	10. Payments to Banks in lieu of Government Guarantees	5052	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	...	...
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	**International Financial Institutions**										
11. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	11. International Monetary Fund	5466	...	894.00	894.00	...	12.59	12.59	...	673.00	673.00
		6001	...	-894.00	-894.00	...	-12.59	-12.59	...	-673.00	-673.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार	12. Service Charges Payable to I.M.F	2047	...	840.36	840.36	...	686.91	686.91	...	570.80	570.80
13. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	13. International Bank for Recon. & Development	5466	...	16.52	16.52	...	...	...	...	16.52	16.52
14. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	14. International Development Association	5466	...	1.50	1.50	...	...	...	...	...	...
15. एशियाई विकास बैंक	15. Asian Development Bank	5466	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	20.00	20.00
16. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	16. International Finance Corporation	5466	...	17.11	17.11	...	32.48	32.48	...	22.28	22.28
17. अफ्रीकी विकास निधि / बैंक	17. African Development Fund/Bank	5466	...	10.13	10.13	...	12.36	12.36	...	12.36	12.36
18. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा)	18. Multilateral Investment Guarantee Agency(MIGA)	5466	...	20.77	20.77	...	20.76	20.76	...	10.00	10.00
19. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि	19. International Fund for Agricultural Development	2416	...	8.54	8.54	...	8.53	8.53	...	8.53	8.53
जोड़-अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	**Total-International Financial Institutions**		...	**924.93**	**924.93**	...	**771.04**	**771.04**	...	**660.49**	**660.49**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1993-94 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1993-94 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
20. *ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता*	20. Interest Subsidy										
20.01 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	20.01 Industrial Reconstruction Bank of India	2885	...	5.00	5.00	...	27.33	27.33	...	...	...
20.02 गोअन बैंक	20.02 Goan Banks	2885	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11
जोड़		*Total*	...	*5.11*	*5.11*	...	*27.44*	*27.44*	...	*0.11*	*0.11*
नौवहन	**Shipping**										
21. जहाजों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अन्तर के संबंध में आर्थिक सहायता	21. Subsidy towards interest differential on acquisition of ships	3052	...	6.20	6.20	...	3.50	3.50	...	2.40	2.40
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
22. *विदेशी मुद्रा हानि की क्षतिपूर्ति*	22. *Compensation for exchange loss*										
22.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	22.01 Industrial Development Bank of India	3475	...	8.00	8.00	...	11.70	11.70	...	46.65	46.65
22.02 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	22.02 Industrial Credit & Investment Corpn. of India	3475	...	40.85	40.85	...	36.55	36.55	...	34.67	34.67
22.03 राष्ट्रीय आवास बैंक	22.03 National Housing Bank	3475	...	2.20	2.20	...	2.03	2.03	...	2.20	2.20
22.04 आवास विकास वित्त निगम	22.04 Housing Development Finance Corporation	3475	...	50.00	50.00	...	48.07	48.07	...	50.00	50.00
जोड़		*Total*	...	*101.05*	*101.05*	...	*98.35*	*98.35*	...	*133.52*	*133.52*
23. बैंकों में निवेश को उनकी हानियों के समायोजन के लिए खाते में लिखना	23. Writedown of investments in Banks for adjustment of their losses	3475	...	...	...	...	425.43	425.43	...	...	...
घटाइए-पूंजी खाते पर प्राप्तियां और वसूलियां	Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Account	5465	...	...	...	...	-425.43	-425.43	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. अन्य व्यय	24. Other Expenditure	3466	...	0.41	0.41	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
		4885	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*0.42*	*0.42*	...	*0.56*	*0.56*	...	*0.56*	*0.56*
कुल जोड़	***Grand Total***		***984.11***	***1038.71***	***2022.82***	***2086.47***	***901.89***	***2988.36***	***1004.00***	***798.08***	***1802.08***
ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1. Industrial Development Bank of India	12885	220.70	...	220.70	231.10	...	231.10	80.74	...	80.74
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2. Industrial Finance Corporation of India	12885	3.75	...	3.75	2.90	...	2.90	2.90	...	2.90
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3. Industrial Credit & Investment Corporation of India	12885	276.90	...	276.90	284.95	...	284.95	234.49	...	234.49
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	4. Export-Import Bank of India	12885	86.00	...	86.00	82.91	...	82.91	59.67	...	59.67
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	5. Industrial Reconstruction Bank of India	12885	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
6. राष्ट्रीयकृत बैंक	6. Nationalised banks	13465	4.00	...	4.00	929.83	...	929.83	2.00	...	2.00
7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	7. Small Industries Development Bank of India	12885	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	55.03	...	55.03
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	8. National Bank for Agriculture and Rural Development	12416	135.00	...	135.00	180.00	...	180.00	152.86	...	152.86
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9. Regional Rural Banks	12416	5.00	...	5.00	156.00	...	156.00	319.38	...	319.38
जोड़	**Total**		**856.35**	...	**856.35**	**1992.69**	...	**1992.69**	**927.07**	...	**927.07**

उपर्युक्त वित्तीय संस्थानों के संबंध में केन्द्रीय आयोजना में केवल बजट सहायता शामिल है।
In respect of the above financial institutions only the budget support is in the Central Plan.

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. कृषि वित्तीय संस्थान	1. Agricultural Financial Institutions	12416	190.00	...	190.00	341.00	...	341.00	476.38	...	476.38
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थान	2. Industrial Financial Institutions	12885	788.11	...	788.11	808.99	...	808.99	517.87	...	517.87
3. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3. General Financial and Trading Institutions	13465	6.00	...	6.00	936.48	...	936.48	9.75	...	9.75
जोड़	**Total**		**984.11**	...	**984.11**	**2086.47**	...	**2086.47**	**1004.00**	...	**1004.00**

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** : यह एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनः वित्त-पोषण सुविधाएं प्रदान करके और उनके ऋण पत्र-निर्गमों को खरीद कर उनके क्रियाकलापों का समन्वय तथा उनकी अनुपूर्ति करती है।

2. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम** : यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र खरीदता है। यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारन्टी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टाक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है।

3. **भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम** : यह निगम रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण देने की व्यवस्था करता है, शेयर खरीदता है तथा शेयरों की हामीदारी लेता है और मुख्य रूप से पूंजीगत परिसम्पत्तियों

1. **Industrial Development Bank of India** is an apex institution to provide long term finance to industrial enterprises, both in the public and private sectors, and it coordinates and supplements the activities of other financial institutions by providing refinancing facilities and subscribing to their debenture issues.

2. **Industrial Finance Corporation of India** grants loans and advances to industrial concerns and subscribes to debentures floated by them; also guarantees loans raised by industrial concerns in the capital market and under-writes stocks, shares, bonds and debentures issued by them.

3. **Industrial Credit and Investment Corporation of India** provides term loans in rupees and foreign currencies, subscribes to and underwrites shares and guarantees payment of credit availed of

के क्रय के लिए अन्य संस्थानों से लिए गए ऋण की अदायगी की गारन्टी देता है।

4. **भारतीय निर्यात — आयात बैंक** : इस बैंक की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त व्यवस्था करने तथा इस क्षेत्र में कार्यरत इसी प्रकार के संस्थानों के कार्य का समन्वयन करने के लिए एक मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में की गई है।

5. **भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक** : यह निगम बंद पड़े औद्योगिक एककों को और बंद होने के कगार पर खड़े औद्योगिक एककों को चालू करने के लिए उत्तरदायी है।

6. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** : इसे लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी वित्त व्यवस्था तथा विकास करने तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगे संस्थानों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह अपने कार्यकलापों को मौजूदा ऋण देने वाले तंत्र के माध्यम से पूरा करता है जिसमें राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

7. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** : यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु तथा कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है। यह निगम राजकीय सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कुछ संस्थानों को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है

8. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** :- ये बैंक शाखाओं के संजाल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से रकमों को जमा के रूप में जुटाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पावधिक फसल ऋण और कृषि खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय और स्वरोजगार आदि से संबद्ध गतिविधियों के लिए अग्रिम देने की व्यवस्था भी करते हैं। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था करती है। यह व्यवस्था इस आधार पर तथा साथ ही चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए की गई है जिसके लिए 1994-95 के संशोधित अनुमान में 151 करोड़ रुपए की तथा 1995-96 के बजट अनुमान में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

9. यह व्यवस्था मुख्यतया राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए उनकी अंशपूंजी में अंशदान देने के लिए है। 1994-95 के बजट अनुमान में 5604 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 5600 करोड़ रुपए की राशि बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में एक साथ निवेश की जानी अपेक्षित थी। सि लेखे में संशोधित अपेक्षा 5292.37 करोड़ रुपए की है जिसमें से बैंकों ने 4362.54 करोड़ रुपए की राशि का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया है। निवल नकद व्यय 936.48 करोड़ रुपए है जिसमें से 924.58 करोड़ रुपए की छह राष्ट्रीयकृत बैंकों को टियर II पूंजी के रूप में दिए जाने हेतु राशि हाल ही में बातचीत किए गए वित्तीय क्षेत्र समायोजन ऋण हेतु विश्व बैंक सहायता के प्रति है। शेष 11.90 करोड़ रुपए की राशि औद्योगिक निर्यात परियोजना, इत्यादि के लिए विश्व बैंक सहायता के उपयोग के प्रति है। 1995-96 के लिए अंश पूंजी हेतु अपेक्षा 852 करोड़ रुपए की है जिसमें से 850 करोड़ रुपए की राशि को बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पुनः निविष्ट किया जाएगा तथा 2 करोड़ रुपए की पूर्ति बाह्य प्राप्तियों से की जाएगी। राजस्व पक्ष पर पूर्ण व्यवस्था विदेश सहायता के प्रति प्रतिरूप रुपया निधि के अंतरण हेतु की गई है।

10. यह व्यवस्था निजी क्षेत्र की रुग्ण नौवहन कंपनियों के संबंध में भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति के गारंटी-दायित्वों के निभाने के लिए है। बैंकों को इस लेखे में की जाने वाली अदायगियों का उनके द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में पुनः निवेश की कर दिया जाएगा।

11. यह भारतीय मुद्रा रखने वाली निधि के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली अदायगियों और कोष की 9वीं किस्त के प्रति भी अतिरिक्त अंशदान को दर्शाता है।

12. यह व्यवस्था विस्तारित निधि सुविधा, सहायक व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिकता वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत किए गए आहरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार के लिए है। ये प्रभार विद्यमान विनिमय दर पर आधारित है।

from other institutions primarily for the purpose of capital assets.

4. **Export-Import Bank of India** is designed to function as the principal financial institution for financing India's international trade and coordinating the working of similar institutions engaged in this field.

5. **Industrial Reconstruction Bank of India** has been entrusted with the responsibility to revive closed industrial units and units on the brink of closure.

6. **Small Industries Development Bank of India** has been set up as a principal financial institution for promoting, financing and development of industries in the small industry sector and for coordinating the functions of institutions engaged in similar activities. It commenced operations on 2nd April, 1990 as a subsidiary of IDBI. It channelises its activities through the existing credit delivery mechanism consisting of State Financial Corporations, State Industrial Development Corporations, Commercial Banks, Cooperative Banks and Regional Rural Banks.

7. **National Bank for Agriculture and Rural Development** promotes integrated rural development by providing credit for agriculture, small, cottage and village industries and allied activities in rural areas; refinances loans granted for agricultural development by state cooperative banks, central land mortgage banks, scheduled commercial banks and regional rural banks; also provides direct financial assistance to certain types of institutions as approved by the Central Government.

8. **Regional Rural Banks** mobilise deposits in the rural areas through a net work of branches. The RRBs provide short term crop loans and advance loans for activities allied to agriculture, retail trade, small business and self employment etc. Central Government provides 50% of the share capital of each regional rural bank. Provision made is on this account; as also for capital restructuring of selected Regional Rural Banks for which Rs.151 crore is provided in Revised Estimates 1994-95 and Rs.300 crore in Budget Estimates 1995-96

9. Provision is mainly for subscription to share capital of nationalised banks for strengthening their capital base. BE 1994-95 provided for Rs.5604 crore of which Rs.5600 crore was to be simultaneously invested by the banks in Government Securities. The revised requirement on this account is Rs.5292.37 crore, of which banks have invested to the extent of Rs.4362.54 crore in Government securities. The net cash outgo is Rs.936.48 crore out of which Rs.924.58 crore is for passing on as Tier II capital to six nationalised banks against the World Bank assistance for the financial sector adjustment loan negotiated recently. The balance Rs.11.90 crore is against utilisation of World Bank assistance for Industrial Export Project, etc. The requirement for 1995-96 is Rs.852 crore for share capital of which, Rs.850 crore will be reinvested by banks in Government Securities and Rs.2 crore will be matched by external receipts. The entire provision on the revenue side is for transfer of counterpart rupee funds against external assistance.

10. The provision is for discharging the guarantee obligations of the erstwhile Shipping Development Fund Committee in respect of sick private sector shipping companies. The payments to banks on this account will be reinvested by them in Government of India securities.

11. This represents payments to International Monetary Fund arising as a result of revaluation of the Fund's holding of Indian currency and also additional subscription towards 9th replenishment of the Fund.

12. The provision is for service charges payable to the International Monetary Fund in respect of the drawals made under the Extended Fund Facility, Stand-by Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility. The charges are based on the prevailing exchange rate.

13. यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की पूंजी स्टाक में अंशदान करने और मूल्य संबंधी दावों के अनुरक्षण के लिए है।

14. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को आसान शर्तों के ऋण की व्यवस्था करने वाली एक संबद्ध संस्था है। इस में अंशदान की अदायगी करने और मूल्य संबंधी दावों को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है।

15. यह व्यवस्था एशियाई विकास बैंक के मूल्य भुगतानों के अनुरक्षण को पूरा करने के लिए है।

16. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन, 1956 में विश्व बैंक के संबद्ध निगम के रूप में स्थापित किया गया था। भारत इस निगम का संस्थापक सदस्य है। यह निगम अपने सदस्य देशों के उत्पादक निजी/संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता करता है। यह व्यवस्था पूंजी आधार में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप निगम में अतिरिक्त शेयर अर्जित करने के लिए है।

17. इसमें अफ्रीकी विकास निधि की पूंजी की पूर्ति के लिए और अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी के स्टाक में अंश के लिए भारत के अंशदान की व्यवस्था की गई है।

18. इसमें विश्व बैंक के अधीन सदस्य देशों में आर्थिक विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अप्रैल, 1988 में गठित बहुपक्षीय निवेश गारण्टी अभिकरण (मीगा) को भारत के प्रारम्भिक अंशदान देने की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गयी है : (i) गैर-वाणिज्यिक जोखिमों द्वारा हुई हानियों के लिए विदेशी निवेशकों को गारण्टी प्रदान करना; तथा (ii) विकासशील देशों को पूंजी प्रवाह का प्रबन्ध करने के लिए सदस्य देशों को परामर्शी तथा प्रोत्साहन सेवाएं प्रदान करना। भारत ने दि. 13.4.1992 से सदस्य बनने के लिए अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।

19. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना 1977 में की गई थी। यह निधि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। विकासशील सदस्य देशों को कृषि के विकास के लिए यह बैंक रियायती दरों पर धनराशियां उपलब्ध कराता है। यह व्यवस्था इस निधि के संसाधनों की पूर्ति के लिए भारत के अंशदान की चौथी किस्त की अदायगी के लिए की गई है।

20. इसमें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और गोआनी बैंकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

21. नौवहन कंपनियां बैंक ऋणों पर बैंको द्वारा वसूल की जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज की अदायगी करती है और जो अंतर रहता है उसे सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा पूरा किया जाता है।

22. यह व्यवस्था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम को इन संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों के ऋणों की वापसी में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु भरपाई के प्रति है।

23. यह व्यवस्था पंजाब नेशनल बैंक के साथ न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो जाने के परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक के पूंजी आधार के पुनर्निर्माण के उपाय के रूप में उसके पूंजी आधार को कम करने के प्रति है।

24. इस में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस. डी. आर. लेखा के प्रशासन के लिए देय निर्धारण प्रभारों और स्टेट बैंक आफ सिक्किम (शेयरों का अधिग्रहण) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत देय राशि के लिए व्यवस्था है।

13. The provision is for subscription to the capital stock of IBRD and maintenance of value claims.

14. International Development Association is a soft loan affiliate of IBRD. Provision represents payments of subscription and maintenance of value claims.

15. The provision is for meeting maintenance of value payments to ADB.

16. International Finance Corporation, Washington, was established in 1956 as an affiliate of the World Bank. India is a founder member of this Corporation. IFC assists productive private/joint sector enterprises in its member countries. The provision is for acquisition of additional shares in the Corporation consequent on the increase in the capital base.

17. Provision is towards India's share of the capital replenishments of the African Development Fund and contributions towards the capital stock of the African Development Bank.

18. The provision is towards India's initial contribution to the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), an agency under the World Bank constituted in April 1988 for promotion of private investment for economic development in member countries through the provision of (i) Guarantees to foreign investors against losses caused by non-commercial risks; and (ii) Advisory and promotional services to member countries for arranging flow of capital to developing countries. India has signed the convention for becoming a member on 13.4.1992.

19. The International Fund for Agricultural Development which was established in 1977, is a specialised agency of United Nations. It makes available funds on concessional terms for agricultural development in developing member countries. The provision represents India's contribution to the fourth replenishment of the resources of IFAD.

20. Provision is towards subsidy in lieu of concession in the rate of interest on loans to Industrial Reconstruction Bank of India and Goan Banks.

21. The shipping companies pay interest on bank loans at a lower rate than charged by the banks; the difference is met by Government by way of subsidy.

22. The provision is towards compensating Industrial Development Bank of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, National Housing Bank and Housing Development Finance Corporation towards compensation for the exchange loss involved in repayment of foreign lines of credit, by these organisations.

23. The provision is towards writing down of the capital base of the Punjab National Bank as a measure of restructuring its capital base consequent upon merger of the New Bank of India with the former.

24. This includes provision for assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to administration of S.D.R. Account and amount payable under State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provision Act, 1982.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

संख्या No.27 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ब्याज संदाय Interest Payments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	46000.00	46000.00	...	44000.00	44000.00	...	52000.00	52000.00
पूंजी	Capital		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	46000.00	46000.00	...	44000.00	44000.00	...	52000.00	52000.00
ब्याज संदाय	Interest Payments -										
1. आंतरिक ऋण पर ब्याज	1. Interest on Internal Debt										
1.01 बाजार ऋण	1.01 Market Loans	2049	...	10380.23	10380.23	...	11878.25	11878.25	...	14839.60	14839.60
1.02 क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	1.02 Compensation & Other Bonds	2049	...	144.79	144.79	...	130.35	130.35	...	259.19	259.19
1.03 राजकोषीय हुण्डियों के संबंध में बट्टा	1.03 Discount on Treasury Bills	2049	...	2800.00	2800.00	...	2800.00	2800.00	...	3060.00	3060.00
1.04 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	1.04 Discount on 364 days Treasury Bills	2049	...	4440.00	4440.00	...	1005.00	1005.00	...	1365.00	1365.00
1.05 राजकोषीय हुण्डियों के रूपान्तरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को जारी प्रतिभूतियां	1.05 Securities issued to RBI in conversion of Treasury Bills	2049	...	3266.00	3266.00	...	3266.00	3266.00	...	3266.00	3266.00
1.06 जीरो कूपन बाण्ड	1.06 Zero Coupon Bonds	2049	...	275.15	275.15	...	275.15	275.15	...	456.15	456.15
1.07 ऋण प्रबंध	1.07 Management of Debt	2049	...	25.00	25.00	...	36.70	36.70	...	37.00	37.00
जोड़		Total	...	21331.17	21331.17	...	19391.45	19391.45	...	23282.94	23282.94
2. बाह्य ऋणों पर ब्याज	2. Interest on External Debt	2049	...	4160.84	4160.84	...	4109.81	4109.81	...	4309.13	4309.13
3. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज	3. Interest on Small Savings, Provident Funds etc.										
3.01. अल्प बचतें, (जमा पत्र और प्रमाण पत्र)	3.01 Small Savings (Deposits & Certificates)	2049	...	8144.57	8144.57	...	8338.50	8338.50	...	9737.87	9737.87
3.02 अल्प बचत प्रबन्ध	3.02 Management of Small Savings										
(क) डाक विभाग के लिए	(a) To Department of Posts	2049	...	536.00	536.00	...	498.00	498.00	...	513.00	513.00
(ख) अन्य के लिए	(b) To Others	2049	...	160.30	160.30	...	209.50	209.50	...	222.00	222.00
3.03 सामान्य भविष्य निधियां	3.03 General Provident Funds	2049	...	636.76	636.76	...	694.07	694.07	...	723.13	723.13
3.04 अन्य राज्य भविष्य निधियां	3.04 Other State Provident Funds	2049	...	371.41	371.41	...	456.67	456.67	...	467.17	467.17
3.05 रेलवे भविष्य निधियां	3.05 Railway Provident Funds	2049	...	315.08	315.08	...	318.19	318.19	...	327.50	327.50
3.06 सार्वजनिक भविष्य निधियां	3.06 Public Provident Funds	2049	...	582.20	582.20	...	665.50	665.50	...	867.30	867.30
3.07 बीमा और पेंशन निधियां	3.07 Insurance & Pension Funds	2049	...	1028.61	1028.61	...	1016.27	1016.27	...	1175.03	1175.03
3.08 सरकार को सौंपी गयी गैर-सरकारी भविष्य निधियां	3.08 Non-Govt. Provident Funds lodged with Govt	2049	...	6500.00	6500.00	...	6000.00	6000.00	...	7500.00	7500.00
3.09 अन्य विशेष बचतें	3.09 Other Special Deposits	2049	...	1629.39	1629.39	...	1694.79	1694.79	...	2202.03	2202.03
जोड़		Total	...	19904.32	19904.32	...	19891.49	19891.49	...	23735.03	23735.03
4. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	4. Interest on Reserve Funds	2049	...	204.98	204.98	...	177.76	177.76	...	201.06	201.06
5. अन्य दायित्वों पर ब्याज	5. Interest on other obligations	2049	...	398.69	398.69	...	429.49	429.49	...	471.84	471.84
कुल जोड़	Grand Total		...	46000.00	46000.00	...	44000.00	44000.00	...	52000.00	52000.00

इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण संबंधी देनदारी (आंतरिक एवं बाह्य) तथा वाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास तथा अन्य प्रारक्षित निधियों से सम्बद्ध ब्याज प्रभारों के लिए व्यवस्था की गई है। भविष्य निधि, डाक घर बचत बैंक जमाखातों, अल्प बचत प्रमाण पत्रों इत्यादि पर देय ब्याज को भी इस विनियोग में शामिल किया गया है। सम्पूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अनुसार भारत की समेकित निधि पर 'भारित' है।

1995-96 के बजट अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः 1994-95 में बाजार उधारों पर देय पूरे वर्ष के ब्याज, राजकोषीय हुण्डियों को दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपान्तरित करने सहित 91 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टे संबंधी अपेक्षाओं, बाह्य ऋणों पर ब्याज में संभावित वृद्धि होने, अल्प बचत योजनाओं, राज्य भविष्य निधियों तथा विशेष भविष्य, अधिवार्षिकी तथा उपदान निधियों तथा अन्य जमा खातों आदि में वृद्धि होने के कारण हुई है।

The Appropriation provides for interest charges on Central Government's debt obligations (internal as well as external) and on depreciation and other reserve funds of Commercial departments. Provision for interest payable on Provident Funds, Post Office Saving Bank Deposits, Small Savings Certificates, etc. is also included in this Appropriation. The entire expenditure is '*Charged*' on the Consolidated Fund of India in terms of Article 112(3) (c) of the Constitution of India.

The increase in the Budget estimates, 1995-96 is mainly on account of full year's interest due on market borrowings in 1994-95, requirements for discount on 91 days and 364 days treasury bills including conversions of treasury bills into dated securities, interest on external loans likely to be raised, accretions under small saving schemes, state provident funds and Special deposits of provident, superannuation and gratuity funds and other deposit accounts, etc.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.28

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण Transfers to State and Union Territory Governments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		9347.91	1760.33	11108.24	10456.22	1728.28	12184.50	7910.20	5660.97	13571.17
पूंजी	*Capital*		*8437.43*	*5152.00*	*13589.43*	*8692.12*	*9649.00*	*18341.12*	*8962.91*	*7000.00*	*15962.91*
जोड़	**Total**		**17785.34**	**6912.33**	**24697.67**	**19148.34**	**11377.28**	**30525.62**	**16873.11**	**12660.97**	**29534.08**
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	**Grants-in-aid to State Governments :**										
आयोजना-भिन्न अनुदान	***Non-Plan Grants :***										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	1. Grants under Article 275 (1) of the Constitution	3601	2679.97	1583.28	4263.25	2679.97	1551.28	4231.25	...	5078.42	5078.42
2. रेलवे यात्री भाड़े पर कर के एवज में अनुदान	2. Grant in lieu of Tax on Railway Passenger Fares	3601	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	380.00	380.00
3. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए अनुदान	3. Grants for Railway Safety Works	3601	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
4. भोपाल गैस त्रासदी कार्रवाई योजना के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान	4. Grant to Madhya Pradesh for Bhopal Gas Tragedy Action Plan	3601	...	24.45	24.45	...	24.45	24.45	...	...	...
5. अन्य	5. Others	3601	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	**Loans and Advances to State and U.T. Governments**										
आयोजना-भिन्न ऋण	***Non-plan loans***										
6. अल्प बचतों के लिए ऋण	*6. Loans for Small Savings*										
6.01 राज्यों को अल्प बचतों के लिए ऋण	6.01 Loans for Small Savings to States	7601	...	5000.00	5000.00	...	9303.00	9303.00	...	6700.00	6700.00
6.02 संघ राज्य क्षेत्रों को अल्प बचतों के लिए ऋण	6.02 Loans for Small Savings to U.Ts	7602	...	152.00	152.00	...	346.00	346.00	...	300.00	300.00
7. अर्थोपाय अग्रिम	*7. Ways and Means Advances*										
7.01. अदायगियां	7.01 Payments	7601	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
7.02. घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7.02 Less-Recoveries during the year	7601	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ ऋण	**Grants/loans for State Plan schemes :**										
8. एक मुश्त अनुदान	8. Block Grants	3601	6667.94	...	6667.94	7776.25	...	7776.25	7910.20	...	7910.20
9. एक मुश्त ऋण	9. Block Loans	7601	8277.43	...	8277.43	8527.63	...	8527.63	8787.91	...	8787.91
10. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण	10. Loans to Rural Electrification Corporation	6801	160.00	...	160.00	164.49	...	164.49	175.00	...	175.00
11. संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	*11. States' Share of Union Excise Duties:*										
11.01 अदायगियां	11.01 Payments	3603	...	16189.47	16189.47	...	16282.91	16282.91	...	19654.58	19654.58
11.02 घटाइए-प्राप्तियों में से घटाई गई राशि	11.02 Less Amount netted against Receipts	3603	...	-16189.47	-16189.47	...	-16282.91	-16282.91	...	-19654.58	-19654.58
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य	**Railway safety works**										
12. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य में/ से अन्तरण निधि	12. Transfer to / from Railway Safety Works Fund	3054	...	2.53	2.53	...	2.48	2.48	...	2.48	2.48
		3601	...	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
13. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में ऋणों को बट्टे खाते डालना	13. Write off of loans in terms of the recommendations of 10th Finance Commission	2075	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
कुल जोड़	***Grand Total***		*17785.34*	*6912.33*	*24697.67*	*19148.34*	*11377.28*	*30525.62*	*16873.11*	*12660.97*	*29534.08*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
राज्य योजनाएं	**State Plans**										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1. Normal Central Assistance	43601	10949.97	...	10949.97	10839.97	...	10839.97	12560.11	...	12560.11
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2. Additional Central Assistance for Externally Aided Projects	43601	2838.00	...	2838.00	3338.00	...	3338.00	2500.00	...	2500.00
3. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3. Additional Central Assistance for Other Projects	43601	202.40	...	202.40	202.40	...	202.40	305.00	...	305.00
4. विशेष आयोजना ऋण	4. Special Plan Loan	43601	600.00	...	600.00	630.00	...	630.00	700.00	...	700.00
5. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	5. Special Central Assistance-Hill Areas	43601	320.00	...	320.00	320.00	...	320.00	352.00	...	352.00

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
6. विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता-सीमा क्षेत्र	6. Special Central Assistance-Border Area	43601	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	176.00	...	176.00
7. नौवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया राजस्व घाटा अनुदान	7. Revenue Deficit Grant Recommended by Ninth Finance Commission	43601	2679.97	...	2679.97	2679.97	...	2679.97	...	...	...
8. अन्य विशेष क्षेत्र	8. Other Special Areas	43601	35.00	...	35.00	5.00	...	5.00	55.00	...	55.00
9. विशेष केन्द्रीय सहायता	9. Special Central Assistance	43601	...	...	...	973.00	...	973.00	...	...	...
10. अंतरित सी एस एस के लिए केन्द्रीय सहायता	10. Central Assitance for transferred CSS	43601	...	...	...	...	...	...	225.00	...	225.00
जोड़	Total		17785.34	...	17785.34	19148.34	...	19148.34	16873.11	...	16873.11

इस मांग में 1994-95/1995-96 के क्रमशः नौवें और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के अंतर्गत राज्यों को देय अनुदानों, रेल यात्री किराया कर के बदले अनुदानों,बुनियादी और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में राज्यों के अंश, राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए एक मुश्त अनुदानों तथा ऋणों, अल्प बचतों के संग्रह के आधार पर राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों (विधायिका सहित) को दिए जाने वाले ऋणों, राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दिए जाने वाले ऋणों (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) और अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों आदि की व्यवस्था शामिल की गई है। इस अनुदान में शामिल किए गए प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा किए संसाधनों के अंतरण से संबंधित है।

This Demand includes provision for grants payable to States under Article 275(1) of the Constitution, Grant-in-lieu of Tax on Railway Passenger Fares and States' share of Basic and Additional Union Excise Duties on the basis of the recommendations of the Ninth/ Tenth Finance Commission for 1994-95/1995-96 respectively ; Block grants and loans for State Plan Schemes; Loans to States and UTs (with legislature) against net small savings collections; Loans to Rural Electrification Corporation for State Plan Schemes (Minimum Needs Programme) and short term Ways and Means Advances, etc. The provisions included in this Grant relate to transfer of resources made by the Ministry of Finance.

वित्त मंत्रालय *MINISTRY OF FINANCE*

मांग संख्या DEMAND No. 29

सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार Loans to Government Servants etc.

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)

(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		...	*161.00*	*161.00*	...	*161.00*	*161.00*	...	*162.00*	*162.00*
जोड़	**Total**		...	**161.00**	**161.00**	...	**161.00**	**161.00**	...	**162.00**	**162.00**
1. सरकारी कर्मचारियों को उधार आदि	1. *Loans to Government Servants, etc.*										
1.1 गृह निर्माण अग्रिम	1.1 House building advances	7610	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00
1.2 वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	1.2 Advances for purchase of conveyances										
1.2.1 मोटर कारों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.1 Advance for the purchase of motor cars	7610	...	25.25	25.25	...	25.25	25.25	...	26.00	26.00
1.2.2 अन्य मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.2 Advance for purchase of other motor conveyances	7610	...	28.45	28.45	...	28.45	28.45	...	29.30	29.30
1.2.3 अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.3 Advance for purchase of other conveyances	7610	...	12.30	12.30	...	12.30	12.30	...	12.67	12.67
जोड़-वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	**Total - Advances for purchase of conveyances**		...	**66.00**	**66.00**	...	**66.00**	**66.00**	...	**67.97**	**67.97**
1.3 अन्य अग्रिम	1.3 Other advances	7610	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.03	1.03
जोड़		*Total*	...	*292.00*	*292.00*	...	*292.00*	*292.00*	...	*294.00*	*294.00*
4. घटाइए-व्यय कम करने हेतु लिए गए ऋणों की वसूलियां	4. *Less-Recoveries of loans taken in reduction of expenditure*										
4.1 गृह निर्माण अग्रिम	4.1 House building advances	7610	...	-87.00	-87.00	...	-87.00	-87.00	...	-87.00	-87.00
4.2 वाहन अग्रिम	4.2 Conveyance advances	7610	...	-43.00	-43.00	...	-43.00	-43.00	...	-44.00	-44.00
4.3 अन्य अग्रिम	4.3 Other advances	7610	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00
जोड़		*Total*	...	*-131.00*	*-131.00*	...	*-131.00*	*-131.00*	...	*-132.00*	*-132.00*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***161.00***	***161.00***	...	***161.00***	***161.00***	...	***162.00***	***162.00***

यह एक मिश्रित मांग है जिसमें सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों (जैसे चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आदि) की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम दे सकें। इसमें संसद सदस्यों को मोटरगाड़ी की खरीद के लिए अग्रिम दिए जाने की भी व्यवस्था शामिल है।

This is a composite Demand which provides for the requirements of all the Central Ministries and Departments and their subordinate organisations and Union Territory administrations (like Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands etc.) for payment of loans and advances to their employees. It also includes provision for advances to Members of Parliament for purchase of motor conveyances.

जिन प्रयोजनों के लिए सब्याज उधार दिए जाते है उनमें गृह निर्माण, वाहन की खरीद, कम्प्यूटर की खरीद, पंखोंतथा गर्म कपड़ों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अग्रिम शामिल हैं।

The purposes for which the interest-bearing loans are advanced include house-building, purchase of conveyances, purchase of computers, fans and warm clothings.

बजट अनुमान 1995—96 में गृह निर्माण अग्रिमों के लिए व्यवस्था केन्द्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना के अधीन निधियों में जमा रकमों की तुलना में 200 करोड़ रुपए तक रखी जाएगी और बाकी शेष 25 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी।

The provision for House Building Advances in B.E. 1995-96 will be counted to the extent of Rs.200 crore against accretions in the funds under Central Government Employees Group Insurance Scheme and the balance Rs.25 crore will be met from budgetary support.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

संख्या No. 30 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी Repayment of Debt

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	...	...	...	...	...	...	...	...
1. केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण	*1. Internal Debt of Central Government*										
1.01. बाजार ऋण	1.01 Market Loans	6001	...	953.67	953.67	...	953.67	953.67	...	5555.58	5555.58
1.02. 91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	1.02 91 Days Treasury Bills	6001	...	145000.00	145000.00	...	145000.00	145000.00	...	160000.00	160000.00
1.03 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	1.03 182 Days Treasury Bills	6001	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.04. 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	1.04 364 Days Treasury Bills	6001	...	17000.00	17000.00	...	17080.00	17080.00	...	13000.00	13000.00
1.05 अन्य	1.05 Others	6001	...	295.73	295.73	...	300.04	300.04	...	456.55	456.55
जोड़ - आंतरिक उधार	**Total-Internal Debt**		...	**163249.40**	**163249.40**	...	**163333.71**	**163333.71**	...	**179012.13**	**179012.13**
2. विदेशी उधार	2. External Debt	6002	...	5388.40	5388.40	...	5479.60	5479.60	...	5916.15	5916.15
जोड़	**Total**		...	**168637.80**	**168637.80**	...	**168813.31**	**168813.31**	...	**184928.28**	**184928.28**
3. केन्द्र और आन्ध्र-प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय निपटान	3. Inter-state settlement between Centre and Andhra Pradesh	7810	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. घटाइए-प्राप्तियों की तुलना मे घटाई गई राशि	4. Less-Amount netted against Receipts	6001	...	-163249.40	-163249.40	...	-163333.71	-163333.71	...	-179012.13	-179012.13
		6002	...	-5388.40	-5388.40	...	-5479.60	-5479.60	...	-5916.15	-5916.15
		7810	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...

** व्यवस्था एक लाख रुपए से कम है।*
** Provision is less than Rupees One lakh.*

इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा देश तथा विदेशों दोनों, से लिए गए कर्ज की वापसी तथा 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के भुगतान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

This Appropriation includes provision for repayment of debt raised by Central Government, both internally and externally, as well as for discharge of 91 days treasury bills, etc.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.31

व्यय विभाग Department of Expenditure

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		1.69	11.11	12.80	1.69	10.43	12.12	1.93	11.74	13.67
पूंजी	*Capital*		...	...	...	*1.82*	...	*1.82*	...	...	...
जोड़	**Total**		**1.69**	**11.11**	**12.80**	**3.51**	**10.43**	**13.94**	**1.93**	**11.74**	**13.67**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	9.49	9.49	...	8.58	8.58	...	9.40	9.40
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. वित्त प्रबंध और अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान	2. Grants-in-aid to Institute for Financial Management and Research	2047	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
3. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायता अनुदान	3. Grants-in-aid to National Institute of Financial Management Society	2070	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20
		4070	...	...	...	1.82	...	1.82	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.20*	...	*1.20*	*3.02*	...	*3.02*	*1.20*	...	*1.20*
4. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	4. Other Training Programmes	2070	0.49	...	0.49	0.49	...	0.49	0.73	...	0.73
5. पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग	5. Fifth Central Pay Commission	2070	...	1.61	1.61	...	1.84	1.84	...	2.33	2.33
कुल जोड़	***Grand Total***		***1.69***	***11.11***	***12.80***	***3.51***	***10.43***	***13.94***	***1.93***	***11.74***	***13.67***
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1. Other Administrative Services	32070	1.69	...	1.69	3.51	...	3.51	1.93	...	1.93

1. इस मांग में लेखा महानियन्त्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. इसमें वित्त प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान को अनुदान सहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है।

3. राष्ट्रीय वित्त प्रबन्ध सोसायटी संस्थान प्रथम श्रेणी की संगठित केन्द्रीय लेखा सेवा के अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है। आयोजना सं.अ. 1994-95 में की गई व्यवस्था भूमि तथा सोसायटी द्वारा अधिकृत भवन के निर्माण के संबंध में होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है।

4. यह व्यवस्था लेखा महा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है।

5. यह व्यवस्था पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

1. The provision is for secretariat expenditure of the Department of Expenditure including office of the Controller General of Accounts.

2. The provision is for grant assistance to Institute of Financial Management and Research.

3. The National Institute of Financial Management Society trains officers of organised Central Class I Accounts services in specialised areas. The provision made in Plan RE 1994-95 is for meeting additional expenditure on land and construction of the building occupied by the Society.

4. The provision is for expenditure on providing training facilities for Group B and C employees of Civil Accounts Department, by the Controller General of Accounts.

5. The provision is for establishment expenditure of the Fifth Central Pay Commission.

वित्त मंत्रालय *MINISTRY OF FINANCE*
मांग संख्या DEMAND No. 32
पेंशन Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	910.00	910.00	...	934.05	934.05	...	998.21	998.21
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**...**	**910.00**	**910.00**	**...**	**934.05**	**934.05**	**...**	**998.21**	**998.21**
पेंशनें तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	**Pensions and Other Retirement Benefits**										
1. अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते	1. Superannuation and Retirement Allowances	2071	...	551.09	551.09	...	600.64	600.64	...	646.93	646.93
2. पेंशन का संराशीकृत मूल्य	2. Commuted Value of Pensions	2071	...	120.05	120.05	...	93.21	93.21	...	103.13	103.13
3. उपदान	3. Gratuities	2071	...	117.75	117.75	...	111.20	111.20	...	122.00	122.00
4. परिवार पेंशन	4. Family Pensions	2071	...	91.19	91.19	...	104.10	104.10	...	110.48	110.48
5. भविष्य निधियों के लिए अंशदान	5. Contributions to Provident Funds	2071	...	5.21	5.21	...	6.05	6.05	...	6.88	6.88
6. विविध पेंशन संबंधी भुगतान	6. Miscellaneous Pensionary payments	2071	...	2.47	2.47	...	2.70	2.70	...	2.87	2.87
7. अन्य	7. Others	2071	...	10.52	10.52	...	11.92	11.92	...	1.22	1.22
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Social Security &Welfare**										
8. जमा से संबद्ध बीमा योजना	8. Deposit Linked Insurance Scheme	2235	...	10.36	10.36	...	3.42	3.42	...	3.73	3.73
9. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	9. Central Government Employees Insurance Scheme	2235	...	0.75	0.75	...	0.54	0.54	...	0.67	0.67
10. अन्य	10. Others	2235	...	0.61	0.61	...	0.27	0.27	...	0.30	0.30
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*910.00*	*910.00*	...	*934.05*	*934.05*	...	*998.21*	*998.21*

इस मांग में पेंशनों और उपदानों के भुगतान के लिए व्यवस्था शामिल है तथा इसमें वे भुगतान भी शामिल है जो भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं और जिन्हें बाद में राज्य सरकारों से वसूल कर लिया जाता है। इस मांग में अंशदायी और अन्य भविष्य निधि, जमा सम्बद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए व्यवस्था भी शामिल हैं।

The Demand includes provision for payment of pensions and gratuities including those charged on the Consolidated Fund of India which are later recovered from the State Governments. Provisions have also been included in this Demand for contributions to Contributory and other Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme and Central Government Employees' Insurance Scheme.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No. 33

लेखा परीक्षा Audit

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	360.00	360.00	...	368.00	368.00	...	381.00	381.00
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	**360.00**	**360.00**	...	**368.00**	**368.00**	...	**381.00**	**381.00**
लेखा परीक्षा	**Audit**										
1. *भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक*	1. *Comptroller and Auditor General of India*										
1.01 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	1.01 Comptroller and Auditor General of India	2016	...	9.09	9.09	...	10.08	10.08	...	9.66	9.66
1.02 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-यू एन लेखा परीक्षा	1.02 Comptroller and Auditor General of India-UN Audit	2016	...	3.30	3.30	...	3.94	3.94	...	4.39	4.39
जोड़		*Total*	...	*12.39*	*12.39*	...	*14.02*	*14.02*	...	*14.05*	*14.05*
2. *सिविल लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालय*	2. *Civil Audit and Accounts Offices*										
2.01. सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय	2.01 Civil Audit Offices	2016	...	191.99	191.99	...	195.44	195.44	...	202.54	202.54
2.02. सिविल लेखा कार्यालय	2.02 Civil Accounts Offices	2016	...	133.00	133.00	...	135.07	135.07	...	140.18	140.18
जोड़		*Total*	...	*324.99*	*324.99*	...	*330.51*	*330.51*	...	*342.72*	*342.72*
3. डाक व तार लेखा परीक्षा कार्यालय	3. P&T Audit Offices	2016	...	10.32	10.32	...	10.63	10.63	...	11.27	11.27
4. रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय	4. Railway Audit Offices	2016	...	17.40	17.40	...	17.81	17.81	...	18.40	18.40
5. रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय	5. Defence Audit Offices	2016	...	6.88	6.88	...	7.23	7.23	...	7.34	7.34
6. वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय	6. Commercial Audit Offices	2016	...	14.29	14.29	...	14.65	14.65	...	15.23	15.23
7. समुद्रपारीय लेखा परीक्षा कार्यालय	7. Overseas Audit Offices	2016	...	2.55	2.55	...	3.23	3.23	...	3.41	3.41
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2016	...	2.34	2.34	...	2.44	2.44	...	2.77	2.77
9. *घटाइए-वसूलियां, जिनको व्यय में से घटाकर समायोजित कर दिया गया है*	9. *Less Recoveries adjusted in reduction Of Expenditure*										
9.01. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	9.01 C.A.G of India	2016	...	-0.08	-0.08	...	-0.08	-0.08	...	-0.08	-0.08
9.02. लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय	9.02 Audit & Accounts Offices	2016	...	-27.78	-27.78	...	-28.50	-28.50	...	-29.72	-29.72
9.03. यू एन लेखा परीक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति	9.03 Reimbursement of expenditure UN Audit	2016	...	-3.30	-3.30	...	-3.94	-3.94	...	-4.39	-4.39
जोड़		*Total*	...	*-31.16*	*-31.16*	...	*-32.52*	*-32.52*	...	*-34.19*	*-34.19*
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*360.00*	*360.00*	...	*368.00*	*368.00*	...	*381.00*	*381.00*

इस मांग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसके नियंत्रण के अधीन उन कार्यालयों के व्यय के लिए व्यवस्था है जो केन्द्रीय और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लेखों के लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य करने और राज्य सरकारों के लेखों के संकलन तथा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य सम्पन्न करते हैं। 1994-95 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्यतया अतिरिक्त महगाई भत्ते की किस्तों, मुख्यालय के कार्यालय के रखरखाव आदि के कारण हुई है। 1995-96 के बजट अनुमान में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया है।

This Demand includes provision for expenditure relating to the Comptroller and Auditor-General of India and the offices under his control dealing with audit of the accounts of Union and Union Territory Governments and compilation and audit of the accounts of the State Governments. The increase in RE 1994-95 is mainly due to additional D.A. instalments, maintenance of Headquarters office etc. BE 1995-96 takes into account normal growth.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.34

राजस्व भाग Department of Revenue

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	29.66	29.66	...	13.21	13.21	...	18.31	18.31
पूंजी	*Capital*		...	*3.47*	*3.47*	...	*3.46*	*3.46*	...	*5.36*	*5.36*
जोड़	**Total**		...	**33.13**	**33.13**	...	**16.67**	**16.67**	...	**23.67**	**23.67**
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	25.28	25.28	...	23.90	23.90	...	25.42	25.42
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. प्रवर्तन निदेशालय	2. Enforcement Directorate	2047	...	6.51	6.51	...	6.51	6.51	...	6.53	6.53
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2047	...	2.32	2.32	...	2.42	2.42	...	2.55	2.55
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
4. मादक पदार्थ नियंत्रण	4. Narcotics Control	2070	...	3.15	3.15	...	2.90	2.90	...	2.90	2.90
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आदि	5. International Cooperation etc.	2070	...	0.34	0.34	...	0.35	0.35	...	0.42	0.42
अन्य उद्योग	**Other Industries**										
6. अफीम और एल्कालायड कारखाने	6. *Opium and Alkaloid Factories*										
6.01. राजस्व व्यय	6.01 Revenue Expenditure	2875	...	44.99	44.99	...	46.87	46.87	...	67.77	67.77
6.02. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	6.02 Less-Revenue Receipts	0875	...	-62.00	-62.00	...	-80.00	-80.00	...	-100.00	-100.00
6.03. निवल	*6.03 Net*		...	-17.01	-17.01	...	-33.13	-33.13	...	-32.23	-32.23
6.04. पूंजी व्यय	6.04 Capital Expenditure	4875	...	3.47	3.47	...	3.46	3.46	...	5.36	5.36
7. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्कालायड कारखाने	7. Chief Controller, Government Opium & Alkaloid Factories	2875	...	0.21	0.21	...	0.25	0.25	...	0.28	0.28
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	**Other Taxes and Duties on Commodities & Services**										
8. अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर संग्रह	8. Collection of Inland Air Travel Tax	2045	...	8.00	8.00	...	8.50	8.50	...	11.00	11.00
9. विदेश यात्रा कर संग्रह	9. Collection of Foreign Travel Tax	2045	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.55	0.55
10. मूल्य वर्धित कर शुरू करने हेतु क्षमता सृजन	10. Capacity Building for Introduction of Value Added Tax	2045	...	...	...	...	0.80	0.80	...	0.60	0.60
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
11. स्वर्णकारों को दिये गये ऋण को बट्टे खाते डालना	11. Write-Off of loans to Gold smiths	2075	...	0.15	0.15	...	0.02	0.02	...	0.10	0.10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
12. कर जमापत्रों पर भुगतान	12. Payments against Tax Credit Certificates	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
आय और व्यय पर कर संग्रह	**Collection of Taxes on Income and Expenditure**										
13. अन्य व्यय	13. Other Expenditure	2020	...	0.20	0.20	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***33.13***	***33.13***	...	***16.67***	***16.67***	...	***23.67***	***23.67***

1. इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जिसमें नार्कोटिक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टैंसिज अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी शामिल है।

2. इसमें प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम केअधीन प्रावधानों के प्रवर्तन से संबंधित है।

3 इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को अनुदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

4 इसमें केन्द्रीय नार्कोटिक ब्यूरो के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. इसमें मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निधि, कर प्रशासकों संबंधी राष्ट्र मण्डलीय एसोसिएशन, सीमाशुल्क परिषद और कोलंबो प्लान ब्यूरो के मादक पदार्थ परामर्शदात्री कार्यक्रम में अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. यह अफीम फैक्टरियों और अफीम उत्पादन की खरीद सहित गाजीपुर तथा नीमच स्थित एल्केलायड कारखानों के निवल व्यय को दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार अफीम की खेती पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखती है तथा इसको संसाधित करने तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिकी जरूरतों के लिए बिक्री हेतु सारा उत्पादन खरीदती है।

1. Provision is for secretariat expenditure of the Department of Revenue including the Narcotics Control Bureau, Central Economic Intelligence Bureau and Competent Authority under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act and Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act.

2. The provision is for expenditure of the Enforcement Directorate, which is concerned with the enforcement of the provisions under the Foreign Exchange Regulation Act.

3. This includes provision for Appellate Tribunal under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976; Central Excise and Gold Control Appellate Tribunal and grants to National Institute of Public Finance and Policy.

4. This includes provision for Central Bureau of Narcotics.

5. The provision is for contributions to United Nations Fund for Control of Drug Abuse, Commonwealth Association of Tax Administrators, Customs Council and Drug Advisory Programme of Colombo Plan Bureau.

6. This represents the net expenditure of the Opium factories and Alkaloid works at Ghazipur and Neemuch including purchase of Opium produce. Central Government exercises exclusive control over the cultivation of opium and purchases the entire produce for processing and sale for medicinal and scientific needs.

1993-94 के फसल वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती के लिए लगभग 13,000 हैक्टेयर जमीन में खेती की गई तथा 1994-95 में लगभग 24,500 हेक्टेयर भूमि पर खेती की गई है।

7. मुख्य नियंत्रक के संगठन, सरकारी अफीम और अल्कालायड कारखानों के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

8. वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ की गयी अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर घरेलू वायु यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से उद्ग्रहणीय है। यह कर इण्डियन एअर लाइंस, एयर इंडिया, वायुदूत और पवन हंस लि. आदि जैसे कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता है। यह व्यवस्था ऐसे वाहकों को वसूली प्रभारों की अदायगी के लिए है जो संग्रहीत किए गए कर की 5% की दर पर निकाला जाता है।

9. किसी यात्री द्वारा की गयी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में विदेश यात्रा कर भुगतान योग्य है। कैरियरों द्वारा यह कर वसूल किया जाता है जिसके लिए संग्रहीत कर का 1 प्रतिशत वसूली प्रभार उन्हें भुगतान किया जाता है। यह व्यवस्था ऐसे प्रभारों की अदायगी के लिए है।

10. यह व्यय व्यवस्था मूल्य वर्धित कर आरंभ करने के लिए क्षमता-सृजित करने हेतु है। यह व्यवस्था विश्व बैंक से प्राप्य मैचिंग अनुदान के प्रति की गई है। इसका उद्देश्य मूलतः राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, "वैट" प्रशासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाओं को भाड़े पर लेना, संगोष्ठियां आयोजित करना इत्यादि है।

11. इस शीर्ष के अन्तर्गत स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के उधारों को बट्टे खाते के लिए व्यवस्था की गई है।

12. इस शीर्ष में कर जमा पत्रों के प्रति भुगतान शामिल है।

13. यह व्यवस्था आयकर अधिनियम के अधीन गठित आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संवर्धन संबधी राष्ट्रीय समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए है।

During the crop year 1993-94, the land under opium poppy cultivation was about 13,000 hectares and in 1994-95 it is about 24,500 hectares.

7. Provision is for expenditure of the organisation of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories.

8. Inland Air Travel Tax, which was introduced in 1989-90, is leviable on all passengers embarking for domestic air journey. The tax is collected by the carriers viz. Indian Airlines, Air India, Vayudoot and Pawan Hans Ltd. The provision is for payment of the collection charges to the carriers, which is worked out at the rate of 5% of the tax collected.

9. The Foreign travel tax is payable in respect of an international journey undertaken by a passenger. The tax is collected by the carriers for which collection charges at 1% of the tax collected are paid to them. The provision is for the payment of such charges.

10. The expenditure provision is for capacity building for introduction of value added tax. The provision has been made against the matching grant receivable from World Bank. This is basically intended to provide training to revenue officials, hiring of international experts on VAT Admn., organising seminars etc.

11. Provision is for write off of loans to State Governments for rehabilitation of goldsmiths.

12. This includes payments against Tax Credit Certificates.

13. Provision is for meeting the expenses of the National Committee for Promotion of Economic & Social Welfare set up under the Income Tax Act.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.35

प्रत्यक्ष कर Direct Taxes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		...	367.00	367.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00
पूंजी *Capital*		...	...	...	...	*-5.00*	*-5.00*	...	*39.53*	*39.53*
जोड़ Total		...	**367.00**	**367.00**	...	**395.00**	**395.00**	...	**439.53**	**439.53**
आय तथा व्यय पर करों का संग्रह Collection of Taxes on Income & Expenditure										
1. आय कर का संग्रह 1. Collection of Income-tax	2020	...	286.26	286.26	...	313.73	313.73	...	313.73	313.73
2. निगम कर का संग्रह 2. Collection of Corporation tax	2020	...	44.04	44.04	...	48.27	48.27	...	48.27	48.27
3. व्यय कर का संग्रह 3. Collection of Expenditure Tax	2020	...	2.57	2.57	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80
4. ब्याज कर का संग्रह 4. Collection of Interest Tax	2020	...	...	...	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
सम्पदा शुल्क, धन कर तथा दान कर का संग्रह Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift tax										
5. धन कर का संग्रह 5. Collection of Wealth Tax	2031	...	29.36	29.36	...	32.00	32.00	...	32.00	32.00
6. अन्य करों का संग्रह 6. Collection of Other Taxes	2031	...	4.77	4.77	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20
7. *तैयार-निर्मित आवास की खरीद* 7. *Purchase of Ready Built Accommodation*										
7.01 कार्यालय भवन 7.01 Office Buildings	4059	...	...	...	...	...	...	...	36.53	36.53
7.02 आवासीय भवन 7.02 Residential Buildings	4216	...	...	...	...	...	...	...	13.00	13.00
जोड़	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	*49.53*	*49.53*
8. *आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण* 8. *Acquisition of Immovable property under the Income-tax Act*										
8.01 सकल व्यय 8.01 Gross Expenditure	4075	...	100.00	100.00	...	145.00	145.00	...	120.00	120.00
8.02 घटाइए-बिक्री से प्राप्ति 8.02 Less - Sale proceeds	4075	...	-100.00	-100.00	...	-150.00	-150.00	...	-130.00	-130.00
निवल Net		...	...	...	...	-5.00	-5.00	...	-10.00	-10.00
कुल जोड़ Grand Total		...	***367.00***	***367.00***	...	***395.00***	***395.00***	...	***439.53***	***439.53***

1-6. इस मांग में आयकर विभाग की आवश्यकता के लिए व्यवस्था है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए तथा इकट्ठे किए गए सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आय पर कर (कार्पोरेट क्षेत्र की आय शामिल है), सम्पदा शुल्क, धन कर और दानकर सम्बन्धी कार्य को शासित करता है। शुल्कों के संग्रह के लिए देश को कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर अपवंचन, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशनों के मामलों की छानबीन करने के लिए अलग से निदेशालय भी है। संशोधित अनुमानों में जो वृद्धियां हुई है वे मुख्य रूप से मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त, अंतरिम राहत मंजूर किए जाने, बोनस की व्यवस्था करने, कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान किराए पर लिए जाने तथा बड़े पैमाने पर राजस्व संग्रह अभियान आदि को तेजी से चलाने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने आदि के कारण हुई हैं। बजट अनुमान 1995-96 में सामान्य वृद्धि के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

7. यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1995-96 के बजट से विभिन्न विभागों के एकमात्र प्रयोग के लिए तैयार-निर्मित कार्यालय और रिहायशी आवास की खरीद के लिए, संबद्ध विभाग के अनुदान में व्यवस्था की जाए। तदनुसार 1995-96 के बजट अनुमानों में प्रत्यक्ष कर संगठन के संबंध में तैयार-निर्मित कार्यालय की खरीद के लिए 36.53 करोड़ रुपए और तैयार-निर्मित रिहायशी भवनों के लिए 13.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

8. यह व्यवस्था वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में परिकल्पित प्रबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों को पूर्वक्रयाधिकार के अनुसार खरीदने से संबंधित है।

1-6. The Demand provides for the requirement of the Income-tax department, which administers all direct taxes levied and collected by the Central Government, namely, taxes on income (including income of the corporate sector), estate duty, wealth tax and gift tax. For purpose of collection, the country has been divided into charges. The Department has also got separate Directorates for scrutiny of cases involving large scale evasion, inspection, research, statistics and publications. The increases in Revised Estimates are mainly due to the effect of grant of additional instalments of D.A., interim relief, bonus, hiring of additional office accommodation, creation of additional posts as a part of intensified revenue collection drive, etc. Budget Estimates 1995-96 take into account normal growth.

7. It has been decided that from the year 1995-96 budget provision for purchase of ready-built office and residential accommodation for the exclusive use of different departments be provided in the grant of the relevant Department. Accordingly, a sum of Rs.36.53 crores for purchase of ready-built office buildings and Rs.13.00 crores for purchase of ready-built residential buildings in respect of Direct Tax Organisations has been provided in BE 1995-96.

8. The provision relates to pre-emptive purchase of immovable properties by Central Government as envisaged in Chapter XXC of the Income- tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 1986.

वित्त मंत्रालय *MINISTRY OF FINANCE*

मांग संख्या DEMAND No.36

अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	570.30	570.30	...	568.59	568.59	...	605.38	605.38
पूंजी	*Capital*		...	*157.76*	*157.76*	...	*157.76*	*157.76*	...	*215.70*	*215.70*
जोड़	**Total**		...	**728.06**	**728.06**	...	**726.35**	**726.35**	...	**821.08**	**821.08**
सीमा शुल्क	**Customs**										
1. सीमा शुल्क संग्रह	1. Collection of customs	2037	...	209.16	209.16	...	200.62	200.62	...	211.76	211.76
2. तट सुरक्षा संगठन	2. Coast Guard organisation	2037	...	75.50	75.50	...	73.79	73.79	...	85.44	85.44
		4047	...	157.56	157.56	...	157.56	157.56	...	170.50	170.50
जोड़		*Total*	...	*233.06*	*233.06*	...	*231.35*	*231.35*	...	*255.94*	*255.94*
3. सीमा शुल्क पर अन्य व्यय	3. *Other expenditure on customs*										
3.01 सीमा शुल्क कल्याण निधि	3.01 Customs Welfare Fund	2037	...	10.00	10.00	...	12.81	12.81	...	25.00	25.00
3.02 अन्य मद	3.02 Other items	2037	...	0.64	0.64	...	0.67	0.67	...	0.71	0.71
		4047	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़		*Total*	...	*0.84*	*0.84*	...	*0.87*	*0.87*	...	*0.91*	*0.91*
जोड़-सीमा शुल्क पर अन्य व्यय	**Total-Other expenditure on Customs**		...	**10.84**	**10.84**	...	**13.68**	**13.68**	...	**25.91**	**25.91**
संघ उत्पाद शुल्क	**Union Excise Duties**										
4. संघ उत्पाद शुल्कों का संग्रह	4. Collection of Union Excise Duties	2038	...	254.89	254.89	...	257.78	257.78	...	259.64	259.64
5. बैंडरोल तथा संघ उत्पाद शुल्क टिकटों तथा लेबलों का मुद्रण आदि	5. Printing etc. of Banderols and Union Excise Stamps and labels	2038	...	6.85	6.85	...	9.07	9.07	...	8.77	8.77
6. अन्य व्यय	6. *Other Expenditure*										
6.01 निरीक्षण निदेशालय	6.01 Directorate of Inspection	2038	...	2.65	2.65	...	2.56	2.56	...	2.60	2.60
6.02 सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय	6.02 Directorate of Statistics and Intelligence	2038	...	1.56	1.56	...	1.58	1.58	...	1.57	1.57
6.03 प्रशिक्षण निदेशालय	6.03 Directorate of Training	2038	...	2.49	2.49	...	2.52	2.52	...	2.62	2.62
6.04 प्रकाशन निदेशालय	6.04 Directorate of Publication	2038	...	1.85	1.85	...	1.88	1.88	...	1.91	1.91
6.05 अपवंचन निरोधी-निदेशालय	6.05 Directorate of Anti-Evasion	2038	...	3.43	3.43	...	3.78	3.78	...	3.96	3.96
6.06 अन्य	6.06 Others	2038	...	1.28	1.28	...	1.53	1.53	...	1.40	1.40
जोड़-अन्य व्यय	**Total-Other expenditure**		...	**13.26**	**13.26**	...	**13.85**	**13.85**	...	**14.06**	**14.06**
7. *तैयार निर्मित आवास की खरीद*	7. *Purchase of ready-built Accommodation*										
7.01 कार्यालय भवन	7.01 Office Buildings	4059	...	...	...	...	...	...	...	5.00	5.00
7.02 रिहायशी भवन	7.02 Residential Buildings	4216	...	...	...	...	...	...	...	40.00	40.00
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	*45.00*	*45.00*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*728.06*	*728.06*	...	*726.35*	*726.35*	...	*821.08*	*821.08*

1. इस मांग में सीमा शुल्क स्कंध के स्थापना व्यय और अन्य व्यय के लिए और छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क चौकियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध द्वारा किए गए सीमा शुल्क संग्रह के कार्य के संबंध में उसको आनुपातिक व्यय की अदायगी करने के लिए व्यवस्था की गई है।

2. इस मांग में तट सुरक्षा संगठन के व्यय के लिए व्यवस्था शामिल की गई है जो भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था करता है।

3. इस मांग में 25.00 करोड़ रुपए की सीमा-शुल्क कल्याण निधि के अलावा भू-सीमा शुल्क से संबंधित बृहत् निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्था शामिल है।

4. यह व्यवस्था केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्ययों और संघीय उत्पाद शुल्क संग्रह के संबंध में किए जाने वाले अन्य व्ययों के लिए है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध कुछ स्थानों पर, जैसे छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमा शुल्क संग्रह संबंधी कार्य भी करता है, जिसके लिए सीमा शुल्क स्कंध से आनुपातिक आधार पर खर्च वसूल कर लिया जाता है।

5. इस मांग में माचिस उत्पाद शुल्क बैंड रोल और संघीय उत्पाद शुल्क स्टाम्पों और लेबलों की छपाई की लागत की व्यवस्था है।

6. इस मांग में मुख्यतः स्थापना और निरीक्षण, सांख्यिकी और आसूचना, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रकाशन निदेशालय और अपवंचन निरोधी निदेशालय पर होने वाला अन्य व्यय शामिल है।

7. यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1995-96 के बजट से, विभिन्न विभागों के एकमात्र प्रयोग के लिए तैयार-निर्मित कार्यालय और रिहायशी आवास की खरीद के लिए संबद्ध विभाग के अनुदान में व्यवस्था की जाए। तदनुसार 1995-96 के बजट-अनुमानों में अप्रत्यक्ष-कर संगठन के संबंध में तैयार-निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद के लिए 5.00 करोड़ रुपए और तैयार -निर्मित रिहायशी-भवनों के लिए 40.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

1. This includes provision for the establishment and other expenditure of the Customs wing and for payment of proportionate charges to the Central Excise wing for customs work done by it at minor ports and land customs border posts.

2. Provision is for expenditure of the Coast Guard Organisation, which ensures the security of the maritime zones of India.

3. This includes provision for major works relating to Land Customs besides Rs. 25.00 crores for Customs welfare fund.

4. The provision is for establishment expenses of the Central Excise Organisation including other expenses on collection of Union Excise Duties. The Central Excise wing also performs customs work at certain places like minor ports and land customs stations for which proportionate charges are recovered from the Customs wing.

5. Provision represents cost of printing of match excise banderols and union excise stamps and labels.

6. This includes provision mainly for the establishment and other expenditure on Inspection, Statistics and Intelligence, Training, Vigilance, Directorate of Publications and Directorate of Anti-evasion.

7. It has been decided that from the year 1995-96 budget provision for purchase of ready-built office and residential accommodation for the exclusive use of different departments be provided in the grant of the relevant Department. Accordingly, a sum of Rs.5.00 crores for purchase of ready-built office buildings and Rs.40.00 crores for purchase of ready-built residential buildings in respect of Indirect Tax Organisations has been provided in BE 1995-96.

खाद्य मंत्रालय MINISTRY OF FOOD

मांग संख्या DEMAND No.37

खाद्य मंत्रालय Ministry of Food

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		2.03	4197.78	4199.81	2.03	5297.96	5299.99	1.95	5394.88	5396.83
पूंजी	*Capital*		*26.97*	*-4.75*	*22.22*	*26.97*	*-4.75*	*22.22*	*19.10*	...	*19.10*
जोड़	**Total**		**29.00**	**4193.03**	**4222.03**	**29.00**	**5293.21**	**5322.21**	**21.05**	**5394.88**	**5415.93**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	0.27	4.98	5.25	0.27	5.26	5.53	0.25	5.50	5.75
खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	**Food, Storage and Warehousing**										
2. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	2. Food Subsidy	2408	...	4000.00	4000.00	...	5100.00	5100.00	...	5250.00	5250.00
3. चीनी के संकट निरोधक भण्डारों के अनुरक्षण के लिए आर्थिक सहायता	3. Subisidy on maintenance of buffer stock of Sugar	2408	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	15.00	15.00
4. चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्यय	4. Other Expenditure for development of	2408	0.50	9.75	10.25	0.50	9.75	10.25	0.50	10.00	10.50
	sugar industry	4408	4.75	...	4.75	4.75	...	4.75	7.03	...	7.03
जोड़		*Total*	*5.25*	*9.75*	*15.00*	*5.25*	*9.75*	*15.00*	*7.53*	*10.00*	*17.53*
5. चीनी विकास निधि से/को अन्तरण	5. Sugar Development Fund - Transfers To	2408	...	185.00	185.00	...	185.00	185.00	...	130.00	130.00
	From	2408	...	-35.25	-35.25	...	-35.25	-35.25	-0.50	-25.00	-25.50
		4408	...	-4.75	-4.75	...	-4.75	-4.75	-7.03	...	-7.03
		6860	...	-140.00	-140.00	...	-110.00	-110.00	...	-140.00	-140.00
निवल		*Net*	...	*5.00*	*5.00*	...	*35.00*	*35.00*	*-7.53*	*-35.00*	*-42.53*
6. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	6. Other programmes of Food, Storage	2408	1.26	8.30	9.56	1.26	8.20	9.46	1.70	9.38	11.08
	and Warehousing	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4408	1.22	...	1.22	1.22	...	1.22	0.84	...	0.84
		7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.48*	*8.30*	*10.78*	*2.48*	*8.20*	*10.68*	*2.54*	*9.38*	*11.92*
जोड़-खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	**Total - Food, Storage and Warehousing**		**7.73**	**4048.05**	**4055.78**	**7.73**	**5177.95**	**5185.68**	**2.54**	**5249.38**	**5251.92**
उद्योग	**Industries**										
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
7. चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/पुनःस्थापना	7. Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills	6860	...	90.00	90.00	...	70.00	70.00	...	90.00	90.00
8. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	8. Loans to Sugar Mills for Cane Development	6860	...	50.00	50.00	...	40.00	40.00	...	50.00	50.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग	**Total - Consumer Industries**		...	**140.00**	**140.00**	...	**110.00**	**110.00**	...	**140.00**	**140.00**
9. सरकारी उद्यमों में निवेश	9. Investments in Public Enterprises	4408	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	18.26	...	18.26
कुल जोड़	***Grand Total***		*29.00*	*4193.03*	*4222.03*	*29.00*	*5293.21*	*5322.21*	*21.05*	*5394.88*	*5415.93*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
9.01 भारतीय खाद्य निगम	9.01 Food Corporation of India	12408	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	18.26	...	18.26
9.02 केन्द्रीय भाण्डागार निगम	9.02 Central Warehousing Corporation	12408	...	15.40	15.40	...	15.00	15.00	...	24.00	24.00
जोड़	**Total**		**21.00**	**15.40**	**36.40**	**21.00**	**15.00**	**36.00**	**18.26**	**24.00**	**42.26**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay***										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat Economic Services	13451	0.27	...	0.27	0.27	...	0.27	0.25	...	0.25
2. खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	2. Food, Storage & Warehousing	12408	28.73	15.40	44.13	28.73	15.00	43.73	20.80	24.00	44.80
जोड़	**Total**		**29.00**	**15.40**	**44.40**	**29.00**	**15.00**	**44.00**	**21.05**	**24.00**	**45.05**

1. यह व्यवस्था खाद्यान्न मन्त्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

1. This provision is for Secretariat expenditure of the Ministry of Food.

2. भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है । (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) संकट निरोधक भण्डारों को रखने की लागत । आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें, लाने-ले जाने, भण्डारण के रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं।

2. Food subsidy is paid to the Food Corporation of India for reimbursement of (i) the difference between the economic cost of food grains and their issue price and (ii) carrying cost of buffer stocks. The economic cost comprises procurement price and procurement incidentals for indigeneously procured food grains as well as distribution incidentals comprising movement, storage, handling, interest charges etc.

3. इसके अन्तर्गत चीनी के संकट निरोधक भण्डार बनाये रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों के निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

3. This represents provision for meeting outstanding claims of Sugar Mills for maintenance of buffer stock of Sugar, to be met out of Sugar Development Fund.

4. यह व्यय चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इस मे चीनी मिलों को दी जाने वाली अनुदान सहायता शामिल है ।

5. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भारत की समेकित निधि मे जमा करने के लिए चीनी के उत्पादन पर पहली जून, 1982 से 5 रुपए प्रति क्विटल तथा पहली नवम्बर, 1982 से 14 रुपए प्रति क्विंटल उपकर लगाने की व्यवस्था है । चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयोग में लाने के वास्ते चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अन्तरित करने और उन से सम्बन्धित मामले या आकस्मिक ऋण, अनुदानों को देते हुए तथा चीनी उद्योग के विकास से सम्बन्धित अन्य व्यय की व्यवस्था है। पब्लिक एकाउंट आफ इण्डिया के अन्तर्गत चीनी विकास निधि को भारत समेकित निधि से उपर्युक्त संबध मे दी गयी राशि अन्तरित करने और निधि से निकासी की व्यवस्था है।

6. इसमें 'निदेशन और प्रशासन" "खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय", "फल और सब्जियों का संसाधन", "अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन", "अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग" और "अन्य योजनाओं" को शामिल किया गया है ।

7. यह व्यय अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की किसी भी फैक्टरी की पुर्नस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है जो चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है ।

8. यह व्यवस्था गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है ।

9. - इन उद्यमों द्वारा जारी किये जाने वाले इक्विटी और ऋणों तथा आन्तरिक और बजट बाहृय ससाधनो का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड I में दिया गया है ।

9.01. अगले वर्ष के प्रावधान मे मुख्यत: भण्डारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्यय शामिल हैं, यह कार्य चल रहा है।

9.02. यह कृषि उत्पादों तथा सहायक सामग्रियों एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भण्डारण के लिए भंडारों तथा भाण्डागारों का निर्माण और अधिग्रहण करता है । यह उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राज्य भाण्डागार निगमों की शेयर पूंजी भी जुटाता है । कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

4. The expenditure is met out of the Sugar Development Fund, and includes grants in aid to sugar mills.

5. The Sugar Cess Act 1982 provides for levy of cess of Rs.5 per quintal from 1st June, 1982 and Rs.14 per quintal from 1st November, 1982 on production of Sugar for credit to the Consolidated Fund of India. The Sugar Development Fund Act, 1982 provides for transfer of an amount equivalent to the cess collected, reduced by the cost of collection, to the Sugar Development Fund to be used for development of sugar industry and for matter connected therewith or incidental thereto by making loans, grants and other expenditure relating to Development of Sugar Industry. The provision is for transfer of the amount computed in the above manner from the Consolidated Fund of India to Sugar Development Fund under the Public Account of India and withdrawals from the Fund.

6. This includes provision for 'Direction and Administration', 'Residual Expenditure on Purchase of food grains', 'Research, Training and Evaluation', 'International Cooperation' and 'Other Schemes'.

7. The expenditure is on providing loans inter-alia for rehabilitation and modernisation of any sugar factory and is met from the Sugar Development Fund.

8. The provision is for making loans to sugar mills for cane development and is met from the Sugar Development Fund.

9. The break up of equity and loans and the IEBR to be raised by these enterprises is given in Expenditure Budget Vol. I

9.01. The provision for next year mainly represents the outlays required for completion of storage capacity which is in progress.

9.02. Constructs and acquires godowns and warehouses for the storage of agricultural produce and implements and other notified commodities. It also subscribes to the share capital of State Warehousing Corporations for the objectives mentioned above. No budget provision has been made and the expenditure will be met from its internal and extra budgetary resources.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

मांग संख्या DEMAND No.38

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		37.72	4.82	42.54	37.72	4.88	42.60	36.00	5.13	41.13
पूंजी	*Capital*		*7.28*	*0.01*	*7.29*	*7.28*	*0.01*	*7.29*	*9.00*	...	*9.00*
जोड़	**Total**		**45.00**	**4.83**	**49.83**	**45.00**	**4.89**	**49.89**	**45.00**	**5.13**	**50.13**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat- Economic Services	3451	1.86	1.90	3.76	1.86	1.95	3.81	1.80	2.00	3.80
मत्स्य	**Fisheries**										
2. सामुद्रिक मत्स्य उद्योग	2. Marine Fisheries	2405	17.92	1.69	19.61	17.92	1.70	19.62	17.20	1.90	19.10
		4405	0.68	0.01	0.69	0.68	0.01	0.69	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*18.60*	*1.70*	*20.30*	*18.60*	*1.71*	*20.31*	*17.70*	*1.90*	*19.60*
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2405	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
4. सहायता सामग्री और उपस्कर	4. Aid Material & Equipment	3606	...	0.80	0.80	...	1.05	1.05	...	...	...
घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण सहायता सामग्री और उपस्कर	Deduct - Transfer to functional Majar Head Aid Material & Equipment	3606	...	-0.80	-0.80	...	-1.05	-1.05	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - मत्स्य उद्योग	**Total Fisheries**		**19.00**	**1.70**	**20.70**	**19.00**	**1.71**	**20.71**	**18.10**	**1.90**	**20.00**
खाद्य, भण्डारण और भांडागार	**Food , Storage and warehousing**										
5. खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारों के अन्य कार्यक्रम	5. Other programmes of food, storage and warehousing										
5.01 चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए अनुदान	5.01 Grants for Modernisation of Rice Mills	2408	3.70	0.11	3.81	3.70	0.11	3.81	3.70	0.11	3.81
5.02 फल और सब्जी प्रसंस्करण हेतु अनुदान	5.02 Grants for Fruit and Vegetable Processing	2408	9.01	0.52	9.53	9.01	0.52	9.53	10.50	0.52	11.02
5.03 मांस प्रसंस्करण	5.03 Grants for Meat Processing	2408	4.53	...	4.53	4.53	...	4.53	2.10	...	2.10
5.04 व्यय की अन्य मदें	5.04 Other items of Expenditure	4408	1.10	...	1.10	...	...	...	...	...	...
		6408	3.50	...	3.50	4.60	...	4.60	6.50	...	6.50
जोड़		*Total*	*4.60*	...	*4.60*	*4.60*	...	*4.60*	*6.50*	...	*6.50*
जोड़-खाद्य, भण्डारण और भांडागारों के अन्य कार्यक्रम जोड़	**Total other programmes of Food storage and Ware Housing**	**Total**	**21.84**	**0.63**	**22.47**	**21.84**	**0.63**	**22.47**	**22.80**	**0.63**	**23.43**
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	6. Investments in Public Enterprises	4860	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
		6860	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
7. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	7. Expenditure met from National Renewal Fund										
7.1 माडर्न फूड इंडस्ट्री (इं) लि. द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	7.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme-Modem Food Industries(I) Limited	2852	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
7.2 घटाइए- राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	7.2 Deduct expenditure met from NRF	2852	-1.00	...	-1.00	...	...	...	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. अन्य कार्यक्रम	8. Other Programmes	2852	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.90
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	Total - Consumer Industries		2.30	0.60	2.90	2.30	0.60	2.90	2.30	0.60	2.90
कुल जोड़	***Grand Total***		*45.00*	*4.83*	*49.83*	*45.00*	*4.89*	*49.89*	*45.00*	*5.13*	*50.13*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
6.01. माडर्न फूड इंडस्ट्री (इं)लि.	6.01 Modem Food Industries(I) Ltd.	12860	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1 .Secretariat Economic Services	13451	1.86	...	1.86	1.86	...	1.86	1.80	...	1.80
2. मत्स्य उद्योग	2. Fisheries	12405	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	18.10	...	18.10
3. खाद्य,भण्डारण और भाण्डागार	3. Food, Storage and Warehousing	12408	21.84	...	21.84	21.84	...	21.84	22.80	...	22.80
4. उपभोक्ता उद्योग	4. Consumer Industries	12860	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30
जोड़	**Total**		**45.00**	...	**45.00**	**45.00**	...	**45.00**	**45.00**	...	**45.00**

1. इस में मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry.

2. इस में मुख्यतः गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से सामुद्रिक संसाधनों के अन्वेषण सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण पोत और उपस्कर प्राप्त करने के लिए अन्वेषण मीन उद्योग परियोजना के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. The provision is mainly for exploratory fisheries project for acquiring suitable survey vessels and equipment for exploratory surveys of marine resources with a view to commercial exploitation of deep sea fishing resources.

3. इसमें समुद्री संसाधनों के अन्वेषण सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में तटरक्षक संगठन को भुगतान करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

4. ये अनुमान विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त सामग्री का हिसाब रखने के लिए किए जाने वाले समायोजन अनुमानों से संबंधित है।

5. *प्रावधान निम्नलिखित के लिए है :*

(i) अनुसंधान और मूल्यांकन, चावल मिलों का आधुनिकीकरण, धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर, फसल पश्च-फसल कटाई प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई. आई. टी. खड़गपुर इत्यादि, को चावल मिलों के आधुनिकीकरण के संवर्धन के लिए सहायता अनुदान ।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण, (क) फल और सब्जी प्रसंस्करण, फल उत्पादों का निरीक्षण, संसाधित फल और सब्जी उत्पादों और फल उत्पाद नियंत्रण आदेश चिह्नों का संवर्धन, फल और वनस्पति निदेशालय को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान । (ख)मांस और मांस प्रसंस्करण के लिए सहायता अनुदान, सहकारी समितियों और राज्य सरकारों के उपक्रमों में इक्विटी भागीदारी, तकनीकी कार्मिकों और कारीगरों को प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं के लिए व्यवस्था ।

6. इसमें ऊर्जा खाद्य संयंत्रों की स्थापना करने, डबल रोटी बनाने वाली घिसी-पिटी मशीनों की पुनः स्थापना करने और जूस निस्सारण संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज(इंडिया) लि. एन. ई. आर. ए. एम. ए. सी में ऋणों और इक्विटी निवेश की व्यवस्था की गई है।

7. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह प्रावधान रखा गया है । इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से की जाएगी। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों का इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

8. इसके अर्न्तगत भारतीय परम्परागत खाद्य और पैकेजिंग में लघु स्तर पर गतिविधियां में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण के लिए उद्यमियों और नेरामैक को कार्यशील पूंजी के वास्ते राज सहायता को सहायता हेतु सहायता अनुदान के रूप में व्यवस्था की गई है ।

3. The provision is for payment to Coast Guard Organisation in respect of facilities provided for the purpose of exploratory survey of marine resources.

4. The estimates relate to adjustment to be put through for accountal of gift material received from foreign countries.

5. *The provision is for :*

(i) Research and evaluation, Modernisation of rice milling. grants-in-aid to Paddy Processing Research Centre, Thanjavur, Post Harvest Technology Centre, IIT Kharagpur etc., to promote modernisation of rice milling.

(ii) Food Processing (a) Fruit and vegetable processing : Inspection of fruit products, promotion of consumption of processed fruit and vegetable products and that of the fruits Products control order symbol, strenghthening of Fruit and Vegetable Directorate, grants-in-aid to research institutions for technology up-gradation. (b) Meat and Meat Processing grant in aid, equity participation to co-operatives and state undertakings, training of technical personnel and artisans, and provision for Quality Control and lab setting facilities.

6. The provision made is for loan and equity investment in Modern Food Industries(India) Ltd., NERAMAC to finance the setting up of Energy Food Plants, replacement of depreciated bread lines, extraction of juice.

7. The provision is for implementation of Voluntary Retirement Schemes by Modern Food Industries Ltd. This expenditure would be met from the National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

8. The provision is in the form of grants-in-aid for R & D schemes of small scale activities in indian traditonal food & packaging and to assist enterprenures for testing and subsidy to NERAMAC for working Capital.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय *MINISTRY OF HEALTH &FAMILY WELFARE*

माग संख्या DEMAND No.39

स्वास्थ्य विभाग Department of Health

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		564.20	356.65	920.85	584.30	391.54	975.84	644.17	410.24	1054.41
पूंजी	*Capital*		*0.80*	*-6.65*	*-5.85*	*0.70*	*17.35*	*18.05*	*0.40*	*-6.65*	*-6.25*
जोड़	**Total**		**565.00**	**350.00**	**915.00**	**585.00**	**408.89**	**993.89**	**644.57**	**403.59**	**1048.16**
1. सचिवालय —सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	0.40	4.79	5.19	0.40	4.74	5.14	0.70	4.93	5.63
2. विवेकाधीन अनुदान	2. Discretionary Grant	2013	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	**Medical and Public Health**										
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	3. Directorate General of Health Services	2210	1.60	7.00	8.60	2.84	7.30	10.14	2.80	7.60	10.40
4. केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना	4. Central Government Health Scheme	2210	4.00	90.00	94.00	5.00	115.00	120.00	7.00	120.00	127.00
अस्पताल और औषधालय- एलोपैथी	**Hospitals & Dispensaries-Allopathy**										
5. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	5. Safdarjang Hospital, New Delhi.	2210	8.26	31.32	39.58	10.26	31.32	41.58	7.00	32.90	39.90
6. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	6. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi	2210	4.60	17.55	22.15	5.83	18.21	24.04	6.05	18.43	24.48
7. कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	7. Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi.	2210	1.90	4.35	6.25	3.18	4.50	7.68	2.00	4.68	6.68
8. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	8. Central Institute of Psychiatry, Ranchi	2210	1.40	3.11	4.51	1.60	3.12	4.72	1.50	3.37	4.87
9. अखिल भारत भौतिक औषध और पुनर्स्थापना संस्थान, बम्बई	9. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay	2210	1.00	1.37	2.37	1.00	1.39	2.39	1.50	1.47	2.97
10.. अन्य अस्पताल और औषधालय	10. Other Hospitals & Dispensaries	2210	0.50	0.01	0.51	0.50	0.01	0.51	0.80	0.01	0.81
11 अन्य व्यय	11. Other Expenditure	2210	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22
जोड़ - अस्पताल और औषधालय-ऐलोपैथी	**Total Hospitals and Dispensaries-Allopathy**		**17.66**	**57.93**	**75.59**	**22.37**	**58.77**	**81.14**	**18.85**	**61.08**	**79.93**
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Medical Education Training & Research**										
12. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	12. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	2210	28.95	53.00	81.95	31.03	53.00	84.03	35.00	56.29	91.29
13. लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	13. Lady Hardinge Medical College & Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi.	2210	3.70	15.10	18.80	3.70	17.00	20.70	3.15	17.68	20.83
14. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	14. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore	2210	4.00	4.41	8.41	4.00	4.75	8.75	4.00	4.94	8.94
15. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	15. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	2210	17.20	33.60	50.80	17.25	34.60	51.85	18.20	35.78	53.98
16 जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	16. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry	2210	5.10	15.81	20.91	6.02	16.35	22.37	5.05	17.00	22.05
17. इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग	17. Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong	2210	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
18. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	18. Indian Council of Medical Research	2210	28.00	18.60	46.60	30.00	18.60	48.60	29.00	20.00	49.00
19. कैंसर अनुसंधान	19. Cancer Research	2210	10.00	1.80	11.80	9.00	1.80	10.80	8.50	1.88	10.38
		3601	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00	6.50	...	6.50
		6210	...	...	...	...	24.00	24.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*18.00*	*1.80*	*19.80*	*18.00*	*25.80*	*43.80*	*15.00*	*1.88*	*16.88*
20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी	20. Kasturba Health Society	2210	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
21. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान	21. Vallabh Bhai Patel Chest Institute	2210	...	2.10	2.10	0.30	2.70	3.00	0.30	2.62	2.92
22. अन्य कार्यक्रम	22. Other Programmes	2210	1.88	4.39	6.27	2.89	4.33	7.22	2.50	4.36	6.86
		7601	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
जोड़		*Total*	*1.88*	*4.41*	*6.29*	*2.89*	*4.35*	*7.24*	*2.50*	*4.38*	*6.88*
जोड़ - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Total Medical Education Training & Research**		**109.43**	**148.83**	**258.26**	**116.69**	**177.15**	**293.84**	**117.20**	**160.57**	**277.77**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अन्य चिकित्सा प्रणालियां	**Other Systems of Medicine**										
23. निदेशन और प्रशासन	23. Direction and Administration	2210	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	0.53	...	0.53
24. आयुर्वेद	24. Ayurveda	2210	6.61	10.31	16.92	6.25	10.55	16.80	6.35	11.22	17.57
25. होम्योपैथी	25. Homoeopathy	2210	5.92	2.40	8.32	6.70	2.50	9.20	7.00	2.63	9.63
26. यूनानी	26. Unani	2210	3.75	2.37	6.12	2.94	2.37	5.31	4.05	2.48	6.53
27. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	27. Yoga & Naturopathy	2210	0.60	0.53	1.13	0.75	0.68	1.43	0.90	0.69	1.59
28. अन्य	28. Others	2210	3.92	0.77	4.69	4.37	0.78	5.15	3.96	0.83	4.79
		3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*4.12*	*0.77*	*4.89*	*4.57*	*0.78*	*5.35*	*4.16*	*0.83*	*4.99*
जोड़ - अन्य चिकित्सा प्रणालियां	**Total Other Systems of Medicine**		**26.00**	**16.38**	**42.38**	**22.21**	**16.88**	**39.09**	**22.99**	**17.85**	**40.84**
लोक स्वास्थ्य	**Public Health**										
29. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	29. Malaria Eradication Programme	2210	6.00	1.90	7.90	6.00	2.00	8.00	5.49	2.10	7.59
		3601	83.91	...	83.91	83.91	...	83.91	112.33	...	112.33
		3602	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	1.18	...	1.18
जोड़		*Total*	*90.00*	*1.90*	*91.90*	*90.00*	*2.00*	*92.00*	*119.00*	*2.10*	*121.10*
30. राष्ट्रीय प्लेग नियंत्रण कार्यक्रम	30. National Plague Control Programme	2210	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...
		3601	...	...	...	15.00	...	15.00	...	...	...
		Total	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*	...	...	...
31. फीलपांव नियंत्रण कार्यक्रम	31. Filaria Control Programme	2210	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.12	0.12
32. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	32. T.B. Control Programme	2210	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.61	...	5.61
		3601	40.40	...	40.40	40.40	...	40.40	44.28	...	44.28
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.11	...	0.11
जोड़		*Total*	*46.00*	...	*46.00*	*46.00*	...	*46.00*	*50.00*	...	*50.00*
33. कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	33. Leprosy Control Programme	2210	66.21	...	66.21	65.81	...	65.81	46.33	...	46.33
		3601	27.78	...	27.78	28.18	...	28.18	33.66	...	33.66
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*94.00*	...	*94.00*	*94.00*	...	*94.00*	*80.00*	...	*80.00*
34. रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	34. Trachoma & Blindness Control Programme	2210	15.75	...	15.75	16.58	...	16.58	26.40	...	26.40
		3601	24.24	...	24.24	23.10	...	23.10	45.10	...	45.10
		3602	0.01	...	0.01	0.32	...	0.32	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*40.00*	...	*40.00*	*40.00*	...	*40.00*	*72.00*	...	*72.00*
35. राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम	35. National Iodine Deficiency Disorders Control Programme	2210	0.59	...	0.59	0.59	...	0.59	0.48	...	0.48
		3601	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*
36. काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम	36. Kala-Azar Control Programme	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
37. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	*37. National AIDS Control Organisation*										
37.01. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	37.01 National AIDS Control Programme	2210	18.41	...	18.41	23.44	...	23.44	21.07	...	21.07
		3601	53.16	...	53.16	44.71	...	44.71	54.94	...	54.94
		3602	0.78	...	0.78	4.20	...	4.20	3.79	...	3.79
जोड़		*Total*	*72.35*	...	*72.35*	*72.35*	...	*72.35*	*79.80*	...	*79.80*
37.02 रक्त बैंकिंग	37.02 Blood Banking	2210	0.58	...	0.58	...	...	...	...	...	...
		3601	9.11	...	9.11	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*9.69*	...	*9.69*	...	...	...	...	...	...
37.03 राष्ट्रीय रतिज रोग नियंत्रण कार्यक्रम	37.03 National STD Control Programme	2210	...	...	...	0.10	...	0.10	0.08	...	0.08
		3601	0.50	...	0.50	0.15	...	0.15	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*0.50*	...	*0.50*	*0.25*	...	*0.25*	*0.18*	...	*0.18*
जोड़ - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	**Total- National AIDS Control Organisation**		**82.54**	**...**	**82.54**	**72.60**	**...**	**72.60**	**79.98**	**...**	**79.98**
38. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	38. National Institute of Communicable Diseases, New Delhi.	2210	0.80	3.92	4.72	1.20	4.30	5.50	4.40	4.48	8.88
39. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	39. C.R.I. Kasauli	2210	1.80	4.52	6.32	1.80	5.30	7.10	3.00	6.90	9.90
40. पत्तन स्वास्थ्य स्थापना एवं हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन	40. Port Health Establishment and Airport Health Organisation	2210	...	2.28	2.28	...	2.52	2.52	...	2.64	2.64
41. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला गुिन्डी, मद्रास	41. B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras	2210	0.05	1.90	1.95	0.04	2.10	2.14	...	2.19	2.19
42. अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	42. All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta	2210	3.00	1.77	4.77	2.05	1.94	3.99	1.20	2.03	3.23

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
43. अन्य जन स्वास्थ्य संस्थान	43. Other Public Health Institutes	2210	1.50	4.05	5.55	1.35	4.44	5.79	1.90	4.64	6.54
44. लाला राम स्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	44. Lala Ram Swarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi	2210	4.00	0.72	4.72	4.00	1.12	5.12	3.00	0.75	3.75
45. मानव व्यवहार और सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा, दिल्ली	45. Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Shahdara, Delhi	2210	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
46. विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान	46. Contribution to World Health Organisation	2210	...	4.73	4.73	...	5.58	5.58	...	5.58	5.58
47. अन्य योजनाएं	47. Other Schemes	2210	0.25	0.60	0.85	1.77	0.62	2.39	1.83	0.66	2.49
		3601	3.75	...	3.75	1.90	...	1.90	3.84	...	3.84
		3602	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05	0.33	...	0.33
जोड़		*Total*	*4.10*	*0.60*	*4.70*	*3.72*	*0.62*	*4.34*	*6.00*	*0.66*	*6.66*
जोड़ - लोक स्वास्थ्य	**Total Public Health**		**390.79**	**26.49**	**417.28**	**401.76**	**30.02**	**431.78**	**445.48**	**32.09**	**477.57**
अन्य कार्यक्रम	**Other Programmes**										
48. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	48. Prevention of Food Adulteration	2210	0.30	0.79	1.09	0.28	0.86	1.14	1.00	0.99	1.99
49. प्रशिक्षण कार्यक्रम	49. Training Programmes	2210	3.10	1.84	4.94	1.60	2.01	3.61	6.25	2.13	8.38
50. औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड	50. Drugs Technical Advisory Board	2210	0.70	1.50	2.20	0.70	1.51	2.21	0.36	1.57	1.93
51. राष्ट्रीय जैव मानकीकरण और कोटि नियंत्रण संस्थान, नई दिल्ली	51. National Institute of Biological Standardisation and Quality Control, New Delhi	2210	8.60	...	8.60	8.88	...	8.88	20.00	...	20.00
52. अन्य योजनाएं	52. Other Schemes	2210	1.62	0.82	2.44	1.57	1.02	2.59	1.54	1.15	2.69
		4210	0.70	-6.67	-5.97	0.70	-6.67	-5.97	0.30	-6.67	-6.37
जोड़		*Total*	*2.32*	*-5.85*	*-3.53*	*2.27*	*-5.65*	*-3.38*	*1.84*	*-5.52*	*-3.68*
जोड़ - अन्य कार्यक्रम	**Total Other Programmes**		**15.02**	**-1.72**	**13.30**	**13.73**	**-1.27**	**12.46**	**29.45**	**-0.83**	**28.62**
53. सरकारी उद्यमों में निवेश-आई.एम.पी.सी. लिमिटेड	53. Investment in Public Enterprises - IMPC.Ltd.	4210	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
54. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	54.Aid Material & Equipments - Gross	3606	...	4.62	4.62	...	3.00	3.00	...	1.66	1.66
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*Deduct- Transfers to functional Major Head(s)*	*3606*	...	*-4.62*	*-4.62*	...	*-3.00*	*-3.00*	...	*-1.66*	*-1.66*
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल	**Net - Aid Material & Equpments**		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***565.00***	***350.00***	***915.00***	***585.00***	***408.89***	***993.89***	***644.57***	***403.59***	***1048.16***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. इंडियन मेडीसन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	1. Indian Medicines Pharmaceutical Corporation	22210	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay***										
1. सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	22251	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.70	...	0.70
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	2. Medical and Public Health	22210	577.60	...	577.60	598.98	...	598.98	669.30	...	669.30
जोड़		*Total*	*578.00*	...	*578.00*	*599.38*	...	*599.38*	*670.00*	...	*670.00*

**निम्नलिखित मांगों में शामिल कार्य परिव्यय सहित*
**inclusive of Works Outlay included in:-*

मांग संख्या 80	Demand No. 80	22210	3.39	...	3.39	1.31	...	1.31	5.43	...	5.43
मांग संख्या 81	Demand No. 81	22210	9.61	...	9.61	13.07	...	13.07	20.00	...	20.00
जोड़	**Total**		**13.00**	**...**	**13.00**	**14.38**	**...**	**14.38**	**25.43**	**...**	**25.43**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** इसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **विवेकाधीन अनुदान** ये अनुदान जन हित के पात्र मामलों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते है।

3. **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय** इसके अन्तर्गत मेडिकल तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी विषयों में तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था का व्यय शामिल है और यह महानिदेशालय स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में और देश से बाहर जैव-चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्ठी करने, संसाधित करने तथा उसकी पूर्ति करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

4. **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना** इस योजना के अधीन दिल्ली के आस पास के तीन नगरों के अतिरिक्त दिल्ली तथा 20 अन्य नगरों में बसने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के अन्य कुछ विनिर्दिष्ट

1. **Secretariat-Social Services** : provides for the secretariat of the Department of Health.

2. **Discretionary Grant:** Discretionary Grants are sanctioned by the Minister of Health and Family Welfare in deserving cases of public interest.

3. **Directorate General of Health Services:** provides technical expertise in medical and public health matters; is responsible for implementation of various health programmes and functions as a focal point for collection, processing and supply of biomedical information within the country and abroad.

4. **Central Government Health Scheme:** provides comprehensive medical care to Central Govt. employees based at Delhi, and 20 other cities, in addition to three peripheral towns of Delhi. The scheme also covers certain other specified sectors of population like

वर्गों को भी, जैसे कि स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विधवा स्त्रियों, संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों को भी दिल्ली के 14 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जा रही है उनमें पर्याप्त संख्या पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों, औषधि चिकित्सालयों की व्यवस्था के माध्यम से रोगियों की देखभाल तथा औषधियों की पूर्ति की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। लाभप्राप्तकर्त्ताओं से 1995-96 के दौरान 35 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त होने का अनुमान है।

5. **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली:** केन्द्रीय सरकार के इस अस्पताल में 174 बेंत के पालनों (बालकों के बिस्तर) और 1357 रोगियों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था है। अन्य सुविधाओं के अलावा, अस्पताल में विशिष्ट रेस्पिरेटरी और नैफरोलोजी यूनिट भी हैं। इस अस्पताल में डायलासिस और लेप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन सुविधाओं की व्यवस्था भी है। इस अस्पताल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भी पुर्नवास संबंधी सेवाओं की व्यवस्था की जाती है।

6. **राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली:** यह भी केन्द्रीय सरकार का एक चिकित्सा संस्थान है और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों आदि के लिए संचालित एक नर्सिंग होम (शुश्रूषा गृह) भी शामिल है। इस अस्पताल में 929 रोगी शैयाएं है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के निमित्त दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। हृदय रोगों, रक्तचाप, स्नायु शल्य चिकित्सा तथा मधुमेह आदि की चिकित्सा के लिए विशिष्टता सम्पन्न उपचार भी इस अस्पताल में है।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली :** इस अस्पताल में 350 रोगी शैयाएं हैं और यह केवल बच्चों के रोगों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित एक अस्पताल है। इसका प्रबंध लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज द्वारा किया जाता है। इस अस्पताल में बाल रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डियों के उपचार की व्यवस्था है और बच्चों के लिए गहन शुश्रूषा की भी व्यवस्था है।

8. **केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची:** देश में मनोरोग उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है। 643 बिस्तरों वाला यह संस्थान दो पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल और भूटान के रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी करता है। रोग निदान तथा उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस संस्थान में मनोरोग संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

9. **अखिल भारतीय काय औषध एवं पुनर्स्थापन संस्थान, मुम्बई:** यह चिकित्सा पुनर्स्थापना सेवाओं की सुविधाओं सहित सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक अगुआ संस्थान है। इस संस्थान की क्षमता 40 शैयाओं की है और इसमें स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर तक का प्रशिक्षण दिया जाता है और पुनर्स्थापना औषधियों पर अनुसंधान किया जाता है।

10. **अन्य अस्पताल और चिकित्सालय:** इसके अन्तर्गत क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्यों की सरकारों के सहयोग से अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।

12. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इस संस्थान को 1956में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक मूर्धन्य संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार है, अर्थात (क) अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापन की प्रणाली का विकास करना और (ख) चिकिसा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर प्रयोग तथा अनुसंधान आयोजित करना। इस संस्थान में 1575 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है और राजेन्द्र प्रसाद आप्थेलमिक विज्ञान केन्द्र भी इससे सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार, संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान में अनुसंधान की कुछ एक योजनाओं की वित्त-व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की जाती है।

13. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** यह कालेज सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन स्त्रियों को अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, पुरुष विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसमें स्त्रियों और बच्चों की डाक्टरी शुश्रूषा भी की जाती है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कालेज के साथ कतिपय अस्पताल भी सम्बद्ध है, जैसे कि सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरण बाल अस्पताल आदि। यह नर्सिंग स्कूल का भी संचालन करता है, जिसमें नर्सिंग तथा धात्री-विद्या पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

employees of autonomous organisations, retired Central Govt. employees, widows of Central Govt. employees, Members of Parliament, ex-M.Ps, ex-Governors, retired Judges of Supreme Court and High Courts, Freedom Fighters and members of their family and members of public in l4 specified areas in Delhi. The facilities under the scheme include outpatient care through a network of allopathic, ayurvedic, homoeopathic, unani/siddha dispensaries/units, and supply of drugs, etc. The contributions from the beneficiaries during 1995-96 are estimated at Rs. 35 crores.

5. **Safdarjang Hospital, New Delhi:** is a Central Govt. hospital with a bed strength of 1357 plus 174 Bassinets (Nursery Beds). Besides other facilities, the hospital has special respiratory and nephrology units. It is also equipped for provision of dialysis and laproscopic sterilization facilities. It also caters rehabilitation service to handicapped persons.

6. **Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi:** is also a Central Govt. Institution and includes Nursing Home for Central Government employees, Members of Parliament, etc. The hospital with 929 beds is affiliated to Delhi University for post-graduate students of Lady Hardinge Medical College. It has specialised clinics for coronary diseases, hypertension, neuro-surgery, diabetes etc.

7. **Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi:** with 350 beds is an exclusive hospital for children's diseases and is managed by Lady Hardinge Medical College. It provides facilities in paediatrics, surgery, orthopaedics and intensive care facilities for children.

8. **Central Institute of Psychiatry, Ranchi:** is a premier Central Govt. Institute for mental health in the country. The institute with 643 beds also caters to the needs of two neighbouring countries, viz. Nepal and Bhutan. Besides diagnostic and treatment facilities, it conducts post graduate courses in psychiatry.

9. **All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Bombay**: It is a pioneer institute in the whole of South Asia with facilities for medical rehabilitation services. The institute having a cpacity of 40 beds also undertakes training at graduate and PG level and research in rehabilitation medicines.

10. **Other Hospitals and Dispensaries:** includes provision for TB, Leprosy and other Medical Institutes and grants-in-aid to Voluntary Organizations for establishment of Hospitals and Dispensaries in association with State Governments.

12. **All India Institute of Medical Sciences,New Delhi:** has been set up by an Act of Parliament in 1956, as a premier institution of national importance. The objectives of the Institute are: (a) to develop a pattern of under-graduate and post-graduate teaching and (b) to conduct experiments and research on various disciplines of medical services. It has a bed strength of 1575. Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences is attached to it. The Central Govt. provides l00% financial support to the Institute. A few research schemes at the Institute are financed by WHO and ICMR.

13. **Lady Hardinge Medical College and Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi:** is run by Government to provide undergraduate and post graduate medical education for women, post graduate medical education for male students and medical care for women and children. The College has associated hospitals, viz. Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital for comprehensive practical training to students. It also runs the School of Nursing offering nursing and midwifery courses.

14. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर** यह संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है। इस संस्थान में मानसिक तथा स्नायुविज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाती है। यह संस्थान अब एक विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने लगा है। और संस्थान में मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

15. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई है और इसके कृत्य भी वही हैं जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हैं लेकिन इसके कार्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इस संस्थान की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह संस्थान चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान तथा विशिष्ट अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने वाला केन्द्र भी है। इस संस्थान से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल में 846 रोगी-शैयाओं की व्यवस्था है।

16. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी:** इस संस्थान का वित्तपोषण और संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस संस्थान में अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अस्पताल में, जिसमें 859 रोगी शैयाएं हैं, पांडिचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह संस्थान, मेडिकल अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी करता है, जिसमें अध्यापन पाठ्य चर्या में होने वाले अद्यतन विकासों का प्रदर्शन किया जाता है।

17. **इन्दिरा गांधी अनुसंधान संस्थान, शिलांग:** इसका उद्देश्य सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों को विकसित और विशेष प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान करना और क्षेत्रीय परामर्शी सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करना; अति विशेषज्ञता वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के विकास एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।

18. **भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद :** देश में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के समन्वयन और सूत्रीकरण के संवर्धन के लिये एक मुख्य निकाय है। केन्द्रीय सरकार परिषद को, संक्रामक रोगों, गर्भनिरोधकों, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, संक्रामक रोगों से भिन्न रोगों और आधारभूत अनुसंधान के कार्य के लिए शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देती है। यह परिषद, भोपाल गैस त्रासदी, जनजातीय स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण के कार्य में भी लगी हुई है।

19. **कर्कटरोग (कैंसर) अनुसंधान:** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, कटक, ग्वालियर, गोहाटी, मद्रास तथा त्रिवेंद्रम स्थित 9 प्रादेशिक कर्कटरोग केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में बम्बई, मद्रास, बंगलौर, चंडीगढ़, गोआ और डिब्रूगढ़ में भी कर्कटरोग पंजीयन कार्यालय कार्य कर रहे हैं। कोबाल्ट चिकित्सा एककों तथा कर्कटरोग का शीघ्र पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों की सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी संस्थानों में अर्बुद-विद्या के स्कंधों के विकास के लिए और राज्यों में जिला परियोजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

20. **कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा:** यह ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने वाला पहला एवं एक मात्र मेडिकल कालेज है और यह विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत कराता है। सोसाइटी का एक 501 शैयाओं का अध्यापन हस्पताल है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आरम्भ किया गया एक मात्र हस्पताल है, इसमें उत्तम दर्जे की नैदानिक एवं चिकित्सा सुविधाएं है और स्नातक स्तर से पूर्व की एवं स्नाकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

21. **वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली:** यह व्यावहारिक एवं प्राथमिक अनुसंधान, स्नाकोत्तर स्तर के अध्यापन चेस्ट से सम्बन्धित रोगों के परामर्शी चिकित्सालयों एवं अनुसंधान शाला नैदानिक सेवाओं के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह भारत के विभिन्न भागों के संकाय सदस्यों एवं चिकित्सकों के लिए श्वसन सम्बन्धी रोगों के अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

22. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें आई.आर.सी.एस., चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम, ए.आई.आई.एस.एन्ड एच., मैसूर और आर.ए. के नर्सिंग महाविद्यालय शामिल है।

24. **आयुर्वेद:** इसके अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय

14. **National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore:** is an autonomous institute receiving maintenance grants-in-aid from Govt. of India and providing services, training and research functions in the field of mental health and neuro-sciences. The institute now is a deemed university and offers degrees and diploma courses in this field in medical and para-medical disciplines.

15. **Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh:** set up by an Act of Parliament as an Institute of national importance having the same functions as AIIMS, New Delhi but in the field of post-graduate medical education. The Institute is wholly financed by Central Govt. and is a centre for medical education, research and specialised hospital services. Nehru Hospital attached to the Institute has a bed strengh of 846.

16. **Jawaharlal Institute of P.G. Medical Education and Research, Pondicherry:** Financed and administered by Govt. of India, the Institute offers undergraduate and post-graduate courses. Its Hospital with a bed strength of 859 provides medical services to the people of Pondicherry and neighbouring States. It also runs the Medical Teachers' Training Centre, demonstrating latest developments in teaching curricula.

17. **Indira Gandhi Research Institute, Shillong:** Its objective is to provide advanced and specialised health care to the people of North-eastern region including Sikkim and to serve as a regional refferal service centre; to promote a programme of health man power development and training in identified fields of super specialisation.

18. **Indian Council of Medical Research:** is the apex body in the country to promote, coordinate and formulate bio-medical and health research. Central Government gives 100% maintenance grants to the Council for research in communicable diseases, contraception, maternity and child health, nutrition, non-communicable diseases and basic research. The Council is also engaged in research on Bhopal gas tragedy, tribal health, traditional medicine and publication and dissemination of information.

19. **Cancer Research:** Under this programme, assistance is provided to 9 regional cancer centres at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Delhi, Cuttack, Gwalior, Guwahati, Madras and Trivandrum. Cancer Registries are also functioning under the auspices of ICMR at Bombay, Madras, Bangalore, Chandigarh, Goa and Dibrugarh. Central assistance is provided to State Govts. and voluntary organisations for installation of Cobalt therapy units and setting up of early cancer detection centres. Central assistance is also provided for development of Oncology wings in Government institutions and for district projects in the States.

20. **Kasturba Health Society, Wardha:** It is the first and only medical college in the country to be located in a rural surroundings and exposes the students to the health problems of the rural areas. The Society has a teaching hospital being the only hospital to be started by Gandhi Ji, father of the Nation, with 501 beds which has excellent diagnositic and curative faciiities and has adequate base for under graduate and PG training.

21. **Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi:** Is a National institute devoted to applied and basic research, Post-graduate teaching, referal clinical and laboratory diagnostic services in chest diseases. It also conducts short term training courses/workshops in respiratory diseases for faculty members and medical practitioners from various parts of India.

22. **Other Programmes:** Includes IRCS, International Conference on Medical & Public Health, W.H.O Programme, AIIS&H, Mysore and RAK College of Nursing.

24. **Ayurveda:** includes provision for (i) National Institute of Ayurveda, Jaipur which serves as a model institute for teaching, training, research and patient care, (ii) Central Council for Research in

परिषद और (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है, को अनुरक्षण तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है।

25. **होम्योपैथी :** इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान तथा होम्योपैथी के लिए अन्य अनुदानों के लिए व्यवस्था शामिल है।

26. **यूनानी :** इसमें (i) यूनानी औषधियों के अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बैंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य की देखभाल का एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत संगठन है, (iii) भारतीय औषधियों के लिए औषध निर्माण अनुसंधानशालाओं के प्रावधान के अतिरिक्त अलीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली, इलाहाबाद और लखनऊ स्थित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के लिए अनुरक्षण/विकासात्मक और उत्थान के लिए सहायता अनुदान; का प्रावधान शामिल है।

27. **योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा :** इसके अन्तर्गत केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए तथा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और एन.आई.एन., पुणे के लिए अनुदानों के लिए व्यवस्था शामिल है।

28. **अन्य :** व्यय के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदानों के आधार पर वित्तपोषित एक केन्द्र-प्रायोजित योजना सम्मिलत हैं, अर्थात् (i) भारतीय औषध चिकित्सा प्रणालियों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभागों का स्तरोन्नयन, और तीन केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा (i) भारतीय औषधि प्रणाली तथा होम्योपैथी स्नातक महाविद्यालयों की उन्नति (ii) औषधिय पौधों के बागों का विकास और (iii) भारतीय औषधि प्रणाली और होम्योपैथी, आदि में चिकित्सकों, शिक्षकों, यत्रविदों और अनसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण।

रोगों का निवारण और नियंत्रण : केन्द्रीय सरकार विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण 100 प्रतिशत आधार पर तथा 50 प्रतिशत आधार पर करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण तथा नगरीय)	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय फीलपांव नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय दृष्टिदोष तथा अन्धता निवारण योजना, जिसमें रोहा रोग निवारण कार्य भी शामिल है।	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत

देश में होने वाली कुल मृत्यु-संख्या का दो-तिहाई भाग संक्रामक रोगों के कारण होता है। केन्द्रीय सहायता इन रोगों की रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के लिये दी जाएगी।

29. **मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :** पांचवे दशक के पूर्वभाग में 7.5 करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे और मलेरिया से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 8 लाख थी। मलेरिया के मामलों की यह संख्या घट कर 1 लाख से कम रह गई और वर्ष 1965 में मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई। उसके बाद से 1976 में मलेरिया पुनः फैलने के 64 लाख मामले हुए परन्तु इसे छठी योजना अवधि के दौरान कम करके 20 लाख मामलों तक लाया गया है। सातवीं योजना अवधि के दौरान मलेरिया के मामले कमोबेश स्थिर रहे और इसलिए, स्थानीय स्थिति अर्थात एकीकृत बीमारी रोगवाहक नियंत्रण पर बल देते हुए मलेरिया होने की सम्भवना के आधार पर नई नीति और देश के जनजातीय क्षेत्रों के सघन मलेरिया विरोधी उपायों की आवश्यकता है। मलेरिया के नियंत्रण की गतिविधियों को तेज करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है।

32. **क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :** क्षयरोग अभी भी स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। क्षयरोग नियंत्रण की संशोधित नीति में खोज के स्थान पर संक्रमित रोगियों के अच्छा होने की बढ़ती हुई दर पर जोर दिया जाएगा जिनका इलाज कैमोथैरेपी की कम अवधि की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में जांच के लिए रेडियोलोजी के अतिरिक्त कफ का परीक्षण करने पर अधिक बल देने पर भी विचार किया जाएगा।

33. **कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम :** राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के उन भागों में, जहां यह रोग सबसे अधिक होता है, रहने वाले 43 करोड़ व्यक्तियों की देखभाल की जाएगी। देश के लगभग 40 लाख कुष्ठ रोगियों में से 30 लाख रोगियों का सक्रिय रूप से इलाज चल

Ayurveda and Siddha and (iii) maintenance and development grants-in-aid to Institute of P.G. Training and Research, Jamnagar, a constituent of Gujarat Ayurvedic University.

25. **Homoeopathy**: includes provision for Central Council for Research in Homoeopathy, grants to National Institute of Homoeopathy, Calcutta which is an autonomous organisation fully financed by Govt. and other grants for Homoeopathy.

26. **Unani**: Includes provision for (i) Central Council for Research in Unani Medicine (ii) National Institute of Unani Medcine, Bangalore (a model Institute for teaching, training, research and public health care) which are an autonomous organisation fully financed by the Government (iii) Maintenance/developmental and up-grading grants-in-aid to Institute of P.G. Training and Research, Aligarh, Hyderabad, Delhi, Allahabad and Lucknow, apart from provision for Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine.

27. **Yoga and Naturopathy:** Includes provision for grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy; Central Research Institute of Yoga, New Delhi and N.I.N., Pune.

28. **Others:** includes a centrally sponsored scheme financed on l00% grant basis, viz. (i) Upgradation of Deptts. of P.G. Training and Research in Indian Systems of Medicine, and three central sector schemes, viz (i) Upgradation of ISM and Homoeopathy undergraduate colleges; (ii) Development of Medicinal Plants Gardens and (iii) training of physicians, teachers, technicians and research workers in ISM and Homoeopathy, etc.

Prevention and Control of Diseases: Various Centrally sponsored Health programmes are financed by Central Government on l00% or 50% basis as shown below:-

National Malaria Eradication Programme (Rural and Urban)	50%
National Filaria Control Programme	50%
National T.B. Control Programme	50%
National Leprosy Control Programme	l00%
National Scheme for Prevention of Visual Impairment and Blindness including Trachoma.	l00%
National I.D.D. Control Programme	100%
National AIDs Control Programme	100%

Communicable diseases account for more than two-thirds of the total morbidity and mortality in the country. Central assistance is for programmes aimed at prevention, control and eradication of these diseases.

29. **Malaria Eradication Programme:** The incidence of malaria which was 75 million in the early fifties and 0.8 million deaths annually was reduced to less then one Lakh cases and no death in 1965. Since then though there had been resurgence of malaria with 6.4 million cases in 1976, it has been brought down to around 2 million cases in the 6th Plan period. During the 7th plan period, incidence of malaria remained more or less static and, therefore, called for newer strategy depending on local situation i.e. Malaria genic potential with emphasis on integrated diseases vector control and for intensified anti malaria measures in tribal areas of the country. 100% assistance has been extended to North Eastern states for intensification of activities for control of Malaria.

32. **Tuberculosis Control Programme :** Tuberculosis continues to be a major health problem. In the revised strategy for controlling Tuberculosis, the emphasis is going to shift from detection to increasing cure rate of infectious patients who are treated with short course chemotheraphy. The proramme also envisages the increased emphasis on sputum examination rather than radiology for diagnosis.

33. **Leprosy Control Programme :** The National Leprosy Eradication Programme covers 430 million people living in areas of the country where the disease is endemic. Against an estimated four million leprosy affected patients, three million are under active

रहा है। कुष्ठ के मामलों में बहु-औषधि उपचार (मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट) को बहुत ही प्रभावकारी पाया गया है। इस कार्यक्रम पर और अधिक बल दिया जायेगा तथा इस उपचार को उन अन्य जिलों में भी प्रचलित किया जायेगा जहां कुष्ठ रोग अधिक होता है।

34. **रोहा और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम :** अन्धता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1976 में सारे देश में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य देश में अन्धता के मौजूदा प्रतिशत को 1.4 से कम करके वर्ष 2000 तक 0.3 तक लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कैम्प लगा कर जरूरतमंद रोगियों को तत्काल सहायता दी जाती है तथा आंखों की देखभाल के लिये स्थायी सुविधाएं प्रदान की जाती है और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपाय भी किये जाते हैं।

35. **राष्ट्रीय आयोडीन अपूर्णता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम :** एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 14.5 करोड़ व्यक्ति गलगण्ड से पीड़ित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त खाने के नमक का चरणबद्ध तरीके से आयोडीकरण किया जायेगा। खाने के प्रयोजन के लिए देश में आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है जो 1986-87 में 7.72 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1994 के दौरान 29.30 लाख मीट्रिक टन हो गई।

36. **काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम:** बिहार और पश्चिम बंगाल में यह एक गम्भीर जन स्वास्थ्य समस्या है। आठवें दशक के प्रारम्भ के वर्षों में बिहार के 4 जिलों में इसका प्रादुर्भाव हुआ, तत्पश्चात् यह निकट के क्षेत्रों में फैल गया। इस समय बिहार के लगभग 30 जिले और पश्चिम बंगाल के 9 जिले काला आजार से प्रभावित है।

37. **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम:** एड्स हाल ही के वर्षों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरा है। एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स के साथ जुड़ी हुई बहु-पक्षीय समस्याओं का सामना करने की तुरन्त आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने एड्स के निवारण और नियन्त्रण के लिए आई.डी.ए/विश्व बैंक से उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में पर्याप्त सहायता के साथ एक परियोजना शुरू की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम, रक्त सुरक्षा उपायों और रतिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए 280 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार एच.आई.वी.नियन्त्रण के लिए प्रबन्धन क्षमता को सुदृढ़ बनाने, लोक जागरूकता और सामाजिक समर्थन बढ़ाने, रक्त सुरक्षा एवं इसके विवेकपूर्ण उपायों में सुधार करने तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी एवं रोग विषयक प्रबन्धन क्षमता को मुख्यः दबाव वाले क्षेत्र के रूप में गठित करने के लिए कारगर अभियान चलाना चाहती है। वर्तमान में सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

38. **राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, नई दिल्ली :** यह संस्थान संक्रामक रोग विज्ञान तथा संक्रामक रोग नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार/राज्यों की सरकारों को तथा अन्य अभिकरणों को संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए तथा उनमें अनुसंधान करने के लिए सेवा प्रदान करने/परामर्श देने की व्यवस्था करता है। इसके कार्य, अलवर, बंगलौर, कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजामुन्द्री तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों और विशिष्ट डिवीजनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं।

39. **केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली:** चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संक्रामक रोगों की औषधियों के उत्पादन और किस्म नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये इस संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी। संक्रामक रोगों की औषधियों जैसे डिफ्थेरिया, पिटूसिस, टेटनस, हैजा के टीके, एण्टी-स्नेक वेनम, एण्टी रेबिज सीरम आदि का सबसे अधिक और विस्तृत उत्पादन इसी संस्थान द्वारा किया जाता है। इस संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.एस.सी.,एम.एस.सी. और एम.फिल.(माइक्रोबायलोजी) की नियमित कक्षाएं चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के एम.डी. पैथोलोजी और बैक्ट्रालोजी, पी.एच.डी. बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायालोजी के पाठ्यक्रमों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

40. **पत्तन स्वास्थ्य स्थापना और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन:** पत्तन और हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन देश में 81 बड़े पत्तनों और 5 अन्तराष्ट्रीय हवाईअड्डों प्रशासन करता है और स्वास्थ्य संबंधी जांच पड़ताल और संगरोध प्रशासन के लिए प्रबन्ध करता है। इस संगठन का उद्देश्य संक्रामक रोगों का अन्तराष्ट्रीय फैलाव रोकना, ऐसे अधिसूचित देशों जहां स्थानीय बीमारियां होती है वहां से आने अथवा के माध्यम से स्थानतरण होने वसे यात्रियों के जरिए देश में पीतज्वर के प्रवेश को रोकना है।

41. **बी.सी.जी. टीका, गुनीडी, मद्रास:** यह स्वास्थ्य सेवा मद्रास निदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो राज्यों तथा भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों में बी.सी.जी. का टीका तथा ट्यूबरकूलिन, पी.पी.डी., को बनानें तथा उनकी

treatment. Multi Drug Treatment (MDT) of leprosy cases has been found efficacious. The Programme will be given a push and more endemic districts will be covered under the MDT.

34. **Trachoma and Blindness Control Programme :** The national programme for control of blindness was launched throughout the country in 1976. The ultimate aim of this programme is to reduce the blindness in the country from 1.4 per cent to 0.3 per cent by the year 2000 A.D. To achieve this aim, the programme is providing immediate relief to the needy by camp approach and by establishing permanent eye care facilities coupled with health education measures.

35. **National Iodine Definiency Disorders Control Programme :** Nearly 145 million persons are estimated to be suffering from Goitre in the country. The primary thrust of this programme would be iodization of the entire edible salt in a phased manner. The production of iodised salt in the country for edible purposes has steadily increased from 7.72 lakhs MT in 1986-87 to 29.30 lakhs MT in 1994.

36. **Kala-Azar Control Programme:** Is a serious public health problem in Bihar and West Bengal. After its re-surgence in Bihar in the early 70s, the disease spread from the 4 districts to adjoining areas. Now about 30 districts of Bihar and 9 districts of West Bengal are effected by Kala-azar.

37. **National AIDS Control Proramme:** AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) has emerged as one of the major public health problems in recent years. Recoginising the urgent need for tackling multi-faceted problems associated with HIV Infection and AIDS, the Government have taken up in hand a project for prevention and control of AIDS with substantial assistance by way of soft loan from IDA/World Bank. An allocation of Rs.280 crores has been made for AIDS Control Programme, Blood Safety Measures and STD Control Programme in the Eighth Five-Year Plan. The Government proposes to mount an effective compaign to strengthen the management capacity for HIV control, promote public awareness and community support, improve blood safety and its rational use and to build-up surveillance and clinical management capacity as major thrust areas under this programme. The proramme is currently being implemented in all States and UTs.

38. **National Institute of Communicable Diseases, New Delhi.:** is devoted to teaching and research in various disciplines connected with the epidem iology and control of communicable diseases and to provide service/advice in investigation and control of communicable diseases to Central/State Governments and other agencies. Its activities are carried out through specialised divisions and field stations in Alwar, Bangalore, Calicut,Coonoor, Patna, Rajamundry and Varanasi.

39. **Central Research Institute, Kasauli:** was established in 1905 for research in the field of medical health problems and production and quality control of immunobiologicals. The Institute is the biggest and most comprehensive producer of immunobiologicals viz. Diphtheria, Petussis and Tetanus, Cholera Vaccines, Anti-Snake Venom, Anti-Rabis Serum etc. The Institute is also running regular classes of B.Sc, M.Sc and M. Phil (Microbiology) of the Himachal Pradesh University. In addition, the Institute is recognised for M.D. Pathology and Bacteriology, Ph.D. Biochemistry and Microbiology by the various universities in the country.

40. **Port Health Establishment and Airport Health Organisation:** The Port and Airport Health Organisations Administers and arrangements for Health clearance and quanrantine administration at the 8 major ports and 5 international airports in the country. The objective of this organisation is to prevent international spread of communicable diseases, prevention of entry of Yello Fever in to the country through passangers coming from or transmitting through notified endemic countries.

41. **BCG Vaccine, Gunidy, Madras:** Is a subordinate office of the Dte. GHS which was setup to manufacture and supply BCG vaccine and tuberculin, PPD to the States and Indian Terrirotiries. The supply

आपूर्ति करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुसार एफ.डी. बी.सी.जी. टीके की आपूर्ति सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

of FD BCG Vaccine are made under universal immunisation programme as per allocation fixed by Govt. of India.

42. **अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान:** यह संस्थान देश में लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रगामी संस्थान है, जिसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं देकर लोक स्वस्थ्य के क्षेत्र में मानवशक्ति का विकास करना और देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों के बारे में अनुसंधान करना, और स्वास्थ्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग किये जाने के लिए पद्धतियों के विकास और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निष्कर्षों का अनुपालन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुसंधान करता है।

42. **All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta:** It is one of the poineer institute in the field of public health in the country which aims at developing man power in the field of Public Health by giving PG training facilities; conducting research relating to various health problems and diseases in the country; and undertaing operational research to develop methods for optimum utilisation of health resources and application of the findngs for protection and promotion of health care services.

43. **अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थान:** इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा, ब्यूरो, भारतीय पास्तुरी संस्थान कूनूर और सीरमकर्त्ता तथा रसायन परीक्षक कलकत्ता शामिल है।

43. **Other Public Health Institutes:** Include Central Health Education Bureau; Pasteur Institute of India, Coonoor and Serologist and Chemical Examiner, Calcutta.

44. **लाला राम स्वरुप टी.बी और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली:** यह देश में शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान है, जो कि देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या टी.बी. के कारणों का पता लगाने में लगा हुआ है। इस संस्थान के पास उपचार करने के लिए आवासीय सुविधा देने हेतु एक क्लीनिक है और 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 41 वर्षों से लोगों की उत्कृष्ट रूप से सेवा कर रहा है।

44. **Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi:** Is one of the premier teaching, Training and Research Institutes in the country engaged in the cause of T.B., a major health prblem of the country. The institute has a clinic to provide domiciliary treatment and 520 beds. It has been serving the public with distinction for the last 41 years.

45. **मानव व्यवहार और सम्बद्ध सेवाओं का संस्थान, शाहदरा:** यह मानव व्यवहार और उससे सम्बद्ध बीमारियों का अध्ययन करने के लिए **राजधानी का अग्रेजी संस्थान है।**

45. **Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Shahadara:** Is a poineer institute of the Capital for study of human behavour and its allied diseases.

47. **अन्य लोक स्वास्थ्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित है।

47. **Other Public Health Schemes:** includes provision for International Cooperation and miscellaneous schemes.

48. **खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम:** इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं, अर्थात् (i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श से राष्ट्रीय मानकों का प्रतिष्ठापन (ii) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और तत्संबंधी नियमों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए राज्यों की सरकारों से समन्वय और सम्पर्क, (iii) प्रशासनिक समर्थन की व्यवस्था, जैसे कि प्रशिक्षण, उपस्कर और प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की व्यवस्था, और (iv) उपभोक्ता शिक्षण का संवर्धन।

48. **Prevention of Food Adulteration:** aims at (i) prescription of national standards in consultation with national and international institutions (ii) administration of PFA Act and Rules and coordination and liaison with States in enforcement of its provisions (iii) providing administrative support like training, equipment and laboratory facilities and (iv) promoting consumer education.

49. **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ और नर्सिंग सेवाओं के विकास आदि।

49. **Training Programmes:** includes National TB Training Institute, Bangalore, Rural Training Centre, Najafgarh and development of nursing services etc.

50. **औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड:** यह औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अधीन अधिनियम के प्रशासन के संबंध में उत्पन्न होने वाले तकनीकी विषयों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक सांविधिक बोर्ड है।

50. **Drug Technical Advisery Board:** It is a statutory board under the Drugs and Cosmetics Act to advise Central and State Governments on technical matters arising out of the administration of the Act.

51. **राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान, नोएडा:** यह भारत में जीव-विज्ञान की कोटि नियोजन के उच्च मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य जीव-विज्ञान हेतु परीक्षण पद्धति के कोटि नियोजन के लिए तथा जीव-विज्ञान संबंधी उत्पादों, जो देश में पैदा किए जा रहे हैं तथा भात में आयतित किए जा रहे हैं, के लिए मानकों में सुधार करता है और उन्हें निर्धारित करता है।

51. **National Institute of Biologicals, Noida:** It has been established to fulfill the need for a high standard of quality control of biologicals in India. The Prime objective of the institute is to develop and lay down standards for quality control testing procedure for biologicals and improve biologicals products being produced indigenously as well as imported in India.

52. **अन्य योजनाएं:** इसमें सी.डी.एल., बम्बई, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चिकित्सा भंडार संगठन तथा अन्य विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है।

52. **Other Schemes:** Includes provision for C.D.L., Bombay, Regional Drug Testing Lab., Medical Stores Organisation and other miscellaneous scheme.

53. **सरकारी उपक्रमों में निवेश : भारतीय मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स निगम, रानीखेत :** कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) के साथ एक संयुक्त उपक्रम है जो कि भारतीय प्रणाली की उच्चकोटि की औषधियों की सप्लाई सरकारी संस्थानों को करता है। यह खुले बाजार में भी इनके विक्रय की व्यवस्था करता है।

53. **Investment in Public Enterprises: Indian Medicines Pharmaceutical Corporation, Ranikhet:** is a joint venture with Kumaon Mandal Vikas Nigam (A U.P. Government Undertaking) for making available good quality medicines of Indian systems for supply to Government Institutions etc. and sale in open market.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

मांग संख्या DEMAND No. 40

परिवार कल्याण विभाग Department of Family Welfare

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		1429.85	11.68	1441.53	1429.85	12.03	1441.88	1580.85	12.51	1593.36
पूंजी	*Capital*		*0.15*	...	*0.15*	*0.15*	...	*0.15*	*0.15*	...	*0.15*
जोड़	**Total**		**1430.00**	**11.68**	**1441.68**	**1430.00**	**12.03**	**1442.03**	**1581.00**	**12.51**	**1593.51**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	...	1.42	1.42	...	1.42	1.42	...	1.55	1.55
परिवार कल्याण	**Family Welfare**										
2. निदेशन और प्रशासन	2. Direction and Administration	2211	3.42	1.98	5.40	3.55	1.97	5.52	3.79	2.11	5.90
		3601	43.51	...	43.51	43.50	...	43.50	43.34	...	43.34
		3602	0.37	...	0.37	0.42	...	0.42	0.48	...	0.48
जोड़-निदेशन और प्रशासन	**Total- Direction & Administration**		**47.30**	**1.98**	**49.28**	**47.47**	**1.97**	**49.44**	**47.61**	**2.11**	**49.72**
परिवार कल्याण सेवाएं	**Family Welfare Services**										
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	3. Rural Family Welfare Services	2211	0.59	...	0.59	0.59	...	0.59	0.71	...	0.71
		3601	315.56	...	315.56	315.56	...	315.56	348.79	...	348.79
		3602	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*316.50*	...	*316.50*	*316.50*	...	*316.50*	*350.00*	...	*350.00*
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	4. Urban Family Welfare Services	2211	0.36	...	0.36	0.36	...	0.36	0.35	...	0.35
		3601	25.14	...	25.14	25.14	...	25.14	30.15	...	30.15
		3602	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़		*Total*	*28.00*	...	*28.00*	*28.00*	...	*28.00*	*33.00*	...	*33.00*
5. मातृ और शिशु स्वास्थ्य	5. Maternity and Child Health	2211	2.65	...	2.65	2.62	...	2.62	2.60	...	2.60
		3601	146.62	...	146.62	148.05	...	148.05	216.00	...	216.00
		3602	0.83	...	0.83	0.92	...	0.92	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*150.10*	...	*150.10*	*151.59*	...	*151.59*	*220.10*	...	*220.10*
जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं	**Total Family Welfare Services**		**494.60**	...	**494.60**	**496.09**	...	**496.09**	**603.10**	...	**603.10**
6. परिवहन	6. Transport	2211	0.06	0.07	0.13	0.07	0.08	0.15	0.06	0.08	0.14
		3601	15.71	...	15.71	23.07	...	23.07	25.65	...	25.65
		3602	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.09	...	0.09
जोड़-परिवहन	**Total Transport**		**15.80**	**0.07**	**15.87**	**23.18**	**0.08**	**23.26**	**25.80**	**0.08**	**25.88**
7. मुआवजा	7. Compensation	2211	1.28	...	1.28	1.28	...	1.28	1.28	...	1.28
		3601	98.06	...	98.06	98.06	...	98.06	97.91	...	97.91
		3602	0.66	...	0.66	0.75	...	0.75	0.81	...	0.81
जोड़-मुआवजा	**Total Compensation**		**100.00**	...	**100.00**	**100.09**	...	**100.09**	**100.00**	...	**100.00**
शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Education Training & Research**										
8. सूचना, शिक्षा और संचार	8. Information, Education and Communication	2211	11.43	0.86	12.29	12.91	0.94	13.85	15.89	0.96	16.85
		3601	18.28	...	18.28	17.30	...	17.30	17.30	...	17.30
		3602	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.21	...	0.21
		4211	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*30.00*	*0.86*	*30.86*	*30.50*	*0.94*	*31.44*	*33.50*	*0.96*	*34.46*
9. प्रशिक्षण अनुसंधान और मूल्यांकन	9. Training Research & Evaluation	2211	18.04	4.85	22.89	15.01	5.02	20.03	17.22	5.31	22.53
		3601	26.42	...	26.42	26.37	...	26.37	26.28	...	26.28
		3602	0.14	...	0.14	0.16	...	0.16	0.19	...	0.19
जोड़		*Total*	*44.60*	*4.85*	*49.45*	*41.54*	*5.02*	*46.56*	*43.69*	*5.31*	*49.00*
10. स्वास्थ्य गाइड योजना	10. Health Guide Scheme	2211	0.07	...	0.07	0.08	...	0.08	0.05	...	0.05
		3601	9.92	...	9.92	9.91	...	9.91	9.94	...	9.94
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*
जोड़-शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Total Education Training & Research**		**84.60**	**5.71**	**90.31**	**82.04**	**5.96**	**88.00**	**87.19**	**6.27**	**93.46**
अन्य सेवाएं और आपूर्ति	**Other Services and Supplies**										
11.01 प्रसवोत्तर कार्यक्रम	11.01 Post Partum Programme	2211	1.23	...	1.23	1.21	...	1.21	1.46	...	1.46
		3601	47.43	...	47.43	47.41	...	47.41	46.72	...	46.72
		3602	0.84	...	0.84	0.85	...	0.85	0.82	...	0.82
जोड़		*Total*	*49.50*	...	*49.50*	*49.47*	...	*49.47*	*49.00*	...	*49.00*
11.02 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण	11.02 Free Distribution of Conventional Contraceptives	2211	1.16	...	1.16	1.16	...	1.16	1.40	...	1.40
		3601	114.85	...	114.85	111.73	...	111.73	105.00	...	105.00
		3602	1.59	...	1.59	2.10	...	2.10	2.60	...	2.60
जोड़		*Total*	*117.60*	...	*117.60*	*114.99*	...	*114.99*	*109.00*	...	*109.00*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
11.03 वाणिज्यिक वितरण	11.03 Commercial Distribution	2211	28.00	...	28.00	30.02	...	30.02	40.00	...	40.00
11.04 क्षेत्र परियोजनाएं	11.04 Area Projects	2211	3.25	...	3.25	3.30	...	3.30	5.00	...	5.00
		3601	241.75	...	241.75	241.75	...	241.75	235.00	...	235.00
		3602	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
जोड़		*Total*	*250.00*	...	*250.00*	*250.05*	...	*250.05*	*250.00*	...	*250.00*
11.05 अन्य विभागों और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग	11.05 Involvement of Other Deptts & Voluntary Organisations etc	2211	8.95	...	8.95	8.80	...	8.80	9.70	2.50	12.20
11.06 बन्ध्यीकरण बिस्तर	11.06 Sterlization Beds										
		3601	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*
11.07 अन्य योजनाएं	11.07 Other Schemes	2211	5.45	2.50	7.95	0.21	2.60	2.81	39.61	...	39.61
		3601	152.15	...	152.15	151.46	...	151.46	143.74	...	143.74
		3602	...	...	...	0.08	...	0.08	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*157.60*	*2.50*	*160.10*	*151.75*	*2.60*	*154.35*	*183.55*	...	*183.55*
11.08 सामाजिक सुरक्षा तंत्र	11.08 Social Safety Net	3601	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00
11.09 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाएं परियोजना	11.09 Family Planning Services Project in U.P.	2211	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
		3601	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	5.00	...	5.00
जोड़		*Total*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*
जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां	**Total Other Services & Supplies**		**687.65**	**2.50**	**690.15**	**681.08**	**2.60**	**683.68**	**717.25**	**2.50**	**719.75**
12.सरकारी उद्यमों में निवेश	12. Investment in Public Enterprises	6211	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
13. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	13. Aid Material & Equipmetns - Gross	3606	...	36.00	36.00	...	71.00	71.00	...	29.00	29.00
घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	*Deduct - Transfer to Functional Major Heads*	*3606*	...	*-36.00*	*-36.00*	...	*-71.00*	*-71.00*	...	*-29.00*	*-29.00*
सहायता सामग्री और उपस्कर - निवल	Aid Material & Equipments - Net		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*1430.00*	*11.68*	*1441.68*	*1430.00*	*12.03*	*1442.03*	*1581.00*	*12.51*	*1593.51*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
12.01 हिन्दुस्तान लैटेक्स लि०	12.01 Hindustan Latex Ltd.	22211	0.05	...	0.05	2.19	...	2.19	0.05	...	0.05
जोड़	**Total**		**0.05**	**...**	**0.05**	**2.19**	**...**	**2.19**	**0.05**	**...**	**0.05**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. **परिवार कल्याण**	**1. Family Welfare**	**22211**	**1430.00**	**...**	**1430.00**	**1430.00**	**...**	**1430.00**	**1581.00**	**...**	**1581.00**

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 का लक्ष्य शताब्दी के अन्त तक प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर 21 प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित मृत्यु दर 9, और जनसंख्या तथा वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत होने के साथ इकाई की निवल प्रजनन दर प्राप्त करना है। आठवीं योजना दस्तावेज में इस लक्ष्य को 2011-2016 ईस्वी तक की अवधि में प्राप्त कर लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं :** इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें 1.55 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था है।

2. **निदेशन और प्रशासन:** परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय करकार के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक परिवार कल्याण एकक की स्वीकृति दी गई है। राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो राज्य स्तर पर परिवार कल्याण संगठन के एक भाग के रूप में विद्यमान है। बजट अनुमान 1995-96 में 49.72 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

3. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं:**

3.1 **ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र:** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन और प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संबंध में 1.4.1980 तक सभी ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी मंजूरी दे दी गई है। 1.4.1992 की स्थिति के अनुसार, देश में ऐसे 5435 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 1.4.1980

National Family Welfare Programme: The National Health Policy 1983 aimed at achieving the Net Reproduction Rate of Unity (NRR-1) by the turn of the century with the Crude Birth Rate of 21 per thousand population, Crude Death Rate of 9 per thousand population and Annual Natural Growth Rate of 1.2 percent. The Eighth Plan document envisaged the attainment of this goal in the period 2011-2016 A.D.

The important schemes implemented under this programme, and the provision there of, are given below:—

1. **Secretariat - Social Services** : Includes provision for the Department of Family Welfare. Amount involved is Rs. 1.55 crores.

2. **Direction and Administration:** Technical wing of Department of Family Welfare provides administrative and policy guidelines on technical aspects connected with Family Welfare Programme and is responsible for planning, monitoring, coordination and administration at the Head Quarter. In States/UTs one Family Welfare Cell is sanctioned to coordinate activities among the State Governments and Central Government. State and District Family Welfare Bureaux exist as a part of family welfare organisations at State level. A provision of Rs. 49.72 crore is proposal in BE 1995-96.

3. **Rural Family Welfare Services:**

3.1 **Rural Family Welfare Centres:-** The Rural Family Welfare Centres have been sanctioned at all block level PHCs sanctioned upto 1.4.1980 to provide Family Planning and MCH services in rural areas. There are 5435 such centres functioning in the country as on 1.4.1992. All block level PHCs sanctioned upto 1.4.1980 have been covered. A

तक स्वीकृत ब्लाक स्तर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसमें सम्मिलित हैं। इन 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को जारी रखने और उनके रखरखाव के लिए वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 160 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है

3.2 **ग्रामीण उप-केन्द्र:** निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार 1,31,471 उप- केन्द्र काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले 97,557 उप केन्द्रों के लिए बजट अनुमान 1995-96 में 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं** :शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में 1469 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में उन शहरों में जहां पर 1,00,000 से अधिक जनसंख्या है और उसकी कम से कम 40 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती हैं, वहा पर मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन/विभिन्न श्रेणी की स्वास्थ्य लघु केन्द्रों की स्थापना पर विचार किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 936 लघु स्वास्थ्य केन्द्र मजूर किये गये हैं और उसमें से 871 का पुनर्गठन किया गया है। विद्यमान शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और लघु स्वास्थ्य के रख-रखाव के लिए 1995-96 के बजट अनुमानों में 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

5. **मातृक और शिशु स्वास्थ्य** : परिवार नियोजन कार्यक्रम की ग्राह्यता को बढ़ाने, बच्चे की उत्तरजीविता के अवसरों को बढ़ाने के आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकारा गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारना और मातृक, शिशु, एवं बच्चों की रूग्णता एवं मृत्यु दरों को कम करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वर्ष 1985 में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1986 में प्रौद्योगिकी मिशनों में से यह भी एक था। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के दौरान भी मातृक एवं शिशु स्वास्थ्य के तीन कार्यक्रम चल रहे थे। अर्थात: (i) ओरल हाईड्रेशन थिरेपी, (ii) स्तनपान कराने वाली माताओं में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी से उत्पन्न होने वाले अन्धत्व की रोकथाम, और (iii) दाई-प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992-93 में आरम्भ किया गया था। इसकी कार्यक्रम शुरुआत विद्यमान मातृक और बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और उनको एकीकृत करने तथा अत्यधिक श्वसन संक्रमण के नियंत्रण की प्राथमिक परियोजनाओं को आरम्भ करने एवं उनके विस्तार और पारम्परिक दाईयों के प्रशिक्षण के लिए की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 220.10 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

6. **परिवहन:** इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए पैट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 20,000/- रुपए प्रति वर्ष के दर से और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से सहायता दी जाती है। इसके अलावा पुराने खराब वाहनों को प्रतिस्थापित किया जाता है। विद्यमान वाहनों के अनुरक्षण और पुराने खराब वाहनो के प्रतिस्थापन के लिए 1995-96 के बजट अनुमानों में 25.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

7 . **क्षतिपूर्ति** : आवधिक विधियों (बन्ध्यीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों और परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित दरों पर क्षतिपूर्ति की जाती है :-

पुरूष नसबन्दी	180/- रूपए प्रति मामला
स्त्री नसबन्दी	200/- रूपए प्रति मामला
लूप लगवाना	3/- रूपए प्रति मामला

लूप लगवाने के मामले में, ग्राही गो दी जाने वाली 9 रुपए की राशि 1.11.93 से बन्द कर दी गई है। केवल दवाईयों के लिए 250 रुपए प्रति मामले पर और जटिलता उत्पन्न होने की दशा में अनुग्रही भुगतान के कोष में अंशदान के लिए 50 पैसे प्रति मामले दर भुगतान किया जाता है।

provision of Rs.160 crores is proposed in BE 1995-96 for continuation/maintenance of these 5435 Rural Family Welfare Centres.

3.2 **Rural Sub- Centres:** In order to provide comprehensive Primary Health Care Services at the grass-root level, sub-centres for every 5000 rural population (3000 population in the tribal and hilly areas) are established. These sub-centres provide basic health and family welfare services to the rural population. 1,31,471 sub-centres are functioning as on 30.6.1993. A provision of Rs.190.00 crores is proposed in BE 1995-96 for 97,557 sub-centres which are funded under the National Family Welfare Proramme.

4. **Urban Family Welfare Services** : For providing Family Welfare and MCH services in urban areas, 1499 Urban Family Welfare Centres have been sanctioned in the country. In order to improve out-reach service delivery system in urban slums, Urban Revamping Scheme has been introduced. The scheme of revamping of urban family welfare service envisaged re-organisation of existing Urban Family Welfare Centres/establishment of various categories of health posts in the cities with more than 1,00,000 population and having atleast 40 per cent of population residing in the slum areas. So far 936 health posts under the scheme have been sanctioned by Government of India, out of which 871 have been re-organised. A provision of Rs.33.00 crores is proposed in BE 1995-96.

5. **Maternity and Child Health:** To enhance acceptability of Family Planning Programme, the need for enhancing chances of child survival has been widely accepted. The objective of the scheme is to improve the health status of women and children and reduce maternal, infant and child morbidity and mortality rates. In order to achieve these goals, the Universal Immunisation Programme was launched in 1985. This was made one of the Technology Mission in 1986. Besides, three MCH Programmes were also in operation during 7th Plan period viz: (i) Oral Rehydration Therapy, (ii) Prophylaxis against anaemia among lactating mothers and prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency among children, and (iii) Dais Training Programme. Child Survival and Safe Motherhood programme was launched in 1992-93. It has been formulated with a view to integrate and strengthen the existing maternal and child health interventions and to initiate and expand the pilot projects on Acute Respiratory Infections control and Traditional Birth Attendants' training. A provision of Rs. 220.10 crores is proposed in BE 1995-96 for this scheme.

6. **Transport**: Recognising the fact that mobility plays a crucial role in effective supervison and in providing outreach service delivery system, vehicles at various levels are provided by the Government of India to States. Assistance for maintenance of these vehicles, is provided at the rate of Rs.20,000/- per annum per petrol driven vehicle and Rs.15,000/- per annum for diesel driven vehicles is provided. Besides, old unserviceable vehicles are replaced. A provision of Rs.25.80 crores is proposed in B.E. 1995-96 for maintenance of existing vehicles and replacement of old unserviceable vehicles.

7. **Compensation**: To compensate acceptors of terminal methods (sterilization) against loss of wages, and to meet the costs of diet, dressing, drugs, transport, etc., compensation at the following rates is admissible to States/UTs:—

Vasectomy	Rs.180/- per case.
Tubectomy	Rs.200/- per case.
I.U.Ds.	Rs.3/- per case

In case of IUD insertions, the amount of Rs. 9/- being paid to acceptors has been stopped with effect from 1.11.93. Only Rs. 2.50 per case is paid for drugs and medicines and Rs. 0.50 as contribution to fund for exgratia payments in case of complications etc.

वर्ष 1995-96 के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

8. **सूचना, शिक्षा और संचार :** सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वियन परिवार कल्याण तरीकों का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है। इन कार्यकलापों का समन्वयन एवं परिवीक्षण केन्द्र में सूचना शिक्षा एवं संचार प्रभाग द्वारा किया जाता है जो आद्यप्रारूप (प्रोटोटाइप) तैयार करता है, नीतियां बनाता है और देश में मीडिया के समस्त प्रचालन कार्य को मार्गदर्शन व समर्थन प्रदान करता है ताकि परिवार कल्याण कार्य को बढ़ावा दिया जा सके और छोटे परिवार की मान्यता को लोकप्रिय बनाया जाए। इस योजना के लिए बजट अनुमान 1995-96 में 30.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

9. **प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन** परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त प्रशिक्षित एवं शिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया ही जाना चाहिए। इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमान 1995-96 में प्रशिक्षण के लिए 27.07 करोड़ रुपए की और अनुसंधान एवं मूल्यांकन के लिए 16.62 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

10. **स्वास्थ्य गाइड स्कीम :** ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानीय विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि आम बीमारियों की हालत में लोगों को सहायता दी जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, प्रति 1000 की जनसंख्या या एक गाव के लिए स्वास्थ्य गाइडों का चयन ग्रामीण समुदाय द्वारा ही किया जाता है और प्रतिमाह 50/- रुपए का मानदेय दिया जाता है। इस समय 3.24 लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइड काम कर रहे है। बजट अनुमान 1995-96 में योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव है।

11 **अन्य सेवाएं और आपूर्तियां :**

11.01. **प्रसवोत्तर कार्यक्रम :** प्रसवोत्तर कार्यक्रम जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसूति केन्द्र अस्पताल आधारित माध्यम है, के अन्तर्गत जिला स्तर पर 550 प्रसवोत्तर केन्द्र और उप-जिला स्तर पर 1012 प्रसवोत्तर केन्द्र काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती माताओ को प्रसव-पूर्व, प्रसवकालीन व प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना है और प्रारम्भिक अवस्था ग्रीवा कैंसर का निदान करने के अलावा परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं प्रदान करना भी है। बजट अनुमान 1995-96 में इस योजना के लिए 49 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव है।

11.02 और 11.03 **गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरण :** इस तथ्य को जानते हुए कि पुनःप्रजनन आयु सीमा में अधिकाधिक संख्या में युवा-युगल प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बंध्यीकरण जैसी परिवार नियोजन की पद्धतियों को अपनाने की वकालत नहीं की जा सकती। युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाने की गोलियां, निरोध, कोपर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधक की पेशकश की गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान समाज में विपणन करने के लिए और निःशुल्क दोनों के लिए ही गर्भ निरोधकों की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत 149 करोड़ रुपए की व्यवस्था विद्यमान है।

11.04 **क्षेत्रीय परियोजनाएं :** भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य-पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एक समान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता। देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं करने की पद्धति में सुधार करना ताकि राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके। क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक विदेशी सहायता द्वारा शुरु की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत,

An outlay of Rs. 100.00 crores has been proposed for the year 1995-96.

8. **Information, Education and Communication:** Information, Education and Communication activities are carried out to achieve wider publcity of FW methods by respective Mass Education and Media set-ups created in the States and Media units of the Ministry of Information and Broadcasting. These activities are coordinated and monitored by the Information Education and Communication Division at the Centre which prepares proto-types, formulates policies and provides guidelines and support for the operationalisation of the total media endeavour in the country to promote family welfare and popularise the small family norm. A provision of Rs.30.50 crores is proposed in B.E. 1995-96 for this scheme.

9. **Training, Research and Evaluation :** The success of Family Welfare Programme depends, to a large extent, upon the availability of qualified trained and educated workers. Considering the nature of Family Welfare Programme where one dissatisfied acceptor will have a long lasting adverse effect on the Programme, the need for having properly and adequately trained manpower under the programme can hardly be over-emphasised. Training is, therefore, given due weightage under the programme. The training at various levels is imparted through the network of Health and Family Welfare Training Centres, ANM Training Schools PHCs and sub-centres. Besides, a number of well reputed institutes, viz. Indian Council of Medical Research, National Institute of Health and Family Welfare, International Institute of Population Sciences, Central Drug Research Institute, etc. are involved in carrying out training and research activites. A provision of Rs.27.07 crores for training and 16.62 crores for research and evaluation has been kept in BE 1995-96 for the purpose.

10. **Health Guide Scheme:** The Village Health Guide Scheme aims to train local persons, preferably women in Primary Health Care so as to provide relief to the people from common ailments. Under the scheme, Health Guides are selected by the village community for every 1000 population or a village and are provided an honorarium of Rs.50/- per month. At present 3.24 lakhs VHGs are in position. A provision of Rs.10 crores is proposed in B.E. 1995-96 for the scheme.

11. **Other Services and Supplies :**

11.01 **Post Partum Programme:** The Post Partum Programme, a maternity centre hospital based approach to Family Welfare Programme, covers 550 Post Partum Centres at district levels and 1012 Post Partum Centres at sub-district level hospitals. The objective of the programme is to provide anti-natal, natal and post-natal services to expectant mothers and also to provide Family Planning Services besides diagonising early cases of cervical cancer. A provision of Rs.49 crores is proposed in B.E. 1995-96 for this scheme.

11.02 & 11.03 **Free and Commercial Distribution of Contraceptives:** Recognising the fact that more younger couples are entering the reproductive age group, tarminal methods of Family Planning, namely sterilisation, cannot be advocated for them. To respond to the needs of younger couples, various contraceptives under spacing methods of Family Planning such as oral pills, condoms, Cu-Ts, etc. are offered under the programme. A provision of Rs. 149 crore exists under the programme for supply of contraceptives both free and under social marketing during 1995-96.

11.04 **Area Projects:** India is a vast and diversified country. The States vary in terms of socio-economic, cultural and value systems and as such a uniform pattern of infrastructure cannot be advocated for all States. To improve health and family welfare delivery system in certain identified backward districts of the country so as to hasten their development at par with the nation's average, Area Projects have been taken up with partial foreign assistance from external agencies. Under the scheme, additional imputs in terms of

भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रुप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमान 1995-96 में 250.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

11.05 **गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी** : जनसंख्या संबन्धी समस्याओं के स्वरुप एवं विकरालता को ध्यान में रखते हुए, छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने के लिए लोगों को जानकारी देने एवं प्रेरित करने के लिए केवल सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न काफी नहीं होंगे। इसलिए संगठित क्षेत्र एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार के प्रयत्नों के कार्यक्रम को परिपूर्ण करने के लिए शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 1995-96 के दौरान 12.20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

11.06 **बन्ध्यीकरण विस्तार**: इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान को प्रति विस्तार 3000 रुपए मासिक की दर से अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि प्रति वर्ष प्रति विस्तार न्यूनतम 75/60 ट्यूबक्टोमीज क्रमशः सरकार/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाएं। वर्तमान में इस प्रकार की कुल 2797 शैय्या प्रचालन में हैं। ब.अ. 1995-96 में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गयी है।

11.07 **अन्य स्कीमें**: इसके अन्तर्गत नए उपक्रम अथवा अल्पावधिक योजनाएं शामिल हैं। ब.अ. 1995-96 में 183.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसमें से 141 करोड़ रुपए की राशि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य सरकारों को देय बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए है। 1995-96 में एक प्रमुख नया उपक्रम जो आरम्भ किया जाएगा वह 34.75 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था सहित परिवार कल्याण प्रौद्योगिकी मिशन का है। इस स्कीम के अन्तर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए जो सामाजिक जनसंख्यिकी की दिशा में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं, परिवार कल्याण विभाग में एक प्रौद्यागिकी मिशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यह मिशन राज्यों प्रशासनों के साथ लगातार पारस्परिक बातचीत के माध्यम से पुनर्प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता का उन्नयन, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, विदेशों से वित्त पोषित क्षेत्रीय परियोजनाओं का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, निविष्टियों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना और कारगार सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण के माध्यम से परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता लाने, अभिप्रेरित करने और उसे स्वीकार किए जाने को सुनिश्चित करेगा।

11.08 **सामाजिक सुरक्षा निवल कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 पिछड़े जिलों के लिए विशेष निवेश**: उन कम निष्पादन करने वाले 90 जिलों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्तर पर आरंभिक स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाओं में उन्नयन करने की दृष्टि से 1992-93 में विश्व बैंक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र के अन्तर्गत एक योजना आरम्भ की गई थी। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यह स्कीम दो वर्ष के लिए है। इस स्कीम के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान 45-45 करोड़ रुपए की राशि दी गयी थी जिसमें से प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा और 5-5 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए। 1994-95 के दौरान 45.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इतनी ही राशि का प्रावधान 1995-96 के लिए भी किया गया है।

11.09 **उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण**: 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पत्ति सुरक्षा दर को बढ़ाकर 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.ए.आई.डी. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम को एक करोड़ के प्रावधान के साथ 1992-93 में आरम्भ किया गया था, वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में इस स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

12. सरकारी उद्यमों में निवेश : हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। वर्ष के दौरान किसी भी परियोजना को चलाने के लिए बजट में 5 लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था रखी गयी है।

13. सहायता सामग्री और उपस्कर : इसके लिए यूनीसेफ से शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व परियोजना के लिए सहायता अनुदान के रूप में राशि प्राप्त होने के अनुमान है।

buildings, vehicles, training, etc. are provided. A provision of Rs.250.00 crores is proposed in BE 1995-96 for the purpose.

11.05 **Involvement of Non-Governmental Organisations:** Keeping in view the nature and magnitude of the population problem, Governments efforts alone in educating and motivating the people for adoption of small family norm would not suffice. The Organised Sector and Voluntary Organisations have, therefore, been involved in the Programme to supplement and complement the Governmental efforts. An amount of Rs. 12.20 crores has been provided during 1995-96 for this purpose.

11.06 **Sterilisation Beds:** Under this scheme maintenance grant @ Rs. 3000/- per bed per annum is paid to each institution subject to the condition that a minimum of 75/60 tubectomies per bed per annum are achieved by Government/Voluntary Organisation respectively. At present a total 2797 beds are functioning. A provision of Rs. 1 crore is proposed in BE 1995-96.

11.07. **Other Schemes**: New initiatives or short term schemes are covered under this. A provision of Rs. 183.55 crores is proposed in BE 1995-96. Of this Rs. 141 crores are for settling arrears due to the State GOvernments for implementing the Family Welfare Programme. A major new initiative to be taken up in 1995-96 is Technology Mission on Family Welfare with the budget provision of Rs. 34.75 crores. Under the Scheme it is proposed to set up a Technology Mission in the department of Family Welfare for the States of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh which are the most backward in the Socio-demographic front. This Mission through constant interaction with the State administration will seek to upgrade the quality of reproductive health care, strengthen infrastructure facilities, ensure expeditious implementation of externally funded area projects, ensure timely supply of inputs and through effective information, education and communication increase awareness, motivation and acceptance of Family Planning.

11.08 **Special Input for 90 backward Districts under Social Safety Net Programme:** With a view to upgrading the primary health care facilities at P.H.C. level in the 90 poor performing districts, a scheme under the World Bank Social Safety Net was initiated in 1992-93. World Bank funded this Scheme for two years. A sum of Rs. 45.00 crores each during 1992-93 and 1993-94 was provided for this scheme, out of which Rs. 40.00 crores each year was provided by World Bank and Rs. 5.00 crores by the Government of India. During 1994-95, a provision of Rs. 45.00 crores was made and the same amount has been proposed in 1995-96 as well.

11.09. **Innovations in Family Planning Services Project for Uttar Pradesh:** A project agreement has been signed with USAID for a 10 year Project to bring down total fertility rate in Uttar Pradesh from 5.4 to 4.0 and to increase the Couple Protection Rate from 35% to 50% during the period of 10 years. The scheme was initiated in 1992-93 with a provision of Rs. 1 crore, Rs. 30 crore has been proposed in 1995-96 for this scheme.

12. **Investment in Public Enterprises :** Hindustan Latex Limited is a public sector undertaking under the control of Ministry of Health & Family Welfare. A token provision of Rs. 5 lakhs has been kept in the Budget for taking up any projects during the year.

13. **Aid Materials and Equipment :** The estimates relate to grant assistance in kind which is expected to be received from UNICEF for the Child Survival and Safe Motherhood Project.

गृह मंत्रालय *MINISTRY OF HOME AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No. 41

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		11.48	262.41	273.89	10.27	276.70	286.97	10.75	273.63	284.38
पूंजी	*Capital*		...	*17.20*	*17.20*	...	*14.45*	*14.45*	...	*16.20*	*16.20*
जोड़	**Total**		**11.48**	**279.61**	**291.09**	**10.27**	**291.15**	**301.42**	**10.75**	**289.83**	**300.58**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	23.74	23.74	...	25.31	25.31	...	24.45	24.45
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	***Census Surveys & Statistics***										
2. जनगणना	2. Census	3454	8.48	46.25	54.73	7.51	42.39	49.90	8.00	40.00	48.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	***Other Administrative Services***										
3. राजभाषा	3. Official Language	2070	3.00	5.77	8.77	2.76	5.77	8.53	2.75	5.94	8.69
4. आसूचना ब्यूरो	4. Intelligence Bureau	2070	...	134.50	134.50	...	149.19	149.19	...	150.56	150.56
		4216	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
		4059	...	14.00	14.00	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00
जोड़		*Total*	...	*149.50*	*149.50*	...	*161.69*	*161.69*	...	*165.56*	*165.56*
5. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को अदायगी	5. Payment to State Govts. for Administration of Central Acts & Regulations	3601	...	6.81	6.81	...	6.91	6.91	...	6.95	6.95
6. नागरिक सुरक्षा	6. Civil Defence	2070	...	2.19	2.19	...	2.10	2.10	...	2.28	2.28
		3601	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50
जोड़		*Total*	...	*8.69*	*8.69*	...	*8.60*	*8.60*	...	*8.78*	*8.78*
7. होम गार्ड्स	7. Home Guards	3601	...	27.00	27.00	...	26.00	26.00	...	28.00	28.00
8. अन्य मदें	8. Other Items	2013	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
		2070	...	7.49	7.49	...	7.40	7.40	...	7.61	7.61
		2250	...	0.30	0.30	...	2.84	2.84	...	0.33	0.33
		3601	...	1.80	1.80	...	2.23	2.23	...	0.95	0.95
		4216	...	1.00	1.00	...	1.75	1.75	...	1.00	1.00
		4059	...	1.20	1.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़		*Total*	...	*11.85*	*11.85*	...	*14.48*	*14.48*	...	*10.15*	*10.15*
कुल जोड़	***Grand Total***		***11.48***	***279.61***	***291.09***	***10.27***	***291.15***	***301.42***	***10.75***	***289.83***	***300.58***

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1. Census Surveys and Statistics	13454	8.48	...	8.48	7.51	...	7.51	8.00	...	8.00
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2. Other Administrative Services	32070	3.00	...	3.00	2.76	...	2.76	2.75	...	2.75
जोड़	**Total**		**11.48**	**...**	**11.48**	**10.27**	**...**	**10.27**	**10.75**	**...**	**10.75**

1. **सचिवालय :** इसमें चार विभागों अर्थात् आन्तरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग और गृह विभाग के व्यय का प्रावधान शामिल है।

2. **जनगणना :** इसके अन्तर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए व्यवस्था की गई है जो जन्म-मरण के आंकड़े इकट्ठे करने तथा दशवार्षिक जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है। इस संगठन के अन्य कार्यकलाप इनसे संबंधित है, सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकी, जातीय और भाषा संबंधी सर्वेक्षण और उनका अध्ययन तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों का मानचित्रिक चित्रण। आयोजना व्यय के अन्तर्गत जनगणना के आंकड़ों का संगणकीकरण, जनगणना संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन, मानचित्रिक विश्लेषण तथा अन्य खर्चों के लिए व्यवस्था की गई है ।

3. **राजभाषा :** इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि के लिए व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

4. **आसूचना ब्यूरो :** इसमें आप्रवास ब्यूरो के लिए भी व्यवस्था शामिल है । 1994-95 के संशोधित अनुमान में वृद्धि का मुख्य कारण अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति, अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती और नये उपकरणों की खरीद है। 1995-96 के बजट अनुमानों में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया हैं।

1. **Secretariat :** Includes provision for expenditure of four Departments viz. Department of Internal Security, Department of States, Department of Official Language and Department of Home.

2. **Census :** Includes provisions for the office of the Registrar General and Census Commissioner of India who is responsible for collection of vital statistics and taking the decennial population census. The other activities of the organisation pertain to socio-economic, demographic, ethnographic and linguistic surveys and studies and cartographic depiction of census statistics. Plan provision is for computerisation of census data, evaluation of census data, cartographic analysis and other expenditure.

3. **Official Language :** Includes expenditure on teaching Hindi to Central Government employees, Central Hindi Training Institute, Central Translation Bureau, Regional Implementation Offices etc.

4. **Intelligence Bureau:** Includes also provision for Bureau of Immigration. The increase in RE 1994-95 is mainly due to grant of Additional Dearness Allowance, induction of more personnel and purchase of new equipments. The increse in BE 1995-96 takes into account the normal growth.

5. **राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए अदायगियां :** इसमें नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण और उन पर निगरानी तथा अन्य अधिनियम, नियम एवं विनियमों के प्रशासन के लिए व्यवस्था शामिल है ।

6. **नागरिक सुरक्षा :** भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता चुने हुए स्थानों और आवश्यक संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को उनके सामरिक महत्व को देखते हुए दी जाती है । नागरिक सुरक्षा का गठन, थोड़े से स्थायी न्यूक्लिअस स्टाफ को छोड़कर, मुख्यतः स्वैच्छिक आधार पर किया गया है । इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

7. **होम गार्ड :** यह एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक विस्तृत ढांचे और नीति के अन्तर्गत किया गया था । होमगार्डों का उपयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने-अपने पुलिस बलों के पूरक के रूप में किया जाता है । सीमा विंग होम गार्डों को सीमा सुरक्षा बलों के साथ पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए नियोजित किया जाता है । इसके अन्तर्गत चुनाव कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए होम गार्डों पर व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

8. **अन्य मदें :** इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों, अंतर्राज्यीय परिषदों, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, विशेष जांच आयोग, आई.सी.पी.ओ.-इंटरपोल के लिए अंशदान, आदि के लिए व्यवस्था शामिल है ।

5. **Payments to State-Governments for Administration of Central Acts and Regulations :** Includes administration of Citizenship Act, registration and surveillance of foreigners and other Acts, Rules and Regulations.

6. **Civil Defence :** As per the policy of Government of India, Central assistance for Civil Defence measures is confined to selected places and vital plants/installations depending upon their strategic and tactical importance. Civil Defence is organised primarily on a voluntary basis, except for a small permanent nucleus staff. The provision includes expenditure on National Civil Defence College.

7. **Home Guards :** It is a voluntary force raised by the State and U.T. Administrations under a broad pattern and policy laid down by the Ministry of Home Affairs. Home Guards are utilised by the State Governments and U.T.Administrations to supplement their respective Police forces for maintaining law and order, traffic control and protection of public property. Border Wing Home Guards are deployed to guard international borders along with the B.S.F. both in the western and the eastern sectors. Provision also includes expenditure on Home Guards utilised by the State Governments for election duties.

8. **Other items :** Includes provision for Zonal Councils, Inter-State Council, National Fire Service College, Special Commission of Enquiry, Contributions to ICPO-Interpol, etc.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS
मांग संख्या DEMAND No. 42
मंत्रिमंडल Cabinet

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	40.66	40.66	...	51.01	51.01	...	50.66	50.66
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**40.66**	**40.66**	...	**51.01**	**51.01**	...	**50.66**	**50.66**
मंत्रिपरिषद	***Council of Ministers***										
1. वेतन	1. Salaries	2013	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
2. यात्रा व्यय	2. Tour Expenses	2013	...	32.00	32.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
3. व्यय संबंधी तथा अन्य भत्ते	3. Sumptuary and Other Allowances	2013	...	0.65	0.65	...	0.70	0.70	...	0.70	0.70
4. मंत्रिमंडल सचिवालय	4. Cabinet Secretariat	2013	...	3.36	3.36	...	3.75	3.75	...	3.75	3.75
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय	5. Prime Minister's Office	2013	...	3.95	3.95	...	5.55	5.55	...	4.90	4.90
जोड़-मंत्रिपरिषद	**Total Council of Ministers**		...	**40.21**	**40.21**	...	**50.25**	**50.25**	...	**49.60**	**49.60**
सचिवालय सामान्य सेवाएं	***Secretariat General Services***										
6. जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग	6. Department of J&K Affairs	2052	...	...	...	...	0.31	0.31	...	0.61	0.61
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	***Other Administrative Services***										
7. आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	7. Hospitality and Entertainment Expenses	2070	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***40.66***	***40.66***	...	***51.01***	***51.01***	...	***50.66***	***50.66***

1. इसमें केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के वेतनों की व्यवस्था शामिल है ।

2. इसमें केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

3. इसमें मंत्रियों के व्यय संबंधी तथा अन्य भत्ते शामिल है ।

4. इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च से संबंधित व्यय शामिल हैं।

5. इसमें प्रधान मंत्री के कार्यालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

6. इसमें 1 नवम्बर, 1994 से गठित किये गये जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग के सचिवालय की स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

7. इसमें राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में किए जाने वाले विदेशी राष्ट्रों के मेहमानों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन पर तथा राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत, मानाभिषेक और सम्मान-पत्र समारोहों आदि के प्रस्तुतीकरण पर होने वाला व्यय शामिल है।

1. Includes provision for salaries of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.

2. The provision is intended for expenditure on travel by Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.

3. Include sumptuary and other allowances of Ministers.

4. The provision is for expenditure on salaries, travel, office expenses, of Cabinet Secretariat.

5. Includes expenditure on salaries, travel, office expenses etc. of PM's Office.

6. The provision is for meeting the expenditure on Secretariat establishment of the Department of J&K Affairs, which has been set up from November 1, 1994.

7. Includes expenditure on Government hospitality and entertainment of foreign States guests; official entertainment arranged at Rashtrapati Bhavan on behalf of the Vice-President and Prime Minister; Reception on National Days, Investiture and Presentation of Credential ceremonies etc.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS
मांग संख्या DEMAND No. 43
पुलिस Police

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		5.50	2763.18	2768.68	5.50	2824.28	2829.78	6.00	2957.01	2963.01
पूंजी	*Capital*		*25.00*	*436.82*	*461.82*	*25.00*	*411.52*	*436.52*	*40.00*	*410.41*	*450.41*
जोड़	**Total**		**30.50**	**3200.00**	**3230.50**	**30.50**	**3235.80**	**3266.30**	**46.00**	**3367.42**	**3413.42**
पुलिस	*Police*										
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	1. Central Reserve Police	2055	0.05	775.59	775.64	0.05	812.95	813.00	0.74	846.95	847.69
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2. National Security Guard	2055	...	41.59	41.59	...	44.08	44.08	...	48.75	48.75
3. सीमा सुरक्षा बल	3. Border Security Force	2055	0.01	945.35	945.36	0.01	925.43	925.44	0.63	993.34	993.97
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	4. Indo-Tibetan Border Police	2055	0.30	160.19	160.49	0.30	163.37	163.67	0.18	176.47	176.65
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	5. Central Industrial Security Force	2055	...	307.80	307.80	...	323.56	323.56	...	344.45	344.45
6. असम राइफल्स	6. Assam Rifles	2055	...	276.64	276.64	...	295.75	295.75	0.18	303.20	303.38
7. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	7. Education, Training and Research	2055	1.32	8.53	9.85	1.32	8.67	9.99	0.33	9.22	9.55
8. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	8. Criminal Investigation and Vigilance	2055	2.32	7.71	10.03	2.32	7.10	9.42	3.44	7.54	10.98
9. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	9. Inter-State Police Wireless Scheme	2055	1.50	11.20	12.70	1.50	11.18	12.68	0.50	11.83	12.33
10. विशेष पुलिस	10. Special Police	2055	...	37.80	37.80	...	40.39	40.39	...	39.58	39.58
11. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	11. Modernisation of Police Force	3601	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
		7601	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
जोड़		*Total*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*
12. अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली	12. Crime - Criminal Information System	3601	...	22.00	22.00	...	15.00	15.00	...	0.01	0.01
13. अन्य योजनाएं	13. Other Schemes										
13.01 अन्य मदें	13.01 Other Items	2055	...	14.73	14.73	...	15.19	15.19	...	16.37	16.37
13.02 बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रति पूर्ति	13.02 Reimbursement to States for deployment of Battalions	3601	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00
13.03 इंडिया रिजर्व बटालियन	13.03 India Reserve Battalions	3601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	15.00	15.00
		7601	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	20.00	20.00
जोड़		Total	...	23.00	23.00	...	23.00	23.00	...	35.00	35.00
13.04 राज्यों को विशेष सहायता	13.04 Special Assistance to States	3601	...	100.00	100.00	...	109.56	109.56	...	100.00	100.00
		7601	...	...	...	...	4.60	4.60	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*100.00*	*100.00*	...	*114.16*	*114.16*	...	*100.00*	*100.00*
जोड़-अन्य योजनाएं जोड़	**Total-Other Schemes**	*Total*	...	*153.73*	*153.73*	...	*168.35*	*168.35*	...	*167.37*	*167.37*
जोड़-पुलिस	**Total Police**		5.50	2778.13	2783.63	5.50	2845.83	2851.33	6.00	2978.71	2984.71
आवास	***Housing***										
14. पुलिस के लिये रिहायशी आवास का निर्माण	14. Construction of Residential Accommodation for Police	4216	25.00	36.50	61.50	25.00	40.12	65.12	40.00	31.82	71.82
लोक निर्माण कार्य	***Public Works***										
15. पुलिस के लिये भवनों का निर्माण	15. Construction of Buildings for Police	4059	...	141.14	141.14	...	137.52	137.52	...	140.00	140.00
सड़कें और पुल	***Roads & Bridges***										
भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य	***Indo-Bangladesh Border Works***										
16. कांटेदार बाड़ लगाना	16. Erection of Barbed Wire Fencing	5054	...	44.18	44.18	...	23.00	23.00	...	30.00	30.00
17. सड़कों का निर्माण	17. Construction of Roads	5054	...	106.00	106.00	...	97.00	97.00	...	120.00	120.00
जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य	**Total Indo-Bangladesh Border Works**		...	**150.18**	**150.18**	...	**120.00**	**120.00**	...	**150.00**	**150.00**
18. पंजाब कार्रवाई योजना	18. Punjab Action Plan	5054	...	80.00	80.00	...	80.28	80.28	...	53.59	53.59
19. विविध मदें	19. Miscellaneous Items	3054	...	14.05	14.05	...	12.05	12.05	...	13.30	13.30
कुल जोड़	***Grand Total***		*30.50*	*3200.00*	*3230.50*	*30.50*	*3235.80*	*3266.30*	***46.00***	***3367.42***	***3413.42***

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. पुलिस	1. Police	32055	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.00	...	6.00
2. लोक निर्माण कार्य	2. Housing	22216	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
जोड़	Total		30.50	...	30.50	30.50	...	30.50	46.00	...	46.00

1. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस :** यह पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती है और राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने पर विभिन्न प्रकार के आन्तरिक सुरक्षा कार्य करती है। इस बल

1. **Central Reserve Police :** The Force assists the State Governments in the maintenance of law and order and performs various internal security duties when requisitioned by the States. The

का दैवी विपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः बल को कानून और व्यवस्था के पालन और चुनावों के कार्य में लगाने, राशन भत्ते की दरों में वृद्धि और एक महिला बटालियन के सृजन के कारणों से हुई है। 1995-96 के बजट अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः सामान्य बढ़ोतरी के कारण हुई है।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड** : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट बल है। इसी पृष्ठभूमि के साथ 1984 में संघीय बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया था जिसका प्रयोजन बढ़ते हुए सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने में विशेष दक्षता की आवश्यकता वाली विशिष्ट स्थिति से निपटना था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को अधिक जोखिम वाले अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी सौंपा गया है। 1994-95 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि का मुख्य कारण मशीनों एवं उपकरणों की खरीद तथा वाहनों के प्रतिस्थापन करना है। 1995-96 के बजट अनुमानों में वृद्धि सामान्य बढ़ोतरी और वाहनों के प्रतिस्थापन के कारण है।

3. **सीमा सुरक्षा बल** : जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी रखने, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमा, भारत-बंगलादेश और भारत-बर्मा सीमा पर तैनाती के अपने सामान्य कार्य के अलावा, यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को प्रभावी सहायता प्रदान करता है। यह सीमा-स्थित/स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है और सीमा क्षेत्र में होने वाले अपराधों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकता है। सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत बल को आधुनिक हथियारों से लैश करने और सीमा पर गश्त बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। 1995-96 के बजट अनुमानों में वृद्धि का मुख्य कारण व्यय में सामान्य बढ़ोतरी के अलावा नई बटालियनों के गठन के लिए प्रावधान करना है।

4. **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस** : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रों से लगी भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है। बैंक सुरक्षा के लिए भी बल को नियुक्त किया गया है। 1994-95 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि नई बटालियनों के लिए व्यवस्था और राशन भत्ते में बढ़ोतरी के कारण हुई है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में वृद्धि का मुख्य कारण सामान्य बढ़ोतरी है।

5. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** : यह बल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र / राज्य सरकार की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है। संशोधित अनुमान 1994-95 और बजट अनुमान 1995-96 में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य वृद्धि के अलावा उपक्रम में भरती के लिए नये पदों का सृजन करने के कारण हुई है।

6. **असम राइफल्स** : असम राइफल्स देश का सबसे पुराना सशस्त्र अर्ध-सैनिक बल है । अधिकांश बल सेना के नियंत्रणाधीन उत्तर - पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य करता है। वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बलों की तैनाती, ज्यादा वाहनों की खरीद किए जाने, आयुध एवं आयुध सामग्री की ज्यादा खरीद और राशन की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में वृद्धि का मुख्य कारण सामान्य बढ़ोतरी है।

7. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** : इसके अन्तर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विधि संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पर होने वाले खर्च को पूरा किया जाता है।

8. **अपराध संबंधी अन्वेषण और सतर्कता** : इसके अंतर्गत केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला और विवादास्पद कागज-पत्रों के सरकारी परीक्षण आदि के कार्यालय के लिए खर्च की व्यवस्था शामिल है।

9. **अन्तर-राज्यीय पुलिस वायरलैस स्कीम** : राज्यों से और राज्यों को संदेश प्रसारण के अतिरिक्त इसका उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आधुनिक उपस्करों का उपयोग करके इस पद्धति को आधुनिक बनाना है।

10. **विशेष पुलिस** : इसमें जम्मू एवं काश्मीर की छोटी टुकड़ी के लिए रक्षा मंत्रालय को अदा किये गये प्रभार शामिल है।

11. **पुलिस बल का आधुनिकीकरण** : इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसे वाहनों, वायरलैस उपस्करों, कम्प्यूटरों और अन्य आधुनिक उपस्करों की खरीद पर किए जाने वाले अनावर्ती स्वरूप के खर्च के लिए प्रयुक्त किया जाना होता है।

Force is also used in arranging relief at the time of natural calamities etc. Increase in RE 1994-95 is mainly due to movement of the Force on law and order duty and election duty, enhancement of the rates of ration money and raising of one Mahila Batallion. Increase in BE 1995-96 is mainly due to normal growth.

2. **National Security Guard**: NSG is a specialised force to combat terrorism in all forms. With this background, NSG was raised in 1984 as a Federal Force to tackle the specific situation requiring special skills to counter the increasing menace of terrorism in all forms. NSG has also been entrusted with the task of providing security to high risk VIPs. The increase in RE 1994-95 is mainly due to purchase of Macinery and Equipments and replacement of vehicles. The increase in BE 1995-96 is due to normal growth and replacement of vehicles.

3. **Border Security Force :** The Force, apart from its normal deployment for keeping vigil along the actual line of control in Jammu and Kashmir, the Indo-Pak border in Punjab, Rajasthan and Gujarat, Indo-Bangladesh and Indo-Burma borders, provides effective assistance to the local administration in the maintenance of law and order. It also promotes a sense of security amongst the border/local population and prevents border crimes and infiltration across the international border. Programmes for strengthening of BSF envisage equipping the Force with sophisticated equipment and improved mobility of border patrolling. Increase in BE 1995-96 is mainly due to provision for raising of new Batallions besides normal growth.

4. **Indo-Tibetan Border Police :** ITBP is for policing the Indo-Tibetan Border in U.P.,Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir sectors. The Force is also deployed for bank security. Increase in RE1994-95 is mainly due to provision for new Batallion and enhancement in the rates of ration money. The increase in BE 1995-96 is mainly due to normal growth.

5. **Central Industrial Security Force :** CISF assists in the protection of the properties of Public Sector Undertakings and other Central/State Government agencies. Increase in RE 1994-95 and BE 1995-96 is mainly due to release of posts for induction in the Undertakings besides normal growth.

6. **Assam Rifles :** Assam Rifles is the oldest para-military force in the country. Bulk of the Force operates in North East under the operational control of the Army. Increase in RE 1994-95 is mainly due to movement of troops for maintenance of law and order, purchase of more vehicles, purchase of more arms and ammunition and increase in cost of ration. Increase in BE 1995-96 is mainly due to normal growth.

7. **Education, Training and Research :** This covers expenditure on Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Central Detective Training Schools, National Institute of Criminology and Forensic Science, Bureau of Police Research and Development.

8. **Criminal Investigation and Vigilance :** This covers expenditure on Central Forensic Science Laboratories and Government Examiner of Questioned Documents.

9. **Inter-State Police Wireless Scheme :** Apart from transmitting messages to and from States this scheme aims at modernising the system by introducing sophisticated equipment using microprocessor controlled technology.

10. **Special Police :** This includes charges paid to Ministry of Defence in respect of J & K Light Infantry.

11. **Modernisation of Police Force :** Under this scheme assistance is provided to State Governments in the form of 50% grants-in-aid and 50% loan, to be utilised for expenditure of non-recurring nature on purchase of vehicles, wireless equipment, computers, and other sophisticated equipments.

12. **अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली :** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर अपराधों और अपराधियों से संबंधित रिकार्डों का कंप्यूटीकरण करने की एक परियोजना तैयार की गई है जिस पर 29.12 करोड़ रुपए की लागत आएगी । इस परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर एक मेनफ्रेम कंप्यूटर, विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 36 मेनफ्रेमर्स तथा जिला मुख्यालयों में 534 माइक्रो कंप्यूटर लगाए जाएंगे । अंततः, इन कंप्यूटरों को राष्ट्रीय पुलिस दूरसंचार ग्रिड के माध्यम से एक नेट वर्क का रूप दे दिया जाएगा । इस परियोजना को 1991-92 के बाद के चार वर्षों की अवधि में तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना था।

13. **अन्य स्कीमें :** इसमें बटालियनों को तैनात करने और भारत सुरक्षा बटालियन के गठन के लिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख कार्यालय, आयुक्त (सीमा) और राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अन्य अनुदान और ऋण शामिल है।

14. **पुलिस के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण :** इसके अंतर्गत असम राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के लिये रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए व्यवस्था शामिल है ।

15. **पुलिस के लिए इमारतों का निर्माण :** इसमें सीमा चौकियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स/सीमा सुरक्षा बल आदि के लिए इमारतों के निर्माण का खर्च शामिल है।

16. और 17. काटेदार तार और बाड़ लगाना, तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर सड़कों के निर्माण का उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकना है।

18. **पंजाब कार्रवाई योजना :** इस योजना के अंतर्गत भारत-पाक सीमा से आने वाले हथियारों को रोकने के लिये व्यवस्था की गई है।

12. **Crime-Criminal Information System :** A Project costing Rs.29.12 crores for the computerisation of records on crimes and criminals at the national, state and district levels has been formulated. The project involves the installation of one mainframe computer at the national level, 36 mainframes at the various state capitals and 534 micro computers at the district headquarters. The computers would eventually be net worked through the National Police Telecommunication Grid. The project was to be implemented in three phases spread over four years commencing from 1991-92.

13. **Other Schemes** : This includes expenditure on National Crime Records Bureau, Commissioner (Border) and other grants and loans to the State Governments for deployment of Batalions and raising of India Reserve Battalion.

14. **Construction of Residential Accommodation for Police :** The provision has been made for construction of accommodation for Assam Rifles, CRPF, BSF, ITBP, CISF, etc.

15. **Construction of buildings for Police :** This covers expenditure on construction of border outposts, buildings for CRPF, CISF, ITBP, Assam Rifles, BSF, etc.

16 and 17 : Erection of barbed wire fencing and construction of roads on Indo-Bangladesh borders are intended to check illegal immigration.

18. **Punjab Action Plan :** Under this scheme provision has been made to check inflow of arms and ammunition from across the Indo-Pak Border.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No. 44

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय Other Expenditure of Ministry of Home Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		105.78	264.97	370.75	113.52	279.17	392.69	109.70	263.81	373.51
पूंजी	*Capital*		*173.22*	*1.70*	*174.92*	*195.48*	*1.70*	*197.18*	*204.30*	*0.32*	*204.62*
जोड़	**Total**		**279.00**	**266.67**	**545.67**	**309.00**	**280.87**	**589.87**	**314.00**	**264.13**	**578.13**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security And Welfare***										
पुनर्वास	**Rehabilitation**										
1. दंडकारण्य विकास योजना	1. Dandakaranya Development Scheme	3601	...	9.97	9.97	...	9.97	9.97	...	9.98	9.98
		4235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		7601	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*10.04*	*10.04*	...	*10.04*	*10.04*	...	*10.00*	*10.00*
2. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास	2. Relief and Rehabilitation of Repatriates from Sri Lanka	2235	...	1.05	1.05	...	1.05	1.05	...	0.04	0.04
		3601	...	12.80	12.80	...	12.80	12.80	...	13.94	13.94
		4235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		6235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		7601	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*15.37*	*15.37*	...	*15.37*	*15.37*	...	*14.01*	*14.01*
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	3. Repatriates from other Countries	2235	...	0.48	0.48	...	0.53	0.53	...	0.53	0.53
		3601	...	6.04	6.04	...	2.54	2.54	...	1.21	1.21
		6235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		7601	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.25	0.25
जोड़		*Total*	...	*6.62*	*6.62*	...	*3.17*	*3.17*	...	*2.00*	*2.00*
4. राज्य सरकारों को दिये गये पुनर्वास ऋणों को बट्टे खाते डालना	4. Rehabilitation Loans to State Governments written off	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
5. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	5. Other Rehabilitation Programmes	2235	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01
		3601	...	9.16	9.16	...	25.26	25.26	...	8.62	8.62
		3602	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
		4235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*9.20*	*9.20*	...	*25.30*	*25.30*	...	*8.64*	*8.64*
जोड़-पुनर्वास	**Total Rehabilitation**		**...**	**41.24**	**41.24**	**...**	**53.89**	**53.89**	**...**	**34.65**	**34.65**
6. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ	6. Pensions & Other Benefits to the Freedom Fighters	2235	...	225.03	225.03	...	225.03	225.03	...	225.03	225.03
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	***North Eastern Areas***										
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	**Development of North Eastern Region**										
7. उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं	7. Schemes of North Eastern Council	2552	17.02	...	17.02	12.47	...	12.47	16.89	...	16.89
		3601	76.76	...	76.76	89.05	...	89.05	72.81	...	72.81
		7601	8.13	...	8.13	9.45	...	9.45	7.90	...	7.90
जोड़		*Total*	*101.91*	...	*101.91*	*110.97*	...	*110.97*	*97.60*	...	*97.60*
8. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार	8. Construction/ Improvement of Roads of Economic Imporiance	4552	63.10	...	63.10	78.10	...	78.10	71.00	...	71.00
9. भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड	9. Power Grid Corporation of India Ltd.	4552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
10. उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	10. North Eastern Electric Power Corporation Ltd.	4552	76.00	...	76.00	82.43	...	82.43	86.00	...	86.00
11. अन्य कार्यक्रम	11. Other Programmes	4552	15.99	...	15.99	15.50	...	15.50	19.40	...	19.40
जोड़-उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	**Total-Development of North Eastern Region**		**267.00**	**...**	**267.00**	**297.00**	**...**	**297.00**	**294.00**	**...**	**294.00**
जेलें	***Jails***										
12. सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	12. Modernisation of Prison Administration	3601	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
नागर विमानन	***Civil Aviation***										
13. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकोप्टर के लिए आर्थिक सहायता	13. Subsidy for Helicopter Services in North East Region	3053	...	...	...	...	...	...	...	4.00	4.00
14. अन्य मदें	14. Other Items	2056	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
		2075	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
		2235	...	...	...	...	1.50	1.50	...	...	...
		2250	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
जोड़		*Total*	...	*0.40*	*0.40*	...	*1.95*	*1.95*	...	*0.45*	*0.45*
कुल जोड़	***Grand Total***		***279.00***	***266.67***	***545.67***	***309.00***	***280.87***	***589.87***	***314.00***	***264.13***	***578.13***

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. जेलें	1. Jails	32056	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
राज्य योजनाएं	**State Plans**										
1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. North Eastern Areas	43601	267.00	...	267.00	297.00	...	297.00	294.00	...	294.00
जोड़	**Total**		**279.00**	**...**	**279.00**	**309.00**	**...**	**309.00**	**314.00**	**...**	**314.00**

पुनर्वास :

1. **दण्डकारण्य विकास योजना :** दण्डकारण्य परियोजना की स्थापना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाने और क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 1958 में की गई थी। कुल मिलाकर, परियोजना के अन्तर्गत 25,231 परिवार बसाए गए। उसके बाद इन परिसम्पदाओं व संस्थाओं को मध्यप्रदेश और उड़ीसा की सरकारों को अन्तरित कर दिया गया था। अब भारत सरकार का दायित्व राज्य सरकारों को अन्तरित की गई इन परिसम्पतियों के 'अनुरक्षण' व 'अभाव' की व्यवस्था करना है। पोट्टरू सिंचाई परियोजना नामक एक बड़ी सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन उड़ीसा सरकार द्वारा और वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिसका प्रयोजन विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय आदिवासियों को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना है। अब परियोजना को 30 जून, 1996 तक 102.39 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर पूरा किया जाना है, इसमें से भारत सरकार का अंश 94.83 करोड़ रुपए का है।

2. **श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास :** भारत-श्रीलंका करार 1964, 1974 और 1986 के तहत, श्रीलंका में भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, भारत में वापस लाना है तथा उन्हें राहत एवं पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान की जानी है । बजट में की गई व्यवस्था स्वदेश लौटे इन व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए है तथा अन्य बातों के साथ-साथ, इनके पुनर्वास में कार्यरत रिपेट्रिएट कोआपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेन्ट बैंक को सहायता और ऋण तथा राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण व अग्रिम की रकम भी इस व्यवस्था में शामिल है । चूंकि वापस आने वाले व्यक्ति ज्यादातर बागान कामगार हैं इसलिए इन्हें आवास सहायता देने के अलावा काफी, रबड़ आदि जैसी विभिन्न बागान योजनाओं और उद्योग, छोटे कारोबार तथा व्यवसाय, स्व-रोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत फिर से बसाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस व्यवस्था का अधिकांश अंश श्रीलंका से आकर शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों के राहत कार्य पर होने वाले व्यय और उसके साथ-साथ स्टाफ संबंधी व्यय के लिए है ।

3. **अन्य देशों से वापस आने वाले व्यक्ति :** इसके अन्तर्गत बर्मा, तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में व्यय की व्यवस्था शामिल है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए पश्चिम बंगाल में 607 आबादकार कालोनियों में भूमि-अधिग्रहण और अधिकार-पत्र वितरण की जो योजना फरवरी, 1987 में अनुमोदित की गई थी, उस पर काम हो रहा है।

4. **बट्टेखाते डाले गए पुनर्वास ऋण :** विस्थापित/स्वदेश लौटे व्यक्तियों आदि को दिए गए ऋणों को बट्टेखाते डालने के लिए संशोधित अनुमान 1994-95 में एक सांकेतिक (टोकन) व्यवस्था की गई है।

5. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम :** इसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास और अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यों के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ :** वर्ष 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर और उदार बनाया गया है। इस समय स्वतंत्रता सेनानियों और मृतक स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को 1500/- रुपए प्रतिमाह और अण्डमान सेलुलर जेल में कैदी व्यक्तियों को 1750/- रु. और उनकी विधवाओं को 1500/- रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

7. **उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाएं :** उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों का समेकित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यह परिषद संघटक एककों द्वारा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सहायता करती है और क्षेत्रीय आयोजना के दायरे में आने वाली समन्वित योजनाओं और परियोजनाओं

Rehabilitation:

1. **Dandakaranya Development Scheme :** The Dandakaranya project was set up in 1958 for the resettlement of displaced persons from former East Pakistan in the Dandakaranya region and for the integrated development of the area. In all 25,231 families were settled in the Project. Thereafter, the assets and institutions were transferred to the Governments of Madhya Pradesh and Orissa. The Government of India's liability is now to provide for 'maintenance' and 'deficiency' for the assets transferred to the State Governments. There is one major irrigation project, namely, Potteru Irrigation Project being executed by the Government of Orissa and funded by Government of India to provide irrigation facilities to the displaced persons as well as local tribals. The project is now scheduled for completion by 30th June, 1996 at a revised cost of Rs.102.39 crores out of which Government of India's share is Rs.94.83 crore.

2. **Relief and Rehabilitation of Repatriates from Sri Lanka :** Under the Indo-Sri Lanka Agreements of 1964, 1974 and 1986, 5.06 lakh persons of Indian origin in Sri Lanka granted Indian citizenship are to be repatriated to India and to be provided relief and rehabilitation assistance. The budget provision is for providing relief and rehabilitation assistance to these repatriates and also includes, interalia, assistance and loan to Repatriates Cooperative Finance Development Bank and loans and advances to State Governments and Union Territories involved in their resettlement. Efforts have been made to settle the repatriates, who are mainly plantation workers, in various plantation schemes like coffee, rubber etc. and also in industries, small trade and business, self employment schemes besides providing housing assistance. The major chunk of the provision is for providing relief assistance to refugees from Sri Lanka, who are staying in camps, as also for staff expenditure.

3. **Repatriates from other Countries :** It covers expenditure on refugees from Burma, Tibet, former West and East Pakistan. The scheme for acquisition of land and distribution of title deeds for Displaced Persons from the former East Pakistan in 607 Squatters Colonies in West Bengal approved in February 1987 is in progress.

4. **Rehabilitation Loans written off :** A token provision has been made in RE 1994-95 for write off of loans given to displaced persons, repatriates, etc.

5. **Other Rehabilitation programmes :** It includes provision for relief and rehabilitation of persons affected by Indo-Pak conflict, 1971 and other social security and welfare measures.

6. **Pensions and other benefits to Freedom Fighters :** The Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, which was introduced in 1972, has been liberalised from time to time. At present, a pension of Rs.1500 per month is paid to freedom fighters and the widows of deceased freedom fighters and Rs.1750 to those incarcerated in the Andaman Cellular Jail and Rs.1500 to their widows.

Development of North Eastern Region :

7. **Schemes of North Eastern Council :** The North Eastern Council was set up under the North Eastern Council Act, 1971 to ensure integrated economic development of the North Eastern Region in the seven States of the Region. It supplements the efforts of the constituent units in the development of their areas and promotes coordinated schemes and projects within the parameters of the

को बढ़ावा देती है। वर्ष 1995-96 का परिव्यय 294.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता है जिनमे कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जल, बिजली विकास, उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, जनशक्ति विकास और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तथा सामान्य सेवाओं को शामिल किया गया है।

8. **आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार कार्य :** क्षेत्र में यह कार्य सीमा सड़क विकास बोर्ड और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

9. **भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि. :** भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि., जो पहले राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन टी पी सी) था, को 5,000 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूंजी से अक्तूबर 1989 में निगमित किया गया था ताकि विद्युत क्षेत्र में सभी भागीदारों के लाभ के लिए प्रचालित किए जाने हेतु देश के लिए एकीकृत पारेषण पद्धति स्थापित की जा सके और देश के संसाधनों का समयोचित उपयोग किया जा सके। निगम के लिए ई.एच.वी.ए.सी. और डी.सी. पारेषण लाइनों, उप-केन्द्रों, लोड डिस्पेचिंग केन्द्रों और संचार केन्द्रों का समन्वित और दक्ष ढंग से निर्माण करना अनिवार्य है ताकि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली के बड़े ब्लाकों और राज्य बिजली बोर्डों से फालतू बिजली, यदि कोई हो, को विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ क्षेत्र के अन्दर और बाहर स्थित लोड केन्द्रों में ले जाया जा सके। यह निगम वर्तमान में दो एन ई सी परियोजनाओं को लागू कर रहा है। जिनके नाम हैः नागालैंड में दोयांग पारेषण लाइन परियोजना और अरूणाचल प्रदेश में रंगानदनी पारेषण लाइन परियोजना।

10. **उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि.:** इसकी स्थापना क्षेत्र में विद्युत शक्ति की सभी संभावनाओं के समेकित विकास की आयोजना करने, उसे बढ़ावा देने एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है। यह निगम विद्युत विभाग के अन्तर्गत आता है।

11. **अन्य कार्यक्रम :** इसमें उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी, उ. पू. क्षेत्र में पशु भोजन स्रोत में आत्म-निर्भरता हेतु एकीकृत परियोजना पर होने वाला व्यय, उ. पू. क्षेत्र में वायु पत्तन के सुधार, क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, उ. पू. क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान, आदि के लिए सहायता शामिल है।

12. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण :** जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना जिसका कुल परिव्यय 1987-88 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान, उनके द्वारा किए जाने वाले समनुरूप अंशदान के आधार पर दिया जाएगा। यह योजना 31-3-1992 को समाप्त हो गई। इसे अब एक योजना स्कीम के रूप में 1992 से आगे बढाया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए 20 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

13. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता:** इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हेलिकाप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए पवन हंस लि. को आर्थिक सहायता के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

14. **अन्य मदें :** इसमें जागीरों, राष्ट्रीय एकता की योजना आदि के एवज में पेंशनों की व्यवस्था शामिल है। संशोधित अनुमान 1994-95 में एक परियोजना के लिए राजीव गाँधी प्रतिष्ठान को अनुदान की व्यवस्था करने के लिए 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो आतंकवाद से पीड़ित बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और सहायता के लिए है।

regional Plan. The outlay for 1995-96 is Rs.294.00 crores central assistance covering agriculture and allied sectors, water, power development, industries and mining, transport and communications, manpower development and social and community services and General Services.

8. **Construction/Improvement of Roads of Economic Importance** : This is carried out in the area through the Border Roads Development Board and the State Governments.

9. **Power Grid Cooporation of India Ltd.:** The Power Grid Corporation of India Ltd., erstwhile National Power Transmission Corporation (NTPC), was incorporated in October 1989 with an initial authorised share capital of Rs.5,000 crores in order to create unified transmission system for the country to be operated for the benefit of all participants in the power sector and to bring about timely use of country's resources. The mandate for the Corporation is construction of EHV AC and HV DC transmission lines, Sub-stations, Load Despatching Centres and Communication Centres in a coordinated and efficient manner to move large blocks of power from central generating stations and surplus from the State Electricity Boards, if any, to load centres within and across the region with reliability, security and economy. The Corporation is at present executing two NEC Projects namely Doyang Transmission Line Project in Nagaland and Ranganadhi Transmission Line Project in Arunachal Pradesh.

10. **North Eastern Electric Power Corporation Ltd.** : has been set up with the objective to plan, promote and organize integrated development of electrical power in all its aspects in the region. This Corporation is under the Department of Power.

11. **Other programmes :** Covers expenditure on North Eastern Police Academy, Integrated Project for Self-Sufficiency in Animal Food Origin in N.E. Region, support for improvement of Air-Port in N.E. Region, Regional Medical College, North Eastern Regional Institute of Water and Land Management, etc.

12. **Modernisation of Prison Administration :** A scheme for the modernisation of prison administration with a total outlay of Rs.90 crores was started in 1987-88. According to this scheme, grants-in-aid to States/UTs. will be given on the basis of matching contributions by them. The scheme came to an end on 31.3.1992. It has now been extended beyond 1992 as a Plan scheme. For the year 1995-96, an outlay of Rs.20 crores has been approved.

13. **Subsidy for Helicopter Services in North Eastern Region:** Includes provision for payment of subsidy to Pawan Hans Ltd. for operating Helicopter services in North Eastern Region.

14. **Other items** : Includes provision for pensions in lieu of Jagirs, Scheme of National Integration, etc. A provision of Rs.1.50 crores has been made in RE 94-95 for providing grant assistance to Rajiv Gandhi Foundation for a project which is designed to educate, rehabilitate and assist child victims of terrorism.

गृह मंत्रालय *MINISTRY OF HOME AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No. 45

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण Transfers to Union Territory Governments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		79.40	82.93	162.33	118.40	87.93	206.33	146.70	88.22	234.92
पूंजी	*Capital*		*114.89*	*21.78*	*136.67*	*205.89*	*21.78*	*227.67*	*227.59*	*21.78*	*249.37*
जोड़	**Total**		**194.29**	**104.71**	**299.00**	**324.29**	**109.71**	**434.00**	**374.29**	**110.00**	**484.29**
1. संसाधनों में आयोजना भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिये अनुदान और ऋण	1. Grants and Loans to meet Non-Plan gaps in resources										
1.1 पांडिचेरी	1.1 Pondicherry	3602	...	82.93	82.93	...	87.93	87.93	...	88.22	88.22
		7602	...	21.78	21.78	...	21.78	21.78	...	21.78	21.78
जोड़		*Total*	...	*104.71*	*104.71*	...	*109.71*	*109.71*	...	*110.00*	*110.00*
2. संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिये सहायता	2. Assistance for U.T. Plans										
2.1 पांडिचेरी	2.1 Pondicherry	3602	46.70	...	46.70	46.70	...	46.70	65.70	...	65.70
		7602	38.59	...	38.59	38.59	...	38.59	38.59	...	38.59
जोड़		*Total*	*85.29*	...	*85.29*	*85.29*	...	*85.29*	*104.29*	...	*104.29*
2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2.2 National Capital Territory of Delhi	3602	32.70	...	32.70	71.70	...	71.70	81.00	...	81.00
		7602	76.30	...	76.30	167.30	...	167.30	189.00	...	189.00
जोड़		*Total*	*109.00*	...	*109.00*	*239.00*	...	*239.00*	*270.00*	...	*270.00*
जोड़		*Total*	*194.29*	...	*194.29*	*324.29*	...	*324.29*	*374.29*	...	*374.29*
कुल जोड़	***Grand Total***		***194.29***	***104.71***	***299.00***	***324.29***	***109.71***	***434.00***	***374.29***	***110.00***	***484.29***

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	**Union Territory Plans**										
विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र	**Union Territories with Legislature:**										
पांडिचेरी	Pondicherry	43602	85.29	...	85.29	85.29	...	85.29	104.29	...	104.29
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	National Capital Territory of Delhi	43602	109.00	...	109.00	239.00	...	239.00	270.00	...	270.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	**Total-Union Territory Plans**		**194.29**	...	**194.29**	**324.29**	...	**324.29**	**374.29**	...	**374.29**
जोड़	**Total**		**194.29**	...	**194.29**	**324.29**	...	**324.29**	**374.29**	...	**374.29**

इस मांग के अंतर्गत विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है । इस समय विधान मंडल वाले दो संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है।

पांडिचेरी : अनुदान के अन्तर्गत, पांडिचेरी के आयोजना-भिन्न अन्तरों को पूरा करने के लिए अनुदान और ऋण तथा साथ ही, संघ राज्य क्षेत्र की योजना को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में भी अनुदान और ऋण दोनों के लिए व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली : इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए व्यवस्था की गई है।

This Demand covers assistance to Union Territories with legislature in the form of grants and loans. At present, there are two Union Territories with legislature, viz. Pondicherry and National Capital Territory of Delhi.

Pondicherry: Under the Grant, provision has been made both for grants and loans to meet the Non-plan gaps of pondicherry and also grants and loans towards Central assistance to finance the UT's Plan.

National Capital Territory of Delhi: Provision has been made towards Central Assistance to finance the National Capital Territory's plan.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय *MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT*

मांग संख्या DEMAND No.46

शिक्षा विभाग **Department of Education**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		1547.78	872.46	2420.24	1573.78	917.37	2491.15	1823.32	879.21	2702.53
पूंजी	*Capital*		*0.52*	*2.85*	*3.37*	*0.52*	*2.85*	*3.37*	*0.52*	*1.00*	*1.52*
जोड़	**Total**		**1548.30**	**875.31**	**2423.61**	**1574.30**	**920.22**	**2494.52**	**1823.84**	**880.21**	**2704.05**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	0.22	9.18	9.40	0.17	9.04	9.21	0.22	9.59	9.81
2. विवेकाधीन अनुदान	2. Discretionary Grant	2013	...	0.03	0.03	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
सामान्य शिक्षा	***General Education***										
प्राथमिक शिक्षा	**Elementary Education**										
3. आपरेशन ब्लैक बोर्ड	3. Operation Black Board	2202	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.60	...	0.60
		2251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
		3601	214.20	...	214.20	214.20	...	214.20	275.50	...	275.50
		3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	2.60	...	2.60
जोड़		*Total*	*215.00*	...	*215.00*	*215.00*	...	*215.00*	*279.00*	...	*279.00*
4. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	4. Teachers Training Programme	2202	14.50	...	14.50	26.50	...	26.50	30.00	...	30.00
		2251	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		3601	73.98	...	73.98	61.98	...	61.98	85.98	...	85.98
		3602	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*90.00*	...	*90.00*	*90.00*	...	*90.00*	*118.00*	...	*118.00*
5. अनौपचारिक शिक्षा	5. Non-Formal Education	2202	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
		2251	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		3601	106.27	...	106.27	106.27	...	106.27	133.45	...	133.45
जोड़		*Total*	*131.32*	...	*131.32*	*131.32*	...	*131.32*	*158.50*	...	*158.50*
6. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	6. Shiksha Karmi Project in Rajasthan	2202	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
7. महिला समाख्या	7. Mahila Samakhya	2202	8.80	...	8.80	8.80	...	8.80	6.80	...	6.80
		2251	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*8.90*	...	*8.90*	*8.90*	...	*8.90*	*6.90*	...	*6.90*
8. बिहार शिक्षा परियोजना	8. Bihar Education Project	2202	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00
9. बाल भवन समिति	9. Bal Bhawan Society	2202	1.25	0.86	2.11	1.25	0.86	2.11	1.50	0.86	2.36
10. लोक जंबिश	10. Lok Jumbish	2202	9.33	...	9.33	9.33	...	9.33	22.14	...	22.14
11. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	11. District Primary Education Project	2202	40.00	...	40.00	39.99	...	39.99	24.43	...	24.43
		2251	...	...	...	0.01	...	0.01	0.57	...	0.57
जोड़		*Total*	*40.00*	...	*40.00*	*40.00*	...	*40.00*	*25.00*	...	*25.00*
12. अन्य कार्यक्रम	12. Other Programmes	2202	2.20	...	2.20	0.45	...	0.45	2.00	...	2.00
जोड़ प्राथमिक शिक्षा	**Total Elementary Education**		**523.00**	**0.86**	**523.86**	**511.25**	**0.86**	**512.11**	**651.04**	**0.86**	**651.90**
माध्यमिक शिक्षा	***Secondary Education***										
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	13. National Council of Educational Research & Training	2202	8.12	14.07	22.19	8.12	20.00	28.12	7.12	20.00	27.12
14. केन्द्रीय विद्यालय	14. Kendriya Vidyalayas	2202	...	185.46	185.46	...	185.46	185.46	10.50	185.46	195.96
15. नवोदय विद्यालय	15. Navodaya Vidyalayas	2202	152.63	49.27	201.90	152.63	49.27	201.90	200.00	49.27	249.27
16. शिक्षा का व्यवसायीकरण	16. Vocationalisation of Education	2202	8.96	...	8.96	8.96	...	8.96	14.00	...	14.00
		2251	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3601	78.30	...	78.30	78.30	...	78.30	66.85	...	66.85
		3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.95	...	0.95
जोड़		*Total*	*88.46*	...	*88.46*	*88.46*	...	*88.46*	*82.00*	...	*82.00*
17. विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	17. Computer Education in Schools	2202	27.00	...	27.00	5.28	...	5.28	5.91	...	5.91
		3601	...	...	...	21.65	...	21.65	41.02	...	41.02
		3602	...	...	...	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*27.00*	...	*27.00*	*27.00*	...	*27.00*	*47.00*	...	*47.00*
18. अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	18. Integrated Education for Disabled Children	2202	0.75	...	0.75	1.05	...	1.05	0.65	...	0.65
		3601	3.90	...	3.90	3.25	...	3.25	3.75	...	3.75
		3602	0.05	...	0.05	0.40	...	0.40	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*4.70*	...	*4.70*	*4.70*	...	*4.70*	*4.70*	...	*4.70*
19. शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (इनसैट सैल)	19. Education Technology Programmes (INSAT CELL)	2202	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.70	...	9.70
		3601	15.18	...	15.18	15.18	...	15.18	13.18	...	13.18
जोड़		*Total*	*23.18*	...	*23.18*	*23.18*	...	*23.18*	*22.88*	...	*22.88*
20. विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास	20. Promotion of Science Laboratories	2202	2.09	...	2.09	1.50	...	1.50	0.90	...	0.90
		3601	20.60	...	20.60	20.60	...	20.60	22.97	...	22.97
		3602	0.01	...	0.01	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
जोड़		*Total*	*22.70*	...	*22.70*	*22.70*	...	*22.70*	*24.47*	...	*24.47*
21. मुक्त विद्यालय कार्यक्रम	21. Open School Programme	2202	3.06	0.34	3.40	3.06	0.34	3.40	5.00	0.34	5.34
22. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	22. Central Tibetan School Society Administration	2202	...	5.65	5.65	...	6.78	6.78	...	6.20	6.20
23. जम्मू-कश्मीर में विद्यालय-भवनों का पुनर्निर्माण	23. Reconstruction of School Buildings in J&K	3601	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
24. अन्य कार्यक्रम	24. Other Programmes	2202	3.90	0.45	4.35	3.85	0.45	4.30	4.19	0.45	4.64
		3601	0.63	...	0.63	0.63	...	0.63	0.55	...	0.55
		3602	0.02	...	0.02	0.07	...	0.07	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*4.55*	*0.45*	*5.00*	*4.55*	*0.45*	*5.00*	*4.84*	*0.45*	*5.29*
जोड़ माध्यमिक शिक्षा	**Total-Secondary Education**		**334.40**	**255.24**	**589.64**	**339.40**	**262.30**	**601.70**	**408.51**	**261.72**	**670.23**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	***University and Higher Education***										
25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	25. University Grants Commission	2202	169.00	323.00	492.00	184.30	343.18	527.48	189.29	341.82	531.11
26. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (आईजीएनओयू)	26. Establishment of a National University(IGNOU)	2202	27.00	7.90	34.90	47.00	7.90	54.90	22.50	7.00	29.50
27. वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम	27. Programmes to strengthen Scientific Research	2202	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50
28. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	28. Improvement in Salary Scale of University & College Teachers	3601	...	27.00	27.00	...	19.50	19.50	...	4.90	4.90
29. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	29. Indian Council of Social Science Research	2202	2.50	4.88	7.38	3.25	5.00	8.25	4.50	5.00	9.50
30. अन्य कार्यक्रम	30. Other Programmes	2202	3.50	5.01	8.51	4.98	5.12	10.10	11.26	5.19	16.45
		6202	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*4.00*	*5.01*	*9.01*	*5.48*	*5.12*	*10.60*	*11.76*	*5.19*	*16.95*
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	**Total-University & Higher Education**		**220.00**	**367.79**	**587.79**	**257.53**	**380.70**	**638.23**	**245.55**	**363.91**	**609.46**
प्रौढ़ शिक्षा	***Adult Education***										
31. स्वयंसेवी संगठन	31. Voluntary Organisations	2202	10.00	...	10.00	11.50	...	11.50	10.00	...	10.00
32. साक्षरतोत्तर और जारी परियोजना	32. Post Literacy and Continuing Project	2202	0.50	...	0.50	0.08	...	0.08	0.50	...	0.50
		3601	17.50	...	17.50	13.52	...	13.52	65.50	...	65.50
जोड़		*Total*	*18.00*	...	*18.00*	*13.60*	...	*13.60*	*66.00*	...	*66.00*
33. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	33. Rural Functional Literacy Project	3601	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
34. प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना	34. Strengthening of Administrative Structure	2202	0.50	...	0.50	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
		3601	13.50	...	13.50	13.45	...	13.45	13.50	...	13.50
		3602	...	...	...	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*14.00*	...	*14.00*	*14.00*	...	*14.00*	*14.00*	...	*14.00*
35. निरक्षरता के उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	35. Special Project for eradication of Illiteracy	2202	154.75	...	154.75	154.75	...	154.75	120.00	...	120.00
36. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	36. Directorate of Adult Education	2202	4.87	1.14	6.01	4.87	1.14	6.01	10.36	1.20	11.56
		3601	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*4.93*	*1.14*	*6.07*	*4.93*	*1.14*	*6.07*	*10.37*	*1.20*	*11.57*
37. अन्य कार्यक्रम	37. Other Programmes	2202	5.43	1.11	6.54	4.93	1.19	6.12	6.76	1.16	7.92
		2251	0.40	...	0.40	0.35	...	0.35	0.40	...	0.40
		3601	0.49	0.35	0.84	0.45	0.30	0.75	0.47	0.30	0.77
जोड़		*Total*	*6.32*	*1.46*	*7.78*	*5.73*	*1.49*	*7.22*	*7.63*	*1.46*	*9.09*
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा	**Total-Adult Education**		**214.00**	**2.60**	**216.60**	**210.51**	**2.63**	**213.14**	**234.00**	**2.66**	**236.66**
भाषाओं का विकास	***Development of Languages***										
38. आधुनिक भारतीय भाषाएं और साहित्य	38. Modern Indian Languages and Literature	2202	7.73	8.08	15.81	6.78	8.25	15.03	8.35	8.46	16.81
		3601	3.80	0.10	3.90	3.58	0.10	3.68	5.90	0.10	6.00
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*11.58*	*8.18*	*19.76*	*10.41*	*8.35*	*18.76*	*14.30*	*8.56*	*22.86*
39. संस्कृत	39. Sanskrit										
39.01 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	39.01 Rashtriya Sanskrit Sansthan	2202	2.90	4.50	7.40	3.18	4.50	7.68	4.35	4.50	8.85
39.02 अन्य	39.02 Others	2202	1.41	1.82	3.23	1.26	1.82	3.08	1.36	...	1.36
		3601	0.84	...	0.84	0.74	...	0.74	1.15	...	1.15
		3602	0.04	...	0.04	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04
जोड़		*Total*	*2.29*	*1.82*	*4.11*	*2.01*	*1.82*	*3.83*	*2.55*	...	*2.55*
जोड़- भाषाओं का विकास	**Total-Sanskrit**		**5.19**	**6.32**	**11.51**	**5.19**	**6.32**	**11.51**	**6.90**	**4.50**	**11.40**
	Total-Development of Languages		**16.77**	**14.50**	**31.27**	**15.60**	**14.67**	**30.27**	**21.20**	**13.06**	**34.26**
सामान्य	***General***										
40. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	40. National Scholarship Scheme	2202	0.12	3.93	4.05	0.12	3.08	3.20	0.16	2.48	2.64
		3601	2.01	0.37	2.38	1.13	0.32	1.45	1.93	0.32	2.25
		3602	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	0.06	0.01	0.07
		7601	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	*2.15*	*7.16*	*9.31*	*1.27*	*6.26*	*7.53*	*2.15*	*3.81*	*5.96*
41. अन्य	41. Others	2202	3.96	10.74	14.70	3.75	11.34	15.09	4.96	10.88	15.84
		3601	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20
जोड़		*Total*	*6.16*	*10.74*	*16.90*	*5.95*	*11.34*	*17.29*	*7.16*	*10.88*	*18.04*
जोड़-सामान्य	**Total-General**		**8.31**	**17.90**	**26.21**	**7.22**	**17.60**	**24.82**	**9.31**	**14.69**	**24.00**
जोड़-सामान्य शिक्षा	***Total-General Education***		***1316.48***	***658.89***	***1975.37***	***1341.51***	***678.76***	***2020.27***	***1569.61***	***656.90***	***2226.51***

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
तकनीकी शिक्षा	***Technical Education***										
42. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	42. University Grants Commission	2203	22.70	...	22.70	22.70	...	22.70	25.00	...	25.00
43. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	43. Quality Improvement Programmes	2203	10.65	1.90	12.55	10.65	1.90	12.55	30.00	1.90	31.90
44. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	44. Indian Institutes of Technology	2203	31.88	118.00	149.88	31.88	134.00	165.88	26.00	120.16	146.16
45. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	45. Regional Engineering Colleges	2203	41.00	23.50	64.50	41.00	28.75	69.75	41.00	28.75	69.75
46. छात्रवृत्तियां	46. Scholarships	2203	6.50	7.83	14.33	3.83	5.27	9.10	11.00	7.65	18.65
47. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ	47. Indian Institutes of Management, Ahmedabad, Calcutta, Bangalore and Lucknow	2203	7.45	9.58	17.03	11.87	15.50	27.37	12.00	10.54	22.54
48. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान	48. Grants to Indian Institute of Science, Bangalore	2203	8.50	25.44	33.94	8.50	26.00	34.50	10.50	24.50	35.00
49. तकनीकी शिक्षा के ए.आई.सी.टी.ई. केन्द्र तथा इस की समिति और बोर्डों क पुनर्गठने, पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण	49. Re-organising, restructuring and strengthening of AICTE Bureau of Technical education and its Committee and Boards	2203	58.65	18.16	76.81	58.65	18.16	76.81	71.89	18.23	90.12
50. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	50. Technology Development Mission	2203	33.00	...	33.00	33.00	...	33.00	20.00	...	20.00
51. अन्य कार्यक्रम	51. Other Programmes	2203	2.65	1.50	4.15	1.92	1.49	3.41	3.00	1.54	4.54
		3601	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.10	0.10
		4202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*2.67*	*2.50*	*5.17*	*1.94*	*2.49*	*4.43*	*3.02*	*1.64*	*4.66*
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**North Eastern Areas**										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	**Development of North Eastern Region**										
52. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर	52. North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar	2552	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	3.00	...	3.00
जोड़ तकनीकी शिक्षा	**Total-Technical Education**		**231.00**	**206.91**	**437.91**	**232.02**	**232.07**	**464.09**	**253.41**	**213.37**	**466.78**
खेल और युवा सेवाएं	***Sports & Youth Services***										
53. शारीरिक शिक्षा	53. Physical Education	2204	0.30	0.30	0.60	0.14	0.30	0.44	0.45	0.30	0.75
		3601	0.29	...	0.29	0.45	...	0.45	0.14	...	0.14
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- खेल और युवा सेवाएं	***Total-Sports & Youth Services***		***0.60***	***0.30***	***0.90***	***0.60***	***0.30***	***0.90***	***0.60***	***0.30***	***0.90***
54. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	54. Aid Material and Equipment - Gross	3606	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
घटाइये - प्रकार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	Deduct - Transfers to functional major head(s)	3606	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02
निवल - सहायता सामग्री और उपस्कर	*Net - Aid Materials & Equipments*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***1548.30***	***875.31***	***2423.61***	***1574.30***	***920.22***	***2494.52***	***1823.84***	***880.21***	***2704.05***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay*:-**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
केन्द्रीय योजना	**Central Plan**										
1. सामान्य शिक्षा	1. General Education	22202	1317.64	...	1317.64	1344.12	...	1344.12	1570.77	...	1570.77
2. तकनीकी शिक्षा	2. Technical Education	22203	223.00	...	223.00	224.02	...	224.02	253.41	...	253.41
3. खेल और युवा सेवाएं	3. Sports & Youth Services	22204	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	4. Secretariat-Social Services	22251	0.22	...	0.22	0.17	...	0.17	0.22	...	0.22
कुल केन्द्रीय योजना	**Total -Central Plan**		**1541.46**	**...**	**1541.46**	**1568.91**	**...**	**1568.91**	**1825.00**	**...**	**1825.00**
राज्य योजना	***State Plan***										
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1. North Eastern Areas	43601	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
जोड़	**Total**		**1549.46**	**...**	**1549.46**	**1576.91**	**...**	**1576.91**	**1825.00**	**...**	**1825.00**

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय में निर्माणकार्य परिव्यय शामिल है

Inclusive of works outlay in the Ministry of Urban Development

मांग संख्या 81	Demand No. 81	22202	1.16	...	1.16	2.61	...	2.61	1.16	...	1.16

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** लोकहित के पात्र मामलों में अनुदान मंजूर करने के लिए यह राशि मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंप दी जाती है।

3. **श्याम पट्ट प्रचालन:** श्याम पट्ट प्रचालन की स्कीम जिसे सभी विद्यमान प्राथमिक पाठशालाओं को देश में कम-से कम दो विविध मौसमानुकूल कक्षों, दो अध्यापकों और शिक्षण, अध्यापन शिक्षण उपस्कर, प्रदान किए जाने द्वारा सुविधाओं के न्यूनतम मानक सहित लाए जाने के लिए वर्ष 1987-88 में शुरू किया गया, इस योजना का आठवीं योजना के दौरान तीन अध्यापक/तीन कक्ष उन पाठशालाओं को प्रदान किए जाने के लिए जहां पर 100 से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण हो गए हैं और प्राथमिक पाठशालाओं से उच्चतर विद्यालयों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। इस स्कीम में अध्यापन शिक्षण उपस्कर के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और योजना की अवधि के दौरान अध्यापकों के वेतन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। पाठशालाओं के भवन निर्माण किए जाने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 1993-94 की अवधि के दौरान अध्यापन-शिक्षण उपस्कर प्राथमिक पाठशालाओं को 99.9% (522399), उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को 5% (7335) और प्राथमिक पाठशालाओं को 1.2% (1692) तृतीय अध्यापक स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान प्राथमिक पाठशालाओं को शेष 0.1% (500), उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को 5% (7000) और लगभग 10% (14000) विद्यालयों को तृतीय अध्यापक स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

4. **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम (i) जिला स्तर पर शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने/उन्हें जारी रखने के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा सहित) और जिलास्तर पर व्यस्क शिक्षा प्रणाली को प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधी समर्थन प्रदान करता है। (ii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ बनाता है ताकि वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक समर्थन दे सकें। (iii) राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य परिषदों को सुदृढ बनाता है (iv) विद्यालय शिक्षकों के लिए विशेष अनुकूलन कार्यक्रम और (v) प्रायोगिक आधार पर चार जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

5. **अनौपचारिक शिक्षा:** 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो विभिन्न कारणवश औपचारिक व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। इसमें मुख्य महत्वपूर्ण तथा समाविष्ट किए जाने के अधिकतम विस्तार में शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें शहरी गन्दी बस्तियों, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय और मरूभूमि के क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में कार्यरत बच्चों की शिक्षा के लिए परियोजनाएं भी शामिल हैं। वर्तमान समय में, यह कार्यक्रम 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य सरकारों सहित स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए 40:60 के अनुपात में और विशेष रूप से कन्या केन्द्रों के लिए 10:90 के अनुपात में भागीदारी के आधार पर प्रदान की जा रही है। परिचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और अनुभवजन्य तथा प्रवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता 100% आधार पर प्रदान की जा रही है।

6. **राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना:** शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 से स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस का उद्देश्य राज्य के चुने हुए दूरस्थ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े गावों में प्रारंभिक शिक्षा का पुन:आरंभ तथा विस्तार करना है। राज्य सरकार सहित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित किए जाने के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें क्रमश: 90% और 10% आधार पर व्यय की भागी दारी की जा रही है। केन्द्रीय भाग पूरी तरह से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रतिपूर्णीय है।

7. **महिला समाख्या:** महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा), अप्रैल 1989 में केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य के 10 जिलों (बिदर, बीजापुर, मैसूर), गुजरात (बड़ौदा, राजकोट, साबरकान्था) और उत्तर प्रदेश (बान्दा, टिहरी गढ़वाल, वाराणसी, सहारनपुर) में 100 प्रतिशत डच सहायता प्राप्त कार्यक्रम शुरू किया गया।

परियोजना शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुगमन में तैयार की गई। कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर अभिकल्पित किया गया है और अत्याधिक निर्धन महिलाओं की समस्याओं का

1. **Secretariat: Social Services:** Provides for secretariat expenditure.

2. **Discretionary Grant:** is placed at the disposal of the Minister for Human Resource Development for sanctioning grants in deserving cases of public interest.

3. **Operation Black Board :** The scheme of Operation Blackboard which was launched in 1987-88 to bring all existing primary schools in the country to a minimum standard of facilities by providing at least two all weather rooms, two teachers and teaching learning equipment, have been expanded to provide third teacher/third room to primary schools where enrolment exceed 100 and to cover Upper primary schools during the 8th Plan. The Scheme provides 100% central assistance for Teaching Learning Equipment (TLE) and for salaries of teachers during the plan period. Construction of school buildings is State's responsibility.

During the period from 1987-88 to 1993-94 teaching learning equipment has been sanctioned to 99.9% (522399) Primary schools, 5% (7335) Upper primary schools and third teacher has been sanctioned to 1.2% (1692) primary schools. It is proposed to sanction TLE to the remaining 0.1% (500) primary schools, 5% (7000) Upper primary schools and a third teacher to about 10% (14000) schools during 1994-95.

4. **Teachers Training Programme:** For (i) establishment/continuation of District Institutes of Education and Training (DIETS) for providing training and academic support to Elementary Education (including Non-Formal Education) and Adult Education system at the District level; (ii) strengthening Secondary Teachers Education institutions so that they may provide effective training and academic support for secondary schools; (iii) strengthening of State Councils of Educational Research & Training (SCERT); (iv) special orientation programme for school teachers and (v) establishment of Teachers Training Centres in 4 Districts on pilot basis.

5. **Non-Formal Education:** A programme of non-formal education is being run by the Central Govt. for children of 6-14 age-group who remain outside the formal system due to various reasons. The main thrust and maximum extent of coverage is in the educationally backward states viz. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. In addition, it also covers urban slums, hilly, tribal and desert areas and projects for education of working children in other States as well. The programme is, at present, in operation in 20 States/UTs.

The NEF programme is implemented through State Government as well as Voluntary Non-Governmental Organisations. The Central assistance to State Governments is being provided on sharing basis between the State Governments and the Central Government in the ratio of 40:60 for co-educational centres and 10:90 for exclusively girls centres. The Central assistance to NGOs for running NFE centres and Experimental and Innovative Projects is being provided on 100% basis.

6. **Shiksha Karmi Project in Rajasthan :** This is being implemented with assistance from Swedish International Development Agency (SIDA) since 1987. It aims at revitalising and expanding elementary education in selected remote socio-economically backward villages in Rajasthan. The Project is being implemented as Centrally Sponsored Scheme with Central and State Govt. sharing the expenditure on 90% and 10% basis respectively. The Central share is fully reimbursable by SIDA.

7. **Mahila Samakhya :** Mahila Samakhya (Education for Women's Equality), a 100% Dutch assisted programme was launched by the Central Government in April 1989 in 10 districts of Karnataka (Bidar, Bijapur, Maysore), Gujarat (Baroda, Rajkot, Sabarkantha) and Uttar Pradesh (Banda, Tehri Garhwal, Varanasi, Saharanpur).

The project was formulated in pursuance of the National Policy on Education 1986. The programme has been designed keeping in view the existing situation of women in the rural areas and addresses itself

समाधान स्वतः प्रकट करता है।

8. **बिहार शिक्षा परियोजना :** इसमें बिहार शिक्षा परियोजना के लिए प्रावधान किया गया है जो संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से शुरू की गई है, एक आधारभूत शिक्षा परियोजना है, इस का उद्देश्य लोगों के जुटाव और उन की सहभागिता के माध्यम से सब के लिए शिक्षा प्राप्त करना है।

9.. **बाल भवन समिति (भारत):** प0 जवाहर लाल नेहरू की पहल पर इसका गठन किया गया और रजिस्ट्रीकृत समिति के रूप में भारत सरकार द्वारा इसे 1955 में स्थापित किया गया था । यह इस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और शारीरिक कार्यों से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास और प्रतिभा के अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों और समुदायों के बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना; उनमें ऐसी भावना जागृत करना ताकि वे वैज्ञानिक सूझबूझ से आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा दे सकें।

10. **लोक जम्बिश :** यह एक प्रवर्तक परियोजना है। इसे स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस.आई.डी.ए.) की सहायता से शुरू किया जा रहा है और राजस्थान में शुरु किया गया है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य लोगों के जुटाए जाने और उन की भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक सब के लिए शिक्षा प्राप्त करना है। परियोजना का प्रथम चरण 30 जून, 1994 को निष्पादित किया गया जिस में विभिन्न जिलों में व्याप्त 25 ब्लॉक शामिल हैं।

दूसरे चरण के दौरान यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रथम चरण के दौरान पहले ही शामिल किए गए 25 ब्लॉकों को मिलाए जाने सहित 50 अतिरिक्त ब्लॉकों को शामिल कर बढ़ाया जाए। परियोजना अन्तःक्षेप अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा-अध्ययन के न्यूनतम स्तर, अध्यापन-शिक्षण सहायक सामग्री का उत्पादन, नए विद्यालयों/पाठशालाओं का खोला जाना, अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि जैसे प्राथमिक शिक्षा के अनेक संघटकों में बनाए गए हैं।

11. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम :** कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास के विशुद्ध दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है और यू.ई.ई. के लिए कार्यनीति के परिचालन का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में आयोजना तथा प्रबन्धन के लिए प्रतिभागिता प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है।

वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यक्रंम 42 जिलों और 7 राज्यों जिनमें आसाम, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल-तमिलनाडू और मध्यप्रदेश का नाम है, शुरु किया गया है।

12. **अन्य कार्यक्रम :** इस में अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **रा.शै.अ.प्र.प : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद:** शिक्षा विभाग को उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सलाह तथा सहायता प्रदान करती है । यह अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय पूर्व और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं तथा शिक्षा विभाग द्वारा उसको सौंपे गए कतिपय विशेष क्षेत्रों जैसे छठे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के कार्यकलापों को भी संचालित करती है।

14. **केन्द्रीय विद्यालय :** केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियत्रंण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई थी । यह संगठन विदेशों में स्थित 3 विद्यालयों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 818 केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है ।

15. **नवोदय विद्यालय :** प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में निर्णय लिया गया था । इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है । इस समय, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, पूना, शिलांग, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना में नवोदय विद्यालय संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । अब तक 360 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं । इस योजना के अंतर्गत, सभी विद्यार्थियों को आवास, खानपान, स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की सुविधा मुफ्त दी जाती है ।

16. **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** विद्यालयों में + 2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार कर रही है । योजना के अन्तर्गत वर्कशेडों का

to the poorest women. Mahila Samakhya Project Pre-supposes that education can be a decisive intervention towards women's equality.

8. **Bihar Education Project :** Provision is made for Bihar Education Project which is a basic education project taken up with the assistance from UNICEF. Its objective is to achieve Education for All through people's mobilisation and their participation.

9. **Bal Bhavan Society (India)** : was founded at the initiative of Pt. Jawaharlal Nehru and established by the Government of India in the year 1955 as a registered Society. It is a fully-financed autonomous organisation of this Department. It's main objective is to afford opportunities to children for personality development and talent through recreation and physical activities; to promote social and cultural contacts amongst children of all classes and communities, to inculcate such values as would help them to develop a modern Indian personality with a scientific temper, and to promote this activity as a movement.

10. **Lok Jumbish :** This an innovative project. It is being implemented with assistance from Swedish International Development Authority(SIDA) and has been undertaken in Rajasthan. The basic objective of the project is to achieve education for all by the year 2000 through people's mobilisation and their participation. The first phase of the project concluded on 30th June, 1994 which covered 25 blocks spread over several districts.

During the second phase it is proposed to extend the coverage to 50 additional blocks in addition to the 25 blocks already covered during the first phase. The project interventions have been made in several components of primary education, like teacher training, Minimum levels of learning, production of teaching-learning materia!. ;opening of new schools, non-formal education etc.

11. **District Primary Education Programme :** The programme takes a holistic view of primary education development and seeks to operationalise the strategy for UEE. The programme lays great emphasis on participation processes for planning and management.

During the year 1994-95 the programme has been taken up in 42 districts in 7 States namely Assam, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu and Madhya Pradesh.

12. **Other Programmes :** This covers provision for National Council of Trachers Education.

13. **National Council of Educational Research and Training** : NCERT advises and aids the Department of Education in implementation of its policies and major programmes in the field of education, particularly school education. It also undertakes activities like research and training of teachers and specific time-bound projects in the field of pre-school and school education and certain special areas entrusted to it by the Department of Education, such as Sixth All India Educational Survey.

14. **Kendriya Vidyalayas**: Kendriya Vidyalaya Sangathan was set up in 1965 as a registered body wholly financed by Government to establish, control and manage Kendriya Vidyalayas, the main objectives of which are to meet the educational needs of the children of transferable Government employees. The Sangathan administers 818 Kendriya Vidyalayas located in different parts of the country including 3 Vidyalayas abroad.

15. **Navodaya Vidyalayas :** With a view to providing good quality education to the talented children, particularly from the rural areas, it was decided in 1985-86 to set up residential schools namely Navodaya Vidyalayas, one in each district of the country. An autonomous organisation namely, Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) has been set up to establish and manage these Vidyalayas. At present, the NVS has 8 regional offices at Jaipur, Lucknow, Hyderabad, Pune, Shillong, Bhopal, Chandigarh and Patna. 360 Navodaya Vidyalayas have so far been sanctioned. Under this scheme, boarding, lodging, school uniforms, textbooks, stationery, etc are provided free of cost to all students.

16. **Vocationalisation of Education** : The Central Government is implementing a Centrally Sponsored Scheme for Vocationalisation of education at + 2 level in Schools. Under the scheme financial

निर्माण करने, उपस्कर प्राप्त करने, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने, पाठ्य-पुस्तकें विकसित करने और अनुदेश सामग्री के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । प्रबंधकीय ढांचे का गठन करने, अध्यापकों का वेतन तथा अन्य मदों के लिए भी हिस्से के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है । व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है ।

फरवरी, 1988 में इसके आरंभ में यह स्कीम 25 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है । (दमण और दीव तथा त्रिपुरा राज्य इस कार्यक्रम में 1993-94 के दौरान शामिल हुए हैं) । इस प्रकार वर्ष 1993-94 तक +2 स्तर पर (कक्षा XI और XII में प्रति व्यावसायिक वर्ग में 25 विद्यार्थियों की दर से) लगभग 8.22 लाख विद्यार्थियों के विपथन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है । वर्ष 1994-95 (अक्तूबर, 1994 तक) के दौरान 150 विद्यालयों में 450 व्यावसायिक वर्गों के लिए मंजूरी दी गई है । निम्न माध्यमिक चरण में व्यवसाय-पूर्व पाठ्यक्रम 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ किया गया है और भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है और चालू हो गया है।

17. **विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा :** कम्प्यूटर साक्षरता और विद्यालयों में अध्ययन (सी.एल.ए.एस.एस.) स्कीम को आशोधित किया गया है और वर्ष 1993-94 से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत, स्कीम को कार्यान्वित किए जाने और अभिकरणों के चयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निधियाँ निर्मुक्त की जा रही है। पुरानी कार्यनीति के अन्तर्गत पहले ही शामिल किए गए 2598 विद्यालयों के लिए सहायता प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, 8वीं योजना के दौरान 1320 अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

18. **विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा :** इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने में सहायता पहुंचाकर सेवाएं उपलब्ध कराना है । योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपस्कर, प्रोत्साहन और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

19. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम :** देश में प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों में 1987-88 में एक संशोधित योजना आरंभ की गई जिसमें इनसेट उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयासों को समाविष्ट करना, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यक्रमों संबंधी योग्यताओं को पैदा करना तथा रेडियो/टी.वी. के महत्व को बढ़ाना शामिल है । इस योजना में रंगीन टी.वी. सेटों की पूर्ति करने के लिए उपग्रह के माध्यम से ई.टी.वी. प्रसारण वाले राज्यों को 75 प्रतिशत सहायता और ऐसी राज्य सरकारों/सभी संघ राज्य क्षेत्रों में चुने हुए प्रारम्भिक/प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स देने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

20 **विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास :** इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान से संबंधी सामान की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और विज्ञान और गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना । विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं को अपनाने के लिए स्वयं सेवी एजेन्सियों को सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

21. **खुला विद्यालय कार्यक्रम:** राष्ट्रीय खुला विद्यालय का उद्देश्य खुली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में विद्यालयी अवस्था में, नियामक राष्ट्रीय नीति प्रपत्रों के समानुरूप और प्राथमिकता प्राप्त विद्यार्थियों को सार्थक, अनवरत तथा विकासात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना है। देश के सभी भागों में माध्यमिक स्तर पर चरणबद्ध ढंग से खुली शिक्षा-अध्ययन सुविधाएँ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी खुले विद्यालयों की स्थापना किए जाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय राज्य सरकारों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है और सुदूरवर्तीशिक्षा से सम्बन्धी सूचना के प्रभावी प्रचार और मुक्त शिक्षा-अध्ययन के लिए एक अभिकरण के रूप में सेवा करता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने भी व्यावसायिक शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रोंमें एक कार्यक्रम शुरू किया है और अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारी संख्या के पाठ्यक्रमों को विकसित किया है।

22. **केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है । इस संगठन का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए भारत में विद्यालयों को सहायता पहुंचाना और उसका प्रबंधन करना है । इस समय

assistance is provided to the States/UTs for construction of worksheds, procurement of equipment, training of teachers, development of textbook and instructional materials on 100% basis. Assistance is also provided for setting up of management structure, for salary of teachers and other items on a sharing basis. There is also provision for assistance to voluntary organisations for innovative programmes in the area of vocational education.

Since the inception of the Scheme in February 1988, the implementation has been extended to 25 States and 6 UTs (Daman & Diu and the State of Tripura have joined the programme during 1993-94). Facilities have thus been provided for diversion of about 8.22 lakh students at the +2 level (@ 25 students per vocational section in classes XI & XII) by 1993-94. During 1994-95 (till October 1994)450 vocational sections in 150 schools have been sanctioned. Pre-vocational course at lower Secondary stage have been introduced in 8 States/UTs. Central Institute of Vocational Education (CIVE) has been set up at Bhopal and made operational.

17. **Computer Education in Schools :** The Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) scheme has been modified and is being implemented as a Centrally Sponsored Scheme from 1993-94. Under the Scheme, funds are released to the States/UTs for selection of agencies for implementing the scheme. Besides providing assistance for 2598 schools already covered under the old strategy, it is proposed to cover 1320 additional Sr. Sec. Schools during the 8th Plan.

18. **Integrated Education for Disabled Children :** This is a Centrally-sponsored scheme aimed at providing educational opportunities to disabled children in common schools to facilitate their retention in the school system. Under the scheme 100% financial assistance is provided to States/UTs/Non-Government Organisations for the education of children with physical and intellectual handicaps with the help of necessary aids, incentives and specially trained teachers.

19. **Education Technology Programme :** In order to consolidate the efforts under the INSAT utilisation programme, achieve larger programme production capabilities within the education sector and extend Radio/TV coverage to upper primary schools in the country, a revised scheme was started in 1987-88. The scheme provides 75% assistance to States covered by ETV transmissions through satellite, for supply of colour TV Sets and 100% assistance towards Radio-cum-Cassette players to selected elementary/primary schools in all Union Territory/ State Governments.

20. **Promotion of Science Laboratories:** Under this Scheme, financial assistance is provided to States/UTs for provision of science kits to upper primary schools, upgradation of science laboratories/Libraries in Secondary/Senior Secondary Schools and training of teachers of Science and Mathematics. Assistance is also provided to voluntary agencies for taking up innovative projects in the field of science education.

21. **Open School Programme** : The Mission of National Open School (NOS) is to provide relevant, continuing and developmental education to prioritised client groups, in consonance with the normative national policy documents through an Open Learning System, at the school stage as an alternative to the formal system of education. It is proposed to extend the Open Learning facilities in a phased manner at the Secondary Level in all parts of the country. In order to facilitate setting up of State Open Schools, the NOS provides consultancy services to the States Governments and serves as an agency for effective dissemination of information related to Distance Education and Open Learning. National Open School has also launched a programme in the priority area of vocational Education and has developed a large number of courses to provide education to its students.

22. **Central Tibetan Schools Administration:** The Central Tibetan Schools Administration is an autonomous organisation under Department of Education. The object of the Organisation is to manage and assist schools in India for the education of the children of Tibetan

प्रशासन देश के विभिन्न भागों में 94 विद्यालय चला रहा है । प्रशासन, मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को स्नातक से निचले स्तरों पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और उन्हें उनके लिए आरक्षित स्थानों में एम.बी.बी.एस., इंजीनियरिंग, मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी सहायता करता है । प्रशासन मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों सहित प्रशंसनीय अध्यापकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करता है और इसने मसूरी स्थित अपने नए बनाए गए प्रशिक्षण स्कंध में अध्यापकों को सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है ।

24. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति और मूल्य शिक्षा निविष्टियों को मजबूत बनाने और कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने में मजबूती लाने के लिए व्यवस्था और सशस्त्र सेना के मारे गए जवानों/युद्ध के दौरान अपंग हुए जवानों के बच्चों के लिए शिक्षा में रियायत देने, के लिए योजना भिन्न स्कीमें और शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा में पर्यावरणीय अनुकूलन और जनसंख्या संबंधी शिक्षा परियोजना की व्यवस्था शामिल की गई है।

25. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :** इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों के सम्न्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी । इसके कार्यों के निष्पादन के लिए अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के विकास और रखरखाव के लिए अनुदान वितरित व आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है और अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त है ।

26. **एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना :** जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ प्राप्त न कर सकने वाले समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने; नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरु करने के लिए सितम्बर 1985 में इंदिरा गांधी खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी । इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय देश के शैक्षणिक पैटर्न में अन्तराल शिक्षा प्रणाली और खुले विश्वविद्यालय को बढ़ावा देगा और ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करेगा । यह कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद स्थापित की गई है ।

27. **वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला यह कार्यक्रम मूलतः कुछ तय किए गए क्षेत्रों में अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान कार्यकलापों का विकास हो सके ।

28. **विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार :** विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने की स्कीम के कार्यान्यिवन के लिए राज्य सरकार के बकाया दावों की पूर्ति करने के लिए प्रावधान किया गया।

29. **भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद:** भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यतः अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को पुरस्कृत करने, अनुसंधान संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान देने और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने प्रलेखन सेवाओं के केन्द्रों का विकास करने, चुनिंदा समाजविज्ञान साहित्य के प्रकाशन और समाज विज्ञान से सम्बद्ध सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन, प्रायोजन को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी।

30 **अन्य कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत, उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं, जैसे कि इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडी, शिमला, भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान, डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट दिल्ली, भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन नई दिल्ली, की सहायता-अनुदानों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, और अंतराष्ट्रीय सहयोग आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

31. **प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन :** इस केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत सोसाइटियों, सरकारी ट्रस्टों, कोई लाभ न कमाने वाली कम्पनियों आदि को वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों तथा अनुवर्ती प्रकाशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं को आयोजित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न स्तरों पर वयस्क शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आयोजन कर के शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन समर्थन प्रदान करने, प्रारम्भिक शिक्षा और शिक्षा के पश्चात्, दोनों के लिए, अध्यापन/सीखने की सामग्री तैयार करने और वातावरण आदि बनाने में लगी राज्य संसाधन केन्द्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। कार्यान्वियन कार्यनीति को परिणामोन्मुखी, समयबाधित तथा लागत प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम को सुधरी हुई गति और सीखने की

Refugees. At present the Administration is running 94 schools in different parts of the country. The Administration also provides facilities to meritorious Tibetan students for higher education at the under-graduate level and also helps them in admission to M.B.B.S., Engineering, Printing Technology courses against reserved seats. The Administration gives incentive awards to meritorious teachers including Headmasters and Principals and has also started imparting in-service training to its teachers at its newly created Training Wing at Mussoorie.

24. **Other Programmes:** These include provision for strengthening cultural and value education inputs in the school and Non-formal education system and strengthening the in-service training of art, craft, music and dance teachers, educational concessions to children of Armed Forces Personnal killed/disabled in action, National Awards to teachers, cultural exchange programme in the field of school education, environmental orientation in School Education and Population Education Project.

25. **University Grants Commission :** was established under an Act of Parliament in 1956 for the purpose of coordination and determination of standards in universities. In the discharge of its functions, the Act empowers the Commission among other things to allocate and disburse grants to Universities for their maintenance and development, and to establish and operate Inter-University Centres.

26. **Establishment of a National University:** The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was established in September 1985 to provide access to higher education to large segments of the population especially the disadvantaged groups; to organise programmes of continuing education, to upgrade knowledge and skill; and to initiate special programmes of higher education for specific target groups like women, people living in backward regions, hilly areas etc. The IGNOU will encourage the Open University and Distance Education System in the educational pattern of the country and coordinate and determine standards in such systems. A Distance Education Council, as a statutory authority under the IGNOU Act, has been set up to perform this function.

27. **Programmes to strengthen Scientific Research :** The programme being implemented through UGC is basically meant to strengthen the infrastructure of some of the identified centres which could generate research activities of international standard.

28. **Improvement in Salary Scales of University and College Teachers:** Provision has been made for meeting the residual claims of the State Governments for implementation of the scheme of revision of pay scales of University and College teachers.

29. **Indian Council of Social Science Research**: The Indian Council of Social Science Research was set up primarily with the objective of financing research projects, awarding research fellowships, providing maintenance and development grants to research institutes, developing centres for Documentation Service, publication of selected social science literature and organising, sponsoring and financing seminars and workshops relating to social sciene.

30. **Other Programmes** : Include provisions for grants-in -aid to other institutes of higher learning such as Indian Institute of Advanced Study, Shimla; Indian Council of Philosophical Research; Shastri Indo-Canadian Institute; Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust, Delhi; Association of Indian Universities, New Delhi, Indian Council of Historical Research and International Cooperation etc.

31. **Voluntary organisations in the field of Adult Education :** Under this Central Scheme, financial assistance is given to registered societies, public trusts, non-profit making companies etc. for undertaking projects of total literacy and post literacy and follow up in a compact and contiguous area with the responsibility of making it fully literate, as well as for publications, holding seminars, workshops etc. Assistance is also given to State Resource Centres/Districts Resource Units engaged in providing academic and technical resource support to the Literacy/Adult Education Programme by way of organising trainings for field functionaries at various levels, production of teaching/learning material, both for basic literacy and post-literacy and

इच्छा के अधीन स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है । अब स्कीम को विकेन्द्रीकृत किया गया है और अब अनुदान राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से वितरित की जाएगी।

32. **साक्षरोत्तर और जारी परियोजना :** योजना का उद्देश्य साक्षर व्यक्तियों की साक्षरोत्तर शैक्षणिक और जारी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए जन शिक्षण निलायम के जरिए पर्याप्त आधारभूत संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है । 5000 व्यक्तियों के लिए 4-5 गांवों के समूह में जन शिक्षण निलायम स्थापित किए जाएंगे । जन शिक्षण निलायम के सदस्यों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के नियो-शिक्षित लोग, विद्यालय को छोड़ कर चले गए, प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण सदस्य, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में उत्तीर्ण हुए सदस्य और स्थानीय समुदाय के दूसरे सदस्य शामिल है । स्कीम में साक्षरता अभियान से उत्पन्न नव-साक्षरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

33. **ग्रामीण साक्षरता परियोजना :** ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाती है । योजना को पुनर्गठित किया गया है तथा कार्यान्वयन तंत्र तथा वित्तीय और स्टाफ पैटर्न में परिवर्तन किया गया है । संशोधित स्कीम का व्यय वित्त समिति ने अब अनुमोदन कर दिया है और निर्धारित मानदण्डों और वित्तीय पैटर्न के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान के केवल सीमावर्ती जिलों में कार्यान्वित की जाएगी।

34. **प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना :** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक ढांचा सृजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । इसमें कर्मचारियों की परिलब्धियां, चिकित्सा और यात्रा व्यय आदि सहित शामिल है । इस समय इस योजना के अन्तर्गत लगभग 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । 1988 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किए गए और अब तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संशोधित कर्मचारी पैटर्न को स्वीकार कर लिया है।

35. इसमें विशेष साक्षरता शिक्षा परियोजना के लिए योजना के अन्तर्गत और पूर्णसाक्षरता के बाद अभियानों के कार्यान्वयन के लिए चुने हुए जिलों की जिला साक्षरता समितियों की परियोजनाओं की स्वीकृतियों के लिए व्यवस्था की गई है ।

36. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** भारत में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के लिए वयस्क शिक्षा निदेशालय शीर्ष संसाधन निकाय है । विभाग के तकनीकी स्कन्ध के रूप में यह वयस्क शिक्षा से जुड़े हुए सभी मामलों के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करता रहा है ।

37. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें श्रमिक विद्यापीठ, साक्षरता गृह, लखनऊ और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा के लिए जन आंदोलन, प्रौद्योगिकी प्रर्दशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, प्रौढ़ शिक्षा में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा प्रारंभिक परियोजना तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान शामिल हैं।

38. **आधुनिक भारतीय भाषायें और साहित्य:** हिन्दी, आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के संवर्धन और प्रचार के लिए प्रकाशन और भाषाओं के संवर्धन प्रसारण और विकास के लिए दूसरी गतिविधियों के वास्ते स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । संगठनों और पुस्तकालयों को मुफ्त वितरण के वास्ते विभिन्न भाषाओं की कई पुस्तकों की खरीद का भी प्रावधान है । अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाने के लिए निधियां निर्धारित की गई है। वर्ष 1993-94 में हिन्दी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए एक नई स्कीम शुरु की गई। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उर्दू के संवर्धन के लिए केन्द्र, वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अनुरक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सिन्धी भाषा के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किए जाने के उद्देश्य से बड़ौदा में (पूर्ववर्ती प्रस्तावित सिन्धी विकास बोर्ड के स्थान पर) स्वीकृति दी गई है। उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय परिषद अक्तूबर, 1994 में गठित की गई। यह परिषद उर्दू के संवर्धन के लिए विद्यमान ब्यूरो का स्थान ग्रहण करेगी। उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

environment building etc. Implementation strategy has been revised to make it result oriented, time-bound and cost effective by running the programme on a voluntary basis under the improved pace and content of learning. The Scheme has now been decentralised and grants will now be disbursed through State Resource Centres.

32. **Post Literacy and Continuing Project :** The scheme aims at providing adequate institutional infrastructure through Jana Shikshan Nilayams for the post-literacy and continuing education needs of the neo-literates. The JSNs will be set up in a cluster of 4-5 villages to serve a population of 5000 persons. The clientele of JSNs include neo-literates of adult education programme, school drop-outs, pass-outs of primary schools, pass-outs of non-formal education programme and other members of the local community. The scheme is being reised to cater to the neo literates emerging from literacy compaigns and to improve its outreach and efficacy.

33. **Rural Functional Literacy Project:** Rural Functional Literacy Project is a centrally sponsored scheme and funded cent per cent by the Central Government. The scheme has been reorganised and there is change in the implementation mechanism as well as the financial and staffing pattern. The revised scheme has been approved and will be implemented as per prescribed norms and financial pattern in North Eastern States, J&K, Sikkim, Border Districts of Rajasthan only.

34. **Strengthening of Administrative Structure :** Cent per cent grant is given to States/UTs for creating necessary administrative structure at the State and District levels for achieving the aims of National Literacy Mission. This covers expenditure on emoluments of staff, other than medical and travel expenses, etc. About 23 States/UTs are presently receiving central grant under this scheme. The scheme has been revised in 1988 under which additional staff has been sanctioned to States/UTs.

35. **Special Project for Eradication of Illiteracy:** Under the scheme, projects for total post-literacy compaigns are sanctioned to Zilla Saksharata Samities of selected districts for implementation.

36. **Directorate of Adult Education**: The Directorate of Adult Education is an apex resource body for the Adult Education Programme in India. As a technical wing of the Department, it has been rendering technical services for all matters connected with the Adult Education.

37. **Other Programmes**: These include Shramik Vidyapeeth, Literacy House Lucknow and Cultural Exchange Programme in the field of Adult Education, Mass Movement for Adult Education, Technology Demonstration, National Literacy Mission Authority, NFE for Women and Girls in Adult Education, Population Education in Adult Education Programme Preparatory Project and National Institute of Adult Education.

38. **Modern Indian Languages and Literature:** For promotion and propagation of Hindi, Modern Indian Languages and English, financial assistance is given to voluntary organisations for publication and other activities for promotion, propagation and development of languages. Provision is also made for bulk purchase of books in different languages for free distribution to organisations and libraries. Funds are earmarked for giving Grants to States/Union Territories for appointment and training of Hindi teachers in Non-Hindi-Speaking States. A new scheme for appointment of Modern Indian Lanugages in Hindi speaking States was launched in 1993-94. Provision is also made for maintenance of Central Hindi Directorate, Kendriya Hindi Sansthan, Bureau for Promotion of Urdu, Commission for Scientific and Technical Terminology, Central Institute of Indian Lanugages.

A Ntional Council for Promotion of Sindhi Lanugage has been aproved for setting up at Baroda (in Place of Sindhi Vikas Board Proposed earlier). A National Council for Promtion of Urdu Language has been constituted in October, 1994. This Council will replace the existing Bureau for Promotion of Urdu. A scheme for appointment of Urdu Teachers is under consideration.

39.01 **संस्कृतः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानः** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत के परिरक्षण, संस्कृत में परम्परागत शिक्षा-अध्यापन और अनुसन्धान के आधुनिकीकरण और प्रचार के लक्ष्य सहित वर्ष 1970 में एक स्वायत्त के रूप में स्थापित किया गया। इसे, लगभग 600 स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, संस्थाओं और पूरे भारत में व्याप्त सभी पाठशालाओं को जिन में संस्कृत का संवर्धन और अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य किया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के दायित्व से भी प्रभारित किया गया है। 14 स्नातकोत्तर अध्यापन संस्थाओं और तीन स्नातकोत्तर अनुसन्धान संस्थाओं को जिन में आगामी विकास तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

39.02 **राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानः** इस मंत्रालय के अन्तर्गत क्रमशः संस्कृत अध्ययन, और वैदिक अध्ययन के संवर्धन में सहायता के लिए एक स्वायत्त सगंठन है। भारत सरकार ने श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थापना भी की है। जो संस्थाएं माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और वे संस्थाएं जो शास्त्रीय संस्कृत के पुनर्मुद्रण प्रकाशन आदि के कार्य में लगी है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वैच्छिक आधार पर मदरसों के आधुनिकीकरण की स्कीम जिसमें केन्द्र द्वारा राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, केन्द्रीय स्कीम के रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

40. **राष्ट्रीय छात्रवृति योजना :** योग्यता के आधार पर निर्धन लेकिन मेधावी छात्रों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

41. **अन्य :** इसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनेस्को, डब्ल्यू. आई.पी.ओ. तथा विदेश स्थित शिक्षा संस्थाओं को अंशदान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

42. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

43. **कोटि सुधार कार्यक्रम :** देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और मानकों को सुधारने के लिए एम.टैक और पी.एच.डी., अल्पावधि पाठ्यक्रमों और उद्योग में सेवाकालीन अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं । दीर्घावधि कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूर और रुड़की विश्वविद्यालय तथा उपाधि पाठ्यक्रमों और अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए अन्य केन्द्रों जैसी चाय भारतीय संस्थाओं में स्थापित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

44. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान :** बम्बई, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास स्थित पांच भा.प्रौ. संस्थानों की स्थापना अवर-स्नातक स्तर पर इंजीनियरी तथा प्रयुक्त विज्ञानों में शिक्षा व प्रशिक्षण के अग्रणी केन्द्रों के रूप में की गई है; इन संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हैं ।

आसाम समझौते के तहत गुवाहाटी में, आसाम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है । प्रस्तावित आई.आई.टी. के लिए 708 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है । परिसर के विकास, आवश्यक भवनों के निर्माण , स्टाफ और कार्यालय पर होने वाले आवर्ती व्यय के अतिरिक्त के लिए व्यवस्था है।

45. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज :** प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रमों के रूप में इन 17 कालेजों की स्थापना की गई थी । इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा डाक्टोरल कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों के समान लाने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को "उत्कृष्टता के केन्द्र" बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कार्यान्वित किया जाना है। 8 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1993-94 के दौरान तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक भारत-युनाईटिड किंगडम परियोजना शुरू की गई ।

46. **छात्रवृत्तियां :** शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत, नए इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा धारियों और 10 + 2 व्यावसायिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके । विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मासिक वृत्तिकाएं 610 रुपए से लेकर 1120 रुपए तक हैं ।

39.01. **Sanskrit: Rashtriya Sanskrit Sansthan:** Rashtriya Sanskrit Sansthan has been established in 1970 as an autonomous organisation with the objective of preservation, propagation and modernisation of traditional learning and research in Sanskrit. It is also charged with the responsibility of giving financial assistance to about 600 voluntary Sanskrit Organisation, Institutions and Pathashalas all over India, which are engaged in the promotion and research in Sanskrit. Financial assistance is also provided to 14 post-graduate teaching institutions and three post-graduate research institutions having potential for further development and offering post graduate studies.

39.02 **Other:** The Rashtriya Ved Vidya Pratisthan, an autonomous organisation under this Ministry assist, in the promotion of Sanskrit studies and Vedic studies, respectively. The Govt. of India have also established Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishva Mahavidyalaya, Kancheepuram, Tamil Nadu. Institutions providing facilities for teaching Sanskrit in Secondary schools and those which are engaged in reprinting and publication of Sanskrit classics etc. are being provided financial assistance. The scheme of Modernisation of Madrasas on voluntary basis, under which 100% financial assistance is provided to State Govts. by the centre, is being implemented by State Govts. as a Central scheme.

40. **National Scholarship Scheme:** Financial assistance is provided to brilliant but poor students on merit basis to pursue their academic career to post-matric level, through State/UT Governments and Union Territory Administrations.

41. **Others** : Include provision for grants to National Institute of Educational Planning and Administration, National Book Trust, contributions, etc. to UNESCO, WIPO and educational institutions abroad.

42. **University Grants Commission** : Assistance is given to UGC for its technical educational programmes.

43. **Quality Improvement Programmes :** To improve the quality and standards of the technical education system in the country, a number of programmes like M.Tech. and Ph. D., short-term courses and short-term in-service training programmes in industry and curriculum development programmes for faculty members of the technical institutes are undertaken. The long term programmes are implemented through the Quality Improvement Programme Centres established at five Indian Institutes of Technology, Indian Institute of Science, Bangalore and Roorkee University and at other centres for degree courses and short-term courses.

44. **Indian Institutes of Technology :** The five I.I.Ts at Bombay, Kharagpur, Delhi, Kanpur and Madras have been established as premier centres of education and training in engineering and applied sciences at the undergraduate level; they provide adequate facilities for post graduate studies and research.

Under the Assam Accord an Indian Institute of Technology is being set up at Guwahati in Assam. The land measuring 708 acres for the proposed IIT has already been acquired. The provision made is for development of the campus, construction of essential buildings, besides some recurring expenditure on staff and office.

45. **Regional Engineering Colleges :** These colleges, which are seventeen in number, were established as joint ventures between the Centre and the State governments concerned to meet the growing needs for trained technical manpower. Most of these regional colleges have facilities for post graduate and doctoral programmes.

To bring RECs at par with IITs a programme of making RECs as "Centres of Excellence" has been initiated during 1993-94 which is implementable during the 8th Five Year Plan. An Indo-UK project to strengthen Technical Education in 8 RECs was launched during the period 1993-94.

46. **Scholarships** : Under the Apprenticeship Act, 1961, apprenticeship training facilities are being provided to fresh engineering graduates and diploma holders and 10+2 vocational students to condition them for gainful employment. The minimum monthly stipends for different categories of apprentices range from

वृत्तिका की लागत, प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है । यह कार्यक्रम कानपुर, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

47. **भारतीय प्रबंध संस्थान :** अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलूर और लखनऊ में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना प्रबंध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी । संस्थानों ने प्रबंधकीय विज्ञान के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है और मानव संसाधन विकास के विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दिया है।

48. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर :** यह एक समविश्वविद्यालय और अग्रणी संस्थान है जिसकी 1909 में स्थापना की गई थी, जिसने इंजीनियरी विज्ञानों और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक शक्तिशाली केन्द्र के रूप में ख्याति अर्जित की है । संस्थान ने लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से अंतराष्ट्रीय संयोजन के साथ लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत पर एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ एक राष्ट्रीय अंतः सम्पर्क (हुक-अप) लगाया जा रहा है । संस्थान बायो-मास और जैव-प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी कार्य कर रही है।

49. **ए.आई.सी.टी.ई. को अनुदान :** ए.आई.सी.टी.ई. के प्रमुख कार्य, जो एक सांविधिक संगठन है, देश में समुचित आयोजना तथा तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास शामिल है। परिषद् ने पहले ही प्रबन्धन, वास्तुकला और नगर आयोजना, तकनीकी शिक्षा के लिए अध्ययन बोर्डों को उत्प्रेरित तथा विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में उन के प्रोन्नत तथा शैक्षणिक घोषणा-पत्र के सन्दर्भ में सुविधा जुटाने की व्यवस्था की है।

50. **प्रौद्योगिकी विकास मिशन :** प्रौद्योगिकी विकास मिशन पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर में खाद्य प्रसंस्करण अभियान्त्रिकी, एकीकृत डिजायन और प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण, छायाचित्रण साधन तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और साधन, प्राकृतिक संकट प्रशमन दूरसंचार विस्तार केन्द्र और आसूचना स्वचलन, नई भौतिक और जेनेटिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे है ।

51. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, गैर-विश्वविद्यालय केन्द्रों पर प्रबंध केन्द्रों का विकास, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, तकनीकी संस्थाओं में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन, भारतीय शैक्षणिक सलाहकार लिमि. राष्ट्रीय औद्योगिकी अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, चुनी हुई उच्चतर तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास।

52. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान :** उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, (नेरिस्ट), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) की स्थापना इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रायोगिक विज्ञान धाराएं तैयार करने के वास्ते 1986 में स्थापित की गई थी । नेरिस्ट की स्थापना एक विशिष्ट संस्था के रूप में की गई है जो प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के माड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रदान करती है, जिनके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञानों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उपाधि प्रदान की जाती है । संस्थान को उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय को अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई है ।

53. **शारीरिक शिक्षा:** शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में योग को आरंभ करने के लिए 1989-90 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए योग अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और इस प्रयोजनार्थ आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई । 1992-93 के दौरान, प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अध्यापकों की यात्रा लागत के लिए योजना को संशोधित किया गया।

अखिल भारतीय स्तर के योग संस्थान कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनावला को इसके रखरखाव के लिए 80 प्रतिशत और उपचारात्मक पहलुओं के अतिरिक्त उनके विभिन्न पहलुओं में आधारभूत अनुसंधान और/या अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसके विभागीय व्यय के शत प्रतिशत की सीमा तक सहायता दी जा रही है ।

Rs. 610 to Rs.1120. The cost of the stipend is shared equally by the training establishments and the Central Government. The programme is being implemented through the 4 Boards of Apprenticeship Training located at Kanpur, Bombay, Madras and Calcutta.

47. **Indian Institutes of Management :** The Indian Institutes of Management at Ahmedabad, Calcutta, Bangalore and Lucknow were established with the objective of providing education, training, research and consultancy in the field of Management. The Institutes have done pioneer work in the field of training of Managerial Science and contributed in specific field of human resource development.

48. **Indian Institute of Science, Bangalore :** The IISc, Bangalore, a deemed University and a pioneer Institute set up in 1909, has earned recognition as a formidable Centre for research in Engineering Sciences and allied fields. The Institute has installed a Super Computer with an international hook-up at a cost of approximately Rs. 50 crore. A national hook-up with various Universities is on the anvil. The Institute is also doing pioneer work in Bio-mass & Bio-technology.

49. **Grants to A.I.C.T.E. :** The main functions of A.I.C.T.E. which is a statutory organisation, include proper planning and coordinated development of Technical Education in the country. The Council has already activated the Boards of Studies for Management, Architecture and Town Planning, Technical Education and Post-Graduate Studies to cater to various specialised areas in terms of their promotional and academic charter.

50. **Technology Development Mission :** Technology Development Missions is being set up in the five Indian Institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore in the areas of Food Processing Engineering, Integrated Design and Competitive Manufacturing, Photonic Devices and Technology, Energy Efficient Technologies and Devices, Natural Hazard Mitigation Communication Networking and Intelligent Automation, New Material and Genetic Engineering and Technology.

51. **Other Programmes :** These include Apprenticeship Training Board, Development of Management Centres at Non-University Centres, Asian Institute of Technology, Bangkok, Revision of Salary Scales of Teachers of Technical Institutions, Educational Consultants India Limited, Research and Development in selected higher technical institutions

52. **North Eastern Regional Institute of Science and Technology :** The North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST), Itanagar (Arunachal Pradesh) was established in 1986 to generate skilled manpower in the field of Engineering and Technology as well as Applied Science streams for the development of North Eastern Region. The NERIST has been conceived as a Unique institution offering a sequence of modular programmes of 2 years' duration each, leading to certificate, diploma and degree in technology and applied sciences. The institute has been accorded, provisionally, affiliation to the North Eastern Hill University.

53. **Physical Education:** In the light of the National Policy on Education, 1986 a Centrally Sponsored Scheme of Introduction of Yoga in Schools was introduced in 1989-90 under which financial assistance is provided to State Governments/Union Territory Administrations/Yoga Institutions of all India character for organising training programme for Yoga teachers and for building infrastructural facilities for the purpose. The scheme has been revised during 1992-93 to provide for the travel cost of teachers deputed for training.

Kaivalyadhama Shriman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavla, a yoga institution of all India character is being assisted to the extent of 80% of its maintenance and 100% of its developmental expenditure for promotion of basic research and for teacher training programmes in various aspects of Yoga other than therapeutical aspects.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.47

युवा कार्य और खेल विभाग Department of Youth Affairs and Sports

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		92.58	41.10	133.68	91.58	40.82	132.40	92.94	37.73	130.67
पूंजी	*Capital*		*1.42*	*0.01*	*1.43*	*2.42*	*0.01*	*2.43*	*2.06*	*0.01*	*2.07*
जोड़	**Total**		**94.00**	**41.11**	**135.11**	**94.00**	**40.83**	**134.83**	**95.00**	**37.74**	**132.74**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	0.25	2.46	2.71	0.14	2.18	2.32	0.25	2.32	2.57
खेल और युवा सेवाएं	**Sports & Youth Services**										
युवा कल्याण योजनाएं	**Youth Welfare Schemes**										
2. नेहरू युवक केन्द्र संगठन	2. Nehru Yuva Kendra Sangathan	2204	10.17	7.11	17.28	10.27	7.12	17.39	10.20	7.11	17.31
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	3. National Service Scheme	2204	1.34	1.09	2.43	1.34	1.09	2.43	1.58	1.09	2.67
		3601	9.50	3.70	13.20	8.50	3.70	12.20	10.99	3.50	14.49
		3602	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.06	0.09
जोड़		*Total*	*10.87*	*4.80*	*15.67*	*9.87*	*4.80*	*14.67*	*12.60*	*4.65*	*17.25*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	4. National Discipline Scheme	3601	...	9.66	9.66	...	9.66	9.66	...	9.66	9.66
5. अन्य युवा कल्याण कार्य-कलाप	5. National Service Volunteers Scheme	2204	2.25	...	2.25	2.47	...	2.47	2.60	...	2.60
		3601	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*2.50*	...	*2.50*	*2.72*	...	*2.72*	*2.85*	...	*2.85*
6. राष्ट्रीय समेकन कार्यक्रम	6. National Integration Programme	2204	2.65	...	2.65	2.65	...	2.65	2.50	...	2.50
		3601	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	0.76	...	0.76
जोड़		*Total*	*5.25*	...	*5.25*	*5.25*	...	*5.25*	*3.26*	...	*3.26*
7. युवा होस्टल	7. Youth Hostels	2204	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		4202	1.42	...	1.42	2.42	...	2.42	2.01	...	2.01
जोड़		*Total*	*1.52*	...	*1.52*	*2.52*	...	*2.52*	*2.11*	...	*2.11*
8. अन्य स्कीमें	8. Other Schemes	2204	7.61	0.59	8.20	7.29	0.58	7.87	7.37	0.58	7.95
		3601	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.86	...	0.86
जोड़		*Total*	*8.44*	*0.59*	*9.03*	*8.12*	*0.58*	*8.70*	*8.23*	*0.58*	*8.81*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं	**Total -Youth Welfare Schemes**		**38.75**	**22.16**	**60.91**	**38.75**	**22.16**	**60.91**	**39.25**	**22.00**	**61.25**
खेल एवं खेल-कूद	**Sports & Games**										
9. भारतीय खेल प्राधिकरण	9. Sports Authority of India	2204	27.50	11.63	39.13	27.61	11.63	39.24	27.95	11.63	39.58
10. स्टेडियम के लिए एम.सी.डी. कर	10. MCD Taxes for Stadias	2204	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	...	...
11. खेल संघों को अनुदान	11. Grants to Sports Federations	2204	9.00	0.85	9.85	9.00	0.85	9.85	7.05	0.75	7.80
12. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान	12. Grants to Universities and Colleges	2204	2.50	...	2.50	2.58	...	2.58	3.00	...	3.00
13. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	13. Incentives for Promotion of Sports Activities	2204	3.00	...	3.00	3.30	...	3.30	3.50	...	3.50
14. खेल आधारित संरचना का निर्माण	14. Creation of Sports Infrastructure	2204	1.41	...	1.41	1.41	...	1.41	1.41	...	1.41
		3601	6.04	...	6.04	6.04	...	6.04	6.54	...	6.54
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*7.50*	...	*7.50*	*7.50*	...	*7.50*	*8.00*	...	*8.00*
15. सिंथेटिक ट्रैक्स एवं सरफेसेज को बिछाना	15. Laying of Synthetic tracks and surfaces	2204	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
16. खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम	16. Sports Talent Search Scholarship Scheme	2204	1.00	...	1.00	1.10	...	1.10	2.00	...	2.00
17. अन्य प्रोग्राम	17. Other Schemes	2204	3.00	0.84	3.84	2.52	0.84	3.36	2.45	0.87	3.32
		4202	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	0.05	0.01	0.06
जोड़		*Total*	*3.00*	*0.85*	*3.85*	*2.52*	*0.85*	*3.37*	*2.50*	*0.88*	*3.38*
जोड़—खेल और युवा कार्य	**Total Sports & Games**		**55.00**	**16.33**	**71.33**	**55.11**	**16.33**	**71.44**	**55.50**	**13.26**	**68.76**
18. अन्य कार्यक्रम	18. Other Programmes	2204	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16
कुल जोड़	***Grand Total***		*94.00*	*41.11.*	*135.11*	*94.00*	*40.83*	*134.83*	*95.00*	*37.74*	*132.74*

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. खेल और युवा कार्य	1. Sports & Youth Affairs	22204	93.75	...	93.75	93.86	...	93.86	94.75	...	94.75
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2. Secretariat-Social Services	22251	0.25	...	0.25	0.14	...	0.14	0.25	...	0.25
जोड़	**Total**		**94.00**	...	**94.00**	**94.00**	...	**94.00**	**95.00**	...	**95.00**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं :** इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **नेहरू युवक केन्द्र संगठन :** नेहरू युवक केन्द्र संगठन इस विभाग का केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जिसके अन्तर्गत जिलों में नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा इस संगठन का उपयोग युवा नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल-कूद तथा मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के कार्यकलापों को अतिरिक्त बल देने के लिए किया जाता है।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना :** यह योजना 1969-70 में शुरू की गई थी। इसे विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्चतर-शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का अधिकांश व्यय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान देकर पूरा किया जाता

1. **Secretariat - Social Services :** Provides for secretariat expenditure.

2. **Nehru Yuva Kendra Sangathan:** Nehru Yuva Kendra Sangathan is a Central autonomous body of the department which has Nehru Yuva Kendras in the districts functioning under it. This organisation is used by the Government to give extra thrust to the activities of non-student rural youth through programmes such as youth leadership, training, community service programmes, vocational training, sports and recreation, cultural activities, non-formal education, etc.

3. **National Service Scheme:** The scheme started in 1969-70 is implemented through universities, colleges and other institutions of higher learning. Bulk of the expenditure on the scheme is incurred through grants to the State Governments and Union Territories. The

है। इस योजना में (क) विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर चुने हुए कल्याणकारी अभिकरणों के रूप में करने के लिए भेजे गए विद्यार्थियों द्वारा सम्पन्न संस्थात्मक कार्य, (ख) विश्वविद्यालय क्षेत्र में सुधार की परियोजनाएं, खेलकूद के मैदानों का निर्माण कार्य और विश्वविद्यालय क्षेत्र में वृक्षारोपण और (ग) निरक्षरता, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, कृषि कार्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषाहार कार्यक्रम और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं तथा ग्रामीण सड़कों इत्यादि के लिए ग्राम्य परियोजनाएं शामिल हैं ।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डी.एस.) :** इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस योजना के अधीन नियोजित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनों तथा भत्तों के व्यय और अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति की व्यवस्था करती है ।

5. **राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम :** राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने, सामान्यतः उन के बारे में बताते हुए जो अपनी प्रथम उपाधि पूरी समय अवधि के आधार पर, एक सुनिश्चित अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में स्वेच्छिक आधार पर स्वयम् को समन्वित किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1977-78 में शुरू की गई।

6. **राष्ट्रीय समन्वय कार्यक्रम :** इस स्कीम के अन्तर्गत, युवा कार्य और खेल विभाग स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, एन.एस.एस. और एन.वाई.के.एस. को देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय समेकन शिविरों को आयोजित किए जाने के लिए, राज्यों में परस्पर निरीक्षण-दौरों, वाद-विवाद परिचर्चाओं, सम्मेलनों, अनुसन्धान प्रकाशन, क्षेत्रीय तथा आँचलिक पर्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों के आयोजन किए जाने, जिन में सभी का उद्देश्य साम्यवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषिक उग्रराष्ट्रीयवाद और अन्य विभाजक प्रवृत्तियां के विरूद्ध लक्ष्यों को, सहायता प्रदान करता है।

7. **युवा छात्रावास :** युवा छात्रावासों का निर्माण युवा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यात्रा करने में समर्थ युवा अपने देश की विभिन्नताओं का अनुभव प्राप्त करने के लिए और विगत कालीन गौरव स्मारकों के साथ-साथ इस की सीमाओं के प्राकृतिक से अवगत कराना है जो राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करता है। ऐसे छात्रावासों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम स्वरूप किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण-कार्य की लागत व्यय का वहन करती है, राज्य सरकार जल, विद्युत, सुगम्य सड़क मार्ग और कर्मचारीवर्ग क्वार्टरों सहित निःशुल्क लागत की विकसित भूमि प्रदान करती है।

8. **अन्य युवा कल्याण कार्यकलाप :** इनमें, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन युवकों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली यात्राओं, युवा कल्याण कार्यों में संलग्न ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना, पर्वतारोहण संस्थानों और उनके विकास तथा स्काउटिंग तथा गाइडिंग और राष्ट्रमंडलीय युवक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एकता के संवर्धन, युवकों के प्रशिक्षण, युवा क्लबों, पिछड़ी जनजातियों में युवा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष योजना, युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान के श्रेष्ठ युवा क्लबों और युवा विकास केन्द्रों को पुरस्कार देने की योजना और संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक कार्यक्रम को योगदान के लिए व्यवस्था की जाती है ।अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रकाशन हेतु अलग प्रावधान रखा गया है ।

9. **भारतीय खेल कूद प्राधिकरण:** यह एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसमें खेल कूद की प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने, 'सभी के लिए खेल-कूद' भावना को कार्यान्वित करने, विशेष क्षेत्रों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, खेल-कूद उपस्करों का एक केन्द्रीय पूल बनाने, महिला खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण खेल-कूद को बढ़ावा देने, खेल-कूद संबंधी छात्रवृत्तियां देने, राष्ट्रीय प्रशिक्षु कैम्पों का संचालन करने तथा स्टेडियमों का प्रबन्ध करने के साथ-साथ खेल-कूद हॉस्टलों की स्थापना एवं उनके प्रबन्ध विषयक अनेकों आयोजना-गत योजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल हैं । शारीरिक शिक्षा की अवधारणा की प्रगति पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के माध्यम से निगरानी रखी जाती है ।

11. **खेलकूद संघों को अनुदान :** ये अनुदान खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजनों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने, वरिष्ठ, कनिष्ठ तथा उप-कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय चेम्पियनशिप का आयोजन करने तथा अव्ययित प्रकृति के खेलकूद के सामान की खरीद के लिए दिए जाते है।

12. **विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान :** ये अनुदान विश्वविद्यालयों में खेलों के तथा खेलों के आधारभूत ढांचे के संवर्धन के

scheme includes (a) institutional work by students sent to selected welfare agencies outside the campus to work as volunteers, (b) institutional projects for the improvement of the campus, construction of play-fields, plantation of trees in the campus and (c) rural projects for eradication of illiteracy, minor irrigation works, agricultural operations, environmental conservation, health, family welfare and nutrition programmes, rural cooperatives, rural roads, etc.

4. **National Discipline Scheme (NDS):** Under the scheme the Central Government meets the expenditure on the pay and allowances of the NDS instructors under the erstwhile National Fitness Corps Scheme and other incidental expenses.

5. **National Service Volunteer Scheme :** National Service Volunteer Scheme launched in 1977-78, aims at providing opportunities to students, generally speaking those who have completed their first degree, to involve themselves on a voluntary basis in nation building activities for a specific period, on a whole time basis.

6. **National Integration Programme :** Under this scheme, the Deptt. of Youth Affairs and Sports provides assistance to Voluntary Organisations, educational institutions, NSS and NYKS for organising National Integration camps in different parts of the country, for inter-state visits, seminars, conferences, research publication, regional and zonal festivals, organising cultural programmes and other activities, all of which aim at combating communalism, regionalism, linguistic chauvinism and other divisive tendencies.

7. **Youth Hostels :** Youth Hostels are built to promote Youth Travel. Travelling enables youth to experience the diversities of their countries and the boundries of its natural beauty as well as saviour of the glories of the past, a process which promotes National Integration. The construction of such hostels has been conceived as a joint venture between the Central and the State Govts. while the Central Govt. bears the cost of construction, the State Govt. provides the developed land free of cost with water, electricity, approach road and staff quarters.

8. **Other Youth Welfare Activities**: These include provision for International Exchange of Youth Delegation under Cultural Exchange Programmes, financial assistance to voluntary agencies engaged in youth welfare, National Youth Award Scheme, establishment and development of mountaineering institutions, scouting and guiding, Commonwealth Youth Programme, training of youth, youth clubs, special scheme for promotion of Youth activities among Backward Tribes, National Institute of Youth Development Scheme for awards to outstanding youth clubs, youth development centres and contributions to United Nation Volunteer Programmes. A seperate provision has been kept for research, evaluation and publications.

9. **Sports Authority of India** : is an autonomous body implementing a number of plan schemes including spotting and nurturing of sports talent, realisation of the concept 'Sports for All', promotion of sports in special areas, creation of a central pool of sports equipment, promotion of women sports, rural sports, sports scholarships, conduct of national coaching camps, establishment and management of sports hostels besides managing the stadia. Progress of the concept of physical education is monitored through the Laxmibai National College of Physical Education, Gwalior and the Physical Education College, Trivandrum.

11. **Grants to Sports Federations** : are for preparation of national teams for participation in international sports events through coaching camps, organising national championships for seniors, juniors and sub-juniors and purchase of sports equipment of non-expendible nature.

12. **Grants to Universities and Colleges :** are for promotion of games and sports infrastructure in the university sector. The schemes are

लिए दिए जाते हैं । योजनाओं का कार्यान्वयन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है । इसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दी गई छात्रवृत्तियां शामिल हैं ।

13. **खेलकूद के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन :** खेलकूद क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तथा जिला स्तर पर टूर्नामेंट जीतने वाले विद्यालयों को सहायता देने के लिए भी एक सामुच्चयिक प्रोत्साहन योजना बनाई गई है ।

14. **खेलकूद आधारभूत संरचना का सर्जन :** यह योजना राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंटों तथा मैचों का आयोजन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, खेल के मैदानों की व्यवस्था करने, जिमनास्टिक के स्टेडियमों तथा तैरने के लिए जलाशयों का निर्माण करने आदि के लिए तैयार की गई है। अनुदान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/प्रायोजकों के बीच हिस्सेदारी पर आधारित है ।

15. **सिंथेटिक ट्रैक और सतह की व्यवस्था :** हमारी टीमों को कृत्रिम ट्रैकों और एस्ट्रो आच्छादित खेल के मैदानों के उपयोग से अवगत कराने के लिए इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम ट्रैक व्यवस्थापन तथा कृत्रिम सतही आच्छादन की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन 1993-94 से भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंप दिया गया है ।

16. **खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम :** इस स्कीम का अभिप्राय युवा लड़कों और लड़कियों में विद्यालय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक खेलों की ओर उनकी अभिक्षमता का विकास करना और उन्हें पौष्टिक आहार प्राप्त करने में समर्थ बनाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत दो तरह की छात्रवृत्तियां हैं - राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति और राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति।

17. **अन्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, महिलाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद चैम्पियनशिप, केन्द्रीय विद्यालयों के एन.सी.सी. कैडिटों के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद व शारीरिक शिक्षा दल विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल करने की योजनाएं हैं। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद के लिए एक सांकेतिक प्रावधान भी रखा गया है।

18. **अन्य कार्यक्रम:** ये मुख्यतः युवा तथा खेल-कूद, सम्मेलनों, राष्ट्रीय युवा परिषदों आदि के लिए व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं ।

implemented through agencies like University Grants Commission, Association of Indian Universities and Sports Authority of India. It includes cost of scholarships given to talented Sports persons.

13. **Incentives for promotion of Sports Activities :** A Package Incentive Scheme has been devised for providing incentives to outstanding sports persons and also giving assistance to the schools winning district level tournaments.

14. **Creation of sports Infrastructure :** The scheme is for creating facilities for organising tournaments and matches of national and international importance, developing play fields, constructing stadia, gymnasia, swimming pools, etc. The grant is based on sharing basis between central Govt. and State Governments/sponsors.

15. **Laying of Synthetic track and surfaces:** In order to familiarise our teams with the use of synthetic tracks and astro surface fields, the scheme seeks to have a net work of synthetic tracks and artificial surface in the different regions of the country. Implementation of the scheme has been entrusted to the Sports Authority of India since 1993-94.

16. **Sport Talent Search Scholarship Scheme :** This Scheme is meant for inspiring the talented young boys and girls at school level to develop their aptitude towards competitive sports and to enable them to have nutritious diet. There are two types of scholarships under the scheme - National level Scholarship and State level Scholarship.

17. **Other Schemes:** Include Rural Sports Programmes, Promotion of Sport among Women, National Sports Championships for Women. Exchange of sports and Physical Education team experts and physical education for NCC cadets of Central Schools. A token provision has also been kept for All India Council for Physical Education.

18. **Other Programmes :** Provides mainly for meeting expenditure on holding of Youth and Sports Conferences, National Youth Councils, etc.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.48

संस्कृति विभाग Department of Culture

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
* A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		102.60	77.09	179.69	102.60	79.90	182.50	113.00	82.73	195.73
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	*218.00*	*218.00*	...	...	...
जोड़	**Total**		**102.60**	**77.09**	**179.69**	**102.60**	**297.90**	**400.50**	**113.00**	**82.73**	**195.73**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	0.72	3.00	3.72	0.72	3.00	3.72	0.77	3.15	3.92
कला और संस्कृति	**Art & Culture**										
कला और संस्कृति का संवर्धन	**Promotion of Art and Culture**										
2. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	2. Zonal Cultural Centres	2205	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.10	...	2.10
3. संगीत नाटक अकादमी	3. Sangeet Natak Akademi	2205	2.90	1.34	4.24	2.90	1.34	4.24	3.10	1.46	4.56
4. ललित कला अकादमी	4. Lalit Kala Akademi	2205	1.50	0.90	2.40	1.50	0.90	2.40	1.70	0.95	2.65
5. साहित्य अकादमी	5. Sahitya Akademi	2205	2.00	0.89	2.89	2.00	0.89	2.89	2.50	0.90	3.40
6. अन्तर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां	6. International Art & Cultural Exhibitions	2205	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	2.20	2.20
7. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	7. Indira Gandhi National Centre for Arts	2205	20.00	0.02	20.02	20.00	0.02	20.02	20.00	0.02	20.02
8. गुवाहाटी में सांस्कृतिक परिसर की स्थापना	8. Setting up of a Cultural Complex at Guwahati	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
9. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	9. National School of Drama	2205	1.60	1.25	2.85	1.60	1.25	2.85	1.80	1.25	3.05
10.राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी	10. National Gallery of Modern Art	2205	1.50	0.42	1.92	1.50	0.42	1.92	1.50	0.44	1.94
11. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता	11. The Asiatic Society, Calcutta	2205	2.00	0.95	2.95	2.00	0.95	2.95	2.20	1.00	3.20
12. सांस्कृतिक संसाधन एवम् प्रशिक्षण केन्द्र	12. Centre for Cultural Resources and Training	2205	2.60	0.82	3.42	2.60	0.82	3.42	3.10	0.82	3.92
13. नृत्य नाटक और नाट्यशाला दृश्यों के लिए सहायता	13. Assistance to Dance Drama and Theatre Ensembles	2205	2.00	0.40	2.40	2.00	0.40	2.40	2.00	0.40	2.40
14. अन्य	14. Others	2205	11.30	6.06	17.36	11.30	8.87	20.17	11.28	6.98	18.26
		3601	0.22	1.71	1.93	0.22	1.71	1.93	0.22	1.71	1.93
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*11.53*	*7.77*	*19.30*	*11.53*	*10.58*	*22.11*	*11.51*	*8.69*	*20.20*
जोड़-कला और संस्कृति का संवर्धन	**Total-Promotion of Art and Culture**		**51.63**	**15.76**	**67.39**	**51.63**	**18.57**	**70.20**	**53.51**	**18.13**	**71.64**
पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय	**Archaeology, Archives and Museums**										
15. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	15. Archaeological Survey	2205	13.00	32.39	45.39	13.00	32.39	45.39	14.10	33.89	47.99
		3601	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60
		3602	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	*13.00*	*33.00*	*46.00*	*13.00*	*33.00*	*46.00*	*14.10*	*34.50*	*48.60*
16. राष्ट्रीय अभिलेखागार	16. National Archives	2205	1.58	2.50	4.08	1.58	2.50	4.08	1.78	2.52	4.30
		3601	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22
जोड़		*Total*	*1.80*	*2.50*	*4.30*	*1.80*	*2.50*	*4.30*	*2.00*	*2.52*	*4.52*
17. राष्ट्रीय संग्रहालय	17. National Museum	2205	1.90	3.60	5.50	1.90	3.60	5.50	2.35	3.70	6.05
18. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	18. National Council of Science Museums	2205	14.00	4.80	18.80	14.00	4.80	18.80	15.02	5.10	20.12
19. मानव विज्ञान सर्वेक्षण	19. Anthropological Survey	2205	1.40	3.00	4.40	1.40	3.00	4.40	1.60	3.13	4.73
20. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	20. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi	2205	0.75	1.85	2.60	0.75	1.85	2.60	1.00	1.85	2.85
21. भारतीय संग्रहालय	21. Indian Museum, Calcutta	2205	1.90	0.94	2.84	1.90	0.94	2.84	2.00	1.19	3.19
22. सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद	22. Salar Jung Museum, Hyderabad	2205	2.50	0.36	2.86	2.50	0.36	2.86	3.00	0.73	3.73
23. इन्दिरागान्धी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	23.Indira Gandhi Rastriya Manav Sangrahalaya, Bhopal	2205	3.00	0.54	3.54	3.00	0.54	3.54	3.00	0.64	3.64
24. निजाम जवाहरतों का अर्जन	24. Acquisition of the Nizam Jewellery	4202	...	...	...	...	218.00	218.00	...	...	...
25. अन्य कार्यक्रम	25. Other Programmes	2205	3.15	1.23	4.38	3.15	1.23	4.38	4.75	1.39	6.14
जोड़- पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय	**Total- Archaeology, Archives and Museums**		**43.40**	**51.82**	**95.22**	**43.40**	**269.82**	**313.22**	**48.82**	**54.75**	**103.57**
पुस्तकालय	**Libraries**										
26. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	26. National Library , Calcutta	2205	1.20	3.10	4.30	1.20	3.10	4.30	1.50	3.28	4.78
27. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	27. Delhi Public Library	2205	0.80	1.72	2.52	0.80	1.72	2.52	1.20	1.73	2.93
28. राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता	28. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Calcutta	2205	2.75	0.54	3.29	2.75	0.54	3.29	3.00	0.54	3.54
29. अन्य पुस्तकालय	29. Other Libraries	2205	2.05	0.93	2.98	2.05	0.93	2.98	4.15	0.93	5.08
		3601	0.05	0.22	0.27	0.05	0.22	0.27	0.05	0.22	0.27
जोड़		*Total*	*2.10*	*1.15*	*3.25*	*2.10*	*1.15*	*3.25*	*4.20*	*1.15*	*5.35*
जोड़-पुस्तकालय	**Total-Libraries**		**6.85**	**6.51**	**13.36**	**6.85**	**6.51**	**13.36**	**9.90**	**6.70**	**16.60**
जोड़-कला और संस्कृति	**Total-Art &Culture**		**101.88**	**74.09**	**175.97**	**101.88**	**294.90**	**396.78**	**112.23**	**79.58**	**191.81**
कुल जोड़	***Grand Total***		***102.60***	***77.09***	***179.69***	***102.60***	***297.90***	***400.50***	***113.00***	***82.73***	***195.73***

ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total
1. कला और संस्कृति	1. Art and Culture	22205	114.28-	...	114.28	109.59	...	109.59	121.23	...	121.23
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2. Secretariat - Social Services	22251	0.72	...	0.72	0.72	...	0.72	0.77	...	0.77
जोड़		*Total*	*115.00*	...	*115.00*	*110.31*	...	*110.31*	*122.00*	...	*122.00*

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
* *Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of Ministrty of Urban Development.*

मांग संख्या नं. 80	Demand No. 80		0.45	...	0.45	0.99	...	0.99	0.65	...	0.65
मांग संख्या नं. 81	Demand No. 81		11.95	...	11.95	6.72	...	6.72	8.35	...	8.35
जोड़		**Total**	**12.40**	...	**12.40**	**7.71**	...	**7.71**	**9.00**	...	**9.00**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं :** इसमें संस्कृति विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सांस्कृतिक सम्बन्धों पर बल देना है, जो क्षेत्रीय और भाषायी सीमाओं से परे होते हैं। ये केन्द्र न केवल विभिन्न राज्यों की संस्कृति के स्वरूप और शैलियों को प्रतिबिम्बित करेंगे बल्कि समूचे देश की मिश्रित संस्कृति का संयुक्त रूप मे प्रतिनिधित्व करेंगे ।

3. **संगीत नाटक अकादमी:** संगीत नाटक अकादमी की स्थापना सन् 1953 में अभिनय कलाओं के संवर्धन के लिए की गई थी । यह अकादमी भारतीय संगीत, नृत्य तथा नाटकों के संवर्धन एवं विकास के लिए, अभिनय कलाओं में प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के लिए, संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विभिन्न रूपों के संबंध में सामग्रियों के संरक्षण, पुनरुद्धार, प्रलेखन तथा प्रचार के लिए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है ।

4. **ललित कला अकादमी:** यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो रचनात्मक दृश्य कला के क्षेत्र में कार्यकलापों को प्रोत्साहित और समन्वित करता है और इस प्रकार देश की सांस्कृतिक एकता को बढावा देता है ।

5. **साहित्य अकादमी:** की स्थापना भारतीय साहित्य के विकास तथा उच्च साहित्यिक मानकों को स्थापित करने, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है ।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां:-** भारत सरकार ने इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, स्वीडन, जर्मनी और चीन में आठ भारत महोत्सव आयोजित किए हैं। इन महोत्सवों को अत्यधिक सफल सांस्कृतिक घटनाओं के रूप में व्यापक मान्यता मिली है तथा इन्हें खूब सराहा गया है। इन महोत्सवों में प्रदर्शनियों, संगीत आयोजनों, नृत्य प्रस्तुतियों, सिनेमा, थियेटर तथा सेमिनारों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झांकियां प्रस्तुत की गई जिससे इन देशों के लोगों में हमारे देश के प्राचीन वैभव और समकालीन गत्यात्मकता की एक नवीन छवि बनी है।

पारस्परिक आधार पर भारत में भी कई देशों के महोत्सव आयोजित किए गए हैं, जिनका यहां पर भरपूर स्वागत हुआ है। इन महोत्सवों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबधों में एक नये अध्याय की शुरूआत हुई है और ये एक-दूसरे देश की जनता में निकटता लाने और उनमें एक-दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत की समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

थाइलैंड में भारत महोत्सव का आयोजन जुलाई, 1995 में किया जाएगा। यह महोत्सव थाइलैंड के विभिन्न शहरों में लगभग 2 माह की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका और बंगला देश में भारत महोत्सव वर्ष 1996-97 के दौरान आयोजित किए जाने की संभावना है।

7. **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई. जी. एन. सी. ए.) :-** की स्थापना स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी । यह केन्द्र नवम्बर, 1985 में आरम्भ किया गया था और बाद में एक स्वायत्तशासी न्यास के रूप में गठित किया गया था । इसके भवन परिसर के निर्माण के लिए नई दिल्ली के केन्द्रीय दृश्य क्षेत्र में इस न्यास को भूमि का एक टुकड़ा आवंटित किया गया था । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने और ब्याज आय से इसका प्रशासनिक खर्च पूरा करने के लिए इसे संग्रह निधि भी दी गई थी । इसके अतिरिक्त, केन्द्र को भवन निर्माण के लिये पर्याप्त मात्रा में धन राशि भी दी गई है।

यूनेस्को ने केन्द्र को कला और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी है ।

8. **गुवाहाटी में सांस्कृतिक परिसर :** नए सांस्कृतिक परिसर के लिए श्रीमन्ता शंकरदेव कलाक्षेत्र बनाए जाने की व्यवस्था है जिसे केन्द्रीय सहायता से स्थापित किया जा रहा है ।

9. **राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय :** सन् 1959 में स्थापित यह संस्था देश में नाट्य कला का प्रशिक्षण और प्रचार का कार्य करती है।

10. **राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी :** इसकी स्थापना सन् 1954 में भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों, प्रकाशन, संग्रहण आदि के माध्यम से समकालीन विरासत के परिरक्षण के लिए की गई थी।

11. **एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता :** यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था है जो

1. **Secretariat-Social Services** : Provides for expenditure on secretariat of the Department of Culture.

2. **Zonal Cultural Centres** : The main objective underlying the scheme is to emphasise the cultural linkages that extend beyond territorial and linguistic boundaries. These centres would reflect not only the forms and styles of different States but would represent jointly the composite culture of the country.

3. **Sangeet Natak Akademi** : The Sangeet Natak Akademi was set up in 1953 for the promotion of performing arts. The Akademi acts at the national level for the promotion and growth of Indian music, dance and drama; for the maintenance of standards of training in the performing arts; for the revival, preservation, documentation and dissemination of materials relating to various forms of music, dance and drama and for the recognition of outstanding artists.

4. **Lalit Kala Akademi** : is a national organisation to foster and coordinate activities in the sphere of creative visual arts and promote thereby the cultural unity of the country.

5. **Sahitya Akademi** : has been set up for the development of Indian letters and to set high literary standards; to foster and coordinate literary activities in all the Indian languages and to promote through them the cultural unity of the country.

6. **International Art and Cultural Exhibitions** : The Government of India has organised eight festivals of India in the United Kingdom, U.S.A., France, Soviet-Union, Sweden, Germany and China. The festival have received wide recognition and high acclaim as highly successful cultural events. Through a panorama of exhibitions, music concerts, dance recitals, cinema, theatre and seminar, the festivals have unfolded a rich tapestry of india which has presented to the people in these countries a new image of our country's ancient splendour and contemporary dynamism.

Reciproal festivals of several countries have also been held and warmly received in India. Festivals have opened a new chapter in our international and have helped in increasing the people to people contact and better appreciation of each others cultural heritage.

The Festivals of India in Thailand is scheduled to begin in July 1995. The festival will be held for a period of about two months in various cities of Thailand.

Festival of India in South Africa and Bangladesh are likely to be mounted during the year 1996-97.

7. **Indira Gandhi National Centre for Arts** : (IGNCA) was established to commemorate the memory of the former Prime Minister, late Smt. India Gandhi. The Centre was launched in November, 1985 and was later constituted into an autonomous Trust. A piece of land has been allotted to the Trust in the Central Vista Area in New Delhi for construction of its building complex. The IGNCA has also been given corpus fund for running the academic programmes and meeting its administrative expenditure out of the interest earnings. Besides, substantial funds have also been given to the centre for building construction.

The UNESCO has recognised the Centre as a Regional Institution in the fields of art and cultural heritage.

8. **Cultural Complex at Guwahati** : The provision is for a new Cultural Complex, to be called Srimanta Sankaradeva Kalakshetra, which is being set up at Guwahati with Central assistance.

9. **National School of Drama** : Established in 1959, it imparts training and propagates dramatics in the country.

10. **National Gallery of Modern Art** : Established in 1954 for preservation of contemporary heritage through exhibitions in India and abroad, publication, acquisition etc.

11. **The Asiatic Society, Calcutta** : It is an institution of National

मुख्यतया एशिया में मानविकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगी हुई है।

12. **सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण हेतु केन्द्र :** इस स्कीम के मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों से शिक्षकों को इकट्ठा करना और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करके राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना। इस स्कीम के अन्तर्गत इस तरह के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों का विद्यालय में जाना संगत और क्रियाशील हो तथा उन्हें ऐसा शैक्षिक अनुभव उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे बदलती हुई संस्कृति और समाज की चुनौतियों का सामना कर सकें ।

13. **नृत्य, नाटक और नाट्यशाला वृन्दों के लिए सहायता :** इस स्कीम के अन्तर्गत देश की सांस्कृतिक विरासत के अग्रयन हेतु सुस्थापित स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वेतन अनुदान, निर्माण अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

14. **अन्य** इसमें केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, और गांधी स्मृति और दर्शन समिति आदि पर व्यय या उनके अनुदानों की व्यवस्था की गई है । इसमें विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्तियों/फेलोशिप, पुस्तकों का संवर्धन, प्रतिनिधि मंडल भेजने, शताब्दी तथा वर्षगांठ आयोजित करने, भवन अनुदान, और बहुउद्देशीय सांस्कृतिक काम्प्लेक्स की स्थापना आदि के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

15. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण : भारतीय** पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में इस देश में पुरातत्व विषयक अवशेषों का सर्वेक्षण तथा उसका अध्ययन करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी । इसके मुख्य कार्य केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों का अनुरक्षण तथा पर्यावरणात्मक विकास करना, स्मारकों तथा प्राचीन वस्तुओं का रासायनिक उपचार और संरक्षण करना, प्राचीन स्थलों की खोज तथा खुदाई करना, शिलालेखों तथा भारतीय वास्तुकला के विभिन्न चरणों का विशिष्ट अध्ययन करना, पुरातत्वीय संग्रहालयों का रख-रखाव करना, प्राचीन वस्तुओं तथा कला सम्पत्ति अधिनियम, 1972 को लागू करना, और पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना और प्रशिक्षण देना शामिल है ।

16. **राष्ट्रीय अभिलेखागार** भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के स्थायी प्रकृति के पुराने रिकार्ड रखने का केन्द्रीय भंडार है । यह प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी लेखों और विदेशों से भारतीय हितों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों का अधिग्रहण करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है । यह ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और अभिलेख अध्ययन स्कूल के माध्यम से जो इस संबंध में बहुत से पाठ्यक्रम चलाता है, वैज्ञानिक पद्धति पर देश में अभिलेख अनुरक्षण को बढ़ावा देता है । भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है और जयपुर तथा पांडिचेरी में अभिलेख केन्द्र हैं ।

17. **राष्ट्रीय संग्रहालय :** यह संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो देश के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है, 1949 में स्थापित किया गया था । यह अर्जन,संरक्षण और शैक्षिक गतिविधियों जैसी सभी दिशाओं में विकास करता रहा है। संग्रहालय की मुख्य गतिविधियों में ये शामिल हैं; (i) कला और संस्कृतियों से संबधित प्रकाशन निकालना, (ii) कला वस्तुओं की प्राप्ति और संरक्षण ; (iii) प्रदर्शनियां आयोजित करना ; (iv) भारतीय शिल्पों और कांसे की कृतियों की प्रतिकृतियां तैयार करना ; (v) दृश्य-श्रव्य और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम ; (vi) कला और संरक्षण के इतिहास का शिक्षण; और (vii) अभिलेख केन्द्रों की स्थापना ।

18. **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता :** इसका काम प्रदर्शनियों और विचार-गोष्ठियों के आयोजन द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, विज्ञान शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवा उद्यमियों, तकनीशियनों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि बनाना है । अन्य कतिपय स्थानों में लघु केन्द्रों के अतिरिक्त कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई और दिल्ली में परिषद के संग्रहालय/केन्द्र हैं ।

19. **भारतीय नृतत्वशास्त्रीय सर्वेक्षण :** 1945 में इसकी स्थापना नृतत्वशास्त्र और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. यह नृतत्वशास्त्र और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में अन्य संगठनों के सहयोग से कार्य करता है । यह भारतीय जनसंख्या पर जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण का कार्य करता है और वैज्ञानिक रूचि के दस्तावेजों का संग्रह और परिरक्षण करता है ।

20. **नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली :** यह संग्रहालय पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित पुस्तकों, समाचार पत्रों, अप्रकाशित सन्दर्भों, निजी दस्तावेजों, फोटोग्राफों, फिल्म टेपों और आवश्यक दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है। यह आधुनिक भारत के राष्ट्रीय नेताओं के

importance, mainly involved in researches in humanities and sciences in Asia.

12. **Centre for Cultural Resources & Training :** The underlying objectives of the scheme is to foster national integration by brining together teachers from different states and involving them in creative activities. Under the scheme, the programmes are designed to make schooling relevant, dynamic and to ensure that the students are provided with an educational experience to meet the challenges of the changing culture and the society.

13. **Assistance to Dance, Drama and Theatre Ensembles:** Under this scheme, assistance in the form of salary grant, production grant is given to well established voluntary cultural organisations for promoting the cultural heritage of the country.

14. **Others:** Include provision for expenditure on grants to the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, and Gandhi Smriti and Darshan Samiti etc. Provision is also made for various other schemes viz: scholarship/fellowship to outstanding artists, promotion of books, organising delegations, centenaries and anniversaries, building grants, and setting up of multipurpose cultural complexes etc.

15. **Archaeological Survey of India :** The Archaeological Survey of India was set up in 1861 with the primary object of surveying antiquarian remains in the country and their study. Its main functions are preservation and environmental development of centrally protected monuments and sites, chemical treatment and preservation of monuments and antiquities, exploration and excavation of ancient sites, specialized study of inscriptions and various phases of Indian architecture, maintenance of archaelogical museums, operation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972, and research and training in different areas of archaeology.

16. **National Archives :** The National Archives of India is the central repository of non-current records of enduring value belonging to the Ministries and Departments of the Government of India. It also acquires and preserves private papers of eminent Indians and microfilm copies of records of Indian interests from abroad. It provides facilities for historical research and promotes archives keeping in the country on scientific lines through the School of Archival Studies which runs many courses in this discipline. It has a regional office at Bhopal and record centres at Jaipur and Pondicherry.

17. **National Museum:** a subordinate office under Department of Culture, is one of the premier museums in the country established in 1949. It continues to develop in all directions like acquisition, conservation and educational activities. The main activities of the Museum includes (i) bringing out publications on art and culture; (ii) acquisition and conservation of art objects; (iii) organising exhibitions; (iv) production of replicas of masterpieces of Indian sculptures and bronzes; (v) audio visual and other educational programmes; (vi) teaching of history of art and conservation and (vii) setting up of reprography centre.

18. **National Council of Science Museums, Calcutta :** To popularise science and technology by organising exhibitions and seminars, training programmes for science teachers, students, young entrepreneurs, technicians etc., the Council has museums/centres at Calcutta, Bangalore, Bombay and Delhi besides small centres at certain other places.

19. **Anthropological Survey of India :** Established in 1945 for the advancement of scientific research in anthropology and allied disciplines, it collaborates with other organisations in the field of anthropology and allied disciplines. It conducts bio-cultural investigation on Indian population, collects and preserves documents of scientific interest.

20. **Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi:** The museum is responsible for collection of books, newspapers, unpublished reference, private papers, photographs, film tapes and also translation of important papers relating to Pt. Jawaharlal Nehru. It

दस्तावेजों के परिरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

21. **भारतीय संग्रहालय :** यह अन्य बातों के साथ वीथियों के पुनर्गठन और पुनरूद्धार तथा मानव जाति वर्णन के नमूने और तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक आंकड़े प्राप्त करने में लगा है।

22. **सलार जंग संग्रहालय :** यह ऐतिहासिक महत्व की कला वस्तुओं के अर्जन, संरक्षण, परिरक्षण और संग्रहालय के कार्मिकों को संग्रहालय विज्ञान में प्रशिक्षण देने का काम करता है।

23. **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल :** यह मानव उत्पत्ति, पूर्व और प्रागैतिहासिक समाजों और संस्कृति की पद्धतियों पर विशेष जोर देते हुए मानवशास्त्र के सामान्य प्रश्न पर केन्द्रित है।

24. **निजाम के जवाहरातों का अर्जन :** सर्वोच्च न्यायालय के जनवरी, 1995 के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 में निजाम के जवाहरातों की 173 दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की।

25. **अन्य कार्यक्रम :** इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ, और इलाहाबाद संग्रहालय आदि के लिए व्यवस्था है।

26. **राष्ट्रीय पुस्कालय (नेशनल लाइब्रेरी), कलकत्ता:** यह भारत और विदेशों में भारत के संबंध में प्रकाशित सभी पाठ्य और सूचना सामग्री के भंडारण के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यहां फारसी, संस्कृत, अरबी और तमिल पांडुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों का अमूल्य और विशाल संग्रह है। यह पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अधीन और दक्षिण एशिया में निक्षेप पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय ने 87 देशों के 198 संस्थानों से आदान-प्रदान संबंध भी स्थापित कर रखा है।

27. **दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी :** यह सन् 1951 में स्थापित की गई थी और दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करा रही है।

28. **राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता :** सन् 1972 में स्थापित, देश भर में समुचित लाइब्रेरी सेवाएं उपलब्ध कराना और पढ़ने की आदतों के विकास द्वारा देश में पब्लिक लाइब्रेरी आन्दोलनों का उन्नयन और समर्थन ही इसका ध्येय है।

29. **अन्य पुस्तकालय :** इनमें केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता, केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई, तथा ग्रामीण पुस्तकालयों आदि की स्थापना की योजना शामिल है।

is also responsible for pereservation of papers of the national leaders of Modern India.

21. **Indian Museum :** is inter-alia engaged in re-organisation and renovation of galleries and also in obtaining ethnographic specimen and techno-socio and economic cultural data.

22. **Salar Jung Museum :** is engaged in conservation, preservation, acquisition of art objects of historical importance and training of museum personnel in museology.

23. **Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal :** It concentrates on the general question of anthropology with special emphasis on human evolution, pre and protohistoric societies and patterns of culture.

24. **Acquisition of Nizam Jewellery :** During the year 1994-95, the Government of India acquired 173 rare items of the Nizam's Jewellery in terms of the order of the Supreme Court passed in January, 1995.

25. **Other Programmes** : This provides for Victoria Memorial Hall, Calcutta, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow, and the Allahabad Museum, etc.

26. **National Library, Calcutta :** serves as a prominent repository of all reading and information materials produced in India as well as abroad concerning India. It has a rich collection of Persian, Sanskrit, Arabic and Tamil manuscripts and also rare books. It is the recipient library under the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 and the repository library in South Asia. The National Library is also maintaining exchange relations with 198 institutions in 87 countries.

27. **Delhi Public Library :** Established in 1951, it has been providing free library services to the citizens of Delhi.

28. **Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta :** Established in 1972, aims to promote and support public library movements in the country by providing adequate library services and by developing reading habits all over the country.

29. **Other Libraries** : These include Central Reference Library, Calcutta, Central Library, Bombay, and the scheme for establishment of rural libraries, etc.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No. 49

महिला और बाल विकास विभाग Department of Women and Child Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		662.00	43.59	705.59	662.00	44.16	706.16	730.00	44.89	774.89
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**662.00**	**43.59**	**705.59**	**662.00**	**44.16**	**706.16**	**730.00**	**44.89**	**774.89**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	...	2.30	2.30	...	2.50	2.50	...	2.63	2.63
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security & Welfare***										
बाल कल्याण	**Child Welfare**										
2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2. Integrated Child Development Services	2251	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
		2235	10.40	...	10.40	10.21	...	10.21	9.95	...	9.95
		3601	519.66	...	519.66	520.04	...	520.04	571.17	...	571.17
		3602	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50
जोड़		*Total*	*536.60*	...	*536.60*	*536.79*	...	*536.79*	*587.66*	...	*587.66*
3. दिवस पोषण केन्द्र	3. Day Care Centres	2235	7.50	15.55	23.05	7.50	15.55	23.05	7.50	15.55	23.05
4. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	4. Balwadi Nutrition Programme	2235	6.05	3.67	9.72	6.05	3.67	9.72	6.05	3.67	9.72
5. संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (युनिसेफ) को अंशदान	5. Contribution to UNICEF	2235	...	2.98	2.98	...	2.98	2.98	...	2.98	2.98
6. प्रारम्भिक बाल-शिक्षा स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	6. Early Childhood Education-Assistance to Voluntary Organisations	2235	0.50	3.05	3.55	0.50	3.05	3.55	0.50	3.05	3.55
7. लोक सहयोग एवम् बाल विकास राष्ट्रीय संस्था	7. National Institute of Public Cooperation and Child Development	2235	2.86	2.60	5.46	2.86	2.60	5.46	3.00	2.83	5.83
8. अन्य योजनाएं	8. Other Schemes	2235	2.41	0.21	2.62	2.41	0.22	2.63	2.36	0.22	2.58
जोड़-बाल कल्याण	**Total-Child Welfare**		**555.92**	**28.06**	**583.98**	**556.11**	**28.07**	**584.18**	**607.07**	**28.30**	**635.37**
महिला कल्याण	**Women's Welfare**										
9. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	9. Condensed Courses for Women Education	2235	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
10. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	10. Hostels for Working Women	2235	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
		3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*7.75*	...	*7.75*	*7.75*	...	*7.75*	*7.75*	...	*7.75*
11. रोजगार कार्यक्रम को प्रोत्साहन	11. Support to Employment Programme	2235	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	16.00	...	16.00
12. महिला समृद्धि योजना	12. Mahila Samriddhi Yojana	2251	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11
		2235	49.89	...	49.89	49.89	...	49.89	59.89	...	59.89
जोड़		*Total*	*50.00*	...	*50.00*	*50.00*	...	*50.00*	*60.00*	...	*60.00*
13. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	13. Socio-economic Programmes	2235	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.00	...	6.00
14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	14. Central Social Welfare Board	2235	6.00	8.91	14.91	6.00	9.26	15.26	7.01	9.35	16.36
15. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	15. Training-cum-Production Centres	2235	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
16. अल्पकालिक गृह	16. Short Stay Homes	2235	2.74	1.25	3.99	2.74	1.25	3.99	2.75	1.25	4.00
17. जागरूकता उत्पन्न कार्यक्रम	17. Awareness Generation Programme	2235	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.25	...	2.25
18. राष्ट्रीय महिला आयोग	18. National Commission for Women	2235	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
19. अन्य कार्यक्रम	19. Other Programmes	2235	0.62	0.09	0.71	0.62	0.09	0.71	2.69	0.09	2.78
जोड़-महिला कल्याण	**Total-Women's Welfare**		**103.61**	**10.25**	**113.86**	**103.61**	**10.60**	**114.21**	**120.45**	**10.69**	**131.14**
जोड़- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Total-Social Security & Welfare**		**659.53**	**38.31**	**697.84**	**659.72**	**38.67**	**698.39**	**727.52**	**38.99**	**766.51**
पोषण	**Nutrition**										
20. अन्य स्कीमें	20. Other Schemes	2236	1.49	2.98	4.47	2.05	2.99	5.04	2.25	3.27	5.52
		3601	0.96	...	0.96	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16
		3602	0.02	...	0.02	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*2.47*	*2.98*	*5.45*	*2.28*	*2.99*	*5.27*	*2.48*	*3.27*	*5.75*
कुल पोषाहार	**Total-Nutrition**		**2.47**	**2.98**	**5.45**	**2.28**	**2.99**	**5.27**	**2.48**	**3.27**	**5.75**
कुल जोड़	***Grand Total***		***662.00***	***43.59***	***705.59***	***662.00***	***44.16***	***706.16***	***730.00***	***44.89***	***774.89***

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.त IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.त. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.त. IEBR	जोड़ Total
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1. Social Security and Welfare	22235	659.53	...	659.53	659.72	...	659.72	727.52	...	727.52
2. पोषाहार	2. Nutrition	22236	2.47	...	2.47	2.28	...	2.28	2.48	...	2.48
जोड़	**Total**		**662.00**	...	**662.00**	**662.00**	...	**662.00**	**730.00**	...	**730.00**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** : इस विभाग के अन्तर्गत सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **एकीकृत बाल विकास सेवाएं** : इस योजना का उद्देश्य छः वर्ष से कम आयु के शिशुओं, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करना है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, रोगमुक्ति, स्वास्थ्य संबंधी जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों को रोगी सौंपे जाने की सेवाओं, पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा शामिल है। इस योजना को राज्यों की सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक 3580 केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत शिशु विकास सेवा केन्द्रों की मंजूरी दी गई है। राज्य क्षेत्र में इसके अलावा 194 एकीकृत शिशु विकास सेवा परियोजना शुरू की गई है। इनमें 276 टीएनआईपी परियोजनाएं शामिल हैं। शिशु विकास परियोजना अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। व्यय के भाग के लिए एन. ओ.आर.ए.डी., सीडा और विश्व बैंक से विदेशी सहायता उपलब्ध है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय अतिरिक्त घटक जैसे किशोर लड़कियों के लिए योजना, जीवन के लिए महिलाओं की एकीकृत जानकारी और महिलाओं के लिए आय देने वाली गतिविधियां, ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी भवन और चयनात्मक आधार पर ब्लाक स्तर पर माल गोदाम एवं सी.डी.पी.ओ. का निर्माण औरस्वास्थ्य संचार को सुदृढ़ बनाना तथा परियोजना प्रबन्ध निविष्टियों को जोड़ा गया है।

3. **दिवस पोषण केन्द्र** : इस स्कीम का उद्देश्य समाज के ऐसे कमजोर वर्गों से संबंधित परिवार जिनकी मासिक आय 1800 रुपए से अधिक नहीं है, उनके 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को दिवस पोषण सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अधीन जो बाल सुश्रुषा सदन चलाए जाते हैं, ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावक कार्य स्थलों पर होते हैं अथवा बीमारी के कारण अक्षम होते हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, के स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषाहार, डाक्टरी जांच तथा रोगमुक्ति उपचार आदि की व्यवस्था भी करते हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और सहायता प्राप्त ऐच्छिक संगठनों के जरिए इस योजना को कार्यान्वित किया गया है ।

4. **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान से स्वयं सेवी संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है इसमें पांच राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के जरिए बाल वाड़ियों में जाने वाले 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु समूह के 2.25 लाख बच्चे शामिल हैं। पौषणिक अनुपूर्ण के अतिरिक्त योजना का उद्देश्य बच्चों का सामाजिक और भावानात्मक विकास करना है ।

5. **संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) को अंशदान** : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है ।

6. **प्राम्भिक बाल शिक्षा** : इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के आधार का विस्तार करने और समर्थन देने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अलाभान्वित वर्गों के लिए पूर्व स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए 9 राज्यों में 4365 प्रारंभिक बाल शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं ।

7. **लोक सहयोग और बाल विकास राष्ट्रीय संस्था** : यह बच्चो के सामाजिक विकास, बाल विकास की व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय नीति के अनुगमन में कार्यक्रमों के स्वैच्छिक कार्रवाई के विकास और प्रोन्नति के लिए है। यह संस्था अनुसंधान एवम् मूल्यांकन, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वाद-विवाद, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करती है, यह लोक-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना प्रदान करती है, अपनी तीन क्षेत्रीय केन्द्रों में गोवाहाटी, बेंगलूर और लखनऊ सहित मुख्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करने सम्बन्धी व्यवस्था करती है।

8. **अन्य योजनाएं** : इनके अन्तर्गत, मुख्य रूप से, बालसेविका तथा शिशु सदनों के कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक राशियों और शिशु पोषाहार के लिए प्राप्त शुल्क मुक्त सहायता को संभालने तथा

1. **Secretariat - Social Services** : Provides for the expenditure on secretariat of the Department.

2. **Integrated Child Development Services (ICDS)** : The scheme aims at providing integrated package of health, nutrition and educational services to children below six years, pregnant women and nursing mothers. The package comprises supplementary nutrition, immunisation, health check-up, referral services, nutrition & health education and non-formal pre-school education. The scheme is implemented through the State Governments/U.T. Governments/ Administrations. So far, 3580 Centrally sponsoered ICDS projects including 276 TNIP Projects have been sanctioned. In addition, 194 ICDS projects have been taken up in the State sector. The programme also has a comprehensive training programme for Child Development Project officers and other functionaries. External assistance from NORAD, SIDA and World Bank is available for part of the expenditure. Under the World Bank assisted ICDS Programme, certain additional components such as schemes for adolescent girls, Women's Integrated Learning for Life (WILL) and income generation activities for women, construction of anganwadi buildings at village level and godown-cum-CDPO office at block level on a selective basis and strengthening of health communication and project management inputs have been added.

3. **Day Care Centres** : The scheme aims to provide day care services for Children below 5 years belonging to weaker sections of the society, whose family income does not exceed Rs. 1800 per month. The creches run under the scheme also provide health care, supplementary nutrition, medical check-up and immunisation etc. to the children whose parents are away at work sites or are incapacitated due to sickness and are unable to look after them. The scheme is implemented through the Central Social Welfare Board and with the help of Voluntary Organisations.

4. **Balwadi Nutrition Programme** : This programme is implemented through voluntary organisations with grants-in-aid from the Central Government. It covers 2.25 lakhs children in the age group of 3 to 5 years attending Balwadis run through five National Level Organisations. Apart from nutritional supplementation, the scheme aims to provide social and emotional development of the children.

5. **Contribution to UNICEF** : Provision has been made for meeting expenditure on India's contribution to the UNICEF and administrative expenditure of its office in New Delhi.

6. **Early Childhood Education:** The scheme intends to provide pre-school education for the disadvantaged sections in rural and backward areas to broad-base and support elementary education. There are 4365 E C E Centres run in 9 educationally backward States.

7. **National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)** : It is to develop and promote voluntary action for social development, comprehensive review of child development and promote programmes in pursuance of National Polcy for Children. The institute conducts research and evaluation, studies, organises training programmes, seminars, workshops, conferences, provides information services in the field of public cooperation and child development, caters to the needs of training, research consultancy at headquarter as well as its three regional centres at Guwahati, Bangalore and Lucknow.

8. **Other Schemes** : These include, mainly, provision for Balsevika & Creches Workers Training Programme, handling and clearance of duty-free aid material for child nutrition, assistance to voluntary

उसकी निकासी करने संबंधी विविध गतिविधियों के लिए ऐच्छिक संगठनों को सहायता शामिल है।

9. **स्त्रियों की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम :** इन का उद्देश्य यह है कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रशिक्षण प्राप्त करके बाद में नौकरियां करने के योग्य बनाया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों को प्रारंभिक/मिडिल/उच्च स्कूली स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठयक्रमों का आयोजन करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

10. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल :** यह सहायता स्वयंसेवी संगठनों, कुछ गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों को, कामकाजी महिलाओं को उपयुक्त और सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण तथा इस प्रयोजन के लिए बने-बनाए हॉस्टलों की खरीद के लिए दी जाती है । वे महिलाएं, जिन की आय 5,000 रुपए (समेकित) से अधिक नहीं है, होस्टल आवास के लिए पात्र हैं।

11. **रोजगार कार्यक्रम की सहायता :** इस योजना का उद्देश्य कृषि, पशु-पालन, डेयरी उद्योग, मीन उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्राम उद्योगों और रेशम उद्योग जैसे परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य तथा रोजगार को सुदृढ़ करना तथा उनमें सुधार लाना तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता में सुधार लाना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है।

12. **महिला समृद्धि योजना :** सरकार ने 2 अक्तूबर, 1993 को महिला समृद्धि योजना नाम की एक योजना आरंभ की । यह ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली एक केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना स्कीम है । महिला और बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है । इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण युवा महिला को डाकघर में उसका अपना एक 'महिला समृद्धि योजना' खाता रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, उस में वह कोई भी धनराशि, जो वह बचा सकती है, जमा करा सकती है । एक वर्ष में 300 रुपए तक की राशि के लिए एक वर्ष की 'लॉकअप' अवधि में सरकार 25 प्रतिशत का अंशदान करती है । जमा राशि 12 महीने की अवधि के लिए खाते में जमा रहनी चाहिए तथा सरकार की अधिकतम सहभागिता एक वर्ष में 75 रुपए तक सीमित है । हालांकि खाताधारी एक कैलेंडर वर्ष में दो बार खाते से राशि (कम से कम 20 रुपए) निकाल सकता है ।

13. **सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम के तहत, जरूरत मंद महिलाओं, अभावग्रस्त विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पूर्ण कालिक तथा अल्पकालिक काम के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "काम और मजदूरी आधार" पर लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, पशुपालन आदि जैसी आय देने वाली गतिविधियों के वृहत किस्में अपनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

14. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड :** महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी सेवाएं, और बच्चों, अपंगों, बूढ़ों तथा निर्बलों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ।

15. **प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र :** यह स्कीम समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को अपरम्परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण देने और तदोपरान्त उन्हें अनवरत आधार पर रोजगार दिलाने के लिए है। योजना को नार्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा धन राशि दी जाएगी।

16. **अल्प कालिक गृह :** यह स्कीम महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा और पुनर्वास किए जाने के लिए है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों द्वारा सामाजिक और नैतिक खतरे का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, रोगी सम्बन्धी कार्य सेवाएँ, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियां और सामाजिक सुविधाओं के समायोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है। लगभग 266 पुराने और 34 नए अल्प कालिक गृहों की संख्या विद्यमान है। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों की अनुशंसाओं पर 2,12,300/- करोड़ रुपए का अनुदान (आवर्ती और गैर-आवर्ती) तथा 1,87,300/- करोड़ रुपए का आवर्ती अनुदान गृह को प्रतिवर्ष उत्तरवर्ती रूप में प्रदान किया गया है।

organisations for miscellaneous activities.

9. **Condensed Courses for Women's Education :** The objective is to enable women to complete their education, acquire training and later employment. Under this programme voluntary organisations are given grants to conduct courses for primary/middle/higher school level examinations.

10. **Hostels for Working Women :** Assistance is given to voluntary organisations, certain eligible N.G.Os and State Governments for the construction of Working Women's Hostels to provide suitable and economical accomodation to working women and for the purchase of ready-built hostels for the purpose. Women, whose income does not exceed Rs. 5,000/- (Consolidated) are eligible for hostel accomodation.

11. **Support to Employment Programme :** The Scheme intends to strengthen and improve women's work and employment in the traditional sectors such as agriculture, animal husbandry, dairying, fisheries, handlooms, handicrafts, khadi and village industries and sericulture, improving and strengthening women's participation in each of these sectors.

12. **Mahila Samriddhi Yojana:** The Government launched a Scheme called Mahila Samriddhi Yojana (MSY) on 2 October, 1993. This is a Central Sector Plan Scheme implemented through the network of Post Offices in rural areas. The Department of Women & Child Development is the nodal Department for this scheme. Under this scheme every rural adult woman is encouraged to have an MSY account of her own in the Post Office into which she may deposit whatever amount of money she can save. For an amount of upto Rs. 300/- in a year with a one year lock-in-period Government contributes 25 percent. The deposits have to remain in the account for a period of 12 months and the maximum participation of Government is limited to Rs. 75/- in a year. However, the account holder can withdraw money (minimum of Rs. 20/-) from the account twice in a calendar year.

13. **Socio-economic Programme :** Under this programme, financial assistance is extended to voluntary institutions to take up a wide variety of income generating activities like small industry, handloom, handicraft, dairy, animal husbandry etc. on a 'work & wage basis' with the object of providing opportunities of full time or part time work to needy women, destitutes, widows and deserted women.

14. **Central Social Welfare Board :** is to provide welfare services for women and children specially in rural areas and financial and technical assistance to voluntary organisations for the welfare of children, the handicapped, the aged and the infirm.

15. **Training-cum-Production Centres :** The scheme is for training of women belonging to weaker sections in the non-traditional trades and then employing them on sustained basis . The scheme is funded by Norwegian Agency for International Development (NORAD).

16. **Short Stay Homes :** The scheme is to protect and rehabilitate women and girls who are facing social and moral danger due to family problems, mental strains, social ostracism, exploitation or other causes. The scheme envisages the services viz. medical care, phychiatric treatment, case work services, occupational therepy, education, vocational and recreational activities and social facilities of adjustments. There are approximately 266 old and 34 new short stay homes. Under the scheme, on the recommendations of State Governments, grant to the extent of Rs. 2,12,300/- (recurring and non-recurring) and a recurring grant of Rs. 1,87,300/- is given to the home every year subsequently.

17. **जागरूकता उत्पन्न कार्यक्रम (ए.जी.पी.) :** इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के बीच उन के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए उन की आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाए जाने के उद्देश्य से गतिविधि आयोजित किए जाने की चेतना जागृत करना है। प्रत्येक शिविर के लिए 1,000/- रुपए की राशि प्रदान की गई है।

18. **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग :** इस आयोग में संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य के विधियों सहित महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी विधियों की समीक्षा की जाती है। महिलाओं से प्राप्त अभियाचनाओं पर उन की व्यथाओं के निवारण के लिए महिलाओं पर नयी आर्थिक नीति के प्रभाव पर एक विशेष अध्ययन शुरू किया गया है। आयोग के सदस्य कारावासों और सुधारालयों इत्यादि का निरीक्षण करते है। आयोग जागरूकता उत्पन्न किए जाने में वृद्धि और सम्मेलनों/सभाओं, बैठकों इत्यादि में सहभागिता के माध्यम से महिलाओं को जुटाए जाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी दे रहा है।

19. **अन्य कार्यक्रम :** इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, परित्यक्ता स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण, स्त्रियों के आधारिक स्तर के संगठनों को सुदृढ़ करने, स्त्रियों पर अत्याचार की महिलाओं के विकास के लिए एकीकृत परियोजना, महिला राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र, बालिकाओं के लिए सार्क दशक 1991-2000 ए.डी., महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए व्यवस्था शामिल है । इसमें व्यापक सहभागिता के द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला विकास निगमों की स्थापना के लिए प्रावधान भी शामिल है । महिला विकास निगम, अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं को उनके उद्यमशील कार्यकुशलताओं के विकास में सहायता करेगा ।

20. **पोषाहार से संबंधित स्कीमें :** इन स्कीमों का उद्देश्य पोषक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का उत्पादन और संपुष्टिकरण, तथा कार्यान्वियनकारी ऐजेन्सियों को अनुदान सहायता प्रदान करके पोषाहार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी अध्ययन करना; खाद्य और पोषाहार बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पोषाहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना और गुणवत्ता और नियमितता के संदर्भ में समेकित बाल विकास सेवा के पूरक पोषण कार्यक्रमों का प्रबोधन करना है ।

इस में खाद्य और आहार बोर्ड को सुदृढ़ किए जाने के लिए प्रावधान करना भी शामिल है जो भारत सरकार द्वारा अपनायी गई राष्ट्रीय आहार नीति के कार्यान्वियन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। बोर्ड खाद्यान्न और आहार के विषय में विभाग के तकनीकी स्कन्ध के रूप में कार्य कर रहा है। बोर्ड देश के विभिन्न भागों में स्थित 43 इकाइयों के साथ कार्य करता है।

17. **Awareness Generation Programme (AGP)** : This programme is aimed at inculcating a spirit of organised activity among the rural women for identifying their needs/problems and for chalking out plans of action to meet the various challenges that come their way, through Central Social Welfare Board. An amount of Rs. 1,000/- is provided per camp.

18. **National Commission for Women** : Is to review all the laws relating to the safeguard of women under the Constitution as well as the Central and State laws. Receives petitions from women for redressal of their grievances, and has taken up special study on the impact of new economic policy on women. The members of the Commission inspect jails and remand homes, etc. The Commission is actively contributing to increased awareness generation and mobilising women through participation in conferences/meetings etc.

19. **Other Programmes** : Include provisions for the welfare of destitute women and children, promotion and strengthening of grass root level women organisations, education work for prevention of atrocities on women, Integrated Project for Development of Women, National Resource Centre for Women, the SAARC Decade of the Girl Child 1991-2000 A.D., and the Commissioner for Women's Rights. It also includes provision for setting up of Women Development Corporations in the States and Union Territories by way of capital participation. The Women Development Corporations, inter-alia, help women to develop their entrepreneurial skills.

20. **Schemes on Nutrition:** The schemes aim at production and fortification of nutritious foods and beverages, and carrying out research and development studies in the field of nutrition by providing grants-in-aid to the implementing agencies; imparting nutrition education and monitoring of ICDS supplementary feeding programmes with regard to quality and regularity by the field units of Food & Nutrition Board.

It also includes provision for strengthening of Food & Nutrition Board which has a major role to play in the implementation of National Nutrition Policy adopted by the Government of India. The Board is acting as a technical wing of the Department in the matter of food and nutrition. The Board functions with 43 field units located in different parts of the country.

उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY

मांग संख्या DEMAND No.50

औद्योगिक विकास विभाग Department of Industrial Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		776.25	44.80	821.05	276.25	49.63	325.88	428.75	50.12	478.87
पूंजी	*Capital*		*0.25*	*0.12*	*0.37*	*0.25*	*0.12*	*0.37*	*1.25*	*0.12*	*1.37*
जोड़	**Total**		**776.50**	**44.92**	**821.42**	**276.50**	**49.75**	**326.25**	**430.00**	**50.24**	**480.24**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं उद्योग	1. Secretariat-Economic Services **Industries**	3451	0.15	6.10	6.25	0.15	8.74	8.89	0.60	10.31	10.91
2. महानिदेशक, तकनीकी विकास	2. Director General, Technical Development.	2852	0.10	4.10	4.20	...	0.25	0.25	...	...	...
3. औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो	3. Bureau of Industrial Costs and Prices	2852	0.40	1.45	1.85	0.40	1.50	1.90	0.40	1.58	1.98
4. नमक आयुक्त	4. Salt Commissioner	2852	0.15	4.20	4.35	0.15	4.67	4.82	...	5.18	5.18
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	5. National Productivity Council	2852	4.60	1.60	6.20	1.93	1.60	3.53	2.70	1.60	4.30
		6885	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
जोड़		*Total*	*4.60*	*1.65*	*6.25*	*1.93*	*1.65*	*3.58*	*2.70*	*1.65*	*4.35*
6. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	6. National Institute of Design	2852	2.30	0.70	3.00	2.30	0.70	3.00	8.14	0.70	8.84
		6885	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
जोड़		*Total*	*2.30*	*0.72*	*3.02*	*2.30*	*0.72*	*3.02*	*8.14*	*0.72*	*8.86*
7. राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद	7. National Quality Council	2852	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
8. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	8. Central Manufacturing Technology Institute	2852	3.00	1.10	4.10	3.00	1.10	4.10	2.38	1.10	3.48
9. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण	9. Industrial Education, Research & Training	2852	3.70	0.80	4.50	2.00	0.80	2.80	3.68	0.80	4.48
10. बायलरों का सर्वेक्षण	10. Survey of Boilers	2852	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
11. सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	11. Cement and Non-Metallic Mineral Industries										
11.01 सीमेंट और भवन निर्माण सामग्रियों संबंधी राष्ट्रीय परिषद	11.01 National Council for Cement and Building Materials	2852	0.15	...	0.15	0.13	...	0.13	0.15	...	0.15
11.02 सीमेंट उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकास	11.02 Human Resources Development for Cement Industries	2852	4.55	...	4.55	4.55	...	4.55	5.03	...	5.03
11.03 सीमेंट उद्योग पुनर्गठन परियोजनाओं के तहत तकनीकी अध्ययन	11.03 Technical Studies under Cement Industry Restructuring Projects	2852	0.25	...	0.25	0.44	...	0.44	0.25	...	0.25
11.04 सीमेंट उद्योग संबंधी विकास परिषद	11.04 Development Council for Cement Industry	2852	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50
11.05 सीमेंट की भारी ढुलाई के लिए प्रायोगिक परियोजना	11.05 Pilot Project for bulk transport of Cement	4854	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
11.06 भारत में औद्योगिक माडल नगर	11.06 Industrial Model Town in India	4854	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*5.20*	*2.50*	*7.70*	*5.37*	*2.50*	*7.87*	*6.68*	*2.50*	*9.18*
12. इंजीनियरी उद्योग	12. Engineering Industries										
12.01 आई.डी.बी.आई.को भुगतान	12.01 Payment to IDBI	2852	...	1.19	1.19	...	1.19	1.19	...	...	...
12.02 आई.आर.बी.आई.को भुगतान	12.02 Payment to IRBI	2852	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*1.20*	*1.20*	...	*1.20*	*1.20*	...	*0.01*	*0.01*
13. ऑटोमोटिव उद्योग के अनुसंधान और विकास	13. Research and Development of Automotive Industry	2852	3.00	8.10	11.10	3.00	12.10	15.10	1.39	11.10	12.49
14. राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अंतरण	14. Transfer to National Renewal Fund	2852	700.00	...	700.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
15. अन्य योजनाएं	15. Other Schemes										
15.01 अन्य व्यय	15.01 Other Expenditure	2852	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
		6860	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
15.02 विनिर्माण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	15.02 International Centre for Advancement of Manufacturing Technology	2852	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	...	*0.25*	*0.25*	...	*0.25*	*0.25*	*0.50*	*0.25*	*0.75*
16. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाने वाला व्यय	16. Expenditure met from National Renewal Fund										
16.1 औद्योगिक पुनर्निर्माण/बन्द के कारण प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा	16.1 Protection of Labour affected by industrial restructuring /closers										
16.1.1 राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रतिपूर्ति उपाय और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन	16.1.1 Workers Compensation packages and implementation of VRS in State PSUs	2852	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
16.2 परामर्श, पुनःप्रशिक्षण और क्षेत्र पुनः सुधार स्कीमें	16.2 Counselling, retraining and Area Regeneration Schemes	2852	47.90	...	47.90	47.90	...	47.90	...	...	...
16.3 विविध/आकस्मिक व्यय	16.3 Miscellaneous/Contingency expenditure	2852	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
16.4 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम आदि में कार्यान्वयन के लिए एक मुश्त व्यवस्था	16.4 Lump sum provision for implementation of Voluntary Retirement Scheme, etc.	2852	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
जोड़		Total	198.00	...	198.00	48.00	...	48.00	300.00	...	300.00
राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय घटाइए	Deduct expenditure met from NRF	2852	-198.00	...	-198.00	-48.00	...	-48.00	-300.00	...	-300.00
निवल		Net	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	17. International Cooperation										
17.01 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	17.01 United Nations Industrial Development Organisation	2852	...	4.30	4.30	...	4.40	4.40	...	4.50	4.50
17.02 एशियाई उत्पादकता संगठन	17.02 Asian Productivity Organisation	2852	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35
जोड़		Total	...	5.65	5.65	...	5.75	5.75	...	5.85	5.85
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	**Other Outlays on Industries and Minerals**										
18. पिछड़े क्षेत्रों का विकास	18. Development of Backward Areas										
18.01 निवेश संबंधी आर्थिक सहायता	18.01 Investment Subsidy	2885	...	...	...	0.43	...	0.43	...	...	...
18.02 औद्योगिक एकको को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता	18.02 Transport subsidy to Industrial Units	2885	25.00	...	25.00	29.30	...	29.30	50.00	...	50.00
18.03 विकास केन्द्र	18.03 Growth Centres	2885	25.00	...	25.00	24.57	...	24.57	50.00	...	50.00
जोड़		Total	50.00	...	50.00	54.30	...	54.30	100.00	...	100.00
19. विस्फोटक विभाग	19. Department of Explosives	2070	...	2.85	2.85	...	3.36	3.36	...	3.84	3.84
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
20. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	20. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks	3475	2.50	3.60	6.10	2.50	4.49	6.99	2.03	4.65	6.68
21. आर्थिक सलाहकार	21. Economic Adviser	3475	0.20	0.65	0.85	0.20	0.67	0.87	0.30	0.70	1.00
22. सहायता सामग्री और उपस्कर	22. Aid Material & Equipment	3606	...	6.61	6.61	...	3.59	3.59	...	3.60	3.60
घटाए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अन्तरण	Deduct - Transfer to Functional Major Head	3606	...	-6.61	-6.61	...	-3.59	-3.59	...	-3.60	-3.60
सहायता सामग्री और उपस्कर निवल	Aid Material and Equipment	Net	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		776.50	44.92	821.42	276.50	49.75	326.25	430.00	50.24	480.24

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	1. Cement & Non-metallic Mineral Industries	12854	5.05	...	5.05	5.24	...	5.24	6.53	...	6.53
2. इंजीनियरी उद्योग	2. Engineering Industries	12858	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	3.77	...	3.77
3. अन्य उद्योग	3. Other Industries	12875	712.60	...	712.60	208.11	...	208.11	316.77	...	316.77
4. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	4. Other outlays on Industries & Minerals	12885	50.00	...	50.00	54.30	...	54.30	100.00	...	100.00
5. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	5. Secretariat - Economic Services	13451	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.60	...	0.60
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6. Other General Economic Services	13475	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.33	...	2.33
जोड़	Total		776.50	...	776.50	276.50	...	276.50	430.00	...	430.00

1. **सचिवालय** : इसमें औद्योगिक विकास विभाग और लघु उद्योग विभाग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **महानिदेशक, तकनीकी विकास** : महानिदेशक, तकनीकी विकास संबंधी संगठन 1.4.1994 से समाप्त कर दिया गया है। महानिदेशक, तकनीकी विकास के कार्य अनेक प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों को सौंप दिए गए हैं ।

3. **औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो** : इसमें बी.आई.सी.पी. के स्थापना खर्च और स्कीमों के संबंध में व्यवस्था की गई है । इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और यह लागत घटाने, औद्योगिक कार्यकुशलता में सुधार लाने और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को आयोजना स्कीमों के रूप में शामिल टैरिफ सामंजस्य और ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययनों का कार्य सौंपा गया है ।

4. **नमक आयुक्त** : यह संगठन केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 और नमक उपकर अधिनियम, 1953 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का

1. **Secretariat**: Provides for secretariat expenditure of the Department of Industrial Development and the Department of Small Scale Industries and Agro & Rural Industries.

2. **Director General, Technical Development**: The organisation of the Director General, Technical Development has since been wound up with effect from 1.4.1994. The functions of the Director General, Technical Development have been assigned to the various user Ministries/Departments.

3. **Bureau of Industrial Costs and Prices**: Provides for establishment charges and schemes of BICP. Set up in 1970, BICP advises the Government on various issues pertaining to cost reduction, improvement in industrial efficiency and pricing of industrial commodities. BICP has also been entrusted with Tariff Harmonisation and Energy Audit Studies included as Plan Schemes.

4. **Salt Commissioner**: The Organisation is responsible for administration of Central Excise and Salt Act, 1944 and the Salt Cess

प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है । यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन, युक्तिसंगत वितरण को भी विनियमित करता है । यह नमक की कीमतों और उसकी उपलब्धता को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना खर्चों और विकास कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है ।

5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद : इसमें इस संगठन जिसकी स्थापना 1958 में, उत्पादकता के प्रति जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, प्रायोगिक अनुसंधान, आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए व्यवस्था की गई है।

6. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान : इसकी स्थापना, उद्योग में डिजाइन के प्रति रुचि पैदा करने और मिट्टी की बनी वस्तुओं के डिजाइन, उत्पादन डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन और इर्गोनोमिक्स और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई हैं । बजट में संस्थान के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था है ।

7. राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद : जुलाई, 1991 से आरंभ किए गए औद्योगिक सुधारों को देखते हुए गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान देते हुए, भारत के निर्यात निष्पादन में सुधार करने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। कार्य दलों और आई.एम.टी.एफ. की सिफारिशों पर, उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक विकास विभाग, गुणवत्ता और राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रक रूप में कार्य करेगा।

8. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान : केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मशीनी औजार उद्योग के वास्ते प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह संस्थान प्रोटोटाइप्स का मूल्यांकन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-परीक्षण, धातु कटाई और उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। यह उद्योग को सी.ए.डी./सी.ए.एम. सेवा प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना उपलब्ध कराता है। बजट में संस्थान के लिए अनुदान सहायता की व्यवस्था की गई है।

9. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण : इसके अन्तर्गत भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

10. बायलरों का सर्वेक्षण : विभाग में केन्द्रीय बायलर बोर्ड को उद्योग/ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रयुक्त सभी किस्मों के बायलरों से संबंधित भारतीय बायलर विनियमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 28 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं । 1995-96 के बजट में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय कोड सहित भारतीय बायलर विनियमों के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 लाख रुपए का आयोजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया है, ताकि भारतीय बायलर विनियमों को बिना किसी कठिनाई के समय-समय पर अद्यतन किया जा सके।

11. सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग ।

11.01 सीमेंट और भवन निर्माण सामग्रियों संबंधी राष्ट्रीय परिषद : सीमेंट और भवन निर्माण सामग्रियों संबंधी राष्ट्रीय परिषद समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय है। 1994-95 के संशोधित अनुमानों में, परिषद के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्य के लिए अनुदान के रुपए में 13 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

11.02 सीमेंट उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकास : विश्व बैंक और डी.ए.एन.आई.डी.ए. की सहायता से कार्यान्वित किए जाने वाले सीमेंट उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश में 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है।

11.03 सीमेंट उद्योग पुनर्संरचना परियोजना के अधीन तकनीकी अध्ययन : इसके अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किए जाने वाले सीमेंट उद्योग के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित छह तकनीकी अध्ययनों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है ।

11.04 सीमेंट उद्योग संबंधी विकास परिषद: यह संस्था सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।

11.05 सीमेंट की बल्क ढुलाई के लिए प्रायोगिक परियोजना : इसके अंतर्गत सीमेंट की बल्क ढुलाई के लिए बम्बई में एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार और सहभागी सीमेंट उत्पादकों के इक्विटी सहयोग के साथ एक नई कंपनी में निवेश के लिए व्यवस्था की गई है ।

11.06 भारत में औद्योगिक मॉडल नगर: यह व्यवस्था जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) की सहायता से गुड़गांव (हरियाणा) के निकट एक औद्योगिक मॉडल नगर बनाने के लिए है।

12. इंजीनियरी उद्योग:

12.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भुगतान : इसके अंतर्गत मैसर्स डब्ल्यू.जी.फोर्ज लिमिटेड को अग्रिमों की गारंटी के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भुगतान के लिए व्यवस्था की गई है।

Act, 1953 and the rules framed thereunder. It regulates the production and rational distribution of salt including iodised salt. It also regularly monitors the price and availability of salt. The budget provides for establishment charges of the organisation and for development works.

5. **National Productivity Council:** Provides for grants to the Organisation, which was set up in 1958 for generating productivity consciousness and providing productivity services to various sectors of the national economy through training programmes, seminars, productivity survey, applied research etc.

6. **National Institute of Design**: Set up to generate design consciousness in Industry and to provide training, research and service in industrial designs like ceramic design, product design, apparel design and ergonomics and visual communication. The budget provides for grant-in-aid to the Institute.

7. **National Quality Council:** In the wake of industrial reforms undertaken since July, 1991, the need for improving India's export performance by focussing on quality and productivity has become paramount. On the recommendations of working groups and the I.M.T.F., it is proposed to set up the National Quality Council as an autonomous body registered as a Society under the Societies Registration Act, for achieving the above objects. The Department of Industrial Development would act as the nodal point for all matters connected with quality and the National Quality Council.

8. **Central Manufacturing Technology Institute**: Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore is a premier R &D Organisation for Machine Tool Industry providing technical assistance to engineering industries by way of development of new designs and control systems. It conducts evaluation of proto-types and research in the field of development in respect of State of the Art technology testing, metal cutting and production technology. It also provides training including CAD/CAM service training and technical information to the industry. The Budget provides for grants-in-aid to the Institute.

9. **Industrial Education, Research and Training**: This covers grants given to the Indian Rubber Manufacturers Research Association and Central Pulp and Paper Research Institute.

10. **Survey of Boilers**: The Central Boiler Board in the Department empowered under Section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 for preparation and implementation of the Indian Boiler Regulations concerning all types of boilers used by the Industry/Thermal Power Stations. In the Budget for 1995-96, a plan outlay of Rs.10 lakhs has been provided for computerisation of Indian Boiler Regulations alongwith the latest International codes so that Indian Boiler Regulations are updated from time to time without any difficulty.

11. Cement and Non-Metallic Mineral Industries.

11.01 **National Council for Cement and Building Materials:** National Council for Cement and Building Materials is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1960. In the Revised Estimates for 1994-95, a provision of Rs.13 lakhs as grant has been made for Research and technology development work of the Council.

11.02 **Human Resources Development for Cement Industries:** Provides assistance for setting up 4 Regional Training Centres in the country under the Human Resources Development Programme for Cement Industry, to be implemented with World Bank and DANIDA assistance.

11.03 **Technical Studies under Cement Industry Restructuring Project**: Provides assistance for undertaking six technical studies on various aspects connected with the development of cement industry to be implemented with World Bank assistance.

11.04 **Development Council for Cement Industry:** Provides for research and development projects and training programmes for Cement Industry.

11.05 **Pilot Project for Bulk Transport for Cement :** Provides for investment in a new company with equity participation of Central Government and participating cement manufacturers for setting up a , Pilot project for bulk transportation of cement at Bombay.

11.06 **Industrial Model Town in India:** The provision is required for setting up of an Industrial Model Town near Gurgaon (Haryana) with the assistance of Japan International Cooperation Agency (JICA).

12. **Engineering Industries:**

12.01 **Payment to IDBI**: Provides for payment to IDBI for guarantee of advances to M/s WG Forge Limited.

12.02 **आई.आर.बी.आई. को भुगतान** : इसके अंतर्गत आई.आर.बी.आई. को, उनके द्वारा इंडिया मशीनरी लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को दी गई निधियों के एवज में भुगतान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

13. **आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास** : इसमें आटोमोटिव इंजीनियरी उद्योग में अनुसंधान, विकास और उत्पादों के परीक्षण हेतु व्यवस्था की गई है जिसमें ये शामिल है (i) उत्पाद-अभिकल्प और विकास; (ii) चालन क्षमता, सड़क पर प्रयोग किए जाने की क्षमता और ईंधन संबंधी कार्यक्षमता हेतु ऑटोमोटिव उपस्करों तथा सहायक उपस्करों मूल्यांकन; और (iii) मानकीकरण और तकनीकी सूचना सेवाएं।

14. **राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अंतरण** : यह निधि आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न श्रम के पुनः प्रशिक्षण या पुनर्नियोजन की लागतों को पूरा करने और औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते स्थापित की गई है।

15.01 **अन्य व्यय** : इसमें नमक लाइसेंसधारियों को ऋण, अध्ययनों आदि पर अन्य व्यय के संबंध में व्यवस्था की गई है ।

15.02 **विनिर्माण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र**: विनिर्माण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, सम्बद्ध केन्द्रों के विश्वीय नेटवर्क के बीच सेवा समन्वय /सहयोग के जरिए, प्रायोगिक परियोजना को पूर्ण करके, परामर्श, सूचना संग्रहण और प्रसार तथा विशेषज्ञों के रोस्टर बनाकर विकासशील देशों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों से अवगत कराएगा तथा ऐसी प्रौद्योगिकीयां मुहैया कराएगा और इस प्रकार मेजबान देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों की स्पर्धात्मक क्षमता और आर्थिक कार्यक्षमता में योगदान देगा ।

16. **राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय**: इस शीर्ष में राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किये जाने वाले व्यय की मदें शामिल हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के कार्यान्वयन हेतु 1995-96 के बजट-अनुमान में केन्द्रीय रूप से एकमुश्त व्यवस्था की गई है। इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाएंगे जिसके बाद तदनुसार व्यय मुहैया कराया जाएगा।

17. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग**: इसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और एशियाई उत्पादकता संगठन को अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

18. **पिछड़े क्षेत्रों का विकास** : इसके अंतर्गत ये शामिल हैं : (i) सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों तक और उनसे कच्ची सामग्रियों और तैयार माल दोनों की ढुलाई लागतों पर ढुलाई सब्सिडी, और (ii) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के भीतर देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना ।

19. **विस्फोटक पदार्थ विभाग** : इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है । यह कार्यालय भारतीय, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करता है । यह संस्थापना सभी प्राधिकरणों को इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों पर परामर्श देता है, और पुलिस, हवाई पत्तन सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पदार्थों तथा छिपाए हुए विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण भी देता है । यह सुरक्षात्मक प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए विशेष मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय भी करता है।

20. **पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक** : यह कार्यालय, पेटेन्ट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 1911, ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइस मार्क अधिनियम, 1958 और पेटेन्ट सूचना सेवा का प्रशासन करता है ।

21. **आर्थिक सलाहकार** : इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर परामर्श देता है (ii) औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति और क्षमता के उपयोग की जांच करता है और औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है (iii) ऋण नीति, ऋण आयोजना और औद्योगिक क्षेत्र तथा विशिष्ट उद्योगों के सन्दर्भ में इसकी उपलब्धता संबंधी मामलों की जांच करता है और (iv) भारत में थोक कीमतों के सरकारी सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है ।

22. **सहायता सामग्री और उपस्कर** : इसके अंतर्गत सीमेंट उद्योग के लिए सी. एम. टी. आई, एन. पी. सी, सी. जी. पी. डी. और टी. एम., बम्बई तथा एच. आर डी. द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना स्कीमों के लिए यू. एन. डी. पी. और डी. ए. एन. आई. डी. ए. से प्राप्त वस्तु अनुदानों के संबंध में लेखा-समायोजन करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

12.02 **Payment to IRBI**: Token provision for payment to IRBI in lieu of funds given by them to India Machinery Limited, Howrah, West Bengal.

13. **Research and Development of Automotive Industry:** Provides for research, development and testing of products in Automotive Engineering Industry, including (i) product design and development; (ii) evaluation of automotive equipment and ancillaries for endurance, roadworthiness and fuel efficiency; and (iii) standardisation and technical information services.

14. **Transfer to National Renewal Fund:** The Fund has been established to provide assistance to cover the costs of retraining or redeployment of labour arising as a result of modernisation and technology upgradation and also to provide a social safety net to workers affected by industrial restructuring.

15.01 **Other expenditure:** Provides for loan to Salt licencees and other expenditure on studies etc.

15.02 **International Centre for Advancement of Manufacturing Technology**: International Centre for Advancement of Manufacturing Technology (ICAMT) would expose the developing world to the latest technologies and provide access to such technologies through courses, workshops, conferences, services coordination/cooperation among global network of affiliated centres, completion of pilot projects, advising, information collection and dissemination and preparation of roster of experts thus contributing to the competitive capacity and economic viability of the host country's manufacturing sector activities.

16. **Expenditure met from NRF:** This head includes items of expenditure to be met from the National Renewal Fund. A lumpsum provision for implementation of voluntary retirement scheme, etc. has been made centrally under BE 1995-96. Allocation out of it will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided accordingly.

17. **International Cooperation**: Provides for contribution to United Nations Industrial Development Organisation and Asian Productivity Organisation.

18. **Development of Backward Areas:** Covers (i) transport subsidy on the transport costs of both raw materials and finished goods to and from industrial units in remote and inaccessible areas, and (ii) setting up of 70 growth centres in the industrially backward areas of the country within the Eighth Five Year Plan period.

19. **Department of Explosives**: Provides for establishment costs of the Organisation which administers the Indian Explosives Act, 1884, Petroleum Act, 1934 and the Inflammable Substances Act, 1952 and respective rules framed thereunder. The establishment renders advice to all authorities on matters covered by these acts and imparts extensive training to police, airport security, senior police officials, etc. in identifying explosives and deceptive devices. It also coordinates with the Bureau of Indian Standards for having specific standards for improving safety.

20. **Controller General of Patents, Designs and Trade Marks:** Administers the Patents Act, 1970, the Designs Act, 1911, the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 and Patent Information Service.

21. **Economic Adviser**: Provides for establishment expenses of the Organisation which (i) renders advice on all matters of economic policies, (ii) examines trends in industrial production and capacity utilisation, assists in formulation of industrial and import policies, (iii) examines matters pertaining to credit policy, credit planning and its availability with reference to Industrial sector and specific industries, and (iv) provides compilations and analysis of indices of wholesale prices in India, etc.

22. **Aid Material and Equipments:** The provision is for making accounting adustment in respect of commodity grants received from UNDP and DANIDA for plan schemes being implemented by CMTI, NPC, CGPD and TM, Bombay and HRD for Cement Industry.

उद्योग मंत्रालय *MINISTRY OF INDUSTRY*

मांग संख्या DEMAND No.51

भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		5.30	9.36	14.66	3.30	18.83	22.13	10.45	9.56	20.01
पूंजी	*Capital*		*129.06*	*68.79*	*197.85*	*144.61*	*122.23*	*266.84*	*164.55*	*75.00*	*239.55*
जोड़	**Total**		**134.36**	**78.15**	**212.51**	**147.91**	**141.06**	**288.97**	**175.00**	**84.56**	**259.56**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	2.45	2.00	4.45
उद्योग	**Industries**										
इंजीनियरिंग उद्योग	**Engineering Industries**										
2. हाई वोल्टेज दिष्टधारा कार्यक्रम	2. High Voltage Direct Current Programme	2852	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	7.00	...	7.00
3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (घड़ी) श्रीनगर	3. HMT(Watch), Srinagar	2852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	2852	1.30	2.56	3.86	1.30	2.56	3.86	1.00	2.56	3.56
जोड़-उद्योग	**Total-Industries**		5.30	7.56	12.86	3.30	7.56	10.86	8.00	7.56	15.56
5. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	5. Non Plan Loans to Public Enterprises										
इंजीनियरिंग उद्योग	**Engineering Industries**										
5.01 नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि.	5.01 National Instruments Ltd.	6858	...	1.50	1.50	...	3.10	3.10	...	1.50	1.50
502 भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि.	5.02 Bharat Ophthalmic Glass Ltd.	6858	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50
5.03 साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.03 Cycle Corporation of India Ltd	6858	...	6.50	6.50	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
5.04 नेशनल बाईसिकल कार–पोरेशन आफ इंडिया लि.	5.04 National Bicycle Corporation of India Ltd	6858	...	2.00	2.00	...	3.20	3.20	...	2.10	2.10
5.05 स्कूटर्स इंडिया लि.	5.05 Scooters India Ltd.	6858	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	8.00	8.00
5.06 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	5.06 Heavy Engineering Corporation Ltd.	6858	...	0.01	0.01	...	27.68	27.68	...	0.01	0.01
5.07 माईनिंग एंड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.	5.07 Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	6858	...	15.00	15.00	...	19.52	19.52	...	15.00	15.00
5.08 पुनर्वास उद्योग निगम	5.08 Rehabilitation Industries Corporation	6858	...	7.00	7.00	...	10.00	10.00	...	7.00	7.00
5.09 भारत यंत्र निगम लि.	5.09 Bharat Yantra Nigam Ltd.	6858	...	7.00	7.00	...	10.80	10.80	...	7.00	7.00
5.10 भारत भारी उद्योग निगम लि.	5.10 Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	6858	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
6.11 प्रागा टूल्स लिमिटेड	5.11 Praga Tools Ltd	6858	...	...	...	...	2.65	2.65	...	2.00	2.00
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
5.12 टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.12 Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	6860	...	5.50	5.50	...	8.00	8.00	...	6.00	6.00
5.13 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.13 Tyre Corporation of India Ltd.	6860	...	6.40	6.40	...	6.40	6.40	...	6.00	6.00
5.14 हिन्दुस्तान साल्ट लि.	5.14 Hindustan Salts Ltd	6860	...	0.48	0.48	...	0.48	0.48	...	0.50	0.50
5.15 भारत लैदर कारपोरेशन लि.	5.15 Bharat Leather Corporation Ltd	6860	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.39	0.39
5.16 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	5.16 Hindustan Paper Corporation. Ltd	6860	...	...	...	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़		*Total*	...	*68.79*	*68.79*	...	*122.23*	*122.23*	...	*75.00*	*75.00*
6. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	6. Expenditure met from National Renewal Fund										
6.1 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन	6.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
6.1.1 इंजीनियरिंग उद्योग	6.1.1 Engineering Industries	2852	86.00	...	86.00	86.50	...	86.50	...	...	...
6..1.2 उपभोक्ता उद्योग	6.1.2 Consumer Industries	2852	16.50	...	16.50	16.00	...	16.00	...	...	...
6..1.3 सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	6.1.3 Cement & Non-metallic Mineral Industries	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
6..1.4 उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	6.1.4 Other Outlays on Industries and Minerals	2885	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
जोड़		*Total*	*107.00*	...	*107.00*	*107.00*	...	*107.00*	...	...	...
6.02 घटाइए–राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	6.2 Deduct Expenditure met from NRF	2852	-106.50	...	-106.50	-106.50	...	-106.50	...	...	...
		2885	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	7. Investments in Public Enterprises	4854	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	61.00	...	61.00
		4858	26.46	...	26.46	34.24	...	34.24	38.38	...	38.38
		4860	45.37	...	45.37	45.37	...	45.37	12.72	...	12.72
		4885	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.10	...	0.10
		6854	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		6858	26.58	...	26.58	34.35	...	34.35	38.50	...	38.50
		6860	5.42	...	5.42	5.42	...	5.42	12.75	...	12.75
		6885	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*129.06*	...	*129.06*	*144.61*	...	*144.61*	*164.55*	...	*164.55*
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इं.)लि०	8. Engineering Projects(I) Ltd	3475	...	...	...	...	9.47	9.47	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***134.36***	***78.15***	***212.51***	***147.91***	***141.06***	***288.97***	***175.00***	***84.56***	***259.56***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
इंजीनियरिंग उद्योग	**Engineering Industries**										
7.01 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	7.01 Bharat Heavy Electricals Ltd.	12858	...	105.39	105.39	...	207.00	207.00	...	105.00	105.00
7.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.	7.02 HMT Ltd	12858	...	0.01	0.01	...	...	...	7.76	...	7.76
7.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	7.03 Heavy Engineering Corporation Ltd.	12858	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	2.00	...	2.00
7.04 माइनिंग एंड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.	7.04 Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	12858	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
7.05 स्कूटर्स इंडिया लि.	7.05 Scooters India Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.30	...	3.30
7.06 नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	7.06 National Instruments Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.07 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	7.07 Hindustan Cables Ltd.	12858	34.15	33.07	67.22	49.70	8.00	57.70	44.91	39.00	83.91
7.08 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	7.08 Instrumentation Ltd.	12858	1.00	4.35	5.35	1.00	...	1.00	0.02	...	0.02
7.09 भारत आपथैल्मिक ग्लास लि.	7.09 Bharat Opthalmic Glass Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.10 साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.10 Cycle Corporation of India Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.11 नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.11 National Bicycle Corporation of India Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.12 एन्ड्र्यू यूले एंड कम्पनी लि.	7.12 Andrew Yule and Co. Ltd.	12858	...	34.41	34.41	...	32.00	32.00	0.02	29.60	29.62
7.13 पुनर्वास उद्योग निगम लि.	7.13 Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.14 प्रागा टूल्स निगम लि.	7.14 Praga Tools Ltd.	12858	...	2.00	2.00	...	...	...	1.00	...	1.00
7.15 भारत यंत्र निगम लि.	7.15 Bharat Yantra Nigam Ltd.	12858	1.82	15.70	17.52	1.82	14.15	15.97	7.90	16.50	24.40
7.16 भारत भारी उद्योग निगम लि.	7.16 Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	12858	10.01	3.50	13.51	10.01	0.45	10.46	9.91	0.65	10.56
7.17 द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	7.17 Fluid Control Research Institute	12858	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	1.06	1.06
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग	**Total - Engineering Industries**		**53.04**	**199.08**	**252.12**	**68.59**	**262.25**	**330.84**	**76.88**	**191.81**	**268.69**
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
7.18 भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	7.18 Bharat Leather Corporation of India Ltd	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.30	...	0.30
7.19 टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.19 Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7.20 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	7.20 Hindustan Paper Corporation Ltd	12860	3.01	34.99	38.00	3.01	30.06	33.07	8.47	29.30	37.77
7.21 एन.ई.पी.ए. लि.	7.21 NEPA Ltd	12860	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
7.22 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	7.22 Hindustan Salts Ltd.	12860	1.57	...	1.57	1.57	...	1.57	0.01	...	0.01
7.23 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.	7.23 Hindustan Photofilms Manufacturing Co. Ltd.	12860	40.00	...	40.00	40.00	55.69	95.69	0.02	...	0.02
7.24 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.24 Tyre Corporation of India Ltd.	12860	6.19	...	6.19	6.19	...	6.19	16.64	...	16.64
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	**Total - Consumer Industries**		**50.79**	**34.99**	**85.78**	**50.79**	**85.75**	**136.54**	**25.47**	**29.30**	**54.77**
सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	**Cement & Non-metallic Mineral Industries**										
7.25 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.25 Cement Corporation of India Ltd	12854	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	2.00	...	2.00
7.26 सरकारी उद्यमों की व्यवहार्यता को कायम रखने के लिए निर्णायक संतुलनकारी निवेश	7.26 Crucial Balancing Investment for sustained viability of PEs.	12854	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00
उद्योगों पर अन्य परिव्यय	**Other Outlays on Industries**										
7.27 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	7.27 National Industrial Development Corporation Ltd.	12885	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.20	...	0.20
जोड़	**Total**		**129.06**	**234.07**	**363.13**	**144.61**	**348.00**	**492.61**	**164.55**	**221.11**	**385.66**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	1. Engineering Industries	12858	58.34	199.08	257.42	71.89	262.25	334.14	87.33	191.81	279.14
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	50.79	34.99	85.78	50.79	85.75	136.54	25.47	29.30	54.77
3. सीमेंट और गैर-धात्विक खनिज उद्योग	3. Cement and Non-metallic mineral Industries	12854	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	62.00	...	62.00
4. उद्योगों पर अन्य परिव्यय	4. Other Outlays on Industries	12885	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.20	...	0.20
जोड़	**Total**		**134.36**	**234.07**	**368.43**	**147.91**	**348.00**	**495.91**	**175.00**	**221.11**	**396.11**

1. **सचिवालय** : इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है ।

2. **उच्च वोल्टता दिष्ट धारा कार्यक्रम** : यह योजना तीव्र गति एच. वी. डी. सी. संचरण की प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए है । यह इलैक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारी उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है ।

3.. **एच.एम.टी.(घड़ी) श्रीनगर** इसमें विपरीत परिस्थितियों में श्रीनगर घड़ी कारखाने के कार्य को जारी रखने में एच.एम.टी. द्वारा वहन की गई नकदी हानि को पूरा करने के लिए व्यवस्था है ।

4. **अन्य व्यय**: इस में बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, बर्थवेट एंड कम्पनी (इंडिया) लिमि. आदि के राष्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूली में गिरावट के लिए व्यवस्था है ।

5. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण**: यह नकद हानियों को पूरा करने के लिए तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को उपलब्ध कराने के लिए है ।

6. **राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरे किए जाने वाले व्यय**: यह स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के कार्यान्वियन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता देने के लिए है । वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक मुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से,जैसे भी आवश्यक हो,प्रदान किया जाएगा ।

7. **सरकारी उद्यमों में निवेश** : इस में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण और इक्विटी के ज्यादातर 50 : 50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास, टाउनशिप आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके या जारी रखा जा सके ताकि उनके कार्यनिष्पादन और लाभ में सुधार हो सके ।

7.01 **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड** : यह कम्पनी विद्युत और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए ऊर्जा उत्पादक उपस्कर, पारेषण और ढुलाई, उपस्करों के विनिर्माण, पूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर भारत और विदेशों में विद्युत स्टेशन सप्लाई किए है ।

7.02 **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.** : 1953 में स्थापित, धीरे-धीरे देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैली हुई 16 इकाइयों और 22 उत्पादन प्रभागों के साथ एक प्रमुख बहु इकाई और बहु-उत्पादन कम्पनी बन गई है । यह कम्पनी हाई प्रिसिशन मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रैक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है ।

7.03 **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड** : 1958 में निगमित की गई थी, इसमें तीन इंजीनियरी इकाइयां शामिल हैं - हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दी हैवी मशीन टूल्स संयंत्र और फाउन्डरी फोर्ज संयंत्र । निगम इस्पात संयंत्र उपस्कर, उत्खनन, प्लानिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कास्टिंग और फोरजिंग का भी उत्पादन करता है ।

7.04 **माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.** : इसकी स्थापना 1965 में की गई थी । कम्पनी का उद्देश्य भूमिगत कोयला खनन के लिए उपस्कर हेतु कोयला खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

7.05 **स्कूटर्स इण्डिया लि.** : लखनऊ में स्थित है । इसका निगमन सितम्बर, 1972 में किया गया था और यह स्कूटर और तिपहिया स्कूटरों का निर्माण कर रही है ।

7.06 **नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लि.** : यह कम्पनी जून, 1957 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी । इस कम्पनी ने भूतपूर्व मैथेमैटिकल इन्स्ट्रूमेन्टस आफिस की परिसम्पत्तियों और देनदारियों

1. **Secretariat:** It provides for secretariat expenditure of the Department of Heavy Industry.

2. **High Voltage Direct Current Programme:** The Scheme is for indigenous development of technology of high speed HVDC transmission. It is being implemented jointly by the Department of Electronics, Department of Atomic Energy and the Department of Heavy Industry.

3. **HMT (Watch), Srinagar**: To meet cash losses incurred by HMT in sustaining the operations of the Srinagar Watch Factory under adverse circumstances.

4. **Other Expenditure**: Provides for shortfall in the realisation by nationalised banks consequent on the nationalisation of Burn and Company Ltd., Indian Standard Wagon Company Ltd., Braithwaite and Company (India) Ltd. etc.

5. **Non-Plan Loans to Public Enterprises:** To meet cash losses and to provide working capital requirements.

6. **Expenditure met from National Renewal Fund**: Provides for budgetary support to the Public Sector Enterprises for implementation of the Voluntary Retirement Schemes. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under B.E. 1995-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50, Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through Supplementary Grant or otherwise, as may be necessary.

7. **Investment in Public Enterprises:** Provides for budgetary support by way of loans and equity mostly in the ratio of 50 : 50 to the PSUs for taking up continuing schemes for development, diversification, renewal & replacement, modernisation, research & development, township etc. to improve their performance and profitability.

7.01. **Bharat Heavy Electricals Ltd.:** It is engaged in the manufacture, supply, erection and commissioning of power generating equipment, transmission and transportation equipment for power boards and other core sectors of the economy like steel, fertilizer, metallurgical and mineral industries. The Company has supplied power stations on turnkey basis in India and abroad.

7.02. **Hindustan Machine Tools Ltd.:** Established in 1953, has steadily grown into a major multi-unit and multi-product company with 16 units and 22 product divisions, spread over 10 different States of the Country. The Company is engaged in the production of high precision machine tools, printing machinery, lamp and lamp making machinery, tractors, wrist watches, horological machines and dairy machinery.

7.03. **Heavy Engineering Corporation Ltd.:** Incorporated in 1958, it comprises three engineering units - Heavy Machine Building Plant, Heavy Machine Tools Plant and the Foundry Forge Plant. The Corporation produces steel plant equipment, excavators, plaining machines, boring machines and also castings and forgings.

7.04. **Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.:** Was incorporated in 1965 with the objective of meeting the requirements of the coal mining industry for equipment for underground coal mining.

7.05. **Scooters India Ltd.:** Located at Lucknow, it was incorporated in September 1972 and is engaged in the manufacture of scooters and three wheelers.

7.06. **National Instruments Ltd.:** It was incorporated in June, 1957 under Companies Act, 1956. It took over the assets and liabilities of the erstwhile Mathematical Instruments Office. It is engaged in

का अधिग्रहण किया । यह कम्पनी विभिन्न किस्म के सर्वेक्षण और आप्टिकल उपस्करों का उत्पादन और व्यापार कर रही है।

7.07 **हिन्दुस्तान केबल्स लि.** : यह कम्पनी भारत में आधुनिक दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है । इसके रूपनारायणपुर और हैदराबाद में दो कारखाने है । कंपनी ने इलाहाबाद में एक और आप्टीकल फाइबर केबल्स फैक्टरी स्थापित की है ।

7.08 **इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि.** : इसकी स्थापना, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधन कारखानों और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में की गई थी । इसकी दो उत्पादन इकाइयां है - एक कोटा में और दूसरी पालघाट में ।

7.09 **भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड** : इसकी स्थापना अप्रैल, 1972 में की गई थी। यह कम्पनी आप्थलमिक ब्लैक, फ्लिन्ट बटन, चश्मों के शीशों का निर्माण कर रही है।

7.10 **भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड** : इस कम्पनी की स्थापना, मैसर्स सेन रेले के स्वामित्व वाले उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करके अक्तूबर, 1980 में की गई थी । इसकी दो उत्पादन इकाइयां है - एक आसनसोल में और दूसरा कल्याणी में, जो 'रेले' ब्रान्ड नाम के अंतर्गत बाइसिकिलों का निर्माण कर रहे हैं।

7.11 **भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकिल निगम लि.** : इस कम्पनी की स्थापना मैसर्स हिंद साईकिल लिमिटेड के स्वामित्व वाले उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करके अक्टूबर, 1980 में की गई थी इसके 'हिंद' ब्रांड नाम से साइकिलों के दो उत्पादन इकाइयां गाजियाबाद में और दूसरा बम्बई में है ।

7.12 **एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लि.** : प्राथमिक रूप से इकाइयां विनिर्माण कार्यकलापों में संलग्न है; इस समय इस कम्पनी की आठ इकाइयां है जो औद्योगिक पंखे और चाय की मशीने, एच. टी और एल. टी बिजली के उपस्कर, कान्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डेड केस सरकिट बेकर्स, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कन्वेयर बैल्ट, फैन और वी बैल्ट, वायु-प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का काम करती है ।

7.13 **पुनर्वास उद्योग निगम लि.** : इसकी स्थापना भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल, 1959 में की गई थी । निगम की 13 इकाइयां हैं जो विभिन्न किस्म की वस्तुओं जैसे हथकरघा वस्त्र, पोलिएस्टर सूटिंग और शर्टिंग, साज-समान के कपड़े और तुर्की तौलिए, चमड़े के उत्पाद, सिले-सिलाए परिधान, डिब्बा बंद फल, स्टील फर्नीचर, आयरन कास्टिंग और कृत्रिम इस्पात ढांचों का उत्पादन करती हैं ।

7.14 **प्रागा टूल्स लि.** : इस कम्पनी के तीन प्रभाग है अर्थात् (i) सिकन्दराबाद में मशीन टूल प्रभाग (ii) हैदराबाद में फोर्ज और फाउन्डरी प्रभाग और (iii) सी.एन.सी.प्रभाग । यह कम्पनी फरवरी, 1988 से एच.एम.टी. लिमिटेड की सहायक कम्पनी बन गई है । इस समय कम्पनी के मुख्य उत्पाद ये है : कटर और टूल ग्राइन्डर, सरफेस ग्राइन्डर, यूनीवर्सल मिलिंग मशीनें, कोपिंग लेथ, थ्रेड बोल्टिंग मशीनें और ड्रिलिंग मशीन फोरजिंग और उपकरण ।

7.15 **भारत यंत्र निगम लि.** : इसे जुलाई, 1986 को छः सहायक कम्पनियों अर्थात् भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., रिचर्डसन एंड क्रुडास लि., और ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि., के साथ धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया । कम्पनी का निगमित कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है । बजट में प्रावधान कम्पनी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायक कम्पनियों को बजटीय सहायता देने के लिए है।

7.16 **भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड** : इसे सितम्बर, 1986 में सात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., जेसप एंड कम्पनी लि., ब्रेथवेट एंड कम्पनी लि., भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि., भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि., बी. बी. जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि., और लगन जूट कम्पनी लि. सहित धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया जिसका निगमित कार्यालय कलकत्ता में है । बजट में प्रावधान कम्पनी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायक कम्पनियों को बजटीय सहायता देने के लिए है ।

7.17 **द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफ.सी.आर.आई.)** : द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की स्थापना द्रव्य उपायों तथा नियंत्रण उपायों से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए तथा न केवल इस देश में बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भी प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के

production and trade of various types of survey and optical instruments.

7.07. **Hindustan Cables Ltd.:** It is engaged in the manufacture of sophisticated telecommunication cables in India. It has got two factories at Rupnarainpur and Hyderabad. The Company has set up another factory at Allahabad for the manufacture of optical fibre cables.

7.08. **Instrumentation Ltd.:** It was established in March, 1964 with the objective of attaining maximum self-reliance in providing instrumentation and control systems to key sectors of economy such as Thermal Power Plants, Steel Plants, Fertilizer Plants, Refineries and other process plants. It has two production Units - one at Kota and the other at Palghat.

7.09. **Bharat Ophthalmic Glass Ltd.:** It was set up in April, 1972. The Company is engaged in the manufacture of flint buttons, optical glass, radiation shielding windows etc.

7.10. **Cycle Corporation of India Ltd.:** This was formed in October, 1980 by nationalising the undertakings owned by M/S Sen-Raleigh Ltd. It has got two manufacturing units - one at Asansol and another at Kalyani - manufacturing bicycles under the brand name 'Raleigh'.

7.11. **National Bicycle Corporation of India Ltd.** Was formed in October, 1980 by nationalising the undertaking owned by M/s Hind Cycles Ltd. It has got two manufacturing units - one at Bombay and another at Ghaziabad- manufacturing cycles under the brand name 'Hind'.

7.12. **Andrew Yule and Company Ltd.:** Primarily involved in manufacturing activities; the Company at present has eight units which manufacture industrial fans and tea machinery, HT & LT electrical equipment, contactors, overload relays, moulded case circuit breakers, power distribution transformers, switchgears, conveyor belts, fans & V - belts, air pollution control equipment and production of tea.

7.13. **Rehabilitation Industries Corporation Ltd. :** Was set up in April, 1959 with the object of providing employment for displaced persons from former East Pakistan. The Corporation has 13 units which produce a variety of articles like handloom textiles, polyester suiting and shirtings, furnishing fabrics and turkish towels, leather products, ready-made garments, canned fruit, steel furniture, iron castings and fabricated steel structure.

7.14. **Praga Tools Ltd.:** The Company has three Divisions, viz. (i) Machine Tool Division at Secunderabad (ii) Forge and Foundry Division at Hyderabad and (iii) CNC Division. The Company has become a subsidiary of H.M.T Ltd. from February, 1988. The main products of the Company at present are cutters and tool grinders, surface grinders, universal milling machines, copying lathes, thread volting machines and drilling machines, forgings and accessories.

7.15 **Bharat Yantra Nigam Limited:** It was incorporated as a Holding Company in July, 1986 with six subsidiaries, namely, Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd., Bharat Pumps and Compressors Ltd., Triveni Structurals Ltd., Tungabhadra Steel Products Ltd., Richardson and Cruddas Ltd., and Bridge and Roof Co. Ltd. The Corporate Office of the Company is at Allahabad, Uttar Pradesh. Provision in Budget is to meet Company's own requirements and to provide budgetary support to the subsidiaries.

7.16 **Bharat Bhari Udyog Nigam Limited:** Incorporated in September, 1986 as a Holding Company consisting of seven Public Sector Enterprises, viz. Burn Standard Co. Ltd.; Jessop and Co. Limited, Braithwaite & Co. Limited, Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Bharat Process and Mechanical Engineers Limited, BBJ Construction Company Limited, and Lagan Jute Machinery Company Ltd., with corporate office at Calcutta. Provision in Budget is to meet Company's own requirements and to provide budgetary support to the subsidiaries.

7.17 **Fluid Control Research Institute (FCRI):** The Fluid Control Research Institute has been established at Palghat as a UNDP Project for undertaking activities connected with flow measuring and control devices and to provide the basic framework for technology

लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए यू.एन.डी.पी. परियोजना के रूप में की गई थी ।

7.18 **भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.** : इसकी स्थापना चमड़े की वस्तुओं के उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए मार्च, 1976 में की गई थी । इसका उद्देश्य आवश्यक आधारभूत ढांचे का सृजन करना और देश में प्रौद्योगिकी का सुधार करना और चमड़ा कामगारों के उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना है ।

7.19 **भारत टैनरी तथा फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड** : इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के रुग्ण एककों, जिन का नाम कूपर एलन और नोर्थवेस्ट टैनरी ब्रांच है, को अपने हाथ में लेने के लिए की गई थी तथा यह चमड़े के सज्जित जूतों और जूते के संघटकों का उत्पादन करती है।

7.20 **हिन्दुस्तान कागज निगम लि.** : देश में इस निगम की स्थापना, मई, 1970 में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी । इसकी दो इकाइयां और 3 सहायक कम्पनियां हैं । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड अपनी कमियों को दूर करने और अपनी इकाइयों और सहायक कम्पनियों में उत्पादन को सुदृढ बनाने में लगी है।

7.21 **एन.ई.पी.ए. लि.** : भारत सरकार ने मिल का नियंत्रण 1958 में अपने हाथ में ले लिया । एक नई खोई पर आधारित अखबारी कागज परियोजना 414.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अलीगंज, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जानी है । जब यह कार्यान्वित हो जाएगी तो यह परियोजना अखबारी कागज की पूर्ति में देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी।

7.22 **हिन्दुस्तान साल्टस लि.** : इसकी स्थापना अप्रैल, 1958 में की गई थी । यह कम्पनी नमक और ब्रोमीन के उत्पादन और बिक्री करने के काम में लगी हुई है । इसकी एक सहायक कम्पनी है जिसका नाम सांभर साल्टस लिमिटेड है ।

7.23 **हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.** : यह कम्पनी नवम्बर, 1960 में निगमित की गई थी । यह कम्पनी संवेदनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (काली और सफेद), सिने फिल्म ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों का निर्माण कर रही है । यह कम्पनी जम्बो रोल्स, सिने कलर पाजिटिव फिल्म, अमेच्योर रोल फिल्म, आदि का आयात करती है और उन्हें तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती है।

7.24 **टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड** : फरवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई जिसमें मैसर्स इन्चेक टायर लिमिटेड और राष्ट्रीय रबड़ विनिर्माण लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय उपक्रमों को शामिल किया गया । इस उपक्रम में आटोमोबाइल और साइकिल टायरों और ट्यूबों और अन्य रबड़ से बनी वस्तुओं जैसे कि फेन और वी-बैल्टों का उत्पादन किया जाता है। कंपनी काकीनाडा स्थित अपनी टायर निर्माण इकाई के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है ।

7.25 **भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि.** : इसकी स्थापना जनवरी, 1965 में की गई थी । इसका उद्देश्य देश में सीमेंट के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना है। इसके 10 एकक कार्य कर रहे हैं ।

7.26 **सार्वजनिक उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता के लिए निर्णायक सन्तुलित निवेश**: विभागों के अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक उद्यमों के पक्ष में सरकारी स्वीकृतियों पर आधारित उन की आवश्यकता के अनुसार फिर भी, निधियों का नई सेवा/सेवा के नए लिखित दस्तावेज के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त प्रावधान उत्तरवर्ती रूप में पुनर्विनियोजित किया जाना।

7.27 **राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.** : की स्थापना 1954 में देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी । इसके प्रचालन क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएँ, सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएँ, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल हैं ।

8. **इंजीनियरिंग परियोजनाएं (इं.) लि0**: इराक में परियोजना के निष्पादन के लिए बैंकों को निर्गमित प्रति-गारंटी से उत्पन्न होने वाले दावों के निपटान के लिए ।

development and flow products not only for this country but also for South-East Asia.

7.18. **Bharat Leather Corporation of India Ltd.:** Was set up in March, 1976 for the promotion and development of leather and leather goods industry. Its objective is to create necessary infrastructure and also to improve technology in the country and to provide assistance in marketing the products of leather workers.

7.19. **Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.:** Was incorporated in 1969 by taking over and amalgamating the sick units of British India Corporation, namely, Cooper Allen and North West Tannery Branches. It manufactures finished leather footwear and footwear components.

7.20. **Hindustan Paper Corporation Ltd.:** Was set up in May, 1970 with the objective of establishing pulp and paper and newsprint mills in the country. It has got 2 units and 3 subsidiaries. Hindustan Paper Corporation Limited is in the process of removing bottlenecks and stabilising the production in its units and subsidiaries.

7.21 **NEPA Ltd.:** The Government of India took over the controlling interest of the Mill in 1958. A new bagasse-based newsprint project is to be set up at Aliganj, District Moradabad, Uttar Pradesh at an estimated cost of Rs. 414.46 crores. When implemented, this project will take the country towards self-sufficiency in supply of newsprint.

7.22 **Hindustan Salts Ltd.:** It was set up in April, 1958. It is engaged in the manufacture and sale of salt and bromine. It has a subsidiary company called Sambhar Salts Limited.

7.23 **Hindustan Photo Films Mfg. Company Limited:** Incorporated in November, 1960, it is engaged in the manfuacture of photo-sensitised films, cine positive (black and white), cine films sound negative, medical x-ray films etc. It also imports jumbo rolls, cine colour positive films, amateur roll films, etc. and converts them into finished products.

7.24 **Tyre Corporation of India Ltd.:** Was incorporated in February, 1984 in which the nationalised undertakings of two sick companies, i.e., M/s Inchek Tyres Ltd. and National Rubber Manufacturers Ltd. have been vested. It produces automobile and cycletyres and tubes and other rubber goods like fan, V-belts etc. The company is in the process of modernising its tyre making unit at Kakinada.

7.25 **Cement Corporation of India Ltd.:** It was established in January, 1965 with the objective of setting up cement factories in public sector to achieve self-sufficiency in cement production in the country. It has got 10 operating units.

7.26 **Crucial Balancing Investment for sustained viability of PEs:** Lumpsum provision to be subsequently re-appropriated in favour of other PEs under the Department as per their requirements of funds based on Government approvals, keeping in view however, the provisions of New Service/New Instrument of Service.

7.27 **National Industrial Development Corporation Ltd.:** was established in 1954 to promote the country's industrial development. Its field of operation covers industrial projects, civil engineering projects, energy and technological upgradation.

8. **Engineering Projects (I) Ltd.:** For settlement of claims arising out of counter--guarantee issued to Banks for execution of Projects in Iraq.

उद्योग मंत्रालय *MINISTRY OF INDUSTRY*

मांग संख्या DEMAND No.52

सरकारी उद्यम विभाग Department of Public Enterprises

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	1.55	1.55	...	1.80	1.80	...	1.62	1.62
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**1.55**	**1.55**	...	**1.80**	**1.80**	...	**1.62**	**1.62**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1.Secretariat-Economic Services	3451	...	1.32	1.32	...	1.26	1.26	...	1.35	1.35
2. अन्य व्यय	2.Other Expenditure	2852	...	0.23	0.23	...	0.47	0.47	...	0.27	0.27
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3. Other General Economic Services	3475	...	...	...	...	0.07	0.07	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***1.55***	***1.55***	...	***1.80***	***1.80***	...	***1.62***	***1.62***

1. **सचिवालय** :- आर्थिक सेवाएं : इसके अन्तर्गत सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **अन्य व्यय** : इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के सार्वजनिक उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है और निष्पादन में श्रेष्ठता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

1. **Secretariat - Economic Services :** Provides for Secretariat expenditure.

2. **Other Expenditure :** Includes provision for India's contribution to the membership of International Centre for Public Enterprises for Developing Countries of which India is a founder member and for meeting expenditure on grant of awards to public sector enterprises for excellence in performance.

उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY

मांग संख्या DEMAND No.53

लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग
Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		375.88	107.93	483.81	355.41	107.93	463.34	544.72	110.31	655.03
पूंजी	*Capital*		*98.31*	*264.18*	*362.49*	*98.31*	*264.12*	*362.43*	*59.58*	*246.11*	*305.69*
जोड़	**Total**		**474.19**	**372.11**	**846.30**	**453.72**	**372.05**	**825.77**	**604.30**	**356.42**	**960.72**
लघु उद्योग	**Small-Scale Industries**										
1. लघु उद्योग विकास आयुक्त	1. Development Commissioner for SmallScale Industries	2851	0.51	3.35	3.86	0.55	3.42	3.97	0.60	3.60	4.20
2. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2. Grants to National Small Industries Corpn. for development of Small Scale Industries	2851	7.80	4.40	12.20	7.80	4.40	12.20	8.80	4.40	13.20
3. अन्य लघु उद्योग योजनाएं	3. Other Small-Scale Industries Schemes	2851	78.20	17.97	96.17	78.82	17.90	96.72	72.27	20.10	92.37
		3601	6.30	...	6.30	5.94	...	5.94	6.41	...	6.41
		3602	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12
		4851	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.10	...	1.10
जोड़		*Total*	*85.88*	*17.97*	*103.85*	*86.14*	*17.90*	*104.04*	*79.90*	*20.10*	*100.00*
4. प्रधानमंत्री की रोजगार स्कीम	4. Prime Minister's Rozgar Yojana	2851	145.00	...	145.00	124.53	...	124.53	145.00	...	145.00
खादी तथा ग्रामोद्योग	**Khadi & Village Industries**										
5. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	5. Khadi and Village Industries Commission										
5.01 **खादी उद्योग**	5.01 **Khadi Industries**	**2851**	**60.30**	**43.00**	**103.30**	**60.30**	**43.00**	**103.30**	**60.30**	**43.00**	**103.30**
5.02 अन्य ग्रामोद्योग	5.02 Other Village Industries	2851	24.70	...	24.70	24.70	...	24.70	74.70	...	74.70
जोड़		*Total*	*85.00*	*43.00*	*128.00*	*85.00*	*43.00*	*128.00*	*135.00*	*43.00*	*178.00*
6. नारियल जटा उद्योग	6. Coir Industries	2851	5.70	1.30	7.00	5.70	1.30	7.00	6.90	1.30	8.20
		3601	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	2.70	...	2.70
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		6851	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
		7601	0.95	...	0.95	0.95	...	0.95	0.35	...	0.35
		7602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*7.00*	*1.35*	*8.35*	*7.00*	*1.35*	*8.35*	*10.00*	*1.35*	*11.35*
7. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	7. Interest Subsidies										
7.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	7.01 National Small Industries Corporation	2851	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
7.02 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग)	7.02 Khadi and Village Industries Commission (Khadi Industries)	2851	20.00	23.00	43.00	20.00	23.00	43.00	19.00	23.00	42.00
7.03 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	7.03 Khadi and Village Industries Commission (Other Village Industries)	2851	15.00	11.00	26.00	15.00	11.00	26.00	5.00	11.00	16.00
जोड़		*Total*	*35.20*	*34.00*	*69.20*	*35.20*	*34.00*	*69.20*	*24.20*	*34.00*	*58.20*
8. गहन ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम	8. Intensive Rural Industrialisation Programme	2851	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
9. विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम	9. Special Employment Generation Programme	2851	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
10. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम-उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	10. Rural Employment Generation Programme- Implementation of recommendation of High Power Committee	2851	...	...	...	...	...	...	130.00	...	130.00
11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	11. Non-Plan Loans to Public Enterprises										
11.01 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	11.01 Khadi and Village Industries Commission	6851	...	264.00	264.00	...	264.01	264.01	...	246.00	246.00
12. सरकारी उपक्रमों में निवेश	12. Investment in Public Enterprises	4851	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00
		6851	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	45.00	...	45.00
जोड़		*Total*	*96.00*	...	*96.00*	*96.00*	...	*96.00*	*58.00*	...	*58.00*
13. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	13. Expenditure met from National Renewal Fund										
13.1 विवेकपूर्ण श्रम का पुनर्गठन और प्रशिक्षण	13.1 Counselling and retraining of rationalised labour										
13.1.1 उद्यमशीलता विकास	13.1.1. Entrepreneurial Development	2851	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
13.2 घटाइए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	13.2 Deduct Expenditure met from NRF	2851	-0.50	...	-0.50	...	...	...	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
13. अन्य योजनाएं	14. Other Schemes	2851	0.75	3.91	4.66	0.45	3.91	4.36	2.70	3.91	6.61
		4851	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
		6851	...	0.13	0.13	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
जोड़		*Total*	*0.80*	*4.04*	*4.84*	*0.50*	*3.97*	*4.47*	*2.80*	*3.97*	*6.77*
कुल जोड़	***Grand Total***		*474.19*	*372.11*	*846.30*	*453.72*	*372.05*	*825.77*	*604.30*	*356.42*	*960.72*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ग्राम और लघु उद्योग	**Village & Small Industries**										
12.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12.01 National Small Industries Corporation	12851	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00
12.02 के.वी.आई.सी.- खादीउद्योग	12.02 KVIC - Khadi Industries	12851	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
12.03 के.वी.आई.सी.- अन्य ग्राम उद्योग	12.03 KVIC - Other Village Industries.	12851	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00
जोड़	**Total**		96.00	...	96.00	96.00	...	96.00	58.00	...	58.00
ग. आयोजना परिव्यय*	**C.Plan Outlay ***										
1. ग्राम और लघु उद्योग	1. Village & Small Industries	12851	478.00	...	478.00	456.92	...	456.92	607.00	...	607.00
जोड़	**Total**		478.00	...	478.00	456.92	...	456.92	607.00	...	607.00

* इस में शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

* Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of Ministry of Urban Development

मांग संख्या 80	Demand No.80	12851	0.41	...	0.41	0.69	...	0.69	0.20	...	0.20
मांग संख्या 81	Demand No.81	12851	3.40	...	3.40	2.51	...	2.51	2.50	...	2.50
जोड़		**Total**	**3.81**	...	**3.81**	**3.20**	...	**3.20**	**2.70**	...	**2.70**

1. **लघु उद्योग विकास आयुक्त** : यह देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के समन्वय हेतु केन्द्रक अभिकरण है । यह, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, क्षेत्रीय जांच केन्द्रों आदि के माध्यम से छोटी इकाइयों को बहुत सी सुविधाएं तथा सेवाएं भी प्रदान करता है जिनमें प्रौद्योगिकीय-आर्थिक-प्रबन्धकीय पहलुओं में सलाह देना, विपणन, निर्यात आदि में प्रशिक्षण और सहायता देना शामिल है।

2. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** : एन. एस. आई. सी., किराया-खरीद पर मशीनों की पूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रोटोटाइपों आदि के विकास के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है । यह प्रोटोटाइप विकास और टर्नकी परियोजनाओं के निर्यात के लिए प्रशिक्षण व सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है ।

3. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं** : इन योजनाओं के अन्तर्गत मुख्यतः डेनिश सहायता से जमशेदपुर और भुवनेश्वर में तथा जर्मन सहायता से अहमदाबाद, औरंगाबाद और इंदौर में 5 नए टूल रूम की स्थापना करने, कन्नौज और फिरोजाबाद में स्थापित किए जा रहे नए संसाधन तथा उत्पादन विकास केन्द्र के लिए अनुदानों और विद्यमान टूल रूम (पी.पी.डी.सी.) के लिए अनुदानों के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें आंकड़ों के संग्रहण जैसी चल रही योजनाओं और नई योजनाओं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों से संबंधित आधार-संरचनात्मक विकास और यू. एन. डी. पी. की सहायता से आगरा और मद्रास में केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में व्यवस्था की गई है ।

4. **प्रधान मंत्री रोजगार योजना**: प्रधान मंत्री रोजगार योजना जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों द्वारा 7 लाख लघु उद्यमों की स्थापना द्वारा एक मिलीयन से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है । यह उपयोग, सेवा और व्यापार मार्गों के माध्यम से स्व-रोजगार जोखिमों की स्थापना से सम्बन्धित है । यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वियन में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग का भी पता लगाती है । यह स्कीम पूरे देश में लागू करने के लिए लक्षित की गई है । शिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्तमान स्व-रोजगार योजना को प्रधान मंत्री रोजगार योजना में शामिल कर लिया जाएगा ।

5. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** : खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम,

1. **Development Commissioner for Small Scale Industries:** is the nodal agency for coordinating the policies and programmes for the development of small scale Industries in the country. It also provides facility and services including consultancy in techno-economic managerial aspects, training and assistance in marketing,export etc. to small units through Small Industries Service Institutes, Regional Testing Centres etc.

2. **Grants to National Small Industries Corporation:** NSIC is responsible for promotion and development of Small Scale Industries through supply of machinery on hire purchase,market promotion, arrangement of both indigenous and imported raw materials, development of prototypes etc. It also provides for training and common facilities for prototype development and export of turn-key projects.

3. **Other Small Scale Industries Schemes:** Provides mainly for setting up of 5 new Tool Rooms at Jamshedpur and Bhubaneshwar with Danish assistance and at Ahmedabad, Aurangabad and Indore with German assistance, grants for new Process-cum-Product Development Centres being set up at Kannauj and Ferozabad, and grants for the existing Tool Rooms (PPDCs) etc. It also provides for continuing schemes like Collection of Statistics and for new schemes viz. Infrastructural Development for Small Scale Industries in rural areas, and modernisation of Central Footwear Training Centres at Agra and Madras with UNDP assistance.

4. **Prime Minister's Rozgar Yojana**: Prime Minister's Rozgar Yojana for providing Self Employment to educated unemployed youth has been designed to provide employment to more than a million persons by setting up of 7 lakh micro enterprises by the educated unemployed youth. It relates to the setting up of the self employment ventures through industry, service and business routes. The Scheme also seeks to associate reputed Non-governmental organisations in implementation of PMRY Scheme. The Scheme intends to cover the whole of the country. The existing Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY) will be subsumed in PMRY.

5. **Khadi and Village Industries Commission**: Set up under

1956 के तहत आयोग की स्थापना ग्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगार सृजन करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों, के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके आयोजन तथा कार्यान्वियन के लिए की गई है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी की खुदरा बिक्री पर रियायत देने के लिए अनुदान दिए जाते हैं जिससे उन्हें मिल के बने कपड़ों और खादी के कपड़ों के बीच कीमत के अन्तर कम करके मिल क्षेत्र से प्रतियोगिता कर पाने में आंशिक रूप से सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप खादी की बिक्री बढ़ जाती है ।

6. नारियल जटा उद्योग : इसके अन्तर्गत कोयर बोर्ड को अनुदान और ऋण देने के लिए व्यवस्था है । इस बोर्ड की स्थापना नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के अधीन नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए की गई है जिसमें नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है । इसमें नारियल जटा उद्योग के सहकारीकरण, छूट, आदर्श नारियल जटा ग्राम के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था करना भी शामिल है।

7. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता : इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग और साथ ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भी ब्याज के एवज में आर्थिक सहायता दी जाती है ।

8.. गहन ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम: इसके अन्तर्गत देश में चुने हुए जिलों में ग्रामीण उद्योगों के गहन विकास के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है।

9. विशेष रोजगार सजृन कार्यक्रम— यह विशेष कार्यक्रम देश में चुने हुए पिछड़े जिलों में ग्रामीण उद्योगों और शिल्पों के विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सजृन करने के लिए है ।

10. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम – उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन: खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन वर्ष तक खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 20 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन की सिफारिश की है । इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है ।

11. सरकारी उद्यमों को गैर आयोजना-भिन्न ऋण

11.01 खादी और ग्रामोद्योग आयोग : इसमें (i) सरकार के निर्णय के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिए गए पिछले ऋणों का नवीकरण करने (ii) इसके कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम देने के लिए व्यवस्था है ।

12. सरकारी उद्यमों में निवेश : इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी व ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है । इन उद्यमों और आ.ब.बा.सं. के लिए बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा व्यय बजट, खण्ड-I में दिया गया है ।

12.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना और इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया गया था । इसके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु उद्योग की ईकाइयों को किराया खरीद आधार पर आयातित और स्वदेशी मशीनों की सप्लाई करना, कच्ची सामग्री और फालतू पुर्जों आदि की पूर्ति और वितरण, प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है । पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में इसके क्रियाकलापों और सेवाओं को चलाने के लिए वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए इक्विटी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्राप्त है ।

12.02 और 12.03 खादी और ग्रामोद्योग आयोग : खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन, खादी और ग्रामोद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके कार्यान्वयन के लिए की गई है । इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े व समाज के कमजोर वर्गों के कारीगरों के लिए खादी और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक रोजगार उत्पन्न करना है । इस प्रयोजन के लिए इसमें राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों आदि को ऋण देने के लिए व्यवस्था शामिल है ।

13. युक्ति-संगत श्रमिकों को परामर्श और पुन: प्रशिक्षण: इस में प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, आधुनिकीकरण, और औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्गठन और पुनरूद्धार से प्रभावित

Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, to plan, organise and implement programmes for development of khadi and village industries with a view to generating greater employment for rural population. Grants are given to K.V.I.C. for rebate on retail sales of khadi which helps in partly meeting competition from Mill Sector by reducing the price differential between the mill cloth and khadi cloth and consequently boosting up sales of khadi.

6. **Coir Industries**: Provisions are made to meet expenses on account of grants and loans to Coir Board, which has been set up under Coir Industry Act, 1953, to promote the development of Coir Industry in the country including promotion of export of coir products. The provision also includes funds for the centrally sponsored schemes for cooperativisation of coir industries, rebate and model coir villages.

7. **Interest subsidies**: Subsidy in lieu of interest is provided to Khadi and Village Industries Commission and National Small Industries Corporation.

8. **Intensive Rural Industrialisation Programme:** Provides funds for intensive development of rural Industries in selected districts in the country.

9. **Special Employment Generation Programme :** It is a special programme to create employment opportunities in rural areas through the development of village industries and crafts in selected backward districts in the country.

10. **Rural Employment Generation Programme**-Implementrion of the Recommendations of the High Power Committee: The High Power Committee on KVI sector has recommended generation of 2 million additional jobs in the KVI sector by the terminal year of the Eighth Five Year Plan. The programme envisages to generate additional employment in the rural industries sector.

11. **Non-Plan Loans to Public Enterprises:**

11.01. **Khadi and Village Industries Commission:** Provision is for (i) renewal of past loans given to K.V.I.C. as per Government decision, and (ii) granting house building advance to its employees.

12. **Investment in Public Enterprises:** Provides for equity and loans to the public sector enterprises to meet their requirement of finances for implementing the programmes under the schemes. The equity and loan-wise break up of the budget support to these enterprises and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol.I.

12.01. **National Small Industries Corporation:** N.S.I.C. was formed and registered under the Companies Act in 1955. Its functions, inter-alia, include supply of imported and indigenous machines to small scale units on hire purchase basis, supply and distribution of raw materials, spares, etc, internal marketing and external marketing, upgradation of technologies and provision of technical training and common facilities. The budgetary support through equity is for securing alternate finances for carrying out its activities and services in backward and hilly areas.

12.02 and 12.03 - **Khadi & Village Industries Commission :** K.V.I.C. has been set up under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 to plan, organise and implement programmes for development of Khadi and Village Industries. The aim is to generate greater employment for the rural population through the promotion of khadi and cottage and village industries. The provision is for giving loans for this purpose to State Khadi and Village Industries Boards, Khadi and Village Industries Institutions etc.

13. **Counselling and Retraining of rationalised labour:** Provides for counselling and retraining of labour affected by

श्रमिकों को परामर्श और पुनः प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है । इसे राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाएगा । वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक मुश्त राशि में किया गया है । अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

14. **अन्य योजनाएं** : इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ और राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ में निवेश हेतु अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है । इस में (i) ऋण गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत अवशिष्ट कार्य करने के लिए जमा बीमा और ऋण गारण्टी निगम, (ii) लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए नीति अनुसंधान राष्ट्रीय केन्द्र, को अनुसंधान करने तथा नीति संबंधी अध्ययन करने, (iii) व्यापार संवर्धन और निवेश सम्बन्धों के लिए अत्यधिक संस्थागत सहायता को बढ़ावा देने के लिए, लघु और मध्यम स्तरीय उद्यमों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करने से संबंधित अदायगी करने हेतु व्यवस्था शामिल है ।

technology upgradation, modernisation, restructuring and revival of industrial undertakings. This will be met from National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under B.E. 1995-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50, Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through Supplementary Grant or otherwise, as may be necessary.

14. **Other Schemes**: Provides mainly for grants to National Council for Cooperative Training, National Cooperative Union of India, National Federation of Industrial Cooperatives and Investments in National Federation of Industrial Cooperatives. This also includes provision for payment to (i) Deposits Insurance and Credit Gurantee Corporation for administering residual work under Credit Guarantee Schemes; (ii) National Centre for Policy Research for Small Scale, Agro and Rural Industries for undertaking research and studies on policy; and (iii) Promoting international cooperations among small and medium enterprises for greater institutional support to promote trade and investment links.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय *MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING*

मांग संख्या DEMAND No.54

सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information and Broadcasting

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		15.62	87.70	103.32	17.74	92.37	110.11	23.76	94.00	117.76
पूंजी	*Capital*		*17.56*	...	*17.56*	*12.42*	...	*12.42*	*18.86*	...	*18.86*
जोड़	**Total**		**33.18**	**87.70**	**120.88**	**30.16**	**92.37**	**122.53**	**42.62**	**94.00**	**136.62**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	0.03	5.86	5.89	0.06	6.28	6.34	0.06	6.57	6.63
सूचना और प्रचार	**Information and Publicity**										
2. फिल्में	2. Films	2220	11.27	20.87	32.14	11.34	20.90	32.24	15.35	21.41	36.76
3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	3. Certification of Cinematographic Films	2205	0.12	0.71	0.83	0.12	0.73	0.85	0.25	0.82	1.07
4. जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	4. Research & Training in Mass Communication	2220	1.10	1.64	2.74	1.10	1.72	2.82	4.00	1.87	5.87
5. विज्ञापन और दृश्य प्रचार	5. Advertising and Visual Publicity	2220	0.30	17.19	17.49	1.19	21.01	22.20	0.30	18.22	18.52
6. प्रेस सूचना सेवा	6. Press Information Services.	2220	0.40	8.52	8.92	0.40	9.14	9.54	0.91	9.90	10.81
7. क्षेत्रीय प्रचार	7. Field Publicity	2220	0.67	10.15	10.82	1.43	10.34	11.77	1.15	11.26	12.41
8. संगीत और नाटक प्रभाग	8. Song & Drama Division	2220	1.26	6.63	7.89	1.76	6.63	8.39	1.26	7.61	8.87
9. प्रकाशन	9. Publications	2220	0.30	13.82	14.12	0.15	13.41	13.56	0.30	13.95	14.25
10. पी.टी.आई को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	10 Interest Subsidy to P.T.I.	2220	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
11. इमारतें और मशीनरी	11. Buildings&Machinery	4220	11.59	...	11.59	8.87	...	8.87	16.86	...	16.86
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	12. Investments in Public Enterprises	4220	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		6220	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
13. संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों में निवेश	13. Investment in Joint Sector Companies	4220	3.97	...	3.97	1.55	...	1.55	...	...	...
14. अन्य व्यय	14. Other Expenditure	2220	0.17	2.30	2.47	0.19	2.20	2.39	0.18	2.38	2.56
कुल जोड़	***Grand Total***		***33.18***	***87.70***	***120.88***	***30.16***	***92.37***	***122.53***	***42.62***	***94.00***	***136.62***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investments in Public Enterprises:**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
12.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	12.01 National Film Development Corporation	22220	2.00	3.80	5.80	2.00	3.81	5.81	1.50	4.10	5.60
12.02. संयुक्त क्षेत्र कम्पनियां	12.02 Joint Sector Companies	22220	3.97	...	3.97	1.55	...	1.55	...	...	...
12.03 ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट (इंडिया) लि.	12.03 Broadcast Engineering Consultants(India) Ltd	22220	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़	**Total**		**5.97**	**3.80**	**9.77**	**3.55**	**3.81**	**7.36**	**2.00**	**4.10**	**6.10**
ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay*:-**										
1. सूचना और प्रचार*	1. Information & Publicity *	22220	33.18	3.80	36.98	30.16	3.81	33.97	42.62	4.10	46.72

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
**Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Developement*

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**: इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

सूचना तथा प्रचार :

2. **फिल्में** : इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघु वृत्तचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है, (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय का स्थापना व्यय, (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) फिल्म महोत्सवों में पनोरमा आफ इंडियन फिल्म पर व्यय, (ङ) सिरिफोर्ट, नई दिल्ली में फिल्मोत्सव काम्पलेक्स, का अनुरक्षण (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित रखता है, (छ) राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केन्द्र को अनुदान जो बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करता है और (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान को अनुदान जो फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देता है।

1. **Secretariat-Social Services :** The provision is for expenditure of the secretariat of the Ministry.

Information and Publicity

2. **Films :** The provision under this head covers the following activities of the Ministry, viz. (a) Films Division, which disseminates information on all important aspects of the country's life to Indian and foreign audiences through news-reels, short films and documentaries; (b) Establishment expenses of Directorate of Film Festivals; (c) National Awards for Films; (d) Expenditure on Panorama of Indian Films in the Film Festivals; (e) Maintenance of Film Festival Complex at Siri Fort, New Delhi; (f) National Film Archive of India which preserves the best of national and foreign film classics; (g) Grant to National Centre of Films for Children and Young People (NCYP) which produces and distributes films for children; and (h) Grants to Film & Television Institutes of India, which impart training in the art and technique of film making.

3. **चलचित्रकला फिल्मों का प्रमाणन:** इसके अंतर्गत (i) फिल्म प्रमाणन केन्द्रीय बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपील न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था की गई है ।

4. **जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण :** इस शीर्ष के अन्तर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जो जन माध्यम में प्रशिक्षण तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग, जो मंत्रालय और उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा माध्यम एजेंसियों के लिए माध्यम रूचि के महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है ।

5. **विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार :** इसके अंतर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाहय प्रचार माध्यमों के जरिए जन अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है ।

6. **प्रेस सूचना सेवाएं :** इसके अंतर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है: (क) प्रैस सूचना ब्यूरो जो सरकार तथा प्रैस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है, (ख) भारतीय प्रैस परिषद, जो एक वैधानिक संगठन है, और जो प्रैस की स्वतत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, को अनुदान, और (ग) प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था ।

7. **क्षेत्रीय प्रचार :** इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के खर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सजीव मीडिया प्रोग्रामों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है।

8. **संगीत तथा नाटक प्रभाग :** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सजीव मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है ।

9. **प्रकाशन :** इसके अंतर्गत मंत्रालय के प्रकाशन के खर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूल्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है। प्रकाशन प्रभाग हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और उड़ीया में, 'इम्पलाएमेंट न्यूज'/'रोजगार समाचार' साप्ताहिक भी निकालता है।

10. **पी.टी.आई. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :** इसके अंतर्गत प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को इसके समाचार और अनुलिपि परियोजना के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता देने पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

11. **भवन और मशीनरी :** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) सूचना भवन, दिल्ली (ख) फिल्म डिवीजन, बम्बई के लिए बहु-मंजिली इमारत, (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एककों के लिए कार्यालय और रिहायशी क्वार्टर, (घ) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय की इमारत, (ड.) सिरिफोर्ट काम्प्लेक्स, दिल्ली में फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा एक नए छोटे-थियेटर का निर्माण (च) कलकत्ता में फिल्म और दूरदर्शन संस्थान की स्थापना-राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण, नई दिल्ली से राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र की स्थापना तथा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों की अधिप्राप्ति।

12. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** यह बजट शीर्ष राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट (इन्डिया) लिमिटेड को इक्विटी एवं ऋण द्वारा बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

13. **संयुक्त क्षेत्र कम्पनी में निवेश :** इसमें एक द्वितीय राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल के प्रचालन के लिए स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी को इक्विटी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करने तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के सहयोग से 'मेकिंग आफ ए महात्मा' फीचर फिल्म के संयुक्त निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

14. **अन्य खर्च :** इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है ।

3. **Certification of Cinematographic Films:** The provision covers expenditure on (i) Central Board of Film Certification and (ii) Film Certification Appellate Tribunal.

4. **Research and Training in Mass Communication:** The provision under this head is for (a) *Indian Institute of Mass Communication*, an autonomous body which imparts training in mass media and conducts courses in journalism, and (b) *Research and Reference Division* which collects and collates basic information on subjects of media interest for providing assistance to the Ministry and to its Media Units, Indian Missions abroad and newspapers and media agencies.

5. **Advertising & Visual Publicity** : This covers expenditure of the DAVP which plans and executes publicity campaigns through advertising and other printed materials, as well as through Radio, T. V., exhibitions and other out-door publicity media.

6. **Press Information Services:** This provides for expenditure (a) on the Press Information Bureau, which serves as a link between the Government and the Press and attends to the Publicity and Public relation requirements of various Ministries/Departments of the Government (b) Grants to Press Council of India, a statutory organisation seeking to preserve freedom of the Press, and (c) for running India's News Pool Desk of Non-aligned News Agencies Pool through Press Trust of India.

7. **Field Publicity :** This covers expenditure of the Directorate of Field Publicity and its district level field units, engaged in inter-personal, developmental communication through film shows, live media programmes, photo displays and seminars.

8. **Song and Drama Division :** Provision under this head is for the Song & Drama Division which utilises live entertainment media for creating awareness amongst the masses, particularly in rural areas, about various activities of national development through its units spread all over the country.

9. **Publications :** This provides for expenditure of the Publications Division of the Ministry which publishes priced books, journals and other printed material in English, Hindi and Regional languages on a wide variety of subjects. Publications Division also brings out the weekly 'Employment News'/ 'Rozgar Samachar' in English, Hindi, Urdu and Oriya.

10. **Interest Subsidy to P. T. I.:** This covers the expenditure involved in the grant of interest subsidy to Press Trust of India for its News and Facsimile project.

11. **Buildings & Machinery** : The provision is for capital expenditure on construction of (a) Soochna Bhawan, Delhi, (b) Multi-storeyed building of Films Division, Bombay, (c) Office and residential quarters for units of the Directorate of Field Publicity in the North-east, (d) Office building for National Film Archive of India, Pune, (e) a new mini-theatre at Siri-Fort Complex, Delhi, by the Directorate of Film Festivals (f) setting up of Film and Television Institute at Calcutta-acquisition of land and construction of building, (g) setting up of National Media Centre in New Delhi and for acquisition of equipment by Films Division, N.F.A.I., P.I.B., D.F.P. and Song & Drama Division under their modernisation programmes.

12. **Investment in Public Enterprises :** This budget head is for providing budgetary assistance to N.F.D.C and Broadcast Engineering Consultants (India) Limited by way of equity and loan.

13. **Investment in Joint Sector Company :** For providing budgetary assistance by way of equity to a Joint Sector Company proposed to be set up for operating a Second National Television Channel and also provision for a 'Joint production of feature film 'Making of a Mahatma' in collaboration with the Government of South Africa'.

14. **Other Expenditure :** The provision is for expenditure of the Photo Division, Registrar of Newspapers for India and contribution to International Programme for Development of Communication.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय *MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING*

मांग संख्या DEMAND No.55

प्रसारण सेवाएं Broadcasting Services

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts are given below:

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		10.00	321.58	331.58	10.00	333.28	343.28	20.00	345.70	365.70
पूंजी	*Capital*		*17.82*	*1.14*	*18.96*	*17.82*	*0.88*	*18.70*	*38.38*	*2.20*	*40.58*
जोड़	**Total**		**27.82**	**322.72**	**350.54**	**27.82**	**334.16**	**361.98**	**58.38**	**347.90**	**406.28**
प्रसारण	***Broadcasting***										
आकाशवाणी	**Akashvani**										
1. निदेशन और प्रशासन	1. Direction & Administration	2221	3.22	9.23	12.45	2.79	9.44	12.23	3.11	9.69	12.80
2. अनुसंधान और विकास	2. Research and Development	2221	3.51	7.70	11.21	3.24	7.89	11.13	3.19	8.22	11.41
3. परिचालन व्यय :	3. Operational Expenses:										
3.01 परिचालन और रख-रखाव	3.01 Operation & Maintenance	2221	13.41	39.22	52.63	12.68	43.63	56.31	10.86	45.90	56.76
3.02 कार्यक्रम सेवाएं	3.02 Programme Services	2221	35.39	124.99	160.38	37.28	136.76	174.04	38.85	143.43	182.28
3.03 समाचार सेवाएं	3.03 News Services	2221	0.25	11.11	11.36	0.11	16.33	16.44	0.16	16.48	16.64
3.04 विदेश सेवाएं	3.04 External Services	2221	0.03	2.68	2.71	0.01	2.89	2.90	0.01	3.14	3.15
3.05 वाणिज्यिक सेवाएं	3.05 Commercial Services	2221	0.21	17.82	18.03	0.02	18.86	18.88	0.01	21.19	21.20
3.06 अन्य व्यय	3.06 Other Expenditure	2221	0.59	2.63	3.22	0.48	7.77	8.25	0.81	6.36	7.17
जोड़-प्रचालन व्यय	**Total-Operational expenses**		**49.88**	**198.45**	**248.33**	**50.58**	**226.24**	**276.82**	**50.70**	**236.50**	**287.20**
4. विभागीय कैंटीन	4. Departmental Canteens	2221	...	0.51	0.51	...	0.60	0.60	...	0.62	0.62
5. घटाइए - प्राप्तियां	5. Less - Receipts	0221	...	-60.00	-60.00	...	-70.16	-70.16	...	-83.00	-83.00
6. निवल	6. *Net*		*49.88*	*138.96*	*188.84*	*50.58*	*156.68*	*207.26*	*50.70*	*154.12*	*204.82*
7. प्रारक्षित निधि को/से अन्तरण	7. Transfers to/from Reserve Fund										
7.01 वाणिज्यिक राजस्व निधि को अन्तरण	7.01 Transfer to Commercial Revenues Fund	2221	...	40.16	40.16	...	46.47	46.47	...	53.89	53.89
7.02 वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण	7.02 Transfer from Commercial Revenues Fund	2221	-51.61	-30.67	-82.28	-51.61	-33.58	-85.19	-47.00	-36.29	-83.29
जोड़		*Total*	*-51.61*	*9.49*	*-42.12*	*-51.61*	*12.89*	*-38.72*	*-47.00*	*17.60*	*-29.40*
8. पूंजीगत व्यय:	*8. Capital Expenditure:*										
8.01 स्टूडियो	8.01 Studios	4221	17.91	0.05	17.96	18.06	0.08	18.14	20.07	0.37	20.44
8.02 ट्रांसमीटर	8.02 Transmitters	4221	31.66	...	31.66	31.66	...	31.66	37.59	...	37.59
8.03 इमारतें उपस्कर आदि	8.03 Buildings Equipments Etc	4221	25.61	...	25.61	25.79	...	25.79	19.50	...	19.50
8.04 वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण	8.04 Transfer from Commercial Revenues Fund	4221	-70.71	...	-70.71	-70.71	...	-70.71	-63.00	...	-63.00
8.05 अन्य व्यय	8.05 Other Expenditure	4221	0.53	1.09	1.62	0.20	0.80	1.00	0.84	0.75	1.59
जोड़-पूंजीगत व्यय	***Total Capital Expenditure***		***5.00***	***1.14***	***6.14***	***5.00***	***0.88***	***5.88***	***15.00***	***1.12***	***16.12***
जोड़- आकाशवाणी	**Total Akashvani**		**10.00**	**166.52**	**176.52**	**10.00**	**187.78**	**197.78**	**25.00**	**190.75**	**215.75**
दूरदर्शन	**Doordarshan:**										
1. निदेशन और प्रशासन	1.Direction & Administration	2221	0.20	7.57	7.77	0.17	7.90	8.07	0.19	8.44	8.63
2. परिचालन व्यय	*2. Operational Expenses:*										
2.01 परिचालन और रख-रखाव	2.01 Operation & Maintenance	2221	18.95	62.23	81.18	18.95	60.08	79.03	27.61	65.76	93.37
2.02 कार्यक्रम सेवाएं	2.02 Programme Services	2221	65.72	118.26	183.98	65.78	135.89	201.67	72.16	166.88	239.04
2.03 वाणिज्यिक सेवाएं	2.03 Commercial Services	2221	...	57.26	57.26	...	57.26	57.26	...	69.30	69.30
2.04 अन्य व्यय	2.04 Other Expenditure	2221	0.05	32.92	32.97	0.04	20.77	20.81	0.04	21.97	22.01
जोड़ - परिचालन व्यय	**Total-Operational expenses**		**84.72**	**270.67**	**355.39**	**84.77**	**274.00**	**358.77**	**99.81**	**323.91**	**423.72**
3. विभागीय कैंटीन	3. Departmental Canteens	2221	0.02	0.30	0.32	...	0.29	0.29	...	0.31	0.31
4. घटाइए - प्राप्तियां	4. Less - Receipts	0221	...	-386.00	-386.00	...	-386.00	-386.00	...	-466.00	-466.00
5. निवल	5. *Net*		*84.74*	*-115.03*	*-30.29*	*84.77*	*-111.71*	*-26.94*	*99.81*	*-141.78*	*-41.97*
6. वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण	6. Transfers to/from Reserve Fund										
6.01 वाणिज्यिक राजस्व निधि को अन्तरण	6.01 Transfer to Commercial Revenues Fund	2221	...	314.46	314.46	...	312.67	312.67	...	379.07	379.07
6.02 वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण	6.02 Transfer from Commercial Revenues Fund	2221	-79.94	-50.80	-130.74	-79.94	-62.48	-142.42	-90.00	-89.66	-179.66
जोड़		*Total*	*-79.94*	*263.66*	*183.72*	*-79.94*	*250.19*	*170.25*	*-90.00*	*289.41*	*199.41*
7. पूंजीगत व्यय:	*7. Capital Expenditure:*										
7.01 स्टूडियो	7.01 Studios	4221	42.74	0.05	42.79	27.83	...	27.83	72.93	...	72.93
7.02 ट्रांसमीटर	7.02 Transmitters	4221	103.33	...	103.33	113.36	...	113.36	72.23	...	72.23
7.03 इमारतें और उपस्कर	7.03 Buildings & Equipments	4221	24.17	...	24.17	29.49	...	29.49	67.87	0.02	67.89
7.04 वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण	7.04 Transfer from Commercial Revenues Fund	4221	-158.24	-0.05	-158.29	-158.24	...	-158.24	-190.40	-0.02	-190.42
7.05 अन्य व्यय	7.05. Other Expenditure	4221	0.82	...	0.82	0.38	...	0.38	0.75	1.08	1.83
जोड़- पूंजीगत व्यय	***Total Capital Expenditure***		***12.82***	***...***	***12.82***	***12.82***	***...***	***12.82***	***23.38***	***1.08***	***24.46***
जोड़- दूरदर्शन	**Total-Doordarshan**		**17.82**	**156.20**	**174.02**	**17.82**	**146.38**	**164.20**	**33.38**	**157.15**	**190.53**
कुल जोड़	***Grand Total***		***27.82***	***322.72***	***350.54***	***27.82***	***334.16***	***361.98***	***58.38***	***347.90***	***406.28***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total
प्रसारण*	Broadcasting*	22221	27.82	360.50	388.32	27.82	360.50	388.32	58.38	390.40	448.78

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

*Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Developement.

ध्वनि प्रसारण (आकाशवाणी)

राजस्व भाग

1. **निदेशन और प्रशासन :** इसके अन्तर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय और आकाशवाणी के वेतन और लेखा कार्यालयों के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **अनुसंधान और विकास :** इस कार्य के दो भाग है:- आयोजना और विकास तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण । पहले भाग के अंतर्गत, आकाशवाणी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, जो आयोजनागत परियोजनाओं की आयोजना तैयार करने और विकास तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन संस्थापनाओं के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, द्वारा किये जाने वाले व्यय, तथा दूसरे भाग के अंतर्गत अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी व्यय की व्यवस्था है । दूसरा कार्य रेडियो और दूरदर्शन दोनों से संबंधित है ।

3.01. **परिचालन और रख-रखाव:** इसके अन्तर्गत उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के प्रचालन तथा रख-रखाव और आकाशवाणी के केन्द्रीय भंडार कार्यालय हेतु सामान और फालतू पुर्जों की इकट्ठी खरीद के लिये व्यवस्था की गई है ।

3.02. **कार्यक्रम सेवाएं:** इसके अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित व्यय और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के रोजमर्रा के कामकाज व रखरखाव के लिए आवश्यक खर्चों तथा इन केन्द्रों से संबद्ध ट्रांसमीटरों के खर्चों के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.03. **समाचार सेवाएं:** इसके अन्तर्गत समाचार सेवा प्रभाग और मानीटरिंग सेवा के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.04. **विदेश सेवाएं:** इसके अन्तर्गत समुद्र पार श्रोताओं के लिए अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में प्रसारण पर विदेश सेवा प्रभाग द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.05. **वाणिज्यिक सेवाएं:** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है । वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्र मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके प्रसारण के लिए जिम्मेदार है ।

3.06 **अन्य व्यय:** इसके अन्तर्गत (i) "श्रोता अनुसंधान" कार्यकलाप अर्थात आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रियायों को जानने से संबंधित अध्ययनों हेतु व्यय; (ii) उचन्त, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी के संयंत्रों के अनुरक्षण के लिये आवश्यक कल-पुर्जों/भंडारों संबंधी व्यय; और (iii) योजनागत बजट के समर्थन के लिए ब्याज की व्यवस्था है ।

4. **विभागीय कैंटीन :** इस शीर्ष के अन्तर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय के अन्तर्गत विभागीय कैंटीनों के व्यय को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

5. **प्राप्तियां:** प्राप्तियों के अनुमान मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रसारण से संबंधित है ।

7. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अंतरण :**

7.01. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को अंतरण :** इसमें व्यपगत न होने वाली निधि को अन्तरणीय राशि के लिए व्यवस्था की गई है।

7.02. **वाणिज्यिक राजस्व निधि से अंतरण :** इसमें कुल व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जिसे व्यपगत न होने वाली निधि से पूरा किया जाएगा।

पूंजी भाग

8.01. **स्टूडियो:** इसके अन्तर्गत, स्टूडियो, भवनों का निर्माण करने, स्टूडियो उपस्कर की खरीद और उनकी स्थापना करने के लिए व्यवस्था शामिल है ।

8.02. **ट्रांसमीटर :** इसके अन्तर्गत ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए भवनों के निर्माण, ट्रांसमीटर उपस्कर खरीदने और उसकी स्थापना करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

8.03. **भवन और उपस्कर :** इसके अन्तर्गत (i) आकाशवाणी की विविध निर्माण कार्य योजनाओं, और (ii) आकाशवाणी की प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण और संस्थापन कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्तों,

SOUND BROADCASTING (AKASHVANI)

Revenue Section

1. **Direction and Administration :** Provides for expenditure of the Directorate General, All India Radio and Pay & Accounts Offices of All India Radio.

2. **Research and Development :** The activity has two components viz., Planning and Development and Research and Training. The first component provides for the expenditure incurred by the Offices of Zonal Chief Engineers of All India Radio, who are responsible for Planning and Development of Plan projects and maintenance of AIR and TV installations, and the second component provides for the expenditure involved on research and training. The latter relates to both Radio and TV.

3.01. **Operation and Maintenance :** The provision is for meeting expenditure on the operation and maintenance of High Power Transmitters and centralised procurement and deployment of stores and spares for Radio stations through Central Stores office.

3.02 **Programme Services :** Provides for expenditure on production of programmes and on running expenditure required for day-to-day operation and maintenance of all stations of AIR, including transmitters attached to the stations.

3.03 **News Services :** Covers the expenditure of News Services Division and on the Monitoring Service.

3.04 **External Services :** Provision under this activity covers the expenditure incurred by External Services Division on broadcast in several Indian and foreign languages for overseas listeners.

3.05. **Commercial Services :** The expenditure in respect of all commercial broadcasting service centres of AIR has been provided for under this activity. The Commercial Broadcasting Services centres, are mainly responsible for preparation and broadcasting of commercial programmes.

3.06. **Other Expenditure :** Provides for (i) the activity 'Listeners Research' which covers the expenditure on studies undertaken to ascertain reaction of the audience to the various programmes broadcast by All India Radio; (ii) Suspense, which covers expenditure on purchase of spares/stores required for maintenance of All India Radio installations; and (iii) Interest on Plan budget Support.

4. **Departmental Canteens :** provision under this head is for meeting the establishment expenditure of departmental canteens under DG : AIR.

5. **Receipts :** Estimates of receipts are mainly on account of commercial broadcasting.

7. **Net transfer to/from Commercial Revenues Fund :**

7.01. **Transfer to Commercial Revenues Fund :** Provides for the amount transferable to the Non-Lapsable Fund.

7.02. **Transfer from Commercial Revenues Fund :** Provides for the total expenditure to be met from NLF.

Capital Section

8.01 **Studios:** Provision covers expenditure on construction of studios, buildings, purchase of studio equipment and its installation.

8.02 **Transmitters:** Covers expenditure on construction of buildings to house transmitters, purchase of transmitting equipment and its installation.

8.03 **Buildings and Equipments:** Provision is for (i) expenditure to be incurred on miscellaneous works schemes of All India Radio and (ii) salaries, allowances, travel expenses and other expenses of

यात्रा-भत्तों तथा अन्य खर्चों और आकाशवाणी की अन्य योजनाओं के लिये किये जाने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

8.04. **वाणिज्यिक राजस्व निधि से अंतरण:** इसके अंतर्गत, इस निधि में से खर्च किये जाने वाले पूंजीगत व्यय के लिये व्यवस्था है।

8.05 **अन्य व्यय :** इसमें निम्नलिखित पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है: (i) क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं और सिविल निर्माण विंग के कार्यालयों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले कलपुर्जो और संयंत्रों की खरीद और उनके क्षेत्रों से संबंधित अन्य तकनीकी क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय, और (ii) उन उपस्करों की खरीद करना जिनकी अदायगी की व्यवस्था इस शीर्ष के अन्तर्गत की जाती है ।

दूरदर्शन :

राजस्व भाग :

1. **निदेशन और प्रशासन :** इसके अन्तर्गत मुख्य निदेशालय और वेतन तथा लेखा कार्यालय, दूरदर्शन के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है । यह निदेशालय पूरे संगठन का नियन्त्रण करता है, भारत में दूरदर्शन सेवाओं से संबंधित नीतियां तैयार करता है तथा आयोजनागत परियोजनाओं और रूपरेखाओं को तैयार करने के लिये उत्तरदायी है ।

2.01. **प्रचालन और रखरखाव :** इसके अन्तर्गत (i) केन्द्रीय खरीद और भंडार कार्यालय के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्रों, पारेषण केन्द्रों के लिए रखरखाव सामान, भंडारों, फालतू पुर्जों और टेपों की केन्द्रीयकृत रूप से खरीद और उनके उपयोग से संबंधित व्यय और (ii) कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्रों से जुड़े दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों के अतिरिक्त, के प्रचालन और रख-रखाव के लिये व्यवस्था की गई है ।

2.02. **कार्यक्रम सेवाएं :** इसके अन्तर्गत दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करने संबंधी कार्यों हेतु विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्रों द्वारा व्यय तथा इन केन्द्रों से संबद्ध स्टूडियो और ट्रांसमीटरों आदि के परिचालन और रख-रखाव संबंधी व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2.03. **वाणिज्यिक सेवाएं :** इसके अन्तर्गत दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवाओं और विज्ञापन एजेंसियों को कमीशन का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है ।

2.04. **अन्य व्यय :** इसके अन्तर्गत, (i) विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया का सुनिश्चयन करने के लिए अध्ययनों सहित "श्रोता अनुसंधान" के लिए, (ii) अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त कल-पुर्जों/भंडारों की खरीद के लिए अपेक्षित उचन्त व्यवस्था पर व्यय के लिए; और (iii) योजनागत बजट के समर्थन के लिए ब्याज का प्रावधान किया गया है।

3. **विभागीय कैंटीन :** इस शीर्ष के अन्तर्गत दूरदर्शन के अधीन विभागीय कैंटीनों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

4. **प्राप्तियां :** इन प्राप्तियों के अनुमान मुख्य रूप से दूरदर्शन पर वाणिज्यिक कार्यक्रमों से संबंधित हैं ।

6. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण :**

6.01. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को अन्तरण :** इसमें व्यपगत न होने वाली निधि को अन्तरित की जाने वाली राशि के लिए व्यवस्था की गई है।

6.02. **वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण :** इसमें इस निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है ।

पूंजी भाग

7.01. **स्टूडियो :** इसके अन्तर्गत दूरदर्शन स्टूडियो, भवनों के निर्माण, दूरदर्शन स्टूडियो उपस्कर की खरीद तथा उनकी स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है ।

7.02. **ट्रांसमीटर :** इसके अन्तर्गत दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को रखने के लिए भवन निर्माण, ट्रांसमीटिंग उपस्कर की खरीद और उनकी स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है ।

7.03. **भवन और उपस्कर :** इसमें (i) दूरदर्शन के विविध निर्माण कार्य योजनाओं के लिए अपेक्षित व्यय और (ii) स्थापना व्यय जैसे कि स्टाफ का वेतन, भत्ते, यात्रा व्यय और "अन्य व्यय" जो पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण/संस्थापन कार्य पर मात्र नियोजित स्टाफ के लिए है, व्यवस्था की गई है ।

7.04. **वाणिज्यिक राजस्व निधि से अन्तरण :** इसमें इस निधि में से होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

7.05. **अन्य व्यय :** इसमें निम्नलिखित पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है :- (i) आकाशवाणी के क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियरों के कार्यालयों की स्थापना के लिए कल पुर्जों और यन्त्रों की खरीद व अन्य तकनीकी कार्यकलापों से संबंधित व्यय, ये कार्यालय दूरदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और दूरदर्शन प्रतिस्थापनों के रख-रखाव का काम करते हैं; और (ii) भण्डार सामग्री और उपस्कर की खरीद करना, जिसके लिए अदायगियां इस शीर्ष के अन्तर्गत की जाती हैं ।

installation staff employed in construction and installation of capital projects and on other schemes of All India Radio.

8.04 **Transfer from Commercial Revenues Fund:** Provides for the Capital expenditure to be met from this fund.

8.05 **Other Expenditure:** Provides for expenditure to be incurred on (i) purchase of tools and plants by offices of Zonal Chief Engineers and Civil Construction Wing for installation and other technical activities pertaining to their zones and (ii) purchase of equipments for which payments are made under this head .

DOORDARSHAN :

Revenue Section :

1. **Direction & Administration:** Covers expenditure on main Directorate and Pay and Accounts Office, Doordarshan. The Directorate controls the organisation as a whole, formulates policies in relation to television services in India and is responsible for formulation of Plan Projects, designs etc.

2.01. **Operation and Maintenance:** Covers expenditure on (i) centralised procurement and deployment of maintenance stores/spares and tapes for Doordarshan Kendras and Transmitting Centres through Central Purchase and Store Office and (ii) operation and maintenance of relay TV transmitter, other than those attached with Programme Production Centres.

2.02. **Programme Services:** Provides for expenditure incurred by various Programme Producing Kendras/Centres in connection with programme production activities of Doordarshan and includes expenditure on operation and maintenance of studios and transmitters attached to those Kendras/Centres.

2.03. **Commercial Services:** Expenditure on TV commercial services and payment of commission to advertising agencies is provided here.

2.04. **Other Expenditure:** Provision is made for (i) 'Listeners Research' including studies to ascertain reaction of audience to various programmes; (ii) Suspense provision required for purchase of spares/stores for maintenance purposes; and (iii) Interest on Plan budget Support.

3. **Departmental Canteens** : Provision under this head is for meeting establishment expenditure of departmental canteens under Doordarshan.

4. **Receipts:** Estimates of receipts are mainly on account of commercials over Television.

6. **Net transfer to/from Commercial Revenues Fund:**

6.01. **Transfer to Commercial Revenues Fund:** Provides for the amount transferable to Non-lapsable Fund.

6.02. **Transfer from Commercial Revenues Fund:** Provides for the expenditure to be met from this fund.

Capital Section

7.01. **Studios**: Covers expenditure on construction of TV studios, buildings, purchase of TV studio equipment and its installation.

7.02. **Transmitters**: Covers expenditure on construction of building to house the TV transmitters, purchase of transmitting equipment and its installations.

7.03. **Building and Equipment:** Provides for (i) expenditure required for Miscellaneous Works Schemes of Doordarshan and (ii) establishment expenditure like salaries, allowances, travel expenses and other expenditure on the staff exclusively deployed on construction/installation of capital projects.

7.04. **Transfer from Commercial Revenues Fund**: Provides for expenditure on capital account to be met from this fund.

7.05. **Other Expenditure**: Provides for expenditure required to be incurred on (i) purchase of tools and instruments for installation and other technical activities of offices of Zonal Chief Engineers of AIR which look after bringing up of TV projects and maintenance of TV installations and (ii) Purchase of stores materials and equipment for which payments are made under this head.

श्रम मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR

मांग संख्या DEMAND No. 56

श्रम मंत्रालय Ministry Of Labour

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है :
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		111.00	420.20	531.20	94.45	422.80	517.25	114.04	416.76	530.80
पूंजी	Capital		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**111.00**	**420.20**	**531.20**	**94.45**	**422.80**	**517.25**	**114.04**	**416.76**	**530.80**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	...	5.42	5.42	...	5.00	5.00	...	5.40	5.40
श्रम और रोजगार	***Labour And Employment***										
श्रम	**Labour**										
2. अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2. Research and Statistics	2230	5.79	2.22	8.01	5.79	2.22	8.01	6.46	2.10	8.56
3. औद्योगिक संबंध	3. Industrial Relations	2230	2.59	7.29	9.88	2.59	7.48	10.07	2.84	7.15	9.99
4. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	4. Working Conditions and Safety	2230	2.46	10.79	13.25	2.78	10.79	13.57	4.36	10.65	15.01
5. श्रमिक कल्याण योजनाएं	5. Labour Welfare Schemes	2230	...	29.47	29.47	...	30.80	30.80	...	30.80	30.80
		3601	...	4.45	4.45	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50
		4250	...	0.21	0.21	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
		6250	...	0.77	0.77	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90
जोड़		*Total*	...	*34.90*	*34.90*	...	*37.40*	*37.40*	...	*37.40*	*37.40*
6. श्रम कल्याण निधियों में / से निवल अन्तरण	*6. Net Transfer to/from Labour Welfare Funds*										
6.01 बीड़ी कामगार कल्याण कोष	6.01 Beedi Workers Welfare Fund										
तक	To	2230	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00
से	From	2230	...	-15.61	-15.61	...	-16.50	-16.50	...	-16.50	-16.50
		3601	...	-4.45	-4.45	...	-5.50	-5.50	...	-5.50	-5.50
		4250	...	-0.21	-0.21	...	-0.20	-0.20	...	-0.20	-0.20
		6250	...	-0.58	-0.58	...	-0.71	-0.71	...	-0.71	-0.71
निवल		*Net*	...	*-2.85*	*-2.85*	...	*-4.91*	*-4.91*	...	*-4.91*	*-4.91*
6.02 अभ्रक खनन श्रम कल्याण कोष	6.02 Mica Mines Labour Welfare Fund										
तक	To	2230	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
से	From	2230	...	-2.00	-2.00	...	-2.10	-2.10	...	-2.10	-2.10
		6250	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...
निवल		*Net*	...	*-0.01*	*-0.01*	...	*-0.10*	*-0.10*	...	*-0.10*	*-0.10*
6.03 लौह अयस्क खान मैंगनीज अयस्क खान क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण कोष	6.03 Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund										
तक	To	2230	...	7.50	7.50	...	10.00	10.00	...	10.50	10.50
से	From	2230	...	-7.13	-7.13	...	-7.20	-7.20	...	-7.20	-7.20
		6250	...	-0.04	-0.04	...	-0.05	-0.05	...	-0.05	-0.05
निवल		*Net*	...	*0.33*	*0.33*	...	*2.75*	*2.75*	...	*3.25*	*3.25*
6.04 चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण कोष	6.04 Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund										
तक	To	2230	...	7.30	7.30	...	7.30	7.30	...	6.80	6.80
से	From	2230	...	-4.66	-4.66	...	-4.90	-4.90	...	-4.90	-4.90
		6250	...	-0.14	-0.14	...	-0.14	-0.14	...	-0.14	-0.14
निवल		*Net*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.26*	*2.26*	...	*1.76*	*1.76*
6.05 सिने कामगार कल्याण निधि	6.05 Cine Workers Welfare Fund										
तक	To	2230	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
से	From	2230	...	-0.07	-0.07	...	-0.10	-0.10	...	-0.10	-0.10
निवल		*Net*	...	*0.03*	*0.03*	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*0.00*	*0.00*	...	...	...	...	...	...
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	**Social Security for Labour**										
7. कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971	7. Employees Family Pension Scheme, 1971	2230	...	291.50	291.50	...	291.00	291.00	...	290.00	290.00
8. औद्योगिक कामगारों के लिए जमा सबद्ध बीमा योजना	8. Deposit Linked Insurance Scheme for Industrial Workers	2230	...	31.70	31.70	...	32.00	32.00	...	31.00	31.00
9. असम में बागान कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन एवं-जीवन बीमा योजना और जमा संबद्ध बीमा योजना असम में चाय बागान कामगारों के लिए	9. Family Pension-cum-Life Insurance Scheme for Plantation Workers in Assam and Deposit link Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam	2230	...	4.90	4.90	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	**Total- Social Security for Labour**		...	**328.10**	**328.10**	...	**328.00**	**328.00**	...	**326.00**	**326.00**
श्रमिक शिक्षा	**Labour Education**										
10. केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड	10. Central Board for Workers Education	2230	2.01	6.28	8.29	2.18	6.13	8.31	2.07	6.27	8.34
11. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	11. National Labour Institute	2230	1.85	0.72	2.57	1.85	0.65	2.50	1.16	0.69	1.85
कुल-श्रम शिक्षा	**Total - Labour Education**		**3.86**	**7.00**	**10.86**	**4.03**	**6.78**	**10.81**	**3.23**	**6.96**	**10.19**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
12. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	12. Rehabilitation of Bonded Labour	2230	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.03	...	0.03
		3601	2.23	...	2.23	2.49	...	2.49	2.47	...	2.47
जोड़		*Total*	*2.24*	...	*2.24*	*2.50*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.50*
13. बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार	13. Improvement in Working conditions of Child\ Women Labour	2230	4.55	...	4.55	4.61	...	4.61	34.90	...	34.90
14. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	14. International Cooperation	2230	...	3.03	3.03	...	3.08	3.08	...	3.00	3.00
15. अन्य मदें	15. Other items	2230	0.03	0.95	0.98	0.02	5.05	5.07	0.34	0.70	1.04
		3601	0.15	...	0.15	0.16	...	0.16	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*0.18*	*0.95*	*1.13*	*0.18*	*5.05*	*5.23*	*0.35*	*0.70*	*1.05*
जोड़ - श्रम	**Total - Labour**		**21.67**	**394.28**	**415.95**	**22.48**	**400.80**	**423.28**	**54.64**	**393.96**	**448.60**
रोजगार और प्रशिक्षण	**Employment and Training**										
16. रोजगार	16. Employment	2230	1.01	6.90	7.91	1.01	6.00	7.01	1.09	6.10	7.19
		3601	1.11	...	1.11	1.11	...	1.11	1.12	...	1.12
जोड़		*Total*	*2.12*	*6.90*	*9.02*	*2.12*	*6.00*	*8.12*	*2.21*	*6.10*	*8.31*
17. प्रशिक्षण	*17. Training*										
17.01 उपस्कर आधुनिकीकरण स्कीम	17.01 Equipment Modernisation Scheme	2230	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
		3601	35.00	...	35.00	23.77	...	23.77	20.00	...	20.00
		3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*35.55*	...	*35.55*	*24.32*	...	*24.32*	*20.60*	...	*20.60*
17.02 आई.टी.आई में नए व्यवसाय	17.02 New Trades in I.T.I s	2230	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
		3601	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00	3.30	...	3.30
		3602	0.37	...	0.37	0.37	...	0.37	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*8.44*	...	*8.44*	*6.44*	...	*6.44*	*3.67*	...	*3.67*
17.03 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/महिलाओं के लिए स्कन्ध	17.03 New I.T.I s\Wings for Women	3601	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50
17.04 उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	17.04 Hi-Tech Training	2230	6.48	...	6.48	6.48	...	6.48	2.50	...	2.50
		3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*8.48*	...	*8.48*	*8.48*	...	*8.48*	*3.00*	...	*3.00*
17.05 अन्य स्कीमें	17.05 Other Schemes	2230	15.44	12.90	28.34	14.44	10.30	24.74	16.28	10.60	26.88
		3601	12.50	...	12.50	9.50	...	9.50	7.20	...	7.20
		3602	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98	0.60	...	0.60
जोड़		*Total*	*28.92*	*12.90*	*41.82*	*24.92*	*10.30*	*35.22*	*24.08*	*10.60*	*34.68*
जोड़-प्रशिक्षण	**Total - Training**		**86.89**	**12.90**	**99.79**	**69.66**	**10.30**	**79.96**	**56.85**	**10.60**	**67.45**
18. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरित व्यय	*18. Expenditure met from National Renewal Fund*										
18.01 विवेकपूर्ण श्रम को परामर्श और पुनः प्रशिक्षण	18.01 Counselling and Retraining of rationalised Labour	2230	0.40	...	0.40	0.11	...	0.11	...	...	...
		3601	1.03	...	1.03	0.26	...	0.26	...	...	...
		3602	0.07	...	0.07	0.02	...	0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.50*	...	*1.50*	*0.39*	...	*0.39*	...	...	...
18.02 राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरित व्यय-घटाइए	18.02 Deduct expenditure met from NRF	2230	-0.40	...	-0.40	-0.11	...	-0.11	...	...	...
		3601	-1.03	...	-1.03	-0.26	...	-0.26	...	...	...
		3602	-0.07	...	-0.07	-0.02	...	-0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	*-1.50*	...	*-1.50*	*-0.39*	...	*-0.39*	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण	**Total - Employment and Training**		**89.01**	**19.80**	**108.81**	**71.78**	**16.30**	**88.08**	**59.06**	**16.70**	**75.76**
जोड़-श्रम और रोजगार	**Total - Labour and Employment**		**110.68**	**414.08**	**524.76**	**94.26**	**417.10**	**511.36**	**113.70**	**410.66**	**524.36**
19. अनु.जा.,अनु. जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	19. Welfare of SC , STand other Backward Classes	2225	0.32	0.70	1.02	0.19	0.70	0.89	0.34	0.70	1.04
20. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	20. Aid Material & Equipments - Gross	3606	...	0.50	0.50	...	0.34	0.34	...	0.70	0.70
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*Deduct - Transfer to Functional Major Heads*	*3606*	...	*-0.50*	*-0.50*	...	*-0.34*	*-0.34*	...	*-0.70*	*-0.70*
सहायता सामग्री और उपस्कर *निवल*	Aid Material & Equipments	*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***111.00***	***420.20***	***531.20***	***94.45***	***422.80***	***517.25***	***114.04***	***416.76***	***530.80***

ग. आयोजना परिव्यय* **C. Plan Outlay***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. श्रम और रोजगार	1. Labour and Employment	22230	125.68	...	125.68	99.86	...	99.86	135.66	...	135.66
2. अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2. Welfare of SC, ST& other Backward Classes	22225	0.32	...	0.32	0.19	...	0.19	0.34	...	0.34
जोड़		*Total*	126.00	...	126.00	100.05	...	100.05	136.00	...	136.00

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की माग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

** Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

मांग संख्या 79	Demand No. 80	4.60	...	4.60	1.26	...	1.26	5.40	...	5.40
मांग संख्या 80	Demand No. 81	10.40	...	10.40	4.34	...	4.34	16.56	...	16.56
जोड़	Total	**15.00**	...	**15.00**	**5.60**	...	**5.60**	**21.96**	...	**21.96**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** - इसके अन्तर्गत मंत्रालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **अनुसंधान एवं सांख्यिकी** - इसके अन्तर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण करने और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है।

3. **औद्योगिक संबंध** - इसके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों को सुधारने, श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिये काम की अन्य शर्तों व मजदूरी को नियमित करने के संबंध में निर्धारित आचार संहिता वाले समझौते, पंचाटों, श्रम कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने से संबंधित खर्च।

4. **कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा** - इसके अंतर्गत फैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रमिक संस्थाओं के लिए व्यवस्था है जो गोदी कामगारों और फैक्टरी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए भी व्यवस्था की गई है जो कि कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।

5. **श्रमिक कल्याण योजनाएं** - इसके अंतर्गत बीड़ी कामगारों, अभ्रक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खान के कामगारों को छोड़कर) चूने और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिनेमा कामगार कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के तहत लगाए गए और वसूल किए गए उपकरों से पूरा किया जाता है, जिन्हें सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

6. **श्रम कल्याण निधियों को / से निवल अंतरण** - यह विभिन्न कल्याण निधियों को उन करों की अंतरित राशि और इन निधियों में से किये गये कल्याण व्यय के अंतर को दर्शाता है।

7. **कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971** - इस योजना में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों के लिए व्यवस्था की गई है। यह अनिवार्यतः सभी बीमा लाभभोगियों पर लागू होती है। यह उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो पहली मार्च, 1971 को तथा उसके पश्चात् भविष्य निधि के सदस्य बने है और यह उन सब लोगों के लिए वैकल्पिक होगा जो उस तारीख से पहले भविष्य निधि के सदस्य बने है। इस योजना का वित्तपोषण कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में किए गए अंशदान में से उनके वेतन के $1\text{-}^1/_6$ प्रतिशत भाग को लेकर किया जाता है और निधि सदस्यों के वेतन के $1\text{-}^1/_6$ प्रतिशत पर इतना ही भविष्य निधि अंशदानों में नियोजक के भाग से लिया जाता है। इस व्यवस्था से योजना में केन्द्रीय सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति का वित्तपोषण होता है।

8. **औद्योगिक कामगारों के लिए जमा से जुड़ी हुई बीमा योजना** - यह प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए जमा से जुड़ी योजना, 1976 में केन्द्रीय सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

9. **असम में बागान कामगारों के लिए कर्मचारी परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना** - यह योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान द्वारा नियमित किए जाते हैं। इन पर भविष्य निधि और परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सयोंजन बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में योजना के लिए केन्द्र सरकार के योगदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

10. **केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड** - भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है।

1. **Secretariat - Social Services** - Provides for expenditure on secretariat of the Ministry.

2. **Research & Statistics** - Provides for collection and publication of statistics, conducting enquiries, surveys and research studies on various labour subjects.

3. **Industrial Relations** - Provides for expenditure incurred in connection with promotion of harmonious industrial relations and speedy implementation of labour laws, awards and agreements, laying down code of discipline etc. for improving industrial relations to regulate wages and other conditions of work and for conducting evaluatory studies of implementation of labour laws, industrial relations, personnel policies and practices etc. in public sector undertakings.

4. **Working Conditions and Safety** - Provides for Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes which together are responsible for the safety, health and welfare of the dock workers and factory workers. Provision is also included for Directorate General of Mines Safety, who is responsible for the safety, health and working conditions of workers in coal and non-coal mines and oil fields.

5. **Labour Welfare Schemes** - Provides for schemes for welfare of Beedi Workers, labour working in Mica Mines, Iron, chrome, Manganese Ore Mines (excluding coal mines workers) Limestone and Dolomite Mines workers and Cine Workers. Expenditure is met out of cesses levied and collected under the respective Labour Welfare Acts, which are transferred to Reserve Funds in the Public Account.

6. **Net Transfer to/from Labour Welfare Funds** - Represents the difference between the transfer proceeds of cesses to various Labour Welfare Funds and the welfare expenditure met from these Funds.

7. **Employees Family Pension Scheme, 1971** - The scheme, under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, provides for family pension and life assurance benefits. It is compulsorily applicable to all assurance benefits. It is compulsorily applicable to all employees who have become members of the Provident Fund on or after 1st March 1971 but is optional for those who had become members of the Provident Fund prior to that date. The scheme is financed by diverting 1-1/6 per cent of the pay of the employees from out of their share of contribution towards the Provident Fund, with an equal amount from the employers share of Provident Fund contributions at 1-1/6 per cent of the pay of the members of the Fund. The provision caters for Central Government's contribution to the Scheme as also for the reimbursement of administrative charges.

8. **Deposit Linked Insurance Scheme for Industrial Workers** - The provision represents Central Government's contribution to the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, as also the provision for reimbursement of administrative charges.

9. **Employees Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for Plantation Workers in Assam** - This scheme is administered through the State Government of Assam in respect of plantation workers in Assam, who are governed by the Assam Tea Plantation Provident Fund and Family Pension and Employees Deposit Linked Insurance Act administered by the Government of Assam. The provision caters for Central Government's contribution to the Scheme as also for the reimbursement of administrative charges.

10. **Central Board for Workers Education** - Central Board for Workers Education set up as a tripartite society by the Government of India in 1958 undertakes Workers Education activities in pursuance of the recommendations of the Fifteenth Indian Labour Conference held in 1957.

11. **राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान** - 1972 में स्थापित राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो अनुसंधान सहित कार्य अनसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि का कार्य करता है।

12. **बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास** - यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जो कि राज्यों /स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुर्नवास से संबधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना** - इसके अन्तर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबन्धित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

14. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** - अन्तराष्ट्रीय सहयोग के कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक चंदे की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्द्धन संबधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

15. **अन्य मदें** - (1) ग्रामीण श्रमिकों का कल्याण - इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिकों को स्वयं को संगठित करने और उनके कल्याण के लिए बनाये गये कानूनों के बारे में उनको जानकारी देने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) अप्रवासी श्रमिकों का कल्याण - विदेशों में रोजगार की भर्ती को विनियमित करने, कार्य और रहन-सहन सम्बन्धी उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा भर्ती करने वाले एजेंटों के अनाचारों पर रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना।

(3) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कर्मचारियों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(4) गुट-निरपेक्ष एवं विकासशील देशों के श्रम-मंत्रियों के पांचवे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना।

(5) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान।

16. **रोजगार** - इस योजना में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्ग दर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रोजगार सेवाएं शामिल है।

17. **प्रशिक्षण**

17.01 **उपस्कर आधुनिकीकरण स्कीम** - यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम है। इस स्कीम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुराने और अनुपयोगी उपस्करों के प्रतिस्थापन और पुनर्सज्जीकरण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वित्तपोषण के 50 : 50 के पैटर्न पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

17.02 **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय** - यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम है। यह स्कीम का उद्देश्य उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए व्यवसायों को लागू करके विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करना है। इस स्कीम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वित्तपोषण के 50 : 50 के पैटर्न पर कार्यान्वित किया जाएगा।

17.03 **नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/महिलाओं के लिए स्कन्ध** - यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम है। इस स्कीम में चरण बद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/स्कन्ध स्थापित करने की कल्पना की गई है। इस स्कीम को 50 : 50 के वित्तपोषण के पैटर्न पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

17.04 **उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण** - यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य परिचालन और अनुरक्षण, दोनों ही क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को विकसित करना है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है।

17.05 **अन्य स्कीमें** - इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के लिए व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

11. **National Labour Institute** - National Labour Institute established in 1972 is an autonomous body under the Societies Registration Act for carrying out research including action research, education and training, consultancy, publication etc.

12. **Rehabilitation of Bonded Labour** - This is a centrally sponsored plan scheme drawn up to assist the States/Voluntary Agencies in their programmes for rehabilitation of bonded labourers.

13. **Improvement in working conditions of child/women labour** - Provides for the formulation, coordination and implementation of policies and programmes concerning the welfare of child/women labour.

14. **International Co-operation** - International Co-operation includes payment of annual subscription to International Labour Organisation (ILO), International Social Security Association and funds for providing accommodation and infrastructural facilities to the Regional Office of ILO and Asian Regional Team for Employment Promotion.

15. **Other Items** - (1) Welfare of rural workers - The scheme aims at motivating the rural workers to organise themselves and to give them knowledge about the laws enacted for their welfare.

(2) Welfare of emigrant Labour - Setting up of regional offices for regulation of recruitment for employment abroad, to ensure reasonable working and living conditions and to curb malpractices of the recruiting agents.

(3) Strengthening of Enforcement Machinery and payment of Pension/compensation to workers and civilians for injuries sustained during war.

(4) Holding of V International Conference of Labour Ministers of Non-Aligned and developing countries.

(5) Grants-in-aid to Research/Academic Institutions, etc.

16. **Employment** - The employment schemes mainly cover employment market information programme, vocational guidance and employment counselling, employment assistance to certain selected category through Coaching-cum-Guidance Centres, Vocational Rehabilitation centres for handicapped and also research and training employment services.

17. **Training**

17.01 **Equipment Modernisation Scheme** - This is a World Bank - assisted scheme. The scheme envisages replacement and refurbishing of old and obsolete equipment in ITIs in States/UTs. The scheme is being implemented as a Centrally Sponsored Scheme on 50 : 50 pattern of funding.

17.02 **New Trades in ITIs** - This is a World Bank - assisted scheme. The scheme is intended to cater for expansion of the existing ITIs by introducing new trades to meet the demands for present and future requirements of the industries. The scheme is to be implemented in States/UTs as a Centrally Sponsored Scheme on 50 : 50 pattern of funding.

17.03 **New ITIs/Wings for Women** - This is a World Bank - assisted scheme. The scheme envisages establishment of new ITIs/Wings for Women in different States in a phased manner. The scheme is being implemented in States as a Centrally Sponsored Scheme on 50 : 50 pattern of funding.

17.04 **Hi-Tech Training** - This is a World Bank - assisted scheme. The Scheme is aimed at developing new generation of workers for the High-Tech disciplines-both in operation and maintenance. This is a Central Sector Scheme.

17.05 **Other Schemes** - Provides for the Director General of Employment & Training, which is the apex organisation in India responsible for the development of programmes relating to the employment service and vocational training. In addition, a number of minor schemes relating to training and employment are being implemented by the Director General of Employment & Training of the Ministry of Labour.

18. **राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरित व्यय -** इसमें कुशल श्रमिकों के लिए पुनःप्रशिक्षण-योजना की व्यवस्था की गई है जिसे राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाता है। इसमें 1995-96 के बजट अनुमान के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाने वाले व्यय के लिए औद्योगिक विकास विभाग की मांग सं. 50 के अन्तर्गत केन्द्रित करके एक मुश्त राशि की व्यवस्था की गयी है। इसमें से अन्य मंत्रालयों/विभागों को आवंटन के बारे में वर्ष के दौरान निर्णय लिया जायेगा जिसेक बाद जहां आवश्यक होगा वहां पूरक अनुदान अथवा अन्यथा के माध्यम से अलग-अलग अनुदानों के रूप में व्यय की व्यवस्था की जायेगी।

19. **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण** : इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ. जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अ. जा./अ. ज. जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

20. **सहायता सामग्री और उपस्कर** इसक अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए जर्मनी से सहायता की व्यवस्था है (i) केन्द्रीय सूचना माध्यम संस्थान, मद्रास और (ii) फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, जो जर्मनी की सहायता से क्रमशः 1986 और 1971 में स्थापित हुई थीं। मद्रास के अग्रेत्तर प्रशिक्षण संस्थान में संख्यात्मक नियंत्रक/कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रशिक्षण सविधाओं की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता और जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक पाठ्यक्रम अध्ययन के एक अनिवार्य भाग के रूप में जनसंख्या शिक्षा को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता भी इसमें शामिल है।

18. **Expenditure met from National Renewal Fund** - Provides for the scheme for retraining of rationalised labour which is met from the National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE '95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No. 50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

19. **Welfare of SC/ST** - The scheme includes Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST to provide confidence building training programmes and vocational guidance for candidates belonging to that category. These Coaching - cum - Guidance Centres have been involved in pre-recruitment training courses for various nationalised banks and agencies. Another scheme to impart refresher training to SC/ST candidates registered with the employment exchanges has also been introduced in some Coaching - cum- Guidance Centres. With a view to secure adequate representation in various central Government departments, special coaching is being imparted to SC/ST applicants for competitive examinations.

20. **Aid Material and Equipment** - Provides for aid from Germany for (i) Central Instructional Media Institute (CIMI), Madras and (ii) Foreman Training Institute, Bangalore which were set up with the assistance from Germany in 1986 and 1971, respectively. Assistance from United Nations Development Programme (UNDP) for establishing Numerically Controlled/Computerised Numerically Controlled (NC/CNC) training facilities at Advanced Training Institutes at Madras as also assistance from United Nations Fund for Population Activity (UNFPA) for introduction of Population Education as an integral part of social study curriculum under vocational training programme are also included.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No. 57
विधि और न्याय Law and Justice

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		50.00	76.36	126.36	49.55	302.45	352.00	50.00	301.62	351.62
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**50.00**	**76.36**	**126.36**	**49.55**	**302.45**	**352.00**	**50.00**	**301.62**	**351.62**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	*1. Secretariat-General Services*										
1.01 विधि कार्य विभाग	1.01 Department of Legal Affairs	2052	...	4.88	4.88	...	4.88	4.88	...	5.37	5.37
1.02 विधायी विभाग	1.02 Legislative Department	2052	...	1.83	1.83	...	1.83	1.83	...	2.00	2.00
1.03 न्याय विभाग	1.03 Department of Justice	2052	...	0.32	0.32	...	0.40	0.40	...	0.32	0.32
1.04 अन्य	1.04 Others	2052	...	2.12	2.12	...	2.20	2.20	...	2.42	2.42
जोड़ - सचिवालय	**Total-Secretariat**		...	**9.15**	**9.15**	...	**9.31**	**9.31**	...	**10.11**	**10.11**
2. निर्वाचन	*2. Elections*										
2.01 मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में	2.01 Issue of Photo Identity Cards to Voters	2015	...	0.01	0.01	...	225.01	225.01	...	225.00	225.00
2.02 निर्वाचन के संबंध में अन्य व्यय	2.02 Other expenditure on Elections	2015	...	58.75	58.75	...	58.75	58.75	...	56.70	56.70
जोड़		*Total*	...	*58.76*	*58.76*	...	*283.76*	*283.76*	...	*281.70*	*281.70*
3. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण न्याय प्रशासन	3. Income Tax Appellate Tribunal Administration of Justice	2020	...	4.54	4.54	...	5.34	5.34	...	5.35	5.35
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	2014	...	2.44	2.44	...	2.44	2.44	...	2.70	2.70
5. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	5. National Judicial Academy	2014	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	1.50	...	1.50
जोड़ - न्याय प्रशासन	**Total-Administration of Justice**		**0.50**	**2.44**	**2.94**	**0.05**	**2.44**	**2.49**	**1.50**	**2.70**	**4.20**
6. न्यायपालिका के लिए आधार-ढांचा संबंधी सुविधाएं	6. Infrastructural Facilities for the Judiciary	3601	49.50	...	49.50	49.50	...	49.50	48.50	...	48.50
		7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7. Other Administrative Services	2070	...	1.47	1.47	...	1.60	1.60	...	1.76	1.76
कुल जोड़	***Grand Total***		***50.00***	***76.36***	***126.36***	***49.55***	***302.45***	***352.00***	***50.00***	***301.62***	***351.62***
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. न्याय प्रशासन	1. Administration of Justice	32014	50.00	...	50.00	49.55	...	49.55	50.00	...	50.00

1. **सचिवालय - सामान्य सेवाएं** - इसके अन्तर्गत सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है। अन्यों के अन्तर्गत राजभाषा खंड जो केन्द्रीय अधिनियमों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनकी छपाई के लिए जिम्मेदार है, के साथ-साथ केन्द्रीय अभिकरण सभाग के लिए की गई व्यवस्था सम्मिलित है, जो केन्द्रीय अभिकरण योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2. **निर्वाचन** -

2.01 देशभर में मतदाताओं को फोटो-पहचान पत्र जारी करने के निर्णय के आधार पर 1 लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था को सं. अ. 1994-95 में बढ़ाकर 225.01 करोड़ रुपए और भारत-सरकार के अंश की राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति करने के लिए ब.अ. 1995-96 में 225.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

2.02 इसमें संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों आदि के लिए निर्वाचन का संचालन करने के लिए व्यवस्था की गई है और इसमें निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने तथा उनकी छपाई की लागत शामिल है।

3. **आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण** - आयकर अपीलीय न्यायधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों, आयकर निदेशकों, आयकर आयुक्तों (अपील) और आयकर उपायुक्तों (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर - अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

1. **Secretariat - General Services** - Provides for secretariat expenditure of three Departments. Others include provision for Official Languages Wing responsible for translation and printing of Central Acts into Hindi and other Regional Languages as well as the Central Agency Section which is responsible for conduct of cases in the Supreme Court on behalf of the Central and State Governments participating in the Scheme of the Central Agency.

2. **Elections** -

2.01 Based on the decision to issue Photo Identity Cards to voters across the country, the token provision of Rs. 1 lakh has been raised to Rs. 225.01 crore in RE 1994-95 and Rs. 225.00 crore in BE 1995-96 for re-imbursement of Government of India's share to States/UT Governments.

2.02 Provision is for the conduct of elections to Parliament, State/Union Territory legislatures etc.; it also includes cost of preparation and printing of the electoral rolls.

3. **Income Tax Appellate Tribunal** - The Income Tax Appellate Tribunal has been set up under the provisions of the Income Tax Act, 1961 to hear appeals against the decisions and orders of the Chief Commissioners of Income Tax, Directors General of Income Tax, Commissioners of Income Tax, Directors of Income Tax, Commissioners of Income Tax (Appeals) and Deputy Commissioners of Income Tax (Appeals).

4. **अन्य व्यय** - यह व्यवस्था विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए और निर्धनों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए की गई है।

5. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी** - न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में 17 अगस्त, 1993 से एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई है। 1994-95 के वित्तीय-वर्ष के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी हेतु 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसे निधियों की आवश्ययकता के आधार पर 1994-95 के संशोधित अनुमानों में घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। तथापि, 1995-96 के बजट अनुमानों में 150 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

6. **न्यायपालिका हेतु आधार-ढांचा संबंधी सुविधाएं** —यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीम है। इस योजना के संबंध में होने वाला व्यय 50 : 50 अनुपात के आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है।

7. **अन्य प्रशासनिक सेवाएं** - इसके अन्तर्गत विधि आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

4. **Other Expenditure** - Provision is for Law Officers, Legal Advisers and Counsels and legal aid to the poor.

5. **National Judicial Academy** - A National Judicial Academy has been set up with effect from 17th August, 1993, as a registered society, for imparting training to Judicial officers. For the financial year 1994-95, an amount of Rs. 50 lakhs had been allocated for the National Judicial Academy which has been reduced to Rs. 5 lakhs in the Revised Estimates 1994-95 based on the requirement of funds. However, a sum of Rs. 150 lakhs has been provided for in the Budget Estimates 1995-96.

6. **Infrastructural facilities for the judiciary** - This is a Centrally sponsored Plan scheme being implemented with the State Governments. Expenditure on the Scheme is shared by the Central and State Governments concerned on a 50:50 basis.

7. **Other Administrative Services** - Provision is for Law Commission, International Law Association and for publication of law books and journals in Hindi by Vidhi Sahitya Prakashan.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No.58
निर्वाचन आयोग Election Commission

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	2.49	2.49	...	3.24	3.24	...	3.29	3.29
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ Total		**...**	**2.49**	**2.49**	**...**	**3.24**	**3.24**	**...**	**3,29**	**3.29**
निर्वाचन	**Elections**										
1. भारत का निर्वाचन आयोग आयोग	1. Election Commission of India	2015	...	2.49	2.49	...	3.24	3.24	...	3.29	3.29

यह व्यवस्था मुख्यतया भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। संशोधित अनुमानों तथा अगले बजट प्रत्येक में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान की योजना के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था शामिल है।

The provision is mainly for the establishment-related expenditure of the Election Commission of India. The revised estimates and the next Budget include a provision of Rs. 50 lakh each for the scheme of National Voters Awareness Campaign.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

संख्या No. 59 (विनियोग) (Appropriation)
भारत का उच्चतम न्यायालय Supreme Court of India

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget योजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised योजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget योजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	10.34	10.34	...	14.63	14.63	...	11.71	11.71
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ Total		**...**	**10.34**	**10.34**	**...**	**14.63**	**14.63**	**...**	**11.71**	**11.71**
न्याय प्रशासन	**Administration of Justice**										
1. भारत का उच्चतम न्यायालय	1. Supreme Court of India	2014	...	10.34	10.34	...	14.63	14.63	...	11.71	11.71

इस मद में भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था की गई है।

Provides for administrative expenses of the Supreme Court of India.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No.60

कम्पनी कार्य विभाग Department of Company Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	15.44	15.44	...	15.44	15.44	...	16.36	16.36
पूंजी	*Capital*		...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*
जोड़	**Total**		...	**15.45**	**15.45**	...	**15.45**	**15.45**	...	**16.37**	**16.37**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	5.10	5.10	...	5.08	5.08	...	5.25	5.25
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
2. ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के पंजीयक	2. Registrars of Joint Stock Companies	3475	...	5.00	5.00	...	4.90	4.90	...	5.30	5.30
3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक व क्षेत्रीय निदेशक	3. Official Liquidators under Companies Act and Regional Directors	3475	...	3.45	3.45	...	3.57	3.57	...	3.66	3.66
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	3475	...	1.89	1.89	...	1.89	1.89	...	2.15	2.15
		5475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*1.90*	*1.90*	...	*1.90*	*1.90*	...	*2.16*	*2.16*
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*15.45*	*15.45*	...	*15.45*	*15.45*	...	*16.37*	*16.37*

1. **सचिवालय:** कम्पनी कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **कम्पनी पंजीयक:** कम्पनी पंजीयक के कुल 19 कार्यालय है जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इनका मुख्य कार्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने सम्बन्धित राज्यों में स्थित सरकारी तथा निजी कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों, तुलन-पत्रों तथा अन्य कागजातों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप पायी गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाही करना है।

3. **कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत परिसमापक:** कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, सरकारी परिसमापक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है और उन्हें उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किया जाता है। वे अनिवार्य परिसमापन के अन्तर्गत सभी कम्पनियों के प्रभारी हैं। समाप्त होने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को भी यही परिसमापक वसूल करते है और उनके ऋणदाताओं को भी अदायगी करते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर स्थित चार क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय हैं जो कि अपने-अपने क्षेत्रों की कम्पनियों के रजिस्ट्रारों तथा सरकारी परिसमापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, महानिदेशक अन्वेषण एवं पंजीकरण, कंपनी विधि बोर्ड तथा विभागीय कैन्टीनों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

1. **Secretariat:** Provides for Secretariat expenditure of the Department of Company Affairs.

2. **Registrars of Companies:** There are in all 19 offices of the Registrars of Companies located in various States. Their main functions are to scrutinise the annual returns, balance sheets and other documents of the public and private companies located in their respective States under the provisions of the Companies Act, 1956 and to take necessary action on the irregularities noticed as a result of such scrutiny.

3. **Official Liquidators under the Companies Act:** As per the Companies Act, 1956, the Official Liquidators are appointed by the Central Government and are attached to the High Courts. They are incharge of all the companies under compulsory liquidation. Liquidators realise the assets of the companies under liquidation and pay off to their creditors.

Regional Directors: There are four Regional Directors' offices at Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur to supervise the offices of the Registrars of Companies and Official Liquidators in their respective regions.

4. **Other Expenditure:** Provides for expenditure on Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Director General of Investigation and Registration, Company Law Board and Departmental Canteens.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

मांग संख्या DEMAND No.61

खान मंत्रालय Ministry of Mines

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		64.80	85.02	149.82	64.80	86.60	151.40	74.00	92.18	166.18
पूंजी	*Capital*		*33.73*	*14.00*	*47.73*	*33.73*	*14.00*	*47.73*	*23.72*	*5.25*	*28.97*
जोड़	**Total**		**98.53**	**99.02**	**197.55**	**98.53**	**100.60**	**199.13**	**97.72**	**97.43**	**195.15**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.72	2.72	...	2.87	2.87	...	3.05	3.05
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	**Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries**										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2. Geological Survey of India	2853	47.00	76.34	123.34	47.00	77.77	124.77	55.00	82.96	137.96
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान •	3. Grants to Mineral Exploration Corporation Ltd.	2853	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	4. Indian Bureau of Mines	2853	8.10	5.80	13.90	8.10	5.80	13.90	9.00	6.00	15.00
		4853	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*10.60*	*5.80*	*16.40*	*10.60*	*5.80*	*16.40*	*10.00*	*6.00*	*16.00*
5. अन्य कार्यक्रम	5. Other Programmes	2853	1.70	0.16	1.86	1.70	0.16	1.86	2.00	0.17	2.17
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	**Total-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries**		**67.30**	**82.30**	**149.60**	**67.30**	**83.73**	**151.03**	**75.00**	**89.13**	**164.13**
6. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न उधार	6. Non-Plan Loan to Public Sector Enterprises										
6.01 भारत गोल्ड माइंस लि०	6.01 Bharat Gold Mines Limited	6853	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	3.50	3.50
6.02 खनन अन्वेषण निगम लिमिटेड	6.02 Mineral Exploration Corporation Limited	6853	...	...	...	...	...	...	...	1.75	1.75
जोड़		*Total*	...	*14.00*	*14.00*	...	*14.00*	*14.00*	...	*5.25*	*5.25*
7. राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि से प्राप्त किया गया व्यय	*7. Expenditure met from National Renewal Fund*										
7.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन	7.1 Implementation of Volunatry Retirement Scheme										
7.1.1 भारत गोल्ड माइंस लि०	7.1.1 Bharat Gold Mines Limited	2853	15.00	...	15.00	6.50	...	6.50	...	...	...
7.1.2 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	7.1.2 Hindustan Copper Limited	2853	17.50	...	17.50	...	...	...	...	...	...
7.1.3 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	7.1.3 Mineral Exploration Corporation Limited	2853	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
7.1.4 भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	7.1.4 Bharat Aluminium Company Limited	2853	7.50	...	7.50	1.50	...	1.50	...	...	...
7.1.5 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	7.1.5 Hindustan Zinc Limited	2853	10.00	...	10.00	22.00	...	22.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*55.00*	...	*55.00*	*35.00*	...	*35.00*	...	...	...
7.2 राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि घटाए	7.2 Deduct expenditure met from National Renewal Fund	2853	-55.00	...	-55.00	-35.00	...	-35.00	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	8. Investment in Public Enterprises	4853	25.23	...	25.23	25.23	...	25.23	8.72	...	8.72
		6853	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	14.00	...	14.00
जोड़		*Total*	*31.23*	...	*31.23*	*31.23*	...	*31.23*	*22.72*	...	*22.72*
कुल जोड़	*Grand Total*		*98.53*	*99.02*	*197.55*	*98.53*	*100.60*	*199.13*	*97.72*	*97.43*	*195.15*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
8.01 भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि.	8.01 Bharat Aluminium Company Ltd.	12853	...	40.00	40.00	...	51.00	51.00	...	67.00	67.00
8.02 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	8.02 Hindustan Copper Ltd.	12853	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	16.00	63.77	79.77
8.03 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	8.03 National Aluminium Company Ltd.	12853	...	150.00	150.00	...	80.00	80.00	...	180.00	180.00
8.04 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	8.04 Hindustan Zinc Ltd.	12853	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	45.00	45.00
8.05 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	8.05 Mineral Exploration Corpn. Ltd.	12853	...	8.00	8.00	...	...	...	...	2.37	2.37
8.06 भारत गोल्ड माइंस लि०	8.06 Bharat Gold Mines Ltd.	12853	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
8.07 सिक्किम खनन निगम	8.07 Sikkim Mining Corporation	12853	0.23	0.53	0.76	0.23	0.53	0.76	0.72	0.04	0.76
8.08 अन्य निकाय/संस्थाएं	8.08 Other bodies/Institutions	12853	...	6.73	6.73	...	6.73	6.73	...	8.11	8.11
जोड़	**Total**		**31.23**	**230.26**	**261.49**	**31.23**	**163.26**	**194.49**	**22.72**	**366.29**	**389.01**
ग. आयोजना परिव्यय •	**C. Plan Outlay ***										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	1. Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	12853	101.03	230.26	331.29	101.63	163.26	264.89	107.72	366.29	474.01

* *इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में दिए गए निर्माण कार्यों के परिव्यय शामिल हैं।*
* *Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

मांग संख्या 80	Demand No 80	12853	1.08	...	1.08	1.67	...	1.67	0.50	...	0.50
मांग संख्या 81	Demand No 81	12853	1.42	...	1.42	1.43	...	1.43	9.50	...	9.50
जोड़	**Total**		**2.50**	**...**	**2.50**	**3.10**	**...**	**3.10**	**10.00**	**...**	**10.00**

1. **सचिवालय :** इसके अन्तर्गत खान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण :** इसके अन्तर्गत व्यवस्था भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल हैं।

1. **Secretariat :** The provision is for Secretariat expenditure of Ministry of Mines.

2. **Geological Survey of India :** The provision is for geological mapping and regional mineral assessment of the country including off-shore areas and covers the requirements of remote-sensing through satellite imaging and airborne surveys.

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान :** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण अनुदानों द्वारा किया जाता है ।

4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत व्यवस्था में निरीक्षण और अध्ययन के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकता और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजो के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष खनन समस्याओं के अनुसंधान और नई प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए व्यवस्था शामिल है ।

5. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें निर्दिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त और वैज्ञानिक निकायों को अनुदान सहायता के लिए व्यवस्था और पट्टे पर दी जाने वाली खानों के नियंत्रक आदि के लिए भुगतान शामिल है ।

6. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण**

6.01 **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड :** कम्पनी खानों के खर्चीले प्रचालनों के कारण घाटों के लिए व्यय वहन कर रही है। पुरानी खानों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है और कम्पनी अपनी गतिविधियां खान-निर्माण तथा अभियान्त्रिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर रही है। पूरी तरह से परिवर्तित पैकेजों के विलम्बन को अन्तिम रूप दिए जाने तक कम्पनी को अपने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान की ओर अपनी प्रथम तिमाही की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना-भिन्न ऋण दिए जा रहे हैं।

6.02 **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड:** खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नकद घाटों के व्यय का भी वहन कर रहा है। पूरी तरह से परिवर्तित पैकेजों के विलम्बन को अन्तिम रूप दिए जाने तक कम्पनी को वेतन और मजदूरियों के भुगतान के लिए अपनी प्रथम तिमाही आवश्यकता हेतु योजना-भिन्न सहायता प्रदान की जा रही है।

7. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन :** सम्बंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अधिशेष जनशक्ति को अदायगियां करने की व्यवस्था की गई है जिसे राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाएगा । वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप से मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का भी निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

8. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं पर पूंजी व्यय, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण और अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों के लिए इक्विटी और ऋणों की व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों और आ०ब०बा०स० के लिए बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा, व्यय बजट खण्ड I. में दर्शाया गया है ।

8.01 **भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड:** 1995-96 में भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड के परिव्यय के लिए 67.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनवरत योजनाओं, नई योजनाओं और प्रतिस्थापन तथा नवीकरण के लिए है ।

8.02 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :** 1995-96 में 79.77 करोड़ रुपए का परिव्यय अनवरत योजनाओं, पुनर्स्थापन और नवीनीकरण और अनुसंधान और विकास के लिए है । 16 करोड़ रुपए की बजट सहायता द्वारा परिव्यय में सहायता की जा रही है।

8.03 **राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी :** 1995-96 में 180.00 करोड़ रुपए का परिव्यय जिस में आन्तरिक संसाधनों और बजटीय संसाधनों से भिन्न रूप में सहायता की गई है, मुख्य रूप से कैप्टिव पावर संयत्र- VI, इकाई (19.83 करोड़ रुपए), पुनर्स्थापन और नवीनीकरणों (46.00 करोड़ रुपए) तथा गत्यावरोधकों को हटाए जाने की स्कीम का विस्तार और अर्ध-संरचना सुविधाओं (114.17 करोड़ रुपए) की निरन्तर स्कीम के लिए है।

8.04 **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जेड.एल) :** वर्ष 1995-96 के लिए 45.00 करोड़ रुपए का परिव्यय जिस की आन्तरिक संसाधनों द्वारा सहायता की गई है, प्रतिस्थापन और नवीनीकरण (25.00 करोड़ रुपए) तथा निरन्तर जारी स्कीमों के लिए है।

8.05 **खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल) :** वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में 10.37 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है जिस की 2.37 करोड़ रुपए की आन्तरिक संसाधनों द्वारा सहायता और 8.00 करोड़ रुपए की बजट सहायता की गई है।

8.06 **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड लि.** (बी.जी.एम.एल) वर्ष 1995-96 के लिए 6.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिस में पुनर्स्थापन और नवीनीकरण (1.73 करोड़ रुपए) नुनडीडरुग मिल का आधुनिकीकरण (2.95 करोड़ रुपए) और अन्य स्कीम शामिल है।

8.07 **सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन (एस.एम.सी) :** वर्ष 1995-96 के लिए 0.76 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है जिसमें बजट सहायता के रूप में 0.72 करोड़ रुपए और आं.ब.बा.सं. के रूप में 0.04 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

8.08 **अन्य निकाय:** वर्ष 1995- 96 के लिए 10.11 करोड़ रुपए का परिव्यय वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए प्रदान किया गया है जिसे 2 करोड़ रुपए की बजट सहायता और 8.11 करोड़ की आं.ब.बा.स. सहायता से पूरा किया जाएगा।

8.09 **इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स (आई.बी.एम.) :** वर्ष 1995-96 के लिए 1.00 करोड़ रुपए का नागपुर में आई.बी.एम. की आधुनिक अयस्क प्रक्षालन प्रयोगशाला को पूरा करने के लिए प्रावधान है।

3. **Grants to Mineral Exploration Corporation Ltd. :** Exploration projects assigned by the Central Government to the Corporation on a promotional basis are funded by the Government.

4. **Indian Bureau of Mines :** The provision covers the requirements of the Indian Bureau of Mines for inspection and study of mines and research on (i) the beneficiation of low grade ores and minerals and (ii) special mining problems with a view to promote conservation and scientific development of mineral resources and for construction of new laboratory building.

5. **Other Programmes :** These include provisions for Grants-in aid to various autonomous and scientific bodies for specific research projects and Controller of Mining leases etc.

6. **Non-Plan Loan to Public Sector Undertakings:**

6.01. **Bharat Gold Mines Ltd.**: The Company has been incurring losses due to uneconomic operations of the mines. The old miness are being phased out gradually and the Company is diversifying its activity in mines construction and engineering areas. Pending finalisation of a turn-around package the Company is being given Non-Plan loans to meet its first quarter requirement towards payment of salaries and wages to its employees.

6.02 **Mineral Exploration Corporation Limited**: MECL has also been incurring cash losses. Pending finalisation of a turn-around package the Company is being provided with Non-Plan support for its first quarter requirement for payment of salaries and wages.

7. **Implementation of Voluntary Retirement Schemes :** The provision is for making payments to surplus manpower under Voluntary Retirement Schemes of the concerned Public Sector Enterprises and would be met from the National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

8. **Investment in Public Enterprises:** It provides for equity and loans to the public sector undertakings to meet their capital expenditure on new & continuing schemes, replacement and renewals and R & D. The equity and loan-wise break-up of the budget support to these enterprises and the I.E.B.R. are given in the Expenditure Budget Volume 1.

8.01. **Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO):** The outlay for Bharat Aluminium Company Ltd. for 1995-96 is Rs.67.00 crores which is meant for continuing schemes, new schemes and Replacement and Renewals.

8.02 **Hindustan Copper Ltd. (HCL):** The outlay of Rs.79.77 crores for 1995-96 consists of continuing schemes, Replacement and Renewals and for Research & Development. The outlay is being supported by Budget Support of Rs. 16 crores.

8.03 **National Aluminium Company Limited (NALCO)**: The outlay of Rs.180 crores for 1995-96 is supported by Internal Resources and extra-budgetary resources is mainly for continuing schemes of Captive Power Plant-VI Unit (Rs.19.83 crores), Replacement & Renewals (Rs.46.00 crores) and expansion of Debottlenecking and Semi-fab facilities (Rs.114.17 crores).

8.04. **Hindustan Zinc Ltd. (HZL):** The outlay of Rs.45.00 crores for 1995-96 which is supported by Internal resources is for Replacement & Renewals (Rs.25.00 crores) and continuing schemes etc.

8.05. **Mineral Exploration Corporation Ltd. (MECL):** The BE 1995-96 provides for an outlay of Rs.10.37 crores which is supported by Rs.2.37 crores of Internal resources and Rs.8.00 crores of Budget Support.

8.06. **Bharat Gold Mines Ltd. (BGML) :** An outlay of Rs.6.00 crores for 1995-96 comprises of Replacement & Renewals (Rs.1.73 crores), Modernisation of Nundydroog Mill (Rs.2.95 crores) and other schemes.

8.07. **Sikkim Mining Corporation (SMC):** A provision of Rs.0.76 crore has been made for 1995-96 which includes Rs.0.72 crores as Budget Support and Rs.0.04 crores of I&EBR.

8.08 **Other Bodies:** An outlay of Rs.10.11 crores has been provided for 1995-96 for Scientific Institutions which will be met from Budget Support of Rs.2 crores and I&EBR of Rs.8.11 crores.

8.09 **Indian Bureau of Mines (IBM)** : Rs.1.00 crore has been provided for 1995-96 for the completion of a Modern Ore Dressing Laboratory of IBM at Nagpur.

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

मांग संख्या DEMAND No.62

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय Ministry of Non-Conventional Energy Sources

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		209.95	2.25	212.20	209.43	2.77	212.20	222.08	2.25	224.33
पूंजी	*Capital*		*14.18*	...	*14.18*	*37.18*	...	*37.18*	*24.05*	...	*24.05*
जोड़	**Total**		**224.13**	**2.25**	**226.38**	**246.61**	**2.77**	**249.38**	**246.13**	**2.25**	**248.38**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	1. Secretariat-Economic Services **Non-Conventional Energy Sources**	3451	1.71	2.25	3.96	1.71	2.77	4.48	2.09	2.25	4.34
2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2. Solar Energy Programme	2810	59.18	...	59.18	59.18	...	59.18	49.63	...	49.63
		3601	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		4810	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*59.41*	...	*59.41*	*59.41*	...	*59.41*	*49.88*	...	*49.88*
3. जैव-गैस कार्यक्रम	3. Biogas Programme	2810	44.43	...	44.43	44.43	...	44.43	32.03	...	32.03
		3601	22.39	...	22.39	22.39	...	22.39	17.74	...	17.74
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*66.83*	...	*66.83*	*66.83*	...	*66.83*	*49.78*	...	*49.78*
4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम	4. Wind Energy Programme	2810	15.63	...	15.63	15.58	...	15.58	12.55	...	12.55
		3601	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.06	...	0.06
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*15.68*	...	*15.68*	*15.63*	...	*15.63*	*12.63*	...	*12.63*
5. जैव पिंड कार्यक्रम	5. Bio-mass Programme	2810	17.78	...	17.78	17.67	...	17.67	23.80	...	23.80
		3601	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़		*Total*	*17.90*	...	*17.90*	*17.79*	...	*17.79*	*23.80*	...	*23.80*
6. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	6. Integrated Rural Energy Programme	2501	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
		3601	...	...	...	...	...	...	7.50	...	7.50
		3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*10.00*	...	*10.00*
7. ऊर्जा के अन्य स्रोत	7. Other Sources of Energy	2810	20.25	...	20.25	20.25	...	20.25	26.69	...	26.69
		3601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	10.00	...	10.00
जोड़		*Total*	*23.25*	...	*23.25*	*23.25*	...	*23.25*	*36.69*	...	*36.69*
8. उन्नत चूल्हे	8. Improved Chulhas	2810	11.80	...	11.80	11.80	...	11.80	8.35	...	8.35
		3601	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	6.40	...	6.40
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*20.85*	...	*20.85*	*20.85*	...	*20.85*	*14.80*	...	*14.80*
9. शहरी और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा	9. Energy from Urban and Agricultural Wastes	2810	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
10. जलखेड़ी (पंजाब) में चावल भूसा कृषि तापीय विद्युत संयंत्र	10. Rice Straw Agro Thermal Power Plant at Jalkheri (Punjab)	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
11. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	11. Investement in Public Enterprises	4810	14.15	...	14.15	14.15	...	14.15	24.00	...	24.00
		6810	...	...	...	23.00	...	23.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*14.15*	...	*14.15*	*37.15*	...	*37.15*	*24.00*	...	*24.00*
12. अन्य मदे	12. Other Items	2810	4.25	...	4.25	3.89	...	3.89	11.36	...	11.36
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.25*	...	*4.25*	*3.89*	...	*3.89*	*11.36*	...	*11.36*
कुल जोड़	***Grand Total***		*224.13*	*2.25*	*226.38*	*246.61*	*2.77*	*249.38*	*246.13*	*2.25*	*248.38*

ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
11.01 भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी	11.01 Indian Renewable Energy Development Agency	12810	14.15	...	14.15	37.15	...	37.15	24.00	150.00	174.00
12.02 फोटोवोल्टेक्स और सम्बद्ध उद्योग	11.02 Photovoltaics and related Industries	12810	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*14.15*	...	*14.15*	*37.15*	...	*37.15*	*24.00*	*150.00*	*174.00*
ग. आयोजना परिव्यय•	**C. Plan Outlay***										
1. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	1. Non Conventional Sources of Energy	12810	225.00	...	225.00	246.87	...	246.87	245.00	150.00	395.00
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2. Special Programmes for Rural Development	12501	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
		Total	*225.00*	...	*225.00*	*246.87*	...	*246.87*	*247.00*	*150.00*	*397.00*

• इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
* Inclusive of works outlay provided in the Demands of Ministry of Urban Development

मांग संख्या 80	Demand No.80	12810	0.70	...	0.70	0.01	...	0.01	0.70	...	0.70
मांग संख्या 81	Demand No.81	12810	0.17	...	0.17	0.25	...	0.25	0.17	...	0.17
जोड़		**Total**	**0.87**	...	**0.87**	**0.26**	...	**0.26**	**0.87**	...	**0.87**

1. **सचिवालय**: इसमें गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें सौर-तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम और सौर-ऊर्जा केन्द्र के अधीन फोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्था शामिल है । सौर-तापीय ऊर्जा कार्यक्रम में सौर-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विस्तार संबंधी कार्य शामिल हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ सौर-तापीय प्रणालियों पर उदार ऋण और सौर कुकरों के लिए प्रोत्साहनों के रूप में निधि की व्यवस्था की गई है। सौर-प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन/उपयोग/प्रदर्शन के अतिरिक्त अनाकार सिलिकोन सौर कक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना भी आरंभ की गई है। सिंचाई के लिए 1000 सौर-प्रकाश वोल्टीय पम्पों की परियोजना चलाई जा रही है। सौर-ऊर्जा केन्द्र की स्थापना अनुसंधान और विकास, परीक्षण और मानकीकरण, प्रोटोटाइप विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से की गई है।

3. **जैव-गैस (बायोगैस) कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम में पारिवारिक और बड़े आकार के सामूहिक/संस्थागत/मलमूत्र बायोगैस संयंत्र दोनों किस्मों की लोकप्रियता और मानव अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, जल-हायासिन्थ (पुष्प) इत्यादि पर आधारित संयंत्रों सहित बायोगैस पर अनुसंधान और विकास कार्य भी शामिल है। एन.पी.बी.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सामूहिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता की निर्धारित राशि उपलब्ध कराती है।

4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम**: इसमें पवन विद्युत उत्पादन, पवन प्रवाह आंकड़ा संग्रह केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विभिन्न पवन ऊर्जा साज उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं ।

5. **जैव-पिंड (बायोमास)/जैव ऊर्जा कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था का संबंध ऊर्जा प्लांटेशन, बायोमास उत्पादन और ब्रीकेटिंग सहित बायोमास की उपलब्धता और बायोमास के रूपान्तरण और उपयोग से है। इसमें मानव और पशु ऊर्जा कार्यक्रम भी शामिल है। चीनी उद्योग में विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास आधारित सह उत्पादन कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। बायोमास गैसीकरण और जैव पिंड दहन पर आधारित विद्युत संबंधी कार्यक्रम को और सुदृढ़ बना दिया गया है।

6. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम**: एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवन निर्वाह और उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का इष्टतम मिश्रण करके ऊर्जा के योजनाबद्ध आदानों की व्यवस्था करना है। कार्यक्रम के केन्द्रीय क्षेत्र के घटक में ऊर्जा योजना तैयार करने तथा क्रियान्वित करने, तकनीकी आधारभूत ढांचे आदि के लिए सक्षमताओं के विकास हेतु सहायता की व्यवस्था की गई है।

7. **ऊर्जा के अन्य स्रोत**: इसमें ऊर्जा के रासायनिक स्रोत, हाइड्रोजन ऊर्जा, जल-भूतल परिवहन के लिए विकल्प ईंधन, भू-तापीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के विकास हेतु अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

लघु जल परियोजना (एस.एच.पी) कार्यक्रम का उद्देश्य नहरों/बांध आधारित झरनों, नदियों के प्रवाह और प्राकृतिक झरनों के जल संसाधनों का उपयोग करना है। ऐसी प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन को या तो ग्रिड से अथवा दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को सीधे आपूर्ति करने के लिए जोड़ा जा रहा है। व्यवहार्यता अध्ययन करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इन परियोजनाओं की संस्थापना हेतु परियोजना लागत के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

8. **उन्नत चूल्हों संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम**: इसमें अनुसंधान और विकास, धूम्ररहित अच्छे एवं उन्नत चूल्हों के प्रशिक्षण तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए की गई व्यवस्था शामिल है। इसमें कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए, जिसमें लाभभोगियों के लिए आर्थिक सहायता शामिल है, व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम, जो ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है, स्व-रोजगार कामगारों के माध्यम से 1988-89 से क्रियान्वित की जा रही है।

1. **Secretariat :** Provides for secretariat expenditure of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources.

2. **Solar Energy Programme:** Includes provision for Solar Thermal Energy Programme, Solar Photovoltaic Programme and prototype development and training under Solar Energy centre. The Solar Thermal Energy Programme includes research and development, demonstration and extension of solar thermal energytechnologies and inter-alia envisages funding in the form of Soft loan on Solar Thermal Systems and Incentives for Solar Cookers. Under Solar Photovoltaic Programme in addition to R&D and production/utilisation/demonstration of various Photovoltaic systems and devices, a science & technology mission project for the development of amorphous silicon solar cell technology has also been taken up. The project of 1000 Solar Photovoltaic Pumps for irrigation is being continued. The Solar Energy Centre has been established with the objective of research and development, testing and standardisation, prototype development, technology, transfer, demonstration and field testing and development of man power in the area of solar energy.

3. **Biogas Programme** : This programme includes popularisation of both the family type and bigger sized Community/Institutional/Night Soil Biogas Plant and also research and development in biogas including plants based on human wastes, agricultural wastes, water hycinth, etc. The NPBD Programme, inter-alia, provides for subsidy to individual users for setting up biogas plants. For community and institutional biogas plants, Government provides fixed amounts as financial assistance.

4. **Wind Energy Programme** - This includes wind power generation, strengthening of wind data base, research and development, demonstration and field testing of various wind energy harnessing devices.

5. **Bio-mass/Bio-Energy Programmes** : Provision for this programme relates to the energy plantation, biomass production and availability, conversion and utilisation of biomass including briquitting. It also includes human and animal Energy Programme. Biomass based cogeneration programme has been taken up for generation of power in sugar industry. Programme on Biomass gasification and Bio-mass Combustion based power has been further strengthened.

6. **Integrated Rural Energy Programme**: The IREP aims at providing planned inputs of energy to rural areas with an optimum mix of all types of energy sources for meeting energy needs for subsistence and productive activities. The Central Sector component of the programme provides support for developing capabilities for preparing and implementing energy plan, technical infrastructure etc.

7. **Other Sources of Energy** : Includes provision for R&D activities for development of Chemical Sources of Energy, Hydrogen Energy, Alternate fuels for Surface Transportation, Geo-Thermal Energy Power and Ocean Energy.

Small Hydel Project (SHP) programme is aimed at utilisation of the water resources at canals/dam based fall, run of rivers and natural falls. Decentralised power generation through such systems either being connected to grid or directly supplied to the local inhabitants in remote and hilly area. Financial support is also being provided for feasibility studies, detailed project reports preparation and towards capital cost for installation of these projects.

8. **National Programme on Improved Chulhas** - This includes the provision for implementation of programme involving R&D, training and popularisation of improved and efficient smokeless Chulhas. It provides financial support for various aspects of the programme including subsidy to beneficiaries. The programme is being implemented since 1988-89 through self-employed workers, which provides employment opportunity to rural youth.

9. **शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा**: शहरी/नगर निगम तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा के उत्पादन सबंधी कार्यकलापों और राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा बोर्डों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन सबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1995-96 के दौरान शुरु किए जा रहे हैं।

10. **चावल भूसा कृषि ताप विद्युत संयंत्र (पंजाब)** : 10 मेगावाट क्षमता वाले चावल भूसा विद्युत संयंत्र का परीक्षण कर लिया गया है। संयंत्र के अगले तकनीकी क्रिया-कलापों को शुरु किया जाएगा।

11. **भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी**: भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना बड़े पैमाने पर विभिन्न नए और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं और स्कीमों को उदार शर्तों पर ऋण देकर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यह एजेन्सी आन्तरिक स्रोतों, इक्विटी और विदेशी एजेंसियों से धनराशि जुटाकर ऐसी परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।

12. **अन्य मदें**: इसमें सूचना और प्रचार, ऊर्जाग्राम, सर्वेक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, टी.आई.एफ.ए.सी. और ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें विशेष प्रदर्शन परियोजना के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

9. **Energy from Urban and Agriculture Wastes**: Activities on generation of energy for urban/municipal and industrial wastes and National Bio-Energy Boards are also being strengthened. National Programmes on energy Generation from Urban and Industrial Wastes are being taken up during 1995-96.

10. **Rice Straw Agro Thermal Power Plant (Punjab)** : The 10 MW capacity rice straw power plant has been test fired. Further technical activities of the plant will be undertaken.

11. **Indian Renewable Energy Development Agency** : IREDA has been set up to support various new and renewable sources of energy projects and schemes on a large scale by way of extending soft loans. The agency is responsible for financing such projects through internal resources, equity and mobilisation of funds from external agencies.

12. **Other Items-** Includes provision for Informatiion & Publicity, Urjagram. Surveys and International Co-operation, Regional office, TIFAC and Energy conservation. It also includes provision for Special Demonstration Project.

संसदीय कार्य मंत्रालय *MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No.63

संसदीय कार्य मंत्रालय Ministry of Parliamentary Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	1.73	1.73	...	1.73	1.73	...	1.76	1.76
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ Total		...	**1.73**	**1.73**	...	**1.73**	**1.73**	...	**1.76**	**1.76**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	1.73	1.73	...	1.73	1.73	...	1.76	1.76
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***1.73***	***1.73***	...	***1.73***	***1.73***	...	***1.76***	***1.76***

इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

Provides for Secretariat expenditure.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

मांग संख्या DEMAND No.64

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		5.31	69.00	74.31	5.61	70.81	76.42	6.10	74.69	80.79
पूंजी	*Capital*		*2.79*	*6.00*	*8.79*	*2.49*	*6.00*	*8.49*	*2.00*	*6.00*	*8.00*
जोड़	**Total**		**8.10**	**75.00**	**83.10**	**8.10**	**76.81**	**84.91**	**8.10**	**80.69**	**88.79**
1. सचिवालय—सामान्य सेवाएं	1. Secretariat -General Services	2052	1.00	7.13	8.13	1.00	7.29	8.29	1.00	7.56	8.56
2. प्रशासनिक न्यायाधिकरण	2.Central Administrative Tribunals	2014	...	8.75	8.75	...	8.75	8.75	...	9.75	9.75
3. कर्मचारी चयन आयोग	3. Staff Selection Commission	2051	...	8.83	8.83	...	9.24	9.24	...	9.81	9.81
पुलिस	**Police**										
4. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	4. Central Bureau of Investigation	2055	0.30	36.25	36.55	0.61	37.67	38.28	1.00	39.38	40.38
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
5. प्रशिक्षण	5. Training	2070	4.01	6.28	10.29	4.00	6.15	10.15	4.10	6.40	10.50
		4059	2.79	...	2.79	2.49	...	2.49	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*6.80*	*6.28*	*13.08*	*6.49*	*6.15*	*12.64*	*6.10*	*6.40*	*12.50*
6. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	6. Loans to States for House Building Advances to All India Service Officers	7601	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
7. अन्य मदें	7. Other Items	2070	...	1.76	1.76	...	1.71	1.71	...	1.79	1.79
कुल जोड़	***Grand Total***		***8.10***	***75.00***	***83.10***	***8.10***	***76.81***	***84.91***	***8.10***	***80.69***	***88.79***

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat- General Services	32052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2. Other Administrative Services	32070	7.10	...	7.10	7.10	...	7.10	7.10	...	7.10
जोड़		*Total*	*8.10*	...	*8.10*	*8.10*	...	*8.10*	*8.10*	...	*8.10*

1. इसमें निम्नलिखित के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग जो वरिष्ठ तथा मध्य प्रबन्ध स्तर के लिए भर्ती, पदोन्नति तथा आरक्षण नीति बनाने, अधिष्ठान प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करने, सेवा शर्तों, सतर्कता, अनुशासन, संघ लोक सेवा आयोग, वृत्तिका तथा जनशक्ति आयोजना आदि के कार्यों को देखता है (ख) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग जो प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति नीति तथा केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतों समेत लोक शिकायतों के निवारण के समन्वय का कार्य करता है और (ग) पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले उपदान, पेंशन, आनुषंगिक लाभों आदि समेत सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है।

2. इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के स्थापना व्ययों के लिए व्यवस्था है जिनकी स्थापना का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करना है ताकि उनकी शिकायतों को दूर करने में देरी न हो। देश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की 33 शाखाएं हैं । इस व्यवस्था में इन अधिकरणों द्वारा किराए पर ली गई इमारतों के किराए की राशि भी शामिल है।

3. इसमे कर्मचारी चयन आयोग के लिए व्यवस्था है जो मंत्रालयों आदि मे निचले वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है ।

4. इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के व्यय के लिए व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारियों गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में तथा अन्य प्रकार के गंभीर अपराधों के मामलों में जांच कार्य करता है तथा मुकदमे चलाता है। इसमें केन्द्रीय अभिलेख स्कन्ध पर होने वाले खर्च के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. इसमें (क) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (ख) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान तथा (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीय रूप में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण देने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

7. इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के खर्च के लिए व्यवस्था शामिल है।

1. The provision is for secretariat expenditure of (a) Department of Personnel and Training which looks after recruitment, promotion and reservation policy, induction training and refresher courses for senior and middle management level, service conditions, vigilance, discipline, UPSC, career and manpower planning etc. ; (b) Department of Administrative Reforms and Public Grievances which looks after administrative reforms, O&M and policy and coordination of redressal of grievances including those pertaining to Central Government agencies; and (c) Department of Pensions and Pensioners Welfare which administers all schemes relating to retirement benefits including gratuity, pension, fringe benefits to pensioners, etc.

2. The provision is for establishment expenditure of the Central Administrative Tribunals which have been set up to look into the grievances of public servants exclusively to avoid delay in redressal of their grievances. There are 33 Benches of Central Administrative Tribunal in the country. The provision also includes rent for buildings hired for them.

3. The provision is for the Staff Selection Commission which conducts examinations for recruitment to lower grades in Ministries, etc.

4. The provision is for expenditure of the Central Bureau of Investigation which deals with investigation and prosecution in corruption cases against public servants, private persons, firms and other cases of serious crimes. The provision includes expenditure on Central Records Wing.

5. The provision includes expenditure of (a) Institute of Secretariat Training and Management; (b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration; (c) grants to Indian Institute of Public Administration; and (d) other training programmes.

6. The provision for Loans to States for House Building Advances to All India Service Officers is made centrally in the budget of this Ministry.

7. This includes expenditure of the Central Vigilance Commission and Public Enterprises Selection Board.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

मांग संख्या DEMAND No.65

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum and Natural Gas

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75
पूंजी	*Capital*		*135.90*	...	*135.90*	*132.27*	*552.08*	*684.35*	*4.29*	...	*4.29*
जोड़	**Total**		**135.90**	**2.75**	**138.65**	**132.27**	**554.83**	**687.10**	**4.29**	**2.75**	**7.04**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.75
2. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	2. *Non-Plan Investment in Public Enterprises:*										
2.01 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन	2.01 Issue of Bonus Shares by Public Sector Enterprises	4802	...	...	...	...	529.62	529.62	...	...	...
3. ऋण का इक्विटी में रूपांतरण-बीको लारी लिमिटेड	3. Conversion of Loan into Equity-Biecco Lawrie Ltd.*	4802	...	...	...	...	22.46	22.46	...	...	...
4. सरकारी उद्यमों में निवेश	4. Investment in Public Enterprises	4802	3.90	...	3.90	0.27	...	0.27	4.29	...	4.29
		6802	132.00	...	132.00	132.00	...	132.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*135.90*	...	*135.90*	*132.27*	...	*132.27*	*4.29*	...	*4.29*
कुल जोड़	*Grand Total*		*135.90*	*2.75*	*138.65*	*132.27*	*554.83*	*687.10*	*4.29*	*2.75*	*7.04*
ख. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
I. पेट्रोलियम क्षेत्र	I. **Petroleum Sector:**										
4.01 तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि.	4.01 Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	12802	34.00	6764.36	6798.36	34.00	6966.00	7000.00	...	5524.00	5524.00
4.02 भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	4.02 Gas Authority of India Ltd.	12802	3.90	897.40	901.30	0.27	362.83	363.10	4.29	1258.22	1262.51
4.03 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	4.03 Hindustan Petroleum Corporation Ltd	12802	...	334.21	334.21	...	258.72	258.72	...	748.00	748.00
4.04 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	4.04 Bharat Petroleum Corporation Ltd	12802	...	220.25	220.25	...	109.87	109.87	...	478.69	478.69
4.05 मद्रास रिफाइनरीज लि.	4.05 Madras Refineries Ltd.	12802	...	16.32	16.32	...	57.82	57.82	...	44.70	44.70
4.06 कोचीन रिफाइनरी लि.	4.06 Cochin Refineries Ltd.	12802	...	141.42	141.42	...	120.88	120.88	...	60.62	60.62
4.07 बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रो-कैमिकल्स लि.	4.07 Bon gaigaon Refinery and Petro Chemicals Ltd.	12802	...	103.00	103.00	...	79.30	79.30	...	73.05	73.05
4.08 भारतीय तेल निगम लि.	4.08 Indian Oil Corporation Ltd.	12802	...	2091.94	2091.94	...	1855.74	1855.74	...	2615.65	2615.65
4.09 आयल इंडिया लिमिटेड	4.09 Oil India Limited	12802	98.00	326.00	424.00	98.00	297.00	395.00	...	610.00	610.00
4.10 लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड	4.10 Lubrizol India Limited	12802	...	10.92	10.92	...	24.03	24.03	...	3.98	3.98
4.11 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4.11 Engineers India Limited	12802	...	4.75	4.75	...	6.42	6.42	...	6.50	6.50
4.12 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	4.12 Numaligarh Refinery Ltd.	12802	...	165.00	165.00	...	165.00	165.00	...	400.00	400.00
4.13 आई.बी.पी. क. लि.	4.13 IBP Co. Ltd	12802	...	175.50	175.50	...	73.56	73.56	...	110.50	110.50
जोड़ - पैट्रोलियम क्षेत्र	**Total - Petroleum Sector**		**135.90**	**11251.07**	**11386.97**	**132.27**	**10377.17**	**10509.44**	**4.29**	**11933.91**	**11938.20**
II. पेट्रो-रसायन क्षेत्र	II. **Petro-Chemicals Sector:**										
4.14 भारतीय तेल निगम लि.	4.14 Indian Oil Corporation Ltd.	12856	...	31.27	31.27	...	24.70	24.70	...	10.30	10.30
4.15 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	4.15 Hindustan Petroleum Corporation Ltd	12856	...	2.47	2.47	...	...	...	...	2.00	2.00
4.16 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	4.16 Bharat Petroleum Corporation Ltd	12856	...	12.00	12.00	...	6.21	6.21	...	20.00	20.00
4.17 मद्रास रिफाइनरीज लि.	4.17 Madras Refineries Ltd.	12856	...	63.00	63.00	...	48.10	48.10	...	225.42	225.42
4.18 कोचीन रिफाइनरीज लि.	4.18 Cochin Refineries Ltd.	12856	...	18.40	18.40	...	8.84	8.8	...	5.50	5.50
4.19 बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रो-कैमिकल्स लि.	4.19 Bon gaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd.	12856	...	12.00	12.00	...	5.70	5.70	...	30.70	30.70
4.20 भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	4.20 Gas Authority of India Ltd.	12856	...	700.00	700.00	...	313.20	313.20	...	900.00	900.00
कुल-पैट्रो-रसायन क्षेत्र	**Total - Petro-Chemicals Sector**		...	**839.14**	**839.14**	...	**406.75**	**406.75**	...	**1193.92**	**1193.92**
III. इंजीनियरी क्षेत्र	III. **Engineering Sector:**										
4.21 आई.बी.पी. कंपनी लि.	4.21 IBP Co. Ltd.	12858	...	5.54	5.54	...	8.13	8.13	...	8.39	8.39
4.22 बामेर लारी लि.	4.22 Balmer Lawrie Ltd.	12858	...	21.25	21.25	...	25.10	25.10	...	30.06	30.06
4.23 बीको लारी लि.	4.23 Biecco Lawrie Ltd.	12858	...	...	...	...	3.27	3.27	...	3.00	3.00
जोड़-इंजीनियरी क्षेत्र	**Total - Engineering Sector**		...	**26.79**	**26.79**	...	**36.50**	**36.50**	...	**41.45**	**41.45**
जोड़	**Total**		**135.90**	**12117.00**	**12252.90**	**132.27**	**10820.42**	**10952.69**	**4.29**	**13169.28**	**13173.57**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. पेट्रोलियम	1. Pertroleum	12802	135.90	11251.07	11386.97	132.27	10377.17	10509.44	4.29	11933.91	11938.20
2. पेट्रो-रसायन	2. Petro-Chemicals	* 12856	...	839.14	839.14	...	406.75	406.75	...	1193.92	1193.92
3. इंजीनियरी	3. Engineering	12858	...	26.79	26.79	...	36.50	36.50	...	41.45	41.45
जोड़	**Total**		**135.90**	**12117.00**	**12252.90**	**132.27**	**10820.42**	**10952.69**	**4.29**	**13169.28**	**13173.57**

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **सार्वजनिक उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश:**

2.01 **बोनस शेयरों का निर्गम:** 529.62 करोड़ रुपए के निवेश सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा जारी बोनस शेयरों के बराबर की राशि के द्योतक है ।

		(करोड़ रुपए)
i)	भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	93.20
ii)	भारतीय तेल निगम लि.	287.57
iii)	इंजीनियर्स इण्डिया लि.	17.00
iv)	आई.बी.पी. कम्पनी लि.	1.69
v)	लुब्रीजोल इण्डिया लि.	11.16
vi)	आंयल इण्डिया लि.	42.00
vii)	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पो. लि.	77.00

3. **ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना:** बीको लारी लि. के नाम 22.46 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है। अब सम्पूर्ण बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जा रहा है।

4. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. को डेनिश सहायता निर्मुक्त करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

4.01 **तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. :** तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. की स्थापना देश में तटवर्ती (आन-शोर) तथा अपतटवर्ती (आफ शोर) दोनों ही स्थानों पर पैट्रोलियम संसाधनों की खोज और उनसे तेल निकालने के कार्यक्रमों के आयोजन तथा क्रियान्वयन के प्रयोजन से की गई थी । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

4.02 **भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड:** भारतीय गैस प्राधिकरण लि. की स्थापना प्राकृतिक गैस के संसाधन, परिवहन तथा विपणन जैसे कार्यों के प्रबंध के लिए की गई थी । कंपनी ने हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का कार्य निष्पादित कर लिया है । कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में औरिया में गैस क्रैकर परिसर, हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन का कोटिउन्नयन, लाकवा, असम में एल.पी.जी. परियोजना और उसर, महाराष्ट्र में एल.पी.जी. परियोजना शामिल हैं।

4.03 **हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि. :** इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल का शोधन करना तथा पैट्रोलियम उत्पादों का विपणन करना है । इस कम्पनी की 1995-96 की वार्षिक आयोजना में मंगलौर रिफाइनरी, मंगलौर में एल.पी.जी. आयात सुविधा, विजाग-विजयवाड़ा पाइपलाइन आदि परियोजनाओं की व्यवस्था शामिल है ।

4.04 **भारत पैट्रोलियम निगम लिमिटेड:** निगम का उद्देश्य मुख्यतः पैट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण, भण्डारण, वितरण और विपणन करना है। बम्बई-मनमाड पाइपलाइन तथा बिना, मध्यप्रदेश में संयुक्त उद्यम की रिफाइनरी हेतु व्यवस्था की गई है।

4.05 **मद्रास रिफाइनरीज लि.:** इस कम्पनी की स्थापना एक रिफाइनरी के निर्माण और संचालन के प्रयोजन से की गई थी । एरोमैटिक्स परियोजना इस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य परियोजना है।

4.06 **कोचीन रिफाइनरीज लि.:** इस कम्पनी की स्थापना कच्चे तेल के शोधन तथा विभिन्न पैट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करने के लिए की गई थी । रिफाइनरी की डीबाटलनैकिंग, ऊर्जा संरक्षण आदि इसकी कुछ परियोजनाएं है ।

4.07 **बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल्स लि.:** इस कम्पनी की स्थापना कच्चे तेल का शोधन करने और ज़ाइलीन, डी.एम.टी. और पी.एस.एफ. का उत्पादन करने के लिए एक पैट्रो रसायन परिसर की स्थापना करने के लिए की गई थी । 1995-96 की योजना के लिए, अनेक पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन वस्तुओं के उत्पादन हेतु व्यवस्था की गई है । रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाने की एक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

4.08 **भारतीय तेल निगम लि. :** भारतीय तेल निगम पाइप लाइनों का संचालन करता है और आयातित तथा स्वदेशी कच्चे तेल का परिशोधन करता है तथा पैट्रोलियम उत्पादों का विपणन करता है । यह गुवाहाटी,

1. **Secretariat:** Provides for secretariat expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

2. **Non-Plan Investment in Public Enterprises:**

2.01 **Issue of Bonus Shares:** Investments of Rs. 529.62 crores represent the equivalent of bonus shares issued by the following PSUs.

		(Rs. in crores)
i)	Bharat Petroleum Corporation Ltd.	93.20
ii)	Indian Oil Corporation Ltd.	287.57
iii)	Engineers India Ltd.	17.00
iv)	I.B.P. Co. Ltd.	1.69
v)	Lubrizol India Ltd.	11.16
vi)	Oil India Ltd.	42.00
vii)	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	77.00

3. **Conversion of Loan into Equity** : Beicco Lawrie Ltd. has an outstanding loan of Rs.22.46 crores. The entire outstanding loan is now being converted into equity.

4. **Investment in Public Enterprises:** Provisions has been made for release of Danish assistance to GAIL.

4.01 **Oil & Natural Gas Corporation Ltd. :** Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) was set up with the object of planning and implementing programmes of exploration and exploitation of petroleum resources of the country, both On-Shore and Off-Shore. ONGC are implementing a number of projects for stepping up oil and gas production.

4.02 **Gas Authority of India Limited:** Gas Authority of India Limited (GAIL) was set up to cater to processing, transportation and marketing of natural gas. The Company has executed the Hazira-Bijaipur-Jagdishpur Gas Pipeline Project. The major projects being implemented by the Company include Gas Cracker complex at Auraiya in Uttar Pardesh, HBJ upgradation, LPG project at Lakwa, Assam and LPG Project at Usar, Maharashtra.

4.03 **Hindustan Petroleum Corporation Ltd.:** The main objective of the Company is to refine crude oil and market petroleum products. The Annual Plan 1995-96 for this Company includes provision for projects for LPG Import facility at Mangalore, Mangalore Refinery, Vizag-Vijaywada Pipeline, etc.

4.04 **Bharat Petroleum Corporation Ltd.:** The objectives of the Corporation are mainly to manufacture, to store and distribute market petroleum products. Provisions have been made for Bombay-Manmad Pipeline and Joint Venture refinery at Bina, Madhya Pradesh.

4.05 **Madras Refineries Ltd.:** The Company was set up with the objective of installing and running a refinery . The major projects under implementation by the Company is Aromatics Project.

4.06 **Cochin Refineries Ltd.:** This Company was set up to refine crude oil and to produce various petroleum products. Some of its projects are Debottlenecking of Refinery, Energy Conservation etc.

4.07 **Bongaigaon Refinery & Petro-Chemicals Ltd.:** This Company was set up to refine crude and set up a Petro-Chemicals Complex producing Xylene, DMT and PSF. For 1995-96 plan, provision has been made for production of various petroleum and petro-chemical items. A project to expand the capacity of the refinery is under implementation.

4.08 **Indian Oil Corporation Ltd. :** The Indian Oil Corporation operates pipelines and refines imported and indigenous crude oil and markets petroleum products. It has refineries at Gauhati, Barauni,

बरौनी, कोयाली, हल्दिया, मथुरा तथा डिगबोई स्थित तेलशोधन कारखाने चलाता है । वर्ष 1995-96 में डिगबोई रिफाइनरी, कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन और पानीपत रिफाइनरी के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

4.09 **आयल इण्डिया लि.:** आयल इंडिया लिमिटेड देश में तेल की खोज और उत्पादन के क्षेत्र में लगा है ।

4.10 **लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड:** इस कम्पनी की स्थापना रासायनिक संयोजनों के, जिनका उपयोग पैट्रोलियम पर आधारित लुब्रीकेन्ट्स तथा ईंधन की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए किया जाता है, देश में उत्पादन करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के लुब्रीजोल कारपोरेशन के सहयोग से 1966 में की गई थी ।

4.11 **इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड :** यह कम्पनी सरकारी और निजी क्षेत्र के एककों को, जिसके तहत औद्योगिक उत्पादों विशेषकर पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायन और उर्वरकों का विस्तृत क्षेत्र आता है, के संबंध में इंजीनियरी में परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करती है।

4.12 **नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.:** यह आई.बी.पी. कंपनी लि. तथा असम सरकार का एक नया संयुक्त उद्यम है। यह असम में नुमालीगढ़ में 3 एम.एम.टी.पी.ए. रिफाइनरी को कार्यान्वित करेगा।

4.13 **आई.बी.पी. कम्पनी लि. :** यह कम्पनी पेट्रोलियम के उत्पादों की बिक्री तथा हाई वैक्यूम उपस्करों और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में लगी है ।

4.22 **बामेर लारी लि. :** यह कम्पनी लुब्रीकेटिंग ग्रीजिज और ल्यूब बैरलों का निर्माण करती है और चाय का निर्यात, उत्पादों का विपणन तथा यात्रा और नौवहन से संबंधित कारोबार करती है ।

4.23 **बीको लारी लि. :** यह कंपनी मुख्यतः स्विचगीयरों का निर्माण करती है ।

Koyali, Haldia, Mathura and Digboi. Provisions have been made in 1995-96 for Projects like, Modernisation of Digboi Refinery, Kandla-Bhatinda Product Pipeline and Panipat Refinery.

4.09 **Oil India Limited:** Oil India Limited is engaged in oil exploration and production in the country.

4.10 **Lubrizol India Ltd.:** This Company was set up in 1966 in collaboration with Lubrizol Corporation of USA for indigenous manufacture of chemical additives, which are used to improve the performance of petroleum-based lubricants and fuels.

4.11 **Engineers India Ltd.:** The Company provides engineering consultancy to units in the public and private sectors, covering an extensive range of industrial products and specially petroleum, petro-chemicals and fertilizers.

4.12 **Numaligarh Refinery Ltd:** It is a new joint venture Company between IBP Co. Ltd. and the Government of Assam. It is to implement a 3 MMTPA refinery at Numaligarh in Assam.

4.13 **IBP Company Ltd.:** This Company is engaged in marketing petroleum products and manufacturing high vacuum equipment and explosives.

4.22 **Balmer Lawrie Ltd.:** This company is engaged in manufacture of lubricating greases and lube barrels, tea exports, marketing of products and in travel and shipping business.

4.23 **Biecco Lawrie Ltd. :** The company's main activity is to manufacture of switchgears.

सरकारी उद्यमों में निवेश के इक्विटी और ऋण संघटकों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing equity and loan components of Investments in Public Enterprises.

(करोड़ रुपए) (Rs. in crores)

क्रम संख्या Sl. No.	सरकारी उपक्रमों का नाम Name of the Public Undertakings	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimate 1994-95			बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimate 1995-96		
		इक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total	इक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total
1.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	-	34.00	34.00	-	-	-
2.	आयल इण्डिया लि. Oil India Ltd.	-	98.00	98.00	-	-	-
3.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि. Gas Authority of India Ltd.	0.27	-	0.27	4.29	-	4.29
	जोड़ Total	**0.27**	**132.00**	**132.27**	**4.29**	**...**	**4.29**

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

मांग संख्या DEMAND No.66

आयोजना Planning

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		98.50	14.11	112.61	69.50	14.31	83.81	94.60	14.40	109.00
पूंजी	*Capital*		*21.50*	...	*21.50*	*30.50*	...	*30.50*	*25.40*	...	*25.40*
जोड़	**Total**		**120.00**	**14.11**	**134.11**	**100.00**	**14.31**	**114.31**	**120.00**	**14.40**	**134.40**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
2. योजना आयोग	2. Planning Commission	3451	0.60	12.61	13.21	0.44	12.71	13.15	5.00	12.71	17.71
3. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम	3. Integrated Rural Energy Planning Programme	2501	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
		3601	12.50	...	12.50	3.25	...	3.25	...	...	...
		3602	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*17.00*	...	*17.00*	*3.25*	...	*3.25*	...	...	...
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	4. National Informatics Centre	3451	51.00	...	51.00	52.00	...	52.00	55.60	...	55.60
		5475	18.40	...	18.40	25.40	...	25.40	19.60	...	19.60
जोड़		*Total*	*69.40*	...	*69.40*	*77.40*	...	*77.40*	*75.20*	...	*75.20*
5. अन्य	5. Others	3475	21.65	1.20	22.85	13.61	1.30	14.91	28.00	1.39	29.39
		3601	8.25	...	8.25	0.20	...	0.20	6.00	...	6.00
		5475	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*32.40*	*1.20*	*33.60*	*16.31*	*1.30*	*17.61*	*38.00*	*1.39*	*39.39*
6. सहायता सामग्री और उपस्कर- सकल	6. Aid Materials and Equipment - Gross	3606	...	5.74	5.74	...	5.20	5.20	...	4.88	4.88
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct-Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-5.74*	*-5.74*	...	*-5.20*	*-5.20*	...	*-4.88*	*-4.88*
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	7. Investments in Public Enterprises	5475	0.30	...	0.30	2.30	...	2.30	1.10	...	1.10
		7475	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.70	...	0.70
जोड़		*Total*	*0.60*	...	*0.60*	*2.60*	...	*2.60*	*1.80*	...	*1.80*
कुल जोड़	***Grand Total***		***120.00***	***14.11***	***134.11***	***100.00***	***14.31***	***114.31***	***120.00***	***14.40***	***134.40***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B.Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
7.01 एन.आई.सी. सेवाएं इंक.	7.01 NIC Services Inc.	13475	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	1.70	...	1.70
7.02 राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	7.02 National Centre for Trade Information	13475	...	...	...	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01
7.03 एन.आई.सी.-एम.टी.ई.एल. संयुक्त उद्यम	7.03 NIC-MTEL Joint Venture	13475	...	...	...	...	...	...	0.09	...	0.09
जोड़	**Total**		**0.60**	...	**0.60**	**2.60**	...	**2.60**	**1.80**	...	**1.80**
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*:-										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1. Special Programme for Rural Development	12501	17.00	...	17.00	3.25	...	3.25	...	...	...
2. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2. Secretariat Economic Service	13451	51.60	...	51.60	52.44	...	52.44	60.60	...	60.60
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3. Other General Economic Services	13475	51.40	...	51.40	44.31	...	44.31	59.40	...	59.40
जोड़		*Total*	*120.00*	...	*120.00*	*100.00*	...	*100.00*	*120.00*	...	*120.00*

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं** : इस में योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **योजना आयोग** : इस मद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित योजना आयोग के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

3. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य सूक्ष्म स्तर पर आयोजना क्षमताओं को सृजित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उत्पादन संबंधी गतिविधियों तथा जीवन निर्वहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण विकास हेतु ऊर्जा की आयोजना-निविष्टियों की व्यवस्था करना है।केन्द्रीय रूप से प्रायोजित यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में चल रही है । यह योजना गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग को अन्तरित कर दी गई है ।

4. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी)** : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र निर्णय सहायता और आयोजना के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समस्त विभागों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिला प्रशासनों को संगणक संचार पर आधारित सूचना विज्ञान से सम्बन्धित सेवाएं तथा

1. **Secretariat-Economic Services :** Provides for the secretariat expenditure of the Minister of Planning and Minister of State for Planning.

2. **Planning Commission:** Provides for the expenditure of the Planning Commission including Programme Evaluation Organisation.

3. **Integrated Rural Energy Planning Programme :** To create planning capabilities at micro level and provide planning inputs of energy for rural development for productive activities and subsistence needs of the people living in rural areas. The centrally sponsored scheme is in operation in all States and Union Territories. The scheme has been transferred to the Department of Non-Conventional Energy Sources.

4. **National Informatics Centre (NIC) :** National Informatics Centre is providing computer-communication based Informatics services and related facilities to the Central and State Government Departments, Union Territories and District Administrations for

संबद्ध सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद में 4 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए है । इनमे से प्रत्येक केन्द्र में एक बड़ा मेनफ्रेम कम्प्यूटर (एन ई सी एस-1000 माडल) है । राज्यों की राजधानियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालयों में उनकी कम्प्यूटरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुपर मिनी-कम्प्यूटर (एन डी-550 या इसके बराबर) संस्थापित कर दिए गए है । जिलों में चार से दस टर्मिनल वाले सुपर पी.सी./ए.टी. संस्थापित हैं । उपर्युक्त में से प्रत्येक स्थान पर संस्थापित सभी कम्प्यूटरों को जोड़ने के लिए उपग्रह आधारित निकनेट नामक कम्प्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से एक माइक्रो अर्थ स्टेशन संस्थापित किया गया है । मुख्य अर्थ स्टेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र दिल्ली में संस्थापित किया गया है । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के मौजूदा कम्प्यूटर-संचार निक-नेट नेटवर्क पर वर्धन संबंधी अधिचित्र के रूप में एक निकनेट राष्ट्रीय सूचना राजमार्ग शुरू किया गया है । नई उच्च गति नोडो और मौजूदा नोडों के बीच स्पष्ट संबंधन को सरल बनानेके लिए, इस नेटवर्क को मौजूदा नेटवर्क के साथ अंतःसंबंधित किया गया है । नेटवर्क में आनलाइन डाटाबेस सेवाओं, इलेक्ट्रानिक डोक्यूमेंट इन्टरचेंज (ई.डी.आई.) सेवाओं, निकमेल 400, इमेज ट्रांसमिशन, आई.एस.डी.एन., मल्टीमीडिया,टेलीकान्फरेंसिंग, डायरेक्टरी सेवाओं की तथा अंतर्राष्ट्रीय डाटा संबंधन की व्यवस्था की गई है । देश मे निकनेट इन्टरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है और यह 160 देशों के 200 से अधिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है । निकनेट अब निकनेट राष्ट्रीय सूचना राजमार्ग पर बेसिस वैब सर्वर को अधिष्ठापित करके विश्व में सर्वाधिक उन्नत विश्वव्यापी वैब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) सर्वर प्रौद्योगिकी लाया है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं के बीच मल्टीमीडिया दस्तावेजों का विनिमय करने के लिए एक सशक्त ब्रोसिंग और सर्चिंग सुविधा की व्यवस्था है ।

decision support and planning. NIC has set up 4 Regional Centres at Delhi, Pune, Bhubaneshwar and Hyderabad each having large mainframe Computer (NECS-1000 Model). In the State capitals and Head Quarters of Union Territories, Super Mini-Computers (ND-550 or equivalent) have been installed to meet their computerisation requirements. In the districts, Super PC/ATs with four to ten terminals are installed. In each of the above locations, a micro earth station has been installed to connect all the computers installed there via a satellite based computer communication network called NICNET. The mother earth station has been installed at NIC, Delhi. A NICNET National Info. Highway, as an incremental overlay over the existing computer-communication network (NICNET) of NIC has been commissioned. This network has been interconnected with the existing network to facilitate transparent connectivity between new high speed nodes and existing nodes. The network provides online database services, Electronic Document Inter-change (EDI) Services, NICMAIL.400, Image transmission, ISDN, multimedia, teleconferencing, directory services, and international data connectivity. NICNET has large number of INTERNET users in the country and connected to over 200 networks in 160 countries. NICNET has now brought the most advanced World-Wide Web (WWW) server technology in the world by installing BASIS WEB Server on NICNET National Info. Highway. It provides a powerful browsing and searching facility for exchanging multimedia documents among computer users internationally.

व्यय की मुख्य मदें भारत में मुख्य औद्योगिक/निर्यात की संभावना वाले शहरों/नगरों में कम्प्यूटर आधारित सेवाओं के समेकन, गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उनके उन्नयन करने, निकनेट सूचना राजमार्ग निस्पन्दों को स्थापित करने, निकनेट पर आधारित भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, जिला कार्यक्रम में निम्नतम स्तर की निविष्टि का कार्यान्वयन, नए जिलों में निकनेट सेवाओं का विस्तार, दूर सूचनाओं से सम्बन्धित विज्ञान विकास और संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था से सम्बन्धित है। इस मद मे सन्दर्भगत सूचना-विज्ञान सेवा कार्यक्रम,मॉडलिंग ग्राफिक्स और अभिकल्पना कार्यक्रम तैयार करना, परियोजना निकसेट, सभी उच्च न्यायालयों में न्यायालय सूचना प्रणाली कार्यक्रम के कार्यान्वयन को पूरा करना, परियोजना निस्पन्द (नोड) का कार्यान्वयन करके जिस्टनिक कार्यक्रम के क्षेत्र में वृद्धि करना और वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापना करना शामिल है। राजस्व लेखे में मुख्य रूप से जनशक्ति, यात्रा, कम्प्यूटर और संचार हार्डवेयर का अनुरक्षण, आँकड़े परिपथों और उपग्रह ट्रान्सपोन्डरों के लिए प्रभारों का भुगतान, कम्प्यूटर व्यवस्था से संबंधित आकस्मिक व्यय, क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता तथा सूचना प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के लिए अनुदान सहायता आदि शामिल है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मुख्य रूप से कम्प्यूटर और संचार हार्डवेयर अधिप्राप्त करने हेतु पूंजी लेखे में व्यवस्था है।

The major items of expenditure relate to consolidation, sustaining and upgrading quality of computer based services, commissioning of NICNET Info. Highway nodes in major industrial/export potential cities/towns in India, NICNET based land records computerisation, implementation of Grass Root Input to Districts Programme, extending NICNET services to new districts, Tele-informatics Development and Promotion Programme, Biblio-informatics Services Programme, Modelling Graphics and Design Programme, Project NICSAT, completion of implementation of Courts Information System Programme in all the High Courts, implementation of Project NODE, increasing the scope of GISTNIC programme, and setting up of commercial ventures. The provision on Revenue account includes expenditure mainly on manpower, travel, maintenance of computer and communication hardware, payment of charges for data circuits and satellite transponders, computer related contingent expenses, grant-in-aid for Regional Computer Centre, Calcutta and information technology development programme, etc. The provision on capital account is mainly for procuring computer and communication hardware for various programmes.

5. **अन्य :** इसमें ये शामिल हैः (क) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान (आई.ए.एम.आर.), जो भारत में मानव संसाधनों की प्रकृति, विशेषताओं तथा उपयोगिताओं संबंधी अग्रिम जानकारी के लिए तथा सरकारी विभागों को जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, को अनुदान सहायता, (ख) विश्व-विद्यालयों और अनुसन्धान संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संस्थानों के विकास इत्यादि के लिए आर्थिक विकास संस्थान, (आई.ई.जी)., दिल्ली आदि को अनुदान सहायता, (ग) कृषि-जलवायु से सम्बन्धित क्षेत्रीय आयोजना परियोजना (ए.आर.पी.यू.) सहित व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, (घ) 'आयोजना बोर्ड/राज्यों में जिला आयोजना तन्त्र और लघु स्तर पर "आयोजना और सहायक स्वैच्छिक अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान-सहायता, और (ङ) कार्यालय प्रणालियों, द्वीप विकास प्राधिकरण और प्रबन्धन परामर्शी विकास इत्यादि का आधुनिकीकरण।

5. **Others :** Include (a) Grants-in-aid to the Institute of Applied Manpower Research (IAMR), an autonomous body set up by the Government of India for advancement of knowledge about the nature, characteristic and utilisation of human resources in India and to provide manpower research services to Government Departments; (b) Grants-in-aid to Universities and Research Institutions; Training, Research and Institutions' Development etc., Institute of Economic Growth (IEG), Delhi etc.; (c) Payments for Professional and Special Services, including the Agro-climatic Regional Planning Project (ARPU); (d) Grants-in-aid to States under the scheme "Strengthening of Planning Board/District Planning Machinery" in the States and for Micro-level planning and supporting voluntary agencies; and (e) Modernisation of office systems, Island Development Authority and Management Consultancy Development etc.

6. **सहायता सामग्री और उपस्कर :** उपयोगिता मानचित्र निर्माण और कम्प्यूटर एकीकृत विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं के लिए परामर्श, साफ्टवेयर और उपस्कर हेतु नार्वे सरकार से नोराड (एन.ओ.आर.ए.डी.) सहायता हेतु व्यवस्था की गई है।यह सहायता केवल जिंस के रूप में दी गई है।

6. **Aid Material and Equipment :** The provision has been made for NORAD aid from Government of Norway towards consultancy, software and equipment for projects on utility mapping and computer integrated manufacture. The aid is in the form of kind only.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

मांग संख्या DEMAND No.67

सांख्यिकी विभाग Department of Statistics

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenuc		13.68	54.02	67.70	7.89	55.48	63.37	11.23	57.70	68.93
	पूंजी *Capital*		*3.58*	...	*3.58*	*3.58*	...	*3.58*	*5.77*	...	*5.77*
	जोड़ Total		**17.26**	**54.02**	**71.28**	**11.47**	**55.48**	**66.95**	**17.00**	**57.70**	**74.70**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.83	1.83	...	1.98	1.98	...	2.04	2.04
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	**Census Survey and Statistics**										
2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	2. National Sample Survey	3454	5.33	32.88	38.21	1.75	33.16	34.91	3.68	34.64	38.32
3. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	3. Central Statistical Organisation	3454	2.49	4.16	6.65	0.54	3.91	4.45	2.05	4.59	6.64
4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	4. Indian Statistical Institute	3454	4.34	13.52	17.86	4.34	14.74	19.08	4.00	14.69	18.69
5. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी	5. Economic Advice and Statistics	3454	0.69	1.63	2.32	0.43	1.69	2.12	0.18	1.74	1.92
		3601	0.82	...	0.82	0.82	...	0.82	1.27	...	1.27
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05
		5475	3.58	...	3.58	3.58	...	3.58	5.77	...	5.77
जोड़		*Total*	*5.10*	*1.63*	*6.73*	*4.84*	*1.69*	*6.53*	*7.27*	*1.74*	*9.01*
जोड़- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	**Total-Census Survey & Statistics**		**17.26**	**52.19**	**69.45**	**11.47**	**53.50**	**64.97**	**17.00**	**55.66**	**72.66**
कुल जोड़	***Grand Total***		***17.26***	***54.02***	***71.28***	***11.47***	***55.48***	***66.95***	***17.00***	***57.70***	***74.70***
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Survey and Statistics	13454	17.26	...	17.26	11.47	...	11.47	17.00	...	17.00

1. इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अंक संग्रहण का ऐसा स्थाई और सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाता है, जिससे नीति निर्माण के लिए आकड़ा संकलन की कमियाँ दूर की जा सकें । यह संगठन पूरक आंकड़े एकत्रित करके अन्य मंत्रालयों और अभिकरणों की ओर से आंकड़े इकट्ठे करता है और इन्हें सारणीबद्ध करता है ।

3. यह व्यवस्था केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के लिए है जो मानकीकरण वर्गीकरण विधान संबंधी काम करने, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्टों का संकलन तथा प्रकाशन करने आदि के लिए जिम्मेदार है ।

4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और उसके व्यावहारिक प्रयोग के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान का वित्तपोषण लगभग पूर्णतः सरकार के सहायता अनुदान से किया जाता है ।

5. यह व्यवस्था संगणक केन्द्र के लिए की गई है जो मुख्य रूप से सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों को संसाधित करने की अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य के संबंध में राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी शामिल है ।

1. Provides for secretariat expenditure of the Department.

2. The National Sample Survey Organisation develops a stable and organically connected programme of data collection, designed to fill up gaps in statistics for policy formulation, collects and tabulates data on behalf of other Ministries and agencies by supplementary collection of data.

3. The provision is for the Central Statistical Organisation, which is responsible for methodological work including standardisation, preparation of national accounts, compilation and publication of reports on annual survey of industries etc.

4. The Indian Statistical Institute carries out integrated programmes of research, training and practical application of statistics. The Institute is financed almost wholly by grants-in-aid from Government.

5. The provision is for Computer Centre, which mainly takes care of the data processing requirements of the Department of Statistics. This also includes provision for grants-in-aid to States for National Sample Survey work.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
मांग संख्या DEMAND No.68
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग Department of Programme Implementation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	0.88	0.88	...	1.10	1.10	790.00	1.04	791.04
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**0.88**	**0.88**	...	**1.10**	**1.10**	**790.00**	**1.04**	**791.04**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	0.88	0.88	...	1.10	1.10	...	1.04	1.04
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम राज्य-आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता-विशेष केन्द्रीय सहायता	**Other Special Area Programmes** ***Central Assistance for State Plans-Special Central Assistance***										
2. सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	2. M.Ps. Local Area Development Scheme	2553	...	...	...	...	...	...	790.00	...	790.00
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***0.88***	***0.88***	...	***1.10***	***1.10***	***790.00***	***1.04***	***791.04***

ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay** *	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
राज्य आयोजनाएं	**State Plans**										
1. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1. Other Special Area Programmes	43601	...	...	...	...	...	...	790.00	...	790.00

1. इसमें विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान है।

2. इसमें सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए प्रावधान है जिसे वार्षिक योजना 1995-96 में राज्य योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। स्कीम के अन्तर्गत संसद का प्रत्येक स्थायी सदस्य जिला कलक्टरों को कुल 1 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत स्वरूप के छोटे कार्यों को लोक-सभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में और राज्य सभा के सदस्यों की स्थिति में जिस राज्य से वे चुने जाते हैं उसमें उनके द्वारा नामित किए जाने वाले जिले में, शुरू किए जाने का सुझाव दिया जा सकता है। ये कार्य कलक्टर द्वारा सांसदों से परामर्श करने के बाद सरकारी अभिकरणों के माध्यम से निष्पादित किए जाने हैं।

वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान में विद्यमान स्कीम के लिए 'ग्रामीण विकास का विभाग अनुदान संख्या 70' के लिए मांग में योजना के केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रावधान है।

1. The Provision is for establishment-related expenditure of the Secretariat of the Department.

2. Provision is for MPs Local Area Development Scheme which has been included under State Plan in the Annual Plan 1995-96. Under the Scheme, each sitting Member of Parliament can suggest to the District Collectors small works of capital nature, upto a total of Rs.1 crore, to be taken up in the Constituency of Members of Lok Sabha and in the case of Rajya Sabha Members in a district to be nominated by them in the State from which they have been elected. The works are to be executed through the Government agencies by the Collector after consultation with the Members of Parliament.

Provision for the Scheme in R.E. 1994-95 exists under the Central sector of the Plan in the Demand for Grant No.'70-Department of Rural Development'.

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER
मांग संख्या DEMAND No.69
विद्युत मंत्रालय Ministry of Power

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		78.66	18.58	97.24	63.30	20.23	83.53	125.47	20.75	146.22
पूंजी	*Capital*		*3124.44*	...	*3124.44*	*2815.95*	...	*2815.95*	*2819.14*	...	*2819.14*
जोड़	**Total**		**3203.10**	**18.58**	**3221.68**	**2879.25**	**20.23**	**2899.48**	**2944.61**	**20.75**	**2965.36**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	3.06	3.06	...	3.40	3.40	...	3.50	3.50
विद्युत	***Power***										
सामान्य	**General**										
2. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	2. Central Electricity Authrority	2801	19.20	12.05	31.25	14.75	13.43	28.18	20.91	13.75	34.66
		4801	2.15	...	2.15	3.17	...	3.17	3.90	...	3.90
जोड़		*Total*	*21.35*	*12.05*	*33.40*	*17.92*	*13.43*	*31.35*	*24.81*	*13.75*	*38.56*
3. अनुसंधान और विकास	*3. Research and Development*										
3.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	3.01 Central Power Research Institute, Bangalore	2801	19.45	...	19.45	12.02	...	12.02	68.00	...	68.00
3.02 मूलभूत और बुनियादी अनुसंधान	3.02 Fundamental & Basic Research	2801	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*20.45*	...	*20.45*	*13.02*	...	*13.02*	*69.50*	...	*69.50*
4. प्रशिक्षण	*4. Training*										
4.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एन पी टी आई)	4.01 National Power Training Institute(NPTI)	2801	10.00	2.47	12.47	6.64	2.40	9.04	10.00	2.50	12.50
5. ऊर्जा संरक्षण	5. Energy Conservation	2801	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	13.00	...	13.00
6. सर्वेक्षण और अन्वेषण	6. Survey and Investigation	2801	3.01	...	3.01	2.03	...	2.03	2.06	...	2.06
		3601	...	...	...	0.86	...	0.86	...	...	...
जोड़		*Total*	*3.01*	...	*3.01*	*2.89*	...	*2.89*	*2.06*	...	*2.06*
7. ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर निष्पादन और पारेषण और वितरण हानियों में कमी के लिए प्रोत्साहन स्कीमें	7. Incentives Schemes for better performance of TPS & reduction of T&D losses	3601	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़ - सामान्य	**Total-General**		**75.81**	**14.52**	**90.33**	**61.47**	**15.83**	**77.30**	**124.37**	**16.25**	**140.62**
तापीय विद्युत उत्पादन	**Thermal Power Generation**										
8. बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र	*8. Badarpur Thermal Power Station*										
8.01 राजस्व व्यय	8.01 Revenue Expenditure	2801	...	430.00	430.00	...	430.00	430.00	...	430.00	430.00
8.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	8.02 Less Revenue Receipts	0801	...	-429.00	-429.00	...	-429.00	-429.00	...	-429.00	-429.00
8.03 निवल व्यय	8.03 Net Expenditure		...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
8.04 बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र का विस्तार	8.04 Expansion of Badarpur Thermal Power Station	4801	20.00	...	20.00	22.50	...	22.50	30.00	...	30.00
8.05 ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण	8.05 Renovation and Modernisation of TPS	6801	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*60.00*	*1.00*	*61.00*	*42.50*	*1.00*	*43.50*	*30.00*	*1.00*	*31.00*
पन बिजली उत्पादन	**Hydel Generation**										
9. पन बिजली परियोजनाएं	*9. Hydel Projects*										
9.01 सरदार सरोवर परियोजना	9.01 Sardar Sarover Project	4801	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
पारेषण और वितरण	**Transmission and Distribution**										
10. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	10. Rural Electrification Corporation	2801	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
11. भार प्रेषण केन्द्र	11. Load Despatching Stations	4801	3.65	...	3.65	1.93	...	1.93	3.50	...	3.50
12. राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा परियोजना	12. National High Voltage Direct Current Project	4801	4.21	...	4.21	4.21	...	4.21	4.50	...	4.50
जोड़		*Total*	*12.86*	...	*12.86*	*11.14*	...	*11.14*	*13.00*	...	*13.00*
13. अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें	*13. Inter State Transmission Lines*										
13.01 राज्य सरकारों को ऋण	13.01 Loans to State Governments	7601	4.00	...	4.00	15.00	...	15.00	3.30	...	3.30
13.02 दामोदर घाटी निगम को ऋण	13.02 Loans to Damodar Valley Corporation	6801	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*15.00*	...	*15.00*	*3.30*	...	*3.30*
14. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (राज्य. आयोजना)	14. Rural Electrification Corporation (State Plan)	4801	44.00	...	44.00	44.00	...	44.00	48.00	...	48.00
		6801	272.00	...	272.00	272.00	...	272.00	300.00	...	300.00
जोड़		*Total*	*316.00*	...	*316.00*	*316.00*	...	*316.00*	*348.00*	...	*348.00*
जोड़ - विद्युत	**Total-Power**		**489.67**	**15.52**	**505.19**	**476.11**	**16.83**	**492.94**	**548.67**	**17.25**	**565.92**
15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	15. Investment in Public Enterprises	4801	1448.84	...	1448.84	1208.59	...	1208.59	873.95	...	873.95
		6801	1264.59	...	1264.59	1194.55	...	1194.55	1521.99	...	1521.99
जोड़		*Total*	*2713.43*	...	*2713.43*	*2403.14*	...	*2403.14*	*2395.94*	...	*2395.94*
कुल जोड़	***Grand Total***		***3203.10***	***18.58***	***3221.68***	***2879.25***	***20.23***	***2899.48***	***2944.61***	***20.75***	***2965.36***

ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total
15.01 राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	15.01 National Thermal Power Corporation	12801	874.83	1748.72	2623.55	764.25	1414.80	2179.05	344.33	1356.41	1700.74
15.02 राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	15.02 National Hydro Electric Power Corporation	12801	230.25	1047.66	1277.91	205.86	1074.96	1280.82	111.10	1226.59	1337.69
15.03 विद्युत वित्त निगम	15.03 Power Finance Corporation	12801	175.00	...	175.00	140.00	...	140.00	300.00	...	300.00
15.04 दामोदर घाटी निगम	15.04 Damodar Valley Corporation	12801	30.00	476.04	506.04	30.00	318.00	348.00	20.00	309.00	329.00
15.05 उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	15.05 North Eastern Electric Power Corporation	12801	381.01	141.00	522.01	467.51	73.50	541.01	350.12	148.28	498.40
15.06 नथपा झाकरी विद्युत निगम	15.06 Nathpa Jhakri Power Corporation	12801	469.34	96.99	566.33	335.05	66.86	401.91	440.58	89.42	530.00
15.07 टिहरी जल विकास निगम	15.07 Tehri Hydro Development Corporation	12801	160.00	...	160.00	132.64	...	132.64	211.17	...	211.17
15.08 विद्युत ग्रिड निगम लि.	15.08 Power Grid Corporation	12801	343.00	765.75	1108.75	317.83	609.87	927.70	318.64	1197.20	1515.84
15.09 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	15.09 Rural Electrification Corporation	12801	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	300.00	...	300.00
जोड़	**Total**		2713.43	4276.16	6989.59	2403.14	3557.99	5961.13	2395.94	4326.90	6722.84
ग. आयोजना परिव्यय	**C.PLAN OUTLAY**										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना	**Central Sector Plan**										
विद्युत	Power	12801	2887.10	4276.16	7163.26	2563.25	3557.99	6121.24	2596.61	4326.90	6923.51
राज्य आयोजनाएं	State Plans										
ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification	43601	316.00	...	316.00	316.00	...	316.00	348.00	...	348.00
जोड़	**Total**		3203.10	4276.16	7479.26	2879.25	3557.99	6437.24	2944.61	4326.90	7271.51

1. **सचिवालय** : इसमें विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है।

2. **केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण** : केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय करता है । यह विद्युत साधनों का सर्वेक्षण और अध्ययन करने, विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनका रिकार्ड रखने तथा विद्युत साधनों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है । इसमें तकनीकी नियंत्रण,आयोजन और मानिटरिंग, प्रशिक्षण, डिजाइन और सलाहकारी सेवा, क्षेत्रीय समन्वय और भार प्रेषण केन्द्रों आदि पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

3. **अनुसंधान और विकास** : केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, और केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड विद्युत पर अनुसंधान करने तथा विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं ।

4. **प्रशिक्षण** : इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, हॉट लाइन प्रशिक्षण केन्द्र और विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न है, पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है ।

5. **ऊर्जा संरक्षण** : इसमें ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों जिसमें ऊर्जा लेखा परीक्षण, प्रदर्शन परियोजनाएं, अध्ययन, जागरूकता अभियान आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शामिल हैं, पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल हैं ।

6. **सर्वेक्षण और अन्वेषण** : ओमान गैस पाइपलाइन के लिए गैस परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट और अन्य मदों के लिए व्यवस्था की गई है।

7. **ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्कीम** : इसमें की गई व्यवस्था ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर निष्पादन और ताप विद्युत केन्द्रों के सक्षम और कम खर्चीले प्रचालन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए है । इस स्कीम में तापीय उत्पादन के महत्वपूर्ण वृद्धि और कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के सक्षम और कम खर्चीले प्रचालन के लिए तथा पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है ।

8. **बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र** :

8.01 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, जिसका स्वामित्व केन्द्र सरकार के अधीन है, का प्रबंध एजेंसी आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा

1. **Secretariat:** Provision is for expenditure on the secretariat of Ministry of Power.

2. **Central Electricity Authority** : The Central Electricity Authority coordinates the activities of the various agencies in relation to control and utilisation of national power resources. It is also responsible for carrying out survey and studies, collection and recording of data concerning generation, distribution, utilisation and development of power resources. Provision has been made for expenditure on Technical Control, Planning and Monitoring, Training, Designs & consultancy, Regional coordination and Load Despatch Stations etc.

3. **Research and Development** : Central Power Research Institute,Bangalore and Central Board of Irrigation and Power are engaged in research on power and in imparting training in various aspects of power station operation and maintenance.

4. **Training** : Provides for expenditure on National Power Training Institute, Hotline Training Centre and Power System Training Institute which are engaged in imparting training in various aspects of power stations operation and maintenance.

5. **Energy Conservation** : Provides for expenditure on Energy Conservation activities which includes promotional activities like energy audits, demonstration projects, studies, training, awareness campaign etc.

6. **Survey & Investigation** : Provision has been made for feasibility report for Gas projects for Oman Gas pipeline and other items.

7. **Incentive Scheme for better performance of Thermal Power Stations** : The provision is intended for better performance of thermal power stations and schemes for incentive award for efficient & economic operation of thermal power stations. The scheme envisages reward for significant increase in thermal generation and for efficient and economic operation of coal and lignite based thermal power stations and for reducing Tranmission and Distribution losses.

8. ***Badarpur Thermal Power Station*** :

8.01 The Management of Badarpur Thermal Power Station which is owned by Government of India, is being managed by NTPC on

किया जा रहा है। चरण I, II और III में सभी पांच इकाइयां वाणिज्यिक कार्यचालन के अधीन हैं। वर्ष 1995-96 के लिए 4200 मिलियन यूनिट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। 429.00 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों को हिसाब में लेते हुए, बजट अनुमान, 1995-96 में केन्द्र के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए केवल 1 करोड़ रुपए (आयोजना-भिन्न) की सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

बजट में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के शेष कार्य में चरण-II (1.64 करोड़ रुपए), चरण-III (4.52 करोड़ रुपए), नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए (10.59 करोड़ रुपए) और राख के गड्ढे की भूमि के लिए (12.59 करोड़ रुपए) और अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए (0.66 करोड़ रुपए) के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

9. **सरदार सरोवर परियोजना:** भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के संसाधनों में लगभग 300 करोड़ रुपए के अन्तर को पूरा करने में सहयोग देने के लिए सहमत हो गई है ताकि यह इस परियोजना की लागत में इसके 57 प्रतिशत के हिस्से का अंशदान कर सके और इसके बदले में भारत सरकार को विद्युत उत्पादन में समनुरूप शेयर प्राप्त होगा जिसे केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित किया हुआ माना जाएगा। इस परियोजना के बिजली संघटक का चालू अनुमान 1703.75 करोड़ रुपए का है। इसकी क्षमता 1450 मेगावाट आंकी गई है। मार्च, 1994 तक 138.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। सं.अ., 1994-95 में 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जबकि ब.अ., 1995-96 में बराबर की राशि की व्यवस्था की गई है।

10. **कुटीर ज्योति कार्यक्रम:** हरिजनों और आदिवासियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण निर्धनों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के घरों में एकल प्वाइंट बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में "कुटीर ज्योति" स्कीम शुरु की। इस स्कीम के अधीन, आदिवासी और हरिजन परिवारों को 2.27 लाख कनेक्शनों सहित 11.82 लाख एकल प्वाइंट बिजली के कनेक्शन जारी किए जाने थे। वर्ष 1993-94 के दौरान 10.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और वर्ष 1994-95 के दौरान अनुमानित निर्गमन 5.00 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान, 1995-96 में 5.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

11. **भार प्रेषण केन्द्र:** एक मूल 3-टीयर नेटवर्क भार प्रेषण केन्द्र, एक राष्ट्रीय स्तर पर, पांच क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं तथा उनमें से अनेक राज्य/ प्रणाली स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में उत्पादन तथा पारेषण सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र राज्य भार प्रेषण केन्द्रों का समन्वय करेंगे। एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों का समन्वय किया जायेगा। आर.एल.डी.सी. तथा एन.एल.डी.सी.एस. की स्थापना केन्द्रीय आयोजना योजना का एक हिस्सा है। उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों के भार प्रेषण केन्द्रों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए एकीकृत योजना की भी योजना बनाई गई है।

12. **राष्ट्रीय एच. वी. डी. सी. परियोजना:** हाल ही में देश में हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एच. वी. डी. सी) पारेषण की नई प्रौद्योगिकी शुरू की गई है। लोअर सिलेरू (आं. प्र) और बरसूर (म.प्र.) के बीच विद्यमान 220 किलोवाट (डी/सी) ए. सी. लाइन का उपयोग करके 100 मेगावाट, 100 किलोवाट, 6 पल्स प्रचालन डी. सी. लिंक डिजाइन और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय एच. वी. डी. सी. परियोजना का पहला चरण अक्तूबर, 1991 में पूरा हो गया था और यह कार्य कर रहा है। लगभग 103.98 करोड़ रुपए (सीमा शुल्क को छोड़कर) की अनुमानित लागत पर इस लिंक को 200 मेगावाट, 200 किलोवाट, 12 पल्स प्रचालन तक बढ़ाने के लिए दूसरे चरण को सितम्बर, 1993 में सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया था इस परियोजना के लिए वित्त भारी उद्योग विभाग (30 करोड़ रुपए) और इलेक्ट्रोनिक विभाग, विद्युत मंत्रालय, बी.एच.ई.एल, ए.पी.एस.ई.बी. और एम.पी.एस.ई.बी प्रत्येक द्वारा 15 करोड़ रुपए की दर से प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के लिए विद्युत मंत्रालय के 1994-95 के बजट अनुमान में 4.21 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में 4.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

13 **अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें:** यह स्कीम क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सशक्त विद्युत प्रणाली को जोड़ने तथा उसे एक अन्तर-संबद्ध/समेकित ढंग से संचालित करने के लिए अन्तर्राज्यीय/अन्तर-क्षेत्रीय कड़ी का निर्माण करने से संबंधित है ताकि

agency basis. All the five units in stage I, II and III are under commercial operation. The generation target for 1995-96 has been fixed at 4200 million units. Taking into account the anticipated revenue receipts of Rs.429.00 crores, only a token provision of Rs.1 crore (Non-Plan) has been made in B.E. 1995-96 for operation and maintenance of the Station.

Provision has also been made for expenditure in the budget for residual works of Badarpur Thermal Power Station in Stage-II (Rs.1.64 crores), Stage-III (Rs.4.52 crores), renovation and modernisation (Rs.10.59 crores), land for ash pond (Rs.12.59 crores) and fire protection system (Rs.0.66 crores).

9. **Sardar Sarover Project :** The Government of India have agreed to contribute approximately Rs.300 crores towards the gap in resources of Madhya Pradesh Government to enable it to contribute its share of 57% of the cost of this project and in return Government of India would get a matching share in the power generation which would be treated as if generated in the Central sector. The current estimates of the power component of the project are Rs.1703.75 crores. Its capacity is envisaged to be 1450MW. An amount of Rs.138.89 crores has been released upto March 1994 and a provision of Rs.30 crores has been made in RE 1994-95 while an equal amount has been provided in BE 1995-96.

10. **Kutir Jyoti Programme:** In order to improve the quality of life of the rural poor below poverty line including Harijans and Adivasi families, Central Government launched the "Kutir Jyoti" scheme in 1989 for extending single point light connection to the house holds of the poor section of the society. Under this scheme, 11.82 lakh single point light connections were to be released including 2.27 lakhs connections to the Adivasi and Harijans Families. A sum of Rs.10.00 crores has been released during 1993-94 and the anticipated release during 94-95 is Rs.5.00 crores. A provision of Rs.5.00 crores has been made in BE 1995-96.

11. **Load Despatching Stations :** A basic 3-tier hierarchical network of load despatch centres, with one at the national level, five at the regional level have been setup and a number of Load Despatch Centres at different State/System level, is in the process of being set up. The Regional Load Despatch Centres(RLDCs) will coordinate the activities of State Load Despatch Centres (SLDCs) in the region so as to ensure optimum utilisation of generation and transmission facilities in the region. A National Load Despatch Centre (NLDC) will eventually coordinate the activities of the five RLDCs. The establishment of RLDCs and NLDC forms part of Central Plan schemes. Unified schemes have also been planned for upgradation/modernisation of the load despatch centres in Northern, Southern, Western and Eastern Regions.

12. **National HVDC Project :** A new technology of High Voltage Direct current (HVDC) Transmission has been introduced in the country recently. The first stage of National HVDC Project using the existing 220 KV (D/C) AC line between lower Sileru (AP) and Barsur (MP), to design and develop 100 MW, 100 KV, 6 pulse operation DC link was completed in October, 1991 and is in operation. The second stage for upgrading this link to 200 MW, 200 KV, 12 pulse operation, at an estimated cost of about Rs. 103.98 crores (excluding custom duty), has been approved by the Government in September, 1993. The finances for this project will be provided by Department of Heavy Industry (Rs. 30 crores) and the Department of Electronics, Ministry of Power, BHEL, APSEB and MPSEB at the rate of Rs. 15 crores each. A provision of Rs. 4.21 crores was provided in BE 1994-95 and a provision of Rs.4.50 crores has been made in BE 1995-96.

13. **Inter State Transmission Lines :** The Scheme relate to construction of Inter-State/Inter-Regional links to connect the contiguous power systems and operate them in an inter connected/integrated manner with a view to facilitate the formation of

अन्ततः एक अखिल भारतीय ग्रिड बन सके। ये स्कीमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देकर क्रियान्वित की जाती हैं। यह स्कीम, केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित की जा रही है, जिसके लिए राज्य को शत-प्रतिशत ऋण सहायता दी जा रही है। बजट अनुमान 1995-96 में 3.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

14. **राज्य आयोजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम :** देश में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के वित्तपोषण और सहकारी विद्युत संस्थाओं को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से एक सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जुलाई, 1969 में स्थापना की गई थी। इसके क्रियाकलापों के लिए जिनमें राज्य बिजली बोर्डों में लाइन-हानियों को कम करने के लिए प्रणाली-सुधार के लिए ओ.ई.सी.एफ. की सहायता-प्राप्त योजना को क्रियान्वित करना शामिल है, निगम को इक्विटी तथा ऋणों के रूप में बजटीय समर्थन देने के लिए व्यवस्था की गई है।

15. ***सरकारी उद्यमों में निवेश :-***

15.01 **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) :** केन्द्रीय क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. की स्थापना नवम्बर, 1975 में मुख्य रूप से सुपर तापीय विद्युत परियोजना के कोयला गर्त मुख निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो 13 फरवरी, 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार से लिया गया था, के लिए निगम ने 31.3.94 के अनुसार 14529 मेगावाट की क्षमता स्थापित की है। एन.टी.पी.सी द्वारा इस समय बहुत सी परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। एन.टी.पी.सी ने कतिपय नई परियोजनाओं का कार्यान्वियन भी शुरू किया है जैसे विंध्याचल-II, कायम कुलम, मंगलोर रिहन्द-II और ऊंचाहार-II परियोजनाएं, जिनके लिए बहुपक्षीय सहायता प्राप्त होगी।

15.02 **नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी):** नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में पन विद्युत परियोजनाओं के तीव्र, सक्षम और कम खर्चीले रूप से पूरा करने और प्रचालित करने की दृष्टि से वर्ष 1975 में की गई थी। कारपोरेशन ने अभी तक 7 पन विद्युत परियोजनाएं, यथा हिमाचल प्रदेश में बैरासिउल पन विद्युत परियोजना (1982), लोकतक, पनविद्युत परियोजना, मणिपुर (1983), जम्मू और कश्मीर में सलाल पनविद्युत परियोजना, चरण-II (1987), उत्तरप्रदेश में टनकपुर पनविद्युत परियोजना (1992), हिमाचल प्रदेश में चमेरा, चरण-I और नेपाल में देवीघाट पनविद्युत परियोजना (1984)। कारपोरेशन इस समय 6 पनविद्युत परियोजनाओं यथा, सलाल, चरण-II, जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती और ऊरी परियोजना, सिक्किम में रंगीट पनविद्युत परियोजना; उत्तरप्रदेश में धौलीगंगा परियोजना, चरण-I और भूटान में कुरीचू परियोजना के निर्माण में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में चमेरा, चरण-II (300 मेगावाट) और बिहार में कोयल कारो (710 मेगावाट) के निष्पादन को कारपोरेशन द्वारा निर्माण के लिए हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

15.03 **पावर फाईनेन्स कारपोरेशन (पी.एफ.सी.):** वर्ष 1986 में पी.एफ.सी. की स्थापना विद्युत क्षेत्र में विभिन्न किस्म की परियोजनाओं के लिए सावधि वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, इसने 1988-89 में पूरे पैमाने पर कार्य शुरू कर दिया था। प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निगम द्वारा पता लगाए गए क्षेत्रों में ये शामिल है- विद्यमान तापीय विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण और नवीकरण, विद्यमान पन-बिजली केन्द्रों का प्रचालन। आठवीं योजना अवधि के दौरान पारेषण और वितरण योजनाएं, शहरी वितरण योजनाएं और उत्पादन परियोजनाओं से अतिरिक्त क्षमता मिलने की संभावना है। लाभग्राही राज्य बिजली बोर्डों के कार्य में समग्र तकनीकी कुशलता लाने के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन क्रमशः विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

15.04 **दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी):** डी.वी.सी की स्थापना जुलाई, 1948 में तापीय और पन-बिजली विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए स्कीमों के संवर्धन और प्रचालन के लिए की गई थी। निगम के प्रमुख कार्यों में दामोदर नदी और सहायक नदियों के कारण बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति की निकासी और बिजली का उत्पादन और वितरण करना शामिल है। इस समय दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत परियोजना (630 मेगावाट) को निष्पादित कर रहा है। मेजिया ताप विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए निधि संबंधी बाधा दूर करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 दोनों के लिए इस परियोजना हेतु 30 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया था। यूनिट सं. और की चालू करने की अद्यतन अनुमानित तारीख क्रमशः

regional grids, leading ultimately to an All India Grid. The schemes are executed through loans to States and Union Territories. The scheme is being financed by the Centre as a Centrally sponsored scheme by way of 100% loan assistance to the states. Rs.3.30 crores have been provided in BE 1995-96.

14. **Rural Electrification Corporation for State Plan :** R.E.C. was set up in July, 1969 as a Government owned company with the principal objective of financing rural electrification schemes and promoting rural electric cooperatives. Provision has been made for providing Budgetary support to the Corporation by way of equity and loans for its activities including for implementation of an OECF assisted scheme of system improvement to reduce line losses in State Electricity Boards.

15. ***Investment in Public Enterprises :-***

15.01 **National Thermal Power Corporation (NTPC) :** NTPC was set up in November, 1975 in the Central Sector with the main objective of construction of Super Thermal Power Projects at Coalpit heads. The Corporation has commissioned a total capacity of 14529 MW as on 31.3.94. A number of projcets are at present under various stages of execution by NTPC. NTPC has also taken up implementation of certain new projects like Vindhyachal-II, Kayam Kulam, Mangalore Rihand-II and Unchahar-II projects which are to receive multilateral assistance.

15.02 **National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) :** National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) was set up in 1975 with a view to securing speedy, efficient and economical completion and operation of hydro electric projects in the central sector. The Corporation has so far completed construction of 7 Hydro-electric projects, namely, Bairasiul H.E. Project in H.P. (1982), Loktak H.E. Project, Manipur (1983), Salal H.E. Project Stage-I in J & K (1987), Tanakpur H.E. Project in U. P. (1992), Chamera, Stage-I in H.P. (1994) and Devighat H.E. Project in Nepal (1984). The Corporation is presently engaged in the construction of 6 Hydro-electric Projects namely, Salal stage-II, Dulhasti and Uri projects in J&K, Rangit H.E. Project in Sikkim, Dhauliganga Project Stage-I in U.P. and Kurichu Project in Bhutan. In addition, execution of Chamera stage-II (300 MW) in H.P. and Koel Karo (710 MW) in Bihar are proposed to be taken up for construction by the corporation.

15.03 **Power Finance Corporation(PFC):** The PFC was set up in 1986, with the objective of providing term finance for the various kinds of projects in the power sector started its operation on full scale in 1988-89. The important areas identified by the Corporation for providing financial assistance on priority basis include modernisation & renovation of existing thermal power stations, uprating of existing hydro power stations. Transmission and Distribution Schemes, Urban distribution Schemes and generation projects expected to bring additional capacity during the 8th Plan period. PFC is implementing two schemes aided by World Bank and Asian Development Bank respectively, for bringing out overall Technical efficiency in the working of beneficiary State Electricity Boards.

15.04 **Damodar Valley Corporation (DVC):** DVC was established in July, 1948 for the promotion and operation of schemes for the generation, transmission and distribution of thermal and hydro-electric power. The main functions of the Corporation are control of flood caused by Damodar river and tributaries, promotion of irrigation, water supply, drainage and generation and distribution of electricity. Presently DVC is executing Mejia Thermal Power Project (630 MW) in West Bengal. To over come the fund constraint for the completion of the Mejia Thermal Power Project, MOP had decided in consultation with the Planning Commission to provide Budgetary support of Rs.30 crores for this Project both in 1993-94 and 1994-95. Latest anticipated dates of commissioning are March, 1995, March, 1996 and December,

मार्च, 1995, मार्च, 1996 और दिसम्बर, 1996 हैं। बजट अनुमान, 1995-96 में 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है।

15.05 **उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.)** : इसकी स्थापना 1976 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत विकास अभिकरण के रूप में की गई थी। इसके कार्यक्रम में उत्तर-पूर्वी परिषद और विद्युत मंत्रालय दोनों के द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं। इस समय निगम काठलगुड़ी में असम गैस आधारित विद्युत परियोजना और कोपिली विस्तार परियोजना का निष्पादन कर रहा है। निगम ने निष्पादन के लिए अगरतला गैस-आधारित परियोजना को भी हाथ में लिया है।

15.06 **नाथपा झाकरी विद्युत निगम (एन.जे.पी.सी.)** : नाथपा झाकरी विद्युत निगम नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना और के कार्य-निष्पादन के लिए 24 मई, 1988 को निगमित किया गया था। यह निगम भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। दोनों भागीदार परियोजना की लागत को क्रमश:75.25 के अनुपात में बांटेंगे ।

15.07 **टिहरी पन-बिजली विकास निगम (टी.एच.डी.सी.)** : टिहरी पन-बिजली विकास निगम टिहरी में भागीरथी नदी और इसकी सहायक नदियों के पन-बिजली संसाधनों और अनुप्रवाह जिसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पारेषण के लिए टिहरी काम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, के एकीकृत और कुशल उपयोग के लिए जुलाई, 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था । इस समय निगम परियोजना के चरण-1 पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा।

15.08 **पावर ग्रिड कारपोरेशन** : पावर ग्रिड कारपोरेशन के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.), उच्च वोल्टेज वाली सीधे करेंट (एच.वी.डी.सी) की पारेषण प्रणाली और संबद्ध उप-केन्द्र के साथ-साथ विश्वसनीयता, सुरक्षा और किफायत से क्षेत्र में और इसके साथ-साथ क्षेत्रों के बीच भार केन्द्र से केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उत्पादन स्रोतों से विद्युत के बड़े ब्लाक ले जाने के उद्देश्य से संचार सुविधाओं और भार प्रेषण निर्माण करने को हाथ में लेने के लिए 3 अक्तूबर, 1988 को निगमित किया गया था। निगम ने एन.टी.पी.सी, एन.एच.पी.सी और एन.ई.ई.पी.सी.ओ., एन.एल.सी, एन.पी.सी.एल. आदि की पारेषण लाइनों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया है।

15.09 **ग्रा. वि. नि. - प्रणाली सुधार** : यह व्यवस्था ग्रा. वि. नि. के माध्यम से नौ राज्यों में प्रणाली सुधार और छोटी पन बिजली परियोजनाओं के लिए है । यह लाइन क्षतियों को कम करने और विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के माध्यम से आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने में सहायता देगा । छोटी पनबिजली परियोजनाएं स्थानीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेंगी ।

1996 of Unit Nos. I, II and III respectively. A provision of Rs.20 crores has also been made in BE 1995-96.

15.05 **North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) :** The NEEPCO was set up in 1976 as a Power Development Agency in North Eastern Region. Its programmes are both financed by the North-Eastern Council and the Ministry of Power. At present, the Corporation is executing Assam Gas Based Power Project at Kathalguri and Kopili extension project. The Corporation has also taken up Agartala gas based Project for execution.

15.06 **Nathpa-Jhakri Power Corporation(NJPC) :** Nathpa Jhakri Power Corporation was incorporated on 24th May, 1988 for execution of Nathpa Jhakri Power Project. The Corporation is a Joint Venture of the Government of India and Government of Himachal Pradesh. The two partners will share the cost of the project in the ratio of 75: 25 respectively.

15.07 **Tehri Hydro Development Corporation (THDC)** : Tehri Hydro Development Corporation was incorporated as a joint venture of Government of India and Government of Uttar Pradesh in July, 1988 for integrated and efficient utilisation of the hydro resources of Bhagirathi river and its tributaries at Tehri and down stream known as the Tehri Complex for irrigation, power generation and transmission. Presently the Corporation is concentrating on Stage-I of the project, which will generate 1000 MWof Power.

15.08 **Power Grid Corporation**: The Power Grid Corporation was incorporated on 3rd October, 1988 to undertake the programme of Extra High Voltage (EHV), High Voltage Direct Current (HVDC) transmission system and associated sub-station as well as construct load despatch & communication facilities in a coordinated and efficient manner with a view to move large blocks of power from various generation sources under Central-Sector to the load centres within the region, as well as across the region, with reliability, security and economy. The Corporation has taken over the construction of transmission lines of NTPC, NHPC, NEEPCO, NLC, NPCL etc.

15.09 **R.E.C. System Improvement** : The provision is intended for financing system improvement & small hydel projects in nine states through REC. This will help in reducing line losses and improve the quality of supply, through Power System improvement project. Small hydel projects will help in augmenting power generation in local areas.

ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.70

ग्रामीण विकास विभाग Department of Rural Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		7009.00	14.64	7023.64	7319.99	16.81	7336.80	7700.00	18.06	7718.06
पूंजी	*Capital*		*1.00*	...	*1.00*	*0.01*	...	*0.01*	...	...	...
जोड़	**Total**		**7010.00**	**14.64**	**7024.64**	**7320.00**	**16.81**	**7336.81**	**7700.00**	**18.06**	**7718.06**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	4.16	4.16	...	4.30	4.30	...	4.50	4.50
जल पूर्ति और सफाई	**Rural Water Supply & Sanitation**										
2. त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	2. Accelerated Rural Water Supply Programme	3601	821.50	...	821.50	777.92	...	777.92	785.05	...	785.05
		3602	1.08	...	1.08	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
		2215	67.42	0.63	68.05	31.48	0.73	32.21	324.35	0.74	325.09
जोड़		*Total*	*890.00*	*0.63*	*890.63*	*810.00*	*0.73*	*810.73*	*1110.00*	*0.74*	*1110.74*
3. ग्रामीण सफाई	3. Rural Sanitation:	3601	46.75	...	46.75	47.00	...	47.00	36.75	...	36.75
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		2215	13.15	...	13.15	12.90	...	12.90	23.15	...	23.15
जोड़		*Total*	*60.00*	...	*60.00*	*60.00*	...	*60.00*	*60.00*	...	*60.00*
जोड़-जल पूर्ति और सफाई	**Total-Water Supply & Sanitation**		**950.00**	**0.63**	**950.63**	**870.00**	**0.73**	**870.73**	**1170.00**	**0.74**	**1170.74**
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**Special Programmes for Rural Development**										
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	*Integrated Rural Development Programmes*										
4. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता	4. Subsidy to District Rural Development Agencies	2501	575.00	...	575.00	575.10	...	575.10	634.75	...	634.75
5. अन्य कार्यक्रम-एकीकृत ग्रामीण विकास	5. Other programmes-IRD	2501	2.73	...	2.73	3.63	...	3.63	4.18	...	4.18
		3601	45.85	...	45.85	45.85	...	45.85	0.85	...	0.85
		3602	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*48.70*	...	*48.70*	*49.60*	...	*49.60*	*5.10*	...	*5.10*
जोड़-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Total-Integrated Rural Development Programmes**		**623.70**	...	**623.70**	**624.70**	...	**624.70**	**639.85**	...	**639.85**
6. स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण	6. Training of Rural Youth for Self Employment	3601	13.93	...	13.93	8.93	...	8.93	13.93	...	13.93
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		2501	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*14.00*	...	*14.00*	*9.00*	...	*9.00*	*14.00*	...	*14.00*
7. प्रखंड स्तर के प्रशासन का सुदृढीकरण	7. Strengthening of block level administration:	3601	50.88	...	50.88	50.88	...	50.88	15.73	...	15.73
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		2501	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*51.30*	...	*51.30*	*51.30*	...	*51.30*	*16.15*	...	*16.15*
8. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	8. Drought Prone Areas Programme	3601	84.90	...	84.90	84.90	...	84.90	...	...	...
		2501	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	125.00	...	125.00
जोड़		*Total*	*85.00*	...	*85.00*	*85.00*	...	*85.00*	*125.00*	...	*125.00*
9. मरूस्थलीय क्षेत्रों का विकास	9. Desert Development Programme	3601	84.00	...	84.00	84.50	...	84.50	...	...	...
		2501	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	100.00	...	100.00
जोड़		*Total*	*85.00*	...	*85.00*	*85.00*	...	*85.00*	*100.00*	...	*100.00*
जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**Total-Special Programmes for Rural Development**		**859.00**	...	**859.00**	**855.00**	...	**855.00**	**895.00**	...	**895.00**
ग्रामीण रोजगार	**Rural Employment**										
10. जवाहर रोजगार योजना	10. Jawahar Rozgar Yojna	2505	2373.59	...	2373.59	2368.24	...	2368.24	3110.34	...	3110.34
		3601	1477.90	...	1477.90	1165.25	...	1165.25	750.05	...	750.05
		3602	3.51	...	3.51	1.51	...	1.51	1.61	...	1.61
जोड़		*Total*	*3855.00*	...	*3855.00*	*3535.00*	...	*3535.00*	*3862.00*	...	*3862.00*
11. रोजगार बीमा योजना	11. Employment Assurance Scheme	2505	1200.00	...	1200.00	1140.00	...	1140.00	1570.00	...	1570.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार	**Total-Rural Employment**		**5055.00**	...	**5055.00**	**4675.00**	...	**4675.00**	**5432.00**	...	**5432.00**
भूमि सुधार	**Land Reforms**										
12. भूमि सुधार	12. Land reforms	3601	24.48	...	24.48	27.27	...	27.27	37.02	...	37.02
		3602	1.00	...	1.00	0.20	...	0.20	0.75	...	0.75
		2506	14.02	...	14.02	0.35	...	0.35	1.73	...	1.73
जोड़		*Total*	*39.50*	...	*39.50*	*27.82*	...	*27.82*	*39.50*	...	*39.50*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Other Rural Development Programmes**										
13. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	13. Development of women and children in rural areas	2515	20.96	...	20.96	30.96	...	30.96	65.00	...	65.00
		3601	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	*21.00*	...	*21.00*	*31.00*	...	*31.00*	*65.00*	...	*65.00*

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	1994-95 Budget बजट आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	1994-95 Revised संशोधित आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	1995-96 Budget बजट आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
14. प्रशिक्षण	14. Training	2515	17.00	2.40	19.40	18.00	2.40	20.40	17.50	3.00	20.50
		3601	6.48	...	6.48	7.73	...	7.73	6.25	...	6.25
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	*23.50*	*2.40*	*25.90*	*25.75*	*2.40*	*28.15*	*23.75*	*3.00*	*26.75*
15. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	15. Other programmes of rural development	2515	14.25	0.88	15.13	16.75	0.88	17.63	20.50	0.92	21.42
		3601	6.75	...	6.75	2.25	...	2.25	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*21.00*	*0.88*	*21.88*	*19.00*	*0.88*	*19.88*	*22.50*	*0.92*	*23.42*
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Total-Other Rural Development Programme**		**65.50**	**3.28**	**68.78**	**75.75**	**3.28**	**79.03**	**111.25**	**3.92**	**115.17**
अन्य कृषि कार्यक्रम	**Other Agricultural Programmes**										
16. कृषि विपणन	16. Agricultural marketing	2435	8.24	6.57	14.81	3.89	8.50	12.39	7.25	8.90	16.15
		3601	1.76	...	1.76	0.03	...	0.03	...	...	...
		4435	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*11.00*	*6.57*	*17.57*	*3.93*	*8.50*	*12.43*	*7.25*	*8.90*	*16.15*
जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम	**Total-Other Agricultural Programmes**		**11.00**	**6.57**	**17.57**	**3.93**	**8.50**	**12.43**	**7.25**	**8.90**	**16.15**
आवास	**Housing**										
17. ग्रामीण आवास	17. Rural Housing	2216	1.00	...	1.00	...	...	...	0.50	...	0.50
		3601	29.00	...	29.00	22.50	...	22.50	44.00	...	44.00
		3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़-आवास	**Total-Housing**		**30.00**	...	**30.00**	**22.50**	...	**22.50**	**45.00**	...	**45.00**
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**Other Special Area Programmes**										
18. संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	18. MPs' Local Area Development Scheme	2553	...	...	...	790.00	...	790.00	...	...	...
19. सहायता सामग्री और उपस्कर सकल	19. Aid Material and Equipment	3606	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12	...	0.10	0.10
घटाइये-कार्यशील मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct- Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-0.12*	*-0.12*	...	*-0.12*	*-0.12*	...	*-0.10*	*-0.10*
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***7010.00***	***14.64***	***7024.64***	***7320.00***	***16.81***	***7336.81***	***7700.00***	***18.06***	***7718.06***
ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. आवास और शहरी विकास निगम	1. Housing and Urban Development Corporation	22216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय	**C.Plan Outlay:**										
केन्द्रीय योजना	**Central Plan:**										
1. जल पूर्ति और सफाई	1. Water Supply and Sanitation	22215	950.00	...	950.00	870.00	...	870.00	1170.00	...	1170.00
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2. Special Programmes for Rural Development	12501	859.00	...	859.00	855.00	...	855.00	895.00	...	895.00
3. ग्रामीण रोजगार	3. Rural Employment	12505	5055.00	...	5055.00	4675.00	...	4675.00	5432.00	...	5432.00
4. भूमि सुधार	4. Land Reforms	12506	39.50	...	39.50	27.82	...	27.82	39.50	...	39.50
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5. Other Rural Development Programmes	12515	65.50	...	65.50	75.75	...	75.75	111.25	...	111.25
6. अन्य कृषि कार्यक्रम	6. Other Agricultural Programmes	12435	11.00	...	11.00	3.93	...	3.93	7.25	...	7.25
7. आवास	7. Housing	22216	30.00	...	30.00	22.50	...	22.50	45.00	...	45.00
8. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	8. Other Special Area Programmes	22553	...	...	...	790.00	...	790.00	...	...	...
जोड़	**Total**		**7010.00**	...	**7010.00**	**7320.00**	...	**7320.00**	**7700.00**	...	**7700.00**

1. इसमें ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और राज्यों द्वारा गाँवों में पीने के पानी की स्कीमें, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं और समस्या ग्रस्त गावों को शामिल करने के कार्य की गति बढ़ाने के लिए राज्य के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा समान व्यवस्था करने के तहत होती है। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल निगम (इसका नाम दुबारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया है) शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य समस्त ग्रामीण जन संख्या को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति प्रदान करने की विभिन्न समस्याओं पर एकीकृत, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय दृष्टियों से काबू पाना है।

3. ग्रामीण सफाई की योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने के समग्र उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन किए जा रहे प्रयासों में और वृद्धि करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Department of Rural Development.

2. Provision of safe drinking water supply in rural areas is the responsibility of the State Governments and schemes for supply of drinking water in villages are formulated and implemented by the States under the State sector Minimum Needs Programme (MNP). To supplement the State resources and to accelerate the pace of coverage of problem villages, Central assistance is being provided under the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) with 100% grants-in-aid subject to a matching provision being made by the State Governments under MNP. The National Drinking Water Mission (since re-named as Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission) was launched in 1986 with the objective of tackling various problems of providing safe drinking water supply to the entire rural population with integrated, scientific and technological approaches.

3. The scheme of rural sanitation aims at supplementing the efforts made under different Central and State sector programmes for improving sanitary facilities in the rural areas with the over-all objective of improving the quality of life in the rural areas. The programme

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अलग अलग घरो के लिए सैनेटरी शौचालयों का निर्माण करना, महिला के लिए ग्राम काम्प्लक्स बनाना, नालियां और अन्य सफाई सुविधाएं बनाना शामिल है । इस योजना के तहत, सामानुभोगी/पंचायत के अंशदान जहां भी मांगा जाए, को छोड़कर पूरे व्यय का वहन निर्धारित अनुपात में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

4. और 5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य दरिद्रता रेखा के नीचे के निर्धारित परिवारों को ऋण और आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के मिश्रण से आय प्राप्त कराने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने आय के स्तर को ऊंचा उठा सकें और वे दरिद्रता की रेखा को पार कर सकें । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को ग्रामों के लक्ष्यगत समूहों के गरीब सदस्यों को राज सहायता देने के लिए राशियां दी जाती हैं। बैंक ऋण प्रदान करते है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर मात्रा से पूरा किया जाएगा । इसके अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केन्द्रीय परिव्यय में अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी सेवा से नीचे के ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किटें देने की व्यवस्था शामिल है।

6. ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की स्कीम का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यगत समूहों वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को हुनरों का प्रशिक्षण देना है ताकि वे स्वतः रोजगार / नौकरी कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति और टूल किटें मुफ्त दी जाती हैं। स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की स्कीम के अधीन केन्द्र, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के तकनीकी संस्थानों, जो प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ कराने के लिए इस स्कीम के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करते है, को भी सहायता प्रदान की जाती है।

7. ब्लाक स्तर के प्रशासन को सुदृढ बनाने की स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रशासन को सुदृढ करना है ।

8. डी.पी.ए.पी. एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो भूमि, जल और मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य मे तैयार किया गया है। यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है और इसकी वित्त व्यवस्था केन्द्र और राज्यों द्वारा समतुल्य आधार पर की जाती है । यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 96 जिलों के 627 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

9. मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसकी 100 प्रतिशत वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना और भूमि , जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं भूमि की जुताई करना है ताकि दीर्घावधिक दृष्टि से पारिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा सके और सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि पर खेती, आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर ऊंचा किया जा सके । डी.डी.पी.के अन्तर्गत 5 राज्यों के 21 जिलों में 131खण्ड आतेहै ।

10. जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना, ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र जीवन-स्तर में सुधार करना है । यह कार्यक्रम सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 80:20 की भागीदारी से किया जा रहा है । राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देश की कुल ग्रामीण गरीब जनता और राज्य/के.शा.प्रदेश की ग्रामीण गरीब जनता के समानुपात में दी जाती है । जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन की नीति 1992-93 में संशोधित की गई थी । ज.रो.यो. के अन्तर्गत अब प्रतिवर्ष आबंटित की जाने वाली 75 प्रतिशत धनराशियों का उपयोग देश भर में योजना के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा, 20 प्रतिशत धनराशियों का उपयोग देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में ऐसे पिछड़े हुए चुनिन्दा 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को तीव्र करने के लिए किया जाएगा जहां पर बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी का बाहुल्य है और ज.रो.यो. के अन्तर्गत शेष 5 प्रतिशत राशियों (बशर्ते अधिकतम 75 करोड़ रुपए) का उपयोग ऐसी विशेष और नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा जिनका उद्देश्य सूखा रोधी और जल-विभाजक विकास, आदि है । लाखों लोगों की भलाई की स्कीम के लिए संसाधनों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है । इसी प्रकार, आई.ए.वाई. के लिए जवाहर रोजगार योजना संसाधनों को 6 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें अनु.जा./अनु.जन.जा. भिन्न ग्रामीण गरीबों को भी शामिल कर लिया गया है बशर्ते वे कुछ शर्तें पूरी करते हों ।जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जवाहर रोजगार योजना की निधियों का 2 प्रतिशत तक अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकती है । ज.रो.यो.एम.डब्ल्यू.एस.और प्रशासनिक व्ययों के लिए निर्दिष्ट निधियों को रखने के पश्चात जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियों का 80 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को जारी करता है ताकि वे अपनी परियोजनाएं कार्यान्विन कर सकें और शेष 20 प्रतिशत राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आगे किए जाने वाले कार्यों के लिए रख ली जाती है।

11. **रोजगार बीमा योजना:** रोजगार बीमा योजना ऐसे 257 जिलों के चुनिन्दा 1778 पिछड़े खण्डों में 2 अक्टूबर, 1993 से शुरू की गई थी जो सूखा-प्रवण क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में

includes, inter-alia, construction of sanitary latrines for individuals households below poverty line, village complexes for women, drains and other sanitation facilities. Under this scheme, the entire expenditure, except for beneficiary/Panchayat contribution, wherever called for, is to be shared between Central and State Governments in the prescribed ratio.

4 & 5. The objective of the IRD Programme is to provide income generating assets to identified families below the poverty line through a mix of credit and subsidy to enable them to improve their income levels and to eventually cross the poverty line. Under this programme funds are given to the District Rural Developlment Agencies for providing subsidy to members of the target group of rural poor. The Banks provide the loan. The expenditure under the programme is equally shared between the Centre and the State Governments. Besides, the IRDP Central outlay inter-alia includes provision for supply of improved tool kits to rural artisans below the poverty line.

6. The main objective of TRYSEM is to train the rural youth from the target group of families in skills so as to enable them to take up self/wage employment. The trainees are given stipends and free tool kits. Assistance under TRYSEM is also provided to technical institutions belonging to Central, State Governments and Voluntary organisations, which provide training under the scheme, for strengthening of training infrastructure.

7. The scheme of strengthening of Block Level Administration is aimed at strengthening of administration of rural development programmes.

8. D.P.A.P. is an area development programme designed to tackle the problem of drought with a long term perspective based on the strategy of optimum utilization of land, water and human resources. This is a centrally sponsored scheme, which is funded on a matching basis by the Centre and States. The Programme is in operation in 627 blocks of 96 districts of 13 States.

9. DDP which is funded 100% by the Central Government, aims at controlling desertification and to conserve, develop and harness land, water and other natural resources for restoration of ecological balance in the long run and also raise the level of production, income and employment through irrigation, afforestation, dry land farming etc. DDP covers 131 blocks in 21 districts of 5 States.

10. The Jawahar Rozgar Yojana (JRY) Aims at generation of additional gainful employment for the unemployed and under-employed men and women in the rural areas, strengthening of rural economic infrastructure and assets and improvement in the over-all quality of life in rural areas. The Programme is implemented in all States and is funded by the Centre and the States on 80:20 sharing basis. Expenditure in the UTs is borne by the Centre on 100% basis. Central assistance is provided to the States/UTs on the basis of the proportion of rural poor in State/UT to the total of rural poor in the country. The strategy for implementation of the JRY was modified in 1992-93. 75% of the funds allocated annually under JRY will be utilised for implementation of the Yojana throughout the country, 20% of the funds under JRY would be utilised for intensified JRY in 120 selected backward districts in the different States in the country where there is concentration of unemployment and under employment and the remaining 5% of the funds under JRY (subject to a maximum of Rs.75 crores) would be utilised for taking up special and innovative projects which aim at prevention of migration of labour, enhancement of employment opportunities for women, special progorammes for drought proofing and watershed development etc. Earmarking of resources for the Million Wells Scheme has been raised from 20% of the resources under JRY to 30%. Similarly, the earmarking for IAY has been raised from 6% of the JRY resources to 10% and coverage extended to non-SC/ST rural poor, subject to fulfilment of certain conditions. DRDAs may also utilise upto 2% of JRY funds for meeting their administrative expenditure. After retaining funds earmarked for IAY, MWS and administrative expenditure; DRDAs release 80% of the funds to Panchayats for implementation of their projects and balance 20% is retained for the works to be taken up by DRDAs.

11. **Employment Assurance Scheme:** The Employment Assurance Scheme was introduced with effect from 2nd October, 1993 in 1778 identified backward blocks of 257 districts situated in

स्थित है जहां इस समय नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है । वर्ष 1994-95 के दौरान सिद्धान्त रूप से निर्णय किया गया है कि इस स्कीम का विस्तार अन्य 665 खंडों में भी किया जाए । इनमें से 401 खंडों को निधियां जारी की जा चुकी हैं । रोजगार बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य, ऐसे समय में जब खेती का काम होता है, उन सभी लोगों को लाभकारी रोजगार दिलाना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दृष्टि से सक्षम वयस्क हैं और जिन्हें रोजगार की जरूरत है और शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं । योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आर.पी.डी. खण्डों में अकुशल शारीरिक श्रम के 100 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है । योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय 80:20 के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा ।

12. भूमि सुधार के अन्तर्गत राज्यों को समतुल्य आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन बताने की योजना के अधीन सहायता दी जाती है। कृषि संबंधी अध्ययन और भूमि-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए संस्थाओं को सहायता-अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना भी कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के अंतर्गत अब तक भूमि रिकार्ड के कमप्यूटरीकरण पर 57 प्रायोगिक परियोजनाओं को और संघ राज्य क्षेत्रों में तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

13. ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास योजना का उद्देश्य स्वालम्बन के आधार पर आय-सृजन करने वाले क्रियाकलापों के लिए अवसर पैदा करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाना है । ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास योजना कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और 'यूनिसेफ' द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है । कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए धन, समूह संगठनकर्ताओं को मानदेय, बाल देख-रेख सुविधाओं, आदि के लिए उपयोग करने हेतु 15,000 रुपए की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है । इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना में 442 जिले शामिल हैं और 1994-95 के दौरान देश के सभी शेष जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है । सामूहिक संस्थाओं की संभाव्यता विकसित करने और सामाजिक कार्यक्रमों को एकीकृत बनाने के लिए समूह आधारित सेवाओं की एक प्रोयोगिक परियोजना देश के 72 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है और 1995-96 के दौरान 10और जिले शामिल करने का प्रस्ताव है ।

14. इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जन कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद्, ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण और अनुसंधान के केन्द्रों और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता शामिल है ।

15. इसमें स्वैच्छिक कार्य प्रोत्साहन, पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता और विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है।

16. इसमें राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को सहायता के अलावा कृषि विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार सर्वेक्षण और अन्वेषण, विपणन एवं जांच निदेशालय के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

17. बचत कम करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रचार करने और नई प्रौद्योगिकीयों के अपनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के विकास संबंधी गतिविधियों के लिए कुछ परियोजनाओं/स्कीमों को सहायता देने का प्रस्ताव है ।

18. यह व्यवस्था संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम की नयी स्कीमों के लिए है। इस स्कीम के अन्तर्गत संसद सदस्य जिलाधीशों को पूंजीगत प्रकृति के लोक सभा सदस्य के चुनाव क्षेत्र में हाथ में लिए जाने वाले और राज्य सभा सदस्यों के मामले में उस राज्य जहां से वे चुने गए हैं, में उनके द्वारा नामित जिलो के लिए 1 करोड़ रुपए तक के छोटे निर्माण कार्यों का सुझाव दे सकते हैं। ये निर्माण कार्य जिलाधीश द्वारा संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किए जाने है।

2. चालू वर्ष में यह स्कीम आयोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में है और इसे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसे अब कार्यक्रम कार्यान्वय विभाग को रूपानान्तरित कर दिया गया है और यह स्कीम राज्य आयोजना को, अन्तरित कर दी गई है। बजट अनुमान, 1995-96 में इस स्कीम के लिए व्यवस्था "मांग सं.-68" कार्यक्रम कार्यान्वियन विभाग में दर्शाई गई है।

19. यह व्यवस्था विदेशों से प्राप्त वस्तु अनुदानों के संबंध में लेखा समायोजन को पूरा करने के लिए है।

drought prone areas, desert areas, tribal areas and hill areas in which the Revamped Public Distribution System was in operation. It has been decided to extend the scheme to another 665 blocks during 1994-95. Out of these, funds have been released for 401 blocks. The primary objective of EAS is to provide gainful employment during the lean agricultural season to all able-bodies adults in rural areas who are in need of employment and willing to do manual work. The scheme aims to provide assured employment for 100 days of unskilled manual work in the RPDs blocks to the rural poor. The expenditure under the scheme is shared between theCentral and the State Governments in the ratio of 80 : 20.

12. Under Land Reforms, assistance is given to the States on a matching basis and to the UTs on 100% basis under the scheme of Strengthening of Revenue Administration and updating of Land Records. A Central Sector Scheme of grants-in-aid to institutions for Agrarian Studies and Computerisation of Land Records is also under implementation. So far, 57 pilot projects on Computerisation of Land Records in States and 3 projects in UTs have been sanctioned under this scheme.

13. The scheme of Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) aims to improve the socio-economic status of the poor women in the rural areas through creation of opportunities for income generating activities on a self-sustaining basis. The DWCRA Programme is joinly funded by the Central Government, State Government and UNICEF. A revolving fund of Rs.15,000 is provided to be used for seed money, honorarium to group organisers, child care facilities etc. At present DWCRA is in operation in 442 districts and it is proposed to cover all the remaining districts during 1994-95 itself. In order to develop the potential of Community Institutions and integrating the delivery of social programmes a pilot project of Community Based Convergent Services (CBCS) is being implemented in 72 districts of the country presently and another 10 districts are proposed to be covered during 1995-96.

14. The provision includes assistance to National Institute of Rural Development, Council for Advancement of People's Action and Rural Technology and to States for strengthening Centres for Training and Research in rural development and Extension Training Centres, etc.

15. This includes provisions for expenditure on promotion of voluntary action, assistance to Panchayati Raj Institutions and roads in special problem areas.

16. This includes provision for agricultural marketing, quality control, market survey and investigation, Directorate of Marketing & Inspection, besides provision for assistance to National Institute of Agricultural Marketing.

17. In order to propagate cost effective technologies and encourage adoption of innovative technologes, it is proposed to support some projects/schemes for housing development activities in rural areas by Government and Non-Government Organisations.

18. Provision is for the new Scheme of MPs Local Area Development Scheme. Under the Scheme the Members of Parliament can suggest to the District Collectors small works of capital nature, not exceeding Rs.1 crore per year to be taken up in the Constituency of the Members of Lok Sabha and in the case of Rajya Sabha Members in a district'to be nominated by them in the State from which they have been elected. The works have to be executed through Government agencies by the Collector after consultation with the Members of Parliament.

2. In the current year the Scheme is in the Central sector of the Plan and it has been implemented by the Department of Rural Development. This has since been transferred to Department of Programme Implementation and the Scheme has been shifted to State Plan. Provision for the Scheme in B.E. 1995-96 appears in Demand No. '68- Department of Programme Implementation'.

19. The provision is for making accounting adjustments in respect of commodity grants received from foreign countries.

ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.71

बंजर भूमि विकास विभाग Department of Wastelands Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैं :
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		60.00	0.26	60.26	60.00	0.26	60.26	60.00	0.28	60.28
पूंजी	Capital		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**60.00**	**0.26**	**60.26**	**60.00**	**0.26**	**60.26**	**60.00**	**0.28**	**60.28**
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	0.28	0.28
केन्द्रीय आयोजना	**CENTRAL PLAN**										
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	SPECIAL PROGRAMMES FOR RURAL DEVELOPMENT										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	2. National Wastelands Development Board	2406	6.80	...	6.80	5.42	...	5.42	...	...	...
		2501	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00
जोड़		*Total*	*6.80*	...	*6.80*	*5.42*	...	*5.42*	*7.00*	...	*7.00*
3. एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजनाएं	3. Integrated Wastelands Development Projects	2406	34.20	...	34.20	36.48	...	36.48	...	...	...
		2501	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
		3601	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00
		3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*49.20*	...	*49.20*	*51.48*	...	*51.48*	*49.50*	...	*49.50*
4. अन्य	4. Others	2406	3.50	...	3.50	2.60	...	2.60	...	...	...
		2501	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
		3601	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*3.10*	...	*3.10*	*3.50*	...	*3.50*
जोड़ - केन्द्रीय आयोजना	**Total - Central Plan**		**60.00**	...	**60.00**	**60.00**	...	**60.00**	**60.00**	...	**60.00**
कुल जोड़	***Grand Total***		***60.00***	***0.26***	***60.26***	***60.00***	***0.26***	***60.26***	***60.00***	***0.28***	***60.28***

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. वानिकी और वन्य जीवन	1. Forestry and Wildlife	12406	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	...	...	...
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2. Special Programme for Rural Development	12501	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00
जोड़	**Total**		**60.00**	...	**60.00**	**60.00**	...	**60.00**	**60.00**	...	**60.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय आयोजना-भिन्न व्यय है और यह व्यय मुख्यतः राज्य मंत्री और इस विभाग के आयोजना-भिन्न अन्य पदों से संबंधित है ।

2. **राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड** : राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (एन.डब्ल्यू.डी.बी.) मुख्यतः गैर-वन क्षेत्रों में बंजर भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार है जिसका उद्देश्य भूमि अवक्रमण पर नियंत्रण रखना, और देश में पड़ी इस प्रकार की बंजर भूमि को निरंतर उपयोग में लाना, तथा बायोमास उपलब्धता, विशेष कर जलाने वाली लकड़ी और चारे को बढ़ाना है। बोर्ड बंजर भूमियों के विकास की योजना और कार्यान्वियन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने के लिए लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने का प्रयत्न करेगा ।

3.. **आई.डब्ल्यू.डी.पी. स्कीम :** यह विभाग की एक चालू योजना है जिसके अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं लघु जल-संभरण या क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर अपनाई जाती हैं ।

4. **अन्य :** इस में दो योजनाओं अर्थात (क) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण और (ख) बंजर भूमि विकास कार्य दल के लिए प्रावधान शामिल है ।

1. **Secretariat Economic Services:** The expenditure under this head is non-plan expenditure and mainly related to the office of MOS and other non-plan posts of the Department.

2. **National Wastelands Development Board:** The National Wastelands Development Board (NWDB) is mainly responsible for development of wastelands on non-forest areas aimed at checking land degradation, putting such wastelands in the country to sustainable use and increasing biomass availability, specially fuelwood and fodder. The Board will endeavour to enlist people's participation, harnessing science and technology for the planning and implementation of Wastelands Development.

3. **I.W.D.P. Scheme:** This is an on-going scheme of the Department under which major projects are undertaken on the basis of micro-watershed or area approach basis.

4. **Others:** This includes provision for two schemes viz., (a) Technology Development, Extension and Training and (b) Wastelands Development Task Force.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मांग संख्या DEMAND No. 72

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		180.80	169.58	350.38	181.68	180.96	362.64	195.07	187.81	382.88
पूंजी	Capital		34.00	1.72	35.72	32.27	1.72	33.99	34.73	1.24	35.97
जोड़	Total		214.80	171.30	386.10	213.95	182.68	396.63	229.80	189.05	418.85
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	0.30	7.03	7.33	0.30	7.33	7.63	0.30	7.45	7.75
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research										
भारतीय सर्वेक्षण	Survey of India										
2. निदेशन और प्रशासन	2. Direction and Administration	3425	...	11.87	11.87	...	12.69	12.69	...	13.13	13.13
		5425	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	1.50	1.00	0.50	1.50
जोड़		Total	0.50	12.87	13.37	0.50	13.69	14.19	1.00	13.63	14.63
3. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	3. Topographical Surveys	3425	...	27.06	27.06	...	30.43	30.43	...	30.47	30.47
4. विकासात्मक परियोजना सर्वेक्षण	4. Development Project Surveys	3425	...	18.32	18.32	...	18.04	18.04	...	19.85	19.85
5. नक्शों/चार्टों आदि का प्रकाशन	5. Publication of Maps/Charts etc.	3425	...	7.13	7.13	...	7.69	7.69	...	7.04	7.04
6. प्रशिक्षण और अनुसंधान	6. Training and Research	3425	...	2.50	2.50	...	2.37	2.37	...	2.50	2.50
7. अन्य कार्यक्रम	7. Other Programmes	3425	3.00	5.72	8.72	2.69	6.34	9.03	3.00	6.51	9.51
जोड़-भारतीय सर्वेक्षण	Total-Survey of India		3.50	73.60	77.10	3.19	78.56	81.75	4.00	80.00	84.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Science and Technology										
8. राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन	8. National Atlas and Thematic Mapping Organisation	3425	0.16	2.92	3.08	0.18	2.95	3.13	0.23	3.06	3.29
		5425	0.14	...	0.14	1.41	...	1.41	0.57	...	0.57
जोड़		Total	0.30	2.92	3.22	1.59	2.95	4.54	0.80	3.06	3.86
9. वैज्ञानिक निकायों को सहायता	9. Assistance to Scientific Bodies										
9.01 भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कलकत्ता	9.01 Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta	3425	2.20	2.40	4.60	2.20	2.40	4.60	4.20	2.48	6.68
9.02 बोस इंस्टीटयूट, कलकत्ता	9.02 Bose Institute, Calcutta	3425	1.50	2.58	4.08	1.80	2.68	4.48	3.00	2.78	5.78
9.03 रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	9.03 Raman Research Institute, Bangalore	3425	3.50	2.05	5.55	3.50	2.35	5.85	3.75	2.44	6.19
9.04 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	9.04 Institute of Plasma Research, Gandhi Nagar	3425	6.10	1.96	8.06	6.20	2.20	8.40	6.20	2.28	8.48
9.05 भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर	9.05 Indian Institute of Astro-Physics, Bangalore	3425	3.50	2.36	5.86	4.45	2.45	6.90	9.50	2.54	12.04
9.06 भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान, बम्बई	9.06 Indian Institute of Geo-Magnetism, Bombay	3425	2.50	0.67	3.17	2.60	0.70	3.30	3.25	0.73	3.98
9.07 भारतीय उष्ण कटिबन्ध ऋतु विज्ञान संस्थान, पुणे	9.07 Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune	3425	1.10	2.05	3.15	1.10	2.20	3.30	1.25	2.28	3.53
9.08 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए श्रीचित्रा तिरुनल संस्थान, त्रिवेन्द्रम	9.08 Sree Chitra Tirunal Medical Institute of Science and Technology, Trivandrum	3425	6.25	5.68	11.93	6.55	5.85	12.40	9.00	6.06	15.06
9.09 बीरबल साहनी इंस्टिटयूट आफ पैलिओ-बोटनी, लखनऊ	9.09 Birbal Sahni Institute of Palaeo-Botany, Lucknow	3425	1.15	1.40	2.55	1.15	1.45	2.60	1.50	1.50	3.00
9.10 एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंस, कलकत्ता	9.10 S N Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta	3425	2.20	0.21	2.41	1.20	0.21	1.41	2.00	0.22	2.22
9.11 महाराष्ट्र विज्ञान संवर्धन संघ, पुणे	9.11 Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Pune.	3425	1.30	0.83	2.13	1.50	0.87	2.37	1.50	0.90	2.40
9.12 वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून	9.12 Wadia Institute of Himamlayan Geology, Dehradun	3425	1.60	1.18	2.78	1.78	1.22	3.00	1.85	1.27	3.12
9.13 जवाहर लाल नेहरू अग्रेतर वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	9.13 Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore	3425	4.10	...	4.10	4.20	...	4.20	4.50	...	4.50
9.14 प्रौद्योगिकीय पूर्वानुमान सूचना आकलन परिषद	9.14 Technology Information Forecasting Assessment Council	3425	7.00	0.16	7.16	5.50	0.10	5.60	5.00	0.10	5.10
9.15 अन्य संस्थाएं/ अन्य व्यावसायिक निकाय	9.15 Other Institutes/ Other Professional Bodies	3425	6.00	2.10	8.10	6.85	2.32	9.17	5.75	3.50	9.25
जोड़		Total	50.00	25.63	75.63	50.58	27.00	77.58	62.25	29.08	91.33
10. अनुसंधान और विकास समर्थन	10. Research and Development Support										
10.01 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु विषयक अनुसंधान	10.01 Multi-Disciplinary Research in Science and Technology (SERC)	3425	18.96	1.00	19.96	17.96	1.00	18.96	22.00	1.00	23.00
10.02 इंजीनियरी में बहु-विषयक अनुसंधान	10.02 Multi-Disciplinary Research in Engineering (SERC)	3425	5.95	...	5.95	5.95	...	5.95	6.00	...	6.00
10.03 उच्च प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में अधिक तेजी लाना	10.03 Intensification of Research work in high priority areas	3425	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	6.50	...	6.50
10.04 युवा वैज्ञानिक के लिए रोजगार के अवसर	10.04 Opportunities for Young Scientists	3425	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	2.90	...	2.90
जोड़		Total	31.81	1.00	32.81	31.81	1.00	32.81	37.40	1.00	38.40
11. राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	11. National R & D Programmes	3425	6.50	...	6.50	5.70	...	5.70	9.70	...	9.70
12. राष्ट्रीय अनुसन्धान एवम् विकास सुविधाएँ व आधारिक-संरचनात्मक सहायता	12. R & D National Facilities and Infrastructural Support	3425	4.80	1.50	6.30	4.80	1.50	6.30	4.85	1.65	6.50

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
13. विशेष प्रौद्योगिकी विकास और समन्वय के लिए कार्यक्रम	13. Programmes for Special Technology Development and Coordination	3425	11.75	...	11.75	12.55	...	12.55	9.00	...	9.00
14 मिशन रूप में प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ	14. Technology Projects in Mission Mode	3425	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	12.50	...	12.50
15.सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	*15. S & T Programmes for Socio Economic Development*										
15.01 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमकारिता विकास	15.01 S & T Entrepreneurship Development	3425	3.92	...	3.92	3.92	...	3.92	4.25	...	4.25
15.02 विज्ञान एवं समाज	15.02 Science and Society.	3425	4.00	...	4.00	4.80	...	4.80	4.25	...	4.25
15.03 संचार और लोकप्रियता के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	15.03 S & T Communication and Popularisation.	3425	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
15.04 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य परिषद	15.04 State Council for Science and Technology.	3425	2.05	...	2.05	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25
15.05 अन्य स्कीमें	15.05 Other Schemes	3425	2.62	...	2.62	2.62	...	2.62	3.90	...	3.90
जोड़		*Total*	*15.59*	...	*15.59*	*16.59*	...	*16.59*	*17.65*	...	*17.65*
16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतिगत सहायक कार्यक्रम	16. S & T Policy Support Programmes	3425	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	0.50	...	0.50
17. मौसम विज्ञान और जलवायु-विज्ञान संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	17.Meteorology and Climatology-Research, Development and Operations Programmes	3425	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.50	...	1.50
18. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता	*18. International Co-operation*										
18.01 भारत और सी आई एस गणराज्यों के बीच सहकारिता के एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम	18.01 Integrated Long Term Programme of Cooperation between India and Republics of CIS	3425	22.97	...	22.97	22.97	...	22.97	11.45	...	11.45
18.02 उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए इण्डो-फ्रेंच केन्द्र	18.02 Indo-French Centre for Promotion of Advanced Research	3425	3.50	...	3.50	4.40	...	4.40	5.00	...	5.00
18.03 विकसित देशों के साथ सहयोग का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-कार्यक्रम	18.03 S&T Programme of Cooperation with Developed Countries.	3425	4.00	...	4.00	3.10	...	3.10	8.00	...	8.00
18.04 विकासशील देशों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम	18.04 S.&T. Programme of Cooperation with developing countries.	3425	1.30	...	1.30	1.10	...	1.10	0.70	...	0.70
18.05 अन्य	18.05 Others .	3425	0.10	2.45	2.55	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
जोड़		*Total*	*31.87*	*2.45*	*34.32*	*31.57*	*3.00*	*34.57*	*25.15*	*3.00*	*28.15*
19. राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र	*19. National Centre for Medium Range Weather Forecasting*	*3425*	*3.79*	*3.18*	*6.97*	*3.68*	*3.12*	*6.80*	*4.44*	*3.41*	*7.85*
		5425	*6.21*	...	*6.21*	*4.21*	...	*4.21*	*5.56*	...	*5.56*
		Total	*10.00*	*3.18*	*13.18*	*7.89*	*3.12*	*11.01*	*10.00*	*3.41*	*13.41*
19.01 अन्य योजनाएँ	19.01 Other Programmes	3425	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
		5425	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40
जोड़		*Total*	*0.20*	*0.40*	*0.60*	*0.20*	*0.40*	*0.60*	*0.20*	*0.40*	*0.60*
जोड़		*Total*	*10.20*	*3.58*	*13.78*	*8.09*	*3.52*	*11.61*	*10.20*	*3.81*	*14.01*
जोड़-विज्ञान और प्रौद्योगिकी	**Total-Science and Technology**		**178.00**	**37.08**	**215.08**	**178.46**	**38.97**	**217.43**	**191.50**	**41.60**	**233.10**
जोड़-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	***Total- Other Scientific Research***		***181.50***	***110.68***	***292.18***	***181.65***	***117.53***	***299.18***	***195.50***	***121.60***	***317.10***
मौसम विज्ञान	**Meteorology**										
20. प्रशिक्षण	20. Training	3455	0.10	0.69	0.79	0.09	0.53	0.62	0.10	0.58	0.68
21. उपग्रह सेवाएं	21. Satellite Services	3455	0.86	6.24	7.10	0.93	4.87	5.80	0.99	5.15	6.14
22. वेधशालाएं और मौसम केन्द्र	22. Observatories and Weather Stations	3455	2.11	25.10	27.21	1.91	29.12	31.03	2.12	30.24	32.36
		5455	26.95	0.52	27.47	25.95	0.52	26.47	27.40	0.54	27.94
जोड़		*Total*	*29.06*	*25.62*	*54.68*	*27.86*	*29.64*	*57.50*	*29.52*	*30.78*	*60.30*
23. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	23. Research and Development Programmes	3455	0.92	3.55	4.47	0.85	4.43	5.28	0.92	4.59	5.51
24. अन्य मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं	24. Other Meteorological Services	3455	2.06	12.50	14.56	2.27	13.89	16.16	2.47	14.40	16.87
25. अन्य कार्यक्रम	25. Other Programmes	3455	...	4.99	4.99	...	4.46	4.46	...	4.50	4.50
जोड़-मौसम विज्ञान	**Total- Meteorology**		**33.00**	**53.59**	**86.59**	**32.00**	**57.82**	**89.82**	**34.00**	**60.00**	**94.00**
कुल जोड़	***Grand Total***		***214.80***	***171.30***	***386.10***	***213.95***	***182.68***	***396.63***	***229.80***	***189.05***	***418.85***
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1.Secretariat-Economic Services	13451	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान											
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2. Other Scientific Research	13425	185.70	...	185.70	188.10	...	188.10	199.70	...	199.70
3. मौसम विज्ञान	3. Meteorology	13455	39.00	...	39.00	41.13	...	41.13	40.00	...	40.00
जोड़		*Total*	*225.00*	...	*225.00*	*229.53*	...	*229.53*	*240.00*	...	*240.00*
इसमें निम्नलिखित के लिए निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।	**inclusive of Works Outlay as below:-*										
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (i) भारतीय सर्वेक्षण	1. Other Scientific Research i. Survey of India										
मांग संख्या 80	Demand No.80	13425	0.50	...	0.50	0.85	...	0.85	0.50	...	0.50
मांग संख्या 81	Demand No.81	13425	3.70	...	3.70	5.60	...	5.60	3.70	...	3.70
जोड़		*Total*	*4.20*	...	*4.20*	*6.45*	...	*6.45*	*4.20*	...	*4.20*
2. मौसम विज्ञान	2. Meteorology										
मांग संख्या 80	Demand No.80	13455	1.85	...	1.85	3.18	...	3.18	1.75	...	1.75
मांग संख्या 81	Demand No.81	13455	4.15	...	4.15	5.95	...	5.95	4.25	...	4.25
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*9.13*	...	*9.13*	*6.00*	...	*6.00*
जोड़	**Total**		**10.20**	...	**10.20**	**15.58**	...	**15.58**	**10.20**	...	**10.20**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवा :** इसमें विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है।

भारतीय सर्वेक्षण :

2. **निर्देशन और प्रशासन :** भारत के सर्वेक्षण के प्रशासन के सम्बन्ध में वयय की व्यवस्था है।

3. **स्थलाकृतिक सर्वेक्षण :** भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन का काम मुख्यतः स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना है और देश में रक्षा सेनाओं और विभिन्न राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है।

4. **विकासोन्मुख परियोजना सर्वेक्षण :** सर्वेक्षण में कनाल क्षेत्र सर्वेक्षण, बाढ़ नियंत्रण सर्वेक्षण और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के सर्वेक्षण शामिल है।

5. **मानचित्रों/चार्टों आदि का प्रकाशन :** विभाग विभिन्न पैमानों के विभागीय मानचित्र/चार्ट प्रकाशित करता है जिसमें इन मानचित्रों/चार्टों में स्थलाकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राज्य मानचित्र और मार्गदर्शी मानचित्र आदि शामिल हैं।

6. **प्रशिक्षण और अनुसंधान :** हैदराबाद में स्थित सर्वेक्षण संबंधी प्रशिक्षण और मानचित्रिकरण केन्द्र विभागीय/विभागेत्तर/विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को सर्वेक्षण और मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है।

7. **अन्य कार्यक्रम :** स्थलाकृतिक, सिंचाई योजनाएं, बाढ़ प्रबंध और अन्य विकासात्मक मानचित्र तैयार करने के लिए आधुनिक फोटोग्रामीट्रिक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

हाल ही के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित रहे हैं :

i) भूगणितीय-क्षितिजीय तंत्र को डाप्लर उपग्रह तकनीक के प्रयोग से सुदृढ़ बनाना।
ii) उच्च परिशुद्धता के स्तर का विविधिकरण।
iii) भारतीय उपमहाद्वीप में भूचुम्बकीय दीर्घकालिक परिवर्तन संबंधी अनियमितता और विवर्तनिक पहलुओं का अध्ययन।
iv) पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समुद्रीस्तरों के अंतरों का विश्लेषण।
v) भारत में हाल ही की ऊर्ध्वाधर घट-बढ़।
vi) सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन और भूकम्पों के पूर्वानुमानों में इनका प्रयोग।
vii) आंकड़ा आधार पर मानचित्र सूचना प्रणाली-रूपांकन।
viii) आंगुलिक पर्यावरण में भारत के एटलस के स्वरूप का अनुवीक्षण।
ix) एस.ओ.आई. पी.सी. /आटो सी.ए.डी. फोटोग्रामेट्रिक मनोप्लोटर प्रणाली का विकास।
x) कार्टोग्राफिक परिवर्तन मानचित्र से संबधित मानचित्र के विषय में साफ्टवेयर का विकास।

8. **राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन :** इस संगठन की स्थापना 1956 में की गई जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एटलस तैयार करना था। बाद में इसके कार्यक्षेत्र और गतिविधियों को भूगोलीय अनुसंधान और थिमेटिक मानचित्रण के नए क्षेत्रों में ले जाया गया जिसमें भूगोल और सम्बद्ध विषयों के सभी शैक्षिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं को शामिल किया गया। इस समय संगठन को छः इकाइयों में बांटा हुआ है तथा सभी इकाइयां कलकत्ता में स्थित हैं।

इसके कार्यकलाप इस प्रकार है :

i) भारत की राष्ट्रीय एटलस अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार करना;
ii) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय एटलस मानचित्र तैयार करना;
iii) पर्यावरणात्मक पहलुओं और आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन में प्रभाव संबंधी अनुसंधान अध्ययनों पर आधारित थिमेटिक मानचित्र तैयार करना;
iv) 1:1 मी. के पैमाने और इससे बड़े पैमाने पर भारत की भूमि प्रयोग और भूमिक्षमता संबंधी मानचित्रण तैयार करना और संकलित करना, और
v) भौगोलिक अनुसंधान और मानचित्रकला संबंधी अनुप्रयोग।

1. **Secretariat-Economic Services :** Provides expenditure of the Secretariat of the Department.

Survey of India.

2. **Direction and Administration :** Provides for expenditure on account of Administration of Survey of India.

3. **Topographical Surveys :** The Survey of India, the Principal National Surveying and Mapping Organisation is mainly responsible for producing topographical maps and providing survey support to the Defence Forces and various National Development Projects in the country.

4. **Developmental Project Surveys :** The Surveys conducted cover the areas like Canal Area Surveys, Flood Control Surveys, and other large scale project surveys.

5. **Publications of Maps/Charts etc. :** The Department brings out departmental maps/charts on various scales and these maps/charts include topographical maps, geographical maps, state maps and guide maps etc.

6. **Training and Research :** Centre for Survey Training and Map Production at Hyderabad imparts training to Departmental/Extra Departmental/ Foreign trainees in various fields of Surveying and Mapping.

7. **Other Programmes :** Modern photogrammetric methods are being extensively used for topographical, irrigation schemes, flood management and other developmental mapping.

The recent main activities have been :

i) Strengthening of Geodetic Horizontal Net by Doppler Satellite Techniques.
ii) High Precision level net densification.
iii) Geomagnetic secular change anomaly and tectonic features over Indian sub continent.
iv) Analysis of difference of ocean levels between east and west coasts.
v) Recent Vertical Movements in India.
vi) Microgravity variation and their use for earthquake prediction.
vii) Map Information System-Design of Data Base
viii) Design of Motoring Atlas of India in digital environment.
ix) Development of SOI PC/Auto CAD Photogrammetric Manplotter system.
x) Development of Software Package for Map-to-Map cartographic transformation.

8. **National Atlas and Thematic Mapping Organisation :** The Organisation set up in 1956, primarily aims at preparing National Atlas of India. Subsequently its scope and activities were extended to new fields of geographical research, thematic mapping covering all the academic and applied aspects of geography and allied subjects. The organisation is at present divided in six units, all located in Calcutta.

Its functions are :

i) Preparation of the National Atlas of India in English and Hindi.
ii) Preparation of National Atlas maps in different regional languages.
iii) Preparation of thematic maps based on research studies on environmental aspects and their impact on social and economic development.
iv) Preparation and compilation of Land use and Land-capability maps of India on 1:1M scale and on larger scale and
v) Geographical researches and cartographic applications.

9. **वैज्ञानिक निकायों को सहायता :**

9.01. **भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कलकत्ता** : एक सबसे पुरानी अनुसंधान संस्था है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र के प्रमुख क्षेत्रों में तथा उससे सम्बद्ध कुछ आन्तरिक क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान कार्य कर रही है। भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ एमोरफस सिलिकोन सोलर सेल्स के विकास से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है।

9.02 **बोस संस्थान, कलकत्ता :** आचार्य जगदीश चन्द्र बोस द्वारा 1917 में स्थापित जीव-विज्ञान के विषय पर बल देते हुए आधारभूत और प्रायोगिक विज्ञान के अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है । संस्थान ने भौतिकी और जीव विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की है । पौध-उत्पादकता में सुधार आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी और पौध प्रजनन का प्रयोग करते हुए नाइट्रोजन-निर्धारण और फोटो संश्लेषण, पौधों और समुद्री जीव अध्ययन न्यूक्लीय और अन्य विकिरण की अन्य द्रव्यों से अन्योज्य क्रिया से सम्बन्धित अन्वेषण और संरचना सम्बन्धी अध्ययन और जैव आणविक, जीव-जंतुओं के कार्य और गतिशीलता, परिस्थिति की पर्यावरणीय प्रदुषण सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं और या औद्योगिक और चिकित्सा प्रयोग के लिए रोगाणु परजीवी अध्ययन।

बोस संस्थान में कार्यरत क्षेत्रीय आधुनिकतम उपस्कर केन्द्र ने इस क्षेत्र मे काम करने वालों को विश्लेषणात्मक इन्सट्रूमेंटेशन सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है।

9.03 **रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर** : रमन अनुसंधान संस्थान(आर.आर.आई.) प्रोफेसर सी.वी. रमण द्वारा सन् 1948 में बंगलौर में स्थापित 1972 में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यह संस्थान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान बन गया । संस्थान में अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र खगोल-विज्ञान, खगोल-भौतिकी और द्रव्य क्रिस्टल है।

9.04 **प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर,** इस संस्था की स्थापना वर्ष 1986-87 में प्लाजमा विज्ञान के सम्बन्ध में मूल प्रायोगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए की गई थी जिस में चुंबकीय सीमित प्लाजमा की भौतिकी पर बल दिया गया है । डिजाइन, संरचना, समुच्चय, टोकमार्क आदित्य चालू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :- (क) प्रारंभिक रचना अवस्था अध्ययन, (ख) प्लाज्मा विसर्जन भौतिकी और (ग) स्लाइड प्लाज्मा विसर्जन भौतिकी, लघु प्रयोगशाला नियुक्तियों के सम्बन्ध में अरेखीय प्लाज्मा (फिनोमिना) संवृत्ति के अध्ययन से सम्बन्धित मूल प्लाज्मा प्रयोग आरंभ करना और जारी रखना, रूचिकर अरेखीय प्लाज्मा (फिनोमिना) संवृन्ति का सैद्धान्तिक अन्वेषण करना और प्रायोगिक प्रयत्नों को समर्थन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ।

9.05. **भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर** : खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी विज्ञान कार्यों को समर्पित एक अनुसंधान संस्थान है।

9.06. **भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, कोलाबा बम्बई,** इस संस्था का उद्देश्य देश में भू-चुम्बकत्व और सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है।

9.07 **भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे,** कटिबंधी मौसम विज्ञान में बेसिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है । मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उसका संवर्धन, मार्ग दर्शन और अनुसंधान कार्य करना है जिसमें उष्ण कटिबन्धी को विशेष महत्व दिया गया है।

9.08. **चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए श्री चित्रा तिरूनल संस्थान, त्रिवेन्द्रम,** की स्थापना मार्च, 1981 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई जिसका उद्देश्य जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का विकास करना, चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक विशिष्टताओं के साथ रोगियों की देखभाल के लिए उच्च मानकों का प्रदर्शन करना और उन्हें प्रदान करना और अग्रेत्तर चिकित्सा विशिष्टताओं तथा जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में कुशलतम स्तर के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना है।

9.09 **बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ,** की स्थापना 1948 में विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक प्रो0 बीरबल साहनी की स्मृति में की गई । यह पौधा जीवाश्मों के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक और आधारभूत अनुसंधान कार्य करता है और उन्नत पुरावनस्पतिक जानकारी का प्रसार करता है।

9.10 **एस.एन.बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंसेस,** की स्थापना का उद्देश्य जून 1986 में मूल (बेसिक) विज्ञानों की चुनी हुई शाखाओं में और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य बेसिक विज्ञानों के संवर्धन के लिए अग्रेत्तर अध्ययनों का संवर्धन करना है जिसमें भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के सैद्धान्तिक अध्ययनों को स्वीकार करना भी शामिल है।

9.11. **महाराष्ट्र विज्ञान संवर्धन संघ, पुणे,** की स्थापना 1946 में की गई और यह जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है।

9. ***Assistance to Scientific Bodies***

9.01. **Indian Association for Cultivation of Science (IACS) Calcutta:** is one of the oldest research institutions engaged in fundamental research in frontline areas of Physics and Chemistry and some inter disciplinary areas. The IACS is participating very actively in the S & T Mission Project on the development of AMORPHOUS SILICON SOLAR CELLS.

9.02. **Bose Institute, Calcutta:** founded in 1917 by Acharya Jagdish Chandra Bose is devoted to research in Fundamental and Applied Sciences with emphasis in the area of biology. The Institute has attained major achievements in several areas of Physical and Biological Sciences. Improvements of plant productivity, nitrogen fixation and photosynthesis using modern biotechnology and plant breeding; studies of plants and marine organisms, investigation on the interaction of nuclear and other radiations with matter and studies in structure, function and dynamics of bio-molecules; studies on ecology environmental pollution and related health problems and or microbes and parasites for industrial and medical application.

Regional Sophisticated Instrumentation Centre (RSIC) functioning in the Institute provides Analytical Instrumentation Services to the users in the region.

9.03. **Raman Research Institute (RRI), Bangalore**: The Raman Research Institute(RRI) founded by Prof. C. V. Raman in 1948 in Bangalore became a grants-in-aid institution aided by the Government of India in 1972. The main fields of research done at the Institute are Astronomy, Astrophysics and Liquid Crystals.

9.04. **Institute of Plasma Research, (IPR), Gandhinagar:** The Institute was set up during 1986-87 to carry out fundamental experimental and theoretical research in plasma sciences with emphasis on physics of magnetically confined plasmas. Physical targets include design, fabrication, assembly and commissioning of Tokamak ADITYA involving (a) study of initial formation phase, (b) physics of plasma discharges and (c) physics of slideway plasma discharges; to initiate and continue basic plasma experiments on study of nonlinear plasma phenomena in smaller laboratory devices; and to carry out theoretical investigation of interesting nonlinear plasma phenomena and to provide support and guidance to the experimental effort.

9.05. **Indian Institute of Astrophysics, Bangalore :** is a research institution devoted to the science of Astronomy and Astrophysics.

9.06. **Indian Institute of Geomagnetism (IIG), Colaba, Bombay ,** The Institute is devoted to give impetus to the growth of geomagnetism and allied fields in the country.

9.07. **Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune,** functions as a National Centre for basic and applied research in tropical meteorology including weather modification with special reference to the tropics and sub-tropics.

9.08. **Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST), Trivandrum,** was declared as an Institute of national importance by Act of Parliament in March, 1981 with the main objectives of developing biomedical engineering and technology, providing and demonstrating high standards of patient care in advanced medical specialities and developing postgraduate training programmes of the highest quality in advanced medical specialities and bio-medical engineering and technology.

9.09. **Birbal Sahani Institute of Palaeo-botany, Lucknow**, was founded in 1948 in memory of the world renowned Indian Palaeobotanist, Prof. Birbal Sahani. It conducts applied and fundamental research on the varied aspects of plant fossils and disseminates the advanced palaeobotanical knowledge.

9.10. **S N Bose National Centre for Basic Sciences,** established in June, 1986 has the objective of promotion of advanced studies in select branches of basic sciences and other basic sciences in frontier areas, including challenging theoretical studies of future applications.

9.11. **Maharashtra Association for Cultivation of Science , Pune,** founded in 1946, has been engaged in the research activities in

9.12. **वाडिया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन जियालाजी, देहरादून :** वर्ष 1968 में प्रो. डी. एन. वाडिया द्वारा संस्थान की स्थापना, हिमालय क्षेत्र में संरचनात्मक भूविज्ञान, कालान्तरिक शेल विज्ञान, भूरसायन, अवसाद विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में बुनियादी तौर पर अनुसंधान करने के लिए की गई है ।संस्थान का कार्यक्रम पर्वत बनने की प्रक्रिया की जानकारी और हिमालय की भूगतिकीय की जानकारी प्राप्त करना है।

9.13. **जवाहर लाल नेहरू अग्रेत्तर वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर :** जवाहर लाल नेहरू शताब्दी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा स्थापित यह केन्द्र सीमावर्त्ती क्षेत्रों में अधिक उच्च स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यो के लिए समर्पित है।

9.14. **प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान निर्धारण परिषद :** इस परिषद् की स्थापना फरवरी 1988 में की गई जिसके कार्यकलापों के अंतर्गत भारत तथा विदेशों में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न प्रतिकूल क्षेत्रों में आगामी प्रौद्योगिकीय विकास के निदेशन तथा प्रौद्योगिकी के विद्यमान ढांचे का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए विशिष्टता प्राप्त कर उप-समूह स्थापित करना है और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान रिपोर्टें तैयार करना है जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि शामिल होगी जिसमें विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र शामिल हैं :

(क) वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त निवेश और

(ख) बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सहायक होगी।

9.15. **अन्य संस्थाएं / अन्य व्यावसायिक निकाय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी गोष्ठी परिचर्चा और परिचर्चा परिसर :** अन्य व्यवसायिक निकाय योजना का उद्देश्य विभाग में व्यावसायिक निकायों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन भी शामिल है, को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसके अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैः- वैज्ञानिक व्यावसायिक निकायों और अकादमियों को सामूहिक एकीकृत वैज्ञानिक समुदाय के प्रोत्साहन के लिए अभिप्रेरित करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए दृष्टिकोणों का निर्माण और राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए नए दृष्टिकोणों का प्रयोग।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी गोष्ठी / संगोष्ठी और गोष्ठी परिसर की परिकल्पना विज्ञान और प्रौद्योगिकी गोष्ठियां / संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए की गई हैं, क्योंकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रगामी और उभरते हुए क्षेत्रों में काम कर रहे वैज्ञानिकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की स्वीकृत प्रक्रिया है और ऐसे मामलों में आगे प्रगति के लिए परिणामों की आलोचनात्मक प्रस्तुति आवश्यक है ।

भारतीय विज्ञान संस्थान में एक बड़ा गोष्ठी परिसर स्थापित किया गया है ।

10. ***अनुसंधान और विकास समर्थन :***

10.01 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-विषयक अनुसंधान :**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दो विशिष्ट योजनाओं के तहत अर्थात इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (वि.इ.अ.प.) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों को सहायता देता है। विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) बहु विषयक क्षेत्रों सहित विज्ञान और इंजीनियरी के नए उभरते हुए और अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान का संवर्धन;

(ii) अतिथेय संस्थान की विद्यमान अनुसंधान क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान और इंजीनियरी के सम्बद्ध क्षेत्रों में सामान्य अनुसंधान सक्षमताओं का चयनात्मक संवर्धन; और

(iii) युवा वैज्ञानिकों को चुनौती पूर्ण अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

10.02 **इंजीनियरी में बहुविषयक अनुसंधान : विज्ञान कार्यक्रम** इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य, जहां व्यवहार्य हो, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं तथा उद्योगों को संयोजित कर के अंतर्क्षेत्रों में स्वदेशीय प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा हमारे अनुसंधान में विशेषज्ञता और आत्म विश्वास का विकास करना ताकि प्रौद्योगिकी का बाद में सृजन हो सके।

the field of biological sciences.

9.12. **Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun,** founded by Prof. D.N. Wadia in 1968, has been carrying out fundamental research in the fields of structural geology, metamorphicigneous petrology, geochemistry, sedimentology, geomorphology and palaeontology in Himalayan region. The programmes of the Institute are oriented towards understanding the mountain building process and geodynamics of the Himalaya.

9.13. **Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore :** The Centre, established by the Government of India during the Centenary Year of Jawaharlal Nehru, is devoted to scientific research at the highest level in frontier areas.

9.14. **Technology Information Forecasting Assessment Council :** The Council setup in February, 1988 pursues activities towards setting up of specialised sub-groups for examining and evaluating the existing state of art of technology and direction of future technological developments in various cross-sectoral areas as well as in other sectors of the economy, both in India and abroad and of preparing technology forecasting reports, covering 10 years or longer periods, specially in production areas involving:

a. Substantial investments of financial resources and

b. Large volume of production.

9.15 **Other Institutes/Other Professional Bodies and S&T Seminar/Symposia and Seminar Complex:** The Other Professional Bodies Scheme was initiated in the Department with the objective of encouraging active involvement of professional bodies and science academies extensively in the national S & T activities including formulation and implementation of S & T programmes. Motivating the scientific professional bodies and academies for promotion of cohesive integrated scientific community, fermentation of new ideas in S & T and innovative approach to application of science and technology for national development constitute the other objectives.

S&T Seminar/Symposia and seminar complex is also envisaged to support organisation of S&T seminar/symposia as this is an accepted mechanism for exchange of ideas between the scientists working in frontier and emerging areas of science and technology and a critical exposure of the results is essential for further progress in such cases.

A major Seminar Complex at Indian Institute of Science has been set up.

10. ***Research and Development Support :***

10.01 **Multidisciplinary Research in Science and Technology:** The Department of Science and Technology, as a part of its S&T promotional activity has been supporting R&D programmes under two specific schemes viz. Science and Engineering Research Council (SERC). The objectives of the SERC are as under :

(i) To promote research in newly emerging and frontline areas of Science and Engineering including multidisciplinary fields;

(ii) To selectively promote general research capability in relevant areas of Science and Engineering taking into account existing research capabilities of the host institution; and

(iii) To encourage young scientists to take up challenging research and development activities.

10.02 **Multidisciplinary Research in Engineering Sciences Programmes (SERC) :** The primary objective of the programme is to develop indigenous technology in the gap areas by linking R&D institutions and industries wherever applicable and also develop expertise and self confidence in our research to build subsequent generations of Technology.

10.03 **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में तेजी लाना :** 1981 में आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य विद्यमान जनशक्ति के साधनों को उपयोग में लाते हुए संस्थान के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समुन्नत क्षेत्रों में प्रवेश करना है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को तेज करने की योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के क्रियाकलापों को सहायता दी जाती है:— (क) इकाइयों/प्रमुख समूहों की स्थापना करना, (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, और (ग) विशिष्ट राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना।

10.04 **युवा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के अवसर :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीन अनुसंधान विचारों और वैज्ञानिक समुदाय के साथ विचारों के पारस्परिक प्रभाव व आदान प्रदान को जारी रखने के लिए युवा वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करना है।

11. ***राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम :***
इस में निम्न कार्यक्रम शामिल है:-

अति चालकता कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अति चालकता प्रौद्योगिकी विकास, उच्च तापीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों को संचालित करना और लागू करना है, तथा इस संबंध में आधारभूत अनुसंधान में तेजी लाना है।

उपस्कर विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के लिए तथा उपस्करों के डिजाइन तैयार करने, उनका विकास तथा उत्पादन करने वाले अनुसंधान तथा विकास संस्थानों और उद्योगों को उपस्करों के विकास के लिए आरम्भिक कार्यक्रम तैयार करना है।

भूकम्पनीयता कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एकीकृत पद्धति को प्रयोग में लाते हुए भूकम्पनीय आपदाओं की आकलन पद्धतियों में सुधार लाना तथा उनका संवर्धन करना और जान-माल की हानियों को न्यूनतम करना है। गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकत्व और भूगणितीय पहलुओं पर अध्ययन किए गए।

12. **राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा आधारभूत सहायता :**

12-01. **क्षेत्रीय परिष्कृत उपस्कर केन्द्र :** क्षेत्रीय परिष्कृत उपस्कर केन्द्र योजना 1974-75 के दौरान इस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी कि वैज्ञानिक समुदाय को आधुनिकतम उपस्कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय परिष्कृत उपस्कर केन्द्रों और 4 आधुनिकतम उपस्कर सुविधा केन्द्रों को सहायता दी जा रही है।

12-02. **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन सुविधा समन्वय (एनसीटीसीएफ) :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों की कोटि का सुनिश्चयन करना और उसमें सुधार लाना, उपभोक्ताओं को संरक्षण देना, भारतीय मालके निर्यात का संवर्धन और आयातित माल की किस्म का परिवीक्षण करना है।

12-03. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश जा रहे भारतीय वैज्ञानिकों को सहायता :** इस योजना का उद्देश्य विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/गोष्ठियों/ संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे विदेश में अपने प्रतिपक्षियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।

13. **विशेष प्रौद्योगिकी विकास और समन्वय के लिए कार्यक्रम :** सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है:

i. **परिष्कृत सामग्री विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को संवर्धित करने के साथ साथ नए तंतु और सम्मिश्र हिमजनित और मृत्तिका जैसे विभिन्न सामग्री समूहों में व्यापक उत्पादों का विकास करना शामिल है।

ii. प्रौद्योगिकी संवर्धन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति/अंतर्क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समितियों सहित संवेदनशील प्रौद्योगिकी कार्यक्रम।

iii. **औषधि एवं भेषज विज्ञान अनुसंधान :** नया ड्रग्स अनुसंधान जैव-प्रौद्योगिकी प्रणाली और रोग प्रक्रिया की जटिलता के कारण अनुसंधान का एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। नये अणुओं की अभिकल्पना और विकास के साथ-साथ वैकल्पिक प्रक्रियाओं के विकास में शामिल कुछ अनुसंधान समूहों की स्थापना भारत पहले ही कर चुका है। नई ड्रग अभिकल्पना पर ड्रग कम्पनियों के संघ के साथ कुछ पहल शक्तियाँ पहले ही शुरु की जा चुकी हैं। मुख्य उद्देश्य अब ड्रग कम्पनियों के साथ शामिल नये ड्रग्स का उत्साहपूर्ण विकास करना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं/अकादमी संस्थानों और ड्रग कम्पनियों के बीच उत्पादन और लक्ष्य उन्मुख प्रयासों के साथ परियोजना आधारित समर्थन के रूप में माना जा रहा है।

10.03 **Intensification of Research Work in High Priority Areas (IRHPA) :** this scheme was initiated in 1981 with the objective of utilizing existing manpower resources and strengthening the infrastructure of institutions so as to leap into advanced areas of Science and Technology. Three types of activities are supported under IRHPA; (a) Setting up of Unit/Core group; (b) National R&D Programmes; and (c) Setting up of specialised national facilities.

10.4 **Opportunities for Young Scientists :** The objective of this programme is to provide opportunity to young scientists for pursuing innovative research ideas and interaction and exchange of ideas with the scientific community.

11. ***National R&D Programmes :***
The Programme includes:

Super conductivity programme : The main objective of the programme is to organise national efforts in the area of High Temperature of Superconductivity technology development, application and intensification of basic research towards this end.

Instrument Development Programme : The objective is to undertake initial programmes on Instrument Development involving users, R&D Institutions and Industries leading to establishment of a basis for design, development and production of instruments in the country.

Seismicity Programme : This Programme is aimed at promoting and improving assessment of the seismic hazards through application of S & T in an integrated manner and at minimising the loss of life and property. Study on gravity, magnetic and geodetic aspects are undertaken.

12. ***R & D National Facilities and Infrastructural Support :***

12-01. **Regional Sophisticated Instrumentation Centres (RSIC) :** The Scheme of RSICs was initiated during 1974-75 with the main objectives of providing sophisticated instruments facilities to the scientific community. Seven RSICs and four Sophisticated Instrumentation Facilities (SIF) are supported under this programme.

12-02. **National Co-ordination of Testing and Calibration Facilities :** The broad objectives of the scheme are to ensure and improve the quality of industrial products, provide consumer protection, promote export of Indian goods and monitor the quality of imported goods.

12-03. **Assistance to Indian Scientists going Abroad for Participation in International Conferences :** The objective of the scheme is to provide financial assistance to Indian Scientists to participate in the International Conferences/Seminars/Symposia held abroad to exchange ideas on the latest development in Science and Technology with their counterparts abroad.

13. **Programme for Special Technology Development and Coordination :** The following programmes are envisaged for support :

i. **Advanced Material Development Programme :** The Programme is aimed at strengthening existing facilities and promoting new R & D projects as well as comprehensive product development in different groups of materials such as newer fibres, composites, cryogenics and ceramics;

ii. Critical Technology Programmes including Technology Promotion and S & T Advisory Committees/Intersectoral S & T Advisory Committees (STAC/IS-STAC);

iii. Drugs & Pharmaceuticals Research : New drug research is a challenging area of research due to complexity of the biological system and disease process. India already had established some research groups involved in design and development of new molecules as will as development of alternative processes. Some initiatives on new drug design have already started with the association of durg companies. The major objective is now to vigorously develop new drugs with the involvement of drug companies. The approach being considered is a project based support with product and target oriented efforts between national research laboratories/academic institutions and drug companies.

14. मिशन प्रणाली में प्रौद्योगिकी परियोजनाएं :

i.चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर मिशन प्रणाली परियोजना :- यह मिशन प्रणाली परियोजना चीनी उत्पादन की प्रभावी लागत सहित चीनी के कारखानों में तीव्र और संकेन्द्रित प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने के लिए, ऊर्जा के कम प्रयोग और सह उत्पादों के कुशल प्रयोग तथा प्रमाणित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आरंभ की गई है।

ii. विकसित संरचनाओं पर मिशन प्रणाली में प्रौद्योगिकी परियोजना :

संरचनाओं के समग्र विकास के लिए कार्यकुशल निवेशों की जरूरत है। अभिकल्पना, आदि प्ररूप विकास, प्रौद्योगिकीय विस्तार तथा वाणिज्यिक संदोहन के लिए विशिष्ट उत्पाद अपनाए जाएंगे।

iii. 'फ्लाई एश' के निपटान और प्रयोग पर मिशन प्रणाली में प्रौद्योगिकीय परियोजनाएं:-

इस परियोजना का उद्देश्य 'फ्लाई एश' के सुरक्षित निपटान और इसका लाभदायक प्रयोग करना है। इसके 1994-95 के दौरान आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

iv. भूकम्प निरीक्षण पर प्रणाली परियोजना (द्वीपीय घिरे हुए क्षेत्र में भूकम्पविज्ञानीय उपकरणीय प्रोन्नति और सम्बधित भूभौतिकीय अध्ययन) :-

इस परियोजना के उद्देश्यों में द्वीपीय क्षेत्र में 3 भूकम्पों को महत्व देने के लिए अभिज्ञात स्थिति की सीमा को सीमित करते हुए भूकम्प से संबंधित विस्तार केन्द्रों की स्थितिजन्य क्षमता का पता लगाने में सुधार; निकटवर्ती साधन विशेषताओं और भूकम्पीय संकेत तथा लागत प्रभावी भूकम्प विरोधी संरचनाओं की अभिकल्पना के लिए सघन क्षीणन नियमों का निर्धारण; निकटवर्ती-वास्तविक समय आंकड़ों के संकलन, संसाधन एवं सम्प्रेक्षण हेतु उन्नत संचार व्यवस्था सम्पर्क प्रदान करना शामिल है।

15. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:

15.01 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास : राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, सतत आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों और प्रशिक्षण सुविधाओं आदि जैसे उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रमों के उपस्करों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी और अनुपयुक्त रोजगार की समस्याओं का समाधान करना है।

15.02 विज्ञान और सोसाइटी कार्यक्रम : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों को सुधारना और समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को गुलामी से मुक्त कराना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के कार्यान्वयन के लिए सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाएगा। नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए इस योजना का उद्देश्य अनुसंधानोन्मुख कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।

15.03 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और लोकप्रियी करण: राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दूरसंचार परिषद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रियीकरण और लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रकृति के अन्तर्निवेशन के विशाल जुड़वा उद्देश्यों के संबंध में नीति और योजना निर्माण के उत्तरदायित्वों का भार सौंपा गया है ।

15.04 राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें : इन का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आयोजना, मार्ग दर्शन, मूल्यांकन अनुवीक्षण समन्वित करने और राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के सामान्य विस्तार में केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करने के लिए राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना और समर्थन करना है।

15.05 अन्य स्कीमें :

(क) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष घटक योजना : इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण से संबद्ध क्रियाकलाप, अभियांत्रिकी और विज्ञान के अध्ययनों का तकनीकी प्रभाव, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास, विकीर्णन, प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रयोग शामिल हैं।

(ख) जनजातीय उप-आयोजना : जनजातीय उप-आयोजना के कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से संबंधित हैं जो जनजातीय आबादी के जीवन-यापन स्थितियों और अर्जन क्षमता को बौद्धिक निपुणता

14. Technology Projects in Mission Mode :

i. ***Mission Mode Project on Sugar Producation Technologies:*** This mission mode project has been initiated to accomplish sharper and focussed technological upgradation in sugar factories, interalia, the cost effectiveness of sugar production, lesser use of energy and efficient utilisation of byproducts and to produce demonstration effect.

ii. Technology Project in Mission Mode on Advanced Composities :

Strategic inputs are needed for overall development of composites. Specific products will be taken up for design, prototype development, technology diffusion and for the commercial exploitation.

iii. Technology Projects in Mission Mode on Fly Ash Disposal and Utilisation :

The objective of the project is to enhance safe disposal and gainful utilisation of Fly Ash. It is proposed to be launched during 1994-95.

iv. Mission Mode project on Seismic Observation (Seismological Instrumentation Upgradation and related geopbhysical studies in peninsular shield area)

The objectives of this project are to improve the detection and locational capability of the seismic network by lowering the threshold of detection-cum-location to magnitude 3 earthquakes in the Peninsular Shield; determination of near-source characteristics and seismic signal and intensity attenuation laws for designing of cost-effective earthquake resistant structures; to provide better communication links for quicker data transmission for near-real time data compilation, processing and analysis.

15. ***S&T Programmes for Socio Economic Development :***

15.01 **S&T Entrepreneurship Development :** The main objectives of the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) is to deal with, on a sustained basis, the problem of unemployment and inappropriate employment among S&T persons through the instruments of Enterpreneurship Development Programmes such as setting up of Science and Technology parks and training facilities, etc.

15.02 **Science and Society Programmes** : This scheme is aimed at improving the living conditions and removal of drudgery from rural population, weaker sections of the society and women. The expertise of retired scientists is also to be used for application of S & T development. The scheme is also intended to encourage research oriented activities involving the new generation of scientists.

15.03 **Science and Technology Communication and Popularisation:** The National Council for Science and Technology Communication (NCSTC) has been charged with policy and Plan-making responsibilities in respect of the broad twin objectives of popularisation of Science and Technology (S&T), and inculcation of S&T temper among people.

15.04 **State Councils for S&T :** The objective is to establish and support State Councils for S&T to act as focal points in the States and Union Territories for planning, guiding, evaluating, monitoring, co-ordinating and in general spreading Science and Technology activities at state level.

15.05 *Other Schemes :*

(a) **Special Component Plan for the Development of Scheduled Castes :** Under this scheme activities relating to survey of scientists, technical impacts studies of engineering and scientists, appropriate technology generation, dissemination, demonstration and field trials are envisaged.

(b) **Tribal Sub-plan :** Programmes relating to S & T intervention for improving the living conditions and earning capacity through skill development will be supported.

के माध्यम से सुधारने के लिए हैं, इसमें उन्हें सहायता दी जाएगी।

(ग) **प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली :** इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित के लिए है :—

— स्थान विषयक आंकड़ा प्रबंध में अनुसंधान और विकास संवर्धन।
— सूक्ष्म स्तरीय आयोजन की देखभाल के लिए प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक परिमाणों पर प्रायोगिक पैमाने की एकीकृत आंकड़ा आधार का विकास।
— विशेष समस्याओं का पता लगाने पर बल देते हुए प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आंकड़ा आधार के दृष्टिकोण की गुणवत्ता का प्रदर्शन।
— आयोजना के विभिन्न श्रेणियों में विभक्त इकाइयों पर स्थान विषयक संसाधन पार्श्वचित्रों को बनाना।
— प्राकृतिक आपदाओं के विनाश में कमी।

16. ***विज्ञान और प्रौद्योगिकी समर्थन कार्यक्रम :*** इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के नियोजन और उत्पाद के बीच असमानता का अध्ययन करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कीदीर्घकालिक और अल्पकालिक आवश्यकताओं के अनुमान लगाना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं आधि के आंकड़ा आधारों का सृजन करना शामिल है।

17. ***मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर अनुसधान और विकास परिचालन कार्यक्रमः***

17.01 **पृथ्वी और वायुमण्डलीय विज्ञान :** इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों/ अध्ययनों को कार्यान्वित किया गया है :—

क. सीमा स्तर प्रयोग के माध्यम से मानसून की जानकारी ;
ख. उष्णकटिबंधीय महासागरीय विश्व-व्यापक वायुमण्डल;
ग. हिमालयी क्षेत्रों में हिमाच्छादन;
घ. कृषि संबंधी मौसम विज्ञान;
ङ वायु प्रभावी अभियांत्रिकी;
च. लेजर वायुमंडलीय अध्ययन;
छ. प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणियों और प्रबंधन के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधन।
ज. गहन महाद्वीपीय अध्ययन
झ. बंजर द्वीप समूहों में ज्वालामुखी विस्फोट प एकीकृत कार्यक्रम।
ञ. जहरीले, खतरनाक तथा नाभिकीय कचरे के निपटान के भूवैज्ञानिक पहलुओं पर कार्यक्रम।

18. ***अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :***

18.01 **भारत और सी आई एस गणराज्यों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धित दीर्घावधिक सहयोग कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्धारित उच्च विकास शील क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाओं के क्षेत्र में, मूल अनुसंधान से सम्बन्धित विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाएं आरंभ करना और भावी सहयोग के लिए अन्य सम्भव क्षेत्रों का पता लगाना है।

18.02 **उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत-फ्रांस अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली :** केन्द्र के मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच मूल-भूत और अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के विकसित क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, भारत और फ्रांस की संगणित वैज्ञानिक संस्थाओं और वैज्ञानिकों के मध्य तादात्म्य स्थापित करते हुए लाभप्रद तरीके से सहयोग बढ़ाना, दोनों देशों के अनुसंधानकर्त्ताओं को विकसित अनुसंधान की खोज के लिए अन्य उपयुक्त तरीकों से अनुदान और उपस्करों के रूप में सहायता प्रदान करना है।

18.03 **विकासशील देशों के साथ सहयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमः** इसमें ऐसे कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा जिनसे राष्ट्र की तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी सहायता के प्रवाह को आकर्षित किया जा सके।

18.04 **विकासशील देशों के साथ सहयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम :** इसके उद्देश्य प्रशिक्षण, मूल (बेसिक) और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, परामर्श आदि कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिभाओं का निर्माण करना, संयुक्त उपक्रम स्थापित करना और कार्यक्रमों का निर्माण व उनका विकास करना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य सहित गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र

(c) **Natural Resources Data Management System :** The objectives of this programmes are to:—

— Promote R & D in spatial data management.
— Develop pilot scale integrated databases on natural resources and socio-economic parameters to cater to micro level planning.
— Demonstrate the efficacy of database approach for management and conservation of natural resources with emphasis on location specific problems.
— Build spatial resource profiles at different hierarchical units of planning.
— Natural Disasters Mitigation.

16. ***S&T Policy Support Programme:*** The objectives of the scheme are to study the mismatch between employment and output of S & T personnel, estimation of short term and long term requirement of S & T manpower, creation of databases on R & D projects, etc.

17. **Meteorology and Climatology Research Development and Operations Programmes:**

17.01 **Earth and Atmospheric Sciences :** Under Atmospheric Sciences Programmes the following programmes/studies are envisaged :

a. Monsoon Trough Boundary Layer Experiment (MONTBLEX);
b. Tropical Ocean Global Atmosphere (TOGA);
c. Himalayan Glaciology;
d. Agrometeorology;
e. Wind Effect Engineering;
f. Laser Atmospheric Studies;
g. R & D of Resources for forecasting and management of Natural Calamities.
h. Deep Continental Studies
i. Integrated Programme on Volcanic eruption in the Barren Island, Andaman Nicoabr Islands.
j. Programme of geological aspects of toxic, hazardous and nuclear waste disposal.

18. ***International Co-operation***

18.01 **Integrated Long term Programme of Cooperation in Science & Technology between India and the Republics of CIS:** The objective of the programme is to undertake collaborative projects in the identified thrust areas in frontiers of S & T; related areas of Science for basic research and to explore other possible areas for future cooperation.

18.02 **Indo-French Research Centre for the promotion of Advanced Research (IFCPAR) New Delhi :** The principal objectives of the Centre are to promote co-operation in advanced areas of fundamental and applied scientific research between India and France to develop co-operation, through identification of scientists and scientific institutions of India and France likely to co-operate in a profitable way, to provide assistance in the form of grants and equipment as well as other appropriate means of support for pursuit of advanced research and to researchers of both the countries.

18.03 **S & T Programme of cooperation with Developed Countries :** Thrust would be placed on such programmes as would attract the inflow of technical assistance in forms compatible with the immediate national needs.

18.04 **S&T Programme of Cooperation with Developing Countries :** The objectives are to build S & T capability through programmes devoted to training, basic and applied research, consultancy, etc., to set up joint ventures, development and production programmes.

A Centre for S&T for Non-aligned and other Developing Countries with the objectives of strengthening S&T co-operation; promoting

अपसी लाकारी सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं की सूचना के लिए निकासी घर के रूप में कार्य ककरना; विशेषज्ञों के विशेष पैनलों के जरिए वस्तुस्थिति रिपोर्ट तैयार करना।

18.05 **अन्य** : अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ, वैज्ञानिक संघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों तथा इसके सम्बद्ध संघों/निकायों को वार्षिक अंशदान की अदायगी करना और बोन, वाशिंगटन, मास्को तथा टोक्यो में विज्ञान सलाहकारों के चार कार्यालयों को खर्चों का भुगतान करना शामिल है।

19. **राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य अग्रिम रूप से 4 से 10 दिन तक मौसम पूर्वानुमान तैयार करके उनके व्यापक परिचालन माडलों का विकास करना और कृषि कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों को कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सलाह प्रदान करना है । इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान की स्थापना की गई है जिसमें परिष्कृत गणक सुविधाएं होंगी । विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि मौसम विज्ञान केन्द्रों के साथ उपयुक्त संचार व्यवस्था के तंत्र को भी स्थापित किया गया है ।

मौसम विज्ञान :

20. **प्रशिक्षण** : पुणे, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रशिक्षण अनुभागों में मौसम विज्ञान और रेडियो मौसम विज्ञान और दूर-संचार संबंधी उपकरणों के संचालन, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है । नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बामरौली का मौसम विज्ञान प्रशिक्षण एकक नागर विमानन विभाग के वायु यातायात कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

21. **उपग्रह सेवाएं** : अन्तरिक्ष विभाग ने अप्रैल, 1982 के प्रारम्भ में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय-भू-कक्षीय उपग्रह-इनसैट-1ए छोड़ा । बहुमूल्य सूचना जून से मध्य अगस्त, 1982 के आरम्भ में इन्सैट-1ए के माध्यम से मेघ कल्पनाओं के संबंध में एकत्रित की गई थी, इसके बाद उपग्रह तकनीकी त्रुटियों के कारण समाप्त हो गया था । द्वितीय बहुप्रयोजनी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 30 अगस्त, 1983 को छोड़ा गया । मौसम विज्ञान सूचना उपयोग केन्द्र, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है और 20 गौण सूचना उपयोग केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

22. **वेधशालाएं और मौसम केन्द्र** : मौसम विज्ञान सेवाओं से संबधित कार्यकलापों में पूरे देश तथा इसके साथ लगे समुद्री क्षेत्रों में, वेधशालाओं के अनुरक्षण तथा समुद्री जहाजों को सज्जित करके मौसम की सूचना के तीव्र आदान-प्रदान के लिए मौसम सम्बन्धी अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार व्यवस्था करना, उपग्रह से मौसम सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करना इन सूचनाओं को विमानन, नौवहन, कृषि तथा बाढ़-नियंत्रण के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराना, जान और माल की रक्षा के लिए तूफानों इत्यादि के बारे में पूर्व-चेतावनी देना शामिल है।

23. **अनुसंधान और विकास कार्यक्रम** : विभाग की अनुससंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों में बुनियादी और व्यावहारिक मौसम विज्ञान तथा भूकम्प विज्ञान के बारे में प्रयोग और अनुसंधान कार्य शामिल हैं और इसके अलावा उपकरणों का रूपांकन और विकास भी शामिल है।

24. **अन्य मौसम विज्ञान सेवाएं** : इनके अंतर्गत गतिविधियों में मौसम संबंधी उपस्करों का निर्माण, पूर्ति और अनुरक्षण तथा विभागीय कार्यशालाओं में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन और इनकी उपरितन वायु के अवलोकन के लिए पूर्ति करना शामिल है । मौसम विज्ञान संबंधी आकड़ों को राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए जलवायु संबंधी आकड़ों में संसाधित किया जाता है।

25. **अन्य कार्यक्रम** : इसमें विश्व मौसम संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र को भारत के वार्षिक अंशदान की अदायगियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

mutually beneficial collaborative programme; serviing as clearing-house for information of technology capabilities to promote future co-operation; preparation of state-of-the-art reports through special panels of experts.

18.05 **Others :** International Cooperation includes payment of annual subscription to UN, International Council of Scientific Union and its affiliated unions/bodies and expenditure in four offices of Science Counsellors in Bonn, Washington, Moscow and Tokyo.

19. **National Centre for Medium Range Weather Forecasting :** The aim of the programme is to develop global circulation model for preparing weather forecasts upto 4-10 days in advance and issuing agro-meteorological advisories to farmers for facilitating agricultural operations. Towards this objective a National Centre for Medium Range Weather Forecasting with Super Computing facilities has been established. Setting up of agrometeoro-logical centres in different agroclimation zones with suitable communication network is also envisaged.

Meteorology

20. **Training** : The training sections at Pune, New Delhi and Calcutta impart training in meteorology and in operation, maintenance and servicing of radio meteorological instruments and telecomuni-cations. The meteorological training unit at Civil Aviation Training Centre, Bamrauli serves the training requirements of the air traffic personnel of the Civil Aviation Department.

21. **Satellite Services :** The Department of Space launched the first Indian National Geostationary Satellite-INSAT 1A in early April 1982. Valuable data were obtained on cloud imageries through INSAT-1A from early June to mid-August, 1982 after which the satellite's life was terminated due to technical faults. The second multipurpose Indian National Satellite was launched on 30th August, 1983. The Meteorological Data Utilisation Centre is functioning at New Delhi and 20 Secondary Data Utilisation Centres have been established.

22. **Observatories and Weather Stations :** The activities consist of recording of observatories and equipping ships, maintenance of inland and overseas meteorological telecommunication network for quick exchange of weather information reception of satellite weather. Information to user interests like aviation, shipping, agriculture and flood control, issue of warnings against cyclones etc. for protection of life and property.

23. **Research and Development Programmes :** The Research and development activities of the department cover experimental work and research on basic and applied meteorology and seismology including design and development of the instruments.

24. **Other meteorological services :** The activities consist of manufacture, supply and maintenance of meteorological instruments and production of hydrogen gas at Department Workshops and supply of these to the upper air observatories. Meteorological data are processed into climatological statistics for application to nation building activities.

25. **Other Programmes :** include payments of India's annual contribution to World Meteorological Organisation and the International Seismological Centre.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मांग संख्या DEMAND No.73

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग Department of Scientific and Industrial Research

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	*Revenue*		155.95	199.45	355.40	155.95	216.16	372.11	177.01	225.03	402.04
पूंजी	*Capital*		5.05	...	5.05	5.05	2.67	7.72	8.99	...	8.99
जोड़	**Total**		**161.00**	**199.45**	**360.45**	**161.00**	**218.83**	**379.83**	**186.00**	**225.03**	**411.03**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	0.92	0.92	...	1.14	1.14	...	1.14	1.14
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	**Other Scientific Research**										
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता	Assista ce to Council of Scientific and Industial Research										
2. प्रशासन	2.Administration	3425	7.00	34.50	41.50	7.00	36.50	43.50	7.00	39.00	46.00
3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3. National Laboratories	3425	120.00	134.50	254.50	121.36	144.00	265.36	141.00	150.00	291.00
4. वैज्ञानिक पूल	4. Scientists Pool	3425	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
5. छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां	5. Scholarships and Fellowships	3425	4.00	21.00	25.00	4.00	26.00	30.00	4.00	26.00	30.00
6. प्रायोगिक संयंत्र	6. Pilot plants	3425	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10
7. आवासीय भवन	7. Residential Buildings	3425	9.00	4.40	13.40	9.00	4.40	13.40	9.00	4.75	13.75
जोड़-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता	**Total Assistance to CSIR**		**140.00**	**198.50**	**338.50**	**141.36**	**215.00**	**356.36**	**161.00**	**223.85**	**384.85**
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली	8. National Information System for Science and Technology	3425	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.75	...	1.75
9. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता	9. Assistance to Other Scientific Bodies										
9.1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को अ. और वि. योजनाओं के लिए सहायता	9.1 Support for R&D Schemes to Central Electronics Limited	3425	2.64	...	2.64	2.64	...	2.64	0.77	...	0.77
9.2 अन्य योजनाएं / कार्यक्रम	9.2 Other Schemes / Programmes										
क. प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित कार्यक्रम	A. Programme Aimed at Technological Self Reliance	3425	7.68	...	7.68	7.00	...	7.00	9.23	...	9.23
ख. अन्य स्कीमें	B. Other Schemes	3425	4.13	0.03	4.16	3.45	0.02	3.47	4.26	0.04	4.30
		5425	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*4.38*	*0.03*	*4.41*	*3.70*	*0.02*	*3.72*	*4.41*	*0.04*	*4.45*
जोड़		*Total*	*14.70*	*0.03*	*14.73*	*13.34*	*0.02*	*13.36*	*14.41*	*0.04*	*14.45*
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	10. Investment in Public Enterprises	4859	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	4.27	...	4.27
		5425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
		6859	2.25	...	2.25	2.25	2.67	4.92	4.27	...	4.27
		7425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*4.80*	...	*4.80*	*4.80*	*2.67*	*7.47*	*8.84*	...	*8.84*
कुल जोड़	***Grand Total***		***161.00***	***199.45***	***360.45***	***161.00***	***218.83***	***379.83***	***186.00***	***225.03***	***411.03***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
1. केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1. Central Electronics Ltd.	12859	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	8.54	...	8.54
2. राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम	2. National Research Development Corporation	13425	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
जोड़	**Total**		**4.80**	...	**4.80**	**4.80**	...	**4.80**	**8.84**	...	**8.84**
ग आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1.Other Scientific Research	13425	156.50	...	156.50	156.50	...	156.50	177.46	...	177.46
2. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	2.Telecommunication and Electronic Industries	12859	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	8.54	...	8.54
जोड़	**Total**		**161.00**	...	**161.00**	**161.00**	...	**161.00**	**186.00**	...	**186.00**

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं : इसमें विभाग के सचिवालय कार्यालय के लिए व्यय की व्यवस्था है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता :

2. प्रशासन : इसमें ऐसे स्वायत्त निकाय के व्यय की व्यवस्था है (अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) जिसके कार्यों का प्रशासन, निदेशन, और नियंत्रण नियमों के अधीन एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

1. Secretariat-Economic Services: Provides for expenditure on the Secretariat of the Department.

Assistance to Council of Scientific and Industrial Research:

2. Administration: Provides for expenditure of the autonomous body (viz. Council of Scientific and Industrial Research) whose affairs are administered, directed and controlled subject to the rules of a Governing Body.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यरत इकाइयां/प्रभाग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अनुसंधान और विकास प्रबंध संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।

3. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं :** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य आरंभ करने के लिए देश भर में 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इन क्षेत्रों को मोटे तौर पर भौतिक, पृथ्वी और समुद्र, रसायन, जैविकी, इंजीनियरी, पदार्थ और सूचना विज्ञानों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित अनुसंधान और विकास दक्षताओं, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में ज्ञान और सूचना का प्रचार करने और क्षेत्र विशेष की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनेक विस्तार। क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सभी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, गृह, खाद्य, सार्वभौमिक, ग्रामीण विकास और बहुक्षेत्रीय गतिविधियां जैसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत अनुसंधान और अनुसंधान सहायता गतिविधियों को उत्कृष्ट चुने हुए क्षेत्रों में लाया गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी तेलहनों और दालों तथा पेयजल संबंधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों में भाग ले रही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को "सी.एस.आई.आर. कोयला प्रौद्योगिकियों" और "चमड़ा" संबंधी मिशन प्रणाली कार्यक्रमों के लिए अग्रणी अभिकरण के रूप में चिह्नित किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अन्य किए जा रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐजन्सियों द्वारा कार्यान्वित मिशन पद्धति कार्यक्रमों से भी संबंधित है।

4. **वैज्ञानिकों का पूल :** वैज्ञानिकों के पूल की स्कीमों का उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 500 पूल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

5. **अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां :** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने असाधारण स्थायी अनुसंधान अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि जैसी उच्च अध्ययन की संस्थाओं में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सहायता देती है। इन कार्यक्रमों में कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुसंधान फैलो, अनुसंधान एसोशियेटस, अतिथि एसोशियेटस की नियुक्ति और "इनरिसट" तथा "टाकटेन" कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराना शामिल है, जो विभिन्न संस्थाओं में अल्पावधि के लिए अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान करते हैं। फैलोशिप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और इंजीनियरी के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम भी चलाती है।

6. **प्रायोगिक संयंत्र :** निम्नलिखित प्रायोगिक संयंत्र के लिए निधि उपलब्ध कराना जारी रहेगा: रक्षा और भारत सरकार की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए सी.जी.सी.आर.आई. कलकत्ता द्वारा सिरेमिक पॉट प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित ऑप्टीकल शीशों की 28 किस्मों का उत्पादन।

7. **आवासीय भवन, स्टाफ क्वार्टर और अन्य सुविधाएं :** प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और उन्हें सी.एस.आई.आर. में बनाए रखने में आवास एक प्रमुख कठिनाई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टाफ क्वार्टरों और वैज्ञानिक अपार्टमैंटस के न्यायसंगत मिश्रण द्वारा निर्माण कार्य के एक कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों, अस्पतालों/औषधालयों की न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

8. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली :** इस योजना के अन्तर्गत चर्म प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, मशीनी औजारों, दवाइयों, भेषजों, रसायनों, वस्त्रों, विकसित सिरैमिक सी.डी.-आर.ओ. एम., बिबलियोमीट्रिक्स और क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में दस क्षेत्रीय सूचना केन्द्रों को सहायता दी जा रही है।

9. **अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता :**

(क) *सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अनुसंधान और विकास स्कीमों को सहायता :*

इस कार्यक्रम के अंतर्गत परा उच्च शक्ति क्षमता, एकल क्रिस्टल सोलर सैल, लैजर स्क्राइबर, नए एस.पी.वी. व्यवस्थाएं तथा

The various functional units/divisions located in CSIR headquarters provide the R&D management support to the national laboratories.

3. **National Laboratories:** CSIR has established fourty national laboratories, all over the country to undertake R&D in various areas and disciplines. The areas can be broadly classified as Physical, Earth & Marine, Chemical, Biological, Engineering, Material and Information Sciences. In addition, a number of extension/regional centres have been established to disseminate knowledge and information on R&D capabilities, techniques and technologies developed in national laboratories as well as cater to region specific problems. All the R&D programmes have been linked to socio-economic sectors such as health, industrial development, environment, energy, housing, food, globalisation, rural development and multi sectoral activities. In addition, basic research and research support activities are carried out in selected areas of execllence.

CSIR is also participating in National Technology Missions on Oilseeds & Pulses as well as Drinking Water. CSIR has been identified as the lead agency for mission mode programmes on "Clean Coal Technologies" and "Leather". CSIR is also associated with mission mode Programmes being implemented by other S&T agencies.

4. **Scientists Pool :** Scientists Pool Schemes aim for temporary placement of highly qualified Indian scientists and technologists. It is proposed to support about 500 pool officers during 1994-95.

5. **Research Schemes, Scholarships and Fellowships:** CSIR supports research and development programmes in institutions of higher learning such as universities, institutes of Technology, etc. through its Extra Mural Research Grant programmes. The programmes include the funding for placement of Junior and Senior Research Fellows, Research Associates, Visiting Associates, as well as INRIST and TOKTEN programmes which support placement of non-resident Indian scientists in various institutions for short duration. The award of fellowships is through a national examination system conducted by CSIR. CSIR has also a joint programme with UGC for providing training in specialised areas of Science and Engineering.

6. **Pilot Plants :** Funding would be continued for the following pilot plant: Production of 28 varieties of optical glasses through ceramic pot technology developed by CGCRI, Calcutta for defence and Government of India's R&D laboratories.

7. **Residential Buildings, Staff Quarters and other amenities:** Housing is one of the major constraints to attract talented scientists and retain them in CSIR. A programme of construction has been emphasised during the 8th Plan period through a judicious mix of staff quarters and scientist apartments. Besides other minimum facilities and amenities of schools, hospitals/dispensaries.

8 **National Information System for Science and Technology (NISSAT):** Under this scheme, ten sectoral information centres in the fields of leather technology, food technology, machine tools, drugs and pharmaceuticals, chemicals, textiles, advanced ceramics, CD-ROM, bibliometrics and crystallography are supported.

9. **Assistance to other Scientific Bodies:**

(a) *Support to Research and Development Schemes of Central Electronics Ltd.:*

Under this programme R & D projects on development of Ultra High Efficiency, Single Crystal Solar Cells, Laser Scriber,

सोलर सेल प्रक्रिया विकास की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोग कार्यक्रमो के लिए अनुदान सहायता :

(i) उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास
इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान और विकास आधार ढांचा को मजबूत करना है और अनुसंधान एवं विकास को उद्योग द्वारा प्रभावकारी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

(ii) प्रौद्योगिकीय स्वावलम्बन पर केन्द्रित कार्यक्रम (पी ए टी एस ई आर)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत सामानों, विलयन में औद्यगिक प्रयासों का श्रेणीकरण और आयातित तकनीकी को उन्नतिशीलता के देशी विकास को प्रोत्साहन देना है।

(iii) प्रौद्योगिकी के अंतरण द्वारा क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना (एस ई ई टी ओ टी)
योजना का मूल उद्देश्य, प्रौद्यगिकी को मगाने, प्रौद्यगिकियों और सेनवाओं के तीव्र निर्यात, परामर्शी योग्यतों और तकनीकी हस्तातरण के लिए यांत्रिक सहायता के लिए तकनीकी और प्रौद्योगिकीय आदान का प्रबंध करना है।

(ग) एशिया और प्रशान्त प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र :

यह केन्द्र क्षेत्र के विकासशील देशों को उन की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के वास्ते उन की सहायता करने के लिए ऐस्केप के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र संस्थान के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार इस केन्द्र को अतिथेय सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

10. ***सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश :***

(क) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) : सी.ई.एल.की गतिविधियों में निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं शामिल है।

(i) सोलर फोटोवोलटिक (एस.पी.वी.) सेल, मोडयूल और अनेक किस्मों के उपयोग के लिए एस.पी.वी. प्रणालियां।

(ii) रेलवे सिगनल और सुरक्षा के लिए कम्पलेक्स इलेक्ट्रानिकी प्रणालियां, दूरभाष और प्रक्षेपण दूरदर्शन प्रणालियां।

(iii) इलेक्ट्रानिक संघटक, जैसेकि व्यावसायिक फैराइट्स, इलेक्ट्रानिक सेरामिक और पिजो-इलेक्ट्रिक एलीमेंट। सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, इलेक्ट्रानिकी के उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देशी जानकारी, आन्तरिक अनुसंधान और विकास द्वारा तैयार की गई जानकारी के साथ-साथ सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं से प्राप्त जानकारी के वाणिज्यिकरण को काफी अधिक महत्व देता है।

(ख). राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) :

एन.आर.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य और कार्य ये है : सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं से जानकारी की लाइसेंसिंग और इस प्रकार की जानकारी को वाणिज्यिकृत करना, जिसमें आवश्यक इंजीनियरी और स्केल-अप सेवाओं की व्यवस्था शामिल है, विकास को सीधे वित्तपोषित करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण, औद्योगिक एककों के बीच प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सुविधा देना, प्रौद्योगिक निर्यात, उद्यमियों को पेटेंट सहायता की व्यवस्था, व्यक्तिगत आविष्कारकों को प्रोत्साहन और शैक्षणिक संस्थानों में आविष्कारशील प्रतिभा का संवर्धन तथा एन आर डी सी द्वारा लाइसेंसीकृत स्वदेशी प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिकृत करने के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक समर्थन।

बजट अनुमान 1995-96 में शेयर पूंजी/ऋण तथा आविष्कार संवर्धन कार्यक्रम, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास तथा उन्नति के लिए अनुदान सहायता, प्रौद्योगिकी निर्यात, प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सूचना विज्ञान, डिजायन और इंजीनियरी कार्यक्रम तथा लाइसेंसी कंपनियों को प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक समर्थन, प्राथमिक परियोजनाओं के लिए तकनीकी विकास कार्यक्रम और लघु एवं माध्यमिक स्तर के औद्योगिक नवीन कार्यक्रम की व्यवस्था है।

New SPV Systems and Solar Cell Process Development are supported.

(b) Grants in aid for Technology Promotion Development and Utilisation Programme :—

(i) Research and Development by Industry:
The main objective of this scheme is to strengthen in-house R&D infrastructure and to make R&D by industry effective and competitive.

(ii) Programme Aimed at Technological Self-Reliance (PATSER):
The main objective of this scheme is to promote indigenous development of capital goods, to catalyse industry's efforts in absorption and upgradation of imported technology.

(iii) Scheme to Enhance the Efficacy by Transfer of Technology:
The basic objective of the scheme is to provide technical and technological imputs for acquisition of technology, accelerate export of technologies and services, enhance consultancy capabilities and support mechanism for technology transfer.

(c) Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology :

This Centre operates as an UN Institution under the auspices of ESCAP to assist developing countries of the region for strengthening their capabilities. The Government of India provides host facilities to the Centre.

10. ***Investment in Public Enterprises :***

A. **Central Electronics Limited (CEL) :** CEL activities include the following research projects :

(i) Solar Photovoltaic (SPV) Cells, Modules and SPV systems for a wide variety of applications.

(ii) Complex electronic systems catering to Railway signalling and safety, Telephones and Projection Television Systems.

(iii) Electronic Components, such as Professional Ferrites, Electronic Ceramics and Piezo Electric Elements. CEL gives key importance to the commercialisation of indigenous know how in high technology areas of Electronics knowhow generated by their own house R &D as also that acquired from Government funded R & D Laboratories.

B. **National Research and Development Corporation:**

The main objectives and functions of NRDC are licencing know-how from Government funded R&D Laboratories and getting such know-how commercialised, including the provision of the necessary engineering and scale-up services direct financing of transfer of technology between industrial units, technology export; provision of patent assistance to entrepreneurs; Encouragement of individual inventors and promotion of inventive talent in educational institutions and techno-commercial support to enterpreneurs commercialising indigenous technology licenced by the NRDC.

The B.E. for 1995-96 has provision for share capital/loan and grants-in-aid for the Invention Promotion Programme, Development and Promotion of Rural Technology, Export of Technology, Informatics for Technology Transfer, Design and Engineering Programme and Techno-commercial support to Licencee Companies, technology development programme. For priority projects and small and Medium Scale industry innovation programme.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मांग संख्या DEMAND No.74

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग Department of Bio-Technology

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		85.80	3.23	89.03	85.67	3.36	89.03	90.00	6.52	96.52
पूंजी	*Capital*		*1.20*	...	*1.20*	*1.20*	...	*1.20*	...	...	...
जोड़	**Total**		87.00	3.23	90.23	86.87	3.36	90.23	90.00	6.52	96.52
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	0.30	1.68	1.98	0.30	1.74	2.04	0.30	1.87	2.1
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	**Other Scientific Research.**										
2. अन्य वैज्ञानिक निकायों के लिए सहायता अनुदान	*2. Assistance to Scientific Institutions/ Professional Bodies*										
2.01 जन-शक्ति विकास के लिए सहायता अनुदान	2.01 National Institute of Immunology	3425	7.00	1.12	8.12	7.00	1.15	8.15	9.00	1.17	10.17
2.02 आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान	2.02 National Facility for Animal Tissue & Cell Culture, Pune	3425	5.50	0.43	5.93	5.50	0.47	5.97	5.50	0.48	5.98
2.03 आधारभूत व उत्पादन आधारित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान	2.03 Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics	3425	...	...	...	...	...	...	3.20	...	3.20
जोड़		*Total*	*12.50*	*1.55*	*14.05*	*12.50*	*1.62*	*14.12*	*17.70*	*1.65*	*19.35*
3. अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को सहायता	*3. Assistance to Other Scientific Bodies*										
3.01 जन शक्ति विकास	3.01 Man Power Development	3425	7.00	...	7.00	6.90	...	6.90	7.00	...	7.00
3.02 आधारिक संरचना सुविधाएं	3.02 Infra-structural Facilities	3425	7.90	...	7.90	7.43	...	7.43	7.50	...	7.50
3.03 आधारभूत और उत्पाद आधारित अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाएँ	3.03 Basic and Product based R & D Projects	3425	40.60	...	40.60	39.75	...	39.75	42.00	...	42.00
3.04 प्रदर्शन/प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और गतिविधियाँ	3.04 Demonstration/Transfer of Technology and Manufacture Activities	3425	11.00	...	11.00	12.22	...	12.22	11.50	...	11.50
जोड़		*Total*	*66.50*	...	*66.50*	*66.30*	...	*66.30*	*68.00*	...	*68.0*
4. अंतर्राष्ट्रीय निगम	4. International Cooperation	3425	1.00	...	1.00	1.07	...	1.07	1.00	...	1.0
5. अनुवांशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र	5.International Centre for Genetic Engineering and Bio-Technology	3425	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	3.00	3.00	6.0
6. सरकारी उद्यमों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश	*6. Investment in Public Enterprises/Joint Ventures*										
6.01 भारत इम्यूनालोजी तथा बायोलोजिकल कारपोरेशन में निवेश	6.01 Investment in Bharat Immunologicals and Biological Corporation	5425	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	...	...	...
6.02 इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन में. निवेश	6.02 Investment in Indian Vaccines Corporation	5425	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.20*	...	*1.20*	*1.20*	...	*1.20*	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*87.00*	*3.23*	*90.23*	*86.87*	*3.36*	*90.23*	*90.00*	*6.52*	*96.5*

ख. सरकारी उद्यमों/संयुक्त उद्यमों/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises/ Joint Venture/PSU.**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ To
6.01 भारत इम्यूनालोजी एण्ड बायोलोजिकल कारपोरेशन में निवेश	6.01 Investment in Bharat Immunologicals and Biological Corporation	13425	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	...	19.13	19.
6.02 इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन में निवेश	6.02 Investment in Indian Vaccines Corporation	13425	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	
जोड़		*Total*	*1.20*	...	*1.20*	*1.20*	...	*1.20*	...	*19.13*	*19*
ग. आयोजना परिव्यय॰ अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	**C. Plan Outlay*** Other Scientific Research	13425	87.00	...	87.00	86.87	...	86.87	90.00	19.13	109

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं : इसमें सचिवालय कार्यालय पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है ।

2. वैज्ञानिक संस्थाओं / वाणिज्यिक इकाइयों के लिए सहायता :

2.01 **राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली** : इस संस्थान की स्थापना आधारभूत और प्रायोगिक प्रतिरक्षण में उच्च स्तर का अनुसंधान आरम्भ करने, सहायता, संवर्धन, मार्गदर्शन और समन्वय करने; संचारी रोगों के लिए नए टीकों और प्रतिरक्षण प्रतिकारकों के विकास के लिए अनुसंधान करने; स्त्री और पुरुष प्रजननशीलता के विनियमन के लिए प्रतिरक्षक दृष्टिकोणों का विकास करने; टीकों और प्रतिरक्षण प्रतिकारकों के निर्माण के लिए उद्योग के साथ सहयोग करने; प्रतिरक्षण विधियों और संबद्ध तकनीकों में तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने; स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए अनुसंधान प्रशिक्षुओं के पंजीकरण में सहायता करने के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन वाली संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने; प्रतिरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करने और चिकित्सा तथा पशु-चिकित्सा संबंधी संस्थाओं, जन-स्वास्थ्य अभिकरणों और देश में उद्योगों को सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराने; प्रतिरक्षण, टीका विकास और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान अभिकरणों/ प्रयोगशालायें और अन्य संगठन उपलब्ध कराने; संबंधित क्षेत्रों में विदेशी संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए की गई थी।

2.02 **पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र, पुणे** : इस सुविधा केन्द्र की स्थापना पशुओं और मानवों की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और संसेचित अंडों तथा कुक्कुटों; हाइब्रिडोमस सहित संकर कोशिकाओं; प्लासमिड्स; जीन्स और जेनोमिक लाइब्रेरी प्राप्त करने, उत्पादन करने और पूर्ति करने; इन कोशिकाओं और संबद्ध सामग्री तथा उत्पादों में अनुसंधान और विकास करने; स्वतंत्र रूप से अथवा उद्योग के सहयोग से गुणवत्ता नियंत्रण का विकास और उन्हें तैयार करने तथा संवर्धन और अन्य प्रतिकारकों तथा सामग्री की पूर्ति करने; ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी, ऊतक संग्रहण केन्द्र, कोशिका उत्पादन और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने; ऊतक संवर्धन, ऊतक संग्रहण केन्द्र, कोशिका उत्पादन और डाटा बैंक आदि के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करने और क्षेत्र में चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, भेषजीय संस्थाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और उद्योगों के लिए सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराने; देश में औद्योगिक कार्यों सहित विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान अभिकरणों/प्रयोगशालाओं तथा अन्य संगठनों के बीच प्रभावी संपर्क उपलब्ध कराने और बढ़ाने; संबंधित क्षेत्रों में विदेशी संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए की गई थी।

2.03 डी.एन.ए. अंगुलि-छाप और निदान-शास्त्र सुविधा के लिए केन्द्र डी.एन.ए अंगुलि-छाप और निदान-शास्त्र सुविधा के लिए हैदराबाद में केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। अपराधों की जाँच-पड़ताल और पैतृक विवादों के निपटान के लिए डी.एन.ए. अंगुलि-छाप सुविदाओं की व्यवस्था करना इस परियोजना का उद्देश्य है और यह डी.एन.ए अंगुलि-छाप निदान-शास्त्र सेवाओं की भी व्यवस्था करता है।

3. अन्य वैज्ञानिक निकायों के लिए सहायता :

3.01 **जन-शक्ति विकास:** विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में एम.एस.सी./एम. टैक./पोस्ट डाक्टरल, जैव-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम; जैव-प्रौद्योगिकी; अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम; तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम; एस. एण्ड टी. कार्मिकों को प्रशिक्षण; विदेशी अतिथि वैज्ञानिक कार्यक्रम; विद्यालयों, सेमिनारों और परिचर्चाओं, प्रतिष्ठित व्याख्यानों तथा प्रकाशनों में जैव-प्रौद्योगिकी तथा दूसरे विविध कार्यक्रमों को सुदृढ बनाने वाला एक समन्वित जनशक्ति विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

3.02 **आधारभूत सुविधाएं:** अनुसंधान और विकास सुविधाओं तथा विनिर्माण संबंधी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं के नेटवर्क की सहायता की जा रही है। इसमें माइक्रोब्स, शैवाल और पौधों के लिए कीटाणु प्लास्म बैंक; पशु गृह; ओली-ओक्लि-योटाईड संशोषण; एन्जाइम; रिएजैंट और रेडियो लेवल वाले कंपाउंडों का उत्पादन, आयात और वितरण; बायो-प्रोसेस आप्टमाइजेशन तथा पाइलट प्लांट; जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली आदि शामिल है। विभाग आई. आई. एस. सी., बंगलूर, एम. के. यू., मदुरई, जे. एन. यू., नई दिल्ली और बी. एच. यू., वाराणसी में अनुवांशिकी इंजीनियरी इकाईयों को आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करता है। एक बायोइन्फार्मेटिक तंत्र की स्थापना की गई है। आईआईएससी, बंगलूर को सुरक्षा सहायता दी गई है। 600 एम.एच.जैड..एफ.टी.एन.एम.आर. के लिए टी.आई.एफ.आर. बम्बई में और क्षेत्रीय अभिज्ञापक के लिए II एस.सी. बंगलौर में नवीन सुविधाओं को सुदृढ किया जा रहा है।

3.03 **अनुसन्धान व विकास परियोजना** : सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्देश्य सुदृढ अनुसंधान और विकास आधार का निर्माण और उत्पादन में विकास करना है। ये अनुसंधान और विकास परियोजनाएं मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है: (i) पशु जैव-प्रौद्योगिकी; (ii) जल कृषि और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी; (iii) चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी; (iv) पौध

1. Secretariat-Economic Services: provides for expenditure on the Secretariat Office.

2. Assistance to Scientific Institutions/Professional Bodies

2.01 **National Institute of Immunology, New Delhi :** The Institute was established to undertake, aid, promote, guide and coordinate research of a high calibre in basic and applied immunology; to carry out research for development of new vaccines and immunological reagents for communicable diseases; to develop immunological approaches for regulation of male and female fertility; to interact with industry for manufacture of vaccines and immunological reagents; to organise training programmes for technicians in immunological methods and related techniques; to establish affiliation with recognised universities and institutions of higher learning for the purpose of enabling research scholars to register for post-graduate degrees; to serve as a national reference centre for immunology and to provide consultancy services to medical and veterninary institutions, public health agencies and industries in the country; to provide research agencies/laboratories and other organisations in the field of immunology, vaccine development and related areas; to collaborate with foreign organisations in relevant fields.

2.02 **National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, Pune:** The facility was established to receive, identify maintain, grow and supply animal and human cell lines, tissues, organs and fertilised eggs and embroyos, hybrid-cells including hybridomas, plasmids, genes and gneomic libraries; to carry out research and development in these cell lines and related material and products; to develop, prepare, quality control and supply culture media and other reagents and materials independently or in collaboration with industry; to organise training programmes for technical personnel in Tissue Culture Technology, Tissue Banking, Cell products and related areas; to serve as a National Reference Centre for Tissue Culture, Tissue Banking, Cell products and Data Bank, etc. and to provide consultancy services to Medical, Veterinary, Pharmaceutical Institutions, Public Health Services and industries, etc. in the country; to provide and promote effective linkages between various scientific and research agencies/laboratories and other organisations including industries working in the country; to collaborate with foreign organisations in the relevant areas.

2.03 The Centre for DNA Finger printing and Diagnostics Facility is proposed to be set-up at Hydrabad. The objective of the project is to provide DNA finger, printing facilities for crime investigations and settling paternity disputes and also to provide DNA finger printing diagnostic services.

3. Assistance to other Scientific Bodies :

3.01 **Manpower Development :** An integrated manpower development programme comprising M.Sc./M. Tech./Post Doctoral courses in biotechnology at various Universities/Institutes; Biotechnology associateships, short-term training courses, technician training programmes, training of S & T personnel, visiting scientists from abroad programme; strengthening of Biotechnology in schools, seminars & symposia popular lectures, publications and other miscellaneous programmes have been evolved.

3.02 **Infrastructural Facilities:** To build up a strong R & D base services and manufacturing capabilities, a network of infrastructural facilities being supported by the Department include germ plasm banks for microbes, algae and plants; animal house; oligonucleotide synthesis; production, import and distribution of enzymes, reagents and radio-labelled compounds; bio-process optimisation and pilot plant; biotechnology information system etc. The Department also provides infrastructural support for the Genetic Engineering units at IISc, Bangalore, MKU, Madurai, JNU, New Delhi and BHU, Varanasi. A bioinformatics network has been set up. An umbrella support is given to I I Sc. Banglore. New facilities at TIFR, Bombay for 600 MHZ FTNMR and at IISC Bangalore for area detector are being Strengthned.

3.03 **R&D Projects:** The Supported Projects aim at creation of a strong R & D base and product development. These R & D projects mainly fall under the categories of (i) Veterinary Biotechnology; (ii) Acquaculture and Marine Biotechnology; (iii) Medical Biotechnology; (iv) Plant Molecular and Agriculture Biotechnology;

आणविक कृषि जैव-प्रौद्योगिकी; (v) ईंधन, चारा, बायोमास इमारती लकड़ी, बागवानी, रेशम कीट पालन और बागानी फसलें; (vi) सूक्ष्मजीव जैव-प्रौद्योगिकी; (vii) जैव-रसायन इंजीनियरी, अध्योमानी धारा प्रक्रिया और औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी; (viii) कीटों, बीमारियों और खत पतवार का जैविक नियंत्रण; (ix) पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी; (x) जैव- उर्वरक, और (xi) प्रजनन क्षमता नियंत्रण के लिए प्रतिरक्षण दृष्टिकोण आदि। (xii) आधारभूत विज्ञान वाले क्षेत्र और अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं और; (xiii) अ.जा./अ.ज.जा. आबादी और कमजोर वर्गों के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम। (xiv) औषधीय और सुगंधित पौधे; (xv) खाद्य जैव-प्रौद्योगिकी

3.04 **प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी का अन्तरण और विनिर्माण संबंधी कार्यकलाप :** ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसंधान और विकास संबंधी पर्याप्त कार्य किए गए हैं, प्रौद्योगिकीय पैकेज बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने तथा विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों के क्षेत्र में अंतरित करता है जिसमें आयल पाम प्रदर्शन परियोजना, एमब्रो अन्तरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशु नस्ल में सुधार करना, मुख्य संचारी रोगों को रोकने के लिए प्रतिरोधक तकनीक का विकास, इलायची के पौधों का जीवाणु संवर्धन, झींगा मछली संवर्धन, मसाले वाले पेड़ों के उत्कृष्ट वनों को अधिसंख्यक बनाना, टिश्यू संवर्धन तकनीक का प्रयोग करना, कुक्कुट भूनने की विधियों के क्षेत्रीय प्रदर्शन और मल्टीपल ओव्यूलेशन प्रयोग द्वारा खुली अणु प्रजनन प्रणाली और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में भ्रूण अंतरण शामिल हैं।

4. ***अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :***

4.01 **इंटरनेशनल बाईलेटरल प्रोग्राम्स एवं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी (ओवरसीज) :** इस विभाग के जर्मनी, स्विटजरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के साथ द्विपक्षीय सहकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, जब कि जापान, चीन, क्यूबा, मंगोलिया, पोलैंड, विएतनाम, ब्राजील और कुछ अन्य देशों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सार्क और जी-15 देशों के साथ बहुपक्षीय सहकारिता को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.02 **अन्य कार्यक्रम :** जी-15 देशों के साथ जीन बैंक की स्थापना करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग आरंभ किया गया है।

5. **आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र :** आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के फलों को विकासशील देशों तक पहुंचाने के अंतिम उद्देश्य से दो संघटकों — एक नई दिल्ली में और अन्य दूसरा ट्राइस्टे, इटली में, के साथ अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति की स्थापना की गई है। इन दो संघटकों के अतिरिक्त, आई.सी.जी.ई.बी. के एक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और विकास तथा अनुसंधान केन्द्र होंगे जो बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देने का यत्न करेंगे। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार केन्द्र को चलाने के आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए भूमि, भवन और उपस्कर तथा सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है।

(v) Fuel, Fodder, Biomass, Horticultures, Sericulture and Plantation crops; (vi) Microbial Biotechnology; (vii) Bio-chemical Engineering, Down Stream Processing and Industrial Biotechnology; (viii) Biological control of pests, diseases and weeds; (ix) Environmental biotechnology; (x) Biofertilisers; (xi) Immunological approaches to fertility control, etc. (xii) Basic Sciences emerging areas and R&D Facilities and (xiii) Biotechnology based programmes for SC/ST population and Weaker Sections. (xiv) Medicinal and Aromatic Plants: (xv) Food Bio-technology).

3.04 **Demonstration/Transfer of Technology and Manufacturing Activities :** Provides financial support for development of technological packages in the areas where sufficient R & D work has been carried out for transfer to the field and large-scale production and manufacturing activities. Areas include oil palm demonstration projects; cattle herd improvement through embryo transfer technology; development of immunodiagnostics against major communicable diseases; tissue culture of cardamom plants, prawn acquaculture; bulk multiplication of elite forest tree species, using tissue culture techniques; field demonstration of poultry broilers production, open Nucleus Breading System using Multiple Ovulation and Embryo Transfer at National Dairy Development Board.

4. ***International Cooperation:***

4. 01 **International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas) :** The Department has on-going bilateral cooperation programmes with Germany, Switzerland, Sweden, USA, Russia and U.K., while such programmes with Japan, China, Cuba, Mongolia, Poland, Vietnam, Brazil and some other countries are being finalised. In addition, multilateral co-operations under SAARC and G-15 countries are being finalised.

4.02 **Other Programmes :** Multilateral cooperation with G-15 countries for setting up of Gene banks are being taken up.

5. **International Centre for Genetic Engineering and Bio-Technology :** ICGEB has been established with two components - one in New Delhi and the other in Trieste, Italy with the ultimate objective of bringing the fruits of modern Biotechnology to the developing countries. In addition to the two components, the ICGEB would have a network of national, regional and international co-operating R & D centres which would endeavour to promote an active programme of research and development towards fulfilling the stated objectives. For this prupose Government of India has agreed to provide land, building and equipment and also assistance for meeting recurring cost of running the Centre.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

मांग संख्या DEMAND No.75

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	4.63	4.63	...	4.65	4.65	...	4.85	4.85
पूंजी	*Capital*		325.00	25.00	350.00	325.00	22.00	347.00	284.50	5.02	289.52
जोड़	**Total**		325.00	29.63	354.63	325.00	26.65	351.65	284.50	9.87	294.37
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.50	2.50	...	2.65	2.65	...	2.80	2.80
लौह और इस्पात उद्योग	**Iron and Steel Industries**										
2. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण :	2. Non-Plan loans to Public Enterprises										
2.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	2.01 Hindustan Steel Works Construction Ltd.	6852	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	5.00	5.00
2.02 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	2.02 Bird Group of Companies	6852	...	7.00	7.00	...	6.00	6.00	...	0.01	0.01
2.03 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि० (आई०एफ०आई०सी०ओ० सहित)	2.03 Bharat Refractories Ltd (including IFICO)	6852	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*25.00*	*25.00*	...	*22.00*	*22.00*	...	*5.02*	*5.02*
3. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	3. Expenditure met from National Renewal Fund										
3.1.सरकारी उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन	3.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
3.1.1 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	3.1.1 Hindustan Steel Works Construction Ltd.	2852	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	...	...	...
3.1.2 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	3.1.2 Bharat Refractories Ltd.	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
3.1.3 बर्ड ग्रुप	3.1.3 Bird Group	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
3.14 भारतीय इस्पात प्राधिकरण (आई.आई.एस.सी.ओ. के लिए)	3.1.4 Steel Authority of India (for IISCO)	2852	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*28.00*	...	*28.00*	*38.00*	...	*38.00*	...	...	...
3.2 घटाए-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	3.2 Deduct expenditure met from National Renewal Fund	2852	-28.00	...	-28.00	-38.00	...	-38.00	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. सरकारी उद्यमों में निवेश	4. Investment in Public Enterprises	4852	1.97	...	1.97	1.97	...	1.97	3.97	...	3.97
		6852	323.03	...	323.03	323.03	...	323.03	280.53	...	280.53
जोड़		*Total*	*325.00*	...	*325.00*	*325.00*	...	*325.00*	*284.50*	...	*284.50*
5. अन्य कार्य	5. Other Programmes	2852	...	2.13	2.13	...	2.00	2.00	...	2.05	2.05
कुल जोड़	***Grand Total***		***325.00***	***29.63***	***354.63***	***325.00***	***26.65***	***351.65***	***284.50***	***9.87***	***294.37***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B.Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
4.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	4.01 Steel Authority of India Ltd.	12852	...	2891.00	2891.00	...	2883.79	2883.79	1.00	3186.00	3187.00
4.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	4.02 Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	12852	300.00	55.00	355.00	300.00	55.00	355.00	264.00	34.00	298.00
4.03 विजय नगर स्टील लि०	4.03 Vijaynagar Steel Ltd.	12852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
4.04 स्पौंज आयरन इंडिया लि०	4.04 Sponge Iron India Ltd.	12852	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	4.50	1.53	6.03
4.05 नीलांचल इस्पात निगम लि०	4.05 Neelachal Ispat Nigam Ltd.	12852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
4.06 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	4.06 Hindusthan Steel Works Construction Ltd.	12852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
4.07 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	4.07 Bharat Refractories Ltd.	12852	6.30	...	6.30	6.30	...	6.30	6.00	...	6.00
4.08 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	4.08 National Mineral Development Corporation Ltd.	12852	...	213.12	213.12	...	103.28	103.28	...	184.57	184.57
4.09 कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि०	4.09 Kudremukh Iron Ore Company Ltd.	12852	...	294.16	294.16	...	253.58	253.58	...	125.02	125.02
4.10 मैंगनीज अयस्क इंडिया लि०	4.10 Manganese Ore India Ltd.	12852	...	13.98	13.98	...	7.50	7.50	...	10.53	10.53
4.11 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	4.11 Bird Group of Companies	12852	6.90	...	6.90	6.90	...	6.90	3.00	...	3.00
4.12 मैटालर्जिकल और इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट इंडिया लि०	4.12 Metallurgical & Engineering Consultants India Ltd.	12852	...	6.25	6.25	...	5.69	5.69	...	9.21	9.21
4.13 मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	4.13 Metal Scrap Trading Corporation Ltd.	12852	...	0.50	0.50	...	5.50	5.50	...	6.00	6.00
4.14 फैरो स्क्रैप निगम लि०	4.14 Ferro Scrap Nigam Ltd.	12852	...	17.40	17.40	...	9.84	9.84	...	18.50	18.50
4.15 लौह और इस्पात मिशन	4.15 Iron and Steel Mission	12852	...	5.00	5.00	...	2.00	2.00	...	10.00	10.00
जोड़	**Total**		**325.00**	**3496.41**	**3821.41**	**325.00**	**3326.18**	**3651.18**	**284.50**	**3585.36**	**3869.86**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. लोहा और इस्पात	1. Iron & Steel	12852	325.00	3496.41	3821.41	325.00	3326.18	3651.18	284.50	3585.36	3869.86

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

1. **Secretariat:** Provision is for secretariat expenditure of Ministry of Steel.

2. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण:** हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लि0, बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज, और भारत रिफ्रेक्टेरीज लि0 (इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्युलेशन कम्पनी लिमिटेड सहित) नकद हानियों को पूरा करने और उनके वेतन, मजदूरी तथा अन्य सांविधिक देय राशियों इत्यादि से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का क्रियान्वयन:-** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय नवीकरण निधि, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज और स्टील ऑथरटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, और इसकी सहायक कम्पनी - इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी (आई.आई.एस.सी.ओ.) के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप से माग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

4. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश :** इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय सहायता दी जाती है। इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आ. बं. बा. स. व्यय बजट खण्ड-I में दर्शाये गए हैं।

4.01 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड:** इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, एलाए स्टील प्लांट और सैलम स्टील प्लांट छः मुख्य इस्पात संयंत्र हैं । इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कम्पनी है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयत्रों/एककों तथा सहायक कम्पनियों का आयोजनागत परिव्यय आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा हैं । इसमें इसकी सहायक कम्पनी आई.आई.एस.सी.ओं के लिए 1995-96 में एक करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल नहीं है।

(i) **बोकारो इस्पात कारखाना:** इसके अंतर्गत योजनाएं सी.सी.एम. और हॉट स्टील मिल - चरण-1 के आधुनिकीकरण से संबंधित हैं, जुलाई 1997 में पूरा किए जाने की सम्भावना है। अन्य स्कीमों में और अड़चने दूर करने की योजना, परिवर्द्धन, फेरबदल और नगरक्षेत्र आदि है।

(ii) **भिलाई इस्पात कारखाना :** इसके अंतर्गत योजनाओं में 4 मी0 टन तक क्षमता का विस्तार, परिवद्धर्धन, फेरबदल, और प्रतिस्थापना अड़चने दूर करने की योजना आर.एस.एस.मिल-फेस-I और फेस-II तथा नगर क्षेत्र इत्यादि शामिल है।

(iii) **राउरकेला इस्पात कारखाना :** परिव्यय में फेरबदल और प्रतिस्थापन, स्कीमों, नगर क्षेत्र और संयन्त्र के दो चरणों-चरण-I और चरण-II के आधुनिकीकरण जैसी स्कीमों को जारी रखना - जिस मे चरण-I को फरवरी 1994 में और चरण-II के अगस्त 1996 तक पूरी करने की सम्भव है।

(iv) **दुर्गापुर इस्पात कारखाना :** परिव्यय में संयंत्र के आधुनिकीकरण का विस्तार जिसके जून 1995 तक पूरा होने का अनुमान है, स्कीमों की पुनर्स्थापना, परिवर्द्धन, फेरबदल, प्रतिस्थापन ए.एम.आर. स्कीम और नगरक्षेत्र शामिल है ।

(v) **मिश्र धातु इस्पात कारखाना :** परिव्यय मे परिवदर्द्धन/प्रतिस्थापना / आधुनिकीकरण और नगरक्षेत्र पर व्यय शामिल है।

(vi) **सेलम स्टील प्लांट** - परिव्यय में हाट रोलिंग सुविधाएं, परिवर्द्धन/फेरबदल/प्रतिस्थापन और नगरक्षेत्र शामिल है ।

(vii) **इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड :** व्यवस्था बर्नपुर स्टील का आधुनिकीकरण, कोक अवन बेल्ट 8, चसनाला वाशरी हेतु संतुलनकारी सुविधाओं परिवर्द्धन/फेरबदल, प्रतिस्थापन और नगरक्षेत्र के लिए है ।

4.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड:** भारत में स्थापित किया जा रहा समुद्र तट का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। परियोजना की सभी इकाइयां जुलाई 1992 तक स्थापित की जा चुकी है। इस्पात संयन्त्र की अनुमानित लागत 8529.13 करोड़ रुपए आंकी गई है।

4.03 और 4.05 **कर्नाटक और उड़ीसा में नए इस्पात कारखाने:** भारत सरकार कर्नाटक और उड़ीसा में दो नए इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है । तदनुसार, इन इस्पात कारखानों अर्थात् विजयनगर इस्पात लिमिटेड और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के निर्माण के लिए दो कम्पनियां स्थापित की गई थी । धन की कमी के कारण नए इस्पात कारखानों का कार्यान्वयन अभी आरम्भ नहीं किया गया है । फिर भी, इन कम्पनियों को कर्नाटक और उड़ीसा राज्य सरकारों द्वारा

2. **Non-plan loan to public enterprises :** To meet cash losses and to provide for salaries, wages and other statutory dues etc. for Hindustan Steel works Construction Ltd., Bird Group of Companies and Bharat Refractories Ltd. (including India Firebricks and Insulation Company Ltd.).

3. **Implementation of Voluntary Retirement Scheme in PSEs :** In order to implement Voluntary Retirement Scheme, the provision is made from National Renewal Fund, for Hindustan Steelworks Construction Ltd., Bharat Refractories Ltd., Bird Group of Companies and Steel Authority of India Limited for its subsidiary - Indian Iron and Steel Company (IISCO). Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE' 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided durisng the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

4. **Investment in Public Sector Enterprises :** In order to implement various capital schemes by the public sector enterprises under the control of Ministry of Steel, budgetary support by way of equity investment and loans is extended to these enterprises. The equity and loan-wise break-up of the budgetary support to these enterprises, and the I.E.B.R. are given in Expenditure Budget Vol.I.

4.01 **Steel Authority of India Limited :** It has six major steel plants under its control : Bokaro, Bhilai, Rourkela, Durgapur, Alloy Steel Plant and Salem Steel Plants. The Indian Iron and Steel Co. Ltd. (IISCO) which owns an integrated steel plant at Burnpur is a subsidiary of SAIL. The plan outlay of SAIL Plants/Units and the subsidiaries is being met out of internal and extra budgetary resources, except an outlay of Rs.1 Crore in 1995-96 for its Subsidiary IISCO.

(i) **Bokaro Steel Plant :** Schemes covered relate to CCM and Modernisation of Hot Steel Mill (Phase I), likely to be completed in July, 1997. Other Schemes includes debottlenecking Scheme, additions/modifications/ replacements, and township etc.

(ii) **Bhilai Steel Plant :** Schemes covered are expansion of capacity to 4 MT, additions, modifications and replacements, debottlenecking schemes, modernisation of R.S.S. Mill Phase I and II and township etc.

(iii) **Rourkela Steel Plant :** Outlay covers additions, modifications and replacements, schemes, township and continuing schemes such as modernisation of plant in two phases-phase I and phase II - Phase-I has been completed in February, 1994 and Phase-II is likely to be completed by August, 1996.

(iv) **Durgapur Steel Plant :** Outlay covers modernisation of the plant which is scheduled for completion by June, 1995, rehabilitation schemes, additions, modifications and replacements (AMR) Schemes and township.

(v) **Alloy Steel Plant :** Outlay covers expenses on additions/ modifications/replacements and township.

(vi) **Salem Steel Plant:** Outlay covers Hot Rolling Facilities additions/modifications/ replacements and township.

(vii) **Indian Iron & Steel Co. Ltd.:** Provision is for modernisation of Burnpur works, rebuilding of Coke Oven Belt 8, balancing facilities for Chasnalla Washery, additions/ modifications/replacements and township.

4.02 **Rashtriya Ispat Nigam Ltd. :** Is the first onshore integrated Steel Plant set up in India. All the units of the project have been commissioned by July 1992. The project cost of the steel plant is estimated at Rs.8529.13 crores.

4.03 & 4.05 **New Steel Plants in Karnataka & Orissa :** Government of India agreed in principle for setting up two new steel plants in Karnataka and Orissa. Accordingly, two companies were set up for construction of these steel plants viz. Vijayanagar Steel Limited and Neelachal Ispat Nigam Limited. Due to funds constraints, the implementation of the new steel plants has not been taken up so far. These companies have since been taken over by the respective State

क्रमशः पूरा किया गया है।

4.04 **स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड:** यह व्यवस्था प्रदूषण, चित्रण प्रणाली सहित विद्युत परियोजना पर आधारित प्लावित आरक भट्टी और अपशिष्ट उष्मा वसूली/परिवर्द्धन/फेर-बदल/प्रतिस्थापन और अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए की गई है ।

4.06 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:** यह आधुनिक इस्पात कारखाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी । व्यवस्था विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की खरीद और संबधित पूंजी व्यय के लिए है ।

4.07 **भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड :** यह मांद्रीदाह रिफ्रैक्टरीज संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी एकक और भिलाई रिफ्रेक्टरी संयंत्र, तीनों एककों के प्रबन्ध के लिए मई , 1978 में स्थापित की गई थी । इसके नियंत्रणाधीन इसकी इंडिया फायरब्रिक्स एन्ड इन्सुलेसन कंपनी लि. नामक एक सहायक कंपनी है। व्यवस्था भिलाई रिफ्रक्टरीज संयत्र, लगातार कास्टिंग परिवर्द्धन/परिवर्तन/ फेर-बदल तथा अनुसंधान और विकास के लिए है।

4.08 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड::** यह निगम लौह अयस्क और हीरों के निष्कर्षण और खनिज जैसे डोलोमाइट, चूने के पत्थर आदि जैसे की खोज और विकास के कार्य में लगी हुई है। इसमें पर्यावरण सुधार, बेलाडिला 14, फेरबदल, नई स्कीमें जैसे वेलाडिला निक्षेप 10/11ए, 11बी, एन.पी.डी. इत्यादि सहित निलम धूल के मूल्य संवर्धित उत्पादों के जैसे स्कीमों को पूरा करने के लिए प्रावधान, परिवर्द्धन/फेरबदल/प्रतिस्थापन, अनुसन्धान और विकास नगर क्षेत्र की व्यवस्था है।

4.09 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड :** इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए 7.50 लाख टन लौह केसन्ट्रेट अयस्क प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए की गई थी । लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप करार के अनुसार, 3 मिलियन टन कंसन्ट्रेटों का प्रयोग करने के लिए एक पेलेठ संयन्त्र के मई 1981 में अनुमोदित किया गया था। 116.65 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित परियोजना ने अप्रैल, 1987 में वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरु किया है। इस में केप्टिन विद्युत संयन्त्र, पेलेट संयन्त्र का विस्तार, पिण्ड इस्पात संयन्त्र, ए.एम.आर. नगर क्षेत्र और अनुसन्धान व विकास तथा व्यवहार्य अध्ययन के लिए व्यवस्था शामिल है।

4.10 **मेंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड :** यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है । यह देश में उच्च श्रेणी के मेंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी है । बालाघाट होल्मस शाफ्ट चरण-II को गहरा करना, उच्च सगनता चुम्बकीय पृथककरण संयन्त्र, डोंगरी बुजर्ग, अभियन्त्रीकृत जिगिंग संयन्त्र, बालाघाट जैसी योजनाओं के निष्पादन की व्यवस्था है । नई स्कीमों यथा काण्डरी और मुनसर में क्रसिंग और स्क्रीनिंग संयन्त्र संवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन, अनुसंधान और विकास तथा नगरक्षेत्र के लिए । बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपूर्ण व्यय कंपनी के आंतरिक संसाधनों से ही पूरा किया जाएगा ।

4.11 **बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज :** बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड सरकार द्वारा अक्टूबर 1980 में अधिग्रहीत मुख्यतः और रिफ्रैक्ट्रीय कार्यों में लगी हुई है । व्यवस्था अतिरिक्त क्रशिंग सुविधा तथा परिवर्द्धन, आधुनिकीकरण तथा फेर-बदल के लिए है।

4.12 **मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्स्लटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड;** यह कम्पनी न केवल लोहा और इस्पात उद्योगों, प्राथमिक अभिकल्पनाओं, अभियान्त्रिकी और परमर्शी संगठन सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करती है, बल्कि गैर-फैरस धातु, रासायनिक, खान, रिफेक्ट्री, विद्युत संयन्त्र, पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी, सामान्य अभियान्त्रिकी, सीमेण्ट और समुद्र विज्ञान अभियान्त्रिकी उद्योगों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें गैर-आवासीय भवन, कार्यालयों, अनुसन्धान व विकास स्कीमों तथा कम्प्यूटरों के लिए व्यवस्था है। किसी बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण व्यय को कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा ।

4.13 **मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड ;** यह सेल के अधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयत्रों और रक्षा विभाग सहित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न अन्य संगठनों में पैदा होने वाले स्क्रैप और अन्य गौण उत्पादों के विक्रेता अभिकरण के रूप में कार्य करता है । विदेशी व्यापार क्षेत्र में इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवतीय स्तर की स्थिति के इस्पात उद्योग द्वारा प्रयोगार्थ देश में पिघलाए हुए कबाड़े का सबसे भारी मात्रा के आयातक के रूप में जाना जाता है। इस में कबाड़े के भण्डार के लिए प्रांगण और संयुक्त उद्यम की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है। कोई बजटीय समर्थन आवश्यक नहीं क्योंकि कंपनी के पास आयोजनागत परिव्यय पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधन मौजूद है ।

Governments of Karnataka and Orissa.

4.04 **Sponge Iron India Ltd. :** Provision is made for submerged arc furnance and Waste Heat Recovery based on power project including pollution control system, FBC Boiler plant, additions/ modification/ replacements and R & D pro-gramme.

4.06 **Hindustan Steelworks Construction Ltd. :** Incorporated in 1964, has the expertise for undertaking complete construction of modern steel plant as also projects outside steel sector. Provision is for purchase of construction equipment and connected capital expenditure for executing works at various sites of construction.

4.07 **Bharat Refractories Limited :** was formed in May, 1978 for managing three units: Bhandaridah Refractories Plant, Ranchi Road Refractory Plant and Bhilai Refractory Plant. It has a subsidiary company India Firebricks and Insulation Company Ltd. (IFICO) under its control. Provision is for Bhillai Refractories Plant, Refractory for Continuous Casting system, additions/modifications/ replacement, township and Research & Development.

4.08 **National Mineral Development Corporation:** is engaged in extraction of iron ore and diamonds and exploration and development of minerals like dolomite, limestone etc. Provision is for completion of schemes like Environment Improvements, Baladila-14 Modification, new schemes, viz.Baladila Deposit 10/11A and 11B, value Added products of Blue Dust including NPD, etc., additions/modifications/replacements, R&D and township.

4.09 **Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. :** set up to produce 7.5 million tonnes of iron ore concentrates per year mainly to export to Iran. Consequent on Iran's inability to take iron-ore concentrates, as per agreement, a pellet plant to utilise 3 million tonnes of concentrates was approved in May 1981. The project implemented at cost of Rs.116.65 crores commenced commercial production in April, 1987. The provision is for Captive Power Plant, expansion of pellet plant, pig Iron plant, AMR, township and R&D and feasibility studies.

4.10 **Manganese Ore India Ltd. :** Is jointly owned by Government of India and the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra. It is the largest producer of high grade manganese ore in the country. Provision is for executing schemes like Balaghat Deepening of Holmes Shaft Phase-II, High Intensity Magnetic Separation Plant at Dongri Buzurg, Mechanised Jigging Plant at Balaghat, Crushing and Screening Plants at Kandri and Munsar, additions/modifications/replacements, R&D and township. No budgetary support is required as the entire expenses will be met out of internal resources of the company.

4.11 **Bird Group of Companies :** Bird & Co. Ltd. taken over by the Government of India in October 1980 is mainly engaged in mining and refractory activities. Provision is for additional Crushing facility and additions, modifications and replacements.

4.12 **Metallurgical & Engineering Consultants (India) Ltd. :** Is premier design, engineering and consultancy organisation rendering services not only to iron & steel industry, but also to non-ferrous metals, chemical, mining, refractory, power plants, environmental engineering, general engineering, cement and ocean engineering industries. The provision is for construction of non-residential buildings for offices, R&D Schemes and Computers. No budgetary support is required as the entire expenses will be met out of internal resources of the company.

4.13 **Metal Scrap Trading Corporation Ltd.** It acts as selling agency for certain categories of scrap and other secondary arisings generated in Public Sector Steel Plants under SAIL and various other Public Sector Organisations including Defence Department. In the foreign trade sphere it is internationally known as one of the biggest importer of melting scrap in the country for use by the secondary steel industry. The provision is for setting up of scrap storage yards and joint ventures. No budgetary support is required as the company has internal resources to meet the plan outlay.

4.14 **फैरो स्क्रेप निगम लि0.(एफ.एस.एन.एल.):** एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है, जिस में मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि0 के 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, शेष 40 प्रतिशत शेयरों का धारक मैसर्ज हार्सको कारपोरेशन आइ.एन.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका है । कम्पनी बर्नपुर,भिलाई, बोकारो राउरकेला में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करते हैं । लौह-चूर्ण को पुनः संसाधित करने और कूड़े-कर्कट से लौह और इस्पात प्राप्त करने के लिए फैरो स्क्रेप निगम लि0 को विभिन्न प्रकार के उपस्करों पर निर्भर रहना पड़ता है । उस प्रकार के उपस्करों के नियमित प्रयोग के लिए कम्पनी को इनके संवर्धन परिवर्तन और फेरबदल का सहारा लेना पड़ता है। कोई बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खर्चों को कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

4.15 **इस्पात और स्टील मिशन :** यह आठवीं योजना में इस्पात और स्टील क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नौवीं योजना के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रौद्योगिकीय निविष्टियों का विकास करने के लिए इसे एक प्रभावी साधन बनाया गया है।

5. **अन्य कार्यक्रम :** इसमें लोहा तथा इस्पात के विकास आयुक्त के कार्यालय का स्थापना व्यय विख्यात धातु विज्ञानियों के पुरस्कार, भुगतान आदि के लिए आयुक्त के कार्यालयों के व्यय शामिल है।

4.14 **Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL):** is a joint sector company in which Metal Scrap Trade Corporation Ltd. holds 60% equity shares with the remaining 40% being held by M/s Harsco Corporation INC, USA. The Company undertakes recovery and re-processing of scrap from slag and refuse dumps in the Steel Plant at Rourkela, Burnpur, Bhilai and Bokaro. For processing the slag and reclaiming iron and steel from dumps, FSNL have to depend on various types of equipment. For regular usage of such equipment the Company have to resort to additions, modifications and replacements. No budgetary support is required as the expenses will be met from internal resources of the company.

4.15 **The Iron & Steel Mission:** Primarily to Serve as an effective instrument to achieve the targets laid down for the iron and steel sector in the VIII plan and to develop the necessary technological inputs required for the IX Plan.

5 . **Other Programmes :** These include establishment expenses on the office of the Development Commissioner for Iron & Steel, awards to distinguished metallurgists, expenditure on the offices of the Commissioner for Payments etc.

भूतल परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

मांग संख्या DEMAND No.76

भूतल परिवहन Surface Transport

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		21.05	18.10	39.15	21.05	18.67	39.72	18.65	19.45	38.10
पूंजी	*Capital*		*26.95*	*20.00*	*46.95*	*16.95*	*34.00*	*50.95*	*29.35*	*20.00*	*49.35*
जोड़	**Total**		**48.00**	**38.10**	**86.10**	**38.00**	**52.67**	**90.67**	**48.00**	**39.45**	**87.45**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	15.40	15.40	...	15.97	15.97	...	16.75	16.75
सड़क परिवहन	**Road Transport**										
2. प्रशिक्षण और अनुसंधान	2. Training & Research	3055	14.75	...	14.75	14.75	...	14.75	6.50	...	6.50
3. राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती योजना	3. National Highways Patrolling Scheme	3601	...	...	...	...	...	...	5.50	...	5.50
4. दिल्ली परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	4. Non-Plan Loans to D.T.C.	7055	...	14.00	14.00	...	24.00	24.00	...	14.00	14.00
जोड़-सड़क परिवहन	**Total-Road transport**		**14.75**	**14.00**	**28.75**	**14.75**	**24.00**	**38.75**	**12.00**	**14.00**	**26.00**
अन्तर्देशीय जल परिवहन	**Inland Water Transport**										
5. प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	5. Training and Research	3056	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.35	...	0.35
6. जल परिवहन सेवाओं का विकास-भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	6. Developement of Water Transport Services - Grants to Inland Water Transport Authority of India	3056	5.65	1.35	7.00	5.65	1.35	7.00	5.30	1.35	6.65
7. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	7. Non-Plan Loans to C.I.W.T.C.	7056	...	6.00	6.00	...	10.00	10.00	...	6.00	6.00
8. अन्य कार्यक्रम	8. Other Programmes	3056	0.50	0.15	0.65	0.50	0.15	0.65	1.00	0.15	1.15
		7601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.75	...	0.75
जोड़		*Total*	*0.70*	*0.15*	*0.85*	*0.70*	*0.15*	*0.85*	*1.75*	*0.15*	*1.90*
जोड़-अन्तर्देशीय जल परिवहन	**Total-Inland Water Transport**		**6.50**	**7.50**	**14.00**	**6.50**	**11.50**	**18.00**	**7.40**	**7.50**	**14.90**
9. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	9. Expenditure met from National Renewal Fund										
9.1 स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का कार्यान्वयन	9.1 Implementation of Voluntary Retirement Scheme										
(i) दिल्ली परिवहन निगम	(i) DTC	3055	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	...	...	...
(ii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	(ii) CIWTC	3056	9.00	...	9.00	5.00	...	5.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*49.00*	...	*49.00*	*45.00*	...	*45.00*	...	...	...
9.2 घटाएं-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	9.2 Deduct amount met from NRF	3055	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	...	...	...
		3056	-9.00	...	-9.00	-5.00	...	-5.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	**Technical and Economic Cooperation with other countries:**										
10. बंगलादेश को सहायता	10. Assistance to Bangladesh	3605	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
11. सरकारी उपक्रमों में निवेश	11. Investments in Public Undertakings	5056	6.75	...	6.75	6.75	...	6.75	6.30	...	6.30
		7055	13.25	...	13.25	3.25	...	3.25	16.00	...	16.00
		7056	6.75	...	6.75	6.75	...	6.75	6.30	...	6.30
जोड़		*Total*	*26.75*	...	*26.75*	*16.75*	...	*16.75*	*28.60*	...	*28.60*
कुल जोड़	***Grand-Total***		***48.00***	***38.10***	***86.10***	***38.00***	***52.67***	***90.67***	***48.00***	***39.45***	***87.45***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
11.01 दिल्ली परिवहन निगम	11.01 Delhi Transport Corporation	13055	10.00	...	10.00	...	...	...	16.00	...	16.00
11.02 राज्य परिवहन निगम	11.02 State Transport Corporations	13055	3.25	...	3.25	3.25	...	3.25	...	...	...
11.03 राष्ट्रीय मार्ग परिवहन विकास वित्तीय निगम	11.03 National Road Transport Development Financial Corporation	13055	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.04 केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	11.04 Central Inland Water Transport Corporation	13056	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	12.60	...	12.60
जोड़	*Total*		*26.75*	...	*26.75*	*16.75*	...	*16.75*	*28.60*	...	*28.60*

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. सड़क परिवहन	1. Road Transport	13055	28.00	...	28.00	18.00	...	18.00	28.00	...	28.00
2. अन्तर्देशीय जल परिवहन	2. Inland Water Transport	13056	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़	**Total**		48.00	...	48.00	38.00	...	38.00	48.00	...	48.00

1. यह व्यवस्था भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा संस्थान की स्थापना के लिए है।

3. यह व्यवस्था दुर्घटनाओं के मामले में पीड़ितों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। इसमें पीड़ितों का प्रथमोपचार करना तथा यातायात को पुनः चालू रखने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना शामिल है।

4. दिल्ली परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न ऋण सहायता संबंधी व्यवस्था का अभिप्राय, निगम को अपनी नकद हानियों की पूर्ति के लिए सक्षम बनाना है।

5. यह व्यवस्था मुख्यतः करीमगंज टर्मिनल के विकास और अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।

6. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेवार है। प्राधिकरण को दी जा रही अनुदान सहायता का अभिप्राय, नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग के नौचालन संबंधी सहायक साधनों और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का अभिप्राय, इसकी स्थापना लागत को पूरा करने से है।

7. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को, मुख्यतः उसके संचालनात्मक क्षति के भाग और सुन्दरबन में नदी संरक्षण कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आयोजना भिन्न ऋणों के लिए है ।

8. यह व्यवस्था गोआ में मांडवी जौरी और मपूसा नदियों में तलकर्षण कार्य, हुगली नदी के आर-पार टर्मिनल सुविधा और केरल में नौका सेवाओं के लिए टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए की गयी है, जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इसमें वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा अन्तर्देशीय जल-परिवहन उद्यमियों को कम दर पर दिये गये ऋणों के बारे में ब्याज विभेदक के भुगतान की भी व्यवस्था शामिल है।

9. यह व्यवस्था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली परिवहन निगम और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को सहायता देने के लिए है और इसे राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाएगा। बजट अनुमान 1995-96 के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण विधि से पूरे किए जाने वाले व्यय के लिए मांग सं. 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय रूप से एकमुश्त प्रावधान इसमें किया गया है। अन्य मंत्रालयों से विभागों को आवंटन इस वर्ष के दौरान किया जाएगा जिसके बाद व्यय की व्यवस्था अनुपूरक अनुदानों के जरिए या अन्य प्रकार से जैसाकि आवश्यक हो संबंधित अनुदानों में की जाए।

10. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

11 दिल्ली परिवहन निगम को बजटीय सहायता देने का अभिप्राय उसे आयोजना के अन्तर्गत अपने पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने से है।

राज्य परिवहन निगमों को आयोजना सहायता देने के संबंध में यह व्यवस्था सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अनुसार की गई है, जिसके अन्तर्गत निगमों की पूंजी संबंधी आवश्यकता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 1 : 2 के आधार पर पूरी की जाती है।

इस व्यवस्था में केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन निगम को राजाबगान गोदी के आधुनिकीकरण, जलयानों के अधिग्रहण, जलयानों की मरम्मत आदि से संबंधित अपनी आयोजना स्कीमों के वित्तपोषण के लिए बजटीय सहायता भी शामिल है।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry of Surface Transport.

2. The provision is mainly for research and development, training, studies on transport industry, pollution checking road safety programmes and setting up of National Road Safety Institute.

3. The provision for setting up of certain facilities on National Highways for extending relief to victims in case of accidents. This consists of giving first aid to the victims and removal of the damaged vehicles for restoration of the traffic.

4. The provision for Non-Plan loan assistance to Delhi Transport Corporation is intended to enable the Corporation to cover its cash losses.

5. The provision is mainly for development of Karimganj terminal and for technical studies including research and development.

6. The Inland Waterways Authority of India is responsible *inter alia* for the development, maintenance and regulation of National waterways and to advise the Government on development of inland water transport in the country. The grant assistance to the Authority is intended for meeting expenditure on river conservancy, construction of terminal, navigational aids of National Waterways, and administrative expenses of IWAI. The non-plan grant assistance to the Authority is intended for meeting its establishment cost.

7. The provision is for non-plan loans to Central Inland Water Transport Corporation Limited for meeting part of its operational losses and expenditure on river conservancy works in Sunderbans.

8. Provision has been made for centrally sponsored schemes like dredging of Mandovi Zuari and Mapusa rivers in Goa, terminal facility across the river Hooghly and terminal facility for ferry services in Kerala, which are being implemented through the State Governments. It also includes provision for payment to financial institutions towards interest differential in respect of loans at a lower rate of interest advanced by them to inland water transport enterpreneurs.

9. The provision is for assistance to Delhi Transport Corporation and Central Inland Water Transport Corporation for implementation of Voluntary Retirement Schemes and will be met from National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 1995-96 has been centrally made in lumpsum under D.No.50-Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grants or otherwise as may be necessary

10. The provision is for meeting expenditure arising out of transit and trade agreement with Bangladesh Government.

11. The budgetary support to DTC is intended to enable it to meet its capital expenditure under Plan.

The provision for Plan assistance to State Transport Corporations is in accordance with the Road Transport Corporation Act, 1950 under which the capital requirement of the corporations are contributed by the Centre and State Governments on a 1: 2 basis.

The provision also includes budgetary support to Central Inland Water Transport Corporation for financing their Plan schemes relating to modernisation of Rajabagan Dockyard, acquisition of vessels, repair of vessels etc.

भूतल परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
मांग संख्या DEMAND No.77
सड़कें Roads

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		16.56	467.69	484.25	16.56	593.74	610.30	15.01	533.57	548.58
पूंजी	Capital		638.44	119.12	757.56	638.44	100.49	738.93	750.89	106.02	856.91
जोड़	Total		655.00	586.81	1241.81	655.00	694.23	1349.23	765.90	639.59	1405.49
सड़के और पुल	Roads and Bridges										
1. राष्ट्रीय राजमार्ग	1. National Highways	3054	...	210.00	210.00	...	250.00	250.00	...	230.00	230.00
		5054	635.43	114.10	749.53	635.43	95.72	731.15	738.89	106.00	844.89
जोड़		Total	635.43	324.10	959.53	635.43	345.72	981.15	738.89	336.00	1074.89
2. सहायता सामग्री और उपस्कर	2. Aid Material and Equipment	3606	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अन्तरण	Deduct-Transfer to functional Major Head	3606	...	...	...	...	...	...	...	-3.00	-3.00
		Net	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सामरिक महत्व वाली और सीमावर्ती सड़के	3. Strategic and Border Roads	3054	...	19.45	19.45	...	39.52	39.52	...	37.35	37.35
		3601	...	193.93	193.93	...	206.67	206.67	...	213.10	213.10
जोड़		Total	...	213.38	213.38	...	246.19	246.19	...	250.45	250.45
4. आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़के	4. Roads of Inter State or Economic Importance	3601	9.51	...	9.51	9.51	...	9.51	7.51	...	7.51
		7601	3.01	...	3.01	3.01	...	3.01	12.00	...	12.00
जोड़		Total	12.52	...	12.52	12.52	...	12.52	19.51	...	19.51
5. दूसरे हुगली पुल का निर्माण	5. Construction of Second Hooghly Bridge	7601	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75	...	...	...
6. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित स्कीमें	6. Schemes financed from Central Road Fund	3601	...	10.00	10.00	...	58.24	58.24	...	10.79	10.79
7. केन्द्रीय सड़क निधि को	7. Central Road Fund - Transfers To	3054	...	10.06	10.06	...	58.30	58.30	...	10.85	10.85
से अन्तरण	From	3601	...	-10.00	-10.00	...	-58.24	-58.24	...	-10.79	-10.79
निवल		Net	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
8. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि से वित्तपोषित स्कीमें	8. Schemes financed from National Highway Pmt. Bridges Fees Fund	5054	...	...	...	69.00	...	69.00	72.00	...	72.00
9. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि को	9. National Highways Pmt. Bridges Fund-Transfers To	3054	...	34.00	34.00	...	39.00	39.00	...	42.00	42.00
से अन्तरण	From	5054	...	...	...	-69.00	...	-69.00	-72.00	...	-72.00
निवल		Net	...	34.00	34.00	-69.00	39.00	-30.00	-72.00	42.00	-30.00
जोड़		Total	...	34.00	34.00	...	39.00	39.00	...	42.00	42.00
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services										
10. भारतीय सड़क निर्माण निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	10. Non- Plan Loans to the Indian Roads Construction Corporation	7075	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	11. Grants to National Highway Authority	3054	3.00	0.10	3.10	3.00	0.10	3.10	3.00	0.12	3.12
12. अन्य व्यय	12. Other Expenditure										
12.01 विकास और आयोजना	12.01 Development and Planning	3054	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
12.02 राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान	12.02 Institute for Training of Highway Engineers	3054	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.25	...	2.25
12.03 अन्य	12.03 Others	3054	0.55	0.15	0.70	0.55	0.15	0.70	0.25	0.15	0.40
जोड़		Total	4.05	0.15	4.20	4.05	0.15	4.20	4.50	0.15	4.65
जोड़		Total	7.05	0.25	7.30	7.05	0.25	7.30	7.50	0.27	7.77
13. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन	13. Implementation of voluntary retirement scheme										
13.01 भारतीय सड़क निर्माण कम्पनी, लि.	13.01 Indian Road Construction Company Ltd.	3054	...	...	...	0.55	...	0.55	...	...	...
13.02 घटाइए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	13.02 Deduct amount met from NRF	3054	...	...	...	-0.55	...	-0.55	...	...	...
निवल		Net	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	Grand Total		655.00	586.81	1241.81	655.00	694.23	1349.23	765.90	639.59	1405.49

ख. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. सड़कें और पुल	1. Roads and Bridges	13054	655.00	10.00	665.00	655.00	10.00	665.00	765.90	...	765.90

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
*Inclusive of Works Outlays provided in the Demands of the Ministry of Urban Development

1. यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव पर होने वाले व्यय हेतु की गई है । ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड की जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा भी पूरे किए जाते हैं । इस व्यवस्था में यांत्रिक रूप से प्रणोदक वाहनों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए लगाई गई फीस के संग्रहण की लागत के प्रति संघ राज्य क्षेत्रों को की गई अदायगी भी शामिल है, राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे फीस के माध्यम से प्राप्त किए गए राजस्व में से 12 प्रतिशत की अनधिक दर से संग्रह प्रभार लें।

2. व्यवस्था की आवश्यकता दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.24 पर निजामुद्दीन पुल के लिए अभिप्रेत जापान से प्राप्त वस्तु अनुदान के संबंध में लेखा समायोजन करने के लिए है।

3. इस व्यवस्था में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान देना शामिल है । पंजाब एवं राजस्थान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए जाते हैं ।

4. यह व्यवस्था अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की कतिपय चुनी हुई राज्य सड़कों के विकास के लिए है ताकि बेहतर संचार सुविधाओं का संवर्द्धन किया जा सके । इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य खनिज संसाधनों से सम्पन्न क्षेत्रों के विकास में मदद करना और जहां पर रेलवे जैसे संचार के अन्य कोई साधन न हो, उन क्षेत्रों तक संचार साधनों की व्यवस्था कराना है ।

5. इस व्यवस्था का अभिप्राय कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल से संबंधित निर्माण कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण सहायता प्रदान करना है । यह पुल अक्तूबर, 1992 से यातायात के लिए खोल दिया गया है।

6. और 7. यह अनुमान भारत के लोक खाते में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लेन-देनों से संबद्ध है। इस निधि का उपयोग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माणकार्य की अनुमोदित स्कीमों के निर्माण कार्य और अनुरक्षण का वित्तपोषण करने के लिए किया जाता है।

8. और 9. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि, जो भारत के लोक खाते में है, के अंतर्गत लेन-देनों से संबद्ध है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है।

10. यह व्यवस्था भारतीय सड़क निर्माण निगम लि. नामक एक सरकारी कम्पनी के आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए है, जो भारत और विदेशों में सड़कों और पुलों के निर्माण और विकास और संबंधित इंजीनियरी कार्य सम्पन्न करती है ।

11. यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए है, जिसकी स्थापना 15 जून, 1989 को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए की गई थी।

12. इस आयोजना की व्यवस्था राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण, राजमार्ग इंजीनियरों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और अनुसंधान और आयोजना अध्ययनों के लिए है जबकि आयोजना-भिन्न व्यवस्था जिलों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य सड़कों के लिए है, जिसका वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क निधि की आर्थिक सहायता से होता है ।

13. संशोधित अनुमान 1994-95 में यह व्यवस्था भारतीय सड़क निर्माण कम्पनी लि. को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है और उसकी पूर्ति राष्ट्रीय नवीकरण निधि से की जाएगी। ब.अ. 1995-96 के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरे किए जाने वाले व्यय के लिए मांग सं. 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय रूप से एकमुश्त व्यवस्था की गई है। इसमें से अन्य मंत्रालयों/विभागों को आवंटन इस वर्ष के दौरान किया जाएगा, जिसके बाद व्यय की व्यवस्था अनुपूरक अनुदानों के जरिए या अन्य प्रकार से जैसा कि आवश्यक हो, संबंधित अनुदानों में की जाएगी।

1. The provision is mainly for expenditure on construction and maintenance of national highways. The works are executed by the Public Works Department of the States on an agency basis and also by the General Reserve Engineering Force of the Border Roads Development Board. The provision also includes payment to the Union Territories towards cost of collection of the fees levied for use of permament bridges on national highways by the mechanically propelled vehicles, the States are allowed collection charges not exceeding at the rate of 12% out of the revenue derived through the fees.

2. The provision required is for making accounting adjustments in respect of commodity grants from Japan intended for the Nizamuddin Bridge on National Highway No.24 in Delhi.

3. The provision includes grant assistance to States for construction of certain strategic roads in the border areas of Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. Some works are also executed by the Border Roads Development Board in Punjab and Rajasthan.

4. The provision is towards financial assistance to States for development of certain selected State roads of inter-State and economic importance for promoting better communication facilities. One of the objectives of the programme is to help in the development of regions rich in mineral resources and to provide access to areas not served by any other means of communications like Railways.

5. The provision is intended for providing loan assistance to the Government of West Bengal for works relating to second bridge over the river Hooghly in Calcutta. The bridge has been opened to traffic in October, 1992.

6&7. The estimates relate to transactions under the Central Board Fund in the Public Account of India. The Fund is utilised for financing construction and maintenance of approved schemes of road works in the States and Union Territories.

8&9. The estimates relate to transactions under the National Highways Permanent Bridges Fees Fund which is in the Public Account of India. The Fund is utilised for national highway works.

10. The provision is for non-plan loans to Indian Roads Construction Corporation Ltd, a Government Company, which undertakes construction and development of roads and bridges and related engineering works in India and abroad.

11. The provision is for National Highway Authority which was set up on 15th June, 1989 for development of National Highways.

12. The Plan provision is for training of highway engineers, establishment of National Institute of Training for Highway Engineers, and Research & Planning Studies while the non-plan provision is for districts and other roads in Union Territories financed from subventions from the Central Road Fund.

13. The provision in RE 1994-95 is for assistance to Indian Road Construction Company Ltd. for implementation of Voluntary Retirement Schemes and will be met from National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 1995-96 has been centrally made in lumpsum under D.No.50-Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments wil be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective grants through supplementary grant or otherwise as may be necessary.

भूतल परिवहन मंत्रालय *MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT*

मांग संख्या DEMAND No.78

पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन Ports, Light houses & Shipping

क. वसूलियों (दीपस्तम्भ और दीपपोत के संबंध में राजस्व प्राप्तियों) को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है: (करोड़ रुपए)
A. The Budget allocations, net of recoveries (and revenue receipts in respect of Light Houses and Lightships) are given below: *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		42.18	110.94	153.12	42.54	185.76	228.30	9.15	118.06	127.21
पूंजी	*Capital*		*223.32*	*1.01*	*224.33*	*215.32*	*4.01*	*219.33*	*251.95*	*-12.99*	*238.96*
जोड़	**Total**		**265.50**	**111.95**	**377.45**	**257.86**	**189.77**	**447.63**	**261.10**	**105.07**	**366.17**
पत्तन और दीपस्तम्भ	**Ports and Lighthouses**										
पत्तन	***Ports***										
1. तलकर्षण और सर्वेक्षण संगठन	1. Dredging and Survey Organisation	3051	...	60.00	60.00	...	113.97	113.97	...	60.00	60.00
2. लघु पत्तनों का विकास	2. Development of Minor Ports	5051	20.40	...	20.40	20.40	...	20.40	21.30	...	21.30
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	3051	0.10	2.50	2.60	0.10	2.40	2.50	0.05	2.49	2.54
जोड़-पत्तन	**Total-Ports**		**20.50**	**62.50**	**83.00**	**20.50**	**116.37**	**136.87**	**21.35**	**62.49**	**83.84**
दीपस्तम्भ	***Light Houses***										
4. निदेशन और प्रशासन	4. Direction and Administration	3051	...	3.52	3.52	...	3.43	3.43	...	3.59	3.59
5. दीपस्तंभ और दीप पोत	5. Light Houses and Light Ships										
5.01 सकल कार्यचालन व्यय	5.01 Gross Working Expenditure	3051	...	39.52	39.52	...	39.60	39.60	...	44.93	44.93
5.02 घटाइए - प्राप्तियां	5.02 Less Receipts	1051	...	-43.04	-43.04	...	-43.03	-43.03	...	-48.52	-48.52
5.03 निवल	*5.03. Net*		...	*-3.52*	*-3.52*	...	*-3.43*	*-3.43*	...	*-3.59*	*-3.59*
6. दीपस्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास	6. Construction and Development of Lighthouses and other Navigational Aids	5051	15.00	-15.00	...	15.00	-15.00	...	15.00	-15.00	...
जोड़-दीपस्तम्भ	**Total-Light Houses**		**15.00**	**-15.00**	**0.00**	**15.00**	**-15.00**	**...**	**15.00**	**-15.00**	**...**
जोड़-पत्तन और दीपस्तम्भ	***Total-Ports and Light Houses***		***35.50***	***47.50***	***83.00***	***35.50***	***101.37***	***136.87***	***36.35***	***47.49***	***83.84***
नौवहन	***Shipping***										
7. महानिदेशक, नौवहन	7. Director General, Shipping	3052	40.00	11.12	51.12	40.00	11.12	51.12	5.00	11.25	16.25
8. पोत अधिग्रहण के लिए उधारों पर ब्याज विभेदक	8. Interest differentials on loans for acquisition of ships.	3052	...	21.50	21.50	...	22.63	22.63	...	23.75	23.75
9. भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता	9. Subsidy to Shipping Corporation of India	3052	...	15.31	15.31	...	15.31	15.31	...	7.45	7.45
10. अन्य व्यय	10. Other Expenditure										
10.01 व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण के नाविकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण और कल्याण स्कीमें	10.01 Training and Welfare schemes for the benefit of Seamen of Merchant Navy	5052	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	4.00	...	4.00
10.2 सर्वेक्षण पोतों की खरीद	10.2 Purchase of Survey vessels	5052	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	30.00	...	30.00
जोड़		*Total*	*38.40*	...	*38.40*	*38.40*	...	*38.40*	*34.00*	...	*34.00*
11. सहायता सामग्री और उपस्कर	11. Aid material & Equipment	3606	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	5.00	5.00
घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	*Deduct* - Transfer to Functional Major Head	3606	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-5.00	-5.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पोत निर्माण	***Ship Building:***										
12. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	12. Non-Plan Loans to PSEs										
12.01 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	12.01 Hindustan Shipyard Ltd.	6858	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	1.00	1.00
12.02 हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरी लि.	12.02 Hooghly Dock and Port Engineers Ltd	6858	...	1.00	1.00	...	4.00	4.00	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	...	*16.00*	*16.00*	...	*19.00*	*19.00*	...	*2.00*	*2.00*
13. राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरा किया गया व्यय	13. Expenditure met from National Renewal Fund										
13.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन	13.1 Implementation of VRS in PSEs										
(i) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	(i) Hindustan Shipyard Ltd.	2852	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	...	...	...
(ii) हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरी लि.	(ii) Hooghly Dock and Port Engineers Ltd	2852	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*5.00*	...	*5.00*	...	...	...
13.2 घटाइए- राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	13.2 Deduct Expenditure met from NRF	2852	-6.00	...	-6.00	-5.00	...	-5.00	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. अन्य आर्थिक सहायताएं	14. Other subsidies:										
14.01 कोचीन शिपयार्ड लि.	14.01 Cochin Shipyard Ltd.	2852	...	0.01	0.01	...	4.46	4.46	...	8.00	8.00
14.02 ट्रालर विकास निधि	14.02 Trawler Development Fund	2852	...	0.50	0.50	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12
14.03 एच एस एल	14.03 HSL	2852	...	...	...	...	15.75	15.75	...	5.00	5.00
जोड़		*Total*	...	*0.51*	*0.51*	...	*20.33*	*20.33*	...	*13.12*	*13.12*
15. अन्य व्यय	15. Other Expenditure	2852	1.98	...	1.98	2.34	...	2.34	4.00	...	4.00
		3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*2.08*	...	*2.08*	*2.44*	...	*2.44*	*4.10*	...	*4.10*
जोड़-नौवहन	**Total Shipping**		**80.48**	**64.44**	**144.92**	**80.84**	**88.39**	**169.23**	**43.10**	**57.57**	**100.67**

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
16. भागीरथी-हुगली नदियों पर सुधारात्मक कार्य (कलकत्ता पत्तन न्यास के माध्यम से)	16. Corrective works on Bhagirathi - Hooghly Rivers (through Calcutta Port Trust)	5075	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
17. सरकारी उद्यमों में निवेश	17. Investments in Public Enterprises	4858	7.01	0.01	7.02	7.01	0.01	7.02	12.50	0.01	12.51
		6858	7.01	...	7.01	7.01	...	7.01	18.50	...	18.50
		7051	103.50	...	103.50	95.50	...	95.50	123.65	...	123.65
		7052	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00
जोड़		*Total*	*144.52*	*0.01*	*144.53*	*136.52*	*0.01*	*136.53*	*181.65*	*0.01*	*181.66*
कुल जोड़	***Grand Total***		***265.50***	***111.95***	***377.45***	***257.86***	***189.77***	***447.63***	***261.10***	***105.07***	***366.17***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment In Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
पत्तन	Ports:										
17.01 कलकत्ता पत्तन न्यास	17.01 Calcutta Port Trust	13051	5.50	5.00	10.50	5.50	5.00	10.50	7.20	58.32	65.52
17.02 हल्दिया गोदी	17.02 Haldia Dock	13051	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	...	...
17.03 कोचीन पत्तन न्यास	17.03 Cochin Port Trust	13051	14.50	45.50	60.00	14.50	45.50	60.00	5.52	44.48	50.00
17.04 पारादीप पत्तन	17.04 Paradip Port	13051	10.00	30.00	40.00	10.00	30.00	40.00	30.00	47.93	77.93
17.05 तुतिकोरिन पत्तन	17.05 Tuticorin Port	13051	...	19.50	19.50	...	19.50	19.50	...	23.10	23.10
17.06 जवाहर लाल नेहरू पत्तन	17.06 Jawahar Lal Nehru Port	13051	5.00	25.00	30.00	5.00	25.00	30.00	24.03	31.21	55.24
17.07 नया मंगलौर पत्तन	17.07 New Mangalore Port	13051	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	107.44	107.44
17.08 मद्रास पत्तन न्यास	17.08 Madras Port Trust	13051	30.00	25.00	55.00	30.00	25.00	55.00	16.30	76.29	92.59
17.09 बम्बई पत्तन न्यास	17.09 Bombay Port Trust	13051	38.50	20.00	58.50	30.50	20.00	50.50	46.60	97.81	144.41
17.10 नया कांडला पत्तन न्यास	17.10 New Kandla Port Trust	13051	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.92	30.92
17.11 मारमागोवा पत्तन	17.11 Mormugao Port	13051	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	27.28	27.28
17.12 विशाखापत्तनम पत्तन	17.12 Visakhapatnam Port	13051	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	53.00	53.00
जोड़ - पत्तन	**Total - Ports**	**13051**	**103.50**	**340.00**	**443.50**	**95.50**	**340.00**	**435.50**	**129.65**	**597.78**	**727.43**
17.14 भारतीय तलकर्षण निगम	17.14 Dredging Corporation of India	13051	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	71.35	71.35
पोत-निर्माण	**Ship-building**										
17.15 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	17.15 Hindustan Shipyard	12858	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50	15.00	...	15.00
17.16 कोचीन शिपयार्ड	17.16 Cochin Shipyard	12858	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50	9.00	...	9.00
17.17 हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरिंग कंपनी लि.	17.17 Hooghly Dock and Ports Engineering Co.Ltd.	12858	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00
17.19 बम्बई पत्तन न्यास	17.19 Bombay Port Trust	12858	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-पोत-निर्माण	**Total-Ship-building**		**14.02**	**...**	**14.02**	**14.02**	**...**	**14.02**	**25.00**	**...**	**25.00**
नौवहन	**Shipping**										
17.20 भारतीय नौवहन निगम	17.20 Shipping Corporation of India	13052	27.00	1169.37	1196.37	27.00	1169.37	1196.37	27.00	852.40	879.40
सरकारी उद्यमों में कुल निवेश	**Total Investments in Public Enterprises**		**144.52**	**1524.37**	**1668.89**	**136.52**	**1524.37**	**1660.89**	**181.65**	**1521.53**	**1703.18**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan outlay***										
1. इंजीनियरी उद्योग	1. Engineering Industries	12858	16.00	...	16.00	16.36	...	16.36	35.00	...	35.00
2. पत्तन और दीपस्तंभ	2. Ports and Light Houses	13051	139.00	355.00	494.00	131.00	355.00	486.00	160.00	669.13	829.13
3. नौवहन	3. Shipping	13052	112.00	1169.37	1281.37	108.11	1169.37	1277.48	73.10	852.40	925.50
4. अन्य परिवहन सेवाएं	4. Other Transport Services	13075	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
जोड़	**Total**		**272.00**	**1524.37**	**1796.37**	**260.47**	**1524.37**	**1784.84**	**268.10**	**1521.53**	**1789.63**

**इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।*

** Inclusive of works outlay provided in the Demand of the Ministry of Urban Development.*

मांग संख्या 80	Demand No.80	13052	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 81	Demand No.81	13052	6.50	...	6.50	2.61	...	2.61	7.00	...	7.00
जोड़	**Total**		**6.50**	**...**	**6.50**	**2.61**	**...**	**2.61**	**7.00**	**...**	**7.00**

1. इस व्यवस्था में, कलकत्ता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकर्षण और अनुरक्षण के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का स्थापना संबंधी व्यय शामिल है ।

2. यह व्यवस्था अंदमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, सर्वेक्षण के लिए उपस्कर की खरीद तथा लघु और मध्यम पत्तनों के विकास के वास्ते राज्य सरकारों को ऋण-सहायता के लिए है ।

3. यह आयोजना व्यवस्था, अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंदमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।

4-6. दीपस्तम्भ और दीपपोत संगठन, सरकार का एक वाणिज्यिक विभाग है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, डेका नेवीगेटर चेन, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं । यह संगठन पोतों के दिशानिर्देश के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है । यह आयोजना व्यवस्था, दीप स्तंभों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक-साधनों के लिए है और इसे भारतीय दीपस्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्तियों से पूरा किया जाता है ।

1. The provision comprises payment to Calcutta Port Trust for dredging and maintenance of the river Hooghly and the Haldia Channel and expenditure on the establishment of minor ports survey organisation.

2. The provision is for construction of landing facilities and jetties in Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands, purchase of equipment for surveying and loan assistance to State Governments for development of minor and intermediate ports.

3. The Plan provision is for expenditure on research and development schemes. The non-Plan provision is for establishment charges in respect of Andaman and Lakshadweep Harbour Works, etc.

4-6. The lighthouses and lightships organisation is a commercial department of the Government which provides navigational aids, including buoys, decca navigator chains, radio beacons, etc. It also undertakes construction and maintenance of lighthouses for guidance of ships. The Plan provision is for the capital expenditure, on construction and development of lighthouses and other navigational aids; it is met from the Light dues collected as per provisions of Indian Light House Act, 1927.

7. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है, जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है । यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है । यह निदेशालय, नाविकों के कल्याण की देख-रेख के अलावा मर्चेन्ट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है ।

8. नौवहन कम्पनियों को विदेशों से पोत अधिग्रहित करने के लिए 8.5 प्रतिशत और देश में ही पोतों का निर्माण करने के लिए 7.75 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिए जाते हैं । ब्याज की सामान्य दर पर अर्जित ब्याज और ब्याज की रियायती दर पर अर्जन योग्य ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति तदनुसार भारतीय नौवहन निगम को कर दी जाती है । भारतीय नौवहन निगम ने विदेशों से पोत अधिग्रहित करने के लिए चार नामित बैंकों से ऋण लिए थे । बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज और 7.5 प्रतिशत की रियायती दर पर लिए जाने वाले ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति भी भारतीय नौवहन निगम को की जाती है । इस व्यवस्था में पोतों का अधिग्रहण करने के लिए ऋणों पर ब्याज विभेदकों और भारतीय नौवहन निगम द्वारा लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज की अदायगी शामिल की गई है।

9. भारतीय नौवहन निगम मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के बीच यात्री सेवा का संचालन करता है । आर्थिक सहायता की व्यवस्था इन नौवहन सेवाओं के संचालन पर होने वाली प्रचालन संबंधी हानियों को पूरा करने के लिए है।

10. यह व्यवस्था चार सर्वेक्षण जहाजों और नाविकों के प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की सुविधाओं से संबंधित है ।

11. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत समुद्री प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन बनाने के लिए अभिप्रेत जापान से प्राप्त वस्तु अनुदानों के संबंध में लेखा समायोजन करने के लिए है ।

12. यह व्यवस्था हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने सहित कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए सक्षम बनाया जा सके।

13. यह व्यवस्था हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. और हुगली डॉक तथा पोर्ट इन्जीनियर लि. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए है और इसकी पूर्ति राष्ट्रीय नवीकरण निधि से की जाएगी । वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों को इसमें से आवटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

14. यह व्यवस्था ट्रालर विकास निधि को अंशदान देने के अलावा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आर्थिक सहायताओं की अदायगी करने के लिए है । भारतीय कारखानों में निर्मित पोतों के लिए समुद्र में जाने के लिए सरकार द्वारा जहाज निर्माण संबंधी आर्थिक सहायता खुले टेंडर में पोत के लिए प्राप्त निम्नतम बोली के 20 प्रतिशत की दर से दी जाएगी । ट्रालर विकास समर्थन के लिए आर्थिक सहायता के रूप में स्वदेशी शिपयार्डों को मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के निर्माण की अनुमोदित लागत के 33 प्रतिशत तक की राशि दी जाती है।

15. यह व्यवस्था पोत संबंधी सहायक विकास कार्यों, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं को सहायता अनुदान देने, अवतरण पोत उद्योग को आर्थिक सहायता देने के लिए है।

16. यह व्यवस्था भागीरथी-हुगली नदियों में सुधारात्मक निर्माण कार्यों के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास को अदायगी करने के लिए की गई है।

17. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, भारतीय नौवहन निगम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लिमिटेड के आयोजना व्यय के लिए बजट समर्थन शामिल है ।

पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए है ताकि ये पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/ढोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सकें और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करने के लिए भी यह सहायता दी जाती है । ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को आयोजनागत सहायता निकर्षण पोत "एक्यूवेरियस" की अधिप्राप्ति से संबंधित है ।

पोतों का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय नौवहन निगम को ऋण सहायता दी जाती है और वर्तमान सुविधाओं का नवीकरण/आधुनिकीकरण और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. और कोचीन शिपयार्ड लि., हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लि. (एच.डी.पी.ई.) को सहायता दी जाती है ।

7. The provision is for the establishment of Directorate General, Shipping, which is a statutory authority under the Merchant Shipping Act, 1958. It renders regulatory functions for all matters relating to merchant shipping laws. The Directorate also provides facilities for training for merchant navy besides looking after the welfare of seamen.

8. Loans to shipping companies are provided at a concessional rate of interest of 8.5% for acquisition of ships from abroad and 7.75% for getting ships built indigenously. The difference between the interest accrued as per the normal rate of interest and that accruable as per the concessional rate of interest is accordingly reimbursed to the Shipping Corporation of India. The SCI had also taken loans from four nominated Banks for acquisition of ships from abroad. The difference between interest charged by the Banks and that leviable as per the concessional rate of 7.5% is also reimbursed to SCI. The provision made covers payment of interest differentials on loans for acquisition of ships and interest on Bank loans availed of by the SCI.

9. The Shipping Corporation of India runs passenger services between mainland and Andaman Nicobar Islands and mainland and Lakshadweep Islands. The provision for subsidy is for meeting the operational losses for running these shipping services.

10. The provision is for four survey ships and for facilities for training and other welfare schemes for the benefit of seamen.

11. The provision is for making accounting adjustments in respect of commodity grants from Japan intended for up-dating maritime training facilities under DG, Shipping.

12. The provision is for non-Plan ways and means loan assistance to Hindustan Shipyard Ltd. , and HDPE Ltd. to enable the companies to meet expenditure on working capital requirements including payment of salary to their employees.

13. The provision is for implementation of voluntary retirement schemes in Hindustan Shipyard Ltd. and Hooghly Dock and Port Engineers Ltd. and will be met from National Renewal Fund. Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

14. The provision is towards payment of subsidies to the Hindustan Shipyard Ltd. and the Cochin Shipyard Ltd. besides contribution to the Trawler Development Fund. The ship building subsidy for ocean going vessels to be built at Indian Yards will be payable by the Govt. @ 20% of the lowest bid received for the vessel in the open tender. The subsidy for trawler development support is provided to the indigenous shipyards to the extent of 33% of the approved cost of building a fishing trawler.

15. The provision is for giving grants-in-aid for ship ancillary development, National Ship Design and Research Centre, research and development schemes for ship-building, subsidy to sailing vessel industry.

16. The provision is for payment to Calcutta Port Trust for corrective works in the Bhagirathi-Hooghly rivers.

17. The provision includes budgetary support for the Plan expenditure of major port trusts, Shipping Corporation of India, Hindustan Shipyard Ltd., Cochin Shipyard Ltd. and Hooghly Dock and Ports Engineering Company Ltd.

The Plan assistance to Port Trusts mainly relates to development of infrastructure at the ports to match the type of vessels as also the volume and types of cargo to be handled by them and for modernisation, renovation and replacement of the existing facilities at the ports. The plan assistance to the Dredging Corporation of India relates to procurement of dredger "Acquarius".

Loan assistance to SCI is provided for acquisition of ships and the assistance provided to HSL,CSL and HDPE is intended for utilisation on renovation/modernisation and augmentation of existing facilities.

वस्त्रोद्योग मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

मांग संख्या DEMAND No.79

वस्त्रोद्योग मंत्रालय Ministry of Textiles

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		237.48	334.12	571.60	237.48	283.66	521.14	284.88	238.35	523.23
पूंजी	*Capital*		*32.52*	*39.88*	*72.40*	*32.52*	*183.88*	*216.40*	*13.12*	*13.92*	*27.04*
जोड़	Total		270.00	374.00	644.00	270.00	467.54	737.54	298.00	252.27	550.27
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	3451	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	**Village and Small Industries**										
हथकरघा उद्योग	**Handloom Industries**										
2. हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता:	*2. Handloom Subsidy :*										
2.01 हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	2.01 Special rebate on handloom cloth	3601	...	67.00	67.00	...	67.00	67.00	...	67.00	67.00
2.02 जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता	2.02 Subsidy on Janata Cloth	3601	...	136.00	136.00	...	90.00	90.00	...	85.00	85.00
2.03 अन्य	2.03 Others	2851	...	2.39	2.39	...	2.49	2.49	...	4.95	4.95
जोड़		*Total*	...	*205.39*	*205.39*	...	*159.49*	*159.49*	...	*156.95*	*156.95*
3. हथकरघों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	3. Centrally Sponsored Schemes in Handlooms	3601	84.85	...	84.85	84.85	...	84.85	101.10	...	101.10
		7601	3.00	...	3.00	3.00	10.00	13.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*87.85*	...	*87.85*	*87.85*	*10.00*	*97.85*	*101.10*	...	*101.10*
4. अन्य हथकरघा योजनाएं	4. Other Handloom Schemes	2851	6.65	6.85	13.50	6.65	6.85	13.50	20.40	7.50	27.90
		3602	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	1.00	...	0.80	0.80
		4851	7.30	...	7.30	7.30	...	7.30	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*14.15*	*7.65*	*21.80*	*14.15*	*7.65*	*21.80*	*23.40*	*8.30*	*31.70*
जोड़- हथकरघा उद्योग	**Total - Handloom Industries**		**102.00**	**213.04**	**315.04**	**102.00**	**177.14**	**279.14**	**124.50**	**165.25**	**289.75**
हस्तशिल्प उद्योग	**Handicraft Industries**										
5. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	5. Other Handicrafts Schemes	2851	39.18	5.66	44.84	39.18	6.20	45.38	51.78	6.20	57.98
		4851	2.67	...	2.67	2.67	...	2.67	3.22	...	3.22
जोड़		*Total*	*41.85*	*5.66*	*47.51*	*41.85*	*6.20*	*48.05*	*55.00*	*6.20*	*61.20*
रेशम उद्योग	**Sericulture**										
6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	6. Central Silk Board	2851	89.60	9.50	99.10	89.60	9.50	99.10	91.60	9.50	101.10
		6851	0.40	0.25	0.65	0.40	0.25	0.65	0.40	0.25	0.65
जोड़		*Total*	*90.00*	*9.75*	*99.75*	*90.00*	*9.75*	*99.75*	*92.00*	*9.75*	*101.75*
7. अन्य रेशम उद्योग योजनाएं	7. Other Sericulture Schemes	2851	0.60	0.25	0.85	0.60	0.25	0.85	0.90	0.25	1.15
जोड़ - रेशम उद्योग	**Total - Sericulture**		**90.60**	**10.00**	**100.60**	**90.60**	**10.00**	**100.60**	**92.90**	**10.00**	**102.90**
विद्युतकरघा उद्योग	**Powerloom Industries**										
8. अन्य विद्युतकरघा योजनाएं	8. Other Powerloom Schemes	2851	5.00	0.42	5.42	5.00	0.42	5.42	4.50	0.42	4.92
जोड़-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	**Total-Village and Small Industries**		**239.45**	**229.12**	**468.57**	**239.45**	**193.76**	**433.21**	**276.90**	**181.87**	**458.77**
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
9. मूल्य समर्थन कार्य	*9. Price support operations*										
9.01 जूट	9.01 Jute	2852	...	6.00	6.00	...	18.00	18.00	...	6.00	6.00
9.02 कपास	9.02 Cotton	2852	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	...	*7.00*	*7.00*	...	*19.00*	*19.00*	...	*7.00*	*7.00*
10. उपकर संग्रह के एवज में अदायगियां	*10. Payments against Cess Collections:*										
10.01 वस्त्रोद्योग	10.01 Textiles	2852	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00		12.00	12.00
10.02 जूट	10.02 Jute	2852	...	16.60	16.60	...	16.60	16.60		16.60	16.60
जोड़		*Total*	...	*28.60*	*28.60*	...	*28.60*	*28.60*		*28.60*	*28.60*
11. वस्त्र आयुक्त	11. Textile Commissioner	2852	...	4.00	4.00	...	4.30	4.30		4.30	4.30
12. वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम	*12. Other programmes for development of Textile*	*2852*	*9.75*	*48.48*	*58.23*	*9.75*	*30.95*	*40.70*	*9.63*	*8.52*	*18.15*
12.01 वस्त्र निर्यात संवर्धन के लिए अनुदान	12.01 Grants for Textile Export Promotion	3453	...	0.03	0.03		0.03	0.03	2.00	0.03	2.03
जोड़		*Total*	*9.75*	*48.51*	*58.26*	*9.75*	*30.98*	*40.73*	*11.63*	*8.55*	*20.18*
13. जूट आयुक्त	13. Jute Commissioner	2852	...	0.69	0.69		0.83	0.83	...	0.83	0.83
14. जूट-विकास के लिए अन्य कार्यक्रम	14. Other programmes for development of jute	2852	1.65	3.94	5.59	1.65	3.94	5.59	2.97	3.94	6.91
15. जूट विकास निधि-अन्तरण	15. Jute Development Fund - Transfer										
को	To	2852	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
		3601	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
जोड़		*Total*	*26.00*	...	*26.00*	*26.00*	...	*26.00*	*26.00*	...	*26.00*
से	From	2852	-18.00	...	-18.00	-18.00	...	-18.00	-18.00	...	-18.00
		3601	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
16. जूट कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत अदायगी	16. Payment under Section 25(1) of Jute Companies (Nationalisation) Act	4860	...	...	...	...	7.00	7.00	...	0.01	0.01
17. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताएं	*17. Interest subsidies*										
17.01 बिन्नी एण्ड कम्पनी	17.01 Binny & Co.	2852	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	**Total-Consumer Industries**		**11.40**	**92.75**	**104.15**	**11.40**	**94.65**	**106.05**	**14.60**	**53.24**	**67.84**
नागरिक आपूर्ति	**Civil Supplies**										
18. मिल निर्मित कंट्रोल के कपड़े पर आर्थिक सहायता	18. Subsidy on Mill-made Controlled Cloth	3456	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	1.00	1.00
19. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	*19. Non-Plan Investments in Public Enterprises*										
19.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	19.01 National Textile Corporation	4860	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*
20. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	*20. Non-Plan loans to Public Enterprises*										
20.01 उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम	20.01 North Eastern Handloom & Handicrafts Development Corporation	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
2.0.02 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	20.02 National Textile Corporation	6860	...	1.00	1.00	...	123.00	123.00	...	1.00	1.00
20.03 ब्रिटिश इंडिया निगम	20.03 British India Corporation	6860	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00
20.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	20.04 National Jute Manufactures Corporation	6860	...	26.00	26.00	...	31.00	31.00	...	5.00	5.00
20.05 एल्गिन मिल्स	20.05 Elgin Mills	6860	...	7.87	7.87	...	7.87	7.87	...	5.00	5.00
20.06 कानपुर कपड़ा मिल	20.06 Cawnpur Textile Mills	6860	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	1.00	1.00
20.07 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	20.07 Bird Jute and Export Limited	6860	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
जोड़		*Total*	...	*39.62*	*39.62*	...	*166.62*	*166.62*	...	*13.65*	*13.65*
21. राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय	**21. Expenditure met from National Renewal Fund**										
20.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन	*21.1 Implementation of Voluntary Retirement Schemes*										
20.1.1 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	21.1.1 National Jute Manufactures Corporation	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	...	...	...
20.1.2 ब्रिटिश इंडिया निगम	21.1.2 British India Corporation	2852	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	...	...	...
20.1.3 भारतीय जूट निगम	21.1.3 Jute Corporation of India	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
20.1.4 एन.टी.सी.	21.1.4 N.T.C.	2852	84.00	...	84.00	84.00	...	84.00	...	...	...
20.1.5 एल्गिन मिल्स	21.1.5 Elgin Mills	2852	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	...	...	...
20.1.6 कानपुर कपड़ा मिल	21.1.6 Cawnpore Textile Mills	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*119.00*	...	*119.00*	*119.00*	...	*119.00*	...	...	...
घटाइए-राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरी की गई राशि	*Deduct - Amount met from National Renewal Fund*	2852	-119.00	...	-119.00	-119.00	...	-119.00	...	...	...
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. सरकारी उद्यमों में निवेश	*22. Investments in Public Enterprises*	*4851*	*1.15*	...	*1.15*	*1.15*	...	*1.15*	*0.50*	...	*0.50*
		4860	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	3.00	...	3.00
		6851	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*19.15*	...	*19.15*	*19.15*	...	*19.15*	*6.50*	...	*6.50*
कुल जोड़	*Grand Total*		*270.00*	*374.00*	*644.00*	*270.00*	*467.54*	*737.54*	*298.00*	*252.27*	*550.27*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
22.01 केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम	22.01 Central Cottage Industries Corporation	12851	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15	0.50	...	0.50
22.02 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	22.02 National Textile Corporation	12860	1.00	139.00	140.00	1.00	139.00	140.00	1.00	149.00	150.00
22.03 ब्रिटिश इंडिया निगम	22.03 British India Corporation	12860	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	1.00	...	1.00
22.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	22.04 National Jute Manufactures Corporation	12860	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
22.05 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	22.05 National Cooperative Development Corporation	12851	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
22.06 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	22.06 National Institute of Fashion Technology	12860	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	...	...
जोड़	**Total**		**19.15**	**140.00**	**159.15**	**19.15**	**140.00**	**159.15**	**6.50**	**149.00**	**155.50**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1. Village and Small Industries	12851	242.60	...	242.60	242.60	...	242.60	280.40	...	280.40
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	27.40	140.00	167.40	27.40	140.00	167.40	17.60	149.00	166.60
जोड़	**Total**		**270.00**	**140.00**	**410.00**	**270.00**	**140.00**	**410.00**	**298.00**	**149.00**	**447.00**

1. **सचिवालय :** इसमें वस्त्रोद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग :

हथकरघा उद्योग :

2. **हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता :**

2.01. **हथकरघा कपड़ों पर विशेष छूट :** विशेष छूट की योजना के एक विकल्प के रूप में एक बाजार विकास सहायता योजना तैयार की गई है और दिनांक 1.4.89 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, संगठन के कार्यनिष्पादन से संबद्ध हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता हथकरघा वस्त्रों, सिले-सिलाये वस्त्रों और पोशाकों के पिछले तीन वर्षों में हुए औसत कारोबार के 8 प्रतिशत के आधार पर अथवा संगठन द्वारा प्राप्त/प्राप्तव्य औसत छूट और सहायता के आधार पर दी जाती है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर हिस्सा होता है।

2.02. **जनता वस्त्र पर आर्थिक सहायता :** जनता वस्त्र योजना इस समय 15 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। देश में इस समय लगभग 3 लाख करघे जनता वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं। योजना के प्रारंभ से और 31.3.94 तक हथकरघा क्षेत्र में लगभग 5865 लाख वर्ग मीटर जनता वस्त्र का उत्पादन किया गया था। वर्ष 1994-95 के लिए जनता वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य 320 लाख वर्ग मीटर निश्चित किया गया है। जनता सूती वस्त्र के उत्पादन पर अदा की जाने वाली आर्थिक सहायता की दर 3.40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ऊनी जनता वस्त्र के उत्पादन पर अदा की जाने वाली आर्थिक सहायता 13.60 रुपए प्रति वर्ग मीटर है।

2.03. **अन्य :** इसमें हथकरघा वस्तु पर छूट; विशेष छूट/एम.डी.ए; राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ को हथकरघा वस्त्र पर छूट के लिए उत्तर-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम/पुनर्वास उद्योग निगम को अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है।

3. **हथकरघा क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं :** इसमें हथकरघा बुनकरों को करघों की खरीद/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाएं निम्न प्रकार है :-

(i) हथकरघा बुनकरों के लिए कार्य शेड एवं आवास स्कीमों हेतु अनुदान;
(ii) प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना हेतु अनुदान;
(iii) हथकरघा बुनकरों के लिए परियोजना पैकेज योजनाएं;
(iv) हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए अनुदान;
(v) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजनाएं ;
(vi) हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना करने की स्कीम।
(vii) मितव्यय निधि स्कीम, समूह बीमा स्कीम, निस्सहाय बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, परियोजना पैकेज स्कीम आदि।

4. **अन्य हथकरघा योजनाएं :** इसमें हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, अनुसंधान और विकास, विपणन काम्प्लेक्स की स्थापना और धागा खरीदने के लिए सहायता, बुनकर सेवा केन्द्र और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का प्रशासन, हथकरघा वस्त्र पर छूट, बुनकरों के लिए कल्याण पैकेज योजनाएं, गुणवत्ता उत्पादन के लिए योजना और पृथक तथा पहाड़ी क्षेत्रों के हथकरघा उत्पादों के विपणन, हथकरघा निर्यात की स्कीम और निराश्रित बुनकरों को मार्जिन राशि का अनुदान, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को और बुनकर सेवा केन्द्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण, गहन विकास परियोजना और निर्यात उत्पादन की स्कीम के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

हस्तशिल्प उद्योग

5. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं :** इसमें की गई व्यवस्था में हस्तशिल्प विकास आयुक्त के कार्यालय का प्रशासन, प्रशिक्षण और विस्तार; कालीन, कला, धातु की वस्तुओं आदि जैसे विभिन्न प्रमुख शिल्पों का डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन और सेवा विस्तार; शिल्प संग्रहालय के क्रियाकलाप; प्रदर्शनी और प्रचार; आर्थिक शिल्प; अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन अध्ययन; शिल्प विकास केन्द्र, साधारण सुविधा केन्द्रों/कच्ची सामग्री के डिपो की स्थापना; नए बिक्री केन्द्रों और मौजूदा बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए केन्द्र/राज्य निगमों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं को सहायता;

1. **Secretariat :** Provides for Secretariat expenditure of the Ministry of Textiles.

VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES:

Handloom Industries :

2. **Handloom subsidy :**

2.01. **Special rebate on handloom cloth :** A Market Development Assistance Scheme has been formulated and is being implemented from 1.4.89 as an alternative to Special rebate scheme. Under this scheme, assistance is provided to handloom sector linked with performance of the organisation. The asistance is on the basis of 8% of the average turnover of the handloom fabrics, made-ups and garments for the past 3 years or on the basis of average rebate and assistance received/receivable by the organisation and shared equally by the State and Central Government.

2.02. **Subsidy on Janata Cloth :** The Janata Cloth Scheme is currently implemented in 15 States. Approximately, 3 lakh looms are at present engaged in the production of janata cloth in the country. Since the inception of the scheme and upto 31.3.94 around 5865 million sq. metres of janata cloth was produced in the handloom sector. The target for janata cloth production for 1994-95 has been fixed at 320 million sq. metres. The rate of subsidy payable on production of janata cotton cloth is Rs.3.40 per sq. metre. The subsidy payable on production of woollen janata cloth is Rs.13.60 per sq. metre.

2.03. **Others :** Includes provision for payment to North Eastern Handloom and Handicrafts Development Corporation/National Handloom Development Corporation/Rehabilitation Industries Corporation towards rebate on Handloom Cloth; Special rebate/MDA; rebate on handloom cloth to the National Federation of Industrial Cooperatives.

3. **Centrally Sponsored Schemes in Handlooms :** The provision covers grants to handloom weavers for purchase/modernisation/renovation of looms. The other schemes are as under:-

(i) Grants for Work shed cum-Housing schemes for handloom weavers.
(ii) Grants for setting up enforcement machinery;
(iii) Project package schemes for handloom weavers;
(iv) Grants for setting up of Institute of handloom Technology;
(v) Integrated Handloom Village Development Schemes;
(vi) Scheme for setting up of Handloom Development Centres.
(vii) Thrift fund scheme, Group Insurance scheme, Health package scheme for destitute weavers, project package scheme etc.

4. **Other Handloom Schemes :** The provision covers administrative expenditure of the Office of Development Commissioner, Handloom, Research and Development, assistance for setting up of Marketing Complex and yarn procurement, administration of Weavers Service Centre and Institute of Handloom Technology, rebate on handloom cloth, welfare package schemes for weavers, scheme for quality production and marketing of Handloom products of isolated and hill areas, scheme for Handloom Exports, and grant of margin money to destitute weavers, Grants-in-aid to Union Territory Governments and for construction of Weavers Service Centre and Indian Institute of Handloom Technology. Scheme for Intensive Development Project and Export Production.

Handicraft Industries

5. **Other Handicrafts Schemes :** This provision covers administration office of the Development Commission for Handicrafts; Training and Extension; Design and Technical Development of various major crafts like carpets, art, metal wares etc.; Marketing and Service Extension; Crafts Museum activities; Exhibitions and Publicity, Economic Crafts, Research Surveys and Marketing Studies; setting up of Craft Development Centre, Common Facility Centres/Raw Material Depots; Assistance to Central/State Corporations/Apex

निर्यात संवर्धन विनियमन; कल्याण और अन्य स्कीमें; एन.ई.एच.एच.डी.सी. को सहायता; केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमों/हस्तशिल्प शीर्ष सहकारी संस्थाओं में निवेश; कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भवन और हस्तशिल्प भवन का निर्माण शामिल है।

6. **रेशम कीट पालन :** इसमें संसद के अधिनियम 1948 का (56) द्वारा गठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड को सौंपे गए कार्य काफी व्यापक है और इनमें रेशम उत्पादन के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सभी पहलू तथा इसके नियंत्रणाधीन रेशम उद्योग शामिल है। अन्य बातो के अलावा, यह बोर्ड वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्च स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का युक्तियुक्त विपणन, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे करने, कच्चे रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। इस व्यवस्था में कृषि-आधारित कुटीर उद्योग अर्थात रेशम उत्पादन भी शामिल है।

7. उत्पादन संबंधी **रेशम योजनाएं :** इस व्यवस्था में रेशम और कला-रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

विद्युत चालित करघा उद्योग

8. **अन्य विद्युत चालित करघा योजनाएं :** यह व्यवस्था वस्त्रोद्योग अनुसंधान संघ, श्रम कल्याण और विद्युत-करघा संकेद्रित क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधा हेतु अनुदान के लिए है।

उपभोक्ता उद्योग

9. **जूट/कपास के लिए कीमत समर्थन संबंधी कार्य :** इसमें भारतीय जूट निगम और भारतीय कपास निगम को उनकी कीमत समर्थन कार्यों के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए व्यवस्था है।

10 **कपड़े/जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में अदायगियां :** इसके अन्तर्गत वस्त्रोद्योग समिति द्वारा संग्रह किए गए उपकर में से समिति को अदायगी करने की व्यवस्था की गई है ताकि समिति निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्रों और वस्त्र निर्माण मशीनरी का निरीक्षण जहाज में लदान से पहले कर सके और इसमें जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में जूट विनिर्माण विकास परिषद को अदायगी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

11. **वस्त्र आयुक्त :** वस्त्र आयुक्त, वस्त्रोद्योग के विकास की देखभाल करता है और इसमें वस्त्रोद्योग के सभी पहलू जैसे कि लक्ष्य, उत्पादन, नई/अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न मिलों को कपास का आवंटन, वस्त्रों, कच्चे माल की पूर्ति और वितरण, मशीनरी का आयात, वस्त्रों का निर्यात, कीमतों की मानिटरिंग आदि शामिल है।

12. **वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान :** इसके अन्तर्गत मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों को अनुदान देने की व्यवस्था है।

12.01. **वस्त्र निर्यात संवर्धन के लिए अनुदान :** इसमें वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि और निर्यात संवर्धन से संबंधित क्रियाकलापों के लिए अनुदान की व्यवस्था है।

13. **जूट आयुक्त :** जूट आयुक्त भारत में जूट उद्योग के विकास और जूट मिल संबंधी मशीनरी के विकास की देखभाल करता है। वह जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी प्रशासित करता है।

14. **जूट के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान देने और अधिग्रहीत/राष्ट्रीयकृत जूट कम्पनियों के सम्बन्ध में अदायगियां करने के लिए व्यवस्था है।

15. **जूट विकास निधि को/से अन्तरण :** इसका संबंध विशेष जूट विकास निधि के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जमा खाते से दी जाने वाली आवश्यक धनराशि से है।

16. यह व्यवस्था जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत अदायगी के लिए है।

cooperative Societies for new sales outlets and renovations of existing ones; Export Promotion Regulation; Welfare and other Schemes; assistance to NEHHDC; investment in Central State Handicrafts Corporations/Handicrafts Apex Co-operative Societies. Institute of Carpet Technology and Handicrafts Bhavan.

6. **Sericulture :** The provision includes administration of Central Silk Board which was constituted by an Act of Parliament (LXI) of 1948. The functions assigned to the Board as per Section 8 of the Act are comprehensive and cover all aspects of the Industry for ensuring co-ordinated development of sericulture and Silk Industry under its control. Among other things, the Board is responsible for undertaking/assisting and encouraging scientific, technical and economic research, provide training to Departmental personnel at higher levels and undertake testing, grading, rational marketing of sericulture products, collection of statistical data, advising Central Government on all matters of policies concerning development of Silk Industry including Import and Export of Raw Silk Goods etc. The provision also includes an agro-based Cottage Industry i.e. Sericulture.

7. **Other Sericulture Schemes :** The provision includes grants to Silk and Art Silk Mills Research Association.

Powerloom Industries

8. **Other Powerloom Schemes :** The provision is for grants to Textiles Research Associations, Labour Welfare and infrastructure facility for powerloom concentrated areas.

CONSUMER INDUSTRIES

9. **Price Support Operations for Jute/Cotton :** Provision is for reimbursement of losses incurred by the Jute Corporation of India and Cotton Corporation of India in their price support operations.

10. **Payments against Cess Collections on Textiles/Jute :** Provides for payment to Textiles Committee from out of the cess collected by the committee for enabling it to undertake preshipment inspection of textiles and textile machinery meant for export; and payment to Development Council for Jute Manufactures against for collection of cess on Jute.

11. **Textile Commissioner :** Textile Commissioner looks after the development of textile industry including all aspects of textile industry targets, production, licensing new/additional capacity, allocation of cotton to various mills, supply and distribution of textiles, raw materials, import of machinery, export of textiles monitoring price etc.

12. **Other programmes for development of textiles and National Institue for Fashion Technology :** Provides mainly for grants to various textile research associations.

12.01. **Grants for Textile Export Promotion :** Provides for grant to the Textile Export Promotion Fund and activities connected with export promotion.

13. **Jute Commissioner :** Jute Commissioner looks after the development of Jute Industry in India and development of jute mill machinery. He also administers the Jute Textile(control) order, 1956 and the Jute (Licensing and Control) order, 1961.

14. **Other programmes for development of jute :** Provides mainly for grants to Indian Jute Industry Research Association and payments in respect of Jute companies acquired/nationalised.

15. **Transfer to/from Jute Development Fund:-** This relates to the amounts required for the programmes under the Special Jute Development Fund, from the Deposit account.

16. This provision is for payment under section 25(1) of the Jute Companies (Nationalisation) Act.

17. **ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :** ब्याज संबंधी सांकेतिक आर्थिक सहायता बिन्नी एण्ड कं. लिमिटेड को दी जाती है।

नागरिक पूर्ति

18. **मिल के बने कंट्रोल के कपड़े पर आर्थिक सहायता :** वस्त्रों और वस्त्र सामग्रियों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग का उपयोग मिल-निर्मित नियंत्रित कपड़े की सब्सिडाइज्ड दरों पर आपूर्ति के लिए किया जाता है।

19. **सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश :** इसमें रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 (1), वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत अदायगी शामिल है।

20. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण :** इसमें एन. ई. एच. एच. डी. सी, एन.टी.सी., बी. आई. सी., एन. जे. एम. सी., एल्गिन मिल्स, कानपुर टेक्सटाइल मिल्स और बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि0 को कार्यशील पूंजी प्रदान करने और नकद हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए व्यवस्था की गई है।

21. **राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरित व्यय -** इसमें 1995-96 के बजट अनुमान के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाने वाले व्यय के लिए औद्योगिक विकास विभाग की मांग सं. 50 के अन्तर्गत एक मुश्त केन्द्रीय राशि की व्यवस्था की गयी है। इसमें से अन्य मंत्रालयों/विभागों को आवंटन के बारे में वर्ष के दौरान निर्णय लिया जायेगा जिसेक बाद जहां आवश्यक होगा वहां पूरक अनुदान अथवा अन्यथा के माध्यम से संबंधित अनुदानों में व्यय की व्यवस्था की जायेगी।

22. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश :** इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋण की व्यवस्था की गई है।

22.01 **केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम :** केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम की स्थापना भारत और विदेशों में कुटीर उद्योगों की बिक्री आयोजित करके उनका संवर्धन, विकास,सहयोग, परामर्श और सहायता देने के लिए की गई थी।

22.02 **राष्ट्रीय वस्त्र निगम :** राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई रुग्ण कपड़ा मिलों के कार्यों के प्रबन्ध के लिए की गई थी। निगम 124 मिलों का संचालन कर रहा है, जिनकी संस्थापित क्षमता 3.72 मिलियन तकलियां और 41233 करघों की है। सरकार ने एक नई व्यापक परिवर्तनकारी नीति अनुमोदित की है, जिसके मुख्य तत्व चुनिंदा आधुनिकीकरण, वित्तीय और प्रबन्धकीय पुनःसंरचना तथा अधिशेषकार्य बल को युक्तिसंगत बनाना है।

22.03 **ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन :** ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की दो ऊनी मिलें, अर्थात् कानपुर वूलन मिल्स, कानपुर और न्यू एगटन वूलन मिल्स, धारीवाल है। कानपुर टेक्सटाइल मिल्स और एल्गिन मिल्स नामक इसके दो सहायक निगम हैं।

22.04 **राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम :** इसकी स्थापना 6 राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को चलाने के लिए की गई थी। इन मिलों के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य भी आरंभ किया गया है।

21.05 **राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) :** एन.सी.डी.सी. को ऋण इसलिए दिया जाता है कि वह बुनकर सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने के लिए राज्य सरकारों को पुनः ऋण दे सके।

17. **Interest subsidy** :- Token interest Subsidy is provided to Binny & Co. Ltd.

CIVIL SUPPLIES

18. **Subsidy on Mill-made Controlled Cloth:-** A part of the proceeds of additional excise duties levied on textiles & textile articles is utilised to supply mill-made controlled cloth at subsidised rates.

19. **Non-Plan Investments in Public Enterprises:-** Includes payments under sections 27(1) of the Sick Textile Undertaking (Nationalisation) Act, 1974, section 5(1) of Textile Undertaking (Taking over of Management) Act, 1983.

20. **Non - Plan loans to Public Enterprises :-** The provision is made for reimbursement of cash losses and for providing working capital to NEHHDC, NTC, BIC, NJMC, Elgin Mills, Cawnpur Textile Mills and Bird Jute and Export Ltd.

21. **Expenditure met fromNational Renewal Fund:** Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE '95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No. 50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Department will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

22. **Investments in public sector undertakings :** Provides for equity and loans to Public Sector Undertakings to meet their new and continuing schemes.

22.01 **Central Cottage Industries Corporation:** Central Cottage Industries Corporation was set up to promote, develop, aid, counsel and assist cottage industries by organising their sales in India and abroad.

22.02 **National Textile Corporation:** National Textile Corporation was set up to manage affairs of the sick textiles mills taken over by the Government. The corporation runs 124 mills with an installed capacity of 3.72 million spindles and 41233 looms. Government has approved a comprehensive turnaround strategy; the key elements of which are selective modernisation, financial and managerial restructuring and rationalisation of surplus work force.

22.03 **British India Corporation:** British India Corporation owns two woollen mills, namely Cawnpur Woollen Mills, Kanpur and New Egetton Woollen Mills, Dhariwal. It has got two subsidiary corporations namely Cawnpore Textile Mills and Elgin Mills.

22.04 **National Jute Manufactures Corporation:** National Jute Manufactures Corporation was set up to run the six nationalised jute mills. Schemes for modernisation and renovation of these mills have also been taken up.

22.05 **National Cooperative Development Corporation (NCDC):-** Loan to NCDC is for relending to the State Governments for participation in the share capital of Weavers' Cooperative spinning mills.

शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.80

शहरी विकास और आवास Urban Development and Housing

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		218.68	134.50	353.18	218.68	158.80	377.48	362.62	160.93	523.55
पूंजी	*Capital*		*164.59*	*61.78*	*226.37*	*215.59*	*61.33*	*276.92*	*163.78*	*71.22*	*235.00*
जोड़	**Total**		**383.27**	**196.28**	**579.55**	**434.27**	**220.13**	**654.40**	**526.40**	**232.15**	**758.55**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	6.05	6.05	...	6.38	6.38	...	6.92	6.92
शहरी विकास	**Urban Development**										
2. नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन	2. Town & Country Planning Organisation	2217	...	1.75	1.75	...	1.65	1.65	...	1.83	1.83
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3. National Capital Region	2217	...	0.50	0.50	...	0.57	0.57	...	0.60	0.60
		4217	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
जोड़		*Total*	*25.00*	*0.50*	*25.50*	*25.00*	*0.57*	*25.57*	*40.00*	*0.60*	*40.60*
4. छोटे और मध्यम नगरों का समेकित विकास	4. Integrated Development of Small & Medium Towns	2217	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	0.25	...	0.25
		3601	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.75	...	1.75
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		7601	22.90	...	22.90	22.90	...	22.90	32.78	...	32.78
		7602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*25.00*	...	*25.00*	*25.00*	...	*25.00*	*35.00*	...	*35.00*
5. बड़े शहरों का आधारभूत विकास	5. Infrastructural Development of Mega Cities	2052	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		2217	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
		3601	74.50	...	74.50	74.50	...	74.50	83.50	...	83.50
जोड़		*Total*	*75.00*	...	*75.00*	*75.00*	...	*75.00*	*84.00*	...	*84.00*
6. अन्य शहरी विकास योजनाएं	6. Other Urban Development Schemes	2052	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		2217	5.53	1.61	7.14	5.51	2.07	7.58	31.10	2.14	33.24
		3601	16.29	0.01	16.30	16.29	0.01	16.30	16.29	0.01	16.30
		3602	0.46	...	0.46	0.48	...	0.48	0.11	...	0.11
		7601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
		7602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*22.50*	*1.62*	*24.12*	*22.50*	*2.08*	*24.58*	*47.70*	*2.15*	*49.85*
आवास	**Housing**										
7. राष्ट्रीय भवन संगठन	7. National Buildings Organization	2216	1.58	0.77	2.35	1.58	0.60	2.18	4.00	0.70	4.70
8. सम्पदा निदेशालय	8. Directorate of Estates	2216	...	20.84	20.84	...	17.98	17.98	...	17.00	17.00
9. *सरकारी रिहायशी इमारतें*	*9. Govt Residential Buildings*										
9.01 निर्माण	9.01 Construction										
शहरी विकास	Urban Development	4216	50.00	...	50.00	51.88	...	51.88	40.00	...	40.00
राष्ट्रपति एस्टेट	President Estates	4216	...	2.68	2.68	...	2.77	2.77	...	3.66	3.66
लोक सभा/राज्य सभा	Lok sabha/Rajya Sabha	4216	...	4.00	4.00	...	2.78	2.78	...	3.80	3.80
कला और संस्कृति	Art and Culture	4216	0.45	...	0.45	0.99	...	0.99	0.65	...	0.65
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4216	3.39	...	3.39	1.31	...	1.31	5.43	...	5.43
श्रम और रोजगार	Labour & Employment	4216	4.60	...	4.60	1.26	...	1.26	5.40	...	5.40
पशु-पालन	Animal Husbandry	4216	0.17	...	0.17	0.47	...	0.47	...	...	...
डेरी विकास	Dairy Development	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
वानिकी तथा वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
खानें	Mines	4216	1.08	...	1.08	1.67	...	1.67	0.50	...	0.50
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	Non-Conventional Energy Sources	4216	0.70	...	0.70	0.01	...	0.01	0.70	...	0.70
औद्योगिक विकास	Industrial Development	4216	0.41	...	0.41	0.69	...	0.69	0.20	...	0.20
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	4216	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.17	...	0.17
भारतीय सर्वेक्षण	Survey of India	4216	0.50	...	0.50	0.85	...	0.85	0.50	...	0.50
भारतीय मौसम विभाग	Indian Meteorological Department	4216	1.85	...	1.85	3.18	...	3.18	1.75	...	1.75
पूर्ति-अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	Supply - Other Scientific Services	4216	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50	...	...	...
कृषि	Agriculture	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
लेखा परीक्षा	Audit	4216	...	8.00	8.00	...	11.98	11.98	...	15.55	15.55
विदेश विभाग	External Affairs	4216	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	1.85	1.85
वित्त (राजस्व)	Finance (Revenue)	4216	...	35.45	35.45	...	31.35	31.35	...	33.33	33.33
गृह मंत्रालय	Home Affairs	4216	...	2.25	2.25	...	3.15	3.15	...	4.67	4.67
नौवहन	Shipping	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कार्मिक तथा प्रशिक्षण	Personnel & Training	4216	...	1.00	1.00	...	1.07	1.07	...	0.53	0.53
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery & Printing	4216	...	0.30	0.30	...	0.13	0.13	...	0.33	0.33
जोड़		*Total*	*63.57*	*54.28*	*117.85*	*63.06*	*53.83*	*116.89*	*55.30*	*63.72*	*119.02*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
9.02 बड़े और लघु निर्माण कार्य	9.02 Major & Minor Works	2216	...	6.15	6.15	...	7.02	7.02	...	5.12	5.12
9.03 अनुरक्षण और मरम्मत	9.03 Maintenance & Repairs	2216	...	94.00	94.00	...	119.49	119.49	...	122.45	122.45
9.04 अन्य मदें	9.04 Other items	2216	...	2.37	2.37	...	2.61	2.61	...	3.71	3.71
जोड़-सरकारी रिहायशी इमारतें	**Total Govt. Residential Buildings**		63.57	156.80	220.37	63.06	182.95	246.01	55.30	195.00	250.30
10. अन्य आवासीय योजनाएं	10. Other Housing Schemes	2216	3.02	0.45	3.47	3.02	0.42	3.44	3.85	0.45	4.30
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4216	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*6.02*	*0.45*	*6.47*	*6.02*	*0.42*	*6.44*	*4.85*	*0.45*	*5.30*
11. नेहरू रोजगार योजना	11. Nehru Rozgar Yojana	2052	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3475	58.80	...	58.80	57.69	...	57.69	1.13	...	1.13
		3601	10.60	...	10.60	11.80	...	11.80	69.36	...	69.36
		3602	0.40	...	0.40	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31
जोड़		*Total*	*70.00*	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*	*71.00*	...	*71.00*
12. छोटे नगरों के लिए प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	12. PM's Integrated Urban Poverty Eradication Programmes for small towns	2052	...	...	...	...	...	...	0.40		0.40
		2217	...	...	...	...	...	...	0.30		0.30
		3601	...	...	...	...	...	...	99.00		99.00
		3602	...	...	...	...	...	...	0.30		0.30
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*100.00*	...	*100.00*
जल पूर्ति तथा सफाई	**Water Supply and Sanitation**										
13. शहरी जल पूर्ति तथा मल निकासी	13. Urban Water Supply & Sewerage	2052	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		2215	43.40	...	43.40	43.40	...	43.40	49.40	...	49.40
जोड़		*Total*	*43.60*	...	*43.60*	*43.60*	...	*43.60*	*49.60*	...	*49.60*
14. जल की अत्यधिक कमी का सामना करने वाले मेगा शहरों में जल पूर्ति स्कीमों को सहायता	14. Support to Water Supply Scheme of mega cities facing acute water shortage	4215	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
15. कुछ चुने हुए शहरों में हवाई पत्तनों के पास सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	15. Solid Waste Management near Airport in the few selected cities	2215	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.45	...	0.45
16. सरकारी उद्यमों को आयोजन-भिन्न ऋण/इक्विटी	*16. Non-plan loans/equity to Public Enterprises*										
16.01 आवास और नगर विकास निगम	16.01 Housing & Urban Development Corporation (met from CGEIS Fund)	6216	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50
		4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*7.50*	*7.50*	...	*7.50*	*7.50*	...	*7.50*	*7.50*
17. शहरी जन-परिवहन निगम को अंशदान	17. Contribution to Urban Mass Transport Corprn.	4217	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	2.00	...	2.00
18. सरकारी उद्यमों में निवेश	18. Investment in Public Enterprises	4215	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
		4216	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	15.00	...	15.00
		4217	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
		6215	1.00	...	1.00	50.00	...	50.00	2.50	...	2.50
		6216	1.00	...	1.00	3.51	...	3.51	...	...	...
जोड़		*Total*	*26.00*	...	*26.00*	*77.51*	...	*77.51*	*28.50*	...	*28.50*
कुल जोड़	***Grand Total***		*383.27*	*196.28*	*579.55*	*434.27*	*220.13*	*654.40*	*526.40*	*232.15*	*758.55*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
18.01 आवास और नगर विकास निगम	18.01 Housing & Urban Development Corporation	22216	14.00	400.00	414.00	14.00	400.00	414.00	15.00	550.00	565.00
		22216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
		22215	8.00	...	8.00	57.00	...	57.00	10.50	...	10.50
		22217	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*25.50*	*400.00*	*425.50*	*74.50*	*400.00*	*474.50*	*28.50*	*550.00*	*578.50*
18.02 हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	18.02 Hindustan Pre-fab Ltd.	22216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22.03 आवास विकास वित्त निगम	18.03 Housing Development Finance Corprn	22216	0.50	...	0.50	3.01	...	3.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*26.00*	*400.00*	*426.00*	*77.51*	*400.00*	*477.51*	*28.50*	*550.00*	*578.50*
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay*:-**										
1. जल पूर्ति और सफाई	1. Water Supply & Sanitation	22215	56.60	...	56.60	105.60	...	105.60	64.55	...	64.55
2. आवास	2. Housing	22216	72.60	400.00	472.60	76.99	400.00	476.99	63.85	550.00	613.85
3. शहरी विकास	3. Urban Development	22217	170.50	...	170.50	170.50	...	170.50	311.70	...	311.70
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4. Other General Economic Services	13475	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	71.00	...	71.00
जोड़		*Total*	*369.70*	*400.00*	*769.70*	*423.09*	*400.00*	*823.09*	*511.10*	*550.00*	*1061.10*

*इस मांग में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्माण कार्यों पर परिव्यय के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है।

** Excluding Works Outlay for other Ministries/Deptts. included in this Demand*

22216	13.57	...	13.57	11.18	...	11.18	15.30	...	15.30

1. यह व्यवस्था शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. नगर तथा देहात आयोजना संगठन एक तकनीकी, परामर्शदात्री और सलाहकार, संगठन है और इसका संबंध नगरीय तथा क्षेत्रीय स्थल संबंधी आयोजन से है। यह संगठन राज्य सरकारों के उनकी शहरी और देहाती आयोजना विषयक गतिविधियों को आयोजित करने और उनके संबंध में कानून बनाने में भी मदद करता है।

3. इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजन बोर्ड को दिये जाने वाले अंशदान के लिए व्यवस्था सम्मिलित है जो दिल्ली में प्रवसन को सीमित/कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ौसी राज्यों की परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है।

4 शहरी विकास के निधिकरण और प्रबंध से संबंधित समग्र नीति के एक भाग के रूप में, छोटे और मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास एक सतत स्कीम है केन्द्रीय सरकार छोटे और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास के लिए राज्यों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 60 : 40 के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

5. बड़े शहरों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर के आधारभूत विकास के लिए राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है।

6. इनके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों, दिल्ली शहरी कला आयोग और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान को और शहरी परिवहन के सुधार के लिए अध्यनों और सर्वेक्षणों के लिए भी अनुदान देने संबंधी व्यय की व्यवस्था की गई है।

7. राष्ट्रीय भवन संगठन नीति निर्माण के लिए अपेक्षित आश्रय संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, उन्हें अद्यतन करने और प्रसार के कार्य में लगा है।

8. सम्पदा निदेशालय कार्यालय के लिए स्थान और सामान्य आवासन पूल रिहायशी आवास का आवंटन करने, सरकारी आवास बस्तियों में दुकानों को आवंटित करने और सरकारी होस्टलों, विज्ञान भवन, मावलंकर हाल तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये विभिन्न शहरों में स्थित अवकाश गृहों का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी है।

9. इसके अंतर्गत सरकारी रिहायशी भवनों तथा राष्ट्रपति भवन के मुख्य निर्माण कार्यों, लघु निर्माण कार्य, मरम्मत और अनुरक्षण, सज्जा व्यवस्थापन, किराया, पूंजीगत निर्माण कार्य, पट्टे के प्रभारों की व्यवस्था है।

10. इसके अन्तर्गत ग्रामीण आवास पर व्यय तथा विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न एजेन्सियों को तकनीकी सहायता तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी आवास कल्याण संगठन को अंशदान, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद तथा स्वास्थ्यकारी सुविधाओं के साथ फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रात्रि आवास योजना हेतु सहायता तथा यू. एन. सी. एच. एस. को दिए जाने वाले अंशदान हेतु व्यवस्था शामिल है।

11. नेहरू रोजगार योजना, जो वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ की गयी थी, का उद्देश्य शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत चालू मजदूरी योजनाओं, लघु उद्यम स्कीमों और आश्रय-स्थलों के उन्नयन से संबंधित स्कीमों के लिये व्यवस्था की गई है।

12. इसमें प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, जिसका इस सदी के अन्त तक राज्य सरकारों तथा दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शहरी गरीबी को कम करने का लक्ष्य है, प्रावधान है।

13. भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों को तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य तथा पर्यावरणात्मक इंजीनियरी संगठन के माध्यम से सहायता और तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान करती है। इस व्यवस्था में प्रयोगात्मक परियोजना, व्यवहार्यता अध्ययनों, कार्यक्रमों के मूल्यांकन, अनुवीक्षण तथा प्रबंध और प्रशिक्षण योजनाएं शामिल हैं। इसमें शहरी जल आपूर्ति स्कीमों तथा मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिये कम लागत वाली सफाई संबन्धी स्कीमों पर होने वाले व्यय के लिये व्यवस्था की गई है।

14. जो प्रमुख शहर जल की कमी से ग्रस्त है उन शहरों की जलापूर्ति योजनाओं के लिए सहायता देने की व्यवस्था है।

15. देश में कुछ चुने हुए शहरों में हवाई पत्तनों के पास सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट पर 'पायलट प्रोजेक्ट' प्रारम्भ करने के लिए व्यवस्था है।

16. इसमें केन्द्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजनाओं की निधियों से हडको को आयोजना-भिन्न ऋण सहायता देने की व्यवस्था है।

17. इसके अन्तर्गत हैदराबाद और दिल्ली में हल्की रेल परिवहन प्रणाली के लिए सरकारी योगदान हेतु व्यवस्था शामिल है।

18. इसके अन्तर्गत अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए हडको में निवेश करने की व्यवस्था है ताकि यह आवास और शहरी आधारिक संरचना परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए खुले बाजार से अधिक संसाधन जुटा सके। इसमें हडको को विदेशी सहायता देने की व्यवस्था भी शामिल है।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry of Urban Development.

2. Town and Country Planning Organisation is a technical, advisory and consultative organisation and is concerned with urban and regional planning. It also guides the State Governments in organising their town and country planning activities and in formulating allied legislation.

3. The provision includes contribution to National Capital Region Planning Board which finances projects in NCR and neighbouring States with the objective of limiting / reducing migration to Delhi.

4. Integrated Development of Small and Medium Towns is a continuing scheme as a part of the overall strategy for funding and managing urban growth. Central Government provides loan assistance to the States on 60 : 40 basis subject to prescribed ceilings, for Integrated Development of Small & Medium Towns.

5. The provision is for assistance to the States for infrastructural development of mega cities viz., Bombay, Calcutta, Hyderabad and Bangalore.

6. The provision is for expenditure on grants to urban local bodies, grants to Delhi Urban Arts Commission and National Institute of Urban Affairs, and also for studies and surveys for improvement of urban transport.

7. National Buildings Organisation is engaged in collecting and updating and disseminating data on shelter required for policy formulation.

8. Directorate of Estates is responsible for allotment of general pool office and residential accommodation, shops in Government housing colonies and management of Government hostels, Vigyan Bhavan, Mavalankar Hall and holiday homes at various cities.

9. The provision includes expenditure on major/minor works, repairs and maintenance, furnishings, rents, capital construction works, lease charges on Government residential buildings and Rashtrapati Bhavan.

10. The provision includes expenditure on rural housing and rendering technical assistance to various agencies for developmental works besides, contribution to Central Government Employees Housing Welfare Organisation, assistance to Building Material and Technology Promotion Council and Night Shelter for foot-path dwellers with sanitary facilities and contribution to UNCHS.

11. Nehru Rozgar Yojana, which was launched in 1989-90, aims at providing employment opportunities for the urban poor. The provision includes expenditure on ongoing wage employment schemes, micro enterprises schemes and shelter upgradation schemes.

12. The provision is for the Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programmes aimed at reducing urban poverty by the turn of the century, in coordination with State Governments and other non-Government organisations.

13. Government of India provides assistance and technical guidance to the States and Union Territories for formulation and implementation of water supply and sanitation programmes through Central Public Health and Environmental Engineering Organisation. The provision includes expenditure on pilot projects, feasibility studies, evaluation of programmes, monitoring and management and training schemes. The provision also covers expenditure on urban water supply schemes and schemes of low cost sanitation for liberation of scavengers.

14. The provision is for support to Water Supply Schemes of major cities facing acute water shortage.

15. The provision is for undertaking a pilot project on solid waste management near airports in a few selected cities in the country.

16. The provision is for non-plan loan assistance to HUDCO from Central Govt. Employees Group Insurance Scheme funds.

17. The provision is towards Government contribution for Light Rail Transport System in Hyderabad and Delhi.

18. This includes provision for investment in HUDCO to expand its capital base so that it can raise more resources from the open market to finance housing and urban infrastructure projects. It includes provision for passing on external assistance to HUDCO.

शहरी विकास मंत्रालय *MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT*
मांग संख्या DEMAND No.81
लोक निर्माण कार्य Public Works

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		2.80	125.93	128.73	2.80	312.34	315.14	3.40	169.86	173.26
पूंजी	*Capital*		*67.71*	*94.65*	*162.36*	*67.71*	*119.65*	*187.36*	*90.42*	*104.70*	*195.12*
जोड़	**Total**		**70.51**	**220.58**	**291.09**	**70.51**	**431.99**	**502.50**	**93.82**	**274.56**	**368.38**
लोक निर्माण	**Public Works**										
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1. Central Public Works Deptt.	2059	2.80	37.14	39.94	2.80	39.03	41.83	3.40	39.03	42.43
2. लघु निर्माणों सहित रख-रखाव और मरम्मत	2. Maintenance and Repairs including minor works	2059	...	87.05	87.05	...	135.88	135.88	...	128.93	128.93
3. *कार्यालय इमारतों का निर्माण*	3. *Construction of Office Buildings*										
3.01 लेखा परीक्षा	3.01 Audit	4059	...	10.00	10.00	...	13.01	13.01	...	10.00	10.00
3.02 वित्त (राजस्व)	3.02 Finance (Revenue)	4059	...	35.75	35.75	...	52.60	52.60	...	41.90	41.90
3.03 गृह मंत्रालय	3.03 Home Affairs	4059	...	4.00	4.00	...	7.02	7.02	...	1.55	1.55
3.04 शहरी विकास	3.04 Urban Development	4059	9.50	22.10	31.60	14.34	22.10	36.44	13.00	25.00	38.00
3.05 लेखन सामग्री और मुद्रण	3.05 Stationery & Printing	4059	...	0.40	0.40	...	0.70	0.70	...	3.00	3.00
3.06 कार्मिक तथा प्रशिक्षण	3.06 Personnel & Training	4059	...	4.00	4.00	...	4.49	4.49	...	4.00	4.00
3.07 खानें	3.07 Mines	4059	1.42	...	1.42	1.43	...	1.43	9.50	...	9.50
3.08 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	3.08 Non-Conventional Energy Sources	4059	0.17	...	0.17	0.25	...	0.25	0.17	...	0.17
3.09 अन्य संचार सेवाएं	3.09 Other Communication Services	4059	0.93	...	0.93	1.24	...	1.24	0.88	...	0.88
3.10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3.10 Science & Technology	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.11 पूर्ति - अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	3.11 Supply - Other Scientific Services	4059	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	2.35	...	2.35
3.12 लोक सभा	3.12 Lok Sabha	4059	...	15.00	15.00	...	17.58	17.58	...	15.00	15.00
3.13 विदेशी मामले	3.13 External Affairs	4059	...	0.60	0.60	...	0.80	0.80	...	0.35	0.35
3.14 कृषि	3.14 Agriculture	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.15 श्रम	3.15 Labour	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.16 पत्तन, दीपस्तम्भ और जहाजरानी	3.16 Ports,Light Houses and Shipping	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.17 सांख्यिकी	3.17 Statistics	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.18 उच्चतम न्यायालय	3.18 Supreme Court	4059	...	2.80	2.80	...	1.35	1.35	...	3.90	3.90
3.19 रोजगार	3.18 Employment	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-कार्यालय इमारतों का	**Total - Construction of Office Bldgs.**		**13.72**	**94.65**	**108.37**	**18.96**	**119.65**	**138.61**	**25.90**	**104.70**	**130.60**
4. *अन्य गैर-रिहायशी इमारतों का निर्माण*	4. Construction of Other Non-residential Buildings										
4.01 शिक्षा	4.01 Education	4202	1.16	...	1.16	2.61	...	2.61	1.16	...	1.16
4.02 कला तथा संस्कृति	4.02 Arts & Culture	4202	11.95	...	11.95	6.72	...	6.72	8.35	...	8.35
4.03 स्वास्थ्य (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना)	4.03 Health (Central Government Health Scheme)	4210	9.61	...	9.61	13.07	...	13.07	20.00	...	20.00
4.04 परिवार कल्याण	4.04 Family Welfare	4211	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.05 श्रम तथा रोजगार	4.05 Labour and Employment	4250	10.40	...	10.40	4.34	...	4.34	16.56	...	16.56
4.06 खेती बाड़ी	4.06 Crop Husbandry	4401	1.00	...	1.00	1.62	...	1.62	1.00	...	1.00
4.07 पशु पालन	4.07 Animal Husbandry	4403	1.55	...	1.55	2.96	...	2.96	...	...	...
4.08 डेयरी विकास	4.08 Dairy Development	4404	0.57	...	0.57	0.76	...	0.76	...	...	...
4.09 वानिकी तथा वन्य जीवन	4.09 Forestry & Wildlife	4406	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.10 औद्योगिक विकास	4.10 Industrial Development	4885	3.40	...	3.40	2.51	...	2.51	2.50	...	2.50
4.11 नौवहन	4.11 Shipping	5052	6.50	...	6.50	2.61	...	2.61	7.00	...	7.00
4.12 भारतीय सर्वेक्षण	4.12 Survey of India	5425	3.70	...	3.70	5.60	...	5.60	3.70	...	3.70
4.13 भारतीय मौसम विभाग	4.13 Indian Meteorological Department	5455	4.15	...	4.15	5.95	...	5.95	4.25	...	4.25
4.14 पारिस्थितिक विज्ञान और पर्यावरण	4.14 Ecology & Environment	5425	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*53.99*	...	*53.99*	*48.75*	...	*48.75*	*64.52*	...	*64.52*
5. अन्य संगठन	5. Other Organisations	2059	...	1.74	1.74	...	1.76	1.76	...	1.90	1.90
6. *अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं*	6. *Other General Economic Services*										
6.01 एन.बी.सी.सी. की ओर से प्रति गारंटी दावों का निपटान	6.01 Settlement of Counter Guarantee Claims on behalf of NBCC	3475	...	...	...	...	135.67	135.67	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*70.51*	*220.58*	*291.09*	*70.51*	*431.99*	*502.50*	*93.82*	*274.56*	*368.38*

ग. आयोजना परिव्यय* C. Plan Outlay*:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. लोक निर्माण कार्य	1. Public Works	32059	12.30	...	12.30	17.14	...	17.14	16.40	...	16.40
जोड़		*Total*	*12.30*	...	*12.30*	*17.14*	...	*17.14*	*16.40*	...	*16.40*
*इस मांग में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्माण कार्य पर होने वाले परिव्यय के अतिरिक्त परिव्यय शामिल है।	**Excluding Works Outlay for other Ministries/Deptts. included in this Demand*		*58.21*		*58.21*	*53.37*		*53.37*	*77.42*		*77.42*
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery & Printing		...		...	...		...	...		...
जोड़		**Total**	**58.21**	...	**58.21**	**53.37**	...	**53.37**	**77.42**	...	**77.42**

1. केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के समस्त सरकारी रिहाइशी भवनों और गैर-रिहाइशी भवनों का डिजाइन तैयार करने, उनका निर्माण और रख-रखाव करने के लिए प्रमुख अभिकरण है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों के निर्माण और मरम्मत का उत्तरदायित्व भी लेता है। इसके अतिरिक्त यह संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभागों पर तकनीकी नियंत्रण रखता है और नागर विमानन निर्माण कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएं तथा तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

2. इसके अन्तर्गत पूरे देश में विद्यमान गैर-रिहायशी भवनों, कार्यालय भवनों का निर्माण और विभिन्न सरकारी विभागों से संबद्ध अन्य बड़े और छोटे निर्माण कार्य के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए व्यवस्था की गई है।

3 और 4. इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यात्मक कार्यालय भवनों और अन्य गैर-रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए व्यवस्था की गई है।

5. इसमें भूमि तथा विकास कार्यालय के स्थापना पर व्यय की व्यवस्था और राजघाट समाधि समिति को अनुदान सहायता के लिए भी व्यवस्था शामिल की गई है। भूमि तथा विकास कार्यालय दिल्ली में नजूल भूमि पट्टों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

6. इसमें निगम द्वारा इराक में निष्पादित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. की ओर से सरकार द्वारा बैंकों को जारी की गई प्रति गारंटियों से उत्पन्न दावों को निपटाने के लिए व्यवस्था शामिल है।

1. Central Public Works Department is a primary agency for designing, construction and maintenance of all Central Government residential and non-residential buildings. It also undertakes construction works for Public Sector undertakings, construction and maintenance of National Highways, roads etc. In additon, it exercises technical control over the Public Works Departments of Union Terrtories and provides consultancy services and technical advice for civil aviation works.

2. Provision is for maintenance and repairs of existing non-residential buildings, construction of office buildings and other major and minor works pertaining to various Government Departments.

3 & 4. The provisions are for construction of functional office buildings and other non-residential buildings by the Central Public Works Department on behalf of various Ministries/Departments.

5. This covers establishment expenditure of the Land and Development Office and grants-in-aid to Rajghat Samadhi Committee. L&DO is responsible for administration of Nazul Land leases in Delhi.

6. The provision is for settlement of claims arising out of counter-guarantees issued by the Government of India to banks on behalf of National Buildings Construction Corporation Ltd. for projects in Iraq executed by the Corporation.

शहरी विकास मंत्रालय *MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT*

मांग संख्या DEMAND No. 82

लेखन सामग्री तथा मुद्रण Stationery & Printing

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	68.37	68.37	...	71.27	71.27	...	75.00	75.00
पूंजी	*Capital*		*3.00*	*3.00*	*6.00*	*3.00*	*3.00*	*6.00*	*2.50*	*3.00*	*5.50*
जोड़	**Total**		**3.00**	**71.37**	**74.37**	**3.00**	**74.27**	**77.27**	**2.50**	**78.00**	**80.50**
1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियंत्रक	1. Controller of Printing and Stationery	2058	...	6.40	6.40	...	6.70	6.70	...	7.94	7.94
2. मुद्रणालय	2. Printing Presses	2058	...	5.02	5.02	...	5.12	5.12	...	8.20	8.20
		4058	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	2.50	3.00	5.50
3. प्रकाशन नियंत्रक	3. Controller of Publications	2058	...	4.37	4.37	...	4.63	4.63	...	4.85	4.85
4. अन्य संगठन	4. Other Organisations	2058	...	52.49	52.49	...	54.70	54.70	...	53.85	53.85
		2202	...	0.09	0.09	...	0.12	0.12	...	0.16	0.16
जोड़		*Total*	...	*52.58*	*52.58*	...	*54.82*	*54.82*	...	*54.01*	*54.01*
कुल जोड़	***Grand Total***		***3.00***	***71.37***	***74.37***	***3.00***	***74.27***	***77.27***	***2.50***	***78.00***	***80.50***

ख. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay:-***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1. Stationery & Printing	32058	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50
*मांग संख्या 81 में निर्माण कार्यों के लिए की गई व्यवस्था सहित	*inclusive of Works Outlay provided in Demand No. 81		...	...	...	...	...	...	...	...	...

1. लेखन सामग्री नियंत्रक देश तथा विदेश में केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री की खरीद और सप्लाई के लिए उत्तरदायी है।

2. सरकारी मुद्रणालयों की संख्या 21 है जो सरकारी मुद्रण के अधिकांश कार्य को सम्भालते हैं।

3. सरकारी प्रकाशनों के भंडारण, वितरण और विक्रय के लिए प्रकाशन नियंत्रक एक केन्द्रीय संगठन है।

4. इसके अन्तर्गत विभाग का मुद्रण स्कंध, फार्म स्टोर, प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से मुद्रण कार्य तथा पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रणालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है।

1. Controller of Stationery is responsible for purchase and supply of stationery stores for all Central Government offices in the country and abroad.

2. There are twenty-one Government printing presses, which attend to bulk of Government printing work.

3. Controller of Publication is a core organisation to stock, distribute and sell Government publications.

4. Provision includes expenditure of the Printing Wing of the department, Form Stores, printing through private parties and Text Book Presses.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

मांग संख्या DEMAND No.83

जल संसाधन मंत्रालय Ministry of Water Resources

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries; are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		225.22	93.28	318.50	196.11	96.72	292.83	247.66	100.02	347.68
पूंजी	*Capital*		*50.25*	*1.88*	*52.13*	*49.71*	*8.77*	*58.48*	*54.34*	*1.98*	*56.32*
जोड़	**Total**		**275.47**	**95.16**	**370.63**	**245.82**	**105.49**	**351.31**	**302.00**	**102.00**	**404.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	3451	0.29	4.12	4.41	0.31	4.42	4.73	0.29	4.31	4.60
वृहद तथा मध्यम सिंचाई	**Major and Medium Irrigation**										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2. Central Water Commission	2701	4.69	26.17	30.86	9.76	26.94	36.70	11.19	28.02	39.21
		4701	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*4.74*	*26.17*	*30.91*	*9.81*	*26.94*	*36.75*	*11.24*	*28.02*	*39.26*
3 केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	3. Central Soil & Materials Research Station	2701	2.00	1.61	3.61	2.25	1.62	3.87	2.26	1.68	3.94
		4701	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.55	...	0.55
जोड़		*Total*	*3.00*	*1.61*	*4.61*	*3.25*	*1.62*	*4.87*	*2.81*	*1.68*	*4.49*
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	4. Central Water and Power Research Station	2701	0.35	3.75	4.10	0.35	4.00	4.35	0.41	4.16	4.57
		4701	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60
जोड़		*Total*	*2.95*	*3.75*	*6.70*	*2.95*	*4.00*	*6.95*	*3.01*	*4.16*	*7.17*
5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	5. National Water Development Agency	2701	5.20	...	5.20	5.20	...	5.20	5.70	...	5.70
6. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी	6. National Institute of Hydrology	2701	1.40	1.40	2.80	2.52	1.40	3.92	2.55	1.41	3.96
7. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	7. Research and Development Programme	2701	4.70	0.14	4.84	3.31	...	3.31	3.90	...	3.90
8. अन्य	8. Others	2701	...	0.32	0.32	...	0.28	0.28	...	0.34	0.34
9. राज्यों को *आयोजना-भिन्न अनुदान*	*9. Non-Plan Grants to States*										
9.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता	9.01 Assistance for Sutlej Yamuna Link Canal Project	3601	...	11.00	11.00	...	10.67	10.67	...	11.00	11.00
9.02 जलपापुर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए सहायता	9.02 Assistance for Jalpapur Flood Control Works	3601	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.05	0.05
9.03 डोन नहर के लिए सहायता	9.03 Assistance for Don canal	3601	...	...	...	...	...	...	...	0.05	0.05
जोड़		*Total*	...	*11.10*	*11.10*	...	*10.77*	*10.77*	...	*11.10*	*11.10*
जोड़ - वृहद और मध्यम सिंचाई	**Total - Major and Medium Irrigation**		**21.99**	**44.49**	**66.48**	**27.04**	**45.01**	**72.05**	**29.21**	**46.71**	**75.92**
लघु सिंचाई	**Minor Irrigation**										
10. केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड	10. Central Ground Water Board	2702	56.38	22.00	78.38	28.82	23.50	52.32	46.00	24.50	70.50
		4702	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
जोड़		*Total*	*59.38*	*22.00*	*81.38*	*32.32*	*23.50*	*55.82*	*49.50*	*24.50*	*74.00*
11. भू-गत जल योजनाएं	11. Ground Water Schemes	3601	...	...	...	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00
12. भूतल जल योजनाएं	12. Surface Water Schemes	2702	3.00	...	3.00	3.10	...	3.10	2.10	...	2.10
		3601	2.50	...	2.50	2.95	...	2.95	6.00	...	6.00
		3602	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*6.10*	...	*6.10*	*8.50*	...	*8.50*
जोड़ - लघु सिंचाई	**Total - Minor Irrigation**		**65.38**	**22.00**	**87.38**	**38.44**	**23.50**	**61.94**	**59.00**	**24.50**	**83.50**
13. कमान क्षेत्र विकास	13. Command Area Development	2705	3.95	...	3.95	2.70	...	2.70	2.55	...	2.55
		3601	116.55	...	116.55	117.80	...	117.80	134.95	...	134.95
		7601	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*124.50*	...	*124.50*	*124.50*	...	*124.50*	*139.50*	...	*139.50*
बाढ़ नियंत्रण	Flood Control										
14. केन्द्रीय जल आयोग	14. Central Water Commission	2711	3.25	12.25	15.50	3.48	12.68	16.16	11.83	13.00	24.83
		4711	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	5.14	...	5.14
जोड़		*Total*	*3.35*	*12.25*	*15.60*	*4.48*	*12.68*	*17.16*	*16.97*	*13.00*	*29.97*
15. ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य	*15. Flood control works in Brahmaputra Valley*										
15.01 ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	15.01 Grant-in-aid to Brahmaputra Board	2711	5.76	...	5.76	8.76	...	8.76	8.76	...	8.76
15.02 असम सरकार को विशेष ऋण सहायता	15.02 Special Loan Assistance to Govt. of Assam	7601	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
जोड़		*Total*	*30.76*	...	*30.76*	*33.76*	...	*33.76*	*33.76*	...	*33.76*
16. गंगा नदी घाटी राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य	*16. Flood Control Works in Ganga Basin States*										
16.01 बाढ़ रोधक कार्यक्रमों के लिए अनुदान	16.01 Grants for Flood Proofing Programmes	3601	3.50	...	3.50	1.30	...	1.30	1.00	...	1.00
16.02 महत्वपूर्ण कटाव निरोधी निर्माण कार्य	16.02 Critical anti-erosion works	3601	...	...	...	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*3.50*	...	*3.50*	*1.40*	...	*1.40*	*1.25*	...	*1.25*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
17. गंडक नदी पर बगहा-छितौनी रेल एवं सड़क पुल का लागत हिस्सा	17. Sharing cost of Bagah-Chitauni Rail-cum-Road bridge across river Gandak	2711	2.70	...	2.70	...	...	...	0.02	...	0.02
18. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	18. Emergent flood protection works in Eastern & Western Sectors	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
19. *बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं*	*19. Other Schemes of Flood Control*										
19.01 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	19.01 Ganga Flood Control Commission	2711	1.00	...	1.00	0.93	...	0.93	1.00	...	1.00
19.02 कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का अनुरक्षण	19.02 Maintenance of Flood Protection Works of Kosi and Gandak Projects	2711	3.50	...	3.50	...	...	...	0.50	...	0.50
19.03 तिपाईमुख परियोजना/पगलाडिया परियोजना	19.03 Tipaimukh Project/Pagladia Project	2711	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
19.04 अन्य	19.04 Others	2711	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*5.50*	...	*5.50*	*1.83*	...	*1.83*	*2.50*	...	*2.50*
20. पड़ोसी देशों से सहयोग	*20. Cooperation with Neighbouring Countries*										
20.01 नेपाल और बंगलादेश के साथ साझी नदियों पर अवलोकन	20.01 Observations on rivers common with Nepal & Bangladesh	2711	1.00	...	1.00	...	...	...	0.05	...	0.05
20.02 कोसी उच्च बांध परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण	20.02 Survey & Investigation of Kosi High Dam Projects	2711	1.00	...	1.00	...	...	...	0.25	...	0.25
20.03 केन्द्रीय हिमालयी परियोजनाओं का विकास	20.03 Development of Central Himalayan Projects	2711	...	...	...	...	...	...	2.20	...	2.20
20.04 नेपाल और भूटान की साझी नदियों पर बाढ़ नियंत्रण स्कीमों/परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच	20.04 Survey & Investigation of Flood Control Schemes/ Projects on Rivers common with Nepal & Bhutan	2711	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*1.50*	...	*1.50*	*4.00*	...	*4.00*
जोड़ - बाढ़ नियंत्रण	**Total - Flood Control**		**48.81**	**15.25**	**64.06**	**42.97**	**15.68**	**58.65**	**58.50**	**16.00**	**74.50**
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
21. फरक्का बराज परियोजना	21. Farakka Barrage Project	3075	...	10.42	10.42	...	11.11	11.11	...	11.50	11.50
		5075	14.00	-1.12	12.88	12.56	-1.12	11.44	14.00	-1.02	12.98
जोड़		*Total*	*14.00*	*9.30*	*23.30*	*12.56*	*9.99*	*22.55*	*14.00*	*10.48*	*24.48*
22. *राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरा किया गया व्यय*	*22. Non-Plan Loans to Public Enterprises*										
22.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	22.01 Rashtriya Pariyojna Nirman Nigam Ltd	6701	...	...	...	...	6.89	6.89	...	...	...
23. सरकारी उद्यमों/वित्तीय संस्थाओं में निवेश	23. Investments in Public Enterprises/ Financial Institutions	6701	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
		6705	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*0.50*	...	*0.50*	...	...	...	*1.50*	...	*1.50*
24. सहायता सामग्री और उपस्कर	24. Aid Material and Equipment	3606	...	0.90	0.90	...	0.32	0.32	...	1.65	1.65
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में अंतरण	Deduct-Transfers to Functional Major Head	3606	...	-0.90	-0.90	...	-0.32	-0.32	...	-1.65	-1.65
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***275.47***	***95.16***	***370.63***	***245.82***	***105.49***	***351.31***	***302.00***	***102.00***	***404.00***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B.Investment in Public Enterprises**	Head of Dev.	Budget Support	IEBR	Total	Budget Support	IEBR	Total	Budget Support	IEBR	Total
23.01 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	23.01 Rashtriya Pariyojana Nirman Nigam ltd	12701	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
23.02 नाबार्ड (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष उधार खाते में अंशदान)	23.02 NABARD(Contribution to Special Loan Account for Command Area Development Programme)	12705	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़	**Total**		**0.50**	**...**	**0.50**	**...**	**...**	**...**	**1.50**	**...**	**1.50**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Central Sector Plan**										
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	13451	0.29	...	0.29	0.31	...	0.31	0.29	...	0.29
2. बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	2. Major and Medium Irrigation	12701	21.99	...	21.99	27.04	...	27.04	30.21	...	30.21
3. लघु सिंचाई	3. Minor Irrigation	12702	65.38	...	65.38	38.44	...	38.44	59.00	...	59.00
4. कमान क्षेत्र विकास	4. Command Area Development	12705	125.00	...	125.00	124.50	...	124.50	140.00	...	140.00
5. बाढ़ नियंत्रण	5. Flood Control	12711	48.81	...	48.81	42.97	...	42.97	58.50	...	58.50
6. अन्य परिवहन सेवाएं	6. Other Transport Services	13075	14.00	...	14.00	12.56	...	12.56	14.00	...	14.00
जोड़		*Total*	*275.47*	...	*275.47*	*245.82*	...	*245.82*	*302.00*	...	*302.00*
जोड़	**TOTAL**		**275.47**	**...**	**275.47**	**245.82**	**...**	**245.82**	**302.00**	**...**	**302.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं :** इसमें जल संसाधन मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय की व्यवस्था है। इस आयोजना परिव्यय की आवश्यकता विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए है ।

बड़ी और मध्यम सिंचाई:

2. **केन्द्रीय जल आयोग :** राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में सिंचाई, नौचालन और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, अनुरक्षण तथा उपयोग हेतु स्कीमें शुरू करने, समन्वित करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में सलाह देने का उत्तरदायित्व आयोग को सौंपा गया है । देश में जल संसाधनों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन होने के कारण यह बहुउद्देश्यीय नदी घाटी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र :** केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.एम.आर.एस.) देश में अग्रणी संगठन है, जो क्षेत्र अन्वेषण, प्रयोगशाला-परीक्षण, भू-गर्भ यांत्रिकी के विषय में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान,ठोस प्रौद्योगिकी और नदी घाटी परियोजना से संबद्ध निर्माण सामग्री के क्षेत्र में काम करता है।

4. **केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला:** 1917 में स्थापित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, नदी इंजीनियरी, पोत पन-गतिकी, द्रवचालित मशीनरी, स्तरित प्रवाहों, नीवों तथा संरचनाओं, भू-तकनीकों, भूकम्प इंजीनियरी, गणितीय प्रतिरूपण और यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए उत्तरदायी है । यह विश्व में अपने तरह का विशालतम संस्थान है और देश का प्रमुख इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान है ।

5. **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण :** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिशेष जल के अन्तर-बेसिन अन्तरणों की उपयुक्तता के लिए वृहद् समीक्षा और अन्वेषण करने का काम सौंपा गया है।

6. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान :** राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है।

7. **अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम :** जल संसाधन से संबंधित अनुसंधान स्कीमों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

8. **बड़ी और मध्यम सिंचाई की अन्य स्कीमें:** इनमें सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति और बनसागर नियंत्रण बोर्ड के लिए व्यवस्था शामिल है। इसके लिए बजट व्यवस्थाएं प्रारम्भिक तौर पर जल संसाधन मंत्रालय के बजट में दर्शाई जाती है और बाद में भागीदार राज्यों से वसूल की जाती है।

9. **राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान**

9.01 **सतलुज-यमुना संयोजन (लिंक) नहर परियोजना के लिए सहायता :** 1995-96 के बजट अनुमान में इस परियोजना के लिए 11.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

9.02 **जलपापुर बाढ़ नियंत्रण कार्य :** नेपाल की महामहिम सरकार के साथ किए गए संशोधित कोसी करार के अन्तर्गत कोसी बराज के प्रतिप्रवाह में नदी की दायीं ओर नेपाल क्षेत्र में कटाव के रोकथाम के उपाय किए जाने हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा की योजना बिहार सरकार की एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । केन्द्र सरकार इस कार्य के लिए बिहार सरकार को सहायता-अनुदान देती है।

लघु सिंचाई

10. **केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड :** केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड , देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूगत जल वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूगत जल विकास

1. **Secretariat-Economic Services :** This provides for secretariat expenditure of Ministry of Water Resources. The Plan outlay is meant for implementing World Bank aided "National Water Management Project".

Major and Medium Irrigation:

2. **Central Water Commission :** It is charged with the responsibility of giving advice in consultation with the State Governments concerned, on initiating, coordinating and furthering schemes for the control, conservation and utilisation of water resources for the purpose of irrigation, navigation and flood control throughout the country. Being the premier technical organisation in the country in the field of development and utilisation of water resources, it plays an important role in the field of planning, investigation, design and research in connection with multipurpose river valley and flood control projects.

3. **Central Soil & Materials Research Station :** The Central Soil & Materials Research Station (CSMRS) is the premier Organisation in the country dealing with field exploration, laboratory investigations, basic and applied research in the realm of geomechanics, concrete technology and materials of construction relevant to River Valley Projects.

4. **Central Water and Power Research Station :** The Central Water and Power Research Station, established in 1917, is responsible for conducting applied research in the field of river engineering, ship-dynamics, hydraulic machinery, stratified flows, foundation and structures, geo-techniques, earthquake engineering, mathematical modelling and instrumentation. It is one of the largest Institution of its kind in the world and the premier Engineering Research Institution in the Country.

5. **National Water Development Agency :** National Water Development Agency is entrusted with the task of conducting detailed survey and investigation for feasibility of inter-basin transfers of surplus water to meet the requirements of drought prone areas in the peninsular river systems.

6. **National Institute of Hydrology :** The National Institute of Hydrology deals with the fundamental and applied research in the field of Hydrology.

7. **Research & Development Programme :** Grants-in-aid are given to various autonomous bodies and State Research Institutions for carrying out Research Schemes relating to Water resources.

8. **Other Schemes of Major and Medium Irrigation :** These include provision for Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Bansagar Control Board. The budget is initially reflected in the Budget of Ministry of Water Resources and is subsequently recovered from the participating States.

9. **Non-Plan Grants to States**

9.01. **Assistance for Sutlej-Yamuna Link Canal Project :** A provision of Rs.11.00 crores has been made for this project in BE 1995-96.

9.02. **Jalpapur Flood Control Works :** Under the revised Kosi agreement entered into with HMG Nepal, preventive measures are to be undertaken against erosion of areas in Nepal on the right side of the river upstream of Kosi Barrage. The scheme for protecting the areas is being implemented through the agency of Bihar Government. The Central Government provides grants-in-aid to Bihar Government for this work.

Minor Irrigation

10. **Central Ground Water Board :** Central Ground Water Board is responsible for undertaking Hydrogeological surveys and

योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है ।

12 भूतल जल स्कीम

भारत-फ्रांसीसी सहयोग कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पर आधारित लघु सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए एक प्रायोगिक परियोजना, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 3 वर्ष है, शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजना आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। बजट अनुमान 1995-96 में2.00 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल किया गया है। इससे अतिरिक्त 0.10 करोड़ रुपए का परिव्यय "मूल्यांकन अध्ययन" और 6.40 करोड़ रुपए "लघु सिंचाई सांख्यिकी को युक्तियुक्त बनाने" के लिए है।

13. **कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम::** सरकार द्वारा सन् 1974—75 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किए गए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करना तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा वस्तुतः उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को भी कम करना है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन स्रोतों यथा, केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार के अपने संसाधनों और संस्थागत उधारों से किया जाता है । निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए समतुल्य अनुदान दिया जाता है — स्थापना, आयोजना, सर्वेक्षण, बाराबंदी, फसल क्षतिपूर्ति, फील्ड चैनलों और नालियों का निर्माण तथा प्रशिक्षण आदि। फील्ड चैनलों के निर्माण तथा उपस्कर और मशीनरी के लिए ऋण सहायता भी दी जाती हैं । जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में 250 हक्टेयर के कमान क्षेत्र के प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा रखे जा रहे 'विशेष ऋण खातों' में केन्द्रीय सरकार का अंशदान भी शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम के लिए 1995-96 में 140 करोड़ रुपए का आयोजनागत परिव्यय रखा गया है ।

बाढ़ नियंत्रण

14. **केन्द्रीय जल आयोग:** इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के व्यय की व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी योजना के दौरान गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के बाढ़ प्रवण बेसिनों और उड़ीसा के तटीय नदियों में शुरू किया गया था । सम्भावित सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा साबरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबन्ध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है।

आयोग को भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू व कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15.01 **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** बहुप्रयोजनी लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा तट कटाव को रोकने और जल निकासी का सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी । बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जाता है ।

15.02 **असम सरकार को विशेष ऋण सहायता :** ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने के लिए असम सरकार को शत-प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है । 1995-96 के बजट अनुमान में इस प्रयोजन हेतु 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है।

16. **बाढ़ रोधक कार्यक्रम :** इस मद के अन्तर्गत, बिहार राज्य सरकार को उनके राज्य में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए

exploratory drilling for delineating the Ground Water worthy areas in the country and assisting the States in the preparation of Ground Water Development Schemes.

12. **Surface Water Scheme**

A Pilot project for Solar Energy based Minor Irrigation and Water Supply in Rural Areas is proposed to be taken up with an implementation period of 3 years under the Indo-French Cooperation Progamme. The proposed pilot project will be implemented in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa. An outlay of Rs. 2.00 crores has been made in BE 1995-96. Besides, an outlay of Rs.0.10 crores is for "Evaluation Studies" and Rs.6.40 crores for "Rationalisation of Minor Irrigation Statistics".

13. **Command Area Development Programme :** The Command Area Development Programme launched by the Government in 1974-75 as a Centrally Sponsored Scheme is designed to bring about optimum utilisation of the available water, as also to bridge the gap between the irrigation potential created and ultimately utilised. The financing of the CAD Programme is from three sources, viz., Central Assistance, State Government's own resources and institutional credit. Grants are given on matching basis for the following activities viz., establishment, planning, surveys, warabandi, crop compensation, construction of field channels and drains and Training etc. Loan assistance is also given for construction of field channels, equipment and machinery, etc. Assistance is available for minor irrigation projects taken up on pilot basis covering 250 ha. of command area in the hilly regions of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and States of the North Eastern region including Sikkim. Central Government's contribution to 'Special Loan Account', being maintained by NABARD is also included under this programme. The plan outlay for 1995-96 for this programme is Rs. 140 crores.

Flood Control

14. **Central Water Commission :** This includes provision for establishment, maintenance and modernisation of Flood Forecasting and Warning Centres at Key sites on important inter State river basins under the Central Water Commission. The Flood Forecasting work which was taken up during the 4th Plan period in the Flood prone basins of Ganga, Brahmaputra, Narmada, Tapti, Teesta and the coastal rivers of Orissa has been extended to cover the Godavari, Damodar, Krishna, Mahi and the Sabarmati rivers due to its proven usefulness. The Flood Forecasts issued by the Central Water Commission through their net work of Hydrometeorological stations and wireless stations are of great help to the local authorities in flood management and in minimising the flood damages.

The Commission is also entrusted with the responsibility of undertaking and executing specific schemes on behalf of Indo-Bangladesh Joint River Commission.

15.01 **Brahmaputra Board :** The Brahmaputra Board was constituted by Government of India with the specific objective of preparing of Master Plan for the control of floods and bank erosion and improvement to the drainage of the Brahmaputra and the Barak Valleys besides carrying out surveys and investigations for facilitating the preparation of the Master Plan keeping in view the water resources development of the Brahmaputra Basin for multipurpose benefits. The entire expenditure of the Board is met by Central Government in the form of Grants-in-aid.

15.02 **Special Loan Assistance to Government of Assam:** 100% loan assistance is being provided to the Government of Assam for execution of flood control measures in Brahmaputra Valley. A provision of Rs.25.00 crores has been kept in 1995-96 for this purpose.

16. **Flood Proofing Programmes :** Under this item, central assistance in the form of 'Grant' is proposed to be released to State

'अनुदान' के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । 1995-96 के बजट अनुमान में 1.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

17. **गन्डक नदी पर बगहा-छितौनी रेलवे तथा सड़क पुल के निर्माण का लागत हिस्सा:** रेलवे मंत्रालय द्वारा गंडक नदी पर निर्माण किए जाने वाले पुल की लागत में अंशदान के लिए 0.02 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

18 **पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण कार्य :** आयोजना-भिन्न व्यवस्था, देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में बाढ़ से बचाव करने के तात्कालिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता के संबंध में है ।

19. **बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं :** इसमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो कि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा समन्वित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है, के लिए व्यवस्था शामिल है।इसमें भारत-नेपाल स्कीमों, तिपाईमुख और पगलोडिया परियोजनाओं, कोसी और गंडक परियोजना के बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए भी व्यवस्था है ।

20. **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग**

इस व्यवस्था का तात्पर्य भारत तथा नेपाल, भारत और भूटान एवं भारत और बंगलादेश के बीच साझी नदियों पर परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अनुसंधान करना है। इसमें भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच की साझी नदियों पर बाढ़ नियंत्रण योजना की व्यवस्था भी की गयी है।

परिवहन क्षेत्र

21. **फरक्का बराज परियोजना :** फरक्का बराज परियोजना जो अनिवार्यतः परिवहन क्षेत्र की परियोजना है, का क्रियान्वयन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । गंगा नदी पर फरक्का पर मुख्य बराज और जंगीपुर के पास भागीरथी पर एक बराज, रेल एवं सड़क पुल और बराज से निकाली गई तथा भागीरथी में गिरती हुई पृष्ठ नहरों के कार्य 1975 में पूरे कर लिए गए थे । फरक्का में नौवहन लॉक को 1987 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया । फरक्का पर नौवहन लॉक का कार्य पूरा हो जाने पर, हल्दिया से फरक्का तक और पटना से इलाहाबाद तक का अन्तर्देशीय नौवहन मार्ग फिर से चालू कर दिया गया है । आयोजना व्यवस्था मुख्यतः भूमि कटाव-रोधी कार्यों के लिए है।

22 और 23. **सरकारी उद्यमों को ऋण**

22.1 **और 23.01राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि0 (आरपी.एन.एन.एल.)**

यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है और यह उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, पन विद्युत परियोजनाओं, तापीय विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न है । यह वर्ष 1989-90 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आया है । इसके पूर्व यह ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के अंतर्गत था । बजट अनुमान, 1995-96 में पुनरूद्धार पैकेज के अंतिम रूप दिए जाने के अधीन 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

23. **नाबार्ड (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष ऋण खाते में अंशदान):** यह कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर किसानों को भूमि समतल करने और उसे आकार देने, फील्ड चैनलों की नालियों के निर्माण करने और ड्रेन स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के कार्य करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रखे जाने वाले "विशेष ऋण खाते" में केन्द्रीय सरकार का अंशदान दर्शाता है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्य के लिए जबकि छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण प्रदान किए जाते हैं, वहीं कमजोर किसानों को "नाबार्ड" द्वारा रखे जाने वाले विशेष ऋण खाते, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और "नाबार्ड" द्वारा 37.5 : 37.5 : 25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, से ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

24. **सहायता सामग्री और उपकरण :** केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की "गणितीय प्रतिरुपण केन्द्र" स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त उपहार सामग्री और उपकरण के मूल्य का लेखा समायोजन करने की व्यवस्था की गई है ।

Government of Bihar for implementation of flood proofing programme in the State. An outlay of Rs.1.00 crore has been made in B.E. 1995-96.

17. **Sharing cost of Bagha-Chitauni Rail-cum-Road Bridge across River Gandak:** A Plan outlay of Rs.0.02 crores has been kept for sharing the cost of construction of bridge over river Gandak to be constructed by the Ministry of Railways.

18. **Emergent flood protection works in Eastern and Western Sectors :** The Non-Plan provision represents special loan assistance to States for emergent flood protection works in the eastern and western sectors of the country.

19. **Other Schemes of Flood Control :** This includes provision for the Ganga Flood Control Commission which is engaged in Master Plan preparation of Flood Control in Ganga Basin and for Fundamental and Basic Research on Flood Control projects. This also includes provision for Indo-Nepal Schemes. Tipaimukh and Pagladia Project, maintenance of flood protection works of Kosi and Gandak projects.

20. **Cooperation with Neighbouring Countries**

The provision is meant for survey and investigation of projects on rivers common with India and Nepal, India and Bhutan and India and Bangladesh. It also provides for flood control schemes on rivers common with India and Nepal and India and Bhutan.

Transport Sector

21. **Farakka Barrage Project :** The Farakka Barrage Project which is essentially a transport sector project is being implemented by this Ministry. The main barrage at Farakka across river Ganga and barrage on Bhagirathi near Jangipur, a road-cum-rail bridge and feeder canal taking off from the barrage and falling into Bhagirathi were completed in 1975. The navigation lock at Farakka has been dedicated to the Nation in 1987. With the completion of the lock at Farakka, inland navigation route from Haldia to Farakka and from Patna to Allahabad has been restored. The Plan provision is mainly for undertaking anti-erosion works.

22 and 23. **Loans to Public Enterprises**

22.1 and 23.01 **Rashtriya Pariyojna Nirman Nigam Ltd.(RPNNL)**

This is a joint venture of the Central and State Governments and is engaged in the construction of multi-purpose river valley projects, hydro-electric projects, thermal power projects and irrigation projects. It has come under the administrative control of Ministry of Water Resources during 1989-90. Earlier it was under the Ministry of Energy (Department of Power). A provision of Rs.1.00 crore has been made in BE 1995-96, subject to finalisation of the Revival Package.

23. **NABARD (Contribution to Special Loan Account for Command Area Development Programme) :** This represents contribution of Central Government to the 'Special Loan Account' being maintained by NABARD for financing the ineligible farmers for land levelling and shaping, construction of field channels and drains, sprinklers and drip irrigation under the Command Area Development Programme. While the small and marginal farmers are given loan for the above work under the Command Area Development Programme, the ineligible farmers are given loan out of the Special Loan Account being maintained by the NABARD with the contribution being made to it by the Central and State Governments and NABARD in the ratio of 37.5 : 37.5 : 25.

24. **Aid Material and Equipment**— The provision is for making accounting adjustment for the value of gift material and equipment received under the UNDP Scheme "Mathematical Modelling Centre" being implemented by CWPRS, Pune.

कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF WELFARE

मांग संख्या DEMAND No. 84

कल्याण मंत्रालय Ministry of Welfare

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		969.59	30.84	1000.43	972.60	35.74	1008.34	1109.74	35.00	1144.74
पूंजी	*Capital*		*85.41*	*0.41*	*85.82*	*181.17*	*0.41*	*181.58*	*185.26*	*0.41*	*185.67*
जोड़	**Total**		**1055.00**	**31.25**	**1086.25**	**1153.77**	**36.15**	**1189.92**	**1295.00**	**35.41**	**1330.41**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	0.10	5.07	5.17	0.10	5.50	5.60	0.70	5.76	6.46
2. विवेकाधीन अनुदान	2. Discretionary Grant	2013	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	**Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes**										
अनुसूचित जातियों का कल्याण	***Welfare of Scheduled Castes***										
3. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संघटक आयोजना	3. Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan	2225	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20
		3601	268.45	...	268.45	268.45	...	268.45	271.80	...	271.80
		3602	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*273.85*	...	*273.85*	*273.85*	...	*273.85*	*275.00*	...	*275.00*
4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	4. Post Matric Scholarship Scheme	2225	0.22	...	0.22	0.15	...	0.15	0.21	...	0.21
		3601	74.00	...	74.00	74.23	...	74.23	100.28	...	100.28
		3602	0.36	...	0.36	0.20	...	0.20	0.27	...	0.27
जोड़		*Total*	*74.58*	...	*74.58*	*74.58*	...	*74.58*	*100.76*	...	*100.76*
5. सफाई वालों की मुक्ति और पुर्नवास	5. Liberation and Rehabilitation of Scavengers	2225	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	0.20	...	0.20
		3601	69.80	...	69.80	69.80	...	69.80	88.00	...	88.00
		3602	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.80	...	1.80
जोड़		*Total*	*73.00*	...	*73.00*	*73.00*	...	*73.00*	*90.00*	...	*90.00*
6. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन तथा अत्याचार निवारण अधिनियम,1989	6. Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of of Atrocities Act 1989	2225	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.20	...	0.20
		3601	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	11.60	...	11.60
		3602	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*	*12.00*	...	*12.00*
7. अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	7. Assistance to Scheduled Castes Development Corporations	2225	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
		3601	20.75	...	20.75	...	...	...	...	...	...
		3602	0.75	...	0.75	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*22.00*	...	*22.00*	...	...	...	...	...	...
8. कन्या छात्रावास	8. Girls Hostels	3601	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	6.00	...	6.00
		3602	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*6.20*	...	*6.20*	*6.20*	...	*6.20*	*7.00*	...	*7.00*
9. पुस्तक बैंक	9. Books Banks	2225	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.07	...	0.07
		3601	2.90	...	2.90	2.90	...	2.90	2.93	...	2.93
		3602	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.60	...	0.60
जोड़		*Total*	*3.50*	...	*3.50*	*3.50*	...	*3.50*	*3.60*	...	*3.60*
10. लड़कों के लिए छात्रावास	10. Boys Hostels	2225	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.15	...	0.15
		3601	5.68	...	5.68	9.48	...	9.48	9.68	...	9.68
		3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.17	...	0.17
जोड़		*Total*	*6.20*	...	*6.20*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*
11. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	11. Pre-Matric Scholarship Scheme	2225	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.01	...	0.01
		3601	9.10	...	9.10	9.10	...	9.10	6.49	...	6.49
		3602	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*	*7.50*	...	*7.50*
12. बहुत निम्न साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम	12. Special Education Programme for girls belonging to SC of very low literacy level	2225	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01	0.60	...	0.60
		3601	5.40	...	5.40	...	...	...	...	...	...
		3602	0.40	...	0.40	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*0.01*	...	*0.01*	*0.60*	...	*0.60*
13. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	13. Assistance to voluntary organisations for welfare of Scheduled Castes	2225	8.00	...	8.00	11.69	...	11.69	20.33	...	20.33
14. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	14. Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes	2225	0.47	0.73	1.20	0.39	0.73	1.12	4.66	...	4.66
		3601	1.90	...	1.90	1.60	...	1.60	2.14	...	2.14
		3602	0.31	...	0.31	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*2.68*	*0.73*	*3.41*	*2.04*	*0.73*	*2.77*	*6.90*	...	*6.90*
जोड़ - अनुसूचित जातियों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Castes**		**492.01**	**0.73**	**492.74**	**470.87**	**0.73**	**471.60**	**533.69**	**...**	**533.69**
15. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए समान कार्यक्रम	15. Common Programmes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward classes	2225	9.71	3.55	13.26	33.85	4.68	38.53	21.76	6.38	28.14
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	**Welfare of Scheduled Tribes**										
16. कन्या छात्रावास	16. Girls Hostels	2225	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
		3601	2.65	...	2.65	2.65	...	2.65	3.10	...	3.10
जोड़		*Total*	*3.05*	...	*3.05*	*3.05*	...	*3.05*	*3.50*	...	*3.50*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट आयोजना Plan	1994-95 Budget आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित आयोजना Plan	1994-95 Revised आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट आयोजना Plan	1995-96 Budget आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
17. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	17. Post Matric Scholarship Scheme	2225	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
		3601	21.75	...	21.75	21.75	...	21.75	44.19	...	44.19
जोड़		Total	21.77	...	21.77	21.77	...	21.77	44.24	...	44.24
18. जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल की स्थापना	18. Establishment of Ashram Schools in Tribal Sub-Plan Area	2225	0.04	...	0.04	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
		3601	2.40	...	2.40	2.40	...	2.40	2.80	...	2.80
		3602	0.06	...	0.06	...	...	...	...	...	...
जोड़		Total	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
19. भारतीय जन-जातीय सहकारी विपणन विकास संघ में निवेश	19. Investment in Tribal Cooperative Marketing Devp. Federation of India	4225	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	10.75	...	10.75
20. लड़कों के लिए छात्रावास	20. Boys Hostels	2225	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
		3601	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	3.20	...	3.20
		3602	0.15	...	0.15	...	...	...	...	...	...
जोड़		Total	3.05	...	3.05	3.05	...	3.05	3.50	...	3.50
21. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	21. Other Programmes for Welfare of Scheduled Tribes	2225	7.36	0.85	8.21	7.45	4.99	12.44	8.40	...	8.40
		3601	7.05	0.14	7.19	7.05	0.14	7.19	8.35	0.14	8.49
		3602	0.09	...	0.09	...	...	...	...	...	...
जोड़		Total	14.50	0.99	15.49	14.50	5.13	19.63	16.75	0.14	16.89
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**Central Assistance for State Plans**										
22. जनजातीय उप-आयोजना	*22. Tribal sub-plans*	*2225*	*1.21*	...	*1.21*	*1.21*	...	*1.21*	*1.45*	...	*1.45*
		3601	273.79	...	273.79	273.79	...	273.79	328.55	...	328.55
जोड़		Total	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	330.00	...	330.00
23. संविधान के अनुच्छेद 275 के परन्तुक (i) के अधीन योजनाओं के लिए सहायता	23. Assistance for schemes under proviso(i) to Article 275 of the Constitution	3601	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	***Total- Central Assistance for State Plans***		***350.00***	...	***350.00***	***350.00***	...	***350.00***	***405.00***	...	***405.00***
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण	***Total-Welfare of Scheduled Tribes***		***403.87***	***0.99***	***404.86***	***403.87***	***5.13***	***409.00***	***486.74***	***0.14***	***486.88***
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes**		**905.59**	**5.27**	**910.86**	**908.59**	**10.54**	**919.13**	**1042.19**	**6.52**	**1048.71**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security And Welfare***										
विकलांगों का कल्याण	**Welfare of Handicapped**										
24. नेत्रहीन, बहरे, मानसिक रूप से विकलांग और अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान	24. National Institutes for Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically handicapped	2235	6.80	8.73	15.53	9.02	9.00	18.02	10.85	9.20	20.05
25. विकलांगों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	25. Assistance to voluntary organisations for the welfare of handicapped	2235	7.00	1.70	8.70	15.67	1.70	17.37	15.00	1.70	16.70
26. विकलांगों के लिए सहायता और उपयन्त्र	26. Aids and appliances for the Handicapped	2235	10.00	...	10.00	14.00	...	14.00	13.00	...	13.00
27. विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम	27. National Rehabilitation Programme for the Handicapped	2235	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01	1.50	...	1.50
		3601	11.25	...	11.25	...	...	...	...	...	...
		3602	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		Total	12.75	...	12.75	0.01	...	0.01	1.50	...	1.50
28. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	28. Other programmes for the welfare of handicapped	2235	4.37	0.86	5.23	2.52	2.32	4.84	3.86	2.55	6.41
		3601	0.44	...	0.44	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18
		3602	0.04	...	0.04	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		Total	4.85	0.86	5.71	2.71	2.32	5.03	4.05	2.55	6.60
जोड़ - विकलांगों का कल्याण	**Total- Welfare of Handicapped**		**41.40**	**11.29**	**52.69**	**41.41**	**13.02**	**54.43**	**44.40**	**13.45**	**57.85**
शिशु कल्याण	**Child Welfare**										
29. द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	29. Distribution expenses on commodity assistance under Bilateral Agreements	2235	...	5.49	5.49	...	2.94	2.94	...	5.49	5.49
30. अन्य योजनाएं	30. Other schemes	2235	5.75	0.20	5.95	3.75	0.20	3.95	6.20	0.20	6.40
जोड़-शिशु कल्याण	**Total- Child Welfare**		**5.75**	**5.69**	**11.44**	**3.75**	**3.14**	**6.89**	**6.20**	**5.69**	**11.89**
समाज कल्याण	**Social Welfare**										
31. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक के शिक्षा कार्य	31. Education work for Prohibition and Drug Abuse preventon	2235	14.00	0.16	14.16	14.00	0.16	14.16	15.00	0.16	15.16
32. किशोरों के सामाजिक कुसमायोजन का निवारण और निवेषण	32. Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustment	2235	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.01	...	0.01
		3601	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	1.84	...	1.84
		3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
जोड़		Total	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
33. समाज कल्याण की विविध मदें	33. Miscellaneous items of Social Welfare	2235	7.79	1.98	9.77	10.20	1.90	12.10	9.46	1.86	11.32
		3601	0.88	...	0.88	0.45	...	0.45	0.44	...	0.44
		3602	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		Total	8.75	1.98	10.73	10.75	1.90	12.65	10.00	1.86	11.86
जोड़-समाज कल्याण	**Total- Social Welfare**		**25.75**	**2.14**	**27.89**	**27.75**	**2.06**	**29.81**	**27.00**	**2.02**	**29.02**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**Total-Social Security and Welfare**		**72.90**	**19.12**	**92.02**	**72.91**	**18.22**	**91.13**	**77.60**	**21.16**	**98.76**
34. अन्य सामाजिक सेवाएं	34. Other Social Services	2250	...	1.36	1.36	...	1.46	1.46	...	1.54	1.54

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
35. सरकारी उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	35. Non -Plan Loans to Public Enterprises - Artificial Limbs Manufacturing Corporation	6875	...	0.41	0.41	...	0.41	0.41	...	0.41	0.41
36. सरकारी उद्यमों में निवेश	36. Investment in Public Enterprises	4225	75.91	...	75.91	171.67	...	171.67	173.01	...	173.01
		4235	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
		4875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		Total	76.41	...	76.41	172.17	...	172.17	174.51	...	174.51
कुल जोड़	*Grand Total*		*1055.00*	*31.25*	*1086.25*	*1153.77*	*36.15*	*1189.92*	*1295.00*	*35.41*	*1330.41*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
36.01 कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	36.01 Artificial Limbs Manufacturing Corporation	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
36.02 राष्ट्रीय अ.जा. और अ.ज.जा. वित्त एवं विकास निगम	36.02 National SC & ST Finance and Development Corporation	22225	40.00	...	40.00	63.77	...	63.77	65.00	50.00	115.00
36.03 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	36.03 National Backward Classes Finance & Development Corporation	22225	35.90	...	35.90	35.90	...	35.90	39.00	...	39.00
36.04 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	36.04 National Minorities Development and Finance Corporation	22225	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00	39.00	...	39.00
36.05 अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए शेयर पूंजी	36.05 Share Capital to Scheduled Caste Development Corporation	22225	...	...	...	22.00	...	22.00	30.00	...	30.00
36.06 राज्य पिछड़ा वर्ग निगम	36.06 State Backward Classes Corporation	22225	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
36.07 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	36.07 National Handicapped Finance and Development Corporation	22235	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़	**Total**		**76.41**	...	**76.41**	**172.17**	...	**172.17**	**174.51**	**50.00**	**224.51**
ग. आयोजना परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**C.. Plan Outlay Central Sector Plan**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	22251	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.70	...	0.70
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	22225	631.50	...	631.50	730.26	...	730.26	810.20	50.00	860.20
3.सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3. Social Security and Welfare	22235	72.90	...	72.90	72.91	...	72.91	78.60	...	78.60
4. अन्य उद्योग	4. Other Industries	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Total-Central Sector Plan**		**705.00**	...	**705.00**	**803.77**	...	**803.77**	**890.00**	**50.00**	**940.00**
राज्य आयोजना	**State Plan**										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1. Normal Central Assistance	43601	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
2. जनजातीय उप-आयोजना	2. Tribal Sub-Plans	43601	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	330.00	...	330.00
जोड़-राज्य आयोजना	***Total - State Plan***		***350.00***	...	***350.00***	***350.00***	...	***350.00***	***405.00***	...	***405.00***
जोड़	**Total**		1055.00	...	1055.00	1153.77	...	1153.77	1295.00	50.00	1345.00

1. इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह अनुदान कल्याण मंत्री द्वारा योग्य संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं तथा जरूरत मंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है ।

3. इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं से जोड़ा गया है । इस योजना का आशय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष-रुप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि कृषि, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, पशु पालन इत्यादि में सुसंगत कार्यक्रमों पर अपेक्षित जोर देना है। यह योजना 20 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई है। इसे पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

4 और 17. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य निर्धन अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को अर्थव्यवस्था के द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से लोक सेवाओं में प्रविष्टि के लिए सक्षम बनाना है। यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर वित्त पोषित की जाती है, इसके अतिरिक्त वचनबद्ध व्यय की पूर्ति राज्यों द्वारा की जाएगी।

5. इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक सफाई करने वालों को और उनके/उसके आश्रितों को वैकल्पिक रुप मे गरिमापूर्ण और व्यवहार्य व्यवसाय प्रदान कराना है। योजना के अंतर्गत स्व-रोजगार के लिए विकासशील/उन्नत कुशल कारीगरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry.

2. The grant is sanctioned by the Welfare Minister to deserving organisations and institutions working in the field of social welfare and also to needy individuals.

3. It is additive to the special component plans for the scheduled castes prepared by the States/U.Ts. The intention is to provide the required thrust to programmes relevant for the development of the S.Cs. particularly in core sectors like agriculture, village and cottage industry, animal husbandry etc. The scheme has been adopted by 20 States and 4 Union Territories. It is entirely financed by the Central Government.

4 & 17. The objective of the post matric scholarship scheme is to enable poor SC/ST students to enter secondary and tertiary sectors of the economy, especially in the public services. The scheme is financed by the Central Government on 100% basis over and above the committed expenditure to be met by the states.

5. The objective of the scheme is to provide alternate dignified and viable occupation to each scavenger and his/her dependents. Under the scheme, training is provided for developing/upgrading skills for self-employment for which several states have been identified.

जिस के लिए अनेक राज्यों का पता लगाया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विद्यमान प्रशिक्षण स्कीमों का पूरा लाभ उठाया जाता है। इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर सफाई करने वालों को विभिन्न व्यापारों और व्यवसायों में पुनर्वासित किया जाता है।

6. सिविल अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार) अधिनियम 1989 को लागू करने के तन्त्र को सुदढ बनाने के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सहायता दी जाती है ।अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के अन्तर्गत अत्याचार-पीड़ितों को विशेष और आर्थिक पुनर्वास सांविधिक सहायता इत्यादि के लिए भी उपाय किए गए हैं ।

7. इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ इन निगमों की शेयर-पूंजी के सम्बन्ध में 49:51 के आधार पर अंशदान करती है। इन संगठनों की स्थापना गारण्टीकर्ताओं और प्रमोटरों के रूप में कार्य करने के लिए की गई है और जहां कहीं आवश्यक हो, संस्थागत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए वसूली हेतू आवद्ध निविष्टियों की भी व्यवस्था करते हैं। ऐसे निगमों की स्थापना 18 राज्य सरकारों और 3 संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा की गई है। अब यह निर्णय भी लिया गया है कि देरी से बचने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम की बजाय केन्द्रीय अंश सीधा एस सी डी सी को भेज दिया जाएगा।

8. इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए जो माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही है, छात्रावास भवनों का निर्माण तथा विस्तार हेतु राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है ।

9. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अभियान्त्रिकी, कृषि, पशु-पालन और पोलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके प्रदान करना है। इस स्कीम का कार्यान्वियन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और 50:50 के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है ।

10. इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास सुविधाएँ प्रदान करना है और राज्यों को अनुदान 50:50 के आधार पर प्रदान किया जाता है।

11. इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य गंदे व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म शोधन, इत्यादि, में लगे बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें छात्रावास में ठहराते हुए अस्वास्थ्यकारी वातावरण से जहां उन के माता-पिता रहते है, दूर रखा जाता है । इस स्कीम क अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

12 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की कन्याओं के शैक्षणिक विकास के लिए एकमुश्त कार्यक्रमों की परिकल्पना करना है। इस स्कीम को शत प्रतिशत आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह स्कीम अभी तैयार हो रही है ।

13. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शैक्षिक प्रक्रिया और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अखिल भारतीय या स्थानीय प्रकृति के सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है । इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को आश्रम स्कूलों, मातृत्व और बाल कल्याण, अस्पताल, उप-केन्द्रों, औषधालयों, शिल्प प्रशिक्षण, आशुलिपि तथा टाइपिंग कोचिंग आदि जैसी गतिविधियों के लिए प्रत्येक परियोजना लागत की 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

14. इस व्यवस्था में अनुसूचित जातियों के अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की योग्यता को वढ़ाने सम्बन्धी राज्य सरकारों की योजना के माध्यम से कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम तथा एनएसएफडीसी के लिए ब्याज सब्सिडी को शामिल किया गया है।

15. इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग पर व्यय, आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व तैयारी, अम्बडेकर शताब्दी समारोहों, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान, मौलाना आजाद एज्यूकेशन फाउण्डेशन, अनुसूचित

Full advantage of the existing training schemes of the Central and State Governments is taken. Special training programmes have been prepared to meet the requirements of these people. After completion of the training, the scavengers are rehabilitated in various trades and occupations.

6. Assistance is provided by the Central Govt. to the States/ UT Administrations, for strengthening machinery for enforcement of the Protection of Civil Rights Act, 1955 and SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Under the SC and the ST (Prevention of Atrocities Act), 1989 measures for special and economic rehabilitation, of the victims of atrocities and legal aid etc. are also provided.

7. Under this scheme, the Central Government along with State Governments contributes on 49:51 basis towards the share capital of these Corporations which have been set up to function as guarantors and promoters and also provide missing inputs, whenever necessary, for recovery for securing institutional finance. Such Corporations have been set up by 18 State Governments and 3 U.Ts. It has now been decided that the Central share be passed on directly to the SCDCs instead of through State Governments to avoid delay.

8. Under the scheme grant is given to the State Governments on 50:50 basis for construction and extension of hostel buildings for S.C. girls who are studying in middle and higher level of education.

9. The main objective of the Scheme is to provide text books free of cost to SC/ST students for engineering, agriculture, veterinary and polytechnic course. The scheme is implemented through State Governments and the grant is given on 50 : 50 basis.

10. The main objective of the Scheme is to provide hostel facilities to Scheduled Caste boys in middle and higher level of education and grant is given to States on 50:50 basis.

11. The main objective of the Scheme is to provide good education to the children of those engaged in unclean occupation, viz., scavenging, tanning, flaying etc. by keeping them in hostels away from the unhygienic surroundings in which their parents live. Under this scheme, the Central assistance is provided to the State Governments on 50 : 50 basis.

12. The scheme envisages a package of programmes towards the educational development of Scheduled Castes girls. The scheme is to be funded by the Central Govt. on 100% basis. The scheme is under formulation.

13. The objective of the scheme is to utilise the services of capable and reliable voluntary organisations of all India or local character in the process of educational and Socio-economic development of Scheduled Castes. Under this scheme, grant-in-aid is given by the Goverment of India to the voluntary organisations to the extent of 90% of each project cost for activities, such as ashram schools, Maternity and Child Welfare, hospitals, sub-centres, dispensaries, craft training/coaching in shorthand and typewriting etc.

14. The provision covers supporting project of All India or Interstate nature of Scheduled Castes, scholarship to the students of SCs and STs for studies abroad, coaching and allied scheme through State Governments scheme of the upgradation of merit of SC/ST students and interest subsidy for N.S.F.D.C..

15. The provision includes expenditure on National Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Pre-examination coaching for weaker sections based on economic criteria, Ambedkar Centenary Celebrations, the National Commission for Safai Karmacharis, grants to Non-Governmental organisations for running pre-examination training Centres for SCs/STs, the Maulana Azad

जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां तथा अल्पसंख्यक प्रधान जिलाओं में बहुक्षेत्रीय योजना को तैयार करना शामिल है।

16. इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 : 50 अनुपात आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों की लडकियों के लिए छात्रावासों के निर्माण और विस्तार हेतु 100% आधार पर अनुदान दिया जाता है यह जन जातीय क्षेत्रों में साक्षरता का संवर्धन करने में एक प्रभावी साधन के रूप मे सिद्ध हो चुका है ।

18. इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों मे शैक्षिक सुविधाओं तथा शिक्षा हेतु अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के राज्य सरकारों को समान आधार पर (अर्थात् 50:50 आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100%) अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

19. यह व्यवस्था भारतीय जन-जातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टी आर आई एफ इ डी) में शेयर पूंजी निवेश हेतु की गई है।

20. इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण और विस्तार के लिए , राज्यों को 50:50 और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% आधार पर अनुदान प्रदान किए गए है । यह जनजातीय क्षेत्रों मे जनजातीय लड़कों की साक्षरता में प्रभावकारी साधन सिद्ध हुए हैं ।

21. यह व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियो के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण, 'ट्राइफेड को मूल्य समर्थन', लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जन-जातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान-सहायता, जन-जातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षर आंतर-निवासों मे शैक्षणिक परिसर, संविधान के अनुच्छेद 275 (i) की धारा (अ) के द्वितीय परन्तुक के तहत आसाम सरकार को अनुदान और विविध योजना भिन्न व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हैं।

22. जनजातीय उप आयोजना की अवधारणा 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं, आशोधित क्षेत्र के 250 क्षेत्रों विकास दृष्टिकोण, 77 समूहों तथा 75 आदिम जन-जातीय समूहों के लिए रूपांकित की गई थी । उप योजना दृष्टिकोण में 18 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है । दृष्टिकोण को जन-जातीय क्षेत्रों से बाहर बसे आदिवासियों के लिए भी लागू किया गया है। राज्य योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

23. यह अनुदान राज्य सरकारों को, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उन के द्वारा शुरू की गई विशेष स्कीमों की लागतों को पूरा करने हेतु दिया जाता है।

24. विकलांगों के कल्याण में लगे राष्ट्रीय संस्थानों को विकलांगों की शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने, प्रशिक्षण और पुनर्वास, अनुसंधान करने, उनके लिए सेवाओ में सुधार लाने के लिए स्थापित किया गया है । इन संस्थाओं में ये है : बधिर व्यक्तियों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद, दृष्टि दोषयुक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून अस्थि संबंधी दोषों से युक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता। इसके अलावा पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान, कटक और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना, उनके क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाएं एवम् प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है । ये संस्थाएं पंजीकृत समितियां हैं। अतः ये स्वायत निकाय हैं तथा पूरी तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। यह निर्णय लिया गया है कि बहुविधि रूप से अपंग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुविधि रूप से विकलांगों के लिए एक नयी राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाए।

25. योजना का उद्देश्य ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देना है, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने और उसमें प्राथमिक उपचार करने, शारीरिक अक्षमता की रोकथाम करने और उनकी शिक्षा, प्राथमिक उपचार करने प्रशिक्षण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास करने का कार्य कर रहे है ।

26. इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमन्द शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की स्थायी, आधुनिक और मानक सहायक उपकरणों तथा उपकरणों सहित सहायता प्रदान करना है जो उन्हें शारीरिक और सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्वासित कर सकें ।

Education Foundation, scholarships to the students of SCs/STs for studies abroad and preparation of multi-sectoral plan in minorities concentration districts.

16. Under this scheme the grant is provided to the State Governments on 50 : 50 basis and 100% to UTs for construction and expansion of hostels for scheduled tribes girls. This has proved to be an effective instrument in promoting literacy amongst them in the tribal areas.

18. Under this scheme grant-in-aid is given to State Governments, on matching basis (i.e; on 50: 50 basis and 100% to UTs) to promote educational facilities and environment conducive to learning in tribal areas.

19. The provision is meant for share capital investment in Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED).

20. Under the scheme grants are provided to the States on 50 : 50 basis and 100% to UTs for construction and expansion of Hostels for ST boys. This has proved to be an effective instrument in promoting literacy among the ST boys in the Tribal areas.

21. The provision relates to assistance to voluntary organisations for scheduled tribes, supporting projects of all-India or inter-State nature for scheduled tribes, Research and Training, price support to TRIFED, Grant-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for minor forest produce. Educational complex in low literacy pockets for the development of ST girls literacy in tribal areas, vocational training in tribal areas, Grants to Assam Govt. under clause (A) of second proviso to Article 275 (i) of the Constitution and miscellaneous non-plan provision.

22. The concept of Tribal Sub-Plan has been designed for 194 integrated Tribal Development projects, 250 pockets of Modified Area Development approach, 77 clusters and 75 primitive tribal groups. The sub-plan approach covers 18 States and 2 Union Territories. The approach has also been extended to tribals living outside the tribal areas. Special Central assistance is given to the States as an additive to the State Plans.

23. The grant is given to the State Govts. to meet the costs of special schemes as may be undertaken by them for promoting the Welfare of Scheduled Tribes.

24. National Institutes engaged in the welfare of Handicapped have been set up to provide facilities for education, training and rehabilitation, carrying out research, improving the services for the handicapped etc. These institutes are Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay, National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, National Institute for the Visually Handicapped, Dehra Dun, and National Institute for Orthopaedically Handicapped, Calcutta. Besides these, National Institute for Rehabilitation, Training and Research, Cuttack and Institute for the Physically Handicapped, New Delhi have been set up to provide rehabilitation services training facilities in their fields. These Institutes are registered societies. Thus, these are autonomous bodies and fully financed by the Central Government. It has been decided to set up a new National Institute for multiple handicapped to cater needs of multiple disabled persons.

25. The scheme envisages financial assistance to organisations working for detection, intervention of primary nature, prevention of disability, education, training, physical, psychological, social and economic rehabilitation of the physcially handicapped persons.

26. The main objective of the scheme is to assist the needy physcially handicapped persons with durable, modern and standard aids and appliances which can provide them physical and social and psychological rehabilitation.

27.स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र नजरबंदी, समय पर हस्तक्षेप करने, अभिभावकों से विचार-विमर्श करने, सहायक उपकरणों एवं साधनों की व्यवस्था करने सहित व्यापक पुर्नवास सेवाएँ प्रदान करना है। यह स्कीम तैयार की जा रही है ।

28. इसमें अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, स्पास्टिक्स और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास, जन शक्ति विकास के लिए मानसिक विकलांग और मस्तिष्क सम्बन्धी पक्षाघातों के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्तियों के संगठनों को सहायता, भारतीय पुनर्वास, परिषद् विशेष विद्यालयों के विकास और स्थापना, मिशन रूप में प्रौद्योगिकीय विकास परियोजनाएँ, अपंग व्यक्तियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कोष में अंशदान तथा विकलांगों को रोजगार से संबंधित अन्य स्कीमों को शामिल किए जाने की व्यवस्था है।

29. इस के अन्तर्गत व्यवस्था द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से सम्बन्धित परिवहन तथा अन्य आनषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए है । करारों में गरीब और जरूरतमन्द लोगों के सहायतार्थ और उनके पुनर्वास के लिए इस मन्त्रालय में पंजीकृत पात्र स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों के भारत में निःशुल्क जाने की व्यवस्था है ।

30. यह व्यवस्था आवारा बच्चों की स्कीम, देश में शिशु और युवा बच्चों के विकास के लिए गृह सहायता और उनका अन्तर्देशीय भागीकरण को अपनाने के लिए सहायता, केन्द्रीय भागीकरण संसाधन अभिकरण, आसाम आदि में बच्चों के पालन पोषण की आवश्यकता और संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों से संबंधित व्यय के लिए है।

31. इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को नशीले पदार्थों व्यसनियों के पुनर्वास तथा उपचार के लिए परामर्श और सहायता व नशा छुड़ाने वाले केन्द्रों की स्थापना तथा जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के लिए परियोजना लागत को 90प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है।

32. स्कीम में उपेक्षित और किशोर अपराधियों के लिए पालन-पोषण सम्बन्धी संरक्षण, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास तथा पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई है।

33. इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, सामाजिक कार्य करने वाले विद्यालयों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय संगठनों को अनुदानों, वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के लिए अनुसंधान संबंधी अध्ययन और शोध प्रकाशनों वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ, भिक्षावृत्ति को रोकने की स्कीमों, भारत-विदेशी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा वक्फ के लिए सहायता-अनुदानों से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें संयुक्त तथा अन्त-क्षेत्रीय अपराध और न्याय संस्था के लिए विदेशी अंशदान तथा विभागीय कैण्टीन के लिए व्यवस्था भी शामिल है।

34. इसमें अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से सम्बन्धित व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

35. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर, कृत्रिम अंग-प्रोस्थेटिक, और्थोटिक तथा पुनर्वास संबंधी सहायक उपकरणों का निर्माण करता है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद अपंग व्यक्तियों को इन्हें उचित लागत पर उपलब्ध कराना है ।

36. बजटीय समर्थन और आं.ब.बा.स. के जरिए इक्विटी और ऋणों का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड- I में दिया गया है

इसमें निम्नलिखित के लिए अंश पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है :

i) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर,
ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए,
iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,
iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम,
v) अनुसूचित जाति विकास निगम,
vi) राज्य पिछड़ा वर्ग निगम और
vii) राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम।

27. The objective of the scheme is to provide comprehensive rehabilitation services including early detention, timely intervention, parent counselling, provision of aids and appliances etc. in the rural areas. The scheme is under formulation.

28. This includes provision for other schemes relating to establishment of District Rehabilitation centres, National Trust for the Mentally Retarded and Spastics, Assistance to voluntary organisations for manpower development in the field of cerebral palsy and mental retardation, Assistance to organisations for leprosy cured persons, Rehabilitation Council of India, Establishment and Development of Special Schools, Technology Development projects in Mission Mode, contribution to Funds on United Nations of Disabled Persons, Employment of Handicapped and miscellaneous scheme.

29. The provision is for meeting the transport and other incidental expenditure connected with gift consignments received from abroad under bilateral agreements. The agreements envisage duty free entry into India of donated supplies for relief and rehabilitation of the poor and the needy through recipient voluntary organisations registered with the Ministry.

30. The provision is for expenditure relating to Scheme for Street Children, Assistance to Home for Infant and Young Children for promoting in country and inter-country adoption, Central Adoption Resource Agency, Voluntary organisations for Services for Children in need of care and protection in Assam etc.

31. Under the scheme, voluntary organisations are given assistance to the extent of 90% of the project cost for setting up of Drug Awareness, counselling and assistance and de-addiction cum rehabilitation centres for treatment and rehabilitation of drug addicts and for awareness building programmes.

32. The scheme provides for uniform framework for the care protection, treatment, education, training, development and rehabilitation of neglected and delinquent juveniles.

33. The provision is for expenditure relating to National Institute of Social Defence, grants to schools of social work and All India voluntary organisations in the field of social welfare,Research studies and research publications voluntary organisations for the programme relating to aged. Assistance to Voluntary organisations for providing social Defence Service, Information and Mass Education Cell, schemes for Beggary prevention, Indo-foreign Cultural Exchange Programme and Grants-in-aid to wakf. This also includes provision for foreign contribution to UN Inter-Regional Crime and Justice Institute and also provision for Departmental canteen.

34. The provision is to meet the expenditure of the National Commission for Minorities and Special Officer for Linguistic Minorities.

35. The Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Kanpur is manufacturing artificial limbs - prosthetic, orthotic and rehabilitational aids and aims at supplying these to needy disabled persons at reasonable cost.

36. The break up of equity and loans through Budgetary support and IEBR are given in Expenditure Budget Vol. I.

The provision is for providing share capital to :

i) Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Kanpur,
ii) National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation,
iii) National Backward Classes Finance and Development Corporation,
iv) National Minorities Development and finance Corporation.
v) Scheduled Castes Development Coporations
vi) State Backward Classes Corporation and
vii) National Handicapped Finance of Development Corporation

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

मांग संख्या DEMAND No.85

परमाणु ऊर्जा Atomic Energy

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		47.47	337.70	385.17	47.09	357.98	405.07	55.47	347.53	403.00
पूंजी	*Capital*		*277.53*	*295.62*	*573.15*	*247.77*	*275.51*	*523.28*	*287.53*	*311.30*	*598.83*
जोड़	**Total**		**325.00**	**633.32**	**958.32**	**294.86**	**633.49**	**928.35**	**343.00**	**658.83**	**1001.83**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	5.13	5.13	...	5.13	5.13	...	5.18	5.18
		5401	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25	14.14	...	14.14
जोड़		*Total*	*0.50*	*5.13*	*5.63*	*0.25*	*5.13*	*5.38*	*14.14*	*5.18*	*19.32*
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा उद्योग	**Atomic Energy Research and Industries**										
2. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रः	2. *Bhabha Atomic Research Centre*										
2.01 अनुसंधान तथा विकास	2.01 Research & Development	3401	0.75	95.76	96.51	0.75	96.45	97.20	0.75	97.67	98.42
2.02 आम सेवाएं	2.02 Common Services	3401	0.05	28.70	28.75	0.05	28.70	28.75	0.05	28.56	28.61
2.03 स्वास्थ्य	2.03 Health	3401	...	11.26	11.26	...	11.26	11.26	...	12.10	12.10
जोड़		*Total*	*0.80*	*135.72*	*136.52*	*0.80*	*136.41*	*137.21*	*0.80*	*138.33*	*139.13*
2.04 औद्योगिक परियोजनाएं	2.04 Industrial Projects	2852	...	29.58	29.58	...	27.53	27.53	...	28.77	28.77
2.05 पूंजीगत परियोजनाएं	2.05 Capital Projects	4861	6.72	...	6.72	7.13	...	7.13	11.35	...	11.35
		5401	25.20	...	25.20	45.35	...	45.35	36.20	...	36.20
जोड़		*Total*	*31.92*	...	*31.92*	*52.48*	...	*52.48*	*47.55*	...	*47.55*
2.06 पावर रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र	2.06 Power Reactor Fuel Reprocessing Plants										
(i) तारापुर	i. Tarapur	2852	...	9.80	9.80	...	9.80	9.80	...	9.82	9.82
(ii) कल्पाक्कम	ii Kalpakkam	2852	...	13.87	13.87	...	13.87	13.87	...	14.05	14.05
		4861	13.28	...	13.28	12.87	...	12.87	13.65	...	13.65
जोड़		*Total*	*13.28*	*23.67*	*36.95*	*12.87*	*23.67*	*36.54*	*13.65*	*23.87*	*37.52*
जोड़ - भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	Total - BARC		46.00	188.97	234.97	66.15	187.61	253.76	62.00	190.97	252.97
3. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्रः	3. *Indira Gandhi Centre for Atomic Research*										
3.01 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और अन्य सुविधाओं को चालू करना	3.01 Commissioning of Fast Breeder Reactor & Other Facilities	3401	1.00	17.26	18.26	1.32	16.73	18.05	2.00	16.89	18.89
3.02 सामान्य सेवाएं	3.02 Common Services	3401	...	11.83	11.83	...	12.36	12.36	...	12.49	12.49
3.03 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग	3.03 FBTR Fuel Reprocessing	4861	3.50	...	3.50	2.33	...	2.33	8.28	...	8.28
3.04 पूंजीगत परियोजनाएं	3.04 Capital Projects	5401	11.00	...	11.00	12.67	...	12.67	16.00	...	16.00
जोड़-इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र	**Total - IGCAR**		**15.50**	**29.09**	**44.59**	**16.32**	**29.09**	**45.41**	**26.28**	**29.38**	**55.66**
4. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	4. Centre for Advanced Technology	3401	...	9.01	9.01	...	9.01	9.01	...	9.10	9.10
		4861	2.00	-1.50	0.50	1.57	-1.00	0.57	1.90	-1.50	0.40
		5401	18.00	...	18.00	17.93	...	17.93	16.50	...	16.50
जोड़-उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	**Total - CAT**		**20.00**	**7.51**	**27.51**	**19.50**	**8.01**	**27.51**	**18.40**	**7.60**	**26.00**
5. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र	5. Variable Energy Cyclotron Centre	3401	...	8.25	8.25	...	8.25	8.25	...	8.33	8.33
		5401	3.50	...	3.50	3.12	...	3.12	6.00	...	6.00
जोड़		*Total*	*3.50*	*8.25*	*11.75*	*3.12*	*8.25*	*11.37*	*6.00*	*8.33*	*14.33*
6. क्रय तथा भंडार संगठन	6. Purchase & Stores Organisation	3401	...	4.25	4.25	...	4.75	4.75	...	4.82	4.82
7. निर्माण और सेवा ग्रुप, बम्बई	7. Construction & Services Group, Bombay	3401	0.17	11.03	11.20	0.08	11.03	11.11	0.14	11.14	11.28
		5401	0.20	...	0.20	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*0.37*	*11.03*	*11.40*	*0.13*	*11.03*	*11.16*	*0.24*	*11.14*	*11.38*
8. सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम	8. General Services Organisation, Kalpakkam	3401	...	8.18	8.18	...	8.55	8.55	...	8.56	8.56
9. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान को अनुदान	9. Grant to Tata Institute of Fundamental Research	3401	18.00	28.48	46.48	18.00	28.27	46.27	19.98	28.76	48.74
10. टाटा स्मारक केन्द्र को अनुदान	10. Grant to Tata Memorial Centre	3401	6.00	21.90	27.90	6.00	21.90	27.90	6.00	22.12	28.12
11. साहा न्यूक्लीय भौतिकी संस्थान को अनुदान	11. Grant to Saha Institute of Nuclear Physics	3401	2.00	6.90	8.90	2.00	6.48	8.48	2.65	6.97	9.62
12. अन्य संस्थाओं को अनुदान	12. *Grant to other Institutes*										
12.01 भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	12.01 Institute of Physics, Bhubaneswar	3401	1.75	2.60	4.35	1.75	2.60	4.35	3.00	2.63	5.63
12.02 मेहता गणित और गणित भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	12.02 Mehta Research Institute of Mathematics and Mathematical Physics, Allahabad	3401	1.75	1.25	3.00	1.75	1.50	3.25	2.50	1.60	4.10
12.03 गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास	12.03Institute of Mathematical Sciences, Madras	3401	1.75	1.75	3.50	0.93	1.71	2.64	0.83	1.77	2.60
12.04 अन्य	12.04 Others	3401	10.75	...	10.75	10.96	...	10.96	13.52	...	13.52
जोड़		*Total*	*16.00*	*5.60*	*21.60*	*15.39*	*5.81*	*21.20*	*19.85*	*6.00*	*25.85*
13. आवास परियोजनाएं	13. Housing Projects	5401	14.30	-0.01	14.29	18.83	...	18.83	18.89	...	18.89
14. परमाणु खनिज प्रभाग	14. Atomic Minerals Division	3401	3.00	23.84	26.84	3.00	23.34	26.34	3.30	24.08	27.38
		4861	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.65	...	1.65
		5401	2.00	...	2.00	1.34	...	1.34	0.70	...	0.70
जोड़		*Total*	*6.80*	*23.84*	*30.64*	*6.14*	*23.34*	*29.48*	*5.65*	*24.08*	*29.73*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
न्यूक्लीय ईंधन	**Nuclear Fuel**										
15. न्यूक्लीय ईंधन कम्पलेक्स	15. *Nuclear Fuel Complex*										
15.01 ईंधन विनिर्माण सुविधाएं	15.01 Fuel Fabrication Facilities:										
15.001 राजस्व व्यय	15.001 Revenue Expenditure	2852	...	131.46	131.46	...	113.14	113.14	...	132.92	132.92
15.002 घटाइए-प्राप्तियां	15.002 Less-Receipts	0852	...	-185.73	-185.73	...	-142.03	-142.03	...	-180.51	-180.51
निवल	*Net*		...	*-54.27*	*-54.27*	...	*-28.89*	*-28.89*	...	*-47.59*	*-47.59*
15.02 आम सेवाएं	15.02 Common Services	2852	...	3.03	3.03	...	2.88	2.88	...	3.51	3.51
15.03 इस्पात ट्यूब संयंत्र	15.03 Steel Tubes Plant	2852	...	8.51	8.51	...	6.98	6.98	...	8.00	8.00
15.04 पूंजीगत परियोजनाएं	15.04 Capital Projects	4861	100.00	...	100.00	49.80	...	49.80	70.00	...	70.00
जोड़-न्यूक्लीय ईंधन कम्पलेक्स	**Total-Nuclear Fuel Complex**		**100.00**	**-42.73**	**57.27**	**49.80**	**-19.03**	**30.77**	**70.00**	**-36.08**	**33.92**
16. भारी पानी	16. *Heavy Water*										
16.01 भारी पानी संयंत्र के लिए आवास कालोनियों का रखरखाव	16.01 Maintenance of Housing Colonies for Heavy Water Plants										
16.02 भारी पानी परियोजना, मनुगुरु	16.02 Heavy Water Project Manuguru	2852	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.53	2.53
16.03 भारी पानी परियोजना, हजीरा	16.03 Heavy Water Project, Hazira	4861	2.56	...	2.56	0.10	...	0.10	0.17	...	0.17
16.04 अन्य भारी पानी संयंत्र आदि	16.04 Other Heavy Water Plants etc.	4861	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		4861	4.43	1.65	6.08	5.77	1.40	7.17	3.49	1.50	4.99
जोड़ - भारी पानी परियोजनाएं	**Total-Heavy Water Projects**		**7.00**	**4.15**	**11.15**	**5.88**	**3.90**	**9.78**	**3.67**	**4.03**	**7.70**
17. भारी पानी उत्पादन :	17. Heavy Water Production										
17.01 भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा	17.01 Heavy Water Plant, Baroda	4861	...	40.72	40.72	...	34.79	34.79	...	39.79	39.79
17.02 भारी पानी संयंत्र, कोटा	17.02 Heavy Water Plant, Kota	4861	...	60.14	60.14	...	55.00	55.00	...	58.20	58.20
17.03 भारी पानी संयंत्र,तूतीकोरन	17.03 Heavy Water Plant, Tuticorin	4861	...	27.81	27.81	...	26.48	26.48	...	29.48	29.48
17.04 भारी पानी संयंत्र,तलचर	17.04 Heavy Water Plant, Talcher	4861	...	7.50	7.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50
17.05 भारी पानी संयंत्र, थाल	17.05 Heavy Water Plant, Thal	4861	...	55.00	55.00	...	50.50	50.50	...	56.00	56.00
17.06 भारी पानी संयंत्र, हजीरा	17.06 Heavy Water Plant, Hazira	4861	...	61.16	61.16	...	54.28	54.28	...	67.00	67.00
17.07 भारी पानी संयंत्र,मनुगुरु	17.07 Heavy Water Plant,Manuguru	4861	...	105.41	105.41	...	99.09	99.09	...	115.36	115.36
जोड़		*Total*	...	*357.74*	*357.74*	...	*323.64*	*323.64*	...	*369.33*	*369.33*
घटाइये - भारी जल की क्षति	*Less* - Loss of Heavy Water	4861	...	-68.47	-68.47	...	-55.74	-55.74	...	-65.18	-65.18
निवल	*Net*		...	*289.27*	*289.27*	...	*267.90*	*267.90*	...	*304.15*	*304.15*
जोड़ - भारी पानी	**Total - Heavy Water**		**7.00**	**293.42**	**300.42**	**5.88**	**271.80**	**277.68**	**3.67**	**308.18**	**311.85**
18. विकिरण तथा आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	18. *Board for Radiation and Isotope Technology*										
18.01 राजस्व व्यय	18.01 Revenue Expenditure	2852	...	11.50	11.50	...	11.00	11.00	...	11.62	11.62
18.02 पूंजी व्यय	18.02 Capital Expenditure	4861	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*4.00*	*11.50*	*15.50*	*4.00*	*11.00*	*15.00*	*4.00*	*11.62*	*15.62*
19. अन्य कार्यक्रम	19. Other Programmes	2852	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77	...	2.80	2.80
		3401	0.50	10.50	11.00	0.50	10.12	10.62	0.75	10.83	11.58
		4425	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		4861	3.00	6.00	9.00	2.80	7.00	9.80	1.50	7.00	8.50
		5401	2.83	...	2.83	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00
		7475	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.14	0.14
जोड़		*Total*	*6.33*	*19.48*	*25.81*	*5.80*	*20.10*	*25.90*	*3.25*	*20.78*	*24.03*
20. इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को सहायता अनुदान	20. Grants-in-aid to Electronic Corporation of India Limited	2852	...	2.53	2.53	...	1.40	1.40	...	0.42	0.42
21. राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरित व्यय	21. *Expenditure met from NRF*										
21.01 वी.आर.एस. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का कार्यान्वयन	21.01 Implementation of VRS Electronics Corporation of India Ltd.	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
21.02 राष्ट्रीय नवीकरण कोष से पूरित व्यय-घटाइए	21.02 Deduct - Expenditure met from NRF	2852	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	...	...	...
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. सरकारी उद्यमों में निवेश	22. Investments in Public Enterprises	4859	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		4861	55.70	...	55.70	54.55	...	54.55	55.00	...	55.00
		4861	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
		6859	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		6861	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*58.70*	...	*58.70*	*57.55*	...	*57.55*	*62.00*	...	*62.00*
जोड़ -परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और उद्योग	**Total-Atomic Energy Research and Industries**										
कुल जोड़	*Grand Total*		324.50	628.19	952.69	294.61	628.36	922.97	328.86	653.65	982.51
			325.00	*633.32*	*958.32*	*294.86*	*633.49*	*928.35*	**343.00**	**658.83**	**1001.83**

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investments in Public Enterprises**										
1. इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	1. Electronics Corporation of India Ltd.	12859	2.00	8.00	10.00	2.00	10.00	12.00	2.00	10.00	12.00
2. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	2. Uranium Corporation of India Ltd.	12861	55.70	5.00	60.70	54.55	...	54.55	55.00	5.00	60.00
3. इंडियन रेअर अर्थस लि.	3. Indian Rare Earths Ltd	12861	1.00	45.76	46.76	1.00	25.22	26.22	5.00	20.00	25.00
जोड़	**Total**		58.70	58.76	117.46	57.55	35.22	92.77	62.00	35.00	97.00
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग	1. Telecommunication and Electronics Industries	12859	2.00	8.00	10.00	2.00	10.00	12.00	2.00	10.00	12.00
2. परमाणु ऊर्जा उद्योग	2. Atomic Energy Industries	12861	198.00	50.76	248.76	143.73	25.22	168.95	176.00	25.00	201.00
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3. Atomic Energy Research	13401	125.00	...	125.00	149.13	...	149.13	165.00	...	165.00
जोड़	**Total**		325.00	58.76	383.76	294.86	35.22	330.08	343.00	35.00	378.00

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं** - इस में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवालय तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए व्यवस्था है।

2. **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र** - भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र न्यूक्लीय ऊर्जा तथा तत्संबंधी विषयों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र है । इसकी सुविधाओं के अंतर्गत अनुसंधान रिएक्टर, त्वरक, संगणक और एक यूरेनियम संयंत्र, ईंधन तत्व, निर्माण संयंत्र और प्लूटोनियम संयंत्र आते है । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए, जिनमें अनुसंधान एवं विकास के साथ औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं, तथा प्रचालनात्मक क्रियाकलापों के लिए जिनमें वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन, सामग्री तथा सामान, मशीनरी तथा उपस्कर आदि शामिल हैं, और विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रभागों, प्रयोगशालाओं और केन्द्र के अन्य संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है ।

कुछ प्रमुख पूंजीगत परियोजनाएं जिनके लिए बजट में व्यवस्था की गई है, निम्नलिखित हैं :—

2.01 **अति - चालक लिनैक बूस्टर** : यह योजना अतिचालकता की विकसित संकल्पना पर आधारित हैवी आयन नाभिकीय भौतिकी में महत्वपूर्ण अनुसंधान के पूर्णतः नए क्षेत्रों के लिए है।

2.02 **त्वरक उपयोग हेतु नाभिकीय भौतिकी इन्स्ट्रूमेंटेशन** :इस योजना में बेहतर उपयोगिता से युक्त नए डिटैक्टर तथा प्रणालियां जोड़कर मौजूदा पेलेट्रान त्वरक की उपयोगिता में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

2.03 **पुनःप्रसंस्करण और अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु संगत विकास संबंधी अध्ययन** : यह योजना एकान्तर मैट्रिक्स, रासायनिक और तापीय अपघटन तकनीकों के प्रयोग से कार्बनिक अपशिष्ट प्रदार्थों की प्रबंधन प्रक्रियाओं, विखण्डन उत्पाद पृथक्करण हेतु अल्ट्रा, प्यूरिफिकेशन, इलैक्ट्रोलिसिस तथा जैव - रासायनिक तरीकों जैसी विकसित तकनीकों आदि के विकास हेतु अध्ययन करने के लिए है।

2.04 **आप्टिकल संघटक प्रणालियों तथा थिनफिल्म साधनों का विकास** : यह योजना पारंपरिक प्रकाश स्रोतों तथा लेजर के उपयोग वाले विभिन्न प्रयोगों के लिए आवश्यक प्रिसीजन आप्टिकल संघटकों, प्रणालियों तथा थिनफिल्म साधनों के विकास के लिए शुरू की गई है।

2.05 अग्रवर्ती प्लाजमा साधनों के विकास, 'बार्क' में इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपयोगिताओं के कोटि उन्नयन, लेजर सामग्री के प्रसंस्करण, संघटक विसंदूषण और अनुकूलन सुविधा, नैशनल सेन्टर फार कम्पोजीशनल करैक्टराइजेशन आफ प्योर मैटीरियल्ज आदि जैसी परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है।

2.06 **विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनःप्रसंस्करण संयंत्र** : मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन में खर्च हुए ईंधन के पुनः प्रसंस्करण के लिए कलपक्कम में इस की स्थापना की जा रही है । परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान रिएक्टरों से प्राप्त तरल पदार्थों को संसाधित करने और उन्हें ठोस बनाने के लिए ट्राम्बे में एक अपशिष्ट पदार्थ अचलीकरण परियोजना की स्थापना की जा रही है।

3. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई.जी.सी.ए.आर.)** : कलपक्कम स्थित यह केन्द्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों और थोरियम टैक्नोलाजी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास-कार्य करता है । सुविधाओं में फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर और विभिन्न विशेष प्रयोगशालाएं तथा संयंत्र शामिल हैं, जिनकी स्थापना फास्ट ब्रीडर टैस्ट-रिएक्टर के निर्माण और प्रचालन में सहायता देने और विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम को काम में लाने के उद्देश्य से की जा रही है । प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के समर्थन के लिए इजीनियरिंग अनुसंधान और रेडियो धातुकर्म प्रयोगशाला, इलैक्ट्रानिक्स और यंत्रीकरण तथा इजीनियरिंग सेवाओं, आदि जैसी सुविधाओं के लिए बजट में व्यवस्था है ।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को समर्थन देने के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इजीनियरिंग अनुसंधान कार्य प्रस्तावित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना के चरम उद्देश्य को सहायता देने के लिए शुरू किया गया है।

4. **विकसित प्रौद्योगिकी केन्द्र** : विकसित प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर की स्थापना त्वरकों, लेजर और फ्यूजन जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए की गई है। 19.77 करोड़ रुपए की व्यवस्था उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रयोगशालाओं, वर्कशाप आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए है। राजस्व बजट में 9.10 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्डस-1 और अन्य प्रयोगशालाओं जैसी मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव

1. **Secretariat - Economic Services** : Provision is for the secretariat of the Department of Atomic Energy and the Atomic Energy Commission.

2. **Bhabha Atomic Research Centre (BARC)** - BARC is the national centre for research and development work in the nuclear energy and related disciplines. Its facilities include research reactors, accelerators, computers, as also a uranium plant, fuel elements fabrication plant and plutonium plant. Provision has been made for the capital projects of the Bhabha Atomic Research Centre covering the research and development as well as industrial projects and for the operational activities which include salaries of scientific and other personnel, materials and supplies, machinery and equipment, etc. and maintenance of various research and development divisions, laboratories and other plants of the Centre.

Some of the major Capital projects for which provision has been included in the budget are the following:—

2.01 **Super-conducting linac booster**: This scheme is for taking up entirely new areas of frontline research in heavy ion nuclear physics based on an advanced superconductivity concept.

2.02 **Nuclear Physics Instrumentation for Accelerators Utilisation**: The scheme envisages improvements in the utility of the existing Pelletron Accelerator by adding new detectors and systems with improved capability.

2.03 **Developmental Studies Relevant to Re-processing and Waste Management**: The scheme is for undertaking studies for development of alternate matrices, process for management of organic wastes using chemical and thermal decomposition techniques, advanced techniques such as ultra, purification, electrolysis and bio-chemical methods for fission product separation etc.

2.04 **Development of Optical Components Systems and Thin Film Devices**: The scheme has been undertaken for development of precision optical components, systems and thinfilm devices required for various applications using conventional light sources and lasers.

2.05 Provision has also been made for projects such as Development of Advance Plasma Devices, Upgradation of Electrical and Mechanical Utilities in BARC, Lasers Materials Processing, Component De-contamination and Conditioning Facility. National Centre for Compositional Characterisation of Pure Materials etc.

2.06 **Power Reactor Fuel Reprocessing Plant** : This is being set up at Kalpakkam for reprocessing spent fuel arising out of Madras Atomic Power Station. A Waste Immobilisation Project is being set up at Trombay to process and solidify liquid waste from the Research Reactors of the Atomic Energy.

3. **Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)** : This Centre at Kalpakkam conducts research and development work relating to Fast Breeder Reactors and Thorium technology. Its facilities include Fast Breeder Test Reactor and various special laboratories and plants being set up to help in the construction and operation of the Fast Breeder Test Reactor and use of the Fast Reactor Programme to enhance power generation. The provision in the budget is for the Engineering Research in support of Prototype Fast Breeder Reactor and Facilities like Radio-metallurgy Laboratory, Electronics and Instrumentation and Engineering Services etc.

Engineering Research in support of Prototype Fast Breeder Reactor estimated to cost Rs. 25.00 crores has been undertaken to support the ultimate objective of setting up the proposed Prototype Fast Breeder Reactor.

4. **Centre for Advanced Technology** : The Centre for Advanced Technology, Indore is set up for research and development in high technology field such as accelerators, lasers and fusion. The provision of Rs. 19.77 crores is for providing infrastructural facilities like laboratories, workshops, etc for continuing the research and development efforts in the high technology areas. The provision of Rs. 9.10 crores on the revenue side is for the maintenance of the

तथा अनुसंधान, चिकित्सा और उद्योग में प्रयोग हेतु विभिन्न प्रकार के लेजर के विकास से संबंधित कार्य के लिए है।

5. **परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कलकत्ता :** यह केन्द्र न्यूक्लीय भौतिकी विज्ञान, न्यूक्लीय रसायन विज्ञान, चिकित्सा, औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए आइसोटोप उत्पादन तथा परमाणु भट्टी की सामग्री से उत्पन्न विकिरणों द्वारा होने वाली क्षति का अध्ययन करने के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अध्ययन कार्य सम्पन्न करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा के रूप में स्थापित किया गया है ।

6. **खरीद और भंडार संगठन :** अनुसंधान संगठनों और विभाग की औद्योगिक इकाइयों के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्कर की खरीद करता है।

7. **निर्माण एवं सेवा समूह :** यह इकाई विभाग के तहत परियोजनाओं और सहायता-प्राप्त संस्थानों की आयोजना, इंजीनियरी डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरी और सिविल, इलैक्ट्रिकल, लोक स्वास्थ्य तथा अन्य संबद्ध सेवाओं की संस्थापना के लिए जिम्मेवार है।

8. **सामान्य सेवा संगठन, कलपक्कम :** कलपक्कम में विभाग की सभी इकाइयों को सामान्य सेवाएं प्रदान करता है।

सहायता प्राप्त संस्थाएं

9. **टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान:** टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान न्यूकलीय विज्ञान और गणित का राष्ट्रीय केन्द्र है और यह गणित, भौतिकी, खगोल-विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह रेडियो खगोल-विज्ञान यथा जायंट मीटर वेव लेन्थ रेडियो टेलिस्कोप जो विभिन्न कास्मिक पिण्डों से रेडियो तरंगों की जांच कर सकता है, में महत्वपूर्ण अनुसंधान हेतु विश्व में एक अनोखी सुविधा स्थापित कर रहा है।

10. **टाटा स्मारक केन्द्र :** टाटा स्मारक केन्द्र कई रूपों में राष्ट्र की सेवा कर रहा है जिनमें कैंसर के एक अग्रणी अनुसंधान केन्द्र के रूप में मुख्य भूमिका निभाना और कैंसर के इलाज में विशेष सेवाएं मुहैया कराना शामिल है। टी.एम.सी. द्वारा नई बम्बई में कैंसर के उपचार, अनुसंधान और शिक्षा हेतु विकसित केन्द्र स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। यह कैंसर से संबंधित उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता विकसित करने हेतु उत्प्रेरक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

11. **साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान :** यह संस्थान न्यूक्लियर और जैव-भौतिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में उच्च अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण तथा शोध करने सहित शिक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह विकसित अनुसंधान गतिविधियों और शैक्षणिक विस्तार से युक्त देश का अग्रणी न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान है। अनुसंधान और विकास संबंधी चल रहे कार्यक्रम को करने के साथ-साथ, इस संस्थान ने मूलभूत विज्ञान में उच्च अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए जन-शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य भी किया है।

12. **अन्य संस्थानों को अनुदान**

भौतिकी विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर : यह संस्थान सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करता है। सहायता अनुदानों की व्यवस्था त्वरक सुविधा की स्थापना, सिविल निर्माण कार्यों और चल रही अनुसंधान—गतिविधियों के लिए की गई है। 3 मै.वा. त्वरक पर केन्द्रित आयनबीम सुविधा मूलभूत और प्रायोगिक अनुसंधान में अनेक जांच कार्यों हेतु प्रयोग में लाई जा रही है।

अन्य : मद्रास स्थित गणित विज्ञान संस्थान, मेहता संस्थान, इलाहाबाद, नेशनल बोर्ड फार हायर मेथेमेटिक्स, आदि जैसे अन्य विभिन्न संस्थानों को अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

13. **आवास निर्माण परियोजना :** इसमें बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे आदि में स्थित विभाग के स्टाफ के लिए आवास निर्माण परियोजनाओं के लिए व्यवस्था करना शामिल है।

14. **आणविक खनिज प्रभाग:** आणविक खनिज प्रभाग को रेडियोमीट्रिक और भू-विज्ञानी सर्वेक्षण, खोज-बीन संबंधी पूर्वेक्षण तथा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जरूरी यूरेनियम, थोरियम, नियोबियम, टेन्टेलम और अन्य सामग्रियों के विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य सौंपा गया है। पूंजीगत बजट में व्यवस्था हैदराबाद और बंगलौर में प्रयोगशालाओं और आवासों के निर्माण, डोमियासेट (मेघालय), कशाकलारी

existing facilities such as INDUS-I and other laboratories and work relating to development of various types of lasers for use in reseach, medicine and industry.

5. **Variable Energy Cyclotron Centre, Calcutta :** The Centre is a national research facility for advanced work in nuclear physics, nuclear chemistry,isotopes production for medical, industrial and agricultural purposes and radiation damage studies of reactor materials.

6. **Purchase and Store Organisation :** Procures machinery and equipment required for research organisations and industrial units of the Department.

7. **Construction and Services Group :** This unit is responsible for planning, engineering design, detailed engineering and construction of civil, electrical, public health and other associated services for the projects and aided institutions under the Department.

8. **General Services Organisation, Kalpakkam :** Provides common services to all the units of the Department at Kalpakkam.

Aided Institutions.

9. **Tata Institute of Fundamental Research** -Tata Institute of Fundamental Research is the national centre for nuclear science and mathematics and it remains engaged in front-line research in Matnematics, Physics, Astronomy, Computer Science Technology and Molecular Biology. It is setting up a globally unique facility for front-line research in Radio Astronomy namely Giant meter wave length Radio Telescope capable of verifying radio waves from different cosmic objects.

10. **Tata Memorial Centre :** TMC is serving the nation in a variety of ways including playing a leading role as a premier research centre in cancer and providing specialised services in the treatment of cancer. The work of setting up of an Advanced Centre for Treatment, Research and Education in cancer in New Bombay has been taken up by TMC. It is functioning as a catalyst agency for developing expertise in various aspects of treatment, education and research relating to cancer.

11. **Saha Institute of Nuclear Physics :** The institute has been established for teaching including training for higher research and conducting research in various aspects of Nuclear and Bio-physical sciences. It is one of the premier Nuclear Physic Institute of the country with advanced research activities and academic coverage. In addition to carrying out on-going R&D programme, the Institute has also carried out front-line research and training of man-power for undertaking advanced R&D work in basic sciences.

12. **Grants to other Institutes**

Institute of Physics, Bhubaneswar : This Institute conducts research in different branches of theoretical and experimental physics. Provision for Grants-in-aid has been made for the establishment of accelerator facility, civil works and for on-going research activities. The ion beam facility centred around the 3 M.V accelerator is being used for several investigations in basic and applied reseach.

Others : Grants to various other Institutes like the Institute of Mathematical Sciences at Madras, Mehta Research Institute at Allahabad, National Board for Higher Mathematics, etc are also provided.

13. **Housing Projects:** The provision includes housing projects for staff of the Department at Bombay, Hyderabad, Calcutta, Pune, etc.

14. **Atomic Minerals Division :** Atomic Minerals Division is entrusted with the Research and Development work pertaining to radiometric and geological survey, exploration prospecting and development of urapium, thorium, neobium, tantalum and other materials needed for the Atomic Energy programme. The provision on the Capital side is for carrying out construction of laboratories and

(हिमाचल प्रदेश) और तुमलापल्ली (आंध्र प्रदेश) में अन्वेषणात्मक खनन करने के लिए है। राजस्व बजट में की गई व्यवस्था, खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और विकास के साथ-साथ मौजूदा गतिविधियों और ड्रिलिंग तथा अन्य प्रचालनों के लिए है।

15. **न्यूक्लीय ईंधन काम्प्लेक्स** : हैदराबाद स्थित एन.एफ.सी देश में स्थापित न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों की ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। एन.एफ.सी. न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया की खपत हेतु जिरकालोय संघटक, कैलेन्ड्रिया ट्यूबों आदि का उत्पादन भी करता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और देशीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेनलैस स्टील ट्यूब संयंत्र और बाल बीयरिंग ट्यूब संयंत्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की गई है।

16-17. **भारी पानी** : मानुगुरु और हजीरा में परमाणु बिजलीघरों के उपयोग के लिए आवश्यक भारी पानी के उत्पादन हेतु भारी पानी संयंत्रों पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए बजट में 3.67 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें भारी पानी संयंत्रों के लिए आवासीय बस्तियां बनाने की व्यवस्था भी शामिल की गई है। कोटा, टूटिकोरिन, बड़ौदा और थाल के संयंत्रों में सुधार कार्य करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है।

बजट में टूटिकोरिन, बड़ौदा, कोटा, तलचर और थाल वेशट हजीरा तथा मानुगुरा में स्थित भारी पानी संयंत्रों तथा मेटैलिक पोटेशियम संयंत्र एवं बड़ौदा में भारी पानी संयंत्र की अमोनिया सिन्थेसिस गैस सुविधा के लिए और कर्मचारियों की आवास कालोनियों के अनुरक्षण संबंधी प्रचालनात्मक व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है।

18. **विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड** : यह बोर्ड विभाग के रेडियोआईसोटोप उत्पादन और अनुप्रयोग कार्यक्रम को प्रशासित करता है।

19. **अन्य कार्यक्रम** : इसमें सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, प्रबन्ध सेवा समूह आदि की आवश्यकता शामिल है।

20. **ई.सी.आई.एल को अनुदान सहायता** : यह अनुदान परमाणु ऊर्जा के लिए अनुसंधान करने के लिए दिया जाता है।

21. **राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया व्यय** : इसके लिए 94-95 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ई.सी.आई.एल. को अनुदान सहायता देने की व्यवस्था है। इसे राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया जाएगा।

वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रावधान केन्द्रीय रूप में मांग संख्या 50 औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एकमुश्त राशि में किया गया है। अन्य मंत्रालयों/विभागों का इसमें से आवंटन वर्ष के दौरान किए जाने का निर्णय लिया जाएगा जिसके बाद व्यय संबंधित अनुदानों में पूरक अनुदान या अन्य के माध्यम से, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाएगा।

22. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :-

22.01 **इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.**: ई.सी.आई.एल परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक परिष्कृत इलैक्ट्रानिक उपकरण तैयार करता है। यह कम्पनी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक साज-सामान तथा वाणिज्यिक वस्तुओं जैसे कम्प्यूटर, टी.वी. सैटों आदि का वाणिज्यिक आधार पर विनिर्माण करती है। 31-3-94 को कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 45.00 करोड़ रुपए थी।

22.02 **यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल)**: जादूगुडा स्थित यू.सी.आई.एल. यूरेनियम के खनन और संसाधन से संबंधित सभी कार्य करती है। इस कम्पनी ने विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में नई खानों और नरवापहाड़ स्थित खानों में काम शुरू कर दिया है। कम्पनी का यूरेनियम के अन्य निक्षेपों से वाणिज्यिक लाभ उठाने का प्रस्ताव है। कम्पनी की इक्विटी में निवेश हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था नरवापहाड़ परियोजना तथा जादूगुडा खनन विस्तार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कम्पनी की मदद करने के लिए की गई है।

22.03 **इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड(आई.आर.ई)** : आई.आर.ई. खनिज पृथक्करण संयंत्रों तथा चवरा और मानवालाकुरूची स्थित कारखानों को चलाता है। यह अल्वेयी स्थित एक फैक्टरी और छत्रपुर में उड़ीसा सैण्ड काम्प्लेक्स चलाता है तथा विभाग की ओर से ट्राम्बे में थोरियम की फैक्टरी का भी प्रबंध करता है। कम्पनी के संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के लिए परियोजना में सरकारी निवेश के रूप में 5.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

housing at Hyderabad and Bangalore, exploratory mining at Domiasat (Meghalaya), Kashakalari (Himachal Pradesh) and Tumalapalli (Andhra Pradesh). The provision on the revenue side takes care of the existing activities and drilling and other operations as well as survey, prospecting and development of mineral resources.

15. **Nuclear Fuel Complex** : NFC at Hyderabad meet the fuel reguirement of the Nuclear Power Reactors set up in the country. NFC also produces Zircalloy components, calandria tubes etc for consumption by the Nuclear Power Corporation of India. Additional facilities like Stainless Steel Tubes Plant and Ball Bearing Tubes Plant have been set up to cater to the needs of the Atomic Energy Programmes as well as Indigenous Industires.

16-17. **Heavy Water :** A provision of Rs. 3.67 crores has been made in the Budget for meeting capital expenditure on the heavy water plants at Manuguru and Hazira for producing heavy water required for the use in the Atomic Power Stations. This also includes a provision for the housing colonies for the Heavy Water Plants. Necessary provision has also been made for improvement works at Kota, Tuticorin, Baroda and Thal plants.

The Budget also provides for the operational expenses of Heavy Water Plants at Tuticorin, Baroda, Kota, Talcher, Thal Vaishet Hazira and Manugura as also for the metallic Potassium Plant and the Ammonia Synthesis Gas Facility of Heavy Water Plant, Baroda and the maintenance of staff housing colonies.

18. **Board for Radiation and Isotope Technology** : The Board administers radioisotopes production and applications programme of the Department.

19. **Other Programmes :** The provision covers requirement of the Directorate of Estate Management, Atomic Energy Regulatory Board, Management Services Group, etc.

20. **Grants-in-aid to ECIL.** : This grant is provided for carrying out research related to atomic energy.

21. **Expenditure met from NRF :** The provision in 94-95 is for grant assistance to ECIL for implementation of VRS. It will be met from the National Renewal Fund.

Provision for expenditure to be met from the National Renewal Fund under BE 95-96 has been centrally made in lump sum under Demand No.50 Department of Industrial Development. Allocation out of it to other Ministries/Departments will be decided during the course of the year after which the expenditure will be provided in the respective Grants through supplementary grant or otherwise, as may be necessary.

22. ***Investments in Public Enterprises:-***

22.01 **Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)** : ECIL produces sophisticated electronics instruments required for the atomic power programme. The company also undertakes commercial manufacturing of various electronic equipments developed at the Bhabha Atomic Research Centre and the Tata Institute of Fundamental Research and other commercial products like computer, TV sets etc. The total paid up capital of the company as on 31.3.94 amounted to Rs.45.00 crore.

22.02 **Uranium Corporation of India Ltd. (UCIL)** : UCIL at Jaduguda carries out all activities relating to mining and processing of Uranium. The company has commenced the work on the new mines and mines at Narwapahar as part of the expansion programme. The company proposes to undertake commercial exploitation of other Uranium Deposits. The provision of Rs. 55 crore for investment in the equity of the company has been made to assist the company in meeting the expenditure on Narwapahar Project and Jaduguda Mines Expanstion.

22.03 **Indian Rare Earths Limited (IRE)** - IRE operates the mineral separation plants and factories at Chavara and Manavalakuruchi. It operates a factory at Alwaye and Orissa Sands Complex at Chhatrapur and also manages Thorium Factory at Trombay on behalf of the Department. A budgetary support of Rs.5.00 crore is envisaged for the joint venture programme of the company as government investment in the Project.

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

मांग संख्या DEMAND No.86

न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं Nuclear Power Schemes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	95.18	95.18	...	95.18	95.18	...	100.32	100.32
पूंजी	*Capital*		*200.00*	...	*200.00*	*200.00*	...	*200.00*	*300.00*	...	*300.00*
जोड़	**Total**		**200.00**	**95.18**	**295.18**	**200.00**	**95.18**	**295.18**	**300.00**	**100.32**	**400.32**
न्यूक्लीय विद्युत परियोजनाएं	**Nuclear Power Projects**										
1. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र :	1. *Rajasthan Atomic Power Station:*										
1.01 सकल राजस्व व्यय	1.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	78.82	78.82	...	50.66	50.66	...	71.52	71.52
1.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	1.02 Less-Revenue Receipts	0801	...	-21.83	-21.83	...	...	...	...	-9.80	-9.80
1.03 निवल	1.03 *Net*		...	*56.99*	*56.99*	...	*50.66*	*50.66*	...	*61.72*	*61.72*
2. ईंधन भंडार	2. *Fuel Inventory*										
2.01 सकल राजस्व व्यय	2.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	295.90	295.90	...	223.90	223.90	...	244.06	244.06
2.02 घटाइये प्राप्तियां	2.02 Less Receipts	0801	...	-216.37	-216.37	...	-169.70	-169.70	...	-218.03	-218.03
2.03 निवल	2.03 *Net*		...	*79.53*	*79.53*	...	*54.20*	*54.20*	...	*26.03*	*26.03*
3 तारापुर और कलपक्कम में अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध सुविधाएं	3. Waste Management Facilities at Tarapur and Kalpakkam	2801	...	6.55	6.55	...	6.47	6.47	...	8.42	8.42
		4801	6.70	...	6.70	5.70	...	5.70	11.00	...	11.00
जोड़		*Total*	*6.70*	*6.55*	*13.25*	*5.70*	*6.47*	*12.17*	*11.00*	*8.42*	*19.42*
4. भारी पानी पूल प्रबन्ध:	4. *Heavy Water Pool Management :*										
4.01 सकल राजस्व व्यय	4.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	148.36	148.36	...	142.06	142.06	...	182.01	182.01
4.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	4.02 Less-Revenue Receipt	0801	...	-201.25	-201.25	...	-168.21	-168.21	...	-187.86	-187.86
4.03 निवल	4.03 *Net*		...	*-52.89*	*-52.89*	...	*-26.15*	*-26.15*	...	*-5.85*	*-5.85*
5. अन्य योजनाएं	5. Other Schemes	2801	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
		4801	9.00	...	9.00	7.71	...	7.71	18.73	...	18.73
जोड़		*Total*	*9.00*	*5.00*	*14.00*	*7.71*	*10.00*	*17.71*	*18.73*	*10.00*	*28.73*
6.1 सरकारी उद्यमों में निवेश	6.1 Investment in Public Enterprises	4801	184.30	...	184.30	186.59	...	186.59	270.27	...	270.27
6.2 सरकारी उद्यमों को ऋण	6.2 Loans to Public Enterprises	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*184.30*	...	*184.30*	*186.59*	...	*186.59*	*270.27*	...	*270.27*
कुल जोड़	***Grand Total***		***200.00***	***95.18***	***295.18***	***200.00***	***95.18***	***295.18***	***300.00***	***100.32***	***400.32***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
न्यूक्लीय विद्युत निगम	Nuclear Power Corporation	12801	184.30	983.00	1167.30	186.59	644.00	830.59	270.27	851.73	1122.00
	ACC Babcock Ltd.	12801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*184.30*	*983.00*	*1167.30*	*186.59*	*644.00*	*830.59*	*270.27*	*851.73*	*1122.00*
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. विद्युत	1. Power	12801	200.00	983.00	1183.00	200.00	644.00	844.00	300.00	851.73	1151.73

1. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र : राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का प्रबंध अभिकरण व्यवस्था के आधार पर भारतीय परमाणु शक्ति निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है । इसलिए प्रचालन संबंधी व्ययों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है ।

2. ईंधन भंडार : इसमें तारापुर के लिए ईंधन हेतु तथा दाबित भारी पानी के रिएक्टरों के लिए ईंधन के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है । भारतीय परमाणु शक्ति निगम लिमिटेड से वसूल किए गए ईंधन के प्रयोक्ता प्रभारों को हिसाब में शामिल करने के पश्चात, इस से संबंधित राजस्व खाते के व्यय की निवल राशि 26.03 करोड़ रूपए है ।

3. अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध सुविधाएं : ये सुविधाएं प्रचालन में बिजली घरों द्वारा उत्पादित रेडियो-एक्टिव अपशिष्टों पर कार्रवाई करने और एकत्रित करने के लिए स्थापित की गई हैं और इनका निष्पादन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया जा रहा है और तारापुर तथा कलपक्कम में इनका प्रचालन हो रहा है ।

4. भारी पानी पूल प्रबंध : इसमें भारी पानी के भंडार के प्रबंध के लिए व्यवस्था की गई है । भारी पानी के उपयोग से संबंधित लीज प्रभार प्रचालन विद्युत केन्द्रों द्वारा वसूल कर लिए जाते हैं । इस सम्बन्ध में निवल व्यय (-) 5.85 करोड़ रुपए है ।

1. Rajasthan Atomic Power Station : The management of Rajasthan Atomic Power Station has been entrusted to Nuclear Power Corporation of India Ltd., on an agency basis. Hence provision has been made in the Budget for the operational expenses.

2. Fuel Inventory : This provides for expenditure on the fuel for Tarapur as well as for the fuel for Pressurised Heavy Water Reactors. Taking into account the user charges for fuel recovered from NPCIL, the revenue expenditure on this account is netted at Rs. 26.03 crores

3. Waste Management Facilities : These are facilities set up to process and store radioactive wastes generated by power stations in operation and are executed by BARC and operated at Tarapur and Kalpakkam.

4. Heavy Water Pool Management : This provides for the management of Heavy Water Inventory. Lease charges are recovered for the use of Heavy Water by the operating power stations. The net expenditure on this account is Rs. (-) 5.85 crores.

5. **अन्य योजनाएं :** इनमें काकरापार में स्थित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं सम्मिलित हैं । 33.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय न्यूक्लीय विद्युत निगम लिमिटेड (भा. न्यू. वि. नि. लि.) : इस संस्थान को 3 सितम्बर, 1987 को एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया । इस निगम की स्थापना मुख्य रूप से वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लीय ऊर्जा का नियमन और विकास करने के प्रयोजन से एक एकीकृत कार्यक्रम का आयोजन करने और उसे कार्यान्वित करने, पर्यावरण के संरक्षण का संवर्धन करने और सहायक सुविधाओं के क्रय, विक्रय, निर्यात तथा विनिर्माण आदि तथा उनके प्रचालन और अनुरक्षण करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी।

इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रूपए है । कम्पनी ने अपना कारोबार 17.9.87 को शुरू किया । अब यह मौजूदा विद्युत केन्द्रों का संचालन कर रही है और नई विद्युत परियोजनाओं तथा सहायक परियोजनाओं के निर्माण का कार्य भी हाथ में ले रही है ।

कुछ एक चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें अब भारतीय न्यूक्लीय विद्युत निगम लि. द्वारा चलाया जा रहा है तथा जिनमें से प्रत्येक पर 100.00 करोड़ रूपए से ज्यादा की लागत आएगी और जिनके लिए व्यवस्था कर दी गई है, इस प्रकार है :

5. **Other Schemes** : These include Environmental Survey Laboratories at Kakrapar. Provision is also made for Prototype Fast Breeder Reactor with an estimated cost of Rs.33.00 crores.

Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL): NPCIL was incorporated as a company on 3rd September, 1987 with the main objective to plan and execute an integrated programme for harnessing and developing nuclear energy for generating electricity on commercial basis, to promote protection of the environment and to engage in purchase, selling, exporting, manufacturing etc., and operation and maintenance of ancillary facilities.

The authorised capital of the company is Rs.3500 crores. The company commenced its business on 17.9.1987. It is now operating the existing power stations and is undertaking construction of new power projects and ancillary projects.

Some of the important on-going projects costing more than Rs.100.00 crores each, now being executed by NPCIL and for which provision has been made are given below :

योजना का नाम	Name of the scheme	स्वीकृत लागत Approved cost	1994-95 (स.अ.) RE for 1994-95 (करोड़ रुपए	आयोजना परिव्यय 1995-96 (ब.अ.) Plan outlay for BE 1995-96 Rs. in crores)	पूर्ति की प्रत्याशित तारीख Anticipated date of completion
1. कैगा परमाणु विद्युत परियोजना I तथा II	1. Kaiga Atomic Power Project I and II	730.72	419.00	340.00	30.6.1996 & 31.12.1996
2. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4	2. Rajasthan Atomic Power Project 3 & 4	711.57	338.00	320.00	30.11.1996 & 30.11.1997
3. तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4	3. Tarapur Atomic Power Project 3 & 4	3447.00	211.00	300.00	अप्रैल और April, 2003 & दिसम्बर December, 2005

इलेक्ट्रोनिकी विभाग DEPARTMENT OF ELECTRONICS

मांग संख्या DEMAND No. 87

इलेक्ट्रोनिकी विभाग Department of Electronics

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		114.88	14.32	129.20	115.38	16.20	131.58	125.48	14.35	139.83
पूंजी	*Capital*		*25.22*	...	*25.22*	*25.22*	...	*25.22*	*21.52*	...	*21.52*
जोड़	**Total**		**140.10**	**14.32**	**154.42**	**140.60**	**16.20**	**156.80**	**147.00**	**14.35**	**161.35**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	1.10	5.54	6.64	1.10	7.42	8.52	0.90	5.57	6.47
दूर संचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग	**Telecommunications and Electronics Industries**										
2. प्रौद्योगिकी विकास परिषद् परियोजनाएं	2. Technology Development Council Projects	2852	2.85	...	2.85	2.85	...	2.85	1.49	...	1.49
		7425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*3.00*	...	*3.00*	*1.50*	...	*1.50*
3. औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम	3. Industrial Electronics Promotion Programme	2852	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	6.19	...	6.19
		4859	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.21	...	0.21
जोड़		*Total*	*7.70*	...	*7.70*	*7.70*	...	*7.70*	*6.40*	...	*6.40*
4. सेमि-कंडक्टर कम्पेल्क्स लि.	4. Semi Conductor Complex Ltd.	2852	27.16	...	27.16	27.16	...	27.16	27.00	...	27.00
5. इलेक्ट्रोनिक सामग्री विकास कार्यक्रम	5. Electronics Material Development Programme	2852	2.95	...	2.95	2.95	...	2.95	3.20	...	3.20
		7425	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*3.00*	...	*3.00*	*3.25*	...	*3.25*
6. सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी विकास कार्यक्रम	6. Micro - Electronics Development Programme	2852	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09
		4859	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40
		7425	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*3.50*	...	*3.50*	*3.50*	...	*3.50*	*3.50*	...	*3.50*
7. उन्नत परिकलन विकास केन्द्र (सी.-डी. ए सी)	7. Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
8. राष्ट्रीय एच.वी.डी.सी. परियोजना	8. National HVDC Project	2852	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50
9. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था	9. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER)	2852	1.50	2.30	3.80	1.50	2.30	3.80	1.25	2.30	3.55
10. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम	10. Standardisation Activities Programme	2852	7.09	2.29	9.38	7.09	2.29	9.38	7.89	2.29	10.18
		3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		4859	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	13.00	...	13.00
जोड़		*Total*	*11.90*	*2.29*	*14.19*	*11.90*	*2.29*	*14.19*	*20.90*	*2.29*	*23.19*
11. इलेक्ट्रोनिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	11. Centre For Electronics Design and Technology	2852	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00
12. विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम	12. Special Manpower Development Programme	2852	25.20	...	25.20	25.20	...	25.20	30.53	...	30.53
13. साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम	13. Software Export Promotion Programme	2852	4.60	...	4.60	4.60	...	4.60	4.25	...	4.25
14. पांचवी जनरेशन की कम्प्यूटर प्रणाली का विकास कार्यक्रम	14. Fifth Generation Computer System Development Programme	2852	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
		4859	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90	...	...	...
जोड़		*Total*	*8.00*	...	*8.00*	*8.00*	...	*8.00*	...	...	...
15. इलेक्ट्रोनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र	15. Electronic Research & Development Centres	2852	1.50	2.35	3.85	1.50	2.35	3.85	1.50	2.35	3.85
16. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	16. Technology Development for Indian Languages	2852	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	1.50	...	1.50
17. फोटोनिक विकास कार्यक्रम	17. Photonics Development Programme	2852	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	3.00	...	3.00
18. साफ्टवेयर निर्यात के लिए मूल्यवर्धित हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क	18. Value-added High Speed Data Communication Network for Software Export	2852	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	2.08	...	2.08
19. प्रौद्योगिकी मिशन	19. Technology Mission	2852	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
20. अन्य कार्यक्रम	20 *Other programmes*										
20.01 राष्ट्रीय राडार परिषद परियोजना	20.01 National Radar Council Projects	2852	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	0.84	...	0.84
		7425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*1.50*	...	*1.50*	*1.50*	...	*1.50*	*0.85*	...	*0.85*
20.02 प्रणाली अभियांत्रिकी और परामर्शी कार्यक्रम	20.02 System Engineering and Consultancy Programme	2852	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50
		4859	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03
		7425	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		Total	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.53	...	0.53

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
20.03 कम्प्यूटर नेटवर्क में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	20.03 Advanced Technology Programme in Computer Networking.	2852	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	4.50	...	4.50
		4859	10.25	...	10.25	10.25	...	10.25	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*12.00*	...	*12.00*	*12.00*	...	*12.00*	*4.75*	...	*4.75*
20.04 स्वास्थ्य इलेक्ट्रानिकी	20.04 Health Electronics	2852	1.10	...	1.10	1.60	...	1.60	1.20	...	1.20
20.05 साफ्टवेयर विकास कार्यक्रम	20.05 Software Development Programme	4859	...	...	...	...	...	...	6.40	...	6.40
20.06 अन्य स्कीमें	20.06 Other Schemes	2250	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
		2852	1.43	0.20	1.63	1.43	0.20	1.63	3.06	0.20	3.26
		3453	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09
		4859	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.10	...	0.10
		7425	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*1.67*	*0.84*	*2.51*	*1.67*	*0.84*	*2.51*	*3.21*	*0.84*	*4.05*
जोड़		**Total**	**16.77**	**0.84**	**17.61**	**17.27**	**0.84**	**18.11**	**16.94**	**0.84**	**17.78**
21. सहायता सामग्री उपस्कर - सकल	21. Aid Material Equipments - Gross	3606	...	21.90	21.90	...	21.90	21.90	...	18.80	18.80
घटाइए - कार्यकारी मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct* - Transfers to functional Major head	3606	...	-21.90	-21.90	...	-21.90	-21.90	...	-18.80	-18.80
निवल - सहायता सामग्री और उपस्कर जोड़	*Net* -Aid Materials & Equipments	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	22.Investment in Public Sector Enterprises	4859	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
		6859	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	...	...	...
कुल - जोड़	***Grand Total***		***140.10***	***14.32***	***154.42***	***140.60***	***16.20***	***156.80***	***147.00***	***14.35***	***161.35***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. सेमि-कन्डक्टर कम्पलेक्स लि०	1. Semi Conductor Complex Ltd.	12859	0.02	...	0.02	0.02	6.56	6.58	...	...	...
2. सी.एम.सी.लि०	2. CMC Ltd.	12859	...	10.00	10.00	...	3.54	3.54	...	4.40	4.40
3. ई.टी. एण्ड लि.	3. ET and T Ltd.	12859	...	...	...	...	-5.90	-5.90	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.02*	*10.00*	*10.02*	*0.02*	*4.20*	*4.22*	...	*4.40*	*4.40*
अन्य संस्थाएं/निकाय	**Other Institutions/Bodies**										
एन.सी.एस.टी/एस.ए.एम.ई.ई.आर /एसईपीपी/सी-डैक आदि	**NCST/SAMEER/SEPP/ C-DAC.etc**	**12859**	...	**10.44**	**10.44**	...	**10.44**	**10.44**	...	**24.15**	**24.15**
जोड़	**Total**		**0.02**	**20.44**	**20.46**	**0.02**	**14.64**	**14.66**	...	**28.55**	**28.55**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिकी उद्योग	1. Telecommunication and Electronic Industries	12859	138.56	20.44	159.00	139.06	14.64	153.70	145.97	28.55	174.52
2.सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2. Secretariat-Economic Services	13451	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	0.90	...	0.90
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3. Other Scientific Research	13425	0.44	...	0.44	0.44	...	0.44	0.13	...	0.13
जोड़	**Total**		**140.10**	**20.44**	**160.54**	**140.60**	**14.64**	**155.24**	**147.00**	**28.55**	**175.55**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें इलेक्ट्रोनिकी विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाः** इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और अभियांत्रिकी को संवर्धित करना तथा उसे सहायता प्रदान करना है; कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार, नियंत्रण और उपकरण विकास, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी, इलैक्ट्रोनिक्स के संघटक, इलेक्ट्रोनिक्स का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, दूरसंचार और प्रसारण।

3. **औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स संवर्धन कार्यक्रमः** कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक स्वचलन और प्रशिक्षण विकास के माध्यम से देश में प्रणालीगत अभियान्त्रिकी संस्कृति का संवर्धन करना तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को लागू करना है। विनिर्माण उद्योग को अनेक प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई हैं।

4. **सेमी कंडक्टर कम्प्लैक्स लि.** ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 1984 में आरम्भ किया और उपभोक्ताओं, दूर संचार, औद्योगिक तथा अन्य संवेदी क्षेत्रों के लिए एल एस आई/वी एल एस आई यंत्रों और प्रणालियों का विनिर्माण कर रही है। एस.सी.एल. मोहाली की अनुसंधान और विकास सुविधाएं फरवरी 1989 में लगी आग में पूर्णतया नष्ट हो गई थी एस.सी.एल में सुविधाओं को सरकार से बजटीय समर्थन द्वारा पुनर्निर्मित किया जा रहा है।

1. **Secretarial - Economic Services:** It provides for secretariat expenditure of the Department of Electronics.

2. **Technology Development Council Projects (TDC)** : The programme aims to promote and support research, design, development and engineering in the areas of computers and computer communications, control and Instrumentation, consumer electronics telecommunications and broadcasting.

3. **Industrial Electronics Promotion Programme (IEPP)** : The programme aims to promote system engineering culture in the country through industrial automation and training development and introduction of appropriate technologies. A number of technologies have been transferred to the manufacturing industry.

4. **Semi Condlictors Complex Ltd (SCL)** : started its commercial production in 1984 and has been manufacturing LSI/VLSI devices and systems for consumer, telecom, industrial and strategic sectors. The R&D facilities at SCL, Mohali were completely destroyed in fire in Feb.1989. The Facilities at SCL are being rebuilt with Budgetary Support from government.

5. **इलेक्ट्रोनिकी सामग्री विकास कार्यक्रम** : इस का उद्देश्य इलेक्ट्रोनिकी सामग्रियों के लिए एक ठोस अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी आधार विकसित करना तथा इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना और उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा उद्योगों में नाजुक तथा प्राथमिकता प्राप्त इलेक्ट्रानिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अभिमुख लक्ष्यों को समर्थन देना है। इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केन्द्र की स्थापना इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वैज्ञानिक सोसायटी के रूप में वर्तमान तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रोनिकी सामग्रियों में प्रौद्योगिकी क्षमता की स्थापना करने के लिए की गयी है।

6. **सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी विकास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के क्षेत्र में जनशक्ति, अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी को शामिल करके देश में इनका एक ठोस आधार बनाने तथा स्वदेशी इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए विशिष्ट एकीकृत क्षेत्रों के अनुप्रयोग को संवर्धित करने तथा इसके प्रयोग को प्रचुर मात्रा में बढ़ाना है।

7. **उन्नत कम्प्यूटिंग के विकास के लिए केन्द्र** : इस परियोजना की स्थापना विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी के रूप में पुणे में की गई है। समानान्तर कम्प्यूटर और सम्बद्ध सोफ्टवेयर के विकास के अतिरिक्त, सी-डेक ने ज्ञान आधारित कम्प्यूटर प्रणाली, भाषा प्रौद्योगिकी, वी.एल.एस.आई. डिजाइन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया है। सभी क्षेत्रों में सी-डेक का ध्यान सुपुर्दगी पर ही रहा है और इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यापारीकरण किए जाने वाले उत्पादों को विकसित किया जा चुका है।

8. **नेशनल हाई वोल्टेज डायरेक्ट परियोजना**: इस परियोजना का उद्देश्य एच.वी.डी.सी. प्रौद्योगिकी का विकास करना है जिससे कि उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया जा सके, उच्च अनुसंधान केन्द्रों को नाभिकीय बनाया जा सके तथा तापीय विद्युत संयत्रों में इलेक्ट्रोनिकी अनुप्रयोग के लाभों को गुणात्मक और परिमाणात्मक आधार पर प्रदर्शित किया जा सके। परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है और दूसरा चरण भी सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारी उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स और विद्युत विभाग और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स आदि द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

9. **प्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर)** : यह एक अनुसंधान और विकास संगठन है जो माइक्रोवेव, मिलिमीटर वेव और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों की उच्च प्रौद्योगिकी में कार्य कर रही है जिसका विशेष लक्ष्य इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का विकास करना है। यह अन्य अभिकरणों से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अपनाता है और उन्हें प्रायोजित करता है। इसके दो केन्द्र हैं यथा बम्बई में माइक्रोवेव अनुसंधान केन्द्र तथा मद्रास में विद्युत चुम्बकीय केन्द्र।

10. **मानकीकरण क्रियाकलाप कार्यक्रम**: इस का उद्देश्य उद्योगों को इलेक्ट्रोनिक्स संघटकों तथा उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें परीक्षण तथा अंशाकन सेवाएं प्रदान करना है। इलेक्ट्रानिकी, अनवरत बने रहने वाले उद्योगों की क्रियाविधियों, इलेक्ट्रोनिकी के चिकित्सीय उपस्करों वाले उद्योगों के अतिरिक्त दूरसंचार तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी वाले उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आवश्यक है कि देश में विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनी रहे।

11. **इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र**: इसका उद्देश्य इलेक्ट्रोनिकी के डिजाइन और प्रौद्योगिकी में मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने, इलेक्ट्रोनिकी में उद्यमियों और डिजाइन तैयार करने वालों को विकसित करने तथा उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं के साथ गहन पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक्स के उत्पादों का विकास कार्य और डिजाइन तैयार करने के लिए यह केन्द्र है।

12. **विशेष मानव शक्ति विकास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित, उन्नत और प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनिंदा संस्थानों में इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आई.एम.पी.ए.सी.टी (इलेक्ट्रोनिक उद्योग विकास परियोजना – जनशक्ति घटक) शामिल है ताकि उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इस क्षेत्र में व्यावसायिक उद्योग की सक्षमता को बढ़ाया जा सके।

5. **Electronics Material Development Programme (EMDP)** :Its objective is to develop a strong R&D/technology base for electronics materials and to meet future needs of the electronics industry and to support goal oriented R&D projects for critical and priority electronics materials at appropriate R&D institutions and industry. Centre for Material for Electronics Technology (CMET) has been set up as a scientific society under this programme to establish technology strength in electronics materials for the present and future industrial requirements.

6. **Micro Electronics Development Programme (MEDP)** : The objective of the programme is to build a strong base in the country covering manpower, R&D and technology at academic institution R&D laboratories and industry and also promote and proliferate the usage of Application Specific Integrated Circuits (ASICs) for the indigenous electronics industry.

7. **Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)**: Project has been set up at Pune as a registered scientific society of the Department. In addition to the development of parallel computer and associated software, C-DAC has also initiated development programmes in other areas including Knowledge Based Computer System (KBCS), Language Technology, VLSI Design and Rural Technology. In all fields, C- DAC's focus and emphasis has been on delivery, and as such, a number of commercialisable products have been developed.

8. **National High Voltage Direct Current Project** : It is aimed at developing the HVDC technology, gain experience in high technology area, to nucleate advanced research centres and to demonstrate qualitatively and quantitatively the benefits of electronics application in thermal power plants. Stage- I of the project has been completed and Stage-II also approved by the Government will be executed jointly by Departments of Heavy Industry,Power, Electronics, BHEL, APSEB and MPED.

9. **Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER)** : It is a R&D organisation working in high technology areas of microwaves, millimeterwaves and electromagnetics with the specific goal of developing applications for these technologies. It also undertakes sponsored R&D projects from other agencies. It has two centres, viz the Centre for Microwave Research at Bombay and Centre for Electromagnetics at Madras.

10. **Standardisation Activities Programme**: It provides testing and calibration services to the industries for improvement of quality and reliability of electronics components and products. Electronics play a vital role in continuous process industries, Electromedical equipment industries, besides Telecommunications and Consumer electronics Industries. It is essential that quality of indigenously manufactured products complies to International Standards.

11. **Centre for Electronics Design and Technology (CEDT)** : It aims to train manpower in electronics design and technology, to develop entrepreneurs and designers in electronics and also to undertake electronics product development and design in close interaction with industries, R&D labs and academic institution.

12. **Special Manpower Development Programme (SMDP)** : Under this programme different projects are being executed to educate, upgrade and train people in the field of modern electronics. The programme includes IMPACT (Electronic Industry Development Project - Manpower Component) to upgrade the quality of training in electronics and computer in selected institutions to meet the needs of industry and also to enhance the competence of the industry professionals in this area.

13. **सोफ्ट वेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार के लिए देश में सोफ्ट वेयर के एकीकृत विकास को संवर्धित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने सोफ्ट वेयर टेकनोलोजी पार्क आफ इंडिया और सोफ्टवेयर सेवा सहायता तथा शिक्षा केन्द्र की स्थापना की है।

14. **पांचवी पीढ़ी कम्प्यूटर प्रणालीविकास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रमके मुख्य उद्देश्य समानांतर प्रसंस्यारण पर आधारित जानकारी के कम्प्यूटिंग के लिए यंत्रों का विकास करना और उसके साथ-साथ ए.आई. प्रोग्रामिंग वातावरण तथा उपकरणों के साथ तैयार मानक कम्प्यूटरों को विकसित करना तथा ज्ञान आधारित कम्प्यूटर प्रणाली की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वास्तविक जीवन की कुछ समस्याओं के समाधान का प्रदर्शन करना है।

15. **इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र** इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के अन्तर्गत यह एक वैज्ञानिक सोसायटी है और इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्य करना तथा स्थानीय इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए तकनीकी जानकारी विकसित करना है।

16. **भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास**: इसका उद्देश्य मानव-मशीन की पारस्परिक क्रियाओं को सुसाध्य बनाने, सूचनाओं को प्रसंस्कृत करने, प्राकृतिक भाषा ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों को संवर्धित, प्रसंस्कृत और सृजित करने के लिए भारतीय भाषाओं के लिए इलेक्ट्रोनिकी उपकरण विकसित करना है।

17. **फोटोजन्य विकास कार्यक्रम**: इसका प्रमुख उद्देश्य फोटोनिक्स प्रौद्योगिकी विकसित करना और अन्य राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ मिलकर उसको व्यवहार में लाना तथा फोटोनिक्स के कतिपय चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय तथा औद्योगिक आधार का निर्माण करना है।

18. **साफ्ट वेयर निर्यात के लिए मूल्यवर्धित उच्चगति आंकड़ा संचार नेटवर्क**: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च गति के मूल्य वर्धित आंकड़ा संचार के संवर्धन और विपणन के लिए और मुख्यरूप से कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के निर्यातों के लिए विश्वसनीय उच्च कोटि के आंकड़ा संचार का संबंध स्थापित करने के लिए सेटकोम सर्विस (इंडिया) की स्थापना की गयी है।

19. **प्रौद्योगिकी मिशन**: इसका उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर सुपरिभाषित समय-निर्धारित परियोजनाओं को क्रियान्वित करके चुनिंदा प्रमुख इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और अनुप्रयोगों में संकेन्द्रित ढंग से राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना है । जिन विशिष्ट मिशन उद्देश्यों का पता लगाया गया है वे हैं: नेक्स्ट जनरेशन मैसिवली पैरलल सुपरकम्प्यूटर, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, फोटोनिक्स/ओप्टोइलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, रेट्रोफिट आटोमेशन, इलैक्ट्रोनिक्स संघटक, भावी एयर नैविगेशन प्रणाली और इनफोर्मेशन हाइवे ।

20. **अन्य कार्यक्रम**: इसके अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम हैं एन.सी.एस.टी, इलेक्ट्रोनिकी में प्रदर्शनियां, कम्प्यूटर नेटवर्क, एन.आर.सी, एस.ई.सी.ओ., पूंजीगत सामान, स्वास्थ्य, ग्रामीण इलेक्ट्रोनिक्स, औद्योगिक रोबोट, जापानी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को सूचना सहायता, सोफ्टवेयर विकास कार्यक्रम और लीक्विड क्रिस्टल रिसर्च के लिए केन्द्र।

21. **सहायता सामग्री और उपस्कर**: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी स्रोतों से वस्तु सहायता की प्राप्ति के बारे में अनुमान दिखाये जाते है।

13. **Software Export Promotion Programme (SEPP)** : The main objective of the Software Export Promotion Programme is to promote integrated development of software in the country for domestic as well as export market. To achieve this objective the Department of Electronics has set up Software Technology Parks of India (STPI) and Software Services Support and Education Centre (SSSEC).

14. **Fifth Generation Computer System Development Programme (FGCS)** : The main objectives of the programme are development of vehicle for knowledge based computing, based on parallel processing as well as standard computers complete with AI programming environment and tools and to demonstrate solutions to some real life problems using the Knowledge Based Computer System Technology.

15. **Electronics Research and Development Centre (ER&DC)**: It is a Scientific Society under DOE and its main objectives are to undertake industrial Research & Development and generate knowhow for local electronic industry.

16. **Technology Development for Indian Language (TDIL)**: It aims at developing electronic tools for Indian Languages to facilitate human machine interaction and information processing, to promote research and development in the area of Natural Language Understanding, Processing and Generation.

17. **Photonics Development Programme** : The main objective of the programme is to develop Photonic technologies and application in coordination with other national agencies and to build the technology and industrial basis in certain selected areas of Photonics.

18. **Value Added High Speed Data Communication Network for Software Export**: Under this programme Satcom Services (India) has been setup to promote and market the High Speed Value Added Data Communication (HSVAN) and provide reliable and high quality data communication links primarily for the computer softare exporters.

19. **Technology Missions**: It aims to develop national strength in a focussed manner in selected core electronics technologies, systems and applications by implementing well defined time targeted projects on priority basis. Specific Mission objectives identified are next Generation Massively Parallel Supercomputer, Microelectronics, Photonics/Optoelectronics, Electronics Materials, Retrofit automation, Electronic Component, Future Air Navigation System and Information Highway.

20. **Other Programmes**: The main programmes are NCST, exhibition in electronics, computer network, NRC, SECO, Capital Goods, Health, Rural Electronics, Industrial Robots, Japanese language Training Programme, information Support to Electronic Industries Programme, Software Development Programme and Centre for Liquid Crystal Research.

21. **Aid Material and Equipment**: This respresents estimates relating to receipt of commodity grants from external sources.

महासागर विकास विभाग DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.88

महासागर विकास विभाग Department of Ocean Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		35.30	13.00	48.30	40.70	13.00	53.70	42.75	13.94	56.69
पूंजी	*Capital*		*10.70*	...	*10.70*	*5.30*	...	*5.30*	*9.25*	...	*9.25*
जोड़	**Total**		**46.00**	**13.00**	**59.00**	**46.00**	**13.00**	**59.00**	**52.00**	**13.94**	**65.94**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	0.77	0.77	...	0.77	0.77	...	0.82	0.82
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	**Oceanographic Research**										
2. समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण	2. Oceanographic Survey	3403	...	11.70	11.70	...	11.70	11.70	...	12.60	12.60
3. एंटार्कटिक अनुसंधान (तटीय अनुसंधान पोत)	3. Antarctic Research (Coastal Research Vessel)	3403	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
		5403	10.70	...	10.70	5.30	...	5.30	9.25	...	9.25
जोड़		*Total*	*22.70*	...	*22.70*	*17.30*	...	*17.30*	*24.25*	...	*24.25*
4. बहुधात्विक कोषिका कार्यक्रम	4. Polymetallic Nodules Programme	3403	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
5. अन्य कार्यक्रम	5. Other Programmes										
5.1 अनुसंधान परियोजनाओं, विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों और मानवशक्ति प्रशिक्षण हेतु सहायता	5.1 Assistance for Research Projects ,Seminars,Symposia etc.	3403	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	3.80	...	3.80
5.2 समुद्रीय उपग्रह सूचना सेवा	5.2 Marine Satellite Information Service.	3403	4.91	...	4.91	4.91	...	4.91	4.00	...	4.00
5.3 तटीय समुद्र मानीटरिंग और पूर्वानुमान प्रणाली	5.3 Costal Ocean Monitoring and Prediction System	3403	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	2.00	...	2.00
5.4 समुद्र स्तरीय परिवर्तन का मानीटरिंग तथा प्रारुपण	5.4 Monitoring and Modelling of Sea Level Variation.	3403	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
5.5 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञानी आंकड़े तथा सूचना प्रणाली	5.5 National Oceanographic Data and Information System.	3403	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
5.6 प्रदर्शनी और मेले	5.6 Exhibitions and Fairs	3403	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.20	...	0.20
5.7 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान	5.7 National Institute of Ocean Technology.	3403	0.40	...	0.40	5.80	...	5.80	2.40	...	2.40
5.8 अन्य स्कीमें	5.8 Other Schemes.	3403	2.49	0.53	3.02	2.49	0.53	3.02	4.85	0.52	5.37
जोड़		*Total*	*14.30*	*0.53*	*14.83*	*19.70*	*0.53*	*20.23*	*18.75*	*0.52*	*19.27*
जोड़-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	**Total Oceanographic Research**		**46.00**	**12.23**	**58.23**	**46.00**	**12.23**	**58.23**	**52.00**	**13.12**	**65.12**
कुल जोड़	***Grand Total***		***46.00***	***13.00***	***59.00***	***46.00***	***13.00***	***59.00***	***52.00***	***13.94***	***65.94***
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	1. Oceanographic Research	13403	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00	52.00	...	52.00

1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं- इसमें महासागर विकास विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण : जैसे कि पहले होता आया है, ओआरवी सागर कन्या और एफओआरवी सागर सम्पदा का बहुविषयक अनुसंधान के प्रयोजनों हेतु भेजा जाना जारी रहा। वर्ष 1994-95 के दौरान सागर कन्या ने 7 यात्राएं पूरी की। इन यात्राओं के दौरान समुद्र-विज्ञान अध्ययन, जलवायु अनुसंधान आदि किये गये। एफओवीआर सागर सम्पदा ने (दिसम्बर, 1994) वर्ष के दौरान 11 यात्राओं को पूरा किया। इन यात्राओं के दौरान अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री जीव जन्तुओं का मूल्यांकन किया जाना जारी रहा और समुद्र विज्ञान स्थितियों के संबंध में समुद्री जीवजन्तु की बहुलता के बीच का अध्ययन करने के लिए कई समुद्र विज्ञान सीमाओं के आंकड़े एकत्रित किये गये थे।

3. एंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक जलवायु और परिवर्तन के संबंध में एंटार्कटिका की प्रासंगिकता का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिम-महासागर-वातावरण प्रणाली, एंटार्कटिक लिथोस्फेयर, गौंदवानालैंड पुनर्निर्माण, सौर- भौमिक प्रक्रियायों, पर्यावरणात्मक क्रियाविज्ञान तथा औषधि का अध्ययन करना भी सम्मिलित है।

यह विभाग 1981 से प्रति वर्ष अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान दल भेज रहा है। चौदहवें अनुसंधान अभियान दल, जिसमें 58 सदस्य थे, को दिसम्बर, 1994 में भेजा गया था।

4. बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम : 1994-95 के दौरान मध्य भारतीय घाटी से 47 मी. टन ग्रंथिका की खुदाई की गई जबकि समुद्र विज्ञान थाला का लक्ष्य 40 मी. टन का और समुद्रतल की भू-गर्भीय खनन की मात्रा

1. Secretariat-Economic Services- Under this, expenditure on account of the Secretariat of the Department of Ocean Development is provided.

2. Oceanographic Survey: As in the past, ORV Sagar Kanya and FORV Sagar Sampada continued to be deployed for the purposes of multidisciplinary research. During 1994-95 Sagar Kanya completed 7 cruises. During the cruises, oceanographic studies, climate research, etc., were carried out. FORV Sagar Sampada completed eleven cruises during the year (Dec. 94). During the cruises, assessment of marine living resources in the Exclusive Economic Zone were continued and data on several oceanographic parameters to study the relationship between the abundance of marine fauna in relation to oceanographic conditions were collected.

3. Antarctic Research Programme: The main objective of this programme is to undertake scientific study of relevance of Antarctica for global climate and change and the programme comprises of study of Ice-Ocean-Atmosphere system, Antarctic lithosphere, Gondwanaland reconstruction, solar terrestrial processes, environmental physiology and medicine.

The Department is sending every year a scientific expedition to Antarctica since 1981. The 14th Scientific Expedition consisting of 58 members was sent in December, 1994.

4. Polymetallic Nodules Programme: During 1994-95 about 47 tonne of nodules have been dredged from Central Indian Ocean Basin against the target of 40 tonne Oceanographic data as well as core

नामने तथा समुद्र के नीचे का पर्यावरण जानने के लिए कोर नमूने भी एकत्रित किये गये हैं। ग्रंथिका संग्रहण यात्राओं के पूरा होने के बाद भारत को आवंटित खान क्षेत्र में गहरे गूनपथ (टो) सर्वेक्षण किये गये और गहरे टो टीवी कैमरा के साथ लगभग एक लाख फोटो लिये गये। भारत को आवंटित अग्रगामी क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र तक की एक पंजीकृत अगुआ निवेशक के रूप में दायित्व को आंशिक पूरा करने की छूट दी गई है।

राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर जिन्होंने ग्रंथिकाओं से धातु निकालने के संबंध में अभियान चलाये है, ने वर्ष के दौरान 2 प्रायोगिक अभियान पूरे किये। आंकड़े प्रक्रिया संबंधी अंतर का आगे परिशोधन करने के लिए उपयोगी हैं। खनन परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर रिमोट से चलने वाले वाहन (आरओवी) का विकास किया है और प्रणाली का आगे और अन्नयन के लिए अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसे सतही जल उपयोगी के लिए इस्तेमाल किया जा सके ।

5. अन्य कार्यक्रम

5.1 ***अनुसंधान परियोजनाओं, विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों और मानव शक्ति प्रशिक्षण के लिए सहायता*** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह विभाग समुद्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं आईआईटीस और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मौलिक अनुसंधान और विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1990 से अनुसंधान सहायता चुनिंदाओं और सीमित कार्यक्रमों को की गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान 'समुद्र से औषधियां' से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम और अन्य चालू परियोजनाएं जारी रही है और राष्ट्रीय परियोजना में भाग ले रही सभी प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों को निधियां दी गई हैं। अनुसंधान सलाहकार समिति ने 5 नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की सिफारिश की है। मानव-शक्ति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पांच नए अनुसंधान कार्मिक नियुक्त किये गये थे।

5.2 ***समुद्रीय उपग्रह सूचना सेवा (मेरसिस)*** : उपग्रह से प्राप्त काल्पनिक आंकड़ों से समुद्रीय आंकड़ों का सुधार करने के लिए क्षमताओं का विकास करने, लाभप्रद समुद्रीय आंकड़ा उत्पादों को सृजित करने और प्रचालनात्मक आधार पर अन्तः उपभोज्यों तक इनका प्रसार-प्रचार करने के लिए मेरसिस का निर्माण किया गया है। समुद्री सतह के तापमान पर आंकड़ों के माध्यम से तैयार की गयी मान्य मत्स्य क्षेत्रों का प्रसारण जारी रहा। आंध्र प्रदेश, गोआ, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों को शामिल करके उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श के लिए 9 कैम्प संचालित किए गए। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपसमूहों के लिए तटीय मानचित्रों का निर्माण जारी रहा, जो अन्य अध्ययन किए गए उनमें हीट फ्लक्स स्टडीज, मिक्सड लेयर डेपथ स्टडीज, समुद्र स्तर में होने वाले परिवर्तनों का मनीटरिंग करना तथा तरंग आंकड़े एकत्र करने हेतु माइक्रोवेव का प्रयोग शामिल है

5.3 ***तटीय समुद्र मानीटरिंग और पूर्वानुमान प्रणाली*** इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के समुद्रीय किनारों के साथ-साथ 77 स्थानों पर 25 प्रदूषण पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे है। इनके अतिरिक्त, 25 स्थानों को 'संभावित गर्म स्थल' (अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन क्षेत्रों में सघन परिवीक्षण किया जा रहा है। प्राप्त हुए परिणामों ने निम्न और अधिक प्रदूषित क्षेत्रों के बारे में बताया है। इन आंकड़ों और सूचना को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को आवश्यक कानूनी/उपचारी कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है।

5.4 ***समुद्र स्तरीय परिवर्तन का मानीटरिंग तथा प्रारूपण*** : जलवायु-विषयक संबंधी परिवर्तनों के कारण हुई परिवर्तिताओं और भारतीय तटीय क्षेत्र पर ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आधुनिक ज्वार-भाटा प्रमापी की स्थापना हेतु एक परियोजना शुरू की गई है ताकि ज्वार-भाटों को सही ढंग से नापा जा सके। निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे किये गए है :- (i) कोचीन, कावरेती, मतलीपटनम और पारादीप में ज्वार-भाटा प्रमापी केबिनों का निर्माण (ii) तुटीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम और कवरेली में ज्वार-भाटा प्रमापी स्टेशनों को चालू किया (iii) देशीय विनिर्मित फलोरिंग ज्वार-भाटा प्रमापी तथा दबाव सेंसर जवार-भाटा प्रमापियों के साथ तुलना करने के लिए 3 ध्वनिक ज्वार-भाटा प्रमापियों के आयात के लिए पहल की है और (iv) 1:25,000 के पैमाने पर 6 मीटर की ऊंचाई तक 0.5 मीटर के कोन्टर अन्तराल सहित अथवा जमीन पर 20 कि. मी. की न्यूनतम दूरी पर नेल्लौर से मछली पत्तनम तक के तटीय क्षेत्र में मानचित्रण का कार्य पूरा करना ।

samples have also been collected for measuring geo-minning properties of seabed and for knowing the sea bottom environment. After completion of nodule collection cruises, deep tow survey in the mine site area allotted to India was taken up and about one lakh photographs were taken with the Deep Tow TV Camera. An area to the extent of 20% of the pioneer area allotted to India has been relinquished in partial fulfilment of obligation as a registered pioneer investor.

National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur and Regional Research Laboratory, Bhubaneshwar, who have been undertaking the campaigns on extraction of metals from the nodules, have completed two pilot campaigns during the year. The data is useful for further refinement of the process gaps. Under the Mining project, a Remotely Operated Vehicle (ROV) has been developed by the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, and the system is being studied for further up gradation so that it can be deployed for shallow water uses.

5. Other Programmes

5.1 ***Assistance for Resarch Projects, Seminars, Symposia, and Manpower Training etc.*** : Under this Programme, the Department provides financial support for basic research and development in the various fields of Ocean Sciences through various academic institutions, I.I.Ts and other national laboratories. Since 1990 research support has been extended selectively and limited to programmes of specific importance. During the year 1994-95 major programmes on "Drugs from Ocean" and other on-going projects have been continued and funds released to all the laboratories/Universities participating in the National Project. The Reseach Advisory Committee has receommended 5 new projects for funding. Further, 5 new research personnel were appointed in various institutes/ universities under Manpower Development Programme.

5.2 ***Marine Satellite Information Service (MARSIS)*** : MARSIS is designed to develop capabilities for retrieval of Ocean data from Satellite imageries, generate useful Ocean data products and to disseminate these to the end users on an operational basis. Dissemination of Potential Fishing Zone (PFZ) information generated through Sea Surface Temperature data, were continued. 9 user interaction camps were conducted covering the States of Andhra Pradesh, Goa, Tamilnadu and Maharashtra. Preparation of coastal maps for Gujarat, Orissa, West Bengal and A&N Islands, were also continued. The other studies carried out included heat flux studies, mixed layer depth studies, montioring of sea level variability and microwave applications for collections of wave data.

5.3 ***Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMAPS)*** : Under this programme data on 25 pollution parameters at 77 locations along the coastline of the country are being collected. In addition, 25 locations have been classified as potential hot spots (highly polluted areas) and intensive monitoring is being carried out in these areas. The results obtained have indicated areas of low, moderate and high pollution. The data and information are communicated to the Pollution Control authorities for necessary legal remindial action.

5.4 ***Monitoring and Modelling of Sea Level Variation*** : In order to assess variations in the sea level due to climatic changes and impact of such variations on the coastal belt of India, a project for the establishment of modern tide gauges for accurate measurement of tides has been initiated. The following activities have been completed : (i) construction of tide gauge cabins at Cochin, Kavarati, Machalipatnam and Paradeep; (ii) commissioning of tide gauge stations at Tuticorin, Madras, Visakhapatnam and Kavarati; (iii) Initiation of action for the import of 3 acoustic tide gauges for comparison with the indigenously fabricated floating tide gauge and pressure sensor tide gauges; and (iv) Completion of mapping of the coastal area from Nellore to Machilipatnam on 1:25,000 scale with 0.5 metre contour interval upto a height of 6 meters or a minimum distance of 20 k.m. on the land ward side.

5.5 ***राष्ट्रीय समुद्र विज्ञानी आंकड़े तथा सूचना प्रणाली*** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 विशेषज्ञ संस्थाओं में राष्ट्रीय समुद्रीय आंकड़ा केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, ताकि भंडार, प्रसंसाधन और समुद्र विज्ञान के सभी पहलुओं के संबंध और तकनीकी के संबंध में आंकड़ा और सूचना के प्रचार को सुनिश्चित किया जा सके। 9 राष्ट्रीय समुद्रीय आंकड़ा केन्द्रों पर आंकड़े एकत्रित करने और भंडार के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना पूरा हो गया है। सूक्ष्म-भू केन्द्र और एनआईसीएनई टी के माध्यम से उनके प्रचालन सहित समुद्रीय आंकड़ा केन्द्रों की नेटवर्क कार्य प्रणाली का कार्य भी 4 समुद्रीय आंकड़ा केन्द्रों में पूरा हो गया है।

5.6 ***प्रदर्शनी और मेले*** : भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने एक स्थान पर विज्ञान मंडपों का समेकन करने का प्रस्ताव किया है। जैसाकि विद्यमान स्थाई मंडप का विभाग रेलवे मंडप के पड़ोस में नए स्थान में बदला जाना है। वर्ष 1994-95 के दौरान विभाग भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग नहीं ले सका क्योंकि नए मंडप के लिए स्थान आंवटित नहीं किया गया था। विभाग फरवरी, 1995 में हवाड़ा में होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेगा।

5.7 ***राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान*** : राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान आंकड़ा विभाग (डीओडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक समिति के रूप में स्थापित की गई है और आजकल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के परिसर में कार्य कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में प्रयोगशालाओं आदि के रूप में उपलब्ध प्रमुख आधारभूत सुविधाओं का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जिससे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए नए प्रयोगशालाओं अथवा परीक्षण सुविधाओं पर व्यय की काफी बचत हुई है। लहर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने से संबंधित कार्यकलापों, जो पहले ही विकसित किए गए हैं, को शुरू किया गया है। संशोधित टरबाइन और जनरेटर को तैयार किया गया है। विजीनजम, केरल में स्थित लहर ऊर्जा संयंत्र में इन संशोधित ढांचों का परीक्षण किया जाएगा। शुरू किये गये अन्य कार्यकलापों में रेत खनन के लिए अपेक्षित गहरे जल खनन प्रणाली तटीय कटाव, सहवर्धन बंदरगाह में खुदाई जैसी प्रयोक्तोन्मुख तटीय इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय माडलों का मूल्यांकन आदि शामिल है। समुद्री उपकरणों की बनाई जाने वाली सूची को भी सुनिश्चित किया गया है।

5.8 ***अन्य स्कीमें*** : इसमें निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था शामिल है।

(i) तटीय अनुसंधान पोत

(ii) द्वीप विकास कार्यक्रम

(iii) समुद्रीय प्रसंसाधन प्रणाली

(vv) मानव शक्ति प्रशिक्षण

(v) अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम

(vi) समुद्रीय और महासागरीय जीव-जन्तु आदि

(vii) आंकड़ा वृद्धि कार्यक्रम

5.5 ***National Oceanographic Data and Information System:*** Under this programme a network of National Marine Data Centres (MDC) have been established at 13 expert institutions to ensure storage. Processing and dissemination of data and information on all aspects of Ocean Science and Technology. Strengthening of infrastructural facilities for collection of data and storage at 9 National Marine Data Centres (MDC) were completed. Networking of MDCs with Micro Earth Station and their operation through NICNET were also completed in 8 MDCs.

5.6 ***Exhibitions and Fairs*** : The India Trade Promotion Organisation has proposed to consolidate science pavilions at one place. As such the present permanent pavilion of the Department is to be shifted to new place in the neighbourhood of the Railway Pavilion. During the year 1994-95, the Department was not able to participate in the India International Trade Fair as the space for the new pavilion was not allotted. The Department will participate in the exhibition to be conducted at Howarah during February, 1995.

5.7 ***National Institute of Ocean Technology (NIOT)*** : The National Institute of Ocean Technology has been established as a Society under the administrative control of Department of Ocean Development and is presently functioning in the premises of Indian Institute of Technology (IIT), Madras. The major infrastructure available at IIT, Madras in the form of laboratories, etc. is being utilised for pursuing the objectives of the NIOT, thus effecting large savings on expenditure on new laboratories or testing facilities for NIOT. The activities relating to refinement of wave energy technology developed already were taken up. A modified turbine and generator have been fabricated. These modified structures will be tested in the wave energy plant at Vizhinjam, Kerala. The other activities taken up include evaluation of shallow water mining system required for sand mining, mathematical models to solve user-oriented coastal engineering problems like coastal erosion, accretion, dredging in harbour, etc. A list of marine instruments to be developed was also identified.

5.8 ***Other Schemes*** :- It includes the following schemes/programmes.

(i) Coastal Research Vessels.

(ii) Island Development Programme

(iii) Marine Instrumentation and System.

(iv) Manpower Training

(v) International Cooperation Programme

(vi) Marine Aquaria Oceanaria etc.

(vii) Data Buoy Programme.

अन्तरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

मांग संख्या DEMAND No.89

अन्तरिक्ष विभाग Department of Space

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		477.79	154.99	632.78	506.18	154.99	661.17	670.39	161.20	831.59
पूंजी	*Capital*		*122.21*	...	*122.21*	*113.82*	...	*113.82*	*79.61*	...	*79.61*
जोड़	**Total**		**600.00**	**154.99**	**754.99**	**620.00**	**154.99**	**774.99**	**750.00**	**161.20**	**911.20**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	0.05	1.87	1.92	0.02	2.03	2.05	0.02	2.01	2.03
अंतरिक्ष अनुसंधान	**Space Research**										
राकेट विकास	Rocket Development										
2. संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ए.एस.एल.वी. - सी सहित)	2. Augmented Satellite Launch Vehicle (including ASLV-C)	3402	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
3. पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन	3. Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)	3402	0.92	...	0.92	0.72	...	0.72	0.10	...	0.10
		5402	-0.01	...	-0.01	0.19	...	0.19	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.91*	...	*0.91*	*0.91*	...	*0.91*	*0.10*	...	*0.10*
4. भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट	4. Geo -Synchronous Launch Vehicle	3402	139.06	...	139.06	97.16	...	97.16	118.08	...	118.08
		5402	80.94	...	80.94	42.84	...	42.84	21.92	...	21.92
जोड़		*Total*	*220.00*	...	*220.00*	*140.00*	...	*140.00*	*140.00*	...	*140.00*
5. क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट	5. Cryogenic Upper Stage Project	3402	...	...	...	23.06	...	23.06	54.24	...	54.24
		5402	...	...	...	26.94	...	26.94	30.76	...	30.76
जोड़		*Total*	...	...	...	*50.00*	...	*50.00*	*85.00*	...	*85.00*
6. पोलर सेटेलाइट लांच व्हेकल डी 3	6. Pollar Satellite Launch Vehical D3	3402	5.00	...	5.00	17.00	...	17.00	25.00	...	25.00
7. पोलर सेटेलाइट लांच व्हेकल-अनवरत परियोजना	7. Pollar Satellite Launch Vehical - Cointinuation Project	3402	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
8. विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र	8. Vikram Sarabhai Space Centre	3402	17.13	49.16	66.29	27.82	48.66	76.48	13.01	52.45	65.46
		5402	2.57	...	2.57	1.70	...	1.70	3.14	...	3.14
जोड़		*Total*	*19.70*	*49.16*	*68.86*	*29.52*	*48.66*	*78.18*	*16.15*	*52.45*	*68.60*
9 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इनर्शियल सिस्टम यूनिट	9.Indian Space Research Organisation - Inertial Systems Units.	3402	2.13	...	2.13	2.96	...	2.96	2.76	...	2.76
		5402	2.68	...	2.68	3.78	...	3.78	0.79	...	0.79
जोड़		*Total*	*4.81*	...	*4.81*	*6.74*	...	*6.74*	*3.55*	...	*3.55*
10. श्री हरिकोटा केन्द्र	10. Sriharikota Centre	3402	10.83	16.21	27.04	13.76	15.96	29.72	9.35	15.96	25.31
		5402	7.16	...	7.16	5.46	...	5.46	2.52	...	2.52
जोड़		*Total*	*17.99*	*16.21*	*34.20*	*19.22*	*15.96*	*35.18*	*11.87*	*15.96*	*27.83*
11. इसरो टेलीमीटरी, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क	11. ISRO Telemetry,Tracking and Command Network	3402	1.97	8.33	10.30	2.02	8.50	10.52	1.55	8.35	9.90
		5402	3.02	...	3.02	2.72	...	2.72	1.09	...	1.09
जोड़		*Total*	*4.99*	*8.33*	*13.32*	*4.74*	*8.50*	*13.24*	*2.64*	*8.35*	*10.99*
12. द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र	12. Liquid Propulsion Systems Centre	3402	18.02	11.72	29.74	6.18	12.46	18.64	3.27	13.57	16.84
		5402	2.12	...	2.12	2.37	...	2.37	2.07	...	2.07
जोड़		*Total*	*20.14*	*11.72*	*31.86*	*8.55*	*12.46*	*21.01*	*5.34*	*13.57*	*18.91*
13. द्वितीय प्रक्षेपण पैड और सामान्य सुविधाएं	13. Second Launch Pad and Common Facilities	3402	0.20	...	0.20	0.01	...	0.01	0.50	...	0.50
		5402	1.80	...	1.80	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*0.01*	...	*0.01*	*1.00*	...	*1.00*
14. अन्य	14. Others	3402	0.25	0.55	0.80	...	0.54	0.54	0.01	0.55	0.56
जोड़-राकेट विकास	**Total - Rocket Development**		**295.80**	**85.97**	**381.77**	**281.70**	**86.12**	**367.82**	**295.66**	**90.88**	**386.54**
उपग्रह विकास	**Satellite Development**										
15. जारी विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला	15. Stretched Rohini Satellite Series continuation	3402	1.51	...	1.51	1.27	...	1.27	0.11	...	0.11
16. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.निरन्तरता एवं प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	16. Indian Remote Sensing Satellite (including IRS continuation and Launch Services)	3402	38.52	...	38.52	27.18	...	27.18	14.26	...	14.26
		5402	2.10	...	2.10	1.68	...	1.68	1.04	...	1.04
जोड़		*Total*	*40.62*	...	*40.62*	*28.86*	...	*28.86*	*15.30*	...	*15.30*
17. इनसेट-II परीक्षण अन्तरिक्ष यान परियोजना(प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	17. INSAT - II Test Spacecraft Project (Including launch Services)	3402	19.99	...	19.99	0.03	...	0.03	20.08	...	20.08
		5402	0.01	...	0.01	0.07	...	0.07	...	...	...
जोड़		*Total*	*20.00*	...	*20.00*	*0.10*	...	*0.10*	*20.08*	...	*20.08*
18. आई.आर.एस.- II उपग्रह	18. IRS-II Satellites	3402	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
19. जीसैट	19. G-SAT	3402	1.00	...	1.00	...	...	...	0.50	...	0.50
20. आई. आर. एस.– पी2	20. IRS P2	3402	12.26	...	12.26	10.36	...	10.36	19.00	...	19.00
21. आई. आर. एस.– पी3	21. IRS P3	3402	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
22. आई.आर.एस.पी.-4 (ओशियनसेट)	22. IRS P4(Oceansat)	3402	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
23. आई.आर.एस.पी.-5/पी6	23. IRS P5/P6	3402	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24. आईएसआरओ उपग्रह केन्द्र	24. ISRO Satellite Centre	3402	9.83	14.36	24.19	9.83	14.09	23.92	8.73	15.42	24.15
		5402	3.36	...	3.36	2.01	...	2.01	1.87	...	1.87
जोड़		*Total*	*13.19*	*14.36*	*27.55*	*11.84*	*14.09*	*25.93*	*10.60*	*15.42*	*26.02*
25. वैद्युत-प्रकाशीय प्रणाली के लिए प्रयोगशाला	25. Laboratory for Electro-Optics System	3402	4.28	...	4.28	3.53	...	3.53	3.45	...	3.45
		5402	2.43	...	2.43	5.02	...	5.02	2.89	...	2.89
जोड़		*Total*	*6.71*	...	*6.71*	*8.55*	...	*8.55*	*6.34*	...	*6.34*
जोड़-उपग्रह विकास	**Total - Satellite Development**		**96.39**	**14.36**	**110.75**	**60.99**	**14.09**	**75.08**	**73.95**	**15.42**	**89.37**
अन्तरिक्ष उपयोग	**Space Applications**										
26. अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र	26. Space Applications Centre	3402	8.75	16.04	24.79	8.96	17.82	26.78	9.52	19.11	28.63
		5402	3.17	...	3.17	3.52	...	3.52	1.77	...	1.77
जोड़		*Total*	*11.92*	*16.04*	*27.96*	*12.48*	*17.82*	*30.30*	*11.29*	*19.11*	*30.40*
27. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी	27. National Remote Sensing Agency	3402	2.49	12.51	15.00	5.88	9.12	15.00	6.53	7.22	13.75
28. निरन्तर विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	28. Integrated Mission for Sustainable Development	3402	4.90	...	4.90	2.90	...	2.90	4.90	...	4.90
		5402	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*3.00*	...	*3.00*	*5.00*	...	*5.00*
29. अन्य	29. Others	3402	7.82	2.29	10.11	8.32	2.29	10.61	7.97	2.38	10.35
		5402	0.70	...	0.70	6.01	...	6.01	0.94	...	0.94
जोड़		*Total*	*8.52*	*2.29*	*10.81*	*14.33*	*2.29*	*16.62*	*8.91*	*2.38*	*11.29*
जोड़-अंतरिक्ष उपयोग	**Total - Space Applications**		**27.93**	**30.84**	**58.77**	**35.69**	**29.23**	**64.92**	**31.73**	**28.71**	**60.44**
अंतरिक्ष विज्ञान	**Space Sciences**										
30. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	30. Physical Research Laboratory	3402	1.63	7.51	9.14	2.06	7.48	9.54	1.54	7.84	9.38
31. अग्रिम कार्यवाही/समानान्तर/आर्डर देना	31. Advance Action. Parallel Ordering	3402	4.80	...	4.80	...	...	...	...	...	...
32. महत्वपूर्ण मदों का स्वदेशीकरण	32. Indigenisation of Strategic Items	3402	7.07	...	7.07	...	...	...	...	...	...
		5402	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*9.07*	...	*9.07*	...	...	...	...	...	...
33. अन्य	33. Others	3402	3.22	...	3.22	5.08	...	5.08	4.81	...	4.81
जोड़-अंतरिक्ष विज्ञान	**Total - Space Sciences**		**18.72**	**7.51**	**26.23**	**7.14**	**7.48**	**14.62**	**6.35**	**7.84**	**14.19**
34. अन्य योजनाएं	34. Other Programmes	3402	0.55	10.29	10.84	4.64	11.62	16.26	8.28	11.66	19.94
		5402	2.02	...	2.02	3.30	...	3.30	2.44	...	2.44
जोड़		*Total*	*2.57*	*10.29*	*12.86*	*7.94*	*11.62*	*19.56*	*10.72*	*11.66*	*22.38*
35. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश-एंट्रिक्स निगम लिमिटेड	35. Investment in Public Enterprises-Antrix Corporation Limited	5402	0.25	...	0.25	...	...	...	...	...	...
इन्सेट आपरेशनल	**INSAT Operational**										
36. मास्टर नियंत्रण सुविधाएं	36. Master Control Facility	3252	1.80	4.15	5.95	2.07	4.42	6.49	2.34	4.68	7.02
		5252	1.39	...	1.39	2.05	...	2.05	3.10	...	3.10
जोड़		*Total*	*3.19*	*4.15*	*7.34*	*4.12*	*4.42*	*8.54*	*5.44*	*4.68*	*10.12*
37. इन्सेट-2 उपग्रह (प्रक्षेपण संबंधी सेवाओं सहित)	37. INSAT-2 Satellites (Including Launch Services)	3252	150.60	...	150.60	218.34	...	218.34	323.36	...	323.36
		5252	4.40	...	4.40	4.06	...	4.06	2.67	...	2.67
जोड़		*Total*	*155.00*	...	*155.00*	*222.40*	...	*222.40*	*326.03*	...	*326.03*
38. इन्सेट-III उपग्रह	38. INSAT-III Satellites	3252	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
जोड़ इन्सेट आपरेशनल	**Total - INSAT Operational**		**158.29**	**4.15**	**162.44**	**226.52**	**4.42**	**230.94**	**331.57**	**4.68**	**336.25**
39. सहायक सामग्री और उपस्कर सकल	39. Aid Material Equipments-Gross	3606	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	1.00	1.00
घटाइए-कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष को अंतरण	*Deduct-Transfers to Functional Major Head*	*3606*	...	*-0.01*	*-0.01*	...	*-0.01*	*-0.01*	...	*-1.00*	*-1.00*
निवल-सहायता सामग्री एवं उपस्कर जोड़	Net-Aid Materials & Equipments	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***600.00***	***154.99***	***754.99***	***620.00***	***154.99***	***774.99***	***750.00***	***161.20***	***911.20***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
1. एंट्रिक्स निगम लिमिटेड	1. Antrix Corporation Limited	13402	0.25	...	0.25	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	1. Space Research	13402	600.00	...	600.00	620.00	...	620.00	750.00	...	750.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इस शीर्ष के अन्तर्गत अन्तरिक्ष विभाग के सचिवालय पर किए जाने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ए एस एल वी):** ए एस एल वी-सी परियोजना की स्वीकृत लागत 17.98 करोड़ रुपए है। श्री हरिकोटा से 20 मई, 1992 को ए.एस.एल.वी.-डी 3 द्वारा तृतीय विकास उड़ान के सफल प्रक्षेपण के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई। ए.एस.एल.वी - डी 3 ने एस.आर. ओ. एस.एस. - सी को सफलतापूर्वक ग्रह-कक्षा में भेजा। एस.आर.ओ.एस.एस.-सी2 उपग्रह को 437 x 938 कि.मी. कक्षा में स्थापित करते हुए, ए.एस.एल.वी. की चौथी विकास उड़ान का 4 मई, 1994 को सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

3. **पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी.एस.एल.वी.) :** इस परियोजना-कार्यक्रम में एक ऐसे प्रक्षेपण वाहन का विकास करने की परिकल्पना की गई है जिससे भारतीय क्षेत्र से 900 कि.मीटर वाली पोलर सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में 1000 कि.ग्रा. तक का एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा जा सके। परियोजना की स्वीकृत लागत 414.96 करोड़ रुपए है। पी.एस.एल.वी की पहली विकास उड़ान (पी. एस. एल. वी. डी.-1) सितम्बर 20,1993 को हुई। यद्यपि आई. आर. एस. 1-ई को सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने का कार्य पूरा न किया जा सका, तथापि पी. एस. एल. वी. के लिए विकसित अधिकांश प्रौद्योगिकियों को प्रमाणित किया गया। 15 अक्तूबर, 1994 को पी.एस.एल.वी.-डी2 की दूसरी विकास उड़ान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी-2) की सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापना की गई। पी.एस.एल.वी.-डी 2 की सफलता प्रक्षेपण वाहन तकनीक के क्षेत्र में देशीय क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत का प्रयास एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

4. **भू-तुल्यकालिक प्रक्षेपण वाहन (जी.एस.एल.वी.) :** जी एस एल वी परियोजना का उद्देश्य भू-तुल्यकालिक परिवर्तन कक्षा में 1500/2500 कि. ग्रा. के अन्तरिक्ष यान को स्थापित करने के लिए एक भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जी एस एल वी) विकसित करके उसे इस कार्य के योग्य बनाना है। इस परियोजना का संशोधित लागत अनुमान 935.30 करोड़ रुपये है। इसका प्रथम प्रक्षेपण 1997 के लिए पुनः निर्धारित है।

5. **क्रायोजेनिक उपरी-चरण परियोजना :—** क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (सी.यू.एस.) परियोजना की स्वीकृत लागत 335.89 करोड़ रुपए है। क्रायोजेनिक उपरी-चरण परियोजना का उद्देश्य लगभग 12.5 आक्सीजन (एल.ओ.एक्स.) तथा तरल हाइड्रोजन (एल.एच. 2) का उपयोग करके और 7.5 टन के नौमिनल इंजन थ्रस्ट के लगभग 740 सेकिन्ड तक जलने वाले एक पुनः चालू होने वाले क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का विकास करना और उसको गुणवत्ता प्रदान करना है। परियोजना के विस्तार में भी एस.एल.वी. के लिए द्वि-उड़ान योग्य चरणों के कार्य के लिए प्रावधान है।

6 **पी. एस. एल. वी.-डी.-3 :** आई.आर. एस- पी. 3 के प्रक्षेपण के लिए पी. एस. एल. वी.-डी-3 1995-96 के लिए निर्धारित है।

7. **पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन-विस्तारण:** बैच उत्पादन में उत्पादन एवं लागत सुविधा को जारी रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पी.एस.एल.वी. की 3 और उड़ानों के लिए तथा 3 और उड़ानों की अग्रिम कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है इस परियोजना की स्वीकृत लागत 255.59 करोड़ रुपए है।

8. **विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र :** यह अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का राष्ट्रीय केन्द्र है। इस केन्द्र में राकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों का उनसे संबंधित नियंत्रण तथा मार्गदर्शन प्रणाली और इलेक्ट्रानिकी समेत देश में ही विकास करने के कार्य पर जोर दिया जा रहा है। इस केन्द्र का मुख्य प्रयास अब पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. की प्राप्ति पर केन्द्रित है।

9. **इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई आई एस यू) :** इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई.आई. एस. यू.) का प्रमुख कार्य इसरो के उपग्रह कार्यक्रमों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण राकेटों और संबद्ध जड़त्वीय उपस्करों और प्रणालियों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सशक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का अनुसरण करना है।

10. **शार केन्द्र :** यह केन्द्र स्थिर परीक्षण, ठोस नोदक उत्पादन और प्रक्षेपण सेवाओं के प्रचालन के लिए है। ठोस नोदक अन्तरिक्ष बूस्टर संयंत्र की सुविधाओं का उपयोग प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रमों के लिए ठोस मोटर्स का संसाधन करने के लिए किया जा रहा है, पी.एस.एल.वी. प्रक्षेपण काम्प्लेक्स और भूमि पर सहायक सुविधाएं पूरी तरह से प्रचालनात्मक हैं।

11. **भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन दूरमिति, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आई.एस.टी.आर.ए.सी.) :** आई.एस.टी.आर.ए.सी. को एक अलग यूनिट के रूप में गठित किया गया था जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा और इसके अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, श्रीहरिकोटा, लखनऊ, कार निकोबार और

1. **Secretariat - Economic Services:** Provision is made for expenditure to be incurred on the Secretariat of the Department of Space.

2. **Augmentd Satellite Lauch Vehicle:** The sanctioned cost of the ASLV-C Project is Rs.17.98 crores. A major milestone in the Indian Space was achieved with the successful launch of the third development flight of ASLV-D3 from Sriharikota on May 20, 1992. ASLV-D3 successfully injected SROSS-C Satellite into orbit. The fourth developmental flight of ASLV was carried out successfully on May 4, 1994 injecting the SROSS-C2 satelite into 437 x 938 km orbit.

3. **Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) :** This project envisages development of an Indian Launch Vehicle to place an Indian Remote Sensing Satellite of 1000 kg class in a 900 km polar sun-synchronous orbit from an Indian range. The sanctioned cost of the project is Rs.414.96 crores. The first developmental flight of PSLV (PSLV-D1) took place on September 20,1993. Though the mission of injecting IRS-1E into sun-synchronons orbit could not be accomplished, most of the technologies developed for the PSLV were proven. The second developmental flight of PSLV-D2 was successfully launched on 15.10.1994 and the Indian Remote Sensing Satellite (IRSP2) was sucessfully placed into a near Polar sun-synchronons orbit. The success of PSLV D2 marks an important milestone in India's effort to achieve indigenious capability in the launch vehicle technology.

4. **Geo-Synchronous Launch Vehicle (GSLV) :** The scope of the GSLV Project is to develop and qualify a Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) for placing 1500/2500 kg class of INSAT series spacecrafts in Geosynchronous transfer orbit. The revised cost estimate of the project in Rs. 935.30 crores. The first launch is scheduled for 1997.

5. **Cryogenic Upper Stage Project** : The sanctioned cost of the Cryogenic Upper Stage (CUS) project is Rs. 335.89 crores. The objective of the (Cryogenic Upper Stage) project is to develop and qualify a restartable cryogenic Upper Stage using about 12.5 tonnes of Liquid Oxygen (LOX) and Liquid Hydrogen (LH2) and burning for about 740 seconds with a nominal Engine Thrust of 7.5 tonnes. The project scope also provides for delivery of two flight worthy stages for GSLV.

6. **PSLV-D3:** PSLV-D3 is planned for launching IRS-P3 in 1995-96.

7. **Polar Satellite Launch Vehicle - Coritinuation** : Keeping in view the need for continuity of production and cost advantage in batch production, 3 more flights and advanced action for further 3 more flights of PSLV have been approved by the Government. The sanctioned cost of the project is Rs. 255.59 crores.

8. **Vikram Sarabhai Space Centre :** This is a National Centre for Research and Development in Space Technology. The main thrust of the work in the Centre is towards indigenous development of rockets and satellite launch vehicles with their associated control and guidance systems and electronics. The main efforts of the Centre are now focussed towards the realisation of the PSLV and GSLV.

9. **ISRO Inertial Systems Unit (IISU)** : The major task of the ISRO Inertial Systems Unit (IISU) is to pursue a strong research and development programme in the critical area of inertial systems for satellite launch vehicles and allied inertial components and systems for satellite programmes of ISRO.

10. **SHAR Centre :** SHAR Centre is the operational base for static testing, solid propellant production and launch services. The facilities at the Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) are being utilised for processing of solid motors for launch vehicle programmes; the PSLV launch complex and ground support facilities have been fully operationalised.

11. **Indian Space Research Organisation Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC):** ISTRAC organised into a separate Unit with Head quarters at Bangalore, has ground stations at Ahmedabad, Trivandrum, SHAR, Lucknow, Car Nicobar and Mauritius

मारीशस में भूकेन्द्र है जिनका कार्य आई.आर.एस/ एस.आर.ओ.एस.एस./ए. एस.एल.वी/पी.एस.एल.वी. के कार्यक्रमों में सहायता करना है। बंगलौर स्थित अन्तरिक्षयान नियंत्रण केन्द्र पूरी तरह काम कर रहा है।

12. **द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.)** : द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.) 1985 में स्थापित किया गया था। इसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपण की सभी द्रव नोदन प्रणालियों और आई.एस.आर.ओ. की उपग्रह परियोजनाओं के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई।

13. **द्वितीय प्रक्षेपण पैड और सामान्य सुविधाएं** : पी.एस.एल.वी/जी. एस.एल.वी. के प्रक्षेपण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से श्रीहरिकोटा में एक दूसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की योजना है।

14. **अन्य** : इसके अन्तर्गत, मुख्यतः उपग्रहों के समग्र गतिशील परीक्षण हेतु ध्वनि की जांच सुविधा की व्यवस्था की गई है।

15. **श्रोस विस्तारण** : 150 कि. ग्रा. वर्ग के चार उपग्रहों श्रोस-3, श्रोस-4, श्रोस--सी और श्रोस-सी-2, के लिए श्रोस विस्तारण परियोजना की स्वीकृत लागत 16.84 करोड़ रुपए है। मई, 1992 में ए.एस.एल. वी.डी- 3 द्वारा श्रोस- I को उपग्रह कक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा गया तथा मई 1994 में ए.एस.एल.वी.-डी 4 द्वारा एस.आर.ओ.एस.एस.-सी. 2 को सफलता पूर्वक छोड़ा गया और इसके पेलोड सुचारु रुप से कार्य कर रहे है।

16. **भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.)(आई.आर.एस निरन्तरता सहित)** : भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं; (क) भूमिगत संसाधनों के अनुप्रयोगों के वास्ते भारत के ऊपर बिम्बग्रहण के लिए एक 3 - अक्षीय स्थायीकृत पोलर सूर्य-तुल्यकालिक उपग्रह का डिजाइन तैयार करना, उसे विकसित और कार्यरत करना (ख) आंकड़े प्राप्त करने, उन्हें दर्ज करने, संसाधित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए भू-स्थित प्रणालियों की स्थापना एवं संचालन और (ग) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्रों में संसाधनों के सर्वेक्षण एवं प्रबन्ध के लिए आई.आर.एस. से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करना। आई.आर.एस.-।ए परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला था, मार्च, 1988 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया और मई, 1988 में इसे प्रचालित घोषित कर दिया गया। 29 अगस्त, 1991 को एफ.आर.एस-1बी के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से आई. आर. एस-1 ए और 1-बी से बिम्ब नियमित आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं और विभिन्न उपयोगकर्ताओं को आंकड़े सप्लाई किये जा रहे है।

आई. आर. एस.-1 सी और आई.आर. एस-1डी परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 185.85 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य उपयोगकर्ता समुदाय को निरन्तर अन्तरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय उत्पादन परिचालन स्टेट-आफ-दी-आर्ट 3-अक्षीय के पिण्ड स्थायीकृत उपग्रहों का डिजाइन और विकास करना है और इस परियोजना में 1995-96 और 1996-97 तक क्रमशः आई.आर.एस.1.सी और 1.डी के दो उड़ान माडल उपग्रहों के प्रक्षेपण की परिकल्पना की गई है।

17. **इनसेट - II परीक्षण अन्तरिक्षयान परियोजना**: 1985 में अनुमोदित की गई इनसेट - II परीक्षण अंतरिक्षयान परियोजना के अंतर्गत, विदेश में निर्मित इनसेट- I अंतरिक्षयान के पहली पीढ़ी के स्थान पर नवीनतम इनसेट अंतरिक्षयान के स्वदेश में विकास करने की परिकल्पना की गई है। स्वदेश में निर्मित द्वितीय पीढ़ी के इनसेट 2ए अंतरिक्षयान को कोरा, फ्रेंचगुयाना से एरिए ने 44 एल लांचर से 10 जुलाई, 1992 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इसे 6 अगस्त, 1992 में प्रचालनात्मक घोषित कर दिया गया। द्वितीय इनसेट - 2बी अंतरिक्षयान को जुलाई 23, 1993 को छोड़ा गया और अगस्त 15, 1993 को पूर्ण प्रचालनात्मक घोषित किया गया।

18. **आई.आरएस- II उपग्रह** : विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अन्तरिक्ष के बिम्बों के बढ़ते उपयोग और आई.आर.एस. उपग्रह से निरन्तर प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आई.आर.एस. के अधिक संशोधित संस्करणों के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.आर.एस. II परियोजना पर कार्य करने का प्रस्ताव है।

19. **जी-सेट** : जी-सेट एक उपग्रह प्रणाली है जिसे ग्रामीण जनसंख्या को; शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये, समर्पित उपग्रह टीवी चैनल प्रदान करने की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। विकास कार्यक्रमों को, राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम होने के साथ-साथ अपने प्रभाव को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये एरिया / क्षेत्र / राज्य विशिष्ट होना भी आवश्यक है। जी-सेट उपग्रह की परिकल्पना स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रत्यक्ष ग्रहण अथवा पुनर्प्रसारण के लिये पर्याप्त क्षमता के 6-8 टीवी चैनल प्रदान करने के लिये की गई है। देशी जी एस एल वी मार्क-1 प्रक्षेपण वाहन के अनुरूप इष्टतम उपग्रह आकृति प्राप्त करने के लिये अध्ययन जारी है।

for supporting the IRS/SROSS/ ASLV/PSLV Missions. The Spacecraft Control Centre at Bangalore is fully operational.

12. **Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) :** LPSC was established in 1985 with the responsibility for development of all liquid propulsion systems for ISRO launchers and satellite projects of ISRO.

13. **Second Launch Pad and Common Facilites:** It is planned to establish second launch pad at Sriharikota to take care of requirements of PSLV/GSLV launches.

14. **Others :** Provision made is mainly for Acoustic Test Facility for overall dynamic testing of satellites.

15. **SROSS Continuation :** The sanctioned cost of SROSS-Continuation Project is Rs.16.84 crores for four satellites of 150 Kg class, SROSS 3 and 4, SROSS-C and C2. SROSS-C was succesfully launched into orbit by ASLV D-3 in May 1992 and SROSS-C2 was launched successfully by ASLV - D4 in May, 1994 and the payloads are functioning well.

16. **Indian Remote Sensing Satellite (IRS) including IRS Continuation:** The objectives of the Indian Remote Sensing Satellite Project are (a) to design, develop and deploy a three-axes stabilised polar sun-synchronous satellite for acquiring imageries over India for earth resources applications (b) to establish and operate ground based systems for data reception, recording, processing and analysis and (c) to use the data from IRS for survey and management of resources in important national areas. IRS-IA spacecraft, the first of a series of operational remote sensing satellites was successfully launched in March 1988, and was declared operational in May, 1988. With the successful launch of IRS-1B on August 29, 1991 imageries from IRS-1A and 1B are being obtained on a regular basis and data products are being supplied to various users.

The sanctioned cost for undertaking IRS-IC and ID Projects is Rs.185.85 crores. The objectives of the project are to design and develop second generation operational state-of-the-art 3-axes body stabilized satellites for providing continued space based remote sensing services to the user community, and the project envisages launch of two flight model satellites of IRS-IC and ID by 1995-96 and 1996-97 respectively.

17. **INSAT-II Test Spacecraft Project :** The INSAT - II Test Spacecraft Project, sanctioned in 1985 envisages indigenous development of the second generation INSAT Spacecraft for replacing the first generation INSAT - I Spacecraft built abroad. INSAT - 2A, the indigenous second generation INSAT Spacecraft was successfully launched on July 10, 1992 from Kourou, French Guyana by Ariane 44L launcher and declared operational on August 6, 1992. INSAT - 2B launched on July 23, 1993, was declared fully operational on August 15, 1993.

18. **IRS-II Satellites :** Taking into account the increased use of space imageries for different applications and continued service required from IRS satellites, it is proposed to take up IRS-II project during the 8th Five Year Plan for system studies for further improved versions of IRS.

19. **G-SAT** : G-SAT is a satellite system proposed for meeting the long felt need for providing dedicated satellite TV channels for broadcasting development-oriented programmes in the areas of education, rural development, health etc., for rural masses. Apart from programmes of national interest, the development programmes also need to be area/region/state-specific to maximise their impact. G-SAT satellite is envisaged to provide 6-8 TV channels of sufficient power to enable either direct reception or re-broadcast through terrestrial transmitters. Studies are underway for arriving at an optimal satellite configuration compatible with the indigenous GSLV mark - 1 launch vehicle.

20. **आई.आर.एस.-पी2/पी3:** पी.एस.एल.वी.डी 2 के द्वारा आई.आर.एस. उपग्रह का अक्तूबर 1994 में सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और इस उपग्रह की कार्य प्रणाली का संतोषजनक रूप से निष्पादन हो रहा है। आई.आर.एस.पी.-2 से प्राप्त फोटो सूचनाऐं बहुत उच्च कोटि की है।

21. आई.आर.एस.पी.-3 का प्रक्षेपण 1995-96 के लिए निर्धारित है।

22. **पी.-4 (ओशियन सैट)** : इसे 1996 में पी.एस.एल.वी. द्वारा छोड़े जाने की योजना है।

23. **आई. आर. एस. पी.-5/पी.-6** : इन्हें क्रमशः पी.एस.एल.वी. सी.-2/सी.-3 द्वारा छोड़े जाने की योजना है।

24. **इसरो उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) बंगलौर:** आई.एस.ए.सी. मुख्य रूप से अन्तरिक्ष यानों, की योजना बनाने और उपग्रह की मुख्य संरचना से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उत्तरदायी है।

25. **इलैक्ट्रो-प्रकाशिकी प्रणालियों के लिए प्रयोगशाला (लियोस)** : लियोस यूनिट को इसरो उपग्रह केन्द्र (आइजेक) के समग्र तत्वावधान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारियों में प्रमोचक राकेटों उपग्रहों के लिए संवेदकों का विकास और उत्पादनीकरण करना है। यह यूनिट दो प्रमुख समूहों (1) संवेदक विकास ग्रुप और (2) अनुप्रयुक्त प्रकाशिकी ग्रुप के रूप में गठित की गई है।

26. **अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (एस.ए.सी.) अहमदाबाद** : एस.ए.सी को उपग्रह संचार, भू-गणित और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और उपग्रह परियोजनाओं के लिए पेलोड के विकास का कार्य सौंपा गया है।

27. **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए)** : यह अतंरिक्ष विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है। यह हैदराबाद में स्थित है। यह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी की प्रचालनात्मक सेवाओं और उपयोग के लिए देश में एक प्रमुख संगठन है। यह मुख्य रूप से उपग्रह और वायुयान संबंधी सुदूर संवेदन आकड़ों को प्राप्त करने, संसाधन और प्रसार, उपयोग की विभिन्न तकनीकों में उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण और सुदूर संवेदन की तकनीकों को प्रयोग करके संसाधन सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

28. **दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई. एम. एस. डी)** : भारत के योजना आयोग के अनुरोध पर संबंधित राज्य और अन्य एजेंसियों के निकट समन्वय से स्थानिक विशिष्ट उपायों पर पहुँचने के लिए मुख्य रूप में आई. आर. एस. आकडों का उपयोग करते हुए दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई. एम. एस. डी) शुरू किया गया है। संबंधित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की भागीदारी से छः राज्यों में स्थापित जल-विभाजक क्षेत्रों के लिए पॉयलट अध्ययनों के माध्यम से तैयार की गई कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। ये छः जल विभाजक क्षेत्र अहमदनगर, अनंतपुर, भिवानी, धर्मपुरी, झाबुआ और कालाहांडी में स्थित हैं।

29. **अन्य** : इसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है :

(क) परम्परागत पद्धतियों और उपग्रह सुदूर संवेदन को अधिकतम संयोजित करके देश में एक राष्ट्रीय-प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना की गई है। अन्तरिक्षयान की आई.आर.एस. श्रृंखला एन.एन.आर.एम.एस. का अतिमहत्वपूर्ण घटक है। एन.एन.आर.एम.एस. का एक मुख्य उद्देश्य उचित एकीकरण और संयोजनों से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/ राज्य/ जिला/तालुका स्तरों पर सभी संसाधनों हेतु देश के लिए एक प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली तैयार करना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से संबंधित सभी विभाग और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियां एन.एन.आर.एम.एस. में भाग लेती है। एन.एन.आर.एम.एस. के लिए अंतरिक्ष विभाग केन्द्रीय एजेंसी है और एन.एन.आर.एम.एस. (पी. सी-एन.एन.आर.एम.एस.) की आयोजना समिति इस राष्ट्रीय प्रयास का समन्वय करती है। देश में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, अनुप्रयोग विकास और जनशक्ति विकास को एकीकृत ढंग से शुरू किया गया है।

(ख) पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र जो कि पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा उपयोगकर्त्ताओं के लिए डिजिटल आकड़ा विश्लेषण सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ग) प्रकाशीय/आई.आर. सुदूर संवेदन को माइक्रोवेव सुदूर संवेदन से जोड़ने की अत्यावश्यक जरुरतों पर विचार करते हुए इस उदीयमान क्षेत्र में भारतीय क्षमताओं की स्थापना के लिए एक नीति तैयार की गई है। एक वायुवाहित सी-बैंड सिंथेटिक एपरचर राडार के फ्लाइट माडल के निर्माण का कार्य प्रगति में है। यूरोपियन माइक्रोवेव उपग्रह, ई.आर.एस.-1 से आंकड़ों का अभिग्रहण और संसाधन नियमित रूप से किया जा रहा है।

(घ) सुदूर संवेदन अनुप्रयोग मिशन (आर. एस. ए. एम.) चुने हुए क्षेत्रों जैसे फसल उत्पादन पूर्वानुमान, भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रण, वन

20. **IRS-P2/P3 :** The IRS P2 satellite was successfully launched on-board PSLV-D2 in October 1994 and all systems on board the satellite are functioning satisfactorily. The imageries received from IRS P2 are of very high quality.

21. The launch of IRS P3 is scheduled during 1995-96

22. **IRS-P4 (Oceansat) :** IRS P4 (Oceansat) is planned to be launched by PSLV - C1 for 1996.

23. **IRS P5/P6** : IRS P5/P6 are planned to be launched by PSLV C2/C3 respectively.

24. **ISRO Satellite Centre (ISAC), Bangalore**: ISAC is mainly responsible for planning of spacecraft and for development of technologies related to satellite mainframe.

25. **Laboratory for Electro-Optics Systems (LEOS) :** The Unit LEOS is established under the overall umbrella of ISRO Satellite Centre (ISAC). The prime responsibility of this unit is development and productionisation of sensors for launch vehicles and satellites. The unit is organised into two major groups (i) Sensor Development Group and (ii) Applied Optics Group.

26. **Space Applications Centre (SAC), Ahmedabad :** SAC is entrusted with the task of research and development work in the areas of satellite communications, geodesy and meteorology, and the development of payloads for the satellite projects.

27. **National Remote Sensing Agency (NRSA)** : This is an autonomous registered society under the Department of Space, located at Hyderabad. It is the premier organisation in the country for operational services and applications of remote sensing technology. It is mainly responsible for acquisition, processing and dissemination of satellite and aircraft remote sensing data, training of users in different applications techniques and conducting resources surveys using remote sensing techniques.

28. **Integrated Mission for Sustainable Development (IMSD) :** At the behest of the Planning Commission, Integrated Mission for Sustainable Development (IMSD) mainly using IRS data has been taken up for arriving at locale specific prescription in close coordination with the concerned States and other agencies. Implementation of action plans generated through pilot studies for watershed areas located in the six States has been initiated with the participation of the concerned States and Union Territories. The six watershed areas are located in Ahmednagar, Ananthpur, Bhiwani, Dharmapuri, Jhabua and Kalahandi.

29. **Others**: Under Others, provision is made for the following:-

(a) A National Natural Resources Management System (NNRMS) has been established in the country, combining optimally the advantages of the satellite remote sensing and conventional methods. The IRS series of spacecraft form the most vital component of NNRMS. One of the the major objectives of NNRMS is to evolve a Natural Resources Information System (NRIS) for the country for all resources themes at National/Regional/State/District/Taluk levels, with appropriate integration and linkages. All Departments and agencies of Central Government and State Governments/Union Territories concerned with natural resources management participate in NNRMS. Department of Space is the nodal agency for NNRMS and the Planning Committee of NNRMS (PC-NNRMS) coordinates this national effort. Strengthening of the infrastructure, applications development and manpower development have been undertaken in the country in an integrated manner.

(b) Five Regional Remote Sensing Service Centres, which are already operational, are providing digital data analysis facility for the users.

(c) Considering the imperative needs for supplementing the optical/IR remote sensing with microwave remote sensing, a strategy has been arrived at for establishing the Indian capability in this emergent field. Fabrication of flight model of an airborne C-band SAR is progressing. Reception and processing of data from the European microwave satellite ERS-1 is being done on a regular basis.

(d) Remote Sensing Applications Mission (RSAM) to conduct large scale demonstration projects in selected areas like crop

किस्म का गहनता मानचित्रण और क्षति का पता लगाने, जल संकर को प्राथमिकता देने, खनन/सुदूर तापीय विद्युत केन्द्रों के पर्यावरणीय प्रभाव, शहरों के अव्यवस्थित प्रसार और तटीय पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन परियोजनाएं संचालित करता है।

(ङ) विकास और शिक्षा संचार इकाई (डी.ई.सी.यू.) जनसंचार साफ्टवेयर जिसमें विकासोन्मुखी दूरदर्शन कार्यक्रम, संचार अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, का कार्य कर रही है।

30. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल), अहमदाबाद** : पी.आर.एल. अंतरिक्ष विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी वित्त व्यवस्था मुख्यतः अन्तरिक्ष विभाग से प्राप्त सहायता अनुदानों से होती है।

31-32-33. **अंतरिक्ष विज्ञान अन्य** : इनकी मुख्यः गतिविधियों में विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान परियोजनाओं, जिनमें अंतरिक्ष विभाग की रूचि हो, का वित्त पोषण आदि सम्मिलित है। इनमें निम्नलिखित के लिये भी व्यवस्था की गई हैः-

(i) मौसम विज्ञान-संबंधी पेलोड तथा बैलून सुविधा।
(ii) राष्ट्रीयमेसोफेयर, स्ट्रेटोसफेयर और ट्रोपोसफेयर रडार सुविधा (एन.एम. आर. एफ.) मध्य वायुमण्डल में हवा, तरंगों, विक्षोभ और वायुमण्डलीय स्थिरता को लगातार मानीटर और वायुमंडलीय अन्तरिक्ष विज्ञान तथा संबद्ध विषयों में अग्रिम अनुसंधान कार्य करती है।
(iii) अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए परिज्ञप्ति राकेट।
(iv) अन्तर्राष्ट्रीय जिओस्फियर- बायोस्फियर का एक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ के तत्वावधान में प्रारम्भ किया गया है। भारत के लिए ऐसे कार्यक्रम की महत्ता एवं प्रासंगिकता को देखते हुए और इस क्षेत्र में अन्तरिक्ष विभाग के उल्लेखनीय योगदान की संभावना को देखते हुए यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
(v) आई आर एस संवर्धनात्मक प्रयास
(vi) भारत का मध्यवर्ती वायुमंडल कार्यक्रम
(vii) संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं
(viii) अन्तरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय बनाना
(ix) खोज और बचाव परियोजना

34. **अन्य कार्यक्रमः** निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है :

(क) इसके अंतर्गत उपस्करों की महत्वपूर्ण मदों और ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्था है जो काफी समय से प्राप्त/विनिर्मित नहीं हुई थी और सामरिक महत्व की मदों का स्वदेशीकरण किया जाना है।
(ख) आई. एस. आर. ओ. मुख्यालय आई. एस. आर. ओ. केन्द्रों / इकाइयों को समस्त विदेश तथा वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबन्धकीय सहायता देता है और अन्तरिक्ष विभाग के कार्यक्रमो/ परियोजनाओं का समन्वय करता है।
(ग) सिविल इंजीनियरी विभाग अन्तरिक्ष विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सिविल, बिजली तथा वातानुकूलन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
(घ) बंगलौर तथा हासन में क्वार्टरों और कार्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए।
(ङ) विकसित और विकासशील देशों के साथ विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के लिये।

35. अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के स्पिन-आफ के प्रोत्साहन के लिए तथा अन्तरिक्ष सेवाओं और उत्पादों के लिए बढ़ती अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट के उपयोग लिए भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी "अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड" की स्थापना की गई है।

36. **प्रधान नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.)** : कर्नाटक में हसन स्थित प्रधान नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) को कक्षा में उपग्रहों के नियंत्रण और प्रचालन, ऐन्टेना, भू-केन्द्रों, कम्प्यूटरों और उपग्रह नियंत्रण सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से इन्सैट प्रणाली की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपग्रह के स्वास्थ्य के मानीटरन का कार्य एम.सी.एफ. के कार्यों का अविभाज्य अंग है।

37. **भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 2 (इन्सेट-2D) (उपग्रह)** - सरकार ने तीन कार्यात्मक इनसेट-II अन्तरिक्ष यान (इनसेट-II सी., डी., ई.) तैयार करना अनुमोदित कर दिया है, इनसेट प्रणाली को अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रदान करने के लिए इनके 1995-98 के दौरान प्रक्षेपित किये जाने की संभावना है। इनसेट-II सी, डी, ई के लिए कुल स्वीकृत लागत 205.25 करोड़ रुपए है।

38. **भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट-III उपग्रह)** - 1990-2000 दशक के अंत तक इनसेट-III अन्तरिक्ष यान की आवश्यकता होगी जिसके लिए आवश्यक तैयारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही करनी होगी।

production forecasting, land use mapping, forest type density mapping and damage detection, water-shed prioritisation, environmental effects of mining/super thermal power stations, monitoring urban sprawl and coastal environment.

(e) Development and Educational Communication Unit (DECU) is engaged in mass communication software including television programmes with a developmental orientation, communications research and training programmes.

30. **Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad:** PRL is the premier national institution carrying out research in space science and allied fields. It is an autonomous institution supported mainly by way of grants-in-aid by the Department of Space.

31-32-33. **Space Sciences Others :** The major activites are the funding of the research projects of interest to the Department in universities and academic institutions. Provisions are also included for the following:-

(i) Meteorological payload and balloon facility.
(ii) National Mesosphere, Stratosphere and Troposphere Radar Facility (NMRF), to monitor continuously winds, waves, turbulances and atmospheric stability in the middle atmosphere and to promote advanced research in atmospheric, space sciences and related disciplines.
(iii) Sounding rockets for space science experiments.
(iv) An International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) has been initiated under the auspices of the International Council of Scientific Union. Considering the importance and relevance of such a programme to India and significant contribution that Department of Space could make in this area, a programme has been initiated.
(v) IRS Promotional Efforts.
(vi) Indian Middle Atmosphere Programme.
(vii) Joint International Projects.
(viii) Space Science Popularisation.
(ix) Search and Rescue project.

34. **Other Programmes**: Provision is made for the following:-

(a) Provisions made is for procurement of critical items of equipment and materials which have long procurement/manufacture lead times and for indigenisation of strategic items.
(b) ISRO Headquarters providing overall direction and scientific, technological and managerial support to ISRO Centres/ Units and coordination to the programmes/projects of the Department of Space.
(c) Civil Engineering Division (CED) is responsible for execution of all civil, electrical and air conditioning work required for the various programmes of the Department of Space.
(d) For construction of quarters and Office buildings at Bangalore and Hassan.
(e) For various collaborative programmes with developed and developing countries.

35. For Antrix Corporation Ltd., a wholly owned Government of India Company, set up for promotion of spin-offs from Space Technology to other sectors and exploitation of growing international market for space services and products.

36. **Master Control Facility (MCF)** : Master Control Facility (MCF) located at Hassan in Karnataka, is charged with the responsibility of control and operation of satellites in orbit, serving the INSAT system through network of antennae, earth stations, computers and satellite control facilities. Monitoring the health of the satellite is integral to the functions of MCF.

37. **Indian National Satellite-2 (INSAT-2) Satellites** : Government has approved building of three operational INSAT-II Spacecraft (INSAT-II C,D,E), which are expected to be launched during 1995-98 to provide the Space segment capacity of the INSAT system. The total sanctioned cost for INSAT-II C,D,E spacecraft is Rs.205.25 crores.

38. **Indian National Satellite-III (INSAT-III) Satellites :** By the end of 1990-2000 Decade, there will be need for INSAT-III spacecraft for which preparatory actions will need to be taken up during Eighth Five Year Plan itself.

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

मांग संख्या DEMAND No.90

लोक सभा LOK SABHA

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	39.00	39.00	...	45.09	45.09	...	48.96	48.96
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ Total		**...**	**39.00**	**39.00**	**...**	**45.09**	**45.09**	**...**	**48.96**	**48.96**
संसद-लोक सभा	**Parliament-Lok Sabha**										
1. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भारित)	1. Speaker and Deputy Speaker (Charged)	2011	...	0.15	0.15	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16
2. विपक्ष का नेता और उसका सचिवालय	2. Leader of Opposition and its Secretariat	2011	...	0.12	0.12	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11
3. सदस्य	3. Members	2011	...	20.31	20.31	...	22.06	22.06	...	22.12	22.12
4. सचिवालय	4. Secretariat	2011	...	17.77	17.77	...	22.11	22.11	...	25.93	25.93
5. अन्य व्यय	5. Other Expenditure	2011	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.64	0.64
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*39.00*	*39.00*	...	*45.09*	*45.09*	...	*48.96*	*48.96*

इसमें लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता और उसके सचिवालय, लोक सभा के सदस्यों और लोक सभा सचिवालय के वेतन, यात्रा व्यय आदि के लिए व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमानों में बढ़ी हुई व्यवस्था मुख्य रूप से, सभी संसद सदस्यों को प्रदान किए जा रहे उपसाधनों सहित कम्प्यूटरों की खरीद और रेलवे और दूरसंचार विभाग के कुछ बकाया दावों के निपटान के कारण है। 1995-96 के बजट अनुमानों में सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त सुरक्षा-उपस्करों, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर आदि की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए व्यवस्था शामिल की गई है।

The provision made is for the salaries, travel expenses, etc. of the Speaker, Deputy Speaker, Leader of Opposition of Lok Sabha and his Secretariat, Members of the Lok Sabha and for the Lok Sabha Secretariat. The increased provision in the R.E. is mainly on account of purchase of computers with accessories being provided to all MPs and settlement of certain outstanding claims of Railways and Telecommunications Department. B.E. 1995-96 besides providing for normal growth, include additional expenditure on purchase of security equipments, software/hardware, etc.

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

मांग संख्या DEMAND No. 91

राज्य सभा RAJYA SABHA

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	16.50	16.50	...	20.35	20.35	...	25.06	25.06
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**16.50**	**16.50**	...	**20.35**	**20.35**	...	**25.06**	**25.06**
संसद-राज्य सभा	**Parliament-Rajya Sabha**										
1. सभापति और उप-सभापति (भारित)	I. Chairman and Deputy Chairman (Charged)	2011	...	0.05	0.05	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
2. विपक्ष के नेता (रा.स.) और सचिवालय	2. Leader of Opposition (RS) and Secretariat	2011	...	0.12	0.12	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
3. सदस्य	3. Members	2011	...	9.63	9.63	...	11.72	11.72	...	11.67	11.67
4. सचिवालय	4. Secretariat	2011	...	6.55	6.55	...	8.21	8.21	...	12.97	12.97
5. अन्य	5. Others	2011	...	0.15	0.15	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*16.50*	*16.50*	...	*20.35*	*20.35*	...	*25.06*	*25.06*

इस में राज्य सभा के सभापति, उप–सभापति, राज्य सभा में विपक्ष के नेता और उसके सचिवालय, राज्य सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा सचिवालय के लिए वेतनों तथा यात्रा व्यय इत्यादि की व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमान में वृद्धि मुख्यतया सभी संसद सदस्यों के लिए अनुषंगियों सहित कम्प्यूटरों की खरीद, रेलवे के बकाया दावों के निपटान, यात्रा एवं दूरभाष पर अधिक व्यय, इत्यादि के कारण है, बजट अनुमान 1995-96 में, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य वृद्धि तथा संसद सदस्यों के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम पर और व्यय की व्यवस्था की गई है।

The provision made is for salaries and travel expenses, etc. of the Chairman, Deputy Chairman, Leader of Opposition Rajya Sabha and his Secretariat, Members of the Rajya Sabha and for the Rajya Sabha Secretariat. The increase in R.E. is mainly on account of purchase of computers with accessories for all MPs, settlement of outstanding claims of the Railways, larger expenditure on travels and telephones, etc. B.E. 1995-96 inter alia provides for normal growth and further expenditure on the computer programme for the MPs.

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

संख्या No.92 (विनियोग) (APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते Staff, Household and Allowances of the President

क. वसूलियों को घटाकर बजट आवंटन नीचे दिए गए हैः

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	4.85	4.85	...	4.81	4.81	...	4.84	4.84
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**4.85**	**4.85**	...	**4.81**	**4.81**	...	**4.84**	**4.84**
राष्ट्रपति	**President**										
1. राष्ट्रपति	1. President	2012	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
2. सचिवालय	2. Secretariat	2012	...	1.57	1.57	...	1.51	1.51	...	1.58	1.58
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2012	...	3.26	3.26	...	3.28	3.28	...	3.24	3.24
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***4.85***	***4.85***	...	***4.81***	***4.81***	...	***4.84***	***4.84***

इसमें राष्ट्रपति की आवास व्यवस्था सहित राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते एवं राष्ट्रपति सचिवालय पर व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

Provides for the salaries and allowances of the President and expenditure on the President's Secretariat including President's Household Establishment.

संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

मांग संख्या DEMAND No. 93

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय Secretariat of the Vice-President

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	0.32	0.32	...	0.34	0.34	...	0.39	0.39
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**0.32**	**0.32**	...	**0.34**	**0.34**	...	**0.39**	**0.39**
उप-राष्ट्रपति	**Vice-President**										
1. सचिवालय	1. Secretariat	2012	...	0.31	0.31	...	0.33	0.33	...	0.38	0.38
2. अन्य	2. Others	2012	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***0.32***	***0.32***	...	***0.34***	***0.34***	...	***0.39***	***0.39***

अनुदानों की मांगों में उप-राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के व्यय, उप-राष्ट्रपति और कर्मचारीवृंद के यात्रा व्यय, आकस्मिक व्यय और उप-राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदानों के लिए व्यवस्था है।

Provides for expenditure on the officers and staff of the Vice-President's Secretariat, travel expenses of the Vice-President and staff, contingencies and discretionary grants of the Vice-President.

भारत के उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति की हैसियत से वेतन प्राप्त होता है।

The Vice-President of India draws pay as the Chairman of the Rajya Sabha.

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

संख्या No. 94 (विनियोग) (APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग Union Public Service Commission

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1994-95 Budget			संशोधित 1994-95 Revised			बजट 1995-96 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	18.27	18.27	...	18.81	18.81	...	19.38	19.38
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**...**	**18.27**	**18.27**	**...**	**18.81**	**18.81**	**...**	**19.38**	**19.38**
संघ लोक सेवा आयोग	**Union Public Service Commission**										
1. प्रशासनिक व्यय	1. Administrative Expenditure	2051	...	10.77	10.77	...	11.08	11.08	...	11.31	11.31
2. परीक्षा और चयन	2. Examinations and Selections	2051	...	7.50	7.50	...	7.73	7.73	...	8.07	8.07
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*18.27*	*18.27*	...	*18.81*	*18.81*	...	*19.38*	*19.38*

1. इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. इसमें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और किए गए चयनों के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

1. The provision is for expenditure on salaries and allowances of the Chairman, Members, officers and staff of the Union Public Service Commission.

2. The provision is for expenditure connected with the examinations and selections conducted/made by the Commission.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

मांग संख्या DEMANDS No. 95-99

बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र Union Territories Without Legislature

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		कम्प्यूटर कोड संख्या Computer Code No.	बजट 1994-95 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1994-95 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1995-96 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		89.72	522.55	612.27	92.00	550.09	642.09	119.13	577.20	696.33
पूंजी	*Capital*		*278.78*	*-28.68*	*250.10*	*276.50*	*-28.62*	*247.88*	*286.47*	*-28.59*	*257.88*
जोड़	**Total**		**368.50**	**493.87**	**862.37**	**368.50**	**521.47**	**889.97**	**405.60**	**548.61**	**954.21**
(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(i) Andaman & Nicobar Islands										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	31.09	168.89	199.98	32.70	178.79	211.49	44.15	192.79	236.94
1.01 **घटाइए** - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 **Less** - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			31.09	168.89	199.98	32.70	178.79	211.49	44.15	192.79	236.94
2. पूंजी	2. Capital	5710	172.93	1.20	174.13	163.78	1.20	164.98	166.72	1.20	167.92
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.98	0.01	0.99	3.52	0.01	3.53	4.13	0.01	4.14
जोड़ : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**Total A & N Islands**		**205.00**	**170.10**	**375.10**	**200.00**	**180.00**	**380.00**	**215.00**	**194.00**	**409.00**
(ii) दादरा और नागर हवेली	(ii) Dadra & Nagar Haveli										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	10.73	13.24	23.97	10.73	13.84	24.57	10.86	14.03	24.89
1.01 **घटाइए** - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 **Less** - Amount netted against Receipts	3710	...	-0.14	-0.14	...	-0.14	-0.14	...	-0.14	-0.14
			10.73	13.10	23.83	10.73	13.70	24.43	10.86	13.89	24.75
2. पूंजी	2. Capital	5710	12.89	1.01	13.90	15.99	1.01	17.00	17.84	1.07	18.91
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	1.38	0.62	2.00	0.28	0.62	0.90	0.30	0.62	0.92
जोड़ : दादरा और नागर हवेली	**Total D & N Haveli**		**25.00**	**14.73**	**39.73**	**27.00**	**15.33**	**42.33**	**29.00**	**15.58**	**44.58**
(iii) लक्षद्वीप	(iii) Lakshadweep										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	17.99	67.80	85.79	17.99	71.47	89.46	22.70	74.93	97.63
1.01 **घटाइए** - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 **Less** - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			17.99	67.80	85.79	17.99	71.47	89.46	22.70	74.93	97.63
2. पूंजी	2. Capital	5710	13.75	0.04	13.79	13.75	0.05	13.80	15.69	0.04	15.73
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.26	*	0.26	0.26	*	0.26	0.21	...	0.21
जोड़ : लक्षद्वीप	**Total Lakshadweep**		**32.00**	**67.84**	**99.84**	**32.00**	**71.52**	**103.52**	**38.60**	**74.97**	**113.57**
(iv) चंडीगढ़	(iv) Chandigarh										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	23.54	256.14	279.68	24.21	268.72	292.93	33.28	278.85	312.13
1.01 **घटाइए** - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 **Less** - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			23.54	256.14	279.68	24.21	268.72	292.93	33.28	278.85	312.13
2. पूंजी	2. Capital	5710	64.13	-31.58	32.55	63.46	-31.53	31.93	66.72	-31.55	35.17
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.33	*	0.33	0.33	*	0.33	...	*	*
जोड़ : चंडीगढ़	**Total Chandigarh**		**88.00**	**224.56**	**312.56**	**88.00**	**237.19**	**325.19**	**100.00**	**247.30**	**347.30**
[v] दमन और दीव	[v] Daman and Diu										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	6.37	16.62	22.99	6.37	17.41	23.78	8.14	16.74	24.88
1.01 **घटाइये** - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 **Less** - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			6.37	16.62	22.99	6.37	17.41	23.78	8.14	16.74	24.88
2. पूंजी	2. Capital	5710	11.75	...	11.75	15.00	...	15.00	14.57	...	14.57
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.38	0.02	0.40	0.13	0.02	0.15	0.29	0.02	0.31
जोड़ : दमन और दीव	**Total Daman & Diu**		**18.50**	**16.64**	**35.14**	**21.50**	**17.43**	**38.93**	**23.00**	**16.76**	**39.76**
कुल जोड़	***Grand Total***		***368.50***	***493.87***	***862.37***	***368.50***	***521.47***	***889.97***	***405.60***	***548.61***	***954.21***

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	**Union Territory Plans** Union Territories without Legislature:										
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. Andaman & Nicobar Islands	43602	205.00	...	205.00	200.00	...	200.00	215.00	...	215.00
2. दादरा और नागर हवेली	2. Dadra & Nagar Haveli	43602	25.00	...	25.00	27.00	...	27.00	29.00	...	29.00
3. लक्षद्वीप	3. Lakshadweep	43602	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	38.60	...	38.60
4. चन्डीगढ़	4. Chandigarh	43602	88.00	...	88.00	88.00	...	88.00	100.00	...	100.00
5. दमन और दीव	5. Daman & Diu	43602	18.50	...	18.50	21.50	...	21.50	23.00	...	23.00
जोड़		*Total*	*368.50*	...	*368.50*	*368.50*	...	*368.50*	*405.60*	...	*405.60*

* एक लाख रुपए से कम * *Less than Rs.1 Lakh.*

95 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	170.10	180.00	194.00
आयोजना	Plan	205.00	200.00	215.00
जोड़	**Total**	**375.10**	**380.00**	**409.00**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है । इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Andaman and Nicobar Islands** both on Revenue Account and Capital Account including Loans. A broad analysis of the provision is as follows:-

		BE 94-95	RE 94-95	BE95-96
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	29.66	30.66	33.49
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	4.97	5.29	5.12
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**34.63**	**35.95**	**38.61**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	52.71	54.81	60.31
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	25.75	32.69	41.76
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**78.46**	**87.50**	**102.07**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	117.61	126.02	143.14
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	143.41	127.00	121.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**261.02**	**253.02**	**264.18**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.99	3.53	4.14
कुल जोड़	***Grand Total***	***375.10***	***380.00***	***409.00***

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	2.22	2.22	2.31
2. पुलिस	2. Police	9.58	10.04	10.53
3. शिक्षा	3. Education	25.49	26.54	27.47
4. वानिकी तथा वन्य-जीव	4. Forestry & Wildlife	17.54	17.54	17.78
5. परिवहन	5. Transport	57.58	56.47	62.85
6. आवास तथा शहरी विकास	6. Housing & Urban Development	12.70	13.22	13.17
7. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	7. Food & Civil Supplies	0.52	0.54	1.00
8. ऊर्जा	8. Energy	15.96	23.76	28.53
9. अन्य	9. Others	28.51	29.67	30.36
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total Non-Plan**	**170.10**	**180.00**	**194.00**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	8.23	8.32	7.90
2. ग्रामीण विकास	2. Rural Development	5.52	14.48	11.98
3. परिवहन	3. Transport	99.98	81.95	77.53
4. आवास तथा शहरी विकास	4. Housing & Urban Development	38.88	40.81	57.84
5. वानिकी तथा वन्य-जीव	5. Forestry & Wildlife	5.33	5.43	6.00
6. शिक्षा	6. Education	5.55	5.98	8.20
7. ऊर्जा	7. Energy	8.32	9.51	11.21
8. अन्य	8. Others	33.19	33.52	34.34
जोड़- आयोजना	**Total Plan**	**205.00**	**200.00**	**215.00**

96 दादरा और नागर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

		BE 94-95	RE 94-95	BE95-96
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	14.73	15.33	15.58
आयोजना	Plan	25.00	27.00	29.00
जोड़	**Total**	**39.73**	**42.33**	**44.58**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **दादरा और नागर हवेली** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है । इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Dadra and Nagar Haveli** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

		BE 94-95	RE 94-95	BE95-96
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	3.49	3.79	3.83
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.60	0.93	0.59
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**4.09**	**4.72**	**4.42**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	9.06	9.29	10.47
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	4.63	5.63	6.81
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**13.69**	**14.92**	**17.28**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	11.28	11.35	10.45
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	8.67	10.44	11.51
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**19.95**	**21.79**	**21.96**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	2.00	0.90	0.92
कुल जोड़	***Grand Total***	***39.73***	***42.33***	***44.58***

		BE 94-95	RE 94-95	BE95-96
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are :-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.26	0.24	0.25
2. पुलिस	2. Police	1.30	1.30	1.31
3. स्वास्थ्य	3. Health	1.10	1.10	1.15
4. कृषि तथा ग्रामीण विकास	4. Agriculture & Rural Development	1.29	1.31	1.32
5. शिक्षा	5. Education	3.95	3.98	4.12
6. ऊर्जा	6. Energy	0.35	0.35	(-)0.12
7. आवास तथा शहरी विकास	7. Housing & Urban Development	1.95	2.29	2.12
8. परिवहन	8. Transport	1.54	1.54	2.20
9. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	9. Food & Civil Supplies	0.05	0.04	0.05
10. अन्य	10. Others	2.94	3.18	3.18
जोड़ - आयोजना-भिन्न	**Total-Non-Plan**	**14.73**	**15.33**	**15.58**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are :-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	3.08	2.79	2.62
2. वानिकी तथा वन्य-जीव	2. Forestry and wild Life	2.26	2.26	1.83
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	4.80	5.10	7.08
4. परिवहन	4. Transport	3.07	3.26	3.81
5. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	5. Irrigation & Flood Control	1.90	2.10	1.56
6. ऊर्जा	6. Energy	3.86	5.33	4.93
7. अन्य	7. Others	6.03	6.16	7.17
जोड़ - आयोजना	**Total Plan**	**25.00**	**27.00**	**29.00**

97 लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	67.84	71.52	74.97
आयोजना	Plan	32.00	32.00	38.60
जोड़	**Total**	**99.84**	**103.52**	**113.57**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **लक्षद्वीप** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Lakshadweep** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

1	2	3 BE 94-95	4 RE 94-95	5 BE95-96
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	8.67	9.16	9.03
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.10	0.10	0.05
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**8.77**	**9.26**	**9.08**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	16.72	17.18	18.11
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.34	0.34	0.26
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**17.06**	**17.52**	**18.37**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	60.40	63.12	70.49
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	13.35	13.36	15.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**73.75**	**76.48**	**85.91**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.26	0.26	0.21
कुल जोड़	***Grand Total***	***99.84***	***103.52***	***113.57***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.98	1.02	1.06
2. पुलिस	2. Police	2.18	2.53	2.26
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	3.54	3.58	3.60
4. शिक्षा	4. Education	8.42	8.81	8.43
5. ऊर्जा	5. Energy	9.23	9.30	10.19
6. परिवहन	6. Transport	35.32	37.60	40.10
7. कृषि तथा ग्रामीण विकास	7. Agriculture & Rural Development	3.80	4.15	4.54
8. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	8. Food & Civil Supplies	0.04	0.05	0.09
9. स्वास्थ्य	9. Health	1.53	1.59	1.76
10. अन्य	10. Others	2.80	2.89	2.94
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total- Non Plan**	**67.84**	**71.52**	**74.97**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. कृषि तथा सबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	5.49	5.49	5.94
2. ग्रामीण विकास	2. Rural Development	1.31	1.31	1.30
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	4.35	4.35	5.40
4. परिवहन	4. Transport	10.25	10.25	12.62
5. ऊर्जा	5. Energy	3.85	3.85	4.04
6. शिक्षा	6. Education	1.56	1.56	1.71
7. अन्य	7. Others	5.19	5.19	7.59
जोड़-आयोजना	**Total- Plan**	**32.00**	**32.00**	**38.60**

98 चण्डीगढ़ CHANDIGARH

1	2	3 BE 94-95	4 RE 94-95	5 BE95-96
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	224.56	237.19	247.30
आयोजना	Plan	88.00	88.00	100.00
जोड़	**Total**	**312.56**	**325.19**	**347.30**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **चण्डीगढ़** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Chandigarh** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

1	2	3 BE 94-95	4 RE 94-95	5 BE95-96
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	71.85	71.65	73.81
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	1.97	1.93	2.49
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**73.82**	**73.58**	**76.30**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	109.49	111.45	124.22
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	14.37	13.47	14.48
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**123.86**	**124.92**	**138.70**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	98.34	109.83	114.10
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	16.21	16.53	18.20
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**114.55**	**126.36**	**132.30**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.33	0.33	*
कुल जोड़	***Grand Total***	***312.56***	***325.19***	***347.30***

1	2	3 BE 94-95	4 RE 94-95	5 BE95-96
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	1.06	1.06	1.11
2. पुलिस	2. Police	32.19	32.19	31.85
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	21.81	21.88	24.57
4. शिक्षा	4. Education	59.51	60.46	64.08
5. स्वास्थ्य	5. Health	5.88	5.93	6.31
6. श्रम	6. Labour	1.43	1.48	1.60
7. परिवहन	7. Transport	30.70	30.77	32.76
8. ऊर्जा	8. Energy	61.58	73.13	74.14
9. अन्य	9. Others	10.40	10.29	10.88
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total- Non-Plan**	**224.56**	**237.19**	**247.30**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. परिवहन	1. Transport	3.19	3.29	3.44
2. शिक्षा	2. Education	9.63	9.71	10.95
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	52.54	51.62	53.30
4. ऊर्जा	4. Energy	9.85	9.85	9.85
5. अन्य	5. Others	12.79	13.53	22.46
जोड़- आयोजना	**Total- Plan**	**88.00**	**88.00**	**100.00**

* *एक लाख रुपए से कम* * *Less than Rs.1 Lakh.*

99 दमन और दीव DAMAN AND DIU

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	16.64	17.43	16.76
आयोजना	Plan	18.50	21.50	23.00
जोड़	**Total**	**35.14**	**38.93**	**39.76**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **दमन और दीव** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Daman and Diu** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	5.17	5.28	5.26
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	1.15	1.65	1.59
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**6.32**	**6.93**	**6.85**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	12.03	12.36	13.98
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	3.13	3.38	4.32
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**15.16**	**15.74**	**18.30**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	5.79	6.14	5.64
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	7.47	9.97	8.66
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total- Economic Services**	**13.26**	**16.11**	**14.30**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.40	0.15	0.31
कुल जोड़	***Grand Total***	***35.14***	***38.93***	***39.76***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	3 बजट अनुमान BE 94-95	4 संशोधित अनुमान RE 94-95	5 बजट अनुमान BE95-96
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.73	0.59	0.62
2. पुलिस	2. Police	1.02	1.24	1.10
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	2.95	3.19	3.22
4. शिक्षा	4. Education	4.96	5.09	5.17
5. स्वास्थ्य	5. Health	1.28	1.28	1.35
6. श्रम	6. Labour	0.39	0.39	0.41
7. परिवहन	7. Transport	1.21	1.21	1.42
8. ऊर्जा	8. Energy	0.56	0.80	(-)0.40
9. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	9. Food and Civil Supplies	0.07	0.06	0.07
10. अन्य	10. Others	3.47	3.58	3.80
जोड़ - आयोजना-भिन्न	**Total- Non-Plan**	**16.64**	**17.43**	**16.76**
II. आयोजना- विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. परिवहन	1. Transport	2.49	2.49	3.00
2. शिक्षा	2. Education	1.72	1.72	2.38
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	5.14	5.64	6.69
4. ऊर्जा	4. Energy	1.94	4.44	3.37
5. ग्राम और लघु उद्योग	5. Village and Small Industries	1.17	1.17	0.50
6. अन्य	6. Others	6.04	6.04	7.06
जोड़ - आयोजना	**Total- Plan**	**18.50**	**21.50**	**23.00**

Receipts Budget 1995-96 (Incorporating Receipts, Recoveries of Loans, other Capital Receipts and Debts position of Central Government) as finally adopted

Central Government [illegible]

[illegible]

विषय सूची
Table of contents

		पृष्ठ संख्या Page No.
1. परिचायक टिप्पणी	1. **Introductory Note**	(iii)
2. कर और कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	2. **Summary of estimates of tax and non-tax revenue receipts.**	1
3. कर-राजस्व	3. **Tax Revenue**	
(i) कम्पनी कर	(i) Corporation tax	1
(ii) कम्पनी कर से भिन्न आय पर कर	(ii) Taxes on income other than Corporation tax	1
(iii) सीमा-शुल्क	(iii) Customs	4
(iv) संघ उत्पाद-शुल्क	(iv) Union Excise Duties	5
(v) संघ राज्य क्षेत्रों के कर	(v) Taxes of Union Territories	7
4. कर-भिन्न राजस्व	4. **Non-tax Revenue**	
(a) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	(a) Interest receipts, dividends and profits	8
(b) अन्य कर-भिन्न राजस्व	(b) Other non-tax revenue	13
(i) राजकोषीय सेवाएं	(i) Fiscal services	13
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	(ii) Other general services	14
(iii) सामाजिक सेवाएं	(iii) Social services	15
(iv) आर्थिक सेवाएं	(iv) Economic services	16
5. पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	5. **Summary of estimates of capital receipts**	
(i) बाजार ऋण	(i) Market loans	19
(ii) विदेशी सहायता	(ii) External assistance	20
(iii) उधारों और अग्रिमों की वसूलियां	(iii) Recoveries of loans and advances	21
(iv) अल्प बचतें और भविष्य निधियां	(iv) Small savings and Provident funds	23
(v) विशेष जमा योजना	(v) Special deposit schemes	24
(vi) रेलवे प्रारक्षित निधियां	(vi) Railway reserve funds	25
(vii) दूर-संचार प्रारक्षित निधियां	(vii) Telecommunications reserve funds	26
(viii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(viii) Special securities issued to IMF, etc	27
अनुबन्ध :	***Annexures:***	
1. सीमा-शुल्कों से प्राप्त राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा	1. Commodity-wise details of revenue from customs duties	31
2. संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा	2. Commodity-wise details of revenue from union excise duties	33
3. नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करों और शुल्कों के राज्यवार प्रतिशत अंश का ब्यौरा	3. Statement showing the State-wise percentage of shares of taxes and duties under the recommendations of the 9th Finance Commission.	38
4. आयकर, बुनियादी उत्पाद-शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण	4. Statement showing State-wise distribution of income-tax, basic excise duties and additional excise duties.	39

		पृष्ठ संख्या Page No.
5. दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणाम	5. Financial results of the working of Telecommunications Department.	40
6. भारत सरकार के कर्ज की स्थिति	6. Debt position of the Government of India	41
7. केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया उधारों का ब्यौरा	7. Details of current rupee loans of the Central Government.	44
8. विदेशी सहायता-देशवार/संगठनवार प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां	8. External assistance-receipts and repayments country/organisation-wise	46
9. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	9. Trends in receipts	60
10. खर्च की प्रवृत्तियां	10. Trends in expenditure	61
11. *अनुबंध 9* में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	11. Analysis of tax and non-tax revenue receipts included in *Annexure 9*	62
12. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के बीच मिलान	12. Reconciliation between estimates of Receipts shown in Annual Financial Statement and Receipts Budget.	63

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

इस पुस्तक के दो भाग है - अर्थात् भाग "क", जिसमें राजस्व प्राप्तियां और भाग "ख", जिसमे पूंजी प्राप्तियां प्रदर्शित की गई हैं ।

भाग "क" में राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों की व्याख्या की गई है, जिनको दो वर्गों अर्थात् (क) कर-राजस्व तथा (ख) कर - भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

भाग "ख" का सम्बन्ध पूंजी प्राप्तियों से है, जिनमें बाजार ऋण, विदेशी सहायता, अल्प बचतें, सरकारी भविष्य निधियां, विभिन्न जमा खातों में प्राप्त राशियां तथा रेलवे और दूर संचार आदि विभागों की मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां भी सम्मिलित है ।

अनुबन्ध :

अनुबन्ध 1 और 2 में क्रमशः सीमा शुल्को तथा संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुवार ब्यौरा दिया गया है । अनुबन्ध 3 में वित्त आयोगों की सिफारिशो के आधार पर प्रत्येक राज्य को, आयकर, संघ उत्पाद-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर के बदले दिए जाने वाले अनुदानों के प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा दिया गया है । अनुबंध 4 में आयकर, बुनियादी उत्पाद शुल्कों तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों का वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 से संबंधित राज्यवार वितरण प्रदर्शित किया गया है । अनुबन्ध 5 में दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा दिया गया है।

अनुबन्ध 6 मे कतिपय वर्षों की भारत सरकार की कर्ज की स्थिति भी प्रदर्शित की गई है जिसके साथ सरकार की देनदारियों तथा परिसम्पत्तियों का एक अनुबंध भी प्रस्तुत किया गया है, जो सरकार द्वारा किए गए पूंजी निवेशों और प्रदत्त उधारों पर आधारित है । अनुबंध 7 में सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा दिया गया है । विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋणो, नगदी और वस्तु सहायता अनुदानों तथा विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगी का ब्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है ।

अनुबन्ध 9 और 10 में क्रमशः प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 11 में किया गया है। व्यय का विश्लेषण "व्यय बजट" पुस्तक खण्ड 1 में प्रस्तुत किया गया है । अनुबन्ध 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमान का प्राप्ति बजट में प्रदर्शित अनुमानों के साथ मिलान दर्शाया गया है ।

This document has two parts, namely, Part A Revenue Receipts and Part B Capital Receipts.

Part A explains the estimates of Revenue receipts which are grouped under two categories, namely (a) Tax revenue, and (b) Non-tax revenue.

Part B deals with Capital Receipts which include market loans, external assistance, small savings, Government provident funds, accretions to various deposit accounts, depreciation and reserve funds of departments like Railways, Telecommunications, etc.

Annexures:

Annexures 1 and 2 give the commodity-wise details of revenue from Customs and Union Excise duties, respectively. Annexure 3 gives the percentage share of each State in respect of Income-tax, Union Excise duties, and grants in lieu of Railway Passenger Fare Tax as recommended by the Finance Commissions. Annexure 4 gives State-wise distribution of Income-tax, Basic and Additional Excise Duties in 1994-95 and 1995-96. Annexure 5 gives the financial results of the working of the Telecommunications Department.

Annexure 6 gives a summary of debt position of the Government of India over the years along with statements showing the liabilities of the Government and assets comprising Capital investments and loans by the Government, while Annexure 7 gives details of current rupee loans of the Government. The details of loans, cash and commodity grants received from external sources and repayments of external loans are given in Annexure 8.

Annexure 9 and 10 show the trends in receipts and expenditure respectively, while an analysis of tax and non-tax receipt is included in the Annexure 11. Analysis of expenditure is included in the document Expenditure Budget, Volume 1. In Annexure 12 the estimates of receipts shown in the Annual Financial Statement and the Receipts Budget have been reconciled.

भाग क PART A

राजस्व प्राप्तियां REVENUE RECEIPTS

निम्नलिखित विवरण में कराधान के मौजूदा स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के अनुमान स्थूल वर्गों के आधार पर सार रूप में दिये गये हैं । इस विवरण के बाद विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे दिए गए हैं जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 1994-95 के अन्तर और 1994-95 के संशोधित अनुमानों तथा 1995-96 के बजट अनुमानों के अन्तर को स्पष्ट किया गया है ।

The Statement below summarises by broad categories, the estimates of revenue receipts at the existing level of taxation. Further details by sections and heads of account, together with brief notes explaining the variations between the Budget and Revised estimates, 1994-95 and between the later and the Budget estimates for 1995-96, are given in the notes that follow this Statement.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
I. कर - राजस्व	**I. Tax Revenue**			
निगम कर	Corporation Tax	12480.00	13250.00	15500.00
आय पर कर	Taxes on Income	10925.00	11000.00	13500.00
ब्याज कर	Interest Tax	1044.00	1000.00	1000.00
व्यय-कर	Expenditure-tax	210.00	170.00	175.00
सपदा शुल्क	Estate Duty	1.00	1.00	1.00
धन कर	Wealth Tax	125.00	80.00	90.00
दान कर	Gift Tax	5.00	14.00	10.00
सीमा शुल्क	Customs	25200.00	26450.00	29500.00
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	36700.00	36900.00	42780.00
सेवा कर	Service Tax	--	375.00	600.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	Taxes of Union Territories	186.40	190.72	200.91
अन्य कर	Other Taxes	260.00	400.00	405.00
जोड़-कर राजस्व	**Total - Tax Revenue**	**87136.40**	**89830.72**	**103761.91**
घटाइए-राज्यों का अंश	***Less - States' Share:***			
आय पर कर	Taxes on Income	8204.55	8559.88	9733.81
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	16189.47	16282.91	19654.58
जोड़-राज्यों का अंश	**Total - States' Share**	**24394.02**	**24842.79**	**29388.39**
घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों के करों और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अन्तरण	***Less-Transfer of Union territory taxes and duties to local bodies***	0.14	0.14	0.14
केन्द्र का निवल कर राजस्व	***Centre's Net Tax Revenue***	***62742.24***	***64987.79***	***74373.38***
II. कर-भिन्न राजस्व	**II. Non-Tax Revenue**			
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	Interest receipts, dividends and profits	18770.89	18955.71	21365.35
संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	Non-Tax Revenue of Union Territories	191.52	184.05	196.42
अन्य कर-भिन्न राजस्व@	Other Non-Tax Revenue @	4379.10	4642.81	4851.35
जोड़-कर भिन्न राजस्व	**Total - Non-Tax Revenue**	**23341.51**	**23782.57**	**26413.12**
निवल-केन्द्र का राजस्व*	***Net - Centre's Revenue****	***86083.75***	***88770.36***	***100786.50***

कर-राजस्व TAX REVENUE

निगम कर CORPORATION TAX

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है: The details of receipts under this head are as shown below:

(क) साधारण संग्रह	(a) Ordinary collections	3187.00	6013.00	7034.00
(ख) अग्रिम कर संग्रह	(b) Advance tax collections	7624.00	6880.00	8048.00
(ग) अधिकर	(c) Surtax	15.00	1.00	1.00
(घ) अधिभार	(d) Surcharge	1622.00	305.00	357.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	(e) Miscellaneous receipts	32.00	51.00	60.00
जोड़	**Total**	**12480.00**	**13250.00**	**15500.00**

वर्ष 1994-95 के दौरान 13250 करोड़ रुपए और 1995-96 में 15500 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है ।

The collections during 1994-95 are estimated at Rs. 13250 crores and in 1995-96 at Rs. 15500 crores.

निगम-कर से भिन्न आय पर कर TAXES ON INCOME OTHER THAN CORPORATION TAX

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है: The details of receipts under this head are as shown below:

(क) साधारण संग्रह	(a) Ordinary collections	6493.00	6710.00	8250.00
(ख) आयकर का अग्रिम संग्रह	(b) Advance collections of Income Tax	3756.00	3990.00	4910.00
(ग) अधिभार (संघ)	(c) Surcharge (Union)	614.00	120.00	120.00
(घ) विविध प्राप्तियां	(d) Miscellaneous receipts	62.00	180.00	220.00
जोड़	**TOTAL**	**10925.00**	**11000.00**	**13500.00**

@ *वाणिज्यिक विभागों को छोड़कर ।*

* *इस दस्तावेज के अनुबंध 12 में उपर्युक्त प्राप्तियों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है ।*

@ *Excluding commercial departments.*

* *Annexure 12 to this document gives a reconciliation of the Receipts shown above with the Annual Financial Statement.*

1994-95 के दौरान 11000 करोड़ रुपए और 1995-96 में 13000 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है ।

निगम कर तथा कृषि आय पर लगने वाले करों से भिन्न आयकर की निवल प्राप्तियों को संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों के बीच वितरित करना होता है । इस प्रयोजन के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित आयकर, संघीय परिलब्धियों के संबंध में देय कर तथा संघीय प्रयोजनों के लिए लगाये गये आयकर के अधिभार को विभाज्य पूंजी से बाहर रखा गया है । संविधान (राजस्व वितरण) के 1990 के सं. 3 आदेश, के उपबन्धों के अनुसार, जिसे नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में 1990-95 अवधि के लिए की गई सिफारिश के आधार पर 1990-95 के दौरान प्रत्येक वर्ष आय संबंधी करों से प्राप्त होने वाली निवल धनराशियों के 85 प्रतिशत अंश को, सिवाए उस स्थिति के जिसमें ये प्राप्तियां संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य अंश (1.437 प्रतिशत) तथा संघीय परिलब्धियों के संबंध में देय करों की द्योतक हों, राज्यों के नाम समनुदेशित कर दिया जाता है और *अनुबन्ध 3* में उल्लिखित प्रतिशतताओं के अनुसार राज्यों में ही संवितरित कर दिया जाता है ।

दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि आय संबंधी करों से प्राप्त होने वाली निवल धनराशियों के 77.5 प्रतिशत, सिवाए उस स्थिति के जिसमें ये प्राप्तियां संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य अंश (0.927 प्रतिशत) तथा संघीय परिलब्धियों के संबंध में देय दरों की द्योतक हों, भाग को 1995-2000 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों को समनुदेशित कर दिया जाए तथा अनुबंध 3 में उल्लिखित प्रतिशतता के अनुसार राज्यों में ही संवितरित कर दिया जाना चाहिए। तद्नुसार, वर्ष 1995-96 के लिए आय कर में राज्यों का हिस्सा दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आयकर में राज्यों के हिस्से का हिसाब उपर्युक्त आधार पर कर लिया गया है और नीचे दिखाया गया है (प्रत्येक राज्य के हिस्से की राशि *अनुबन्ध 4* में दी गई है):-

The collections during 1994-95 are estimated at Rs. 11000 crores and in 1995-96 at Rs. 13500 crores.

Under article 270 of the Constitution, the net proceeds of taxes on income, other than corporation tax and those on agricultural income, are to be distributed between the Union and the States. For this purpose, the proceeds of income tax attributable to Union territories, taxes payable in respect of Union emoluments and surcharge on income-tax levied for Union purposes are excluded from the divisible pool. In terms of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1990 issued on the basis of the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission for the period 1990-95, 85 per cent of the net proceeds of taxes on income, except in so far as these proceeds represent the portion attributable to Union territories (1.437 per cent) and the taxes payable in respect of Union emoluments, is assigned to the States in each Financial year during 1990-95 and distributed amongst them in accordance with the percentages indicated in *Annexure 3.*

The Tenth Finance Commission in its Report for 1995-2000 has recommended that 77.5 per cent of the net proceeds of taxes on income, except in so far as these proceeds represent the portion attributable to Union Territories (0.927 per cent) and the taxes payable in respect of Union emoluments, should be assigned to the States in each financial year during 1995-2000 and distributed amongst them in accordance with the percentages indicated in Annexure 3. Accordingly, the States' share of income tax for the year 1995-96 has been worked out on the basis of recommendations of the 10th Finance Commission which have been accepted by the Government.

The States' share of Income-tax has been worked out on the above basis and is indicated below (the amount of share of each State is given in *Annexure 4)*:-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(i) निगम कर से भिन्न कुल आय कर (वापसियों की रकम को घटाकर)	(i) Total taxes on income other than Corporation Tax (net of refunds)	10925.00	11000.00	13500.00
(ii) **घटाइए**	(ii) ***Less***			
(क) संघ अधिभार	(a) Union surcharge	-613.99	-120.00	-120.00
(ख) विविध प्राप्तियां	(b) Miscellaneous receipts	-62.27	-180.00	-220.00
(ग) संघीय परिलब्धियों के संबंध में संदेय कर	(c) Taxes payable in respect of Union emoluments	-169.34	-169.00	-169.00
(iii) वितरण योग्य प्राप्तियां	(iii) Distributable proceeds	10079.40	10531.00	12991.00
(iv) घटाइए-संग्रह लागत	(iv) Deduct - Cost of Collection	-286.26	-313.73	-313.73
(v) निवल वितरण योग्य प्राप्तियां	(v) Net distributable proceeds	9793.14	10217.27	12677.27
(vi) घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य अंश (1994-95 के लिए 1.437% तथा 1995-96 के लिए 0.927%)	(vi) Deduct-Proceeds attributable to Union territories (1.437% for 1994-95 and 0.927% for 1995-96)	-140.73	-146.82	-117.52
(vii) जोड़-विभाज्य राशि	(vii) Total - Divisible Pool	9652.41	10070.45	12559.75
(viii) **राज्यों का अंश (1994-95 के लिए 85% तथा 1995-96 के लिए 77.5%)**	(viii) **States' Share (85% for 1994-95 and 77.5% for 1995-96)**	**8204.55**	**8559.88**	**9733.81**

ब्याज कर

वित्त अधिनियम, 1991 (सं. 2) ने ब्याज कर को पुनः आरंभ किया था। वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए संग्रह का निम्न प्रकार से 1000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

(क) अग्रिम कर	947.00	900.00	900.00
(ख) साधारण संग्रह	97.00	100.00	100.00
जोड़	1044.00	1000.00	1000.00

INTEREST TAX

The Finance (No.2) Act, 1991 had reintroduced the Interest Tax. The collections during 1995-96 are estimated at Rs.1000 crores as under:—

(In crores of Rupees)

a) Advance tax	947.00	900.00	900.00
b) Ordinary Collections	97.00	100.00	100.00
Total	**1044.00**	**1000.00**	**1000.00**

व्यय कर

"व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, ऐसे होटलों में ठहरने पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में कराधान का प्रावधान है, जहाँ पर किसी रिहायशी इकाई के कमरे का प्रति व्यक्ति दैनिक किराया बारह सौ रुपए अथवा उससे अधिक हो । दिनांक 1-6-1992 से पहले किए गए व्यय के लिए यह राशि प्रति व्यक्ति प्रति दिन चार सौ रुपए अथवा उससे अधिक थी। आरंभ में व्यय कर प्रभार्य व्यय के 10% की दर पर रखा गया था। यह 1-6-1989 को बढ़ाकर 20% कर दिया गया । इसे दिनांक 1.6.94 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा पुनः घटाकर 10% कर दिया गया है । दिनांक 1-10-1991 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1991 (सं. 2) द्वारा व्यय कर ऐसे रेस्तरां में किए गए व्यय पर भी लगाया गया है जो वातानुकूलन की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराते हों अथवा इन सुविधाओं को जुटा सकते हों । यह कर 1.6.1992 से वित्त अधिनियम 1992 द्वारा

EXPENDITURE-TAX

"The Expenditure Tax Act, 1987 provides for levy of a tax on expenditure incurred on hotels where the room charges for a unit of residential accommodation are rupees twelve hundred or more per day per individual. For expenditure incurred before 1-6-1992, this amount was rupees four hundred or more per day per individual. The rate of expenditure tax was initially kept at 10% of the chargeable expenditure. This was raised to 20% w.e.f 1-6-1989. This has again been reduced to 10% by the Finance Act-1994, w.e.f 1-6-94. By the Finance (No. 2) Act 1991 w.e.f. 1-10-1991, expenditure tax was also levied on expenditure incurred in restaurants providing superior facilities of air conditioning or having access to these facilities. This levy was withdrawn by the Finance Act 1992 w.e.f. 1-6-1992. The expenditure tax is not payable in the case

हटा दिया गया था । व्यय कर राजनयिक विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्तियों के मामले में देय नहीं है । 1.10.1992 के बाद विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय पर भी यह कर लागू होता है । व्यय कर में अधोगामी संशोधन के कारण 1994-95 के लिए संशोधित अनुमान में 170 करोड़ रु. तथा 1995-96 के लिए बजट अनुमान में 175 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

सम्पदा शुल्क

कृषि भूमि पर संपदा शुल्क को संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया था । 16 मार्च, 1985 को अथवा उसके बाद मृत्यु होने के कारण हस्तांतरित होने वाली सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) पर संपदा शुल्क की लेवी को भी संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है । संशोधित अनुमान 1994-95 तथा बजट अनुमान 1995-96 में, जो कि उपर्युक्त संशोधनों से पहले अन्तरित होने वाली सम्पदाओं से संग्रहीत राशियों के द्योतक है, प्रत्येक के लिए 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इन प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

of persons enjoying diplomatic privileges. The expenditure incurred in foreign exchange after 1.10.1992 also attracts this tax. Due to the down ward revision of rate of Expenditure tax, the Revised estimate for 1994-95 has been placed at Rs. 170 crores and the Budget estimate for 1995-96 has been placed at Rs. 175 crores.

ESTATE DUTY

Estate duty on agricultural land was discontinued under the Estate Duty (Amendment) Act, 1984. The levy of Estate Duty in respect of property (other than agricultural land) passing on death occurring on or after 16th March, 1985, has also been abolished under the Estate Duty (Amendment) Act, 1985. The Revised Estimate 1994-95 and Budget Estimate 1995-96 which represent likely collections on estates passing on before the above amendments, are placed at Rs. 1.00 crore each.

The details are :-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
निम्नलिखित के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क :	Estate Duty in respect of:			
(i) कृषि भूमि	(i) Agricultural land	0.01	0.01	0.01
(ii) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति	(ii) Property other than agricultural land	0.99	0.99	0.99
जोड़	**Total**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

धन कर WEALTH TAX

प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:- The details of the receipts are :-

निम्नलिखित पर धन कर :-	*Wealth Tax on :*			
(i) कृषीय भूमि से भिन्न सम्पत्ति	(i) Property other than agricultural Land	124.90	79.90	89.90
(ii) कृषीय सम्पत्ति	(ii) Agricultural property	0.10	0.10	0.10
जोड़	**Total**	**125.00**	**80.00**	**90.00**

धन कर अधिनियम, 1957 में प्रत्येक व्यक्ति, और हिन्दू अविभाजित परिवार और कम्पनियों के निवल धन पर कर लगाने की व्यवस्था है।

वित्त अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत कृषि संपत्ति पर धन कर वापस ले लिया गया था । जो अनुमान दिखाये गये है वे बकाया राशि की मांग के बारे में है । कृषि सम्पत्ति पर धन कर की निवल प्राप्तियों के बराबर की राशि सहायता अनुदानों के रूप में राज्यों को दे दी जाती है, जिसके लिये व्यय के अनुमानों में आवश्यक व्यवस्था की गई है ।

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94, से कुछ विशिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया । शेयरों, बैंक में जमाराशियों, सावधि जमाओं, बॉण्डों और डिबेन्चरों आदि पर से धनकर हटा दिया गया । ऐसा चैलय्या समिति की सिफारिश पर किया गया जिसने यह सुझाव दिया था कि करदाताओं को शेयरों, प्रतिभूतियों, बॉण्डों, बैंक-जमा आदि जैसी उत्पादक परिसम्पत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा म्यूचुअल फण्डों के जरिए भी निवेशों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इन वित्तीय परिसम्पत्तियों को धन-कर से छूट दी जाए । समिति ने यह सिफारिश की थी कि धन-कर व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा सभी कम्पनियों पर, केवल अनुत्पादक परिसम्पत्तियों जैसे आवासीय मकानों, फार्म हाउसों, शहरी भूमि, आभूषणों, बुलियन, मोटर कार, विमान, नावों, यॉटों आदि के संबंध में ही लगाया जाए ।

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा धन कर अधिनियम में संशोधन किया गया और "परिसम्पत्ति" को पुनःपरिभाषित किया गया जिसके द्वारा निर्धारण वर्ष 1993-94 से केवल निम्नलिखित मदें ही अब कर-योग्य होंगी।

(i) अतिथि-गृह और आवासीय मकान (जिसमें किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं की 25 कि.मी. की परिधि के भीतर स्थित फार्म-हाउस भी शामिल हैं);

(ii) मोटर-कारें;

(iii) स्वर्ण, चांदी, प्लैटिनम अथवा अन्य किसी बहुमूल्य धातु से पूरी तरह या आंशिक रूप से बने अथवा ऐसे किसी एक अथवा अधिक बहुमूल्य धातुओं के मिश्रण से बने आभूषण, बुलियन और फर्नीचर, बर्तन अथवा

(iv) नावें, यॉट और विमान;

(v) शहरी भूमि;

(vi) व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों के पास 50,000 रु. से अधिक नकद और अन्य व्यक्तियों के मामले में, कोई भी राशि जो लेखा विवरणों में दर्ज न की गई हो ।

The Wealth tax Act, 1957 provides for levy of a tax on the net wealth of every individual, Hindu Undivided Family (HUFs) and companies.

Wealth tax on agricultural property was withdrawn under the Finance Act, 1982. The estimates assumed are in respect of arrear demand. An amount equivalent to the net proceeds of wealth tax on agricultural property is passed on to the States as grants-in-aid for which necessary provision is made in the expenditure estimates.

With a view to stimulating investment in productive assets, the Finance Act, 1992 w.e.f. 1.4.1993 i.e. Assessment Year 1993-94, abolished Wealth Tax on all assets except certain specified assets. The Wealth Tax was abolished on assets such as shares, bank deposits, fixed deposits, bonds, debentures, etc. This was done on the recommendation of the Chelliah Committee which had suggested that, in order to encourage the tax payers to invest in productive assets such as shares, securities, bonds, bank deposits, etc., and also to promote investments through mutual funds, these financial assets should be exempted from wealth Tax. It recommended that Wealth Tax should be levied on individuals, Hindu Undivided Families and all companies only in respect of unproductive assets such as residential houses, farm houses, urban land, jewellery, bullion, motor car, plane, boats, yachts, etc.

Finance Act, 1992 amended Wealth Tax Act and the term 'asset' has been redefined whereby only following assets are now taxable from the assessment year 1993-94.

(i) Any guest house and any residential house (including a farm house situated within 25 kms. from the local limits of any municipality or a cantonment board);

(ii) Motor cars;

(iii) Jewellery, bullion and furniture, utensils or any other article made wholly or partly of gold, silver, platinum or any other precious metal or any alloy containing one or more of such precious metals;

(iv) boats, yachts and aircrafts;

(v) Urban land;

(vi) Cash-in-hand, in excess of Rs. 50,000, of individuals and Hindu Undivided Families and in the case of other persons any amount not recorded in the books of account.

आवासीय मकानों के संबंध में, वह मकान जो कम्पनी द्वारा किसी अधिकारी अथवा निदेशक को, जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो तथा जिसकी सकल वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम हो, कर-योग्य नहीं है । इसके साथ-साथ, जो आवासीय मकान बिक्री-माल का हिस्सा हो, कर-योग्य नहीं है । इसके अलावा 1.4.94 से अर्थात निर्धारण वर्ष 1994-95 से व्यक्तियों अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारों का एक मकान अथवा मकान के हिस्से को भी धन-कर से पूरी तरह छूट दे दी गई है ।

ऊपर क्रम सं. (iii) में उल्लिखित परिसम्पत्तियों के संबंध में, यदि ये परिसम्पत्तिया बिक्री-माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं तो उन पर कर नहीं लगेगा । इसके अलावा, ऊपर क्रम सं. (iv) में उल्लिखित परिसम्पत्तियों को यदि वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वे कर-योग्य नहीं है ।

शहरी भूमि जो धन-कर की परिधि के भीतर खरीदी गई है, का अर्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित भूमि से है ।

(i) ऐसे क्षेत्र में जो किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की परिधि के भीतर आता हो और जिसकी जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 से कम न हो; अथवा

(ii) ऐसे क्षेत्र में जो किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से 8 कि.मी. से अधिक की दूरी पर न हो, जैसा भी केन्द्रीय सरकार इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे । ऐसी अधिसूचना दिनांक 9.11.93 को जारी की जा चुकी है । यह भारत के राजपत्र में दिनांक 17.11.93 के का.आ.सं. 871 के जरिए प्रकाशित की गई है।

ऊपर शहरी भूमि की परिभाषा के तहत शामिल किए गए क्षेत्रों में से, निम्नलिखित शहरी भूमियों को धन-कर से छूट दी गई है :-

(i) वह भूमि जिस पर किसी क्षेत्र में, जहां ऐसी भूमि है, तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत इमारत के निर्माण की अनुमति न हो;

(ii) किसी ऐसी इमारत द्वारा अधिकृत भूमि जो उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति से निर्मित की गई हो ।

(iii) प्रयोग में न लाई गई ऐसी भूमि जो करदाता द्वारा उसके अधिग्रहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु रखी गई हो।

(iv) ऐसी भूमि जो करदाता द्वारा उसके अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री-माल के रूप में रखी गई हो । क्रम सं. (iv) में दी गई छूट 1.4.94 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1994-95 से प्रभावी है। निर्धारण वर्ष 1995-96 से यह छूट इसके अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

1 अप्रैल, 1993 से, धन-कर केवल 1% की दर पर 15 लाख रुपए से अधिक निवल धन के संबंध में प्रभार्य होगा । धन-कर अधिनियम में इन परिवर्तनों को देखते हुए, इस स्रोत से होने वाले संग्रहण में काफी कमी हो गई है ।

दान कर

कुछ छूटों के अधीन रहते हुए 30,000 रुपए के मूल्य से अधिक के दान पर, दानकर लगाया जाता है । 1994-95 के संशोधित अनुमानों में और 1995-96 के बजट अनुमानों, में क्रमशः 14 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

सीमा शुल्क

1994-95 के दौरान 26450 करोड़ रुपए और 1995-96 में 29500 करोड़ रुपए का निवल सीमा शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । (वापसी-अदायगी और वापसी की रकम को घटाकर) अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

As regards residential house, a house which has been alloted by a company to an Officer or a Director who is in the whole time employment having a gross annual salary of less than two lakh rupees is not taxable. Also, a residential house which forms part of stock-in-trade is not taxable. Further w.e.f. 1.4.94 i.e. Assessment Year 1994-95, one house or part of a house belonging to individuals and HUFs has been completely exempted from the levy of Wealth Tax.

As regards assets mentioned at serial no. (iii) above, if these assets are used as stock-in-trade then they are not taxable. Further the assets mentioned at serial no. (iv) above are not taxable if they are used by the assessee for commercial purposes.

Urban land which has been brought within the purview of wealth tax means any land situated.

(i) in any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality or a cantonment board and which has a population of not less than 10,000 according to the last preceding census; or

(ii) In any area within such distance, not being more than 8 kms. from the local limits of any municipality or cantonment board as the Central Government may specify in this behalf by notification in the official gazette. Such a notification has already been issued on 9.11.93. It has been published in the Gazette of India bearing S.O. No. 871 on 17.11.93.

Out of the areas above covered under the definition of urban land, the following urban lands have been exempted from the wealth tax :-

(i) land on which construction of a building is not permissible under any law for the time being inforce in the area in which such land is situated;

(ii) the land occupied by any building which has been constructed with the approval of the appropriate authority;

(iii) Any unused land held by the assessee for industrial purposes for a period of 2 years from the date of its acquisition by him.

(iv) Any land held by the assessee as stock in trade for a period of three years from the date of its acquisition. The exemption at serial no. (iv) is from 1.4.94 i.e. Assessment Year 1994-95 only. From Assessment year 1995-96 this exemption will be available for a period of 5 years from the date of its acquisition.

With effect from 1st April 1993, wealth-tax will be chargeable in respect of the net wealth exceeding Rs. 15 lakhs @ 1% only. In view of these changes in the Wealth-tax Act, the collection from this source has gone down substantially.

GIFT TAX

Gift tax is levied on gifts exceeding value of Rs.30,000 subject to certain exemptions. The Revised Estimate 1994-95 and the Budget Estimate 1995-96 are placed at Rs. 14 crores and Rs. 10 crores respectivety.

CUSTOMS

The net Customs revenue has been estimated at Rs. 26450 crores during 1994-95 and Rs. 29500 crores in 1995-96. The following is the break-up of the estimates (net of refunds and drawbacks):-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(i) आयात शुल्क	(i) Import Duties	24713.00	25954.90	29038.35
(ii) निर्यात शुल्क	(ii) Export Duties	46.20	48.70	57.85
(iii) निर्यात पर उपकर	(iii) Cesses on Exports	82.38	80.10	95.85
(iv) अन्य प्राप्तियां	(iv) Other Receipts	278.42	166.30	182.95
(v) जब्त सोने और चांदी की बिक्री	(v) Sale of confiscated gold & silver	80.00	200.00	125.00
जोड़	**Total**	**25200.00**	**26450.00**	**29500.00**

1993-94 में वास्तविक राजस्व का और 1994-95 तथा 1995-96 में अनुमानित राजस्व का वस्तु-वार के अनुसार ब्यौरा *अनुबंध 1* में दिया गया है ।

(i) *आयात शुल्क*:- 24713.00 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में, 1994-95 के संशोधित अनुमान मे 25954.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है । निवल राजस्व में अनुमानित वृद्धि का मुख्यतया परियोजना आयातों, विद्युत मशीनरी, अलौह धातुओं, आर्गेनिक रसायनों वनस्पति, तेलों, मोटर वाहनों तथा पुर्जों इत्यादि से उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में इस वृद्धि से कच्चे तेल, पैट्रोलियम उत्पादों, बैगेज, प्लास्टिक, खनिज तत्वों, अन्य खनिज ईंधनों, यंत्रों, लुगदी कागज, रबर तथा वस्तुओं इत्यादि से आयात शुल्कों के संग्रहण में कमी के पूर्णतया प्रतिसंतुलित होने की आशा है।

वर्ष 1995-96 में आयात शुल्क की प्रत्याशित वसूली (निवल) वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3083.45 करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाती है । राजस्व में वृद्धि मुख्यतया मशीनरी, रसायनों, परियोजना आयातों, लौह धातुओं, आदि से प्रत्याशित है । अनुमानित राजस्व में इस वृद्धि के कच्चे पेट्रोलियम आदि पर आयात शुल्कों के संग्रहण में कमी द्वारा पूर्णतया प्रतिसंतुलित किए जाने की संभावना है ।

(ii) *निर्यात शुल्क*:- 1994-95 में निर्यात शुल्कों से निवल संग्रहण का संशोधित अनुमान 46.20 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में 48.70 करोड़ रुपए रखा गया है। 1995-96 के बजट अनुमानों में 57.85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

(iii) *निर्यात पर उपकर*:- वर्ष 1994-95 के लिए मूल बजट अनुमान के रूप में 82.38 करोड़ रुपए की तुलना में 1994-95 के संशोधित अनुमान और 1995-96 के बजट अनुमान में क्रमशः 80.10 करोड़ रुपए और 95.85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(iv) *अन्य प्राप्तियां*:- 1994-95 के बजट अनुमान में 278.42 करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 1994-95 तथा बजट अनुमान 1995-96 में क्रमशः 166.30 करोड़ रुपए और 182.95 करोड़ रुपए के संग्रहण का अनुमान है ।

(v) *जब्त किए गए सोने और चांदी की बिक्री* :— ये प्राप्तियां जब्त किए गए सोने और चांदी की बिक्री से हुई आय से संबंधित हैं। वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में इन संग्रहणों को क्रमशः 200.00 करोड़ रुपए और 125.00 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में ये 80.00 करोड़ रुपए के थे ।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944 और समय-समय पर अधिनियमित किए जाने वाले अन्य विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं । इन वस्तुओं को 139 बजट शीर्षों में समूहीकृत किया गया है । तथापि, अनेक वस्तुओं को शुल्क से मुक्त रखा गया है । 1994-95 के दौरान 36,900.00 करोड़ रु. की प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि मूल बजट अनुमानों में 36,700.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 200.00 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है । 1995-96 में 42,780.00 करोड़ रु. की प्राप्तियां होने का अनुमान है अर्थात् ये प्राप्तियां 1994-95 के संशोधित अनुमानों से 5,880.00 करोड़ रु. अधिक की प्राप्ति होगी । निम्नलिखित सारणी में उत्पाद राजस्व (वापसी घटाकर) का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

The commodity-wise break-up of the actual revenue collections during 1993-94 and the estimated revenue in 1994-95 and 1995-96 are indicated in *Annexure 1*.

(i) *Import Duties*.- As against the original estimate of Rs. 24713.00 crores, Revised Estimate for 1994-95 is placed at Rs.25954.90 crores. The estimated increase in net revenue is mainly on account of higher revenue realisations from project imports, electrical machinery, non-ferrous metals, organic chemicals, vegetable oils, motor vehicles and parts, etc. This increase in estimated revenue realisations is likely to more than offset the expected decrease in collection of import duties from crude oil, petroleum products, baggage, plastics, mineral substances, other mineral fuels, instruments, pulp paper, rubber and articles, etc.

Anticipated import duty realisation (net) in 1995-96 shows an increase of Rs.3083.45 crores as compared to the Revised Estimate of 1994-95. The increase in revenue is expected mainly from machinery, chemicals, project imports, ferrous metals, etc. This increase in estimated revenue realisations is likely to more than offset the expected decrease in collection of import duties from crude petroleum, etc.

(ii) *Export Duties* :- The Revised Estimate of net collections from export duties in 1994-95 is placed at Rs.48.70 crores as against the original estimate of Rs.46.20 crores. The Budget Estimate for 1995-96 has been placed at Rs. 57.85 crores.

(iii) *Cesses on Exports*:–Revised Estimate for1994-95 and Budget Estimate for 1995-96 are placed at Rs. 80.10 crores and Rs. 95.85 crores respectively, against Rs. 82.38 crores as the original Budget estimate for 1994-95.

(iv) *Other Receipts*:-- Collections are placed at Rs.166.30 crores and Rs.182.95 crores respectively in the Revised Estimate for 1994-95 and Budget Estimate for 1995-96 as against the Budget Estimate of Rs.278.42 crores in 1994-95.

(v) *Sale of Confiscated Gold and Silver* :- The receipts relate to sale proceeds of confiscated gold and silver. Collections are placed at Rs. 200.00 crores and Rs. 125.00 crores respectively in the Revised Estimate for 1994-95 and Budget Estimate for 1995-96 as against the Budget Estimate of Rs. 80.00 crores in 1994-95.

UNION EXCISE DUTIES

Union Excise Duties and Cesses are levied on commodities covered by the Central Excises and Salt Act, 1944 and other special Acts enacted from time to time. The commodities are grouped into 139 budget heads. A number of commodities are, however, exempt from duty. The receipts during 1994-95 are estimated at Rs. 36,900.00 crores, as against the original Budget Estimate of Rs. 36,700.00 crores showing an increase of Rs. 200.00 crores. The receipts in 1995-96 are expected to be Rs. 42,780.00 crores i.e. Rs. 5,880.00 crores more than the Revised Estimate of 1994-95. The following table summarises the position of excise revenue (net of refunds):-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. (क) निम्नस्थ (ख) से भिन्न बुनियादी तथा विशेष उत्पाद शुल्क	1. (a) Basic and Special Excise Duties other than (b) below	30415.81	30693.50	35588.90
(ख) वस्त्रों तथा वस्त्रों से संबंधित सामग्री पर अतिरिक्त शुल्क	(b) Additional duties on textiles and textile article	493.65	483.55	554.95
जोड़	**Total**	**30909.46**	**31177.05**	**36143.85**
2. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	2. Additional Excise Duties in lieu of sales tax	**2700.76**	**2673.05**	**2980.05**
3. निम्न द्वारा प्रशासित निर्धारित उपकर :	3. Earmarked Cesses Administered by :-			
(क) राजस्व विभाग	(a) Revenue Department	2920.63	2882.25	3455.30
(ख) अन्य	(b) Others	169.15	167.65	200.80
जोड़ (1+2+3)	***Total (1+2+3)***	***36700.00***	***36900.00***	***42780.00***

वर्ष 1993-94 के वास्तविक आकड़ों के लिए, वर्ष 1994-95 के बजट और संशोधित अनुमानों के लिए और वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के संबंध में संघ उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्व का वस्तुवार ब्यौरा *अनुबन्ध 2* में दिया गया है ।

बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्कों के 30415.81 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में, संशोधित अनुमान को 30963.50 करोड़ रुपए आंका गया है। 277.69 करोड़ रुपये की प्रत्याशित वृद्धि मुख्यतः पैट्रोलियम उत्पादों, लोहे तथा इस्पात, रसायनों, सूती तागे तथा वस्त्र, मोटर वाहनों, मानवनिर्मित वस्त्रों, कागज तथा पेपर बोर्डों, इत्यादि से उच्च राजस्व प्राप्ति के कारण है। अनुमानित राजस्व प्राप्ति में इस वृद्धि से मानव निर्मित रेशों तथा तागों, प्लास्टिक, सिगरेट, सीमेंट इत्यादि से राजस्व प्राप्ति की प्रत्याशित गिरावट के पूर्णतया प्रति-संतुलित होने की सम्भावना है।

1994-95 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1995-96 के बजट अनुमान में मूल उत्पाद शुल्कों मे 4895.40 करोड़ रु. की वृद्धि मुख्यतया लौह धातुओं, हस्त-निर्मित रेशे और यार्न, प्लास्टिक, मोटर वाहन, रसायन, कच्चे तेल पर उपकर, मशीनरी, रबर उत्पादों, वस्त्रों आदि से होने वाली प्रत्याशित उच्च उत्पाद शुल्क राजस्व वसूली के कारण है ।

मूल अनुमान में 2700.76 करोड़ रुपए की तुलना में 1994-95 के संशोधित अनुमान मे, बिक्री करके बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से प्राप्तिया 2673.05 करोड़ रुपए आंकी गई हैं । 1995-96 का बजट अनुमान 2980.05 करोड़ रुपए आंका गया है ।

सेवाएं :

वित्त अधिनियम, 1994 के तहत तीन सेवाओं अर्थात दूरभाष, बीमा तथा स्टॉक ब्रोकरों की सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया था। सेवाकर 1 जुलाई, 1994 से प्रभावी किया गया। 600 करोड़ रुपये मूल अनुमान की तुलना में 1994-95 के दौरान प्राप्तियां 375 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। 1995-96 के दौरान प्राप्तियां 600 करोड़ रुपये होने की आशा है। अनुमानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

The commodity-wise details of revenue from Union Excise Duties for actuals of 1993-94, Budget and Revised Estimates of 1994-95 as well as the Budget Estimates of 1995-96 are given in *Annexure 2*.

As against the original estimate of basic excise duties of Rs. 30415.81 crores, the revised estimate has been placed at Rs.30693.50 crores. The anticipated increase of Rs. 277.69 crores is mainly on account of higher revene realisation from petroleum products, iron & steel, chemicals, cotton yarn & fabrics, motor vehicles, man-made fabrics, paper & paperboard, etc. This increase in estimated revenue realisation is likely to more than off set the expected decrease revenue from man-made fibres and yarns, plastics, cigarettes, cement, etc.

The increase of Rs. 4895.40 crores in basic excise duties in Budget Estimate for 1995-96 as compared to the Revised Estimate of 1994-95 is mainly on account of expected higher excise revenue realisation from ferrous metals, man-made fibres & yarns, plastics, motor vehicles, chemicals, cess on crude oil, machinery, rubber products, fabrics, etc.

The receipts from Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax are placed at Rs. 2673.05 crores in the Revised Estimate for 1994-95 as against Rs.2700.76 crores in the original estimate. The Budget Estimate for 1995-96 is placed at Rs.2980.05 crores.

Services:

The service tax was imposed on the three services of telephones, insurance and stock brokers under the Finance Act, 1994. The service tax was brought into effect from 1st July, 1994. The receipts during 1994-95 are estimated at Rs. 375 crores as against the original estimate of Rs. 600 crores. The receipts in 1995-96 are expected to be Rs. 600 crores. The following is the break up of the estimates :

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

			बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(i)	टेलीफोन	Telephones	300.00	200.00	300.00
(ii)	बीमा	Insurance	230.00	145.00	230.00
(iii)	दलाली	Brokerage	70.00	30.00	70.00
	जोड़	**TOTAL**	**600.00**	**375.00**	**600.00**

केन्द्र और राज्यों में संघ उत्पाद शुल्कों का वितरण:

संविधान के अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत, संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों के एक भाग की अदायगी तथा राज्यों के बीच उनके वितरण के लिए इस प्रयोजन हेतु बनाए गए कानून के अनुरूप व्यवस्था की गई है । तथापि, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र तथा वस्त्र-सामग्री) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत वस्त्रों तथा वस्त्रों से संबंधित सामग्री पर लागू अतिरिक्त शुल्कों से प्राप्तिया उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार राज्यों के बीच बांटी नही जा सकती । इसी प्रकार, निर्धारित उपकरों से प्राप्त राशि भी राज्यों में नहीं बांटी जा सकती।

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिसमें नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत और ऐसे ही शुल्क को आरोपित करने के लिए तथा एकत्रित करने के लिए लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत आरोपित एवं संग्रहीत संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों की रकम के 45 प्रतिशत अंश को राज्यों को 1990-91 से 1994-95 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतताओं के आधार पर दिया जाना है । प्रतिशतता के आधार पर प्रत्येक राज्य का हिस्सा अनुबंध-3 में दिया गया है ।

दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विभाज्य निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 47.5 प्रतिशत होगा जो आयोग द्वारा 1995-96 से 2000 तक के 5 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत हिस्से के आधार पर संवितरित किया जाएगा। विभाज्य उत्पाद शुल्क की निवल आय का 40 प्रतिशत भाग आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर सभी राज्यों मे संवितरित किया जाएगा जब कि शेष 7.5 प्रतिशत भाग आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर घाटे वाले राज्यों में संवितरित किया जाएगा। प्रतिशतता के आधार पर 1995-96 के लिए राज्यों के लिए तैयार किए गए हिस्सों का ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है। सरकार ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों

Distribution of Union Excise Duties between Centre and States:

Article 272 of the Constitution provides for sharing a part of net proceeds of Union Excise Duties and their distribution among the States in accordance with law enacted for the purpose. However, the receipts from additional duties on textiles and textile articles levied under the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 are, in terms of Section 3(2) of the said Act, not distributable among the States. Similarly, the receipts from earmarked cesses are also not shareable with States.

Under the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Act, 1990 based on the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission, 45 per cent of the net proceeds of Union duties of excise levied and collected under the Central Excise and Salt Act, 1944, and any other law for the levy and collection of such duty, excluding cesses levied under special Acts and earmarked for specific purposes, are to be paid to the States and distributed among them during each of the financial year 1990-91 to 1994-95 on the basis of the percentage prescribed by the Commission. The percentage share of each State has been given in Annexure-3.

The Tenth Finance Commission in its Report for 1995-2000 has recommended that the States' share in the net proceeds of shareable Union Excise Duties shall be 47.5% which shall be distributed among the States on the basis of the percentage shares prescribed by the Commission in each of the 5 years 1995-96 to 1999-2000. While 40% of the net proceeds of shareable Excise Duties will be distributed among all the States on the basis of percentages prescribed by the Commission, the balance 7.5% will be distributed among the deficit States in accordance with a separate set of percentages prescribed by the Commission for each of the financial year. The percentage shares on which the States' share for 1995-96 has been worked out are given in

को स्वीकार कर लिया है।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की सामग्री) अधिनियम 1957 में चीनी, तम्बाकू, सूती वस्त्रों ऊन के तथा हाथ से बने कपड़ों पर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किए जाने और उसे एकत्रित किए जाने की व्यवस्था है। यह शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत देय शुल्कों के अतिरिक्त है और राज्यों की सरकारों के साथ सहमति से किए गए निर्णय के अनुसार बिक्री कर को प्रतिस्थापित करता है जिसे राज्य इन वस्तुओं पर अन्यथा आरोपित करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य राशियों को छोड़कर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाली समग्र धनराशियां राज्यों के बीच बांट दी जाती है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की सामग्री) संशोधन अधिनियम, 1990 में जो कि नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था, विभिन्न राज्यों को 1990-91 से 1994-95 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निवल प्राप्तियों से उनके 1.903 प्रतिशत के बराबर की रकम घटाकर जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्त होती है, अदा की जाने वाली निवल प्राप्तियां प्रतिशततताएं निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य का प्रतिशत हिस्सा अनुबंध 3 में दिया गया है।

दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की निवल आय में से केन्द्रीय सरकार 2.203 प्रतिशत के बराबर की धनराशि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रख सकती है तथा शेष राशि को राज्यों के बीच आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार संवितरित किया जा सकता है, जिसका ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है। उत्पाद शुल्कों का यह विभाजन इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में उस राज्य के किसी भी कानून के द्वारा अथवा अंतर्गत इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की बिक्री या उसकी खरीद पर किसी भी राज्य में कोई कर आरोपित किया जाएगा अथवा एकत्रित किया जाएगा, तो जब तक केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश जारी करके अन्यथा निर्देश न दे तब तक उस वित्तीय वर्ष के दौरान उस राज्य को उस वस्तु के संबंध में कोई धनराशि अदा नहीं की जाएगी।

नवें और दसवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर 1994-95 के संशोधित अनुमानों तथा 1995-96 के बजट अनुमानों के लिए संघ राज्य उत्पाद शुल्कों तथा बिक्री कर के बदले आरोपित अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा उपर्युक्त आधार पर निर्धारित किया गया है।

राज्यों को देय अंश का अनुमान नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है:-

Annexure 3. The recommendations of the Tenth Finance Commission have been accepted by the Government.

The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 provides for the levy and collection of additional duties on sugar, tobacco, cotton fabrics, woollen fabrics and man-made fabrics. This duty is in addition to the duties payable under the Central Excises and Salt Act, 1944 or under any other law for the time being in force, and had replaced, by agreement with the State Governments, the sales tax otherwise levied by the States on these commodities. The entire proceeds of the additional excise duties, other than the proceeds attributable to Union territories, are distributable among the States. Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Act, 1990 based on the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission prescribes the percentages of net proceeds to be paid to various States during each of the financial years 1990-91 to 1994-95, after deducting a sum equal to 1.903 per cent of the net proceeds as being attributable to Union territories. The percentage share of each State is shown in *Annexure 3.*

The Tenth Finance Commission in its Report for 1995-2000 have recommended that out of the net proceeds of Additional Duties of Excise, a sum equal to 2.203 per cent be retained by the Central Government as attributable to Union Territories and the balance should be distributed amongst States in accordance with the percentage prescribed by the Commission which have been indicated in Annexure 3. The sharing would be subject to the condition that if during any financial year, there is levied and collected in any State, a tax on the sale or purchase of any of these commodities by or under any law of that State, no sums shall be payable to that State in respect of that commodity in respect of that financial year unless the Central Government by special order otherwise directs.

The States' share of Union Excise Duties and Additional Excise Duties in lieu of Sales tax has been worked out on the above basis for Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 i.e. on the basis of the recommendations of Ninth and Tenth Finance Commissions, respectively.

The estimate of share payable to States is shown in the following table:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

			बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(क) बुनियादी(विशेष उत्पाद शुल्क सहित)	(a)	Basic (including Special Excise Duties)			
जोड़-संग्रह (वापसी घटाकर)		**TOTAL**-Collections (net of refunds)	30415.81	30693.50	35588.90
घटाइए		***Less***			
-विविध प्राप्तियां		-Miscellaneous receipts	-73.38	-80.00	-92.00
-संग्रह की लागत		-Cost of collection	-212.22	-215.40	-217.01
निवल प्राप्तियां		Net proceeds	30130.21	30398.10	35279.89
राज्यों का अंश (वर्ष 1994-95 के लिए 45 प्रतिशत और वर्ष 1995-96 के लिए 47.5 प्रतिशत) (क)		**States' share (45% for 1994-95 and 47.5% for 1995-96) (A)**	**13558.59**	**13679.14**	**16757.95**
(ख) बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	(b)	Additional Excise Duties in lieu of sales tax			
जोड़-संग्रह (वापसी घटाकर)		**Total**-Collections (net of refunds)	**2700.76**	**2673.05**	**2980.05**
घटाइए– संग्रह की लागत		Deduct-Cost of collection	-18.84	-18.76	-18.17
निवल प्राप्तियां		Net proceeds	2681.92	2654.29	2961.88
घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों का अंश (वर्ष 1994-95 के लिए 1.903 प्रतिशत और वर्ष 1995-96 के लिए 2.203 प्रतिशत)		Deduct-Share of Union Territories (1.903% for 1994-95 and 2.203% for 1995-96)	-51.04	-50.52	-65.25
राज्यों का अंश (ख)		**States' share (B)**	**2630.88**	**2603.77**	**2896.63**
जोड़-संघ उत्पाद शुल्क में राज्यों का अंश (अर्थात् (क) + (ख)		**Total--States' share of Union Excise Duties i.e.(A) + (B)**	**16189.47**	**16282.91**	**19654.58**

प्रत्येक राज्य को देय राशि के अंश का विवरण अनुबन्ध 4 में दिया गया है ।

The amount of share of each State is given in *Annexure 4.*

संघ राज्य क्षेत्र के कर

विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

TAXES OF UNION TERRITORIES

The receipts are in respect of Union territories without Legislature. Broad details are:-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
भू-राजस्व	Land Revenue	0.80	1.21	0.98
स्टाम्प और पंजीकरण	Stamps and Registration	8.80	8.90	8.92
राज्य उत्पाद शुल्क	State Excise Duties	57.50	58.29	61.58
बिक्री कर	Sales Tax	107.40	110.00	116.50
वाहनों पर कर	Taxes on Vehicles	5.22	5.37	5.58
सामान और यात्रियों पर कर	Taxes on goods and passengers	1.86	2.01	2.18
बिजली पर कर और शुल्क	Taxes and Duties on Electricity	3.50	3.50	3.60
अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties	1.32	1.44	1.57
जोड़	**Total**	**186.40**	**190.72**	**200.91**
घटाइए	**Less**			
संघ राज्य क्षेत्रों के करों और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अंतरण	Transfer of Union Territory Taxes and Duties to Local Bodies	0.14	0.14	0.14
निवल-संघ राज्य क्षेत्रों के कर	Net-Taxes of Union Territories	186.26	190.58	200.77

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरे निम्नानुसार है :

OTHER TAXES AND DUTIES

The details are as follows:-

		Budget 1994-95	Revised 1994-95	Budget 1995-96
(i) विदेशी यात्रा कर	(i) Foreign Travel Tax	110.00	120.00	125.00
(ii) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	(ii) Inland Air Travel Tax	150.00	280.00	280.00
जोड़	**Total**	**260.00**	**400.00**	**405.00**

(i) *विदेशी यात्रा कर योजना:-* यह योजना वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्टूबर, 1971 को लागू की गई थी । योजना के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रति यात्री पर 300/- रुपए की दर पर, कर लगाए जाने की व्यवस्था है । पड़ोसी देशों की यात्रा के संबंध में कर का दर 150/- रुपए है। इस प्रकार संग्रहित राशि में से, वापस की गई राशि को घटाकर, एक तिहाई प्रतिशत राशि वाहक को संग्रह प्रभारों के रूप में दे दी जाती है, जिसके लिए व्यय-बजट में व्यवस्था की गई है ।

(ii) *अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर* वित्त अधिनियम, 1989 के जरिए आरंभ किया गया था । यह कर कुल किराए के 15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित होता है और विमान द्वारा देश के भीतर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों द्वारा देय होता है । उत्तर-पूर्व, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कुछ विशिष्ट मार्गों पर यात्राओं को इस कर से छूट-प्राप्त है। अन्य छूटें भी विद्यमान है यथा उन टिकटों पर भी लागू होती है जो अमरीकी डालरों में ली जाए । संग्रह और सरकारी खजाने में जमा किये गये संग्रहण का 5 प्रतिशत हिस्सा वाहकों को संग्रहण प्रभारों के रूप में अदा किया जाता है जिसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर की जमाराशि में इसलिए भी वृद्धि हुई है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ वाहक इस कर को नियमित रूप से जमा नहीं करवा रहे थे तथा वित्त अधिनियम, 1994 जिसके अंतर्गत बकाया राशि की वसूली के लिए कड़े प्रावधानों द्वारा कानूनी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए हैं के फलस्वरूप अब उन वाहकों ने इस वित्तीय वर्ष में यह कर जमा करवा दिया है। दूसरा अन्य कारण यह भी है कि पहले इंडियन एयरलाइन्स को निर्धारित समय के बाद भी अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर की राशि जमा करवाने की अनुमति थी लेकिन अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर नियमों में संशोधन के पश्चात् यह छूट वापिस ले ली गई। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष के दौरान वाहकों ने मूल किराए में वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर में वृद्धि हुई है।

(i) *Levy of Foreign Travel Tax* was introduced with effect from 15th October, 1971 through the Finance Act, 1971. The scheme provides for a levy of a tax at the rate of Rs. 300 for each passenger undertaking an international journey. (The rate of the tax is Rs. 150 for journeys to neighbouring countries). One third percent of the collections made, less refunds, is paid to the carriers as collection charges, provision for which is made in the Expenditure Budget.

(ii) *Inland Air Travel Tax* was introduced through the Finance Act, 1989. The tax is charged at a rate of 15% of the total fare and is payable by all passengers undertaking a domestic journey by air. Journeys on certain specified routes in the North East, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Islands are exempt from the levy of the tax. Other exemptions also exist such as exemption when tickets is paid for in US dollar. 5% of the collections made and deposited in the Government Treasury is paid to the carriers as collections charges, provision for which is made in the Expenditure Budget.

The increase towards deposit of IATT during the year 1994-95 is on account of the fact that during the previous years some of the carriers were not depositing the IATT regularly which they have now deposited in this financial year due to certain changes in the legal provisions vide the Finance Act, 1994 which provides more strict provisions for recovery of dues. The other reason is that earlier, Indian Airlines was permitted to pay the IATT after the prescribed time, which relaxation was withdrawn after amendment of IATT Rules. Further, the carriers had also increased the basic fare in this financial year which has resulted in the increase of IATT.

कर-भिन्न राजस्व NON-TAX REVENUE

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ INTEREST RECEIPTS, DIVIDENDS AND PROFITS

इस भाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज प्राप्तियों के अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश और लाभों को शामिल किया गया है । इसमें केन्द्रीय सरकार को अन्तरित भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त लाभ को भी शामिल किया गया है ।

मुख्य शीर्ष के अनुसार इसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

Apart from receipts on account of interest on loans by the Central Government, this Section comprises dividends and profits from public sector enterprises. It also includes surplus profits of the Reserve Bank of India transferred to Government.

The details by major heads are: –

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(क) ब्याज प्राप्तियां	(a) Interest Receipts	15977.89	16234.52	18419.48
(ख) लाभांश और लाभ	(b) Dividends and Profits	2793.00	2721.19	2945.87
जोड़	**Total**	**18770.89**	**18955.71**	**21365.35**
(क) ब्याज प्राप्तियां	(a) Interest Receipts:			
(i) ऋणों पर ब्याज	(i) Interest on loans to-			
(क) राज्य	(a) States	11126.50	11342.96	13305.50
(ख) संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	(b) Union Territories (with Legislature)	36.15	36.54	42.30
(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज	(c) Interest payable by Railways	1372.00	1380.00	1371.16
(घ) दूर संचार द्वारा देय ब्याज	(d) Interest payable by Telecommunications	263.40	269.20	265.00
(ङ) अन्य ब्याज प्राप्तियां	(e) Other Interest receipts	3179.84	3205.82	3435.52
जोड़	**Total**	**15977.89**	**16234.52**	**18419.48**

(क) राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

नौवें वित्त आयोग, सरकार द्वारा यथास्वीकृत, (वर्ष 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट) की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1984-89 के दौरान किए गए और 1989-90 के अन्त तक बकाया राज्य आयोजना ऋण, 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ब्याज की दर से समेकित कर दिए गए हैं । नौवें वित्त आयोग ने 1979 से पूर्व के समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है । 1979 से पूर्व के ऋणों पर 4.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है, जबकि 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों पर, जिनको 15 से 30 वर्ष की अवधि के लिए समेकित किया गया था, 6 से लेकर 6.75 प्रतिशत तक की दरों से ब्याज लगता है ।

राज्य सरकारों को 1.4.1974 से पूर्व दिये गये अल्प बचत ऋणों पर 4.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है । पहली अगस्त 1974 से 31 मई, 1981 तक और 1.6.1981 से 31.5.1982 तक दिये गए ऋणों पर क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । 1.6.1982 से 31.5.1983 तक दिए गए ऋणों पर 7.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और 1.6.1983 से 31.5.1984 तक दिए गए ऋणों पर 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । 1.6.1984 से ब्याज की दर 9.75 प्रतिशत और 1.6.1985 से 10.25 प्रतिशत है । 1.6.86 से 31.5.89 तक ऋणों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था। 1.6.89 से 31.5.91 तक ऋणों पर ब्याज दर 13 प्रतिशत है । ब्याज की दर बढ़ाकर 1.6.91 से 13.5 प्रतिशत और 1.6.92 से 14.5 प्रतिशत, 1.6.93 से 15 प्रतिशत और 2.9.93 से 14.5 प्रतिशत कर दी गई है।

राज्यों को दिए गए अन्य आयोजना और आयोजना-भिन्न ऋणों पर 1.6.84 से 31.5.85 तक और 1.6.85 से 31.5.86 तक ब्याज की दर क्रमशः 7.50 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी । 1.6.86 से 31.5.87 तक के ऋणों पर 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था, जबकि 1.6.87 से 31.5.88 तक लिए गए ऋणों पर 9.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लगा था। 1.6.88 से 31.5.90 तक लिए गए ऋणों पर 9.75 प्रतिशत ब्याज लगा था। 1.6.90 से 31.5.91 तक के ऋणों पर ब्याज की दर 10.25 प्रतिशत है। दिनांक 1.6.91 से ब्याज की दर बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत और 1.6.92 से 11.75 प्रतिशत कर दी गई है। दिनांक 1.6.93 से ऋण पर ब्याज दर 12 प्रतिशत कर दी गई है।

वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में राज्य सरकारों से 11342.96 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियां तथा 1995-96 के बजट अनुमानों में 13305.50 करोड़ रुपए की तुलना में 1994-95 के बजट अनुमानों में 11126.50 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त अनुमानों में, नौवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में की गई और 1995-2000 के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है ।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज

संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को दिए गए ऋणों पर 1994-95 के दौरान 36.54 करोड़ रुपए और 1995-96 के बजट अनुमानों में 42.30 करोड़ रुपए की ब्याज-प्राप्तियां होने का अनुमान है ।

(ग) रेलवे द्वारा दिया जाने वाला ब्याज

संसद की अनुक्रमिक रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे में लगी पूंजी पर, जिसका हिसाब वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, रेलवे द्वारा ब्याज के एवज में सामान्य राजस्व को एक निश्चित लाभांश और थोड़ा सा अंशदान दिया जाता है । रेलवे अभिसमय समिति की अंतिम सिफारिशें आने तक, समिति की पांचवी रिपोर्ट, जिसे लोक सभा में 31.3.93 को स्वीकृत किया गया था, के आधार पर 1995-96 के अनुमान, 1994-95 के लिए स्वीकृत व्यवस्थाओं के आधार पर तैयार किए

(a) Interest on loans to States

In pursuance of the recommendations of the Ninth Finance Commission (Second Report for the period 1990-95) as accepted by the Government, the State Plan loans advanced to States during 1984-89 and outstanding as at the end of 1989-90 have been consolidated for 15 years with 9% rate of interest. The Ninth Finance Commission has not recommended any change in respect of the pre-1979 consolidated loans. The pre- 1979 consolidated loans carry rate of interest of 4.75 *per cent*, while those advanced during 1979-84 and consolidated for terms ranging from 15 years to 30 years carry interest at rates varying from 6 *per cent* to 6.75 *per cent*.

Small Savings loans given to the State Governments prior to 1.4.1974 carry effective rate of interest of 4.75 *per cent*. The loans from 1.8.74 to 31.5.81 and 1.6.81 to 31.5.82 carry interest at 6.25 *per cent* and 7.25 *per cent* respectively. The loans from 1.6.1982 to 31.5.83 carry interest at 7.75 *per cent* and those from 1.6.83 to 31.5.84 that of 8.75 *per cent*. The rate of interest from 1.6.84 is 9.75 *per cent* and from 1.6.85 it is 10.25 *per cent*. The loans from 1.6.86 to 31.5.89 carry interest at 12 per cent. The loans from 1.6.89 to 31.5.91 carry interest at 13 per cent. The rate has been revised to 13.5 per cent from 1.6.91 and 14.5 per cent from 1.6.92, 15 per cent from 1.6.93 and 14.5 per cent from 2.9.93.

The rate of interest on other plan and non-plan loans to States from 1.6.84 to 31.5.85 and 1.6.85 to 31.5.86 carry interest at 7.50 per cent and 8 per cent respectively. Loans from 1.6.86 to 31.5.87 carry interest at 8.75 per cent while loans from 1.6.87 to 31.5.88 carry interest at 9.25 per cent. Loans from 1.6.88 to 31.5.90 carry interest at 9.75 per cent. The loans from 1.6.90 to 31.5.91 carry interest at 10.25 per cent. The rate was raised to 10.75 per cent w.e.f. 1.6.1991 and 11.75 per cent from 1.6.92. Loans from 1.6.1993 carry insterest at 12 per cent.

The interest receipts from the State Governments are estimated at Rs. 11342.96 crores in the Revised Estimate 1994-95 and Rs.13305.50 crores in Budget Estimate 1995-96 against the B.E. 94-95 of Rs. 11126.50 crores.

The above estimates take into account the effect of the recommendations of the Ninth Finance Commission made in Second Report for 1990-95 and Tenth Finance Commission for 1995-2000.

(b) Interest on loans to Union Territory Governments

The interest receipts during 1994-95 is estimated at Rs. 36.54 crores and Rs. 42.30 crores in Budget Estimate 1995-96 on loans advanced to Union territory of Pondicherry.

(c) Interest payable by Railways

In terms of the recommendations of the successive Railway Convention Committees (RCC) of Parliament, the Railways pay a fixed dividend to General Revenues on the capital invested in the Railways as computed annually in lieu of interest charges *plus* a small amount of contribution. Pending final recommendations of RCC (1991) based on their Fifth Report as adopted by Lok Sabha on 31.3.93, the estimates for the year 1995-96 have been framed on the basis of the arrangements

गए है । इन व्यवस्थाओ मे निम्नलिखित शामिल है :-

(i) रिहायशी इमारतों की पूंजीगत लागत को छोड़कर, जिन पर 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है, रेलवे की तरफ से लाभांश वाली समस्त पूंजी पर 7 प्रतिशत लाभांश की अदायगी की जाती है चाहे निवेश किसी भी वर्ष मे किया गया हो (31.3.1964 तक राज्यों को अदायगी के लिए निवेश पूंजी पर यात्री किराया कर आदि के बदले 1.5 प्रतिशत सहित) ।

(ii) रेलवे द्वारा नीचे बताई गई पूंजी के संबंध मे लाभांश की अदायगी नही की जाती:-

(1) *सामरिक महत्व की लाइने* —ऐसी लाइनों के कार्यचालन मे वार्षिक हानि सामान्य राजस्व से पूरी की जाती है और उनके कार्यचालन मे अधिशेष राशि, यदि कोई हो तो, सामान्य लाभांश के स्तर तक सामान्य राजस्व को अन्तरित कर दी जाती है।

(2) *अलाभकारी ब्रांच लाइने*- पूंजी पर लाभांश की अदायगी से एक विशेष ब्रांच लाइन को छूट इस लाइन की अलाभकारिता की वार्षिक समीक्षा के आधार पर दी जाती है जिसके निर्धारण मे "सीमान्तिक लागत" का सिद्धात अपनाया जाता है ।

(3) नौकाओं, कल्याण कार्यों से सबंधित इमारतों, (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य एकक, क्लब, संस्थाएं, स्कूल तथा कालेज, होस्टल तथा अन्य कल्याण केन्द्र) और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का असामरिक भाग ।

(4) अयस्क लाइने (किरिबुरू-बिमलागढ़ तथा संबलपुर-टिटलागढ़ लाइने, जिन पर अयस्क की ढुलाई के लिए भाड़े की रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती हैं) बशर्ते कि वे लाभकारी नही है, लाभप्रदता, "सीमान्तिक लागत" सिद्धान्त को अपनाते हुए निर्धारित की जाती है ।

(5) "वित्तीय भिन्न आधार पर" पहली अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद शुरू की गई 28 "नई लाइनों" की पूंजीगत लागत जिनमे से 'सीमान्तिक लागत' के सिद्धान्त के अनुसार वे लाइने शामिल नहीं है जिनसे वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया था । यह प्रबंध जम्मू-कठुआ तथा तिरुनेलवेली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाइनो पर लागू होता है जिनको 'राष्ट्रीय निवेश' के नाम से जाना जाता है ।

उपर्युक्त 'नई लाइनों' को छोड़कर अन्य नई लाइनो मे निवेशित पूंजी पर लाभांश, निर्माण की अवधि के दौरान तथा उनके खुलने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए स्थगित किया गया है । आस्थगित लाभाश छठे वर्ष से वसूल किया जा सकता है, बशर्ते कि नई लाइनों की निवल आय मे चालू लाभाश की अदायगी के बाद कुछ अधिशेष रहे । इन लाइनो पर आस्थगित लाभांश का खाता उनके खुलने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के बाद आस्थगित लाभाश के लिए किसी देयता को समाप्त करते हुए जिसे उस अवधि मे समाप्त नही किया गया, बन्द कर दिया जाता है ।

(iii) चालू पूंजीगत निर्माण कार्यो पर एक वर्ष मे होने वाले पूंजी-परिव्यय के 50 प्रतिशत भाग को (जिस पर अन्यथा लाभाश देय होता हो) तीन वर्ष की अवधि के लिए लाभाश की अदायगी से छूट दी गई है ।

(iv) उपर्युक्त लाभांश छूटो को (सामरिक महत्व की लाइनो से सबंधित कार्यो पर होने वाली हानि को छोड़कर) रेलवे का सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप मे उपलब्ध किया जाता है ।

(v) ऐसे वर्षों मे जब रेलवे का निवल राजस्व चालू लाभाश देनदारियों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता, चालू लाभांश की अदायगी की कमी को आस्थगित देनदारी माना जाता है (जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता) । इस राशि की अदायगी आने वाले वर्षों मे रेलवे के अधिशेष से की जाती है ।

उपर्युक्त सिद्धातों के आधार पर 1994-95 के संशोधित अनुमान तथा 1995-96 के बजट अनुमानो हेतु रेलवे द्वारा देय लाभांश के अनुमान निम्नानुसार है :-

adopted for 1994-95. These arrangements are:

(i) Except for the Capital cost of residential buildings which bears dividend at 3.5 per cent, Railways pay dividend at 7% on entire dividend-paying capital irrespective of the year of investment (inclusive of 1.5% on dividend bearing capital less subsidy capital invested upto 31.3.1964, for payment to States in lieu of Passenger fares tax).

(ii) The Railways do not pay dividend on capital in respect of:

(1) *Strategic Lines* - the annual loss in respect of working of such lines is borne by General Revenues and surplus, if any, in their working is transferred to General Revenues upto the level of normal dividend.

(2) *Unremunerative branch lines* - the exemption of a particular branch line from payment of dividend on capital is based on annual review of the un-remunerativeness of the line, the remunerativeness being determined adopting the 'marginal cost' principle.

(3) Ferries, welfare buildings (hospitals, dispensaries, health units, clubs, institutes, schools and colleges, hostels and other welfare centres) and non-strategic portion of the Northeast Frontier Railway.

(4) Ore lines (Kiriburu-Bimlagarh and Sambhalpur-Titlagarh lines, which involve concessional rates of freight for the carriage of ore) provided that they are not remunerative, the remunerativeness being determined adopting the 'marginal cost' principle.

(5) 28 'new lines' taken up on or after 1st April, 1955 on 'other than financial' considerations, except those which become remunerative during the year adopting the 'marginal cost' principle; this arrangement applies also to Jammu-Kathua and Tirunelvelli - Trivandrum - Kanyakumari lines which are known as 'national investments'.

On the 'new lines' other than those referred to above, dividend on capital invested is deferred during the period of construction as well as for the first five years after their opening. The deferred dividend is recoverable from the sixth year provided the net income of the new lines leaves a surplus after payment of the current dividend. The account of the unliquidated deferred dividend on these lines is closed after a period of 20 years from the date of their opening, extinguishing any liability for deferred dividend not liquidated within that period.

(iii) 50 per cent of the outlay in a year on capital works-in-progress (which would otherwise be liable to payment of dividend) is exempted from payment of dividend for a period of three years.

(iv) The above dividend concessions (except losses in the working of strategic lines) are provided to Railways in the form of subsidy from General Revenues.

(v) In years in which the net revenue of the Railways is not adequate to meet the current dividend liability, the shortfall in the payment of the current dividend is treated as deferred dividend liability (on which no interest is charged) to be discharged by Railways from surplus in future years.

Based on the principles mentioned above, the estimates of dividend payable by Railways for Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 work out as follows:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(i) लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	(i) Dividend on Capital at charge(net of subsidy payable by General Revenues)	1106.50	1096.06	1182.71
(ii) सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	(ii) Subsidy payable by General Revenues	403.10	423.41	411.16
(iii) रेल यात्री किराए पर कर के एवज मे रेलवे द्वारा अदायगी	(iii) Payment by Railways in lieu of Tax on Railway Passenger Fares	23.12	23.12	23.12
(iv) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिये रेलवे द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अदायगी	(iv) Payment by Railways for assistance to States for railway safety works	2.53	2.48	2.48
जोड़	**Total**	**1535.25**	**1545.07**	**1619.47**
घटाइए-"सामरिक महत्व की लाइनों" के कार्यचालन मे हानियां	**Less**-Loss on working of 'Strategic Lines'	163.25	165.07	248.31
रेलवे द्वारा देय निवल लाभांश जिसे ब्याज के रूप मे लिया गया है	**Net dividend payable by Railways taken as interest**	**1372.00**	**1380.00**	**1371.16**

1964-65 से पहले की पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले 1.5 प्रतिशत के अतिरिक्त लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की रकम रेलवे द्वारा प्रदत्त अंशदान, निरसित रेलवे यात्री किराया कर के एवज में राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है तथा शेष राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है तथा अंशतः रेलवे को सुरक्षा कार्यों अर्थात् कर्मचारी नियंत्रित रेलवे फाटक, सड़क ऊपरी पुलों और निचले पुल के खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तथापि, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र वर्ष 1994-95 तक राज्यों को 150 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुदान का भुगतान कर रहा है तथा उसे आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिशतता अंश के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाता है जैसाकि अनुबंध 3 में दर्शाया गया है। सरकार ने दसवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि वार्षिक अनुदान की प्रमात्रा 380 करोड़ रुपए होगी जिसे आयोग द्वारा निर्धारित तथा अनुबंध 3 में निर्दिष्ट प्रतिशतता अंश के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(घ) दूर संचार *विभाग द्वारा देय ब्याज* :- दूर संचार विभाग तथा सामान्य राजस्व के वित्तीय संबंधों को शासित करने वाले अभिसमय के अन्तर्गत दूर संचार विभाग सामान्य राजस्व को निम्न दरों के अनुसार लाभांश देगाः-

(i)1963-64 के अन्त तक दी गई उस निवल पूंजी पर 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभांश, जिसमें डाक-तार विभाग के 31 मार्च 1960 तक के संचित अधिशेष के अंश की रकम (29.78 करोड़ रुपए) और विभाग की नवीकरण प्रारक्षित निधि* में 1963-64 के अन्त में जमा रकम (52.72 करोड़ रुपए) घटा दी जाती है ।

(ii) वर्ष 1980-81 और उससे आगे तक संबंधित वर्षों में लिए गए ब्याज की औसत उधार दर :

(क) वर्ष 1964-65 से 1969-70 तक दी गई पूंजी जिसमें से इसी अवधि में नवीकरण प्रारक्षित निधि* में हुई निवल वृद्धि की रकम घटा दी गई है, और

(ख) 1969-70 के बाद 1984-85 तक प्रदत्त पूंजी जिसमें से डाक संबंधी संचयित घाटे की रकम निकाल दी गई थी, पूर्ववर्ती डाक व तार विभाग की राजस्व प्रारक्षित निधि में से (938.40 करोड़ रुपए) पूरी कर दी गई ।

यदि विभाग सामान्य राजस्व में देय लाभांश को अदा करने में असमर्थ है, तो उत्तरवर्ती विभाग के कार्यचालन परिणामों में हुई कमी और घाटे को यदि, कुछ हो, पूरा करने के लिए दूर संचार राजस्व प्रारक्षित निधि को ब्याज पर अग्रिम देता है ।

परिव्यय राशि में से घटाकर परिसम्पत्ति की वास्तविक प्रारंभिक लागत के आधार पर मूल्यह्रास के लिए की गई व्यवस्था को पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाता है ।

राजस्व प्रारक्षित निधि और पूंजी प्रारक्षित निधि के शेषों पर औसत दर से ब्याज मिलता है और यह ब्याज निधियों में जमा कर दिया जाता है।

दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणाम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है :-

Out of the additional 1.5 *per cent* dividend paid by the Railways on the pre-1964-65 capital, an amount of Rs.23.12 crores is contributed by the Railways for being passed on to the States as grant in lieu of the repealed tax on railway passenger fares and the balance is made available to States and partly to Railways to finance railway safety works such as manned level crossings, road over-bridges and under-bridges. However, on the basis of the recommendations of Ninth Finance Commission, Centre is paying an annual grant of Rs. 150 crores upto 1994-95 to States and this is distributed among the States according to percentage share recommended by the Commission, shown in Annexure 3. The Tenth Finance Commission has made the recommendation, which has been accepted by the Government, that the quantum of the annual grant will be Rs. 380 crores, which will be distributed according to percentage share prescribed by the Commission and indicated in Annexure 3.

(d) *Interest payable by the Department of Telecommunications* Under the Convention governing the financial relationship between the Department of Telecommunications and the General Revenues, the Department of Telecommunications would pay dividend to General Revenues at the following rates:

(i) 4.5% per annum on the net capital advanced upto the end of 1963-64 reduced by the Department's share of accumulated surplus as on 31st March, 1960(Rs.29.78 crores), and the balance in the Department's Renewals Reserve Fund* as at the end of 1963-64 (Rs.52.72 crores).

(ii) Average borrowing rate of interest as applicable to the respective years from 1980-81 and onwards on:

(a) Capital advanced from 1964-65 to 1969-70 reduced by the net accretion to the Renewals Reserve Fund* during this period and;

(b) Capital advanced after 1969-70 upto 1984-85 reduced by amount of accumulated Postal deficit met out of Revenue Reserve Fund of the erstwhile P & T Department (Rs.938.40 crores).

In case the Department is unable to pay dividend due to General Revenues, the latter makes interest-bearing advance to the Telecommunications Revenue Reserve Fund to cover the shortfall, as well as for meeting the deficit, if any, in the working results of the Department.

Provision for depreciation based on historical cost of assets is transferred to capital in reduction of the outlay.

The balances in the Revenue Reserve Fund and the Capital Reserve Fund earn interest at the average rate and this interest is added to the Funds.

The financial results of the working of the Department of Telecommunications are briefly as under :-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
सकल प्राप्तियां	Gross Receipts	8152.00	7698.00	8876.00
कार्यचालन व्यय (वास्तविक)	Working Expenses (Net)	4482.60	4123.80	4744.00
निवल प्राप्तियां	Net receipts	3669.40	3574.20	4132.00
*सामान्य राजस्व में लाभांश	*Dividend to General Revenues	263.40	269.20	265.00
निवल अधिशेष :	*Net surplus :*	3406.00	3305.00	3867.00
राजस्व प्रारक्षित निधि	Appropriation to			
पूंजी प्रारक्षित निधि	Revenue Reserve Fund	60.00	63.89	70.00
में विनियोजन	Capital Reserve Fund	3346.00	3241.11	3797.00

*सम्पूर्ण राशि ब्याज के रूप में समायोज्य है । * The entire amount is adjustable as interest.

*नवीकरण प्रारक्षित निधि को पहली अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दिया गया था ।

* The Renewals Reserve Fund was abolished with effect from 1st April, 1970

1994-95 के बजट अनुमानों में परिकल्पित 8152.00 करोड़ रुपयों की तुलना में 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 7698.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है ।

Receipts in RE 1994-95 are estimated at Rs.7698.00 crores as against Rs.8152.00 crores assumed in BE-1994-95.

7698.00 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की कुल प्राप्तिया बजट अनुमान अवस्था पर अनुमानित आंकड़ों की तुलना में मुख्यतः किराया एवं काल प्रभार एवं टेलेक्स के अन्तर्गत कम है।

Aggregate receipts of Rs. 7698.00 crores (R.E.) are less as compared to the figure estimated at B.E. stage mainly under Rental and Call Charges and Telex.

संशोधित अनुमान 1994-95 के कार्यचालन व्ययों में कमी मुख्यतः लीज प्रभारों, बांडों की वापसी तथा स्टॉफ व्यय में कमी के कारण हुई है । बजट अनुमान 1995-96 में प्राप्तियों और कार्य-चालन खर्चों में सामान्य वृद्धि होने की परिकल्पना कर ली गई है।

Decrease in the Working Expenses in RE 1994-95 is mainly on account of less expenditure under Leass Charges, Redemption of bonds and staff expenses. Budget Estimates 1995-96 under Receipts and Working Expenses assume normal increase.

वित्तीय परिणामों का अग्रेतर ब्यौरा अनुबन्ध 5 में दिया गया है।

Further details of the financial results are given in Annexure-5.

(ङ) अन्य ब्याज प्राप्तियां

(e) Other Interest Receipts

"अन्य ब्याज प्राप्तियों" के अन्तर्गत लगाए गए अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारिताओं, सरकारी कर्मचारियों आदि को अग्रिम तौर पर दिये गए ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय के सम्बन्ध में है।

The estimates under 'Other Interest Receipts' are in respect of interest on loans advanced to Public Sector Enterprises, Port Trusts and other Statutory Bodies, Cooperatives, Government servants, etc. and capital outlay on Departmental Commercial Undertakings.

प्राप्तियों में रेलवे विकास निधि को दिए गए ऋणों के लिए रेलवे से प्राप्त ब्याज भी शामिल है ।

The receipts also include interest from Railways against loans advanced to the Railway Development Fund.

लाभांश और लाभः

ब्यौरा निम्नानुसार है :

Dividends and Profits:

The details are as follows:–

(i) भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ	(i) Surplus profits of Reserve Bank of India	7221.00	7087.00	3654.00
घटाइए-विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाता पर मुद्रा-क्षति हेतु अंशदान	Less-Contribution for exchange loss on Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Account	5721.00	5587.00	2154.00
निवल	Net	1500.00	1500.00	1500.00
(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश	(ii) Share of profits from nationalised banks	7.00	24.00	48.00
(iii) जीवन बीमा निगम से लाभ का अंश	(iii) Share of profits from LIC	105.00	110.00	110.00
(iv) भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां	(iv) GIC and its subsidiaries	26.95	53.82	53.82
(v) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं	(v) IDBI and other financial institutions	127.02	134.48	136.48
(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	(vi) Dividends from Public sector enterprises and on other investments	1027.03	898.89	1097.57
जोड़	**Total**	**2793.00**	**2721.19**	**2945.87**

(i) *भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अंतरित अधिशेष लाभ मौजूदा और आगामी वर्ष के लिए क्रमशः 7087 करोड़ रुपए और 3654 करोड़ रुपए है। तथापि, मुद्रा-क्षति संबंधी देयता, जो सरकार ने विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के 1 जुलाई, 1993 से आगे परिपक्व होने वाली जमाराशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिग्रहीत कर ली है, को पूरा करने हेतु की गई क्रमशः 5787 करोड़ रुपए तथा 2154 करोड़ रुपए की व्यवस्था को हिसाब में लेते हुए, 1994-95 के संशोधित अनुमान और 1995-96 के बजट अनुमान में निवल 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है ।

(i) *Surplus profits of Reserve Bank of India:* The surplus profits transferred by RBI to Government during the current and next year are placed at Rs. 7087 crores and Rs. 3654 crores respectively. However, the Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimate for 1995-96 has been netted to Rs. 1500 crores, taking into account the provision of Rs. 5587 crores and Rs. 2154 crores respectively made to meet the exchange loss liability which the Government has taken over from Reserve Bank of India on account of Foreign Currency Non-Resident Account Scheme for deposits maturing from 1st July, 1993 onwards.

(ii) *राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश* : 1994-95 के संशोधित अनुमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ के संबंध में 24.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है, जबकि 1994-95 के बजट में 7.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। 1995-96 के बजट में इस संबंध में कुल 48.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

(ii) *Share of Profits from Nationalised Banks:* The receipts from profits of nationalised banks are estimated at Rs. 24.00 crores in the Revised Estimate 1994-95 as against Rs.7.00 crores assumed in the Budget Estimate 1994-95. Budget Estimate 1995-96 assumes a total receipt of Rs. 48.00 crores on this account.

(iii) *जीवन बीमा निगम से लाभ का अंश :* जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत, बीमांककीय मूल्यांकन द्वारा निर्धारित निगम के अधिशेष में से ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत की राशि सरकार को देय होती है । केन्द्रीय सरकार को देय निगम के अधिशेष की राशि का अनुमान 1994-95 के संशोधित अनुमान और 1995-96 के बजट अनुमान प्रत्येक में 110.00 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(iii) *Share of Profits from Life Insurance Corporation:* In terms of Section 28 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, not more than 5 per cent of the Corporation's surplus determined by actuarial valuation is payable to the Government. The share of the Corporation's surplus payable to the Central Government is estimated at Rs.110.00 crores each in the Revised Estimate 1994-95 and the Budget estimates for 1995-96.

(iv) *साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां :* ये अनुमान साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कंपनियों से, अर्थात् नेशनल इन्श्योरेन्स कं. लि., न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं. लि., ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं. और यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. से प्राप्त लाभांश से संबंधित है।

(iv) *GIC and its subsidiaries:* The estimates relate to dividend from GIC and its four subsidiaries, namely, National Insurance Co Ltd. New India Assurance Co. Ltd, Oriental Insurance Co. Ltd. and United India Insurance Co. Ltd.

(v) *भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं :* संस्थावार लाभांश का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(v) *IDBI and other financial institutions:* The details of dividends institution-wise are as follows:–

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	IDBI	113.02	120.48	120.48
निर्यात-आयात बैंक	Exim Bank	14.00	14.00	16.00
जोड़	**Total**	**127.02**	**134.48**	**136.48**

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य निवेशों से लाभांशः अनुमान मुख्यतः सरकारी कम्पनियों आदि द्वारा देय लाभांश के संबंध में है ।

(vi) *Dividends from public sector and other investments:* The estimates mainly relate to dividends payable by Government companies, etc.

अन्य कर-भिन्न राजस्व OTHER NON-TAX REVENUE

राजस्व का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है Broad details of revenue are as follows:-

1. राजकोषीय सेवाएं	1. Fiscal Services	1236.57	1169.12	1198.78
2. अन्य सामान्य सेवाएं	2. Other General Services	2493.91	2667.38	2959.42
3. सामाजिक सेवाएं	3. Social Services	576.68	579.00	693.03
4. आर्थिक सेवाएं	4. Economic Services	3843.52	3965.29	4521.90
5. सहायता अनुदान और अंशदान	5. Grants-in-aid and Contributions	1365.00	1175.99	1153.66
जोड़	**Total**	**9515.68**	**9556.78**	**10526.79**
घटाइए—	*Less—*			
वाणिज्यिक विभाग*	Commercial Departments*	5136.58	4913.97	5675.44
निवल-अन्य कर-भिन्न राजस्व	**Net-Other Non-Tax Revenue**	**4379.10**	**4642.81**	**4851.35**

* उप - क्षेत्रों द्वारा वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

* Details of receipts of the commercial departments by sub-sectors are as follows:–

राजकोषीय सेवाएं	Fiscal Services	612.51	541.99	654.59
अन्य सामान्य सेवाएं	Other General Services	1702.85	1596.85	1858.13
सामाजिक सेवाएं	Social Services	446.00	456.16	549.00
आर्थिक सेवाएं	Economic Services	2375.22	2318.97	2613.72
जोड़	**Total**	**5136.58**	**4913.97**	**5675.44**

राजकोषीय सेवाएं **FISCAL SERVICES**

अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया है:- The estimates are as follows:

राजकोषीय सेवाएं	Fiscal Services	1236.57	1169.12	1198.78
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	*Less-Receipts of Commercial Departments*	*612.51*	*541.99*	*654.59*
निवल	**Net**	**624.06**	**627.13**	**544.19**

वाणिज्यिक विभाग

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियों के अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

Commercial Departments:

The details of the estimates of receipts by commercial departments are as follows:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:	(a) Currency,Coinage and Mint:			
करेंसी नोट प्रैस	Currency Note Press	231.89	187.15	241.86
बैंक नोट प्रैस	Bank Note Press	154.04	122.18	147.67
प्रतिभूति कागज कारखाना	Security Paper Mill	79.08	69.46	83.06
जोड़	**Total**	**465.01**	**378.79**	**472.59**
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	(b) Other fiscal services:			
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	India Security Press	117.50	139.20	152.00
प्रतिभूति मुद्रणालय	Security Printing Press	30.00	24.00	30.00
जोड़	**Total**	**147.50**	**163.20**	**182.00**
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	The net receipts comprise:-			
(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:	(a) Currency, Coinage and Mint:			
(i) सिक्कों के प्रचलन से लाभ	(i) Profits from circulation of coins	10.00	75.00	60.00
(ii) टकसाल	(ii) Mints	4.12	4.49	4.69
(iii) चांदी शोधनशाला	(iii) Silver Refinery	0.40	...	...
जोड़	**Total**	**14.52**	**79.49**	**64.69**
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	(b) Other Fiscal Services	609.54	547.64	479.50
जोड़ राजकोषीय सेवाएं (निवल)	***Total Fiscal Services(Net)***	***624.06***	***627.13***	***544.19***

(क) करेंसी सिक्का निर्माण और टकसाल:- सिक्कों के परिचालन से लाभ, सिक्कों के अंकित मूल्य और उनके धातु मूल्य की लागत के बीच के अन्तर का द्योतक है।

"टकसाल" के अन्तर्गत प्राप्तिया मुख्यत: परिशोधन और धातु परीक्षण प्रभारों से संबंधित है ।

"चांदी शोधनशाला" के अन्तर्गत सामग्री नीलामी से प्राप्त होने वाली विक्रय से संबंधित है ।

(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं:- ये प्राप्तियां मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को देय ई. एफ. एफ. प्रभार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अंशदान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्त पारितोषण, आदि जब्त किए गए सोने और चांदी की बिक्री से प्राप्त राशि तथा आर्थिक अपराधों इत्यादि से प्राप्त अर्थदण्ड से संबंध रखती है ।

इन उपरोक्त वाणिज्यिक विभागों से होने वाली प्राप्तियों को व्यय बजट में व्यय में से घटाकर दिखाया गया है ।

(a) Currency, Coinage and Mint:- Profits from circulation of coins represents the difference between face value of coins and their metal value.

The receipts under 'Mints' relate mainly to refining and assaying charges.

Receipts under 'Silver Refinery' mainly relate to sale proceeds of material auctioned.

(b) Other Fiscal Services:- The receipts mainly relate to contributions by Reserve Bank of India towards EFF charges payable to the International Monetary Fund, remunerations etc. received from IMF and penalties etc. realised against economic offences.

The receipts from the above commercial departments have been taken in reduction of expenditure and are dealt with in the Expenditure Budget.

अन्य सामान्य सेवाएं

अनुमान इस प्रकार है:-

OTHER GENERAL SERVICES

The estimates are as follows:-

अन्य सामान्य सेवाएं	Other General Services	2493.91	2667.38	2959.42
घटाएं-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	*Less- Receipts of Commercial Department*	*1702.85*	*1596.85*	*1858.13*
निवल	**Net**	**791.06**	**1070.53**	**1101.29**
निवल प्राप्तियों मे निम्नलिखित शामिल है :-	The net receipts comprise:-			
(i) प्रशासनिक सेवाएं	(i) Administrative services			
लोक सेवा आयोग	Public service commission	6.50	8.12	8.12
पुलिस	Police	310.05	382.70	400.01
पूर्ति और निपटान	Supplies and disposals	24.51	32.98	26.72
लेखन-सामग्री और मुद्रण	Stationery and printing	38.52	35.00	38.50
लोक निर्माण कार्य	Public works	45.82	50.00	52.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other administrative services	184.84	230.92	231.78
(ii) पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	(ii) Contribution and recoveries towards pension and other retirement benefits	56.26	38.11	38.01
(iii) विविध सामान्य सेवाएं	(iii) Miscellaneous general services	124.56	292.70	306.15
जोड़	**Total**	**791.06**	**1070.53**	**1101.29**

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तिया रक्षा सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग से सम्बन्धित है जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दी गई परीक्षाओं की फीस आदि की प्राप्तियों की द्योतक है ।

The Commercial Department receipts relate to Defence Services Canteen Stores Department (CSD) which are dealt with under net expenditure of Commercial Departments in the Expenditure Budget.

The receipts of 'Public Service Commission' mainly represent examination fees, etc. of the Union Public Service Commission and Staff Selection Commission.

'पुलिस' की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को केन्द्रीय पुलिस बल आदि की तैनाती से संबंधित है ।

'पूर्ति और निपटान' के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के संगठन की मार्फत की गई खरीद और भंडारों के निरीक्षण की फीस तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की मार्फत बेचे गए फालतू और बेकार सामान के विपणन से हुई प्राप्तियों को दिखाया गया है।

'लेखन सामग्री और मुद्रण' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का सम्बन्ध सरकारी मुद्रणालयों, लेखन सामग्री, सरकारी राजपत्रों और सरकारी प्रकाशन की बिक्री आदि से है ।

'लोक निर्माण कार्य' शीर्ष के अंतर्गत सरकारी रिहायशी इमारतों के किराए से भिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी सभी प्राप्तियों को दिखाया गया है ।

'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के अंतर्गत प्राप्तियों का संबंध मुख्यतः लेखापरीक्षा फीस, पासपोर्ट तथा वीसा फीस आदि से है । अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः लेखा-परीक्षा फीस, पासपोर्ट और वीसा फीस के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण है ।

"विविध सामान्य सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत राजस्व खाते में वृद्धि में बट्टे खाते डाली गई डाक प्रमाण पत्रों/बाजार उधारों के संबंध में दावा न किए गए शेषों से संबंधित प्राप्तियां शामिल की गई है ।

The receipts of 'Police' are on account of Central Police Forces supplied to State Governments and other parties.

The receipts under 'Supplies and Disposals' mainly relate to the fees for purchase and inspection of stores; and sale proceeds of surplus and obsolete stores disposed of through Directorate General of Supplies and Disposals.

The receipts under 'Stationery and Printing' relate to government printing presses, sale of stationery, gazettes and government publications etc.

'Public Works' accommodates all receipts relating to Central Public Works Department other than rent of government residential buildings.

The receipts under the head 'Other Administrative Services' mainly relate to audit fees, passport and visa fees, etc. The increase is mainly on account of larger receipts from Audit fees and passport and visa fees.

The head 'Miscellaneous General Services' accommodates receipts relating to unclaimed balances of postal certificates/ market loans written-off to revenue.

सामाजिक सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

SOCIAL SERVICES

The estimates are as follows:

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
सामाजिक सेवाएं	Social Services	576.68	579.00	693.03
घटाए-वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	*Less-Receipts of Commercial Departments*	*446.00*	*456.16*	*549.00*
निवल	**Net**	**130.68**	**122.84**	**144.03**
वाणिज्यिक विभागों के अलावा प्राप्तियों के अनुमान इस प्रकार हैं :-	The estimates of receipts, other than the commercial Departments, comprise the following:–			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	11.65	4.45	12.00
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	18.88	38.98	43.98
परिवार कल्याण	Family Welfare	10.98	7.50	10.30
आवास	Housing	62.58	45.34	51.09
शहरी विकास	Urban Development	...	...	...
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	23.77	23.77	23.77
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	1.24	1.48	1.57
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	1.55	1.32	1.32
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services	0.03	0.00	0.00
जोड़	**Total**	**130.68**	**122.84**	**144.03**

'आकाशवाणी और दूरदर्शन' के संबंध में प्राप्तियां जिन्हें प्रसारण की वाणिज्यिक प्राप्तियां माना जाता है व्यय में निवल रूप में प्रदर्शित की जाती है और व्यय बजट में दिखाई जाती है ।

'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य फीसों तथा, अजायबघरों और प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से होने वाली आमदनी से है ।

'चिकित्सा' प्राप्तियों में सरकारी स्वास्थ्य स्कीम के लिए अंशदान, ट्यूशन और अन्य फीस, अस्पतालों तथा औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्त प्रभार शामिल है । 'लोक स्वास्थ्य' प्राप्तियों में सेवा फीसें, सेरा तथा वैक्सीन आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी शामिल है ।

'परिवार कल्याण' की प्राप्तियां मुख्यतः सामग्री तथा पूर्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से संबंधित हैं ।

'आवास' प्राप्तियों में मुख्यतः सरकारी रिहायशी इमारतों की लाइसेंस फीस शामिल है ।

'शहरी विकास'' प्राप्तियों में लाइसेंस शुल्क तथा भूमि-किराया शामिल है।

'सूचना और प्रचार' प्राप्तियों में मुख्यतः विज्ञापन और दृश्य प्रचार के लिए प्रकाशनों की बिक्री तथा चल चित्रों का किराया शामिल है ।

The receipts relating to 'Akashvani and Doordarshan', which are treated as commercial receipts of Broadcasting are netted against expenditure and dealt with in Expenditure Budget.

The receipts under 'Education, Sports, Art and Culture' mainly relate to tuition and other fees, and entry fees at museums and the ancient monuments.

'Medical' receipts include contributions for Central Government Health Scheme and charges realised from patients for hospital and dispensary services etc.. 'Public Health' receipts include service fees, sale proceeds of sera and vaccine, etc.

'Family Welfare' receipts mainly relate to sale proceeds of material and supplies.

'Housing' receipts mainly relate to licence fees for Government residential buildings.

'Urban Development' receipts include licence fees and ground rent.

'Information and Publicity' receipts include charges from advertising and visual publicity, sale of publications and film rentals.

बजट में 'श्रम तथा रोजगार' प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, फैक्टरी तथा खान अधिनियमों आदि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले शुल्कों से संबंधित है ।

'Labour and Employment' receipts relate mainly to fees realised under labour laws, factories and mines Act, etc.

'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के अंतर्गत प्रदर्शित प्राप्तियां मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना की प्राप्तियों से संबंधित है ।

The receipts under 'Social Security and Welfare' mainly relate to Central Government Employees Insurance Scheme.

आर्थिक सेवाएं

ECONOMIC SERVICES

अनुमान इस प्रकार है:-

The estimates are as follows:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
आर्थिक सेवाएं	**Economic Services**	**3843.52**	**3965.29**	**4521.90**
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग	*Less-Commercial Departments*	*2375.22*	*2318.97*	*2613.72*
निवल	**Net**	**1468.30**	**1646.32**	**1908.18**

वाणिज्यिक विभाग

Commercial Departments

वाणिज्यिक विभागों से प्राप्तियों के अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

The details of the receipt estimates by commercial departments are given below:–

कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:	*Agriculture and allied activites:*			
दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	46.00	102.00	125.00
उद्योग और खनिज:	*Industry and Minerals:*			
अफीम और एल्कलॉयड कारखाने	Opium Factories and alkaloid works	62.00	80.00	100.00
ईंधन निर्माण सुविधाएं	Fuel fabrication facilities	185.73	142.03	180.51
जोड़	**Total**	**293.73**	**324.03**	**405.51**
ऊर्जा:	*Energy:*			
बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र	Badarpur Thermal Power Station	429.00	429.00	429.00
राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	Rajasthan Atomic Power Station	21.83	0.00	9.80
ईंधन संबंधी माल-सूची	Fuel Inventory	216.37	169.70	218.03
भारी जल पुंज प्रबन्ध	Heavy Water Pool Management	201.25	168.21	187.86
जोड़	**Total**	**868.45**	**766.91**	**844.69**
परिवहन:	*Transport:*			
दीपस्तम्भ और दीपपोत	Lighthouses and lightships	43.04	43.03	48.52
संचार:	*Communications:*			
डाक सेवा	Postal Services	1170.00	1185.00	1315.00
जोड़-वाणिज्यिक विभाग	***Total-Commercial Departments***	***2375.22***	***2318.97***	***2613.72***

इन वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां व्यय को घटाकर दिखाई गई है और इन्हें व्यय बजट में दिखाया गया है ।

The receipts of these commercial departments have been taken in reduction of expenditure and dealt with in the Expenditure Budget.

निवल प्राप्तियों के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल है:-

The estimates of the net receipts comprise as follows:–

(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	(i) Agriculture and Allied Activities	124.75	86.47	84.53
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(ii) Irrigation and Flood Control	3.80	5.25	4.53
(iii) ऊर्जा	(iii) Energy	989.03	1024.38	1321.94
(iv) उद्योग और खनिज	(iv) Industry and Minerals	38.25	48.98	53.29
(v) परिवहन	(v) Transport	50.65	60.75	66.55
(vi) दूरसंचार	(vi) Communications	5.40	7.10	7.10
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	(vii) Science,Technology and Environment	24.67	27.43	24.95
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(viii) General Economic Services	231.75	385.96	345.29
जोड़	**Total**	**1468.30**	**1646.32**	**1908.18**

प्रत्येक उपक्षेत्र के अन्तर्गत खातों के मुख्य शीर्षों के अनुसार इन प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

The details of these receipt estimates by major heads of account under each sub-sector are given below:–

(i) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप:	*(i) Agriculture and Allied Activities:*			
कृषि कार्य	Crop Husbandry	8.92	11.50	11.50
पशुपालन	Animal Husbandry	3.50	3.65	3.65
डेरी विकास	Dairy Development	0.10	0.10	0.10
मीन उद्योग	Fisheries	0.95	1.03	1.08
वन और वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	103.00	58.00	55.00
खाद्य-भंडारण और भांडागारण	Food Storage and warehousing	6.26	8.17	8.18
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	2.02	4.02	5.02
जोड़	**Total**	**124.75**	**86.47**	**84.53**

इस उपक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों तथा बागवानी पौधा संरक्षण सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों और कृषि शिक्षा, किस्म नियंत्रण तथा कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण की फीस राशियां शामिल हैं । विदेशों और संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरकों, मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकमों को इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

This sub-sector accommodates receipts from agricultural farms, commercial crops, horticulture, plant protection services, fees from agricultural education, fees for quality control and grading of agricultural product etc. Sale proceeds of inputs like seeds, fertilizers, machinery, etc.received as aid from foreign countries and organisations are also accounted for under it.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण:	*(ii) Irrigation and Flood Control :*			
वृहद् और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	3.20	4.45	3.53
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	0.60	0.80	1.00
जोड़	**Total**	**3.80**	**5.25**	**4.53**

"वृहद् और मध्यम सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना की प्राप्तियों को दर्शाते हैं । "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान राज्य सरकारों आदि के लिए हाथ में लिए गए केन्द्रीय भूतल जल बोर्ड द्वारा अन्वेषण के कार्य से संबंधित है।

The estimates under the head "Major and medium irrigation" represent mainly the receipts of Central Water Commission and Central Water Power Research Station, Pune. The estimates under "Minor irrigation" relate to receipts of Central Ground Water Board for ground water exploration undertaken by it for State Governments, etc.

(iii) ऊर्जा	*(iii) Energy :*			
विद्युत	Power	5.80	5.84	5.70
पैट्रोलियम	Petroleum	983.22	1018.52	1316.22
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	0.01	0.02	0.02
जोड़	**Total**	**989.03**	**1024.38**	**1321.94**

'विद्युत' शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां आती हैं और अन्य सरकारों की ओर से क्रियान्वित सामान्य कार्यों से प्राप्त राशियां भी दिखाई गई हैं ।

The head 'Power' records receipts of the Central Electricity Authority under the Electricity (Supply) Act etc.

'पेट्रोलियम' शीर्ष के अन्तर्गत अनुमानों में अपरिष्कृत तेल और गैस पर रायल्टी से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। संशोधित अनुमान, 1994-95 में वृद्धि मुख्यतः 1.4.90 से लागू रायल्टी की दर के संशोधन के कारण है । वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान बकाया रहित चालू प्राप्तियों के द्योतक है।

Under the head 'Petroleum' the estimates include receipts from royalty on crude oil and gas. Increase in Revised Estimate, 1994-95 is mainly on account of the revision of rate of royalty effective from 1.4.90. B.E. 1995-96 represent current receipts without arrears.

(iv) उद्योग और खनिज	*(iv) Industry and Minerals :*			
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries	9.03	10.52	11.23
उद्योग	Industries	28.08	36.59	39.66
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	1.14	1.87	2.40
जोड़	**Total**	**38.25**	**48.98**	**53.29**

"ग्राम और लघु उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत, औद्योगिक सम्पदा, लघु उद्योग, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम कीटपालन और अन्य ग्रामोद्योगों से होने वाली प्राप्तियां दिखायी गई है ।

The head "Village and Small Industries" records receipts from industrial estates, small scale, handloom, khadi, handicraft, coir, sericulture, powerloom and other village industries.

'उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से लाइसेंस शुल्क संग्रह से संबंधित है।

Receipts under 'Industries' relate mainly to atomic energy industries and licence fees collected from various industries.

"अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से होने वाली प्राप्तियां दिखाई गई हैं।

The head "Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries" mainly accommodates receipts on account of specified jobs undertaken by the Geological Survey of India.

(v) परिवहन	*(v) Transport*			
पत्तन और दीप स्तम्भ	Ports and Light Houses	5.55	5.97	7.73
नौवहन	Shipping	2.95	7.26	8.30
नागर विमानन	Civil Aviation	0.65	1.02	1.02
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	41.50	46.50	49.50
जोड़	**Total**	**50.65**	**60.75**	**66.55**

"पत्तन, दीपस्तम्भ" और "नौवहन" के अन्तर्गत प्राप्तियां प्रकाश से संबंधित प्राप्त व्यय राशियों, सर्वेक्षण तथा जहाजों के रजिस्ट्रेशन की फीस और नौका सेवाओं से संबंधित है ।

"सड़कें और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित प्राप्तियां शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों और स्थाई पुलों के उपयोग से संबंधित शुल्क और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं से विभागीय प्रभारों की वसूली शामिल है।

The heads "Ports and Light-houses" and "Shipping" account for receipts of light dues, survey and registration fees of ships and ferry services.

The head "Roads and Bridges" includes receipts on account of national highways, including fees for use of National highways permanent bridges and also departmental charges recovered from State Governments and other bodies for services rendered by the Border Roads Development Board.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(vi) संचार	(vi) Communications:			
"अन्य संचार सेवाएं"	'Other Communication Services'	5.40	7.10	7.10

"अन्य संचार सेवाओं" के अंतर्गत प्राप्तियों का संबंध मुख्य रूप से वायरलेस योजना और समन्वय संगठन से है ।

Receipts under 'Other Communication Services' mainly relate to the Wireless Planning and Coordination Organisation.

(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	(vii) Science, Technology and Environment:			
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	9.08	11.35	8.37
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	Other Scientific Services and Research	15.59	16.08	16.58
जोड़	**Total**	**24.67**	**27.43**	**24.95**

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के अन्तर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न प्रभाग / यूनिटों द्वारा की गई बिक्रियों और सेवाओं से हुई प्राप्तियों से संबंधित हैं ।

"अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मानचित्रण संगठन, से संबंधित है।

The receipts under 'Atomic Energy Research' relate to sales and services rendered by various divisions/units of Bhabha Atomic Research Centre.

"Other Scientific Services and Research" receipts mainly relate to the Survey of India, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, etc.

(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(viii) General Economic Services:			
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	52.29	56.44	59.95
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	179.31	329.44	285.25
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies	0.15	0.08	0.09
जोड़	**Total**	**231.75**	**385.96**	**345.29**

इस शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियों में से एक प्राप्ति व्यापार और अदायगी करारों के अंतर्गत बकायों के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी कटौती के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है ।

One of the main receipts under this head relates to receipts on revaluation of foreign currency in favour of India in respect of balances under Trade and Payment Agreements.

शीर्ष "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं" में मुख्यतः संयुक्त पूंजी कम्पनियों के विनियमन से होने वाली प्राप्तियां और बीमा अधिनियम के अंतर्गत फीस की वसूली की प्राप्तियों को दिखाया गया है । इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्राप्तियां तथा जोखिम बीमा निधि की प्राप्तियों और गैर सरकारी निकायों के द्वारा की गई सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा वसूल किए गए शुल्कों को भी शामिल किया गया है ।

The head "Other General Economic Services" mainly accommodates receipts on account of regulation of joint stock companies and fees realised under the Insurance Act. It also includes receipts of the Indian Meteorological Department, fees realised by National Informatics Centre for services rendered by it to non-Government bodies and Risk Insurance Fund receipts.

सहायता अनुदान और अंशदान

GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS

ये अनुमान विदेशी स्रोतों से नकदी और वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान से संबंधित है । ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

The estimates are in respect of Grant assistance, in cash and kind, from external sources. The details are :

(i) विदेशी अनुदान सहायता	(i) External Grant Assistance	1284.55	995.74	1085.20
(ii) सहायता सामग्री और उपस्कर	(ii) Aid Material & Equipment	80.45	180.25	68.46
जोड़	**Total**	**1365.00**	**1175.99**	**1153.66**

अतिरिक्त ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबन्ध 8 की विवरणी 2 में दिए गए हैं:-

Further details are given in Statement 2 to Annexure 8 of this document.

संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व

NON-TAX REVENUE OF UNION TERRITORIES :

अनुमान इस प्रकार है :-

The estimates are as follows :-

संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) की प्राप्तियां	Receipts of Union Territories (without legislature)	191.52	184.05	196.42

विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, खासतौर पर अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वन उत्पादों की बिक्री, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त होने वाली राशियों तथा जहाज पर्यटन और विद्युत से होने वाली प्राप्तियों से सम्बद्ध हैं।

The receipts of the Union Territories without legislature mainly relate to administrative services; sale of timber and forest produce mainly in Andaman and Nicobar Islands; receipts from Chandigarh Transport Undertaking and receipts from shipping, tourism and power.

भाग ख PART B
पूंजी प्राप्तियां CAPITAL RECEIPTS

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में **पूंजी प्राप्तियों** के अनुमानों का स्थूल श्रेणीवार संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। 1994-95 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा संशोधित अनुमानों और 1995-96 के बजट अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणियां और अतिरिक्त जानकारी जिनमें इस घट-बढ़ का स्पष्टीकरण दिया गया है, इस विवरण के बाद दी गई हैं। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी अदायगियों को घटाकर है।

ESTIMATES OF CAPITAL RECEIPTS

The Statement below summarises by broad categories the estimates of **capital receipts**. Further details together with brief notes explaining the variations between the Budget estimates and the Revised estimates for 1994-95 and between the latter and Budget estimates for 1995-96 are given in the notes that follow this statement. The borrowings and other debt included in the statement are net of repayments.

(करोड़ रुपए in crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
1. बाजार ऋण	1. Market Loans			
सकल उधार	*Gross Borrowings*	*4653.67*	*4653.68*	*9255.58*
घटाइए-वापसी अदायगियां	*Less-Repayments*	*953.67*	*953.67*	*5555.58*
निवल उधार	*Net Borrowings*	*3700.00*	*3700.01*	*3700.00*
2. अन्य दीर्घावधिक एवं मध्यमावधिक उधार	2. Other long & medium term borrowings	11000.00	17000.00	19000.00
3. अल्पावधिक उधार	3. Short term Borrowings	12000.00	3870.00	4387.00
4. स्वर्ण बांड 1998	4. Gold Bonds, 1998	1225.00	1100.00	65.00
5. विदेशी सहायता (निवल)	5. External Assistance (Net)	4278.48	3946.62	4456.15
6. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	6. Recoveries of loans & advances	6700.00	6700.00	6730.00
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिता का विनिवेश	7. Disinvestment of equity holdings in Public sector enterprises	4000.00	5237.41	7000.00
8. अल्प बचतें, लोक भविष्य निधि, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना (निवल)	8. Small Savings, Public Provident Fund and Deposit Scheme for Retiring Employees (Net)	6000.00	14000.00	8000.00
9. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	9. State Provident Funds (Net)	1800.00	1900.00	2000.00
10. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम, आदि की विशेष जमा (निवल)	10. Special Deposits of Non-Government PF, LIC, etc. (Net)	8100.00	8900.00	8964.42
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)	11. Other Receipts (Net)	811.52	1148.24	2062.03
कुल-पूंजी प्राप्तियां *	**Total Capital Receipts***	**59615.00**	**67502.28**	**66364.60**

**अनुबन्ध 12 में उपर्युक्त अनुमानों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है।*

**Annexure 12 gives a reconciliation of the above estimates with the Receipt estimates shown in the Annual Financial Statement.*

1. बाजार ऋण :

1994-95

1994-95 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋणों से वापसी अदायगियां घटाकर, 3700 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियों की प्रत्याशा की गई थी। वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों को उसी स्तर पर रखा गया है।

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना शुरू की, जिसका संचालन बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की प्रथा से अलग था।

वर्ष के दौरान की गई चार नीलामियों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 4653.68 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई गई थी :

1. Market Loans:

1994-95

In the Budget Estimate of 1994-95 the total receipt from market borrowings by the Central Government, net of repayments, was assumed at Rs. 3700 crores. RE 1994-95 has been retained at the same level.

In 1992-93 Government of India introduced a scheme of sale of dated Government securities by auction, which is conducted by the Reserve Bank of India at Bombay. This marked a departure from the practice followed earlier in raising market loans by issuing loans at specific interest rates.

In the four auctions held during the year a total sum of Rs. 4653.68 crores was raised as per details given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

किस्त और निर्गम की तारीख / Instalment and date of issue	लिए गए उधार	Loans raised	अभिदान की धनराशियां Amounts subscribed
प्रथम/ First (24.5.94)	12.35 प्रतिशत सरकारी स्टाक 2004	12.35% Government Stock 2004	1200.00
द्वितीय/ Second(28.6.94)	12.08 प्रतिशत सरकारी स्टाक 2001	12.08% Government Stock 2001	900.00
तृतीय/Third(26.7.94)	11.64 प्रतिशत सरकारी स्टाक 2000	11.64% Government Stock 2000	900.00
चतुर्थ/Fourth (26.7.94) द्वितीय निर्गम/IInd Issue	11.64 प्रतिशत सरकारी स्टाक 2000	11.64% Government Stock 2000	1653.68
	जोड़	**Total**	**4653.68**
	घटाइए-वापसी अदायगी	*Less Repayments*	*953.67*
	निवल	*Net*	*3700.01*

बजट अनुमान, 1995-96

निम्नलिखित ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 1995-96 में विमोचित किया जाएगा:

Budget Estimates 1995-96

The following loans with outstanding balances indicated against each are due for discharge in 1995-96:

		(करोड़ रुपए Rs. crores)
5.50 प्रतिशत ऋण, 1995	5.50% Loan, 1995	188.56
6.25 प्रतिशत ऋण, 1995	6.25% Loan 1995	125.70
9.50 प्रतिशत ऋण, 1995	9.50% Loan 1995	185.77
6.50 प्रतिशत ऋण, 1995	6.50% Loan 1995	119.30
10.50 प्रतिशत ऋण, 1995	10.50% Loan 1995	291.61
8.25 प्रतिशत ऋण, 1995	8.25% Loan 1995	598.71
12 प्रतिशत सरकारी ऋण, 1995	12% Govt. Stock 1995	4045.93
जोड़	***Total***	***5555.58***

बजट में उपर्युक्त वापसी-अदायगियों को घटाकर प्रत्याशित कुल उधारों की राशि 3700 करोड़ रुपए है।

2. **अन्य दीर्घावधिक एवं मध्यमावधिक उधार**:—इनमें नीलामी आधार पर बेची गई (i) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों तथा (ii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को परिवर्तित करना शामिल है। इन हुंडियों में निवेशकों को अपनी धारिताओं को दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का विकल्प देने का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष के दौरान किये गए परिवर्तनों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:—

	(करोड़ रुपए)
(i) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां जो 12% सरकारी स्टॉक, 1999 में परिवर्तित की गयी	4417.17
(ii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां जो 11.75% सरकारी स्टॉक, 2001 में परिवर्तित की गयी	8078.36
(iii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां जो 11% सरकारी स्टॉक, 1997 में परिवर्तित की गयी	101.25

सरकार ने निवेश प्रपत्रों की सीमा को व्यापक करने के आशय से 1994-95 में आंशिक प्रदत्त स्टॉक नामक एक और नया प्रपत्र शुरु किया। 14 नवम्बर, 1994 को 11.55% ब्याज दर वाले आठ-वर्षीय आंशिक प्रदत्त स्टॉक की नीलामी के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई थी। इसके अतिरिक्त, 2000 करोड़ रुपए की राशि के पांच-वर्षीय जीरो कूपन बांडों की 2 फरवरी, 1995 को नीलामी की गई। बांडों पर कोई ब्याज नहीं है लेकिन इन्हें रियायत पर बेचा जाता है।

वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान के लिए अन्य दीर्घावधिक और मध्यमावधिक उधारों के लिए 17000 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित है और वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में अनुमानित राशि 19,000 करोड़ रुपए है।

The total borrowings assumed in the Budget net of the above repayments, amount to Rs. 3700 crores.

2. **Other Long & Medium term borrowings**: These comprise conversion of (i) 364-day Treasury Bills and (ii) 91-day Treasury Bills sold on auction basis. Investors in these Bills were offered the option to convert their holdings into dated securities. The details of conversions made during the year are as under:—

	(Rs. Crores)
(i) 91 day treasury bills converted into 12% Government Stock, 1999.	4417.17
(ii) 364 day treasury bills converted into 11.75% Government Stock, 2001.	8078.36
(ii) 364 day treasury bills converted into 11% Government Stock, 1997.	101.25

Government introduced one more new instrument in 1994-95 with the intention of widening the range of investment instruments namely, Partially Paid Stock. An amount of Rs. 2000 crore was raised through auction of Partially Paid Stock of 8 year tenor bearing an interest rate of 11.55% on 14th November, 1994. In addition, Zero Coupon Bonds of 5 year tenor for Rs. 2000 crore were auctioned on 2nd February 1995. These Bonds do not carry any interest, but are sold at a discount. For RE 1994-95 a sum of Rs. 1700 crore has been assumed under "other Long and Medium term borrowings" and for BE 1995-96 the amount assumed is Rs.19000 crores.

3. **अल्पावधिक उधार—**

364-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक आदि) और अन्य पक्षों को अल्पावधिक निवेश का अवसर प्रदान करती हैं। ये राजकोषीय हुण्डियां वर्ष 1992-93 में शुरू की गई थीं ताकि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार विकसित हो सके। इन हुण्डियों का भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनर्बट्टा नहीं किया जा सकता है।

ये हुण्डियां बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी आधार पर आवधिक रूप से बिक्री के लिए पेश की जाती हैं। वर्ष 1994-95 में इन हुण्डियों की बिक्री से प्राप्तियों का अनुमान वापसी-अदायगी और रूपान्तरण को घटाकर 4548 करोड़ रुपए और वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में 6223 करोड़ रुपए लगाया गया है।

3. **Short term borrowings:—**

364 day treasury bills offer short-term investment opportunity to financial institutions (like banks, etc.) and other parties. These treasury bills were introduced in 1992-93 to enable development of a market for government securities. These bills are not rediscountable with the Reserve Bank of India.

These bills are periodically offered for sale on auction basis, by the Reserve Bank of India at Bombay. The receipts from sale of these bills this year, net of repayment and conversion are estimated at Rs.4548 crore in RE 1994-95 and Rs.6253 crore in BE 1995-96.

4. **स्वर्ण बांड, 1998:—**

स्वर्ण बाण्ड, योजना, 1993 दिनांक 15.3.93 से तीन महीनों के लिए आरंभ की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रारक्षित भंडार को बढ़ाने हेतु साधारण नागरिकों के बेकार स्वर्ण संसाधनों को जुटाना था। प्राप्त किया गया कुल अभिदान 41.12 मी. टन स्वर्ण था। प्राप्त स्वर्ण की परख और प्रमाणीकरण के कार्यक्रम और प्रगति के आधार पर 1994-95 के 1225 करोड़ रु. बजट अनुमानों की तुलना में इस योजना के तहत 1994-95 के संशोधित अनुमानों तथा 1995-96 के बजट अनुमानों में क्रमशः 1100 करोड़ रु. तथा 65 करोड़ रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है।

4. **Gold Bonds, 1998 :—**

The Gold Bond Scheme, 1993 was introduced for three months from 15.3.93. The main objective of the scheme was to mobilise the idle gold resources of ordinary citizens to supplement official reserves. The total subscription received was 41.12 M.T. of gold. RE 1994-95 and BE 1995-96 assume a receipt of Rs. 1100 crore and Rs. 65 crore respectively under this scheme against BE 1994-95 of Rs. 1225 crore, based on the progress and the programme of assaying and certification of gold received.

5. **विदेशी सहायता:—** बजट 1994-95 में विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) से 9666.88 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके मुकाबले 1994-95 के संशोधित अनुमान में 9426.22 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। 1995-96 के बजट में 10372.30 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान है।

5. **External Assistance :—**

Budget 1994-95 assumed a gross receipt of Rs. 9666.88 crore from external assistance (excluding external grants). As against this, the Revised Estimate 1994-95 is placed at Rs.9426.22 crore. Gross receipts for 1995-96 are estimated at Rs.10372.30 crore.

1994-95 के बजट में वापसी-अदायगियों के लिए 5388.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जबकि संशोधित अनुमानों में 5479.60 करोड़ रुपए की वापसी की व्यवस्था है। 1995-96 में वापसी-अदायगियों के लिए 5916.15 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार विदेशी सहायता से होने वाली निवल प्राप्तियों की राशि 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 3946.62 करोड़ रुपए और अगले बजट में 4456.15 करोड़ रुपए दिखाये गये है।

विदेशी सहायता की प्राप्तियों और चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में मूलधन की वापसी अदायगियों के अनुमान का सारांश नीचे दिया गया है :—

Budget 1994-95 provided for repayments of Rs. 5388.40 crore against which the Revised estimate is placed at Rs. 5479.60 crore . The repayments in 1995-96 are estimated at Rs. 5916.15 crore.

The net receipts from external assistance are thus placed at Rs. 3946.62 crore in the Revised Estimate 1994-95 and Rs.4456.15 crore in the next Budget.

A summary of estimates of receipts of external assistance and repayment of the principal in the current year and in the next is given below :—

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. प्राप्तियां	**A. Receipts**			
(i) विदेशी ऋण	*(i) External loans*	*9004.17*	*8762.88*	*10134.72*
(ii) परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	*(ii) Receipts under Revolving fund*	*662.71*	*663.34*	*237.58*
जोड़-प्राप्तियां	**Total Receipts :**	*9666.88*	*9426.22*	*10372.30*
ख. वापसी-अदायगियां	**B. Repayments**	**(-) 5388.40**	**(-) 5479.60**	**(-) 5916.15**
निवल प्राप्तियां :	**Net receipts :**	**4278.48**	**3946.62**	**4456.15**

और अधिक ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 8 में दिए गए हैं।

Further details are given in Annexure 8 to this document.

6. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) और गैर-सरकारी पार्टियों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार है:—

6. Recoveries of Loans and Advances

The estimates of recoveries of loans and advances made by the Central Government to the State Governments, Union Territories (with Legislature) and Non-Government parties are as follows:-

वसूलियां:	Recoveries from:			
(i) राज्य सरकारों से	(i) State Governments	4221.51	4333.18	4729.65
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल वाले)	(ii) Union Territories (with Legislature)	21.09	21.09	24.57
(iii) अन्य	(iii) Others	2457.40	2345.73	1975.78
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**TOTAL- Recoveries of Loans and Advances**	**6700.00**	**6700.00**	**6730.00**
(क) राज्य सरकारों की वसूलियों मे शामिल नहीं हैं :- अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम	(a) The recoveries from State Governments exclude Short-term ways and means advances	1000.00	1000.00	1000.00
(ख) गैर-सरकारी पार्टियों से की गई वसूलियों में सरकारी कर्मचारियों आदि से की गई वसूलियां शामिल नहीं है जिन्हें व्यय बजट से घटा दिया जाता है।	(b) The recoveries from non-Government parties exclude recoveries from Government servants, etc. which are netted in the Expenditure Budget	131.00	131.00	132.00
(i) राज्य सरकारों से वसूलियों का ब्यौरा:-	**(i) Details of Recoveries from State Governments:–**			
(क) 1979 से पहले के समेकित ऋण	(a) Pre-1979 Consolidated loans	247.17	263.17	247.17
(ख) 1979-84 के समेकित ऋण	(b) 1979-84 Consolidated Loans	356.01	391.86	356.01
(ग) 1984-89 के समेकित ऋण (राज्य की आयोजना स्कीमों के लिए)	(c) 1984-89 Consolidated Loans (for State Plan Schemes)	1095.56	1226.71	1095.57
(घ) 1984-89 के समेकित ऋण(जो भूतपूर्व गोवा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के दिए गए थे)	(d) 1984-89 Consolidated Loans (advanced to Ex-U.Ts of Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh)	16.15	16.15	15.34
(ङ) 1984-85 से 1994-95 के दौरान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न प्रयोजनों हेतु दिए गए ऋण	(e) Loans for Plan and Non-Plan purposes advanced during 1984-85 to 1994-95	1415.00	1318.26	1427.27
(च) लघु बचत संग्रहणों के एवज में ऋण	(f) Loans against Small Savings collections	1090.00	1115.41	1386.67
(छ) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बट्टे खाते में डाले जाने वाले ऋण	(g) Loan to be written off in terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission	...	...	200.00
(ज) अन्य ऋण	(h) Other Loans	1.62	1.62	1.62
जोड़	Total	**4221.51**	**4338.18**	**4729.65**

(i) (क) और (ख):- सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1983-84 तक राज्य सरकारों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों और 1984-85 के अन्त में बकाया ऋणों को समेकित किया गया है। समेकन के प्रयोजनों हेतु वित्त आयोग ने 1978-79 तक दिए गए ऋणों और 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों को भिन्न-भिन्न रूपों में माना था। हालांकि कुछ राज्यों के मामले मे 1979 से पहले दिए गए ऋणों की शर्तों में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है, फिर भी दूसरों के

(i) (a) & (b): In pursuance of the recommendations of the Eighth Finance Commission, as accepted by the Government, the Central loans advanced to the State Governments upto 1983-84, and outstanding as at the end of 1984-85, have been consolidated. For purposes of consolidation, the Finance Commission had treated loans advanced up to 1978-79 and those advanced during 1979-84 differently. While no change has been recommended in the terms of pre-1979 loans

मामले में इन ऋणों को 25 वर्षीय ऋणों के रूप में या 30 वर्षीय ऋणों के रूप में समेकित किए जाने की सिफारिश की गई है। जहां तक 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों का संबंध है, सभी राज्यों के मामले में इन्हें 15 वर्षों से लेकर 30 वर्षों की अवधियों वाले ऋणों के रूप में समेकित किया गया है। नौवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट तथा 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट मे तथा दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(ग) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1984-89 के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए राज्य आयोजना ऋणों तथा 1989-90 के अन्त में यथा-विद्यमान बकाया ऋणों को 15 वर्षीय ऋणों मे समेकित किया गया है। दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(घ) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1986-87 तक संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में गोआ तथा मिजोरम सरकार द्वारा आयोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए अतिरिक्त केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालने के उपरान्त 31.3.1990 को यथा-विद्यमान शेष बकाया राशियों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है।

(ङ) इन अनुमानों का संबंध 1984-85 से 1989-90 की अवधि हेतु राज्य आयोजना स्कीमों के लिए दिए गए ऋणों को छोड़कर 1984-85 से मंजूर किए गए अन्य ऋणों से है जिन्हें समेकित किया गया था (उपर्युक्त (ग) देखें)। हालांकि मूल बजट अनुमानों तथा संशोधित बजट अनुमान, 1994-95 का संबंध 1984-85 से 1993-94 के दौरान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में की गई वसूलियों से है, फिर भी बजट 1995-96 उन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों तथा 1994-95 के दौरान दिए गए ऋणों पर भी आधारित है।

1990-91 से आगे की राज्य आयोजनाओं के लिए मंजूर किए गए ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्षों की होगी, जिसकी वापसी-अदायगी 20 समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी। तथापि इनके पचास प्रतिशत ऋणों को पांच वर्ष की आरम्भिक रियायत अवधि मिलेगी जिसके उपरान्त इन ऋणों की वापसी-अदायगी 15 समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी। दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में इन ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(च) लघु बचत ऋण भी उन ऋणों में आते हैं जो आठवें वित्त आयोग के समेकन की स्कीम में शामिल नहीं है। इन ऋणों की वसूली, जिसे पहले रोक दिया गया था, 1985-86 से फिर शुरु कर दी गई है। नौवें और दसवें वित्त आयोग ने लघु बचत संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय ऋणों से संबंधित मौजूदा शर्तों में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है।

मूलधन की वापसी-अदायगी के लिए इन ऋणों पर 5 वर्षों का अधिस्थगन काल होगा और वापसी अदायगी की अवधि अधिस्थगन काल सहित 25 वर्षों की है। अगले वर्ष में वृद्धि 1988-89 में दिए गए ऋणों की वापसी-अदायकी की किश्त शुरु होने के कारण है।

(छ) दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-2000 की अपनी रिपोर्ट में ऋण राहत की सिफारिश निम्नानुसार की है:-

क. उच्च राजकोषीय दवाब वाले राज्यों (अर्थात 10 विशेष श्रेणी वाले राज्यों और बिहार, उड़ीसा तथा उत्तरप्रदेश) और उन राज्यों जितनी ऋण समस्या पर विशेष ध्यान (पंजाब) दिया जाना आवश्यक है, के लिए विशिष्ट राहत; और

ख. सामान्य राहत

दसवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों पर लागू निम्नलिखित दो नई ऋण राहत स्कीमों का प्रस्ताव दिया है।

- पहली स्कीम में, आगामी प्रत्येक पांच वर्ष के लिए किसी राज्य को स्वीकार्य ऋण राहत को पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य के राजकोषीय निष्पादन से निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय निष्पादन के सुधार को राजस्व प्राप्तियों (सुपुर्दगी और केन्द्र से अनुदानों सहित) राजस्व व्यय के अनुपात की पिछले तीन लगातार वर्षों में इसी आधार पर आकलित अनुपात से तुलना करके मापा जाता है।

- दूसरी स्कीम में, आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के उद्यमों के विनिवेश से हुई प्राप्तियों का उपयोग करके राज्यों द्वारा दिए गए ऋण के बराबर ऋण को अतिरिक्त रूप से बट्टे खाते में डालना चाहिए।

in the case of some States, these loans have been recommended to be consolidated into either 25 year loans or 30 year loans in the case of others. As regards loans advanced during 1979-84, these have been consolidated in the case of all the States with periods ranging from 15 years to 30 years. The Ninth Finance Commission in their First Report for 1989-90 and Second Report for 1990-95 and the Tenth Finance Commission have not recommended any change in respect of these consolidated loans.

(c) In pursuance of the recommendations of the Ninth Finance Commission contained in its second Report for the period 1990-95, as accepted by the Government, the State Plan loans advanced to State Government during 1984-89 and outstanding as at the end of 1989-90 have been consolidated into 15 year loans. The Tenth Finance Commission in their report for 1995-2000 have not recommended any change in respect of these consolidated loans.

(d) In pursuance of the recommendations of the Ninth Finance Commission contained in the Second Report for the period 1990-95, as accepted by the Government, the remaining outstanding balance as on 31.3.1990, after write-off of the excess of central loans received by the Government of Goa and Mizoram for plans upto 1986-87 as Union Territories, have been consolidated into 15 year Loans.

(e) These estimates related to loans sanctioned from 1984-85 other than loans for State Plan Schemes for the period 1984-85 to 1989-90 which were consolidated (vide (c) above). While the original Budget Estimates and the Revised Estimates 1994-95 relate to recoveries in respect of loans advanced for Plan and Non-Plan purposes during 1984-85 to 1993-94, Budget 1995-96 is based on loans advanced during those years and also loans advanced during 1994-95.

The maturity period of the loans sanctioned for State Plans from 1990-91 onwards will be 20 years, repayment being made in 20 equal annual instalments. However, fifty percent of these loans will enjoy a five year initial grace period, after which the repayments of these loans will be effected in 15 equal annual instalments. The Tenth Finance Commission in their report for 1995-2000 have not recommended any change in respect of these loans.

(f) Small Savings loans are also among those loans not covered by the scheme of consolidation of the Eighth Finance Commission. The recovery of these loans suspended earlier has been resumed from 1985-86. The Ninth and Tenth Finance Commission have not suggested any change in the existing terms and conditions relating to central loans against the small savings collections.

These loans carry moratorium of 5 years towards repayment of principal, and the period of repayment is 25 years including moratorium period. The increase in next year is due to commencement of the repayment instalment of loans advanced in 1988-89.

(g) The Tenth Fianance Commission in its Report for 1995-2000 has recommended debt relief as under :-

A. Specific relief for States with high fiscal stress (i.e. 10 special category States and Bihar, Orissa and Uttar Pradesh) and States whose debt problems need special attention (Punjab); and

B. **General Relief**:

The Tenth Finance Commission has proposed the following two new debt Relief Schemes applicable to all the States.

- In the first scheme, the admissible debt relief to a State for each of the next five years is linked with the fiscal performance of the State during the preceding three years. The improvement of fiscal performance is to be measured by comparing the ratio of revenue receipts (including deveolution and grants from the Centre) to total revenue expenditure in a given year, with the average of the same measure in the three immediately preceding years.
- In the second scheme, the Commission has recommended that the Central Government should additionally write off debt equivalent to the debt retired by the States by utilising the proceeds of disinvestment of State Public Enterprises.

विशिष्ट राहत का विवरण

- दसवें वित्त आयोग ने पंजाब को विशिष्ट ऋण राहत देने के सिफारिश की है जो वर्ष 1995-2000 के लिए 490.63 करोड़ रुपए बैठती है (वर्ष 1995-96 में 98.12 करोड़ रुपए)। यह राशि वर्ष 1995-2000 के दौरान पंजाब राज्य को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दिए गए विशेष ऋणों की वापसी-अदायगी का एक तिहाई हिस्सा प्रदर्शित करती है।
- आयोग ने यह सिफारिश की है कि वर्ष 1995-2000 के दौरान 10 विशेष श्रेणी के राज्यों- अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा तथा वर्ष 1989-95 के दौरान बिहार, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश को दिए गए नए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में सभी वापसी-अदायगियों का 5 प्रतिशत बट्टे खाते डाल दिया जाए।
- ऊपर उप-पैरा (ख) में सूचीबद्ध 14 राज्यों को वर्ष 1995-2000 के दौरान 701.14 करोड़ रुपए (वर्ष 1995-96 में लगभग 140 करोड़ रुपए) बैठती है।
- नौवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों (ऊपर मद संख्या (घ) के अंतर्गत समेकित ऋणों के संबंध में ऊपर उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट राहत भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्रों अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोआ को भी प्रदान किया जाएगा।
- विशेष व्यवस्था के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए ऋण के संबंध में बकाया वापसी-अदायगी वर्ष 1995-96 में बट्टे खाते डाल दी जाएगी।

(ज) यह वसूली उड़ीसा सरकार को हीराकुंड चरण-I के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित है, जिन्हें समेकित स्कीम द्वारा शामिल नहीं किया जाता।

वर्ष 1994-95 के लिए संशोधित अनुमान और वर्ष 1995-96 के लिए बजट अनुमान में सरकार द्वारा यथा स्वीकृत राज्यों को दिए गए ऋण राहत के संबंध में क्रमशः नौवें और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को हिसाब में लिया गया है।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) से वसूलियां:** ये वसूलियां पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में है।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी :** संशोधित अनुमान, 1994-95 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को छोड़कर अन्य पार्टियों अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि से ऋणों की वसूलियों के रूप में 2375.73 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। 1995-96 के दौरान 1975.78 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:—

Details of Specific Relief:

- The Tenth Finance Commission has recommended specific debt relief to Punjab which works out to Rs.490.63 crores for 1995-2000. (Rs.98.12 crore in 1995-96) This amount represents 1/3rd of the repayment of the principal falling due during 1995-2000 on special loans given to the State of Punjab for combating militancy.
- The Commission has recommended that 5% of all repayments due during the period 1995-2000 in respect of fresh central loans given to 10 Special category States - Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and States of Bihar, Orissa and Uttar Pradesh during 1989-95 may be written off.
- The total debt relief to the 14 States listed above, works out to Rs.701.14 crores during 1995-2000 (Rs.140 crore in 1995-96).
- The relief specified in sub-para (b) above would also be extended to the erstwhile Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and Goa in respect of the loans consolidated under the accepted recommendations of the 9th Finance Commission at above).
- The repayment due in respect of loan for purchase of helicopters by Arunachal Pradesh under special arrangement will be written off in 1995-96.

(h) The recovery relates to Hirakud Stage-I loans advanced to Government of Orissa which are not covered by the Scheme of consolidation.

The Revised Estimates for 1994-95 and Budget Estimates for 1995-96 take into account the effect of recommendations of the Ninth and Tenth Finance Commission, respectively, regarding debt relief to States as accepted by the Government.

(ii) **Recoveries from Union Territories (with Legislature) :** The recoveries are in respect of loans advanced to the Union Territorry of Pondicherry.

(iii) **Repayments by Others:** Loan repayments by parties other than State and Union Territory Governments, viz. foreign Governments, industrial and commercial enterprises and financial institutions in the public sector, municipalities, port trusts, private sector companies and institutions, cooperatives, etc. are estimated at Rs.2345.73 crores in RE 1994-95. During 1995-96, repayment estimates are placed at Rs.1975.78 crores. The broad details are:—

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
(क) विदेशी सरकारें	(a) Foreign Governments	34.86	23.02	35.98
(उनके तकनीकी ऋण)	(of which, Technical Credits)	(...)		
(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय आदि	(b) Public Sector enterprises, statutory bodies, etc.	2422.54	2322.71	1939.80
जोड़	**Total**	**2457.40**	**2345.73**	**1975.78**

7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश

ये प्राप्तियां सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण है।

7. Disinvestment of equity holdings in public sector enterprises.

The receipts are on account of partial disinvestment of Central Government's holdings in the equity capital of selected public sector enterprises.

8 अल्प बचतें, लोक भविष्य निधि और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए जमा योजना।

वापसी अदायगियों को घटाकर अनुमान, निम्नलिखित हैं:

8. Small Savings, Public Provident Fund and Deposit Schemes for Retiring Government Employees/Employees of Public Sector Companies.

The estimates, net of repayments, are as follows:

(i) अल्प बचतें	(i) Small Savings	4090.00	11770.00	5520.00
(ii) लोक भविष्य निधि	(ii) Public Provident Fund	1880.00	2206.00	2443.00
(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए जमा योजना	(iii) Deposit Scheme for Retiring Government Employees/Employees of Public Sector Companies	30.00	24.00	37.00
जोड़	**Total**	**6000.00**	**14000.00**	**8000.00**
राज्यों/विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों का अंश	*States' UTs with legislatures Share*	*5152.00*	*9649.00*	*7000.00*
केन्द्र के पास निवल शेष	***Net to Centre***	*848.00*	*4351.00*	*1000.00*

(i) **अल्प बचतें:-** अल्प बचतों में डाकघर बचत खाते, डाकघर सावधि जमा, डाकघर आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर मासिक आय योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र शामिल हैं।

(ii) **लोक भविष्य निधि :** लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत तैयार की गई लोक भविष्य निधि योजना के अधीन जमा की गई राशियों पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर में छूट मिलती है। एक अभिदाता एक वर्ष में 60,000 रु. तक की राशि जमा कर सकता है जबकि एक वर्ष में न्यूनतम 100 रुपए जमा करना जरूरी है। इन जमा राशियों पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर करमुक्त ब्याज मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के नाम से और हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से खाते खोले जा सकते हैं। हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से खोले गए खाते नामांकन-सुविधा दी गई है।

(iii) **सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना:** यह योजना 1 जुलाई, 1989 से चालू की गई थी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत अपने सेवा निवृत्ति लाभों का निवेश कर सकते हैं। इस योजना का प्रचालन भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुनी हुई शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना को 11.11.93 से उच्चतम न्यायाल और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए विस्तार कर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत किए गए निवेशों पर 10% प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है जो छः माह के पश्चात् देय होता है। बाण्डों के मूल्य की राशि धनकर और ब्याज आय कर से मुक्त है। निवेशकर्ताओं को राशि जमा करने की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात जमाराशि निकाल लेने का विकल्प है।

(iv) **सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के के लिए जमा योजना :** यह योजना जिसे 1 जनवरी, 1991 से शुरू किया गया था, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना जैसी ही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा निवेश के लिए खुली है। इस योजना के अंतर्गत निवेशों पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है जो छः माह पश्चात देय हो जाता है।

विधानमंडल सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का अंश: प्रत्येक राज्य में अल्प बचतों और लोक भविष्य निधि के अंतर्गत किए जाने वाले बचतों के निवल संग्रह के तीन चौथाई हिस्से तक के दीर्घावधिक ऋण राज्य सरकारों को स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अलावा स्थिर दीर्घावधिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण दिया जाता है यदि राज्य में हुए सकल संग्रह के प्रति अल्प बचतों के निवल संग्रह का अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक बैठे। अखिल भारतीय प्रतिशत अनुपात से राज्य के प्रतिशत अनुपात में होने वाली 5 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि के संबंध में राज्य में होने वाले निवल संग्रह के 2.5 प्रतिशत के बराबर की राशि का अतिरिक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकारें भी प्रत्येक राज्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना के अधीन निवल संग्रहों के 50 प्रतिशत तक दीर्घावधि ऋण लेने की हकदार हैं।

विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली तथा पांडिचेरी के लिए 1.1.94 से उसी प्रकार निवल लघु संग्रह के प्रति ऋण स्वीकृत किए जाते हैं जैसे राज्यों के लिए स्वीकृत किए जाते है।

9. **राज्य भविष्य निधियां :** इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेनदेन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से सम्बद्ध होते हैं। परिकल्पित क्रेडिट निधियों में जमा की गई राशि ब्याज सहित तथा उसमें से निकासियों/अस्थाई अग्रिमों की निवल राशि है। पहली अप्रैल, 1986 से जमा रकमों पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है। 1994-95 के बजट में कुल 1800 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था। जिसकी तुलना में संशोधित अनुमान में 1900 करोड़ रु. की व्यवस्था थी। वर्ष 1995-96 के बजट में 2000 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति आंकी गई है।

10. **विशेष जमा योजना:** गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता और उपदान निधियों द्वारा अपनी निवल प्राप्तियों और जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि के अधिशेषों में से सरकार के पास किए

(i) **Small Savings:** Small Savings comprise of Post Office Savings Accounts, Post Office Time Deposits, Post Office Recurring Deposits, National Savings Scheme, Post Office Monthly Income Scheme and National Savings Certificate, Indira Vikas Patra and Kisan Vikas Patra.

(ii) **Public Provident Fund:** Deposits under the Public Provident Fund Scheme framed under the Public Provident Fund Act, 1968 qualify for tax rebate under the Income-tax Act. A subscriber can make deposits upto Rs.60,000 in a year, while the minimum necessary deposit in a year is Rs.100. These deposits carry a tax-free interest at 12 per cent per annum. Under the Scheme accounts can be opened in the name of individual and on behalf of HUF. Nomination facility has been extended to an account opened on behalf of HUF.

(iii) **Deposit Scheme for Retiring Government Employees:** This scheme was introduced from Ist July, 1989. The retired/retiring Central and State Government employees can invest their retirement benefits under the scheme which is being operated through selected branches of State Bank of India and nationalised banks. The scheme was extended to the retired Judges of the Supreme Court and High Courts from 11.11.1993. The investments under this scheme earn interest at the rate of 10% per annum payable half yearly. The value of deposits is exempt from Wealth tax and the interest income is exempt from Income-tax. The investors have the option to withdraw the deposit after 3 years from the date of deposit.

(iv) **Deposit Scheme for Retiring Employees of Public Sector Companies :** The scheme which was introduced from 1st January, 1991 is on the lines of Deposit Scheme for Retiring Government Employees. The scheme is open to investment by retired/retiring employees of public sector banks, LIC, GIC and other public sector companies. The investments under this scheme earn interest at the rate of 10% per annum payable half yearly.

(v) **Share of States/UTs with legislature:** Long term loans are advanced to the State Governments to the extent of three-fourth of the net collections under Small Savings and the Public Provident Fund in each State. Further, with a view to encourage stable long term savings, additional loan is advanced to a State Government if the percentage of net Small Savings collections to gross collections in the State exceeds the all India percentage in this behalf by more than 5 per cent. Additional loan is given to the extent of 2.5 per cent of the net collections in the State for every 5 per cent increase in the State's percentage over the all India percentage.

State Governments are also entitled to long term loans to the extent of 50 per cent of the net collections under the Deposit schemes for Retiring Government Employees/Retiring employees of Public Sector Companies in each State.

Loans are sanctioned to UTs with legislature, viz Delhi and Pondicherry, as in the case of the States, against the net small savings collections from 1.1.1994.

9. **State Provident Funds:** The transactions under this head relate to various Provident Funds of Government employees. Credit assumed is net of the deposits into the funds including interest and withdrawals / temporary advances therefrom. Effective from 1.4.1986, the deposits carry interest at 12 per cent per annum. Net accretions to the Funds were assumed at Rs. 1800 crores in Budget 1994-95 against which the R.E. is placed at Rs. 1900 crores. Budget 1995-96 assumes a net accretion of Rs. 2000 crores.

10. **Special Deposit Schemes:** Investments with Government of part of net accretions by non-Government provident funds, superannuation and gratuity funds and of surplus funds of Life Insurance Corporation,

जाने वाले निवेशों के भाग के रूप में संशोधित अनुमान 1994-95 में 8890.13 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था। बजट अनुमान 1995-96 में इस मद में 8964.42 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है।

11. **अन्य प्राप्तियां:** इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों, निक्षेपों आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैं:

(i) 10%/9% प्रतिशत राहत बांड : राहत बाण्डों अर्थात् 10% राहत बाण्ड, 1993 की एक नई श्रृंखला 15 मार्च, 1993 को शुरु की गई जिसने 9% राहत बाण्ड 1987 का स्थान लिया। तथापि, ब्याज-दरों में सामान्य गिरावट होने से 10% राहत बाण्डों का निर्गम आस्थगित कर दिया गया और 9% राहत बाण्ड, 1993 की नई सीरीज 2.9.1993 से आरंभ की गई। यह बिना किसी सीमा के निवेश हेतु व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए खुली है। व्यक्तियों द्वारा बाण्डों की संयुक्त धारिता की अनुमति है। बाण्डों पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है और उनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 1994-95 के बजट अनुमान में, वापसी-अदायगियां घटाकर, बाण्डों की बिक्री 100 करोड़ रु. तक होने का अनुमान है। इसकी तुलना में, 1994-95 के संशोधित अनुमान तथा 1995-96 के बजट अनुमान में वापसी अदायगियां घटाकर, क्रमशः 190 करोड़ रु. तथा 150 करोड़ रु. की व्यवस्था है।

(ii) विशेष धारक बाण्ड, 1991

विशेष धारक बाण्ड, 1991 की बिक्री दो चरणों में अर्थात् 2 फरवरी, 1981 से 30 अप्रैल, 1981 तक, और 1 दिसंबर, 1981 से 9 जनवरी, 1982 तक की गई थी। जारी किए गए बाण्ड 10,000 रु. के मूल्य वर्गों के थे और बाण्डधारी परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर प्रत्येक बांड के 12,000 रु. प्राप्त करने के हकदार है। 2,000 रु. के अंतर की राशि ब्याज की राशि मानी जाएगी। बाण्ड जिनकी वापसी- अदायगी, जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् की जानी है। वापसी-अदायगी के लिए परिपक्व हो गए है और वापसी-अदायगी की जा रही है।

बाण्डों की बिक्री से कुल 964.26 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। संशोधित अनुमान 1994-95 में मूलधन की वापसी अदायगी के लिए 26 करोड़ रुपए और ब्याज की अदायगी के लिए 5.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 1995-96 में शेष राशि की वापसी अदायगी के लिए 11 करोड़ रुपए और ब्याज के लिए 2.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(iii) 7 प्रतिशत पूंजी निवेश बांड

सरकारी प्रयोग के लिए निजी बचतें जुटाने के लिए दिनांक 20 जून, 1982 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले 7 प्रतिशत पूंजी निवेश बांड की बिक्री शुरू की गई थी। इन बांडों की बिक्री 1988 में बंद कर दी गई थी। बांड दिनांक 20 जून, 1992 से वापसी-अदायगी के लिए देय हो गये हैं। वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान, और संशोधित अनुमान में कुल 34 करोड़ रुपए मूल्य के बांडों की वापसी अदायगी की व्यवस्था की गई तथा वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में कुल 17 करोड़ रुपए मूल्य के बांडों की वापसी-अदायगी की व्यवस्था है।

Employees' State Insurance Corporation, etc. are estimated at Rs.8890.13 crores in Revised Estimate 1994-95 and Rs.8964.42 crores in Budget Estimate 1995-96.

11. **Other Receipts:** These show the net effect of transactions occurring under the other funds and accounts, deposits, etc. heads. Some of the items included here are:

(i) ***10%/9% Relief Bonds :*** A new series of Relief Bonds viz. 10% Relief Bonds, 1993 was introduced from 15th March, 1993 which replaced the 9% Relief Bonds, 1987. However, with the general reduction of interest rates the issue of 10% Relief Bonds was suspended and a new series of 9% Relief Bonds, 1993 was introduced with effect from 2.9.1993. It is open to investment without limit by individuals and Hindu undivided family. Joint holding of the Bonds by individuals is permissible. The bonds carry tax-free interest and have a maturity period of 5 years. Budget Estimate 1994-95 assumes sale of the bonds, net of repayments at Rs. 100 crores. Against it Revised Estimate 1994-95 and Budget Estimate 1995-96, net of repayment is placed at Rs. 190 crores and Rs. 150 crores respectively.

(ii) Special Bearer Bonds, 1991

The Special Bearer Bonds, 1991 were on sale in two phases, namely from 2nd February, 1981 to 30th April, 1981 and from 1st December, 1981 to 9th January, 1982. The Bonds issued were of the denomination of Rs. 10,000 and the holders are entitled to receive Rs. 12,000 for every bond on maturity, the difference of Rs. 2,000 being treated as interest. The Bonds which are repayable after 10 years from the date of issue have already matured for redemption and the repayments are in progress.

The total realisation from sale of the Bonds amounted to Rs. 964.26 crores. R.E. 1994-95 provides Rs.26 crores towards repayment of the principal and Rs. 5.20 crores for interest. BE 1995-96 provides Rs.11 crores towards the repayment of the balance amount and Rs.2.20 crores for interest.

(iii) 7% Capital Investment Bond

The 7% Capital Investment Bond, with a maturity period of 10 years were put on sale from 20th June, 1982 to mobilise private savings for public use. The sale of the Bonds was discontinued in 1988. The Bonds have fallen due for repayment from 20th June, 1992. Budget estimate and Revised estimate 1994-95 provide for repayment of the bonds for a total value of Rs. 34 crores and Budget estimate 1995-96 provides for repayment of Rs.17 crores.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund			
जमा	Cr.	1752.04	1804.32	2027.97
नामे	Dr.	1700.00	1750.00	1970.00
निवल	*Net*	*+52.04*	*+54.32*	*+57.97*
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि	Railway Depreciation Reserve Fund			
जमा	Cr	2431.77	2260.72	2129.17
नामे	Dr.	2300.00	2140.00	2000.00
निवल	*Net*	*+131.77*	*+120.72*	*+129.17*
रेलवे विकास निधि	Railway Development Fund			
जमा	Cr	296.41	295.04	350.04
नामे	Dr.	290.00	295.00	350.00
निवल	*Net*	*+6.41*	*+0.04*	*+0.04*
रेलवे पूंजीगत निधि	Railway Capital Fund			
जमा	Cr.	1687.80	1575.18	1705.19
नामे	Dr.	1680.00	1575.00	1705.00
निवल	*Net*	*+7.80*	*+0.18*	*+0.19*
जोड़	**TOTAL**	**+198.02**	**+175.26**	**+187.37**

(क) रेलवे पेंशन निधि: रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजीगत व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में "राजस्व और पूंजीगत व्यय शीर्षों" के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 1994-95 में निधि में 1804.32 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 24.03 करोड़ रुपए शामिल हैं जबकि निधि से 1750.00 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था। 1995-96 में इस निधि में 27.82 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 2027.97 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान है। निधि से 1970.00 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि : इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 1994-95 में सामान्य राजस्व से ब्याज की अदायगी सहित 2260.72 करोड़ रुपए का और 1995-96 के लिए 2129.17 करोड़ रुपए का अंशदान किया जायेगा। इस निधि से चालू वर्ष के लिए 2140.00 करोड़ रुपए की रकम और 1995-96 के लिए 2000.00 करोड़ रुपए की राशि की निकासी का अनुमान है।

(ग) रेलवे विकास निधि: रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना हैं, जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता है। 1.4.93 से दुर्घटना क्षतिपूर्ति और यात्री सुविधा निधि को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ए.सी.एस.पी.एफ. को प्रभार्य सुरक्षा और यात्री सुविधा कार्यों को भी अब रेलवे विकास निधि में प्रभारित किया जाता है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर उधार लिए जाते है। 1994-95 के दौरान रेलवे विकास निधि को 295.04 करोड़ रुपए के क्रेडिट अनुमान लगाया गया है, 295.00 करोड़ रुपए 1994-95 में अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 0.04 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। 1994-95 के दौरान निधि में से निकाली गई राशिया अनुमानतः 295.00 करोड़ रुपए है, 1995-96 के दौरान निधि मे क्रेडिट 350.04 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है, 350.00 करोड़ रुपए 1995-96 में अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 0.04 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। 1995-96 के दौरान निकाली गई राशियां 290.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें निधि को प्रभार्य कार्य शामिल होंगे।

(घ) रेलवे पूंजी निधि: को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का इसलिए सृजन किया जा रहा है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक उत्पन्न संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। 1994-95 दौरान जमा की राशि 1575.18 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और उसमें से वर्ष के दौरान निकासी 1575.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 1995-96 में निधि में जमा राशि 1705.19 करोड़ रुपए और निकासी 1705.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(v) दूर संचार प्रारक्षित निधि

(a) Railway Pension Fund: is intended to meet the pensionary charges of Railway employees. Suitable amounts are transferred annually to the Fund by debit to revenue and capital expenditure heads. The pensionary charges are initially met as part of revenue and capital expenditure heads and later recouped from the Fund. Credit to the Fund during the year 1994-95 is estimated at Rs. 1804.32 crores, including Rs. 24.03 crores by way of interest payable by the General Revenues on the balance in the Fund, while withdrawals were estimated at Rs.1750.00 crores. During 1995-96 credit is estimated at Rs. 2027.97 crores, including Rs.27.82 crores on account of interest. Withdrawals are estimated at Rs. 1970.00 crores.

(b) Railway Depreciation Reserve Fund: provides for replacement, renewal of assets including the improvement element. Contribution to the Fund inclusive of interest payable by General Revenues is estimated at Rs. 2260.72 crores during 1994-95 and Rs.2129.17 crores for 1995-96. The outgo from the Fund is placed at Rs.2140.00 crores for the current year and Rs. 2000.00 crores for 1995-96.

(c) Railway Development Fund: was set up in 1950 on the recommendation of the Railway Convention Committee, 1949, to meet the cost of all works for providing amenities to passengers and other railway users, the cost of labour welfare works and the entire expenditure on unremunerative improvement works costing more than a prescribed limit. Consequent upon closure of Accident Compensation and Passenger Amenities Fund from 1.4.93 Safety and Passengers Amenities works chargeable to ACSPF are also charged to Railway Development Fund. The Fund is financed by appropriation of such portion of the Railway excess, if any, as may be fixed by the Government and voted by Parliament. If the accumulated balance in the Fund, after transfer of the railway excess to it, is not enough to meet the expenditure to be financed from the Fund, interest-bearing loans are taken from the General Revenues for credit to the Fund. During 1994-95 the credits to the Railway Development Fund are estimated at Rs. 295.04 crores, Rs. 295.00 crores out of anticipated excess in 1994-95 and Rs. 0.04 crores being interest payable by the General Revenues on the balance in the Fund. Withdrawals from the Fund during 1994-95 are estimated at Rs. 295.00 crores. Credits to the Fund during 1995-96 are placed at Rs. 350.04 crores, Rs. 350.00 crores out of anticipated excess in 1995-96 and Rs. 0.04 crores being the interest payable on the balance in the Fund. The withdrawals during 1995-96 are estimated at Rs. 290.00 crores comprising works chargeable to the Fund.

(d) Railway Capital Fund: was created in 1992-93 to enable the Railways to utilise a part of the internally generated resources for building up the infrastructure of the Railways. The credits to the Fund during 1994-95 are estimated at Rs. 1575.18 crores and the withdrawals during the year are estimated at Rs. 1575.00 crores. The credits to the Fund in 1995-96 are estimated at Rs. 1705.19 crores and the withdrawals are estimated at Rs. 1705.00 crores.

(v) Telecommunication Reserve Funds

(करोड़ रुपए) (In Crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
दूर-संचार राजस्व प्रारक्षित निधि	**Telecom.Revenue Reserve Fund**			
जमा	*Credits*	65.97	69.50	76.12
नामे	*Debits*	60.00	63.89	70.00
निवल	Net	5.97	5.61	6.12
पूंजी प्रारक्षित निधि	**Capital Reserve Fund**			
जमा	*Credits*	3399.37	3291.25	3851.66
नामे	*Debits*	3346.00	3241.11	3797.00
निवल	Net	53.37	50.14	54.66
जोड़	**Total**	59.34	55.75	60.78

(क) दूर-संचार-राजस्व प्रारक्षित निधि : विभाग के कार्यकारी परिणाम में से, अधिशेष के एक हिस्से को, यदि कोई हो, इस निधि में अंतरित कर दिया जाता है। यदि विभाग सामान्य राजस्व के लिए देय लाभांश की अदायगी चालू राजस्व में से न कर सके तो इस अदायगी को पूरा करने के लिए निधि में से इसी रकम की निकासी कर ली जाती है। विभाग के कार्यचालन के परिणामों में होने वाले घाटों को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए भी इस निधि में से निकासी की जाती है। दिनांक 1.4.1990 से टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र को दिये जाने वाले सहायता अनुदान को भी इसी निधि से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैसर्स आई.टी.आई. को उनके श्रीनगर संयंत्र द्वारा हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए 3.89 करोड़ रु. की राशि निकाली जा रही है।

(a) Telecom. Revenue Reserve Fund: A part of the surplus, if any, in the working results of the Department is transferred to this Fund which is drawn upon for meeting payment of dividend to General Revenues in case the Department is not in a position to pay the same from current revenues. The Fund is also drawn upon to meet the deficit, if any, in the working results of the Department. Effective from 1.4.1990, the grant assistance provided to Centre for Development of Telematics is also met from this Fund. Apart from this, a sum of Rs.3.89 crores is being withdrawn for paying compensation to M/s I.T.I. on account of the losses incurred by them at their Srinagar plant.

निधि में, वर्ष 1994-95 में, ब्याज की 5.61 करोड़ रुपए की राशि सहित 69.50 करोड़ रुपए की राशि जमा होने का अनुमान था। वर्ष 1995-96 में ब्याज की 6.12 करोड़ रुपए की राशि सहित 76.12 करोड़ रुपए की राशि जमा होने का अनुमान है।

The credits to the Fund in 1994-95 are estimated at Rs.69.50 crores including Rs.5.61 crores as interest. During 1995-96, credits to the Fund are estimated at Rs.76.12 crores including Rs.6.12 crores as interest.

1995-96 में इस निधि में से निकाली जाने वाली धनराशियां सी. डॉट. को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए ही हैं।

Withdrawals from the Fund in1995-96, are entirely intended for providing grant assistance to C-DOT.

(ख) दूर-संचार पूंजी प्रारक्षित निधि: इस निधि का वित्तपोषण विभाग के पूंजीगत लेखे में आयोजनागत व्यय को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग के चालू अधिशेष के पर्याप्त हिस्से का यदि उपलब्ध हो, अंतरण करके किया जाता है

(b) Telecom. Capital Reserve Fund: The Fund is fed by transfer of a substantial part of the current surplus of the Department of Telecommunications, as may be available, for meeting the Plan expenditure of the Department on Capital account.

वर्ष 1994-95 के दौरान इस निधि में 3291.25 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुमान है, जिनमें सामान्य राजस्व से 50.14 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी सम्मिलित है। वर्ष 1994-95 में इस निधि में से 3241.11 करोड़ रुपए की निकासी किये जाने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 में इस निधि में 3851.66 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुमान है जिसमें सामान्य राजस्व से 54.66 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। वर्ष 1995-96 में इस निधि में से 3797.00 करोड़ रुपए की निकासी की जानी अभिप्रेत है जो दूर संचार विभाग के पूंजीगत परिव्यय को पूरा करने के लिए है।

Credits to the Fund in 1994-95 are estimated at Rs.3291.25 crores, including interest of Rs.50.14 crores from General Revenues. Withdrawals from the Fund in 1994-95 are estimated at Rs.3241.11 crores. Credits to the Fund in 1995-96 are estimated at Rs.3851.66 crores including interest of Rs.54.66 crores from General Revenues. Withdrawals from the Fund in 1995-96 estimated at Rs.3797.00 crores are intended to meet the capital outlay of DOT.

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था

*(vi) **International Financial Institutions***

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्ग्रस्त है, संबंधी अनुमान इस प्रकार है :

The estimates relating to (a) special securities issued towards India's subscriptions/contributions to International Financial Institutions and (b) certain transactions involving use of Special Drawing Rights (SDRs) with the I.M.F. are :

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1994-95			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
		प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net	प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net	प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1. International Monetary Fund	894.00	...	894.00	12.59	...	12.59	673.00	130.00	543.00
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	2. International Bank for Reconstruction and Development	16.52	50.00	-33.48	...	50.00	-50.00	16.52	50.00	-33.48
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3. International Development Association	1.50	0.60	0.90	...	0.60	-0.60	...	0.01	-0.01
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	4. International Fund for Agricultural Development	8.54	2.00	6.54	8.53	4.25	4.28	8.53	4.05	4.48
5. एशियाई विकास बैंक	5. Asian Development Bank	10.00	3.00	7.00	10,00	3.00	7.00	20.00	3.00	17.00
6. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक	6. African Development Fund and African Development Bank	10.13	14.31	-4.18	12.36	15.51	-3.15	12.36	12.10	0.26
जोड़	**Total:**	940.69	69.91	870.78	43.48	73.36	(-)29.88	730.41	199.16	531.25
एस.डी.आर	***S.D.Rs***	4547.47	4436.26	111.21	1487.97	1153.45	334.52	5782.61	5778.60	4.01

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : कोष के करार-पत्र के "मूल्य अनुरक्षण" उपबंधों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस

International Monetary Fund (IMF): Under the 'Maintenance of Value' provision of the Fund's Article of Agreement, the value of the currencies of members held in the General Resources Account is required to be maintained in terms of the Special Drawing Rights and an adjustment in the Fund's holdings of a member's currency pursuant to

मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। 30 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारतीय मुद्रा की धारिताओं के कोष द्वारा पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, भारत द्वारा कोष को अपरक्राम्य और गैर-ब्याज रुपया प्रतिभूतियों जारी करके 12.59 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई है। इस मद में अगले वर्ष 673 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

विशेष आहरण अधिकारः भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. विभाग का भागीदार है। 1981 से भारत को आबंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर तय किया जाता है।

1994-95 के दौरान प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा और आपती व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत ने 30.6.1993 तक 3559.9 मिलियन एस.डी.आर. विदेशी मुद्रा का उपयोग करके 3587.84 करोड़ रुपए के बराबर की राशि की पुनः खरीद की है। इस उद्देश्य के लिए 1995-96 के बजट में 5075.09 करोड़ रुपए की राशि के बराबर एस.डी.आर. विदेशी मुद्रा की राशि के प्रयोग किए जाने का अनुमान है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेनदेनों को लोक खाते में "विशेष आहरण अधिकार" नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्यावस्थित आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 1994-95 में कुल जमा की गई राशि 4419.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 1487.97 करोड़ रु. की राशि प्रतिपक्षी क्रैडिट की गई। सं.अ. 1994-95 में एस.डी.आर. शीर्ष में कुल नामे डाली गई राशि 1153.45 करोड़ रु. और ब.अ. 1995-96 में प्रतिपक्षी नामे डाली गई राशि 5778.60 करोड़ रु. थी।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अपरक्राम्य और ब्याज-रहित रुपया प्रतिभूतियों के तौर पर की गई मूल्य अदायगियों संबंधी पूंजीगत अनुरक्षण के रूप में 1994-95 के बजट अनुमानों में 16.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 1994-95 में कोई भुगतान परिकल्पित नहीं है। 1995-96 के बजट अनुमानों में 16.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नगदीकरण के लिए बजट अनुमान, 1994-95 में की गई व्यवस्था के समान संशोधित अनुमान 1994-95 तथा बजट अनुमान, 1995-96 दोनों में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) : 1993-94 के बजट अनुमान में आई.डी.ए-10 अभिदान हेतु 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और इसकी अदायगी अपरक्राम्य, ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतियों के रूप में की जानी थी। तथापि 1994-95 के सं.अ. में और 1995-96 के ब.अ. में कोई अपेक्षा नहीं है और इसलिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रतिभूतियों को भुनाने के संबंध में सं.अ. 1994-95 में 60 लाख रु. की व्यवस्था की गई है, जबकि ब.अ. 1995-96 में 1 लाख रु. की सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

this provision is made on the occasion of the use of that currency in an operation or transaction between the Fund and another member and at such other times as the Fund may decide or the member may request. As a result of revaluation of the Fund's holding of Indian currency as on April 30, 1994, an amount of Rs. 12.59 crores has been paid by India to the Fund by issue of non-negotiable and non-interest bearing rupee securities. Next year's estimates on this account are placed at Rs. 673 crores.

Special Drawing Rights (SDRs): India is a participant in the Special Drawing Rights Department of the IMF. Since 1981 the net cumulative allocations of SDR to India remained at SDR 681.2 million as there was no fresh allocation of SDRs. The SDRs are used in transactions such as payment of charges and discharge of repurchase obligations including for payment of additional subscription.

The Fund pays interest to each holder on its holdings of Special Drawing Rights and levies charges at the same rate on each participant's net cumulative allocation. It also levies assessment charges in regard to administration of the SDR account, for all participants on their net cumulative allocations. The net interest or net charges are settled by crediting or by debiting individual holdings account at the beginning of February, May, August and November of each year.

During 1994-95 India has repurchased an amount of Rs.3587.84 crores by using SDRs/foreign exchange on account of the drawing of SDR 3559.9 million made upto 30.6.1993 under the Compensatory and Contingency Financing Facility and Stand by Arrangements. Budget for 1995-96 assumes use of SDRs foreign exchange for an amount equal to Rs.5075.09 crores for this purpose.

Purchase and repurchase transactions are debited/credited to the head "Special Drawing Rights" in the Public Account. Payments made to the IMF in the form of SDRs are debited to the relevant expenditure heads by contra-credit to this head. Similarly, receipts realised in the form of SDRs are credited to the relevant receipt heads by contra-debit to this head. The total credits to the head Special Drawing Rights amount to Rs.4419.90 crores in the Revised Estimate 1994-95 of which Rs. 1487.97 crores contra credited to SDR A/c. The total debit to the head SDRs amount to Rs. 1153.45 crores in RE 1994-95 and Rs. 5778.60 crores in BE 1995-96 are contra-debited.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): A provision of Rs. 16.52 crores was made in BE 1994-95 on account of Capital Maintenance of value payments to IBRD in the form of non-negotiable and non-interest bearing rupee securities. No payment is envisaged in 1994-95. A provision of Rs. 16.52 crores is has been made in BE 1995-96.

Both Revised estimates 1994-95 and Budget Estimate 1995-96 include a provision of Rs.50 crores as in BE 1994-95 towards encashment of securities by IBRD.

International Development Association (IDA) : A provision of Rs. 1.50 crore was made for IDA-10 subscription in BE 1994-95 and the payment was to be made in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities. However, the requirement in RE 1994-95 and BE 1995-96, is nil and hence no provision has been made. As regards encashment of securities, provision in RE 1994-95 has been retained at Rs. 60 lakhs whereas a token provision of Rs. 1 lakh has been made in BE 1995-96.

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने से 1992-93 तक, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संघ के संशोधनों में 26 मिलियन डालर का अंशदान किया है। यह अंशदान अक्सर अपरक्राम्य, ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतियों के रूप में किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास संघ द्वारा प्रतिभूतियों को भुनाने हेतु 1995-96 के बजट अनुमान और 1994-95 के सं.अ. में 8.53 करोड़ रु. की व्यवस्था शामिल है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। इस प्रकार भुनाये जाने के लिए संशोधित अनुमान 1994-95 में और 1995-96 के बजट अनुमानों में 3.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि 1994-95 के बजट अनुमानों में भी समान राशि की व्यवस्था की गई थी।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना इस मुख्य उद्देश्य से की गई थी, कि नरम शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इस निधि में और इस बैंक दोनों ही में शामिल हो गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक के सदस्य के रूप में, भारत को इन संगठनों की पूंजी पुनर्भरण संबंधी वचनबद्धताओं में अपने हिस्से की अदायगी करनी है। तदनुसार 1994-95 में अफ्रीकी विकास निधि को 12.36 करोड़ रुपए अपरक्राम्य, गैर ब्याज रुपया - प्रतिभूतियों के रूप में अदा किया जाना है। 1995-96 में 12.36 करोड़ रुपए की इसी प्रकार अदायगी की जानी है। अफ्रीकी विकास निधि द्वारा प्रतिभूतियों के भुनाए जाने के कार्यक्रम के आधार पर, संशोधित अनुमान 1994-95 में 15.51 करोड़ रुपए की तुलना में 1995-96 में 12.10 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को भुनाए जाने का अनुमान है।

(x) अन्य मदें :

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां आदि शामिल हैं। वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी "बोनस शेयरों का निर्गम" भी शामिल है।

International Fund for Agriculture Development (IFAD): India is one of the original members of the International Fund for Agricultural Development, a specialised agency of the United Nations. Since inception India has contributed $ 26 million towards the resources of IFAD till 1992-93. Contribution is usually made in the form of non-negotiable non-interest bearing rupee securities.

Budget Estimate for 1995-96 and RE 1994-95 include a provision of Rs. 8.53 crore towards enchashment of securities by IFAD.

Asian Development Bank (ADB): The Asian Development Bank keeps Rupee securities with the Reserve Bank of India which can be encashed by it to meet its rupee expenditure in India from time to time. A provision of Rs. 3.00 crores each for such encashment has been made in the RE 1994-95 and BE 1995-96 against a similar sum provided in BE 1994-95.

African Development Fund (AFDF) and African Development Bank (AFDB): have been set up with the main objective of furthering the economic and social development of the region by providing financial assistance on soft terms. India has joined both the Fund and the Bank in order to develop closer economic co-operation with the African countries.

As a member of AFDF and AFDB India is to pay its share of commitments to the capital replenishments of these organisations. Accordingly, Rs.12.36 crores is payable in 1994-95 to the AFDF in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities. A sum of Rs. 12.36 crores is similarly payable in 1995-96. On the basis of AFDF's encashment schedule, encashment of securities is estimated to be Rs.12.10 crores in 1995-96 as against Rs.15.51 crores in Revised Estimate 1994-95.

*(ix) **Other Items:***

The estimates include, besides accretions under the Family Pension cum Life Assurance Fund for industrial and coal mine workers, Postal Insurance and Life Annuity Fund and Central Government Employees Group Insurance Funds, etc. The revised estimates 1994-95 also includes "Issue of Bonus Shares" issued by Public Sector Enterprises under the Ministry of Petrolium & Natural Gas.

अनुबन्ध
ANNEXURES

अनुबन्ध ANNEXURE 1

सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा
COMMODITY-WISE DETAILS OF REVENUE FROM CUSTOMS DUTIES

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. सं.	बजट-शीर्ष	Sl. No.	Budget-head	वास्तविक Actuals* 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
	1		2	3	4	5	6
I.	आयात	I.	**IMPORTS**				
1.	फल, सूखे और ताजे	1	Fruits, dried & Fresh	138.83	140.00	163.15	174.60
2.	काफी, चाय, मेट और गर्म मसाले	2	Coffee, tea, mate & spices	24.70	29.00	12.80	13.70
3.	पशु अथवा वनस्पति वसा और तेल, उनके भोज्य पदार्थ, तैयार खाद्य वसा पशु अथवा वनस्पति मोम	3	Animal or vegetable fats &Oils & their cleavage products, prepared edible fats, animal or veg. waxes	127.76	145.25	307.10	328.60
4.	पेय पदार्थ, स्प्रिट और सिरका	4	Beverages, Spirits and vinegar	34.76	25.00	41.90	46.10
5.	खनिज पदार्थ	5	Mineral substances	169.67	213.00	135.30	148.85
6.	अयस्क, धातुमल और राख	6	Ores, slag & ash	81.56	95.00	96.20	105.80
7.	पैट्रोलियम तेल, बिटुमन्स निर्मित खनिजो से प्राप्त तेल और कच्चा तेल	7	Petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals, crude	4548.52	4200.00	3480.25	2936.00
8.	पैट्रोलियम तेल और कच्चे तेल से भिन्न बिटुमन्स मिश्रित खनिजो से प्राप्त तेल	8	Petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals other than crude	1987.63	2325.00	2143.80	2843.00
9.	अन्य खनिज ईंधन, तेल, वैक्स और बिटुमन्स पदार्थ	9	Other mineral fuels, oils, waxes and bituminous substances	377.81	550.00	402.25	442.50
10.	इनआर्गेनिक रसायन	10	Inorganic chemicals	230.35	252.00	198.80	218.70
11.	आर्गेनिक रसायन	11	Organic chemicals	1553.36	1850.00	2285.60	2753.40
12.	औषधीय उत्पाद	12	Pharmaceutical products	20.21	15.25	28.55	31.40
13.	डाइज, कलर्स, पेंट्स और वार्निश	13	Dyes, Colours, Paints and Varnishes	139.62	170.00	163.40	179.70
14.	वाष्पी तेल, रेजीनॉयड्ज और टायलेट प्रिपेरेशस	14	Essential Oils, resinoids & toilet preparations	34.73	33.50	40.95	43.80
15.	साबुन, आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट्स और कृत्रिम वैक्स	15	Soap, organic surface active agents and artificial waxes	87.55	109.50	101.55	108.70
16.	फोटोग्राफिक एंड सिनेमाटोग्राफिक सामग्रिया	16	Photographic & cinematographic goods	302.07	387.50	372.65	428.55
17.	विविध रासायनिक उत्पाद	17	Misc. Chemical products	400.04	503.50	455.55	510.20
18.	प्लास्टिक्स और प्लास्टिक की वस्तुए	18	Plastics & articles thereof	876.41	1200.00	1077.80	1144.40
19.	रबड़ और रबड़ की वस्तुए	19	Rubber & articles thereof	323.50	350.50	331.95	358.70
20.	लुगदी, कागज, कागज बोर्ड और उससे बनी वस्तुए	20	Pulp, paper, paper-board and articles thereof	185.85	203.00	177.65	229.30
21.	रेशम	21	Silk	28.24	32.50	7.85	9.05
22.	ऊन तथा अन्य पशुओ के बाल	22	Wool & other animal hair	61.47	64.00	47.40	54.55
23.	मानव निर्मित फिलेमेंट	23	Man-made filaments	76.94	72.75	138.80	146.60
24.	मानव निर्मित रेशे के धागे	24	Man-made staple fibres	22.19	26.85	56.30	62.50
25.	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टेस, अभ्रक या उससे मिलते-जुलते खनिजो की वस्तुए	25	Articles of stone, plaster cement, asbestos, mica or similar materials	43.56	46.00	59.30	63.40
26.	सिरेमिक उत्पाद	26	Ceramic products	48.71	57.00	56.70	59.95
27.	काच और काच की वस्तुए	27	Glass & glassware	96.60	100.00	104.25	100.85
28.	लोहा और इस्पात के प्राथमिक पदार्थ	28	Primary materials of Iron and steel	252.21	338.95	389.10	447.45
29.	लोहा तथा अलौह इस्पात	29	Iron & non-alloy steel	611.51	726.25	879.70	967.70
30.	स्टेनलैस स्टील	30	Stainless steel	104.92	79.50	152.00	167.20
31.	अन्य मिश्र धातु इस्पात, होलो ड्रिल बार्स और रोड्स	31	Other alloy steel, hollow drill bars and rods	206.96	266.50	220.20	242.20
32.	लोहे और इस्पात की वस्तुए	32	Articles of Iron & steel	325.30	406.75	266.50	293.10
33.	ताबा	33	Copper	741.02	678.00	1011.75	1090.90
34.	निकल	34	Nickel	84.51	109.50	115.00	126.50
35.	एल्यूमीनियम	35	Aluminium	75.13	68.00	123.90	105.85
36.	सीसा	36	Lead	32.87	43.50	55.50	59.40
37.	जस्ता	37	Zinc	47.69	51.50	62.80	67.20
38.	टिन	38	Tin	24.67	27.60	37.25	41.00
39.	अन्य आधारभूत धातु	39	Other base metals	293.63	64.00	99.20	102.60
40.	आधारभूत धातुओ के उपकरण, उपस्कर तथा अन्य विविध वस्तुए	40	Tools, implements & other misc. articles of base metals	82.35	97.00	109.85	120.85
41.	मशीनरी, जिसमे मशीनी पुर्जे और उनके भाग तथा सहायक पुर्जे और बॉल अथवा रोलर बिअरिंग शामिल नही है	41	Machinery excluding machine tools & their parts and accessories & ball or roller bearings	1971.04	2300.00	2233.70	2747.50
42.	मशीन उपकरण पुर्जे और सहायक पुर्जे	42	Machine tools; parts and accessories	241.34	154.75	474.30	524.75
43.	बॉल या रोलर बियरिंग	43	Ball or roller bearings	216.99	266.00	512.85	542.10
44.	इलेक्ट्रीकल मशीनरी	44	Electrical Machinery	1327.91	1850.00	2109.05	2542.90
45.	रेलवे लोकोमोटिव और सामान	45	Railway locomotives and materials	93.43	87.00	69.20	76.10
46.	मोटर गाड़िया और उसके पुर्जे	46	Motor vehicles and parts thereof	449.51	533.00	691.45	755.60
47.	हवाई जहाज और जलयान	47	Aircrafts and vessels	186.04	210.00	270.60	297.65
48.	आप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमाटोग्राफिक, मैजरिंग, मेडिकल तथा सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्टस	48	Optical, photographic, cinemato-graphic, measuring, medical andsurgical instruments	447.13	528.75	450.00	517.50

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. स.	बजट-शीर्ष	Sl. No.	Budget-head	वास्तविक Actuals* 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
	1		2	3	4	5	6
49.	दीवार घड़ियां, घड़ियां और उनके पुर्जे	49	Clocks & watches and parts thereof	45.24	35.35	41.50	45.65
50.	परियोजना आयात	50	Project imports	1242.27	1450.00	2027.15	2458.20
51.	सामान	51	Baggage	658.68	1260.00	670.35	737.40
52.	अन्य सभी वस्तुएं	52	All other articles	869.92	1045.00	1491.10	1707.25
	जोड़-आयात शुल्क (सकल)		**Total Import Duties(Gross)**	**22654.91**	**25873.00**	**27051.80**	**30327.45**
	वापसी		Refunds	119.62	135.00	181.30	190.40
	प्रति-अदायगी		Drawbacks	751.67	1025.00	915.60	1098.70
	जोड़-आयात शुल्क (निवल)		**Total Import Duties (Net)**	**21783.62**	**24713.00**	**25954.90**	**29038.35**
II.	**निर्यात**	**II**	**EXPORTS**				
1.	काफी	1	Coffee				
2.	अभ्रक	2	Mica				
3.	खालें, चर्म और चमड़ा	3	Hides, skins & leathers	4.24	6.00	8.00	9.00
4.	काली मिर्च	4	Black pepper				
5.	अन्य सभी वस्तुएं	5	All other articles	36.74	42.00	42.20	50.65
	जोड़-निर्यात शुल्क (सकल)		Total Export Duties(Gross)	40.98	48.00	50.20	59.65
	वापसी		Refunds	1.39	1.80	1.50	1.80
	जोड़-निर्यात शुल्क (निवल)		Total Export Duties (Net)	39.59	46.20	48.70	57.85
III.	**निर्यातों पर उपकर**	**III**	**CESSES ON EXPORTS**				
1.	काफी	1	Coffee	3.01	3.25	3.65	4.20
2.	नारियल रेशे	2	Coir	0.09	0.13	0.15	0.15
3.	लाख	3	Lac	0.78	0.45	2.50	2.05
4.	अभ्रक	4	Mica	1.48	2.00	1.50	1.50
5.	तम्बाकू (अविनिर्मित)	5	Tobacco (unmanufactured)	2.12	2.40	1.15	1.20
6.	खली और चारा	6	Oil cakes & meal	0.75	1.20	1.05	1.20
7.	समुद्री उत्पाद	7	Marine products	13.16	14.00	16.40	19.65
8.	काजू की गिरी	8	Cashew kernel	3.75	4.90	3.45	3.95
9.	काली मिर्च	9	Black pepper	0.60	0.80	0.60	0.65
10.	इलायची अधिनियम 1965	10	Cardamom Act 1965	0.12	0.10	0.05	4.00
11.	इलायची (ए.पी.उपकर)	11	Cardamom (A.P. Cess)	1.74	2.50	0.70	1.00
12.	अन्य कृषि उत्पाद	12	Other agricultural produce	16.43	19.25	21.60	24.80
13.	खनिज लोहा	13	Iron Ore	5.23	6.00	12.20	13.70
14.	पशु चारा	14	Animal feed	1.84	3.00	2.30	2.90
15.	हल्दी	15	Turmeric	0.70	0.80	0.65	0.75
16.	पिसी हल्दी	16	Turmeric powder	0.16	0.25	0.20	0.25
17.	अन्य वस्तुएं	17	Other articles	14.18	22.00	12.85	15.40
	जोड़-निर्यात उपकर शुल्क (सकल)		**Total Export Cess Duties (Gross)**	**66.14**	**83.03**	**81.00**	**97.35**
	वापसी		Refunds	0.54	0.65	0.90	1.50
	जोड़-निर्यात उपकर शुल्क (निवल)		**Total Export Cess Duties (Net)**	**65.60**	**82.38**	**80.10**	**95.85**
IV.	**अन्य प्राप्तियां (सकल)**	**IV**	**Other Receipts (Gross)**	**206.15**	**285.00**	**176.30**	**193.90**
	वापसी		Refunds	4.33	6.58	10.00	10.95
	अन्य प्राप्तियां (निवल)		**Other Receipts (Net)**	**201.82**	**278.42**	**166.30**	**182.95**
V.	**जब्त सोने और चांदी की बिक्री**	**V**	**Sale of confiscated gold & silver**	**149.11**	**80.00**	**200.00**	**125.00**
	जोड़-सीमा शुल्क राजस्व (सकल)		**Total Customs Revenue (Gross)**	**23117.29**	**26369.03**	**27559.30**	**30803.35**
	जोड़ वापसी		**Total Refunds**	**125.88**	**144.03**	**193.70**	**204.65**
	जोड़ प्रति अदायगी		**Total Drawbacks**	**751.67**	**1025.00**	**915.60**	**1098.70**
	जोड़-सीमा शुल्क राजस्व (निवल)		**Total Customs Revenue (Net)**	**22239.74**	**25200.00**	**26450.00**	**29500.00**

* *विभागीय अभिलेखों के अनुसार*

*AS PER DEPARTMENTAL RECORDS

अनुबंध ANNEXURE 2

संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा
COMMODITY-WISE DETAILS OF REVENUE FROM UNION EXCISE DUTIES

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Exciseable Commodities	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट अनुमान Budget 1994-95	संशो. अनुमान Revised 1994-95	बजट अनुमान Budget 1995-96
I.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क		**I. BASIC EXCISE DUTIES**				
1.	मांस और खाद्य मांसावशिष्ट	1	Meat and edible meat offal				
2.	मछली और केकड़े, मोलस्क तथा अन्य मेरू रहित जलचर	2	Fish and crusta-ceans, molluscs and other aquatic invertebrates				
3.	डेयरी उत्पाद, पशुजन्य खाद्य उत्पाद, एन. ई. एस.	3	Dairy produce; edible products of animal origin, N.E.S.	1.31	0.60	0.80	1.00
4.	पशुजन्य उत्पाद एन. ई. एस.	4	Products of animal origin, N.E.S.				
5.	खाद्य सब्जियां तथा कंदमूल	5	Edible vegetables and roots and tubers	0.03			
6.	खाद्य फल तथा गरी, तुर्श फलों और तरबूजों की छीलन	6	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons				
7.	कहवा	7	Coffee	0.04			
8.	अवशिष्ट चाय सहित चाय	8	Tea including tea waste	0.11			
9.	मसाले और अन्य मदें, यदि कोई अध्याय 9 में हों	9	Spices and other items; if any, under Chapter 9				
10.	पेषण उद्योग के उत्पाद, माल्ट, स्टार्च, इनुलिन तथा गेहूं ग्लूटन	10	Products of the milling industry; malt; starches; insulin; wheat glutton	0.36			
11.	लाख, गोंद, रेजिन तथा अन्य वनस्पतिक रस और निर्यास	11	Lac; gums; resins and other vegetable saps and extracts	0.43	0.80		
12.	वनस्पति वलितधारी सामग्री, वनस्पति उत्पाद, एन. ई. एस.	12	Vegetable Plaiting materials; vegetable products, N.E.S.	1.04			
13.	संसाधित वनस्पति तेल	13	Processed fixed vegetable oils	3.31			
14.	वनस्पति वसा और तेल अंशतः अथवा पूर्णतः उद्जनित	14	Vegetable fats and oils, partly or wholly hydrogenated	15.97	25.00	10.40	11.45
15.	अध्याय 15 के अन्तर्गत अन्य समस्त मदें	15	All others falling under Chapter 15	14.47	14.00	26.20	30.20
16.	मांस, मछली, केकड़े, मौलस्क अथवा अन्य मेरू रहित जलचरों के मांस से बने पदार्थ	16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	1.37			
17.	गन्ने या चुकन्दर से बनी चीनी और ठोस रूप में शुद्ध रासायनिक सकरोज	17	Cane or beat sugar and chemically pure sucrose in solid form	337.85	354.88	314.20	321.00
18.	चीनी शोधन के फलस्वरूप प्राप्त सीरा	18	Molasses, resulting from the extra-ction of refining of sugar	81.48	95.00	99.40	120.10
19.	अध्याय 17 के अन्तर्गत अन्य समस्त मदें	19	All others falling under Chapter 17	35.61	41.00	34.40	41.60
20.	कोको और कोको से बने पदार्थ	20	Cocoa and cocoa preparations	33.60	42.00	41.40	50.05
21.	अनाज से बने पदार्थ, आटा, दुग्ध स्टार्च; पेस्टरी और अन्य उत्पाद	21	Preparations of cereals, flour, starch of milk; pastry cooks products	96.47	110.00	131.25	158.60
22.	वनस्पति, फल, गिरी अथवा अन्य पौधजन्य उत्पाद	22	Preparation of vegetables, fruits; nuts, or other parts of piants	4.14			
23.	विविध खाद्य पदार्थ	23	Miscellaneous edible preparations	161.52	215.00	236.00	290.35
24.	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम खनिज जल तथा वातित जल	24	Natural or artificial Mineral waters and aerated waters	137.26	150.00	155.00	170.50
25.	अध्याय 22 के अन्तर्गत अन्य समस्त मदें	25	All others falling under Chapter 22	12.42	15.00	27.25	34.40
26.	खाद्य उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ, तैयार पशु चारा	26	Residues and wastes from the food industries, prepared animal fodder	1.73			
27.	तम्बाकू अथवा तम्बाकू के स्थानापन्न पदार्थ से बने सिगरेट तथा सिगारिल्स	27	Cigarettes and Cigarillos of tobacco or tobacco substitutes	1867.66	2074.00	1859.85	1952.85
28.	बीड़ियां	28	Biris	159.79	184.80	159.60	167.65
29.	खाने का तम्बाकू जिसमें कड़ा मसाला और किमाम आदि शामिल है	29	Chewing Tobacco including Kara Masala, Kimam etc.	88.29	103.95	112.35	121.40
30.	अध्याय 24 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	30	All others falling under Chapter 24	49.02	33.88	367.00	393.25
31.	सीमेंट क्लिंकर्स, सभी प्रकार का सीमेंट	31	Cement Clinkers, Cement all sorts	1887.14	2275.00	1917.20	2127.25
32.	अध्याय 25 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	32	All others falling under Chapter 25	24.51	31.00	30.75	37.15
33.	अयस्क, धातुमल और राख	33	Ores, slag and ash	8.89	9.75	6.00	6.15
34.	मोटर स्प्रिट	34	Motor Spirit	1358.56	1515.00	1583.00	1494.75
35.	मिट्टी का तेल	35	Kerosene	246.85	305.00	388.70	387.25
36.	आर. डी. तेल	36	R.D. Oil	795.17	800.00	1284.80	1231.30
37.	डीजल तेल, एन. ई. एस.	37	Diesel Oil, N.E.S.	60.88	55.00	92.40	90.05
38.	भट्टी का तेल	38	Furnace Oil	71.53	70.00	199.15	202.90
39.	पैट्रोलियम गैस और अन्य गैसयुक्त हाइड्रोकार्बन्स	39	Petroleum Gases and other gaseous Hydrocarbons	85.40	90.00	196.30	138.70
40.	अध्याय 27 के अन्तर्गत अन्य समस्त मदें	40	All other falling under Chapter 27	477.27	550.00	591.30	638.60
41.	हाइड्रोक्लोरिक तेजाब और गंधक का तेजाब और हाईड्राइड और शोरे का तेजाब	41	Hydrochloric acid, sulphuric acid and and hydrides thereof; nitric acid	73.07	92.00	61.50	77.65
42.	कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश और उसका पैरोक्साईड	42	Caustic soda and caustic Potash; Peroxides thereof	118.52	138.00	151.40	191.25

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट अनुमान Budget 1994-95	संशो. अनुमान Revised 1994-95	बजट अनुमान Budget 1995-96
43.	सोडा एश	43	Soda Ash	130.73	155.00	175.45	221.65
44.	अध्याय 28 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	44	All others falling under Chapter 28	367.76	422.00	568.65	718.40
45.	कार्बनिक रसायन	45	Organic Chemicals	652.59	790.00	1046.00	1194.00
46.	भेषजीय उत्पाद	46	Pharmaceutical products	550.79	670.45	673.40	850.80
47.	उर्वरक	47	Fertilizers	13.25	16.00	23.80	30.10
48.	कृत्रिम आर्गेनिक रंजक पदार्थ, रंगाई साधन और कलरलेक	48	Synthetic Organic Dye Stuffs, colouring matters and colour lakes	88.48	100.00	51.30	74.05
49.	रंग-रोगन और वार्निश	49	Paints and varnishes	288.53	378.00	294.95	356.45
50.	अध्याय 32 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	50	All others falling under Chapter 32	23.31	28.00	30.80	38.90
51.	वाष्पी तेल और रेजिनाएड, सुगंध तेल, कास्मैटिक और प्रसाधन सामग्री	51	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetics or toilet preparation	263.72	310.50	315.10	380.00
52.	साबुन	52	Soap	253.82	345.00	290.20	386.95
53.	आर्गेनिक तेल सक्रिय पदार्थ	53	Organic Surface Active Agents	285.40	375.00	179.75	225.00
54.	अध्याय 34 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	54	All others falling under Chapter 34	38.65	43.00	37.70	47.65
55.	एल्बुमिनिडाल सामग्री, परिष्कृत स्टार्च, ग्लूज, एनजाइम	55	Albuminoidal substances, modified starches, glues, enzymes	54.47	69.00	46.20	58.40
56.	माचिस	56	Matches	33.59	36.00	32.20	38.95
57.	अध्याय 36 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	57	All others falling under Chapter 36	75.31	87.00	70.70	85.45
58.	सिनेमा चलचित्र, अनाकृत अथवा आकृत	58	Cinematographic films, exposed or unexposed	6.20	7.50	4.35	5.30
59.	अध्याय 37 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	59	All others falling under Chapter 37	22.01	25.25	27.75	33.55
60.	विविध रासायनिक उत्पाद	60	Miscellaneous chemical products	259.50	326.00	448.55	566.65
61.	प्लास्टिक तथा उससे बनी वस्तुएं	61	Plastics and articles thereof	1416.53	1900.00	1449.20	1811.00
62.	टायर, ट्यूब और फ्लैप	62	Tyres, Tubes and flaps	1050.54	1100.00	1138.10	1350.30
63.	अध्याय 40 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	63	All others falling under Chapter 40	229.60	290.00	213.60	269.45
64.	चमड़ा	64	Leather	1.53			
65.	चमड़े का सामान, यात्रा वस्तुएं हैन्डबैग और इसी प्रकार के डिब्बे आदि	65	Articles of leather, travel goods handbags, and similarcontainers etc.	22.79	27.00	30.50	34.50
66.	समूरदार चमड़ियों से बनी वस्तुएं और नकली समूर	66	Manufactures of furskins and artificial fur	0.06	0.10	0.05	0.05
67.	काष्ठ तथा काष्ठ की बनी वस्तुएं	67	Wood and articles of wood	64.40	65.00	70.55	82.15
68.	कार्क तथा कार्क की वस्तुएं	68	Cork and articles of cork	2.54	3.50	2.90	3.35
69.	तृण एस्पार्टो अथवा अन्य प्लेटिंग सामग्री से बनी अन्य वस्तुएं, टोकरियां और छड़ी टोकरे	69	Manufactures of straw of esparto or of other plaiting materials basketware and wickerwork	0.82	0.80	1.50	1.60
70.	काष्ठ की लुगदी तथा अन्य सैलुलोसिक तंतु और कागज, गत्ता कतरन	70	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic materials, waste and scrap of paper or of paper board	5.83	6.50	13.65	15.75
71.	कागज और गत्ता, कागज की लुगदी की वस्तुएं और गत्ते की वस्तुएं	71	Paper and paperboard, articles of paper pulp or paper or paper board	488.21	525.00	569.50	720.00
72.	मुद्रित पुस्तकें, अखबार, चित्र तथा मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद आदि	72	Printed books, news-papers, pictures& other products of printing industry etc.	0.27	0.40	4.00	4.45
73.	रेशम	73	Silk	0.06			
74.	ऊन, बारीक या मोटे पशुजन्य बाल	74	Wool, fine or coarse animal hair	11.45	11.41	16.25	17.10
75.	कपास और सूत	75	Cotton and cotton yarn	330.72	352.17	504.35	554.80
76.	अध्याय 52 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें (सूती वस्त्र)	76	All others falling under Chapter 52 (Cotton fabrics)				
77.	जूट के कपड़े (बिपीलीपट्टम और मेस्ता सहित) या अन्य बारीक रेशे के वस्त्र	77	Woven Fabrics of Jute (including bimplipatam jute or mesta fibres) or of other textile bast fibres	34.34	37.00	34.70	41.90
78.	अध्याय 53 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	78	All other falling under Chapter 53	1.50	1.50	9.20	10.65
79.	कृत्रिम फिलामेन्ट धागे और कृत्रिम एकल फिलामेन्ट एवं रद्दी सहित सिलाई के धागे	79	Synthetic filament yarn and sewing thread including synthetic monofilament and waste	1541.28	2000.00	1521.35	1749.55
80.	हाथ से बने फिलामेन्ट यार्न के कपड़े	80	Fabrics of man-made filament yarn				
81.	कृत्रिम अथवा सिन्थेटिक स्टेपल फाइबर और छोटे रद्दी पदार्थ सहित	81	Artificial or Synthetic Staple Fibre & tow including waste	375.93	478.26	346.90	405.00
82.	पोलिएस्टर अथवा अन्य कृत्रिम यार्न युक्त स्पन यार्न	82	Spun Yarn containing Polyester or other Synthetic Yarn	224.08	269.57	163.65	188.20
83.	अन्य हाथ का बना धागा	83	Other Man-made blended Yarn	128.31	152.17	105.10	120.85
84.	हाथ से बने स्टेपल धागे के कपड़े	84	Fabrics of man-made staple fibres				
85.	वेडिंग, फैल्ट और अबुनित, विशेष यार्न, ट्वाइन, कार्डेज, रज्जु, तार और सम्बद्ध वस्तुएं	85	Wadding, felt & non woven, special yarns, twine, cordage, ropes & cables and articles thereof	34.14	27.39	28.45	35.95

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट अनुमान Budget 1994-95	संशो. अनुमान Revised 1994-95	बजट अनुमान Budget 1995-96
86.	कालीन और अन्य फर्शी दरियां	86	Carpets & other textile floor coverings	6.02	6.00	4.90	5.65
87.	विशेष बुने वस्त्र, टफटेड वस्त्र, लैस और कढ़ाई	87	Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace,embroidery	5.06	6.49	11.30	12.40
88.	संसेचित, कवचित, आवृत अथवा परतदार वस्त्र, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोगी वस्त्र उद्योग वस्तुएं	88	Impregnated,coated,covered or laminated textile fabrics,textile articles of a kind suitable for industrial use	45.11	46.55	72.50	76.10
89.	बुने अथवा क्रोशिये से बुने वस्त्र	89	Knitted or Crocheted fabrics				
90.	परिधान वस्तुएं तथा वस्त्र सामग्री-बुनतीदार अथवा क्रोशियाई	90	Articles of apparel and clothing accessories - knitted or crocheted	0.16			
91	परिधान तथा वस्त्र सामग्री जो बुनतीदार न हो अथवा क्रोशिये से तैयार की हुई न हो	91	Articles of apparel and clothing accessories not knitted or crocheted	0.67	0.85		
92.	अन्य तैयार वस्त्र सामग्री	92	Other made up textile articles	57.81	60.00	56.65	71.55
93.	जूते, गेटर्स तथा इसी तरह की वस्तुएं, और इन वस्तुओं के हिस्से	93	Footwear, gaiters & the like, parts of such articles	30.38	36.00	54.00	68.20
94.	शिरस्त्राण तथा उसके हिस्से	94	Headgear & parts thereof	0.11	0.20	0.40	0.45
95.	छतरियां, छोटी छतरियां, छड़ियां, आसन स्टिकें, कोड़े, राइडिंग कॉर्प्स और हिस्से	95	Umbrellas, sub-umbrellas, walking sticks, seat sticks, whips, riding corps and parts thereof	0.01	0.03		
96.	कृत्रिम फूल और मनुष्य के बालों की वस्तुएं	96	Artificial flowers, articles of human hair	0.17	0.00		
97	एसबेस्टस-सीमेंट अथवा सेल्युलोस फाइबर सीमेंट अथवा इसी प्रकार की सामग्री की वस्तुएं	97	Articles of asbestos-cement, or cellulose fibre cement or the like	27.06	32.00	20.40	23.55
98.	अध्याय 68 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	98	All others falling under Chap.68	142.13	169.00	165.20	182.50
99.	सिरामिक उत्पाद	99	Ceramic products	272.73	325.00	261.90	302.10
100.	कांच और कांच की वस्तुएं	100	Glass & Glassware	249.85	270.00	258.85	298.55
101.	प्राकृतिक अथवा साधित मोती, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान अश्मक, मूल्यवान धातुएं और इससे बनी वस्तुएं, नकली जवाहरात आभूषण आदि	101	Natural or cultured pearls, precious semi-precious stones, precious metals & articles thereof, imitation jewellery etc.	6.89	12.00	5.95	7.55
102.	लोहा और इस्पात	102	Iron & Steel	1928.93	2210.00	2873.65	3360.20
103.	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	103	Articles of Iron & Steel	429.76	525.00	625.00	695.40
104.	तांबा और उससे बनी वस्तुएं	104	Copper & Articles of Copper thereof	122.41	150.00	164.80	199.10
105.	निकेल और उससे बनी वस्तुएं	105	Nickel & articles thereof	3.55	2.90	11.60	14.05
106.	अल्युमिनियम और अल्युमिनियम से बनी वस्तुएं	106	Aluminium & articles thereof	538.64	577.50	526.95	607.80
107.	सीसा और उससे बनी वस्तुएं	107	Lead & articles thereof	16.39	18.50	19.35	24.45
108.	जस्ता और उससे बनी वस्तुएं	108	Zinc & articles thereof	93.34	105.00	114.50	144.65
109.	टिन और उससे बनी वस्तुएं	109	Tin & articles thereof	1.54	2.30	0.85	1.15
110.	अन्य आधारभूत धातु और उससे बनी वस्तुएं	110	Other base metals, articles thereof	9.00	8.50	5.35	6.75
111.	आधारभूत धातुओं से बने औजार, चाकू, छुरी, चम्मच और कांटे आदि, और उनके हिस्से	111	Tools, implements, cutlery, spoons, & forks or base metals; parts thereof	71.62	84.00	74.40	89.90
112.	आधारभूत धातुओं के इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग और लेमिनेशन्स	112	Electrical stampings & laminations of base metals	35.37	39.50	34.80	42.05
113.	आधारभूत धातुओं के डिब्बे	113	Containers of base metals	20.34	21.25	25.30	29.15
114.	अध्याय 83 के अन्तर्गत अन्य सभी मदें	114	All other falling under Chap.83	76.98	82.00	86.10	99.30
115.	अन्तरदाह इंजन और उनके पुर्जे, वाष्प और अन्य वाष्प टर्बाइन, हाइड्रालिक टर्बाइन, टर्बोजेट्स, अन्य इंजन और मोटर्स	115	Internal combustion engines and parts thereof, steam and other vapour turbines, hydraulic turbines, turbojets, other engines and motors	151.48	185.00	210.20	252.00
116.	रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन और उसके हिस्से	116	Refrigerations & Air conditioners & parts thereof	263.53	300.00	340.10	425.00
117.	मशीनों के औजार	117	Machinery Tools	35.62	41.00	42.55	53.75
118.	बोल अथवा रोलर बियरिंग्स	118	Ball or roller bearings	172.94	200.00	191.75	231.75
119.	अध्याय 84 के अन्तर्गत अन्य सभी मदें	119	All other falling under Chap.84	961.82	1080.00	851.05	1258.05
120.	इलैक्ट्रिक मोटर्स और जेनरेटर्स, इलैक्ट्रिक जैनरेटिंग सैट्स और उनके पुर्जे	120	Electric motors and generators, electric generating sets and parts thereof	134.54	101.35	110.00	132.95
121.	इलैक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, स्टेटिक कनर्वटर्स और इंडक्टर्स	121	Electrical transformers, static convertors & inductors	24.25	32.00	75.00	83.40
122.	इलैक्ट्रिक एक्यूमेलेटर्स, प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरियां	122	Electric accumulators, primary cells and primary batteries	268.87	245.00	214.10	319.15
123.	रेडियो प्रसारण, टैलीविजन रिसीवर्स के लिए रिसेप्शन एप्रेटस (वीडियो, मानीटर्स और प्रोजैक्टस सहित)	123	Reception apparatus for radio broadcasting, Television receivers (including video monitors and projectors)	194.25	250.00	167.05	220.20
124.	इंसुलेटिड वायर्स, केबल्स और अन्य इलैक्ट्रिक कंडक्टर्स	124	Insulated wires, cables and other electric conductors	403.88	475.00	425.65	574.80
125.	अध्याय 85 के अन्तर्गत अन्य सभी मदें	125	All others falling under Chap.85	844.30	960.00	900.00	1087.60
126.	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव रोलिंग और उसके पुर्जे आदि	126	Railway or tramway locomotive rolling stock & parts thereof etc.	80.62	80.00	55.30	66.80

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष / उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head / Exciseable Commodities	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट अनुमान Budget 1994-95	संशो. अनुमान Revised 1994-95	बजट अनुमान Budget 1995-96
127. ट्रैक्टर	127 Tractors	22.39	23.50	41.85	50.10
128. मोटर कारें और यातायात के लिए अन्य मोटर गाड़ियां	128 Motor cars & other motor vehicles for transport of persons	596.99	725.00	824.35	1008.20
129. सार्वजनिक परिवहन किस्म की यात्री मोटर गाड़ियां और माल परिवहन की मोटर गाड़ियां	129 Public transport type passenger motor vehicles & motor vehicles for the transport of goods	62.24	63.00	122.00	147.45
130. अध्याय 87 के अन्तर्गत अन्य सभी मदें	130 All others falling under Chap.87	741.54	780.00	700.00	845.90
131. वायुयान, अंतरिक्षयान और उनके पुर्जे	131 Aircrafts,spacecrafts & parts thereof	2.10	3.50	1.00	1.65
132. समुद्री जहाज, नौकाएं और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	132 Ships, boats & floating structures	14.08	2.50	10.00	13.20
133. चश्मे, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी मापन, जांच, परिछेदन, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपकरण तथा उनके पुर्जे	133 Optical, photographic, cinemato-graphic measuring, checking,precision, medical or surgical instruments and apparatus parts & accessories thereof	91.64	115.00	97.45	117.80
134. दीवार घड़ियां, घड़ियां और उनके पुर्जे	134 Clocks & watches & parts thereof	37.71	48.50	32.85	39.70
135. वाद्य यंत्र, उनके पुर्जे और ऐसे यंत्रों के सहायक पुर्जे	135 Musical instruments, parts and accessories of such articles	0.39	0.48		
136. शस्त्र और गोली बारूद, उनके पुर्जे और सहायक पुर्जे	136 Arms and ammunitions, parts & accessories thereof	11.76	8.50	11.15	14.10
137. फर्नीचर, लैम्प और बिजली की फिटिंग जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है, प्रीफेब्रीकेटेड इमारतें	137 Furnitures, lamps and lighting fittings, not elsewhere specified, prefabricated buildings	76.52	85.50	67.30	85.05
138. बच्चों के खिलौने, खेल और क्रीड़ा संबंधी आवश्यक सामग्री और सहायक सामान	138 Toys, games and sports requisite parts and accessories thereof	2.38	2.90	2.25	2.70
139. विविध विनिर्मित वस्तुएं	139 Miscellaneous manufactured articles	20.94	22.00	27.90	36.80
विविध	Miscellaneous	97.88	73.38	80.00	92.00
जोड़-सकल राजस्व (मूल)	**Total-Gross Revenue (Basic)**	**27192.80**	**31515.81**	**31693.50**	**36738.90**
घटाइए-वापसी और प्रतिअदायगी	*Deduct Refunds and Drawbacks*	*824.46*	*1100.00*	*1000.00*	*1150.00*
जोड़-I निवल राजस्व	**TOTAL I-NET REVENUE**	**26368.34**	**30415.81**	**30693.50**	**35588.90**
II. वस्त्र और वस्त्र आदि पर अतिरिक्त शुल्क	**II. ADDITIONAL DUTIES ON TEXTILES AND TEXTILES ARTICLES**				
1. रेशम	1 Silk				
2. पशुजन्य ऊन, बारीक और मोटी	2 Wool, fine or coarse animal hair	1.80	1.71	2.30	2.40
3. सूत और सूती यार्न	3 Cotton and cotton yarn	52.58	52.83	75.65	83.20
4. सूती वस्त्र	4 Cotton fabrics				
5. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न और सिलाई के धागे जिनमें सिंथेटिक मोनोफिलामेंट और अपशिष्ट शामिल है	5 Synthetic filament yarn and sewing thread including synthetic mono-filament and waste	273.54	300.00	278.65	320.40
6. हाथ से बने धागे तथा फिलामेंट यार्न	6 Fabrics of man-made filament Yarn				
7. कृत्रिम तथा संश्लिष्ट स्टेपल रेशे और रद्दी सहित सामग्री	7 Artificial or synthetic Staple Fibres and tow including waste	77.03	71.74	80.00	95.00
8. पोलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक यार्न से बने स्पन यार्न	8 Spun yarn containing polyester or other synthetic yarn	33.71	40.43	26.30	30.25
9. अन्य हाथ के बने ब्लैंडिड यार्न	9 Other man-made blended yarn	22.08	22.83	19.20	22.10
10. विशेष बुने हुए कपड़े, टफटिड वस्त्र, लैस, कढ़ाई	10 Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, embroidery	1.60	4.11	1.45	1.60
11. बुने हुए तथा क्रोशियाई वस्त्र	11 Knitted or crocheted fabrics				
जोड़-II (सकल राजस्व)	Total-II (Gross Revenue)	462.34	493.65	483.55	554.95
घटाइए-वापसी और प्रतिअदायगी	Deduct Refunds and Drawbacks				
जोड़-II (निवल राजस्व)	Total-II (Net Revenue)	462.34	493.65	483.55	554.95
III. बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	**III. ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE IN LIEU OF SALES TAX**				
1. गन्ने और चुकन्दर से बनी चीनी और रासायनिक शोधित ठोस सकरोस	1 Cane or beat sugar and chemically pure sucrose in solid form	368.01	396.52	352.20	359.60
2. सिगरेट तथा तम्बाकू के समान पदार्थ के सिगरेट या सिगारोल्स	2 Cigarettes or cigarillos of tobacco or tobacco substitutes	871.91	976.00	875.20	919.00
3. बीड़ी	3 Biris	46.73	55.20	47.65	50.05
4. खाने वाला तम्बाकू कड़ा मसाला किमाम आदि सहित	4 Chewing tobacco including kara masala, kimam etc.	25.46	31.05	33.55	36.25
5. अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी	5 All others falling under Chap. 24	4.81	10.12	8.00	8.00
6. रेशम	6 Silk				
7. पशुजन्य बारीक और मोटी ऊन	7 Wool, fine or coarse animal silk	3.86	3.88	3.05	3.20
8. सूती वस्त्र	8 Cotton fabrics	162.25	175.00	214.20	235.60
9. हाथ से बने फिलामेंट यार्न के कपड़े	9 Fabrics of man-made filament yarn	478.33	520.00	502.20	606.85
10. स्टेपल रेशे के हाथ से बने कपड़े	10 Fabrics of man-made staple fibres	436.33	490.00	577.70	698.10
11. टफटिड वस्त्र, लेस, कढ़ाई के विशेष बुने हुए वस्त्र	11 Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, embroidery	4.25	4.54	7.55	8.30

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Exciseable Commodities	वास्तविक Actuals 1993-94*	बजट अनुमान Budget 1994-95	संशो. अनुमान Revised 1994-95	बजट अनुमान Budget 1995-96
12.	संसेचित, कवचित, आवृत अथवा परतदार पटवस्त्र, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त वस्त्र आदि	12	Impregnated coated, covered or laminated textile fabrics, textile articles of a kind suitable for industrial use	30.88	33.70	44.60	46.80
13.	बुने हुए या क्रोशिये के वस्त्र	13	Knitted or crocheted fabrics	5.03	4.75	7.15	8.30
जोड़-III	**सकल राजस्व (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क)**		**Total-III Gross Revenue (Addl. Excise)**	**2437.85**	**2700.76**	**2673.05**	**2980.05**
	घटाइए-वापसी और प्रति अदायगी		*Deduct - Refunds and drawbacks*				
जोड़-III	निवल राजस्व		**Total-III Net Revenue**	**2437.85**	**2700.76**	**2673.05**	**2980.05**
IV.	**वस्तुओं पर उप-कर**	**IV.**	**CESSES ON COMMODITIES**				
(क)	**(राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित)**	**(a)**	**(Administered by the Department of Revenue)**				
1.	वस्त्रों पर हथकरघा उपकर	1	Handloom cess on fabrics	1.26			
2.	चीनी	2	Sugar	167.62	175.00	158.20	161.00
3.	चाय	3	Tea	9.22	14.00	14.00	15.00
4.	बीड़ी	4	Biris	13.01	14.00	12.75	13.00
5.	कागज	5	Paper	6.69	6.50	8.75	9.20
6.	जूट निर्माण	6	Jute manufactures	17.37	18.50	16.10	16.80
7.	आटोमोबाइल	7	Automobiles	13.44	12.50	17.45	18.30
8.	देशी कच्चे तेल	8	Indigenous crude oil	2213.92	2680.13	2655.00	3222.00
9.	सूत	9	Cotton				
10.	वनस्पति घी	10	Vegetable oils	0.04			
11.	टेलिविजन सेट	11	Television Sets	0.04			
	जोड़ (क)		*Total (a)*	*2442.61*	*2920.63*	*2882.25*	*3455.30*
(ख)	**राजस्व विभाग से भिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रशासित**	**(b)**	**Administered by Ministries/Departments other than Revenue Department**				
1.	कोयला और कोक	1	Coal and Coke	91.06	92.00	92.00	97.00
2.	रबड़	2	Rubber	19.82	23.00	24.00	48.00
3.	नमक	3	Salt	2.27	2.25	2.25	2.30
4.	लौह अयस्क	4	Iron Ore	8.30	7.50	10.00	11.00
5.	चूने के पत्थर और डोलोमाइट	5	Lime Stone and Dolomite	4.90	7.30	7.30	8.00
6.	अभ्रक	6	Mica	1.39	2.00	2.00	2.30
7.	सिनेमा कर्मचारी	7	Cine workers	0.05	0.10	0.10	0.20
8.	अनुसंधान और विकास	8	Research and Development	0.00	10.00	0.00	0.00
9.	हवा और जल प्रदुषण से बचाव	9.	Prevention and control of (Air & Water) pollution	32.89	25.00	30.00	32.00
	जोड़ (ख)		**Total (b)**	**160.68**	**169.15**	**167.65**	**200.80**
	जोड़ (क) + (ख)		**Total (a) + (b)**	**2603.29**	**3089.78**	**3049.90**	**3656.10**
	जोड़-IV सकल राजस्व		**Total-IV Gross Revenue**	**2603.29**	**3089.78**	**3049.90**	**3656.10**
	घटाइए-वापसी और प्रति अदायगी (राजस्व विभाग)		*Deduct - Refunds and Drawbacks (Department of Revenue)*				
	जोड़-IV निवल राजस्व		**TOTAL-IV NET REVENUE**	**2603.29**	**3089.78**	**3049.90**	**3656.10**
	कुल जोड़-संघ उत्पाद शुल्क (सकल) I+II+III+IV		***GRAND TOTAL - Union Excise duties (Gross) I+II+III+IV***	*32535.60*	*37800.00*	*37900.00*	*43930.00*
	घटाइए-वापसी और प्रति अदायगी		*Deduct - Refunds and Drawbacks*	*824.46*	*1100.00*	*1000.00*	*1150.00*
	कुल जोड़-संघ उत्पाद शुल्क (निवल) I+II+III+IV		***GRAND TOTAL - Union Excise Duties (Net) I+II+III+IV***	*31871.82*	*36700.00*	*36900.00*	*42780.00*

* विभागीय अभिलेखों के अनुसार

* As per departmental records

अनुबंध **ANNEXURE 3**

नवें वित्त आयोग की (द्वितीय रिपोर्ट) और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर, संघ उत्पाद शुल्क और रेल यात्री किराया कर के बदले में दिए जाने वाले अनुदानों से अंश के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा

STATEMENT SHOWING THE STATE-WISE PERCENTAGE SHARES OF INCOME-TAX, UNION EXCISE DUTIES AND GRANT IN LIEU OF RAILWAY PASSENGER FARES TAX UNDER THE RECOMMENDATIONS OF THE NINTH FINANCE COMMISSION (SECOND REPORT) AND TENTH FINANCE COMMISSION

		आयकर Income Tax		बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties			अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties		रेलवे यात्रियों पर कर के बदले अनुदान Grants in lieu of Tax on Railway Passanger	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
					40%	7.5%				
1. आन्ध्र प्रदेश	1. Andhra Pradesh	8.208	8.465	7.170	8.465	12.069	7.680	7.820	7.484	8.345
2. अरूणाचल प्रदेश	2. Arunachal Pradesh	0.073	0.170	0.897	0.170	3.410	0.107	0.104	0.008	0.005
3. असम	3. Assam	2.631	2.784	3.810	2.784	8.543	2.743	2.483	1.509	1.368
4. बिहार	4. Bihar	12.418	12.861	11.028	12.861	6.434	8.317	7.944	8.266	9.326
5. गोआ	5. Goa	0.110	0.180	0.523	0.180	0.973	0.228	0.232	0.133	0.194
6. गुजरात	6. Gujarat	4.550	4.046	3.183	4.046	...	5.905	5.995	5.717	6.901
7. हरियाणा	7. Haryana	1.244	1.238	1.099	1.238	...	2.317	2.366	1.637	1.917
8. हिमाचल प्रदेश	8. Himachal Pradesh	0.595	0.704	1.943	0.704	8.816	0.621	0.595	0.098	0.108
9. जम्मू और कश्मीर	9. Jammu & Kashmir	0.695	1.097	3.548	1.097	13.366	0.929	0.856	0.520	0.728
10. कर्नाटक	10. Karnataka	4.928	5.339	4.104	5.339	...	5.865	5.744	3.271	3.388
11. केरल	11. Kerala	3.729	3.875	3.087	3.875	...	3.723	3.740	3.562	3.495
12. मध्य प्रदेश	12. Madhya Pradesh	8.185	8.290	7.224	8.290	...	7.164	7.236	6.061	6.882
13. महाराष्ट्र	13. Maharashtra	8.191	6.126	5.185	6.126	...	11.886	12.027	22.634	17.548
14. मणिपुर	14. Manipur	0.171	0.282	1.174	0.282	3.930	0.213	0.197	0.013	0.018
15. मेघालय	15. Meghalaya	0.208	0.283	0.891	0.283	3.590	0.190	0.188	0.040	0.034
16. मिजोरम	16. Mizoram	0.073	0.149	1.109	0.149	3.676	0.068	0.079	...	0.001
17. नागालैण्ड	17. Nagaland	0.096	0.181	1.348	0.181	5.818	0.120	0.137	0.165	0.145
18. उड़ीसा	18. Orissa	4.326	4.495	5.358	4.495	4.815	3.486	3.345	1.614	1.715
19. पंजाब	19. Punjab	1.706	1.461	1.362	1.461	...	3.533	3.422	3.110	3.280
20. राजस्थान	20. Rajasthan	4.836	5.551	5.524	5.551	0.835	4.689	4.873	4.579	4.445
21. सिक्किम	21. Sikkim	0.030	0.126	0.260	0.126	1.199	0.052	0.053	0.004	0.010
22. तमिलनाडु	22. Tamil Nadu	7.931	6.637	6.379	6.637	...	7.064	7.669	6.893	6.458
23. त्रिपुरा	23. Tripura	0.303	0.378	1.556	0.378	5.465	0.278	0.286	0.042	0.039
24. उत्तर प्रदेश	24. Uttar Pradesh	16.787	17.811	15.638	17.811	17.061	14.657	14.573	15.437	15.568
25. पश्चिम बंगाल	25. West Bengal	7.976	7.471	6.600	7.471	...	8.165	8.036	7.203	8.082
जोड़	TOTAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

अनुबन्ध ANNEXURE 4

आयकर, बुनियादी उत्पाद-शुल्क, तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के राज्यवार वितरण का विवरण
STATEMENT SHOWING STATE-WISE DISTRIBUTION OF INCOME-TAX, BASIC EXCISE DUTIES AND ADDITIONAL EXCISE DUTIES

(करोड़ रुपए in crores of Rupees)

राज्य	States	बजट Budget 1994-95 आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax	जोड़ Total	संशोधित Revised 1994-95 आयकर Income Tax*	बुनियादी उत्पाद शुल्क* Basic Excise Duties*	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क* Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax*	जोड़ Total	बजट Budget 1995-96 आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax	जोड़ Total
आन्ध्र प्रदेश	Andhra Pradesh	673.43	972.15	202.05	1847.63	702.59	980.79	199.97	1883.35	823.97	1513.92	226.52	2564.41
अरूणाचल प्रदेश	Arunachal Pradesh	5.99	121.62	2.82	130.43	6.25	122.70	2.79	131.74	16.55	114.22	3.01	133.78
असम	Assam	215.86	516.58	72.16	804.60	225.21	521.18	71.42	817.81	270.99	618.93	71.92	961.84
बिहार	Bihar	1018.84	1495.24	218.81	2732.89	1062.97	1508.54	216.56	2788.07	1251.87	1985.18	230.11	3467.16
गोआ	Goa	9.03	70.91	6.00	85.94	9.42	71.54	5.94	86.90	17.52	51.15	6.72	75.39
गुजरात	Gujarat	373.31	431.57	155.35	960.23	389.47	435.41	153.75	978.63	393.83	570.97	173.65	1138.45
हरियाणा	Haryana	102.06	149.01	60.96	312.03	106.48	150.33	60.33	317.14	120.50	174.71	68.54	363.75
हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh	48.82	263.44	16.34	328.60	50.93	265.79	16.17	332.89	68.53	332.62	17.23	418.38
जम्मू और कश्मीर	Jammu & Kashmir	57.02	481.06	24.44	562.52	59.49	485.34	24.19	569.02	106.78	508.47	24.80	640.05
कर्नाटक	Karnataka	404.32	556.45	154.30	1115.07	421.83	561.39	152.71	1135.93	519.69	753.44	166.38	1439.51
केरल	Kerala	305.95	418.55	97.95	822.45	319.20	422.28	96.94	838.42	377.19	546.84	108.33	1032.36
मध्य प्रदेश	Madhya Pradesh	671.54	979.47	188.48	1839.49	700.63	988.18	186.53	1875.34	806.93	1169.88	209.60	2186.41
महाराष्ट्र	Maharashtra	672.03	703.01	312.71	1687.75	701.14	709.26	309.48	1719.88	596.29	864.50	348.38	1809.17
मणिपुर	Manipur	14.03	159.18	5.60	178.81	14.64	160.59	5.55	180.78	27.45	143.79	5.71	176.95
मेघालय	Meghalaya	17.07	120.81	5.00	142.88	17.80	121.88	4.95	144.63	27.55	134.93	5.45	167.93
मिजोरम	Mizoram	5.99	150.37	1.79	158.15	6.25	151.70	1.77	159.72	14.50	118.30	2.29	135.09
नागालैण्ड	Nagaland	7.88	182.77	3.16	193.81	8.22	184.39	3.12	195.73	17.62	179.48	3.97	201.07
उड़ीसा	Orissa	354.93	726.47	91.71	1173.11	370.30	732.93	90.77	1194.00	437.53	761.74	96.89	1296.16
पंजाब	Punjab	139.97	184.67	92.95	417.59	146.03	186.31	91.99	424.33	142.21	206.17	99.12	447.50
राजस्थान	Rajasthan	396.77	748.98	123.36	1269.11	413.95	755.64	122.09	1291.68	540.32	805.44	141.15	1486.91
सिक्किम	Sikkim	2.46	35.25	1.37	39.08	2.57	35.57	1.35	39.49	12.27	49.51	1.54	63.32
तमिलनाडु	Tamil Nadu	650.70	864.90	185.84	1701.44	678.88	872.59	183.93	1735.40	646.03	936.61	222.14	1804.78
त्रिपुरा	Tripura	24.86	210.97	7.31	243.14	25.94	212.85	7.24	246.03	36.79	197.94	8.28	243.01
उत्तर प्रदेश	Uttar Pradesh	1377.30	2120.29	385.61	3883.20	1436.95	2139.14	381.63	3957.72	1733.69	2964.91	422.13	5120.73
पश्चिम बंगाल	West Bengal	654.39	894.87	214.81	1764.07	682.74	902.82	212.60	1798.16	727.21	1054.30	232.77	2014.28
जोड़	**TOTAL**	**8204.55**	**13558.59**	**2630.88**	**24394.02**	**8559.88**	**13679.14**	**2603.77**	**24842.79**	**9733.81**	**16757.95**	**2896.63**	**29388.39**

अनुबंध ANNEXURE 5

दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा

FINANCIAL RESULTS OF THE WORKING OF THE TELECOMMUNICATIONS DEPARTMENT

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

शीर्ष	Heads	वास्तविक आंकड़े Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
राजस्व प्राप्तियां	Revenue Receipts	6094.87	8152.00	7698.00	8876.00
व्यय	Expenditure				
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	249.59	306.25	305.77	328.33
2. परिचालन	2. Operation	496.07	629.17	609.47	659.15
3. भंडार तथा कारखाने	3. Stores and Factories	(-)41.79	23.89	(-)28.78	(-)70.45
4. अनुसंधान और विकास	4. Research and Development	4.07	5.52	4.93	5.68
5. लेखा और लेखा परीक्षा	5. Accounts and Audit	20.40	24.44	23.17	24.97
6. इंजीनियरिंग	6. Engineering	1185.37	1448.58	1438.69	1580.59
7. कर्मचारियों को सुविधाएं	7. Amenities to Staff	14.31	20.50	17.50	18.15
8. पेंशन	8. Pension	142.14	165.00	164.00	185.00
9. लेखन सामग्री और मुद्रण	9. Stationary and Printing	11.62	30.00	17.00	19.00
10. मूल्यह्रास	10. Depreciation	777.31	994.10	976.27	1237.89
11. अन्य व्यय	11. Other Expenses	1282.38	1319.55	1089.63	1302.69
जोड़-व्यय	**Total-Expenditure**	**4141.47**	**4967.00**	**4617.65**	**5291.00**
घटाइए-कार्यचालन व्यय में जमा	*Deduct-Credits to Working Expenses*	*403.45*	*484.40*	*493.85*	*547.00*
निवल कार्यचालन व्यय	***Net Working Expenses***	***3738.02***	***4482.60***	***4123.80***	***4744.00***
निवल प्राप्तियां	***Net Receipts***	***2356.85***	***3669.40***	***3574.20***	***4132.00***
घटाइए-सामान्य राजस्व में लाभांश	*Deduct-Dividend to General Revenues*	*230.33*	*263.40*	*269.20*	*265.00*
अधिशेष	*Surplus*	*2126.52*	*3406.00*	*3305.00*	*3867.00*

अनुबंध ANNEXURE - 6

भारत सरकार के कर्ज की स्थिति
DEBT POSITION OF THE GOVERNMENT OF INDIA

1995-96 के अंत तक, भारत सरकार का बकाया आंतरिक और वैदेशिक ऋण और अन्य देनदारियां 1994-95 (सं.अ.) के अंत तक 541358.62 करोड़ रुपए की तुलना में, 600059.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । ब्यौरे निम्नानुसार है :–

The outstanding internal and external debt and other liabilities of the Government of India at the end of 1995-96 is estimated to amount to Rs.600059.47 crores, as against Rs.541358.62 crores at the end of 1994-95 (RE). The details are as follows :-

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		31 मार्च 1995 को As on 31st March 1995	31 मार्च 1996 को As on 31st March 1996
देश में लिया जाने वाला कर्ज और अन्य देनदारियां	Internal debt and other liabilities	490730.32	545212.60
विदेशों से लिया जाने वाला कर्ज	External debt	50628.30	54846.87
जोड़	**Total**	**541358.62**	**600059.47**

भारत में दिए जाने वाले कर्ज के अन्तर्गत खुले बाजार में लिए जाने वाले ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल है । इनमें अस्थायी ऋण जैसे रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गयी राजकोषीय हुंडियां, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गयी अपरक्राम्य, निर्ब्याज प्रतिभूतियां भी शामिल है । पहली पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में, और वर्ष 1989-90 से लेकर वर्ष 1992-93 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा 1994-95 और 1995-96 के अन्त तक की सरकारी कर्जों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण **देनदारी विवरण** में दिया गया है । आंतरिक और विदेशी ऋण दोनों के अंतर्गत बकाया रकमों से बकाया कर्जे के अंकित मूल्य के अनुसार भारत सरकार की देनदारी प्रकट होती है ।

Internal Debt comprises loans raised in the open market, special securities issued to Reserve Bank, compensation and other bonds, etc. It also includes borrowings through treasury bills issued to Reserve Bank, State Governments, commercial banks and other parties, as well as non-negotiable, non-interest bearing rupee securities issued to international financial institutions viz., the International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Fund for Agricultural Development, African Development Fund/Bank and Asian Development Bank. An analysis of the public debt outstanding at the *beginning* of the First Five Year Plan and *close* of each year from 1989-90 to 1992-93 and that estimated to be outstanding at the close of 1994-95 and 1995-96 is given in the **Statement of Liabilities**. The amounts outstanding both under internal and external debt reflect the liability of Government as represented by the book value of the outstanding debt.

इसके अलावा सरकार विभिन्न अल्प बचत स्कीमों, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा स्कीम के अंतर्गत जमा रकमों और रेल तथा दूरसंचार विभाग जैसे विभागों की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों और सिविल जमा रकमों आदि की वापसी के लिए भी जिम्मेदार है । ऐसी कुल देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिखाया गया है ।

In addition, Government is liable to repay the outstandings against the various Small Savings schemes, Provident Funds, Securities issued to Industrial Development Bank of India, Unit Trust of India and nationalised banks, deposits under the Special Deposit Schemes and depreciation and other interest bearing reserve funds of departments like Railways and Telecommunications etc., deposits of local funds and civil deposits. Details of such liabilities are also shown in Statement of Liabilities.

परिसम्पत्तियों के विवरण में बकाया देनदारियों की रकमों को दिखाया गया है जो उन प्रयोजनों से संबंधित है जिनपर सरकार द्वारा जुटाई गई रकमों को खर्च किया गया है । परिसम्पत्तियों को भी अंकित मूल्य में दर्शाया गया है । इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है क्योंकि इसमें वैसी परिसम्पत्तियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है, शामिल नहीं है ।

Statement of Assets shows the extent to which the money raised by Government has been utilised for asset formation purposes. These assets are also shown at book value. This statement includes only assets the ownership of which vests in Central Government and it excludes assets created by State Governments and non-Government bodies from grant assistance from Central Government.

केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण :
STATEMENT OF LIABILITIES of the Central Government

के अन्त में/At the end of :

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		वास्तविक Accounts					संशोधित Revised	बजट Budget
		1950-51	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
क. लोक ऋण	A. Public Debt							
1. आंतरिक ऋण	1. Internal Debt							
(i) बाजार ऋण (अनुबंध 7)	(i) Market Loans (vide Annexure 7)	1438.46	70520.38	78023.09	81693.36	110610.79	131310.80	154010.80
(ii) वापसी अदायगी के दौरान में बाजार ऋण	(ii) Market Loans in course of repayment	6.49	45.57	52.34	58.48	69.65	69.65	69.65
(iii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(iii) 91 days Treasury Bills	358.02	6953.30	8840.44	20613.51	32595.40	36245.40	41244.80
(iv) विशेष प्रतिभूतियों में जमा की गई 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(iv) 91 days Treasury Bills funded into Special Securities	...	66000.00	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00
(v) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	(v) Other Special Securities issued to Reserve Bank	...	1101.43	1046.43	1046.43	1046.43	1046.43	1046.43
(vi) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(vi) 182 Days Treasury Bills	...	1077.59	3985.52	...	...	...	...
(vii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(vii) 364 Days Treasury Bills	...	...	...	8776.74	8385.97	11726.35	16113.35
(viii) स्वर्ण बांड, 1998	(viii) Gold Bonds 1998	...	...	...	...	375.18	1475.18	1540.18
(ix) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	(ix) Compensation and other bonds	6.73	788.32	1110.36	1199.49	1249.10	1388.89	1506.89
(x) विशेष वाहक बांड	(x) Special Bearer Bonds	...	950.97	276.85	42.87	14.66		
(xi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	(xi) Securities issued to International Financial Institutions	212.60	6566.21	8414.79	14669.46	20365.17	20335.29	20866.54
जोड़-आन्तरिक ऋण	**Total-Internal Debt**	**2022.30**	**154003.77**	**172749.82**	**199100.34**	**245712.35**	**274597.99**	**307398.64**
2. विदेशी ऋण*	**2. External Debt***	**32.03**	**31524.97**	**36948.25**	**42269.02**	**47345.02**	**50628.30**	**54846.87**
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL - Public Debt**	**2054.33**	**185528.74**	**209698.07**	**241369.36**	**293057.37**	**325226.29**	**362245.51**
ख. अन्य देनदारियाँ	***B. Other Liabilities***	*811.07*	*129029.12*	*144963.86*	*160554.35*	*184910.99*	*216432.33*	*238113.96*
1 अल्प बचत स्कीमें	**1. Small Savings Schemes**	**336.87**	**50100.18**	**55754.60**	**60127.37**	**67284.74**	**79054.74**	**84574.74**
2 भविष्य निधियां	**2. Provident Funds**							
(i) सरकारी भविष्य निधियां	(i) State Provident Funds	95.05	8871.67	10156.97	11766.14	13555.04	15455.04	17455.04
(ii) लोक भविष्य निधियां	(ii) Public Provident Fund	...	2798.67	3770.26	5111.23	7037.09	9243.09	11686.09
जोड़-भविष्य निधियां	**TOTAL-Provident Funds**	**95.05**	**11670.34**	**13927.23**	**16877.37**	**20592.13**	**24698.13**	**29141.13**
3 अन्य खाते	**3. Other Accounts**							
(i) गैर सरकारी भविष्य-निधियों आदि की विशेष जमा राशियां	(i) Special Deposits of Non-Government Provident Funds etc.	...	33587.79	39686.51	46324.07	53305.99	61305.99	70105.99
(ii) अन्य मदें	(ii) Other items	16.10	11748.64	12131.61	13473.10	19171.71	25087.91	26624.76
जोड़-अन्य खाते	**TOTAL- Other Accounts**	**16.10**	**45336.43**	**51818.12**	**59797.17**	**72477.70**	**86393.90**	**96730.75**
4 प्रारक्षित निधियां और जमा राशियां	**4. Reserve Funds and Deposits**							
(i) सब्याज	(i) Bearing interest	260.85	10589.37	11805.13	13105.11	13749.68	15375.12	16598.35
(ii) निर्ब्याज	(ii) Not bearing interest	102.20	11332.80	11658.78	10647.33	10806.74	10910.44	11068.99
जोड़-प्रारक्षित निधियां और जमा राशियां	**TOTAL - Reserve Funds and Deposits**	**363.05**	**21922.17**	**23463.91**	**23752.44**	**24556.42**	**26285.56**	**27667.34**
जोड़-देनदारियां	**Total-Liabilities**	**2865.40**	**314557.86**	**354661.93**	**401923.71**	**477968.36**	**541658.62**	**600359.47**
विभाजन पूर्व कर्ज में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	Amount due from Pakistan on account of share of pre-partition debt (approx.)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	Net Liabilities of the Central Government	2565.40	314257.86	354361.93	401623.71	477668.36	541358.62	600059.47
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों की अधिकता	Excess of Capital Outlay and Loans over Liabilities	...	...	...	...	...	...	...
कुल (निवल)	**Total (net)**	**2565.40**	**314257.86**	**354361.93**	**401623.71**	**477668.36**	**541358.62**	**600059.47**

* शेष राशियां अंकित मूल्य के अनुसार हैं। आंकड़ों में भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा रक्षा पूर्तियों के लिए प्रदान किया गया ऋण शामिल नहीं है।

* *Balances are according to book value. The figures do not include credits extended by the erstwhile Soviet Union for Defence supplies.*

परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)
STATEMENT OF ASSETS
(Capital Investments and Loans by the Central Government)

के अन्त में/At the end of :

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		वास्तविक Accounts					संशोधित Revised	बजट Budget
		1950-51	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
क. पूंजी परिव्यय	***A- Capital Outlay***							
1. सामान्य सेवाएं	**1. General Services**	**496.74**	**31022.66**	**31685.61**	**37607.38**	**45024.02**	**52613.46**	**60726.23**
(i) रक्षा सेवाएं	(i) Defence Services	260.93	24026.91	28932.34	34405.64	41273.03	48206.27	55560.76
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	(ii) Other General Services	235.81	6995.75	2753.27	3201.74	3750.99	4407.19	5165.47
2. सामाजिक सेवाएं	**2. Social Services**	**26.25**	**3749.24**	**4087.71**	**4483.72**	**4880.63**	**5605.34**	**6226.56**
3. आर्थिक सेवाएं	**3. Economic Services**	**965.02**	**87243.74**	**99301.78**	**113200.36**	**132505.38**	**137935.88**	**138071.89**
(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	(i) Agriculture and Allied Activities	7.78	4443.26	4500.71	4554.45	4616.08	4924.95	5372.54
(ii) ग्रामीण विकास	(ii) Rural Development	...	3.07	10.39	20.21	24.95	24.95	24.95
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	(iii) Special Areas Programme	...	662.04	770.16	907.72	1047.97	1234.00	1430.40
(iv) जल और विद्युत विकास	(iv) Water and Power Development	5.59	...	...	...	...	...	...
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	*(a) Irrigation & Flood Control*	...	*271.37*	*289.61*	*308.76*	*320.01*	*328.16*	*340.00*
(ख) ऊर्जा	*(b) Energy*	...	*21206.52*	*22940.64*	*24529.09*	*26327.22*	*28619.68*	*29941.88*
(v) उद्योग और खनिज	(v) Industry and Minerals	34.34	23714.53	23898.93	24469.69	27924.43	28728.06	29534.34
(vi) परिवहन	(vi) Transport							
(क) रेलवे	*(a) Railways*	*817.93*	*17118.51*	*18874.66*	*21463.77*	*22438.24*	*23588.24*	*24738.24*
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	*(b) Other Transport Services*	*12.47*	*6733.91*	*7518.53*	*8352.23*	*9312.98*	*10341.02*	*11502.23*
(vii) संचार	(vii) Communication							
(क) डाक सेवाएं	*(a)Postal Services*	*49.98*	*345.30*	*371.74*	*418.47*	*467.54*	*533.42*	*597.29*
(ख) दूर संचार सेवाएं	*(b) Telecommunications Services*	...	*3417.92*	*3324.66*	*3351.48*	*3440.80*	*3440.80*	*3440.80*
(ग) अन्य संचार सेवाएं	*(c) Other Communication Services*	...	*399.34*	*397.50*	*400.42*	*403.77*	*409.88*	*415.65*
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	(viii) Science and Technology and Environment	...	1296.51	1411.81	1553.36	1728.73	1964.86	2175.27
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(ix) General Economic Services	36.93	7631.46	14992.44	22870.71	34452.66	33555.15	28063.29
संघ राज्य क्षेत्रों का वितरण	Disbursements of UT's	...	...	...	...	...	242.71	495.01
कुल जोड़	***Grand Total***	***1488.01***	***122015.64***	***135075.10***	***155291.46***	***182410.03***	***196154.68***	***205024.68***
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण	***B- Loans advanced by the Central Government***							
राज्य सरकारों को	State Governments	195.58	73889.13	83264.54	91253.57	101154.21	114901.73	125903.30
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को	Union Territory Governments	..	222.22	264.75	300.92	471.87	1024.66	1549.76
विदेशी सरकारों को	Foreign Governments	0.01	2103.10	1545.61	687.00	471.17	525.54	589.59
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि डाक-तार राजस्व प्रारक्षित निधि पत्तन न्यास, नगर पालिकाएं तथा सांविधिक निकाय सहकारी और शैक्षणिक संस्थाओं को, विस्थापितों और गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को	Public Sector Enterprises Railway Development & Revenue Reserve Funds Posts & Telegraphs Revenue Reserve Fund Port Trusts, Municipalities and Statutory bodies Co-operative & Educational Institutions, Displaced persons & Private Institutions, etc	24.58	37876.86	40615.38	42638.60	44517.35	47292.99	50034.14
सरकारी कर्मचारियों को	Government Servants	0.51	633.35	712.64	791.60	851.32	1012.32	1174.32
जोड़	TOTAL	220.68	114724.66	126402.92	135671.69	147465.92	164757.24	179251.11
जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण	TOTAL- Capital Outlay and Loans Advanced by the Central Government.	1708.69	236740.30	261478.02	290963.15	329875.95	360911.92	384275.79
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की अपेक्षा देनदारियों की अधिकता	Excess of Liabilities over Capital Outlay and Loans Advanced	856.71	77517.56	92883.91	110660.56	147792.41	180446.70	215783.68
जोड़	Total	2565.40	314257.86	354361.93	401623.71	477668.36	541358.62	600059.47

अनुबंध ANNEXURE 7

केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा
DETAILS OF CURRENT RUPEE LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

प्रतिशत में ऋण का नाम	Name of Loan in %	परिपक्वता की सबसे पहली तारीख Earliest date of maturity	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में As at the end of 1950-51	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
3%	ऋण/Loan, 1951-54	15-09-1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3%	ऋण/Loan, 1953-55	15-07-1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25%	ऋण/Loan, 1954	15-11-1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50%	ऋण/Loan, 1954-59	15-12-1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50%	ऋण/Loan, 1955-60	15-09-1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50%	ऋण/Loan, 1955	01-10-1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3%	विजय ऋण/Victory Loan, 1957	01-09-1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50%	ऋण/Loan, 1958-68	01-06-1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3%	द्वितीय विजय ऋण/Second Victory Loan, 1959-61	15-08-1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75%	ऋण/Loan, 1960	15-07-1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4%	ऋण/Loan, 1960-70	15-09-1960	63.30	...	...	...	...	...	...
2.50%	ऋण/Loan, 1961	01-08-1961	57.01	...	...	...	...	...	...
2.75%	ऋण/Loan, 1962	15-11-1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3%	ऋण/Loan, 1963-65	01-06-1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3%	ऋण/Loan, 1964	15-06-1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3%	निधिकरण ऋण/Funding Loan, 1966-68	01-10-1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3%	प्रथम विकास ऋण/First Development Loan, 1970-75	15-10-1970	115.06	...	...	...	...	...	...
2.75%	ऋण/Loan, 1976	16-09-1976	14.77	...	...	...	...	...	...
5.50%	ऋण/Loan, 1990	01-07-1990	...	...	...	...	...	...	...
6.50%	ऋण/Loan, 1990	18-07-1990	...	...	...	...	...	...	...
9%	ऋण/Loan, 1990	24-10-1990	...	...	...	...	...	...	...
8%	ऋण/Loan, 1991	04-02-1991	...	...	...	...	...	...	...
10%	ऋण/Loan, 1991	12-05-1991	...	55.26	...	...	...	...	...
7.75%	ऋण/Loan, 1991	15-07-1991	...	740.76	...	...	...	...	...
5.50%	ऋण/Loan, 1991	18-07-1991	...	118.03	...	...	...	...	...
6.75%	ऋण/Loan, 1991	21-07-1991	...	382.72	...	...	...	...	...
6.25%	ऋण/Loan, 1991	29-10-1991	...	121.41	...	...	...	...	...
7.25%	ऋण/Loan, 1992	24-05-1992	...	560.18	560.18	...	...	...	...
5.50%	ऋण/Loan, 1992	15-07-1992	...	150.20	150.20	...	...	...	...
9.25%	ऋण/Loan, 1992	22-07-1992	...	440.47	440.47	...	...	...	...
6.25%	ऋण/Loan, 1993	01-07-1993	...	93.61	93.61	93.61	...	...	...
10.20%	ऋण/Loan, 1993	14-07-1993	...	317.60	317.60	317.60	...	...	...
10.00%	ऋण/Loan, 1993	20-07-1993	...	174.86	174.86	174.86	...	...	...
6%	ऋण/Loan, 1993	26-07-1993	...	289.53	289.53	289.53	...	...	...
6.75%	ऋण/Loan, 1994	16-02-1994	...	272.43	272.43	272.43	...	...	...
8.50%	ऋण/Loan, 1994	01-06-1994	...	541.92	541.92	541.92	541.92	...	...
6%	ऋण/Loan, 1994	01-07-1994	...	241.80	241.80	241.80	241.80	...	...
7%	ऋण/Loan, 1994	12-10-1994	...	169.95	169.95	169.95	169.95	...	...
5.50%	ऋण/Loan, 1995	11-05-1995	...	188.56	188.56	188.56	188.56	188.56	...
6.25%	ऋण/Loan, 1995	15-05-1995	...	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	...
9.50%	ऋण/Loan, 1995	21-05-1995	...	185.77	185.77	185.77	185.77	185.77	...
6.50%	ऋण/Loan, 1995	25-05-1995	...	119.30	119.30	119.30	119.30	119.30	...
10.50%	ऋण/Loan, 1995	11-06-1995	...	290.90	291.61	291.61	291.61	291.61	...
8.25%	ऋण/Loan, 1995	30-09-1995	...	598.71	598.71	598.71	598.71	598.71	...
12%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1995 (91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का परिवर्तन) (Conversion of 91 days Treasury Bills)	15-10-1995	...	...	...	4045.93	4045.93	4045.93	...
12.75%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1996 (364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का परिवर्तन) (Conversion of 364 days Treasury Bills)	19-04-1996	...	...	...	...	6945.83	6945.83	6945.83
10.50%	ऋण/Loan, 1996	12-05-1996	...	178.53	178.53	178.53	178.53	178.53	178.53
10.50%	ऋण/Loan, 1996(दूसरी श्रृंखला Second Series)	05-08-1996	...	...	98.02	98.02	98.02	98.02	98.02
10.75%	ऋण/Loan, 1996	21-10-1996	...	...	240.01	240.01	240.01	240.01	240.01
10.30%	ऋण/Loan, 1996	02-11-1996	...	86.87	86.87	86.87	86.87	86.87	86.87
6.25%	ऋण/Loan, 1996	01-12-1996	...	372.05	372.05	372.05	372.05	372.05	372.05
7.25%	ऋण/Loan, 1997	27-04-1997	...	120.13	120.13	120.13	120.13	120.13	120.13
10.50%	ऋण/Loan, 1997	11-05-1997	...	512.40	512.40	512.40	512.40	512.40	512.40
12%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1997	05-06-1997	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
6.50%	ऋण/Loan, 1997	02-07-1997	...	151.02	151.02	151.02	151.02	151.02	151.02
6.25%	ऋण/Loan, 1997	22-11-1997	...	214.81	214.81	214.81	214.81	214.81	214.81
11%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1997	22-12-1997	...	...	...	...	...	101.25	101.25
7%	ऋण/Loan, 1998	12-05-1998	...	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
10.50%	ऋण/Loan, 1998	23-05-1998	...	294.14	294.14	294.14	294.14	294.14	294.14
13%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1998	04-06-1998	...	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00
6%	ऋण/Loan, 1998	16-07-1998	...	172.66	172.66	172.66	172.66	172.66	172.66
6.25%	ऋण/Loan, 1998	01-10-1998	...	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47
12.30%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1998	03-12-1998	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	भारत सरकार जीरो कूपन बांड, 1999 Government of India Zero Coupon Bonds, 1999	17-01-1999	...	...	...	...	3000.00	3000.00	3000.00

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

प्रतिशत में ऋण का नाम	Name of Loan in %	परिपक्वता की सबसे पहली तारीख Earliest date of maturity	1950-51	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
			निम्नलिखित वर्षों के अन्त में As at the end of						
12%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1999	07-04-1999	...	...	...	...	...	4417.17	4417.17
5.50%	बैंक (अधिग्रहण और अन्तरण) मुआवजा बांड, 1999 Bank (Acquisition and Transfer) compensation Bond, 1999		...	72.63	72.63	72.63	72.63	72.63	72.63
5.50%	ऋण/Loan, 1999	30-04-1999	...	275.19	275.19	275.19	275.19	275.19	275.19
10.50%	ऋण/Loan, 1999	15.05.1999	...	34.15	34.15	34.15	34.15	34.15	34.15
13.12%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 1999	02-09-1999	...	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00
12.60%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2000	03-02-2000	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	भारत सरकार जीरो कूपन बांड, 2000 Government of India Zero Coupon Bonds, 2000	15-02-2000	...	...	...	...	...	2000.00	2000.00
5.50%	ऋण/Loan, 2000	11-04-2000	...	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23
10.75%	ऋण/Loan, 2000	11-06-2000	...	206.76	206.76	206.76	206.76	206.76	206.76
6.50%	ऋण/Loan, 2000	01-07-2000	...	420.11	420.11	420.11	420.11	420.11	420.11
11.64%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2000	26-07-2000	...	...	...	...	...	2553.68	2553.68
13.25%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2000	28-07-2000	...	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00
12.70%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2001	27-02-2001	...	...	...	820.85	820.85	820.85	820.85
12.08%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2001	28-06-2001	...	...	...	...	...	900.00	900.00
5.75%	ऋण/Loan, 2001	01-07-2001	...	230.84	230.84	230.84	230.84	230.84	230.84
6.50%	ऋण/Loan, 2001	01-07-2001	...	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61
7.50%	ऋण/Loan, 2001	21-07-2001	...	304.27	304.27	304.28	304.28	304.28	304.28
10.75%	ऋण/Loan, 2001	05-08-2001	...	...	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77
11.75%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2001	25-08-2001	...	...	...	...	...	8078.36	8078.36
11.00%	ऋण/Loan, 2001	21-10-2001	...	...	50.69	50.69	50.69	50.69	50.69
13.31%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2001	17-11-2001	...	...	...	...	848.03	848.03	848.03
5.75%	राष्ट्रीय रक्षा ऋण/N.D. Loan, 2001	20-12-2001	...	42.16	42.16	42.16	42.16	42.16	42.16
11%	ऋण/Loan, 2002	11-05-2002	...	2951.98	2951.98	2951.98	2951.98	2951.98	2951.98
7.75%	ऋण/Loan, 2002	24-05-2002	...	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56
13.40%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2002	16-06-2002	...	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00
5.75%	ऋण/Loan, 2002	15-07-2002	...	388.58	388.58	388.58	388.58	388.58	388.58
12.75%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2002	05-08-2002	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
6.50%	ऋण/Loan, 2002	16-10-2002	...	310.25	310.25	310.25	310.25	310.25	310.25
11.55%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2002	15-11-2002	...	...	...	...	...	2000.00	2000.00
5.75%	ऋण/Loan, 2003	12-05-2003	...	378.43	378.43	378.43	378.43	378.43	378.43
11.00%	ऋण/Loan, 2003	23-05-2003	...	192.94	192.94	192.94	192.94	192.94	192.94
6.50%	ऋण/Loan, 2003	26-07-2003	...	396.45	396.45	396.45	396.45	396.45	396.45
12.50%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2004	23-03-2004	...	...	...	...	11225.67	11225.67	11225.67
11.00%	ऋण/Loan, 2004	15-05-2004	...	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43
12.35%	सरकारी स्टॉक/Government Stock, 2004	24-05-2004	...	...	...	...	...	1200.00	1200.00
9.50%	ऋण/Loan, 2004	01-06-2004	...	320.59	320.59	320.59	320.59	320.59	320.59
6.50%	ऋण/Loan, 2004	20-06-2004	...	411.96	411.96	411.96	411.96	411.96	411.96
11.30%	ऋण/Loan, 2004	27-10-2004	...	539.56	539.56	539.56	539.56	539.56	539.56
10.50%	ऋण/Loan, 2005	21-05-2005	...	470.22	470.22	470.22	470.22	470.22	470.22
11.25%	ऋण/Loan, 2005	11-06-2005	...	1337.73	1338.23	1338.23	1338.23	1338.23	1338.23
6.50%	ऋण/Loan, 2005	01-10-2005	...	464.97	464.97	464.97	464.97	464.97	464.97
8.25%	ऋण/Loan, 2005	11-10-2005	...	664.79	664.79	664.79	664.79	664.79	664.79
11.50%	ऋण/Loan, 2006	12-05-2006	...	5259.55	5259.55	5259.55	5259.55	5259.55	5259.55
6.75%	ऋण/Loan, 2006	15-05-2006	...	788.78	788.78	788.78	788.78	788.78	788.78
11.25%	ऋण/Loan, 2006	05-08-2006	...	...	109.59	109.59	109.59	109.59	109.59
11.50%	ऋण/Loan, 2006(दूसरी श्रृंखला Second Series)	21-10-2006	...	...	26.02	26.02	26.02	26.02	26.02
12.50%	ऋण/Loan, 2007	25-03-2007	...	...	1209.77	1209.90	1209.90	1209.90	1209.90
11.50%	ऋण/Loan, 2007	05-10-2007	...	4356.97	4356.97	4356.97	4356.97	4356.97	4356.97
6.75%	ऋण/Loan, 2007	22-11-2007	...	621.49	621.49	621.49	621.49	621.49	621.49
9.50%	ऋण/Loan, 2008	20-02-2008	...	672.48	672.48	672.48	672.48	672.48	672.48
11.00%	ऋण/Loan, 2008	23-05-2008	...	6976.68	6976.68	6976.68	6976.68	6976.68	6976.68
10.80%	ऋण/Loan, 2008	22-07-2008	...	361.81	361.81	361.81	361.81	361.81	361.81
11.50%	ऋण/Loan, 2009	15-05-2009	...	7997.74	7997.74	7997.74	7997.74	7997.74	7997.74
7%	ऋण/Loan, 2009	25-05-2009	...	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44
7.50%	ऋण/Loan, 2010	12-05-2010	...	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22
11.50%	ऋण/Loan, 2010	11-06-2010	...	7152.14	7152.80	7152.81	7152.81	7152.81	7152.81
8.75%	ऋण/Loan, 2010	13-12-2010	...	500.22	500.22	500.22	500.22	500.22	500.22
8%	ऋण/Loan, 2011	27-04-2011	...	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92
11.50%	ऋण/Loan, 2011	05-08-2011	...	...	3745.36	3745.36	3745.36	3745.36	3745.36
12.00%	ऋण/Loan, 2011	21-10-2011	...	...	3386.79	3386.91	3386.91	3386.91	3386.91
10.25%	ऋण/Loan, 2012	01-06-2012	...	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13
9%	ऋण/Loan, 2013	24-05-2013	...	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33
10%	ऋण/Loan, 2014	30-05-2014	...	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26
10.50%	ऋण/Loan, 2014	29-10-2014	...	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10
11.50%	ऋण/Loan, 2015	21-05-2015	...	4173.50	4173.50	4173.50	4173.50	4173.50	4173.50
3%	ऋण/Loan, 1896-97 तीन महीने के नोटिस पर सरकार की इच्छा के अनुसार	At the option of Govt. on 3 months notice	8.93	...	...	...	...	...	...
3%	रूपान्तरण ऋण/Conversion Loan 1946, को या उसके बाद तीन महीने के नोटिस पर सरकार की इच्छा के अनुसार	-Do-on or after 16-09-1986	248.92	...	...	...	...	...	...
	1994-95 में जारी किया जाने वाला और ऋण Further loan to be floated in 1994-95		...	...	...	...	:	403.22	403.22
	1995-96 में जारी किए जाने वाले नए ऋण New loans to be floated in 1995-96	...	...	...	...	...	...	...	28255.58
	जोड़-चालू ऋण TOTAL-CURRENT LOANS	...	**1438.46**	**70520.38**	**78023.09**	**81693.36**	**110610.79**	**131310.80**	**154010.80**

अनुबन्ध ANNEXURE - 8

विदेशी सहायता EXTERNAL ASSISTANCE

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता और उसकी मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में, जो वास्तविक विदेशी सहायता मिली है, उसके और मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है।

This Annexure gives in brief, the nature and magnitude of assistance in the form of loans, grants and commodities received from friendly foreign countries and International Organisations. The estimates of receipts of external assistance and of repayments of principal and interest payments during the years 1994-95 and 1995-96 are summarised in the following table:–

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

		बजट अनुमान B.E.1994-95	संशोधित अनुमान R.E.1994-95	बजट अनुमान B.E.1995-96
क. ऋण*	A. Loans*	9666.88	9426.22	10372.30
ख. नकद अनुदान	B. Cash Grants	1284.55	995.74	1085.20
ग. वस्तु अनुदान सहायता	C. Commodity Grant Assistance			
(i) खाद्य	(i) Food	...	...	...
(ii) अन्य	(ii) Others	80.45	180.25	68.46
घ. जोड़ (क+ख+ग)	D. Total(A+B+C)	11031.88	10602.21	11525.96
ङ वापसी-अदायगी	E. Repayments:			
(i) ऋण	(i) Loans	5388.40	5479.60	5916.15
(ii) न्यास निधि	(ii) Trust Fund	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	(iii) Special Credit	...	...	...
च. जोड़	F. Total	5388.40	5479.60	5916.15
छ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगियां घटाकर)	G. External Assistance (Net of Repayments)	5643.48	5122.61	5609.81
ज. ब्याज अदायगियां	H. Interest Payments			
(i) ऋण	(i) Loans	4164.06	4125.41	4324.95
(ii) न्यास निधि उधार	(ii) Trust Fund Borrowings	...	...	...
(iii) विशेष ऋण	(iii) Special Credits	...	0.07	...
झ. जोड़	I. Total	4164.06	4125.48	4324.95
ञ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी घटाकर)	J. External Assistance (Net of Repayments and Interest Payments)	1479.42	997.13	1284.86
* *इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	* *Includes receipts under Revolving Fund*	*662.71*	*663.34*	*237.58*

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई है तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

Two statements viz. Statement 1 showing the receipts and repayments of external loans and Statement 2 showing the grants and commodity assistance are appended to this Annexure.

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

A brief write-up on the assistance extended by different countries and organisations is given in the succeeding paragraphs.

I. आस्ट्रेलिया

1. भारत को आस्ट्रेलिया से प्राप्त विकास सहायता का आरम्भ वर्ष 1951 से हुआ है। सहायता, जो अनुदान पर आधारित है पहले कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर संकेंद्रित थी। आस्ट्रेलियाई सहायता कार्यक्रम में 1950 और 1960 के दशक में काफी विस्तार हुआ। 1970 के दशक के दौरान दी गई खाद्य सहायता की राशि में परिवर्तन होता रहा। भारत को दी गई सहायता द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अस्सी के दशक के पूर्वार्द्ध में अल्पतम रही और 1986 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 1974-75 में सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया गया जब यह 10.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डालर तक पहुंच गई थी।

2. भारत-आस्ट्रेलियाई द्विपक्षीय संबंध समझौते के व्यापक ज्ञापन द्वारा निर्देशित होते है। फरवरी, 1989 में भारत में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के निम्न उद्देश्य है :–

(क) भारत के विकास कार्यक्रम में आवश्यक परियोजनाएं, जिन पर सहमति हुई है, के वित्तपोषण हेतु प्रभावी कार्यविधियों को सुनिश्चित करना।

(ख) रियायती वित्त पैकेज के जरिये विकासात्मक उद्देश्यों हेतु आस्ट्रेलिया का वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग को सुविधा प्रदान करना।

समझौता ज्ञापन के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग और ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता ब्यूरो की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी ताकि परियोजनाओं के बीच प्राथमिकताओं पर चर्चा एवं आबंटन तथा ज्ञापन और इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की समीक्षा कर सकें।

3. आस्ट्रेलियाई सहायता निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित थी:

(i) 1.7.90 से तीन वर्षों के दौरान 35 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डालर का तुरन्त अनुदान।

(ii) विकास आयात वित्त सुविधा जो एक मिश्रित ऋण योजना है, आस्ट्रेलियाई वस्तुओं और तत्संबंधी सेवाओं के आयात की लागत को कम करने के लिए तैयार की गई थी।

I. AUSTRALIA

1. Australian development assistance to India started in the year 1951. The assistance, on grant basis, was earlier concentrated in agriculture and allied sectors. The Australian aid programme was extensive during the 1950s and 1960s. During the 1970s it varied with the amount of food aid given. Assistance to India under the bilateral aid programme was minimal during the early 1980s-and stopped altogether in 1986. The highest level achieved was in 1974-75 when it reached Australian dollars 10.7 million.

2. The Indo-Australian bilateral relations are governed by an umbrella Memorandum of Understanding which was signed in February, 1989, for providing concessional loans to finance development projects in India. The objectives of the MOU are to:

(a) ensure an effective procedure for funding projects which have been agreed as important in India's development programme; and

(b) facilitate the use of Australian goods and services for developmental purposes through concessional finance packages.

As per the MOU, the Department of Economic Affairs and the Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB) are to meet at least once a year to discuss and allocate priorities amongst projects and to review the Memorandum and the funds provided by it.

3. Australian aid comprises of the following categories:

(1) An outright grant of A$ 35 million over three years starting from 1.7.90.

(2) Development Import Finance Facility (DIFF), which is a mixed credit scheme, designed to lower the costs of importing Australian goods and services.

(iii) एक लघु कार्यकलाप योजना जिसके द्वारा एक वर्ष में सौ हजार आस्ट्रेलियाई डालर के अकार्यक्रमबद्ध अनुरोधों की मंजूरी दी जा सके।

4. आस्ट्रेलियाई सहायता में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

(i) रेलवे
(ii) दूर संचार
(iii) उर्जा
(iv) खनन
(v) कोयला
(vi) खाद्य-संसाधन

लघु कार्यकलाप योजना में सामाजिक क्षेत्र भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

5. आस्ट्रेलियाई सहायता अनुदान के अंतर्गत, 35 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालरों की राशि आबंटित की गई है जिसका 1.7.90 से प्रभावी होने वाले तीन वर्षों के भीतर उपयोग किया जाना है। इन निधियों को पूर्व-संभाव्यता अध्ययनों के लिए उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है जिससे परियोजनाएं चलाई जाएंगी। हमने पांच परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं जिनमें से 2 अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। शेष पर अभी आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

6. आस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी लघु कार्यकलाप योजना के लिए 500000 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर की वार्षिक राशि का बजट बनाया है। वर्ष 1991-92 के दौरान समस्त राशि का संवितरण किया गया था। वर्ष 1993-94 के लिए, संवितरण में 20% वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है।

II. आस्ट्रिया

1. आस्ट्रिया सरकार ने अब तक 1560.98 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग के पन्द्रह ऋण आस्ट्रियाई मूल की पूंजीगत वस्तुओं को वित्तपोषित करने के लिए दिए हैं। इसमें भारत को दिसम्बर, 1976 में 26 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग की दी गई खाद्य सहायता भी शामिल है। 1979-80 तक दिए गए ऋणों को 2 से 7 वर्ष की रियायती अवधि सहित 15 से 25 वर्षों में वापस अदा किया जाना था और इन ऋणों पर 2 से 5.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाना था। 1980-81 के पश्चात् दिए गए ऋणों को 10 वर्ष से अनधिक की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष के भीतर वापस अदा किया जाना है।

2. सहायता के लिए एक करार पर 16.12.1986 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसकी राशि कुल मिलाकर 100 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग से कम न होगी। पूंजीगत वस्तुओं संबंधी ऋण 1989 के करार पर दिसम्बर, 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार 120 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग का ऋण दिया गया था और जिसमें से लगभग 9.5 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग पहले दिए गए ऋण के नामे डाले गए थे और इस प्रकार 110.5 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग का निवल ऋण शेष रह गया था। 1989 के ऋण की पूरी सुपुर्दगी के पश्चात् दिसम्बर, 1991 में समान शर्तों पर समान राशि के लिए एक और ऋण श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए गए। 1986 तथा 1989 दोनों के ऋण पूरी तरह से उपयोग कर लिए गए हैं और केवल 8.06 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग का थोड़ा-सा शेष वर्ष 1991 के ऋण श्रृंखला से रहा है।

3. आस्ट्रिया ने भी 9 ऋणों के द्वारा 371.61 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग की राशि की ऋण राहत सहायता दी है। इसे पच्चीस वर्ष की अवधि में वापस अदा किया जाना है और शुरु में 9 वर्ष की रियायती अवधि भी उपलब्ध है, इन ऋणों पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा। इसके अलावा 1968-69 से लेकर 1970-71 के दौरान ब्याज की दर को 5.50 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत कर देने के कारण आस्ट्रिया ने अनुदानों के रूप में 43 मिलियन आस्ट्रियाई शिलिंग की ऋण राहत भी दी है।

III. बेल्जियम

1. बेल्जियम सरकार ने भारत सरकार को 31 मार्च 1993 तक 5260 मिलियन बेल्जियम फ्रांक की राशि का कुल ऋण दिया है। इसमें से, 1262 मिलियन बेल्जियम फ्रांक की राशि ऋण राहत के रूप में मिली है और शेष राशि बेल्जियन पूंजीगत वस्तुओं, औद्योगिक उपस्कर तथा उनसे सम्बन्धित सेवाओं की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराई गई।

2. 250 मिलियन बेल्जियन फ्रांक की राशि के बेल्जियन सरकार के साथ सरकार से सरकार को 20वें ऋण करार पर 30 मार्च, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उपयोग बेल्जियम से पूंजीगत और औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं के आयात के आंशिक वित्त-पोषण के लिए, आयात

(3) A Small Activity Scheme whereby unprogrammed requests of upto A$ 100,000 in a year can be granted.

4. Australian assistance covers the following sectors:

(1) Railways
(2) Telecommunication
(3) Energy
(4) Mining
(5) Coal
(6) Food-Processing

The Small Activity Scheme extends to the social sectors also and under this programme, funds are extended to NGOs as well.

5. Under Australian grant aid, an amount of A$ 35 million has been allocated which is to be utilized within three years, effective from 1.7.90. These funds are proposed to be utilized for pre-feasibility studies which would lead to projects. 5 projects have been posed, of which 2 studies have been completed. The remaining are under consideration of the Australian Government.

6. The Australian Government has budgeted an annual amount of A$ 500000 million for its Small Activities Scheme. During 1991-92 the full amount was disbursed. For the year 1993-94, a 20% increase in disbursement is envisaged.

II. AUSTRIA

1. The Government of Austria have so far extended fifteen credits amounting to A.Sch. 1560.98 million for financing capital goods of Austrian origin. This also includes food aid amounting to A. Sch. 26 million given to India in December 1976. The credits extended by Austria upto 1979-80 were repayable over a period of 15 to 25 years with a grace period of 2 to 7 years and carried interest rates ranging from 2 to 5.5. per cent. The credits extended after 1980-81 are repayable within 20 years after a grace period of not more than 10 years.

2. An agreement for aid aggregating to not less than A.Sch. 100 million was signed on 16.12.1986. Capital Goods Credit, 1989, agreement was signed in December, 1989 for an amount of A. Sch. 120 million against which A.Sch. 9.5 million approximately was debited to the earlier credit line leaving a net credit amount of A.Sch. 110.5 million. After the 1989 credit was fully committed, a further credit line for the same amount on the same terms was signed in December, 1991. Both the 1986 and 1989 credit lines have been fully utilized and only a small balance of A.Sch. 8.06 million is left from the 1991 credit line.

3. Austria has also extended debt relief assistance of A.Sch. 371.61 million through nine credits. These credits are repayable over a period of 25 years with an initial grace period of 9 years, the rate of interest being 2 per cent per annum. Besides, Austria has extended debt relief amounting to A. Sch. 43 million in the form of grant by way of reduction of interest rate from 5.50 per cent to 3 per cent during the years 1968-69 to 1970-71.

III. BELGIUM

1. The total Belgian assistance extended to the Govt. of India upto 31st March 93 is BFr 5260 million. Out of this, BFr 1262 million have been provided for debt relief while the balance was made available for procurement of Belgian capital goods, industrial equipments and services related thereto.

2. The 20th State to State Credit agreement with the Belgian Govt. was signed on 30th March 93 for an amount of BFr 250 million. This will be used for partial financing of import of capital and industrial goods and services from Belgium, to the extent of 42% of the import cost. The

लागत के 42% तक किया जाएगा। शेष 58% की पूर्ति बेल्जियम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को प्रदान किए गए वाणिज्यिक ऋणों सहित अन्य स्रोतों के जरिए की जाएगी। 1977-78 से आगे जो ऋण दिए गए हैं, उनकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि तक की जानी है और उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

IV. कनाडा

सन 1951 से कनाडा से आर्थिक सहायता भारत को मिल रही है। यह सहायता कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। यह सहायता ऋण और अनुदान के रूप में है। क.अ.वि.अ. ने 31 मार्च 1994 तक कुल मिलाकर 924.846 मिलियन कनाडियन डॉलर की राशि की ऋण सहायता दी है ।

2. 31.3.1986 तक कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के ऋण ब्याज, वचनबद्धता और सेवा प्रभारों से मुक्त थे और इनकी वापसी-अदायगी 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 50 वर्ष की अवधि में की जानी थी। 1.4.86 से कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (क.अ.वि.अ.) की सहायता पूर्ण रूप से अनुदान के रूप में है। क.अ.वि.अ. की सहायता परियोजना सहायता, परियोजना - भिन्न सहायता और खाद्य सहायता (गेंहू ऋण) के रूप में प्राप्त हुई है। भूतकाल में क.अ.वि.स. ने विभिन्न परियोजनाओं को सहायता दी है। क.अ.वि.अ. द्वारा भूतकाल में कुछेक वस्तुओं के आयात के लिए परियोजना-भिन्न सहायता दी गयी थी। इस समय, निम्नलिखित क.अ.वि.अ. सहायता-प्राप्त परियोजनाएं चल रही हैः-

i) वृक्ष रोपण परियोजना
ii) चमेरा जल-विद्युत परियोजना, चरण-I
iii) ऊर्जा क्षेत्र ऋण श्रृंखला-सी.आई.डी.ए. एम.ओ.जे.
iv) उर्वरक परियोजना
v) एन.डी.डी.बी. की तेलहन परियोजना - चरण-II
vi) राजस्थान कृषि जल विकास अनुसंधान परियोजना
vii) संस्थात्मक संपर्क सुविधा।
viii) भारत-कनाडा सहयोग कार्यालय।
ix) भारत-कनाडा पर्यावरणीय सुविधा

20.10.1992 को भारत-कनाडी पर्यावरण सुविधा परियोजना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत क.अ.वि.अ. तीन वर्ष की अवधि में 72 मिलियन कनाडी डॉलर की वस्तुगत सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के अधीन संवितरण आरम्भ होने है। कनाडा ने खाद्य और खाद्य-भिन्न वस्तुओं के लिए अनुदान दिया है। 31.3.94 तक प्राधिकृत अनुदान की कुल राशि 1394.10 मिलियन कनाडी डालर होगी।

3. कनाडा के निर्यात विकास निगम ने भारत को चमेरा जल-विद्युत परियोजना के लिए भी ऋण दिया है। ऊर्जा क्षेत्र में ऋण की सुविधा भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन ऑयल कारपोरेशन तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड को ई.डी.सी. के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा 16.10.1992 से समाप्त हो गयी है।

V. डेनमार्क

भारत 1963 से डेनिश सहायता प्राप्त करता रहा है। डेनमार्क ने भारत को 31 मार्च, 1994 तक कुल 4058.82 मिलियन डेनिश-क्रोनर की सहायता देने का वचन दिया है, जिसमें से 1213.60 मिलियन डेनिश-क्रोनर ऋण है और 2845.22 मिलियन डेनिश-क्रोनर अनुदान है।

2. वर्ष 1987 में डेनमार्क ने अपनी सभी सहायताओं को अनुदान में रूपान्तरित करने का निर्णय किया। डेनिश अनुदान आबद्ध आयातों के लिए उपलब्ध है, जो विशेष परियोजनाओं और स्थानीय लागत परियोजनाओं से संबंधित है। वर्तमान में स्थानीय लागत अनुदान केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और मध्यप्रदेश राज्यों में परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। डेनमार्क द्वारा अनुदानों के रूप में तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

3. वर्ष 1993-94 और 1994-95 (दिसम्बर तक) में दोनों सरकारों के बीच जल विभाजक-विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य, पेय जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए 208.07 मिलियन तथा 110.5 मिलियन डेनिश क्रोनर के अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. भारत सरकार ने पहले ही वर्ष 1993-94 के दौरान डेनमार्क सरकार के साथ डेनमार्की तथा भारतीय व्यवसाय उद्यमों के बीच दीर्घ कालीन सहयोग दिए जाने के लिए निजी क्षेत्र विकास (पी एस डी) कार्यक्रम के रूप में परिचित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान, डेनमार्क सरकार ने औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए भी

balance 58% is to be met through other sources including supplier's commercial credit provided by Belgium. The soft loan extended from 1977-78 onwards provides for repayment over 30 years including 10 years grace period and does not bear any interest.

IV. CANADA

Canada has been extending economic assistance to India since 1951. This assistance is channelised mainly through Canadian International Development Agency (CIDA). The assistance has been in the form of loans as well as grants. The net total value of CIDA loan assistance extended upto 31.3.94 has been of the order of C$ 924.846 million.

2. Till 31.3.1986, CIDA loans were free from interest, commitment or service charges and were repayable over a period of 50 years including a grace period of 10 years. Since 1.4.1986, CIDA assistance is entirely in grant form. CIDA assistance has been extended in the form of project aid, non-project aid and food aid (wheat loan). In the past, CIDA has extended assistance to various projects and non-project aid had been for import of certain commodites. At present the on going CIDA assisted projects are :—

i) Tree growers Project
ii) Chamera H.E. Project Phase-I
iii) Energy Sector Line of Credit CIDA MOJ.
iv) Fertilizer Project.
v) NDDB's Oilseeds Project Phase-II
vi) Rajasthan Agricultural Drainage Research Project (RAJAD).
vii) Institutional Linkage Facility.
viii) India Canada Cooperation Office.
ix) India Canada Env. Facility

On 20.10.1992, an agreement has been signed for India Canada Environment Facility Project, under which CIDA will extend commodity grant assistance of C$ 72 million over a three year period. Canada has given grants for food and non food items. The total value of the grant authorised upto 31.3.94 has been of the order of C$1394.10 million.

3. The Export Development Corporation of Canada (EDC) has also provided credit to India in respect of the Chamera Hydroelectric Project. A line of credit facility in the Energy Sector has also been provided to ONGC, IOC, and Oil India Limited by the EDC. This credit facility for the Energy Sector has since expired on 16.10.1992.

V.DENMARK

1. India has been receiving Danish aid since 1963. Upto 31.3.94 a total of Dkr 4058.82 million has been committed by Denmark to India, of which Dkr 1213.60 million is loans and Dkr 2845.22 million is grants.

2. In 1987, Denmark decided to convert all its assistance to grants. Danish grants are available for tied imports which are related to specific projects and for local cost projects. Local cost grants are at present available only for projects in the States of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Orissa and Madhya Pradesh. Technical assistance is also made available as grants.

3. In 1993-94 and 1994-95 (up to Dec.) grant agreements worth Dkr 208.07 million and Dkr 110.5 million were signed respectively between the two Governments, covering watershed development, animal husbandry & health, drinking water supply and environmental projects.

4. Government of India has already signed an agreement with Government of Denmark during 93-94 called as Private sector Development (PSD) Programme to support long term collaborations between Danish and Indian business enterprises. During 94-95, Government of Denmark has also proposed to provide soft loan for

उदार शर्तों वाले ऋण दिए जाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए अभी हाल में बात-चीत की जा रही है। उदार शर्तों वाला ऋण केवल अव्यावहार्य वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगा।

industrial development projects for which negotiations is currently underway. The soft credit will be available will be available only for non-viable commercial projects.

VI. जर्मनी

वर्ष 1993-94 के लिए जर्मनी ने 597.7 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि प्रदान करने की वचनबद्धता की। इस राशि में 390 मिलियन ड्यूश मार्क नई वचनबद्धता के रूप में और 297.7 मिलियन ड्यूश मार्क पुनः कार्यक्रमित/पुनः आवर्तित राशि के रूप में है। 390 मिलियन ड्यूश मार्क की नवीन वचनबद्धता में से 355 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि वित्तीय सहायता के रूप में और 35 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि तकनीकी सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं।

VI. GERMANY

For the year 1993-94 Germans committed an amount of DM 597.7 million. This amount comprises DM 390 million as new commitment and DM 297.7 million as reprogrammed/recycled amount. Out of the DM 390 million fresh commitment, DM 355 million has been provided as financial assistance and DM 35 million as technical assistance.

2. उपरोक्त वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता की वास्तविक राशि (अर्थात जर्मनी द्वारा वितरित की गई सहायता) 363.9 मिलियन ड्यूश मार्क थी (तकनीकी सहायता के अतिरिक्त), जिसमें 170 मिलियन ड्यूश मार्क तीव्र वितरण सहायता के रूप में शामिल है।

2. The actual amount of aid received during the above year (i.e. aid disbursed by Germany) was DM 363.9 million (excluding technical assistance), including DM 170 milion as fast disbursing aid.

3. वर्ष 1994-95 के दौरान जर्मनी ने 496.5 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि देने की वचनबद्धता की। इस राशि में 460 मिलियन वित्तीय सहायता और 36.5 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि तकनीकी सहायता शामिल है। 460 मिलियन ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता राशि में प्रथम बार "संयुक्त वित्तीय सहयोग ऋण" के रूप में परिचित नवीन वित्तीय लिखित दस्तावेज के तहत प्रदान की जा 145 मिलियन ड्यूश मार्क की राशि भी शामिल है।

3. During 1994-95 Germans have commited an amount of DM 496.5 million. This amount comprises DM 460 million financial assistance and DM 36.5 million technical assistance. The amount of DM 460 million financial assistance also includes DM 145 million being provided for the first time under a new financing instrument called "Composite Financial Cooperation Loan."

4. वर्ष 1994-95 (सितम्बर, 1994 तक) के दौरान वितरित की गई वास्तविक सहायता राशि 86.231 मिलियन ड्यूश मार्क है। वित्तीय वर्ष के दौरान 400 मिलियन ड्यूश मार्क के उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

4. The actual aid disbursed during 94-95 (till Sep. 1994) is DM 86.231 million. The expected utilisation during the financial year is DM 400 million.

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जर्मन के साथ अब तक निम्न लिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:—

Following agreements have been signed so far with the Germans during the current financial year:

परियोजना	Project	राशि (मिलियन में ड्यूश मार्क) Amount (DM Million)	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख Date of signing
1. राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति	1. Rajasthan Rural Water Supply	95	17.6.94
2. कर्नाटक जलसंग्रहण-I	2. Karnataka Watershed-I	20	17.6.94
3. उर्वरक-III	3. Fertiliser-III	60	28.7.94
4. एस.आई.डी.बी.आई. (पूरक)	4. SIDBI (Supplemental)	15	28.7.94
5. राउरकेला इस्पात संयन्त्र आधुनिकीकरण	5. Rourkela Steel Plant Modernisation	28.1	
6. हडको-IV पूरक	6. HUDCO-IV Supplemental	10	

VII. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है और अप्रैल, 1968 से मार्च, 1993 की अवधि के दौरान फ्रांसीसी सहायता की कुल राशि 14441.5 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक बैठती है। फ्रांसीसी सहायता का उपयोग, विद्युत, कोयला, रेलवे, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खनन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया गया है।

VII. FRANCE

1. The Government of France started extending economic assistance to India in 1968 and total French assistance from April 1968 to March 1994 amounted to FF 14441.5 million. French assistance in the form of mixed credits has been utilised for various sectors like power, coal, railways, petroleum & natural gas, mining etc.

2. वर्ष 1992 में भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार के साथ 568.2 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक की राशि के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1993 में किसी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। फिर भी, वर्ष 1994 में 223.3 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक की राशि के लिए एक नए प्रोटोकॉल पर पहले ही हस्ताक्षर किए गए हैं जिस में 15.4 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक की राशि स्वीकृत की गई है।

2. In 1992 Government of India signed a protocol with the French Government amounting to FF 568.2 million. No protocol was signed in 1993. However, in 1994 a new protocol has already been signed amounting to FF 223.3 million out of which FF 15.4 million is grant.

3. वर्ष 1992-93 के दौरान हस्ताक्षर किए गए मिश्रित ऋण प्रोटोकोलों पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता था और उनकी वापसी-अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 28 वर्षों में की जानी थी। तथापि, वर्ष 94-95 के दौरान हस्ताक्षरित वर्तमान प्रोटोकोल पर फ्रांसीसी राजकोषीय ऋण पर 0.9% प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है। जिसकी वापसी-अदायगी की अवधि 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष है। उदार शर्तों वाले ऋणों को निर्यात ऋण (निर्यात ऋण अब 4 प्रतिशत) के साथ मिश्रित करने के अनुपात में भी सुधार हुआ है और उदार शर्तों पर ऋण का भाग पहले 50 प्रतिशत की तुलना में 54 प्रतिशत है। निर्यात ऋण पर ब्याज ओ.ई.सी.डी. की सहमति पर व्याप्त दर के आधार पर लिया जाता है।

3. Mixed credit protocols signed during 1992-93 carried an interest rate of 2% p.a. and were repayable over 28 years including a grace period of 10 years. However the current protocol signed during 94-95 carried an interest rate of 0.9% p.a. on the French Treasury Loan (soft loan) and is repayable over 30 years including a grace period of 10 years. The ratio of mixing soft loan with export credit has also improved (export credit being 45%) and the soft loan content is now 55% compared to 54% earlier). Interest charged on the export credit is based on the prevailing OECD consensus rate.

VIII. हंगरी

1. हंगरी सरकार ने 250 मिलियन रुपए का ऋण दिया है जिसमें 175 मिलियन रुपए सरकार से सरकार को और 75 मिलियन रुपए के संभरक ऋण है । सरकार से सरकार को ऋण के ऋण की अंतिम तारीख तक अर्थात् 31 दिसम्बर, 1977 तक कुल संविदा लगभग 128 मिलियन रुपए का था। संभरक ऋण के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 1977 तक संविदा लगभग 24 मिलियन रुपए था । 98 मिलियन रुपए का गैर-संविदाकारी शेष 31 दिसम्बर, 1977, दोनों देशों के बीच 31-12-1978 रुपया अदायगी व्यवस्था समाप्त होने के साथ , को व्यगत हो गया। 1.1.1979 से इण्डो-हंगरी व्यापार परिवर्तनीय करेंसी में किया जाता है।

2. वर्ष 1989 में हंगरी ने ऊर्जा, विद्युत, खनन, मशीन निर्माण आदि के क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए हंगरी और भारतीय कम्पनियों के बीच सम्पन्न वाणिज्यिक संविदाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण की एक ओर श्रृंखला प्रदान की। इसका उपयोग तृतीय देशों में भारतीय सहयोग की परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि दोनों सरकारों द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की गई है । ये ऋण वस्तुओं के आयात और हंगरी मूल के उत्पादों के लिए उपलब्ध हैं । इस ऋण श्रृंखला के उपयोग के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है हालांकि अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है ।

3. इन ऋणों पर 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और इनकी वापसी-अदायगी 3 वर्ष की रियायती अवधि सहित 15 वर्ष में की जानी है।

IX. इटली

1. इटली से प्राप्त सहायता विशेष परियोजनाओं के लिए है और यह इटालियन वस्तुओं एवं सेवाओं के वित्तपोषण से सम्बद्ध है। वित्तीय सहायता उदार ऋण के रूप में जिस पर 1.5% वार्षिक दर पर ब्याज लगता है और इसकी वापसी-अदायगी, 10 वर्षों की छूट की अवधि सहित, 20 वर्षों में की जाती है और इसमें ओ. ई. सी. डी. सहमति ब्याज दर पर उपलब्ध निर्यात ऋण की वापसी-अदायगी 5 से 10 वर्षों की अवधि में होती है। दो प्रकार के ऋण संयोजन या स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होते हैं, जिस का निर्णय प्रत्येक मामले में इटली प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। निर्यात-ऋण के साथ उदार ऋण मिलाने की ये शर्तें हैं; 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 25 वर्षों में वापसी-अदायगी। इटली के प्राधिकारियों के अनुमोदन के बाद, उदार भाग के लिए भारत सरकार और मेडिक्रेडिटो सेंट्रल के बीच एक अलग वित्तीय कनवेनशन पर हस्ताक्षर किया जाता है, जबकि निर्यात ऋण भाग के लिए बैंक ऋण करार पर भारतीय परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित बैंकों के बीच हस्ताक्षर होते हैं। दोनों ऋण सामान्यतः अमरीकी डालरों में होते हैं और वापसी-अदायगी भी अमरीकी डालरों में होती है। वर्ष 1991-93 की अवधि के लिए 60 बिलियन लीरा (130 करोड़ रुपए) अनुदान के रूप में और 180 बिलियन लीरा उदार ऋण के रूप में इटली द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

फरवरी, 1981 में निष्पन्न सामान्य तकनीकी सहयोग सहायता के अन्तर्गत इटली विशेषज्ञ सेवाओं, प्रशिक्षण उपस्कर एवं सामग्री आदि के लिए सबद्ध आधार पर तकनीकी सहायता अनुदान देने पर सहमत हुआ है। 22.11.1994 को तिब्बती शिशु ग्राम, धर्मशाला के लिए एक चिकित्सालय और दृश्य-श्रृव्य निर्माण एवम् प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता के लिए भी शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की सम्भवना है।

X. जापान

1. भारत सहायता संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में जापान भारत को वर्ष 1958 से वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 1958 से भारत को दी गई जापानी सहायता की कुल राशि 1663 बिलियन येन है। जापान से प्राप्त सहायता द्विपक्षीय ऋणों, अनुदान सहायता और तकनीकी सहायता के रूप में है।

2. जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता है, यह स्थिति उसने लगातार पिछले छह वर्षों से बनाए रखी है, इस वर्ष की जापानी सहायता की वचनबद्धता 125.765 मिलियन येन है जो जून, 1994 में भारत विकास मंच की बैठक में दी गयी बहुपक्षीय और दिव्पक्षीय दोनों) सहायता वचनबद्धता का लगभग 30 प्रतिशत है। इसलिए, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय दाताओं से प्राप्त होने वाली सहायता राशि में जापान का स्थान विशिष्ट है। वर्ष 1994-95 में125.765 मिलियन की येन ऋण सहायता के मुकाबले वर्ष 1993-94 में प्राप्त 119.640 बिलियन येन की ऋण सहायता 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

VIII. **HUNGARY**

1. The Government of Hungary has extended a credit of Rs. 250 million comprising Rs.175 million Government-to-Government credit and Rs.75 million suppliers credit. Against the Government-to-Government credit the total contracting upto the terminal date of the credit, December 31, 1977, was approximately Rs. 128 million. The contracting under the suppliers credit upto December 31, 1977 was about Rs. 24 million. The non-contracting balance of about Rs. 98 million lapsed on December 31, 1977, pari-passu with the termination of the rupee payment arrangements between the two countries on 31.12.1978. From 1.1.1979 Indo-Hungarian Trade is conducted in convertible currency.

2. In 1989 Hungary extended another line of credit to India for financing commercial contracts concluded between Hungarian and Indian companies for setting up projects in the field of energy, power, mining, machine-building etc. This can also be utilised for the establishment of Indian associated projects in third countries as mutually agreed upon by the two Govornments. The credits are available to cover import of goods and products of Hungarian origin. Proposals for utilisation of the credit line are under consideration, though no utilisation has taken place as yet.

3. The credit carries a rate of interest of 4.5% and is repayable over 15 years, including a grace period of 3 years.

IX. **ITALY**

1. Italian assistance is availablefor specific projects and is tied to the financing of Italian goods and services. Financial assistance is in the form of soft loan carrying interest at 1.5% p.a. repayable over 20 years including a grace period of 10 years and export credit at OECD consensus interest rate repayable over a period ranging between 5 to 10 years. The two types of credits may be available in conjunction or independently as may be decided by the Italian authorities in each case. The terms for the soft credit when mixed with export credit are : repayment in 25 years at interest rate of 1% p.a. After approval of the Italian authorities financial convention is required to be concluded between the Government of India and Mediocredito Centrale for soft portion, whereas the bank credit agreement for the export credit portion is concluded between Indian project authority and concerned banks. Both the credits are denominated generally in US dollars and are repayable in US dollars. For the period 1991-93 the Italian Commitment is Lira 60 Billion (Rs. 130 crores) in Grants & Lira 180 Billion in Soft Loan.

Under the General Technical Co-operation Agreement concluded in February 1981 Italy has agreed to provide technical assistance grants on tied basis for experts services, training equipment and materials etc. MOU for a Hospital for the Tibetan Childrens's village, Dharamsala was signed on 22.11.1994 and that for Audio-Visual Production-cum-Training Centre, Calcutta is likely to be signed shortly.

X. **JAPAN**

Japan, as the founder member of the Aid India Consortium, has been extending financial assistance to India since 1958. The total quantum of Japanese assistance pledged to India since 1958 has aggregated to Yen 1663 billion. The assistance from Japan is in the form of bilateral loans, grant aid and technical assistance.

2. Japan is India's largest bilateral donor, a position it has maintained consistently for the last six years. The Japanese aid pledge of Yen 125.765 billion this year constitutes nearly 30% of aid commitments (both multilateral and bilateral)made at the India Development Forum meeting in June 1994 (both multilateral and bilateral) Japan, therefore, holds a pre-eminent position amongst international donors to India. The loan assistance of Yen 125.765 billion for 1994-95 represents an increase of 5% over the loan assistance of Yen 119.640 billion in 1993-94.

वर्ष 1994-95 में ओ.ई.सी.एफ. ऋण सहायता से वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है:

परियोजना का नाम

1. श्रीसैलम लेफ्ट बैंक पन-विद्युत स्टेशन परियोजना (चरण-II)
2. श्रीसैलम विद्युत प्रसारण प्रणाली परियोजना (चरण-II)
3. आसाम गैस विद्युत स्टेशन और प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना (चरण-III)
4. बकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन विस्तार परियोजना
5. पुरुलिया पम्प आधारित भण्डारण स्कीम परियोजना
6. कोथागुडम 4 ताप विद्युत स्टेशन परियोजना की कार्य अवधि मे विस्तार
7. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार-मार्गीय बनाने की परियोजना (चरण-II)
8. चार मार्गीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 परियोजना
9. मद्रास जल और मल व्ययन प्रणाली परियोजना
10. भोपाल परियोजना की ऊपरी तथा नीचे की झीलों का संरक्षण
11. औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण परियोजना
12. राजस्थान वन-रोपण परियोजना

कुल

3. उपर्युक्त ऋण सहायता के अतिरिक्त, जापान सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 1994.999 मिलियन येन की अनुदान सहायता भी प्रदान की थी। इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत लाभान्वित संस्थाओं में बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय शामिल है।

अनुदान मे खाद्य-उत्पादन तथा गोल-पिण्डो, इस्पात मिश्र-धातु, मशीनें इत्यादि के आयात के लिए ऋण राहत अनुदान सहायता भी दी गई है वर्ष 1978-79 से भारत को जापान द्वारा दी गई अनुदान सहायता का कुल परिमाण 59.62 बिलियन येन की समग्र राशि का है। वर्ष 1994-95 के दौरान (नवम्बर 1994) तक) भारत को जापान द्वारा प्रदान की गई अनुदानों की सूची नीचे दी गई है:-

परियोजना

1. चिकित्सालयों में चिकित्सा उपस्कर में सुधार लाने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान (27.5.94)
2. खाद्य उत्पादन में वृद्धि (कि.आर. II)(21.10.1994)
3. ऋण राहत अनुदान सहायता (31.10.1993 से 31.03.1994 तक)

XI. अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि

1. अरब आर्थिक विकास कुवैत निधि से भारत को 1976 से आर्थिक सहायता मिल रही है। निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अब तक निधि से कुल 92.300 मिलियन कुवैती दीनार के कुल मूल्य के आठ ऋण प्राप्त हुए है :

(क) कालीनदी पन-बिजली परियोजना चरण-I
(ख) कोपिली पन-बिजली परियोजना
(ग) अनपारा तापीय बिजली परियोजना चरण-I
(घ) अनपारा तापीय विद्युत परियोजना (कोयला परिवहन) चरण-II
(ड.) थाल उर्वरक परियोजना
(च) दक्षिण तटीय परियोजना
(छ) कालीनदी तापीय विद्युत परियोजना चरण-II
(ज) झींगा उत्पादन हेतु केरल मछली पालन विकास परियोजना

जोड़

2. अब तक (क), (ग) (घ) और (ड.) ऋण का पूरी तरह से उपयोग हो चुका है और कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए 8.938 लाख कुवैती दीनार मात्र और दक्षिण बेसिन परियोजना के लिए केवल 11.615 मिलियन कुवैती दीनार की ऋण राशि निकाली गई है और ऋण खाते को बन्द कर दिया गया है ।

The list of projects financed with 1994-95 OECF loan assistance is given below:

	Name of the Projects	राशि करोड़ रुपए Amount in Million Yen	राशि मिलियन येन मे Amount in (Rs. Crores)
1.	Sri Sailam left Bank Hydro-Power Station Project (Stage II)	22,567	703.40
2.	Srisailam Power Transmission System Project (Stage II)	9,456	297.54
3.	Assam Gas Power Station and Transmission Line construction Project (Stage III)	15,821	493.13
4.	Bakreshwar Thermal Power Station Extension Project	8,659	269.89
5.	Purulia Pumped Storage Scheme Project	20,520	639.59
6.	Line Extension of Kothgudam 4 Thermal Power Station Project	5,092	158.71
7.	Four-Laning of National Highway No.5 Project (Stage II)	5,836	181.90
8.	Four-Laning of National Highway No.24 Project	4,827	150.45
9.	Madras Water and Sewage System Project	17,098	532.93
10.	Conservation of Upper & Lower Lakes & Bhopal Project	7,055	219.90
11.	Industrial Pollution Control Project	4,525	141.04
12.	Rajasthan Afforestation Project	4,219	131.50
	Total	**125,765**	**3919.98**

3. In addition to the above loan assistance, the Government of Japan also extended a Grant Aid of Yen 1994.999 million during the year 1994-95. Institute benefitted under this grant is Banaras Hindu University.

The Grant is also extended for increase of food production and Debt Relief Grant assistance for import of Rolls, Steel Alloy, machinery etc. The total quantum of grant Aid extended by Japan to India since 1978-79 has aggregated to Yen 59.62 billion. The list of grants extended by Japan to India during 1994-95 (upto November 94) is given below:

	Project	Amount in Million Yen
1.	Grant assistance to Banaras Hindu University for improvement of the Medical Equipment in the Hospitals (27.5.94)	1,058.000
2.	Increase of Food Production (KR-II) (21.10.94)	700.000
3.	Debt Relief Grant Aid (31.10.93 to 31.3.94)	236.999

XI. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

1. The Kuwait Fund for Arab Economic Development has been extending economic assistance to India since 1976. So far the Fund has extended eight credits for an aggregate value of KD 92.300 million for the following projects:

	(कुवैती दीनार दस लाख में KD million)
(a) Kalinadi Hydro-Electric project Stage-I	15.000
(b) Kopili Hydro-Electric project	9.400
(c) Anpara Thermal Power Project Stage-I	16.000
(d) Anpara Thermal Power Project (Coal Transportation) Stage-II	9.000
(e) Thal Fertilizer Project	14.300
(f) South Bassein Project	14.600
(g) Kalinadi Hydro Electric Project Stage-II	7.000
(h) Kerala Fisheries Development Project for Prawn Culture	7.000
Total	**92.300**

2. So far credits at (a), (c), (d) and (e) have been fully utilised and that for Kopili Hydro Electric Project has been drawn down to the extent of KD 8.938 million and for South Bassein Project to the extent of KD 11.615 million and the loan accounts closed.

3. उल्लिखित आठ ऋणों में से क्रम संख्या (क) से (च) तक के ऋणों पर ब्याज की दर 3.5% से और सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। (छ) और (ज) के ऋणों पर 4.5% की दर से ब्याज और सेवा प्रभार 0.5% प्रतिवर्ष लगेगा। पहले पांच ऋणों की वापसी अदायगी प्रारंभिक 5 वर्षों की छूट अवधि सहित 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। दक्षिण बेसिन परियोजना के ऋण की वापसी अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 4 वर्षों की छूट अवधि शामिल है। सं. (छ) और (ज) के ऋणों की वापसी अदायगी अवधि 20 वर्षों की है जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल है।

XII. नीदरलैंड

1. नीदरलैंड की सरकार ने अब तक औद्योगिक विकास निधियों से 12 मिलियन डच फ्लोरिन सहित कुल 2669.1 लाख फ्लोरिन डच के ऋण दिए हैं। डच ऋणों का वापसी अदायगी 30 वर्षों की है जिसमें 8 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इन ऋणों पर ब्याज की दर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये ऋण आयातों के वित्तपोषण एवं सहमत परियोजनाओं की स्थानीय लागतों को पूरा करने के लिए प्राप्त हुए हैं।

2. नीदरलैंड ने अब तक 1993 के लिए 104.40 मिलियन डच फ्लोरिन सहित कुल 1775.88 मिलियन डच फ्लोरिन के अनुदानों की वचनबद्धता की है। इसमें विश्व बैंक के माध्यम से सरणीकृत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के लिए 50 मिलियन डच फ्लोरिन की तकनीकी सहायता अनुदान राशि शामिल हैं। इस में वर्ष 1993 में भारतीय तेल निगम द्वारा आयात तेल की प्रतिपूर्ति के लिए आयात सहायता हेतु 50 मिलियन डच फलोरिन शामिल है। वर्ष 1994 के लिए नीदरलैण्ड नकद उच्चतम सीमा वितरण की वचनबद्धता 133 मिलियन डच फ्लोरिन है। डच. अनुदान स्थानीय लागत पर सहमत परियोजनाओं के साथ-साथ आयात वित्त पोषण के लिए उपलब्ध है।

3. वर्ष 1992 से द्विपक्षीय सहायता पूरी तरह से अनुदान के रूप में होगी। पूर्ववर्ती ऋण वचनबद्धताओं के विपरीत वितरण भी अनुदान में होगा।

XIII. नार्वे

1. नार्वे भारत को 1957 से ही सहायता प्रदान कर रहा है। 1972 से नार्वे की सभी सहायता अनुदानों के रूप में मिलती रही है। यह सहायता तकनीकी सेवाओं की लागत के वित्तपोषण के लिए और सामाजिक क्षेत्रों में लागत वाली स्थानीय परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। तथापि 1991 में नार्वेजियाई सहायता में भारत का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। नार्वे की सरकार अब सामाजिक क्षेत्रों के बजाय उत्पादक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है।

2. वर्ष 1994 के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन का संशोधित अनुमान 2042 करोड़ रुपए का और 1995 के दौरान संभावित आवंटन का बजट अनुमान 14.31 करोड़ रुपए हैं।

XIV. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि (ओपेक)

1. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना तेल निर्यात देशों के संगठन के सदस्य देशों ने इस उद्देश्य से की गई थी कि विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यों में आर्थिक सहायता करके ओपेक सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत किया जा सके।

2. निधि ने कुल मिलाकर 200.800 मिलियन अमरीकी डालर के तेरह ऋण दिए हैं। पहला ऋण भुगतान शेष के समर्थन के लिए था और बाकी बारह ऋण विभिन्न विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए थे।

3. शेष नौ ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए है :

(1) बम्बई हाई अपतट विकास परियोजना
(2) कोरबा तापीय विद्युत परियोजना
(3) रामागुन्डम तापीय विद्युत परियोजना, चरण-II
(4) दूसरी बम्बई हाई अपतट परियोजना
(5) दूसरी रामागुन्डम तापीय विद्युत परियोजना
(6) रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना
(7) उर्वरक (पुनः स्थापना परियोजना)
(8) नाबार्ड को ऋण श्रृंखला
(9) रेवा अस्पताल परियोजना, म. प्र.
(10) बस्ती जिला अस्पताल परियोजना
(11) रायचूर जिला अस्पताल परियोजना
(12) केरल रेनफेड फार्मिंग विकास परियोजना
जोड़

3. Out of the eight loans mentioned above, credits at (a) to (f) carry interest at the rate of 3.5% and a service charge of 0.5% per annum. The credits at (g) and (h) carry interest at the rate of 4.5% and a service charge of 0.5% per annum. The first five loans are repayable in 25 years including an initial grace period of 5 years. The loan for South Bassein Project is repayable over a period of 20 years including 4 years grace period. The credits at (g) and (h) are for 20 years including 5 years grace period.

XII. NETHERLANDS

1. The Government of Netherlands have so far extended credits totalling Dfl.2669.11 million including Dfl.12 million from Industrial Development Funds. The Dutch credits are repayable in 30 years including 8 years grace period and carry an interest rate of 2.5 per cent per annum. The credits were available for financing imports as well as for meeting local costs of agreed projects.

2. The grants committed so far by the Netherlands, total Dfl. 1775.88 million including Dfl.104.40 million for 1993. This includes Dfl. 50 million for import support for reimbursement of oil imports by Indian Oil Corporation in 1993. The Netherlands cash ceiling disbursement commitment for 1994 is Dfl 133 million. The Dutch grants are available for financing imports as well as local cost agreed projects.

3. From 1992 onwards, bilateral assistance is completely in the form of grants. Disbursements against earlier loan commitments will also be in grant.

XIII. NORWAY

1. Norway has been extending assistance to India since 1952. All Norwegian assistance since 1972 has been in the form of grants. This assistance is available for financing the cost of technical services and for local cost projects in the social sectors. However in 1991 the Norwegian India's share is being gradually reduced. The Norwegian Government are now focusing on the productive and commercial sectors instead of the social sectors.

2. The allocation under the country programme during 1994 was Rs. 2042 crore and the likely allocation during 1995 is Rs.14.31 crore.

XIV. OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

1. The OPEC Fund for International Development was established by OPEC member countries with the object of reinforcing financial co-operation between OPEC member countries and other developing countries by providing financial support to the developing countries in their economic and social developmental efforts.

2. The Fund has so far extended thirteen loans for a total sum of US $ 208.800 million. While the first loan was for balance of payments support the subsequent twelve loans are for various developmental projects.

3. The remaining Twelve loans are for the following projects:

	(मिलियन अमरीकी डालर में US $ in millions)
(1) Bombay High Off-Shore Development Project	14.000
(2) Korba Thermal Power Project	20.000
(3) Ramagundam Thermal Power Project Stage-II	20.000
(4) Second Bombay High Off Shore Project	30.000
(5) Second Ramagundam Thermal Power Project	30.000
(6) Railway Modernisation Project	22.500
(7) Fertilizer (Rehabilitation Projects)	7.000
(8) Line of Credit to NABARD	8.000
(9) Rewa Hospital Project M.P.	10.000
(10) Basti District Hospital Project	6.500
(11) Raichur District Hospital Project	9.000
(12) Kerala Rainfed Farming Dev. Project	10.000
Total	**187.000**

4. क्रम संख्या (1) से (5) में दिए गए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन केवल 0.75 प्रतिवर्ष का सेवा प्रभार लगेगा तथा इसकी वापसी अदायगी आरम्भिक 5 वर्षों की छूट सहित 20 वर्ष में की जाएगी। क्रम संख्या (6) में दिए गए रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए दिए गए ऋण की वापसी अदायगी 4 वर्षों की अवधि सहित 14 वर्षों में की जाएगी इसपर 3 प्रतिशत ब्याज दर तथा एक प्रतिशत सेवा प्रभार लगेगा। क्रम संख्या (7) से (10) के ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर तथा एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 17 वर्ष में होगी। क्रम संख्या (11) और (12) के ऋण पर 2.25 प्रतिशत की ब्याज दर तथा एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 17 वर्ष में होगी।

XV. सऊदी विकास निधि

1. विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई है जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है, जिसने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 769.200 मिलियन सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए है :-

क. श्रीसेलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना
ख. कोरापुट रायगढ़ रेलवे परियोजना
ग. रामागुण्डम तापीय विद्युत परियोजना
घ. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास परियोजना
जोड़

2. जबकि पहले और चौथे ऋण पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा दूसरे और तीसरे ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा । इन सभी ऋणों का आरम्भिक 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में भुगतान किया जाना है ।

XVI. स्पेन

स्पेनिश सहायता सरकार से सरकार को उदार ऋण शर्तों पर है। 14.6.89 को एक उदार ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत सरकार को दि एस्टिलेरोस एस्पनोलेस, स्पेन से भारतीय नौवहन निगम को तीन फासफोरिक एसिड जहाजों के एक भाग के वित्तपोषण (52.2 प्रतिशत) के लिए 46 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है। इस ऋण की वापसी अदायगी 9 वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित 20 वर्षों में की जाएगी जिसपर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा। शेष 47.8 प्रतिशत राशि निर्यात ऋण के रूप में है। स्पेन सरकार के साथ किया गया यह सर्वप्रथम उदार ऋण करार है।

XVII. स्वीडन

स्वीडन भारत सहायता संघ का 1969 से सदस्य रहा है। फिर भी, स्वीडन की सहायता मुख्यतः सामाजिक और ऊर्जा के क्षेत्र में वस्तुओं के आयात तथा तकनीकी सहयोग के लिए 1964 से ही उपलब्ध है। स्वीडिश सहायता शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलती है। दोनों देशों के बीच सामान्यतः दो-वर्षीय, प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए जाते है। स्वीडिश वित्त वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए 830 मिलियन स्वीडिश क्रोनर आवंटित किए गए है।

2. स्वीडिश सहायता स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले आसान शर्त वाले ऋण के जरिए भी सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता 1984-85 से देश के बाहर के कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रही है। ऐसे ऋणों में अनुदान घटक 35 प्रतिशत होता है। अनेक अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी धन दिया जाता है।

3. 1994-95 के स्वीडिस सहायता बजट में काफी कमी कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप सभी प्राप्तकर्ता देशों की सहायता में कटौती की गई है। देशीय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान भारत को प्रदान की गई सहायता स्तर को कम करके 58 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वीडिश सरकार ने चंद्रपुर पाडधे एच.वी.डी.सी. ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 525 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के जी.आई.टी.एस. ऋण देने का वचन दिया है जिसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

XVIII. स्विटजरलैण्ड

1. स्विटजरलैण्ड सरकार भारत को 1964 से सहायता प्रदान करती रही है जिनमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए 1973 तक उपलब्ध कराए गए 300 मिलियन स्विस फ्रांक के विकास ऋण और तीन अंतरण ऋण शामिल है।

2. वर्तमान में, स्विस सहायता पूंजीगत वस्तुओं के आयात और स्थानीय लागत/तकनीकी सहायता दोनों के लिए उपलब्ध है, जिसमें से पूर्ववर्ती को मिश्रित ऋण के आधार और परवर्ती को अनुदान, जो स्विस विकास निगम (एस. डी. सी) के माध्यम से सरणीकृत किए जाते है, के माध्यम से निधि प्रदान की जा रही है।

4. Credits at Sl. Nos. (1) to (5) carry no interest but only a service charge of 0.75 per cent per annum & are repayable over a period of 20 years including an initial grace period of 5 years. The credits at (6) for the Railway Modernisation Project, is repayable in 14 years including a grace period of 4 years with interest rate of 3% and service charge of 1%. The credits at Sl. No. (7) to (10) are for 17 years including a grace period of 5 years with interest at the rate of 2% and service charge at 1% per annum. The credits at Sl. No. 11 & 12 are for 17 years including a grace period of 5 years with interest at the rate of 2.25% and service charge of 1%.

XV. **SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT**

1. Saudi Fund for Development, an autonomous legal entity, was set up with the object of providing loans for developmental projects in developing countries; and has so far extended four credits for a total value of S.Riyals 769.200 million for the following projects:

(सऊदी रियाल मिलियन में S.R. in million)

(a) Srisailam Nagarjunasagar Power Project.	353.000
(b) Koraput-Rayagada Railway Project.	103.200
(c) Ramagundam Thermal Power Project.	172.000
(d) Jawaharlal Nehru Port Trust Project.	141.000
Total	**769.200**

2. While the first and fourth loan carry an interest rate of 4 per cent per annum, the second and third loan carry 3 per cent per annum. All these loans are repayable over a period of 20 years including an initial grace period of 5 years.

XVI. **SPAIN**

Spanish assistance is in the form of Government to Government soft loan. A soft loan agreement was signed on 14.6.89 providing US $46 million to Government of India for part financing (52.2%) acquisition of 3 phosphoric acid carriers by Shipping Corporation of India from M/s Astileroes Espanoles, Spain. The loan is repayable in 20 years with moratorium of 9 years at an interest rate of 2% p.a. The balance 47.8% is in the form of export credit. This is the first soft loan agreement signed with the Government of Spain.

XVII. **SWEDEN**

Sweden has been a member of the Aid India Consortium since 1969. However, Swedish assistance has been available since 1964 for the social sectors and energy sector, commodity imports and technical assistance. Swedish assistance is in the form of a 100% grant. A two-year protocol is normally signed between the two countries. SEK 830 million was allocated for the Swedish financial year 1992-93 and 1993-94.

2. Swedish assistance is also extended through soft loans administered by BITS (Swedish Agency for International Technical and Economic Cooperation). This assistance has been available outside the country programme since 1984-85. The grant element in such a loan is of the order of 35%. Many international training programmes are also funded through BITS.

3. Sweden's economy is currently facing a crisis. The Swedish aid budget for 1994-95 has been considerably reduced. This has resulted in a cut in aid to all recipient countries. The level of grant extended to India during 1994-95 has been reduced to SEK 58 million under the country programme.

In addition, the Swedish Government pledged a GITS Loan of SEK 525 million for the Chandrapur Padghe HVDC Transmission project which is to be implemented by Maharashtra State Electricity Board.

XVIII. **SWITZERLAND**

1. The Government of Switzerland has been providing assistance to India from 1964, including three transfer credits and a development loan totalling S.Fr. 300 million for the import of capital goods made available upto 1973.

2. Currently, Swiss aid is available both for capital goods imports and for local costs/technical assistance. The former being funded through a mixed financing line and the latter through grants which are channelised through the Swiss Development Corporation (SDC).

3. 100 मिलियन स्विक फ्रांक के लिए पूर्ववर्ती मिश्रित ऋण आधार (1983 में हस्ताक्षरित करार) में स्विस सरकार द्वारा दिया गया 40 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण और स्विस बैंकों के संघ द्वारा दिया गया 60 प्रतिशत निर्यात ऋण शामिल है और इसने संविदा मूल्य के 85 प्रतिशत की व्यवस्था की।

4. मिश्रित वित्त पोषण के नए आधार (24-6-1991 को हस्ताक्षरित करार) ने स्विस सरकार के 40 प्रतिशत अंशदान को अनुदान में परिवर्तित कर दिया और इसमें संविदा मूल्य के शत-प्रतिशत को शामिल कर लिया। सितम्बर, 1991 में 1983 के ऋण आधार को भी पूर्ण पूर्ववर्ती तारीख से सरकारी ऋण को अनुदान में संपातरित करने के समान ही संशोधित किया गया और 1 जनवरी, 1991 से इसकी कवरेज शत प्रतिशत की थी।

5. उड़ीसा में पशुपालन विकास परियोजना के चरण-II के लिए तथा भारत के पशुपालन क्षेत्रों के विकास की नीति के अनुपालन के लिए 1994-95 में (दिसम्बर, 1994 तक) स्विश विकास निगम के साथ कुल 4.33 करोड़ रुपए की स्थानीय लागत के करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

XIX. यूनाइटेड किंगडम

1. यूनाइटेड किंगडम द्वारा मार्च, 1994 के अंत तक 2717.20 मिलियन पौण्ड की कुल सहायता दी गई जो 738.8 मिलियन पौण्ड ऋण के रुप में और 1978.40 मिलियन पौण्ड अनुदान के रुप में है । यू. के. से पूजी सहायता यू. के. मूल के आयातों तक सीमित है और यह यू. के. सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट परियोजनाओं/ आयातों के लिए उपलब्ध है । यू. के. गरीबी हटाने की परियोजनाओं और आयात संबद्ध परियोजनाओं की स्थानीय लागत का वित्तपोषण करने के लिए स्थानीय लागत अनुदान भी प्रदान करता है ।

2. यू. के. सरकार तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है जो मुख्यतः कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ सेवाओं, प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों और अनुसंधान एवं विकास के लिए कम मूल्य के उपस्करों/सामग्रियों के रूप में होती है ।

3. वर्ष 1993-94 में पर्यावरण, वानिकी, रेलवे, विद्युत और शहरी विकास आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए युनाइटेड किंगडम के साथ 151.228 मिलियन पौण्ड मूल्य के अनुदान करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह राशि वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित विभिन्न तकनीकी सहयोग परियोजनाओं के अतिरिक्त है।

XX. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। मार्च 1994 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान सहायता की राशि 11419.000 मिलियन डालर (रद्द करने के बाद) है। जो निम्न प्रकार है:

डॉलर ऋण
डॉलर अनुदान
रुपया ऋण
पी.एल.-480 अनुदान
जोड़

उपर्युक्त कुल सहायता में यू.एस. राजकोषीय वर्ष 1994 के लिए प्राधिकृत 34.934 मिलियन पौंड की यू.एस.ए.आई.डी. की विकास सहायता भी शामिल है जो 30 सितम्बर, 1994 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें निम्नलिखित 10 (दस) करार शामिल हैं अर्थात्:

3. The earlier mixed financing line (agreement signed in 1983) for S.Fr. 100 million consisted of a 40% interest-free loan given by the Swiss Government and 60% export credit given by a consortium of Swiss banks and provided for 85% coverage of the contract value.

4. The new line of mixed financing (agreement signed on 24.6.91) changed the Swiss government's contribution of 40%, into Grant and extended coverage of contract value to 100%. In September 1991, the 1983 credit line was also amended along the same lines with conversion of government loan into a grant with complete retrospective effect and 100% coverage with effect from Ist January, 1991.

5. Local cost agreements totalling Rs.4.33 crore were signed in 1994-95 (till December 1994) for Phase II of the Animal Husbandry Development Project in Orissa and strategy & policy for developing the animal husbandry sectors India with Swiss Development Cooperation.

XIX. **UNITED KINGDOM**

1. The total assistance extended by UK upto end of March 1994 amounted to £ 2717.20 million, made up of loans of £ 738.8 million and grants of £1978.40 million. Capital assistance from UK is tied to imports of UK origin and is available for specific projects/imports approved by the UK Government. UK also provides local cost grants for poverty alleviation projects and for financing the local costs of import associated projects.

2. The UK Government provides technical assistance, primarily in the form of expert services, training, fellowships and small value equipment/material for research and development under the Colombo Plan.

3. In 1993-94, grant agreements worth £151.228 million were signed with UK Government for various sectors including environment & forest, railway, power and urban development etc. The amount excludes various technical cooperation projects signed during the year.

XX. **UNITED STATES OF AMERICA**

The United States of America have been extending economic assistance to India since 1951. The assistance extended by the United States of America upto the end of March, 1994 amounted to $11419.000 million (net of cancellation). This is made of:—

	(दस लाख डालर में *In Million $*)
Dollar Loans	4013.000
Dollar Grants	1708.000
Rupee Loans	502.000
PL-480 Grants	5196.000
Total	**11419.000**

The total assistance referred to above includes USAID's development assistance of $34.934 million authorised for US fiscal year 1994 which ended on 30th September 1994, and covers the following 13(thirteen) agreements, namely:

संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 1994 (अक्तूबर, 93 से सितम्बर, 94) U.S. FY 1994 (Oct.93-Sept.94)

क्रम संख्या Sl. No.	परियोजना का नाम	Name of the Project	ऋण/अनुदान Loan/Grant	(राशि दस लाख अमरीकी डालर) Amount of (US $ million)	करार हस्ताक्षरित होने की तारीख Date of Agreement signed
1.	वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसन्धान की वृद्धि के लिए कार्यक्रम	Programme for Accleration of Commercial Energy Research	अनुदान Grant	2.209	4.2.94
2.	पौध प्रजनन संसाधन	Plant Genetic Resources	अनुदान Grant	2.500	1.2.94
3.	तकनीकी सहायता और सहायता	Technical Assistance & Support	अनुदान Grant	1.000	1.2.94
4.	परिवार नियोजन सेवाओ में परिवर्तन	Innovations in Family Planning Services	अनुदान Grant	12.250	30.6.94
5	तकनीकी सहायता और समर्थन	Technical Assistance and Support	अनुदान Grant	1.300	31.8.94
6.	ऊर्जा विनिर्माण परामर्श एवम् प्रशिक्षण	Energy Mgt. consultation & Trg.	अनुदान Grant	2.384	31.8.94
7.	कृषि वाणिज्यीकरण एवम् उद्यम	Agricultural Commercialisation & Enterprise	अनुदान Grant	1.000	31.8.94
8.	गृहआवास वित्त व्यवस्था विस्तार	Housing Finance System Expansion	अनुदान Grant	1.200	31.8.94
9.	वित्तीय संस्थाओं का सुधार और विकास	Financial Institutions Reform and Expansion	अनुदान Grant	1.300	31.8.94
10.	प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र	Centre for Technology Development	अनुदान Grant	1.300	31.7.94
11.	पर्यावरणीय सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में व्यापार	Trade in Environmental Services and Technologies	अनुदान Grant	1.500	31.8.94
12.	परिवार नियोजन सेवाओं का प्रवर्त्तन	Innovations in Family Planning Services	अनुदान Grant	6.991	27.9.94
13.	एड्स निवारण एवं नियन्त्रण	AIDS Prevention & Control	अनुदान Grant	(-) 1.000	30.6.94
	कुल अनुदान	**Total Grant**		**34.934**	

संयुक्त राज्य अमरीका ने भी 31 अगस्त, 1981 को निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों की सहायता देने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा धारित रुपयों में से 20 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

अक्तूबर, 1993 में यू.एस.एड. ने पी.एल. 480 शीर्ष III सहायता के अंतर्गत लगभग 23 मिलियन डॉलर मूल्य की 37,689 मी. टन के लगभग सोयाबीन तेल का दान दिया।

"हरित गृह गैस निरोधी परियोजना" नामक शीर्षक से एक नई परियोजना समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे जिस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता की वचनबद्धता 7 वर्षों से अधिक के लिए 19 मिलियन अमेरीकी डालर है। परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादनशीलता तथा चयनित उपयोगिताओं में जीव-सम्पदा ईंधनों को परिवर्तित किए जाने में व्यस्त रहे जाने द्वारा हरित गृह से संबंधित गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को कम करना है।

The USA has also extended on August 31, 1981 a grant of rupee equivalent of $20 million out of the US held rupees for assistance to private voluntary health organisations.

In October 1993, USAID donated approximately 37,689 MTs of Soyabean Oil valued at about $23 million under PL 480 Title III assistance.

A new project agreement titled "Green House Gas Prevention Project" shall be signed shortly for which USAID's commitment is US$ 19 million for over a period of 7 years. The project objective is to reduce the volume of emissions of Green House Gases by increasing energy productivity and engaging switching to biomass fuels in selected utilitie

XXI. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ (पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर.)

भारत के आर्थिक विकास के लिए रूसी सहायता 1955 में आरंभ हुई थी। दिसम्बर, 1991 के अंत तक, पूर्व यू.एस.एस.आर. की 9655.00 मिलियन रूबल की कुल राशि की वचनबद्धता थी जिसमें ऊर्जा, मूल और भारी उद्योग में सरकारी परियोजनाओं तथा अन्य विकास परियोजनाओं में सहायता के लिए 15 ऋण शामिल हैं।

दिसम्बर, 1991 में यू.एस.एस.आर. के भंग होने के बाद, असंवितरित यू.एस.एस.आर. के ऋणों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 1.4.1992 से 31.3.1993 तक कुल 1073 मिलियन रूबल संवितरित किए गए। ये संवितरण, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के भंग होने से पहले सम्पादित संविदाओं पर आधारित ऋण श्रृंखलाओं की पूर्ति के संबंध में थे। 5 मिलियन रूबल का थोड़ा संवितरण वित्तीय वर्ष 1993-94 में किया गया जिसमें से 0.05 मिलियन रूबल 30 सितम्बर, 1993 तक निकाले जा चुके हैं। 1994-95 में संवितरण होने की आशा है।

XXI. UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS (Erstwhile USSR)

Soviet assistance for India's economic development commenced in 1955. Upto the end of December, 1991, the total value of assistance committed by the former USSR amounted to Roubles 9655.00 million involving 15 credits for assisting public sector projects in the power, basic and heavy industries and other development projects.

With the dissolution of the USSR in December, 1991, the status of undisbursed USSR credits was not clear. From 1.4.1992 to 31.3.1993, a total of Roubles 10.73 million was disbursed. These disbursements were in respect of pipeline supplies based on contracts concluded before the dissolution of the USSR. A token disbursement of Roubles 5 million was provided in the financial year 1993-94, of which Roubles 0.05 million has been drawn upto 30th September, 1993. The disbursement for the year 1994-95 is expected.

XXII. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

1. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋण रियायती न होते हुए भी वाणिज्यिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक उदार शर्तों पर उपलब्ध है। इस समय भारत के लिए यह वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। ब्याज की दर परिवर्तनीय है और इसमें बैंक की उधार निधि की अपनी लागत के अनुसार छमाही संशोधन किया जाता है। ब्याज की दर लगभग 7 प्रतिशत है। ऋण के असंवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत वचनबद्धता शुल्क लगता है। फिर भी, विश्व बैंक ऋणों की उपयुक्त समय पर वापसी के लिए 0.5% की छूट है।

2. 31.3.1993 तक ऋण के रूप में दी जाने वाली सहायता, जिनके लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, का कुल मूल्य लगभग 19 बिलियन अमरीकी डालर है। ये वचनबद्धताएं कृषि, सिंचाई, विद्युत, तेल और गैस, रेल, शहरी विकास और जल पूर्ति, परिवहन, उवर्रक, उद्योग और दूर संचार आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में है।

3. वर्ष 1993-94 (31 मार्च, 1994 तक) में निम्नलिखित नई परियोजनाओं के लिए 420 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऋण प्रदायी करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

XXII. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)

1. IBRD loans, though non-concessional, are available at relatively more favourable terms than commercial sources. The repayment period is at present 20 years, inclusive of a 5 year grace period. The interest rate is variable and revised semiannually in accordance with the Bank's own cost of borrowing funds. The current rate of interest is around 7%. The commitment charge on undisbursed balance is at present 0.75%. A rebate of 0.5% is however, permitted for timely repayment of World Banks loans.

2. The total value of assistance extended by way of loans upto 31.12.1994 for which agreements were signed is around US.$ 19 billion. The commitments were against projects in various sectors like Agriculture, Irrigation, Power, Oil and Gas, Railways, Urban Development and Water supply, Transport, Fertilizer, Industry, Telecommunication etc.

3. During the year 1993-94 (upto 31st March, 1994) agreements providing loans to the following new projects valuing US$ 420 million have been signed.

क्रम संख्या Sl. No. परियोजना का नाम	Name of the Project	सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर) Amount of Assistance (US $ million)	समझौते की तारीख Date of Agreement
1. तकनीकी सहायता (पी.पी.डी.) परियोजना	Technical Assistance (PPD) Project	20.00	7.7.93
2. एन.टी.पी.सी. विद्युत उत्पादन (गैर-सरकारी)	NTPC Power Generation (Non-Government)	400.00	9.12.93
		420.00	

4. वर्ष 1994-95 के दौरान (31 दिसम्बर 1994 तक) एक समझौता जिस में निम्न लिखित परियोजनाओं को ऋण प्रदान किए जाने के लिए 483 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के ऋण शामिल है पर हस्ताक्षर किए गए है:—

4. During the year 1994-95 (upto 31st December 94) agreements providing loans to the following new projects with a loan of value US $ 483 million hve been signed:

1. महाराष्ट्र संकट भूचाल पुनर्वास	Maharashtra Emergency Earthquake Rehabilitation	246.00	6.4.94
2. परिवहन और व्यापार परिभार परियोजना	Transport & Trade Logistic Project	94.0	29.8.94
3. औद्योगिक प्रदूषण निवारण	Industrial Pollution Prevention	143.00	21.11.94
		483.00	

5. इस के अतिरिक्त, (राज्य विद्युत क्षेत्र पुनर्निर्मित कार्यक्रम के लिए)214 मिलियन येन के जापानी अनुदान को प्राप्त करने के लिए विश्व

5. In addition one grant agreement has been signed on 2nd December 1994 between Government of India and World Bank for

बैंक और भारत सरकार के बीच 2 दिसम्बर 1994 को एक अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. जनवरी - मार्च 1995 के दौरान वित्तीय क्षेत्र विकास ऋण के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

XXIII. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व के निर्धनतम देशों को रियायती दीर्घावधिक ऋण देने के प्रयोजन से विश्व बैंक के एक सहायक संस्थान के रूप में सन 1960 में हुई थी ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता भारत को जून, 1961 में मिलनी शुरू हुई थी और यह विदेशी सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक रही है । 31 मार्च, 1994 को समाप्त अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत सरकार को लगभग 21 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रदान किए हैं। इसमें औद्योगिक आयातों के लिए परियोजना-भिन्न और विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में सहायता शामिल है । प्रमुख क्षेत्र, जिनके लिए सहायता दी जाती है, वे ये हैं :- सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास, कृषि, परिवहन, उर्वरक, रेलवे, दूर-संचार, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषाहार, शहरी विकास और जलपूर्ति और कृषि अनुसंधान एवं विकास निगम परियोजनाएं ।

3. वर्ष 1993-94 (31.3.94 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने निम्नलिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 692.10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋण दिए हैं :

availing a Japanese Grant of Yen 214 million for State Power Sector Restructuring Programme.

6. Agreement for US $ 700 million for Financial Sector Development Loan is likely to be signed during January-March, 1995

XXIII. **INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)**

1. The International Development Association was established in 1960, as an affiliate of the World Bank to make concessional long term loans.

2. IDA assistance to India began in June 1961 and has been an important component of the external asistance programme. For the period ending 31st March 1994, IDA have extended credits to the Government of India for a total value around of US $ 21 billion. This includes assistance in the form of non-project credits for industrial imports and credits for various projects. The major sectors for which assistance is provided are:- Irrigation and Command Area Development, Agriculture, Transport, Fertilizers, Railways, Telecommunication, Population, Health and Nutrition, Urban Development and Water Supply and ARDC projects.

3. During the year 1993-94 (upto 31.3.94) IDA have extended credits amounting to US $ 692.10 million for the following projects/programmes:

क्रम संख्या Sl. No. परियोजना का नाम	Name of the Project	सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर) Amount of Assistance (US $ million)	करार की तारीख Date of Agreement
1. कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	Karnataka Rural Water Supply and Environmental Sanitation Project	92.00	4.6.93
2. उत्तर प्रदेश सोडीय भूमि-पुनर्दावा परियोजना	U.P. Sodic Lands Reclamation Projects	54.70	24.6.93
3. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना	U.P. Basic Education Projects	165.00	7.7.93
4. रबड़ परियोजना	Rubber Project	92.00	12.8.93
5. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण परियोजना	National Leprosy Elimination Project	85.00	4.2.94
6. आई.पी.पी.-VIII शहरी गंदी बस्ती	IPP-VIII-Urban Slums	79.00	4.2.94
7. आन्ध्र प्रदेश वन रोपण	A.P. Forestry	77.40	9.3.94
8. वन अनुसंधान शिक्षा एवम् विस्तार परियोजना	Forest Research Educatin & Extension Project	47.00	9.3.94
जोड़	**Total**	**692.10**	

4. इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने जल संसाधन मंत्रालय को 365,000 अमेरिकी डॉलर की संस्थागत विकास निधि अनुदान सहायता राशि प्रदान की है। 18.5.1993 को इस अनुदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अनुदान का उपयोग किया जा रहा है।

5. 1994-95 के दौरान (दिसम्बर 1994 तक) आई.डी.ए. ने निम्न लिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 885.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का ऋण प्रदान किया है।

4. In addition to this, the World Bank has provided Institutional Development Fund Grant assistance to the Ministry of Water Resources amounting to US $ 365,000. Agreement for this grant was signed on 18.5.93. The grant is under utilisation.

5. During the 1994-95 (upto December 1994) IDA have extended credits amounting to US $ 885.8 for the following Project/Programmes :

1. हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	1.Haryana Water Resources Consolidation Project	258.00	6.4.94
2. मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना	2.Catract Blindness control Project	117.80	19.5.94
3. जनसंख्या	3.Population IX	88.60	24.6.94
4. औद्योगिक प्रदूषण निवारण	4.Industrial pollution Prevention	25.00	21.1194
5. आन्ध्र प्रदेश प्रथम रेफरल स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	5.A.P. First Referral Health System Project	133.00	22.12.94
6. प्रथम जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	6.Ist District Primay Education Project	263.40	22.12.94
जोड़	**Total**	**885.80**	

XXIV. एशियाई विकास बैंक

1. एशियाई विकास बैंक एक प्रमुख क्षेत्रीय संस्था है और भारत को इसमें प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अभी तक, भारत का एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में सभी सदस्य देशों में से जापान, स.रा. अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सर्वाधिक अभिदान रहा है।

2. वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने पर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋण नहीं लिया था। परन्तु, उन स्रोतों में, जिन से हम रियायती विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विस्तार करने की विविधता लाने के बारे में विचार किया गया और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। 31.12.1994 तक जिन करारों पर एशियाई विकास बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए उनका कुल मूल्य 4454 मिलियन अमरीकी डालर था। इसमें वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम ऋण के लिए द्वितीय ट्रांस के रूप में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्मुक्त किया जाना शामिल है। क्षेत्र जिन के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए

XXIV. **ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)**

1. The Asian Development Bank (ADB) is a major regional institution and India needs to play a leading role in it. To this end, India's subscription to the ADB's capital stock is the fourth largest of all member countries after Japan, the USA and the People's Republic of China.

2. Ever since its inception in 1966, India had voluntarily refrained from borrowing from the ADB. However, it was considered desirable to diversify the sources from which we receive concessional external assistance, and India started borrowing from ADB from the year 1986. The total value of loans upto 30.12.1994 for which agreements were signed with ADB amounted to US $ 4454 million. This includes release of US $ 150 million being the second tranche for the Financial Sector Programme Loans The sectors for which the loans have been extended by ADB are for assisting developmental projects in the Power,

गए हैं; वे विद्युत, पत्तन, रेलवे, सड़कों दूर संचार की विकासोन्मुख परियोजनाओं के सहायतार्थ हैं। भारत के लिए स्वीकृत समझौते के दौरान म्निलिखित को :-

1. गैस प्रणाली पुनर्व्यवस्था
2.. औद्योगिक दक्षता
3. सड़क मार्ग-III
4. बंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेस

जोड़

XXV. **न्यास निधि**

1. न्यास निधि जिसका प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन द्वारा किया जाता है, उसने भारत को अगस्त, 1980 में 529.009 मिलियन एस.डी.आर. के बराबर अमरीकी डालर (537.51 करोड़ रुपए) का ऋण भुगतान शेष सहायता की व्यवस्था के लिए दिया है । यह ऋण 10 छमाही किस्तों में परिशोध्य है जो भुगतान की तारीख के बाद छठे वर्ष के पहले छः महीनों की समाप्ति होते हुए शुरू हो जायेगी और भुगतान की तारीख के 10 वर्ष के अन्त तक उन्हें पूरा कर दिया जाएगा ।

2. बकाया ऋण पर एक प्रतिशत की आधी प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को छमाही भुगतान किया जाता है।

XXVI. 1. **आर्थिक समुदाय**

आर्थिक समुदाय 1976 से भारत को आर्थिक सहायता देता आ रहा है। सहायता पूरी तरह से अनुदान के रूप में है तथा रुपए और निर्धारित परियोजनाओं की विदेशी विनिमय लागत को वित्तपोषित करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। आर्थिक समुदाय से प्राप्त सहायता का कुल मूल्य, शिक्षा क्षेत्र के लिए 150 मिलियन ई सी यू सहित, 1453.50 मिलियन ई सी यू है। इस में से विकास कार्यक्रमों के लिए संघटकों की राशि 913.50 मिलियन ई सी यू है।

आर्थिक समुदाय नेआपरेशन फ्लड III के लिए खाद्य सहायता और व्यापार संवर्धन, ऊर्जा सहयोग, औद्योगिक सहयोग एव गैर सरकारी संगठन को सहायता आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता दी है।आपरेशन फ्लड III के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बटर ऑयल और मखनिया दुग्ध चूर्ण के रूप में खाद्य सहायता दी जाती है।

2. **जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि**

चालू वर्ष 1994-95 के दौरान 7.70 करोड़ रुपए की वस्तु/नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। 1995-96 के दौरान 12.20 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता की आशा है। यह अनुदान बिहार और राजस्थान की संबंधी जनसंख्या तथा प्रौढ़ शिक्षा अध्ययन, वृक्षारोपण और वस्तु सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते है।

3. **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जो तकनीकी सहायता मिलती है, यह उपस्करों, विशेषज्ञों की सेवाओं, तथा विदेशों में भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के रूप में मिलती है।

चालू वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 23.39 करोड़ रुपए वस्तु/सामग्री सहायता प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 8.52 करोड़ रुपए मूल्य की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

4. **संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि**

अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास संगठन (आई.सी.डी.एस.) के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण डाक्टरों के प्रशिक्षण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए नकद अनुदान सहायता प्राप्त है। इन योजनाओं के लिए नकद सहायता और ओ.आर.आई. कार्यक्रमों के लिए तथा विश्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम की सहायता के लिए नकद सहायता की कुल राशि का अनुमान 1994-95 के लिए लगभग 28.00 करोड़ रुपए और 1995-96 के लिए 39.15 करोड़ रुपए है।

वर्ष 1994-95 के दौरान 30.12 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता प्राप्त होने की आशा है, जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान 35.20 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

5. **विश्व स्वास्थ्य संगठन**

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 0.50 करोड़ रुपए तक की नकद/वस्तु सहायता प्राप्त होने की आशा है और 1995-96 के दौरान ऐसी मिली कोई सहायता की व्यवस्थानही की गई है।

Petroleum, Ports, Railways, Roads, Telecommunications and Finance sectors. The agreements approved for India during 1994-95 (upto 31.12.1994) were :—

(मिलियन अमेरिकी डालर) (In million US $)

1. Gas System Rehabilitation	260.00	हस्ताक्षरित Signed
2. Industrial Efficiency	150.00	-तदैव do-
3. Roads-III	250.00	परक्रामित Negotiated
4. Bombay-Vadodara Express	12.70	हस्ताक्षरित Signed
Total	**672.70**	

XXV. **TRUST FUND**

1. The Trust Fund, which is administered by the International Monetary Fund, Washington, had extended a loan in US Dollars equivalent to SDR 529.009 million (Rs.537.51 crore) in August 1980 to provide balance of payment assistance. The loan, repayable in ten semi-annual instalments beginning not later than the end of the first six months of the sixth year, has to be repaid in full at the end of the tenth year after the date of disbursement.

2. Interest on outstanding loan is paid semi-annually at the rate of one half of one per cent per annum on 30th June and 31st December each year.

XXVI. 1. **ECONOMIC COMMUNITY (E.C)**

The EC has been extending economic assistance to India since 1976. The EEC assistance to India is entirely in the form of grants and can be used to finance the rupee as well as foreign exchange cost of identified projects. Total value of assistance committed by EC till now, amounts to ECU 1453.50 million including ECU 150 million for assistance to Education Sector. Out of this the component for development programmes amounts to ECU 913.50 million.

The EC have given assistance under EC food aid for Operation Flood III and other programmes e.g. trade promotion, energy cooperation, industrial cooperation and aid to NGOs etc. The food aid has been provided in the form of butter oil and skimmed milk powder from the EC for Operation Flood III.

2. **UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION ACTIVITIES (UNFPA)**

Commodity/cash grant assistance of the value of Rs.7.70 crore is expected to be received during the current year 1994-95. Similar assistance to the tune of Rs.12.20 crores is also expected during the year 1995-96. The grant is intended to provide financial assistance to the Area Project in Bihar and Rajasthan on population and adult education studies, tree plantation & commodity assistance .

3. **UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)**

Under this programme technical assistance is being received in the form of equipments, services of experts and training facilities for Indian personnel abroad.

During the current year 1994-95 commodity/material assistance to the extent of Rs.23.39 crores is expected to be received. Similar assistance of the value of Rs.8.52 crores is expected to be received during 1995-96.

4. **UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF)**

Cash grant assistance is received for training of I.C.D.S. functionaries, training of doctors and non-formal education for women and girls. The total quantum of cash assistance for these schemes and for assistance for ORI programme and universal immunisation programme during 1994-95 is expected to be around Rs.28.00 crore and Rs.39.15 crore during 1995-96.

Commodity assistance to the extent of Rs.30.12 crore is anticipated to be received during 1994-95 , while the same is expected to be Rs.35.20 crores during 1995-96.

5. **WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO)**

Cash/commodity assistance to the extent of Rs.0.50 crore is anticipated to be received during the year 1994-95 for the National Leprosy Control Programme and National Malaria Eradication Programme, and no such assistance is provided during 1995-96.

विवरण Statement 1

विदेशी ऋण External Loans

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

देश/संस्था का नाम	Name of the Country/Institutions	प्राप्तियां Receipts बजट अनुमान Budget Estimates 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimates 1995-96	वापसी अदायगियां Repayments बजट अनुमान Budget Estimates 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimates 1995-96
बहुपक्षीय	**Multilateral**						
आई.बी.आर.डी.	I.B.R.D.	2413.20	1639.44	1987.30	2444.45	2374.96	2519.08
आई.डी.ए.	I.D.A.	2349.30	3427.97	2801.65	619.13	612.61	717.95
आई.एफ.ए.डी.	I.F.A.D.	24.50	24.63	68.50	16.47	16.38	17.01
ए.डी.बी.	A.D.B.	1050.96	1319.12	1420.20	52.41	53.11	123.08
ई.ई.सी.(एसएसी)	E.E.C.(SAC)	0.00	0.00	0.00	1.43	1.39	1.45
ओपेक	O.P.E.C.	16.69	7.83	26.00	41.74	38.20	38.04
जोड़ (बहुपक्षीय)	**Total (Multilateral)**	**5854.65**	**6418.99**	**6303.65**	**3175.63**	**3096.65**	**3416.61**
द्विपक्षीय	**Bilateral**						
अबू धाबी	Abu Dhabi	0.00	0.00	0.00	3.89	3.96	4.02
आस्ट्रेलिया	Australia	0.00	9.30	10.00	0.00	0.00	0.00
आस्ट्रिया	Austria	3.81	0.00	2.26	10.47	10.70	10.49
बेल्जियम	Belgium	1.79	1.45	4.80	19.02	21.24	21.24
कनाडा	Canada	0.00	0.00	0.00	47.56	46.08	46.04
चेकोस्लोवाकिया	Czechoslovakia	0.00	0.00	0.00	4.28	4.28	4.28
डेनमार्क	Denmark	0.00	0.00	0.00	13.61	13.65	20.13
एफ.आर.जी.	F.R.G.	430.77	340.78	449.08	411.78	453.56	477.36
फ्रांस	France	188.19	34.79	63.76	230.38	253.19	251.93
इटली	Italy	0.00	0.00	0.00	20.64	20.30	20.40
जापान	Japan	3075.23	2438.63	3408.31	518.04	567.72	677.31
कुवैत निधि	Kuwait Fund	16.20	4.59	20.50	47.49	47.43	49.04
नीदरलैंड	Netherlands	0.00	0.00	0.00	144.31	145.81	170.01
सऊदी निधि	Saudi Fund	4.19	21.90	31.02	43.77	44.38	45.18
स्वीडन	Sweden	70.00	101.85	41.40	0.00	0.00	0.00
स्विटजरलैंड	Switzerland	4.40	53.94	37.52	16.50	17.89	22.87
संयुक्त अरब अमीरात	U.A.E.	0.00	0.00	0.00	10.73	10.47	10.60
यूनाईटेड किंगडम	U.K.	0.00	0.00	0.00	91.62	92.74	78.24
संयुक्त राज्य अमरीका	U.S.A.	0.00	0.00	0.00	392.11	388.49	397.16
यू.एस.एस.आर.	U.S.S.R.	17.65	0.00	0.00	186.57	241.06	193.24
जोड़ (द्विपक्षीय)	**Total (Bilateral)**	**3812.23**	**3007.23**	**4068.65**	**2212.77**	**2382.95**	**2499.54**
कुल जोड़	***Grand Total***	***9666.88***	***9426.22***	***10372.30***	***5388.40***	***5479.60***	***5916.15***

विवरण Statement 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता
Grants and Commodity Assistance from Friendly Foreign Countries and International Bodies.

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. सं. Sl. No.		स्रोत Sources	बजट अनुमान Budget Estimate 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate 1995-96
	द्विपक्षीय	**Bilateral**			
1.	आस्ट्रेलिया	Australia	0.00	1.07	1.18
2.	कनाडा	Canada	37.70	3.00	10.63
3.	डेनमार्क	Denmark	27.82	47.17	37.39
4.	फ्रांस	France	6.00	3.89	6.35
5.	एफ.आर.जी.	F.R.G.	19.35	211.02	63.90
6.	जापान	Japan	55.58	54.62	30.00
7.	नीदरलैंड	Netherlands	130.90	244.75	171.00
8.	नार्वे	Norway	15.24	20.42	14.31
9.	स्वीडन	Sweden	167.32	87.89	70.55
10.	स्विटजरलैंड	Switzerland	17.55	13.79	13.34
11.	यूनाईटेड किंगडम	U.K.	267.98	170.76	363.73
12.	संयुक्त राज्य अमरीका	U.S.A.	81.70	83.64	116.12
	नए ऋण	New Credits	105.00	0.00	0.00
	अन्तर्राष्ट्रीय निकाय :	**International bodies:**			
13.	आई.डी.एफ. अनुदान	IDF Grant	0.00	0.62	0.00
14.	ई.ई.सी.	E.E.C.	350.99	143.58	159.23
15.	यू.एन.एफ.पी.ए.	UNFPA	13.22	7.70	12.20
16.	यू.एन.डी.पी.	UNDP	35.41	23.39	8.52
17.	यूनिसेफ	UNICEF	32.74	58.12	75.15
18.	डब्ल्यू. एच.ओ.	W.H.O.	0.50	0.50	0.00
19.	यूनेस्को	UNESCO	0.00	0.06	0.06
	कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***1365.00***	***1175.99***	***1153.66***

अनुबंध ANNEXURE - 9

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां TRENDS IN RECEIPTS

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
राजस्व प्राप्तियां	**REVENUE RECEIPTS**	**33083**	**37037**	**43591**	**52296**	**54954**	**66031**	**74128**	**75453**	**88770**	**100787**
क.कर राजस्व (राज्यों के हिस्से को घटाकर) (ब्यौरा अनुबंध 11 में)	A. Tax Revenue (Net of States' Share) (Details in Annexure 11)	24319	28015	33751	38349	42978	50069	54044	53449	64987	74374
ख. कर-भिन्न राजस्व (ब्यौरा अनुबंध 11 में)	B. Non-Tax Revenue (Details in Annexure 11)	8764	9022	9840	13947	11976	15962	20084	22004	23783	26413
पूंजी प्राप्तियां	**CAPITAL RECEIPTS**	**21572**	**25408**	**29878**	**30020**	**38997**	**38528**	**36178**	**55440**	**67502**	**66364**
1. आंतरिक कर्ज-बाजार उधार (निवल)	***1.Internal Debt-Market Borrowings (Net)***	*5532*	*. 5862*	*8418*	*7404*	*8001*	*7510*	*3676*	*28928*	*20700*	*22700*
1.01 सकल बाजार उधार	1.01.Gross Market Borrowings	6570	6684	8894	8044	8988	8921	4821	30065	21654	28256
1.02 घटाइए-वापसी अदायगी	1.02.Less-Repayments	1038	822	476	640	987	1411	1145	1137	954	5556
2. विदेशी सहायता (निवल)	***2.External Assistance (Net)***	*2024*	*2893*	*2460*	*2595*	*3181*	*5421*	*5319*	*5074*	*3947*	*4456*
2.01 सकल विदेशी उधार	2.01.Gross External Borrowings	3040	4069	4016	4443	5339	8279	9625	10024	9426	10372
2.02 घटाइए-वापसी-अदायगी	2.02.Less Repayments@	1016	1176	1556	1848	2158	2858	4306	4950	5479	5916
3. ऋणों की वसूली *	***3.Recovery of Loans****	*3491*	*4180*	*4597*	*4980*	*5712*	*6021*	*6356*	*6191*	*6700*	*6730*
4. अल्प बचतें (निवल)	***4.Small Savings(Net)@@***	*3411*	*3911*	*5835*	*8575*	*9104*	*6640*	*5717*	*9100*	*14000*	*8000*
5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	***5. State Provident Funds (Net)***	*767*	*893*	*961*	*1116*	*1221*	*1286*	*1611*	*1790*	*1900*	*2000*
6. विशेष जमा (निवल)	***6.Special Deposits (Net)***	*3913*	*4381*	*6151*	*7970*	*7716*	*6670*	*7144*	*7568*	*8900*	*8964*
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	***7. Disinvestment of equity holding in public sector enterprises***	..	..	..	..	..	*3038*	*1961*	*-48*	*5237*	*7000*
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	***8. Other items of capital receipts(Net)#***	*2434*	*3288*	*1456*	*-2620*	*4062*	*1942*	*4395*	*-3163*	*6118*	*6514*
जोड़-प्राप्तियां	**TOTAL-RECEIPTS**	**54655**	**62445**	**73469**	**82316**	**93951**	**104559**	**110306**	**130893**	**156272**	**167151**
राजस्व खाते का घाटा	Deficit on Revenue Account	7777	9137	10515	11914	18562	16261	18574	32716	34132	35541
मूल घाटा	Primary deficit	17096	15793	16645	17875	23134	9729	9098	23516	17035	5634
बजटीय घाटा*	Budgetary deficit*	8261	5816	5642	10592	11347	6855	12312	10960	6000	5000
राजकोषीय घाटा	Fiscal deficit	26342	27044	30923	35632	44632	36325	40173	60257	61035	57634
@कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना, मद्रास रिफाइनरीज आदि के लिए विशेष ऋणों की वापसी अदायगी सहित ।	*@Includes repayment of Special credits for Kudremukh Iron Ore Project, Madras Refineries etc.*	*121*	*30*	*61*	..	..	..	..	..	..	..
**निम्नलिखित में से वसूलियां घटा कर :*	** Net of Recovery of*										
अर्थोपाय अग्रिम	*Ways & Means Advances*	*381*	*716*	*131*	*131*	*657*	*512*	*961*	*983*	*1000*	*1000*
कृषि निविष्टियों के लिए ऋण	*Loans for Agricultural inputs*	*253*	*285*	*248*	*263*	*298*	*357*	*234*	*296*	..	..
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण	*Loans to Govt. servants, etc.*	..	..	*77*	*86*	*101*	*112*	*127*	*141*	*131*	*132*
@@ घटाइए-राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का हिस्सा	*@@ Less-Share of States and U.T. Governments*	*2800*	*3097*	*4205*	*5742*	*7026*	*5481*	*4264*	*5000*	*9649*	*7000*
केन्द्र को निवल	*Net to Centre*	*611*	*814*	*1630*	*2833*	*2078*	*1159*	*1453*	*4100*	*4351*	*1000*
# इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई वे प्रतिभूतियां शामिल नहीं है जिन्हें प्रत्यावस्थित प्रविष्टियों के द्वारा पूंजी व्यय से घटा दिया गया है ।	*# Excludes Securities (a) issued to the I.M.F. omitted per contra from Capital Expenditure*	*1134*	*1029*	*775*	*803*	*550*	*1805*	*6266*	*5698*	*13*	*673*
(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	*(b) Securities issued to Nationalised Banks*	*400*	*200*	*310*	*788*	*707*	*705*	*701*	*5723*	*4363*	*850*

खर्च की प्रवृत्तियां
TRENDS IN EXPENDITURE

अनुबन्ध
ANNEXURE-10

(करोड़ रुपए में) *(In crores of rupees)*

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. आयोजना-भिन्न व्यय	**A. Non-Plan Expenditure**	**39920**	**44052**	**52960**	**65388**	**76933**	**80453**	**85958**	**98191**	**113511**	**123651**
1. ब्याज संबंधी अदायगियां	1. Interest Payments	9246	11251	14278	17757	21498	26596	31075	36741	44000	52000
2. रक्षा व्यय	2. Defence Expenditure	10477	11968	13341	14416	15426	16347	17582	21845	23544	25500
3. आर्थिक सहायता	3. Subsidies	5451	5980	7732	10474	12158	12253	11995	12682	12810	12401
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	4. Grants to States & U.T. Govts.	1714	1789	2186	2143	3982	3921	2645	2398	2327	6016
5. विदेशी सरकारों को अनुदान	5. Grants to Foreign Govts.	114	139	124	120	139	147	132	155	153	205
6. अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (ब्यौरा अनुबंध 3.2 में)	6. Other Non-Plan Expenditure	6491	7782	8386	10693	11310	11692	13709	15407	17514	17653
7. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय	7. Non-Plan Capital Expenditure	380	667	788	1091	947	782	1785	1206	1664	1485
8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	8. Loans & Advances to State & U.T.Govts.	3722	3134	4293	5793	7606	5532	4728	4985	9739	7073
9. विदेशी सरकारों को ऋण	9. Loans to Foreign Govts.	374	136	82	776	1719	1135	268	47	77	100
10. अन्य ऋण	10. Other Loans	1395	769	1025	1260	1162	874	740	1468	1162	669
11. बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का योजना भिन्न व्यय	11. Non-Plan Expenditure of UTswithout Legislature	556	437	725	865	986	1174	1299	1257	521	549
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	449	465	724	849	934	1166	1260	1162	550	578
पूंजी खाते पर	On Capital Account	107	-28	1	16	52	8	39	95	-29	-29
ख. आयोजना व्यय	**B. Plan Expenditure**	**22996**	**24209**	**26151**	**27520**	**28365**	**30961**	**36660**	**43662**	**48761**	**48500**
राजस्व व्यय पर	On Revenue Account	8216	9907	11118	11979	12620	15074	19777	24848	28937	29330
पूंजी व्यय पर	On Capital Account	14780	14302	15033	15541	15745	15887	16883	18814	19824	19170
कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE**	**62916**	**68261**	**79111**	**92908**	**105298**	**111414**	**122618**	**141853**	**162272**	**172151**
राजस्व व्यय पर	On Revenue Account	40860	46174	54106	64210	73516	82292	92702	108169	122902	136328
पूंजी व्यय पर	On Capital Account	22056	22087	25005	28698	31782	29122	29916	33684	39370	35823

Notes: *For further details, see Expenditure Budget, Vol.I.*

टिप्पणियां : *और ब्यौरों के लिए, व्यय बजट, खंड I देखें ।*

अनुबंध ANNEXURE 11

अनुबन्ध 9 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण
ANALYSIS OF TAX AND NON-TAX REVENUE RECEIPTS INCLUDED IN ANNEXURE 9

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		खाता Accounts 1986-87	खाता Accounts 1987-88	खाता Accounts 1988-89	खाता Accounts 1989-90	खाता Accounts 1990-91	खाता Accounts 1991-92	खाता Accounts 1992-93	खाता Accounts 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
क. कर राजस्व	**A. Tax Revenue**										
सकल कर राजस्व	**Gross Tax Revenue:**	**32838**	**37666**	**44474**	**51636**	**57576**	**67361**	**74637**	**75743**	**89831**	**103762**
1. निगम कर	1. Corporation Tax	3160	3433	4407	4729	5335	7853	8899	10060	13250	15500
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	2. Taxes on Income other than Corporation Tax	2879	3192	4241	5010	5371	6731	7888	9123	11000	13500
3. ब्याज कर	3. Interest Tax	...	...	...	...	(-)1	305	716	727	1000	1000
4. व्यय कर	4. Expenditure Tax	...	6	42	75	82	...	151	229	170	175
5. सीमा-शुल्क	5. Customs	11475	13702	15805	18036	20644	22257	23776	22193	26450	29500
6. संघ उत्पाद शुल्क	6. Union Excise Duties	14470	16426	18841	22406	24514	28110	30832	31697	36900	42780
7. सम्पदा शुल्क	7. Estate Duty	14	8	6	4	3	3	1	...	1	1
8. धन कर	8. Wealth Tax	174	101	122	179	231	307	468	154	80	90
9. दान कर	9. Gift Tax	9	8	7	8	3	8	9	5	14	10
10. अन्य कर और शुल्क	10. Other Taxes and Duties	50	67	122	220	276	522	382	354	400	405
11. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	11. Taxes of Union Territories	607	723	881	969	1118	1265	1515	1201	191	201
12. सेवा कर	12. Service Tax	...	...	...	...	...	...	...	...	375	600
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	**Less**-States' Share	8476	9598	10669	13232	14535	17197	20522	22241	24843	29388
आयकर	Income Tax	2160	2589	2749	3922	4121	5104	6057	7768	8560	9734
सम्पदा शुल्क	Estate Duty	10	6	1	...	...	...	...	...	...	...
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	6306	7003	7919	9310	10414	12093	14465	14473	16283	19654
घटाइए-स्थानीय निकायों को संघ शासित क्षेत्रों के करों का समनुदेशन	**Less**-Assignments of UT taxes to Local Bodies	43	53	54	55	63	95	71	53	...	...
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	**Net-Centre's Tax Revenue**	**24319**	**28015**	**33751**	**38349**	**42978**	**50069**	**54044**	**53449**	**64988**	**74374**
ख. कर-भिन्न राजस्व	**B.Non Tax Revenue**										
1. राजकोषीय सेवाएं	1. Fiscal Services	564	500	416	574	306	215	1052	760	627	544
2. ब्याज प्राप्तियां	2. Interest Receipts	5353	5755	6981	8474	8730	10933	12487	15078	16235	18420
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से	2.01 From State/U.T. Governments	2754	3158	3770	4424	5174	6565	7843	9558	11380	13348
2.02 रेलवे पूंजी पर	2.02 On Railway Capital	553	614	689	783	938	1080	1489	1271	1380	1371
2.03 डाक व दूरसंचार पूंजी पर	2.03 On Posts & Telecom. Capital	213	...	161	180	220	247	257	230	269	265
2.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां	2.04 Other Interest Receipts	1833	1983	2361	3079	2398	3041	2899	4019	3206	3436
3. लाभांश और लाभ	3. Dividends and Profits	507	605	475	716	774	1058	2493	2451	2721	2946
3.01 भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ	3.01 Profits of R.B.I.	210	210	210	210	210	350	1500	1500	1500	1500
3.02 अन्य	3.02 Others	297	395	265	505	564	708	993	951	1221	1446
4. अन्य सामान्य सेवाएं	4. Other General Services	301	337	395	405	506	572	1014	1106	1070	1101
5. सामाजिक सेवाएं	5. Social Services	454	60	80	57	65	90	79	112	123	144
6. आर्थिक सेवाएं	6. Economic Services	1149	1273	893	2845	860	2146	1786	1504	1646	1908
7. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र*	7. Union Territories without Legislature*	...	...	...	122	149	...	254	...	184	196
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	8. Grants-in-aid and contributions	436	492	600	754	586	947	919	993	1176	1154
जोड़-कर भिन्न राजस्व**	**Total-Non-Tax Revenue****	**8764**	**9022**	**9840**	**13947**	**11976**	**15961**	**20084**	**22004**	**23782**	**26413**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	***Total-Revenue Receipts***	***33083***	***37037***	***43591***	***52296***	***54954***	***66031***	***74128***	***75453***	***88770***	***100787***

*पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों को क्रम संख्या 4, 5 और 6 की मदों के अन्तर्गत मिला दिया गया है।

*Figures in respect of earlier years are merged under the items at Sr. No.4,5 and 6 above.

**वाणिज्यिक विभागों से संबंधित निवल प्राप्तियां इस प्रकार हैं।

**Net of following receipts of commercial departments.

(क) सामान्य सेवाएं	(a). General Services	628	817	938	1323	1082	1317	1520	1866	2139	2513
(ख) सामाजिक सेवाएं	(b). Social Services	123	164	197	244	296	350	416	440	456	549
(ग) आर्थिक सेवाएं	(c). Economic Services	9846	11355	12901	14996	17175	19407	22381	26349	30365	33860
जोड़	**Total**	10597	12336	14036	16563	18553	21074	24317	28655	32960	36922

अनुबंध ANNEXURE - 12

वार्षिक वित्तीय विवरण* और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान
Reconciliation between estimates of Receipts shown in Annual Financial Statement and Receipts Budget

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		लेखा Accounts 1993-94	संशोधित अनुमान R.E. 1994-95	बजट अनुमान B.E. 1995-96
क. राजस्व प्राप्तियां	A. **Revenue Receipts:**			
कुल राजस्व प्राप्तियां, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई है	Total Revenue Receipts as shown in the Annual Financial Statement	119601.60	144567.35	160585.72
घटाइए-	*Less*—			
संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व वितरणों के रूप में प्रदर्शित किया गया है	States' share of Union Excise Duties shown as Revenue disbursements in AFS	-14472.55	-16282.91	-19654.58
राजस्व प्राप्तियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया गया है।	Revenue receipts taken in reduction of expenditure :			
रेलवे बजट के अनुसार रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Railways as per Railway Budget	-18363.30	-20348.19	-22370.05
दूर संचार विभाग की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Telecommunications	-6094.87	-7698.00	-8876.00
डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Posts	-1105.17	-1185.00	-1315.00
अन्य वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	Receipts of other commercial departments	-3091.95	-3728.97	-4360.44
रक्षा प्राप्तियां	Defence receipts	-967.38	-966.78	-1069.01
विदेशी मुद्रा अनिवासी, खातों में विनिमय हानि के लिए अंशदान	Contribution to exchange loss in FC (NR) Accounts	...	-5587.00	-2154.00
संघीय राज्य क्षेत्रों के करों का स्थानीय निकायों को राजस्व का समनुदेशन जिसमें से विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का राजस्व और व्यय घटा दिया गया है	Assignment of UT taxes to local bodies taken in reduction of revenues and expenditure of Union territories without legislature	-52.75	-0.14	-0.14
बजट प्राप्तियों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts as per Receipts Budget	75453.63	88770.36	100786.50
ख. पूंजी प्राप्तियां	B. Capital Receipts			
(i) भारत की कुल समेकित निधि की पूंजी खाता प्राप्तियां जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है (जिसमें 91 दिवसीय राजकोषीय हुन्डियां शामिल नहीं है)	(i) Total Consolidated Fund of India Capital Account Receipts as shown in the Annual Financial Statement (excluding 91 days Treasury Bills)	74310.22	65930.26	71810.10
(ii) भारत के लोक खातों की कुल प्राप्तियां जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है	(ii) Total Public Account of India Receipts as shown in AFS	89752.64	84992.82	82329.52
जोड़	**Total**	**164062.86**	**150923.08**	**154139.62**
घटाइए—	*Less* -			
कुल लोक ऋण संवितरण जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है (जिसमें 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया शामिल नहीं है)	Total Public Debt disbursements as shown in the AFS (excluding 91 days Treasury Bills)	-27042.82	-23813.31	-24928.28
भारत के लोक खाते के कुल संवितरण जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है	Total Public Account of India disbursements as shown in the AFS	-68739.92	-54101.36	-60191.74
वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार निवल राशि	**Net according to AFS**	**68280.12**	**73008.41**	**69019.60**
घटाइए—व्यय की तुलना में घटाई गई प्राप्तियां और वसूलियां	*Less* - Receipts and recoveries netted against expenditure			
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां	Securities issued to IMF	-5697.90	-12.59	-673.00
राज्य सरकारों को दिए गए अल्पावधिक ऋणों की वसूली	Recoveries of short term loans to State Governments			
- अर्थोपाय अग्रिम	-Ways and Means advance	-982.59	-1000.00	-1000.00
- कृषि निविष्टियों के लिए ऋण	-Loans for agricultural inputs	-295.80	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों आदि द्वारा ऋण की वापसी अदायगी	Repayment of Loans by Government servant etc.	-141.43	-131.00	-132.00
राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	Securities issued to nationalised banks	-5722.77	-4362.54	-850.00
प्राप्ति बजट के अनुसार कुल पूंजी प्राप्तियां	**Total Capital Receipts as per Receipts Budget**	**55439.63**	**67502.28**	**66364.60**
प्राप्ति बजट के अनुसार कुल प्राप्तियां	**Total Receipts as per Receipts Budget**	**130893.26**	**156272.64**	**167151.10**

12

Summary of Demands for Grants, 1995-96

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (2) में यह अपेक्षित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, भारत की समेकित निधि में से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान, जो इस निधि पर "भारित" नहीं होते, अनुदानों की मांगों के रूप में लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएगें। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में प्रायः एक सेवा के लिए आवश्यक धनराशि की कुल व्यवस्था दिखाई जाती है अर्थात् इसमें राजस्व खाते का व्यय और उस सेवा के लिए, पूंजी खाते का व्यय (उधार सहित) दिखाए जाते हैं। यद्यपि भारत की समेकित निधि पर "भारित" व्यय के अनुमानों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता, तथापि संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (1) के अनुसार ऐसे व्यय के बारे में संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में बहस की जा सकती है। इसलिए अनुदान की मांग में अगर किसी ऐसे खर्च की व्यवस्था होती है जो भारत की समेकित निधि पर "भारित" होता है तो उसे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। जहां किसी सेवा के लिए यह व्यवस्था भारत की समेकित निधि पर पूरी तरह "भारित" व्यय के लिए होती है जैसे ब्याज संदाय और ऋण की वापसी, तो उसे मांग से पृथक विनियोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उस पर कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती।

2. संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 1995-96 के लिए अनुदानों की जो मांगें और विनियोग प्रस्तुत किए गए हैं वे समस्त मंत्रालयों/विभागों के लिए इसी खंड में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन मांगों से पहले मांगों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगों और विनियोगों की पूरी सूची एक साथ दी गई है जिसमें राजस्व खाते और (उधारों सहित) पूंजी खाते के अंतर्गत "स्वीकृत" और *"भारित"* शीर्षों के अधीन प्रत्येक मांग और विनियोग के सामने की गई व्यवस्था की कुल राशि दिखाई गई है। यह सारांश अनुदानों की मांगों और विनियोगों का अभिसूचक प्रलेख भी है।

3. मांगों के संदर्भ में, मंत्रालयों या विभागों के उल्लेख 10 मार्च, 1995 के तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों से संबंधित हैं, और उस तारीख को या उसके बाद इससे अभिप्राय यह होगा कि यह उल्लेख समय-समय पर पुनर्गठित संबद्ध मंत्रालयों या विभागों के बारे में है। वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के निर्धारित कार्य में अधिसूचित परिवर्तनों को इन मांगों में समाविष्ट कर दिया गया है। 1995-96 की मांगों को इस समय गठित मंत्रालयों/विभागों के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है और आंकड़ों की तुलना के कार्य को सरल बनाने के लिए 1994-95 के तदनुरूप बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान भी साथ-साथ

INTRODUCTION

Clause (2) of Article 113 of the Constitution requires that so much of the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement as are not 'charged' on the Fund shall be submitted in the form of Demands for Grants for the vote of the Lok Sabha. Normally one Demand is presented in respect of each Ministry/ Department. In respect of some of the large Ministries/ Departments, however, more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a Service, that is to say, expenditure on Revenue Account, as well as expenditure on Capital Account (including Loans) for the Service. Although the estimates of expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India are not required to be voted by Parliament, clause (I) of Article 113 of the Constitution permits discussion thereon in either House of Parliament. Accordingly, a Demand for Grant also shows, distinctly in italics, the provision for expenditure, if any, 'charged' on the Consolidated Fund of India in relation to the Service represented by the Demand. Where the provision for a Service is entirely for expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments and Repayment of Debt, a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented, although no vote is sought thereon.

2. The Demands for Grants and the Appropriations for 1995-96 presented to Parliament along with the Annual Financial Statement are contained in this volume in respect of all the Ministries/ Departments. A Summary of the Demands giving at one place a complete list of the Demands for Grants and Appropriations for 1995-96 showing against each the total amount of the provision, separately under Revenue Account and Capital Account (including Loans) as well as "Voted" and *"Charged"* precedes the Demands. This Summary also serves as an Index to the Demands for Grants and Appropriations.

3. References to Ministries or Departments in the Demands are to such Ministries or Departments as existed immediately before March 10, 1995 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries/Departments as reconstituted from time to time. Changes in Allocation of Business to the various Ministries/ Departments notified during the year have been given effect to in these Demands. The Demands for 1995-96 have been shown against the Ministries/Departments as presently constituted and to facilitate comparison, figures of the

प्रस्तुत कर दिए गए हैं, हालांकि 1994-95 की अनुदानों की मांगों में, जिनको फरवरी, 1994 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, इन व्यवस्थाओं को उस समय विद्यमान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत दिखाया गया था ।

4. मांगों में सम्मिलित "नई सेवा/सेवा के नए साधनों" का मदवार विवरण अन्त में दिया गया है ।

5. इन मांगों पर टिप्पणियों सहित व्यय की मुख्य मदों/योजनाओं का ब्यौरा "व्यय बजट - खंड 2" नामक एक अलग खंड में दिया गया है।

corresponding Budget Estimates and Revised Estimates for 1994-95 have been exhibited along side even though in the Demands for Grants 1994-95 presented to Parliament in February, 1994 the provisions were shown under Demands of Ministries/Departments as they existed at that time.

4. A Statement showing items of "New Service/New Instrument of Service" included in the Demands is given at the end.

5. Details of major items of expenditure/schemes along with the Notes on these Demands are given in a separate volume "Expenditure Budget Volume 2".

सारांश
SUMMARY

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**										
1. कृषि	1. Agriculture	भारित Charged	...	*37.95*	*37.95*	...	*36.13*	*36.13*	...	*38.00*	*38.00*
		स्वीकृत Voted	1257.41	7.22	1264.63	1771.94	7.18	1779.12	1410.78	11.44	1422.22
		जोड़ **Total**	**1257.41**	**45.17**	**1302.58**	**1771.94**	**43.31**	**1815.25**	**1410.78**	**49.44**	**1460.22**
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	2. Other Services of Department of Agriculture & Cooperation	भारित Charged	...	*56.67*	*56.67*	...	*55.93*	*55.93*	...	*62.93*	*62.93*
		स्वीकृत Voted	215.43	225.18	440.61	218.59	299.08	517.67	222.94	305.22	528.16
		जोड़ **Total**	**215.43**	**281.85**	**497.28**	**218.59**	**355.01**	**573.60**	**222.94**	**368.15**	**591.09**
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3. Department of Agricultural Research and Education	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	477.00	...	477.00	495.63	...	495.63	548.86	...	548.86
		जोड़ **Total**	**477.00**	**...**	**477.00**	**495.63**	**...**	**495.63**	**548.86**	**...**	**548.86**
4. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	4. Department of Animal Husbandry and Dairying	भारित Charged	...	...	...	*0.01*	...	*0.01*	...	...	...
		स्वीकृत Voted	207.37	176.52	383.89	298.47	177.12	475.59	286.76	195.57	482.33
		जोड़ **Total**	**207.37**	**176.52**	**383.89**	**298.48**	**177.12**	**475.60**	**286.76**	**195.57**	**482.33**
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**										
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	5. Department of Chemicals and Petro-chemicals	भारित Charged	*24.50*	...	*24.50*	*15.50*	...	*15.50*	...	...	...
		स्वीकृत Voted	66.73	36.59	103.32	112.92	44.40	157.32	112.36	24.24	136.60
		जोड़ **Total**	**91.23**	**36.59**	**127.82**	**128.42**	**44.40**	**172.82**	**112.36**	**24.24**	**136.60**
6. उर्वरक विभाग	6. Department of Fertilizers	भारित Charged	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
		स्वीकृत Voted	5456.37	275.35	5731.72	6210.81	387.10	6597.91	6382.31	245.10	6627.41
		जोड़ **Total**	**5456.38**	**275.35**	**5731.73**	**6210.82**	**387.10**	**6597.92**	**6382.32**	**245.10**	**6627.42**
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**										
7. नागर विमानन विभाग	7. Department of Civil Aviation	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	50.44	17.71	68.15	120.34	16.51	136.85	71.62	53.09	124.71
		जोड़ **Total**	**50.44**	**17.71**	**68.15**	**120.34**	**16.51**	**136.85**	**71.62**	**53.09**	**124.71**
8. पर्यटन विभाग	8. Department of Tourism	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	93.45	15.51	108.96	93.45	15.51	108.96	92.45	16.45	108.90
		जोड़ **Total**	**93.45**	**15.51**	**108.96**	**93.45**	**15.51**	**108.96**	**92.45**	**16.45**	**108.90**
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION**										
9. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	9. Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution	भारित Charged	...	*6.01*	*6.01*	...	*6.01*	*6.01*	...	*7.01*	*7.01*
		स्वीकृत Voted	23.60	2.26	25.86	46.68	2.26	48.94	26.69	0.92	27.61
		जोड़ **Total**	**23.60**	**8.27**	**31.87**	**46.68**	**8.27**	**54.95**	**26.69**	**7.93**	**34.62**
कोयला मंत्रालय	**MINISTRY OF COAL**										
10. कोयला मंत्रालय	10. Ministry of Coal	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	194.45	578.48	772.93	135.18	523.19	658.37	175.24	446.19	621.43
		जोड़ **Total**	**194.45**	**578.48**	**772.93**	**135.18**	**523.19**	**658.37**	**175.24**	**446.19**	**621.43**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE**										
11. वाणिज्य विभाग	11. Department of										
भारित	Commerce	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	512.28	88.70	600.98	861.80	88.70	950.50	635.31	86.50	721.81
जोड़		**Total**	**512.28**	**88.70**	**600.98**	**861.80**	**88.70**	**950.50**	**635.31**	**86.50**	**721.81**
12. आपूर्ति विभाग	12. Department of										
भारित	Supply	*Charged*	*0.70*	...	*0.70*	*0.90*	...	*0.90*	*0.90*	...	*0.90*
स्वीकृत		Voted	31.32	...	31.32	32.10	...	32.10	32.71	...	32.71
जोड़		**Total**	**32.02**	...	**32.02**	**33.00**	...	**33.00**	**33.61**	...	**33.61**
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**										
13. डाक विभाग	13. Department of										
भारित	Posts	*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*1.01*	...	*1.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत		Voted	1975.13	56.86	2031.99	2096.11	74.88	2170.99	2236.12	73.87	2309.99
जोड़		**Total**	**1975.14**	**56.86**	**2032.00**	**2097.12**	**74.88**	**2172.00**	**2236.13**	**73.87**	**2310.00**
14. दूरसंचार विभाग	14. Department of Telecommuni-										
भारित	cations	*Charged*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.30*	*0.01*	*0.31*
स्वीकृत		Voted	8734.38	5814.99	14549.37	8296.30	6014.99	14311.29	9506.15	6954.99	16461.14
जोड़		**Total**	**8734.68**	**5815.00**	**14549.68**	**8296.60**	**6015.00**	**14311.60**	**9506.45**	**6955.00**	**16461.45**
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**										
15. रक्षा मंत्रालय	15. Ministry of Defence										
भारित		*Charged*	*0.12*	*6.61*	*6.73*	*0.12*	*6.61*	*6.73*	*0.12*	*6.00*	*6.12*
स्वीकृत		Voted	1890.24	81.75	1971.99	1792.97	39.69	1832.66	2026.76	20.52	2047.28
जोड़		**Total**	**1890.36**	**88.36**	**1978.72**	**1793.09**	**46.30**	**1839.39**	**2026.88**	**26.52**	**2053.40**
16. रक्षा पेंशन	16. Defence Pensions										
भारित		*Charged*	*0.09*	...	*0.09*	*0.25*	...	*0.25*	*0.25*	...	*0.25*
स्वीकृत		Voted	2705.91	...	2705.91	2720.75	...	2720.75	2856.75	...	2856.75
जोड़		**Total**	**2706.00**	...	**2706.00**	**2721.00**	...	**2721.00**	**2857.00**	...	**2857.00**
17. रक्षा सेवा-सेना	17. Defence Services -										
भारित	Army	*Charged*	*6.79*	...	*6.79*	*4.30*	...	*4.30*	*5.07*	...	*5.07*
स्वीकृत		Voted	11492.59	...	11492.59	11749.57	...	11749.57	12842.94	...	12842.94
जोड़		**Total**	**11499.38**	...	**11499.38**	**11753.87**	...	**11753.87**	**12848.01**	...	**12848.01**
18. रक्षा सेवा-नौवहन	18. Defence Services -										
भारित	Navy	*Charged*	*2.51*	...	*2.51*	*2.51*	...	*2.51*	*2.68*	...	*2.68*
स्वीकृत		Voted	1387.92	...	1387.92	1465.79	...	1465.79	1567.71	...	1567.71
जोड़		**Total**	**1390.43**	...	**1390.43**	**1468.30**	...	**1468.30**	**1570.39**	...	**1570.39**
19. रक्षा सेवा-वायु	19. Defence Services -										
सेना भारित	Air Force	*Charged*	*0.34*	...	*0.34*	*0.62*	...	*0.62*	*0.64*	...	*0.64*
स्वीकृत		Voted	3695.99	...	3695.99	3901.14	...	3901.14	4264.27	...	4264.27
जोड़		**Total**	**3696.33**	...	**3696.33**	**3901.76**	...	**3901.76**	**4264.91**	...	**4264.91**
20. रक्षा आयुध	20. Defence Ordnance										
निर्माणियां भारित	Factories	*Charged*	*1.40*	...	*1.40*	*1.40*	...	*1.40*	*1.20*	...	*1.20*
स्वीकृत		Voted	562.26	...	562.26	598.10	...	598.10	708.40	...	708.40
जोड़		**Total**	**563.66**	...	**563.66**	**599.50**	...	**599.50**	**709.60**	...	**709.60**
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	21. Capital Outlay on Defence Services										
भारित		*Charged*	...	*7.03*	*7.03*	...	*7.03*	*7.03*	...	*7.18*	*7.18*
स्वीकृत		Voted	...	6824.10	6824.10	...	6926.21	6926.21	...	7347.31	7347.31
जोड़		**Total**	...	**6831.13**	**6831.13**	...	**6933.24**	**6933.24**	...	**7354.49**	**7354.49**
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRON MENT AND FORESTS**										
22. पर्यावरण और वन मंत्रालय	22. Ministry of Environment and Forests										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	410.96	7.31	418.27	412.62	7.31	419.93	428.30	7.11	435.41
जोड़		**Total**	**410.96**	**7.31**	**418.27**	**412.62**	**7.31**	**419.93**	**428.30**	**7.11**	**435.41**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है		No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय		**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**										
23. विदेश मंत्रालय	भारित	23. Ministry of External Affairs	Charged	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted	800.99	43.99	844.98	881.73	45.15	926.88	950.88	47.05	997.93
	जोड़		Total	**801.01**	**43.99**	**845.00**	**881.75**	**45.15**	**926.90**	**950.90**	**47.05**	**997.95**
वित्त मंत्रालय		**MINISTRY OF FINANCE**										
24. आर्थिक कार्य विभाग	भारित	24. Department of Economic Affairs	Charged	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*
	स्वीकृत		Voted	6616.05	125.50	6741.55	6535.16	138.36	6673.52	3478.21	165.99	3644.20
	जोड़		Total	**6616.10**	**125.50**	**6741.60**	**6535.21**	**138.36**	**6673.57**	**3478.26**	**165.99**	**3644.25**
25. करेंसी, सिक्का और स्टाम्प	भारित	25. Currency, Coinage and Stamps	Charged	*4.87*	*0.02*	*4.89*	*0.93*	...	*0.93*	*0.88*	...	*0.88*
	स्वीकृत		Voted	591.88	1628.41	2220.29	473.10	1518.19	1991.29	677.77	359.93	1037.70
	जोड़		Total	**596.75**	**1628.43**	**2225.18**	**474.03**	**1518.19**	**1992.22**	**678.65**	**359.93**	**1038.58**
26. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	भारित	26. Payments to Financial Institutions	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	1089.43	7427.39	8516.82	1344.49	6444.43	7788.92	792.84	2532.24	3325.08
	जोड़		Total	**1089.43**	**7427.39**	**8516.82**	**1344.49**	**6444.43**	**7788.92**	**792.84**	**2532.24**	**3325.08**
27. विनियोग-ब्याज अदायगियां	भारित	27. Appropriation - Interest Payments	Charged	*46000.00*	...	*46000.00*	*44000.00*	...	*44000.00*	*52000.00*	...	*52000.00*
	स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		Total	**46000.00**	...	**46000.00**	**44000.00**	...	**44000.00**	**52000.00**	...	**52000.00**
28. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण	भारित	28. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	*20452.72*	*14277.43*	*34730.15*	*20514.16*	*18830.63*	*39344.79*	*24733.00*	*16487.91*	*41220.91*
	स्वीकृत		Voted	6850.99	312.00	7162.99	7959.25	510.49	8469.74	8498.75	475.00	8973.75
	जोड़		Total	**27303.71**	**14589.43**	**41893.14**	**28473.41**	**19341.12**	**47814.53**	**33231.75**	**16962.91**	**50194.66**
29. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	भारित	29. Loans to Government Servants etc.	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	...	292.00	292.00	...	292.00	292.00	...	294.00	294.00
	जोड़		Total	...	**292.00**	**292.00**	...	**292.00**	**292.00**	...	**294.00**	**294.00**
30. विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी	भारित	30. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	*168637.80*	*168637.80*	...	*168813.31*	*168813.31*	...	*184928.28*	*184928.28*
	स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		Total	...	**168637.80**	**168637.80**	...	**168813.31**	**168813.31**	...	**184928.28**	**184928.28**
31. व्यय विभाग	भारित	31. Department of Expenditure	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	12.80	...	12.80	12.12	1.82	13.94	13.67	...	13.67
	जोड़		Total	**12.80**	...	**12.80**	**12.12**	**1.82**	**13.94**	**13.67**	...	**13.67**
32. पेंशन	भारित	32. Pensions	Charged	*3.04*	...	*3.04*	*2.43*	...	*2.43*	*2.56*	...	*2.56*
	स्वीकृत		Voted	906.96	...	906.96	931.62	...	931.62	995.65	...	995.65
	जोड़		Total	**910.00**	...	**910.00**	**934.05**	...	**934.05**	**998.21**	...	**998.21**
33. लेखा परीक्षा	भारित	33. Audit	Charged	*12.45*	...	*12.45*	*14.08*	...	*14.08*	*14.11*	...	*14.11*
	स्वीकृत		Voted	378.71	...	378.71	386.44	...	386.44	401.08	...	401.08
	जोड़		Total	**391.16**	...	**391.16**	**400.52**	...	**400.52**	**415.19**	...	**415.19**
34. राजस्व विभाग	भारित	34. Department of Revenue	Charged	...	...	...	...	...	...	*0.01*	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted	114.36	3.47	117.83	110.06	3.46	113.52	138.60	5.36	143.96
	जोड़		Total	**114.36**	**3.47**	**117.83**	**110.06**	**3.46**	**113.52**	**138.61**	**5.36**	**143.97**
35. प्रत्यक्ष कर	भारित	35. Direct Taxes	Charged	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted	366.98	100.00	466.98	399.98	145.00	544.98	399.98	169.53	569.51
	जोड़		Total	**367.00**	**100.00**	**467.00**	**400.00**	**145.00**	**545.00**	**400.00**	**169.53**	**569.53**
36. अप्रत्यक्ष कर	भारित	36. Indirect Taxes	Charged	*0.75*	...	*0.75*	*0.75*	...	*0.75*	*0.75*	...	*0.75*
	स्वीकृत		Voted	569.75	157.76	727.51	568.04	157.76	725.80	604.83	215.70	820.53
	जोड़		Total	**570.50**	**157.76**	**728.26**	**568.79**	**157.76**	**726.55**	**605.58**	**215.70**	**821.28**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand / Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
खाद्य मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD**										
37. खाद्य मंत्रालय	37. Ministry of Food										
भारित		*Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*0.01*	...	*0.01*	*0.05*	...	*0.05*
स्वीकृत		Voted	4235.01	166.97	4401.98	5335.23	136.97	5472.20	5422.28	166.13	5588.41
जोड़		**Total**	**4235.06**	**166.97**	**4402.03**	**5335.24**	**136.97**	**5472.21**	**5422.33**	**166.13**	**5588.46**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**										
38. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	38. Ministry of Food Processing Industries										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	44.34	7.29	51.63	43.65	7.29	50.94	41.13	9.00	50.13
जोड़		**Total**	**44.34**	**7.29**	**51.63**	**43.65**	**7.29**	**50.94**	**41.13**	**9.00**	**50.13**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**										
39. स्वास्थ्य विभाग	39. Department of Health										
भारित		*Charged*	*0.02*	*0.02*	*0.04*	*0.03*	*0.02*	*0.05*	*0.03*	*0.02*	*0.05*
स्वीकृत		Voted	932.83	322.19	1255.02	1008.81	389.09	1397.90	1091.04	367.41	1458.45
जोड़		**Total**	**932.85**	**322.21**	**1255.06**	**1008.84**	**389.11**	**1397.95**	**1091.07**	**367.43**	**1458.50**
40. परिवार कल्याण विभाग	40. Department of Family Welfare										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	1678.53	0.15	1678.68	1795.43	0.15	1795.58	1895.36	0.15	1895.51
जोड़		**Total**	**1678.53**	**0.15**	**1678.68**	**1795.43**	**0.15**	**1795.58**	**1895.36**	**0.15**	**1895.51**
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**										
41. गृह मंत्रालय	41. Ministry of Home Affairs										
भारित		*Charged*	*0.08*	...	*0.08*	*0.07*	...	*0.07*	*0.07*	...	*0.07*
स्वीकृत		Voted	273.86	17.20	291.06	286.90	14.45	301.35	284.31	16.20	300.51
जोड़		**Total**	**273.94**	**17.20**	**291.14**	**286.97**	**14.45**	**301.42**	**284.38**	**16.20**	**300.58**
42. मंत्रिमंडल	42. Cabinet										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	40.66	...	40.66	51.01	...	51.01	50.66	...	50.66
जोड़		**Total**	**40.66**	...	**40.66**	**51.01**	...	**51.01**	**50.66**	...	**50.66**
43. पुलिस	43. Police										
भारित		*Charged*	*0.44*	*30.30*	*30.74*	*0.49*	*34.43*	*34.92*	*0.52*	*35.90*	*36.42*
स्वीकृत		Voted	2795.10	431.52	3226.62	2856.14	402.09	3258.23	2993.88	414.51	3408.39
जोड़		**Total**	**2795.54**	**461.82**	**3257.36**	**2856.63**	**436.52**	**3293.15**	**2994.40**	**450.41**	**3444.81**
44. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	44. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs										
भारित		*Charged*	*0.03*	*9.78*	*9.81*	*0.03*	*11.10*	*11.13*	*0.03*	*8.17*	*8.20*
स्वीकृत		Voted	370.72	165.14	535.86	392.66	186.08	578.74	373.48	196.45	569.93
जोड़		**Total**	**370.75**	**174.92**	**545.67**	**392.69**	**197.18**	**589.87**	**373.51**	**204.62**	**578.13**
45. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	45. Transfers to Union Territory Governments										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	162.33	136.67	299.00	206.33	227.67	434.00	234.92	249.37	484.29
जोड़		**Total**	**162.33**	**136.67**	**299.00**	**206.33**	**227.67**	**434.00**	**234.92**	**249.37**	**484.29**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**										
46. शिक्षा विभाग	46. Department of Education										
भारित		*Charged*	...	*2.85*	*2.85*	...	*2.85*	*2.85*	...	*1.00*	*1.00*
स्वीकृत		Voted	2420.26	0.52	2420.78	2491.17	0.52	2491.69	2702.55	0.52	2703.07
जोड़		**Total**	**2420.26**	**3.37**	**2423.63**	**2491.17**	**3.37**	**2494.54**	**2702.55**	**1.52**	**2704.07**
47. युवा कार्य और खेलकूद विभाग	47. Department of Youth Affairs and Sports										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	133.68	1.43	135.11	132.40	2.43	134.83	130.67	2.07	132.74
जोड़		**Total**	**133.68**	**1.43**	**135.11**	**132.40**	**2.43**	**134.83**	**130.67**	**2.07**	**132.74**
48. कला और संस्कृति विभाग	48. Department of Culture										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	179.69	...	179.69	182.50	218.00	400.50	195.73	...	195.73
जोड़		**Total**	**179.69**	...	**179.69**	**182.50**	**218.00**	**400.50**	**195.73**	...	**195.73**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates	बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
49. महिला और बाल विकास विभाग	49. Department of Women and Child Development									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	705.59	...	705.59	706.16	...	706.16	774.89	...	774.89
जोड़	**Total**	**705.59**	**...**	**705.59**	**706.16**	**...**	**706.16**	**774.89**	**...**	**774.89**
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**									
50. औद्योगिक विकास विभाग	50. Department of Industrial Development									
भारित	*Charged*	*1.19*	...	*1.19*	*1.62*	...	*1.62*	...	...	...
स्वीकृत	Voted	1024.58	0.37	1024.95	376.02	0.37	376.39	782.60	1.37	783.97
जोड़	**Total**	**1025.77**	**0.37**	**1026.14**	**377.64**	**0.37**	**378.01**	**782.60**	**1.37**	**783.97**
51. भारी उद्योग विभाग	51. Department of Heavy Industry									
भारित	*Charged*	...	...	...	*9.47*	...	*9.47*	...	...	...
स्वीकृत	Voted	121.66	197.85	319.51	119.66	266.84	386.50	20.01	239.55	259.56
जोड़	**Total**	**121.66**	**197.85**	**319.51**	**129.13**	**266.84**	**395.97**	**20.01**	**239.55**	**259.56**
52. सरकारी उद्यम विभाग	52. Department of Public Enterprises									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	1.55	...	1.55	1.80	...	1.80	1.62	...	1.62
जोड़	**Total**	**1.55**	**...**	**1.55**	**1.80**	**...**	**1.80**	**1.62**	**...**	**1.62**
53. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	53. Department of Small Scale Industries and Agro. & Rural Industries									
भारित	*Charged*	...	*0.95*	*0.95*	...	*0.95*	*0.95*	...	*0.35*	*0.35*
स्वीकृत	Voted	484.31	361.54	845.85	463.34	361.48	824.82	655.03	305.34	960.37
जोड़	**Total**	**484.31**	**362.49**	**846.80**	**463.34**	**362.43**	**825.77**	**655.03**	**305.69**	**960.72**
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**									
54. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	54. Ministry of Information and Broadcasting									
भारित	*Charged*	*0.02*	...	*0.02*	*0.01*	...	*0.01*	*0.02*	...	*0.02*
स्वीकृत	Voted	114.51	17.56	132.07	121.21	12.42	133.63	133.85	18.86	152.71
जोड़	**Total**	**114.53**	**17.56**	**132.09**	**121.22**	**12.42**	**133.64**	**133.87**	**18.86**	**152.73**
55. प्रसारण सेवाएं	55. Broadcasting Services									
भारित	*Charged*	*0.06*	*0.60*	*0.66*	*0.07*	*0.82*	*0.89*	*0.06*	*0.60*	*0.66*
स्वीकृत	Voted	1103.63	255.31	1358.94	1140.19	254.63	1394.82	1292.97	302.15	1595.12
जोड़	**Total**	**1103.69**	**255.91**	**1359.60**	**1140.26**	**255.45**	**1395.71**	**1293.03**	**302.75**	**1595.78**
श्रम मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR**									
56. श्रम मंत्रालय	56. Ministry of Labour									
भारित	*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.02*	...	*0.02*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत	Voted	567.11	0.98	568.09	554.26	1.10	555.36	567.79	1.10	568.89
जोड़	**Total**	**567.12**	**0.98**	**568.10**	**554.28**	**1.10**	**555.38**	**567.80**	**1.10**	**568.90**
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**									
57. विधि और न्याय	57. Law and Justice									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	126.36	...	126.36	352.00	...	352.00	351.62	...	351.62
जोड़	**Total**	**126.36**	**...**	**126.36**	**352.00**	**...**	**352.00**	**351.62**	**...**	**351.62**
58. कम्पनी कार्य विभाग	58. Election Commission									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	2.49	...	2.49	3.24	...	3.24	3.29	...	3.29
जोड़	**Total**	**2.49**	**...**	**2.49**	**3.24**	**...**	**3.24**	**3.29**	**...**	**3.29**
59. विनियोजन भारत का उच्चतम न्यायालय	59. Appropriation-Supreme Court of India									
भारित	*Charged*	*10.34*	...	*10.34*	*14.63*	...	*14.63*	*11.71*	...	*11.71*
स्वीकृत	Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**	**10.34**	**...**	**10.34**	**14.63**	**...**	**14.63**	**11.71**	**...**	**11.71**
60. कम्पनी कार्य विभाग	60. Department of Company Affairs									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	15.44	0.01	15.45	15.44	0.01	15.45	16.36	0.01	16.37
जोड़	Total	15.44	0.01	15.45	15.44	0.01	15.45	16.36	0.01	16.37

(करोड़ रुपए) (in crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
खान मंत्रालय	**MINISTRY OF MINES**										
61. खान मंत्रालय	61. Ministry of Mines										
		भारित *Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*
		स्वीकृत Voted	207.17	47.73	254.90	188.75	47.73	236.48	168.53	28.97	197.50
		जोड़ **Total**	**207.22**	**47.73**	**254.95**	**188.80**	**47.73**	**236.53**	**168.58**	**28.97**	**197.55**
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**										
62. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	62. Ministry of Non-Conventional Energy Sources										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	212.20	14.18	226.38	212.20	37.18	249.38	224.33	24.05	248.38
		जोड़ **Total**	**212.20**	**14.18**	**226.38**	**212.20**	**37.18**	**249.38**	**224.33**	**24.05**	**248.38**
संसदीय कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**										
63. संसदीय कार्य मंत्रालय	63. Ministry of Parliamentary Affairs										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	1.73	...	1.73	1.73	...	1.73	1.76	...	1.76
		जोड़ **Total**	**1.73**	**...**	**1.73**	**1.73**	**...**	**1.73**	**1.76**	**...**	**1.76**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**										
64. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	64. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions										
		भारित *Charged*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*
		स्वीकृत Voted	74.31	2.79	77.10	76.42	2.49	78.91	80.79	2.00	82.79
		जोड़ **Total**	**74.31**	**8.79**	**83.10**	**76.42**	**8.49**	**84.91**	**80.79**	**8.00**	**88.79**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**										
65. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65. Ministry of Petroleum and Natural Gas										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	2.75	135.90	138.65	2.75	684.35	687.10	2.75	4.29	7.04
		जोड़ **Total**	**2.75**	**135.90**	**138.65**	**2.75**	**684.35**	**687.10**	**2.75**	**4.29**	**7.04**
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**MINISTRY OF PLANNING & PROGRAMME IMPLEMENTATION**										
66. योजना	66. Planning										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	118.35	21.50	139.85	89.01	30.50	119.51	113.88	25.40	139.28
		जोड़ **Total**	**118.35**	**21.50**	**139.85**	**89.01**	**30.50**	**119.51**	**113.88**	**25.40**	**139.28**
67. सांख्यिकी विभाग	67. Department of Statistics										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	67.70	3.58	71.28	63.37	3.58	66.95	68.93	5.77	74.70
		जोड़ **Total**	**67.70**	**3.58**	**71.28**	**63.37**	**3.58**	**66.95**	**68.93**	**5.77**	**74.70**
68. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	68. Department of Programme Implementation										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	0.88	...	0.88	1.10	...	1.10	791.04	...	791.04
		जोड़ **Total**	**0.88**	**...**	**0.88**	**1.10**	**...**	**1.10**	**791.04**	**...**	**791.04**
विद्युत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER**										
69. विद्युत मंत्रालय	69. Ministry of Power										
		भारित *Charged*	...	*4.00*	*4.00*	...	*15.00*	*15.00*	...	*3.30*	*3.30*
		स्वीकृत Voted	526.24	3120.44	3646.68	512.53	2800.95	3313.48	575.22	2815.84	3391.06
		जोड़ **Total**	**526.24**	**3124.44**	**3650.68**	**512.53**	**2815.95**	**3328.48**	**575.22**	**2819.14**	**3394.36**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**										
70. ग्रामीण विकास विभाग	70. Department of Rural Development										
		भारित *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	7023.76	1.00	7024.76	7336.92	0.01	7336.93	7718.16	...	7718.16
		जोड़ Total	7023.76	1.00	7024.76	7336.92	0.01	7336.93	7718.16	...	7718.16

(करोड़ रुपए) (in crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
71. बंजर भूमि विकास विभाग	71. Department of Waste-lands Development										
		भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	60.26	...	60.26	60.26	...	60.26	60.28	...	60.28
		जोड़ **Total**	**60.26**	**...**	**60.26**	**60.26**	**...**	**60.26**	**60.28**	**...**	**60.28**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**										
72. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	72. Department of Science and Technology										
		भारित Charged	...	...	...	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
		स्वीकृत Voted	354.38	35.72	390.10	366.63	33.99	400.62	385.87	35.97	421.84
		जोड़ **Total**	**354.38**	**35.72**	**390.10**	**366.64**	**33.99**	**400.63**	**385.88**	**35.97**	**421.85**
73. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	73. Department of Scientific and Industrial Research.										
		भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	355.40	5.05	360.45	372.11	7.72	379.83	402.04	8.99	411.03
		जोड़ **Total**	**355.40**	**5.05**	**360.45**	**372.11**	**7.72**	**379.83**	**402.04**	**8.99**	**411.03**
74. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	74. Department of Biotechnology										
		भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	89.03	1.20	90.23	89.03	1.20	90.23	96.52	...	96.52
		जोड़ **Total**	**89.03**	**1.20**	**90.23**	**89.03**	**1.20**	**90.23**	**96.52**	**...**	**96.52**
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**										
75. इस्पात मंत्रालय	75. Ministry of Steel										
		भारित Charged	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.02*	*0.02*
		स्वीकृत Voted	32.67	350.05	382.72	42.67	347.05	389.72	4.89	289.55	294.44
		जोड़ **Total**	**32.67**	**350.10**	**382.77**	**42.67**	**347.10**	**389.77**	**4.89**	**289.57**	**294.46**
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**										
76. जल-भूतल परिवहन	76. Surface Transport										
		भारित Charged	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.75*	*0.75*
		स्वीकृत Voted	88.21	46.75	134.96	84.78	50.75	135.53	38.16	48.60	86.76
		जोड़ **Total**	**88.21**	**46.95**	**135.16**	**84.78**	**50.95**	**135.73**	**38.16**	**49.35**	**87.51**
77. सड़कें	77. Roads	भारित Charged	*0.40*	*8.21*	*8.61*	*0.40*	*7.96*	*8.36*	*0.40*	*12.20*	*12.60*
		स्वीकृत Voted	495.00	775.35	1270.35	669.84	825.97	1495.81	563.12	944.71	1507.83
		जोड़ **Total**	**495.40**	**783.56**	**1278.96**	**670.24**	**833.93**	**1504.17**	**563.52**	**956.91**	**1520.43**
78. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	78. Ports, Lighthouses and Shipping										
		भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	242.16	257.68	499.84	316.33	252.68	569.01	180.73	272.31	453.04
		जोड़ **Total**	**242.16**	**257.68**	**499.84**	**316.33**	**252.68**	**569.01**	**180.73**	**272.31**	**453.04**
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**										
79. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	79. Ministry of Textiles										
		भारित Charged	...	*3.00*	*3.00*	...	*13.00*	*13.00*	...	...	...
		स्वीकृत Voted	716.60	69.40	786.00	666.14	203.40	869.54	549.23	27.04	576.27
		जोड़ **Total**	**716.60**	**72.40**	**789.00**	**666.14**	**216.40**	**882.54**	**549.23**	**27.04**	**576.27**
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**										
80. शहरी विकास और आवास	80. Urban Development and Housing										
		भारित Charged	*7.25*	*26.59*	*33.84*	*10.82*	*26.77*	*37.59*	*8.91*	*37.44*	*46.35*
		स्वीकृत Voted	345.93	199.82	545.75	366.66	250.19	616.85	514.64	197.60	712.24
		जोड़ **Total**	**353.18**	**226.41**	**579.59**	**377.48**	**276.96**	**654.44**	**523.55**	**235.04**	**758.59**
81. लोक निर्माण कार्य	81. Public Works										
		भारित Charged	*0.20*	*0.45*	*0.65*	*139.23*	*0.57*	*139.80*	*0.50*	*0.46*	*0.96*
		स्वीकृत Voted	316.53	162.36	478.89	363.91	187.24	551.15	362.76	195.11	557.87
		जोड़ **Total**	**316.73**	**162.81**	**479.54**	**503.14**	**187.81**	**690.95**	**363.26**	**195.57**	**558.83**
82. लेखन सामग्री और मुद्रण	82. Stationary and Printing										
		भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	134.37	6.00	140.37	137.27	6.00	143.27	141.09	5.50	146.59
		जोड़ Total	134.37	6.00	140.37	137.27	6.00	143.27	141.09	5.50	146.59

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है		No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल संसाधन मंत्रालय		**MINISTRY OF WATER RESOURCES**										
83. जल संसाधन मंत्रालय	भारित	83. Ministry of Water Resourses	*Charged*	*0.02*	*32.00*	*32.02*	*0.01*	*32.00*	*32.01*	*0.01*	*30.00*	*30.01*
	स्वीकृत		Voted	339.58	21.25	360.83	312.96	27.60	340.56	370.00	27.34	397.34
	जोड़		**Total**	**339.60**	**53.25**	**392.85**	**312.97**	**59.60**	**372.57**	**370.01**	**57.34**	**427.35**
कल्याण मंत्रालय		**MINISTRY OF WELFARE**										
84. कल्याण मंत्रालय	भारित	84. Ministry of Welfare	*Charged*	*385.58*	...	*385.58*	*385.58*	...	*385.58*	*465.33*	...	*465.33*
	स्वीकृत		Voted	614.85	85.82	700.67	622.76	181.58	804.34	679.41	185.67	865.08
	जोड़		**Total**	**1000.43**	**85.82**	**1086.25**	**1008.34**	**181.58**	**1189.92**	**1144.74**	**185.67**	**1330.41**
परमाणु ऊर्जा विभाग		**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**										
85. परमाणु ऊर्जा	भारित	85. Atomic Energy	*Charged*	*0.04*	*0.02*	*0.06*	*0.07*	*0.06*	*0.13*	*0.17*	*0.01*	*0.18*
	स्वीकृत		Voted	581.78	652.56	1234.34	558.44	590.31	1148.75	591.38	666.73	1258.11
	जोड़		**Total**	**581.82**	**652.58**	**1234.40**	**558.51**	**590.37**	**1148.88**	**591.55**	**666.74**	**1258.29**
86. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	भारित	86. Nuclear Power Schemes	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	534.63	200.00	734.63	433.09	200.00	633.09	516.01	300.00	816.01
	जोड़		**Total**	**534.63**	**200.00**	**734.63**	**433.09**	**200.00**	**633.09**	**516.01**	**300.00**	**816.01**
इलेक्ट्रानिकी विभाग		**DEPARTMENT OF ELECTRONICS**										
87. इलेक्ट्रानिकी विभाग	भारित	87. Department of Electronics	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	151.10	25.22	176.32	153.48	25.22	178.70	158.63	21.52	180.15
	जोड़		**Total**	**151.10**	**25.22**	**176.32**	**153.48**	**25.22**	**178.70**	**158.63**	**21.52**	**180.15**
महासागर विकास विभाग		**DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT**										
88. महासागर विकास विभाग	भारित	88. Department of Ocean Development	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	48.30	10.70	59.00	53.70	5.30	59.00	56.69	9.25	65.94
	जोड़		**Total**	**48.30**	**10.70**	**59.00**	**53.70**	**5.30**	**59.00**	**56.69**	**9.25**	**65.94**
अन्तरिक्ष विभाग		**DEPARTMENT OF SPACE**										
89. अन्तरिक्ष विभाग	भारित	89. Department of Space	*Charged*	*0.09*	*0.12*	*0.21*	*0.09*	*0.03*	*0.12*	*0.09*	*0.03*	*0.12*
	स्वीकृत		Voted	632.70	122.09	754.79	661.09	113.79	774.88	832.50	84.14	916.64
	जोड़		**Total**	**632.79**	**122.21**	**755.00**	**661.18**	**113.82**	**775.00**	**832.59**	**84.17**	**916.76**
संसद, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति का सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		**PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT, VICEPRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**										
90. लोक सभा	भारित	90. Lok Sabha	*Charged*	*0.15*	...	*0.15*	*0.16*	...	*0.16*	*0.16*	...	*0.16*
	स्वीकृत		Voted	38.85	...	38.85	44.93	...	44.93	48.80	...	48.80
	जोड़		**Total**	**39.00**	...	**39.00**	**45.09**	...	**45.09**	**48.96**	...	**48.96**
91. राज्य सभा	भारित	91. Rajya Sabha	*Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*0.07*	...	*0.07*	*0.07*	...	*0.07*
	स्वीकृत		Voted	16.45	...	16.45	20.28	...	20.28	24.99	...	24.99
	जोड़		**Total**	**16.50**	...	**16.50**	**20.35**	...	**20.35**	**25.06**	...	**25.06**
92. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	भारित	92. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	*Charged*	*4.85*	...	*4.85*	*4.81*	...	*4.81*	*4.84*	...	*4.84*
	स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		**Total**	**4.85**	...	**4.85**	**4.81**	...	**4.81**	**4.84**	...	**4.84**
93. उपराष्ट्रपति का सचिवालय	भारित	93. Secretariat of the Vice-President	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	0.32	...	0.32	0.34	...	0.34	0.39	...	0.39
	जोड़		**Total**	**0.32**	...	**0.32**	**0.34**	...	**0.34**	**0.39**	...	**0.39**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1994-95 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1995-96 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
94. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	94. Appropriation - Union Public Service Commission										
भारित		*Charged*	*18.27*	...	*18.27*	*18.81*	...	*18.81*	*19.38*	...	*19.38*
स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**Total**	**18.27**	**...**	**18.27**	**18.81**	**...**	**18.81**	**19.38**	**...**	**19.38**
गृह मंत्रालय-संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS - UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)**										
95. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95. Andaman & Nicobar Islands										
भारित		*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत		Voted	220.93	201.70	422.63	237.93	200.32	438.25	296.58	176.44	473.02
जोड़		**Total**	**220.94**	**201.70**	**422.64**	**237.94**	**200.32**	**438.26**	**296.59**	**176.44**	**473.03**
96. दादर और नागर हवेली	96. Dadra & Nagar Haveli										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	48.78	19.41	68.19	49.28	21.41	70.69	64.53	19.98	84.51
जोड़		**Total**	**48.78**	**19.41**	**68.19**	**49.28**	**21.41**	**70.69**	**64.53**	**19.98**	**84.51**
97. लक्षद्वीप	97. Lakshadweep										
भारित		*Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*1.16*	...	*1.16*	*0.75*	...	*0.75*
स्वीकृत		Voted	96.75	17.55	114.30	99.31	18.62	117.93	114.29	15.94	130.23
जोड़		**Total**	**96.80**	**17.55**	**114.35**	**100.47**	**18.62**	**119.09**	**115.04**	**15.94**	**130.98**
98. चंडीगढ़	98. Chandigarh										
भारित		*Charged*	*9.03*	*1.00*	*10.03*	*9.03*	*1.00*	*10.03*	*9.46*	*1.00*	*10.46*
स्वीकृत		Voted	305.68	63.93	369.61	319.90	63.26	383.16	339.23	66.17	405.40
जोड़		**Total**	**314.71**	**64.93**	**379.64**	**328.93**	**64.26**	**393.19**	**348.69**	**67.17**	**415.86**
99. दमन और दीव	99. Daman & Diu										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	43.74	16.25	59.99	44.04	19.33	63.37	56.72	14.88	71.60
जोड़		**Total**	**43.74**	**16.25**	**59.99**	**44.04**	**19.33**	**63.37**	**56.72**	**14.88**	**71.60**
कुल जोड़ भारित	***GRAND TOTAL***	***Charged***	*66948.97*	*183155.67*	*250104.64*	*65156.13*	*187908.47*	*253064.60*	*77285.22*	*201674.57*	*278959.79*
स्वीकृत		Voted	92414.44	33074.73	125489.17	97300.74	33602.10	130902.84	100598.60	28863.27	129461.87
जोड़		**Total**	**159363.41**	**216230.40**	**375593.81**	**162456.87**	**221510.57**	**383967.44**	**177883.82**	**230537.84**	**408421.66**
घटाइए-खर्च को कम करके दिखाई गई वसूलियां	*Less amount of recoveries shown in reduction of expenditure*		*-4519.26*	*-8229.58*	*-12748.84*	*-4106.31*	*-8970.55*	*-13076.86*	*-4126.30*	*-8281.39*	*-12407.69*
निवल जोड़		**Net Total**	**154844.15**	**208000.82**	**362844.97**	**158350.56**	**212540.02**	**370890.58**	**173757.52**	**222256.45**	**396013.97**

13

The Appropriation (Vote on Account) Act, 1995
(No. 12 of 1995)

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGISTERED No. DL-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917
No. 17] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31*st March*, 1995/*Chaitra* 10, 1917 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st March, 1995 and is published for general information:—

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 1995

No. 12 of 1995

[31*st March*, 1995.]

An Act to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1995-96.

Be it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Appropriation (Vote on Account) Act, 1995.

Withdrawal of Rs. 69871,62,00,000 from and out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1995-96.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of sixty-nine thousand eight hundred and seventy-one crores and sixty-two lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1995-96.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Construction of references to Ministries and Departments in the Schedule.

4. References to the Ministries or Departments in the Schedule are to such Ministries or Departments as existing immediately before the 1st March, 1995 and shall on or after that date be construed as references to the appropriate Ministries or Departments as constituted from time to time.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2, 3 and 4)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Agriculture . .	Revenue Capital	235,13,00,000 1,91,00,000	.. *6,33,00,000*	235,13,00,000 8,24,00,000
2	Other Services of Department of Agriculture and Cooperation .	Revenue Capital	37,16,00,000 50,87,00,000	.. *10,49,00,000*	37,16,00,000 61,36,00,000
3	Department of Agricultural Research and Education . .	Revenue	91,48,00,000	..	91,48,00,000
4	Department of Animal Husbandry and Dairying	Revenue Capital	47,80,00,000 32,59,00,000	.. ..	47,80,00,000 32,59,00,000
5	Department of Chemicals and Petrochemicals	Revenue Capital	18,73,00,000 4,04,00,000	.. ..	18,73,00,000 4,04,00,000
6	Department of Fertilizers	Revenue Capital	1063,72,00,000 40,85,00,000	*1,00,000* ..	1063,73,00,000 40,85,00,000
7	Department of Civil Aviation . .	Revenue Capital	11,94,00,000 8,85,00,000	.. ..	11,94,00,000 8,85,00,000
8	Department of Tourism . . .	Revenue Capital	15,41,00,000 2,74,00,000	.. ..	15,41,00,000 2,74,00,000
9	Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution . .	Revenue Capital	4,45,00,000 15,00,000	.. *1,17,00,000*	4,45,00,000 1,32,00,000
10	Ministry of Coal .	Revenue Capital	29,21,00,000 74,36,00,000	.. ..	29,21,00,000 74,36,00,000
11	Department of Commerce . . .	Revenue Capital	105,89,00,000 14,42,00,000	.. ..	105,89,00,000 14,42,00,000
12	Department of Supply	Revenue	5,45,00,000	*15,00,000*	5,60,00,000
13	Department of Posts .	Revenue Capital	372,69,00,000 12,31,00,000	*1,00,000* ..	372,70,00,000 12,31,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
14	Department of Telecommunication .	Revenue	1584,36,00,000	*5,00,000*	1584,41,00,000
		Capital	1159,17,00,000	*1,00,000*	1159,18,00,000
15	Ministry of Defence .	Revenue	337,80,00,000	*2,00,000*	337,82,00,000
		Capital	3,42,00,000	*1,00,00,000*	4,42,00,000
16	Defence Pensions .	Revenue	476,13,00,000	*4,00,000*	476,17,00,000
17	Defence Services—Army	Revenue	2140,49,00,000	*84,00,000*	2141,33,00,000
18	Defence Services—Navy	Revenue	261,29,00,000	*44,00,000*	261,73,00,000
19	Defence Services—Air Force . . .	Revenue	710,72,00,000	*10,00,000*	710,82,00,000
20	Defence Ordnance Factories . . .	Revenue	118,07,00,000	*20,00,000*	118,27,00,000
21	Capital Outlay on Defence Services .	Capital	1224,55,00,000	*1,20,00,000*	1225,75,00,000
22	Ministry of Environment and Forests .	Revenue	71,39,00,000	..	71,39,00,000
		Capital	1,19,00,000	..	1,19,00,000
23	Ministry of External Affairs . . .	Revenue	191,81,00,000	*1,00,000*	191,82,00,000
		Capital	7,84,00,000	..	7,84,00,000
24	Department of Economic Affairs . .	Revenue	579,70,00,000	*1,00,000*	579,71,00,000
		Capital	27,67,00,000	..	27,67,00,000
25	Currency, Coinage and Stamps . . .	Revenue	112,96,00,000	*15,00,000*	113,11,00,000
		Capital	59,99,00,000	..	59,99,00,000
26	Payments to Financial Institutions . .	Revenue	132,14,00,000	..	132,14,00,000
		Capital	1053,96,00,000	..	1053,96,00,000
	CHARGED.—*Interest Payments* . .	Revenue	..	*8666,65,00,000*	8666,65,00,000
28	Transfers to State and Union territory Governments .	Revenue	1416,46,00,000	*4122,16,00,000*	5538,62,00,000
		Capital	79,17,00,000	*2747,98,00,000*	2827,15,00,000
29	Loans to Government Servants, etc. .	Capital	49,00,00,000	..	49,00,00,000
	CHARGED.—*Repayment of Debt* .	Capital	..	*30821,38,00,000*	30821,38,00,000
31	Department of Expenditure . .	Revenue	2,28,00,000	..	2,28,00,000
32	Pensions	Revenue	165,94,00,000	*42,00,000*	166,36,00,000
33	Audit	Revenue	66,85,00,000	*2,35,00,000*	69,20,00,000
34	Department of Revenue . . .	Revenue	52,44,00,000	*1,00,000*	52,45,00,000
		Capital	89,00,000	..	89,00,000
35	Direct Taxes . .	Revenue	66,66,00,000	*1,00,000*	66,67,00,000
		Capital	28,25,00,000	..	28,25,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
36	Indirect Taxes .	Revenue	100,80,00,000	12,00,000	100,92,00,000
		Capital	35,95,00,000	..	35,95,00,000
37	Ministry of Food .	Revenue	903,71,00,000	1,00,000	903,72,00,000
		Capital	27,69,00,000	..	27,69,00,000
38	Ministry of Food Processing Industries .	Revenue	6,85,00,000	..	6,85,00,000
		Capital	1,50,00,000	..	1,50,00,000
39	Department of Health	Revenue	181,84,00,000	1,00,000	181,85,00,000
		Capital	61,23,00,000	1,00,000	61,24,00,000
40	Department of Family Welfare . .	Revenue	315,89,00,000	..	315,89,00,000
		Capital	3,00,000	..	3,00,000
41	Ministry of Home Affairs . .	Revenue	47,38,00,000	1,00,000	47,39,00,000
		Capital	2,70,00,000	..	2,70,00,000
42	Cabinet	Revenue	8,44,00,000	..	8,44,00,000
43	Police	Revenue	498,98,00,000	8,00,000	499,06,00,000
		Capital	69,08,00,000	5,98,00,000	75,06,00,000
44	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs . . .	Revenue	62,24,00,000	1,00,000	62,25,00,000
		Capital	32,74,00,000	1,36,00,000	34,10,00,000
45	Transfers to Union territory Governments . . .	Revenue	39,15,00,000	..	39,15,00,000
		Capital	41,56,00,000	..	41,56,00,000
46	Department of Education . . .	Revenue	450,42,00,000	..	450,42,00,000
		Capital	9,00,000	16,00,000	25,00,000
47	Department of Youth Affairs and Sports .	Revenue	21,78,00,000	..	21,78,00,000
		Capiial	34,00,000	..	34,00,000
48	Department of Culture . . .	Revenue	32,62,00,000	..	32,62,00,000
49	Department of Women and Child Development . .	Revenue	129,15,00,000	..	129,15,00,000
50	Department of Industrial Development	Revenue	130,43,00,000	..	130,43,00,000
		Capital	23,00,000	..	23,00,000
51	Department of Heavy Industry . . .	Revenue	3,33,00,000	..	3,33,00,000
		Capital	39,92,00,000	..	39,92,00,000
52	Department of Public Enterprises . .	Revenue	27,00,000	..	27,00,000
53	Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries . .	Revenue	109,17,00,000	..	109,17,00,000
		Capital	50,89,00,000	6,00,000	50,95,00,000
54	Ministry of Information and Broadcasting . . .	Revenue	22,31,00,000	1,00,000	22,32,00 000
		Capiial	3,14,00,000	..	3,14,00 000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
55	Broadcasting Services .	Revenue Capital	215,50,00,000 50,36,00,000	*1,00,000* *10,00,000*	215,51,00,000 50,46,00,000
56	Ministry of Labour .	Revenue Capital	94,63,00,000 18,00,000	*1,00,000* ..	94,64,00,000 18,00,000
57	Law and Justice .	Revenue	58,60,00,000	..	58,60,00,000
58	Election Commission	Revenue	55,00,000	..	55,00,000
	CHARGED.—*Supreme Court of India* . .	Revenue	..	*1,96,00,000*	1,96,00,000
60	Department of Company Affairs . .	Revenue Capital	273,00.000 1,00,000	.. ..	2,73,00,000 1,00,000
61	Ministry of Mines .	Revenue Capital	28,09,00,000 4,83,00,000	*1,00,000* ..	28,10,00,000 4,83,00,000
62	Ministry of Non-Conventional Energy Sources . . .	Revenue Capital	37,39,00,000 4,01,00,000	.. ..	37,39,00,000 4,01,00,000
63	Ministry of Parliamentary Affairs . .	Revenue	29,00,000	..	29,00,000
64	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions . . .	Revenue Capital	13,46,00,000 33,00,000	.. *1,00,00,000*	13,46,00,000 1,33,00,000
65	Ministry of Petroleum and Natural Gas .	Revenue Capital	46,00,000 71,00,000	.. ..	46,00,000 71,00,000
66	Planning . . .	Revenue Capital	18,98,00,000 4,23,00,000	.. ..	18,98,00,000 4,23,00,000
67	Department of Statistics	Revenue Capital	11,49,00,000 96,00,000	.. ..	11,49,00,000 96,00,000
68	Department of Programme Implementation . . .	Revenue	131,84,00,000	..	131,84,00,000
69	Ministry of Power .	Revenue Capital	95,87,00,000 469,31,00,000	.. *55,00,000*	95,87,00,000 469,86,00,000
70	Department of Rural Development . .	Revenue	2286,36,00,000	..	2286,36,00,000
71	Department of Wastelands Development .	Revenue	17,80,00,000	..	17,80,00,000
72	Department of Science and Technology .	Revenue Capital	64,31,00,000 6,00,00,000	*1,00,000* ..	64,32,00,000 6,00,00,000
73	Department of Scientific and Industrial Research . .	Revenue Capital	67,01,00,000 1,50,00,000	.. ..	67,01,00,000 1,50,00,000
74	Department of Biotechnology . .	Revenue	16,09,00,000	..	16,09,00,000
75	Ministry of Steel . .	Revenue Capital	81,00,000 48,26,00,000	.. *1,00,000*	81,00,000 48,27,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
76	Surface Transport .	Revenue	6,36,00,000		6,36,00,000
		Capital	8,10,00,000	*12,00,000*	8,22,00,000
77	Roads . . .	Revenue	93,85,00,000	*6,00,000*	93,91,00,000
		Capital	157,45,00,000	*2,03,00,000*	159,48,00,000
78	Ports, Lighthouses and Shipping . . .	Revenue	30,12,00,000	..	30,12,00,000
		Capital	45,38,00,000	..	45,38,00,000
79	Ministry of Textiles .	Revenue	91,54,00,000		91,54,00,000
		Capital	4,51,00,000	..	4,51,00,000
80	Urban Development and Housing . .	Revenue	85,77,00,000	*1,48,00,000*	87,25,00,000
		Capital	32,93,00,000	*6,24,00,000*	39,17,00,000
81	Public Works . .	Revenue	60,46,00,000	*8,00,000*	60,54,00,000
		Capital	32,52,00,000	*7,00,000*	32,59,00,000
82	Stationery and Printing	Revenue	23,51,00,000	..	23,51,00,000
		Capital	92,00,000	..	92,00,000
83	Ministry of Water Resources . .	Revenue	61,67,00,000	*1,00,000*	61,68,00,000
		Capital	4,56,00,000	*5,00,00,000*	9,56,00,000
84	Ministry of Welfare .	Revenue	162,40,00,000	*127,55,00,000*	289,95,00,000
		Capital	30,78,00,000	..	30,78,00,000
85	Atomic Energy	Revenue	98,56,00,000	*3,00,000*	98,59,00,000
		Capital	111,12,00,000	*1,00,000*	111,13,00,000
86	Nuclear Power Schemes	Revenue	86,00,00,000	..	86,00,00,000
		Capital	50,00,00,000	..	50,00,00,000
87	Department of Electronics . . .	Revenue	26,44,00,000	..	26,44,00,000
		Capital	3,59,00,000	..	3,59,00,000
88	Department of Ocean Development . .	Revenue	9,45,00,000	..	9,45,00,000
		Capital	1,54,00,000	..	1,54,00,000
89	Department of Space	Revenue	138,75,00,000	*1,00,000*	138,76,00,000
		Capital	14,02,00,000	*1,00,000*	14,03,00,000
90	Lok Sabha . .	Revenue	8,13,00,000	*3,00,000*	8,16,00,000
91	Rajya Sabha . .	Revenue	4,16,00,000	*1,00,000*	4,17,00,000
	CHARGED.—*Staff, Household and Allowances of the President*	Revenue	..	*80,00,000*	80,00,000
93	Secretariat of the Vice-President . . .	Revenue	6,00,000	..	6,00,000
	CHARGED.—*Union Public Service Commission* . . .	Revenue	..	*3,23,00,000*	3,23,00,000
95	Andaman and Nicobar Islands . .	Revenue	49,43,00,000	*1,00,000*	49,44,00,000
		Capital	29,41,00,000	..	29,41,00,000
96	Dadra and Nagar Haveli . . .	Revenue	10,75,00,000	..	10,75,00,000
		Capital	3,33,00,000	..	3,33,00,000

1	2		3		
No. of vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
97	Lakshadweep . .	Revenue Capital	19,05,00,000 2,66,00,000	*12,00,000* ..	19,17,00,000 2,66,00,000
98	Chandigarh . .	Revenue Capital	56,54,00,000 11,03,00,000	*1,57,00,000* *16,00,000*	58,11,00,000 11,19,00,000
99	Daman and Diu .	Revenue Capital	9,45,00,000 2,48,00,000	.. ..	9,45,00,000 2,48,00,000
	TOTAL . .		23328,32,00,000	*46543,30,00,000*	69871,62,00,000

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1995.

The Appropriation (No. 2) Act, 1995. (No. 23 of 1995)

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGISTERED No. DL-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Secton 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1995/ज्येष्ठ 6, 1917
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1995/JYAISTHA 6, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 27th May, 1995/Jyaistha 6, 1917 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 26th May, 1995, and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (No. 2) ACT, 1995

No. 23 OF 1995

[*26th May,* 1995.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1995-96.

BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (No. 2) Act, 1995. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Act, 1995] to the sum of four lakhs eight thousand four hundred and twenty-one crores and sixty-six lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1995-96 in respect of the services specified in column 2 of the Schedule. Issue of Rs. 408421,66,00,000 out of the Consolidated Fund of India for the year 1995-96. 12 of 1995.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

Construction of references to Ministries and Departments in the Schedule.

4. References to Ministries or Departments in the Schedule are to such Ministries or Departments as existing immediately before the 1st March, 1995 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries or Departments as reconstituted from time to time.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2, 3 and 4)

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Agriculture	Revenue	1410,78,00,000	..	1410,78,00,000
		Capital	11,44,00,000	*38,00,00,000*	49,44,00,000
2	Other Services of Department of Agriculture and Co-operation	Revenue	222,94,00,000	..	222,94,00,000
		Capital	305,22,00,000	*62,93,00,000*	368,15,00,000
3	Department of Agricultural Research and Education	Revenue	548,86,00,000	..	548,86,00,000
4	Department of Animal Husbandry and Dairying	Revenue	286,76,00,000	..	286,76,00,000
		Capital	195,57,00,000	..	195,57,00,000
5	Department of Chemicals and Petro-chemicals	Revenue	112,36,00,000	..	112,36,00,000
		Capital	24,24,00,000	..	24,24,00,000
6	Department of Fertilizers	Revenue	6382,31,00,000	*1,00,000*	6382,32,00,000
		Capital	245,10,00,000	..	245,10,00,000
7	Department of Civil Aviation	Revenue	71,62,00,000	..	71,62,00,000
		Capital	53,09,00,000	..	53,09,00,000
8	Department of Tourism	Revenue	92,45,00,000	..	92,45,00,000
		Capital	16,45,00,000	..	16,45,00,000
9	Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution	Revenue	26,69,00,000	..	26,69,00,000
		Capital	92,00,000	*7,01,00,000*	7,93,00,000
10	Ministry of Coal	Revenue	175,24,00,000	..	175,24,00,000
		Capital	446,19,00,000	..	446,19,00,000
11	Department of Commerce	Revenue	635,31,00,000	..	635,31,00,000
		Capital	86,50,00,000	..	86,50,00,000
12	Department of Supply	Revenue	32,71,00,000	*90,00,000*	33,61,00,000
13	Department of Posts	Revenue	2236,12,00,000	*1,00,000*	2236,13,00,000
		Capital	73,87,00,000	..	73,87,00,000
14	Department of Telecommunication	Revenue	9506,15,00,000	*30,00,000*	9506,45,00,000
		Capital	6954,99,00,000	*1,00,000*	6955,00,00,000
15	Ministry of Defence	Revenue	2026,76,00,000	*12,00,000*	2026,88,00,000
		Capital	20,52,00,000	*6,00,00,000*	26,52,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
16	Defence Pensions .	Revenue	2856,75,00,000	*25,00,000*	2857,00,00,000
17	Defence Services—Army	Revenue	12842,94,00,000	*5,07,00,000*	12848,01,00,000
18	Defence Services—Navy	Revenue	1567,71,00,000	*2,68,00,000*	1570,39,00,000
19	Defence Services—Air Force	Revenue	4264,27,00,000	*64,00,000*	4264,91,00,000
20	Defence Ordnance Factories . .	Revenue	708,40,00,000	*1,20,00,000*	709,60,00,000
21	Capital Outlay on Defence Services .	Capital	7347,31,00,000	*7,18,00,000*	7354,49,00,000
22	Ministry of Environment and Forests .	Revenue Capital	428,30,00,000 7,11,00,000	.. ..	428,30,00,000 7,11,00,000
23	Ministry of External Affairs . .	Revenue Capital	950,88,00,000 47,05,00,000	*2,00,000* ..	950,90,00,000 47,05,00,000
24	Department of Economic Affairs . .	Revenue Capital	3478,21,00,000 165,99,00,000	*5,00,000* ..	3478,26,00,000 165,99,00,000
25	Currency, Coinage and Stamps . .	Revenue Capital	677,77,00,000 359,93,00,000	*88,00,000* ..	678,65,00,000 359,93,00,000
26	Payments to Financial Institutions . .	Revenue Capital	792,84,00,000 2532,24,00,000	.. ..	792,84,00,000 2532,24,00,000
	CHARGED—*Interest Payments*	Revenue	..	*52000,00,00,000*	52000,00,00,000
28	Transfers to State and Union territory Governments . .	Revenue Capital	8498,75,00,000 475,00,00,000	*24733,00,00,000* *16487,91,00,000*	33231,75,00,000 16962,91,00,000
29	Loans to Government Servants, etc. . .	Capital	294,00,00,000		294,00,00,000
	CHARGED.—*Repayment of Debt* . .	Capital	..	*184928,28,00,000*	184928,28,00,000
31	Department of Expenditure	Revenue	13,67,00,000	..	13,67,00,000
32	Pensions . . .	Revenue	995,65,00,000	*2,56,00,000*	998,21,00,000
33	Audit	Revenue	401,08,00,000	*14,11,00,000*	415,19,00,000
34	Department of Revenue	Revenue Capital	138,60,00,000 5,36,00,000	*1,00,000* ..	138,61,00,000 5,36,00,000
35	Direct Taxes . .	Revenue Capital	399,98,00,000 169,53,00,000	*2,00,000* ..	400,00,00,000 169,53,00,000
36	Indirect Taxes .	Revenue Capital	604,83,00,000 215,70,00,000	*75,00,000* ..	605,58,000 215,70,00,000
37	Ministry of Food .	Revenue Capital	5422,28,00,000 166,13,00,000	*5,00,000* ..	5422,23,00,000 166,13,00,000

1	2	3		
		Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes	Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
38	Ministry of Food Processing Industries Revenue	41,13,00,000	..	41,13,00,000
	Capital	9,00,00,000	..	9,00,00,000
39	Department of Health . . . Revenue	1091,04,00,000	3,00,000	1091,07,00,000
	Capital	367,41,00,000	2,00,000	367,43,00,000
40	Department of Family Welfare . Revenue	1895,36,00,000	..	1895,36,00,000
	Capital	15,00,000	..	15,00,000
41	Ministry of Home Affairs . Revenue	284,31,00,000	7,00,000	284,38,00,000
	Capital	16,20,00,000	..	16,20,00,000
42	Cabinet . . Revenue	50,66,00,000	..	50,66,00,000
43	Police . . . Revenue	2993,88,00,000	52,00,000	2994,40,00,000
	Capital	414,51,00,000	35,90,00,000	450,41,00,000
44	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs . Revenue	373,48,00,000	3,00,000	373,51,00,000
	Capital	196,45,00,000	8,17,00,000	204,62,00,000
45	Transfers to Union territory Governments Revenue	234,92,00,000	..	234,92,00,000
	Capital	249,37,00,000	..	249,37,00,000
46	Department of Education . . . Revenue	2702,55,00,000	..	2702,55,00,000
	Capital	52,00,000	1,00,00,000	1,52,00,000
47	Department of Youth Affairs and Sports Revenue	130,67,00,000	..	130,67,00,000
	Capital	2,07,00,000	..	2,07,00,000
48	Department of Culture . . Revenue	195,73,00,000	..	195,73,00,000
49	Department of Women and Child Development . . Revenue	774,89,00,000	..	774,89,00,000
50	Department of Industrial Development Revenue	782,60,00,000		782,60,00,000
	Capital	1,37,00,000	..	1,37,00,000
51	Department of Heavy Industry . Revenue	20,01,00,000	..	20,01,00,000
	Capital	239,55,00,000	..	239,55,00,000
52	Department of Public Enterprises . Revenue	1,62,00,000	..	1,62,00,000
53	Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries . Revenue	655,03,00,000	..	655,03,00,000
	Capital	305,34,00,000	35,00,000	305,69,00,000
54	Ministry of Information and Broadcasting Revenue	133,85,00,000	2,00,000	133,87,00,000
	Capital	18,86,00,000	..	18,86,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
55	Broadcasting Services	Revenue Capital	1292,97,00,000 302,15,00,000	*6,00,000* *60,00,000*	1293,03,00,000 302,75,00,000
56	Ministry of Labour	Revenue Capital	567,79,00,000 1,10,00,000	*1,00,000* ..	567,80,00,000 1,10,00,000
57	Law and Justice .	Revenue	351,62,00,000	..	351,62,00,000
58	Election Commission	Revenue	3,29,00,000	..	3,29,00,000
59	CHARGED—*Supreme Court of India* .	Revenue	..	*11,71,00,000*	11,71,00,000
60	Department of Company Affairs .	Revenue Capital	16,36,00,000 1,00,000	.. ..	16,36,00,000 1,00,000
61	Ministry of Mines	Revenue Capital	168,53,00,000 28,97,00,000	*5,00,000* ..	168,58,00,000 28,97,00,000
62	Ministry of Non-Conventional Energy Sources . .	Revenue Capital	224,33,00,000 24,05,00,000	.. ..	224,33,00,000 24,05,00,000
63	Ministry of Parliamentary Affairs .	Revenue	1,76,00,000	..	1,76,00,000
64	Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions .	Revenue Capital	80,79,00,000 2,00,00,000	.. *6,00,00,000*	80,79,00,000 8,00,00,000
65	Ministry of Petroleum and Natural Gas . . .	Revenue Capital	2,75,00,000 4,29,00,000	.. ..	2,75,00,000 4,29,00,000
66	Planning . .	Revenue Capital	113,88,00,000 25,40,00,000	.. ..	113,88,00,000 25,40,00,000
67	Department of Statistics . . .	Revenue Capital	68,93,00,000 5,77,00,000	.. ..	68,93,00,000 5,77,00,000
68	Department of Programme Implementation .	Revenue	791,04,00,000	..	791,04,00,000
69	Ministry of Power	Revenue Capital	575,22,00,000 2815,84,00,000	.. *3,30,00,000*	575,22,00,000 2819,14,00,000
70	Department of Rural Development .	Revenue	7718,16,00,000	..	7718,16,00,000
71	Department of Waste-Lands Development	Revenue	60,28,00,000	..	60,28,00,000
72	Department of Science and Technology . . .	Revenue Capital	385,87,00,000 35,97,00,000	*1,00,000* ..	385,88,00,000 35,97,00,000
73	Department of Scientific and Industrial Research . .	Revenue Capital	402,04,00,000 8,99,00,000	.. ..	402,04,00,000 8,99,00,000
74	Department of Biotechnology .	Revenue	95,52,000,00	..	96,52,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
75	Ministry of Steel .	Revenue	4,89,00,000	..	4,89,00,000
		Capital	289,55,00,000	*2,00,000*	289,57,00,000
76	Surface Transport .	Revenue	38,16,00,000	..	38,16,00,000
		Capital	48,60,00,000	*75,00,000*	49,35,00,000
77	Roads . . .	Revenue	563,12,00,000	*40,00,000*	563,52,00,000
		Capital	944,71,00,000	*12,20,00,000*	956,91,00,000
78	Ports, Lighthouses and Shipping . .	Revenue	180,73,00,000	..	180,73,00,000
		Capital	272,31,00,000	..	272,31,00,000
79	Ministry of Textiles .	Revenue	549,23,00,000	..	549,23,00,000
		Capital	27,04,00,000	..	27,04,00,000
80	Urban Development and Housing . .	Revenue	514,64,00,000	*8,91,00,000*	523,55,00,000
		Capital	197,60,00,000	*37,44,00,000*	235,04,00,000
81	Public Works . .	Revenue	362,76,00,000	*50,00,000*	363,26,00,000
		Capital	195,11,00,000	*46,00,000*	195,57,00,000
82	Stationery and Printing	Revenue	141,09,00,000	..	141,09,00,000
		Capital	5,50,00,000	..	5,50,00,000
83	Ministry of Water Resources . . .	Revenue	370,00,00,000	*1,00,000*	370,01,00,000
		Capital	27,34,00,000	*30,00,00,000*	57,34,00,000
84	Ministry of Welfare .	Revenue	679,41,00,000	*465,33,00,000*	1144,74,00,000
		Capital	185,67,00,000	..	185,67,00,000
85	Atomic Energy .	Revenue	591,38,00,000	*17,00,000*	591,55,00,000
		Capital	666,73,00,000	*1,00,000*	666,74,00,000
86	Nuclear Power Schemes . . .	Revenue	516,01,00,000	..	516,01,00,000
		Capital	300,00,00,000	..	300,00,00,000
87	Department of Electronics . .	Revenue	158,63,00,000	..	158,63,00,000
		Capital	21,52,00,000	..	21,52,00,000
88	Department of Ocean Development . .	Revenue	56,69,00,000	..	56,69,00,000
		Capital	9,25,00,000	..	9,25,00,000
89	Department of Space	Revenue	832,50,00,000	*9,00,000*	832,59,00,000
		Capital	84,14,00,000	*3,00,000*	84,17,00,000
90	Lok Sabha . .	Revenue	48,80,00,000	*16,00,000*	48,96,00,000
91	Rajya Sabha . .	Revenue	24,99,00,000	*7,00,000*	25,06,00,000
	CHARGED.—*Staff, Household and Allowances of the President*	Revenue	..	*4,84,00,000*	4,84,00,000
93	Secretariat of the Vice-President . .	Revenue	39,00,000	..	39,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
	CHARGED—*Union Public Service Commission* .	Revenue	..	*19,38,00,000*	19,38,00,000
95	Andaman and Nicobar Islands . . .	Revenue Capital	296,58,00,000 176,44,00,000	*1,00,000* ..	296,59,00,000 176,44,00,000
96	Dadra and Nagar Haveli . . .	Revenue Capital	64,53,00,000 19,98,00,000	.. ..	64,53,00,000 19,98,00,000
97	Lakshadweep . .	Revenue Capital	114,29,00,000 15,94,00,000	*75,00,000* ..	115,04,00,000 15,94,00,000
98	Chandigarh . .	Revenue Capital	339,23,00,000 66,17,00,000	*9,46,00,000* *1,00,00,000*	348,69,00,000 67,17,00,000
99	Daman and Diu .	Revenue Capital	56,72,00,000 14,88,00,000	.. ..	56,72,00,000 14,88,00,000
	TOTAL . .		129461,87,00,000	*278959,79,00,000*	408421,66,00,00

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1995.

15

Economical and Functional Classification of the Central Government Budget for 1995-96

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य - संबंधी वर्गीकरण

AN ECONOMIC AND FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF THE CENTRAL GOVERNMENT BUDGET

1995-96

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग *DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS*
आर्थिक प्रभाग *ECONOMIC DIVISION*
नई दिल्ली *NEW DELHI*

1995

विषय-सूची CONTENTS

			पृष्ठ PAGE
प्रस्तावना	Preface		(i)
I. आर्थिक वर्गीकरण	I. Economic Classification	...	1
II. आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	II. Economic-cum-Functional Classification	...	15
परिशिष्ट	Appendix	...	24

प्रस्तावना

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य प्रभाग, बजट को आर्थिक विश्लेषण का एक उपयोगी माध्यम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से केन्द्रीय सरकार के बजटीय लेन-देनों का वर्गीकरण तैयार करता आ रहा है । संक्षेप में, इस वर्गीकरण के द्वारा केन्द्रीय सरकार के, जिसमें रेलवे तथा डाक व तार विभाग भी शामिल हैं, व्ययों और प्राप्तियों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण आर्थिक वर्गों के अनुसार किया गया है, जिसमें चालू खाते के खर्च को पूंजी परिव्यय से, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के व्यय को व्यक्तियों और संस्थाओं को किए गए अन्तरणों से, किस्म के अनुसार कर संबंधी प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से तथा उधारों और अन्तर-सरकारी ऋणों और अनुदानों आदि से अलग करके दिखाया गया है । इस रीति से पुनर्वर्गीकृत करके केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने वाली आमदनी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले व्ययों को लेन-देनों के महत्वपूर्ण वर्गों से संबंधित किया जा सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं । चूंकि राष्ट्रीय आय-वर्ग की सरकारी खाता पद्धति ही आर्थिक वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, इसलिए इस विश्लेषण में वही प्रणाली तथा सिद्धान्त प्रयोग में लाये गये हैं जो कि राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा प्रणाली में प्रयुक्त किए जाते हैं।

देश में आर्थिक आयोजना के समारम्भ के पश्चात्, वार्षिक आयोजना परिव्ययों को बजट सम्बन्धी परिव्ययों से एकीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुसार बजट सम्बन्धी परिव्ययों का और आगे विश्लेषण कार्य सम्बन्धी वर्गों के अनुसार किया जाता है । इस प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण से इस बात के विश्लेषण में सहायता मिलती है कि केन्द्रीय सरकार आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों या प्रयोजनों के लिए कितनी राशि आवंटित कर रही है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के लेनदेनों से संबंधित आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तैयार करने का काम 1967-68 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया, केन्द्रीय सरकार के 1995-96 के बजट का आर्थिक एवं कार्य-संबंधी वर्गीकरण पहले के वर्षों की प्रणाली के ही अनुरूप किया गया है । इस विश्लेषण के मुख्य-मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण भाग I और II में दिया गया है और इस वर्गीकरण में इस्तेमाल की गई विभिन्न मदों को कहां से प्राप्त किया गया है और इसके लिए औचित्य का आधार क्या है, इसे भी अन्त में तकनीकी परिशिष्ट में विस्तार से बताया गया है।

केन्द्रीय सरकार के 1995-96 के बजट के विश्लेषण से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार का खपत व्यय जो मजदूरी, वेतन और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आधारित है 1994-95 (संशोधित अनुमान) के 35465 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 (बजट अनुमान) में 38356 करोड़ रुपए हो गया है । केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण की रकम भी जो 1993-94 (वास्तविक) में 12765 करोड़ रुपए थी, काफी बढ़कर 1994-95 (संशोधित अनुमान) में 15304 करोड़ रुपए और 1995-96 (बजट अनुमान) में 16633 करोड़ रुपए हो जाएगी। केन्द्रीय सरकार के बजटीय

PREFACE

Since 1957-58, the Economic Division of the Ministry of Finance has been preparing an economic classification of the Central Government budgetary transactions to make the budget a more useful tool of economic analysis. In brief, this classification involves arranging the expenditures and receipts of the Central Government including those of railways and posts and telecommunications by significant economic categories distinguishing current from capital outlays, spending for goods and services from transfers to individuals and institutions, tax receipts by kind from other receipts, and from borrowing and inter-governmental loans and grants etc. Reclassified in this manner, the flows into and out of the Central Government can be related to important categories of transactions influencing the behaviour of the other sectors of the economy. Since the national income type of government account is the most prevalent form of an economic classification, the methodology and concepts used in this analysis are those used in the national income accounting system.

With the advent of economic planning in the country, annual plan outlays have been integrated with the budgetary outlays which called for a further analysis of budgetary outlays into functional categories. Such a functional classification helps in analysing how much the Central Government is allocating to different functions or purposes in accordance with the priorities laid down in the Plan. Accordingly since 1967-68, an economic-cum-functional classification of the Central Government transactions is being prepared.

The economic-cum-functional classification of the Central Government Budget 1995-96 presented in the following pages conforms to the pattern of the earlier years. The salient features of this analysis are summarised in Sections I and II, and the derivation of rationale of various items used in this classification have been explained in the Technical Appendix at the end.

Analysis of the Central Government Budget 1995-96 shows that the consumption expenditure of the Central Government composed of wages and salaries and purchase of goods and services will increase from Rs.35465 crore in 1994-95 (Revised Estimates) to Rs.38356 crore in 1995-96 (Budget Estimates). The Central Government's direct gross capital formation will increase from Rs.12765 crore in 1993-94 (Accounts) to Rs.15304 crore in 1994-95 (Revised

संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (अन्य क्षेत्रों को पूंजी निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता), दोनों के लिए कुल वित्तीय व्यवस्था की रकम, 1994-95 (संशोधित अनुमान) के 55272 करोड़ रुपए की तुलना में 1995-96 (बजट अनुमान) में 53263 करोड़ रुपए होगी। केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों (गैर-विभागीय उपक्रमों को "शेष अर्थव्यवस्था" के रूप में माना जाता है), की निवल निर्बचत वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में 20896 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1995-96 (बजट अनुमान) में 21071 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

केन्द्रीय सरकार के विकास संबंधी कार्यकलापों पर होने वाले खर्चों में सकल पूंजी निर्माण पर परिव्यय और आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर होने वाला चालू व्यय दोनों शामिल हैं । सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले आयोजनागत तथा आयोजना-भिन्न कुल व्यय मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार के कुल विकास व्यय के बराबर ही है । अनुमान है कि 1995-96 (बजट अनुमान) में यह व्यय 79996 करोड़ रुपए होगा जो कि उस वर्ष के लिए बजट में निर्धारित कुल व्यय की राशि के 44.4 प्रतिशत के बराबर है।

चूंकि दिल्ली एक राज्य बन चुका है इसलिए इस विवरण में दिल्ली के व्यय और प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है।

Estimates) and further to Rs.16633 crore in 1995-96 (Budget Estimates). The total financial provision for gross capital formation, both direct and indirect (financial assistance provided to other sectors for capital formation) out of the Central Government budgetary resources in 1995-96 (Budget Estimates) will be Rs.53263 crore compared with Rs.55272 crore in 1994-95 (Revised Estimates). The net dis-savings of the Central Government and its departmental under-takings (non-departmental undertakings are treated as "rest of the economy") are estimated as Rs.21071 crore in 1995-96 (B.E.) against Rs.20896 crore in 1994-95 (R.E.)

The Central Government's development expenditure includes both outlays on gross capital formation and current expenditure on economic and social services. The plan and non-plan expenditures in the Central Budget on economic and social services correspond broadly to the total deveopment expenditure of the Central Government. This is estimated at Rs.79996 crore in 1995-96 (Budget Estimates) and forms 44.4 per cent of the total expenditure budgeted for that year.

Since Delhi has become a State, the expenditure and receipt of Delhi are not included in this classification.

I. आर्थिक वर्गीकरण

इस खण्ड के अन्त में 1995-96 के केन्द्रीय सरकार के बजट के पुनः वर्गीकृत आंकड़ों के छः विवरण दिये गये हैं । इस लेखा प्रणाली से जिन महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है वे ये हैं:-

(क) केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय,
(ख) केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिव्यय,
(ग) केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध संसाधनों से मिली पूंजी,
(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी बचतें,
(ड.) केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी लेन-देनो में होने वाले घाटे घाटे के विभिन्न स्तर, और
(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा आय का निर्माण ।

I. ECONOMIC CLASSIFICATION

A set of six accounts containing the relcassified data from the Central Government Budget for 1995-96 is placed at the end of this section. Some significant magnitudes emerging from this system of accounts are:

(a) The Central Government's total expenditure;
(b) The Central Government's final outlays;
(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government;
(d) Net capital formation and savings of the Central Government;
(e) The various measures of deficit in the Central Government's budgetary transactions; and
(f) Income generation by the Central Government.

(क) कुल व्यय

2. अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय जो 1994-95 (संशोधित अनुमान) में 169439 करोड़ रुपए था यह बढ़कर 1995-96 (बजट अनुमान) में 180158 करोड़ रुपए हो जाएगा अर्थात् यह 6.3 प्रतिशत की वृद्धि है । मुख्य व्ययों का आवंटन इस प्रकार है :

(a) Total Expenditure

2. The total expenditure of the Central Government is estimated to increase from Rs. 169439 crore in 1994-95 (Revised Estimates) to Rs.180158 crore in 1995-96 (Budget Estimates), which is an increase of 6.3 per cent. The allocation of major types of expenditure is as follows:

केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय *Central Government's Total Expenditure*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. अन्तिम परिव्यय	1. Final outlays:	44580	50769	54990
(क) सरकार का खपत संबंधी व्यय (देखिए-विवरण 1)	(a) Government consumption expenditure (vide Acct.1)	31815	35465	38356
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए-विवरण 3)	(b) Gross capital formation (vide Acct. 3)	12765	15304	16633
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross fixed capital formation	13106	15163	16370
(ii) निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	(ii) Increase in works stores	(-) 341	142	263
2. शेष अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्तरण संबंधी अदायगियां	2. Transfer payments to the rest of the economy	78560	90997	101593
(क) चालू अन्तरण (देखिए-विवरण 1)	(a) Current transfers (vide Acct.1)	66750	76561	86622
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए-विवरण 3)	(b) Capital transfers (vide Acct.3)	11811	14436	14971
3. शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसके लिए दिए जाने वाले ऋण (देखिए-विवरण 4)	3. Financial investments and loans to the rest of the economy (vide Acct. 4)	22648	27673	23576
4. कुल व्यय (1+2+3)	4. **Total Expenditure (1+2+3)**	**145788**	**169439**	**180158**

(ख) अन्तिम परिव्यय

3. वर्ष 1995-96 के बजट में कुल 180158 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, इसमें से केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिव्यय 54990 करोड़ रुपए या कुल परिव्यय का लगभग 30.5 प्रतिशत भाग है । यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को सूचित करता है । राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में ये अन्तिम परिव्यय शेष अर्थ-व्यवस्था के खपत संबंधी व्यय और पूंजी निर्माण की रकम से जुड़ जाते हैं । कुल व्यय के शेष भाग अर्थात् 125168 करोड़ रुपए अथवा 69.5 प्रतिशत भाग में अन्तरण अदायगियां वित्तीय निवेशों और ऋणों के रूप में शेष-व्यवस्था को किया गया भुगतान शामिल है । इसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों की चालू या पूंजीगत प्राप्तियों की अनुपूर्ति करना है।

खपत संबंधी व्यय

4. खपत संबंधी व्यय (अर्थात् मजदूरी और वेतन तथा चालू उपयोग के लिए सामान और सेवाओं के संबंध में होने वाले व्यय) के लिए 1995-96 के बजट में 38356 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है वह अन्तिम परिव्यय का 69.8 प्रतिशत और कुल

(b) Final Outlays

3. Of the total expenditure of Rs. 180158 crore budgeted for 1995-96, Rs.54990 crore or 30.5 per cent constitute final outlays of the Central Government representing its direct demand for goods and services for consumption and capital formation. In a system of national accounts, these final outlays get linked up with the consumption expenditure and capital formation in other sectors of the economy. The rest of the total expenditure amounting to Rs.125168 crore or 69.5 per cent constitute disbursements by way of transfer payments, financial investment and loans to the rest of the economy, and are intended to supplement current and capital receipts of other sectors.

Consumption Expenditure

4. Consumption expenditure (i.e. expenditure on wages and salaries and commodities and services for current use) budgeted at Rs.38356 crore for 1995-96 forms 69.8 per cent of the final outlays and 21.3 per cent of the total expenditure. The growth

व्यय का 21.3 प्रतिशत बैठती है। 1995-96 में खपत संबंधी व्यय में होने वाली वृद्धि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में 8.2 प्रतिशत बैठती है। इसकी तुलना में 1993-94 (वास्तविक) के मुकबले में 1994-95 (संशोधित अनुमान) में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

in consumption expenditure works out to 8.2 per cent for 1995-96 over revised estimates for the previous year. Against this, there was an increase of 11.5 per cent in 1994-95 (Revised Estimates) over 1993-94 (accounts).

सकल पूंजी निर्माण

5. केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण (अर्थात् इमारतों, लोक निर्माण कार्यों, उपस्करों और अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में निवेश) के बारे में अनुमान है कि यह 1994-95 के 15163 करोड़ रुपए से 8.0 प्रतिशत बढ़कर 1995-96 में 16370 करोड़ रुपए हो जाएगा। सकल पूंजी निर्माण में कार्य संबंधी भंडारों के परिवर्तन शामिल हैं, जो 8.7 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि दर्शाता है।

Gross Capital Formation

5. The Central Government's direct gross fixed capital formation (i.e. investment in buildings, public works, equipments and other fixed assets) is estimated to rise by 8.0 per cent, from Rs. 15163 crore in 1994-95 to Rs.16370 crore in 1995-96. The gross capital formation, which includes changes in works stores, shows a slightly higher increase of 8.7 per cent.

(ग) केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध साधनों से पूंजी निर्माण

(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

6. केन्द्रीय सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था को ऐसे पूंजी निर्माण के अतिरिक्त, जो स्वयं किया जाता है, अनुदानों व ऋणों के माध्यम से और शेयरों में धन लगा कर पूंजी निर्माण करने में सहायता देती है । वर्ष 1995-96 के लिये 36630 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान से कम परंतु वर्ष 1993-94 में प्रदान की गई सहायता से अधिक है।

Financial Assistance for Capital Formation

6. In addition to the capital formation directly undertaken, the Central Government also provides assistance to the rest of the economy for capital formation through grants, loans and investment in share capital. The budgeted assistance of Rs. 36630 crore for 1995-96 is lower than the revised estimates of 1994-95 but higher than the assistance provided in 1993-94.

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता *Financial Assistance for Capital Formation*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (देखिए विवरण 3, मदसंख्या 3.1 (क) और विवरण 4, मद संख्या 2.1)	1. States and Union Territories (vide items 3.1 (a) in Acct. 3 and 2.1 in Acct. 4)	23196	26937	24569
2. गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1(ख) और विवरण 4, मद संख्या1.1 तथा 2.3)*	2. Non-departmental commercial undertakings (vide items3.1(b) in Acct.3 and 1.1 and 2.3 in Acct.4)*	6632	7038	5588
3. स्थानीय प्राधिकरण (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1(ग) और विवरण 4, मद संख्या 2.2.)	3. Local authorities (vide items 3.1(c) in Acct.3 and 2.2 in Acct.4)	152	83	37
4. अन्य (देखिए विवरण 3 मद संख्या 3.1(घ) और विवरण 4, मद संख्या 1.2 और 2.4)	4. Others (vide items 3.1(d) in Acct. 3 and 1.2 and 2.4 in Acct. 4)	2305	5911	6436
5. **पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (1+2+3+4)**	5. **Financial assistance for capital formation (1+2+3+4)**	**32285**	**39968**	**36630**

** यह वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया पूंजी निर्माण है, चूंकि गैर-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शेष अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध मान लिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले परिव्यय को शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मान लिया गया है।*

** This is essentially capital formation by the Central Government but since non-departmental commercial undertakings are treated as belonging to the rest of the economy, the outlay under this head is taken as financial assistance for capital formation in the rest of the economy.*

पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था

7. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार, 1995-96 में सकल पूंजी निर्माण के लिए बजट में उपलब्ध संसाधनों से 53263 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेगी । यह रकम केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का 29.6 प्रतिशत बैठती है। सकल पूंजी निर्माण के लिए 1995-96 में जो कुल व्यवस्था की गई है, उससे 1994-95 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3.6 प्रतिशत की कमी का पता चलता है ।

Total provision for capital formation

7. Thus, in the aggregate, the Central Government would provide Rs. 53263 crore for gross capital formation out of its budgetary resources during 1995-96 representing 29.6 per cent of its total expenditure. The aggregate provision for gross capital formation for 1995-96 shows a decrease of 3.6 per cent over the revised estimates for 1994-95.

बजट संबंधी साधनों से सकल पूंजी निर्माण
Gross Capital Formation out of the Budgetary Resources

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	1. Gross capital formation by the Central Government	12765	15304	16633
2. शेष अर्थ-व्यवस्था में सकल पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	2. Financial assistance for capital formation to the rest of the economy	32285	39968	36630
3. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी साधनों द्वारा सकल पूंजी निर्माण (1+2)	**3. Gross capital formation out of the budgetary resources of the Central Government (1+2)**	**45051**	**55272**	**53263**

(घ) सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतें

(d) Net Capital Formation and Net Savings by the Government

निवल पूंजी निर्माण

8. सरकार द्वारा किये जाने वाले निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतों में अन्तर से सरकार के बजट संबंधी कार्य के विस्तारकारी प्रभाव का पता चलता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा 1995-96 में 13335 करोड़ रुपए के निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों और निर्माण कार्य भंडारों में होने वाली निवल वृद्धि) का जो अनुमान लगाया गया है वह सकल पूंजी-निर्माण की रकम में से 3298 करोड़ रुपए के विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा नवीकरण और प्रतिस्थापन पर किये जाने वाले व्यय की रकम को घटाने के बाद लगाया गया है । कुल निवल पूंजी निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

Net Capital Formation

8. The expansionary impact of the Government's budgetary operations is indicated by the difference between its net capital formation and net savings. The net capital formation by the Central Government (i.e. net addition to the stock of fixed assets and works stores) estimated at Rs. 13335 crore for 1995-96 has been arrived at by deducting from gross capital formation, the provision of Rs. 3298 crore for expenditure on renewals and replacements by the departmental commercial undertakings. The components of total net capital formation are as follows:-

केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण *Central Government's Net Capital Formation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. निर्माण कार्य (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.1 (क))	1. Construction works (vide item 1.1(a) in Acct. 3)	5158	6068	6375
2. मशीनें और उपकरण (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.2 (क))	2. Machinery and equipment (vide item 1.2(a) in Acct. 3)	5105	5969	6697
3. निर्माण कार्य संबंधी सामान में वृद्धि (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 2)	3. Increase in works stores (vide item 2 in Acct. 3)	(-)341	142	263
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण (1+2+3)	**4. Net Capital formation by the Central Government (1+2+3)**	**9922**	**12179**	**13335**

टिप्पणी: *निवल पूंजी निर्माण की रकम का अनुमान लगाते समय इसमें से प्रशासनिक इमारतों आदि के संबंध में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर किया गया खर्च घटाया नहीं गया है जिसके लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है ।*

Note: *The net capital formation arrived at is without deducting expenditure on renewals and replacements in respect of administrative buildings for which no estimates are available.*

निवल बचतें

9. चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों की निवल बचतों में चालू वर्ष में और कमी आई है । 1993-94 की 23178 करोड़ रुपए की नकारात्मक बचतों और 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 20896 करोड़ रुपए की नकारात्मक बचतों के मुकाबले में 1995-96 (बजट अनुमानों) में यह बढ़कर 21071 करोड़ रुपए पर नकारात्मक रह गई हैं ।

Net Savings

9. The net savings of the Central Government and its departmental undertakings have shown a decline in the current year. As against a negative saving of Rs.23178 crore in 1993-94, and Rs. 20896 crore in the revised estimates for 1994-95, it increased to a negative figure of Rs.21071 crore in 1995-96 (Budget Estimates).

केन्द्रीय सरकार की निवल बचतें *Central Government's Net Savings*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन की बचतें (देखिए-विवरण3, मद संख्या 5.1)	1. Savings of Government Administration (vide item 5.1 in Acct. 3)	(-)27047	(-)26101	(-)27031
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल लाभ (i)+(ii)	2. Net profits of departmental commercial undertakings (i)+(ii)	4191	5832	6795
(i) सरकारी प्रशासन को अन्तरित (देखिए-विवरण 2, मद संख्या 7)	(i) Transferred to Government Administration (vide item 7 in Acct.2)	200	698	864
(ii) प्रतिधारित (देखिए-विवरण2, मद संख्या 8)	(ii) Retained (vide item 8 in Acct.2)	3991	5134	5931
3. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मूल्यह्रास की रकम (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.3)	3. Depreciation provision of departmental commercial undertakings(vide item 5.3 in Acct.3)	2722	3197	3327
4. सरकार की सकल बचत (1+2 (ii)+3)	4. Gross savings by Government (1+2(ii)+3)	(-)20335	(-)17771	(-)17773
5. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 1.1 (ख) और 1.2 (ख)	5. Expenditure on renewals and replacement of departmental commercial undertakings (vide item 1.1(b) and 1.2(b) in Acct. 3)	2843	3125	3298
6. सरकार की निवल बचत (4-5)	**6. Net savings by the Government (4-5)**	**(-)23178**	**(-)20896**	**(-)21071**

(ङ) आय संबंधी घाटा

10. केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों की अपेक्षा उसका सीधा निवल पूंजी निर्माण जितना अधिक हो, वह केन्द्रीय सरकार की आय में होने वाले घाटे का द्योतक होता है । आय संबंधी घाटे की रकम जो 1993-94 में 33100 करोड़ रुपए, 1994-95 में 33075 करोड़ रुपए थी, 1995-96 में और बढ़कर 34407 करोड़ रुपए हो गई ।

(e) Income Deficit

10. The excess of direct net capital formation over the net savings measures the income deficit of the Central Government. The income deficit which was Rs.33100 crore in 1993-94 and Rs.33075 crore in 1994-95, increased to Rs.34407 crore in 1995-96.

आय संबंधी घाटा *Income Deficit*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवल निवेश)	1. Net capital formation (i.e. net investment by the Central Government)	9922	12179	13335
2. केन्द्रीय सरकार की निवल बचत	2. Net savings by the Central Government	(-)23178	(-)20896	(-)21071
3. केन्द्रीय सरकार का आय संबंधी घाटा (1-2)	**3. Income deficit of the Central Government (1-2)**	**33100**	**(-) 33075**	**(-) 34407**

11. पूंजी अन्तरणों का समायोजन कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों और निवल निवेशों के अन्तर को, जो आय संबंधी घाटे का द्योतक है, जब शेयरों तथा ऋणों में किये गये निवेशों जैसे वित्तीय परिसम्पत्तियों में सरकार के निवल लेन-देनों से हुए घाटे में जोड़ दिया जाता है तब वह सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताओं का द्योतक हो जाता है और उसे विवरण 3 और 4 की सन्तुलनकारी मदों की रकम के रूप में दिखाया गया है ।

11. The income deficit, which measures the gap between the Central Government's net savings and net investments when added, after adjusting for net capital transfers, to the deficit arising out of the Government's net transactions in financial assets such as investment in shares and loans, represents the Government's total requirements of finance and is given by the sum of the balancing items in Accounts 3 and 4.

केन्द्रीय सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताएं *Central Government's Total Requirements of Finance*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देनों और अन्तरणों पर घाटा (देखिए-विवरण 3 की संतुलनकारी मद)	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers (vide balancing item in Acct. 3)	43916	46334	48223
2. वित्तीय परिसम्पत्ति में वास्तविक वृद्धि (देखिए- विवरण 4 की संतुलनकारी मद)	2. Net increase in financial assets (vide balancing item in Acct. 4)	16612	15339	10160
3. कुल वित्तीय आवश्यकताएं (1+2)	**3. Total requirements of finance (1+2)**	**60528**	**61673**	**58383**

12. नीचे दी गई सारणी में वे स्रोत दर्शाए गए हैं जिनके माध्यम से ऊपर दिखाई गई कुल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया गया है ।

12. The following table sets out the sources through which the total financing requirements in the above table have been met:—

वित्तपोषण के स्रोत *Sources of Financing*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. ऋणों की निवल रकम	1. Net borrowings	54970	55673	53382
1.1 बाजार ऋण (निवल)	1.1 Market loans (net)	28929	3700	3700
1.2 विदेशी ऋण (निवल)	1.2 External Debt (net)	5074	3947	5456
(क) विशेष ऋण (निवल)	(a) Special credits (net)	(-)133	-	-
(ख) परिक्रामी निधि	(b) Revolving Fund	-	663	238
(ग) अन्य	(c) Others	5206	3284	4218
1.3 छोटी बचत (निवल)	1.3 Small savings (net)	7157	11770	5520
1.4 राज्य/लोक भविष्य निधियां (निवल)	1.4 State/Public Provident Funds (net)	3716	4106	4443
1.5 गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	1.5 Special deposits of non-government Provident Funds	6982	8000	8800
1.6 मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण	1.6 Medium & Long term Loans	-	17000	19000
1.7 विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	1.7 Miscellaneous capital receipts (net)	(-) 2289	7151	7463
1.8 शेष अर्थ-व्यवस्था को राजकोषीय हुण्डियों की बिक्री (निवल) *	1.8 Sales of treasury bills to the rest of the economy (net)*	5402	-	-
2. बजट संबंधी घाटा	2. Budgetary deficit	5558	6000	5000#
2.1 रिजर्व बैंक के पास राजकोषीय हुण्डियों में वास्तविक वृद्धि	2.1 Net increase in the RBI's holdings of Treasury Bills	6580	3650	4999
2.2 रोकड़ बाकी से आहरण	2.2 Withdrawal from cash balances	(-) 1022	2350	1
3. **जोड़ (1+2)**	3. **Total (1+2)**	**60528**	**61673**	**58383**

* यह राज्य सरकारों, बैंकों, अनुमोदित पार्टियों और जनता के हाथ बेची गई राजकोषीय हुंडियों में हुई निवल वृद्धि की द्योतक है । जैसी कि बजट में धारणा की गई थी, 1993-94 में परिकलित 10960 करोड़ रुपए के बजटीय घाटे का इसमें समायोजन किया गया है ।

* Denotes net change in the treasury bill holdings of State Governments, banks, approved parties and the public. Adjusting for this, the budgetary deficit works out to Rs.10960 crore in 1993-94 as per the concept used in the Budget.

इसमे बजट के बाद की गई रियायतें शामिल नहीं की गई हैं ।

Does not take into account the concessions after the presentation of the Budget.

(च) आय का निर्माण

13. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यों से 1995-96 में कुल 39896 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है जिसकी तुलना में यह आमदनी 1994-95 में 36140 करोड़ रुपए तथा 1993-94 में 31149 करोड़ रुपए थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली कुल आमदनी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(f) Income Generation

13. The budgetary operations of the Central Government during 1995-96 are expected to generate a total income of Rs.39896 crore compared to Rs.36140 crore in 1994-95 and Rs.31149 crore in 1993-94. The details of the total income generation by the Central Government are as follows:-

आय का निर्माण *Income Generation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन (देखिए-विवरण 1 मद संख्या 1.1)	1. Wages and salaries paid by Government Administration(vide item 1.1 in Acct. 1)	13357	14937	16454
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल उत्पादन	2. Net output of departmental commercial undertakings	16073	19180	21317
(क) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और रख-रखाव संबंधी मजदूरी और वेतन के भाग सहित)	(a) Wages and salaries(including wages and salaries component of repairs and maintenance operations)	9594	10609	11518
(ख) ब्याज	(b) Interest	2409	2668	2976
(ग) प्रशासन को अन्तरित और प्रतिधारित लाभ जिसमें नवीकरण और प्रतिस्थापन के मुकाबले मूल्यह्रास की व्यवस्था का आधिक्य शामिल है	(c) Profits transferred to administration and retained plus excess of depreciation provision over renewals and replacements	4069	5903	6824
3. निर्माण कार्य पर होने वाले सरकारी परिव्यय का मजदूरी और वेतन संबंधी भाग*	3. Wages and salaries component of Government outlays on construction*	1719	2023	2125
4. **जोड़ (1+2+3)**	4. **Total (1+2+3)**	**31149**	**36140**	**39896**

* *विवरण 3 में, दिखाए गए निर्माण संबंधी कुल व्यय का एक तिहाई भाग ।*

* *One-third of the total expenditure on construction shown in Account 3.*

समाधान

14. निम्नलिखित विवरण में 1995-96 के बजट में दिए गए चालू राजस्व और चालू तथा पूंजीगत व्यय के आंकड़ों और वर्तमान वर्गीकरण के विवरण संख्या 1 और 3 में दिए आंकड़ों का पारस्परिक समाधान दिखाया गया है ।

Reconciliation

14. The following statement provides a reconciliation between the magnitudes of current revenues and current and capital expenditures as given in the Budget for 1995-96 and the magnitudes mentioned in Accounts 1 and 3 of the present Classification.

चालू राजस्व खाता *Current Account Revenue*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
I. राजस्व जैसा कि बजट में दिखाया गया है	*I.* Revenue as shown in the Budget	118529.4*	144567.4	160585.7
II. घटाइए:-	*II.* Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज संबंधी प्राप्तियां	1. Interest receipts from departmental commercial undertakings	2408.8	2668.8	2975.7
2. पूंजी खाते में अन्तरित विदेशी अनुदानों की रकमें	2. Foreign grants transferred to capital	993.3	1176.0	1153.6
3. स्वतः सन्तुलनकारी मदें	3. Self-balancing items	0.3	0.9	0.0
4. संघीय उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा	4. States' share of Union excise duty	14472.6	16282.9	19654.6
5. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों की रकम	5. Taxes transferred to Local Authorities	0.1	0.1	0.1
6. विवरण 2 में अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां	6. Receipts of departmental commercial undertakings transferred to Acct. 2:			
(क) रेलवे	(a) Railways	18363.3	20348.2	22370.1
(ख) डाक	(b) Posts	1105.2	1185.0	1315.0
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	6094.8	7698.0	8876.0
(घ) अन्य	(d) Others	2807.0	3427.0	3934.0
7. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	7. Defence receipts (netted against defence expenditure)	967.4	966.8	1069.0
8. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	8. Loss on destruction of withdrawn coins	-	0.8	0.3
9. एफसी (एनआर) लेखों में विनियम सम्बन्धी हानियों के लिए अंशदान	9. Contribution to exchange loss in FC (NR) Accounts	-	5587.0	2154.0
जोड़ - II.	**Total - II**	**47212.8**	**59340.8**	**63502.4**
III. जोड़िए:	*III.* Add:			
विवरण 2 से अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ	Profits of departmental commercial undertakings transferred from Acct. 2	200.0	698.4	864.2
जोड़ - III	**Total - III**	**200.0**	**698.4**	**864.2**
IV. सरकारी प्रशासन का चालू राजस्व जैसा कि बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया है **(I-II+III)**	*IV.* Current revenue of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget **(I-II+III)**	**71516.6**	**85925.0**	**97947.5**

* *दिल्ली को छोड़कर*

* *Excluding Delhi*

चालू व्यय खाता *Current Account Expenditure*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
I बजट में दिखाया गया राजस्व संबंधी व्यय	*I.* Revenue expenditure as shown in the Budget	151496.3*	178698.7	196127.6
II. घटाइए:	*II.* Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्तरित ब्याज	1. Interest transferred to departmental commercial undertakings	2408.8	2668.1	2975.7
2. संघीय उत्पाद शुल्क के हिस्से की राज्य सरकारों को अदायगी	2. Payment of States' share of Union excise duty	14472.6	16282.9	19654.6
3. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित कर की रकम	3. Taxes transferred to Local Authorities	0.1	0.1	0.1
4. राजस्व खाते का पूंजी जैसा व्यय	4. Expenditure of capital nature in the Revenue Account	10666.5	10292.5	10564.8
5. निधियों में निवल अन्तरण	5. Net transfer to funds	1465 9	795.8	863.9
6. बजट में सम्मिलित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	6. Current expenditure of departmental commercial undertakings included in the Budget:			
(क) रेलवे	(a) Railways	18363.3	20348.2	22370.1
(ख) डाक	(b) Posts	1312.3	1516.1	1619.1
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	6094.8	7698.0	8876.0
(घ) अन्य	(d) Others	2607.0	2728.6	3069.8
7. चलन से वापस लिये गये सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	7. Loss on destruction of withdrawn coins	0.0	0.8	0.3
8. बट्टे खाते डाले गये ऋण	8. Loans written off	0.7	0.9	200.2
9. स्वतः सन्तुलनकारी मदें	9. Self-balancing items	0.3	0.9	0.0
10. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	10. Defence receipts (netted against defence expenditure)	967.4	966.8	1069.0
11. विवरण 2 में अन्तरित अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के हिस्से की एक मुश्त व्यवस्था	11. Share of departmental commercial undertakings in the lump sum provision for additional dearness allowance transferred to Account 2	-	-	-
12. एफसी (एन आर) लेखों में विनियम सम्बन्धी हानियों के लिए अंशदान	12. Contribution to exchange loss in FC (NR) Accounts	-	5587.0	2154.0
जोड़ - II	**Total - II**	**58359.7**	**68886.7**	**73417.6**
III जोड़िए :	*III.* Add:			
1. रक्षा पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay	6867.4	6933.2	7354.5
2. पूंजी खाते का राजस्व जैसा व्यय	2. Expenditure of revenue nature in the capital account	108.3	135.1	135.3
जोड़ - III	**Total - III**	**6975.7**	**7068.3**	**7489.8**
IV. बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया सरकारी प्रशासन का चालू व्यय **(I-II+III)**	*IV.* Current expenditure of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget **(I-II+III)**	**100112.3**	**116880.3**	**130199.8**

* *दिल्ली को छोड़कर* — * *Excluding Delhi*

पूंजी खाते का व्यय Capital Account Expenditure

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
I. राजस्व खाते से न चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय जैसा बजट में दिखाया गया है	*I.* Capital expenditure outside the revenue account as shown in the Budget	24554.4*	19754.4	16122.3
II. घटाइए:-	*II.* Deduct:			
1. विवरण 1 में ले जाया गया रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay taken to Account I	6867.4	6933.2	7354.5
2. विवरण 4 में ले जाया गया शेयरों में किया गया वित्तीय निवेश	2. Financial investment in shares taken to Account 4	2688.0	3757.2	2309.5
3. विवरण 4 में ले जाया गया अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों का अंशदान	3. Subscription to International Financial Organisations taken to Account 4	5749.8	88.2	754.2
4. विवरण 4 में ले जाई गई सोने और चांदी की निवल खरीद	4. Net purchase of gold and silver taken to Account 4	0.5	(-)0.5	(-)0.5
5. विवरण 1 और 2 में ले जाई गई राजस्व जैसी मदें	5. Items of revenue nature taken to Accounts 1 and 2	108.3	135.1	135.3
6. ऋणों का इक्विटी पूंजी में परिवर्तन	6. Conversion of loan into equity capital	-	-	-
7. विशेष प्रतिभूतियों के समान राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश	7. Investment in nationalised banks matched by special securities	5722.8	4362.5	850.0
जोड़ - II	**Total - II**	**21136.8**	**15275.7**	**11403.0**
III. जोड़िए:—	*III.* Add:			
1. रेलवे और डाक-तार की अपनी निधियों से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय	1. Capital expenditure financed out of Railways', Posts' and Telecommunications' own funds	8759.0	9909.6	10883.8
2. अन्य निधियों से वित्तपोषित पूंजी व्यय	2. Capital expenditure financed out of other funds	183.0	204.0	213.4
3. राजस्व खाते से लाया गया पूंजी व्यय	3. Capital expenditure brought over from revenue account	10666.5	10292.5	10564.8
4. विवरण 3 में प्राप्तियों के रूप में ले जाई गई वसूलियां	4. Recoveries taken to Account 3 as receipts	1.5	1.2	1.1
जोड़ - III	**Total - III**	**19610.0**	**20407.3**	**21663.1**
IV. बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 3 में दिया गया पूंजीगत व्यय **(I-II+III)**	*IV.* Capital expenditure as shown in Account 3 of the Economic Classification of the Budget **(I-II+III)**	**23027.6**	**24886.0**	**26382.4**

* *दिल्ली को छोड़कर* — * *Excluding Delhi*

केन्द्रीय सरकार

CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 1 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन का चालू खाता

Account 1 : Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Government Administration

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Expenditure	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. खपत संबंधी व्यय	**1. Consumption expenditure**	**31814.5**	**35464.9**	**38356.2**
1.1 मजदूरी और वेतन	1.1 Wages and Salaries	13357.2	14937.0	16453.5
1.2 वस्तुएं और सेवाएं	1.2 Commodities and Services	18457.3	20527.9	21902.7
2. अन्तरण अदायगियां	**2. Transfer Payments**	**66749.5**	**76561.4**	**86621.9**
2.1 ब्याज	2.1 Interest	34490.0	41369.9	48922.9
2.2 अनुदान	2.2 Grants:	17243.1	18793.5	21020.8
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	11724.4	12124.4	13477.3
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	14.2	16.0	18.5
(ग) अन्य को	(c) To others	5504.5	6653.1	7525.0
2.3 अन्य चालू अन्तरण	2.3 Other current transfers:	15016.4	16398.0	16678.2
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	11485.2	12268.1	12322.8
(ख) पेंशनें	(b) Pensions	2736.2	3007.9	3178.5
(ग) ऋण राहत	(c) Debt Relief	500.0	341.0	0.0
(घ) अन्य	(d) Others	295.0	781.0	1176.9
3. कुल व्यय	**3. Total Expenditure**	**98564.0**	**11206.3**	**124978.1**
4. चालू खाते की बचत	**4. Saving on Current Account**	**-27047.4**	**-26101.3**	**-27030.6**
5. जोड़	**5. Total**	**71516.6**	**85925.0**	**97947.5**

राजस्व	Revenue	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
6. करों से प्राप्तियां	**6. Tax Receipts**	**52473.5**	**64987.8**	**74373.4**
6.1 आय और सम्पत्ति पर कर	6.1 Taxes on income and wealth	12531.9	16956.3	20543.2
6.2 वस्तुओं और लेन-देनों पर कर	6.2 Taxes on commodities and transactions	39941.6	48031.5	53830.2
7. सम्पत्ति और उद्यमों से आय	**7. Income from Property and enterprises**	**16229.4**	**18099.6**	**20672.8**
7.1 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अन्तरित लाभ	7.1 Profits transferred by departmental commercial undertakings	200.0	698.4	864.2
7.2 गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा दिया गया लाभांश	7.2 Dividends paid by non-departmental commercial undertakings	950.8	1221.2	1445.9
7.3 रिजर्व बैंक का लाभ	7.3 Profits of the Reserve Bank	1500.0	1500.0	1500.0
7.4 ब्याज की प्राप्तियां	7.4 Interest Receipts:	**12668.9**	**13566.6**	**15443.9**
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से	(a) From States and Union Territories	9557.9	11379.9	13347.9
(ख) अन्य से	(b) From others	3111.0	2186.9	2096.0
7.5 अन्य	7.5 Others	909.7	1113.4	1418.8
8. फीस और विविध प्राप्तियां	**8. Fees and Miscellaneous Receipts**	**2813.7**	**2837.6**	**2901.3**
9. जोड़	**9. Total**	**71516.6**	**85925.0**	**97947.5**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 2 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता
Account 2 : Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

व्यय	Expenditure	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget	प्राप्तियां	Receipts	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. मजदूरी और वेतन	**1. Wages and Salaries**	**6978.7**	**7798.7**	**8483.0**	10. बिक्री से सकल आमदनी	**10. Gross Sale Proceeds**	**31258.3**	**35851.1**	**40178.9**
2. पेंशनों की अदायगियां	**2. Pension Payments**	**1861.6**	**2172.8**	**2419.8**					
					(क) रेलवे	(a) Railways	18363.3	20348.2	22370.1
3. वस्तुएं और सेवाएं	**3. Commodities and Services**	**8011.6**	**8713.9**	**10276.6**	(ख) रेल वर्कशाप और उत्पादन एककों के निर्माण संबंधी क्रियाकलाप	(b) Manufacturing Activity of Railways workshops and production units	2888.8	3192.9	3683.8
4. मरम्मत और अनुरक्षण	**4. Repairs and Maintenance**	**5231.5**	**5619.6**	**6070.2**					
5. ब्याज	**5. Interest**	**2408.8**	**2668.1**	**2975.7**					
6. मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	**6. Provision for depreciation**	**2722.0**	**3196.8**	**3326.5**					
7. सरकार (प्रशासन) के चालू खातों को अन्तरित लाभ	**7. Profits transferred to the current account of Government (Administration)**	**200.0**	**698.4**	**864.2**	(ग) डाक	(c) Posts	1105.2	1185.0	1315.0
					(घ) दूर संचार	(d) Telecommunications	6094.8	7698.0	8876.0
8. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	**8. Retained profits of Departmental commercial undertakings**	**3990.6**	**5133.5**	**5930.9**	(ङ) अन्य	(e) Others	2807.0	3427.0	3934.0
					11. ब्याज संबंधी प्राप्तियां	**11. Interest Receipts**	**146.7**	**150.7**	**168.0**
9. जोड़	**9. Total**	**31405.0**	**36001.8**	**40346.9**	12. जोड़	**12. Total**	**31405.0**	**36001.8**	**40346.9**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 3 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता
Account 3 : Transactions in commodities and services and transfers: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

वितरण	Disbursements	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget	प्राप्तियां	Receipts	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	**1. Gross Fixed Capital Formation**	**13106.1**	**15162.5**	**16370.2**	**5. सकल बचत**	**5. Gross Savings**	**-20334.8**	**-17771.0**	**-17773.2**
1.1 भवन और अन्य निर्माण	1.1 Buildings and other construction	6533.6	7376.0	8003.5	5.1 चालू खाते में बचत (प्रशासन)	5.1 Savings on current account (Administration)	-27047.4	-26101.3	-27030.6
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	5157.8	6068.1	6374.8					
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	1375.8	1307.9	1628.7					
1.2 मशीनरी और उपस्कर	1.2 Machinery and equipment	6572.5	7786.5	8366.7	5.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	5.2 Retained profits of departmental commercial undertakings	3990.6	5133.5	5930.9
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	5105.1	5969.1	6697.4					
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	1467.4	1817.4	1669.3	5.3 मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	5.3 Depreciation provision	2722.0	3196.8	3326.5
2. निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	**2. Increase in works stores**	**-341.0**	**141.6**	**263.1**					
3. पूंजी अन्तरण	**3. Capital transfers**	**11810.8**	**14435.9**	**14970.8**	**6. पूंजी अन्तरण**	**6. Capital Transfers**	**994.8**	**1177.2**	**1154.7**
3.1 पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	3.1 Grants for capital formation:	11064.5	13650.1	14104.4	6.1 विदेशी अनुदान	6.1 Foreign grants	993.3	1176.0	1153.6
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	9231.5	8397.4	8364.2	6.2 अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	6.2 Other capital receipts	1.5	1.2	1.1
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To non-departmental commercial undertakings	0.0	0.0	0.0					
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To local authorities	51.9	47.7	2.5	**7. शेष: वस्तुओं और सेवाओं संबंधी सभी प्रकार के लेन-देन पर घाटा और अन्तरण**	**7. Balance: Deficit on all transactions in commodities and services and transfers**	**43915.9**	**46333.8**	**48222.6**
(घ) अन्य को	(d) To others	1781.1	5205.0	5737.7					
3.2 उपदान और पेंशनों का राशिकृत मूल्य	3.2 Gratuities and commuted value of pensions	610.6	652.1	681.7					
3.3 अन्य पूंजी अन्तरण	3.3 Other capital transfers	135.7	133.7	184.7					
4. जोड़	**4. Total**	**24575.9**	**29740.0**	**31604.1**	8. जोड़	**8. Total**	**24575.2**	**29740.0**	**31604.1**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 4 : वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता
Account 4 : Changes in Financial Assets: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (*Rs.crore*)

व्यय	Outgoings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. शेयरों में लगाई गई पूंजी	**1. Investments in shares**	**2688.0**	**3757.2**	**2309.5**
1.1 सरकारी उद्यम	1.1 Of Government concerns	2553.9	3651.5	2171.7
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	406.5	810.0	341.1
(ख) अन्य	(b) Others	2147.4	2841.5	1830.6
1.2 अन्य उद्यम	1.2 Of other concerns	134.1	105.7	137.8
2. पूंजी निर्माण के लिए ऋण	**2. Loans for capital formation**	**18532.9**	**22560.8**	**20215.8**
2.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को	2.1 To States and Union Territories	13964.8	18539.7	16204.8
2.2 स्थानीय प्राधिकरणों को	2.2 To local authorities	100.4	35.0	34.5
2.3 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	2.3 To non-departmental commercial undertakings	4078.3	3386.1	3416.2
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	1720.6	1121.7	835.5
(ख) अन्य	(b) Others	2357.7	2264.4	2580.7
2.4 अन्य को	2.4 To others	389.4	600.0	560.3
3. अन्य ऋण	**3. Other loans**	**1372.7**	**1236.9**	**828.4**
3.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	3.1 To States and Union Territories	20.2	114.9	76.1
3.2 स्थानीय प्राधिकरणों को	3.2 To local authorities	0.0	0.0	0.0
3.3 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	3.3 To non-departmental commercial undertakings	1299.6	1015.7	646.2
3.4 विदेशी सरकारों को	3.4 To foreign governments	46.7	77.4	100.0
3.5 अन्य को	3.5 To others	6.2	28.9	6.1
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	**4. Subscription to International Financial Organisations**	**54.0**	**118.1**	**223.0**
5. देशीय सोने चांदी की निवल खरीद	**5. Net purchase of domestic gold and silver**	**0.5**	**-0.5**	**-0.5**
6. जोड़	**6. Total**	**22648.1**	**27672.5**	**23576.2**

आय	Incomings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
7. उधारों की वापसी अदायगी	**7. Repayment of loans**	**6083.9**	**6566.4**	**6416.2**
7.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा	7.1 By States and Union Territories	3913.4	4354.3	4554.3
7.2 अन्य द्वारा	7.2 By others	2170.5	2212.1	1861.9
8. शेयरों में विनिवेश	**8. Disinvestment in shares**	**-47.7**	**5767.0**	**7000.0**
9. शेष: वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि	**9. Balance: Net increase in Financial Assets**	**16611.9**	**15339.1**	**10160.0**
10. जोड़	**10. Total**	**22648.1**	**27672.5**	**23576.2**

केन्द्रीय सरकार

CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 5 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

Account 5 : Changes in Financial Liabilities: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Outgoings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget	आय	Incomings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. बाजार ऋणों की वापसी अदायगी	1. **Repayment of market loans**	**1136.9**	**953.7**	**5555.6**	5. बाजार ऋण	5. **Market loans**	**30065.5**	**4653.7**	**9255.6**
					6. विदेशी ऋण	6. **External debt**	**10023.5**	**9426.3**	**10372.3**
2. विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी	2. **Repayment of external debt**	**4949.8**	**5479.6**	**5916.2**	6.1 विशेष ऋण *(निवल)*	6.1 Special credits *(net)*	-132.5	-0.1	0.0
					6.2 परिक्रामी निधि	6.2 Revolving Fund	0.0	663.3	237.6
3. शेष: वित्तीय देनदारियों मे निवल वृद्धि	3. **Balance: Net increase in Financial Liabilities**	**61550.1**	**59323.2**	**58381.6**	6.3 अन्य	6.3 Others	10156.0	8763.1	10134.7
					7. अल्प बचतें *(निवल)*	7. **Small Savings *(net)***	**7157.3**	**11770.0**	**5520.0**
					8. राज्य भविष्य निधियां	8. **State Provident Funds**	**1790.3**	**1900.0**	**2000.0**
					9. लोक भविष्य निधियां *(निवल)*	9. **Public Provident Funds**	**1925.8**	**2206.0**	**2443.0**
					10. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा रकमें *(निवल)*	10. **Deposits of Non-Government Provident Funds *(net)***	**6981.9**	**8000.0**	**8800.0**
					11. मध्यम तथा दीर्घकालिक ऋण	11. **Medium and long term loans**	**0.0**	**17000.0**	**19000.0**
					12. राजकोषीय हुण्डियां *(निवल)*	12. **Treasury Bills *(net)***	**11591.2**	**6990.0**	**9386.4**
					(क) 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	*(a) 91 Days Treasury Bills*	*11981.9*	*3650.0*	*4999.4*
					(ख) अल्पकालिक ऋण	*(b) Short Term Loans*	*-390.7*	*3340.0*	*4387.0*
					13. विविध पूंजी प्राप्तियां *(निवल)*	13 **Miscellaneous Capital receipts *(net)***	**-1898.7**	**3810.5**	**3076.1**
4. जोड़	4. **Total**	**67636.8**	**65756.5**	**69853.4**	14. जोड़	14. **Total**	**67636.8**	**65756.5**	**69853.4**

केन्द्रीय सरकार

CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 6 : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता

Account 6 : Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Outgoings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget	आय	Incomings	1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी लेन-देनों में घाटा और अन्तरण-संतुलनकारी मद विवरण-3	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers - Balancing item Account-3	43915.9	46333.8	48222.8	5. वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि-सन्तुलनकारी मद विवरण 5	5. Net increase in financial liabilities-Balancing item Account 5	61550.1	59323.2	58381.6
2. वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि-सन्तुलनकारी मद विवरण 4	2. Net increase in financial assets-Balancing item Account 4	16611.9	15339.1	10160.0	6. रोकड़ शेष में कमी	6. Decrease in cash balance	0.0	2349.7	1.0
3. रोकड़ शेष में वृद्धि	3. Increase in cash balance	1022.3	0.0	0.0					
4. जोड़	4. Total	61550.1	61672.9	58382.6	7. जोड़	7. Total	61550.1	61672.9	58382.6

II आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण

15. वर्ष 1995-96 के बजट के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक और कार्य संबंधी इन दोनों श्रेणियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के व्यय का सम्मिलित वर्गीकरण इस भाग के अन्त में तीन विवरणों में दिया गया है । नीचे के पैराग्राफों में इस प्रकार वर्गीकरण से निकलने वाले निष्कर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है ।

कुल व्यय

16. वर्ष 1995-96 के लिए बजट में की गई कुल व्यय की व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था का अनुमान, जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के कुल विकास परिव्यय का द्योतक है, 79996 करोड़ रुपए का है अथवा यह कुल व्यय का 44.4 प्रतिशत है।

17. सामान्य सेवाओं पर 1995-96 में 36571 करोड़ रुपए अर्थात् कुल व्यय के 20.3 प्रतिशत के खर्च का अनुमान है । इस पुस्तिका में अपनाई गई कार्य संबंधी वर्गीकरण की योजना के अंतर्गत "सामान्य सेवाओं" में रक्षा व्यय और असैनिक व्यय के अतिरिक्त ऐसी मदें शामिल हैं जैसे प्रशासनिक इमारतों पर पूंजी परिव्यय और दैवी विपत्तियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋणं ।

18. अनावंटनीय व्यय में ये मदें शामिल हैं, राज्यों को दिए जाने वाले सांविधिक सहायक अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान, खाद्य और अन्य उपभोक्ता-वस्तु संबंधी आर्थिक सहायता, सरकारी ऋण पर ब्याज, पेंशनें और दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता । इन अनावंटनीय मदों का अनुमान जो 1995-96 के कुल व्यय का 35.3 प्रतिशत है, 63591 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसकी तुलना में 1994-95 के संशोधित अनुमान 52087करोड़ रुपए के थे ।

II. ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION

15. Based on the data in the budget for 1995-96 a cross classification of the Central Government expenditure by both economic and functional categories has been given in the three statements at the end of this section. The following paragraphs provide a brief summary of the findings of the functional classification.

Total Expenditure

16. Of the total expenditure budgeted for 1995-96 the provision for social and economic services which covers broadly the total developmental outlays of the Central Government is estimated at Rs.79996 crore or 44.4 per cent of the total expenditure.

17. The expenditure on general services is estimated at Rs. 36571 crore for 1995-96 i.e. 20.3 per cent of the total expenditure. Under the scheme of functional classification adopted in this brochure, "general services" include, besides defence and civil expenditure, such items as capital outlays on administrative buildings and non-plan grants and loans for natural calamities to States and Union Territories.

18. The unallocable items include statutory grants-in-aid to States, non-plan grants to Union Territories, food and other consumer subsidies, interest on public debt, pensions and aid to foreign countries. These unallocable expenditures, accounting for 35.3 per cent of the total expenditure in 1995-96 are estimated at Rs.63591 crore as compared to the revised estimate of Rs.52087 crore for 1994-95.

कुल व्यय *Total Expenditure*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सामाजिक और आर्थिक सेवाएं	1. Social and Economic Services	71064	84791	79996
2. सामान्य सेवाएं	2. General Services	29302	32560	36571
(i) रक्षा	i) Defence	21608	23262	25195
(ii) रक्षा से भिन्न खपत व्यय	ii) Consumption expenditure other than defence	6447	7249	8568
(iii) खपत–भिन्न व्यय	iii) Non-consumption expenditure	1248	2049	2809
3. अनावंटनीय व्यय	3. Unallocable	45422	52087	63591
4. कुल व्यय (1+2+3)	**4. Total Expenditure (1+2+3)**	**145788**	**169439**	**180158**

खपत संबंधी व्यय

19. 1995-96 के बजट में खपत संबंधी व्यय के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें रक्षा सेवाओं के लिए 25195 करोड़ रुपए, अन्य सामान्य सेवाओं के लिए 8568 करोड़ रुपए और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 4594 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । नीचे दी गई सारणी में 1995-96 के बजट में दिखाए गए खपत संबंधी व्यय, 1994-95 के संशोधित अनुमानों और 1993-94 के वास्तविक व्यय की रकमों का विश्लेषण किया गया है ।

Consumption Expenditure

19. The 1995-96 budget provision of consumption expenditure includes Rs.25195 crores for defence, Rs.8568 crore for other general services and Rs.4594 crore for social and economic services. The table below gives a breakdown of the consumption expenditure budgeted for 1995-96, the revised estimates for 1994-95 and actuals for 1993-94.

खपत संबंधी व्यय *Consumption Expenditure*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सामान्य सेवाओं पर व्यय	1. Expenditure on general services	28055	30511	33762
i) रक्षा	i) Defence	21608	23262	25195
ii) अन्य	ii) Others	6447	7249	8568
2. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय	2. Expenditure on Social and Economic services	3760	4954	4594
3. कुल खपत संबंधी व्यय (1+2)	**3. Total Consumption expenditure(1+2)**	**31815**	**35465**	**38356**

अन्तरण अदायगियां

20. 1995-96 के लिए अन्तरण अदायगियों की 101593 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित रकम में से, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तरण के लिए 36.2 प्रतिशत, ब्याज की अदायगियों के लिए 48.2 प्रतिशत, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सांविधिक और विकास भिन्न अनुदानों के लिए 5.1 प्रतिशत रकम रखी गई है । इन अन्तरणों का कार्यानुसार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है ।

Transfer Payments

20. Of the total transfer payments estimated at Rs101593 crore for 1995-96, transfers intended for social and economic services account for 36.2 per cent, interest payments for 48.2 per cent and statutory and non-developmental grants to States and Union Territories for another 5.1 per cent. The table below gives the details of this functional breakdown.

अन्तरण अदायगियां Transfer Payments

(करोड़ रुपए) *(Rs. crore)*

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
I. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए (चालू और पूंजीगत)	I. Transfer for social and economic services (current and capital)	30615	38117	36740
जिसमें से	of which:			
1. राज्यों को निम्नलिखित के लिए अनुदान	1. Grants to States and Union Territories for:			
i) एक मुश्त आयोजनागत अनुदान	i) Block Plan Grants	7871	8519	8741
ii) सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम	ii) Drought Prone Area Programme	77	85	-
iii) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	iii) Accelerated Rural Water Supply Programme	586	630	560
iv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	iv) National Rural Employment Programme	2745	1167	752
v) परिवार कल्याण कार्यक्रम	v) Family Welfare Programme	1321	1441	1397
2. आर्थिक सहायता	2. Subsidy:			
i) निर्यात संवर्धन और विपणन विकास योजनाओं के लिए सहायता	i) Assistance for export promotion and market development schemes	665	560	315
ii) उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	ii) Fertilizer subsidy	4562	5166	5400
iii) अन्य	iii) Others	705	1432	1357
II. अन्य अन्तरण	II. Other Transfers	47946	52880	64853
1. चालू	1) Current:	47199	52094	63986
i) ब्याज अदायगियां	i) Interest payments	34490	41370	48923
ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक और गैर-विकासात्मक अनुदान	ii) Statutory and non-developmental grants to States and Union Territories	1729	1639	5167
iii) खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	iii) Food subsidy	5537	5100	5250
iv) नियंत्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता	iv) Subsidy on controlled cloth	16	10	1
v) अन्य	v) Others	5427	3975	4645
2. पूंजी	2) Capital	747	786	867
III. जोड़ अंतरण (I+II)	**III. Total Transfers (I+II)**	**78560**	**90997**	**101593**

बजटीय संसाधनों में से पूंजी निर्माण

21. 1995-96 में 53263 करोड़ रुपए के पूंजी निर्माण बजट का अनुमान लगाया गया है जबकि 1994-95 में 55272 करोड़ रुपए और 1993-94 में 45051 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था । नीचे दी गई सारणी में, 1995-96 में पूंजी निर्माण के लिए की गई व्यवस्था का विस्तृत कार्य संबंधी आवंटन तथा पहले के दो वर्षों का आवंटन दिखाया गया है ।

Capital formation out of the Budgetary Resources

21. Capital formation is estimated at Rs. 53263 crore for 1995-96 compared to Rs.55272 crore in 1994-95 and Rs.45051 crore in 1993-94. The following table indicates a detailed functional allocation of the provision for capital formation for 1995-96 and the allocation in the two preceding years.

पूंजी निर्माण के लिए व्यवस्था *Provision for Capital Formation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	1. Gross Fixed Capital formation	13106	15163	16370
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	550	890	755
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services	11799	13405	14571
क) कृषि	a) Agriculture	158	116	146
ख) उद्योग	b) Industry	535	584	776
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	10877	12387	13353
च) अन्य	d) Others	228	319	296
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	757	867	1045
2. निर्माण कार्य भंडारों में परिवर्तन	2. Changes in works stores	(-)341	142	263
3. वित्तीय सहायता	3. Financial Assistance	32285	39968	36630
क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	A. Financial assistance to States and Union Territories	23196	26937	24569
i) सामाजिक और आर्थिक सेवाएं	i) Social and Economic Services	23196	26937	24569
ii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदों	ii) General Services and unallocable items	0	0	0
ख) गैर-विभागीय उपक्रमों और अन्य पार्टियों को वित्तीय सहायता	B. Financial assistance to non-departmental undertakings and other parties	9089	13031	12061
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	2013	5491	5742
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services	7076	7540	6318
क) कृषि	a) Agriculture	203	333	337
ख) उद्योग	b) Industry	6071	5904	5134
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	209	129	168
घ) अन्य	d) Others	593	1175	679
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	0	1	1
4. पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था(1+2+3)	**4. Total Provision for Capital formation (1+2+3)**	**45051**	**55272**	**53263**

वित्तीय विकास के लिए उपलब्ध चालू राजस्व का अधिशेष

22. विकास से भिन्न चालू व्यय के मुकाबले चालू राजस्व का अधिशेष सरकार के विकास संबंधी चालू और पूंजीगत दोनों प्रकार के खर्च की वित्त व्यवस्था करने के लिए चालू राजस्व से किए जाने वाले अंश का परिचायक होता है । अनुमान है, 1995-96में इस अधिशेष की रकम 9457 करोड़ रुपए होगी जबकि इसकी तुलना में 1994-95 और 1993-94 के अधिशेष की रकम क्रमशः 11650 करोड़ रुपए और 2976 करोड़ रुपए थी । नीचे की सारणी में ब्योरा दिया गया है ।

Surplus of current revenues available for Financing Development

22. The surplus of current revenues over the current non-developmental expenditure measures the contribution of current revenues towards financing the Government's developmental expenditure, both current and capital. This surplus is estimated at Rs. 9457 crore for 1995-96 and may be compared with the estimated surplus of Rs. 11650 crore for 1994-95 and Rs.2976 crores for 1993-94. The table below sets forth the details.

केन्द्रीय सरकार का अधिशेष *Surplus of the Central Government*

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

		1993-94 वास्तविक Accounts	1994-95 संशोधित Revised	1995-96 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन का कुल चालू राजस्व	1. Total current revenues of Government Administration	71517	85925	97948
2. विकास-भिन्न खपत व्यय-सामान्य सेवाएं	2. Non-Developmental Consumption Expenditure-General Services	28055	30511	33762
3. विकास भिन्न चालू अन्तरण	3. Non-Developmental Current Transfers	47199	52094	63986
i) सामान्य सेवाएं	i) General Services	342	892	1383
ii) अनावंटनीय	ii) Unallocable	46857	51202	62603
4. सरकारी प्रशासन का अधिशेष (1-2-3)	4. Surplus of the Government Administration (1-2-3)	(-)3737	3320	199
5. विभागीय उपक्रमों की सकल बचत	5. Gross Savings of the Departmental Undertakings	6713	8330	9257
6. कुल अधिशेष (4+5)	**6. Total Surplus (4+5)**	**2976**	**11650**	**9457**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :

आर्थिक	कार्य संबंधी Functional / Economic	सामान्य सेवाएं General Services: रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Education
1	2	3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	6447.1	21607.6	164.6
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest			
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	276.9		524.7
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities			0.1
(ग) अन्य को	(c) To Others	54.2		1717.4
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	0.4		
(ख) ऋण सहायता	(b) Debt Relief			
(ग) पेंशनें	(c) Pensions			
(घ) अन्य को	(d) Others	10.0		41.4
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	756.9		29.7
(ii) भंडार	(ii) Stocks	29.1		
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories			0.3
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	0.4		
(घ) अन्य को	(d) To Others			
(ii) अन्य पूंजीगत अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers			
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी प्रतिष्ठानों का	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठानों में	(a) Financial Concerns			
(ख) अन्य में	(b) Others			
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns			
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories			
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns			
(ख) अन्य	(b) Others			
(iii) स्थानीय प्राधिकरण	(iii) To Local Authorities			
(iv) अन्य को	(iv) To Others			0.5
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	30.0		
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	33.7		
(iv) स्थानीय प्रधिकरणों को	(iv) To Local Authorities			
(v) अन्य को	(v) To Others	1.5		
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	54.0		
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	0.5		
जोड़	**Total**	**7694.7**	**21607.6**	**2478.7**

1993-94 (वास्तविक)
1993-94 (ACTUAL)

(करोड़ रुपए *Rs. crore*)

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu-nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना-वंटनीय Unallo-cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
536.7	969.5	294.6	420.9	354.3	1019.2			31814.5
							34490.0	34490.0
1506.8	353.1	522.3	181.9	437.5	2257.0	3935.5	1728.7	11724.4
	14.1							14.2
187.2	893.0	728.4	1273.9	102.1	548.3			5504.5
	30.9	4471.4	257.9	526.2	661.2		5537.2	11485.2
		500.0						500.0
							2736.2	2736.2
0.1	157.2	0.4	4.1		0.2		81.6	295.0
40.3	480.2	158.3	535.2	10877.3	228.2			13106.1
-115.2	-3.6	11.1	-110.7	-155.8	4.1			-341.0
	4343.7	910.2	27.7	7.6	6.5	3935.5		9231.5
								0.0
	51.0				0.5			51.9
44.7	1583.5		152.9					1781.1
							746.3	746.3
			11.0		395.5			406.5
	105.3	22.3	1953.3	53.2	13.3			2147.4
		1.0	126.6	2.6	3.9			134.1
	28.9	100.3	170.9	3.3	5005.3	8656.1		13964.8
		166.3	1554.3					1720.6
	15.6	13.6	2272.0	54.0	2.5			2357.7
	0.9			99.5				100.4
	211.1		0.5		177.3			389.4
	10.9	-109.2					88.5	20.2
	0.4		1245.1	54.1				1299.6
							13.0	46.7
								0.0
	0.4	0.4	0.5		3.4			6.2
								54.0
								0.5
2200.6	**9246.1**	**7791.4**	**10078.0**	**12415.9**	**10326.4**	**16527.1**	**45421.5**	**145788.0**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :

ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :

आर्थिक	Economic	कार्य सम्बंधी Functional — सामान्य सेवाएं General Services: रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Education
1	2	3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	7249.0	23262.4	172.3
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest	-	-	-
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	255.8	-	505.6
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	0.1	-	-
(ग) अन्य को	(c) To Others	229.2	-	2052.2
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	0.4	-	-
(ख) ऋण सहायता	(b) Debt Relief	-	-	-
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-
(घ) अन्य को	(d) Others	406.3	-	44.1
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	867.4	-	34.5
(ii) भंडार	(ii) Stocks	131.8	-	-
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	-	-	4.0
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	0.5	-	-
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी कम्पनियों का	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य को	(b) Others	-	-	-
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	0.1	-	-
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-
(iii) स्थानीय प्राधिकरण	(iii) To Local Authorities	-	-	-
(iv) अन्य को	(iv) To Others	-	-	0.5
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	39.6	-	2.9
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	-	-	-
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities	-	-	-
(v) अन्य को	(v) To Others	0.1	-	-
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	118.1	-	-
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	-0.5	-	-
जोड़	**Total**	**9297.9**	**23262.4**	**2816.1**

1994-95 (संशोधित अनुमान)
1994-95 (REVISED ESTIMATES)

(करोड़ रुपए Rs. crore)

	सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services							
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu-nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना-वंटनीय Unallo-cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
671.6	1263.8	337.8	565.7	466.1	1476.2	-	-	35464.9
-	-	-	-	-	-	-	41369.9	41369.9
1710.6	436.1	25.0	170.2	407.4	2714.9	4259.6	1639.2	12124.4
-	15.9	-	-	-	-	-	-	16.0
304.3	901.0	928.6	1234.5	112.2	891.1	-	-	6653.1
-	35.9	5829.6	182.8	562.8	556.6	-	5100.0	12268.1
-	-	341.0	-	-	-	-	-	341.0
-	-	-	-	-	-	-	3007.9	3007.9
0.2	239.8	0.4	4.7	-	0.3	-	85.2	781.0
49.9	805.7	115.6	583.8	12386.5	319.1	-	-	15162.5
-141.8	20.6	11.4	144.5	-27.4	2.5	-	-	141.6
-	3043.1	993.9	84.8	6.1	6.0	4259.5	-	8397.4
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
-	46.6	-	-	-	0.6	-	-	47.7
-	4900.1	43.0	261.9	-	-	-	-	5205.0
-	-	-	-	-	-	-	785.8	785.8
-	-	-	13.0	-	797.0	-	-	810.0
-	235.2	22.6	2469.5	45.2	69.0	-	-	2841.5
1.1	-	1.1	92.5	6.9	4.0	-	-	105.7
-	354.0	121.1	19.0	3.0	9309.1	8733.5	-	18539.7
-	-	250.0	871.7	-	-	-	-	1121.7
-	4.1	16.0	2194.6	49.7	-	-	-	2264.4
-	8.0	-	-	27.0	-	-	-	35.0
-	294.9	-	0.4	-	304.2	-	-	600.0
25.1	10.8	-	10.0	4.7	-	-	21.8	114.9
-	0.4	-	925.3	90.0	-	-	-	1015.7
-	-	-	-	-	-	-	77.4	77.4
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
-	3.3	0.4	0.9	-	24.2	-	-	28.9
-	-	-	-	-	-	-	-	118.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-0.5
2621.0	**12619.3**	**9037.5**	**9829.8**	**14140.2**	**16474.8**	**17252.6**	**52087.2**	**169438.8**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :

आर्थिक	कार्य सम्बंधी Functional Economic	सामान्य सेवाएं General Services रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Education
1	2	3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	8567.7	25194.6	193.9
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest			
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	236.9		761.5
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	0.1		
(ग) अन्य को	(c) To Others	346.2		2097.9
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	0.6		
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief			
(ग) पेंशनें	(c) Pensions			
(घ) अन्य को	(d) Others	799.3		53.6
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	1044.6		37.9
(ii) भंडार	(ii) Stocks	116.8		
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories			6.9
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	0.9		
(घ) अन्य को	(d) To Others			
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers			
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी कम्पनियों में	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns			
(ख) अन्य को	(b) Others			
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	0.1		
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories			
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns			
(ख) अन्य	(b) Others			
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iii) To Local Authorities			
(iv) अन्य को	(iv) To Others			0.5
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	41.0		1.0
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments			
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities			
(v) अन्य को	(v) To Others			
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	223.0		
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	-0.5		
जोड़	**Total**	**11376.7**	**25194.6**	**3153.2**

1995–96 (बजट अनुमान)
1995-96 (Budget Estimates)

(करोड़ रुपए Rs. crore)

सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services								
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu-nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना-वंटनीय Unallo-cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
724.4	1347.0	353.0	315.6	379.5	1280.5			38356.2
							48922.9	48922.9
1743.9	357.2	11.4	167.0	619.8	42.6	4370.3	5166.7	13477.3
	18.4							18.5
351.9	1563.6	1005.5	1330.2	68.7	761.0			7525.0
	57.9	5964.6	251.8	490.2	307.7		5250.0	12322.8
								0.0
							3178.5	3178.5
0.1	233.9	0.5	4.5		0.3		84.7	1176.9
59.2	658.0	146.2	775.7	13352.7	295.9			16370.2
-142.0	18.0	-28.8	165.3	130.6	3.1			263.1
	2719.7	1152.1	101.1	6.1	8.1	4370.2		8364.2
								0.0
	0.7				0.9			2.5
	5261.7	43.0	433.0					5737.7
							866.4	866.4
					341.1			341.1
	220.0	20.9	1515.4	50.3	24.0			1830.6
0.1		2.3	106.1	25.6	3.6			137.8
	383.6	128.0	3.7	12.0	6662.0	9015.5		16204.8
		262.9	572.6					835.5
	1.1	8.0	2506.6	65.0				2580.7
	7.5			27.0				34.5
	250.6		0.2		309.0			560.3
0.1	9.3	3.0					21.7	76.1
	0.4		540.1	105.7				646.2
							100.0	100.0
								0.0
	3.1	0.4	1.5		1.1			6.1
								223.0
								-0.5
2737.7	**13111.8**	**9073.0**	**8790.4**	**15333.2**	**10040.9**	**17756.0**	**63590.9**	**180158.4**

परिशिष्ट

केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में मदों की परिभाषा और उनकी व्युत्पत्ति पर टिप्पणियां

क. आर्थिक वर्गीकरण

इस पुस्तिका में प्रस्तुत आर्थिक वर्गीकरण का ढांचा 6 विवरणों (खातों) में केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों की रूपरेखा पर आधारित है। इन विवरणों में प्रत्येक विवरण की व्युत्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण 1: *वस्तुओं और सेवाओ के लेन-देन और अन्तरण: सरकारी प्रशासन का चालू खाता*

इस विवरण का संबंध व्यय पक्ष में सरकार के खपत संबंधी व्यय और चालू अन्तरण अदायगियों से है। प्राप्ति पक्ष में, इस विवरण में कर-प्राप्तियों, सरकारी सम्पत्ति और उद्यमों से आय और शुल्क तथा विविध प्राप्तियों को दिखाया जाता है। खपत संबंधी व्यय से चालू राजस्व के आधिक्य से उत्पन्न शेष तथा चालू अन्तरण अदायगियां केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बचत की सूचक होती हैं और वाणिज्यिक उपक्रमों की बचतों को मिलाकर यह पूंजी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की बचत की द्योतक होती है।

मद 1 : *खपत संबंधी व्यय* : सरकार के खपत संबंधी व्यय में कर्मचारियों को अदा की गई मजदूरी और वेतन तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर हुआ चालू व्यय शामिल है। इससे सरकार के मौजूदा विकास संबंधी तथा विकास-भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं और उपयोग किए गए अन्य तत्वों की उपलब्ध मात्रा के मूल्य का पता चलता है।

मद 1.1 : *मजदूरी और वेतन* : मजदूरी और वेतन की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई मजदूरी और वेतन के रूप में उत्पन्न आय के अनुमानों की द्योतक है। असैनिक विभागों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों (जिनमें मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी शामिल है, परन्तु यात्रा भत्ते शामिल नहीं है) और मानदेय के रूप में वास्तविक अदायगियों के अलावा, इस मद में रक्षा कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, जिसमें किट और वस्त्र भत्ता तथा रक्षा कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला अन्न भी शामिल है, रक्षा पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन का अंश और "मरम्मत और अनुरक्षण" तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा रखे गए नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी की अदायगियां भी शामिल है, रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन अंश का अनुमान लगाते समय निर्माण-कार्यों के व्यय के एक तिहाई अंश को मजदूरी और वेतन माना जाता है और दो-तिहाई अंश को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर होने वाला व्यय माना जाता है। "मरम्मत और अनुरक्षण" तथा "एकमुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत व्यय को 50:50 के अनुपात में मजदूरी और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि आवश्यक आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

मद 1.2 : *वस्तुएं और सेवाएं* : वस्तुओं और सेवाओं की मद में "अन्य व्यय" शीर्षक के अधीन होने वाले व्यय शामिल है। बजट में की गई "इकट्ठी व्यवस्था" को वस्तुओं और सेवाओं तथा मजदूरी और वेतन में 50:50 के अनुपात में बांट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को इसी प्रकार की जाने वाली अदायगियों को सेवाओं की खरीद के रूप में मान लिया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय को चालू व्यय के रूप में मान लिया जाता है। निर्माण-कार्यों, पर हुए व्यय के एक-तिहाई अंश को छोड़कर, जिसे मजदूरी और वेतन माना जाता है, रक्षा पर पूंजी परिव्यय की बाकी राशि यहां दिखाई जाती है।

APPENDIX

Notes on definition and derivation of items in the Economic-cum-Functional Classification of the Central Government Budget

A. Economic Classification

The framework of economic classification presented in the brochure is based on the delineation of Central Government transactions in a set of six accounts. The following is briefly a description of the derivation of items in each of these accounts.

Account 1: *Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Government Administration*

This account is concerned, on the expenditure side, with the Government's consumption expenditure and current transfer payments; on receipt side, it indicates tax receipts, income from Government property and enterprises and fees and miscellaneous receipts. The surplus arising out of the excess of current revenue over expenditure on consumption and current transfer payment denotes the saving of the Central Government administration and together with savings of the commercial undertakings constitutes the saving of the Central Government available for capital formation.

Item 1: *Consumption Expenditure:* The Government's consumption expenditure comprises wages and salaries paid to employees and current expenditure incurred on purchases of commodities and services. This indicates the value of the available supplies of goods and factors drawn into the Government's current use, for developmental as well as non-developmental purposes.

Item 1.1: *Wages and Salaries:* Denote the estimates of income generated in the form of wages and salaries paid by the Central Government. Besides actual payments by the civil departments in the form of pay of officers and staff, allowances (including dearness allowance and city compensatory allowance but excluding travelling allowances) and honoraria, this item includes wages and salaries of the defence personnel including kit and clothing allowance and foodgrains provided to defence personnel, wages and salaries component of defence capital outlay and of 'repairs and maintenance' and also wage payments to casual labour employed by administrative departments. In estimating the wages and salaries component of defence capital outlay, one-third of the works expenditure is treated as wages and salaries and two-thirds as purchase of commodities and services. The expenditure under 'repairs and maintenance' as well as under 'lump sum provision' has been allocated in the ratio of 50:50 between wages and salaries and purchase of commodities and services since the required breakup is not available.

Item 1.2: *Commodities and Services:* Include expenditures under the head 'other charges'. 'Lump sum provisions' in the budget have been broken down into expenditure on commodities and services and wages and salaries in the ratio of 50:50. Contributions to the U.N. and similar payments to other international organisations are treated as purchases of services. Also in conformity with the accepted procedure of national income estimation, defence capital outlay has been treated as current expenditure. Except for one-third of the works expenditure which is treated as wages and salaries, the rest of capital outlay on defence appears here.

मद 2 : *अन्तरण अदायगियां* : ये व्यय माल और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग के द्योतक नहीं होते, ये तो अन्य मदों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केवल अन्तरणों के रूप में होते हैं। वर्तमान विश्लेषण में चालू अन्तरणों और पूंजीगत अन्तरणों में अन्तर की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि जहां चालू अन्तरणों से प्राप्तिकर्ताओं के आय खातों में रकमों की वृद्धि हो जाती है, वहां पूंजीगत अन्तरणों का उद्देश्य पूंजीगत व्यय में सहायता देना होता है। यहां केवल चालू अन्तरणों को दिखाया गया है। इनमें ब्याज की अदायगियां, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकरणों और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को चालू अनुदान, आर्थिक सहायता, पेंशनें और अन्यों को अन्तरण अदायगियां शामिल है।

मद 2.1 : राष्ट्रीय कर्जे पर ब्याज की अदायगी को कई बार सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया जाता है, परन्तु इन अदायगियों को यहां सकल रूप में दिखाया गया है। ब्याज में राष्ट्रीय कर्जों पर ब्याज भी शामिल है परन्तु विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज इसमें शामिल नहीं है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज को विवरण 2 में जो इन उपक्रमों का चालू खाता है, दिखाया गया है।

मद 2.2 : अनुदानों में सांविधिक अनुदान तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अन्य आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुदान शामिल हैं, पर इसमें वे अनुदान शामिल नहीं हैं, जिनका उद्देश्य पूंजी निर्माण में सहायता पहुंचाना है (जैसे, ग्रामीण निर्माण कार्य, भूमि-संरक्षण, वन, लघु सिंचाई कार्य आदि के लिए अनुदान)। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर किया जाने वाला व्यय भी, जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया गया है यहां दिखाया गया है। चौथी आयोजना के शुरू से राज्यों और राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त अनुदानों और एकमुश्त ऋणों के रूप में दी जाती है। इस विश्लेषण में एकमुश्त अनुदानों को चालू और पूंजीगत अनुदानों के बीच 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। उप-मद "अन्य को अनुदान" में मुख्यतः संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं और इन संस्थाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भी शामिल है।

मद 2.3 : अन्य चालू अन्तरणों में ये शामिल हैं : आर्थिक सहायता प्राप्त असैनिक और सैनिक पेंशनों और व्यक्तियों को किए गए अन्य चालू अन्तरण जैसे छात्रवृत्तियां, वृत्तिकायें, इनाम, अकाल और अन्य सहायता संबंधी अदायगियां। इस मद में प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ सहायता व्यय (राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किए गए व्यय से भिन्न) भी शामिल है। इस वर्गीकरण में पेंशन संबंधी अदायगियों को अन्तरण अदायगी के रूप में माना गया है। यद्यपि पेंशन को एक अन्य प्रकार से, अर्थात् आस्थगित वेतन के रूप में माना जा सकता है, परन्तु पेंशनों को अन्तरण के रूप में मानना इस आधार पर सरल और तर्कसंगत है कि पेंशन वाले सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अर्थव्यवस्था के चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है।

मद 6 : सरकार की चालू और पूंजी खाते की अंतरण प्राप्तियों (अर्थात् करों) के बीच का अन्तर चालू और पूंजी खाते की अन्तरण अदायगियों के बीच के अंतर की तरह, इस परिकल्पना पर आधारित है कि सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियां आय से की गई अदायगियां है जबकि पूंजीगत प्रप्तियां पूंजी से की गई अदायगियां होती हैं। इस भिन्नता के आधार पर संपदा-शुल्क और दान-कर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माने जाते और इन्हें 1982-83 तक यहां पर नहीं दिखाया जाता था। तथापि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रह और राष्ट्रीय लेखों के संकलन और विश्लेषण की सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह भेद राजकोषीय वर्ष 1983-84 (वास्तविक) से समाप्त कर दिया गया है।

करों की प्राप्तियों की राशि, यहां राज्यों के हिस्से और स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों को घटा कर दिखाई गई है।

Item 2: *Transfer Payments:* These expenditures do not involve direct demand on goods and services; they are of the nature of mere transfers intended to add to incomes of others. In the present analysis, a distinction has been drawn between current transfers and capital transfers on the hypothesis that while current transfers supplement the income accounts of recipients, capital transfers are intended to assist capital expenditure. Current transfers alone appear here; these comprise interest payments, current grants to States, Union Territories, local authorities and non-profit making institutions, subsidies, pensions and transfer payments to others.

Item 2.1: Interest Payments on the national debt are sometimes treated as a deduction from the current (transfer) receipts of Government, but these payments have been shown here on a gross basis. Interest comprises interest on the national debt exlcuding interest charged to departmental commercial undertakings. Interest charged to departmental commercial undertakings appear in Account 2, the current account of these undertakings.

Item 2.2: Grants include statutory grants, as well as all other non-plan and plan grants to States and Union Territories excepting those which are intended to assist capital formation (e.g. grants for rural works, soil conservation, forests, minor irrigation etc.). The expenditure on rehabilitation of displaced persons routed through State Governments and Union Territories also appears here. Starting with the Fourth Plan, the Central assistance to States and Union Territories is being given in the form of block grants and block loans; in this analysis, block grants have been allocated between current and capital grants in the ratio of 50:50. The sub-item 'grants to others' comprises grants mainly to institutions and these include grants to public sector institutions, like Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, and University Grants Commission.

Item 2.3: Other current transfers include subsidies, pensions-civil and defence and other current transfers to individuals like scholarships, stipends, prizes, famine and other relief payments. This item also includes relief expenditure (i.e. other than that routed through State Governments and Union Territories) incurred directly on displaced persons. Pension payments have been treated in the present classification as a transfer payment. While an alternative treatment of pensions as deferred pay is possible, the treatment of pensions as transfers is simpler and justifiable on the ground that no increase in current output accrues to the economy from retired personnel receiving pensions.

Item 6: The distinction between transfer receipts (i.e. taxes) of Government on current and capital account - like the distinction between transfer payments on current and capital account - rests on the hypothesis that Government's current transfer receipts constitute payments out of income, while capital receipts constitute payments out of capital. Based on this distinction, estate duty and gift tax were treated as capital receipts and did not appear here until 1982-83. However, following the recommendations made by the Advisory Committee on collection of data for National Income and Compilation and Analysis of National Accounts, this distinction has been done away with starting from the fiscal year 1983-84 (Accounts).

Tax receipts shown here are net of the States' share and taxes transferred to local authorities.

आय और सम्पत्ति पर करों की मद में आय-कर, निगम कर, धन-कर, संपदा शुल्क, दान-कर और भू-राजस्व (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज प्राप्तियों पर कर शामिल है। वस्तुओं और लेन देनों पर कर में संघ उत्पाद शुल्क, (जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है) सीमा शुल्क, उपयोगी वस्तुओं पर उपकर और विदेश यात्रा पर कर और बिक्री कर, पूंजीकरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) भी शामिल है।

मद 7 : *सम्पत्ति और उद्यमों से आय* : इस मद में, प्रशासन को अन्तरित विभागीय और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ और भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ शामिल हैं। इसमें शामिल ब्याज की प्राप्तियां मुख्यतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और गैर विभागीय वाणाज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज की हैं। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज को इसमें शामिल नही किया गया है, क्योंकि उन उपक्रमों पर भारित ब्याज विवरण 2 में दिखाई गई व्यय की मद है, विवरण 1 में नही। "अन्यों" में किराये की प्राप्ति और लोक निर्माण कार्यों से प्राप्तियां और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा देय कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी भी शामिल है।

मद 8 : *फीस और विविध प्राप्तियां* : इसमें वाणिज्यिक आधार पर संगठित न की गई फीस पर दी गई सेवाओं के लिए सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्राप्तियां शामिल हैं।

विवरण 2 : *वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन तथा अन्तरण: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता*

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य जो बजट में दिखाये गये हैं, सरकार की उद्यमकारी गतिविधियों के रूप में है। इन उपक्रमों के चालू व्यय उत्पादनशील उद्यमों के कार्यचालन व्यय के समान उस मध्यवर्ती व्यय के द्योतक है जो माल तथा सेवाओं के मूल्यों में शामिल किए जाते है और जिन्हें अर्थ-व्यवस्था के दूसरे वर्गों को बेचा जाता है। अतः वह प्रशासनिक विभागों के अन्तिम परिव्यय के रूप में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय केवल प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों (अर्थात् करों) से, जो उनकी अपनी आय नहीं होती है और व्यय को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों की आयों से ली जाती है, भिन्न होती है। अतः इस विवरण में सामान्यतः विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का लाभ और हानि का लेखा दिया जाता है और यह विवरण 1 के स्वरूप से भिन्न होता है।

स्वतंत्र कम्पनियों या निगमों के रूप में संचालित सरकारी उद्यमों जैसे हिन्दुस्तान स्टील, उर्वरक निगम आदि के लेन-देनों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यहां प्रस्तुत किया गया आर्थिक वर्गीकरण उपक्रमों अनुदानों की मांगों और बजट के विस्तार के संबंध में है। अतः यह विवरण केवल उन वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित है जो विभागीय तौर पर चलाये जा रहे है और इनमें ये उपक्रम शामिल है:- रेलवे, डाक और दूरसंचार , अफीम की फैक्टरियां और एलक्लायड के कारखाने, विदेशी संचार सेवाएं, परिवहन योजनाएं, परमाणु बिजलीघर सहित विद्युत परियोजनाएं, वन और दिल्ली दुग्ध योजना। किन्तु 1972-73 से वर्गीकरण में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार रेल की कर्मशालाओं और उत्पादन एककों (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटेग्रल कोच फैक्टरी) के निर्माण संबंधी कार्यों को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। 1977-78 से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर रक्षा सेवाएं, कैंटीन भण्डार विभाग के कार्यचालन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसके द्वारा किए गए लेन-देन सामान्य बजट का एक अंग है। इसमें 1982-83 (वास्तविक) से प्रारम्भ करके परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यचालन को भी शामिल किया गया है और 1983-84 (वास्तविक) से नागर विमानन, वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं, दीप स्तंभों और दीप-पोतो, और सिंचाई निर्माण कार्यो को भी वाणिज्यिक उपक्रम माना गया है।

Taxes on income and wealth include income tax, corporation tax, wealth tax, estate duty, gift tax, land revenue (in respect of Union Territories) and tax on interest receipts of scheduled commercial banks. Taxes on commodities and transactions include Union excise duties (excluding States' share), customs duties, cesses on commodities and tax on foreign travel and also sales tax, registration fees, stamp duties etc. (in respect of Union Territories).

Item 7: *Income from property and enterprises:* This item includes profits of departmental and non-departmental commercial undertakings transferred to administration as well as profits of the Reserve Bank of India. Interest receipts included here are mainly from States and Union Territories and non-departmental commercial undertakings. Interest received from departmental commercial undertakings is omitted since interest charged to these undertakings is an item of expenditure in Account 2 and not Account 1. 'Others' include rental income, receipts from public works and royalty payable by ONGC on crude oil and gas.

Item 8: *Fees and miscellaneous receipts:* These include administrative receipts of Government departments for services rendered for a fee not organised on a commercial basis.

Account 2: *Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Departmental Commercial Undertakings*

The operation of departmental commercial undertakings which figure in the budget, are of the nature of enterpreneurial activities of the Government. Current expenditure of these undertakings like working expenses of productive enterprises constitute intermediate expenditures that enter into the prices of goods and services as they are sold to other sectors of the economy. Therefore, they are different in character from final outlays by administrative departments. Likewise, sale proceeds of commercial undertakings are different from the receipts (e.g. taxes) of purely administrative departments which have no income of their own and draw upon incomes of other sectors to meet their expenditures. This account, therefore, sets out what is generally known as the profit and loss account of departmental commercial undertakings and is different in character from Account I.

The transactions of Government enterprises run as independent companies or corporations such as the Hindustan Steel, Fertiliser Corporation etc. are not included in this Account, as the economic classification presented here pertains to the magnitudes in the Demands for Grants and the Budget. This account is, therefore, concerned only with those commercial undertakings which are run departmentally and include Railways, Posts, Telecommunications, Opium factories and Alkaloid works, Overseas Communications Services, Transport Schemes, Power Projects including Atomic Power Stations, Forests and Delhi Milk Scheme. However, an important major change introduced since 1972-73 Classification has been to bring in the manufacturing activity of the Railway Workshops and production units (Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory). With effect from 1977-78, the working of the Defence Services Canteen Stores Department has been included as its transactions now form part of the general Budget following the recommendations of the Public Accounts Committee. Starting from 1982-83 (Accounts), the working of atomic energy industrial projects and from 1983-84 (Accounts), those of Civil Aviation, commercial broadcasting service, light-houses and lightships and irrigation works are also treated as commercial undertakings.

अतः यहां यह बता देना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की उपर्युक्त सूची में, केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने वाले वाणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक किस्मों के कार्य-कलापों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह संभव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग, करेंसी नोट प्रेस और सिक्यूरिटी प्रेस की गतिविधियों जैसे कार्य-कलापों को सरकारी वाणिज्कि कार्य-कलापों के रूप में माना जाए। किन्तु यहां पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सेवाओं की अधिकांश बिक्री या तो वाणिज्यिक आधार पर नहीं की जाती या उनकी बिक्री मुख्यतः सरकारी विभागों को ही की जाती है।

इस विवरण की मदें स्वतः स्पष्ट हैं। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन खाते के व्यय पक्ष में कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (अर्थात् मजदूरी और वेतन), पेंशन आदायगियां, कच्चे माल आदि की खरीद आदि (आर्थात् वस्तुओं और सेवाओं का व्यय), मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी व्यय, इन उपक्रमों द्वारा देय ब्याज और मूल्यह्रास की व्यवस्था दिखाई जाती है। वर्ष 1979-80 से रेलवे के राजस्व में हुई कमी को उनका 'आस्थगित लाभांश दायित्व' माना जाता है और उसे उनके द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांशों में से घटा दिया जाता है। किन्तु रेलवे की सही वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए, उनके पूर्ण लाभांश दायित्व को हिसाब में लिया गया है और कमी को काल्पनिक दृष्टि से रेलवे को दिया गया उधार माना गया है। प्राप्ति पक्ष में उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुछ रकमें तथा विभिन्न निधियों को बकाया राशियों पर प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम दिखाई जाती है अधिशेष के एक अंश को, उपक्रम के अंशदान के रूप में सरकारी प्रशासन के चालू खाते (विवरण 1) में अन्तरित कर दिया जाता है और शेष राषि को धारित लाभों के रूप में दिखाया जाता है।

यह धारित लाभों सहित सरकारी प्रशासन की बचत की राशि और विभागीय उपक्रमों के मूल्यह्रास की रकम मिलकर सरकार की कुल बचत की राशि बन जाती है जो सकल पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होती है।

विवरण 3: *वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरणः सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (सम्मिलित) का पूंजी खाता*

इस विवरण का संबंध, कुल पूंजी-परिव्यय से है जो प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पतियों और पूंजीगत अन्तरणों का द्योतक है। चूंकि पूंजी निर्माण संबंधी समस्त व्यय, अन्तिम व्यय होता है और राष्ट्रीय उत्पादन पर भारित होता है तथा सरकार को उसके लिए या तो अपनी बचतों से रकमें निकाल कर साधन जुटाने पड़ते हैं अथवा गैर-सरकारी बचतों से रकम जुटानी पड़ती है, इसलिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्रशासन ओर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में भेद करना अधिक सार्थक नहीं होगा।

सरकार द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पत्ति को (विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन व्यय को छोड़कर) सकल और निवल परिसम्पत्ति के निर्माण तथा तालिकागत सामान में हुई निवल वृद्धि के रूप में दिखाया गया है। पूंजीगत अन्तरणों के एक ब्यौरे का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं तथा अंतरणों में लेन देन के घाटे को विवरण 3 में सन्तुलनकारी मद के रूप में दिखाया गया है और इससे शेष अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार के निवल दायित्व में हुए परिवर्तन की मात्रा का पता चलता है।

मद 1.1 : भवन और अन्य निर्माण कार्य में सभी कार्यालय, रिहायशी इमारतें और अन्य प्रयोजनों की इमारतें, सड़कें, रेलवे तथा डाक और तार संबंधी निर्माण कार्य, बिजली और अन्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हैं।

It is important to note here that the list of departmental commercial undertakings as given above does not exhaust the activities of a commercial or semi-commercial nature, undertaken by the Central Government. It is technically possible to treat activities like those of the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Currency Note Press and Security Press as commercial activities of the Government. This has not been done here either because of the bulk of the sale of their services is not on a commercial basis or because the sale is mainly to Government Departments.

The items in this account are self-explanatory. The expenditure side of the operating account of departmental commercial undertakings spells out compensation to employees (i.e. wages and salaries), pension payments, purchases of raw materials etc. (i.e. commodities and services), expenditure on repairs and maintenance, interest charged to these undertakings and provision for depreciation. With effect from 1979-80 the shortfall in the revenues of the Railways are treated as their "deferred dividend liability" and are deducted from the dividends payable by them to general revenues. However, in order to truly reflect the financial position of the Railways, their full dividend liability has been taken into account and the shortfall has been treated notionally as loans to Railways. The receipt side shows their gross sale proceeds and the interest receipts on their outstanding balances in various funds. A part of the surplus emerging out of this is transferred to the current account of Government administration (Account I) as undertakings' contribution and the balance appears as retained profits.

These retaind profits together with the savings of the Government administration and depreciation provision of departmental undertakings constitute total gross Government savings, available for gross capital formation.

Account 3: *Transactions in commodities and services and transfers : Capital account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings (combined)*

This account is concerned with the total capital outlay representing physical asset formation by administration and departmental commercial undertakings and capital transfers. A distinction between administration and departmental commercial undertakings in respect of capital expenditure is not very meaningful for the reason that the entire expenditure on capital formation is a final expenditure which is a charge on the national product and for which Government has to find resources either from its own savings or by drawing on private savings.

The physical asset formation by Government has been shown in terms of gross and net asset formation (excluding the renewal and replacement expenditure of departmental commercial undertakings) and net increase in inventories. A breakdown of capital transfers has also been indicated. The deficit on all transactions in commodities and services and transfers is shown as a balancing item in Account 3 and this measures the change in Government's net indebtedness to the rest of the economy.

Item 1.1: Building and other construction include all buildings for residential, office and other purposes, road construction, works of railways and posts, telecommuni-cations, power and other capital projects.

मद 1.2 : मशीनें और उपकरण मद में, विभिन्न किस्मों की मशीनों और उपकरणों की खरीद के संबंध में किये जाने वाला व्यय शामिल है। इनमें विदेशी सहायता के अंतर्गत प्राप्त मशीनें भी शामिल होती ह। "नवीकरण और प्रतिस्थापन" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाए गए व्यय का संबंध विभागीय वाणिज्यक उपक्रमों की मूल्यह्रास निधियों से वित्तपोषित व्यय से है। इसलिए मशीनों और उपस्करों पर तथा सरकारी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले निर्माण संबंधी समस्त व्यय को "नया परिव्यय" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है क्योंकि इन परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मद 2 : निर्माण कार्य संबंधी भंडार में वृद्धि : निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धारित सामान और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक विभागों के तालिकागत सामान में होने वाली निवल वृद्धि अथवा कमी को इस मद में दिखाया गया है। 1977-78 (वास्तविक) से शुरू करके आयातित उर्वरकों के स्टाकों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिखाई गई बकाया उन प्राप्तियों को घटा कर भण्डारों में होने वाली वृद्धि के रूप में, जिनको विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

मद 3.1 : पूंजी निर्माण के लिए अनुदान : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में, आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले एकमुश्त का आधा शामिल है, जो राजस्व बजट में ऐसे अनुदानों के साथ पूंजी निर्माण (अर्थात् ग्रामीण निर्माण कार्य) में सहायता देनें के उद्देश्य से दिए जाने हैं। गैर-विभागीय उपक्रमों को दिए जाने वाले अनुदानों में, (तेल और प्रकृतिक गैस आयोग जैसे स्वायत्त निगमों को) दी जाने वाली पूंजीगत सहायता (ऋणों से भिन्न) शामिल हैं। अन्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा औद्योगिक संस्थानों जैसे सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों का एक भाग शामिल हैं जो उपस्करों की खरीद और निर्माणों के लिए दिए जाते हैं।

मद 3.3 : इस मद में विदेशों को दिए जाने वाला अनुदान शामिल है। चूंकि इसका संबंध, देश से बाहर के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए की जाने वाली बचतों के अंतरण न मानकर पूंजीगत अंतरण मानना युक्तिसंगत होगा।

मद 5 और 6 : पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध प्राप्तियों में विवरण 1 और 2 से आगे लाई गई चालू खाते की सकल बचतें, तथा विदेशी अनुदानों जिसमें दूसरे देशों से प्राप्त नकदी अनुदान और वस्तु अनुदानों की प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में, निष्क्रांत सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि तथा जमीन की बिक्री की रकम को भवन और अन्य निर्माण पूंजी की राशि में से घटा दिया गया है।

विवरण 4 : *वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता*

विवरण 4 का संबंध औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को शेयर पूंजी में निवेश राशि और शेष अर्थ-व्यवस्था को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन-देन से है। ऋणों की राशि पूंजी निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नियत कर दी जाती है। पूंजी निर्माण के लिए शेयरों ओर ऋणों में निवेशित रकमों से जो विवरण 4 में दिखाई गई है, यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करने का जो काम हाथ में लेती है उसके अतिरिक्त वह वित्तीय सहायता देकर अर्थ-व्यवस्था में किस सीमा तक पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देती है। विवरण 4 संतुलनकारी मद सहित, जो वित्तीय निवेशों और केन्द्रीय सरकार के ऋणों के निवल परिव्यय की द्योतक है, विवरण 3 के घाटे की राशि से यह पता चलता है कि निवल आन्तरिक और निवल विदेशी ऋणों की रकम से तथा घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरी की जाने वाली कुल वित्तीय आवश्यकता कितनी है।

Item 1.2: Machinery and equipment include expenditure incurred on the purchase of various types of machinery and equipments including machinery obtained under foreign aid. The expenditure shown against 'renewals and replacement' refers to expenditure financed out of the depreciation funds of the departmental commercial undertakings. The entire expenditure on machinery and equipment as well as on construction by the Government administration therefore appears as 'new outlay', since no provision for depreciation of these assets is made in the budget.

Item 2: *Increase in works stores:* The net increase or decrease in stores needed for construction work and inventories of departmental commercial undertakings and administrative departments is shown under this item. There has been a change introduced in classifying imported fertilizers' transactions beginning 1977-78(Accounts) whereby the net transactions are treated as subsidy instead of increase in stocks after deducting arrear receipts shown under recoveries for past years which are classified under miscellaneous capital receipts.

Item 3.1: Grants for Capital Formation: Capital grants to States and Union Territories include one-half of block grants given as Central assistance for plan schemes, as well as such grants in the revenue budget as are intended to assist capital formation(e.g. rural works). Grants to non-departmental commercial undertakings include capital assistance (other than by way of loans, to autonomous corporations like the Oil and Natural Gas Commission). Grants to others include part of grants to public sector institutions like Council of Scientific and Industrial Research and Institutes of Technology, treated as intended for purchase of equipment and for construction.

Item 3.3: This item includes grants to foreign countries. The rationale of treating these grants as capital rather than current transfer is that they involve transfer of savings for economic reconstruction and development outside the country.

Item 5 and 6: Receipts available for capital formation consist of gross savings on current account brought over from Accounts 1 and 2, and receipts of foreign grants include both cash grants and commodity grants received from other countries. Other capital receipts include sale proceeds of evacuee property and proceeds from sale of land. The sale of other physical assets has been netted against outlay on building and other construction.

Account 4: *Changes in financial assets : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings*

Account 4 is concerned with transactions in financial assets, i.e. investment in share capital of industrial and commercial concerns and loans and advances granted to the rest of the economy. Loans have been allocated between those meant for capital formation and those for other purposes. Investments in shares and loans for capital formation as shown in Account 4 indicate the extent to which the Central Government promotes capital formation in the rest of the economy through financial assistance in addition to the capital formation directly undertaken by it. The balancing item of Account 4, representing net outlay on financial investments and loans of the Central Government together with the deficit in Account 3 represents the total requirements of finance to be met out of net domestic and net foreign borrowing and by the deficit financing.

मद 1 : सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयरों में किए जाने वाले निवेशों का तात्पर्य-सरकार के ऐसे गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो की शेयर पूंजी में निवेश, जिनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्रीय सरकार के पास हो। बैंकों, सामान्य बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप अधिगृहीत शेयरों आदि को भी निवेश माना जाता है। अन्य सभी प्रतिष्ठानों को, चाहे वे गैर-सरकारी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हो, "अन्य प्रतिष्ठान" कहा गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में, वित्तीय प्रतिष्ठानों और गैर-वित्तीय प्रतिष्ठानों के बीच भेद किया गया है।

मद 2 : पूंजी निर्माण के लिए देय ऋणों में पूंजी-परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं जिसमें राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा औरों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं। अल्प बचतों की राशि में से राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है। केवल गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के दिए गये आयोजनागत ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है। पूंजी निर्माण के लिए औरों को दिए जाने वाले ऋणों में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों, सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले तथा मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

मद 3 : राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले अन्य ऋणों में अर्थोपाय अग्रिम, अल्पावधिक कृषि ऋण, दैवी विपत्तियों के संबंध में देय ऋण तथा आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं। चूंकि राज्यों को दिए गए सभी अर्थोपाय अग्रिम उसी वित्तीय वर्ष में ले लिए जाते है इसलिए 1975-76 से इस शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान और प्रप्तियों को छोड़ देने का निश्चय किया गया था। इसी प्रकार, कृषि निविष्टियों के लिए राज्य सरकारों को अल्पाविधि ऋणों को 1985-86 (वास्तविक) से छोड़ दिया गया है। राज्यों को दिये गये मध्यावधि ऋणों को, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके घाटों/ओवर ड्राफ्टों को पूरा करने के लिए उन्हे दी गई थी, छोड़ दिया गया क्योंकि इनसे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तकों में राज्यों की देनदारियों का केन्द्र को अंतरण ही प्रकट होता था। गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्य ऋण में उसके घाटे की पूर्ति के लिए तथा पहले की ऋणों की वापसी अदायगियों के लिए दिए गए आयोजना-भिन्न ऋण शामिल हैं। तथापि 1975-76 (संशोधित अनुमान) से गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पिछले ऋणों के नवीनीकरण का ब्यौरा उपलब्ध हो गया है और इस कारण इनको "व्यय" और "आय" में शामिल नहीं किया गया है। विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों में वे तकनीकी ऋण शामिल हैं जो उन देशों को दिए जाते हैं जिनके साथ रुपयों में अदायगी करने के लिए करार किए गए हैं। चूंकि अधिकांश तकनीकी ऋणों की वसूली उसी वित्तीय वर्ष में की जाती है इसलिए उन्हें अब 1981-82 (वास्तविक) से निवल आधार पर दिखाया गया है। 'अन्यों' को दिए जाने वाले ऋणों में सरकारी कर्मचारियों के देय वाहन अग्रिम तथा राहत ऋण (जैसे तूफान सहायता) शामिल हैं।

मद 4 : इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को दिए जाने वाले अभिदान शामिल हैं।

मद 5 : यह मद स्वर्ण की किसी भी बिक्री की राशि के समायोजन के बाद स्वर्ण की वास्तविक खरीद की द्योतक है जैसे कि 1980-81 में 4 करोड़ रूपए के राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडों के रुप में वापसी अदायगी किया जाना।

मद 7 : अन्यों द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी में सरकारी उपक्रमों द्वारा वापस अदा किए गए ऋण शामिल हैं। यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि राज्यों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों और अल्पावधि कृषि ऋण को उसी वर्ष में वापस अदा करना पड़ता है जिसमें वे दिए जाते हैं लेकिन उन्हें प्राप्ति और व्यय दोनों मदों में दिखाया जाता है।

मद 8 : यह मद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की घोतक है।

Item 1: Investments in shares of Government concerns denote investments in the share capital of such non-departmental commercial undertakings of the Government, in which the Central Government ownership is more than 50 per cent. Acquisition of shares as a result of nationalisation of banks, general insurance etc., is also treated as investment. All other concerns whether in the private, cooperative or public sector have been treated as 'others'. In the case of Government concerns, a distinction has been drawn between financial concerns and non-financial concerns.

Item 2: Loans for capital formation include loans given for the creation of capital assets and comprise loans to States, local authorities, non-departmental commercial undertakings and others. Loans to States out of small savings have been treated as loans for capital formation. Only plan loans given to non-departmental commercial undertakings have been taken as loans for capital formation. Loans for capital formation to others include loans to private industrial undertakings, cooperative housing societies and house-building loans to Government employees.

Item 3: 'Other loans' to State Governments and Union Territories include ways and means advances, short-term agricultural loans, loans for natural calamities and special loans for meeting non-plan gaps. Since the entire ways and means advances to States are recovered within the same financial year, it was decided to ignore both the disbursements and the receipts under this head with effect from 1975-76. Similarly, short-term loans to State Governments for agricultural inputs have been ignored with effect from 1985-86 (Accounts). Medium-term loans to States to clear their deficits/ overdrafts with the Reserve Bank of India are also ignored, as these represent only transfer of liability from the States to the Centre in the books of the Reserve Bank. 'Other loans' to non-departmental commercial undertakings include non-plan loans given for meeting their losses and also for the repayment of past loans. However, from 1975-76(RE) onwards, the details of renewals of past loans in respect of non-departmental commercial undertakings became available and therefore, these have been excluded both from the outgoings and the incomings. Loans to foreign Governments also include technical credits to countries having rupee payment agreements. Since a large part of technical credits are recovered within the same financial year, these are now shown on a net basis with effect from 1981-82(Accounts). Loans to 'others' include conveyance as well as relief (e.g. cyclone) loans to Government employees.

Item 4: This include subscription to IMF, IBRD, IDA and ADB.

Item 5: This represents net purchase of gold after adjusting for any sale of gold, as for instance repayment in gold of National Defence Gold Bonds in 1980-81 valued at Rs.4 crores.

Item 7: Repayments by others include loan repayments by public undertakings. It may be noted that short-term agricultural loans in respect of States are supposed to be repaid in the course of the same year but appear as items of receipts as well as of expenditure.

Item 8: This represents the sale of share of Central Public Sector Undertakings.

विवरण 5 : *वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता*

यह विवरण केन्द्रीय सरकार के ऋण संबंधी लेखे का द्योतक है और इसका संबंध विवरण 3 और 4 से होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था से है। प्राप्तियों से सकल बाजार ऋण की रकमें, सकल विदेशी ऋण और अल्प बचतों से निवल प्राप्तियां, भविष्य निधियां, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां, मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों जिसमें शून्य कूपन बॉड तथा परिपक्व राजकोषीय हुण्डियों के बदलने में ऋण शामिल हैं। मद 12(ख) पर 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों सहित अल्पकालिक ऋण।

इस संबंध में खर्च होने वाली रकमों में बाजार ऋणों (मद 1) और विदेशी ऋणों (मद 2) के संबंध में वापिस अदायगी की जाने वाली शामिल हैं। इस विवरण के अन्तर्गत शेष राशि को समायोजित रकम के साथ मिलाने पर वह विवरण 3 और विवरण 4 की संतुलनकारी मदों के योग के बराबर हो जाती हैं।

विवरण 6 : *सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता*

यह एक ऐसा समाधान खाता है जो सार रूप से विवरण 3, 4 और 5 की निवल स्थिति का द्योतक है और केन्द्रीय सरकार के सभी लेन-देनों के, उसकी नकदी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाता है। विवरण 5 में राजकोषीय हुंडियों की बिक्री की निवल राशियों और नकद शेष राशि में होने वाले अन्तर को मिलाकर देखना केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी घाटे को मापने की एक परम्परागत व्यवस्था है। किन्तु आर्थिक दृष्टि से घाटे की वित्तव्यवस्था को ठीक-ठीक समझने के लिए और बातों का समायोजन आवश्यक होता है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य पार्टियों के हाथ बेचे जाने वाली राजकोषीय हुंडियों की रकमों को अलग करना पड़ता है और इस घाटे का हिसाब लगाने के लिए बाजार ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले समर्थनों को इसमें शामिल करना पड़ता हैं।

ख. कार्य संबंधी वर्गीकरण

कार्य संबंधी वर्गीकरण का उद्देश्य मुख्य अभीष्ट प्रयोजनों के अनुसार सरकारी खर्च की मुख्य मदों अर्थात् रक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाओं आदि मदों को भिन्न-भिन्न वर्गों में संकलित करना हैं। किन्तु इस पुस्तिका में वर्गीकरण का उद्देश्य सरकारी व्ययों के कार्य संबंधी वर्गीकरण में कुछ संशोधन करना नहीं है जो कि वर्तमान बजट पत्रों में है, बल्कि यह आर्थिक वर्गीकरण के साथ कार्यों के अनुसार पुनः वर्गीकरण करने का एक प्रयास है जिसके आर्थिक वर्गीकरण से उत्पन्न आयामों का महत्व बढ़ाया जा सके।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि कार्य संबंधी वर्गीकरण की स्कीम, वस्तुतः व्यय से संबंधित है और यह प्राप्तियों पर लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार का कुल परिव्यय जिस पर यह लागू होता है, आर्थिक वर्गीकरण विवरण 1 में चालू व्यय, विवरण 3 में पूंजी परिव्यय और विवरण 4 में वित्तीय निवेशों और श्रेणियों तथा अग्रिमों से बनता है। ये तीन विवरण उन व्ययों को प्रदर्शित करते हैं जिनका संबंध सरकारी नीतियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट प्रयोजनों के साथ जोड़ा जा सकता है यही बात विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय के लिए नहीं कही जा सकती। (जैसा आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 2 में दिखाया गया है) हालांकि इन उपक्रमों द्वारा किया गया पूंजी निर्माण कार्य संबंधी वर्गीकरण में शामिल किया जाता है।

Account 5: *Changes in financial liabilities : Capital Accounts of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings*

This represents the borrowing account of the Central Government, and is concerned with the provision of finance for meeting the deficits emerging from Account 3 and 4. Incomings detail gross market borrowing, gross borrowing from abroad, net accretions to small savings, provident funds, deposits of non-government provident funds, medium and long term loans include Zero Coupon Bonds and loans in conversion of maturing Treasury Bills. Short term loans at 12(b) include 364 days Treasury Bills.

The outgoings on this account include repayments on account of market borrowings (item 1) and foreign loans (item 2). The balance emerging from this Account represents the net increase in financial liabilities and together with adjustment in cash balances is equivalent to the sum of balancing items in Account 3 and 4.

Account 6: *Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings*

This is the reconciliation account summing up the net position in respect of Accounts 3, 4 and 5 and showing the effect of all transactions of the Central Government on its cash position. The net variation in the cash balance read with net sales of treasury bills in Account 5 provide a conventional measure of the Central Government's budgetary deficit. The derivation of deficit financing in an economically more meaningful sense, however, calls for further adjustments; sales of treasury bills to parties other than the Reserve Bank of India have to be excluded and the Reserve Bank's support to market borrowings included in the computation of this deficit.

B. Functional Classification

A functional classification is designed to group the main items of Government expenditures in terms of broad purposes to be served, i.e. defence, administration, health, education, economic services etc. The objective of the classification adopted in this brochure, however, is not to introduce some refinements in the functional grouping of Government expenditures as may be already existing in the budget documents, but rather it is to attempt a reclassification by functions in conjunction with an economic classification in order to increase the significance of the magnitudes emerging from the latter.

It is also noteworthy that the scheme of functional classification relates essentially to expenditures and does not apply to receipts. The total outlay of the Central Government to which it applies is made up of the current expenditure in Account 1, capital expenditure in Account 3 and financial investments and loans and advances in Account 4 of the Economic Classification. These three accounts show expenditures which can be related to specific purposes to be served by Government policies. The same cannot be said of the current expenditure of departmental commercial undertakings (as shown in Account 2 of the Economic Classification) although capital formation by these undertakings is included in the functional classification.

केन्द्रीय सरकार के व्यय का वर्गीकरण चार मुख्य श्रेणियों में किया गया है :—

1. सामान्य सेवाएं
2. सामाजिक सेवाएं
3. आर्थिक सेवाएं
4. अनावंटनीय

श्रेणी 1 : इसका संबंध सामान्य सेवाओं से है और इसमें असैनिक (सिविल) तथा रक्षा संबंधी दोनों व्यय आते हैं। ये व्यय राष्ट्र के बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था के लिए किए जाते हैं अतः सामान्य प्रशासन, कर संग्रह, पुलिस, करेंसी तथा टकसाल, विदेशों से संबंध, रक्षा तथा दैवी विपत्तियों से बचाव के लिए किया जाने वाला आयोजना-भिन्न व्यय इस श्रेणी के अन्तर्गत दिखाया जाता है यह भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों के निदेशन तथा अधीक्षण से संबंधित प्रशासनिक व्यय को संबद्ध कार्य के संबंधी शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया गया है जहाँ एक से अधिक कार्यकलाप शामिल हों (उदाहरणार्थ लोक निर्माण कार्य), वहां ऊपरी प्रशासनिक खर्च को यथा सम्भव सीमा तक, विभिन्न कार्यकलापों में बांटने का प्रयास किया गया है।

श्रेणी 2 : इसका संबंध सामाजिक सेवाओं से है और यह समाज की बुनियादी सामाजिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था से संबंधित है इसमें शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का व्यय शामिल है। शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य और तकनीकी अनुसंधान (अर्थात इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेज) और मूल अनुसंधान भी शामिल हैं। यद्यपि अन्तर सेवा प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान को संबद्ध कार्यकलाप में आवंटित किया गया है। उदाहरण के लिए परमाणु तथा औद्योगिक अनुसंधान दोनों उद्योग के अन्तर्गत दिखाए गए हैं। उपसमूह "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य" में परिवार कल्याण के कार्यक्रम भी आते हैं उपसमूह अन्य सामाजिक सेवाओं में आवास, श्रमिक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याण योजनाएं, संग्रहालय, पुरातत्व, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा प्रसारण और प्रचार के अन्य साधनों से संबंधित व्यय भी शामिल हैं। विभिन्न रोजगार कार्यक्रम के व्यय के लिए बजट में जो व्यवस्था की गई है वह इसमें शामिल है। इसी उपसमूह में प्राथमिक शिक्षा, गन्दी बस्ती के सुधार, ग्रामीण जल पूर्ति और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए बजट में एक मुख्य रकम के रूप में की गई व्यय व्यवस्था भी शामिल हैं। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का व्यय भी यहां पर दिखाया गया है। विस्थापितों के लिए राहत कार्य पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल है।

श्रेणी 3 : इसमें आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था आती है और इसमें सभी व्यय शामिल हैं जो अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। इसलिए उत्पादक आर्थिक सहायता जैसे कि उर्वरकों, कोयला और रेलवे के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ-साथ निर्यात संवर्धन और सहायता बाजार विकास के लिए यहां शामिल की जाती है। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार और 'अन्य आर्थिक सेवाएं' में और आगे अन्तर-विभाजित आर्थिक कार्यकलाप की किस्म के अनुसार किया जाता है। कृषि में सिंचाई, पशु-पालन, मीन उद्योग, वन पालन, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास शामिल है। उद्योग में मोटे तौर पर बड़े और छोटे उद्योग, ग्रामोद्योग, विद्युत विकास, खनिज साधनों का उपयोग तथा व्यापार और निर्यात संवर्धन आते हैं। परिवहन और संचार में रेल, डाक, दूर-संचार, सड़क, पत्तन, नौवहन, नागर विमानन सड़कें आदि शामिल हैं। 'अन्य आर्थिक सेवाएं' एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें बहुप्रयोजनी परियोजनाओं पर व्यय और अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से जैसी मदें शामिल है, राज्यों को आयोजनागत सहायता के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर किए गए एकमुश्त अनुदान और ऋण भी इसी श्रेणी में आते हैं, हालांकि इन्हें अलग दिखाया गया है। ये सभी व्यय ऐसे हैं जिनका संबंध आर्थिक कार्यकलापों की एक से अधिक किस्मों से है।

The expenditure of the Central Government has been grouped into four main categories:

1. General Services
2. Social Services
3. Economic Services
4. Unallocable

Category 1 : Category 1 relates to General Services and covers both civil and defence. These expenditures are incurred for the provision of the basic administrative structure of the nation; thus expenses on general administration, tax collection, police, currency and the mint, conduct of external relations, defence and the non-plan provision against natural calamities are shown under this category. It may be noted that the administrative expenditures concerned with the direction and superintendence of the various social and economic activities appear under the relevant functional heads. Where more than one activity is involved (e.g. public works), an attempt has been made to apportion, to the extent possible, the administrative overheads to the various activities.

Category 2 : Category 2 relates to Social Services and is concerned with the provision of basic social amenities to the community. Expenditures on education, medical and public health and other social services are included here. Education covers both general and technical education (e.g. engineering and medical colleges) and also basic research. However, in-service training and applied research have been allocated to the activities concerned. For instance, both atomic and industrial research appear under Industry. The sub-group 'medical and public health' also covers family welfare programmes. The sub-group 'other social services, includes housing, labour welfare and other social welfare schemes, museums, archaeology, public libraries and also expenditures connected with broadcasting and other publicity media. Expenditures provided in the budget for various programmes of employment are also included here. This sub-group also covers such expenditures as the lump-sum provision made in the budget for primary education, slum improvement, rural water supply and rural home sites. The expenditure on nutrition programme for children is also shown here. The relief expenditure for displaced persons are included here.

Category 3 : Category 3 comprises provision for Economic Services and includes all such expenditures as to promote, directly or indirectly, productive activity within the economy. Producer's subsidies such as for fertilisers, coal and railways, as also the assistance for export promotion and market development are, therefore, included here. Further sub-division into agriculture, industry, transport and communications and 'other economic services' is done according to the type of economic activity. Agriculture includes irrigation, animal husbandry, fisheries, forestry, cooperation and community development. Industry broadly covers both large, small scale and village industries, power development, exploitation of mineral resources and trade and export promotion. Transport and communications include Railways, Posts, Tele-cummunications, ports, shipping, civil aviation, roads etc. 'Other economic services' is a residual category which includes items like outlays on multipurpose projects, and States' share in small savings. The block grants and loans granted by the Centre to the States for plan assistance, although shown separately, also belong to the same category. All these expenditures are as such concerned with more than one type of economic activity.

अन्त में, कुछ ऐसी किस्म के व्यय हैं जिनका संबंध विशिष्ट प्रयोजनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उनका वर्गीकरण "अनावंटनीय" श्रेणी के अन्तर्गत किया गया है इसमें शामिल व्यय की मुख्य किस्में हैं-ब्याज अदायगी, पेंशन, खाद्य, खाद्य तेल तथा नियंत्रित कपड़े पर दी जाने वाली उपभोक्ता आर्थिक सहायता तथा राज्य सरकारों को सांविधिक सहायता, अनुदान अर्थोपाय अग्रिम और विशेष ऋण। यद्यपि खपत संबंधी आर्थिक सहायता की रकमें अनावंटनीय मानी गई है किन्तु अन्य आर्थिक सहायता की रकमें जैसे उर्वरकों कपास और निर्यातों के लिए आर्थिक सहायताए संगत कार्य श्रेणियों में आवंटित की गई है। अनावंटनीय श्रेणी में विदेशों को रकमों का अन्तरण जैसे नेपाल और भूटान को अनुदान तथा विदेशें को तकनीकी ऋण तथा अन्य ऋण आते हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अभिदानों का संबंध है, यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन को दिए जाने वाले अंशदान उनके अपने-अपने कार्य संबंधी शीर्षकों (जैसे स्वास्थ्य तथा कृषि) के अन्तर्गत आते हैं किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि को दिए जाने वाले सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत दिखाए गए हैं।

आर्थिक श्रेणियों तथा कार्यों के द्वारा केन्द्रीय सरकार के व्ययों के सम्मिलित वर्गीकरण में, जैसा इस पुस्तिका में बताया गया है, स्तम्भ (कालम) कार्य संबंधी वर्गों के अनुरूप है और पंक्तियां उनके आर्थिक स्वरूप को सूचित करती है जिसका आधार आर्थिक वर्गीकरण है। अतः स्तम्भों के अनुसार पढ़ते हुए आर्थिक शीर्षकों के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य संबंधी श्रेणी का ब्योरा देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए इससे यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष चालू व्यय के रूप में शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ, अनुदानों और ऋणों के रूप में कितना व्यय हुआ और पूंजी निर्माण अर्थात् स्कूली इमारतों आदि के रूप में कितना खर्च हुआ। इसी प्रकार पंक्तियों के साथ-साथ पढ़ते हुए यह पता चलता है कि खपत पूंजी पर होने वाले व्यय में से प्रशासनिक सेवाओं के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति तैयार करने पर कितना खर्च किया गया। इस प्रकार सम्मिलित वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का द्योतक है जिसे, खपत, सकल पूंजी निर्माण, चालू और पूंजीगत अंतरणों और वित्तीय निवेशों तथा ऋणों और अग्रिमों की मदों में उसके मुख्य प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रयोजनों के हिसाब से बांट कर दिखाया गया है।

Finally, there are certain types of expenditure which cannot be related to specific purposes and have been grouped under the category "unallocable". The main types of expenditures included here are interest payment, pensions, consumer subsidies (such as on food, edible oils and controlled cloth) and such transfers to the State Governments as statutory grants-in-aid, and special loans. While consumption subsidies have been treated as unallocable, other subsidies such as subsidies for fertilisers, cotton and exports have been allocated to the relevant functional categories. The unallocable category also includes transfer to foreign countries e.g. grants to Nepal and Bhutan, technical credits and other loans to foreign countries. As regards contributions to international organisations, it may be noted that while contributions to such organisations as World Health Organisation and Food and Agricultural Organisation of the United Nations, appear under the respective functional heads (viz. health and agriculture) contribution to the United Nations and also subscription to IMF, IBRD etc., are shown under General Services.

In the cross-classification of the Central Government expenditure by economic categories and by functions, as presented in this brochure, columns correspond to the functional categories and rows indicate their economic character, as derived from the Economic Classification. Thus reading along columns one may find out the breakdown of each functional category under economic heads; for instance, it would show as to how much of the total expenidutre on education is in the form of direct current expenditure, how much in the form of grants and loans and how much in the form of capital formation i.e. construction of school buildings, etc. Similarly, reading along rows, one may find out as to how much of the expenditure on consumption or capital formation is for administrative services and how much for building up social and economic potential. The cross-classification thus shows the total expenditure of the Central Government as broken down into consumption, gross capital formation, current and capital transfers and financial investments and loans and advances and as related to their broad administrative, social and economic purposes.

वित्त मंत्रालय (मुद्रणालय) द्वारा मुद्रित
Printed by Ministry of Finance(Press)
12021195

16

Key to Budget Documents for 1995-96

वर्ष 1995-96 के बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है । "वार्षिक वित्तीय विवरण" नामक यह विवरण मुख्य बजट-दस्तावेज होता है । वार्षिक वित्तीय विवरण मे सरकार की प्राप्तियो और अदायगियों को तीन भागों में, जिनके अनुसार सरकारी लेखे रखे जाते है, दिखाया जाता है । ये भाग इस प्रकार है :- (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक खाता ।

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्वो से, सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधारों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणो की वसूलियो से जो धनराशिया प्राप्त होती है वे सब **"समेकित निधि"** मे दिखाई जाती है । सरकार का सभी खर्च समेकित निधि से किया जाता है और जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक इस निधि मे से कोई भी रकम खर्च नहीं की जा सकती।

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते है जब सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले ही कुछ ऐसा बहुत जरुरी खर्च करना पड़ता है जिसका पहले से अन्दाजा नहीं रहता । इस तरह का खर्च **आकस्मिकता निधि** से किया जाता है । यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रहती है । इस प्रकार आकस्मिकता निधि से जो रकम खर्च की जाती है उसके बारे मे, बाद में संसद का अनुमोदन ले लिया जाता है और संसद की स्वीकृति से समेकित निधि मे से उतनी ही रकम निकाल कर वापस आकस्मिकता निधि मे डाल दी जाती है । निधि की कुल राशि, जो 50 करोड़ रुपए है, को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले व्यय का वित्तपोषण करने के लिए वर्ष 1994-95 में अस्थायी रूप से 790 करोड़ रुपए की वृद्धि करके 840 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता है, सरकारी खातों में कुछ अन्य लेन-देनो जैसे भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है । सरकार इन लेन-देनों के सम्बन्ध में लगभग बैंकर के रूप में कार्य करती है । इस तरह जो रकमें प्राप्त होती हैं उन्हें **लोक खाते** में दिखाया जाता है और सम्बन्धित संवितरण इसी में से रकम निकाल कर किया जाता है । आम तौर से लोक खाते में दिखाई जाने वाली रकम सरकार की निधियां नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है। इसलिए लोक खाते से अदायगी करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नही होता । सरकार की आय का कुछ भाग, कुछ मामलों में, खास-खास कार्यों के लिए, जैसे चीनी विकास के लिए या वाणिज्यिक उपक्रमों में जो मशीनरी आदि पुरानी पड़ गई हो उसके स्थान पर नई मशीनरी लाने आदि के लिए अलग-अलग निधियों में अलग निकाल कर रख लिया जाता है । यह रकम संसद की स्वीकृति लेकर समेकित निधि से निकाली जाती है और विशेष कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए लोक खाते में जमा रखी जाती है । फिर भी, कार्य-विशेष पर जो खर्च किया जाता है उसे संसद के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए फिर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह रकम निधियों को अन्तरित किए जाने के लिए पहले ही संसद द्वारा निर्धारित की हुई होती है।

5. संविधान के अनुसार, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है । इसलिए सरकार का बजट (i) राजस्व बजट और (ii) पूंजी बजट, दो भागों में बटा होता है।

6. **राजस्व बजट** में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वो से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है । कर-राजस्व मे संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तिया शामिल होती हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियो के अनुमान में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावो का प्रभाव शामिल होता है । सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, फीस तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओ के लिए अन्य प्राप्तिया शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रभारो, आर्थिक सहायता आदि पर होता है । मोटे तौर पर ऐसे सभी व्यय जिनसे किसी परिसम्पत्ति का निर्माण नही होता, राजस्व व्यय माना जाता है । राज्य सरकारों और अन्य पार्टियो को दिए जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते है यद्यपि, ऐसे कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हो सकते है ।

7. **पूंजी बजट** मे पूंजीगत प्राप्तिया और भुगतान शामिल है । पूंजीगत प्राप्तियो की मुख्य मदें ये है :- सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार जिन्हें बाजार उधार कहा जाता है, राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षो से लिए जाने वाले उधार, विदेशी सरकारों और संस्थाओ से प्राप्त उधार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारो और अन्य पक्षों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार की वसूली से होने वाली वसूलिया । पूंजीगत भुगतान में ये मदे शामिल होती हैं :- जमीन, इमारतो, मशीनो, उपकरणो जैसी परिसम्पत्तियों की प्राप्ति पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरो आदि में लगाई जाने वाली पूंजी और राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारो, सरकारी कंपनियो, निगमो और अन्य पार्टियो आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधार और अग्रिम । पूंजी बजट में लोक खाते के लेन-देन भी शामिल होते हैं ।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान तथा अनुदानो की मांगो में व्यय के अनुमान लेखाओं के वर्गीकरण की उसी प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य संसद और जनता को यह समझने में सहायता देना है कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है और इस तरह खर्च करने में सरकार के उद्देश्य क्या है ।

9. संविधान के अनुसार, खर्च की कुछ मदे, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशनें, सरकार द्वारा लिए गए उधारों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई अदायगियां, समेकित निधि पर भारित होती हैं और इन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नही है । वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि पर भारित खर्च को अलग से दिखाया जाता है ।

अनुदानों की मांगें

10. वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय के अनुमान दिए गए हैं। ये अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदानों की मांगो के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इनकी स्वीकृति लोक सभा से लेनी होती है । सामान्यतः, प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के सम्बन्ध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है । लेकिन बड़े मंत्रालयों या विभागों के सम्बन्ध में एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं । प्रायः प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिए कुल आवश्यक व्यवस्था दी गई होती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में उधारों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है । विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग पेश की जाती है । जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां, तो उस व्यय के लिए, मांग से बिल्कुल भिन्न , एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए संसद से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें स्वीकृत एवं भारित दोनों मदें शामिल हों, तो उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन स्वीकृत और भारित व्यवस्थाएं उस मांग में अलग-अलग दिखाई जाती हैं ।

11. अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक मांग में ऊपर की ओर पहले "स्वीकृत" और "भारित" व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित "राजस्व" और "पूंजी " व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं । इसके अलावा जिस खर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल जोड़ भी इसमें दिखाया जाता है । इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं । प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का आयोजना और आयोजना-भिन्न विभाजन भी दिखाया जाता है । खातों में व्यय में से घटाई गई वसूलियां भी दिखाई जाती हैं । पुस्तक के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगों का सारांश दिया जाता है तथा इसके अंत में "नई सेवा" अथवा "नई सेवा के साधनों" जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम का निर्माण, अथवा नई योजना का शुरू किया जाना आदि का विवरण भी दिया जाता है ।

वित्त विधेयक

12. संसद द्वारा अनुमोदित अवधि के आगे नए कर लगाने, विद्यमान कर ढांचे के संशोधन अथवा विद्यमान कर ढांचे को जारी रखने से संबंधित सरकार के प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

13. संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों को कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं और इसलिए स्वयं उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता । बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कुछ विशेष व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।

बजट का सार

14. बजट का सार नामक पुस्तक में, मोटे तौर पर कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के ब्यौरे के साथ-साथ, संक्षिप्त रूप में प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण दिया गया है । इस पुस्तक में मोटे तौर पर आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय, आयोजना परिव्यय के क्षेत्रवार आवंटन और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया गया है । इस पुस्तक में राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा, बजटीय घाटा और केन्द्रीय

सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है । सरकार की राजस्व प्राप्तियो की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है । पूंजी व्यय और पूजी प्राप्तियो को मिलाकर भी किसी एक वर्ष की प्राप्तियो और व्यय में अन्तर होता है । यह अन्तर, जो 91 दिन की राजकोषीय हुण्डिया (जोकि अधिकांशतः रिजर्व बैंक द्वारा धारित होती हैं) जारी करके पूरा किया जाता है, समग्र बजटीय घाटा होता है । राजकोषीय हुण्डियों के जरिए इस उधार के अलावा सरकार बहुत-सी स्कीमों के तहत निधिया उधार लेती है, जो पूजी प्राप्तियों का भाग होती हैं । एक ओर, राजस्व, पूंजी और वापसी अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तिया और पूजी प्राप्तिया, जिनका स्वरूप उधार का नही होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है । मूल सकल घाटा सकल ब्याज अदायगियो को घटाकर सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है । बजट पत्र 'सकल राजकोषीय घाटे' के लिए 'राजकोषीय घाटा' और 'सकल मूल घाटे' के लिए 'मूल घाटा' का प्रयोग संक्षिप्त रूप से करेगा ।

व्यय बजट, खंड-1

15. व्यय बजट, खंड 1 मे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के राजस्व तथा पूजी संवितरणो का ब्योरा तथा इनमे से प्रत्येक के सम्बन्ध मे "आयोजना" और "आयोजना-भिन्न" के अन्तर्गत अनुमानों की जानकारी दी गई है । इसमे विभिन्न प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी किया जाता है और अनुमानो मे हुई घट-बढ़ के स्थूल कारण बताए जाते है ।

16. लेखा तथा बजट संबंधी वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कुछ एक प्रकार की प्राप्तियो को जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूजी परियोजनाओ या योजनाओं से होने वाली आय के उस विभाग के खर्च में से जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है । अनुदानो की मागो में व्यय के जो अनुमान दिए गए है वे सकल व्यय के अनुमान हैं जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण मे दिए गए अनुमान, जैसाकि लेखाओं से पता चलता है, निवल व्यय के अनुमान होते है, अर्थात् इसमें से वसूलियो को घटा दिया जाता है । व्यय बजट पुस्तक मे कतिपय अन्य शोधन भी किए गए है जैसे संबधित प्राप्तियो का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आकड़े बढ़ने से बचा जा सके और विभिन्न व्यय की मात्रा का बेहतर मूल्याकन हो सके । अलग-अलग अनुबन्धो में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियों, जो मार्च, 1994 के अन्त तक बकाया थी, तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदान दिखाए गए हैं । इस पुस्तक मे विभिन्न सरकारी विभागो की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए की गई व्यवस्था दर्शाने वाले एक विवरण भी शामिल किया गया है ।

व्यय बजट, खण्ड-2

17. अनुदानों की मागों में शामिल प्रस्तावित व्यय के उद्देश्यो को समझने के लिए, मागो मे शामिल प्रमुख कार्यक्रमो के व्यय की विभिन्न मदो और चालू वर्ष के मूल बजट अनुमानो और संशोधित बजट अनुमानों के बीच के अन्तर के कारण और बजट वर्ष की आवश्यकताए इस पुस्तक मे दी गई है।

प्राप्ति बजट

18. "वार्षिक वित्तीय विवरण" में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का और आगे विश्लेषण "प्राप्ति बजट" नामक पुस्तक में किया गया है । इस पुस्तक मे राजस्व प्राप्तियों और पूजी प्राप्तियों का ब्योरा दिया जाता है और अनुमानों को स्पष्ट किया जाता है । प्राप्तियों की पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों और प्राप्त हुई विदेशी सहायता का ब्योरा भी इसमे दिया जाता है।

19. वित्त विधेयक में दिए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों को समझने में सुविधा देने के लिए विधेयक की व्यवस्थाओं की वित्त विधेयक में व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन शीर्षक वाली पुस्तक में व्याख्या की जाती है ।

अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें

20. बजट प्रस्तुत करने के कुछ समय के बाद अनुदानों की मांगों के पश्चात् अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं लेकिन ये अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पूर्व रखी जाती है । इन अनुदानों की ब्यौरे-बार मांगों में अनुदानों की मांगों में शामिल व्यवस्था के और ब्यौरे के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय दिया जाता है । प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन, जहां कहीं भी अन्तर्ग्रस्त राशि 10 लाख रूपए से कम नहीं है, से संबंधित अनुमानों का विभाजन बहुत से ब्यौरे-वार शीर्षों के अन्तर्गत दिया जाता है जो उस कार्यक्रम, जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री तथा उपस्कर, सहायता अनुदान आदि, पर किए गए व्यय के स्वरूप और श्रेणियों को विर्दिष्ट करता है । इन ब्यौरे-बार मांगों के अन्त में खातों में व्यय को घटाकर दी गई वसूलियों का ब्यौरा दिखाया जाता है । मुख्य कार्यक्रमों और स्कीमों के वस्तुपूरक और वित्तीय पहलूओं को कार्य-निष्पादन बजटों में शीमिल किया जाता है, जो मंत्रालय/विनभागों द्वारा संसद में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं ।

राज्यों को अन्तरित साधन

21. राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजना और आयोजना-भिन्न योजनाओं के लिए अनुदान और उधार दिए जाते हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर, संघ उत्पाद-शुल्कों और संपदा-शुल्क के रूप में संग्रहीत कर-राजस्व की काफी बड़ी राशि भी राज्य सरकारों को दी जाती है। कुछ राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके राजस्व साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित कुल साधनों की जानकारी "बजट का सार" नामक पुस्तक में एक विवरण में दी गई है । करों, सहायता अनुदानों और उधारों के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली राशियों का और अधिक ब्यौरा व्यय बजट, खंड-I में दिया गया है । संघ उत्पाद-शुल्कों का हिस्सा और अधिकांश अनुदान तथा उधार वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं और यह इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली "राज्य सरकारों को अन्तरण" नामक मांग में शामिल किए जाते हैं । जो अनुदान और उधार अन्य मंत्रालयों द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें उन मंत्रालयों की मांगों में दिखाया जाता है ।

आयोजना परिव्यय

22. केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है । विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आयोजना व्यय को आयोजना-भिन्न व्यय से अलग दिखाया जाता है । व्यय बजट, खण्ड-I में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया गया है और आयोजना के अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है ।

निष्पादन बजट

23. विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्पादन बजट तैयार किए जाते हैं और संसद सदस्यों को प्रचलित किया जाता है । निष्पादन बजट कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संबंध में मंत्रालय/विभाग का बजट प्रस्तुत करता है और यह केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख

परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक अनुमानित है, के संबंध में अलग से मूल्यांकन रिपोर्ट देता है । इसमें मंत्रालय/विभाग के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों और निष्पादन पर एक विवरण भी शामिल होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित और उपयोग की गई क्षमता, वस्तुपरख लक्ष्यों और उपलब्धियों, प्रचालन परिव्यय, पूंजी पर आय आदि का संकेत किया जाता है । यह निष्पादन बजट विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के हथियार के रूप में प्रबन्ध की सेवा करता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

24. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आयोजना- व्यय का अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर खर्च होता है । सरकार द्वारा इन उद्यमों के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था के लिए उनकी शेयर पूंजी में धन लगाकर या उन्हें उधार देकर बजटीय सहायता दी जाती है । व्यय बजट, खंड I में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 1994-95 और 1995-96 में आयोजना और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई पूंजी और दिए गए उधारों के अनुमानों और इन उद्यमों को अपनी आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजट-बाह्य साधनों का ब्यौरा दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट 'सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा' शीर्षक प्रलेख में दी गई है, जो सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित की गई । विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के नियंत्रण के अधीन उद्यमों को कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी गई है, जो संसद सदस्यों को अलग से प्रचालित की गई थी । प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं । इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के सभापटल पर रखी जाती हैं।

वाणिज्यिक विभाग

25. रेलवे और दूर-संचार सेवाएं सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम हैं । रेलवे का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदानों की मांगें संसद में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं । रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है । लेकिन, इन विभागों के वास्तविक कार्यकरण को प्रदर्शित करने और न कि प्राप्तियों अथवा व्यय को बढ़ाने के लिए, प्राप्ति बजट और व्यय बजट खण्ड-1 और खण्ड-2 में दिखाया गया व्यय, प्राप्तियों को घटाकर लिया गया है । दूर-संचार विभाग की अनुदानों की मांगें केन्द्रीय सरकार की अन्य अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं।

26. वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा विभाग की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों से साथ प्रस्तुत किए जाते हैं ।

27. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए गए हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं । व्यय बजट, खंड 1 के अनुबन्ध 6 में 5 लाख रुपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख (अनावर्ती) से अधिक के उन

सहायता-अनुदानों का विवरण दिया गया है जो गैर-सरकारी संस्थाओ, संगठनों और व्यक्तियो को 1993-94 में मंजूर किए गए थे ।

वार्षिक रिपोर्ट

28. वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापो का विस्तृत हिसाब वार्षिक रिपोर्ट प्रलेख मे दिया जाता है, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग से तैयार किया जाता है और संसद सदस्यों को अनुदानों की मांगो पर विचार-विमर्श के समय प्रचालित किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा

29. केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियो और व्यय का विवरण नही है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजना शुरू किए जनो से यह भी सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण विवरण बन गया है । बजट देश के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित और उसे स्वरूप प्रदान करता है। वर्ष 1994-95 के दौरान देश में आर्थिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि बजट मे प्रतिबिम्बित संसाधनों के जुटाने और उनके आवंटन मे अधिक सहायक होगी । संसद सदस्यों को पहले परिचालित 1994-95 की आर्थिक समीक्षा प्रलेख इस पृष्ठभूमि को बताता है ।आर्थिक समीक्षा कृषि और औद्योगिक उत्पादन, मुद्रा आपूर्ति, कीमतो, आयातो और निर्यातो और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारको से संबधित प्रवृत्तियो का विश्लेषण करता है, जिनका बजट पर प्रभाव पड़ता है।

30. सरकार को बजट का अर्थ-व्यवस्था पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है । सरकारी प्राप्तियों मे बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो पर प्रभाव के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आर्थिक आकार के रूप में समूहबद्द किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितना रखा गया है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था मे अन्य क्षेत्रो को अनुदानों, ऋणो आदि के रूप मे कितना अंतरित किया गया है, यह विशलेषण केन्द्रीय सरकार के बजट के **आर्थिक और कार्यचालन वर्गीकरण** मे किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है ।

विनियोग विधेयक

31. लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगो को पारित होने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और समेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को समेकित निधि मे निकालने की संसद की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी गई है । संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत संसद द्वारा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नही निकाली जा सकती ।

32. अनुदानों की मांगो के विस्तृत विचार की पद्धति नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूरी नही होती है । सरकार को पहली अप्रैल से विनियोग विधेयक को अधिनियम बनाए जाने की अवधि तक अपने सामान्य कार्यकलापों को जारी रखे जाने के लिए विनियोग विधेयक (लेखानुदान) के माध्यम से संसद से एक लेखानुदान मांगा जाता है ।

अनुक्रमणिका

		पैराग्राफ संख्या
लेखाओं का वर्गीकरण	.....	8
वार्षिक वित्तीय विवरण	.....	1,6,8,9,11,16,18,25,26
वार्षिक रिपोर्ट	.....	24,28
विनियोग	.....	10
विनियोग विधेयक	.....	31,32
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	.....	32
बजट एक नजर में	.....	14,21
बजट/केन्द्रीय सरकार का बजट	.....	1,5,17,20,23,24,25,29,30
पूंजी बजट	.....	5,7
भारित व्यय	.....	9,10,11,31
समेकित निधि	.....	1,2,4,9,10,31
आकस्मिकता निधि	.....	1,3
रक्षा सेवाओं के अनुमान	.....	26
अनुदानों की मांगें	.....	8,10,11,16,17,20,22,25,28,31,32
अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें	.....	20,26,27
केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	.....	30
आर्थिक समीक्षा	.....	29
व्यय बजट	.....	15,17,21,22,24,27
विदेशी सहायता	.....	18
बजट बाह्य संसाधन	.....	24
वित्त विधेयक	.....	6,12,19
राजकोषीय घाटा	...	14
सहायता - अनुदान	.....	20,21,27
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटिया	.....	16
अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान	.....	16
बाजार उधार	.....	7
वित्त विधेयक में की गई व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन	.....	19
नई सेवा	.....	11
निष्पादन बजट	.....	20,22,23
आयोजना परिव्यय	.....	14
मूल घाटा	.....	14,22
लोक खाता	.....	1,4,7
सरकारी उद्यम समीक्षा	.....	24
सरकारी क्षेत्र के उद्यम	.....	23,24
रेलवे	.....	25
प्राप्ति बजट	.....	18
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित संसाधन	.....	14,21
राजस्व बजट	.....	5,6
राजस्व घाटा	.....	14
सरकारी विभागों की स्थापना की संख्या	....	16
अनुदानों की मांगों का सारांश	.....	11
राजकोष हुंडिया	.....	7,14
दूर संचार	.....	25
लेखानुदान	.....	32

KEY TO THE BUDGET DOCUMENTS 1995-96

Annual Financial Statement

Under article 112 of the Constitution, a statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India has to be laid before Parliament in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. This statement titled "*Annual Financial Statement* " is the main Budget document. The Annual Financial Statement shows the receipts and payments of Government under the three parts in which Government accounts are kept: (i) Consolidated Fund, (ii) Contingency Fund and (iii) Public Account.

2. All revenues received by Government, loans raised by it, and also its receipts from recoveries of loans granted by it, form the ***Consolidated Fund.*** All expenditure of Government is incurred from the Consolidated Fund and no amount can be withdrawn from the Fund without authorisation from Parliament.

3. Occasions may arise when Government may have to meet urgent unforeseen expenditure pending authorisation from Parliament. The ***Contingency Fund*** is an imprest placed at the disposal of the President to incur such expenditure. Parliamentary approval for such expenditure and for withdrawal of an equivalent amount from the Consolidated Fund is subsequently obtained and the amount spent from Contingency Fund is recouped to the Fund. The corpus of the Fund which is Rs.50 crore has been temporarily raised for 1994-95 by Rs.790 crore to Rs.840 crore for financing the expenditure arising out of implementation of the MPs Local Area Development Scheme.

4. Besides the normal receipts and expenditure of Government which relate to the Consolidated Fund, certain other transactions enter Government accounts, in respect of which, Government acts more as a banker, for example, transactions relating to provident funds, small savings collections, other deposits etc. The moneys thus received are kept in the ***Public Account*** and the connected disbursements are also made therefrom. Generally speaking, Public Account funds do not belong to Government and have to be paid back some time or the other to the persons and authorities who deposited them. Parliamentary authorisation for payments from the *Public Account* is, therefore, not required. In a few cases, a part of the revenue of Government is set apart in separate funds for expenditure on specific objects like sugar development, replacement of depreciated assets of commercial undertakings etc. These amounts are withdrawn from the *Consolidated Fund* with the approval of Parliament and kept in the *Public Account* for expenditure on the specific objects. The actual expenditure on the specific objects is, however, again submitted for vote of Parliament even though the moneys have already been earmarked by Parliament

for transfer to the funds.

5. Under the Constitution, Budget has to distinguish expenditure on revenue account from other expenditure. Government Budget, therefore, comprises (i) Revenue Budget and (ii) Capital Budget.

6. ***Revenue Budget*** consists of the revenue receipts of Government (tax revenues and other revenues) and the expenditure met from these revenues. Tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the Union. The estimates of revenue receipts shown in the Annual Financial Statement take into account the effect of the taxation proposals made in the Finance Bill. Other receipts of Government mainly consist of interest and dividend on investments made by Government, fees, and other receipts for services rendered by Government. Revenue expenditure is for the normal running of Government departments and various services, interest charges on debt incurred by Government, subsidies, etc. Broadly speaking, expenditure which does not result in creation of assets is treated as revenue expenditure. All grants given to State Governments and other parties are also treated as revenue expenditure even though some of the grants may be for creation of assets.

7. ***Capital Budget*** consists of capital receipts and payments. The main items of capital receipts are loans raised by Government from public which are called Market Loans, borrowings by Government from Reserve Bank and other parties through sale of Treasury Bills, loans received from foreign Governments and bodies and recoveries of loans granted by Central Government to State and Union territory Governments and other parties. Capital payments consist of capital expenditure on acquisition of assets like land, buildings, machinery, equipment, as also investments in shares etc. and loans and advances granted by Central Government to State and Union territory Governments, Government companies, Corporations and other parties. Capital Budget also incorporates transactions in the Public Account.

Accounting classification

8. The estimates of receipts and disbursements in the Annual Financial Statement and of expenditure in the Demands for Grants are shown according to the accounting classification prescribed under article 150 of the Constitution. This classification is intended to allow Parliament and the public to make a meaningful appreciation of allocation of resources and purposes of Government expenditure.

9. Under the Constitution, certain items of expenditure like emoluments of the President, salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, salaries, allowances and pensions of Judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India, interest on and repayment of loans raised by Government and payments made to satisfy decrees of courts etc. are charged on the *Consolidated Fund* and are not required to be voted by the Lok

Sabha. The Annual Financial Statement shows the expenditure *charged* on the *Consolidated Fund* separately.

Demands for Grants

10. The estimates of expenditure from the *Consolidated Fund* included in the Annual Financial Statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of *Demands for Grants* in pursuance of article 113 of the Constitution. Generally, one Demand for Grant is presented in respect of each Ministry or Department. However, in respect of large Ministries or Departments more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a service, that is, provisions on account of revenue expenditure, capital expenditure, grants to State and Union territory Governments and also loans and advances relating to the service. In regard to Union territories without Legislature, a separate Demand is presented for each of the Union territories. Where the provision for a service is entirely for expenditure *charged* on the Consolidated Fund, for example, interest payments, a separate *Appropriation*, as distinct from a Demand, is presented for that expenditure and it is not required to be voted by Parliament. Where, however, expenditure on a service includes both '*voted*' and '*charged*' items of expenditure, the latter are also included in the Demand presented for that service but the '*voted*' and '*charged*' provisions are shown separately in that Demand.

11. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Annual Financial Statement. Each Demand first gives the totals of '*voted*' and '*charged*' expenditure as also the 'revenue' and 'capital' expenditure included in the Demand separately and also the grand total of the amount of expenditure for which Demand is presented. This is followed by the estimates of expenditure under different major heads of account. The break up of the expenditure under each major head between 'Plan' and 'non-Plan' is also given. The amounts of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts are also shown. A summary of Demands for Grants is given at the beginning of this Document, while details of 'New Service' or ' New Instrument of Service' such as formation of a new company, undertaking a new scheme etc. if any, are indicated at the end of the document.

Finance Bill

12. The proposals of Government for levy of new taxes, modification of the existing tax structure or continuance of the existing tax structure beyond the period approved by Parliament are submitted to Parliament through the *Finance Bill.*

13. The Budget documents presented in terms of the Constitution have to fulfil certain legal and procedural requirements and hence may not by themselves give a clear indication of the major features of the Budget. To facilitate an easy comprehension of the Budget, certain explanatory documents are presented along with the Budget.

Budget at a Glance

14. The document Budget at a Glance shows in brief receipts and disbursements along with broad details of tax revenues and other receipts. This

document also exhibits broad break-up of expenditure - Plan and non-Plan, allocation of Plan Outlays by Sectors as well as by Ministries/Departments and details of resources transferred by the Central Government to State and Union territory Governments. This document also shows the revenue deficit, the gross primary deficit, the budgetary deficit and the gross fiscal deficit of the Central Government. The excess of Government's revenue expenditure over revenue receipts constitutes revenue deficit of Government. Taking in to account the capital expenditure and capital receipts also there is a gap between receipts and expenditure of a year. This gap, which is covered by issue of 91 days Treasury Bills (mostly held by Reserve Bank), constitutes overall budgetary deficit. Apart from this borrowing through Treasury Bills, Government also borrows funds under many schemes which form part of capital receipts. The difference between the total expenditure of Government by way of revenue, capital and loans net of repayments on the one hand and revenue receipts of Government and Capital receipts which are not in the nature of borrowing but which finally accrue to Government on the other, constitutes gross fiscal deficit. Gross Primary deficit is measured by gross fiscal deficit reduced by gross interest payments. The budget document will also use the abbreviations ' fiscal deficit' for the 'gross fiscal deficit' and 'primary deficit' for the 'gross primary deficit.'

Expenditure Budget Vol. I

15. *Expenditure Budget Vol. I* deals with revenue and capital disbursements of various Ministries/Departments and gives the estimates in respect of each under 'Plan' and 'Non Plan'. This also gives analysis of various types of expenditure and broad reasons for the variations in estimates.

16. Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts, like payments made by one department to another and receipts of capital projects or schemes are taken in reduction of the expenditure of the receiving department. The estimates of expenditure included in the Demands for Grants are for the gross amounts while the estimates of expenditure included in the Annual Financial Statement are for the net expenditure as will be reflected in the accounts, that is, after taking into account the recoveries. The document Expenditure Budget makes certain other refinements like netting expenditure of related receipts so that inflation of receipts and expenditure figures are avoided and there can be a better appreciation of the magnitudes of various expenditure. In separate annexures guarantees given by Central Government and outstanding as at the end of March 1994 and contributions to International bodies are shown. A statement showing the estimated strength of establishment of various Government Departments and provision made therefor is also included in the document.

Expenditure Budget Vol. II

17. To understand the objectives underlying the expenditure proposed in the *Demands for Grants* a brief description of the various items of expenditure on major programmes included in the Demands together with the reasons for variation between the original budget and revised budget for the current year, and the requirements for the budget year are given in this volume.

Receipts Budget

18. Estimates of receipts included in the *"Annual Financial Statement "* are further analysed in the document *"Receipts Budget"*. The document gives details of revenue receipts and capital receipts and explains the estimates. Trend of receipts over the years and details of External Assistance received are also included.

19. To facilitate understanding of the taxation proposals made in the Finance Bill, the provisions of the Bill are explained in the document titled Memorandum explaining the provisions in the *Finance Bill.*

Detailed Demands for Grants

20. The Demands for Grants are followed by the *Detailed Demands for Grants* laid on the table of the Lok Sabha some time after the presentation of the Budget, but before the discussion on Demands for Grants commences. These Detailed Demands for Grants show further details of the provisions included in the Demands for Grants as also of actual expenditure during the previous year. A break up of the estimates relating to each programme/organisation, wherever the amount involved is not less than Rs.10 lakhs, is given under a number of detailed heads which indicate the categories and nature of expenditure incurred on that programme, like salaries, wages, travel expenses, material and equipment, grants-in-aid, etc. At the end of these Detailed Demands are shown the details of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts. Physical and financial aspects of major programmes and schemes are included in the *Performance Budgets* presented to Parliament separately by the Ministries/ Departments.

Resources transferred to States

21. The State Governments are paid grants and loans for various Plan and non-Plan schemes. Besides, sizeable amounts of tax revenues collected by the Central Government in the form of income-tax, union excise duties and estate duty are also transferred to the State Governments. Some of the States also get grants to cover the gap in their revenue resources, as recommended by the Finance Commission. The total resources transferred to State and Union Territory Governments are indicated in a statement incorporated in the document *Budget at a Glance.* Further details of these transfers by way of share of taxes, grants-in-aid and loans are given in *Expenditure Budget Vol.1*. The share of Union excise duties and bulk of the grants and loans are paid by the Ministry of Finance and are included in the Demand "Transfers to State Governments" presented on its behalf. The grants and loans paid by other Ministries are provided for in the Demands of respective Ministries.

Plan Outlay

22. Plan expenditure forms a sizeable proportion of the total expenditure of the Central Government. The *Demands for Grants* of the various Ministries show the Plan expenditure under each head separately from the non-Plan expenditure. The Expenditure Budget Vol. 1 also gives the total Plan provisions for each of the Ministries arranged under the various heads of development and highlights the budget provisions for the more important Plan programmes and schemes. A

description of important schemes included in the Plan along with the objectives, targets and achievements is given in the *Performance Budget* of the respective Ministry. Variations in the estimates of Plan expenditure are also explained in this document.

Performance Budget

23. *Performance Budgets* are prepared and circulated to Members of Parliament by all Ministries/Departments dealing with developmental activities. The Performance Budget presents the budget of the Ministry/Department in terms of functions, programmes and activities and gives appraisal reports separately in respect of major central sector projects/programmes estimated to cost Rs.100 crores or more. It also includes a statement on the programmes and performance of the various public sector undertakings under the Ministry/Department indicating, among other things, the capacity installed and utilised, physical targets and achievements, results of operation, return on capital etc. Performance Budget serves the management as a tool of administrative and financial control in the implementation of development programmes.

Public Sector Enterprises

24. A large part of the Plan expenditure incurred by the Central Government is through public sector enterprises. Budgetary support for financing outlays of these enterprises is provided by Government either through investment in share capital or through loans. *Expenditure Budget Vol. I* shows the estimates of capital and loans disbursements to public sector enterprises in 1994-95 and 1995-96 for Plan and Non-Plan purposes and also the extra budgetary resources available for financing their Plans. A detailed report on the working of public sector enterprises is given in the document titled *'Public Enterprises Survey'* brought out separately by the Department of Public Enterprises. A report on the working of the enterprises under the control of the various administrative Ministries is also given in the Annual Reports of the various Ministries circulated to Members of Parliament separately. The annual reports along with the audited accounts of each of the Government companies are also separately laid before Parliament. Besides, the reports of the Comptroller and Auditor-General of India on the working of various public sector enterprises are also laid before Parliament.

Commercial Departments

25. The Railways and Telecommunication services are the principal departmentally-run commercial undertakings of Government. The Budget of the Railways and the Demands for Grants relating to Railway expenditure are presented to Parliament separately. The total receipts and expenditure of the Railways are incorporated in the Annual Financial Statement of the Government of India. However, to portray the actual working of these departments and not inflate either receipts or expenditure, the expenditure as reflected in the Receipts Budget & Expenditure Budget Vol. I and II has been taken net of receipts. The Demands for Grants of the Department of Telecommunications are presented along with other Demands of the Central Government.

26. The receipts and expenditure of the Defence Department shown in the Annual Financial Statement are explained in greater detail in the document

Defence Services Estimates presented along with the Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence.

27. The details of grants given to bodies other than State and Union territory Governments are given in the statements of Grants-in-aid paid to non-Government bodies appended to Detailed Demands for Grants of the various Ministries. Annexure 6 to Expenditure Budget Vol. I shows details of grants-in-aid exceeding Rs.5 lakhs (recurring) or Rs.10 lakhs (non-recurring) to private institutions,organisations and individuals sanctioned during the year 1993-94.

Annual Report

28. A descriptive account of the activities of each Ministry/Department during the year 1994-95 is given in the document *Annual Report* which is brought out separately by each Ministry/Department and circulated to Members of Parliament at the time of discussion on the Demands for Grants.

Economic Survey

29. The Budget of the Central Government is not merely a statement of receipts and expenditure. Since Independence, with the launching of Five Year Plans, it has also become a significant statement of governmental policy. The Budget reflects and shapes, and is, in turn, shaped by the country's economic life. A background of the economic trends in the country during 1994-95 will enable a better appreciation of the mobilisation of resources and their allocation reflected in the Budget. The document Economic Survey 1994-95 circulated to Members of Parliament earlier provides this background. The *Economic Survey* analyses the trends in agricultural and industrial production, money supply, prices, imports and exports and other relevant economic factors having a bearing on the Budget.

30. The Budget of the Government has an impact on the economy as a whole. For a better appreciation of the impact of governmental receipts and expenditure on the other sectors of the economy, it is necessary to group them in terms of economic magnitudes, for example, how much is set aside for capital formation, how much is spent directly by the Government and how much is transferred by Government to other sectors of the economy by way of grants, loans etc. This analysis is contained in the document ***Economic and Functional Classification*** of the Central Government Budget which is brought out by the Ministry of Finance separately.

Appropriation Bills

31. After the Demands for Grants are voted by the Lok Sabha, Parliament's approval to the withdrawal from the *Consolidated Fund* of the amounts so voted and of the amount required to meet the expenditure *charged* on the ***Consolidated Fund*** is sought through the *Appropriation Bill*. Under article 114(3) of the Constitution, no amount can be withdrawn from the Consolidated Fund without the enactment of such a law by Parliament.

32. The process of detailed consideration of the Demands for Grants is not completed before the commencement of the new financial year. To enable Government to carry on its normal activities from 1st April till such time as the *Appropriation Bill* is enacted, a Vote on Account is obtained from Parliament through an Appropriation *(Vote on Account)* Bill.

INDEX

	Paragraph Number
Accounting classification ..	8
Annual Financial Statement ..	1,6,8,9,11,16,18,25,26
Annual Report ..	24,28
Appropriation ..	10
Appropriation Bill ..	31,32
Appropriation (Vote on Account) Bill ..	32
Budget at a Glance ..	14,21
Budget/Budget of the Central Government ..	1,5,17,20,23,24,25,29,30
Budgetary Deficit ..	18
Capital Budget ..	5,7
Charged Expenditure ..	9,10,11,31
Consolidated Fund ..	1,2,4,9,10,31
Contingency Fund ..	1,3
Defence Services Estimates ..	26
Demands for Grants ..	8,10,11,16,17,20,22,25,28,31,32
Detailed Demands for Grants ..	20,26,27
Economic and functional classification of the Central Government Budget ..	30
Economic Survey ..	29
Expenditure Budget ..	15,17,21,22,24,27
External Assistance ..	18
Extra Budgetary Resources ..	24
Finance Bill ..	6,12,19
Fiscal Deficit ..	14
Grants-in-aid ..	20,21,27
Guarantees given by the Central Government ..	16
International Bodies - Contribution to ..	16
Market Loans ..	7
Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill ..	19
New Service ..	11
Performance Budget ..	20,22,23
Plan Outlay ..	14,22
Public Account ..	1,4,7
Public Enterprises Survey ..	24
Public Sector Enterprises ..	23,24
Railways ..	25
Receipts Budget ..	18
Resources transferred to States/ Union Territories ..	14,21
Revenue Budget ..	5,6
Revenue Deficit ..	14
Strength of Establishment of Govt. Deptts. ..	16
Summary of Demands for Grants ..	11
Treasury Bills ..	7,14
Telecommunications ..	25
Vote on Account ..	32

17

Speech of the Railway Minister introducing the Railway Budget for 1995-96

SPEECH OF SHRI C. K. JAFFER SHARIEF

INTRODUCING THE RAILWAY BUDGET, 1995-96

ON 14th MARCH, 1995

MR. SPEAKER,

Sir, I rise to present the Revised Estimates for 1994-95 and Budget Estimates for 1995-96 for the Indian Railways.

Introduction

2.1 Before I start the customary review of the performance during the current year to set the background for the projections of the next year, I wish to place before this august House an overview of the performance of the Railways from the time this Government assumed charge in 1991. Such a review has to be in the context of the ongoing economic reforms since, demand for rail transport being a derived one, changes in the economic situation have considerable impact on the performance of the Railways. Further, as a crucial infrastructure, Railways have to play a very important role in the economic development of the country.

2.2 Under the inspired leadership of the Hon'ble Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, the economic reforms and the liberalisation process set in motion by the Government have given a tremendous fillip to economic growth. It is being universally acclaimed that our country is among the most successful in the world in implementing economic and structural reforms without falling into any pitfalls associated with such

transformation from a regulated to a market-friendly economy. As a result of these reforms, the economy is now poised for a breakthrough. Foreign Exchange reserves are at an all-time high, agricultural production is expected to scale new heights and industrial growth is expected to be close to eight per cent in the current year. Naturally, the demand for rail transportation is bound to grow rapidly.

2.3 In keeping with the spirit of the economic reforms under implementation, the Railways have adopted several innovative measures to bring about changes. Some success has been achieved in getting the private sector to participate in the creation of Railway assets. I refer to the modified "Own Your Wagon" scheme which has attracted considerable interest amongst the larger customers of the Railways. It is expected that before the current financial year closes, we will be able to finalise orders for a substantial number of wagons under the scheme. The current year also witnessed the trail-blazing induction of private enterprise for operating five tourist circuits on four routes.

2.4 Attention continued to be focussed on capacity generation through better maintenance of the existing assets and creation of alternative routes by conversion from MG to BG. A point I wish to highlight in this context is the drastic reduction of arrears in track renewal, which stood at 9,600 km at the beginning of the Eighth Plan, likely to come down to around 1,950 km by the end of the Plan. The implementation of Project 'Unigauge', which attracted some well-intentioned but misinformed criticism, was pursued vigorously for completing the conversion of over 4,700 km to Broad Gauge in the first three years of the Eighth Plan, to be followed by the completion of 1,500 km more in the next year, thus exceeding the Plan target of 6,000 km in four years. I am grateful to the Hon'ble Prime Minister for the blessings, encouragement and support he has given us for the successful completion of this all-important modernisation scheme. Other achievements needing special mention are the complete elimination of steam traction from the Broad Gauge system, and attaining self-sufficiency in the production of locomotives, wheels and axles. Mobility of wagons has been increased by closing down 27 marshalling yards.

2.5 Highlights of the financial performance during the years since 1991 relate to default-free payment of dividend to general revenues, extinguishing of deferred dividend liability of Rs 416 cr, discharging of loan liability of Rs 534 cr incurred for Development Fund works in the earlier years, building up of a sizeable balance of Rs 985 cr in the Depreciation Reserve Fund and improving the operating ratio from 92% in 1990-91 to 83% in 1993-94. Effective inventory control resulted in the reduction of inventory turnover ratio to 24%, leading to a saving of about Rs 233 cr. Centralisation of purchase of certain components required for the manufacture of concrete sleepers and changing the mode of purchase to open tenders instead of limited tenders traditionally followed in respect of some components, have opened up the possibility of creating healthy competition and securing lower prices. These need to be pursued. Intensifying the efforts relating to scrap disposal brought about rich dividends in that realisation increased from Rs 410 cr in 1990-91 to over Rs 900 cr in 1994-95. A significant achievement in the financial performance is in respect of Plan financing. The internal resources component of Plan expenditure, together with market borrowing, has risen to such a level that Railways could cope with a budgetary support as low as 17% in 1993-94 and 18% in 1994-95, far lower than in the previous Plans.

2.6 This period witnessed special efforts being taken for providing some improved facilities, although still inadequate, for the benefit of the travelling public. Thus a record number of 464 new trains and 277 extensions to existing services were introduced during the last four years. Fast and convenient services for inter-city travel such as Shatabdi Expresses, Main Line EMUs and Diesel Multiple Units have also been introduced, ushering in a new era of transportation.

2.7 In the context of the implementation of some of the recommendations of the Railway Fare and Freight Committee (Dr. Nanjundappa Committee) and the Committee on "Organisation Structure and Management Ethos of Indian Railways" (Prakash Tandon Committee) a few committees had been set up to work out the modalities. The Gupta-Prakash Narain Committee have presented a report covering certain aspects relating to recruitment to various railway services with a view to improving organisational effectiveness. Another Committee – Poulose

Committee – have suggested certain path-breaking measures to bring about better commercial orientation within the existing arrangements of Government ownership and operations through a modified instrument to regulate the relationship between general finance and railway finance. A third Committee – Hasan Iqbal Committee – have presented a conceptual report recommending some far-reaching reforms in the systems of costing, cost control, revenue accounting and so on with a view to introducing Principles of Responsibility Accounting on Indian Railways. All these reports are under active consideration of the Ministry of Railways. It shall be my endeavour to see that the recommendations are implemented to the extent feasible without much loss of time.

2.8 Sir, having given a bird's eye view of the achievements of the Railways under the present Government which form the backdrop for the budget to be unfolded shortly, I can assure the House, through you, that it shall be our endeavour to continue the good efforts to retain the unique position of Indian Railways among the railway systems of the world as the largest and the only one to earn profits year after year.

Performance in 1993-94

3. Sir, as you are aware, the traffic performance in 1992-93 was adversely affected by disturbances in many parts of the country. It was thought that this was a temporary phenomenon. But the adverse effects continued in the year 1993-94 also. In particular, there was less offer of traffic than expected from the core sectors of the economy. Railways could move 359 million tonnes of revenue earning freight, which was nine million tonnes more than the traffic carried in 1992-93, but fell short of the revised target of 362 million tonnes. Passenger traffic also did not register growth as per original expectations.

Financial Results, 1993-94

4. Consequent to the drop in traffic expected, the Revised Estimates of earnings were reduced from the Budget Estimates of Rs 19,086 cr to Rs 18,505 cr. The earnings that actually materialised were only Rs 18,259 cr. The position was further aggravated by the mounting dues especially from the State Electricity Boards and other Power Houses, which went up by about Rs 300 cr at the end of 1993-94. In the result, actuals of Gross Traffic

Receipts came to Rs 17,946 cr, as against the Revised Estimate of Rs 18,585 cr. Ordinary Working Expenses for the year were Rs 11,760 cr, just a little higher than the Revised Estimate of Rs 11,755 cr, but Rs 195 cr lower than the Budget Estimate of Rs 11,955 cr. Appropriation to Depreciation Reserve Fund, which was reduced in Revised Estimate to Rs 2,100 cr from the Budget Estimate of Rs 2,400 cr, in view of a reduction in the Plan size, was finally adjusted at Rs 1,875 cr, in the actuals. Payment of Dividend to General Revenues was effected almost at the Revised Estimate level. Ultimately, the 'Excess' as per actuals was Rs 1,806 cr, falling short of the Budget and Revised Estimate figure of Rs 2,195 cr.

Prospects for 1994-95
Traffic Prospects

5.1 Sir, keeping in view the Eighth Plan target of revenue earning freight traffic fixed by the Planning Commission at 418 million tonnes, Railways fixed a target of 380 million tonnes for the year 1994-95. The freight performance during the current year did not come up to expectation during the first nine months. Against the proportionate loading target of 273 mt in the first nine months of the year, the actual loading was 265 mt after meeting all the demands of traffic offered to the Railways, transport capacity was available but not fully utilised. Lately, there are encouraging signs of increased offer of traffic; Railways are endeavouring to meet the challenge. Further, transport capacity being perishable, and capacity creation being highly capital-intensive, the Railways' infrastructure cannot absorb the peaking pattern discernible now, and some delays become inevitable; surplus capacity goes abegging during the first eight to nine months, while excess offer of traffic comes during the remaining months, leading to unsatisfied demands.

5.2 This is a challange to be met, with cooperation from all rail users. The Railways should play their part as well. As already indicated, the response of the industry to the revised 'Own Your Wagon' scheme has been very encouraging. Another initiative that has been taken is the leasing of infrastructure and rolling stock under the scheme known as 'Build, Own, Lease and Transfer' (BOLT). Sufficient interest is discernible, but the success of the response would be known only after some time when physical assets become available. These two initiatives would

enable Railways to accept the challenge of peaking in the coming years, suitably supplementing by adjustments in investment priorities as necessary.

5.3 The drop in bulk movement has been made good, to some extent, by a remarkable spurt in the movement of traffic by containers. This is reflected in the increased turnover of the Container Corporation of India.

5.4 There is a happy sign that the growth in passenger traffic is far more than our expectations, hopefully in response to the steps taken by the Railways for improving the passenger services.

Financial Prospects

6.1 Sir, in view of the drop in freight traffic, and in its lead, the target of earnings from freight traffic is being reduced to Rs 13,700 cr in the Revised Estimate from the Budget Estimate of Rs 14,289 cr. As there is a healthy growth in passenger traffic, more than expected, the estimate of Passenger Earnings is being revised upwards from Rs 5,138 cr to Rs 5,410 cr. The revenue from Other Coaching and Sundry Other Earnings is also likely to be more than the Budget Estimates by a small margin of Rs 18 cr. The total traffic earnings are, therefore, being revised to Rs 19,970 cr as compared to the Budget Estimate of Rs 20,269 cr—a reduction of Rs 299 cr. Gross Traffic Receipts have to be reduced by a larger margin to Rs 19,920 cr in the Revised Estimate as against the Budget Estimate of Rs 20,394 cr, on account of the accumulation of receivables from power sector.

6.2 As in the previous years, Railways have launched an Action Plan to reduce the operating cost by taking various measures to achieve economies while retaining the efficiency of the system. Some reduction of expenditure is also to be expected on account of the lower volume of freight movement. Accordingly, a saving of about Rs 257 cr in working expenses is anticipated. The Revised Estimate of Ordinary Working Expenses has, therefore, been reduced to Rs 13,050 cr from the Budget Estimate of Rs 13,307 cr.

6.3 The Plan outlay approved for 1994-95 at the level of Rs 6,515 cr provided for the procurement of 18,000 wagons. A need-based review

of the requirement, keeping in view the reduced transport output and improvement in the operating indices, revealed that not more than 12,000 wagons would be required to be procured. This has resulted in a saving of about Rs 280 cr. Better realisation of credits due to tight monitoring of accountal and disposal of released materials has also been of help. We expect to realise our enhanced target of Rs 965 cr through the disposal of scrap. It is, therefore, proposed to place the total Plan Outlay for 1994-95 at Rs 6,255 cr, which implies a reduction of Rs 260 cr from the budgeted level of Rs 6,515 cr.

6.4 In view of the reduction in Plan outlay, the appropriation to the Depreciation Reserve Fund is proposed to be made at a lower level of Rs 2,140 cr in the Revised Estimate, as compared to Rs 2,300 cr in the Budget Estimate. For the Pension Fund, the appropriation is being enhanced by Rs 50 cr to Rs 1,750 cr in the Revised Estimate to meet a higher outgo now anticipated. With some marginal variations in the Net Miscellaneous Receipts and Dividend Payable to General Revenues, the 'Excess' arrived at is Rs 1,870 cr. This amount, which is Rs 100 cr less than anticipated in the Budget Estimate, will be utilised to meet the expenditure on works chargeable to the Capital Fund and the Development Fund as per the Revised Estimate of Plan outlay.

7.1 The basic objective of all reforms should be to provide adequate benefit and facilities to the people to improve the quality of their life. With this objective in view, I intend to introduce several facilities in the form of additional trains, new services, extension of services, and a few additional halts, by intensively utilising the passenger coaches and improving and rationalising the rake links. Nineteen new trains, introduction of fully unreserved trains on four sectors, extension of the run of nine trains, increased frequency of four express trains, additional halts for two pairs of Rajdhani Express and one of Shatabdi Express trains, introduction of Diesel Multiple Units in fifteen more sectors, providing Mainline Electrical Multiple Units in ten more sectors, rail bus services in eight additional sectors, etc., are some of the additional facilities proposed.

Improvement to Passenger Services

7.2 I am happy to inform the House that the following 19 new trains are proposed to be introduced during 1995-96 :

(1) A Shatabdi Express between Howrah and Bokaro

(2) A Shatabdi Express between Howrah and Rourkela

(3) A Shatabdi Express between Madras and Coimbatore

(4) A Shatabdi Express between Hubli and Bangalore

(5) An express train between Howrah and Jodhpur via Jaipur (in lieu of 3111/3112 Jaipur-Sealdah Express)

(6) An express train between Delhi and Varanasi/Muzaffarpur

(7) Bikaner-Jaipur Inter-city Express

(8) Tirupati-Cuddappah Inter-city Express

(9) An express train between Bangalore and Miraj

(10) Ernakulam-Trivandrum Inter-city Express via Alleppey

(11) Jaipur-Delhi Inter-city Express

(12) An express train between Raxaul and Muzaffarpur (on conversion of this section to B.G.)

(13) Kanpur-Farukhabad Inter-city Express (M.G.)

(14) Ahmadabad-Bhavnagar Inter-city Express (M.G.)

(15) A bi-weekly express train between Bombay and Tirupati

(16) A weekly express train between Nagercoil and Bombay VT via Madurai

(17) A weekly express train between Howrah and Guwahati

(18) A weekly express train between Howrah and Gorakhpur via Varanasi

(19) A weekly express train between Bangalore and Quilon via Alleppey

7.3 There are certain sectors where passengers do not easily get confirmed reservation. Besides, many passengers have to plan their travel at the last moment and are unable to obtain reserved berths readily. By way of a beginning in meeting their requirement, I have decided to introduce fully unreserved trains on four sectors. These are :

(1) A bi-weekly express train between Amritsar and Barauni via Saharanpur
(2) An express train between Bhagalpur and Muzaffarpur
(3) A weekly express train between Puri and Ahmadabad via Vizianagaram/Raipur
(4) A bi-weekly express train between Surat and Varanasi.

7.4 Sir, I am sure the House will be delighted to know that the Konkan Railway will be opened during the current year. In addition to certain express trains which will be diverted via Konkan Railway, an Inter-city/ Shatabdi Express between Bombay and Madgaon and an overnight express train between Kurla and Madgaon are proposed to be introduced on this route.

7.5 The run of the following nine trains is proposed to be extended :

(1) 5657/5658 Sealdah-Guwahati Kanchanjunga Express up to Lumding
(2) 2479/2480 Hazrat Nizamuddin-Miraj-Goa Express up to Castle Rock
(3) 8011/8012 Howrah-Rourkela Ispat Express up to Jharsuguda
(4) 5185/5186 Sealdah-Chhapra tri-weekly Express up to Gorakhpur
(5) 3021/3022 Howrah-Muzaffarpur Mithila Express up to Raxaul
(6) 5327/5328 Lucknow-Dudhwa Sanctuary Express up to Tilkunia (M.G.)
(7) 5325/5326 Mathura-Bareilly Gokul Express up to Gonda, starting from Agra Fort (M.G.)
(8) 2015/2016 New Delhi-Jaipur Shatabdi Express up to Ajmer
(9) 7015/7016 Secunderabad-Srikakulam Road-Visakha Express upto Palasa

7.6 The frequency of the following four express trains will be increased during 1995-96 :

(1) 2423/2424 New Delhi-Guwahati Rajdhani Express from weekly to tri-weekly

(2) 7003/7004 Secunderabad-Howrah Falaknuma Express from weekly to tri-weekly

(3) 3141/3142 Sealdah-Haldibari/New Alipurduar-Teesta Torsha Express from six days a week to daily

(4) 2801/2802 New Delhi-Puri Purushottam Express from five days a week to daily.

Provision of additional stoppages

7.7 After careful consideration of the numerous demands received from various sources for providing additional stoppages for existing trains, it has been decided to provide the following :

(a) a halt at New Bongaigaon for Train Nos. 2423/2424 Rajdhani Express trains between New Delhi and Guwahati

(b) a halt at Palghat for Train Nos. 2431/2432 Rajdhani Express trains between Hazrat Nizamuddin and Thiruvananthapuram

(c) a halt at Ambala for Train Nos. 2011/2012 Shatabdi Express trains between New Delhi and Chandigarh

Providing additional halts for the super-fast trains affects their running time and punctuality, eroding their superfast character. These aspects need to be kept in view while considering requests for additional stoppages.

7.8 During my last Budget Speech, I had outlined the Railways' strategy to segregate short distance passenger traffic from long distance traffic by introduction of Diesel Multiple Units/Diesel Push Pull services in areas not served by electrified lines and Main Line Electric Multiple Units on the electrified lines. Diesel Multiple Units were first introduced in

Jalandhar area and Main Line Electric Multiple Units on Asansol-Barddhman section of Eastern Railway and Delhi-Panipat section of Northern Railway. There was enthusiastic response, and Diesel Push-Pull services were introduced on the following sectors :

(1) Dombivili/Diva-Vasai Road
(2) Diva-Roha-Veer
(3) Sambalpur-Jharsuguda-Rourkela
(4) Ranaghat-Gede
(5) Mansi-Barauni-Patna
(6) Delhi-Shamli-Saharanpur
(7) Secunderabad-Bolarum, Secunderabad-Umdanagar and Secunderabad-Bibinagar
(8) Visakhapatnam-Palasa and Visakhapatnam-Tuni
(9) Baidyanathdham-Jasidih-Jhajha-Kiul
(10) Sahibganj-Jamalpur-Bhagalpur
(11) Bangalore-Mysore, Bangalore-Arsikere and Bangalore area
(12) Durg-Raipur-Baghbahara
(13) Delhi-Moradabad
(14) Delhi-Meerut-Saharanpur

7.9 During 1995-96, I propose to introduce Diesel Multiple Units/Diesel Push-Pull services on the following 14 additional sectors :

(1) Bhagalpur-Barharwa-Katwa
(2) Adra-Kharagpur
(3) Fazilka-Bathinda
(4) Fazilka-Ferozpur
(5) Pune-Daund-Baramati
(6) Indore-Bhopal
(7) Ahmadabad-Viramgam
(8) Ernakulam-Quilon
(9) Ernakulam-Guruvayur
(10) Guntur-Repalle
(11) Guntur-Macherla
(12) Tenali-Vijayawada
(13) Barauni-Samastipur-Muzaffarpur-Gorakhpur
(14) Guwahati-New Bongaigaon

7.10 I also propose to introduce Main Line Electric Multiple Units (MEMU) on the following ten additional sectors :

(1) Dhanbad-Gaya
(2) Gaya-Mughalsarai
(3) Tatanagar-Kharagpur
(4) Adra-Asansol
(5) Raipur Area
(6) Mathura-Agra-Tundla/Bayana
(7) Surat-Valsad
(8) Surat-Vadodara
(9) Vadodara-Ahmadabad
(10) Madras-Salem

I earnestly hope that these services will reduce the pressure on the long distance trains, besides serving short distance passengers well.

7.11 In my last Budget Speech, I had mentioned about the introduction of rail buses on Branch Lines having low density of traffic. I am happy to inform the House that the first rail bus was introduced on Merta Road-Merta City section (in Rajasthan) of Northern Railway. During 1995-96, it is proposed to introduce rail bus Service on the following eight additional sectors :

(1) Gwalior-Panihar
(2) Pandeshwar-Palasthala
(3) Bikaner-Kolayat
(4) Mankapur-Katra
(5) Bangarapet-Marikuppam
(6) Hospet-Kotturu and Hospet-Swamihalli
(7) Bobbili-Salur
(8) Nadiad-Kapadvanj

7.12 I had announced in my last Budget Speech about the introduction of AC 3-tier coaches on important trains. Accordingly, AC 3-tier Coaches have replaced the AC Chair Cars on all Rajdhani Expresses (except August Kranti Express) and have also been introduced on New Delhi-Allahabad Prayag Raj Express and New Delhi-Howrah Poorva Express. These coaches have proved to be extremely popular and more of them will be provided during the current year on other important Mail/Express trains.

7.13 Sir, I am acutely conscious of the fact that despite all the measures taken by us for improving passenger comfort, a lot more remains to be done in the areas of punctuality, cleanliness and security in trains. I would like to refer to certain measures that have been taken, or are being proposed.

(a) Formation of Instant Action Groups : Railways have constituted Instant Action Groups to provide comfortable, safe and secure travel to the passengers. Selected Mail/ Express trains running on vulnerable sections are escorted by these groups, which comprise the senior conductor, armed RPF personnel, coach attendant and safaiwalas. They are being supplied with distinct uniforms for easy identification by passengers. The groups have been equipped with walkie-talkie to enable contact with the driver and the Guard and also the GRP escorts and to attend to complaints and grievances of the passengers on the train. Some of the important trains which have the Instant Action Groups on board are the Tamil Nadu Express, Kerala Express, A.P. Express, N.E. Express, Gomati Express etc., to name a few. The reaction of passengers to the introduction of this system is encouraging. Its working is being monitored at the Zonal Railways' and Railway Board's level. General Managers of the Zonal Railways may nominate any train to be manned by the Instant Action Group.

(b) Additionally, it is proposed to provide a Train Superintendent on about 50 important trains for effective attention to all aspects of the comfort of passengers and response to their complaints.

(c) Rakes for the different services have been standardised and some of them kept reserved at important coaching depots, so that in case of late running of trains, these can be utilised. I expect that this measure will go a long way in curtailing the cascading effect of late running.

(d) Bed rolls are being supplied in all the AC 3-tier coaches of the Rajdhani Express trains. On about 100 selected trains, the supply of bed rolls will be made available to all passengers of AC sleeper classes. New types of bed rolls, which are light and of better quality, are being procured.

(e) Computerisation of reservations, which already covers about 80% of reservations and has proved to be a very popular measure, is now being extended to the smaller centres. At about 155 other locations, self-printing machines have been installed for quick issue of tickets; this is also being extended to cover more stations.

(f) The supply of drinking water is being improved by providing mineral water bottles and water coolers in some selected trains. In addition, private entrepreneurs are being associated to augment the supply of water at the Railway Stations by installing their own water coolers. I hope these measures will be well received by passengers.

(g) In pursuance of our commitment to improve the environment, Railways are experimenting with biologically degradable toilet system in a few coaches. The results are encouraging. Another system of vacuum evacuation of toilet discharge on moving coaches has also been designed and is planned to be tried out in a few coaches. The better system will be introduced on selected trains in the coming years.

(h) In order to bring about an improvement in running of trains, an Action Plan was launched during 1994-95. Targets were set for the Zonal Railways in areas of asset reliability and asset utilisation, amongst others. I am glad to report that substantial improvement has been brought about. With improvement in the reliability of track, signals, locomotives and overhead electrical equipment and through intensive monitoring, the punctuality of Mail and Express trains improved to 87.4% during 1994-95 as against the target of 85%. It is now proposed to revise the target to 90%. An in-depth examination is being arranged to see how best the Railways' obligation to provide punctual and satisfactory services can be enforced and what relief can be given to the affected passengers when gross failure takes place.

Catering Services

8.1 In my Budget Speech last year, I had mentioned that the setting up of a Railway Catering Corporation is being considered in order to professionalise catering services and upgrade them qualitatively. This is expected to be finalised shortly. An

amount of Rs 10 cr is being provided in the Budget towards initial capital required for the Corporation.

8.2 Sir, there are inherent difficulties in providing good quality catering service on running trains, but efforts are continuously being made to improve it. Overaged pantry cars are being replaced gradually. New services have been started on some selected high priority trains. Drinking water is supplied in hygienic bottles and pouches.

9. As the House is aware, Railways have a public grievance redressal machinery functioning at the Zonal Railway and Divisional levels. Complaints by Railway users are given the utmost attention. Senior Railway officers personally attend to public grievances and complaints, reserving specific time for meeting the public. Frontline staff who come in contact with the public are being suitably trained to provide courteous service to Railway users, giving no room for complaint. I am happy to say that there has been an improvement of about 3% in 1993-94 as compared to 1992-93 in the receipt of complaints against Railways.

Public Grievances

10.1 Sir, I have mentioned on earlier occasions about the Railways' efforts towards development of tourism. Three new tourist train services are being introduced in collaboration with the Tourism Development Corporations of the States of Gujarat, Rajasthan and Tamil Nadu this year. In the first phase of the programme of weekend holidays that has been introduced in collaboration with the Tourism Development Corporations of the States and Government of India, 38 Rail Week-ender tours have been planned and nine have already been implemented. The scheme offers to the tourists single window facility for travel, accommodation at destination, catering, sight-seeing and surface transportation.

Tourism on Railways

10.2 Hon'ble Members will also be happy to know that Railways propose to facilitate construction of 100 budget Hotels on Railway land at stations of tourist importance in order to provide accommodation at affordable cost to the tourists. The locations are being finalised in consultation with the Department of Tourism.

11. Sir, ticketless travel on Indian Railways is still quite rampant despite regular checks and special intensive drives. Our efforts to curb this social evil are continuing. Recently, an incentive scheme has also been introduced for the Travelling Ticket Examiners for improved results through their regular checks.

Ticketless Travel

12.1 Sir, there is continuous reduction in the number of train accidents, declining to 520 in 1993-94, and the number of accidents per million train kilometres has also shown improvement, from 1.5 during 1984-85 to 0.82 in 1993-94. Collisions, the most serious of them all, and the casualties thereof, have shown a steep reduction this year when compared to last year. But so long as accidents occur at all, there can be no room for complacency. Safety shall continue to engage our prime attention. The 'human failure' factor, the most important one for accidents, has to be addressed effectively; this is a continuous process involving the aspects of training, counselling and monitoring of the staff connected with the working of trains, and these aspects are regularly attended to. Besides, technological improvements that tend to minimise the scope for human failure are given close attention. Special teams have been constituted at the Railway Board's level and on the Zonal Railways to conduct on-the-spot assessment of deficiencies and lapses of the field units. Immediate remedial steps are then taken to remove the deficiencies.

Safety

12.2 The House would recall that there was a tragic fire accident in Bombay–Howrah Mail, near Chakradharpur in October 1994. I had then sought the assistance of a Committee of five Members of Parliament of the Consultative Committee attached to the Railway Ministry to help with their appraisal of the accident. The Committee in its report submitted last month, have made twelve recommendations covering various aspects relating to safety on Railways. Many of the recommendations have been accepted or implemented. The Committee have also welcomed the institution of the Instant Action Group which, as I mentioned earlier, is functioning on selected trains.

12.3 Accidents at unmanned level crossings continue to cause concern. These are due largely to the negligence of road users. Measures have been

taken to enlist the help of local bodies and to have a media campaign for creating awareness of the dangers of such negligence. I had announced in the last budget a special provision of Rs 25 cr towards manning of 500 unmanned level crossings. Obviously, this is a costly solution. A low-cost solution is now being evolved with the help of Bharat Electronics Limited, a Public Sector Undertaking. In this method, an alarm will sound at the level crossing when a train is about two kilometres away, giving sufficient time for the road users to get clear. A pilot project is being implemented at ten locations and if successful, it will be extended in a phased manner to all unmanned level crossings.

Annual Plan 1995-96

13.1 Sir, the imperative need for making sufficient investment in the Railways at the present juncture cannot be over-emphasised. Railways have to plan for a rate of growth in transport much higher than that of the economy, so as to generate capacity ahead of the demand, for transport capacity cannot be built up overnight; thrust areas such as Railway Electrification, Gauge Conversion, Rolling Stock and terminal facilities must receive priority without, at the same time, affecting the steady progress of replacement and renewal of track and other assets where these are due. Accordingly, a Plan of Rs 7,500 cr which is essentially need-based, has been drawn up. This is exclusive of the amounts of Rs 120 cr to be mobilised by the Konkan Railway Corporation and Rs 74 cr by the Container Corporation of India for their projects. Budgetary support to the Plan is, however, at the same level as the current year's figure of Rs 1,150 cr due to resource constraint. I am hopeful that in the course of the year Government will find it possible to raise the level of budgetary support, so that the strain of borrowing capital at high cost is minimised for the Railways.

13.2 The dominant component of the Plan would be internal resources, accounting for Rs 4,100 cr. Extra-budgetary resources through market borrowing will also have to be relied upon, as in the recent years. However, certain investment is expected to come under the 'Own Your Wagon' scheme which I have outlined earlier; some projects are proposed to be covered by the 'Build-Own-Lease-Transfer' scheme under which private entrepreneurs are being invited to invest in Railway works, and

there is fairly encouraging response. If these materialise, then market borrowing will be reduced suitably.

14.1 Sir, in the current year, 42 km of new line sections will be completed. These are :

New Lines

1. Beas-Goindwal, completing that project, and
2. Kulpi-Nischintapur, of Lakshimikantapur-Namkhana project.

14.2 Three new lines, namely, Dallirajahara-Jagdalpur in Madhya Pradesh, Ahmednagar-Beed-Parlivaijnath in Marathwada region of Maharashtra and Kottur-Harihar in Karnataka and the Restoration of Kakinada-Kotapalli line are proposed to be taken up in 1995-96. Work on these projects will commence after the necessary approvals are received. As regards Dallirajahara-Jagdalpur, a Memorandum of Understanding for sharing the cost with the Ministry of Steel and the State Government of Madhya Pradesh is also to be formalised before the work is taken up for execution.

14.3 There has been persistent demand for a direct link from Rajpura to Chandigarh. Survey for the line has been completed and the proposal is being sent to Planning Commission for approval.

14.4 Sir, in pursuance of the Government's resolve to develop a strong infrastructural base in the Kashmir Valley with the utmost speed for development of that region and improving the quality of life for its people, I had earmarked Rs 50 cr this year for the Jammu-Udhampur new line. The final location survey for extending this link to Srinagar and Baramula was also taken up and the first phase from Udhampur to Katra has been completed. Work on this sector will be taken up as soon as the necessary approvals are obtained.

14.5 For the Jammu—Udhampur line, taking into account its national importance, an allocation of Rs. 50 cr is being made in the budget. Adequate allocations are also required to be made for the various other new line projects commensurate with commitments to be

discharged, within the overall limit of Rs 200 cr for New Lines in 1995-96. It has, therefore, not been possible to make full allotments required for certain new lines for completing them during the year, much as I would here liked to. The position will, however, be reviewed in the course of the year, in case additional budgetary support becomes available, and the allocations suitably enhanced to accelerate their completion.

Project Unigauge

15.1 Sir, the project Unigauge has been widely appreciated and has got support and encouragement from different quarters. The anticipated benefits like better service, increased throughput and industrial development are already in evidence. Gauge conversion of the following 14 sections has been planned to be completed before the close of the year :

(i) Hissar-Rewari

(ii) Rewari-Jaipur, Phulera-Ajmer

(iii) Mehsana-Khodiyar of Delhi-Ahmadabad route

(iv) Chikjajur - Harihar - Hubli - Londa - Miraj of Miraj-Bangalore route

(v) Hubli-Gadag and Alnavar-Ambedwadi of Hospet-Vasco route along with the connected branch lines.

(vi) Jodhpur-Jaisalmer

(vii) Birur-Shimoga

(viii) Donakonda-Giddalur of Guntur-Guntakal route

(ix) Chikjajur-Chitradurg of Bellary-Chikjajur route

(x) Parbhani-Purna-Nanded of Parbhani-Adilabad route

(xi) Arjuni-Wadsa of Gondia-Chanda Fort route

(xii) Muzaffarpur-Raxaul

(xiii) Lumding-Dimapur of Guwahati-Dibrugarh route

(xiv) Chaparmukh-Haibargaon.

15.2 The following sections are proposed to be taken up for gauge conversion during 1995-96 :

(i) Narkatiaganj-Valmikinagar
(ii) Gorakhpur-Khadda
(iii) Agra-Bandikui
(iv) Wankaner-Maliya-Miyana
(v) Rupsa-Bangriposi
(vi) Mathura-Achnera
(vii) Hassan-Mysore
(viii) Salem-Yeshwantpur
(ix) Tiruchirappalli-Nagore-Karaikal
(x) Gandhidham-Bhuj.

The last five of these projects will be executed after necessary approvals are received.

15.3 It is proposed to convert the following eight routes to broad gauge during 1995-96 :

(i) Delhi-Ahmadabad
(ii) Kandla-Bathinda
(iii) Wankaner-Maliya-Miyana
(iv) Hospet-Swamihalli
(v) Aunrihar-Chhapra
(vi) Agra-Bandikui
(vii) Samastipur-Dharbhanga
(viii) Parasia-Chhindwara

15.4 Work on the conversion of Solapur—Gadag and Miraj—Latur lines to Broad Gauge will also be started in 1995-96. These projects, which had been included in the Budget for 1993-94, had been held over for the approval of Planning Commission, which has been received recently.

Doubling

16.1 Doubling of lines continue to be a priority area and in 1995-96, the allocation has been increased to Rs 269 cr from Rs 161 cr in the Revised Estimate of the current year.

16.2 With the doubling of Kuttipuram—Calicut section, the link from Guruvayoor to Kuttipuram is also proposed to be undertaken,

subject to necessary approvals, as an alternative to doubling of the track from Shoranur to Kuttipuram. Doubling of Calicut—Mangalore Section is proposed to be taken up under BOLT.

Surveys

17. Sir, a large number of surveys are in various stages of progress. With a view to further expansion of the system and increase of its capacity, Railways intend taking up another 40 surveys during 1995-96. The House will be glad to know that in our quest for opening up new areas for development, we have included a number of New Line surveys. Some of these are for Biyavra—Rajgarh—Sironj—Bina, Dholpur—Gangapur City (with conversion of Dholpur—Sirmathra to BG), Giridih—Koderma, Patiala—Jakhal/Narwana, Nagaur—Phalodi, Panipat—Meerut, Digaru—Burnihat, Sabarimala—Dindigul, Thakazhi—Thiruvalla—Pathanamthitta, Bhadrachallam Road—Kovvur, Ongole—Donakonda, a new line link to Kamakhyanagar Sub-division and for connecting Gandhinagar on main line between Ahmadabad—Delhi. Some of the surveys that are proposed to be taken up for conversion to broad gauge are in respect of Mansi—Saharsa—Banmankhi—Katihar, Dharangadhra Khuda Salt Siding, Rewari—Ringus—Phulera, Ranchi—Lohardaga with extension to Tori and the suburban system between Madras Beach—Tambaram.

Railway Electrification

18.1 I am glad to inform the House that in 1994-95, we could electrify 450 route kilometres, adding to the 11,793 route kilometres of electric traction as on 1-4-1994. Electrification of Katni-Bilaspur will be completed by March 1995 and Bina-Katni has been completed. The following five sections are expected to be completed in 1995-96 :

(i) Sonenagar-Patratu

(ii) Jamadoba-Mahuda

(iii) Bandel-Katwa

(iv) Delhi-Ambala

(v) Branch lines off Vijayawada-Balharshah.

18.2 It is gratifying to note that India has now been brought on the world map for the 2 × 25 KV AC system of traction. Regular train services on this system are already plying between Bina and Katni of Central Railway and are likely to be extended on the system between Katni-Anupur-Bishrampur of South Eastern Railway.

19. With the gauge conversion of many metre gauge and narrow gauge lines, it is aimed to liquidate all arrears of track renewal on important and high speed broad gauge sections. In the current year, track renewal of 2,550 km will be completed. The target for track renewal in 1995-96 is 2,600 km.

Track Renewals

20.1 The performance of the Production Units has been satisfactory during 1993-94.

Railway Production Units

20.2 Diesel Locomotive Works, Varanasi manufactured 152 diesel locomotives as against the target of 150 diesel locomotives. Chittaranjan Locomotive Works exceeded its target of 135 by manufacturing 140 electric locomotives. It has also manufactured a 5000 HP passenger locomotive capable of hauling 26 coaches at 140 km per hour and a passenger locomotive capable of hauling trains at 160 km per hour.

20.3 The two coach manufacturing factories of Indian Railways produced 2,063 coaches as against a combined target of 2,000. The Electric Multiple Units and Diesel Multiple Units manufactured at I.C.F. proved very successful in service.

20.4 The Diesel Component Works, Patiala produced different kinds of spares worth Rs 53.29 cr and rebuilt 68 locomotives, converting them as fuel-efficient ones.

20.5 Wheel & Axle Plant, Bangalore exceeded its target by assembling 32,664 wheel sets in 1993-94. It manufactured 69,489 wheels against the target of 68,000 wheels and produced 47,698 axles as against the target of 47,000 axles. I am happy to inform the House that this modern unit has obtained the ISO 9002 Certificate, a hallmark of excellence in quality.

21. Sir, Railways are placing increased emphasis on asset utilisation. With the consequent improvement in rolling stock utilisation, surplus manufacturing capacity has become available at all the railway production units. Export of rolling stock has been identified as one of the thrust areas. A high level Export Promotion Committee has been constituted to clear all export enquiries expeditiously. Earlier efforts through RITES and IRCON have proved fruitful. Twenty four diesel locomotives have been leased to Malaysian Railways. Export orders for 15 coaches from Vietnam, ten locomotives from Bangladesh and two locomotives and six coaches from Nepal have been finalised. Export of rolling stock to Bangladesh, Mynamar, Indonesia, Ghana and Sri Lanka are under active consideration.

Export Promotion

22.1 Sir, the Research Design and Standards Organisation of the Railways at Lucknow is doing a commendable job. Some of its achievements are :

Research Activities

(i) Design and development of rail buses to ply in sections with low passenger traffic density.

(ii) Design and development of 5000 HP passenger electric locomotives.

(iii) Development of diesel multiple units for high density fast intra-urban traffic on non-electrified sections.

(iv) Long confirmatory successful trial run of WAP 3 locomotive for 160 kmph high speed trains.

22.2 The time has come for us to redefine the role of RDSO, and make it completely autonomous. Ideally, this organisation should concentrate on activities like research and designs mission areas and increase its interaction with industries and centres of academic excellence like IIT's. Peripheral activities like inspection, development of new sources etc. are best handled by the Production Units/Workshops. Action in pursuance of this thinking is proposed to be initiated.

23.1 Sir, I am conscious of the acute problem faced by the commuters on the Bombay suburban railway system. As the Hon'ble Members are perhaps aware, Ministry of Railways have given serious attention to the problem, in consultation with the State Government of Maharashtra, and a number of measures have been identified for improving the suburban services in Bombay area. I shall enumerate them.

Suburban Services

(1) Improving the reliability of the system by replacing the eight old/damaged rakes, four each on the Western and the Central Railways, by 31-3-1995, stepping up the pace of track renewal and making the passenger information system more efficient.

(2) Augmentation of the system capacity in the short term and for future needs.

(3) Replacement of level crossings by road overbridges/underbridges and removal of encroachments with the help of the State Government and the Bombay Municipal Corporation.

(4) Improvement of general service areas like station premises, toilets, etc.

(5) Preparation of a master plan for improving the circulating areas and platforms as well as quick dispersal of passengers.

(6) Quadrupling of track between Borivli-Virar and extension of 5th line from Santa Cruz to Borivli and other terminal capacity works.

23.2 Some of these measures have already been implemented, bringing stability in the Bombay suburban system. During 1995-96, 16 additional rakes will be inducted into the system.

23.3 Several works have been identified for inclusion in Bombay Urban Transport Project–II which will be eventually finalised by World Bank. Five studies are being conducted in respect of the Railway component, whose cost is in the region of Rs 2,000 cr. In the meantime, quadrupling

of track between Borivli and Vasai Road is being included in the Budget for 1995-96 at a cost of Rs 131.34 cr, and provision of a sixth line between Bombay Central and Santa Cruz is also being taken up.

23.4 In the New Bombay area, the following works have been included in the Budget subject to necessary approvals being received and will be taken up for execution thereafter.

(i) Thane-Turbhe-Nerul-Vashi Section

(ii) Belapur-Panvel double line.

Expenditure on these projects is proposed to be shared by the Railways and CIDCO in the ratio of 1 : 2, as in the case of the Mankhurd-Belapur project.

Metropolitan Transport Projects

24.1 Sir, I am happy to inform the House that the Calcutta Metro Project is now reaching the final stage of its completion. All the sections except a stretch of 1.5 km between Girish Park and Central have been opened for commercial service during this year. The remaining stretch will also be completed by the end of 1995.

24.2 Mankhurd-Belapur project in Bombay has already been completed during the current year.

24.3 The MRTS Project, Madras is also nearing completion. Another section between Park Town and Chepauk will be opened to commercial service this year. The remaining sections of this project will be opened during 1996.

Indian Railway Finance Corporation

25.1 The Indian Railway Finance Corporation has declared a dividend of Rs 27.84 cr at 12% of the paid up share capital for 1993-94 as compared to Rs 23.20 cr at 10% for 1992-93.

25.2 During the current year, IRFC is required to raise Rs 1,050 cr comprising Rs 550 cr through taxable bonds and Rs 500 cr through

tax-free bonds. It is expected that IRFC will be able to raise the full amount despite adverse market conditions.

26.1 Indian Railway Construction Company Ltd. recorded a turnover of Rs 391 cr in the year 1993-94, earning Rs 29 cr in foreign exchange. A dividend of Rs 62 lakhs at 12.5% has been paid by the Company.

Indian Railway Construction Company

26.2 IRCON has successfully completed all projects undertaken in Bangladesh and Malaysia and obtained the ISO 9002 Certificate for their work in Malaysia. The Company has also secured four international contracts, one each in Turkey, Malaysia, Nepal and Bangladesh.

27. The Konkan Railway Corporation has elicited excellent response to its efforts during the current year for mobilisation of resources by issue of tax-free bonds for funding its prestigious project, which is now entering the completion phase. A further borrowing of Rs 120 cr during the next year is planned in order to meet the total requirement of funds for implementing it. The new line is likely to be opened to goods traffic during the third quarter of 1995 and to passenger traffic in December 1995. In keeping with thə Build Operate-Transfer principle, the Corporation will be responsible for the operation of the line for some years after its commissioning.

Konkan Railway Corporation

28. Rail India Technical and Economic Services Ltd. registered a turnover of Rs 65.2 cr in 1993-94. The net foreign exchange earned by the Company during the year was Rs 4 cr. The Company has paid a dividend of Rs 45 lakhs.

Rail India Technical and Economic Services

29.1 Container Corporation of India has diversified and extended its services on selected domestic sectors, setting up three new container terminals during the year at Indore, New Mulund and Agra. The traffic handled by the Corporation has increased by 52%, its turnover increasing to Rs 114 cr from Rs 81 cr in last year.

Container Corporation of India

29.2 Through the operations of CONCOR, Indian Railways have entered the mainstream of multimodal transportation. The Corporation handles the international traffic at the major ports of Bombay, Madras and Calcutta and is likely to start doing so in Kandla and Tuticorin Ports shortly.

Centre for Railway Information Systems

30. The Centre for Railway Information Systems (CRIS) is handling a variety of computerisation projects. The most important among them is that of development and implementation of the Freight Operations Information System. The software of its central system is presently under trial in Delhi area of the Northern Railway. On satisfactory completion of the trial, the system will be extended to the other Divisions of the Northern Railway.

Indian Railways' Welfare Organisation

31. Sir, the Indian Railways' Welfare Organisation is constructing houses for the Railway employees on a 'no profit no loss' basis through self-financing scheme. It has undertaken eleven housing schemes in various parts of the country and acquired land for the purpose at nine other locations. Two housing projects, one each at NOIDA and Gorakhpur (Phase-I), have been completed without any time or cost overrun.

Sports

32. Sportspersons of Indian Railways won twelve National championship titles during 1993-94. During the last Commonwealth Games, the Railway players won two Gold Medals and one Silver Medal. In the 12th Asian Games held at Hiroshima in Japan, Railway players won a Gold, a Silver and a Bronze Medal.

Medicare

33.1 Indian Railways have been providing excellent medical services to its employees and their family members, as also retired employees, through its network of 122 hospitals and 670 dispensaries spread all over the country. Besides providing specialist services in the Divisional and Zonal hospitals, it also provides super-specialist services in the fields of Cardiac surgery,

Orthopaedic surgery, Plastic surgery, Gastroenterology, Micro vascular surgery and Cancer.

33.2 We have recently commissioned a 50-bedded advanced super-speciality Gastroenterology Centre at Jagjivan Ram Hospital, Bombay which has all the facilities of advanced therapeutic endoscopic surgery. Major Divisional hospitals have been provided with the facilities of Ultrasonography and diagnostic endoscopy. Indian Railways Cancer Institute at Varanasi has become a premier institute in North-East area and is being further modernised.

33.3 I also propose to provide laboratory and ECG facilities to 60 dispensaries of the Indian Railways in order that primary health care of the Railway employees improves.

33.4 Indian Railway Medical Service is not attractive for doctors, with only 20% of those selected joining it, and many of them leaving. I propose to make this Service more attractive by bringing the promotional avenues for Railway doctors at par with other health services under Central Government.

Industrial Relations

34.1 Sir, I am happy to record that the organised labour of railways have been extending constructive cooperation in modernising railway working. Our Prime Minister has been keen on ushering workers' participation in management and towards this end, as I had mentioned in my last Budget Speech, the Corporate Enterprise Groups were restructured and Groups for Participation of Railway Employees in Management (PREM) were constituted.

34.2 I would now take this a step further. I intend introducing a system of participation at the apex level between the Railway Board and the Labour Federations in important matters of railway working leading to greater transparency. This will also make labour unions feel more of a partner in our march towards achieving Indian Railways' Corporate objective of higher productivity with cost reduction.

34.3 At the zonal railway level, there will be wider participation with affiliated unions on issues and concerns having a bearing on railway operations and customer services. At the grass-root level self management teams will be constituted for direct involvement and self-directed endeavour. A pilot project has already been launched at Vadodara Station of Western Railway where self-management groups have been constituted consisting of staff at supervisory and grass-root levels, empowered to deal with activities like booking and reservation, parcel handling and cleanliness of station.

Special Anouncements

35. Sir, this Government is committed to improve the condition of the poor. In the last four years, several measures have been taken to create employment opportunities and improve the lot of the weaker sections. I am happy to announce the following measures to better the lot of some categories :

(i) *Unemployed Youth :* Unemployed youth who are called for interviews by Public Sector Organisations and who are not given travel expenses will be entitled to get 50% concession on production of call letters.

(ii) *Licenced Porters* : The presence of licenced porters at the Railway platforms or at the entrance to the station premises does generate a sense of relief, security and assurance to the railway passengers. This self-employed category constitutes a very critical part of amenities to passengers, helping them by carrying their heavy luggage. Most of these people spend their lifetime doing this work, remaining on railway platforms for long hours, be it night or day. Railways do recognise the importance of their support. As a mark of appreciation of their services, I propose to extend the following facilities to this dedicated category :

(a) Outdoor medical facilities at present available to the licenced porters but not to their families, will be extended to cover their wives and dependant children.

(b) I also propose to extend free educational facilities to their wards in schools run by the Railways or by organisations of railwaymen and Mahila Samitis.

Grant of these facilities to licenced porters is purely ex gratia, and would not confer upon them any right or indication of a right, for any regular status on the railway establishment.

(iii) In cooperation with the Ministry of Communication, a pilot project to provide mobile telephone communication through terminals installed on high speed trains is expected to be started from June 1995. Initially, this service will be provided on the Bombay-New Delhi Rajdhani and the broad gauge "Palace on Wheels" trains. On successful completion of the pilot project, this will be extended to other high speed trains also. This will usher in a new era of modernisation in Indian Railways.

Reorganisation of Zones

36.1 Hon'ble Members will recall that in my last Budget Speech, I had emphasised the need for re-organisation of the railway network after taking into account the changed patterns of traffic by the project unigauge and the Konkan Railway Project. The last re-organisation of the Zonal Railways was done almost three decades back in 1966, when the South Central Railways was formed. Since then the Railways have made significant strides in freight and passenger business and the workload has increased tremendously. A detailed study in this regard has since been completed and the recommendations have been accepted by the Ministry and are being processed further. A token provision, however, has been made in the Budget for the implementation of the recommendations.

36.2 I am confident that with this long over-due step, the organisation structure would become more compact and the system would be able to deal with changing patterns of market orientation and customer requirements more effectively and promptly.

37. In the recent years and ever since RPF has become an Armed Force of the Union, there has been increasing demand on this Force for its deployment for law and order duties in various States at the instance of the Ministry of Home Affairs. During the last few years, RPF is being regularly deployed for law and order duties, especially at the time of Assembly Elections, 80 Companies of RPF have been deployed along with other Central Para-military Forces for ensuring free and fair elections. Wherever they have performed duties, the officers and men of RPF have performed extremely well, earned high appreciation from the State Governments and brought honour to the Force and to the Railways. In addition, RPF is also deployed for assisting commercial staff in ticket checking drives and also drives against the menace of alarm chain pulling, unauthorised hawking etc. As the effective strength of RPF gets depleted due to large-scale deployment for other duties, I propose to suitably augment the strength of the Force. The roles of RPF and GRP are also proposed to be redefined, after a detailed discussion with the Chief Ministers of the State Governments, to make the functioning of these forces more effective. It is also intended to closely examine the emoluments of the RPF personnel from the standpoint of parity with the other similar Forces of the Government of India.

Railway Protection Force

18

Budget of the Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1995-96

1995-96 में केन्द्रीय सरकार के

रेलवे राजस्व और व्यय

का

बजट

BUDGET

OF THE

Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1995-96

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

सी० के० जाफ़र शरीफ़
रेल मन्त्री

C. K. JAFFER SHARIEF
Minister of Railways

दिनांक 14 मार्च, 1995
Dated, the 14th March, 1995

विषय सूची

CONTENTS

	पृष्ठ PAGES
1.—रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण STATEMENT OF THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT FROM RAILWAYS	1 & 3
2.—केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण STATEMENT OF THE EXPENDITURE ON RAILWAYS MET FROM THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT	2 & 4
3.—रेलवे के खर्च से अधिक प्राप्तियों का वितरण DISTRIBUTION OF RAILWAYS' EXCESS OF RECEIPTS OVER EXPENDITURE	5
4.—रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के निर्माण व्यय का विवरण STATEMENT OF THE WORKS EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS	6
क.—रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि A.—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND	7
ख.—रेलवे विकास निधि B.—RAILWAY DEVELOPMENT FUND	8
ग.—रेलवे पेंशन निधि C.—RAILWAY PENSION FUND	9
घ.—पूंजी निधि—रेलवे D.—CAPITAL FUND—RAILWAYS	10

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (−) Increase (+)/ Decrease (−) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
1002 और 1003—राजस्व प्राप्तियां 1002 & 1003—Revenue Receipts					
यात्री—ऊंचे दर्जे Passenger—Upper Classes	679,56,44	709,00,00	846,49,42	+137,49,42	948,25,00
यात्री—दूसरा दर्जा Passenger—Second Class	4215,64,36	4429,00,00	4563,50,58	+134,50,58	4806,75,00
जोड़—यात्री यातायात से आमदनी TOTAL—Passenger Earnings	4895,20,80	5138,00,00	5410,00,00	+272,00,00	5755,00,00
कोचिंग यातायात से अन्य आमदनी Other Coaching Earnings	442,87,29	473,00,00	485,00,00	+12,00,00	500,00,00
माल यातायात से आमदनी Goods Earnings	12557,36,49	14289,00,00	13700,00,00	−589,00,00	15125,00,00
अन्य फुटकर आमदनी Sundry Other Earnings	363,17,51	369,00,00	375,00,00	+6,00,00	390,00,00
जोड़—आमदनी TOTAL—Earnings	18258,62,09	20269,00,00	19970,00,00	−299,00,00	21770,00,00
उचंत Suspense	−312,59,74	125,00,00	−50,00,00	−175,00,00	+185,00,00
£*भारतीय रेलों की सकल यातायात प्राप्तियां £*Gross Traffic Receipts of Indian Railways	17946,02,35	20354,00,00	19920,00,00	−474,00,00	21955,00,00
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	4,02,76	4,25,00	6,31,00	+2,06,00	655,27
£*इसमें चालित लाइनों की आमदनी शामिल है £*Includes earnings of worked lines	34,00	34,00	34,00	..	34,00

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण

2. Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (—) Increase (+)/Decrease (—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
बी (सी) (iii)—रेलवे—व्यय B(c)(iii)—RAILWAYS—EXPENDITURE					
3002 और 3003—संचालन व्यय— 3002 & 3003—Working Expenses—					
(1) £साधारण संचालन व्यय £Ordinary Working Expenses	11759,54,45	13307,00,00	13050,00,00	—257,00,00	14790,00,00
(2) मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	1875,00,00	2300,00,00	2140,00,00	—160,00,00	2000,00,00
(3) पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	1500,00,00	1700,00,00	1750,00,00	+50,00,00	1970,00,00
*3001 ए और बी—भारतीय रेलें—नीति निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन *3001A & B—Indian Railways—Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations	95,34,77	110,80,00	113,19,00	+2,39,00	138,88,15
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	31,27,98	45,00,00	45,00,00	..	45,00,00
3005—सामान्य राजस्व को भुगतान 3005—Payments to General Revenues—					
(1) **वर्तमान लाभांश— **Current Dividend	1270,44,50	1346,35,01	1354,39,67	+8,04,66	1345,56,17
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान Payment in lieu of Passenger Fare Tax	23,12,00	23,12,00	23,12,00	..	23,12,00
(3) रेल संरक्षा कार्य निधि में अंशदान Contribution to Railway Safety Works Fund	2,48,33	2,52,99	2,48,33	—4,66	2,48,33
जोड़—अग्रेनीत TOTAL—Carried Forward	16557,22,03	18834,80,00	18478,19,00	—356,61,00	20315,04,65

*इसमें निम्नलिखित शामिल हैं— *Includes—					
राजस्व से रेलवे पेंशन निधि में विनियोग Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	9,00,00	10,00,00	10,00,00	..	10,00,00
चालित लाइनों को भुगतान Payments to Worked Lines	13,79	14,87	14,72	—15	14,66
सहायता प्राप्त कम्पनियां Subsidised Companies	..	..	..	..	..
**इनमें देय लाभांश की वे रकमें शामिल नहीं हैं जिन्हें 'आस्थगित लाभांश दायिता लेखे' में अंतरित कर दिया गया है **Figures exclude amounts due as dividend, but transferred to 'Deferred Dividend Liability Account'	..	..	..	..	..
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	11,35,17	14,23,00	13,11,00	—1,12	14,31,00

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण—(समाप्त)

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (−) Increase (+)/ Decrease (—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
रेलवे—राजस्व RAILWAYS—REVENUE					
पृष्ठ 1 से अग्रेनीत Brought forward from page 1	17946,02,35	20394,00,00	19920,00,00	—474,00,00	21955,00,00
बी(सी)(iii)—भारतीय रेलें— B(c)(iii)—Indian Railways—					
1001—भारतीय रेल विविध प्राप्तियां— 1001—Indian Railways Miscellaneous Receipts—					
(1) सहायता-प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्तियां Other Receipts from Subsidised Companies	3,54	2,06,00	..	—2,06,00	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड Railway Recruitment Boards	1,05,82	1,53,00	1,05,17	—47,83	1,06,00
(3) विविध प्राप्तियां Miscellaneous receipts	4,15,15	4,11,00	3,72,79	—38,21	2,82,15
(4) लाभांश राहतों तथा अन्य रियायतों के तौर पर सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता Subsidy from General Revenues towards dividend reliefs and other concessions	412,02,86	403,10,00	423,41,04	+20,31,04	411,16,50
जोड़—विविध प्राप्तियां TOTAL—MISCELLANEOUS RECEIPTS	417,27,37	410,80,00	428,19,00	+17,39,00	415,04,65
जोड़—प्राप्तियां TOTAL—RECEIPTS	18363,29,72	20804,80,00	20348,19,00	—456,61,00	22370,04,65

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण—(समाप्त)

2. Statement of the expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (—) Increase (+)/ Decrease(—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
पृष्ठ 2 से अग्रेनीत Brought forward from page 2	16557,22,03	18834,80,00	18478,19,00	—356,61,00	20315,04,65
3006—रेलवे के खर्च से अधिक प्राप्तियां से विनियोग— 3006—Appropriation from Railways' excess of receipts over expenditure—					
(1) रेलवे विकास निधि में विनियोग Appropriation to Railway Development Fund	132,25,59	290,00,00	295,00,00	+5,00,00	350,00,00
(2) पूंजी निधि में विनियोग—रेलवे Appropriation to Capital Fund—Railways	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	—105,00,00	1705,00,00
जोड़—व्यय TOTAL—EXPENDITURE	18363,29,72	20804,80,00	20348,19,00	—456,61,00	22370,04,65

3. रेलवे के खर्च से अधिक प्राप्तियों का वितरण

3. Distribution of Railways' Excess of Receipts over Expenditure

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
खर्च से अधिक प्राप्तियां Excess of receipts over expenditure	1806,07,69	1970,00,00	1870,00,00	2055,00,00
8117—विकास निधि रेलवे विकास निधि 8117—Development Funds Railway Development Fund	132,25,59	290,00,00	295,00,00	350,00,00
8118—पूंजी आरक्षित निधि पूंजी निधि—रेलवे 8118—Capital Reserve Funds Capital Fund—Railways	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00
3007—विकास निधि के लिए सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की अदायगी तथा विकास निधि ऋण पर ब्याज 3007—Repayment of loan taken from General Revenue for Development Fund and interest on Development Fund Loan	..	..	..	..

4. रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के निर्माण व्यय का विवरण

4. Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	1994-95 के बजट की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (—) Increase (+)/Decrease (—) as compared with Budget 1994-95	बजट अनुमान, Budget Estimate, 1995-96
सी (एफ)—पूंजी— C(f)—Capital—					
*रेलवे पूंजी जिसकी पूर्ति राजस्व से नहीं की जाती— *Railway Capital not met from Revenue—					
5002 और 5003—रेलों का निर्माण-कार्य 5002 & 5003—Construction of Railways	974,47,07	1150,00,00	1150,00,00	..	1150,00,00
जे—आरक्षित निधियां— J—Reserve Funds—					
निर्माण व्यय जिसकी पूर्ति रेलवे निधियों से की जाती है— Works Expenditure met from Railway Funds—					
8115—मूल्यह्रास आरक्षित निधि 8115—Depreciation Reserve Fund	2062,56,14	2300,00,00	2140,00,00	—160,00,00	2000,00,00
8117—विकास निधि 8117—Development Fund	189,13,21	290,00,00	295,00,00	+5,00,00	350,00,00
8118—पूंजी निधि—रेलवे 8118—Capital Fund—Railways	1746,98,84	1680,00,00	1575,00,00	—105,00,00	1705,00,00
बी (सी) (iii)—राजस्व B(c)(iii)—Revenue					
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	31,27,98	45,00,00	45,00,00	..	45,00,00
@कुल जोड़ @GRAND TOTAL	5004,43,24	5465,00,00	5205,00,00	—260,00,00	5250,00,00
*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता का खर्च शामिल है। *Includes expenditure on Metroplitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta	224,08,98	230,00,00	250,50,00	+20,50,00	240,00,00
@ (i) इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा चल स्टाक में निवेश के लिए बाजार से लिया जाने वाला ऋण शामिल नहीं है। @ (i) Excludes market borrowings by Indian Railway Finance Corporation for investment in Rolling Stock	856,33,69	1050,00,00	1050,00,00	..	2250,00,00

क—रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि
A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1595-96
*प्रारंभ शेष *Opening Balance	@1078,08,11	1143,19,68	985,28,96	1106,00,99					
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	(क) (a) 1900,00,00	(ख) (b) 2350,00,00	(ग) (c) 2190,00,00	(घ) (d) 2050,00,00	मूल्यह्रास आरक्षित निधि से विनियोग Appropriation from Depreciation Reserve Fund	2062,56,14	2300,00,00	2140,00,00	2000,00,00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि पर ब्याज Interest on Depreciation Reserve Fund	69,76,99	81,77,38	70,72,03	79,17,07	इतिशेष Closing Balance	985,28,96	1274,97,06	1106,00,99	1235,18,06
जोड़ TOTAL	3047,85,10	3574,97,06	3246,00,99	3235,18,06	जोड़ TOTAL	3047,85,10	3574,97,06	3246,00,99	3235,18,06

@इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण के 1,52 शामिल हैं ।

*इसमें 1-4-1950 से ली गयी भारत की रियासती रेलों के 7,83,93 (अनंतिम) शामिल हैं ।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,30,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (3,53,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,57,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (3,60,00) रेल सवारी डिब्बा कारखाना (7,45,00) और डी० पु० का० (3,55,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 25,00,00 शामिल हैं ।

(ख) इसमें चि०रे०का० (8,54,00), डी०रे०का० (7,30,00), स०डि०का० (6,01,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (6,72,00) रे०को०फ० (14,47,00) और डीजल कलपुर्जा कारखाना (6,96,00) से सम्बन्धित कारखाना निर्माण उचन्त लेखे के नामखाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (8,00,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (6,29,00), सवारी डिब्बा कारखाना (6,01,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (7,29,00), तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना (15,04,00) और डी० पु० का० (7,37,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (8,00,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (6,29,00), सवारी डिब्बा कारखाना (6,03,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (7,28,00), रेल सवारी डिब्बा कारखाना (15,03,00) और डी.पु.का. (7,37,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 50,00,00 शामिल हैं ।

@Includes 1,52 on account of "Transfer without Financial Adjustment".

*Includes 7,83,93 (Provisional) on account of Indian State Railways taken over from 1-4-1950.

(a) Includes 25,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (3,30,00) DLW (3,53,00), ICF (3,57,00), W&AP (3,60,00), RCF (7,45,00) and DCW (3,55,00)

(b) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (8,54,00), DLW (7,30,00), ICF (6,01,00), W&AP (6,72,00), RCF (14,47,00) and DCW (6,96,00).

(c) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (8,00,00), DLW (6,29,00), ICF (6,01,00), W&AP (7,29,00), RCF (15,04,00) and DCW (7,37,00).

(d) Includes 50,00,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account— CLW (8,00,00), DLW (6,29,00), ICF (6,03,00), W&AP (7,28,00), RCF (15,03,00), and DCW (7,37,00).

ख—रेलवे विकास निधि
B—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Buget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Pevised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Pudget Estimate, 1995-96
*प्रारंभशेष *Opening Balance	54,13,98	59,93,26	32,32	36,20
विकास निधि में विनियोग: Appropriation to Development Fund :				
(1) अधिशेष से विनियोग Appropriation from surplus	132,25,59	290,00,00	295,00,00	350,00,00
(2) सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	..	..	..	..
विकास निधि पर ब्याज Interest on Development Fund	3,05,96	6,41,28	3,88	4,34
जोड़ TOTAL	189,45,53	356,34,54	295,36,20	350,40,54

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budg t Estimate, 1995-96
विकास निधि से निम्नलिखित के लिए विनियोग : Appropriatoin from Development Fund for :				
(1) विकास कार्य के लिए Development Works	189,13,21	290,00,00	295,00,00	350,00,00
(2) ऋणों की अदायगी के लिए Repayment of loans	..	..	..	..
(3) ऋणों पर ब्याज के लिए Interest on loans				
इतिशेष Closing Balance	32,32	66,34,54	36,20	40,54
जोड़ TOTAL	189,45,53	356,34,54	295,36,20	350,40,54

टिप्पणी: 1-4-1993 से राजस्व आरक्षित निधि और दु०क्ष०नि० बन्द कर दिये जाने से इसका इतिशेष 1-4-1993 को प्रारंभशेष के रूप में इस निधि को अंतरित कर दिया गया है । दु०क्ष०नि० और रा०आ०नि० को इतिशेष की राशि जिसे विकास निधि लेखा 1993-94 के प्रारंभशेष में शामिल किया गया है, नीचे दी गई है :—

	दु०क्ष०नि०	रा०आ०नि०	जोड़
लेखा 1993-94	53,42,96	71,02	54,13,98

NOTE : With the discontinuance of RRF and ACSPF w.e.f. 1-4-1993 the Closing Balances thereof have been transferred to this fund as Opening Balance as on 1-4-93. Amounts of Closing Balances of ACSPF and RRF as included in Opening Balances of Development Fund Accounts 1993-94 are given below :

	ACSPF	RRF	Total
Accounts 1993-94	53,42,96	71,02	54,13,98

ग—रेलवे पेंशन निधि

C—RAILWAY PENSION FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
†प्रथशेष †Opening Balance	275,41,94 (क) (a)	297,71,01 (ख) (b)	328,09,56 (ग) (c)	382,41,39 (घ) (d)	पेंशन निधि से विनियोग Appropriation from Pension Fund	1487,85,20	1700,00,00	1750,00,00	1970,00,00
††पेंशन निधि में विनियोग ††Appropriation to Pension Fund	1520,11,36	1730,14,70	1780,29,14	2000,14,70	इतिशेष Closing Balance	328,09,56	349,75,19	382,41,39	440,38,50
पेंशन निधि पर ब्याज Interest on Pension Fund	20,41,46	21,89,48	24,02,69	27,82,41					
जोड़ TOTAL	1815,94,76	2049,75,19	2132,41,39	2410,38,50	जोड़ TOTAL	1815,94,76	2049,75,19	2132,41,39	2410,38,50

†इसमें 1957 से पहले जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित उपांत वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनकी भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राज्य रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1993-94 में 1,30,43 हजार रुपए शामिल हैं।

††इसमें 1957 से पहले जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनकी भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राज्य रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1993-94 में 14,36 हजार रुपये, बजट अनुमान 1994-95 में 14,70 हजार रुपये, संशोधित अनुमान 1994-95 में प्रस्तावित 29,14 हजार रुपये और 1995-96 के बजट अनुमान में 14,70 हजार रुपये शामिल हैं।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,63,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (1,58,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,10,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (39,00), डीजल कल पुर्जा कारखाना (77,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,50,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 10,97,00 शामिल हैं।

(ख) इसमें चि०रे०का० (6,61,00) डी०रे०का० (2,81,00) स०डि०का० (5,69,00) प० एवं धु०सं० (69,00) डी०पु०का० (1,51,00), रे०को०फै० (2,69,00) से सम्बन्धित कारखाना निर्माण उचन्त लेखे के नाम खाते में 20,00,00 शामिल हैं।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (6,58,40), डीजल रेल इंजन कारखाना (2,86,32), सवारी डिब्बा कारखाना (5,49,85) पहिया एवं धुरा संयंत्र (73,95) डीजल कल पुर्जा कारखाना (1,47,89) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (2,83,59) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते में 20,00,00 शामिल हैं।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (6,46,10), डीजल रेल इंजन कारखाना (2,91,84), सवारी डिब्बा कारखाना (5,66,32), पहिया एव धुरा संयंत्र (70,37) और डी०पु०का० (1,45,85) रे०को०फै० (2,79,52) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 20,00,00 शामिल हैं।

†Includes Rs. 1,30,43 thousand in 1993-94 by transfer from State Railway Provident Fund of the accumulated government-contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who had elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes Rs. 14,36 thousand in 1993-94, Rs. 14,70 thousand in B.E. 1994-95, Rs. 29,14 thousand in R.E. 1994-95 and Rs. 14,70 thousand in B.E. 1995-96 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective financial year.

(a)	Includes 10,97,00 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (3,63,00),	DLW (1,58,00),	ICF (3,10,00),	W&AP (39,00),	DCW (77,00) and	RCF (1,50,00)
(b)	,, 20,00,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, (6,61,00)	,, (2,81,00),	,, (5,69,00)	,, (69,00),	,, (1,51,00) ,,	(2,69,00)
(c)	,, 20,00,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, (6,58,40)	,, (2,86,32)	,, (5,49,85)	,, (73,95)	,, (1,47,89) ,,	(2,83,59)
(d)	,, 20,00,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, (6,46,10)	,, (2,91,84)	,, (5,66,32)	,, (70,37)	,, (1,45,85) ,,	(2,79,52)

घ—पूंजी निधि—रेलवे

D—CAPITAL FUND—RAILWAYS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96		लेखा Accounts, 1993-94	बजट अनुमान Budget Estimate, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimate, 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimate, 1995-96
अथशेष Opening Balance	73,18,02	111,42,28	2,57,46	2,75,48	पूंजी निधि से विनियोग Appropriation from Capital Fund	1746,98,84	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00
पूंजी निधि में विनियोग Appropriation to Capital Fund	1673,82,10	1680,00,00	1575,00,00	1705,00,00					
पूंजी निधि पर ब्याज Interest on Capital Fund	2,56,18	7,79,96	18,02	19,28					
					इतिशेष Closing Balance	2,57,46	119,22,24	2,75,48	2,94,76
जोड़ TOTAL	1749,56,30	1799,22,24	1577,75,48	1707,94,76	जोड़ TOTAL	1749,56,30	1799,22,24	1577,75,48	1707,94,76

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
1995

सत्यमेव जयते

1995-96

में

रेलों पर केन्द्रीय सरकार के खर्च

के लिए

लेखानुदान

VOTE ON ACCOUNT

FOR

Expenditure of the Central Government

ON

RAILWAYS

IN

1995-96

नोट

NOTE

संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसरण में, लोक सभा से अनुरोध किया जा रहा है कि पूरे वर्ष की अनुदान की मांगों पर विस्तृत विचार किए जाने और उन्हें पारित किए जाने तक वित्त वर्ष के भाग के लिए आपूर्ति की अपनी स्वीकृति दें। संलग्न विवरण में अप्रैल और मई, 1995 के दौरान किए जाने वाले संभावित खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि दिखायी गयी है जो मांगे गये कुल प्रावधान का 1/6 है। लेकिन इसमें मांग सं. 9 के अंतर्गत अधिक मांग की गई है जो अप्रैल, 1995 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम को किए जाने वाले संभावित भुगतानों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। मांग सं. 15 के संबंध में लेखानुदान के लिए कोई राशि नहीं मांगी गयी है क्योंकि लाभांश का समायोजन वर्ष के अन्त में किया जाता है।

हालांकि इस वर्ष के "लेखानुदान" में पूरे वर्ष के लिए अनुमानित प्रावधान की 1/6 राशि शामिल है, लेकिन इसमें किये जाने वाले प्रावधान को किसी "नई सेवा" पर खर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने का कोई इरादा नहीं है।

In pursuance of Article 116 of the Constitution, Lok Sabha is being requested to vote supply for part of the financial year, pending detailed consideration and passing of the Demands for Grants for the full year. The attached statement shows the sums required for meeting the expenditure likely to be incurred during April and May, 1995, i.e. one-sixth of the total provision asked for, except that in Demand No. 9 larger provision is required to meet the likely payments to Indian Railway Finance Corporation during April, 1995. No amount is asked for 'On Account' in respect of Demand No. 15 as the adjustment of dividend takes place on close of the year.

Although the "Vote on Account" this year includes one-sixth of the estimated provision for the whole year, the provision therein is not intended to be used for expenditure on any "New Service".

19

Vote on Account for expenditure of the Central Government on Railways 1995-96

31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए खर्च का अनुमान जिसके लिए लेखानुदान अपेक्षित है

Estimate of expenditure for which a Vote on Account is required for the year ending 31st March, 1996

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

मांग की संख्या No. of Demand	मांग का नाम Name of Demand	कुल मांग Total Demand		लेखानुदान के रूप में अपेक्षित राशि Amount required on Account	
		स्वीकृत Voted	प्रभृत *Charged*	स्वीकृत Voted	प्रभृत *Charged*
1	रेलवे बोर्ड Railway Board	19,16,00	..	3,19,33	..
2	विविध व्यय (सामान्य) Miscellaneous Expenditure (General)	110,80,15	..	18,46,69	..
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं General Superintendence and Services on Railways	733,49,18	6,22	122,24,86	1,03
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	1539,86,13	30,00	256,64,36	5,00
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance of Motive Power	1141,66,33	4,00	190,27,72	67
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	1639,15,01	6,00	273,19,17	1,00
7	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	807,54,98	12,00	134,59,16	2,00
8	परिचालन व्यय--चल स्टाक और उपस्कर Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	1330,34,07	15,00	221,72,35	2,50
9	परिचालन व्यय--यातायात Operating Expenses—Traffic	2917,00,98	15,00	951,66,83	2,50
10	परिचालन व्यय--ईंधन Operating Expenses—Fuel	3643,25,41	1,50	607,20,90	25
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं Staff Welfare and Amenities	590,57,23	4	98,42,87	1
12	विविध संचालन व्यय Miscellaneous Working Expenses	737,07,60	10,66,06	122,84,60	1,77,68
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits	1981,03,39	62,50	330,17,23	10,41
14	निधियों में विनियोग Appropriation to Funds	60,35,00,00	..	1005,83,33	..
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन Dividend to General Revenues, Repayment of loans taken from General Revenues and Amortization of Over-Capitalization	1371,16,50	..	..	..
16	परिसम्पत्तियां--खरीद, निर्माण और बदलाव : Assets—Acquisition, Construction and Replacement:				
	राजस्व Revenue	45,00,00	..	7,50,00	..
	अन्य व्यय *Other Expenditure* :				
	पूंजी Capital	1279,70,43	5,79,89	213,28,41	96,65
	रेलवे निधियां Railway Funds	10970,55,11	70,11	1828,42,52	11,69
	जोड़ Total	36892,38,50	18,68,32	6385,70,33	3,11,39

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
1995

20

Explanatory Memorandum on the Railway Budget 1995-96

21

Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways for 1995-96

विषय सूची

TABLE OF CONTENTS

		पृष्ठ PAGE
तालिका I—बजट एक नजर में	Table I.—Budget at a glance .	1
तालिका II—योजना प्रगति एक नजर में	Table II.—Plan Progress at a glance	2
तालिका III—योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश	Table III.—Investment by Plan Heads	3—4
तालिका IV—यातायात योजना—माल	Table IV.—Traffic Plan—Goods . .	5
तालिका V—यातायात योजना—यात्री	Table V—Traffic Plan—Passenger.	6
तालिका VI—लक्ष्य और उपलब्धियां—रेलों की मुख्य विकास गतिविधियां	Table VI.—Targets and Achievements—Major Developmental Activities of the Railways	7—8
तालिका VII—पिछले वर्ष (1993-94) में रेलवे का रुपया	Table VII.—The Railway Rupee in the previous year (1993-4) .	

भाग I—राजस्व

PART I—Revenue

रेलवे उपक्रम के वित्तीय परिणामों का सारांश

SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS OF THE RAILWAY UNDERTAKING

1993-94 के वित्तीय परिणाम	Financial Results of the year 1993-94 . .	9—13
1994-95 का संशोधित अनुमान और बजट अनुमान 1995-96	Revised Estimate for the year 1994-95 and Budget Estimates 1995-96	
यातायात से प्राप्ति	Traffic Receipts	14—15
संचालन व्यय	Working Expenses	16—21
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions	22—23
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	23
शुद्ध वित्तीय परिणाम	Net Financial Results . . .	24
निधियां	Funds	25

भाग II—रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम

PART II—Works, Machinery and Rolling Stock Programmes of Railways

वास्तविक खर्च, 1993-94	ACTUAL EXPENDITURE FOR 1993-94 .	26
संशोधित अनुमान, 1994-95	REVISED ESTIMATE, 1994-95 .	26—30
बजट अनुमान, 1995-96	BUDGET ESTIMATE, 1995-96	31 36
परिशिष्ट I—महत्वपूर्ण चालू लाइन निर्माण कार्य	APPENDIX I.—Important Open Line Works .	37—65
परिशिष्ट II—1995-96 में यात्रियों और अन्य रेल-उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं	APPENDIX II.—Passenger Amenities and other Railway Users' Amenities in 1995-96 . .	66—71
परिशिष्ट III—1995-96 में कर्मचारी कल्याण पर प्रस्तावित खर्च	APPENDIX III.—Expenditure proposed on Staff Welfare : 1995-96	72

S/109 RB/94—1

		पृष्ठ PAGES
परिशिष्ट IV—1995-96 के योजना शीर्ष तथा रेलवे-वार खर्च	APPENDIX IV.—Plan-head and railwaywise expenditure during 1995-96	73—77
परिशिष्ट V—भारतीय रेलों का तुलन-पत्र	APPENDIX V.—Balance Sheet of Indian Railways	78
परिशिष्ट VI—ब्याजदेय पूंजी	APPENDIX VI.—Capital-at-Charge	79
परिशिष्ट VI(क)—पूंजी निधि से निवेश	APPENDIX VI(A).—Investment from Capital Fund	80
परिशिष्ट VII—विभिन्न कोटियों की रेल-परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य	APPENDIX VII.—Total value of Railway assets under various categories	81—82
परिशिष्ट VIII—महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े परिचालन अनुपात और ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व के अनुपात सहित	APPENDIX VIII.—Important financial figures including Operating ratio and ratio of net revenue to Capital-at-Charge	83—84
परिशिष्ट VIII(क)—प्रत्येक योजना अवधि में औसत ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व और अधिशेष/कमी का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण।	APPENDIX VIII(A).—Statement showing percentage of Net Revenue and excess/Shortfall to average Capital-at-charge in each plan period	85
परिशिष्ट IX—ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का रेलवे-वार अनुपात	APPENDIX IX.—Railwaywise ratio of net revenue to Capital-at-Charge	86
परिशिष्ट X—रेलों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में निधियों के साधन और उनका उपयोग	APPENDIX X.—Sources and Application of Funds in the Five-Year-Plan for Railways	87—91
परिशिष्ट XI—1995-96 में भारतीय रेलों की राजस्व प्राप्ति और उनके खर्च का विवरण	APPENDIX XI.—Statement of Revenue Receipts and Expenditure of Indian Railways for 1995-96	92—112
परिशिष्ट XII—मूल्यह्रास आरक्षित निधि	APPENDIX XII.—Depreciation Reserve Fund	113—116
परिशिष्ट XIII—विकास निधि	APPENDIX XIII.—Development Fund	117—120
परिशिष्ट XIV—पेंशन निधि	APPENDIX XIV.—Pension Fund	121
परिशिष्ट XV—पूंजी निधि	APPENDIX XV.—Capital Fund	122
परिशिष्ट XVI—आस्थगित लाभांश दायिता लेखा	APPENDIX XVI.—Deferred Dividend Liability Account	123
परिशिष्ट XVII—भारत की सरकारी रेलों पर सामाजिक दायित्व का वित्तीय प्रभाव (1994-95 के अनुमान)	APPENDIX XVII.—Financial effect of Social Burdens on Indian Government Railways (1994-95 Estimate)	124
परिशिष्ट XVIII—अलाभप्रद शाखा लाइनों के कारण भारत की सरकारी रेलों पर वित्तीय भार से संबंधित विवरण	APPENDIX XVIII—Statement of financial burden on Indian Government Railways on account of Uneconomic Branch Lines	125

तालिका I
Table I

बजट एक नज़र में
BUDGET AT A GLANCE

(करोड़ रुपयों में) (In crores of rupees)

वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95		संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
17946.02	20394.00	(क) यातायात से कुल प्राप्तियां (a) Gross Traffic Receipts	19920.00	21955.00
11759.54	13307.00	(ख) साधारण संचालन व्यय (b) Ordinary working expenses	13050.00	14790.00
1875.00	2300.00	(ग) मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग (c) Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	2140.00	2000.00
1500.00	1700.00	(घ) पेंशन निधि में विनियोग (d) Appropriation to Pension Fund . . .	1750.00	1970.00
15134.54	17307.00	(ङ) कुल संचालन व्यय (ख) + (ग) + (घ) (e) Total working expenses . . . (b)+(c)+(d)	16940.00	18760.00
2811.48	3087.00	(च) यातायात से शुद्ध प्राप्तियां (क)—(ङ) (f) Net Traffic Receipts . . . . . (a)—(e)	2980.00	3195.00
290.65	255.00	(छ) शुद्ध विविध प्राप्तियां (g) Net Miscel'a:eous Receipts	270.00	231.16
3102.13	3342.00	(ज) शुद्ध रेलवे राजस्व (च) + (छ) (h) Net Railway Revenue . . . . . (f)+(g)	3250.00	3426.16
1296.05	1372.00	(झ) सामान्य राजस्व को देय लाभांश (i) Dividend Payment to General Revenues .	1380.00	1371.16
..	..	(ञ) आस्थगित लाभांश का भुगतान (j) Payment of Deferred Dividend . .	..	..
+1806.08	+1970.00	(ट) अधिक/कमी (ज)—(झ)—(ञ) (k) Excess/Shortfall (h)—(i)—(j) . . .	+1870.00	+2055.00
132.26	290.00	(ठ) रेलवे विकास निधि में विनियोग (l) Appropriation to Railway Development Fund	295.00	350.00
..	..	(क) ऋण और ब्याज की अदायगी (a) Repayment of loan & Interest . . .	..	..
132.26	290.00	(ख) विकासात्मक कार्य (b) Development Works . . .	295.00	350.00
1673.82	1680.00	(ड) पूंजी निधि में विनियोग—रेलवे (m) Appropriation to Capital Fund—Railways .	1575.00	1705.00
82.9%	85.4%	(ढ) परिचालन अनुपात (n) Operating Ratio	84.9%	86.2%
13.7%	13.1%	(ण) ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का प्रतिशत तथा पूंजीनिधि से निवेश—रेलवे (o) Percentage of Net Revenue to Capital-at-Charge and investment from Capital Fund —Railw:ys	13.0%	12.4%

योजना प्रगति—एक नजर में PLAN PROGRESS AT A GLANCE

			पंचवर्षीय योजना के अन्त में End of 5-year Plan									
		1950-51	पहली 1st	दूसरी 2nd	तीसरी 3rd	चौथी 4th	पांचवीं 5th	31-3-80	छठी 6th	सातवीं 7th	31-3-92	31-3-94
सामान्य	**General**											
ब्याजदेय पूंजी (करोड़ रुपयों में)*	Capital-at-Charge (Rs. crores)*	827.0	969.0	1520.9	2680.3	3893.4	4797.1	5485.6	8285.65	14629.45	20123.20	20873.58
मार्ग किलोमीटर	Route kilometres	53,596	55,011	56,247	58,399	60,234	60,693	60,933	61,850	62,211	62,486	62,660
विद्युतीकृत मार्ग कि॰ मी॰	Electrified Route Kms.	3,88	388	748	2,423	4,191	4,720	4,820	6,325	9,100	11.064	11,259
स्टेशनों की संख्या	Number of Stations	5,976	6,152	6,523	6,986	7,079	7,020	7,017	7,093	7,076	7,043	7,050
कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)	Number of staff (thousands)	914	1,025	1,157	1,352	1,432	1,495	1,551	1,603	1,647	1,649	1,623
चल-स्टाक	**Rolling Stock**											
रेल इंजनों की संख्या	No of Locomotive:											
(1) भाप	(i) Steam	8,120	9,026	10,312	10,613	8,847	8,215	7,856	5,970	3,336	1,725	911
(2) डीजल	(ii) Diesel	17	67	181	727	1,610	2,025	2,243	2,905	3,610	4,069	4,174
(3) बिजली	(iii) Electric	72	79	131	403	669	901	974	1,252	1,644	2,012	2,117
यात्री वाहनों की संख्या	No. of Passenger vehicles	13,109	15,984	20,178	22,804	26,108	26,647	27,290	27,825	27,592	30,258	30,437
बिजली गाड़ी के डिब्बे	Electric Multiple Unit Coaches	460	574	846	1,355	1,892	2,321	2,581	2,957	3,100	3,444	3,527
अन्य कोचिंग वाहन	Other Coaching Vehicles	6,509	6,730	7,415	8,763	8,422	8,260	8,295	7,789	6,861	6,163	5,955
माल डिब्बों की संख्या	No. of wagons	205,596	240,756	307,907	870,019	388,366	399,971	405,183	365,392	349,560	337,562	312,405
यातायात की मात्रा (दस लाख में)	**Volume of Traffic (in million)**											
प्रारंभिक टन भार—राजस्व	Tonnage originating—Revenue	73.2	92.2	119.8	162.0	162.1	210.8	193.1	236.4	310.0	350.1	358.7
गैर-राजस्व यातायात सहित जोड़	Total including non-Revenue traffic	9.30	115.9	156.2	203.0	184.9	137.3	217.8	264.8	334.3	370.9	377.5
शुद्ध टन किलोमीटर—राजस्व	Net Tonne Kilometres Revenue	37,565	50,435	72,333	98,978	109,391	150,250	144,559	172,632	229,602	252,388	252,411
गैर-राजस्व यातायात सहित जोड़	Total including non-Revenue traffic	44,117	59,576	87,680	116,936	122,354	162,687	155,959	182,161	236,917	258,131	257,130
प्रारंभिक यात्री	Passengers originating											
(1) उपनगरीय	(i) Suburban	412	495	680	1,018	1,437	1,929	1,903	1,884	2,109	2,282	2,302
(2) अनुपनगरीय	(ii) Non-suburban	872	780	914	1,064	1,217	1,575	1,602	1,449	1,544	1,467	1,406
जोड़@	TOTAL@	1,284	1,275	1,594	2,082	2,654	3,504	3,505	3,333	3,653	3,749	3,708
यात्री किलोमीटर	Passenger Kilometers											
(1) उपनगरीय	(i) Suburban	6,551	8,165	11,770	17,1643	28,037	39,433	38,730	44,264	54,803	60,448	63,045
(2) अनुपनगरीय	(ii) (Non-Suburban)	59,966	54,235	65,895	79,130	107,627	137,201	159,927	182,318	226,045	239,655	233,200
जोड़	TOTAL@	66,517	62,400	77,665	96,294	135,664	176,643	198,657	226,582	280,848	300,103	296,245
*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है।	*Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport. Projects and Circular Railway, Calcutta.					8.65	41.96	78.85	360.27	857.20	1340.58	1564.67

@इसमें मेट्रो रेलवे कलकत्ता शामिल नहीं है @Excludes Metro Railway, Calcutta.

तालिका III
योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश

TABLE III
INVESTMENT BY PLAN HEADS

(करोड़ रुपये) (In crores of rupees)

वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	योजना शीर्ष Plan Head	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
239.28	191.04	(क) नयी लाइनें (निर्माण) (*a*) New lines (Construction)	193.61	203.00
..	..	(ख) नयी लाइनों की खरीद (*b*) Purchase of New Lines.	..	..
26.73	3.97	(ग) उखाड़ी गई लाइनों का पुनर्स्थापन (*c*) Restoration of dismantled lines	4.47	1.00
999.51	1005.13	(घ) आमान परिवर्तन (*d*) Gauge conversion	1180.28	873.00
233.66	150.21	(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (*e*) Doubling	160.54	269.00
121.29	80.03	(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और अन्य काम (*f*) Traffic facilities—Yard remodelling and others.	82.54	153.00
26.28	80·00	(छ) संगणकीकरण (*g*) Computerisation	70.00	100.00
2.68	11·00	(ज) रेल अनुसंधान (*h*) Railway Research	8.39	20.00
1630.12	1750.15	(झ) चल-स्टाक (*i*) Rolling Stock	1558.97	1140.00
1301.79	1270.05	(ञ) रेलपथ का नवीकरण (*j*) Track Renewals	1333.00	1428.00
72.97	92.92	(ट) पुल संबंधी काम (*k*) Bridge works	93.02	162.12
156.72	226.78	(ठ) सिगनल और दूर-संचार संबंधी कार्य (*l*) Signalling and Telecommunication works.	177.03	275.73
0.03	..	(ड) डाकतार विभाग से लाइन तारों को लेना (*m*) Taking over of line wires from P&T	..	..
278.24	260.60	(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (*n*) Electrification Projects.	284.40	350.70
47.08	60.60	(ण) बिजली संबंधी अन्य काम (*o*) Other Electrical works.	60.88	90.36
40.21	77.20	(त) मशीन और संयंत्र (*p*) Machinery & Plant	65.68	95.23
136.50	170.51	(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (*q*) Workshops—including Production Units	160.35	200.00
28.72	28.07	(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (*r*) Staff quarters	26.74	31.31
31.09	33.20	(ध) कर्मचारियों के लिये सुविधाएं (*s*) Amenities for staff	35.28	35.18
67.46	60.00	(न) (i) यात्री सुविधाएं (*t*) (*i*) Passenger amenities	67.25	90.00
0.39	..	(ii) रेल उपयोगकर्ताओं के लिये अन्य सुविधाएं (*ii*) Other Railway users' amenities	0.01	..

तालिका III

योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश

TABLE III

INVESTMENT BY PLAN HEADS

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

वास्तविक Actuals 1993 94	बजट Budget 1994-95	योजना शीर्ष Plan Head	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
		(द) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश—सार्वजनिक उपक्रम		
		(i) भा०रे०वि० निगम		
		(ii) भा० रे० कं० निगम		
		(iii) कोंकण रे० निगम		
		(iv) रे.खा.प.नि.		
		(u) Investment in Government Commercial Undertakings—Public undertakings		
..	..	(i) IRFC	..	..
..	..	(ii) CONCOR	..	..
51.00	51.00	(iii) KRC	53.67	10.00
..	..	(iv) RCTC	..	
		(प) अन्य विनिर्दिष्ट निर्माण-कार्य		
21.19	40.04	(v) Other specified works	32.39	23.87
		(ब) भंडार उचन्त (शुद्ध)		
—86.38	71.09	(w) Stores Suspense (Net)	—34.69	49.31
		(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध)		
—63.31	12.25	(x) Manufacture Suspense (Net)	—17.92	39.48
		(म) विविध अग्रिम (शुद्ध)		
6.91	6.66	(y) Miscellaneous Advances (Net)	—14.60	—3.80
		जमा या वसूलियां		
589.81	—497.50	Credits or Recoveries	—626.79	626.50
4780.35	5235.00	जोड़ TOTAL	4954.50	5010.00
		महानगर परिवहन परियोजनाएं		
225.82	232.50	Metropolitan Transport Projects	253.00	241.50
		जमा या वसूलियां		
—1.74	—2.50	Credits or Recoveries	—2.50	—1.50
£5004.43	@5465.00	कुल जोड़ GRAND TOTAL	@5205.00	@5250.00

£इसमें रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेल वित्त (भा०रे०वि०नि०) निगम द्वारा जुटाये गये 856.34 करोड़ रुपये (वास्तविक 1993-94) शामिल नहीं हैं।

£Excludes Rs. 856.34 crores (Actuals 1993-94) raised by Indian Railway Finance Corporation (IRFC) for financing Railway Plan.

@इसमें भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के जुटाए जाने वाले 1050 करोड़ रुपए (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान, 1994-95) और 2250 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1995-96) शामिल नहीं हैं और अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कोंकण रेलवे निगम द्वारा 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर निगम द्वारा 75 करोड़ रुपये भी जुटाये जाना भी शामिल नहीं हैं।

@Excludes Rs. 1050 crores (Budget Estimates, and Revised Estimates, 1994-95) and Rs. 2250 crores (Budget Estimates, 1995-96) to be raised by Indian Ralways Finance Corporation (IRFC), for financing Railway Plan and also excludes Rs. 120 crores to be raised by Konkan Railway Corporation and Rs. 75 crores to be arranged by Container Corporation of India for financing their projects.

तालिका IV

TABLE IV

यातायात योजना—माल
TRAFFIC PLAN—GOODS

पण्य Commodity	वास्तविक Actuals 1993-94			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि॰मी॰ (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि॰मी॰ (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि॰मी॰ (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)
1. कोयला— Coal—									
इस्पात कारखानों के लिए For Steel Plants	25.38	8,735	427.92	25.00	8,475	499.01	28.00	9,492	550,07
धुलाई कारखानों के लिए For Washeries	4.96	502	35.76	5.00	3,90	36.52	5.00	390	40.05
ताप बिजलीघरों के लिए For Thermal Power Houses	100.35	69,112	3504.45	102.00	72,318	3133.66	108.00	76,572	3472.49
अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के लिए For other public users	36.31	25,665	1225.28	41.00	28,167	2279.47	44,00	30,228	2534.31
जोड़ TOTAL	167.00	104,014	5193.41	173.00	109,350	5918.66	185.00	116,682	6596,92
2. इस्पात कारखानों को कच्चा सामान Raw Materials to Steel Plants	33.40	11,274	535.58	37.00	12,358	652.45	36.50	12,191	721.72
3. इस्पात कारखानों को कच्चा लोहा और तैयार इस्पात Pig Iron and finished Steel for Steel Plants	12.08	12,955	1008.46	12.00	12,816	1077.29	13.50	14,418	1193.82
4. निर्यात के लिए लौह अयस्क Iron Ore for export	10.46	5,985	274.63	11.00	6,490	295.41	11.00	6,490	327.19
5. सीमेंट Cement	32.54	19,739	1047.51	33.00	20,592	1206.60	36.00	22,464	1340.87
6. खाद्यान्न Foodgrains	26.68	35,263	971.53	22.00	27,830	854.34	24.00	30,360	911.12
7. उर्वरक Fertilizers	19.51	16,948	574.62	22.00	19,778	578.28	22.50	20,228	613.45
8. पेट्रोल, तेल व स्नेहक P.O.L.	25.95	16,512	1459.60	28.00	17,836	1706.73	30.50	19,429	1897.57
9. अन्य माल Other Goods	31.11	29,721	1210.13	35.00	32,760	1175.24	39.00	36,504	1307.34
10. विविध माल आमदनी Misc. Goods Earnings	..	..	281.89			205.00	..	..	215.00
जोड़ TOTAL	358.73	252,411	12557.36	373.00	259,810	13700.00	398.00	278,766	15125.00

तालिका V
यातायात योजना—यात्री

TABLE V
TRAFFIC PLAN—PASSENGER

	वास्तविक Actuals 1993-94			संशोधित Revised 1994-95			बजट Budget 1995-96		
	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि॰मी॰ (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि॰मी॰ (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि॰मी॰ (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)
उपनगरीय Suburban									
पहला दर्जा First Class	121.46	3,370	68.57	167.60	5,627	74.95	174.30	5,852	85.80
दूसरा दर्जा (मेल व एक्सप्रेस) Second Class (M & E)	0.83	70	1.88	0.56	46	1.23	0.59	47	1.00
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	2195.66	59,707	505.50	2359.44	63,275	537.36	2453.82	65,806	585.47
जोड़ TOTAL	2317.95 (a)	63,147 (b)	575.95 (c)	2527.60 (a)	68,948 (b)	613.54 (c)	2628.71 (a)	71,705 (b)	672.27 (c)
अनुपनगरीय Non-Suburban									
वातानुकूल पहला दर्जा AC FIRST CLASS	0.53	411	56.73	0.63	366	59.63	0.65	380	68.00
वातानुकूल शयनयान A.C. Sleeper	5.92	3,729	305.67	8.34	5,252	442.30	8.67	5,462	491.25
पहला दर्जा First Class	11.87	4,203	248.61	10.64	3,922	255.79	11.07	4,079	286.70
वातानुकूल 3 टियर AC 3 Tier	..	..	..	0.50	285	13.82	0.52	296	16.50
शयनयान दर्जा (मेल और एक्सप्रेस) Sleeper Class (M&E)	79.73	48,882	1069.12	124.94	63,684	1393.77	129.93	66,231	1456.00
दूसरा दर्जा (मेल व एक्सप्रेस) Second Class (M&E)	230.92	88,356	1647.91	212.11	79,859	1566.24	220.60	83,053	1637.00
शयनयान दर्जा (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)	2.76	1,314	23.29	1.55	375	16.05	1.61	390	17.00
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	1071.14	84,501	895.75	1086.86	86,884	913.32	1130.33	90,360	963.03
वातानुकूल कुर्सीयान ACC Chair Car	3.09	1,804	72.18	5.27	3,171	135.54	5.48	3,298	147.25
जोड़ TOTAL	1405.96	233,200	4319.26	1450.84	243,798	4796.46	1508.86	253,549	5082.73
वातानुकूल पहला दर्जा AC FIRST CLASS	0.53	411	56.73	0.63	366	59.63	0.65	380	68.00
वातानुकूल शयनयान A.C. Sleeper	5.92	3,729	305.67	8.34	5,252	442.30	8.67	5,462	491.25
पहला दर्जा First Class	133.33	7,573	317.18	178.24	9,549	330.74	185.37	9,931	372.50
वातानुकूल 3 टियर AC 3 Tier	..	..	..	0.50	285	13.82	0.52	296	16.50
शयनयान दर्जा (मेल और एक्सप्रेस) Sleeper Class (M&E)	79.73	48,882	1069.12	124.94	63,684	1393.77	129.93	66,231	1456.00
दूसरा दर्जा (मेल और एक्सप्रेस) Second Class (M&E)	231.75	88,426	1649.79	212.67	79,905	1567.47	221.19	83,100	1638.00
शयनयान दर्जा (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)	2.76	1,314	23.29	1.55	375	16.05	1.61	390	17.00
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	3266.80	144,208	1401.25	3446.30	150,159	1450.68	3584.15	156,166	1548.50
वातानुकूल कुर्सीयान ACC Chair Car	3.09	1,804	72.18	5.27	31,71	135.54	5.48	3,298	147.25
कुल जोड़ GRAND TOTAL	3723.91	296,347	4895.21	3978.44	312,746	5410.00	4137.57	325,254	5755.00

(क) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के यात्रियों से सम्बन्धित 15.86 मिलियन (वास्तविक), 6.57 मिलियन(सं०अ०) और 17.23 मिलियन (ब०अ०) शामिल हैं।
(ख) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता से सम्बन्धित 101 मिलियन (वास्तविक) 106 मिलियन (सं०अ०) और 148 मिलियन (ब०अ०) यात्री कि॰मी॰ शामिल हैं।
(ग) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता से सम्बन्धित 3.99 करोड़ रुपये (वास्तविक), 6.00 करोड़ रुपये (सं०अ०) और 6.23 करोड़ रुपये (ब०अ०) शामिल है।

(a) Includes 15.86 millions (Actuals), 6.57 millions (RE) and 17.23 millions (BE) of passengers on Metro Railway, Calcutta.

(b) Includes 101 millions (Actuals), 106 millions (RE) and 148 millions (BE) of PKM's on Metro Railway, Calcutta.

(c) Includes Rs. 3.99 crores (Actuals), Rs. 6.00 crores (RE) and Rs 6.23 crores (BE) of Metro Railway, Calcutta.

तालिका VI

TABLE VI

लक्ष्य और उपलब्धियां—मुख्य विकास गतिविधियाँ

TARGETS AND ACHIEVEMENTS—MAJOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

		1993-94		1994-95	1995-96
		लक्ष्य Target	उपलब्धियां Achievement	लक्ष्य Target	लक्ष्य Target
1. विद्युतीकरण (मार्ग कि०मी०)	I. *Electrification* (Route Kms.)	500	505	500	600
2. रेलपथ नवीकरण (रेलपथ कि०मी०)	II. *Track Renewals* (Track Kms.)				
(क) प्राथमिक	(i) Primary	18.60	2,316	1,896	2,050
(ख) गौण	(ii) Secondary	560	498	504	550
3. नयी लाइनों का निर्माण (मार्ग कि०मी०)	III. *Construction of New Lines* (Route Kms.)	204	211	145	17
4. आमान परिवर्तन (मार्ग कि०मी०)	IV. *Gauge Conversion* (Route Kms.)	1,600	1,619	1,600	1,500
5. चल स्टाक	V. *Rolling Stock*				
(i) रेल इंजन : डीजल	(i) *Locos :* Diesel . .	136	139	135	110
बिजली	Electric . .	153	158	170	123
(ii) सवारी डिब्बे : बिजली गाड़ी/मेट्रो	(ii) *Coaches :* E.M.U.s/Metro	316	277	210	350
अन्य	Others .	2,149	2,212	1,400	1,400
(iii) रेल बसें	(iii) Rail Buses	..	..	5	10
(iv) माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)	(iv) *Wagons* (in terms of 4-wheelers) . . .	20,000	19,649	12,000	12,000
6. महानगर परिवहन परियोजनाएं	VI. Metropolitan Transport Projects				

बम्बई

(क) थाणे क्रीक पर एक पुल के निर्माण सहित मानखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन का विस्तार (18 कि०मी०)——थाणे क्रीक पुल और अन्य बड़ी/छोटी परियोजनाओं सहित इस लाइन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है । अवशिष्ट निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

BOMBAY

(a) *Extension of Railway line from Mankhurd to Belapur with a bridge across Thane Creek* (18 *Kms.*)— This line including Thane Creek Bridge and other major/minor projects have since been completed. Residual works are in progress.

(ख) रावली जंक्शन पर फ्लाई ओवर सहित बान्द्रा तथा अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें तथा हार्बर शाखा लाइन पर आनुषंगिक सुविधाएं (7.2 कि० मी०):—शेष मुख्य लाइन पर मिट्टी संबंधी काम पूरा होने वाला है। सान्ताक्रुज स्टेशन पर चरण कार्य पूरा हो गया है तथा खार स्टेशन पर चरण कार्य के लिए प्रारंभिक कार्य पूरे हो गए हैं। बान्द्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी रेलपथ का निर्माण कार्य 1995 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(b) Additional pair of lines between Bandra and Andheri, with a fly-over at Ravli Junction and ancilliary facilities on the Harbour Branch line (7.2 *Kms.*) :—Earthwork on the remaining main line is nearing completion. Phase work at Santa Cruz station has been completed, and preparatory works for phase work at Khar station completed. The additional pair of tracks between Bandra & Andheri are expected to be completed by the end of 1995, subject to availability of funds.

कलकत्ता

(क) मेट्रो रेल परियोजना (16.43 कि० मी०):—परियोजना के दो अलग-अलग खण्डों अर्थात् दमदम जंक्शन–श्यामबाजार और चांदनी चौक-टॉली गंज, जिनकी कुल लम्बाई 12.13 कि० मी० है, का कार्य पूरा हो चुका है और ये वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत हैं। सेंट्रल से श्यामबाजार तक के लगभग 4.32 कि० मी० के शेष भाग पर कार्य चल रहा है। परियोजना को 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता :—इसे जून, 1990 तक चरणों में चालू कर दिया गया था। छोटे-मोटे अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं।

CALCUTTA

(a) *Metro Railway Project* (16.43 *Kms.*) :—Two separate stretches of the project viz. Dum Dum Junction–Shyambazar, and Chandni Chowk-Tollyganj, totalling to about 12.13 Kms., have been completed and are under commercial operation. Work on the balance of about 4.32 Kms. from Central to Shyambazar is progressing. The project is scheduled for completion by 1995.

(b) *Circular Railway, Calcutta* :—Commissioned for traffic in stages by June, 1990. Minor residual works are in progress.

मद्रास

मद्रास बीच से लुज (8.55 कि० मी०) तक द्रुत परिवहन प्रणाली/मद्रास का निर्माण :—इस परियोजना का मद्रास बीच से पार्क टाउन तक का एक उप खंड (2.55 कि० मी०) पूरा हो गया है और इसे सितम्बर, 1990 में यातायात के लिये चालू कर दिया गया है। इस समय पार्क टाउन से लुज के बीच कार्य चल रहा है। समूची परियोजना को 1996 के अंत तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है।

MADRAS

Construction of RTS/Madras, from Madras Beach to Luz (8.55 *Kms.*) :—A sub-section of this project from Madras Beach to Park Town (2.55 Kms.) has been completed and commissioned for traffic in September, 1990. Work between Park Town to Luz is presently in progress. The entire project is expected to be completed by the end of 1996.

तालिका VII

वर्ष 1993-94 में रेलवे का रुपया

TABLE VII

THE RAILWAY RUPEE IN THE YEAR 1993-94

रुपया कहां से आया

WHERE THE RUPEE CAME FROM

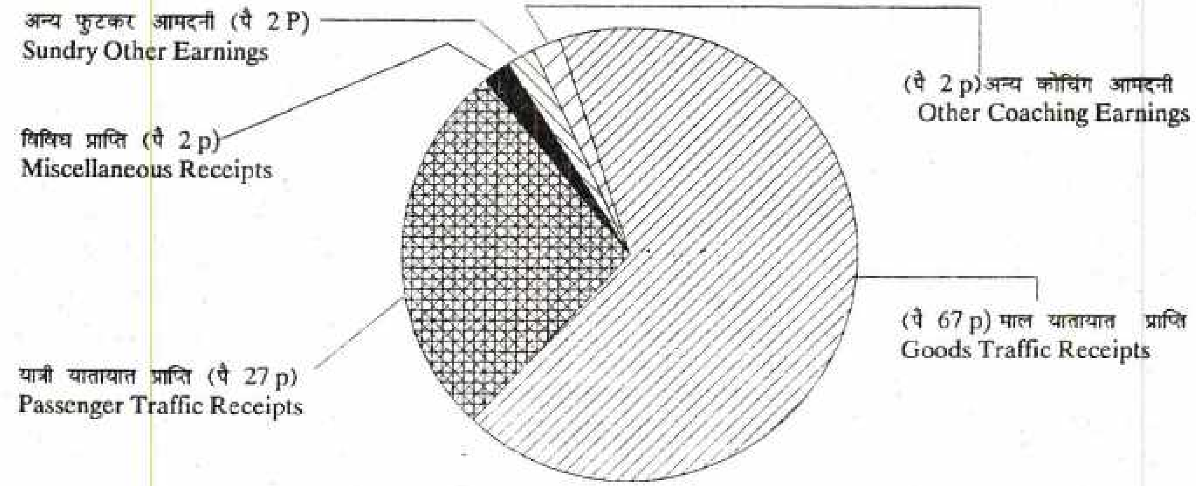

रुपया कहां गया

WHERE THE RUPEE WENT

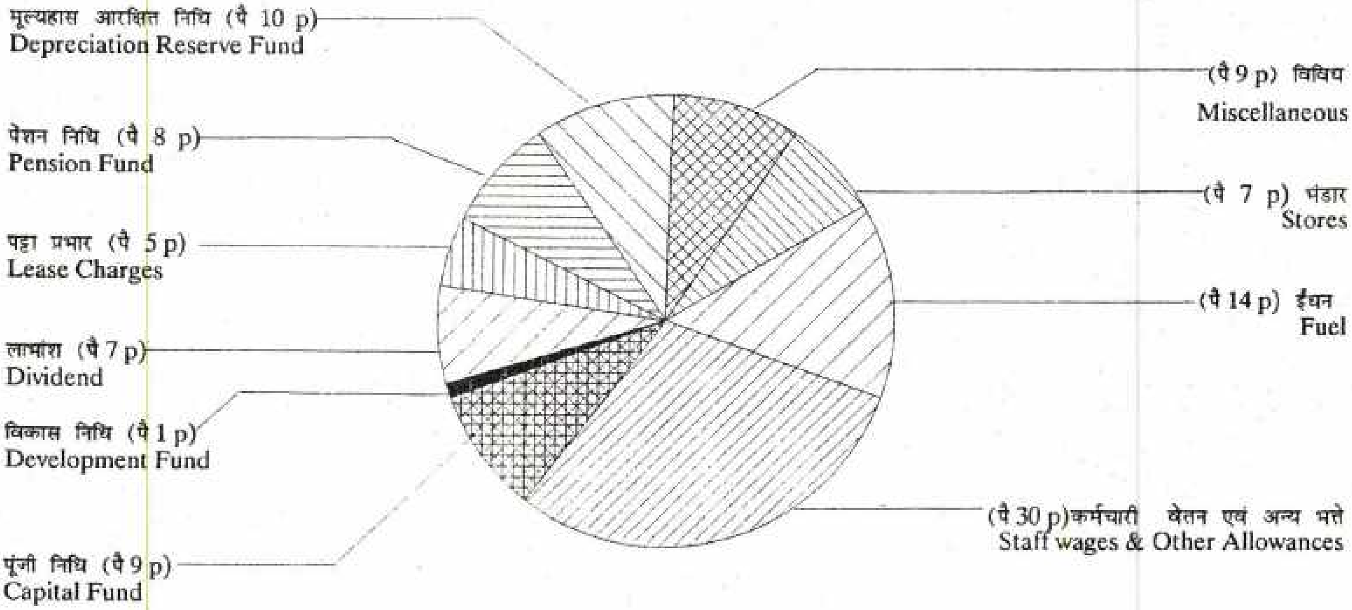

भाग I—राजस्व

रेलवे उपक्रम के वित्तीय परिणामों का सारांश

1993-94 के वित्तीय परिणाम

1993-94 के प्रमुख वित्तीय आंकड़े, उस वर्ष के संशोधित अनुमान और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े नीचे की तालिका में दिखाये गये हैं :—

PART I—REVENUE

SUMMARY OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE RAILWAY UNDERTAKING

FINANCIAL RESULTS OF THE YEAR 1993-94

The principal financial figures for the year 1993-94 together with the Revised Estimates for that year and the actuals of the preceding year are shown in the table below :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of rupees)

ब्योरा	Details	वास्तविक Actuals 1992-93	संशोधित Revised 1993-94	वास्तविक Actuals 1993-94
यातायात से प्राप्तियां	**TRAFFIC RECEIPTS**			
यातायात से सकल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts	15688.44	18585.00	17946.02
संचालन व्यय	**WORKING EXPENSES**			
साधारण संचालन व्यय (शुद्ध)	Ordinary Working Expenses (Net)	10480.08	11755.00	11759.54
*मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	*Appropriation to Depreciation Reserve Fund	2300.00	2100.00	1875.00
**पेंशन निधि में विनियोग	**Appropriation to Pension Fund	1200.00	1500.00	1500.00
कुल संचालन व्यय	TOTAL Working Expenses	13980.08	15355.00	15134.54
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	247.07	264.00	290.65
कुल व्यय	TOTAL Expenditure	13733.01	15091.00	14843.89
शुद्ध रेलवे राजस्व	Net Railway Revenue	1955.43	3494.00	3102.13
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	1172.39	1299.00	1296.05
आस्थगित लाभांश दायिता का भुगतान	Payment of Deferred Dividend	341.99	..	..
अधिशेष (+)/घाटा (—)	Excess (+)/Shortfall (—)	+441.05	+2195.00	+1806.08
रेलवे विकास निधि में विनियोग	Appropriation to Railway Development Fund	370.18	220.00	132.26
रेलवे पूंजी निधि में विनियोग	Appropriation to Railway Capital Fund	70.87	1975.00	1673.82
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	87.4%	83.0%	82.9%
***ब्याजदेय पूंजी	***Capital at Charge	20123.20	20888.95	20873.58
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	1943.00	1746.99
शुद्ध राजस्व का ब्याजदेय पूंजी से अनुपात	Ratio of Net Revenue to Capital-at-Charge	9.7%	15.3%	13.7%

*इसमें उत्पादन यूनिटों का अंशदान शामिल नहीं है (परिशिष्ट XII देखें)।

**इसमें विविध स्थापनाओं तथा उत्पादन यूनिटों के लिए पेंशन निधि में विनियोग शामिल नहीं है (परिशिष्ट XI और XV देखें)।

***इसमें महानगर परिवहन परियोजना का परिव्यय शामिल नहीं है (परिशिष्ट VI देखें)।

*Excludes contribution from the Production Units (*See* Appendix XII).

**Excludes Appropriation to Pension Fund for Miscellaneous Establishments and Production Units (*See* Appendices XI and XV).

***Excludes outlay on Metropolitan Transport Projects (*See* Appendix VI).

यातायात से प्राप्तियां

TRAFFIC RECEIPTS

अंतिम लेखों के अनुसार, 1993-94 में यातायात से कुल प्राप्तियों के ब्यौरे, उस वर्ष के संशोधित अनुमान और 1992-93 के अंत में वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

The details of the Gross Traffic Receipts for 1993-94 according to the Final accounts, the Revised Estimates for that year and the actuals of the ending year 1992-93 are as under :—

(करोड़ रुपये में) (In crores of Rupees)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1992-93	संशोधित Revised 1993-94	वास्तविक Actuals 1993-94
यात्री--ऊंचे दर्जे	Passenger—Upper Classes	610.16	661.00	679.57
यात्री--दूसरा दर्जा	Passenger—Second Class	3704.91	4204.00	4215.64
यात्री यातायात से कुल आमदनी	Total Passenger Earnings	4315.07	4865.00	4895.21
अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी	Other Coaching Earnings	423.94	455.00	442.87
माल यातायात से आमदनी	Goods Earnings	10903.03	12830.00	12557.36
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings	371.13	355.00	363.18
कुल आमदनी	Total Earnings	16013.17	18505.00	18258.62
उचंत	Suspense	—324.73	+80.00	—312.60
यातायात से सकल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	15688.44	18585.00	17946.02

18258.62 करोड़ रुपये की कुल वास्तविक आमदनी संशोधित अनुमान से 246.38 करोड़ रुपये कम थी जिसमें माल यातायात से (272.64 करोड़ रुपये) तथा अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी (12.13 करोड़ रुपये) शामिल है । यात्री यातायात से आमदनी में 30.21 करोड़ रुपये और अन्य फुटकर आमदनी में 8.18 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । उचन्त के अन्तर्गत वृद्धि, वसूल न की गयी बकाया राशि 392.60 करोड़ रुपयेके कारण थी जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार 80 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी । इसके परिणामस्वरूप, यातायात से सकल प्राप्तियां 17946.02 करोड़ रुपये हो गयीं जो संशोधित अनुमान से 638.98 करोड़ रुपये कम हैं ।

The actual Total Earnings at Rs. 18258.62 crores were lower than the Revised Estimate by Rs. 246.38 crores, comprising of Goods (Rs. 272.64 crores), and other coaching Earnings (Rs. 12.13 crores). There was an increase in Passenger earnings by Rs. 30.21 crores and Sundry Other Earnings by Rs. 8.18 Crores. Accretion to 'Suspense' representing unrealised earnings amounted to Rs. 392.60 crores instead of a clearance of Rs. 80 crores as per Revised Estimate. As a result, Gross Traffic Receipts came to Rs. 17946.02 crores, that is, lesser than the Revised Estimate by Rs. 638.98 crores.

संचालन व्यय

नीचे की तालिका में 1993-94 के संचालन व्यय के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक कुल रकमों की तुलना उस वर्ष के संशोधित अनुमान और 1992-93 के वास्तविक आंकड़ों से की गयी है :—

WORKING EXPENSES

The actual gross amounts of expenditure under various Grants of the Working Expenses for 1993-94 are compared in the table below with the Revised Estimates for that year and the actuals for 1992-93 :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

मांग सं० तथा नाम	Demand No. and Nomenclature	वास्तविक Actuals 1992-93	संशोधित Revised 1993-94	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित अनुमान की तुलना में कमी-बेशी का प्रतिशत Percentage variation over Revised Estimate
3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	555.72	614.92	603.75	—1.82
4—रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	1153.35	1265.59	1280.25	+1.16
5—रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Motive Power	880.69	960.53	974.29	+1.43
6—सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	1231.69	1368.31	1406.92	+2.82
7—संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	592.91	679.93	675.08	—0.71
8—परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses -Rolling Stock and Equipment	1018.62	1067.79	1144.73	+7.21
9—परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic . .	2017.02	2243.79	2259.32	+0.70
10—परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses - Fuel . .	2322.66	2651.77	2652.28	+0.02
11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare and Amenities . .	428.04	471.90	473.62	+0.36
12—विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses . .	597.60	715.67	668.98	—6.52
13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits	1260.96	1526.73	1498.16	—1.87
जोड़	TOTAL	12059.26	13566.93	13637.38	+0.52
जमा या वसूलियां	Credits or Recoveries	—325.56	—295.93	—389.99	+31.78
घटाइए—निधियों से प्रतिपूरित रकम	Deduct Amount recouped from Funds .	—1253.62	—1516.00	—1487.85	—1.86
शुद्ध	NET	10480.08	11755.00	11759.54	+0.04

वर्ष 1993-94 के लिए साधारण संचालन व्यय (सकल) 13637.38 करोड़ रुपये था जो 13566.93 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 70.45 करोड़ रुपये अधिक था। मांग सं. 3, 7, 12 और 13 के अन्तर्गत गिरावट आयी जबकि मांग सं. 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 में वृद्धि हुई। जमा या वसूलियां तथा निधियों से प्रतिपूरित राशि जो संसद की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए अनुदान के बाहर है, मिलाकर संशोधित अनुमान की तुलना में 65.91 करोड़ रुपये अधिक रही। अन्तिम विश्लेषण के अनुसार, शुद्ध संचालन व्यय 11755.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 4.54 करोड़ रुपये अधिक था।

जहां तक कुल संचालन व्यय में सम्मिलित अन्य मदों का संबंध है, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 1875 करोड़ रुपए तथा पेंशन निधि में 1500 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया है, जबकि मू०आ०नि० में 2100 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 225 करोड़ रुपए का कम विनियोग किया गया है, पेंशन निधि में विनियोग संशोधित अनुमान स्तर पर बनाए रखा गया है।

शुद्ध विविध प्राप्तियां

विविध प्राप्तियों में 5.83 करोड़ रुपये की वृद्धि होने तथा विविध व्यय में 20.82 करोड़ रुपये की कमी होने के परिणामस्वरूप, शुद्ध विविध प्राप्तियां, जो वास्तविक 1993-94 में 290.65 करोड़ रुपये हुईं उस वर्ष के संशोधित अनुमान से 26.65 करोड़ अधिक हैं।

1993-94 के शुद्ध वित्तीय परिणाम

उपर्युक्त कमी-बेशी का समग्र प्रभाव यह पड़ा कि शुद्ध राजस्व में (सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करने से पहले) 3494.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 391.87 करोड़ रुपये की कमी हुई। वास्तविक संगणना करने पर, सामान्य राजस्व को देय लाभांश 1299.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1296.05 करोड़ रुपये था। अतः सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान के बाद 1806.08 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा।

The ordinary working expenses (Gross) for the year 1993-94 came to Rs. 13637.38 crores, which are more by Rs. 70.45 crores compared with the Revised Estimate of Rs. 13566.93 crores. The shortfall occurred under Demands No. 3,7,12 and 13 whereas Demands No. 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11 showed excess. Credits or recoveries and amounts recouped from Funds which are outside the grant for the purpose of Vote of Parliament, taken together, were Rs. 65.91 crores more than the Revised Estimates. In the final analysis, the net working expenses were Rs. 4.54 crores more than the Revised Estimate of Rs. 11755.00 crores.

As regards other items making up total Working Expenses, Rs. 1875 crores have been appropriated to the Depreciation Reserve Fund and Rs. 1500 crores to the Pension Fund. While the appropriation to DRF has been lowered by Rs. 225 crores over the Revised Estimates of Rs. 2100 crores, appropriation to Pension Fund has been retained at the RE level.

NET MISCELLANEOUS RECEIPTS

As a result of an increase of Rs. 5.83 crores in Miscellaneous Receipts and reduction of Rs. 20.82 crores in Miscellaneous expenditure, net Miscellaneous receipts which came to Rs. 290.65 crores in Actuals 1993-94 exceeded the Revised Estimate for that year by Rs. 26.65 crores.

NET FINANCIAL RESULTS 1993-94

The aggregate effect of the aforesaid variations is that the Net Revenue (before payment of Dividend to General Revenues) decreased by Rs. 391.87 crores over the Revised Estimate figure of Rs. 3494.00 crores. The Dividend payable to General Revenues on actual computation was Rs. 1296.05 crores as against the Revised Estimate of Rs. 1299.00 crores. Thus the excess after meeting payment of Dividend to General Revenues came to Rs. 1806.08 crores.

रेलवे निधियां

अंतिम लेखों के अनुसार, 1993-94 के दौरान विभिन्न रेलवे निधियों के ब्यौरे, उस वर्ष के संशोधित अनुमान तथा पूर्ववर्ती वर्ष 1992-93 के वास्तविक आंकड़ों का सारांश नीचे दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट XII से XV में दिया गया है :—

RAILWAY FUNDS

The details of the various Railway Funds for 1993-94 according to the Final Accounts, the Revised Estimate for that year and the Actuals of the preceding year 1992-93 are summarised below. The detailed position is brought out in Appendices XII to XV.

(लाख रुपयों में/Rupees in lakhs)

		वास्तविक Actuals 1992-93	संशोधित Revised 1993-94	वास्तविक Actuals 1993-94
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	*Depreciation Reserve Fund*			
अथ शेष	Opening Balance	1021,04	1078,08	1078,08
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	2322,00	2125,00	1900,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	2331,10	2135,00	2062,56
शेष पर ब्याज	Interest on balance	66,14	75,12	69,77
इतिशेष	Closing balance	1078,08	1143,20	985,29
रेलवे विकास निधि	*Railway Development Fund*			
अथशेष	Opening Balance	..	54,14@	54,14@
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	370,17	220,00	132,25
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	370,17	220.00	189,13
शेष पर ब्याज	Interest on balance	..	5,79	3,06
इतिशेष	Closing balance	..	59,93	32
राजस्व आरक्षित निधि	*Revenue Reserve Fund*			
अथशेष	Opening Balance	68	..	..
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	..	..	..
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	..	..	..
शेष पर ब्याज	Interest on balance	3	..	..
इतिशेष	Closing balance	71	..	..
रेलवे पेंशन निधि	*Railway Pension Fund*			
अथ शेष	Opening Balance	289,56*	274,12	275.42*
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	1218,19	1520,26	1520,11
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	1251,43	1516,00	1487,85
शेष पर ब्याज	Interest on balance	17,80	19,33	20,41
इतिशेष	Closing balance	274,12	297,71	328,09
दु.स.नि.	*A.C.S.P.F.*			
अथशेष	Opening Balance	60,12	..	..
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	60,76	..	..
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	70,97	..	..
शेष पर ब्याज	Interest on balance	3,52	..	..
इतिशेष	Closing balance	53,43	..	..
पूंजी निधि—रेलवे	*Capital Fund—Railways*			
अथशेष	Opening Balance	..	73,18	73,18
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	70,87	1975,00	1673,82
निधि से निकासी	Withrawal from the Fund	..	1943,00	1746,99
शेष पर ब्याज	Interest on balance	2,31	6,24	2,56
इतिशेष	Closing balance	73,18	111,42	2,57
सभी रेलवे निधियां	*All Railway Funds*			
अथशेष	Opening Balance	1371,40*	1479,52	1480,82
इतिशेष	Closing balance	1479,52	1612,26	1316,27

*1992-93 (वास्तविक) में 182 लाख रुपये और 1993-94 (वास्तविक) में 130 लाख रुपये बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण के शामिल है।
*Includes TWFA Rs. 182 lakhs in 1992-93 (Act.), and Rs. 1,30 lakhs in 1993-94 (Act.).

@यह दु.स.नि. और रा.आ.नि. के क्रमशः 53.43 करोड़ रु. और 0.71 करोड़ रुपए के इतिशेष को दर्शाता है जिन्हें 1.4.1993 से समाप्त करने के बाद इस निधि में अंतरित कर दिया गया है।
@Represents Rs. 53.43 Cr. and Rs. 0.71 Cr. being the closing balances of ACSPF and RRF respectively transferred to this fund consequent upon their discontinuance w.e.f. 1-4-1993.

संशोधित अनुमान, 1994-95 और बजट अनुमान 1995-96

यातायात से प्राप्तियां

नीचे की तालिका में वास्तविक 1993-94, बजट तथा संशोधित अनुमान 1994-95 और बजट अनुमान 1995-96 के यातायात से कुल प्राप्तियों के आंकड़ों की तुलना की गयी है :—

REVISED ESTIMATES 1994-95 AND BUDGET ESTIMATES 1995-96

TRAFFIC RECEIPTS

The details of the Actuals 1993-94, Budget & Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 of Gross Traffic Receipts are compared in the table below :—

(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
यात्री—ऊंचे दर्जे	Passenger—Upper Classes	679.57	709.00	846.50	948.25
यात्री—दूसरा दर्जा	Passenger—Second Class	4215.64	4429.00	4563.50	4806.75
जोड़—यात्री यातायात से कुल आमदनी	Total—Passenger Earnings	4895.21	5138.00	5410.00	5755.00
अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी	Other Coaching Earnings	442.87	473.00	485.00	500.00
माल यातायात से आमदनी	Goods Earnings	12557.36	14289.00	13700.00	15125.00
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings	363.18	369.00	375.00	390.00
कुल आमदनी	Total Earnings	18258.62	20269.00	19970.00	21770.00
उचंत	Suspense	—312.60	+125.00	—50.00	+185.00
यातायात से सकल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts	17946.02	20394.00	19920.00	21955.00

यात्री यातायात से आमदनी

1994-95 में यात्री आय का बजट अनुमान 5138.00 करोड़ रुपये था। इसमें 272.00 करोड़ रुपये की वृद्धि करके संशोधित अनुमान 5410.00 करोड़ रुपये रखा गया है। उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्री यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर तथा किरायों में प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 1995-96 में यात्री यातायात से 5755.00 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है।

Passenger Earnings

The Budget Estimate of Passenger Earnings for 1994-95 of Rs. 5138.00 crores is increased by Rs. 272.00 crores and the Revised Estimate placed at Rs. 5410.00 crores. Passenger Earnings for 1995-96 have been estimated at Rs. 5755.00 crores based upon an anticipated growth of suburban and non suburban passenger traffic and taking into account the proposed increase in fares.

अन्य कोचिंग आमदनी

वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक आमदनी के रुख को देखते हुए, अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी के संशोधित अनुमानों को 485.00 करोड़ रुपये, अर्थात् उस वर्ष के बजट अनुमान से 12.00 करोड़ रुपये अधिक रखा गया है। 1995-96 में अन्य कोचिंग यातायात से 500.00 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है जो पार्सल यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर, 1994-95 के संशोधित अनुमानों से 15.00 करोड़ रुपये अधिक है।

माल यातायात से आमदनी

1994-95 के लिए माल यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान 13700.00 करोड़ रुपये अर्थात् 14289.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 589 करोड़ रुपये कम निर्धारित किया गया है। 1994-95 के संशोधित अनुमान के लिए अपनाये गये 373 मिलियन टन के प्रत्याशित स्तर की तुलना में प्रारंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात में 25 मिलियन टन की वृद्धि की परिकल्पना करते हुए तथा माल भाड़ा दरों में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए, 1995-96 के दौरान माल यातायात से 15125.00 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है, जो 1425.00 करोड़ रुपये अधिक है

अन्य फुटकर आमदनी

वर्ष 1994-95 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक आमदनी के रुख को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 375.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो 369.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 6.00 करोड़ रुपये अधिक है। 1995-96 में अन्य फुटकर यातायात से 390.00 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है।

उचन्त

वर्ष 1994-95 के दौरान "उचंत" के अन्तर्गत वसूल न की गयी आमदनी में वृद्धि का संशोधित अनुमान 175.00 करोड़ रुपये लगाया गया है, अर्थात् बजट अनुमान की तुलना में इसमें 125.00 करोड़ रु० की निकासी में कमी-बेशी हुई है। इस शीर्ष के अन्तर्गत 1995-96 के लिए बजट अनुमान में निकासी 185.00 करोड़ रुपये के स्तर पर रखी गयी है।

यातायात से कुल प्राप्तियां

उपर्युक्त कारकों का समग्र प्रभाव यह हुआ कि 1994-95 में यातायात से कुल प्राप्तियों के अनुमान में संशोधन करके उसे 19920.00 करोड़ रुपये किया गया है जो 20394.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 474.00 करोड़ रुपये कम है। 1995-96 के लिए यातायात से सकल प्राप्तियों का बजट अनुमान 21955.00 करोड़ रुपये लगाया गया है।

Other Coaching Earnings

Taking into account the trend of actual earnings during the course of the year 1994-95, the Revised Estimate of earnings from Other Coaching Traffic is fixed at Rs. 485.00 crores *i.e.,* Rs. 12.00 crores more than Budget Estimate for the year. Other Coaching Earnings for 1995-96 are estimated at Rs. 500 crores *i.e.,* Rs. 15.00 crores above the Revised Estimate of 1994-95, based upon anticipated growth in Parcel Traffic.

Goods Earnings

The revised estimate for 1994-95 of goods earnings is fixed at Rs. 13700.00 crores *i.e.,* a decrease Rs. 589 crores from the Budget Estimate of Rs. 14289.00 crores. The Goods Earnings for 1995-96 have been placed at Rs. 15125.00 crores, an increase of Rs. 1425.00 crores assuming an increase of 25 million tonnes in the originating revenue earning freight traffic over the anticipated level of 373 million tonnes adopted for the Revised Estimate for 1994-95 and taking into account the proposed increase of freight rates.

Sundry Other Earnings

Taking into account the trend of actual earnings under this head during the course of the year, the Revised Estimate for 1994-95 is fixed at Rs. 375.00 crores, *i.e.,* an increase of Rs. 6.00 crores over the Budget Estimate of Rs. 369.00 crores. Sundry Other Earnings have been assessed at Rs. 390.00 crores in 1995-96.

Suspense

The Revised Estimate of a accretion to unrealised earnings held in 'Suspense' during the year 1994-95 is estimated at Rs. 175.00 crores *i.e.,* variation of a clearance of Rs. 125.00 crores over the Budget Estimate. The Budget Estimate of clearance for 1995-96 under this head has been kept at the level of Rs. 185 crores.

Gross Traffic Receipts

The aggregate effect of the above mentioned factors is that the Gross Traffic Receipts for 1994-95 are revised to Rs. 19920.00 crores *i.e.,* Rs. 474.00 crores less than the Budget Estimate of Rs. 20394.00 crores. The Budget Estimate of Gross Traffic Receipts for 1995-96 comes to Rs. 21955.00 crores.

संचालन व्यय

निम्नलिखित तालिका में संचालन व्यय की तुलना वर्ष 1993-94 के वास्तविक, बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 1994-95 और बजट अनुमान 1995-96 के आंकड़ों से की गयी है :—

WORKING EXPENSES

The table below compares the actuals of the year 1993-94. Budget Estimates & Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 of Working Expenses :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मांग सं० 3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	Demand No. 3—General Superintendence and Services on Rlys.	603.75	680.58	659.42	733.55
मांग सं० 4—रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 4—Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	1280.25	1443.17	1402.69	1540.16
मांग सं० 5—रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 5—Repairs and Maintenance of Motive Power .	974.29	1066.42	1029.27	1141.70
मांग सं० 6—सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 6—Repairs and Maintenance of Carriages & Wagons	1406.92	1522.62	1503.02	1639.21
मांग सं० 7—संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 7—Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	675.08	748.09	732.50	807.67
मांग सं० 8—परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Demand No. 8—Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	1144.73	1191.12	1215.15	1330.49
मांग सं० 9—परिचालन व्यय—यातायात	Demand No. 9—Operating Expenses—Traffic . . .	2259.32	2599.93	2561.04	2917.16
मांग सं० 10—परिचालन व्यय—ईंधन	Demand No. 10—Operating Expenses—Fuel	2652.28	3080.77	3032.66	3643.27
मांग सं० 11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Demand No. 11—Staff Welfare and Amenities. . . .	473.62	537.26	522.27	590.57
मांग सं० 12—विविध संचालन व्यय	Demand No. 12—Miscellaneous Working Expenses . . .	668.98	716.25	688.26	747.74
मांग सं० 13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Demand No. 13—Provident Fund, Pension & Other Retirement Benefits	1498.16	1711.36	1761.49	1981.66
जोड़	Total	13637.38	15297.57	15107.77	17073.18
जमा या वसूलियां	Credits or Recoveries . . .	—389.99	—290.57	—307.77	—313.18
घटाइए—निधियों से प्रतिपूरित राशि	Deduct—Amount recouped from Funds	—1487.85	—1700.00	—1750.00	—1970.00
शुद्ध	Net	11759.54	13307.00	13050.00	14790.00
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to D.R.F. . . .	1875.00	2300.00	2140.00	2000.00
*पेंशन निधि में विनियोग	*Appropriation to Pension Fund	1500.00	1700.00	1750.00	1970.00

*इसमें विविध स्थापनाओं के लिए भविष्य निधि में विनियोग शामिल नहीं है।

*Excludes Appropriation to P.F. for Miscellaneous Establishments.

संचालन व्यय-संशोधित अनुमान 1994-95

1994-95 में साधारण संचालन व्यय के लिए स्वीकृत बजट अनुदान 15297.57 करोड़ रुपये (सकल) था। 15107.77 करोड़ रुपये (सकल) का संशोधित अनुमान, बजट अनुदान से 189.80 करोड़ रुपये कम है। मांग सं० 8 तथा 13 को छोड़कर, अन्य सभी मांगों में आवश्यकता में कमी हुई है। व्यय में कमी करने के लिए 307.77 करोड़ रुपये के जमा खातों का अनुमान लगाया गया है जो बजट से 17.20 करोड़ रुपये अधिक है। निधियों से प्रतिपूरित राशि को 1700 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये किया गया है। इस प्रकार, शुद्ध संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 13050 करोड़ रुपये रखा गया है, जो बजट से 257 करोड़ रुपये कम है। सकल व्यय में 189.80 करोड़ रुपये की कटौती "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 192.52 करोड़ रुपये की बचत तथा "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 271.55 लाख रुपये के अधिक खर्च जिसका कारण अदालती डिगरियों के संबंध में प्रत्याशा से अधिक भुगतान किया जाना था, के कारण हुई।

संशोधित अनुमान में जहां तक कुल संचालन व्यय में शामिल होने वाली अन्य मदों का संबंध है, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान 2140 करोड़ रुपये, अर्थात् बजट स्तर से 160 करोड़ रुपये कम रखा गया है, जबकि पेंशन निधि में विनियोग को 1700 करोड़ रुपये के बजट स्तर की तुलना में बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये किया गया है।

संचालन व्यय—बजट अनुमान, 1995-96

वर्ष 1995-96 के लिए साधारण संचालन व्यय (सकल) का बजट अनुमान 17073.18 करोड़ रुपये आंका गया है, जो 1994-95 के 15107.77 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 1965.41 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय में कमी के रूप में जमा खातों की अनुमानित राशि 313.18 करोड़ रुपये अर्थात् संशोधित अनुमान से 5.41 करोड़ रुपये अधिक है। निधियों से प्रतिपूरित राशि अनुमानतः 1970.00 करोड़ रुपये है। जमा खातों और निधियों से प्रतिपूरित राशि को मिलाने से 1995-96 के दौरान शुद्ध संचालन व्यय 14790.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि 1994-95 का संशोधित अनुमान 13050.00 करोड़ रुपय है अर्थात् इसमें 1740.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

Working Expenses—Revised Estimates 1994-95

The sanctioned Budget Grant for 1994-95 for Ordinary Working Expenses was Rs. 15297.57 crores (Gross). The Revised Estimates of Rs. 15107.77 crores (Gross) is less than the Budget Grant by Rs. 189.80 crores. There has been a decrease in requirement in all the Demands except Demand No. 8 & 13. Credits in reduction of expenditure are estimated at Rs. 307.77 crores *i.e.* Rs. 17.20 crores more than the Budget. The amount recouped from Fund has been enhanced to Rs. 1750 crores over the Budget estimate of Rs. 1700 crores. The Revised Estimates of Net Working Expenses has, thus, been kept at Rs. 13050 crores, Rs. 257 crores less than the Budget. Reduction of Rs. 189.80 crores gross expenditure comprises of a saving of Rs. 192.52 crores under 'Voted' portion, and an increase of Rs. 271.55 lakhs under '*Charged*' appropriation which is on account of more payments anticipated in satisfaction of court decrees.

As regards the other items making up total working expenses in Revised Estimates, the contribution to Depreciation Reserve Fund has been kept at Rs. 2140 crores *i.e.* Rs. 160 crores less than the Budget level, whereas appropriation to Pension Fund is enhanced to Rs. 1750 crores over the Budget level of Rs. 1700 crores.

Working Expenses—Budget Estimates 1995-96

The Budget Estimates of Ordinary Working Expenses (Gross) for the year 1995-96 has been placed at Rs. 17073.18 crores involving an increase of Rs. 1965.41 crores over the Revised Estimates of Rs. 15107.77 crores for 1994-95. Credits in reduction of expenditure are estimated at Rs. 313.18 crores, *i.e.* Rs. 5.41 crores more than the Revised Estimates. The amount recouped from Fund is estimated at Rs. 1970.00 crores. Taking together the credits and the amount recouped from Funds, the Net Working Expenses are estimated to be Rs. 14790.00 crores during 1995-96 as against the Revised Estimates for 1994-95 of Rs. 13050.00 crores, an increase of Rs. 1740.00 crores.

1965.41 करोड़ रुपये के व्यय (सकल) में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(क) कर्मचारी लागत में वृद्धि (784.72 करोड़ रु०) जिसका विश्लेषण इस प्रकार है :—

(i) महंगाई भत्ते का भुगतान (511.15 करोड़ रुपये) ;

(ii) वार्षिक वेतन वृद्धियों, किलोमीटर दूरी भत्ता, गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण अन्य कर्मचारी लागत में वृद्धि (53.38 करोड़ रुपये) और सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को पेंशन संबंधी भुगतान के लिए अधिक व्यवस्था (220.19 करोड़ रुपये) ;

(ख) मूल्यों में वृद्धि, परिसंपत्तियों का अतिरिक्त अनुरक्षण, चल स्टाक, बिजली, सिगनल और दूर संचार सेवाओं की मरम्मत और अनुरक्षण, संविदागत भुगतान और यातायात में वृद्धि के कारण सामग्री और अन्य लागतों में वृद्धि (330.25 करोड़ रुपये) ;

(ग) यातायात में वृद्धि और डीजल की कीमतों और बिजली की दरों में वृद्धि के कारण ईंधन पर अधिक खर्च (609.76 करोड़ रुपये) ;

(घ) भारतीय रेल वित्त निगम को लीज/किराया प्रभार (230.00 करोड़ रुपये) ;

(ङ) अन्य विविध कारक (11.38 करोड़ रुपये)

यह वृद्धि अदालती डिगरियों के संबंध में प्रत्याशा से कम भुगतान (69.98 लाख रुपये) के कारण प्रभृत विनियोग के अंतर्गत कम व्यवस्था से अंशतः संतुलित हो गयी ।

इस कमी-बेशी का मांग-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मांग सं– 3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण तथा सेवाएं

इस मांग के अंतर्गत 733.55 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 74.13 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है । इसमें "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 74.13 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (6528.80 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियों (333.34 लाख रुपये), आकस्मिक व्यय (211.23 लाख रुपये) और अन्य विविध कारकों (340.61 लाख रुपये) के कारण है और ''प्रभृत'' विनियोग के अंतर्गत 0.02 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है ।

The increase in expenditure of Rs. 1965.41 crores (Gross) is mainly on account of :—

(a) Increase in staff costs (Rs. 784.72 crores) analysed as under :—

(i) Payment of Dearness Allowance (Rs. 511.15 crores);

(ii) Increase in other staff costs due to annual increments, kilometerage allowance, increase in activity etc. (Rs. 53.38 crores) and more provision for Pensionary payments to retired Railway Employees (Rs. 220.19 crores).

(b) Increase in material and other costs on account of increase in prices, additional maintenance of assets, repairs and maintenance of rolling stock, electrical, signal and telecommunication services, contractual payments, and increase in traffic (Rs. 330.25 crores);

(c) More expenditure on fuel arising from increase in traffic and prices of Diesel and Electricity tariff (Rs. 609.76 crores);

(d) Lease/Hire charges to Indian Railway Finance Corporation (Rs. 230.00 crores);

(e) Other miscellaneous factors (Rs. 11.38 crores).

Partly offset by less provision under :—

Charged appropriations due to less payments anticipated in satisfaction of Court decrees (Rs. 69.98 lakhs).

The variations are explained demandwise as under :—

Demand No. 3—General Superintendence and Services on Railways

The Budget Estimates of Rs. 733.55 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 74.13 crores over the Revised Estimates. This comprises an increase of Rs. 74.13 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 6528.80 lakhs), Annual increments (Rs. 333.34 lakhs), Contingent expenses (Rs. 211.23 lakhs) and other miscellaneous factors (Rs. 340.61 lakhs); and an increase of Rs. *0.02* lakh under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग सं० 4—रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा अनुरक्षण

इस मांग के अंतर्गत 1540.16 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 137.47 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है जिसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 137.28 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (9763.15 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धि (571.43 लाख रुपये) सामग्री की लागत (722.53 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (2008.69 लाख रुपये) नामे/जमा का अन्तरण (344.01 लाख रुपये) तथा अन्य विविध कारकों (318.54 लाख रुपये) के लिये प्रावधान करने के कारण है और "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 18.85 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

मांग सं० 5—रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण

इस मांग के अंतर्गत 1141.70 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 112.43 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 112.42 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (3106.72 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धि (185.64 लाख रुपये), सामग्री की लागत (4017.05 लाख रुपये), बढ़ी हुई अनुरक्षण गतिविधि (949.09 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (220.41 लाख रुपये), नामे/जमा खाते के अंतरण के अंतर्गत संव्यवहार (2821.54 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है जो अन्य विविध कारकों (57.61 लाख रुपये) के अंतर्गत कमी से अंशतः संतुलित हो गई और "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

मांग सं० 6—सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण

इस मांग के अंतर्गत 1639.21 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 136.19 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 136.18 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (4323.32 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धि (265.70 लाख रुपये), सामग्री की लागत (2356.35 लाख रुपये), बढ़ी हुई अनुरक्षण गतिविधि (5084.09 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (63.82 लाख रुपये), नामे/जमा खाते के अन्तरण के अन्तर्गत संव्यवहार (1562.55 लाख रुपये) जो अन्य विविध कारकों के अंतर्गत कमी (38.22 लाख रुपये) से अंशतः संतुलित हो गई तथा "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

Demand No. 4—Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works

The Budget Estimates of Rs. 1540.16 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 137.47 crores over the Revised Estimates, comprising an increase of Rs. 137.28 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 9763.15 lakhs), Annual increments (Rs. 571.43 lakhs), Cost of Materials (R 722.53 lakhs), Contractual payments (Rs. 2008.69 lakhs), Transfer of Debits/Credits (Rs. 344.01 lakhs) and Other miscellaneous factors (Rs. 318.54 lakhs), and an increase of Rs. *18.85* lakhs under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 5—Repairs and Maintenance of Motive Power

The Budget Estimates of Rs. 1141.70 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 112.43 crores over the Revised Estimates. This comprises an increase of Rs. 112.42 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 3106.72 lakhs), Annual increments (Rs. 185.64 lakhs), Cost of Materials (Rs. 4017.05 lakhs), increased maintenance activity (Rs. 949.09 lakhs), Contractual payments (Rs. 220.41 lakhs), Transactions under transfer of Debits/Credits (Rs. 2821.54 lakhs), partly offset by decrease under Other miscellaneous factors (Rs.57.61 lakhs), and an increase of Rs. *1.00* lakh under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 6—Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

The Budget Estimates of Rs. 1639.21 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 136.19 crores over the Revised Estimates. This comprises an increase of Rs. 136.18 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 4323.32 lakhs), Annual Increments (Rs. 265.70 lakhs), Cost of materials Rs. 2356.35 lakhs), Increased maintenance activity (Rs. 5084.09 lakhs), Contractual payments (Rs. 63.82 lakhs) and Transactions under Transfer of Debits/Credits (Rs. 1562.55 lakhs), partly offset by decrease under Other miscellaneous factors (Rs. 38.22 lakhs); and an increase of *Rs. 1.00 lakh* under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग सं० 7—संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण

इस मांग के अंतर्गत 807.67 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 75.17 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 75.16 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (4348 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धि (255.98 लाख रुपये), सामग्री की लागत (1449.78 लाख रुपये), बढ़ी हुई अनुरक्षण गतिविधि (382.58 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (136.77 लाख रुपये) और नामे/जमा के अंतरण (595.72 लाख रुपये) तथा अन्य विविध कारकों (347.02 लाख रुपये) के लिए प्रावधान के कारण है, तथा "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 1.00 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

Demand No. 7—Repairs and Maintenance of Plant and Equipment.

The Budget Estimates of Rs. 807.67 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 75.17 crores over the Revised Estimates. This comprises an increase of Rs. 75.16 crores under 'Voted' Portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 4348 lakhs), Annual Increments (Rs. 255.98 lakhs), Cost of Materials (Rs. 1449.78 lakhs), Increased Maintenance Activity (Rs. 382.58 lakhs), Contractual Payment (Rs. 136.77 lakhs), Transfer of Debit/Credits (Rs. 595.72 lakhs) and other Miscellaneous factors (Rs. 347.02 lakhs); and an increase of *Rs. 1.00* lakh under *Charged* Appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग संख्या 8—परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर

इस मांग के अंतर्गत 1330.49 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 115.34 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 115.33 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (5858.63 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियों (363.40 लाख रुपये), किलोमीटर दूरी भत्ता (522.49 लाख रुपये), सामग्री की लागत (1841.82 लाख रुपये), कर्षण के अलावा ईंधन (293.47 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (1941.96 लाख रुपये), नामे/जमा का अंतरण (535.98 लाख रुपये तथा अन्य विविध कारकों (175.37 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है और "प्रभृत" विनियोग के अंतर्गत 0.95 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

Demand No. 8—Operating Expenses—Rolling Stock and Equipments

The Budget Estimates of Rs. 1330.49 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 115.34 crores over Revised Estimates. This comprises an increase of Rs. 115.33 crores under 'Voted' Portion to provide for payments of Dearness Allowance (Rs. 5858.63 lakhs), Annual Increments (Rs. 363.40 lakhs), Kilometerage Allowance (Rs. 522.49 lakhs), Cost of Materials (Rs. 1841.82 lakhs), Fuel for other than traction (Rs. 293.47 lakhs), Contractual Payments (Rs. 1941.96 lakhs), Transfer of Debit/Credit (Rs. 535.98 lakhs) and Other miscelleneous factors (Rs. 175.37 lakhs); and an increase of *Rs. 0.95* lakh under *Charged* Appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग संख्या 9—परिचालन व्यय-यातायात

इस मांग के अंतर्गत 2917.16 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 356.12 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत 356.12 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (11207.40 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियों (673.61 लाख रुपये), किलोमीटर दूरी भत्ता (93.53 लाख रुपये), अन्य भत्ते (271.75 लाख रुपये), आकस्मिक व्यय (191.26 लाख रुपये), सामग्री की लागत (279.67 लाख रुपये), भारतीय रेल वित्त निगम को पट्टे/किराये के प्रभार (23000.00 लाख रुपये), तथा संविदात्मक भुगतान (252.58 लाख रुपये), के कारण है जो अन्य विविध कारकों (356.30 लाख रुपये) के अन्तर्गत कमी से अंशतः संतुलित हो गई।

Demand No. 9—Operating Expenses Traffic

The Budget Estimates of Rs. 2917.16 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 356.12 crores over the Revised Estimates made up of an increase of Rs. 356.12 crores under 'Voted' Portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 11207.40 lakhs), Annual Increments (Rs. 673.61 lakhs), Kilometerage Allowance (Rs. 93.53 lakhs), Other Allowances (Rs. 271.75 lakhs), Contingent Expenses (Rs. 191.26 lakhs), Cost of Materials (Rs. 279.67 lakhs), Lease/hire charges to Indian Railway Finance Corporation (Rs. 23000.00 lakhs) and Contractual Payments (Rs. 252.58 lakhs), partly offset by decrease under other Miscellaneous factors (Rs. 356.30 lakhs).

मांग संख्या 10—परिचालन व्यय—ईंधन

इस मांग के अंतर्गत 3643.27 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 610.61 करोड़ रुपये की वृद्धि पूर्णतः "स्वीकृत" भाग के अंतर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान (86.04 लाख रुपये), यातायात/मूल्यों में वृद्धि के कारण ईंधन डीजल तेल पर अधिक खर्च (7513.12 लाख रुपये), बिजली (55953.58 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है जो भाप कर्षण पर कम खर्च (2491.13 लाख रुपये) और अन्य कर्मचारी लागत पर कम खर्च (0.61 लाख रुपये) से अंशतः संतुलित हो गई।

मांग संख्या 11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं

इस मांग के अन्तर्गत 590.57 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 68.30 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 68.29 करोड़ रुपये की यह वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (2998.64 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (180.83 लाख रुपये), आकस्मिक व्यय (77.17 लाख रुपये), सामग्री की लागत (2227.61 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (801.49 लाख रुपये), नामे/जमा का अंतरण (351.65 लाख रुपये) तथा अन्य विविध कारक (192.57 लाख रुपये) के प्रावधान के कारण है और 'प्रभृत' विनियोग के अन्तर्गत 0.01 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

मांग सं० 12—विविध संचालन व्यय

इस मांग के अन्तर्गत 747.74 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 59.48 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। 'स्वीकृत' भाग के अन्तर्गत 60.37 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (2893.92 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (199.32 लाख रुपये), खानपान भण्डार सहित सामग्री की लागत (687.33 लाख रुपये, संविदात्मक भुगतान (297.25 लाख रुपये), अन्य विविध कारकों (215.97 लाख रुपये), अन्य व्यय (1350.85) लाख रुपये), और उचन्त (391.87 लाख रुपये), के लिए किये गये प्रावधान के कारण है और 'प्रभृत' विनियोग के अन्तर्गत 88.91 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

मांग सं० 13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ

इस मांग के अन्तर्गत 1981.66 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 'स्वीकृत' भाग के अन्तर्गत 220.19 करोड़ रुपये अधिक और 'प्रभृत' विनियोग के अन्तर्गत 2.40 लाख रुपये कम है। 'स्वीकृत' भाग के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः रेलवे पेंशन-भोगियों की संख्या में वृद्धि होने तथा पेंशन पर अधिक महंगाई राहत प्रदान करने के कारण किये गये अधिक प्रावधान के कारण है। "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत कमी अदालती डिगरियों के कारण पेंशन/परिवार पेंशन के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

Demand No. 10—Operating Expenses—Fuel

The Budget Estimates of Rs. 3643.27 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 610.61 crores over the Revised Estimates entirely under 'Voted' portion to provide for Dearness Allowance (Rs. 86.04 lakhs), more expenditure on Fuel due to increase in traffic/prices—Diesel oil (Rs. 7513.12 lakhs), Electric power (Rs. 55953.58 lakhs); partly offset by decrease in expenditure on Steam Traction (Rs. 2491.13 lakhs) and less expenditure on other staff cost (Rs. 0.61 lakhs).

Demand No. 11—Staff Welfare and Amenities

The Budget Estimates of Rs. 590.57 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 68.30 crores over the Revised Estimates. This is made up of an increase of Rs. 68.29 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 2998.64 lakhs), Annual increments (Rs. 180.83 lakhs), Contingent expenses (Rs. 77.17 lakhs), cost of materials (Rs. 2227.61 lakhs), Contractual Payments (Rs. 801.49 lakhs), Transfer of Debits/Credits (Rs. 351.65 lakhs) and other miscellaneous factors (Rs. 192.57 lakhs) and an increase of Rs. *0.01* lakh under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 12—Miscellaneous Working Expenses

The Budget Estimates of Rs. 747.74 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 59.48 crores over the Revised Estimates. This arises from an increase of Rs. 60.37 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 2893.92 lakhs), Annual increments (Rs. 199.32 lakhs), cost of materials including Catering Stores (Rs. 687.33 lakhs), Contractual Payments (Rs. 297.25 lakhs), other miscellaneous factors (Rs. 215.97 lakhs), Other expenses (Rs. 1350.85 lakhs) and Suspense (Rs. 391.87 lakhs) and a reduction of Rs. *88.91* lakhs under *Charged* appropriation due to less payment anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 13—Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits

The Budget Estimates of Rs. 1981.66 crores is more than the Revised Estimates by Rs. 220.19 crores under 'Voted' portion but less by Rs. *2.40* lakhs under *Charged* appropriation. The increase under 'Voted' portion is mainly due to more provision made on account of increase in the number of Railway pensioners as also higher dearness relief on pension. The decrease under *Charged* appropriation is due to less payment of pension/family pension anticipated on account of Court decrees.

विविध संव्यवहार

नीचे की तालिका में विविध संव्यवहार के अन्तर्गत वास्तविक 1993-94, बजट और संशोधित अनुमान 1994-95 तथा बजट अनुमान 1995-96 के आंकड़ों की तुलना की गयी है :—

MISCELLANEOUS TRANSACTIONS

The following table compares the Actuals 1993-94, Budget & Revised Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 under Miscellaneous Transactions :—

(लाख रुपयों में) (Rupees in lakhs)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
प्राप्तियां	RECEIPTS				
(i) सहायता प्राप्त कम्पनियों से प्राप्तियां	(i) Receipts from Subsidised Companies	4	2,06	..	..
(ii) रेल भर्ती बोर्ड	(ii) Railway Recruitment Boards	1,06	1,53	1,05	1,06
(iii) अन्य विविध प्राप्तियां	(iii) Other Misc. Receipts	4,15	4,11	3,73	2,82
(iv) यात्रियों पर अधिभार से प्राप्तियां	(iv) Receipts from Surcharge on passengers	..	...	..	..
(v) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	(v) Subsidy from General Revenues towards dividend relief and other concessions	412,03	403,10	423,41	411,16
जोड़	TOTAL	417,28	410,80	428,19	415,04
व्यय	EXPENDITURE				
(i) चालित लाइनों को भुगतान	(i) Payments to worked lines	12	13	13	15
(ii) आर्थिक सहायता	(ii) Subsidy	2	2	2	2
(iii) सर्वेक्षण	(iii) Surveys	1,90	1,79	2,09	3,94
(iv) विविध रेलवे व्यय	(iv) Misc. Railway Expenditure	84,22	98,86	100,95	124,77
(v) चालू लाइन निर्माण राजस्व	(v) Open Line Works Revenue	31,28	45,00	45,00	45,00
(vi) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	(vi) Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	..	..	..	..
(vii) पेंशन निधि में विनियोग	(vii) Appropriation to Pension Fund	9,00	10,00	10,00	10,00
जोड़	TOTAL	126,63	155,80	158,19	183,88
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Misc. Receipts	290,65	255,00	270,00	231,16

शुद्ध विविध प्राप्तियां

1994-95 के बजट अनुमान में 255.00 करोड़ रुपये की शुद्ध विविध प्राप्तियां होने का अनुमान था जो संशोधित अनुमानों में बढ़कर 270.00 करोड़ रुपये हो गयीं हैं।

1994-95 के संशोधित अनुमान की शुद्ध विविध प्राप्तियों की तुलना में 1995-96 के बजट अनुमान की विविध प्राप्तियों और व्यय में 38.84 करोड़ रुपए की कमी की व्यवस्था की गयी है जिसका मुख्य कारण विविध प्राप्तियों में कमी होना है।

सामान्य राजस्व को लाभांश

1994-95 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश का बजट अनुमान 1372.00 करोड़ रुपए था। 1380.00 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान, जिसके अन्तर्गत 8.00 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, ब्याजदेय पूंजी के नवीनतम उपलब्ध अनुमान पर आधारित है।

1994-95 के 1380.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1995-96 के लिए सामान्य राजस्व को 1371.16 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता का अनुमान लगाया गया है जिसमें 8.84 करोड़ रुपये की कमी शामिल है। यह कमी सामरिक लाइनों के चालन में हानि के अधिक समायोजन के कारण हुआ।

NET MISCELLANEOUS RECEIPTS

Net Miscellaneous Receipts placed at Rs. 255.00 crores in the Budget Estimate for 1994-95 have increased to Rs. 270.00 crores in the Revised Estimate.

The Budget Estimate for 1995-96 of Miscellaneous Receipts and Expenditure provides for a decrease of Rs. 38.84 crores over the Revised Estimate of 1994-95 in Net Miscellaneous Receipts, mainly on account of decrease in Miscellaneous Receipts.

DIVIDEND TO GENERAL REVENUES

The Budget Estimate for 1994-95 of Dividend payable to General Revenue was Rs. 1372.00 crores. The Revised Estimate of Rs. 1380.00 crores, involving an increase of Rs. 8.00 crores, is based on the latest available estimates of Capital-at-Charge.

The dividend liability to General Revenues for 1995-96 is estimated at Rs. 1371.16 crores involving an decrease of Rs. 8.84 crores over the Revised Estimate of Rs. 1380.00 crores for 1994-95. The decrease is due to more adjustment of losses in working of strategic lines.

S|109 RB|94—4

शुद्ध वित्तीय परिणाम

वास्तविक 1993-94, संशोधित और बजट अनुमान 1994-95 तथा बजट अनुमान 1995-96 के मुख्य वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं :

NET FINANCIAL RESULTS

The principal financial figures of Actuals 1993-94 Revised & Budget Estimates 1994-95 and Budget Estimates 1995-96 are as under :—

(करोड़ रुपयों में) (Rupees in crores)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
यातायात से प्राप्तियां	TRAFFIC RECEIPTS				
कुल आय	Total Earnings	18258.62	20269.00	19970.00	21770.00
उचंत	Suspense	(—)312.60	(+)125.00	(—)50.00	(+)185.00
यातायात से सकल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts . .	17946.02	20394.00	19920.00	21955.00
संचालन व्यय	WORKING EXPENSES				
साधारण संचालन व्यय उचंत को छोड़कर	Ordinary Working Expenses excluding suspense . .	11767.14	13315.51	13057.73	14796.00
उचंत	Suspense	(—)7.60	(—)8.51	(—)7.73	(—)6.00
शुद्ध साधारण संचालन व्यय	Net Ordinary Working Expenses	11759.54	13307.00	13050.00	14790.00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to DRF . .	1875.00	2300.00	2140.00	2000.00
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	1500.00	1700.00	1750.00	1970.00
कुल संचालन व्यय	Total Working Expenses . .	15134.54	17307.00	16940.00	18760.00
विविध संव्यवहार	MISCELLANEOUS TRANSACTIONS				
प्राप्तियां	Receipts	417.28	410.80	428.19	415.04
व्यय (चालित लाइनों को भुगतान सहित)	Expenditure (including payment to worked lines) . . .	126.63	155.80	158.19	183.88
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts .	290.65	255.00	270.00	231.16
कुल व्यय	Total Expenditure . . .	14843.89	17052.00	16670.00	18528.84
शुद्ध रेलवे राजस्व	Net Railway Revenue . .	3102.13	3342.00	3250.00	3426.16
सामान्य राजस्व को देय लाभांश	Dividend to General Revenues .	1296.05	1372.00	1380.00	1371.16
आस्थगित लाभांश दायिता का भुगतान	Payment of deferred dividend	..	..	...	...
अधिक (+)/कमी (—)	Excess (+)/Shortfall (—) .	(+)1806.08	(+)1970.00	(+)1870.00	(+)2055.00
रेलवे विकास निधि में विनियोग	Appropriation to Railway Development Fund	132.26	290.00	295.00	350.00
पूंजी निधि में विनियोग*	Appropriation to Capital Fund*	1673.82	1680.00	1575.00	1705.00
परिचालन अनुपात	Operating Ratio . .	82.9%	85.4%	84.9%	86.2%

रेलवे निधियां

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के अनुमानों के अनुसार विभिन्न रेलवे निधियों में विनियोग और उनसे निकासी तथा निधियों में शेष राशि का ब्यौरा परिशिष्ट XII से XV में दिया गया है जिसका सारांश इस प्रकार हैं :—

RAILWAY FUNDS

Appropriations to the various Railway Funds and withdrawals therefrom, as per the estimates of the years 1994-95 and 1995-96, and the balances in the Funds, are brought out in Appendices XII to XV. A summary is given below :—

(लाख रुपयों में Rupees in lakhs)

ब्यौरा	Details	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि	*Railway Depreciation Reserve Fund*			
अथशेष	Opening Balance	1143,2[illegible]	985,29	1106,01
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	2350,00	2190,00	2050,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	2300,00	2140,00	2000,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	81,77	70,72	79,17
इतिशेष	Closing balance	1274,97	1106,01	1235,18
रेलवे विकास निधि	*Railway Development Fund*			
अथशेष	Opening Balance	59,93	32	36
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	290,00	295,00	350,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	290,00	295,00	350,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	6,41	4	4
इतिशेष	Closing balance	66,34	36	40
रेलवे पेंशन निधि	*Railway Pension Fund*			
अथशेष	Opening Balance	297,71	328,10	382,41
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	1730,15	1780,29	2000,15
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	1700,00	1750,00	1970,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	21,89	24,02	27,82
इतिशेष	Closing balance	349,75	382,41	440,38
पूंजी निधि—रेलवे	*Capital Fund—Railways*			
अथशेष	Opening Balance	111,42	2,57	2,75
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	1680,00	1575,00	1705,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	1680,00	1575,00	1705,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	7,80	18	19
इतिशेष	Closing balance	119,22	2,75	2,94
सभी रेलवे निधियां	*All Railway Funds*			
अथशेष	Opening Balance	1612,26	1316,28	1491,53
इतिशेष	Closing balance	1810,28	1491,53	1678,90

भाग—II

रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम पर खर्च

1993-94 में वास्तविक खर्च

मांग सख्या 16 के अन्तर्गत 1993-94 के लिए निर्माण, मशीन और चल स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान 5300.00 करोड़ रुपये (शुद्ध) था जो 11215.00 करोड़ रुपये (सकल) में से जमा खाते के 5915.00 करोड़ रुपये घटाने के बाद रहा, जिन्हें अनुदान की परिधि से बाहर रखा जाता है लेकिन लेखे में खर्च में कमी के रूप में दिखाया जाता है। इन कामों पर खर्च को पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पूंजी विधि तथा चालू लाइन निर्माण (राजस्व) के खाते में डाला जाता है। वर्ष के अन्त में वास्तविक व्यय 11182.00 करोड़ रुपये (सकल) में से जमा खाते के 6177.57 करोड़ रुपये घटाकर 5004.43 करोड़ रुपये (शुद्ध) रहा। शुद्ध खर्च में वृद्धि मुख्यत: नई लाइनों, आमान परिवर्तन यातायात सुविधाओं, दोहरी लाइन बिछाने, रेलपथ नवीकरण, वस्तु सूचियों आदि पर अधिक व्यय के कारण हुए जो कंप्यूटरीकरण, चल स्टाक, पुल संबंधी कार्यों, बिजली संबंधी अन्य कार्यों, मशीन और संयंत्र, कारखानों आदि के अंतर्गत कम खर्च द्वारा संतुलित हो गया।

संशोधित अनुमान, 1994-95

2. मांग संख्या 16 के अन्तर्गत बजट और संशोधित अनुमान—1994-95 के लिए परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव और बजट अनुदान की तुलना में संशोधित अनुमान में अन्तर का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

वर्ष 1994-95 के बजट में 11989.93 करोड़ रुपये (स्वीकृत 11981.27 करोड़ रुपये और प्रभृत 8.66 करोड़ रुपये) के सकल व्यय और महानगर परिवहन परियोजनाओं सहित चल स्टाक, मशीन एवं संयंत्र और निर्माण कार्य आदि के लिए 5465.00 करोड़ रुपये के शुद्ध खर्च की व्यवस्था है। बजट अनुदान की तुलना में 11719.54 करोड़ रुपये (सकल) का संशोधित अनुमान स्वीकृत 11708.51 करोड़ रुपये और प्रभृत 11.03 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। 'स्वीकृत' के अन्तर्गत 272.76 करोड़ रुपये की कमी मुख्यत: योजना शीर्ष कंप्यूटरीकरण, चल स्टाक, सिगनल एवं दूर-संचार, मशीन एवं संयंत्र, कारखाने तथा वस्तु-सूचियों के अन्तर्गत है शुद्ध (योजना परिव्यय) में 260.00 करोड़ रुपये की कमी है।

PART—II

EXPENDITURE ON THE WORKS, MACHINERY AND ROLLING STOCK PROGRAMMES OF RAILWAYS

Actual Expenditure for 1993-94

The Revised Estimate of expenditure under Demand No. 16 on Works, Machinery and Rolling Stock for 1993-94 allocable to Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Capital Fund and Open Line Works (Revenue) was Rs. 5300.00 crores (Net) made up of Rs.11215.00 crores (Gross) less credits of Rs. 5915.00 crores which are outside the scope of the Grant but constitute reduction of expenditure in the accounts. The actual expenditure at the end of the year came to Rs. 5004.43 crores (Net) made up of Rs.11182.00 crores (Gross) less credits of Rs. 6177.57 crores. The increase in net expenditure is mainly due to more expenditure under New lines, Gauge conversions, Traffic facilities, Doublings, Track Renewals, Inventories etc. offset by less expenditure under Computerisation, Rolling stock, Bridge works, Other Electrical works, Machinery & Plant, Workshops, etc.

Revised Estimates, 1994-95

2. Budget and Revised Estimates under Demand No. 16—Assets—Acquisition, Construction and Replacement for 1994-95 and analysis of variation in the Revised Estimates compared to the Budget Grant is as under :

The Budget for the year 1994-95 provided for a gross expenditure of Rs. 11989.93 crores (Voted Rs. 11981.27 crores and *Charged* Rs. 8.66 crores) and a net expenditure of Rs. 5465.00 crores on Rolling Stock, Plant and Machinery and Works etc. including Metropolitan Transport Projects. Against the Budget Grant the Revised Estimates have been fixed at Rs. 11719.54 crores (gross) made up of 'Voted' Rs. 11708.51 crores and *Charged* Rs. 11.03 crores. The reduction of Rs. 272.76 crores under 'Voted' is mainly under the plan heads computerization, Rolling Stock, Signal & Telecom., Machinery & Plant, workshops & Inventories. There is reduction of Rs. 260.00 crores in the net (Plan Outlay).

3. 1994-95 के संशोधित अनुमान में शुद्ध व्यय की स्थिति संक्षिप्त में इस प्रकार है :—

3. The summarised position of net expenditure in the Revised Estimate, 1994-95 is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

विवरण Particulars	बजट अनुमान Budget Estimates, 1994-95	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1994-95	कमीबेशी Variation
पूंजी Capital	910,00	899,50	—10,50
मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	2300,00	2140,00	—160,00
विकास निधि Development Fund	290,00	295,00	+5,00
पूंजी निधि Capital Fund	1680,00	1575,00	—105,00
चालू लाइन निर्माण (राजस्व) Open Line Work (Revenue)	45,00	45,00	..
जोड़ TOTAL	5225,00	4954,50	—270,50
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	240,00£	250'50£	+10,50
कुल जोड़ GRAND TOTAL	5465,00*	5205,00*	—260,00

*इसमें भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए जुटाए जाने वाले 1050 करोड़ रुपए (बजट और संशोधित अनुमान 1994-95) शामिल नहीं हैं ।

*Excludes Rs. 1050 crores (Budget & Revised Estimates 1994-95) to be raised by Indian Railway Finance Corporation (IRFC) .for financing Railway Plan.

£इसमें पूंजी भण्डार उचंत के अन्तर्गत 0.10 लाख रुपये शुद्ध (बजट अनुमान, 1994-95) और 0.27 लाख रुपये शुद्ध (संशोधित अनुमान, 1994-95) शामिल हैं ।

£Includes Rs. 0.10 lakhs Net (Budget Estimates 1994-95) and Rs. 0.27 lakh Net (Revised Estimates, 1994-95) under Capital Stores Suspense.

संशोधित अनुमान, 1994-95
योजना शीर्षवार वितरण

Revised Estimates, 1994-95
Plan head-wise distribution
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

बजट अनुमान 1994-95 Budget Estimates, 1994-95	मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधि / Funds मू.प्रा.नि. DRF	वि.नि. DF	पूंजी निधि Cap. Fund	राजस्व (चा.ला.रा.) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8
191,04	(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	1,93,31	30	..	..	..	1,93,61
—	(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	—
3,97	(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को पुन: बिछाना (c) Restoration of dismantled lines	1,27	3,20	..	..	..	4,47
1005,13	(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	64,99	1,17,28	38,00	9,60,01	—	11,80,28
150,21	(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	36,30	1,30	4,00	1,18,91	3	1,60,54
80,03	(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचों में परिवर्तन तथा अन्य काम (f) Traffic facilities—yard remodelling and others	1,93	2,62	7,34	66,88	3,77	82,54
80,00	(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	..	..	38,50	30,00	1,50	70,00
11,00	(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	..	79	7,00	..	60	8,39
1750,15	(झ) चल स्टाक (i) Rolling Stock	2,34,15	10,58,40	..	2,66,42	..	15,58,97
1270,05	(ञ) रेलपथ नवीकरण (j) Track Renewals	..	13,33,00	..	..	..	13,33,00
92,92	(ट) पुल संबंधी काम (k) Bridge Works	9	52,32	36,00	3,61	1,00	93,02
226,78	(ठ) सिगनल और दूर संचार संबंधी निर्माण कार्य (l) Signalling & Telecommunication Works	40	1,03,53	45,57	19,45	8,08	1,77,03
..	(ड) डाकतार विभाग से लाइन तारों को अपने अधिकार में लेना (m) Taking over of line wires from P&T	..	..	..	..	..	—
260,60	(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	2,84,40	..	..	..	—	2,84,40
60,60	(ण) बिजली संबंधी अन्य कार्य (o) Other Electrical Works	1,82	25,88	7,00	15,71	10,47	60,88
77,20	(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery & Plant	97	40,84	10,73	7,39	5,75	65,68
170,51	(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops including Production Units	8,57	9,10	6,00	1,31,08	5,60	1,60,35
28,07	(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	19,21	7,53	—	..	..	26,74

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

बजट अनुमान Budget Estimates 1994-95	मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधि Funds			राजस्व (चा०ला०रा०) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
			मू०प्रा०नि० DRF	वि०नि० DF	पूंजी निधि Capital Fund		
1	2	3	4	5	6	7	8
33,20	(ध) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for Staff	..	3,00	11,00	20,78	50	35,28
60,00	(न) (i) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities	..	4,00	61,75	50	1,00	67,25
..	(ii) अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं (ii) Other Railway Users' Amenities	..	..	1	..	..	1
	(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश (u) Investment in Govt. Commercial Undertakings						
..	(1) भा.रे.वि.नि. (1) I.R.F.C.	..	..	..	..	..	..
..	(2) भा कं नि (2) CONCOR	..	..	..	..	..	..
51,00	(3) को.रे.नि. (3) K.R.C.	53,67	..	..	..	..	53,67
.	(4) रे.खा.प.नि. (4) R.C.T.C.						
40,04	(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works	19	1,11	22,24	2,11	6,74	32,39
71,09	(ब) भण्डार उचन्त (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net)	2,17	..	..	—36,86	..	—34,69
12,25	(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net)	29	..	..	—18,21	..	—17,92
6,66	(म) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Misc. Advances (Net)	—2,25	..	..	—12,34	..	—14,60
	जमा या वसूलियां *Credits or recoveries*						
—494,23	निकाले गए सामान के लिए जमा Credits for released material	..	—6,24,20	..	..	..	—6,24,20
—3,27	अन्य जमा Other Credits	—1,97	..	—14	—44	—4	—2,59
5235,00	जोड़ TOTAL	8,99,50	21,40,00	2,95,00	15,75,00	45,00	49,54,50
232,50	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	2,53,00	..	..	..	..	2,53,00
—2,50	जमा या वसूलियां Credits or Recoveries	—2,50	..	..	..	..	—2,50
£5465,00	जोड़ TOTAL	11,50,00	21,40,00	2,95,00	15,75,00	45,00	52,05,00£

£इसमें भारतीय रेल वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए जुटाए जाने वाले 1050 करोड़ रुपए (बजट अनुमान, एवं संशोधित अनुमान 1994-95) शामिल नहीं हैं।

£ Excludes Rs. 1050 crores (Budget Estimates, & Revised Estimates 1994-95) to be raised by Indian Railway Finance Corporation (IRFC). for financing Railway Plan.

4. बजट अनुमान 1994-95 के समय वस्तु-सूचियों के लिए 90.00 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि की प्रत्याशा की गयी थी, जिसे संशोधित अनुमान 1994-95 में कम करके – 67.21 करोड़ रुपये पर लाने का प्रस्ताव है। भंडार, उचंत, निर्माण उचंत और विविध अग्रिम के अन्तर्गत पड़े शेष तथा खरीद व्यवस्था की नियमित समीक्षा की गयी थी ताकि वस्तु सूचियों की आवश्यकता तथा संबंधित बजट व्यवस्थाओं के बीच यथोचित तालमेल बनाये रखा जा सके

रेलवे विकास कार्यक्रम

रेलों की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) 27,202 करोड़ रुपए पर निश्चित की गई है, इसके लिये बजट में 5375 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का अनुमान लगाया गया है, योजना के अंतिम वर्ष के लिए 443.4 बिलियन टन प्रारंभिक माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 318.3 बिलियन टन किलोमीटर का परिवहन आउटपुट अंतर्गस्त है। उप नगरीय और अनुपनगरीय दोनों ही यातायात के लिए यात्री यातायात में 5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

रेलों ने देश में एक ही आमान की प्रणाली की नीति अपनायी है। योजना के दौरान, रेलों के एक ही आमान कार्यक्रम के अंतर्गत 6000 कि० मी० लंबे रेलपथ को बड़ी लाइन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कम होती जा रही मूल्यवान हाइड्रोकार्बन ऊर्जा को सुरक्षित रखने की दृष्टि से संशोधित आठवीं योजना में 2700 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के दौरान क्षमता में वृद्धि करना अर्थात् कल स्टाक की अधिप्राप्ति और लाइन क्षमता से संबद्ध अन्य कार्य कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिन पर बल दिया जा रहा है।

वर्ष 1993-94 के दौरान, वर्ष में वार्षिक योजना पर 5860.78 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस राशि में से 974 करोड़ रुपये की व्यवस्था सामान्य राजकोष से बजटीय समर्थन के रूप में की गई थी। 856.34 करोड़ रुपये की रकम भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से ऋण लेकर जुटाई गयी थी और 4030 करोड़ रुपए आंतरिक संसाधनों के जरिये जुटाये गये थे। वास्तविक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं में 297 रेल इंजनों, 19,649 माल डिब्बों, 2211 सवारी डिब्बों और 278 ई० एम० यू० को अधि-प्राप्त किया जाना शामिल था। इसके अलावा, 505 मार्ग कि० मी० का विद्युतीकरण किया गया, 2814 कि० मी० में रेलपथ के नवीकरण का कार्य पूरा किया गया, 1619 कि० मी० में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किया गया और 295 कि० मी० लम्बी रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में 211 कि० मी० लम्बी नई लाइनें जोड़ी गई।

4. At the time of Budget Estimate, 1994-95 a net increase of Rs. 90.00 crores was anticipated for inventories, which is proposed to be brought down to Rs. –67.21 crores in the Revised Estimate, 1994-95. The balances held under Stores Suspens, Manufacture Suspense and Miscellaneous Advance, as well as the procurement arrangements were reviewed regularly so that there was proper integration between the needs of inventory and the related Budget provisions.

RAILWAY DEVELOPMENT PROGRAMME

The Eighth Five Year Plan (1992—97) of the Railways has been fixed at Rs. 27,202 crores. The Budgetary Support has been envisaged as Rs. 5375 Crores. The target for originating freight traffic involving a transport output of 318.3 billion tonnes km. has been set at 443.4 billion tonnes for the terminal year of the Plan. An average annual growth rate of 5 per cent in Passenger traffic is envisaged both for Suburban and Non-Suburban traffic.

The policy of Unigauge system all over the country has been adopted by the Railways. During the Plan, 6000 km of track has been targeted for conversion to Broad Gauge, under the uniguage programme of the Railways. Electrification of 2700 route kilometres has been targeted in the revised scenario of Eighth Plan, in order to conserve the precious depleting hydrocarbon energy. Other areas of emphasis during the Plan include capacity building i.e. acquisition of rolling stock and other asscciated line capacity works.

During 1993-94, expenditure of Rs. 5860.78 crores was incurred on the Annual Plan for the year. For financing the investment, an amount of Rs. 974 crores was provided as Budgetary support by the General Exchequer. Rs. 856.34 crores was raised by market borrowing through Indian Railway Finance Corporation and Rs. 4030 crores were raised through internal generation of resources. Important features of the physical programme included acquisition of 297 locomotives, 19,649 wagons, 2211 coaches and 278 EMUs. In addition, 505 route kilometres were electrified, track renewals were completed on 2814 km, gauge conversion was completed on 1619 km. and 295 km. of railway lines were doubled. Further 211 km. of new lines were added to the system.

बजट अनुमान, 1995-96

Budget Estimates 1995-96

5. 1995-96 में निर्माण-कार्यों के खर्च के लिए बजट अनुमान 5250 करोड़ रुपये रखा गया है। यह 1994-95 के संशोधित अनुमान से 165.00 करोड़ रुपये अधिक है।

5. The Budget Estimate for Works Expenditure for 1995-96 has been placed at Rs. 5250 crores. This is Rs. 165.00 crores more than the Revised Estimates for 1994-95.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

विवरण Particulars	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1994-95	बजट अनुमान Budget Estimates 1995-96	कमी-बेशी Variation
पूंजी Capital	899,50	910,00	+10,50
मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	2140,00	2000,00	—140,00
विकास निधि Development Fund	295,00	350,00	+55,00
पूंजी निधि Capital Fund	1575,00	1705,00	+130,00
चालू लाइन निर्माण (राजस्व) Open Line Works (Revenue)	45,00	45,00	..
जोड़ TOTAL	49,54,50	5010,00	+55,50
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	2,50,50†	240,00†	—10,50
कुल जोड़ GRAND TOTAL	52,05,00*	5250,00*	+45,00

*इसमें रेल योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 1050 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 1994-95) तथा 2250 करोड़ रुपये और अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कोंकण रेलवे द्वारा जुटाये जाने वाले 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 74 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1995-96) शामिल नहीं हैं।

*Excludes Rs. 1050. crores (Revised Estimates 1994-95) and Rs. 2250 crores (Budget Estimate, 1995-96) proposed to be raised by the Indian Railway Finance Corporation for financing the Railway Plan and Budget Estimates. 1994-95 also excludes Rs. 120 crores to be raised by Konkan Railway Corporation and Rs. 74 crores to be arranged by Container Corporation of India for financing their projects.

£इसमें पूंजी भंडार उचंत के अन्तर्गत 0.27 लाख रुपये शुद्ध (संशोधित अनुमान, 1994-95) और 0.07 लाख रुपए शुद्ध (बजट अनुमान 1995-96 शामिल है।

†Includes Rs. 0.27 lakh net (Revised Estimates 1994-95) and Rs. 0.07 lakhs net (Budget Estimate 1995-96) under Capital Stores Suspense.

1995-96 में योजना शीर्षों तथा आबंटन के अनुसार प्रस्तावित व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

The split up of the proposed expenditure in 1995-96 by Planheads and allocations is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधियां / Funds मू आ नि DRF	वि नि DF	पूंजी निधि Captial Fund	राजस्व (चा ला रा) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7
(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	2,00,00	..	3,00	..	..	2,03,00
(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	..
(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को पुनः बिछाना (c) Restoration of dismantled lines	1,00	..	..	..	..	1,00
(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	20,28	1,78,00	21,00	6,53,72	..	8,73,00
(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	19,00	1,01	7,30	2,41,69	..	2,69,00
(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य (f) Traffic facilities—yard remodelling and others	4,75	7,70	18,00	1,19,55	3,00	1,53,00
(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	..	27,00	10,00	60,00	3,00	1,00,00
(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	..	3,00	14,00	20	2,80	20,00
(झ) चल-स्टाक (i) Rolling Stock	3,20,71	5,56,00	50	2,62,79	..	11,40,00
(ञ) रेलपथ का नवीकरण (j) Track Renewals	..	14,28,00	..	..	..	14,28,00
(ट) पुल संबंधी काम (k) Bridge Works	1,02	1,06,12	33,00	20,99	1,00	1,62,13
(ठ) सिगनल और दूरसंचार संबंधी निर्माण कार्य (l) Signallig & Telecommunication Works	12,24	1,30,73	96,30	29,56	6,90	2,75,73
(ड) लाइन तारों को डाक-तार विभाग से अपने अधिकार में लेना (m) Taking over of line wires from P&T	..	..	..	..	..	..
(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	2,92,35	15,00	10,00	33,35	..	3,50,70
(ण) विद्युत संबंधी अन्य कार्य (o) Other Electrical Works	..	38,36	18,00	28,00	6,00	90,36
(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery & Plant	1,12	70,23	6,00	13,88	4,00	95,23
(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops including production Units	8,96	32,00	9,00	1,39,74	10,30	2,00,00
(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	16,18	15,13	..	..	..	31,31

1995-96 में योजना-शीर्षों तथा आबंटन के अनुसार प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

The split up of the proposed expenditure in 1995-96 by Plan-heads and allocations is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital From General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधियां / Fund मू ह्रा नि DRF	वि नि DF	पूंजी निधि Capital Fund	राजस्व (चा ला रा) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7
(ष) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for Staff	..	6,18	8,50	20,00	50	35,18
(त) (i) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities	..	4,00	84,40	10	1,50	90,00
(ii) अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं (ii) Other Railway Users Amenities	..	..	..	..	..	..
(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश— (u) Investment in Govt. Commercial Undertaking	10,00	..	..	..	..	10,00
(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works	25	2,00	11,00	4,62	6,00	23,87
(ब) भण्डार उचन्त (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net)	3,62	..	..	45,69	..	49,31
(भ) निर्माण उचंत (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net)	81	..	..	38,67	..	39,48
(स) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Misc. Advances (Net)	..	..	..	—3,80	..	—3,80
जमा या वसूलियां— Credits or Recoveries :						
निकाले गये सामान के लिये जमा Credits for released materials	..	—6,20,46	..	..	.	—6,20,46
अन्य जमा Other Credits	—2,29	..	..	—3,75	..	—6,04
जोड़ TOTAL	9,10,00	20,00,00	3,50,00	17,05,00	45,00	50,10,00
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	2,41,50	..	..	..	..	2,41,50
जमा या वसूलियां Credits or Recoveries.	—1,50	..	..	..	..	—1,50
कुल जोड़ GRAND TOTAL	11,50,00	20,00,00	3,50,00	17,05,00	45,00	52,50,00

£इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए जुटाये जाने वाले 2250 करोड़ रुपये और अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कोंकण रेलवे निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 74 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

£Excludes Rs. 2250 crores proposed to be raised by the Indian Railway Finance Corporation for financing the Railway Plan and also excludes Rs. 120 crores to be raised by Konkan Railway Corporation and Rs. 74 crores to be arranged by Container Corporation of India for financing their projects.

निर्माण कार्यों पर व्यय

निर्माण कार्यों के लिए 4548 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था में से 3776 करोड़ रुपये अर्थात 83 प्रतिशत राशि चालू निर्माण कार्यों के लिए है तथा केवल 772 करोड़ रुपये अर्थात् 17 प्रतिशत नये निर्माण-कार्यों के लिए है।

1995-96 में चल-स्टाक पर व्यय

1995-96 में चल-स्टाक पर 1140.00 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है जिसमे से 948.46 करोड़ रुपये पहले दिये गए आर्डरों के अंतर्गत निर्धारित समय पर मिलने वाले चल-स्टाक के लिए है तथा 191.54 करोड़ रुपये नयी खरीद के लिये है, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	पूर्व कार्यक्रमों के अन्तर्गत	1995-96 के कार्यक्रम के अन्तर्गत
रेल इंजन	449.85	44.88
बायलर और अन्य	168.68	62.96
सवारी डिब्बे	256.13	83.49
माल डिब्बे	69.61	0.21
क्रेन	4.19	..
जोड़	948.46	191.54

खरीद कार्यक्रम (अर्थात् वे मदें जो बजट में शामिल की गयी है) में चल-स्टाक की निम्नलिखित यूनिटें शामिल हैं :—

विवरण	विदेशों से खरीदे जाने वाले	देशी स्रोतों से लिये जाने वाले	जोड़
(क) रेल इंजन			
(i) बिजली, उच्च अश्व शक्ति	16	..	16
(ii) डीजल शंटर	..	..	..
(iii) डीजल बिजली	..	110	110
(iv) बिजली	..	107*	107*
(v) पावर पैक	..	..	..
(ख) (i) सवारी डिब्बे	..	1400	1400
(ii) बिजली/डीजल मल्टियल यूनिट	..	350	350
अन्य स्टाक एस एल आर	..	134	134
(ग) माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)	..	12000	12000

*इसके अतिरिक्त बी० एच० ई० एल० से 10 अदद प्राप्त होने की संभावना है।

Expenditure on Works

Of the gross provision of Rs. 4548 crores for Works, Rs. 3776 crores or 83 per cent is for works in progress and only Rs. 772 crores or 17 percent is for new works.

Rolling Stock Expenditure in 1995-96

An expenditure of Rs. 1140.00 crores is proposed in 1995-96 on Rolling Stock of which Rs. 948.46 crores are for programmed deliveries of Rolling Stock already on order and Rs. 191.54 crores for new acquisitions, as detailed below :—

(In crores of rupees)

Particulars	Against earlier Programme	Against 1995-96 Programme
Locomotives . . .	449.85	44.88
Boilers & others . .	168.68	62.96
Carriage . . .	256.13	83.49
Wagons . . .	69.61	0.21
Cranes	4.19	..
TOTAL . . .	948.46	191.54

The Programme of Acquisitions (i.e. items included in the Budget) includes the following units of Rolling Stock :—

Particulars	To be obtained from abroad	To be obtained from indigenous sources	Total
(a) Locomotives			
(i) Electric High Horse Power . .	16	..	16
(ii) Diesel Shunters	..	..	..
(iii) Diesel Electric .	..	110	110
(iv) Electric . .	..	107*	107*
(v) Power Packs .	..	..	..
(b) (i) Coaches . .	..	1400	1400
(ii) Electric/Diesel Multiple Units .	..	350	350
Other Stock SLR	..	134	134
(c) Wagons (In terms of 4 wheelers) . .	..	12000	12000

*In addition 10 nos. are expected from BHEL.

1995-96 में मशीन और संयंत्र पर व्यय

मशीन और संयंत्र के लिए 95.23 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है जिसमें से 75.62 करोड़ रुपये निर्धारित समय पर मिलने वाले सामानों के लिए तथा 19.61 करोड़ रुपये नयी खरीद के लिए रखे गये हैं। 1995-96 के कार्यक्रम (नयी खरीद) में बदलाव के लिए केवल मशीनों और संयंत्रों की उन्हीं मदों को शामिल किया गया है, जिनकी मरम्मत किफायती नहीं है।

(नयी खरीद तथा निर्धारित समय पर मिलने वाले सामान के अन्तर्गत प्रत्येक रेलवे की आवश्यकताओं का सारांश रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम भाग-I में दिया गया है)।

Machinery and Plant Expenditure in 1995-96

The Budget provision for Machinery and Plant is Rs. 95.23 crores of which Rs. 75.62 crores are for programmed deliveries and Rs. 19.61 crores for new acquisitions. Machinery and Plant on replacement account included in the 1995-96 programme (new acquisitions) are, as usual, only items which are beyond economical repairs.

(A summary of the requirements of each Railway under new acquisitions as well as programmed deliveries is given in the Part I of Works, Machinery and Rolling Stock Programme for Railways).

1995-96 में रेलपथ का नवीकरण

1995-96 में रेलपथ के नवीकरण के लिए 1428.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 1043.60 करोड़ रुपये चालू कामों के लिए तथा शेष 384.40 करोड़ रुपये नये कामों के लिए हैं।

Track Renewals in 1995-96

The provision for Track Renewals in 1995-96 is Rs. 1428.00 crores of which Rs. 1043.60 crores are for works in progress and the balance of Rs. 384.40 crores is for new works.

1995-96 में चालू लाइन निर्माण-कार्य

चालू लाइनों के अन्य निर्माण कार्यों के लिए 1801.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 1482.85 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 89 प्रतिशत लाइन क्षमता के कार्यों तथा अन्य परिचालनिक सुधार कार्यों के लिए और शेष 318.42 करोड़ रुपये पुल संबंधी निर्माणकार्यों, उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाओं, कर्मचारी क्वार्टरों तथा कर्मचारी सुविधाओं के लिए है।

Open Line Works 1995-96

Provision for other Open Line Works is Rs. 1801.27 crores of this an amount of Rs. 1482.85 crores or about 89 per-cent is earmarked for line capacity works and other operating improvements and the balance of Rs. 318.42 crores is distributed over bridge works, users amenities, staff quarters and amenities for staff.

1995-96 में चालू लाइन निर्माण-कार्यों का ब्यौरा

नये निर्माण-कार्य और 5 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के महत्वपूर्ण चालू कार्य आदि इस ज्ञापन के परिशिष्ट-I के खंड (क) और (ख) में सूचीबद्ध किये गये हैं।

Particulars of Open Line Works in 1995-96

New works and important works in progress each estimated to cost above Rs. 5 crores are listed in sections (a) and (b) of Appendix-I to this Memorandum.

1995-96 में भंडार उचंत, निर्माण उचंत तथा विविध अग्रिम

बजट में पूंजी उचन्त शीर्ष (शुद्ध) के अन्तर्गत 85.00 करोड़ रुपये की वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें भंडार उचंत, निर्माण उचंत अन्तर्गत क्रमश: 49.32 करोड़ रुपये, 39.48 करोड़ रुपये की वृद्धि और विविध अग्रिम के अंतर्गत —3.80 करोड़ रुपये की कमी शामिल है। यह वृद्धि रेलों की बढ़ी गतिविधियों और उत्पादन यूनिटों में उत्पादन के उच्चतर स्तर को पूरा करने के कारण है।

1995-96 में जमाखाते

वर्ष के दौरान विनिर्मुक्त सामान आदि के लिए जमा खाते में कुल 628.00 करोड़ रुपये के समायोजन की सम्भावना है। यह राशि सकल मांग में शामिल नहीं है।

1995-96 में पूंजी (निर्माण) बजट का सारांश

1995-96 में रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम पर अनुमानतः कुल 5250 करोड़ रुपये का शुद्ध खर्च होगा। इस खर्च का आबंटन-वार वितरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

पूंजी	1150
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	2000
विकास निधि	350
पूंजी निधि	1705
चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	45
जोड़	5250*

*इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए जुटाये जाने वाले 2250 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1995-96) और अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कोंकण-रेलवे निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर निगम द्वारा मुहैया कराये जाने वाले 74 करोड़ रुपये भी शामिल नहीं हैं।

पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, और चालू लाइन निर्माण (राजस्व) को प्रभार्य बजट अनुमानों के खर्च के अधिक ब्यौरे के लिए रेलों के निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम—भाग I और II की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Stores Suspense, Manufacture Suspense and Miscellaneous Advance in 1995-96

The Budget envisages an increase of Rs. 85.00 crores under the Capital Suspense Heads (Net) comprising a increase of Rs. 49.32 crores, Rs. 39.48 crores under Stores Suspense, Manufacture Suspense and reduction of Rs. —3.80 crores under Misc Advances respectively. The increase is to cater to the increased activities of Railways and higher level of production in the Production Units.

Credits during 1995-96

Credits totalling Rs. 628.00 crores for released materials etc., are expected to be adjusted during the year. These do not figure in the gross demand.

Summary of Capital (Works) Budget 1995-96

The distribution of the total estimated net expenditure of Rs. 5250 crores during 1995-96 on the Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways, allocationwise is as under :—

(In crores of rupees)

Capital	1150
Depreciation Reserve Fund	2000
Development Fund	350
Capital Fund	1705
Open Line Works (Revenue)	45
TOTAL	5250*

*Excludes Rs. 2250 crores (Budget Estimates, 1995-96) proposed to be raised by the Indian Railway Finance Corporation for financing the Railway Plan and also Rs. 120 crores to be raised by Konkan Railway Corportion and Rs. 74 crores to be arranged by Container Corporation of India for financing their projects.

For further particulars of the Budget Estimates of the Expenditure chargeable to Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund, and Open Line Works (Revenue) reference is inivited to the Works Machinery and Rolling Stock Programme of Railways—Parts I and II.

परिशिष्ट/Appendix I

(क) 794.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था नई लाइनों के निर्माण, उखाड़ी गई लाइनों को दुबारा बिछाने, विद्युतीकरण परियोजनाओं और महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार की गई है :—

(a) *A provision of Rs. 794.20 crores for New Lines, Restoration of dismantled lines, Electrification Projects and Metropolitan Transport Projects has been made as listed below :—*

(लाख रुपयों में) (Figure in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project	आवंटन Allocation	नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक) या संभावित Date of opening (actual or expected)
मध्य रेलवे		**CENTRAL RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
पनवेल-करजत—बड़ी लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण	पूंजी	Panvel–Karjat–Land acquisition for BG line	Cap	3,65	3,64	1	..	*
सतना-रीवा—50 कि० मी०	पूंजी	Satna–Rewa—50 Km . .	Cap.	43,86	43,65	21	..	18-2-93
शिवपुर-ग्वालियर-भिंड के रास्ते गुना-इटावा–348.25 कि० मी०	पूंजी	Guna–Etawah via Shivpur–Gwalior–Bhind (348.25 km.) .	Cap	2,56,00	1,17,35	14,00	1,24,65	*
अमरावती—नरखेड़ (138 कि० मी०)	पूंजी	Amravati–Narkher–138 km .	Cap	1,20,90	2,00	2,00	1,16,90	*
अहमदनगर–बीड–पर्ली वैजनाथ (250 कि.मी.)	पूंजी	Ahmednagar–Beed–Parli Vaijnath (250 km)	Cap.	3,53,08	..	1,00	3,52,08	*
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
थाणे—तुर्भे-नेरुल-वाशी—न्यू बंबई में गलियारे सं. 2 का भाग	विविध अग्रिम (पूंजी) निक्षेप	Thane–Turbhe–Nerul–Vashi–Part of corridor no. 2 in New Bombay	Misc. Advances (Capital) Deposit	44,65 90,65	..	3,00	41,65	*
बेलापुर-पनवेल—पश्चिम-पूर्वी गलियारे के भाग के रूप में दैनिक यात्री दोहरी लाइन	विविध अग्रिम (पूंजी) निक्षेप	Belapur–Panvel–Commuter double line as part of West-East corridor	Misc. Advances (Capital) Deposit	47,52 95,35	..	8,00	39,52	*
पूर्व रेलवे		**EASTERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
लक्ष्मीकांतपुर–नामखाना (47.5 कि०मी०)	पूंजी	Lakshmikantapur–Namkhana (47.5 km)	Cap	50,00	35,02	5,17	9,81	31-3-95
मंदार हिल–रामपुरहाट वरास्ता दुमका	पूंजी	Mandar Hill–Rampurhat via Dumka	Cap	1,70,47	10	2,00	1,68,37	*

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project	आबंटन Allocation	नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	परियोजना चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of openign (actual or expected)
पूर्व रेलवे		**EASTERN RAILWAY**						
विद्युतीकरण परियोजनाएं		*Electrification Projects*						
बंडेल–कटवा (104 कि०मी०)	पूंजी	Bandel–Katwa (104 km)	Cap	37,40	18,05	13,33	6,03	*
	मू०आ०नि०		DRF	6,08	..	6,07	1	
	वि०नि० 4		DF 4	3,39	..	80	2,59	
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
कलकत्ता–सर्कुलर रेलवे परियोजना	विविध अग्रिम (पूंजी)	Calcutta-Circular Railway project	Misc. Advances (Capital)	35,49	34,85	20	44	June, 90
उत्तर रेलवे		**NORTHERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
जम्मूतवी–ऊधमपुर (56.10 कि०मी०)	पूंजी	Jammu Tawi–Udhampur (56.10 km)	Cap	1,95,06	1,35,13	50,00	9,93	*
नंगल डैम–तलवाड़ा (83.74 कि०मी०) और मुकेरियां—तलवाड़ा (29.16 कि०मी०) साइडिंग का अधिग्रहण	पूंजी	Nangal Dam–Talwara (83.74 km) & taking over siding Mukerian–Talwara (29.16 km)	Cap	1,50,00.00	2484.54	0.01	1,25,15.45	*
ब्यास–गोइंदवाल (27 कि०मी०)	पूंजी	Beas–Goindwal (27 km)	Cap	17,13	15,78	1,35	..	Mar., 95
ऊधमपुर—श्रीनगर–बारामुला	पूंजी	Udhampur-Srinagar-Baramulla	Cap	19,00,00	1,00	1,00	18,98,00	*
पूर्वोत्तर रेलवे		**NORTH EASTERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
रामपुर—लाल कुआं—काठगोदाम—रामपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	वि०नि०(4)	Rampur-Lalkua-Kathgodam—Road-overbridge on National Highway near Rampur	DF(4)	5,30.00	1,50.00	0.01	379.99	*
कटरा—फैजाबाद	पूंजी	Katra-Faizabad	Cap	47,06	2,00	0	45,06	*
	वि०नि०(4)		DF4	4,20	0	2,40	1,80	
उखाड़ी गई लाइनों को फिर से बिछाना		*Restoration of dismantled lines*						
बगहा—छितौनी	पूंजी	Bagaha-Chhitauni	Cap	13,27	10,02	1,00	2,25	*
	मू०आ०नि०		DRF	74,94	74,94	..	..	
	निक्षेप		Deposit	96,47				

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project	आबंटन Allocation	नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1995-96	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक) या संभावित Date of opening (actual or expected)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		**NORTHEAST FRONTIER RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
दुधनोई—देपा (ब०ला०) (17.50 कि. मी.)	पूंजी	Dudhnoi–Depa (BG) (17.50 km)	Cap	20,13.00	0.01	5,00.00	15,12,99	*
जोगीघोपा—गुवाहाटी—जोगीघोपा से गुवाहाटी (142.15 कि० मी०) तक ब० ला० सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल-एवं-सड़क पुल	पूंजी	Jogighopa–Guwahati–Rail-cum-road bridge across Brahmaputra at Jogighopa alongwith BG line from Jogighopa to Guwahati (142.15 km) . .	Cap	3,94,04	2,99,05	30,50	64,49	*
	निक्षेप		Deposit	1,39,26				
एकलाखी—बालूरघाट–इकलाखी से मालदा टाउन तक विस्तार सहित बड़ी लाइन (87.11 कि० मी०)	पूंजी	Eklakhi-Balurghat (BG) with with extension from Eklakhi to Malda Town (87.11 km) .	Cap	1,05,91	3,97	5,00	96,94	*
दक्षिण रेलवे		**SOUTHERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
चित्रदुर्ग—रायदुर्ग—बड़ी लाइन (100 कि० मी०)	पूंजी	Chitradurg–Rayadurg–BG (100 km)	Cap	82,80	74,48	8,32		*
	मू०आ०नि०		DRF	79	79	..		
कोट्टूर-हरिहर बरास्ता हरपनहल्ली (65 कि .मी.)	पूंजी	Kottur–Harihar via Harpanhalli (65 km)	Cap.	65,94	..	2,00	63,94	*
दक्षिण मध्य रेलवे		**SOUTH CENTRAL RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
पेद्दपल्ली—करीमनगर—निजामाबाद—177 कि० मी०	पूंजी	Peddapalli–Karimnagar–Nizamabad—177 km . . .	Cap	1,92,22	2,03	1,99	1,88,20	*
	वि०नि०(1)		DF1	5	..	..	5	
	वि०नि०(4)		DF4	86	..	60	26	
काकिनाडा–कोटापल्ली–लाइन का पुनर्स्थापन	पूंजी	Kakinada—Kotapalli Restoration of line	Cap	10.00	..	1	9,99	*
	मू०आ०नि०		DRF	34,00	..	..	34,00	
दक्षिण पूर्व रेलवे		**SOUTH EASTERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)		*New Lines (Construction)*						
हवड़ा–आमता–बड़गछिया–चांपाडंगा शाखा (73.5 कि०मी०) सहित हवड़ा-आमता लाइट रेलवे के बदले बड़ी लाइन	पूंजी	Howrah–Amta–BG line in lieu of Howrah–Amta Light Railway including Bargachia–Champadanga branch (73.5 km)	Cap	30,42.60	20,62.47	0.01	980.12	*
	राजस्व		R	1,00				
तामलुक—दीघा (ब०ला०) (87.5 कि० मी०)	पूंजी	Tamluk–Digha (BG) (87.5 km)	Cap	73,71	23,45	3,43	46,83	*

*मार्च, 1994

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम / Name of the Project		आवंटन / Allocation	नवीनतम अनुमानित लागत / Latest estimated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च / Approximate expenditure upto 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) / Date of opening (actual or expected)
दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)	*New Lines Construction*						
दैतारी—बांसपानी (155 कि०मी०) पूंजी	Daitari-Banspani (155 km) .	Cap	2,42,55	31,14	30,00	1,81,42	*
खोरदा रोड—बोलंगीर (ब०ला०) (289 कि०मी०) पूंजी	Khurda Road-Bolangir (BG) (289 km)	Cap	3,53,38	1,00	2,00	3,50,38	*
लांजीगढ़ रोड—जूनागढ़ (54 कि० मी०) पूंजी	Lanjigarh Road-Junagarh (54 km)	Cap	1,00,00	2,50	2,00	95,50	*
तालचेर—संबलपुर (174 कि० मी०) पूंजी	Talcher-Sambalpur (174 km) .	Cap	2,18,31	1,44,02	24,00	50,30	*
कोरापुट—रायगड़ा (164 कि० मी०) पूंजी	Koraput-Rayagada (164 km) .	Cap	4,30,40	4,24,40	6,00	..	*
दल्ली राजहरा—जगदलपुर (235 कि.मी.) पूंजी निक्षेप	Dallirajahara-Jagdalpur (235 km)	Cap. Deposit	1,28,00 2,41,00	..	1,00	1,27,00	*
विद्युतीकरण परियोजनाएं	*Electrification Projects*						
सिम्हाचलम नार्थ—वाल्तेरु—रेलपथों का विद्युतीकरण. पूंजी	Simhachalam North-Waltair-Electrification of tracks .	Cap	91	41	50	..	*
पश्चिम रेलवे	**WESTERN RAILWAY**						
नई लाइनें (निर्माण)	*New Lines (Construction)*						
कपड़वंज—मोड़ासा (ब०ला०) (59.71 कि० मी०) पूंजी	Kapadvanj-Modasa (BG) 59.71 km)	Cap	45,00	7,50	2,00	35,50	*
गोधरा—इन्दौर बरास्ता दाहोद, सरदारपुर, धार और देवास—मक्सी (ब० ला०) (316 कि० मी०) पूंजी	Godhra-Indore via Dahod, Sardarpur, Dhar & Dewas-Maksi (BG) (316 km) .	Cap	2,97,14.00	10,17.42	0.01	2,86,96.57	*
महानगर परिवहन परियोजनाएं	*Metropolitan Transport Projects*						
बसई रोड—वैतरणा—डी.सी. कर्षण के साथ फ्लाई ओवर सहित तीसरी और चौथी लाइनें (3 ब्लाक खंड) (16.64 कि.मी.) विविध अग्रिम (पूंजी)	Vasai Road-Vaitarna—Third & Fourth lines (3 block sections) (16.64 km) alongwith fly-over with D.C. traction. .	Misc. Advances (Capital)	46,16	..	7,18	38,98	*

*मार्च, 1994

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project	आबंटन Alloca-tion	नवीनतम अनुमानित लागत Latest esti-mated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approxi-mate expendi-ture upto 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provi-sion for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to com-plete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक) या संभावित Date of opening (actual or expected)
पश्चिम रेलवे		**WESTERN RAILWAY**						
महानगर परिवहन परियोजनाएं		***Metropolitan Transport Project***						
बोरीवली–वसई रोड–चौहरी लाइन बिछाना (17.65 कि. मी.)	विविध अग्रिम (पूंजी)	Borivli–Vasai Road—Quadrupling of lines (17.65 km)	Misc. Advances (Capital)	1,31,35	..	4,00	1,27,35	*
रेल विद्युतीकरण		**Railway Electrification**						
विद्युतीकरण परियोजनाएं		***Electrification Projects***						
सामलकोट—काकीनाडा पोर्ट शाखा लाइन सहित विजयवाड़ा—विशाखापत्तनम (366 कि०मी०)	पूंजी मू०आ०नि० वि०नि०(4)	Vijayawada-Visakhapatnam including Samalkot-Kakinada Port branch line (366 km) .	Cap DRF DF4	1,69,25 73 2,98	20,31	72,98 72 22,1	75,96 1 79	*
कोचीन हार्बर टर्मिनस सहित ईरोड–पालघाट- एर्नाकुलम (324 कि० मी०)	पूंजी मू०आ०नि० विनि०(4)	Erode–Palghat–Ernakulam including Cochin Harbour Terminus (324 km)	Cap DRF DF4	1,61,30 5,91 55	27,24 8 ..	21,58 3,92 50	1,12,48 1,91 5	*
पतरातु—सोननगर (291 कि० मी०)	पूंजी वि०नि०(4)	Patratu–Sonenagar (291 km) .	Cap DF4	1,71,91 35	1,07,22 ..	39,70 30	24,99 5	*
रेणिगुंटा—गुंतकल-हास्पेट एवं तोरणगल्लू–रंजीतपुरा शाखा लाइन (448 कि० मी०)	पूंजी मू०आ०नि० वि०नि०(4)	Renigunta–Guntakal–Hospet & Toranagallu–Ranjitpura branch line (448 km)	Cap DRF DF4	1,60,61.35 6,98 9,43	8,22.25	0.01	1,52,39.09 6,98 9,43	*
आद्रा–मिदनापुर (155 किमी)	पूंजी	Adra–Midnapur (155 km) .	Cap	95,00	60	2,50	91,90	*
पुरुलिया–कोटशिला सहित बोकारो स्टील सिटी–मुरी—हतिया—बोंडामुंडा–बिमलागढ़–किरिबुरु/बरसुआन (398 कि० मी०)	पूंजी वि०नि०(4)	Bokaro Steel City–Muri–Hatia–Bondamunda–Bimlagarh–Kiriburu/Barsuan including Purulia–Kotshila (398 km) . .	Cap DF4	1,12,77 25	28,46 ..	18,00 20	66,31 5	*
चांडिल–मुरी—बरकाकाना (119 कि० मी०)	पूंजी	Chandil–Muri–Barkakana (119 km)	Cap	32,22	1,00	5,20	26,02	*
जमदोबा—मोहुदा (22 कि.मी)	वि०नि०(3)	Jamadoba–Mohuda (22 km) .	DF3	4,80	3	4,77	..	*
रामपुर–डुमरा–गढ़हरा–बरौनी (562 कि० मी०) सहित बरास्ता पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन सीतारामपुर—दानापुर—मुगलसराय (562 कि० मी०)	पूंजी वि०नि०(4)	Sitarampur–Danapur–Mughalsarai via main line of Eastern Railway including Rampur Dumra–Garhara–Barauni (562 km)	Cap DF4	2,40,17 24	56,31 ..	30,80 20	1,53,06 4	*

*मार्च 96

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project	आवंटन Allocation	नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	परियोजना को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
रेलवे विद्युतीकरण		**RAILWAY ELECTRIFICATION**						
विद्युतीकरण परियोजना		*Electrification Projects*						
कटनी–अनूपपुर–बिलासपुर (520 कि० मी०)	पूंजी	Katni–Anuppur–Bilaspur (520 km)	Cap	3,25,00	2,42,86	54,60	27.54	
	मू०प्रा०नि०		DRF	50	50	..	..	
	वि०नि०(4)		DF4	1,45	99	40	6	
विजयवाड़ा—बल्हारशाह (454 कि० मी०)	पूंजी	Vijayawada–Balharshah (454 km)	Cap	1,61,31	1,40,90	4,71	15,70	*
	मू०प्रा०नि०		DRF	2,94	2,64	29	1	
गुमिया—पतरातू (72 कि०मी०)	पूंजी	Gumia–Patratu (72 km)	Cap	17,86	6,97	10,00	89	*
दिल्ली–अम्बाला छावनी—लुधियाना (314) कि० मी०)	पूंजी	Delhi–Ambala Cantt.–Ludhiana (314 km)	Cap	1,64,84	91,53	49,90	23,41	*
	वि० नि० (4)		DF4	22	11	10	1	
बीना—कटनी (263 कि०मी०)	पूंजी	Bina–Katni (263 km)	Cap	1,97,04	1,94,17	20	2,66	**
	मू०प्रा० नि.		DRF	6,37	42	4,00	5,95	
	वि०नि० (4)		DF4	3,54	2,64	52	38	
अम्बाला–मुरादाबाद–(274 कि० मी०)	पूंजी	Ambala–Moradabad (274 km)	Cap	1,47,40	16,34	1,70	1,29,36	*
महानगर परिवहन परियोजनाएं (दिल्ली)		MTP (DELHI)						
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
दिल्ली—विद्युतीकृत अंतर-शहरी रेल दैनिक यात्री सेवा	वि०अ०पू०	Delhi—Electrified Intra Urban Rail Commuter Service	MAC	34,18	32,14	30	1,74	*
म०प०प० (कलकत्ता)		MTP (CALCUTTA)						
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
दम दम–टालीगंज (कलकत्ता)—द्रुत परिवहन प्रणाली का डिजाइन एवं निर्माण	वि०अ०पू०	Dum Dum–Tollygunj (Calcutta) – Design & construction of Rapid Transit System	MAC	15,62,00	14,21,20	1,40,80	..	*
म०प०प० (बम्बई)		MTP (BOMBAY)						
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
अंधेरी–बांद्रा–अतिरिक्त जोड़ी लाइनें	वि०अ०पू०	Andheri–Bandra–Additional pair of lines	MAC	1,45,48	1,27,75	17,73	..	*
मानखुर्द–बेलापुर–थाणे क्रीक पर पुल सहित लाइनों का विस्तार, रावली जं० पर फ्लाईओवर, एवं वडाला में रिवर्सल सुविधाएं	वि०अ०पू०	Mankhurd—Belapur–Extension of lines with a bridge across Thane Creek, fly-over at Ravli Jn. and reversal facilities at Wadala	MAC	1,45,48	1,27,75	17,73	..	*
	डी०पी०ओ०		DPO	2,95,38				
म०प०प० (मद्रास)		MTP (MADRAS)						
महानगर परिवहन परियोजनाएं		*Metropolitan Transport Projects*						
मद्रास बीच—लूज-द्रुत परिवहन प्रणाली	विविध अग्रिम पूंजी	Madras Beach–Luz–Rapid Transit System	MAC	1,85,61	1,07,27	42,00	36,34	†

*मार्च 95 **जनवरी 95 †सितम्बर 91

(ख) 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के नये चालू लाइन निर्माण कार्य जिनके लिए 1995-96 में धन की व्यवस्था की गयी है :

(b) The new open line works costing over Rs. 5 crores for which funds have been provided in 1995-96.

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण Particulars of works		प्रत्याशित लागत antici-pated cost	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete
मध्य रेलवे		CENTRAL RAILWAY			
दोहरी लाइन बिछाना		*Doubling*			
	दौंड—भिगवान (27.68 कि० मी०)	Daund-Bhigwan (27.68 km) . .	38,78	1,50	37,28
यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम		*Traffic facilities—Yard remodelling & others*			
	बम्बई वी० टी०—मुख्य लाइन परिसर के ढांचे में परिवर्तन (चरण–I) (स्तर –II)	Bombay VT—Remodelling of main line complex (Phase I) (Stage II) .	20,33	18	20,15
	पनवेल–पेन–रोहा (75 कि० मी०)—पेनल अंतर्पाशन सहित ब्लाक खंड का 3 लाइन क्रासिंग स्टेशन से विभाजन	Panvel-Pen-Roha (75 km)—Splitting up block section by 3-line crossing station with panel interlocking . .	7,63	7,34	29
	मनमाड जं०—लाइनों के विस्तार के लिए यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	Manmad Jn.—Remodelling of yard for extension of line . . .	6,55	6,38	17
	कुर्ला—यात्री टर्मिनल सुविधाएं (चरण—II)	Kurla—Passenger terminal facilities (Phase II)	6,00	5,53	47

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० / Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण / Particulars of works		प्रत्याशित लागत / Anticipated cost	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the work
	सिगनल और दूर संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*			
	भोपाल—इटारसी और इटारसी—बल्लारशाह—दूसरा दूरस्थ सिगनल (98 स्टेशन)	Bhopal-Itarsi and Itarsi-Balharshah—Second distant signals (98 stations)	7,43	4,17	3,26
	अन्य बिजली संबंधी काम	*Other Electrical Works*			
	भुसावल (टी आर डी)—कर्षण पावर सप्लाई प्रणाली को बढ़ाना	Bhusawal (TRD)—Augmentation of traction power supply system . .	12,53	26	12,27
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY			
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*			
	गुसकरा—बोलपुर (चरण –III)	Guskara-Bolpur—(Phase III) . .	24,15	3,00	21,15
	बज बज—आकरा (चरण –I) (6.09 कि० मी०)	Budge Budge-Akra (Phase I) (6.09 km)	7,85	3,00	4,85
	सिगनल और दूर—संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*			
	बर्द्धमान—इंडोर और आउटडोर सिगनल गियरों का रूट रिले अन्तर्पाशन से बदलाव	Barddhaman—Replacement of indoor and outdoor signalling gears by RRI	8,38	1	8,37
	कर्मचारियों के लिए सुविधाएं	*Amenities for Staff*			
	आसनसोल मंडल— अव-मानक क्वार्टरों का सुधार (2115 इकाई)	Asansol Division—Improvement to sub-standard quarters (2,115 units) .	5,29	23	5,06
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY			
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*			
	टूण्डला—यमुना पुल (21 कि० मी०)	Tundla-Yamuna Bridge (21 km) .	24,60	5,28	19,32
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic faclities—Yard remodelling and Others*			
	नई दिल्ली—स्टेशन का विकास (चरण—II)	New Delhi—Development of station (Phase II)	13,19	10,00	3,19

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	प्रत्याशित लागत Antici-pated cost	1995-96 के लिए प्रावधान Provision for 1995-96	कार्य पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the work
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY			
	सिगनल और दूर-संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*			
	सहारनपुर–मुरादाबाद–लखनऊ–उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेलपथ परिपथन (23 स्टेशन)	Saharanpur-Moradabad-Lucknow—Track circuiting from FM to FM (23 stations)	6,28	1,15	5,13
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*			
	जोधपुर—मी० ला० कारखाने को ब० ला० में बदलना	Jodhpur—Conversion of MG work-shop to BG	6,93	2,79	4,14
	कर्मचारियों के लिए सुविधाएं	*Amenities for Staff*			
	जोधपुर—अव मानक टाइप–I कर्मचारी क्वार्टरों का सुधार	Jodhpur—Improvement to sub-standard Type-I staff quarters . . .	13,91	9	12,82
	फिरोजपुर—अव मानक टाइप–I कमचारी क्वार्टरों का सुधार	Firozepur—Improvement to sub-standard Type-I staff quarters . .	5,45	13	5,32
	अन्य विनिर्दिष्ट काम	*Other Specified Works*			
	जोनों और मंडलों का पुनर्गठन	Re-organisation of zones and divisions	250,00	1	249,99
	पूर्वोत्तर रेलवे	NORTH EASTERN RAILWAY			
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*			
	खड्डा–गोरखपुर (86 कि.मी.)	Khada-Gorakhpur /86 km) . .	45,00	3,00	42,00
	नरकटियागंज–वाल्मिकी नगर (50 कि०मी०)	Narkatiaganj-Valmikinagar (50 km) .	40,38	3,00	37,38
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*			
	इलाहाबाद—वाराणसी—पैनल और एम ए सी एल सिगनल व्यवस्था सहित मानक-III अंतर्पाशन का ग्रेडोन्नयन	Allahabad-Varanasi—Upgradation to Standard-III interlocking with panel and MACL signalling	17,78	1,75	16,03
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	NORTHEAST FRONTIER RAILWAY			
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*			
	डिब्रूगढ़—कारखाने का मी० ला० से० ब० ला० में परिवर्तन	Dibrugarh—Conversion of workshop MG to BG	5,69	3,00	2,69

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	प्रत्याशित लागत Antici-pated cost	1995-96 के लिए प्रावधान Provision for 1995-96	कार्य पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the work
	दक्षिण रेलवे	SOUTHERN RAILWAY			
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*			
	मैसूर—हसन	Mysore-Hassan	80,00	5,00	75,00
	यशवंतपुर-सेलम (197 कि. मी.)	Yeshwantpur-Salum (197 km) . .	1,40,00	1,00	1,39,00
	तिरुचिरापल्ली—नागोर-केराइकल (200 कि०मी०)	Tiruchirappalli-Nagore-Karaikal (200 Km.)	1,00,00	2,00	98,00
	दोहरीकरण	*Doubling*			
	बेंगलूर-कंगेरी-कहीं-32 दोहरी लाइन बिछाना (12.35 कि. मी.) 25 के.वो. कर्षण सहित	Bangalore-Kengeri—Patch doubling (12.35 km) with 25 KV electrification	23,59	2,00	21,59
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*			
	बेंगलूरु सिटी—अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं तथा दूसरा प्रवेश	Bangalore City—Additional terminal facilities and second entry . .	19,76	10	19,66
	सिगनल और दूर-संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*			
	मद्रास—गुडूर, अरकोणम—जोलारपेट्टै—बेंगलूरु सिटी—राजधानी, शताब्दी मार्गों पर दूसरा दूरस्थ सिगनल	Madras-Gudur, Arakonam-Jolarpettai-Bangalore City—Second distant signals on Rajdhani, Shatabdi routes .	7,34	60	6,74
	दक्षिण मध्य रेलवे	SOUTH CENTRAL RAILWAY			
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*			
	पेद्दावतपल्ली, हाल्टों को पुल्ला और बादामपुडी—क्रासिंग स्टेशनों में बदलना	Peddavutapalli, Pulla and Badampudi—Halts into crossing stations . .	8,56	5,10	3,46
	तुम्मलचेरुवु, रेड्डीगुडम और सिरीपुरम—नए क्रासिंग स्टेशन	Tummalacheruvu, Reddigudem and Siripuram—New crossing stations .	6,42	5,00	1,42
	सिगनल एवं दूर संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*			
	विजयवाड़ा—गुडूर—लीवर फ्रेम तथा प्वाइंट सम्पर्क का बदलाव (6 स्टेशन)	Vijayawada-Guder—Replacement of lever frames and Point connections (6 stations)	6,79	2	6,77
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*			
	हुबली—सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग के लिए मी० ला० कारखाने का ब० ला० में परिवर्तन	Hubli—Conversion of workshop MG to BG for POH of carriages . .	9,33	5,90	3,43

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	प्रत्याशित लागत Antici-pated cost	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete tne work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	SOUTH EASTERN RAILWAY			
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*			
	रुपसा—बांगरीपोसी (89 कि. मी.)	Rupsa-Bangriposi (89 km) . .	57,95	3,00	54,95
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*			
	रघुनाथपुर-गोरखनाथ—रहामा-कहीं-2 दोहरी लाइन बिछाना (28.40 कि० मी०)	Raghunathpur-Gorakhnath-Rahama—Patch doubling (28.40 km) . .	25,00	6,00	19,00
	उरकुरा—रायपुर—सरोना (11.6 कि० मी०)	Urkura-Raipur-Sarona (11.6 km) .	11,90	2,00	9,90
	सिगनल और दूर संचार संबंधी कार्य	*Signaling and Telecommunication Works*			
	हवड़ा—खड़गपुर—लीवर फ्रेमों और भूमिगत गियरों का पेनल अंतर्पाशन से बदलाव (6 स्टेशन)	Howrah-Kharagpur—Panel interlocking in replacement of lever frames and ground gears (6 stations) . .	5,04	65	4,39
	बिलासपुर—अनूपपुर-कटनी—रन थ्रू लाइनों का उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल-पथ परिपथन	Bilaspur-Anuppur-Katni—FM to FM track circuiting of run through lines	6,64	75	5,89
	रायपुर—विजयानगरम—रन थ्रू लाइनों का उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तथा रेल-पथ परिपथन	Raipur-Vizianagaram—FM to FM track circuiting of run through lines	6,84	80	6,04
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY			
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*			
	गाँधीधाम—भुज (58 कि०मी०)	Gandhidham—Bhuj (58 km.)	26,14	2,00	24,14
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*			
	कोटा—गुर्ला—चम्बल पुल सं० 211 को दोहरा करना	Kota-Gurla—Doubling of Chambal bridge No. 211	8,50	5,00	3,50

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० / Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	प्रत्याशित लागत / Anticipated cost	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the work
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY			
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*			
	बम्बई सेन्ट्रल—बोरीवली—पांचवीं और छठी लाइन	Bombay Central-Borivli—Fifth & sixth lines	39,80	10,00	29,80
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*			
	गांधीधाम (ब० ला०)—टर्मिनल सुविधाओं में वृद्धि	Gandhidham (BG)—Augmentation of terminal facilities	8,68	3,69	4,99
	चर्चगेट—विरार—केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण तथा गाड़ी संसूचन प्रणाली	Churchgate-Virar—Centralised Traffic Control & Train Describer System .	9,79	1,00	8,79
	पुल संबंधी काम	*Bridge Works*			
	कांडिवली—मलाड—समपार सं० 31 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	Kandivli-Malad—Road-over bridge in lieu of level crossing No. 31 . .	6,04	10	5,94
	निक्षेप	Deposit	12,58		
	सिगनल और दूरसंचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*			
	सूरत—अहमदाबाद—रिले अंतर्पाशन से सिगनल गियरों और फ्रेमों का बदलाव (7 स्टेशन)	Surat-Ahmedabad—Replacement of signalling gears & lever frames with relay interlocking (7 stations) . .	5,15	15	5,00
	बिजली संबंधी अन्य काम	*Other Electrical Works*			
	दहीसर—2× 3 एम. डब्ल्यू क्षमता का कर्षण उप-स्टेशन	Dahisar—Traction sub-station of 2 × 3 mw capacity	8,15	10	8,05
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*			
	अजमेर सवारी और माल डिब्बा मरम्मत कारखाना—150 बड़ी लाइन के यात्री सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग हेतु मी० ला० का आमान परिवर्तन	Ajmer C&W Repair Shop—Conversion from MG for POH of 150 BG passenger coaches	5,86	4,93	93

ग. 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत के महत्वपूर्ण चालू-लाइन निर्माण कार्य जिनके लिए 1995-96 में धन की व्यवस्था की गई है

C. *Important Open Line Works in progress costing over Rs. 5 crores for which funds have been provided in 1995-96 :—*

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० निर्माण कार्य का विवरण Sl. No. Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete
मध्य रेलवे	CENTRAL RAILWAY				
आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
परसिया—छिंदवाड़ा—छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (28.8 कि० मी०)	Parasia-Chhindwara—NG to BG (28.8 km)	23,62	20	8,00	15,42
मिरज-लातूर (59 कि०मी०)	Miraj-Latur (59 km) . . .	2,25,00	2,25	10,00	2,12,75
दौण्ड—बारामती—छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (42 कि०मी०)	Daund-Baramati—NG to BG (42 km)	16,68	16,16	52	..
दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
भोपाल मंडल—नर्मदा पुल का भाग	Bhopal Division—Narmada bridge portion	12,81	12,53	27	1
हेतमपुर-घेर—चंबल पुल सहित इकहरी लाइन	Hetampur-Gher—Single line including Chambal bridge . .	31,75	9,92	9,60	12,23
नरखेड़-मेटपांजरा (34.34 कि०मी०)	Narkher-Metpanjra (34.34 km)	47,69	46,44	1,25	..
कीरतगढ़—काला आखर (22.25 कि०मी०) और मेटपांजरा—भरतवाड़ा (38.38 कि०मी०)	Kiratgarh—Kala Akhar (22.25 km) & Metpanjra-Bharatwada (38.38 km)	97,18	96,11	1,07	..
यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*				
बम्बई—कल्याण (धीमा गलियारा) सिगनलों का पुनः अंतरण	Bombay-Kalyan (slow corridor)—Respacing of signals . .	9,71	2,86	25	6,60
कारनक बंदर—मुख्य लाइन कोचिंग काम्पलैक्स के ढांचे में परिवर्तन (चरण-I)	Carnak Bunder Remodelling of main line coaching complex (Phase-I)	9,45	7,98	1,47	..
हबीब गंज—कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं	Habibganj—Coaching terminal facilities	7,90	7,75	15	..
सिगनल और दूर-संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*				
बम्बई—कल्याण—जंक्शन केबुलों/तारों का आप्टिकल फाइबर केबुलों में बदलाव	Bombay-Kalyan—Replacement of junction cables/wires by optical fibre cables	8,50	5,44	3,00	6

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० निर्माण कार्य का विवरण	Sl. No. Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च Approximate expendi-ture to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balanc to complete the work
मध्य रेलवे	CENTRAL RAILWAY				
सिगनल एवं दूर संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*				
बम्बई मंडल—लीवर फ्रेमों का पैनल अंतर्पाशन द्वारा बदलाव (6 स्टेशन)	Bombay Division—Replacement of lever frames by panel interlocking (6 stations)	6,59	6,34	25	..
बम्बई--भुसावल—सूक्ष्मतरंग उपस्कर संपर्क का बदलाव	Bombay-Bhusawal—Replacement of microwave equipment link .	20,53	6,52	9,17	4,84
भुसावल एवं मनमाड—आर ई एवं ओ एफ सी केबुल	Bhusawal & Manmad—RE & OFC cable	18,90	7,06	6,80	5,04
तुगलकाबाद (लिंक जंक्शन) एवं ग्वालियर--भोपाल—दूसरा दूरस्थ सिगनल	Tuglakabad (Link Junction) & Gwalior-Bhopal—IInd distant signal	6,50	10	5,30	1,10
कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*				
भुसावल ए०सी० बिजली इंजन कारखाना—आधुनिकीकरण (चरण-III)	Bhusawal AC Electric Loco Work-shop—Modernisation (Phase-III)	8,00	5,96	2,04	..
न्यू कटनी--बी ओ एक्स एन रेकों को सम्हालने के लिए सुविधाएं	New Katni—Facilities to handle BOXN rakes	7,18	5,81	1,37	..
ग्वालियर—उन्नत अनुरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र	Gwalior—Centre for Advanced Maintenance Technology . .	6,22	3,73	1,06	1,43
झांसी—कारखाने का आधुनिकीकरण	Jhansi—Modernisation of work-shop	9,40	60	4,66	4,14
पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
हबरा--बोंगाईगांव—टोकन रहित ब्लाक संचालन, दम दम—तीन क्रासिंग स्टेशन एवं जंक्शन व्यवस्था और हबरा—अतिरिक्त लाइनें	Habra-Bongaon—Tokenless block working, Dum Dum—Three crossing stations & junction arrangements & Habra—Additional lines	14,89	13,83	62	44
साहिबगंज—न्यू फरक्का—मालदा टाउन (49.57 कि०मी०)	Sahibganj-New Farakka-Malda Town (49.57 km) . . .	60,68	45,09	8,00	7,59

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the work
	पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**				
	गढ़वा रोड—सोननगर—(चरण-IV) एवं सिगसिगी—बगहा विष्णुपुर (79.11 कि० मी०)	Garwa Road-Sonenagar (Phase-IV) & Sigsigi-Bagha Bishnupur (79.11 km)	74,69	68,14	6,55	..
	दत्तापुकुर—हबरा (14.49 कि०मी०)	Duttapukur-Habra (14.49 km)	18,17	9,45	5,99	2,73
	सोननगर-मुगलसराय—द्विदिशक सिगनल व्यवस्था सहित तीसरी लाइन और सोननगर में एक फ्लाई ओवर	Sonenagar-Mughalsarai—Third line with bi-directional signalling & a flyover at Sonenagar	1,41,57	1,04,18	30,39	7,00
	खाना—सैंथिया (चरण-I)	Khana-Sainthia (Phase-I)	12,27	4,30	7,97	..
	झापटेरढाल—गुसकारा (चरण-II) (15.21 कि०मी०)	Jhaptardal-Guskara (Phase-II) (15.21 km)	11,46	4,20	7,00	26
	चंदनपुर—गुड़प—तीसरी लाइन	Chandanpur-Gurap—Third line	25,29	1,00	12,00	12,29
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन एवं अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*				
	हवड़ा—शेवड़ाफुली एवं भद्रेश्वर-बंडेल—खंडीय क्षमता में वृद्धि और शेवड़ाफुली-बंडेल के बीच स्वचालित सिगनल व्यवस्था	Howrah-Sheoraphuli & Bhadreshwar-Bandel—Augmentation of sectional capacity & Sheoraphuli-Bandel—Automatic signalling	29,00	25,25	3,75	..
	बर्द्धमान—आनुषंगिक निर्माण कार्यों सहित यार्ड के ढांचे में परिवर्तन (चरण-I)	Barddhaman—Remodelling of yard with ancillary works (Phase-I)	32,70	24,39	7,55	76
	मोकामा—पटना—आरा—बक्सर—खण्डीय क्षमता में वृद्धि (चरण-Iक)	Mokameh-Patna-Ara-Buxar—Augmentation of sectional capacity (Phase-IA)	13,61	12,17	1,44	..
	फतुहा—मालगाड़ी टर्मिनल सुविधाएं	Fatuah—Freight terminal facilities	8,36	6,25	2,11	..
	राजेन्द्र नगर—कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं	Rajendranagar—Coaching terminal facilities	5,04	4,93	11	..
	दानकुनी—नोडल फ्रेट टर्मिनल का विकास—(चरण-I)	Dankuni—Development into a nodal freight terminal (Phase-I)	6,53	1,17	5	5,31

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० / Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत / Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च / Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the work
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY					
	संगणकीकरण	*Computerisation*					
	कलकत्ता क्षेत्र—यात्री आरक्षण प्रणाली	Calcutta Area—Passenger Reservation System		21,99	21,21	10	68
	सिगनल एवं दूर संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*					
	मुगलसराय—आंतरिक और बाहरी गियरों का बदलाव (11 केबिन) रा०	Mughalsarai—Replacement of indoor & outdoor gears (11 cabins)	R.	28,16 11	25,84	2,32	..
	सियालदाह दक्षिण-पी एण्ड टी केबुलों के बदले नियंत्रण संप्रेषण	Sealdah (South)—Control communication in lieu of P&T cables		24,08	23,26	82	..
	प्रधानकांता-खाना-बेतार के माध्यम से नियंत्रण संप्रेषण (चरण-III) रा०	Pradhankanta-Khana—Control communication through wireless (Phase-III)	R.	25,59 58	25,56 ..	3 ..	.. ..
	गया—आंतरिक और बाहरी गियरों का रूट रिले अंतर्पाशन द्वारा बदलाव	Gaya—Replacement of indoor and outdoor gears by RRI		9,85	7,67	2,18	..
	हवड़ा-बर्द्धमान-बेतार के माध्यम से नियंत्रण संप्रेषण (चरण-IV) रा०	Howrah-Bardhamman—Control communication through wireless (Phase-IV)	R.	17,82 98	10,46	7,36	..
	भभुआ रोड—डेहरी—आन-सोन—7 स्टेशनों पर शिफ्टिंग गियरों का पैनल अन्तर्पाशन द्वारा बदलाव	Bhabhua Road-Dehri-on-Sone—Replacement of shifting gears by panel interlocking (7 stations)		9,72	5,75	3,9	6
	हवड़ा—बर्द्धमान—बेतार के माध्यम से नियंत्रण संप्रेषण (चरण-V) रा०	Howrah-Bardhamman—Control communication through wireless (Phase-V)	R.	23,29 94	5,97	15,63	1,69
	परैया, गुरारू, इस्माईलपुर, रफीगंज, जाखिम तथा अनुग्रहनारायण रोड स्टेशनों पर लीवर फ्रेमों का बदलाव	Paraiya, Guraru, Ismailpur, Rafiganj, Jakhim and Anugrahanarayan Road—Replacement of lever frames		8,34	6,48	1,86	..
	सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय-राजधानी मार्ग पर दूसरा दूरस्थ सिगनल	Sitarampur-Patna-Mughalsarai—Second distant signal on Rajdhani route		5,48	10	3,86	1,52

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० / Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण / Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत / Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च / Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the work
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
	बिजली संबंधी अन्य कार्य	*Other Electrical Works*				
	दनकुनी—सब स्टेशन कर्षण	Dankuni—Traction sub-station	5,56	1,12	2,54	1,90
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*				
	बंडेल—ई०एम०यू० कार शेड	Bandel—EMU car shed . .	15,86.00	14,56.87	0.01	129.12
	मुगलसराय—फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट का बदलाव	Mughalsarai—Replacement of flush butt welding plant . . .	6,44	6,36	8	..
	बरवाडीह—बी ओ एक्स 'एन' मरम्मत डिपो	Barwadih—BOXN repair depot .	9,75	8,57	1,18	..
	हवड़ा (टिकियापाड़ा) —कोचिंग परिसर का आधुनिकीकरण	Howrah (Tikiapara)—Modernisation of coaching complex .	5,69	5,16	53	..
	जमालपुर—कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण III)	Jamalpur—Modernisation of workshop (Phase-III) . . .	9,67	3	4,02	5,62
	कांचरापाड़ा—कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-III)	Kanchrapara—Modernisation of workshop (Phase-III) . .	11,69	3,33	5,52	2,84
	अंडाल—ब० ला० के 100 रेल इंजन खड़े करने के लिए डीजल शेड का विस्तार	Andal—Extension of diesel shed for holding 100 BG locos .	7,33	5,18	2,15	..
	गोमो—100 रेल इंजन खड़े करने के लिये बिजली लोको शेड की क्षमता बढ़ाना	Gomoh—Extension of homing capacity of electric loco shed for 100 locos	6,63	3,89	2,74	..
	हवड़ा—बिजली के 50 रेल इंजन खड़े करने के लिए बिजली लोको शेड का निर्माण	Howrah—Electric loco shed for horning 50 electric locos . .	11,50	86	1,30	9,34
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY				
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
	फुलेरा-जोधपुर-लालगढ़—कोलायत मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	Phulera-Jodhpur-Lalgarh-Kolayat-Merta Road-Merta city . .	2,99,70	2,98,70	33	67
	दिल्ली-रेवाड़ी (83 कि.मी.)	Delhi-Rewari 83 km . . .	6,5,00	64,50	50	..
	रा.	R.	2,21		..	
	रेवाड़ी-भटिंडा (300 कि०मी.)	Rewari-Bhatinda—300 km . .	1,39,13	1,29,13	10,00	..
	वीरमगांव—जोधपुर—ब०ला० रेल मार्ग, भिलड़ी-समदड़ी—आमान परिवर्तन और समदड़ी—लूनी	Viramgam-Jodhpur—BG rail route; Bhildi-Samdari—Gauge conversion & Samdari—Luni	1,85,00.00	60.02	0.01	1,84,39.97
	जोधपुर—जैसलमेर—297.44 कि० मी०	Jodhpur-Jaisalmer (297.44 km) .	1,11,10	99,43	11,67	..
	निक्षेप	Deposit	8			

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० / Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत / Latest anticipated cost	1994-95 के अंत तक अनुमानित खर्च / Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the work
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY				
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
	रामपुर—बरेली (चरण-II) (63.074 कि० मी०)	Rampur-Bareilly (Phase-II) (63.074 km)	45,88	39,33	6,55	..
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*				
	गाजियाबाद—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	Ghaziabad—Remodelling of yard	10,81	9,22	1,59	..
	मुगलसराय-इलाहाबाद-गाजियाबाद अतिरिक्त सुविधाएं (चरण-IV)	Mughalsarai-Allahabad-Ghaziabad—Additional facilities (Phase-IV)	5,30	4,47	83	..
	संगणकीकरण	*Computerisation*				
	भारतीय रेलों के लिए भाड़ा परिचालन सूचना और नियंत्रण प्रणाली	Freight Operation Information and Control System for Indian Railways	10,98,00	1,28,92	60,00	9,09,08
	पुल संबंधी कार्य	*Bridge Works*				
	इलाहाबाद-फाफामऊ-गंगानदी पर कर्जन पुल (सं० 163) के बदले अतिरिक्त पुल	Allahabad-Phaphamau—Additional bridge in lieu of Curzon Bridge (No. 163) over Ganga	22,30.00	19,76.12	0.01	253.87
	मुरादाबाद-सहारनपुर—गंगा नदी पर बालवाली पुल सं० 1248	Moradabad-Saharanpur—Balawali bridge No. 1248 over Ganga	22,60	14,86	7,73	1
	सिगनल और दूर-संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*				
	दिल्ली-मुगलसराय-चल रेडियो संचार के नियंत्रण के लिए गाड़ी	Delhi-Mughalsarai—Train to control mobile radio communication	30,84	23,14	7,70	..
	टूंडला-मुगलसराय—माइक्रोवेव लिंक का अंकीय द्वारा बदलाव	Tundla-Mughalsarai—Replacement of microwave link by digital	38,94	32,56	6,38	..
	दिल्ली—रूट रिले अंतर्पाशन	Delhi—Route relay interlocking	14,32	12,00	2,32	..
	मुगलसराय—इलाहाबाद—नियंत्रण केबुल का बदलाव	Mughalsarai-Allahabad—Replacement of control cable	18,74.58	1,388.71	0.91	17,35.76
	बालामऊ—लखनऊ—सिगनलिंग गियरों का बदलाव (8 स्टेशन)	Balamau-Lucknow—Replacement of signalling gears (8 stations)	5,02	5	1,51	3,46
	बिजली संबंधी अन्य कार्य	*Other Electrical Works*				
	इलाहाबाद—रेल कर्षण भार के लिए केन्द्रीय बिजलीघर से सीधी पावर सप्लाई प्राप्त करना	Allahabad—Obtaining direct power supply from central power station for railway traction loads	59,22	20	17,97	41,05

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं॰ Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the wor
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY					
	कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*					
	लखनऊ (आलमबाग)—बड़ी लाइन के 100 इंजनों को खड़ा करने के लिये डीजल शेड का विस्तार	Lucknow (Alambagh)—Extension of diesel shed for holding 100 BG locos		8,29	4,05	4,24	..
	खान आलमपुरा—वात ब्रेक स्टॉक के लिए सुविधाओं का ग्रेड बढ़ाना	Khanalampura—Upgradation of facilities for air brake stock .		5,10	1,00	3,78	32
	लखनऊ (आलमबाग)—सवारी एवं माल डिब्बा कारखानों का आधुनिकीकरण	Lucknow (Alambagh)—Modernisation of carriage and wagon shops		6,41	1,10	5,31	..
	जोधपुर—बड़ी लाइन डीजल शेड मरम्मत एवं धुलाई लाइन	Jodhpur—BG diesel shed sick & washing line		8,13	4,41	2,81	91
	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	*Other specified works*					
	सातरोड़–रेवाड़ी–हिसार—रक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त ब॰ ला॰ /मी॰ ला॰ सुविधाएं निक्षेप	Satrod-Rewari-Hissar—Additional BG/MG facilities for Defence Department	Deposit	5,10 8,87	3,58	1,52	..
	पूर्वोत्तर रेलवे	NORTH EASTERN RAILWAY					
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*					
	इलाहाबाद —वाराणसी (123 कि॰ मी॰) रा॰	Allahabad-Varanasi (123 km) .	R.	66,06 44	57,56	5,70	2,80
	छपरा—औंड़िहार	Chhapra-Aunrihar		82,64	47,94	22,00	7,70
	काशीपुर—लालकुंआ	Kashipur-Lalkua		45,00,00	0,49	0,01	4499,50
	सगौली—नरकटियागंज	Sagauli-Narkatiaganj		42,04	50	3,00	38,54
	मुजफ्फरपुर—रक्सौल (चरण–I) रा॰	Muzaffarpur-Raxaul (Phase-I) .	R.	1,01,08 3,23	86,41	14,67	..
	समस्तीपुर—दरभंगा	Samastipur-Darbhanga . .		36,65	10,46	10,80	15,39
	मऊ—शाहगंज	Mau-Shahganj		38,70	5,00	4,00	29,70
	सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी निर्माण कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*					
	गौरी बाजार-सिवान (ब॰ ला॰)—7 स्टेशनों पर सिगनल उपस्कर	Gauri Bazar-Siwan (BG)—Signalling equipment (7 stations) .		8,51	7,51	1,00	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the work
	पूर्वोत्तर रेलवे	NORTH EASTERN RAILWAY				
	सिवान-छपरा—7 स्टेशनों पर स्वचालित ब्लाक सिगनल-उपस्कर	Siwan-Chhapra—Automatic block signalling equipment (7 stations)	7,26	6,26	1,00	..
	गोरखपुर-कटिहार-सूक्ष्मतरंग उपस्कर का अंकीय सूक्ष्मतरंग उपस्कर से बदलाव	Gorakhpur-Katihar—Replacement of microwave equipment by digital microwave . . .	22,50	6,74	5,00	10,76
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	NORTHEAST FRONTIER RAILWAY				
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
	लमडिंग-डिब्रूगढ़—सम्पर्क शाखा लाइनों सहित (628 कि० मी०)	Lumding-Dibrugarh including link branches (628 km) . . .	3,17,52	50,33	1,10,00	1,57,19
	न्यू गुवाहाटी—लमडिंग, चापरमुख-हैबरगांव शाखा लाइन सहित (202.11 कि०मी०)	New Guwahati-Lumding including Champarmukh-Haibargaon linked branch (202.11 km) .	1,82,00	1,78,72	3,28	..
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
	अलुआबाड़ी रोड—किशनगंज (31 कि०मी०); न्यू जलपाईगुड़ी-अम्बरी फलाकाटा (9 कि०मी०)—तथा महानंदा पुल के दोनों ओर केबिनें	Aluabari Road-Kishanganj (31 km), New Jalpaiguri-Ambari Falakata (9 km) and cabins on either side of Mahananda bridge	41,62	22,62	19,00	..
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम	*Traffic facilities—Yard remodelling and Others*				
	लमडिंग-बदरपुर—पहाड़ी खण्ड पर थ्रू पुट बढ़ाना (चरण II)	Lumding-Badarpur—Increasing throughput on hill section (Phase-II)	12,17	9,55	2,62	..
	सिगनल तथा दूर-संचार संबंधी कार्य	*Signalling and Telecommunication Works*				
	लमडिंग-तिनसुकिया-अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी लिंक	Lumding-Tinsukia—Ultra high frequency link	9,71	3,25	6,28	18
	कारखानें—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*				
	न्यू जलपाईगुड़ी-आर ओ एच तथा वात ब्रेक अनुरक्षण सुविधाएं	New Jalpaiguri—ROH & air brake maintenance facilities . .	8,95	5,07	3,50	38
	लमडिंग-50 इंजनों को खड़ा करने के लिए, मी०ला० डीजल इंजन शेड	Lumding—MG diesel loco shed for homing 50 locos .	12,20	9,65	2,55	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
दक्षिण रेलवे	SOUTHERN RAILWAY					
आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*					
मद्रास बीच-तिरुच्चिरापल्ली--	Madras Beach-Tiruchchirappalli .		2,96,90	65,22	37,00	1,94,68
रा०		R.	3,10			
डिण्डीगुल-त्रिची--(93 कि०मी०)	Dindigul-Trichy (93 km) . .		55,45	21,06	16,00	18,39
रा०		R.	65			
बेंगलूरु-हुबली--(469 कि०मी०)	Bangalore-Hubli (469 km) . .		4,05,00	3,55,00	1,00	49,00
आरसीकेरे-हसन-मंगलौर	Arsikere-Hassan-Mangalore .		1,85,16	10,00	24,00	1,51,16
येलहंका-चिकबल्लापुर (45.23 कि०मी०) और कोलार-बंगारपेट (16.67 कि०मी०) का छोटी लाइन से ब०ला० में आमान परिवर्तन	Yelahanka-Chickballapur (45.23 km) and Kolar-Bangarapet (16.67 km) NG to BG . .		25,88	5,00	20,00	88
दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*					
व्हाइटफील्ड-बंगारपेट-कुप्पम्	Whitefield-Bangarapet-Kuppam .		1,05,07	8,72	8,00	88,35
कायनकुलम-कोल्लम (41 कि०मी०)	Kayankulam-Quilon (41 km) .		59,67	41,67	18,00	..
कोल्लम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	Quilon-Trivandrum Central .		81,23	6,32	15,00	59,91
संगणकीकरण	Computerisation					
मद्रास--यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र में अतिरिक्त कंप्यूटिंग पावर	Madras-Additonal Computing Power at PRS Centre . . .		5,50	2,20	45	2,85
मद्रास--आरक्षण प्रणाली	Madras—Reservation System .		19,85.00	19,84.94	0.06	..
पुल संबंधी कार्य	*Bridge Works*					
शोरणूर-कालीकट-क्षतिग्रस्त पुल सं० 943 के बदले नया पुल	Shoranur-Calicut—New bridge in lieu of distressied bridge No. 943		6,06	5,23	82	1
रा०		R.	3			
सिगनल एवं दूर-संचार संबंधी निर्माण कार्य	*Signalling and Telecommunicatio Works*					
मद्रास-मैसूर-सूक्ष्म तरंग प्रणाली का बदलाव	Madras-Mysore—Replacement of microwave system . . .		23,87	23,37	50	..
पालघाट-ईरोड-दासमपट्टी ईरोड-महादानपुरम-तिरुच्चिरापल्लि और कोडैकनाल-मदुरै-सूक्ष्मतरंग प्रणाली का बदलाव	Palghat-Erode-Dasampatti, Erode-Mahadanapuram-Tiruchchirrappalli and Kodaikanal-Madurai—Replacement of microwave system		18,55	57	5,38	12,60

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees

क्रम सं० निर्माण-कार्यों का विवरण / Sl. No. Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत / Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च / Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था / Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिये शेष रकम / Balance to complete work
दक्षिण रेलवे	SOUTHERN RAILWAY				
कारखाने—उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*				
जोलारपेट्टै—वात ब्रेक माल डिब्बा स्टॉक (बी सी एन/बी ओ एक्स एन) की नेमी ओवरहालिंग के लिए सुविधाएं	Jolarpettai—Facilities for ROH of air brake wagons stock (BCN/BOXN)	6,12	1,45	4,67	
मैसूर कारखाना—बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए बदलाव	Mysore Workshops—Conversion for undertaking BG coach POH .	7,21	6,78	43	..
ईरोड—ब०ला० के 50 बिजली इंजनों को खड़ा करने के लिए लोको शेड	Erode—BG AC electric loco shed for homing 50 locos. . .	10,20	4,01	6,19	..
पैरम्बूर सवारी तथा माल डिब्बा कारखाना का आधुनिकीकरण (चरण-III), सवारी डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं सहित 8 वात ब्रेक वाले	Perambur Carriage & Wagon Workshop — Modernisation (Phase-III) iucluding facilities for catrige bearing 8 air brake maintemance. . . .	9,64	1,58	2,80	5,26
दक्षिण मध्य रेलवे	SOUTH CENTRAL RAILWAY				
आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
कुल्लूरु—धर्मावरम् के उत्थान (76 कि०मी०) सहित गुंटूर—गुंतकल तथा गुंतकल—गुत्ती—कुल्लूरु (458 कि०मी०) रा०	Guntur-Guntakal & Guntakal-Gooty-Kalluru (458 km) with lifting of Kalluru-Dharmavaram (76 km) . . . . . R.	2,25,00 1,51	1,88,80	36,11	9
काटपाडी—पकाला—तिरुपति—104 कि०मी०	Katpadi-Pakala-Tirupati—104 km	63,00	2,27	6,50	54,23
सिकंदराबाद—द्रोणाचलम् तथा सिकंदराबाद—बोलाराम—331 कि०मी० रा०	Secunderabad-Dronachallam & Secunderabad-Bolarum—331 km R.	2,26,40 2,03	1,73,13	23,00	30,27
परभनी—पूर्णा—नांदेड—मुदखेड—86 कि०मी०	Parbhani-Purna Nanded Mudkhed—86 km	80,04	55,12	2,00	22,92
हासपेट—हुबली—गोआ (संबंधित आंकड़ों सहित)—489 कि०मी० रा०	Hospet-Hubli-Goa (with linked figures)—489 km . . . R.	3,75,43 3,00	1,75,96	1,74,63	24,84
मिरज—लोंडा—188 कि०मी०	Miraj-Londa—188 km . . R.	1,57,40 1,60	1,41,18	16,22	..
सोलापुर (होटगी)—गदग—300 कि०मी०	Solapur (Hotgi)-Gadag—300 km .	1,80,00	..	5,00	1,75,00

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का ब्यौरा Particulars of works			नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के लिए सम्भावित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
दक्षिण मध्य रेलवे		SOUTH CENTRAL RAILWAY					
दोहरी लाइन बिछाना		*Doubling*					
	तांदुर-मलखेड़ रोड-45.6 कि०मी० रा०	Tandur-Malkhaid Road—45.6 km	R.	41,94 43	41,11	83	..
	विकाराबाद-तांदुर-41.41 कि०मी०	Vikarabad-Tandur—41.41 km		50,61	43,15	1,40	6,06
	मलखेड़ रोड-वाड़ी-24.86 कि०मी०	Malkhaid Road-Wadi—24.86 km		22,42	22,15	27	..
पुल संबंधी निर्माण कार्य		*Bridge Works*					
	निडदवोलु-सामलकोट-पुराने गोदावरी पुल का बदलाव	Nadadavolu-Samalkot-Replacement of old Godavari bridge .		54,35	51,71	2,64	..
	काजीपेट यार्ड-समपार सं० 59-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	Kazipet Yard-Road-over-bridge in lieu of level crossing No. 59-A	Deposit	6,40 7,33	17	2,14	4,09
सिगनल और दूर संचार संबंधी काम		*Signalling and Telecommunication Works*					
	विजयवाड़ा-राजामुंद्री-केन्द्रीयकृत परिचालनों के साथ लीवर फ्रेमों और गियरों का बदलाव	Vijayawada-Rajamundry-Replacement of lever frames & gears with centralised operations		5,08	5	4,68	35
	विजयवाड़ा-अरकोणम-706 क्लीस्ट्रोन माइक्रोवेव उपस्कर का डिजीटल से बदलाव	Vijayawada-Arkonam-Replacement of 706 Klystron microwave equipment with digital .		18,52	7,57	10,45	50
	काजीपेट-विजयवाड़ा-गुडूर-राजधानी मार्ग पर दूसरा दूरस्थ सिगनल	Kazipet-Vijaywada-Gudur-Second distant signal on Rajdhani route . . .		11,00	5	5.00	4,65
	बल्हारशाह-काजीपेट-सिकन्दराबाद वाडी-गुंतकल-गुत्ती-राजधानी मार्ग पर दूसरा दूरस्थ सिगनल	Balharshah-Kazipet-Secunderabad-Wadi-Guntakal-Gooty Second distant signals on Rajdhani route		17,69	2	7,00	10,67
	सिकन्दराबाद-सिगनल गियरों तथा लीवर फ्रेमों का रूट रिले अंतर्पाशन द्वारा बदलाव	Secunderabad-Replacement of signalling gears & lever frames by route relay interlocking .		5,48	1,40	3,88	20

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के लिए सम्भावित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिये व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the work
	दक्षिण मध्य रेलवे	**SOUTH CENTRAL RAILWAY**				
	विजयवाड़ा-हुबली-गुंतकल-रन थ्रू मुख्य लाइन (46 स्टेशन) पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक रेलपथ परिपथन	Vijayawada-Hubli-Guntakal-FM to FM track circuiting on run through main line (46 stations)	6,47	1,97	4,49	1
	हुबली-लोंडा-वास्को डि गामा-मिरज-सूक्ष्मतरंग प्रणाली	Hubli-Londa-Vasco da Gama-Miraj-Microwave system	9,80	9,34	46	..
	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	*Other Specified Works*				
	नांदेड़-नया मंडल	Nandal-New Division	5,10	3,30	1,70	10
	दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**				
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
	पुरुलिया-कोटशिला-छो०ला० का ब०ला० में बदलाव (6.5 कि०मी०) (चरण-II)	Purulia-Kotshila-NG to BG (6.5 km) (Phase-II)	5,40	4,40	10,0	—
	गोंदिया-चांदाफोर्ट-(242 कि.मी)	Gondia-Chanda Fort(242 km)	1,58,83	79,10	34,00	45,73
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
	अकलतरा-चम्पा-शिरोपरि उपस्कर सहित तीसरी लाइन (25.6 कि०मी०)	Akaltara-Champa-Third line (25.6 km) with OHE	39,97	1,50	12,30	25,94
	बिलासपुर-अकलतरा-तीसरी लाइन (27 कि०मी०)	Bilaspur-Akaltara-Third line (27 km)	25,68	19,49	6,19	..
	जोरांडा रोड-हिन्डोल रोड (29 कि०मी०)	Joranda Road-Hindol Road (29 km)	30,28	20,90	9,38	..
	तालचेर-हिन्डोल रोड (32.1 कि०मी०)	Talcher-Hindol Road (32.1 km)	26,25	22,39	3,86	..
	राजतगढ़-निरगुंडी	Rajatgarh-Nergundi	37,63	2,00	11,50	24,13
	अम्बोडाला-बिस्सामकटक और तिरुबाली-गुमादा-कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना (99.96 कि०मी०)	Ambodala-Bissamcuttack & Tirubali-Gumada-Patch doubling (99.96 km)	84,20	82,05	2,15	..
	गुमादा-बोब्बिली (37.74 कि०मी०)	Gumada-Bobbili (37.74 km)	33,08	31,76	1,32	..
	बोब्बिली-गजपतिनगरम (31.56 कि०मी०)	Bobbili-Gajapatinagaram (31.56 km)	32,18	27,41	4,77	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के लिए सम्भावित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिये शेष रकम Balance to complete the work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	SOUTH EASTERN RAILWAY				
	दोहरीकरण	*Doubling*				
	गजपतिनगरम—विजयानगरम—विजयनगरम में जंक्शन प्रबंध सहित (22 कि०मी०) कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना (चरण-2) (खण्ड-3)	Gajaptinagaram–Vizianagaram–Patch doubling (Phase-II) (Sec-III) including junction arrangement at Vizianagaram (22 km)	24,20	3,54	12,56	8,10
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन एवं अन्य कार्य	*Traffic facilities–Yard remodelling & Others*				
	शालीमार–कोच टर्मिनल (चरण-1)	Shalimar–Coaching terminal (Phase-I)	14,85	7,29	7,56	..
	कोट्टवलासा–किरंदुल–लाइन क्षमता कार्य का इष्टतम उपयोग (चरण-2)	Kottavalasa–Kirandul–Optimisation of line capacity works (Phase-II)	1440.00	7,71.08	0.01	661.91
	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (चरण-2)–बाह्य रेल सुविधाएं (8 कि०मी०)	Visakhapatnam Steel Plant (Phase-II)–External rail facilities (8 km)	13,72	11,73	1,99	..
	पुल संबंधी काम	*Bridge Works*				
	जखापुर–जेनापुर–पुल सं० 449 (ब्राह्मणी) पर पुनः गर्डर लगाना	Jakhapur–Jenapur–Regirdering of bridge No 449 (Brahmani)	19,85 R. 11	14,94	4,91	..
	सिगनल एवं दूर संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*				
	बिलासपुर–अनूपपुर–कटनी तथा अनूपपुर–महेन्द्रगढ़–सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Bilaspur–Anuppur–Katni & Anuppur–Manendragarh–Microwave system . .	16,70	7,19	6,85	2,66
	टाटा–चक्रधरपुर–चांडिल तथा चक्रधरपुर–राउरकेला–बिरमित्रापुर–रेलवे के अपने स्वामित्व वाले दूरसंचार केबुल	Tata–Chakradharpur–Chandil & Chakradharpur–Rourkela–Birmitrapur–Railway's own telecom cable	14,[illegible]	11,98	2,05	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	SOUTH EASTERN RAILWAY				
	कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित	*Workshops—Including Production Units*				
	रायपुर–60 डीजल रेल इंजन शेड	Raipur-60 diesel loco shed	21,07	11,98	7,40	1,69
	खड़गपुर डीजल रेल इंजन शेड–60 से बढ़ाकर 100 रेल इंजनों के लिए विस्तार	Kharagpur Diesel Loco Shed-Expansion of capacity 60 to 100 locos	8,90	4,67	3,50	82
	नीमपुरा-सवारी और माल डिब्बा बी ओ एक्स एन/बी सी एन डिपो	Nimpura-C&W BOXN/BCN depot	9,61	2,82	5,00	1,79
	आंगुल–बी ओ एक्स एन/बी सी एन के अनुरक्षण हेतु सुविधाएं	Angul-Facilities for maintenance of BOXN/BCN depot . .	8,28	1,22	3,00	4,06
	आंगुल–50 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड	Angul-50 loco BG diesel shed .	23,30	3,29	9,70	10,31
	संतरागाछी—बिजली रेल इंजन शेडों को बढ़ाना तथा भार उठाने वाली सुविधाओं का प्रावधान	Santragachi-Augmentation of electric loco shed and provision of heavy lifting facility (Phase-I & II) . . .	7,92.82	4,04.48	0.01	388.33
	अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	*Other specified works*				
	सम्बलपुर—नये मण्डल की स्थापना	Sambalpur Setting up of new division	11,74	11,49	25	..
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY				
	आमान परिवर्तन	*Gauge Conversion*				
	भिलडी—वीरमगाम	Bhildi-Viramgam	1,55,66.00	0.02	40,00.00	1,5,65.98
	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद (572 कि०मी०)	Phulera-Marwar-Ahmedabad (572 km) . . .	4,56,57	75,72	2,28,43	1,52,42
	नीमच–रतलाम (135 कि.मी.)	Nimuch-Ratlam (135 km) .	65,00	2,11	8,65	54,24
	राजकोट–वेरावल (185 कि०मी०)	Rajkot-Veraval (185 km) .	1,00,00	3,00	3,00	94,00

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं॰ Sl. No.	निर्माण-कार्यों का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिए व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY				
	दोहरी लाइन बिछाना	*Doubling*				
	बैरागढ़–बकानियां भौरी बकानियां–भौरी–फंदा	Bairagarh–Bakanion Bhauri Bakanion–Bhauri–Phanda	16,20	14,40	1,80	..
	अनास ब्रिज, पंचपिपलिया सुरंग तथा माही पुल—तीन टुकड़े में इकहरी लाइन	Anas bridge, Panchpiplia Tunnel & Mahi bridge—Three single line stretches . . .	14,09	12,63	1,46	..
	पीरउमरोद–बेडछा तथा बोलाई–अकोडिया	Pirumrod–Bercha & Bolai–Akodia	27,47	23,98	3,49	2,63
	कालापीपल–फांदा (41.49 कि॰मी॰)	Kalapipal–Phanda (41.49 km) .	53,00,00	2.12	0,01	52,97.87
	माकसी–बैरागढ़ (38.81 कि॰मी॰)	Maksi–Bairagarh (38.81 km) .	57,03.25	0.02	0.01	57,03.22
	यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य	*Traffic facilities–Yard remodelling & Other*				
	उधना–जलगांव–लाइन क्षमता	Udhna–Jalgaon–Line capacity	15,00	14,11	89	..
	आनंद–वटवा–स्वचालित सिगनल व्यवस्था	Anand–Vatva–Automatic signalling	7,82	4,4[illegible]	2,84	49
	पुल संबंधी काम	*Bridge Works*				
	उधना–जलगांव–गिरना पुल (सं॰ 374)	Udhna–Jalgaon–Girna bridge (No. 374)	9,84	8[illegible]	8,96	..
	सिगनल और दूर संचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*				
	नागदा–कोटा तथा उज्जन–शुजालपुर–धुरा काउंटरों द्वारा ब्लाक जांच	Nagda–Kota & Ujjain–Shujalpur –Block proving by axle counter	5,40	2,99	2,00	41
	नागदा–भोपाल–29 स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन तथा धुरा काउंटरों द्वारा 18 स्टेशनों की ब्लाक जांच	Nagda–Bhopal–Track circuits & facing points (29 stations) & block proving by axle counters (18 stations) . .	15,16	12,31	2,85	..
	विरार–वडोदरा–4 स्टेशनों का पनल अंतर्पाशन तथा 1 स्टेशन का सालिड स्टेट अंतर्पाशन	Virar–Vadodara–Panel interlocking (4 stations) & solid state interlocking (1 station) .	7,24	6,21	1,03	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिये व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिये शेष रकम Balance to complete work
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAYS				
	सिगनल और दूरसंचार संबंधी काम	*Signalling and Telecommunication Works*				
	चर्चगेट–अहमदाबाद–अनुरूपी सूक्ष्म तरंग संपर्क का एमबी डिजिटल से बदलाव	Churchgate–Ahmedabad–Replacement of analogue microwave link by MBs digital	24,65	4,50	6,85	13,30
	वडोदरा–रतलाम–अनुरूपी सूक्ष्म तरंग प्रणाली का एम०बी०पी० क्षमता वाली डिजिटल सूक्ष्म तरंग प्रणाली द्वारा बदलाव	Vadodara–Ratlam–Replacement of analogue microwave system by digital MW of MBPs capacity	11,85	1,07	5,00	5,78
	बिजली संबंधी अन्य काम	*Other Electrical Works*				
	मरिन लाइन–कर्षण सब-स्टेशन	Marine Lines–Traction sub-station	9,12	97	4,34	3,81
	बम्बई लोकल—2.2 के वी क्यूबीकल्स/उपस्कर और ट्रांसफारमर की क्षमता में वृद्धि	Bombay Local—Replacement of 2.2 kv cubicles/equipment & augmentation of transformer capacity	7,73.04	0.10	2,00.00	5,72.94
	कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित	*Workshops including Production Units*				
	दाहोद–बिजली रेल इंजन पुर्नस्थापन सुविधाएं	Dahod–Electric locomotive rehabilitation facilities	17,20.00	4,04.00	0.01	13,15.99
	कोटा–माल डिब्बे कारखाने का आधुनिकीकरण	Kota–Modernisation of wagon workshop	7,80	..	1,50	6,30
	प्रतापनगर–टंकी माल डिब्बों की आवधिक तथा नेमी ओवर हालिंग सुविधाओं की व्यवस्था	Pratapnagar–POH & ROH facilities for tank wagons	9,60.80	4,25.29	0.01	5,34.70
	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS				
	कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित	*Workshops including Production Units*				
	बिजली रेल इंजनों की निर्माण क्षमता 100 से बढ़ाकर प्रति-वर्ष 130 रेल इंजन करना (चरण-III)	Augmentation of electric loco manufacturing capacity from 100 to 130 locos per year (Phase-III)	13,33	9,57	3,76	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1994-95 के अन्त तक के लिये अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1994-95	1995-96 के लिये व्यवस्था Provision for 1995-96	काम पूरा करने के लिये शेष रकम Balance to complete work
	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	CHITARANJAN LOCOMOTIVE WORKS				
	कारखाने - उत्पादन यूनिटों सहित	*Workshops including Production Units*				
	एस.एफ. में आर.आई.सी. औरएम.सी.पी! प्रौद्योगकी के कार्यान्वियन हेतु निवेश	Input for implementation for RIC & MCP technology in S.F. .	6,03	3,99	2,04	..
	3 फेज उच्च अश्व शक्ति के रेल इंजनों सहित प्रतिवर्ष 150 बिजली रेल इंजनों के निर्माण हेतु सुविधाओं में वृद्धि/संशोधन (चरण–IV)	Augmentation / modification of facilities for manufacturing of 150 Electric Loco per year including III phase high horse power locos (Phase–IV) . .	25,00	1,43	7,82	15,75
	डीजल रेल इंजन संबंधी कार्य	DIESEL LOCOMOTIVE WORKS				
	कारखाने-उत्पादन इकाईयों सहित	*Workshops including Production Units*				
	उत्पाद मिश्र को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Production Mix	14,16	5,52	4,75	3,89
	सवारी डिब्बा कारखाना	INTEGRAL COACH FACTORY				
	रेल अनुसंधान	*Railway Research*				
	स.डि.का.–अभिकल्प एवं विकास सुविधाएं	ICF — Design and development facilities	5,07	4,07	1,00	..
	पहिया एवं धुरा संयंत्र	WHEEL AND AXLE PLANT				
	कारखाने–उत्पादन इकाइयों सहित	*Workshops including Production Units*				
	पहिया एवं धुरा संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	Augmentation of capacity of Wheel & Axle Plant	20,02	7,50	5,80	6,72
	रेल सवारी डिब्बा कारखाना	RAIL COACH FACTORY				
	कारखाने-उत्पादन इकाईयों सहित	*Workshops including Production Units*				
	कपूरथला–यात्री सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना	Kapurthala—Setting up of Rail Coach Factory for manufacturing Passenger Coaches .	3,49,86	3,39,90	9,96	..
	अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन	RESEARCH, DESIGNS & STANDARDS ORGANISATIONS				
	रेल अनुसंधान	*Railway Research*				
	मुगलसराय–अ.अ. एवं मा.सं. के लिए परीक्षण सुविधाएं	Mughalsarai—Test travel facilities for RDSO	5,98	2,42	1,86	1,70
	लखनऊ–श्रांति परीक्षण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	Lucknow—Modernisation of fatigue testing in laboratory . .	7,44	3,84	3,00	60

परिशिष्ट
Appendix

यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए
Expenditure on Passengers & Other

कालम सं० Col. No.	मद के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य Works to be included under the item	योजना शीर्ष Plan head
1. मौजूदा प्लेटफार्मों का विस्तार करना/ऊंचा करना/चौड़ा करना और उनकी सतह में सुधार करना	Extension/raising/widening and improvements to the surface of existing platforms.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
2. स्टेशनों पर जल शोधक संयंत्रों/टैंकों/पानी के ठेलों और सवारी गाड़ियों में पानी की व्यवस्था करने सहित पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था, सुधार और उसमें वृद्धि करना	Provision, improvement and augmentation of drinking water supply arrangements including provision of purification plants/tanks/water trolleys and carriage watering arrangements at stations.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
3. स्टेशनों पर रोशनी और पंखों, जल-शीतन और शीतन उपस्कर और अतिरिक्त जनित्र उपस्कर तथा बैटरी चार्जिंग उपस्कर का 110 वोल्ट में परिवर्तन तथा स्टेशनों पर सवारी डिब्बों वातानुकूल के लिए पूर्व-शीतन की व्यवस्था, सुधार और विस्तार	Provision, improvement and augmentation of lighting and fans, of water cooling and chilling equipment and of stand-by generating equipment and conversion of battery charging equipment to 110 v and pre-cooling arrangements for AC coaches at stations.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
4. बेंचों, कुर्सियों और फर्नीचर की व्यवस्था सहित प्रतीक्षा शेडों, प्रतीक्षालयों, प्रतीक्षा कक्षों, प्लेटफार्म सायबानों, विश्राम कक्षों की व्यवस्था, सुधार तथा परिवर्धन	Provision, improvement and augmentation of waiting sheds, waiting halls, waiting rooms, platform shelters, retiring rooms, including provision of benches, chairs and furnitures.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
5. पुलों पर सायबान की व्यवस्था सहित अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था तथा मौजूदा पुलों का विस्तार/चौड़ा करना/ढांचे में परिवर्तन, यात्री भूमिगत मार्गों और सीढ़ियों की व्यवस्था तथा विस्तार	Provision of additional foot-over-bridges and extension/widening/remodelling of existing bridges including the provision of cover over such bridges, provision or extension of passenger sub-ways and escalators.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities

II

सुविधाओं पर खर्च
Railway User's Amenities

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पू०उ० N.E.	पू०सी० N.F.	दक्षिण Southern	द०म० S.C.	द०पू० S.E.	पश्चिम Western	जोड़ Total
220.07	201.19	270.88	106.58	197.50	270.90	139.74	146.23	235.07	1798.16
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
76.69	113.11	310.98	85.13	96.25	67.84	31.38	45.23	97.03	923.64
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
92 56	18.02	152.57	..	93.75	32.24	11.49	24.04	97.69	522.36
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
23.80	371.35	177.39	79.95	10.00	392.30	256.29	337.49	222.60	1871.17
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
112.39	136.13	86.49	..	20.00	91.81	9.71	131.35	17.77	605.65

परिशिष्ट
Appendix

यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए
Expenditure on Passengers & Other

कालम सं० Col. No.	मद के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य Works to be included under the item	योजना शीर्ष Plan head
6. धुलनीय एप्रन की व्यवस्था सहित स्टेशन के क्षेत्रों में प्रदत्त शौचालयों, मूत्रालयों और स्नानघरों की व्यवस्था, सुधार और विस्तार ।	Provision, improvement and augmentation of latrines, urinals and bath rooms in the paid areas of the station including provision of washable aprons.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
7. जन उद्घोषणा प्रणाली, गाड़ी संसूचक बोर्डों, समय-सारणी प्रदर्श बोर्डों, पूछ-ताछ कार्यालयों और साइनेज/पिक्टोग्राम प्रदर्शन की व्यवस्था, सुधार और विस्तार ।	Provision, improvement and augmentation of public address system, train indicator boards, time-table displays, enquiry offices and signage/pictograms displays.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
8. जलपान गृहों और आधार रसोईघरों की व्यवस्था/सुधार, स्टेशनों, खोखों पर खान-पान सुविधाओं की व्यवस्था/सुधार ।	Provision/improvement to refreshment rooms and base kitchen, provision/improvement to facilities like catering at stations, kiosks.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
9. स्टेशन के परिचलन क्षेत्र/पार्कों में पेड़ लगाने और बागवानी कार्यों सहित परिचलन क्षेत्रों में सुधार और स्टेशन इमारतों के ढांचे में परिवर्तन ।	Remodelling of station building & improvement to circulating areas including plantation and horticulture works in the circulating area/parks of the station	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
10. बुकिंग तथा आरक्षण कार्यालयों की व्यवस्था ।	Provision of booking and reservation offices.	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities
10-A यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था	Passenger Reservation System	Other

II (जारी)
II (Contd.)

सुविधाओं पर खर्च
Railways User's Amenities

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पू०उ० N.E.	पू०सी० N.F.	दक्षिण Southern	द०म० S.C.	द०पू० S.E.	पश्चिम Western	जोड़ Total
148.09	136.13	329.20	79.37	10.00	77.85	142.61	125.83	14.03	1063.11
14.55	71.07	40.97	14.90	12.50	61.30	0.98	86.95	34.62	337.84
..	..	35.53	1.71	3.75	2.36	9.08	3.69	..	56.12
226.11	..	79.41	28.44	47.50	157.67	151.90	384.20	95.10	1170.33
..	..	29.80	3.14	5.00	..	10.35	13.46	116.09	177.84
192.72	150.63	254.37	13.00	14.95	112.54	83.06	43.73	70.00	935.00

परिशिष्ट
Appendix

यात्री और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए
Expenditure on Passengers & Other

कालम सं० Col. No.	मद के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य	Works to be included under item	
11.	—माल/पार्सल कार्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था	—Drinking water arrangements in goods/parcel offices	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities अन्य Others
	—माल/पार्सल कार्यालयों में प्रसाधन सुविधाएं	—Toilet facilities in goods/parcel offices	
	—माल/पार्सल कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था	—Seating arrangements in goods/parcel offices	
	—कुलियों के लिए विश्राम के लिए सायबान	—Rest shelters for coolies	
	—माल/पार्सल कार्यालयों में रोशनी/पंखों की व्यवस्था	—Lighting/fans in goods/parcel offices.	
12.	—अन्य योजना शीर्ष (योजना)	—Other Plan Heads (Schemes)	यात्री सुविधाएं Passenger Amenities अन्य Others

II (जारी)
II (Contd.)

सुविधाओं पर खर्च
Railway Users, Amenities

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of Ruppes)

मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पू०उ० N.E.	पू०सी० N.F.	दक्षिण Southern	द०म० S.C.	द०पू० S.E.	पश्चिम Westren	जोड़ Total
408.58	..	54.20	0.78	3.75	..	6.47	..	..	437.78
11.00	17.53	14.01	248.80	6.31	..	959.18	34.39	37.46	1328.68
1332.84	1047.00	1567.42	400.00	500.00	1154.27	770.00	1298.47	930.00	9000.00
203.72	168.16	268.38	261.80	21.26	112.54	1042.24	78.12	107.46	2263,68

परिशिष्ट III
कर्मचारियों के कल्याण पर प्रस्तावित खर्च 1995-96

APPENDIX III
Expenditure Proposed on Staff Welfare 1995-96

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

	निर्माण कार्य WORKS			अन्य सेवाएं OTHER SERVICES						
रेलवे Railways	कर्मचारियों के लिए सुविधाएं Amenities for Staff	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर Staff Quarters	जोड़ Total	चिकित्सा संबंधी खर्च Medical expenses	स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं Health & Welfare services	शिक्षा Education	कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	कर्मचारियों के लिए कैन्टीन और अन्य सुविधाएं Canteens and other staff Amenities	जोड़ Total	कुल जोड़ Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य Central	5,03,99	4,17,81	9,21,80	24,87,73	11,09,76	3,12,04	7,72,59	2,04,12	48,86,24	58,08,04
पूर्व Eastern	4,42,70	2,12,79	6,55,49	31,18,55	11,84,10	4,96,02	6,56,43	1,31,76	55,86,86	62,42,35
उत्तर Northern	3,16,41	4,61,24	7,77,65	3077,33	15,65,74	3,64,67	7,94,79	1,41,74	59,44,27	67,21,92
पूर्वोत्तर Northeastern	1,88,00	53,86	2,41,86	14,41,12	6,02,46	2,01,16	3,04,20	33,82	25,82,76	28,24,62
पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	2,56,00	2,87,50	5,43,50	12,78,37	8,50,04	3,91,97	2,48,07	41,59	28,10,04	33,53,54
दक्षिण Southern	1,84,80	5,63,73	7,48,53	28,33,46	7,40,31	3,98,66	3,80,22	1,02,46	44,55,11	52,03,64
दक्षिण-मध्य South Central	4,72,00	3,60,00	8,32,00	17,47,68	6,79,57	7,84,50	5,82,88	91,41	38,86,04	47,18,04
दक्षिण-पूर्व South Eastern	4,52,00	7,10,25	11,62,25	24,81,81	14,8190	10,62,22	5,14,49	89,94	56,30,36	67,92,61
पश्चिम Western	6,70,00	4,95,20	11,65,20	28,55,19	11,29,39	6,72,48	5,69,55	1,40,54	53,67,15	65,32,35
मेट्रो रेलवे Metro Railway	..	..	..	4,33	..	..	..	..	4,33	4,33
रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	..	4,67,42	4,67,42	..	..	..	..	..	..	4,67,42
पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant	..	15,00	15,00	..	..	..	..	..	..	15,00
का. नि. . (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	12,00	..	12,00	..	..	..	..	..	..	12,00
अ०अ०मा०सं० R.D.S.O.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	11,00	52,08	63,08	..	..	..	..	..	..	63,08
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	99,78	..	99,78	..	..	..	..	..	..	99,78
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	11,00	12,20	23,20	..	..	..	..	..	..	23,20
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	48,44	..	48,44	..	..	..	..	..	..	48,44
डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	10,00	..	10,00	..	..	..	..	..	..	10,00
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	64,49	..	64,49	..	..	..	..	..	..	64,49
डीजल कल पुर्जा कारखाना Diesel Component works	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Ove heads)	4,00	..	4,00	..	..	..	..	..	..	4,00
TOTAL	35,17,90	41,09,08*	76,26,98	213,25,57	9343,27	46,83,72	48,23,22	9,77,38	411,53,16	487,80,14
जोड़ का०नि०उ० ऊपरी खर्च W.M.S. (Overheads)	2,28,71	..	2,28,71	..	..	..	..	..	..	2,28,71

*इसमें क्वार्टरों के लिए 9,78,03 लाख रुपये शामिल हैं। जो विभिन्न योजना शीर्षों के अंतर्गत योजनाओं के भाग के रूप में हैं

*Includes Rs. 9,78,03 lakhs for quarters forming part of schemes under various plan-heads.

परिशिष्ट IV
APPENDIX IV

1995-96 के दौरान योजना शीर्ष और रेलवे वार योजना व्यय

Plan head and Railway wise Plan expenditure during
1995-96

परिशिष्ट
APPENDIX

1995-96 के दौरान योजना शीर्ष और रेलवे वार योजना-व्यय

योजना शीर्ष Plan Head	रेलवे RAILWAY						
	मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पूर्वोत्तर North-eastern	पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	दक्षिण Southern	दक्षिण-मध्य South Central
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	17.22,37	7,16,93	52,35,25	2,40,00	40,50,00	10,32,0)	2,60,00
(ख) नयी लाइनों को खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	..	..
(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को पुन: बिछाना (c) Restoration of Dismantled lines	..	..	..	1,"0,00	..	..	..
(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	18,51,62	..	22,50,00	71,16,74	113,27,66	106,00,00	263,45,72
(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	14,12,93	84,51,81	11,83,00	..	19,00,00	43,00,00	2,49,69
(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम (f) Traffic Facilities—Yard Remodelling and others	27,10,18	21,81,20	24,18,08	4,15,00	6,83,55	6,00,00	20,95,10
(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	5,59,42	6,33,33	68,08,47	2,15,00	2,16,95	3,68,04	3,59,06
(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	..	..	..	..	..	..	..
(झ) चल स्टाक (i) Rolling Stock	15,21,12	17,01,58	29,12,77	12,45.21	1,96,46	30,30,30	11,28,71
(ञ) रेल पथ का नवीकरण (j) Track Renewals	218,00,00	164,00,00	181,00,00	54,00,00	58,00,00	94,00,10	180,00,00
(ट) पुल संबंधी काम (k) Bridge Works	10.62,29	11,14,58	30,07,45	6,97,82	11,76,38	17,90,15	32,89,95
(ठ) सिगनल और दूर संचार संबंधी काम (l) Signalling and Telecommunication Works	44.28,71	52,09.00	36.87.92	8,89,15	17,74,09	10,96,00	48,30,00
(ड) डाक-तार विभाग से लाइन तारों को अपने अधिकार में लिया जाना (m) Taking over of line wires from P & T	..	..	..	..	..		..
(ढ) विद्युतीकरण परियोजना (n) Electrification Projects	..	20,20,00	..	..	..	..	..
(ण) बिजली संबंधी अन्य काम (o) Other Electrical Works	12,98,77	9,66,07	24,91,78	98,52	3,01,86	2,18,50	2,06,50
(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery and Plant	13,75,99	10,35,07	5,32,78	3,60,45	3,74,20	9,28,95	3,92,00
(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops—including Production Units	19,35,20	25,13,87	22,74,18	1,11,17	11,44,57	18,07,62	9,11.74

IV

1995-96 में योजना शीर्ष और रेलवे-वार योजना व्यय

Plan-head and Railway-wise Plan expenditure during 1995-96

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

दक्षिण पूर्व South Eastern	पश्चिम Western	चितरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	पहिया और धुरा संयंत्र Wheel and Axle Plant	डीजल कल पुर्जा कारखाना Diesel Component Works	रेल सवारी डिब्बा कारखाना Rail Coach Factory	रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	अ०अ० मा०सं० R.D. S.O.	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	रेलवे बोर्ड (चल-स्टाक) Railway Board (Rolling Stock)	जोड़ Total
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
68,43,45	2,00,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	203,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00,00
38,00,01	240,08,25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	873,00,01
72,26,95	21,75,62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	269,00,00
27,07,26	14,89,63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	153,00,00
2,45,73	2,94,00	1,00,00	1,00,00	1,00,00	..	..	..	..	..	..	..	100,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	20,00,00	..	..	20,00,00
16,04,14	12,27,36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	994,32,35	1140,00,00
326,00,00	152,86,62	..	..	13,28	..	..	..	..	..	..	..	1428,00,00
14,37,09	26,36,99	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	162,12,70
18,44,76	38,04,00	..	..	8,87	..	..	..	..	..	..	..	275,72,50
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
50,00	..	..	..	..	..	..	..	330,00,00	..	..	..	350,70,00
12,65,79	21,65,10	23,41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	90,36,30
15,28,03	8,89,62	6,93,18	5,70,93	5,79,50	2,32,94	29,06	..	..	..	..	..	95,22,70
36,34,67	18,00,39	16,52,19	5,12,00	1,09,60	5,96,44	..	9,96,36	..	..	..	..	200,00,00

परिशिष्ट
APPENDIX

योजना शीर्ष और रेलवेवार
Plan Head and Railway-wise

योजना शीर्ष Plan Head	रेलवे RAILWAY						
	मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पूर्वोत्तर North-eastern	पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	दक्षिण Southern	दक्षिण मध्य South Central
1	2	3	4	5	6	7	8
(र) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	4,17,81	1,63,00	4,61,24	53,86	2,57,50	3,03,00	3,60,00
(ष) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for Staff . . .	5,03,99	4,42,70	3,16,41	1,88,00	2,56,00	1,84,80	4,72,00
(न) (1) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities . .	13,32,84	10,47,00	15,67,42	4,00,00	5,00,00	11,54,27	7,70,00
(2) अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं (ii) Other Railway Users' Amenities	..	..	..	..	..	..	..
(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश—सार्वजनिक उपक्रम—रे. खा. प. नि (u) Investment in Government Commercial Undertakings — Public Undertakings—R.C.T.C. . .	..	..	10,00,00	..	..	..	..
(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works . .	3,64,20	97,48	4,22,17	84,00	1,81,78	3,03,68	3,03,36
(ब) भंडार उचंत (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net) . . .	—2,95,01	—11,65,51	25,47,13	—4,17,71	3,62,17	—2,26,47	33,17
(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net) .	1,30,51	1,13,05	—7,60,91	19,62,18	81,48	61,00	—28,92
(म) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Miscellaneous Advances (Net) .	6,00	48,38	—11,56,07	..	..	..	—19,76
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects .	11,00,00	20,00	..	..	..	..	..
जमा या वसूलियां Credits or Recoveries . . .	85,04,57	64,55,50	112,53,00	25,00,00	19,26,49	46,90,68	95,19,62
जोड़ TOTAL	367,34,37	372,54,04	440,46,07	166,59,39	286,58,16	322,61,26	504,38,70

@इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए जुटाये जाने वाले 1050 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1994-95) और अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के कोंकण रेलवे निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर निगम द्वारा जुटाये जाने वाले 74 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं।

*बम्बई (35,46,00) कलकत्ता (141,25,00), मद्रास (42,11,25) और दिल्ली (30,00)।

@Excludes Rs 1050 crores (Budget Estimates 1994-95) proposed to be raised by the Indian Railway Finance Corporation for financing the Railway Plan and also excludes Rs. 120 Crores to be raised by K onkan Railway Corporatinn and 74 Crores to be arranged by Container Corporation of India for financing their projects.

*Bombay (35,46,00), Calcutta (141,25,00), Madras (42,11,25) and Delhi (30,00)

IV

योजना व्यय 1995-96 (समाप्त)
Plan expenditure during 1995-96 (Concld.)

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

दक्षिण-पूर्व South Eastern	पश्चिम Western	चितरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	पहिया और धुरा संयंत्र Wheel and Axle Plant	डीजल कल पुर्जा कारखाना Diesel Component Works	रेल सवारी डिब्बा कारखाना Rail Coach Factory	रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	अ०अ० मा०सं० R.D.S.O.	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	रेलवे बोर्ड (चल-स्टाक) Railway Board (Rolling Stock)	जोड़ Total
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,52,51	4,82,85	12,20	..	52,08	15,00	..	..	..	..	..	..	31,31,05
4,52,00	6,70,00	11,00	10,00	11,00	..	..	..	..	..	..	..	35,17,90
12,98,47	9,30,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	90,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10,00,00
4,20,22	1,58,46	13,50	..	25,00	..	..	13,00	..	..	..	..	23,86,85
4,81,08	2,44,04	12,95,69	2,00,00	1,99,69	2,07,54	1,50,00	13,15,50	..	..	7	..	49,31,38
56,23	—5,79,07	11,46,76	4,37,40	7,13,11	3,12	—52,80	6,65,00	..	..	..	..	39,48,14
—1,00,00	—50,00	..	1,00,00	60,50	50,00	50,00	..	..	..	..	6,31,43	—3,79,52
..	11,17,75	..	..	..	..	..	..	..	..	219,12,25	..	241,50,00
99,43,25	77,86,89	..	..	..	..	..	..	70,00	..	1,50,00	..	628,00,00
580,05,14	511,64,72	49,47,93	19,30,33	18,72,63	11,05,04	1,76,26	29,89,86	329,30,00	20,00,00	217,62,32*	1000,63,78	5250,00,00@

परिशिष्ट V
भारतीय रेलों का तुलन-पत्र

APPENDIX V
BALANCE SHEET OF INDIAN RAILWAYS

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

		31-3-1993 को As on 31-3-1993	31-3-1994 को As on 31-3-1994
देयताएं	**LIABILITIES**		
1. (क) निम्नलिखित से निवेश :—	1. (a) Investments financed from : –		
(i) पूंजी ऋण (सामान्य राजकोष से अग्रिम)	(i) Loan Capital (advanced by General Exchequer)	201,23,20	208,73,58
(ii) रेलवे पूंजी निधि	(ii) Railway Capital Fund	..	17,46,99
(iii) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(iii) Depreciation Reserve Fund	57,33,42	66,83,35
(iv) विकास निधि	(iv) Development Fund	14,88,67	21,65,54
(v) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(v) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	4,93,17	..
(vi) राजस्व	(vi) Revenue	5,26,30	5,56,61
(ख) विविध	(b) Miscellaneous	1,59,58	1,85,97
(ग) जोड़	(c) Total	285,24,34	322,12,04
2. रेलवे आरक्षित निधियां :—	2. Railway Reserve Funds :—		
(i) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(i) Depreciation Reserve Fund	10,78,08	9,85,29
(ii) राजस्व आरक्षित निधि	(ii) Revenue Reserve Fund	71	23
*(iii) विकास निधि	*(iii) Development Fund	..	9
(iv) पेंशन निधि	(iv) Pension Fund	2,74,12	3,28,10
(v) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(v) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	53,43	..
(vi) रेलवे पूंजी निधि	(vi) Railway Capital Fund	73,18	2,57
(vii) जोड़	(vii) TOTAL	14,79,52	13,16,28
3. बैंक खाता :—	3. Banking Account : –		
(i) भविष्य निधियां आदि	(i) Provident Funds etc.	26,50,25	29,24,35
(ii) विविध जमा, अग्रिम आदि	(ii) Miscellaneous Deposits, Advances, etc.	7,17,36	415,25
(iii) ऋण और अग्रिम	(iii) Loan & Advance	1,28,03	1,44,37
v) जोड़	(iv) TOTAL	34,95,64	34,83,97
4. देय मांगें (अर्थात् वर्ष के अन्त में पूरी न की गयी दायिताएं)	4. Demands payable (i.e., liabilities remaining undischarged at the end of the year)	3,31,81	3,58,38
5. अन्तर्विभागीय आदि संव्यवहारों के कारण शुद्ध दायिता	5. Net liability arising out of inter-departmental, etc. transactions	13,10,24	15,96,03
कुल जोड़	GRAND TOTAL	351,41,55	389,66,70
परिसम्पत्तियां	**ASSETS**		
1. हस्ते रोकड़	1. Cash in hand	5,51,08	5,33,70
2. ब्लाक परिसम्पत्तियां (दुतरफा मद 1)	2. Block Assets (Contra item I)	285,24,34	322,12,04
3. केन्द्रीय सरकार के अधीन निधियां (दुतरफा मद 2 और 3)	3. Funds with the Central Government (Contra item 2 and 3)	49,75,16	48,00,25
4. वसूल या समायोजित किये जाने वाले विविध अग्रिम (फुटकर देनदार)	4. Miscellaneous Advances (sundry debtors) to be recovered or adjusted	1,11,96	1,30,93
5. यातायात से आमदनी (वर्ष के अन्त तक की जिसकी वसूली नहीं हुई)	5. Traffic earnings (yet to be realised at the end of the year)	8,08,91	11,14,75
6. मदें जिनका समायोजन सिविल विभागों, राज्य सरकारों आदि के साथ होना बाकी है	6. Items awaiting adjustment with Civil Departments, State Governments, etc.	82,62	80,79
7. वसूलनीय मांगें	7. Demands recoverable	87,48	94,24
जोड़	TOTAL	351,41,55	389,66,70

*विकास निधि के अन्तर्गत दिखाये गये आंकड़े शुद्ध राजस्व अधिशेष के विनियोग और वर्ष में निधि से निकाली गयी रकम के बाद शेष राशि के सूचक हैं ।

£ इसमें महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) से संबंधित 1992-93 और 1993-94 के क्रमश: 13,06,09 लाख रुपये और 15,29,16 लाख रुपये और मार्च, 1994 तक सर्कुलर रेलवे से सम्बंधित 35,51 लाख रुपये शामिल नहीं हैं ।

*The figure under Development Fund represents the balance remaining in the Fund after Appropriation of the Net Revenue Surplus and withdrawal from the Fund during the year.

£Excludes Rs. 13,06,09 lakhs and Rs. 15,29,16 lakhs pertaining to MTP (Railways) for the years 1992-93 and 1993-94 respectively, and Rs. 35,51 lakhs pertaining to Circular Railway upto March, 1994.

परिशिष्ट VI / APPENDIX VI

भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी / Capital-at-Charge of Indian Government Railways

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

प्रशासन	Administration	वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मध्य	Central	2342,92	2443,05	2472,38
पूर्व	Eastern	1634,96	1764,66	1785,84
उत्तर	Northern	3064,31	3194,23	3259,50
पूर्वोत्तर	North Eastern	799,66	808,80	810,00
पूर्वोत्तर-सीमा	Northeast Frontier	1120,93	1230,09	1343,90
दक्षिण	Southern	1844,87	1864,65	1876,03
दक्षिण मध्य	South Central	1962,14	1972,25	1976,02
दक्षिण पूर्व	South Eastern	2779,07	2875,61	2947,95
पश्चिम	Western	1751,48	1778,13	1792,70
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	Chittaranjan Locomotive Works	220,43	220,56	220,69
डीजल रेल इंजन कारखाना	Diesel Locomotive Works	173,28	173,33	173,33
सवारी डिब्बा कारखाना	Integral Coach Factory	165,63	166,22	166,74
पहिया एवं धुरा संयंत्र	Wheel and Axle Plant	200,82	200,82	200,97
डीजल कल पुर्जा कारखाना	Diesel Component Works	203,17	203,17	203,17
रेल विद्युतीकरण	Railway Electrification	2194,18	2461,78	2740,30
रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला	Rail Coach Factory, Kapurthala	414,81	414,81	414,81
रेलवे बोर्ड और अन्य विविध मदें	Railway Board and other Miscellaneous items	92	92	320,93
जोड़—भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी	TOTAL—Capital-at-charge of Indian Government Railways	20873,58	21773,08	22705,26
महानगर परिवहन परियोजना —बम्बई	Metropolitan Transport Project, Bombay	185,80	215,80	251,26
कलकत्ता	Calcutta	1202,98	1402,98	1542,73
दिल्ली	Delhi	34,13	34,33	34,63
मद्रास	Madras	106,25	126,25	168,36
जोड़	TOTAL	1529,16	1779,36	1996,98
सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता	Circular Railway, Calcutta	35,51	35,81	36,01
कुल ब्याजदेय पूंजी—महानगर परिवहन परियोजनाओं तथा सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता पर परिव्यय सहित	Total Capital-at-Charge-including outlay on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta	22438,25	23588,25	24738,25

टिप्पणी

1—पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के आंकड़ों में भूतपूर्व असम रेलवे, भूतपूर्व ईस्टर्न पंजाब रेलवे और भूतपूर्व बंगाल असम रेलवे के भागों की ब्याजदेय पूंजी की अनुमानित रकम भी शामिल है।

2—1949-50 में भारत की सरकारी रेलों में मिलायी गयी भूतपूर्व रियासती रेलों और 1-4-1950 से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली चालित लाइनों की ब्याजदेय पूंजी, जो लगभग 63.76 करोड़ रुपये है, संबंधित रेलों की, जिनका अब ये हिस्सा है, पूंजी में जोड़ दी गयी है लेकिन यह अभी अनन्तिम है।

3.—ब्याजदेय पूंजी का अर्थ सामान्य राजस्व द्वारा किया गया अंशदान है।

NOTE

1. The figures against the Eastern, Northern, North-Eastern and Northeast Frontier Railways include the estimated Capital-at-Charge of the portions of ex-Assam Railway, ex-Eastern Punjab Railway and ex-Bengal Assam Railway.
2. The Capital-at-Charge of ex-States lines amalgamated with Government Railways during 1949-50 and of worked lines which vested in the Centre from 1-4-1950, amounting to about 63.76 crores, which has been added to the capital of the respective Railways of which they now form part, is still provisional.
3. Capital—at—charge means capital contributed by General Revenues.

परिशिष्ट—VI(क) APPENDIX—VI(A)

पूंजी निधि से निवेश INVESTMENT FROM CAPITAL FUND

(लाख रुपयों में) (Rupees in lakhs)

प्रशासन Administration		वास्तविक Actuals 1993-94	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मध्य रेलवे	Central Railway	250,72	379,32	455,70
पूर्व रेलवे	Eastern Railway	214,78	358,90	499,96
उत्तर रेलवे	Northern Railway	331,24	616,01	806,76
पूर्वोत्तर रेलवे	North Eastern Railway	114,69	208,38	303,04
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	Northeast Frontier Railway	..	..	..
दक्षिण रेलवे	Southern Railway.	185,60	381,79	528,82
दक्षिण मध्य रेलवे	South Central Railway	227,12	593,22	849,20
दक्षिण पूर्व रेलवे	South Eastern Railway	244,42	395,85	570,54
पश्चिम रेलवे	Western Railway.	185,48	382,52	659,04
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	Chittaranjan Locomotive Works	..	12,62	54,28
डीजल रेल इंजन कारखाना	Diesel Locomotive Works.	..	8,69	20,81
सवारी डिब्बा कारखाना	Integral Coach Factory.	..	—93	9,11
पहिया एवं धुरा संयंत्र	Wheel and Axle Plant	—9,01	—11,70	—2,16
डीजल कल पुर्जा कारखाना	Diesel Component Works.	6,93	7,27	8,93
रेल विद्युतीकरण	Railway Electrification	..	..	32,65
रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला	Railway Coach Factory, Kapurthala	—4,98	—9,95	19,90
रेलवे बोर्ड और अन्य विविध मदें	Railway Board & Other Misc. Items	..	..	210,41
जोड़	TOTAL	1746,99	3321,99	5026,99

परिशिष्ट VII

पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि या दुर्घटना क्षतिपूर्ति संरक्षा व यात्री सुविधा निधि से वित्त पोषित विभिन्न कोटियों की रेल परिसम्पत्तियों का 31 मार्च, 1994 को कुल मूल्य ।

भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी, जैसी कि लेखों में दिखायी गई है, रेलों में निवेश के लिए सामान्य राजस्व द्वारा दी गयी रकम है, इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि या विकास निधि या दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा व यात्री सुविधा निधि या राजस्व से खरीदी गयी परिसम्पत्तियों की लागत शामिल नहीं है । इसके विपरीत, ब्लाक लेखे में, जो भारतीय रेलों के वार्षिक विनियोग लेखों का अनुबन्ध होता है, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा व यात्री सुविधा निधि और राजस्व से अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि से परिसम्पत्तियों में सुधार की लागत को दिखाया जाता है । नीचे की तालिका में, ब्लाक लेखे से निकाली गयी मुख्य कोटियों के अन्तर्गत 31 मार्च, 1994 को रेलवे की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य दिखाया गया है (लेकिन इसमें उन परिसम्पत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है जो राजस्व से सृजित की गयी हैं क्योंकि उनके बदलाव का खर्च भी साथ-साथ राजस्व से ही किया जायेगा) ।

APPENDIX VII

Total value of Railways assets, under various categories, whether financed from Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund or Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund as on 31st March, 1994.

The Capital-at-charge of the Indian Government Railways as set out in the accounts is the sum made available by the General Revenues for investment in the railways; it does not include the cost of assets created out of the Depreciation Reserve Fund, Development Fund or Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund or Revenue. On the other hand, the Block Account—forming an annexure to the annual Appropriation Accounts for the Indian Railways indicates the total including the value of assets financed from the Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund and Revenue as also the "improvement element, of the cost of assets financed from the Depreciation Reserve Fund. The following table shows the total value of railway assets as on 31st March 1994 under broad categories from the Block Account (excluding only the value of assets created from Revenue as their replacement will be financed currently from Revenue).

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

विवरण	Particulars	ब्याजदेय पूंजी (ऋणखाता सहित) Capital-at-charge (comprising loan account)	ब्लाक लेखे में दिखाये अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्य जिनमें वि०नि० और दु०क्ष०नि० से सृजित परिसम्पत्तियों का तथा मू०आ० नि० से सृजित परिसम्पत्तियों में सुधार का मूल्य भी शामिल है, लेकिन राजस्व से सृजित परिसम्पत्तियों को छोड़कर £ Value of assets including those created out of D.F. & ACSPF as also of the improvement element in assets created out of D.R.F. but excluding those created out of Revenue as shown in Block Account. £
*1. भूमि	*1. Land	3,55,14	3,90,61
2. संरचना संबंधी इंजीनियरी के काम—	2. Structural Engineering Works—		
(क) स्टेशन और कार्यालय	(a) Station and Offices	6,15,96	13,13,09
(ख) कारखाने और भंडार की इमारतें	(b) Workshops and Stores buildings	6,55,40	8,93,50
(ग) रिहायशी इमारतें	(c) Residential Buildings	6,68,74	10,64,46

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

विवरण	Particulars	ब्याजदेय पूंजी (ऋण खाता सहित) Capital-at-charge (comprising loan account)	ब्लाक लेखे में दिखाये अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्य जिनमें वि.नि. और दु०क्ष०नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों का तथा मू०ह्रा०नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों में सुधार का तत्व भी शामिल है, लेकिन राजस्व से सृजित परिसम्पत्तियों को छोड़कर। £ Value of assets including those created out of D.F. & ACSPF as also of the improvement element in assets created out of D.R.F. but excluding those created out of Revenue as shown in Block Account £
(घ) रेलपथ—	(d) Track—		
*(i) रचना आदि	*(i) Formation etc.	31,16,78	37,49,98
(ii) रेल-पथ सामग्री	(ii) Permanent way materials	33,41,61	77,32,24
(iii) पुल	(iii) Bridges	11,02,14	18,86,17
3. चल-स्टाक—	3. Rolling Stock—		
(क) रेल इंजन और अतिरिक्त बायलर	(a) Locomotives and spare boilers	20,79,16	31,12,37
(ख) सवारी-डिब्बे, रेल कार और बिजली गाड़ी-स्टाक सहित	(b) Carriages including Rail Cars and E.M.U. stock	11,25,31	17,94,32
(ग) माल-डिब्बे	(c) Wagons	14,54,59	18,60,75
(घ) घाट उतराई व्यवस्था	(d) Ferries	3,22	3,88
(ङ) रेल एवं सड़क सेवाएं	(e) Rail-cum-Road Services	1,28	1,47
(च) सड़क मोटर कार और सार्वजनिक यातायात के लिए अन्य वाहन	(f) Road motor cars and carriers for Public Traffic	..	..
4. चल स्टाक को छोड़कर उपस्कर (मशीन और संयंत्र आदि)	4. Equipment (Machinery and Plant etc.) other than Rolling stock	43,40,13	56,96,47
@*5. उचंत (चल परिसम्पत्तियां जैसे वस्तु-सूची या भंडार संग्रहण)	@*5. Suspense (Floating assets like inventories or stores holdings)	14,45,32	15,66,11
*6. सरकारी और अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों के हिस्सों में निवेश	*6. Investments in shares of Government and other Commercial Undertakings	5,68,80	5,90,01
जोड़	TOTAL	208,73,58	3,16,55,43

*अक्षय परिसम्पत्तियों के सूचक आंकड़े।

£इसमें राजस्व-चालू लाइन निर्माण कार्यों से सृजित परिसम्पत्तियों का व्यय (556.61 लाख रुपये) शामिल नहीं है।

@मार्च, 1994 तक के महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) के 1529.16 लाख रुपये और सर्कुलर रेलवे के 35,51 लाख रुपये शामिल नहीं है।

*Represents non-wasting assets.

£Excludes expenditure on assets created from Revenue —Open Line Works Rs. 556,61 lakhs.

@This excludes Rs. 1529,16 lakhs pertaining to MTP (Rlys.) and Circular Railway Rs. 35,51 lakhs up to March 1994.

भारत की सरकारी रेलों के महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

Statement showing important financial figures of Indian Government Railways

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	*ब्याजदेय पूंजी *Capital-at-Charge	पूंजी निधि से निवेश Investment from capital Fund	यातायात से कुल प्राप्ति Gross Traffic Receipts	कुल संचालन व्यय Total Working expenses	शुद्ध राजस्व Net Revenue	अधिशेष (+) कमी (—) Excess (+) Shortfall (—)	प्रतिशत Perntage: परिचालन अनुपात Operating Ratio	प्रतिशत Perntage: ब्याजदेय पूंजी और पूंजी निधि से निवेश का शुद्ध राजस्व से Net Revenue to Capital at charge and Investment from Capital Fund	प्रतिशत Perntage: ब्याजदेय पूंजी और पूंजी निधि से निवेश का अधिशेष/कमी Excess/Short-fall to Capital at charge and Investment from Capital Fund
51–52	850,11		290,82	224,35	61,75	28,34	77.0	7.3	3.3
52–53	857,38		270,56	218,17	47,18	13,19	80.6	5.5	1.5
53–54	869,30		274,29	231,75	36,92	2,56	84.4	4.2	0.3
54–55	901,58		286,78	236,09	44,06	9,10	82.3	4.9	1.0
55–56	968,98		316,29	258,22	50,34	14,22	81.6	5.2	1.5
56–57	1071,71		347,57	279,27	58,38	20,22	80.3	5.4	1.5
57–58	1222,44		379,78	309,44	57,78	13,38	81.5	4.7	1.1
58–59	1356,59		390,21	321,44	59,32	8,93	82.4	4.4	0.7
59–60	1432,28		422,33	334,62	74,55	20,12	79.2	5.2	1.4
60–61	15,2087		456,80	358,24	87,87	32,01	78.4	5.8	2.1
61–62	1682,98		500,50	390,51	99,75	24,40	78.0	5.9	1.5
62–63	1896,81		566,79	429,52	123,32	42,06	75.8	6.5	2.2
63–64	2159,63		632,21	472,27	145,19	49.24	74.7	6.7	2.3
64–65	2435,12		660,85	528,11	118,11	13,18	79.9	4.9	0.5
65–66	2680,32		733,57	583,04	134,84	18,56	79.5	5.0	0.7
66–67	2841,57		768,78	639,25	114,12	—18,27	83.2	4.0	—0.6
67–68	2978,03		818,14	693,30	110,00	—31,53	84.7	3.7	—1.1
68–69	3101,27		898,84	741,93	142,81	—7,86	82.5	4.6	—0.3
69–70	3195,51		951,28	790,02	146,56	—9,83	83.0	4.6	—0.3
70–71	3330,78		1006,69	847,34	144,73	—19,84	84.2	4.3	—0.6
71–72	3520,99		1096,59	911,85	169,08	17,84	83.1	4.8	0.5
72–73	3725,81		1162,42	982,62	164,43	+2,92	84.5	4.4	0.1
73–74	3893,38		1137,89	1066,33	55,41	—115,51	93.7	1.4	—2.9
74–75	4105,56		1408,19	1317,29	73,64	—113,83	93.5	1.8	—2.8
75–76	4354,78		1767,01	1609,62	137,03	—61,11	91.1	3.1	—1.4
76–77	45,3370		2036,11	1718,56	296,29	+87,24	84.4	6.5	1.9
77–78	4797,12		2123,42	1750,12	352,79	+126,23	83.0	7.4	2.6
1978–79	5023,92		2151,04	1867,55	260,82	+36,66	87.5	5.2	0.7
1979–80	5484,64		2337,84	2142,38	227,29	—66,24	91.5	4.1	—1.2
1980–81	6096,35		2624,02	2536,46	127,49	—197,87	96.1	2.1	—3.2
1981–82	6698,05		3538,24	3182,05	403,06	+46,59	89.4	6.0	0.7
1982–83	7251,09		4376,21	3883,35	554,29	+118,31	88.3	7.6	1.6
1983–84	7567,80		4986,24	4661,46	378,95	—44,75	93.9	5.0	—0.6
1984–85	8285,65		5358.77	5142,17	270.10	—195,59	96.3	3.3	—2.4

परिशिष्ट/APPENDIX VIII

भारत की सरकारी रेलों के महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

Statement showing important financial figures of Indian Government Railways

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	*ब्याज देय पूंजी *Capital-at-Charge	पूंजी निधि से निवेश Investment from capital Fund	यातायात से कुल प्राप्ति Gross Traffic Receipts	कुल संचालन व्यय Total Working expenses	शुद्ध राजस्व Net Revenue	अधिशेष (+)/ कमी (—)/ Excess (+) Shortfall (—)	परिचालन अनुपात Operating Ratio	प्रतिशत/Percentage of: ब्याजदेय पूंजी और पूंजी निधि से निवेश का शुद्ध राजस्व से Net Revenue to Capital at charge and Investment from Capital Fund	ब्याजदेय पूंजी और पूंजी निधि से निवेश का अधिशेष/कमी से Excess/Shortfall to Capital at charge and Investment from Capital Fund
1985-86	9078,07		208,416	5823,14	685,87	a+178,83	90.6	7.6	2.0
1986-87	10373,10		7505,66	6900,56	680,84	a+101,99	92.2	6.6	1.0
1987-88	11622,22		8435,25	7802,95	723,15	a+84,29	92.5	6.2	0.7
1988-89	12987,51		9259,29	8632,99	737,33	a+21,67	93.0	5.7	0.2
1989-90	14629,45		10739,41	9887,73	982,07	a+173,26	91.5	6.7	1.2
1990-91	16125,80		12096,49	11153,86	1113,78	a+175,67	92.0	6.9	1.2
1991-92	17620,02		13729,74	12389,19	1540,95	a+435,00	89.5	8.7	2.4
1992-93	201,23,20		15688,44	13980,08	1955,43	+4,41,05	87.4	9.7	2.2
1993-94	208,73,58	1746,99	17946,02	15134,54	3102,13	+1806,08	82.9	13.7	8.0
1994-95(ब.अ./B.E.)	21808,95	3623,00	20394,00	17307,00	3342,00	+1970,00	85.4	13.1	7.8
1994-95 (सं.अ./R.E.)	21773,08	3321,99	19920,00	16,940,00	3250,00	+1870,00	84.9	13.0	7.5
1995-96 (ब.अ./B.E.)	22705,26	5026,99	21955,00	18700,00	3426,16	+2055,00	86.2	12.4	7.4

*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे (कलकत्ता) का पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है।

नोट:—शुद्ध राजस्व, सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान के अलावा सभी राजस्व प्रभार पूरे करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

(2) अधिशेष, सामान्य राजस्व को लाभांश चालू और आस्थगित के भुगतान सहित सभी राजस्व प्रभार पूरे करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

(क) आस्थगित लाभांश के भुगतान होने के बाद।

*Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway. (Calcutta).

NOTE: Net Revenue represents the net earning after meeting all the revenue charges except the payment of dividend to General Revenues.

(2) Excess represents the net earnings after meeting all the revenue charges including the payment of dividend current and deferred to General Revenues.

(a) After payment of deferred dividend.

परिशिष्ट VIII(क)

प्रत्येक योजना अवधि में शुद्ध राजस्व और औसत ब्याजदेय पूंजी पर अधिशेष/कमी का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

APPENDIX VIII(A)

Statement showing percentage of Net Revenue and Excess/Shortfall to average Capital-at-Charge in each Plan Period.

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

अवधि Period	औसत ब्याज-देय पूंजी Average Capital-at-Charge	औसत ब्याज-देय पूंजी पर औसत शुद्ध राजस्व का प्रतिशत Percentage of the average Net Revenue to average Capital-at-Charge		औसत ब्याज-देय पूंजी पर औसत शुद्ध अधिशेष (+)/कमी (—) का प्रतिशत Percentage of the average excess (+)/Shortfall (—) on the average Capital-at-Charge	
		रकम Amount	प्रतिशत Percentage	रकम Amount	प्रतिशत Percentage
1	2	3	4	5	6
	रु० Rs.	रु० Rs.		रु० Rs.	
1. पहली योजना अवधि I Plan period (1951 – 56)	889,47	48,05	5.4	13,48	1.5
2. दूसरी योजना अवधि II Plan period (1956 – 61)	1320,78	65,85	5.1	18,93	1.4
3. तीसरी योजना अवधि III Plan period (1961 – 66)	2170,97	124,24	5.7	29.49	1.4
4. 1966-67 से 1968-69 1966-67 to 1968-69	2973,62	122,31	4.1	—19,22	-0.6
5. चौथी योजना अवधि IV Plan period (1969 – 74)	3535,02	136,04	3.9	—21,32	-0.6
6. पांचवीं योजना अवधि V Plan period (1974— 78)	4447,79	214,94	4.8	9,63	0.2
7. 1978-79 से 1979-80 1978-79 to 1979-80	5254,28	244,05	4.6	14,79	0.3
8. छठी योजना अवधि VI Plan period (1980—1985)	7179,79	346,78	4.8	—54,66	-0.8
9. सातवीं योजना अवधि VII Plan period (1985—1990)	11738,07	761,85	6.5	112,01	1.0
10. 1990-91 से 1991-92 1990-91 to 1991-92	16919,13	1327,37	7.8	305,34	1.8
11. 1992-93	20123,20	1955,43	9.7	441,05	2.2
12. 1993-94	20873,58	3102,13	14.9	1806,08	8.7

परिशिष्ट IX

APPENDIX IX

व्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का रेलवे-वार प्रतिशत और पूंजी निधि से निवेश

Railway-wise figures of Percentage of Net Revenue to Capital-at-Charge and investment from Capital Fund

रेलवे Railway	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (ब.अ.) (B.E.)	1994-95 (सं.अ.) (R.E.)	1995-96 (ब.अ.) (B.E.)
मध्य Central	23.0	22.2	18.3	24.1	24.1	22.5	23.6	22.3	25.7	30.7	29.0	31 8	29.0	23.9	20 8
पूर्व Eastern	—6.0	—10.9	—14.7	—5.2	—4.2	—9.1	—5.9	—6.8	—4.4	—5 6	3.7	7.0	7.4	4.9	3.2
उत्तर Northern	13.0	9.7	7.3	15.3	17.5	19.7	11.7	13.3	9.6	8 7	4.5	11 0	19.7	13.9	18.9
पूर्वोत्तर North Eastern	—23.0	—37.1	—41.7	—37.7	—40.3	—41.6	—42.5	—42.0	—42.5	—39·7	—44.8	—35 4	—33.1	—34.0	—32.9
पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	—15.0	—24.1	—28.9	—27.4	—29.1	—30.8	—30.0	—24.3	—24.2	—25·3	—25.2	—20.7	—19.9	—21.4	—19.8
दक्षिण Southern	—8.0	—9.9	—10.1	—11.3	—13.4	—15.0	—11.1	—12.6	—9.5	—9 0	—9.4	—3.2	—6.3	—1.5	—3.3
दक्षिण मध्य South Central	11.0	7.5	9.9	13.9	7.7	6.8	7.8	8.5	7.8	13 3	—12.2	16.1	11.0	9.4	9.1
दक्षिण पूर्व South Eastern	17.0	15.4	16.5	22.8	21.3	23.5	24.5	25.4	26.1	30.6	—36.1	41.2	40.6	44.9	44.0
पश्चिम Western	18.0	19.4	15.7	19.8	20.1	21.6	22.6	26.7	27.3	32·2	—42.3	44 9	41.6	44.8	40.9

टिप्पणी :—शुद्ध राजस्व, जिस में सामान्य राजस्व को देय लाभांश शामिल नहीं है, पूरा करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

NOTE : Net Revenue represents the net earnings after meeting all the revenue charges except the payment of dividend to General Revenues.

परिशिष्ट APPENDIX X

निधियों के साधन और उनका उपयोग
SOURCES & APPLICATION OF FUNDS

परिशिष्ट X

निधियों के साधन और उनका उपयोग

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		पहली योजना I Plan	दूसरी योजना II Plan	तीसरी योजना III Plan	चल योजना Rolling Plan
		1951—56	1956—61	1961—66	1966—69
निधियों के साधन	SOURCES OF FUNDS				
1. शुद्ध राजस्व	Net Revenue	240,25	337,90	621,22	366,93
2. घटाकर सामान्य राजस्व को कम भुगतान	Less Payment to General Revenues				
(i) लाभांश	(i) Dividend	172,84	243,24	473,77	424,59
@(ii) आस्थगित लाभांश	@(ii) Deferred Dividend	..	..	..	..
3. अधिक(+)/घाटा(—) (1-2)	Excess(+)/Shortfall(—) (1—2)	+67,41	+94,66	+147,45	—57,66
4. मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंशदान	Contribution to Depreciation Reserve Fund	166,68	229,37	387,28	296,59
5. राजस्व को प्रभृत चालू लाइन निर्माण-कार्य	Open Line Works charged to Revenue	23,31	52,55	53,36	27,02
6. पेंशन निधि को अंशदान (शुद्ध)	Contribution to Pension Fund (Net)	...	...	23,00	30,51
7 £दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि को अंशदान	£Contribution to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	...	...	...	...
8 निधि शेष पर ब्याज	Interest on Fund balances	26,68	20,40	23,66	20,18
9. कुल आंतरिक रोकड़ अर्जन (3 से 8)	Total Internal Cash Generation (3 to 8)	284,08	396,98	634,75	316,64
10 सामान्य राजस्व से प्राप्त किया गया अंशदान	Contribution received from the General Revenues :				
***(क) पूंजी लेखे पर	***(a) On Capital Account	141,94	549,27	1140,77	412,37
(ख) निम्नलिखित के लिए अस्थायी ऋण—	(b) As temporary loans for :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund	...	..	..	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund	...	29,40	...	25,30
सामान्य राजस्व से कुल	Total from General Revenues	141,94	578,67	1140,77	437,67
11. निधियों के साधनों से कुल (9+10)	TOTAL—SOURCES OF FUNDS (9+10)	426,02	975,65	1775,52	754,31

*वास्तविक देय 518,69 लाख ।

**वास्तविक देय 2007,20 लाख ।

***इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए सामान्य राजस्व से प्राप्त किया गया अंशदान शामिल नहीं है ।

@1990-91 से आगे

£इस में राजस्व मांग सं० 12 के अन्तर्गत दुर्घटना क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गयी राशि शामिल नहीं है । 1-4-1993 से इस निधि को समाप्त कर दिया गया है ।

APPENDIX X

Sources and Application of Funds

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

चौथी योजना IV Plan	पांचवीं योजना V Plan		छठी योजना VI Plan	सातवीं योजना VII Plan				आठवीं योजना VIII Plan		
								ब.अ.	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1969—74	1974—78	1978—80	1980—85	1985—90	1990—92	1992-93	1993-94	1994-95 BE	1994-95 RE	1995-96 BE
680,21	859,75	488,11	1733,89	3809,26	2654,73	1955,43	3102,13	3342,00	3250,00	3426,16
788,84	837,00	*451,45	**1568,99	3249,22	1957,62	1172,39	1296,05	1372,00	1380,00	1371,16
..	..	..	..	..	86,44	341,99	..	..	..	..
-108,63	+22,75	+36,66	+164,90	560,04	610,67	441,05	1806,08	1970,00	1870,00	2055,00
537,74	516,34	350,62	2844,14	6791,14	3998,96	2322,00	1900,00	2350,00	2190,00	2050,00
35,25	29,48	15,23	48,96	146,21	70,52	30,66	31,28	45,00	45,00	45,00
31,20	—3,42	—2,07	—103,34	—605,97	250,07	—33,24	32,26	30,15	30,29	30,15
..	32,10	19,25	45,47	238,08	125,51	58,57	..	..	..	..
59,30	103,04	65,42	183,33	205,14	134,01	89,80	95,80	117,87	94,97	107,22
554,86	700,29	485,11	3183,46	7334,64	5189,74	2908,84	3865,42	4513,02	4230,26	4287,37
794,22	901,01	808,60	2985,64	6369,10	3083,01	2410,74	750,38	920,00	899,50	910,00
132,28	549,67	..	..	..	..	..	..	..	..	..
99,71	44,24	36,97	146,86	198,07	..	..	..	..	..	..
1026,21	1494,92	845,57	3132,50	6567,17	3083, 01	2410,74	750,38	920,00	899,50	9,10,00
1581,07	2195,21	1330,68	6315,96	13901,81	8272,75	5319,58	4615,80	5433,02	5129,76	5179,37

*Actually payable 518,69 lakhs.

**Actually payable 2007,20 lakhs.

***Excludes contribution received from General Revenues for Metropolitan Transport Projects.

@With effect from 1990-91 onwards

£Exclude the amounts paid as Accident Compensation under Revenue Demand No. 12. This Fund has been closed w.e.f. 1-4-93.

परिशिष्ट X—जारी

निधियों के साधन और उनका उपयोग

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		पहली योजना I Plan	दूसरी योजना II Plan	तीसरी योजना III Plan	चल योजना Rolling Plan
		1951—56	1956—61	1961—66	1966—69
निधियों का उपयोग	APPLICATION OF FUNDS				
1 राजस्व को प्रभारित चालू लाइन निर्माण कार्य	Open Line Works charged to Revenue	23,31	52,55	53,36	27,02
रेल सम्पत्तियों का संवर्धन	Addition to Railway Assets				
क. बजटीय समर्थन द्वारा वित्त पोषित	a. Financed by Budgetory support	14 ,94	519,27	1140,77	418,10
ख. पूंजी निधि से वित्त पोषित	b. Financed from Capital Fund	..	..	..	..
3. मूल्यह्रास आरक्षित निधि से प्रभृत बदलाव कार्य	Replacements charged to Depreciation Reserve Fund	206,50	320,42	360,30	253,90
4. विकास निधि को प्रभारित कार्य	Works charged to Development Fund	50,53	121,46	131,41	63,69
5. दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में प्रभृत निर्माण कार्य	Works charged to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	...	...	...	...
6. जोड़ (1 से 5)	Total (1 to 5)	422,28	1043,70	1685,84	762,71
7. निम्नलिखित के लिए प्राप्त किये गये ऋणों की वापसी :	Repayment of loans obtained for :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund	...	..	...	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund	...	...	29,40	...
@8. आस्थगित लाभांश दायिता	@Deferred Dividend	...	...	...	...
9. अस्थायी ऋणों पर ब्याज :	Interest on temporary loan				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund	...	...	...	..
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund	...	1,82	53	1,04
10. निधि शेष में वृद्धि/कमी	Increase/decrease in Fund balances	+3,74	—69,87	+59,75	—9,44
11 जोड़—निधियों का उपयोग (6 से 10)	TOTAL—APPLICATION OF FUNDS (6 to 10)	426,02	975,65	1775,52	754,31
(क) रेल निधियों का प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance of Railway Funds	158,05	157,41	109,57	182,45
(ख) रेल निधि में इतिशेष, वित्तीय समायोजन के बिना अंतरण को छोड़कर	(b) Closing balance of Railway Funds including TWFA	161,79	87,54	169,32	173,01
(ग) बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरण को छोड़कर निधि शेषों में वृद्धि(+)/कमी(—)	(c) Increase (+)/Decrease (—) in Fund Balances excluding TWFA	+3,74	—69,87	+59,75	—9,44
(घ) बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण	(d) Transfer without financial adjustment	+1,52	+4,82	+2,00	+7,25
(ङ) निधि के शेष में वृद्धि(+)/कमी(—) बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरण सहित	(e) Increase (+)/Decrease (—) in Fund balances including TWFA	+5,26	—65,05	+61,75	—2,19
(च) वृद्धि(+)/कमी(—) का विवरण—	(f) Details of increase (+)/Decrease (—)				
(1) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(i) Depreciation Reserve Fund	—20,63	—78,13	+33,06	+45,33
(2) राजस्व आरक्षित निधि	(ii) Revenue Reserve Fund	+32,45	+6,89	+9,76	—59,71
(3) विकास निधि	(iii) Development Fund	—6,56	+6,19	—6,24	—29,38
(4) पेंशन निधि	(iv) Pension Fund	...	...	+25,17	+41,57
(5) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(v) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	...	...	...	...
£(6) पूंजी निधि	£(vi) Capital Fund	..	..	..	..
जोड़	TOTAL	+5,26	—65,05	+61,75	—2,19
वर्ष के अंत में शेष अस्थायी ऋण	Temporary loan outstanding at the end of :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund	...	..	..	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund	...	29,40	...	25,30
		...	29,40	...	25,30

£ इसमें सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता को छोड़कर महानगर परिवहन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं ।

£Excludes Metropolitan Transport Projects other than Circular Railway, Calcutta.

@1989-तक

@Upto 1989

APPENDIX X—*Contd.*

Sources and Application of Funds.

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

चौथी योजना IV Plan	पांचवीं योजना V Plan		छठी योजना VI Plan	सातवीं योजना VII Plan					आठवीं योजना VIII Plan	
1969–74	1974–78	1978–80	1980–85	1985–90	1990-92	1992-93	1993-94	ब.अ. 1994-95 BE	संशोधित अनुमान 1994-95 RE	बजट अनुमान 1995-96 BE
35,25	29,42	15,23	48,96	146,21	70,52	30,66	31,28	45,00	45,00	45,00
793,13	901,07	808,60	2985,64	6369,10	3083,01	2410,74	750,38	920,00	899,50	910,00
..	..	..	..	..	..	..	1746,99	1680,00	1575,00	1705,00
494,07	479,94	323,64	3019,82	6370,97	3813,78	2331,10	2062,56	2300,00	2140,00	2000,00
97,21	76,33	53,76	160,16	463,02	219,51	117,02	189,13	290,00	295,00	350,00
..	5,17	13,69	85,38	210,75	120,90	68,78	..	..	..	..
1419,66	1491,93	1214,92	6299,96	13560,05	7307,72	4958,30	4780,34	5235,00	4954,50	5010,00
14,21	433,24	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	295,33	239,11	..	..	..	..
..	..	1,98	74,47	116,72	..	..	..	..	..	..
2,09	58,97	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15,90	29,95	17,99	74,58	182,99	95,83	14,05	..	...	..	..
+129,21	+181,12	+95,79	—133,05	42,05	573,87	108,12	—164,54	198,02	175,26	187,37
1581,07	2195,21	1330,68	6315,96	13901,81	8272,75	5319,58	4615,80	5433,02	5129,76	5197,37
174,86	1628,22	1119,49	647,37	3239,46	1842,26	1371,40	1480,82	1612,26	1316,28	1491,53
304,07	1809,34	1215,28	514,32	3281,52	2416,13	1479,52	1316,28	1810,28	1491,54	1678,90
129,21	181,12	95,79	—133,05	42,06	573,87	108,12	—164,54	198,02	175,26	187,37
14,61	..	3[illegible],30	—107,68	74,35	7,42	1,82	1,30	..	..	..
143,82	181,12	128,09	—240,73	116,41	581,29	109,94	—163,24	198,02	175,26	187,37
77,92	79,28	58,54	—124,75	534,38	302,70	57,04	—92,79	131,77	120,72	129,17
—3,07	37,37	+3	+13	22	7	3	—0,48	..	..	..
—1,24	—1,02	+66	+3,30	4,44	..	..	+0,09	6,41	4	4
70,21	35,07	59,17	—90,84	—449,14	267,11	—13,62	+53,98	52,04	54,32	57,97
..	30,42	+9,69	—28,57	35,39	11,41	—6,69	—53,43	..	..	..
..	..	..	..	..	..	73,18	—70,61	7,80	18	19
+143,82	181,12	128,09	—240,73	116,41	581,29	109,94	—163,24	198,02	180,43	187,37
99,72	216,14	..	..	..	..	..	..	..	..	..
108,30	152,54	189,50	336,36	2150,20	239,11	..	..	..	..	..
208,02	368,68	189,50	336,36	2150,20	239,11	..	..	..	..	..

परिशिष्ट XI

भारत की सरकारी रेलों की राजस्व प्राप्तियों और उनके खर्च का विवरण

APPENDIX XI

Statement of Revenue Receipts and Expenditure of Indian Government Railways.

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
**ब्याजदेय पूंजी	**Capital-at-charge .	14629,45	16125,80	17712.46	20123,20	20873,58	21808,95	21773,08	22705,26
£पूंजी निधि से निवेश	£Investment from Capital Fund	..	..	..	..	1746,99	3623,00	3321,99	5026,99
जोड़	Total	14629,45	16125,80	17712,46	20122,20	22620,57	25431,95	25095,07	27732,25
यातायात से आमदनी	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री— ऊंचे दर्जे	Passengers—Upper	333,89	405.87	474,69	610,16	679,57	709,00	846,50	948,25
दूसरा दर्जा	Second	2335,03	274163	3209,93	3704,91	4215,64	4429,00	4563,50	4806,75
जोड़—यात्री	TOTAL PASSENGERS	2668,92	3147,50	3684,62	4315,07	4895,21	5138,00	5410,00	5755,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	313,31	336,38	398,43	423,94	442,87	473,00	485,00	500,00
(ख) माल	(b) Goods .	7624,49	8407,87	9462,13	10903,03	12557,36	14289,00	13700,00	15125,00
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other earnings .	226,35	241,76	302,40	371,13	363,18	369,00	375,00	390,00
जोड़	TOTAL .	10833,07	12133,51	13847,58	16013,17	18258,62	20269,00	19970,00	21770,00
उचंत	Suspense .	—93,66	—37,02	—117,84	—324,73	—312,60	+125,00	—50,00	+185,00
*यातायात से कुल प्राप्तियां	*Gross Traffic Receipts	10739,41	12096,49	13729,74	15688,44	17946,02	20394,00	19920,00	21955,00
5. संचालन व्यय—साधारण संचालन व्यय	Working Expenses—Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways .	436,94	462,56	494,92	553,15	600,70	677,90	656,63	730,83
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works .	879,48	929,48	1015,67	1134,45	1258,51	1423,74	1381,26	1518,57
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power .	693,90	741,29	788,87	849,12	938,22	1035,93	997,04	1109,02
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons .	927,43	984,13	1085,93	1175,00	1324,20	1459,63	1427,89	1563,55
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment .	475,45	483,45	525,42	584,01	666,60	740,59	724,06	799,16
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment .	719,01	760,09	847,29	978,49	1101,85	1157,75	1176,77	1290,78
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic .	1154,70	1402,00	1649,74	1999,73	2241,60	2585,80	2546,11	2901,83
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel .	1481,43	1699,60	1969,90	2293,72	2624,49	3054,87	3005,25	3616,01
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities .	312,15	339,01	374,61	426,04	472,17	536,06	521,18	589,49
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses .	387,31	431,34	451,64	489,10	530,92	634,68	612,71	667,64
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	3,89	6,49	6,57	6,72	7,88	8,56	8,83	9,12
जोड़	TOTAL .	7471,69	8239,44	9210,56	10489,53	11767,14	13315,51	13057,73	14796,00
उचंत	Suspense .	—26,96	—5,54	—1,37	—9,45	—7,60	—8,51	—7,73	—6,00
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	7444,73	8233,90	9209,19	10480,08	11759,54	13307,00	13050,00	14790,00
विनियोग :—	Appropriation to :—								
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	Depreciation Reserve Fund .	1715,00	1950,00	2000,00	2300,00	1875,00	2300,00	2140,00	2000,00
पेंशन निधि	Pension Fund .	728,00	969,96	1180,00	1200,00	1500,00	1700,00	1750,00	1970,00
*चालित लाइनों की प्राप्तियों सहित	*Includes Receipts of worked lines .	26	34	33	30	30	34	34	34

**महानगर परिवहन परियोजना पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है ।

**Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport Projects.

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
कुल संचालन-व्यय	Total Working Expenses	9887,73	11153,86	12389,19	13980,08	15134,54	17307,00	16940,00	18760,00
यातायात से शुद्ध प्राप्तियां	Net Traffic Receipts	851,68	942,63	1340,55	1708,36	2811,48	3087,00	2980,00	3195,00
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्तियां—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियां	Subsidised companies	3	4	5	3	4	2,06	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Boards	1,22	2,15	1,29	1,34	1,06	1,53	1,05	1,06
(3) अन्य विविध प्राप्तियां	Other Miscellaneous Receipts	8,27	4,95	4,54	11,55	4,15	4,11	3,73	2,82
(4) यात्रियों से अधिप्रभार	Surcharge on passengers	59,72	64,57	66,36	60,76	..	..	..	..
(5) लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend relief & other concessions	232,61	283,35	311,76	352,61	412,03	403,10	423,41	411,16
कुल विविध प्राप्तियां	Total Misc. Receipts	301,85	355,06	384,00	426,29	417,28	410,80	428,19	415,04
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) चालित लाइनों को भुगतान	Payment to Worked Lines—								
(क) शुद्ध आमदनी	(a) Net earnings	10	26	14	12	12	13	13	15
(ख) छूट	(b) Rebate	2	2	2	2	2	2	2	2
(2) सर्वेक्षण	Surveys	2,38	1,54	3,29	2,14	1,99	1,79	2,09	3,94
(3) अन्य विविध व्यय	Other Misc. Expenditure	62,92	75,03	72,72	77,52	84,22	98,86	100,95	124,77
(4) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works—Revenue	41,32	37,45	33,07	30,66	31,28	45,00	45,00	45,00
(5) पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	5,00	5,04	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00
(6) दु०ज०नि० में विनियोग	Appropriation to ACSPF.	59,72	64,57	66,36	60,76	..	..	..	..
कुल विविध खर्च	Total Misc. Expenditure	171,46	183,91	183,60	179,22	126,63	155,80	158,19	183,98
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	130,39	171,15	200,40	247,07	290,65	255,00	270,00	231,16
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	982,07	1113,78	1540,95	1955,43	3102,13	3342,00	3250,00	3426,16
सामान्य राजस्व को देय भुगतान—	Payments due to General Revenues—								
(1) देय लाभांश	Dividend payable	782,61	900,12	1005,50	1146,74	1270,45	1346,35	1354,40	1345,56
(2) यात्री किराया कर के बदले अनुदान	Grant in lieu of passenger fare tax	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
(3) रेल संरक्षा निर्माण निधि को अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund	3,08	2,90	2,86	2,53	2,48	2,53	2,48	2,48
प्रास्थगित लाभांश	Deferred Dividend	..	11,97	74,47	341,99	..	..	..	..
जोड़	TOTAL	808,81	938,11	1105,95	1514,38	1296,05	1372,00	1380,00	1371,16
अधिक (+)/कमी(—)	Excess(+)/Shortfall(—)	+173,26	+175,67	+435,00	+441,05	+1806,08	+1970,00	+1870,00	+2055,00
**परिचालन अनुपात	Operating Ratio@	91.5%	92.0%	89.5%	87.4%	82.9%	85.4%	84.9%	86.2%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of Net Revenue to Capital-at-Charge and Investment from Capital Fund	6.7%	6.9%	8.7%	9.7%	13.7%	13.1%	13.0%	12.4%

*मेट्रो रेलवे, कलकत्ता को शामिल किया गया है ।

@सामरिक महत्व की लाइनों पर हुई हानि को हिसाब में लेने के बाद परिचालन अनुपात 84.0% (सं०अनु० 1994-95) तथा 85.1% (ब.अ. 95-96) बनता है ।

*Includes Metro Railway, Calcutta

@The operating Ratio after taking into account loss on strategic lines works out to 84.0% (RE 94-95). and 85.1% (BE 95-96).

परिशिष्ट XI

मध्य रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

CENTRAL RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1768,93	1933,20	2043,52	2272,77	2342,92	2355,51	2443,05	2472,38
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	250,72	202,46	379,32	455,70
जोड़	Total	1768,93	1933,20	2043,52	2272,77	2593,64	2557,97	2822,37	2928,08
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	69,63	88,99	98,45	132,12	149,40	145,45	179,90	201,58
दूसरा दर्जा	Second	449,47	534,12	638,25	740,34	834,34	858,25	874,10	921,63
जोड़—यात्री	Total Passenger	519,10	623,11	736,70	872,46	983,74	1003,70	1054,00	1123,21
(2) अन्य कोचिंग	Other coaching	64,78	68,32	81,16	71,64	73,60	86,09	87,01	89,67
(ख) माल	(b) Goods	1229,75	1372,51	1553,01	1684,94	1999,78	2200,16	2040,00	2253,35
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry other Earnings	30,41	41,76	45,53	71,00	60,49	58,72	58,74	61,09
जोड़	Total	1844,04	2105,70	2416,40	2700,04	3117,61	3348,67	3239,75	3527,32
उचंत	Suspense	—19,33	+45	+6,68	—15,52	—16,00	+10,00	+2,68	+1,00
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	1824,71	2106,15	2423,08	2684,52	3101,61	3358,67	3242,43	3528,32
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	52,89	56,80	59,54	65,99	72,05	82,55	78,86	88,03
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	118,97	123,04	136,08	144,16	156,19	171,98	175,41	193,18
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	113,12	115,57	115,53	139,25	163,81	180,00	189,28	212,98
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	123,81	131,11	147,65	158,57	177,79	198,29	190,48	206,69
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	71,14	71,34	76,86	84,83	96,71	108,09	107,42	118,42
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	104,05	113,55	123,72	142,64	164,67	167,81	173,64	188,90
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	170,25	203,26	244,31	303,67	377,57	456 83	439,58	493,12
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	253,43	300,09	358,33	427,29	513,12	599,57	583,48	756,57
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	35,60	38,89	44,13	46,74	53,40	58,89	55,92	63,47
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	52,04	59,79	57,35	66,85	70,53	86,60	76,06	85,31
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	48	48	76	66	82	99	99	99
जोड़	Total	1095,78	1213,83	1364,26	1580,65	1846,66	2111,60	2071,12	2407,66
उचंत	Suspense	—4,76	+1,81	+6,35	—9,36	—4,54	—62	—62	—62
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total—Ordinary Working Expenses	1091,02	1215,64	1370,61	1571,29	1842,12	2110,98	2070,50	2407,04
*इसमें चालित लाइनों की प्राप्तियां शामिल हैं।	*Includes receipts of worked lines	18	24	25	21	21	24	24	24

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	242,03	279,50	286,66	319,87	254,84	299,47	289,81	272,49
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	116,97	141,60	167,30	165,22	215,69	241,05	247,69	277,09
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	1450,02	1636,74	1824,57	2056,38	2312,65	2651,50	2608,00	2956,62
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	374,69	469,41	598,51	628,14	788,96	707,17	634,43	571,70
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियाँ	Subsidised companies	5	6	6	3	4	..	..	..
(2) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts . .	..	..	..	..	16	4	5	5
(3) रेलवे भर्ती बोर्ड	Rly. Recruitment Board	..	..	..	3	..	...	..	..
(4) यात्रियों पर अधिभार	Surcharge on passengers	12,11	13,47	14,20	12,55	..	...	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions .	24,03	29,89	32,69	34,40	40,00	37,88	44,16	41,11
जोड़—कुल प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS . .	36,19	43,42	46,95	47,01	40,20	37,92	44,21	41,16
(ख) खर्च—	Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys . .	39	29	51	16	51	19	24	26
(2) चालित लाइनों को भुगतान— शुद्ध आमदनी	Payment to Worked lines – Net earnings	10	13	14	12	12	13	13	15
(3) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works – Revenue . .	3,28	3,04	3,20	3,56	3,48	3,08	3,37	3,94
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि को विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund .	12,11	13,47	14,20	12,55	..	..	..	...
जोड़—खर्च	TOTAL—EXPENDITURE .	15,88	16,93	18,05	16,39	4,11	3,40	3,74	4,35
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	20,31	26,49	28,90	30,62	36,09	34,52	40,47	36,81
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . . .	395,00	495,90	627,41	658,76	825,05	741,69	674,90	608,51
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues .	108,25	122,24	129,06	140,70	169,39	167,78	174,38	179,51
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payments in lieu of passenger fare tax .	..	..	2,97	2,84	..	2,88	2,98	3,08
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund . . .	..	..	37	31	..	32	32	33
जोड़	TOTAL	108,25	122,24	132,40	143,85	169,39	170,98	177,68	182,92
@वर्ष में अधिक(+) या कमी (—)	@Excess (+) or Shortfall (—) for the year . .	+286,75	+373,66	+495,01	+514,91	+655,66	+570,71	+497,22	+425,59
परिचालन अनुपात	Operating ratio . . .	78.9%	77.6%	75.2%	76.5%	74.3%	79.2%	80.5%	83.8%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-Charge and investment from Capital Fund	22.3%	25.7%	30.7%	29.0%	31.8%	29.0%	23.9%	20.8%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल स्टाक पर ब्याज के नामे के +30,30 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और +30,30 लाख रुपये (बजट अनुमान 1995-96) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Debit of Rs. +30,30 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs. +30,30 lakhs (Budget Estimate, 1995-96) towards interest on Rolling Stock of the other Zonal Railways used by this railway.

परिशिष्ट XI
पूर्व रेलवे
राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI
EASTERN RAILWAY
Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित बजट Revised Budget 1994-95	बजट Budget 1995-96
**आवर्तक पूंजी	**Capital-at-Charge	1230,08	1308,99	1494,36	1604,20	1634,96	1689,64	1764,66	1785,84
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	214,78	211,45	358,90	499,96
जोड़	Total	1230,08	1308,99	1494,36	1604,20	1849,74	1901,09	2123,56	2285,80
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passengers—								
ऊंचे दर्जे	Upper	18.33	19,22	22,03	31,35	37,25	52,56	55,21	61,79
दूसरा दर्जा	Second	280.18	330,27	378,54	465,38	504,86	524,40	534,79	570,30
जोड़ यात्री	Total Passenger	298,51	349,49	400,57	496,73	542,11	576,96	590,00	632,09
(2) अन्य कोचिंग—	Other Coaching	29,17	31,04	39,25	40,25	42,01	41,74	42,18	43,50
(ख) माल	(b) Goods	903,08	990,10	1059,76	1283,07	1499,80	1737,18	1645,00	1822,98
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	36,00	33,80	38,89	42,28	40,01	42,65	42,66	44,37
जोड़	TOTAL	1266,76	1404,43	1538,47	1862,33	2123,93	2398,53	2319,84	2542,94
उचंत	Suspense	—3,22	—6,77	—13,25	+13,55	—24,85	—5,00	—1,34	—1,00
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	1263.54	1397,66	1525,22	1875,88	2099,08	2393,53	2318,50	2541,94
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	66,68	67,09	72,65	79,98	85,83	98,02	94,64	104,26
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way &Works	113,15	119,41	129,90	145,11	159,07	177,95	171,31	189,61
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	91,32	96,51	100,22	106,15	117,84	128,16	124,55	138,33
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	162,65	167,93	183,05	200,67	221,74	236,86	237,02	259,20
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	79,49	77,47	82,45	92,89	104,41	113,03	109,94	121,66
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	120,20	126,70	144,40	164,06	185,50	196,88	205,25	222,06
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	139,62	153,04	178,20	236,25	269,98	334,49	315,45	370,79
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	191,36	200,10	227,20	254,02	289,54	344,76	344,37	405,02
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	41,60	43,49	47,03	53,09	58,65	65,52	65,80	73,89
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	54,02	65,71	63,33	76,77	95.30	104,92	104,25	118,16
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	69	82	1,11	1,08	1,66	1,53	1,55	1,65
जोड़	TOTAL	1060,78	1118,27	1229,54	1410,07	1589,52	1802,12	1774,13	2004,63
उचंत	Suspense	—6,33	—5,45	—6,06	—4,47	—4,91	—5,04	—4,78	—5,13
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	1054,45	1112,82	1223,48	1405,60	1584,61	1797,08	1769,35	1999,50
		8	10	8	9	8	10	10	10

*इसमें चलित लाइनों की प्राप्तियां शामिल हैं।
*Includes receipts of worked lines.

**इसमें 1989-90 से आगे सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता शामिल नहीं किया गया है।
**Excludes from 1989-90 onward Circular Railway Calcutta.

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	190,24	206,83	206,41	233,91	179,54	216.18	202,24	196,82
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	112,48	148,57	186,63	188,52	216,55	246,54	252,02	284,47
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	1357,17	1468,22	1616,52	1828,03	1980,70	2259,80	2223,61	2480,79
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	−93,63	—70,56	—91,30	+47,85	+118,38	+133,73	+94,89	+61,15
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता-प्राप्त कम्पनियां	Subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	49	37	1	37	10	..	..	..
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	11	6	13	11	16	31	30	31
(4) यात्रियों पर अधिभार	Surcharge on passengers	7,83	8,20	8,67	7,84	..	..	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	8,60	14,86	13,15	13,72	14,35	12,53	14,27	13,95
कुल प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS	17,03	23,49	21,96	22,04	14,61	12,84	14,57	14,27
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) आर्थिक सहायता	Net earning	..	13	..	..	..	..	..	..
(2) चालित लाइनों को छूट का भुगतान	Payment to Worked lines—Rebate	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) सर्वेक्षण	Surveys	32	40	28	30	14	8	16	10
(4) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works—Revenue	4,79	4,98	4,90	3,12	2,85	5,43	4,92	3,29
(5) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	7,83	8,20	8,67	7,84	..	..	..	..
कुल विविध व्यय	TOTAL MISC EXPENDITURE	12,95	13,72	13,86	11,27	3,00	5,52	5,09	3,40
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	4,08	9,77	8,10	10,77	11,61	7,32	9,48	10,87
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	−89,55	—60,79	—83,20	+58,62	+129,99	+141,05	+104,37	+72,02
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	72,51	84,27	97,11	104,10	114,03	114,36	116.67	122,06
(2) यात्री किराया-कर के बदले भुगतान	Payments in lieu of passenger fare tax	..	..	2,23	2,10	..	1,96	1,99	2,10
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund	..	..	28	23	..	21	22	23
जोड़	TOTAL	72,51	84,27	99,62	106,43	114,03	116,53	118,88	124,39
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (—)	@Excess (+) or Shortfall (—) for the year	−162,06	—145,06	−182,82	—47,81	+15,96	+24,52	—14,51	—52,37
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	107.6%	104.9%	105.5%	98.4%	93.5%	94 4%	96 1%	97.8%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of Net Revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	−7,3%	−4.6%	−5.6%	3,7%	7.0%	7.4%	4.9%	3.2%

@इसमें अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —61,84 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और —61,84 लाख रुपये (बजट अनुमान 1995-96) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Credit of Rs. —61.84 lakhs (Revised Estimate 1994-95 and Rs. —61.84 lakhs (Budget Estimate, 1995-96 towards interest on Rolling Stock of the railway used by other zonal railway.

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

उत्तर रेलवे — NORTHERN RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण — Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याज देय पूंजी	Capital-at-charge	2083,61	2627,06	2628,55	3012,02	3064,31	3249,00	3194,23	3259,50
पूंजी निधि से निवेश	Investment form Capital Fund	..	..	..	..	331,24	700,16	616,01	806,76
जोड़	Total	2083,61	2627,06	2628,55	3012,02	3395,55	3949,16	3810,24	4066,26
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	70,31	80,53	95,19	119,98	130,63	137,08	186,11	208,15
दूसरा दर्जा	Second	440,08	509,53	571,36	686,74	806,70	863,19	872,89	914,59
जोड़—यात्री	Total Passenger	510,39	590,06	666,55	806,72	937,33	1000,27	1059,00	1122,74
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	60,89	61,52	70,17	90,30	94,55	99,02	103,07	106,21
(ख) माल	(b) Goods	1221,95	1295,15	1468,16	1726,29	1978,18	2261,35	2045,00	2251,79
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry other Earnings	41,80	39,06	65,91	79,61	74,99	84,26	85,04	88,43
जोड़	TOTAL	1835,03	1985,79	2270,79	2702,92	3085,05	3444,90	3292,11	3569,17
उचंत	Suspense	—57,28	—7,50	–83,09	–282,27	–256,47	+108,00	—53,68	+176,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1777,75	1978,29	2182,70	2420,65	2828,58	3552,90	3238,43	3745,17
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	57,97	62,93	69,46	78,92	85,73	94,71	94,22	103,45
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	135,07	144,85	160,89	184,96	212,56	242,34	231,15	251,58
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	116,29	128,34	138,50	153,68	159,03	186,67	173,42	191,,27
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	113,77	131,56	144,47	153,38	183,08	203,19	206,35	231,17
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	71,74	76,88	85,82	94,30	108,28	125,30	121,29	134,67
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	122,93	131,93	149,07	182,14	199,78	216,04	214,95	236,41
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	182,68	236,33	253,45	336,12	363,68	419,82	404,20	458,92
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	245,14	269,13	318,92	398,53	448,13	459,94	480,02	547,70
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	47,14	52,02	56,97	64,57	71,28	75,63	77,27	91,04
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	63,63	73,95	85.64	89,23	108,13	111,74	109,15	117,97
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	58	95	97	1,02	1,46	1,39	1,59	1,60
जोड़	TOTAL	1156,94	1308,87	1464,16	1736,85	1941,14	2136,77	2113,61	2365,78
उचंत	Suspense	–2,52	+1,63	—1,23	—2,60	—3,65	—2,66	—3,64	—3,85
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	1154,42	1310,50	1462,93	1734,25	1937,49	2134,11	2109,97	2361,,93

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	278,00	330,01	345,07	411,44	337,73	473,88	379,05	356,27
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	96,74	149,78	186,69	190,07	240,11	271,15	277,21	315,28
जोड़—संचालन-व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	1529,16	1790,29	1994,69	2335,76	2515,33	2829,14	2766,33	3033,48
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	248,59	188,00	188,01	84,89	313,25	723,76	472,20	711,69
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions –								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों	Subsidised companies	..	3	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board . . .	..	..	6	..	1	..	..	..
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts . . .	16	..	1,29	2,83	2,06	17	17	17
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	Surcharge on passengers	9,06	10,76	9,39	9,43	..	..	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions . . .	38,97	44,16	48,96	55,93	64,11	62,40	64,21	63,80
कुल—प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS . .	48,19	54,95	59,70	68,19	66,18	62,57	64,38	63,97
(ख) खर्च—	(b) Expenditure –								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	76	71	59	14	12	13	20	90
(2) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works – Revenue	10,11	9,28	8,15	7,29	6,01	7,04	8,49	7,26
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	9,06	10,76	9,39	9,43	..	..	..	..
कुल खर्च	TOTAL—EXPENDITURE .	19,93	20,75	18,13	16,86	6,13	7,17	8,69	8,16
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	28,26	34,20	41,57	51,33	60,05	55,40	55,69	55,81
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . . .	276,85	222,20	229,58	136,22	373,30	779,16	527,89	767,50
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues –	96,64	112,84	127,66	160,50	149,04	203,32	165,44	176,82
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of passenger fare tax . . –	..	..	2,94	3,24	..	3,49	2,82	3,04
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund – –	..	..	36	35	..	38	30	33
जोड़	TOTAL	96,64	112,84	130,96	164,09	149,04	207,19	168,56	180,19
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (—)	@Excess (+) or Shortfall (—) for the year .	+180,21	+109,36	+98,62	—27,87	+224,26	+571,97	+359,33	+587,31
परिचालन अनुपात*	Operating ratio* . .	83.5%	90.1%	87.9%	86.5%	81.7%	82.2%	84.1%	85.1%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	13.3%	8.5%	8.7%	4.5%	11.0%	19.7%	13.9%	18.9%

@इसमें अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —27,67 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और —27,67 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995-96) शामिल नहीं हैं।

*सामरिक लाइनों पर घाटे को हिसाब में लेकर परिचालन अनुपात 82.4% (सं.अ. 1994-95 तथा 83.6% (ब.अ. 1995-96) बनता है।

@Excludes Credit of Rs.—27,67 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs.—27,67 lakhs (Budget Estimate, 1995-96) towards interest on Rolling Stock of the railway used by other zonal railways

*The Operating Ratio after taking into account loss on strategic lines works out to 82.4% (R.E. 1994-95). and 83 6% (BE 1995-96)

परिशिष्ट XI

पूर्वोत्तर रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

NORTH EASTERN RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	551,75	611,05	681,52	769,02	799,66	801,20	808,80	810,00
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund.	..	..	..	..	114,69	164,22	208,38	303,04
जोड़	Total	551,75	611,05	681,52	769,02	914,35	965,42	1017,18	1113,04
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passengers—								
ऊंचे दर्जे	Upper	2,26	2,24	2,61	4,48	6,32	7,01	9,60	10,70
दूसरा दर्जा	Second	157,50	178,16	206,28	216,35	235,84	251,24	265,40	277,40
जोड़—यात्री	Total Passengers	159,76	180,40	208,89	220,83	242,16	258,25	275,00	288,10
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	11,96	18,43	15,72	17,15	16,60	20,91	18,00	18,55
(ख) माल	Goods	154,18	164,32	181,82	178,05	183,01	228,26	180,00	205,20
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings	10,40	10,27	12,15	12,26	11,70	13,52	13,00	13,52
जोड़	TOTAL	336,30	373,47	418,58	428,29	453,47	520,94	486,00	525,37
उचंत	Suspense	—1,48	—1,21	—4,38	+1,23	+1,21	—1,00	+1,00	+1,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	334,82	372,26	414,20	429,52	454,68	519,94	487,00	526,37
संचालन व्यय	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	33,14	36,64	38,57	42,78	44,84	53,69	51,04	56,40
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	56,65	56,54	61,90	65,68	74,26	80,52	80,98	87,68
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	41,81	44,83	48,14	56,85	58,21	52,20	50,30	57,56
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	48,36	51,60	59,45	67,86	71,00	74,07	72,79	79,26
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	28,85	30,03	31,27	34,25	36,80	41,18	40,12	43,87
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	43,48	46,80	50,93	58,86	68,04	71,55	71,78	75,74
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	67,27	80,38	83,38	97,68	87,84	89,59	99,30	112,47
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	86,27	92,18	98,21	111,31	109,64	110,89	99,98	97,63
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	19,85	23,34	23,75	26,70	28,87	31,78	30,98	34,19
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	21,32	22,79	20,41	27,37	22,90	35,10	35,39	38,28
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	28	87	47	34	32	59	59	59
जोड़	TOTAL	447,28	486,00	516,48	589,68	602,72	641,16	633,25	683,72
उचंत	Suspense	—87	—40	+2,42	+1,07	+7	—4,48	—4,48	—4,49
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	446,41	485,60	518,90	590,75	602,79	636,68	628,77	679,23

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	74,95	87,18	90,70	106,68	86,23	102,13	98,92	90,21
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	47,36	63,97	82,54	86,00	100,34	111,95	115,51	129,59
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	568,72	636,75	692,14	783,43	789,36	850,76	843,20	899,03
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	—233,90	—264,49	—277,94	—353,91	—334,68	—330,82	—356,20	—372,66
विविध संव्यवहार— (क) प्राप्ति—	Miscellaneous Transactions— (a) Receipts—								
(1) सहायता-प्राप्त कंपनियां	Subsidised companies .	..	..	..	..	..	2,02	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	..	45	4	33	35	..	..	..
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts . . .	..	2	5	5	4	..	..	..
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	Surcharge on passengers	3,86	3,82	3,48	3,30	..	..	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions . .	5,30	6,86	8,83	10,56	12,26	10,79	12,24	10,14
कुल—प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS . .	9,16	11,15	12,40	14,24	12,65	12,81	12,24	10,14
(ख) खर्च (1) सर्वेक्षण	(b) Expenditure— Surveys	23	34	28	36	9	7	12	5
(2) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works—Revenue	3,15	2,19	1,17	1,09	1,24	1,33	2,04	3,28
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	3,86	3,82	3,48	3,30	..	..	..	..
कुल खर्च	TOTAL—EXPENDITURE .	7,24	6,35	4,93	4,75	1,33	1,40	2,16	3,33
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	1,92	4,80	7,47	9,49	11,32	11,41	10,08	6,81
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . .	—231,98	—259,69	—270,47	—344,42	—323,36	-319,41	—346,12	—365,85
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General—Revenues	32,88	37,28	40,96	46 73	56,64	56,26	57,64	58,22
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of passenger fare tax . .	..	..	94	94	..	97	98	1,00
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway—Safety Works Fund .	..	..	12	10	..	11	11	11
जोड़	TOTAL	32,88	37,28	42,02	47,77	56,64	57,34	58,73	59,33
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (—)	@Excess (+) or Shortfall (—) for the year .	—264,86	—296,97	—312,49	-392,19	—380,00	-376,75	—404,85	-425,18
परिचालन अनुपात	Operating Ratio . .	169.4%	170.6%	164.8%	182.7%	174.1%	164.2%	174.4%	172.0%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	**Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from CapitalFund.** . .	—42.0%	—42.5%	-39 7%	-44.8%	-35.4%	-33.1%	-34.0%	-32.9%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —17,01 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और —17,01 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995-96) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Crdit of Rs. —17,01 lakhs (Revised Estimate 1994-95) and Rs. —17,01 lakhs (Budget Estimate, 1995-96) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित RE 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याज देय पूंजी	Capital-at-charge	694,29	786,97	882,40	990,83	1120,93	1172,67	1230,09	1343,90
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	..	..	..	..
जोड़	Total	694,29	786,97	882,40	990,83	1120,93	1172,67	1230.09	1343,90
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	7,21	7,64	8,61	10,84	12,50	14,95	4,20	4,70
दूसरा दर्जा	Second	53,87	62,57	70,44	82,97	84,27	94,34	104,80	109,31
जोड़—यात्री	Total Passengers	61,11	70,21	79,05	93,81	96,77	109,29	109,00	114,01
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	7,62	10,31	10,12	13,40	10,77	11,83	11,96	12,33
(ख) माल	(b) Goods	191,53	213,74	227,01	225,52	230,02	301,27	245,00	277,44
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	9,27	8,57	11,71	14,42	19,17	17,97	17,98	18,69
जोड़	TOTAL	269,53	302,83	327,89	347,15	356,73	440,36	383,94	422,47
उचंत	Suspense	+46	—1,31	—4,88	—1,41	+4,18	—2,00	—54	—2,00
*यातायात से कुल प्राप्तियां	*Gross Traffic Receipts	269,99	301,52	323,01	345,74	360,91	438,36	383,40	420,47
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	26,70	27,92	30,16	34,65	37,57	39,54	39,58	43,44
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	54,53	57,37	63,68	71,42	78,37	83,10	82,21	86,52
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	29,07	32,23	35,60	35,22	34,11	34,99	27,59	29,18
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	33,68	38,94	42,57	47,37	48,20	50,63	46,44	49,96
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	18,66	19,76	22,13	24,84	26,02	28,31	26,83	29,74
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	34,97	37,82	39,22	46,00	46,90	52,19	51,62	54,90
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	65,93	74,15	86,06	86,57	82,51	90,57	87,26	98,61
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	38,09	43,12	49,62	53,03	49,99	60,19	54,80	56,84
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	27,59	30,30	34,09	38,10	41,01	50,72	46,49	48,52
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	21,74	22,62	24,52	25,29	27,43	31,12	30,58	32,88
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	35	50	47	50	54	60	54	54
जोड़	TOTAL	351,31	384,73	428,12	462,99	472,65	521,96	493,94	531,13
उचन्त	Suspense	—1,57	—90	+11	—88	—1,83	—2,15	—2,15	—2,15
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	349,74	383,83	428,23	462,11	470,82	519,81	491,79	528,98

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In Lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	94,28	109,70	116.70	138,12	111,10	137,95	138,66	137,20
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund . . .	33,08	42,40	51,58	51,14	82,26	92,38	95,03	107,09
कुल—संचालन व्यय	TOTAL - Working Expenses	477,10	535,93	596,51	651,37	664,18	750,14	725,48	773,27
यातायात से शुद्ध प्राप्तियां	Net Traffic Receipts . .	-207.11	234,41	—273,50	305,63	—303,27	—311,78	—342,08	—352,80
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्तियां—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियां	Ssubsidised companies	..	5	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	..	..	4	1	1	2	2	3
(3) अन्य विविध प्राप्तियां	Other Miscellaneous Receipts .	1	3	7	7	4	6	4	5
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	Surcharge on passengers	54	55	53	52	..	...	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions .	40,88	46,49	52,57	59,16	73,16	81.43	81,87	90,80
कुल—प्राप्ति	TOTAL —RECEIPTS . .	41,43	47,12	53,21	59,76	73,21	81,51	81,93	90,88
(ख) खर्च—	(b) Expenditure								
(1) सर्वेक्षण	Surveys . . .	33	16	23	27	34	21	12	17
(2) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works - Revenue . . .	2,42	2,70	2,51	2,63	1,55	2,71	2,49	4,02
(3) चालित लाइनों को भुगतान शुद्ध आमदनी	Payment to Worked lines Net earnings . . .	..	..	..	..	..		..	..
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation Safety and Passenger Amenities Fund . . .	54	55	53	52	..	..	..	...
कुल—खर्च	TOTAL —EXPENDITURE .	3,29	3,41	3,27	3,42	1,89	2,92	2,61	4,19
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	38,14	43,71	49,94	56,34	71,32	78,59	79,32	86,69
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . .	—168,97	—190,70	—223,56	-249,29	—231,95	—233,19	—262,76	—266,11
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenue –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues . . .	—83	6,08	3,89	1,97	—37,54	—57,19	—25,91	—101,40
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of passenger fare tax. . .	..	..	9	4	..	—98	—44	—1,74
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railways Safety Works Fund .	..	..	1	..	..	—11	—5	—19
जोड़	TOTAL	—83	6,08	3,99	2,01	—37,54	—58,28	—26,40	—103,33
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (–)	@Excess (+) or Shortfall(–) for the year . . .	—168,14	—196,78	—227,55	-251,30	—194,41	—174,91	—236,36	—162,78
परिचालन अनुपात*	Operating Ratio * . .	177.6%	177.3%	181·9%	187.9%	186.7%	170.8%	189.5%	183.5%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to capital at-charge and Investment from Capital Fund	—24.3%	—24.2%	—25.3%	—25.2%	-20.7%	-19.9%	-21.4%	-19.3%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल स्टाक पर ब्याज के नाम खाते के —4,47 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और —4,47 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995-96) शामिल नहीं हैं।

*सामरिक लाइनों पर घाटे को हिसाब में लेने के बाद परिचालन अनुपात 161.3% (सं.अ. 1994-95) 137.6% (ब.अ. 1995-96) बनता है।

@Excludes Credit of Rs. —4.47 lakhs (Revised Estimate 1994-95 and Rs. —4.47 lakhs (Budget Estimates 1995-96 towards interest on Rolling Stock of other zonal railway used by this Railway.

*The Operating Ratio after taking into account loss on strategic lines works out to 161.3% (RE 94-95) and 137.6% (BE 1995-96).

परिशिष्ट XI — APPENDIX—XI

दक्षिण रेलवे — SOUTHERN RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण — Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In Lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals 1990-91	वास्तविक Actuals 1991-92	वास्तविक Actuals 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1993-94	संशोधित Revised 1993-94	बजट Budget 1994-95
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1191,01	1320,45	1423,42	1796,23	1884,87	1866,74	1864,65	1876,03
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	185,60	311,56	381,79	528,82
जोड़	Total	1191,01	1320,45	1423,42	1796,23	2070,47	2178,30	2246,44	2404,85
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	(i) Passenger								
ऊंचे दर्जे	Upper	34,53	39,15	45,07	51,06	58,55	58,53	67,05	74,93
दूसरा दर्जा	Second	210,40	253,72	292,05	331,82	388,41	395,85	457,95	482,30
जोड़—यात्री	TOTAL PASSENGERS	244,93	292,87	337,12	382,88	446,96	454,38	525,00	557,73
(2) अन्य कोचिंग	(ii) Other Coaching	45,62	44,80	55,59	53,30	66,87	62,08	73,78	75,08
(ख) माल	(b) Goods	387,83	453,67	487,24	546,25	624,79	737,80	725,00	802,17
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	30,95	31,59	38,98	41,75	46,19	47,85	48,01	49,94
जोड़	TOTAL	709,33	822,93	918,93	1024,18	1184,81	1302,11	1371,79	1485,42
उचंत	Suspense	+91	−35	−91	−16,27	+8,81	+5,00	+1,34	+2,00
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	710,24	822,58	918,02	1007,91	1193,62	1307,11	1373,13	1487,42
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	46,30	48,61	52,35	57,35	62,38	67,71	64,92	72,23
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	76,69	81,23	89,93	101,93	106,28	118,81	120,72	132,76
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	57,33	58,19	59,91	61,56	68,70	74,79	71,40	78,78
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	105,53	109,16	117,21	123,03	134,45	150,34	146,76	163,49
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	41,51	40,32	44,61	48,78	52,82	56,72	55,15	59,32
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	55,04	55,65	62,44	73,05	79,18	82,93	81,70	90,30
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	91,64	98,79	109,51	137,63	172,69	194,60	186,03	214,84
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	104,09	135,47	154,35	178,82	199,46	233,70	235,42	283,12
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	30,33	31,92	36,13	42,92	47,61	56,21	51,85	63,61
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	38,93	40,93	45,12	49,61	47,06	57,92	54,25	59,15
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund pension and other retirement benefits	15	18	21	11	14	16	16	17
जोड़	TOTAL	647,54	700,35	771,77	874,79	970,77	1093,89	1068,36	1217,77
उचंत	Suspense	−81	−1,18	−1,11	+6,79	+3,35	−1,35	+2,51	+2,51
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	646,73	699,17	770,66	881,58	974,12	1092,54	1070,87	1220,28

परिशिष्ट XI APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	166,34	188,19	195,80	222,81	201,40	244,78	228,20	207,97
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	65,89	87,67	114,98	116,19	138,24	160,66	163,36	184,78
कुल—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	878,96	975,03	1081,44	1220,58	1313,76	1497,98	1462,43	1613,03
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	−168,72	−152,45	−1,63,42	−212,67	−120,14	−190,87	—89,50	−125,61
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्तियां—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियां	Subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recrutment Board	..	15	10	10	4	6	4	4
(3) अन्य विविध प्राप्तियां	Other Miscellaneous Receipts	54	21	1,25	1,36	1,15	1,20	1,06	1,10
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	Surcharge on passengers	4,58	50,3	5,30	4,86	..	..		
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions.	22,87	28,48	37.58	44,50	55,64	54,88	58,25	50,85
कुल प्राप्ति	TOTAL RECEIPTS	27,99	33,87	44,23	50,82	56,83	56,14	59,35	51,99
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	3	—1,27	17	12	—3	21	32	52
(2) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Lines Works—Revenue	4,78	3,26	3,11	2,22	3,03	2,28	3,47	5,11
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund.	4,58	503	5,30	4,86	..	—	..	..
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	9,39	7,02	8,58	7,20	3,00	2,49	3,79	5,63
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	18,60	26,85	35,65	43,62	53,83	53,65	55,56	46,36
शुद्ध राजस्व	Net Revenues	−150,12	−125,60	−127,77	−169,05	—66,31	−137,22	—33,74	—79,25
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	74.85	84,50	91,33	110,68	139,66	139,58	141,73	143,50
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of passenger fare tax	..	..	2,10	2,23	..	2,40	2,42	2,47
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund	..	..	26	24	..	26	26	26
जोड़	TOTAL	74,85	84,50	93,69	113,15	139,66	142,24	144,41	146,23
@वर्ष में अधिक(+)या कमी(−)	@Excess(+) or Shortfall (−) for the year	−224,97	−210,10	−221,46	−282,20	−205,97	—279,46	—178,15	(−)225,48
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	124.0%	118·6%	117.8%	118.5%	110.6%	115.1%	106.4%	108.4%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	−12.6%	−9.5%	−9·0%	9.4%	—3,2%	6.3%	—1.5%	—3,3%

@इसमें अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —14,06 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994–95) और —14,06 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995–96) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Credit of Rs. —14,06 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs.—14,06 lakhs, (Budget Estimate 1995-96) towards interest on Rolling Stock of this Railway used by other zonal railways.

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

दक्षिण-मध्य रेलवे

SOUTH CENTRAL RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याज देय पूंजी	Capital-at-charge	1351,91	1453,42	1594,24	1899,27	1962,14	1990,49	1972,25	1976,02
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	227,12	536,12	593,22	849,20
जोड़	Total	1351,91	1453,42	1594,24	1899,27	2189,26	2526,61	2565,47	2825,22
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching –								
(1) यात्री —	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	33,14	49,17	60,01	73,02	55,85	59,63	72,52	80,94
दूसरा दर्जा	Second	212,98	245,43	299,82	329,05	382,58	411,21	401,48	419,51
जोड़ यात्री	TOTAL PASSENGER	246,12	294,60	359,83	402,07	438,43	470,84	474,00	500,45
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	30,79	28,63	45,12	44,50	41,25	50,05	44,19	45,58
(ख) माल	(b) Goods	721,48	790,07	915,17	1047,76	1246,60	1338,70	1280,00	1411,34
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	20,41	22,34	30,96	34,11	34,42	35,37	38,86	40,42
जोड़	TOTAL	1018,80	1135,64	1351,08	1528,44	1760,70	1894,96	1837,05	1997,79
उचंत	Suspense	−1,14	+2,36	—1,73	—11,52	+11,88	+5,00	−80	−1,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1017,66	1138,00	1349,35	1516,92	1772,58	1899,96	1836,25	1996,79
संचालन व्यय—	Working Expenses –								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses –								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	39,24	41,26	43,77	49,64	53,13	60,65	60,20	66,16
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	94,15	98,57	102,58	117,83	130,24	153,75	143,86	159,10
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	65,31	71,98	74,35	73,59	82,33	91,67	88,65	98,43
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	77,22	80,13	88,21	93,19	112,87	124,49	118,50	127,36
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	35,98	37,70	40,11	43,59	53,29	59,98	59,32	65,71
(08) परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses-Rolling Stock & Equipment	58,05	61,12	63,46	74,72	85,48	88,59	90,18	100,41
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses Traffic	103,38	130,40	151,96	195,75	250,55	266,50	275,79	309,07
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses Fuel	135,39	166,25	190,20	223,25	252,38	282,21	288,36	332,41
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	30,65	32,93	35,62	42,30	46,72	53,28	52,18	57,60
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	29,48	33,02	38,33	39,20	42,57	54,84	53,34	56,72
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident fund, Pension and other retirement benefits	5	30	34	35	32	46	43	44
जोड़	TOTAL	668,90	753,66	830,93	953,41	1109,88	1236,42	1230,81	1373,41
उचंत	Suspense	+18	−3,61	+2,40	—1,35	+3,59	+1,15	+1,15	+1,15
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total Ordinary Working Expenses	669,08	750,05	833,33	952,06	1113,47	1237,57	1231,96	1374,56

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	187,79	213,61	215,52	249,54	212,96	271,62	242,71	219,98
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	60,91	80,33	109,01	107,77	120,62	137,13	142,50	160,55
कुल संचालन व्यय	TOTAL WORKING EXPENSES	917,78	1043,99	1157,86	1309,37	1447,05	1646,32	1617,17	1755,09
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	99,88	94,01	191,49	207,55	325,53	253,64	219,08	241,70
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियाँ	Subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	1	41	32	12	10	14	14	14
(3) अन्य विविध प्राप्तियाँ	Other Miscellaneous Receipts	10	14	23	9	—5	11	7	7
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	Surcharge on passengers	3,29	3,61	3,78	3,13	..	...	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	19,52	21,86	23,23	26,74	31,63	28,53	28,25	18,11
कुल प्राप्ति	TOTAL RECEIPTS	22,92	26,02	27,56	30,08	31,68	28,78	28,46	18,32
(ख) खर्च	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	6	20	5	8	28	20	19	39
(2) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works—Revenue	4,53	3,69	2,93	2,59	4,82	4,87	5,14	3,89
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	3,29	3,61	3,78	3,13	..	..	..	..
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	7,88	7,53	6,76	5,80	5,10	5,07	5,33	4,28
शुद्ध विविध प्राप्तियाँ	Net Miscellaneous Receipts	15,04	18,52	20,80	24,28	26,58	23,71	23,13	14,04
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	114,92	112,53	212,29	231,83	352,11	277,35	242,21	255,74
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	84,43	92,75	98,89	113,65	140,56	140,48	139,67	140,28
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of Passenger fare tax	..	..	2,27	2,29	..	2,41	2,39	2,41
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund	..	..	28	25	..	26	25	26
जोड़	TOTAL	84,43	92,75	101,44	116,19	140,56	143,15	142,31	142,95
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (−)	@Excess (+) or Shortfall (−) for the year	+30,49	+19,78	+110,85	+115,64	+211,55	+134,20	+99,90	+112,79
परिचालन अनुपात	Operating ratio	90.1%	92.2%	85.5%	85.8%	82 0%	86.8%	88.0%	87.8%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि में निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	8.5%	7.8%	13.3%	12.2%	16.1%	11.0%	9.4%	9.1%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के नाम खाते के + 47,72 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और + 47,72 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995-96) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Debit of Rs. +47,72 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs. +47,72 lakhs (Budget Estimate 1995-96) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI
दक्षिण-पूर्व रेलवे
राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI
SOUTH EASTERN RAILWAY
Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में Figures in lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals, 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याज देय पूंजी	Capital-at-charge	2004,83	2165,25	2369,11	2686,00	2779,07	2892,21	2875,61	2947,95
पूंजी निधि से निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	244,42	407,78	395,85	570,54
जोड़	TOTAL	2004,88	2165,25	2369,11	2686,00	3023,49	3299,99	3271,46	3518,49
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	(i) Passengers—								
ऊंचे दर्जे	Upper	27,37	34,19	39,89	51,24	64,97	66,85	72,91	81,42
दूसरा दर्जा	Second	149,57	173,68	202,60	223,78	262,90	274,53	295,09	308,46
जोड़—यात्री	Total passengers	176,94	207,87	242,49	278,02	327,87	341,38	368,00	389,88
(2) अन्य कोचिंग	(ii) Other Coaching	28,97	28,12	35,43	39,46	36,08	40,77	39.21	40,43
(ख) माल	(b) Goods	1673,75	1886,61	2198,46	2585,81	2965.14	3421,87	3435,00	3783,29
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	22,22	23,36	23,57	27,07	35,36	27,05	29,09	30,25
जोड़	TOTAL	1901,88	2145,96	2499,95	2930,36	3364,45	3831,07	3871,30	4243,85
उचंत	Suspense	—2,13	—10,22	—3,61	—5,38	—3,38	—5,00	—1,34	—3,00
यातायात से कुल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts	1899,75	2135,74	2496,34	2924,98	3361,07	3826,07	3869,96	4240,85
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	59,19	62,30	65,62	75,34	84,46	90,70	88,70	100,25
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	131,53	139,96	154,02	175,47	196,14	219,84	209,34	232,14
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	89,54	93,92	105,27	108,59	123,68	141,75	132,82	144,83
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	130,01	138,80	152,80	171,58	191,36	213,26	209,36	226,25
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	60,14	60,07	66,84	76,74	88,28	96,29	93,00	102,64
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	90,63	93,71	107,48	120,99	139,07	138,18	143,78	158,87
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	165,08	224,90	315,10	324,13	349,64	414,52	418,15	482,53
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	232,42	267,50	310,72	351,43	396,53	499,41	467,94	588,97
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	42,72	45,03	51,43	59,93	66,41	73,78	70,56	79,47
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	53,01	60,41	59,35	59,93	63,94	78,00	73,99	80,71
(13) भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Provident Fund Pension and other retirement benefits	75	1,25	1,19	1,44	1,22	1,40	1,40	1,40
जोड़	TOTAL	1055,02	1187,85	1389,82	1525,57	1700,73	1967,13	1909,04	2198,06
उचंत	Suspense	—4,33	+41	—2,35	—4,29	—2,96	—1,40	—1,40	—1,40
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	1050,69	1188,26	1387,47	1521,28	1697,77	1965,73	1907,64	2196,66

परिशिष्ट XI

Appendix XI

(लाख रुपयों में Figures in lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	284,17	316,79	320,63	370,83	301,24	374,09	343,76	320,73
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	90,22	116,70	112,79	125,36	191,04	217,51	227,56	253,98
कुल—संचालन-व्यय	TOTAL -WORKING EXPENSES	1425,08	1621,75	1820,89	2017,47	2190,05	2557,33	2478,96	2771,37
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	474,67	513,99	675,45	907,51	1171,02	1268,74	1391,00	1469,48
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions —								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियां	(i) Subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	(ii) Railway Recruitment Board	..	..	..	12	16	..	..	..
(3) अन्य विविध प्राप्ति	(iii) Other Miscellaneous Receipts	..	2	1	1	6	..	..	..
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार	(iv) Surcharge on passengers	3,60	3,68	3,75	3,45	..	..	..	..
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	(v) Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	37,88	52,97	53,49	65,56	76,99	77,19	82,99	83,54
कुल—प्राप्ति	TOTAL -RECEIPTS	41,48	56,67	57,25	69,14	77,21	77,19	82,99	83,54
(ख) खर्च—	(b) Expenditure –								
(1) सर्वेक्षण	(i) Surveys	24	24	28	12	13	45	44	93
(2) चालित लाइनों को भुगतान–छूट	(ii) Payment to Worked Lines -Rebate	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	(iii) Open Line Works—Revenue	3,02	3,22	3,16	2,49	2,87	6,44	5,63	5,43
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	(iv) Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	3,60	3,68	3,75	3,45	..	..	..	..
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	6,87	7,15	7,20	6,07	3,01	6,90	6,08	6,37
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	34,61	49,52	50,05	63,07	74,20	70,29	76,91	77,17
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	509,28	563,51	725,50	970,58	1245,22	1339,03	1467,91	1546,65
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	(i) Dividend to General Revenues	127,05	141,95	152,40	173,16	209,25	213,42	216,85	226,23
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	(ii) Payment in lieu of passenger fare tax	..	..	3,50	3,49	..	3,66	3,70	5,92
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	(iii) Contribution to Railway Safety Woks Fund	..	..	43	38	..	40	40	42
जोड़	Total	127,05	141,95	156,33	177,03	209,25	217,48	220,95	232,57
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (–)	@(+)Excess or Shortfall(–) for the year	+382,23	+421,56	+569,17	+793,55	+1035,97	+1121,55	+1246,96	+1314,08
परिचालन अनुपात	Operating ratio	75.2%	75.6%	72.9%	69.0%	65.2%	66.8%	64.1%	65.3%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि में निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	25.4%	26.0%	30.6%	36.1%	41.2%	40.6%	44.9%	44.0%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के नाम खाते के +5,30 लाख रुपए (संशोधित अनुमान, 1994-95) और +5,30 लाख रुपए (बजट अनुमान 1995-96) शामिल नहीं हैं

@Excludes credit of Rs. +5,30 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs.+5,30 lakhs (Budget Estimate 1995-96) towards inteest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI

पश्चिम रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

WESTERN RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993 94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1380,86	1500,56	1576,63	1694,32	1751,48	1751,16	1778,13	1792,70
पूंजी निधि में निवेश	Investment from Capital Fund	..	..	..	..	185,48	284,34	382,52	659,04
जोड़	Total	1380,86	1500,56	1576,63	1694,32	1936,96	2035,50	2160,65	2451,74
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	(i) Passengers—								
ऊंचे दर्जे	Upper	71,08	84,74	102,83	133,07	164,10	166,94	199,00	224,04
दूसरा दर्जा	Second	378,51	451,37	547,61	624,59	711,75	752,05	751,00	797,02
जोड़ यात्री	Total passengers	449,59	536,11	650,44	757,66	875,85	918,99	950,00	1021,06
(2) अन्य कोचिंग	(ii) Other Coaching	33,51	45,16	45,87	53,94	61,14	60,51	65,60	67,65
(ख) माल	(b) Goods	1140,94	1241,70	1371,50	1625,34	1830,04	2062,41	2105,00	2317,44
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	24,68	30,79	34,41	48,14	40,81	41,30	41,31	42,97
जोड़	TOTAL	1648,72	1853,76	2102,22	2485,08	2807,84	3083,21	3161,91	3449,12
उचंत	Suspense	—10,45	—12,47	—7,67	—7,14	—37,98	+10,00	+2,68	+12,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1638,27	1841,29	2094,55	2477,94	2769,86	3093,21	3164,59	3461,12
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	54,59	58,75	62,51	68,17	74,37	89,95	84,09	96,19
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	98,10	107,82	116,04	127,23	144,50	174,34	165,29	184,90
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	90,11	99,72	111,35	114,23	130,51	145,70	139,03	157,66
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	131,83	134,34	149,99	158,73	183,02	207,68	199,00	218,91
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	67,00	68,92	74,11	82,38	98,41	110,00	109,32	121,28
(08) परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	86,55	89,57	100,71	111,83	128,56	137,10	138,69	157,71
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	167,93	199,85	226,79	280,84	285,92	317,56	319,02	360,02
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	194,24	224,85	261,14	294,84	364,43	462,60	449,28	545,90
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	36,63	41,12	45,38	51,61	58,11	70,13	70,01	77,57
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	52,58	51,56	57,02	54,23	52,47	73,71	75,03	77,63
(13) भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	56	1,14	1,05	1,22	1,40	1,44	1,58	1,74
जोड़	TOTAL	980,12	1077,64	1206,09	1345,31	1521,70	1790,21	1750,34	1999,51
उचंत	Suspense	—5,86	+2,17	—1,87	+5,64	+3,30	+8,06	+5,70	+8,00
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	974,26	1079,81	1204,22	1350,95	1525,00	1798,27	1756,04	2007,51

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
मूल्यह्रास मारक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	197,20	218,19	222,51	246,80	189,96	229,90	216,65	198,33
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	103,94	138,45	167,82	169,10	192,77	218,92	226,56	254,27
कुल संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	1275,40	1436,45	1594,55	1766,85	1907,73	2247,09	2199,25	2460,11
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	362,87	404,84	500,00	711,09	862,13	846,12	965,34	1001,01
विविध संव्यवहार —	Miscellaneous Transactions —								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts —								
(1) सहायता प्राप्त कंपनियां	Subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	20	69	72	29	29	63	54	60
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	6	14	18	16	40	4	4	5
(4) यात्रियों से अधिभार	Surcharge on passengers	14,85	15,45	17,26	15,68	..	..	..	..
(5) लाभांश राहतों तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	10.36	9,06	11,13	11,61	11,57	10,34	10,46	6,92
जोड़	TOTAL	25,47	25,34	29,29	27,74	12,26	11,01	11,04	7,57
(ख) खर्च	(b) Expenditure —								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	—26	50	69	46	22	1	19	38
(2) चालू लाइन निर्माण —राजस्व	Open Line Works —Revenue	5,25	5,09	3,94	5,67	5,43	9,87	9,05	5,98
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	14,85	15,45	17,26	15,68	..	..	..	..
जोड़—खर्च	TOTAL —EXPENDITURE	19,84	21,04	21,89	21,81	5,65	9,88	9,24	6,36
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	5,63	4,30	7,40	5,93	6,61	1,13	1,80	1,21
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	368,50	409,14	507,40	717,02	868,74	847,25	967,14	1002,22
सामान्य राजस्व को भुगतान	Payments to General Revenues —								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	82,32	89,35	90,54	97,061	117,78	115,82	118,57	119,55
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payments in lieu of passenger fare tax	..	..	2,08	1,96	..	1,99	2,02	2
(3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund	..	..	26	21	..	22	22	22
जोड़	Total	82,32	89,35	92,88	99,23	117,78	118,03	120,81	119,79
@वर्ष में अधिक (+) या कमी (—)	@Excess (+) or Shortfall (—) for the year	+286,18	+319,79	+414,52	+617,79	+750,96	+729,22	+846,33	+882,43
परिचालन अनुपात*	Operating ratio*	77.7%	77.4%	75.9%	70.9%	67.8%	72.6%	69·4%	71.1%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व तथा पूंजी निधि से निवेश का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge and Investment from Capital Fund	26.7%	27.3%	32.2%	42.3%	44.9%	41.6%	44·8%	40.9%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के नामे खाते के +34,26 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1994-95) और +34,26 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1995-96) शामिल नहीं हैं।

*सामरिक लाइनों पर घाटे को हिसाब में लेने के बाद परिचालन अनुपात 69 3% (सं०अ० 1994-95) तथा 71.0% (ब. अ. 1995-96) बनता है।

@Excludes Debit of Rs. +34,26 lakhs (Revised Estimate, 1994-95) and Rs. +34,26 lakhs (Budget Estimate, 1995-96) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

*The operating Ratio after taking into account loss on strategic lines works-out to 6.93% (R.E. 94-95) and 71.0% (BE 95-96)

परिशिष्ट XI

मेट्रो रेल, कलकत्ता

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

METRO RAILWAY, CALCUTTA

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	वास्तविक Actuals, 1990-91	वास्तविक Actuals, 1991-92	वास्तविक Actuals, 1992-93	वास्तविक Actuals 1993-94	बजट Budget 1994-95	संशोधित Revised 1994-95	बजट Budget 1995-96
*पूंजी निवेश	*Capital Investment .	706,46	805,99	925,81	1054,27	1202,98	1365,77	1402,98	1547,73
यातायात से आमदनी	Traffic Earnings—								
यात्री—दूसरा दर्जा	Passenger - Second .	2,47	2,78	2,98	3,89	3,99	3,94	6,00	6,23
अन्य कोचिंग	Other Coachnig .		..	..	..	..	..	..	..
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry other Earning .	21	22	29	49	4	31	31	32
जोड़—	TOTAL	2,68	3,00	3,27	4,38	4,03	4,25	6,31	6,55
संचालन व्यय	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways . .	24	26	29	33	34	38	38	42
(04) रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works . .	64	69	65	66	90	1,11	99	1,10
(05) रेल इंजन की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	..	..	..	..	..	..	..	..
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	57	56	53	62	69	82	1,19	1,26
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	94	96	1,22	1,41	1,58	1,69	1,67	1,85
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	3,11	3,24	3,86	4,20	4,67	6,48	5,18	5,48
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic .	92	90	98	1,09	1,22	1,32	1,33	1,46
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel .	1,00	1,00	1,21	1,20	1,27	1,60	1,60	1,80
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities .	4	7	8	8	11	12	12	13
(12) विविध संचालन-व्यय	Miscellaneous Working Expenses	56	56	57	62	59	73	67	83
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits . .	..	..	..	..	..	..	..	..
जोड़	TOTAL	8,02	8,24	9,39	10,21	11,37	14,25	13,13	14,33
उचंत	Suspense	—9	—2	—3	..	—2	—2	—2	—2
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total Ordinary Working Expenses	7,93	8,22	9,36	10,21	11,35	14,23	13,11	14,31
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	41	49	66	63	2,38	2,71	2,56	2,90
कुल संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES .	8,34	8,71	10,02	10,84	13,73	16,94	15,67	17,21
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	—5,66	—5,71	—6,75	—6,46	—9,70	—12,69	—9,36	—10,66
शुद्ध राजस्व	Net Revenue .	—5,66	—5,71	—6,75	—6,46	—9,70	—12,69	—9,36	—10,66

*यह भारतीय रेल प्रणाली की ब्याज देय पूंजी का भाग नहीं है। इसका लेखा-जोखा महानगर परिवहन परियोजना के विविध अग्रिम पूंजी के अंतर्गत अलग से रखा जाता है।

*Does not form the part of Capital-at-Charge of Indian Railway System. Booked separately under miscellaneous advances Capital (MTP.)

परिशिष्ट XII APPENDIX XII

रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि Railway Depreciation Reserve Fund

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund	नवीकरण और बदलाव के लिए निकाली गई रकम Withdrawals towards renewals and replacements	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net acceretion to Fund during the year	नाममात्र इतिशेष Nominal closing balance	घाटा पूरा करने के लिए अस्थायी ऋण Temporary loans to meet deficit	*वास्तविक इतिशेष *Actual closing balance
1924-25	10,35	7,29	3,06	3,06	..	3,06
1925-26	10,67	7,99	2,68	5,74	..	5,74
1926-27	10,89	8,05	2,84	8,58	..	8,58
1927-28	11,38	10,95	43	9,01	..	9,01
1928-29	12,00	9,60	2,40	11,41	..	11,41
1929-30	12,59	11,76	83	12,24	..	12,24
1930-31	13,07	11,39	1,68	13,92	..	11,92
1931-32	13,46	8,26	5,20	19,12	4,25	14,87
1932-33	13,77	6,35	7,42	26,54	10,23	11,00
1933-34	13,56	8,07	5,49	32,03	4,96	9,59
1934-35	13,72	8,66	5,06	37,09	5,06	9,59
1935-36	13,26	9,16	4,10	41,19	4,00	9,69
1936-37	13,17	7,88	5,29	46,48	—1,21	16,19
1937-38	12,59	(क) (a) 7,69	4,90	(ख) (b) 49,90	..	1,65
1938-39	12,56	7,08	5,48	55,38	..	25,09
1939-40	12,59	6,53	6,06	61,44	..	91,15
1940-41	12,64	7,19	5,45	66,89	..	96,00
1941-42	12,68	5,35	7,33	74,22	—7,91	91,84
1942-43	(ग) (c) 12,80	4,95	7,85	82,07	(घ) (d) —22,38	82,09
1943-44	16,87	6,64	10,23	92,30	..	92,37
1944-45	17,01	8,18	8,83	(ङ)(e) 102,21	..	102,21
1945-46	(च)(f) 17,25	12,01	5,24	107,45	..	107,45
1946-47	13,21	12,37	84	108,29	..	108,29
1947-48 (1-4-47 से to 14-8-1947)	6,86	2,66	4,20	112,49	..	(छ)(g)112,44
(15-8-47 से to 31-3-1948)	6,81	3,27	3,54	(ज) (h) 95,74	..	95,75
1948-49	(झ)(i) 23,11	17,28	5,83	101,57	..	10,11
1949-50	19,17	11,73	7,44	109,01	..	109,01
1950-51	33,59	26,63	6,96	(ञ) (j)123,65	..	123,65

परिशिष्ट XII—जारी

APPENDIX XII—*contd.*

रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि

Railway Depreciation Reserve Fund

(लाख रुपयों में)(Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund from				निधि से निकाली गयी रकम Withdrawal from Fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	†इतिशेष †Closing Balance
	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	शेष पर ब्याज Interest on balance	जोड़ Total			
1951-52	33,00	21	3,58	33,79	35,87	—2,08	(ट *k*) 122,02*
1952-53	30,00	33	4,09	34,42	40,89	—6,47	(ठ *l*) 116,36*
1953-54	30,00	36	3,61	33,97	38.02	— 4,05	(ड *m*) 122,79.*
1954-55	30,00	37	3,35	33,72	45,82	— 12,10	100,69*
1955-56	45,00	41	3,26	48,67	45,89	2,78	103,47*
1956-57	45,00	63	3,27	48,90	43,68	5,22	(ढ *n*) 103,14*
1957-58	45,00	1,23	3,15	49,38	63,62	— 14,24	(ण *o*) 88,89*
1958-59	45,00	87	2,53	48,40	80,72	— 32,32	(त *p*) 56,70*
1959-60	45,00	85	2,11	47,96	68,36	—20,40	(थ *q*) 37,30*
1960-61	45,00	79	85	46,64	64,04	—17,40	(द *r*) 19,79*
1961-62	65,00	1,77	86	67,63	58,23	9,40	29,19*
1962-63	67,00	1,09	93	69,02	75,37	—6,35	22,84*
1963-64	80,00	1,54	1,03	82,57	72,40	10,18	(ध *s*) 32,97*
1964-65	83,00	1,25	1,44	85,69	75,39	10,30	43,27*
1965-66	85,08	1,64	1,85	88,49	78,91	9,58	52,85*
1966-67	100,00	2,01	2,60	104,61	79,69	24,92	(न *t*) 77,76*
1967-68	95,00	2,18	3,15	100.33	93,82	6,51	(प *u*) 79.74*
1968-69	95,00	2,40	3,69	101,09	80,39	20,70	(फ *v*) 98,17*
1969-70	95,00	2,48	4,86	102,34	73,78	28,56	(ब *w*) 126,38*
1970-71	100,00	2,53	6,01	108,54	90,68	17,86	(भ *x*) 144,47*
1971-72	105,00	2,55	6,81	114,36	90,87	23,49	(म *y*) 167,61*
1972-73	110,00	2,58	7,95	120,53	113,60	6,93	(य *z*) 174,16*
1973-74	115,00	2,60	8,42	126,02	125,14	88	(कक *aa*) 175,74
1974-75	115,00	2,70	9,18	126,88	122,52	14,36	(कख *ab*) 189,98
1975-76	115,00	2,85	10,13	127,98	124,57	3,41	(कग *ac*) 197,93
1976-77	135,00	2,87	10,88	148,75	125,22	23,53	(कघ *ad*) 218,67
1977-78	140,00	2,93	12,69	155,62	117,64	37,93	(कङ *ae*) 265,15
1978-79	145,00	2,80	14,77	162,57	136,19	26,38	(कच *af*) 282,87
1979-80	200,00	2,82	16,79	219,61	187,45	32,16	(कछ *ag*) 313,07
1980-81	220,00	3,20	17,44	240,64	278,63	—37,99	(कज *ah*) 75,59
1981-82	350,00	3,30	12,61	365,91	504,31	—138,40	137,19
1982-83	556,00	3,43	5,79	565,22	655,58	—90,36	46,83
1983-84	850,00	3,73	5,32	859,05	783,78	75,27	122,10
1984-85	850,00	4,48	9,79	864,27	797,54	66,73	188,83
1985-86	920,00	6,38	10,48	936,86	981,48	—44,62	144,21
1986-87	1250,00	9,32	12,11	1271,43	1175,29	96,14	240,35
1987-88	1350,00	11,96	21,99	1383,96	1172,27	211,68	452,03
1988-89	1500,00	12,73	30,44	1543,17	1477,62	65,55	(कझ *al*) 520,10
1989-90	1715,00	15,75	39,20	1769,95	1564,31	205,64	725,74
1990-91	1950,00	20,65	50,44	2021,09	1870,22	150,87	(कञ *aj*) 876,63
1991-92	2000,00	28,31	59,67	2087,98	1943,57	144,41	1021,04
1992-93	2300,00	22,00	66,14	2388,14	2331,10	57,04	1078,08
1993-94	1875,00	25,00	69,77	1969,77	2062,56	—92,79	985,29
1994-95 (ब॰अ॰ B.E.)	2300,00	50,00	81,77	2431,77	2300,00	131,77	1274,97
1994-95 (सं॰अ॰ R.E.)	2140,00	50,00	70,72	2260,72	2140,00	120,72	1106,01
1995-96 (ब॰अ॰ B.E.)	2000,00	50,00	79,17	2129,17	2000,00	129,17	1235,188

†1933-34 से लेकर 1941-42 तक के इतिशेष में शाखा लाइन कम्पनियों को दिये गये कर्ज के 9 लाख रुपये शामिल हैं। 1937-38 से लेकर 1941-42 तक के लेखे में शाखा लाइनों के हिस्से खरीदने में लगाये गये 31 लाख रुपये भी शामिल हैं। 1942-43 में यह रकम रेलवे आरक्षित निधि के निवेश लेखे में अन्तरित कर दी गयी।

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि इनमें शामिल किये गये भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हैं।

(क) इसमें छोड़ी हुई परिसम्पत्तियों के लेखे में 32 लाख की पूंजी शामिल है, जो बट्टे खाते में डाल दी गयी थी।

(ख) इसमें बर्मा रेलवे के बकाया के 1,48 लाख शामिल नहीं हैं।

(ग) इसमें बंगाल और नार्थ वेस्टर्न तथा रुहेलखण्ड और कुमाऊं रेलवे से अन्तरित नवीकरण उचंत के 23 लाख शामिल हैं।

(घ) इसमें रेलवे आरक्षित निधि से अन्तरित 6.30 लाख शामिल हैं।

(ङ) इसमें बंगाल-नागपुर, मद्रास और सदर्न मराठा और साउथ इण्डियन रेलों के बीच रेल-पथ और चल-स्टाक आदि पर खर्च के लिए नवीकरण आरक्षित निधि से अन्तरित 1.08 लाख शामिल हैं।

(च) इसमें—बंगाल नागपुर और नार्थ वेस्टर्न रेलवे कम्पनी से गतायु चलस्टाक आदि के हिसाब में वसूल की गयी 20 लाख की रकम शामिल है।

(छ) इसमें पाकिस्तान रेलवे पर अनुमानित बकाया के 20,30 लाख शामिल हैं।

(ज) इसमें 1 लाख निकालकर पाकिस्तान रेलवे से संबंधित छोड़ी हुई सम्पत्ति के लेखे में अनुमानित हिस्से के 20,30 लाख शामिल नहीं है।

(झ) इसमें अधिशेष से विनियोजित 11,80 लाख शामिल हैं।

(ञ) इसमें 1-4-1950 से ली गयी भूतपूर्व रियासती रेलों के लेखे के 7,67 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं। एक का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

(ट) इसमें 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 45 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं।

(ठ) इसमें 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 81 लाख शामिल हैं।

(ड) इसमें 1-4-1950 से ली गयी भूतपूर्व भारतीय रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 48 लाख शामिल हैं।

(ढ) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 2,76 लाख शामिल नहीं हैं और 1-4-1950 को ली गई भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के मूल्यह्रास आरक्षित निधि में कमी के लिए किये गये समायोजन के 1,62 लाख और उस पर ब्याज के 1,17 लाख भी शामिल नहीं हैं।

(ण) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 1 लाख शामिल नहीं हैं।

(त) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 13 लाख शामिल हैं।

†The closing balances from 1933-34 to 1941-42 include Rs. 9 lakhs on account of loans to Branch Line Companies and those from 1937-38 to 1941-42, also include Rs. 31 lakhs on account of investments in Branch Line Shares. In 1942-43 these amounts were transferred to the Railway Reserve Fund Investment Account.

*These figures are provisional as the balances of the ex-States Railways merged therein have not yet been finalised.

(*a*) Includes 32 lakhs written off capital on account abandoned assets.

(*b*) Excludes 1,48 lakhs balance for Burma Railway.

(*c*) Includes 23 lakhs transferred from Bengal and North Western and Rohilkhand and Kumaon Railways' Renewals suspense.

(*d*) Includes 6,30 lakhs transferred from the Railway Reserve Fund.

(*e*) Includes 1,08 lakhs transferred from Renewal Reserve Fund for permanent way and rolling stock of the Bengal-Nagpur, Madras and Southern Mahratta and South Indian Railways.

(*f*) Includes 20 lakhs recovered from the Bengal—Nagpur and North Western Railway Company on account of over-age of rolling stock.

(*g*) Includes 20,30 lakhs, the estimated balance relating to Pakistan Railways.

(*h*) Excludes 20,30 lakhs, the estimated share, less 1 lakh on account of abandoned assets relating to Pakistan Railways.

(*i*) Includes 11,80 lakhs appropriated from the surplus.

(*j*) Includes 7,67 lakhs (Provisional) on account of Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950. Difference of 1 due to rounding off.

(*k*) Includes 45 lakhs (Provisional) on account of revision of the ex-Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950.

(*l*) Includes 81 lakhs on account of revision of the ex-Indian States Railway's balance taken over from 1-4-1950.

(*m*) Includes 48 lakhs on account of revision of the ex-Indian States Railways' balance taken over from 1-4-1950.

(*n*) Excludes 2,76 lakhs on account of differences between *ad hoc* and revised balances on 15-8-1947 and 1,62 lakhs due to downward adjustment of D.R.F. balance of ex-Mysore State Rly. taken over on 1-4-1950 and 1,17 lakhs interest thereon.

(*o*) Excludes 1 lakh on account of difference between the *ad hoc* balance and further revised balance as on 15-8-1947.

(*p*) Includes 13 lakhs on account of difference between the *ad hoc* and revised balance on 15-8-1947.

(थ) इसमें भूतपूर्व जी०बी०एस० रेलवे से संबंधित भूतपूर्व रियासती रेलों के संशोधित बकाया के 5 लाख और मध्य रेलवे के विभाजन के पूर्व के संशोधित बकाया के 97 लाख शामिल हैं तथा विकास निधि में किया जाने वाला 2 लाख का खर्च इसमें शामिल नहीं है, जो मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अन्तरित कर दिया गया है ।

(द) इसमें पश्चिम रेलवे के 15-8-1947 के तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 30 लाख शामिल नहीं हैं और विकास निधि से अंतरित योजना के अंतर्गत मध्य, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण रेलों के 1-4-1955 से 31-3-1960 तक के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के मकानों पर हुए खर्च के 19 लाख शामिल हैं ।

(ध) इसमें विकास निधि और पूंजी से अन्तरित मध्य रेलवे पर 4 लाख का खर्च शामिल नहीं है ।

(न) इसमें विकास निधि से अन्तरित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 1 लाख का खर्च शामिल नहीं है ।

(प) इसमें विकास निधि से अन्तरित 2,60 लाख का खर्च शामिल नहीं है—उत्तर रेलवे पर (1,37), दक्षिण रेलवे पर (78), दक्षिण पूर्व रेलवे पर (4) और पश्चिम रेलवे पर (41) । इसमें पूर्व (1), उत्तर (1,85) और दक्षिण (7) रेलों पर अन्तरित पूंजी से खर्च के 1,93 लाख भी शामिल नहीं है ।

(फ) इसमें भागलपुर-मंदारहिल लाइन को फिर से बिछाने के काम के खर्च के विकास निधि से प्रत्याशित पश्चलेखन के 30 लाख और पूर्व और दक्षिण रेलों पर पूंजी से 1,97 लाख शामिल नहीं है ।

(ब) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी को अन्तरित होने वाले 35 लाख शामिल नहीं है ।

(भ) इसमें दक्षिण रेलवे पर विकास निधि को अन्तरित 23 लाख शामिल हैं ।

(म) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी को अन्तरित 35 लाख शामिल नहीं हैं ।

(य) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी को अन्तरित 38 लाख शामिल नहीं हैं ।

(कक) इसमें पूंजी और विकास निधि से अन्तरित क्रमशः 40 लाख और 30 लाख शामिल हैं ।

(कख) इसमें पूंजी से अन्तरित 12 लाख शामिल नहीं हैं ।

(कग) इसमें पूंजी से अन्तरित 4,54 लाख शामिल हैं ।

(कघ) इसमें पूंजी को अन्तरित 2,79 लाख शामिल नहीं हैं ।

(कङ) इसमें पूंजी से अन्तरित नामे खाते के 50 लाख शामिल हैं ।

(कच) इसमें पूंजी से अन्तरित नामे खाते के 33,31 लाख शामिल हैं ।

(कछ) इसमें पूंजी से अन्तरित नामे खाते के 1,96 लाख शामिल हैं ।

(कज) इसमें पूंजी को अन्तरित नामे खाते के 51 लाख शामिल हैं ।

(कझ) इसमें पूंजी से अन्तरित के 2.52 लाख रुपये शामिल हैं ।

(कञ) इसमें 1989-90 में मू. आ. नि. पर ब्याज के खाते में टी डब्ल्यू एफ ए द्वारा लगाये गये 2 लाख रुपये शामिल हैं ।

(*q*) Includes 5 lakhs on account of revision of ex-States Railways balances relating to ex-G.B.S. Railways, 97 lakhs due to revision of pre-partition balances on Central Railway and excludes 2 lakhs on account of expenditure met from Development Fund transferred to Depreciation Reserve Fund.

(*r*) Excludes 30 lakhs on account of difference between *ad hoc* and revised balance on 15-8-1947 on Western Railway and includes 19 lakhs on account of expenditure from 1-4-1955 to 31-3-1960 incurred on quarters for class III and IV staff forming part of a scheme transferred to Development Fund on Central, Northeast Frontier and Southern Railways.

(*s*) Excludes 4 lakhs due to expenditure transferred from Development Fund and Capital on Central Railway.

(*t*) Excludes 1 lakh due to expenditure transferred from Development Fund on Northeast Frontier Railway.

(*u*) Excludes 2,60 lakhs due to expenditure transferred from Development Fund on Northern (1,37), Southern (78), Southeastern (4) and Western Railway (41). Also excludes 1,93 lakhs due to expenditure from Capital transferred of Eastern (1), Northern (1,85) and Southern (7) Railways.

(v) Excludes 30 lakhs due to anticipated write-back of the expenditure on the work "Restoration of Bhagalpur-Mandar Hill-from Development Fund and 1,97 lakhs from Capital on Eastern and Southern Railways.

(*w*) Excludes 35 lakhs credits transferred to Capital on Southern Railway.

(*x*) Includes 23 lakhs transferred to Development Fund on Southern Railway.

(*y*) Excludes 35 lakhs transferred to Capital on Southern Railway.

(*z*) Excludes 38 lakhs transferred to Capital on Southern Railway.

(*aa*) Includes 40 lakhs and 30 lakhs transferred from Capital and Development Fund respectively.

(*ab*) Excludes 12 lakhs transferred from Capital.

(*ac*) Includes 4,54 lakhs transferred from Capital.

(*ad*) Excludes 2,79 lakhs transferred to Capital.

(*ae*) Includes 50 lakhs transfer of debit from Capital.

(*af*) Includes 33,31 lakhs transfer of debit from Capital.

(*ag*) Includes 1,96 lakhs transfer of debit from Capital.

(*ah*) Includes 51 lakhs transfer of debit to Capital.

(*ai*) Includes 2,52 lakhs transferred from Capital.

(*aj*) Includes 2 lakhs adjusted through TWFA on account of interest on DRF pertaining to 1989-90.

परिशिष्ट XIII

APPENDIX XIII

रेलवे विकास निधि

Railway Development Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund				निधि से निकासी Withdrawal from Fund			निधि में शुद्ध जमा Net Accretion to fund	*इतिशेष *Closing Balance	सामान्य राजस्व का बकाया ऋण Loan outstanding to General revenues
	राजस्व अधिशेष आदि Revenue surplus etc.	सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	शेष पर ब्याज Interest on balances	जोड़ Total	निर्माण कार्यों के लिए For works	ऋण पर ब्याज Interest on loan	जोड़ Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1946-47	(क a) 15,00	..	24	15,24	41	..	41	14,83	14,83	..
1947-48 (1-4-47 से to 14-8-47)	..	..	18	18	34	..	34	—16	14,67	..
1947-48 (15-8-47 से to 31-3-48)	..	..	30	30	59	..	59	—29	14,38	..
1948-49	84	..	43	1,27	2,33	..	2,33	—1,06	13,32	..
1949-50	..	..	43	43	—5	..	—5	48	13,80	..
1950-51	10,00	..	52	10,52	5,35	..	5,35	5,17	(ख b) 19,44	..
1951-52	10,00	..	65	10,65	7,70	..	7,70	2,95	(ग c) 22,48	..
1952-53	12,00	..	76	12,76	8,10	..	8,10	4,66	27,14	..
1953-54	2,65	..	73	3,29	9,81	..	9,81	—6,52	20,62	..
1954-55	9,10	..	60	9,70	12,78	..	12,78	—3,08	17,54	..
1955-56	7,08	..	49	7,57	12,14	..	12,14	—4,57	12,97	..
1956-57	20,22	..	43	20,65	19,84	..	19,84	81	(घ d) 13,75	..
1957-58	13,38	..	25	13,63	25,53	..	25,53	—11,90	15	..
1958-59	8,93	10,98	(ङ e)—80	19,11	27,87	19	28,06	—8,95	(च f) 1,69	10,98
1959-60	20,12	14,85	15	35,12	24,89	65	25,54	9,58	(छ g) 8,91	25,83
1960-61	32,01	3,58	48	36,07	23,32	98	24,30	11,77	(ज h) 19,13	(झ i) 29 41
1961-62	24,40	..	84	25,24	21,14	53	21,67	3,57	(ञ j) 10,49	..
1962-63	42,06	..	70	42,76	23,17	..	23,17	19,59	(ट k) 29,68	..
1963-64	49,24	..	1,54	50,78	29,94	..	29,94	20,84	(ठ l) 52,23	..
1964-65	13,18	..	1,72	14,90	28,25	..	28,25	—13,3[illegible]	(ड m) 38,99	..
1965-66	18,56	..	1,34	19,90	28,91	..	28,91	—9,01	(ढ n) 30,09	..
1966-67	..	..	68	68	27,95	..	27,95	—27,27	(ण o) 3,37	..
1967-68	..	11,24	19	11,43	19,15	24	19,39	—7,96	(त p) 46	11,24
1968-69	..	14,06	14	14,20	16,59	80	17,39	—3,19	(थ q) 1,26	25,30
1969-70	..	18,14	9	18,23	17,08	1,52	18,60	—37	(द r) 1,18	43,45
1970-71	..	21,58	9	21,67	18,23	2,46	20,69	98	(ध s) 1,34	65,03
1971-72	9,21	21,62	29	31,12	20,82	3,52	24,34	6,78	8,12	86,65

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund				निधि से निकासी Withdrawal from fund			निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund	इतिशेष Closing Balance	सामान्य राजस्व को बकाया ऋण Loan Out-standing to General revenues
	रेलवे अधिशेष आदि Railways Excess etc.	सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	ऋण पर ब्याज Interest on balances	जोड़ Total	निर्माण कार्यों के लिए For works	ऋण पर ब्याज और ऋण की वापसी Interest on Loan and Repayment of loan	जोड़ Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1972-73 .	2,92	15,72	32	18,96	21,49	3,71	25,20	−6,24	(नt) 1,96	(u)85,65
1973-74 .	..	22,65	8	22,73	19,39	4,69	24,08	−1,35	(फv) 31	108,30
1974-75 .	..	21,90	3	21,93	16,17	6,00	22,17	−24	(बw) 26	130,20
1975-76 .	..	22,34	8	22,42	16,32	7,33	23,65	−1,23	(भx) 24	152,54
1976-77 .	25,86	..	22	26,08	17,62	8,24	25,86	22	(मy) 14	15254
1977-78 .	34,61	..	23	34,84	26,22	8,39	34,61	23	(यz) 24	152,54
1978-79 .	34,68	5,37	41	40,46	25,94	8,74	34,68	5,78	(कखab)6,06	157,91
1979-80 .	..	31,59	35	31,94	27,82	9,25	37,07	−5,13	(कगac) 90	189,50
1980-81 .	..	34,66	7	34,73	29,77	11,24	41,01	−6,28	(कघad)—5,19	224,16
1981-82 .	44,07	..	19	44,26	27,23	11,84	39,07	5,19	..	224,16
1982-83 .	46,36	..	43	46,79	32,74	14,05	46,79	..	..	224,16
1983-84 .	..	49,59		49,59	32,65	16,23	48,88	71	71	273,75
1984-85 .	..	62,61	5	62,66	37,78	21,21	58,99	3,67	4,38	336,36
1985-86 .	62,11		16	62,27	42,10	24,39	66,49	−4,22	16	336,36
1986-87 .	101,99	11,80	1	113,80	84,03	29,93	113,96	—16	..	348,16
1987-88 .	84,92	53,79	..	138,08	103,50	34,58	138,08	..	..	401,95
1988-89 .	21,67	127,33	..	149,00	106,02	43,04	149,06	—6	(कङae) ..	529,28
1989-90 .	173,76	5,16	..	178,42	127,37	51,05	178,42	..	..	534,44
1990-91	175,67	...	..	175,67	122,23	53,44	175,67	..	..	534,44
1991-92	435,00	...	..	435,00	97,28	(कच af) 337,72	435,00	..	..	239,11
1992-93	370,18	..	...	370,18	117,02	(कछ ag) 253,16	370,18	...	...	..
1993-94	132,26	..	3,06	135,32	189,13	..	189,13	−53,81	32	..
1994-95 (ब॰अ॰BE)	290,00	..	6,41	296,41	290,00	..	290,00	6,41	66,34	..
1994-95 (सं.अ.RE)	295,00	..	4	295,04	295,00	..	295,00	4	36	..
1995-96 (ब.अBE)	350,00	..	4	350,04	350,00	..	350,00	4	40	..

1950-51 से इतिशेष के आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि इनमें मिलाये गये भूतपूर्व रियासती रेलों के बकाया को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(क) इसमें रेलवे आरक्षित निधि से अन्तरित 12 करोड़ और रेलवे अधिशेष के 3 करोड़ शामिल हैं।

(ख) इसमें 1-4-1950 से लिये गये भारतीय रियासती रेलों के बकाया 47 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं।

(ग) इसमें 1-4-1950 से लिये गये भारतीय रियासती रेलों के संशोधित बकाया के 9 लाख (अनंतिम) शामिल हैं।

(घ) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 2 लाख और उस पर ब्याज के 1 लाख शामिल नहीं हैं।

These figures from 1950-51 are provisional as the balances of the ex-State Railways merged therein have not yet been finalised.

(*a*) This is made up of 12 crores transferred from Railway Reserve Fund and 3 crores from the Railway Surplus.

(*b*) Includes 47 lakhs (Provisional) on account of Indian State Railways balances taken over from 1-4-1950.

(*c*) Includes 9 lakhs (Provisional) on account of revision of the Indian State Railways balances taken over from 1-4-1950.

(*d*) Excludes 2 lakhs on account of difference between *ad hoc* and revised balances on 15-8-1947 and 1 lakh interest thereon.

टिप्पणी:—(i) 1993-94 में विकास निधि में 54.14 करोड़ रुपये का अवशेष था जिसमें 1-4-1993 से बन्द की गई दु.क्ष.नि. और रेलवे राजस्व निधि से अन्तरित क्रमशः 53.43 करोड़ रुपये और 0.71 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ii) 1993-94 से इतिशेष में शाखा लाइन कम्पनियों के हिस्सों में निवेश और उन्हें दिए गए ऋण के लेखे के 23 लाख रुपये शामिल हैं।

Note:—(i) The Development Fund in 1993-94 opens with a balance of Rs. 54.14 crores comprising of Rs. 53.43 crores and Rs. 0.71 crores transferred from ACSPF and RRF respectively consequent upon their discontinuance w.e.f. 1-4-1993.

(ii) Closing balances from 1993-94 onwards includes Rs. 23 lakhs on account of investments in shares of and loans to branch line companies.

(ङ) इसमें विभाजन से पहले के बकाया में कमी से सम्बन्धित सामान्य राजस्व को लौटाये गये ब्याज के 88 लाख शामिल नहीं हैं।

(च) इसमें 15-8-1947 को विभाजन से पहले के बकाया में कमी से सम्बन्धित 2,20 लाख शामिल नहीं हैं परन्तु दीसा-गांधीधाम और चुनार-राबर्ट्सगंज लाइनों की लागत के 7,61 लाख शामिल हैं, जिन्हें पूंजी में अन्तरित किया गया।

(छ) इसमें 1,02 लाख शामिल हैं जो पश्चिम रेलवे में कोटा और महालक्ष्मी के कुछ माल-डिब्बा कारखानों और आदिपुर-भुज लाइन के आमान परिवर्तन की लागत को पूंजी में अन्तरित करने के कारण हैं।

(ज) इसमें उत्तर रेलवे के उतरैटिया-सुलतानपुर-जफराबाद और पठानकोट-माधोपुर नयी लाइनों की, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लगाये गये लाभ. के अनुसार, लागत को पूंजी में अन्तरित करने के कारण 3,32 लाख शामिल हैं। हवड़ा कार शेड के खर्च को पूंजी आदि में अन्तरित करने के कारण 1 लाख और 1-4-1955 से 31-3-1960 तक श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए मकानों की योजना के कुछ हिस्से से सम्बन्धित खर्च को पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि से विकास निधि में अन्तरित करने के कारण, 4,88 लाख भी शामिल हैं।

(झ) रेल अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1961-62 में सामान्य राजस्व को 29,41 लाख रुपये के ऋण की वापसी।

(ञ) इसमें 1-4-1955 को निर्माणाधीन मध्य रेलवे की खंडवा-हिंगोली और दक्षिण रेलवे की कोल्लम-एर्णाकुलम नयी लाइनों की लागत को पूंजी में तदर्थ अन्तरित करने के कारण 16,81 लाख शामिल हैं। रेलवे अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया गया है। साथ ही पूर्व रेलवे के भागलपुर—मंदार हिल पुनर्निर्माण के कार्य की लागत के पूंजी में गलत अन्तरण के कारण 39 लाख और पश्चिम रेलवे के आदिपुर-भुज लाइन के आमान परिवर्तन के 9 लाख शामिल हैं। रेलवे अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार सामान्य राजस्व के कर्ज को चुकता करने के 29,41 लाख और श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के मकानों के सम्बन्ध में पूंजी और मू०आ० नि० में गलत समायोजन के पश्चलेखन के कारण 9 लाख शामिल नहीं हैं।

(ट) इसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे की बोब्बिली-सलूरू नयी लाइन, जिसे अब लाभप्रद समझा जा रहा है, की लागत के पूंजी में अन्तरण के 11 लाख शामिल हैं और 1961-62 में पूर्व रेलवे के भागलपुर-मंदार हिल के पुनर्निर्माण का कार्य पश्चिम रेलवे के और आदिपुर-भुज लाइन के परिवर्तन से सम्बन्धित गलत समायोजन के पूंजी से पश्चलेखन के कारण 48 लाख इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें पश्चिम रेलवे के गोधरा-रतलाम खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने और करगड़ा में पार-स्टेशन बनाने के खर्च के पूंजी से पश्चलेखन के कारण 3 लाख भी शामिल हैं।

(ठ) इसमें पूंजी को अन्तरित कुछ निर्माण-कार्यों की लागत के 250 लाख शामिल हैं जिनको अब लाभप्रद समझा गया है और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है। इसमें मध्य रेलवे के मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंतरित 3 लाख भी शामिल हैं लेकिन पश्चिम रेलवे के पूंजी और खुली लाइन निर्माण राजस्व में अन्तरित 82 लाख शामिल नहीं हैं।

(*e*) Excludes 88 lakhs on account of interest refunded to the Central Revenues on reduction of pre-partition balances.

(*f*) Excludes 2,20 lakhs due to reduction in pre-partition balances on 15-8-1947 and includes 7,61 lakhs due to transfer of the cost of Deesa-Gandhidham and Chunar-Robertsganj lines to Capital.

(g) Includes 1,02 lakhs due to the transfer of certain wagon shops at Kotah and Mahalakshmi and of Adipur-Bhuj conversion on Western Railway to Capital.

(*h*) Includes 3,32 lakhs due to transfer of the cost of the new lines Utraitia-Sultanpur-Zafarabad and Pathankot-Madhopur on Northern Railway to Capital to the extent of their remunerativeness according to assessment made on the basis of actuals, 1 lakh due to transfer of expenditure on Howrah Car Shed to Capital and also covers 4,88 lakhs due to transfer from Capital and Depreciation Reserved Fund to Development Fund of the expenditure from 1-4-1955 to 31-3-1960 relating to quarters forming part of a scheme for Class III and IV Staff.

(*i*) Rs. 29,41 lakhs loan repaid to General Revenues in the year 1961-62 in terms of accepted recommendations of the Railway Convention Committee, 1960.

(*j*) Includes 16,81 lakhs due to *ad hoc* transfer of the cost of the new lines under construction of 1-4-55, *viz.*, Khandwa-Hidgoli on Central Railway and Quilon-Ernakulam on Southern Railway to Capital as per the accepted recommendations from the Railway Convention Committee, 1960, 39 lakhs due to erroneous transfer of the cost of the Works Bhagalpur-Mander Hill restoration to Capital on Eastern Railway and 9 lakhs relating to conversion of Adipur-Bhuj on Western Railway and excludes 29,41 lakhs loans repaid to General Revenues in terms of the accepted recommendations of the Railway Convention Committee, 1960, 9 lakhs on account of write-back of erroneous adjustments relating to quarters for Class III and Class IV staff forming part of a Scheme to Capital and D.R.F.

(*k*) Includes 11 lakhs due to transfer to Capital of the cost of the new line Bobbili-Saluru on South-Eastern Railway since assessed to be remunerative and excludes 48 lakhs due to write-back from Capital of the erroneous adjustments made in 1961-62 relating to the Works Restoration of Bhagalpur-Mander Hill on Eastern Railway and conversion of Adipur-Bhuj on Western Railway, and also covers 3 lakhs due to write-back of expenditure on the Works providing Crossing Station at Kargada and doubling of the Section Godhra-Ratlam from Capital on Western Railway.

(*l*) Includes 250 lakhs due to transfer to Capital of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital, 3 lakhs transferred to D.R.F. on Central Railway and excludes 82 lakhs transferred from Capital and OLWR on Western Railway.

(ड) इसमें पूंजी को अन्तरित पूर्व रेलवे से सम्बन्धित उन निर्माण-कार्यों की लागत के 11 लाख शामिल हैं जिनको अब लाभप्रद समझा गया है और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है ।

(ढ) इसमें पश्चिम रेलवे से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों की लागत के 15 लाख शामिल हैं जिनको अब लाभप्रद समझा गया है । इसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की पूंजी से अन्तरित 4 लाख शामिल नहीं हैं ।

(ण) इसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (47 लाख) और दक्षिण पूर्व रेलवे (7 लाख) से सम्बन्धित कुछ निर्माण कार्यों, जिनको अब लाभप्रद समझा गया है, और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है, की लागत के 54 लाख और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत इस निधि में गलती से रखे गये एक लाख शामिल हैं जिन्हें चा०ला०रा० और मू०आ०नि० को अन्तरित कर दिया गया है ।

(त) इसमें पूंजी में अन्तरित 2,45 लाख शामिल हैं—उत्तर रेलवे पर (1,49), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर (—12), दक्षिण रेलवे पर (90) और पश्चिम रेलवे पर (18) और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अन्तरित 2,60 लाख भी शामिल हैं—उत्तर रेलवे पर (1,37), दक्षिण रेलवे पर (78), दक्षिण-पूर्व रेलवे पर (4) और पश्चिम रेलवे पर (41)

(थ) इसमें आगे लिखी मदों पर खर्च के 3,99 लाख शामिल हैं—पूर्व रेलवे में भागलपुर-मंदार हिल लाइन को फिर से बिछाने के काम पर (54), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सी टी सी सम्बन्धी काम पर (3,25) और पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर—कटिहार के बीच माइक्रोवेव संचार व्यवस्था पर (20) इस खर्च का पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में पश्चलेखन कर दिया गया ।

(द) इसमें सियालदह ढांचा परिवर्तन, चरण I के सम्बन्ध में किये गये खर्च को पूंजी खाते में अंतरित करने के कारण 29 लाख शामिल हैं ।

(ध) इसमें दक्षिण रेलवे पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि से तीसरे दर्जे के कुछ सवारी डिब्बों के खर्च के अन्तरण के 82 लाख शामिल नहीं हैं ।

(न) इसमें पूंजी से अन्तरित 7 लाख शामिल हैं । 1 का अन्तर पूर्णांकन के कारण है ।

(प) रेल अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1969-70 और 1970-71 से संबंधित बकाया राहत राशियों की तुलना में 16.72 करोड़ रुपये ऋणदायिता के रूप में शामिल किये गये थे ।

(फ) इसमें पूंजी को अन्तरित 30 लाख शामिल हैं ।

(ब) इसमें पूंजी से अन्तरित 19 लाख शामिल हैं ।

(भ) इसमें पूंजी से अंतरित 1,21 लाख शामिल हैं ।

(म) इसमें पूंजी को अन्तरित 32 लाख शामिल नहीं हैं ।

(य) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 13 लाख शामिल हैं

(कख) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 4 लाख शामिल हैं।

(कग) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 4 लाख शामिल नहीं हैं । 1 का अंतर पूर्णांकन के कारण है ।

(कघ) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 19 लाख शामिल हैं ।

(कङ) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अंतरित 6 लाख रुपये शामिल हैं ।

(कच) इसमें सामान्य राजस्व को बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के 295,33 लाख शामिल हैं ।

(कछ) इसमें सामान्य राजस्व को बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के 239,11 लाख शामिल हैं ।

(*m*) Includes 11 lakhs due to transfer of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital on Eastern Railway.

(*n*) Includes 15 lakhs due to transfer of the cost of certain works now assessed to be remunerative on Western Railway and excludes 4 lakhs transferred from Capital on Northeast Frontier Railway.

(*o*) Includes 54 lakhs due to transfer of cost of certain works on Northeast Frontier (47 lakhs) and South-eastern (7 lakhs) Railways now assessed to be remunerative justifying their charge to capital and one lakh transferred to OLWR and DRF wrongly charged to this Fund on N.F. Railway.

(*p*) Includes 2,45 lakhs transferred to Capital—Northern (1,49), Northeast Frontier (—12), Southern (90) and Western (18) Railways] and 2,60 lakhs transferred to Depreciation Reserve Fund [Northern (1,37), Southern (78), Southeastern (4) and Western (41) Railways].

(*q*) Includes 3,99 lakhs due to expenditure on restoration of Bhagalpur-Mander Hill on Eastern Railway (54), C.T.C. work on N.F. Railway (3,25) and Gorakhpur-Katihar microwave communications on N.E. Rly. (20) written-back to Capital and Depreciation Reserve Fund.

(*r*) Includes 29 lakhs due to transfer of expenditure incurred in connection with Sealdah re-modelling phase I to Capital as it is now assessed to be remunerative.

(*s*) Excludes 82 lakhs due to transfer of expenditure of certain III class coaches from Depreciation Reserve Fund on Southern Railway.

(*t*) Includes 7 lakhs transferred from capital. Difference of 1 due to rounding off.

(*u*) The loan liability was written down by Rs. 16.72 crores against arrear reliefs pertaining to the years 1969-70 and 1970-71 as per recommendations of Railway Convention Committee, 1971.

(*v*) Includes Rs 30 lakhs transferred to Capital.

(*w*) Includes 19 lakhs transferred from Capital.

(*x*) Includes 1,21 lakhs transferred from Capital.

(*y*) Excludes 32 lakhs transferred to Capital.

(*z*) Includes 13 lakhs transfered without financial adjustment

(*ab*) Includes 4 lakhs transfered without financial adjustment

(*ac*) Excludes 4 lakhs transfered without financial adjustment. Difference of 1 due to rounding off.

(*ad*) Includes 19 lakhs transfered without financial adjustment.

(*ae*) Includes Rs. 6 lakhs transfered without financial adjustment.

(*af*) Includes Rs. 295,33 lakhs towards repayment of loan outstanding to General Revenues.

(*ag*) Includes Rs. 239,11 lakhs towards repayment of loan outstanding to General Revenues.

परिशिष्ट XIV

रेलवे पेंशन निधि

APPENDIX XIV

Railway Pension Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund					निधि से निकासी Withdrawn from Fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	इतिशेष Closing Balance
	राजकीय रेलवे भविष्य निधि (अंशदायी) से अंतरण By transfer from S.R. P.F. (Contributory)	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	शेष पर ब्याज Interest on balance	जोड़ Total			
1964-65	2,97	11,60	40	27	15,42	2,21	13,03	(क a) 13,82
1965-66	27	12,10	40	76	13,35	2,25	11,00	(ख b) 25,17
1966-67	6,13	13,60	40	1,40	2,153	3,77	17,76	(ग c) 44,09
1967-68	53	10,00	30	2,01	12,84	5,34	7,50	(घ d) 2,375
1968-69	4,73	10,00	30	2,65	17,68	6,37	11,31	(ङ e) 67,90
1969-70	2,13	10,00	30	3,28	16,71	7,69	8,02	(च f) 80,02
1970-71	87	15,00	50	3,87	20,24	8,65	11,59	(छ g) 92,86
1971-72	37	11,50	50	4,40	16,77	10,40	6,37	(ज h) 100,33
1972-73	4,95	160,00	72	5,44	27,11	10,46	16,65	(झ i) 125,06
1973-74	1,29	16,00	60	6,54	24,43	12,33	12,10	(ञ j) 142,21
1974-75	3,71	16,00	60	7,80	28,11	18,98	9,13	(ट k) 159,74
1975-76	5,23	24,50	80	9,03	39,56	30,01	9,55	(ठ l) 199,71
1976-77	3,81	35,00	90	10,24	49,95	40,25	9,70	(ड m) 179.77
1977-78	4,64	40,00	1,00	11,40	57,04	50,35	6,67	(ढ n) 216,34
1978-79	6,39	50,00	1,00	13,02	70,41	62,96	7,45	(ण o) 241,52
1979-80	12,55	65,00	1,30	15,92	94,77	75,35	19,42	(त p) 291,16
1980-81	11,76	85,00	1,50	19,40	117,66	105,77	12,09	(थ p) 333,75
1981-82	8,18	100,00	1,80	21,71	131,70	124,93	6,77	(द r) 358.97
1982-83	9,85	150,00	2,02	21,64	186,51	180,73	5,78	(ध s) 394,32
1983-84	14,37	185,00	3,10	26,79	229,26	223,80	5,46	(न t) 428,25
1984-85	8,26	225,00	4,00	27,63	264,89	278,15	—13,26	(प u) 432,26
1985-86	9,89	265,00	5,00	27,70	307,59	352,58	—44,99	(फ v) 411,82
1986-87	6,19	354,00	5,98	24,84	391,01	464,66	—73,65	(ब w) 363,89
1987-88	41,88	454,60	7,00	9,10	522,52	711,01	—1,8852	(भ x) 208,22
1988-89	3,14	555,00	7,85	8,58	574,57	744,15	—169,58	(म y) 52,90
1989-90	29	733,00	9,30	2,31	744,90	791,65	—46,75	(यz) 13,22
1990-91	28	975,00	9,42	4,31	989,01	892,40	96,61	(ककaa) 116,43
1991-92	71	1188,00	9,51	12,73	1210,95	1040,45	170,50	(कखab) 287,74
1992-93	12	1208,00	10,07	17,80	1235,99	1251,43	—15,44	(कगac) 274,12
1993-94	15	1509,00	10,97	20,41	1540,53	1487,85	52,68	(कघad) 328,10
1994-95 (ब॰अ॰ B.E.)	15	1710,00	20,00	21,89	1752,04	1700,00	52,04	349,75
1994-95 (स॰अ॰ R.E.)	29	1760,00	20,00	24,02	1804,31	1750,00	54,31	382,41
1995-96 (ब॰अ॰ B.E.)	15	1980.00	20,00	27,82	2027,97	1970,00	57,97	440,38

इसमें अंशदायी भविष्य निधि के लिए बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण के कारण (क) 79 लाख, (ख) 35 लाख, (ग) 1.16 लाख, (घ) 78 लाख, (ङ) 4,22 लाख (च) 4.10 लाख, (छ) 1,25 लाख, (ज) 1,10 लाख, (झ) 8,08 लाख, (ञ) 5,05 लाख (ट) 8,60 लाख, (ठ) 10,28 लाख, (ड) 10,24 लाख (ढ) 9,94 लाख, (ण) 17,73 लाख (त) 30,22 लाख, (थ) 30,49 लाख, (द) 18,47 लाख, (ध) 29,55 लाख, (न) 28,46 लाख, (प) 17,27 लाख, (फ) 24,55 लाख और (ब) 25,72 लाख, (भ) 32,65 लाख (म) 14,46 लाख (य) 707 लाख (कक) 6.60 लाख (कख) 81 लाख, (कग) 1,82 लाख और (कघ) 1,30 लाख शामिल हैं।

Includes (*a*) 79 lakhs, (*b*) 35 lakhs, (J) 1,16 lakhs,; (*d*) 78 lakhs, (*e*) 4,22 lakhs, (*f*) 4.10 lakhs,(*g*) 1,25 lakhs, (h) 1,10 lakhs, (*i*) 8.08 lakhs, (*j*) 5,05 lakhs, (*k*) 8,60 lakhs, (*l*) 10.28 lakhs, (*m*) 10,24 lakhs, (*n*) 9,94 lakhs, (*o*) 17,73 lakhs, (*p*) 30,22 lakhs, (*q*) 30,49 lakhs, (*r*) 18,47 lakhs, (*s*) 29,55 lakhs, (*t*) 28,46 lakhs, (*u*) 17,27 lakhs, (*v*) 24,55 lakhs, (*w*) 25,72 lakhs (*x*) 32,65 lakhs (*y*) 14,46 lakhs (*z*) 7,07 lakhs (*aa*) 6,60 (*ab*) 81 lakhs, (ac) 1,82 lakhs and (ad) 1,30 lakhs on account of TWFA for Contributory Provident Fund.

परिशिष्ट-XV
पूंजी निधि-रेलवे

APPENDIX XV
Capital Fund Railways

(लाख रुपयों में)

(Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	विनियोग Appropriation			निधि से निकासी Withdrawal from Fund	वर्ष के दौरान निधि में शुद्ध जमा Net accertion to fund during the year	इति शेष Closing Balance
	राजस्व से From Revenue	बकाया पर ब्याज Interest on Balance	जोड़ Total			
1992-93	70,87	2,31	73,18	..	73,18	73,18
1993-94	1673,82	2,56	1676,38	1746,99	—70,61	2,57
1994-95 (ब०अ०/B.E.)	1680,00	7,80	1687,80	1680,00	7,80	119,22
1994-95 (सं०अ०/R.E.)	1575,00	18	1575,18	1575,00	18	2,75
1995-96 (ब०अ०/B.E.)	1705,00	19	1705,19	1705,00	19	2,94

आन्तरिक संसाधनों से योजना आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करने के लिए 1992-93 (सं.अ.) से "पूंजी निधि-रेलवे" सृजित की गयी है ।

The "Capital Fund—Railways" has been created w.e.f. 1992-93 (R.E.) to meet a part of the Plan requirement from internally generated resources.

परिशिष्ट XVI

APPENDIX XVI

आस्थगित लाभांश दायिता लेखा

Deferred Dividend Liability Account

(लाख रुपयों) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष/YEAR	1978-79 की अवधि से पहले से सम्बन्धित Relating to the period prior to 1978-79			1978-79 की अवधि के बाद से सम्बन्धित Relating to the period 1978-79 onwards		
	प्रथमशेष Opening Balance	वर्ष में भुगतान Payment during the year	बकाया शेष Balance Outstanding	वर्ष में जमा Accretion during the year	वर्ष में भुगतान Payment during the year	बकाया शेष Balance Outstanding
1978-79	117,80	1,99	115,61	..	..	..
1979-80	115,61	0,43	115,18	66,24	..	66,24
1980-81	115,18	..	115,18	197,87	..	264,11
1981-82	115,18	2,52	112,66	..	..	264,11
1982-83	112,66	71,95	40,71	..	..	264,11
1983-84	40,71	..	40,71	44,75	..	308,86
1984-85	40,71	..	40,71	195,59	..	504,45
1985-86	40,71	40,71	..	..	76,02	428,43
1986-87	..	..	..	..	..	428,43
1987-88	..	..	..	..	..	428,43
1988-89	..	..	..	..	..	428,43
1989-90	..	..	..	..	..	428,43
1990-91	..	..	..	..	11,97	416,46
1991-92	..	..	..	..	74,47	341,99
1992-93	..	..	..	..	341,99	..

परिशिष्ट—XVII

1994-95 में भारत की सरकारी रेलों पर सामाजिक दायित्वों का आर्थिक प्रभाव (अनुमानित)

APPENDIX XVII

Financial effect of Social Obligations on Indian Government Railways, 1994-95 (Estimated)

क्रम सं०	मद (करोड़ रुपयों में)	Sl. No.	Item	(Rupees in Crore)
1.	कोचिंग सेवाओं पर हानि (उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्री यातायात, पार्सल, सामान, आदि)	1.	Loss on Coaching Services (Suburban and non-Suburban passenger traffic, parcel, luggage, etc.)	2178.91
2.	कम दर वाली वस्तुओं पर हानि :	2.	Loss on low-rated commodities :	
	(1) गन्ना		(i) Sugar Cane	25.44
	(2) नमक		(ii) Salt	50.59
	(3) गढ़ी लकड़ी		(iii) Timber Wrought	12.71
	(4) फल और सब्जियां		(iv) Fruits & Vegetables	5.09
	(5) अनगढ़ी लकड़ी		(v) Wood Unwrought	10.80
	(6) पशुधन		(vi) Live Stock	4.45
	(7) अन्य पण्य		(vii) Other commodities	33.30
	जोड़ (मद 2)		Total (Item 2)	142.38
3.	जोड़ (मद 1 और 2)	3.	Total (Item 1 & 2)	2321.29
4.	घटाइए—कर्मचारी कल्याण तथा कानून और व्यवस्था की लागत*	4.	Deduct Staff Welfare and Law and Order costs*	806.28
5.	शुद्ध सामाजिक दायित्व	5.	Net Social Obligation	1515.01

*भारतीय रेलें कर्मचारी कल्याण और कानून और व्यवस्था पर 806.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही हैं। यह राशि रेलवे सुरक्षा बल/रिलवे सुरक्षा विशेष बल (238.57 करोड़ रुपये), आर्डर पुलिस (45.44 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा और कल्याण सेवाओं (269.96 करोड़ रुपये), कैंटीन और अन्य कर्मचारी सुविधाओं (9.08 करोड़ रुपये), रेल कर्मचारियों को शैक्षिक सहायता (41.13 करोड़ रुपये) तथा आवासीय तथा कल्याण भवनों (202.10 करोड़ रुपये) पर खर्च की जा रही है।

टिप्पणी:—प्रादेशिक आधार पर शाखा लाइनों के वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि उनमें से कुछ पर हानि उठानी पड़ी। इन अलाभप्रद शाखा लाइनों पर कुल हानि लगभग 146.00 करोड़ रुपये हुई, जिसे उपर्युक्त विवरण की मद सं० 1 और आंशिक रूप से मद सं० 2 में शामिल किया गया है।

* Railways are incurring an expenditure of Rs. 806.28 Cr. on Staff Welfare and Law and Order – Railway Protection Force/Railway Protection Special Force (Rs. 238.57 Cr.), Order Police (Rs. 45.44 Cr.), Health, Medical and Welfare Services (Rs. 269.96 Cr.), Canteen and other Staff Amenities (Rs. 9.08), Educational Assistance to Railway Employees (Rs. 41.13 Cr.) and on Residential and welfare buildings (Rs. 202.10 Cr.)

NOTE:—Assessment on territorial basis of the financial results of the branch lines indicates that some of them suffered a loss. The aggregate loss on these unremunerative branch lines amount of Rs. 146.00 crores which is included in item 1 and partially in item 2 of the above statement.

परिशिष्ट XVIII

अलाभप्रद शाखा लाइनों के कारण भारतीय रेलों पर वित्तीय भार से संबंधित विवरण

1. अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर सभी छोटी लाइनें और बड़े आमान तथा मी० ला० की ऐसी अन्य लाइनें, जो मुख्य लाइन जालतंत्र से एक सिरे से जुड़ी है, ही "शाखा लाइनें" मानी जाती हैं। 1993-94 में ऐसी लाइनों की समीक्षा से पता चला था कि 117 शाखा लाइनों (बड़ी लाइन की 29, मीटर लाइन की 56 और छोटी लाइन की 32) को अलाभप्रद पाया गया और रेलों को इन लाइनों से, लाभांश को छोड़कर, लगभग 146 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2. विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि रेलों को हर वर्ष होने वाली हानि, यथा संभव कम करने के लिए उन सभी अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द कर दिया जाना चाहिये जहां परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं या विकसित किए जा सकते हैं। बहरहाल, राज्य सरकारें ऐसी लाइनों को बन्द करने के पक्ष में नहीं हैं। रेल सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट (अक्तूबर 1983) के भाग XI में, जो "मितव्ययिता" से संबंधित हैं, 40 ऐसी अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द किए जाने की सिफारिश की थी जहां पर पर्याप्त वैकल्पिक सड़क परिवहन सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं और यदि राज्य सरकारें अपने किन्हीं कारणों से ऐसी लाइनों को बन्द करने के लिए सहमत नहीं होती हैं तो उन्हें 50 : 50 के आधार पर घाटा वहन करना चाहिए। 15 अलाभप्रद शाखा लाइनों (उक्त 40 लाइनों में से) को बन्द करने/उखाड़ने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गए हैं। रेलें शेष 25 लाइनों को बन्द करने के लिए राज्य सरकारों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता देने को तैयार हैं :—

(क) रेलें एकबारगी के आधार पर रेल खण्डों को बन्द करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त बसें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार उन्हें स्थाई आधार पर बन्द करने के लिए तैयार हो जाएं।

(ख) इसके अलावा रेलें एक बारगी के आधार पर सड़क अवसंरचना के विकास/सुधार के लिए आर्थिक सहायता दे सकती हैं जो गाड़ी सेवाओं को हटाने के लिए पूर्वापेक्षित हैं।

APPENDIX XVIII

Statement of Financial Burden on Indian Railways on accounts of Uneconomic Branch Lines

1. Based on the recommendations of Uneconomic Branch Lines Committee, 1969, all narrow gauge lines and such of broad gauge and meter gauge lines which join the main line network at one end only are termed as branch lines. A review of such lines during 1993-94, indicated that 117 (29 BG, 56 MG, and 32 NG) branch lines were found to be uneconomical and the Railways incurred a loss of about Rs. 146 crores excluding dividend, on their account.

2. Several high-level committees have unanimously recommended that all such uneconomic branch lines where alternative modes of transport exist or can be developed should be closed down with a view to reduce to the extent possible, the losses which accrue to the Railways year after year. There is, however, reluctance on the part of state governments to close down such lines. The Railway Reforms Committee in Part XI of their report on 'Economies' (October 1983) had recommended that 40 such lines where adequate alternative road infrastructure are available should be closed down and in cases where the state governments do not agree for closure for their own reasons they should share the losses with the Railways on 50 : 50 basis. Instructions for closure/dismantling of 15 uneconomic branch lines (out of 40 Lines) have been issued. In order to enable the state governments for closure of the remaining 25 lines, the Railways are ready to offer financial assistance as under :

(a) On a one time basis, the Railways may subsidise procurement of additional buses required due to closure of rail sections subject to the State Government agreeing for their permanent closure.

(b) Again on a one time basis, Railways may offer financial assistance for development/ improvemet of road infrastructure which will be a pre-requisite of withdrawal of train services.

MGIPRRND—S/109 RB/94—TSS-II—12-3-95—8000.

परिशिष्ट

ADDENDUM

व्याख्यात्मक ज्ञापन : रेलवे बजट, 1995-96

Explanatory Memorandum : Railway Budget, 1995-96

निम्नलिखित मदों को उनके सामने दिए गए पृष्ठों पर जोड़ें/संशोधित करें :

Add/modify the following items at the pages indicated against each :

(लाख रुपयों में)

(Figures in lakhs of rupees)

पृष्ठ सं. PageNo.	निर्माण कार्य का विवरण Particulars of works	प्रत्याशित लागत Antici-pated cost	1995-96 के लिए प्रावधान Provision for 1995-96	कार्य पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पृष्ठ *44* के अंत में निम्नलिखित मद जोड़ें :			
	Add the following item at the bottom of page 44 :			
44	राजपुरा-चंडीगढ़ (10 कि.मी.) के बीच सीधे संपर्क के लिए अंबाला बाई-पास लाइन Ambala bye-pass line to provide direct connection between Rajpura-Chandigarh (10 km).	9,75	1	9,74

22

Memorandum Explaining the Proposals for Adjustments in Goods Freight Rates and Parcels and Luggage Rates in the Railway Budget 1995-96

जैसा कि रेल मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है। रेल मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में यथा-घोषित भाड़ा दरों तथा यात्री किरायों में समायोजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. भाड़ा दरें

1.1 सभी दूरियों के लिए सभी वस्तुओं की भाड़ा दरों में 7 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

1.2 अनाज और दालें (प्रायोजित), चीनी और रासायनिक खाद-डिवीजन 'ए', 'बी' और 'सी' को 7 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि से मुक्त रखा जाएगा।

1.3 कतिपय वस्तुओं के गाड़ी भार और माल डिब्बा भार वर्गीकरणों को कम करने का प्रस्ताव है। इन वस्तुओं के वर्तमान और प्रस्तावित वर्गीकरण अनुबंध–I में दिए गए हैं।

2. यात्री किराये

2.1 किसी भी दूरी के लिए दूसरे दर्जे (साधारण और मेल/एक्सप्रेस) तथा शयनयान दर्जे (साधारण और मेल/एक्सप्रेस) के किरायों में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है।

2.2 पहला दर्जा (साधारण) के किरायों में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। पहला दर्जा (साधारण) के लिए वर्तमान किराये ही लागू रहेंगे।

2.3 वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल 2–टियर शयनयान, पहला दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) और वातानुकूल कुर्सीयान के वर्तमान किरायों में सभी दूरियों के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वातानुकूल 3–टियर शयनयान के किराये वातानुकूल कुर्सीयान के किरायों से 25 प्रतिशत अधिक बने रहेंगे। वातानुकूल 2–टियर शयनयान दर्जे के प्रस्तावित किरायों में बिस्तर (बेड रोल) प्रभार शामिल हैं। प्रतिनिधि दूरियों के लिए ऊंचे दर्जों के वर्तमान और प्रस्तावित किराये अनुबंध–II में दिए गए हैं।

चुनिंदा जोड़ी स्टेशनों के लिए ऊंचे दर्जों के वर्तमान तथा प्रस्तावित किराये अनुबंध–III में दिए गए हैं।

As explained in the Budget Speech of the Minister of Railways, there is an urgent need for mobilising additional resources. The details of adjustments in freight rates and passenger fares as announced by the Minister of Railways in his Budget Speech are given below :—

1. *Freight Rates*

1.1 It is proposed to increase the freight rates of all commodities for all distances by 7 per cent.

1.2 Grains and Pulses (sponsored) Sugar and Chemical Manures—Divisions A, B & C will be exempted from the proposed increase of 7 percent.

1.3 It is proposed to reduce the Train Load and Wagon Load classifications of certain commodities. The existing and the proposed classifications of these commodities are given in Annexure I.

2. *Passenger Fares*

2.1 No increase is proposed in the fares of Second Class (Ordinary and Mail/Express) and Sleeper Class (Ordinary and Mail/Express) for any distance.

2.2 No increase is proposed in the fares of First Class (Ordinary). Existing fares will continue for First Class (Ordinary).

2.3 The existing fares of AC First Class, AC 2 Tier Sleeper, First Class (Mail/Express) and AC Chair Car are proposed to be increased by 10 percent for all distances. The fares of AC 3 Tier Sleeper will continue to be fixed at 25 percent higher than the fares of AC Chair Car. The proposed fares for AC 2 Tier Sleeper Class are inclusive of bedroll charges. The existing and proposed fares of upper classes for representative distances are shown in Annexure II.

Existing and proposed fares of upper classes for selected pairs of stations are shown in Annexure III.

S/27 RB|95—1

2.4 ऊंचे दर्जों के लिए न्यूनतम किराये

ऊंचे दर्जों के न्यूनतम किरायों में नीचे लिखे अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है :—

दर्जा	न्यूनतम किराया	
	वर्तमान	प्रस्तावित
वातानुकूल पहला दर्जा	149	160
वातानुकूल 2–टियर शयनयान	106	120
पहला दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)	50	65
पहला दर्जा (साधारण)	32	20
वातानुकूल 3–टियर शयनयान	40	65
वातानुकूल कुर्सीयान	32	65

2.5 राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये

2.5.1 राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये एक नई संरचना के आधार पर नियत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संरचना अनुबंध–IV में दी गई है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल 2–टियर शयनयान, वातानुकूल 3–टियर शयनयान और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल कुर्सीयान तथा एक्जीक्यूटिव दर्जे के लिए प्रति कि॰ मी॰ दर (रुपयों में) और टेपर दिखाए गए हैं। चुनिंदा जोड़ी स्टेशनों के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान और प्रस्तावित किराये अनुबंध-V में दिए गए हैं। चुनिंदा जोड़ी स्टेशनों के बीच शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान तथा प्रस्तावित किराये अनुबंध–VI में दिए गए हैं।

2.5.2. अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी के वातानुकूल कुर्सीयान के विधिवत पूर्णांकित किराये वर्तमान किरायों से 10 प्रतिशत अधिक होंगे।

2.6 सीजन टिकट

2.6.1 दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों में मामूली समायोजन करने का प्रस्ताव है। इनमें कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 30 रुपये की वृद्धि होगी।

2.6.2 पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों में तदनुरूपी संशोधन करके, दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों का चौगुना किया जाएगा।

2.6.3 तिमाही सीजन टिकटों के किराये वर्तमान मासिक सीजन टिकट के किरायों के 2.5 गुना के बजाय 2.7 गुना करने का प्रस्ताव है।

2.6.4 विभिन्न दूसरी स्लैबों के लिए दूसरे दर्जे तथा पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के वर्तमान तथा प्रस्तावित किराये अनुबंध – VII में दिए गए हैं।

2.4 *Minimum Fares for Upper Classes*

The minimum fares for Upper Classes are proposed to be revised as under :

Class	Minimum Fare	
	Existing	Proposed
AC First	149	160
AC 2-Tier Sleeper	106	120
First Class (M/E)	50	65
First Class (Ord)	32	20
AC 3-Tier Sleeper	40	65
AC Chair Car	32	65

2.5 *Fares for Rajdhani and Shatabdi Express trains :—*

2.5.1 The fares for Rajdhani and Shatabdi Express trains are proposed to be fixed on the basis of a new structure. The proposed structure showing the Rate per km (in Rupees) and Taper for AC First Class, AC 2-Tier Sleeper, AC 3-Tier Sleeper, in Rajdhani Expresses and AC Chair Car and Executive Class in Shatabdi Expresses are given in Annexure IV. Existing and proposed fares of Rajdhani Express trains between selected pairs of stations are shown in Annexure V. Existing and proposed fares of Shatabdi Express trains between selected pairs of stations are shown in Annexure VI.

2.5.2 AC Chair Car Fares of August Kranti Rajdhani Express Train will be 10 percent higher than the existing fares, duly rounded off.

2.6 *Season Tickets*

2.6.1 It is proposed to make marginal adjustments in Second Class Monthly Season Ticket fares. The increases range from a minimum of Rs. 5/- to a maximum of Rs. 30/-.

2.6.2 First Class Monthly Season Ticket fares would be correspondingly revised to four times the Second Class Monthly Season Ticket fares.

2.6.3 It is proposed to fix the fares of Quarterly Season Tickets equivalent to 2.7 times of Monthly Season Ticket fares, as against 2.5 times now.

2.6.4 The existing and proposed fares of Second Class and First Class Monthly Season Tickets for various distance slabs are shown in Annexure VII.

3. आरक्षण प्रभार

वर्तमान आरक्षण प्रभारों में निम्नानुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

दर्जा	आरक्षण प्रभार	
	वर्तमान	प्रस्तावित
वातानुकूल पहला दर्जा .	25	30
वातानुकूल 2–टियर शयनयान	15	20
पहला दर्जा . .	15	20
वातानुकूल 3–टियर शयनयान	15	20
वातानुकूल कुर्सीयान .	15	20
शयनयान दर्जा . .	10	15
दूसरा दर्जा सीट . .	5	10

4. लिपिकीय प्रभार 5 रु० से बढ़ाकर 10 रु० करने का प्रस्ताव है।

5. आरक्षित टिकटों के रद्दकरण के समय काटे जाने वाले न्यूनतम रद्दकरण प्रभारों को निम्नानुसार करने का प्रस्ताव है :–

दर्जा	वर्तमान न्यूनतम रद्दकरण प्रभार	प्रस्तावित न्यूनतम रद्दकरण प्रभार
वातानुकूल पहला दर्जा	30	50
वातानुकूल 2–टियर, वातानुकूल 3–टियर तथा पहला दर्जा .	20	30
वातानुकूल कुर्सीयान .	15	30
शयनयान दर्जा . .	10	20
दूसरा दर्जा . . .	10	10

6. इस समय (क) कालका–शिमला (ख) सिलीगुड़ी–दार्जिलिंग (ग) मेट्टुपालयम – उदगमंडलम (घ) पठानकोट – जोगिन्दर-नगर के पहाड़ी खण्डों के लिए यात्री किराए स्फीत दूरी के आधार पर प्रभारित किये जाते हैं। इन खण्डों के अन्तर्गत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करने वाले यात्रियों से वास्तविक दूरी के आधार पर प्रभार लिये जाने का प्रस्ताव है। बहरहाल, इन खण्डों से बाहर के किसी स्टेशन से इन खण्डों पर स्थित किसी स्टेशन के लिए और इन खण्डों पर स्थित किसी स्टेशन से इन खण्डों से बाहर के किसी स्टेशन के लिए बुक किए गए यात्री स्फीत दूरी के आधार पर भुगतान करते रहेंगे। इन खण्डों के कुछ जोड़ी स्टेशनों के बीच वर्तमान तथा प्रस्तावित किराए अनुबंध-VIII में दर्शाए गए हैं।

7. सरकने वाले दरवाजे लगे नए वातानुकूल 2–टियर शयनयान की केबिन शायिकाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराये पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव है, जो न्यूनतम 50 रु. होगा।

8. किराये और मालभाड़े की दरों में ये परिवर्तन 1-4-1995 से प्रभावी होंगे।

3. *Reservation charges*

It is proposed to increase existing reservation charges as follows :—

Class	Reservation Charges	
	Existing	Proposed
AC First	25	30
AC 2-Tier Sleeper	15	20
First Class	15	20
AC 3-Tier Sleeper	15	20
AC Chair Car	15	20
Sleeper Class	10	15
Second Class Seat	5	10

4. Clerkage charge is proposed to be increased from Rs. 5/- to Rs. 10/-.

5. Minimum cancellation charges deductible at the time of cancellation of reserved tickets are proposed to be as follows :—

Class	Existing Min. cancellation charge	Proposed Min. cancellation charge
AC First	30	50
AC 2-T, AC 3-T and First Class	20	30
AC Chair Car	15	30
Sleeper Class	10	20
Second Class	10	10

6. The passenger fares for the hill sections of (a) Kalka-Shimla (b) Siliguri-Darjeeling (c) Mettupalayam-Udhagamandalam (d) Pathankot-Joginder nagar are charged at present on the basis of inflated distance. It is proposed to charge the passengers travelling from one station to another within these sections on the basis of actual distance. Passengers booked from a station outside these sections to any of the stations on these sections and vice versa will however continue to pay on inflated distance basis. Existing and proposed fares between a few pairs of stations of these sections are shown in Annexure VIII.

7. It is proposed to levy a surcharge of five percent on fare, subject to a minimum of Rs. 50/ for passengers travelling in the cabin berths of the new AC 2- Tier Sleeper coach with sliding doors.

8. The changes in fares and freight rates will take effect from 1-4-1995.

अनुबन्ध–I
ANNEXURE—I

बस्तुओं का वर्तमान और प्रस्तावित वर्गीकरण

Existing and Proposed Classification of Commodities

क्रम सं० S. No.	वस्तु का नाम Name of the Commodity	गाड़ी भार Train Load		माल डिब्बा भार Wagon Load	
		वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class	वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class
1	2	3	4	5	6
1.	स्पंज लोहा Sponge iron	165	160	175	170
2.	चाय Tea	145	140	150	150
3.	पूरी दबी हुई कच्ची कपास Cotton raw full pressed	170	160	175	170
4.	कार्बन ब्लैक Carbon black	280	230	300	250
5.	कागज, अन्य० Paper, NOC			145	140
6.	बक्सों में कागज, अन्य० Paper, NOC in cases			175	150
7.	अखबारी कागज Newsprint			165	150
8.	तम्बाकू स्वदेशी, निर्मित Tobacco indigenous manufactured			165	150
9.	तम्बाकू, स्वदेशी (अनिर्मित) Tobacco indigenous (unmanufactured)			150	140
10.	चमड़े का सामान, अन्य० Leather goods, NOC			175	160
11.	नारियल की जटा के उत्पाद Coir products			145	140
12.	काफी Coffee			165	150
13.	कपड़े, दबाकर पैक किये गये Piecegoods press-packed			165	150

क्रम सं० S. No.	वस्तु का नाम Name of the Commodity	गाड़ी भार Train Load		माल डिब्बा भार Wagon Load	
		वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class	वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class
1	2	3	4	5	6
14.	कपड़े, दबाकर न पैक किये गये Piecegoods not press-packed			185	150
15.	जूते Footwear			175	160
16.	रबड़ निर्मित, रबड़ कृत्रिम Rubber manufactured, Rubber synthetic			175	160
17.	रबड़, अपरिष्कृत Rubber crude			165	150
18.	सूती रस्सी Cotton rope			185	170
19.	कपास (कच्ची), आधी दबी हुई Cotton raw half pressed			200	180
20.	खिलौने, अन्य० Toys, NOC			185	160
21.	टाट Gunnies			175	160
22.	पटसन, आधी दबी हुई Jute half pressed			175	160
23.	पटसन, निर्मित, अन्य० Jute manufactured N.O.C.			200	170
24.	पटसन, पूरी दबी हुई Jute full pressed			155	140
25.	संगमरमर की गिट्टी और चिपें Marble ballast & chips			135	130
26.	संगमरमर जिस पर नक्काशी का काम किया हुआ हो Marble carved			210	160
27.	काष्ठ फल, अन्य० Nuts, NOC			175	160
28.	अभ्रक Mica			185	170

वस्तुओं का वर्तमान और प्रस्तावित वर्गीकरण
Existing and Proposed Classification of Commodities

क्रम सं. S. No.	वस्तु का नाम Name of the Commodity	गाड़ी भार Train Load		माल डिब्बा भार Wagon Load	
		वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class	वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class
1	2	3	4	5	6
29.	चिकित्सा भंडार, अन्य॰ Medical stores NOC			165	150
30.	ऊन, पूरी दबी हुई Wool full pressed			200	150
31.	ऊन, आधी दबी हुई Wool half Pressed.			210	160
32.	बीड़ी की पत्तियां Beedi Leaves			230	220
33.	पेंटस् (अहानिकारक) Paints (Non-Dangerous)			145	140
34.	पेंटस् (हानिकारक) डिवीजन ए Paints (Dangerous) Div. A			165	150
35.	पेंटस् (हानिकारक) डिवीजन बी Paints (Dangerous) Div. B			145	140
36.	दूध और गाढ़ा किया हुआ दूध तथा डिब्बाबंद दूध Milk & Milk Condensed & Tinned			165	150
37.	दूध का पाउडर Milk Powder			175	160
38.	जीरा (सफेद) Jeera (White)			145	140
39.	जीरा (काला) Jeera (Black)			185	170
40.	हल्दी Turmeric			145	140
41.	रंग और रंजक डिवीजन ए Colours & Dyes Div. A			165	150
42.	रंग और रंजक डिवीजन बी Colours & Dyes Div. B			145	140
43.	टीन/पीतल/तांबा/जस्ता/सीसे का सामान Tin/Brass/Copper/Zinc/Lead wares			175	160
44.	जस्त का सान्द्र, कैल्सीकृत Zinc concentrate, Calcined			145	140
45.	पीतल/तांबे की छड़ें, इंगाट, कांसा Brass/Copper rods, ingots, Bellmetal			165	150
46.	पीतल/कांसा/तांबा/स्क्रैप Brass/Bellmetal/Copper/scrap			155	140

वस्तुओं का वर्तमान और प्रस्तावित वर्गीकरण
Existing and Proposed Classification of Commodities

क्रम सं. S. No.	वस्तु का नाम Name of the Commodity	गाड़ी भार Train Load वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class	माल डिब्बा भार Wagon Load वर्तमान वर्ग Existing Class	प्रस्तावित वर्ग Proposed Class
1	2	3	4	5	6
47.	एल्यूमिनियम की चादरें/इंगाट, जस्ते के इंगाट/स्लैब Aluminium sheets/ingots, Zinc ingots/slabs			155	140
48.	ऐस्बेस्टस निर्मित Asbestos manufactured			200	150
49.	कांसे का सामान Bell metal wares			185	170
50.	सीसे के इंगाट, जस्ता स्क्रैप Lead ingots, Zinc scrap			145	140
51.	वातानुकूलन मशीनें Air conditioning units			210	170
52.	प्रशीतक Refrigerators			280	250
53.	मोटर ट्रैक्टर्स अन्य० Motor Tractors N.O.C.			185	170
54.	बिजली उपकरण, डिवीजन ए Electrical Appliances Div. A			250	240
55.	खालें और चमड़े Hides & skins or pelt				
	(i) सामान्य सूखे (i) Common Dry			165	160
	(ii) सामान्य कच्चे (ii) Common Wet			165	160
	(iii) बढ़िया (iii) Fine			210	160
56.	कांच का सामान, डिवीजन ए Glassware Divn. A			200	140
57.	मिश्र इस्पात डिवीजन ए Alloy Steels Div. A			280	250
58.	फेरो सिलिकान (15% से कम) Ferro Silicon (less than 15%)			280	210
59.	कृषि संबंधी औजार (बिजली से चलने वाले) Agricultural Implements (Power operated)			190	180
60.	मिट्टी के बर्तन, डिवीजन ए Earthernware Div. A			165	150

अनुबंध-II

ANNEXURE II

प्रतिनिधि दूरियों के लिए वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल 2-टियर शयनयान, पहला दर्जा, (मेल/एक्सप्रेस), वातानुकूल 3-टियर शयनयान तथा वातानुकूल कुर्सीयान के वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Passenger Fares for Air-Conditioned First Class, Air-Conditioned 2—Tier Sleeper, First Class, (Mail/Exp.) Air-Conditioned 3-Tier Sleeper and Air-Conditioned Chair Car for Representative Distances

दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा (वर्तमान किराया प्रस्तावित किराया) Air-Conditioned First Class		वातानुकूल 2-टियर शयनयान (वर्तमान किराया प्रस्तावित* किराया) Air-Conditioned 2—Tier Sleeper		पहला दर्जा (मेल/एक्स) (वर्तमान किराया प्रस्तावित किराया) First Class (Mail./Exp.)		वातानुकूल 3-टियर शयनयान (वर्तमान किराया प्रस्तावित किराया) Air-Conditioned 3-Tier Sleeper		वातानुकूल कुर्सीयान (वर्तमान किराया प्रस्तावित किराया) Air-Conditioned Chair Car	
	Existing Fare	Proposed Fare	Existing Fare	Proposed* Fare	Existing Fare	Proposed Fare	Existing Fare	Proposed Fare	Existing Fare	Proposed Fare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(कि.मी.) (Kms.)	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
50	169	186	133	167	75	83	65	73	52	58
100	271	299	178	216	114	126	88	97	70	77
150	332	366	219	261	149	164	122	134	97	107
200	409	450	259	305	183	202	140	155	112	124
250	493	543	303	354	219	241	175	193	140	154
300	572	630	344	399	255	281	197	217	157	173
350	656	722	387	446	291	321	219	242	175	193
400	732	806	427	490	326	359	239	264	191	211
450	797	877	461	528	352	388	270	298	216	238
500	865	952	487	556	382	421	284	313	227	250
600	992	1092	576	654	436	480	320	353	256	282
700	1120	1232	635	719	492	542	358	394	286	315
800	1252	1378	706	797	552	608	389	429	311	343
900	1313	1445	730	823	575	633	407	448	325	358
1000	1415	1557	782	881	624	687	433	477	346	381
1100	1526	1679	870	977	668	735	475	523	380	418
1200	1635	1799	920	1032	714	786	502	553	401	442
1300	1725	1898	961	1078	757	833	525	578	420	462
1400	1819	2001	1005	1126	797	877	554	610	413	488
1600	2027	2230	1104	1235	877	965	604	665	483	532
1800	2197	2417	1177	1315	961	1058	655	722	524	577
2000	2378	2616	1251	1397	1040	1144	703	774	562	619
2250	2612	2874	1346	1501	1142	1257	768	845	614	676
2500	2843	3128	1438	1602	1243	1368	830	914	664	731
3000	3310	3641	1620	1802	1444	1589	954	1050	763	840
3500	3772	4150	1804	2005	1645	1810	1082	1190	865	952

*बिस्तर (बेड रोल) प्रभारों सहित

*Inclusive of bed roll charges

अनुबन्ध – III

ANNEXURE III

चुनिंदा जोड़ी स्टेशनों के बीच वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares between Selected Pairs of Stations

क्रम सं. Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class: वर्तमान Existing	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class: प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल 2-टियर शयनयान Air-Conditioned 2-Tier Sleeper: वर्तमान Existing	वातानुकूल 2-टियर शयनयान Air-Conditioned 2-Tier Sleeper: प्रस्तावित* *Proposed	पहला दर्जा मेल/एक्सप्रेस First Class Mail/Exp: वर्तमान Existing	पहला दर्जा मेल/एक्सप्रेस First Class Mail/Exp: प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल 3-टियर शयनयान Air-Conditioned 3-Tier Sleeper: वर्तमान Existing	वातानुकूल 3-टियर शयनयान Air-Conditioned 3-Tier Sleeper: प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल कुर्सीयान Air-Conditioned Chair Car: वर्तमान Existing	वातानुकूल कुर्सीयान Air-Conditioned Chair Car: प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		किमी. Kms.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
1.	बम्बई वी. टी. — पुणे Bombay VT—Pune	192	403	444	256	302	179	197	140	155	112	124
2.	नयी दिल्ली – चंडीगढ़ New Delhi—Chandigarh	270	525	578	326	379	233	257	183	202	146	161
3.	नयी दिल्ली – जयपुर New Delhi—Jaipur	312	605	666	366	423	267	294	203	224	162	179
4.	मद्रास सेन्ट्रल – बेंगलूरु Madras Central—Bangalore	358	668	735	400	460	296	326	223	245	178	196
5.	बम्बई सेन्ट्रल – अहमदाबाद Bombay Central—Ahmadabad	491	865	952	487	556	382	421	284	313	227	250
6.	नयी दिल्ली – जम्मू तवी New Delhi—Jammu Tawi	586	992	1092	576	654	436	480	320	353	256	282
7.	नयी दिल्ली – शिमला New Delhi—Shimla	590	992	1092	576	654	436	480	320	353	256	282
8.	नयी दिल्ली – इलाहाबाद New Delhi—Allahabad	636	1057	1163	609	690	464	511	340	375	272	300
9.	नई दिल्ली – भोपाल New Delhi—Bhopal	705	1139	1253	661	748	499	549	362	398	289	318
10.	मद्रास सेन्ट्रल – तिरुवनंतपुरम Madras Central—Trivandrum	907	1323	1456	745	840	581	640	408	449	326	359
11.	नयी दिल्ली – पटना New Delhi—Patna	1001	1448	1593	838	942	634	698	452	498	361	398
12.	नयी दिल्ली – अहमदाबाद New Delhi—Ahmadabad	1097	1526	1679	870	977	668	735	475	523	380	418
13.	बम्बई वी. टी. – बेंगलूरु Bombay VT—Bangalore	1211	1651	1817	929	1042	723	796	507	558	405	446
14.	हवड़ा – ग्वालियर Howrah—Gwalior	1308	1743	1918	974	1092	765	842	534	588	427	470

*बेड रोल प्रभारों सहित

*Inclusive of bed roll charges.

चुनिदा जोड़ी स्टेशनों के बीच वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares between Selected Pairs of Stations

क्रम सं. Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class: वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल 2-टियर शयनयान Air-Conditioned 2-Tier Sleeper: वर्तमान Existing	प्रस्तावित* *Proposed	पहला दर्जा मेल/एक्सप्रेस First Class Mail/Exp: वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल 3 टियर शयनयान Air-Conditioned 3-Tier Sleeper: वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वातानुकूल कुर्सीयान Air-Conditioned Chair Car: वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		किमी. Kms.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
15.	नई दिल्ली – बम्बई सेन्ट्रल New Delhi—Bombay Central	1389	1819	2001	1005	1126	797	877	554	610	443	488
16.	नयी दिल्ली - हवड़ा New Delhi—Howrah	1450	1865	2052	1024	1147	821	904	567	624	453	499
17.	बम्बई वी. टी. – वाराणसी Bombay VT—Varanasi	1496	1913	2105	1040	1164	837	921	579	638	463	510
18.	हवड़ा – मद्रास Howrah—Madras	1663	2081	2290	1129	1262	904	995	620	683	496	546
19.	नयी दिल्ली – सिकन्दराबाद New Delhi—Secunderabad	1680	2099	2309	1142	1277	921	1014	630	694	504	555
20.	मद्रास सेन्ट्रल – वडोदरा Madras Central—Vadodara	1799	2197	2417	1177	1315	961	1058	655	722	524	577
21.	नई दिल्ली – भुवनेश्वर New Delhi—Bhubaneswar	1867	2253	2479	1200	1340	984	1083	669	737	535	589
22.	नई दिल्ली – पुरी New Delhi—Puri	1888	2286	2515	1216	1358	1001	1102	679	748	543	598
23.	मद्रास सेन्ट्रल – अहमदाबाद Madras Central—Ahmadabad	1899	2286	2515	1216	1358	1001	1102	679	748	543	598
24.	बम्बई सेन्ट्रल – जम्मू तवी Bombay Central—Jammu Tawi	1975	2347	2582	1241	1386	1027	1130	697	767	557	613
25.	नई दिल्ली – गुवाहाटी New Delhi—Guwahati	1979	2378	2616	1251	1397	1040	1144	703	774	562	619
26.	हवड़ा – बेंगलूरु Howrah—Bangalore	2045	2424	2667	1271	1419	1062	1169	719	792	575	633
27.	नई दिल्ली - मद्रास सेन्ट्रल New Delhi—Madras Central	2190	2564	2821	1325	1478	1122	1235	755	832	604	665
28.	नई दिल्ली – वास्को-डा-गामा New Delhi—Vasco-da-Gama	2197	2564	2821	1325	1478	1122	1235	755	832	604	665
29.	नई दिल्ली – बेंगलूरु New Delhi—Bangalore	2462	2811	3093	1422	1585	1229	1352	823	905	658	724
30.	नई दिल्ली – तिरुवनंतपुरम New Delhi—Trivandrum	3062	3404	3745	1656	1842	1487	1636	982	1080	785	864

*बेड रोल प्रभारों सहित

*Inclusive of bed roll charges.

अनुबन्ध-IV
ANNEXURE IV

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की नई प्रस्तावित किराया संरचना
राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां

Proposed New Fare Structure of Rajdhani and Shatabdi Express Trains
Rajdhani Express Trains

दूरी Distance	वाता. पहला दर्जा दर प्रति कि.मी. (रु.) AC First Rate/km. (Rs.)	टेपर Taper	वाता. 2-टियर शयनयान दर प्रति कि.मी. (रु.) AC 2-Tier Sleeper Rate/km. (Rs.)	टेपर Taper	वाता-3 टियर शयनयान दर प्रति कि.मी. (रु.) AC 3-Tier Sleeper Rate/km. (Rs.)	टेपर Taper
100	4.00	100	2.80	100	1.75	100
150	3.40	85	2.40	86	1.40	80
200	3.05	76	2.00	71	1.24	71
250	2.90	73	1.80	64	1.17	67
300	2.80	70	1.70	61	1.11	63
400	2.60	65	1.50	54	1.02	58
500	2.40	60	1.38	49	0.94	54
600	2.30	58	1.30	46	0.86	49
700	2.22	56	1.22	44	0.78	45
800	2.14	54	1.14	41	0.72	41
900	2.06	52	1.06	38	0.68	39
1000	1.98	50	1.00	36	0.64	37
1200	1.82	46	1.00	36	0.60	34
1400	1.68	42	0.96	34	0.56	32
1600	1.60	40	0.92	33	0.52	30
1800	1.54	39	0.88	31	0.48	27
2000	1.50	38	0.84	30	0.46	26
2200	1.46	37	0.80	29	0.45	26
2400	1.42	36	0.76	27	0.44	25
2600	1.40	35	0.72	26	0.44	25
2800	1.40	35	0.70	25	0.44	25
3000	1.40	35	0.70	25	0.44	25
3200	1.40	35	0.70	25	0.43	25

शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां

Shatabdi Express Trains

दूरी Distance	वाता. कुर्सीयान दर प्रति कि. मी. (रु.) AC Chair Car Rate/km. (Rs.)	टेपर Taper	एक्जीक्यूटिव दर्जा दर प्रति कि. मी. (रु.) Executive Class Rate/km (Rs.)	टेपर Taper
100	1.35	100	2.70	100
150	1.10	81	2.20	81
200	0.92	68	1.90	70
250	0.85	63	1.76	65
300	0.79	59	1.64	61
350	0.73	54	1.55	57
400	0.69	51	1.47	54
450	0.67	50	1.41	52
500	0.65	48	1.37	51
600	0.61	45	1.33	49
700	0.57	42	1.29	48
800	0.53	39	1.25	46
900	0.50	37	1.25	46
1000	0.50	37	1.25	46

नोट – भोजन प्रभार अलग होंगे।

NOTE :—Food charges will be extra.

अनुबन्ध–V
ANNEXURE-V

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान और प्रस्तावित किराये
Existing and Proposed Fares of Rajdhani Express Trains

क्रम सं. S. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	वातानुकूल 3-टियर शयनयान Air-Conditioned 3-Tier Sleeper: वर्तमान किराया Existing Fare रु. Rs.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु. Rs.	वातानुकूल 2-टियर शयनयान Air-Conditioned 2-Tier Sleeper: वर्तमान किराया Existing Fare रु. Rs.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु. Rs.	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class: वर्तमान किराया Existing Fare रु. Rs.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु. Rs.
1.	**नई दिल्ली – जम्मू तवी New Delhi—Jammu Tawi	475	520	765	780	1285	1380
2.	*हजरत निजामुद्दीन – भोपाल Hazrat Nizamuddin—Bhopal	510	555	815	870	1370	1595
3	**बेंगलूरु – सिकन्दराबाद Bangalore—Secunderabad	540	580	865	915	1500	1715
4.	**मद्रास सेन्ट्रल – तिरुवनंतपुरम Madras Central—Trivandrum	565	620	910	965	1585	1890
5.	*नई दिल्ली – वडोदरा New Delhi—Vadodara	675	735	1070	1095	1875	2140
6.	*नई दिल्ली – पटना New Delhi—Patna	720	760	1150	1150	1920	2200
7.	*नई दिल्ली – बम्बई सेन्ट्रल New Delhi—Bombay Central	840	905	1370	1470	2385	2575
8.	*नई दिल्ली – हवड़ा (वाया गया) New Delhi—Howrah (via Gaya)	865	920	1400	1505	2440	2630
9.	*नई दिल्ली – हवड़ा (वाया पटना) New Delhi—Howrah (via Patna)	865	945	1400	1570	2440	2735
10.	**हजरत निजामुद्दीन – सिकन्दराबाद Hazrat Nizamuddin—Secunderabad	785	850	1310	1530	2370	2655
11.	*नई दिल्ली – भुवनेश्वर New Delhi—Bhubaneswar	1015	1060	1635	1820	3030	3215
12.	*नई दिल्ली – गुवाहाटी New Delhi—Guwahati	1075	1135	1700	1900	3155	3385
13.	**हजरत निजामुद्दीन – बेंगलूरु Hazrat Nizamuddin—Bangalore	1000	1100	1620	1850	3155	3500
14.	**हजरत निजामुद्दीन – तिरुवनंतपुरम Hazrat Nizamuddin—Trivandrum	1185	1340	1875	2170	3805	4340

* खानपान प्रभार सहित
Inclusive of Catering Charges

** खानपान प्रभार रहित
Exclusive of Catering Charges

अनुबंध – VI

ANNEXURE—VI

शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares of Shatabdi Express Trains

क्रम सं. Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	वातानुकूल कुर्सीयान Air-Conditioned Chair Car		वातानुकूल एक्जीक्यूटिव दर्जा Air-Conditioned Executive Class	
		वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare
1	2	3	4	5	6
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
1.	सूरत - वडोदरा Surat—Vadodara	155	165	310	330
2.	मैसूर - बेंगलूरु Mysore—Bangalore	160	165	320	330
3.	नई दिल्ली - आगरा छावनी New Delhi—Agra Cantt	235	250	470	480
4.	बम्बई सेन्ट्रल - सूरत Bombay Central—Surat	250	270	500	540
5.	नई दिल्ली - चंडीगढ़ New Delhi—Chandigarh	250	270	500	540
6.	नई दिल्ली - जयपुर New Delhi—Jaipur	300	315	600	620
7.	नई दिल्ली - ग्वालियर New Delhi—Gwalior	300	315	600	620
8.	मद्रास सेन्ट्रल - बेंगलूरु Madras Central—Bangalore	310	335	620	670
9.	बम्बई सेन्ट्रल - वडोदरा Bombay Central—Vadodara	325	345	650	690
10.	बम्बई सेन्ट्रल - अहमदाबाद Bombay Central—Ahmadabad	380	390	760	785
11.	नई दिल्ली - लखनऊ New Delhi—Lucknow	385	405	770	815
12.	नई दिल्ली - भोपाल New Delhi—Bhopal	495	535	990	1130

नोट :—उपरोक्त किरायों में खान पान प्रभार शामिल हैं ।

Note :—The above fares include catering charges.

अनुबन्ध - VII
ANNEXURE—VII

मासिक सीजन टिकट के वर्तमान और प्रस्तावित किराये
Existing and Proposed Monthly Season Ticket Fares

दूरी स्लैब (कि. मी. में) Distance Slab (In Km.)	दूसरा दर्जा Second Class		पहला दर्जा First Class	
	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare
1	2	3	4	5
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
1—5	35	40	140	160
6—10	45	50	180	200
11—15	60	70	240	280
16—20	75	85	300	340
21—25	80	90	320	360
26—30	85	100	340	400
31—35	90	105	360	420
36—40	100	115	400	460
41—45	105	125	420	500
46—50	110	130	440	520
51—60	120	140	480	560
61—70	130	155	520	620
71—80	140	165	560	660
81—90	145	170	580	680
91—100	155	185	620	740
101—110	175	205	700	820
111—120	190	220	760	880
121—130	205	235	820	940
131—140	215	245	860	980
141—150	230	260	920	1040

अनुबन्ध—VIII

ANNEXURE—VIII

चार पहाड़ी खंडों में चुनिंदा स्टेशनों के बीच वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares between selected stations in four Hill Sections

क्रम सं. Sl. No.	पहाड़ी खण्ड Hill Section	पहला दर्जा (साधारण) First Class (ord)		दूसरा दर्जा (साधारण) Second Class (ord)	
		वर्तमान किराया (रु.) Existing fare (Rs.)	प्रस्तावित किराया (रु.) Proposed fare (Rs.)	वर्तमान किराया (रु.) Existing fare (Rs.)	प्रस्तावित किराया (रु.) Proposed fare (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1.	कालका – शिमला Kalka—Shimla	179	114	36	14
2.	पठानकोट – जोगिन्दर नगर Pathankot—Joginder Nagar	219	159	32	24
3.	मेट्टुपालयम – उदगमंडलम Mettupalayam—Udhagamandalam	126	70	19	9
4.	सिलीगुड़ी – दार्जिलिंग Siliguri—Darjeeling	137	103	17	13

The Appropriation (Railways) Act. (Nos. 11 & 20) the Appropriation Railways (Vote on Account) Act, 1995 (No. 10 of 1995)

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGISTERED No. DL-33004|95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 1
PART II—Secton 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 1995/वैशाख 27, 1917
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 1995/VAISAKHA 27, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 17th May, 1995/Vaisakha 27, 1917 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th May, 1995, and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 ACT, 1995

No. 20 OF 1995

[*17th May*, 1995.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1995-96 for the purposes of Railways.

BE it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (Railways) No. 2 Act, 1995. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Railways) Vote on
10 of 1995. Account Act, 1995] to the sum of thirty-six thousand nine hundred and eleven crores, six lakhs and eighty-two thousand rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1995-96, in respect of the services relating to Railways specified in column 2 of the Schedule. Issue of Rs. 36911,06,82,000 out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1995-96.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2	3		
No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Railway Board	19,16,00,000	..	19,16,00,000
2	Miscellaneous Expenditure (General)	110,80,15,000	..	110,80,15,000
3	General Superintendence and Services on Railways	733,49,18,000	*6,22,000*	733,55,40,000
4	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	1539,86,13,000	*30,00,000*	1540,16,13,000
5	Repairs and Maintenance of Motive Power	1141,66,33,000	*4,00,000*	1141,70,33,000
6	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	1639,15,01,000	*6,00,000*	1639,21,01,000
7	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	807,54,98,000	*12,00,000*	807,66,98,000
8	Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	1330,34,07,000	*15,00,000*	1330,49,07,000
9	Operating Expenses—Traffic	2917,00,98,000	*15,00,000*	2917,15,98,000
10	Operating Expenses—Fuel	3643,25,41,000	*1,50,000*	3643,26,91,000
11	Staff Welfare and Amenities	590,57,23,000	*4,000*	590,57,27,000
12	Miscellaneous Working Expenses	737,07,60,000	*10,66,06,000*	747,73,66,000
13	Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits	1981,03,39,000	*62,50,000*	1981,65,89,000
14	Appropriation to Funds	6035,00,00,000	..	6035,00,00,000
15	Dividend to General Revenues, Repayment of Loans taken from General Revenues and Amortization of Over-Capitalization	1371,16,50,000	..	1371,16,50,000

1	2	3		
No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
16	Assets—Acquisition, Construction and Replacement—			
	Revenue	45,00,00,000	..	45,00,00,000
	Other Expenditure			
	Capital	1279,70,43,000	5,[illegible]9,89,000	1285,50,32,000
	Railway Funds	10970,55,11,000	[illegible]0,11,000	10971,25,22,000
	TOTAL	36892,38,50,000	[illegible]8,68,32,000	36911,06,82,000

K. L. MOHANPURIA,

Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1995.

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/93 REGISTERED No. DL-33004|95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 1
PART II—Secton 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITKA 10,1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31*st March*, 1995/*Chaitra* 10, 1917 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st March, 1995 and is published for general information:—

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) ACT, 1995

No. 11 of 1995

[31*st March*, 1995.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1994-95 for the purpose of Railways.

Be it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (Railways) Act, 1995. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of two hundred and fourteen crores, seventy-one lakhs and nineteen thousand rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1994-95, in respect of the services relating to Railways specified in column 2 of the Schedule. Issue of Rs. 214,71,19,000 out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1994-95.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2	3		
No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Railway Board	1,15,00,000	..	1,15,00,000
2	Miscellaneous Expenditure (General)	1,54,00,000	..	1,54,00,000
4	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	..	*5,50,000*	5,50,000
6	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	..	*75,000*	75,000
7	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	..	*2,49,000*	2,49,000
8	Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	29,08,55,000	..	29,08,55,000
11	Staff Welfare and Amenities	..	*90,000*	90,000
12	Miscellaneous Working Expenses	..	*3,31,24,000*	3,31,24,000
13	Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits	50,11,50,000	*1,44,000*	50,12,94,000
15	Dividend to General Revenues, Repayment of loans taken from General Revenues and Amortization of Over-Capitalization	8,00,00,000	..	8,00,00,000
16	Assets—Acquisition, Construction and Replacement—			
	Other Expenditure			
	Capital	119,02,81,000	*71,71,000*	119,74,52,000
	Railway Funds	..	*1,65,30,000*	1,65,30,000
	TOTAL	208,91,86,000	*5,79,33,000*	214,71,19,000

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1995.

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGISTERED No. DL-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917
No. 15] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31*st March*, 1995/*Chaitra* 10, 1917 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st March, 1995 and is published for general information:—

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE ON ACCOUNT ACT, 1995

No. 10 OF 1995

[31*st March*, 1995.]

An Act to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1995-96 for the purposes of Railways.

Be it enacted by Parliament in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (Railways) Vote on Account Act, 1995. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of six thousand three hundred and eighty-eight crores, eighty-one lakhs and seventy-two thousand rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1995-96, in respect of the services relating to Railways specified in column 2 of the Schedule. Issue of Rs. 6388,81,72,000 out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1995-96.

Appro-priation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2	3		
No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Railway Board	3,19,33,000	..	3,19,33,000
2	Miscellaneous Expenditure (General)	18,46,69,000	..	18,46,69,000
3	General Superintendence and Services on Railways . .	122,24,86,000	*1,03,000*	122,25,89,000
4	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works .	256,64,36,000	*5,00,000*	256,69,36,000
5	Repairs and Maintenance of Motive Power . . .	190,27,72,000	*67,000*	190,28,39,000
6	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons .	273,19,17,000	*1,00,000*	273,20,17,000
7	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment . .	134,59,16,000	*2,00,000*	134,61,16,000
8	Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment . .	221,72,35,000	*2,50,000*	221,74,85,000
9	Operating Expenses—Traffic .	951,66,83,000	*2,50,000*	951,69,33,000
10	Operating Expenses—Fuel .	607,20,90,000	*25,000*	607,21,15,000
11	Staff Welfare and Amenities .	98,42,87,000	*1,000*	98,42,88,000
12	Miscellaneous Working Expenses	122,84,60,000	*1,77,68,000*	124,62,28,000
13	Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits .	330,17,23,000	*10,41,000*	330,27,64,000
14	Appropriation to Funds . .	1005,83,33,000	..	1005,83,33,000
16	Assets—Acquisition, Construction and Replacement—			
	Revenue . . .	7,50,00,000	..	7,50,00,000
	Other Expenditure			
	Capital . . .	213,28,41,000	*96,65,000*	214,25,06,000
	Railway Funds . .	1828,42,52,000	*11,69,000*	1828,54,21,000
	TOTAL	6385,70,33,000	*3,11,39,000*	6388,81,72,000

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1995.

सत्यमेव जयते

बजट प्रलेखों
की
निर्देशिका

KEY
TO THE
BUDGET DOCUMENTS

1995-96

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

14th March, 1995

रेलवे बजट प्रलेखों की निर्देशिका

बजट विवरण

संविधान की धारा 112 के अन्तर्गत, प्रत्येक वित्त वर्ष, जो पहली अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसे 'बजट विवरण' कहते हैं। चूंकि रेलवे वित्त को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्त से पृथक कर दिया गया है, इसलिए रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता है। केन्द्रीय सरकार और रेलों के बीच वित्तीय संबंध संसद की रेल अभिसमय समिति द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों द्वारा शासित होता है।

2. बजट विवरण में कुल राजस्व आमदनी, राजस्व और निर्माण व्यय, खर्च की तुलना में प्राप्तियों के अधिशेष का वितरण और केन्द्रीय सरकार के पास रेलों की जो विभिन्न निधियां हैं, जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, और पूंजी निधि की स्थिति दर्शायी जाती है।

3. रेलों की राजस्व प्राप्तियों में यात्री यातायात से आमदनी, अन्य कोचिंग यातायात (जिसमें पार्सल और सामान शामिल हैं) से आमदनी, माल यातायात से आमदनी और अन्य फुटकर आमदनी, जैसे किराया, खानपान से आमदनी, ब्याज और बाहरी निकायों से अनुरक्षण प्रभार आदि शामिल हैं।

4. इनके अतिरिक्त अन्य विविध प्राप्तियां भी होती हैं जैसे आवेदन पत्रों की बिक्री और परीक्षा शुल्क आदि से रेल भर्ती बोर्डों की प्राप्तियां और अधिशेष लाभों में सरकार का हिस्सा, जिसमें उन सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियों से प्राप्तियां शामिल हैं, जिनमें सरकार की कोई पूंजी नहीं लगी है। लाभांश राहत के संबंध में सामान्य राजस्व से 'आर्थिक सहायता' विविध प्राप्तियों का एक अंग है। इन सभी मदों का जोड़ ही रेलवे की कुल प्राप्तियां होती हैं। आमदनी का वह भाग, जो वित्त वर्ष के दौरान रेलवे को देय होता है लेकिन वास्तव में रेलों को प्राप्त नहीं होता है, 'उचन्त' लेखे में रखा जाता है।

5. रेलों द्वारा किया गया खर्च राजस्व लेखे और निर्माण लेखे में होता है। राजस्व लेखे में रेलों के विभिन्न विभागों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के काम में किया गया साधारण संचालन व्यय, अन्य विविध व्यय जैसे रेलवे बोर्ड, लेखा-परीक्षा,

A KEY TO RAILWAY BUDGET DOCUMENTS

Budget Statement

Under Article 112 of the Constitution a statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India has to be laid before the Parliament in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. This is the Budget Statement. As Railway Finances have been separated from the General Finances of the Central Government, a separate Budget is presented for the Railways. The financial relationship between the Central Government and the Railways is governed by the recommendations made from time to time by the Railway Convention Committee of the Parliament.

2. The Budget Statement shows the total revenue receipts, revenue and works expenditure, distribution of excess of receipts over expenditure and position of various Funds which the Railways are keeping with the Central Government, viz., Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Pension Fund and Capital Fund.

3. The Revenue receipts of the Railways consist of earnings from passenger traffic, other coaching earnings (which include parcels and luggage), earnings from goods traffic and sundry other earnings like rent, catering receipts, interest and maintenance charges from outside bodies etc.

4. There are also other miscellaneous receipts like receipts of Railway Recruitment Boards from sale of application forms and examination fees, etc. and Government's share of surplus profits which includes receipts from subsidised Railway companies in which the Government has no capital interest. The subsidy from General Revenues in respect of dividend reliefs forms part of miscellaneous receipts. The total of all these items makes up the total receipts of the Railways. The portion of the earnings which is due to the Railways during the financial year but has not actually been realised is held in a 'Suspense' account.

5. The expenditure incurred by the Railways is on Revenue account and on Works account. The Revenue account consists of Ordinary Working Expenses incurred by the various Departments on the Railways

सर्वेक्षण और अन्य विविध स्थापनाओं पर व्यय और उन चालित लाइनों का भुगतान शामिल किया जाता है जो रेलों के स्वामित्व में नहीं होतीं तथा जो भारतीय रेलों द्वारा अथवा संबंधित प्राइवेट कम्पनियों द्वारा चालित हैं । यह भुगतान संविदाओं द्वारा विनियमित होता है। राजस्व लेखे में रेलों द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश और मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग भी शामिल होता है। रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के आधार पर हर वर्ष मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग किया जाता है और पुरानी परिसम्पत्तियों के स्थान पर नयी परिसम्पत्तियों की लागत और यदि उनके लिए किसी परिष्कृत विधि की आवश्यकता हो तो उनकी लागत के लिए भी इससे धन जुटाना इसका उद्देश्य है । पेंशन निधि में विनियोग रेल कर्मचारियों को पेंशन तथा मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान को पूरा करने के लिए किया जाता है। रेलों की लाभांशदायी पूंजी पर 7 प्रतिशत की दर से लाभांश देय है। ऊपर जिस 7 प्रतिशत लाभांश का उल्लेख है, उस में से, 31 मार्च, 1964 तक निवेशित पूंजी का 1.5 प्रतिशत (आर्थिक सहायता के लिए अधिकृत पूंजी को घटाकर) यात्री किरायों पर कर के बदले राज्य सरकारों को अन्तरण करने तथा संरक्षा कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए है ।

5.1 लाभांश दायिता का भुगतान करने के बाद खर्च की तुलना में प्राप्तियों के अधिशेष का विनियोग वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विकास निधि और पूंजी निधि में किया जाता है। ये दोनों निधियां योजना संबंधी आवश्यकताओं के आंशिक वित्त पोषण के लिए हैं । विकास निधि का उपयोग यात्री तथा अन्य रेल उपयोगकर्ता सुविधा कार्यों, कर्मचारी कल्याण कार्यों, अलाभप्रद परिचालनिक सुधारों और संरक्षा कार्यों पर आने वाले खर्च के वित्त पोषण के लिये किया जाता है, जबकि पूंजी निधि का उपयोग पूंजी को प्रभार्य कार्यों के लिए किया जाता है। विकास निधि में आवश्यक विनियोगों के बाद ही पूंजी निधि में विनियोग किया जाता है । यदि विकास निधि में अन्तरित करने के लिये कोई अधिशेष अथवा पर्याप्त अधिशेष न हो तो इस निधि से किये जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से अस्थायी ऋण ले लिया जाता है ।

6. निर्माण-व्यय, सामान्य राजस्व से पूंजी उधार लेकर तथा पूंजी निधि, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, और राजस्व से आन्तरिक संसाधन जुटा करके पूरा किया जाता है (अलाभप्रद परिचालन सुधारों और कुछ वित्तीय सीमाओं से कम लागत वाली यात्री सुविधाओं से भिन्न कार्यों की लागत राजस्व में डाली जाती है।

in their day to day working, other miscellaneous expenditure like the expenditure on Railway Board, Audit, Surveys and other miscellaneous establishments and payments as regulated by contracts to worked lines which are not owned by the Railways and are either worked by the Indian Railways or companies concerned. The Revenue Account also includes appropriations to the Depreciation Reserve Fund, the Pension Fund and dividend paid by the Railways to the General Revenues. Appropriation to Depreciation Reserve Fund is made annually on the basis of the recommendations of the Railway Convention Committee (R.C.C.) and is intended to finance the cost of new assets replacing old assets including the cost of any improved features that such new assets may have. Appropriation to Pension Fund is to finance Pension and Death-cum-retirement gratuity payments to the Railway staff. Dividend is payable at the rate of 7% on the dividend paying capital of the Railways. Out of the 7% dividend referred to above, 1.5% of the Capital invested upto 31st March, 1964 (less Capital entitled to 'Subsidy') is for transfer to the State Governments in lieu of passenger fare tax and to assist the State Governments to finance safety works.

5.1 The excess of receipts over expenditure remaining after discharging the dividend liability is appropriated to the Development Fund and the Capital Fund, depending upon the actual needs. Both these funds are meant to finance part of the Plan requirements. While the Development Fund is used to finance expenditure on Passenger and Other Railway Users' Amenities Works, Staff Welfare Works, Un-remunerative Operating Improvements and Safety Works; Capital Fund is used for works chargeable to Capital. The appropriation to Capital Fund is made only after necessary appropriations to Development Fund. In case there is no excess or not enough excess to be transferred to Development Fund, temporary loan is obtained from General Revenues to finance the expenditure to be met out of this Fund.

6. Works expenditure is financed from Capital borrowed from the General Revenues and also by internal resources viz. Capital Fund, Depreciation Reserve Fund, Development Fund and Revenue (The cost of unremunerative operating improvements and works other than passenger amenities costing

भारत सरकार के सामान्य वित्त से रेलों को कुल मिलाकर जो बजट संबंधी वार्षिक सहायता दी जाती है, उसमें पूंजीगत ऋण एवं विकास निधियों में कमी को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से उधार ली गयी रकम शामिल है । रेल योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली रेल परिसम्पत्तियों में कुछ निवेश भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा भी किया जाता है। जो बाजार से ऋण लेकर धन जुटाता है ।

7. रेलों की सम्पूर्ण राजस्व आमदनी भारत की समेकित निधि में डाल दी जाती है और खर्च समेकित निधि से ही किया जाता है । संसद से प्राधिकार प्राप्त किये बिना इस निधि से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती है ।

8. ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को संसद से प्राधिकार प्राप्त किये बिना तात्कालिक अप्रत्याशित खर्च करने पड़े । इस प्रकार के खर्च को वहन करने के लिए राष्ट्रपति के पास अग्रदाय के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि रखी गयी है । ऐसे खर्च के लिए और समेकित निधि से उतनी ही धनराशि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गयी रकम की प्रतिपूर्ति उस निधि को कर दी जाती है ।

9. यद्यपि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों पर खर्च के लिये मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि और पूंजी निधि में विनियोग संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तथापि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों पर प्रस्तावित खर्च को भी संसद की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह धनराशि इन निधियों को अन्तरण के लिए संसद द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है ।

अनुदान की मांगें

10. बजट विवरण में सम्मिलित समेकित निधि से खर्च, जिसके लिए लोक सभा की स्वीकृति अपेक्षित है, का अनुमान अनुदान की मांगों के रूप में पेश किया जाता है । प्रत्येक मांग रेलों की विशिष्ट कार्यात्मक गतिविधि की द्योतक होती है । निर्माण व्यय सम्बन्धी मांगों को राजस्व व्यय सम्बन्धी मांगों से पृथक रखा जाता है । जहां-कहीं किसी मांग में खर्च की 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' दोनों मदें शामिल होती हैं, वहां 'प्रभृत' मदों को भी मांग में शामिल कर लिया

below certain financial limits are charged to Revenue). The overall annual budgetary support of the General Finances of Government of India to the Railways consists of the Capital loans and the sums temporarily loaned to meet the deficiency, if any, in the Development Fund. A part of the investment in Railway assets, covered by the Railway Plans, is also made by the Indian Railway Finance Corporation which raises funds through market borrowing.

7. All the revenue earnings of the Railways are credited to the Consolidated Fund of India and expenditure is incurred from the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn from the Fund without authorisation from the Parliament.

8. Occasions may arise when Government may have to meet urgent unforeseen expenditure pending authorisation from the Parliament. The Contingency Fund of India is an imprest placed at the disposal of the President to incur such expenditure. Parliamentary approval for such expenditure and for the withdrawal of an equivalent amount from the Consolidated Fund is subsequently obtained and the amount spent from Contingency Fund is recouped to the Fund.

9. While the appropriations to Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Pension Fund and Capital Fund are voted by the Parliament for spending on specific objects, the proposed expenditure on the specific objects, is also submitted for vote of Parliament, even though the moneys have already been earmarked by the Parliament for transfer to these funds.

Demands for Grants

10. The estimates of expenditure from the Consolidated Fund included in the Budget Statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of Demands for Grants. Each Demand presents a distinct functional activity on the Railways. Demand for Works Expenditure is kept distinct from Demands for Revenue Expenditure. Wherever expenditure in a Demand includes both 'Voted' and *'Charged'* items of expenditure, the latter are also in-

जाता है, लेकिन 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' व्यवस्था को उस मांग में पृथक-पृथक दिखाया जाता है। 'स्वीकृत' व्यय में वे मदें शामिल होती हैं जिनके लिए धन की व्यवस्था संसद की स्वीकृति पर निर्भर करती है, जबकि 'प्रभृत' व्यय के लिए धन की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है और उसे संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। रेलों के 'प्रभृत' खर्च में न्यायालय नियमों आदि के अन्तर्गत दिए गए फैसलों, डिगरी या न्यायालय के निर्णय अथवा पंचाट निर्णयों की संतुष्टि के लिए अपेक्षित रकमें शामिल हैं।

11. लेखा और बजट संबंधी मौजूदा कार्यविधियों के अन्तर्गत कतिपय श्रेणियों की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किये गये भुगतान और महत्वपूर्ण परियोजनाओं अथवा योजनाओं की प्राप्तियों को प्राप्तकर्ता विभाग के खर्च में से निकाल कर परिकलित किया जाता है। बजट विवरण में सम्मिलित खर्च के अनुमान शुद्ध खर्च के लिए होते हैं, जैसा कि लेखों में प्रतिबिम्बित होता है, अर्थात् ये अनुमान वसूलियों को हिसाब में लेने के बाद तैयार किये जाते हैं। लेकिन अनुदान की मांगों में खर्च के जो अनुमान शामिल किये जाते हैं, वे समग्र राशि के लिए होते हैं।

12. अनुदान की मांगें, बजट विवरण के साथ ही लोक सभा को पेश की जाती हैं। प्रत्येक मांग में सबसे ऊपर उस मांग के अन्तर्गत कुल 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' खर्च अलग-अलग दर्शाया जाता है। इसके बाद विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्च के अनुमान दिखाये जाते हैं। वसूलियों की कुल राशियां, जो लेखे में खर्च में कमी के रूप में मानी जाती हैं, भी दिखायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, टिप्पणियों में चालू वर्ष की आवश्यकताओं और विभिन्न मांगों में शामिल अगले वर्ष की आवश्यकताओं के बीच कमी-बेशी के संक्षिप्त कारण स्पष्ट किये जाते हैं।

13. अनुदान की 16 मांगें हैं—मांग 1 से 15 तक का संबंध राजस्व व्यय, निधियों और लाभांश भुगतानों में विनियोग से तथा मांग 16 का संबंध निर्माण व्यय से है। संचालन व्यय और विविध व्यय से संबंधित प्रत्येक मांग का गतिविधि और व्यय की प्राथमिक यूनिटों के हिसाब से दोहरा वर्गीकरण किया जाता है। गतिविधि वर्गीकरण में यह बताया जाता है कि किन प्रयोजनों के लिए खर्च किया गया, जैसे रेलपथ का अनुरक्षण, पानी की सप्लाई, रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग आदि और खर्च की प्राथमिक यूनिटें

cluded in the Demand but the 'Voted' and *'Charged'* provisions are shown separately in that Demand. 'Voted' expenditure includes those items for which the provision of funds is subject to the vote of the Parliament, while funds for *'Charged'* expenditure are sanctioned by the President and not submitted to the vote of Parliament. *'Charged'* expenditure for Railways includes sums required to satisfy judgements, decrees or awards of court or awards by Arbitrators where made into rule of court, etc.

11. Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts like payments made by one department to another and receipts of capital projects or schemes are taken in reduction of the expenditure of the receiving department. The estimates of expenditure included in the Budget Statement are for the net expenditure as will be reflected in the accounts, that is, after taking into account the recoveries. The estimates of expenditure included in the Demands for Grants are, however, for the gross amounts.

12. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Budget Statement. On the top of each Demand, the total of 'Voted' and *'Charged'* expenditure in the Demand are indicated separately. This is followed by the estimates of expenditure under different heads. The aggregate amounts of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts are also shown. Besides, the notes briefly explain the reasons for the variations between the current year's requirements and requirements for the next year included in the various Demands.

13. There are 16 Demands for Grants—Demands 1 to 15 dealing with Revenue Expenses, Appropriations to the Funds and Dividend payment and Demand 16 dealing with Works Expenditure. Each Demand pertaining to Working Expenses and Miscellaneous Expenditure has a two-way classification, by activity and by primary units of expenditure, the activity classification indicating for what purpose the expenditure was incurred, like track maintenance, water supply, periodical overhaul of locomotives etc. and the primary

यह बताती हैं कि खर्च कैसे किया गया जैसे वेतन, मजदूरी समयोपरि, सामग्री की लागत आदि। यह दोहरा वर्गीकरण कार्यपरक बजट, जो क्रियाशीलता पर आधारित है, तथा प्रबंध नियंत्रण, जो खर्च के प्रयोजनों पर आधारित है, की आवश्यकताओं का पूर्ण योग सूचित करता है।

14. अनुदान की मांगों के भाग-I में सम्पूर्ण रेल प्रणाली के संबंध में ब्यौरा दिया गया है। भाग-II में अनुदान की मांगों का रेलवे-वार ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भाग-II में राजस्व मांगों से संबंधित कर्मचारी विवरण और व्यय की निष्पादन यूनिटों के विवरण भी दिये गये हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

15. 'रेलवे बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन' नामक प्रलेख में आमदनी एवं राजस्व और निर्माण व्यय की संभावनाओं का सार दिया गया है। इस प्रलेख को दो भागों में बांटा गया है। भाग-I में गत वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त सारांश तथा आमदनी, संचालन व्यय और निधियों में लेन-देन की स्थिति का पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है। भाग-II में इसी प्रकार की निर्माण मांगों का समग्र सारांश दिया गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में अनेक अनुबन्ध भी रहते हैं जिनमें रेलों की ब्याजदेय पूंजी, पंचवर्षीय योजनाओं में निधियों के स्रोत और उनका उपयोग, वित्तीय परिणामों का रेलवे-वार ब्यौरा, विभिन्न निधियों के अन्तर्गत बकाया राशियों आदि का ब्यौरा दिया गया है।

16. रेलवे की भाड़ा दरों और किरायों से संबंधित प्रस्तावों का विवरण "रेलवे बजट में माल-भाड़े की दरों और किरायों में समायोजन के प्रस्तावों को "व्याख्यात्मक ज्ञापन" में दिया गया है।

निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम

17. रेलों का निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम दो भागों में तैयार किया जाता है। भाग-I में योजना शीर्ष-वार योजना परिव्यय का समग्र वितरण दिया जाता है। बजट में प्रस्तावित नये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, संक्षिप्त औचित्य दिया जाता है। चल-स्टाक, मशीन और संयंत्र पर खर्च और भंडार के अंतर्गत वस्तुसूचियों और निर्माण लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। भाग-II में नये निर्माण कार्यों, चालू निर्माण कार्यों पर रेलवे-वार खर्च तथा भंडार के अंतर्गत वस्तुसूची और निर्माण लेखों के विश्लेषण का ब्यौरा दिया जाता है।

units of expenditure indicating how the expenditure was incurred, like salaries, wages, overtime, cost of materials, etc. This two-way classification integrates the requirements of performance budgeting which is based on activities, and management control which is based on objects of expenditure.

14. Part I of the Demands for Grants presents the details for the Railways as a whole. Part II gives Railway-wise details of the Demands for Grants. In addition, Part II also contains Staff Statements and Performance Units for Expenditure relating to Revenue Demands.

Explanatory Memorandum

15. A summing-up of the outlook for earnings, revenue and works expenditure is given in the document Explanatory Memorandum on the Railway Budget. This document is divided into two Sections; Section I gives a brief resume of the financial results of the previous year, the current year and the ensuing year with an analysis of the position separately under Earnings, Working Expenses and the Fund transactions. Section II gives a similar resume of the Works Demand as a whole. The Explanatory Memorandum also contains a number of Annexures detailing the Capital-at-Charge of the Railways, Sources and Application of Funds in the Five-Year Plans, Railway-wise details of financial results, balances under the various Funds, etc.

16. Proposals relating to Railway freight rates and fares, are explained in the "Memorandum explaining the proposals for adjustments in freight rates and fares in the Railway Budget".

Works, Machinery and Rolling Stock Programme

17. Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways is prepared in two parts. Part-I shows the overall distribution of Plan outlay by Plan Heads. Brief justifications for important new works proposed in the budget are indicated. Expenditure on Rolling Stock, Machinery and Plant, and inventories in stores and manufacturing accounts are summarised. Part-II contains details of Railway-wise expenditure on New Works, Works-in-Progress and an analysis of inventories in stores and manufacturing accounts.

निष्पादन बजट

रेलों का निष्पादन बजट, 1995-96 अनुदान की मांगें, 1994-95 संबंधी स्थायी समिति की भारतीय रेलों से संबंधित छठी रिपोर्ट (1993-94) की सिफारिशों के अनुसरण में तैयार किया गया है। इस प्रलेख में अन्य बातों के साथ कमी-बेशी के कारणों सहित लक्ष्यों की तुलना में भारतीय रेलों के राजस्व और खर्च के निष्पादन का ब्यौरा दिया गया है। इसमें एक कार्य से दूसरे कार्य की निधियों के अंतरण सहित 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों के निष्पादन; परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तारीखों से संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसमें पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना में राजस्व, आय, खर्च, निर्माण कार्य निष्पादन के संबंध में की गई व्यवस्था से संबंधित कमियों, यदि कोई हों, सहित रेलों के निष्पादन का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया गया है।

'भारतीय रेल--वार्षिकी'

और

'भारतीय रेल--वार्षिक रिपोर्ट और लेखा'

18. 'भारतीय रेल--वार्षिकी' नामक प्रलेख में पिछले वर्ष के दौरान रेल विभाग के कार्यकलापों का वर्णनात्मक लेखा-जोखा दिया गया है। 'भारतीय रेल--वार्षिक रिपोर्ट और लेखा' नामक एक अन्य प्रलेख में पिछले वर्ष के वित्तीय एवं महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन के आंकड़ों की संक्षिप्त समीक्षा की जाती है।

निष्पादन यूनिट

19. बजट को प्रबंध-व्यवस्था का उपयोगी साधन बनाने एवं रेलों के कार्य-निष्पादन का संसद में तथा अन्यत्र बेहतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत वित्तीय निवेश और तदनुरूपी स्थूल प्रगति को सम्बन्धित मांगों के अन्तर्गत दिया जाता है। उत्पादन/कार्य-निष्पादन और यूनिट लागत के मानदण्ड कई वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही निर्धारित किये जा सकते हैं। जब तक इस प्रकार के मानदण्डों का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक प्रमुख कार्य-कलापों के अन्तर्गत मांगों के महत्वपूर्ण उप-शीर्षों के संदर्भ में उत्पादन की विनिर्दिष्ट मात्रा के बारे में संसद को अवगत कराने का प्रयास किया गया है।

Performance Budget

Performance Budget, Railways 1995-96 has been prepared in pursuance of the recommendations of the Standing Committee in its VIth Report on Indian Railways (1993-94) on Demands for Grants, 1994-95. This document inter alia indicates compartive performance of Indian Railways in respect of Revenue and Expenditure vis-a-vis the targets along with the reasons for variations. The performance in respect of Works costing more than Rs. 5 crore and above, including transfer of funds from one work to other; target dates of completion of the Projects are also indicated. It also gives a summary appraisal of the Railways' performance including shortfalls, if any, in respect of revenue, earnings, expenditure, works performance as provided in Five Year Plan and Annual Plan.

'Indian Railways—Year Book'

and

'Indian Railways—Annual Report and Accounts'

18. A descriptive account of the activities of the Department of Railways during the previous year is given in the document 'Indian Railways—Year Book'. Another document, entitled, 'Indian Railways—Annual Report & Accounts' gives a summarised review of the financial and important performance data of the previous year.

Performance Units

19. To make the Budget serve as a useful tool of management and also to enable better appreciation of the functioning of the Railways in Parliament and elsewhere, the financial inputs and the corresponding physical outputs under major activities is furnished under the respective Demands. Pending the evolution of norms of output/performance and unit costs which can be developed only after experience is gained over a period of years, it has been attempted to make available to the Parliament specific volume of output under major activities with reference to the important sub-heads of Demands.

नयी सेवा/सेवा के नये उपकरण

20. अनुदान की मांगों के साथ 'नयी सेवा' या 'सेवा के नये उपकरण' की उन मदों की एक सूची संलग्न की जाती है जिनके लिए बजट में व्यवस्था की जाती है। लोक लेखा समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए यह पता लगाने के लिए कि कौन-सी मदें नयी सेवा अथवा सेवा के नये उपकरण के रूप में होंगी, समय-समय पर वित्तीय सीमाएं निर्धारित की जाती हैं।

विनियोग बिल

21. अनुदान की मांगों की लोक सभा से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् संसद द्वारा यथा-स्वीकृत राशि समेकित निधि से निकालने और समेकित निधि पर प्रभारित खर्च को पूरा करने के लिए विनियोग बिल के माध्यम से संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत जब तक संसद कोई ऐसा विनियोग अधिनियम पारित नहीं कर देती, तब तक समेकित निधि से कोई भी धन-राशि नहीं निकाली जा सकती।

New Service/New Instrument of Service

20. A list of items of 'New Service' or 'New Instrument of Service' for which provision is made in the Budget is appended to the Demands for Grants. Monetary limits to determine which items would be in the nature of New Service are laid down from time to time taking into account the recommendations of the Public Accounts Committee.

Appropriation Bill

21. After the Demands for Grants are voted by the Lok Sabha, the Parliament's approval to the withdrawal of the amounts from the Consolidated Fund so voted and of the amount required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund is sought through the Appropriation Bill. Under article 114(3) of the Constitution, no amount can be withdrawn from the Consolidated Fund without such an Appropriation Act passed by the Parliament.

MGIPRRND –Sec. I—S/16 RB/95 - 8-3-95 –7000

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
1995